ज़मीमा जयाजीप्रताप, तारीख़ २७ अप्रैल सन १९२२ ई०

प्रोसीडिंग्स मजलिसे-आम.

सेशन अव्वल.

मिन-इब्तदाय तारीख़ १७ अक्टूबर लगायत २५ अक्टूबर सन १९२१ ई०.

आलीजाह दरबार प्रेस,—ग्वालियार.

प्रोसीडिंग्स मजलिसे-आम, ग्वालियर.

कार्रवाई रोज अव्वल.

सोमवार, तारीख १७ अक्टूबर सन १९२१ ई०, वक्त १ बजे दिन
मुकाम मोतीमहल, कौन्सिल चैम्बर.

मुताबिक नोटिफिकेशन मजरिये महकमे लॉ एन्ड जस्टिस मतबुआ गवर्नमेन्ट गॅझेट, तारीख १ अक्टूबर सन १९२१ ई०, मजलिसे आम के इफ्तताह की तारीख १७ अक्टूबर सन १९२१ ई० मुकर्रर की गई थी, इस तारीख को एक बजे से पेश्तर मेम्बर साहबान गवर्नमेन्ट व दोनों सरसूबे साहबान व मेम्बर साहबान मजलिसे-आम कौंसिल चेम्बर, वाके मोतीमहल में जमा हुए। चेम्बर के दोनों जानिब के कमरों व गेलरी में ऑफिशियल व नॉन-ऑफिशियल विजिटर्स की नशिस्त का इन्तजाम किया गया था और जनाब मिस्टर जार्डिन साहब, रेजीडेन्ट, ग्वालियर ने मजलिस की कार्रवाई गेलरी में बैठकर देखी।

हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू बाजाब्ता व सवारी चौकडी तशरीफ लाये। गवर्नमेन्ट सेक्रेटरियट के जीने पर मेम्बर साहबान गवर्नमेन्ट (मजलिसे-खास) व चन्द मेम्बरान मजलिसे-आम ने हुजूर मुअल्ला का इस्तकबाल किया और वहां से प्रोसेशन फार्म होकर दो कतारों में इस तरह वापिस हुए कि सब से आगे दो चोबदार थे। उनके पीछे मेम्बरान मजलिसे-आम और मेम्बरान गवर्नमेन्ट, उनके बाद हुजूर मुअल्ला के दो ए. डी. सी., बाद अजां प्राइवेट सेक्रेटरी साहब व मास्टर ऑफ सेरेमनीज साहब, मा बाद हुजूर मुअल्ला। कौंसिल चेम्बर में हुजूर मुअल्ला के दाखिल होने पर हाजरीन ने खडे होकर मुजरा किया। हुजूर मुअल्ला ने नशिस्त सदारत पर मुतमक्किन होकर पोलिटिकल मेम्बर साहब व लॉ मेम्बर साहब को कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी और पोलिटिकल मेम्बर साहब ने हस्ब जैल गैर सरकारी मेम्बरान मजलिस को हुजूर मुअल्ला के रूबरू हलफ लेने के लिये पेश किया :—

१. सेठ मानिकचन्द साहब ताजिरउलमुल्क २. राय साहब सेठ नारायनदास फतेहराम साहब, ३. रामराव गोपाल साहब, देशपांडे, ४. ले. क. भास्करराव साहब पागनवीस, ५. राव हरिश्चन्द्रसिंह साहब ६. चौधरी रनधीरसिंह साहब, ७. ठाकुर रघुनाथसिंह साहब, ८. मेजर गुलबसिंह साहब, ९. सेठ शिवराज साहब, १०. खां साहब सेठ लुकमान भाई नजरअली साहब, ११. द्वारकादास वल्द रामगोपाल साहब, १२. सेठ रामप्रतापजी साहब लूमा, १३. जबरसिंह वल्द श्यामलाल साहब दीक्षित १४. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, १५. रायबहादुर प्राणनाथ साहब, १६. बद्रीप्रसाद साहब, रस्तोगी, १७. विश्वेश्वरसिंह वल्द खरगजीतसिंह साहब, १८. मानिकचन्द वल्द बिरदीचन्द साहब, १९. जगमोहनलाल वल्द गोपाल सहाय साहब, २०. रामजीवनलाल वल्द हरनारायण साहब, २१. अजीजफर साहब, २२. महादेवराव वल्द गोविन्दराव साहब, २३. पन्नालाल वल्द मन्नालाल साहब, २४. फजलमुहम्मद साहब, २५. सदाशिव हरी साहब मुळे, २६. राजाराम साहब, २७. ब्रजस्वरूप वल्द मनोहरलाल साहब, २८. मूंगालाल वल्द रूपचन्द साहब विजयवर्गी, २९. रामचन्द्र वल्द तुलसीराम साहब, बोहरा, ३०. भगवानसरूप साहब, ३१. जगन्नाथप्रसाद साहब, ३२. विट्ठलदास साहब, ३३. अहमदनूरखां साहब, ३४. बंसीधर वल्द बिहारीप्रसाद साहब, भार्गव, ३५. करमचन्द साहब, ३६. गुरुदयाल वल्द किशनदयाल साहब, ३७.

साहब, ३८. लालचन्द साहब, ३९. केशवराव बापूजी साहब, ४०. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिर-उलमुल्क ४१. मदनमोहनलाल साहब, ४२. लालताप्रसाद साहब, ४३. गोविन्दराव चिन्तामन साहब वाटवे, ४४. जाल भरूचा साहब, ४५. रावजी शास्त्री साहब वेलणकर, ४६. मोहम्मद अब्दुलहमीद साहब सद्दीकी, ४७. जमनादास भगवानदास साहब शाळानी, एम. ए., ४८. गणेशदत्त साहब शास्त्री.

इनके मुजरा करने के बाद हुजूर मुअल्ला ने हर मेम्बर से दरयाफ्त फरमाया :—

'क्या आप ओहदे मेम्बर मजलिसे आम, जिस पर आपका तकर्रुर हुआ है के फरायज मन्सबी को ईमानदारी से अंजाम देने के लिये हल्फ उठाने को रजामन्द और तैयार हैं?'

इसका जवाब हर मेम्बर ने यह दिया:—

'मैं हल्फ उठाने को रजामन्द और तैयार हूं'। इसके बाद पोलिटिकल मेम्बर साहब ने हल्फ दिया और हल्फ लेनेवाले ने हल्फ को इतनी ऊंची आवाज से लिया कि सब लोगों ने सुना।

हल्फ लेने की कार्रवाई खत्म होने के बाद हुजूर मुअल्ला ने अपना इफ्तताही स्पीच पढा जो जयाजी प्रताप, तारीख २० अक्टूबर सन १९२१ ई० में शाया हो चुका है।

हुजूर मुअल्ला की स्पीच के बाद दरबार की जानिब से रिफ्रेशमेन्ट (refreshment) दी गई और ३॥ बजे कार्रवाई मजलिस शुरू हुई.

तजवीज १, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

"उस रुपये के, जो दूकानदारान मंडिया में बतौर धर्मादा वसूल करते हैं, मुनासिब तरीक पर सर्फ किये जाने के मुतअल्लिक कवाअद वज़े किये जावें."

इस तजवीज को पेश करते हुए बाबू जगमोहनलाल साहब ने कहा:—

हुजूरे मोअल्ला ! मंडियों में दूकानदारान ने यह तरीका मुकर्रर कर रक्खा है कि हर खरीदो-फरोख्त के सौदा पर कुछ रकम बतौर धर्मादा वसूल करते हैं. कोई दूकानदार दूसरे दूकानदार से कोई माल खरीदे या दूसरी जगह कोई माल भेजा जावे, उसकी कीमत वगैरा का जो पर्चा लगाया जाता है उसमें जेरे धर्मादा काट लिया जाता है. मंडी में जो काश्तकारान या थोडी मंडी करनेवाले लोग माल फरोख्त करने की गरज से लाते हैं, उसपर भी धर्मादा काट लिया जाता है और कहा यह जाता है कि यह रकम धर्मादा के कामों में सर्फ की जावेगी; मगर हुजूरे अनवर ! वाका यह है कि दूकानदारान इस रुपये को अपना समझे हुए हैं, जिसपर अखलाकन और कानूनन उनको कोई हक नहीं है और यह रकम बजाय धर्म के कामों में सर्फ होने के साहूकार साहिबान के सिलक की जुज होगई है. पब्लिक में इसके मुतअल्लिक काफी इश्तबाह पैदा होगया है, जैसा कि जयाजी प्रताप तारीख २३-८-१९२०, ९-९-१९२०, २३-९-१९२० के मुलाहिजे से वाजह होगा.

हुजूरे आली ! मैंने इस रुपये की बाबत दूकानदारान से अक्सर व बेश्तर गुफ्तगू की है. माकूल पसन्द दूकानदारान भी चाहते हैं कि यह रुपया धर्म के कामों में ही सर्फ होता रहे; बल्कि ऐसे लोग इस रुपये को अपने पास जमा रखना ही गुनाह समझते हैं. कुछ अर्सा हुआ भिंड में चंद दूकानदारान ने एक कमेटी कायम करके इस रुपये को एक जगह जमा करके वाजबी तरीके पर सर्फ किये जाने का इन्तजाम करने की कोशिश की थी और चंद दूकानदारान इस मुश्तरिक फंड में अपने यहां का रुपया भी जमा करने लगे थे; लेकिन चंद लालची व खुदगर्ज लोगों की बदौलत, जो खुद को सिवाय कानूनी बंदिश के अखलाकन किसी अम्र का पाबन्द ही खयाल नहीं करते, इस कमेटी

के काम में कामयाबी नहीं हुई, और नतीजा यह हुआ कि इस किस्म की रकम वह लोग अपनी तिजारत में इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिये हुजूरे अनवर ! जरूरत इस बात की है कि इस किस्म की रकम के एक जगह जमा किये जाने और उसके खर्च के बाबत अज तरफ गवर्नमेन्ट कवायद वजा कर दिये जावें. यह खैरात आम का मसला है और गवर्नमेन्ट की दस्तन्दाजी की सख्त जरूरत है. जयाजी प्रताप के एक काश्तकार नामेनिगार ने लिखा है 'हमारी राय में सरकार को अब इस काम में दस्तन्दाजी करनी चाहिये और यह रुपया खैरात में खर्च करने का इन्तजाम करना चाहिये, वर्ना गरीब काश्तकारों को जिनके पेट काटकर यह धर्मादा वसूल होता है, यह हिदायत होनी चाहिये कि कोई धर्मादा न देवें, ताकि यह किस्सा पाक हो.'

मैं अपने दोस्त साहूकारान को यकीन दिलाता हूं कि इस तजवीज के मंजूर हो जाने से उनके जायज हकूक में कोई दस्तन्दाजी या उनकी वाजिबी आजादी में कोई रोक नहीं होती; बल्कि वह ऐसे गुनाह से सुबुकदोश हो जावेंगे कि जिसके मुर्तकिब वह इरादतन या गफ्लतन हो रहे हैं ?

हुजूरे आली ! जिन कवाअद के वजा किये जाने की इस्तदुआ इस तजवीज में की गई है, उनमें, मेरे ख्याल से चन्द उमूर के लिहाज रखने की खास तौर पर जरूरत है, जो इस जगह जाहिर करना मैं जरूरी ख्याल करता हूं:—

१. Vested interests का लिहाज रखना लाजमी है. चूंकि अर्से से दूकानदारान इस रकम को अपनी मरजी के मुताबिक सर्फ करते रहे हैं, इसलिये इन्साफन यह जरूरी है कि इस रकम का कुछ जुज मस्लन एक आना फी रुपया उनके पास इस गरज से छोड दिया जावे कि वह अपनी मरजी के मुताबिक उसे खैरात कर सकें.

२. ऐसा जुज वजा करने के बाद बकिया कुल रुपया अदा करने का हर दूकानदार पाबंद करार दे दिया जावे.

३. ऐसा रुपया किन कामों में सर्फ हो सकता है, इसकी तशरीह करदी जावे.

४. इस काम के लिये एक कमेटी मुकर्रर करदी जावे.

हुजूरे अनवर ! अगर यह जतवीज मंजूर करली गई और वाजिबी कवाअद वजा करदिये गये तो मैं ख्याल करता हूं कि हर मंडी के धर्मादा ट्रस्ट में इस कदर कसीर रुपया जमा हो जावेगा कि जिससे रिफाह आम व खैराते आम के बहुत से काम हो सकेंगे, और जिनकी बदौलत खल्कल्लाह को बहुत कुछ फायदा पहुंचेगा और इस सवाब के मुस्तहक मेरे दोस्त साहूकार साहिबान भी होंगे.

इस उम्मेद के साथ, हुजूर आली ! मैं इस तजवीज को मजलिस में मूव (Move) करता हूं.

गुरुदयाल साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं और गुजारिश करता हूं कि यह कवायद सिर्फ मंडियों के लिये ही नहीं; बल्कि उन तमाम मुकामात के लिये वजा किये जावें जहां धर्मादा काटा जाता है.

गोविंद राव चिंतामन वाटवे साहब—मुझे जगमोहनलाल साहब की तजवीज से इत्तफाक है मगर इसके मुतअल्लिक शर्त यह लगाई जावे कि.—

हुजूर मुअल्ला—आपको मुजव्विज की राय से इत्तफाक है या ना इत्तफाकी ?

वाटवे साहब—मुझे इत्तफाक है.

बंसीधर साहब—मैं भी बाबू जगमोहनलाल साहब की तजवीज से इत्तफाक करता हूं. उज्जैन के मुतअल्लिक मेरा तजुर्बा यह है कि लोग रकम धर्मादा से खुद फायदा उठा रहे हैं.

लाला रामजीदास साहब—मुझे अफसोस है कि मैं अपने दोस्त बाबू जगमोहनलाल साहब की तजवीज से इत्तफाक नहीं करसकता. इसकी वजह यह है कि जो रकम धर्मादा जमा की जाती है वह धर्म के कामों में ही खर्च की जाती है और हिन्दू, जैनी, मुसलमान, मुख्तलिफ धर्म के व्यापारी इस रकम को अपने अपने धर्म के कामों में सर्फ करते हैं. इस रकम का इन्दराज बही खातों में भी होता है और ऐसी शक्ल में मेरी राय नहीं है कि गवर्नमेन्ट इस मामले में दस्तन्दाजी करे. अगर मौजूदा इन्तजाम धर्मादा काबिले इतमीनान नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा यह करना चाहिये कि मेम्बरान मंडी कमेटी धर्मादा की देख-भाल बतौर ट्रस्टी करें.

जमनादास साहब झालानी—मैं लाला रामजीदास की ताईद करता हूं. जाब्ता दीवानी में दफा ४७७ मौजूद है जिसकी रूसे ऑफीसर मजाज गबन व तसर्रुफ बेजा की सूरत में धर्मादा के इन्तजाम में दस्तन्दाजी करसकते हैं. मेरे ख्याल से धर्मादा के इन्तजाम के लिये नये कवायद जारी करने से गवर्नमेन्ट की गैर जरूरी दस्तन्दाजी और उससे एक नई पेचीदगी पैदा हो जावेगी. मेरा तजुर्बा यह है कि व्यापारी लोग धर्मादा का रुपया सिवाय धर्म के कामों के और कामों में खर्च करना पसन्द नहीं करते. जो रुपया जमा होता रहता है उसे वक्त जरूरत खर्च करते हैं और उज्जैन में सिंहस्थ और गोशाला पर यह रुपया आम तौर से सर्फ होता है। मेरा यह ख्याल है कि मुख्तलिफ मंडियों में धर्मादा की सूरत मुख्तलिफ है. इस लिये कवायद से पेचीदगी पैदा होने का भी एहतमाल है. पस मेरी राय यह है कि गवर्नमेन्ट इस मामले को अपने हाथ में न लेवे.

अबदुल हमीद साहब—मैं भी लाला रामजीदास साहब की तजवीज को सपोर्ट करता हूं.

महादेवराव साहब—मुझे भी लाला रामजीदास साहब की राय से इत्तफाक है.

राय साहब नारायणदास—मैं भी लाला रामजीदास साहब की राय से इत्तफाक करता हूं. धर्मादा लाजिमी तौर पर वसूल नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं जो धर्मादा नहीं काटते.

अहमदनूरखां साहब—यह कोई मजहब नहीं कहता कि रकम खैरात तो कोई करे और उसे खर्च खैराती कामों पर कोई और करे. मेरी राय में धर्मादा का काटा जाना बन्द होना चाहिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—धर्मादा के इन्तजाम की जरूरत तो मालूम होती है, वर्ना यह सवाल ही पैदा न होता। मंडियों के कवायद व्यापारियों ने ही बनाये हैं और उनमें यह तजवीज की गई है कि रकम धर्मादा का निस्फ तो व्यापारी अपनी मरजी से सर्फ करें और निस्फ मंडी कमेटी की मरजी से. लिहाजा मेरी राय में यह मुनासिब मालूम होता है कि इस तजवीज पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर कर दी जावे.

हुजूर मोअल्ला—मजलिस ने दोनों फरीक की बहस सुन ली और अब इस मसले को तय करना चाहिये. यह बात तो मानी हुई है कि हर शिकायत का कुछ न कुछ बायस जरूर होता है और उसके मालूम होजाने पर ही शिकायत रफा करने की तदबीर की जा सकती है. जब ट्रेड में गड़-बड़ होती है और लैन दैन का काम ठीक नहीं चलता तब ही वजूहात दरयाफ्त करके कानून बनाया जाता है. इस वक्त धर्मादा के मुतअल्लिक शिकायत दरपेश है और कोई बात इसके अंदर ऐसी जरूर है जिसकी वजह से यह सवाल पेश किया गया है. मुझे खुद भी इसके मुतअल्लिक थोडासा तजुर्बा है और मेरी जुडीशियल की पेशी में मेरे सामने मकसी के मंदिर और लश्कर के सराफे का मंदिर और बोहरों के मुकद्दमात आ चुके हैं, जिनमें से किसी मुकद्दमे में मरहूम अमीर-हैदर वकील थे. जब पब्लिक अपना पैसा किसी जिम्मेवार शख्स या जमाअत के सुपुर्द करती है तो यह उम्मेद रखती है कि वह पैसा उसकी मंशा और हिदायत के मुताबिक खैरात के ही कामों में लगाया जावेगा और जब ऐसा नहीं होता तब शिकायतें पेश आती हैं. ट्रेड मेम्बर

साहब की राय मुनासिब है। अगर मजलिस को उनकी राय पसंद हो तो एक कमेटी बनाई जाकर उसके हवाले यह मामला किया जावे और वह अपनी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे और इस मौके पर कत्राअद मंडियान पर भी, जिनका जिक्र ट्रेड मेम्बर साहब ने किया है और जिनमें धर्मादा के इन्तजाम की तजवीज की गई है, गौर किया जावे। लिहाजा हस्ब इत्तफाक राय आम हस्ब जैल मेम्बरान की कमेटी मुकर्रर की गई:—

ट्रेड मेम्बर साहब (२) लाला रामजीदास साहब (३) जमनादास झालानी साहब (४) राय बहादुर पंडित प्राणनाथ साहब (५) सेठ रिधराज साहब (६) बाबू जगमोहनलाल साहब.

लाला गुरदयाल साहब—यह तजवीज अहम है, मेम्बरान जिलेवार मुकर्रर फरमाये जावें.

हुजूर मोअल्ला—अब कमेटी मजलिस से मुकर्रर की जा चुकी है, इसलिये आप की इस तरमीमी तहरीक पर गौर नहीं किया जा सकता है.

तजविज २, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवनमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

"जब कभी गांव में डाकेजनी, चोरी होती है तब प्राय: प्रजा डरकर छिप या भाग जाती है; इसलिये तालीम में साहसी (जवांमर्दी) शिक्षा स्कूलों में लाजमी करदी जाय, और उपदेशकों के द्वारा भी नागरिकों को इस विषय का अवश्यकीय उपदेश दिलाया जाय, जिससे प्रजा साहसी, निडर होकर अपने अपने गांवों की जान माल की रक्षा में दिलेर हो और पुलिस को भी साथ देने में अग्रसर हो."

इस तजवीज को पेश करते हुए महन्त लक्ष्मणदासजी ने कहा :—

राजन!

प्राय: सुनने में आता है कि जब कहीं रहजनी, डकैती या चोरियां होती हैं तब प्रजा या तो चुपके गांव छोडकर भग जाती है, या गांव में छिप जाती है। नजीरन इमसाल अमझरे जिले में भी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। एक गांव सुलतानपुर में डाका पड़ा. लगभग २०० घर की बस्ती होते हुए भी गांव के लोग गांव छोडकर भग गये. ऐसे ही बाग, जो एक टप्पा है, वहां चोरों के आने का हल्ला हुआ और एक अकेलाही नानकमीशन दौड गया, अकेले होने के सबब वह चोरों के तीर से मारा गया. इन बातों से साबित होता है कि देहाती प्रजा में दिलेरी जवांमर्दी कम है। इसके लिये यह उपाय उचित मालूम होता है कि तालीम में जवांमर्दी की शिक्षा और बढाई जाकर लाजिमी करदी जावे। इस साहसी शिक्षा के प्रचार के लिये यह तरीका उचित मालूम होता है कि कोर्स की पुस्तकों में वीरता की कथाएं कुछ वटा बढाकर शामिल कर दी जावें। ऐसी कथाएं मनोरंजक होना चाहिये, जैसे नमूने के तौर पर यह हैं, कि राजभक्त वीर प्रजा अपने राजा के लिये किस तरह तन मन धन से तय्यार रहती है, जिस का उदाहरण यह है कि राजाहंसध्वज अपने दरबार में बैठे थे और सब दरबारी वीरों और प्रजावर्ग से फर्माया कि मेरे साथ युद्ध में चलना होगा; लेकिन यह पहिले समझलो कि मेरे साथ वही चल सकेगा जो निज पत्निव्रत और ईश्वरभक्त, और मीठा बोलनेवाला और वीर हो; क्योंकि यह युद्ध धर्म का है. अपने राजा की यह आज्ञा सुनते ही जितने बैठे थे सभी अपने को ऐसा साबित करते हुए तय्यार होगये और वे वैसे ही तालीम याफ्ता भी थे कि,

सर्वेते वैष्णवावीरा सदा दान परायणा:। एकनारिव्रत युत: तम्मतास्ते प्रियंवदा:॥

इसी तरह जब रामचन्द्रजी का राज्याभिषेक हो रहा था और ऋषि, मुनि, महाराज की स्तुति

कर रहे थे, उस समय सीता कुछ मुस्कराने लगीं, ऋषियों ने कहा यह क्यों? तब सीता ने फर्माया कि मैं जो हँसी उसका कारण यह है कि अभी जो स्तुति आप लोग कर रहे हैं वह मेरे स्वामी पर चरितार्थ नहीं होतीं, क्योंकि दशानन की विजय से ही प्रजा की पीडा अभी नहीं मिटी, अभी सहस्रानन प्रजा का त्रास देनेवाला धूम मचा रहा है, जो पुष्कर द्वीप का निवासी है. इस बात को सुनकर रामचन्द्रजी राज्याभिषेक से खडे होगये और बोले कि हम इसीवक्त प्रजा के त्रास देनेवाले को विजय करने जाते हैं। देरही क्या थी, सुनते ही क्या राज्यकर्मचारी और क्या प्रजा वीर, सब वीरवेष में सजकर तय्यार हो गये और अपने मालिक का साथ देने के लिये इतने उत्साही हुए कि,

मात्रा पित्रापि कथनाद जानन्त्योधितोनमः। सीतयाराम कार्य्यार्थे निर्ययौ राघवाज्ञया ॥

वे सब वीर माता पिता की आज्ञा भी न लेते हुए, जानकी द्वारा प्रेरित हुए, रामचद्रजी की आज्ञा से चल दिये. येही नहीं किन्तु 'सुमंत्राद्या मंत्रिणश्च ऋषयस्तेच निर्ययुः. नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध कलापिनः' ॥ अर्थात् सुमंत मंत्री दीवान, और पूजापाठ करने वाले ऋषि, मुनि जो अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र वाले थे, अस्तु. कोर्स में ऐसे कथानक परिमार्जितरूप में सुपाठ्य रक्खे जावें और जिस तरीके से विद्याविभाग इस कार्य की पूर्ति समझे वैसे कथानक रक्खे। दूसरा तरीका व्यायाम का है, जो होती है, किन्तु उसमें कुछ फेरफार कर दिया जाना उचित मालूम होता है. जहां खो खो के खेल, गेंद, जमनॉष्टिक वगैरः होते हैं वहां फडी, गदका, लकडी, बाना, गोफन, पटा वगैरः भी सिखलाया जावे, क्योंकि कथानक की तालीम से आत्मबल बढकर बुजदिली हटेगी और व्यायाम के इस तरीक से देहबल की कुव्वत. बढेगी इस तरीक से कस्बाती और देहाती लडके आगे ठीक निकलने लगेंगे और साथही गर्लस्कूलों की किताबों में भी साहस की आख्यायिका सिखाई जावें.

सरकार—गर्ल स्कूलों के निस्बत कुछ न कहिये.

महन्त लक्ष्मणदास—जो आज्ञा.

अब बडे मनुष्यों को तालीम दी नहीं जासकती, इसके लिये यही उचित मालूम होता है कि उपदेशकों के द्वारा गांव गांव कृषिउन्नति के उपदेशों के साथ साथ साहसीपन के भी उपदेश दिलाये जावें, जिससे गावों के लोगों में दिलेरी आवे और ऐसे मौकों पर व अपनी जान माल की रक्षा करसकें; किंतु ऐसे उपदेश संभले हुए और नियमित होने चाहिये. आशा है इस प्रस्ताव पर मजलिस गौर करेगी.

भगवानस्वरूप साहब—मुझे मन्हतजी की तजवीज से इत्तफाक है.

बद्रीप्रसाद रस्तोगी साहब—मैं ताईद मजीद करता हूं.

अब्दुल हमीद साहब—मैं भी महन्त साहब की तजवीज की ताईद करता हूं.

जगमोहनलाल साहब—महन्त साहब की तजवीज से मुझे हमदर्दी तो जरूर है, मगर चूंकि मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज के साथ जरिये नहीं बताये, इसलिये मेरे खयाल से यह तजवीज नामुकम्मिल है और इसलिये मैं मुखालफत करता हूं.

महादेवराव साहब—खेल कूद मदर्सों में जारी हैं और वह काफी हैं। महन्तजी ने कोई तजवीज इस बाबत पेश नहीं की है, इसलिये मैं जगमोहनलाल साहब की तजवीज की ताईद करता हूं,

जहांगार बहमबनजा साहब—मैं महन्तजी की तजवीज को सपोर्ट (Support) करता हूं. जापानी खेल जुजुत्सू वगैरा ऐसे हैं कि अगर वह लडकों को सिखाये जावें तो उनसे तजवीज की गरज पूरी हो सकती है.

रामजीदास साहब—मेरी समझ में नहीं आता कि जवांमर्दी की तालीम क्या हो सकती है ? अगर मतलब नीति से है तो (माराल ट्रेनिंग) Moral training और (फिजीकल ट्रेनिंग) Physical training का सिलसिला स्कूलों में जारी है. मेरी राय में यह तजवीज ऐसी है जो खारिज करने लायक मालूम होती है.

देशपांडे साहब—मुझे असल तजवीज से इत्तफाक है.

वाटवे साहब—मुझे महन्तजी की तजवीज से इत्तफाक है. फौजी तालीम होने से महन्तजी का मतलब हल हो सकता है.

एज्यूकेशनल मेम्बर साहब—तजवीज जो इस वक्त मेम्बर साहिबान के रूबरू पेश है वह इस उसूल पर मबनी है कि नागरिक जवांमर्द हों, ताकि ब वक्त जरूरत वह अपनी जानोमाल की हिफाजत कर सकें मुझे इस उसूल से बिलकुल इत्तफाक है, अगर कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जासके कि जिससे रिआया आम तौर पर जवांमर्द बनसके तो गवर्नमेन्ट हर तरह से जायज व मुनासिब इमदाद देने के लिये तैयार होगी, इस गर्ज को हासिल करने के लिये तजवीज में दो तरीके बतलाये गये हैं:—

(१) नागरिकों में साहसी शिक्षा (जवांमर्दी की तालीम) लाजमी करार दी जावे.

(२) उपदेशकों की मारफत नागरिकों को जवांमर्द बनने के लिये उपदेश दिलाया जावे. आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि तन्दुरुस्ती और जिस्मानी ताकत जवांमर्द बनने के लिये जरूरी अजजा (Factors) हैं, लेकिन हर तन्दुरुस्त और ताकतवर शख्स दिलेर व जवांमर्द नहीं होता, इसलिये अगर जवांमर्दी की तालीम का दिया जाना मुमकिन हो तो Physical Education (जिस्मानी कुव्वत बढ़ाने की तालीम) के अलावा किसी और तरीके को अमल में लाने की जरूरत होगी.

जहांतक स्कूलों का तअल्लुक है, तुलबा के Physical training के मुतअल्लिक दरबार मुअल्ला ने सन १९१८ ई० में यह कायदा जारी फरमाया कि पढाई के बाद हर रोज आध घंटा उनसे वरजिश और देसी कसरत कराई जावे. बादहू एजूकेशन कोड की रू से कुल गवर्नमेंट स्कूलों में Physical training और Athletics को लाजिमी करार दिया गया और यह हुक्म दिया गया कि प्राइमरी स्कूलों में देसी कसरत और सेकंड्री स्कूलों और कालिजों में देसी कसरत के अलावा Gymnastics व दीगर खेल, मसलन—फुटबॉल वगैरा भी रायज किये जावें. चुनांचि इन अहकाम के मुताल्लिक स्कूलों में अमल हो रहा है.

यह सवाल कि स्कूलों में जवांमर्दी की तालीम देने का कौनसा तरीका इख्तियार किया जावे, मेरी राय में ऐसा सवाल है जो सरसरी तरीक पर तय नहीं हो सकता.

दूसरे हिस्से तजवीज के मुतअल्लिक मेरा ख्याल है कि महज उपदेश से यह मतलब हासिल नहीं होगा. सिर्फ लेक्चर्स किसी कौम या किसी मुल्क के बाशिंदगान को जवांमर्द नहीं बना सकते, जब तक कि नागरिक अपनी जिस्मानी हालत को दुरुस्त करने और जवांमर्द बनने के लिये अमली वसायल इख्तियार न करें यह गर्ज पूरी नहीं हो सकती. इस गर्ज को हासिल करने के लिये अगर गवर्नमेंट की इमदाद की जरूरत हो तो इन उमूर का फैसला करना लाजिम होगा कि वह इमदाद किस शक्ल में और किस हद तक दी जासकती है. इस तजवीज के हर दो हिस्सों के details पर अगर इस मजलिस में बहस की जाकर तय किया जावे तो बहुत वक्त सर्फ होगा, इसलिये मैं तहरीक करता हूं कि इनपर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी कायम कर दी जावे जिसमें अलावा

तजवीज पेश करने वाले मेम्बर के पांच दीगर असहाब मेम्बर हों और इस कमेटी के लिये terms of reference हस्ब जैल कायम किये जावें, यानी हस्ब जैल सवालात बिनाबर गौर व रिपोर्ट उसके सुपुर्द किये जावें:—

१. क्या जिस तरह इस वक्त स्कूलों में Physical training दी जाती है उसमें किसी तरमीम की जरूरत है, अगर है तो क्या ?

२. स्कूलों में जवांमर्दी की तालीम किस तरीके पर दी जा सकती है ?

३. जवांमर्दी की तालीम स्कूलों में यकसां तरीक पर दीजावे या मुख्तलिफ अकसाम के स्कूलों में मुख्तलिफ तरीक पर। अगर मुख्तलिफ तरीक पर हो वह तरीके क्या होना चाहिये ?

४. नागरिकों को आम तौर पर जवांमर्द बनाने के लिये किस शक्ल में और किस हद तक गवर्नमेंट इमदाद देसकती है ?

सब-कमेटी के मेम्बरान का तकर्रर मैं मेम्बर साहिबान मजलिस पर छोड़ता हूं.

मजलिस ने तजवीज मेम्बर साहब मंजूर की और कसरत राय से हस्ब जैल कमेटी कायम हुई:—

एजुकेशन मेम्बर साहब (२) आर्मी मेम्बर साहब (३) जहांगीर बहमनशा साहब वकील (४) महन्त लक्ष्मणदास (५) अहमद नूरखां साहब (६) पंडित गणेशदत्त शास्त्री,

हुजूर मुअल्ला—यह सवाल जो कमेटी के सुपुर्द गौर करने के लिये हुआ है, बहुत अच्छा है और मुझे पसंद है। तालीम से जरूर मर्दुमी आनी चाहिये, मगर उसका Keynote यह है कि लड़कों की निगरानी अज जानिब वालदैन, उस्ताद व सुपरिन्टेन्डेन्ट बोर्डिंग हाउस ठीकठीक हो, अगर ऐसा न हुआ तो गर्ज पूरी होना मुमकिन नही है. यह एक मुफीद point है जो मैंने आपके गौर करने के लिये जाहिर करदिया है.

तजवीज ७, एजेन्डा १.

गुजिश्ता सालों में फौती की तादाद देखने से मालूम हुआ कि छोटे बच्चे कसरत से ज़ाया होते हैं। मिसाल के तौर पर सम्वत १९७६ में फौती की तादाद करीब पच्चीस हजार के थी, जिसमें ९ हजार से जायद छोटे बच्चे थे, ८ हजार से जायद मर्द और ७ हजार से जायद औरतें थीं। सवाल यह है कि क्या तदबीर इख्तियार की जावे कि छोटे बच्चों की फौती की तादाद में कमी हो ?

इस तजवीज को पेश करते हुए होम मेम्बर साहब ने कहा:—

गुजिश्ता चंद सालों के फौती व पैदायश के नक्शेजात देखने से यह साफ जाहिर होता है कि छोटी उमर के बच्चों की तादाद अमवात बहुत जियादा होती है और यह भी तजरुबे से साबित हुआ है कि जैसे जैसे बच्चों की उमर जियादा होती जाती है वैसे वैसे ही तादाद अमवात कम होती जाती है। एक माह तक की उमर के बच्चों की तादाद अमवात बमुकाबिले उस बडी उमर के बच्चों की तादाद अमवात के बहुत जियादा होती है और दो तीन साल की उमर तक के बच्चों की तादाद अमवात बमुकाबिले उससे कम उमर के बच्चों की तादाद अमवात के कम और उससे बडी उमर के बच्चों की तादाद अमवात के मुकाबिले में जियादा होती हैं. बच्चों की इस ज्यादती अमवात के वजूहात हस्ब जैल हैं:—

१. बअय्याम हमल व जच्चगी जिस कदर कि औरतों की एहतियात व खबरगीरी होना चाहिये, नहीं होती.

२. बच्चा पैदा होने के वक्त दाईयों को जिसकदर अपने काम में सफाई रखकर अपना काम करना चाहिये, उसकी मुतलक परवाह नहीं की जाती और नीज ज्यादातर दाइयां इस काम जच्चगी से पूरी तौर पर वाकिफ नहीं होतीं.

३. मां के दूध के अलावा बच्चों की गिजा, जो गाय का दूध है, वह अच्छी किस्म का व पूरी मिकदार में दस्तयाब नहीं होता.

४. आम लोगों की सफाई की तरफ काफी तवज्जह न होने से बच्चों की सेहत पर बहुत खराब असर पडता है.

इनका नतीजा यह होता है कि बच्चों को अक्सर सूखा, दस्त व खांसी का मर्ज होजाता है कि जिससे उनकी अमवात जियादा होती हैं. इसलिये यह मुनासिब मालूम होता है कि कोई ऐसी तदाबीर व कार्रवाई अमल में लाना चाहिये जिससे बच्चों की तन्दुरुस्ती अच्छी रहकर तादाद अमवात में कमी हो और उससे आबादी में इजाफा होकर बाइस बेहबूदी रियासत हाजा हो. बडे कस्बे व शहरों में इन अमूरात की तरफ ज्यादा तवज्जुह देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह अमर पोशीदा नहीं है कि जिस कदर आबादी बढती जाती है उसीकदर सफाई व तन्दुरुस्ती की जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती जाती है और इसके मुतअल्लिक आजतक जो कुछ कोशिश व कार्रवाई की गई है वह हस्ब जैल है:—

१. दाईयों को जच्चगी काम सिखाने व पढाने के लिये बहुत जोर दिया जा रहा है और दरबार मोअल्ला ने ब नजर रहम व परवरिश व बेहबूदी रिआया ब सिफारिश इकानोमिक डेवलपमेंट बोर्ड (Economic Development Board) तजुर्बे के तौर पर एक स्कीम मंजूर फरमाया है, जिसकी रू से एक मर्तबा एक जिले के बडे बडे कस्बों की दाईयों को जच्चगी का काम सफाई से व उमदा तौर से करने की तालीम दी जाने की कोशिश की जावेगी, मगर इसमें उसीवक्त कामयाबी हो सक्ती है जबकि रिआया से इस काम के लिये काफी मदद मिले; वर्ना कामयाबी का होना मुश्किल है.

२. बच्चा पैदा होने के वक्त बच्चा व जच्चा दोनों की सफाई रखने के मुतअल्लिक एक स्कीम तैयार की जाकर तमाम पंचायत बोर्ड की तरफ वास्ते इजहार खयाल भेजी गई थी. दरबार मोअल्ला ने, जैसे कि वह हमेशा अपनी रिआया की बेहबूदी व आराम के तमाम नेक कामों में हर तरह से इमदाद फरमाते हैं, उसी तरह इस नेक काम के लिये भी कुछ रकम मंजूर फरमाई है, मगर इस काम में पूरी तौर से कामयाबी होने के लिये रिआया से पूरी पूरी मदद की जरूरत है, क्योंकि जबतक ऐसे कामों में रिआया की पूरी इमदाद न होगी, उसमें कामयाबी होना मुश्किल है.

३. फसली बुखार से भी बहुतसे बच्चे जाया होते हैं, उसकी रोक के लिये गवर्नमेंट की तरफ से कुनैन बिलकुल बराय नाम कीमत पर आम लोगों को दिये जाने के लिये तमाम पंचायत बोर्ड की तरफ भेजी गई है। बच्चों को अच्छा दूध मिलने के मुताल्लिक अतबक किसी sound basis यानी पूरे तौर पर कोई कोशिश नहीं कीगई. मुमालिक गैर व ब्रिटिश इंडिया की चंद बडी बडी म्युनिसिपेलिटि यों की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि जहांपर अच्छा व उमदा दूध मिलने का बंदाबस्त है और मवेशियों को गलीज अशिया मसलन—लीद, मुतारी खिलाने की पूरी रोक है,

वहांपर बच्चों की अमवात की तादाद मुकाबलतन ऐसे मुकामात के जहां अच्छा दूध नहीं मिलता और जानवरों को लीद व मुतारी खिलाये जाने की कोई रोक नहीं है, बहुत ही कम है.

आम सफाई व तन्दुरुस्ती के लिये यह जरूरी मालूम होता है कि कोई हिदायत व उसूल ऐसे कायम किये जावें कि जिनका अमल कस्बात व नीज देहात में बआसानी हो सके. मसलन पानी पीने के कुवें पर चारों तरफ fencing यानी पत्थर की ऐसी रोक का लगाया जाना, जिससे नहाने, धोने का खराब पानी कुंए के अन्दर न जाकर पानी को खराब न करसके. बावडियों के अन्दर लोग जाकर पानी को कपडा धोने, नहाने व कुल्ला वगैरा उसी में करने से खराब करते हैं और वही पानी पीने के काम में आता है जो निहायत मुजिर सेहत है. उसके अन्दर जाने की रोक का किया जाना और ऐसी नई बावडियों की तामीर का जिसमें लोग पानी तक अन्दर जा सकें बंद किया जाना, और ऐसे पुराने कुंवों व बावडियों की, जिनमें ब वजह तामीर देरीना कबूतर व चिमगादड पनाह गुजीं होकर उनमें ही बीट वगैरा करते हैं जिसकी वजह से पानी खराब होकर दस्त वगैरा की ऐसी मोहलक बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिससे बहुत बच्चे जाया हो जाते हैं, बरवक्त मरम्मत का किया जाना व गोबर वगैरा गलीज चीजों का जिसकी वजह से मक्खियां कसरत से होती हैं उनको बाकायदा गांव के बाहर रखने का काफी बंदोबस्त का होना, क्योंकि यह मक्खियें गिलाजत की जगह से उडकर सोते हुए बच्चों के मुंह पर बैठकर उनके अन्दर दस्त वगैरा पैदा करने वाला जहर पहुंचा देती हैं.

इतना अर्ज करने के बाद मेरी यह राय है कि एक सब-कमेटी इस सवाल पर गौर करने के लिये कायम करदी जावे और उसमें मेजर फाटक साहब व मेजर नाडकर्णी साहब, बतौर कंसल-टिंग मेम्बर्स (Consulting Members) मुकर्रर किये जावें.

राय साहब नारायणदास—मैं होम मेम्बर साहब की तजवीज की ताईद करता हूं. हर जिले से एक एक साहब मेम्बर मुकर्रर किये जावें.

कसरत राय से हस्ब जैल मेम्बरान की कमेटी इस तजवीज पर गौर करने के लिये मुकर्रर की गई:—

(१) राय साहब नारायणदास, (२) ताजिरउलमुल्क सेठ मानकचंद साहब, (३) गुरु-दयाल साहब (४) गो. चिंतामण वाटवे साहब, (५) गणेशदत्त शास्त्री साहब, (६) महादेव राव गोविन्द साहब. (१) मेजर फाटक साहब, (२) मेजर नाडकर्णी साहब (कंसलटिंग मेम्बर्स).

गुरदयाल साहब—हुजूर मुअल्ला! मुतअल्लिक सफाई व हिफाजत तन्दुरुस्ती अमीर ही इन्तजाम करसकते हैं मगर गरीब नहीं कर सकते, और इसके बारे में मेरी यह राय है कि—

हुजूर मुअल्ला—इसी मामले पर गौर करने के लिये अब सब-कमेटी कायम होचुकी है और उसमें आप भी मेम्बर हैं। उस कमेटी में आप इस मसले पर बहस करें.

साढे चार बजे मजलिस का जल्सा बरखास्त हुआ, बाद अजां मेम्बरान मजलिस के साथ हुजूर मुअल्ला ने तसवीर खिचवाई.

दूसरा दिन.

तारीख १९ अक्टूबर सन १९२१ ई०, वक्त ११ बजे दिन.

मुकाम मोतीमहल, कौंसिल चेम्बर.

हुजूर अनवर के कुरसी सिदारत पर तशरीफ रखने पर पोलिटिकल मेम्बर व लॉ मेम्बर साहब ने (१) मिस्टर जहांगीर बहमनशा साहब वकील (२) पहलादसिंह साहब (३) रोडामल साहब को, जो गुजिश्ता इजलास मजलिस में वक्त लेने हलफ शरीक नहीं होसके थे, हलफ लेने के लिये पेश किया और उनके हलफ लेने और हुजूर अनवर के उन्हें पोशाक अता फरमाने के बाद हुजूर मुअल्ला ने फरमाया:—

पेश्तर इसके कि आज की कार्रवाई शुरू की जावे, मैं आप साहिबान से यह कहना चाहता हूं कि जो स्पीच मैंने परसों दी थी और जिसकी छपी हुई कापियां आपको तकसीम की जा चुकी हैं, उस में जो रद्दोबदल हुआ है, वह कापियां छपने के बाद परसों सुबह मैंने किया था. महरबानी करके आप आयन्दा शाया होने वाले जयाजी प्रताप में छपी हुई स्पीच से अपनी कापियां दुरुस्त कर लें.

तजवीज १, एजेन्डा १.

गुजिश्ता सालों में काश्त की तरक्की के लिये रामबाण, कम्बोडिया कपास व गेहूं का बीज जमींदारान व काश्तकारान को तक्सीम किया गया, मगर उनकी जानिब से खातिरख्वाह कोशिश इन अजनास की काश्त करने की नहीं हुई, जिससे वह गर्ज हासिल नहीं हुई, जिसके लिये यह बीज तक्सीम किया गया था. आयन्दा ऐसे अजनास के बीज की फरोख्त और आला किस्म की काश्त को तरक्की देने के लिये क्या तरीका इख्तियार किया जावे ?

इस तजवीज को पेश करते हुए रेविन्यू मेम्बर साहब ने कहा:—

सवाल नम्बर १ के निस्बत, पेश्तर इसके कि मैं उसको पेश करूं, चंद बातों का जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जिससे उसका मतलब समझने में आप लोगों को मदद मिले.

रियासत में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको यह न मालूम हो कि, हुजूर मोअल्ला की यह दिली ख्वाहिश है कि, आप लोगों की माली हालत में तरक्की हो और आप लोग आसायश के साथ जिंदगी बसर करें. इसलिये शुरू से ही सरकार आप लोगों की तवज्जुह आला किस्म की काश्त की तरफ दिला रहे हैं और जितनी हो सकती है इस के बारे में कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हुजूर की स्पीचेज, दौरा रिपोर्टस् और जमींदार हितकारी किताब से जाहिर होगा.

माली हुक्काम का खास फर्ज रक्खा गया है कि आपको इस बारे में मशवरा देते रहें और जहां तक हो सके आप की मदद करें—चुनांचि तहसीलदारों ने तरह तरह के अजनास के बीज मुख्तलिफ मुकामों से मंगवाने और रामबाण की पोध मुहय्या करने में आप को मदद दी. इससे कुछ फायदा जरूर हुआ; मगर जैसी कि चाहिये वैसी कामयाबी नहीं हुई.

सम्वत १९६५ में हुजूर मोअल्ला ने खुद नागपुर फार्म का मुलाहिजा करके बूरी कपास को पसंद किया और अगली साल उसका बीज मंगवाकर आप लोगों को तकसीम किया, मगर कहीं

तो वह बोया ही नहीं गया, और कहीं से गल जाने या न जमने या जमकर सूख जाने के रिपोर्ट्स आये. सम्वत १९७३ में कम्बोडिया कपास ६३ मन के ४५ थैले मंगाये जाकर फी परगना एक थैला तकसीम किया गया, मगर नतीजा वही हुआ जो ऊपर बयान किया जा चुका है. वजह यह है कि, आप लोगों ने उसकी तरफ तवज्जुह नहीं की. न तो यह जानने की कोशिश की, कि वह किस जमीन में बोया जाता है, न यह कि बारानी में होता है या आबपाशी में, और उस में कितने पानी कब कब दिये जाते हैं. जो बीज मिला, हुक्म की तामील में किसी खेत में बो दिया, फिर कोई खबर नहीं ली, और अखीर में नाकामयाबी की इत्तला देदी गई. इसलिये सम्वत १९७३ से ही दरबार ने जराअत का महकमा कायम कर दिया है, और उमदा बीज बहम पहुंचाने का उसका खास काम रक्खा गया है. यह महकमा चार साल से तजरुबे देख रहा है और अच्छा बीज यहीं तयार कर रहा है व बाहर से भी मंगाता है और मनासिब भाव से तकसीम करता है. इस तरह की कुल वाकफियत आप लोगों तक पहुंचाने के लिये जमींदार हितकारिणी सभा बना दी गई और उसकी शाखाएं जिलों में खोली जाचुकी हैं व खोली जारही हैं, और उन के उपदेशक गांव गांव घूमकर इन बातों की वाकफियत आप लोगों को देते हैं. चुनांचि साल गुजिश्त में जमींदार हितकारिणी सभा की तहरीर पर इस महकमे ने १० मन मलीदा चना का बीज बाहर से मंगवाया, मगर उसमें से सिर्फ १२ सेर फरोख्त हुआ. बाकी सेन्ट्रल फार्म के जानवरों को खिलाना पडा. पूसा से ९०० मन गेहूं का बीज मंगाया गया और अजलाय गिर्द, भिन्ड, नरवर, तवरघार, उज्जैन, ईसागढ और मन्दसौर में भेजा गया. कहीं कहीं इसका पैदावार अच्छा हुआ. कहीं कहीं मंगानेवालों ने लेने से इनकार कर दिया. उन लोगों का कहना है कि, उन के पास बीज वक्त पर नहीं पहुंचा. यह कुछ भी हो, मगर इस में शक नहीं कि महकमे को नुकसान उठाना पडा.

इसलिये अब सवाल यह है कि, इसका क्या इंतजाम किया जावे कि:—

(१) बीज वक्त से पहिले सब जगह पहुंच जावे.

(२) उसकी कीमत असानी से पूरी वसूल होकर महकमा के पास पहुंच जावे.

(३) जो बीज लिया जावे वह मुनासिब आराजी में बोया जावे और उसकी परवरिश व निग्रानी ठीक तौर से की जावे.

एक इंतजाम यह हो सकता है कि, बीज तहसील की मारफत फरोख्त किया जावे. मगर पिछले तजरुबे से जाहिर है कि यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि तहसील से बीज तो आपके पास पहुंच जावेगा मगर काश्त की निगरानी तहसील नहीं कर सकती. और कीमत वसूली व हिसाब किताब का काम फजूल तहसील में बढेगा. इसके अलावा सबसे बडी बात यह है कि जो बीज तहसील से दिया जायगा उसकी काश्त "हुक्म की तामील" समझी जावेगी और इसलिये लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं होगी. काम वही अच्छा और टिकाऊ होता है जो दिली शौक और खुशी से किया जाता है.

दूसरा इंतजाम यह हो सकता है कि करीब २ सब जिलों में डिमान्स्ट्रेशन फार्म कायम हो चुके. जिस किसी जिले में नहीं हैं वहां भी कायम होने की तजवीज हो रही है. पस इन डिमान्स्ट्रेटरों की मार्फत बीज तकसीम किया जावे, लेकिन जो दिक्कतें ऊपर तहसील के लिये बयान की गई हैं वही इनको भी लागू हैं.

जमींदार हितकारिणी सभा की मार्फत बीज फरोख्त करने का तीसरा तरीका हो सकता है, लेकिन जबतक बीज फरोख्त न हो उसको सम्हाल कर रखने, फरोख्त करने, रुपया वसूल करने व हिसाब रखने का इन लोगों के पास कोई इन्तजाम नहीं.

चौथा इन्तजाम यह हो सकता है कि, को-आपरेटिव सुसाइटीज के जर्ये से यह काम किया जावे और यही सबसे अच्छा तरीका मालूम होता है, क्योंकि ऐसी सुसाइटीज बहुतसी जगहों में कायम होचुकी हैं और जहां अभी कायम नहीं हुई वहां होती जाती हैं. तब तक इस काम के वास्ते मुअज्जिज अशखास की कमेटी बनाई जासकती है. यह सुसाइटी व कमेटी इस बात का अन्दाजा करके कि उनको कितना वजन बीज किस चीज का दरकार होगा उसका इन्डेन्ट मय कीमत के जो बतला दी जावेगी डिप्टी डायरेक्टर साहब ऐग्रीकलचरल के पास भेजदें. वह बीज उनके पास वक्त पर पहुंचने का इन्तजाम करेंगे, उसके मुताल्लिक वाकफियत उपदेशकों से मिलेगी. और सोसाइटीज व कमेटी काश्त की निगरानी भी ब आसानी कर सकेंगी.

इसलिये यह सवाल आपके सामने पेश है. उम्मेद है कि उसके महत्व का ध्यान रखकर आप उसको हल करेंगे.

मैंने चार तरीके ऊपर बयान किये हैं उनमें से कोई आप लोग पसन्द करें तो उसके निस्बत अपनी राय का इजहार करें; वरना और कोई माकूल तजवीज आप लोग बाद गौर कामिल सजेस्ट (Suggest) करेंगे, ऐसी मुझे उम्मेद है.

हुजूर मुअल्ला:—वाकई अम्र यह है कि उस बात को जो मुफीद मतलब रिआया होती है दरबार रिआया के सामने लाना अपना फर्ज समझते हैं और यह बात भी मिनजुमला उन बातों के एक है. जब दरबार को मालूम होता है कि फलां किस्म का बीज अच्छा होता है और उससे पैदावार में बेशी होगी तो दरबार रिआया से सिफारिश करते हैं कि उस बीज का तजरुबा किया जावे. दरबार बीज मंगाकर जरिये तहसील या पटेल तकसीम कराते हैं, मगर दिक्कत यह है कि जिनको यह बीज तजरुबा करने के लिये दिया जाता है वह तजरुबा करने में लापरवाही करते हैं. जमीन, खाद और आबपाशी वगैरा की तरफ जैसी तवज्जह चाहिये वैसी तवज्जह नहीं देते. और फिर उस बीज की काश्त का सही नतीजा कैसे मालूम हो? मगर जवाब यही देते हैं कि बीज खराब था इसलिये ठीक तौर पर नहीं उगा. इस मामले की यह ही सूरत है जो खाना खाने की है, यानी अगर गिजा को लज्जत के साथ और आहिस्ता २ और अच्छी तरह चबाकर नहीं खाया जावेगा तो उससे नुक्सान पहुंचकर जिन्दगी कम होगी. इसी तरह अगर बीज के Experiments मुनासिब तरीकों से नहीं किये जावेंगे तो बीज के पैदावार का अन्दाजा नहीं हो सकेगा. मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि हमारी नसीहत को जमींदारान दिलसे परवाह न करके सिर्फ हमारे खुश करने को हां हां कहते हैं. मेरे साथ तहसील शिवपुरी में यह वाका हो चुका है. मैंने एक जमींदार से कहा कि मवेशी तुम्हारे खेत को नुक्सान पहुंचाते हैं, तुम शिवपुरी महल से रामबाण लाकर उसको मेडों पर लगादो. उसने इस बात को मंजूर किया मगर उसने रामबाण नहीं लगाया और न फिर अपनी सूरत दिखाई. अब सवाल यह है कि ऐसी कौनसी तजवीज की जावे जिससे यह गरज पूरी हो.

केशवराव बापूजी साहब.—जो बीज दिया जाता है वह नहीं उपजता, यह शिकायतें आती हैं. इसलिये यह ठीक होगा कि पहले वह बीज प्रयोगशाला (Farm) में बोया जाकर जमींदारों को दिखा दिया जावे, बाद में उसे तजरुबा करने को दिया जावे.

हुजूर मुअल्ला:—यह तो मामूली जवाब है कि बीज बोकर दिखाया जावे या लैक्चरों के जरिये से काश्तकारान को समझाया जावे या नुमायश करके Process बतलाया जावे। इस जवाब से मतलब नहीं निकलता. दरबार की गरज यह है कि जो बीज मंगाकर दरबार तजरुबे के लिये तकसीम करें उनका इस्तेमाल हिदायतों के साथ कैसे हो. जिसका जी टूटता है वह मतलब की बात कहता है, वर्ना बातों से तो जयाजी प्रताप के कालम के कालम भरे जाते हैं; मगर नतीजा कितना निकलता है? आप लोग साफ साफ और practical तरीका बयान करें.

राय साहब नारायनदास—एक कमेटी जिलेवार जमींदारों और तिजारत पेशा लोगों की बनाई जावे और वह इसी बीज का तजरुबा कराये. और इस किस्म के बीज की कीमत में रिआयत दिए जाने की भी जरूरत है.

हुजूर मोअल्ला—तजरुबा करने के लिये बीज Cost price पर दिया जाता है और वह खास-कर इसलिये कि लोगों के दाम कम सर्फ हों और वह तजरुबा दिलचस्पी से करें. तजरुबात ऐसे होना चाहिये कि जिनका असर आम लोगों पर पडे. भेलसा में रबी नहीं होती थी, मगर जोर देने पर अब दोनों फसलें होने लगी हैं. आप ऐसी तजवीज बतलाइये कि जिससे लोग बीज के experiments तवज्जह के साथ करें और उसके बाद हमें नतीजे की इत्तला दें; अगर आपके खयाल में तजरुबा कराने की जरूरत नहीं है तो यह सवाल drop किया जासकता है मगर आप को मालूम रहे कि मुनाफे की खातिर उम्दा से उम्दा जिन्स बोनी चाहिये और उसी रुई से मुनाफा हो सकता है जिसका धागा लम्बा हो.

राय साहब नारायनदास—जिस कमेटी के बनाने की मैंने तजवीज की है वह कमेटी यही देखेगी कि तजरुबे कैसे हुए ? अगर तजरुबा करने में लोगों ने लापरवाही की है तो उनसे बीज की ज्यादा कीमत वसूल की जावे । अगर सारी हिदायतों की पाबन्दी करते हुए काश्त अच्छी नहीं हुई तो कीमत बीज माफ करदी जावे.

हुजूर मुअल्ला—एक शक्ल में कीमत का माफ करना और दूसरी सूरत में enhanced कीमत वसूल करना मुश्किल हो जावेगा. बीज के सप्लाई करने में कोई मुनाफा नहीं लिया जाता और मेरे खयाल से experiments पर सब को अपना पैसा सर्फ करना चाहिये. Suggestion करना आसान है मगर उनके execute करने में किन मुश्किलात का सामना करना पडेगा यह बात भी नजर में रखनी चाहिये. सेक्रेटरी लोग हमेशा इस बात में गलती करके तहसीलदार का नाक में दम कर देते हैं. इस के खिलाफ मैंने आर्डर भी दे रक्खा है मगर फिर भी मुझे गलती नजर आती है. आप इस मामले पर ठीक राय दें, वैसी राय न दें जैसी कि सूबा साहबान को देते हैं, बल्कि ऐसी दें कि अगर बहस में मौका आजावे तो खेत में खडे होकर अपनी बात को साबित करदें.

गुरुदयाल साहब—काश्तकार अव्वल तो अपना फायदा समझते ही नहीं, अगर समझाये से समझ जावें तो फायदे की बात नहीं करते हैं । और उसका सबूत यह है कि जब बीज दिया जाता है तो उसको हिदायतों के मुताबिक क्यों नहीं बोते, अगर पूछा जावे तो कहते हैं कि इस तरीक पर खेती हमारे बाप दादाओं ने कभी नहीं की थी; फिर हम क्यों करें. मेरे खयाल से जब तक काश्तकारों को यह न दिखाया जावेगा कि खास बीज के लिये जमीन कैसी तय्यार की जावे, उसे कैसे बोया जावे और क्या क्या अहतियात की जावे, तब तक कामयाबी होना मुमकिन नहीं है.

हुजूर मुअल्ला—हमारा अमल "Honesty is the best policy" पर है और मैं तसलीम करता हूं कि यह एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट की weakness का बाइस है कि हम यह शिकायत सुन रहे हैं. इस महकमे के जिलेदार वगैरा मौजूद हैं और उनका काम यही है कि वह काश्तकारों को अमली तौर पर अपने फार्म में यह दिखलावें; मगर महकमे के कवाअद मुरत्तिब न होने से इस काम का सिल-सिला आज तक नहीं बंधा है, वर्ना इस point पर हमारा position जबरदस्त था, फिर भी हम डिपार्टमेन्ट को राहेरास्त पर लाते हुए यह नहीं चाहते कि वक्त हाथ से चला जावे और हम कुछ भी न करें. इसलिये हम यह चाहते हैं कि जमींदार, काश्तकार खुद भी इस काम में interest लें और जितना यह बिला इम्दाद डिपार्टमेन्ट करसकें हैं उतना तो करें. इस खयाल से बीज मंगाने और cost price

पर गांववालों को मुहय्या करने का काम डिपार्टमेन्ट के जिम्मे किया गया है. मेरा अब यह Suggestion है कि यह बीज पंचायत बोर्ड के सरपंच की मार्फत मौजे में भेजा जावे और वह इस बीज की अपने गांव में आजमायश कराये. अगर बीज वक्त पर न पहुंचे और न बोया जासके तो साफ कहदे कि आयन्दा साल बोया जाकर तजरुबा किया जावेगा और एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट एक फार्म तजबीज करके सरपंच के हवाले करे कि जिससे यह मालूम होसके कि नतीजा क्या निकला, अगर मामूली बीज supply किया जावे तो मामूली हिदायात बीज के साथ भेजी जावें; अगर कोई खास हिदायत हो, मस्लन मछली वगैरा का खाद देना, तो उस सूरत में खास हिदायतें देना चाहिये. अच्छा नतीजा न निकलने की सूरत में डिपार्टमेन्ट expert को भेजकर जांच करावे कि defect बोने का है, जमीन का, खाद का या आबपाशी का, और रिपोर्ट देखने के बाद उसकी इसलाह कराई जावे.

इस तजवीज में यह दो बातें आपके गौर के लायक हैं अव्वल बीज किस के पास भेजा जावे, दोयम बीज अगर बोया न जावे तो क्या कार्रवाई की जावे ?

यह भी आप को मालूम रहे कि हमारी मंशा बीज न बोने की सूरत में सजा देने की नहीं है, जैसाकि राय साहब नारायनदास ने तजवीज किया है कि बीज को लापरवाही से बोने की सूरत में ज्यादह कीमत लेना चाहिये; लेकिन यह हम जरूर चाहते हैं कि उनपर कोई moral binding हो कि बीज का experiments करें और उसके नतीजे से वक्त पर इत्तला दें.

गुरुदयाल साहब—पंचों की मारफत बीज के तजरुबा कराने की शुरूआत कराई जावे.

महादेवराव साहब—शोपुर में अब फार्म कायम हुआ है और बीज तजरुबे के लिये मंगाये गये हैं.

हुजूर मुअल्ला—आप सवाल को समझकर तकरीर करें. फार्म की कायमी के हाल से मजलिस वाकिफ है. मजलिस यह भी जानती है कि हमारे काश्तकार काश्त के तरीके से हम से ज्यादह वाकिफ हैं और सिर्फ काश्त के तरीके से ही नहीं; बल्कि उन तमाम तरीकों से जिनका ताल्लुक काश्तकारी से है. एक बार मैंने एक आबपाशी के ऑफिसर को एक तालाब के लिये Site देखने को कहा तो उसने आनकर यह कह दिया कि कोई मौका तालाब बनाने का नहीं है. जब मैंने उससे पूछा कि तुमने जमींदार से मौका दरयाफ्त किया या नहीं तो उसने कहा कि जमींदार से नहीं पूछा, फिर मैंने कहा कि मौका जमींदार से पूछो और उस ऑफिसर के दरयाफ्त करने पर जमींदार ने मुनासिब मौका बता दिया. इस कहने की गरज यह है कि वह अपने काम से वाकिफ हैं, नये किस्म के बीज का तजरुबा नहीं करते और यह काम उनसे कैसे कराया जावे.

भगवानस्वरूप साहब—जयाजी प्रताप में नोटिस दिया जावे कि जो शख्स इतनी आराजी में नये तरीक से काश्त करेगा उसे २५ बीघा आराजी दी जावेगी.

हुजूर मुअल्ला—जयाजी प्रताप में नोटिस देने से कुछ नतीजा नहीं निकलता. मुझे इल्म है कि मजलिस के नोटिस छपे हैं; मगर दफ्तरवालों तक को मजलिस के नोटिस का हाल मालूम नहीं है.

भगवानस्वरूप साहब—गरज यह है कि नये तरीक से काश्त करने पर अगर उस आराजी पर हक मौरूसी काश्तकार को देदिया जावेगा तो इसका असर अच्छा पड़ेगा.

हुजूर मुअल्ला—जो लोग बीज लें मगर experiments न करें, और अगर करें तो लापरवाही से करें उस का इन्तजाम आप क्या तजवीज करते हैं और जो नतीजा निकला हो उस का इल्म कैसे हो. इसके बारे में आप की राय क्या है. इन तमाम बातों पर गौर कर के जवाब देना चाहिये.

जगन्नाथ प्रसाद साहब—मैंने भी नये बीज का तजरुबा कराया; मगर कामयाबी नहीं हुई और काश्तकारान कोई नया काम करना नहीं चाहते, तावक्ते कि वह नतीजा दूसरे के खेत में न देखलें, इसलिये जिलेवार फार्म कायम हों. जिले में जमींदारान जाते हैं और वहां वह नये तरीके से काश्त को देखेंगे तो कुछ न कुछ खुद भी करेंगे.

मूंगालाल साहब—बीज पंचायत बोर्ड को भेजा जाकर पंचों की निगरानी में तजरुबा कराया जावे.

अब्दुलहमीद साहब वकील—तुख्म तहसीलदार साहब की मारफत गांव में तकसीम कराया जावे. Demonstrators ने जो अबतक लोकल बीज की काश्त की है वह Foreign तुख्म की काश्त करके काश्तकारान को दिखलावें.

हुजूर मुअल्ला—मगर Demonstrators गांव २ तो नहीं फिरते, वह अपना काम फार्म पर दिखला सकते हैं. फिर गांव २ काश्तकारों को हिदायत देना Demonstrators के लिये कैसे मुमकिन हो सकता है.

अब्दुलहमीद साहब—इस सूरत में तो बीज पंचों और सरपंचों की मारफत ही तक्सीम हो सकता है, जमींदारान निगरानी करें और बीज की कीमत नक्द या बशक्ल गल्ला वसूल हो.

बंसीधर साहब—बीज सवाये पर सरकार से दिया जावे, अच्छा तजरुबा न करने की सूरत में ड्योढा लिया जावे.

हुजूर मुअल्ला—क्या यह मुनासिब होगा कि यह सवाल एक सब-कमेटी के सुपुर्द करदिया जावे.

जहांगीर बहमनशा साहब वकील—कुल मजलिस की इस सवाल पर गौर करने के लिये एक कमेटी Form करदी जावे.

रामजीदास साहब—जिन लोगों को Agriculture से बिल्कुल वाकफियत नहीं है वह इस मसले पर क्या राय दे सकेंगे. मुझे मि. जहांगीर बहमनशा की राय से इत्तफाक नहीं है.

हुजूर मुअल्ला—मेरे ख्याल से इस सवाल के अन्दर कोई Technical बात नहीं है और यह तजवीज अच्छी है.

वाटवे साहब—बीज के experiment करने के लिए काश्तकारान को मजबूर करने की तजवीज है; मगर मेरे ख्याल से इस किस्म के बीज के तजरुबे Central Farm पर होने चाहिये. धारवाड जिले में एक फार्म है, उसमें एक तरफ अमरीकन और दूसरी तरफ दूसरे किस्म का कपास होता है, इतना फर्क एक फार्म की जमीन में है, फिर ३५० मील में कम्बोडिया काटन के बीज के तजरुबे करने से Success नहीं होगी. इसी तरह गेहूं का हाल है, किसी जमीन में दाऊदखानी हो सकता है, किसी में पूसा नं. ४, लिहाजा पहले सेन्ट्रल फार्म तजरुबा करके देखें, उस के बाद बतलावे कि कौन से बीज के तजरुबा करने से कहां कामयाबी होगी.

हुजूर मुअल्ला—मैं सवाल को कई बार सुना चुका हूं आप दो बातों को न मिलावें.

रामचन्द्र साहब—महकमा एग्रीकलचर का हाल हुजूर मुअल्ला सुना दिया है और जल्द तजरुबा होना चाहिये; इसलिये मेरी राय म तजरुबे के लिये बीज मारफत पंचायत बोर्ड तकसीम किया जावे और एक मेम्बर साहब इस काम के जुम्मेवार हों.

महादवराव साहब—बीज तहसील की मार्फत तकसीम होना चाहिये. मेम्बरान पंचायत बोर्ड इस काम को नहीं कर सकेंगे.

इस सवाल पर वोट लिये गये तो कसरत राय से करार पाया कि,

(१) बीज पंचायत बोर्ड के सरपंच के पास एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट तजरुबे के वास्ते भेज देवे.

(२) सरपंच काश्तकारों से अपनी निग्रानी में तजरुबा करावे.

(३) तजरुबे का नतीजा वक्त पर और सही मिलने के लिये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेन्ट एक Skelton form तजवीज करे.

(४) अगर किसी बीज की काश्त के मुतअल्लिक खास हिदायत की जरूरत हो तो इन हिदायात का सरक्यूलर भी बीज के साथ भेजा जाया करे.

(५) अगर किसी सरपंच के पास बीज मौसिम गुजरने के बाद पहुंचे तो वह बीज को अह-तियात से अपने पास रखकर एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट को फौरन इत्तला देदे, ताकि आयन्दा साल तजरुबा किया जावे.

तजवीज २, एजेन्डा १.

अक्सर देखने में आया है कि रकबा पड़त लायक काश्त की तादाद जो पटवारी के कागज में दर्ज होती है उसको उमूमन जमींदार मंजूर नहीं करते बल्कि जमींदार उससे हमेशा कम बताते हैं. सवाल यह है कि क्या तदबीर इख्तियार करना चाहिये कि जिससे पडती लायक काश्त कागजात पटवारी में सही दर्ज हुआ करे जिसे जमींदार भी तसलीम करें.

इस तजवीज को पेश करते हुए रेविन्यू मेम्बर साहब ने कहा:—

सवाल नम्बर २ को पेश करने के कब्ल मैं आप लोगों को तवज्जह दिलाता हूं कि अबतक रकबा काबिल काश्त सही कायम करने की क्या क्या कोशिशें की जाचुकी हैं. हुजूर मोअल्लाने रियासत की बाग अपने दस्त मुबारिक में ली उस वक्त मजरूवे के मुकाबले में पडती करीब ९० लाख बीघा पडी हुई थीं; चूंकि दरबार और रिआया दोनों की खुशहाली और माली तरक्की का दारमदार जमीन की पैदावार पर है, इसलिये शुरू से ही हुजूर मोअल्ला को इस पडती की आबादी की फिक्र हुई, और हुक्काम माल को हिदायत फरमाई कि जमींदारों और काश्तकारों को समझाकर आबादी करावें और जिनके पास तदवा न हो उनको कम सूद पर कर्जा देने के लिये काश्तकारी बक कायम करें. मगर दौरे में हुजूर मोअल्ला को मालूम हुआ कि, जमींदार अपने मौजे में उतनी काबिल काश्त पडत होना तसलीम नहीं करते, जितनी पटवारी के कागजात में दर्ज थी. चुनांचि दौरा रिपोर्ट संवत १९५८ में हुजूर ने हिदायत फरमाई कि जब हुक्काम माल दौरे पर किसी मौजे में जावें तो पटवारी के कागज से पडती का हाल दरयाफ्त करके उसके मौके की जांच करें. मगर इस जांच का नतीजा यह हुआ कि, जमींदारान पडती काबिल काश्त जहांतक होसका कमी दिखाने की कोशिश करने लगे.

पस संवत १९५९ की दौरा रिपोर्ट में हुक्म हुआ कि, रकबा पडती काबिल काश्त रियासत हाजा मालूम होने के लिये सदर बोर्ड ऑफ रेविन्यू एक नमूना नक्शा तजवीज करके उसके साथ एक कलमबन्दी समझोत खानापुरी के लिये भी देवें कि फलां फलां किस्म की पडती काबिल काश्त शुमार कीजाय, और संवत १९६० की दौरा रिपोर्ट में फिर हुक्काम को हिदायत फरमाई कि पडती जमीन लायक काश्त रकबे की तादाद जो कागजात पटवारी में दर्ज है उसकी जांच मौके पर करें. मगर शर्त यह है कि, यह जांच ऐसी हो जिसे जमींदार तसलीम करें, वर्ना किया न किया यकसां होगा.

संवत १९६१ के दौरा रिपोर्ट में फिर हिदायत फरमाई कि रेविन्यू बोर्ड इस मामले के हल होने की ऐसी तजवीज अपने मातहतान से करावें कि फिर कागजात पटवारी व बयान जमींदारान में बिलकुल इख्तिलाफ न रहे व लायक काश्त रकबा बिला तकरार कायम हो जावे.

इन हिदायतों के अलावा तहसीलदारों की दौरा डायरी में भी काबिल काश्त की रुजूवात की एक कलम रखदी गई.

मगर फिर भी जब हुजूर मोअल्ला दौरे में तशरीफ लेगये तो वही हुज्जत पेश आई. चुनांचे संवत १९६५ की दौरा रिपोर्ट में फिर मुकर्रिसल हिदायत जारी फरमाई और यह भी इरशाद फरमाया कि जो रकबा अजरूय कागजात सही करार पावे उसको जमींदार या जो गांव का मुखिया हो उसको रुजू कराकर उसके दस्तखत लिये जावें. अगर उस रकबे के कुबूल करने में कोई हुज्जत हो तो उसको साथ लेकर मौके पर जाकर उसके गले उतारा जाय व फिर दस्तखत लिये जावें कि 'आराजी मौके पर देखली और बाद इत्मीनान के दस्तखत करता हूं ' ताकि आयन्दा फिर कोई उज्र बाकी न रहे; लेकिन इस बात का खयाल रहे कि उसको मजबूर करके दस्तखत न कराये जावें.

इतना होने पर भी जमींदारों के उजरात वैसे ही जारी रहें, और सम्वत १९६७ के दौरे में फिर वही हुज्जत पेश आई तो फिर हुक्काम को तशरीह के साथ हिदायत दी गई और सालाना वर्किंग प्लेन में भी यह एक खास काम हुक्काम का रख दिया गया.

इससे जाहिर है कि काबिल काश्त रकबे की सही तादाद जमींदारों की रुजूआत से कायम करने की जितनी होसकी कोशिश की गई, ताहम अब भी हुजूर मुअल्ला को दौरे में मालूम हुआ है और मुझको भी ऐसा ही तजरुबा हुआ है कि यह मसला अभी तक तय नहीं हुआ.

आबादी के इन्तजाम के लिये यह मालूम होना जरूरी है कि कितने रकबे की आबादी का इन्तजाम करना है. कागजात पटवारियान से पाया जाता है कि अब तक रकबा करीब ७८,००,००० बीघा काबिल काश्त पडा हुआ है; इसलिये अब यह सवाल आपके सामने पेश करना पडा है. उम्मेद है, कि आप काबिल काश्त रकबा सही कायम होने की कोई तजवीज जरूर निकालेंगे.

इस सवाल की अहमियत पर गौर करके मैं यह तजवीज पेश करता हूं कि एक सब-कमेटी मुकर्रर की जाय जिसमें हर जिले का एक मेम्बर हो और अलावा इसके डायरेक्टर साहब कागजात देही व सेटिलमेन्ट ऑफिसर भी शामिल किये जावें.

महंत लक्ष्मणदासजी—कागजात सही न होने का यही कारण मालूम होता है कि पटवारियों के कागज में चरनोई, बीड, बागात और खेतों की मेंडें भी रकबा काबिल काश्त में दर्ज रहती हैं. यदि इनको वजा करके जमींदारों को बाकी रकबा काश्त बतलाया जावे तो आशा है कि जमींदारों के बतलाने में और पटवारियों की जांच में फर्क न पडे. चरनोई, बीड, बागात और खेतों के सेडे छोडने की जरूरत किसानों को रहती है जो मजरूआ नहीं हो सकते. जरूरत से ज्यादा अगर यह रकबा हो तो हर गांव के काश्तकार और एक गिरदावर कानूनगो, पटवारी और जमींदार और एक पैमायश जाननेवाला लोकल आदमी, ऐसे लोगों की कमेटी बनाकर जमीन की जांच परताल करली जावे और जो रकबे मैंने बतलाये हैं उनको कम करके बाकी मजरूआ निकालकर कागज सही कर लिया जावे. फिर कागज सही हो सकेंगे.

झालानी साहब—मुझे रेविन्यू मेम्बर साहब की तजवीज से इत्तफाक है. एक सब-कमेटी इस सवाल पर गौर करने के लिये बनाई जावे.

मासिवा सेठ पेहलाद सिंह, सेठ टोडरमल, सेठ राजाराम, बाटवे साहब, चौधरी रणवीर सिंह, और जबर सिंह साहब ने भी ताईद की और हस्ब इत्तफाक राय आम, मेम्बरान जैल की सब-कमेटी कायम की गई:—

प्रेसीडेन्ट—रेविन्यू मेम्बर साहब. मेम्बर्स (१) डायरेक्टर साहब लैंड रिकार्डस् (२) सैटिलमैन्ट ऑफिसर साहब (३) लुकमान भाई साहब (४) सेठ रिधराज साहब (५) सेठ मदनमोहन साहब (६) लाला रामजीदास साहब (७) सेठ मानकचंद साहब (८) टोडरमल साहब (९) केशवराव बापूजी साहब (१०) रामचंद साहब बोहरे (११) मेजर गुलाबसिंह साहब (१२) राय साहब नारायणदास (१३) ठाकुर विशेश्वर सिंह साहब (१५) जगन्नाथ प्रसाद साहब.

हुजूर मुअल्ला—मेरा दौरा का तजुर्बा है कि रकबा काबिले काश्त की निस्बत. पटवारी तो कुछ कहता है और जमींदार कुछ कहता है. मैं एक बार दौरे में अपने साथ बहुत से लोगों को मौके पर लेगया, तो देखा कि जिस खेत को पटवारी ने काबिले काश्त लिख रक्खा था वह वाकई रकबा काबिले काश्त नहीं था, बल्कि rock था. कमेटी गौर करके यह बतलावे कि कौनसा इन्तजाम करना चाहिये जिससे रकबा काबिले काश्त सही मालूम होसके, ताकि आयन्दा इस रकबे की developement की कोई तदबीर की जासके ।

तजवीज ३, एजेण्डा १.

काटन कमशिन के रोबरू जो शहादत पेश हुई थी उससे जाहिर हुआ था कि मालवी कपास सबसे अच्छा है और उसका खालिस बीज मिल सकता है, मगर एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट का खयाल है कि असली मालवी बीज नहीं मिल सकता, इस लिये खालिस मालवी बीज को इकट्ठा करने के लिये क्या इन्तजाम किया जावे ?

इस तजवीज को पेश करते हुए रेविन्यू मेम्बर साहब ने कहा :—

पेश्तर इसके कि आप सवाल नम्बर ३ पर गौर करें, उसके महत्व के निस्बत चन्द बातें बयान करने की जरूरत है

आजकल रुई की मांग दुनिया में बहुत है और दिनबदिन ज्यादा होती जाती है, और इसलिये उसकी कीमत बढ गई है और बढती जाती है; लेकिन कपास की भी कई किस्में हैं. कोई किस्म ऐसी है कि उसका धागा मोटा होता है और इसलिये उसका सूत भी मोटा होता है; लेकिन आम तौर से इस किस्म की कपास में रुई का वजन ज्यादा निकलता है. किसी २ किस्म का धागा तो बारीक होता है, लेकिन उसमें वजन कम निकलता है. ज्यादा फायदेमंद वही कपास की किस्म होगी जिसका धागा भी बारीक हो और वजन भी माकूल निकले; क्योंकि बारीक धागे (लांग स्टेपल) के कपास की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा आती है ब मुकाबले मोटे धागे के कपास के.

इस बारे में ब नजर बेहबूदी रिआया व तरक्की काश्त कपास दरबार ने काटन कमीशन मुकर्रर किया था उसने बाद काफी तहकीकात तमाम बातों का खयाल करके करार दिया कि मालवी कपास सबसे अच्छा है और उसकी काश्त को फैलाना मुफीद होगा; इसलिये मालवी कपास के बीज की जरूरत हुई तो मालूम हुआ कि अक्सर जगह यह बीज और किस्म के बीज के साथ मिल गया है; ताहम जो शहादत पेश हुई उससे कमीशन को मालूम हुआ कि इसका खालिस बीज अब भी कई जगह व खासकर सोनकछ में मिल सकता है; चुनांचे एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट को हिदायत दी गई कि सेंट्रल फार्म पर काश्त करके इस बीज को बढाने और उसको मवाजियात में फैलाने की कोशिश करे. इसका उज्जैन सेंट्रल फार्म पर तजरुबा शुरू किया गया, लेकिन अब डायरेक्टर साहब का कहना है कि मालवी कपास का खालिस बीज नहीं मिलता, खालिस बीज की जरूरत इसलिये है कि और हलके दर्जे के साथ मिल जाने से मालवी कपास की कीमत भी उन्हीं

किस्मों के माफिक आती है और इस तरह लाखों रुपये का नुकसान होता है. यह नुकसान न हो, इस गरज से यह सवाल आपके सामने रक्खा जाता है, ताकि आप लोग इसपर विचार करके कोई ऐसा आसान रास्ता निकालें जिससे मालवी कपास का खालिस बीज दस्तयाब होसके.

यह बेहतर होगा कि इस सवाल को हल करने के वास्ते एक सब-कमेटी छै मेम्बर साहबान की जिसमें जमींदार साहबान व कारखानेदार हों, मुकर्रर की जावे, और डायरेक्टर साहब एग्रीकलचर भी शामिल रहें, ताकि अगर कमेटी को जरूरत हो तो उनकी राय से फायदा उठा सकें.

राय साहब नारायनदास—मैं रेविन्यू मेम्बर साहब की ताईद करता हूं.

अब्दुलहमीद साहब—मालवी पौधों से बीज इकट्ठा किया जासकता है और कारखानेदार साहिबान भी उसे अलहिदा रख सकते हैं.

रेविन्यू मेम्बर साहब—मेरी तजवीज एक सब-कमेटी कायम किये जाने की है जो इस मामले पर गौर करके रिपोर्ट पेश करे.

टोडरमल साहब, खांसाहब लुकमान भाई ने रेविन्यू मेम्बर साहब की तजवीज की ताईद की, और हस्ब इत्तफाक राय हस्ब जैल मेम्बरान की सब-कमेटी बनाई गई .—

प्रेसीडेन्ट.

रेविन्यू मेम्बर साहब.

मेम्बर्स.

(१) राय साहब नारायणदास.
(२) खां साहब लुकमानभाई.
(३) सेठ मानकचंद साहब.
(४) लाला रामजीदास साहब वैश्य.
(५) सेठ करमचंद साहब.
(६) लाला द्वारकादास साहब.
(७) बाबा साहब देशपांडे.
(८) महंत लक्ष्मणदासजी.
(९) बंसीधर साहब.
(१०) डायरेक्टर साहब एग्रीकलचर.
(११) सरसूबे साहब ग्वालियार.
(१२) सरसूबे साहब मालवा.

तजवीज ४, एजेन्डा २.

बीज-भंडार में बहुत से फायदे हैं; मगर इनकी कायमी में खातिरख्वाह तरक्की नहीं हुई; इसलिये क्या इन्तजाम किया जावे कि बीज-भंडार हर मौजे में कायम हो जावे ?

हुजूर मुअल्ला—यह खास मेरा सवाल है. बीज-भंडार का काम खातिरख्वाह नहीं हुआ और यह दरयाफ्त करने के लायक बात है कि नुक्स मैनेजमेन्ट (management) का है या और कोई बायस है जिससे यह काम (populor) पॉप्यूलर नहीं हुआ ?

रेविन्यू मेम्बर साहब—गल्लेदास्तनी का सवाल पेश करने के लिये इस बात की जरूरत नहीं है कि मैं उसके फायदे बयान करूं. मुझे यकीन है कि, बीज और खाने का नाज जमा करने के फायदे आप लोग पूरी तौर से जानते हैं, इस फायदेमंद और नेक काम की कामयाबी के लिये दरबार एक अर्से से कोशिश कर रहे हैं. शुरू में तहसीलदार व सूबा साहबान को ऐसे भण्डार कायम कराने की हिदायत दी गई, और बाद सन १९११ में कायदा बीज-भण्डार जारी किया गया. चुनांचे हुक्काम की समझायश और कोशिश से बहुतसे भण्डार कायम किये गये, मगर उनकी तरक्की की हालत यह हुई कि, कुछ तो सिर्फ कागज पर ही कायम हुए; कुछ में नाम को कुछ गल्ला जमा हुआ और सड गया; कोई बरस दो बरस चले, कहीं पंच लोग गल्ला हजम कर गये; तो कहीं आसामियों ने गल्ला वापिस लेलिया और वापिस जमा नहीं किया.

चुनांचे सन १९१८ ई० में यह मामला जमींदारी कॉन्फरेन्स में पेश किया गया, उसवक्त हुजूर मोअल्ला ने गल्लेदाश्तनी के बारे में क्या इरशाद फरमाया, यह मेमोरेंडम नम्बर ६ के मुलाहिजे से आप लोगों को जाहिर हुआ होगा, उसवक्त ऐसा करार पाया कि, यह काम या तो पंचायत बोर्ड्स या को-ऑपरेटिव सोसाइटीज की निग्रानी में, जैसा मौजे वाले चाहें, रक्खा जावे. यह ठहराव गांव २ तकसीम हुए और हुक्काम अजलाय ने कॉन्फरेन्सेज करके सबको समझाया; और संवत १९७७ के कॉन्फरेन्स में फिर इस ठहराव की तरफ तवज्जोह दिलाई गई, मगर अफसोस है कि, कोई नतीजा तसल्लीबख्श बावजूद इतने दिनों की कोशिश के अबतक नहीं निकला. इसलिये अब यह सवाल आपके सामने पेश किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि, आप अपनी व गरीब काश्त-कारों की और रियासत की बेहबूदी पर नजर रखते हुए कोई तरीका जरूर निकालेंगे जिससे यह काम चल निकले और जल्द कामयाबी हासिल हो, और हमारी और आपकी, सबकी नेकनामी और दरबार की निगाह में वक़अत हो.

चुनांचि इस मस्ले के हल करने के लिये मैं तजवीज करता हूं कि एक सब-कमेटी जिसके मेम्बरान की तादाद ९ से ज्यादा न हो उसमें जमींदारान व साहूकारान में से ६ और दोनों सर-सूबे साहबान व डायरेक्टर साहब को-ऑपरेटिव सोसायटीज मशवरे के लिये शामिल किये जावें.

राय साहब नारायनदास—मैं रेविन्यू मेम्बर साहब की तजवीज की ताईद करता हूं.

केशवराव बापूजी साहब—मुझे भी राय मेम्बर साहब से इत्तफ़ाक है, मगर अलावा मेम्बरान कमेटी के अगर और कोई साहब भी इस मामले में राय देना चाहें तो उन्हें भी कमेटी में शरीक करलिया जावे.

भगवानस्वरूप साहब—यह काम पंचायत बोर्डों के सुपुर्द किया जावे और वहीं इनका हिसाब रक्खा जावे.

वाटवे साहब—मैं राय रेविन्यू मेम्बर साहब की ताईद करता हूं.

महादेवराव साहब—मुझे भी रेविन्यू मेम्बर साहब की राय से इत्तफाक है, कमेटी कायम होनी चाहिये.

राजाराम साहब—कमेटी कायम की जावे मगर उसमें मेम्बर जिलेवार कायम हों.

सेठ मानकचंद साहब—मेरी राय से सिर्फ ६ मेम्बरों की कमेटी काफी होगी.

हस्ब इत्तफ़ाक़ राय इस मसले पर गौर करके रिपोर्ट करने के लिये हस्ब जैल मेम्बरान की कमेटी कायम कीगई :—

प्रेसीडेन्ट.

रेविन्यू मेम्बर साहब.

मेम्बरान.

(१) डायरेक्टर साहब को-आपरेटिव सुसाइटीज.
(२) सरसूबा साहब मालवा.
(३) सरसूबा साहब गवालियार.
(४) रामप्रताप छुम्बा साहब.
(५) मेजर गुलाबसिंह साहब.
(६) जबरसिंह साहब.
(७) गो. चि. वाटवे साहब.
(८) रामचंद बोहरे साहब.
(९) बाबा साहब देशपांडे.
(१०) गणेशदत्त साहब शास्त्री.

तजवीज ५, एजेन्डा १.

बन्दोबस्त में ५ रुपये फीसदी की रकम बाबत तनख्वाह चौकीदारान सरकारी मालगुजारी में शामिल की गई है. इस शरह से कुल रकम जो वसूल होती है, तनख्वाह

चौकीदारान में देने को दरबार तैयार हैं; लेकिन इस हिसाब से तनख्वाह का औसत करीब ३) माहवार फी चौकीदार आता है, मगर ६) माहवार से कम में चौकीदार नहीं मिलसकते; इसलिये क्या यह तजवीज मुनासिब होगी कि तनख्वाह के अलावा चौकीदारान को इसकदर जमीन मिनजानिब जमींदारान दी जावे कि जिसका लगान ३६) साल हो, ताकि चौकीदारों को ६) छे रुपये माहवार का औसत साल में पडजावे.

इस तजवीज को पेश करते हुए आर्मी मेम्बर साहब ने कहा :—

हुजूर मोअल्ला !

जो मसला हुजूर की इजाजत से मैं इस मजलिस में पेश करना चाहता हूं वह जियादातर दरबार आलीविकार के उस हिस्सा रिआया की अमन व आसायश और हिफाजते जान व माल के मुतअल्लिक है, जो थोडी थोडी जमाअतों में गुंजान आबादी से दूर मवाजियात में सकूनत रखती है. मुझको उम्मीद है कि गवर्नमेन्ट की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए यह मजलिस इस सवाल पर हमदर्दी की नजर से गौर करेगी और अपने मुफीद मशवरे से गवर्नमेन्ट और पब्लिक को फायदा पहुंचायगी.

मवाजियात में चौकीदारों की कायमी का तरीका कोई आज का नहीं है. कदीम से या कहिये कि जबसे Village system जारी हुआ तबसे गांव की चौकीदारी का ओहदा उस system का जुज माना गया है और चौकीदार की खिदमात के मुआवजे का जिम्मेदार मौजा ही करार दिया जासकता है.

जब से हुजूर अनवर दामइकबालहू ने इनाने हुकूमत अपने हाथ में लेकर अपनी तवज्जुह मवाजियात की बेहबूदी और तरक्की की तरफ मबजूल फरमाई है, मिनजुमला दीगर इसलाहों के एक सवाल चौकीदारों के इन्तजाम के मुतअल्लिक भी इब्तदा से दरबार मोअल्ला के जेर गौर रहा है. बजाय इसके कि जमींदार बतौर खुद चौकीदारों को तनख्वाह दें यह तरीका इख्तियार किया गया है कि चौकीदारी cess पांच फीसदी के हिसाब से मालगुजारी पर वसूल किया जावे और ऐसी वसूलशुदा रकम में से चौकीदारों को ब तवस्सुत गवर्नमेन्ट तनख्वाह माहवार दी जावे.

इसवक्त ९ जिलों का बन्दोबस्त होचुका है. सिर्फ २ जिले नरवर और ईसागढ बाकी हैं, जिनका बन्दोबस्त अभी नहीं हुआ है, लिहाजा जो मैं आगे बयान करूंगा वह उन ९ अजलाय के Figures की बुनियाद पर होगा जिनका बन्दोबस्त होचुका है.

जो तादाद चौकीदारान की अजलाय बंदोबस्त शुदा में मौजूद है उसका टोटल ६,७३० है. गालिबन इस अम्र के ज्यादा तशरीह करने की जरूरत नहीं कि यह तादाद बलिहाज आबादी व खुसूसियते मुकाम कायम की गई है, लेकिन बन्दोबस्त हाल में जो रकम ५ फीसदी के हिसाब से वसूल की जारही है वह इस अम्र के लिये काफी नहीं है कि कोई माकूल तनख्वाह चौकीदारों की कायम करने के लिये काफी हो. रकम के नाकाफी होने की वजह से जो खराबियां पाई गईं वह यह हैं कि:—

(१) अक्सर जगह चौकीदार ब वजह कलील तनख्वाह दस्तयाब नहीं होते.

(२) जहां चौकीदार आजतक मुकर्रर भी थे उनको तनख्वाह बहुत कलील दी जाती थी यानी १ रुपया से लेकर ४॥ रुपये माहवार तक.

चौकीदारान का न होना या उनको इसकदर कलील तनख्वाह देना जैसाकि मैं अभी बयान करचुका हूं, यह दोनों ऐसी बातें हैं जो Public की अमन व आसायश व हिफाजत के मुतअल्लिक खतरा पैदा होने के एहसास को हरवक्त ताजा रखती है, और गवर्नमेन्ट को इस अम्र पर आमादा

बन्दोबस्त हाल में ९ अजलाय की मालगुजारी पर ब हिसाब ५ फीसदी जो रकम चौकीदारी के इन्तजाम के लिये गवर्नमेन्ट को वसूल होती है वह ३,५४,६६० रुपया के करीब है. अगर चौकीदारान को सिर्फ ६ रुपये तनख्वाह दी जावे, जो जमाने की हालत को देखते हुए कुछ ज्यादा नहीं, तो दीगर मसारिफ तो अलाहिदा रहे, मेहेज तनख्वाह की रकम रुपये ५,६५,३२० होती है.

गवर्नमेन्ट को हरगिज यह मंजूर नहीं है कि मालगुजारी और अबवाब जो अब लिये जाते हैं उनके आंक में किसी किस्म का इजाफा करके चौकीदारी फंड की रकम जरूरत के मुताबिक पूरी करले और इस गरज से कि आयंदा ऐसी बात का कोई, एहतमाल ही बाकी न रहे गवर्नमेन्ट ने एक ऐसी तजवीज चौकीदारी फंड कायम करने की इख्तियार की है कि, जो मुकम्मिल होने पर निहायत ही मुफीद साबित होगी.

तजवीज मज़कूर की तफसील की इसवक्त चंदां जरूरत नहीं बजुज इसके कि वह इस उसूल पर मबनी हो कि जो रकम बनाम निहाद चौकीदारी गवर्नमेंट को वसूल होती है उसका कुछ हिस्सा हर साल reserve में रखकर उससे एक मुस्तकिल चौकीदारी फंड, आयन्दा की दिक्कतें दूर करने के लिये कायम किया जाव.

इस सवाल के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट की तजवीज यह है कि चौकीदार की तनख्वाह ६) रु. करार दीजाकर उसको ३ रुपये नक्द और ३६ रुपये साल लगान की जमीन दी जावे, जिससे ३ रुपये माहवार की आमदनी जमीन से हो. इसके अलावा १ रुपये माहवार की चौकीदार वर्दी के लिये जरूरत है जिसको मौजूदा अगराज के लिये तनख्वाह का जुज समझा जावे और जो इस हिसाब से ७ रुपये होती है. तनख्वाह की रकम ३ रुपये माहवार के हिसाब से सालाना २,४२,२८० रुपये होती है, वर्दी के लिये १ रुपया माहवार के हिसाब से रकम ८०,७६० रुपये सालाना होती है. इसमें सायर खर्च और क्लर्कों की तनख्वाह बाबत ३,१८० रुपये सालाना के करीब इजाफा करने की जरूरत है. इन तीनों रकमों की तादाद ३,२६,२२० रुपये होती है, अगर इस तरीके पर अमल किया जावे तो चौकीदारी रकम मुबलिग ३,५४,६६० रुपये में से मुबलिग ३,२६,२२० रुपये वजा होकर मुबलिग २८,४४० रु. की बचत रहती है जिससे उस मुस्तकिल रिझर्व फंड के कायम करने में मदद मिल सकेगी जिसका जिक्र मैं अभी करचुका हूं. गवर्नमेन्ट का खयाल था कि चौकीदारी cess की रकम म से १५ फीसदी से रिझर्व फंड कायम किया जावे और उस हिसाब से ५३,१९९ रुपये सालाना दरकार होती है; लेकिन जाहिर है कि कम अज कम ३ रुपये नक्द तनख्वाह व दीगर मसारिफ की रकम मिनहा करने के बाद सिर्फ २८,४४० रुपये की बचत रहती है; इसलिये १५ रुपयें फीसदी के हिसाब से रिझर्व फंड कायम नहीं हो सकता. पस गवर्नमेन्ट भी १५ फीसदी मुजराई पर जोर नहीं देती.

जमीन देने के मुतअल्लिक सवाल मेहज इस गरज से मजलिस के रूबरू पेश किया जाता है कि जमींदार साहिबान चौकीदार को आपनी जानमाल की हिफाजत, अपने गांव की बेहबूदी और उसके फर्ज मन्सबी अदा करने के सवालात पर हर तरह से गौर करके गवर्नमेन्ट के साथ cooperate करें; क्योंकि बगैर उनकी मदद और हमदर्दी के चौकीदारान कोई फायदा उस जमीन से नहीं उठा सकते जो उनको गवर्नमेन्ट देना चाहे.

जमीन के देने में यह और एक फायदा है कि चौकीदारान को गांव के तअल्लुकात में एक किस्म की कुदरती हमदर्दी पैदा होकर उनको एक किस्म की दिलचस्पी गांव की बेहबूदी और अमन व अमान करने में होगी और गालिबन इसी खयाल से जमाने साबिक में जमीन दिये जाने का तरीका राइज था.

मुझको उम्मेद है कि पब्लिक के Representatives खुसूसन जमींदार साहिबान के Representatives गवर्नमेन्ट को मसले जेर बेहस के हल करने में काफी इमदाद देंगे..

पहलादसिंह साहब—जमींदारों से ३६ की लगानी जमीन दिलाना मुनासिब है, मगर चौकीदारों को जमींदारान के बताये हुए सरकारी काम भी करना चाहिये, जो वह आजकल नहीं करते हैं.

वाटवे साहब—जनरल साहब की राय से मैं इत्तफाक करता हूं.

सेठ मानकचन्द साहब—गांवटी खर्च में ३) माहवार डालकर चौकीदारों को दिये जाया करें.

विट्ठलदास साहब—मेरी राय है कि जमीन ½ जमींदार देवें और ½ काश्तकारों से दिलावें. इसके साथ ही इस बात पर भी गौर किया जावे कि चौकीदार इस तनख्वाह पर क्यों नहीं मिलते ? वजह यह है कि चौकीदारों से दूर दूर की नौकरी ली जाती है, उनसे सिर्फ मौजा ही का काम लेना मुनासिब होगा.

महादेवराव साहब—छोटे कई गांव में एक चौकीदार मुकर्रर किया जावे, और उससे सिर्फ मौजे का काम लिया जावे, और सब मौजों से ३६) रुपये लगानी जमीन दिला दी जावे.

गुरुदयाल साहब—जिन मौजों में तनख्वाह चौकीदारान में बेशी करने की जरूरत है, वहां तरक्की की जावे. आम तौर पर पुरानी तनख्वाह ही कायम रक्खी जावे.

चौधरी रन्धीरसिंह साहब—जो तीन रुपया चौकीदारों को मिलते हैं वही दिये जावें, कहतसाली के वक्त तरक्की देनी चाहिये.

पहलादसिंह साहब—मेरी राय में चौकीदारों को ६) माहवार से कम नहीं देना चाहिये.

हस्ब तजवीज हुजूर मुअल्ला करार पाया कि तमाम जमींदार मेम्बरान मजलिस आम की एक कमेटी ब सिदारत आर्मी मेम्बर साहब मुकर्रर की जावे, जो अपनी रिपोर्ट इस तजवीज की बाबत पेश करें.

तजवीज ६, एजेन्डा १.

हलवाहों के निस्बत यह शिकायत पेश की गई है कि वह एक शख्स से हल चलाने का मुआहिदा करके रुपया और गल्ला पेशगी लेलेते हैं और फिर दूसरे शख्स से गल्ला और रुपया पेशगी लेकर इस दूसरे शख्स के यहां हल हांकने लगते हैं. बाजाब्ता नालिश करने में तवालत होती है और हलवाहों के पास कुछ न होने से हकरसी नहीं हो सकती है, इसकी दुरुस्ती के लिये हस्ब जैल तजवीज पेश का गई हैं:—

अव्वल, जो शख्स यह जानकर कि हलवाहे ने किसी और शख्स से हल हांकने का वायदा किया है आर गल्ला या रुपया पेशगी लेलिया है, ऐसे हलवाहे को गल्ला या रुपया पेशगी दे और हलवाये से काम ले तो उसपर पहिले गल्ले और रुपये का बार आयद किया जावे.

दोयम यह कि इसके मुतअल्लिक नालिशें अदालत माल में ब सीगे सरसरी दायर हुआ करें.

इस सवाल को पेश करते हुए लॉ मेम्बर साहब ने कहा—

सवाल आप साहबान के काबिले गौर यह है कि क्या मुताबिक कानून यह नालिशें तहसीलदार के यहां रुजू हों और वह बहैसियत मजिस्ट्रेट फैसिल करे ? बाज साहबान की राय यह है कि बहकाने वाले पर बार डाला जावे, बाज का खयाल है कि बहकाने वाले का साबित करना मुश्किल हो जावेगा और मसनूई शहादत देने का मौका मिलेगा. बाज साहब तहरीर शहादत चाहते हैं. इन अमूर पर आप गौर फर्मायें.

कैफियत यह है कि सम्वत १९६८ में दरबार ने कानून खिलाफवर्जी मिनजानिब मजदूरान व पेशावरान जारी किया. इस कानून में यह बतलाया गया है कि अगर कोई मजदूर या कारीगर किसी कारखानेदार या और शख्स से नक्द रुपया लेकर मुआहिदा करे कि मैं फलां काम खुद करूंगा या करा दूंगा और अगर ऐसा मजदूर अपने मुआहिदे को पूरा न करे तो क्या अमल किया जावे ?

आम तौर से मजदूर या कारीगर की जानिब से मुआहिदा शिकनी की सूरत में अदालत दीवानी में नालिश दायर की जा सकती थी; मगर इन लोगों की माली हैसियत ऐसी नहीं होती कि जिससे हकरसी हो सके. इस दिक्कत के दूर करने के लिये यह कानून बनाया गया. इस कानून में जो तरीका बतलाया गया उसे मुख्तसिर तौर पर यूं बयान किया जा सकता है कि अगर कोई मजदूर उस काम को, जिसके करने का वायदा उसने जो नक्द पेशगी लेकर किया था, करने से कासिर रहे तो शाकी की दरख्वास्त मजिस्ट्रेट के यहां पेश की जावे और मजिस्ट्रेट अपने इजलास में जर्ये वारंट या समन मुलजिम को तलब करेगा और इस्तगासे की सेहत के मुतअल्लिक इत्मीनान हो जाने पर मजिस्ट्रेट फरयादी से पूछेगा कि वह रुपया वापिस चाहता है या काम कराना ? अगर फरयादी ने कहा कि मुझे वह काम कराना मंजूर है, जिसके करने के लिये पेशगी रुपया दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट उस काम को करने के लिये मुलजिम को हुक्म देगा. बसूरत न करने तामील या इन्कार करने के मजिस्ट्रेट को तीन महीने तक की सजा देने का इख्तियार है. अगर फरयादी अपना रुपया वापिस चाहे तो उसको रुपया वापिस देने के लिये मजिस्ट्रेट हुक्म देगा और इस हुक्म की अदम तामील की सूरत में भी मजिस्ट्रेट को तीन महीने तक की सजा देने का इख्तियार हासिल है; लेकिन इस दरमियान में अगर मुलजिम गल्ला वापिस कर दे तो मजिस्ट्रेट हुक्म देगा कि उसे रिहा करदिया जावे. यह अमलदरामद सम्वत १९६८ के कानून के मुताबिक है.

शिकायत यह है कि हलवाहे बदमाश हो गये हैं, वह रुपया पेशगी लेलेते हैं, बाद में लोगों के बहकाने में आकर काम नहीं करते और उनका काम करते हैं, जिससे रुपये का नुक्सान और काम में हर्ज होता है. इस तकलीफ के रफा करने के लिये यह तजवीज बतलाई जाती है कि जो शख्स ऐसी पेशगी लिये हुए हलवाहे से काम ले उसपर पहिले लिये हुए गल्ला व रुपया का बार डाला जावे और नीज यह कि इस किस्म की नालिशें अदालत माल सरसरी में दायर हुआ करें. उसूल कानून यह है कि पेशगी रुपया या गल्ला लिये हुए मजदूर को अगर कोई शख्स काम करने से रोके तो ऐसा शख्स मस्तोजिब अदाय हर्जा है और यह चाराजोई अदालत दीवानी में हो सकती है। मेरे खयाल से जिस शख्स ने पेशगी रुपया काम करने के लिय दिया है उसके पास काफी जराये मौजूद हैं कि या तो वह मजदूर को काम अंजाम देने के लिये मजबूर करे या अपना रुपया वापिस ले । यह कार्रवाई दोनों हालत में होगी, यानी अगर किसी शख्स ने मजदूर को बहकाया या मजदूर ने खुद ही अपनी मर्जी से दूसरे शख्स से पेशगी लेकर पहिले शख्स का काम नहीं किया. ऐसी हालत में सीगे फौजदारी में दूसरे शख्स के ऊपर बार डालना मुनासिब न होगा. रहा यह कि इस

किस्म की नालिशात अदालत माल में ब सीगे सरसरी तहसील में हुआ करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आमतौर से वह कुल नालिशात जिनमें तअल्लुक फरीकैन का काश्तकार और जमींदार का हो और दीगर ऐसे मुआम्लात जिनका तअल्लुक आराजी जरई से है, बिलउमूम अदालत माल में ही दायर और फैसिल हुआ करते हैं। हलवाहों के मुआम्लात भी इसी किस्म के हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इस किस्म की नालिशात की समाअत अदालत माल में हुआ करे.

फजलअहमद साहब—मेरी राय में ऐसे मजदूर को गिरफ्तार किया जाकर काम पर वापिस कराया जावे और उससे सूद एक रुपया फीसदी दिलाया जावे.

अहमदनूरखां साहब—जिस हालत में किसी मजदूर ने एक शख्स से पेशगी रुपया लेकर और उसका काम न करके दूसरे शख्स के यहां काम करना शुरू करादिया तो पहिले देनदार का रुपया दूसरे शख्स से लेना आयद कर दिया जावे और मुद्दई के ऊपर छोडा जावे कि वह या तो मजदूर से काम कराये या उस शख्स से रुपया ले ले जिसके यहां मजदूर काम कररहा हो और तहसीलदार साहबान को इख्तियार दिया जावे कि वह ऐसे मुआम्लात का सीगा फौजदारी में फैसला करदिया करें और ऐसे मुकद्दमात के फैसले के लिये मियाद मुकर्रर करदी जावे.

भगवानस्वरूप साहब—नालिश अदालत माल में न होना चाहिये; क्योंकि वहां देर होजाने की सूरत में अपील बाइस तवालत होगी और जमाना काश्त निकल जावेगा. मेरी राय में पंचायत बोर्ड में इस किस्म की दरख्वास्तें पेश होकर पांच रोज के अन्दर यह तसफिया होना चाहिये कि जिस जमींदार या काश्तकार ने अव्वल रुपया हलवाहे को दिया है उसका काम न करने की सूरत में, हलवाहे से रुपया वापिस दिलावे. बसूरत इसके कि हलवाहा काम करने पर रजामन्द हो तो जरूरत मुआवजा दिलाने की नहीं है और बाकी का मुआवजा वसूल होने की सूरत न हो और हलवाहा काम करने के लिये भी रजामन्द न हो तो हलवाहे का अदालत में वास्ते सजाय खिलाफवर्जी चालान कर दिया जाय. वहां से उसको सजा दी जाय ताकि आयन्दा के लिये इब्रत हो.

महादेवराव साहब—हलवाहे दो तरीक से लगाये जाते हैं. एक बारह महीने के लिये, दूसरे ४, ६ महीने के लिये। इनके खिलाफ इस्तगासा तहसील में दायर होना चाहिये और इनसे काम जबरन कराना चाहिये.

वाटवे साहब—दावा तहसील में दायर होना चाहिये। जिसने मजदूर को पहिले रुपया दिया है उसका काम पहिले कराया जावे. जिसने मजदूर को बहकाया है उससे मुचलका लिया जावे.

लॉ मेम्बर साहब—कानून में यह Provision नहीं है; अगर यह काम Specially कराया जावे तो कैसे कराया जावे?

झालानी साहब—यह Penal Law है, अगर किसी शख्स ने किसी मजदूर या कारीगर को पेशगी रुपया देकर दस पांच साल के लिये अपना पाबन्द करलिया तो इस किस्म की पाबन्दी सख्त मुजिर होगी; इसलिये इस मुआम्ले में अहतियात की जरूरत है.

लॉ मेम्बर साहब—सवाल यह है कि मुकद्दमा कहां रुजू हो और क्या दूसरे शख्स पर बार डाला जावे और अगर कोई मजदूर दूसरे शख्स का भी काम न करे और तीसरे शख्स से पेशगी ले और उसका काम करे तो क्या तीसरे शख्स पर भी बार डाला जावे?

वाटवे साहब—झालानी साहब दस पांच साल का जिक्र क्यों करते हैं. कानून में सिर्फ तीन साल की मुद्दत दी गई है.

जगमोहनलाल साहब—इस वक्त सवाल काबिल तस्फिया सिर्फ यह है कि जो लोग ऐसे हलवाहों को बहकाकर जो पेश्तर से दूसरों के यहां Engaged हों, अपने यहां लगायें तो उनके खिलाफ क्या चाराजोई करना चाहिये. मेरे खयाल में अगर पहिले मुआहिदे पर बहकानेवाले शख्स के दस्तखत बतौर गवाही के हों तो उसी बहकानेवाले शख्स पर हर्जे का बार जरूर पड़ना चाहिये. दूसरा सवाल यह है कि ऐसी चाराजोई कहां की जावे ! इसकी निस्बत मेरी राय में बहतर होगा कि पंचायत बोर्ड में इस किस्म के हर्जों के दावे समाअत हुआ करें, क्योंकि यह मुआम्लात सरसरी किस्म के हैं.

राजाराम साहब—मैं जगमोहनलाल साहब की राय से इत्तफाक करता हूं.

ब्रह्मस्वरूप साहब—यह खयाल कर लिया जावे कि मसनूई शहादत बनाने का बहुत एहतमाल है.

विट्ठलदास साहब—कानून सम्वत १९६८ मद्देनजर रक्खा जाकर तहसीलदार साहब मुकद्दमात फैसल किया करें और अपील इन मुकद्दमात की न हो.

जबरसिंह साहब—तस्फिया बसीगे फौजदारी हो.

गुरुदयाल साहब—मुकद्दमात बसीगे सरसरी समाअत किये जाकर मुलजिम से Penalty वसूल की जावे.

मूंगालाल साहब—सरसरी में नालिश हो और बरगलानेवाले से रुपया दिलाया जावे; मगर रुपया की बाबत अच्छी तरह इत्मीनान करलिया जावे.

लालताप्रसाद साहब—नालिश पंचायत बोर्ड में दायर हो और चार रोज में फैसल हुआ करे. अगर रुपया वापिस न हो तो अदालत मुजाज में मुकद्दमा चालान किया जावे.

लॉ मेम्बर साहब—सवाल आप साहिबान के काबिलगौर यह है कि क्या मुताबिक कानून यह नालिशें तहसीलदार के इजलास में रुजू हों और वह बहैसियत मजिस्ट्रेट फैसल करें. बाज साहबान की राय यह है कि बहकानेवाले पर बार डाला जावे. बाज का खयाल है कि बहकानेवाले का साबित करना मुश्किल हो जावेगा और मसनूई शहादत का मौका मिलेगा. बाज साहब तहरीरी शहादत चाहते हैं. इस पर आप गौर फरमावें.

विट्ठलदास साहब—बहकानेवाले पर किसी किस्म का बार नहीं डाला जाना चाहिये.

लॉ मेम्बर साहब—इस पर आप गौर करलीजिये कि जब कानून की दफआत के मुताबिक फरीक़ शाकी को हक हासिल है कि वह बहुक्म मजिस्ट्रेट मजदूर से काम ले या पेशगी दिया हुआ रुपया वापिस ले, ऐसा न होने की सूरत में मजदूर या हलवाहे को तीन महीने तक का जेलखाना भी हो सकता है और जून से नवम्बर तक काम करने से मजबूर हो सकता है. फिर बहकानेवाले पर किसी किस्म का बार डालना खिलाफ उसूल कानून के होगा.

बहस खत्म होने पर इस तजवीज पर वोट लिये गये तो कसरत राय से करार पाया कि बहकानेवाले पर बार डाला जावे और मुकद्दमात तहसीलदार के इजलास में पेश हों और वह बहैसियत एक्सऑफिशियो मजिस्ट्रेट उन्हें फैसल करें.

इसके बाद मेम्बरान मजलिस आम को दरबार की तरफ से रिफ्रेशमेन्ट दी गई और ३. बजे से फिर इजलास शुरू हुआ.

तजवीज ३, एजन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि--

सरक्यूलर नंबर १ सम्वत १९७७, मुहकमे एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज मतबूआ ग्वालियर गवर्नमेन्ट गजट, ता १ जुलाई १९२१ ई० के कलम १ में "४ नान-आफीशियल मेम्बरान" के बादके कुल अलफाज कम कर दिये जावें.

जगमोहनलाल साहब ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:--

सरक्यूलर संवत १९७७, मुहकमे एज्यूकेशन व म्युनिसिपेल्टिी के जरिये से टाउन कमेटियों के मेम्बरों की तकर्रुरी के बाबत कवायद वजे किये गये हैं उनके कलम नं. १ में यह बतलाया गया है कि टाउन कमेटियों में २ आफीशियल व चार नान-आफीशियल मेम्बर होंगे. नान-आफीशियल मेम्बरान की बाबत यह कैद लगाई गई है कि आम तौर पर साहूकारान व जमींदारान में से मुकर्रर किये जावें, इस कैद को हटाने की गरज से मैंने यह तजवीज पेश करने की जुरअत की है.

हुजूर आली! हर ओहदे की तकर्रुरी के लिये लियाकत ही लाजिमी मिआर होना चाहिये और इस किस्म के ओहदों के वास्ते दिली शौक होना भी निहायत जरूरी है. अगर ऐसे ओहदे किसी खास जमाअत या जमाअतों के लिये Monopoly कर दिये गये तो, हुजूर वाला! अंदेशा यह है कि काबिल व मौजूं लोग पब्लिक खिदमात करने से महरूम रहेंगे. मेरी दिली मन्शा सिर्फ यह है कि हर तबके व हर शख्स को बराबर मौका खिदमात करने का मिलता रहे। मैं इस बात से भी बेखबर नहीं हूं कि दरबार आली विकार का भी यही मंशा है, क्योंकि इस सरक्यूलर के जारी होने के बाद जो चंद टाउन कमटी के मेम्बरान की तकर्रुरी के बाबत गवर्नमेन्ट गजट में ऐलान शाया हुए हैं उनसे मालूम होता है कि हर तबके के लोग मेम्बर मुकर्रर किये जाते हैं, लेकिन हुजूर आली! सरक्यूलर के अलफाज से गलतफहमी पैदा होती है. यह गलत फहमी न रहे, इस गरज से मैं यह तजवीज पेश करता हूं और उम्मेद है कि मजलिस इसको मंजूर करेगी.

भगवान स्वरूप साहब, झालानी साहब व अबदुलहमीद साहब ने ताईद की.

एज्यूकेशन मेम्बर सा.—मुझे अफसोस है कि मैं इस तजवीज को तसलीम नहीं करसकता. टाउन कमेटी महज एक मशवरा देने वाली जमाअत है. टाउन कमेटीज छोटे छोटे कस्बात में कायम हैं और छोटे छोटे कस्बात में ही इनका कायम किया जाना मकसूद है. ऐसे कस्बात में राय कायम करने वाले लोग ज्यादातर साहूकारान व जमींदारान में से मिल सकते हैं और यही दो तबके ऐसे कस्बात में बाअसर होते हैं.

पब्लिक Institutions की निस्बत आम तौर पर दरबार की यह पालिसी रही है कि इनमें बा असर तबकों के कायम मुकाम मुकर्रर हों, और यह भी एक वजह है कि टाउन कमेटीज के नान-आफीशियल मेम्बरान के तकर्रुर की निस्बत यह हिदायत दी गई है कि आम तौर पर वह साहूकारी व जमींदारी तबके से चुने जावें. अगर किसी टाउन कमेटी में कोई दीगर शख्स मेम्बर होने के काबिल समझा जावे तो उसकी तकर्रुरी की इस सरक्यूलर के रूसे मुमानिअत नहीं है. इस तजवीज में जिस तरमीम की सिफारश कीगई है मेरे खयाल से उसकी जरूरत नहीं है.

रामजीदास सा.—इस तरमीम की कोई जरूरत मालूम नहीं होती, क्योंकि सरक्यूलर में जो इबारत दर्ज है उस के मानी यह नहीं निकलते कि सिवाय साहूकारान और जमींदारान के कोई दूसरा शख्स मेम्बर मुकर्रर नहीं हो सकता है, बल्कि इस खयाल से कि जहां टाउन कमेटी होती है

वहां ज्यादातर आबादी साहूकारान व जमींदारान की होती है और इसी सरक्यूलर में लफ्ज आम तौर पर इस्तैमाल किया गया है. मौजूदा कमेटियों में भी अलावा इन फिरकों के दीगर लोग मुकर्रर हैं कि जिस से यह जाहिर होता है कि कोई गलतफ़हमी इस वक्त तक पैदा नहीं हुई है. मेरे दोस्त मुजव्विज साहब ने शायद वुकला साहिबान की खातिर, जिनकी तादाद ऐसे मुकामात में कम होती है यह तजवीज पेश की है. मुझे अफसोस है कि मैं इस तजवीज की ताईद नहीं करता.

लाला रामजीदास साहब की ताईद सेठ मानिकचंद साहब, केशवराव बापूजी साहब, नारायणदास साहब व मूंगालाल साहब ने की.

विट्ठलदास साहब—मैं बाबू जगमोहनलाल साहब की तजवीज की ताईद करता हूं. लाला रामजीदास साहब की गुफ्तगू से जाहिर है कि शायद यह वकीलों से घबडाते हैं.

गुरुदयाल साहब—खुसूसियत निकाल दी जावे. मुझे जगमोहनलाल साहब की राय से इत्तफाक है.

जगन्नाथप्रसाद साहब व फजलमुहम्मद साहब ने भी बाबू जगमोहनलाल साहब की तजवीज से इत्तफाक किया.

वाटवे साहब—जो अलफाज बाबू जगमोहनलाल साहब ने बतलाये हैं वह निकाले जाकर उनके बजाय अलफाज " लायक शख्स " इजाफा किये जावें.

हुजूरमोअल्ला—इस सरक्यूलर से गलतफ़हमी पैदा होने की कोई वजह मालूम नहीं होती. सरक्यूलर की मन्शा यह नहीं है कि टाउन कमेटियां जमींदारान व साहूकारान के लिये महदूद हैं, मगर असल में देखा जावे तो जहां टाउन कमेटियां हैं वहां वुकला की तादाद ज्यादा नहीं होती, अलबत्ता मुख्तार आमों की तादाद सौ, दो सौ निकल सकती है. सरक्यूलर, मेम्बरी टाउन कमेटी को किसी तबके के लिये महदूद नहीं करता. पब्लिक की मर्जी पर है, जिसे चाहे उसे elect करे. अगर कोई गलतफ़हमी है तो अब इतनी गुफ्तगू सुनने के बाद रफा हो जाना चाहिये.

विट्ठलदास साहब—टाउन कमेटियों के मेम्बर मुन्तखिब नहीं होते बल्कि मुकर्रर किये जाते हैं और तहसीलदार साहिबान जिसे चाहते हैं उसे नामजद करादेते हैं.

हुजूरमोअल्ला—इन्तखाब मेम्बरान का सवाल गैर मुतअल्लिक है, अगर आप चाहें तो एक नये सवाल की सूरत में उस को मजलिस के रूबरू ला सकते हैं. इस वक्त सिर्फ इतना जाहिर करना है कि सरक्यूलर की मंशा किसी फिरके को मेम्बरी से Debar करने की नहीं है और इस तरफ से मजलिस का इत्मीनान हो जाना चाहिये.

पस करार पाया कि सरक्यूलर में रद्दोबदल की जरूरत नहीं.

तजवीज ४, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हूजूर में सिफारिश करती है कि—

म्युनिसिपेलिटीज व डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में इन्तखाब के जर्ये से मेम्बर मुन्तखिब किये जावें.

इस सवाल के मुजव्विज ढुंढीराज कृष्ण अष्टेवाले साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि वह इस सवाल को तरमीम करके आयन्दा इजलास में पेश करना चाहते हैं, लिहाजा तजवीज वापिस दी गई.

तजवीज ५, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

जिस जगह मंडियां हैं वहां के साहूकारान बिला लेने देने किसी शय के सट्टे का ज्यादातर ब्योहार करते हैं, जिससे सट्टे की रोक मुनासिब है.

इस तजवीज को पेश करते हुए मुनीब मानिकचन्द साहब ने कहा :—

कुछ अर्से से मंडियों में सट्टे का प्रचार ज्यादा होता जाता है. दूकानदार लोग ज्यादा मुनाफा हासिल करने की गरज से अपनी ताकत से ज्यादा सौदा करते हैं. उनके पास माल मौजूद नहीं होता और सौदा कर डालते हैं. नतीजा यह होता है कि वायदे पर वह माल तो दे नहीं सकते, सिर्फ नुक्सान का भुगतान करना पड़ता है. सरकार! इसका असर यह होरहा है कि कई मंडियां बरबाद हो जाती हैं और मुरेना की मंडी इसकी नजीर है। लश्कर में भी सोने के सट्टे ने जो बरबादी की है वह सब को रोशन है. सरक्यूलर नंबर ५, सम्वत १९७०, में इतनी रोक जरूर की गई है कि सट्टे की बाबत दीवानी में नालिश नहीं हो सकती; लेकिन इस रोक से सट्टे की बन्दी नहीं हुई और लोग मुनाफे की हविस से अपने पैरों पर खुद कुल्हाडी मारते हैं, जिससे उनको बचाना जरूरी है. मेरी राय में यह बहतर होगा कि जुर्म के तौर पर सट्टा करना रोक दिया जावे, क्योंकि इस से तिजारत को कुछ भी फायदा नहीं है. लिहाजा मैं यह तजवीज पेश करता हूं और उम्मेद करता हूं कि मजलिस इसको मंजूर फर्मावेगी.

मूंगालाल साहब, अब्दुलहमीद साहब और अहमदनूरखां साहब ने ताईद की.

लॉ मेम्बर साहब—इस तजवीज से कि 'सट्टे की रोक की जावे' मैं यह समझता हूं कि मुजव्विज की गर्ज यह है कि यह जुर्म करार दिया जावे. वर्ना कानून में सट्टे की रोक इस मानी में तो मौजूद है कि अगर दो शख्सों के दरमियान सट्टा किया जावे और इस जरिये से एक शख्स हारे और दूसरा शख्स जीते तो जीतने वाला शख्स अगर अदालत दीवानी में नालिश दायर करे और यह ख्वाहिश करे कि जीती हुई रकम की डिक्री उसके हक में की जावे, तो ऐसी नालिश अदालत से खारिज की जायगी. अगर इतनी रोक काफी न समझी जाय तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या सट्टे को जुर्म करार दिया जाय? और जुर्म करार देना आसान होगा; मगर उसके पहलुओं पर गौर कीजिये तो मालूम होगा कि इसमें बहुतसी अमली दिक्कतें हैं. सट्टा और सौदा में बहुत थोडा फर्क है. यह बात इतमीनान से तजवीज करना कि दो शख्सों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वह फिलहकीकत सट्टा है या सौदा, आसान काम नहीं है. कानून के मुताबिक सट्टा उस हालत में होता है कि जब दोनों शख्सों की मंशा माल लेने और देने की न हो और गर्ज सिर्फ यह हो कि तारीख मुकर्ररा पर बाजार भाव के मुवाफिक नफा या नुक्सान, जैसी कि सूरत हो, कायम किया जाकर एक फरीक दूसरे फरीक को रुपया अदा करदे. लेकिन जहां फरीकैन का मंशा मुआमला करते वक्त माल लेने और देने का हो, तो ऐसा मुआहिदा सौदा समझा जावेगा, गो फरीकैन बाद में अपनी सहूलियत को मद्देनजर रखकर सिर्फ नफा और नुक्सान समझ लें. इस से आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसी के मुआमले के मुतअल्लिक इतमीनान से यह करार देना कि वह सट्टे की हद तक पहुंचता है या महज सौदा है, हर हालत में आसान काम नहीं है. बाज मर्तबा मुआमले की शरायत इस ढंग पर डाली जाती हैं कि बादी-उलनजर में वह सौदा मालूम होता है; लेकिन दरअस्ल वह सट्टा ही होता है. अब अगर सट्टे को जुर्म करार दिया जावे तो अलावा और दिक्कतों के एक सरीह दिक्कत यह पैदा होगी कि मुआमला करने वालों में से कोई शख्स यह नहीं कहेगा कि सट्टा था। दोनों फरीक यह कहेंगे कि हमारा करद माल लेने और देने का था, इसलिये यह सौदा है न

कि सट्टा. सट्टा जुर्म करार दिये जाने के बाद यह कभी उम्मेद नहीं की जासकती कि कोई शख्स अदालत में आकर अपनी निस्बत अलनिया यह अम्र तसलीम करे कि उसने दूसरे शख्स से सट्टा किया था, क्योंकि ऐसा कहने से वह शख्स खुद अपने आप को मुजरिम करार देगा. जुर्म करार दिये जाने की हालत में दोनों शख्सों को जुर्म से बचने की फिक्र होगी और दोनों शख्स यही करेंगे कि हमारा मुआम्ला सौदा था, न कि सट्टा. जब यह दोनों शख्स इन्कारी होंगे तो सवाल यह पैदा होता है कि उनका मुआम्ला अदालत फौजदारी में किस तरह पेश होगा? कोई शख्स अगर उनके खिलाफ यह जुर्म कायम करेगा और अदालत में पैरवी करेगा, तो वह कौन शख्स होगा? अगर यह मुआम्ला काबिले दस्तन्दाजी पुलिस करार दिया जावे तो सट्टा और सौदा की सूरत में बहुत कम फर्क होने के बायस पुलिस बेइन्तहा गलती खायगी. पस आप इस बारीक फर्क को समझ लें और देखलें कि जिस बात को आप रोक करना चाहते हैं वह हो सकती है या नहीं?

इस मौके पर यह बयान करना भी ना मुनासिब न होगा कि हमारी और आपकी गर्ज मुश्तरका है. दरबार की भी पॉलिसी यही है कि सट्टे की रोक की जाय. फर्क सिर्फ यह है कि सट्टे की रोक का क्या तरीका इख्तियार किया जाय. उसूल से किसी को इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ तरीके अमल के मुतअल्लिक दो रायें हो सकती हैं. दरबार का खयाल है कि जो तरीक इस वक्त तक इख्तियार किया गया है, वही मुनासिब है.

सेठ मानिकचंद साहब, ताजिरुलमुल्क—रुई का Business बिना सट्टे के नहीं चल सकता और बंबई हाईकोर्ट में ऐसे मुकद्दमात फैसिल हुए हैं. मैं तजवीज की तरदीद करता हूं.

जहांगीर बहमनशाह साहब, वकील—सट्टे की रोक होना चाहिये. Commodities पर सट्टा होता है जिसका असर Economic हालत पर होता है. जहां जिस Commodity की कसरत होती है उसी चीज पर सट्टा होता है, जैसे उज्जैन में कपास पर, भिंड और भेलसे में गेहूं पर. मेरी राय में इस मामले पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर की जावे.

विट्ठलदास साहब—तिजारत को सट्टा बंद कर देने से नुक्सान पहुंचेगा.

अब्दुल हमीद साहब—सवाल अहम है. मेरी राय में इस पर गौर करने के लिये कमेटी कायम करदी जावे.

मानिकचन्द साहब, ताजिरुलमुल्क—इसमें कमेटी क्या करेगी, इससे तिजारत को नुक्सान जरूर पहुंचेगा, इसलिये यह सवाल खारिज होना चाहिये.

जहांगीर बहमनशाह साहब, वकील—कमेटी यह बतला सकेगी कि लेन देन को सट्टा किस सूरत में और सौदा किस सूरत में करार दिया जावेगा.

बाटवे साहब—सुसाइटी के लिये मुसीबतों का आना लाजिमी है, और उनमें से एक सट्टा भी समझ लेना चाहिये. सौदा और सट्टा में Line of demarcation बारीक है और मेरे खयाल से सट्टे की रोक के लिये मौजूदा कानून काफी है.

झालानी साहब—सौदा और सट्टा में बहुत बारीक फर्क है, मगर सट्टा सुसाइटी के लिये मुफीद भी है, बशर्तेकि अच्छे लोगों के हाथ में यह काम हो. अच्छे लोग सट्टे से मारकेट की हालत अच्छी बना सकते हैं. संवत १९५३ से सट्टे की जाब्ता दीवानी के जर्ये से रोक की गई है. सट्टा तिजारत का अहम जुज भी समझा गया है. मेरी राय में मौजूदा कानून काफी है.

गुरुदयाल साहब—देखना यह है कि सट्टे से रिआया बर्बाद होती है या नहीं? एक तरफ तो रिआया की खुशहाली बढाने की फिक्र दरपेश है और उसके दूसरी तरफ यह बर्बादी

की सूरत है. जब जुए को रिआया की खातिर नाजायज करार दिया गया है तो सट्टे को जुए में क्यों नहीं शामिल किया जाता. फौजदारी में यह काम नहीं होसकता. मेरी राय में दीवानी के कानून में कुछ और इजाफा किया जावे.

लॉ मेम्बर साहब—फिर आप क्या तजवीज पेश करते हैं ?

गुरुदयाल साहब—सवाल अहम है. सब-कमेटी कायम कर दी जावे.

हुजूर पुरनूर—सवाल कुछ मोहमिलसा है. अलफाज यह हैं कि "सट्टे की रोक होना मुनासिब है" मगर कोई मुकम्मिल तजवीज पेश नहीं की गई है और जबतक कोई मुकम्मिल तजवीज हमारे रूबरू न आवे, इसपर क्या गौर किया जा सकता है ? इसलिये मुनासिब यह होगा कि मुजव्विज साहब इस सवाल पर काफी गौर करके मुकम्मिल तजवीज पेश करें; लेकिन आप साहबान को मालूम रहे कि अगर कोई बुरी बात किसी से होजाती है तो फौरन पंचायत करके उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाता है और चश्मनुमाई भी होती है. अगर सट्टे को बुरा समझा गया है तो मेरे खयाल से इसके रोक करने के लिये किसी कानून कायदे की जरूरत ही नहीं है. तज्जारान इस मामले को चेम्बर ऑफ कामर्स में लाकर तय करलिया करें या उसका मंडी कमेटी से फैसला करावें. इसमें गवर्नमेन्ट की दस्तन्दाजी की क्या जरूरत है ?

रामजीदास साहब—इस मामले की दरबार ने कानून दीवानी में रोक की हुई है मगर ब्रिटिश इंडिया में सट्टे की बिलकुल रोक नहीं है.

इस तजवीज को मजलिस की इजाजत से मुजव्विज साहब ने वापिस ले लिया.

तजवीज ६, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

उदासी, गुसांई, बैरागी, नाथ, निर्मले बाबाजी लोगों की जमाअतें और इनमें के इक्के दुक्के भी अपने राज्य में भी घूमा करते हैं. और इस फिराक में भी रहा करते हैं कि लड़का मिले तो चेला करलेवें. प्रजा के प्रायः नाबालिग लड़कों को धन का, अमर कर देने का, सिद्ध बना देने का लालच देकर फुसला ले जाते हैं और मूंडकर अपने फिरके में मिला लेते हैं और लेकर लापते हो जाते हैं. इस अत्याचार से कितने ही गृहस्थ बिना सन्तान के हो जाते हैं, कितने ही घरों के चिराग गुल हो जाते हैं. उनसे ब्याही हुई लड़कियां पति के जीते ही विधवापन भोगती हैं.

इस बला के हटाने के लिये एक कानून बना दिया जावे कि १८ वर्ष से कम उम्र के लड़के को जो किसी भेष का बाबाजी चेला मूंडकर अपने फिरके में सम्मिलित करेगा वह सजावार होगा और १८ वर्ष की उम्र के बाद भी जो कोई जाति छोड़कर, चेला मूंडे उसे भी लाजिम हो कि वह पास के थाने या तहसील से इजाजत हासिल करले.

मुजव्विज महंत लक्ष्मणदासजी ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:—

इस तजवीज को इस गर्ज से रक्खा था कि सद्गृहस्थों की सन्तानों का जीवन नष्ट न हो और साधुओं की समाज भी शुद्ध रहे. साधु सन्तों से मेरा प्रेम है. मैं उनको सन्मानदृष्टि से देखता हूं, किन्तु उसी तरह मैं गृहस्थों के शुभचिन्तन में भी रहता हूं. सामाजिक जीवन में गृहस्थ मूल है,

क्योंकि सब पंथ उसी से पाले पोषे जाते हैं। उस पर कुठाराघात करना यह पंथों पर एक बडा भारी लांछन है। गृहस्थों के बचाव और मत पंथों की शुद्धता के लिये मेरा यह प्रपोजल है कि जो कोई गृहस्थ के १८ वर्ष के भीतर के बालक को भगा ले जावे और चेला करलेवे तो वह जुर्म समझा जावे; लेकिन इस १८ वर्ष से कम की नाबालगी का नया कानून बनाने में एक दिक्कत पैदा होती अभी नजर आई है और वह यह कि अपने राज में जो एक्स्ट्राडीशन है वह जुर्म नम्बर १२ के १४ वर्ष की उमर तक ही का है। १८ वर्ष रख देने से दीगर इलाके वाले इसे जुर्म नहीं समझेंगे और नाबालिग लडकों को भगा लेजाने वाले ज्यादातर दीगर इलाके में ही नाबालिगों को भगा ले जाया करते हैं। इसलिये १८ वर्ष के कानून में एक्स्ट्राडीशन का संबंध न रहने से एक तरह की हानि होगी। इस दिक्कत की वजह से अपने प्रपोजल को वापिस लेनाही ठीक समझता हूं.

ला मेम्बर साहब—महंत साहब की नजर में यह कानूनी पेचीदगी बाद में आई कि १४ साल तक के लडके को, उसके वाल्देन या वली के कब्जे से निकालकर भगा लेजाना संगीन जुर्म काबिले दस्तन्दाजी पुलिस है, और इसके मुलजिम का extradition भी होसकता है. इसके मालूम होजाने पर महंत साहब ने अपना सवाल वापिस लिया है मगर उनकी शिकायत यह है कि पुलिस की तरफ से काफी निगरानी नहीं होती, इसलिये पुलिस को हिदायत दीजावे कि ऐसे नाबालिग लडकों को साधुओं के साथ देखें तो तहकीकात करें, कि लडका उनके कब्जे में धोके से तौ नहीं आया है. मेरे खयाल में यह मुनासिब होगा कि जमींदारी पट्टे में एक शर्त कायम कीजावे कि जमींदार ऐसे लडकों को मुडने न दें और इसकी रोक करें.

विठ्ठलदास साहब—इसकी रोक जरूर होना चाहिये. और जमींदारी पट्टे में एक शर्त बढाई जाने का जरूर, असर पडेगा.

इतनी कार्रवाई होने के बाद महंत साहब ने सवाल वापिस ले लिया.

तजवीज ७, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

कस्टम की आमदनी बढाने में मेले भी सहायक हैं, परन्तु यदि शुरू मेले से ही जो कस्टम अपनी ड्यूटी लेने लग जावे तो आमदनी तो किधर रही किन्तु मेला ही नहीं जमता. इसलिये शुरू मेले के कम से कम पांच साल यदि कस्टम्स अपनी ड्यूटी न लगावे तो छटे साल से मेले की अच्छी आमदनी हो सकती है, जैसे मेघपुरा, परगने महगवां व जिला भिन्ड का मेला नजीर है; इसलिये कस्टम को अपनी आमदनी पुख्ता बनाने के लिये मेलों की शुरूवात साल से पांच साल तक अपनी कस्टम ड्यूटी न लगाना चाहिये.

इस तजवीज को पेश करते हुए महन्त लक्ष्मणदास साहब ने कहा :—

देखा गया है कि जहां मेला शुरू हुआ और कस्टम अपनी ड्यूटी तुरंत लगा देती है, इस सबब से मेले नहीं जमने पाते हैं। कम से कम मेला शुरूआती के पांच साल अगर महकमा कस्टम्स अपनी ड्यूटी न लगावें तो इतने अवसर में मेला अपने पांव पर खडा होकर जमने लगेगा। मवेशियों का मेला सरदारपुर में लगाया गया मगर कस्टम्स ड्यूटी की वजह से वह न जमा। फिर उसे नरसिंह देवला के मेला में शामिल किया गया; मगर वहां भी न जमा। बाद में अमझेरा लगाया

गया मगर वहां भी न जम पाया. लोग इस न जमने का कस्टम कारण बतलाते हैं और तजुर्बे से भी ऐसाही मालूम होता है. धार स्टेट का मेला, बरवानी और धोरेश्वर का मेला चंद सालों में ही अच्छा चमकने लगा, क्योंकि वहां कस्टम्स ड्यूटी की सहूलियत है. इसलिये अगर पांच साल मेला भरने के बाद कस्टम्स ड्यूटी सहूलियत से लगाई जावे तो मेला जम जावेगा और आमदनी भी अच्छी हो उठेगी और इसकी नजीर मेवपुरा का मेला है जो कस्टम्स की सहूलियत की वजह से अब जम गया है.

झालानी साहब—मैं महंतजी की तजवीज की ताईद करता हूं.

बद्रीप्रसाद रस्तोगी साहब, वाटवे साहब, प्रह्लादसिंह साहब व लालताप्रसाद साहब ने ताईद की.

ट्रेड मेम्बर साहब—जिस मेला मेवपुरा की नजीर दी गई है उस में कभी महसूल मुआफ नहीं हुआ. इस मेले के रौनक पकड जाने की वजह यह है कि महन्त मंदिर ने अपना जरे कसीर सर्फ करके व्योपारियों के हर किस्म के आरामोआसायश का इन्तजाम किया है. खास ग्वालियर का मेला मवेशियान की तमसील लीजिये जहां पहली साल बिलकुल महसूल न लिया जाकर आयन्दा ६ साल तक के लिये निस्फ महसूल रक्खा गया था. चालाक लोगों ने निस्फ महसूल की बचत के लालच में चोरी से मुख्तलिफ तरीक से माल लश्कर में लाकर भरलिया जिसका असर आयन्दा साल के मेलों पर कितना पडा, उससे लोग वाकिफ हैं. यह बात तसलीम करने के लिये मैं तैय्यार हूं कि मुआफी मिलने से चंद साल तक मेले की रौनक जरूर हो जाती है; मगर बाद में जब महसूल लगता है तब मेला बैठ जाता है. इसलिये दरबार ने बाद गौर कामिल यह उसूल करार दिया है कि मेलों को जो रिआयत दी जावे वह मुस्तकिल तौरपर दी जावे. चंद रोजा महसूल की माफी का देना दरबार ने पसंद नहीं फरमाया है; क्योंकि इसके असर से आस पास की मंडियों को मुस्तकिल तौर से नुकसान पहुंच जाया करता है और माफी मेले व हाट में आम तौर पर १५) रुपये के माल तक की है जो सिर्फ दूकानदार गैर इलाके से दूकान लावें. इन वजूहात से मैं इस तजवीज के मुवाफिक नहीं हूं.

खां साहब लुकमान भाई—मुझे ट्रेड मेम्बर साहब की राय से इत्तफाक है.

चौधरी रणधीरसिंह साहब व वाटवे साहब ने भी ट्रेड मेम्बर साहब की राय से इत्तफाक जाहिर किया.

लिहाजा कसरत राय से यह करार पाया कि मेलों को चंदरोजा मुआफी दी जावे]

तजवीज ८, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

हर एक नई मन्डी में कस्टम ड्यूटी माफ होना चाहिये. जिस जगह ड्यूटी माफ है, उस जगह व्योपार की तरक्की होती और शहर के अन्दर जो चीज आवे उस पर ड्यूटी होना चाहिये. गवर्नमेन्ट आलिया ने पंजाब में जिस जगह मन्डियां कायम कीं, हर एक मन्डी में कस्टम ड्युटी माफ कर दी गई, इसी वजह से वहां के व्योपारियान की माली हालत व दर्जा गायत अच्छी हो गई है और वहां जायदाद की कीमत भी दुगनी चौगुनी हो गई है. मालवे में सिर्फ एक शहर इन्दौर है जिस जगह स्टेशन पर फ्री गंज है. उस जगह पहिले जो मकान की कीमत थी अब उस कीमत के बराबर सालाना भाडा आता है. और शहर भी दिन ब दिन तरक्की पर है. जायदाद पर एक रुपये सैकडा से

जियादा ब्याज निकल रहा है. उज्जैन में जायदाद पर आठ आने का ब्याज नहीं निकलता. सूद के कमोबेश होने पर जायदाद की कीमत भी कमोबेश होती रहती है. जब जायदाद की कीमत बढ़ती है तो ब्योपारी की माली हालत अच्छी हो जाती है, ब्योपार बढ़ने से हर एक मुल्क का आदमी आकर आबाद होता है और उनके तजरुबे से यहां के ब्योपारियान को बहुत फायदा पहुंचता है.

जो लोग हाथ का काम बनावें या कारखाना जारी करें उनके मुकाबले में जो माल बाहर से आवे उस पर ड्यूटी लगना चाहिये ताकि रियासत की बनी हुई चीजों की तरक्की हो.

रामप्रताप लम्बा साहब ने यह तजवीज पेश की और मदनमोहन साहब, वाटवे साहब व करमचन्द साहब ने उसकी ताईद की.

रामजीदास साहब—मैं यह जानना चाहता हूं कि मुजव्विज साहब का मतलब मंडी से है या फ्रीगंज से है.

रामप्रताप साहब—आयन्दा जो मंडी कायम हो उसे फ्री गंज समझा जावे.

रामजीदास साहब—रेजोल्यूशन में जाहिर किया गया है कि पंजाब में गवर्नमेन्ट ने जहां मंडियां कायम की हैं वहां कस्टम्स ड्यूटी माफ करदी है; मगर कस्टम्स ड्यूटी Sea Port पर लीजाती है और वह मुआफ नहीं हो सकती, गालिबन टाउन ड्यूटी माफ की होगी.

रामप्रताप साहबः—यहां कस्टम्स और टाउन ड्यूटी एक ही है और इसलिये मैंने टाउन ड्यूटी को कस्टम्स ड्यूटी कहा है.

ट्रेड मेम्बर साहब—सेठ साहब ने अपने सवाल के दो हिस्से छोड कर आखिरकार यह इस्तदुआ की है कि फ्रीगंज कायम किया जावे, मगर मैं पूछता हूं कि नई मंडी कायम की जाकर उसे महसूल से मुआफी दी जावे तो क्या पुरानी मंडियों को नुक्सान नहीं पहुंचेगा और फर्ज कीजिये कि फतहाबाद में एक नई मंडी कायम करदी जावे और वहां महसूल मुआफ हो तो क्या उज्जैन और बडनगर की मंडियां कायम रहेंगी. नजीर के तौर पर चंद्रावल गंज को लीजिये जहां मंडी न चलसकी.

कस्टम्स ड्यूटी मुआफ किये जाने की बाबत मुझे यह कहना है कि जो ड्यूटी हम वसूल करते हैं वह हमारी कस्टम ड्यूटी है, Octroi नहीं है जो मुआफ करदी जावे और पंजाब गवर्नमेंट ने भी जहां कहीं माफी दी होगी वहां Octroi की दी होगी न कि कस्टम की.

रामप्रताप साहब—मेरी गर्ज यह है कि उज्जैन शहर में ही मंडी खोली जावे और वह ड्यूटी से माफ रहे.

ट्रेड मेम्बर साहब—अब सवाल की शक्ल दूसरी होगई. फ्री गंज कायम करने का मस्ला ३-४ बरस से जेर गौर था; मगर अब दीगर रियासतों की हालत देख कर दरबार ने भी फ्री गंज जारी करने का कायदा बना दिया है और अब उज्जैन, मंदसौर और लश्कर में फ्री गंज कायम किये जा सकते हैं.

रामजीदास साहब—मेरा खयाल है कि लाला मदनमोहन साहब ने मुजव्विज साहब की जो ताईद की थी वह फ्री गंज के मुतअल्लिक तजवीज की थी.

अब लाला रामप्रताप साहब की गुफ्तगू सुनकर उनकी तजवीज के दो हिस्से हो गये हैं. एक हिस्सा मुतअल्लिक फ्री गंज कायम किये जाने के है जिसकी मदनमोहन साहब के साथ में भी ताईद

करता हूं और जैसा ट्रेड मेम्बर साहब ने फरमाया है कि गवर्नमेन्ट ने फ्री गंज कायम किये जाने का कायदा मंजूर फरमा लिया है इसलिये यह हिस्सा अब बहस तलब नहीं रहा.

दूसरा हिस्सा तजवीज का इस बारे में है कि गवर्नमेन्ट अपने यहां की Industries को protect करे और उसका तरीका मुजव्विज साहब ने यह बताया है कि बाहर से आने वाले माल पर ज्यादा ड्यूटी लगाई जावे ताकि अपने यहां माल ज्यादा बने. इस हिस्सा तजवीज के साथ भी मुझे इत्तफाक है, अलबत्ता मेरे दोस्त ने अपनी तजवीज की इबारत में यह दर्ज किया है कि जो माल बाहर से आवे उसपर ड्यूटी लगानी चाहिये, इसमें गलती की है. ड्यूटी मेरे खयाल से कुल आने वाले माल पर लगती है. मेरे दोस्त की मुराद, जहां तक मैं समझता हूं, यह है कि ड्यूटी इस कदर सख्त होना चाहिये कि जिससे यहां के कारखानों को मदद पहुंचे. इस तजवीज की ताईद में मैं इतना और अर्ज करूंगा कि जब कभी किसी New Industry को जारी करने का मौका आता है हर एक गवर्नमेन्ट इसी तौर पर protective duty लगा कर उसे इम्दाद देती है और अभी हाल में Key Industry पर ३३ फीसदी ड्यूटी इसी गरज से कायम की गई है और अगर इसी पालिसी पर यहां अमल हो तो तरक्की जरूर होगी. मैं इस ड्यूटी को आमदनी को जर्या नहीं मानता बल्कि ट्रेड के protection के खयाल से इसे अच्छा समझता हूं.

मदनमोहन साहब—मैं रामजीदास साहब की राय से इत्तफाक करता हूं.

विट्ठलदास साहब—मुझे भी रामजीदास साहब की राय से इत्तफाक है.

हुजूर मोअल्ला—इस सवाल के दो हिस्से हो गये हैं। हिस्सा अव्वल मुतअल्लिक फ्री गंज है जिसके बाबत दरबार की पॉलिसी मजलिस को मालूम हो गई और उससे यह हिस्सा तय होता है.

दूसरे हिस्से का तअल्लुक टेरिफ Tariff से है जिसको Revise करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई थी और उसकी रिपोर्ट जेर गौर दरबार है. मेरे खयाल में इस रिपोर्ट के साथ इस हिस्से सवाल पर भी गौर किया जा सकता है.

चुनांचे मजलिस ने हुजूर मोअल्ला की राय से इत्तफाक किया.

तजवीज ९, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

तिजारत उस वक्त तरक्की कर सकती है जब कि गिर्द नवाइ रियासतों से हमारी रियासत में महसूल कम हो और माल किफायत से मिले. जिस जगह माल किफायत से मिलेगा उस जगह ब्योपारी भी जियादा आता जाता रहता है, और इससे शहर की भी रौनक जियादा दीखती है. मालवे में इन्दौर शहर में सब जगह से महसूल कम है और जहां कि सियागंज में महसूल बिलकुल नहीं है. यह बात साफ जाहिर है कि वहां की तिजारती तरक्की किस कदर है. उज्जैन में जो नई मन्डी बसने वाली है उसको अगर फ्री रखी जावे और ब्योपारियों के हर तरह तरद्दुद पर गौर करके उसका माकूल इन्तजाम किया जावे तो कोई वक्त उज्जैन भी इन्दौर का मुकाबला करेगी और हर एक जरा जरा सी चीज के वास्ते किफायत की गरज से इन्दौर से खरीद करना बन्द हो जायगा.

चूंकि यह तजवीज करीब करीब तजवीज नम्बर ८ के हम शक्ल थी; इसलिये मुजव्विज करमचन्द साहब कोठारी ने वापिस लेली.

तजवीज ८, जमीमा एजेन्डा १.

सम्वत १९७७ की जमींदारी कान्फरेन्स के ठहराव नम्बर ६, मुन्दर्जे मेमोरंडम नम्बर १२ पर तरक्की नस्ल अस्पान की बाबत हस्बुल हुक्म दरबार मोअल्ला जो स्कीम वेटेरिनरी ऑफिसर साहब ने पेश की है, उसका खुलासा हस्ब जैल है:—

१. नस्लकशी घोडों के लिये ३,८०,००० की पूंजी एग्रीकलचर बैंक के सरमाये में इजाफा की जावे. और उस सरमाये से दस हजार रुपया हर परगने में रखकर फी. परगना बीस २० घोड़ियां खरीद करके जमींदारान को दी जावें.

२. घोडियां १४-२ से १५-१ तक के नाप की हों और उन अमराज से पाक हों जो पुश्तैनी होते हैं. कीमत फी घोडी औसतन ५००) होनी चाहिये.

३. मार्फत महकमा वेटरिनरी यह मुश्तहर किया जावे कि फलां जिले के वास्ते फलां मुकाम पर इस कदर घोडियों की जरूरत है. नोटिस में रंग, कद वगैरा तहरीर किया जाया करे, और सौदागरान से टेन्डर तलब हों और किसी एक सौदागर को घोडी सप्लाई करने की कीमत फी पुट्ठा तय करके ठेका दिया जावे. घोडियां पहुंचने पर हस्ब रेट तयशुदा कीमत अदा करदी जावे.

४. घोडियों की जमींदारान में तकसीम का यह तरीक करार दिया जावे कि वेटेरिनरी आफिसर, वेटरिनरी इन्सपेक्टर, सूबा साहब जिला और उन परगनात के जिनमें घोडियां तकसीम होना हों तहसीलदार साहबान व एक एक मुअज्जिज जमींदारान की एक कमेटी मुकर्रर हो और उसके रूबरू इन घोडियों की कीमत तअय्युन की जावे और ख्वाहिशमन्द जमींदारान के नाम की चिट्टियां डाली जावें. जो घोडी जिसके नाम बरामद हो उसको दी जावे.

५. अगर कोई जमींदार अपने पास से कीमत देकर इन मंगाई हुई घोडियों में से घोडी लेना चाहे तो उसको भी बतौर खुद घोडी खरीद करने का इख्तियार न होना चाहिये; बल्कि उसका नाम भी फेहरिस्त में दर्ज होकर वह भी हस्ब सदर चिट्ठी में शामिल किया जावे.

६. अगर इस तरह चिट्ठी से निकली हुई घोडियां जमींदारान आपस में ब रजामंदी तब्दील कराना चाहें तो वह कर सकते हैं. कीमत उनको उसी घोडी की अदा करना होगी जो उनके पास रहे और हस्ब सदर करार पाई हो. ऐसा तबादला अगर घोडियां सरकारी सांड के भराई के रजिस्टर में दर्ज होने के बाद हो तो बाद मंजूरी वेटरिनरी आफिसर होना चाहिये.

७. बैंक से जो कीमत घोडियों की अदा की जावे वह जमींदारान से हस्ब कायदा बैंक बिला सूदी कर्जे की तौर पर वसूल की जावे, और वह इस तरह पर कि जमींदारान ख्वाहिशमंद से टीप कर्जा पहिले से लिखाली जावे. और चिट्ठी पड़ने के बाद जो घोडी जिसके नाम निकले उसकी जो

कीमत कमेटी ने करार दी हो वह उसमें दर्ज कर दी जावे. जमींदार का कीमत मजकूर देना व घाडी जो चिट्ठी से निकली हो लेना लाजिमी होगा.

८. जमींदार के साथ यह रिआयत रखी जावे कि बिल एवज कीमत घोडी अगर वह देना चाहे तो घोडी का पहिला बच्चा तीन साल उमर का जो सरकारी सांड से पैदा हुआ हो और मिलिटरी जरूरियात के लिये वेटेरिनरी आफिसर साहब की राय में फिट हो और हस्ब हिदायत उसकी परवरिश हुई हो ले लिया जावे.

स्कीम सदर की निस्बत आप साहबान की राय क्या है और नीज इसके बाबत कि रुपया बिला सूदी कर्ज दिया जावे या चार फी सदी सूद पर दिया जावे. यह भी राय जाहिर कीजिये कि इस इत्मीनान के वास्ते कि जो घोडियां जमींदारान को इस तरह दी जावेंगी उनको जमींदारान अच्छी हालत में रखकर सरकारी सांड से लगावेंगे, बच्चों की परवरिश ठीक करेंगे और यह कि उन घोडियों को किसी तरह तब्दील या फरोख्त न करेंगे, क्या तदाबीर इख्तियार करना चाहिये ?

हुजूर मुअल्ला—सवाल मुकम्मिल आपके सामने पेश है. इसके साथही आप तरक्की नस्ल मवेशियान की तरफ तवज्जुह फरमावें और गौर करें कि इससे मुल्क का नफा होगा या नहीं ? मौजूदा हालत में ३-४ सौ ५-५ सौ गाय के गोल दिखाई देते हैं मगर उनके दूध की मिकदार देखी जावे तो आध सेर, पावभर से ज्यादा नहीं देते. और इस पर भी हमारे यहां का और खास कर मुरैना की तरफ का घी मशहूर है. वह बाहर जाता है और उससे हमको मुनाफा भी है. पस मेरी ख्वाहिश है कि हमारे यहां थर्ड क्लास मवेशियों की कमी होकर फर्स्ट क्लास मवेशियों की तादाद में बेशी हो, ताकि दूध कम जानवर रखते हुए इफरात से मिल सके. अगर नस्ल अच्छी होगी तो कास्त व बैलगाडी व लढों के लिये जोरदार बैल मिल सकेंगे. मेरे खयाल से यह important मामला है और इसकी निस्बत कोई ऐसी तजवीज करना चाहिये कि जिससे यह काम तेजी के साथ चल निकले. मेंड (Sheep) की नस्ल को improve करने से हम Carpet Industry को बढा सकते हैं.

घोडों की नस्लकशी के सिलसिले में अगर आप बृटिश इंडिया के कामर्स के स्टेटिस्टिक्स (Statistics) देखेंगे तो मालूम होगा कि हमारा कितना रुपया ऑस्ट्रेलिया को घोडों की कीमत की बाबत हरसाल जाता है. अगर हम अपने यहां के घोडों की नस्ल improve करके अपने ही घोडे इस्तैमाल करें तो हमारा कितना रुपया गैर मुल्क में न जाकर अपने ही मुल्क में रहे. सिर्फ हमारी रियासत की फौज में हरसाल कितने घोडों की जरूरत होकर उनकी कीमत पर कितना खर्च किया जाता है यह आर्मी मेम्बर साहब बतला सकेंगे. मैं अपने जाती इस्तैमाल के लिये भी बाहर से घोडे खरीदता हूं. घोडों क शौकीन लोग भी बाहर के ही घोडे इस्तैमाल करते हैं. इन जरूरियात का लिहाज रखते हुए आप उस स्कीम पर गौर करें जो वेटेरिनरी डिपार्टमेन्ट ने पेश की है और जो इस सवाल में शामिल है और उसके साथ ही तरक्की नस्ल गाय व मेंड पर भी गौर किया जावे. मेरी राय में इस सवाल पर गौर करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की जावे और चूंकि यह सवाल जमींदार का है; इसलिये मैं रेवेन्यू मेम्बर साहब, आर्मी मेम्बर साहब, जगमोहनलाल साहब, वकील, भिन्ड, और गुरदयाल साहब वकील, मंदसौर, को नामजद करता हूं. इनके अलावा मेरी राय है कि कुल जमींदार मेम्बर साहबान मजलिस इस कमेटी में मेम्बर हों.

पस यह तजवीज बिल इत्तफाक राय आम मंजूर की गई.

तीसरा दिन.

शुक्रवार, तारीख २१ अक्टूबर १९२१.

तजवीज १०, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

नशाओं का प्रचार दिनों दिन बढता जाता है, जिस से प्रजा कमजोर होती जाती है जिस के कारण उन से परिश्रम के काम बहुत कम होते हैं और उद्योग बुद्धि उन की आगे नहीं बढती. इसलिये नशाओं की रोक के लिये एक कानून बना दिया जावे कि १८ वर्ष की उमर तक कोई भी किसी तरह का इस्तेमाल न करे और विद्यार्थी दशा में १८ से ऊपर की भी उम्र तक कोई न इस्तेमाल करे.

महन्त लक्ष्मणदासजी ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:—

प्रजावत्सल, नरेन्द्रशिरोमणि, महाराजाधिराज !

यद्यपि प्रजा अपनी समाज का धर्म सुधार आप कर सकती है तो भी समाज के बडे काम अपने धर्म के अनुसार राजाज्ञा से करने में अच्छा समझा जाता है. '**आज्ञाभंग नरेन्द्राणां न करोति नरः क्वचित्,**' अपने राजा की आज्ञा मनुष्य कभी भंग न करे. इसी उद्देश्य के अनुसार यह प्रस्ताव पेश किया जाता है कि जिससे प्रजासमाज की एक बडी हानि रुक सके. यह बात संसार में मशहूर है कि लडकपन से नई बढती हुई उम्र तक देह की सभी शुद्ध धातुओं की वृद्धि होती है, कोमल दिमाग शुद्ध रहता है, और वह कुदरती तरक्की पाता है. ऐसे बढते हुए दिमाग में अगर तेजी का और कोई मसाला पहुंचाया जावे तो वह नियम के विरुद्ध ज्यादा तेजी से बढकर सारे जीवन की मंजिल को थोडे ही दिनों में पूरी कर डालता है. मस्तिष्क को बिगाडने वाले तरह तरह के नशा हैं. नई उठती हुई उम्र का शुद्ध रक्त, रगें तथा दिमाग नशाओं के वेग से खास हालत में तब्दील हो जाते हैं, इस तरह जब लडकपन में मनुष्य नशेबाज हो जाते हैं तब उनकी विचार शक्ति भी हृदय और मस्तिष्क से डामाडोल हो जाती है. इस कारण से नशेबाज लडके पढने में ज्यादातर फैल हो जाते हैं और आरोग्यता को भी खो बैठते हैं. तन्दुरुस्ती का जरिया वीर्य का स्टाक है, ब्रम्हचर्य ही जीवन का मूल है, वह इन नशाओं की ताप से विकारी हो जाता है, जिसके सबब से आलस्य और अकर्मन्यता का दौरा उन नवयुवकों के जीवन में हमला करता है और वे नव युवक लडके फिर इस संसार के मार्ग से भटक जाते हैं. उन नशाओं में बीडी, सिगरेट, गांजा वगैरह भयानक हैं कि जिनका प्रचार प्रजावर्ग में कुछ कम नहीं है. यही कारण है कि वर्तमान काल में बल विद्या तथा उद्योग दिनोदिन ठंडा होता जाता है. मंहगाई के कारण एक तो गरीब प्रजा को पौष्टिक पदार्थों का मिलना ही दुर्लभ है, तिस पर भी वह सूखी देहवाली प्रजा की सन्तान वर्तमान में नशाओं के पंजे में फँस रही है. जिन नशाओं का इस्तेमाल अच्छा नहीं समझा जाता प्राय: लडके भी आपस में एक दूसरे की महमानदारी नशाओं की करते देखे जाते हैं. महाराजाधिराज ! मैं इन नशाओं की चीजों को हर हालत में नुक्सानदायक नहीं कह सकता, क्योंकि उतरती उम्र वालों को औषधि के रूप में इनसे कुछ लाभ पहुंचता है, क्योंकि उतरती उम्र में दिमाग सुस्त होने लग जाता है, उसमें तेजी लाने के लिये दिमागी कामों के लिये ये उत्तेजक पदार्थ कुछ मदद देते हैं, ऐसा बहुतों का फरमाना है। इसलिये उतरती उम्र वालों प्रजा के लिये यहां कुछ नहीं कहना है, कहना है सिर्फ लडकों, नवयुवकों व विद्यार्थी अवस्था वालों के लिये. यह मानी हुई बात है कि लडकों के लिये नशाओं का इस्तेमाल हर हालत में उनके जीवन को बिगाडने वाला है. इसका यही प्रमाण है कि प्रजावर्ग में औद्योगिक और कलाकौशल विचार की कितनी कमी है. नरेन्द्र शिरोमणि ! आप भी प्रजा की भलाई के लिये क्या नहीं कर रहे हैं,

कृषि, उद्योग, कला कौशलादि के अनेक मार्ग खोल रक्खे हैं. रात दिन तन से, मन से, धन से प्रजा को उन्नत करने में चिन्तित रहते हैं, परन्तु प्रायः प्रजा जैसा चाहिये उन्नत मार्ग पर दिल-चस्पी से नहीं आती, इसके कारण और भी नातजुर्बेकारी, अविद्या वगैरह भी हों; किन्तु एक बड़ा कारण नशाओं के इस्तेमाल का भी जाहिर होता है. मूत्र दिमाग को यही खराब करता रहता है. जिस अमेरिका का व्यापार, कृषि और कला कौशल आज सब देशों से चढ़ा बढ़ा सुना जाता है, वहां यह भी सुनने में आता है कि नशाओं का प्रचार रोक दिया गया है. जनता भी अपने नियम बनाकर नशाओं को रोक रही है. एडीसन साहब की तरह अनेक व्यापारियों ने अपने फर्मों में नशा निषेध का नियम बना रक्खा है. हुजूर अनवर ! उनके देश का और तरीका है, हम राजनिष्ट प्रजा अपनी प्राचीन मर्यादा के धर्म के अनुसार अपने राजा को मशवरा देकर स्वामी की आज्ञा पालते हुए अपना सुधार करने में अपना कल्याण समझते हैं. इसीलिये यह प्रस्ताव आज हुजूर की मजलिस में उपस्थित है कि ३२ लाख प्रजा के लड़कों, नवयुवकों और विद्यार्थियों के जीवन रक्षा के लिये एक कानून बना दिया जावे जिससे १८ वर्ष की उम्र तक प्रजा नशाओं का इस्तेमाल न कर सके और अगर विद्यार्थी दशा में कोई १८ वर्ष से ऊपर की उम्र का भी हो तो वह भी कानूनन नशा न इस्तेमाल करे. इस प्रस्ताव पर मजलिस को गौर करना आवश्यकीय मालूम होता है.

लाला बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी व मिस्टर जहांगीर बहमनशाह साहब वकील ने ताईद की.

लॉ मेम्बर साहब—मुझे शुरू ही में यह जाहिर कर देना चाहिये कि इस तजवीज के उसूल से दरबार को इत्तफाक है. आज ही से नहीं, बल्कि एक अर्से से दरबार की यह मुतवा-तिर कोशिश रही है कि नशे की चीजों का इस्तेमाल करना कम हो. आप साहबान को मालूम है कि कई साल का अर्सा हुआ कि एक्साइज डिपार्टमेंट (Excise Deptt.) कायम किया गया. इस महकमे की कायमी की गरज फिलहकीकत यही है कि नशों का इस्तेमाल कम हो. दरबार इस अमल से बखूबी वाकिफ है कि शराब का इस्तेमाल नुक्सान देनेवाला है. खालिस से खालिस शराब का इस्तेमाल भी नुक्सानात करता है, मगर जब कि शराब साइंटिफिक (Scientific) तरीके से न बनाई जाय तो शराब में नुक्सान देनेवाले अजजा और पैदा होजाते हैं और ऐसी शराब के इस्तेमाल से बहुत जियादा नुक्सान होता है.

एक्साइज डिपार्टमेंट ने सबसे पहिला काम यह किया कि कशीद शराब का काम अपने हाथ में लिया. इससे पहिले कशीद शराब के मुतअल्लिक किसी किस्म की सख्त कैदें न थीं, बल्कि यों कहना गलत न होगा कि कशीद शराब के मामले में आजादी थी. लोग अपने तरीके से शराब खींचते थे और साइंटिफिक (Scientific) तरीकों की नावाकफियत की वजह से ऐसी खिंची हुई शराब में जरर पहुंचानेवाले अजजा भी शरीक रहते थे.

सम्वत १९६२ के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने कशीद शराब के इंतजाम को अपने हाथ में लिया. हर शख्स को शराब खींचने की आजादी न रही. नतीजा यह हुआ कि जो शराब बनी वह उन खास नुक्सान देनेवाले अजजा से पाक और साफ थी. दूसरा असर इंतजाम का यह हुआ कि रफ्ता रफ्ता नशे की चीजों की कीमत बढ़ाई गई; ताकि उनके इस्तैमाल में कमी हो. आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इस इंतजाम का अमली नतीजा यह हुआ कि सोलह साल के अर्से में (संवत १९६१ से १९७७ तक) बाज मुनश्शियात की हालत में चौगुनी और बाज हालतों में दसगुनी कीमत में इजाफा हुआ. हाल ही में महकमे ट्रेड की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो खास तौर पर काबिल मुलाहिजा है : इसके पढ़ने से आपको मालूम होगा कि संवत [illegible] से इंतजाम एक्साइज की बुनियाद डाली गई और गांव गांव और घर घर में जो भट्टियां

शराब की खींची जाती थीं उनको आहिस्ता आहिस्ता बंद करके संवत १९६५ में कतई तौर पर इंतजाम हाथ में लिया गया और नशे की चीजों की कीमत आहिस्ता २ बढाई गई. इस नोटिफिकेशन में एक संवतवार नक्शा निर्ख शराब, गांजा, भंग, चरस व अफीम दर्ज है जिससे वाजह होता है कि नशों की कीमत चौगुनी पचगुनी और बाज की दसगुनी बढाइ गई है और इस गरज से बढाई गई है कि इनके इस्तैमाल में कमी वाके हो. इसके अलावा दूकानात में भी कमी की गई. शुरू जमाने इंतजाम में करीब दस हजार के दूकानात थीं वह कम करके तीन हजार रखी गई और कवायद ऐसे बनाये गये कि नशे की चीजें आसानी से न मिलसकें. ट्रेड मेम्बर साहब इस नोटिफिकेशन के एक पैरे में नतीजा इस इन्तजाम का यों जाहिर करते हैं कि नशेबाज खुद समझने लगे कि नशे की आदत अच्छी नहीं और जो लोग नशों को छोड रहे हैं उनके साथ दरबार को हमदर्दी है, क्योंकि वे लोग उसूले दरबार की पैरवी कररहे हैं.

इससे आपको यह जाहिर होगा कि दरबार की भी यही मन्शा है और सालहा साल से मुतवातिर यह कोशिश की जारही है कि नशे की चीजों का इस्तेमाल कम किया जाय इससे महंतजी को यह इत्मीनान होजायगा कि जिस उसूल पर उन्होंने यह तजवीज पेश की है उस उसूल पर दरबार पहिले ही से कारबंद हैं. अब सवाल सिर्फ यह रहजाता है कि नशे की चीजों के इस्तेमाल में किस तरह कमी वाके हो और इस गरज के हासिल करने के लिये क्या तरीका इख्तियार किया जाय. जो कुछ हमारे और महन्त साहब के दरम्यान इख्तलाफ है वह महज तरीके के मुताल्लिक है, असल उसूल के मुताल्लिक नहीं है. हम भी चाहते हैं कि नशे की रोक हो और उसके लिये एक खास तरीका इख्तियार किया गया है. महन्त जी शायद उस तरीके को नाकाफी समझते हैं और वह यह तरीका तजवीज करते हैं कि कानून के जरिये से इसकी रोक हो. इसमें शक नहीं कि कानून बनाने वालों की मन्शा यह होती है कि कानून बनाकर लोगों को उस कानून की पाबन्दी पर मजबूर करके अच्छी बातों की तरफ रुजू किया जाय, बुरे फेलों से रोका जाय; मगर हर मुफीद बात की इशाअत या उसकी पाबन्दी कानून के जरिये से नहीं कराई जासकती. हर खराब काम की मुमानियत या रोक कानून के जरिये से नहीं की जासकती. फिजूल खर्ची को मिसाल के तरीके पर देखिये. फिजूल खर्ची के बुरे नतीजों से कौन शख्स आगाह नहीं है, फिजूल खर्ची को कौन शख्स अच्छा समझता है, हम और आप सब मुत्तफिक हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐब है, एक बुरा फेल है, बहुतसे खानदान फिजूल खर्ची की वजह से तबाह होगये, बहुतसे दौलतमन्द इसकी बदौलत मुफलिस होगये. आपने गौर किया होगा कि, गो फिजूल खर्ची जमाने गुजिश्ता से अब तक बुरी समझी जाती है; मगर आप साहिबान में से कभी किसी ने यह तजवीज पेश नहीं की कि फिजूल खर्ची की रोक कानून के जरिये से की जाय. अय्याशी की बुराई जिसकदर की जाय कम है, लोग उसको बुरा जानते हैं, मगर कभी यह कोशिश नहीं की गई कि कानून के जरिये से उसकी रोक की जाय. तकरीबात के मौके पर शादी गमी की रस्मों में बहुत से लोग अपनी हैसियत से ज्यादा सर्फ करके ऐसे जेरबार होजाते हैं कि बाप दादा की जायदाद खो बैठते हैं, मगर कभी इसकी कोशिश नहीं की गई कि कानून से उसकी रोक की जाय. इस मुल्क में फसली बुखार की बदौलत हजारहा नहीं बल्कि लाखों जानें जाया होती हैं. कुछ लोग कममायगी की वजह से कुनाइन का इस्तेमाल नहीं करते; मगर बहुत से लोग कुनाइन के फायदों से नावाकिफ होकर या कम तवज्जुही से कुनाइन का इस्तेमाल नहीं करते. डाक्टर साहिबान को पूरा यकीन है कि फसली बुखार की रोक के लिये अलावा और तदाबीर के कुनाइन का इस्तेमाल भी जरूरी है, और तालीमयाफ्ता तबका डाक्टरों के इन खयालात से वाकिफ है, मगर कभी आपने यह भी

तजवीज सुनी कि कानून के जरिये से कुनाइन का इस्तेमाल जारी किया जाय। क्यों ? इसकी क्या वजह है ? इन खराबियों के रोक के लिये क्यों कभी इस तरफ खयाल नहीं किया गया कि इनकी रोक कानून के जरिये से की जाय. वजह यह है कि इस किस्म के मामलात में सोसाइटी (Society) की ओपिनियन (Opinion) से ज्यादा कामयाबी हो सकती है न कि कानून से. ऐसे कानून बनाने का नतीजा ही क्या, जिसका अमल पूरी तौर से न होसके, जिसकी पाबंदी पर लोग मजबूर न किये जासकें, जिसके इनहिराफ की हालत में मुलजिमान आसानी से माखूज न किये जासकें और जिसमें गिरफ्त मुश्किल हो.

एक जमाने में और इसको कई सदियों का अर्सा हुआ कि बाज कौमों ने इस किस्म के कानून जारी किये थे कि खाने पीने में, कपडे और जेवरात इस्तेमाल करने में, तकरीबात और दावत के मौकों पर एक खास रकम से ज्यादा सर्फ न किया जाय. कानून बनाये गये, मगर आप देख सकते हैं कि ऐसे कानून की तामील किस कदर मुश्किलात से भरी हुई है. नतीजा यह हुआ कि कानून बनगया और तामील नहीं हुई. सौ शख्सों ने अगर उस कानून के खिलाफ अमल किया और दो शख्स गिरफ्त में आये तो ऐसे कानून से उन खराबियों की रोक की, जिनके रोकने के लिये वह बनाये गये थे क्या उम्मेद की जासकती है ?

एक बात और भी काबिल गौर है—कानून जरूरत के लिहाज से बनना चाहिये, इसलिये कानून बनाने से पहिले हमको इस अम्र का फैसला करना चाहिये कि क्या ऐसे कानून बनाने की जरूरत है ? क्या नशे की चीजों का इस्तेमाल इस कसरत से होने लगा है कि उसके रोक के लिये खास तदबीरें इख्तियार की जांय ? अगर महन्त साहब कुछ ऐदाद पेश करके यह दिखलाते कि वाकई शराबख्वारी बहुत ज्यादा बढ गई है तो इस मसले पर मजीद गौर किया जाता. इस साल में अफवाहन ऐसा सुना गया है कि लोगों के मुख्तलिफ तबकों ने खुद बखुद नशों का इस्तेमाल छोडना शुरू करदिया है. अब अगर इसके खिलाफ यह कहा जाय कि इनका इस्तेमाल दिन बदिन ज्यादा है तो इस बयान को तस्लीम करने में हमें किसी कदर ताम्मुल होगा. मेरी राय में इस किस्म के मामलात में सोसायटी (Society) की मुत्तफिका राय और उसका खयाल ज्यादा तसल्लीबख्श नतीजे पैदा कर सकेंगे, कानून के जरिये से रोक करने में सौ शख्सों में से जो कानून के खिलाफ अमल करेंगे दो की गिरफ्त भी मुश्किल से होगी. जमाअत की मुत्तफिकाराय से अस्सी और नब्बे फीसदी मुतअस्सिर होंगे और जब सोसायटी (Society) खुद उसको बुरा समझने लगेगी तो अपने आप तर्क करने लगेगी.

वाटवे साहब—मैं इस तजवीज की मुखालफत करता हूं. मुझे भी उसूल से इख्तलाफ नहीं है; मगर बात २ के लिये कानून की इस्तदुआ करना ज्यादा खराबी पैदा करनेवाली बात है. मेरा खयाल है कि सर दिनकरराव साहब का कौल था कि बार २ कानून मांगना आम लोगों पर बुरा असर डालता है और इस पर अमल करना ठीक होगा. महन्तजी की तजवीज के मुतअल्लिक मुझे इतना और अर्ज करना है कि बच्चे जैसा अपने घर में देखते हैं वैसा ही खुद करते हैं. वालदैन अगर अपना चलन सुधारें तो बच्चों का चलन बिगड ही नहीं सकता. सिगरेट पीना बडों ने बन्द नहीं किया; लेकिन लडके जो बडों की नकल करते हैं उनके लिये सिगरेट पीने की सजाय बेद तक जायज है. मेरी राय में कोई कानून रोक का न बनाया जाकर किताबों में Temperance के lessons शामिल किये जावें और लडकों को लेक्चर्स दिये जावें. सुधार का अच्छा तरीका यह है कि मुलायम अलफाज में नसीहत की जावे. फेक्ट्रीवाले अगर ध्यान दें और मजदूरों को लानत मलामत की जावे और उनपर जुर्माना भी किया जावे तो इसका असर उनपर

अच्छा होगा. मैं महन्त साहब को यकीन दिलाता हूं कि पंडित प्राणनाथ साहब व प्रोफेसर जानकीनाथदत्त साहब के असर से मैंने शराब और बीडी भी कभी नहीं पी.

जगमोहनलाल साहब—जो उसूल मद्देनजर है उसके खिलाफ दो रायें नहीं हो सकतीं; मगर देखना यह है कि मौजूदा कानून में इजाफे की जरूरत है या नहीं और क्या १८ साल के लडकों और तालिब-इल्मों के लिये नशे का इस्तेमाल कानूनन ममनूअ करार दिया जावे ? जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है कि दरबार की आम पॉलिसी नशों के इस्तेमाल की कमी के बाबत है. इसलिये जहांतक इजराय कानून के मुतअल्लिक तजवीज है मैं उसकी मुखालफत करता हूं; मगर मेरी राय यह जरूर है कि कानून में इतनी शर्त लगा दी जावे कि लडकों के हाथ शराब न फरोख्त की जावे और यह तदबीर नशे के इस्तेमाल में कमी करने की है. लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है कि नशों के इस्तेमाल में कमी हो रही है; मगर मुझे इसका इल्म नहीं है और मैं figures देखने का शौकीन जरूर हूं.

लॉ मेम्बर साहब—एक्साइज एक्ट की दफा १३ में हिदायत है कि कोई नशे की चीज किसी ऐसे नाबालिग को फरोख्त न की जावे जिसकी उम्र १४ साल से कम हो. इसके अलावा लाइसेन्स के फार्म पर शरायत लाइसेन्स दर्ज हैं और उनमें ग्यारहवीं शर्त यह है कि ठेकेदार किसी जुजामी, पागल और १४ साल से कम उम्र के लडके को तैयारी या फरोख्त का काम करने के लिये मुलाजिम न रक्खे और न इन्हें फरोख्त करे.

जगमोहनलाल साहब—मैं लडकों की उम्र १८ साल तजवीज करता हूं.

बाटवे साहब—मेरी राय में १४ साल की कैद काफी है.

अब्दुल हमीद साहब—मैं महन्त साहब की तजवीज की ताईद करता हूं. चोरी बुरी बात है और उसकी रोक के लिये कानून बनाया गया है तो शराब वगैरा के इस्तेमाल की रोक के लिये कानून क्यों न बना दिया जावे ? वाल्दैन के निस्बत जो कुछ कहा गया है उसके बारे में यह अर्ज है कि मुअस्सर शख्स पर नसीहत का क्या असर होगा ? उनकी औलाद को इस अजाब से बचाने के लिये कानून की जरूरत है.

लालताप्रसाद साहब—किसी को नशा छोडने के लिये यकलख्त मजबूर करना मुनासिब नहीं है. मेरी राय में मौजूदा कानून काफी है और मैं लॉ मेम्बर साहब की ताईद करता हूं.

जहांगीर बहमनशा साहब वकील—नशे की रोक के लिये फिजूल खर्ची और ऐयाशी की मिसाल ठीक नहीं है. Vaccination (टीका चेचक) की मिसाल क्यों नहीं दी जाती जिसके लिये कानून है. नशा poison (जहर) है. जब जहर खाने की मनाई है तो नशा करने की मनाई करने में क्या हर्ज है ? जो चीज खराब है उसके sale करने की मनाई और इस्तेमाल करने की मनाई होनी चाहिये. बाटवे साहब ने तजवीज किया है कि शराब पीने के कसूर में फैक्टरीवाले मजदूरों पर जुर्माना करें, फिर सरकार शराब पीनेवालों पर जुर्माना क्यों न करें ? वेस्टर्न कन्ट्रीज (western countries) में नार्वे और स्वेडिन में सबसे पहिले बच्चों के हाथ शराब फरोख्त किये जाने की मनाई की गई थी और उनकी नकल और मुल्कों ने की है और अमेरिका ने अब खास तौर पर मनाई की है. मेरी राय में अपने यहां भी कानूनी रोक की जरूरत है.

अहमदनूरखां साहब—कानून बनाना उस सूरत में लाजिमी है जब कि एक शख्स के फेल से दूसरे शख्स को नुक्सान पहुंचे. बाजार में बीडी उडाते जाना या नशे की हालत में बाजार में बदमस्त होकर फिरना बुरी बात है और इसकी रोक होना चाहिये; मगर उन लोगों के लिये जो घर पर नशा करते हैं, किसी कानून के बनाने की जरूरत नहीं है.

गुरदयाल साहब—जिस काम की रोक शर्म दिलाने से नहीं हो सकती उसके लिये कानूनी रोक की जरूरत है. मेरे खयाल से नशों के इस्तेमाल को बिरादरी बन्द कर सकती है, इसलिये मेरी राय में कानून की जरूरत नहीं है.

पोलिटिकल मेम्बर साहब—इस सवाल के मुतअल्लिक जिन साहिबान ने तकरीरें की हैं उन सबका मकसद रिआया की बहबूदी और इसलाह है और सबका खयाल है कि रियासत की बहतरी हो और तमाम मजलिस यही चाहती है कि यह मालूम हो कि इस बारे में राय सायब कौन सी और इन्सदाद इस्तैमाल अशयाय मनश्शी का बेहतरीन तरीका कौनसा है? सवाल में यह ख्वाहिश की गई है कि १८ बरस की उम्र तक कोई इस्तैमाल नशा न करे मगर दौरान गुफ्तगू में यह सवाल उठाया गया है कि १४ बरस तक के उम्र के लडकों को नशे की चीजें न फरोख्त किये जाने की जो कानूनी रोक है उस में तरमीम की जाकर १८ बरस तक के लडकों को यह चीजें फरोख्त न की जाया करें. मगर यह सवाल असली तजवीज से गैरमुतअल्लिक है.

गवर्नमेन्ट की जानिब से जो वाकआत बयान किये गये हैं उन में बतलाया गया है कि इस सवाल के साथ दरबार को हमदर्दी है जिसका इजहार नोटीफिकेशन मजरये महकमे एक्साइज से होता है, मगर नशे के इस्तैमाल की कानूनी रोक करना करीन मसलहत नहीं है और कानून के जरिये से रोक करने में अलावा और वजूहात के एक यह दिक्कत जाहिर की गई है कि नशे की चीजों का इस्तैमाल उमूमन लोग खुफिया तौर पर करते हैं और कानूनी रोक की हालत में यही कोशिश होगी कि पोशीदा तौर पर उनका इस्तैमाल किया जाय. पस चूंकि यह फेल छुपकर किया जावेगा, इसलिये उन लोगों की गिरफ्त की नौबत जो अहकाम कानून से इनहिराफ करेंगे, बहुत ही कम आयगी. अगर सौ शख्स नशे का इस्तेमाल पोशीदा तौर पर करेंगे तो मुमकिन है कि इत्तफाक से दो या तीन ही शख्सों के खिलाफ कार्रवाई कानूनी करने की नौबत पहुंचे. इस दिक्कत के जवाब में चंद कानून पेशा असहाब की जानिब से यह दलील पेश की गई है कि बहुत से और अफआल भी पोशीदा तौर पर किये जाते हैं, ताहम वह जुर्म करार दिये गये हैं, मसलन चोरी एक ऐसा जुर्म है जो हमेशा पोशीदा तौर पर किया जाता है. चोर की हमेशा यह कोशिश होती है कि वह अपना अमल निहायत पोशीदा तौर पर ऐसे वक्त और ऐसे मौके पर करे कि उसका राज जाहिर न होसके, मगर इस दलील से असली दिक्कत जो जाहिर की गई है उसकी तरदीद नहीं होती. आप गौर से देखें कि बाज अफआल सिर्फ करने वाले की जात ही तक महदूद होते हैं. अगर वह नुकसान पहुंचाते हैं तो वह नुकसान आदमी की जात तक महदूद होता है, किसी दूसरे शख्स की जात या उस के माल पर कोई बुरा असर उस फेल का नहीं होता, मसलन फिजूल खर्च अगर किसी को नुक्सान पहुंचाता है तो अपने आप को. जो लोग नशे की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वह अगर नुक्सान पहुंचाते हैं तो अपनी सेहत को, न कि औरों की जात या उनके माल को. चोरी की हालत इससे बिलकुल अलाहिदा है. चोर के फेल से दूसरे शख्स के हुकूक में दस्तन्दाजी की जाती है, काबिज और मालिके माल की हक़तलफी होती है, गर्जे कि चोर का फेल दूसरे शख्स को नुक़सान पहुंचाता है. जहां यह हालत है वहां कानून का फर्ज है कि ऐसे अफआल को जुर्म करार दे, ख्वाह वह पोशीदा तौर पर ही क्यों न किये जावें. इसलिये चोरी की हालत और नशे की चीजों के इस्तैमाल की हालत बिलकुल मुख्तलिफ और अलाहिदा है. जो दलायल कि चोरी को जुर्म करार देने के लिये पेश की जासकती हैं वह मसलये जेर बहस की हालत में बिलकुल गैर मुतअल्लिक हैं.

तजवीज में कहा गया है कि नशा कोई भी इस्तेमाल न करे, यानी कानून ऐसा बना दिया जाय कि जिससे नशे की चीजों का इस्तैमाल नामुमकिन होजाय. मगर मैं दरयाफ्त करना चाहता

हूं कि फिता नजर इस ख्वाहिश के क्या कोई ऐसा कानून हो सकता है और क्या उसपर अमल होना मुमकिन है ? अगर ऐसा कानन बना भी दिया जाय और वह अमली असर न रक्खे तो ऐसा कानून बनाने से क्या नतीजा निकलेगा.

नशे की चीजें १४ साल तक के उम्र के लडकों को फरोख्त न किये जाने की कानूनी मुमानियत है. इस वक्त जोर दिया गया है कि बजाय १४ साल के १८ साल की कैद लगाई जावे. अव्वल तो यह सवाल असली सवाल से गैर मुतअल्लिक है, जैसा कि अभी मैं बयान करचुका हूं, ताहम मैं यह बताना चाहता हूं कि १४ साल की उम्र मसलहतन मुकर्रर कीगई है कि १४ साल के लडके को शऊर होते हुए भी वह नाबालिग रहता है और लोग देख सकते हैं कि वह कम उम्र है. यह बात भी याद रखने काबिल है कि कानून का फर्ज जुर्म के लिये सजा देना है, उसके साथ ही बेकसूर को सजा से बचाना भी कानून का फ़र्ज है. और इस १४ साल की उम्र के कायम करने से बेकसूर को सजा मिलने का अहतमाल नहीं रहता.

तकरीरों में कहा गया है कि मुज़िर सेहत अशया के इस्तैमाल का रोकना गवर्नमेंट का फर्ज है. मेरा तो यह खयाल है कि Public preassure से जो असर पैदा होता है, वह देरपा होता है और इसलिये अगर इस बारे में सुसाइटी तवज्जह करे तो नतीजा जरूर तसल्लीबख्श निकलेगा.

जो नोटीफिकेशन गवर्नमेंट की जानिब से आया हुआ है उससे दरबार की हमदर्दाना पालिसी जाहिर है और मेरे खयाल में अब किसी कानूनी रोक की जरूरत मालूम नहीं होती.

भगवान्स्वरूप साहब—मेरी राय में मनश्शी अशयाय की कीमत जो एक्साइज महकमे के कायम होने से बढ़ी है इससे यह नहीं कहा जासकता है कि नशे की चीजों के इस्तेमाल में भी कमी हुई है, क्योंकि उसकी जांच के लिये कोई कागज ऐसा मौजूद नहीं है जिससे यह मालूम होसके कि एक्साइज के इन्तजाम के पहिले कितने लोग नशा करते थे और अब कितने लोग करते हैं, बल्कि एक्साइज की आमदनी में ज्यादती से यह मालूम होता है कि नशे का इस्तेमाल तरक्की पर है और बीडियां तो छोटे छोटे बच्चे तक पीते हैं, जिससे बहुत बडा नुक्सान है. और जब वालदैन खुद इस्तेमाल करते हैं तो वह बच्चों को इन चीजों के इस्तेमाल से कैसे रोक सकते हैं ? इसलिये जरूरत है कि कोई कानून ऐसा बनाया जावे कि जिससे बाकी होकने तक लडके नशे की चीजों के इस्तेमाल से परहेज करें.

हुज़ूर मोअल्ला—आप क्या चाहते हैं ?

भगवानस्वरूप साहब—नशे के इस्तेमाल की रोक के लिये कानून बनादिया जावे और यह भी अर्ज करता हूं कि मेरे ख्याल में मौजूदा सूरत में नशों के इस्तैमाल में कमी नहीं बल्कि ज्यादती है.

हुज़ूर मोअल्ला—मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि इस सवाल पर बहुत अच्छा Discussion और वह to the point हुआ, और आयन्दा के लिये यह बहतर होगा कि जो साहब मजलिस में तजवीज पेश करें, वह उसका आगाज मुख्तसिर तमहीद के साथ किया करें और जो कुछ मंशा हो उसे साफ अलफाज में बयान करें ताकि उसे सबको समझने और उसकी बाबत अपना फैसला देने में दिक्कत न हो. गोलमोल तकरीरों से मतलब नहीं निकलता. दूसरे अगर तजवीज के मुतअल्लिक मुकम्मिल वाकफियत हासिल करके और स्टेट रिकार्ड को देखकर उसे पेश किया जावेगा तो पेश करनेवाले और फैसला देनेवाले दोनों के हक़ में अच्छा होगा और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि "हमारा और आपका मकसद एक है" तो आपको और हम तवालत बचाने के खयाल से जहांतक मुमकिन हो पूरे तौर पर तैयार होकर आना चाहिये.

पेश्तर इसके कि मैं इस मसले पर वोट दूं मैं इस मसले की बाबत इतना अर्ज करना चाहता हूं कि रोक का बहुत कुछ इसर वाल्दैन के ऊपर है. अगर वह अपने लडकों को कन्ट्रोल (control) में रक्खेंगे और उन्हें नशों के इस्तैमाल से रोकेंगे तो कानून की जरूरत नहीं है. चूंकि इस जानिब वाल्दैन की नजर नहीं है, इसलिये इस खराबी की शिकायतें आती हैं. दूसरे इसका इन्तजाम सुसायटी (society) को भी करना चाहिये. काम कराने के कई तरीके हैं जिनमें से एक जरिया कानूनी है जिसकी पेचीदगियां लीगल मेम्बर साहब ने आप पर जाहिर की हैं. क्या moral influence के जरिये Communities इसकी इसलाह नहीं कर सकतीं ? इस मसले पर जो कुछ कहा गया है वह अगर महज इस खयाल से कहा गया है कि इस जमाने में morality के मुतअल्लिक दीगर अजकार के साथ इसका जिक्र करना भी जरूरी है, तो इससे काम नहीं चलेगा। कोशिश यह होनी चाहिये कि परहेजगारी लडकों की नेचर (Nature) बन जावे जैसा कि बेडिनपावल ने 'Boy Scouting' के मुतअल्लिका औसाफ को लडकों की नेचर बना देने के लिये लिखा है. अगर कानून मुमानअत जारी कर दिया और बाद में लोग कानून की Spirit के मुताबिक न चलें तो ऐसे कानून के बनाने से हासिल भी क्या होगा.

पस वोट लेने पर कसरत राय से करार पाया कि जदीद कानून बनाने और मौजूदा कानून में तरमीम की जरूरत नहीं है.

तजवीज ११, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

नाबालिग बच्चों को बीडी व नशे की चीजें पीने व खाने की मुमानियत होना चाहिये. बशर्ते खिलाफवर्जी १२ साल से जियादा उम्र वाले बच्चा को उसी किस्म की सजा देने के बारे में जो उमूमन मदरसे में दी जाती है, देने के बाबत मार्फत टीचर कानून होना चाहिये. १२ साल से कम उम्र के बच्चों पर अगर जुर्म साबित हो तो उनके वली सरपरस्तान को क अज्ञ कम ५ रुपये जुर्माना किया जाना चाहिये और यही सजा उनके हाथ अशयाय बाला फरोख्त कराने वालों को होना चाहिये.

रामचन्द साहब बोहरा ने अपना सवाल वापिस लेलिया.

तजवाज १२, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

(१) बीडी वगैरा का पीना १५ साल से कम उमर के बच्चों के लिये कानूनन मना होना चाहिये, यानी दस साल की उमर वाला लडका बीडी, सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल करे तो उसके वालिदैन को सजा जुर्माना होना चाहिये. अगर पन्द्रह साला लडका पीवे तो उसको सजा बेद होना चाहिये.

(२) बीडी, तम्बाकू, सिगरेट बजर्ये ठेका फरोख्त होना चाहिये ताकि गिरां होने से लोग कम [illegible] करें.

(३) मुनश्शियात यानी गांजा, भांग वगैरा पर इस कदर हाई टैक्स लगाना चाहिये, कि लोग उनका इस्तेमाल छोड दें.

रामप्रताप साहब लूंबा ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:—

फुजूलखर्ची सबसे ज्यादा बच्चों को खराब करनेवाली है, बीडी, हुक्का वगैरा इन्सान के लिये कुदरती तौर पर जरूरी नहीं है. उनसे इन्सान की आंखें, खराब होजाती हैं, दांत खराब होते हैं, फेफडा, जिगर और मेदा भी खराब हो जाता है. बचपन में एजायरईसा कमजोर होते हैं और इनपर उनका जल्द असर पडता है. तम्बाकू में एक किस्म का जहर होता है जिसे निकोटिन कहते हैं, जिसका असर रफ्ता २ बुरा पडता है. जिस हुक्के की निगाली में से धुआं निकलता है उसकी अन्दरूनी हालत बिगड जाया करती है और तम्बाकू पीनेवालों की सांस लेने की नली की भी धुआं की वजह से ऐसी ही हालत होती होगी. गांजा पीने से दमा होजाता है और दीगर अमराज सीना भी अक्सर होजाया करते हैं. भंग, उज्जैन में अक्सर नौजवान नौरत्नी बनाते हैं जिसमें धतूरा और ज्वार की जड वगैरा किस्म के रत्न होते हैं और सुना जाता है कि इस नौरत्नी की बदौलत एक दो मौत भी होजाया करती हैं. इसलिये मेरी गुजारिश है कि जो तजवीज मैंने पेश की है उसे मंजूर किया जावे. मैं तजवीज के जुज नं. १ को वापिस लेता हूं.

मूंगालाल साहब—बीडी सिगरेट पीने से सिर्फ नाबालिग बच्चों को ही नहीं बल्कि बडों को भी नुक्सान पहुंचता है. इस की कस्टम ड्यूटी बढजाने से यह चीज मंहगी व सिर्फ ठेकेदारों के यहां ही मिलेगी. इसलिये आम लोगों में इस का बपराव मजबूरन रफ्ता २ उनके बन्द करने के बायस होगी व इसी वजह से बडे लोगों में उसका इस्तेमाल किफायत से होगा. दोयम बच्चों को बीडी पीने से उनके बुर्जा रोक नहीं करते ऐसा नहीं है; बल्कि उनके वारिसान को यह बात मालूम नहीं होने पाती कि लडके बीडी वगैरा पीते हैं, बाद अजां वह बालिग हो जाते हैं और उसके बगैर रह नहीं सकते. देशी तम्बाकू पीने व खाने से मेरे खयाल में कोई नुक्सान देहाती लोगों को नहीं पहुंचता है, बल्कि उनके बर्ताव के सिलसिले में वह उनको फायदा पहुंचाती है व उनकी महनत के सिलसिले में वह उनका व्यायाम है व आपसदारी के सिलसिले में खातिर है. अगर इसके मिलने में कुछ भी उनको हर्ज हुआ तो गरीब महनती देहाती रिआया को जो तम्बाकू पीने के आदी हैं कमाल तकलीफ पहुंचेगी और उनके कारोबार काश्तकारी में नुक्सान पहुंचेगा और उनकी आर्थिक दशा बिगडने का बाइस होगा व इसकी जो काश्त हर मौजे में थोडी बहुत होती है इससे उसकी रोक होगी और नुकसान पहुंचने का अहितमाल है. दिसावरी पीने की तम्बाकू जो बाहर से आती है उसमें बहुतसी ऐसी चीजें मिली रहती हैं कि तन्दुरुस्ती को नुक्सान पहुंचाती हैं. यह तम्बाकू अक्सर कस्बों में मिला करती है. देहाती लोग इसका इस्तैमाल करते हैं, सिर्फ सस्ती होने की वजह से अपने जिस्मानी नुक्सान को मद्देनजर नहीं रखते, इस किस्म का इन्सदाद होने की वजह से कस्टम टैक्स ऊंचा होना चाहिये और वह हर जगह मिलनी भी नहीं चाहिये, यानी जब ठेका होजावेगा तो फिर हरगिज हर जगह न मिल सकेगी व बजाय इसके देशी तंबाकू की ज्यादा कद्र होगी और देशी तम्बाकू की काश्त बढेगी और वह कीमती काश्त है, अलबत्ता नाबालिगान को तंबाकू पीने से रोका जाना चाहिये.

रामचन्द साहब, रघुनाथसिंह साहब व रणधीरसिंह साहब ने ताईद की.

ट्रेड मेम्बर साहब—मुझे इस बात की खुशी है कि पब्लिक को Excise के उसूलों की वाकफियत होती जाती है और कानूनी फायदे भी नजर आते जाते हैं व नीज पॉलिसी के मुतअल्लिक शुबहात भी रफा होते जाते हैं. मैंने जो गुफ्तगू सुनी है मैं तो उससे यही नतीजा निकालता हूं कि जो खयालात शराब व गांजा वगैरा के लिये थे वह अब तम्बाकू और सिगरेट की तरफ भी रिजूअ हुए हैं. तम्बाकू और सिगरेट के नुक्सान बतलाये गये हैं, और जो रोक कानूनी दरबार ने की हुई है उसकी वसअत चाही जाती है; मगर जो कानून इस वक्त मौजूद है क्या उसकी सख्ती

से पाबन्दी कराने में इम्दाद मिलती है ? तजरुबा यह बतलाता है कि मुलजिम को बचाने के लिये जायज और नाजायज कोशिश होती है और मुझे खौफ है कि अगर इम्तनाई कानून पास होजावे तो मुलजिमान को सजा दिलाने में सख्त दिक्कतें पेश आवेंगी. मेरी समझ में नहीं आता कि तम्बाकू और सिगरेट में तफरीक क्यों की जाती है गांव के लोगों को तम्बाकू पीने की इजाजत देने की एक साहब सिफारिश करते हैं; मगर सिगरेट केइस्तेमाल की रोक तजवीज करते हैं. मेरे ख्याल स यह सवाल ऐसा है जिसका तअल्लुक पब्लिक के आम खयालात से है. एक बार यह सवाल उठाया गया था उस वक्त यह कहा गया कि हमारी आजादी रोकी जाती है. अब यह कहा जाता है कि इन चीजों पर हद से जियादा टैक्स बढा दिया जावे. मेरी राय में इस मसले पर इस वक्त गौर न किया जाकर पब्लिक opinion का इंतजार किया जावे, और अगर वह इस मसले को परगना बोर्डस् के जरिये से भेजें और कसरत राय टैक्स की ताईद में हो उस वक्त यह मामला हाथ में लिया जावे. तम्बाकू को ठेकेदारों के जरिये फरोख्त कराने की इजाजत लश्कर म्युनिसिपेलिटी को दी गई थी मगर नतीजा खातिरख्वाह नहीं निकला और इसलिये यह सवाल मैं कब्ल अज वक्त खयाल करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—सवाल ११ व १२ मिलते-जुलते हैं और मेरे खयाल से इनपर काफी बहस हो चुकी है और अब सिर्फ ठहराव की जरूरत है. जमाने की हालत और Civilization पर नजर रखते हुए इस किस्म के सवालात का मजलिस में लाना अपना फर्ज है और उनपर सोच-विचार भी होना चाहिये, मगर आपने जो जड की बात है उसपर तवज्जह नहीं की और वह यह है कि लोगों में से power of resistance जाती रही है और जरा २ सी बेअहतियातियां उनकी तन्दुरुस्ती पर बुरा असर डाल उठी हैं. इसके बरखिलाफ पुराने लोगों की हालत थी. इसकी खास वजह यह है कि लडकों के जिस्म की ठीक development नहीं होने पाती कि उनकी शादी करदी जाती है और बचपन की शादियां सारी खराबियों की जड हैं, जिसकी रोक होना चाहिये. जब सन १८९९ ई० में मैं शोपुर गया था तो मैंने वहां की औरतें देखी थीं जो कद्दावर व उनके रगपट्ठे मजबूत थे. १० वर्ष के अंदर ही उनकी हालत बदल गई और जरा २ सी लडकियां चार २ बच्चों की मां नजर आती हैं. खास सिगरिटनोशी के मुतअल्लिक दरबार से action लिया जा चुका है, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला. कायममुकाम इन्सपेक्टर-जनरल एज्युकेशन ने तजवीज किया था कि जैसे दीगर मुहज्जब मुमालिक में १६ साल से कम उम्र के लडकों को तम्बाकूनोशी की इजाजत नहीं है, वैसे ही यहां भी रोक की जावे और अगर इस उम्र के लडके सिगरेट पीते दिखाई दें तो उनके सिगरेट छीन लिये जाया करें. यह चिट्ठी दरबार में २५ मई १९०९ ई० को आई और उसपर मंजूरी का हुक्म ११ मार्च १९१० ई० को हुआ और उसके मुताबिक म्युनिसिपल एक्ट में भी दफा बढाई गई; लेकिन क्या किसी ने इस इजाजत से फायदा उठाया और कितने साहब मजलिस में कह सकते हैं कि उन्होंने लडकों के सिगरेट छीने, गो ऐसा करने की इजाजत मार्च १९१० से हासिल है. मुझे इन तमाम बातों के साथ हमदर्दी है; मगर मैं यह चाहता हूं कि नुमायशी काम कम हो और जो कुछ कहा जावे वह वाकई करने की गरज से कहा जावे और उसे कमर बांधकर किया जावे, ताकि नतीजा जहूर में आवे. इतना अर्ज करने के बाद अब मैं आपसे इस मसले के मुतअल्लिक राय चाहता हूं.

लिहाजा कसरत राय से यह करार पाया कि मौजूदा तरीके में तरमीम की जरूरत नहीं.

तजवीज १३, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

हर एक शहर व कस्बे में एक २ पंचायत कमेटी कायम होना चाहिये और उस कमेटी के मेम्बर हर एक पेशे के मेम्बर होना चाहिये, जोकि पब्लिक की राय से मुकर्रर हो और यह कमेटी दीवानी मुकदमा फैसल किया करे. इसमें पैरवी वकील नहीं होना चाहिये, इससे रिआया को रुपये वगैरा खर्च करने में और बेफायदा जियादा वक्त जाया करने में सहूलियत होगी. बाज आदमी अब भी पंचायत मुकर्रर करके मुकदमा फैसल करवा लेते हैं, और उस फैसले को नातिक समझते हैं. व्यापार के मामले में पंचायतों से निर्ख मुकर्रर होकर भाव कट जाता है जिसकी समाअत ग्वालियर गवर्नमेंट में भी नहीं है; ताहम लोग पंचायती फैसले को मानकर लाखों रुपये का नफा नुकसान देते लेते हैं और हिंदुस्तान के और व्योपारी भी जिनका इस सौदे से तअल्लुक होता है वह भी पंचायती फैसले को मानते हैं. गोया पंचायती फैसले को बनिस्बत अदालत के फैसले के जियादा तरजीह देते हैं. मेम्बर कमेटी अगर मुकर्रर हों तो उनसे ईमानदारी से काम करने का हलफ लिया जावे.

रामप्रताप साहब ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:—

अदालतों में खासकर दीवानी के मुकद्दमात में जो सरफा व तकलीफ फरीकैन को होती है और जितना वक्त मुकद्दमात के फैसल करने में लगता है उस से सब वाकिफ हैं और मुकद्दमा फैसल होने के बाद हकरसी में कितना वक्त सर्फ होता है यह भी सब साहब जानते हैं. इसलिये मैंने यह तजवीज पेश की है, इस में रुपया बहुत कम सर्फ होगा, हकरसी जल्द होगी और पंच लोग फरीकैन से वाकिफ होंगे, इसलिये मुकद्दमा जल्द फैसल होगा और इस में इन्साफ भी मिलेगा.

करमचंद साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

राजाराम साहब—मुझे भी इस तजवीज से इत्तफाक है.

लॉ मेम्बर साहब—इस तजवीज को पढकर जो फिक्र मुझे हुई थी वह मुजव्विज साहब की तकरीर सुनकर रफा नहीं हुई. मुमकिन है कि आयन्दा कोई इस तजवीज की ताईद करने वाले साहब इस सवाल पर ज्यादा रोशनी डाल सकें. इस वक्त मैं हुजूर मुअल्ला की इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अलावा जुडीशियल अदालतों के जो कायम चली आती हैं संवत १९६८ से पंचायत बोर्ड्स रियासत में कायम हुए. इनके कायम करने की गरज क्या थी, यह मुसव्विदा तरमीम कानून पंचायत बोर्ड की इस तमहीद से जाहर है:—

"इस गर्ज से कि

१. दीवानी और माल के छोटी मालियत के मुकद्दमात और खफीफ जरायम के फौजदारी मुकद्दमात जल्द फैसल हों.

२. ऐसे मुकद्दमों के फरीकैन को पैरवी के लिये दूर दराज सफर की तकलीफ से बचाया जाय,

३. ऐसे फरीकैन मुकद्दमा को अदालतों के सर्फे और खर्चे के बार से बचाया जाय,

४. गवाहान को दूर सफर करके मामूली अदालत हाय जुडीशियल व माल में हाजिर होने की तकलीफ न उठाना पडे,

५. और इस खयाल से कि रिआया के मुअज्जिज समझदार अशखास झगडों के फैसला करने में और इन्साफ देने में शरीक होकर मदद दें, और उनको इन्साफ का काम करने की काबलियत हो,

यह मुनासिब मालूम होता है कि पंचायत बोर्ड्स कायम किये जावें जिनको किसी हद्द तक मुकद्दमात दीवानी व माल व जरायम खफीफ के मुकद्दमात फौजदारी की समाअत व फैसल करने का इख्तियार हो. ''

मुख्तसर अल्फाज में इन बोर्डों की कायमी की गरज यह थी कि मुकद्दमात जल्द फैसल हों और फरीकैन और उनके गवाहों को पैरवी मुकद्दमात में जो दूर दराज मुसाफत तय करनी पडती है व असराफ बरदाश्त करने पडते हैं, उस से निजात हो और लोगों में इस किस्म के काम करने की काबिलियत पैदा हो; गोया एक मानी में लोगों को तालीम देकर इस काम के काबिल बनाया जावे.

आज की तारीख तक कुल रियासत में १५२ पंचायत बोर्ड कायम हो चुके हैं और कोई परगना इस वक्त ऐसा नहीं है जिसमें तीन चार और पांच तक बोर्ड न हों. अगर कहीं बोर्ड कायम होने से रहगया है तो वहां अब कायम हो जावेगा. पंचों को यह हिदायत है कि पहले लोगों को समझा बुझा कर बाहमी रजामन्दी से फैसला करादें और ऐसा न हो सके तो सबूत लेकर मुकद्दमा फैसल करें. संवत १९६८ में जो कानून पास हुआ उस वक्त उन बोर्डों को इख्तियारात कम दिये थे यानी २५) तक का सादा यानी जरे नक्द का दावा और खाद बीज के दावे बसीगे सरसरी समाअत करने का इख्तियार दिया गया था. अब कानून पंचायत बोर्ड का तरमीमी मुसव्विदा शाया हो चुका है, उसके देखने से दो बातें मालूम होंगी, एक हद इख्तियार समाअत में इजाफा किया गया है और खास खास सूरतों में १०० रुपया तक दावे बोर्ड्स की समाअत में लाये जासके हैं. दूसरे नौइयत दावों में भी इजाफा किया गया है, माली इख्तियारात भी वसीअ किये गये हैं जिस से बकाया लगान के दावे बोर्ड में समाअत हो सकेंगे. इब्तिदा में जब काम शुरू हुआ, थोडे इख्तियारात दिये गये थे. चूंकि अब काम चल निकला और उम्मेद कामयाबी की है, इसलिये अब इख्तियारात में वसअत की जारही है और जैसी जैसी मेम्बरों में काबिलियत पैदा होगी और रिआया का भरोसा इन बोर्डों पर बढेगा, वैसा ही उनके इख्तियारात में इजाफा किया जावेगा.

संवत ७० में हर जिले में बोर्ड साहूकारान कायम किये गये और अगर आप कानून हिफाजत जात व जायदाद की दफा १०० देखेंगे तो जाहिर होगा कि खानदान मुश्तरका में बाहमी तकसीम के तनाजात व गोदनशीनी के झगडे इन बोर्डों की समाअत में दिये गये हैं.

आगे चलकर जून सन १९२० में मसालिहत बोर्ड लश्कर में कायम किया गया, जिस में दो जागीरदार, दो साहूकार और दो दीगर मुअज्जिज अशखास रिआया में से मेम्बर हैं. तरीका यह है कि मुकद्दमात अदालत में दायर होते हैं मगर जिन मुकद्दमात में वाकिआती अमूर मारिजे बहस में होते हैं, वह इस बोर्ड में भेज दिये जाते हैं. इस बोर्ड से भी यही उम्मेद है कि वह फरीकैन को पहिले समझा बुझाकर मुकद्दमा फैसिल करता है, अगर बाहमी रजामन्दी से फैसला न हो सके तो बाद में तहकीकात करके फैसला देता है. इस तरह तीन Institutions इस वक्त तक कायम हैं, हर परगने में पंचायत बोर्डस, हर जिले में बोर्ड साहूकारान और फिलहाल सिर्फ लश्कर में बोर्ड मसालिहत. अगर मसालिहत बोर्ड चलसका तो उस के नमूने के और भी कायम किये जावेंगे. इतनी जमाअतें होते हुए एक चौथी जमाअत और क्यों चाही जाती है? सवाल के अल्फाज मुलाहिजा किये जावें

कि हर कसबा व शहर में एक पंचायत कमेटी कायम होनी चाहिये और उसमें हर एक पेशे के लोग होना चाहिये. मुझे बडा तरद्दुद है कि हर पेशे से मुराद क्या है! पचौसन के तनाज़आत में भी यह इसरार किया गया था कि कुछ पेशेवरों की दूकान बंद की जावें. दरयाफ्त करने पर मालूम हुआ कि पेशेवरों से मुराद उनकी यह थी कि हलवाइयों और धोबियों की भट्टियां, भडभूजों के भाड, वगैरा. तो क्या मुअज्विज की गर्ज यह है कि यह सब पेशेवरान भी उस नई जमाअत में मुन्तखिब किये जाया करें ?

मेरे ख्याल से जितने Institutions इस वक्त कायम हैं उन के अलावा किसी और जमाअत की जरूरत मालूम नहीं होती. आप दिक्कतों पर गौर करलें और वह यह हैं कि हर जगह काम करने वाले नहीं मिलते और जहां मिलते हैं वह काम में दिलचस्पी नहीं लेते. रामप्रताप साहब खुद कह सकते हैं कि बोर्ड साहूकारान उज्जैन के सुपुर्द सिर्फ एक जायदाद की गई है उस की हालत क्या है? अब यह कहा जाता है कि नई पंचायत और कायम की जावे और दीवानी के मुकद्दमात बिला तअय्युन मालियत काबिले समाअत करार दिये जावें. यह अम्र गौरतलब है. मुल्क की तरक्की के साथ कानूनी पेचीदगी लाजमी है. वहशी मुल्कों के कानून मुख्तसिर हुआ करते हैं मगर जैसे रफ्ता रफ्ता शायस्तगी में तरक्की होती जाती है वैसी ही कानून की तादाद भी इतनी बढ जाया करती है कि हर शख्स उन सबको समझ भी नहीं सकता. चुनांचि इन उमूर को मद्देनजर रखते हुए क्या यह मुनासिब होगा कि ऐसी पंचायतें कायम करदी जावें जो बिला तअय्युन दावेजात समाअत करें ? अलावा इसके पंचायती फैसले की वकअत उसी शक्ल में है जब फरीकैन मुकद्दमा पंचों को तसलीम करें, लेकिन जब पंचायतों की हालत मामूली अदालतों की हो जावे तो फिर पंचायत और अदालत में फर्क क्या रहा ? मासिवाय इन पंचायतों का क्या Constitution हो, यह भी जाहिर नहीं किया गया है, इसलिये मैं इस तजवीज की ताईद करने के लिये तैयार नहीं हूं.

हुजूर मुअल्ला—साहबान, आपकी क्या राय है ?

रामप्रताप साहब लूम्बा—मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज १४, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

हर एक शहर व गांव में पंचायत कायम होना चाहिये जो कि लेन देन के मामले तय किया करे और उसमें सिर्फ वादी और प्रतिवादी दोनों हाजिर होकर बगैर किसी वकील के कमेटी के रूबरू अपना मामला समझावें. इस पंचायत में तादादी सात तक वे लोग मुकरर किये जावें जिनकी कि दिमागी ताकत पूरी तरह से काम देती हो और रिआया की राय से चुने गये हों, ऐसा होने से रिआया को अपना कीमती वक्त व पैसा जो कि बेफायदा जाया होता है उसकी रुकावट सहज में हो सकेगी. पंचायती फैसले जो सट्टे वगैरा के भाव काटने में दिये जाते हैं उनसे कलकत्ते, बम्बई वगैरह शहरों में करोडों रुपयों का नफा नुक्सान लोग लेते देते हैं. और हिन्दुस्तान का हर एक व्योपारी जो उससे तअल्लुक रखता है, उसे मानता है. सरकारी अदालतों में जो मामले फैसल हो जाते हैं उन पर अपील वगैरा करके आगे बढकर पैसा व समय खर्च करने का फिर भी मौका बाकी रह जाता है. लेकिन पंचायत से फैसल हुए मामले से इन झनझटों से रिहाई हो सकती है, इन बातों से साफ साबित होता है कि पंचायती फैसले की कदर जियादे मानी जाती है.

यह तजवीज मुअज्विज करमचन्द साहब ने बवजह तजवीज नंबर १३ के मिलती-जुलती होने के वापिस लेली.

तजवीज १५, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

तालीम का होना लाजमी करार दिया जावे, यानी कानूनन हर एक शख्स को अपने बच्चे को कम से कम प्रायमरी तक तालीम देना चाहिये. जिसकी कि हैसियत अपने बच्चों को तालीम देने के लायक न हो उसको शहर के मोअज्जिज चंदा करके इम्दाद दें. जो लडके तालीम पाते हैं उनका हर महीने डाक्टर से जिस्मानी हालत का मुआइना होना चाहियें. जो लडका बवजह खराब चाल चलन अपनी जिस्मानी हालत का खराब करता है उसकी हिदायत उसके वाल्दैन को होना चाहिये. स्कूलों में रूहानी ताकत पैदा करने की तालीम होना चाहिये. मस्लन भजन, पूजा, नमाज वगैरह, आजकल स्कूलों में रूहानी ताकत देने की कोई तालीम नहीं है जो होना मुनासिब है.

हर एक मोहल्ले में एक मोतबिर नेक-चलन मेम्बर होना चाहिये जिनका कि फर्ज होगा कि हर हफ्ते उस मोहल्ले के लडकों के चाल-चलन की बाबत हैड मास्टर साहब को रिपोर्ट करें, और जिन घरों में बच्चों की नाज बरदारी उठाई जाती है वह अपने बच्चों की जिद व मगरूरी में तरक्की देते हैं, और बच्चों की हमेशा सादा लिबास पहनाने की भी आदत करवाना चाहिये.

रामप्रताप साहब लूंबा ने यह तजवीज पेश करते हुए कहा कि:—

मुल्क की तरक्की का दारमदार तालीम पर है, और तालीम उस वक्त तक नहीं फैलेगी जबतक लोगों को कानून के जरिये से अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिये मजबूर नहीं किया जावेगा. आजकल के बच्चों में तालीम के साथ और भी खराबियां नजर आती हैं और इसलिये यह अम्र जरूरी है कि अखलाकी व मजहबी तालीम भी उन्हें दिलाई जावे.

जगमोहनलाल साहब—जो तजवीज मेरे दोस्त लाला रामप्रताप साहब ने पेश की है उसके चार जुज हैं (१) लाजमी तालीम जारी की जावे (२) गरीब लडकों को चन्दा करके इम्दाद दी जावे (३) रूहानी तालीम जारी की जावे (४) लडकों के Morals दुरुस्त हों, इस गरज से इनपर निगरानी रखी जावे. मेरी राय में एक तजवीज में इस कदर अमूर शामिल करना दुरुस्त नहीं है. रूहानी तालीम के उसूल से मुझे भी इत्तफाक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त को इसकी बाबत अलहदा तजवीज पेश करना चाहिये थी ताकि काफी बहस हो सकती. इस वक्त सिर्फ तालीम लाजिमी के सवाल पर ही गौर करना चाहिये, इसलिये मैंने इस तजवीज में तरमीम पेश की है जो इस वक्त मजलिस के पेश नजर है.

हुजूर आली! लाजिमी तालीम के सवाल पर गौर करते हुवे तीन अमूर काबिल तस्फिया पैदा होते हैं (१) क्या लाजमी तालीम का उसूल दुरुस्त है? (२) अगर दुरुस्त है तो क्या हमको यह उसूल अब इख्तियार करना चाहिये (३) अगर इख्तियार करना चाहियें तो उस पर किस तरह अमल हो सकता है?

जहां तक कि उसूल का तअल्लुक है मेरा ख्याल है कि इस की बाबत दो रायें नहीं हो सकतीं. तरक्की याफ्ता मुल्कों ने यह उसूल इख्तियार किया है और उसके इख्तियार करने पर हैरत-अंगेज तरक्की इन मुल्कों ने की है, इसलिये हम सबों को सबक हासिल करना चाहिये हमारी रियासत में भी यह उसूल जहां तक कि मरहठा लडकों का तअल्लुक है इख्तियार कर लिया गया है. हुजूर अनवर ने इस उसूल की बाबत २१ अगस्ट सन १९११ को एक स्पीच में यह इरशाद फरमाया.

" निस्बत Compulsory Education के मेरे ख्याल में अभी वक्त नहीं आया है और हर एक चीज का मौका व महल है, आपको उम्मेद रखना चाहिये कि एक जमाना आवेगा कि जब आप इस रियासत में Compulsory Education जारी देखेंगे."

हुजूर मुअल्ला के यह अलफाज सुनते हुए मुझे यकीन कामिल है कि यह मजलिस इस उसूल को कबूल करलेने से हरगिज गुरेज न करेगी.

अब यह देखना है कि आया वह वक्त आगया जिसकी तरफ हुजूर अनवर ने २१ अगस्ट सन १९११ को इशारा फरमाया था! हर एक मुल्क की तारीख से पता लगता है कि उस मुल्क की तालीमी तरक्की के दौर में ऐसा जमाना जरूर आता है जब कि उस मुल्क में Education by Compulsion जारी करना पडती है.

जब से हुजूर मुअल्ला ने रियासत हाजा की इनान हुकूमत अपने हाथ में ली है हमारी रियासत तालीम की वसअत में माकूल तरक्की कर रही है। हुजूर आली! रियासत हाजा में सन १८९५ में २१७ मदर्से थ, जिनमें ११५६४ लडके तालीम पाते थे, उन पर खर्चा सिर्फ १५१३१५ होता था. १९११ में मदरसों की तादाद ३७२ व लडकों की तादाद २१०२२ होकर खर्चा भी ३३७३५५ होने लगा. सन १९१८-१९ यानी संवत १९७५ में कुल मदरसों की तादाद ९०७, तुलबा की तादाद ४१०२२ होगई और खर्चा भी करीब ६ लाख रुपये का होने लगा। संवत १९७५ के बाद के figures मुझे दस्तयाब नहीं हुए, मगर उम्मेद है कि इजाफा जरूर हुआ होगा. इन तादाद को मद्देनजर रखते हुए हम जरूर महसूस करते हैं कि तालीमी तरक्की के रास्ते पर हमारी रियासत मुस्तैदी के साथ कदम बढा रही है, लेकिन गौर यह करना है कि इस रास्ते की किस मंजिल तक हम पहुंच गये और इस वक्त हमारी तालीमी हालत क्या है?

सन १९११ की मर्दुम शुमारी में (मर्दुम शुमारी हाल के figures अभी तक दस्तयाब नहीं हुए) कुल मामूली पढे लिखे लोगों की तादाद का औसत कुल आबादी रियासत पर सिर्फ ३ फीसदी पडा था और उस मर्दुम शुमारी में बृटिश इंडिया ६ फीसदी औसत आया था. मुमकिन है अब तक दोनों जगह जरूर कुछ इजाफा हुआ होगा. इस वक्त करीब ४२ हजार तुलबा हमारे यह तालीम पारहे हैं, इसका तनासुब कुल आबादी पर फैलाने से फीसदी तनासुब सिर्फ एक से कुछ ज्यादा आता है और यही तनासुब ब्रिटिश इंडिया में ३ से कुछ ज्यादा, रियासत बडोदा में ५, मैसूर में ४० और कोचीन में ७७ फीसदी है. इस तनासुब का मुकाबिला करते हुए हम यह जरूर महसूस करते हैं, कि अभी बहुत तरक्की हम को करना है और जो तरीका दरबार मुअल्ला ने इस वक्त तक Education on Voluntary basis का इख्तियार फर्माया उसमें बावजूद इसके दरबार की तरफ से कतई दकीका बाकी नहीं रखा गया, खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। इसलिये इसको तब्दील करके दूसरा तरीका Education by Compulsion का इख्तियार करना चाहिये क्योंकि अबतक इससे बहतर कोई दूसरा असूल तालीम के वसअत देने का दुनिया में ईजाद नहीं हुआ.

हुजूर अनवर! लेकिन मैं यह कबूल करता हूं कि महज असूलन नजर डालने से कारबरारी नहीं होगी गौर यह करना चाहिये कि अमलन हम इस असूल को किस दर्जे तक इख्तियार करसकते हैं.

मर्दुमशुमारी सन १९११ के नकशों से मालूम होता है कि रियासत हाजा में ५ वर्ष से १० वर्ष तक के लडकों की तादाद १९१६८९ थी. सन १९११ से इस वक्त तक इस तादाद में कुछ इजाफा तस्लीम करके व नीज यह मद्देनजर रखकर कि इस उम्र के लडकों के वास्ते तालीम लाजमी की जानी चाहिये, हम यह फर्ज करसकते हैं कि इस वक्त हमारे रूबरू दो लाख लडकों की लाजिमी तालीम का सवाल है

हुजूर आली ! आम तजरुबा यह है कि एक मास्टर ४० लडकों को आसानी से पढासकता है, चुनांचि दो लाख लडकों के लिये ५ हजार मास्टरों की जरूरत होगी. मास्टरों की तनख्वाह का औसत माहवार २५ माना जाकर ५ हजार मास्टरों की सालाना तनख्वाह १५ लाख रुपयें हुई और ५ लाख रुपये दगिर इखराजात के लिये जरूरी होंगे; इसलिये कल २० लाख रुपये की जरूरत होगी । रियासत हाजा की आमदनी व खर्चा के सालाना बजट में सिर्फ १९ लाख रुपये की बचत है. सवाल यह पैदा होता है कि यह २० लाख रुपये कहां से meat होंगे. यह पहिली दिक्कत है.

हमारी रियासत के बाशिन्दगान में एक जमाअत ऐसी है जो महनत मजदूरी व जाती मशक्कत करके अपनी मआश पैदा करती है और इस काम में वह अपने बच्चों को भी लगाये रहते हैं जिन को पढाने के लिये वह मुश्किल से spare कर सकते हैं. ऐसे लोगों को अगर आज लाजिमी तालीम के दायरे में लाकर मजबूर किया जावे कि वह अपने उन बच्चों को मदरसे में भेजदें कि जिन की मदद से वह अपनी मआश पैदा करते हैं तो अन्देशा कवी है कि ऐसे लोगों में एक तलातम पैदा हो जावेगा जो तालीम की रफ्तार में बजाय तरक्की पैदा करने के मुमकिन है कि reacion पैदा करने का बायस हो, यह दूसरी दिक्कत है.

इन मुश्किलात पर गौर करते हुए हुजूर आली! मुझे अपने दोस्त लाला रामप्रताप साहब की तजवीज की बाबत यह कहना पडता है कि "halt and see". लाजिमी तालीम की सिम्त में कदम बढाने से कब्ल हमको काफी गौर कर लेना चाहिये कि इस असूल को किस शकल में इख्तियार किया जावे. हुजूर वाला ! मेरे चन्द अमली Suggestions हैं जो मैं मजलिस के रूबरू पेश करता हूं: —

(१) फिलहाल सिर्फ लडकों के लिये यह असूल इख्तियार किया जावे, लडकियों से मुताल्लिक न किया जावे.

(२) ५ वर्ष से १० या ११ वर्ष तक लडकों की तालीम लाजिमी करार दीजावे.

(३) अपनी financial हालत पर लिहाज करते हुए इस असूल की पाबन्दी एक साथ न कीजाकर बतदरीज इस तरह पर की जावे कि,

(अ) रियासत के उन खास खास कौमों या जमाअतों के लडकों पर यह असूल लागू किया जावे जिनका रुझान आम तौर पर तालीम की तरफ है.

(ब) रियासत के किसी हिस्से या मुकामी रकबे में फिलहाल इस असूल की पाबन्दी की जावे जैसा कि रियासत बडौदा में किया गया था, या

(स) यह करार दिया जावे कि हरसाल कुल स्कूलों के तुलबा की तादाद में मुजमिलन कुछ इजाफा लाजिमी तौर पर किया जाया करे. ऐसा अमल Capt. Burke ने रियासत सांगली अहाता बम्बई में किया था.

(४) तालीम का मौजूदा type तरमीम किया जावे, सिवाय इसके कि लडके हरूफ-शनास बनकर १० या ५ किताबों को जबानी याद करलें और कुछ नफा मौजूदा तालीम से नहीं होता. तालीम पाकर हर लडका सरकारी मुलाजिमत करके मुंशी, बाबू बनना चाहता है और अपने बाप दादा के पेशे को दूर से ही सलाम करता है. हम किसी शख्स को ऐसी तालीम हासिल करने पर कानूनन मजबूर नहीं कर सकते जो फिलवाकई उसके मतलब की न हो.

(५) लाजिमी तालीम के मुतअल्लिक जो खर्चा हो उसके एक जुज का बार मुकामी म्युनिसिपेलिटियों पर भी डाला जावे.

हुजूर आली ! यह मेरे चन्द Suggestions हैं जो काफी गौर के मुहताज हैं. लिहाजा मैंने तरमीम पेश करके एक ऐसी कमेटी की कायमी की इस्तदुआ की है, जो स अहम असूल की बाबत काफी गौर करके दरबार मुअल्ला की खिदमत में एक मुकम्मिल स्कीम पेश करसके. मेरी राय नाकिस में अगर पोलिटिकल मेम्बर साहब, फाइनेन्स मेम्बर साहब,एज्यूकेशन मेम्बर साहब, बा.राजकुमार साहब, बाबू रंगलाल साहब व शंकरराव कदम कतरनीकर साहब, जिनको मरहठा लडकों की तालीम का खास तजरुबा है और इस लियाकत व तजरुबे के दीगर साहबान इस कमेटी में नामजद फर्माये गये तो ऐसी कमेटी जरूर एक उम्दा तजवीज तैयार करके दरबार की खिदमत में पेश कर सकेगी.

हुजूर वाला ! मैं नहीं चाहता कि आज ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमारी रियासत में लाजिमी तालीम करार देदीजावे. मैं यह नहीं चाहता कि जो लडके इस वक्त तालीम नहीं पारहे हैं वह कल से ही मदरसों में जबरन ठूंस दिये जावें. मैं यह भी नहीं चाहता कि दरबार मुअल्ला अपने दीगर महकमेजात के बजट को कम करके या जदीद टैक्स आयद करके आजही २० लाख रुपया लाजिमी तालीम के लिये मुहय्या करदें. मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि लाजिमी तालीम के असूल को तसलीम फर्माकर इसकी शुरूआत किस तरह पर हो और आयन्दा इसको बतदरीज किस तरीके पर वसअत दीजावे, उसके मुतअल्लिक तजवीज तैयार करने की गरज से लायक साहबान की एक सब-कमेटी मुकर्रिर फर्मादी जावे. बस हुजूर अनवर ! यही मेरा मुद्दआ और यही मेरी ख्वाहिश है. मुझे उम्मेद है कि गवर्नमेंट के मेम्बर साहबान इस सवाल पर काफी गौर फर्मावेंगे और हमारी जरूरियात महसूस फर्माते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिसपर कदम बढाते हुए हम अपना मकसद हासिल करसकें. इस उम्मेद के साथ मैं अपनी तरमीम पेश करता हूं.

एजूकेशन मेम्बर साहब—असल तजवीज कई तजावीज का मजमूआ है, उसके हर हिस्से और असल तजवीज की तरमीमी तजवीज के मुतअल्लिक अपने खयालात का इजहार करने के कब्ल मेम्बर साहबान मजलिस की वाकफियत के लिये चन्द वाकआत पेश करना मुनासिब समझता हूं. मेरा खयाल है कि इस वाकफियत से इन तजावीज के फैसला करने में मदद मिलेगी.

मौजूदा तरीका तालीम की जांच पड़ताल और उसमें इसलाह किए जाने की गरज से दरबार मुअल्ला ने थोडा अर्सा हुआ एक कमीशन कायम फर्माया है. यह कमीशन अनकरीब अपना काम शुरू करनेवाला है और बाद मुआइना स्कूल्स और बाद गौर उन Suggestions यानी सूचनाओं के जो पब्लिक की जानिब से उस के रूबरू पेश होंगी, अपनी सिफारिश मुरत्तिब करेगा. और कमीशन की रिपोर्ट आने पर दरबार मुअल्ला आयन्दा सिलसिला तालीम के मुतअल्लिक अपनी पालिसी कायम फर्मावेंगे.

गुजिश्ता जमींदारी कान्फरेन्स में जो सन १९२० ई० में ब मुकाम शिवपुरी मुनअकिद हुई जमींदारों के बच्चों की तालीम का मसला पेश होकर एक कमेटी मुकर्रर हो चुकी है जो देहाती तालीम के मुतअल्लिक स्कीम मुरत्तिब करने की कार्रवाई कररही है.

इन वाकआत से जाहिर होगा कि दरबार को कस्बाती (Urban) और देहाती (Rural) तालीम की इसलाह और सिलसिला तालीम को ठीक तरीकों पर कायम करने का किसकदर खयाल है. जाहर है कि तालीम के वसअत देने के मुतअल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन इस के साथ जरूरी है कि तालीम ठीक तरीकों पर दी जावे, ताकि तुलबा के दिलों में खराब tendencies पैदा नहों और तुलबा बाद तहसील इल्म मुफीद नागरिक साबित हों, जैसा कि हुजूर मुअल्ला दाम-

इकबालहू एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट सम्वत ७३,के रिव्यू में वजाहत के साथ इरकाम फर्माचुके हैं. इनके दिलों में राजभक्ति, देशोन्नत्ति और बड़े बूढ़ों की इज्जत का भाव पैदा हो और अच्छी तालीम देने के लिये यह भी जरूरी है कि जो लोग टीचर्स मुकर्रर किये जावें वह इस काम के लिये मौजूं और काबिल हों; चुनांचि हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू इसके मुतअल्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट सम्वत १९७१ के रिव्यू में हिदायत फर्माचुके हैं कि मौजूं स्टाफ के बगैर स्कूल का खोलना गलती है. रिव्यू मजकूर में हुजूर मोअल्ला ने जो हिदायत दी वह हस्ब जैल है: —

It is best policy to have under one's control few really well equipped schools with proper tutorial staff and things. Whenever it is contemplated to increase the number of schools it is best first to get a good staff before thinking of actually opening them. To open a school without good staff is a mistake.

असल तजवीज का मकसद यह है कि कुल रियासत में प्रायमरी एज्यूकेशन लाजमी करार दिया जावे, लेकिन जगमोहनलाल साहब ने अमली दिक्कतों का अहसास करके यह तरमीम पेश की है कि इस किस्म की तालीम की इब्तदा करने और बतदरीज वसअत देने की गरज से मुकम्मिल स्कीम तय्यार करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर कीजावे.

जिस असूल पर असल तजवीज और उसकी तरमीम मबनी है उससे इन्कार नहीं हो सकता लेकिन बहुतसी दिक्कतें इस तजवीज को कुल रियासत में या उस के किसी हिस्से में सरेदस्त अमल में लाये जाने के खिलाफ हैं:—

कुल रियासत या किसी हिस्से में तालीम को लाजमी करार देने के कब्ल इस अम्र का इन्तजाम करना लाजमी होगा कि तालीम पानेवाले तुलबा की तादाद के लिहाज से मुनासिब मौकों पर और काफी तादाद में स्कूल खोले जावें. इस मसले को हल करने के लिये यह भी देखना होगा कि:—

(१) क्या जबरिया तालीम का बार रिआया बहैसियत मजमूई बर्दाश्त करने के काबिल है?

(२) क्या काफी तादाद में स्कूल खोलने का इन्तजाम खातिर ख्वाह हो सकता है?

जबरिया तालीम का सिलसिला जारी करने पर ऐसे वाल्दैन की निस्बत, जो अपने बच्चों को तालीम के लिये न भेजें, सजा देने का provision लाजिमी होगा. इसके मुतअल्लिक यह सवाल पैदा होता है कि आया ऐसी सजाओं से रिआया का जिसकदर रुझानें तबियत तालीम की तरफ इसवक्त है उसपर खराब असर तो नहीं होगा.

सूरत मौजूदा यह है कि रिआया के दिलों में तालीम के मुतअल्लिक काफी दिलचस्पी नहीं है, स्कूल के लिये मौजूं और काबिल टीचर्स दस्तयाब होने में दिक्कत होती है, और बसा औकात ऐसे स्कूलों के लिये जो कस्बात से दूर फासले पर हैं महीनों तक उनकी जगह खाली रखना पडती है. अगर कुल रियासत में जबरिया तालीम का सिलसिला डाला जावे तो रियासत हाजा के रक़बे के लिहाज से बहुत ज्यादा तादाद में स्कूल्स खोलने की जरूरत होगी, जिनका इन्तजाम करना और उन स्कूलों को खोलने और चलाने में जो सर्फा कसीर होगा उसको बर्दास्त करना बसूरत मौजूदा करीब करीब नामुमकिन है. रियासत के किसी हिस्से में भी जबरिया तालीम के सिलसिले को शुरू करना बलिहाज उन दिक्कतों के जो मैंने बयान की हैं मुनासिब मालूम नहीं होता, जब तक रिआया के दिल में शौक पैदा होकर वह तन मन धन से तालीम के फैलाने में कोशां न हों तालीम की तरक्की खातिरख्वाह होना मुश्किल है. अगर अभी से जबरिया तालीम का सिलसिला जारी किया जावेगा

तो मेरे खयाल में आम तौर पर और खुसूसन उन वाल्दैन पर जो अपने बच्चों की तालीम के सर्फ को बर्दाश्त नहीं कर सकते इसका अच्छा असर नहीं पडेगा और अंदेशा है कि तालीम को वसअत तो दरकिनार, कहीं लोगों के खयालात तालीम के बरखिलाफ न हो जावें. असल तजवीज को पेश करनेवाले मेम्बर साहब ने इस बात को खुद ही महसूस करके यह सिफारिश की है कि जिन अशखास की हैसियत अपने बच्चों के तालीम देने की न हो उनको शहर के मुअज्जिज चन्दा करके इम्दाद दें. मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर कोई चन्दा न दे तो गवर्नमेन्ट उसको कैसे मजबूर कर सकेगी. इन कुल हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरी राय में Compulsory Education के मुतअल्लिक असल तजवीज और उसकी तरमीम जिसे जगमोहनलाल साहब ने पेश किया है कब्ल अज वक्त है और किसी सब-कमेटी के मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है.

असल तजवीज का दूसरा हिस्सा यह है कि स्कूलों में डाक्टरी मुआइने का तरीका रायज किया जावे.

Economic Development Board की सिफारिश पर दरबार मुअल्ला ने बजट की रकम का एक हिस्सा इसलिये मखसूस करार दिया है कि Educational Institutions यानी तालीमी संस्थाओं की आम हालत सुधारने के काम में लाया जावे. इस रकम को किन कामों में सर्फ किया जावे, इसके मुतअल्लिक मैंने बोर्ड की गुजिश्ता मीटिंग में जो तजवीज पेश की उसमें स्कूलों के तिब्बी मुआइना को भी शामिल कर दिया है. मेरी तजवीज एक कमेटी के सुपुर्द की गई है और बोर्ड के आयन्दा इजलास में स्कूलों के तिब्बी मुआइने का सवाल भी तय हो जावेगा.

स्कूलों में मजहबी तालीम दिए जाने का सवाल ऐज्युकेशन कमीशन के सुपुर्द किया जा चुका है.

आखिरी तजवीज के मुतअल्लिक सवाल यह पैदा होता है कि गवर्नमेन्ट से इस बारे में क्या इम्दाद दी जा सकती है. हर मुहल्ले में नेकचलन मेम्बर का मुन्तखिब करना अहले मुहल्ले के हाथ में है. गवर्नमेन्ट किसी को इस खिदमत के अंजाम देने के लिये मजबूर नहीं कर सकती. अगर कोई वाल्दैन अपने बच्चों की नाजबर्दारी उठाते हैं और उनकी जिद और मगरूरी में तरक्की देते हैं तो गवर्नमेन्ट इन मामलात में कैसे दस्तन्दाजी कर सकती है ? जो लोग अपने बच्चों को सादा लिबास के बजाय कीमती और रेशमी कपडे पहनाना चाहें तो वह सादा लिबास पहनाने पर मजबूर नहीं किये जासकते. इन कुल अमूर की इसलाह रिआया के अपने हाथ में है. मेरे खयाल में गवर्नमेन्ट की जानिब से मदाखिलत करीन मस्लहत न होगी.

हुजूर मुअल्ला—साहबान, यह बात आप याद रखें कि यह ऐसा मसला नहीं है जो महज गवर्नमेन्ट के कानून बनाने से तय होजावे. इसमें पब्लिक की तवज्जह और कोशिश की जरूरत है और जो हमारी मौजूदा हालत है उसपर गौर करके इस सवाल पर बहस करना चाहिये. स्पीचेज deliver करने, वोट देने और अखबारों में रिपोर्ट छपवाने के बाद अगर कोई नतीजा न निकले तो इस कार्रवाई को सिवाय फरजी के और क्या कहा जावेगा; इसलिये मैं आपकी तवज्जह खास तौर पर दिलाता हूं कि आपकी जिम्मेवरी तकरीरों के करने पर खत्म नहीं हो जाती; बल्कि सारी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर अमली तजवीज भी आपको बतलाना चाहिये.

तालीम के मुतअल्लिक मेरे जो खयालात हैं वह आप सब पर जाहिर हैं; लेकिन Supervising staff और Teaching staff ठीक न हो तो क्या किया जावे ? Supervising staff का तो यह हाल है कि मदर्से में गये, रजिस्टर हाजिरी पर नजर डाली, मास्टर का रोजनामचा देखा और कुछ न कुछ लिखकर चलदिये. नान-आफिशियल साहबान को टीचर को तरक्की दिलाने

की गरज से वाकआत के खिलाफ रिपोर्ट करने में तकल्लुफ नहीं होता. टीचिंग स्टाफ लडकों ो तोता की तरह पढाता है. मैंने अपने inspection में देखा है कि जब लडके से कहानी पढने लिये कहा गया तो उसने किताब पढदी. जब पूछा गया कि मतलब क्या है तो खामोश, जवाब कुछ नहीं देता, जैसे कि ग्रामोफोन में जो भरा होता है उसे वह सुना देता है वैसा ही यह लडके करते हैं. वालदेन और पब्लिक की तवज्जुह का अन्दाजा इसपर से कर लीजिये कि कितने लडके अपना कोर्स ख़त्म करते हैं ? कोई गुणा, भाग सीखने के बाद ही मदरसा छोड देता है, कोई त्रैराशिक से आगे नहीं बढता. मेरे खयाल से बहुत ही कम लडके पाबन्दी के साथ किसी खास Standard तक तालीम हासिल करते हैं. जब तक वालदैन अपने बच्चों को तालीम दिलाने का निश्चय नहीं करेंगे मतलब बरारी होना नामुमकिन है. तालीम देनेवालों के चाल-चलन का खयाल करना भी जरूरी है; क्योंकि इनका बहुत बडा असर बच्चों के चाल-चलन पर पडता है; इसलिये जरूरत है कि उस्ताद, शागिर्द, supervising staff, वालदैन और पब्लिक सब मिलकर इस तरफ तवज्जह करें और इस काम में मदद दें, वर्ना जैसे सितार के सब तार एक स्वर में बिला मिले सितार नहीं बजता वैसे ही इन सब के Co-operation के बिला कामयाबी नहीं होसकती.

इस वक्त तक जो नतायज तालीम के नजर आये हैं वह काबिल इत्मीनान नहीं कहे जासकते. लडकों में Discipline नहीं है. वह अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करते. अपने बाप को Country bred कहते हुए उन्हें शर्म नहीं आती और Authorities, जिन्होंने उन्हें तालीम मुल्क की खिदमत करने को दी है उन्हीं की वह मुखालिफत करते हैं. अखबारों में सिर्फ यह पढकर कि Egypt में उमरपाशा की गलती से ऐसा हुआ और जापान में फलां बात होने से रहगई, उनके दिमाग बिगड जाते हैं और वह किसी Constructive काम करने के लायक नहीं रहते. ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मामूली काम का शऊर नहीं है. ग्लास से पानी पीना तक जिन्हें मालूम नहीं है. उनकी काबलियत की नजीर यह है कि एक पासयाफ्ता साहब से मैंने एक काम का एस्टिमेट बनवाया जो उन्होंने ४० हजार का पेश किया, और उसी काम को दूसरे शख्स ने १२ हजार में कर देने का वायदा किया. क्या पूरनसिंह साहब तालीम याफ्ता और लायक शख्स नहीं हैं; मगर वह क्या कर रहे हैं ?

मेरी राय में खराबी तालीम की System की है और मेरा इरादा है कि मैं अपने यहां के schools को Allahabad University से disaffiliate कराऊं और खास System पर तालीम का इन्तजाम करूं.

मुझे यह देखकर तअज्जुब होता है कि जबान अंग्रेजी का रुतबा जबान मादरी को पहुंचता जाता है और जबान मादरी Foreign Language बनती जाती है. लोग बजाय ' तुम ' के टुम कहते हैं, और इसी किस्म की जबान बोलने को बायसेफख्र समझते हैं. मेरे खयाल में यह सख्त अफसोस की बात है. मेरी राय नाकिस में मादरी जबान को तालीम के Scheme में लाजिमी और important करार देकर अंग्रेजी को Second place देना दुरुस्त होगा. मुझे अपनी मरहठी पर खुद ही हिजाब मालूम होता है, जिसकी तालीम पर इब्तदा में जोर नहीं दिया गया था; अगर एज्यूकेशन compulsory देना करार पावे तो उसमें इस बात का खयाल रखा जावे, और compulsion की एक हद मुकर्रर करना चाहिये.

साहबान, मेरी line of policy इस तकरीर से जाहिर होगई होगी; मुमकिन है कि जो खयाल मेरा है उसमें गलती हो; इसलिये मैंने एक कमीशन मुकर्रर किया है जो दौरा करके एक मुकम्मिल स्कीम पेश करेगा. मेरी राय में मुनासिब होगा, अगर आप भी उस स्कीम की रिपोर्ट पर

गौर करलें और मेरा खयाल है कि इस मसले के हल करने में इस कमीशन की रिपोर्ट से आपको इमदाद मिलेगी.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—मेरी राय में कमीशन की रिपोर्ट का इन्तजार करना ठीक होगा.

लिहाजा हस्ब इत्तफाक राय आम करार पाया कि एज्यूकेशन कमीशन के साथ इस मसले पर गौर किया जावे.

इसके बाद मजलिस ने रिफरेशमेन्ट ली.

तजवीज १६, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कानून दरबारे खिलाफवर्जी मजदूरान व पेशेवरान, मजर्ये संवत १९६८, का तअल्लुक जुम्ला पेशेवरान व मजदूरान मुतअल्लिके जिराअत पेशा से भी होना मुनासिब है और उसमें काश्तकारों के बाटेदार भी जो तीसरे बाटे पर काश्तकारों के साथ अपनी जाती खिदमात का मुआहिदा करते हैं शामिल होना चाहिये और वह मुलाजिमान जो जरे पेशगी लेकर किसी मुद्दत तक मुलाजिमत करने का मुआहिदा करते हैं शामिल होना चाहिये. एन वक्त पर जब ऐसे लोग काम छोड देते हैं या एक काश्तकार के आदमी दूसरे के नजदीक चले जाते हैं तो जमींदारों और काश्तकारों को निहायत मुशकिल का सामना होता है और आबादी उस्तवारी में बहुत दिक्कत होती है.

इस तजवीज को पेश करते हुए अहमद नूरखां साहब ने कहा:—

इस मसले पर काफी बहस होचुकी है. मुझे अब सिर्फ इतना अर्ज करना है कि बांट के काश्तकारान भी जुमरए मजदूरान में शामिल करदिये जावें ताकि जो दिक्कतें आबादी उस्तवारी में होती हैं वह पेश न आवें.

विट्ठलदास साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब—बात थोडी सी है, मेरी राय में एक सब-कमेटी मुकर्रर करदी जावे जिस के मेम्बर मुजव्विज अहमद नूरखां साहब, गुरुदयाल साहब, जगमोहनलाल साहब, जमनादास झालानी साहब, और वाटवे साहब हों और वह इस मसले पर गौर करके अपनी रिपोर्ट पेश करें.

चुनांचे हस्ब इत्तफाक राय आम यह कमेटी मुकर्रर की गई.

तजवीज १७, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

मुतवफ्फियान लावारिस की तजहीज व तकफीन के लिये जो सरफा कि इस वक्त दिया जाता है निहायत नाकाफी है. लकडी, कंडा निहायत गिरां हो गया है, गोरकन की मजदूरी भी पहिले से अब ज्यादा लगती है; लिहाजा कम अज कम एक नाश की तजहीजो-तकफीन के लिये ७) मिलना चाहिये. जहां सेवासमिति, सभा या अंजुमन इम्दाद मसाकीन लावारिस कायम हों वहां यह सरफा उस सभा या अन्जुमन को दिया जावे कि वह बाकायदा उस आईन के जिसका तवफ्फी पाबन्द था, तजहीजो तक्फीन करा दे और जहां ऐसी अंजुमन या सभा न हो वहां के लोगों को इसकी तरगीब दिलाई जावे.

इस तजवीज को पेश करते हुए अहमदनूरखां साहब ने कहा :—

साहिबान को मालूम है कि इस जमाने में सब चीजें गिरां होगई हैं और उनके बायस मजदूरी भी सस्ती नहीं रही है, जिसका असर लावारिस मुतवफ्फी की तजहीजोतकफीन पर पडता है. जो रकम

२) सरकार से इस काम के लिये मुकर्रर है उसमें मुर्दों की तजहीजोतकफीन नहीं हो सकती है और अगर की जाती है तो मजहबी कानून के खिलाफ अमल करना लाजिम आता है जो दुरुस्त नहीं. अब तजहीजोतकफीन ७) से कम में नहीं हो सकती है, और इसलिये ७) मिलने का मेरी राय में इन्तजाम होना चाहिये.

गुरुदयाल—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

रामप्रताप साहब—मुझे भी इस तजवीज से इत्तफाक है; मगर यह सर्फा पब्लिक चन्दा से करना चाहिये.

लॉ मेम्बर साहब—लावारिस मुर्दों की तजहीजोतकफीन के लिये संवत १९५३ तक २) की रकम दी जाती थी. बाद में ४) हो गये, इसके बाद इस रकम में इजाफा किये जाने की कहीं से रिपोर्ट नहीं आई. और मेरे खयाल से तजहीज व तकफीन के लिये रियासत के मुख्तलिफ परगनात में एक ही रकम की जरूरत नहीं होती जैसे कि लश्कर, जहां एक अंजुमन इस खास काम के लिये कायम है. अलावा इसके यह नहीं कहा जासकता है कि एक रकम हर जगह के लिये मुनासिब होगी; इसलिये मुकामी लिहाज से इस सर्फे के मुतअल्लिक जो रिपोर्ट आवेगी उनपर गौर किया जावेगा.

अहमदनूरखां साहब—मेरी राय है कि एक सब-कमेटी इस मुआम्ले पर गौर करने के लिये बनाई जावे.

लॉ मेम्बर साहब—दरबार की पॉलिसी आपको मालूम होगई कि दरबार सर्फा बढाने को तैयार हैं, अब सब-कमेटी इस मुआमले में मजीद कार्रवाई क्या करेगी ? यह काम डिस्ट्रिक्ट जज के मुतअल्लिक है और हर जिले की जरूरियात मुख्तलिफ हैं. इसलिये इस मामले में जिलों से रिपोर्ट आने पर गौर किया जावेगा.

मजलिस ने राय लॉ मेम्बर साहब मंजूर की.

तजवीज १८, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है :—

देहात में जुगराफिया पढाई वगैरा की मामूली तालीम के बजाय अगर जमींदारी कोर्स की तालीम दीजावे तो वह ज्यादा मुफीद साबित होगी.

मुजव्विज अहमदनूरखां साहब ने अपनी इस तजवीज को यह कहकर वापिस ले लिया कि एज्यूकेशन कमीशन चूंकि मसलए तालीम पर गौर कर रही है और वह इस खास तजवीज पर भी गौर कर लेगी. लिहाजा मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज १९, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

जमाने इन्फ्ल्युएन्जा में यूनानी इलाज ज्यादातर मुअस्सिर साबित हुआ है और दीगर अमराज वबाई में भी मखलूक का इस इलाज के साथ ज्यादा अकीदत है; लिहाजा अस्पतालों के सिवाय म्युनिसिपेलिटी की आमदनी से एक २ तबीब उन मुकामात पर जहां म्युनिसिपेलिटी है, रक्खा जावे तो रिआया की आसायश का बाइस होगा.

यह तजवीज अहमदनूरखां साहब ने पेश की.

हुजूर मुअल्ला—मैं मूवर (mover) की इत्तला के लिये कहता हूं कि म्युनिसिपेलिटियों से बहुत सी उम्मेद नहीं रखना चाहिये. म्युनिसिपेलिटियों की हालत अच्छी नहीं है. मेम्बरों ने अपना काम भेड बकरियों की तरह लडना समझ लिया है, शहर की सफाई की तरफ उनकी तवज्जुह नहीं है. शहर की Improvement में वह दिलचस्पी नही लेते, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि सडकों की कैसी हालत है, और अगर मेहतर झाडू भी न लगावें तो उन्हें फिक्र नहीं. आमदनी बढाना नहीं चाहते बल्कि यह चाहते हैं कि जो टैक्स लगा हुआ है वह भी माफ करदिया जावे. ऐसी हालत में मूवर (Mover) साहब चाहते हैं कि म्युनिसिपेलिटीज पर एक और नया बार डालाजावे. मैं नहीं जानता कि इसमें क्या कामयाबी होगी. खास लश्कर म्युनिसिपेलिटी की हालत इतनी खराब है कि उसे अब मुझे खुद देखना पडेगा. सराफे में दाऊलाल की गली को देखिये कि कितनी गलीच है मगर कोई देखता नहीं है. नया टैक्स लगाने नहीं देते; अगर टैक्स नहीं लगाते तो ठेकेदारों से कम मुनाफे पर सस्ता काम कराना चाहिये.

अहमदनूरखां साहब—हुजूर, लोग ज्यादातर यूनानी इलाज कराते हैं और इसलिये उसे तरक्की देना मुनासिब होगा.

विट्ठलदास साहब—मैं अहमदनूरखां साहब की ताईद करता हूं.

होम मेम्बर साहब—इस सवाल के सिलसिले में दो तीन बातें मैं जाहिर करना मुनासिब समझता हूं. अव्वल मुजव्विज साहब ने यह राय जाहिर फरमाई है कि यूनानी शफाखाने हुदूद म्युनिसिपेलिटीज के अंदर कायम किये जावें, मगर म्युनिसिपेलिटीज Duly constituted bodies हैं, वह अपने कानून कायदे के मुताबिक काम करती हैं, अपना बजट बनाती हैं और उसके मुताबिक खर्च करती हैं; अगर म्युनिसिपेलिटियां चाहें और उनके बजट में गुंजायश हो तो वह यूनानी शफाखाने खोलसकती हैं.

दोयम यह कहा गया है कि इन्फ्लूएंजा में यह इलाज ज्यादा मुफीद साबित हुआ. जहां तक मैडिकल डिपार्टमेंट का तअल्लुक इस मामले से है, यह नतीजा अभी नहीं निकाला जासकता है. यह सच है कि डाक्टरी इलाज के मुकाबले में लोगों को वैद्यक और यूनानी इलाज पर ज्यादा भरोसा है और इससे लोगों को फायदा भी ज्यादा पहुंचता है, मगर इन्फ्लूएन्जा के जमाने का हासिल किया हुआ नतीजा कोई खास असर नहीं रखता है; अगर इस इशारे से मुराद यह है कि इस बारे में दरबार की हमदर्दी हासिल की जावे और यूनानी अस्पताल खुलवाये जावें तो इसकी निस्बत मुझे यह अर्ज करना है कि दरबार ने तीन यूनानी और तीन वैद्यक अस्पताल कायम किये हैं और अगर इनसे दरबार की मन्शा पूरी हुई तो आयन्दा दरबार इस तादाद में इजाफा करने को और इस System को तरक्की देने को तैयार हैं; मगर इसके साथ ही यह जाहिर करना भी जरूरी है कि इन शफाखानों से सरजरी (Surgery) की इमदाद बिलकुल नहीं मिलेगी, और यह बात यकीनन आप की नजर में भी होगी; लेकिन इस काम का एक दो साल का तजुरबा हासिल होजाने के बाद इस जरूरी पहलू पर भी गौर किया जासकेगा.

अहमदनूरखां साहब—म्युनीसिपेलेटियों का बजट हैड ऑफिस से मंजूर होकर जाया करता है, पारसाल शाजापुर की म्युनीसिपेलिटी ने एक रकम यूनानी इलाज के लिये अपने बजट में लगाई थी मगर वह नामंजूर करदी गई.

मेम्बर फार म्यूनिसिपेलिटीज—इमसाल ऐसी कोई रकम नामंजूर नहीं कीगई, पारसाल का हाल मुझे मालूम नहीं है.

हुजूर मुअल्ला ने रूलिंग सादिर फरमाया कि जब म्युनिसिपेलिटियों और टाउन कमेटियों के बजट हेड ऑफिस में आवें तो इस किस्म के सर्फ को गैरजरूरी समझकर नामंजूर न किये जावें बल्कि दूसरे सर्फ जोकि गैरजरूरी मालूम हों वह नामंजूर किये जासकते हैं.

रामजीदास साहब—तजवीज में महज यूनानी इलाज का जिक्र है, मेरे खयाल में आयुर्वेदिक और इजाफा किया जावे.

हुजूर मुअल्ला—मेरी गर्ज आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों से है.

तजवीज २० एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

बाज मुकामात पर मुतअल्लिक मंदिर, मसजिद ऐसी जायदाद है कि जिनका तअल्लुक बाकायदे सीगे औकाफ से नहीं है और इस वजह से कि वह परस्तिशगाह किसी खास खानदान से तअल्लुक नहीं रखतीं, उसपर हक मुतवल्लियत भी किसी को हासिल नहीं होता, इस वजह से उस जमाअत के लोगों में जिसकी वह परस्तिशगाहें हैं कभी बवजह इख्तलाफ राय तनाजात पैदा होते हैं और कभी वह सरमाया किसी खास शख्स के जेर असर बेमहल खर्च होता है. ऐसी सूरत में मुनासिब होगा कि जिस मजहब या फिरके की वह परस्तिशगाह हो, बइत्तफाक उसी जमाअत या फिरके के अजला में सूबे साहबान व परगनात में तहसीलदार साहबान उसके इन्तजाम के लिये उसी जमाअत या फिरके से कुछ लोगों को मुन्तखिब कर और एक दस्तूरुल अमल बना दिया जावे कि मुन्तखिबशुदा अशखास उसकी पाबन्दी करें और मम्बरान औकाफ कमेटी खास तौर पर निगरानी करते रहें. ऐसा करने से बाहमी तनाजआत पैदा न होंगे और सरमाया बेमहल सर्फ न होगा.

इस तजवीज को अहमदनूरखां साहब ने पेश किया.

अब्दुल हमीद साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब—इस तजवीज की इबारत से ब जाहिर ऐसा मालूम होता है कि तजवीज पेश करनेवाले साहब का यह खयाल है कि कानून मजहबी औकाफ कमेटी की मन्शा यह है कि रियासत हाजा की कुल परस्तिशगाहें सेन्ट्रल औकाफ कमेटी की निग्रानी में आजाना चाहिये. इस सवाल के शुरू हिस्से की इबारत यह है कि बाज मुकामात पर ऐसी इबादतगाहें हैं कि जिनका तअल्लुक बाकायदा सीगे औकाफ कमेटी से नहीं है. दीगर अलफाज में इसका मतलब यह मालूम होता है कि कुल परस्तिशगाहों का तअल्लुक सीगा औकाफ से होना चाहिये, मगर इस वक्त तक बाज २ मुकामात पर ऐसी परस्तिशगाहें मौजूद हैं कि जिनका तअल्लुक बाकायदा सीगे औकाफ से नहीं किया गया है. कानून मजहबी औकाफ का यह मन्शा हरगिज नहीं है. औकाफ कमेटी की निग्रानी में पब्लिक परस्तिशगाहें सिर्फ एक खास हालत में आसकती हैं जैसा कि दफा २३, कानून मजकूर में दर्ज है, यानी अगर किसी जमाअत या फिरके की तरफ से यह ख्वाहिश की जाय कि उस जमाअत या फिरके की कोई परस्तिशगाह जेर इन्तजाम कमेटी लाई जावे तो बमंजूरी दरबार ऐसी इस्तदुआ मंजूर की जासकती है. सिवाय इस एक खास हालत के और किसी शक्ल में परस्तिशगाह की निग्रानी या उसका इन्तजाम औकाफ कमेटी की जानिब से नहीं होसकता. जहां किसी परस्तिशगाह का इन्तजाम किसी जमाअत या फिरके

मुतअल्लिका की ख्वाहिश के मुताबिक न हो तो वहां यह सवाल पैदा होता है कि उसकी इसलाह किस तरीके से की जावे. मसलन अगर एक मसजिद के मुतअल्लिक चंद दूकानें वक्फ करदी गई हों और कोई शख्स ऐसी वक्फशुदा जायदाद को जायज तौर से सर्फ न करके उसपर खुद तसर्रुफ करे, तो सवाल यह है कि उस परस्तिशगाह के मुतअल्लिकीन को क्या चाराकार हासिल है. इसका जवाब यह है कि या तो दफा २३ के मुताबिक, जिसका हवाला अभी दिया गया है, कार्रवाई की जाये, या जाब्ता दीवानी, दफा ४७७, के मुताबिक अदालत दीवानी में नालिश की जाये. तावक्ते कि दफा २३ के मुताबिक उस फिरके या जमाअत की कसरत राय से औकाफ कमेटी बाद मंजूरी दरबार अपनी निग्रानी में न ले, या अदालत दीवानी के हुक्म से किसी परस्तिशगाह का इन्तजाम कमेटी के सुपुर्द न किया जावे, न सिर्फ मौजूदा कानून के मुताबिक परस्तिशग. ।र औकाफ कमेटी को किसी किस्म की निग्रानी रखने का इख्तियार हासिल है और न उसूलन ऐसा इख्तियार होना चाहिये. अगर औकाफ कमेटियों को आम इख्तियारात पब्लिक परस्तिश-गाहों के इन्तजाम और निग्रानी के दिये जायें तो शायद ऐसा अमल बायस शिकायत होगा और लोगों को यह कहने का मौका मिलेगा कि मजहबी मुआम्लात में दरबार की जानिब से बिला वजह दस्तन्दाजी की जाती है. इन वजूहात से, मेरे खयाल में, मौजूदा अहकाम बिल्कुल काफी हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है.

अहमदनूरखां साहब—यह खैराती काम है. लोग कहते हैं कि झगडा कौन करे. उज्जैन में हुजूर मुअल्ला ने दो हजार रुपये काजी साहब के लडकों की तालीम के लिये अता फरमाये थे और चंदा भी हुआ था, मगर झगडे पडे हुए हैं और वह नागुफ्तबह हैं. इसलिये मेरे खयाल से मेरी तजवीज पर अमल करना गोया झगडों की बुनियाद का काटना होगा.

झालानी साहब—मेरी राय में दफा ४७७ काफी है और इसी में यह भी कहा गया है कि ऑफिसर भी मुकर्रर हो सकता है.

लॉ मेम्बर साहब—फर्ज कीजिये कि लॉ मेम्बर ऑफिसर मुकर्रर हुआ. मगर वह क्या करेगा ? इसका इन्तजाम जमाअत खुद कर सकती है और मेरे खयाल में ऑफिसरान दरबार को उसमें शरीक करने से पेचीदगियां पैदा करना होगा और इसलिये इस रास्ते को छोड कर आमिलाना तरीक से ही काम करना चाहिये.

रामजीदास साहब—धर्मादा की सब-कमेटी की रिपोर्ट के साथ इस सवाल पर भी गौर किया जा सकता है. उसी वक्त यह सवाल पेश क्यों न हो ?

हस्ब इत्तफाक राय आम तजवीज हुआ कि धर्मादा सब-कमेटी की रिपोर्ट के साथ इस तजवीज पर भी गौर किया जावेगा.

चौथा दिन.

शनिवार, तारीख २२ अक्टूबर सन १९२१ ई०
इजलास मजालिस ब सदारत ले० क० सर आपाजीराव साहब शीतोले,
सुबह ८ बजे से शुरू हुआ.

तजवीज २१, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

इलाके दरबार से हजारहा मन चमडा अर्जां कीमत पर बाहर जाता है और फिर उसका गिरां कीमत माल तय्यार होकर आता है. लिहाजा इलाके दरबार में अगर ऐसे कारखाने खोले जावें कि यहां चमडा पकाया जावे और उसका सामान तय्यार कराया जावे तो फायदे की सूरत है. इस काम के लिये या तो कारखाने खोलने के लिये माहरीन फन जमा किये जावें या यहां के लोगों में जो इस काबिल हों इन्तखाब करके उन को तालीम दिलाई जावे.

इस तजवीज को अहमदनूरखां साहब ने पेश किया और इस की ताईद द्वारिकादास साहब, वाटवे साहब, बन्सीधर साहब व रामप्रताप साहब लूम्बा ने की.

जहांगीर बहमनशा साहब वकील—मुझे भी इस तजवीज के साथ इत्तफाक है, मगर मेरी राय यह है कि इस सवाल पर एकानॉमिक डिवेलपमेन्ट बोर्ड गौर करे.

ट्रेड मेम्बर साहब—साहिबान की तकरीरों से मालूम होता है कि उन्होंने अपने यहीं के Tariff (टैरिफ) पर गौर नहीं किया है और उनकी वाकफियत के लिये मैं यह जाहिर करना मुनासिब खयाल करता हूं कि यहां आध आना फी रुपया टैरिफ ड्यूटी और आठ आना फी चमडा कच्चे चमडे पर Protective Export Duty ली जाती है और भेड बकरी के कच्चे चमडे पर भी इसी किस्म की ड्यूटी है और पक्के चमडे पर भी आध आना महसूल लिया जारहा है, इससे गवर्नमेन्ट की पॉलिसी जाहिर होती है. इस दस बरस के अर्से में टेनिंग के काम में यहां तरक्की हुई है; मगर फिर भी चमडा बाहर को जाता है और इस का जाना उस वक्त तक बन्द नहीं होगा जब तक कि यहां के लोग इस काम में खुसूसियत के साथ दिलचस्पी न लेंगे. दरबार ने लाख, सवा लाख रुपया खर्च करके टैनरी बनाई है. यहां यूरोप और अमेरिका से काम सीखकर आये हुए लोग काम करते हैं और जिन साहबों को इस काम के सीखने का शौक हो उन को काम सिखाया जा सकता है. एक साहब ने दरख्वास्त भी दी है कि मुझे टेनिंग का काम सीखने के लिये दरबार के जानिब से गैर मुल्क में भेजा जावे या रुपया कर्ज दिया जावे. और उन की दरख्वास्त सिफारिश के साथ इकॉनामिक डिवेलपमेन्ट बोर्ड में भेज दी गई है. इस से दरबार की दिलचस्पी का हाल जाहिर होगा.

अगर कच्चे चमडे पर कटती महसूल और भी ज्यादा बढा दिया जावे तो फायदा उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक यहां के लोग टैनरीज कायम न करें, वर्ना मालकान चमडा को नुकसान पहुंचेगा. इस के साथही यह बात भी जाहिर करने के लायक है कि यहां इस तिजारत को बहुत तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि मुरदा जानवरों के चमडे से इस तिजारत को फरोग नहीं होता, मजबूहा जानवरों के चमडे ज्यादा कीमती होते हैं.

द्वारकादास साहब—कच्चे चमडे की निकासी बिलकुल क्यों न रोक दी जावे और सिर्फ पक्का चमडा बाहर जाने पावे. इस से महसूल ज्यादा आवेगा और टेनिंग का काम करने के लिये लोग मजबूर हो जावेंगे.

प्रेसीडेन्ट साहब—दरबार की पॉलिसी और अमल ट्रेड मेम्बर साहब ने जाहिर किया है, अब आप यह फरमावें कि आप की राय किस के साथ इत्तफाक करती है.

गुरुदयाल साहब—मुझे ट्रेड मेम्बर साहब की राय से बिलकुल इत्तफाक है.

केशवराव बापूजी साहब—मैं भी ट्रेड मेम्बर साहब से इत्तफाक करता हूं.

वोट लेने पर कसरत राय से करार पाया कि टेनिंग के बाबत जो कुछ किया जारहा है वह काफी है.

तजवीज २२, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

ज्यादातर वारदात अकवाम खानाबदोश करते हैं. अजां जुम्ला अकवाम सांसी की माश का दारोमदार फकत लूट मार पर है और इस वजह से कि यह लोग जहां जाते हैं हुकूमत इनको वहां से निकाल देती है. यह कोई माश भी पैदा नहीं कर सकते. मुनासिब होगा कि अकवाम सांसीय, कनजरान के लिये मखसूस और दीगर खाना-बदोश अकवाम के लिये उमूमन आबादी का इन्तजाम फरमाया जावे और उनकी निग्रानी आबाद हो जाने के बाद मोघियों की तरह रखी जावे और वह तमाम हिदायत जो मेन्यूअल अकवाम जरायम पेशा में हैं उनका बरताव इनके साथ रखा जावे; ताकि वह काश्तकारी या मजदूरी के जरिये से अपना गुजर करें और उनकी आयन्दा होनेवाली नसलों के लिये सुतारी, लुहारी, कपडा बुनना, चमडा पकाना, वगैरा २ पेशों के काम की तालीम का इन्तजाम फरमाया जावे.

अहमद नूरखां साहब ने तजवीज को पेश करते हुए कहा:—

सांसियों से मखलूक कितनी परेशान है यह आप सब साहबान से पोशीदा नहीं. मगर वह क्या करें? इस वक्त तक कोई कानून नहीं है, जिससे उनकी रोक की जावे. वह भूखे मरते हैं और जरायम पेशा कौम है, इसलिये वह ऐसा करने पर मजबूर हो गये हैं. और शुदा २ उनकी हालत यह हो गई है कि लोग उनसे खौफ खाते हैं और जो लोग उनकी मुखबिरी करते हैं उनकी वह खबर भी लेते हैं. मेरी राय में यह मुनासिब होगा कि मोघियों की तरह उन्हें भी आबाद कराया जावे. घोडे व हथियार वह न रख सकें ताकि उनकी जरायम करने में रोक हो सके. उनके छोटे बच्चों की तालीम का इन्तजाम किया जावे; ताकि कुछ जमाने के बाद इस कौम में इसलाह हो जावे.

अब्दुल मजीद साहब—मुझे अहमदनूर खां साहब की तजवीज से इत्तफाक है. इससे दो फायदे होंगे, एक वारदातें बन्द हो जावेंगी, दूसरे जरायम पेशा कौम अच्छी बन जावेगी.

जमनादास साहब झालानी—मुझे भी इस तजवीज से इत्तिफाक है. मासिवाय उन्होंने रिआया को परेशान कर दिया है. एक रियासत में वारदात करके दूसरी में भाग जाते हैं और वहां से वारदात करके तीसरी में भाग जाते हैं.

जहांगीर बहमनशा साहब वकील—मैं भी इस तजवीज को Support करता हूं. इस क्लास को नेक चलन बनाने से Labour की तादाद में बेशी होजावेगी और इनके चाल चलन में इसलाह करने के लिये वही तरीके इख्तियार किये जावें जो Salvation Army इख्तियार करती है.

होम मेम्बर साहब—इस सवाल के दो जुज हैं. एक तो वह जिसमें तअल्लुक गैर रियासत से होता है यानी Foreign. दूसरा मुतअल्लिक अन्दरूनी इंतजाम. जो तजवीज पेश है उसकी दिक्कत पर दरबार अर्से से गौर कर रहे हैं. अन्दरूनी इन्तजाम के अलावा दीगर रियासतों की पॉलिसी इनके मुतअल्लिक जबतक हमारी जैसी न होजावे उस वक्त तक खातिर ख्वाह इन्तजाम नहीं होसकता. इस सवाल पर रियासत हाय गैर से मशवरा करने के लिये यह मामला Princes Conference में भी रखा गया, मगर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई माकूल इन्तजाम हो सकेगा. लिहाजा इतना करने के बाद दरबार ने यह मुनासिब समझा है कि दीगर रियासतों के जवाब के इन्तजार में रहने के बजाय अन्दरूनी इन्तजाम के मुतअल्लिक Criminal Tribes Manual तय्यार कराई जावे. वह तय्यार होकर मजलिस खास में करीब २ पास हो चुकी है और जिसका अमल दरामद अनकरीब शुरू होने वाला है. इसके साथ ही मैं आपको यह इत्तला भी देता हूं कि इस Manual में कवाअद क्या बनाये गये हैं ? जिस कौम को जरायम पेशा करार देने की जरूरत अज जानिब रिआया या पुलिस महसूस होगी, उसकी वाकफियत फार्म मुजव्विजा में भरकर और वजूहात दर्ज करके दरबार में पेश करना होगा. अगर दरबार का इत्मीनान हो गया कि कौम मजकूर का जरायम पेशा करार देना जरूरी है तो वह कौम जरायम पेशा कौम declare की जावेगी. Declare शुदा कौम का registration सूबा साहब करावेंगे और इसमें दो किस्म होंगी. एक खतरनाक जरायम पेशा और दूसरी मामूली जरायम पेशा. मामूली तौर से जो लोग जरायम पेशा करार दिये जावेंगे उनके लिये यह कैद लगाई जावेगी कि वह बिलाहुसूल सर्टिफिकेट एक जगह से दूसरी जगह न जा सकें. खतरनाक लोगों के रहने के लिये खास २ मुकामात नामजद कर दिये जावेंगे, जैसे कि मीरकाबाद में एक एग्रीकलचरल कालोनी कायम की गई है. मुकाम सैंसई में Industrial settlement जारी किया जाने वाला है और तीसरा सेटिलमेन्ट Labour supply settlement होगा.

खतरनाक जरायम पेशा लोगों को सैंसई के Industrial settlement में रखा जावेगा और वहां Cottage Industry को फरोग दिये जाने की तदाबीर की जावेंगी. Labour settlement उज्जैन में होगा और वहां के Mill Owners को इस settlement से मजदूर बहम पहुंचाये जावेंगे.

अब यह सवाल पैदा होता है कि एग्रीकलचरल सेटिलमेन्ट के साथ Industrial settlement कायम करने की जरूरत क्या थी. इसका जवाब यही है कि लोग काश्तकारी में साल भर तक engage नहीं रह सकते हैं और फुर्सत के वक्त अगर उन्हें किसी काम पर न लगाया जावे तो वह जरायम करने को भाग निकलेंगे. इसलिये इन्हें साल भर तक engage रखने के लिये Industrial settlement की जरूरत है.

जो लोग साल भर तक इस सेटिलमेन्ट में रहेंगे उनके reform हो जाने के बाद बतौर prize के उन्हें वहां से हटाकर मीरकाबाद Agricultural settlement में भेज दिया जावेगा, क्योंकि इस कालोनी में बनिस्बत इंडस्ट्रीयल कालोनी के आजादी ज्यादा होगी. इसके अलावा और भी बहुतसे कवाअद हैं जिनमें इन्तजाम और सजा वगैरा का काफी जिक्र है; लेकिन मुझे उम्मेद है कि जो कुछ मुख्तसरन यहां बयान किया गया है उससे मुजव्विज साहब को इत्मीनान हो जावेगा और यह बात खयाल में आजावेगी कि दरबार की पूरी तवज्जह इस जानिब है.

हुजूर मोअल्ला—क्या होम मेम्बर साहब ने जो कुछ बयान किया उससे मजलिस का इत्मीनान हुआ. (आवाज आई, इत्मीनान हो गया) और—

अहमदनूरखां साहब ने अपनी तजवीज वापिस ली.

तजवीज २३, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुज़ूर में सिफारिश करती है कि—

रिआया की आम फेहमायश के लिये जो एहकाम दरबार हों, उन्हें वालिये मुल्क के फायदे व वजूहात न समझने की वजह से ख्वाह समझदार हों या बे समझदार, हाकिम हों या रिआया उनको जब तक अच्छी तरह अपना फर्ज समझकर अमल में लाने की कोशिश न करेंगे, तब तक अहकाम की ठीक पावन्दी होना मुश्किल है आर होती है तो बेगारिया जोर जुल्म समझ कर वास्त अहकाम का पब्लिक में उन मादेदार साहबान द्वारा जो कि अपन मोहल्ले व समाज में कदरदान हों या उन स्कूल व कालिजों के मादेदार मास्टरों, हैड मास्टरों व प्रिन्सपलों द्वारा प्रचार होना चाहिये जो दरबार व रिआया के फायदे बतलावें. सिर्फ एहकाम की ठीक पावन्दी होना ही सबसे पहली बात है

इस तजवीज को करमचन्द साहब कोठारी ने पेश करते हुए कहा:—

दरबार के जो हुक्म होते हैं उन का हाल सब को मालूम नहीं होता. हर मौजे में सूबे, कमासदार व नायब कमासदार व दूसरे ऑफिसर जाते हैं मगर वह दरबार हुक्म को पढ़कर नहीं सुनाते, ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि दरबार के हुक्मों की सब को आगाही हो जाया करे.

रामप्रताप साहब लूम्बा—मैं ताईद करता हूं.

रामजीदास साहब वैश्य—मैं इस तजवीज की इसलिये मुखालफत करता हूं कि जो बात तजवीज में चाही जाती है वह मुमकिन नहीं है. मुजव्विज साहब की राय है कि अहकाम दरबार मारफत मुदर्रिसों के हाकिमों को समझाये जावें. मुझे यह सुनकर तअज्जुब होता है. क्या मुजव्विज साहब बतला सकेंगे कि ऐसा कौनसा हाकिम है जो दरबार हुक्म को न जानता और समझता हो? रिआया को समझाने के लिये काफी जराये दरबार के अहकाम के समझने के हो गये हैं और जयाजी प्रताप में ज्यादातर मजामीन गैर सरकारी लोगों की वाकफियत के लिये दरबार के एहकाम के मुतअल्लिक निकला करते हैं.

टोडरमल साहब, विट्ठलदास साहब व सेठ मानकचंद साहब ने लाला रामजीदास साहब के साथ इत्तफाक जाहिर फरमाया.

ट्रेड मेम्बर साहब—कई साहबान ने इस तजवीज से इख्तलाफ किया है और मुझे भी इस तजवीज से इत्तफाक नहीं है. दरबार के अहकामात को पढाने और समझाने का इन्तजाम करना एक अहम मसला है. खुसूसन स्कूल मास्टरों को यह काम सुपुर्द करना और भी काबिल गौर होगा. दरबार के अहकामात की इशाअत का जरिया गजट व अखबार हो सकते हैं और इस गर्ज को पूरा करने के लिये गवर्नमेन्ट गजट और जयाजी प्रताप मौजूद हैं. चूंकि लोग इन अखबारों को बहुत कम खरीदते हैं, इसलिये आमतौर पर वाकफियत न होती होगी. इसके अलावा जमींदार हितकारी सभा के उपदेशक जो हर परगना में हैं, उनके जरिये स भी लोगों को दरबार के खास खास अहकामात की खबर होती है.

जगमोहनलाल साहब—जैसी यह तजवीज है ऐसी ही तजवीज नंबर २४ है और मैं इन दोनों तजवीज से इख्तलाफ करता हूं; अगर कोई हाकिम या मुलाजिम सरकारी अहकाम दरबार से वाकफियत न रखता हो तो इसकी बाबत ऐतराज करने की जगह मेरे खयाल से यह मजलिस नहीं है; अगर ऐसा वाका है तो मुजव्विज साहब को सही तरीका इख्तियार करना चाहिये.

अब रहा सवाल रिआया का, अहकाम का काफी तौर पर मुश्तहर करना गवर्नमेन्ट का फर्ज है और एहकाम के मुश्तहरी होने के बाद रिआया का यह फर्ज है कि उनसे वाकफियत हासिल करे

और यह फर्ज खास कर ऐसे लोगों का है जो रिआया के लीडर कहे जाते हैं. मस्लन जमींदार, नम्बरदार वगैरह. इन साहबों का खास फर्ज है कि वह दरबार के अहकाम की रिआया को वक्तन फवक्तन वाकफियत कराते रहें. गवर्नमेन्ट पर इस बात की जिम्मेवारी डालना मेरी राय में मुनासिब नहीं है.

जबरसिंह साहब—इस सवाल के साथ मैं भी इत्तफाक नहीं करता; क्योंकि सरक्यूलर डिपार्टमेन्ट नंबर १८, सम्वत १९६८, रेविन्यू मिनिस्टरी के मुवाफिक हर तहसील में कमेटी मुकर्रर है. उसके मेम्बर दरबार के अहकाम व दीगर डिपार्टमेन्टों के अहकाम को हर मौजा में जाकर समझाते हैं.

प्रेसीडेन्ट साहब—सवाल नंबर २३ व २४ एकही है इन दोनों के बारे में मजलिस राय दे. लिहाजा कसरत राय से दोनों तजवीज ना मंजूर हुईं.

तजवीज २४, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारश करती है कि :—

अहकाम दरबार की तरफ से जो वक्तन फवक्तन निकलते हैं वह कमेटियों की मार्फत रिआया को समझाना चाहिये.

मुलाहिजा हो ठहराव तजवीज नंबर २३.

तजवीज २५, एजेंडा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बवक्त वबा दवाइयां मार्फत पंचायत बोर्ड्स तक्सीम की जाया करें और हिफाजत सेहत के लिये अगस्त व सितम्बर के महीने में कईनीन की हफ्ता इस्तेमाल करने की हिदायत दी जावे और फरोख्तगी का इन्तजाम किया जावे, ताकि कईनीन हर खास व आम को मिल सके.

राव हरिश्चन्द्र साहब जागीरदार बीलोनी ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:—

काश्तकारी का वक्त अगस्त व सितम्बर में होता है और इसी वक्त फसली बुखार का जोर होता है. यह बात मानी हुई है कि फसली बुखार के दिनों में कईनीन के इस्तेमाल से बुखार की रोक होती है, और बुखार की दवाई कईनीन है. इसलिये गुजारिश यह है कि कईनीन पंचायत बोर्ड की मारफत तक़सीम कराई जावे और उसके साथ ही पटवारियों को भी दी जावे; ताकि सब लोग उससे लेकर इस्तेमाल कर सकें.

इस तजवीज की ताईद किसी साहब ने नहीं की. लिहाजा तजवीज नामंजूर की गई. मगर होम मेम्बर साहब ने मजलिस की वक्फियत के लिये बाबत सवाल हिस्सा नम्बर १ जाहिर किया कि अमराज वबाई की दवाइयां पंचायत बोर्डों में रखदी गई हैं और ७,९०० रुपये की कीमती कईनीन पंचायत बोर्ड और डाकखानों में सप्लाई करदी गई है.

तजवीज २६, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :-

इलाज मवेशियान के बारे में हस्ब जैल बीमारियों के लिये दवाइयां परगने व पंचायत बोर्ड में वास्ते फरोख्त के रखी जावें :—

(१) गरदवा—जिसमें गले पर सूजन होकर मर जाता है.
(२) फरसूजा.
(३) खुसीआ.
(४) फेंफड़ा का रोग—जिसमे सीना सज जाता है.
(५) अतिसार—यानी दस्त होना.

राव हरिश्चंद्रसिंह साहब ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:—

इन बीमारियों में से गरदवा व फरसूजा ऐसी हैं जिन से दस फीसदी मवेशी बचती हैं, बाकी मरजाती हैं. इस से रिआया को बड़ा नुक्सान होता है, इसलिये इन रोगों की दवा लोगों को परगना व पंचायत बोर्डों से मिलने का इन्तजाम होना चाहिये.

विट्ठलदास साहब—मैं ताईद करता हूं. इन बीमारियों की दवाइयां हर जगह फरोख्त होना चाहिये.

रेवेन्यू मेम्बर साहब—जानवरों के बीमारियों की रोक और उनके इलाज का इन्तजाम दरबार एक अर्से से कर रहे हैं:—

(१) सिविल वेटरिनरी डिपार्टमेन्ट कायम होकर उनकी निगरानी में मवेशियों के इलाज के लिये तीन अस्पताल बमुकाम लश्कर, उज्जैन व गूना जारी हैं.

(२) हर दो परगनात के वास्ते एक वेटरिनरी असिस्टन्ट मुकर्रर है और उसका मुकद्दम फर्ज है कि किसी बीमारी की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर उसका इन्सदाद और इलाज करे. पटवारी और तहसीलदार का फर्ज रखा गया है कि मवेशियों में बीमारी फैलने की इत्तला फौरन वेटरिनरी डिपार्टमेन्ट में देवें. इत्तला देने के फार्म सब तहसीलों में रखे गये हैं और अगर जमींदार चाहें तो यह फार्म उनको भी दिये जा सकते हैं. बशर्ते कि वह सही इत्तला देने की जिम्मेवारी लें.

(३) जो पांच बीमारियां रिजोल्यूशन में बयान की गई हैं उनके इन्सदाद के वास्ते जरूरी डिसइन्फेक्टेन्ट दवाइयां हर तहसील और टप्पे के सदर मुकाम पर रखी गई हैं और उनके साथ एक मुफस्सिल हिदायतनामा भी रखा गया है. यह दवाइयां हर जरूरतमंद को मुफ्त मिल सकती हैं.

(४) इन वबाई बीमारियों की रोक हो सकती है, इलाज बहुत कम हो सकता है. अलबत्ता इन में से किसी किसी बीमारी का इलाज ठीक हो सकता है, इसलिये इस काम के वास्ते ५,००० रुपये इसी साल मंजूर हुए हैं.

(५) इन बीमारियों के बारे में वेटरिनरी डिपार्टमेन्ट से वक्तन फवक्तन अवाम की वकफियत के वास्ते आम फहम हिदायतें भी जारी होती रही हैं. उम्मेद है कि आप लोगोंने उनको पढ़ा होगा.

अब आपके इस प्रपोजल का मतलब यह पाया जाता है कि अलावा तहसील और टप्पों के यह दवाइयां पंचायत बोर्ड्स में भी रखी जाकर वहां से फरोख्त की जावें. यह प्रपोजल मुनासिब है, इसकी निस्बत वेटरिनरी डिपार्टमेंट से तजवीज मंगाकर दरबार उस पर गौर करेंगे.

मजलिस ने रेवेन्यू मेम्बर साहब की राय से इत्तफाक किया.

तजवीज २७, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

म्युनिसिपेलिटियां मार्फत सेक्रेटरी जो परगने में मुकाम रखते हैं हर एक मवाजियात में दौरा कर के कायम करें और सफाई का इन्तजाम उनकी मार्फत करावें.

इस तजवीज को पेश करते हुए राव हरिश्चंद्रसिंह साहब ने कहा:—

सफाई का होना गांवों में जरूरी है और उस का कोई खास जरिया नहीं है; इसलिये इन्तजाम मार्फत सेक्रेटरी म्युनिसिपेलिटी कराना ठीक होगा. वह मवाजियात में दौरा किया करें.

मालानी साहब—मुझे इस तजवीज से इत्तफाक है. जिन परगनों की म्युनिसिपेलिटीज व टाउन कमेटीज में काम ज्यादा हो और वहां के सेक्रेटरी को देहात में दौरा करने की फुरसत न हो वहां इस काम के लिये दूसरा सेक्रेटरी रक्खा जावे.

अहमदनूरखां साहब—मैं भी ताईद करता हूं.

जगमोहनलाल साहब—इस तजवीज की इबारत भी गलत मालूम होती है और जो इसका मन्शा है उस से मुझे मुखालफत है. म्युनिसिपेलिटियां मुकामी रकबे के लिहाज से कायम होती हैं, उनका खास Jurisdiction होता है और इख्तियारात लोकल होते हैं. किसी कमेटी के Jurisdiction को इस तरीक से बढाना खिलाफ कायदे के होगा और कानून से यह जिम्मेवरी म्युनिसिपेलिटियों पर आयद नहीं हो सकती है.

गुरुदयाल साहब—मैं बाबू जगमोहनलाल की ताईद करता हूं; मगर यह बात गौर करने लायक है कि देहात की सफाई का क्या इन्तजाम किया जावे.

फजलमुहम्मद साहब—मैं बाबू जगमोहनलाल साहब की राय से इत्तफाक करता हूं. देहात का दौरा करना सेक्रेटरी के लिये नामुमकिन है, वह शहर की सफाई देखेगा या परगना भर के देहातों का दौरा करेगा.

होम मेम्बर साहब—इस तजवीज की तरदीद कई साहबों ने की है. मैं सिर्फ इतना जाहिर करना चाहता हूं कि देहात की सफाई की निस्बत क्या किया जारहा है. आप को याद होगा कि सम्वत १९७७ में जो रेवेन्यू कान्फरेन्स हुई थी उसका ठहराव नम्बर २ हस्ब जैल था:—

"सफाई कस्बात के बारे में कसरत राय यह हुई कि मवाजियात व कस्बात में हिदायत देने पर अगर सफाई न की जावे तो उन पर कुछ जुर्माना करने का इख्तियार तहसीलदारान व सूबे साहबान को दिया जावे. और यह भी करार पाया कि पेश्तर इस के कि इस रेजोल्यूशन पर कोई मजीद कार्रवाई की जावे, आयन्दा होनेवाली जमींदारी कान्फरेन्स में मिन-जानिब मेडिकल डिपार्टमेन्ट यह सवाल पेश किया जावे कि मवाजियात व कस्बात में सफाई बाबत दौरा करनेवाले ऑफिसरान हमेशा सफाई की बाबत समझायश करते हैं, मगर इसका कोई असर नहीं हुआ. इस वास्ते आयन्दा क्या इन्तजाम किया जावे कि कस्बात व मवाजियात में सफाई रहे."

इसी सिलसिले में इस अहम सवाल पर गौर करने के लिये दरबार ने एक कमेटी मुकर्रर फरमाई थी. उसने जो तजवीज की थी उस का लुब्बेलुबाब यह था कि हर तहसील में पंचायत बोर्ड के Jurisdiction के लिहाज से सफाई ऑफिसर मुकर्रर हों. यह लोग परगना मेडिकल ऑफिसर की मातहती में काम करें और परगना ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स के मातहत हों, जिन्हें डेप्युटी सेनिटरी कमिश्नर का असिस्टेन्ट समझा जावेगा. इस तजवीज पर दरबार का यह हुक्म हुआ कि इस तूलतवील कार्रवाई के बजाय दो डाक्टर ३५०) रुपये माहवार के

मुकर्रर किये जावें और जिन हिस्सों में फौती की तादाद ज्यादा हो वहां इन्हें मामूर किया जाकर हिदायत दी जावे कि फौती की ज्यादती के सबब दरयाफ्त करके मुकम्मिल स्कीम इसलाह पेश करें. एक या दो साल के तजुर्बे के बाद कमेटी की स्कीम पर गौर किया जावेगा. इतनी वाकफियत देने के बाद मेरे खयाल से इस मुआमले में ज्यादा बहस की जरूरत मालूम नहीं होती.

लिहाजा मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज वापिस ली.

तजवीज २८, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

आम तौर पर जो बैंक्स काश्तकारान सरकार से मुकर्रर हैं, उनसे रिआया जागीर को रुपया नहीं मिलता और जो जरूरतें कि रिआया सरकार को होती हैं वही जरूरतें रिआया जागीर को भी होती हैं. ऐसी सूरत में वास्ते रफा तकलीफात रिआया जागीर मुनासिब मालूम होता है, कि या तो ऐसा हुक्म जारी हो कि बैंक काश्तकारान से रिआया जागीर को भी रुपया दिया जावे या अलहदा बैंक मुकर्रर होकर उसके इख्तियारात जागीरदार साहब को दिये जावें और जिम्मेदार रुपया अदाई का वही ठिकानेदार करार दिया जावे. अगर रिआया से रुपया बरवक्त किस्त अदा न हो तो ठिकानेदार रुपया अदाई का जिम्मेदार समझा जाकर लिया जावे. रुपया बकदर जरूरत ठिकानेदार के पास सरकारी रखा जावे.

इस तजवीज को पेश करते हुए चौधरी रंधीरसिंह साहब ने कहा:—

रिआया जागीर को बैंक से रुपया नहीं मिलता, जैसा कि रिआया सरकार को मिलता है. इससे बडी तकलीफ होती है. ऐसा हुक्म हो जावे तो अच्छा है कि सरकारी बैंक से रिआया जागीर भी रुपया लेसके और ठिकानेदारों को अदायगी का जिम्मेवार करार दिया जावे. इससे बडी सहूलियत हो जावेगी और काम चलने लगेगा और रिआया जागीर को कहत के वक्त जो मुश्किल होती है वह दूर हो जायगी. यह सवाल रिआया के फायदे का है.

द्वारिकादास साहब:—मैं ताईद करता हूं.

रामजीदास साहब:—एक बैंक कायम किये जाने की तजवीज दरपेश है. अगर यह बैंक कायम हो गया तो जो दिक्कतें तजवीज में बयान की गई हैं वह रफा हो जावेंगी. जागीरदारान पर जोर डालना मुनासिब मालूम नहीं होता. मेरे खयाल से यह तजवीज उस वक्त तक मुल्तवी रक्खी जावे जबतक कि कायमी बैंक का सवाल हल न हो जावे.

होम मेम्बर साहब—यह सवाल जागीरात के मुतअल्लिक है और उस पर जागीरदार साहबान की राय लेना जितना मुफीद होगा उतनी मजलिस की राय फायदेमंद न होगी. मुझे दरबार ने हुक्म दिया है कि मैं मुजव्विज साहब से ख्वाहिश करूं कि वह इस तजवीज को कान्फरेन्स जागीरदारान में रक्खें.

लिहाजा मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज वापिस ले ली.

तजवीज २९, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अक्सर मवाजियात सरकारी व जागीरी मुलहिक होकर सरकारी मवाजियात की मवेशी जागीरी मौजे में चली जाती है. मुलाजिमान जंगलात जागीरी मौजे से चरू अक्सर वसूल कर लेते हैं और जागीरदार नहीं लेते हैं. तो ऐसी सूरत में या तो बेहवट कदीमी कायम रखी जावे कि न वो जागीरी मौजे की मवेशियान की चरू वसूल करें, न जागीरदार सरकारी मौजे से वसूल करें. अगर जंगलात मौजा जागीर की मवेशी की चरू वसूल करे तो मवाजियात मुलहका की चरू वसूली से जागीरदार को भी हिस्सा दिलाया जावे.

इस तजवीज को मुजव्विज चौधरी शेरसिंह साहब ने वापिस लिया.

तजवीज ३०, एजेन्डा २.

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

इलाके दरबार में मियादी हुन्डी, यानी ४५ मिती की हुन्डी जिसको बाज औकात सट्टा भी कहते हैं लाखों रुपये की हमेशा तहरीर होते रहते हैं और भुगतान होता रहता है. मगर इन हुन्डियों पर मिस्ल दीगर इलाके जात एक आने का स्टाम्प नहीं लगाया जाता है. स्टाम्प के लगाये जाने में दो बड़े फायदे हैं:—

(१) दरबार के हक में एक नया और मुनासिब रसूम कायम होता है.

(२) रिआया के हक में एक ऐसी कारआमद व कीमती तहरीर का मुस्तनद होना उनके लिये निहायत मुफीद और शुक्र का मुकाम है.

इसलिये मुनासिब मालूम होता है कि मियादी हुन्डी के वास्ते स्टाम्प मुकर्रिर फरमाया जाकर इसका एलान बजर्ये सरक्यूलर ग्वालियार गजट में होना चाहिये.

इस तजवीज को मुजव्विज लाला बद्रीप्रसाद रस्तोगी साहब ने वापिस ले लिया.

तजवीज ३१, एजेन्डा २.

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मदाखलत बेजा आराजी के मुकद्दमात में मदाखलत करनेवाले से जो दुचन्द या सेहचन्द मुआवजा अय्याम बेदखली मुद्दई को दिलाया जाता है वह नाकाफी है. उससे नतीजा यह होता है कि चन्द चालाक लोग जियादा पैदावार होने वाली आराजी पर जान बूझकर कब्जा कर लेते हैं, और मुआवजे की कुछ परवाह नहीं करते और कुछ मुद्दत तक नाजायज का फायदा फसल से उठा लेते हैं और मुद्दाअलेह को एक दो साल फसल की आमदनी न मिलने से निहायत कमजोर हो जाता है और बाद में मिला हुआ मुआवजा अपने साहूकार को सूद में अदा कर देता है, जिससे कि वह फसल की आमदनी न होने के सबब कर्ज लेता है. इसलिये चाहिये यह कि कम अज कम पांच गुना अलावा लगान के मुआवजा दिलाने की बाबत कानून होना चाहिये. ताकि मुकद्दमात कम हों और मुद्दाअलेह को काफी दादरसी मिल सके.

रामचन्द साहब ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा कि—

जमाने हाल में अक्सर ऐसा देखने में आता है कि मदाखलत बेजा के मुकद्दमात में काश्तकारान तबाह और बरबाद होजाते हैं. अय्याम फैसले तक उनके पैसे सामान जराअत भी काफी तादाद में नहीं रहता. मदाखलत करने वाला शख्स उस आराजी से पूरा फायदा उठाता है और उसी में का कुछ हिस्सा जो फैसला होने पर सेहचन्द दिलाया जाता है उससे उसको यानी मुद्दाअलेह को कुछ नुक्सान नहीं होता. इसलिये मेरे खयाल नाकिस से कम से कम पांचगुना अलावा लगान के तावान मुद्दई को दिलाना चाहिये ताकि मुकद्दमात का दायरा कम होकर रिआया तबाही और बरबादी से महफूज रहे.

हादेवराव साहब, द्वारकादास साहब, विशेश्वरसिंह साहब व लालचन्द साहब ने ताईद की.

भगवानसरूप साहब—मुझे इस तजवीज से इत्तफाक नहीं है.

लालताप्रसाद साहब—मैं भी इस तजवीज की मुखालफत करता हूं. सेहचंद से ज्यादा हर्जा दिलाना ठीक न होगा.

विट्ठलदास साहब—मदाखिलत बेजा के लिये मौजूदा कानूनी सजा काफी है.

अहमदनूरखां साहब—कानून में मदाखिलत बेजा के लिये जो रिआयत रखी गई है वह काफी है और मेरी राय नहीं है कि जो तावान मुकर्रर है उसमें कोई इजाफा किया जावे.

द्वारकादास साहब—मदाखिलत बेजा में जो नुक्सान जमींदारों व काश्तकारों का होता है उसे वही लोग अच्छी तरह समझते हैं और मेरी राय है कि मदाखिलत करने वाले को सजा ज्यादा दीजावे ताकि दूसरों को इबरत हो. मदाखिल बेजा चोरी है.

विट्ठलदास साहब—क्या यह कहना ठीक है कि इन मुआमलात को सिवाय काश्तकारान और जमींदारान के और कोई नहीं समझ सकता ? और अगर मदाखिलत बेजा के जुर्म को चोरी से भी ज्यादा संगीन तसव्वुर कर लिया जावे तो फांसी की सजा तजवीज करना चाहिये

लॉ मेम्बर साहब—इस मुआमले की कैफियत यह है कि मौजूदा कानून माल सम्वत १९६१ में जारी हुआ, उसकी दफा १५९ में हिदायत है कि आराजी काश्त के मुतअल्लिक मदाखलत बेजा और मजाहमत बेजा के मुकद्दमात बाहम जमींदारान व काश्तकारान या बाहम काश्तकारान आयन्दा ब सीगा सरसरी अदालत माल में दायर हुआ करेंगे और बशर्त सुबूत फरीक सानी से कब्जा दिलाया जायगा और मुचलका लिये जाने का हुक्म भी बशर्त जरूरत दिया जायगा. चुनांचे अगर एक काश्तकार एक्स (X) किसी दूसरे काश्तकार वाई (Y) को, Y की काश्त से बेदखल करदे, तो Y की जानिब से बेदखली काश्त का मुकदमा अदालत तहसील में दायर होगा और Y का हक साबित होने की हालत में X से Y को कब्जा दिलाया जावेगा और X को यह भी हुक्म दिया जासकेगा कि वह मुचलका पेश करे. इस किस्म की बेदखली की हालतों में महज बेदखल किये हुए शख्स को उसकी काश्त पर कब्जा दिलाने से Y अपने हक को पूरे तौर से नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर Y के नालिश दायर करने में और बजरिये तहसील कब्जा हासिल करने में अगर साल भर का अर्सा गुजर जाय तो Y को उसकी काश्त का महज कब्जा दिलाने से Y पूरी तरह से अपने हक पर नहीं पहुंचा. साल भर तक वह अपनी काश्त से महरूम रहा. वह उस फायदा से कि जो काश्त के जरिये से हासिल कर सकता था,

X के नाजायज फेल से महरूम रहा, इसलिये Y को कुछ हर्जा भी इंसाफन दिलाना चाहिये. मगर कानून माल में हर्जा दिलाने के मुतअल्लिक कोई हुक्म न था. ऑफिसरान माल ने इसकी जरूरत समझी कि बेदखल शुदा काश्तकारान को हर्जा भी जरूर दिलाना चाहिये चुनांचे सम्वत ६८ के रेविन्यू कान्फरेन्स में इस सवाल पर गौर होकर कान्फरेन्स की तजवीज दरबार की खिदमत में पेश की गई और बाद मंजूरी चंद हिदायात बशक्ल सरक्यूलर जारी कीगई. चुनांचे रेविन्यू डिपार्टमेन्ट का सरक्यूलर नंबर १, संवत १९६९ रेविन्यू कान्फरेन्स के ठहराव पर मबनी है. इस सरक्यूलर की कलम नंबर २ में हस्ब जैल हिदायत है और इस हिदायत के मुतअल्लिक यह तजवीज पेश की गई है.

" दफा १५५ कानून माल में हिदायत है कि मुकद्दमात मदाखलत या मजाहमत बेजा या निस्बत आराजी काश्त बाहमी जमींदारान व काश्तकारान या बाहमी काश्तकारान में बशर्ते सुबूत मुद्दाअलेह से कब्जा दिलाया जाय, मगर कोई तशरीह इस अम्र की नहीं है कि कब्जा फस्ल इस्तादा पर या आराजी खाली होने पर दिलाया जावे, और नीज अय्याम बेदखली का हर्जा किस हिसाब से दिलाया जाय; लिहाजा तशरीह की जाती है कि अगर कोई शख्स किसी असामी की आराजी पर मदाखिलत या मजाहिमत करे, और यह अम्र बाद पेश होने दावा बरूय तहकीकात जाब्ता साबित होजाय तो दावेदार को उसी वक्त आराजी मुतनाजा पर कब्जा दे दिया जावे, बशर्तें कि उसमें फस्ल इस्तादा न हो, वर्ना बाद दिरो होने फसल के. लेकिन हर हालत में ब लिहाज हर्जे के मुआवजा दिलाना चाहिये, जिससे तअय्युन रकम के वक्त दो सूरतें पैदा होंगी, अव्वल यह कि दावेदार ने मदाखिलत या मजाहिमत होने के पेश्तर कुछ सर्फ किया था, दूसरे यह कि कुछ सर्फ नहीं किया. पस बसूरत होने सर्फ के दावीदार को आराजी मुतनाजा के लगान की सिचन्द रकम बाबत हर्जा अलावा जेरे लगान के मुद्दाअलेह से दिलाई जावे, और बसूरत दीगर बजाय सिचन्द सिर्फ दुचन्द अलावा जेरे लगान दिलाना चाहिये. नीज इस तरह पर उस मुद्दत तक का मुआवजा दिलाया जावेगा, जब तक कि दावीदार आराजी मुतनाजा से बेदखल रहा हो और आयन्दा ब वजह इस्तादगी फसल के बेदखल रहे. "

इस तजवीज से सवाल यह पैदा होता है कि हर्जा किस तरीक से कायम किया जावे. हर्जा कायम करने के दो तरीके हैं. एक तो यह कि हर मुकदमे में हरजे की तादाद के मुतअल्लिक जुदागाना तहकीकात की जाय और यह देखा जाय कि अगर मुद्दई इस कदर अर्से तक बेदखल न होता, और आराजी मुतनाजे पर बदस्तूर काबिज रहता, और मामूली तरीके से उसकी काश्त करता तो जिस अर्से तक वह बेदखल रहा है उस अर्से में खालिस मुनाफा किस कदर पैदा करता. इस किस्म की तहकीकात के लिये कई बातों का देखना लाजिमी है. मस्लन जमीन की किस्म, उसका लगान, जिन्स जो बिल उमूम उस मौजे में काश्त की जाती है, उसका बाजारी निर्ख, पैदावार का औसत वगैरा वगैरा. अब जाहिर है कि हर मुकदमे में अगर इस किस्म की तहकीकात की जावे तो तहकीकात किस कदर तूल तवील होगी और उसमें कुछ वक्त; बल्कि बाज मर्तबा ज्यादा वक्त सर्फ करना लाजिम आयगा. ऑफिसरान माल ने जो रेविन्यू कान्फरेन्स में शरीक थे इस [illegible] का खयाल करके और इस मंशा की मद्देनजर रखकर कि आराजी काश्त के मुतअल्लिक [illegible] के मुकद्दमात का फैसला जिसकदर जल्द मुमकिन हो करदिया जाय, दूसरा तरीका [illegible] के कायम करने का यह खयाल किया कि उस जमाने की जिन्स की बाजारी कीमत का औसत निकालकर लगान की दुगनी या तिगुनी रकम बतौर माविजे के दिलाना तजवीज की. हिसाब लगाने से देखा गया कि जिस जमाने में यह रकम तजवीज की गई उसवक्त लगान का दुगना या तिगुना सही मुआविजे के करीब २ वाके होता था. सम्वत १९६९

से यह तरीका बदस्तूर चला आरहा है. इसके मुतअल्लिक कभी न ऑफिसरान माल की जानिब से और न जराअत पेशा अशखास की जानिब से कोई शिकायत पेश की गई कि यह रकम नाकाफी है. कानून माल का नया मसव्विदा कमेटी के जेर गौर है और मेरे खयाल में यह मुनासिब होगा कि बजाय इस के कि इस मसले को यहां कतई तौर से फैसिल किया जावे कमेटी की तवज्जह इस मसले की तरफ दिलाई जावे. कमेटी इसके मुतअल्लिक अहकाम भी मसव्विदे में दर्ज करे और जब वह मसव्विदा आम व खास की राय के लिये शाया होगा उस वक्त आम व खास को उस पर गौर करने का मौका हासिल होगा.

रामचन्द्र साहब—मैं अपना सवाल वापिस लेता हूं.

लिहाजा सवाल वापिस दिया गया.

तजवीज ३२, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जमींदारान के लडकों के लिये तालीम लाजमी होना चाहिये क्योंकि यही लोग रिआया को मशवरा देने वाले व सरकारी हुक्म की बजाआवरी करने वाले व खयालात दरबार के रिआया में फैलाने वाले व उसके मुताबिक रिआया की जानिब से अमल देखने के एक जरिया हैं; लेकिन तालीम दिलाने पर उनके वली सरपरस्तान की तवज्जोह न होने से हुक्म दरबार के मुताबिक पूरे तौर से पाबंदी नहीं होती. इसलिये वली सरपरस्तान का मुचलका २०) रुपये का बतवस्सुत तहसील लिये जाने का हुक्म फरमाया जाने से इन्तजाम बखूबी हो सकता है.

इस तजवीज को मुजव्विज रामचन्द्र साहब बोहरे ने इस वजह से वापिस लिया कि तालीम के मसले पर गौर करने के लिये एज्यूकेशन कमीशन दरबार ने बिठाया है.

विट्ठलदास साहब—मैं इस सवाल को अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब—मैं आपको इजाजत देता हूं, अब इस सवाल को अपनी तरफ से पेश करें.

विट्ठलदास साहब—यह बात तो मान लीगई है कि तालीम की जरूरत है और दी जानी चाहिये. बहस तलब मामला तरीका तालीम वगैरा का है, जिसका तअल्लुक तजवीज से नहीं है. मेरी राय है कि जैसी कौम मरहटा के लिये तालीम लाजिमी करार दे दीगई है वैसे ही जमींदारों के लडकों के लिये तालीम लाजमी करार दी जावे.

द्वारकादास साहब—मैं ताईद करता हूं.

जहांगीर बहमनशा साहब वकील—क्या सब मौजों में मदरसे हैं ? अगर नहीं तो मुचलका लेने की जो तजवीज रेजोल्यूशन में की गई है, वह ठीक न होगी, जब तक तालीम की पूरी facilities न हों उस वक्त तक मुचलका लेना और जुर्माना करना सख्ती होगी.

प्रेसीडेन्ट साहब—सरक्यूलर नम्बर ७६ जारी किया गया और गांव गांव तकसीम भी कराया गया; मगर उसका नतीजा खातिरख्वाह नहीं निकला. ऐसी सूरत में लाजिमी तालीम जमींदारों के लडकों के लिये करार देना नाजुक मसला है, मेरे खयाल से एज्यूकेशन कमीशन की रिपोर्ट का आप इन्तजार करें; क्योंकि इस मसले पर कमीशन भी गौर करेगा.

लिहाजा कसरत राय से करार पाया कि कमीशन की रिपोर्ट का इन्तजार किया जाये.

तजवीज ३३, ऐजन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

टाऊन ड्यूटीज म्युनिसिपेलिटीज को दी जावे.

इस तजवीज को मुजव्विज धुंडिराज कृष्ण अष्टे वाले साहब ने वापिस ले लिया.

तजवीज ३४, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मन्दिर, मस्जिद, कबरस्तान तकिये खानकाह के इंतकाल की मुमानियत कानूनन की जावे.

इस तजवीज को पेश करते हुए मुजव्विज अष्टेवाले साहब ने कहा :—

लोग मन्दिर, मस्जिद व धर्म स्थानों का इन्तकाल कर डालते हैं जिससे उस धर्म के लोगों को रंज होता है और ऐसा करना धर्म के खिलाफ भी है. इसलिये ऐसे इन्तकाल की रोक कानून न होनी चाहिये.

झालानी साहब—मैं ताईद करता हूं, इस मामले मे कानूनी मुमानियत की जरूरत है.

विट्ठलदास साहब—मैं ताईद मजीद करता हूं.

भगवान स्वरूप साहब—ऐसी जायदाद का इन्तकाल नाजायज है और किसी जदीद कानूनी मुमानियत की जरूरत नहीं है.

गुरुदयाल साहब—यह सवाल ही तशरीह तलब मालूम होता है. यह सब नाकाबिले इन्तकाल मुकामात हैं.

विट्ठलदास साहब—जायदाद मुन्तकिल हो सकती है, ख्वाह उसका तअल्लुक किसी इबादतगाह से हो.

लॉ मेम्बर साहब—इस सवाल में लफ्ज जायदाद कहीं नहीं है, इस लिये मैं समझना चाहता हूं कि मुजव्विज साहब की मंशा इस तजवीज से क्या है ? क्या उनकी यह गर्ज है कि खास मसजिद या मन्दिर की इमारत के इन्तकाल की मुमानियत की जाय या कि मन्दिर और मस्जिद के मुतअल्लिक, मसलन उसके सर्फे के लिये जो जायदाद वक्फ की जाय तो ऐसी वक्फ शुदा जायदाद का इन्तकाल नाजायज करार दिया जाय.

अष्टे वाले साहब—मंदिर की जायदाद के साथ लोग मूर्ति भी उठा ले जाते हैं और खास मंदिर को रहन या बय करें देते हैं, इन दोनों बातों की निस्बत गौर फरमाया जाय.

लॉ मेम्बर साहब—मंदिर या मसजिद के इन्तकाल के मुतअल्लिक दो शक्लें हो सक्ती हैं. या तो यह कि कोई शख्स खास मंदिर या मसजिद की इमारत, यानी वह हिस्सा कि जहां इबादत होती है, किसी जरिये से दूसरे शख्स के हक में मुन्तकिल करें. दूसरी शक्ल यह है कि अगर किसी मंदिर या मसजिद के मुतअल्लिक किसी शख्स ने कोई जायदाद उसके असराफ जरूरी के लिये वक्फ करदी—मसलन एक शख्स ने एक मसजिद तामीर की और उस मसजिद के जरूरी असराफ का इन्तजाम इस तरीके पर किया कि दस दूकानें तामीर कराके उनको भी वक्फ कर दिया और इन दूकानात को मुन्तकिल करने की कोई शख्स कोशिश करे. यही शक्ल मंदिर की हालत में भी पैदा हो सक्ती है. दोनों हालतों में ऐसी जायदाद वक्फ का इन्तकाल नाजायज है. अलबत्ता, खास खास

हालतों में या तो वक्फ करने वाले की हिदायत के बमूजिब या धर्मशास्त्रों और शरह मुहम्मदी के मुताबिक बइजाजत अदालत, उन अगराज को पूरा करने के लिये जिन के लिये इबादतगाह तामीर कीगई हैं, जायदाद वक्फ शुदा का कुछ हिस्सा मुन्तकिल किया जा सक्ता है. लेकिन इन खास हालतों को छोडकर अगर कोई शख्स मंदिर या मसजिद की इमारत या उसके मुतअल्लिक वक्फ की हुई जायदाद को बेचना चाहे तो उसका ऐसा अमल नाजायज होगा. जब कि मंदिर, मसजिद या उसकी इमारत या उसके मुतअल्लिका जायदाद किसी प्राइवेट शख्स की मिल्कियत नहीं है तो प्राइवेट शख्स का ऐसी जायदाद का इन्तकाल करना, जो उसकी मिल्कियत नहीं है क्योंकर सही माना जा सक्ता है ? गो कानून में कोई डायरेक्ट (Direct) हुक्म इस मजमून का नहीं है कि कोई इबादतगाह और उसके मुतअल्लिका जायदाद बय और रहन नहीं की जा सक्ती, मगर उसूल कानून साफ है और इस किस्म का इन्तकाल कभी जायज करार नहीं दिया जा सक्ता; लेकिन अगर ऐसे हुक्म के जारी करने की जरूरत समझी जाय तो बइजराय सरक्यूलर लोगों को आगाह किया जा सक्ता है.

अष्ठेवाले साहब—जायदाद के मुतअल्लिक मेरा कुछ कहना नहीं है.

लॉ मेम्बर साहब—यह बात कानून के अंदर है और हिदायत जारी हो सक्ती है.

प्रेसीडेन्ट साहब—साहिबान ! सरक्यूलर जारी किये जाने के बाबत आप की क्या राय है ?

कसरत राय से करार पाया कि गलत फहमी रफा करने के लिये हिदायत जारी की जावे.

तजवीज ३५ एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

परगना बडनगर, जिला उज्जैन, में चन्द ठिकाने के भाई बंदान व दीगर राजपूत के लडके पढाई के लायक मौजूद हैं; मगर उनकी हालत इस कदर खराब है कि खाने पीने तक से मुहताज है, इसलिये अर्ज करताहूं कि परगना बडनगर के कुल ठिकानेदार व उनके भाई बंदान से चंदा पढाई वसूल हो चुका है; चुनांचे लडकों की पढाई का इन्तजाम उज्जैन माधव कॉलेज में बजर्ये बोर्डिंग फरमाया जावे. यह गरीब लोग हैं, इनके लडकों की उम्र बिना पढाई खराब होती है.

अगर बोर्डिंग खोलने में कुछ देर हो तो इस तरीके से इन्तजाम फरमाया जावे तो बेहतर होगा, कि जो रुपये चंदा पढाई के सूद पर लगाये गये हैं उनमें से इन गरीब लडकों को कुछ माहवार खाने को मुकर्रर करदिया जावे, ताकि इनके पढाई का काम शुरू हो जावे. बडनगर परगने में गरीब राजपूत लडकों की ऐसी कोई ज्यादा तादाद नहीं है, सिर्फ पांच सात होंगी, इसलिये गुजारिश करने में आई. फर्द लडकों की हमरिश्ते हाजा पेश है, आगे हुजूर मालिक हैं.

फेहरिस्त जो पढने की ख्वाहिश करते हैं.

(१) अर्जुनसिंह वल्द दूल्हेसिंह, चिरोला, परगना बडनगर.
(२) बालसिंह वल्द ओंकारसिंह, चिरोला, परगना बडनगर.
(३) बादरसिंह वल्द भुवानसिंह, चिरोला, परगना बडनगर.
(४) जगन्नाथसिंह वल्द बेरीसाल, ठिकाना बेला, परगना बडनगर.
(५) केसरसिंह वल्द महताबसिंह, ठिकाना बेला, परगना बडनगर.
(६) प्यारसिंह वल्द समुंदरसिंह, ठिकाना बेला, परगना बडनगर.

रघुनाथ सिंह साहब.—मैं इस सवाल को कॉन्फरेन्स जागीरदारान में रखूंगा इसलिये वापिस लेता हूं.

होम मेम्बर साहब.—दरबार ने भी हुक्म दिया है कि यह सवाल आयन्दा कॉन्फरेन्स जागीरदारान में रखा जावे, लिहाजा मुजव्विज साहब ने अपना सवाल वापिस लेलिया.

तजवीज ३६, एजेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

मुल्क की मौजूदा जरूरत के लिहाज से करीन मस्लहत है कि स्कूल्स में अलावा Arts Education **के** Vocational Training **भी दी जावे और ऐसी** training **देने का इन्तजाम किया जावे.**

लाला रामजीदास साहबने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:—

साहबान ! अगर आप मुल्क की मौजूदा जरूरत और मौजूदा तरीक तालीम पर गौर करेंगे तो इस तजवीज पर ज्यादा बहस करने की जरूरत महसूस न करेंगे. मौजूदा तालीम जो स्कूलों में दी जाती है, उसका नतीजा क्या है, यह सब को मालूम है. मेरे खयाल में कल के सवाल लाजिमी तालीम के मुकाबिले में इसका असर अच्छा पडेगा अगर Vocational तालीम दी जावे. मौजूदा जमाने में मजदूर पेशा लोग बमुकाबले थोडे पढे लिखों के अच्छी हालत में हैं. इन पढने वालों का अगर मर्दुमशुमारी पर percentage निकाला जावे तो बहुत ही कम लडकों को आला तालीम मयस्सर आती है, ज्यादातर कम पढे लिखे लडके मदरसोंसे निकलते हैं जो मुफीद मतलब तालीम न पाने से परेशान नजर आते हैं. गांव में तालीम पानेवाले लडके अपना पेशा छोड देते हैं और बाबू बन जाते हैं. एक अमेरीकन ने हिन्दुस्तानी मदर्से का तर्ज देखकर और लडकों से बात-चीत करके कहा था कि मैंने जिन जिन लडकों से पूछा कि तुम तालीम पाकर क्या करोगे, तो किसी ने जवाब दिया कि हम दस रुपये की नौकरी करेंगे, किसी ने कहा पन्द्रह की, और किसी ने कहा कि हम क्लार्क होजावेंगे. हिन्दुस्तानी लडकों के इस Ambition पर अफसोस जाहिर करते हुए उसने अमेरीकन लडके Ambition के साथ मुताबिकत की जो यह कहता है कि मैं अमेरीका का प्रेसीडेन्ट बनूंगा. जब हमारे लडकों काIdeal नौकरी है, तो उसके मुकाबिले में उन्हें पेशे की तालीम देना मुफीद होगा. इसकी निस्बत सन १९१८-१९१९ की एज्यूकेशन रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी मगर पता नहीं है कि नतीजा क्या निकला. मैं मजलिस से अर्ज करता हूं कि पहिले Vocational उसूल को मंजूर फरमाये. Details बाद में तय होते रहेंगे. मेरे ख्याल से लाजिमी तालीम के बराबर इस काम के लिये रुपये की जियादा जरूरत न होगी, यह तालीम लाजिमी करार न दी जावे, बल्कि जहां Funds इजाजत दें वहां इन्तजाम Arts Education का किया जावे.

रामचन्द्रसाहब बोहरा, द्वारिकादास सा. और अब्दुलहमीद सा. ने ताईद की.

जहांगीर बहमनशा साहब वकील—आपकी Arts Education से क्या मुराद है.

रामजीदास साहब—आर्ट्स से मुराद पेशावरी की तालीम से है

जहांगीर बहमनशा साहब वकील—मुझे भी इस सवाल से हमदर्दी है, मेरी राय में यह सवाल भी एज्युकेशन कमीशन के सुपुर्द किया जावे.

जगमोहनलाल साहब—उसूल के साथ सबको हमदर्दी होना ही चाहिये, मौजूदा एज्युकेशन की हालत नजर में है, जिसमें तब्दीली की जरूरत है. पेशा और सनअत की तालीम की सख्त जरूरत है, मगर मेरी राय यह है कि मजलिस उसूल को कबूल करने के बाद यह सवाल एज्युकेशन कमेटी के हवाले करे.

एज्युकेशन मेम्बर साहब—Technical Education के लिये लश्कर में Central Polytechnic Institute कायम है, और उसकी शाखें उज्जैन, मन्दसौर, चन्देरी और नरवर में मौजूद हैं. इन इन्स्टिट्यूशंस यानी संस्थाओं में जिस तरीक पर तालीम दी जा रही है उसमें इसलाह किये जाने का मसला दरबार के जेर गौर है; लेकिन जो तजवीज इस वक्त मजलिस के रूबरू है उसकी मन्शा यह है कि मामूली स्कूलों में Vocational Training का इन्तजाम किया जावे यानी हिरफत की तालीम का सिलसिला भी जारी किया जावे ताकि स्कूल छोडने के बाद तुलबा किसी पेशे को इख्तियार कर सकें. जिस उसूल पर यह तजवीज मबनी है वह यह है कि लडकों को सिर्फ जबांदानी की तालीम ही न दी जावे बल्कि उनको इस काबिल बनाया जावे कि वह आयन्दा जिन्दगी में किसी पेशे को इख्तियार करके न सिर्फ खुद को फायदा पहुंचा सकें बल्कि आम तौर पर पब्लिक की Industrial Advancement यानी सनअत व हिरफत की तरक्की में मदद दें. मुझे इस उसूल से पूरा इत्तफाक है, लेकिन मेरा यह भी ख्याल है कि रियासत के कुल स्कूलों में इस तालीम का जारी करना क्या बलिहाज सर्फा और क्या ब लिहाज इन्तजाम करीब २ नामुमकिन है ? इस तजवीज के मुतअल्लिक जो सवालात गौर तलब पैदा होते हैं वह यह हैं :—

(१) किस किस्म के स्कूलों में और किन मुकामात पर ऐसी तालीम देने का सिलसिला कायम किया जावे.

(२) किस किस्म की Vocational training दी जावे.

(३) क्या ऐसी Vacational training देने का खातिरख्वाह इन्तजाम हो सक्ता है.

यह अमूर एसे हैं कि जिनका फैसला सरसरी तरीक पर नहीं हो सक्ता. मेरे ख्याल में इस तजवीज को एज्यूकेशन कमीशन के सुपुर्द करना मुनासिब है.

गुरुदयाल साहब—जो लोग अपना हुनर भूलते जाते हैं, उन्हें उनका हुनर सिखाना चाहिये. मन्दसौर में कम्बल की Industry की हालत खराब होगई थी, मगर अब कम्बल बुनने का मदरसा खुलजाने से यह काम तरक्की पर है:—

जहांगीर बहमनशा साहब वकील—जर्मनी में Vocational Education पर बडा जोर दिया गया था यहांतक कि पाखाने और पेशाब करने की जगह साफ करने का भी training दिया जाता था. वहां Vocational Education के अलावा Moral और Classical training भी दिया जाता था. अपने यहां Vocational training पर जोर देने से Vision महदूद हो जावेगा. अपने यहां जरूरत इस बात की है, कि Liberal Education दिया जावे. मौजूदा हालत में Arts Education में कितने ही नुक्स हों; मगर उसकी इसलाह करना चाहिये.

लार्ड नॉर्थ कोट ने अपने महतर के लडके से पूछा कि तुम क्या करोगे तो उसने जवाब दिया कि मैं साहब लोग के यहां बटलर बनूंगा. यह खराबी हमारे यहां के Education की है, जिससे इतने छोटे ख्यालात पैदा होते हैं, मगर Vocationed training से Art Education की खराबी रफा नहीं होसक्ती, Vocational Education बजात खुद अच्छी है.

जगमोहनलाल साहब—मैं मिस्टर जहांगीर बहमनया साहब की irrelevant तक़रीर की तरफ चिअर की तवज्जह दिलाता हूं.

रामजी दास साहब—मेरी तजवीज यह नहीं है कि Vocational training Arts Education के replace करने की गरज से दिया जावे; बल्कि गर्ज यह है कि यह उसे Supplement करे. Arts Eductaion से ही हम तरक्की कर सक्ते हैं. मगर हमारे गांव और कस्बों की दशा ऐसी नहीं कि वहां Higher Education दी जा सके, और वहां के लोगों की इसलाह की गरज से Vocational Education की जरूरत है.

प्रेसीडेन्ट साहब ने वोट लिये तो हस्ब इत्तफाक राय आम करार पाया कि यह सवाल एज्यु-केशन कमीशन के सुपुर्द किया जावे.

तजवीज ३७, एडेन्डा २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सुफारिश करती है कि—

बडे बडे कस्बात में, जहां तजार की कसरत है, मस्लन लश्कर, भिंड, उज्जैन, मन्दसोर; उनमें कमार्शियल ट्रेनिंग का इन्तजाम किया जावे और इसके लिये या तो स्पेशल स्कूलस खोले जावें या मामूली स्कूलस में ऐसी तालीम दी जाने का प्रबन्ध किया जावे.

लाला रामजीदास साहब ने इस सवाल को पेश करते हुए कहा :—

आजकल के जमाने में मुल्क की तरक्की का बहुत कुछ हसर तिजारत, सनअत और हिरफत की तरक्की पर है और तमाम मुमालिक एक दूसरे से इसीमें बढ चढकर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अपने यहां के तिजारत पेशा लोगों की हालत पर नजर डालने से जाहिर होगा कि यह फिरका, कि जिसके ऊपर रियासत की तरक्की और बहबूदी का दारमदार है, किस कदर पीछे पडा हुआ है. हुजूर मोअल्ला एक अर्से से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस फिरके के लोग अपने बच्चों को तालीम देना शुरू करें, ताकि आयन्दा किसी जमाने में उनको अपने पेशे में आगे बढने का मौका हासिल हो और इसी बुनियाद पर सरकार ने अपनी तारीख २७ मार्च सन १९०७ ई० की स्पीच में फर्माया था "आज मैं एक नया मामला पेश करना चाहता हूं जो कि मेरे ख्याल में ऐसे मजमा आम में पेश्तर कभी जाहिर नहीं किया गया था और वह तालीम तुलबा साहूकारान का है. तालीम की तरफ सब फिरकों ने तवज्जह की है, सिवाय साहूकारान के. इस वक्त तक किसी साहूकार के साहबजादे किसी इन्स्टिटयूशन में शरीक नहीं हुए. उनका ख्याल ऐसा है कि जहां तक घर का काम करसक्ते हैं इस से बढकर तालीम की जरूरत नहीं; लेकिन बगैर तालीम के दुनियां के हालात से वकफियत नहीं होती. बडी खुशी का मौका होगा अगर वह साहब भी अपने बच्चों को इन्स्टिटयूशन में शरीक करेंगे जो उनकी और रियासत की बहबूदी का बाइस होगा."

इसके अलावा सरकार ने अपनी ६ फरवरी सन १९०२ ई० व दीगर स्पीचेज में साहूकारान के बच्चों की तालीम की निस्बत फरमाया है. अब देखना यह है कि इन्सपेक्टर जनरल साहब महकमा तालीम ने इस बारे में क्या कोशिश की और क्या नतिजा निकला और ११-१२ साल के बाद कितने साहूकारान व तज्जारान के लडके जेर तालीम आये. मैं इस बात पर मजलिस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि एसे कौन से वजूहात हैं कि जो सरकार के ऐसे मुतवातिर हुक्म फर्माने पर भी इस फिरके के लोगों की तवज्जह इस तरफ नहीं हुई. जहां तक मैं समझता हूं इसकी खास वजह

यह है कि जो तालीम मामूली मदरसों में दी जाती है वह इस फिरके के लोगों के लिये कार आमद नहीं होती और यही वजह है कि वह मदरसों में लडकों को भरती कराने के बजाय उनको बे पढे रखना ही ज्यादा पसन्द करते हैं. नौबत यहां तक आपहुंची है कि जो इल्म उनको अमली तरीक पर खुद घर पर अपने बाप दादा का काम देखकर हासिल होता था वह भी जाता रहा और पूरी तालीम पाने का patience न रखने की वजह से तालीम का फायदा उठाने से भी महरूम रहे. नतीजा यह है कि अगर अच्छे बही खाते लिखने वालों को भी तलाश किया जावे तो मुश्किल से मिल सकेंगे; लिहाजा मेरी तजवीज है कि लश्कर, उज्जैन, मन्दसौर वगैराह, कि जहां तज्जारान की तादाद ज्यादा है, वहां स्पेशल क्लास खोले जाकर एक खास किस्म की तालीम जो उनके लिये मुफीद हो, दीजावे.

मुझे दो अलफाज और अर्ज करने हैं और वह यह हैं कि रियासत ने कई स्पेशल स्कूल्स कायम फरमाये हैं, अगर इस फिरके के लिये यह स्कूल्स कायम करदिये जावें तो अपने उसूल से बाहर गवर्नमेन्ट न जावेगी.

सेठ मानिकचंद सा., राय साहब नारायणदास व मदनमोहन साहब ने ताईद की.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—इस प्रपोजल को मैं भी ताईद करता हूं. कमर्शियल ट्रेनिंग की जरूरत मालूम होती है क्योंकि यह कृषि व्यापार प्रधान देश हैं. कृषि के लिये जैसा प्रयत्न हो रहा है वैसे ही व्यापार की भी तरक्की के जरिये बढाना चाहिये. पहला जरिया व्यापारिक ज्ञान है. व्यापारिक ज्ञान से ही व्यापार की तरक्की हो सक्ती है. आम तौर से कस्बों में देखा जाता है कि किसी ने एक जिनिंग फेक्टरी खोली कि दूसरे लोग भी उसी के पास जिनिंग फेक्टरी खोलने की तैयारी करते हैं, जिससे पूरा फायदा न पहले कारखाने को मिलता है और न दूसरे कारखानों को. अगर व्यापारिक ज्ञान हो जावे तो एक व्यापारी जिनिंग फेक्टरी खोलेगा तो दूसरा रामबान ओटने, या शक्कर गलाने का कारखाना खोल सक्ता है, और अपने काम से पूरा फायदा उठा सक्ता है. व्यापारी लोग प्रायः व्यापारिक ज्ञान की ओर इच्छा करने लगे हैं. मैंने राजगढ में देखा कि सरकारी स्कूल से लोग लडके निकाल कर दो जगह घरू तौर से पढाते हैं. जब मैंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों? तब एक दो महाजनों से जवाब मिला कि हमारा व्यापार का काम है. हिसाब किताब, जमा खर्च वगैराह वहां जल्दी नहीं आता. ऐसे अनुभवों से जाना जाता है कि कमार्शियल ट्रेनिंग की जरूरत है.

जगमोहनलाल साहब—हिन्दुस्तान Country of Famines है. इस ख्याल को मद्देनजर रख कर सबको अपने अपने फिरकों की तालीमी तरक्की के लिये कोशिश करना ही चाहिये. इसी ख्याल से जमींदारान ने अपने तबके की तालीम के लिये ख्वाहिश की है. और अब उसी बात को नजर में रख कर Commercial Community अपने लिये खास किस्म की तालीम का इन्तजाम किये जाने की दरख्वास्त करती है. मुझे उम्मेद है कि दरबार की माली हालत जहां तक इजाजत देगी Communities के जायज मतालिबात को दरबार Consider करेंगे. और मेरी राय है कि यह सवाल, कि इस Community के लिये खास तालीम के इन्तजाम की जरूरत है, एज्यूकेशन कमीशन के सुपुर्द गौर करने के लिये किया जावे.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—जो तजवीज इस वक्त मजलिस के रूबरू पेश की गई है, उसका मकसद यह है, कि तबकए तज्जार के बच्चों को कमार्शियल ट्रेनिंग दिये जाने के लिये स्पेशल स्कूल्स खोले जावें या मामूली स्कूलों में कमर्शियल ट्रेनिंग का इन्तजाम किया जावे. किसी कस्बे में एसी तालीम के सिलसिले को जारी करने के लिये महज इस अम्र को ही देखना काफी नहीं है कि इस कस्बे में तज्जार

की तादाद क्या है और इस तबके के कितने लडके स्कूलों में तालीम पारहे हैं, बल्कि इन अमूर पर भी गौर करना लाजिमी है कि क्या तज्जार अपने बच्चों को कमर्शियल ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत को महसूस करते हैं और कितने लडके ऐसी तालीम पाने के लिये तय्यार हैं. जहां तक मुझे इल्म है लश्कर, भिंड, उज्जैन वगैरह मुकामात में एक भी प्राइवेट स्कूल इस किस्म के ट्रेनिंग के लिये आजतक नहीं खोला गया और न इस किस्म के स्कूल खोलने के लिये किसी कस्बे के तज्जार की तरफ से दरख्वास्त गुजरी. इससे जाहिर होता है कि इस किस्म के ट्रेनिंग की जरूरत को आम तौर पर तज्जार ने इस वक्त तक महसूस नहीं किया. मेरे ख्याल में किसी शहर या कस्बे में तज्जार की कसरत होने से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि उस शहर या कस्बे में कमर्शियल ट्रेनिंग के इन्तजाम किये जाने की फिलवाकई जरूरत है और इसलिये गवर्नमेन्ट को हर ऐसे शहर या कस्बे में कमर्शियल ट्रेनिंग का इन्तजाम करना चाहिये. मेम्बर साहबान मजलिस को बखूबी मालूम है कि दरबार मुअल्ला अपनी रिआया की बहबूदी के लिये हर तरह से इमदाद देने के लिये तैयार हैं. उज्जैन में बोहरा असहाब के लडकों को गुजराती जबान में तालीम दिये जाने के इन्तजाम की जरूरत को महसूस करके गवर्नमेन्ट ने एक स्कूल कायम कर रखा है जिसमें गुजराती के अलावा जबान अंग्रेजी की भी तालीम दी जाती है. इस स्कूल में तुलबा को साहूकारी तरीक पर हिसाब किताब रखने की तालीम दिये जाने की तजवीज जेर गौर महकमा तालीम है. उज्जैन में एक प्राइवेट स्कूल को जो गुजराती जबान में तालीम देने के लिये गुजराती समाज ने कायम किया गवर्नमेन्ट की जानिब से माली इमदाद दीजा रही है. मैं मेम्बर साहबान को यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी शहर या कस्बे में किसी वक्त ऐसी ट्रेनिंग के इन्तजाम करने की जरूरत पाई जावेगी तो गवर्नमेन्ट इस जरूरत को रफा करने के लिये इस मसले पर हमदरदाना निगाह से गौर करेगी. मेरे ख्याल में जो तजवीज पेश की गई है वह कब्ल अज वक्त है.

गुरुदयाल साहब—यह मसला मुसल्लिमा है कि तजवीज मुफीद है और कमर्शियल तालीम की जरूरत है. और जो कुछ सरकार इस बारे में फरमा चुके हैं उसकी तामील भी होना चाहिये मगर सवाल यह है कि यह गरज कैसे पूरी हो.

जमनादास साहब झालानी—मुझे लाला रामजीदास साहब की तजवीज से इत्तफाक है. मेरी राय में तालीम के लिये Community की तरफ से मांग होने के इन्तजार करने की जरूरत नहीं है. जिस तरीक से दरबार ने फ्री बल्कि वजीफे देकर तालीम फैलाई है और जिस से बाहर तक के लडकों ने फायदा उठाया है, उसी तरीके से कमर्शियल एज्यूकेशन के फैलाने की जरूरत है. आबपाशी के कामों की मिसाल लीजिये. पहिले लोग इन्हें किस नजर से देखते और अब इनसे कितना फायदा उठाया जा रहा है. यह सवाल एज्यूकेशन कमीशन के रूबरू रखदिया जावे मगर सवाल यह होना चाहिये कि कमर्शियल एज्यूकेशन की जरूरत कितनी है न कि यह कि Commercial Community कमर्शियल तालीम हासिल करने के लिये कहांतक तय्यार है ?

जहांगीर बहमनशा साहब वकील—झालानी साहब की ताईद करता हूं. बम्बई में जब ग्रेन्ड मैडीकल कॉलेज खोला गया तो उस का फायदा उठाने के लिये कोई तय्यार नहीं होता था और गवर्नमेन्ट कहती थी कि मैडीकल तालीम की बहुत जरूरत है. गवर्नमेन्ट ने सोचकर पारसी Community की सलाह ली और स्कॉलरशिप देकर लोगों को मेडीकल तालीम से फायदा उठाने के लिये राजी किया. एतराज यह था कि Postmortem करना पडेंगे वगैरह. कालेज में पढ़ने वालों के लिये गुसल करने का और कपडे बदलने का इन्तजाम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता लोग फायदा इस तालीम का समझ गए और अब कॉलेज में स्टूडेन्ट्स को जगह नहीं मिलती है. इसीतरह जरूरत कमर्शियल एज्यूकेशन की है और उस के लिये इन्तजाम होना जरूरी है.

पोलिटिकल मेम्बर साहब—मेरी गायत इस गुफ्तगू करने से यह है कि इस तजवीज के मुजव्विज साहब को तौसीय खयालात का मौका मिले, और जो तजवीज उन्होंने पेश की है उसके हर पहलू पर वह रौशनी डाल सके.

इस वक्त तक जो इजहारेख्यालात हुआ है, उसका मुद्दआ यह है कि कमर्शियल तालीम मुफीद है और ऐसे मुकामात पर जहां तज्जारान की आबादी ज्यादा है, कमर्शियल तालीम के इजराय की जरूरत है और जब तक इस किस्म की तालीम की फिरके मुतअल्लिका की जानिब से मांग न हो उस वक्त तक कमर्शियल मदरसे न खोलना नाकिस पॉलिसी है. यह भी जाहिर किया गया है कि पहिले लोगों को तालीम अंग्रेजी से दिलचस्पी नहीं थी, मगर जब मदरसे खोले गये तो रगबत होगई, हालां कि आबपाशी के कामों की मिसाल भी दी गई है जिन के फवाअद से इब्तदा में लोग बिलकुल नावाकिफ थे, और अब तालाब और नहरों से लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं, लिहाजा कमर्शियल तालीम के मदरसे खोले जावें और यह बात तो तसलीम करली गई है कि लोग उससे जरूर फायदा उठावेंगे.

दौरान तकरीर में एक साहब ने कहा है कि यह अम्र मुसल्लमा है कि कमर्शियल एज्युकेशन मुफीद है, मगर मेरी राय से आप इत्तफाक करेंगे कि यह नहीं बतलाया गया कि एज्यूकेशन का कौनसा तरीका मुसल्लिमा है, और उसके कवाअद मुसल्लमा क्या हैं ? तकरीरें तो इस मसले पर हुई हैं, मगर यह बातें जाहिर नहीं की गईं जिनका इजहार मेरी राय में जरूरी था.

इस वक्त कमर्शियल एज्यूकेशन के लिये बम्बई में सिडनहम कॉलेज और डावर्स कॉलेज व लखनऊ व दीगर बडे शहरों में कमर्शियल स्कूल्स हैं. केम्ब्रिजमें भी बेचेलर ऑफ कामर्स की डिगरी दी जाती है, मगर देखना यह है कि इन मुकामात में तालीम क्या दी जाती है और उस तालीम से हमारे तज्जारों के लडके कितना फायदा उठा सकेंगे ? मैं समझता हूं कि जो साहब वाकिफ नहीं हैं वह खयाल करते हैं कि कमर्शियल एज्यूकेशन से कामयाब तज्जार और मिल ओनर (Mill Owner) बन जावेंगे, मगर मैं बताना चाहता हूं कि जहां कमर्शियल एज्यूकेशन दी जाती है, वहां सिखलाया जाता है बुक कीपिंग (Book keeping), टाइपराइटिंग (Type-writing), कमर्शियल जॉग्रफी, (Commercial Geography) वगैरह वगैरह.

यह अम्र गौर तलब है कि हमारे तिजारतपेशा साहिबान के लडकों को अपना काम काज करने में यह मजामीन कहां तक इम्दाद दे सकेंगे !

मेरी गरज इस गुफ्तगू से यह है कि मुजव्विज साहब जिस वक्त Sum up (सम अप) करें उस वक्त इन बातों का ख्याल रक्खें, बाद में आप साहबान को यह सोचने का मौका है कि अगर गवर्नमेन्ट मौजूदा हालत में कमर्शियल स्कूल्स जारी कर दे तो हमारे तिजारतपेशा साहिबान को उनसे कितना फायदा पहुंचेगा. नीज यह बात भी गौर करने के काबिल है कि इसमसले पर एज्यूकेशन कमीशन गौर करे या नहीं !

लाला रामजीदास साहब—मैं पोलिटिकल मेम्बर साहब का मशकूर हूं, जिनकी तकरीर ने इस मुआम्ले पर बहुत रौशनी डाली है. मैंने बम्बई वगैरह मुकामात के Commercial Institutions देखे हैं और उनमें जो तालीम जिस तरीक पर दी जाती है उससे भी मैं वाकिफ हूं. इसमें शक नहीं है कि इन स्कूलों में तालीम पाये हुए लडके बजाय Independent business men होने के ज्यादातर Accountants बनते हैं मगर इसके यह मानी नहीं है कि हम भी जहां तक तालीम का तअल्लुक है, इन स्कूलों की नकल करें. मेरी गरज यह है कि तिजारत पेशा लोगों को

ऐसी तालीम दी जाय कि जिससे उन्हें तिजारत के नये methods से वाकफियत हो जाय और वह अपने पुराने बेउसूल ढरों को छोडकर और उनमें जो मुफीद बातें हैं उन्हें कायम रखकर neighbouring मुकामात के लोगों के मुताबिक तिजारत करने के काबिल हो जावें. यह हरगिज मुमकिन नहीं है कि जितने लोग तालीम पावेंगे वह सब ही खुदमुख्तार बनकर तिजारत करने लगेंगे, इनमें चंद जरूर ऐसे लोग होंगे जो सरमाया न होने की वजह से या और दूसरे वजूहात से खुद तिजारत न कर सकेंगे; मगर तिजारत के मुतअल्लिक कामों में हिस्सा जरूर ले सकेंगे और वक्त आने पर काबिलियत के लिहाज से उनको भी शरीक बनकर तिजारत करने का मौका मिल सकता है. ऐसी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि कारखाने में एक छोटे दर्जे की मुलाजिमत शुरू करके काबिल शख्स Partner बन गये हैं. सवाल सिर्फ यह है कि तालीम देकर उनको काबिल बनाया जावे या जैसे कि वह आज कल गिरते और बरबाद होते चले जाते हैं, वैसे ही उन्हें चलने दिया जावे.

मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने चंद सालों में अपनी आंखों से देखा है कि कई बडी २ दुकानों के मालकान, जिनको तालीम नहीं मिल सकी, अपने बाप दादा के नाम को खोकर अब बेकार फिरते हैं और किसी रोजगार के काबिल नहीं रहे. अगर उन्हें तालीम मिलती तो मुझे यकीन है कि उनकी हालत ऐसी न होती.

तालीम का Curriculum क्या हो, इसको ज़रूरत और मुकामी हालात के लिहाज से कायम करना पडेगा. न हम पूरे तौर पर बम्बई और कलकत्ता के स्कूलों की नकल करना चाहते हैं और न पुराने अच्छे तरीकों को, महज इस वजह से कि पुराने हैं, तर्क करने को तैयार हैं.

मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि चूंकि चंद बे पढे लोगों ने बहुत बडी इज्जत नाम और दौलत हासिल करली है और business में भी success हासिल करली है, इसलिये कमर्शियल तालीम देने की जरूरत नहीं है. Success और failure तकदीर पर मुनहसिर है जैसा कि जनरल तालीम के सिलसिले में आप देखते हैं; लेकिन इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता है कि तालीम देना ही फुजूल है. मेरा तो यह खयाल है कि जिन बे पढे लोगों ने success हासिल की है, अगर वह तालीमयाफ्ता होते तो और भी ज्यादा वह successful होते.

जनाब एजूकेशन मेम्बर साहब ने अपनी आलिमाना तकरीर में यह फरमाया है कि चूंकि लोगों को रगबत नहीं, इसलिये इस तालीम के देने की जरूरत नहीं है, मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस फिरके को किसी ऐसे काम में रगबत न हो जो वाकई उस फिरके के लिये अच्छा और मुफीद हो, तो क्या उस फिरके को उस तरफ रागिब नहीं करना चाहिये ? चंद साल पेश्तर स्त्रीशिक्षा की तरफ लोगों की तवज्जुह नहीं थी, बल्कि लोग उसकी मुखालफत करते थे. मगर चूंकि काम नेक था, गवर्नमेन्ट और लीडर्स ने इस काम को हाथ में लेना मुनासिब समझा और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को रगबत इस तरफ दिलाई, तो नतीजा यह निकला कि अब अच्छी तरह स्त्रीशिक्षा का प्रचार होरहा है. क्या इसी तौर पर हम लोग कमरशियल ट्रेनिंग दिये जाने की उम्मेद गवर्नमेन्ट से नहीं कर सकते ?

हुजूर मुअल्ला ने वक्तन फवक्तन जो खयालात जरिये स्पीचेज इस फिरके की तालीम की निस्बत जाहिर फरमाये हैं, उन की बाबत मैं अर्ज करचुका हूं, और मेरा खयाल है कि जबतक तज्जारान में तिजारती तालीम न फैलेगी हम गवालियार की तिजारत को फरोग देकर उसे देहली व कानपुर नहीं बना सकते हैं.

हुजूर मुअल्ला—प्रेसीडेंट साहब ! मैं आप से माफी चाहता हूं कि बीमार होने की वजह से ठीक लिबास में नहीं आ सका; मगर यह तीन चार सवाल जो अभी आपके सामने पेश हुए हैं इतने दिलचस्प हैं कि बिला खयाल तबियत व लिबास मुझसे इनके मुतअल्लिक अपने खयाल बिला जाहिर किये नहीं रहा जाता.

साहबान ! दुनिया के सारे काम इस तौर से चलते हैं कि एक शख्स किसी काम में innitiative लेता है. जब उस काम का नतीजा अच्छा निकलता है तब और लोग भी उसमें interest लेते और उसे हर तरीके से encourage करते हैं और फिर उस काम में पूरी कामयाबी हासिल हो जाया करती है. क्या मैं यहां दरयाफ्त करूं कि दरबार ने Education के लिये क्या नहीं किया और उन्हें क्या encouragement मिला ? कालेज और मुख्तलिफ किस्म के स्कूल्स खोले. जब Discipline कायम रखने वालों और काम करने वालों की जरूरत मालूम हुई तो नार्मल स्कूल्स खोले गये. गर्लस्कूल्स जारी किये. सर्दाडाटर्स स्कूल को देखिये, जहां पढने वाली लडकियों के लिये सवारी तक भेजनी पडती है मगर वाल्दैन सवारी देना नहीं चाहते. सर्दार स्कूल को मुलाहिजा कीजिये कि जहां की free list कितनी बडी है. लडके जबरदस्ती भरती किये जाते हैं और तालीम पर जोर दिया जाता है तो Discontent फैलता है और जोर नहीं दिया जाता तो भी Discontent फैलता है. जमींदार हितकारी सभा के मार्फत बूढे जमींदारों तक को फायदा पहुंचाने का इन्तजाम किया गया है और साफ हिदायत है कि उपदेशक लोग अलाओं के पास बैठकर किसानों को व्याख्यान दें और उनके फायदे की बातें समझावें; अगर अब भी यह लोग कुछ न करें तो इनका नसीब. कृषि विद्या की रीडर्स बनाई गई हैं और उनकी निस्बत एजूकेशन डिपार्टमेन्ट को यह हिदायत है कि मदर्सों के पास Farms बनाये जावें जहां लडकों को कृषि के मुतअल्लिक Demonstrations दिखाये जासकें; मगर मालूम नहीं कि कितने जमींदारों ने अपने लडके मदर्से में भेजे. यह कहकर मैं सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं मगर हमारी कोई मदद नहीं करता और अगर दस पांच साहबान ने हमारी मदद की भी तो क्या हुआ ?

मैंने साहूकारान को भी अपने बच्चों को तालीम देने के लिये warn किया था और मेरा intention अच्छा था; मगर उन्होंने हमारे स्कूल्स से कोई फायदा नहीं उठायाँ. मैं दावे से कहता हूं कि दरबार रिआया की फलाह और बहबूदी की कोशिश कर रहे हैं मगर उन्हें पूरी इम्दाद नहीं मिलती और अगर उनके suggestions को strictly follow किया जावे तो यकीनन दस वर्ष में कुछ से कुछ हो जावेगा.

मैं तस्लीम करता हूं कि आज की तकरीरें निहायत दानाई की हुई; मगर जिन lines पर यह तकरीरें की गई हैं क्या आप उन lines पर काम करने को तैयार हैं ? इन तकरीरों में मेरी स्पीचेज का हवाला दिया गया है और अपने contention को मजबूत करने के लिये मेरी स्पीचेज से इम्दाद ली गई है उसके लिये मैं रामजीदास साहब का मशकूर हूं; मगर अच्छा होता अगर रामजीदास साहब अपने आपको मेरी position में पहले रख लेते और फिर तकरीर करते, तो उन्हें इन मुआम्लात की practical side भी दिखाई दे उठती. अभी कहा गया है कि मामूली मदर्सों में भूगोल वगैरा की जो तालीम होती है उससे तज्जारान के लडकों को क्या फायदा होगा और बचपन में मेरा भी यही खयाल था मगर मैंने अपने बचपन में भूगोल पढा था और मैं कह सकता हूं कि चीन की लडाई में मुझे उससे कितना फायदा पहुंचा. इसीलिये जोर दिया जाता है कि इब्तिदाई theoritical तालीम सब लडकों को दी जाना चाहिये. इस मसले की theoritical और practical दोनों sides को ध्यान में रखकर आप आगे आयें और शौक से काम करें. मुझे हरगिज रश्क नहीं

होगा, बल्कि इसको मैं अपनी कद्रअफजाई समझूंगा और जिस दिन आप लोग ऐसा काम करेंगे वह ग्वालियार राज्य की History में Red Letter Day समझा जावेगा. तालीम के मसले के साथ मुकामी हालत को मद्देनजर रखते हुए देखिये. क्या आपका काम बिला नौकरों के चल सकता है ? क्या मौजूदा हालत में भी जब कि तालीम नहीं फैली है आप अपनी निस्फ आमदनी नौकरों की तनख्वाह पर सर्फ नहीं करते ? अगर compulsory education कर दी गई तो क्या जमींदारों और काश्तकारों के लडके अपना आबाई पेशा छोडकर light काम नहीं ढूंढते फिरेंगे और उस वक्त हमारी economic हालत कैसी होजावेगी. हमारा रोजमर्रा का तजरुबा है कि तालीम लडकों को आरामतलब बनाने और अपना बाप दादा का पेशा छोडने में मदद देती है और यह बदनसीबी की बात समझनी चाहिये. इसलिये सरेदस्त तालीम को हर क्लास के लोगों के लिये उनकी जरूरियात के लिहाज से महदूद करना मुनासिब होगा और इससे आयन्दा तरक्की hemper न होगी. हिन्दुस्तान विलायत नहीं है. विलायत वाले वक्त की कद्र करते हैं और जो कुछ पसीना बहाकर पैदा करते हैं उसे enjoy करते हैं, मगर अपने यहां के लोगों को देखिये जो कम से कम आमदनी से satisfied होते हुए आमदनी बढाने के लिये कुछ करना नहीं चाहते. गांव में देखिये कि जमीन पडी रहती है, मगर पट्टे से जियादा आमदनी पैदा नहीं करते. अगर settlement खत्म होने के बाद ही यह पडत जमीन आबाद करलें तो आयन्दा settlement तक इस जमीन की बिला कोई मालगुजारी अदा किये हुए उससे फायदा उठावेंगे. साहूकार साहबान को मुलाहिजा कीजिये कि बहीखाते से तो ५ लाख की आसामी हैं, मगर वक्त पर १०० अशरफियां नहीं निकलतीं. इसलिये आप किसी मसले को हाथ में लेने से पहिले लोकल conditions और causes और effect को देखें. आपने इन तीन दिन में देखा होगा कि आपकी तजावीज की गवर्नमेंट कैसी sympathetic view लेती रही है. हम Diplomaticalies नहीं बोलेंगे, अगर इन्कार करना होगा तो साफ इन्कार करदेंगे. मैं इस मजलिस को निराली सजधज और नई अदा की बनाना चाहता हूं.

कर्नल हकसर ने इस मजमून पर जो कुछ कहा है उससे मुझे इत्तफाक है. मैं अपनी तजरुबे की बात कहता हूं और मैंने जो कुछ मौतबिर जरिये से सुना है वह कहता हूं. मिसाल के तौर पागनीस साहब के लडके को देखिये जिन्हें Dawar's College में तालीम दिलाई गई थी मगर उन्होंने Workshop में क्या किया, यह आप जानते हैं और जो कुछ उन्होंने Civil and Military Stores में किया उससे भी आप नावाकिफ नहीं हैं. नीमच के एक मजिस्ट्रेट साहब ने दिल खोल कर रिश्वत ली. जब मुझे इस बात का हाल मालूम हुआ और मैंने तहकीकात कराई तो १० बजे रात के मेरे पास आये और तसलीम किया कि मैंने रिश्वत ली है मगर माफी चाही. मैंने कहला भेजा कि ऐसा मत बोलो और चले जाओ. यह सब तालीम याफ्ताओं के किस्से हैं.

मैं commercial education के लिये मदरसे खोलने को तय्यार हूं, बशर्ते कि लडकों के वालदैन agreement लिखें कि हम अपने लडकों को commercial education दिलाऐंगे. हमने मदरसे खोले और लडके न आये, फिर हम क्या करेंगे ? नीज इस Education के मुतअल्लिक कोई मुकम्मिल स्कीम पेश नहीं कीगई है जिसे हम consider करसकें. इसलिये मेरी आपसे अदब के साथ इल्तमास है कि इन तमाम बातों पर गौर करके और अपनी जुम्मेवारियों को महसूस करते हुए आप काम करें. यह काम मैं आपही के सुपुर्द करूंगा और आप मुंह न मोड सकेंगे. रामजीदास साहब ने जो बातें बतलाई हैं उन्हें सुनकर मुझे खुशी हुई. वाकई महकमे Education में तामील के मुतअल्लिक बहुत गडबड हुई है. मैंने मिस्लों में हुक्म दिये मगर उनकी तामील नहीं हुई और इसी सिलसिले में वहां का ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बरखास्त हुआ है. आयन्दा मुझे उम्मेद है कि महकमा Education हर point पर मजलिस को information देगा.

Education ख्वाह vocational हो ख्वाह art की, उसका तअल्लुक पब्लिक से है; इसलिये आप पब्लिक को तैयार करें और देखें कि मुल्क की demand क्या है और Right spirit और Right Direction क्या है. यह सब जिम्मेवारी के काम हैं और constructive काम करने वालों को इस जिम्मेवारी के उठाने के लिये तय्यार होना चाहिये. जाहिरा तौर पर देखते हुए इस कार्रवाई की सूरत Tug of war की है और मुझे खौफ मालूम होता है कि किसी का दिल न टूट जावे, मगर मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरा मोटो (Motto) 'Honesty is the best policy है, और इस बात से सब का संतोष होजाना चाहिये. मैं तमाम constructive कामों की इम्दाद करूंगा, लेकिन हवाई बातें मुझे पसंद नहीं हैं जिनके साथ सिवाय Irresponsible गुफ्तगू और कुछ नहीं होता.

रामजीदास साहब—मेरा मुद्दआ किसी हवाई तजवीज पेश करने से नहीं था. हुजूर ने Education के मुतअल्लिक जो जो तजवीजें की हैं उनसे सब वाकिफ हैं और मैंने हुजुर मुअल्ला के खयालात जाहिर करने के लिये ही सरकार की स्पीच से quotations दिये हैं. मेरा स्कीम यह है कि तज्जारान के लडकों की तालीम का कोई ऐसा तरीका कायम हो जावे कि वह उसके जरिये से नये business करने के ways से वाकिफ हो जावें और यही सरकार की मंशा है. मुकम्मिल स्कीम वह लोग तय्यार करेंगे जो इस मजमून के माहिर हैं. मैंने सिर्फ अर्ज हाल कर दिया है.

प्रेसीडेन्ट साहब—एज्यूकेशन मेंबर साहब ने कहा है कि जब तज्जारान की तरफ से इस किस्म की दरख्वास्त पेश होगी उस वक्त गौर किया जावेगा.

हुजूर मुअल्ला—अजीब मुश्किलात पेश आती हैं, Technical School खोलागया, लडकों को वजीफे दिये गये, जब पास हो गये, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गये और कहने लगे कि हमको lathe चाहिये, हथोडे चाहिये, यह चाहिये वह चाहिये. पब्लिक है कि उनको दबाती नहीं !! अब फरमाइये कि क्या किया जावे ? इस उम्मेद पर education नहीं दिया जाता है कि पढने वाले कुछ न करें और उनकी तालीम खत्म हो जाने के बाद भी उन्हें life में settle हम करावें और उनकी business को finance भी करें. यह कैसे हो सकता है कि सब काम हम ही करें. ताहम हम commercial education को जारी करने को तैयार हैं, बशर्ते कि लाला रामजीदास इस काम को खुद under take करें

लिहाजा करार पाया कि अगर लाला रामजीदास इस काम को अपने हाथ में लेने को तैयार हों तो यह तजवीज मंजूर की जावे.

तजवीज ४, एजेन्डा २.

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

"म्युनिसिपेलिटीज व टाउन कमेटीज में इन्तखाब के जर्ये से मेम्बर मुकर्रर किये जांय."

धुंडीराजकृष्ण अष्टेवाले साहब ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा :—

देखाजाता है कि दरबार से जो संस्थाएं कायम कीगई हैं उन सब में मेम्बर मुन्तखिब होते हैं. जैसे परगना बोर्ड, जिला बोर्ड व प्रांत बोर्ड, और मजलिस आम के मेम्बर भी मुन्तखिब हुये हैं, मगर म्युनिसिपेलिटीज और टाउन कमेटीज को अभी तक अपने मेम्बर मुन्तखिब करने का इख्तियार नहीं है और ऑफिसरान जिला व परगना जिनको पसंद करते हैं उन्हें तजवीज करके उनकी सिफारिश मेम्बरी के लिये कर देते हैं. मेरी यह अर्ज है कि इन दोनों संस्थाओं को भी अपने मेम्बर मुन्तखिब करने की इजाजत दीजावे.

विट्ठलदास साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

झालानी साहब—मुझे भी इस तजवीज के साथ इत्तफाक है. जब परगना, डिस्ट्रिक्ट और प्रांत बोर्ड और इस मजलिस के मेम्बर भी चुने जाते हैं तो जरूर म्युनिसिपेलिटीज और टाउन कमेटीज को अपने मेम्बर मुन्तखिब करने का हक देना चाहिये.

मेम्बर साहब फार म्युनिसिपेलिटीज—इस तजवीज में एक सुफारिश यह की गई है कि म्युनिसिपेलिटी हाय में इन्तखाब के जरिये से मेम्बर मुकर्रर किये जावें. इसके मुतअल्लिक मैं मेम्बर साहबान की तवज्जह दफा १३, एक्ट म्युनिसिपेलिटी हाय, गवालियर, की तरफ दिलाना चाहता हूं. इस दफा की रू से हर कमेटी में या तो कुल मेम्बरान ऐसे हो सकते हैं जिन्हें गवर्नमेन्ट ने नामजद किया हो या जुजअन ऐसे मेम्बरान हो सकते हैं जो नामजद किये गये हों और जुजअन ऐसे होसक्ते हैं जिनको बाशिन्दगान ने मुन्तखिब किया हो. मेरा मतलब इससे यह है कि मौजूदा कानून की रू से कुल मेम्बरान का तकर्रुर बजरिये इन्तखाब नहीं होसकता; लेकिन किसी म्युनिसिपेलिटी के बाशिन्दगान को यह हक दिया जासकता है कि वह मेम्बरान कमेटी का मुकर्ररा तादाद तक इन्तखाब करें. लश्कर म्युनिसिपेलिटी में मेम्बरान के इलेक्शन का तरीका अर्से से रायज है और हाल ही में दर्बार मुअल्ला ने शिवपुरी म्युनिसिपेलिटी में मेम्बरान के इलेक्शन के तरीके को मंजूर फर्माया है. पेश्तर इसके कि किसी म्युनिसिपेलिटी में इन्तखाब मेम्बरान का तरीका रायज किया जावे यह देखना जरूरी होता है कि आया म्युनिसिपेलिटी के बाशिन्दगान के ज्यादा हिस्से को म्युनिसिपल मामलात में दिलचस्पी पैदा हो गई है और वह इन्तजाम की जुम्मेवारियों को समझते हुए लायक मेम्बरान का इन्तखाब करसकते हैं. अगर मौजूदा म्युनिसिपेलिटी हाय की हालत को जुदा जुदा देखा जावे तो मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि बिला तमीज जुमला म्युनिसिपेलिटी हाय में मेम्बरान के इलेक्शन का हक बाशिन्दगान को दिया जाना मुनासिब होगा.

मेम्बरान मजलिस की वकफियत के लिये यह जाहिर करना मुनासिब समझता हूं कि इलेक्शन के कवाअद जेर मुरत्तिब हैं. उनके तय्यार होजाने पर बाकी म्युनिसिपेलिटी हाय की निस्बत फर्दन २ गौर किया जासकेगा कि किन में यह तरीका रायज किया जासकता है.

दूसरी सिफारिश यह कीगई है कि टाउन कमेटियों के मेम्बरान इन्तखाब के जरिये से मुकर्रर किये जावें.

बरूय सरक्यूलर नम्बर १, संवत १९६९, हर टाउन कमेटी के मेम्बरान की तादाद ६ मुकर्रर कीगई है जिनमें दो आफिशिअल और चार नान-आफिशियल मेम्बरान होंगे और यह करार दिया जाचुका है कि नान-आफिशियल मेम्बरान आम तौर पर साहूकारों और जमींदारों में से मुकर्रर किये जावें और यह भी करार दिया जा चुका है कि हर तीसरी साल मेम्बरान का जदीद तकर्रुर किया जाया करे.

जैसा कि मैं तजवीज नम्बर ३ के सिलसिले में बयान कर चुका हूं साहूकारान और जमींदारों के अलावा किसी दूसरे शख्स के तकर्रुर की इस सरक्यूलर की रू से मुमानियत नहीं है. जावद टाउन कमेटी में और इसी तरह नीमच टाउन कमेटी में इस वक्त एक २ वकील साहब मेम्बर मुकर्रर हैं. मैं यह भी जाहिर करचुका हूं कि पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स की निस्बत दरबार मुअल्ला की आम तौर पर यह पालिसी रही है कि उन में मुख्तलिफ बा असर तबकों के कायममुकाम मुकर्रर किये जावें ताकि एक ही तबके के लोग किसी वक्त किसी एक इन्स्टिट्यूशन में इकठे न

हो जावें और मैं उम्मेद करता हूं कि मेम्बर साहबान मेरी इस राय से इत्तफाक करेंगे कि यह एक दानिशमन्दाना और मुफीद पालिसी है. अगर टाउन कमेटियों के नान-आफिशियल मेम्बरों को बिला लिहाज हिदायत मुन्दर्जा सरक्यूलर नम्बर १, सम्वत १९७७, बजरिये इन्तखाब मुकर्रर किये जाने का तरीका कायम किया जावे तो यह इस असूल के बरखिलाफ होगा कि जिस की बिना पर सरक्यूलर मजकूर जारी किया गया है और जिस को इस मजलिस ने मंजूर करके तजवीज नम्बर ३ को नामंजूर किया है. अलबत्ता ऐसा तरीका कायम किया जासकता है कि टाउन कमेटियों के अव्वल तकर्रुर या सेह साला हर जदीद तकर्रुर के वक्त पब्लिक जल्सा करके लोगों की रायें दर्याफ्त करली जाया करें कि वह साहूकारी या जमींदारी तबके से किस शख्स का या अलावा उन तबकों के किसी और शख्स का तकर्रुर चाहते हैं. ऐसा तरीका रायज करने के मुतअल्लिक मुझे इत्तफाक है और जिन टाउन कमेटियों में ऐसा तरीका रायज है उनको हिदायत इस बारे में दी जासकती है.

हुजूर मुअल्ला—पब्लिक की तरफ से जितने मेम्बर म्युनिसिपेल्टियों में elect होंगे, हमें खुशी होगी. लेकिन सवाल काम का और काम करने वालों का है. जो लोग कोशिश करके या automatically म्युनिसिपल मेम्बर बन जाते हैं, उनके सिर्फ अपनी मेम्बरी का अभिमान करने से म्युनिसिपेल्टी का काम नहीं चल सकता है, और न हां में हां मिलाने से और न आपस में लडने झगडने से मतलब बरारी हो सकती है. म्युनिसिपल कमेटियां कायम करने का जो मकसद है उसे नहीं भूल जाना चाहिये, और वह यह है कि शहर व कस्बों की हालत सम्हले, सैनिटेशन अच्छा हो, सडकें दुरुस्त और साफ हों, छिडकाव व रोशनी का बन्दोबस्त हो, पानी साफ मिले, बाशिन्दगान की तफरीह और बच्चों के खेलने के लिये मुकामात हों वगैरा २. अगर आप खास लश्कर की म्युनिसिपेल्टी को देखेंगे तो मालूम होगा कि मेम्बरान की इन कामों की तरफ कितनी तवज्जुह है ? दारोगा सफाई corrupt हैं, मगर उनकी तरफ कोई नहीं देखता. सराफे में दाऊलाल की दूकान के करीब जो गली है उसकी सफाई देखने के काबिल है, मगर उसे किसी ने नहीं देखा. स्टेशन की सडक पर नया पार्क और फुट पाथ (foot path) के दरमियान जमीन की हालत क्या है, मगर उस तरफ किसी ने तवज्जुह नहीं की. शहर में कौन २ से Congested parts हैं, इसकी कितने लोगों को खबर है. दानाओली Epidemics का घर बनी हुई है, मगर मेम्बरान कमेटी इससे बेखबर हैं. यही हालत पचास फीसदी कमेटियों की है. भिन्ड म्युनिसिपेल्टी की हालत भी मुलाहिजा करने लायक है. अगर मेम्बरान को काम में interest होता तो मुझे आज यह शिकायत करने का मौका न मिलता.

मेम्बरान ख्वाह elected हों, ख्वाह nominated, जब तक वह कमेटी के aims और objects को न समझेंगे और दोनों etremes यानी हांजी हांजी और आपस के लडाई झगडे और हार जीत के खयाल को न छोडेंगे, कामयाबी नहीं होगी. म्युनिसिपेल्टी का काम हंसी मजाक नहीं है. अलावा उन कामों के जो मैंने अभी बताये हैं, सबसे बडा काम म्युनिसिपेल्टी का यह है कि वह बाशिंदगान को Sanitation और Hygeian के उसूलों से वाकिफ कराके उनकी पाबन्दी करावें और इस के साथ ही अपने सर्फे के लिये आमदनी का बन्दोबस्त करें. मैंने इस काम में मजहब तक से मदद ली थी, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला. मैं उम्मेद करता हूं कि आप सब ने मेरा मंशा समझ लिया होगा. जिन कमेटियों में पब्लिक के representatives बैठते हैं वहां की पब्लिक को देखना चाहिये कि वह कैसा काम करते हैं, अगर अच्छा न करते हों तो उन्हें दबाना चाहिये.

प्रेसीडेन्ट साहब—मजलिस की इस बारे में क्या राय है ?

हस्ब इत्तफाक राय आम करार पाया कि राय एज्यूकेशन मेम्बर साहब की मुनासिब है.

पांचवां दिन.

सोमवार, तारीख २४ अक्टूबर सन १९२१ ई०, वक्त सुबह ८ बजे.

(१) रिपोर्ट सब-कमेटी धर्मादा मुतअल्लिक तजवीज १, एजेन्डा नम्बर २ पेश हुई.

टोडरमल साहब—सवाल सिर्फ धर्मादा की बाबत पेश हुआ है. कमेटी ने आमदनी धर्मादा के जो ४ जरिये बताये हैं उनमें चौथा जरिया चंदा द्वार बतलाया गया है, उसका तअल्लुक धर्मादाव से नहीं रखना चाहिये.

महादेवराव साहब—कमेटी के रिपोर्ट का तअल्लुक सिर्फ मंडियों के धर्मादा से समझा जावे. मंदिर व मसजिद के इन्तजाम से धर्मादाव से कुछ वास्ता नहीं होना चाहिये.

लालचन्द साहब—जिन कारखानेदारान या दूकानदारान के यहां किसी खास मंदिर या धर्मशाला के नाम से धर्मादा काटा जाता है वह बराबर उसी काम में खर्च होता है. ऐसी रकम का निस्फ मंडी कमेटी के धर्मादा फंड में दाखिल करने की जरूरत नहीं है. ऐसी तशरीह रिपोर्ट में होनी चाहिये.

लॉ मेम्बर साहब—तजवीज सिर्फ इस कदर थी कि जो रुपया दूकानदारान मंडियों में धर्मादा का वसूल करते हैं उसके मुतअल्लिक ऐसे कवाअद बना दिये जावें कि जिससे यह इत्मीनान हो कि वह रकम किसी कारेखैर ही में सर्फ होती है और सब-कमेटी उन कवाअद का खाका मुरत्तिब करके पेश करे. बाज बातें देखने को तो बहुत अच्छी मालूम होती हैं मगर उनका कानूनी अमलदरामद कराने की गरज से जब कवाअद मुरत्तिब किये जाते हैं तो उस वक्त उनके अमल के मुतअल्लिक दिक्कतें नजर में आती हैं. चुनांचि इस वक्त भी यह दिक्कत महसूस होती है कि धर्मादा को स्टेस्ट कैसे कन्ट्रोल (Control) करें? जो रिपोर्ट कमेटी ने पेश की है वह कवाअद की शक्ल में नहीं है-उसमें यह बात तसलीम करली गई है कि मंडी कमेटियां कायम हैं और उनके जरिये से इन्तजाम धर्मादा का मुमकिन है; मगर असल में मंडी कमेटियों की कायमी की निस्बत एक मसव्विदा महकमे ट्रेड से दरबार की खिदमत में पेश हुआ है. और उसके पास हो जाने पर इन मंडियों के Constitution का हाल मालूम हो सकेगा. कमेटी ने अलावा धर्मादा के एक तजवीज यह भी पेश की है कि मंदिर, मसजिद, छत्री या दीगर पब्लिक परस्तिशगाहों का कन्ट्रोल (Control) मुतअल्लिक औकाफ कमेटी कर दिया जाये. यह तजवीज कमेटी के Scope of reference से किसी कदर बाहर है. मौजूदा कानून के मुताबिक इबादतगाहें सिर्फ उसी हालत में कमेटी की निगरानी में दी जा सकती हैं जब कि किसी जमाअत या फिरके की तरफ से इस किस्म की ख्वाहिश की जाय और दरबार से उनकी यह ख्वाहिश मंजूर फरमाई जाये.

मेरी राय में जब तक कवाअद मंडी हाय दरबार से मंजूर न हो जावें इस तजवीज पर गौर करना कब्ल अज वक्त है. कमेटी की रिपोर्ट उस वक्त तक pending रक्खी जाये जब तक कि मंडियों के कवायद पास होकर उनका निफाज न किया जावे.

वाटवे साहब—चूंकि धर्मादा की रकम देनेवाला शख्स किसी जरिये से यह जाहिर नहीं करता कि यह रकम किस तरीके से खर्च की जावे तो सोसायटी का फर्ज है कि वह यह देखे कि यह रकम कैसे सर्फ हुई और इसी बात को मद्देनजर रखकर मुजव्विज साहब ने इस सवाल को पेश किया था. इस पर जो राय सब-कमेटी ने जाहिर की है उस से मुझे इत्तफाक है; मगर सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में धर्मादा की लाइन को वसीअ करके मंदिर, मसजिद व दीगर शख्सी institutions में मदाखलत किये जाने बाबत जो तजवीज पेश की है उससे मुझे इख्तलाफ है. मुआमला खफीफ था मगर कमेटी ने उसे बढाकर एक ऐसा रस्ता निकाला है जिससे मंदिर व मस्जिदों के मुतअल्लिक जो आजादी है-वह जाती रहेगी.

जगमोहन लाल साहब—सवाल मेरा था और मैं इस लिये अर्ज करताहूं कि रिपोर्ट दो बातों पर महमूल है, एक धर्मादा और दूसरे मंदिर मस्जिद वगैरह.

हुजूर मुअल्ला—दूसरे हिस्से के मुतअल्लिक बहस मत कीजिये.

जगमोहन लाल साहब—लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है कि धर्मादा के मुतअल्लिक तजवीज कवायद की शक्ल में पेश नहीं की गई है. कमेटी ने General idea उन तजवीज का देदिया है जिसके मुतअल्लिक कवायद मुरत्तिब होना है और कमेटी का यह ख्याल था कि कानून के बनाने का काम महकमे लेजिसलेटिव या ट्रेड का है. धर्मादा के खर्च के मुतअल्लिक कमेटी ने यह उसूल कायम किया है कि वसूल शुदा धर्मादा की निस्फ रकम धर्मादा वसूल करने वाला अपनी मर्जी से और निस्फ मंडी कमेटी की मर्जी के मुतबिक सर्फ करे और मेरी राय में रिपोर्ट में इतना जाहिर कर देना काफी था. लॉमेम्बर साहब ने यह भी एतराज़ फरमाया है कि जिन मंडी कमेटियों पर धर्मादा के सर्फ करने का इनहिसार रक्खा जाता है वह कायम नहीं हैं और उनके Constitution वगैरह के मुतअल्लिक कवायद दरबार के हुजूर में पेश है. वाकई अम्र यह है कि कोई भी मंडी एसी नहीं है जहां कमेटी कायम न हो, लिहाजा धर्मादा का काम इन्हीं मौजूदा कमेटियों के सुपुर्द कर दिया जावे और जब दूसरी कमेटियां मुकर्रर होंगी उस वक्त यह काम उनकी तरफ मुन्तकिल हो सकता है और कवायद मंडी पास हो जाने पर वह मंडीकमेटियां कायदे में बंधजावेगी. मेरी राय है कि इस सवाल को मंडियों के कवायद पास होने के इन्तजार में मुल्तवी न किया जावे. अगर कवायद मंडी पास हो जाने पर धर्मादा के कवायद में तरमीम की जरूरत होगी तो तरमीम होजावेगी.

ट्रेड मेम्बर साहब—मंदिर और मस्जिद वगैरह के मुतअल्लिक इस सवाल में गलतफहमी हुई है और मैं उसे साफ करना चाहताहूं. मेरे ख्याल में ८० फीसदी मंदिरों के असराफ धर्मादा और मंडी कमेटियों से चलते हैं, इस लिये धर्मादा के साथ मंदिर और मस्जिद वगैरह के मसलेपर भी गौर किया गया और उन के तअल्लुकात के लिहाज से तशरीह दफा ४७७ जाब्ता दीवानी करदी गई और बतलादिया गया कि अदालत में मुकद्दमात कैसे दायर होसकते हैं. यह भी जाहिर कर दिया गया कि मंदिर और मस्जिदों का कायम मुकाम किसे समझाजावे? अब कवायद बनाने का सवाल है, वह महकमा लेजिसलेटिव बना सकता है. धर्मादा के इन्तजाम के लिये मेरे ख्याल में किसी वसीअ कानून की जरूरत नहीं है और न अब तक एसी जरूरत पेश आई है. कमेटी ने मुआमले को साफ करने के लिये एक सादा तरीका बता दिया है. अगर इस के लिये कानून की जरूरत हो तो बनादिया जावे. मंडीकमेटियों की कायमी के मुतअल्लिक लॉमेम्बर साहब को जो एतराज है उसके बाबत मेरा यह ख्याल है कि जो कमेटियां मंडियों में काम कर रही हैं उन्हीं को recognize करना है, वर्ना काम तो चल ही रहा है.

हुजूर मुअल्ला—इसमें शक नहीं कि वकील साहब भिन्ड का यह सवाल है और मेम्बरान ने अच्छी तरह गौर करके उसकी तरफ मजलिस के attention को draw किया है. सब-कमेटी ने धर्मादा के सवाल के साथ मंदिर व मसजिद के सवाल को भी मिला दिया है, जिसके मुतअल्लिक बहस होरही है, मगर उसका बायस मैं हुआ हूं. मैंने १७ तारीख को दौरान बहस में मंदिरों की बद इन्तजामी और उसके बायस मुकदमा बाजी का हाल जाहिर करके सेठ रिधराज के मुकदमे की मिसाल दी और जो मुकद्दमात चल रहे हैं उन्हें भी मैंने Point out किया था, ताकि कमेटी की तवज्जुह

इस तरफ भी रहे; मगर सेक्रेटरी मजलिस और "जयाजी प्रताप" के रिपोर्टर की गलती है कि प्रोसीडिंग में उसका जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से यह इख्तलाफात होगये. मेरी यह राय है कि सब-कमेटी सवाल के दूसरे हिस्से पर गौर करके अपनी मुकम्मिल तजवीज पेश करे और अगर यह ख्याल है कि वक्फशुदा जायदाद का इन्तजाम धर्मादा की तरह करने में दिक्कतें होंगी तो उनको जाहिर करे. अगर यह ख्याल हो कि प्रेसिडेन्ट के कहने से एक सवाल के साथ इस सवाल को मिलाना खिलाफ जाब्ता है, तो मेरी तरफ से इसे एक नया सवाल तसव्वुर करके इस पर गौर किया जावे और एक अलहदा सब-कमेटी लॉ मेम्बर साहब की प्रेसीडेन्टी में मुकर्रर हो, जिसके मेम्बर टोडरमल साहब, वाटवे साहब, जगमोहनलाल साहब और जिन साहबान को लॉ मेम्बर साहब पसन्द करें हों. दूसरी कमेटी जो ट्रेड मेम्बर साहब की प्रेसीडेन्टी में कायम है वह खालिस धर्मादा के मसले पर गौर करे.

वक्फ के मुतअल्लिक वाटवे साहब यह बात भूलते हैं कि जो शख्स वक्फ नामा तहरीर करता है वह यह उम्मेद रखता है कि मेरे वक्फनामे की पाबन्दी शहर के लोग और गवर्नमेन्ट करायेगी और अगर खास उसका लडका उसकी वसीअत के खिलाफ करेगा तो उसे ऐसा करने से बाज रखेगी. मेरा ख्याल है कि जो रुपया किसी public institution को वक्फ किया गया है उसपर गवर्नमेन्ट का कुछ न कुछ कन्ट्रोल होना चाहिये. पब्लिक में आपस में इत्तफाक होने से रुपया ठीक सर्फ हो सकता है.

मैं धर्मादा के मसले पर गौर करने वाली सब-कमेटी की तवज्जह इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि जो रकम धर्मादा वसूल होती है उसका असर माल के रेट पर नहीं पडना चाहिये; अगर धर्मादा का असर रेट पर पडता है तो यह धर्मादा नहीं है और यही बात इस सवाल की जान है. फर्ज कीजिये कि मैं रेस में दस हजार रुपये हार गया, अगर कस्टम्स पर एक पाई मैंने बढाकर वह रकम पूरी करली तो इसका असर क्या पडेगा ? अपनी जेब से धर्म के लिये दी हुई रकम का नाम धर्मादा है, फिर वह चाहे बिला गर्ज बतलाये क्यों न दी जावे. धर्म मूल पुरुष है, उसके बच्चे बे शुमार निकलेंगे. रास्ते चलते हुए कंगाल ने मांगा और उसे दे दिया तो यह धर्म है. स्टूडेन्ट को खाना, कपडे और किताबों से मदद करदी तो वह भी धर्म है और किसी का जरूरत के वक्त अपने पैसे से काम निकाल दिया तो वह भी धर्म का काम है. फिर भी यह मुनासिब होगा कि धर्म के कामों की एक Category इस तरीक से बनादी जावे जैसे कि महकमे आबपाशी के काम की बनादी गई है, यानी यह तय कर लिया जावे कि सब से ज्यादा जरूरी धर्म के काम कौन कौन से हैं और उनसे कम जरूरी कौन से वगैरह. लफ्ज 'रिफाह आम' को भी define करदेना चाहिये, क्योंकि मैं देखता हूं कि लफ्जों के बाल की खाल खींची जाती है. बहस में कहा जाता है कि लफ्ज "आम तौर" का क्या मतलब है और 'खास तौर' की क्या मुराद है. अगर language को spirit में study किया जावे तो यह मामूली अलफाज हैं मगर जमाने की tendency को जानते हुए और इस बात को नजर में रखते हुए कि लफ्ज "रिफाह आम" का धर्मादा से खास तअल्लुक है, इस लफ्ज की तशरीह करदेना जरूरी मालूम होता है.

धर्मादा का खास तअल्लुक कॉमर्स से है मगर चेम्बर ऑफ कॉमर्स अपने यहां होते हुए यह सवाल हमारे सामने क्यों लाया गया और गवर्नमेन्ट को इसमें दस्तन्दाजी करने का क्यों मौका दिया जाता है? यह सवाल ऐसा है जिसे पंचायतों के जरिये से चेम्बर तय करा देता मगर अफसोस की बात तो यह है कि लोग खास अपने Interest को भी Watch करना नहीं चाहते. अगर किसी के ख्याल में कोई बात आगई तो चेम्बर की मीटिंग Call कर लीगई, जल्सा हुआ, मगर आगे चलकर वही तीन तेरह !! सब-कमेटी की रिपोर्ट में चेम्बर का जिक्र कई जगह आया है

और धर्मादा का कुछ तअल्लुक भी चेम्बर से रक्खा गया है मगर चेम्बर की हालत देखते हुए यह मेरी समझ में नहीं आता कि वह अपनी जिम्मेवारी को कहां तक पूरा करेगा ? चेम्बर की कायमी के मुतअल्लिक initiative मेरा लिया हुआ है और मुझे मालूम है कि चेम्बर सिवाय superficial कामों के और कुछ नहीं करता. अगर चैम्बर अपने काम में interest लेता होता तो धर्मादा के लिये कानून का सवाल ही मजलिस में क्यों उठता और कितने मुकद्दमात अदालतों में दायर होने से रुककर बाहमी तौर पर फैसल हो जाते.

कमेटी इस बात पर भी गौर करे कि बचत धर्मादा फिजूल न पडी रहे, बल्कि उसे Compound interest पर लगा देना चाहिये, ताकि रकम हमेशा बढती रहे. मेरी ख्वाहिश है कि यह कमेटियां लीगल प्रोफेशन के लोगों की तरह तनकीहात कायम करके सही नतायज निकालें और अपनी रिपार्ट्स मजलिस में पेश करें.

इस वक्त मेरे जहन में दो बातें और आई हैं और गो उनका तअल्लुक मसले जेर बहस से नहीं है ताहम मैं जाहिर कर देना मुनासिब समझताहूं कि आप के जहन नशीन होजावें.

पहिली बात मुतअल्लिक जमा खर्च के है जिससे बहुत सी दिक्कतें पेश हो रही हैं. इसके System को regulate करने की जरूरत मालूम होती है. मेरी ख्वाहिश है कि १२ महीने में आप इस मजमून पर गौर करें कि मौजूदा System में क्या खराबी है. मुझे मालूम है कि इस में opposition होगा मगर यह honest नहीं होगा और इसीलिये इस System में इसलाह की जरूरत है. मेरा ख्याल है कि System में इसलाह होजाने से कम से कम ५ फीसदी मुकद्दमा बाजी कम हो जावेगी. यह बात आप याद रक्खें कि लेने देन में इस जमाने में रसीदों का लेना देना जरूरी है.

दूसरी बात जो आपके गौर के लायक है वह 'पनिहाई' का मसला है. इस के खिलाफ कसरत से शिकायतें सुनी जाती हैं. अच्छा हो अगर इस मसले को कल आप हाथ मे लेवें. अगर काम ज्यादा हो तो साल आयन्दा के लिये इसे मुल्तवी करें। मुझे तअज्जुब मालूम होता है कि इस मसले पर कोई तजवीज क्यों पेश नहीं की गई. इस पर गौर करने के लिये सब-कमेटी ब सिदारत इन्सपेक्टर-जनरल साहब पुलिस मुकर्रर की जाती है जिसके मेम्बर वह खुद तजवीज करलेवें.

---

(२) रिपोर्ट सब-कमटी मुतअल्लिक तजवीज २, एजेन्डा २ पेश हुई.

हुजूर मुअल्ला—सब-कमेटी का रिपोर्ट तक्सीम हो चुका है, इसकी निस्बत किसी साहब को कुछ कहना हो, वह बयान करें.

महादेवराव साहब—रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूरी के लायक है.

द्वारकादास साहब—मैं महादेवराव साहब की ताईद करता हूं. रिपोर्ट मंजूर फरमाई जावे.

हुजूर मुअल्ला—इस रिपोर्ट के मुतअल्लिक मुझे एक दो बातें कहना हैं. पहिली बात तो यह है कि बॉय स्काउट्स मूवमेन्ट को महदूद शक्ल में जारी किये जाने के लिये मैं हुक्म दे चुका हूं और अगर मेरी याद्दाश्त ठीक है तो सन १७–१८ में इस मामले पर मजलिस ने गौर करके ठहराव किया था. मगर अफसोस है कि महकमे एज्यूकेशन ने इसके बाद कोई नोट पेश नहीं किया. इस कार्रवाई का जिक्र न तो प्रोसीडिंग्स ही में है और एज्युकेशन ऑफिस की अब्तरी की वजह से न इस मिसल का ही पता चलता है. बहर हाल आप को मालूम होगया कि बॉय स्काउट्स मूवमेन्ट की तजवीज से मुझे पूरी हमदर्दी है और उसको जारी करने के लिये मैं हुक्म भी दे चुका हूं. इस बारे में अब

तक कुछ नहीं किया गया, यह एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट की गलती है. बाय स्काउट्स के मुतअल्लिक सब-कमेटी ने जो तजवीज पेश की है उससे मुझे पूरा इत्तफाक है और इसकी निस्बत कुछ जरूर करना चाहिये.

दूसरी बात जो सब-कमेटी की रिपोर्ट में काबिल गौर है वह लडकों के Tournaments और Gymnasiums को organize करने के मुतअल्लिक है और मेरे ख्याल से इस सिलसिले में भी व्याख्यान देने पडेंगे. सेनीटेशन के मुतअल्लिक जो सवाल जेर गौर है उसमें भी लेक्चरों पर झोक पडना मुमकिन है. जमींदार हितकारी सभा व्याख्यान देने के लिये ही कायम की गई है. लडकों की तालीम का झोक भी लेक्चर्स पर है. जब मुख्तलिफ डिपार्टमेन्ट्स की तरफ से मुख्तलिफ सबजेक्ट्स पर लेक्चर्स दिलाये जावेंगे तो कुपढ लोगों में confusion पैदा होने का एहतमाल और असल मकसद के मफकूद होजाने का खौफ है. इसलिये मेरे ख्याल में यह मुनासिब होगा कि इस किस्म के प्रोपेगेन्डावर्क (Propaganda work) के लिये एक डिपार्टमेन्ट ही बना दिया जावे और वह मुकामी जरूरियात के लिहाज से लेक्चर्स का इस तरीके से इन्तजाम करे कि confusion न होने पावे. मैं इस रिपोर्ट को reconsider करने के लिये वापिस करना मुनासिब समझता हूं. उस पर मजीद गौर करते वक्त कुछ जिम्मेदारी पब्लिक पर भी डालनी चाहिये. बजट बनाते वक्त आप अपनी फाइनेन्शियल पोजीशन का ख्याल रक्खें. आपने १० लाख का बजट बना दिया और रुपये देने की गुंजायश नहीं है तो क्या किया जावेगा. मैं diplomatic तरीके से कार्रवाई करना पसन्द नहीं करता. मैं जो कहूंगा सो करूंगा; अगर न कर सकूंगा तो साफ मना करदूंगा; इसलिये मैंने जो बातें अभी जाहिर की हैं इनका लिहाज करके सब-कमेटी रिपोर्ट पेश करे.

राजवाडे साहब—कमेटी का Personnel यही रहेगा या उसमें कोई तबदीली की जावेगी.

हुजूर मुअल्ला—यही रहे. अगर जरूरत मालूम हो तो आप कमी बेशी करलें.

राजवाडे साहब—वक्त कम है. मेरी राय में यह रिपोर्ट साल आयन्दा में पेश की जावे.

हुजूर मुअल्ला—साल आयन्दा में मुकम्मिल रिपोर्ट पेश हो. एक डिपार्टमेन्ट बनाया जावे और इस किस्म के काम मुख्तलिफ डिपार्टमेन्ट से निकाले जाकर इस महकमे के सुपुर्द किये जावें.

---

(३) रिपोर्ट सब-कमेटी बाबत तजवीज २ ऐजन्डा १ पेश हुई.

महादेव राव साहब—सरकार! मिलान खसरा में पडती की तशरीह खाना ९ लगायत १६ तक है; लेकिन चरनोई के लिये जो रकबा छोडा जाता है उसकी तशरीह नहीं है. उसका खाना मिलान खसरा में बढाया जावे. जमींदारान पडती की तशरीह खाना १४ का रुजू करके कर सकते हैं और बहुत से मिलान खसरे रुजू होकर दुरुस्त भी हो चुके हैं और जहां नहीं हुए वहां रुजूआत कराके उनकी दुरुस्ती होना चाहिये. बकिया खाना नम्बर १०, ११, १२, १३, १५ व १६ के रकबे की रुजूआत का होना मुश्किल है क्योंकि इसमें जंगल बेहड वगैरह शामिल हैं.

हुजूर मुअल्ला.—मैं यह चाहता हूं कि अगर मैं गांव में जाऊं तो जमींदार अपनी पॉकट बुक से मुकम्मिल वाकफियत गांव की दे देवें. हमारे dealings जमींदार के साथ होने चाहिये, पटवारी के साथ नहीं जो एक गांव का रिकार्ड कीपर (Record Keeper) है और जो शहादत देते वक्त अपना रिकार्ड मुलाहिजा कराता है। अक्सर ऑफिसरान जमींदार को कुछ नहीं समझते

बल्कि पटवारी से dealings रखना पसंद करते हैं, मगर मैंने दौरा कलमबन्दी में तमाम गांव के मुतअल्लिक dealings जमींदार के साथ रक्खे हैं, क्योंकि जमींदार ही दरबार का ऑफीसर है और वोह रिआया को संभालने वाला है और उस को दरबार तक को संभालने की कुव्वत है. इसलिये मैं चाहता हूं कि हमें जिस वकफियत की जरूरत हो वह हम जमींदार से लेवें। सम्वत १९७० से पहिले का मेरा तर्जुबा यह है कि हमने जो कोई बात जमींदार से पूछी तो उसने जवाब दिया कि " महाराज लाला से पूंछ लीजिये " शामिलात देहा का बटवारा जिसे जमींदार को खुद करना चाहिये; वह भी पटवारी ही करता है। जिला वालों ने पटवारी को इतना बढ़ा दिया है कि उसका रोब गांव में मुझसे भी ज्यादा पड़ता है, गो उस की हैसियत कुछ नहीं है। वह महज दरबार के ऑडर्स का (conveyer) है। इस तमाम अर्ज करने से मेरी गर्ज यह है, कि हमें मौजा में वकफियत accurate मिले, और अगर कमेटी की रिपोर्ट से यह मुराद हासिल होती है तो रिपोर्ट को मंजूर करना चाहिये। आप ख्याल रक्खें कि ऐसी कोशिश लोगों की होती है, कि रकबा काबिले काश्त को बुढेल लिखा दिया है, ताकि रक्बा कम दिखाई दे और आबादी करने के मुतअल्लिक जिम्मेवरी कम होजावे और डिस्ट्रिक्ट ऑफीसर, भी कहते हैं कि जितना रकबा काबिल काश्त कम नजर आवेगा उतनी ही जिम्मेदारी आबादी कराने के मुतअल्लिक कम होगी. साहिबान ! मेरा मतलब आप समझ लीजिये और वह यह है कि हमें गांव का सही कागज और सही रकबा हर किस्म का मिलना चाहिये.

विट्ठल दास साहब—मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट से मतलब बरारी होती है.

महादेव राव साहब.—गोशवारा से पडती की तफसील का मिलान नहीं होगा जैसा कि मैंने अभी कहा है.

हुजूर मुअल्ला.—मेरा तजरुबा यह है कि हर किस्म का बंजर मिन्हा करने के बाद जो रकबा काबिले काश्त बचता है उसका test किया गया तो इख्तलाफ मिला और जमींदार ने मौके पर लेजाकर साबित कर दिया कि पटवारी ने जिस रकबा को अपने कागज में काबिल काश्त लिख रक्खा था वह दर असल ना काबिल काश्त था। मैं इस किस्म के रकबे का test तीन मुकामात पर कर चुका हूं, और मेरा ख्याल है, कि इस रकबे का इन्दराज गलत होता है, औरइसी लिये मैं चाहता हूं कि एसा इन्तजाम किया आवे कि इस रकबे का इन्दराज सही हुआ करे।

आर्मी मेम्बर साहब.—पहले इस किस्म की गलतियां जरूर मिलती थीं मगर अब कई अजला का जदीद बन्दोबस्त होचुका है और अज सरे नौ soil classification (सॉयल क्लासीफीकेशन) किया जाचुका है, इसलिये मेरे ख्याल से रकबा काबिले काश्त के मुतअल्लिक इस किस्म की गलतियां अब नहीं निकलेगी.

हुजूर मुअल्ला—इस काम के लिये अनंदराव रामचंद्र सूबा के वक्त में एक कमेटी कायम कीगई थी। अब मैं दौरे पर जारहा हूं और देखूंगा कि मेरा contention सही है या क्या ?

केशवराव बापूजी साहब.—पटवारी और जमींदार की बात में फर्क जरूर रहता है। जमींदार को पटवारी के कागज देखने को भी नहीं मिलते।

झलानी साहब.—किस्म जमीन की जांच की जिम्मेदारी ऑफीसरान की है, और इस काम के लिये एक जिम्मेदार ऑफीसर मुकर्रर कर दिया जावे, जो इस काम को ठीक करादेवे.

हुजूर मुअल्ला.—इस के मुतअल्लिक जिम्मावरी जमींदारान की भी है। एक साहब ने अभी कहा है कि पटवारी के कागज जमीदार को देखने को नहीं मिलते. मैं दरयाफ्त करना

चाहता हूं, कि जब कागज देखने को नहीं मिलते तो स्याहा आमदनी और खर्च को कौन और किस कागज पर लिखाता है. और उसपर दस्तखत कौन करता है ? जमींदारान खुद कागज कहां समझते और उनके समझने की परवाह करते हैं। जमींदारी पट्टा सब से Important (इम्पोर्टेन्ट) चीज है. जब मैंने एक जमींदार से पूंछा कि पट्टा की शरायत क्या हैं, तो कहने लगा कि 'महाराज, मालूम नहीं, सब पट्टे बंधे रक्खे हैं.' यह तो हालत जमींदारों की है ! मैं जो जमींदारी ऑफिस बनानें पर जोर देता हूं वह इसीलिये देता हूं, कि पटवारी ऑफिस में बैठे वहीं वसूल वासलात हो, रसीदात बाकायदा दीजावें. महकमे रेविन्यू के सरक्युलरात जिनका तअल्लुक जमींदारान से है, उनकी फाईल दफतर में रहे। आप ऑफिस बनावें, फिर मुझे कोई वजह मालूम नहीं होती कि पटवारी उसमें बैठकर क्यों काम न करे और यह भी मुझे मालूम नहीं है कि पटवारी के पास ऐसा कौनसा कॉनफिडेन्शीयल रिकार्ड रहता है जो वह जमींदार को नहीं दिखाता. किस्म जमीन का जो रेट होता है उस से जमींदार वाकिफ होते हैं, फिर पटवारी के कागज न दिखाने की शिकायत कैसे पैदा होती है.

रेविन्यू मेम्बर साहब—लैन्ड रिकार्ड्स मेन्युअल में हिदायत है कि पटवारी जमींदारों को कागजात दिखावे. अगर पटवारी कागज दिखाने से इनकार करे तो उसकी शिकायत करना चाहिये.

पोलिटिकल मेम्बर साहब—सरकार ने अपने दौरेकी तरफ इशारा फरमाकर इख्तलाफ किस्म जमींन पाये जाने की जो बयान फरमाया है उसका हाल मुझे भी मालूम है. यह वाकआ शुजालपुर के करीब का है.

हुजूर मुअल्ला—पंडित जी! एसे तीन चार मौके आये थे.

पोलिटिकल मेम्बर साहब—जी हां सरकार ! मुझे याद है कि पटवारी ने अपने कागजात की रू से जितना रकबा काबिले काश्त मौजा में बतलाया था उसे जमींदार ने कबूल नहीं किया था; मगर सम्वत १९६५ और संवत १९७८ में फर्क हो गया है. जदीद सैटिलमेन्ट का अमल कई जिलों में होजाने से जमींदार अपने फरायज और नफा नुक्सान भी समझने लगे हैं. उन्हें ज्यादा रकबा काबिले काश्त डाल रखने से चक ब्लॉक काटे जाने के कायदे का इल्म भी हो गया है. जदीद Soil classification को भी लोग समझ गये हैं. नीज बन्दोबस्त के कागजात जमींदारान ने ही तैयार कराये हैं और जिस हालत में इन्हें अपने मौजे के चप्पे चप्पे का हाल मालूम है तो रकबा नाकाबिल काश्त को अब काबिले काश्त कैसे लिखाया जा सकता है ? अब रकबा काबिले काश्त को रकबा पठार करार देकर किसी परताल करने वाले ऑफीसर के सामने वह अपना दावा सही साबित नहीं करा सकते. मौजूदा Generation की हालत वह नहीं है जो पिछले दौरे में देखी गई थी. मैं मानता हूं कि फिकरे बाजियां अब भी होंगी मगर जब बन्दोबस्त बाकायदा हुआ है और Soil classification गड्ढे खुदवाकर कराया गया है तो अब उतनी गलतियां नहीं हो सकती हैं. काम में सहव हमेशा होता है और classification की गलती अगर आयन्दा भी सरकार की नजर में आवे तो कोई ताज्जुब की बात न होगी, क्यों कि ५००×५०० गज के किता में कई किस्म जमीन निकलती हैं और अगर यह कुल किता एक किस्म का लिखा गया तौ जमींदार को जो चप्पे चप्पे से वाकिफ है शिकायत करने का मौका हासिल है और उसकी शिकायत की तस्दीक भी होजावेगी, इस लिये किस्म जमीन की गल्ती के बार से जमींदार को सुबुकद्रोश नहीं करना चाहिये बल्कि उसे जिम्मेवार करार देना मुनासिब होगा.

हुज़ूर मुअल्ला—Soil classification का जिम्मेवार पटवारी है. पंडितजी ने अपनी लाइन ऑफ आरगूमेन्ट (Line of argument) में balancing किया है. यह ठीक है. मैं आयन्दा दौरा में देखूंगा कि असल हालत क्या है.

रेविन्यू मेम्बर साहब—हुज़ूर ! Soil classification की जिम्मेवारी महकमे बन्दोबस्त की है, पटवारी की नहीं है.

हुज़ूर मुअल्ला—Soil classification की जिम्मे वारी किसी की हो, मैं accurate figures चाहता हूं. चूंकि आप सब का इत्मीनान रिपोर्ट सब-कमेटी से हो गया है इसलिये इसे मंजूर करना चाहिये. लिहाजा हस्ब इत्तफाक राय आम रिपोर्ट सब-कमेटी इस Understanding पर मंजूर की गई कि उससे मंशा दरबार पूरा होता है, मगर रिपोर्ट के सफा २ सतर ४ में अलफाज (को समझाकर दस्तखत तसदीक के लिये जाया करें) के बजा हस्ब जैल इबारत कायम की जावे:—

कि इस अम्र की तस्दीक के दस्तखत कराये जावे कि इन्दराजात हमको मंजूर है.

---

(४) रिपोर्ट सब-कमेटी बाबत तजवीज ३ एजेन्डा १ पेश हुई.

हुज़ूर मुअल्ला—डाक्टर पेनडिल्टन साहब ने रिपोर्ट के साथ क्यों इत्तफाक नहीं किया ?

पोलीटिकल मेम्बर साहब—सरकार ! यह बात मजलिस के इल्म में आचुकी है कि एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट के ख्याल से मालवी कपास का बीज मुहैया नहीं हो सकता है, इसलिये डाक्टर पेनडिल्टन साहब ने इस रिपोर्ट के साथ पूरे तौर से इत्तफाक नहीं किया. दूसरी वजह यह है कि लोग अपना कपास जैसे ही Ginnaries में लाते हैं वैसे ही वह Gin होकर बीज मखलूत हो जाता है और बाद में वही मखलूत बीज खेतों में पड़कर Cross fertilization होता है, इसी वजह से यह तजवीज दरपेश है कि कानून के जरिये से Ginners को मजबूर किया जावे कि वह हर किस्म के कपास का बीज अलहदा अलहदा रक्खें. इन ख्यालात की वजह से डाक्टर पेनडिल्टन साहब ने सब-कमेटी की रिपोर्ट से पूरे तौर पर इत्तफाक नहीं किया है; मगर सेठ लुकमानभाई साहब व सेठ मानकचन्द साहब ने वायदा किया है कि वह खालिस मालवी कपास का बीज एक परगने के लिये मुहैया कर देंगे जिसका नतीजा यह निकलेगा कि आयन्दा साल में सारे मालवा के लिये असली मालवी कपास का बीज मुहैया हो सकेगा. यह साहब दिनरात कपास का ही काम करते हैं. यह कपास के बीज और yarn की length को खूब समझते हैं और मेरी राय में इन साहबान पर ऐतबार करके रिपोर्ट सब-कमेटी इन साहबान के शुक्रिये साथ मंजूर करना चाहिये.

लालचन्द साहब—जैसा कि सेठ लुकमानभाई साहब व सेठ मानकचन्द साहब ने एक परगना के लिये मालवी कपास का बीज देने की जिम्मेदारी ली है, वैसे ही मैं भी परगना अमझरा के मवाजिआत के लिये जिनिंग फेक्ट्री राजगढ़ से चुना हुआ बीज मालवी कपास का एक साल के लिये देने को तैयार हूं.

पोलीटिकल मेम्बर साहब—यह तय कर दिया जावे कि जिस तुख्म को मालवी समझकर यह साहबान मुहैया करें, उसका नमूना २०-२० सेर महकमे एग्रीकलचर में भेज देवें.

हुज़ूर मुअल्ला—मैं उन साहबान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बीज मुहैया करने की जिम्मेवरी ली है और मैं उम्मेद करता हूं कि वह अपना वायदा पूरा करेंगे और ५-५ सेर बीज बतौर नमूना डायरेक्टर साहब एग्रीकलचर के पास भेज देंगे.

रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर हुई.

(५) रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज ७, एजेन्डा १ पेश हुई.

विट्ठलदास साहब—श्रीमती जीजा महाराज बाल-रक्षक सभा के मकसद अव्वल में जो यह लिखा गया है कि गैर पासशुदा दाइयां बच्चा जनाने के काम से रोकी जावें, इसके मैं खिलाफ हूं. तालीम पाने के बाद जब पासशुदा दाइयों के दिमाग बिगड जावेंगे और गैर पासशुदा दाइयों को काम करने की इजाजत न होगी तो इससे सख्त तकलीफ होजायगी. इसलिये गैर पासशुदा के काम बन्द करने का जो फिकरा है वह रिपोर्ट से निकाल दिया जावे.

जमनादास साहब झालानी—मुझे विट्ठलदास साहब की राय से इत्तफाक है. रिपोर्ट के सफा १, कलम नम्बर ४, मुतअल्लिका फन्ड्स बाल-रक्षक सभा में धर्मादा के फन्ड का ⅙ हिस्सा लेने की जो तजवीज की है उसका अमल दरामद उस वक्त न हो सकेगा जब तक धर्मादा के कन्ट्रोल का सवाल तय न हो जावे.

गोविंदराव चिन्तमण साहब वाटवे—मुझे विट्ठलदास साहब की राय से इत्तफाक नहीं है. गलीज मैली और नावाकिफ दाईयों से बच्चा जनाने में नुक्सान ज्यादा होता है और इनकी Practice बन्द होना चाहिये. तालीम याफ्ता दाईयों का दिमाग बकौल विट्ठलदास साहब बिगड जावेगा तो उसकी इसलाह आयन्दा होना मुमकिन है. धर्मादा फंड से इम्दाद मिलने के मुतल्लिक झालानी साहब को जो शक हुआ है, उसके मुतअल्लिक मेरा ख़्याल है कि चीफ मैडीकल ऑफीसर साहब ने इसकी बाबत अपना इत्मीनान करलिया है और मेरी राय में धर्मादा की कलम कायम रखनी चाहिये.

अब्दुल मजीद साहब—मैं वाटवे साहब की राय से मुत्तफिक हूं अगर नावाकिफ दाईयों को बच्चा जनाने की इजाजत वाकिफकार दाईयों के साथ दीगई तो गरज हासिल न होगी. अलबत्ता ना वाकिफ दाइयों को काफी मोहलत देनी चाहिये कि इस वक्त में वह बच्चा जनाने का काम सीखलें.

विट्ठलदास साहब—मेरी गुजारिश यह है कि गैरपासशुदा दाइयां काम न करसकेंगी यह रिपोर्ट से निकाल दिया जावे और लोगों की मरजी पर छोडा जावे कि वह चाहे पास शुदा से काम लेवें चाहे गैर पास शुदा से.

अब्दुल मजीद साहब—बच्चोंकी कसरत अमवात देखते हुए जरूरत इस बात की है कि दाइयों को बच्चा जनाने की तालीम दिलाई जावे और ५ साल में जो दाई सार्टिफिकेट हासिल न करे उसे बच्चा जनाने के काम से रोका जावे.

गुरुदयाल साहब—दाइयों को तालीम देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जिहालत से ही बच्चे मरते हैं. धर्मादा के मुतअल्लिक रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा है. उसकी गरज यह मालूम नहीं होती कि धर्मादा से आमदनी रिपोर्ट हाजा के पास होते ही शुरू होजावे बल्कि गरज यह है कि धर्मादा का जब इन्तजाम हो जावे उस वक्त यह रकम चाही जावे.

फाइनेन्स मेम्बर साहब—हुजूर मुअल्ला, ने Propaganda work के लिये जो महक्मा कायम किया जाना तजवीज फर्माया है उसके सुपुर्द यह काम किया जावे तो बहतर होगा, energy को fritter away करने के बजाय यह काम महक्मे को देना चाहिये.

होम मेम्बर साहब—इस काम की मौजूदा सूरत Technical है. इसका बजट अलहदा है और मेरी राय में इस काम को उस बडी स्कीम में शामिल करने से गरज पूरी न होगी.

फाइनन्स मेम्बर साहब—फंड्स के मुतअल्लिक, इस काम को इस महकमे के सुपुर्द करने से, कोई दिक्कत न होगी. जो रुपया मेडीकल डिपार्टमेन्ट को इस के लिये अब दिया जाता है वह उस महकमे को इस काम के लिये दिया जासकता है.

हुजूर मुअल्ला—मैंने मेडीकल डिपार्टमेन्ट के बजट में जो रुपया रखा है वह दवाइयों के लिये है. मगर आज कल दवाइयां किन मुश्किलात से मिलती हैं इससे आप वाकिफ हैं और इस वजह से डाक्टर लोग बिला कारतूस की बन्दूक की मिसाल हैं. मेरी ख्वाहिश है कि इस रकम को Postmortem room वगैरह बनाने में ज्यादा सर्फ न किया जाकर local medicines को खरीद करने और उनके इस्तेमाल को Encourage करने और उनके मुतअल्लिक Researches करने में सर्फ किया जावे.

अष्टेवाले साहब—दाइयां पास शुदा नहीं, इसलिये उन्हें काम करनेसे न रोका जावे, वर्ना बिला पास शुदा हकीम और वैद्य भी इलाज करने से रोके जावेंगे और फिर तकलीफ बहुत ज्यादा बढजावेंगी

हुजूर मुअल्ला—मेरे ख्याल से मुनासिब होगा, अगर दाइयों का Census किया जावे और देखा जावे कि उनकी हालत क्या है, ताकि किसी की दिलशिकनी न हो. जिन दाइयों ने हमें पैदा किया था उन्हें हम उन दाइयों से कम दर्जे का नहीं समझते जो आज कल Scientific तरीकों से बच्चे जनाती हैं. सफाई जरूरी है और हमारे मजहब के लिहाज से भी सफाई की जरूरत है. दाइयों के पुराने तरीक से काम करने की काबिलियत की जांच करके सनद देदेने से काम चल निकलेगा. दरबारे इसके कि इस काम का तआल्लुक महकमा मेडीकल से रहे या नए महकमा propaganda से, मेरी राय इसका तअल्लुक भी नए महकमे से करना ठीक हो गा और इस महकमे को सेनीटेशन, एज्यूकेशन, औकाफ और जमींदार हितकारी सभा से माली इमदाद लेकर उसका आयन्दा बजट बनाया जावे और रिपोर्ट सब-कमेटी की उस सेन्ट्रल कमेटी के हवाले की जावे जो इस नए Organization की मुकम्मिल स्कीम पेश करेगी.

मजलिस ने इस तजवीज को मंजूर किया.

---

(६) रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज ४ एजन्डा १ पेश हुई.

हुजूर मुअल्ला—बीज भंडार का कायदा बनाते वक्त बहुत से जमींदारों से मशवरा लिया गया था. ड्राफ्ट मेरा था और यह कहते हुए मुझे वाकई बुरा मालूम होता है कि हर काम मैंने किया; मगर जाहिर करना भी लाजिमी बात है. बीज भंडार के रूल्स जमींदारों के मशवरे से बने हैं और उन्हें guide करने के लिये बनाये गये थे. उस वक्त बीज भंडार की कायमी लाजमी नहीं रक्खी गई थी. ख्याल यह था कि बीज भंडार से फायदा होगा; मगर अब इसकी शक्ल बदलती हुई दिखाई देती है. मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में मजलिस की राय क्या है ?

जगमोहनलाल साहब—बीज भंडार के बजाय नाज भंडार कायम करने की तजवीज पेश है. देखना यह है कि जो दिक्कतें बीज भंडार में थीं वह नाज भंडार में तो नहीं होंगी. मेरा suggestion यह है कि नई स्कीम पर जो कमेटी ने पेश की है, गौर करने के लिये एक साल की मोहलत दी जावे.

हस्ब इत्तफाक राय आम रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की गई और हस्ब तजवीज हुजूर मुअल्ला करार पाया कि इस रिपोर्ट पर बतवस्सुत सूबा साहिबान हर एक जमींदार की राय मांगी जावे और सूबे साहब ऐसी रायों का खुलासा करके मेम्बर साहब फॉर रेवेन्यू एन्ड एग्रीकलचर की खिदमत में भेजें और वह इस मामले को दरबार की खिदमत में पेश करें.

छटवां दिन,

मंगलवार, २५ अक्टूबर सन १९२२ वक्त ११ बजे.

---

(१) रिपोर्ट सब-कमेटी मुतआल्लिक तजवीज ५ एजेन्डा १, पेश हुई.

आर्मी मेम्बर साहब ने रिपोर्ट सब-कमेटी पेश करते हुए कहा:—

रिपोर्ट सब-कमेटी मेम्बरान मजलिस को तकसीम हो चुकी है. आज सुबह सब-कमेटी ने यह ठहराव किया है कि २) फी सदी इजाफे का बार जो काश्तकारान पर भी डाला जाना सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज किया है, वह काश्तकारान पर न डाला जाकर कुल सर्फा जमींदार ही अदा किया करें. इसलिये रिपोर्ट के सफा २ के आखिरी पैरिग्राफ के ऊपर की यह दो लाइनें "इसी तरह से जमींदारान अपने काश्तकारान के खातों पर २) फी सदी की रकम के हिसाब से इजाफा भी कर सकेंगे" रिपोर्ट से काट दी जावें और बाब चौकीदारी ७) फीसदी जमींदारान ही अदा किया करेंगे.

हुजूर मुअल्ला—मजलिस के १९ तारीख के ठहराव के मुताबिक सब-कमेटी ने मुआम्ले पर गौर करके रिपोर्ट पेश की है जो आपके सामने मौजूद है. जैसा कि आर्मी मेम्बर साहब ने अभी जाहिर किया है इस रिपोर्ट की उसी सब-कमेटी ने नजरसानी करके तरमीम पेश की है और उस तरमीम को आर्मी मेम्बर साहब आप पर जाहिर कर चुके हैं. अब मैं इस बारे में मजलिस की राय चाहता हूं.

वाटवे साहब—मेरी राय में रिपोर्ट सब-कमेटी मय उन modifications के जिन का जिक्र जनरल साहब ने फरमाया है, मंजूर की जाय.

बाबा साहब देशपांडे—जनरल साहब की तजवीज से मुझे भी इत्तफाक है.

भगवानस्वरूप साहब—जिन जिलों में बन्दोबस्त हो चुका है वहां के जमींदारान पर रकम बढ़ाया जाना मेरी राय में मुनासिब नहीं है, क्योंकि कलम नंबर ३ कबूलियत के शरायत के खिलाफ होगा अगर आसामियान से बकद्र तनख्वाह चौकीदार वसूली की जावे तो ठीक होगा.

विट्ठलदास साहब.—कबूलियत की कलम नंबर ३ के मैं खिलाफ हूं. अबवाब में कमीबेशी हमेशा हस्ब जरूरत होती रहती है और इस बहवट के मुताबिक २) फीसदी का जमींदारान पर इजाफा किया जाकर ७) फीसदी बाब चौकीदारी मुकर्रर करदी जाय.

वोट लेने पर कसरत राय से रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की गई.

हुजूर मुअल्ला—साहबान को मालूम हो कि यह सवाल मजलिस आम में क्यों लाया गया? चूंकि पट्टा जमींदारी की कलम नंबर ३ के, जिसका हवाला दफा १३७, सेटिलमेन्ट मेनुअल में है, बरखिलाफ अमल इस तजवीज के मंजूर करने से होता है; इसीलिये मुनासिब मालूम हुआ कि यह मुआम्ला आपके सामने रक्खा जावे, ताकि आप भी उसपर गौर करलें. मजबूरी यह है कि रानी तनख्वाह पर चौकीदार नहीं मिलते और गांव में चौकीदार का रखना अम्र लाजमी है. चूंकि आपने रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर करली हैं चुनांचि आप साहबान की राय के मुताबिक मैं भी इस रिपोर्ट को मंजूर करता हूं.

---

(२) रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नं. १६, एजेन्डा २, पेश हुई और वह हस्ब इत्तफाक राय आम मंज़ूर की गई.

---

(३) रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नम्बर ८ जमींमा एजेंडा १, पेश हुई.

हुज़ूर मुअल्ला—रिपोर्ट सब-कमेटी तकसीम होचुकी है इस पर, किसी साहब को कुछ कहना है.

रेविन्यू मेम्बर साहब—रिपोर्ट के कलम १०, पैरा नं. २, में सूद ६) फीसदी के आगे लफ्ज 'यकमुश्त' लिखने से रहगया है वह रिपोर्ट में बढादिया जावे.

हुज़ूर मुअल्ला—साहबान! जो 'कैफियत' मुझे आर्मी डिपार्टमेन्ट से मिली है उससे मालूमहोता है कि रियासत की जरूरियात ३०० घोडों की है. २५० घोडे तो आर्मी को चाहिये और अस्तबल में ८-१० घोडे खरीद किये जाते हैं और बाकी मुतफर्रिक जरूरियात को मिलाकर हमें ३०० घोडे हरसाल चाहिये. आजकल की कीमत के हिसाब से ५०० घोडे का पुट्टा और २०० ट्रांस्पोर्ट पोना की कीमत रखली जावे तो समझ लीजिये कि कितनी रकम आप घोडों की खरीद के लिये बाहर भेजते हैं और अगर यह घोडे अपनी रियासत में ही दस्तयाब हो उठें तो कम से कम इतनी रकम आप रियासत में ही रख सकेंगे.

रिपोर्ट सब-कमेटी में चंद बातें काबिले गौर हैं. एक तो मेरी राय में जहां तक मुमकिन हो सरकारी element इस काम में कम रखना चाहिये. मसलन वेटेरिनेरी डिपार्टमेन्ट का घोडियों को खरीद करना. मेरे ख्याल से इस डिपार्टमेन्ट का काम घोडे वगैरह का इलाज मुआलजा करना व नस्ल कशी के लिये सांड की तजवीज करना व खुराक वगैरह के बाबत मशवरा देने का है, न कि घोडियां खरीदने का. दूसरे कलम नं. २ में जो कुछ रंग, बाल, भौंरी के निस्बत कहा गया है उससे जाहिर है कि महकमे ने अपने ऊपर इन बातों की जिम्मेवारी ली है मगर मुझे एहतमाल है कि जमींदारान को घोडियां फरोख्त करने के बाद लोगों को शिकायत करने का मौका मिलेगा और वह कहेंगे कि फलां घोडी हमें पसंद नहीं थी; मगर मस्लहतन हमें खरीदना पडी. तीसरी बात यह है कि मेरी जाती राय में २० घोडी फी जिला की तादाद कम है. चौथे कलम नंबर ५ से मालूम होता है कि कोई शख्स घोडियों की खरीद करके लावेगा और बाद में वह चिट्ठी के जरिये फरोख्त की जावेंगी. यह तरीका गौर के लायक है. पांचवीं बात जिसके तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि कलम नं. ६ की मंशा यह है कि घोडियों को सरकारी सांड भरवाने के बाद अगर जमींदारान बाहम तब्दील करना चाहें तो एसी तब्दीली बाद मंजूरी वेटेरिनरी ऑफिसर होना चाहिये. मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें मंजूरी लेने की क्या जरूरत है. घोडी के transfer की सिर्फ इत्तला वेटेरिनरी ऑफिसर को देना काफी है और वह भी इसलिये कि pedigree जानने की जरूरत हुआ करती है. कलम नं. ४ में घोडियों की खरीद के मुतअल्लिक यह लिखा गया है कि "नतीजा देखने के बाद.........". मैं नहीं जानता कि इस में देखना क्या है? यह कोई Sericulture का तजुर्बा तो है नहीं और न Ice factory और Glass factory का experiment है. यह रुपया कमाने का एक मोटा जरिया है जो रिआया को बताया जाता है, फिर इस में नतीजा क्या देखना है? मेरी राय में मजलिस एक आम उसूल पास करदे और details मुझ पर छोडदे तो मैं सब-कमेटी को hints देकर और उससे दूसरी रिपोर्ट तलब करके इस मामले का फैसला करदूंगा. और अलावा उन बातों के जो मैंने अभी अर्ज की है यह बात भी रिपोर्ट में दर्ज करादूंगा कि घोडियां खरीदने के लिये ऑफिसर्स साथ रहें. नीज जो पडता खरीद पडे उसी पडते पर घोडियां बेची जावें,

रिपोर्ट में ६ फीसदी सूद पर इस काम के लिये रुपया दिये जाने का सवाल उठाया गया है. इसकी निस्बत फाइनेन्स मेम्बर साहब अपनी राय जाहिर करें.

फाइनेन्स मेम्बर साहब—यह काम मुफीद रिआया है और इस शरह सूद पर रुपया दिया जा सकता है.

हुजूर मुअल्ला—एक लाख रुपया ५ साल के लिये ६ रुपये फीसदी सूद पर देदिया जावेगा, मगर काम चल निकलने की सूरत में निर्ख सूद बढाया जावेगा.

मेम्बरान गवर्नमेन्ट की तरफ से कुछ कागजात पेश होने पर हुजूर मुअल्ला ने फरमायाः—

मुझे यह बतलाया गया है कि इस काम में जमींदारान की इतनी तवज्जुह नहीं है कि वह बिला सरकारी इमदाद के इस काम को शौक से करें. ताहम मेरी राय में उनमें इस काम की दिलचस्पी पैदा करने और उन्हें वाकिफकार बनाने के लिये तीन साल तक घोडियों की खरीदारी के वक्त साथ रक्खा जावे. इसके बाद घोडियां खरीदने का जो तअल्लुक ऑफिसरान से रक्खा गया है वह फिला करदिया जावे. सरकारी सांड से भरी हुई घोडियों के transfer करने के लिये वेटेरिनरी डिपार्टमेन्ट की इजाजत की जरूरत नहीं, सिर्फ इत्तला देनां काफी है. इस रिपोर्ट में इतनी तरमीम हो जाने के बाद मेरी राय में रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर कर लेना चाहिये.

पस हस्ब इत्तफाक राय आम रिपोर्ट सब-कमेटी इन तरमामीत के बाद मंजूर की गई.

---

(४) रिपोर्ट हस्ब कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नं. १, एजेन्डा २.

रिपोर्ट सब-कमेटी धर्मादा, मय कवायद मंडी व रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक जायदाद वक्फ पेश होकर अव्वल कवायद मंडी पर बहस हुई.

राय साहब नारायनदास—इन कवायद का तअल्लुक तिजारत के तमाम सवालों से है, और बहुतसी मंडियों के रिप्रेजेन्टेटिव्स मौजूद नहीं हैं. नीज इनका तअल्लुक आम लोगों से भी है, इसलिये मेरी राय है कि इन कवायद को नेक्स्ट इयर (next year) पर रक्खा जावे.

लाला रामजीदास—मुझे राय नारायनदास की राय से इख्तलाफ है. मेरा ख्याल है कि इन कवायद की कापियां सब मंडियों में पहुंचकर उनकी राय आचुकी हैं. अगर मेरा यह ख्याल सही है तो इन कवायद के मामले को फैसिल करदेना चाहिये। इन कवायद में धर्मादा, सौदा और सट्टा के मुतअल्लिक भी दफा हैं, और इसलिये इनके पास होजाने से और भी कई सवाल तय होजावेंगे.

सेठ मानकचन्द साहब—मुझे लाला रामजीदास साहब की राय से इत्तफाक है.

हुजूर मुअल्ला—साहिबान को मालूम होना चाहिये कि इन कवायद पर, मजलिस में पेश होने से पहिले, अमूमन कुल मंडियों की राय आचुकी है. शायद राय नारायन दास को इस अम्र का इल्म न था.

ट्रेड मेम्बर साहब—मैं मजलिस को यह बताना चाहता हूं कि कवायद मंडी हाय क्यों बनाये गए? अकसर मंडी वालों ने दरख्वास्तें दीं और जाहिर किया कि बाज व्यापारियान ने नाजायज तरीके व्यापार के जारी कर दिये हैं जिनको देखकर और लोग भी इन तरीकों को इख्तियार करते जाते हैं और जो लोग इनको इख्तियार करना नहीं चाहते उन्हें भी मजबूर होकर इख्तियार करना पडते हैं वर्ना बाजार के साथ Competition (कम्पिटीशन) करने में वह फेल होते हैं. इन शिकायात की तहकीकात करने के बाद यह जरूरत मालूम हुई कि मंडियों के

कारोबार करने के कवायद बनाए जावें. इस काम के लिये मंडियों से राय लीगई और उन्होंने अपने २ कवायद मुरत्तिब करके भेजे, जिनको जमा करके मैंने और लीगल मेम्बर साहब ने मसव्विदा कवायद तय्यार किया और फिर वह मसव्विदा आम राय के लिये मंडियों में भेजा गया जिसको चन्द तरमीम के बाद करीब २ हर मंडी ने मंजूर किया है. जो राय मंडियों की आई हैं उनका खुलासा पेश करता हूं (मेम्बर साहब ने खुलासा राय मंडीहाय पढकर सुनाया).

* * *

सेठ मानक चन्द साहब—दफा १७ की कलम (१) 'दल्लाल लोग सट्टे की दलाली न करें' यह है. इसके मैं खिलाफ हूं यह कलम कायदे से निकाली जानी चाहिये.

अहमदनूरखां साहब—मुझे सेठ साहब से इख्तलाफ है। जब सट्टा नाजायज है तो उस का जुज दलाली सट्टा कैसे जायज होसकता है.

विट्ठलदास साहब—मेरी राय भी यह है कि दफा १७ की जिमन १ कायदे से निकाल दीजाय.

ट्रेड मेम्बर साहब—दरबार की पोलिसी सट्टे को फरोग देने की नहीं है बल्कि रोकने की है और कानून में भी उसकी एक हद तक रोक की गई है। इसी पॉलिसी के मुताबिक दफा १७ जिमन १ इस कायदे में रक्खी गई है. चूंकि सट्टा दल्लालों की मारफत ही होता है इसलिये उनको मंडीयों में सट्टा की दलाली करने की इजाजत देना दुरुस्त नहोगा. यह बात आप सब को मालुम है कि मुरेना की मंडी की बरबादी का बायस यही सट्टा हुआ है और गूना को भी सट्टे की बदौलत नुक्सान पहुंचा है.

गुरुदयाल साहब—इस दफा की कायदे में खास जरूरत है और उसे सट्टा की रोक के लिये रखना चाहिये.

जहांगीर बहमनशा साहब—यह शर्त कवायद में जरूर रक्खी जावे.

भगवानस्वरूप साहब—मुझे भी मिस्टर बहमनशा की राय से इत्तफाक है.

लिहाजा कसरत राय से करार पाया कि दफा १७ की तहती जिमन १ कायदे में कायम रक्खी जावे.

* * *

रामप्रताप लूम्बा साहब—दफा १७ की तहती कलम (१) के नीचे के नोट में सौदा और सट्टा की तशरीह होना चाहिये। अव्वल जब सौदा का वायदा किया जाता है तो माल तौलने व तुलाने का ही होता है। ब सबब नाकाफी बारिश के अक्सर माल एक चौथाई तक तौला जाता। जबतक इस-कलम में तशरीह न की जावेगी तो एक शख्स इसको सौदा कहेगा और दूसरा इसे सट्टा; क्योंकि ¼ माल तौलने के बाद जो माल बाकी तौलना है उसका भाव कट जाता है।

हुजूर मुअल्ला—आप फरमाईये. आप क्या तशरीह करते हैं.

रामप्रताप लूम्बा साहब—हमें मौका दिया जावे, हम मशवरा करके अर्ज कर सकेंगे. (मोहलत दी गई.)

रामजीदास साहब—सौदा और सट्टा करने वाले उसकी तशरीह समझते हैं जो पेचीदा हैं और इन कवायद में उसकी जरूरत नहीं हैं.

मदनमोहन साहब—सट्टे और सौदा के बाबत रामजीदास साहब ने जो फरमाया है उससे इत्तफाक है।सट्टे और सौदे में इतना थोडा फर्क है कि उसका समझना मुशकिल है। विनोद मिल ने

गुजिश्ता साल में सौदा किया था. व्यापारी माल को देसकते थे मगर उन्हों ने नहीं दिया. विनोद मिल ने इसे सौदा कहा और दूसरे लोगों ने उसे सट्टा बयान किया. मेरी राय में तशरीह की जरूरत नहीं है.

लालताप्रसाद साहब—जो सरक्युलर नं. ५, सम्वत १९७० में जारी हुआ था उस में इसकी तशरीह मौजूद है. इसलिये और तशरीह की जरूरत नहीं है.

लिहाजा सरक्युलर नं. ५, सम्वत १९७० मजरिये लेजिस्लेटिव व जुडीशियल डिपार्टमेन्ट को दिखाये जाने पर यह तरमीमी तजवीज वापिस लीगई.

सेठ मानक चंद साहब—दफा १७ की तहती कलम ३, भी कवायद मंडी से निकाले जाने काबिल हैं क्योंकि बम्बई में भी दलाल खरीद करने और बेचनेवाले से दस्तखत नहीं कराते, सिर्फ कन्ट्रेक्ट पर ब्योपारियों के दस्तखत हुआ करते हैं.

हुजूर मुअल्ला—फरमाइये साहिबान.

किसीने तरमीमी तजवीज की ताईद नही की लिहाजा नामंजूर की गई.

सेठमानकचंद साहब—दफा १४ की कलम तहती १२ में यह लिखा है "तरक्की मंडी के लिये जो अमूर कमेटी की राय में जरूरी हो उनको परगना बोर्ड में पेश करना चाहिये." मैं इसके खिलाफ हूं. कॉमर्स की तरक्की के लिये एक खास चेम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है, फिर परगना बोर्ड की मारफत यह मामले महकमे कॉमर्स में क्यों जायें. मेरी राय में चेम्बर की मारफत यह मामले पेश होना चाहिये.

ट्रेडमेम्बर साहब—मानक चंद साहब ने जो एतराज किया है उसके मुतअल्लिक मुझे यह कहना है कि मंडी की तरक्की के बारे में हुस्नो कुबह के समझने वाले मुकामी लोग होसकते हैं और वह मेम्बरान परगना बोर्ड हैं और उनकी राय शामिल होना जरूरी है. अगर मंडी कमेटी ने कोई तजवीज मारफत चेम्बर ऑफ कॉमर्स पेश की तो महकमे से वह तजवीज परगना बोर्ड की राय के लिये भेजना पडेगी क्योंकि मुकामी हालात के वाकफियत चेम्बर के मुकाबले में परगना बोर्ड को बहुत ज्यादा होनी चाहिये और इस तरीक से काम में गैर जरूरी तवालत होगी. इसलिये कवायद में परगना बोर्ड की मारफत अपनी राय पेश करने को मंडी कमेटियों को हिदायत दी गई है और यही मेरी राय भी है.

लाला रामजीदास साहब—मैं किसी बोर्ड को denounce करने की गर्ज से खडा नहीं हुआ हूं. मुझे ट्रेड मेम्बर साहब की राय से इख्तलाफ करना है. अगर चेम्बर ऑफ कॉमर्स वाकई चेम्बर ऑफ कॉमर्स है तो उसकी वैसी ही वकअत करना चाहिये और उस से काम लेना चाहिये. जब ट्रेड और कॉमर्स को तरक्की देना उस का object है और तमाम Traders उस में शरीक हैं तो उस से अच्छा मशवरा मामलात ट्रेड में और कोन सी body दे सकती हैं? अगर उस के मेम्बर ठीक नहीं है तो तबदील किये जावें मगर किसी सुसाइटी की Position नहीं गिराना चाहिये और मेरी राय नाकिस में इस दफा से चैम्बर की Position गिरती है और इसलिये मैं ट्रेड मेम्बर साहब की राय से इख्तलाफ करता हूं और इस उसूल की बात पर मजलिस की तवज्जह दिलाता हूं.

हुजूर मुअल्ला ने वोट लिये तो राय बराबर थीं, लिहाजा प्रेसीडैन्ट साहब के कास्टिंग वोट देने पर तरमीमी तजवीज मंजूर हुई.

गुरदयाल साहब—दफा १४ की तहती कलम (६) में जो फरायज व अख्तयारात दर्ज है वह म्युनिसिपेलिटियों के हैं। जहां म्युनिसिपेलिटियां और मंडी कमेटियां होंगी वहां आपस में झगडे पडेंगे, इसलिये मेरी राय में इसकी तशरीह होना मुनासिब है।

इसी दफा की कलम १४ में से लफ्ज "खफीफ" का निकाल डालना मुनासिब होगा वर्ना झगडे की गुंजायश बाकी रहती है.

ट्रेड मेम्बर साहब—यह इख्तियारात मुतअल्लिक मंडी कमेटियों के हैं और उन्हें ही अंजाम देना चाहिये, जहां कहीं इन इख्तियारों को म्युनिसिपेलिटीयां अंजाम दे रही हैं वहां यह इख्तियारात म्युनिसिपेलिटियों से मुन्तकिल होकर मंडी कमेटियों की तरफ जावेंगे. इसके अलावा मंडी कमेटी में स्टेशनरी व क्लार्क का जो सर्फा रक्खा गया है वह कहांसे चलेगा, अगर म्युनिसिपेलिटियां इन इख्तियारात से काम लेती रही. मेरा ख्याल है कि कमेटियां इस काम को खूबी और अस्लूबी से अंजाम देंगी.

गुरुदयाल साहब—मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

बाबत दफा १४, कलम १४, करार पाया कि लफ्ज "खफीफ" कलम १४ से निकाल दिया जावे.

*　　*　　*　　*　　*

गुरदयाल साहब—मुझे दफा १४ की जिमन १० (अ) के बाबत भी एतराज है। धर्मादा की आमदनी के दो हिस्से किये गये हैं। मेरी राय में हिस्सा निस्फ, जहां सेवासम्मितियां हों, वहां उनके हवाले किया जावे और वह उसे खर्च करें.

हुजूर पुरनूर—कौन से निस्फ से आपकी मुराद है?

गुरदयाल साहब—इस दफा में दर्ज है कि धर्मादा की रकम का निस्फ हिस्सा दुकानदारान हस्ब राय खुद सर्फ करेंगे और बकीया निस्फ हिस्सा हस्ब राय मंडी कमेटी सर्फ किया जावेगा. मेरी राय में जिस हिस्से को सर्फ करने का इख्तियार मंडी कमेटी को दिया जात है वह हिस्सा सेवासम्मितियों को खर्च करने को दिया जावे.

ट्रेड मेम्बर साहब—मेरी राय में धर्मादा के सर्फ के मुतअल्लिक सिवाय व्योपारियों के दीगर लोगों को इख्तियार नहीं देना चाहिये। अगर ऐसा हुआ तो धर्मादा का नाम मिटकर रकम धर्मादा आढत में शामिल हो जावेगी और फिर कोई मौका दस्तन्दाजी का नहीं रहेगा। जो रकम धर्मादा के नाम से वसूल होती है उसे लोग आम तौर से धर्म के कामों में ही खर्च करते हैं. अलबत्ता अब लोग अपनी मरजी से खर्च कर उठे हैं और इसी बिना पर यह सवाल उठाया गया है; लेकिन यह ख्याल करलेने की बात है कि रकम जमा करे कोई और उसे खर्च करे सेवा सम्मिति! इसका क्या असर पडेगा, यह बात मजलिस के गौर के काबिल है?

गुरदयाल साहब—जरूरत इस बात की है कि जो रकम धर्म के नाम से वसूल हो उसके खर्च का ठीक इन्तजाम किया जावे। अगर व्यापारी रकम लेना बंद करदेंगे तो हमें कोई शिकायत न रहेगी.

ट्रेड मेम्बर साहब—रकम लेना व्योपारी बंद नहीं करेंगे बल्कि जिस रकम को अब धर्मादा के नाम से लेते हैं उसे आढत वगैरह के नाम से ले उठेंगे और अब जो रुपया नेक कामों के लिये इस फंड से मिल जाया करता है वह उस सूरत में नहीं मिलेगा, जिसे कोई अच्छी बात ख्याल नहीं करना चाहिये।

जगमोहनलाल साहब—मंडी कमेटी के सुपुर्द जो निस्फ हिस्सा धर्मादा का किया जाने वाला है उसके सर्फ करने के लिये काम तालीम, गौशाला, यतीम खाना वगैरह बताये गये हैं उसके साथ सेवासम्मिति का नाम और शामिल करदिया जावे.

विट्ठलदास साहब—मेरी राय में दफा १४ की जिमन १० की तशरीह की बिलकुल जरूरत नहीं है, इतना काफी है कि निस्फ रकम धर्मादा वसूल करने वाले सर्फ करें और निस्फ मंडी कमेटी खर्च करे.

जगमोहन लाल साहब—निस्फ धर्मादा रिफाहे आम पर सर्फ करने के लिये है और सेवा-समिति का काम भी रिफाहे आम का है और सरकार ने हुक्म दिया है कि रिफाहे आम की तशरीह की जावे इसलिये इस कलम में रिफाहे आम के काम बिलतशरीह दर्ज होना चाहिये.

टोडरमल साहब—व मुनीम मानिकचंदजी ने जगमोहनलाल साहब की ताईद की और कसरत राय से ठैराव हुआ कि इस कलम में यतीमखाने के बाद अल्फाज 'सेवासमिति' और बढाये जावें.

(मजलिस ने रिफ्रेशमेन्ट लिया)

अहमदनूरखां साहब—मैं दफा १४, जिमन १० (व) से इख्तिलाफ जाहिर करता हूं. मेरी राय है कि किसान लोग जो मंडी में माल बेचने ले जाते हैं उनसे धर्मादा वसूल न किया जावे.

जगमोहनलाल साहब—कवायद में आम उसूल खरीददार से धर्मादा वसूल किये जाने का कायम किया गया है। फरोशिन्दा से धर्मादा की वसूली की खास सूरत है और ऐसी सूरत में मुंशी अहमदनूरखां को हुज्जत न होना चाहिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—धर्मादा १००) पर एक आना वसूल किया जाता है और उसका बार भी खरीदार पर डाला गया है. फरोशिन्दा से धर्मादा सिर्फ उस सूरत में उसूल होता है जब कोई गैर इलाके की मंडी अपने भाव को गिरां करती है. उस वक्त इस मंडी को जिसका कम्पटीशन इलाके गैर की मंडी के साथ है, लाजिम आता है कि वह दूसरे हकूक का बार फरोशिन्दा पर डालकर अपने यहां के निर्ख को दूसरी मंडी के निर्ख के बराबर रक्खे और यह शक्ल धर्मादा के बार के फरोशिन्दा पर पडने की है.

अहमद नूरखां साहब—ट्रेड मेम्बर साहब ने फरमाया है कि १००) पर एक आना धर्मादा वसूल किया जाता है इसके मुतअल्लिक मुझे कुछ अर्ज करना नहीं है. मगर यह बात मैं जरूर जाहिर करना चाहता हूं कि अमल यह देखा जाता है कि मिरचों की गाडी आई और व्यापारियों ने २ सेर ३ सेर मिरचें धर्मादा के नाम से उठा रक्खीं.

ट्रेड मेम्बर साहब—यह मिरचें सिर्फ धर्मादा की नहीं होतीं. इनमें पानी पिलाई, तुलाई वगैरा और कई हक हैं. धर्मादा का हक्क बडा नहीं है और इस रकम को मेरे खयाल से ९९ फीसदी व्योपारी सर्फ करते हैं.

हुजूर पुरनूर—इस बहस को सुनकर तो यह काबिले गौर बात पैदा होती है कि एक शख्स एक मन माल फरोख्त करने को लाया और उसमें से एक हिस्सा वैसे ही चला गया तो तिजारत कैसे होगी ?

ट्रेड मेम्बर साहब—इन्हीं खराबियों के रफादाद के लिये यह कवायद बनाये गये हैं.

हुजूर पुरनूर—अहमद नूरखां साहब ! आप कवायद की दफा १७ की कलम २ को मुलाहिजा करें.

अहमद नूरखां साहब—हुजूर ! यह दफा मैंने देखी है, इस पर अमल नहीं है, मेरी राय में धर्मादा का स्केल मुकर्रर होना चाहिये.

जगमोहनलाल साहब—अमल तो इन कवायद के पास होने के बाद हो सकता है. रहा बाबत स्केल; इसके निस्बत मेरी गुजारिश यह है कि स्केल कायम करने में दिक्कतें बढ जावेंगी और जहां धर्मादा का स्केल कम हैं वहां बढ जावेगा, इसलिये मेरे खयाल में मौजूदा सूरत दुरुस्त है.

हुजूर मुअल्ला—साहिबान, क्या यह ठीक होगा कि इस दफा का तजरुबा १२ महीने तक किया जावे अगर फिर भी शिकायत बाकी रहे तो मामला फिर मजलिस में पेश हो.

इसे मजलिस ने पसंद करके ठहराव किया कि कवायद जारी होने के १२ महीने बाद भी अगर यह शिकायत कायम रहे तो मुअज्जिज साहब इस मामले को मजलिस में पेश करें.

* * *

लालचन्द साहब—कवायद की दफा ३ में ४ मेम्बर कमेटी अलावा चौधरी के रक्खे गये हैं मेरी राय में तादाद मेम्बरान ७ होनी चाहिये और कोरम ४ या ५ का रक्खा जावे.

ट्रेड मेम्बर साहब—तादाद मेम्बरान बढाये जाने व कोरम की बाबत मंडियों की रायें भी आई हैं. अकोदिया मंडी की राय है कि इस कमेटी में एक जमींदार भी मुकर्रर किया जावे.

इस मामले पर वोट लिये जाने पर कसरत राय से यह फैसला हुआ कि मंडी कमेटियों के ७ मेम्बर हों और कोरम ५ का हो.

हुजूर मुअल्ला—अकोदिया की मंडी के सजेशन (suggestion) की बाबत मजलिस अपनी राय देवे.

व इत्तफाक राय आम करार पाया कि मंडी कमेटी का एक मेम्बर जमींदार भी हो.

लॉ मेम्बर साहब—जमींदार का इंतखाब होगा या नामजद किया जावेगा.

कसरत राय से करार पाया कि मेम्बर कमेटी ऐसा जमींदार होना चाहिये जो मंडी से नजदीक से नजदीक रहता हो और उसके नामजद करने का हक्र सूबा साहब जिला पर रक्खा जावे.

* * * *

लालचन्द साहब—दफा १४, कलम ६, में कच्चे आढतिया लोगों को लाइसेंस लेने की शर्त लगाई गई है जिसकी मेरी राय में जरूरत नहीं है. कई आढतिये कच्चा व पक्का दोनों काम करते हैं और इस शर्त से इन के काम में खराबी पैदा होगी.

ट्रेड मेम्बर साहब—जहां कच्ची और पक्की दोनों आढतें नहीं हैं वह मंडियां नहीं कही जा सकती हैं. जो मुकामात इस काबिल हैं कि उन्हें मंडी करार दिया जावे वहां कच्चे और पक्के दोनों किस्म के आढतिये होते हैं.

राय साहब नारायणदास—कच्ची और पक्की आढत हमारी समझ में नहीं आई. बम्बई में ।≈) और ।।।) आना की आढत है.

ट्रे. मेम्बर साहब—सवाल छे आना और बारह आना की आढत का नहीं; बल्कि कच्चे और पक्के आढतियों का है.

टोडरमल साहब—ग्वालियार की मंडियों में तो कच्चे और पक्के आढतिये बसाहा हैं जैसा कि ट्रेड मेम्बर साहब ने फरमाया है. मालवे की मंडियों का हाल मुझे मालूम नहीं है.

लालचन्द साहब—राजगढ मंडी है या नहीं? वहां कच्ची और पक्की आढत का लिहाज नहीं है.

राय नारायणदास साहब—कच्ची और पक्की आढत की तशरीह होना चाहिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—दिसावर के व्योपारी या मुअज्जिज व्योपारी जो माल आडतिये के जर्ये से खरीद करते हैं या मंगवाते हैं उनको पक्के आडतिये कहते हैं. जो लोग गांव वालों को अपने यहां ठहराकर उनका माल बजार में बिकवा दिया करते हैं वह कच्चे आडतिये कहलाते हैं.

खां साहब लुकमान भाई—माळवे में रुई में कची और पक्की आडत है.

रामजीदास साहब—सवाल यह है कि कच्चे आढतियों को लाइसेन्स दिया जावे या नहीं? और इसके फैसले की जरूरत है.

ट्रेड मेम्बर साहब—फीस न देने और लाइसेन्स न लेने में फर्क है. लाइसेन्स न लेने के माने बिलकुल आजाद रहने के हैं.

वोट लिये गये तो कसरत राय से करार पाया कि कच्चे आडतियों को लाइसेन्स न दिया जावे.

* * * *

लालचन्द साहब—दफा १६, कलम ३, में लिखा है कि हर एक बोरे में एक खास मिकदार का माल भरा जावे. इसके बाबत मुझे यह कहना है कि बारदाना कई तरह का आता है; इसलिये हर एक बोरे में यकसां वजन नहीं भरा जासकता है. यह कलम तरमीम करने लायक है.

ट्रेड मेम्बर साहब—आम दस्तूर यह है कि लोग एक Capacity के बोरे इस्तेमाल करते हैं. खास २ सूरतों को छोड दीजिये. इस शर्त की गर्ज यह है कि शिकायत पैदा होने की सूरत में बोरीबंद माल की जांच हो सके, जो मुख्तलिफ Capacity की बोरियों में माल भरने की सूरत में मुमकिन नहीं है. इस से उन झगडों के फैसल करने में सहूलियत होगी जो काश्तकारों का माल खरीदने के बाद वजन के बाबत पडते हैं.

मूंगालाल साहब—काश्तकारों का माल बोरों में नहीं भराजाता. ऐसा करने से ब्योपारियों को हम्माली देना होगी. मुझे इस दफा से मुखालफत है.

गुरुदयाल साहब—यह कलम मजीद तशरीह की मोहताज मालूम होती है.

ट्रेड मेम्बर साहब—इस तरीके से हर मंडी में एकही Capacity के बोरों का इस्तेमाल हो उठेगा, और उस से खरीदार और फरोशन्दा दोनों को आसानी होगी.

जगमोहनलाल साहब—मेरी राय में दफा १६ की जिमन ३ निकाल दी जावे और जिमन नम्बर ४ को इस शक्ल में दर्ज कर दिया जावे "वजन करने के बाद माल बोरी में यकसां वजन में भरा जावे और यह तमाम बोरे महफूज रक्खे जावें, जब तक फरोशन्दा माल या आढतिये का इत्मीनान न हो जावे कि वजन सही है. अगर इत्मीनान न होवे तो मंडी के कांटे पर माल को वजन कर के बसूरत कमोबेशी वजन मंडी कमेटी तहकीकात कर के तजवीज करे. ऐसा कांटा हर एक मंडी में रखना चाहिये".

बाबा साहब देशपांडे—बोरों के सवाल से किसानों का कुछ संबंध नहीं है, वह तो गाडी लाते हैं और खाली कर के ले जाते हैं.

जगमोहनलाल साहब—बोरों का तअल्लुक किसानों के माल से ही नहीं है. मुद्दआ यह है कि खरीदार ने माल बोरों में भर लिया और उसके बाद वजन के कमीबेशी का सवाल पैदा हुआ तो एक वजन के बोरियों में भरे हुए माल के वजन की जांच सही और उजलत के साथ हो सकती है.

हुजूर मोअल्ला—मेरे खयाल से सबने इन दफआत का मतलब समझ लिया होगा. वकील साहब भिन्ड ने जो तरमीम की है वह मुनासिब मालूम होती है. इस सारी कार्रवाई का दर पर्दा मजमून अलहिदा है और उसी Fraud के रोकने के लिये यह दफा रक्खी गई है और वह बिलकुल Right direction में हैं. मेरे खयाल से फिलहाल इतना काफी है. इसका तजुर्बा दो से तीन-साल तक लेकर देखना चाहिये.

वोट लेने पर हस्ब इत्तफाक राय आम तजवीज हुआ कि हस्ब तजवीज जगमोहनलाल साहब कलम नं ३ निकाली जाकर कलम नम्बर ४ मय तरमीमात बजाय उसके कायम की जाय.

रामजीदास सा०—दफा नंबर १६ की जिमन २ में इसके मुतअल्लिक साफ तशरीह है और उससे ज्यादा माल तौलने की मनादी होती है

लिहाजा करार पाया कि कवायद की मंशा इस नाजायज तरीक की रोक करने ही की है, इसलिये एक साल तक देखा जावे कि कवाअद का क्या असर होता है और अगर जरूरत मालूम हो तो यह सवाल मजलिस में दुबारा पेश किया जावे.

*　　*　　*　　*　　*

अहमदनूर खां सा०—दफा १४, जिमन १६ के मुतअल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि किसान को माल की कीमत नक्द रुपये में दिलाई जावे. कीमत में पहले नोट देना और फिर बट्टा काटकर रुपया देने का जो तरीका जारी है वह बंद किया जावे.

फजल मुहम्मद साहब—मैं अहमदनूरखां साहब की ताईद करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—हुंडी और नोट के मुतअल्लिक जो सवाल किया गया है, उसके बाबत मजलिस का क्या कहना है ?

ट्रेड मेंबर साहब—कीमत के भुगतान का तरीका हर मंडी का अलाहिदा है और उसकी रोक नहीं हो सकती है.

अहमदनूरखां साहब—यह कायदा मंडी हाय सहूलियत पैदा करने के लिये बनाया जारहा है और उसमें सहूलियत पैदा करनेवाली बातें शामिल करना चाहिये. मेरी राय है कि किसान जो गल्ला मंडी में लावें उसकी कीमत उन्हें उसी दिन अदा की जाय. दूसरे यह कि उन्हें नोट कीमत में न दिये जावें और अगर दिये जावें तो उनको रुपया देते वक्त व्योपारी बट्टा न काटे.

गुरुदयाल साहब—कहीं ऐसा भी तरीका डाल रक्खा है कि दाम दो दिन में देते हैं, अगर पहिले कीमत चाही जावे तो बट्टा काट लेते हैं.

टोडरमल साहब—यह तरीका बहुतसी जगह नहीं भी है. जहां यह तरीका जारी है वहां व्यापारी आपस में दो दिन में दाम लेते देते हैं, लेकिन गाडीवालों को दाम उसी दिन मिलते हैं.

भगवानस्वरूप साहब—काश्तकारान को उनके माल की कीमत उसी दिन देनी चाहिये.

खां साहब लुकमान भाई—गाडीवालों को दाम उसी दिन दिये जाते हैं. हुन्डी और नोट देने का तरीका मालवे में नहीं है.

बाबा साहब देशपांडे—अकोदिया और शुजालपुर की मंडियों की वही हालत है जो अहमदनूरखां साहब ने बयान की है. वहां वक्त पर दाम नहीं मिलते और बट्टा भी काटा जाता है. ईसागढ की मंडियों में ८ रोज में रुपया देने का कायदा है, अगर रुपया जल्दी दिया जाता है तो आठ दिन का सूद काटा जाता है.

अन्दरीं बारे हुजूर मोअल्ला ने सजेस्ट (Suggest) किया कि बेहतर होगा कि कुल मंडियों को इत्तला दे दी जाय कि यह सवाल मजलिस आम में पेश हुआ. दरबार की राय में यह तरीक कि नोट पर बट्टा लेना, कई दिनों तक कीमत माल न देना और अगर दिन के दिन देना तो उसपर बट्टा काटना ठीक नहीं है, इसलिये वह अपनी राय दें कि इसकी रोक के लिये क्या तरीक इख्तियार किये जावें ? यह सवाल कुल मंडियों को भेज दिया जाय और तमाम मंडियों से वाकफियत मंगाई जावे कि इस किस्म के क्या क्या तरीके जारी हैं और उनके बारे में उनकी राय क्या है ?

मुतज़क्करा सदर तरमीमात के बाद कवायद मंडीहाय हस्ब इत्तफाक राय आम पास किये गये।

हुजूर मुअल्ला——साहिबान, अब इस सवाल के दूसरे हिस्से को लीजिये. मजहबी Institution के मुतअल्लिक जो दूसरी सब-कमेटी कायम की गई थी उसका रिपोर्ट तकसीम होचुका है, उसके निस्बत अगर किसी साहब को कुछ कहना हो तो कहें.

अहमद नूरखां साहब—मैंने सवाल नं. २० पेश किया था, उस पर यह करार पाया था कि इस रिपोर्ट के साथ पेश किया जावे. मेरी गरज इस सवाल से सिर्फ यह है कि आफ़िसरान जिला व परगना ऐसा इन्तजाम करें कि परस्तिशगाहों के इन्तजाम के मुतअल्लिक झगडे पैदा ही न हों.

हुजूर मुअल्ला—रिपोर्ट सब-कमेटी में झगडा रोकने का इन्तजाम किया गया है.

वाटवे साहब—झगडों की रोक के लिये दफा ४७७, जाब्ता दीवानी काफी है, और रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूरी के लायक है.

जगमोहनलाल साहब——मुं. अहमदनूरखां साहब चाहते हैं कि मंदिर व मसजिद पहिले से ही जेर इन्तज़ाम सरकारी लाये जावें, मगर मेरी यह राय नहीं है. जबतक किसी परस्तिशगाह का इन्तजाम अच्छा है उसमें दस्तन्दाजी करना मुनासिब मालूम नहीं होता, मगर मैं मुं. अहमदनूरखां की, उनकी औकाफ के साथ हमदर्दी के लिये जरूर तारीफ करता हूं. मेरी राय में भी रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की जाय.

लिहाजा कसरत राय से रिपोर्ट मंजूर की गई.

*　　*　　*　　*

हुजूर मुअल्ला—साहिबान! जितना काम इस मजलिस के करने के लिये करार दिया गया था वह आज खत्म हुआ. आज इस मौके से फायदा उठाने के लिये मैं दो एक और उसूल की बातें, जो मुझे अफसोस है कि मेरी १७ तारीख की स्पीच में जाहिर करने से रह गई थीं, उन्हें इस वक्त कहकर अपनी उस स्पीच को Complete (मुकम्मिल) करता हूं और उम्मेद करता हूं कि उन से हर खासो आम फायदा उठावेंगे.

१. आपने २७ अगस्त सन १९२१ ई० के गवर्नमेन्ट गॅझेट में नोटिफिकेशन पढा होगा जो मैंने अपना दस्तखती शाया कराया है. जिस उसूल को ऑफिसरान पर impress करने के लिये नोटिफिकेशन मजकूर जारी किया गया है वह निहायत मुफ़ीद है और उसे हर ऑफिसर को ध्यान में रखना चाहिये. वह उसूल यह है कि लोगों को अपने काबू में रखा जावे. और उन्हें दूसरे के Influence में न जाने दिया जावे. मेरे खयाल से ऐसा करने के लिये सिर्फ जरूरत ही मुक्तजी नहीं बल्कि नमकहलाली भी यही चाहती है.

इस बात की भनक मेरे कान तक आई है कि बाज साहिबान की समझ में यह बात नहीं आई और वह इसे नामुमकिन और Childish खयाल करते हैं. इन साहिबान की मैं कहां तक तारीफ करूं! इनकी वाकफियत के लिये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब इन्सान शेर चीता, हाथी व दीगर खूंख्वार जानवरों तक को खिलापिलाकर, थपकार, पुचकारकर और अंकुश, मारकर अपने काबू में कर लेता है तो इन्सान इन्सान को काबू में क्यों नहीं रख सकता? मेरे खयाल से जरूर रख सकता है बशर्ते कि नीति शास्त्र में जो चार तरीके साम, दाम, दंड व भेद लिखे हैं; उन का मुनासिब इस्तेमाल किया जावे.

लोगों को अपने काबू में रखने के लिये सबसे पहले नेक मिजाजी व खातिर तवाजो की जरूरत है. शरीफाना बरताव करने से ऐसा कोई भी नहीं है जो attract न हो जावे और हुकूमताना ढंग के मुकाबले में भाई-दादा के बरताव से बहुत अच्छा काम निकलता है. लोगों की इज्जत और उनके साथ मुहब्बत और हमदर्दी का बरताव करते हुए अगर उनके फरायज उन्हे समझाये जावें तो वह खुशी और अहसानमन्दी के साथ सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि पीछे हो जावेंगे और कहने की तामील करेंगे और उन्हें किसी दूसरे के influence में आने का मौका ही नहीं मिलेगा. पस इस अहम बात को ध्यान में रखना जरूरी है. जमाना नाजुक है और कहावत मशहूर है कि 'और ने धोका खाया तो अपने को धोका क्यों खाना चाहिये'. यह दोनों बातें हर अफिसर को अपनी ड्यूटी, रियासत की बहबूदी और हेड आफ गवर्नमेन्ट के लिहाज से मद्देनजर रखना अम्र लाजमी है.

२. इस जमाने में यह अजीब बात दिखाई देती है कि लोग भलाई को तो भूल जाते हैं और बुराई की याद करके बदनाम करने को आमादा रहा करते हैं; इसलिये यह हर गवर्नमेन्ट आफिसर का फर्ज होना चाहिये कि वह इन लोगों को बदनाम करने का कोई मौका न दे और बदनाम करने वाले किसी तरह हम पर हावी न होजावें. मिसाल की तौर पर आगर के बाक़े को लीजिये जो हाल ही का है. गनेशदत्त को बुलाकर मैंने उनसे गुफ्तगू की. मेरी गुफ्तगू humble थी. जो गुफ्तगू हुई उसे मैंने पब्लिक की वाकफियत के लिये शाया करा दिया. अब देखा जाता है कि अखबारों में इस पर हाशिये चढ़ाये जारहे हैं और पब्लिक को इस बारे में मुगालता दिये जाने की कोशिश की जा रही है. इस किस्म की कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिये हमें हमेशा तैयार रहना चाहिये. मेरे उस्तादों ने मुझे नसीहत की थी कि इस किस्म की बातों पर ध्यान न दिया जावे, क्योंकि ऐसा करने से छोटे जर्फ के लोगों के हौसले बलंद होंगे. मैंने इस नसीहत पर अमल भी किया मगर हर बात की एक हद हुआ करती है और अब मेरी यह राय है कि इन लोगों का मुकाबला जोर से किया जावे और जो जहर वह फैलाना चाहते हैं उसे न फैलने दिया जावे. इसी के साथ हमारे dealings में honesty और इन्साफ नजर आना चाहिये और महज इस वसीले से हम ground को cover करके पब्लिक का संतोष कर सकेंगे और पब्लिक की नजरों में उन्हें disgrace कर सकेंगे जो झूंठ बातें कहकर लोगों को बहकाते और खराब करते हैं.

३. मैंने अपनी बीमारी के दिन जो कुछ कहा था उसे मैं इस मौके पर साफ करना चाहता हूं. मेरा मतलब अपने यहां के Graduates से था जो बातें करने के तो शौकीन मालूम होते हैं मगर करते धरते कुछ नहीं हैं. ऐसे लोगों से हमारा क्या भला होगा? हमें तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो working hours में पूरा काम करने के बाद Recess में भी अपने शर्ट के अस्तीन उलट कर हमारे साथ काम करने को तैयार रहें और किसी काम के करने में उन्हें आर न हो. हमारा काम रोटी पकाने का नहीं है लेकिन वक्त आजावे तो हम भूके न मरें. मकसद यह है कि हमें हर काम करने के लिये हर मौसम में तैयार रहना चाहिये. एक इंजीनियर साहब से मैंने कहा कि फलां सडक बनवादें और वह खुद वहीं कयाम करें तो यह उनसे न हुआ. अब आप फरमाइये कि ऐसेलोगों से हमें क्या फायदा पहुंच सकता है. इसके जाहिर करने से मेरी गर्ज यह है कि हमारे तालीमयाफ्ता लोगों में से आसायश पसंदी की आदत निकल कर उन्हें आराम व तकलीफ दोनों किस्म के कामों के करने की आदत पडे.

४. यह बात मेरे नोटिस में आई है कि जो कागजात हिसाब के मातहतान की तरफ से आते हैं उनकी जांच नहीं की जाती और वैसे ही पास कर दिये जाते हैं. यह ठीक नहीं है.

यह छोटी छोटी बातें हैं मगर उसूल की हैं. इसलिये मुतअल्लिक़ीन को उनकी याद ताजा कराता हूं कि वह उससे फायदा उठावें.

५. मैं जो कुछ इस वक्त अर्ज कर रहा हूं और १७ तारीख को जो कुछ मैंने कहा था उसके मुतअल्लिक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय कायम करेंगे. मैं नहीं चाहता कि मेरी राय से सब इत्तफाक ही करें और अगर मैं ऐसा चाहूं तो यह मेरी weakness (कमजोरी) होगी. लेकिन मैंने आपको अपना way of thinking बतला दिया है और जो मेरे Honest convictions हैं वह आप पर आजादी के साथ जाहिर कर दिये हैं. मैं आजाद हूं और अपनी independent राय रखता हूं और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके मुतअल्लिक औरों का क्या खयाल है.

इतना अर्ज करने के बाद मेरा यह काम है कि मैं आम दस्तूर के मुताबिक आपका शुक्रिया अदा करूं लेकिन मैं दीदोदानिस्ता ऐसा नहीं करता. इसकी वजह यह है कि आप कुछ मेरे बुलाये मेहमान नहीं आये हैं बल्कि आप अपना घर समझ कर और इस काम को अपना वक्त काम खयाल करके उसे अंजाम देने के लिये तशरीफ लाये हैं.

इस मजलिस को खत्म करने से पहले मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे वालिद माजिद ने यह मकान जिस नियत से बनाया था वह आज पूरी हुई और मकान भरगया और यह काम मुझसे बन पडा यह मेरी खुश नसीबी और परमात्मा की कृपा है.

हुजूर मुअल्ला की तकरीर के बाद लाला रामजीदास साहब वैश्य ने नान-आफीशियल मेंबरान मजलिस की तरफ से हुजूर मुअल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा:—

हुजूर मुअल्ला,

इस मजलिस के इफ्तताह के रोज Non-Official मेम्बरान मजलिस ने तजवीज करके मुझसे यह ख्वाहिश की, कि दरबार मुअल्ला ने जो इस मजलिस को कायम करके हम लोगों को यहां आने की इज्जत बख्शी व रिआया दरबार को बजरिये अपने कायम मुकाम जो राय व मशविरा देने का हक अता फरमाया, उसके लिये मैं मिन-जानिब Non-Official मेम्बरान दरबार मुअल्ला की खिदमत में एहसान और शुक्रिये का इजहार करूं.

मजलिसे आम कायम करके सरकार ने ग्वालियर राज्य में वह काम किया है कि जिस वक्त इस राज्य की उन्नति की तवारीख लिखी जायगी वह दिन सोने के हरूफों में लिखा जायगा.

जिस वक्त से हुजूर ने इनाने-हुकूमत हाथ में ली है उसीवक्त से सरकार के विचार रिआया से सलाह लेकर काम करने के रहे हैं. आज वही विचार इस बडे स्वरूप में प्रकट हुए हैं, और हमें भरोसा है कि आगे चलकर यह मजलिस राज्यकार्य में एक अत्यंत उपयोगी संस्था (institution) साबित होगी.

मजलिस के ६ दिन की कार्यवाही को देखकर यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि गवर्नमेंट के माननीय मेम्बर साहबान ने रिआया के कायम मुकामों की पेश की हुई तजवीजों पर जिस सच्ची हमदर्दी से गौर फरमाया व जो मुफीद वकफियत फराहम पहुंचाई उसके लिये हम तमाम मेम्बर साहबान गवर्नमेंट का तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हैं.

लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने जिस दिलचस्पी और कामयाबी से इस सेशन का काम अंजाम दिया उसके लिये हम महकमे को मुबारिकबाद देते हैं.

हम लोग हुजूर को यकीन दिलाते हैं कि सरकार ने जो कीमती नसीहतें हम लोगों को दी हैं व जो expectations हम लोगों से किये हैं उनके पूरा करने की हम लोग हत्तुल-इमकान पूरी कोशिश करेंगे.

आखिर में हम सब परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हमारे फरायज मन्सबी को सच्चाई, ईमानदारी व नेकनियती से पूरा करने में मदद दे, व हुजूर मुअल्ला व राजपरिवार को सदा सुखी रक्खे.

इसके बाद मजलिस का पहिला सेशन खत्म हुआ.

अपेन्डिक्स.

रिपोर्ट सब-कमेटी, बाबत तजवीज नं० १; फर्द नं० २, धर्मादा.

१. जनाब ट्रेड मेंबर साहब.

२. रायबहादुर पं. प्राणनाथ साहब.

३. लाला रामजीदास साहब.

४. सेठ रिधराज साहब.

५. जमनादास साहब झालानी.

६. जगमोहनलाल, श्रीवास्तव.

करार पाया कि धर्मादा का सवाल हाथ में लेने के काबिल है, मगर साथही उसकी निगरानी उन्हीं लोगों के हाथ में रहना चाहिये जो उस आमदनी का जर्या हैं.

दरबार के जाब्ते दीवानी में जो दफा ४७७ है उसकी रू से इन्तजाम इस शक्ल में मुमकिन है कि इस दफा की रू से अदालत में मामले को दायर करनेवाला या मशवरा लेनेवाला आफिसर गवालियार चेंबर आफ कामर्स मुश्तहर किया जाय और अमीन मंडी कमेटी हो.

अब दूसरा मामला यह है कि इस धर्मादा के तअल्लुकात में सिर्फ मंडियों का धर्मादा शामिल किया जाय या इस लाइन को वसीअ किया जाय; क्योंकि जो कौमी या शख्सी ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनकी बाबत भी शिकायतें सुनी जाती हैं, इसकी बाबत कमेटी की यह राय है कि उन तमाम धर्मादा के कामों को जिनमें पब्लिक का रुपया लगता है, उन तमाम की बाबत इन्तजाम की जरूरत है और उसकी बाबत कमेटी की हस्ब जैल राय है:—

१. मन्दिर, मसजिद, मकबरा, छत्री, समाधि या दूसरी परिस्तिशगाहें, जिनका दायरा किसी मजहब के साथ महदूद हो उनको सेंट्रल औकाफ कमेटी के मुतअल्लिक किया जावे, और उसके कवाअद मजहबी आचार्यों के मशवरे से बनाये जावें, और कायदे बनाने से पहिले उन लोगों के मशवरे की जरूरत कमेटी महसूस करती है.

२. मन्डियों में या तिजारती पेशों में जो रकमें धर्मादे के नाम से खरीदार या फरोशिंदा से ली जाती हैं या ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स मस्लन गौशाला, यतीमखाना, धर्मशाला, स्कूल, बोर्डिंगहाउस, अस्पताल वगैरा जो खैराती मकसद के लिये चन्दे से कायम किये गये हों उनका तअल्लुक इस कायदे से रक्खा जावे.

नोट—जो आमदनी धर्मादा की मंडियों से होगी उसके जर्ये से जितने खैराती इन्स्टीट्यूशन्स बनाये जावें या किसी तरीके पर माली इमदाद दी जावे उनका तअल्लुक चेंबर आफ कामर्स व मंडी कमेटी से रक्खा जावे. वह इन्स्टीट्यूशन्स जिनमें मंडी धर्मादा का रुपया नहीं है या उन इन्स्टीट्यूशन्स के रिप्रेजेन्टेटिव के इन्तखाब किये हुए मेंबर नहीं हैं, उन इन्स्टीट्यूशन्स की अगराज दफा ४७७, जाब्ता दीवानी, के लिये मैनेजिंग कमेटी अमीन और जनरल कमेटी आफिसर उन मुकामात के लिये जहां म्युनिसिपेल्टी या टाउन कमेटी नहीं हैं तसव्वुर किये जावें और जहां म्युनिसिपलिटी या टाउन कमेटी हैं वहांपर म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन कमेटी आफिसर मुतसव्वुर हो.

३. मंडी कमेटी में आमदनी के जराये हस्ब जैल हैं:—

(१) गल्ला, घी, तिलहन वगैरा जो मुकामी पैदावार मंडी में फरोख्त के लिये आता है और उस को दूकानदारान खरीद करते हैं उसपर जो धर्मादा की रकम मंडी के धर्मादा के नाम से ली जाती है.

(२) बाहर के आये हुए या मंडी में मौजूदा माल की खरीद फरोख्त बाहमी तरीके पर होकर उसपर धर्मादा लिया जाता है.

(३) खरीद फरोख्त माल का या दूसरे किस्म का मुआहिदा सौदा, सट्टा, हुन्डी वगैरा तहरीरी या जबानी किया जाता है उसपर धर्मादा लिया जाता है.

(४) चौथा तरीका यह है कि किसी खास काम के लिये चंदा या डार करके धर्म के काम में लगाया जाता है.

नोट—इस बारे में न कोई स्केल है, न कोई कायदा है, मंडी के तअल्लुकात पर जो एक रस्म पडगई है या जो सब लोग मिलकर ठहराव कर लेते हैं उस मुताबिक हर मंडी में काम चलता है किसी जगह सिर्फ कलम नं० १ के मुताबिक धर्मादा लिया जाता है, किसी जगह कलम नं० २ या ३ या ४ भी शामिल हैं, इसकी बाबत कमेटी की हस्ब जैल सिफारिश है:—

(१) कलम नं. १ की बाबत जो धर्मादा लिया जाता है वह मंडी के तअल्लुकात पर गौर करके जहां जैसा रिवाज हो या जिसमें मंडी की उन्नति हो सकती हो उस तरह पर खरीदार या फरोशिंदा से या दोनों से लिया जावे; मगर कोशिश इस बात की की जावे कि काश्तकारों या माल लाने वालों को दिक्कत महसूस न हो और खरीदारों से धर्मादा लेना ज्यादा मुफीद समझा जावे.

(२) धर्मादा की रकम का स्केल कायम नहीं हो सकता, मुख्तलिफ अशियाय पर मुख्तलिफ तरीके पर लिया जाता है; इसलिये कमेटी की राय है कि हर मंडी का स्केल व तरीका मंडी के मुताबिक रहे, मगर हर हालत में उस बात का अहतियात रखा जावे कि आसपास की मंडियों से स्केल ज्यादा न रहे.

(३) कलम नं. २ व ३ की बाबत जो तरीका जिस मंडी में हो वैसा जारी रहे और बगैर इत्त-फाक व्योपारियान मंडी के न स्केल बढाया जावे और न नया धर्मादा कायम किया जावे. इत्तफाक के मानी यह हैं कि जिसमें ७५ फीसदी व्योपारियान मंडी की राय मुत्तफिक हो.

इस तरीके पर जो धर्मादा वसूल किया जावे उसका जमाखर्च बहीखाते में होना चाहिये. इस अम्र के साबित होने पर कि धर्मादा लिया गया और बहीखाते में जमा नहीं किया गया मंडी कमेटी को इख्तियार होगा कि मुनासिब कार्रवाई करे.

२. जो चन्दा इस तरीके पर जमा हो उसमें कमेटी की वही सिफारिश है कि जो कवाअद मंडियात की दफा १० में तजवीज की गई है यानी निस्फ धर्मादा दूकानदारान अपनी मर्जी से सर्फ करें और निस्फ धर्मादा मंडी कमेटी के धर्मादा फन्ड में दाखिल करे.

जो धर्मादा की रकम इस तरह पर जमा हो वह बइत्तफाक राय मंडी के व्योपारी, दल्लाल, कच आढतिये, रिफाहे आम के कामों में सर्फ की जावे जैसा कि दफा मजकूर में बताया गया है. इत्तफाक राय के मानी यह होंगे कि जिसमें ७५ फीसदी से कम राजी न हों.

इस किस्म की जितनी रकम मंडी कमेटी में आवेगी उसका बाकायदा जमाखर्च रहेगा और देने वाले को रसीद दी जावेगी.

कलम नं. ४ के मुताबिक जिसकदर चन्दा जमा होगा, उसके जमाखर्च या काम का तअल्लुक मंडी कमेटी से नहीं होगा, मगर मंडी कमेटी को इख्तियार होगा कि अगर वह जानले कि जिस काम

के वास्ते चन्दा जमा हुआ है और उसमें खर्च नहीं हुआ तो उस काम को अपने हाथ में लेकर मुनासिब कार्रवाई करें. इसी तरह पर जो मंडी कमेटी के रुपये से या मदद से खैराती काम जारी हुए हों उनको इन्तजाम अंदरूनी में मदाखलत करने की जरूरत नहीं होगी. जो तरीका काम का जारी है या उस गिरोह के लोग आयंदा इंतजाम करें वह बाकायदा मुतसव्वर होगा, अगर मंडी कमेटी को यह बात मालूम हो कि उस काम की अगराज पूरी नहीं होती हैं या रुपया दूसरे कामों में सर्फ होता है तो अपनी वकफियत को और तरीके इस्लाह को तजवीज करके मेंबरान मुतअल्लिका को देवें और वह लोग अगर तवज्जह न करें या उनकी फेहमाइश का असर न हो तो चेंबर आफ कामर्स से मशवरा लेवें. फक्त ता: १८।१०।२१.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक सवाल नं० ७, एजेन्डा जमीमा फर्द नं० १.

नोट.

१. तारीख १७ अक्टूबर सन १९२१ ई० के इजलास मजलिस आम में गवर्नमेन्ट की जानिब से यह सवाल पेश किया गया था कि क्या तदबीर इख्तियार की जावे कि जिससे छोटे बच्चों की फौती की तादाद में कमी हो. ब इत्तफाक राय करार पाया कि मुफस्सिले जैल सब-कमेटी इस सवाल पर गौर करके रिपोर्ट पेश करे:—

१. डाक्टर फाटक साहब. } Consulting Members.
२. डाक्टर नाडकरनी साहब. }
३. सेठ मानिकचंद साहब
४. गुरुदयाल साहब.
५. सेठ नारायणदास साहब.
६. गणेशदत्त साहब.
७. गोविंदराव साहब.
८. गोविंदराव साहब वाटवे, वकील.

२. रिपोर्ट सब-कमेटी हमरिश्ते हाजा है.

मोतीमहल, तारीख १८ अक्टूबर सन १९२१ ई०.

छोटे बच्चों की अमवातें कम करने के लिये और रियासत हाजा की आम सफाई के लिये जो सब-कमेटी कायम की गई थी उसकी रिपोर्ट.

कमेटी के मेम्बर्स.

पंडित गणेशदत्त शास्त्री.
सेठ नारायणदास.
सेठ माणिकचंदजी.
गुरुदयाल वकील साहब.
वाटवे वकील साहब.

एडव्हायजर्स.

मेजर वामन गोविंद नाडकर्णी साहब.
मेजर विनायक महादेव फाटक साहब.

श्रीमती जीजा महाराज बालरक्षक सभा स्थापन की जाय, और उसका कॉन्स्टीट्यूशन हस्ब जैल हो:—

पेट्नेस	श्रीमती सौभाग्यवती बडी महारानी साहिबा.
प्रेसीडेन्ट	श्रीमती सौभाग्यवती छोटी महारानी साहिबा.
मेंबर्स	श्रीमती सौभाग्यवती लेडी मन्नूराजा साहिबा शीतोळे.
	श्रीमती सौभाग्यवती जीजाबाई साहिबा पवार.
	श्रीमती लेडी जाधव साहिबा.
	मिसेस लक्ष्मीबाई साहिबा राजवाडे.
	मिसेस फाटक साहिबा.
	लेडी डाक्टर जयारोग्य हॉस्पिटल (एक्स-ऑफिशियो).
सेक्रेटरी	सर्जन साहब टू हिज हाइनेस.
ट्रेझरर	चीफ मेडीकल ऑफिसर साहब.

फंड्स:—

१. श्रीमती जीजा महाराज स्मारक फंड में से जो रकम बची हो उसके लिये दरख्वास्त करना और वह हासिल करना.

२. सरकारी ग्रांट के लिये जो कम से कम सालाना २५,००० हजार रुपया हो, मिलने की इस्तदुआ करना.

३. मेडीकल डिपार्टमेन्ट के इम्प्रूवमेंट के लिये जो फंड कायम है उसके सूद में से कुछ रकम मिलने के लिये इकॉनामिक बोर्ड से इस्तदुआ करना.

४. पब्लिक धर्मादाय के ऊपर अगर कोई कंट्रोल कायम फरमाया जावे तो उसमें से दसवां हिस्सा इस फंड में हर साल मिलने के लिये दरख्वास्त की जावे.

५. पब्लिक डोनेशन.

६. पेट्रन की फीस एक हजार रुपये होगी.

७. लाइफ मेंबर की फीस १०० रुपया होगी.

८. सालाना मेंबर की फीस ६ रुपया साल होगी.

मकसद.

१. दाइयों का ट्रेनिंग.

शुरू में जिले के तमाम सदर मुकामात पर यह तालीम शुरू की जाय, और ऐसा प्रबंध किया जाय कि मुकामी दाइयों को पांच साल के अंदर उनको तालीम पूरी कर लेना चाहिये. और बाद इस मियाद के कोई, बगैर पास शुदा दाई बच्चा जनाने का काम न कर सके. मगर जिन मुकामात पर पासयाफ्ता दाई जरूरत के काबिल तैयार हो जाय तो गैर पास शुदा दाइयां काम करने से रोक दी जावें.

जिले के अलावा दीगर मुकामात पर जहां तालीम का काम शुरू है और हो, वहां पर भी ऊपर की स्कीम के मुवाफिक अमल किया जावे. मियाद का शुमार काम शुरू होने से किया जावेगा.

२. जच्चे व बच्चे को अय्याम जच्चगी में मदद पहुंचाना

जरूरी कपडे व खाट ब बच्चे की हिफाजत के कपडे और गिजा व जरूरी दवाइयां देना. इसमें से खाट, कंबल बगैरा सामान जोकि फिर दुबारा काम आ सकते हैं उन्हें वापिस लेकर लोकल स्टोर में जमा करना. बाकी बच्चे के छोटे कपडे वगैरा चीजें दे देना.

फंड की हैसियत के मुताबिक पासयाफ्ता नौकर दाइयां रखना और मुफलिस जच्चाओं को मुफ्त मदद करवाना.

नोटः—मुफलिस वह समझा जाय कि जिसकी आमदनी माहवार २० रुपये से ज्यादा न हो फंड की गुंजायश के मुवाफिक मुख्तलिफ मुकामात पर जच्चाखाने कायम किये जावें.

जिन बच्चों को अपने मां का दूध काफी मिकदार में न मिल सके, उनको दूध बहम पहुंचाना और अच्छा दूध मिलने के इंतजाम के लिये सेनीटरी बोर्ड को इस्तदुआ करना.

३. निग्रानी और इंतजाम.

इसका कुल इंतजाम सेंट्रल कमेटी के जिम्मे होगा.

सेंट्रल कमेटी के मदद के लिये हर जिले में एक एक जिला कमेटी कायम हो और जिला कमेटी अपनी मदद के लिये अपने जिले में सब-कमेटियां कायम करे. इन कमेटियों में जहां तक हो सके स्त्री मेंबरों की तादाद ज्यादा रखी जावे.

निग्रानी के लिये कि दाइयों का ट्रेनिंग और उनका वर्क ठीक हो रहा है या नहीं ? इसके लिये हस्ब जैल इन्तजाम किया जावेगा.

सेंट्रल कमेटी के प्रेसीडेन्ट और मेंबर्स व जनरल सेक्रेटरी व जनरल ट्रेझरर ये साहबान जब जब मौका मिले, हत्तुलइमकान इस काम की निग्रानी करें और इन्सपेक्शन लेवें और जो नुकायस उनके नजर में आवें उन्हें कमेटी के नेक्स्ट मीटिंग में लाकर उनको रफा कराने की तजवीज करें. इसी मुवाफिक जिला कमेटियां और सब-कमेटियां भी अपने यहां का इन्तजाम रखें.

बडे बडे शहरों में पेड लेडी व्हिजिटर इस काम के जांच करने के लिये नौकर रखी जाय और मुकामी दाईयों की तालीम और वर्क का इन्तजाम भी उन्हीं से कराया जावे.

मामूली वर्किंग के लिये सेंट्रल कमेटी अपने रूल्स बनावे.

जनरल सेनीटेशन.

चूंकि सफाई की कमी भी गैर मौका मौत की खास बाइस होती है, इसलिये सफाई के इंतजाम के लिये हर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने बोर्ड में से एक सेनिटरी कमेटी कायम करे और उसका इंतजाम उसके जिम्मे रखा जाय, ताकि वह पानी, घूरे और बच्चों के लिये अच्छा दूध मिलने का इंतजाम करे और उस इंतजामिया कमेटी को अगर इंतजाम के मुताल्लिक मजबूरी मालूम हो तो मुकामी इंतजामी ऑफिसर के जर्ये से इसका जरूरी इंतजाम कराया जावे, और मुकामी इन्तजामी ऑफिसर को इस बारे में जुर्माने के इख्तियारात दिये जांय.

जिन मुकामात पर गांव वालों को घूरा डालने की जगह न हो, उसके लिये रेविन्यू ऑफिसर मुनासिब इंतजाम करादें.

डिस्ट्रिक्ट सेनीटरी कमेटियों की रेहनुमाई के लिये एक सेंट्रल सेनीटरी बोर्ड कायम होने के लिये दरबार की खिदमत में सिफारिश की जाय.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नं० २, एजेन्डा फर्द नं० २.

नोट.

(१) तारीख १७ अक्टूबर सन १९२१ ई० के इजलास मजलिस आम में यह तजवीज पेश हुई थी कि साहसी (जवांमर्दी) की तालीम स्कूलों में लाजमी कर दी जावे और लोगों को भी उपदेशकों के जर्ये से ऐसी तालीम दी जावे, ताकि लोग निडर होकर चोरी व डांके से अपने जान व माल की हिफाजत कर सकें और पुलिस को भी मदद दे सकें.

(२) इस तजवीज के मुतअल्लिक एज्युकेशन मेम्बर साहब ने यह तहरीक की थी कि इस सवाल पर गौर करने व मुकम्मिल स्कीम पेश करने के वास्ते एक सब-कमेटी कायम कर दी जावे. यह तहरीक कसरत राय से मंजूर की गई और मुफस्सिले जैल सब-कमेटी मुकर्रर की गई:—

१. एज्यूकेशन मेम्बर साहब.
२. आर्मी मेम्बर साहब.
३. जहांगीर बेहमनशा साहब वकील.
४. महंत लक्ष्मणदास साहब.
५. एहमद नूरखां साहब.
६. गणेशदत्त शास्त्री साहब.

(३) रिपोर्ट सब-कमेटी हमरिश्ते हाजा है.

पहला सवाल जो इस सब-कमेटी के सुपुर्द हुआ है वह यह है " क्या जिस तरीक पर इस वक्त स्कूलों में फिजीकल ट्रेनिंग (जिस्मानी कुव्वत बढाने की अमली तालीम) दी जा रही है उसमें किसी तरमीम की जरूरत है ? "

कुल स्कूलों में देशी कसरत कराये जाने और सेकन्डरी स्कूलों में अलावा देशी कसरत Gymnastics वगैरा सिखलाये जाने का तरीका उसूलन तो ठीक है, लेकिन जहांतक देहाती स्कूलों और कस्बाती स्कूलों का तअल्लुक है, सब-कमेटी की यह राय है कि देशी कसरत के अमली तरीकों (practical details) में फर्क किया जाना मुनासिब है. दूसरे अल्फाज में देहाती स्कूलों में जिस्मानी वरजिश (bodily exercise) जो लडकों को सिखलाई जाय वह ऐसी होना चाहिये जो उनकी आयन्दा जिन्दगी के कारोबार में मदद दे. और इस वरजिश को देहाती तालीम का एक बडा हिस्सा समझकर उसपर काफी वक्त सर्फ करना चाहिये.

कस्बाती स्कूलों में जिस्मानी वरजिश के लिये लडकों की उमर के लिहाज से मुख्तलिफ (separate) कोरसेज होना मुनासिब है; क्योंकि जिस्मानी वरजिश जहां तन्दुरुस्ती और जिस्मानी कुव्वत के लिये मुफीद (advantageous) है, अगर हद से ज्यादा की जावे तो मुजिर (detrimental) भी होती है.

देहाती स्कूलों में शशमाही या सालाना village sports tournament जारी करने का तरीका भी मुफीद होगा. ऐसे tournaments परगना बोर्ड की निग्रानी में किसी मेला या हाट के दिन हुवा करें जिनमें इनामात (prizes) नॉन-ऑफिशियल क्लास में से किसी मुअज्जिज (respectable) शख्स

के हाथ से तकसीम कराये जायें. इससे फायदा यह होगा कि देहाती स्कूलों में जमींदारों और काश्तकारों की दिलचस्पी बढेगी और उनको मालूम होजावेगा कि सिर्फ तालीम के खातिर उनके बच्चों की जिस्मानी हालत को नजर अंदाज (neglect) नहीं किया जा रहा और उनके लडके स्कूल कोर्स खत्म करने के बाद उनके कारोबार में मददगार साबित होंगे; और उनकी यह शिकायत रफा हो जावेगी कि तालीम के बाद लडके अपने कारोबार के काबिल नहीं रहते.

कस्बाती स्कूलों में भी सालाना sports tournament का तरीका रायज किया जावे; यह tournament जिले के हेड क्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की निग्रानी में हुजूर मोअल्ला दाम इकबालहू की सालगिरह के मौके पर किये जावें और मुनासिब इनामात नॉन-ऑफिशियल क्लास में से किसी मोअज्जिज शख्स के हाथ से तक्सीम कराये जायें.

लश्कर और उज्जैन में भी ऐसे tournaments का सिलसिला इसी तरीक पर कायम किया जावे.

कस्बाती स्कूलों में अगर छुट्टी के दिन कस्बे के बाहर खुले मैदान में वरजिश (open-air exercise) का तरीका रायज किया जावे तो यह भी लडकों की तन्दुरुस्ती के लिये मुफीद साबित होगा.

चूंकि इन तजावीज के मुताबिक स्कीम मुरत्तब करने के लिये बहुत वक्त की जरूरत है, इस लिये देहाती स्कूलों और कस्बाती स्कूलों में physical training दिये जाने के मुआम्लात को कमेटियों के सुपुर्द किया जावे.

Tournaments के वक्त इनामात का सर्फा गवर्नमेन्ट की जानिब से दिया जावे और कमेटियां रिपोर्ट करें कि सालाना सर्फा क्या होगा ?

देहाती स्कूलों में physical training दिये जाने का मामला उस कमेटी को सुपुर्द किया जावे जो गुजिश्ता जमींदारी कॉन्फरेन्स में देहाती तालीम की स्कीम मुरत्तब करने के लिये मुकर्रर हुई थी.

कस्बाती स्कूलों में physical training दिये जाने के मामले को एक खास कमेटी के सुपुर्द किया जावे जिसके मेम्बरान हस्ब जैल हों:—

(१) जमनादास साहब झालानी (प्रेसीडेन्ट).
(२) महन्त लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मणाचार्य.
(३) हेड मास्टर, वी. सी. हाई स्कूल.
(४) हेड मास्टर, माधव कालेज, उज्जैन.
(५) प्रांत बोर्ड मालवे का एक कायम मुकाम.
(६) प्रांत बोर्ड ग्वालियर और ईसागढ का एक कायम मुकाम.
(७) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स नार्दर्न सरकल,

नोट:—इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, नार्दर्न सरकल, इस कमेटी का बतौर सेक्रेटरी भी काम करे. और इस कमेटी को expert advice लेने का भी इख्तियार दिया जावे.

दूसरा सवाल जो इस कमेटी को सुपुर्द हुआ है वह यह है कि " स्कूलों में जवांमर्दी की तालीम किस तरीक पर दी जा सकती है ?"

सब-कमेटी की राय में आम तौर पर स्कूलों में कोई खास तरीका रायज नहीं किया जा सकता.

तन्दुरुस्ती और जिस्मानी ताकत ही इसके लिये जरूरी factors हैं, और इनके मुतअल्लिक ऊपर राय जाहिर की जा चुकी है; लेकिन इसीके साथ सब-कमेटी सिफारिश करती है कि बिलफेल लश्कर और उज्जैन में Boy Scout एसोसीएशन्स कायम की जावें जैसेकि Bombay Boy Scouts Association ने अपनी एक अपील में जाहिर किया है. ऐसे एसोसिएशन की मक़सद हस्ब जेल है:—

"The aim of the Boy Scouts Association is to help Indian boys irrespective of race, creed or caste to become good citizens of their Mother-land and of the Emprie reverencing God, living as loyal subjects of the Imperial Crown, subordinating personal interests to the needs of the country and of the Empire; to form their charactor by training them in habits of observation, obedience and self reliance; to teach them services useful to the Public and handicrafts useful to themselves and promote their physical development and health."

अगर इनमें कामयाबी हो तो Boy Scout मूवमेन्ट को रियासत के दीगर हिस्सों में फैलाया जावे.

कमेटी की यह राय है कि School text books में बहादुरी और दिलेरी के किस्से भी दर्ज किये जावें ताकि लडकों के दिलों पर उनका अच्छा असर हो.

तीसरा सवाल जो कमेटी के सुपुर्द हुआ है वह यह है कि "जवांमर्दी की तालीम कुल स्कूलों में यकसां तरीक पर दी जाये या मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों में मुख्तलिफ तरीक पर ? अगर मुख्तलिफ तरीके पर, तो वह तरीके क्या होने चाहिये ?"

सब-कमेटी ने जो राय सवाल नंबर २ के लिये कायम की है उसकी वजह से इस सवाल के जवाब देने की जरूरत नहीं रही.

चौथा सवाल जो सुपुर्द हुआ है वह यह है "नागरिकों को आम तौर पर जवांमर्द बनाने के लिए गवर्नमेन्ट किस शक्ल में और किस हद तक इमदाद दे सकती है ?"

चूंकि तन्दुरुस्ती और जिस्मानी ताकत के वसायल (means) अमल में लाना ज्यादातर नागरिकों पर ही मुनहसिर है; इसलिये गवर्नमेन्ट बतौर खुद कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करसकती, जिससे नागरिकों को ऐसे वसायल अमल में लाने के लिये मजबूर करसके, अलबत्ता, अगर किसी कस्बे या शहर में नागरिक physical training की गरज से व्यायामशालायें (public gymnasiums) खोलें तो सब-कमेटी की राय में उत्साह बढाने के लिये गवर्नमेन्ट की जानिब से उनको grant-in-aid दिया जाना मुनासिब होगा. इसके मुतअल्लिक सब-कमेटी की यह राय है कि पब्लिक जिसक़दर चंदा यकमुश्त या सालाना ऐसी व्यायामशालाओं के लिये एकट्ठा करे उसका $\frac{1}{2}$ हिस्सा दरख्वास्त गुजरने पर गवर्नमेन्ट की जानिब से बतौर इमदाद दिया जावे, और ऐसी व्यायामशालाओं पर जिनको इमदाद दी जावे, एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के अफसरान की निग्रानी रहे. सब-कमेटी यह भी सिफारिश करती है कि जमींदार हितकारिणी सभा के उपदेशकों को इस विषय पर भी उपदेश करने की हिदायत देना मुनासिब होगा.

बच्चों के चाल-चलन पर बखूबी निगरानी रखना वालदैन और मास्टरों का फर्ज होना ही चाहिये, लेकिन इसकी तामील कराने का सिवाय उपदेशकों के कोई जरिया नहीं है.

रिपोर्ट सब-कमेटी, बाबत सवाल नं० २, एजेन्डा नं० १.

मोतीमहल, तारीख २० अक्टूबर, सन १९२१ ई०.

हाजरीन जल्सा—

प्रेसीडेन्ट:

ले-क., सरदार सर आपाजीराव साहब सितोले, अमीरुल उमरा, के. बी. ई., सी. आई. ई., मेम्बर फॉर रेव्हेन्यू एन्ड अग्रीकलचर.

मेम्बर्स:

१. रघुवरदयाल साहब, सेटिलमेन्ट आफिसर.
२. राय बहादुर काहनचन्द साहब, डायरेक्टर, कागजातदेही.
३. सेठ लुकमान भाई.
४. सेठ रिद्धराज.
५. सेठ मदनमोहन लाल (विनोद मिल).
६. लाला रामजीदास.
७. सेठ मानिकचन्द.
८. टोडरमल.
९. केशवराव बापूजी.
१०. ठाकुर गुलाबसिंह.
११. सेठ राय साहब नारायणदास.
१२. बन्सीधर.
१३. जगन्नाथ प्रसाद.
१४. विशेश्वरसिंह.

सवाल नंबर २, पडती लायक काश्त की तादाद कागजात पटवारी में सही दर्ज होना.

ठहराव:—

रकबा काबिल काश्त की तादाद के मुतअल्लिक उजरात होने की दो वजूहातें जाहिर की गई हैं. एक यह कि काबिल काश्त रकबा की अन्दरूनी तफसील मसलन चरनोई, बीडसेडा, शामिल जोत, बुढेल मालूम न होने से जमींदार को यह शक होता है कि असली काबिल काश्त रकबा इसकदर नहीं है, जो कि मौजे के मीजान रकबे से बतलाया गया है. दूसरा यह कि खसरा में, इन्दराज काबिल काश्त और गैरमुमकिन का सही नहीं होता.

उज्र—(१) की बाबत मीजान खसरा में तफसील काबिल काश्त मौजूद है, अलबत्ता सेडा अलग नहीं दिखलाया जाता. इसकेलिये अलग खाना रक्खा जावे और नक्शा तितम्मा जमाबन्दी में शामिल जोत की तफसील मौजूद है इसलिये इन कागजात को देखने से किस्म अव्वल का उज्र रफा हो सकता है.

उज्र—(२) की बाबत अव्वल बन्दोबस्त के वक्त किस्म आराजी का इन्दराज मौका देखकर अहालियान बन्दोबस्त ने किया और पचेंहाय जमींदार व काश्तकारी में उनका इन्दराज होकर उनकी तकसीम हुई और उजरात का मौका दिया जाकर, उसपर उनके दस्तखत तस्दीकी कराये गये. इस तरह पर तस्दीक हो चुकी; लेकिन शामलातदेह के खाते में काबिल काश्त रकबे की जांच की परवाह जमींदार नहीं करते. इस वजह से इन्दराज में सहव हो जाता है और बाज बाज जगह ऐसी गलतियां पाई जाती हैं. इनको रफा करने के लिये आयंदा बसिलसिले बन्दोबस्त, जो फर्द किस्म जमीन बनाया जाता है उसमें रकबा गैरमुमकिन व काबिल काश्त की जांच बखूबी होकर इन्दराज किया जावे और उसपर जमींदारान को समझाकर दस्तखत तसदीकी ले लिये जाया करें. बन्दोबस्त के इन्दराज में जहां गलती रह गई है, उसकी दुरुस्ती के लिये खास हुक्म फिर जारी किया जावे कि, जिन जिन मवाजियात में जमींदारान को उज्र हो, उन मवाजियात में बसिलसिले गश्त सालाना तमाम रकबा काबिल काश्त व गैरमुमकिन, खसूसन रकबा शामलात देह की जांच पटवारी व गिरदावर बहमराही जमींदार करें. जहां गलती पाई जावे वहां अगर जमींदारों को उज्र न हो, तो गिरदावर अपने जेर दस्तखत दुरुस्ती करे, अगर जमींदारान का इतमीनान न हो तो गिरदावर मुल्हका मौजे के दो जमींदारों को बुलाकर मौके पर उजरात तय करके सही इन्दराज करावे और एक नकशा ब नमूना जैल शामिल खसरा करे जिस में ऐसे नंबरान मुतनाजा का इन्दराज किया जावे.

नमूना.

नम्बर खसरा.	रकबा.	इंदराज किस्म साबिक.	इंदराज जदीद जो किया गया.	दस्तखत जमींदार मौजा व दीगर जमींदार हाजरीन शरीक तसफिया.	कैफियत. खाने कैफियत में अगर जमींदार और गिरदावर की राय में इख्तलाफ हो तो उसकी वजह दर्ज की जावे.
१	२	३	४	५	६

अगर जमींदार को गिरदावर के कराये हुये इंदराज पर एतराज हो तो एक महीने के अन्दर तहसील में दरख्वास्त पेश करे और उसी साल के दौरे में तहसीलदार का फर्ज होगा कि मौका देखकर हुक्म देवे.

सूबा साहब या नायब सूबा साहब दौरे पर जांच में या जमींदार के जबानी उज्र पर ऐसा इंदराज पावें तो मौका देखकर हुक्म देवें.

रिपोर्ट सब-कमेटी बाबत सवाल नं० ३, एजेन्डा नं० १.

मोतीमहल, तारीख २० अक्टूबर १९२१ ई०.

हाजरीन जल्सा—

प्रेसीडेन्ट:

ले.-क. सरदार सर आपाजीराव साहब सितोले, अमीरुल-उमरा, के. बी. ई., सी. आई. ई., मेम्बर फॉर रेव्हिन्यू एण्ड एग्रीकलचर.

मेम्बर्स:

१. डाक्टर राबर्ट एल. पेन्डेलटन, डायरेक्टर साहब एग्रीकलचर.
२. मुहम्मद हयातखां साहब, सरसूबा प्रांत मालवा.
३. राव बहादुर बापूराव पवार, सरसूबा, साहब प्रांत गवालियार ई.
४. सेठ लुकमान भाई.
५. सेठ नारायणदास.
६. सेठ माणिकचंद.
७. लाला रामजीदास.
८. देशपांडे साहब.
९. महंत लक्ष्मनदास.
१०. बाबू बनसीधर.
११. द्वारकादास.
१२. सेठ करमचन्द.

सवाल नम्बर ३.—असली बीज मालवी कपास मुहय्या होना.

ठहराव:—मालिकान जिनिंग फेक्टरीज की इम्दाद से खालिस मालवी बीज मिल सकता है. सेठ लुकमान भाई और सेठ मानिकचन्द ने वायदा किया कि, वह एक परगने के वास्ते खालिस बीज मालवी मुहय्या करने की जिम्मेदारी लेते हैं. कमेटी का ख्याल है कि मामूली बीज की जो कीमत हो, उससे १) रु. फी मन ज्यादा देकर लेने का अगर एग्रीकलचर डिपार्टमेंट से एलान करदिया जावे, तो तमाम जिन फेक्ट्रीज के मालिकान खास दिलचस्पी लेकर मिले हुए बीजों में से खालिस बीज छांटकर मुहय्या करने को तय्यार होजावेंगे.

नोट:—डॉक्टर पेन्डलटन्स रिमार्क:—

"Can not agree in full with the resolution."

रिपोर्ट सब-कमेटी, बाबत सवाल नं० ४, एजेन्डा नं० १.

मोतीमहल, तारीख २० अक्टूबर सन १९२१ ई०.

हाजरीन जलसा—

प्रेसीडेन्ट:

ले.-क. सरदार सर आपाजीराव साहब सीतोले, अमरिल-उमरा, के. बी. ई., सी. आई. ई., मेम्बर फॉर रेवेन्यू एन्ड एग्रीकलचर.

मेम्बर्स:

१. जयगोपाल साहब अष्ठाना, डायरेक्टर, को-आपरेटिव सोसायटीज.
२. मुहम्मद हयात खां साहब, इन्चार्ज सरसूबा, प्रांत मालवा.
३. राय बहादुर बापूराव साहब पवार, सरसूबा, प्रांत गवालियार व ईसागढ.
४. गणेशदत्त शास्त्री.
५. रामराव गोपाल देशपांडे.
६. रामप्रताप.
७. गुलाबसिंह.
८. गोविन्दराव वाटवे.

सवाल नम्बर ४, कायमी बीज भंडार.

ठहराव सब-कमेटी:—

जो कायदा बीज भंडार इस वक्त तक जारी है, उसके कवाअद की रू से बीज भंडारों की कायमी और अमलदरामद में जैसी कुछ चाहिये तरक्की नहीं हो सकी. इसकी वजह यह है कि जो तरीके पुराने कायदे में दर्ज हैं उनके मुताबिक बीज भंडार चलाने में कई किस्म की दिक्कतें दरपेश आती हैं, मसलन बीज भंडार के नाम से लोगों का यह खयाल होता है कि, यह भंडार बीज तक्सीम करने की गरज से बनाया जायगा और गल्ला जो इसमें हर आसामी का जमा होगा, वह पचमेल होने की वजह से बीज के काबिल न होगा. इसी तरह फीस की रकम नकदी से वसूल करना, व शेअर के हिसाब से गल्ले की वसूली होना, हिफाजत गल्ला, उसका हिसाब किताब रखना, वक्त पर उगाही व तकसीमी, साल सम्हाल वगैरा करने का जरिया हर जगह मुहैया न होना वगैरा इसलिये कमेटी हस्ब जैल तजवीज कायदे में तरमीम करने के लिये पेश करती है:—

१. बजाय बीज भंडार के इसका नाम "नाज भंडार" रक्खा जावे.

इस नाज भंडार में दो तरह काग ल्ला दो विभागों में (हिस्सों में) जमा किया जावेगा:—

(अ) जो बीज के काम में आ सके.

(ब) ऐसा गल्ला जो खाने के काम में आ सके.

२. हर दो किस्म का गल्ला रफ्ता रफ्ता इस कदर जमा किया जावेगा कि जो उस गांव के एक साल के खाने व बीज के जरूरियात के लिये काफी हो. चूंकि बीज का गल्ला रखने के लिये बहुत इंतजाम व हिफाजत की जरूरत हुआ करती है, इसलिये शुरू में बीज का गल्ला उसी कदर रक्खा जावेगा, जिसको हिफाजत से रखने का इन्तजाम किया जा सके. बाकी गल्ला जो जमा होगा वह खाने के काम का रहेगा.

३. जिस गांव में नाज भंडार कायम किया जावे, उसमें हरसाल फी हल पांच सेर खरीफी, पांच सेर रब्बी के फसल पर गल्ला वसूल किया जावेगा. जितना जिसका गल्ला आजावेगा उसके पांच सेर फी हिस्सा के हिसाब से हिस्से कायम किये जावेंगे. इसी तरह पर हरसाल वसूल शुदा गल्ले की तादाद के मुवाफिक हर शख्स के शेअर कायम होंगे. जब तक उस गांव की दोनों फसलों के बीज की जरूरत के वास्ते व एक साल के खाने के वास्ते गल्ला काफी मिकदार में जमा हो जावे, उस वक्त तक हिस्सेदारों को मुनाफा नहीं दिया जावेगा. इसके बाद वसूली गल्ला

फी हल बंद कर दिया जावेगा. और जो मुनाफा हर साल होगा, उसमें से आधा हिस्सेदारों में तकसीम होगा और आधा गांव के तरक्की के कामों के लिये रक्खा जावेगा. इस जमाने में जो मुनाफा होगा वह मुनाफे खाते जमा रहेगा और उसमें से हर हिस्सेदार को उसके हिस्से के पडत के हिसाब से, मुनाफे के गल्ले में से हिस्से कायम करके असली हिस्सों में उनको शामिल कर दिया जावेगा.

मुनाफा वह तादाद मानी जावेंगी, जो बाद वजाई जुम्ला खर्च साल सम्हाल वगैरा बाकी रहे.

४. नाज भंडार को इख्तियार रहेगा कि वह वसूल शुदा गल्ले में से हस्ब जरूरत फरोख्त करके बीज के वास्ते दूसरा गल्ला खरीद ले. क्योंकि वसूल शुदा गल्ला पचमेल होगा व बीज के काम में लेने लायक न होगा.

५. ऐसे नाज भंडार के फायदे व उनके उसूल समझाने का खास काम जमींदार हितकारिणी सभा की तरफ रहेगा और वहीं इनको कायम करावेंगे और अबतक सभा मजकूर की तरफ से जितने भंडार कायम हुए हैं, वह भी इनही उसूल पर चलाये जावें.

६. इन भंडारों की राजिस्ट्री को-आपरेटिव डिपार्टमेन्ट में कराई जावे. उसके लिये बायलाज की जरूरत होगी. इसलिये इन उसूल बाला को मद्देनजर रखते हुए यह बायलाज डायरेक्टर साहब को-आपरेटिव सोसायटीज, जनाब वाला रेविन्यू मेम्बर साहब से मंजूर कराकर जारी करादें.

इन बायलाज में मौजूदा कायदे बीज भंडार में से जो जो मुफीद व जरूरी कवाअद हों वह भी ले लिये जावें और गल्ले के साल सम्हाल के मुतअल्लिक भी बायलाज में प्रोवीजन की जावे.

७. फीस रजिस्ट्री चार आने फी हल एक मर्तबा ली जावे ख्वाह नक्दी से ख्वाह नाज से.

रिपोर्ट सब-कमेटी, बाबत सवाल नं० ५, एजेन्डा नं० १, दरबारे तनख्वाह चौकीदारान.

मुवर्रखे २० अक्टूबर सन १९२१ ई०.

चौकीदारों की तनख्वाह के मुतअल्लिक तजवीज हस्ब मुन्दर्जे एजेन्डा ब तारीख १९ अक्टूबर सन १९२१ ई०, मजलिस आम में पेश होकर बाद बहस यह करार पाया कि जमींदार साहबान के नुमायन्दों की बशमूल आर्मी मेम्बर एक सब-कमेटी मुकर्रर की जाय, जो इस तजवीज पर गौर करके अपनी रिपोर्ट मजलिस के आयन्दा इजलास में पेश करे.

चुनांचि इस करारदाद के मुताबिक ब तारीख २० अक्टूबर सन १९२१ ई० सब-कमेटी मजकूर मुनअकिद की गई, जिसमें मय आर्मी मेम्बर हस्ब जैल जमींदार साहबान (जो मजलिस आम के मेम्बर हैं) शरीक थेः—

(१) रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मालगुजार, मौजा मोहम्मदखेडा, परगना शुजालपुर.
(२) मेजर गुलाबसिंह साहब, जमींदार, साकिन लश्कर.
(३) द्वारकादास वल्द रामगोपाल साहब, जमींदार, मौजा मानपुरा, परगना आगर.
(४) जबरसिंह वल्द शामलाल साहब दीक्षित, नंबरदार, साकिन भिन्ड.
(५) विश्वेश्वरसिंह वल्द खरगजीतसिंह साहब, जमींदार, मौजा मुरतरी, परगना महगांव.
(६) महादेवराव साहब, जमींदार, जाऊदेश्वर, परगना शोपुर.
(७) सदाशिवराव हरी साहब मुळे, जमींदार, मौजा डामरौन कलां, परगना करेरा.

(८) रामचंद्र वल्द तुलसीराम साहब बोहरा, जमींदार, साकिन झाडरा, परगना कुंभराज.

(९) जगन्नाथ प्रसाद साहब, जमींदार भीलवाडा, साकिन शाजापुर.

(१०) बन्सीधर वल्द बिहारीप्रसाद साहब, भार्गव, जमींदार, मौजा नारेला, जिला उज्जैन.

(११) महन्त लक्ष्मणदास साहब, जमींदार, मौजा नरसिंह देवला, जिला अमझेरा.

(१२) केशवराव बापूजी साहब, मेम्बर म्युनिसिपेलिटी, साकिन मनावर.

तजवीज पेश शुदा के मुतअल्लिक सब-कमेटी ने मुन्दर्जे जैल सवालात कायम किये:—

(१) चौकीदारों की तनख्वाह के मौजूदा स्केल में जो एक रुपये से लेकर ४॥) रुपये माहवार तक है, इजाफा करने की जरूरत है या नहीं?

(२) जो सर्फा बाबत वरदी व तनख्वाह अहलकारान व सायर खर्च बताया गया है वह जरूरी है या नहीं?

(३) फी चौकीदार माहवार तनख्वाह की रकम क्या कायम की जावे. अगर छै रुपये माहवार से कम तनख्वाह कायम की जावे तो उस तनख्वाह पर चौकीदार दस्तयाब हो सकेंगे या नहीं?

(४) जो तनख्वाह कायम की जावे वह नक्द रुपये की सूरत में दी जावे या कुछ हिस्सा नक्द रुपये की शक्ल में दिया जावे और कुछ जमीन की सूरत में?

(५) अगर तनख्वाह में इजाफा करना जरूरी हो और तनख्वाह नक्द रुपये की सूरत में दी जावे तो जितनी रकम कम पडती है उसके पूरा करने के लिये चौकीदारी सेस (cess) में जो मालगुजारी पर ब हिसाब ५ रुपये फी सदी लिया जाता है इजाफा करना जरूरी और मुनासिब है या नहीं?

सवाल नम्बर १ व २ की बाबत सब-कमेटी की बिल इत्तफाक यह राय है कि जमाने की हालत और administration की जरूरतों पर नजर रखते हुए चौकादारों की मौजूदा तनख्वाह में इजाफा करना और वर्दी व सायर खर्च वगैरह के मुतअल्लिक सर्फों का होना जरूरी है.

सवाल नम्बर ३ के मुतअल्लिक सब-कमेटी की बिल इत्तफाक यह राय है कि सरेदस्त बजाय छै रुपये माहवार के पांच रुपये माहवार तनख्वाह कायम की जाये और सब-कमेटी उम्मीद करती है कि इस तनख्वाह पर यानी पांच रुपये माहवार पर चौकीदार दस्तयाब हो सकेंगे. लेकिन इस अम्र की सही जांच करने के लिये कि पांच रुपये माहवार पर चौकीदार मिलते हैं या नहीं इस तजवीज को प्रोविजनल (Provisional) रखा जाना और उसका तजुर्बा तीन साल तक किया जाना मुनासिब समझा जाता है. अगर इस अर्से में यह मालूम हो कि इस तनख्वाह पर चौकीदार नहीं मिलते तो इस सवाल पर फिर गौर किया जावे.

सवाल नम्बर ४ के मुतअल्लिक सब-कमेटी की बिल-इत्तफाक यह राय है कि जो तनख्वाह पांच रुपये माहवार सब-कमेटी ने तजवीज की है वह कुल जरे नक्द की सूरत में दी जावे.

सब-कमेटी का खयाल है कि जमीन के देने में कई नुक्सानात का अहतमाल है, जिनमें से एक यह है कि जमीन मिलने पर चौकीदार काश्त के काम में लग जायेंगे, और अपने फरायज मन्सबी को पूरी तौर से अंजाम न दे सकेंगे.

सवाल नम्बर ५ के मुतअल्लिक सब-कमेटी की बिल-इत्तिफाक यह राय है कि तनख्वाह में इजाफे की वजह से जो कमी पडती है उसको पूरा करने के लिये चौकीदारी सेस (cess) की मौजूदा पांच फीसदी की शरह में इजाफा करना मुनासिब और जरूरी है. इसकी तफसील यह है कि:—

फिलहाल मालगुजारी पर फी सदी ५ रुपये चौकीदारी फन्ड के लिये रकम वसूल की जाती है. इस तौर पर हाल में ९ जिलों में ३,५४,६६० रुपये वसूल होते हैं. अब जो तनख्वाह ५ रुपये माहवार देना करार पाया है उस हिसाब से ९ जिलों के ६,७३० चौकीदारों के लिये तनख्वाह की रकम सालाना ४,०३,८०० दरकार होगी. इस में वर्दी की रकम ८०,७६० रुपये और अहलकार व सायर खर्च की रकम ३,१८० रुपये शामिल किये जावें तो जुमला रकम ४,८७,७४० रुपये सालाना दरकार होते हैं. पस यह दरकारी रकम अगर उस रकम में से वजा की जावे कि जो पांच फी सदी के हिसाब से वसूल होती है तो १,३३,०८० रुपये कम पडते हैं.

लिहाजा औसत करीब पौने दो परसेन्ट के इजाफे का होता है.

दौराने कमेटी में एक सवाल यह भी पेश हुआ कि ऐसे कहत के जमाने में जब सरकार से मालगुजारी की थाम होती है तो तनख्वाह के तक्सीम में दिक्कत वाके होगी. पस इस दिक्कत को मद्दे-नजर रखकर सब-कमेटी की बिल-इत्तफाक यह राय करार पाई कि बजाय पौने दो परसेन्ट के दो फी सदी रकम अबवाब में इजाफा किया जावे, यानी जो इस वक्त पांच रुपये फी सदी रकम मालगुजारी पर वसूल होते हैं उसके बजाय दो फी सदी का और इजाफा होकर ७ फी सदी बाब चौकीदारी कायम की जावे. इसी तरह से जमींदार अपने काश्तकारान के खातों पर दो फी सदी की रकम के हिसाब से इजाफा भी कर सकेंगे.

अखीर में सब-कमेटी की यह भी राय है कि साबिक के मुताबिक चौकीदारान मौजे के ही मुलाजिम समझे जावें और उनका यह फर्ज समझा जावे कि वह मौजे की खिदमात अव्वल अदा करने के जिम्मेदार होंगे.

रिपोर्ट सब-कमेटी, मुतअल्लिक सवाल नंबर १६, एजेन्डा नम्बर २.

मुवर्रखे २२ अक्टूबर सन १९२१ ई०

मेम्बरान.

१. गोविंदराव चिंतामन साहब बाटवे.
२. जमनादास साहब झालानी.
३. जगमोहनलाल साहब.
४. गुरुदयाल साहब.
५. अहमदनूरखां साहब.

ठहराव.

सवाल नंबर १६ पर सब-कमेटी हाजा ने गौर किया. जो मजदूर पेशगी रुपया लेकर मजदूरी करने का मुआहिदा करें ख्वाह वह हलवाहे हों ख्वाह और किस्म के मजदूर हों, उन सबों से कानून दरबारे खिलाफवर्जी मजदूरान लागू होता है. कहीं २ गलत फेहमी हो रही है, इसके दूर करने की गरज से हस्ब ठहराव जुडीशियल कान्फरेन्स डिपार्टमेन्टल ऑर्डर जारी करदिया जावे; लिहाजा कमेटी की यह सिफारिश है कि सवाल हाजा पर मजीद गौर करने की जरूरत नहीं है.

रिपोर्ट सब-कमेटी, बाबत सवाल नं० ८, जमीमा एजेन्डा नं० १.

मोतीमहल, तारीख २३ अक्टूबर, सन १९२१ ई०

हाजरीन जलसा:—

प्रेसीडेन्ट:—

जे०-क० सरदार सर आपाजीराव साहब शीतोले, अमीरुल-उमरा, के. बी. ई., सी. आय. ई., मेम्बर फॉर रेविन्यू एन्ड एग्रीकलचर.

मेम्बर्स:—

१. रावराजे गणपतराव रघुनाथ राजवाडे, मशीरे खास बहादुर ओ. बी. ई., आर्मी मेम्बर.
२. राय साहब सेठ नारायणदास.
३. बाबा साहब देशपांडे, शुजालपुर.
४. जगमोहनलाल वकील, भिन्ड.
५. गुरुदयाल वकील, मन्दसौर.
६. जबरसिंह, भिन्ड.
७. द्वारिकादास, आगर.
८. जगन्नाथ प्रसाद, शाजापुर.
९. महन्त लक्ष्मणदास, अमझेरा.
१०. विश्वेश्वरसिंह भिंड.
११. बाबू बन्सीधर, वकील, उज्जैन.
१२. रामचन्द्र बोहरा, ईसागढ.
१३. केशवराव बापूजी, मनावर.
१४. सदाशिव हरी, करेरा.
१५. महादेवराव, शोपुर.
१६. मेजर जाल, व्हेटरनरी ऑफिसर.
१७. जी. आई. अब्बास, व्हेटरनरी इन्सपेक्टर.

सवाल तरक्की नस्ल अस्पान बैल व भेड.

ठहराव:—

१. स्कीम के मुताबिक ब्रीडिंग फार्म्स कायम करने की जरूरत है.

२. नस्लकशी के लिये जो घोडियां खरीद की जावें, वह नौ उम्र और नस्लकशी के काबिल होनी चाहिये. नीज उन के रंग वगैरे उस मुताबिक होंगे कि, जिनका ऐलान बजर्ये सिविल व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट हो चुका है ऐसी घोडियां उमूमन ३ से ५ साल तक की उम्र की खरीदी जावेंगी और बवक्त खरीदारी, व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट इस बात का खयाल रखेगा कि वह बाल भोरी से साफ हो.

३. घोडियां जो नस्लकशी के लिये खरीदी जावेंगी, उनकी कीमत का औसत ग्वालियर प्रांत में रुपया ४२५ और मालवे में रुपया ४८० तखमीनन होगा.

४. मुफस्सिल स्कीम मुरत्तिबा व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट सुनने के बाद कमेटी की बिलइत्तफाक यह राय है कि, आयन्दा नस्लकशी के लिये घोडियां फी परगना कितनी हों, यह तादाद मुकर्रर करने की जरूरत नहीं. बकदर जरूरत वह अज जानिब जमींदारान व काश्तकारान वगैरा खरीद की जावेंगी; जिनकी तादाद किसी हालत में फी जिला २० से कम न होगी. और आयन्दा नतीजा देखने के बाद हर शख्स मजाज होगा कि, वह मुतजिक्रे सदर तादाद में हस्ब जरूरत इजाफा कर सके.

५. घोडियों के जमींदारान में तक्सीम का यह तरीका करार दिया जावे कि व्हेटरनरी ऑफिसर, व्हेटरनरी इन्सपेक्टर, सूबा साहब जिला और उन परगनात के, कि जिनमें घोडियां तक्सीम होना हों, तहसीलदार साहबान व एक एक मुअज्जिज जमींदारान की एक कमेटी मुकर्रर हो, और उसके रूबरू इन घोडियों की कीमत तअय्युन की जावे और ख्वाहिशमन्द जमींदारान के नाम की चिट्ठियां डाली जावें. जो घोडी जिसके नाम बरामद हो उसको दी जावे.

६. घोडियों की तकसीम चिट्ठियां डालकर की जावेगी. अगर इस तरह चिट्ठी से निकली हुई घोडियां जमींदारान आपस में बरजामन्दी तब्दील कराना चाहें, तो वह कर सकते हैं. कीमत

उनको उसी घोडी की अदा करना होगी, जो उनके पास रहे. और हस्ब कलम नंबर ५ मुन्दर्जे सदर करार पाई हो. ऐसा तबादला अगर घोडियां सरकारी सांड के भराई के रजिस्टर में दर्ज होने के बाद हो, तो बाद मंजूरी व्हेटरनरी ऑफिसर साहब होना चाहिये.

७. दरख्वास्त दिहन्दगान की ख्वाहिश पर जो घोडियां मंगाई जावेंगी, उनमें से ऐसे शख्स को कि जो नक्द कीमत एकमुश्त अदा करेगा, मजाज होगा कि वह उन जुम्ला घोडियों में से जो वह पसन्द करे, ले सकेगा. अगर ऐसे नक्द कीमत अदा करने वाले एक से ज्यादा लोग किसी एक ही घोडी को खरीद करना चाहेंगे, तो ऐसा सिलेक्शन उन्हीं लोगों में बजर्ये. चिट्ठी होगा.

८. कर्जा अदाई की मुद्दत पांच साल रक्खी जावे और सूद चार फीसदी के हिसाब से तीन साल के बाद लिया जावे. तीन साल तक कोई सूद न लिया जावे.

९. ऐसी घोडियां कि जो खरीद के बाद, तजरुबे से यह साबित हो कि बच्चेकशी के लिये अनफिट हैं, तो ऐसी हालत में बशर्तेकि घोडियां, साउन्ड और अच्छी हालत में रक्खी गइ हों, जमींदार साहबान से व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट उसी कीमत में लेकर आर्मी डिपार्टमेन्ट को फरोख्त कर देगा.

१०. इस इत्मीनान की गरज से कि जो घोडियां जमींदारान को इस तरीके पर दी जावेंगी, उनको वह अच्छी हालत में रखकर सरकारी सांड से भरावेंगे, बच्चों की परवरिश ठीक तौर पर करेंगे, और यह कि उन घोडियों को किसी दीगर जगह तब्दील या फरोख्त नहीं करेंगे, कमेटी ने इस सवाल पर गौर किया, तो फिलहकीकत यह तरद्दुद दरबार, ऐसा जरूर है कि, जिसका कोई खातिरख्वाह तरीका तजवीज किया जावे.

लिहाजा इस मसले पर गौर करने के बाद करार पाया कि, अगर इस किस्म की कार्रवाई अलहदगी या फरोख्तगी की, अज जानिब जमींदार या काश्तकार (कि जो मालिक उस जानवर का हो) की जाना पाई जावे, तो ऐसे शख्स से कीमत घोडी जो बाकी रही हो, मय सूद छे फी सदी वसूल करने का दरबार को इख्तियार होगा.

११. जैसा कि ऊपर कलम नम्बर ३ में जाहिर किया गया है, मालवे में एक घोडी की औसत कीमत रुपया ४८०) और ग्वालियार प्रांत में ४२५) तखमीनन कायम की गई है. इस तरह मालवे के पांच जिलों को ४८,००० रुपये और ग्वालियर प्रांत के छे जिलों को ५१,००० रुपये जुमला रुपये ९९,०००) की जरूरत होगी. इसलिये फिलहाल एक लाख रुपया अजलाय की मुतअल्लिका काश्तकारी बैंक में हस्ब जरूरत इस काम के वास्ते रखदिया जावे और आयन्दा जैसी जैसी जरूरत हो उसमें इजाफा किया जावे.

१२. गाय, बैल और भेड के सवाल पर गौर करने का दरबार का इरशाद था, उसके मुतअल्लिक कमेटी की मोअद्दबाना यह गुजारिश है कि, यह सवाल अहम और जियादह वाकिफयत का मोहताज है. इसलिये यह मुनासिब खयाल किया जाता है कि, सवाल हाजा आयन्दा साल की मजलिस आम में रखा जावे तो उम्मेद की जाती है कि, मेम्बरान उस वक्त तक काफी वाकिफयत हासिल करके दरबार की खिदमत में मुफस्सिल और मुकम्मिल राय देने के काबिल होंगे.

रिपोर्ट सब-कमेटी, मुतअल्लिक सवाल नं० १, एजेन्डा नं० २.

बाबत इन्तजाम मंदिर, मसजिद व परस्तिशगाह वगैरा (धर्मादा).

जो मामला इस सब-कमेटी के सुपुर्द हुआ है, उसकी दो शक्लें हो सकती हैं:—

(१) यह कि एक शख्स मन्दिर या मसजिद या धर्मशाला या और कोई खैराती संस्था अपने सर्फे से तामीर करे और उसके इखराजात या सर्फे के लिये सरमाया जर नक्द या जायदाद वक्फ करे और उसके इन्तजाम के लिये ट्रस्टी मुकर्रर करे. अगर बाद में ट्रस्टीज की जानिब से कोई ऐसा अमल किया जावे कि जो वक्फ करने वाले की अगराज के खिलाफ हो या बद इन्तजामी की जावे या जायदाद वक्फ की आमदनी जायज अगराज में इस्तेमाल न की जावे, तो ऐसी हालत में वक्फ करनेवाले की गरज किस तरीके और जरिये से हासिल हो सकती है ?

इसके मुतअल्लिक कवानीन दरबार में अहकाम मौजद हैं जिनका मुख्तसिर मतलब यह है कि दो या जियादा शख्स बइजाजत जुडीशियल सेक्रेटरी अदालत हाईकोर्ट या जिले में नालिश कर सकते हैं और अदालत को यह इख्तियार हासिल है कि बलिहाज हालात मुकदमा.

(१) मौजूदा ट्रस्टीज को अलहदा करे;

(२) बजाय उनके नये ट्रस्टीज मुकर्रर करे;

(३) जायदाद को ट्रस्टीज के हवाले करे;

(४) जायदाद अमानती को तीसरे शख्स के कब्जे से लेकर ट्रस्टी के सुपुर्द करे;

(५) जायदाद अमानती का कुछ हिस्सा किसी खास मकसद के लिये कायम करे;

(६) या उस वक्फ के इन्तजाम के मुतअल्लिक कोई स्कीम मंजूर करे;

(७) या और कोई ऐसी मजीद दादरसी, जो बलिहाज वाकआत जरूरी और करीन इन्साफ हो, मंजूर करे.

इस किस्म के वक्फ की हालत में बदइन्तजामी या दीगर बदमामलगी पेश आने पर अदालत से चाराजोई की जा सकती है, और हमारी राय में यह काफी है. अगर ट्रस्टीज अलहदा किये जावें तो जहां अदालत को यह इख्तियार है कि नये ट्रस्टीज बजाय उनके कायम करे, वहां यह भी इख्तियार दिया जावे कि औकाफ कमेटी भी बतौर ट्रस्टी के मुकर्रर की सकती है, अगर बाद में उस फिर्के या जमाअत के कसीरुत्तादाद अशखास की जानिब से यह ख्वाहिश की जावे कि उसका इन्तजाम औकाफ कमेटी से लिया जाकर उसी फिर्के या जमाअत के मुन्तखिब या नामजदशुदा अशखास के सुपुर्द किया जावे तो हस्ब ख्वाहिश उनके ऐसी सुपुर्दगी करदी जावे. अगर यह राय मंजूर फरमाई जावेगी तो मजहबी औकाफ के कानून में लफ्जी तरमीम लाजिम आती है, और इसी सिलसिले में हमारी यह भी राय है कि दफा ४७७, जाब्ता दीवानी में एक नई मद इजाफा की जावे कि जिसकी रू से ट्रस्टीज से हिसाब लेने और उसकी जांच करने की दादरसी भी की जासकती है.

दूसरी शक्ल यह है कि किसी एक जमाअत ने चन्दा करके पब्लिक की इमदाद से कोई परस्तिश-गाह या संस्था कायम की और मुन्तजिमान की जानिब से बद इन्तजामी या तगल्लुब जहूर में आय तो ऐसी हालतों में असली मकासिद और अगराज हासिल करने के लिये क्या तरीका इख्तियार किया जावे ?

इसकी शक्ल भी मिस्ल शक्ल नंबर १ के है, और जिस तरह अदालत की इमदाद से दुरुस्ती इन्तजाम शक्ल अव्वल में बतलाई गई, उसी तरह इस सूरत में भी वही तरीका इख्तियार किया जा सकता है.

दस्तखत—
गुरुदयाल.
लालचन्द.
टोडरमल.
जमनादास.
जगमोहनलाल.
गोविन्दराव वाटवे.

लेजिस्लेटिव ऍन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

——:o:——

प्रोसीडिंग्स मजलिस आम, गवालियार,

सम्वत १९७९.

——:o:——

सेशन दोयम.

शनीचर, तारीख ११ नवम्बर सन १९२२ ई०, वक्त १२ बजे दिन,

मुकाम मोतीमहल, लश्कर, कौंसिल हाल.

इजलास अव्वल.

इजलास मजलिस ब सदारत लेफ्टिनेन्ट करनल कैलाशनारायन साहब हक्सर १२ बजे से शुरू हुआ. बजुज रेवेन्यू मेम्बर साहब के, जुमला मेम्बर साहबान गवर्नमेन्ट, हर दो सरसूबे साहबान, चीफ लेक्चरार जमींदार हितकारनी सभा, लश्कर, व हस्ब जैल नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान शरीक इजलास हुये:—

१. राय साहब मानिकचन्द साहब, उज्जैन.
२. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मुहम्मदखेडा.
३. जहांगीर बेहमनशा साहब, वकील, बम्बई.
४. रामजीदास साहब वैश्य, लश्कर.
५. सेठ लुकमान भाई नजरअली साहब, उज्जैन.
६. बंसीधर साहब भार्गव, उज्जैन.
७. ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाधीर.
८. जगमोहनलाल साहब, वकील, भिन्ड.
९. अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी, लश्कर.
१०. जमनादास साहब झालानी, वकील, उज्जैन.
११. अहमदनूरखां साहब, शाजापुर.
१२ महंत लक्ष्मनदास साहब, अमझरा.
१३. गुरुदयाल साहब, वकील, मन्दसौर.
१४. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.
१५ केशवराव बापूजी साहब, मनावर.
१६. रामप्रतापजी साहब छूंबा, उज्जैन.
१७. नरहरिराव वल्द गोविन्दराव साहब, शोपुर.
१८. भगवानसरूप साहब, वकील, भेलसा.
१९. बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी, गवालियार.
२०. रामचन्द्र वल्द तुलसीराम साहब, झारेडा.
२१. ठाकुर प्रल्हादसिंह साहब, कालूखेडा.
२२. लालचन्द साहब, राजगढ.
२३. टोडरमलजी साहब, शिवपुरी.
२४. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
२५. द्वारकादास साहब, आगर.
२६. करमचन्दजी साहब, उज्जैन.
२७. ललता परशाद साहब, वकील लश्कर.
२८. जबरसिंह साहब, भिन्ड.
२९. फजल मोहम्मद साहब, श्योपुर.
३०. चौधरी रघुनाथसिंह साहब, सकवारा दनोला.
३१. मथुराप्रशाद साहब, मुरार.
३२. विश्वेश्वरसिंह साहब, भिन्ड.
३३. मानिकचन्द साहब, भिन्ड.
३४. रामजीवनलाल साहब, मुरेना.
३५. पन्नालालजी साहब बाफना, मन्दसौर.
३६. सदाशिवराव हरी मुले साहब, करेरा.
३७. जामिनअली साहब, भेलसा.
३८. हीरजी भाई साहब, भेलसा.
३९. जाल भरूचा साहब, लश्कर.
४०. मयाराम साहब, चंदूखेडी (उज्जैन).
४१. रावजी शास्त्री वेलनकर साहब, लश्कर.
४२. अलीजफर साहब, जौरा.
४३. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
४४. मेजर गुलाबसिंह साहब, देवगढ.
४५. सेठ तुलसीराम साहब, लश्कर.
४६. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, बिलोनी, (भिन्ड)
४७. ठाकुर रघुनाथसिंह साहब, चिरोला, (बडनगर.)
४८. रिधराजजी साहब, लश्कर.

प्रेसीडेन्ट साहब ने अपनी नशिस्त पर मुतमक्किन होते ही फरमाया :—मेम्बर साहिबान ! मैं यकीन करता हूं कि हुजूर मुअल्ला दाम इक़बालहू के मौजूद न होने से आप साहिबान को उतना ही रंज हुआ होगा जितना कि मुझे है. नसीब आदा हुजूर मुअल्ला की खिदमत में इल्तमास की गई कि वह आराम फरमायें वर्ना एहतमाल है कि शायद [illegible] उनकी तबियत जियादा नासाज हो जाय. हुजूर मुअल्ला ने इरशाद फरमाया है कि उनकी अदम मौजूदगी में मैं आज बतौर प्रेसीडेन्ट के काम करूं. लिहाजा हस्ब कायदा हर सवाल जो आज पेश किया जावेगा उसके सुनने के लिये मैं तैयार हूं. चुनांचे पहला सवाल लाला रामजीवनलाल साहब पेश करें.

तजवीज नम्बर १, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:

रियासत हाजा के कस्बों और मंडियात में जहां पर हिन्दी मिडिल स्कूल हैं वहां पर इंग्लिश तालीम भी होने की जरूरत है. तालीम में एक शाख सनअत व हिरफत की भी जरूरत है.

इस तजवीज को पेश करते हुवे रामजीवनलाल साहब ने कहा कि मंडियों व कस्बात में जहां मिडिल स्कूल हैं वहां इंग्लिश तालीम होना इस गरज से जरूरी है कि अन्त दिसावरों से इंग्लिश में चिट्ठियां आती हैं वह यहां इंग्लिश न होने की वजह से नहीं पढी जातीं. दूसरी जगह लोगों से पढाना पडती हैं और उनके जवाबात भी लिखाना पडते हैं, जिससे तिजारत का भेद खुल जाता है इसलिये जरूरत है कि मिडिल स्कूल में इंग्लिश की तालीम जारी हो, ताकि यह दिक्कत दूर हो; और सनअत व हिरफत की तालीम की शाख भी खोली जाय ताकि लोग कारीगरी की तालीम पावें जिससे गरीब लोग अपना कारोबार कर सकें.

प्रेसीडेन्ट साहब—इस तजवीज की कोई साहब ताईद फरमाते हैं ?

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला ! जहां तक इस तजवीज का तअल्लुक तालीम को वसअत देने का है मैं उससे इत्तफाक करता हूं. चूंकि साल गुजिश्ता में हुजूर मोअल्ला एजूकेशन कमीशन मुकर्रर फरमा चुके हैं और वह मसले तालीम पर गौर कर रहा है, इसलिये मेरे दोस्त का यह सवाल भी एजूकेशन कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाय.

आफिशियेटिंग एजूकेशन मेम्बर साहब—दरबार आलीविकार ने एज्यूकेशन कमीशन कायम फरमाया है. उसके मुतअल्लिक 'एज्यूकेशन कमेटी' मुकर्रर होकर फिलहाल दौरा कर रही है. अव्वल तो तजवीज सदर का पहिला हिस्सा एज्यूकेशन कमीशन को खुद पेश किया जा सकता था, या महकमे तालीम को. मजलिस आम में इसके पेश करने की कोई जरूरत नहीं थी, ताहम इसकी निस्बत मेरे जवाबात हस्ब जैल हैं :—

रियासत हाजा में मिडिल स्कूल की कुल तादाद ब इस्तसनाय मिडिल स्कूल्स जो शहर लश्कर व उज्जैन में वाके हैं ४० है. इनमें से ऐसे मिडिल स्कूल्स की तादाद जहां अंग्रेजी पढाई जाती है २१ है.—१९ ए. व्ही. एम. स्कूल्स और १ अटेर व्ही. एम. स्कूल और एक शुजालपुर व्ही. एम. स्कूल—अब रहा सवाल उन मिडिल स्कूल्स का जहां अंग्रेजी नहीं पढाई जाती है. इनकी तादाद १९ है. इन १९ स्कूल्स में से जिन जिन स्कूल्स में अंग्रेजी पढाई जाने की जरूरत होगी वहां अंग्रेजी पढ़ाई जाने का इन्तजाम, एज्यूकेशन कमीशन की सिफारिश आने पर व नीज महकमे हाजा के बजट की गुंजायश को मद्दे नजर रखकर किया जावेगा. हाल में भी इसके बारे में यह

सिलसिला जारी है कि जिस किसी खास मिडिल स्कूल में जहां अंग्रेजी पढाई नहीं जाती उस मुकाम के मुअज्जिज बाशिन्दगान, मुकामी ऑफिसरान व इन्सपेक्टर मदारिस सरकिल मुतअल्लिका की सिफारिश आने पर जहां तक मुमकिन हो अंग्रेजी पढाये जाने का इन्तजाम किया जाता है. इसकी निस्बत एक दो मिसालें यहां दर्ज की जाती हैं. जैसे बडनगर स्कूल–यह स्कूल पेश्तर हिन्दी मिडिल था, यहां पर अंग्रेजी की तालीम जारी करने की जरूरत मालूम होने पर यह अब ए. व्ही. एम. स्कूल बना दिया गया है. दूसरी मिसाल अटेर व्ही. एम. स्कूल की है—यहां पर भी अंग्रेजी पढाये जाने का इन्तजाम है. इसी तरह शुजालपुर व्ही. एम. स्कूल में भी अंग्रेजी का इन्तजाम है. यह बात काबिल गौर है कि रियासत हाजा में अंग्रेजी की तालीम 'सेकन्डरी' (गौण) है, और हिन्दी की तालीम मुकद्दम व प्रधान है, क्यों कि रियासत की सरकारी भाषा (जबान) हिन्दी है और रियासत के कुल दफातिर में व इस्तसनाय पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट हिन्दी जबान जारी है और अंग्रेजी का काम बहुत कम पडता है. रियासत के कारोबार के लिये अंग्रेजी की बहुत कम जरूरत पडती है. इस लिहाज से भी हर एक व्ही. एम. स्कूल में अंग्रेजी की पढाई जारी करना जरूरी नहीं मालूम होता.

इस तजवीज का वह हिस्सा जो सनअत व हिरफत की तालीम दिये जाने के मुतअल्लिक है 'एज्यूकेशन कमीशन' के सुपुर्द किया गया है. कमीशन की रिपोर्ट आने पर जहां जहां जरूरत होगी वहां सनअत व हिरफत की तालीम के इन्तजाम के मुतअल्लिक गुजारिश दरबार को पेश की जावेगी.

रामजीवनलाल साहब—एज्यूकेशन मेम्बर साहब की तकरीर सुनने पर मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज नम्बर ३, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

(१) रेव्हेन्यू व फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की मुलाजमत करने के वास्ते मरहटी जानना लाजमी है. इस भाषा की तालीम का स्कूलों में फिलहाल कोई जर्या नहीं, इसी लिये हर कौम के आदमी इन डिपार्टमेन्ट्स में मुलाजमत को दस्तयाब नहीं होते.

(२) संस्कृत भाषा का मरहटी से खास संबन्ध है व हिन्दी अंग्रेजी से भी सम्बन्ध है. दोयम जो पुजारियों को इम्तहान पास करने की हिदायत दी गई है उनको भी इस तालीम का कोई आम जरिया फिलहाल नहीं; इसी लिये इस संस्कृत भाषा की कमी होती जा रही है और वे धर्म संबन्धी नियमों से भी नावाकिफ रहते हैं.

इस लिये मरहटी व संस्कृत भाषा की तालीम देने वाले मास्टर हर परगन के ए. व्ही एम. स्कूल में मुकर्रर होना चाहिये.

मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने इस तजवीज को पेश करते हुये कहा—हुजूर आली, रेव्हेन्यू व फायनेन्स का रिकार्ड मरहटी भाषा में है और मुफस्सिलात में भी यानी अजलाय व तहसील वगैरा में भी मरहटी में है. इसलिये इन डिपार्टमेन्ट्स के मुलाजिमान को मरहटी भाषा पढने की जरूरत है. जिन लोगों की मातृ भाषा मरहटी है वह उससे बखूबी फायदा अपनी वक्त तालीम

पाकर उठाते हैं. लेकिन हुजूर अनवर ने जातवारी का सिस्टम (system) जिस गरज से जारी फरमाया है, वह पूरी नहीं होती; क्योंकि फिलहाल तमाम स्कूलों में कोई जरिया मरहटी भाषा हासिल करने का नहीं है; जिसकी वजह से लोग तरक्की नहीं कर सके और इसी वजह से जातवारी के लिहाज से इन डिपार्टमेन्ट्स में ऐसे लोग कम नजर आते हैं. जिला ईसागढ की तमाम जातों की शिकायत मेरे पास आई है तो सब जगह ऐसी ही शिकायतें होंगी ऐसा मेरा ख्याल है.

संस्कृत भाषा का मरहटी से ही नहीं बल्कि हिन्दी व अंग्रेजी से भी संबन्ध है मगर कोई आम जरिया न होने की वजह से खासकर ब्राह्मण वर्ण को तो धर्म सम्बन्धी कामों के लिये जरूरत है. वह संस्कृत भाषा में दिन पर दिन कमजोर होते जाते हैं. ब्राह्मण जो मन्दिरों की पूजा कर रहे हैं उनमें से बहुत से लोग उसका उच्चारण शुद्ध नहीं कर सकते हैं और जो हिदायात पुजारियों को इम्तहान पास करने की दी गई हैं, पूरी नहीं हो सकीं. इस वास्ते यह तजवीज मैंने मजलिस आम में पेश की है. मैं उम्मीद करता हूं कि मजलिस मेरी इस तजवीज पर गौर फरमाकर उसे पास करने की गरज से गवर्नमेन्ट की खिदमत में सिफारिश करेगी.

रामराव गोपाल साहब देशपांडे—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं. राज भाषा व मातृ-भाषा दोनों से वकफियत होना जरूरी है. पहिले राज भाषा होना चाहिये फिर मातृ भाषा. जिन साहबान की रियासतें हों और जो राजा हों उनकी भाषा पहिले होना चाहिये इसके बाद (जिस मुल्क में जो बादशाह हो) उस मुल्क की भाषा होना चाहिये. मस्लन उस वक्त जबकि मुसलमानों की बादशाहत इंडिया में हुई उस वक्त बद्रीनारायन से रामेश्वर तक हिन्दी, उर्दू, अरबी व फारसी हिन्दू व मुसलमान पढने लगे क्योंकि यह जरूरी था. अंग्रेजी आ गई, अब ऑल इंडिया में अंग्रेजी ही अंग्रेजी है. इसी तरह जहां जहां रियासत मरहटे साहबान की है वहां मरहटी जरूर होना चाहिये. जिस मुल्क में जो राजा हो उसकी भाषा होना चाहिये. दरबार का कारोबार उसी में होना चाहिये. तेलंग हो तो तेलंगी भाषा होना चाहिये, हिन्दू हो तो हिन्दी होना चाहिये. संस्कृत भाषा मातृ भाषा है. यह सब भाषाओं की जड है. इंडिया में इसको उत्तेजन होना चाहिये. यह कहना नहीं है कि उर्दू और हिन्दी वगैरा न पढाई जाय. लेकिन मेरा यह कहना है कि जो राजा की भाषा हो उसका रियासत में होना निहायत जरूरी है.

बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी—हुजूर आली, मैं सवाल नंबर ३ की ताईद करके यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी हिन्दू जातियां हैं उनके कोई संस्कार ऐसे नहीं हैं जो बगैर संस्कृत की मदद के पूरे हो सकें. पैदायश से लगाकर मरने तक जितने संस्कार हैं उन सब के लिये संस्कृत की तालीम जरूरी है. इसलिये ए. व्ही. एम. स्कूलों में संस्कृत की तालीम की जरूरत है.

प्रेसीडेन्ट साहब—लाला बद्रीप्रसाद साहब, क्या आपकी यह मुराद है कि ए. व्ही. एम. स्कूलों में भी संस्कृत की तालीम होना चाहिये?

बद्रीप्रसाद साहब—मिडिल स्कूलों में दूसरे हिस्से के मुताल्लिक मुराद यह है कि हर परगने के ए. व्ही. एम. स्कूलों में संस्कृत की तालीम होनी चाहिये.

रामजीदास साहब—जनाब वाला, मैं तजवीज के दोनों हिस्सों से मुखालिफत करता हूं. पहिला हिस्सा जिसका तअल्लुक मरहटी तालीम से है और जिसके वजूहात मेरे दोस्त ने बयान किये हैं कि तालीम मरहटी से रेव्हेन्यू और फायनेन्स डिपार्टमेन्ट की मुलाजमत में फायदा होगा. मेरे दोस्त ने इसको वसीअ नजर से नहीं देखा. आजकल मुल्क की टेन्डेन्सी ऐसी होती जाती है कि हर

जगह हिन्दी ही को रिवाज दिया जाय जो सब के काम आ सके. यही हालत हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में हो रही है. हिन्दी एक भाषा होना चाहिये, इसके लिये कितना जोर दिया जा रहा है. इसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुये वह तरीका इख्तियार किया जाये और ऐसी भाषा को रिवाज दिया जाय जो आम फेहम हो सके और सब को यकसां फायदा पहुंचा सके. मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पेश्तर कोर्टस में उर्दू व सख्त फारसी थी. गवर्नमेंट ने बहुत भारी दिक्कत को उठाकर हिन्दी जारी की. तमाम वकील साहबान उस language को जानते थे और तमाम हुक्काम उससे महारत रखते थे. उसको बदल कर हिन्दी इस वजह से की गई कि सबको यकसां फायदा पहुंचे. अब मेरे दोस्त ने यह तजवीज की है कि मरहटी को तरजीह दी जाय और एक आम फेहम जबान को अल्हेदा कर देना मुनासिब समझा. अगर मेरे दोस्त यह तजवीज करते कि रेव्हेन्यू और फायनेन्स में बजाय मरहटी के हिन्दी जारी करदी जाय तो मैं उसकी ताईद करता. ए. व्ही. एम. स्कूलों में किस उमर के बच्चों को तालीम दी जाती है? क्या वह उस कदर मरहटी सीखने के बाद इस काबिल हो सकेंगे कि रेव्हेन्यू व फायनेन्स डिपार्टमेन्ट में मुलाजिमत कर सकें? मैं अपने दोस्त मेंबरान मजलिस से दरख्वास्त करता हूं कि वह इसपर गौर करेंगे और मुल्क की जरूरत के मुताबिक इस तजवीज को खारिज करेंगे. दूसरा हिस्सा संस्कृत की तालीम की बाबत भी यही मेरा ख्याल है यानी इस वक्त मैं महज इस पर तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि किस उमर के बच्चे ए. व्ही. एम. स्कूल में तालीम पाते हैं और वह कितनी संस्कृत पढने के बाद कितना तजुर्बा हासिल कर सकते हैं. मेरी राय में यह तजवीज खारिज करने के काबिल है.

महंत लक्ष्मणदास साहब—ए. व्ही. एम. स्कूलों में पहिले भी कहीं कहीं मरहटी व संस्कृत की शाख थी, मगर पढने लिखने वाले दिलचस्पी नहीं लेते थे. इससे उनके क्लास टूटते गये संस्कृत पढाने को हिन्दू विद्यार्थी बडी मुश्किल से मिलते हैं. उनको पुस्तक और भोजन भी देते हैं तो भी वह पढने लिखने की तरफ तवज्जुह नहीं देते हैं. सवाल आजकल एक उदर पोषण का चलता है. उदरपोषण किस तालीम में होगा, इस लिये लोग हिन्दी की तरफ झुक रहे हैं. जहां तक मैं समझता हूं यह सवाल एज्यूकेशन कमीशन के सुपुर्द किया जाय.

जगमोहनलाल साहब—इस तजवीज के सिलसिले में दो बातें हैं; एक मरहटी दूसरी संस्कृत. रामराव साहब देशपांडे ने यह कहा है कि हमारे रूलिंग खानदान की जबान मरहटी है, इसलिये तमाम दफातिर मरहटी में कर दिये जावें. लेकिन देखना यह है कि आम तौरपर कौनसी जबान सबको फायदा दे सकती है और कौनसी जबान adopt करना चाहिये. अब यहीं हिंदी के बजाय मरहटी का जारी कर देना गैर मुनासिब होगा. जो उसूल हिंदी का कबूल कर लिया गया है उसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि दिन पर दिन tendency यह हो रही है कि सब जगह हिंदी ही जारी की जाय.

दूसरा सवाल संस्कृत के मुताल्लिक है. जहांतक मेरा खयाल है ए. व्ही. एम. स्कूलों में एक पंडित रहता है और वह संस्कृत की थोडी बहुत तालीम देता है. संस्कृत के दिलदादा साहबान का यह फर्ज होना चाहिये कि वह अपने ख्यालात दरबार मोअल्ला की खिदमत में एज्यूकेशन कमीशन की मारफत पेश करें. मजहबी तालीम देने का उसूल इख्तियार कर लेने के बाद इस सवाल पर गौर हो सकेगा.

प्रेसीडेन्ट साहब—मैं मजलिस की तवज्जुह मुजव्विज की तजवीज की तरफ दिलाना चाहता हूं. जो रिजोल्यूशन पेश किया गया है उसका मुद्दा यह है कि मरहटी की तालीम ए. व्ही. एम. स्कूलों में जारी की जाय क्योंकि मरहटी न आने की वजह से लोग दोनों महकमों में मुलाजमत

नहीं पा सकते--एक रेव्हेन्यू, दूसरे फायनेन्स, और रिजोल्यूशन के दूसरे जुज में यह बयान किया गया है कि मरहटी और संस्कृत का करीबी ताल्लुक है और अंग्रेजी का भी है. मुद्दा मेरा यह है कि अगर कोई साहब मुजव्विज साहब के मुद्दआ को मद्देनजर रखते हुये तकरीर फरमावें तो उनको मालूम हो सकता है कि चूंकि मरहटी जाने बगैर महक्मे रेव्हेन्यू व फायनेन्स में मुलाजिमत नहीं मिल सकती, लिहाजा मरहटी लाजमी तौर से तमाम ए. व्ही. एम. स्कूलों में पढाई जाय. दूसरे इस सिलसिले में यह भी बयान कर देना चाहता हूं कि राय रिजोल्यूशन के पेश करनेवाले की यह है कि लोग मरहटी पढकर रेव्हेन्यू व फायनेन्स में मुलाजमत पाने लगें. मेम्बर साहबान इसपर भी गौर करें कि ख्वाह लोगों को मरहटी आती है या नहीं. दरबार ने जो जातवारी का उसूल कायम किया है उस उसूल की पाबंदी से महक्मे रेव्हेन्यू व फायनेन्स में कोई नुक्स वाके नहीं हुवा, जो मुलाजिमत न मिलने का बाइस हो.

गुरुदयाल साहब--दरबार आलीविकार ने करार दिया है कि जातवारी के लिहाज से मुलाजिम रक्खे जावें. इसकी गरज इन दो दफ्तरों में पूरी नहीं हो सकती तावक्ते कि उम्मीदवार मरहटी जाननेवाले न हों. सवाल पेश करने वाले साहब का ख्याल इस तकलीफ के दूर करने के लिये है. मैं अदब से यह अर्ज करता हूं कि बजाय मरहटी के अगर जमा खर्च का काम भी हिन्दी में कर दिया जावे तो जरूर गरज पूरी हो जावेगी, और यह दिक्कत जाती रहेगी.

ऑफि० एजूकेशन मेम्बर साहब--इस प्रस्ताव में सिफारिश यह है कि हरएक ए. व्ही. एम. स्कूल में मरहटी मास्टर मुकर्रर किये जावें. इसके मानी मैं यह समझता हूं कि हर एक ए. व्ही. एम. स्कूल में मरहटी की तालीम दी जावे. जिन लडकों की मादरी जबान मरहटी नहीं है ऐसे लडके मरहटी पढने के लिये तैयार नहीं हैं; अगर होते तो जिन स्कूलों में मरहटी की तालीम दी जाती है वहां कुछ भी तादाद ऐसे लडकों की होती कि जिनकी जबान मादरी मरहटी नहीं है. इस पर से यह साफ तौर पर जाहिर है कि हर एक ए. व्ही. एम. स्कूल में मरहटी की तालीम जारी करने की जरूरत नहीं है.

मरहटी भाषा की तालीम को encourage करना बहुत जरूरी है. यह मैं तसलीम करता हूं, क्योंकि यह जबान राजघराने की है; लेकिन जहां उसकी जरूरत नहीं वहां मरहठी भाषा रखकर मदरसों का सर्फा बढाना वाजिब नहीं.

बाज बाज लोगों की मेरे पास इस बात की शिकायत आई है कि दक्षिणी लडकों को ए. व्ही. एम. स्कूल में मरहटी की तालीम नहीं दी जाती. यह शिकायत आने पर मैंने दरयाफ्त किया तो मालूम हुआ कि मरहठी पढनेवालों की तादाद फी सदी पांच से दस तक ही है. इतनी कलील तादाद के वास्ते अलहदा इन्तजाम होना मुमकिन नहीं, अगर पांच या दस लडकों के वास्ते एक मरहठी मास्टर मुकर्रर किया गया तो वह लडके हायर क्लास में तब्दील होने के बाद उनके लिये दूसरा मरहठी मास्टर रखना लाजिमी होगा या उनको फिर हिन्दी में तालीम लेना जरूरी होगा. ऐसी सूरत में आप ही गौर कर सकते हैं कि हर एक ए. व्ही. एम. स्कूल में मरहठी मास्टर रखना कहां तक मुमकिन और जरूरी है.

लेटेस्ट सेन्सस फिगर्स से मालूम होता है कि रियासत की कुल ३२,००,००० आबादी में जिनकी मादरी जबान मरहठी है ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ ११,००० के करीब है जिसमें खास मरहठे व दक्षिणी ब्राम्हण शामिल हैं. इससे जाहिर होगा कि मुतजिक्करे बाला तजवीज कहां तक काबिल तस्लीम है.

इसके अलावा इस तजवीज में हर ए. व्ही. एम. स्कूल में मरहठी मास्टर रखने के लिये जो वजूहात बतलाई गई हैं वह मेरी नाकिस राय में काबिल तस्लीम नहीं हैं. क्योंकि फायनेन्स या रेव्हेन्यू

महकमे में मुलाजिमत करने के मक़सद से इब्तदा से मरहठी पढनेवाला लडका हजार में एक भी मिलना मुश्किल है. अलावा इसके मरहठी न जाननेवाले उम्मेदवारान इसी बिना पर कि वे मरहठी नहीं जानते मुलाजिमत से महरूम नहीं रक्खे जाते; बल्कि हिन्दी तहरीरात के जवाब हिन्दी में ही दिये जाने का सिलसिला आहिस्ता २ हरदो डिपार्टमेन्ट्स में जारी किया गया है.

इस तजवीज का हिस्सा दोयम जिसमें संस्कृत मास्टर हर एक ए. व्ही. एम. स्कूल में रखने की सिफारिश की गई है इसकी निस्बत मेरा जवाब यह है कि मेम्बर साहब ने अपनी तजवीज के support में जो वजूहात बतलाई हैं वे काबिल गौर नहीं हैं. पुजारी लोगों का काम महज पूजा याद करने का है, शास्त्रार्थ करने का नहीं है; इसलिये उनको संस्कृत भाषा से वाकफियत हासिल करने की जरूरत नहीं है और जो उम्मेदवार शास्त्रार्थ करने लायक संस्कृत से वाकफियत हासिल करेगा वह हरगिज पुजारी का काम नहीं करेगा, उसके लिये निर्वाह के बहुत से जरिये खुले हैं.

अलावा इसके यूनीवर्सिटी की जरूरत के लिहाज से अगर देखा जावे तो संस्कृत के बजाय सायन्स का पढना जमाने हाल में जियादा फायदेमन्द और महत्व का है. इसलिये ए. व्ही. एम. स्कूलों में जियादातर सायन्स जानने वाले टीचर्स provide किये गये हैं और बाज २ ए. व्ही. एम. स्कूल्स में संस्कृत जानने वाले भी मास्टर हैं. इन्सपेक्टरान मदारिस की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ए. व्ही. एम. स्कूलों में संस्कृत पढाने की मांग आम तौर पर नहीं है.

उज्जैन और लश्कर इन हरदो सदर मुकामों पर संस्कृत स्कूल्स अलहदा जारी हैं. इन स्कूलों में जो तालिबइल्मों की तादाद है उस पर से जाहिर होता है कि संस्कृत पढने की ख्वाहिश बहुत कम तालिबइल्मों को है; क्योंकि उसके पढने से व्यवहार में कुछ भी लाभ नहीं होता; ताहम जहां २ लोगों की तरफ से मांग आई है वहां संस्कृत स्कूल्स खोले गये हैं; मस्लन अमझेरा, आगर, अटेर वगैरा. शोपुर सूबा साहब की एक संस्कृत शाला शोपुर में खोलने की निस्बत सिफारिश आई है, लेकिन इसका तअल्लुक ए. व्ही. एम. स्कूल से नहीं है.

बादहू मजलिस की राय लिये जाने पर कसरत राय से तजवीज ना मंजूर हुई.

तजवीज नंबर ४, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

इब्तदाई (Primary) मदारिस में उर्दू की तालीम का भी इन्तजाम फरमाया जावे.

इस तजवीज को पेश करते हुवे अब्दुल हमीद साहब ने कहा कि रियासत गवालियार में, अलावा विक्टोरिया कॉलेज और खास दरसगाहों के दो किस्म के मदारिस हैं—(१) इब्तदाई और (२) दरम्यानी, यानी प्रायमरी व सेकन्डरी; सेकन्डरी स्कूल्स भी दो किस्म के हैं—हाईस्कूल और मिडिल स्कूल. इनमें से सब मदारिस में तो नहीं अलबत्ता ज्यादातर मदारिस में उर्दू की तालीम का इंतजाम है, और जो तालिबइल्म उर्दू पढना चाहे, वह पढ सकता है, लेकिन जहां तक मैं तहकीक कर सका हूं मुझे मालूम हुवा है कि इब्तदाई मदारिस में बजुज चंद खास मुकामात के और कहीं उर्दू की तालीम का इंतजाम नहीं है. इस किस्म के मदारिस कुल रियासत में ८८३ हैं मिन-जुम्ले इनके ७२५ मदारिस लडकों की तालीम के लिये हैं, और १५८ लडकियों की तालीम के लिये, और इन मदारिस में दर्जा हफ्तुम से दर्जे सोयम तक तालीम होती है. दर्जा सोयम का निसाब तालीम देखने से अंदाजा होता है कि इस दर्जे से फरागत हासिल कर लेने के बाद तुलबा में लिखने पढने की काफी महारत पैदा हो जाती है; फी जमाना अफलास व तंगदस्ती की

वजह से बहुत कम लोगों को ये मवाके हासिल हैं कि वह मकान पर अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम कर सकें. रिआया दरबार में से ज्यादा तादाद ऐसी है, जो अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला इब्तदाई मदारिस से फारिग होने के बाद खतम करा देती है, और फिक्रे मआश इसका मौका नहीं देती कि तुलबा आला तालीम तो कुजा दरमियानी तालीम हासिल करने की भी जुर्रत कर सकें. ऐसी हालत में उर्दू से नावाकिफ होने की वजह से जो नकायस पैदा होते हैं वह मैं अर्ज करता हूं, और कब्ल इसके कि मैं नकायस बयान करूं यह अर्ज करना जरूरी खयाल करता हूं कि इस कमी की वजह से मुसलमानों को बिलखुसूस और कशमीरी, कायस्थ व दीगर अकवाम के अपर इंडियन्स को बिलउमूम नुक्सान पहुंचता है, और वह नुक्सानात यह हैं— (१) मजहबी, (२) मुआशरती (३) अखलाकी, (४) तालीमी मजहबी नुक्सान मुसल्मानों के लिये मखसूस हैं, और बाकी हर सेह अक्साम के नुक्सानात मारूजे बाला सब अकवाम बरदाश्त करती हैं; अब मैं फर्दन फर्दन हर एक किस्म के नुक्सानात की तफसील बयान करता हूं.

मुसलमानों की मजहबी तालीम व मालूमात का जखीरा तमामतर अरबी व फारसी जबान में है, लेकिन अब मौजूदा जमाने में बहुत कुछ सामान उर्दू जबान में भी मुहैया हो गया है और छोटी छोटी आम फहम किताबें ब कसरत तसनीफ की गई हैं जिनको मामूली पढा लिखा आदमी भी पढकर मालूमात हासिल कर सकता है.

मैं निहायत अफसोस के साथ इस अमर का इजहार करता हूं कि इम्तिदाद जमाने ने मुसलमानों को इतना भी नहीं रक्खा कि वह उर्दू ही की तालीम हासिल करके अपने मजहब से वाकिफ हो सकें. मैंने यहां तक सुना है कि बाज मुकामात पर नावाकफियत व लाइल्मी की यह हालत है कि लोग उसूले शरअ के मुताबिक बहुत से फरायज व वाजिबात का अदा करना नहीं जानते. नमाज व रोजा के जरूरी मसायल से नावाकिफ हैं, जनाजे की नमाज पढानेवाले नहीं मिलते. अलफाज ईजाब व कबूल को इस्म खास समझते हैं.

इनके अलावा और सदहा ऐसी बातें हैं जिनको मैं ब खौफ तवालत नजर अंदाज करता हूं और यह चंद बातें बतौर मुश्ते नमूना अज खरवारे मैंने अर्ज की हैं. अब मुआशरती व अखलाकी नुक्सानात मुलाहिजा हों. रियासत के ज्यादा अजलाय ऐसे मुकामात से मुलहक हैं जह अंग्रेजी व उर्दू का रिवाज है और यहां की रिआया के तअल्लुकात अज किस्म कारोबार रिश्तेदारी वगैरा वगैरा गैर इलाके दरबार से बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं. ऐसी हालत में इन लोगों को खत किताबत में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं, और उर्दू न जानने की वजह से अपने हम असर लोगों में जाहिल समझे जाते हैं. इसके साथ यह लोग ऐसी मालूमात से बिलकुल महरूम रहते हैं, जो कि यह उर्दू के रिसायल और अखलाकी किताबें पढकर हासिल करते हों कि इसी तरह तालीमी, नुक्सान का बदी ही सुबूत मुलाहिजा हो कि इब्तदाई मदारिस में मुसलमान तुलबा की तादाद सिर्फ ५॥ फी सदी है. इसके खिलाफ सेकन्डरी मदारिस में १५ फी सदी है. हालांकि उसूलन इब्तदाई मदारिस में तादाद ज्यादा होनी चाहिये थी. इससे साफ जाहिर है कि इब्तदाई मदारिस में उर्दू की तालीम का इंतजाम न होने से मुसलमान तुलबा की तादाद बहुत कम है. चूंकि यह देखा गया है कि उमूमन लोग अपने लडकों को मकान पर इब्तदाई तालीम दिलाकर सेकन्डरी मदारिस में भेजते हैं. ऐसे लोग तो कम हैं कि जो मकान पर तालीम का मखसूस इंतजाम करते हैं ज्यादातर यह होता है कि लोग दोस्त एहबाब से यह काम निकालने की कोशिश करते हैं, और चंदे यह सिलसिला जारी रहता है. इसके बाद खातमा हो जाता है और बहुत से होनहार लडके उर्दू ही की नहीं बल्कि एक कलम तालीम ही से महरूम रह जाते हैं. इस कदर अर्ज करने के बाद मैं दरख्वास्त करता हूं कि यह

मजलिस गवर्नमेन्ट की खिदमत में सिफारिश करे कि इब्तदाई मदारिस में उर्दू की तालीम का भी इंतजाम फर्माया जावे.

फजल मुहम्मद साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

गुरुदयाल साहब.—हुजूर आली, सरकार आली विकार ने बजाय उर्दू के देवनागरी जारी फरमाई है, लेकिन उसके साथ में उर्दू जबान को कायम रक्खा है, इसलिये जो उसूल उर्दू कायम रखने के लिये इख्तियार किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उर्दू तालीम का इंतजाम जरूरी है, कायम फर्माया जावे.

ऑफिशियेटिंग एजूकेशन मेंबर साहब—इस प्रस्ताव में जो तजवीज पेश की गई है, ऐसी तजवीज पेश होना अजीब मालूम होता है क्योंकि इससे यह बात suggest होती है कि लडकों की मादरी जबान की तालीम की तरफ महक्मे की तरफ से काफी तवज्जोह नहीं दी जाती. गौर का मुकाम है कि जहां लडके नहीं वहां पढाने का इन्तजाम किस तरह किया जा सकता है. मस्लन नारदर्न सरकल में कुल प्रायमरी मदरसे ३४६ हैं और इन मदरसों में पढने वाले मुसलमानों की तादाद २९८ है यानी एक मदरसे के लिये एक लडके का भी औसत नहीं आता–दूसरे हिसाब से देखा जावे तो नारदर्न सरकिल में प्रायमरी मदरसों के कुल विद्यार्थियों की तादाद ११,४२७ है, उनमें मुसलमान लडकों की तादाद २९८ है. अर्थात ऐसी कलील तादाद के वास्ते क्या इन्तजाम हो सकता है. जहां पढने वालों की तादाद काफी है वहां माकूल इन्तजाम भी किया गया है. मस्लन लश्कर और उज्जैन में उर्दू मदरसे हैं. खास जनकगंज स्कूल के सेक्शन में १०४ मुसलमान लडके पढते हैं और हुजूरात पायगा का मदरसा अब नया खोला गया है जिसमें ७१ मुसलमान लडके पढते हैं. उज्जैन में भी उर्दू मदरसा अलहदा है जिसमें १०५ मुसलमान लडके पढते हैं. इस्लामिया स्कूल गवालियर में ७६ लडके तालीम पाते हैं. शोपुर इस्लामिया स्कूल में ८० मुसलमान लडके हैं. ये दोनों मदरसे अपर प्रायमरी हैं. गरज कि जहां जहां से मांग आती है वहां फौरन महक्मे की तरफ से इन्तजाम किया जाता है.

अलावा इसके यह बात भी काबिल गौर है कि रियासत हाजा की कोर्ट लेंग्वेज (Court language) हिन्दी होने से मुसलमानों को भी लाजिम है कि वे हिन्दी पढने की कोशिश करें. उर्दू की तालीम जरूरत के मुवाफिक फिलहाल काफी तौर पर दी जाती है. इससे ज्यादा कोई इन्तजाम होना मुमकिन नहीं.

प्रेसीडेन्ट साहब—एजूकेशन मेम्बर साहब ने जो तकरीर की है, उसमें एक जुम्ला यह है कि जहां जहां से दरख्वास्तें आती रहीं वहां उर्दू पढाने का इन्तजाम किया गया है. मिसाल के तौर पर फलां फलां नाम मुकामात के बतलाये. आयन्दा भी ऐसा ही किया जावेगा. इस पर गौर करते हुए क्या आप इस सवाल पर मजीद बहस की जरूरत समझते हैं या आप उसको ड्राप कराना चाहते हैं ?

अब्दुल हमीद साहब—एजूकेशन मेम्बर साहब ने फरमाया है कि जहां जहां से दरख्वास्तें आती हैं वहां वहां उर्दू पढाने का इन्तजाम किया जाता है इसका इल्म बाद में हो सकता है, लेकिन पढने वाले लडके इस इन्तजाम के इन्तजार में नहीं रहते. जिस मदरसे में लडके उर्दू पढने के लिये तैयार होते हैं वहां उर्दू पढाने वाले मास्टर नहीं होते. आज किसी परगने से रिपोर्ट भेजी गई कि दस लडके परगने में उर्दू पढने के लिये तैयार हैं, उनके उर्दू पढाने का इन्तजाम किया जावे. लेकिन इसका इन्तजाम दो साल बाद हुआ, उस वक्त वह लडके नहीं मिलेंगे. तमाम रियासत में

मुसलमान, कश्मीरी, कायस्थ व अपर इन्डियन्स की आबादी है. ऐसे मदारिस में कि जहां दस पांच लडके उर्दू पढते हों वहां मेरी यह गर्ज नहीं है कि एक अलहदा मास्टर उर्दू पढाने वाला रक्खा जावे, बल्कि गर्ज यह है कि तमाम मदारिस में कम अज कम एक मास्टर ऐसा रक्खा जावे कि वह उर्दू भी जानता हो तो मुजायका नहीं, मगर यहां तो हालत यह है कि मदरसों में कोई उर्दू का जानने वाला होता ही नहीं, इसलिये ऐसे तमाम मदारिस में यह इन्तजाम किया जावे कि एक एक मास्टर उर्दूदां हों और जो लडके उर्दू पढना चाहें उन्हें वह उर्दू पढावें; लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से ऐसा इन्तजाम कर दिया जावे कि हर मदरसे में एक उर्दूदां मास्टर रक्खा जावे.

इसके बाद प्रेसीडेन्ट साहब के वोट लेने पर कसरत राय से तजवीज नामंजूर हुई.

तजवीज नम्बर ५, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवनमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः—

मदारिस में मजहबी तालीम मुतअल्लिक दुरुस्ती अखलाक लाजमी करार दी जावे.

इस तजवीज को अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी ने पेश करते हुए कहा—

हुजूर वाला, जिस तरह लडकों को तालीम दिलाना जरूरी है इसी तरह अखलाक की दुरुस्ती भी लाजमी है बल्कि मेरा ख्याल यह है कि दुरुस्ती अखलाक तालीम से ज्यादा जरूरी है और मैं समझता हूं कि एक खुश अखलाक जाहिल बेहतर है, बदअखलाक ख्वांदा से. मौजूदा जमाने में तरीका तालीम मगरबी उसूल के मुताबिक है और चूंकि मगरब व मशरक के अखलाक में बोहुल मशरकैन हैं इसलिये हम अपने बुजुर्गों के उसूल अखलाक से बिल्कुल नाबलद हैं, इसकी सदहा मिसालें पेश की जा सकती हैं लेकिन चूंकि मैं इसको एक मुसल्लमा अम्र समझता हूं इसलिये अपनी तकरीर को तूल देना नामुनासिब समझता हूं. ऐसी हालत में अखलाकी तालीम का इन्तजाम बहुत जरूरी है. अब सवाल यह पैदा होता है कि इसके लिये क्या तरीका इख्तियार किया जाय. मेरी राय में अगर हर कौम के लडकों को उनकी मजहबी किताबों के हवाले से उसूल समझाये जावें तो बहुत ज्यादा मुफीद होगा इसलिये कि मजहब ही एक वह आला है जिस के सामने बडे से बडा आदमी सर झुका देता है तो लडके किस शुमार में हैं. अखलाकी तालीम हर मजहब में मौजूद है इसलिये यह इन्तजाम किया जाय कि मदारिस में जिस तरह और मजामीन के लिये घंटे मुकर्रर होते हैं इसी तरह घंटा आधा घंटा रोजाना या हफ्ते में दो तीन मर्तबा मजहबी तालीम का दिया जाना भी लाजमी करार दिया जाय और हिन्दू व मुसलमानों के लिये जुदागाना ऐसी किताबें मुकर्रर कर दी जावें जिन से कि यह मकसद पूरा हो सके.

प्रेसीडेन्ट साहब—तजवीज जो पेश होती है तो जब मुजव्विज साहब तजवीज कहकर और तकरीर करके बैठ जावें तो जिन साहबान को तजवीज की ताईद करना है वह साफ साफ अपनी राय जाहिर कर दें ताकि मालूम हो सके कि कौन साहब उसकी ताईद करते हैं. बहर हाल इस तजवीज नम्बर ५ के मुतअल्लिक मैं यह दरयाफ्त करता हूं कि क्या कोई साहब इस तजवीज की ताईद करते हैं ?

जगमोहनलाल साहब—इस उसूल की मैं ताईद करता हूं. चूंकि स्कूलों में मजहबी तालीम देने का सवाल एजूकेशन कमीशन के सिपुर्द किया गया है और एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट पेश होने पर दरबार मुअल्ला उस पर गौर फरमावेंगे; लिहाजा इस तजवीज पर अब मजलिस को मजीद तवज्जुह दिलाने की कोई जरूरत मालूम नहीं होती. इसलिये मैं अपने दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त वह अपनी तजवीज वापिस ले लेवें.

ईश्वरीसिंह साहब—मुझको जगमोहनलाल साहब की राय से इत्तफाक है.

महंत लक्ष्मणदास साहब—स्कूलों में मजहबी तालीम देना बडी अडचन की बात होगी. दुरुस्ती अखलाक मजहब के लिये हिन्दुओं में मन्दिर हर सम्प्रदाय के मौजूद हैं और एहल इस्लाम में मस्जिद या जो जो पंथ रिआया के हैं सभी के ऐसे स्थान हैं, वहां बुजुर्ग अपने बच्चों को ले जाते हैं और औरतें भी जाती हैं और उनको कथा वार्ता धार्मिक उपदेश सुनाये जाते हैं. इसलिये मैं समझता हूं कि इसके लिये इस तजवीज की जरूरत नहीं है.

ऑफिशियेटिंग एजूकेशन मेम्बर साहब—यह सवाल एजूकेशन कमीशन के सिपुर्द किया गया है. कमीशन की रिपोर्ट आने पर दरबार इसकी निस्बत माकूल इन्तजाम फर्मायेंगे.

प्रेसीडेन्ट साहब—वाका यह है कि साल गुजिश्ता में इस सवाल पर गौर हुआ था और यह करार पाया था कि यह सवाल एजूकेशन कमीशन के सिपुर्द किया जावे जैसा कि एजूकेशन मेम्बर साहब ने जाहिर फर्माया है. चुनांचे इस सवाल पर काफी और बारीक नजर से गौर होगा. इस वक्त इतने पर ही इक्तफा किया जावे.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज नम्बर ६, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

रियासत ग्वालियर में रेजिडेन्शियल यूनीवर्सिटी (Residential University) कायम फरमाई जावे.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा कि मैं आज की मजलिस की atmosphere को देखते हुए और इस तजवीज को फिलहाल नाकाबिल अमल समझकर वापिस लेता हूं.

तजवीज नंबर ७, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी की कस्बों व मंडियात रियासत हाजा में जरूरत है.

इस तजवीज को पेश करते हुए रामजीवनलाल साहब अग्रवाल ने कहा कि देसी दवा के वास्ते बहुतसे लोग आदी हैं क्योंकि देसी दवा से उनको फायदा पहुंचता है. जो लोग मवाजियात में रहते हैं उनको अंग्रेजी दवा गैर मौजूं मालूम होती है और उससे उनको फायदा नहीं पहुंचता है. इसलिये मेरी गुजारिश है कि आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज खोली जावें.

महादेवराव साहब—मैं रामजीवनलाल साहब की तजवीज की ताईद करता हूं.

बन्सीधर साहब—मैं भी रामजीवनलाल साहब की ताईद करके यह ज्यादा गुजारिश करता हूं कि रियासत हाजा में हिन्दुओं की तादाद ज्यादा है और वह लोग देसी दवा इस्तेमाल करते हैं और प्लेग और इन्फ्ल्यूएंजा में यह अदवियात ज्यादातर मुफीद साबित हो चुकी हैं. खासकर उज्जैन की तमसील देता हूं कि वहां पर मास्टर परसरामजी के इलाज से बहुत फायदा हुआ.

मूंगालाल साहब बीजावर्गी—मैं भी रामजीवनलाल साहब की तजवीज से इत्तफाक करता हूं.

रामचन्द्र साहब बोहरा—मैं रामजीवनलाल साहब की तजवीज की ताईद करता हूं. हर परगने में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी कायम होने की जरूरत है.

रणधीरसिंह व हीरजीभाई साहब---ने भी इस तजवीज की ताईद की.

होम मेम्बर साहब—जैसा कि साल गुजिश्ता में मैंने मजलिस में अर्ज किया था कि दरबार ने फिल हाल तीन आयुर्वेदिक और तीन यूनानी डिस्पेन्सरीज मुख्तलिफ जगहों में जारी कर दिये हैं. हुजूर मुअल्ला ने थोडे ही महीनों के पेश्तर जो एक पॉलिसी हर एक महक्मे के मुतअल्लिक लिखी है उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के सिलसिले में अपने ख्यालात को जाहिर फरमाते हुए यह ideal मेडिकल डिपार्टमेन्ट के सामने रक्खा है कि हत्तुल इम्कान हर एक पंचायत बोर्ड में ऐसा इन्तजाम किया जावे कि जहां से डिस्पेन्सरी कायम होकर लोगों को दवाइयां मिल सकें और यह भी हुक्म फर्माया है कि मेडिकल डिपार्टमेन्ट अपनी जानिब से एक स्कीम दरबार मुअल्ला की खिदमत में पेश करे. वह स्कीम तैयार होकर दरबार की खिदमत में पेश होनेवाली है. दरबार बाद गौर कामिल हुक्म सादिर फरमावेंगे कि वह खयाल कहां तक अमल में लाया जावेगा और किस किस पंचायत बोर्ड में डिस्पेन्सरीज खोली जावेंगी. जब कि यह मुआम्ला हुजूर मुअल्ला के जेर गौर है तो इस मजलिस में खास ठहराव करने की चन्दां जरूरत मालूम नहीं होती.

प्रेसीडेंट साहब—रामजीवनलाल साहब, आपकी तजवीज के मुतअल्लिक होम मेम्बर साहब ने जो तकरीर फर्माई उसमें मिनजुम्ले और बातों के आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोले जाने का मसला जेर गौर दरबार है और इसके मुतअल्लिक दरबार अनकरीब कुछ अहकाम जारी फर्मावेंगे. अलावा इसके यह जाहिर किया है कि दरबार ने खुद इसकी जरूरत समझकर तीन आयुर्वेदिक शफाखाने खोल दिये हैं जिससे मालूम होता है कि दरबार उसके मफाद को समझते हैं. इस तकरीर के सुनने के बाद अगर आपका इत्मीनान हो तो यह समझा जावेगा कि मजलिस में मजीद गौर करने की जरूरत नहीं. आप को इससे इत्तफाक है या नहीं?

रामजीवनलाल साहब ने इत्तफाक करके अपनी तजवीज वापिस ली.

तजवीज नंबर ८, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

देशी दवाइयों के अस्पताल देहात के पंचायत बोर्ड्स के मुकाम पर बतदरीज खोलने का इन्तजाम फरमाया जावे.

इस तजवीज को जगमोहनलाल साहब ने पेश करते हुए कहा जैसा कि सवाल नं. ७ के सिलसिले में होम मेंबर साहब ने फर्माया है कि हर पंचायत बोर्ड के मुकाम पर इस किस्म के अस्पताल बतदरीज खोले जावेंगे. चूंकि यह तजवीज उसी उसूल पर मबनी है जो कि दरबार मुअल्ला ने कायम फर्माया है और यह मैंने इसमें लिखा ही है कि अस्पताल बतदरीज खोले जावें इसलिये सरेदस्त मैं इस सवाल पर मजलिस की तवज्जुह नहीं दिलाना चाहता हूं और तजवीज को वापिस लेता हूं.

तजवीज नम्बर ९, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

ग्वालियर लाइट रेलवे के इन्तजाम की खामियों व मुसाफिरों की तकालीफ की जांच करके दरबार मोअल्ला की खिदमत में मुफस्सिल रिपोर्ट मय तजावीज पेश करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर फरमाई जावे.

इस तजवीज को पेश करते हुए जगमोहनलाल साहब ने कहा:—

हुजूर मुअल्ला के एहद हकूमत में बेशुमार बरकतें रिआया गवालियार को हासिल हुई हैं इनमें गवालियार लाइट रेल्वे एक ऐसी बरकत है कि जिससे अजलाए भिन्ड, गिर्द, नरवर, तवरघार व श्योपुर की रिआया खास तौर पर फ़ायदा उठा रही है. जो सफर ऊंट व बैल गाडियों के जर्ये से दिनों में तय होता था वह रेल्वे की बदौलत घन्टों में तय हो जाता है. खबरों व डाक के पहुंचने व माल के लाने व ले जाने में भी बडी आसानी हो गई है. पुरानी हालत का मुकाबला करने पर लाइट रेल्वे का जारी होना ही हमारी तरक्की की दलील है, मगर हुजूर, इन्सानी तबीयत का खास्सा यह है कि तरक्की के दौरान में वह अपनी मौजूदा हालत का मुकाबला हालत गुजिश्ता से करने पर ही इक्तिफा नहीं करता, बल्कि दीगर मुल्क व कौमों की हालत वक्त से मुकाबला करते हुए वह आगे कदम बढाना चाहता है. गवालियार लाइट रेल्वे के फ़ायदे हम लोग बखूबी महसूस करते हैं लेकिन दीगर रेलों की हालत से मुकाबला करने पर हमको ऐसी बातें जरूर मालूम होती हैं जो काबिल इसलाह हैं, इसलिये उनकी दुरुस्ती की बाबत मैंने यह तजवीज पेश करने की जुरअत की है. जो नकायस या तकालीफ रेल्वे एडमिनिस्ट्रेशन में महसूस होते हैं इनमें से चन्द खामियां व जरूरियात काबिल इसलाह की तरफ मैं मजलिस की तवज्जुह रुजू करता हूं.

(१) गवालियार स्टेशन पर मुसाफिरों के ठहरने के लिये कोई मुसाफिर खाना नहीं है. मौसमे गरमा व बरसात में टिकट खरीद करने में सख्त तकलीफ होती है.

(२) सिवाय जनाने कम्पार्टमेंट के दीगर गाडियों में closit न होने से भी तकलीफ होती है.

(३) रोशनी का इन्तजाम ठीक नहीं है. स्टेशनों के प्लेट फार्म पर काफ़ी रोशनी नहीं की जाती, ट्रेन में बिजली अकसर बन्द हो जाती है.

(४) गवालियार व दीगर स्टेशनों पर प्लेट फार्म नहीं हैं सिवाय चन्द स्टेशनों के.

(५) दरमियानी स्टेशनों पर स्टेशन की लाइन पर ट्रेन को खडा न किया जाकर दूसरी लाइन पर ट्रेन को खडा किया जाता है जिससे उतरने व चढने व स्टेशन पर आने में खुसूसन बरसात के मौसम में मुसाफिरों को तकलीफ़ होती है.

(६) कम्पार्टमेन्ट्स के दुरुस्ती व मरम्मत की तरफ कम तवज्जोह रखी जाती है. सेकन्ड क्लास के compartments की गद्दियां महीनों खराब रहती हैं. खराब होते ही दुरुस्त नहीं की जातीं. एक मर्तबा शिवपुरी मेल ट्रेन के सेकन्ड क्लास में बेंद की Bench अर्से तक टूटी रही, दुरुस्ती नहीं कराई गई.

(७) ट्रेन के वक्त की पाबन्दी दरमियानी स्टेशनों पर ठीक तौर पर नहीं की जाती. अकसर व बेशतर ऐसे स्टेशनों से जल्दी ट्रेन छोड दी जाती है.

(८) चलती हुई ट्रेन से ड्रायवर लोग आग फेंकते हैं जिससे आस पास के खेतों को नुकसान पहुंचता है.

(९) भिन्ड सेक्शन पर कुछ अर्से से रफ्तार कम कर दी गई है. अब बजाय ४½ घन्टे के ५½ घन्टे वक्त सर्फ होता है.

(१०) शिवपुरी की ट्रेन के वक्त में इसलाह की जरूरत है. उसकी गवालियार से रवानगी व आमद का वक्त खसूसन भिन्ड से आने व जाने वालों के लिये निहायत गैर मौजूं है.

(११) रेल्वे लाइन पर fencing नहीं है.

(१२) माल के loading and unloading में सख्त वे एहतियाती से काम लिया जाता है.

(१३) भंगियों (sweepers) के लिये एक अलहदा कम्पार्टमेंट की जरूरत है क्योंकि यह लाइन एक देसी रियासत की ट्रेन है. यहां पर इस कौम से अलहदा रहने के जज़बात अभीतक मौजूद हैं.

(१४) शिवपुरी लाइन पर एक बरात की स्पेशल ट्रेन में जो हादसा हुआ था और जिसका जिक्र जयाजी प्रताप तारीख ४-५-२२ में शाया हुआ था. ऐसे हादसे रोकने की तदाबीर अमल में लाई जायें और जिन मुलाजिमान की गफ़लत से वकूये हों उनका तदारुक किया जाकर पब्लिक की वाकफियत के लिये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ़ से एक notification शाया किया जाया करे.

(१५) रेलवे मुलाजिमान की तकलीफ व दिक़्क़तें काबिल गौर हैं. इनको जरूरियात के वक्त भी रुखसत नहीं मिलती. तनख्वाहों में कमी होने से efficiency को पहुंचने का एहतमाल होता है.

(१६) Risk Note Form भी काबिल इसलाह है ताकि माल के मुतअल्लिक़ काफी जिम्मेदारी रेलवे पर आयद हो सके. गो यह सवाल ब्रिटिश इन्डिया के दीगर रेलवे लाइन से भी तअल्लुक रखता है मगर कोई वजह नहीं है कि एक नामुनासिब अमल जो इस वक्त ब्रिटिश इन्डिया में जारी है अपने यहां भी जारी रखा जावे. कम अज कम ऐसे माल के मुतअल्लिक़ जो G. L. R. के एक स्टेशन से इसी लाइन के किसी दूसरे स्टेशन को ले जाया जावे. हम अपने तरमीम शुदा risk नोट फार्म इस्तेमाल कर सकते हैं.

(१७) किराये में नामुनासिब इजाफा हो गया है. दीगर लाइनों पर मुसाफिरों को ज्यादा आराम व आसायश मिलती है व नीज सफर में वक्त भी मुकाबिलतन कम सर्फ होता है. इन उमूर पर लिहाज करते हुए यहां की पब्लिक को यह तवक्का हरगिज बेजा नहीं हो सकता है कि इन लाइनों के बनिस्बत G. L. R. में किराया कम लिया जावे मगर शरह किराया का मुकाबिला काबिल मुलाहिजा है.

G. I. P. R. चार पाई फी मील, E. I. R. ३½ पाई फी मील, G. L. R. ५ पाई फी मील III class का किराया है. इसलिये किराये में भी कुछ कमी की जरूरत है.

यह चंद जरूरियात व खामियां हैं जो मेरी राय में इसलाह की मोहताज हैं. रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मुमकिन है कि इन उमूर को justify कर सके इसलिये इनकी बाबत इस मजलिस का कोई कतई फैसला हासिल न करते हुए मैंने एक कमेटी मुकर्रर किये जाने की इस्तदुआ की है जो तमाम बातों की जांच करके दरबार के हुजूर में अपनी तजवीज पेश करे.

इस तजवीज की ताईद बंसीधर साहब, टोडरमल साहब, जहांगीर बेहमनशा साहब वकील व महादेवराव साहब ने की.

ट्रेड मेम्बर साहब—इस सवाल में कमेटी कायम करने की इस्तदुआ की गई है जो वकफियत हासिल करके मजलिस के रूबरू पेश करे. मगर मैं यह जरूर कहने के लिये तैयार हूं कि जिस कदर भी शिकायतें एक बडी फेहरिस्त मुरत्तिब करके इस वक्त पेश की गई हैं, इस वक्त तक ऐसी शिकायतें किसी दफ्तर में आना साबित नहीं है, न मैनेजर लाइट रेलवे के पास, न मेरे दफ्तर में. इस वजह से यह खयाल करने में कि यह तमाम नकायस हैं और उसके लिये एक कमेटी कायम की जावे, कम से कम मुझे इत्तफाक नहीं है. आम इन्तजामी उसूल यह है कि अगर किसी मुआम्ले में कोई शिकायत हो तो उसका इजहार किसी ऑफिसर मुकामी से या उसके बालादस्त ऑफिसर से किया जाय.

तजवीज नंबर १०, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

नशे की चीजों (drugs and liquors) **का इस्तेमाल कम करने की गरज से हस्ब जैल अहकाम सादिर फरमाये जावें:—**

(१) इन चीजों की दूकानात की तादाद में हर साल कमी की जाया करे.

(२) ऐसी दूकानात सिर्फ मुकाम फरोख्तगी ही करार दी जायें. इस्तेमाल मुनश्शियात की कतई मुमानियत कर दी जाय.

(३) १८ साल से कम उम्र वाले किसी शख्स को इस किस्म की अशियाय कतई फरोख्त न की जावें.

(४) मजहबी त्यौहारों—मिस्ल दसहरा, मुहर्रम व अय्याम होली—में दो दिन ऐसी दूकानात बंद रहा करें.

(५) दिन के १० बजे से ५ बजे तक ऐसी दूकानात खुली रहा करें, इसके बाद कोई मुनश्शी चीज फरोख्त न की जावे सिवाय उस सूरत के जब कि दवा के लिये जरूरत हो.

जगमोहन लाल साहब.—हुजूर आली, मजलिस को याद होगा कि साल गुजिश्ता के इजलास में महंत लक्ष्मणदासजी ने अशियाय मुनश्शियात के इस्तेमाल की रोक की बाबत एक तजवीज पेश की थी उसके जवाब में जनाब लॉ मेंबर साहब ने यह फरमाया था कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट की गरज फिलहकीकत यह है कि नशों का इस्तेमाल कम हो लेकिन जो तरीका महंत साहब ने तजवीज किया था उससे इख्तलाफ फरमाते हुए मौजूदा तरीके को काफी होना लॉ मेम्बर साहब ने जाहिर फरमाया था इसलिये मुझे आज इस उसूल के मुताल्लिक कुछ अर्ज करने की जरूरत नहीं है, जिस पर मेरी तजवीज मननी है. मुझे मजलिस में सिर्फ यह अर्ज करना है कि जो तरीका इस वक्त तक इख्तियार किया गया है उससे काफी तौर पर मतलब बरारी नहीं हुई इस लिये मजीद वसायल इख्तियार करने की सख्त जरूरत है.

लॉ मम्बर साहब ने फरमाया था कि एक्साइज के इन्तजाम की बदौलत अर्सा सोलह साल में अशि-याय मुनश्शियात की कीमत में चौगुना व दसगुना इजाफा हो गया है. जिससे लोग समझने लगे हैं कि नशे की आदत अच्छी नहीं है. मेरी राय नाकिस में सिर्फ कीमतों में इजाफा होना इस्तेमाल में कमी होने की दलील नहीं हो सकती. क्या मानी कि रुपये की मारकेट व्हेल्यू कम हो जाने से कीमतों में इजाफा होना एक अम्र कुदरती है. जैसा कि हर शै की कीमत में इजाफा हुआ है. इसलिये मजलिस को इस अम्र पर गौर करना है कि वाकई तौर पर ऐसी अशियाय के इस्तेमाल में किस कदर व किस हद तक कमी वाके हुई है. यह महकमा सम्वत १९६२ से कायम हुवा है. मगर मुझको इस महकमे की पहिली रिपोर्ट सम्वत १९६५ की दस्तयाब हुई है. इसमें एक नक्शा (एपेन्डिक्स नम्बर २) शामिल है. जिससे मुख्तलिफ नम्बर की शराब के Consumption (खपत के अदद) मालूम होते हैं. जो जमा किये जावें तो कुल मिकदार ८९६८१ गॅलन होती है. सम्वत १९६६ की तादाद मुझे मालूम नहीं हो सकी मगर सम्वत १९६७ में ३२६३२८ व स. १९६८ में ३३१६५९ व सम्वत १९६९ में ३३३८९९ गैलन शराब खर्च हुई. सम्वत १९७० में शराब के Consumption की तादाद सिर्फ १८८८४५ गैलन. रिपोर्ट सम्वत १९७० से जाहिर होता है. कि साल हाय गुजश्ता के मुकाबले में यह अदद बहुत कम है जिसकी वजह कइत रिपोर्ट में जाहिर की गई है. अलावा अर्जी

साल हाल व गुजश्ता के अदद लंदन प्रूफ़ के न थे व नीज वह ऐदाद इस वजह से काबिल यकीन नहीं हो सक्ते कि ठेकेदारों की किताबों पर से कायम किये गये थे. सम्वत १९७० में इस महक्मे का जदीद तरीके पर इन्तजाम किया गया जिसकी बाबत कमिश्नर साहब ने तहरीर फरमाया है कि The year under report forms a special land mark in the annals of the Excise Department.—इस जदीद इंतजाम व इस्लाह के बाद के सालाना Consumption की तादाद काबिल मुलाहिजा है. संवत १९७१ में १६७२८१, सं. १९७२ में १८४७४९, सं. १९७३ में २०९१६६, सं. १९७४ में २०१०००, सं. १९७५ में २१४२७६, सं. १९७६ में २२९८१६ गैलन. सम्वत १९७१ की कमी का बायस भी साल गुजश्ता का केहत बतलाया गया है. संवत १९७७ व १९७८ की रिपोर्ट मुझे दस्तयाब नहीं हुई. इन ऐदाद से यह साफ़ जाहिर होता है कि संवत १९७१ से १९७६ तक शराब की खपत में बराबर इजाफा होता रहा है. संवत १९६९ में हमारे यहां कुल शराब ८९६८१ गैलन खर्च हुई मगर संवत १९७६ में २२९८१६ गैलन खर्च हुई. आबादी का लिहाज करते हुए फी इस्म इस खर्च का औसत ३॥ ड्राम आता है. अब मैं गांजा, भांग व चरस की तरफ मजलिस की तवज्जह मबजूल करता हूं. संवत १९६५ की रिपोर्ट में जो ऐदाद का नक्शा (एपेंडिक्स नम्बर ६ पर) शामिल है उसमें जो ऐदाद इन अशिया के दर्ज हैं. उनपर से औसत सालाना निकालने से एक साल के Consumption की तादाद हस्ब जैल होती है. गांजा १४९ मन, भांग २१४ मन, चरस ४॥ मन.

इसके बाद सं. १९६७ में गांजा २२४ मन व भांग २७३ मन व चरस ६ मन. संवत १९६८ में गांजा ३१५ मन, भांग ३२२ मन, व चरस ५ मन. संवत १९६९ में गांजा ३१६ मन, भांग ३०८ मन, व चरस ६ मन. संवत १९७० में गांजा १८७ मन, भांग १९३ मन व चरस ३ मन खर्च हुवा इस साल की कमी की बाबत भी कमिश्नर साहब ने यह तहरीर फरमाया है कि कहत की वजह से यह कमी वाके हुई है.

Special Land mark in the annals of the Excise Department के बाद के ऐदाद काबिल मुलाहिजा हैं:—

संवत.	गांजा.	भांग.	चरस.
१९७१	१६८	३००	५
१९७२	१४५	२७८	८
१९७३	१९४	२८९	९
१९७४	१७६	२९५	१३
१९७५	१४३	३३२	१७॥
१९७६	१६७	३२२	२०

मुकाबला करने से जाहिर होता है कि संवत १९६५ में गांजा १४९ मन व संवत १९७६ में १६७ मन खर्च हुवा. भांग संवत १९६५ में २१४ मन व संवत १९७६ में ३२२ मन. चरस संवत १९६५ में ४॥ मन और संवत १९७६ में २० मन खर्च हुवा. इन ऐदाद से क्या नतीजा निकलता है. यह मैं मजलिस के जजमेंट पर छोड़ता हूं.

इसके मुताल्लिक एक पहलू और काबिल जिक्र है कि संवत १९६१ में शराब नं. २९ की एक बोतल चार आने में मिलती थी. वही बोतल संवत १९७७ में एक रुपये दो आने में मिली मगर संवत १९६१ में एक सेर गांजा चार आने में मिलता था इसी कदर गांजा की कीमत संवत १९७७ में १२)

रुपये हो गई. इसी तरहपर शराब नंबर ६० की एक बोतल की कीमत संवत १९६१ में =) थी और संवत १९७७ में ||=) आना हो गई मगर एक सेर भांग की कीमत संवत १९६१ में =) थी संवत १९७७ में तीन रुपये हो गई. इस से जाहिर होता है कि बनिसबत शराब के गांजे व भांग पर ज्यादा सख्ती की गई और अगर इजाफा कीमत कमी इस्तेमाल की दलील करार दी जावे तो कहना पडेगा कि यही वजह है, कि शराब के इस्तेमाल में नुमायां कमी वाके नहीं हुई.

हुजूर वाला, इन ऐदाद पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अशयाय मुनश्शियात के इस्तेमाल में हरगिज कमी नहीं हुई बावजूदे कि इस महकमे को कायम हुवे १६ साल का अरसा हो चुका है. इसमें कोई शक नहीं है कि आमदनी में काबिल तारीफ इजाफा हुवा है मगर इससे दरबार मुअल्ला का मन्शा पूरा नहीं होता. हर हुज्जब गवर्नमेन्ट ने महकमा एक्साइज का बुनयादी उसूल यह करार दिया है कि Minimum of Consumption and Maximum of Revenue. इस उसूल के पहले हिस्से की पाबन्दी तसल्ली बख्श नहीं हुई इसीलिये मैंने चन्द अमली Suggestions इस तजवीज में जाहिर किये हैं जिनकी तरफ अब मैं इस मजलिस को मुतवज्जह करता हूं.

(१) पहली तजवीज यह है कि इन चीजों की दूकानात में हर साल कमी की जाया करे--अगर हम नशे का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इसकी दूकानात कम करना चाहिये. मैं खयाल करता हूं कि इस उसूल को कबूल कर लेने में इस मजलिस को पसोपेश न होगा क्योंकि हमारा महक्मा एक्साइज इस उसूल की पैरवी अरसे से कर रहा है जैसा कि नोटिफिकेशन मुन्दर्जे ग्वालियार गजट ता: ३० अप्रेल सन १९२१ से जाहिर है. इस नोटिफिकेशन में बतलाया गया है कि पहले दस हजार दूकानात थीं वोह कम की जाकर तीन हजार रखी गई हैं इस कमी के बाबत मैं व मेरे हम खयाल लोग--एक्साइज डिपार्टमेन्ट के जरूर मशकूर हैं; लेकिन हमको अपने यहां की हालत असली पर गौर करना चाहिये.

सम्वत १९६८ की सालाना रिपोर्ट से मालूम होता है कि उस साल यहां गांजा भांग व चरस की कुल दूकानात ५०९ थीं. इस तादाद में हर साल इजाफा होता रहा हत्ता कि सम्वत १९७४ में ११२९ तक पहुंच गई. सम्वत १९७५ में ९४१ व सम्वत १९७६ में ९८८ दूकानात थीं इससे जाहिर होता है कि तादाद दूकानात में इजाफा हुवा है नकि कमी.

शराब की दूकानात सम्वत १९६७ में १८३१ थीं और सम्वत १९७० में २११९ हो गई जदीद इन्तजाम होने पर सम्वत १९७१ में १७३५ रह गई. मगर यह तादाद हर साल इजाफा होती गई और सम्वत १९७४ में १८५१ तक पहुंच गई इसके बाद सम्वत १९७५ में १७४७ व सम्वत १९७६ में १७६४ रही. सम्वत १९६८ की ब निस्बत शराब की दूकानात में कमी जरूर हुई है, मगर इन दूकानात की तादाद पर average area १३-१४ मील आता है हालांकि गांजा, भंग की दूकानात पर रकबे का औसत २२-२६ मील होता है. यह मुकाबिला इस बात की जरूरत जाहिर करता है कि शराब की दूकानात में कमी की बहुत गुंजायश है इसलिये मेरी यह इल्तजा है कि यह पॉलिसी करार दे दी जावे कि हर साल कुछ न कुछ कमी दूकानात की तादाद में की जाया करे.

(२) दूसरी तजवीज यह है कि ऐसी दूकानात सिर्फ मुकाम फरोख्तगी ही करार दी जावें. इस्तेमाल मुनश्शियात की कतई मुमानियत कर दी जाये.

अक्सर देखा गया है कि लोग नशे की चीज इस्तेमाल करके इन दूकानात पर ऐसी हरकत व अमल करते हैं जो बाइसे तकलीफ आम्मा होता हैं. इसलिये इसकी कतई मुमानियत होने की जरूरत है. मेरा खयाल है कि ऐसा करने से एक सख्त नामुनासिब अमल मसदूद हो जावेगा.

(३) मेरी तीसरी यह तजवीज है कि १८ साल से कम उम्रवाले किसी शख्स को इस किस्म की अशया फरोख्त न की जावें. साल गुजिश्ता में उम्र के सवाल के मुतअल्लिक जनाब पोलिटिकल मेम्बर साहब ने फर्माया था कि १४ साल की उम्र मस्लेहतन मुकर्रर की गई है, मगर जो मस्लहत उन्होंने फर्माई थीं वह कम अज कम मेरे जहननशीन नहीं हुई. जो शख्स १४ साल की उम्र देख सकता है वह १८ साल की भी तमीज कर सकता है. १४ साल की उम्र बहुत कम है और कानून में भी सिने बुलूग १८ साल करार दिया गया है.

एक्साइज डिपार्टमेन्ट की सालाना रिपोर्ट, सम्वत १९७० के सफा नम्बर १९ पर शराब फरोशी की ठेकों की शरायत में एक शर्त यह भी दर्ज है कि १८ साल से कम उम्रवाले को शराब फरोख्त न की जाये, मगर फिर उसकी पाबन्दी क्यों नहीं हुई मालूम नहीं होता. यु. पी. लेजिस्लेटिव कौंसिल में तारीख १२ नवम्बर सन १९१७ ई० को ऑनरेबिल मिस्टर चिन्तामनी ने भी १८ साल की उम्र तजवीज की थी. इसलिये मैं चाहता हूं कि १८ साल की शर्त बजाय १४ साल के कायम कर दी जावें.

(४) मजहबी त्योहारों मिस्ल दसहरा, मुहर्रम व अय्याम होली में दो दिन ऐसी दूकानात बन्द रहा करें, यह मेरी चौथी तजवीज है. Temperence का प्रचार करने की गरज से यह बेहतर होगा कि ऐसी कोशिश की जावे कि लोग कम अज कम मजहबी त्योहारों के दिनों में इस्तेमाल अशयाये मुनश्शियात से कतई परहेज रक्खें. होली के मौके पर उमूमन लोग शराब वगैरा बहुत जियादा इस्तेमाल करते हैं. इसलिये आगाज में कम अज कम होली के मौके पर दो दिन व मुहर्रम व दसेहरे में यह दूकानात बन्द रहा करें.

(५) पांचवीं तजवीज यह है कि दिन के १० बजे से ५ बजे तक ऐसी दूकानात खुली रहा करें. परहेजगारी की आदत पैदा करने के लिये यह जरूरी है कि नशे की चीजों की फरोख्तगी महदूद की जाय मजदूरी पेशा लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करके आम तौर पर शाम को इन दूकानात पर अपना अड्डा जमाते हैं और उस वक्त अपने पसीने की कमाई को इन दूकानात पर सर्फ कर डालते हैं. अगर ५ बजे शाम को यह दूकानात कतई बन्द कर दी गई तो इन लोगों को अपनी Hard-earned money जाया कर डालने का मौका बहुत कम मिलेगा.

हुजूर वाला ! एक दम नशाबाजी कानूनन कतई बन्द कर दी जाय यह मैं हरगिज नहीं चाहता क्योंकि इसमें अमली मुश्किलात नजर आती हैं मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट की तरफ से नशाबाजी के रास्ते में ऐसी रुकावटें दिन बदिन पैदा की जावें कि जिनसे लोग नशेबाजी के रास्ते में मुश्किलात देख कर इसके तर्क करने पर मजबूर हों. मुझे यकीन वासिक है कि अगर हर साल मुश्किलात पैदा करदी गई तो एक दिन ऐसा जरूर आ जायगा कि सरकार की ३२,००,००० प्रजा में कोई शख्स ऐसा मुश्किल से दस्तयाब होगा कि जो परहेजगार न हो और वह दिन रियासत गवालियार के इन्तिजाम एक्साइज की तारीख का एक Red letter day खयाल किया जायगा. गवालियर गवर्नमेन्ट गॅझेट तारीख २८ अक्टूबर सन १९२२ ई० के जर्ये से जिन जदीद तरमीमात मुतअल्लिक गवालियर एक्साइज एक्ट का ऐलान किया गया है उसकी बाबत दरबार मुअल्ला अपनी अजीज रिआया के दिली एहसान के मुस्तहक हैं. चर्स का जो हशर हुवा है वोही हशर दीगर तमाम मुनश्शी अशयाय का देखने के लिये

बेताब हूं. जो चंद उमूर मैंने इस तजवीज के जर्ये से गवर्नमेन्ट के हुजूर में पेश किये हैं अगर इन पर मजबूती के साथ अमल करना जारी कर दिया गया तो वह दिन जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूं बहुत जल्द आ जायगा. उसी वक्त दरबार मुअल्ला की मन्शा भी पूरी होगी.

जमनादास साहब झालानी—मैं ताईद करता हूं.

जामिन अली साहब—मैं भी ताईद करता हूं, और यह इजाफा करता हूं कि ठेके बजर्ये नीलाम न दिये जावें.

जहांगीर बेहमनशा साहब—जगमोहनलाल साहब ने जो तजवीज पेश की है उसकी कलम नंबर १-२-३ की मैं ताईद करता हूं, और कलम नंबर ४ की तजवीज के लिये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बम्बई में ताजियों के दिन तमाम शराब की दूकानें खुली रक्खी गईं. पहले जमाने में ये बंद रखी जाती थीं. मजहबी त्योहारों में शराब की दूकानें बंद रखने से नशे की चीजों का इस्तेमाल कम नहीं होगा. वह पेहले से खरीद करके रखलेंगे. तजवीज नंबर ४ से मेरे खयाल से नशे के इस्तेमाल में कमी न होगी जब उनको मालूम होगा कि कल त्योहार है तो आज एक बोतल खरीद करके घरों में रखलेंगे. हमको चाहिये कि त्योहार के मौके पर दूकानें खुली रखें. तजवीज नंबर ४ से मेरे खयाल से कोई रुकावट न होगी. तजवीज नंबर ५ फिजिबल नहीं है. जब दवा के लिये जरूरत हो तब यह कहना होगा पेट में दर्द होता है, तो अब अपनी दूकान से खोल कर शराब दें. दर असल तजवीज नंबर १-२-३ की मैं ताईद करता हूं और ४-५ से मुखालिफत करता हूं.

भगवानदास साहब—मुंशी जगमोहनलाल की राय से मुझको पूरे तौर से इत्तफाक है. कलम नंबर ४ के मुताबिक त्योहारों में वाकई मुनश्शियात बंद रहना चाहिये ताकि वह अपने उन रादों से बाज रहें, जो वह होली वगैरा मौकों पर करते हैं और कलम नंबर ५ की निस्बत जो मेम्बर साहब ने राय दी है कि दर्द के लिये सख्त जरूरत हो तो तकलीफ होगी तो इसके लिये कई शफाखाने मौजूद हैं, डाक्टर साहब दवा दर्द की देंगे.

रियासत भोपाल में मुस्करात की दूकानें बंद कर दी गई हैं लेकिन वहां की रिआया बहुत खुश है, कोई तकलीफ नहीं हुई. चूंकि यहां बतदरीज मुस्करात के बंद करने की ख्वाहिश की जाती है लिहाजा काबिल कबूल है.

रामप्रताप साहब लूंबा—वकील साहब ने जो फरमाया है कि जो इस्तेमाल मुनश्शी अशियाय में तरक्की हुई है तो पहिले इसका इंतिजाम अच्छा न था और माल सस्ता मिलता था और इसी वजह से लोग ज्यादा खाते पीते थे. जब रियासत में अच्छा इंतजाम हो गया तो बाहर के लोग भी यहीं से माल लेने लगे.

अहमदनूरखां साहब—त्योहारों पर जरूर दूकानात बन्द कर दी जाना चाहिये ताकि लोगों का यह ख्याल रफा हो जाय कि यह त्योहार मजहबी तौर पर शराब पीने का है. ऐसी ही रात को दूकानात नशा जरूर बंद होना चाहिये क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जो कौम की चोरी से शराब पीते हैं वह रात ही में अंधयारे उजाले पी जाते हैं और यह ख्याल करना कि लोग बीमारी का बहाना करके रात को दूकान खुलवावेंगे यह गलत है. जब तक डाक्टर साहब का रुक्का या तबीब का नुसखा न दिखाया जावे बतौर दवा के भी शराब न दिलाना चाहिये.

हीरजीभाई साहब.—कलम नम्बर ४ से यानी दूकानें दो दिन तक बन्द कर दी जावें मुझे इत्तफाक नहीं है.

रामजीदास साहब.—जनाबवाला, नशे की चीजों की रोक करने का उसूल ऐसा है कि किसी को इससे इन्कार नहीं हो सकता. अब जो ख्यालात मेरे दोस्त ने जाहिर किये हैं

कि किस तरह नशे की चीजों की रोक की जाय वह डिटेल्स हैं और ऐसी डिटेल्स के लिये गौर और दूरंदेशी की जरूरत है. मेरा जहां तक खयाल है यह सारा बार गवर्नमेन्ट ही पर क्यों छोडा जाता है कि वह उसकी कानून के जर्ये से रोक करे. क्या कोई तरकीब ऐसी नहीं हो सकती कि लोग खुद ब खुद इसकी रोक कर सकें. अब लोगों की तवज्जोह अपनी तरक्की की तरफ है तो खुद भी इसकी रोक के लिये अपने तौर पर कोशिश करना चाहिये. मेहज गवर्नमेन्ट पर ही सारा बार न डालना चाहिये. मैं अपने दोस्त से ख्वाहिश करूंगा कि बजाय इसके यह तजवीज इस शक्ल में पेश हो तो बहतर होगा कि कमेटी मुकर्रर की जावे और वह इस पर गौर करे कि वह कौनसी बातें ऐसी हैं कि जिनके जरिये से नशे की रोक हो सकती है.

अहमदनूरखां साहब—बहुतसी कौमें ऐसी हैं कि जो अपने आप नशे के इस्तेमाल की रोक कर सकती हैं.

अब्दुल हमीद साहब—क़वाअद मजलिस आम के मुताबिक तरमीमात एक हफ्ता पेश्तर लॉ मेम्बर साहब के दफ्तर में पेश होना चाहिये. ऐन वक्त पर तरमीमात पेश नहीं की जा सकतीं लिहाजा यह तरमीम नामंजूर होना चाहिये.

शामजीदास साहब—मैंने तरमीम करने को इस गरज से जुर्रत की थी कि अभी चन्द मिनट पहिले एक साहब तरमीम पेश कर चुके हैं, और उनको इजाजत दी गई है.

ट्रेड मेम्बर साहब—साहबान, मुझको इस अम्र के इजहार करने में बहुत खुशी है कि जो लोग शराब पीने के किसी जमाने में शायक थे उनकी तवज्जोह अब उस कदर नहीं है. क्या आप लोग इसका अन्दाजा नहीं कर सकते हैं कि यह नतीजा दरबार के एक्साइज डिपार्टमेन्ट कायम करने का है. अगर दरबार यह डिपार्टमेन्ट कायम न करते और आज की तारीख में दो आना बोतल शराब बिकती तो उसका इस्तेमाल किस कदर ज्यादे होता. आप साहबान यह ख्याल कर सकते हैं कि जब दरबार ने अपना उसूल यह करार दिया है कि नशेबाजी की आदत कम की जावे, और इस काम के लिये एक्साइज का अमला मुकर्रर किया है तो यह ख्याल कर लेना कि काम करनेवाले इस कदर गाफिल हैं या अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, आपके काबिले गौर है. एदाद बतला देना दूसरी बात है लेकिन इन्तिजाम और बात है. जो एदाद बतलाये गये हैं शायद उन साहबान को यह बात मालूम नहीं है कि सम्वत १९६८ और १९६९ में एक्साइज का रियासत में बिल्कुल इंतजाम न था इस वजह से उस वक्त शराब की फरोख्तगी का ठीक अंदाजा मालूम नहीं होता था और जो तादाद फरोशिंदा बतलाते थे दर्ज की जाती थी. शराब की स्ट्रेंग्थ नापी नहीं जाती थी. नशे की दूकानों में कमी वाके हो रही है; मगर यकबारगी कमी वाके होना गैर मुमकिन है. आप साहबान गौर कर सकते हैं कि रियासत गवालियार के चारों तरफ कोई दीवार बनी नहीं हुई है जिससे नशे की चीजों का इलाके गैर से आना बंद हो. इलाके कैसरी में सौ रुपया सेर अफयून बिकती है और यहां पचास रुपया सेर, और इसी तरह वहां गांजा साठ रुपया सेर है और यहां बारह रुपया सेर है, और चंद रियासतों में इसके बरखिलाफ कार्रवाई है यानी हमारे यहां के निर्ख से उनका निर्ख सस्ता है, इसलिये लाजिम आता है कि दूकानात फासले के ऐतबार से कायम की जायें. वाजे रहे कि तमाम तअल्लुकात पर गौर करके निर्ख कायम किये जाते हैं, और निर्ख और सरहद्दी तअल्लुकात पर गौर करके दूकानात का फांसला कायम किया जाता है. दतिया, धौलपुर वगैरा जितनी रियासतें हम से मिली हुई हैं, वह जब तक हम से इत्तफाक न करें, न निर्ख कायम हो सकता है और न दूकानात कम की जा सकती हैं. गौर और तजरुबे के साथ कमी बेशी की जा सकती है. जिले अमझेरा में जहां भील पापुलेशन ज्यादा है अगर वहां दूकानात में कमी करदी गई तो वहां के लोग जगह छोड कर चले जावेंगे, लेकिन शराब पीना नहीं छोडेंगे.

दूकानात की कायमी रकबे के ऐतबार से की जाती है और कम से कम २० स्क्वेअर माइल्स का फासला नशेबाजों के लिये रखा गया है जिससे यकीनन कुछ तकलीफ के बाद नशे की चीज मिलती है. इलाकेजात सरहद्दी के तअल्लुकात पर और फरोख्त या नशेबाजी कम हो जाने के उसूल पर हमेशा दूकानात कम की जाती हैं.

दूसरा सवाल यह है कि दूकानात पर मुनश्शियात के इस्तेमाल की कतई मुमानियत कर दी जावे. इस बारे में पहिले जमाने के मुकाबले से बहुत कमी हो गई है और करीब ही वह जमाना आवेगा जब ऐसा हुक्म हो सकता है कि दूकानों पर शराब न इस्तेमाल की जावे, मगर अभी ऐसा जमाना नहीं आया. अठारह साल की बाबत जो आपने फरमाया है कि लायसेन्स में मियाद अठारह साल है और कानून में चौदह साल है इसलिये अठारह साल से कम उम्र वाले को अशियाय मुनश्शी फरोख्त न की जावें, इसकी बाबत लाइसेन्स के फॉर्म में चौदह साल छपा हुआ है, और कानून में भी चौदह साल है. इसकी बाबत साल गुजिश्ता की मीटिंग में बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है, इसलिये अब ज्यादा बहस की जरूरत नहीं और चौदह साल की जो मियाद कायम की गई है वह बहुत सोच समझकर की गई है, इसके मानी सिर्फ यही हैं कि जो छोटे बच्चे हों उनके हात अशियाय मुनश्शी फरोख्त न की जाये.

चौथा सवाल आपका मजहबी त्योहारों के मौकों पर नशे की दूकानात बंद रखने की निस्बत है. यह सवाल वाकई अच्छा है, मगर बहुत लोग उस मौके पर दाखिल मजहब समझकर नशे का इस्तेमाल करते हैं, और बहुतसी कौमें—मस्लन काछी, कुम्हार जो खास तौर पर इन मौकों पर नशे का इस्तेमाल करती हैं उनको दूकानें बंद रखने से यह कहने का मौका मिलेगा कि हमारे मजहबी तअल्लुकात में एक किस्म की मदाखलत की जाती है. अमझेरा में होली के दो तीन रोज पहिले मेला होता था और इसमें तमाम भील जमा होकर शराब पीते थे, मगर अब यह मेला बंद कर दिया गया, लेकिन कतई तौर पर यह तरीका हर जगह ठीक न होगा.

पांचवां सवाल भी बजात खुद अच्छा है कि १० बजे दिन से ५ बजे दिन तक नशे की दूकानात खुली रहा करें. वाकई जो लोग बेकार हैं वह इस वक्त में जरूर शराब खरीद कर ले जावेंगे, लेकिन मजदूर पेशा लोगों को अपनी मजदूरी छोडकर शराब खरीदने की फुरसत नहीं होगी. साहबान, हर तरक्की के लिये और हर नेक काम के लिये हर शख्स की यह ही ख्वाहिश है कि जहां तक हो सके जल्दी की जावे. मगर हर हालत में कुछ जमाना दरकार होता है. आप गौर कीजिये कि इस डिपार्टमेन्ट को कायम हुए सात आठ साल हुए उस वक्त से आप इस बात का अन्दाजा कर सकते हैं कि इस जमाने में नशेबाजी की कमी हुई और इन्सदाद हुआ और पब्लिक को कुछ फायदा हुआ या नहीं. गो यह सवाल कवाअद मजलिस आम की दफा २२ के किसी हेड में नहीं आता ताहम दरबार ने खुसूसियत के साथ यह सवाल मजलिस में रखने के लिये इस वजह से हुक्म दिया था कि मैं आप साहबान की वकफियत के लिये जो कुछ इन्तजाम अब तक हुआ है जाहिर करूं, मेरी इस तजवीज से मजलिस इत्तफाक करे या मेरे ख्यालात की तरदीद हो. इन्तजामी तअल्लुकात जो कुछ थे वह मैंने जाहिर कर दिये.

प्रेसीडेन्ट साहब—कवाअद मजलिस आम की दफा २१, तहती दफा ४, की रू से जगमोहनलाल साहब को इस का हक है कि इस बहस के बाद इस सिलसिले में वह जो कुछ कहना चाहें जवाबन कह सकते हैं.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला, इस तजवीज के मुतअल्लिक जिस तरह से इजहार ख्यालात मेरे दोस्त नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान ने किये हैं इससे जाहिर होता है कि सिर्फ दो साहबान ने इसकी मुखालफत की है, बाकी किसी साहब ने मुखालफत नहीं की. इस से साफ जाहिर है कि यह तजवीज सब साहबान को मंजूर है. मेरे दोस्त लालचंद साहब ने कुल अददों को मंजूर करते हुए मेरे ऐदाद से यह नतीजा निकाला है कि नशे में कमी हुई, मगर मैं इसे मानने के लिये तय्यार नहीं हूं, जब तक इन ऐदाद को गलत साबित न कर दिया जावे या

इनके मुकाबले में दूसरे ऐदाद न बतला दिये जावें उस वक्त तक उनकी राय महज जाती राय रह जाती है, दूसरे मौतरिज मेरे मोअज्जिज दोस्त लाला रामजीदास साहब वैश्य हैं. जहां तक मैं समझता हूं उन्हों ने इस तजवीज पर कतई राय न देते हुए जो राय दी है वह यह है कि एक कमेटी मुकर्रर की जावे. इसके बाबत अब्दुल हमीद साहब ने एतराज किया था कि यह तरमीमी तजवीज है जो एक खास सूरत में मजलिस में पेश की जा सकती है. गवर्नमेन्ट की तरफ से ट्रेड मेम्बर साहब ने फरमाया है कि इस तजवीज के पेश करने से यह मतलब होता है कि महक्मे की गफलत रही है, मगर सब से पहिले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मेरा हरगिज यह मनशा नहीं है. जो इस्लाह इस महक्मे ने की है उससे मुझे इनकार नहीं; लेकिन मेरा मुद्दआ यह है कि जिन लाइन्स और उसूलों पर यह महक्मा चल रहा है, उन्हीं लाइन्स व उसूलों के मुताबिक सजेशन्स पेश हों और मजलिस से इल्तमास है कि वह इसको कबूल करे. मेरी नियत हरगिज यह नहीं है और न मेरी ख्वाहिश है कि महक्मे के इन्तजाम के मुतअल्लिक मजलिस में बुरा असर पैदा करूं जहां तक Fact और Figures से तअल्लुक है इसके मुतअल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि जनाब ने यह फरमाया है कि संवत १९६९ के कब्ल के ऐदाद सही नहीं कहे जा सकते हैं, इसलिये मैं भी सरेदस्त उनको छोडता हूं. सम्वत १९७० के बाद के ऐदाद से कमी जाहिर नहीं होती है. वह एदाद रिपोर्टों की रू से हैं. इन रिपोर्टों के ऐदाद सही हों या गलत, लेकिन यह मैं जाहिर करता हूं कि सही ऐदाद महक्मे ट्रेड से चाहे थे जो मुझे नहीं मिले. सम्वत १९७० के बाद कमी हुई यह मैं मानने के लिये तय्यार नहीं हूं जब तक कि दूसरे एदाद जाहिर न हों. आपने इसी के साथ यह फरमाया था कि यह इन्तजामी बातें हैं. मेरा निर्ख की बाबत कोई सवाल नहीं है, मगर आप ने इसका जिक्र फरमाया था जो मेरी तजवीज के गैर मुतअल्लिक है. एक बात आपने यह भी फरमाई थी कि कवाअद मजलिस आम की दफा २२ में यह सवाल नहीं आता. जहां तक मैं समझता हूं इसकी बाबत कोई एतराज नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि दरबार मुअल्ला ने यह सवाल मजलिस में रख दिया है, अब इस की बाबत कोई बहस नहीं हो सकती. सम्वत १९७४ की बाबत मेंबर साहब ने फरमाया है कि दूकानात में कमी हुई है, वह ऐदाद से जाहिर है. नीज मेम्बर साहब ने यह भी फरमाया है कि दूकानात की कायमी के वक्त उसूल को मद्देनजर रखकर शराब के लिये बारह या तेरह मील का area और गांजा और भंग की दूकानात के लिये बीस या बाईस मील का area कायम किया गया है, इनके लिये एक उसूल हर किस्म की चीज के लिये होना चाहिये न कि जुदा जुदा.

तजवीज के दूसरे हिस्से के मुतअल्लिक यह कहा गया है कि मजदूर पेशा के लिये कोई क्लब नहीं होते, इसलिये उनको कोई मौका दिया जावे तो क्या यह दूकानें मजदूरों के लिये क्लब मुकर्रर हुई हैं. ऐसा नहीं है. अगर इस दलील पर कुछ ज्यादा गौर किया जावे तो यह बात मानने के काबिल नहीं है और मेरे ख्याल से यह बात ऐसी होगी कि गोया यह दूकानात मजदूर पेशा लोगों के लिये ही बनी हैं.

साहब मौसूफ ने फरमाया है कि दूकानात पर मजमा न किया जावे इसकी बाबत लाइसेन्स के फार्म पर शर्त दर्ज है. मैं निहायत अदब से अर्ज करता हूं कि जब कि १६ साल से यह महक्मा कायम है तो क्या अब भी यह वक्त नहीं आया है कि इस जरासी बात को मजलिस मंजूर करे. थोडी देर के लिये यह बात मानली जावे कि १४ साल की शर्त जो लाइसेन्स के फार्म में दर्ज है वह बिलकुल सोच कर रखी गई है, मगर मैंने जिस

रिपोर्ट का हवाला दिया उस के उस सफे को पढ लिया जावे जिसका मैंने जिक्र किया है, लाइसेन्स का फार्म मुझे मिला नहीं, बहर हाल उम्र का सवाल काबिल गौर है.

मजहबी त्योहारों के मुतअल्लिक जो आपने फरमाया है कि लोग मजहबन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर यह बात मानली जावे कि वह मजहबन ऐसा करते हैं तो इन्हें ऐसा क्यों करने दिया जावे जब कि मजहबन यह बात गलत है. इसलिये तदबीर यह करना चाहिये कि ऐसे दिनों में वह ऐसी चीजें इस्तेमाल न करें, मगर यह जब ही हो सकता है कि जब त्योहारों पर दूकानात बंद रखी जावें.

पांचवें मजदूर पेशा जमाअत के साथ मेम्बर साहब ने हमदर्दी का इजहार फरमाया है कि अगर दस बजे से पांच बजे तक दूकानें खुली रहेंगी तो इनको अशिया मुनश्शी नहीं मिल सकतीं. इस की निस्बत मेरी यह अर्ज है कि चूंकि यह ही लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इन्ही के रास्ते में ज्यादा रुकावटें पैदा करने की जरूरत है. मैं उम्मीद करता हूं कि मजलिस एक जबान होकर जो तजावीज मैंने पेश की हैं उनको मंजूर फरमावेगी.

इसके बाद वोट लेने पर कसरत राय से तजवीज पास हुई.

तजवीज नम्बर ११, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है किः—

Economic Development Board को हुक्म दिया जावे कि मार्फत माहिरीन रियासत हाजा की Economic Survey (इक्तसादी तहकीकात) कराके दरबार मोअल्ला में मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करे कि रियासत हाजा में आयंदा तिजारत व सनअती तरक्की किस तरह पर हो सकती है.

इस तजवीज को पेश करते हुए जगमोहनलाल साहब ने कहा कि कोई मुल्क उस वक्त तक कामिल तौर पर सरसब्ज नहीं हो सकता और न वह तरक्की कर सकता है जबतक कि उसमें तिजारती व सनअती तरक्की न हो जावे, और यह तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि मुल्क के पैदावार के वसायल के मुतअल्लिक काफी जांच और उसकी एकानोमिक हालत की बखूबी Study न कर ली जावे. इसलिये इस अमर की सख्त जरूरत है कि कामिल गौर के बाद माहिरीन रियासत यह तय कर देवें कि किस २ किस्म का कारखाना कहां २ कायम किया जा सकता है. यह बुनियादी उसूल तिजारत है. ऐसा करार देने के बाद उस मुताबिक अमल करने व पैदावार के तमाम वसायल को तरक्की देने की कोशिश की जावे. अपनी एकॉनामिक हालत दुरुस्त करने के लिये यह अमर निहायत जरूरी है कि अपने यहां की कॉटेज इन्डस्ट्रीज को वसीअ किया जावे. पस इस तरफ भी खास तवज्जुह करने की जरूरत है. इसी सिलसिले में एक और अमर काबिल गौर होगा जिसपर मुल्क की बेहबूदी का एक हद तक दारमदार है. टैरिफ के तअल्लुकात में फ्री ट्रेड व प्रोटेक्शन के उसूलों की बाबत माहिरीन में हमेशा इख्तिलाफ रहा है. हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत को मद्देनजर रखते हुए फिस्कल कमीशन ने हाल में राय दी है कि इस मुल्क के लिये discriminate protection पॉलिसी ज्यादा मुफीद साबित हो सकती है. पस यह करार देने की भी जरूरत है कि इस पॉलिसी पर किस हद तक अमल अपने यहां किया जा सकता है. इसलिये मेरी यह ख्वाहिश है कि चन्द माहिरीन से तमाम रियासत की survey कराकर आयन्दा तरक्की किस तरह पर हो सकती है इसका प्रोग्राम बना दिया जावे, ताकि उस प्रोग्राम के मुताबिक अमल किया जावे.

अब्दुल हमीद साहब—मैं इस सवाल की ताईद करता हूं.

जमनादास साहब झालानी—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं, साथ ही यह भी गुजारिश करता हूं कि जो survey हो वह बतौर open proceedings के हो. फिलहाल एकॉनामिक डिवलपमेन्ट बोर्ड की प्रोसीडिंग्स अवाम को जाहिर नहीं की जाती हैं, सर्वे बतौर कमीशन के अवाम में अवाम की मदद से की जावे. रियासत में बहुत सी कॉटेज इन्डस्ट्रीज जारी हैं लेकिन फाइनेन्शियल इम्दाद न मिलने से उनकी तरक्की नहीं होती है. इसी तरह काश्तकार पेशा लोग बहुत सी इन्डस्ट्रीज को जारी कर सकते हैं जिससे famine के जमाने में या उनके dull season में उनको फायदा पहुंच सकता है और इस तरह रियासत में भी तरक्की होगी.

गुरुदयाल साहब—बहबूदी मुल्क के लिये तिजारत व सनअत में तरक्की होना जरूरी व लाजमी है. जिस कदर कि होना चाहिये उस कदर तरक्की सनअत व हिरफत में नहीं हैं. इसकी कमी और जरूरत पूरा करने के लिये मैं इस राय से मुत्तफिक हूं कि माहिरीन के जर्ये से इसकी तहकीकात कराई जावे और उसके नतीजे पर deal with किया जावे.

ट्रेड मेम्बर साहब—इस सवाल में यह दरख्वास्त की गई है कि एकानॉमिक डिपलपमेन्ट बोर्ड को यह हुक्म दिया जाय कि वह माहिरीन से एकानॉमिक सर्वे कराकर दरबार मोअल्ला की खिदमत में मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करे और यह भी कहा गया है कि एकानामिक डिवलपमेन्ट बोर्ड में क्या होता है इसकी वाकफियत पब्लिक को नहीं होती. सब साहबों को मालूम होगा कि ऑफिसरान रियासत उसके मेम्बर हैं. अलावा इनके पब्लिक की तरफ से भी मुन्तखिब किये हुए मेम्बर और नीज गैर मुमालिक के लोग भी मेम्बर्स हैं. ऐसी हालत में आम वकफियत का क्या और कोई तरीका बजुज paper के हो सकता है और अखबारों ने इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार भी किया है. चुनांचे एकानॉमिक सर्वे कराने का सवाल इकानामिक डिवलपमेन्ट बोर्ड के रूबरू पेश हुआ और कमेटी मुकर्रर हुई, जिसने इसपर गौर किया और फिर एकानामिक डिवलपमेन्ट बोर्ड में यह सवाल पेश हुआ और यह फैसला हुआ कि जरूरत सर्वे कराने की नहीं है. जो कागजात मुरत्तिब हैं या जो नक्शेजात मौजूद हैं उनसे अन्दाजा हर चीज की पैदावार का अच्छा हो सकता है. यह बहुत बड़ा मुल्क नहीं है कि जिसकी वकफियत फराहम करने के लिये एक खास कमीशन मुकर्रर किया जाय. काटन आइल सीड व दीगर खास खास जो चीजें हैं उनको सब जानते हैं. अगर किसी नावाफिक शख्स को कुछ वकफियत हासिल करने की जरूरत हो तो वह कामर्स डिपार्टमेन्ट से हासिल कर सकता है. कामर्स इन्सपेक्टर दौरा करके नई वकाफियत फराहम करते हैं, और जो कोई शख्स वकफियत हासिल करना चाहे उसको वकफियत देते हैं और जरूरी अयानत दिलाने के लिये कोशिश करते हैं. इन तमाम तअल्लुकात पर गौर करके मेरी यही राय है कि जब एकानॉमिक डिवलपमेन्ट बोर्ड का फैसला हो चुका है तो कमीशन से सर्वे कराने की जरूरत नहीं है.

इसके बाद प्रेसीडेन्ट साहब के मजलिस की राय लेने पर कसरत राय से मुजव्विज साहब की तजवीज नामंजूर हुई.

तजवीज नम्बर १३, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

जो अपीलें बमूजिब दफा २३४, जाब्ता दीवानी, दायर हों उन पर कोर्ट फीस व हिसाब मालियत न लिया जावे बल्कि वह बसीगे मुतफर्रकात समाअत हुआ करें.

जगमोहनलाल साहब ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा कि जब सीगे दीवानी में कोई नालिश दायर होकर डिक्री हासिल कर ली जाती है और फिर सीगे इजराय में लाई जाती है तो फरीकैन डिक्री के दरमियान अक्सर तनाजिआत इस किस्म के पैदा

होते हैं—मस्लन डिक्रीदार ने सूद जियादा लगाया है या मदयून यह बतलाता है कि डिक्रीदार ज्यादा जायदाद पर कब्जा लेना चाहता है. दफा २३४, जाब्ता दीवानी, के मुताबिक ऐसे तनाजिआत के तसफिये सीगे इजराय में होते हैं, उनके अपील पर बजाय इसके कि मुतफर्रिकात अपील्स का कोर्ट फीस लिया जावे, ७।।) रुपये सैकडे के हिसाब से कोर्ट फीस लिया जाता है. कानून कोर्ट फीस के मुताबिक ऐसे अहकाम के खिलाफ जो डिक्री का असर रखते हैं अपील होने पर पूरा कोर्ट फीस देना पडता है. अहकाम जेर दफा २३४ भी डिक्री का असर रखते हैं, इसलिये उन पर भी पूरा कोर्ट फीस देना लाजिमी है, क्योंकि इस दफा २३४ की जो शरह है या नजायर हैं उनमें यह तय हो चुका है कि इसके बमूजिब अहकाम डिक्री का असर रखते हैं. अब मजलिस गौर फरमा सकती है कि अगर किसी फरीक को इब्तदाई के ५ दर्जे तय करने के बाद इजराय डिक्री में भी ५ दर्जे तय करना पडें तो किस कदर जेरबारी कोर्ट फीस की उठाना पडेगी. चुनांचे इस बात की तशरीह जर्ये सरक्यूलर कर दी जावे कि पूरा कोर्ट फीस न लिया जाकर मिस्ल मुतफर्रिकात के इजरा की अपीलों पर कोर्ट फीस लिया जाया करे.

जमनादास साहब झालानी—मैं अपने लायक दोस्त की ताईद करता हूं. बरूय दफा २३४ अहकाम मुतअल्लिक execution, discharge and satisfaction डिक्रियात की तारीफ में शुमार किये गये हैं और डिक्रियात के खिलाफ अपील पूरे रसूम पर लिया जाता है. यह अहकाम British India के जाब्ता दीवानी में तो डिक्रियात की तारीफ में इस वजह से दाखल किये गये कि वहां अहकाम का अपील सिर्फ एक दर्जा होता है और चूंकि इजरा के मुतअल्लिक अहकाम अहम होते हैं इसलिये दर्जे बदर्जे अपील करने का हुक्म दिया जाता है. लेकिन रसूम की अगराज के लिये डिक्रियात की तारीफ में नहीं शुमार किये गये. मेरी समझ में हमारे यहां गलती से रसूम एक्ट में दफा २३४ के अहकाम के खिलाफ अपील के लिये पूरा रसूम न लिया जावे ऐसा provision नहीं रखा गया और गलती न भी हो ताहम दुबारा रसूम लिया जाना मुनासिब नहीं है.

महादेवराव साहब—मैं जगमोहनलाल साहब की तजवीज से इत्तिफाक करता हूं.

लालचन्द साहब—मामलात इजरा में जो अहकाम ब सीगे मुतफर्रिकात काबिल अपील समझे गये वह दफा ५२८ में बतला दिये गये—मस्लन नामंजूरी इजरा, रद्द नीलाम व मुस्तकली नीलाम वगैरा २. चूंकि दफा २३४, हर्फ (बे) के तमाम अहकाम इजरा से मुतअल्लिक हैं, अगर इन के अपीलों पर मिस्ल मुतफर्रिकात अपीलों के कोर्ट फीस लिया जावे तो मुद्दतों तक हकरसी न होने पावेगी, क्योंकि इस किस्म के तनाजियात के मुतअल्लिक बहुत सहूलियत से अपील दायर किये जा सकेंगे. अलावा इसके बे इन्तहा काम बढ जावेगा व फरीकों पर मजीद खर्चे का बार पडेगा.

गुरुदयाल साहब—हुजूर आली, मजलिस के गौर करने के लायक सवाल यह है कि जिस कर्जे के तय करने में पेश्तर स्टाम्प ले लिया गया है उसी के मुतअल्लिक सीगे इजराय डिक्री में हकरसी के मुतअल्लिक किसी अदालत के हुक्म की नाराजी से अदालत बाला दस्त में चाराजोई करने की सूरत में दुबारा पूरा स्टाम्प नहीं लेना चाहिये.

लॉ मेंबर साहब—जुडीशियल कॉन्फरेन्स सम्वत १९७० में यह सवाल पेश हुआ और सब साहिबान मौजूदा कॉन्फरेंस ने बिल इत्तफाक यह राय करार दी कि दफा २३४ के अहकाम के खिलाफ जो अपीलें हों उन पर पूरा कोर्ट फीस नहीं लिया जाना चाहिये, यानी जो तरीक अमल ब्रिटिश इन्डिया में है वह यहां भी होना चाहिये. कॉन्फरेन्स की तजवीज दरबार की खिदमत में पेश होने पर दरबार के हुक्म से मुआम्ला मजलिस में जेर गौर है. मुझ को भी इस तजवीज से कि अपील जेर

दफा २३४ में पूरा कोर्ट फीस न लिया जावे पूरा इत्तफाक है. मुआम्ला जाब्ते से मजलिस में पेश होकर तय होगा. मेरे ख्याल मे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं.

प्रेसीडेन्ट साहब—जगमोहनलाल साहब, लॉ मेम्बर साहब ने जो वाकआत बयान किये उनकी रूसे मेरा ख्याल है कि शायद आप formally इस सवाल को वापिस लेना पसंद करेंगे.

जगमोहनलाल साहब—मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज नम्बर १४, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

अक्सर देखने मे आया है कि लोग बमौकेजात शादी व गमी दूसरे की देखा देखी या अपने बुजुर्गों के बड नाम के पीछे मौजूदा जमाने की हालत व अपनी आमदनी व खर्च का खयाल न करते हुए तैश में आकर हैसियत के बाहर फिजूल खर्ची कर डालते हैं जिसकी वजह से वह मकरूज होकर चंद ही रोज में बिगड जाते हैं.

इसलिये बिनाबर इन्सदाद फिजूल खर्ची व मौकेजात शादी व गमी कवाअद बजे किये जावें.

इस तजवीज को मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने पेश करते हुए कहा कि हुजूर आली, रियासत हाजा की मर्दुमशुमारी करीब बत्तीस लाख के है जिसमें एक लाख दस हजार स्त्री पुरुष पढे हुए हैं और जिनमें छै हजार ऐसे हैं कि जो दस वर्ष से कम के हैं, इस तरह पढे लिखों का फीसदी सात के करीब औसत होता है जो बहुत ही कम है. मौजूदा जमाने में कहत साली इस कदर बढी हुई है कि हर चीज का भाव बमुकाबले असली हालत के दुगना, चौगुना बढा हुआ है. लोग विवाह, शादी व गमी के मौके पर अपने बुजुर्गों के नाम पर हजारहा रुपया खर्च कर डालते हैं. एक की देखा देखी दूसरा तैश में आकर अगर अपने पास रुपया न हो तो भी मुकाबला करने को तैयार हो जाता है, कुछ विचार नहीं करता; इसलिये सख्त नुक्सान पहुंचता है जो बदनामी के खयाल से मजबूरन लोगों को करना ही पडते हैं. रियासत हाजा की रिआया इतनी पढी लिखी नहीं है कि अपनी दशा सुधार सके. दीगर रियासतों में इसके मुतअल्लिक लोगों ने तवज्जुह की है, मगर रियासत हाजा के अंदर ऐसी कौमें बहुत कम हैं, मेरे खयाल से फीसदी दो या तीन होंगी. रियासत हाजा में जियादातर जमींदारी व काश्तकारी पेशा लोग हैं जो नाख्वांदा हैं और यही लोग फिजूल खर्ची करने के आदी हैं, जिसके दूर करने के लिये कवाअद बजे किये जावें, जो रियासत की सरसब्जी के बायस होंगे. फिजूल खर्ची विवाह शादी में कौन कौनसी हैं वह हस्ब जैल हैं :—

(१) बारात में जरूरत से ज्यादा आदमी ले जाना.

(२) आतिशबाजी, फुलवारी वगैरह ले जाकर रुपया बरबाद करना.

(३) इसी तरह बमौकेजात गमी नुक्ता वगैरह करना.

इसकी रोक दूसरी रियासतों—मस्लन कोटा, अलवर, बडौदा और रतलाम में बजर्ये कानून की गई है; इसलिये मजलिस में मैं यह तजवीज मूव करता हूं.

भगवान स्वरूप साहब—मैं इसकी ताईद करता हूं.

अब्दुल हमीद साहब—यह एक ऐसी तजवीज है कि जो काबिल अमल नहीं है. मैं सिर्फ इस अमर पर गौर करता हूं कि शादी विवाह में ज्यादा आदमियों का ले जाना किस तरह से बंद हो सकता है. क्या सूबा साहब या कोतवाल साहब का फर्ज होगा कि वह उनकी हैसियत की तहकीकात कर लें और फरदन फरदन हर शख्स की हैसियत का रिकार्ड अपने पास रक्खें. जितनी

रिआया है उसके मुतअल्लिक हर आदमी की आमदनी का रिकार्ड रखना एक बडा अहम काम गवर्नमेन्ट को हो जावेगा. लिहाजा मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं.

महादेवराव साहब—हुजूर वाला, यह मामला जाती है इसलिये इसकी बाबत कोई कानून नहीं हो सकता; लिहाजा मैं इस सवाल से मुखालिफत करता हूं.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—शादी और गमी के मौके पर प्रजा फिजूल खर्च भी कर डालती है, शादी में आतिशबाजी, वेश्या नृत्य वगैराह और गमी में नुक्ता, लायन, नुक्ते में जाति के लोगों को बडी तादाद पर बुलाकर खिलाना और हर एक को लायन यानी थाली, लोटे, घडे वगैरा बांटना, पहिले पंचलोग प्राय: यह जोर देकर कराते थे, लेकिन जमाना सुधर रहा है जिसकी तरफ वे भी तवज्जह करने लगे हैं और अपनी जाति की कान्फरेन्स करने लगे हैं. वे लोग भी ऐसे ही प्रस्ताव पास करते देखे गये जो फिजूल खर्ची के बंद करने के थे, इसलिये जब जनता अपने समाज की फिजूल खर्ची के हटाने का प्रयत्न करने लगी है फिर गवर्नमेंट को ऐसे काम में हाथ डालने की राय देना एक तवालत है.

रामप्रताप साहब लूम्बा—मुझे भी इत्तफाक है.

होम मेम्बर साहब—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब, जो तजवीज पेश की गई है उसकी मुखालिफत करते हुए चन्द साहबान ने वह दलायल जो मुझ को पेश करने थे वह पेश किये हैं, इसलिये मुझे उनके दुहराने की जरूरत मालूम नहीं होती. मेरे ख्याल से जिस खराबी के रफा करने के लिये कानूनी इम्दाद चाही गई है वह सब कौमों में नहीं है और शायद यह तजुर्बा मुजव्विज साहब को भी होगा. अब रहीं वह कौमें जो देखा देखी अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करती हैं उनको ऐसा करने से कानून के जर्ये से रोकने के लिये यह देखना चाहिये कि दरबार ने जिन कौमों के लिये इस किस्म की रोक के कवायद जारी किये हैं उन्हों ने उनसे कितना फायदा उठाया है और इस बारे में तजुर्बा क्या हुआ है ? राजपूत हितकारिणी सभा इसी गरज से कायम है और दरबार ने इसी किस्म की खराबी की रोक के लिये उसके कवायद जारी फरमाये हैं. मगर उन कवायद की तामील राजपूत साहिबों की तरफ से कितनी होती है, वह मोहताज बयान नहीं है; या यूं कहना चाहिये कि उन कवायद की तामील नहीं होती. सभा मजकूर की सेन्ट्रल कमेटी के मेम्बर तसलीम करते हैं कि सभा से फायदे हैं और जो कवायद जारी किये हैं उनकी जरूरत है, मगर उनसे खराबियों की रोक नहीं होती है. उसके साथ ही यह बात भी गौर करने के काबिल है कि इन कवायद की रियासत ही में पाबंदी नहीं होती है तो इन की पाबंदी उन लोगों से कैसे कराई जा सकती है जो शादी इलाके गैर में करते हैं, और अगर वह करना भी चाहें तो इलाका गैर के लोग उन्हें अपनी मरजी के मुताबिक खर्च करने व बडी बरात लाने के लिये मजबूर करते हैं और रियासत के लोग उनकी मंशा के मुताबिक रियासत के कवायद के खिलाफ अमल करने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसी सूरत में मुजव्विज साहब की तजवीज के मुताबिक अगर दरबार ने कवायद वजा भी फरमाये तो उसका नतीजा क्या निकलेगा और जो तजुर्बा एक काम के मुतअल्लिक हासिल हुआ है वह क्या काफी नहीं है. एक मेम्बर साहब ने फरमाया है कि जाति के ऐब दूर करने के लिये जाति को ही कोशिश करना चाहिये और जो मेरा तजुर्बा इस बारे में है उसके एतबार पर मैं भी यही अर्ज करता हूं कि ऐसे कवायद के बनाने से जाती सुधार के कवायद की फेहरिस्त तो इजाफा हो जावेगी मगर नतीजे के लिहाज से यह काम बेसूद होगा, इसलिये जाति के सुधार का काम जाति के लोगों को खुद ही करना चाहिये और दरबार को इस बारे में कानून बनाने की जरूरत मालूम नहीं होती है.

इसके बाद वोट लिये जाने पर कसरत राय से तजवीज नामंजूर हुई.

तजवीज नम्बर १५, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मौजूदा जमाने में कम उम्र में शादी करने का व कन्या विक्रय का (रुपया लेकर ज्यादा उम्रवाले या किसी खास वजह से जिसकी शादी न होती हो उसके साथ शादी करना) प्रचार कसरत से है जो सेहत व तन्दुरुस्ती इन्सान को बहुत ही मुजिर है व विधवाओं की संख्या (तादाद) व शरीफ कौमों में जिनमे नात्रा नहीं होता अत्याचार बढने का व कई दीगर खराबियां पैदा करने का यही खास जर्या है जिसकी रोक होने के लिये मिस्ल दीगर स्टेट्स कवाअद वजे किये जावें.

इस तजवीज को पेश करते हुए मूंगालाल साहब ने कहा कि कम उम्र में शादी होने का रिवाज दिन ब दिन बढता ही जाता है. यह कहावत मशहूर हो गई है कि जिन्दगी का भरोसा नहीं है बाल बच्चों की शादी से निपट ही जाना चाहिये; मगर कम उम्र में शादी होने से जो नुक्सान समाज को होता है उस पर तवज्जुह नहीं करते. बचपन में शादी करने से तरह २ की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, स्त्री पुरुष में कई किस्म की बीमारियां हो जाती हैं. खासकर जमींदारान व काश्तकारान जो कि अविद्या के अन्धकार में पडे हुए हैं वे अपने बच्चों की शादियां तीन २ चार २ साल की उम्र में कर डालते हैं. अगर लडकी की उम्र लडके से ज्यादा हो तो भी परवाह नहीं करते. विधवाओं की संख्या बढने का यही तरीका है. इसके कारण जो २ खराबियां पैदा होती हैं वे मैं ऊपर जाहिर कर चुका हूं. आज कल के जमाने में कसरत से इन्फ्लूएन्जा या प्लेग अक्सर फैला ही करता है जो समाज को दिन पर दिन नुक्सान पहुंचा रहे हैं. समाज की दशा अभी इतनी सुधरी हुई नहीं है कि वह अपना अंग खुद सुधार सके जिसकी वजह से मनुष्य को मजबूर होकर ऐसा करना ही पडता है. मालदार लोग लडकियों के लालची वालदैन को रुपया देकर उनकी लडकियों से शादी कर लेते हैं जिसकी वजह से जो जो नुक्सान होते हैं वह मैं ऊपर जाहिर कर चुका हूं. यह तजवीज सन १९२० ई. में मंजूर होकर प्रांत बोर्ड में भेजी गई थी, मुझे उम्मीद थी कि वह मजलिस में पेश होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ. हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू ने खुद इसकी तरफ इशारा फरमाया है. मैं उम्मीद करता हूं कि मेम्बर साहबान मजलिस आम गवर्नमेन्ट के हुजूर में इसके पास होने की सिफारिश करेंगे.

जहांगीर बहमनशा साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं. मगर सवाल यह है कि जहां कि रिआया की हालत देखते हुए जो कम उम्र में शादी करने का रिवाज है वह कैसे रोका जा सकता है. अभी थोडा अर्सा हुआ कि मजलिस कानून से तय पाया है कि जब तक औरत की उम्र १४ साल की न हो विवाह का शारीरिक संस्कार नहीं हो सकता, मेरे खयाल में यह तजवीज काफी है.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—यह सवाल धर्म से और समाज से भी सम्बन्ध रखता है. बालविवाह की निस्बत, जैसा कि मैं समझता हूं, सुधार है और होता जाता है. कोई हिस्सा ऐसा भी है कि जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बहुत ऐसे भी बडे हिस्से में हैं जो स्त्री धर्म आने से पहिले लडकी की शादी धार्मिक उसूल से करते हैं, लेकिन उनकी रस्म में इस तरह प्राय: लडकी शादी होने पर अपने सुसराल को नहीं जाती, गौने के समय वह लडकी को सुसराल भेजना ठीक समझते हैं. ऐसे लोगों में बालविवाह हानिकारक भी नहीं है. एक कौम ऐसी देखी गई है जिसको कडवे कुलमी कहते हैं, उनका यह तरीका है कि जिस वक्त उज्जैन का सिंहस्थ का मेला आता है उस वक्त उनके शादी का मौका आता है. बारह बरस तक वह शादी नहीं करते, लडकी छोटी हो तो भी

उसी तारीख को विवाह करेंगे, और बडी हो तो भी उसी तारीख पर विवाह करेंगे. कानून बनाने में ऐसे मौके अडचन लावेंगे, और हरएक जाति अपनी सभा करके इसके सुधार के नियम बनाकर पालने लगी है. मैं समझता हूं कि यह भी समाज के मुतअल्लिक़ रक्खा जावे, इसके वास्ते कोई कानून न बनाया जावे.

महादेवराव साहब, टोडरमल साहब, व रामचन्द्र साहब बोहरा ने भी इस तजवीज से मुखालफत की.

अहमदनूरखां साहब—इस तजवीज के दो हिस्से हैं (१) बचपन में शादी करना, यह नहीं होना चाहिये, (२) दूसरा हिस्सा रुपये लेकर बडी उम्र वाले से शादी करना, जो मेरी राय में कम उम्र की शादी की निस्बत जियादा मुजिर और काबिल रोकने के है; लेकिन मां बाप से जायद कोई शफीक नहीं होता. जब तक कि समाज के लोग कानून बनाकर पास न करा लेवें, इसका इन्सदाद नहीं हो सकता, लिहाजा मैं मुखालिफत करता हूं.

रामराव गोपाल देशपांडे साहब—कन्या विक्रय करना शास्त्र के खिलाफ है और गुनाह है, रिआया की परवरिश को मद्देनजर रखते हुए कुछ कानून ऐसे बना दिये जावें कि लडकी को जियादा उम्रवाले के साथ रुपया लेकर न ब्याहा जाये, अगर ऐसा किया जावेगा तो करनेवाले को सजा दी जावेगी.

रन्धीरसिंह साहब—इसकी मैं भी ताईद करता हूं.

पन्नालाल साहब—मैं इस तजवीज की मुखालफत करता हूं, जैसे दरख्त को कीडा लग जाने से दरख्त को नुक्सान पहुंचता है उसी तरह बाल विवाह के होने से भी मनुष्य के जीवन को कीडा लग जाता है. मगर चूंकि यह मुआम्ला समाज का है, इसलिये वह मजलिस में रखने के काबिल नहीं है.

जमनादास साहब झालानी—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं. जब कि १४ साल की शादी शुदा औरत से सहवास करना नये ताजीरात ग्वालियर में जुर्म करार दिया गया है तो ऐसे कवाअद बनना तो Priliminary बात है, यह कहना कि यह बातें समाज से तअल्लुक रखती हैं काफी नहीं हैं. समाज के बंधन आज कल ढीले पड गये हैं. जात से खारिज करने का जो एक शस्त्र समाज के पास है, उसके भी यही इखराज अज बिरादरी का मुकद्दमा चलाया जाकर पंच लोग अदालत में घसीटे जाते हैं. दरअसल यह मुआम्ला public heal से भी तअल्लुक रखता है, अलबत्ता इन मुआम्लात के लिये mendatory laws न बनाये जावें बल्कि permissive; मगर यह कवाअद किस ढंग के होंगे यह यहां गैर मुतअल्लिक होने की वजह से उनके जाहिर करने की जरूरत नहीं है. ऐसे कायदे दीगर रियासतों में भी बने हैं, और यहां भी बनाये जाना चाहिये.

होम मेम्बर साहब—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब, मेरी राय में करीब २ जो दलील मैंने सवाल नं. १४ के जवाब में मजलिस के सामने पेश की थी वही दलील सवाल नं. १५ के सिल-सिले में भी पेश हो सकती है. इस में तो कोई शक नहीं कि यह खराबियां मौजूद हैं और उनके मौजूद होने की वजह से रिआया की तन्दुरुस्ती पर एक मानी में बहुत बुरा असर पडता है, मगर उनकी रोक के लिये सब से बेहतर और सब से आसान तरीका क्या हो सकता है ? एक मेम्बर साहब ने यह फरमाया है कि एक जाति ऐसी है जिसमें शादी के लिये सिर्फ सिंहस्थ का साल मुकर्रर है और उसी साल वह कौम अपनी बडी और छोटी लडकियों की शादी करती हैं. अगर कानून बनाया गया तो उस कानून से उस जाती के लोगों के खयालात में क्या असर पडेगा और अगर सिंहस्थ में ही शादी करना इस कौम के लिये धार्मिक असर रखता है तो इस कौम के लोगों को इस कानून के खिलाफ सख्त ऐतराज होगा और वह कहेंगे कि धर्म में दरबार की तरफ से दस्तन्दाजी की जाती है.

एक साहब ने फरमाया है कि औलाद और बच्चे के सच्चे खैरख्वाह उनके वालदेन और सरपरस्त ही हो सकते हैं और अगर उनकी भलाई बुराई की बाबत सरपरस्त ही तवज्जुह नहीं करते तो दरबार क्या कर सकते हैं और अगर दरबार ने कानून की शकल में इन नुक़ायस को रफा करने के लिये कोई action भी लिया तो उसका नतीजा लोगों में बदगुमानी फैलना होगा. मैं तस्लीम करता हूं कि दीगर रियासतों में कानूनी रोक की गई है मगर उसका असर क्या पडा है उस पर गौर करना चाहिये. मुझे बडौदा का हाल मालूम है जहां यह कायदा जारी है. वहां जो रोक हुई है वह हद उस तक नहीं हुई जितनी होनी चाहिये थी. खिलाफवर्जी में उनसे जुर्माने होते हैं, आमदनी तो जरूर बढगई है, मगर असली मानी में रोक नहीं हुई है और इस बारे में रिआया पर जो सख्ती होती है और जुर्माने की वसूली में जो दिक्कतें पेश आती हैं उनकी वजह से कानून को मंसूख या तरमीम किये जाने का सवाल गवर्नमेंट के जेर गौर है. लिहाजा इससे जाहिर है कि कानूनी रोक करने से दीगर रियासतों में कामयाबी नहीं हुई है और मुआम्ले हाजा पर गौर करने से भी मैं इसी नतीजे पर आया हूं कि ऐसे मुआम्लात में दरबार का Interference अच्छा साबित नहीं होगा, इसलिये मेरी राय में कानून वजा करने की जरूरत नहीं है.

इसके बाद वोट लिये जाने पर कसरत राय से तजवीज नामंजूर हुई.

इसके बाद मेंबर साहबान मजलिस आम ने रिफ्रेशमेन्ट लिया.

तजवीज नम्बर १२, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

(१) ब गरज फरोख्तगी तैयार किये हुए खाद (manure) के स्टोर मुनासिब मुकामात पर कायम फरमाये जायें.

(२) म्युनिसिपल कमेटियों में इस किस्म का खाद, उन अशियाय से जो हुदूद म्युनिसिपेलिटी के अन्दर जमा हो, तैयार किये जाने का इन्तजाम कराया जावे.

इस तजवीज को जगमोहनलाल साहब ने पेश करते हुए कहा कि हुजूर वाला! हमारा मुल्क जराअती मुल्क है, और इसकी तरक्की तब ही हो सकती है जब जिराअत में तरक्की हो. गिरानी निर्ख तहकीकात कमेटी ने अपनी रिपोर्ट की कलम नम्बर २९ में जाहिर किया है कि खेतों की पैदावार कम हो गई है और उसकी खास वजह खाद की कमी बतलाई है. जब तक अच्छा और काफी खाद मुहय्या न होगा पैदावार में इजाफा होना गैर मुमकिन है, लेकिन काश्तकारान के पास वह वसायल जिनसे खाद मुहय्या किया जाता है, दिन ब दिन कम हो रहे हैं. इसलिये मेरे खयाल में इस बात की जरूरत है कि उनके वास्ते खाद बनाया जाकर उनको फरोख्त किया जावे जो तरक्की का बायस हो. हमारी रियासत में महक्मा जराअती भी कायम है. दीगर मुमालिक में जराअती एक्सपर्ट मुख्तलिफ चीजों से खाद तैयार करते हैं जो निहायत मुफीद साबित होता है, अगर हमारे यहां भी इस तरीक पर खाद तैयार कराया जाकर जाबजा इसके स्टोर बनाये जावें तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी फरोख्तगी निहायत कामयाबी के साथ होगी जो तरक्की काश्त का बायस होगा.

दूसरी मेरी तजवीज यह है कि हुदूद म्युनिसिपेलिटी में रोजाना मैला, कूडा, करकट बहुतसा जमा होता है जिससे अच्छा खाद बनाया जा सकता है, इस वक्त तक चीजें योंही फेंक दी जाती हैं

अगर उनसे अच्छा खाद तैयार किये जाने का इन्तजाम कर दिया जावे तो कमेटियों की आमदनीमे इजाफा होगा और काश्तकारों को पैदावार बढाने का मौका मिलेगा. इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी तजवीज को मूव करता हूं.

जहांगीर वहमनशा साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं. यहां के स्वायल बहुत पुर होते जाते हैं, इसकी वजह यह है कि यहां के लोग उद्योग नहीं करते. यहां के काश्तकारों को खाद का इस्तेमाल मालूम नहीं. वह सिर्फ मक्का के वाडे के लिये या ज्यादातर गला के लिये खाद का इस्तेमाल करते हैं. यहां का स्वायल पुर होने की वजह यह है कि यहां के आइल सीड्स बाहर जाते हैं. जब ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेन्ट ने डाक्टर वाकर को ब्रिटिश इन्डिया के स्वायल की इनवेस्टीगेशन के लिये बुलाया था तब उन्होंने poverty of soil की वजह बयान करते हुए मेन्योर के बाबत बहुत कुछ लिखा है और यह भी लिखा है कि यहां के लोग मेन्यूर को ईंधन (fuel) के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसकी मुमानियत करना चाहिये.

दूसरा यह सजेशन किया था कि यहां के आइल सीड्स बाहर जाते हैं वह बन्द किये जावें, क्योंकि आइल यहां पर प्रेस होकर आइल के मवेशी को खिलाये जाते हैं. एक्सपिरीरा की वजह से वह जमीन को मिलता है. थोडा अर्सा हुआ कि नीमच में आइल बोन मिल जारी हुआ है यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन म्युनिसिपिल कमेटियों के लिये खाद का तय्यार करना मुमकिन नहीं.

प्रेसीडेन्ट साहब—वकील साहब, क्या आप अव्वल जुज की ताईद करते हैं या दोनों जुजों की ? आपकी गुफ्तगू से यह जाहिर होता है कि आप जुज अव्वल की ताईद करते हैं और जुज दोयम की तरदीद. आप इस वक्त जुज अव्वल के लिये फरमायें. जुज दोयम के लिये फिर मौका दिया जायगा.

जहांगीर वहमनशा साहब—प्रेसीडेन्ट साहब, मैं अव्वल जुज की ताईद करता हूं.

बन्सीधर साहब—मैं अपने प्यारे दोस्त जगमोहनलाल साहब की तजवीज के जुज अव्वल की ताईद करता हूं. अगर यह तरीका जारी होगा तो बहुत फायदा होगा.

फाइनेन्स मेम्बर साहब—जनाब वाला प्रेसीडेन्ट साहब, यह सवाल रेव्हेन्यू डिपार्टमेन्ट से तअल्लुक रखता है, इसलिये रेव्हेन्यू मेम्बर साहब इसका खुलासा करने का इरादा रखते थे, मगर किसी वजह से वह आज यहां नहीं आ सके हैं, इसलिये उन्होंने अपने views लिखकर भेजे जिसको पढकर मैं सुनाता हूं.

इस सवाल के पढने से साफ तौर पर मालूम नहीं होता कि तय्यार किये हुए खाद से मुराद केमिकल खाद से है या कि मामूली मवेशियों के देहाती खाद से.

अगर केमिकल खाद से यानी सायन्स के उसूलों पर तय्यार किये हुए खाद के स्टोअर क़ायमी की इस तजवीज की मुराद हो तो एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट की इस बारे में जो राय कायम हुई है उसके ऐतबार पर यह जाहिर करना मैं मुनासिब समझता हूं कि इस किस्म के खाद के मुतअल्लिक अभी काबिले इत्मीनान नतीजा बरामद नहीं हुआ है. कौनसी किस्म की जमीन के लिये किस किस्म का खाद ज्यादा मुफीद होगा. साथ ही कौनसे अजनास के लिये ब खयाल आबो हवा व किस्म जमीन कौनसा खाद ज्यादा मौजूं होगा यह और इस किस्म के सवालात अभी जेर तजरुबा हैं. तावक्ते कि इसके एक्सपर्ट्स इस बारे में कतई राय बाद काफी तजरुबा कायम न करलें मेरी दानिस्त में हमारे काश्तकारी क्लास को केमिकल खाद का सवाल हाथ में लेना कब्ल अज वक्त होगा.

अगर इस तजवीज का मकसद मामूली खाद के स्टोर कायमी का है तो यह बात सब को मालूम है कि मामूली खाद एक ऐसी चीज है जो हर देहात में घर घर तय्यार होती है व रखी जाती है, ऐसी हालत में इसके स्टोअर खोलने से उसके मांग की उम्मेद नहीं की जा सकती. यह बात जरूर है कि देहातों में इस वक्त जिस तरीके पर खाद रखा जाता है उसमें बहुत कुछ दुरुस्ती की जरूरत है. लेकिन यह दुरुस्ती स्टोअर खोलने से होना मुमकिन नहीं है, उसके लिये इलाज यही है कि खाद की तय्यारी और उसकी हिफाजत के उसूल समझ कर मुताबिक उसके अमल किया जावे. चुनांचे इस जरूरत को रफा करने के लिये एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट ने एक बुलेटिन "ट्रेंचिंग सिस्टम" बनाया है. लिहाजा मेरी राय में अगर उस बुलेटिन के मुताबिक देहातों में अमल हो तो इस तजवीज का मकसद पूरा हो सकता है.

ट्रेड मेंबर साहब—खाद के फवायद के तअल्लुकात में मैं यह जाहिर करना जरूरी समझता हूं कि नीमच में, जैसा कि जाहिर किया गया है, इसी उसूल पर मिल के जर्ये से सात आठ हजार मन हड्डी का आटा तय्यार किया गया है, मगर रियासत में इस वक्त तक उसका कोई शख्स खरीदार नहीं है. इसी तरीके पर ग्वालियर में आइल मिल में भी सात आठ हजार मन के करीब खाद जमा है मगर एक पैसे का भी कोई खरीदार नहीं हुआ और बाहर भेजने में गिरां पडता है. दूसरी एक बात और जाहिर करना चाहता हूं कि एक अभी एकानामिक डेवेलेपमेन्ट बोर्ड के जल्से में पादशाह साहब भी तशरीफ लाये थे, उन्होंने खास किस्म का आयरन पुटाश बनाया है, वह उसको फरोख्त करना चाहते हैं, अगर यहां कोई शख्स उसको खरीदना चाहे या इसकी एजेन्सी लेना चाहे तो बहुत किफायत से देने को तय्यार हैं. मजलिस की वकफियत के लिये यह मुआम्ला पेश किया है. जो लोग शायक हों वह इसका तजरुबा कर सकते हैं.

प्रेसीडेन्ट साहब—सवाल नम्बर १२ के जुज अव्वल की निस्बत मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज पेश की और उसकी ताईद हुई. रेव्हेन्यू मेम्बर साहब ने अपने तजरुबे का जो खुलासा भेजा है वह पढा गया व ट्रेड मेंबर साहब ने बयान किया कि इस बारे में क्या २ हुआ और हो रहा है. इन सब बातों से जाहिर होता है कि मुख्तलिफ किस्म की जमीन और अजनास के लिये मुख्तलिफ अकसाम के जो खाद मुफीद होंगे उनके तजरुबे न सिर्फ एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट कर रहा है बल्कि दरबार भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन २ किस्मों का खाद बनाया जा सके तय्यार किया जावे. लिहाजा मजलिस इसपर गौर कर सकती है कि इस बारे में किसी ठहराव की जरूरत है या नहीं.

वोट लेने पर कसरत राय से तजवीज का जुज नम्बर १ नामंजूर हुआ.

प्रेसीडेन्ट साहब—मुजव्विज साहब अपनी गुफ्तगू में जुज नं. २ के मुतअल्लिक फरमा चुके हैं यह तजवीज जुदागाना है, इसलिये इसकी अलहदा ताईद होना जरूरी है. लिहाजा क्या कोई साहब जुज दोयम की ताईद करते हैं ?

बन्सीधर साहब—मैं ताईद करता हूं. म्युनिसिपेल्टियां जहां २ हैं वहां वह मेहतरों के जरिये से कूडा कचरा इकट्ठा करती हैं, लेकिन अगर किसी जर्ये से इसका खाद तय्यार करा दिया जावे तो इसके खरीदार बहुत साहब हो जावेंगे और खेती करनेवालों को भी फायदा होगा और सरसब्जी भी होगी, इसलिये कोई इन्तजाम हो सकता हो तो किया जावे.

गुरुदयाल साहब—हुजूर आली, म्युनिसिपेल्टियों में सफाई कराने की गरज से जो कूडा भंगी इकट्ठा करते हैं उसको एक मुकाम पर इकट्ठा होने के बाद खाद की हैसियत से फरोख्त किया

जाता है. मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई तदबीर है कि वह खाद खास तरीके से बनाया जावके, या जहां ऐसा नहीं किया जाता वहां इसके करने की जरूरत है ? मेरे खयाल में म्युनिसिपेलिटियां मैला व कूडा करकट इकट्ठा करके जमा करती हैं और खाद की हैसियत से बेचती हैं वह ठीक है.

प्रेसीडेन्ट साहब—जगमोहनलाल साहब, आपकी तजवीज का मुद्दआ क्या है ?

जगमोहनलाल साहब—मेरा मुद्दआ यह है कि कूडा करकट खाद की शक्ल में बन जाने से ज्यादा फायदेमन्द हो जाती है, अगर इस तरह पर तैयार किया जा सके तो इसका अच्छा खाद बनाया जावे.

रामजीदास साहब.—म्युनिसिपल कमीशन में नाइट सॉइल के dispose off करने के निस्बत शहादतें ली गई थीं और उस वक्त इस सवाल पर बहस की गई थी, जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी किया गया है, उस वक्त यह तय हुआ था कि नाइट सॉइल ट्रेनचिंग सिस्टम पर म्युनिसिपेलिटी दफन करे और कुछ अर्से तक दबा रहने दें, इस पर भी गौर किया गया था कि इसको जलाया भी जा सकता है, ताकि मेन्यूर के काम आवे. मेरे खयाल में म्युनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट आने तक इन्तजार किया जाय, अगर मुजव्विज साहब इसको मुनासिब समझें तो उस वक्त तक इन्तजार करें, ताकि इस मसले के हल करने में ज्यादा सहूलियत हो जाये.

ऑफिशियेटिंग एज्यूकेशन मेम्बर साहब—यह सवाल खाद तैयार किये जाने का है जो ज्यादातर एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट से तअल्लुक रखता है और वहां खाद तैयार भी होता है. म्युनिसिपल कमेटी का काम कूडा करकट इकट्ठा करने का है और ऐसी जगह इकट्ठा करना जिससे बाशिन्दगान को तकलीफ न हो. इसके निस्बत सरकार ने म्युनिसिपल कमीशन मुकर्रर फर्माया है इसकी बाबत बहुतसी सजेशन्स हो रही हैं. कमीशन की रिपोर्ट अनकरीब आनेवाली है उसके आजाने के बाद यह सवाल हल हो जावेगा.

जगमोहनलाल साहब—मैं कमीशन की रिपोर्ट का इन्तजार करता हूं और इस तजवीज का जुज नम्बर २ वापिस लेता हूं.

तजवीज नंबर १६, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

तनख्वाह चौकीदारान मवाजियात, बजये पुलिस स्टेशन मुतअल्लिका तकसीम होती है मगर इसमें तनख्वाह चौकीदारान को माहवार नहीं मिलती. कई चौकीदारों को तनख्वाह चार चार महीने तक नहीं मिलती. अव्वल तो इनकी तनख्वाह कलील है दूसरे बरवक्त यानी माहवार मिलती नहीं इसी वजह से चौकीदारी को आदमी बहुत कम मिलते हैं व जैसे चाहिये नहीं मिलते. इसलिये तनख्वाह चौकीदारान बजये पंचायत बोर्ड्स मुतअल्लिका तकसीम होना चाहिये.

इस सवाल को पेश करते हुए मूंगालाल साहब ने कहा:—

अक्सर देखने में आता है कि मवाजेआत के चौकीदारान को पुलिस स्टेशन से माहवार तनख्वाह नहीं मिलती कभी कभी दो दो, तीन तीन, चार चार माह में तनख्वाह मिलती है इस दरमियान में उनको पुलिस स्टेशन पर कई बार जाना भी पडता है उनको बार बार फिरना और तनख्वाह न मिलना यह खास वजह है कि जिससे आदमी जैसे कि चाहिये वैसे नहीं मिलते. अव्वल तो इन लोगों को तनख्वाह कम मिलती हैं और दूसरे तनख्वाह मिलने में परेशानी होती है इन

लोगों को बिला वजह पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है उस वक्त की उनकी अदम मौजूदगी हलके से ठीक नहीं है मेरे ख्याल से अगर पंचायत बोर्ड से तनख्वाह मिले जो हर आठवें रोज होता है तो हमेशा माहवार तनख्वाह दिये जाने का इन्तजाम भी हो जायगा और जमींदारों की वाकफियत भी हो जावेगी, जमींदार पंचायत बोर्ड में शामिल होते ही हैं और जमींदार का असर भी चौकीदार पर रहा करेगा और उनकी तनख्वाह की शिकायत भी रफा हो जावेगी लिहाजा मैं इस सवाल को मजलिस में move करता हूं.

चौधरी रन्धीर सिंह साहब.—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

महंत लक्ष्मणदास साहब.—जबकि पुलिस स्टेशन से तनख्वाह दीगर पुलिस के मुलाजिमान तो माहवार पावें और अकेला चौकीदार न पावे यह बात कैसे मानी जा सकती है. किसी मर्तबा कब्जुल आने में देर हो गई हो तो ऐसा मुमकिन है. चौकीदार का सम्बंध गाव और पुलिस से होता है. लिहाजा मैं कोई कारण नहीं देखता कि चौकीदार की तनख्वाह का तअल्लुक पुलिस से हटाकर पंचायत बोर्ड से जोड़ा जावे. इस लिये मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं.

एहमदनूर खां साहब—चौकीदार पुलिसमेन है उसका तअल्लुक पुलिस से ही होना चाहिये. पंचायत बोर्ड के मेम्बर जिम्मेदार लोग नहीं हैं गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में यह काम जाना मुनासिब नहीं मालूम होता. अगर चौकीदार की तनख्वाह पंचायत बोर्ड के सिपुर्द सिर्फ इस ख्याल से करना है कि पंचायत बोर्ड का मेम्बर होने से जमींदार का असर चौकीदार पर पडेगा तो यह ठीक नहीं. पुलिस वाले तनख्वाह का कब्जुल बनाते हैं, जुर्माना वगैरा मतालबेजात का निकालना पुलिस का ही काम है अगर पंचायत बोर्ड के मेम्बर चौकीदारों को जेर असर लाना चाहते हों तो यह ठीक नहीं. मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं.

गुरुदयाल साहब—पुलिस के जर्ये से तनख्वाह तक्सीम न करने और पंचायत बोर्ड के जर्ये चौकीदारों को तनख्वाह दिलाना यह सवाल ऐसा है कि जो कुछ मानी नहीं रखता अगर किसी वजह से दो एक जगह तनख्वाह तक्सीम में देर हो गई हो तो तमाम रियासत के इन्तजाम में उसके लिये रद्दोबदल करना जरूरी नहीं समझा जा सकता.

चौकीदारों का पंचायत बोर्ड में तनख्वाह लेने के लिये जाने की वजह से मवाजियात से वह ज्यादा अर्से तक गैर हाजिर नहीं रहेंगे क्योंकि उनको पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करने के लिये जाना पड़ता है. यह बात यह पहलू जरूर लिये हुए है कि पंचायत बोर्ड की मार्फत तनख्वाह तक्सीम होने से जमींदार का असर उन पर जरूर हो जावेगा. लेकिन मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं.

बंसधिर साहब — मैं मुखालिफत करता हूं क्योंकि पंचायत बोर्ड में सिर्फ एक कारकुन रहता है और वह पंचायत बोर्ड के ही काम को पूरे तौर से अंजाम नहीं दे सकता. अगर यह काम भी पंचायत बोर्ड के सुपुर्द किया जावेगा तो इन दोनों कामों का अंजाम पूरी तौर से वह कैसे दे सकेगा. चौकीदारान मुलाजिमान पुलिस हैं उनको पुलिस से ही तनख्वाह मिलना चाहिये. अगर इनको दो दो महीने में तनख्वाह मिलती है तो यह ठीक है. ऐसी ही सिस्टम जारी रहे.

आफि० आर्मी मेम्बर साहब—जिले ईसागढ में तनख्वाह चौकीदारान को दो माही तक्सीम होती है. बजाय दो माही के पुलिस स्टेशन से महावार तनख्वाह तक्सीम होने में कोई हर्ज नहीं मालूम होता है. पंचायत बोर्ड्स के मार्फत तनख्वाह तक्सीम होने में कई दिक्कतें पैदा होंगी. मस्लन चौकीदार के काम व हाजरी गैर हाजरी का इल्म पंचायत बोर्ड को न होगा और हाजरी की तनख्वाह वजा न हो सकेगी और न जुमानी की वजाई हो सकेगी खजाने से रुपया लेना, उसको हिफाजत से लेजाकर तक्सीम करना, सिलक वापिस जमा करना, हिसाब बाकायदा और दुरुस्त रखना, गलती की वजह से मतालवा आयद हो वह वसूल करना वगैरा बातों की जिम्मेदारी पंचायत बोर्ड अपने जिम्मे व ले सकेगी. पंचायत बोर्ड व पुलिस स्टेशन में गैर हाजरी चौकीदारान, वजाई जुर्माना वगैरह की वजह से काम तहरीर का बढेगा और इसके लिये पंचायत बोर्ड में अमला काफी नहीं है.

प्रेसीडेंट साहब— मूंगालाल साहब क्या आप इसके मुताल्लिक कुछ जवाबन कहना चाहते हैं?

मूंगालाल साहब—मेरी समाअत में जो शिकायत आई थी वह पेश की. जबकि वह मजलिस की राय में काबिल मंजूरी नहीं है तो मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज नम्बर १७, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

देहात में व कस्बात में जहां हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी या दवाखाना नहीं होते सब लोग आयुर्वेदिक इलाज ही करते हैं मगर जंगली दवाइयां जो इन इलाजों में हकीम इस्तेमाल करते हैं वह ठीक यानी ताजा नहीं मिलतीं. कई दवाइयां कंठारी लोग (अत्तार) ५ साल बल्कि १० साल तक वह ही रखी हुई फरोख्त करते रहते हैं. यह दवाइयां एक साल तक तो उम्दा कारगर रहती हैं; बाद गुजरने बारिश खराब और बेकार हो जाती हैं जो अपना गुण (तासीर) नहीं बतला सकतीं. इसी वजह से अव्वल तो आयुर्वेदिक इलाज से इतमीनान कम होता जाता है दोयम फौती की तादाद में बेशी होने का भी यह एक जर्या है; क्योंकि वहां (देहात व कस्बात में) इस इलाज के सिवाय आम लोगों के इलाज का दूसरा कोई जर्या ही नहीं. इसवास्ते जंगली दवाइयां जो कंठारी लोग फरोख्त करते हैं वह सालाना बाद बारिश ताजा तब्दील होनी चाहिये.

इस तजवीज को मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने पेश करते हुए कहा, हुजूरवाला! आयुर्वेदिक का प्रचार मौजूदा जमाने में ज्यादातर है. मवाजियात व कसबात में जहां डिस्पेन्सरीज या दवाखाने नहीं हैं वहां तो यह इलाज लोग करते ही हैं लेकिन बडे बडे कसबात में जहां डिस्पेन्सरियां हैं वहां भी आयुर्वेदिक का इलाज ज्यादातर करते हैं और इसी इलाज का इतमीनान लोगों को ज्यादा है. हॉस्पिटल से जो दवा दी जाती है वह अर्क की शक्ल में होने की वजह से लोग परहेज करते हैं, जंगली दवाइयां एक साल तक कारगर रहती हैं, अत्तार लोग यह जंगली दवाइयें पांच २ दस २ साल की रखी हुई फरोख्त करते रहते हैं इस वजह से लोगों को इतमीनान कम होता जाता है और इस का रिवाज भी रोज ब रोज कम होता जाता है. खास शहर लश्कर में म्युनिसिपेलिटी की तरफ से इस शिकायत की कोर की गई है इसी तरह

कुल स्टेट में रोक कर दी जावे तो दवाइयों से जैसा फायदा होना चाहिये वैसा होगा इस वास्ते मैं इस तजवीज को इस मजलिस में पेश करता हूं.

लालचंद साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

गुरुदयाल साहब—मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं. हुजूर आली जिन गांवों में यह दवाइयां नहीं मिलतीं वहां पहले मिलती थीं और अब नहीं मिलतीं यह शिकायत नहीं है. जहां पर देशी लोग अपना इलाज करते थे वहां पर देशी दवाइयां अब भी मिलती हैं. जिन मुकामात पर कि म्युनिसिपेलिटी है वहां पर कानून ने उन्हें इख्तियार दिया है कि वह खराब दवाइयों की रोक करें और इन्तजाम करें जहां पर म्युनिसिपेलिटी नहीं है वहां खराब दवाइयें फरोख्त होती हैं, इस की तमीज करने के लिये कोई खास आदमी चाहिये वह न होने से दवा लेनेवाले लोग ही देख लेते हैं कि वह अच्छी है या बुरी. ऐसी हालत में सवाल के रहने की जरूरत नहीं.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—मैं इस तजवीज के खिलाफ हूं. अत्तार लोग अपना रुपया सर्फ करके जंगली दवाइयां अपनी दूकान में लावें और वह न बिकें तो क्या सालभर बाद वह उनको फेक दें, इस के मानी यह हैं कि वह अपना रुपया जाया करें. मेरी राय में इससे अत्तारों के ऊपर ख्वाहमख्वाह का बोझ होगा. अगर देशी दवाइयां नहीं बिकतीं तो यह समझना चाहिये कि या तो उनका डिमांड नहीं है, या इस्तेमाल नहीं है. इस वास्ते यह इन्तजाम हो सकता है कि अत्तारों की दवाइयों के फरोख्तगी का इन्तजाम किया जावे और रिआया को इस तरफ मायल किया जावे कि वह आयुर्वेदिक का इलाज करते रहें बर खिलाफ इसके कि अत्तारों पर बार डाला जावे कि एक साल बाद वह अपनी दवाइयां फेक दें.

फाइनेन्स मेम्बर साहब—जनाब वाला प्रेसीडेन्ट साहब, हर प्रस्ताव के दो जुज होते हैं—एक साध्य दूसरा साधन, यानी हमको हासिल क्या चीज करना है और वह किस साधन से हासिल हो सकती है. जो प्रस्ताव इस वक्त पेश किया गया है उस में साध्य जरूर लिखा है. ऐसी दवाइयां न बेची जावें इस में दो रायें नहीं हो सकतीं. सवाल यह है कि किस साधन से ऐसा हो सकता है? प्रस्ताव में इस का कुछ जिक्र नहीं है. मुजव्विज साहब ने इस के पेश्तर दो तीन तजावीज पेश की थीं जिन में साफ तौर पर सिफारिश की है कि उन के मुतअल्लिक कवायद वजे किये जावें. मुजव्विज साहब की मन्शा मामले हाजा में भी यह मालूम होती है कि इस के मुतअल्लिक कानून बनाया जावे और कानून के जर्ये से पुरानी दवाइयों की रोक की जावे. अगर यही उन की मन्शा है, और मैं ठीक समझा हूं तो मैं इस की बाबत यह कहना चाहता हूं कि यह बात कतई मुमकिन नहीं है. कायदा बनाना कोई आसान बात नहीं है यह वोही लोग जानते हैं जो कायदे बनाते हैं. एक व्यक्तिगत (शख्सी) कोई बात हो तो उस का नुक्सान भी उस व्यक्ति तक को महदूद होता है. मगर कानून एक ऐसी चीज है कि उस का असर आम रिआया और सोसायटी पर पडता है. इसलिये ऐसी बात सोच समझकर करना चाहिये यह आप जान सकते हैं. इसी वजह से कानून बनानेवाले लोगों की योग्यता व उनका दर्जा और सब जगह बहुत बडा समझा गया है और वे लोग अच्छी तरह कह सकते हैं कि इस में क्या २ दिक्कतें पेश आती हैं और किन २ बातों पर गौर करना पडता है. मैं कानूनदां नहीं हूं अगर मेरे दोस्त लॉ मेम्बर साहब इस वक्त खडे होते तो सराहत के साथ खुलासा करते. मैं मेरे मामूली समझ के मुताबिक दो तीन बातें कहता हूं:—

(१) ऐसे कानून बनाने वालों को यह देखना चाहिये कि जिस बात की रोक की जाती है वह बात वाकई जुर्म करार देने के काबिल है या नहीं.

(२) अगर कानून बनायें तो उस पर अमल किस तरह होगा अगर यह अमल इस हद तक मुश्किल है कि कानून डेडलेटर हो जावेगा तो फिर उसका बनाना या न बनाना यकसां हो जावेगा.

(३) यह देखना पडता है कि कानून की वजह से जो एक नई तकलीफ पैदा होगी वह व मुकाबिले फायदे के जियादा है या कम.

याद रहे कि कानून खुद ही एक आफत है. अंग्रेजी में necessary evil यह एक जुम्ला है जिसके मानी अपरिहार्य संकट है कानून इस किस्म का संकट या आफत है. इस आफत को मंजूर व कबूल करना पडता है उससे जियादे आफत के टालने को, लिहाजा यह देखना पडता है कि कानून ऐसा न बने कि जिस आफत या बुराई रफा करने की गरज से वह बनाया जाय वह तो रफा नहीं हुई और एक नई आफत खडी हो गई. यही तीन उसूल मामले हाजा को लागू कीजिये. अव्वल दलील यह नहीं है कि मुजिर या खराब दवाइयां बेची जाती हैं जिससे आदमी के जिस्म को जोफ पहुंचे बल्कि शिकायत यह है कि अच्छी ताजी और बा असर दवाइयां नहीं बेची जातीं कि जिससे वह फायदा नहीं होता जितना कि होना चाहिये. एक नुक्सानदिह चीज और दूसरी कम असर इन दोनों में बडा फर्क है. अगर यही उसूल करार दिया जावे कि जिस दवाई से जितना फायदा होना चाहिये वह नहीं होता इसलिये वह न बेची जांय तो दवाई क्या सैकडों ऐसी चीजें हैं—नाज को लीजिये एक वर्ष का घुना, भीगा, पुराना. जितनी ताजे नाज में ताकत होगी उतनी पुराने नाज में नहीं, तो उसको भी यह कायदा लागू होगा. दोयम अगर कायदा बनाया तो उसका अमल कैसे होगा. अत्तारों की दूकान पर इन्सपेक्शन कैसा करना और कितनी दफे करना वगैरा वगैरा, सब बातों पर विचार करना पडेगा. हर दवाई एक साल के बाद खराब नहीं होती बाज चीजें ऐसी होती हैं कि जितनी पुरानी होती हैं उतनी अच्छी होती हैं लिहाजा इनकी जांच करना यह अम्र मुहाल है सोयम इससे आफत कैसी खडी होगी और पंसारी लोग परेशान होकर यह पेशा भी छोड देंगे. गरज कि कानून की जो मर्यादा है उस मर्यादा के बाहर यह सवाल जाता है.

अब सवाल यह है कि क्या साध्य को हासिल करने का कोई उपाय ही नहीं ? ऐसा नहीं हर एक चीज के लिये दो किस्म के उपाय होते हैं.

(१) डायरेक्ट, (२) इन्डायरेक्ट.

कानून डायरेक्ट उपाय है वह मुमकिन नहीं. इन्डायरेक्ट इलाज मुख्तलिफ बातों के मुख्तलिफ होते हैं, इसलिये जिस किस्म का मुआम्ला हो उसी किस्म का इलाज करना चाहिये. दवाइयों की खरीद फरोख्तगी एक तिजारती मसला है. तिजारती मामलात में एक जबरदस्त उपाय कंपिटीशन यानी प्रति योग्यता है. फर्ज किया कि एक मुकाम पर एक एक चीज के लिये दो या ज्यादा दूकानदार हैं, एक दूकान पर बहुत ईमानदारी से काम होता है और उस दूकान पर अच्छी से अच्छी चीजें अच्छे भाव से मिलती हैं तो उसकी तरफ सब लोग झुकेंगे और दूकानदार को भी अपनी साख कायम रखने के लिये अपने ईमान पर रहना पडता है. अलबत्ता दवाई की तिजारत ऐसी वसीअ नहीं है कि हर एक मुकाम पर एक एक दो दो दूकानें हों. जैसा एक साहब ने फर्माया कभी यह मुमकिन नहीं कि उसके पास अगर दवाइयां मौजूद हैं वह एक साल के बाद फैंक दे. अगर वह ऐसा करेगा तो उसका ब्योपार चल नहीं सकता. इस दिक्कत को दरबार ने पहिले ही antcipate किया है. यह प्रस्ताव तो आज आया है, लेकिन दरबार कई साल से इस मसले पर गौर कर रहे हैं. सरकार ने गवालियार आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मसी नाम की संस्था दो साल हुए जारी की है. यह संस्था कम्पनी की शक्ल

की है और इसके लिये सरमाया सरकारी काफी है. सरकार के आश्रित वैद्य और हकीम व इसके अलावा बस्ती में जो खान्दानी हकीम और वैद्य है उनकी भी सलाह वक्तन फवक्तन ली जाती है. कंपनी की शक्ल सिर्फ इंतजाम के ताल्लुक में है नफा नुक्सान के ताल्लुक में नहीं यही बडी खूबी इस संस्था की है. दुनिया में जो कुछ बिगाडता है आदमी का लोभ बिगाडता है. अब यहां कम्पनी की शक्ल में शख्सी नफे नुक्सान का factor ही बाकी नहीं रहता—यह सरकार का रुपया होने की वजह से नफा व नुक्सान दोनों सरकारी—यह फार्मेसी जो बात कर सकती है न वह कोई शेअर होल्डर की कम्पनी कर सकती है न कोई हकीम या वैद्य. जो आसायशें फार्मेसी को इस वक्त हासिल हैं उनके तुफैल से इन दो साल के अन्दर बहुत तरक्की हो गई है. करीब करीब ९०० के दवाइयां तैयार हुई हैं इसमें चूरन, गुटके, कुश्ते, आसव अरिष्ट, माजूनें वगैरा उम्दा से उम्दा दवाइयां मौजूद हैं और खास दवाइयां भी अपने मौसम पर मुहय्या की जाती हैं जैसे कि जंगल की जडी बूटी. हमारे यहां जंगल ऐसा है कि उसमें बहुतसी जडी बूटी हैं परमेश्वर ने ऐसी कृपा हिन्दुस्तान पर की है कि हर एक हिस्से के वास्ते उसने एक बडा जखीरा कायम कर दिया है.

(१) बम्बई प्रेसीडेन्सी के लिये सह्याद्रि.

(२) मद्रास प्रेसीडेन्सी के लिये नीलगिरि.

(३) मध्य हिन्दुस्तान के लिये विन्ध्याचल.

(४) उत्तर के लिये हिमाचल.

इस रियासत के हिस्से में खुदा के फजल से विन्ध्याचल की बहुत शाखें और उपशाखें आई हैं उनमें वनस्पति की इतनी समृद्धि (जखीरा) मौजूद है जिससे हम फायदा उठा रहे हैं. आदमी भेजकर मौसम पर और वक्त पर चन्देरी, शिवपुरी वगैरा जंगल से ऐसी वनस्पतियां इकट्ठी की जाती हैं और जो दिसावरी चीज हैं वह ठेठ मुकाम से मंगवाई जाती हैं—मसलन केशर, काफूर, सोंठ, फिटकरी वगैरा यानी जो मुकाम जिस चीज के लिये मशहूर है वहीं से वह दवाई मंगाई जाती है. इस तौर पर कच्ची दवाइयां मुहय्या करके उनसे पक्की दवाइयां तय्यार की जाती हैं. प्रस्ताव है कच्ची दवाइयों के इन्तजाम का, लिहाजा फार्मेसी ने इसका इन्तजाम भी शुरू कर दिया है. फार्मेसी के यह मानी हैं कि दवाई तय्यार करने का कारखाना. दवाइयां तय्यार करने के वास्ते जो औषधियां मुहय्या की जाती हैं उनमें से फरोख्त भी की जाती हैं इस तौर पर दो सेक्शन हैं—पहिला कच्ची दवाइयों का और दूसरा पक्की दवाइयों का. साल गुजिश्ता में चार हजार रुपये की बिक्री हुई. इस साल आठ हजार की बिक्री हुई. मेरा इसके मुताल्लिक ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा क्यों कि मैं इस कंपनी से तअल्लुक रखता हूं और मैं इस बोर्ड का चेयरमेन हूं और मेरे साथ मेरे बहुत लायक और आलिम दोस्त पूरनसिंह साहब और डाक्टर फाटक साहब भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और बिलकुल ऑनरेरी तौर पर काम कर रहे हैं, एक पाई की भी इसमें किसी को आशा नहीं है, अपने दिली शौक से सिर्फ अवाम के फायदे के वास्ते वह काम करते हैं. अवाम का फायदा तभी हो सकता है जब रियासत के कोने कोने में और गांव गांव में शोहरत हो जाये. आज हमको बडे भाग्य का दिन है कि इस प्रस्ताव के निमित्त से फॉर्मसी को advertise करने का मौका मिला; इसलिये हम मुजव्विज साहब के बडे ममनून और मशकूर हैं. अब हम मुजव्विज साहब से व कुल साहबान हाजरीन जल्सा से तीन प्रार्थनायें करते हैं। आप साहिबान जब यहां से जल्सा खत्म होने पर अपने घर जावें उसके पहिले फार्मेसी के रसायन शाला का और शोरूम का मुलाहिजा करें तो संचारक आपके बहुत मशकूर होंगे. दूसरी प्रार्थना यह है कि खाली मुलाहिजे से

संचारकों को संतोष नहीं होगा. हमारे काम में उसमें नुक्स क्या है दोष क्या है, यह भी देख कर जाहिर करें ताकि हमको दुरुस्ती का मौका मिले और हम जनता की सेवा करें. तीसरी प्रार्थना यह है कि जब आप लोग घर पर जावें तो उसकी शोहरत करके तीन तरह से उसको पैट्रोनाइज करें.

(१) ज़ाती तौर पर जिसको दवाई की जरूरत पडे वह मगावें.

(२) मुकामी जो हकीम हों उनको यहां की दवा मंगाकर इस्तेमाल करने बाबत तवज्जुह दिलावें.

(३) अत्तारों को ऐजेन्सी द्वारा दवाइयां मिल सकती हैं और उनको कुछ कमीशन भी दिया जा सकता है.

जो शिकायत है वह यह है कि प्रभावशाली दवाइयें नहीं मिलतीं प्रस्ताव में साधन कुछ नहीं लिखा है वह हमने ऊपर बतलाया है. इतना कह कर और मुआफी मांगकर मैं अपने मजमून को खत्म करता हूं.

इस पर मुजव्विज मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने कहा कि जो कुछ जनाब फायनेन्स मेम्बर साहब ने फर्माया उससे वह शिकायतें जोकि मेहसूस हुई दूर हो जावेंगी, लिहाजा मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज नंबर १८, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जो इस्तगासे अदालत फौजदारी में दायर होकर वास्ते तहकीकात या तलब कैफियत पुलिस में भेजे जाते हैं उनमें तारीख पेशी कायम होकर नहीं भेजी जाती जिसकी वजह से फरीकैन को परेशानी उठाना पडती है व ज्यादा अय्याम गुजारी होने की वजह से मामले की असलियत में भी फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से इन्साफ वक्त पर ठीक नहीं मिलता. इसवास्ते जो इस्तगासे वास्ते तलब कैफियत या या तहकीकात पुलिस में अदालत से भेजे जावें उनमें तारीख पेशी अदालत से कायम होकर भेजे जावें और उसकी तामील मिन्जानिब पुलिस तारीख पेशी के अन्दर होना चाहिये.

इस तजवीज को मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने पेश करते हुए कहा कि इस तजवीज के मुतअल्लिक अभी मुझ से जनाब लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से इस शिकायत की रोक होने के लिये डिपार्टमेन्टल ऑर्डर जारी कर दिया गया है और उस ऑर्डर को मैंने खुद भी देख लिया है कि जिससे इस शिकायत की रोक की जावेगी, लिहाजा मैं इस तजवीज को वापिस लेता हूं.

तजवीज नम्बर १९, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अक्सर लोग मवाजियात व कस्बात में छत व मकानों में कडबी व घास वगैरा कसीर तादाद में भर देते हैं. जब आग लगती है तो वह घर तो तबाह होता ही है; बल्कि तमाम मुहल्ला व मौजा जलकर तबाह हो जाता है और जानमाल का नुक्सान होता है. चंद बार हिदायतें भी हो चुकी हैं, मगर लोग बाज नहीं आते. इसलिये करार दिया जावे कि आयन्दा लोग ऐसा न करें, बसूरत खिलाफवर्जी मुकद्दमा उदूल हुक्मी कायम होकर सजा दी जाया करे; ताकि लोग इस सख्त मुसीबत से महफूज रहें.

इस तजवीज को पेश करते हुए जबरसिंह साहब ने कहा कि:—

यह सवाल मजलिस के हुजूर में वास्ते फायदा आम रिआया पेश किया गया है. वक्तन फवक्तन हुक्काम वक्त ने ब अय्याम दौरा ताकीद की और बजर्ये अहकाम भी मुमानियत की कि कसीरुत्तादाद कडबी वगैरा छत पर मकानों में लोग न रक्खें, मगर लोगों पर कुछ असर न हुआ बेहड के मवाजिआत में काफी जगह है कि वह बाहर मौजे के कडबी घास वगैरा रखें. मैदान के मवाजियात में भी पेश्तर से गोन्डे बने हुए हैं उनमें लोग एहतियात से कडबी घास रक्खें, अलबत्ता जो लोग काश्तकार पेशा नहीं हैं वह हिफाजत से किसी जगह मेहफूज में कडबी को काटकर कुटी करके रख सकते हैं. जिन काश्तकरान को जगह न हो वह लोग अपने खेत या बन्जर के किसी कोने में बाहर आबादी के रख सकते हैं या कोई जगह नाक़ाबिल काश्त जमींदारान तजवीज करदें. जहां म्युनिसिपेलिटी और टाउन कमेटियां हैं वहां वह दफात ९० व १३० म्युनिसिपल एक्ट के मुवाफिक इस बात की निगरानी रख सकती हैं और इन्तजाम कर सकती हैं. अव्वलन एक हुक्म हिदायती ऐसा जारी फरमाया जावे कि लोग आयन्दा के लिये अपना २ इन्तजाम करलें और करा लें. बसूरत खिलाफ वरजी कम अज कम २) रुपये, जियादा से जियादा ५) जुरमाने की सजा करार दी जाये जिससे लोग इस सख्त मुसीबत से बचें, क्योंकि अन्दर की आग तो ठन्डी भी हो सकती है मगर बलन्दी की आग ऐसी कडबी व घास में लगने से बहुत दूर तक फैल जाती है और उसका ठन्डा करना मुश्किल हो जाता है और घरबार तबाह हो जाता है.

प्रेसीडेन्ट साहब—इस सवाल नम्बर १९ की कोई साहब ताईद करते हैं या नहीं ?

किसी साहब ने ताईद नहीं की लिहाजा तजवीज drop की गई.

तजवीज नम्बर २०, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अक्सर देखने में आया है कि पुलिस स्टेशनों पर रिपोर्ट वक्त पर व फरयादी के कहे बमूजिब दर्ज नहीं की जाती. इतना ही नहीं, बल्कि कई गरीब आदमियों की रिपोर्ट किसी खास वजह से दर्ज ही नहीं होती. वह बिचारे दो चार रोज परेशान होकर चले जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि अव्वल तो वकूआ जाहिर नहीं होता जिससे गुनहगार को तदारुक मिलता. दोयम सिर्के वगैरा के मामले में अगर माल का पता चल गया तो मालिकान अपनी हकरसी से महरूम रह जाते हैं.

इस वास्ते जो रिपोर्ट्स स्टेशन पुलिस में दर्ज होकर चेक रसीद फरयादी को दी जाती है वह पंचायत बोर्ड में भी हुआ करे जब कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में कुछ हीला हवाला करे; व पंचायत बोर्ड से उसी रिपोर्ट की नकल हमराह उसी फरयादी के पुलिस स्टेशन में वास्ते इन्दराज व जाब्ता कार्रवाई भेजी जावे व इनका माहवारी नक्शा बोर्ड से पुलिस जिले में भेजा जावे वहां पुलिस स्टेशनों की रिपोर्ट से मुकाबला हुआ करे; ताकि शिकायत मजकूर की रोक हो.

इस तजवीज को मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने पेश करते हुए कहा कि इस शिकायत की रोक करने के वास्ते मैं मजलिस में यह तजवीज पेश करता हूं.

चूंकि इस तजवीज की किसी साहब ने ताईद नहीं की; लिहाजा यह तजवीज drop की गई.

तजवीज नंबर २१, फर्द नंबर २.

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जो डिक्रियां अदालत दीवानी से सादिर होती हैं वह उसी अदालत में इजरा होती हैं. अगर मुकद्दमा जुज वसूल में या किस्तबंदी में या अदम पैरवी में खारिज हुआ तो असल डिक्री, डिक्रीदार को वापिस मिलेगी व कुल वसूल में खारिज हुआ तो मदयून को दी जावेगी ऐसा जाब्ता दीवानी में ईमा है.

मगर मुकद्दमा खारिज होने पर इन डिक्रियों के मिलने में फरीकैन को बड़ी परेशानी व अय्याम गुजारी उठाना पडती है.

इस वास्ते जिस वक्त डिक्री वास्ते इजरा अदालत में पेश हो तो चार आना बाबत सर्फा रजिस्ट्री डिक्रीदार से वसूल किये जावें. बवक्त खारिज मिसल असल डिक्री फरीकैन के पास जर्ये रजिस्ट्री एक हफ्ते के अन्दर भेजी जाकर रसीद शामिल मिसल रहे और यह सर्फा रजिस्ट्री व खर्च मुकद्दमा लगाया जावे मगर यह कायदा पंचायत बोर्ड्स के लिये लागू नहीं होना चाहिये.

इस तजवीज को मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने पेश करते हुए कहा—मैंने इस तजवीज के मुतअल्लिक लॉ मेम्बर साहब से जबानी गुफ्तगू की थी तो उन्होंने फरमाया कि इस दिक्कत को रफा करने के लिये एक डिपार्टमेन्टल ऑर्डर जारी किया जावेगा, लिहाजा मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज नंबर २३, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मवाजियात में जो देवस्थान हैं उनकी हालत पूजा पाठ वगैरा की जैसी कि चाहिये ठीक नहीं है. वजह उसकी यह है कि जो माफियात उनके लिये मुकर्रर हैं वह बहुत थोडी मिकदार में ५, १०, १५, रुपया सालाना हैं जिसमें न सेवा करने वाले की गुजर होती है न मूर्ति के लिये सामान पूजा बहम पहुंचता है. अगर परगने के सदर मुकाम पर एक अहाता खिचवाकर ऐसी तमाम मूर्तियां जो अपूज्य, और अब्तर हालत में रहती हैं उसमें रखवा दी जावें और उनके मुताल्लिक थोडी थोडी मिकदार की माफियात एक जगह जमा करली जावें तो एक माकूल तनख्वाह का पुजारी और पूजन के सामान का सरअंजाम माकूल तौर पर हो जाना मुमकिन है. अगर किसी मौजे के लोग अपने मौजे से मूर्ति को उठाया जाना पसंद न करें तो उनसे मूर्ति के पूजन वगैरा का इन्तजाम रखने की बाबत मुचलका लिया जावे और उस मूर्ति को वहीं छोड दिया जावे. इस सूरत में कोई मूर्ति अपूज्य न रहेगी.

एहमदनूरखां साहब—मैंने अक्सर मवाजियात में देखा है कि मूर्ति अक्सर अब्तर हालत में होती हैं. बाज की अक्सर पूजा नहीं होती है. जब कभी मैंने वहां के ब्राह्मण देवता से पूछा कि भाई इस हालत में रखना दरबार की मन्शा के खिलाफ है तो उनका कहना है कि ५) माफी है. उनका यह उज्र काबिल गौर है. इस सूरत में वह लोग पूजा नहीं करते और माफी की रकम में उनकी गुजर नहीं होती. अगर परगने के सदर मुकाम पर ऐसी मूर्तियां जो अपूज्य हैं एक अहाता खिचवाकर उसमें रखवा दी जांय और उसमें एक माकूल तनख्वाह का पुजारी मुकर्रर कर दिया जावे तो कोई मूर्ति अपूज्य नहीं रहेगी, माकूल तौर पर पूजा होती रहेगी. बाज गांव के लोग ऐसा कहेंगे

कि हम अपने ठाकुरजी की मूर्ति का उठाया जाना पसन्द नहीं करते तो उनसे मूर्ति का अच्छी हालत में रखने और अपूज्य न रखने का इत्मीनान करा लिया जावे.

जमनादास झालानी साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

महंत लक्ष्मणदास साहब—यह तजवीज देवस्थान व मूर्ति के संबंध में पेश की गई है पहिला इसमें यह विचार प्रकट है कि बाज मवाजियात के देवस्थान की मूर्तियों की हालत ठीक नहीं है; परंतु मैं जहांतक समझता हूं ऐसा कहीं २ ही होगा और पांच दस रुपया सालाना आमदनी बाज जगह है मगर कहीं ज्यादा भी है, जमीन भी है. माफी नक्दी भी है कृषक लोग भी इसका इन्तजाम करते हैं. अगर एक अहाते में उनको रखा जावे तो देवताओं में बडी गडबड पडेगी यानी भैरों, देवी, शंकर, विष्णु वगैरा जब वहां सब इकट्ठे बैठेंगे तो जितने देवता होंगे उतने ही पुजारी लगेंगे. अगर एक शख्स उनकी पूजा करे तो शायद है कि दिन भर में भी पूजा खतम न होगी. हर देवता की आर्ती और आवाहन और मंत्र अलहदा २ हैं. मगर पहिले तो यह अडचन है कि अचल प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति तो उस जगह से उठाई ही नहीं जा सकती. हर परगने में औकाफ कमेटी बन गई है और काम ठीक चल रहा है यह शिकायत रफा हो जावेगी और अहाते की कोई जरूरत नहीं रहेगी.

रामराव गोपाल देशपांडे साहब.—जैसे मवेशियान का मालिक अपने मवेशी को अपने खिडक में रखता है इसी मुताबिक देवताओं को एक तरह का अहाता बनाकर मस्ऊन खिडक में रखना है यह मेरे पसन्द नहीं है.

ब्राह्मण पूजा करने के लिये पूजा करने वाला मिलता है और जो कमेटियां मौजूद हैं उनको इसके बारे में कोशिश करना चाहिये. कौमों को समझाकर इन्तजाम कराना चाहिये. पंचायत बोर्ड में बडे बडे साहब जिनको इख्तियार है उनको चाहिये कि नजदीक गांव वाले पुजारी को कम ज्यादा देकर पूजा का इन्तिजाम करावें; लेकिन खिडक में डालने से इज्जत नहीं है.

सदाशिवराव साहब.—यह सवाल मजहब से तअल्लुक रखता है. अचल मूर्ति एक जगह से दूसरी जगह लेजाने में बरूये शास्त्र अपूज्य हो जाती है और फिर ऐसी हर मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में जो खर्चा लगता है वह बरूये शास्त्र गवारा नहीं है और पुजारियों को हक्कुल खिदमत से दस्तबरदार होना पडेगा.

जबरसिंह साहब.—मैं इस सवाल की मुखालफत करता हूं.

रघुनाथसिंह साहब.—मैं भी इस सवाल की मुखालफत करता हूं.

लालचन्द साहब.—मूर्तियों का एक जगह इकट्ठा होना ठीक नहीं है. क्योंकि प्रतिष्ठा की हुई एक जगह से मूर्ति हटाना हिन्दू धर्म के खिलाफ है और हटाने पर फिर से प्रतिष्ठा करना लाजम होती है मुजव्विज साहब की तजवीज से देवों का अनादर होता है, इसलिये यह प्रपोजल काबिल मंजूरी के नहीं है. औकाफ कमेटी इसपर गौर कर सकती है.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला, जिन जजबात दिली से यह तजवीज पेश की गई है उसकी बाबत अपने दोस्त मुजव्विज साहब का मैं दिली मशकूर हूं, लेकिन तजवीज की बाबत यह मिसाल सादिक आवेगी कि अगर किसी शख्स को कोई मर्ज है तो उसको जान से ही मार डाला जावे. मेरे दोस्त ने जो तजवीज पेश की है उसकी मुखालफत मैं शास्त्र के एक दीगर पाइन्ट्स से करता हूं. मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पूजने के लायक दो किस्म की बनाई जाती हैं—चल व अचल. जो मूर्तियां अचल होती हैं फिर वह चल नहीं की जा सकतीं, अचल होती हैं वह उठाई

नहीं जाती और जो चल होती हैं वह उठाई जाती हैं. इसलिये मैं इसकी मुखालफत करता हूं यह तरीका जो बतलाया गया है वह ठीक नहीं है और न काबिले अमल है.

होम मेम्बर साहब.--जनाब प्रेसीडेन्ट साहब, मुझे यह साफ तौर से मालूम नहीं होता कि तजवीज पेश करते वक्त यह खयाल क्यों जाहिर किया गया है कि अकसर जगह तो मूर्तियों की पूजा नहीं होती है और अपूज्य रहती हैं. एक वजह तो यह बतलाई गई है कि इनको नेमनूक और माफियात जो होती हैं वह कलील होती हैं इस वजह से पुजारियान पूजा नहीं कर सकते यः मुमकिन है कि ऐसे वाकेआत मुजव्विज साहब के जो नजर आये हैं उसकी वजह जो बतलाई गई है उसके अलावा और भी हो सकती है, मस्लन जब कोई माफी के दाखिल खारिज का मामला माफी डिपार्टमेन्ट में पेश होकर उसका हुक्म जारी होता है अगर वह नाकिस सनदी करार दी गई तो जो कायदः दरबार से है उसके मुताबिक वह मिसल औकाफ कमेटी की तरफ कुछ रकम सालाना मुकर्रर करने के लिये मुन्तकिल की जाती है, लेकिन जिस तारीख से माफी से मिसल पेश होकर माफी जब्ती का हुक्म होता था और जब्ती की तारीख मुकर्रर की जाती थी मिसल औकाफ कमेटी में मुन्तकिल होने के बाद उनके यहां जो फार्म था उसकी खानापुरी होकर बाद तहकीकात नक्दी मुकर्रर होती थी जिसकी वजह से पुजारी, चूंकि उसकी माफी जब्त हो गई थी, पूजा करना छोड देता था लेकिन यह मामला दरबार के सामने पेश होने पर डिपार्टमेन्टल ऑर्डर जारी हो चुका है कि जब तक नेमनूक मुकर्रर न हो जावेगी तब तक जब्ती का हुक्म जारी न किया जावे. अगर यह कहा जावे कि आमदनी कलील होने की वजह से पुजारियान पूजा करना बन्द करते हैं तो क्या वजह है कि कई पुश्तों के बाद अब यह दिक्कतें महसूस होने लगीं. पुजारी अपनी शिकमपुरी इस माफी पर ही नहीं करते हैं बल्कि दीगर जरिये से या उस देहात के दीगर लोग जो हों उनके यहां जो धर्म होता है उससे भी उनको मदद मिलती थी. ऐसी सूरत में उनको काफी रकम नहीं मिलती है ऐसा क्योंकर माना जा सकता है जबकि उस देवस्थान को अपूज्य न रखने के लिये मदद दी जाती है. जमींदारान का फर्ज है कि अपनी जानिब से भी किसी कदर मदद करें, कुल बार दरबार पर ही डाला जाना ठीक नहीं है. ऐसी सूरत में ऐसे मौके बहुत कम होना चाहिये कि जहां पुजारी को काफी आमदनी न होने से मूर्ति को अपूज्य रखने का एहतमाल है वहां के लोगों से यह कहा जावे कि मूर्ति को वहां से हटालें. अगर नहीं तो मुचलका लिखवालें कि उसको अपूज्य न रखेंगे या बजाय मुचलका लेने के बमूजिब कायदा औकाफ कमेटी अगर कोई शख्स नया मन्दिर बनाना चाहे तो पहले उसकी तरफ का पूरा वह इत्मीनान करा देवे और उस कदर रकम वह औकाफ कमेटी में जमा कर दे. अगर ऐसा ही करना किसी जगह जरूरी हो तो बजाय मुचलका लेने के यह भी तरीका इख्तियार करना होगा. मैंने मुफस्सिल तौर पर अपने खयालात का इजहार किया है. दरबार की समझ में यह बात आई थी कि देहात में पूजन का जितना इन्तजाम होना चाहिये नहीं है और इस नुक्स को रफा करने की गरज से दरबार ने स्पेशल कमेटी मुकर्रर की थी और उससे राय तलब की थी कि जमाने के एतबार से या जो हालात तब्दील हो गये हैं उनके लिहाज से इसमें कुछ तफतीश करना जरूरी मालूम हो तो कोई अपनी तजवीज दरबार के सामने पेश करे उस कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश होकर मजलिस ने इस मामले पर गौर करके मुफस्सिल दलायल के साथ अपनी राय दी है. जब कि यह मामला जेर गौर है और दरबार की तरफ से मुनासिब गौर होने वाला है अन्दरीं हालत इस मसले पर खास तौर से गौर करने की चन्दां जरूरत नहीं है.

अहमद नूरखां साहब—मेरी गुजारिश की यह मन्शा नहीं है कि मैं किसी पर attack करूं. यह आखरी फिकरा कि यह मसला दरबार के जेर गौर है मेरे दर्द की दवा करनेवाला है. इससे इस दर्द की दवा होनी जरूर; मूर्तियां अबतर हालत में रहती हैं उनके साथ जरूर कुछ किया जावे यह मेरा ऐनी मुशाहदा है. एसा नक्शा तलब हो जावे कि कितनी मूर्तियों को ५ से कम १० से कम या १५ से कम नेमणूक है. लोग जो सेवा करने वाले हैं फक्त अपनी माफी लेने के लिये दाखिल खारिज कराने को तय्यार होते हैं काम को नहीं यह मेरा ऐनी मशाहदा है जो मैंने अर्ज किया, आयन्दा जो मजलिस की राय.

प्रेसीडेंट साहब—एक सवाल बाकी रहता है कि क्या होम मेम्बर साहब की तकरीर से आप को इतमीनान हो गया तो इस वक्त पेश करने की जरूरत नहीं है वापिस लीजिये.

अहमद नूरखां साहब—मैं इसको वापिस लेना पसंद करता हूं.

इसके बाद इस रोज का काम खतम किया गया और प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया कि आयंदा मजलिस का इजलास परसों यानी सोमवार तारीख १३ नवम्बर सन १९२२ ई० को ११ बजे से होगा.

—

लेजिस्लेटिव ऍन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

प्रोसीडिंग्स मजलिस आम, गवालियार,

सम्वत १९७९.

सेशन दोयम.

सोमवार, तारीख १३ नवम्बर सन १९२२ ई०, वक्त ११ बजे दिन,
मुकाम मोतीमहल, लश्कर, कौंसिल हाल.

आज हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू प्रोसेशन से ठीक ११ बजे कौंसिल हाल में तशरीफ लाये.

बजुज रेवेन्यू मेम्बर साहब के जुमला मेम्बर साहबान गवर्नमेन्ट, हर दो सरसूबे साहबान, चीफ लेक्चरार जमींदार हितकारनी सभा, लश्कर, व हस्ब जैल नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान शरीक इजलास थे:—

१. राय साहब मानिकचन्द साहब, उज्जैन.
२. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मुहम्मदखेडा.
३. जहांगीर बेहमनशा साहब, वकील, बम्बई.
४. रामजीदास साहब वैश्य, लश्कर.
५. सेठ लुकमान भाई नजरअली साहब, उज्जैन.
६. बंसीधर साहब भार्गव, उज्जैन.
७. ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाबीर.
८. जगमोहनलाल साहब, वकील, भिन्ड.
९. अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी, लश्कर.
१०. जमनादास साहब वकील, उज्जैन.
११. अहमदनूरखां साहब, शाजापुर.
१२. महंत लक्ष्मनदास साहब, अमझरा.
१३. गुरुदयाल साहब, वकील, मन्दसौर.
१४. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.
१५. केशवराव बापूजी साहब, मनावर.
१६. राजप्रतापजी साहब लूंबा, उज्जैन.
१७. महादेवराव वल्द गोविन्दराव साहब, श्योपुर.
१८. भगवानसरूप साहब, वकील, भेलसा.
१९. बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी, गवालियार.
२०. रामचन्द्र वल्द तुलसीराम साहब, झाडेरा.
२१. ठाकुर प्रल्हादसिंह साहब, काल्हखेडा.
२२. लालचन्द साहब, राजगढ.
२३. टोडरमलजी साहब, शिवपुरी.
२४. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
२५. द्वारकादास साहब, आगर.
२६. करमचन्दजी साहब, उज्जैन.
२७. लालता परशाद साहब, वकील, लश्कर.
२८. जबरसिंह साहब, भिन्ड.
२९. फजल मोहम्मद साहब.
३०. चौधरी रघुनाथसिंह साहब, सकवारा दनोला.
३१. मथुराप्रशाद साहब, मुरार.
३२. विश्वेश्वरसिंह साहब, भिन्ड.
३३. मानिकचन्द साहब, भिन्ड.
३४. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
३५. पन्नालालजी साहब बाफना, मन्दसौर.
३६. सदाशिवराव हरी मुळे साहब, करेरा.
३७. जामिनअली साहब, भेलसा.
३८. हीरजी भाई साहब, भेलसा.
३९. जाल भरूचा साहब, लश्कर.
४०. मयाराम साहब, चंदूखेडी.
४१. रावजी शास्त्री वेलनकर साहब, लश्कर.
४२. अलीजफर साहब, जौरा.
४३. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
४४. मेजर गुलाबसिंह साहब, देवगढ.
४५. सेठ तुलसीराम साहब, लश्कर.
४६. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, बिलोनी, भिन्ड.
४७. ठाकुर रघुनाथसिंह साहब, चिरोला, बडा[illegible].
४८. रिखराजजी साहब, लश्कर.

हुजूर मुअल्ला के कुरसिये सदारत पर जलवा अफरोज होने के बाद हस्ब जैल मेम्बर साहबान के अदायगी रस्म हलफ की कार्रवाई अमल में लाई गई:—

१. ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, दाबलाधीर,
२. सोहराबजी साहब, मोतीवाला, गुना.
३. जामिनअली साहब, भेलसा.
४. हीरजी भाई साहब, भेलसा.
५. मथुरा प्रसाद साहब, मुरार.
६. मयाराम साहब, चंदूखेडी.
७. पन्नालाल साहब बाफना, मंदसौर.
८. तुलसीरामजी साहब, लश्कर.

हलफ लेने के बाद हलफ लेने वाले मेंबरान को हुजूर मुअल्ला ने अपने दस्त मुबारिक से खिलअत अता फरमाये.

जगमोहनलाल साहब—आज का काम शुरू होने के कब्ल मैं एक जरूरी अमर की तरफ इस मजलिस की तवज्जुह मबजूल करना चाहता हूं. साल हाजा के माह अप्रेल में एक ऐसा अफसोसनाक वाकआ पेश आया था कि जिस पर रियासत गवालियार के हर बाशिन्दे को सख्त रंज व दिली कलक हुआ है.

हमारे सरकार ने अपनी पाक शख्सियत को अपनी अजीज रिआया के साथ इस कदर वाबस्ता कर दिया है कि हुजूर मुअल्ला की खुशी, हमारी खुशी व हुजूर मुअल्ला का रंज हमारा रंज हो गया है; इसलिये हुजूर मुअल्ला की नेकदिल व फरिश्ता सिफत हमशीरा, श्रीमती सौभाग्यवती श्रीमन्नूराजा साहिबा सीतोले के कैलासवासी होने पर इस मजलिस की तरफ से, जहां कि रिआया गवालियार के मुख्तलिफ फिरकों के कायम मुकाम जमा हैं, इजहार अफसोस किया जाना, मैं मुकद्दम फर्ज समझता हूं.

मुहब्बत के दायरे में भाई बहिन की मुहब्बत खास किस्म का दर्जा रखती है. इस पाक मुहब्बत में जो आला जज़बात पोशीदा हैं उनको वह ही लोग महसूस कर सकते हैं कि जिनको उनकी खुश किस्मती से ऐसे जज़बात से मुतअस्सिर होने का मौका मिला हो. हमारी राजमाता के कैलासवासी होने के बाद इसकदर जल्द, यह दूसरा सदमा हुजूर अनवर को बरदाश्त करना पडा है, यह खयाल करते हुये हम लोगों को सख्त बेचैनी होती है.

जनाबा मरहूमा की नेक तबियत, ईश्वर भक्ती, फय्याजी व शफकत आमेज बरताव, हमेशा याद रहेगा. हमारे मुल्क के बहादुर कौम की कुल देवियों में वह एक नमूना थीं, जिनके लिये हम हर तरह पर नाज कर सकते हैं; इसलिये उनके कैलासवासी होने से हमको नाकाबिल तलाफी नुक्सान पहुंचा है. मगर उनके कारनामे व उनके ताल्लुकात हमेशा उनके नाम को रौशन रखेंगे.

हुजूर वाला सीतोले साहब को जिस कद्र रंज व सदमा दिली हुआ होगा वह नाकाबिल बयान है, जिसके लिये हम अपनी दिली हमदर्दी का मुअद्दिबाना इजहार करते हैं. साहब मौसूफ हमारी रियासत में व हमारी गवर्नमेन्ट के Constitution में एक अहम पोजीशन को जीनत दे रहे हैं. उनके इस दिलशिकन सदमे की बाबत इस मजलिस में resolution of Condolence पेश करता हूं कि "यह मजलिस निहायत रंज व दिली कलक के साथ, श्रीमती सौभाग्यवती श्रीमन्नूराजा साहिबा सीतोले की वफात पर इजहार अफसोस करती हुई दुआ करती है कि जनाबा मरहूमा को पाक रूह सुरूर दायमी हासिल करे."

मैं उम्मेद करता हूं कि यह मजलिस मुअद्दिबाना तरीके पर इस resolution को पास करेगी.

अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी ने इस रेजोल्यूशन की ताईद की. इसके बाद कुल मजलिस ने खडे होकर ताजीम दी और resolution बिलइत्तफाक पास हुवा.

तजवीज नंबर २, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की जदीद तरतीब को मद्देनजर रखते हुये रियासत हाजा में higher व secondary education के हुसूल का तरीका आयन्दा क्या होगा, इसकी बाबत तजवीज बहुत जल्द अमल में लाई जावे.

[illegible] साहब ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा :—

हुजूर अनवर! तालीम के अकसाम Primary, Secondary व Higher हैं. इसवक्त हमारे यहां दरजे मिडिल के आगे की कुल तालीम का तअल्लुक इलाहाबाद यूनीवर्सिटी से है; मगर साल गुजिश्ता में यू. पी. लेजिस्लेटिव कौंसिल ने दो ऐसे कानून पास किये हैं कि जिनसे तरीका तालीम में अहम तब्दीलियां वाके हो गई हैं. एक कानून के जर्ये से Matric व Intermediate दरजों की तालीम का तअल्लुक इलाहाबाद यूनीवर्सिटी से अलहदा करके एक बोर्ड के हाथ में दिया है जो जेर सिदारत डायरेक्टर साहब तालीम, यू. पी. में कायम हुआ है. इस बोर्ड को इख्तियार दिया गया है कि दरजात मेट्रिक व ऐफ. ए. के लिये कोर्स मुकर्रर करे. इनके इम्तहानात लिये जाने का इन्तजाम करके पासशुदा तुलबा को सर्टीफिकेट अता करे. एक दूसरा कानून इलाहाबाद यूनीवर्सिटी एक्ट के नाम से जारी किया गया है जिसमें करार दिया है कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी एक Residential and teaching यूनीवर्सिटी हो और इसको यह भी इख्तियार दिया जावे कि यूनीवर्सिटी के बाहर चन्द दीगर कॉलेजों की तालीम का भी इन्तजाम करे जो associated colleges कहलावेंगे. इस किस्म के कॉलेजों को यह इख्तियार नहीं होगा कि अपने यहां दरमियानी तालीम के दरजे कायम रखें. क्योंकि उसूल यह तसलीम किया गया है कि इस किस्म की तालीम यूनीवर्सिटी की तालीम से बिलकुल अलहदा रहे. मगर चन्द मेम्बरान की कोशिशों से फिलहाल इन कॉलेजों को ५ साल का मौका दिया गया है, सिर्फ इस अर्से तक वह दरमियानी तालीम के दरजे कायम रख सकेंगे. इसके बाद U. P. Government की मंजूरी की जरूरत होगी. इन कवानीन के for reaching effects हमारे यहां की तालीम पर क्या पड़ते हैं, इसका इजहार जयाजी प्रताप तारीखी ४ मई सन १९२२ ई० में विक्टोरिया कॉलेज के एक प्रोफेसर साहब ने किया है. एक Layman के नुकता खयाल से हस्ब जैल तरद्दुदात पैदा हुये हैं :—

(1) Allahabad Intermediate Education Act, यू. पी. गवर्नमेन्ट के इलाके के अन्दर ही निफाज पिजीर हुआ है. इस Board को यू. पी. के बाहर के मदरसेजात के तुलबा के इम्तहानात लेने का इख्तियार गालिबन न होगा. और चूंकि तालीम दरमियानी का तअल्लुक यूनीवर्सिटी से अलहदा हो चुका है, इसलिये सवाल यह पैदा होता है कि आयन्दा रियासत हाजा के तुलबा secondary education का इम्तहान कहां पास करेंगे? और पांच साल के बाद (जिसमें एक साल गुजरने को है) इन्टर क्लास का इम्तहान कहां होगा? इन इम्तहानात को पास किये बगैर कोई शख्स आला दर्जे की तालीम हासिल नहीं कर सकता.

(२) गो. B. A. व B. Sc. की तालीम का तअल्लुक यूनीवर्सिटी से कायम रह सकता है मगर अपने कॉलेज को associate कराने की शरायत क्या होंगी यह इस वक्त तक हमको मालूम नहीं हुआ.

यह तहकीक है कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी से हमारा तअल्लुक उस वक्त कायम रह सकता है जब कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया कोई दीगर कानून इस बाबत जारी करदे. जहां तक मुझे इल्म है इस वक्त तक ऐसा कोई कानून जारी नहीं हुआ. ऐसी सूरत में हमारी तालीमी हस्ती, सख्त तजलजुल की हालत में है. अलावा अजी हुजूर आली, मेरा यह खयाल हरगिज नहीं है कि हमारे इस ackward position पर हमारे महकमे तालीम ने इस वक्त तक गौर नहीं किया होगा. मुझे यकीन है कि इसी सिलसिले में

जनाब एजूकेशन मेम्बर साहब ने काफी कोशिश शुरू करदी होगी. इन अहम तबदीलियों के लिहाज से अपनी हालत को adjust करने के लिये, पांच साल का जमाना बहुत कम है. इसलिये काफी तवज्जुह व निहायत तेजी के साथ यह काम पूरा होना चाहिये.

मैंने सुना था कि बुल साहब के जमाने में यहां पर एक अलहदा यूनिवर्सिटी कायम किये जाने की स्कीम तैयार हुई थी मगर उसका क्या हशर हुआ इसकी हमको कतई वाकफियत नहीं है. इस साल मेरे दोस्त अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी ने एक तजवीज Residential University कायम किये जाने की बाबत पेश की है जिसको परसों वह वापिस ले चुके हैं. यहां यूनिवर्सिटी किस किस्म की कायम की जावे, इस अम्र की बाबत माकूल राय देने की काबिलियत मुझ में हरगिज नहीं है, मगर मेरे ख्याल नाक़िस में हस्ब जैल तरीके हाथ में लिये जा सकते हैं:—

(१) ग्वालियर में कोई अलहदा यूनीवर्सिटी कायम होकर उसका कोर्स खास तरीके पर मुकर्रर किया जावे ताकि नुक्स दूर हो; वर्ना हिन्दी जबान की यूनिवर्सिटी कायम की जाकर इंग्रेजी जबान की आला तालीम की बाबत किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से affiliation कायम किया जावे, जैसा कि हैदराबाद दक्खन में किया गया है, या

(२) सेन्ट्रल इन्डिया की दीगर रियासतों के साथ मिलकर कोई अलहदा यूनिवर्सिटी कायम कर ली जावे, या

(३) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही अपना तअल्लुक कायम रक्खा जावे, या

(४) दीगर यूनिवर्सिटी मिस्ल पंजाब से अपना तअल्लुक पैदा किया जावे. अपना मौजूदा हालत को मद्देनजर रखते हुए Experts की राय में जो मुनासिब तरीका हुसूल तालीम का हो, उस पर अमल किया जावे. मगर जो कुछ करना हो जल्द किया जावे, ताकि हमारी तालीमी तरक्की के दौर में कोई रुकावट वाकै न हो. वह दिन हुजूर की रियाया के लिये सख्त बदनसीबी का दिन होगा जबकि अपने लडकों को Higher तालीम हासिल करने का कोई जरिया अपने मुल्क में मौजूद न रहेगा. मैं उम्मेद करता हूं और शबो रोज परवरदिगार से दुआ करता हूं कि तारीख लिखने वालों को यह मौका न मिले कि हमारी रियासत की आयन्दा तारीख पर यह दर्ज करें कि ऐसी नफाबख्श Institution, मिस्ल मजलिस आम की कायमी के साथ ही रियासत हाजा में Higher तालीम का सिलसिला कतई मसदूद होगया.

जमनादास साहब झालानी—मैं इसकी ताईद करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—जो तकरीर वकील साहब ने अपने चुनीदा और पुरमानी अलफाज में, कमसे कम इस छै महीने के अर्से में सोचकर इस वक्त पेश की, इसमें कोई शक नहीं कि आप साहबान वाकई में यह तजवीज, जिसकी तरफ उन्हों ने attention draw करने की कोशिश की है, सुनकर निहायत खुश हुए होंगे. लेकिन मेरा ख्याल यह है कि वकील साहब को अभी तक पूरी वाकफियत नहीं है, कि दरबार ने इसकी निस्बत क्या कार्रवाई चलाई और कहां तक वह कार्रवाई चली और फिर कहां जाकर बन्द हुई और फिर उसको कहां से शुरू किया गया. इसके नतीजे का अभी तक इन्तजार है. मेरे संवत १९७० के दौरे का रिपोर्ट, गालिबन साहबान की नजर से गुजरा होगा. क्योंकि साल गुजिश्ता के स्पीच में मैं ने कह दिया था कि सेक्रेटरियट लायब्रेरी, मेम्बरान मजलिस आम के disposal पर है. गालिबन आपने लायब्रेरी में से उस रिपोर्ट को निकालकर देख लिया होगा. जो बातें मेरी नजर में काबिले दुरुस्ती आईं और जो नकायस मुझे मालूम हुये उस बाबत मैंने रिपोर्ट मजकूर में लिखा है. वैसेही जो नुकायस मेरी नजर में आये उनकी दुरुस्ती के लिये मैंने हुक्म भी दिये हैं और इन्सपेक्टर-जनरल फॉर एज्यूकेशन और चन्द प्रोफेसर साहबान को

बुलाकर उनकी बाबत समझायश भी दी थी. जो अहकाम मिस्टर बुक साहब को दिये गये उनकी क्या तामील हुई यह बात भी मेम्बरान के देखने के काबिल है. साल गुजिश्ता में फिर कमीशन कायम किया गया जिसकी निस्बत अभी मैंने नोटीफिकेशन मंगाया है जो गालिबन आप साहबान की नजर से गुजरा होगा और मैं उसकी रिपोर्ट का मुंतजिर हूं. इसकी निस्बत मेरी जो कुछ पॉलिसी है यानी एज्यूकेशन की निस्बत मैं उम्मेद करता हूं कि जनवरी अखीर तक आपके सामने वह पेश हो जावेगी. उसके ऊपर गौर करने के बाद अगर आप राय कायम करते तो, बनिस्बत इसके कि यह मामला आजही पेश किया जावे, बेहतर होता. आजकल आम दस्तूर होगया है कि अगर Real side के देखे कुछ नुमायशी बात इस तरकीब से कहदी जाती हैं कि जिससे पब्लिक में शोहरत और नामवरी हो जावे. सवाल यह है कि एज्यूकेशन से हमको फायदा हुआ है या नहीं, इसको किसी ने नहीं देखा. महज एक तख्ती पर देखने से कि पांच हजार बी. ए. पास हुए, नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता है. मुझको अफसोस है कि मैं अकेला ही शख्स हूं कि जिसे कतई इससे इत्तफाक नहीं है. जब वह कुछ काम करके बतलावें तो मैं समझूंगा कि उन्होंने कुछ काम किया; वर्ना नुमायशी बी. ए. होने से कुछ काम नहीं चलता. और जैसाकि वकील साहब ने अपनी जबान मुबारिक से constructive और destructive अलफाज का जिक्र किया है गालिबन यह मेरी स्पीच का असर होगा, जिसकी वजह से आपने इन लफ्जों को इस्तेमाल किया. यह मैं तहकीक नहीं कह सकता कि आया यह मेरी ही स्पीच का असर है, मगर यह मेरा presumption है. इस वक्त तक हायर एज्यूकेशन का क्या नतीजा हुआ, मालूम नहीं होता. हमको दरअसल ऐसे लोगों की दरकार है जिनमें plenty of common sense हो और open to reason हों और जो अपने काम को बराबर आहिस्तगी और पाबन्दी के साथ चलावें, तो हम समझेंगे कि वह तालीमयाफ्ता हैं. जबानी इबारत आराई से हमारी मतलब बरारी नहीं होती. मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर हमने हायर एज्यूकेशन को बंद कर दिया तो हमारे यहां नुकसान नहीं होगा. जमाने हाल की यह हालत है कि आपस में मेलजोल नहीं है और लोगों के दिलों से मजहब और वालदैन का respect जाता रहा है. मेरी समझ में नहीं आता है कि एज्यूकेशन ने इस मुल्क में क्या फायदा किया. मुझे अफसोस है कि वकील साहब ने उसक result को नहीं देखा और महज outward show की गरज से कि हमने क्या किया इस प्रपोजल को move किया. अगर वकील साहब अंदरूनी पहलुओं और उसके असल result को देखते तो जरा उनको बोलने से पहिले कुछ consider करना होता. साहबान! नुमायशी स्पीचेज और Self advertisement मुझको पसंद नहीं है. ऐसी तजवीजें पेश करना चाहिये कि जिनसे हमारा असल मक्सद हासिल हो. नेकी, ईमानदारी, नेकनियती, मुल्क की prosperity और रिआया की आसायश, इन बातों पर ज्यादातर गौर करना चाहिये.

नशे की चीजों का इस्तेमाल कम किये जाने के मुतअल्लिक तजवीज (नंबर १०, फर्द नंबर २.) जो परसों पास हो चुकी है उस सवाल को आज मैं फिर open करना चाहता हूं. आपको मालूम है कि इस बारे में दरबार के दो नोटीफिकेशन्स जारी हुए हैं. एक नंबर ९, संवत १९७७ जिसकी रू से चरस और मदक का बंद करना करार दे दिया गया है. दूसरा नोटीफिकेशन संवत १९६२ का है, जिसमें दरबार ने अपनी प्यारी रिआया के फायदे के लिये क्या कोशिश की है, उस पर अवाम की तवज्जुह दिलाई है. जब मैंने यह नोटीफिकेशन ड्राफ्ट किया था (और जिसे ट्रेड मेम्बर साहब ने पढ कर उज्जैन में सुनाया था) उस नोटीफिकेशन में यह बतलाया गया है कि दरबार हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि नशेबाजी कम हो. इस वक्त इस question को re-open करने की क्या जरूरत समझी गई, मेरी समझ में नहीं आया. साहबान! वह लोग जो कि शराब के आदी हैं आज

ही उसके इस्तेमाल से रोक दिये जावेंगे तो वह बिलकुल बेकार हो जावेंगे. हमको तालीम ऐसी देनी चाहिये जिससे लोग अपने फायदे और नुक्सान को समझें और बुरी आदत को छोडते चले जावें. तालीम की निस्बत जब तक पब्लिक काफी मदद नहीं करेगी, और वाल्दैन जब तक अपने बच्चों की पूरी निगरानी नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं हो सकती. क्योंकि अच्छे Home atmosphere की जियादा जरूरत है. मुझे यह भी बतलाना है कि चंद साहबान ने नशा और धर्म की तजवीज इस वजह से पेश की है कि लोग वाह २ करें. लेकिन साहबान, बजाहिर और, ब बातिन और बात हो तो मैं कैसे मान सकता हूं. लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को बता सकता हूं कि जो छुपकर शराब पीते हैं और आम तौर पर कहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिये. चुनांचे इस किस्म की बनावटी स्पीच या प्रपोजल को मैं कतई पसन्द नहीं करता हूं. नशों का इस्तेमाल रफ्ता २ ही कम होगा, क्योंकि Rome was not built in a day. दरबार यही कोशिश कर रहे हैं कि नशों का इस्तेमाल कम हो जावे, फिर यह proposal क्यों किया गया है समझ में नहीं आता. लिहाजा मैं इस तजवीज के मुतअल्लिक resolution को cancel करता हूं. अगर दरबार का attention इस point पर न होता तो आपको यह तजवीज पेश करना चाहिये थी और दरबार भी ममनून व मशकूर होते.

अहमदनूरखां साहब—इसी तरह पर मूर्तियों की निस्बत तजवीज (नंबर २३, फर्द नंबर २) पेश करते वक्त यह मुझको नहीं मालूम कि आपने कानून परस्तिशगाह को पढा या नहीं. दरबार का खास मन्शा यह है कि उन परस्तिशगाहों की साल सम्हाल की जावे कि जो खास कर जंगल में हैं और जिनका अपूज्य रहना अधर्म की बात है. दरबार की यह हरगिज मंशा नहीं है कि उनको उठाकर एक म्यूजियम बनाया जावे. जब public help न करे तो दरबार क्या कर सकते हैं? ऐसी मूर्तियों की निस्बत public तजवीजें पेश न करे और उनके लिये रकम सेंट्रल बोर्ड से हासिल न करे और इसके बजाय मूर्तियां उठाकर म्यूजियम बनाया जावे, यह सवाल करे तो कहां तक ठीक है, यह काबिल गौर है. इस सवाल के frame करने में आपने अपना दिमाग सर्फ किया. साहबान मेरा यह इरादा था कि आपको इस बात से भी आगाह करूं कि सवाल आपको वही करना चाहिये कि जिसकी आपको जरूरत है. फिजूल सवाल करना अपनी अक्ल को advertise करना है. अगर सवाल आपके पास नहीं है तो invent न करो. अगर गवर्नमेन्ट की तवज्जुह किसी बात पर न हो तो आपको तवज्जुह दिलाना चाहिये. हमारी खद कोशिश है कि नशेबाजी कम हो जावे, लेकिन वही मसला मौजूद है कि तिल का पहाड बनाया जाता है, रफ्ता २ रोक होगी. आपको मालूम है कि rates बढा दिये गये हैं, और नशे की हर चीज को महंगा कर दिया गया है, और खुद व खुद इसका इस्तेमाल कम होता जावेगा. Social पंचायत हैं उनके जर्ये से लोगों पर influence क्यों नहीं डाला जाता? मैं तो आपको real facts बतलाऊंगा, और जो fact है उसको आपके सामने लाऊंगा, लेकिन फिजूल सवाल करने से महज अपना वक्त और मेरा वक्त जाया करना है. जितने काम की जरूरत है उतना काम करना चाहिये. चुनांचे एक्साइज के resolution को जो परसों पास हुआ है उसको मैं जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं cancel करता हूं. मूर्तियों की निस्बत जो कमेटी डिस्ट्रिक्ट में मुकर्रर है उसके मेम्बरान, मूर्तियों की पूजा की बाबत कोशिश नहीं करते. गांव में जो परस्तिशगाहें हैं उनकी पूजा किसी न किसी वसीले से होती ही रहती है. मेरा मतलब उन परस्तिशगाहों से है कि जो जंगल में हैं. जैसे कि देवगढ की खोह में एक मंदिर है—जैसे चन्देरी और नरवर के किले में एक मसजिद है—उनकी हिफाजत करना चाहिये. चुनांचे इसकी निस्बत मैंने अपनी पॉलिसी में लिखा है जो अनकरीब आपके सामने आवेगी. शहर में व गांवों में किसी न किसी तरह पूजा होती ही रहती है.

रावराव साहब देशपांडे—हुजूर मुअल्ला ! एक प्रार्थना है, कि मर्द के जीते जी जिन कौमों नात्रे का रिवाज है उस औरत को मर्द से फारिगखती जरूर हासिल करना चाहिये और उसकी ट्री कराना चाहिये. फारिगखती हासिल न करने पर जो मर्द नात्रा करेगा या जो औरत नात्रा करेगी वह बे कायदा समझा जावे. इस तरह का बन्दोबस्त अगर न कर दिया गया तो गरीब लोगों का बचाव न होगा, बल्कि यह होगा कि पैसे वाले गरीब लोगों की औरतों को भगा कर ले जायेंगे.

गुरुदयाल साहब—हुजूर अनवर ! जो दिक्कत इस सवाल में पेश की गई है वह अदालतों के इन्साफ करने में, इसमें शक नहीं कि, दिक्कत लाती है और झूंटे झगडे भी पैदा होते हैं. इस मरहले पर पेश्तर मुकदमेबाजी होती है कि जिस औरत से इजदिवाज सानी हुआ है वह उसके खाविन्द ने छोड दी है, और उसकी ताईद में शहादतें पेश आती हैं. मैं इस सवाल की इस हद तक ताईद करता हूं लेकिन जो चाराकार बतलाया है उसकी मुखालिफत करता हूं और दूसरा चाराकार जाहिर करता हूं. जिस वक्त नात्रे की दरख्वास्त रजिस्ट्री के लिये अदालत में पेश हो, और उसमें एक खाना है कि 'उसके शौहर है या नहीं', जब तक इस खाने की तकमील पूरी न हो जावे उसकी रजिस्ट्री न की जावे. अगर शौहर जिन्दा हो तो जब तक कि उसकी तहरीरी फारिगखती पेश न हो या उस अदालत के रूबरू खाविन्द यह तसलीम न कर लेवे कि उसने औरत को छोड दिया है उस वक्त तक नात्रे की रजिस्ट्री न होना चाहिये. इस तरीके के अमल में लाने से जिन औरतों के शौहर मौजूद होंगे वह कानून की मदद से दूसरा शौहर न कर सकेंगी.

लॉ मेम्बर साहब—इस तजवीज के पहुंचने पर मुझे जरूरत इस बात की मालूम हुई कि जिन कौमों में नात्रा और धरीचा जायज समझा गया है उनके मुतअल्लिक कुछ वाकफियत हासिल करूं. चुनांचे मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब शाजापुर से नात्रे धरीचे के मुतअल्लिक चंद उमूर की निस्बत वाकफियत तलब की. डिस्ट्रिक्ट जज साहब शाजापुर ने चंद कौमों के मुखियाओं को तलब किया और उनसे नात्रे धरीचे के मुतअल्लिक बातें दरयाफ्त कीं. वह मालूमात, जिसको कि मुझे जरूरत थी उसमें एक यह है कि 'नात्रे' व 'धरीचे' में क्या फर्क है और जिले शाजापुर में इन दोनों में कुछ फर्क है या नहीं या दोनों एक हैं. अगर फर्क है तो क्या है. दूसरे यह कि जिन कौमों में नात्रे का रिवाज रायज है वह किन किन हालतों में वहां की पंचायत जायज समझती है. इसके मुतअल्लिक डिस्ट्रिक्ट जज साहब शाजापुर ने कुम्हार, जाट, गूजर, भाटी, कुलमी, और बलाई के मुखिया अशखास को तलब किया, और उनसे इसके मुतअल्लिक मालूमात दरयाफ्त कीं. मैं यह भी मुनासिब समझता हूं कि आप साहबान को वजह बतला दूं कि इस मालूमात के फराहम करने की क्या जरूरत थी. वजह यह थी कि नात्रा बाज २ कौमों में बेवा औरत का ही जायज है. बाज़ मर्तबा शौहर की जिन्दगी में खास २ सूरत में जायज समझा जाता है. जो वाकफियत हासिल की गई है वह निहायत इख्तसार के साथ आप साहबान को बतलाता हूं. यह मालूम हुआ है कि औरत खाविन्द के जीते जी किसी के घर नहीं बैठ सकती, लेकिन शौहर के मरने के बाद बैठ सकती है. कुम्हार, जाट, गूजर, भाटी (भाटी साहब जो पेश हुए अपने को राजपूत ठाकुर बतलाते हैं) व कुलमी इन सबों ने यह जाहिर किया कि शौहर के मरने के बाद औरत का नात्रा किया जाता है या शौहर की जिन्दगी में उस वक्त हो सकता है जब कि वह खाविंद नामर्द हो, वर्ना नहीं. सिर्फ बलाइयों ने यह जाहिर किया है कि नात्रा अगर खाविंद रजामन्दी दे तो हो सकता है, अगर न दे तो पंचों की इजाजत से भी नहीं हो सकता. पंचों को यह इख्तियार नहीं है कि महज औरत की शिकायत पर नात्रे की इजाजत दे दें. गरज कहने की यह है और देखा जाता है कि परगना शाजापुर में हालत यह बतलाई जाती है, कि सिवाय एक बलाई कौम के, जिसमें नात्रा शौहर की जिन्दगी में पंचों की रजामन्दी से भी नहीं हो सकता, बाकी

और कौमों में नात्रा उस हालत में जायज समझा गया है जब कि उसके शौहर ने पंचायत में उसको मंजूर करके झगडा दिलाया हो, बशर्ते कि खाविंद उसका नामर्द न हो. नतीजा इन मालूमात का यह है कि ऐसी कौमों की तादाद बहुत थोडी है. जिला शाजापुर जिसमें जीते जी नात्रे की नौबत आती है और जहां यह जायज रखा गया है वहां पंचायत में झगडे पेश आते हैं. पंच इसकी इजाजत देकर दूसरे शख्स से जो नात्रा करता है झगडे का रुपया दिला देते हैं. ऐसी हालत में देखना यह है कि क्या हम इस अमर पर गौर करें कि जब ऐसे झूटे झगडे पैदा हों तो क्या किया जावे. एक आध बातको छोड दीजिये. सवाल यह है कि क्या कसरत से ऐसी बातें पेश आती हैं कि जिनके लिये कवायद व जवाबित वजा किये जावें. मुझे इत्मीनान नहीं हुआ है कि खराबी इस दर्जे तक बढी हुई है कि जिसके लिये कायदे मुरत्तिब किये जावें. मेरे खयाल में आप इसकदर उजलत न करें और वाकफियत हासिल करके अगर मुझे मालूमात दे सकें तो बेहतर है. दीगर अजलाय में भी हाल दरयाफ्त करके मैं गौर करूंगा. लेकिन आपकी सिर्फ इस तजवीज से मुझे यह नहीं मालूम होता कि खराबी इस दर्जे तक बढ गई है कि जिसके लिये कवायद की जरूरत हो. मैं आपका मशकूर होऊंगा, अगर आप ज्यादा वाकफियत मुझे बहम पहुंचावेंगे. हुक्काम जुडीशियल से भी अगर आप इमदाद चाहेंगे तो वह खुशी से आपको देंगे; इसलिये मेरा मशवरा है कि मजीद वाकफियत, जिसकी कि मुझे जरूरत है, आप बहम पहुंचावें ताकि मैं इस मसले पर मजीद गौर कर सकूं.

अहमदनूरखां साहब—बलाई, कुम्हार, जाट, गूजर, सोंधिया, चमार, दांगी व कुलमी के अलावा और बहुतसी कौमें हैं जिनमें खाविन्द के मरने के बाद नात्रा होता है. मैंने ऐसे सकडों झगडों के मुकद्दमात अदालत में भी होते देखे हैं और इन्हीं कौमों में यह मुकद्दमात ज्यादा होते हैं. और कुलमी जो एक बडी कौम मशहूर है वह किसी की औरत को औरत ही नहीं समझते, और इसमें तनाजे बहुत होते हैं. जब खाविन्द ने पंचों में वावैला किया तो मन्डलोई नात्रा करने वाले से सात सात, छै छै सौ रुपये झगडे के ले लेते हैं. खराबी इस कदर बढी हुई है कि जो लोग मन्डलोई मशहूर हैं वह गुनहगारी के बतौर रुपये ले लेते हैं, हत्ताकि कत्ल तक की नौबत पहुंचती है. अगर इन वाकिआत पर हुजूर तवज्जुह फरमावें तो एक ही क्या, जिला शाजापुर में ऐसी सैकडों वारदातें जो अक्सर होती हैं मैं बतला दूंगा और जिस अदालत ने आपको ऐसी वाकफियत दी है उसके ही सैकडों मुकद्दमात और फैसले निकाल कर बतला दूंगा; और ऐसे लोगों को भी पेश कर दूंगा, बशर्ते- कि तहकीकात मेरी मौजूदगी में हो. गूजर की कौम में जो इस साल कत्ल हुआ है उसको भी बतला दूंगा और उन लोगों से भी कहलवा दूंगा.

गुरुदयाल साहब—यह मुनासिब बात होगी कि जिस वाकफियत में कमी है वह पूरी मुहय्या हो जावे. जो कौमें कि नात्रे के लिये महदूद की गई हैं उनके अलावा बहुतसी जात दरजी, छीपे वगैरा ऐसी कौमें हैं जिनमें शौहर के जीते जी रजिस्ट्रियां होकर नात्रा हो गया है और उनके अदालत में दावे दायर हुए हैं और कोशिश इस अम्र के साबित करने की की गई है कि खाविंद ने औरत को छोड दिया. झूठी शहादतें भी गुजारी हैं. अगर इसकी रोक कर दी जावे तो गरीब रिआया को इस मुसीबत से निजात होगी और अदालत का बेशकीमत वक्त ऐसे मुकद्दमात की तहकीकात में सर्फ न होगा.

हुजूर मुअल्ला—क्या आप इसकी निस्बत कानून चाहते हैं या यह चाहते हैं कि इस नाजा- यज कार्रवाई की रोक की जावे ?

अहमदनूरखां साहब—जो मेरी समझ में आया वह जाहिर किया, इसलिये इस नाजायज कार्रवाई की रोक की जावे.

हुजूर मुअल्ला—क्या आपकी मन्शा ज्यादातर मुकद्दमेबाजी के घटाने की है या इस नाजायज रस्म के रोक की निस्बत है ?

अहमदनूरखां साहब—कानून ऐसा बना दिया जावे कि जिससे गरीबों को तकलीफ न पहुंचे.

हुजूर मुअल्ला—गरीबों को क्या तकलीफ पहुंची ? क्या कोई किसी की मन्शा के खिलाफ उसकी औरत को भगा ले गया, और फिर दावा होने पर अदालताना कार्रवाई में पकडा धकडी की तकलीफ हुई है ? सवाल यहां दो हैं—क्या आप अपने सवाल को मुकद्दमे के घटाने के लिये पेश करते हैं, या नाजायज तरीका जो इन कौमों में पड गया है, उसकी रोक चाहते हैं ? दो में से एक कहिये.

अहमदनूरखां साहब—तरीका जो इन कौमों में पड गया है उसकी रोक होना नामुमकिन मालूम होती है. मेरी गुजारिश यह है कि जहां यह रिवाज है वहां कवायद वजा किये जावें कि इन पाबन्दियों के साथ नात्रा हो सकता है.

हुजूर मुअल्ला—आप कहते हैं कि अदालत की तवालत को घटाना चाहता हूं; मेहरबानी करके नात्रा और धरीचे की निस्बत जो कानून जारी है उसमें जो तरमीम या तन्सीख आप कराना चाहते हों या उसकी दफआत में तरमीम या तन्सीख की जरूरत समझते हों उसका मुसव्विदा तैयार करके बराह मेहरबानी पेश कर दें जिससे आपका मकसद हासिल हो जाय. मैं इस stage पर इस सवाल को छोडता हूं कि परसों के इजलास में अपने खयाल से आप मौजूदा कानून में जो तरमीम चाहते हों वह जाहिर करें.

तजवीज नम्बर २४, फर्द नम्बर २.

यह मजालिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मजहबी औकाफ कमेटी देहात के मेम्बर साहबान को दिलचस्पी इस कार खैर में बिलकुल नहीं है. इसकी वजह यह है कि अव्वल तो इन कमेटियों के मेम्बर नाख्वांदा हैं दोयम एक जगह के रहने वाले नहीं और न कोई इनके इकट्ठे होने का मौका आता है. तीसरे कोई क्लर्क भी इनके पास काम करने वाला नहीं और न कोई रिकार्ड है. चौथे मिस्ल परगना व जिला कमेटी के प्रेसीडेन्ट भी इन कमेटियों में ऑफिशियल नहीं कि जो हमेशा काम करने की याद दिहानी दिलाते रहें; व परगना व जिला की कमेटियों के मेम्बर साहबान की भी दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से दरबार ने जिस गरज से यह महक्मा कायम फरमाया है वह पूरी नहीं होती और न मेमोरेन्डम नं. १२ के ठहराव नं. ४९ की तामील हुई. इस वास्ते देहात की कमेटियां तोडी जाकर उनका काम पंचायत बोर्ड्स की निगरानी में होना चाहिये व मेम्बरान परगनात व अजलाय की कमेटियों का चुनाव अजसरे नौ व लिहाज मेमोरेन्डम नम्बर १२, ठहराव नम्बर ४९, होकर मियाद ओहदा मेम्बरी की ५ साल रक्खी जाय व जिस मेम्बर की सालाना हाजरी अच्छी हो उसे सर्टीफिकेट अता फरमाया जावे.

इस तजवीज को मूंगालाल साहब ने पेश किया.

हुजूर मुअल्ला—मैं आपकी anxiety को appreciate करता हूं. मेरी राय में बेहतर होगा कि आप अव्वल मौजूदा कानून औकाफ को पढ लें. उसके बाद आपकी राय में इस तजवीज के मुताबिक जो तरमीम मौजूदा दफआत में होना चाहिये उसका मुसव्विदा तय्यार करके परसों के रोज पेश करें.

तजवीज नम्बर २५, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जमींदारों के लडके अगर खानगी तौर पर कानूनगोई क्लास की तालीम हासिल करके शरीक इम्तिहान होना चाहें तो उनको शामिल कर लिया जाया करे. यह कैद कि उन्होंने ५ साल तक पटवारगरी या २ साल तक अहलकारी का काम नहीं किया या सरकारी स्कूल में तालीम नहीं पाई, उठा दी जावे.

यह तजवीज अहमदनूरखां साहब ने पेश की और कहा कि हुजूरवाला ! जमींदारान की तवज्जुह तालीम की तरफ बहुत कम है, ताहम इन लोगों के लडकों को इसकी निहायत जरूरत है कि वह कानूनगोई की तालीम पावें और इम्तिहान में शामिल किये जायें. चूंकि अव्वल तो तालीम की तरफ इनकी तवज्जुह ही कम है, दूसरे सर्फा उठाकर सरकारी स्कूलों में भेजना गिरां गुजरता है, इसलिये बहुत कम ऐसा होता है कि उनके बच्चे स्कूलों में पढते हैं, फिर वह कानूनगो क्लास की तालीम किस तरह हासिल करें. अगर वह खानगी तालीम हासिल करके कानूनगो क्लास के इम्तिहान में शरीक किये जायें तो कोई हर्ज मालूम नहीं होता. ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि वह फेल हो जावेंगे अगर पास न होंगे. लेकिन अगर उनकी तालीम पूरी हो जावेगी तो वह पटवारी के कागजात देखने और जमींदारी कारोबार संभालने के काबिल हो जावेंगे.

हुजूर मुअल्ला—यह तो आपको मालूम है कि दरबार ने इन लोगों की तालीम की तरफ किस कदर तवज्जुह दी है. मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपको इसकी वाकफियत है कि इन लोगों की तालीम के लिये दरबार ने इस वक्त तक क्या किया है?

अहमदनूरखां साहब—हुजूर अनवर ने स्कूल कायम कर रक्खे हैं.

हुजूर मुअल्ला—क्या आपका यह कहना है कि जमींदारान के बच्चों को कानूनगो क्लास में शामिल कर लिया जावे?

अहमदनूरखां साहब—हुजूर वाला ! मेरी यह गरज है कि इनके बच्चों को इम्तिहान में शरीक कर लिया जावे.

हुजूर मुअल्ला—मगर शक तो यह है कि जब इनकी तवज्जुह तालीम की तरफ ही नहीं है तो क्या किया जावे ? आपको मालूम है कि इसके मुतअल्लिक दरबार से नोटीफिकेशन हुआ है और उनके लिये Curriculum भी मुकर्रर कर दिया गया है, और हिदायत है कि जो लडके इम्तिहान में पास हों मय अपने वालदैन के गुडीपडवा के दरबार में हाजिर हों. दरबार में उनके वालदैन को पोशाक भी दिया जाता है. अब सवाल यह है कि जमींदारों के लडकों को कानूनगोई क्लास में लिया जावे. लेकिन सब से पहिले जरूरत इस बात की है कि वह इतनी तालीम तो पालें कि अपने गांव को सम्हाल सकें, और जो अहकाम जारी होते हैं उनके मुताबिक तामील कर सकें. मालवे का मेरा तजुर्बा है कि संवत १९७० में, जब कि मैंने last दौरा किया, मैंने एक जमींदार से दरयाफ्त किया कि फलां बात यह क्यों और बहीखाता कहां है ? कहा कि लाला को मालूम होगा; पूछा कि पट्टा कहां है तो बयान किया कि आले में रक्खा है. यह तो उनकी हालत है. अब इनके बच्चों को खास जमींदारी तालीम न देते हुए कानूनगोई तालीम देना कहां तक दुरुस्त होगा ? दर असल question को इस तरह लेना चाहिये कि जमींदारान की तालीम का क्या इन्तजाम करना चाहिये. पहिले आप दर्जे बदर्जे चलें. आप बुनियाद को तो देखते ही नहीं, पांचवीं मंजिल पर इमारत बांधते हैं जो बिलकुल कमजोर हो जाती है. पहिले आप जमींदारों की तालीम

की निस्बत तजवीज पेश करें. किसी जमाने में मेरी तजवीज थी कि जमींदारों के लडकों के लिये Compulsory Education कर दिया जावे लेकिन यह तजवीज खास वजह से पूरी न हो सकी दरबार में उनका बुलाना बसंत पंचमी के रोज मुकर्रर था, मगर बसंत पंचमी का दरबार बंद हो गया. मेरा खयाल था कि जमींदारों के लडके कसरत से पास होंगे और खास जमींदारों के लिये यह दरबार होगा, जिसमें इनके बच्चे पेश किये जावेंगे और उनके वाल्दैन को पोशाक दी जावेगी. लेकिन तादाद तो छै या सात हुई. सात आदमी के लिये दरबार भरने से क्या फायदा? इसलिये यह दरबार कम तादाद की वजह से गुडीपडवा के दरबार में शामिल कर दिया गया. पहिले आप जमींदारों की तालीम की फिक्र कीजिये और यह तजवीज बतलाइये कि उनमें कैसे शौक पैदा कराया जाय और किस तरह मजबूर कराया जावे, जिससे उन्हें अखरे नहीं और खुशी से अपना काम हो जावे, यानी न तो उन पर ज्यादा तालीम का बोझ डाला जाय और न Higher education की जरूरत है. रशिया में हायर एज्युकेशन का क्या असर हुआ? जर्मनी में क्या हुआ? ऑयरलेन्ड में कितना बडा असर हुआ? लॉयड जार्ज चले गये, बोनरला उनकी जगह आये अब लॉयड जार्ज बोनरला पर अटैक करने लगे. लॉर्ड हंटर का कमीशन यहां आया वगैरा वगैरा. यह सब हायर एज्यूकेशन के जौहर हैं. अब आप कोशिश यह कीजिये और दरबार को मशवरा दीजिये कि क्या तदाबीर इख्तियार की जावें जिनसे जमींदारों को तालीम का शौक पैदा हो कि वह अपने लडकों को हमारे स्कूलों में दाखिल कराकर प्रायमरी के कोर्स को पूरा कर लेवें, जो already prescribe किया गया है. जब वह यह दर्जा खत्म कर लेवें तब आप उनके लिये बजाय कानूनगो के डायरेक्टर लेन्ड रिकार्ड्स की तजवीज करें. कानूनगोई का तो जिक्र ही क्या है, अगर आप उन्हें ट्रेड मेम्बर या पोलिटिकल मेम्बर बनाने की तजवीज करेंगे तो भी मैं उसे consider करूंगा. अभी तो आप जमींदारी क्लास को पकडें. पहिले 'अलिफ' को पकडें फिर 'बे' को. अभी से जीम, खे, ये, पर न जावें. जमींदार जोकि हमारा एक Unit है उसको पकडें. उसकी तालीम दिलाने में दरबार को मदद दें और मशवरा दें कि क्या तदबीर की जाय कि जिससे वह अखरने के बगैर खुद ब खुद अपने लड्कों को तालीम के लिये भेजें या Compulsory education की तजवीज बतलायें, लेकिन यह तो मुझसे नहीं हो सकता कि मैं उनके बच्चों के लिये उनके घर पालकी भेजूं, या धूप लगे तो छत्री पकडने को आदमी भेजूं, क्योंकि आजकल यह ख्याल आम हो रहा है कि हर चीज को दरबार ही provide करें. इसलिये आप वह तजवीज पेश करें कि जिससे जमींदारों के लडकों की ऐसी तालीम उम्दगी से हो जावे कि उनमें Village administration का सलीका पैदा हो जावे, और जिस बुनियाद पर काम होना चाहिये वह हो जावे. अगर वह पहिले चल जावे तो इमारत बनाने में आसानी होगी. मेरे ख्याल से कानूनगोई का ख्याल छोड दीजिये और ऐसा सहल तरीका परसों के इजलास में बतलाइये कि जिससे जमींदारान में एज्यूकेशन popular हो और वह लोग खुशी से अपने लडकों को तालीम के लिये स्कूलों में भेजें या गौर करके Compulsory education की तजवीज पेश कीजिये. मैं उसके लिये पूरी तौर से तैयार हूं.

तजवीज नम्बर २६, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

जरायम नं. १०५ तखवीफ मुजारिमाना; व १०६, वह फेल जो किसी शख्स का यह बावर करने की तहरीक से कि मूरिद गजब इलाही किया जावेगा कराया गया हो;

और नंबर १०८ किसी शारे आम में ब हालत नशा शराब आ निकलना, जिससे किसी शख्स को रंज पहुंचे; और नं. १११ बेरहमी और बेलिहाजी से मारना और बदसलूकी से पेश आना या सख्ती करना या ताकत से जियादा चलाना या ताकत से जियादा बोझ लादना या मारने या बदसलूकी करने या सख्ती करने या ताकत से जियादा चलाने या ताकत से ज्यादा बोझ लादने का किसी जानवर पर बाइस होना; यह सब जरायम भी पंचायत बोर्ड के इख्तियार में दे दिये जावें.

तजवीज नम्बर २७, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

जुर्म जरर रसानी नं. १० पंचायत बोर्ड के इख्तियारी फरमाया गया है, मगर बाज औकात यह जुर्म किसी बडे जी इज्जत शख्स के मुकाबले में सरजद होता है और कभी जरबात ऐसी सख्त होती हैं कि जुर्म नं. ९ के करीब पहुंच जाती हैं जिसके खफीफ व शदीद का इनहिसार सिर्फ मेडीकल ऑफिसर की तहरीर पर होता है और कभी किसी विदेसी मुलजिम की जानिब से इर्तेकाब होता है और बमन्शाय दफा १०६, जाब्ता फौजदारी, मुलजिम की गिरफ्तारी वारन्ट के जर्ये से होने की जरूरत होती है जिसका पंचायत बोर्ड को इख्तियार नहीं है. कानून में ब लिहाज संगीनियत जुर्म इस जुर्म के लिये इन्तहाई सजा एक साल तक कैद या एक हजार रुपये तक जुर्माने की रक्खी गई है जो पंचायत बोर्ड के इख्तियार से कहीं बालातर है और बाज औकात ऐसे मुआज्जिज अशखास से इसका तअल्लुक होता है जिनकी हैसियत पंचायत बोर्ड से बालातर होती है.

और फैसलेजात बोर्ड कैसे कुछ भी हों काबिल अपील नहीं होते. ऐसी सूरत में अगर मुस्तगीस को इस जुर्म के लिये इस्तगासा दायर करने की आजादी दी जावे कि वह अपना इस्तगासा अदालत परगना या पंचायत बोर्ड में से जहां चाहे दायर कर सके तो मुनासिब होगा.

अहमदनूरखां साहब—चूंकि मुसव्विदा जदीद पंचायत बोर्ड एक्ट पर मजलिस कानून में गौर हो चुका है और लॉ मेम्बर साहब ने इन तजावीज के मुताल्लिक मुझको वाकफियत दे दी है, इसलिये मैं इन तजावीज को वापिस लेता हूं.

तजवीज नम्बर २८, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

सरक्यूलर नम्बर ३, सम्वत १९७७, मजरिये दफ्तर पेशी ऑफिसर साहब के मुताबिक ऍडवाइजरी (advisory) कमेटी के मेम्बरान का इन्तखाब मिनजानिब रिआया अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह यह है कि सरक्यूलर मजकूर में इलेक्शन का कोई तरीका नहीं बतलाया. मजलिस आम में हर जिले में से रिआया के हर तबके के रिप्रेजेंटेटिव मेम्बर हैं व इसके अलावा और भी कई दीगर जमाअतों के व खास शहर लश्कर व उज्जैन के भी रिप्रेजेंटेटिव मेम्बर हैं व सरक्यूलर सदर में यह भी दर्ज है कि एडवाइजर, मेम्बरान मजलिस आम में से भी हो सकते हैं.

इसवास्ते सरक्यूलर नम्बर ३, सम्वत १९७७, के मुताबिक एडवाइजरी कमेटी के मेम्बरान का इलेक्शन मेम्बर साहबान मजलिस आम से कराया जावे.

मंगालाल साहब ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा कि अन्नदाता! सरक्यूलर नम्बर ३, संवत १९७७, मजरिये दफ्तर पेशी ऑफिसर साहब यह है कि जब कभी दरबार को व हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को किसी मुआमले में मशवरे की जरूरत पेश आवे तो उसके लिये स्टेन्डिंग मशवरेकार एक शहर लश्कर से व एक शहर उज्जैन से व एक प्रांत मालवा से व एक प्रांत ग्वालियर व ईसागढ से होना चाहिये, जिनका चुनाव करना पब्लिक के ऊपर ही रक्खा गया है कि वह जिस तरह मुनासिब समझे उनका चुनाव करके दरबार में इत्तला कर दे. मगर उसकी तामील अभी तक नहीं हुई वजह उसकी यह है कि जितने भी बोर्ड्स व कमेटियां सरकार की तरफ से कायम की जाती हैं और जो उनमें रिआया के तबके में से मेम्बरान मुकर्रर होते हैं उनके चुनाव का कोई तरीका जरूर कायम किया जाता है; मगर इस सरक्यूलर की तामील होने का कोई भी तरीका नहीं बताया गया. इसी वजह से खास शहर लश्कर से जो चुनाव पहले हुआ था वह फिर रिआया की तरफ से शिकायत होने से cancel हो चुका है. ऐसी हालत में प्रांत ग्वालियर व ईसागढ व प्रांत मालवा से रिप्रेजेन्टेटिव्ज का चुनाव होना बहुत ही मुशकिल है, जिसके लिये रिआया का एक जगह इकट्ठा होना व एक राय होना बिला किसी कायदे सरकारी के गैरमुमकिन है.

मजलिस आम दरबार ने कायम फरमाई है उस में रिआया के हर तबके के रिप्रेजेन्टेटिव्ज शामिल हैं. यानी ज्यादातर रिआया में तीन तबके हैं—(१) जमींदार, (२) साहूकार, (३) आम रिआया; इन तीनों तबकों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज रियासत के हर डिस्ट्रिक्ट के, मजलिस आम में शामिल हैं. इसके अलावा बोर्ड साहूकारान से, जागीरदार साहबान से, ट्रेड एसोसियेशन, बार एसोसियेशन, आश्रित मंडली, अंजुमन इस्लाम व रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स में से भी रिप्रेजेन्टेटिव्ज शामिल हैं. मजलिस कानून के मेम्बर साहबान भी शामिल हैं और जिसमें खास शहर लश्कर व उज्जैन के भी कई संस्थाओं के रिप्रेजेन्टेटिव्ज शामिल हैं. सरक्यूलर मजकूर में यह भी मुंदर्ज है कि एडवाइजर, मेम्बर साहबान मजलिस आम में से भी मुंतखिब हो सकता है. इसवास्ते मैंने यह तजवीज मजलिस में पेश की है कि सरक्यूलर नंबर ३, सं. १९७७, के मुताबिक एडवायजरी कमेटी का इंतखाब मेम्बर साहबान मजलिस आम से कराया जावे, ताकि दरबार ने जो इज्जत रिआया को अता फरमाई है उसका फायदा उठाने में जो तवक्कुफ़ मिनजानिब रिआया दरबार हो रहा है वह न हो. मैं उम्मेद करता हूं कि मेरे दोस्त मेम्बर साहबान मजलिस आम गवर्नमेन्ट के हुजूर में इस तजवीज के पास होने की बाबत सिफ़ारिश करेंगे.

पोलिटिकल मेम्बर साहब ने अपनी तकरीर शुरू करने से कब्ल सरक्यूलर नं ३, सम्वत १९७७, को पढकर सुनाया और फरमाया कि दरबार की जो गायत है वह इस सरक्यूलर के अलफाज से जाहिर होती है और तजवीज जो पेश की गई है वह यह है कि अवाम में से ऐसे चार साहिबान की तकर्रुरी की नौबत आवे जिनसे कि गवर्नमेन्ट मुआम्लात में मशवरा लिया करे और उनका मजलिस आम से इंतखाब कराया जावे. दरबार का जो मकसद था वह यह था कि ऐसे चार असहाब जो अवाम की राय में इस फर्ज के अंजाम देने के लिये मौजूं मशवरा दे सकें दस्तयाब हों; लिहाजा दरबार चाहते हैं कि रिआया में से ऐसे मेम्बर, आम लोग तजवीज करके दरबार को भेजें जिससे गायत हासिल हो और जब यह गायत हासिल होगी तो दरबार को किसी तरद्दुद की जरूरत बाकी नहीं रह जाती. अब यह तजवीज पेश की जाती है कि मजलिस आम के मेम्बरान में से जो नॉन-ऑफिशियल्स हैं उनमें से इन्तखाब किया जावे, तो इसके लिये मैं यही कहूंगा कि अगर्चे बेहतर, नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान खुद मुन्तखिब शुदा रिआया और मोतमिदीन रियासत हैं

और उन में से एक २ प्रांत के लिये और एक २ शहर लश्कर व उज्जैन के लिये चुनकर दरबार को इत्तला करदें, जिस से दरबार का मकसद पूरी तौर से हासिल हो. अब रहा यह अम्र कि सरक्यूलर सदर में यह भी दर्ज है कि Advisory Members मजलिस आम में से हो सकते हैं या नहीं ? फिलहकीकत यह लफ्जी बात है किसी एक को नामजद कर दें, जिसको दरबार मंजूर कर लेवें और कोई वजह नहीं कि मंजूर न करें, इससे इस सरक्यूलर की गायत पूरी होती है. लिहाजा मुझे यह जाहिर करने में खुशी होती है कि दरबार को इस तरीके इन्तखाब में कोई ऐतराज नहीं है. कल का दिन खाली है. लिहाजा लॉ मेम्बर साहब कोई वक्त मुकर्रर कर दें और आप लोग तकलीफ गवारा करके कुल मेम्बर साहबान मजलिस आम मुज्तमा हो जावें और लॉ मेम्बर साहब की खिदमत में अपना इन्तखाब पेश कर दें तो कल ही चार साहबान का इन्तखाब हो जावेगा.

हुजूर मुअल्ला—सारा मकसद यह है कि emergency के मुआम्लात में जरूरत हो तो हम चन्द लोगों को मशवरे के लिये बुला सकें. ७०, ७२ मेम्बरों को बुलावें और उनको तार दिये जावें, यह तूल अमल है. इस से बेहतर है जैसा कि सरक्यूलर का मन्शा है, और पोलिटिकल मेम्बर साहब ने कहा है कि कल या परसों मजलिस शुरू होने से घंटे दो घंटे पहिले आप दरबार को चार असहाब का नाम बतला देवें कि उनको emergent मुआम्लात में फौरन बुला लिया जावे, ताकि उनसे मशवरा लिया जा सके. यही इस सरक्यूलर की मन्शा है.

रामजीदास साहब.—मुझे इस तजवीज की निस्बत कुछ नहीं कहना है. मुजव्विज साहब ने जो तकरीर की है उसमें कुछ गलत वाकफियत मजलिस को दी है. आपने जो फरमाया है कि election लश्कर में हुआ था वह पब्लिक की शिकायत पर cancel हुआ. मुजव्विज साहब ने दरबार मुअल्ला का सरक्यूलर मुलाहिजा नहीं फरमाया, वर्ना यह गलत वाकफियत मजलिस को न देते.

हुजूर मुअल्ला—खास २ लोगों ने कोशिश की थी कि हम elect हो जांय, आपको भी घेरा था, मगर आप निकल गये. मथुराप्रसाद साहब ने यह कोशिश की थी और माथुर साहब भी volunteer हुए थे और भी चन्द लोगों ने कोशिश की थी.

रामजीदास साहब—मेरी गरज यह नहीं है. मेरा सिर्फ यह कहना है कि वह सरक्यूलर मुजव्विज साहब की नजर से नहीं गुजरा होगा, वर्ना वह गलती नहीं करते. Election के लिये न मेरी ख्वाहिश थी न मेरी ऐसी गरज थी. मैं कतई volunteer नहीं हुआ था. मैं अपने को इस काम के काबिल नहीं समझता.

हुजूर मुअल्ला—यह भी तय हो चुका कि कल या परसों मेम्बरान का चुनाव कर दिया जाय.

तजवीज नम्बर २९, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

रेलवे लाइन का जिन मुकामात पर होकर गुजर हुआ वहां छोटे मवाजियात में भी तिजारत होकर वह अच्छी हालत में हो गये व जो मुकाम इसके कब्ल तिजारती व अच्छी हालत में आबाद थे वह रेलवे स्टेशन से थोडासा फासला होने की वजह

से बरबाद होते जाते हैं. शाजापुर व बजरंगढ जहां जिले का हेड कार्टर है इसी वजह से बिलकुल गिरी हुई हालत में होते जाते हैं. इस वास्ते चंद उमूरात वास्ते गौर पेश हैं :—

(१) ग्वालियर लाइट रेलवे लाइन शिवपुरी से गुना, बजरंगढ, राघौगढ, चांचौडा, ब्यावरा व शाजापुर होती हुई मकसी तक निकाली जावे.

(२) बजरंगढ से आरौन जागीर तक रोड बनाई जावे.

इससे बहुत से पुराने शहर जो वीरान होते जाते हैं वह आबाद होते जावेंगे व आम लोगों को जो आने जाने में व माल भेजने व मंगाने में पूरी तकलीफ उठाना पडती है वह मिट जावेगी व तिजारत की अच्छी तरक्की हो जावेगी व रिआया को भी अपनी मुआश का काफी सिलसिला हो जावेगा.

मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:—रेलवे लाइन का जिन जिन मुकामात पर होकर गुजर हुआ वहां के छोटे से मवाजियात में भी तिजारत हो गई और वह अच्छी हालत में हो गये व जो मुकाम इसके कब्ल तिजारती व अच्छी हालत में थे वह इसी वजह से यानी रेलवे स्टेशन का थोडासा फासला होने की वजह से वीरान होते जा रहे हैं. सिर्फ शाजापुर व बजरंगढ ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से मुकाम इस वक्त रियासत में मौजूद हैं कि जो रेलवे स्टेशन से थोडासा फासला होने से बरबाद होते जाते हैं व ऐसे भी कई मुकाम हैं जिनमें होकर रेलवे लाइन का गुजर होने से आबाद होकर तिजारत की तरक्की होती जाती है. शाजापुर व बजरंगढ की, जिले का हेड कार्टर होते हुए भी, यही वजह बरबादी का कारण हुई और नरवर, कोलारस, आरौन, चांचौडा, ईसागढ, चंदेरी व अमझेरा वगैरा के लिये भी यही कारण लागू है; इसलिये:—

(१) ग्वालियर लाइट रेलवे की एक लाइन शिवपुरी से गुना, बजरंगढ, राघौगढ, चांचौडा ब्यावरा व शाजापुर होती हुई मकसी तक निकाल दी जावे.

(२) बजरंगढ से आरौन जागीर तक जो कि कुल फासला १९ मील है, रोड बना दी जावे तो इससे तिजारत की तरक्की होकर रिआया को सरसब्जी का जर्या हो जावेगा. कोलारस, लुकवासा, बदरवास, भदौरा, बजरंगढ, राघौगढ, आरौन, बीनागंज, चाचौडा, शाजापुर, पचोर व और कई छोटे छोटे मुकाम पर तिजारत की तरक्की हो जावेगी व उनकी मर्दुमशुमारी बहुत कुछ बढ जावेगी व रिआया खुशहाल हो जावेगी.

माल गल्ला वगैरा के भेजने व मंगाने में जो इस वक्त दिक्कत है वह रफे हो जायगी, यानी इस वक्त कुंभराज परगने में हमेशा मन्डी गुना से १।) १॥) रुपये पल्ले का भाव कम रहता है, यानी १) रुपया किराया गाडी व ।) दीगर इखराजात में. अगर रेलवे लाइन निकलेगी तो सिर्फ ~)॥ या =) ज्यादा से ज्यादा रेट किराये भाव की रहेगी. १) के पल्ले के माल में ज्यादा कीमत काश्तकारान व जमींदारान को मिला करेगी. इसी तरह बाहर से आनेवाली चीज गुड, शकर, नोन, कपडा, मनिहारी वगैरा की जो ज्यादा कीमत देना पडती है कम देना पडेगी और जो माल भेजने व मंगाने में ६ दिन का सर्फा होता है, काम का नुक्सान होता है वह भी न होवेगा. इसी तरह गुना व शिवपुरी के बीच के मवाजियात को भी फायदा पहुंचेगा जो इस कारण बहुत नुक्सान उठा रहे हैं. बारिश में पार्वती नदी आ जाने की वजह से लोगों को आने जाने व माल भेजने व मंगाने में बहुत तकलीफ पहुंचती है. आरौन तक पुख्ता सडक हो जाने से रियासत टोंक के जिले सिरोंज का माल जो ठीक रास्ता

न होने से इधर नहीं आता है रियासत की मंडियों में ही आवेगा, जो कस्टम्स की आमदनी बढाने व तिजारत की तरक्की का खास जर्या है; इसवास्ते मैं इस तजवीज को मजलिस में move करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—इसकी निस्बत बेहतर होगा कि आप ट्रेड मेम्बर साहब के दफ्तर में जाकर जो कुछ कार्रवाई हो रही है उसकी मिसल देखकर परसों इस सवाल को पेश करें.

तजवीज नंबर ३०, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

लीगल प्रेक्टीशनर्स ऍक्ट (Legal Practitioners Act) जारी फरमाया जावे.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा कि आज मुझे मौतबिर जर्ये से मालूम हुआ है कि Legal Practitioners Act का मुसविव्दा जेर गौर है, लिहाजा मैं अपनी इस तजवीज को वापिस लेता हूं.

तजवीज नंबर ३१, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

मेम्बरान मजलिस आम को यह हक अता फरमाया जावे कि अगर वह किसी महकमे के मुतअल्लिक मालूमात हासिल करना चाहें तो हासिल कर सकें.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा कि मैंने इस तजवीज को मेम्बरान मजलिस आम की जिम्मेदारी को महसूस करते हुए पेश किया है. किसी तजवीज के पेश करने से पेश्तर हमारा पहिला फर्ज यह गौर करना है कि हमारी तजवीज किस हद तक काबिल अमल है और जो मालूमात हमें बहम पहुंची हैं वह कहां तक सही हैं. इस अम्र को हमें मलहूज खातिर रखना चाहिये कि जो उमूर दरबार मुअल्ला के जेर गौर हैं उनको मजलिस के सामने पेश न करें. चूंकि मेरा खयाल यह है कि सरकारी महकमेजात के अलावा सही मालूमात हासिल करने का और कोई जरिया नहीं है, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मेम्बरान मजलिस आम को यह हक अता फरमाया जावे कि तजवीज पेश करने से इतर दफातिर मुतअल्लिका से मालूमात हासिल करलें जिससे मजलिस का वक्त जाया न हो.

लॉ मेम्बर साहब—यही तजवीज एक मेम्बर साहब मजलिस आम ने बाजाब्ता लेजिसलेटिव डिपार्टमेंट में दरबार की मंजूरी के लिये पेश की थी. मुआम्ला दरबार मुअल्ला की खिदमत में पेश होने पर इर्शाद सादिर हुआ कि अगर किसी मेम्बर मजलिस आम को किसी हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट से किसी किस्म की वाकफियत मतलूब हो तो वह हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ऐसी वाकफियत देगा बशर्ते कि इस किस्म की वाकफियत का देना Public interests के खिलाफ न हो. बहुत सी वाकफियत मस्लन रिपोर्ट्स व Statistics जो शाया की जाती हैं वगरा इस किस्म की होती हैं, कि जिसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं है. अब सवाल सिर्फ उस किस्म की वाकफियत के मुतअल्लिक रह जाता है जो शाया नहीं होतीं और दफातिर में रहती हैं. यह वाकफियत बशर्ते कि उसके दिये जाने में Public interests को नुकसान न पहुंचने वाला हो बहुत खुशी से दी जा सकेगी.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—मेरा मकसद इस इर्शाद से हासिल होता है, इसलिये मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज नंबर ३२, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अदालतों को इख्तियार अता फरमाया जावे कि फौरन जुर्माना दाखिल न होने की हालत में व जमानत मौतबिर एक मोहलत मुनासिब मुलजिम को दें और ता अदखाल जमानत मुलजिम जेर हवालात रक्खा जावे.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा कि इसके मुतअल्लिक भी मुझे आज मालूम हुआ कि ग्वालियर ताजीरात का जो मुसव्विदा पेश है उसमें यह provision रख दिया गया है, लिहाजा इस तजवीज को पेश करने की अब जरूरत नहीं रही. मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

तजवीज नंबर ३३, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

प्रांत, डिस्ट्रिक्ट व परगना बोर्ड्स रियासत हाजा में बजाय छै साल के हर तीन साल की मुद्दत (term) के लिये मेम्बरान का इन्तखाब (election) किया जावे और दरमियान में अगर किसी मेम्बर की जगह खाली हो जाय तो उस खाली जगह (vacancy) के लिये मेम्बर बजाय नामजद किये जाने के मुन्तखिब (elect) किया जावे.

चूंकि वाटवे साहब शरीक इजलास न थे और किसी दूसरे मेम्बर ने इस तजवीज को पेश करना मंजूर नहीं किया, इसलिये यह तजवीज drop की गई.

तजवीज नंबर ३४, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

डिक्री जरे नक्द में जमींदारी काबिल कुर्की व नीलाम करार दी जाना चाहिये ताकि हैसियत जमींदारी बढे और तरक्की आबादी हो.

तजवीज नंबर ३५, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

दफा २७८, जाब्ता दीवानी, इस तौर पर तरमीम की जावे कि जमींदार के मुनाफे से एक चौथाई कर्ज में कुर्क हो जावे मगर उसके मानी यह हों कि यह ¼ मुनाफा डिक्रीदार को दिया जावे और नीलाम न हो.

गुरुदयाल साहब—मेरी तजवीज मजलिस में रखने की गरज जो कुछ भी है वह मेरे उस तजुर्बे की है कि जो जमींदार गरीब हैं उनकी जमींदारी में तरक्की नहीं होने पाती. गरीब होने की वजह से न वह आदमी मुहय्या कर सकता है, न उसके पास पैसा होता है कि पैसे के जर्ये से तरक्की कर सके. ऐसी हालत में जो असबाब तरक्की के पैसे के जर्ये से हो सकते हैं वह कुछ नहीं कर सकता. बाज जमींदारान के पास जमींदारी तो है मगर वह मकरूज हैं और उनके ऊपर डिक्री है. चूंकि जमींदारी कानूनन कुर्क नहीं हो सकती, जब डिक्री इजरा होती है यह ख्याल होता है कि डिक्रीदार कुर्की लेकर

आता होगा जो कुछ भी उसने कमाया है अपने पास पूरा नहीं रखता, कुछ यहां छिपाता है कुछ वहां, और जब कुर्की वापिस जाती है तो आधा यहां से पाता है तो आधा वहां से. मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि ऐसी तजवीज पेश्तर दरबार के रूबरू पेश हुई जिसपर उनका इन्सदाद हो चुका है, इसलिये अब मेरे सवाल की जरूरत नहीं रही. जैसी कि सवाल नम्बर ३४ की जरूरत नहीं रही उसी तरह सवाल नम्बर ३९ की भी जरूरत मालूम नहीं होती. मैं खयाल करता हूं कि अगर इन दोनों का फैसला एक साथ कर दिया जावे तो बेहतर होगा और एक राय दूसरी राय से टकरायेगी नहीं.

हुजूर मुअल्ला—सवाल नंबर ३५ दूसरे शख्स का नहीं है.

लॉ मेम्बर साहब—गुरुदयाल साहब का मन्शा है कि उनसे भी राय ले ली जावे.

द्वारकादास साहब—हुजूर ! अगर सवाल नंबर ३४ का फैसला हो चुका है तो मुझे कोई उज्र नहीं. हुजूर ! अगर मेरे सवाल के मुवाफिक फैसला हुआ है तो मैं वापिस लेता हूं.

हुजूर मुअल्ला—द्वारकादास साहब, आप भी वापिस लेते हैं. अच्छा लॉ मेम्बर साहब इसके मुतअल्लिक कैफियत जाहिर करें.

लॉ मेम्बर साहब—जाब्ता दीवानी हाल सम्वत १९६६ में जारी हुआ. इससे पेश्तर जाब्ता दीवानी, सम्वत १९५३, जारी था. साबिक के जाब्ते दीवानी में यह हिदायत थी कि एक हजार रुपये से जायद की डिक्रियों में अगर मदयून और किसी तरीक से डिक्री का रुपया अदा न कर सके तो दरबार की मंजूरी से जायदाद जमींदारी मदयून की किसी शख्स के सुपुर्द की जा सकती है और एक सुल्स मुनाफे से डिक्रीदार की डिक्री की अदाई हो सकती है. यह कायदा सम्वत १९५३ से सम्वत १९६६ तक जारी रहा. सम्वत १९६६ के जाब्ता दीवानी की दफा २७८ में एक शर्त कायम की गई कि डिक्रियात सादा जरे नक्द में मदयून की जायदाद जमींदारी काबिल कुर्की और नीलाम न होगी और जैसा कि सम्वत १९५३ के जाब्ता दीवानी में यह कायदा था कि मुनाफे के एक सुल्स से हक्करसी हो सकती थी वह हिदायत अब इसमें दर्ज नहीं. उन मदयूनान की हालत में, जिनके पास जायदाद जमींदारी थी, डिक्रीदारान को कोई जर्या मुतालबे डिक्री के वसूल करने का बाकी न था. चूंकि जमींदारान को कानून माल के मुताबिक हक्क इन्तकाल अपनी जायदाद जमींदारी पर हासिल है. उसूल यह चाहता है कि जिस जिस जायदाद पर हक्क इन्तकाल हासिल है वह जायदाद काबिल कुर्की व काबिल नीलाम होना चाहिये. बाज हुकूक इस किस्म के हैं कि जिनसे एक शख्स फायदा उठा सकता है, लेकिन वह काबिल इन्तकाल नहीं हैं; मस्लन काश्तकार मौरूसी का हक्क काबिल इन्तकाल नहीं है क्योंकि वह उस हक्क को न रहन कर सकता है न बय; लिहाजा उस हक्क को काबिल कुर्का व नीलाम नहीं समझना चाहिये. जागीरदार साहबान के हुकूक भी इसी किस्म के हैं कि वह अपनी हयात में जागीर से फायदा उठा सकते हैं लेकिन उसको मुन्तकिल नहीं कर सकते; इसलिये जागीर भी कुर्की और नीलाम से मुस्तसना है. हाल में कानून दिवालिया का मुसव्विदा पेश हुआ है. जाहिर है कि जिस वक्त कोई शख्स दिवालिया करार दिया जावेगा तो कायदा यह है कि उसकी जायदाद का एक रिसीवर मुकर्रर होगा. रिसीवर का यह फर्ज होगा कि मदयून की कुल जायदाद नीलाम करके उसको जरे नक्द में तब्दील करे और उस जरे नक्द को कर्जख्वाहान में ब हिस्सा रसदी तक्सीम करे. जब डिक्री जमींदार पर हो उस वक्त यह सवाल पैदा होगा कि आया जायदाद जमींदारी काबिल नीलाम होगी या नहीं ? चूंकि जाब्ता दीवानी में पहिले से यह शर्त न थी इसलिये मुसव्विदे में यह तजवीज की गई कि जमींदार कानून दिवालिये से

फायदा तो उठा सकेंगे लेकिन डिक्रियात सादा जेरे नक्द में उनकी जायदाद जमींदारी काबिल कुर्की व नीलाम न होगी. इसके बाद एक कमेटी मुकर्रर हुई जिसमें एक जुडीशियल ऑफिसर और चन्द साहूकार साहिबान थे. उन्हों ने यह राय दी कि या तो जमींदार साहिबान इस कानून की रू से बिलकुल मुस्तसना रक्खे जावें और अगर वह इस कानून का फायदा उठायें तो जायदाद जमींदारी काबिल नीलाम व कुर्की करार दी जाना चाहिये. चुनांचे इसका करेक्शन स्लिप मुरत्तिब किया जाकर अवाम की राय के लिये ग्वालियार गजट में शाया किया गया. अवाम की रायें आ जाने के बाद गुजिश्ता सितम्बर की मजलिस कानून में वह करेक्शन स्लिप पेश किया गया तो यह राय करार पाई कि जायदाद जमींदारी काबिल कुर्की व नीलाम करार दी जाय. यह इसकी कैफियत है. गुरुदयाल साहब ! आपकी गरज तो इससे हासिल हो गई. हां, द्वारकादास साहब अगर कुछ कहना चाहें तो कहें.

द्वारकादास साहब—मेरी गरज इससे हासिल नहीं हुई.

हुजूर मोअल्ला—बोलिये.

द्वारकादास साहब—हुजूर, मेरी यह अर्ज है कि जमींदारी आज से नहीं, अस से चली आरही है. डिक्री का रुपया वसूल नहीं होता ऐसे बहुत से मुआम्ले होते हैं. जमींदारान का लेनदेन साहूकारान से बन्द हो जाता है मगर बरअक्स उसके अभी तक लेनदैन जारी है. इसमें सिर्फ बात यह है कि रुपया वसूल होना चाहिये, यह कोई बात नहीं है कि उनकी जायदाद ही कुर्क की जाय. जब हुजूर की इमदाद ने जमींदारान को इस लायक बना दिया है कि रुपया अदा कर सकें तो फिर क्या वजह है कि उनकी जायदाद कुर्क की जाय. ऐसी सूरत में जो कुछ कि मुनाफा है उससे बतदरीज वसूल कर लिया जावे. हक्क जमींदारी ऐसा नहीं है जो एकदम जाया कर दिया जावे. उनके बाप दादों ने गांव बसायें हैं और हुजूर मुअल्ला उनको निभाये जारहे हैं. सिर्फ इस वजह से कि वह रुपया अदा कर सकता है मगर फौरन अदा नहीं कर सकता. उनकी जायदाद मौरूसी नीलाम न की जावे. नफे की रकम से आहिस्ता आहिस्ता हक्करसी कराई जावे.

जामिनअली साहब—सम्वत १९४४ से सम्वत १९५५ तक रियासत ग्वालियार में निशांदारी का तरीका जारी था. उस वक्त कुल जमींदारी हमारी साहूकारान के हाथ में थी. हम मोहताज थे और बिलकुल कुछ नहीं कर सकते थे. सम्वत १९९६ में यहां तक हम मोहताज होगये कि पट्टेबन्दी के वक्त जो पगडी दुपट्टे हमको सरकार से मिले थे वह खुराक की कीमत में रहन करने पडे. अब वही जमींदारी है कि हमको दरबार मुअल्ला ने सरसब्ज किया है. जमींदारान की हालत, हुजूर मुअल्ला, जैसी कुछ है वह रोशन है. ऐसी हालत होते हुए हमारी जमींदारी साहूकारान के हाथ में जरूर जायगी; क्योंकि हम पढे लिखे नहीं हैं और सिवाय हल जोतने के कुछ नहीं जानते; इसलिये गुजारिश है कि मैंने अपनी आंखे से एक मुकदमा दखनी रघुनाथराव, मौजे गुरौद, परगने बासौदा का देखा है. वह =) आने की पट्टी नीलाम कराकर उसपर काबिज होगये. इसपर उस जमींदार साबिक ने यह किया कि उनको मारने की तजवीज की. आखिरकार नतीजा यह हुआ कि उनको ऐसे लट्ठ मारे कि वह नदी के किनारे बेहोश होकर गिर पडे. जमींदार ऐसा मुफलिस हो गया है कि मातेश्वरी जीजा महाराज की छत्री पर गुजर करता है. ऐसी ही हालत हमारी होना है. जब कि हमारी जमींदारी साहूकारान के हाथ में जावेगी और हम मोहताज होंगे तो मरता क्या न करता. इसलिये अगर दरबार जमींदारी को नीलाम व कुर्की से महफूज रक्खें तो बेहतर है. जब जमींदार लडते लडते मोहताज हो जाता है वह क्या कर सकता है ? वह पढा लिखा नहीं. हुजूर के सामने गुजारिश है कि यह जमींदारी जो सरसब्ज और शादाब होगई है उसकी निस्बत ऐसा हुक्म देना

ठीक न होगा. अभी हम कुछ नहीं समझते. जिस वक्त हमको तालीम मिलेगी उसवक्त हम यह बातें समझने के काबिल होंगे. इसलिये गुजारिश है कि इस कानून में अगर डिक्रीदार के मुतालबे की अदाई के लिये मुनाफे का तीसरा हिस्सा लगा दिया जावे तो बेहतर है, क्योंकि जमींदारी एक ऐसी चीज है कि हमारे बाप दादा ने बडी मुश्किल से कमाई है, उसको एकदम साहूकार के हाथ में दे देना यह इन्साफ नहीं है. हम हर तरह से अमन में हैं और हम बाहर से आये हैं, हमको साहू-कारों के हाथ में दे देना बेहतर न होगा.

लॉ मेम्बर साहब—पेश्तर इसके कि और साहबान इस मसले के मुतअल्लिक तकरीर करें, मुझे मुनासिब मालूम होता है कि इस सवाल के मुतअल्लिक उसूल और इन्साफ क्या चाहता है, यह साफ अलफाज में बयान करूं और जो कुछ गलत फेहमी हुई है उसको दूर करूं. मैं अपनी तकरीर को तीन हिस्सों में मुनकसिम करता हूं—(१) उसूल, (२) इन्साफ, (३) गलत फेहमी; यह कहा गया है कि जमींदारी आज से नहीं है पुश्तहापुश्त से है, यह सब दुरुस्त है; लेकिन हक्क इन्तकाल क्या आपको शुरू से दिया गया है या बाद को दिया गया है? कानून माल, सम्वत १९६१, के जर्ये से दिया गया है. गालिबन संवत १९५५ व १९५६ में इसके मुतअल्लिक कुछ कवाअद मुरात्तिब हुए. वही कवाअद सम्वत १९६१ के कानून माल में दर्ज हैं. अदालत से जब किसी मदयून पर डिक्री हो जाये और डिक्री का मतालबा मदयून अदा न करे तो अदालतों को जो इख्तियार दिया गया है कि मदयून की जायदाद कुर्क और नीलाम करे तो यह किस उसूल के ऊपर है? यह उस उसूल पर है कि मैं अपनी जायदाद पर काबिज हूं. मैं अपने फायदे के लिये उसे बेच सकता हूं, रहन कर सकता हूं, और उससे फायदा उठा सकता हूं तो मुझ पर यह भी फर्ज है कि अदालत से जो मतालबा कायम हो चुका है उस मतालबे को अपनी जायदाद रहन या बय करके अदा करूं. मैं अगर अपनी तमा नफ़सानी से दूसरे शख्स का रुपया मारने की गरज से ऐसा न करूं तो अदालत उस जायदाद को अपने कब्जे में लेकर जो इन्साफ चाहता है करती है. क्या एक नेकनियत जमींदार का, जिसपर कि दूसरे शख्स का जाइज कर्जा है और जिसके ऊपर अदालत से डिक्री हो चुकी है, यह फर्ज नहीं है कि उस डिक्री की अदायगी के लिये अगर कोई और सबील उसके पास नहीं है तो उस जायदाद को, जिसपर उसको हक्क इन्तकाल हासिल है, उस शख्स को दूसरे शख्स के पास रहन रखकर या बय करके साहूकार का रुपया अदा करे? चुनांचे इस उसूल पर यह राय करार पाई कि बेशक हक्क जमींदारी जिसपर मालिक को हक्क इन्तकाल हासिल है वह भी काबिल कुर्की व नीलाम है. चूंकि दरबार को दोनों फरीक के हुकूक का लिहाज है और दरबार का यह खयाल है कि जिस शख्स ने रुपया दिया है उसका रुपया काबिल याफ्तनी है, वह अदा किया जावे, और जमींदार साहिबान भी, जिन्होंने कि रुपये का फायदा उठाया है, वह रुपया अदा करें, और जहांतक मुमकिन हो जायदाद जमींदारी कायम रहे, इसलिये इस हुक्म या इस करेक्शन स्लिप से, जहां कि शर्त यह कायम की गई है कि जायदाद जमींदारी अदालतहाय दीवानी की कुर्की में काबिल नीलाम होगी, यह हरगिज लाजिम नहीं आता कि डिक्री होते ही जायदाद नीलाम हो जावेगी. पहिली बात यह है कि अदालत दीवानी में जब किसी डिक्रीदार की जानिब से यह दरख्वास्त पेश हो कि मदयून की जायदाद नीलाम हो, तो वह दरख्वास्त इजराय डिक्री सूबे साहब के पास मुन्तकिल की जायगी. सूबे साहब को क्या इख्तियारात दिये गये हैं? सूबे साहिबान मदयून को सबील के लिये मोहलत देंगे, अगर उसने उस से फायदा न उठाया तो सूबे साहब को इख्तियार है कि उस जायदाद को एक मियाद मुनासिब के वास्ते पट्टे पर दे दें और पट्टे की रकम से मतालबे डिक्रीदार की अदाई करें. अगर यह भी न हुआ तो

सूबे साहब को इख्तियार दिया गया है कि उस जायदाद को रेहन रख दें और उस जेर रहन से जेर डिक्री अदा करें. मुझे यह उम्मेद है कि सूबे साहिबान की हमदर्दी से बहुत कम ऐसी मिसालें होंगी जिनसे जायदाद के नीलाम की नौबत आवेगी.

बदर्जे मजबूरी व लाचारी अगर यह नौबत आई तो देखना यह है कि उसूल क्या चाहता है, इन्साफ क्या चाहता है. जो तरीका इख्तियार किया गया है, जो दरख्त लगाया गया है वह बरबाद करने के लिये नहीं है यह महज कहने की बात नहीं है. इन वाकआत पर अगर आप इत्मीनान के साथ गौर कीजियेगा तो आपको मालूम होगा कि फिलहकीकत जमींदारान के साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं की गई है.

उधर दायन, इधर मदयून, दोनों के हुकूक का खयाल है. आप इस मसले पर गौर कीजिये. जहां तक इन्साफ चाहता है डिक्रीदारान और मदयून दोनों के हुकूक का मवाजना करके तजवीज की गई.

जामिनअली साहब—साहूकार सात रुपये सैकडे का सूद लेते हैं; क्योंकि यह मुआहदा माबैन फरीकैन है. लेकिन इन्साफ कहता है कि मुआहदा फरीकैन का खयाल न करते हुए एक रुपये सैकडे का सूद लगाया जावे. लेकिन ऐसे जमींदारान से जो कुछ नहीं जानते साहूकार मनमाना व्यवहार करते हैं. अगर किसी शख्स को थोडी रकम की जरूरत हुई तो मांगने पर साहूकार ने कहा कि हमें अगर दो सौ रुपये की दस्तावेज लिख दो तो हम रुपये देंगे. जमींदार उस वक्त बवजह जरूरत दो सौ रुपये की दस्तावेज लिख देगा. ब्रिटिश गवर्नमेन्ट पंजाब में यह कायदा है कि जमींदारी खरीदने का हक्क काश्तकार पेशे को ही होगा और सेंट्रल प्रॉविन्स (मुमालिक मुतवस्सित) में भी यह रायज है कि खुद काश्त जमींदार की, बगैर मंजूरी चीफ कमिश्नर साहब, नीलाम से मुस्तसना रखी गई है ताकि उनकी आने वाली नस्लों को भागना न पडे. और अगर यह न हो तो इतनी इस्लाह उस दफा में जरूर होना चाहिये कि हमारा जरिया माश तोड न दिया जावे वर्ना मुकद्दमेबाजी बढ जावेगी और नतीजा यह होगा कि वह हमें मार डालेगा या हम उसे मार डालेंगे.

रामजीदास साहब—हुजूर मुअल्ला! इस मुआम्ले की निस्बत जहांतक इस मसले का कानून व इन्साफ से तअल्लुक है लॉ मेम्बर साहब ने अपनी तकरीर में बहुत अच्छा deal किया है. उसके बाद मुजव्विज साहब ने अपनी तकरीर में यह बात जाहिर की है कि चूंकि जमींदार लोग पढे लिखे नहीं हैं उनके लिये इन्साफ भी दूसरी तरह का होना चाहिये. यह किन वजूहात पर मबनी है. इन्साफ एक है ख्वाह पढों के साथ ख्वाह बे पढों के साथ; मैं इस मुआम्ले पर बोलने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि जो तरमीम की गई है वह साहूकारान के फायदे के लिये नहीं है. जहांतक मेरा खयाल है जमींदारों के वास्ते है. अगर वसीअ नजर से देखा जाये तो मेरे खयाल में जितना फायदा इससे जमींदारान को पहुंचेगा उतना साहूकारान को नहीं पहुंचेगा. जो रुपया कर्ज दिया जाता है वह risk पर मबनी है. यह जो खयाल किया जा रहा है कि ऐसे कानून बनाने से जमींदारान को यह खौफ होगा कि उनकी जायदाद नीलाम हो जावेगी, इसलिये वह फिजूलखर्ची के लिये रुपया कर्ज नहीं लेंगे. अगर दूसरे पहलू से देखा जावे तो जिस वक्त रुपया देनेवाले को यह मालूम हो जावेगा कि रुपया आसानी से वसूल न होगा, यानी जमींदारी नीलाम न होकर रुपया खरखशे में पडेगा तो वह रुपया देने के लिये तैयार न होगा. इसी तरह सूद के निर्ख भी इसी risk पर मबनी हैं. जितनी रुपये के वसूल में दिक्कत वाके होगी उतनाही सूद का निर्ख भी जियादा हो

जावेगा. जो जमींदारान के लिये यह कहा जा रहा है कि उन्हें रुपया जियादा दिक्कत से मिलता है और जियादा सूद पर मिलता है, मेरे ख्याल से इसकी वजह यही है कि जमींदारान से वसूली की निस्बत जियादा risk है. इसलिये जिस वक्त कि इस नजर से इसे देखा जावे कि रुपया देने वालों का इतमीनान हो जावेगा कि वह आसानी से वसूल हो सकेगा तो मेरे खयाल में उनको आसानी से मिलने लगेगा. जो निर्ख इस वक्त है उससे बहुत कम निर्ख पर उनको रुपया मिलने लगेगा. मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर यह तरमीम न की जावेगी तो वाकई जरूर जमींदारान का नुकसान होगा. इसके लिये जिस वक्त कि सूद के निर्ख की निस्बत मैं देख रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि एक जमाने में विलायत में भी ऐसी ही एक दिक्कत पेश आई थी कि सूद के निर्ख की कैद करदी जावे. इसका असर यह हुआ कि बजाय घटने के सूद का निर्ख इस कदर बढा कि जमींदारान को रुपया मिलना दुशवार हो गया. इसलिये मेरी महज यह गुजारिश है कि मुजव्विज साहब और दीगर जमींदार साहबान को जो मेम्बर मजलिस आम हैं इस मसले पर हर पहलू से गौर करना चाहिये. हाकिमान दरबार और मेम्बरान दरबार और दरबार ने तमाम पहलुओं पर नजर डालते हुये यह कानून जारी फरमाया है. यह नहीं है कि किसी पार्टी की side ली है.

हुजूर मुअल्ला—यह याद दिलाना मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मुझे ताज्जुब है कि जामिन-अली साहब के खयाल से वह बात कैसे रह गई जैसा कि उन्होंने कहा है कि जमींदार ऐसे हैं वैसे हैं उनमें से एक वह खुद भी तो जमींदार हैं. अगर कोई यह कहे कि जमींदार भोलेभाले लोग हैं और वह कानूनमाल नहीं जानते तो यह मानने को मैं तैयार नहीं हूं. जो बात बताने की है वह यह है कि—काश्तकारान से अगर दस रुपये सैकडे का भी मुआहिदा हो गया है और अगर अदालत में वह मामला पहुंचा तो चूंकि काश्तकारों के लिये एक रुपया allow है, अदालत उसको एक रुपया सैकडा करार देगी. यहां ७ रुपये सैकडे का तो सवाल ही नहीं रहा. जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने कहा है कि दरबार की नजर में दोनों फरीक बराबर हैं, जिनकी जानिब से यह सवाल पेश हुआ है, उनको यह देखना चाहिये कि आया दोनों पार्टियों को दरबार ने बराबर समझा है या नहीं. दूसरे दरबार को यह भी देखना है कि दोनों का नुक्सान न हो, तीसरे गलत फेहमी भी न हो. चुनांचे अगर उस पॉइन्ट को आप साहबान गौर करेंगे तो जो कुछ भी तस्फिया किया गया है वह गैर वाजिबी नहीं है.

मथुराप्रसाद साहब—जो इसवक्त मेरे दोस्त जामिनअली साहब ने फर्माया है कि खुद काश्त मुस्तसना रहे, वर्ना जमींदारान की आयन्दा नस्ल के वास्ते हकतलफी होगी, वह उससे बच जावेंगे और जो झगडे पैदा होने वाले हैं वह न होंगे, सो यह मुनासिब है.

लॉ मेम्बर साहब—मैं जरूर इतना अर्ज करूंगा कि जो आपने तजवीज पेश की है कि खुदकाश्त नीलाम से मुस्तसना रहे, यह सवाल जेर बहस से कोई तअल्लुक नहीं रखता. कानून माल का मुसव्विदा आम खास की राय के लिये शाया होने वाला है. उसमें जो आराजी जेर काश्त बारह साला रही है उसकी निस्बत हक़ [illegible] देने की तजवीज की गई है, वह आप देख लेंगे. उसमें खुदकाश्त को बिला लिहाज मुद्दत काश्त नाकाबिल इन्तकाल करार दिया गया है. सवाल, डिक्रियात सादा जरे नक्द में हक़ जमींदारी का है.

जमनादास साहब झालानी—हाल के कानून के मुताबिक जमींदारी काबिल कुर्की व नीलाम नहीं है यह जानकर जमींदार लोग बेएहतियाती से कर्जा लेते हैं और फिजूल खर्ची करते हैं. जब उनको यह मालूम हो जावेगा कि हमारी जमींदारी काबिल कुर्की व नीलाम है तो वह लोग बडी एहतियात से कर्जा लेंगे और महज अपनी जरूरियात के लिये ही लेंगे, इस तरह जमींदारी कुर्क व नीलाम होने की नौबत ही नहीं आवेगी.

बन्सधिर साहब—इन्साफ भी इस अम्र का मुक्तजी है कि रुपया वसूल हो जाना चाहिये और किसी फरीक का हर्ज न हो; लेकिन अगर ऐसा कोई आसान तरीका हो सके जैसा कि दीवानी की डिक्रियात वगैरा में होता है कि किस्त वगैरा करदी जाती है, अगर वही तरीका जारी रक्खा जाकर सुल्स कायम कर दिया जावे तो जमींदार की जमींदारी भी आबाद रहेगी और रुपया भी अदा हो जावेगा. बाकी दो हिस्सों में वह अपनी गुजर कर लेगा. ऐसा होने से इन्साफ भी हाथ से न जाकर क़ायम रहेगा.

हुजूर मुअल्ला—गौर करलो कि क्या वजह है कि जमींदार अपना बैंक कायम न करें और इसी के लिये को-ऑपरेटिव सोसाइटी का तरीका निकाला गया है कि पब्लिक बैंक हो और वह अपनी दरकार के मुवाफिक उससे रुपया ले, उसमें साहूकार का झगडा ही न रहे. लेकिन यह जरूर है कि जो शख्स कर्जा ले उसको सोच समझकर लेना चाहिये. हर चीज की हद है. अगर इन्सान उस हद से बढेगा तो जरूर उसको नुकसान होगा; इसलिये अगर वह अपनी हद के अंदर रुपया लेगा और यह गुंजायश देख लेगा कि मैं किस अकसात से अदा करूं जैसा कि business principle होता है और अगर उस उसूल पर कार्रवाई चले तो ७) सात रुपये सैकडे का और डिक्री का झगडा ही नहीं रहेगा. अलावा इसके पंचायत बोर्ड्स इसी गरज से रखे गये हैं कि उनमें तसफिया करावे. अगर पंचायत बोर्ड की तरफ यह लोग जावें और अपना फैसला करावें तो अदालत में जाने की जरूरत न होगी. रास्ते आपके लिये खोल रक्खे हैं. मजबूरी की हालत में अदालतन कार्रवाई की जाती है. आप लोग अपने मामलात को पंचायत से निबटायें और आपस में इस तरह का चरचा फैलायें और लोगों को यह रगबत दिलायें कि वह अपने आपस में साहूकारी बैंक कायम करायें और कर्जा सोच समझ कर लें जैसा कि मैंने अपनी पॉलिसी में जिक्र किया है कि, business में वादा खिलाफी बुरी बात है. जिसे मैं पसन्द नहीं करता. अगर एक ने इकरार किया और पीछे वह उससे हटने लगा, तो अच्छा नहीं. वकीलों की बहस में वक्त खराब करने से कोई नतीजा नहीं है. चूंकि यहां कॉमा नहीं है इसलिये इससे यहां यह मतलब नहीं निकलता. यहां full stop नहीं है, इसलिये Paragraph नहीं है, यह मुआहिदा ही नहीं हुआ इसलिये सच्ची कार्रवाई को क्यों तरजीह न दी जावे और as a man क्यों न अपने business को किया जावे. मेरे खयाल में दरबार ने जो कुछ इस बारे में एक्शन लिया है, अगर वह जमींदारान के लिये सख्त है तो दरबार ने ठीक किया है. यही बात इन्सानियत और मस्लहत की है कि आप आपस में झगडों को तोडें बमुकाबले इसके कि आप अदालत को जावें. लिहाजा मैं समझता हूं कि इसपर जियादा debate की जरूरत नहीं है. दरबार पॉलिसी जो है वह बहक साहूकार व जमींदार बिल्कुल ठीक है. आपकी राय में सख्त है तो आप पंचायत में जाकर अपने मामलात को तय करें और अदालतों से बचें. लिहाजा मैं इस दलील के साथ इस debate को close करता हूं.

तजवीज नंबर ३६, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

दफा २७८ जाब्ता दीवानी के मुस्तसनियात कुर्की में मकान बूदबाश भी उनमें शामिल किया जावे जैसा कि जाब्ता दीवानी, सम्वत १९५३ की दफा १९९ में इरशाद है.

तजवीज नंबर ३७, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:-

दफा २८ कानून मियाद के आगे यह शर्त इजाफा की जावे कि इस दफा का तअल्लुक उन दावों से न होगा जिनकी मियाद कानून हाजा की रू से कानून हाजा के तारीख निफाज से तीन साल के बाद खत्म होती है.

मुतवफ्फी विठ्ठलदास साहब साहूकार साकिन आगर की मुन्दर्जे बाला हरदो तजावीज द्वारकादास साहब ने पेश करना चाहीं मगर बाद में कहा कि मैं उनको पेश करना नहीं चाहता, लिहाजा यह तजावीज drop की गईं.

तजवीज नंबर ३८, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

शहर लश्कर में मच्छरों की तादाद साल ब साल बढती जाती है जिससे न सिर्फ पब्लिक के आराम में बेहद खलल वाके होता है बल्कि जो मलेरिया मौसमी बुखार को फैलाकर सख्त मुजिर सेहत होने का बायस होते हैं लिहाजा इसका करार वाकई इन्सदाद बजर्ये माकूल Drainage system या दीगर तौर पर जिस कदर जल्द मुमकिन हो किया जावे.

तजवीज नंबर ३९, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

लश्कर में फौती की तादाद बमुकाबले पैदायश ज्यादा है, इसलिये इसके असबाब की तहकीकात बजर्ये एक कमीशन के जिसमें मेडीकल, सेनिटरी, म्युनिसिपल व दीगर तबकों के कायम मुकाम (representatives) शामिल हों कराई जाकर माकूल तजवीज अमल में लाई जावे जिससे तादाद फौती में कमी हो.

तजवीज नंबर ४०, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

दूध देनेवाले जानवरों को लीद मुतारी खिलाने का रिवाज बावजूद म्युनिसिपल रेग्यूलेशन्स के बराबर जारी है. लिहाजा इसकी रोक कानूनन की जावे.

प्राणनाथ साहब की मुन्दर्जेबाला तीन तजावीज में से तजवीज नं. ३८ को पेश करते हुए गुरुदयाल साहब ने कहा कि, इस तजवीज के मुजव्विज प्राणनाथ साहब हैं मगर वह मजलिस में तशरीफ नहीं लाये; लिहाजा उनकी यह तजवीज मैं पेश करता हूं. वाकई मच्छरों की तकलीफ लश्कर में अजहद है. जब थोडे अर्से में मैंने इसको नाकाबिल बरदाश्त मेहसूस किया है तो हमेशा रहने वालों के लिये बहुत ही तकलीफदेह है—इसके मुताल्लिक गौर करने और तजवीज पेश करने के लिये एक कमेटी बनाई जावे क्योंकि मैं इस तजवीज की तदाबीर में तय्यार होकर नहीं आया हूं, जैसा कि अन्नदाता का खयाल है. वाकई चन्द रोज में मैंने यह नतीजा निकाला है कि मच्छरों की तकलीफ बेहद है. जो २४ घन्टे यहां के रहने वाले हैं उनको किस कदर तकलीफ होगी और वह किस तरह से रह सकते हैं ? ईसलिये मच्छरों की तादाद में जिस तरह पर भी कमी हो सके वह तदाबीर इख्तियार करना चाहिये.

तदाबीर क्या इख्तियार करना चाहिये, जिन साहब ने यह सवाल रक्खा था, अगर वह होते तो वाजह तौर पर पेश करते.

इसके मुताल्लिक कुछ मेम्बर्स ऐसे मुकर्रर कर दिये जावें जो बाद तहकीकात अपनी रिपोर्ट पेश करें.

अब्दुल हमीद साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करते हुये, यह अपने जाती तजुरबे से कहता हूं कि लश्कर में मच्छरों की इसकदर जियादा तादाद है कि बसा औकात तमाम रात नींद नहीं आती है. अगर अपना मुंह बन्द करके लेटते हैं तो गरमी मालूम होती है और अगर मुंह खोल लेते हैं तो मच्छर काटते हैं, जिससे आंख खुल जाती है और तमाम चेहरे पर दाने दाने पड जाते हैं. बूढे, बच्चे व जवान आम तौर से शिकायत करते हैं. इसकी वजह खास यह मालूम होती है कि जिन मुहल्लों में under ground नालियां हैं वह साफ नहीं की जाती हैं. बल्कि मेरा खयाल है कि बाज बाज नालियां ऐसी हैं जो कभी साफ ही नहीं की जातीं. मैं सिर्फ मुहल्ले दानाओली की मिसाल पेश करता हूं. यह मुहल्ला बहुत बडा है और मकानात मिले हुए हैं और बहुतसी छोटी छोटी गलियां ऐसी हैं कि जहां मेहतरों का गुजर भी नहीं होता और जिनमें ऊपर के मकानात की नालियां गिरती हैं और गिलाजत जमा रहती है. मुहल्ला दाना ओली खास शहर लश्कर में वाके है और दीगर मुहल्लों की निस्बत मैं नहीं अर्ज कर सकता कि क्या हालत होगी. मैंने अपनी आंख से ऐसे मुकामात देखे हैं कि सडक के किनारे जो चबूतरे हैं उनके नीचे भी कूडा जमा रहता है जिसकी वजह से मच्छर अन्डे देते हैं और उनसे मच्छर पैदा होते हैं. तमाम शहर में इसकी आम शिकायत है, इसलिये मेरी गुजारिश है कि इसके मुताल्लिक कोई खास इन्तजाम फरमाया जावे.

हुजूर मुअल्ला—यह वही मजमून है जो थोडा अरसा हुआ मैंने आप से कहा था. दर असल एजेन्डे के ऊपर मेरे instructions यह थे कि सवाल नम्बर ३८ और ३९ का जवाब होम मेम्बर साहब दें और ४० का एज्यूकेशन मेम्बर साहब, गो इस वक्त सवाल नम्बर ३८ पेश है मगर इसके बाद ही अनकरीब ३९ वां सवाल पेश होगा उस के बाद ४०.

सवाल नम्बर ३९ व ४० का मुजाव्विज मैं ही बनता हूं और इन तीनों सवालों का जवाब मैं ही देता हूं:—

पहला सवाल यह है कि यह किस का काम है? इसके लिये दरबार ने इन्तजाम किया है या नहीं, किया है! इस के लिये ऑफीसरान मुकर्रर किये हैं या नहीं, किये हैं! पहले यह सवाल आप को अपने सामने रखना चाहिये था. अफसोस है कि प्राणनाथ साहब मौजूद नहीं हैं वरना मैं उन से सवाल करता. आप को मालूम है कि दरबार ने म्युनिसिपल एक्ट बनाया और म्युनिसेपिलिटियां कायम कीं और पब्लिक के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन रक्खा. अब सवाल यह है कि इस पर भी आप लोग मुझ ही से कहा करते हैं. क्या आप की जगह मैं जाऊं? गली २ फिरता फिरूं? या होम मेम्बर जावें और गली २ फिरें? पहले आप लोग म्युनिसिपेलिटी पर क्यों attack नहीं करते जहां के कि आप बाशिन्दे हैं? पहिला काम जो म्युनिसि-पेलिटी का है वह तन्दुरुस्ती का है. यह बात मालूम है कि मच्छरों से क्या क्या नुक्सान हैं और यह

बात भी माल्लूम है कि चूहों से क्या क्या नुकसान हैं. अगर आपको शिकायत है तो आपही खुद इन्तजाम क्यों नहीं करते ? क्योंकि आप ही में से मेम्बर मुकर्रर किये जाते हैं. अगर मेम्बर अपना काम न करें तो क्या करना चाहिये ? आप खुद मुझ से पूछेंगे कि आपने क्या निग्रानी की. मेरा काम यह है कि मैं उनको पूरा मौका दूं, लेकिन मौका देने के बाद क्या करूंगा ? जियादा से जियादा अहकाम जारी करदूंगा. अगर आप मेरी जगह हों तो क्या करेंगे ? मैं हर एक मेम्बर को सजा तो दूंगा ही नहीं अगर देता हूं तो अभी गडबड और वावैला मचेगा. सिवाय इसके कि फेहमायश करूं और क्या हो सकता है ? अगर आप कहेंगे कि फलां मेम्बर नालायक है तो उसको अलग कर दिया जावेगा और दूसरा इलेक्ट कर लिया जावेगा. मगर नाइनटी फीसदी वह मेम्बर भी यही करेंगे. काम करने की तरफ किसी का खयाल नहीं है. अगर खयाल है तो यह है कि हम म्युनिसिपेलटी के मेम्बर हैं. हम यह सुनने के लिये तैयार नहीं कि मेम्बर नाम के कितने हैं बल्कि हम यह सुनना चाहते हैं कि काम करके बताने वाले कितने हैं. यह काबिल गौर है. पब्लिक यह कहती है कि हम को यह दे दो वह दे दो, गवर्नमेन्ट खराब है, यह नहीं करती वह नहीं करती. जो कुछ तुम्हारे पास है वह तो करके बताओ जिस से हमको encouragement हो. हम यह भी जानते हैं कि हमारे यहां काबिल लोग हैं, लेकिन भाई काम कौन करता है. कानून बना दो तो वह भी एक तरफ रहता है, उसका use महज उसी वक्त होता है जब आफत किसी के ऊपर आती है. कानून कायदे महज self-defence के लिये होते हैं. वही मजमून यहां है चूंकि अपॉरटूनिटी नहीं है, या यहां पर यह मजमून ऐसा था, लिहाजा यह कैसे कहा जा सकता है कि हमारा कसूर है ! Actual side की तरफ कोई नहीं देखता. बडी बुराई है वह यह समझ लेना है कि " जो मैं समझता हूं वह सही है " लेकिन आगे सिफर और पोजीशन acquire करने की ख्वाहिश है.

तजवीज नंबर ३८ और ३९ की निस्बत—यह पहिला काम म्युनिसिपेलिटी का है और बाशिन्दों का काम है कि वह म्युनिसिपेलिटी को मजबूर करें, और उस पर अटैक करें. अगर मैं भूलता हूं तो म्युनिसिपल मेम्बर इस बात को साबित करें कि क्या इस किस्म के कोई proposals या तजवीज म्युनिसिपेलिटी से दरबार के सामने आई हैं ?

हालत यह है कि हलवाई की भट्टी कहां बनाई जावे ? हलवाई की दूकान कहां बनाई जावे ? इसमें भी दरबार के initiative की जरूरत है. मुख्तसिर यह है कि हर बात में दरबार कहांतक मदद दिया करें. इस तरह यह काम कहां तक चलेगा काम करानेवाला मैं हूं और तुम मेरे मददगार हो. अभी टेकसेशन का मसला शिवपुरी में पेश हुआ. यह बैठे हुए हैं टोडरमल ! सब हाथ टेक गये. यानी शहर की रौनक, शहर की सफाई से कोई तअल्लुक नहीं है. सवाल था पांच छे हजार रुपये का; यहां तक कहा गया कि अठारा हजार रुपये का सर्फा है वह दरबार देने को तय्यार हैं, लेकिन हाथ टेक गये कि यह बहुत ही जबरदस्ती है; तो ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहिये ?

जब उन्होंने देखा कि सूबा साहब इसमें खुश हैं कि हम एलजिन क्लब के मेंबर बन जावें तो उसके झट मेंबर बन गये. जब उनका तबादला होगया तो चन्दा भी उन्हीं के साथ गया, यह तो आपके साहूकारों की हालत है.

मैंने ही कानून बनाया और मैंने ही हुक्म दिया. अब आप बतलाइये कि क्या मैं एक खाकरोब के पीछे डंडा लिये फिरूं ? दरअसल मेम्बर काम नहीं करते, आपस में लडते हैं, सारा वक्त लडाई में सर्फ हो जाता है. Future happiness, future progress and future prosperity की

तरफ कोई तवज्जुह नहीं करते. अब मैं आपही से अपील करता हूं कि इसकी निस्बत क्या करना चाहिये ? टैक्स वसूली की निस्बत किसी का खयाल नहीं है, बकाया बढता जाता है, म्युनिसिपेलिटीज कर्जदार होती जाती हैं. उमूमन आप देखेंगे कि म्युनिसिपेलटियों की यही हालत है.

भिन्ड म्युनिसिपेलिटी की क्या हालत है ? अब मैंने खुद वहां ऑडीटर भिजवाया उसने वहां जाकर काम की जांच की तब कुछ काम का रास्ता लगा. किसी को अपने काम का अभिमान तो है ही नहीं, तो बताइये कि क्या करना चाहिये ?

जैसा कि वकील साहब ने कहा है, मैं उनके एक एक लफ्ज की ताईद करता हूं. बाज वक्त मुझे भी मौके आये हैं कि मैं भी गलियों में से पैदल निकल गया हूं. लोगों के यह खयाल जमे हुये हैं कि आम रास्तों से लोग निकलते हैं, गली कूचों में कौन जाता है चुनांचे वहां की सफाई को नहीं देखते. भाई हालत तो यह है. मैं आपसे अपील करता हूं कि इसकी निस्बत क्या करना चाहिये ?

म्युनिसिपल कमीशन मुकर्रर किया गया है. कमीशन का रिपोर्ट आयगा तब देखा जायगा और म्युनिसिपल एक्ट में इबारत कहीं मशकूक है तो साफ की जावेगी और दफआत बढाई जावेंगी.

कवानीन अच्छे हुए, बाई लॉज अच्छे हुए तो क्या ? यह तो बताओ कि जबतक काम करने वाले अच्छे न होंगे तो कानून क्या करेगा और हुक्म की तामील क्या होगी ?

मैं जानता हूं वकील साहब तो शहर की निस्बत कहते हैं मैं जयविलास की कहता हूं. उन्होंने शहर की निस्बत कहा है मैं महल की बाबत कहता हूं. अगर पंखा न चलाया जावे तो सख्त तकलीफ होती है. वकील साहब ने मुंह पर छोटे २ दाने कहे हैं मैं कहता हूं कि माता के से दानों का मुंह हो जाता है तो शहर की क्या हालत होगी. तो यह बताइये कि म्युनिसिपल मेम्बर क्या करते हैं, पब्लिक अटैक क्यों नहीं करती है. दरबार के सामने कोई तजवीज और सजेशन कोई नहीं है, नाम के लिये व प्रोसीडिंग्स पूरा करने के लिये मीटिंग्ज होती हैं. हूं हां मुंह पर करके चल दिये और आपस में लड मरे, यह हालत है.

इसलिये मैं आप से अपील करता हूं कि इसकी निस्बत क्या करना चाहिये ? आपही मुझको कोई तजवीज बताइये. मैं आप का ममनून व मशकूर होऊंगा. लोग करते कुछ नहीं और कहते हैं कि हमने charitable काम किया. यह ही हालत सारे हिन्दुस्तान की है. वैसे तो उम्दा उम्दा रिपोर्ट दिखाने के लिये छपती हैं और एड्रेस वगैरह सब कार्रवाई होती है, लेकिन आगे कुछ नहीं. इसी तौर से सवाल नं. ४० का भी मैं आपको जवाब देता हूं. आठ दस बरस हुए मैंने हुक्म दिया था कि जैसा बम्बई में तरीका है, वैसाही यहां होना चाहिये यानी इन घोसियों की लाइन अलग शहर के बाहर बना दी जायें. बुल साहब मेरे पास तजवीज लाये थे मैंने मंजूर भी की, मगर आगे क्या, अल्ला अल्ला खैर सल्ला. अब आप बताइये कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं ? मैं तो हमेशा आप लोगों की मदद का मुन्तजिर रहता हूं. मेरा काम guide करने का है. जो actual काम करने वाले हैं वह तकिया लगाये सोते हैं और मजे उडाते हैं और चरन्दम खुरन्दम करते हैं तो मैं उल्टा आप से अपील करता हूं कि मैं किस तरह काम लूं कि जिससे मकसद हासिल हो, जो सवाल नम्बर ३८-३९ और ४० में है ? मैं यह नहीं कहता कि आप इसका जवाब आज दें, कल इसका जवाब दें, परसों दें, दस दिन में दें बीस दिन में दें, मगर ऐसी तदबीर बतायें कि मजमून ठीक हो जाये और म्युनिसिपेलिटी की कार्रवाई अच्छी तरह चलने लगे, जैसे कि म्युनिसिपेलिटी का sense है; वर्ना लेक्चर देने को तो मैं और मेम्बर

लोग जो पचास साठ यहां बैठे हुए हैं ठीक सकते हैं और वही मसल होगी कि पहिले पाडे पड पंचावन और बारम्बार चवालसौ.

वाकई बडी अफसोसनाक बात है कि लोगों की हविस पोजीशन acquire करने की है और काम करने को कुछ नहीं.

अब्दुल हमीद साहब—गोकि कायदे के एतबार से मुझे हक हासिल नहीं, लेकिन चन्द मिनट के लिये हुजूर मुअल्ला की इजाजत चाहता हूं जैसा कि हुजूर मुअल्ला ने इरशाद फरमाया है कि एक्ट भी जारी किये गये, कवानीन भी बनाये गये, कोशिश भी की गई. अमन के मुतअल्लिक मैं निहायत सचाई और सफाई के साथ अर्ज करूंगा और मैं हलफ भी उठा चुका हूं. मैं सिर्फ अपनी जानिब से नहीं बल्कि तमाम रिआया की तरफ से अर्ज करता हूं. हुजूर मुअल्ला ! मैं खुशामद से अर्ज नहीं करता हूं, और न हुजूर मुअल्ला को खुशामद पसन्द है और न महज तारीफ की वजह से अर्ज करता हूं. तमाम रिआया इस बात को जानती है कि हुजूर मुअल्ला हमारे आराम व आसायश और फायदे के लिये बहुत कोशां हैं. मैं इस बात पर जोर देता हूं कि सफाई वगैरा पर जियादा तवज्जुह की जावे इसकी शिकायत नहीं है कि इस बारे में कवानीन वगैरा नहीं बनाये गये या दरबार ने तवज्जुह नहीं की.

हुजूर मुअल्ला—जो complaint आप को है वही मुझको है. आप का सवाल है कि सफाई का इन्तजाम किया जावे. मैं यह पूछता हूं कि वह किस तरह किया जावे. मैं खुद लश्कर म्युनिसिपेल्टिी का ४ बरस तक चेअरमेन रहा हूं. उस वक्त मैंने खुद मेम्बरान की हालत देखी. मेम्बरान मुतलक तवज्जुह नहीं करते थे सिवाय इस के कि एक दूसरे के गोली मारने की ताक में रहते थे. जब मैंने काम छोडा तो हेमिल्टन साहब हुए. हेमिल्टन साहब के वक्त मेम्बरों को मैंने बुलाकर डांटा और इसपर से कुल साहब की राय हुई कि too many cooks spoil the broth. चुनांचे मेम्बर कम किये गये, जिसका इजहार आप मेरी पॉलिसी में देखेंगे. सवाल यह है कि वकील साहब, मेम्बरों का क्या करना चाहिये, उनसे किस तरह कहा जावे कि आप अपना काम ठीक करें ? जरा आप मेहरबानी करके म्युनिसिपल एक्ट को देखें. मेम्बरान किसी मुआम्ले को investigate नहीं करते उल्टा मुझे जाकर बताना पडता है. क्या यह मेरा काम है ? वाइसराय वगैरा की तशरीफ आवरी के मौकों पर मुझको खुद जाकर देखना पडता है. क्या आपने नहीं सुना कि मैंने इक्केवालों का inspection किया, क्या मैं ही हर काम specially कराऊं ?

मैं उल्टा आपसे अपील करता हूं कि सब लोग मुत्तफिक होकर मशवरा दें, ताकि इस debate का फायदा हासिल हो, जिसका मैं आपका बडा ममनून व मशकूर हूंगा.

आयन्दा आपको ऐसे सवालात उठाना चाहिये जिनसे आम बेहबूदी की बातें हों. जैसा जैसा एज्युकेशन progress करता जायगा और लोगों को वकफियत होती जायगी वैसे २ वे बुरे काम छोडते जायेंगे. जिन २ बातों को आप सामने लायें उनके रास्ते बतायें, लेकिन पहिले यह देखलें कि दरबार की पॉलिसी फलां बात की निस्बत क्या है, और वाकई में सूरत क्या है और फिर आपही यह बताइये कि क्या करना चाहिये जिससे कि मतलब पूरा हासिल हो जाय. अभी इस किस्म की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिये कि सिविल मेरेजेस का तरीका introduce किया जाये या यह कि per head क्या खाने को मिलेगा वगैरा. यह बडे २ questions हैं. Higher Calculation को आप छोड दीजिये. पहले तो यह देखो कि दरबार के अहकाम ठीक हैं. या नहीं, और उनके माफिक लोग काम करते हैं या नहीं. अगर नहीं करते हैं तो उसके वास्ते आप मुझको रास्ता बताओ

क्योंकि हमारे और आप के मकसद दो नहीं हो सकते. राज्य की बहबूदी और सरसब्जी यह बड़े वसीअ अल्फाज हैं, इनमें सब बातें आ गईं.

अब्दुल हमीद साहब—हुजूरवाला ! मेरी राय है कि इसके लिये एक सब-कमेटी कायम करदी जाय, जो इसपर गौर करके अपनी रिपोर्ट इस साल या आयन्दा साल की मजलिस में पेश करे.

हुजूर मुअल्ला—आप खुद अपने में से मेम्बरान तजवीज करलें.

अब्दुल हमीद साहब ने हस्ब जैल मेम्बरान सिलेक्ट किये:—

बाबू जगमोहनलाल साहब, लाला रामजीदास साहब.

हुजूर मुअल्ला—एक आप, तीन हुए.

अब्दुल हमीद साहब—प्रेसीडेंट साहब लश्कर म्युनिसिपल बोर्ड, सरदार मालोजीराव साहब सीतोले.

हुजूर मुअल्ला—लाला राजकुमार साहब, डॉक्टर फाटक साहब, भगवान परशाद साहब अस्थाना—दूध के मसले को भी आप तलाश करलें. इसके मुतअल्लिक बुल साहब मेरे पास तजवीज भी लाये, मैंने उसपर हुक्म भी दिया, मगर बाद में फिर मामला खतम हो गया.

असल सवाल यह है कि म्यूनिसिपल एक्ट का मन्शा क्या है ? शहरों और कस्बों की सेनीटेशन की तरफ तवज्जुह क्यों नहीं होती ? अगर उनके पास रुपया नहीं है तो दरबार से मशवरा क्यों नहीं लेते ?

अब्दुलहमीद साहब—सब-कमेटी के सदर जनाब पोलिटिकल मेम्बर साहब या होम मेम्बर साहब हों.

हुजूर मुअल्ला—नहीं, अपील मेंबर साहब.

तजवीज नंबर ४१, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

पंचायत बोर्डों के कायम फरमाने में जो उपकार दरबार मुअल्ला ने अपनी देहाती रिआया के हक में पहुंचाया है उसकी तशरीह की जरूरत नहीं. मगर कहीं कहीं बाशिंदगान कस्बात को जैसा सुभीता होना चाहिये वैसा नहीं; मस्लन ग्वालियर व मुरार ऐसे मुकामात हैं जिनमें तादाद मुकद्दमात जो पंचायत बोर्ड में दायर होने के काबिल होते हैं इतनी ज्यादा है कि कहीं कहीं शायद १०० मवाजियात से भी मिलकर इतने मुकद्दमात दायर नहीं होते हैं. इसलिये मुनासिब होगा कि जिन कस्बात की आबादी ५००० से ज्यादा है वहां सिर्फ उसी कसबे के लिये एक पंचायत बोर्ड अलहदा कायम हो जावे ताकि वहां के छोटे छोटे झगडे दीवानी और फौजदारी के वहीं तै हो जाया करें और नावाकिफ रिआया परेशानी से बचे. इसका ऐलान बाद मंजूरी गवालियर गवर्नमेन्ट गजट में फरमाया जावे.

यह तजवीज बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी ने पेश की.

हुजूर मुअल्ला—क्या आपका मतलब यह है कि इसके लिये कायदा बना दिया जाय, आपको second कौन करता है ?

मथुराप्रसाद साहब—मैं ताईद करता हूं.

रा मेम्बर साहब—तजवीज की असली गरज यह मालूम होती है कि बाज२ मुकामात पर पंचायत बोर्ड में बहुत जियादा काम है, और उन पंचायत बोर्डों से भी जियादा काम है जिन में सौ २ मवाजियात हैं. इसलिये आपकी तजवीज यह है कि जिस कस्बे में पांच हजार से जायद आबादी है, उसमें और मवाजियात शामिल न किये जाकर उसी के लिये अलहदा पंचायत बोर्ड कायम हो. वाका यह है कि रियासत हाजा में जिस कदर कस्बात ऐसे हैं, जिनकी मर्दुमशुमारी पांच हजार से जायद है उनमें सिवाय कस्बा शाजापुर के और कोई कस्बा नहीं है, जिसमें पंचायत बोर्ड कायम न हो. पंचायत बोर्ड का इन्तजाम इस तरीके पर किया जाता है कि उसके कायमी का तअल्लुक माली ऑफिसरान से है. तहसीलदार व सूबा साहबान जहां जहां जैसी जरूरत समझते हैं वहां हल्का बनाकर पंचायत बोर्ड कायम करते हैं और मेम्बरान का इन्तखाब करके रेविन्यू डिपार्टमेन्ट में अपनी तजवीज पेश करते हैं. पस जहां ऐसी सूरत पेश आवे वहां तहसीलदार साहब व सूबा साहब मुतअल्लिका को इत्तला दी जावे कि वह इस पर गौर करें कि बजाय एक हल्के के दो हल्के कर दिये जावें या तीन हल्के मुकर्रर किये जावें या खास कस्बे में एक ही हल्का रक्खा जावे. आप की गर्ज इस तरह से पूरी हो जावेगी. जहां जहां काम की कसरत हो वहां सूबा साहब मुतअल्लिका या लोकल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इस किस्म की तहरीक करें ताकि वह मुकामी लिहाज से मुनासिब इन्तजाम कर दें. हर जगह के लिये आम कायदा या कानून नहीं हो सकता. हर मुकाम की हालत अलहदा अलहदा देखकर इन्तजाम होने से फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. जो गरज पंचायत बोर्ड के कायम होने से है वह हासिल होनी चाहिये. अगर मुकद्दमात की कसरत होगी और वहां यह मुराद हासिल नहीं होती होगी तो ऑफिसरान माली यकीनन उसपर जरूर गौर करेंगे इसलिये इस सवाल पर मजीद गौर की जरूरत नहीं है. इस तकलीफ को महसूस करते हुए आप जहां जहां जरूरत समझते हों वहां तहसीलदार, सूबे साहबान, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या मुकामी ऑफिसरान या लोकल बोर्ड में अलहदा अलहदा तजवीज पेश करें वहां उसकी हालत देखकर गौर किया जावेगा.

बद्री परशाद साहब—मुनासिब है.

इसके बाद आज का काम खत्म किया गया, और मेम्बर साहबान को refreshment दी गई.

लेजिस्लेटिव ऍन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

——:o:——

प्रोसीडिंग्स मजलिस आम, गवालियार,

सम्वत १९७९.

——:o:——

सेशन दोयम.

बुधवार, तारीख १५ नवम्बर सन १९२२ ई०, वक्त ११ बजे दिन, मुकाम मोतीमहल, लश्कर, कौंसिल हाल.

इजलास सोयम.

आज हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू प्रोसेशन से ठीक ११ बजकर ४५ मिनट पर कौंसिल हाल में तशरीफ लाये.

बजुज रेवेन्यू मेम्बर साहब व आर्मी मेम्बर साहब के जुमला मेम्बर साहबान गवर्नमेन्ट, हर दो सरसूबे साहबान, चीफ लेक्चरार जमींदार हितकारनी सभा, लश्कर, व हस्ब जैल नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान शरीक इजलास थे:—

१. राय साहब मानिकचन्द साहब, उज्जैन.
२. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मुहम्मदखेडा.
३. जहांगीर बेहमनशा साहब, वकील, बम्बई.
४. रामजीदास साहब वैश्य, लश्कर.
५. सेठ लुकमान भाई नजरअली साहब, उज्जैन.
६. बंसीधर साहब भार्गव, उज्जैन.
७. ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाधीर.
८. जगमोहनलाल साहब, वकील, भिन्ड.
९. अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी, लश्कर.
१०. जमनादास साहब वकील, उज्जैन.
११. अहमदनूरखां साहब, शाजापुर.
१२. महंत लक्ष्मनदास साहब, अमझरा.
१३. गुरुदयाल साहब, वकील, मन्दसौर.
१४. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.
१५. केशवराव बापूजी साहब, मनावर.
१६. रामप्रतापजी साहब लूंबा, उज्जैन.
१७. महादेवराव वल्द गोविन्दराव साहब, श्योपुर.
१८. भगवानसरूप साहब, वकील, भेलसा.
१९. बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी, गवालियार.
२०. रामचन्द्र वल्द तुलसीराम साहब, झाडेरा.
२१. ठाकुर प्रल्हादसिंह साहब, कालूखेडा.
२२. लालचन्द साहब, राजगढ.
२३. टोडरमलजी साहब, शिवपुरी.
२४. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
२५. द्वारकादास साहब, आगर.
२६. करमचन्दजी साहब, उज्जैन.
२७. लालता परशाद साहब, वकील, लश्कर.
२८. जबरसिंह साहब, भिन्ड.
२९. फजल मोहम्मद साहब.
३०. चौधरी रघुनाथसिंह साहब, सकवारा दनोला.
३१. मथुराप्रशाद साहब, मुरार.
३२. विश्वेश्वरसिंह साहब, भिन्ड.
३३. मानिकचन्द साहब, भिन्ड.
३४. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
३५. पन्नालालजी साहब बाफना, मन्दसौर.
३६. सदाशिवराव हरी मुळे साहब, करेरा.
३७. जामिनअली साहब, भेलसा.
३८. हीरजी भाई साहब, भेलसा.
३९. जाल भरूचा साहब, लश्कर.
४०. मयाराम साहब, चंदूखेडी.
४१. रावजी शास्त्री वेलणकर साहब, लश्कर.
४२. अलीजफर साहब, जौरा.
४३. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
४४. मेजर गुलाबसिंह साहब, देवगढ.
४५. सेठ तुलसीराम साहब, लश्कर.
४६. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, बिलोनी, भिन्ड.
४७. ठाकुर रघुनाथसिंह साहब, चिरोला, बडगर.
४८. रिधराजजी साहब, लश्कर.

तजवीज नंबर १, फर्द नंबर १.

तरीका ' पनिहाई ' (जिससे मुराद यह है कि माल मसरूका का पता लगाने की हालत में पता लगाने वाले शख्स को कुछ रकम बतौर मुआवजा या हक्कुल खिदमत के अदा की जाती है) के खिलाफ कसरत से शिकायतें पेश आती हैं. मसला गौर तलब यह है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाय जिससे चोरी–खुसूसन बेड मवेशी-की रोक हो.

लॉ मेंबर साहब—इस सवाल के मुतअल्लिक मजलिस को याद होगा कि साल गुजश्ता में हुजूर मोअल्ला ने अपनी स्पीच में फरमाया था कि पनिहाई के मुतअल्लिक कसरत से शिकायतें आती हैं और ताज्जुब है कि इसके मुतालिक मेंबर साहबान मजलिस आम ने किसी किस्म की कोई तजवीज पेश नहीं की. दरबार मोअल्ला का ऐसा इरशाद हुवा था कि कोकसिंह साहब (इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस) इसकी निस्बत एक कमेटी मुकर्रर करके कमेटी की रिपोर्ट पेश करें. मेंबरान कमेटी कौन होंगे, इसका इख्त्यार कोकसिंह साहब को दिया गया था. चुनांचे कोकसिंह साहब ने एक कमेटी मुकर्रर की, और उस कमेटी की रिपोर्ट—(जमीमा नंबर ४) तकसीम हो चुकी है, जो गालिबन आपके मुलाहिजे से गुजरी होगी. पनिहाई से मुराद क्या है, यह इसी सवाल में जाहिर कर दिया गया है. गो लफ्ज पनिहाई जियादातर बेड मवेशी के सिलसिले में इस्तेमाल होता है, मगर ऐसा मालूम होता है कि किसी जमाने में पनिहाई का इस्तेमाल एक आम सवाल था, और इसका कोई खास तअल्लुक बेड मवेशी से न था, और पनिहाई के मानी यह थे कि अगर एक शख्स (मालिक माल या मालिक मवेशी) का माल चोरी जाय या वह किसी ऐसे तरीके से उस माल से मेहरूम हो जो किसी जुर्म की हद तक पहुंचता हो, और दूसरा शख्स यह कहकर कि मैं आपके इस माल को वापिस दिला दूंगा, कोई मुआहिदा उससे करे, कि इतनी रकम दीजिये, तो उस रकम को पनिहाई कहते थे. सम्वत १९५३ के जमाने के कानून जाब्ता फौजदारी को देखिये तो मालूम होगा कि उस कानून की रू से पनिहाई जायज करार दी गई है. अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स से जिसका माल चोरी गया हो कहे कि मैं तुम्हारा माल वापिस दिला दूंगा या उसके वापिस दिला देने में तुम को मदद दूंगा, तो उसके ऐवज में तुम मुझको इस कदर रुपया देना; तो ब शर्ते कि यह मुआहिदा तहरीरी हो, इसकी पाबंदी कानूनन लाजिमी थी. अगर बमूजिब इकरार के रुपया अदा न किया जाय तो उसकी निस्बत अदालत में नालिश हो सकती थी और वह कानूनन अब भी रायज है. यह शक्ल बिलकुल ऐसी है जैसे कि अखबारों में आप इश्तहार देखते होंगे कि फलां चीज किसी शख्स की खो गई है, अगर कोई शख्स उसका पता लगावे तो उसको इनाम दिया जावेगा. फिल हकीकत यह हक्कुल खिदमत है. किसी माल के तलाश करने में या उसके वापिस कराने में जो मेहनत की गई हो उसकी खिदमत के एवज में रकम उसको दी जाती है. जब लोगों को यह मालूम हुवा कि पनिहाई कानून के जरिये से जायज करार दी गई है तो बाज शख्सों के खयाल में ये बात आई कि यह एक सहल जरिया रुपया पैदा करने का हो सकता है. गांव में मवेशी वैसे ही एक कसीर तादाद में छोड दिये जाते हैं. कहीं उनकी हिफाजत की जाती है और कहीं नहीं की जाती. जब यह देखा कि मवेशी के चुराने में और उसके बेड करने में सहूलियतें मौजूद हैं तो यह तरीका इख्तियार किया गया कि जानवरों को महज पनिहाई की रकम हासिल करने के लिये वहां से अलेहदा कर दिया गया या छुपा दिया गया और बाज शख्सों ने मालिक मवेशी से इसकी बाबत गुफ्तगू की

और कुछ रकम उससे ठहराई गई, और रकम वसूल करने के बाद मवेशी उसके सिपुर्द कर दी गई या उससे कह दिया गया कि फलां जगह में चले जाइये, वहां आपको मवेशी मिल जायेंगे. मालूम होता है कि रफ्ता रफ्ता यह तरीका बहुत बढ गया. प्रांत बोर्ड के एक ठहराव से जाहिर होता है कि बेड मवेशी ज्यादा कसरत से होती है. प्रांत बोर्ड गवालियार ने हाल ही में एक ठहराव किया, और मेजर गुलाबसिंह साहब ने proposals पेश किये कि मवेशियों की चोरी करने में पनिहाई लेने वालों को सजा होना चाहिये, और जुर्म पनिहाई कायम किया जाना चाहिये. बाकी अब आप रिपोर्ट को मुलाहिजा कर लीजिये. अगर जरूरत समझी जावे तो मैं उस रिपोर्ट को पढ दूं. (लॉ मेंबर साहब ने रिपोर्ट पढ कर सुनाई). लॉ मेंबर साहब ने फरमाया:—

जब ताजीरात गवालियार का मुसव्विदा जेर गौर था तब भी पनिहाई की निस्बत शिकायतें थीं. चन्द ऑफिसरान पुलिस से मशवरा करने के बाद एक तरीका पनिहाई के रोकने का यह समझा गया कि इस को जुर्म करार दिया जावे. अब आप ताजीरात की और कमेटी की मुरत्तबा दफात में फर्क क्या है इस पर गौर कीजिये. मौजूदा दफा २४८ ताजीरात में जो मजमून है उसको मैं अपने अलफाज में बयान करता हूं. एक शख्स मालिक माल है, अगर उसका माल चोरी जावे या वह इस माल से ऐसे तरीके से महरूम किया जावे जो जुर्म की हद तक पहुंचता हो, (मस्लन तसर्रुफ बेजा, फरेब, खयानत मुजरिमाना,) और कोई दूसरा शख्स उस मालिक माल से कहे कि तुम्हारा माल वापिस कराने में मैं तुमको मदद दूंगा और इस सिले में अगर वह शख्स कुछ रकम ले या रकम लेना कबूल करे तो उसका यह फर्ज है कि वह उस मुलजिम को जिसने माल लिया है गिरफ्तार कराने की कोशिश करे और तावक्ते कि उसकी जानिब से पूरी कोशिश उस मुलजिम के गिरफ्तार कराने में न होगी वह मुजरिम करार दिया जावेगा और उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की सजा जिसकी मियाद २ बरस तक हो सकती है. उस पर जुरमाना भी किया जा सकता है. इस दफा में जो शर्त मुजरिम को गिरफ्तार कराने और उसको जुर्म का मुजरिम साबित कराने के लिये हत्तुल मकदूर अपने सब वसीलों को काम में लाने के मुतअल्लिक है, उस पर मेम्बरान की खास तौर पर तवज्जुह दिलाता हूं. इससे कमेटी की तजवीज बहुत ज्यादा है. (लॉ मेम्बर साहब ने कमेटी की तजवीज पढकर सुनाई). कमेटी की तजवीज के मुतअल्लिक ऐसे अशखास का जो ऐसे माल के वापिस कराने की उम्मेद से कोई रकम लें या लेना कबूल करें फर्ज करार दिया गया है कि वह माल को बाजयाफ्त करादें और मुलजिम को गिरफ्तार करादें और उसको सजा करादें. अब आप गौर करें कि यह practical किस हद तक है. दफा २४८ बिलकुल आम है. सिर्फ बेड मवेशी से ही इसका तअल्लुक नहीं है. जब किसी शख्स का कोई माल चोरी जावे या किसी जरिये से वह उस माल से महरूम किया जावे. जो चोरी की हद तक पहुंचता है और दूसरा शख्स कहे कि मैं इस माल को बाजयाफ्त करा दूंगा और मुलजिम को गिरफ्तार करा दूंगा और उसे सजा करा दूंगा तो यह हर हालत में होना मुमकिन नहीं. फर्ज कीजिये कि एक शख्स ने अखबार में नोटिस दिया कि उसकी एक अंगूठी जिस पर फलां निशान है Garden party में चोरी गई जो शख्स उसका पता चला देगा उसको ५००) रुपया इनाम दिया जावेगा. एक शख्स किसी सर्राफ की दूकान पर जाय और वहां जाकर कुछ अंगूठियां देखे जिनके ऊपर initial उस शख्स का खुदा हुवा है, और उसको शुबा खोई हुई अंगूठी का हो. वहां से देखने के बाद उन साहब को इत्तला दे जिन्हों ने इश्तहार दिया है कि मैंने आपका इश्तहार देखा है, और एक अंगूठी मेरी नजर में आई है. आप फलां जगह आ जाइये और देख

लीजिये. अगर वह आप की अंगूठी हो तो हस्ब वायदा मैं अपने आप को इनाम का मुस्तहक समझूंगा. फर्ज कर लीजिये वह शख्स वहां आवे और इस अरसे में अंगूठी बिक जावे तो बहुत मुमकिन है कि वह माल को बाजयाफ्त कराने की और मुलजिम को गिरफ्तार कराने की व उसको सजा कराने की शरायत को पूरा न कर सके. (इसके बाद लॉ मेम्बर साहब ने कमेटी की तजवीज की हुई दफा पढ़ी.)—अब आप गौर कीजिये कि इस नई तरमीम के बमूजिब उसका क्या फर्ज हुआ. बाज हालतों में एक शख्स जो निहायत नेक नियती से अमल करेगा उसके लिये मुशकिल होगा कि वह मुलजिम को गिरफ्तार कराये. फर्ज कीजिये कि मुलजिम मर जाय, फरार हो जाय या इलाके गैर में चला जाय, तो ऐसी सूरतों में मुलजिम का गिरफ्तार होना ही नामुमकिन या दुशवार है, गोकि गिरफ्तार कराना और सजा कराना उसका कमेटी की दफा के मुताबिक फर्ज होगा. इसका नतीजा यह निकलता है कि यह शरायत नाकाबिल अमल हैं. बरखिलाफ इसके दफा २४८ ताजीरात में जो शर्त रखी गई है उसकी रू से सिर्फ यह लाजिमी रक्खा गया है कि ऐसा शख्स वह कुल जराये इख्त्यार करे कि जिससे मुलजम को सजा हो जाय. इससे जायद जो कमेटी की दफा में शरायत हैं उनमें बहुत सी दिक्कतें हैं, इसलिये पहिला सवाल जो आप साहबान के सामने है वह यह है कि बेड मवेशी की शिकायत कसरत से है, उसकी रोक का एक तरीका यह है कि पनिहाई जुर्म करार दिया जाय. इस बात को मानकर कि 'पनिहाई' जुर्म करार दिया जाय आप साहबान को तसफिया इसका करना है कि किन शरायत के साथ इसे जुर्म करार दिया जाय. इसके साथ ही साथ दो बातों पर आप गौर कीजिये. यह जरूर है कि बेड मवेशी (सिर्का मवेशी) खास खास अजलाय में ज्यादातर इस गरज से की जाती है, कि मालकान मवेशी से रकम ली जाय और बाज अजलाय में इस गरज से की जाती है, जिसमें यह नियत नहीं होती, बल्कि इस नियत से कि मवेशी चुराकर ली जायें, उनको बेचा जाय, इस्तेमाल में लाया जाय. यह जो दूसरा हिस्सा बेड मवेशी का है उसकी रोक इससे पूरी तरह नहीं हो सकती. चूंकि बेड मवेशी एक जुर्म है इसलिये सवाल यह है, कि अलावा इसके कि कानून में एक जुर्म करार दिया गया है क्या और भी कोई ऐसे तरीके इख्तियार किये जा सकते हैं जिससे बेड मवेशी में रोक हो?

संवत १९७१ में दरबार ने एक सरक्यूलर जारी किया है. बेड मवेशी की एक वजह यह है कि जमींदारान अपनी मवेशी की हिफाजत जिस तरीके से होनी चाहिये नहीं करते. सौ सौ डेढ डेढ सौ मवेशी छोड दिये जाते हैं और एक चरवाहा उनकी हिफाजत के लिये होता है. इसकी निस्बत दरबार ने सरक्यूलर के जरिये से कुछ मशवरा या हिदायात नाफिज फरमाई हैं. बेड मवेशी की रोक के लिये दरबार ने चूंकि एक कानून बना दिया है, कुछ Co-operation जमींदारान की तरफ से भी होना चाहिये. अगर ऐसा होगा तो यकीनन बेड मवेशी में कमी होगी. इसी तरह से मवेशियों के दाग देने के मुताल्लिक भी हिदायात जारी हुई हैं, मगर उनकी तामील मिनजानिब जमींदारान नहीं होती. जब मवेशी इलाके गैर में जाते हैं तो वहां की पुलिस को यह नहीं मालूम होता है कि आया वे बेड लाये गये हैं, या खरीद कर के; अगर दाग लगे हों तो वहां की पुलिस को यहां की पुलिस से दरयाफ्त करने में बहुत सहूलियत और आसानी होगी. इस मजलिस में जमींदार साहबान की जानिब से Representatives हैं, ख्वाह वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हों या प्रान्त बोर्ड से. अगर वह इस मामले में यहां से जाने के बाद अपने अपने हल्के के जमींदार साहबान को आगाह कर दें कि यह जुर्म तो करार दे दिया गया है मगर साथ ही साथ अगर जमींदार साहबान कोशिश करेंगे तो और

ज्यादा कामयाबी की उम्मेद की जा सकती है. पनिहाई के मुतअल्लिक सिर्फ एक बात और कह देता हूं जैसा कि कमेटी की रिपोर्ट से आपको जाहिर हुवा होगा:—

रुपये का लेन देन व जो कुछ गुफ्तगू दरमियानी अशखास के जरिये से की जाती है वह सब इतनी खामोशी और एहतियात से की जाती है कि अदालत में इसका साबित करना आसान अम्र नहीं है जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है. यह निहायत पोशीदा तरीके पर किया जाता है. अगर अदालत के सामने सबूत काबिल इतमीनान न हो तो अदालत क्या कर सकती है. किसी बाहरी जरिये से सबूत हासिल नहीं कर सकती.

कमेटी की यह तजवीज मंजूर की जा सकती है कि यह जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस करार दे दिया जावे. इसमें कोई हर्ज नहीं है. असल सवाल आप साहबान के सामने यह है कि पनिहाई किन शरायत के साथ जुर्म करार दिया जावे?

मसला गौर तलब यह भी है कि मौजूदा दफा ताजीरात या मुरत्तिबा कमेटी के अलावा क्या और भी कोई तरीका आपके जहन में ऐसा है कि जिसके मुतअल्लिक कानून बनाया जाय या सिर्फ ऐसी हिदायात जारी की जायें जो महज मशवरे की हद तक पहुंचती हैं?

हुजूर मोअल्ला—पेश्तर इसके कि इस सवाल के ऊपर आप साहिबान बाद गौर के राय दें, मैं मुनासिब समझता हूं कि चन्द उमूरात पर आप का attention draw करूं, ताकि आप इन बातों को मद्दे नजर रख कर राय दें तो बेहतर होगा. मेरी नाकिस राय में अव्वल तो आप को मालूम है कि जो कागज इस वक्त पेश किया गया है और जिसकी निस्बत लॉ मेंबर साहब ने अभी explain किया है कि यह साल गुजिश्ता की कार्रवाई का नतीजा है मेरे ख्याल में दफा २४८ ताजीरात में साफ तौर से नाम पनिहाई नहीं आता है. एक तो इसमें साफ तौर से नाम आना चाहिये दूसरे यह दोनों drafts आप के सामने हैं जिनमें से एक adopt करके कानून में insert कर दिया गया है. दूसरा कमेटी का मुसव्विदा है. अब आप को इस मामले पर गौर करने के लिये पहिले अपने तई यह सवाल करना चाहिये कि आया इस की जरूरत है या नहीं. मेरा जो जाती तजरुबा इसकी निस्बत हुवा है वह यह है कि अमूमन इस की ज्यादती ज्यादातर सबलगढ से लेकर भिन्ड के जिलों तक ही है और खास कर उन मवाजियात में, जो पहाडी हैं और इसके आस पास के हिस्से में यह होता है कि लोग एक एक, दो दो, चार चार जानवर चुराकर छिपाते हैं और फिर लोगों से रकम लेकर जानवर देते हैं. इसकी रोक होना जरूरी है, तो अब आप को यह वजन करना चाहिये कि इसकी बाबत क्या मुनासिब तरीका इख्तियार करना चाहिये जिससे लोगों में इबरत हो और इस नाजायज बात की रोक हो. लिहाजा आप इन पहलुओं पर गौर करें या तीसरी दफा ड्राफ्ट करें या इन दोनों में से किसी एक दफा की निस्बत सिफारिश करें. लेकिन इसमें नाम पनिहाई जरूर बढाना चाहिये और इसका definition भी देना चाहिये.

जमना दास साहब झालानी—हुजूर अनवर! तरीका पनिहाई की तदबीर जो सब कमेटी ने सोची है और पेश हुई वह निहायत अच्छी है. मुसव्विदे ताजीरात गवालियार की दफा २४८ में जो इबारत कायम की जाने की सिफारिश की गई है उससे न सिर्फ मवेशी के मुतअल्लिक पनिहाई की बल्कि हर किस्म के माल मन्कूला की चोरी के मुतअल्लिक व चन्द दीगर जरायम (मस्लन सर्का बिलजब्र, रहजनी, डकैती, इस्तेहसाल बिलजब्र, दगा, तसर्रुफ बेजा, खयानत वगैरा) के मुतअल्लिक पनिहाई के तौर पर अगर कोई शख्स माल की बाजयाफ्त की गरज से नाजायज तौर पर मावजा ले या लेना कुबूल करे तो उसकी भी रोक होती है. इबारत मजकूर के इन

अलफाज से कि " कुछ मावजा ले या लेने पर राजी हो या लेना कुबूल करे " पनिहाई की रोक पूरे तौरे पर होने की उम्मेद है लेकिन जो इबारत में यह फिकरा दर्ज किया गया है कि " बजुज इसके कि शख्स मजकूर माल को बाजयाफ्त करादे और मुलजिम को गिरफ्तार कराकर सजा करा दे " इस फिकरे में तीन बातें मावजा लेने वाले या लेना कुबूल करने वाले के जिम्मे लाजमी रक्खी गई हैं :—

१. माल को बाजयाफ्त करा दे.
२. मुलजिम को गिरफ्तार करा दे
३. मुलजिम को सजा करा दे.

अगर इन तीनों में से एक बात भी न कराई गई तो मावजा लेने व कबूल करने वाला दफा मजकूर की रू से मुजरिम बनता है. इसमें यह अन्देशा है कि चोर को सजा दिलाने की ख्वाहिश करने वाले नेक नियत व अवाम (public) के सच्चे खैरख्वाह भी मुजरिम बन जायेंगे; क्योंकि मवेशी या दीगर माल मसरूका का पता अगर किसी शख्स ने लगा भी दिया ताहम उसको बाजयाफ्त कराना हर हालत में पता लगाने वाले के काबू की बात नहीं है. यह बहुत मुमकिन है कि सर्का करने वाले को भी सुराग लग जाये कि माल को बाजयाफ्त करने की कोशिश होरही है और वह उस माल को वहां से उडा देवे; या किसी गलत फेहमी की वजह से किसी के कब्जे में माल मसरूका हो वह इत्तिफाक की वजह से इसके पेश्तर ही अलहदा हो जाये कि पता लगाने वाला शख्स पुलिस को उस मुकाम पर ले जाये जहां माल मसरूका वाके हो.

जब माल को बाजयाफ्त कराने में ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं तो मुलजिम को गिरफ्तार कराना इससे भी ज्यादा दुश्वार है. अक्सर ऐसा होता है, कि पुलिस को लेकर पता लगाने वाला शख्स मौके पर पहुंचे उस से पेश्तर मुलजिम फरार हो जाते हैं. बाज मर्तबा पुलिस का सामना बांधकर भी गिरफ्तार नहीं होते हैं और कई वजूहात से गिरफ्तारी मुलजिम गैर मुमकिन हो जाती है. बाज हालात में माल मसरूका दीगर शख्स के कब्जे में या जंगल में वैसे ही मिल जाता है लेकिन मुलजिम का पता नहीं लगता है. इन जुम्ला हालतों में पता लगाने की कोशिश करने वाला सच्चा आदमी मुजरिम बन सकता है और सब से बढकर मुश्किल काम मुलजिम को सजा दिलाने का है. पता लगाने वाला पता भी लगा देवे, पुलिस के लोग अपनी जान पर खेल कर निहायत ईमानदारी व जांफिशानी व जवांमर्दी के साथ मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लेवें लेकिन सजा करा देना न तो पता लगाने वाले के न पुलिस के हाथ में है. अगर हाकिम तहकीकात कुनिन्दा की तहकीकात से वह शख्स जिसके पास माल मसरूका पाया गया नेक नियत व भला आदमी पाया गया या मुलजिम का असल चोर होना हाकिम के काबिल इत्मीनान साबित न हुआ या किसी दीगर वजह से मुलजिम रिहा किया गया या बरी हो गया तो दफा मजकूर की रू से पता लगाने वाला ख्वाहमख्वाह मुजरिम बनता है. इस लिये निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि मुसव्वदे ताजीरात गवालियार की दफा २४८ में जो अलफाज " अपने हत्तुल मकदूर सब वसीलों को काम में लाये " रखे गये हैं (और दफा मजकूर मजलिस कानून हुजूर दरबार से पास हो चुकी है) वह अल्फाज बदस्तूर रक्खे जायें.

इसके अलावा " पनिहाई " की तारीफ व लफ्ज "पनिहाई" का इन्द्राज दफा २४८ में दर्ज कर दिया जावे जैसा कि हुजूर मुअल्ला ने इरशाद फरमाया है. इसके अलावा पनिहाई की definition भी कर दी जाय.

गुरुदयाल साहब—हुजूर अनवर ! मुझे तशरीह जुर्म सब-कमेटी से इख्तिलाफ है और मैं हस्ब जैल तशरीह करता हूं:—

१. सजा कराना इख्तियारी नहीं है.

२. फरयादी अगर अपना माल साबित नहीं करा सकते तो मुलजिम का कुसूर नहीं.

३. मुलजिम ना काबिल गिरफ्तार हो जावे तो भी कुसूरवार नहीं हो सकता.

४. माल जिसके कब्जे से बरामद हुआ और किसी शख्स से कब्जा पाना साबित करदे या अदालत और वजह से मुलजिम को छोडदे तो ऐसी हालत में बेगुनाह लाजिमन मुजरिम बनते हैं और इस सब्वदे से सजा लाजिमी हो जाती है.

दफा २४८ में लफ्ज पनिहाई की तशरीह बढादी जावे तो वही काफी हो जावेगी. अलबत्ता जुर्म दस्तन्दाजी पुलिस करार दिया जावे.

हुजूर मुअल्ला—आप किससे इत्तफाक करते हैं ?

गुरुदयाल साहब—मैं मौजूदा दफा से इत्तफाक करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—तो क्या आप मौजूदा दफा २४८ को पसन्द करते हैं ?

गुरुदयाल साहब—हां, इससे इत्तफाक करता हूं कि इसका जरूर इन्सदाद किया जावे, मगर जो चाराकार दफा २४८ में है इसमें पनिहाई का लफ्ज और ईजाद किया जावे. इसके साथ मेरी इस्तदुआ यह है कि एक शख्स का माल चोरी गया है वह अपना माल ढुंडवाता है, जो शख्स चुरा कर ले जाता है वह उससे मिलता है. वह माल बतलाने के लिये दलाल हो जाता है, मगर माल बतलाने वाला मुजरिम नहीं बनता. मस्लन मावजा ले या मावजा दिलाये या लेने पर राजी हो या कुबूल करे या कराये वह भी मुजरिम होता है.

हुजूर मुअल्ला—क्या आप दफा २४८ से इत्तिफाक करते हैं या कमेटी ने जो दफा पेश की है उसे पसन्द करते हैं ?

गुरदयाल साहब—दफा २४८ से इत्तफाक करता हूं.

मथुराप्रसाद साहब—हुजूर अनवर ! आजतक के तजरुबे से प्रांत गवालियार से साबित हुआ है कि जहां तक देखा गया है थांगदार लोग ही चोरी करते हैं या दूसरों से कराते हैं. उनके लिये यह अलफाज कमेटी की तजवीज में रखे जायें कि या तो वह मुलजिम को गिरफ्तार करायें या उसको सजा करावें. प्रांत गवालियार के बारे में यह गुजारिश करता हूं कि सिवाय थांगदारान के ऐसे शख्स बहुत कम देखने में आये हैं जो नेक नियती से दूसरों का माल वापिस दिलादें. अच्छे लोग कम मिलेंगे. इसीवास्ते जबतक इन थांगदारों के वास्ते कमेटी की राय के मुताबिक सजा न दी जावेगी उसवक्त तक मेरी राय में पनिहाई का कम होना गैर मुमकिन है.

हुजूर मुअल्ला—आप यह चाहते हैं कि फर्ज किया जावे कि एक गांववाला है, उसकी ४ भैंसे चोरी गईं, तो क्या यह कार्रवाई थांगदारों की है उनको सजा दी जावे ?

मथुराप्रसाद साहब—थांगदारों के पास और लोग लगे रहते हैं. जिन अजला में थांगदार हैं उनके पास चोरी करनेवाला शख्स जाता है उसको वह और लोग उनसे मिला देते हैं और बतला देते हैं कि फलां मवेशी हम मौके पर देख आये हैं, और उससे वायदा लेते हैं कि इतना रुपया लेंगे, और बाद को उनके पास जाते हैं, थांगदार उनको जंगल में बतला देते हैं या ला देते हैं. इसवास्ते यह सजा उनको देना निहायत मुनासिब है.

हुजूर मुअल्ला--तो अब यह किसकी जिम्मेदारी हुई ?

मथुराप्रसाद साहब—यह जिम्मेदारी थांगदार की होगी. जब साबित हो जावेगा तो सजा पावेगा.

हुजूर मुअल्ला—तो अदालत में इसका क्या जरिया ?

मथुरा प्रसाद साहब—जिस वक्त मवेशी मिलेंगे तो पुलिस में रिपोर्ट होगी. पुलिस के जर्ये जब इसकी तहकीकात होगी तो मजबूरन यह बतलाना पडेगा कि फलां के जर्ये से मवेशी मिले या अपने ऊपर लेना पडेगा. इस तरीके से वह पुलिस के जर्ये से गिरफ्तार हो जावेगा

हुजूर मुअल्ला—थांगदार बीच में कैसे आयेगा जब माल एक जगह बिक गया ? जिसका माल चोरी गया है वह उसकी तलाशी में रहा और उसकी पुलिस में रिपोर्ट करदी और थांगदार से मिलकर पता लगाया. थांगदार को तो मालूम था ही कि माल कहां है इससे दो चार रोज की ढील देकर पता लगा दिया. थांगदार ने रुपया मांग लिया. चुनांचे वह वहां पहुंचा और अपना माल पहिचान लिया और ले गया. सवाल यह है कि थांगदार पुलिस के सामने कैसे आयगा ?

मथुराप्रसाद साहब—जिसका माल गया है वह साबित करायगा कि मैंने रुपया दिया.

लॉ मेम्बर साहब—पनिहाई कौन वसूल करेगा ? क्या थांगदार ही वसूल करेगा जिसने मावजा माल के बाजयाफ्त कराने के सिले में ले लिया है या कुबूल किया है ? मौजूदा कानून के लिहाज से इसका फर्ज होगा कि वह हत्तुल मक़दूर माल बा याफ्त कराये, चोर का पता लगाये और माल को गिरफ्तार कराये. अगर थांगदार ऐसा न करेगा तो सजा पायेगा यही मौजूदा दफा में है, अगर आप गौर करेंगे.

हुजूर मुअल्ला--थांगदार के निस्बत शिकायत कौन करेगा ?

लॉ मेम्बर साहब-- जिस शख्स के मवेशी चोरी जायेंगे वह पुलिस में रिपोर्ट करेगा कि मेरा माल मिल गया, मैंने इतनी पनिहाई फलां शख्स को दी.

हुजूर मुअल्ला--ऐसा कौन कहेगा ?

लॉ मेम्बर साहब--मालिक माल कहेगा, जिसका माल चोरी गया. मसलन किसी की ५००) रुपये की मवेशी चोरी गई उसने दो सौ ढाई सौ रुपया पनिहाई थांगदार को दिये.

हुजूर मुअल्ला—जिसका माल चोरी गया है वह जिस मिल जाय उसको जाहिर करना पडेगा.

लॉ मेम्बर साहब—जिसने पनिहाई ली उसको साबित करना होगा. थांगदार का फर्ज होगा कि वह चोरी का पता बतला देवे व चोर को गिरफ्तार करा देवे.

हुजूर मुअल्ला—इनका कहना तो यह है कि ऐसा करने से तो थांगदार को सजा होगी इसका explanation क्या है ?

लॉ मेम्बर साहब--मथुरा प्रसाद साहब ने खुद फरमाया है कि इसका मतलब यह था कि थांगदार चोरों से मिले हुए होते है.

हुजूर मुअल्ला —(रिपोर्ट सब कमेटी की दफा पढी और फरमाया) यह task mpossible है. जिस माल को शख्स मजकूर बाज याफ्ता करादे या थांगदार को सजा दिलाये इस का आप explanation करदें. यह अलफाज आपने इस वजह से डाले हैं कि थांगदार पकडा जाय.

मथुराप्रसाद साहब — जी हां, थांगदार का लफ्ज इस वजह से डाला है कि वह पकडा जावे. जो शख्स किसी ऐसे माल मसरूका के बाजयाफ्त की गरज से कुछ मावजा ले या लेने पर रजामन्द हो या कुबूल करे वह शख्स किसी जुर्म के छुपाने की नियत से करता है.

हुजूर मुअल्ला — तो क्या इस वजह से आपने यह अल्फाज डाले हैं? यह impossible task है यह महज आप का कहना है.

मथुराप्रसाद साहब— हां.

लॉ मेंबर साहब —दफा सिर्फ बेड मवेशी के मुतअल्लिक है. यह आम दफा है.

मथुराप्रसाद साहब— हुजूर वाला, आज तक के तजरुबे से साबित हुवा है कि पनिहाई सिर्फ बेड मवेशी में होती है और बजयें थांगदारी होती है और इन्हीं की शरारत से दीगर शख्सों से भी कराई जाती है. यह लोग भी अगर होते हैं तो उस का लिहाज पुलिस और आम लोंगो को भी होता है. इनका जरिया माश यही है. हजारहां रुपयों की आमदनी होती है और पांच पांच हजार तक खर्च करते हैं, इससे साफ साबित हो सकता है. इसलिये कमेटी ने जो इबारत इस मन्शा से दर्ज कराई है कि "थांगदार ख़ुद अपनी बरियत के लिये चोर को गिरफतार कराये" वह ठीक है.

हुजूर मुअल्ला—यह है इसका explanation.

लॉ मेम्बर साहब— यह explanation नाकाफी मालूम होता है.

बदरीप्रसाद साहब—हुजूर आली, दफा २४८ की जिमन २ कायम की जावे और उसमें कमेटी ने जो अल्फाज इस जुर्म "बेड मवेशी" के मुतअल्लिक रखे हैं दर्ज फरमाये जावें. मगर अल्फाज "तो बजुज इसके कि शख्स मजकूर माल को बाजयाफ्त करादे और मुलजिम को गिरफ्तार करा कर सजा करादे" निकाल दिये जावें. क्योंकि अगर मजकूरे सदर अल्फाज बने रहेंगे तो बेगुनाह अशखास जिन को ऐसे वकूए का इल्म हो जावेगा, लाजिमी सजा के खौफ की वजह से मुखबिरी न करेंगे. और बजयें सरक्यूलर या दीगर तौर पर यह बात मुश्तहर करादी जावे कि जिस जमींदार के इलाके या गांव के बाशिन्दगान की गिरफ्तारी "बेड मवेशी" के जुर्म में होकर वह लोग सजायाब हों तो उस जमींदार से रकम कसीर का बजाय आयन्दा मुचलका लिया जावे कि अगर वैसे अशखास आयन्दा उनके मौजे में सजायाब हुवे तो अलावा उनके सजायाब होने के जमींदार मजकूर से भी रकम मुचलका वसूल की जावेगी. वह लोग जो पता लगाने के लिये आमादा हैं इन अल्फाजों के कायम रहने से हरगिज सजायाब नहीं हो सकते. इसलिये इन अल्फाज का कायम रहना मुनासिब मालूम नहीं होता. अब बात यह है कि दफा २४८ जो मुसव्विदे में रखी गई है इसकी बेड़ मवेशी के मुतअल्लिक जिमन कायम होना चाहिये और दीगर अल्फाज निकाल दिये जावें और असली प्रपोजल में जो अल्फाज दर्ज हैं उनके खिलाफ हैं. मसला गौर तलब यह है कि क्या तरीका इख्तियार किया जावे कि जिससे चोरी, अमूमन बेड़ मवेशी की रोक हो? इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि बाद गिरफ्तारी व सजायाबी जिस जमींदार के इलाके में गिरफ्तारी या सजायाबी हो उससे एक मुचलका तावानी लिया जावे कि आयन्दा ऐसे अशखास अगर उस जमींदार के इलाके या मौजे में गिरफ्तार किये जावेंगे तो उनको सजा होने के अलावा तावान मुचलका भी जब्त होगा.

यह बात मुमकिन नहीं है कि जमींदार जिनके इलाके में यह वारदात हो उन्हें मालूम न हो. वह अगर चाहें तो बेशक खबर दे सकते हैं. इस तरह थांगदारी की रोक हो सकती है. इसलिये

लाज़मी रखा जावे कि माल के बाजयाफ्त होकर गिरफ्तारी व सजा होने के बाद रकम कसीर का उस जमींदार से मुचलका लिया जावे.

मथुराप्रसाद साहब—मैं भी जमींदार हूं और मैंने यह लफ्ज 'मुचलका' इसी वजह से नहीं रखा था मगर मजबूरन अब आपके कहने पर कहना पडा कि वहीं लोग इस काम को करते हैं और दूसरों से कराते हैं जो आज कल के तजरुबे से साबित हुआ है.

मूंगालाल साहब—मैं इसकी ताईद करता हूं. जिला ईसागढ में बहुत से ऐसे थांगदार हैं जिनका यही पेशा है.

अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी—मैं भी ताईद करता हूं.

बद्रीप्रशाद साहब—इस कमेटी की रिपोर्ट (एजेन्डा) के मिलने पर मैंने चन्द जमींदारों से दरयाफ्त किया कि क्या कार्रवाई करना चाहिये जिससे पनिहाई की रोक हो. उन्होंने भी मुचलका लेने के लिये कहा मगर यह साफ नहीं कहा कि किस वक्त मुचलका लिया जावे. मगर मेरे ख्याल में इब्तिदा में मुचलका लेना खिलाफ तहजीब होगा. ऐसा वाका हो जाने के बाद उस जमींदार से मुचलका लिया जाना मुनासिब होगा.

महादेवराव साहब—हुजूर वाला ! एक के करने से सब पर यह बात लागू नहीं हो सकती. हमें ऐसा नहीं मानना चाहिये.

कमेटी की रिपोर्ट में तीन सजायें रक्खी हैं इसलिये मेरी गुजारिश है कि दफा २४८ में सिर्फ पनिहाई का जुर्म करार दिया जावे और कमेटी की तीनों बातें मंसूख करदी जावें.

जामिनअली साहब—हुजूरवाला, भेलसे जिले में बेड़ मवेशी की वारदातें बाजीराव साहब कांटे के जमाने में बहुत सी हुई थीं जिन में अच्छे अच्छे मुखिया जमींदारों को सख्त सजायें दी गईं और उसकी रोक की गई. लिहाजा पनिहाई का कानून बहुत सख्त होना चाहिये. यह लोग इससे बहुत फायदा उठाते हैं.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—मेरी गुजारिश है कि इस तजवीज के मुतअल्लिक पहिली बात गौर तलब यह है कि माल की गिरफतारी के मावजे में कुछ लेना जायज है या नहीं. फिल हकीकत सब कमेटी की रिपोर्ट पढने से जाहिर है कि हक्कुल खिदमत लेना जायज रखा है. शर्त यह रखी है कि माल बाजयाफ्त करादे, मुलजिम को गिरफ्तार कराये व सजा दिलाये. अब सिर्फ गौर करना यह है कि इतनी शर्त कहां तक सही व वाजिब है. फर्ज कीजिये कि जैद की गाय चोरी गई और बकर ने खालिद के खिडक में देखा कि वह गाय मौजूद है. बकर अपनी नेक नियती से जैद से आकर यह कहता है कि गाय मौजूद है तुम अगर मुझे दस रुपया दो तो मैं गिरफतार करादूं. जैद वायदा कर लेता है. इसके बाद बकर और जैद साथ साथ खालिद के यहां जाते हैं. खालिद को मालूम होजाता है कि राज खुल गया है और पुलिस आरही है. खालिद इस बात के जानने पर गायें भगा देता है. अब बकर जिसने कि नेकनियती से यह फेल किया है और वह गिरफ्तार कराने वाला था वह इस मुसब्विदे की रू से मुजरिम करार दिया जाता है इसलिये बहुत से वह लोग जो नेक नियती से माल गिरफ्तार करावेंगे और मुखबिरी के सिले में मावजा हासिल करना चाहेंगे अगर वह इस तरह मुजरिम करार दिये गये तो मुखबिरी का सिलसिला मफकूद हो जावेगा और जो कुछ मुखबिरी का सिलसिला है वह भी जाता रहेगा. लिहाजा दफा २४८ की जो इबारत है वह काफी है कि मुजरिम के गिरफ्तार कराने और उसको मुजरिम साबित कराने के लिये हत्तुल मकदूर कुल वसीलों को काम में लाये जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है.

हुजूर मुअल्ला—क्या आपको दफा २४८ से इत्तफाक है ?

अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी—हां मुझे इत्तिफाक है.

अहमदनूरखां साहब—हुजूर वाला, यह जरूरी बात है कि बेड मवेशी ज्यादातर थांगदार के जर्ये से ही होती है लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि बगैर इसके भी हो जाती है. फरयादी कब्ल इसके कि पुलिस में रिपोर्ट करे जो जो बदमाश मशहूर हैं और जिनका यही पेशा है उनके पास बराह रास्त पहुंचते हैं उन्होंने कुछ लिया दिया और माल उनके यहां भिजवा दिया. मवेशी को जंगल में छोड दिया तो ऐसी सूरत में चोरी भी जाहिर नहीं होने पाती है और जो कुछ किया कराया है वह सब छिप जाता है पुलिस में रिपोर्ट होने और मुकद्दमे के तहकीकात की नौबत भी नहीं पहुंचती. इसलिये इस दफा में कोई ऐसी शर्त होना चाहिये कि बर वक्त रिपोर्ट की जावे वर्ना उस वक्त तक माल निकल जावेगा और यह मौका भी हाथ से जाता रहेगा. माल वापिस आने के बाद फरयादी का यह फर्ज रख दिया जावे कि वह इन वाकआत का इजहार करदे ताकि मुलजिम सजा से बच न जावे और जिस कदर एहतियात दफा २४८ में की गई है वह काफी है. सब-कमेटी की रिपोर्ट से बहुत से बे गुनाह सजायाब होंगे.

हुजूर मुअल्ला—मैं समझता हूं कि इन सब तकरीरों से कसरत राय यह मालूम होती है कि जो मजमून दफा २४८ में है वह काफी है और कमेटी ने जो ड्राफ्ट पेश किया है उससे इत्तिफाक नहीं. लिहाजा मैं दफा २४८ के मुतअल्लिक वोट लेता हूं.

वोट लेने के बाद कसरत राय से दफा २४८ ताजीरात गवालियार कायम रहना करार पाया और यह भी करार पाया कि पनिहाई की definition दफा २४८ में बढाई जावे और यह जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस करार दिया जावे.

तजवीज नंबर २, फर्द नंबर १.

तरक्की नस्ल मवेशियान (गाय, बैल और भेड) के लिये क्या तदाबीर या इन्तजाम करना चाहिये ?

फायनेन्स मेम्बर साहब—इस सवाल का तअल्लुक रेविन्यू डिपार्टमेन्ट से है; लिहाजा रेविन्यू मेम्बर साहब इसकी तशरीह और इसका खुलासा अच्छा करते अगर वह मौजूद होते, मगर वह मौजूद नहीं हैं, इस वजह से मुझे यह फर्माया गया है कि इसके मुतअल्लिक मैं कुछ हालत जाहिर करूं. यह तजवीज पिछले साल भी पेश हुई थी. मजलिस ने एक जुज्व सवाल (तरक्की नस्ल अस्पान) पर अपना ठहराव पास किया था व तरक्की नस्ल मवेशियान की बाबत यह राय दी कि यह सवाल अहम है इसलिये आयन्दा सेशन में रक्खा जावे. उम्मेद है कि मेम्बर साहबान उस वक्त तक वाकफियत हासिल करके दरबार की खिदमत में गुजारिश कर सकेंगे. चुनांचे मेम्बर साहबान ने जो कुछ वाकफियत इस दर्मियान में हासिल की होगी वह जाहिर कर सकते हैं. मैं सिर्फ सरकार की तरफ से, दरबार में क्या कार्रवाई हुई है, इसके मुतअल्लिक खुलासा जो होकर आया है वह पढकर सुनाता हूं.

डिपार्टमेन्ट मुतअल्लिका ने इस सवाल की निस्बत आजतक क्या क्या कार्रवाई की और उसकी तजवीज क्या है यह मैं इस मौके पर बयान करना मुनासिब समझता हूं. इससे दरकारी वाकफियत मेम्बर साहबान को हासिल होकर इस सवाल पर गौर करने को दरकारी Basis मिलेगी.

जौलाई सन १९१९ ई० में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेन्ट से एक स्कीम नस्ल मवेशियान की निस्बत मय बजट पेश होकर यह करार पाया कि सेन्ट्रल एक्सपेरीमेन्टल फार्म ग्वालियर पर य

काम खोला जाय जिस पर मजलिस खास में ग्वालियर, शिवपुरी और मालवा में Cattle Breeding Farms खोलने की मंजूरी दी. नीज यह भी मंजूर फरमाया कि भेडें पालने का भी काम चलाया जावे और इसके मुतअल्लिक़ दस्तूरुलअमल माल में भी एहकाम शामिल कर दिये गये हैं (दफा ३३ कलम नं. १७). बादहू इस स्कीम के तैयार करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई और जनरल राजवाडे साहब उसके चेअरमेन मुकर्रर हुये और मेम्बर नायब दीवान साहब माल, एग्रीकलचरल इन्जीनियर, डायरेक्टर साहब एग्रीकलचर व सिविल वेटरनरी ऑफिसर मुकर्रर हुए. इस कमेटी की तजवीज Economic Development Board में पेश होकर आखिर में करार पाया कि राय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व परगना बोर्ड ली जाय. इस पर लोकल बोर्ड ने भी इस Scheme को मंजूर किया, लेकिन इकॉनामिक डेवेलपमेन्ट बोर्ड ने सरेदस्त इस सवाल को मुल्तवी रक्खा.

इस स्कीम का मन्शा यह था कि अच्छे अच्छे सांड (बैल) खरीद कर हर जिले में रखे जायें यानी अव्वल साल एक जिले में, बाद दूसरे साल दूसरे जिले में और इसी तरह पर रियासत के ग्यारह जिलों में, स्कीम के मुताबिक ग्यारा साल में पूरा काम चलाया जावे. काम की निग्रानी रखने के लिये एक आफिसर मुकर्रर किया जावे जो सांडों की तक्सीमी की निग्रानी रखे और गियाबन कराने लायक गायों की फेहरिस्त रखे. यह स्कीम महक्मे एग्रीकलचर में चालू है. मुताबिक उसके यह काम दो हिस्सों में तक्सीम किया गया है.

पहला हिस्सा Bull Breeding farm का है जो सेंट्रल एक्सपेरीमेन्टल फार्म ग्वालियर पर कायम किया गया है. इसमें एक हरयाना नस्ल का सांड और १६ हरयाना नस्ल की गायें हैं कि जो पिछले साल पंजाब प्राविंशल गवर्नमेन्ट के हिसार केटिल फार्म से खरीद कर लाई गई हैं.

दूसरे हिस्से में चार हरयाना जात के सांड सुसेरा रमने पर देसी गायों में छोड दिये गये हैं इसका मन्शा यह है कि अच्छी गायें नस्लकशी के लिये छांट कर रखी जावें और उनसे अच्छे बैल पैदा करके बाहर बारकशी के लिये बेचे जायें और अच्छे सांडों के जर्ये से अच्छे मवेशियों का खिडक तैयार हो. यह खिडक भी बारकशी के काबिल बैल जिलों में तक्सीम करने व उनकी नस्ल को तरक्की देने का एक खास जर्या होगा.

ज्योंही कि हरयाना सांडों का तक्सीम करना और बेचा जाना शुरू हो यह जरूरी होगा कि गिर्द नवाह के सारे सांड बधिया कर दिये जायें ताकि इन अच्छे नस्ल के जानवरों से कुछ फायदा भी हासिल हो सके. पहले शुरू में यह बात बहुत मुशकिल मालूम होगी मगर बाद में रफ्ता रफ्ता लोगों के सब ऐतराज रफा किये जा सकेंगे.

भेडों की नस्लकशी के लिये वक्तन फवक्तन चन्द तजवीजें साबिक में पेश हो चुकी हैं. ग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट की यह राय है कि सुसेरा पर नस्लकशी मवेशियान के साथ ही भेडों की नस्लकशी का काम चलाया जावे. जानवरों और इमारतों के लिये बहुत थोडे सर्फे की जरूरत होगी और स्कीम तीन साल बाद self-supporting हो जाने की उम्मेद की जा सकती है. अलावा इसके अगर इस काम के लिये अच्छी भेडें खरीदी जावें तो दो या तीन साल के बाद इसके जर्ये से रियासत के गडरियों या भेड पालने वालों को अच्छे नस्ल की भेडें तक्सीम की जा सकेंगी और इसमें तो शक नहीं है कि अच्छी किस्म की ऊन बहुत जियादा तादाद में मिल सकेगी.

मेरी राय में नस्ल अस्पान के सवाल के लिये साल गुजश्ता में जो सब-कमेटी कायम हुई थी उसी कमेटी में, अगर जरूरत समझी जावे तो चन्द मेम्बरान की कमी बेशी के साथ यह सवाल

मगर फिल हकीकत जो गायत इस सवाल को मजलिस आम के सामने रखने की थी वह यह न थी कि नस्ल की दुरुस्ती की जाय बल्कि नरगावान और भेड की नस्लकशी कैसे की जाय ? और मक्सद को हासिल करने के लिये जरूरत किन बातों की है ? चुनांचि मेरे खयाल में मजीद तकरीर की जरूरत मालूम नहीं होती. अगर मेम्बर साहबान ने सब-कमेटी की रिपोर्ट पर गौर कर लिया है तो वह यह दो तीन बातें जाहिर करें यानी सब-कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है आया उसकी राय से इत्तफाक है या इख्तलाफ, और अगर इख्तलाफ है तो क्या ? और दरबार की जानिब से जो कारवाई हुई है वह ठीक है या नहीं है ? अगर ठीक नहीं है तो उसमें और क्या जरूरत है ?

अब्दुलहमीद साहब **सिद्दीकी**—सब-कमेटी की रिपोर्ट शायद शाया नहीं हुई है.

हुजूर मुअल्ला—पिछले साल शाया की गई है. साल गुजिश्ता में सब-कमेटी मुकर्रर की गई थी. बाबत सवाल नंबर ८, जमीमा एजन्डा नंबर १, एजन्डा में सवाल सिर्फ तरक्की नस्ल अस्पान का था लेकिन मैंने खुद तरक्की गाय, बैल और भेड के सवाल पर भी गौर करने के वास्ते सब-कमेटी को हुक्म दिया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह राय दी कि यह सवाल अहम और जियादा वक्फियत का मोहताज है इसलिये यह मुनासिब खयाल किया जाता है कि सवाल हाजा आयन्दा साल की मजलिस आम में रक्खा जावे. उम्मेद की जाती है कि मेम्बरान उस वक्त तक काफी वक्फियत हासिल करके दरबार की खिदमत में मुफस्सिल व मुकम्मिल राय देने के काबिल होंगे. लेकिन सब-कमेटी ने इसके मुतअल्लिक अभीतक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है. चुनांचि उन मेम्बरान से explanation call करना चाहिये कि उन्हों ने (जबकि यह notify होगया था कि मजलिस कब होगी) क्यों रिपोर्ट पेश नहीं की और वह कैसे भूल गये ?

मेरे ख्याल में अब हमको ११ सांडों के ऊपर अपनी area को महदूद नहीं करना चाहिये बल्कि अब Veternary डिपार्टमेंट से, जो कि बहुत सोने वाला है यह कहना चाहिये कि वही अपनी तजवीज पेश करे और सांड के लिये area limit करे जैसा कि पंचायत बोर्ड के लिये area मुकर्रर है. इसलिये बाद कामिल गौर के वह stations और बढावे और दरबार में scheme पेश करे. यह तो हुवा नस्लकशी बैल व गाय के मुतअल्लिक. अला हाजल कयास, भेड और और दीगर मवेशियों के लिये भी उनको गवालियार स्टेट के map को फैला कर उसके ऊपर जितने stations मुनासिब मालूम हों उतने कायम करना चाहिये. लेकिन जब तक यह जियादा तादाद में न होंगे यह काम जोर के साथ नहीं होगा. चुनांचे यह तजवीज उनसे तलब की जावे. (बन्सीधर साहब की तरफ मुखातिब होकर हुजूर मुअल्ला ने फरमाया) आपने जो तजवीज पेश की है वह भी काबिल गौर है. मानिक चन्द साहब ! आपकी क्या राय है (मानिक चन्द साहब ने कुछ जबाब नहीं दिया, चुनांचे दरबार मुअल्ला ने जरा ठहरकर फरमाया) आपने सुना, आपकी इसपर क्या राय है या बैठे बैठे सोते रहे ?

रामराव गोपाल साहब देशपांडे—मैं बन्सीधर साहब की राय से इत्तफाक करता हूं.

मानिक चन्द साहब—मैं इस राय से इत्तफाक नहीं करता. (laughter)

हुजूर मुअल्ला—किसकी राय से इत्तफाक नहीं करते ?

मानिक चन्द साहब–यह सवाल ऐसा है कि मैं इस मामले को जियादा नहीं समझता. बन्सीधर साहब ने जिस ढंग पर कहा वह तकरीर मेरी समझ में नहीं आई. बडे पेट का हो यह बात मैं नहीं समझता.

हुजूर मुअल्ला—जामिन अली साहब, आपकी क्या राय है ?

जामिन अली साहब—मुझे इत्तफाक नहीं है. गाय के बच्चे को गाय का जियादा दूध पिलाना चाहिये सांड मंगाने की जरूरत नहीं है.

हुजूर मुअल्ला—अपने आप बच्चा हो जायगा ?

जामिन अली साहब—सांड से जो बच्चा लिया जावेगा अगर उसे गाय का दूध जियादा पिलाया जावेगा तो उस गाय का बच्चा अपने बाप पर पहुंच जावेगा बडा सांड छोटी गाय से नहीं मिल सकता है.

हुजूर मुअल्ला—तुम इतना धीरे बोलते हो कि सुनाई नहीं देता.

(इसके बाद इस तजवीज के मुतअल्लिक तकरीर खतम हुई.

तजवीज नंबर ३, फर्द नंबर १.,

जिस्मानी कुव्वत (physical training) बढाने की अमली तालीम दिये जाने के क्या तरीके इख्तियार किये जायें ?

हुजूर मुअल्ला—अच्छा, अब सवाल नम्बर ३ लीजिये.

लॉ मेम्बर साहब—सवाल नम्बर ३ की रिपोर्ट ना मुकम्मिल है.

हुजूर मुअल्ला—सवाल नम्बर ३ की रिपोर्ट अभी मुझे देखना बाकी है, लिहाजा इस सवाल पर बहस की जुरूरत नहीं.

तजवीज नंबर ४, फर्द नंबर १.

काश्तकारान मौरूसी और गैर मौरूसी को आराजी काश्त की पैदावार बढाने के लिये किस तरह पर मायल किया जावे ?

फायनेन्स मेम्बर साहब—सवाल यह है कि काश्तकारान मौरूसी और गैर मौरूसी को आराजी की पैदावार बढाने के लिये किस तरह पर माइल किया जावे, यह मैं रेविन्यू मेम्बर साहब की तरफ से पेश करता हूं और कुछ खुलासा करता हूं. बराह मेहरबानी आप साहबान इस पर रायें दें.

जाहिर है कि रियासत हाजा में लाखों बीघा जमीन पडी हुई है. अलावा इसके जो काश्त होती है वह इस तरीके से और अदम तवज्जुही से होती है जिससे पैदावार कम होती है. इन दोनों बातों का नतीजा यही है कि रिआया का शख्सी तौर से और दरबार को मजमूई तौर से लाखों रुपयों का नुक्सान साल दर साल होता है. इसके कहने की जरूरत नहीं है कि यह मामला बडा जरूरी है. इसलिये तवज्जुह खास तौर पर करना चाहिये—वह यह है कि काश्तकारान के काश्त की पैदावार बढाने के लिये क्या क्या तदाबीर की जायें. काश्तकार जब पैदावार बढावेगा, दो तरीक से बढावेगा. इसके लिये दो बातों की जरूरत है एक इत्मीनान और दूसरी इमदाद; इत्मीनान इस बात का कि अगर मैं किसी खेत में अच्छी तरह से कमाकर पैदावार बढाऊं तो उसका फायदा मुझेही मिलता जावेगा. आज वह खेत मेरे पास है कल वह छीन लिया जावेगा ऐसी हालत न होगी. दूसरे यह कि उसको हर किस्म की इमदाद मिलनी चाहिये. इमदाद जरई, इमदाद मशवरे की, इमदाद खाद बीज वगैरा की. यह दो ही जराये हो सकते हैं जिनसे रगबत पैदा हो. अब काश्तकारान को देखिये कि इमदाद के लिये

गवर्नमेन्ट की तरफ से क्या क्या सुभीते पैदा किये गये हैं. एग्रीकलचरल बैंक व को-ऑपरेटिव बैंक की मार्फत इम्दाद जरई दी जाती है और मशवरा भी दिया जाता है. सरकार की तरफ से यह काम हो रहा है. एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट और एग्रीकलचरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट इन दोनों डिपार्टमेन्ट्स की तरफ से खाद, बीज और कलें वगैरा दी जाती हैं, और फहमायश भी की जाती है, और जो जो कोई वकफियत मांगता है वह भी उसे दी जाती है. अब सवाल यह है कि इन दो बातों के अलावा और क्या क्या बातें होनी चाहियें?

इस सवाल के मुतअल्लिक जो तजवीज एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट ने पेश की है वह वास्ते गौर आप साहबान के पेश की जाती है.

ज्वार और इसी किस्म की दूसरी फसलों को ढाई या तीन फीट के फासले पर कतारों में नाप से बोना और बखर या दूसरे तरीके काश्त का इस्तेमाल करना, ऐसा करने से फाजिल घास खेत में जमने न पायगी और निदाई में आसानी होगी और अगर औसत मिकदार में बीज बोया जावेगा तो बनिस्बत इसके कि ज्यादा मिकदार में हाथों से मामूली तरीके पर बीज खेतो में बखेर दिया जाय पौदे मजबूत होंगे और पैदावार ज्यादा होगी. अगर इस बेहतरीन तरीके काश्त की बाबत किसी को शक हो तो वुडडौड के पास सेंट्रल एक्सपेरीमेन्टल फार्म ग्वालियर पर जाकर देख लेना चाहिये, जहां कि इस तरीके पर बोई हुई और मामूली तरीके से जो तारों के अहाते के बाहर पास ही की हुई काश्त में फर्क साफ साफ समझ में आ सकता है.

मजबूत बैल और लोहे के हलों के इस्तेमाल से फसल लेने के बाद ही जमीन जोती जा सकती है और ऐसा करने से जमीन की पैदावार बढती है, फाजिल घास कम उगने पाता है और जमीन मानसून के शुरू होते ही बोनी के लिये बिल्कुल तय्यार रहती है और इस तरह पर बचाये हुए वक्त के इस्तेमाल से बाज औकात फसल नुकसान होने से बच जाती है. जोतने के बाद अगर वक्तन फवक्तन बखर का इस्तेमाल किया जाय तो फाजिल घास न जमने पायेगा, और बोने के लिये जमीन की हालत इतमीनान के काबिल होगी.

खाद को ठोस जमे हुए ढेर में रखना. खाद गड्ढे में दाब कर भर दिया जाये और छप्पर से ढांक दिया जाय तो बहुत ही अच्छा है. खाद को इस तरीके से रखना पौदे की खुराक या उपजाऊ शक्ति को, जो ताजे (हाल ही के) खाद में होती है, नुकसान होने से बहुत ज्यादा मिकदार में बचा लेगा. मामूली गांव में, जहां कि महीनों धूप में खाद के ढेर खेतों में पडे रहते हैं, जिसमें खाद की उपजाऊ शक्ति या पौदे की खुराक का बमुश-किल दसवां हिस्सा बच रहता है, और बाकी मानसून के पहिले उस अर्से में, जबकि वह खेतों में पडा रहता है, नुकसान हो जाता है, गड्ढों या ढेरों में से लाने के बाद खाद को खेतों में फैलाना नहीं चाहिये, बल्कि लाते ही लोहे के हल से बनी हुई नाली में बखेर देना चाहिये, और फिर उस नाली को ढांक देना चाहिये. पहिली नाली को ढांक कर दूसरी नाली इसी तरह तैयार करना चाहिये. ऐसा करने से खाद फसल की जड के पास, जो हाल ही बोई जाने को है, रहेगा और उसका जुज नुकसान होने से बच जावेगी.

अगर जमींदार सबसे अच्छा पौदा ज्वार, अरहर या दूसरी फसल का चुनकर उसे बीज के वास्ते रख छोडे और बीज को हिफाजत से रख ले तो थोडे ही दिनों में वह फसल की पैदावार बढा सकता है. इस तरह पर बीज इकट्ठा करने और उसे आयंदा फसल में बोने के लिये थोडी तवज्जुह और दिक्कत तो जरूर उठाना पडेगी मगर बीज कमजोर बीजों में मखलूत न हो सकेगा और ऐसी

ही कोशिश दो या तीन साल तक जारी रही तो सब लागत और मेहनत वसूल हो जावेगी. इस तरह पर हर एक काश्तकार रफ्ता रफ्ता अपने गांव की आब हवा के मुताबिक बीज की नसल को improve कर सकता है. बनियों के यहां से खरीदा हुआ बीज बोने के लायक नहीं होता और बाज वक्त किसानों को ऐसा बीज बोने से बहुत नुकसान हो जाता है. जैसे तवरघार जिले में जिनिंग फेक्टरीज के खुलने से जमींदार और काश्तकार अपने ही यहां की पैदा हुई रुई के बीज को दूसरी फसलों के लिये न बचा सके, क्योंकि उनका सब कपास जिनिंग फेक्टरीज में बिनौले निकालने के लिये चला जाता है और वहां से जानवरों के खाने के लिये या ब्रिटिश इंडिया में बिक जाते हैं, और फिर बोनी के वक्त वह फेक्टरीज या बनियों से रुई का मामूली, हलका और भेल मिला हुआ बीज, जहां मिलता है, खरीद लेते हैं, और जमींदार उसको खरीद करवा देते हैं, जो जिला तवरघार की आब हवा को माफिक नहीं आता. इससे गुजिश्ता १०, १५ साल से जिला तवरघार की रुई की पैदावार बहुत ही कम हो गई और बनिस्बत पहिले के हाल की रुई बहुत ही घटिया होने लगी है.

खलियान में फसलों की दांय करते वक्त मामूली तदबीरें इख्तियार करने से बहुत कुछ वक्त और खर्च में किफायत हो सकती है. ज्वार की दांय करते वक्त पत्थर का बेलन इस्तेमाल करने से करीब करीब आधा वक्त व सर्फा लगेगा. गेहूं या चना की दांय के वक्त एक मामूली तवादार बखर के इस्तेमाल से, जो एग्रीकलचरल इंजीनियर डिपार्टमेन्ट के यहां से खरीदा जा सकता है, बनिस्बत मामूली तरीके बैलों से दांय कराने के, आंधा या एक तिहाई वक्त और बचेगा.

हमेशा इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की जाय कि किसी ऐसी फसल काश्त--जैसे चना, अरहर, सन, ज्वार के बजाय दूसरी फसल बदल कर ज्वार, बाजरा, गेहूं, या इसी किस्म के दीगर अजनास की काश्त होती रहे, जिसमें जमीन की उपजाऊ ताकत कायम रह सकेगी. मुकामी हालत को देखते हुए इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि यहां खाद कम दस्तयाब होता है.

एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट से आला किस्म का बीज खास जिन्सों का तकसीम होता है. उसके इस्तेमाल से पैदावार काश्त में तरक्की हो सकती है, और मुनाफा होता है. यह बात खास तौर पर बीज गेहूं पूसा नं ४ व चंद किस्म की ज्वार के बीजों की निस्बत ज्यादा सेहत के साथ कही जा सकती है, जिनकी आजमायश सेंट्रल एक्सपेरीमेंटल फार्म पर अच्छी तरह हो चुकी है. दूसरे अजनास की आजमायश का काम जारी है. आला किस्म के अजनास की काश्त करने में खास तवज्जुह इस बात पर देनी चाहिये कि आयंदा साल के वास्ते उसका बीज खालिस और साफ अलहदा रखा जावे.

सादा किस्म के आलात, जो खेती के काम में आते हैं और जिनमें सुधार किये गये हैं, काम में लाने से खेती के खर्चे में बहुत किफायत हो सकती है और काश्त के तरीके सुधार पर आ सकते हैं. मस्लन 'सेंधिया हल' ऐसा है कि मुकामी लकडी के हलों के मुकाबले में बहुत कारआमद साबित हुआ है. आलात की बनावट में थोडासा फर्क होने से ही इस्तेमाल करने वाले के काम में बडा फर्क मालूम होता है. फार्म उज्जैन पर तजुर्बा करने से साबित हुआ है कि मामूली बखर से दो या तीन इंच ज्यादा चौडा बखर इस्तेमाल करने से, दिन भर में एक जोडी बैल से काम लेने से बडा फायदा होता है, यानी ज्यादा रकबा बखरा जाता है.

कीडे या बीमारी लगे हुए पौदों को खेत में जला डालने या तलफ करने के लिये मामूली तरकीबें इस्तेमाल में लाने से पौदों की बीमारियों का जोर बहुत कम हो सकता है और चंद सालों में औसत पैदावार अच्छी तरह ज्यादा हो सकती है. मगर इस तरफ काश्तकारान की तवज्जुह नहीं है.

बहुत सी ऐसी नजीरें बयान की जा सकती हैं कि जिन से काश्त में तरक्की हो सकती है और वह मामूली सर्फे से. इसके मुतअल्लिक जरूरी तफसील के साथ जमींदारान व काश्तकारान को बतलाये जाने का सिलसिला जारी है. यानी सेन्ट्रल एग्रीकलचरल फार्म पर तजुर्बे किये जाते हैं व डिमॉंस्ट्रेटरान जिलों में नमूनतन काश्त करते हैं व उपदेशक और माली ऑफिसरान जाबजा फेहमायश करते हैं. जमींदारी कॉन्फरेन्स व मेलेजात अजलाओं में भी इसके मुतअल्लिक समझाया जाता है बाल्कि मेलों में खास आलात का इस्तेमाल अमली तौर पर बताया जाता है. अलावा इसके एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट से जराअती मजामीन पर कुछ बुलेटिन हाय देसी जबान में छप चुकी हैं और हाल में भी कुछ पैम्फ्लेट छप रहे हैं जो अनकरीब तकसीम होंगे.

हीरजी भाई साहब—हुजूर आली, काश्तकार मेहनत कर सकता है, लेकिन उसका बदला देना कुदरत के इख्तियारी रहता है. उसको खुद इख्तियारी बनाने को रुपये की जरूरत रहती है. शुरूआत में गवर्नमेन्ट की इम्दाद की जरूरत होती है. हमारे जिले में इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट से बहुत बडा फायदा हमारे जिले के काश्तकारान को पहुंचा है. सादी जमीन में चार गुनी या पांच गुनी से ज्यादा पैदावार नहीं होती, लेकिन इर्रिगेशन में जो जमीन है उसमें दस गुने से लगाकर पंधरा गुने तक पैदावार होती है और उस जमीन में कुछ जियादा मेहनत नहीं करना पडती है. इर्रिगेशन से गवर्नमेन्ट को इस वक्त ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन काश्तकारान की हालत बहुत सुधरती जावेगी. उसका नतीजा यह होगा कि काश्तकारान मौरूसी व जमींदारान जो कि जमीन पर पूरा हक रखते हैं खुद की लागत से आबपाशी बढावेंगे और कुछ वक्त गुजरने के बाद गवर्नमेन्ट उस जमीन पर जो कुछ कर बढाना चाहेगी बिला तरद्दुद वह लोग दाखिल कर सकेंगे. इसलिये इर्रिगेशन तालाब जिन जिन गांवों में मुनासिब समझे जावें ब रजामन्दी जमींदार बनवाये जावें. अमेरिका में जब कभी कॉटन मार्केट dull हो जाती है तो वहां की गवर्नमेन्ट काश्तकारों को रुई बेच देने से रोक देती है और जिस किसी को रुपये की जरूरत हो कॉटन पर रुपया देती है. वह काटन उस वक्त गवर्नमेन्ट फरोख्त करती है जब बाजार तेजी पकडे हुए होता है. इसका फायदा काश्तकार को मिलता है.

काश्तकार अपनी मेहनत व भूख, प्यास व धूप सहन करके जो जिन्स पैदा करे उसकी ज्यादा कीमत पैदा होना चाहिये. और वह जिस तरह हासिल हो सकती है उसका जर्या आजादी है. अपने यहा ज्यादातर अनाज ही पैदा होता है और उसका Export बन्द कर दिया जाता है. और अगर एक्सपोर्ट खुला तो भी बेवक्त होने से उनकी बरबादी का बायस होता है. इसलिये Grain Export के लिये मुस्तकिल हुक्म होना चाहिये. काश्तकारान जिस वक्त मालदार बनेंगे वह खुद उनके सुधार के रास्ते विचार सकेंगे, और ले सकेंगे. बिला रुपया के दुनिया में कुछ अच्छा सुधार नहीं हो सकता. नौ तोड जमीन करते ही मौरूसी हक्क काश्तकार को हासिल हो जाता है, लेकिन वह जमींदार की रजामन्दी पर है. जमीन गैर मजरूआ के देने का गवर्नमेन्ट ने इस ख्याल से सरक्यूलर जारी किया है कि आबादी मजरूआ बढ जावेगी लेकिन ऐसा नहीं होता. जमींदार नई आबादी नहीं करने देता, खुद अपनी ताकत से आबाद करता है जितना वह कर सके. इसलिये यह सरक्यूलर भी नई आबादी को रोकता है वह मन्सूख होना चाहिये

हुजूर मुअल्ला—यह आपने जो आबपाशी के मुतआल्लिक कहा उसकी निस्बत मेरा तजुर्बा यह है कि मालवे में और मेलसे में लोगों ने हाथ जोडे और पांव पडे कि हमारे यहां आबपाशी का काम न बनाओ. उनको बहुतेरा समझाया गया कि इस में तुम्हारा नुकसान नहीं है. इसकी तुमको उस वक्त कद्र मालूम होगी जब पहिले पहल सपाटे से बरसात होकर बन्द हो जावेगी और बारिश में कमी आवेगी, क्योंकि आप भी भेलसे के हैं और वहां के लोग आबपाशी का काम नहीं चाहते.

हीरजीभाई साहब—मुझे बहुत अदब के साथ अर्ज करना पडता है कि वह शुरू का जमाना था. शुरू में जब तालाब बनाये गये उस वक्त एक गांव से दूसरे गांव के लिये अगर किसी शख्स को बजाय आध कोस के सवा कोस जाना पडता था और मजरूआ व गैर मजरूआ को जो चराते थे वह उससे मेहरूम होगये. वह घबरा गये कि यह क्या बला है, लेकिन अब वह उसके फायदे को समझ गये हैं.

हुजूर मुअल्ला—बेहतर यह है कि आप एक दफा इसकी निस्बत जब आपका जमींदारी दरबार हो जांच करके फिर मुझसे कहें कि इन लोगों के ख्यालात काफी तब्दील हो गये हैं या नहीं.

हीरजीभाई साहब—मुझको काफी तजरुबा है कि उनके ख्यालात काफी बदल गये हैं. जिले भेलसा में मेरा कई मवाजियात में खाद बीज का लेनदेन है. वहां शुरूआत में यह हालत थी कि मवाजियात में मेरा बीज लगता था. अब वही मवाजियात हैं कि मेरा बिलकुल बीज नहीं लिया जाता अब वह जमींदार ऐसे मालदार हो गये हैं कि जो कुछ भी गांव हैं वहां वह अपना लेनदेन करते हैं और अच्छे अच्छे जमींदारान का काश्तकारान मुकाबला करते हैं और जितने गांव तालाब के हैं उनकी माली हालत बहुत अच्छी है इस वक्त भेलसा जिले के और भी जमींदार साहबान हैं वह इसके मुतअल्लिक हुजूर के रूबरू अर्ज कर सकते हैं.

पोलिटिकल मेंबर साहब—हुजूर मुअल्ला, अभी जो कुछ तकरीर इस मसले के मुतअल्लिक हुई इससे मेरे ख्याल में यह नतीजा निकलना जायज है और मैं यह नतीजा निकालता हूं कि सवाल जो कुछ है उसके मुतअल्लिक थोडीसी गुफ्तगू हुई और बेतअल्लुक बहस बहुत हुई; लिहाजा इस गर्ज से कि बहस ख्वामख्वाह तूल न हो, पहिले मजलिस इस मुआमले के मुतअल्लिक समझ ले कि सवाल क्या है. सवाल जितना कि एजेन्डा में छपा है वह यह है कि, काश्त-कारान मौरूसी और गैर मौरूसी को आराजी काश्त की पैदावार बढाने के लिये किस तरह माइल किया जावे? लिहाजा इस सवाल के सिलसिले में न यह नतायज पैदा होते हैं न इनकी कोई जरूरत है. हुकूक मौरूसी देने का जो तरीका कायम किया गया है वह ठीक है या क्या, मस्लन कस्टम्स के जर्ये से गल्ले की निकासी मौकूफ कर दी जाती है जिससे लोग मालदार और नादार हो जाते हैं. मगर मेरी समझ में नहीं आता है कि कस्टम्स से और आराजी काश्त से क्या निस्बत है आबपाशी के मुतअल्लिक जो कहा गया है वह मौजूं है, मगर मैं यकीनन कह सकता हूं कि कस्टम्स के इन्तजाम से कोई इलाका मौरूसी या गैर मौरूसी का नहीं है न इसका इलाका किसी नौतोड आराजी से है और न तरक्की काश्त से. सवाल सिर्फ यह है कि जो आराजी कम से कम आबाद है उसकी पैदावार किस तरह बढाई जावे यानी चौगुना, पचगुना या दसगुना पैदा होने लगे?

मेहरबानी करके मेम्बर साहबान अपनी गुफ्तगू मेहदूद करें; चुनांचे मेम्बर साहबान फर्मायें कि क्या इस सवाल का मन्शा वही है जो मैं समझा हूं? सवाल साफ है. हल डेढ इंच जमीन खोदते हैं बजाय इसके नौ इंच खोदें यह जवाब हो सकता है, manure यानी खाद दें, पानी दें, खेतों की सतह दुरुस्त करें, यह खपती हुई बातें हैं. नौतोड जमीन के मुतअल्लिक जो जराये हों उनका इलाका मेरी राय में सवाल से नहीं है.

जामिन अली साहब—हुजूर मुअल्ला, काश्तकारान को मायल करने के चार तरीके हैं:—

(१) जो जिले मजरूआ हो चुके हों और उसमें गुंजायश बाकी न हो वह जिला हाथ में लिया जावे.

(२) तरीका काश्त का यह हो कि खाद जो हमारे मवाजियात में कसरत से दस्तयाब होता है इस्तेमाल किया जावे.

(३) तीसरा तरीका हमारी काश्त की मेंडबन्दी है जिससे पानी खेत का रोक लिया जावे.

(४) चौथा तरीका जदीद औजार अजकिस्म हल जिससे कि जमीन उलट दी जाती है. हमारा देसी हल ऐसा है कि वह सीधा जाता है. अमेरिका के जो हल हैं वह जमीन को पलट देते हैं. मेरे ख्याल से काश्त के यह चार तरीके आला दर्जे के हैं. उनके अमल करने का क्या तरीका इख्तियार करना चाहिये ? मेरी राय यह है कि जो पंचायत बोर्ड्स हलकेबन्दी से मुकर्रर हुए हैं उनके मेम्बरान को बजये सूबे साहब, फेहमायश कर दी जावे कि वह खाद, मेंडबन्दी और जहां तालाब हों आबपाशी किया करें तो तरक्की निहायत खुश अस्लूबी से होगी.

हुजूर मुअल्ला—जामिन अली, असल चक्कर जो है वह इसमें यह है यानी जो गैर मौरूसी हैं वह जमीन कमाने की कोशिश नहीं करते मेहज इस खौफ से कि आज हम यहां हैं कल वहां; जमींदार उनको दो, ढाई, तीन वर्ष से ज्यादा रहने नहीं देते कि वह मौरूसी के दायरे में आ जावेंगे इसलिये वह उनको टिकने नहीं देंगे. इसी वजह से वह अपनी जरूरियात के लायक जैसा उनसे बनता है करते हैं और ज्यादा जमीन को नहीं कमाते. उनको यह मालूम है कि मौरूसी के ख्याल से जमींदार हमको टिकने नहीं देगा इसलिये हम काहे को इतनी मेहनत करें.

जामिन अली साहब—हुजूर मुअल्ला, मौरूसी काश्तकार जमीन को अच्छी तरह नहीं कमाते हैं. नरसिंहराव आपाजी पंडित बहुत बडे आदमी थे. भेलसे में उनका एक नागौर मौजा था, जिसका रकबा छप्पन सौ बीघे है, उन्होंने दूर अन्देशी के लिहाज से सम्वत १९५६ के कब्ल कुल काश्तकारान को मौरूसी हक्क दे दिया और को-ऑपरेटिव बैंक ने पांच हजार रुपया दिया और वह रुपया वसूल नहीं हुआ. मालगुजारी मुश्किल से वसूल होती है क्योंकि पैदावार ही नहीं होता.

हुजूर मुअल्ला—पैदावार क्यों नहीं होता ?

जामिन अली साहब—जिस खेत में तीस चालीस साल से बराबर फसलें बोई जा रही हैं उसकी जमीन कमजोर हो गई है. एक मर्तबा वह खेत पलट दिये जावें फिर वहीं पैदावार होगी. हलकी जुताई होने से जो कुव्वत की चीज है वह ऊपर नहीं आती, अगर जुताई गहरी की जाये और एंजिन से जमीन पलट दी जाये और खाद और मेंडबन्दी जो एक जरूरी अम्र है कायदे से की जाये तो जमीन में फिर कुव्वत आ सकती है. मैंने जनाब आपा साहब सीतोले से अर्ज किया था कि भेलसे की जमीन का दस रुपये पन्द्रह रुपये बीघा टेक्स मिल सकता है. उनके पास एक और शख्स बैठे थे उन्होंने कहा कि गलत है. यह काम मेहनत का है, लेकिन किसान के वास्ते कुछ मुश्किल चीज नहीं है, वह होना चाहिये. जबतक यह न होगी, तरक्की नामुमकिन है. मेरे मौजे में पेश्तर निकासी २३५) रुपये की थी अब ७,०००) रुपये की हो गई है कहने और करने में बडा फर्क है.

हुजूर मुअल्ला—मेरा शक जो है वह यह है कि गैर मौरूसी काश्तकार इस खौफ से कि ज्यादा दिनों तक जमींदार उनको टिकने नहीं देंगे जमीन को कमाते नहीं.

जामिन अली साहब—मैंने सैकडों को हक्क मौरूसी दे दिया और मेरे जितने मवाजियात हैं सबका हक्क मौरूसी देने को तय्यार हूं. यहां तक कहता हूं कि मौरूसी वह और उनकी

औलाद. जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे तुम भी करो जिससे हम भी फायदा उठावें और गवर्नमेन्ट भी फायदा उठाये, लेकिन अगर वह तरक्की करें तभी ऐसा हो सकता है.

हुजूर मुअल्ला—मगर वह क्यों नहीं करते ?

जामिन अली साहब—वे सुस्त और काहिल हैं.

पन्नालाल साहब बाफना—हुजूर मोअल्ला, इस तजवीज की खास मन्शा यह है कि गैर मौरूसी काश्तकार को आराजी काश्त बढाने के लिये किस तरह पर मायल किया जावे. तरक्की काश्त की तरफ काश्तकार तब हीं तवज्जुह देगा कि जब जमींदार उसको काफी वक्त तक जमीन के ऊपर काबिज रहने दे. लेकिन इस नये मौरूसी तरीके से जमींदार १ साल या २ साल से ज्यादा मियाद का पट्टा नहीं देते और इस कलील मियाद से काश्तकार खेती की तरक्की नहीं करता. इस कानून के पहिले, जहां तक मुझे ख्याल है, १५ और २० साल की मियाद के पट्टे दिये जाते थे जिससे उनको इस काफी मियाद के मिल जाने से वे तरक्की काश्त शौक से करते थे. मेरे पडोसी दोस्त जमींदार मेलसा ने जो वजूहात जाहिर किये वह इस तजवीज से तअल्लुक नहीं रखते. तालाब तैयार करा देने से अगर काश्त की तरक्की गैर मौरूसी काश्तकारान कर सकते हैं तो क्या वजह है कि जिन कुंओं पर ५० बीघा अडान मौजूद था वहां आज १०-१५ बीघा अडान रह गया. मेरा तो यही ख्याल है कि इस मौरूसी कानून ने ही इस तरक्की को रोका है. अगर यह मौरूसी हक उठा दिया जाय तो जरूर तरक्की काश्त होगी.

जामिन अली साहब—मेरे दोस्त ने जो इस सवाल की तरदीद की है मैं समझता हूं कि जमाने साबिक को मैंने देखा है. उसवक्त की हालत कुछ और थी यानी उस वक्त ४ रुपये मानी गेहूं बिकता था और अब गेहूं ३० रुपये मानी बिकता है. हम तरक्की क्यों न करें ? उस जमाने और इस जमाने में जमीन आसमान का फर्क है. आज हम मजलिस आम के अन्दर कुर्सी लगाये बैठे हुए हैं. पहिले हमारा सलाम भी नहीं होता था और हम घुसने भी नहीं पाते थे. मैंने जो उसूल बयान किये हैं वह तरक्की जमीन के बयान किये हैं कि तरक्की जमीन किस तरह हो. मौरूसी की मुझको कुछ बहस नहीं है. जो हुक्म दरबार मुअल्ला का होगा तामील करने को तय्यार हूं.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—महाराजाधिराज ! धर्मशाला या भाडे के मकान का रहनेवाला उन मकानों में उतना ममत्व नहीं रखता कि जितना अपने मकान में रखता है. एक गरीब भी अपनी झोपडी से ममता रखता है. इसी तरह काश्तकार को पहिले जमीन पर पूरा मौरूसी हक मिलना चाहिये. पूरे के मानी यह कि उसे अपनी जमीन के रहन व बय का हक मिलना चाहिये. इस तरह काश्तकारान की जमीन की कीमत बढेगी और वह उसे अपनी संपत्ति समझेंगे और गैर मौरूसी काश्तकारों के लिये बारह वर्ष में मौरूसी होने का जो कद है वह कुछ कम कर दी जावे जिससे वह भी मौरूसी हक पाजावें. इस तरह कांश्तकार दिलचस्पी लेकर किसानी के बढाने में मायल होंगे. जमींदारों की हानि न होगी.

गुरुदयाल साहब—पैदावार बढाने को मौरूसी व गैर मौरूसी काश्तकारान को किस तरह मायल किया जावे. सवाल यह है कि पैदावार बढाने को कौनसी बातें मुफीद हैं और कौन नुकसान देह हैं. जमींदार हितकारिणी व उपदेशक वगैरा ने जो बताये हैं वही उसूल दरबार जमींदारी में पंहुचाये जाकर मायल कराया जावे और उपदेशक व जमींदार भी मायल करें.

रामराव साहब देशपांडे—दरबार से मेरी यह गुजारिश है कि मौरूसी काश्तकार होने से पैदावार जियादा होती है. हुजूर मुअल्ला की रियासत में आये हुए १६ बरस हुए लेकिन मैने अभी तक मौरूसी या गैर मौरूसी काश्तकार से काश्त निकाली नहीं, उसकी उसी के पास रक्खी मगर कुछ नहीं. सबब यह है इन लोगों को जिस वक्त में बखर की बखाई कसरत से देना पडती है यानी जमीन बोई, इस जमीन को जितनी धूप लगेगी उतना ही उसको जोर आता है. चैत बैसाख के मास में काश्तकार लोगों के मान्डे और हमारे टान्डे और ऐसे ही कुछ काम रहते है. लेकिन जो काम बखर का है उस ही में जमीन की उलट पलट होने से धूप मिलती है और दूसरी बात यह है कि हमारे काश्तकारान के मवेशी का जो गोबर होता है उसका खाद बहुत आला दर्जे का होता है, लेकिन उनको उस खाद की कीमत मालूम ही नहीं. वह बहुत कीमती होता है. वह खाद नहीं, सोना है. वह खाद के कन्डे बनाते हैं और जलाने के काम में लाते हैं. अभी हुजूर दरबार की बादशाहत में बहुत सी जलाने की लकडी मिलती है, लेकिन उन लोगों की आदत ही पडी होती है कि वह गोबर के कन्डे ही बनाकर जलाते हैं. गोबर का खाद होता है उस को खेत में डालते नहीं. उसका फायदा छोडकर वह सोने को जलाते हैं. और मेरी समझ के मुवाफिक मैं ऐसी गुजारिश करता हूं कि हर एक जिले में या हर एक परगने में गेंहू बोने की एक टिफन होती है वह रखने का हुक्म होना चाहिये और टिफन से गेहूं बोने का तरीका निकालना चाहिये, और उन लोगों की खातरी कर देना चाहिये कि इस से गेहूं का बीज कम पडता है. जहां सेर भर पडता है वहां तीन पाव पडेगा, इस से पाव भर का फायदा हो जाता है. तीसरी बात यह है कि बहुत कसरत से अच्छा गेहूं आवेगा, यानी चौगुना, पन्चगुना, छैगुना और आठगुना से जियादा पैदा होता है. मेरी नजर में आया वह बयान करता हूं. टिफन के बोने से क्या होता है? बीज कम पडता है व पैदायश दुगनी से जियादा होती है. शुजालपुर के परगने में जमींदारान ने और इसी मुल्क के रहने वाले जमींदारान ने फायदा उठाया है. हमारे भाई साहब मेम्बरान ने फरमाया था कि लोहे के हल चलने से जमीन बहुत फटती है. अमेरिका का हल काफी और फायदेमन्द है, और उससे जमीन थोडे वक्त में जमींदार छील लेता है, इसी वजह से हिफाजत नहीं करते और न पैदावार करते हैं. जैसा हमारे महाराज ने फरमाया है कि जैसा जमींदार को गांव बेचने का हक है वैसा ही इन लोगों को भी देना चाहिये तो वह समझेंगे कि हमारी जायदाद है और उससे वह फायदा उठायेंगे.

गुरुदयाल साहब—हुजूर आली, इन बातों से पैदावार बढ सकती है. कौन कौनसी ऐसी बातें हैं जिनसे उनको नुक्सान पहुंचेगा, यह जमींदार हितकारिणी सभा के उपदेशक वाजह तौर से हर जगह बयान करते हैं; लेकिन सवाल यह है कि पैदावार में वह तरक्की करें, इस पर उनको किस तरह माइल किया जावे. जमींदारी दरबार हो उसमें उन्हें समझाया जावे, उपदेशक जाबजा फिरते हैं उनको तांकीद की जावे कि वह लोगों को समझावें. यह तो काश्त करने वाले भी जानते हैं कि किसी तरह पैदावार जियादा हो मगर वह ध्यान नहीं देते. जो समझदार नहीं हैं, उनकी तवज्जुह इस तरफ नहीं है उनको समझाना चाहिये.

जमनादास साहब झालानी—इस सवाल के मुतअल्लिक जैसा फाइनेन्स मेम्बर साहब ने फरमाया माली इमदाद किसी हद तक दी जाना चाहिये. आराजी पर हमारा हक है, माली इमदाद के जरिये जो दरबार की जानिब से जारी हैं, वह काफी हैं, जैसे एग्रीकलचरल बैंक्स, को-ऑपेरेटिव सोसायटीज.

हुजूर मुअल्ला—यहां पर सवाल जो दर पेश है वह यह है कि काश्तकारान मौरूसी और गैर मौरूसी को आराजी काश्त बढाने के लिये किस तरह माइल किया जावे. मेरी राय में यह मौका

बहुत अच्छा है और बहुत से जमींदार साहबान यहां पर मौजूद हैं. चुनांचे उनकी एक कमेटी कायम की जावे और वह इसकी निस्बत कुछ बातें या कुछ कलमें या कुछ दफात वास्ते रहनुमाई काश्तकारान तैयार करें और इस मसले पर भी गौर करें कि गैर मौरूसी काश्तकारान आबादी क्यों नहीं करते और इस मसले पर भी गौर करें कि जो मौरूसी हैं आया वह आबादी ठीक करते हैं या नहीं. अलावा इसके जो कुछ इस वक्त एक दो साहबान की तकरीर से मालूम हुआ कि हमारे देसी हल जो हैं वह जमीन को पलटते नहीं हैं, चुनांचे इस बारे में एक तजवीज की गई है उसकी निस्बत मुझे अफसोस है कि वह कार्रवाई अभी जोर के साथ नहीं चलाई गई है; क्योंकि महकमा मुतअल्लिका ने अपना तअल्लुक इससे कुछ नहीं समझा. मैंने यह तजवीज निकाली है कि मशीनरी के सेट्स जिले जिले में हों, और हस्ब जरूरत फी जिला ५००-५०० सेट हों, तो इससे और क्या बात अच्छी हो सकती है. यानी वह ऐसे हल हों कि जिनसे जमीन लोटी जावे. चुनांचे इस मसले पर भी गौर करने के लिये एग्रीकलचरल इन्जीनियर और दोनों सरसूबा साहबान यानी मुस्तकिल सर सूबा साहब को भी शामिल किया जावे और यह कमेटी ब सदारत ट्रेड मेम्बर साहब कायम की जावे. गो इस वक्त तक उनका ध्यान इस तरफ न हो, यह मानी हुई बात है कि जब तक आबादी नहीं बढेगी, ट्रेड की आमदनी नहीं बढेगी. जब आबादी बढेगी तब ही वह आमदनी को बढ़ा सकते हैं वगैरा वगैरा. इन सब पहलुओं पर गौर करके जो मशीनें हायर पर लगाई जावें किस जिले के लिये कितने सेट्स हों, काश्तकारों को किस तरह पर तरगीब दी जावे कि वह जमीन को अच्छी तरह कमावें, आबादी बढावें; इस की बाबत मुकम्मिल रिपोर्ट दरबार में पेश करें. फिर मैं उस पर गौर करूंगा और फिर हुक्म दूंगा. चुनांचे यह कमेटी कल से अपना काम शुरू करे.

तजवीज नंबर ५, फर्द नंबर १.

जमाखर्च के मुतअल्लिक बहुतसी दिक्कतें पेश आती हैं, इसलिये जमाखर्च के system को regulate **करने की जरूरत मालूम होती है. इस** system **की इस्लाह हो जाने से मुकद्दमे बाजी में कमी होने की उम्मेद है. इसी सिलसिले में यह अम्र भी काबिल गौर है कि मामलात लेनदेन में रसीदों का लेना देना जरूरी रखा जावे या नहीं ?**

लॉ मेम्बर साहब—यह सवाल बहुत मुख्तसिर है और इसका ताल्लुक फिल-हकीकत उस धर्मादा से है जिसका जिक्र कवाअद हाय मंडी में दर्ज है. आपको याद होगा कि साल गुजिश्ता में धर्मादा का सवाल वकील साहब भिंड ने पेश किया था. कमेटी मुकर्रर हुई. कवाअद हाय मंडी जो मुरत्तब थे एक कमेटी में पेश हुए. यह कवाअद दरबार से मंजूर होकर हाल ही में गजट में शाया हो चुके हैं. उन में दो दफात काबिल गौर हैं. १० (अलिफ). और १० (बे). १० (अलिफ)—मंडी में धर्मादा के नाम से जो हक दूकानदारान वसूल कर के खर्च करते हैं, उसके निस्फ हिस्से तक दूकानदार अपनी राय से सर्फ करेंगे, और बकिया कमेटी में जमा करेंगे. इसके मुतअल्लिक हिसाब किताब का छोटा सवाल पैदा होता है वह यह है कि धर्मादा के जमाखर्च के मुतअल्लिक और मंडी कमेटी की निगरानी के मुतअल्लिक कुछ कवाअद वजे किये जायें. अगर उसूल मजलिस आम से तय हो जावेंगे तो जिस डिपार्टमेंट से यह कवाअद जारी किये गये हैं उससे जमा खर्च के मुतअल्लिक और मंडी की निगरानी की बाबत भी कवाअद जारी कर दिये जावेंगे या कवाअद मंडी में इजाफा कर दिया जावेगा. सिर्फ दो बातें काबिल गौर हैं :—

(१) दूकानदारान मंडी जब धर्मादा वसूल करें तो उन पर यह लाजिम रखा जाय कि वह अपने बहीखातों में इन्दराज करें ताकि हस्ब जरूरत इसकी जांच की जा सके.

(२) निस्फ़ हिस्सा मंडी कमेटी अपने इख़्तियार से रिफ़ाह आम के कामों में खर्च करे.

रक़म जो धर्मादा के नाम से वसूल की जाती है उसके लिये इस किस्म के कवाअद का होना ज़रूरी मालूम होता है. जो रकम भी इस नाम से वसूल करें उसके मुतअल्लिक़ कोई शर्त ऐसी होना चाहिये इनके लिये खास मियाद दस रोज, पन्द्रह रोज, एक महीना, छै महीना या साल भर, बहर हाल कोई मियाद होनी चाहिये.

मंडी कमेटी के यह भी फ़रायज होने चाहिये कि वह हर महीने या हर तीसरे महीने, जैसा करार पाजाये, उस रकम को देखकर कि उसकी मिकदार क्या है यह तय करले कि वह किस तरह सर्फ की जाय इन बातों की सराहत कवाअद में नहीं है जिनका होना जरूरी है. इसलिये इसके मुतअल्लिक़ आप साहबान अपनी राय दें.

रामजीदास साहब वैश्य—इस प्रोजल की इबारत से यह बात नहीं मालूम होती है. मगर चूंकि लॉ मेंबर साहब ने इसको धर्मादा तक महदूद कर दिया है, और यह बतलाया है कि ऐसा करना मुफीद होगा. मेरे खयाल में इसकी तशरीह कर दी जाना बेहतर होगा. कितनी रकम सर्फ हो चुकी यह कैसे देख सकेंगे; लिहाजा इसके लिये कवाअद बनाने की जरूरत है.

राय साहब सेठ मानिकचंद साहब—मेरे ख्याल से रामजीदास साहब ने जो कुछ फरमाया है वह ठीक है. धर्मादा की रकम का जो जमा खर्च होता है उसका mis-use न हो, जियादा खयाल फरमायें तो एक छोटी सी किताब अलहदा हो जाय ताकि कुछ गडबड न हो और हिसाब वगैरा check करने में आसानी हो.

ट्रेड मेम्बर साहब—मेरा खयाल है कि पारसाल इस सवाल पर बहुत बहस हुई थी. अब यह फिर शुरू किया जाता है. धर्मादा की रकम की बाबत न किसी शख्स को मदाखलत थी और न कोई उसे पूछ सकता था. जिन की तबियत में जो आता था वह करता था. इस वक्त चूंकि मंडी का कायदा बनाया गया है, इस वजह से अगर शुरू में दिक्कतें डाली जायेंगी तो बेहतर न होगा. दो चार बरस देखने के बाद अगर कोई दिक्कत पेश आवे तो कानून बना दिया जायगा, ऐसा उस वक्त बहस हो चुकी थी.

धर्मादा में न तो कोई मुकद्दमा बाजी होती है और न जमा खर्च की निस्बत बहुतसी दिक्कतें पेश आती हैं इसलिये इस system की इसलाह हो जाने के बाद यह दिक्कतें दूर हो जावेंगी.

टोडरमलजी साहब—दरअसल जमा खर्च का तरीका यकसां होना मुनासिब है. इस की बाबत मेरी यह गुजारिश है कि जिनकी दूकान पर बहीखाता नहीं है उनको रसीद का लेना देना लाजमी करार देना चाहिये. जिनके यहां बही खाते हैं उनको रसीद का लेना देना लाजमी नहीं रहना चाहिये.

हुजूर मुअल्ला—इन दोनों सवालों को मिला लिया जाय.

रामजीदास साहब— लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया था कि इस तजवीज को एक हद तक महदूद रक्खा जाय. लिहाजा मैंने अपनी राय उसके मुतअल्लिक दी थी. अब उस तजवीज के मुतअल्लिक, कि जो मौजूदा शक्ल में पेश है, मैं यह अर्ज करूंगा कि "जमाखर्च" से क्या मुराद है, साफ कर दिया जाये, यानी साहूकारी तरीके के बहीखाते के जमाखर्च से या दूसरे और तरीकों के जमाखर्च से जो कई तरह के होते हैं.

हुजूर मुअल्ला—मैं आप से साफ कहे देता हूं. मेरा जाती खयाल यह हो गया है, मुमकिन है गलत हो, लेकिन मेरा intention इसमें best हैं कि आपस में जहां तक लेनदेन सफाई से होगा झगडे कम होंगे, ऐसा मेरा खयाल है. चाहे दोस्ताना हो या रिश्तेदारी हो, लेनदेन, लेनदेन ही है. मेरा जाती यह खयाल है कि रिश्तेदार ने रुपया मांगा और यह कहा कि मैं रुपया वापिस दूंगा, बहतर यह है कि जो कुछ देना हो दे दिया जाय और कर्ज के तौर पर न दिया जाय. क्योंकि मैं भी करीब एक लाख के नुक्सान उठा चुका हूं. जहां लेनदेन है, या जब कोई किसी के पास कोई चीज अमानत रखता है तो compulsory होना चाहिये कि उससे रसीद ली जाय. आज आप का एक भाई है उसके पास आपने एक कंठा रख दिया, मुमकिन है कि उसका इन्तकाल हो जाय और रिश्तेदार पलट जांय तो बहुत से झगडे और गलत फेहमियां पैदा होंगी.

लिहाजा लेनदेन में रसीद का compulsory system रख दिया जाय तो ठीक होगा, ख्वाह वह कच्ची रसीद हो या पक्की. और system of accounts की निस्बत मेरा यह खयाल है कि अगर system ठीक न हुआ तो देख लीजिये कि वर्कशाप की क्या हालत हुई. सब ही जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन यह वर्कशाप का इत्तफाकिया अम्र है. अगर हमारे accounts का system defective है तो ऐसा system रखना चाहिये कि जिससे काम अच्छी तरह आयंदा चल सके और उलझन न पडे. रसीद की निस्बत मैं सिफ़ारिश करता हूं कि बाज वक्त ऐसा झगडा हो जाता है कि दोस्त भी तोताचश्म हो जाते हैं, और कहते हैं कि हमने तुमसे कब रुपया लिया था, लाओ रसीद बतलाओ. इस सवाल पर मैं ज्यादा बहस नहीं चाहता. साहूकार साहबान की एक कमेटी मुकर्रर होना चाहिये, उन्हें गौर करके report पेश करना चाहिये कि आया दरबार का कहना सही है या नहीं. हिसाब साफ रहने से क्या फायदा है और क्या नुक्सान, रसीद का लेना compulsory करना चाहिये या नहीं और इसके अलावा जो बातें आप को सूझें वह पेश करना चाहिये. यह सवाल मेरा ही उठाया हुआ है और मैं इस का responsible हूं. मेरी समझ में इसका इन्तजाम हो जावे तो बेहतर है. लिहाजा जो साहूकारान यहां हैं और chamber of commerce जैसा मुनासिब समझे कमेटी कायम करके इसकी रिपोर्ट मुनासिब वक्त में दरबार में भेजे. रिपोर्ट पेश होने पर मैं उस पर गौर करूंगा. जो मुझको आप के हक में अच्छी बात सूझी वह मैंने बतलाई. मैंने कोई reflection नहीं cast किया है. मैं समझता हूं कि मेरी duty है कि मैं अपने शक और खयाल को आप के सामने रख दूं. उसका नतीजा बाद को देख लिया जावेगा.

इस सवाल को मैं इस तौर पर तय करता हूं. आप अपनी कमेटियां कायम करके report पेश करें.

तजवीज नम्बर ६, फर्द नम्बर १

रिपोर्ट फॉरेस्ट कमेटी मंजूर शुदा दरबार में हिदायत है कि हकदार मवाजियात के मवेशियान की फर्द जमाबन्दी चरू जमींदारान अखीर अगस्त तक तैयार करके रज में दाखिल करें और रेंज से बाद जांच शुरू हफ्ते जनवरी में एक आंखी फर्द मौजेवार तहसील में बिगाबर कारिवाई वसूल भेजी जावे. लेकिन इसको जारी हुए अर्सा करीब दो साल का हुआ, मगर अक्सर जमींदारान की तरफ से वक्त पर अफराद न पहुंचने की वजह से मुलाजमान फॉरेस्ट को ब खयाल नफा नुक्सान सरकारी अफराद तैयार करवाना पडीं. बाज बाज जगह के जमींदारान नाख्वांदा होने से तैयारी फर्द में दिक्कतें पेश आती हैं, बल्कि जमींदारान टप्पा बाग, जिला अमझरा, ने नाख्वांदा होने की वजह से मजबूरी बजयें दरख्वास्त जाहिर की है. इसका इन्तजाम किस तरीक पर होना चाहिये, ताकि सरकारी रुपया वक्त पर वसूल हो सके?

फायनेन्स मेम्बर साहब—चूंकि रेवेन्यू मेम्बर साहब आज मजलिस में तशरीफ नहीं लाये हैं, इसलिये सवाल नंबर ६ को मैं उनकी तरफ से पेश करता हूं, और इसके मुतआल्लिक़ जो कैफियत उनकी जानिब से आई है वह मजलिस को पढकर सुनाता हूं :—

सम्वत १९७६ तक जो तरीका हकदार मजाजियात से चरू वसूली का रायज था उसमें बवजह छेडछाड छोटे मुलाजमान जंगल अक्सर रिआया की परेशानी की शिकायतें जहूर में आती थीं.

दरबार मुअल्ला ने रिआया की आसानी के खयाल से फॉरेस्ट कमेटी की सिफारिश पर यह हुक्म सादिर फरमाया कि:—

१. हर हकदार मौजे के नम्बरदार हर साल माह जौलाई या माह अगस्त के अखीर तक अपने मौजे की इस्मवार फर्दें रेंज में दाखिल कर दिया करें.

२. रेंज, इस फर्द की जांच पटवारी की सेह साला मवेशी शुमारी की फर्द से कर ले और दिसम्बर अखीर तक जमाबन्दी मौजे की मौजेवार व इस्मवार तैयार कर ले और उसपर से जनवरी में तितम्मा जमाबन्दी सिर्फ एक आंखी मौजेवार, तहसील में वास्ते वसूली भेज देवे. इसमें जो आंक दर्ज हों वह तसलीम शुदा जमींदारान होना चाहिये.

३. तहसील से रुपया बतौर मालगुजारी के नम्बरदार से वसूल किया जावे.

४ जमींदार को चरू की फेहरिस्त तैयार करने और वसूल के काम के लिये ~)॥ फी रुपया कमीशन मुजरा दिया जावे.

इस हुक्म का खास मन्शा यह था कि जमींदारान के ज़रिये से काम होकर रिआया के साथ मुलाजमान सरकारी की छेडछाड कतई न रहे और मुआवजा इस काम का जमींदारान के लिये दरबार ने फय्याजी के साथ मुकर्रर फरमाया. मगर इस तरीके की कामयाबी के लिये यह लाजमी है कि नंबरदारान अपने मौजों की रिआया के फायदे के लिये वक्त मुकर्ररा पर फर्द मवेशियान तैयार करके रेंज में दाखिल करें और वक्त पर पूरा रुपया मालगुजारी का वसूल करें जिससे सरकारी आमदनी का नुक्सान न हो.

सम्वत १९७७ व १९७८ में जो कौफियत इस तरीक के काम की रही वह हस्ब जैल नक्शे से जाहिर होती है:—

नाम डिवीजन.	तादाद मवाजिआत हकदार.	मवाजिआत जिनकी फर्दें अगस्त अखीर नंबरदारों ने दाखिल कीं.		मियाद के बाद फर्दें नंबरदारान ने दाखिल की.		मवाजिआत जिनकी फर्दें मुलाजमान फारेस्ट को ब हालत मजबूरी सरकारी आमदनी का नुक्सान न हो जाने के खयाल से मुरत्तिब करना पडीं.		तादाद मवाजिआत जिनकी फर्दें दाखिल नहीं हुईं		रिमार्क्स.
		१९७७	१९७८	१९७७	१९७८	१९७७	१९७८	१९७७	१९७८	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
गिर्द दो रेंज	२२७	५	१७	२८	३	१९३	२०५	१	२	
शेपुर ...	२८८	४६	४५	२२२	२११	२२	२५	...	४	सं १९७८ में दो मौजे बे-चिराग हो गये.
शिवपुरी...	४३३	...	...	१६७	२७८	२६६	१५४	...	१	
ईसागढ दो रेंज	३५२	...	३९	६७	३८	२२५	२०४	१४	१०	सं. १९७७ में ४६ व १९७८ में ६१ बे-चिराग मौजे थे.
मालवा ...	५४६	७	२०	३६२	२२४	१५७	२८१	२०	२१	
टोटल	१८४६	५८	१२१	८४६	७५४	८६३	८७२	३५	३८	

इस नक्शे से जाहिर होगा कि वक्त मुकर्रा के अन्दर फर्दें नंबरदारान की जानिब से १८४६ मौजों में से सिर्फ ५८ मौजों की संवत १९७७ में व १२१ मौजों की संवत १९७८ में अंदर मियाद दाखिल हुईं; व मियाद गुजर जाने पर ८४६ संवत १९७७ में व ७५४ संवत १९७८ में दाखिल होकर मवाजियात ८६३ की संवत १९७७ में व ८७२ की संवत १९७८ में मुलाजिमान फारेस्ट को बदर्जा मजबूरी इसलिये तैयार करना पडीं हैं कि सरकारी आमदनी का नुक्सान न हो. यह करके भी कमीशन -)॥ फी रुपया नंबरदारान को तहसील से दिया जाता है इस ख्याल से कि वक्त पर आयंदा पूरे मवाजियात की फेहरिस्तें दाखिल होने लगेंगीं.

जमींदारान की जानिब से फर्दें वक्त पर पेश न करने के या कतई पेश न करने के जो उजरात पेश होते हैं वह यह हैं कि वह पढे लिखे नहीं हैं, वह फर्दें तैयार नहीं कर सकते. बाज जगहों पर जमींदारान जान बूझ कर भी फेहरिस्तें तैयार करके नहीं देते. अमझेरा जिले में जमींदारान ने साल गुजिश्ता में तहरीरी दरख्वास्तें देकर ख्वाहिश की है कि फर्दें जिस तरह हों दूसरी एजेन्सी से तैयार कराली जावें.

चुनांचे फर्दें बहालत मजबूरी मुलाजिमान जंगल को तैयार करना पडीं. जिस हालत में कि यह इन्तजाम दरबार ने जमींदारान और उनकी मवाजियात की रिआया की आसानी के लिये किया है और उस काम का एक माकूल मावजा उनको दिया जाता है, उनका फर्ज है कि वह अपना इन्तजाम वक्त पर फर्दें तैयार करके रेन्ज में पेश करने का करें, लेकिन ऐसा न होने से सरकारी आमदनी के नुक्सान की शक्ल पैदा हो रही है और जो गरज दरबार की यह नया तरीका जारी करने से थी वह हासिल नहीं हो रही है .

जब जमींदार अगस्ट अखीर तक फर्द शुमारी अपने मौजे की दाखिल न करे तो उस हालत में कानूनी अमल जो फारेस्ट डिपार्टमेंट इस वक्त कर सकता है वह यह है कि पास चराई उन मवाजियात के जारी न करे और जो मवेशियान बिला पास जंगल में चरती हुई पकडी जावें उनके साथ कानूनी अमल करे. इस तरीके पर अमल करने से रिआया को परेशानी होगी .

फारेस्ट डिपार्टमेन्टल कॉन्फरेन्स में यह मामला पेश होकर यह ठहराव हुआ कि जिन मवाजियात के जमींदारान हस्ब हुक्म दरबार वक्त पर शुमारी की फर्द दाखिल न करें उन मवाजियात से गैर हकदारी शरह से चरू उसी तरह कायम की जाकर वसूल की जावे जैसे कि उन मवेशियान पर कायम की जाती है कि जो फेहरिस्त पेशकरदा जमींदार से जायद चरती हुई पाई जाती हैं.

इस तजवीज पर अमल करने से जमींदारान को खुद हकदारी व गैर हकदारी चरू के दरमियान का फरक भुगतना पडेगा, क्योंकि रिआया से हकदारी चरू ही जमींदार वसूल कर सकेगा व सरकार में गैर हकदारी उसको अदा करना पडेगी .

मुख्तलिफ तजावीज जो हो सकती हैं वह हस्ब जैल हैं:—

(१) फॉरेस्ट कॉन्फरेन्स की तजवीज के मुवाफिक जमींदारान जो वक्त पर फेहरिस्त दाखिल न करें उनसे गैर हकदारी शरह से चरू वसूल की जावे .

(२) जिन मवाजियात के जमींदारान फेहरिस्त तय्यार नहीं कर सक्ते वह शुरू जौलाई से रेंज को इत्तला दे दें. रेंज आफिसर जौलाई अखीर या १५ अगस्त तक फेहरिस्त उजरत पर मार्फत लायसेन्स वेन्डर या दीगर तरीक पर तय्यार कराकर जमींदारान के दस्तखत कर ले व उसपर से

जमाबन्दी बनावे. उजरत तय्यारी फेहरिस्त की)||| फी रुपया जमींदार के कमीशन से अदा कराई जावे बाकी का)||| फी रुपया रकम वसूली पर तहसील से जमींदार को दी जावे.

३. जो जमींदार इस तरीक पर वक्त पर इत्तला न दे और खुद भी अगस्त अखीर फेहरिस्त तय्यार कराकर पेश न करे तो उसकी फेहरिस्तें मुलाजमान जंगल तय्यार कराकर जमाबन्दी बनावें. तहसील नंबरदार से रुपया वसूल करे मगर कोई कमीशन जमींदार को न दिया जावे. ~)|| फी रुपया तहसील नम्बरदार से वसूल करे. ~)|| फी रुपया हक कमीशन जमींदार से पोन आना फी रुपया फेहरिस्त तय्यार करने वाले लायसेन्स वेन्डर को दिया जावे व बाकी)||| फी रुपया सरकार में जमा हो.

मथुराप्रसाद साहब—अन्नदाता ! फाइनेन्स मेम्बर साहब ने फरमाया है कि जमींदारान को फारेस्ट व रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इत्तला दी गई है कि वह इत्तला मिलते ही फर्दे पेश करें, मगर कोई बाजाब्ता नोटिफिकेशन इस बारे में जारी नहीं हुआ है. अगर जमींदारान को जयाजी प्रताप के जर्ये या गवर्नमेंट गजट से इत्तला मिल जाती तो मेरे ख्याल से हरगिज ऐसी सूरत पेश न आती जो आज है. जमींदार बहुत कम ऐसे निकलेंगे जो दरबार हुक्म की तामील बसरो चश्म न करें. मेरा ख्याल है कि नोटिफिकेशन न होने की वजह से यह सूरत पेश आई है.

हुजूर मोअल्ला—नोटिफिकेशन हुआ या नहीं ?

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब फॉरेस्ट—नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ मगर जमींदार यह उज्र नहीं कर सकते हैं. क्या जमींदार कमीशन नहीं पाते हैं ? जो चीज वसूल हुई उस पर डेढ आना फी रुपया जमींदार लेते हैं. अगर उनको रुपया न मिलता होता तो उज्र नोटिफिकेशन माना जा सकता था. मगर जब रुपया लेते हैं तो कैसे मान लिया जावे कि इत्तला नहीं हुई.

हुजूर मोअल्ला—जमींदार साहबान बतला दें कि हुक्म पहुंचा या नहीं. शोपुर साहब (महादेवराव) आप बतलाइये मगर मौका व मस्लेहत देखकर जवाब दें.

महादेवराव साहब—(जो किसी कदर झुके हुए खडे थे) जाब्ते की आगाही तो नहीं मिली लेकिन वाकफियत सब को है.

हुजूर मोअल्ला—आप जरा सीधे खडे होकर फरमाइये.

महादेव राव साहब—सिर्फ महकमे फारेस्ट से मालूम हुआ है कि चराई जमींदार से बर वक्त वसूल होना चाहिये.

हुजूर मोअल्ला—क्या जाब्ते की आगाही नहीं है ?

महादेवराव साहब—आम आगाही नहीं है. मौजे में दरयाफ्त से मालूम हुआ कि अखीर अगस्त की तारीख मुकर्रर है. जहां जहां पढे हुए जमींदार हैं वहां आगाही है, बाकी को इत्तला नहीं है.

हुजूर मुअल्ला—ऐसी सूरत में इस सवाल का पेश होना गलती है. इसका पहिले नोटिफिकेशन होना चाहिये. यह डिपार्टमेंट की गलती है कि नोटिफिकेशन हुए बगैर सवाल मजलिस में रक्खा गया.

इसके बाद मेंबर साहबान मजलिस आम को refreshment दी गई.

तजवीज नंबर २२, फर्द नंबर २.

नोट:—इस सवाल के लिये हुजूर मुअल्ला ने फरमाया था कि यह सवाल परसों फिर पेश हो. (मुलाहिजा हो प्रोसीडिंग मजलिस आम तारीख १३ नवम्बर सन १९२२ ई०). लिहाजा आज यह सवाल फिर पेश हुआ.

इस सवाल को पेश करते हुए अहमद नूरखां साहब ने कहा कि:—

हुजूर वाला ! मैंने कानून नात्रा व धरीचे के मुतअल्लिक देखा. वह इजदवाज की मजबूती की बाबत है. मेरी तजवीज की इस कानून से कुछ निस्बत नहीं है. मेरी तजवीज सिर्फ यह है कि नात्रा की हुई औरत को या शादी या इजदवाज की हुई औरत को कोई दूसरा शख्स उडा लेवे तो उसकी बाबत मुकद्दमे बाजियां होती हैं और यह कहा जाता है कि फारिगखती के जर्ये से इजदवाज हुआ था. इसलिये मैंने इस सवाल में यह गुजारिश किया था कि ऐसी फारिगखती की रजिस्ट्री हो जाया करे.

हुजूर मोअल्ला—रजिस्ट्री किसकी हो जाया करे ?

अहमद नूरखां साहब—रजिस्ट्री फारिगखती की, यानी यह कि फारिगखती जाली पेश होती है—और उसके मुतअल्लिक झूंटी शहादतें और जाली दस्तावेजात बहम पहुंचाई जाती हैं, जिससे गरीबों की खाना बरबादी हो जाती है. ऐसे मुकद्दमात में नात्रा करने के पहिले ता वक्ते कि अपने पहिले शौहर की रजिस्ट्री शुदा फारिगखती हासिल न कर लेवे, इजाजत नहीं होना चाहिये.

लॉ मेम्बर साहब—परसों इस सवाल के मुतअल्लिक कुछ थोडीसी बहस हुई थी, इसके मुतअल्लिक मुझे, जैसा कि मैंने परसों अर्ज किया था, कुछ मजीद वाकफियत की जरूरत है. नात्रा करने वाली औरत के लिये यह लाजमी करार दिया जाय कि पहिले शौहर से फारिगखती रजिस्ट्री-शुदा पेश करे, जैसी कि आपकी तजवीज है, या यह कि अदालत दीवानी के जरिये से इफ्तराक की डिक्री हासिल करे ? इसकी निस्बत अगर गौर से देखा जाय तो मजीद वाकफियत की जरूरत है—जो वाकफियत इस वक्त पेश है वह सिर्फ एक शख्स की वाकफियत पर महदूद है. रिवाज नात्रा दर हकीकत क्या है. सब कौमों में एकसां नहीं और मुख्तलिफ अजलाय में मुख्तलिफ तरीके हैं, यकसां अमल नहीं है, बल्कि ऐसा मालूम हुआ है कि मुख्तलिफ कौमों में और मुख्तलिफ अजलाय में जुदा जुदा तरीके हैं. चुनांचे मजलिस आम होने के बाद परसों मैंने वकील साहबान से जो मजलिस आम के मेम्बर हैं कुछ वाकफियत हासिल की तो मालूम हुआ कि जहां तक उनको वाकफियत है नात्रा रिवाजन मुख्तलिफ शक्लों में इस तरह पर होता है कि मसलन एक औरत बेवा है, वह अगर नात्रा करे तो उसका कोई झगडा नहीं; दूसरे वह औरत जिसका खाविंद जिंदा हो वह पंचों के सामने शिकायत करे कि वह उसको मारता है, खाने को नहीं देता, तकलीफ देता है या जुल्म करता है तो इसकी शिकायत को पंचों के जर्ये से तय किया जाता है और इसका पंचों के जर्ये से तय होना इस हालत में रिवाजन जायज समझा जाता है. भेळसे में एक खास कौम मीना है, जिसमें रिवाज है कि औरत खुद ब खुद तलाक हासिल कर लेती है. तलाक से मेरा मतलब ताल्लुकात शादी मुनकते कर लेना है यानी यह कि औरत किसी शिकायत की वजह से पहिले शौहर को छोडकर दूसरे के मकान में जा घुसती है. पहिले शौहर की शिकायत पर पंचायत से झगडा तय कर दिया जाता है वह जायज समझा जाता है. आपने जिन वाकयात की वजह से यह तजवीज पेश की है वह यह है कि एक शख्स की औरत को दूसरा शख्स बहका ले जावे, जिन कौमों में नात्रा जायज है वहां यह होता है कि जब एक शख्स किसी औरत को

फरार कर के ले जाता है तो पहिला शौहर अदालत में इस्तगासा दायर करता है. यानी पहिला शौहर फर्यादी, दूसरा बहकाने वाला मुल्जिम. मुल्जिम की जवाबदेही यह होती है कि पहिले शौहर फर्यादी ने इस औरत को निकाल दिया, छोड दिया, इसलिये नात्रा कर लिया. जब नात्रा कर लिया तो फरारी का जुर्म कायम नहीं रहता. आपका कहना है कि ये उजरात सही नहीं होते. महज अपनी जवाबदेही की गरज से ऐसे उज्र करते हैं, और इस किस्म की झूंटी शहादतें पेश करते हैं. इसलिये लाजिमी यह होना चाहिये कि पहिले खाविन्द से फारिगखतीं ले ली जावे, बल्कि रजिस्ट्री शुदा हो; और नात्रा इसी हालत में हो, अगर ऐसा न हो तो अदालत दीवानी में नालिश करे और अदालत दीवानी से डिक्लेरेशन इस बात का होना चाहिये कि उसके पहिले खाविंद ने छोड दिया है. जहां जहां पंचायत के जर्ये से ऐसे फैसले होते हैं, उनकी बाबत मैंने आपसे दरियाफ्त किया कि मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब मुल्जिम की जानिब से यह उज्र होता है तो अदालत में पंच तलब हो सकते हैं और पंच की तलबी पर अदालत को असली मामला कैसे जाहिर नहीं होता, तो जवाब दिया कि कुलमी की कौम में ज्यादातर पंच जो मंडलोई कहलाते हैं वह साजिश कर लेते हैं. और रुपये के लालच से झूंटी शहादत देते हैं कि हां पंचायत हुई. जहां पंच ही इस कदर Corrupt हों वहां यह मर्ज ला इलाज है. दरबार या और कोई तहकीकात करने वाली Authority के पास सिवाय शहादत के और कोई जरिया असलियत मालूम करने का नहीं है. जब कि कौम के पंच ही झूठी शहादत दें तो अदालत के लिये बजुज इसके और क्या है कि वह शहादत मंजूर करे, जब तक कि वह झूंठे साबित न हों. मेरा खयाल है कि ९० फी सदी मुकद्दमात ऐसे होते हैं जिनमें पंचायतें होती हैं. जहां पंचायत के जरिये से फैसले होते हैं वहां असलियत मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं है.

आपकी तजवीजें दो हैं उसके साथ तीसरी तजवीज गुरुदयाल साहब ने पेश की है. उन दोनों में पहिली तजवीज यह है कि नात्रे के पहिले पहिला शौहर फारिगखती देवे और वह फारिगखती रजिस्ट्री शुदा होना चाहिये. इसके मौके अमली तौर पर किस तरह आ सकते हैं, इस पर गौर कीजियेगा. अगर शौहर ने वाकई नाराज होकर या उसके चालचलन को खराब समझकर अपने मकान से निकाल दिया है तो वह कैसे रजामन्द होगा कि फारिगखती की रजिस्ट्री अदालत म करादे. यह नामुमकिन है. जहां जहां ऐसा होगा कि मर्द औरत से बेजार होगा और उसको मार मार कर निकाल देगा तो औरत के पास कोई जरिया नहीं है कि वह शौहर को मजबूर करे कि तुम फारिगखती तहरीर करो और अदालत से रजिस्ट्री कराओ.

दूसरी तजवीज यह है कि अदालत दीवानी में नालिश की जाये. मेरे खयाल में नालिश करने से तवालत होगी और मुकदमेबाजी जियादा बढेगी जिसे आप रोकना चाहते हैं. कोई वजह नहीं कि जब कभी ऐसे मामलात पेश आवें तो उनकी असलियत मालूम करने के लिपे पंचों को बीच में क्यों न डाला जावे, और हलफ देकर क्यों न दरियाफ्त किया जावे. जहांतक आपकी तजवीज का मैंने मतलब समझा है वह यह है कि अगर पंचायत के जर्ये से भी मामला तय हो गया तो फारिगखती हासिल करके रजिस्ट्री कराई जावे. जहांतक मैंने इस मसले पर गौर किया तो जहां पंचों के जर्ये और उनकी इम्दाद से मामला तय हो जात है वहां ऐसा करना बिला वजह तवालत देना है.

गुरुदयाल साहब ने कहा है कि नात्रा धरीचा की रजिस्ट्री का कानून है उसमें एक शर्त बढा दी जावे, कि पहिले शौहर के नाम से इत्तलानामा जारी किया जावे, और पहिले शौहर से दरियाफ्त किया जावे, और फिर रजिस्ट्री की कार्रवाई की जावे,

अगर आपकी तजवीज मानी जावे तो नात्रे की रजिस्ट्री होने से पहले शौहर को बुलाना होगा, तहकीकात करना होगी जिससे मामला सीगे रजिस्ट्री से उठ कर एक दीवानी मामले की शकल पकड जावेगा. फरीकैन के हुकूक का तस्फिया सीगे रजिस्ट्री से करना जिस उसूल से कि रजिस्ट्री का कानून जारी किया गया है, उसके बिलकुल खिलाफ है, आपकी तजवीज का असर यह होगा कि रजिस्ट्री के मुकद्दमों में एक नया मुकद्दमा दीवानी कायम हो जायगा, इसलिये मुझे इसमें कोई दिक्कत मालूम नहीं होती कि अगर पंचायतें अदालत को ऐसे मुकद्दमात में मदद करें और सही सही वाकआत जाहिर करदें तो अदालत गलत शहादत कभी तस्लीम नहीं करेंगी और मामले की असलियत जाहिर हो जावेगी.

अलावा इसके इन्ही कौमों पर क्या असर है. जब मुसलमानों में भी वही उज्र पेश हो सकता है, तो क्या आप इसके लिये तैयार हैं, तावक्ते कि तलाक रजिस्ट्रीशुदा न हो उस वक्ततक काबिले तसलीम न हो. आगे चलिये, दीवानी मामलात में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें पुराने कर्जों में मियाद कायम करने के लिये एक फर्जी इन्द्राज अदायगी का किया जाता है. कानून यह है कि तारीख अदायगी से फिर नई मियाद शुरू होती है. ऐसी मिसालें अदालत में बहुत पेश आती हैं, जिनमें फर्जी तारीख अदायगी दर्ज करदी जाती है. आखिर वहां पर भी ऐसा ही उज्र ऐसे इन्द्राजात की बाबत हो सकता है कि जब तक रजिस्ट्री न हो तबतक अदायगी न मानी जाय. सिलसिला कभी खतम नहीं हो सकता.

मथुराप्रसाद साहब—अन्नदाता ! इसके लिये कानून बनाने की जरूरत नहीं है. नात्रा धरीचा करने में इस किस्म का रिवाज नहीं है. जियादातर ऐसे मामलात होते हैं कि बेवा शौहर के मरने के बाद नेक नियती से बैठी रहती है या कुछ सिलसिला नहीं मिलता है तो दूसरा खाविन्द कर लेती है. उसके बाद झगडा चूकता है यानी पंचायत होती है और पंचायत के जर्ये झगडा (रुपया) वसूल कर लेती है. अक्सर ऐसाही होता है कि खाविन्द की नाराजगी से या औरत की नाराजगी से आम-तौर पर पंचायत से झगडा तय होता है. अगर फरारी की सूरत हुई तो अदालत से तय होता है अगर कोई कानून रजिस्ट्री जारी किया जावे तो बडी मुश्किल होगी.

जहांगीर बहमन्शा साहब.—फारिगखती की रजिस्ट्री में किसी किस्म की तवालत नहीं होगी. मुझे यहां की रस्म से वाकफियत नहीं है लेकिन जहांतक मैं ने देखा है सहरिये लोग व काश्तकारान में यह रस्म जारी है. मैंने देखा है कि औरत भाग गई तो न पंचायत में जाते हैं न अदालत में. जब-तक फारिगखती रजिस्ट्रीशुदा न हो तबतक नात्रे की परवानगी न मिले और दूसरा शौहर न करने दिया जावे यह कोई मुश्किल बात नहीं है. जब ऐसी सूरत पेश आवे तो वह औरत पंचायत बोर्ड में अर्ज करे कि हमारे शौहर ने घर से निकाल दिया कानून के मुताबिक तजवीज होनी चाहिये. यह इन्साफ की बात होगी. फारिगखती की रजिस्ट्री कराना मेरी राय में अच्छी बात है.

जमनादास झालानी साहब—मेरे दोस्त अहमदनूरखां साहब ने जो तजवीज पेश की है उसकी मैं ताईद करता हूं. अगर फारिगखती की रजिस्ट्री कराई जावे और अदालत से इफ्तराक की डिग्री हासिल करली जावे तो इस दिक्कत में बहुत कुछ सहूलियत हो जावेगी. जनाबवाला लॉ मेंबर साहब ने फरमाया है कि अहले इसलाम के लिये भी यह लागू होगा क्योंकि अहले इस्लाम में भी जबानी तलाक दिया जाता है. इसकी निस्बत गुजारिश है कि अहल इस्लाम का social position उन कौमों से बहुत ऊंचे दर्जे का है, इसलिये कानून में अहले इस्लाम के लिये मुस्तसना कर दिया जावे.

दूसरी दिक्कत जनाब लॉ मेंबर साहब ने यह बतलाई है कि अगर वसीअ नजर से देखा जावे कि लेनदेन के मामले में मियाद बढाने की गरज से जो फ़र्जी रकम इन्दराज कर लेता है उसको भी रोकने के लिये जमा के इन्दराज की रजिस्ट्री कराना लाजिम आवेगी और इस तरह पर सिलसिला कभी खत्म न होगा. लिहाजा अदब से गुजारिश है कि पहले कानून में यह जरूर था कि दरमियान में अगर कोई रकम दर्ज होती थी तो मियाद शुमार होती थी लेकिन हाल में जो कानून मियाद संवत १९७१ में जारी हुआ है उससे जाहिर है कि जमा की तरमीम का इन्दराज शख्स जमा करनेवाले या उसके मुख्तार के हाथ का तेहरीरी होना चाहिये वर्ना महज रकम के जमा होने से मियाद नहीं बढती. इसलिये यह दिक्कत तो अपने आप ही रफे होगई. लिहाजा जो तजवीज कीगई है वह मुनासिब है.

अहमदनूरखां साहब—जैसा कि लॉ मेंबर साहब ने फरमाया है कि मुसलमानों के मुताल्लिक भी रजिस्ट्री का कानून बनाया जावे. मुसलमानों में तलाक का मसला साफ और सरीह है. मुसलमानों के मजहब में अक्द सानी हो सकता है, उनका मजहब उनको तलाक देने को रोक नहीं सकता. इसलिये इस मसले को उनके साथ मुन्सलिक करना ठीक न होगा. खिलाफ इसके हिंदू कौमें जिनमें ऐसा होता है कि कोई औरत शौहर के जीते जी दूसरा शौहर करे, यह नाजायज है. जायज होने के लिये ऐसा किया जाता है. अज बराह रास्त जैसा कि आपने फ़रमाया है जवाब मिला है कि दूसरा नात्रा तक जायज नहीं है. मैं उन्हीं कौमों में ९५ फीसदी ऐसे वाके बतला दूंगा, जिनमें नात्रा होता है और मुकदमे चले हैं मेहज party feeling होती है नतीजा यह होता है कि गरीबों की खाना वीरानी होती है और मालदार लोग चाहे जितना रुपया खर्च होजावे खर्च करके औरत ले जाते हैं.

अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी—मेरी गुजारिश यह है कि इस वक्त मसला जेर बेहस यह है कि आया फारिगखती की रजिस्ट्री लाजमी करार दी जावे या नहीं. कानून का उसूल यह है कि जहां तक मुमकिन हो रिआया के लिये आसानियां फराहम की जावें और कोई ऐसा कानून नाफिज न किया जावे जिससे कि रिआया पर ना मुनासिब जिम्मेदारी आयद हो. फारिगखती की नौबत उस वक्त आती है जब कि शौहर व जौजे के तअल्लुकात खराब होते हैं और शौहर नाराज होकर अपनी जौजा को निकाल बाहर कर देता है. ऐसी हालत में शौहर से यह कब उम्मेद की जा सकती है कि वह औरत की उस आसानी के लिये कि वह नात्रा कर सके, फारिगखती की रजिस्ट्री कराने जायगा और फिर उसी हालत में जब कि यह किया जाता है कि अमूमन लोग नात्रे की ही रजिस्ट्री नहीं कराते, दफातिर और कचहरियां हेड क्वाटर्स में होती हैं, मुफस्सलात से औरतों और मरदों को फारिगखती की रजिस्ट्री कराने के लिये आना बहुत तूल अमल होगा और गरीब औरतें नात्रा करने से ही मेहरूम रह जावेंगी. इस तरह पर इन औरतों के हक्क में यह कानून एक मुसीबत का सामना हो जावेगा और मेरी राय में फारिगखती की रजिस्ट्री कराने की कोई जरूरत नहीं है.

अहमदनूरखां साहब—नागवार तअल्लुकात पैदा हो जाने की कोई वजह नहीं. इसका फैसला दो बातों में करना होगा. इसमें न किसी शहादत की जरूरत है न कुछ और, बल्कि सीधा सा रास्ता है कि अदालत के सामने अर्जी देने पर फारिगखती दिलाई जावे या नान नफका दिलाया जावे

जहांगीर बेहमनशा साहब—दो में से एक करना होगा. जहां Marriage sanctity का तअल्लुक है वहां कानून की पाबन्दी कराने में सख्ती नहीं पाई जावेगी. इसकी रजिस्ट्री करने से Marriage के Social position ठीक हो जावेंगे और status भी बढेगा. नहीं तो जैसे बाजार का सौदा होगा आज पसंद नहीं हुवा कल दूसरा कर लिया, इससे उसकी अच्छी तरह से रुकावट हो जावेगी.

गुरदयाल साहब—हुजूर आली, जिन औरतों के शौहर मर चुके हैं उनके मुतअल्लिक तो तनाजा ही नहीं है; जिनके शौहर जिन्दा हैं और वह नात्रे के लिये तैयार हैं, नात्रा हो जाने से जौजा के दरम्यान वह रिश्ता खाविन्द व जौजे का पैदा नहीं होगा जब तक कि कवाअद नात्रे के मुताबिक रजिस्ट्री न हो. रजिस्ट्री न होने की हालत में मियां बीबी न माने जांयगे, अगर औरत चली भी जावे तो कुछ नहीं कर सकता. अब देखना यह है कि जब कोई शख्स नई औरत करता है तो उसकी मंशा यह होती है कि मेरी बीबी कहलाये इसलिये रजिस्ट्री कराने की दरख्वास्त देता है. रजिस्ट्री के फार्म में एक खाना होता है कि औरत का शौहर है या नहीं. जहां पर यह लिखा है कि इसका शौहर है, या अगर यह मान लिया जावे कि उसके खाविंद ने छोड दिया है, तो उसके नाम एक नोटिस जारी किया जायगा. तब वह कहेगा कि मैंने छोड दी या नहीं, अदालत दीवानी में नालिश की जावे कि डिक्री दी जावे. यह हालत न हो कि रजिस्ट्री करदी जावे. झगडा ही कौनसा रहता है बल्कि औरत इतना बतला देगी कि शौहर है फलां जगह रहता है. सिर्फ एक नोटिस जारी होने से तवालत नहीं रहेगी.

हुजूर मोअल्ला—ऐसे नोटिस देने से आपस की रंजिश तो न बढ जायगी जिस्से नौबत कत्ल की आ जावे ?

गुरदयाल साहब—जैसे ही आजादी मिली और उसको मालूम हुवा तो आज यहां से निकल कर कल दूसरी जगह.

हुजूर मोअल्ला--एक बात तो ऐसी है कि दर परदा जब रजिस्ट्री होगी और नोटिस दिया जायगा तब ऐसा न हो कि रंजिश बढ जावे, क्योंकि वह उसका आशिक है. वह खयाल करता है कि ऐसे तो मेरे हाथ नहीं आती है, मैं खाविंद को कत्ल कर दूं. कहीं झगडे न पैदा होने लगें, इसपर आप नजर करलें.

गुरदयाल साहब--इन वाकआत से जाहर होता है कि यह मसला माना हुवा है कि औरत उसके इख्त्यार से बाहर हो जाती है.

हुजूर मोअल्ला—वकील साहब, यह मेरा खयाल है कि इतनी आजादी रियासत में नहीं है.

जहांगीर बहमन्शा साहब—ऐसा बहुत होता है.

गुरदयाल साहब--होता किसका है जो गरीब आदमी है. पैसे वाले के उसी कौम के लोग मददगार हो जाते हैं. जिस गरीब की शादी एक बार हो चुकी है उसके लिये दो मुशकिलात हैं. एक तो वह अपनी औरत को संभालने की काबिलियत नहीं रखता दूसरे हिंदू सुसायटी ऐसी है कि जिसमें औरत को ऐसा इख्त्यार नहीं है कि औरत छोड देगी, भाग जायेगी, खाविंद से चली जावेगी लडकों को ले जायगी.

मथुराप्रसाद साहब—इन सब बातों पर गौर करते हुये गवर्नमेंट तमाम बातें पंचायत बोर्ड और पब्लिक के हाथ में देती जारही है. पंचायत वगैरा के जर्ये से मामलात तय होते हैं, अगर कानून बनाया गया तो मुकद्दमे बाजी बढ जावेगी जो बहुत तूल तवील मामला हो जावेगा. इसलिये मेरी राय में कानून को लागू करना मुनासिब नहीं है.

जहांगीर बेहमनशा साहब—मामला मुशकिल होगा या दिक्कत बढेगी उसी की खातिर Immorality बढाना क्या कोई ठीक बात है ? इस्से ज्यादे और मुशकिल बढ जावेगी.

लॉ मेम्बर साहब—इसके मुतअल्लिक जैसा कि मैंने अर्ज किया था कुछ मजीद वाकफियत मालूम हो जाने की जरूरत है

हुजूर मोअल्ला—इस सवाल को साल आयंदा पर रक्खा जावे. इस दरम्यान में लॉ मेम्बर साहब इसके मुताल्लिक मजीद वाकफियत हासिल करलें. फिर यह सवाल पेश किया जावे.

तजवीज नंबर २४, फर्द नंबर २

नोट:—इस तजवीज के मुतअल्लिक व तारीख १३ नवम्बर सन १९२२ यह करार पाया था कि मुजव्विज कानून मजहबी औकाफ की तरमीम के मुतअल्लिक अपनी तजवीज पेश करें.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:——

एक्ट मजहबी औकाफ कमेटी दफा १३ में हस्ब जैल तरमीम फरमाई जावे:——

कमेटी मजहबी औकाफ देह के आगे का कुल मजमून कम कर दिया जावे व हस्ब जैल मजमून बढाया जावे:——

इन कमेटियों के मेंबरान पंचायत बोर्ड्स के मेम्बरान ही समझे जावेंगे और वही इसके फरायज को अंजाम देवेंगे. कमेटी मजहबी औकाफ तहसील के मजमून में लफ्ज 'ता हयात' है वह कम किया जाकर उसके बजाय 'पांच साल तक' बढाया जावे.

इसी तरह कमेटी मजहबी औकाफ जिला के मजमून में भी तरमीम की जावे.

यह तजवीज मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने पेश की.

रामचन्द्र साहब बोहरा—मैं ताईद करता हूं.

गुरदयाल साहब—मैं इस तरमीम की मुखालफत करता हूं. हुजूर आली, यह सवाल एक शिकायत पैदा करता है कि औकाफ कमेटी के मेम्बर अपना काम नहीं करते इसके लिये कानून बदल दिया जावे और बजाय इसके उसका तअल्लुक बोर्ड पंचायत से कर दिया जावे. यह चाराकार तो ठीक नहा है कि कानून बदल दिया जावे बल्कि मेम्बर जो उसका काम नहीं करते वह अल्हेदा कर दिये जायें और ऐसे मेम्बर मुकर्रर किये जायें जो उसका काम करें. यह चाराकार होता है. इस वजह से मैं इस तरमीम की मुखालफत करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—कुल तरमीम की मुखालफत करते हो?

गुरदयाल साहब—जी हां.

लॉ मेम्बर साहब—आपकी दो तजवीजे हैं. कानून में हिदायत है कि एक तो देहा कमेटी हो और हर तेहसील में एक परगना कमेटी और उसके बाद जिला कमेटी; देह कमेटी हर तहसील में किसी एक गांव या चन्द देहात के हल्के के लिये मुकर्रर की गई है. हर कमेटी के कम से कम तीन मेम्बर होंगे जिनमें से कम से कम एक जमींदार होगा. कमेटी के मेम्बरान की नामजदगी सूबे साहब करेंगे. जब तक सूबे साहब ब इल्लत गफलत या बदलियाकती उनको अल्हेदा न करें वह ताहयात कायम रहें यह मौजूदा कायदा है. आपकी तजवीज यह है कि कुल इबारत बदल दी जावे. सिर्फ यह लिख दिया जावे कि पंचायत बोर्ड के जो मेम्बर हों वह देहा कमेटी के मेम्बर होंगे. इसमें दो बातें हैं. सूबे साहिबान जो मेम्बरान देह औकाफ कमेटी को नामजद करते हैं उसमें लिहाज यह रखते हैं कि मुख्तलिफ मजहबों और मुख्तलिफ फिर्कों के लोग उसमें शरीक हों. अगर कोई दूसरी कमेटी इसके लिये कायम न हो और पंचायत बोर्ड ही इस काम को करे तो यह बात हासिल न होगी. मौजूदा कानून के लिहाज से सिर्फ तीन साल तक पंचायत बोर्ड के मेम्बरों का तकर्रुर किया गया है तो लाजिम यह होगा कि हर तीसरे

साल इसका लौट पलट हो. परस्तिशगाहें मुख्तलिफ मजहब की मुख्तलिफ मुकामात में हैं. देहा कमेटी को उनके मुतअल्लिक पूरी वकफियत है क्योंकि उसमें हर मजहब के लोग शरीक हैं और यह बात पंचायत बोर्ड के मेम्बरान को हासिल नहीं. देहा कमेटी के मेम्बरान के लिये यह मुनासिब न होगा कि हर तीसरे साल बदल दिये जावें. अगर वह अपना काम अच्छी तरह कर सक्ते हैं तो कोई वजह नहीं कि वह अर्से तक उस पर कायम न रखे जावें. तहसील और जिला कमेटी के मुतअल्लिक मौजूदा कायदा यह है कि ताहयात उसके मेम्बर होंगे ता वक्ते कि सूबे साहब उनकी गफलत या बदवजई या इस्तेफा देने की वजह से उनको अलहेदा न करें.

आपकी तजवीज यह है कि बजाय ताहयात के सिर्फ पांच साल तक, यह मेम्बर रहेंगे. चूंकि इसमें सवाल नामजदगी का है सूबे साहब को इख्तियार है कि गफलत की हालत में वह हर वक्त तब्दील या बरखास्त करसक्ते हैं. ताहयात में यह सवाल नहीं आता कि कोई नालायक शख्स अलहदा न किया जायगा. इसमें किसी तब्दीली की जरूरत मालूम नहीं होती. पांच साल से पहिले भी बसूरत नालायक होने के अलहदा हो सक्ता है. और अगर लायक है तो बाद में भी काम कर सकेंगे. जिन लोगों ने इस काम में दिलचस्पी ली है तो कोई वजह नहीं है कि पांच साल के बाद भी वह मेम्बर न रहें. आप साहिबान बाद गौर अपने ख्यालात का इजहार करें.

होम मेम्बर साहब—हुजूर मुअल्ला ! इस तजवीज में एक खास बात तजवीज पेश करनेवाले साहब ने यह भी बताई है कि मेमोरेन्डम नम्बर १२ के ठहराव के नम्बर ४९ की अभी तक तामील नहीं हुई. मेरी राय में मुजव्विज साहब ने इस मुआम्ले में पूरी तौर से हाल दरियाफ्त नहीं किया; क्योंकि दफ्तर औकाफ कमेटी को पूछने से मुझे मालूम हुआ है कि इसकी तामील की गई है और जमीय सूबे साहबान के नाम अन्दरीं बारे एहकाम जारी हो चुके हैं. तजवीज में मुजव्विज साहब ने यह गुजारिश की है कि ३९ गांव की निगरानी पंचायत बोर्ड के सुपुर्द की जावे. मगर इस तजवीज में जैसा कि अभी लॉ मेम्बर साहब ने बतलाया यह नुक्स पैदा होगा कि मसजिद व मन्दिर की निगरानी के लिये जो मुख्तलिफ कमेटियां मुकर्रर की जावें, उनमें सब धर्म के मेम्बर साहबान होना चाहिये यह मकसद हासिल होने नहीं पावेगा, क्योंकि पंचायत बोर्ड की कायमी में यह उसूल नहीं है और यही बात खास तौर से हासिल करने के लिये मेमोरेन्डम नम्बर १२ के ठहराव नम्बर ४९ में कोशिश की गई थी. मासिवाय उसके यह काम पंचायत बोर्ड के जिम्मे करना पंचायत बोर्ड के मौजूदा कायदे के खिलाफ होगा. इसमें कोई शक नहीं है कि जो दिक्कतें मुजव्विज साहब ने देह कमेटी के मुतअल्लिक पेश की हैं वह जरूर पेश आती हैं और सेन्ट्रल औकाफ कमेटी ने भी इसको महसूस किया है; लेकिन यह अभी तक मेरे समझ में नहीं आता कि जब दरबार ने इस कदर कसीर तादाद में इस नेक और पाक काम के लिये सरमाया मुकर्रर किया है तो फिर क्या वजह है कि इस मुआम्ले में मेम्बर साहबान कमेटी जिस कदर दिलचस्पी लेना चाहिये वैसी नहीं लेते. अगर यह कहा जावे कि यह काम मुश्किल है या इसके लिये फुरसत नहीं मिलती तो मेरी नाकिस राय में यह दलील फिजूल है. क्योंकि जब हम यह देखते हैं कि जिन अजलाय में मेम्बर साहबान कमेटी दिलचस्पी और मेहनत लेते हैं वहां नतीजा तसल्लीबख्श और खातिरख्वाह नजर आता है तो अगर कुछ अजलाय में यह काम असलूबी से और उम्दगी से चल सकता है तो दीगर अजलाय में भी वह होने के लिये कोई खास अम्र माने नजर नहीं आता. बहर हाल इस हालत को मद्देनजर रखकर दरबार ने एक स्पेशल कमेटी, औकाफ कमेटी के काम में किस तरह आयन्दा इस्लाह की जावे इस मसले पर गौर करने के

लिये मुकर्रर की है. उस कमेटी की रिपोर्ट पेश होने पर दरबार ने उसके निस्बत मजलिस की राय तलब की है. वह दरबार मुअल्ला की खिदमत में पेश होने पर जो हुक्म मुनासिब होगा वह दिया जावेगा. स्पेशल कमेटी ने अपनी राय हस्ब जैल दी है :—

"ठहराव नम्बर ८, स्पेशल कमेटी औकाफ.

चिट्ठी होम मेम्बर साहब, नम्बर १८०३, तारीख ८ नवम्बर सन १९२० ई० में जो उमूर दर्ज हैं उनपर कमेटी ने अच्छी तरह से गौर किया और यह करार पाया कि कमेटी को जुम्ला उमूर मजकूरा बाला से इत्तफ़ाक है बजुज इसके कि मेम्बरान जातवारी के हिसाब से न चुने जावें, बल्कि मजहब के लिहाज से उनका इन्तखाब हो और उसमें उस मजहब के लोग मुन्तखिब किये जावें जिनके मजहब की परिस्तशगाहें उस कमेटी के इलाके के अन्दर हों. इन मरातिब को उन कवायद में इजाफा कर दिया जावे जो जेर दफा १३, मुरत्तब हुये हैं और जो ग्वालियार गवर्नमेन्ट गॅझेट तारीख २३ नवम्बर सन १९१८ ई०, सम्वत १९७५ के हमराह शाया हुए हैं.

इसके सिलसिले में कमेटी को एक अमर गुजारिश करना मुनासिब मालूम होता है वह यह है कि देह कमेटियां अब अमूमन न कायम की जावें. अब जो कवायद मुरत्तिब होंगे उनकी रू से एक रजिस्टर रखना होगा. उसकी तकमील के वास्ते और नीज प्रोसीडिंग्स के वास्ते एक ख्वांदा आदमी की जरूरत है. देहात में ऐसे आदमी का दस्तयाब होना मुश्किल ही नहीं बल्कि बाज औकात नामुमकिन है, इसलिये कमेटी की तजवीज है कि :—

आम तौर से देह कमेटी न मुकर्रर की जावे बल्कि परगना कमेटी से देह में कोई निग्रांहाल नम्बरदारान या काश्तकारान में से मुकर्रर कर दिया जावे जो देह कमेटी का काम अन्जाम देगा और देह कमेटी सिर्फ उसी मुकाम पर कायम की जावे जहां परस्तिशगाहों की तादाद ज्यादा हो

यह तजवीज दरबार के गौर के लिये पेश हो चुकी. इसके सिलसिले में मजलिस आम की जो कुछ भी राय थी वह दरबार मुअल्ला ने सुन भी ली है. दरबार जो कुछ हुक्म मुनासिब होगा वह देंगे. ऐसी सूरत में अब इस मसले पर एक खास बहस करके ठहराव करने की मेरी नाकिस राय में चन्दां जरूरत नजर नहीं आती.

हुजूर मुअल्ला—मुख्तासिर अलफ़ाज में इसके मानी यह हैं कि मुआमला जेर गौर है. मुझे अफसोस है कि मैं परसों यह कहना भूल गया था कि एक कमेटी कायम की गई है. उसकी रिपोर्ट का इन्तजार है. सजेशन्स जो पेश हुए हैं इनको मद्देनजर रक्खा जावेगा और जब उसका निकाल किया जावेगा उसके नतायज पर गौर किया जावेगा.

तजवीज नम्बर २५ फर्द नम्बर २.

नोटः—इस तजवीज के मुतअल्लिक ब तारीख १३ नवम्बर सन १९२२ ई०, यह करार पाया था कि मुजव्विज साहब जमींदारान के लडकों को तालीम दिये जाने की निस्बत तजवीज करें.

अहमद नूरखां साहब—मैंने कोई ऐसी सिफारिश नहीं की है कि जमींदारान के बच्चों को नौकरी के लिये कोई हक मुरज्जह दिया जावे. जमींदारों के बच्चों के लिये दरबार मुअल्ला ने जो तजवीज फरमाई है वह बहुत काफी है. मेरी गुजारिश सिर्फ इसकदर है कि शौकीन बच्चे जमींदारों के जो ग्वालियार में रहकर अपने उसरत या किसी और वजह से तालीम हासिल न कर सकें तो उन्हीं से

यह कैद उठाली जावे कि सरकारी स्कूल में तालीम नहीं पाई या पटवारगिरी नहीं की. इसमें किसी का कुछ नुक्सान नहीं है. अगर लडका कामयाब हुआ तो फबहा वर्ना फेल होने पर अपनी लियाकत से वह अपने कारोबार जमींदारी में फायदा उठावेगा.

हुजूर मुअल्ला—आपने curriculum देखा होगा जो इसके लिये मुकर्रर किया गया है कि जमींदारान के लडकों को यह बातें पढकर पास करना चाहिये और वह इस लायक हो जावें कि अपना काम करके अपने घर का काम चलायें. लेकिन मुझे ख्याल है कि मैंने इसकी बाबत हुक्म दिया है कि मेरी उम्मेदें जमींदारान से क्या हैं. मेरा ऐसा खयाल है कि वह कागजात गांव गांव तक्सीम हो गए हैं आयन्दा अल्लाह मालिक है. मैंने जो पूना में स्पीच दिया था वह मैंने जमींदारान को तक्सीम करा दिया है. मेरी राय में अगर जमींदारों के लडकों को यह इम्तहान पास करना हो तो यह तरीक ठीक है. अव्वल उनको पटवारी का काम करना चाहिये ताकि उनको वकफियत हो जाय बाद को गिरदावर कानूनगोई का रास्ता खुला है. इसमें फायदा यह है कि उनको काम से पूरी वकफियत हो जावेगी. पहले वह अपने हाथ से कुछ बरस तक काम करलें व उसके हर पहलू को समझ लें तो फिर कायदा ही इस बात को कहता है कि पांच साल के बाद उनको गिरदावरी दी जावेगी. मेरी राय में इसको रद्दोबदल करने की जरूरत नहीं है.

अहमद नूरखां साहब—बहुत मुनासिब है. अगर बजाय ५ साल के २ साल हो जाता तो बेहतर था.

हुजूर मुअल्ला—मैं समझता हूं कि अभी ऐसा ही रहना चाहिये.

तजवीज नम्बर २८, फर्द नम्बर २.

नोट :—इस तजवीज के मुताल्लिक ब तारीख १३ नवम्बर सन १९२२ ई० यह करार पाया था कि मेम्बर साहबान मजलिस आम में से हस्ब मन्शाय सरक्यूलर नम्बर ३, सम्वत १९७७, मजर्ये दफ्तर पेशी ऑफिसर साहब Advisory Committee के मेम्बरान का चुनाव कर लिया जावे.

लॉ मेम्बर साहब—सिर्फ एक काम बाकी है और वह इलेक्शन का तय करना है. आप साहिबान को मालूम हो चुका है कि चार शख्सों का इन्तखाब करने वाले आपही लोग हैं. इन्तखाब किसका किया जावे, एक शहर लश्कर से एक उज्जैन से एक प्रान्त गवालियार से और एक प्रान्त मालवे से ?

हुजूर मुअल्ला—किसके नाम तजवीज किये गये ?

लॉ मेम्बर साहब—वोट्स ले लिये जावें.

हुजूर मुअल्ला—बेहतर है कि आप चार नाम तजवीज करके दरबार को भेजें.

जमनादास झालानी साहब—हुजूर मुअल्ला, जो इन्तखाब के लिये इर्शाद फरमाया गया है वह मेम्बरान मजलिस आम में से होंगे या इस से बाहर के ?

पोलीटिकल मेम्बर साहब—जो रेग्यूलेशन पास हुआ वह क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूं. उसका मतलब शायद आप भूल गये हैं. सरक्यूलर नम्बर ३, सम्वत १९७७ की इबारत की तरफ तवज्जुह दिलाकर पोलिटिकल मेम्बर साहब ने कहा एडवाइजरी कमेटी के मेम्बरान का इलेक्शन मेम्बर साहिबान मजलिस आम से होना है. इनमें से किसका करना लाजिम है इसकी शरह करने की जरूरत मालूम नहीं होती.

जमनादास झालानी साहब—जो शख्स मालवे के रहने वाले हैं वह ईसागढ के लिये बराबर नाम नहीं बता सक्ते.

हुज़ूर मुअल्ला—आप आपस में decide करलें.

तजवीज नम्बर २९, फर्द नम्बर २.

नोट:—इस तजवीज के मुतअल्लिक़ तारीख १३ नवम्बर सन १९२२ ई० को क़रार पाया था कि मुजव्विज, ट्रेड डिपार्टमेन्ट में जाकर इस मामले की मिसल देखलें और तजवीज को आज पेश करें.

मूंगालाल साहब—हस्बुलहुक्म हुज़ूर मुअल्ला इस तजवीज के मुतअल्लिक ट्रेड मेम्बर साहब से जो वक़फियत मैंने हासिल की है उससे मालूम हुवा है कि मेरी गुज़ारिश एक लाइन की बाबत है मगर पांच सात लाइनें निकालने की बाबत मामला दरपेश है और उन लाइनों के मुतअल्लिक दीगर रियासतों से लिखा पढी हो रही है. लिहाजा मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

जमीमेजात नंबर १, २ व ३, मुन्दर्जे एजेन्डा मजलिस आम.

लॉ मेम्बर साहब—एजेन्डा के अखीर में ३ जमीमे है. जमीमा नम्बर १ तजावीज मुतअल्लिक कानून माल. इन तजावीज पर सरेदस्त गौर करने की जरूरत नहीं है. कानून माल का नया मुसव्विदा दरबार के जेर गौर है जो अनक़रीब आम व खास की राय के लिये शाया होगा. अवाम की रायें आने पर इन तजावीज पर भी गौर किया जावेगा.

जमीमा नम्बर २—यह वह सवालात हैं जो जाब्ता फौजदारी की तरमीम के मुतअल्लिक हैं. महकमे का अर्से से यह खयाल है कि जाब्ता फौजदारी की तरमीम की जाय, लेकिन इससे पाहिले मजमूए कवानीन फौजदारी (पिनल कोड) की तरतीब जरूरी थी. चुनाचे जदीद ताजीरात गवालियार गुजश्ता सितम्बर में मजलिस कानून से पास हो चुकी है. जाब्ता फौजदारी के जदीद मुसव्विदे की भी गजट में इशाअत होगी उस वक़्त इन सवालात पर लिहाज किया जावेगा और जो मैंने कानून माल के मुतअल्लिक़ कहा है वही इसके मुतअल्लिक भी समझिये.

जमीमा नम्बर ३—इसमें वह तजवीज दर्ज हैं जो मेम्बर साहिबान की जानिब स वसूल हुई हैं. लेकिन दफा २२ कवायद मजलिस आम के देखने से मालूम होगा कि वह उन हेड्स में नहीं आतीं जिनका जिक्र दफा २२ में है. दफा २२ में मेम्बर साहिबान को खास खास मजामीन के मुतअल्लिक तजावीज पेश करने का हक हासिल है मगर यह तजावीज किसी हेड में नहीं आतीं; इसलिये मेंबरान की तवज्जुह दिलाना इस तरफ काफी होगा कि आयन्दा जब वह ऐसी तजावीज पेश करें तो देखलें कि दफा २२ के हेड्स में तजवीजें आती हैं या नहीं. मुमकिन है कि शायद कहीं गलत फेहमी हो जाये इसलिये तजवीज के अखीर में ब्रेकिट में यह भी दर्ज कर दिया जाव कि यह तजवीज किस हेड में आती है. इतना और कर दिया जावेगा तो गलत फेहमी न रहेगी.

लॉ मेम्बर साहब—कोशिश इस बात की की गइ है कि मजलिस आम के रोजाना काम की प्रोसीडिंग्स दूसरे रोज छपकर शाया हो जायें ताकि मजलिस में पेश की जावें. इन प्रोसीडिंग्स में

मुमकिन है कि कहीं कहीं कुछ कुछ अलफाज की कमी हो गई हो इसलिये प्रोसीडिंग्स के ऊपर नोट लगा दिया गया है कि मेम्बर साहिबान मजलिस आम इस प्रूफ कापी को बगौर देखलें और उनके खयाल में ऐसी कोई बात दर्ज होने से रह गई हो या जायद दर्ज हो गई हो जोकि उनकी तकरीर के खिलाफ हो तो वह प्रूफ कापी में मुनासिब दुरुस्ती करके चार रोज के अन्दर सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट के पास भेज दें. लिहाजा मेम्बर साहिबान मजलिस आम मुताबिक इस नोट के प्रूफ कापी में दुरुस्ती करके कापी वापिस करेंगे, ऐसी उम्मेद की जाती है.

हुजूर मुअल्ला—

मेम्बर साहिबान मजलिसे आम !

लाख लाख शुक्र उस परवरदिगार का है कि आज यह दूसरा सेशन मजलिस आम का खत्म हुआ. मैं इस मौके पर चंद बातें आपके नोटिस में लाना मुनासिब समझता हूं. आप साहिबान अखबारात पढते हैं, उनके जरिये से मुख्तलिफ खयालात आपके सामने आते हैं और उनमें से बहुतसे खयालात attractive भी होते हैं; लेकिन यह लाजिमी बात नहीं है कि उन सब के नतीजे भी ठीक हों. इसलिये मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं इस तरफ आपका atteution draw करूं.

मुझे उम्मेद है कि आप को याद होगा कि मैं अपनी साल गुजिश्ता की स्पीच में क्या क्या बातें आप से कह चुका हूं और आप की जिम्मेदारियां भी आपको बता चुका हूं. आज सब से पहले मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि आप को सवाल frame करने का तरीका क्या होना चाहिये. आप यह देखें कि असली बातें कौनसी हैं और नुमायशी कौनसी, और आप सिर्फ असली बातों की तरफ तवज्जुह करें. उनके मुतअल्लिक सवाल frame करने से पेश्तर मजमून मुतअल्लिका के हर पहलू पर कामिल गौर करलें, बाद में सवालात frame करके दरबार में एजेन्डा में दर्ज होने के वास्ते भेजें. मसलन किसी ने यह सवाल पेश किया कि एक बहुत बडा हॉस्पिटल बना दिया जावे. यह कहना बहुत सहल है और सुनने में भी अच्छा मालूम होता है, लेकिन उस हॉस्पिटल का सर्फा क्या होगा, उस पर एक वक्त क्या सर्फ करना पडेगा और Annual expenditure क्या होगा और उसको रियासत बरदाश्त कर सकेगी या नहीं, यह सब उमूर गौर तलब हैं; और इस किस्म के पहलुओं पर गौर करके आपको अपने सवालात frame करना चाहिये. इसके साथ ही इन मुआम्लात के मुतअल्लिक जो जाब्ता, कानून व बाईलाज बन चुके हों उनको Study करके यह देखना चाहिये कि उनको जारी करने में दरबार का aim और object क्या था और इस के बाद आप को नतीजे को देखना चाहिये. मैं आपको ऑफिसरान के लिये एक तरह का रिमाइन्डर समझता हूं और अपने लिये भी कि आप मुझे याद दिलायें. मेरा और आपका बाहमी रिश्ता करीब करीब यह होगा कि आप होंगे Solicitor और मैं हूंगा बैरिस्टर. आप मुझे याद दिलायें कि आपका फलां हुक्म तो यह है मगर उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, उसके निस्बत अब हम यह सिफारिश करते हैं या आपकी इजाजत से फलां गवर्नमेंट मेम्बर साहब का attention draw करना चाहते हैं कि दरबार के उस हुक्म की तामील नहीं हुई. अगर काम करने में यह पहलू इख्तियार किया गया तो आप यकीन कीजिये कि ऐसा करने से बहुत बडा नफा होने वाला है. इसवक्त तक जो कुछ होचुका है उसकी निस्बत यह देखना चाहिये कि वह ठीक रास्ते पर लग गया या नहीं और नतीजा उसका क्या हुआ. नीज कारहाय मुतअल्लिका ठीक तौर से अपने रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं. साहबान! पहिले हमको इतना करलेने दीजिये, वर्ना यह होगा कि पिछला करा कराया एक जगह खत्म हो जायगा और नई बातें बीच में आकर नतीजा यह निकलेगा कि न

यह होगा और न वह होगा. इसलिये मैं जोर से सिफारिश करता हूं कि अगर आप इस पहलू पर चलेंगे तो नफा होगा. अगर कोई बात आपको मालूम न हो या आपकी समझ में न आवे या लाईब्रेरी के रिकार्ड देखने और मेम्बर मुतअल्लिका से दरयाफ्त हाल करने पर भी आपका इत्मीनान न हो तो सवाल को एजेन्डा में दर्ज कराने से पहिले आपको मुझसे मिलकर पूछ लेना चाहिये. यह भी आपको देखना चाहिये कि दरबार ने जो कुछ किये जाने के लिये हुक्म दिया है उसकी पूरी पूरी तामील हो गई है या नहीं. मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक जो कुछ हो गया है अगर उसी की पूरी तामील अज जानिब रिआया व ऑफिसरान हो जाय तो दस बरस के अन्दर मैं गारन्टी करता हूं—यह छोटे मुंह बडी बात है—कि कुछ का कुछ हो जायगा. मौजूदा हालत में असली तामील न होने से बहुतसा progress दिखाई नहीं देता, सिवाय ऊपरी ऊपरी बातों के.

हमारा और आपका object एक है इसमें कभी दो रायें नहीं हो सकतीं. यानी मैं रियासत की फलाह, रियासत की बहबूदी और रियासत की दौलतमंदी चाहता हूं और यही आपका भी मकसद है, इसीलिये मैं समझता हूं कि हमारी और आपकी दो रायें नहीं हो सकती हैं और जब मेरा और आपका point of view एक है तो हमारे और आपके दरमियान मुद्दई और मुद्दाइलेह की शक्ल पैदा नहीं हो सकती. लिहाजा इस बात की तरफ भी मैं आपकी तवज्जुह दिलाता हूं और इस्तदुआ करता हूं कि इस पहलू को आप इख्तियार करें और इसी पहलू से सवालात frame किया करें.

साहिबान ! एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि आप देखें कि को-ऑपरेटिव सोसायटीज की क्या हालत है और उनको जारी रखना चाहिये या नहीं. चुनांचे मेरी ख्वाहिश है कि आप साहिबान डायरेक्टर ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज के पास जमा होकर इन सोसायटीज को आयन्दा कायम रक्खे जाने की निस्बत अपनी राय देवें. मेरा ख्याल तो यह है, जो मुमकिन है गलत हो, कि जैसा इन सुसायटियों से फायदा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ. अगर आप की राय में इनको बंद करना मुनासिब हो तो मैंने एक तजवीज बहुत अच्छी सोच रक्खी है, सुसायटीज का रुपया उसमें divert कर दूंगा जिससे बहुत जल्द नफा होगा और काम असलूबी से चलेगा.

ऑफिसरान से मेरी एक खास इस्तदुआ है और वह यह है कि वह अपने रोजमर्रा के काम के लिये एक लिस्ट रक्खें और जो इम्पॉरटेन्ट मैटर्स (Important matters) हों उनको उस पर नोट करके उनको सब से पहले deal with किया करें, बाद को रोज का मामूली काम देखें. सवाल यह पैदा होता है कि मैं यह suggestion क्यों करता हूं ? इसकी वजह यह है कि सन १९२० ई० की जमींदारी कॉन्फरेन्स में दरबार का हुक्म १३ अक्टूबर सन १९२० ई० को हुआ था कि " कमीशन की रिपोर्ट सम्वत ७७ पेश होने पर हस्ब जैल हुक्म दिये जाते हैं वगैरा वगैरा. " आप देखें कि यह हुक्म है सन १९२० का, और यह सन है १९२२, मगर अभी तक कोई कार्रवाई इस बारे में नहीं हुई. अगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फॉरेस्ट से पूछा जाय कि भाई क्या तुम कामचोर हो या काम नहीं करते तो मैं यह कहने को तैयार हूं बल्कि हलफ से कहने को तैयार हूं, कि वह सुबह से लेकर रात के १२ बजे तक काम करते हैं; लेकिन क्या करते हैं ? कुछ नहीं !! यह हुक्म जिसकी तामील नहीं हुई फारेस्ट डिपार्टमेन्ट का Foundation है, क्योंकि इसके जर्ये से डिपार्टमेन्ट को अजसरेनौ दूसरी शक्ल दी गई है जो मुफीद मतलब रिआया और मफीद मतलब दरबार है. इस मुफीद मतलब तजवीज क दो बरस तक पड़ी रहने के माना क्या हैं ? तर्जे अमल यह है कि जब हुक्म पहुंचा होगा तब कहा गया कि फलां फलां जगह को चिट्ठियां लिख दो. जवाबात छै सात महीने में आये, मगर जवाबात आने में इतनी देर क्यों लगी, इससे उन्हें कुछ concern नहीं.

अगर दरमियान में मिसल पेशी में आई तो कह दिया कि अभी रहने दो. अगर ऊपर से इस बारे में जवाब मांगा गया तो लिख दिया गया कि अभी जवाबात पूरे नहीं आये हैं; इस तरीक से साल भर इस कार्रवाई में निकल गया. दफ्तर में काम रोजाना जरूर चल रहा है, लेकिन जो बात चाही गई वह दो बरस तक नहीं हुई, यानी मेरे नजदीक जो real work था वह होने से रह गया. फिर ऐसी कार्रवाई में क्योंकर पसंद कर सकता हूं ? ऐसा ही लश्कर म्युनिसिपेलिटी का Electric light का मामला है. अफसोस तो इस बात का है कि लोगों ने हलफ सा उठा लिया है कि जो सीधा रास्ता बताया जायगा उस पर नहीं चलेंगे; और यह एक बडी मुश्किल पेश आई है. मगर आप को मालूम होना चाहिये कि एक मियान में दो छुरा नहीं रह सकतीं और जो हुक्म दिया जाय उसकी तामील करना आप का फर्ज है. मैंने एक ऑफिसर से कहा कि फलां मुआम्ले की तुम जाकर तफतीश कर लाओ उसने आकर एक मुख्तसिर रिपोर्ट सुनादी, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं किया. मेरे expectations क्या थे ? मुझे उम्मेद थी कि वह अपनी जान झोंकेगा और मुआम्ले की root को पहुंचेगा मगर ऐसा नहीं हुआ. इसी तरह एक और important matter की तफतीश के लिये मैंने एक दीगर ऑफिसर को भेजा. उसकी वापसी पर जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पेनसिल से नोट्स भी लिखे हैं तो जवाब दिया कि सब जबानी हाल है. आप बताइये कि ऐसी सूरत में क्या किया जाय ? अब आप कहें तो हाथ जोडकर अर्ज करूं, आप कहें तो पांव पडकर अर्ज करूं कि आप लिस्ट रखिये और उसमें important cases को नोट कीजिये और पहिले उनको deal with कीजिये, बाद में दीगर को देखिये. ऐसी लिस्ट न रखने की वजह ही थी कि फॉरेस्ट के demarcation का मुआम्ला अभी तक तय नहीं हुआ. स्कीम बन गया, वह मेम्बर साहब के यहां गया, वहां से आए-बाए-शाए करके भेज दिया गया, मुआम्ला झगडे में पडगया, और आखिर में दो कागजों में वह खत्म हुआ. इसमें देखने की बात यह है कि जब एक काम के करने के लिये दरबार से हुक्म मिल चुका था तो उसे सबसे पहले करना चाहिये था, वर्ना कोई चौबीस घन्टे भलेही काम करता रहे मगर वह हमारे किस काम का है ? जब हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ तो हम नहीं कह सकते हैं कि उसने क्या काम किया. यह बडे शर्म की बात है !! लिहाजा इस को याद रक्खो कि मैंने list रखने की बाबत हाथ जोडकर इस्तदुआ की है.

साहिबान ! यह एक बहुत important मसला है और काबिले गौर हर खासो आम है. आज कल दुनियां ने यह अजीब किस्म का तरीका इख्तियार किया है कि बिगाड तो है मेरा तुम्हारा, मगर उसका बदला लेने के लिये या उसके मुतअल्लिक Scandal बनाने के लिये लोगों ने यह आम तरीका इख्तियार कर लिया है कि खुदा के नाम का बहाना लेकर लड मरते हैं और मजहबी रंग देकर आपस में मार-पीट करते हैं. याद रक्खो कि यह बडे अधर्म की बात है !! अगर तुम्हें लडना है तो कोर्ट में जाओ जो इसी लिये बनाये गये हैं. वहां जाने से अगर बेसमझी होगी तो वह clear होजायगी और अगर नेक मशवेरे की जरूरत होगी तो वह भी मिल जायगा मगर मजहबी बहाना करके और खुदा का नाम लेकर खूंरेजी मत करो. क्या खुदा ने इस तरीक से अधर्म करने के लिये कहा है ? लिहाजा पब्लिक से मेरी यह दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि मजहबी आड में खूंरेजी करना पाप है और इस तरीक से झगडा फिसाद नहीं करना चाहिये. देखिये कोलारस में क्या हुआ !! वहां झगडे की वजह देव की पालकी निकाले जाने की थी मगर आपही बताइये कि बिचारे देव ने किसी का क्या बिगाडा था ! मुझ को सब मजहब बराबर हैं. मैं किसी मजहबी चीज को बीच में डालकर झगडा करना सख्त अधर्म समझता हूं और उसकी ताजा मिशाल कोलारस के झगडे की है. जो लोग अपने मजहब के पाबंद

नहीं हैं वेही ऐसा करते हैं और जिन को अपने मजहब का respect होगा वह ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, यह मेरी theory है. अलावा इसके ' वहवट ' एक नया मजमून चला है, मगर समझ में नहीं आता कि मजहब में वहवट क्या चीज है. अक्सर कहा जाता है कि वहवट के मुताबिक हम इस रास्ते से जायंगे मगर किसी एक ही रास्ते से जाना कोई मजहबी बात नहीं है. हम पहिले अपने गनपती को दौलतगंज, बाडा, नयाबाजार होते हुए सख्याविलास ले जाया करते थे मगर अब हमको सुभीता इसी में है कि हम गनपति को ललितपुर दरवाजे से लेजायें. इसमें वहवट क्या है? और इस सिलसिले में वहवट का कायम करना भी ठीक नहीं है. इसीको रोकने के लिये मैंने हुक्म दिया है कि कुल रियासत के लिये Road Regulations तैयार किये जावें कि फलां मौके पर procession फलां रास्ते से जावें. मैं आपको एक वाका सुनाता हूं जिससे जाहिर होगा कि मजहब की आड में छेडखानी कैसे की जाती है. एक काजी साहब मुझसे सोयत में मिले. मैंने पूछा मिजाज शरीफ, जवाब दिया—अलहम्दुलिल्लाह. बाद में कहने लगे कि यह पीपल का दरख्त है, इसे कटवा दीजिये, इस से ताजिये निकलने में दिक्कत वाके होती है. वहां अन्दाजन पांचसौ बीघा का मैदान था, सब खेत जुते हुए थे, बीच में एक पीपल साहब खडे थे. मैंने काजी साहब से दरयाफ्त किया कि कुरान शरीफ में कहां लिखा है कि पीपल के नीचे से ताजियों को निकालो और दरख्त को काटो. मैं भी तो ताजियेदार हूं, मैंने बहुत से पीपल वक्त जरूरत हिन्दुओं के ही हाथों से कटवा दिये हैं, फिर आप मुझ से क्या कहते हैं? जब मैंने उनसे कहा कि आप जरा कुरानशरीफ को तो खोलिये और इस मसले को उसमें निकालिये, तो काजी साहब खामोश रह गये. वह बिस्मिल्लाह इर्रहमाननिर्रहीम (بسم الله الرحمن الرحيم) तक सही तौर से कहना नहीं जानते थे. आखिरकार मुझे उनसे कहना पडा कि इस मौजे में अगर कभी झगडा हुआ तो काजी साहब आप याद रक्खें कि बिला तफतीश कराये हुए आपको भैरोंगढ के जेलखाने में भेज दिया जावेगा. काजी साहब की यह दरख्वास्त भी वहवट के सिलसिले ही में थी मगर वहवट ताजिया या किसी दीगर मजहबी procession के किसी खास रास्ते से निकलने के मुतअल्लिक नहीं हो सकता है. अलबत्ता मजहब की वहवट पूजन वगैरह के मुतअल्लिक जरूर है और मजहबी किताबों में लिखा है कि पूजा इस तरह कीजाय, आर्ती इस तरह से की जाय और नैवेद्य इस तरह लगाया जावे; मगर मजहब यह नहीं कहता है कि procession फलां रास्ते से ही जावेगा. यह महज False anology और झगडे व आफत बरपा करने के लिये ground है. चुनांचे रास्तों के मुतअल्लिक जो झगडे होते हैं उनको रोकने के लिये मैं Road Regulations बनाने वाला हूं और मुझे यकीन है इससे किसी को नाइत्तफाकी न होगी. इससे यह हरगिज न समझना चाहिये कि मैं किसी मजहबी मुआम्ले में दस्तन्दाजी करता हूं.

आखरी मुआम्ला जो मुझे समझाने का है वह यह है कि जो कमेटी मैंने म्युनिसिपेलिटियों के इन्तजाम के लिये कायम की है उसके मेम्बरान को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि म्युनिसिपेलिटी के लोग अपने काम में दिलचस्पी लें और अपने फरायज को पूरे तौर से अदा करें, नाम के लिये लोग म्युनिसिपल meetings में न जावें, बल्कि वहां जाकर real good का काम करें Light और Sanitation का माकूल इन्तजाम हो और अपने शहर की रौनक बढाने की कोशिश की जावे. मैं खास लश्कर में देखता हूं कि गलियों और सडकों में मक्खियां व दीगर कीडे भिनभिनाते हैं और कोई म्युनिसिपल मेम्बर इस तरफ नहीं देखता. सिर्फ एक सराफे की सडक बना रक्खी है जिस पर वह खयाल करते हैं कि यह ठीक रहने से सब चीज ठीक है. चुनांचे मैं उम्मेद करता हूं कि यह कमेटी इन बातों पर पूरे तौर से गौर करके लोगों को यह बतलायेगी कि म्युनिसिपल मेम्बरी सिर्फ नाम के लिये नहीं होती बल्कि मेम्बरों को काम करके बताना चाहिये.

जमीमा नम्बर ६

तजावीज मुतअल्लिक कानून माल.

नम्बर शुमार.	तजवीज भेजने वाले का नाम.	खुलासा तजवीज.	कैफियत.
१	२	३	४
१	जबरसिंह सा. दीक्षित, साकिन भिंड.	मुकद्दमात सरसरी माल में मिस्ल मुकद्दमात सीगे दीवानी के तन्कीह कायम करने व तूलतवील तहकीकात करने की रोक होना चाहिये. ऐसे मुकद्दमात का तस्फिया अव्वल तारीख पेशी पर ही हो जाना चाहिये.	
२	ऐजन.	काश्तकारान की जानिब से वसूल लगान ब आसानी होने के लिये नम्बरदारान को इख्तियारात कुर्की फसल एस्तादा बजर्ये बिठलाने सेहना ब इजाजत तहसील दिये जायें.	
३	जमनादास सा. झालानी, साकिन उज्जैन.	१०० बीघे से कम रकबे की व १०० रु. से कम मालगुजारी की आराजी काश्त का बटवारा मिस्ल मौरूसी खाते के बटवारे के, तहसीलदारान को करने का इख्तियार दिया जाय.	
४	ऐजन.	गोल गांव में नादार व चालाक जमींदारान लगान वसूल करके तौजी सरकार अदा नहीं करते. ऐसी सूरत में हिसाब फहमी की डिक्री की इजरा में उनकी पट्टी कुर्क होकर तावसूली मतालबा उस नम्बरदार के सुपुर्द की जाय जिसने कि तौजी सरकार में जमा की हो.	
५	ऐजन.	कानून माल की दफा ५६, बाब ८ में शख्स काबिज को बटवारा कराने की बाबत provision है मगर 'कब्जे' की तारीफ कानून माल में न होने से दिक्कते पेश आती है; इसलिये 'कब्जा वाकई' व 'कब्जा जाब्ता' की तशरीह कानून माल की अगराज के लिये की जाय.	
६	गोविंदराव चिंतामन सा. बाटवे, उज्जैन.	मौरूसी काश्तकारान को मौरूसी खाते की निस्बत हुकूक इन्तकाल अता फरमाये जायें.	
७	विट्ठलदास सा. साहूकार साकिन आगर.	कानून माल दफा २२३ के फिकरे (१) के अखीर में इतना फिकरा मुस्तजाद फरमाया जावे कि, "काश्तकारान मौरूसी से बहालत बकिया रहने जरे लगान १) रुपया सैकडा सूद जमींदार को दिलाया जाय ख्वाह सूद का मुआहदा हो या नहीं."	

नम्बर शुमार.	तजवीज भेजने वाले का नाम.	खुलासा तजवीज.	कैफियत.
१	२	३	४
८	द्वारकादास सा० जमींदार साकिन आगर.	जो जमींदार अपने सर्फे से कुंआ खुदवाकर अडान आबाद करें और बाद को अडान काश्तकारान को दे दिया जावे तो ऐसे अडान में काश्तकारान को हक मौरूसी हासिल नहीं होना चाहिये.	
९	ऐजन.	अगर जमींदार अपनी खुद काश्त बाटे पर हाली को दे तो ऐसी सूरत में हाली का कब्जा व हैसियत काश्तकार गैर दखीलकार न समझा जावे और न उसको मौरूसी हक ही मिलना चाहिये बल्कि ऐसी आराजियां खुद काश्त की समझी जावें और ऐसे हालियों की हैसियत महज एक नौकर की समझी जाय.	
१०	ऐजन.	जो काश्तकारान कदीम से बीड चरनोई पर काबिज हैं और उनका नाम कागजात में किसी वजह से दर्ज नहीं हुआ है तो वे बेदखल न किये जांय, बल्कि उनको पट्टा मौरूसी रेटवारी के हिसाब से दे दिया जाय, और जमींदार को हिदायत की जाय कि वह साबिक ३ साल का लगान शरायत मुन्दर्जे पट्टे के हिसाब से वसूल करे.	
११	जमनादास सा. झालानी, साकिन उज्जैन.	जब बमूजिब दफा १४ कानून माल, बाद समाअत व तस्फिया उज्रदारी दाखिल खारिज का हुक्म अदालत माल से नातिक हो जावे तो शख्स कामयाब को, अगर वह गैर काबिज हो, महकमे सबात से बसीगे इजरा कब्जा दिया जावे.	

जमीमा नम्बर २

तजावीज मुतअल्लिक जाब्ता फौजदारी.

नम्बर शुमार.	तजवीज भेजनेवाले का नाम.	खुलासा तजवीज.	कैफियत.
१	२	३	४
१	जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव साकिन भिन्ड.	मुकद्दमात इख्तियारी अदालत सेशन में जूरी सिस्टम कायम किया जाये.	
२	अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी, साकिन लश्कर	जरायम काबिल दस्तन्दाजी पुलिस की समाअत ब मौजूदगी असेसर्स करार दी जाय और उनकी राय पर गौर करने के बाद तजवीज सादिर करना अदालत का फर्ज करार दिया जाय.	
३	अहमदनूरखां साहब, साकिन शाजापुर.	कानून का फायदा अमीर और गरीब दोनों को यकसां मिलना चाहिये, मगर दफा २३१, जाब्ता फौजदारी से गुरबा लोग मुस्तसना किये गये हैं. इस वजह से कि अदालत अपील से हुक्म सजा उस वक्त मंसूख होता है जब कि गरीब कैदी सजाय कैद भुगत लेते हैं और अमीर कैदी हुक्म सजा होने के बाद जमानत पर रिहा कर दिये जाते हैं और साल हा साल अदालत हाय अपील में अपील दायर करके सजा से महफूज रहते हैं. लिहाजा दफा मजकूर का फायदा दोनों को यकसां मिलने के लिये इस दफा की इबारत हस्ब जैल कायम होना चाहिये:— "जब किसी मुलजिम को जो सजायाफ्ता साबिक न हो, सजाय कैद तजवीज हो जावे और वह अपील करना चाहे और जमानत दाखिल कर सके तो अदालत मुजव्विज उसको काफी तादाद की जमानत पर रिहाई दे सकती है."	
४	जमनादास साहब झालानी, साकिन उज्जैन	जरायम काबिल तजवीज अदालत सेशन में अगर कोई जी इज्जत शख्स माखूज हो तो कमिटिंग मजिस्ट्रेट को ऐसे शख्स को ब अख्ज जमानत, तारीख पेशी पर हाजिर होने का हुक्म देना चाहिये,	

नम्बर शुमार.	तजवीज भेजनेवाले का नाम.	खुलासा तजवीज.	कैफियत.
१	२	३	४
५	जमनादास सा. झालानी, साकिन उज्जैन.	मुकद्दमात छै जरायम में अगर रियासत हाजा में सकूनत रखनेवाला मुलजिम अदालत सेशन से बरी हो और पुलिस हुक्म बरियत से नाराज होकर अपील करना चाहे तो ऐसी हालत में मुलजिम से जमानत न ली जाय बल्कि सिर्फ हाजरी अदालत की बाबत मुचलका तावानी लिखवा लिया जाय.	
६	अब्दुलहमीद सा. सिद्दीकी, साकिन लश्कर.	नाकाबिल जमानत जरायम में तीन माह तक कैद की सजा तजवीज होने की हालत में अदालत मुजव्विज को इख्तियार जमानत मुलजिम ता मियाद अपील अता होना चाहिये. नीज यह कि ब अताय मोहलत मुनासिब ता इद्खाल जमानत मुलजिम जेल न भेजा जाय.	
७	ऐजन.	मुलजिमान के खिलाफ ज्यादती सजा का अपील एक दर्जे से ज्यादा न रखा जाय.	
८	अहमदनूरखां, सा. साकिन शाजापुर.	अदालत हाय अपील को यह इख्तियार होना चाहिये कि जिस वक्त वह जुर्माना माफ करें तो जुर्माना पाने वाले को वापिसी जरे जुर्माने का चेक भी अता किया करें.	
९	अब्दुलहमीद सा. सिद्दीकी, साकिन लश्कर.	दफा १८४, जाब्ता फौजदारी दरबार की पाबन्दी की ताकीद की जाय.	
१०	लालचन्द, सा. साकिन राजगढ.	कानून में यह तशरीह की जावे कि मुकद्दमात मुतअल्लिक जरायम कस्टम्स में डिपार्टमेन्ट की तरफ से अपील सिर्फ एक दर्जा हो और मुलजिम को कुल दर्जात अपील खुले रखे जावें.	

जमीमा नम्बर ३.

खुलासा तजावीज जो कवायद मजलिस आम की दफा २२ के किसी हेड में नहीं आता.

नम्बर शुमार.	खुलासा तजावीज.	कैफियत.
१	२	३
१	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तातील बजाय एक रोज के दो रोज की की जाये.	
२	जमीअ मेम्बरान परगना, जिला व प्रांत बोर्ड्स व मजलिस आम को बिला लिहाज सकूनत व मुकाम हेड क्वार्टर भत्ता मुकर्ररा दिया जाये.	
३	(१) ऐसा इन्तजाम किया जावे कि बैंक काश्तकारी का रुपया तहसीलदारान मवाजियात में जाकर तक्सीम किया करें ताकि परगने के मुकाम को जाने व वहां पर दो चार कयाम करने की तवालत से गरीब काश्तकारान बचें. (२) आमदनी सूद बैंक काश्तकारान से तहसीलदारान को कुछ अलाउन्स दिया जाना चाहिये.	
४	उन अजलाय में जहां गर्मी ज्यादा पडती है सरकारी दफ्तरों का वक्त सुबह ६ बजे से ११ बजे तक किया जाये.	
५	दरियाय के घाट ठेका किश्ती की आमदनी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दरियाय पर मुनासिब जगह रपटें वगैरा तैयार करने के लिये दी जाना चाहिये.	
६	जिन अजलाय के हेड क्वार्टर्स में सरकारी महल या कोठी नहीं है उनमें एक एक कोठी तैयार कराई जाये व उसका नाम 'संधिया महल' रखा जाये व बरवक्त दौरा हुजूर अनवर की सवारी इस कोठी में कयाम फरमाया करे.	
७	सम्वत १९६९ से पहिले के जो पासशुदा वुकलाय हैं उनमें से बहुत से बाद के इजराशुदा कानून से पूरी वाकफियत नहीं रखते और जिसकी वजह से वह अपने मुवक्किलों को उलझाव में डाल देते हैं. चूंकि इसका इन्सदाद करना मुकद्दमे बाजी कम करने का एक जर्या है, लिहाजा इसका इन्सदाद होने के लिये व उसके मुतअल्लिक एक मुकम्मिल स्कीम तैयार करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की जाये.	
८	जमींदारान की इज्जत मजबूत होने के लिये व काम असलूबी के साथ चलने के लिये उनको दरबार से सरकारी सिक्के की चपरासें दी जाना चाहिये.	
९	बजरंगढ से सूबात, तहसील व अदालत परगना के दफातिर न उठाये जावें.	

नम्बर शुमार.	खुलासा तजावीज.	कैफियत.
१	२	३
१०	मजलिस कानून के लिये वुकलाय में से भी मेम्बरान का इन्तखाब हुआ करे.	
११	मजलिस आम में हर जिले से एक जमींदार मेंबर रक्खा गया है वह नाकाफी है. जमादार मेम्बरान की तादाद बढाई जाना चाहिये.	
१२	लश्कर, गवालियर व मुरार के लिये बजाय एक मेम्बर मजालिस आम, तीन मेम्बर यानी एक मेम्बर लश्कर के लिये, एक गवालियर के लिये व एक मुरार के लिये, आयन्दा तजवीज किया जाना मुनासिब है.	
१३	अदालतहाय जिला गिर्द व परगना गिद गवालियर व तहसील गिर्द ग्वालियर, जिनका लश्कर से कतई तअल्लुक नहीं है, ग्वालियार में मुकीम होना चाहिये. और इसी तरह जिस अदालत का जिस मुकाम से तअल्लुक हो वह उसी मुकाम पर मुकीम होना चाहिये.	
१४	खास ग्वालियार कस्बे में पानी की तकलीफ है, इसलिये वहां की रिआया की आसायश के लिये जिन कुवों में मुनासिब समझा जाये, वाटर पम्प लगाने का इन्तजाम किया जाये.	

जमीमा नंबर ४.

रिपोर्ट सब-कमेटी बाबत तजवीज नंबर १, फर्द नं. १, निस्बत बन्द किये जाने तरीका पनिहाई.

—o—

हाजरीन जलसा.

प्रेसीडेन्ट—ले.-क. कोकसिंह साहब, इन्सपेक्टर-जनरल, पुलिस.

मेम्बरान—बाबू मथुराप्रशाद साहब, जिला गिर्द.
सदाशिवराव साहब मुळे, जिला नरवर.
श्रीकृष्ण साहब, जिला तवरघार.
मयाराम साहब, जिला उज्जैन.
विश्वेश्वरसिंह साहब, जिला भिंड.
जगन्नाथप्रशाद साहब, जिला शाजापूर.
महन्त लक्ष्मणदास साहब, जिला अमझेरा.

सेक्रेटरी—वामन गणेश सहस्त्रबुद्धे.

पनिहाई की शिकायत बहुत ज्यादा बढ रही है. लोग आजादाना यह काम कर रहे हैं. इसको मेहराई, पूंछरी, व हिपनाई भी कहते हैं. पनिहाई या थांगदारी उमूमन जी असर लोग इस तरीक पर करते हैं कि अव्वल अपने मेल के बदमाशान को कहकर चोरियां करवाते हैं, या अगर खुद न करावें, तो जो २ लोग चोरियां करते हैं उनकी खबर अपने आदमी के जर्ये रखते हैं और उनसे मेल रखते हैं. जिस वक्त वह खुद चोरियां कराते हैं बाज २ थांगदार अपने कब्जे में भी माल रखते हैं या दीगर महफूज मुकामात पर माल रखा देते हैं. दीगर बदमाशान के मेल की वजह से भी उनको अक्सर खबर रहती है कि किसका माल कहां है, और किसने चुराया है.

जिनका माल चोरी जाता है वह खुद थांगदार के पास ढूंढते हुये जाते हैं या दीगर लोग जो थांगदार व चोरों से राज रखते हैं उनको थांगदार के पास ले जाते हैं. कभी कभी छोटे २ व गरीबों के मुआमलात में बिला इत्तला थांगदार के पनिहाई लेकर चोर मसरूका मवेशी वापिस कर देते हैं.

जब थांगदार के पास मालिक मवेशी मसरूका आता है उससे हीले हवाले के साथ पता लगाने का वादा करते हैं और दो चार रोज आमले को ठंडा इस वजह से डालते हैं कि मालिक मवेशी उन्हीं के भरोसे पर हैं या मुआमला और कहीं फंसाता है इसका अन्दाजा हो जावे. बाद उसके रुपया ठहराकर निहायत पोशीदा व अहतियात के साथ लेते हैं और मालिक मवेशी को बतलाते हैं कि फलां वक्त और फलां जगह माल ढूंढ लेना. बाज औकात थांगदार किसी मेल के आदमी के जर्ये से मवेशी का मुकाम बतला देते हैं. मालिक मवेशी वहां से मवेशी ले जाता है. उमूमन मवेशी रुपया देने के बाद मिलही जाती हैं. शाजोनादिर मवेशी नहीं मिलतीं व रुपया खाजाते हैं या कभी वापिस दे देते हैं.

कीमत की निस्फ रकम आम तौर पर पनिहाई में ली जाती है. रिआयत से कभी कम या ज्यादा भी ले लेते हैं. इस रकम में से जैसा आपस में ठहर जावे चोरों को दे देते हैं और बाकी

खुद रख लेते हैं. चोरों में से जब कोई मुकद्दमे में फसता है तो थांगदार उसकी जमानत देना, वकील करना, वगैरा तौर पर इमदाद करते हैं.

इस थांगदारी की वजह से मवेशों की चोरी बढती जाती है और इसकी रोक जल्द होने के सख्त जरूरत है. रोक के लिये ऐसी पनिहाई लेना जुर्म करार दिया जाना चाहिये ताकि चोरों को जो इमदाद मिलती है वह नहीं मिलेगी और चोरी मवेशी की रोक होगी.

मुसव्विदा मजमूआ ताजीरात रियासत गवालियार की दफा २४८ में पनिहाई लेना जुर्म करार दिया गया है लेकिन दफा मजकूर में इस तरीके पनिहाई की तशरीह साफ तौर पर नहीं है. इस लिये दफा मजकूर की इबारत हस्ब जैल रक्खी जावे :—

" जो शख्स किसी शख्स से किसी ऐसे माल मन्कूला के बाजयाफ्त की गरज से कुछ मुआविजा ले या लेने पर राजी हो या लेना कबूल करे, जिस माल से वह शख्स किसी जुर्म के सबब से कि जिसके लिये इस मजमूए में सजा मुकर्रर है महरूम किया गया हो तो बजुज इसके कि शख्स मजकूर माल को बाजयाफ्त करा दे, और मुलजिम को गिरफ्तार कराकर सजा करा दे, उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जावेगी जिसकी मियाद दो बरस तक हो सकती है और जुर्माने की सजा दी जावेगी. "

और यह जुर्म काबिल दस्तअन्दाजी पुलिस करार दिया जावे-

प्रोसीडिंग्ज़ मजलिस आम, गवालियार, सम्वत १९८०.

सेशन सोयम.

इजलास अव्वल.

बुधवार, तारीख १२ मार्च सन १९२४ ई०, वक्त १॥ बजे दिन, मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. श्रीमंत हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू.

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलास नारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीर खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई., मुशीर खास बहादुर, शौकतजंग, आर्मी मेम्बर.

४. मेजर सरदार मालोजीराव साहब सीतोले, ऑफिशियेटिंग होम मेम्बर.

५. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल उमरा, सी. आई. ई. रेवेन्यू मेम्बर.

६. जयगोपाल साहब अष्ठाना, ऑफिशियेटिंग फायनेन्स मेम्बर.

७. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

८. सरदार साहबजादा सुल्तान एहमद खां साहब, मुन्तजिमुद्दौला, मेम्बर फॉर अपील्स.

९. राव बहादुर बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर.

१०. राय बहादुर गजपतराय साहब, मुन्तजिम बहादुर, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

११. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१२. रामराव गोपाल देशपांडे साहब, मुहम्मद खेडा (शुजालपुर).

१३. जहांगीर बहमनशा साहब वकील, बम्बई.

१४. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, लश्कर.

१५. खां साहब सेठ लुकमान भाई नजरअली साहब, उज्जैन.

१६. बन्सीधर साहब भार्गव, उज्जैन.

१७. राय बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाधीर.

१८. गणेशदत्त साहब शास्त्री, लश्कर.
१९. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.
२०. बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी, गवालियार.
२१. विश्वेश्वरसिंह साहब, मुस्तरी (भिन्ड).
२२. मानिकचन्द साहब ओसवाल, भिन्ड.
२३. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
२४. महादेवराव साहब, जाउदेश्वर (श्योपुर).
२५. सदाशिवराव हरी मुले साहब, डामरोन कलां (नरवर)
२६. राजाराम साहब, मगरौनी (नरवर).
२७. रामचंद्र साहब, झाडेरा (ईसागढ).
२८. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.
२९. जामिनअली साहब, देरखी (भेलसा).
३०. मयाराम साहब, चन्दूखेडी (उज्जैन).
३१. करमचन्दजी साहब, उज्जैन.
३२. नारायणदास साहब, मन्दसौर.
३३. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझरा).
३४. राय बहादुर प्राणनाथ साहब, सभा भूषण, लश्कर.
३५. ब्रम्हास्वरूप साहब, शिवपुरी.
३६. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, भिंड.
३७. अली जफ़र साहब, जौरा.
३८. फजल मुहम्मद साहब, श्योपुर.
३९. भगवानस्वरूप साहब, भेलसा.
४०. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
४१. अहमदनूरखां साहब, शाजापुर.
४२. निजामुद्दीन साहब, उज्जैन.
४३. केशवराव बापूजी साहब, मनावर (अमझरा).
४४. मेजर गुलाबसिंह साहब, देवगढ.
४५. रिद्धराजजी साहब, लश्कर.
४६. द्वारकादास साहब, मानपुरा (परगना आगर).
४७. जबरसिंह साहब दीक्षित, भिन्ड.
४८. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
४९. रामप्रतापजी साहब लूम्बा, उज्जैन.
५०. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, जागीरदार, बिलौनी (परगना गोहद).
५१. ठाकुर प्रहलादसिंह साहब, कालूखेडा, (परगना व जिला मन्दसौर)
५२. तुलसीरामजी साहब, लश्कर.
५३. मदनमोहनलालजी साहब, उज्जैन.
५४. जाल भरूचा साहब, लश्कर.
५५. रावजी शास्त्री वेलनकर साहब, लश्कर.
५६. जमनादास साहब मालानी, उज्जैन.

नोट :—इजलास मजलिस १॥ बजे शुरू हुआ. हुजूर मुअल्ला के कुर्सीये सिदारत पर रौनक अफ़रोज होने के बाद मुन्दर्जे जैल दो मेम्बर साहबान से हल्फ लिया गया और उनको हस्ब कायदा मुकर्ररा खिलअत अता किया गया :—

१. नारायणदास साहब, मन्दसौर,

२. निजामुद्दीन साहब, उज्जैन.

हल्फ की रस्म अदा होने के बाद हुजूर मुअल्ला ने जल्से का इफ्तिताह फरमाते हुए हस्ब जैल इर्शाद फरमाया :—

हुजूर मुअल्ला—पेश्तर इसके कि मैं इस मजलिस के काम को शुरू करूं, मैं करीने मस्लहत समझता हूं कि अपने मशीरों को उन चन्द दिलचस्प वाकआत से माहिर करदूं, जो मजलिस आम की पहली मीटिंग की तारीख से आज की तारीख तक मुझको पेश आये, या इसलाहात जो बनजर मस्लहत इन्तजाम अमल में लाई गईं.

कायमी मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर.

चूंकि तजरुबे ने इस बात को साबित किया कि महकमे एग्रीकल्चर का काम जैसा कि चलना चाहिये था वैसा ब वजह न होने को-ऑपरेशन माबैन ऑफिसरान डिपार्टमेन्ट, नहीं चला. इसलिये यह एक जदीद पोर्टफोलियो अलहदा कायम करना मुनासिब ख्याल किया गया. चुनांचे इस महकमे के मुतअल्लिक कवायद तैयार किये जाकर जारी किये गये और यह महकमा कायम किया गया. उम्मेद है कि इस तजवीज से रिआया को नफा पहुंचेगा.

कवायद मुतअल्लिक तराशी व अताय चकूक ब्लॉक भी रिवाइज (revise) किये गये और बाद लेने मशवरा जमींदारान रियासत हाजा और दीगर इलाके के मुअज्जिज अशखास के, यह रिवाइज्ड रूल्स इजरा किये गये. एग्रीकल्चर मेम्बर के मुतअल्लिक जो कवायद मुरत्तिब किये जाकर जारी हो चुके हैं वह, और कवायद चक व ब्लॉक, गालिबन आप साहबान की नजर से गुजरे ही होंगे. उम्मेद है कि आप साहबान उन कवायद को ऐप्रूव (approve) करेंगे और अगर उनमें कोई खामी नजर आवे तो उसकी तरफ दरबार का अटेन्शन (attention) बराह मेहरबानी, ड्रा (draw) करेंगे.

तनाजा बाहमी एहले हिनूद व एहले इस्लाम.

हिंदू मुसलमानों में बाहमी झगडे हुए. उनकी निस्बत दरबार की जानिब से क्या ऐक्शन (action) लिया गया, यह भी आप साहबान की नजर से गुजरा होगा, और मैं उम्मेद करता हूं कि इस मुआम्ले में जो तरीका और तर्ज अमल इख्तियार किया गया उसको आप साहबान ने ऐप्रूव (approve) किया होगा.

जमींदार साहबान या पटेल साहबान के स्टेटस (status) और इख्तियारात की निस्बत जो कवायद मुरत्तिब किये जाकर इजरा किये गये हैं उनको भी आप साहबान ने उसी स्पिरिट (spirit) के साथ जांचा होगा जिस स्पिरिट में उनको दरबार ने मुरत्तिब किया है और मुझे उम्मेद है कि जिस ख्याल से यह कवायद बनाये गये हैं उसको आप साहबान ने पसंद किया होगा.

मालूम हो कि निस्बत जमींदारान और पटेलान मेरा ख्याल हमेशा से यह रहा है कि यह लोग निजामे मुल्की के एक इम्पॉरटेन्ट यूनिट (important unit) हैं और जब तक इस यूनिट को हम काबिल नहीं बनायें, हमको वह कामयाबी हासिल नहीं होगी जिसके लिये कि हमारी कोशिश है, यानी आबादी का बढाना, कीमती काश्त का होना, और जरायम का इन्सदाद. मेरा यह कनविक्शन (conviction) है कि अगर जमींदार या वह लोग जो लफ्ज "जमींदार" के तहत

में आते हैं अपना काम और अपनी जिम्मेदारियां समझ और काबिलियत के साथ ठीक तौर पर अंजाम दें तो हम मुल्क में बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं और साथ ही साथ रिआया की हालत भी हर पहलू और लिहाज से संभल सकती है. मसलन अगर गांव का सेनीटेशन (sanitation) अच्छा है और बच्चों की हिफ्ज सेहत, तन्दुरुस्ती और तालीम की निग्रानी ठीक की जाती है तो हमको काश्तकार, जराअत पेशा लोग, मजदूर, आर्मी और पुलिस के लिये आदमी, तन्दुरुस्त और मजबूत मिल सकते हैं और अमवात की तादाद में भी माकूल कमी हो सकती है, जिसके नतीजे में खुदा के फजल से हमारी पाप्यूलेशन (population) बढ सकती है.

अगर काश्त कीमती और बडे पैमाने पर होना शुरू हो जाये तो उसकी वजह से कारखाने कायम हो सकते हैं जिन से मजदूरी पेशा लोगों को एक तरह से अच्छी इम्दाद पहुंच सकती है. अलावा इसके माल के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तरक्की हो सकती है जिसके जर्ये से अव्वल नफा रिआया का होगा और फिर दरबार का.

मुल्क में अमन कायम रहने से क्या क्या नफे हैं, यह एक ऐसी बात है कि जिसको आप साहबान को समझाने की जरूरत नहीं है. लेकिन इन्सदाद जरायम का ज्यादातर दारोमदार मेरी राय में जमींदार या उन लोगों पर है जो फरायज जमींदारी अदा करते हैं. जमींदार जिस खूबी के साथ वारदातों की रोक कर सकता है, गांव में दूसरा शख्स नहीं कर सकता, लेकिन शर्त यह है कि वह अपने जी में इस बात का इरादा करले कि मुझको इसकी रोक करना है.

जब रिआया में बाहमी झगडे कम होंगे तब ही दौलतमंदी बढने की उम्मेद हो सकती है. इन तमाम बातों पर नजर करके मैं ने यह नतीजा निकाला है कि जमींदार क्लास के लोगों की हालत दुरुस्त करना और उनको एजूकेट (educate) करना हमारा पहिला काम है और तमाम दूसरे काम इसके बाद; चुनांचे इसकी कोशिश खास तौर पर की जा रही है.

साल रवां में जो ऑफिसरान दौरे पर गये उनसे मालूम हुआ कि ज्यादातर जमींदारान ने मेमोरेन्डम्स नहीं पढे न उन पर कोई तवज्जुह दी, न उनके मुताबिक कोई कार्रवाई शुरू की. यह कितने अफसोस की बात है कि जो बातें उनकी बेहतरी की बताई जायें उन पर वह कुछ तवज्जुह न करें. लिहाजा मैं आप साहबान से यह दरख्वास्त करता हूं कि आप साहबान बराह मेहरबानी जमींदारान पर ऐसा असर डालें कि वह अपने काम को ठीक ठीक अंजाम देने लगें और अपने फरायज और जिम्मेदारियों को समझ कर उनको पूरा करने में दिलचस्पी लेने लगें, जो बात उन्हीं के हक्क में मुफीद है.

इसी इजलास में एक और मसला रेवेन्यू मेंबर साहब पेश करने वाले हैं जो मेरी नाकिस राय में उन साहबान के हक्क में जो जमींदार के दायरे मे आते हैं, एक बहुत ही मुफीद बात है, यानी तरीका मुताल्लिक दाखिल खारिज जमींदारान. अगर यह तजवीज पास हो जाये तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इससे बहुत से झगडे, फिसाद और परेशानियों की रोक होकर आसूदगी का बाइस होगा. मैं उम्मेद करता हूं कि आप साहबान इस मसले पर गौर करके राय देंगे.

पुलिस गजट.

पुलिस गजट जो जमींदार साहबान और मुफस्सिलात में रहने वालों की इत्तला के लिये इसी साल से जारी किया गया है और जो आयन्दा से हर साल यकुम नौम्बर को शाया होकर मुफ्त तकसीम किया जावेगा, उसकी कॉपी बाबत सन १९२३ ई. आप साहबान की नजर से गुजरी होगी. इस गजट में जो वाकफियत देना करार दिया गया है, मैं उम्मेद करता हूं कि उस से असल हाल कुल रियासत का सब को मालूम होकर, जहां तक कि जरायम से ताल्लुक है, जरायम की रोक की कोशिश सब

करेंगे और जिले के लोग अपने जिले को बदनामी से बचावेंगे. जिन लोगों ने अहकाम के मुताबिक अच्छे काम कर के बताये उनके साथ दरबार ने, जहां तक हो सका, कम से कम वक्त में, फौरन उसका सिला दिया, जिसका हाल तफसील के साथ आप को इसी पुलिस गजट के सफे ४ से मालूम हुआ होगा.

मैं जैल में चंद मिसालें देता हूं जिनसे आप साहबान को मालूम होगा कि बावजूद रिपीटेड (repeated) अपील्स के जमींदार साहबान इस काम में, यानी इन्सदाद डकैती में, इम्दाद देने को कहां तक तैयार हैं:—

जिला तवरघार.

१. डकैती मुरैना तारीख २४ फरवरी सन १९२२ ई. को हुई, जिस में ८,७९७ रुपये का माल गारत हुआ, लेकिन जमींदारान व जमाअत हिफाजत देह ने कोई इमदाद नहीं दी न मुलजिमान का तअक्कुब किया.

२. डकैती कोतवाल तारीख १० जनवरी सन १९२३ ई० को हुई जिस में फरयादी का लडका और चौकीदार चिल्लाता पुकारता रहा, मगर कोई शख्स मदद को नहीं आया.

३. डकैती हमीरपुरा तारीख २२ मई सन १९२३ ई० को हुई. २०४ रुपये का माल गया. जमींदारान व जमाअत हिफाजत देह ने कोई मदद नहीं दी.

४. डकैती सुरजनपुर तारीख १० मई सन १९२३ ई. को हुई. १७,७५८ रुपये का माल गारत हुआ, जमींदारान व जमाअत हिफाजत देह ने कोई मदद नहीं दी.

५. डकैती कोरीपुरा, परगना जौरा, तारीख ५ जून सन १९२३ ई. को हुई. ३४४ रुपये का माल गया, लेकिन जमींदारान व जमाअत हिफाजत देह ने अपना फर्ज अदा नहीं किया.

६. डकैती रामगढ, परगना सबलगढ, तारीख ३१ मई सन १९२३ ई. को हुई. १,४२४ रुपये का माल गारत हुआ, जमींदारान व जमाअत हिफाजत देह ने मदद नहीं दी.

७. हवलदार उमाचरन पुलिस अंबाह का कत्ल, गंगाराम डाकू मौजा बरवाई ने तारीख १८ नौम्बर सन १९२२ ई० को किया, जिस में मौजा बरवाई के जमींदारों ने कोई इम्दाद नहीं दी और गंगाराम को पनाह देते रहे.

जिला भेलसा.

८. तारीख ९ अप्रेल सन १९२३ ई. की शब को मंगलसिंह जमींदार मौजा खरोडी के यहां १०-१५ नफर बदमाशान ने वारदात डकैती की. इस मौजे की मर्दुम शुमारी करीब १५०-२०० के है और गांव में ९ बंदूकें, १ तमन्चा, ७ तलवारें, ३ बरछी, यह हथियार मौजूद थे. जमींदारान को बर वक्त इत्तला, मकानों और खलियानों में जहां वह मौजूद थे, हो गई, मगर किसी ने इम्दाद नहीं की और न मुलजिमान का पीछा किया. जमाअत हिफाजत देह ने भी कोई इमदाद किसी किस्म की नहीं दी.

जिला उज्जैन.

९. डकैती मौजा नरसिंहगढ में तारीख २२ जनवरी सन १९२३ इ. को हुई. १,७६९ रुपये का माल गारत हुआ, चौकीदारों ने लोगों को इत्तला की, मगर कोई मदद को नहीं आया, न चौकीदारों को हथियार दिये.

१०. डकैती मौजा कोठडी, परगना बडनगर तारीख ३ जून सन १९२३ ई. को हुई. ६,३८१ रुपये का माल गारत हुवा, बाशिंदगान मौजा में से चंद लोगों ने मुलजिमान पर दूर से पत्थर फेंके, मगर जमींदारान न तो बा कायदा इमदाद को आये और न तअक्कुब मुलजिमान का किया.

११. डकैती मौजा अगेरा पुलिस स्टेशन सोनकछ में तारीख १ फरवरी सन १९२१ ई० को हुई. २,५०९ रुपये का माल गारत हुआ. फरयादी ने बरवक्त नंबरदारान मौजा और जमाअत हिफाजत देह से इम्दाद मांगी, लेकिन उन्होंने यह कहकर इम्दाद नहीं दी कि डाकू हमारा घर लूट लेंगे.

जिला नरवर.

१२. डकैती मौजा गोपालपुर में तारीख ३१ मार्च सन १९२३ ई. को हुई. ६,२४१ रुपये का माल गारत हुआ, फर्यादी गाव में चिल्लाता फिरा, मगर गांव वालों ने और मेम्बरान डिफेन्स पार्टी ने कोई इन्दाद नहीं दी.

जिला मंदसौर.

१३. डकैती निबोद में तारीख २८ फरवरी सन १९१९ ई. को हुई. १,९३१ रु. का माल गया, ठाकुर साहब निबोद ने इम्दाद नहीं दी, न डिफेन्स पार्टी ने मुकाबला किया.

१४. डकैती कदवासा में तारीख २५ अप्रेल सन १९२२ ई० को हुई. २६,८२० रुपये का माल गारत हुआ, बाशिंदगान देह ने इम्दाद नहीं दी.

१५. डकैती केसरपुरा में तारीख १५ अक्टूबर सन १९२२ ई० को हुई. ८४५ रुपये का माल गारत हुआ. नंबरदार मौजा और बाशिंदगान देह और मेम्बरान डिफेन्स पार्टी ने बावजूद बंदूकें और एम्यूनीशन होने के, मदद नहीं की, न तअक्कुब किया.

१६. डकैती मौजा गुदियाना में तारीख २२ मार्च सन १९२३ ई० को हुई. ४३ रुपये का माल गया, नंबरदार और बाशिंदगान मौजा ने इम्दाद नहीं दी.

जिला श्योपुर.

१७. डकैती मौजा बिचपुरी तारीख १० जून सन १९२१ ई० को हुई. ६७१ रुपये का माल गारत हुआ, और एक शख्स मारा गया. डाकुओं ने बंदूक के फायर किये, लेकिन फायर की आवाज सुनने पर भी कुबोंजवार के मौजे और खास बिचपुरी के जमींदारान और जमाअत हिफाजत देह ने कोई इम्दाद नहीं दी.

१८. डकैती मौजा दोरद, परगना बिजेपुर, में तारीख १६ मई सन १९२३ ई. को हुई. १,८६० रुपये का माल गया, बदमाशों ने फायर किये मगर गांव के बाशिंदगान इम्दाद को नहीं आये, घरों में घुसे बैठे रहे.

१९. डकैती मौजा रामपुर पुलिस स्टेशन श्योपुर, वकुआ तारीख २३ मई सन १९२३ ई. में ८६३ रुपये का माल गारत हुआ, जमींदारान ने इमदाद नहीं दी, इस वजह से उन पर १००-१०० रुपये जुर्माना किया गया.

नीमच और मंदसौर की हालत डकैती के point of view से अभी तक अच्छी नहीं है; चुनांचे उसके इन्सदाद की निस्बत मैं कोशिश कर रहा हूं. उम्मेद है कि साल आयन्दा में कुछ अच्छा नतीजा पेश करने का मौका मुझे मिले. मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि जब तक आपस में को-ऑपरेशन और डिटरमिनेशन न होगा, काम नहीं चल सकेगा.

आज कल अखबारों का एटीटयूड (attitude) क्या है यह आप साहबान को किसी न किसी जर्ये से ज... मालूम होता ही होगा, ऐसा मेरा ख्याल है. अखबारों की कोशिश यह है कि गवर्नमेंट्स की बुराई करके लोगों के दिल बिगाड कर, अपने पेपर की पाप्युलेरिटी (popularity) को बढाया जाये. लिहाजा मैं खास तौर पर इस बात की तरफ रिआया की तवज्जुह दिलाता हूं कि वह जरा सोच समझ कर इस किस्म के अखबारों की खबरों पर अमल करें, और ऐसे अखबारों के आर्टिकल्स को पढते ही उनके असर में न आ जायें. मसल मशहूर है कि जिसको झूंट बोलने की आदत हो जाती है उस से वह आदत, चाहे कितना ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ बर्ताव किया जावे, मुश्किल से जाती है. मुझे अफसोस है कि Newspapers के मुतअल्लिक मुझे यही तजरुबा हुवा है; लेकिन यह पेपर्स वही पेपर्स हैं जिन्हों ने पेपर्स के असली मकासिद को फरामोश कर दिया है और जो उन आला पेपर्स के लेविल (level) को नहीं पहुचते हैं जो अपने असली काम को रियलाइज (realize) कर के उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं. न्यूज पेपर्स की पॉलिसी क्या होना चाहिये, यह मैं इस से पहिले जाहिर कर चुका हूं, लिहाजा इस मौके पर उसका दोहराना मैं जरूरी नहीं समझता.

हर डिपार्टमेंट के काम के मुताल्लिक और हर ऑफिशियल या सोशल मामले की निस्बत मेरी क्या पॉलिसी है, यह मैं उन बारह जिल्दों में शाया कर चुका हूं जो दरबार पॉलिसी के नाम से मौसूम की गई हैं और जिनका एक एक सेट आप साहबान के पास भी पहुंचा होगा. इस पॉलिसी की जिल्दों को पढने से आप साहबान को साफ तौर पर मालूम होगा कि मेरे एम्स (aims) और ऑबजेक्ट्स (objects) क्या हैं.

इस अम्र पर भी मैं आपकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं (जिसकी निस्बत गालिबन मैं साल गुजिश्ता में भी कह चुका हूं) कि मेम्बर साहबान मजलिस आम अपनी तजवीजें भेजते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनकी तजवीज सिर्फ उन्हीं मजामीन के मुताल्लिक हैं या नहीं जिनकी सराहत कवायद मजलिस आम की दफा २२ में की गई है. इस मीटिंग के लिये जिस वक्त एजेन्डा तैयार किया गया और आप साहबान की भेजी हुई तजावीज देखी गईं तो मालूम हुवा कि उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तहत दफा २२ कवायद मजलिस आम नहीं हैं, ताहम इनमें से चंद बातों की निस्बत मैं ने यही मुनासिब समझा कि मैं अपनी राय जाहिर कर दूं, बजाय इसके कि उनको एजेन्डा में दाखिल करूं. मस्लन, राम प्रताप साहब लूम्बा ने एक यह तजवीज पेश की कि उज्जैन में सफाई की हालत अबतर है लिहाजा उसके दुरुस्त करने के लिये कन्सरवेन्सी टैक्स कायम किया जावे. अखबार "न्याय" झांसी अगर इस तजवीज को पढे तो न मालूम अपने क्या ख्यालात जाहिर करे, क्योंकि चंद रोज का अर्सा हुआ कि अखबार मजकूर का पर्चा तारीख ९ फरवरी सन १९२४ ई० का मेरी नजर से गुजरा जिसमें उसने हस्ब जैल मजमून लिखा था और जो मेरा ख्याल है कि लिखने वाले ने बाद कामिल गौर के ही लिखा होगा:—

"गवालियर की सैर.

गवालियर स्टेशन से उतर कर शहर लश्कर के रास्ते में जार्ज जयाजी पब्लिकपार्क मिलता है. पार्क लंबा चौडा अच्छा है, उसमें वैष्णवों के लिये श्री राधावल्लभजी का मंदिर है, सिक्खों के लिये गुरुद्वारा है, थियासफी के लिये लॉज है, मुसलमानों के लिये मसजिद बनी है, इतना होते ही जैनियों की विशाल संख्या होने पर भी उन्हें स्थान नहीं दिया गया. इसको गत वर्ष गवालियर नरेश ने बनवाकर श्रीमान प्रिन्स ऑफ वेल्स के पदार्पण करने पर उनके कर कमलों से उद्घाटन कराया था. सुना है कि पार्क के खर्चे का बजट ५० हजार वार्षिक है. इस रकम को पब्लिक से वसूल करने के लिये महाराजा साहब ने म्युनिसिपेलिटी से कहा था, किन्तु रकम की कोई व्यवस्था न करने पर श्रीमान ने म्युनिसिपल बोर्ड के खास खास मेम्बरों को सामने बुलाकर किसी नवीन कर की आयोजना करके रकम वसूल करने को मजबूर किया है जो अनुचित है. यदि ऐसा ही करना था तो पब्लिक के मशवरे से उसे बनवाते.

एक सैयाह."

काबिल गौर बात है कि पार्क के बनाने में मेरा जाती नफा क्या था, यह पार्क जो बनाया गया है सब ही के आराम और आसाइश के लिये बनाया गया है जिस से कुल बाशिंदगान शहर को फायदा पहुंचे. जो सर्फा इस पार्क की तैयारी में हुआ है वह सरकारी खजाने से किया गया है न कि रिआया के चंदे से. गौर करने की बात है कि म्युनिसिपेलिटियां क्यों कायम की जाती हैं, इस मुल्क में और नीज दीगर मुल्कों में जो रुपया पब्लिक से ऐसे कामों के लिये मांगा जाता है वह क्यों लिया जाता है. समझ में नहीं आता कि मुन्दर्जे बाला मजमून लिखने वाले सैयाह अप टू डेट होते हुए, ऐसे अप टू डेट उसूलों को कैसे भूल गये. अगर्चे यह बात एक बिलकुल खफीफ बात है, लेकिन मुझको इससे यह बताना मकसूद है कि कैसे ख्याल के लोग मुल्क में हैं. क्या इसी किस्म के ख्याल के लोगों पर हमें फख्र करना चाहिये ? खैर.

मेरे ख्याल में लुम्बा साहब को अपनी तजवीज के मुताल्लिक पहिले यह करना चाहिये था कि म्युनिसिपेलिटी को अपने भाई मेम्बर के जर्ये से म्युनिसिपल मीटिंग में रिप्रेजेन्ट (represent) कराते और वहां से इसके मुताल्लिक हस्ब जाब्ता सिफारिश भिजवाते, बजाय इसके कि उन्हों ने मुआम्ले को बराह रास्त मजलिस आम में पेश करने की कोशिश की. लुम्बा साहब को यह भी मालूम है कि गुजिश्ता माह मई में मैंने उज्जैन में क्या एक्शन लिया, जिसका हाल मेमोरेंडम नंबर १९ से जाहिर होगा. लिहाजा मैंने लुम्बा साहब की इस तजवीज को मजलिस आम के एजेन्डे में दाखिल करना मुनासिब ख्याल नहीं किया और उनको इस बात की इत्तला दी कि वह इस मुआम्ले को पहिले उज्जैन म्युनिसिपेलटी में पेश करायें.

मालूम हो कि जो तजावीज इस साल इस किस्म की मजलिस आम के लिये मौसूल हुई जिनका तअल्लुक कानून माल से था, उनका अलहदा नोट किया जाकर, कानून माल के मुसव्विदे के साथ वास्ते गौर के रख लिया गया है. चूंकि मुसव्विदा कानून माल जेर गौर मजलिस कानून है, जिसका इजलास होली के बाद ही होने वाला है लिहाजा वह तजावीज कानून माल के साथ मजलिस कानून में पेश होंगी इस वजह से उनको मजलिस आम के एजेन्डे में शामिल नहीं किया गया.

मूंगालाल साहब ने भी ९ सवालात भेजे थे जिनके जवाबात रेवेन्यू मेम्बर साहब और एग्रीकल्चर मेम्बर साहब आप को अभी सुनायेंगे और मैं उम्मेद करता हूं कि वह जवाबात और हाल सुन लेने पर मूंगालालजी साहब को गालिबन जरूरत कमीशन कायम कराने की मालूम न होगी.

नोट:—हुजूर मुअल्ला की स्पीच के बाद, लॉ मेम्बर साहब ने बइजाजत प्रेसीडेन्ट साहब मजलिस आम, गुजिश्ता दो इजलासों के ठहरावों पर गवर्नमेन्ट की जानिब से जो कार्रवाई की गई, उसका खुलासा बतशरीह जैल बयान फर्माया :—[खुलासा मजकूर जमीमा नम्बर १ में दर्ज है.]

लॉ मेम्बर साहब—मजलिस आम का यह तीसरा इजलास है. दरबार का इर्शाद है कि इस साल इजलास का काम शुरू करने के कब्ल यह बतला दिया जावे कि गुजिश्ता दो इजलासों में मजलिस आम से किस कदर तजावीज पास हुईं, उन पर दरबार ने क्या हुक्म सादिर फरमाया, और दरबार हुक्म की तामील में महक्मे मुतअल्लिका की जानिब से क्या कार्रवाई की गई. इसके बतलाने की जरूरत खास तौर पर इस वजह से है कि नॉन ऑफिशियल मेम्बरान का तकर्रुर ३ साल के वास्ते होता है और यह तीसरा इजलास है, इसके बाद नये मेम्बर साहबान का इन्तखाब होगा और साल आयन्दा से नये मेम्बरान शरीक होंगे.

नोट—खुलासा मुन्दर्जे जमीमा नम्बर १ सुनाया जाने के बाद हुजूर मुअल्ला ने रेवेन्यू मेम्बर साहब व एग्रीकलचर मेम्बर साहब को हुक्म फरमाया कि वह मुंगालाल साहब की मुन्दर्जे जैल तजवीज के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट की जानिब से कैफियत जाहिर करें :—

"**तजवीज**—एक कमीशन (जिसमें ऑफिशयल व नॉन-ऑफिशियल मेम्बर्स मुन्तखिब हों) हस्ब जैल उमूरात की जांच के वास्ते मुकर्रर फरमाया जावे जो रियासत के हर हिस्से में दौरा करके अपनी मुकम्मिल रिपोर्ट दरबार में पेश करे :—

(१) मौजूदा जमाने में रकबा काबिल काश्त जो पडा हुवा है उसको मजरुआ बनाने के लिये कौनसा तरीका अमल में लाया जावे ताकि रियासत की पैदावारी, मालगुजारी व मर्दुमशुमारी में तरक्की होकर रिआया खुशहाल हो ?

(२) फिलहाल जंगलात में जो काबिल काश्त रकबा है उसमें काश्तकारी बढाने का इंतजाम हो सकता है या नहीं ?

(३) नये बीज जो महक्मे एग्रीकलचर से बोने के लिये दिये जाते हैं या उनको खरीद कर बोने की फेहमायश दी जाती है उसकी तामील मिन्जानिब रिआया दिलचस्पी के साथ जैसी कि होनी चाहिये, नहीं होती, इसकी क्या वजह है ?

(४) इरीगेशन वर्क्स में सरकारी लाखों रुपया सालहा साल से खर्च होता है मगर जो फायदा रिआया को व सरकार को होना बतलाया जाता है वह नहीं पहुंचता. इसकी बेहतरी के वास्ते कौनसा तरीका इख्तियार किया जावे ?

(५) काश्तकारान की माली हालत की तरक्की को रोकने वाले कौन से नुकायस हैं ?

(६) नस्लकशी मवेशियान के सुधार होने का अमली तौर पर कौनसा तरीका मुफीद हो सकता है ?

(७) जंगलहाय रियासत में ही वह लकडी कामीदा व फल, जो बाहर से मगाने पडते हैं, मिलने के वास्ते कोई तजवीज कारगर हो सकती है या नहीं ?

(८) मौजूदा खिडक रूल्स हैं उनमें क्या तरमीम की जावे ताकि जो अभी शिकायत (खिडक ज्यादा फासले पर होने से दूर वाले उससे फायदा नहीं उठाते, काश्तकार की, जिसका नुकसान होता है, हकरसी होने में दिक्कत है जिसकी वजह से वह उससे महरूम रहता है वगैरा) है दूर हो जावे ?

(९) क्या वजह है कि अकसर हलवाहे लोग जमींदारान व काश्तकारान रियासत हाजा के यहां से भाग कर दीगर इलाके को चले जाते हैं ?"

तजवीज मजकूर मूंगालाल साहब की जानिब से मजलिस आम में पेश होने के लिये मौसूल हुई थी लेकिन दर्ज एजेन्डा नहीं की गई और उसकी निस्बत दरबार का ऐसा इरशाद था कि उसमें जितने सवालात मूंगालाल साहब ने उठाये थे उनके जवाबात मेम्बर गवर्नमेन्ट मुतअल्लिका अदा करें और मजलिस में वह यह जाहिर करें कि गवर्नमेन्ट की जानिब से क्या कार्रवाई और कोशिश जारी रही और है. ब तामील हुक्म दरबार, सवालात मजकूर के मुतअल्लिक कैफियत रेवेन्यू मेम्बर साहब और एग्रीकल्चर मेम्बर साहब ने बयान फरमाई जो दर्ज जमीमा नम्बर २ की गई है.

[नोट—इसके बाद रिफ्रेशमेन्ट के लिये जल्सा आध घंटे के वास्ते मुल्तवी हुआ और रिफ्रेशमेन्ट के बाद एजेन्डा मजलिस आम (मुन्दर्जे जमीमा नंबर १२) की हस्ब जैल तजावीज पर गौर किया गया.]

तजवीज नंबर १, फर्द नंबर १,

जमींदारों के हुकूक के फैसला करने में इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि खान्दान में जो बडा हो उसको जमींदारी दी जाकर बाकी हकदार लोगों के नान पार्चा के वास्ते जमीन उसी उसूल पर देना चाहिये जिस उसूल पर नान पार्चा दिया जाता है. मकसद इस तरीक अमल से यह है कि रफ्ता रफ्ता जमींदारी के टुकडे होकर मादूम न हो जाये.

रेवेन्यू मेम्बर साहब—जमींदारों के हुकूक के फैसला करने में इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि खान्दान में जो बडा हो उसको जमींदारी दी जाकर, बाकी हकदार लोगों को नान पार्चा के वास्ते जमीन उसी उसूल पर देना चाहिये जिस उसूल पर नान पार्चा दिया जाता है. मकसद इस तरीक अमल से यह है कि रफ्ता रफ्ता जमींदारी के टुकडे होकर मादूम न हो जाय.

१. तजवीज गवर्नमेन्ट यह है कि जब जमींदारी जायदाद के दाखिल खारिज का सवाल पैदा हो तो मुताबिक हिन्दू धर्म शास्त्र या शरा मोहम्मदी, जायदाद जमींदारी पर जुमला वारिसान के नाम दाखिल खारिज मंजूर करने के बजाय खानदान में जो सबसे बडा हो उसके नाम जमींदारी का दाखिल खारिज हुवा करे और दीगर वारिसान को बिल एवज उनके हुकूक के नान-पार्चा जमीन की शक्ल में दिया जावे. मकसद इस तजवीज का यह है कि जमींदारी जायदाद मुकम्मिल कायम रहे और उसके टुकडे होकर नेस्तनाबूद न हो.

२. यह तजवीज बखूबी समझ में आने के लिये मुन्दर्जे जैल उमूर को बयान कर देना जरूरी है:—

(१) इस वक्त क्या तरीका विरासत का रायज है, उसका नतीजा क्या है ?

(२) मौजूदा तजवीज से क्या फायदे सोचे गये हैं ?

३. इस वक्त आम तौर पर जायदाद जमींदारी के विरासत का तरीका यह है कि जितने वारिसान कानूनन मुस्तहक हक पाने के होते हैं उनके नाम दाखिल खारिज मंजूर होता है. मस्लन एक

मौजे का एक जमींदार है और उसके ४ लडके हैं तो बाद वफात इस जमींदार के चारों लडकों के नाम दाखिल खारिज मंजूर होगा, यानें हर एक लडके का हिस्सा चार आने का होगा ... चार लडकों को भी अगर हर एक को चार चार लडके हुवे तो उनकी वफात के बाद जमींदारी के १६ टुकडे होकर हर एक का, एक एक आने का हिस्सा होता है. इसी तरह एक जमाने में जहां १६ आने जायदाद एक शख्स के एहतमाम में थी, वहां एक एक पाई और कौडी तक के हिस्सेदार पैदा हो जाते हैं, जैसी कि इस वक्त भिन्ड और तवरधार जिले में हालत है. इतनी कसीर तादाद के हिस्सेदारान में मेल जोल रहकर गृहस्थी असलूबी से कायम रहना मुश्किल है; चुनांचे अगर मौजा गोल हुआ तो उन्हें बाहमी हिसाब समझने में और देने लेने में दिक्कतें पडती हैं, जिससे मुकद्दमाबाजी बढकर " टोटे के घर में रोटियों की लडाई" का मसला होता है. अगर पट्टियां मुनकसमा हुईं तो भी शिकमी हिस्सेदारान में झगडे रहते हैं. अगर बटवारा किया जावे तो पाई पाई तक का बटवारा करना पडता है, गरजे कि मौजे के हिस्सेदारान की तादाद कसीर हो जाने से खानदान दिन ब दिन गिरता जाता है, सैकडों झगडे पैदा होते हैं, और सिवाय परेशानी के कोई बात नजर नहीं आती.

दोयम, हिस्सेदारान को काफी तादाद में जमीन काश्त के लिये नहीं मिलती जिसका नतीजा यह होता है कि काम का और पैदावारी का काफी जर्या न होने से गुजर मुश्किल से होती है और रगबत दीगर नाजायज तरीक पर कमी सरफा पूरा करने की तरफ होती है.

४. इस मसले को किस तरह तय किया जावे इसकी निस्बत यह तजवीज है, क्योंकि इससे झगडों की रोक होगी. जरूरत के लिहाज से लोग रियासत के दीगर हिस्सों में जहां काफी जमीन मौजूद है जा बसेंगे और इससे हर एक को काफी जमीन आबादी के लिये मिलने से गुजारा अच्छी तरह होगा. इन्तजाम गांव में सहूलियत होकर तरक्की मौजा इतमीनान के साथ हो सकेगी.

५. इस मौके पर इस अम्र खास की तरफ तवज्जुह दिलाना जरूरी है कि सरेदस्त तफसील में जाने की जरूरत नहीं है. सबसे पहिले आप साहिबान इस अम्र पर गौर करें कि उन वजूहात से जो ऊपर जाहिर किये गये हैं क्या यह बेहतर न होगा कि जमींदारी के टुकडे करने का मौजूदा तरीका आयन्दा के लिये रोक दिया जाय, ताकि वह फायदे हासिल हो सकें जो ऊपर जाहिर किये गये हैं अगर आप साहिबान की राय में यह उसूल, या यह ख्याल पसंदीदा नजर आये तो फिर जरूरत इस बात की होगी कि तफसील से हर अम्र के मुताल्लिक बाद गौर कवायद मुरत्तिब किये जायें.

मथुराप्रसाद साहब—अन्नदाता, रियासत हाजा में साबिक में भी जमींदारान के हिसस थे और दीगर बिरादरान को नान नफके के तरीके पर बांटा वगैरा दिया जाता था. अलबत्ता सिर्फ बडे ही का नाम कागजात और पट्टे में दर्ज किया जाता था, मगर हकीयत के मुन्तकिल करने का किसी को इख्तियार न था. संवत १९२५ में वक्त बंदोबस्त तस्दीक खेवट ब लिहाज शजरा नसब जुमला हिस्सेदारान के नाम खाने मालिकान में दर्ज फर्माये गये. संवत १९५७ में दरबार आलीविकार से ब नजर परवरिश जुमला मालिकान आराजी को इख्तियारात रहन और बय अता फरमाये गये. अब इन जुमला वजूहात पर गौर करने से एक शख्स वाहिद को तमाम मौरूसी हकियत का सुपुर्द कर देना ज्यादा खतरनाक मालूम होता है. सवाल हाजा में टुकडे २ होकर जमींदारी मादूम हो जाने का अन्देशा जाहिर किया गया है, मगर हालत मौजूदा में बहुत अर्से के बाद खतरा वाके होने का एहतमाल है. यह तजवीज जमींदारी कायम रहने की गरज से की गई है मौजूदा सूरत में जबकि जमींदारी कई हिस्सों में कायम है तो अगर उनमें दो एक नाकाबिल हुए

तो सलामतरौ अशखास जरूर अपने हिस्से को महफूज रख सकेंगे. बर अक्स इसके अगर एक ही शख्स मालिक रहा और वह नाकाबिल हुआ तो जमींदारी बिगडने का ज्यादा अहतमाल है. नीज तजवीज शरा मुहम्मदी व धर्मशास्त्र के उसूल को पामाल करती है. लिहाजा मेरी राय नाकिस में जो कायदा मरई है उसका जारी रखना मुनासिब है.

बंसीधर साहब—अन्नदाता, मेरे भाई मथुराप्रसाद साहब ने जो अर्ज किया है उसकी मैं ताईद करता हूं. दूसरे यह टकडे टुकडे हो जाने का जो सवाल उठाया गया है, उसकी बाबत अर्ज है कि अगर जमीं ार किसी वजह से नादार हो गया, और उसका गांव निकल गया और हक्क कुछ भी न रहा, (फर्ज किया जावे कि उसने बेंच दिया या रहन कर दिया) तो उस हालत में भाईबंदों को कुछ भी नहीं रहेगा. इसके अलावा जमदिारान की तादाद ज्यादा रहने से अगर एक शख्स नादार हो गया, तो उसके भाईबन्द सम्हाल लेंगे, और कार सरकार भी उसकी अदम मौजूदगी में अच्छी तरह से अन्जाम देंगे. अगर यही ख्याल हो कि जमींदारी मादूम हो जावेगी, तो नक्दी के तौर पर उन भाई बन्दों को जिनका नाम खेवट में दर्ज है, उसका बटवारा न किया जाकर नक्दी दिया जावे, या जमीन दी जावे. यह सारिश्ता मुद्दत से जारी है, इसके खिलाफ न किया जावे, इसलिये गुजारिश है कि जो कायदा जारी है वही रक्खा जावे.

महादेवराव साहब—हुजूर वाला, अर्ज है कि अब इस वक्त में यह कानून जारी हैं कि खेवट में जुम्ला हिस्सेदारान के नाम दर्ज होते हैं. जो कायदा रायज है यही रहना चाहिये.

जहांगीर बेहमनशा साहब—मेरे ख्याल में तजवीज जो पेश हुई है वह ठीक है. मैं ताईद करता हूं. जहां तक मैं समझता हूं, इंग्लैन्ड में Promogeniture system है वह इकॉनामी के उसूल पर मबनी है. यहां साहबान के दिल में एक अन्देशा ऐसा पैदा हुआ है कि अगर एक शख्स को जमीन दे दी जावेगी और वह किसी अर्से में रहन बय करेगा, तो वह कुल कुटुम्ब में से चली जावेगी. इंग्लैन्ड में जो system है उसमें रहन बय का इख्तियार नहीं है. अगर ऐसा तरीका यहां भी रखा जावेगा तो कुटुम्ब से जायदाद चली जाने का अन्देशा कुछ नहीं होगा. थोडे लफ्जों का फर्क करके साफ करना चाहिये, यानी इस तजवीज में इतना और होना चाहिये कि जिसको काबिल माना जावे या सरकार के जर्ये से या कोई भी जर्ये से तय हो जावे कि तुम्हारे में से फलां शख्स चलाने के काबिल है एक शख्स काम करेगा उसका मेहन्ताना उसको मिलेगा, उपज से सब लोगों को हिस्सा मिल जावेगा. जैसा कि मेम्बर साहबान ने फरमाया है कि एक बाप के ४ लडके हैं और बाप के पास सौ बीघा जमीन है, तो चारों लडकों को २५-२५ बीघा जमीन एक पीढी में मिलेगी; दूसरी पीढी में छै छै बीघा तकसीम होकर तीसरी पीढी में डेढ डेढ बीघा रह जावेगी, मगर सौ बीघा इकट्ठा होने में काश्तकारी अच्छी होगी. जो १६ शख्स एक एक बीघे पर काम करेंगे और अपना सब वक्त एक एक बीघे पर बरबाद करेंगे तो उनको क्या उपज मिल सकेगी! ऐसा कानून बनाने में कुछ भी उज्र नहीं होना चाहिये. दूसरा सवाल यह है कि मौजूदा हालत में यह देखने की जरूरत है कि यहां हर एक शख्स के पास कितनी कितनी जमीन है. जहां तक statistics देखी जाती हैं, गवालियर रियासत में हर एक शख्स के पास दो एकड से कम जमीन है. ऐसा भी होगा कि एक शख्स के पास सौ बीघे, दूसरे के पास आधा बीघा होगी, जैसा मेम्बर साहब ने भिंड व तवरघार की बाबत फरमाया कि वहां एक शख्स के पास कितनी कितनी जमीन है और वह अपने जमीन की बाबत जितना वक्त अपना सर्फ करता है उसके मुकाबले में क्या नतीजा पैदा होता है वह भी देखने के काबिल है. एक शख्स जिसको काबिल पाया जावे वह कारिन्दे के तौर पर काम करे, मगर इख्तियार रहन बय का न हो इसके बाबत कायदा बनाया जावे.

जामिनअली साहब—दरबार मुअल्ला, रियासत हाजा में ज्यादातर ९५ फी सदी काश्तकार पेशा हैं. जागीर में और जमींदारी में बहुत फर्क है. जागीर सिर्फ एक फी सदी और जमींदार ९५ फी सदी काश्तकारी पेशा हैं. दरबार गौर फरमावें कि मेरे दोस्त सेठजी साहब ने फरमाया है कि लन्दन में ऐसा रिवाज है, मगर उनके हाथ में तिजारत है, उनके हाथ में बन्दूक बनाना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि गेहूं कपास पैदा करलें. जमींदारी सिस्टम दरबार ने हमको अपने अदल नौ शेरवानी से अता फरमाया है—जब तक जमींदारी है उसमें दस्तअन्दाजी होना ठीक नहीं है. एक जमींदार के ४ लडके हैं वह कैसे गुजारा कर सकता है. अगर ४ मानी की जमींदारी उसके पास है तो वह बच्चों को पाल लेगा और यहां पर ज्यादातर जमींदारी २-४-६ पाई की है. अगर दरबार को मंजूर है तो ५,०००) रु० या १०,०००) रु० से जायद मालगुजारी वालों के मुतअल्लिक यह कायदा ठीक हो सकता है. लन्दन में यह कायदा है कि जमीन उफतादा है, शिकारगाहें बनी है, उनका काम तो यह है कि शिकार करें और तिजारत से फायदा उठावें और हमारा काम गेहूं कपास से पेट भरना है. हां, अगर यह कायदा जारी होगा तो झगडे पैदा होंगे और रिआया भूखों मरेगी. यहां सिवाय खेती के और कोई जर्या मआश नहीं है. सम्वत १९६० में जब हुजूर मुअल्ला का दौरा जिले मेलसे में गया तो सरकारी घोडे कांस में से गये थे, अब वहां गेहूं लहलहा रहे हैं, इस वजह से कि हमारा कंनबा बढ गया और इसलिये गेहूं पैदा होने लगे. मरदुमशुमारी को मिला लिया जावे कि यहां रिआया कहतसाली भर सिवाय भूखों मरने के कहीं बाहर नहीं गई बल्कि स्टेशन से शहर तक १०, २० मरे मिलते थे. हम दूसरा पेशा हरगिज नहीं कर सकते. इसलिये मेरी राय है कि यह मसला बहुत बडा है, साल आयन्दा पर रखा जावे और सब जमींदारान की राय ले ली जावे.

मथुरा प्रसाद साहब—मैं अपने दोस्त जामिनअली की हर्फ बहर्फ ताईद करता हूं.

रामराव गोपाल देशपांडे साहब—हुजूर मुअल्ला, मैं थोडी सी गुजारिश करता हूं कि मेरी भाषा दक्षिणी मरेठी है मगर इस वक्त हिन्दी भाषा में बोलने का मौका आगया है. वतनदारी यानी जमींदारी सिस्टम जिन्हों ने निकाली है उनके जहन बहुत बडे थे, यानी आसमान के बराबर थे, जिन्हों ने वतनदारी सिस्टम निकाली है. यह वतनदारी ऐसा जादू है कि बेईमानी की तरफ बिलकुल नहीं जाने देता. ईमानदारी कायम रखने के वास्ते वतनदारी हाथ और पैरों में जंजीर पडी हुई है, और हर एक मौजे में जमींदार हैं. ऐसा एक मौजा नहीं है जिसमें जमींदार नहीं है और हर जमींदार के साथ ५०, ५०, १००, १०० आदमी भी होंगे. इस तरह एक जमींदार को अपने कब्जे में रखने, उसी को हिदायत देने और उसी से काम लेने में यह फायदा है जैसे कि बहुत से आदमियों से काम लिया—इसी तरीके में मजा है. जमींदारी सिस्टम अभी की नहीं है, जमींदारी सिस्टम कौरव व पांडव के वक्त की है. भारत में लिखा हुआ है, उस वक्त से है जिस वक्त पांडव को जलाने के लिये महल बनाया गया था. यह सिस्टम बहुत पुराना है. दूसरी बात इसके और पास की है कि शाहजहां, औरंगजेब वगैरा जितने भी बादशाह हो गये उन्हों ने हमारे हिन्दुस्तान के लोगों को बडे बडे इनाम दिये कि हटने न पायें, वह लोग चले न जावें, सरकार के साथ मदद करते रहें और उनको कडक कर दिया कि हमारे कब्जे में रहें और ईमानदारी के साथ काम चलावें, यह बहुत अच्छा तरीका है. हमें मालूम है कि पटेलों को ५) मिलते हैं, लेकिन एक पगडी के लिये क्या लडना भिडना! मगर वह इसमें बहुत बडी इज्जत समझते हैं कि वह इस तरह जमींदार होकर सरकार के घोडे के सामने और उनके ऑफिसरान के सामने भागते हैं. उनको कमती करना क्यों चाहिये ?

नारायन दास साहब—अन्नदाता, हुजूर की सल्तनत में इस वक्त कम अज कम १५-२० हजार जमींदार होंगे. अभी हाल में यह कायदा जारी हुआ है कि मतालबे सरकारी में जमींदारी कुर्क करली जावेगी तो ऐसी हालत में अगर एक शख्स जमींदार करार दिया जावेगा और उसकी जमींदारी कुर्क होगी तो उसके फेलों का बार उसके भाईबन्दों पर पडेगा. मेरे ख्याल में जो मसला चल रहा है कि एक शख्स कायम रखकर उसके नाम कुल हकियत कायम रखना चाहिये, यह फायदेमन्द नहीं है, इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस वक्त जो कायदा चल रहा है वह अगर बदल जायगा तो जमींदारी की कीमत कम हो जायगी, इसलिये जो कायदा जारी है वह ठीक है.

हुजूर मुअल्ला—जो कुछ रेवेन्यू मेम्बर साहब ने इस सवाल के मुतअल्लिक कहा उसका जो आखिरी हिस्सा था, उसको मैं उम्मेद करता हूं कि, आप लोग नजर अन्दाज नहीं करेंगे. दर अस्ल इस सवाल का मैं ही Prime mover हूं. मैंने यह सवाल क्यों उठाया, उसकी वजह यह है कि (मुमकिन है कि मेरे ख्याल की गलती हो) जहां तक मैंने इस मसले पर गौर किया, जमींदारी के Interests में मुझको वह फायदेमन्द मालूम हुआ. इस सिलसिले में हमको पहिले यह देखना है कि इस सवाल को हम हाथ में ले और यह गौर करें कि इसमें जमींदारान का फायदा है या नहीं. अगर यह राय करार पाये कि कि इसमें नफा है तो इस सवाल की तफसील में जाकर उसे अच्छी तरह discuss करने के लिये एक strong कमेटी कायम की जावे, जो इस मसले पर अपनी राय दे. जामिन अली साहब ने कहा है कि दस्तन्दाजी नहीं होना चाहिये; समझ में नहीं आता कि दस्तन्दाजी का सवाल कहां से पैदा होता है; दस्तन्दाजी करने की हमारी कोशिश कहां है? हमारी कोशिश तो यह है कि हम जमींदारों के फायदे की बात जहूर में लायें और अगर वह आपके फायदे की बात आपको मालूम हो, तो आप उसे मान लें और अगर यह सवाल जमींदारों के हक में अच्छा मालूम हो और वह खुद इस बात को मुफीद मतलब समझें, तो इस सवाल को हाथ में लें. यह सवाल जो शामिल एजेन्डा किया गया है, एक तरह का sounding है; फिर नहीं मालूम कि दस्तन्दाजी का सवाल कहां से जामिनअली साहब ने उठाया और वह इस बात से इतने क्यों चौंके. दूसरे, दौराने बहस में जमींदारान के रहन और बय के इख्त्यारात की निस्बत जो कुछ कहा गया है वह जरूर है. जहां तक मेरा ख्याल है उसकी भी दो सूरतें हैं या तो रहन और बय जमींदारों में आपस में होता है या साहूकार के हाथ में ऐसे इन्तकाल से जमींदारी चली जाती है. साहूकार के हाथ में जायदाद जाने से रिआया की क्या हालत होती है, आप लोगों को इसका तजुर्बा होगा. मुझे इस वक्त साहूकार साहबान के बरखिलाफ बोलना पडता है, मगर तजरुबा यह हो चुका है कि एक दफा गांव साहूकार के हाथ गया तो साहूकार जौंक की तरह आसामी को चूसते हैं और उन्हें पनपने नहीं देते. पस रहन और बय के हिसाब से अगर गांव साहूकार के हाथ गया तो क्या हालत होती है, यह भूलना नहीं चाहिये. जमींदारी को उडा देना हमारा हरगिज मकसद नहीं है. मकसद यह है कि एक मुखिया हो और उसके खानदान के जो लोग हैं, वह मुवाफिक कायदा अपना २ हिस्सा पायें और जिस रिश्तेदार के हिस्से में बहुत ही कलील जमीन आवेवह दूसरी जगह जाकर इतनी मआश पैदा कर सके जिससे वह सुख वस्तु हो जाये. उमूमन यह देखा जाता है कि जो जमीदार बुरी हालत में आ जाते हैं वह मजबूरन हर किस्म के पेशे करने लगते हैं. दूसरी बात यह है कि अब जमीदारी में इस कदर झगडे और तकरारें होने लगी हैं कि हिस्सेदारों की लडते २ उमरें खत्म हो जाती हैं और कभी सुखी नहीं रहते और आहिस्ता २ उनकी energy waste हो जाती है, यानी अपने गांव की बेहबूदी करने की तरफ ध्यान नहीं लगता. बडा हिस्सा पैसे का मुकद्दमेबाजी में चला जाता है. Law यह नहीं कहता है कि तुम मुकद्दमे बाजी करो. Law इसलिये है कि जो mis-understanding है उसको रफा करदे और जो शक हो या पाइन्ट साफ न हो Law उसको साफ करके बताता है. मगर हजारों रुपया आपस के झगडे टन्टे में

Law courts (लॉ कोर्ट्स) के नजर होता है और जो उनका खास काम है और जिस काम को मैं कराना चाहता हूं उसे वह नहीं करते. ज्यादातर मुझको आपस के झगडों से उनको बचाना है और इसी गरज से यह तजवीज पेश की गई है; अगर यह तजवीज पसंद नहीं है तो आपस के झगडे और मुकद्दमेबाजी के सिलसिले में फिजूल खर्ची की रोक किस तरह हो, इसकी बाबत आपही कोई तजवीज पेश करें.

मैं यह जानता था कि आप इस सवाल से alarmed होंगे. जिस को खांसी का मर्ज होता है, उसे ठूं ठूं करने की आदत हो जाती है. जब उसकी बीमारी इलाज से जाती रहती है, तो ठूं ठूं बंद हो जाने से उसे सन्नाटा सा मालूम होता है और वह समझता है कि उसकी कोई चीज खोगई. इसी तरह जिनको मुकद्दमेबाजी की आदत होती है उन्हें अगर एक दिन भी मुकद्दमा लडने को न मिले तो वह समझते हैं कि हमने आज कुछ काम ही नहीं किया. इधर तो लडाई लडने की आदत पडी हुई है और उधर कानून से उनको encouragement मिलती है. बस, जमींदारों की बरबादी का सामान पूरे तौर पर मुहैया हो गया है. जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि जमींदारी सिस्टम जिसने निकाला वह बहुत ही समझदार और अकलमंद आदमी होगा, इसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि कानून का तरीका जिसने निकाला है वह उससे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद शख्स होना चाहिये, जिसने स्टाम्प की शक्ल में आमदनी की एक सूरत पैदा करके खर्च की शक्ल में मुकद्दमेबाजी की रोक भी की है, मगर अमली तौर पर देखिये कि नतीजा क्या निकला है? मेरा जो मकसद था वह यह था कि कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहिये कि जिससे मुकद्दमेबाजी की रोक हो. हिस्सों के मुआमलात ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत फिजूल खर्च और मुकद्दमेबाजी होती है. इस तरह की मुकद्दमेबाजी को किस तरह रोकना, मैं इसकी तलाश में हूं, ताकि जमींदार परेशानी से बचें और जान झोंक कर अपना काम करें, जिससे उनकी दौलतमन्दी बढे और उनके पीछे उनके रिश्तेदारों की और रियासत की दौलतमन्दी बढे और रुपया ठीक काम में सर्फ हो, जैसा कि मैं आज की opening speech में बता चुका हूं. मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद, मैं उम्मेद करता हूं कि आप समझ गये होंगे कि दरबार का Intention रिआया के हक में बहतरी का है, न कि दो को लडा कर अपना कोई मतलब बनाने का. इस Point को मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते, क्योंकि यह बात आपके अन्दाज से बिलकुल बाहर है; लिहाजा इसकी निस्बत आप गौर करें और अगर मुनासिब हो तो आप एक सब-कमेटी मुकर्रर करें. सब-कमेटी इस मसले पर गौर करके रिपोर्ट मजलिस में पेश करे कि आया कोई तरकीब ऐसी निकल सकती है या नहीं कि जिससे मुकद्दमेबाजी की रोक हो जावे. मेरा काम तो यह है कि जो बातें मुझको आप लोगों की बहतरी की सूझती हैं वह Suggest करता रहूं, आगे आपकी तकदीर! आपको इस मसले पर गौर करना चाहिये. दस्तन्दाजी की निस्बत तो कभी ख्याल भी न था, अगर होता तो हुक्मन यह सवाल तय किया जा सकता था.

बन्सीधर साहब—अन्नदाता! सच बोलना व सच काम करना यह भी एक अच्छी और बडी बात है. अगर हक शनासी की तालीम बच्चों को शुरुआत से दी जाय तो रफ्ता २ वह किसी जमाने में अपने हक को पहिचानेंगे और लडाई, भिडाई और तकरार या और किसी किस्म की नौबत न पहुंचेगी. इस सवाल के मुतअल्लिक तो मुआमला खत्म हो चुका है, फिर भी हुजूर वाला, इस रियासत में इस जमींदारी का सिलसिला जारी रहने से दूसरे मुकामात के लोगबाग, चक, ब्लॉक पर काबिज हैं. इसमें बहतरी की सूरत दरबार आलीजिकार को भी है और रिआया दरबार को भी; क्योंकि रिआया दरबार की बदौलत है और दरबार रिआया से फायदा उठाते हैं. मुकद्दमेबाजी तो पैसे की बात है.

जब किसी जमींदार या काश्तकार के पास पैसा होता है तो वह लडता है. बाज मौके ऐसे भी देखने में आये हैं कि कोई सच्चा मुआम्ला या वाका हुआ और वह एक छोटीसी अदालत में लडा, मगर पैसा न होने से मुआम्ला हल्ट हो गया. जिन शख्सों के पास पैसा है वह मुकद्मेबाजी पसन्द करते हैं. गरीब आदमी न तो वकील को पैसा दे सकते हैं न कागज खरीद कर सकते हैं. जिनके पास पैसा होता है वह भाई २ भी अपने हक के लिये लडते हैं, जब ऐसा मौका आ जाय तो इन्साफ तीसरा शख्स ही करेगा; इसलिये हक्क शनासी का तरीका रफ्ता २ ही जारी होगा. हुजूर वाला ने हमारी ही बहतरी के लिये यह सूरत सोची है.

हुजूर मुअल्ला—मेरा ख्याल यह है कि इसके लिये कोई ऐसी तजवीज निकाली जाय कि मुफ्त के झगडे न हों, या तो इस में कोई बेहतर तरीका कम्प्रोमाइज (Compromise) का निकालना चाहिये या पंचायत करके इसका फैसला कर देना चाहिये, यानी जमींदारी झगडे आपस में बाहमी रजामन्दी से फैसल करने का तरीका निकालना चाहिये. आप देखिये कि बहुत से लोग इसके पीछे मुफलिस हो गये हैं जिनके तन पर कपडा तक नहीं रहा, फिजूल झगडते हैं. इसके लिये ऐसा स्टेप (step) लेना चाहिये कि जिससे फिजूल झगडों की रोक हो. रेग्युलर कोर्ट्स में जाने के बजाय कोई तजवीज ऐसी निकाली जाय कि चार भले मानस इकट्ठे होकर फरीकैन को समझा दें और झगडा रफा कर दें, ताकि पैसा जो इधर उधर जाता है वह न जावे और जो दो पैसे जमा हों, वह जमीन में डालें. इसके लिये कोई रास्ता निकालना चाहिये. यों तो रेग्युलर कोर्टस झगडों के तय करने के लिये मुकर्रर ही हैं, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि पेश्तर ही से ऐसे झगडों की रोक होना मुनासिब है.

बन्सीधर साहब—अन्नदाता! बाहमी झगडों को तय करने के लिये दरबार की तरफ से कवानीन में अहकाम मौजूद हैं.

हुजूर मुअल्ला—लॉ मेम्बर साहब, क्या इस किस्म के मुआमले पंचायत बोर्ड में जाते हैं?

लॉ मेम्बर साहब—पंचायत बोर्डस को हुकूक जमींदारी के तनाजेआत के तस्फिये का इख्त्यार नहीं है; अब रही पंचायत, तो पंचायत किसी हालत में जबरन नहीं कराई जा सकती, अगर फरीकैन रजामंद हों तो फैसला पंचायत से हो सकता है.

बंसीधर साहब—मेरे ख्याल में पंचायत का सिस्टम बहुत अच्छा है. आयन्दा जो हुक्म हो.

हुजूर मुअल्ला—यहां हुक्म का सवाल नहीं है, बल्कि आप से मशवरा लिया जा रहा है कि इन मामलात को पंचायत बोर्ड में लाया जावे या और कोई तरीका इख्तियार किया जावे ताकि जमींदारान इन बाहमी फिजूल झगडों से बचें, वरना बाज लोग तो ऐसे जिद्दी हैं कि वह मेहज इस बात के लिये कि "हम मुकदमा जीतें" सारी उम्र लडते रहते हैं जैसा कि अभी शिवपुरी में हुवा था. इस मुआम्ले के तय करने के लिये यह कोशिश की गई थी कि जो जायदाद सख्त मेहनत से कमाई गई है, वह कायम रहे, लेकिन उन्हों ने नहीं माना और मुकद्मा लडने को तैयार हो गये. इस पर भी दरबार ने और कुछ खास रियायतें दीं. दरबार का यह ख्याल था कि ऐसा रास्ता निकाला जाय जिसमें जरूरत से ज्यादा सर्फा न हो. मेरा यह कहना है कि mis-understanding को एक तराजू में एक तरफ रखें और सरफे को दूसरी तरफ, और फिर वजन कीजिये तो सर्फे का पल्ला हमेशा भारी रहेगा; इसलिये मैं आप से जरूर इस्तदुआ करूंगा कि आप लोग इस पॉइन्ट पर जरूर कन्सीडर (consider) करके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि आपसी झगडे अदालत में न जावें, जहां तक हो पंचायत से मामलात तय किये जांय, और जो लोग ऐसे जिद्दी हैं कि वह यह कहते हैं कि हमतो मुकद्मे ही लडेंगे—उनका रास्ता निकालने में खास तौर पर लिहाज रक्खा जावे. यह टेन्डेन्सी (tendency) मैं पसंद नहीं करता हूं. इसमें बहुत से नुकसानात हैं. यह पॉइन्ट (बाबू बन्सीधर की तरफ इशारा करके) आप लोगों को कम जचेगा; हम लोगों को ज्यादा जच सकता है, इसलिये कि हम इस काम को (विजारतको)

नहीं करते हैं. हम यह भी समझते हैं कि यह पाइन्ट आपको क्यों नहीं जचता? आपका तो यह ख्याल है कि हमारे पास कोई भी आवे और वह चाहे हारे, चाहे जीते, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें तो अपना काम करना है, मगर मैं मुकदमात की यह view नहीं ले सकता हूं. आपतो उस ढंग को लायेंगे और हम उस ढंग को बचाना चाहते हैं; फिर कैसे इत्तफाक राय होगी. मेरा पॉइन्ट (point) आपको कैसे sound मालूम होगा! लेकिन जो उस फिर्के में नहीं है उसको यह पाइन्ट जरूर sound मालूम होना चाहिये. अलावा इसके जो आदत पड गई है वह आदत तोडना हमारा uphill task है, इसलिये मुझको जोर देना पडता है. पस आपसी झगडों को रोकने की तजवीज सोचने के लिये एक सब-कमेटी ब मशवरे लॉ मेम्बर साहब मुकर्रर की जावे जो लॉ मेम्बर साहब की प्रेसीडेन्टी में काम करे. मेरा यह तजरुबा है कि बहुत कुछ गलत फेहमी के बायस से मुकदमेबाजी होती है और इसलिये गलत फेहमी को बाहमी तौर पर रफा करना चाहिये. इस वक्त दो points of view हैं और आपके हम ख्याल लोग मेरी इस राय से इत्तफाक नहीं करेंगे मगर मेरा यह पुख्ता ख्याल है और मैं इस पर जरूर जोर दूंगा कि मुफ्त में पैसा लोगों का सर्फ होता है और यहां तक नौबत पहुंचती है कि जो आसूदा हैं वह भीख मांगने लगते हैं, इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि आप इस मसले पर गौर करें. यह कोई हक्क का मुआम्ला नहीं है, गरज सिर्फ यह है कि गलत फेहमी व फिजूल सर्फे की रोक हो. जब लोग willingly मुकदमाबाजी करते हैं तो स्टाम्प वगैरा के सर्फे को वह फिजल सर्फा नहीं समझते, लेकिन मेरे point of view से वह बिल्कुल फिजूल है. अगर्चे स्टाम्प की आमदनी मिलती है, मगर वह मेरी राय में ठीक नहीं है. काम करने वालों ने कोर्ट फी, स्टाम्प वगैरा का सर्फा मिस्ल punitive police के इसलिये रखा है कि मुकदमेबाजी की रोक हो. इसलिये मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप सब-कमेटी कायम करें और गौर करके कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे बाहमी मुकदमेबाजी की रोक हो जावे जो इस सवाल को रखने की असली गर्ज थी.

बन्सीधर साहब—कमेटी कायम कर दी जावे.

ठहराव.—कसरत राय से करार पाया कि जितने जमींदारान इस मजलिस के मेम्बर हैं वह सब-कमेटी के मेम्बर मुकर्रर किये जावें और सब-कमेटी बसिदारत लॉ मेम्बर साहब इस सवाल पर गौर करके अपनी रिपोर्ट पेश करे.

तजवीज नंबर २, फर्द नंबर १.

रियासत हाजा की मुख्तलिफ जगहों में एक ही नाम के वजन के लिये मुख्तलिफ तोल रायज हैं जिससे खरीदार व ब्योपारियों को गलत फेहमी होती है. मस्लन भेलसे में ५ मन की और उज्जैन में ६ मन की मानी समझी जाती है.

तजवीज यह है कि कुल रियासत के लिये वजनों की यकसां तोल मुकर्रर कर दी जावे जैसे कि सेर और गज के लिये मुकर्रर है.

ट्रेड मेम्बर साहब—पहिले जमाने में जिस तरह पर रुपये की शक्ल थी और रियासत में मुख्तलिफ किस्म के सिक्के थे और उनके होने से आम लोगों को यह नहीं मालूम हो सकता था कि किस सिक्के की क्या कीमत है और दिक्कतें पडती थीं (गो जिस वक्त से एक किस्म का रुपया जारी हुआ—यानी कलदार रुपया जिसके सोलह आने होते हैं—यह दिक्कत जाती रही) इसी तरह अब अजलाय में यह हालत है कि कहीं तीन मन की, कहीं चार मन की, किसी मुकाम पर पांच मन की और कहीं छै मन की, मानी मानी जाती है मुख्तलिफ मुकामात पर मानियों के मुख्तलिफ वजन होने से वहां बहुत बडी वाकफियत की जरूरत है, वर्ना धोखा हो जाता है. दूसरी शक्ल यह है कि बाज

जगह ४२ सेर का, बाज जगह पचास सेर का, बाज जगह बीस सेर का एक मन खरीद फरोख्त माल के लिये मुकर्रर है; गरज कि मुख्तलिफ किस्म के वजन हैं. मुझको दौरे में मालूम हुआ कि घी के लिये भिंड में ५० सेर का मन, उज्जैन में रुई के लिये बीस सेर का मन, और दूसरे मुकामात में चालीस सेर का मन समझा जाता है. मुख्तसिर यह है कि रियासत हाजा की मुख्तलिफ जगहों में एक ही नाम के वजन मुख्तलिफ तोल के रायज हैं, जिससे खरीदार व ब्योपारियान को गलत फेहमी होती है, मसलन भेलसे में पांच मन की और उज्जैन में छै मन की मानी समझी जाती हैं. यही वजह है कि दरबार के रूबरू यह तजवीज पेश की गई कि कुल रियासत के लिये वजनों की यकसां तोल मुकर्रर कर दी जावे, जैसे कि सेर और मन के लिये मुकर्रर है.

यह मुआम्ला दरबार के रूबरू पेश किये जाने पर हुक्म हुआ कि मजलिस आम में यह तजवीज रक्खी जावे, इसलिये अब यह तजवीज आप के सामने पेश की जाती है, और मैं उम्मेद करता हूं कि आप साहबान राय जाहिर करेंगे कि एक तरीके के वजन, जैसे कि अस्सी रुपये का सेर और चालीस सेर का एक मन रायज है, होना मुनासिब है या नहीं.

नारायणदास साहब—सब रियासत में वजन एक ही होना चाहिये. जैसा कि अस्सी रुपये का सेर है, इसी तरह मानी का भी एक ही वजन होना चाहिये.

महादेवराव साहब—मानी हो या पल्ला, गरज तो यह है कि सेर और मन में कोई फर्क नहीं होना चाहिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—मुरैना और भिंड में पचास रुपये का सेर, घी के वजन के लिये समझा जाता है. बाज मुकामात ऐसे हैं कि जहां ४०॥ सेर का और बाज जगह ४२ सेर का है. इसी तरह भिंड में ९० सेर का मन और इटावे में ४० सेर का होने की वजह से दिक्कतें पेश आती हैं. आपने जो सवाल किया है, गरज उसकी यह है कि, यह सब झगडे दूर कर दिये जावें, पल्ला आपके यहां तीन मन का है, और मन और सेर मौजूद हैं तो मानी के मुख्तलिफ वजन क्यों रक्खे जावें ? अगर मानी भी रखी जावे और मनासा भी रखा जावे तो काश्तकारों को और छोटे २ आदमियों को बडी दिक्कत होगी. गांवों में अगर आप देखें तो कहीं ४२ रुपये का सेर समझा जाता है, और कहीं ८० और ८१ का, और बाज जगह सेर पर अदपई, छटंकी और डाल देते हैं. किसी जमाने में बहुत से नावाकिफ चितौडी और चांदोडी रुपये के झगडे में धोखा खा जाते थे, इसलिये कुल रियासत में एक वजन होने की मेरी तजवीज है.

रामप्रतापजी साहब—हुजूर मुअल्ला ! ट्रेड मेम्बर साहब ने मुख्तलिफ तरह का भाव, मुख्तलिफ मुकामात में बतलाया है, इसमें धोका होता है. जो कुछ ट्रेड मेम्बर साहब फरमा रहे हैं वह ठीक है एक जगह पांच मन की मानी और दूसरी जगह छै मन की मानी है. यकसां वजन होना चाहिये.

महंत लक्ष्मणदास साहब.—स्कूलों में हिसाब किताब जो कुछ पढाया जाता है, वह यकसां होता है और लडके यकसां तालीम पाते हैं. इसी उसूल पर एक वजन सब रियासत में होना बहुत ठीक है. अमझरे के एक परगने में तोल नाप चौकी, कंगन, टूली, अधे, पौए, मुख्तलिफ किस्मों की है और दूसरे परगने में अधन्ने यानी दो-पैसे को पैसा कहा जाता है. एक ही जिले के दो परगनों में इतना फरक है. मैं समझता हूं कि जब स्कूलों में तालीम यकसां है तो वजन भी यकसां होना चाहिये, इसलिये मैं ट्रेड मेम्बर साहब की ताईद करता हूं.

जामिनअली साहब.—भेलसे में ४ मन की मानी और मंडी में ५ मन की मानी और ४० सेर का मन है, इसमें गलत फेहमी होती है.

बन्सीधर साहब—८० रुपये का सेर, ४० सेर का मन और ६ मन की मानी रखना चाहिये.

केशवराव बापूजी साहब—यकसां तोल रखना चाहिये, यकसां खरीद फरोख्त माल की होना चाहिये.

अहमद नूरखां साहब—कुल रियासत में वजन यकसां होना चाहिये.

लुक्मान भाई साहब—हुजूर वाला, ४० सेर का मन और ६ मन की मानी बहुत ठीक है.

राजाराम साहब—८० रुपये का सेर और ४० सेर का मन होना चाहिये.

हुजूर मुअल्ला—ट्रेड मेम्बर साहब की राय से, जहां तक मैं समझता हूं, सब इत्तफाक करते हैं.

मूंगालालजी साहब—मुझे भी ट्रेड मेम्बर साहब की राय से इत्तफाक है, सोने चांदी की तोल में भी इसलाह हो जावे. यहां तोले में २ रत्ती और डाली जाती हैं लेकिन बम्बई में कुछ नहीं.

हुजूर मुअल्ला—जहां तक मैं समझता हूं इस सवाल से सबको इत्तफाक है. मेरी राय में सब-कमेटी मुकर्रर कर दी जावे. सब-कमेटी इस मसले पर गौर करके अपनी रिपोर्ट पेश करे और उन इख्तलाफात को भी एडजस्ट करले जो बांटों के वजन के मुतअल्लिक इस मजलिस में जाहिर किये गये हैं. सोने चांदी के वजन पर भी इस कमेटी में गौर कर लिया जावे. इस कमेटी के मेम्बरान, आप आपस में इन्तखाब करलें. छै सात आदमी ब सिदारत ट्रेड मेम्बर साहब काफी होंगे.

ठहराव—ब इत्तफाक राय प्रेसीडेन्ट साहब मजलिस ने मेम्बर साहबान जैल को कसरत राय से मुन्तखिब किया:—

(१) लाला रामजीदास साहब.

(२) लुकमान भाई साहब.

(३) रामप्रताप साहब.

(४) मदनमोहन साहब.

(५) महंत लक्ष्मणदास साहब.

(६) नारायणदास साहब.

(७) मूंगालाल साहब.

(८) बन्सीधर साहब.

ट्रेड मेम्बर साहब—दो जमींदार और इस कमेटी में होना चाहिये, क्योंकि इसमें सब तिजारत पेशा मेम्बरान हैं, जमींदार कोई नहीं है.

हुजूर मुअल्ला—दो जमींदारान और शरीक किये जावें.

[**नोट**:—(१) जामिनअली साहब व (२) मथुराप्रसाद साहब को नामज़द किया गया.]

तजवीज नम्बर ६, फर्द नम्बर १.

सन १९०८ ई० में (नोटिफिकेशन मुन्दर्जे गवालियार गवर्नमेन्ट गजट, तारीख ८ फरवरी सन १९०८ ई० के जर्ये से) गज का नाप मुकर्रर किया गया और उसी की ताईद में सरक्यूलर नम्बर २, सम्वत १९६६, जुडीशियल सेक्रेटरियट से जारी किया गया, मगर इसकी तामील नहीं होती.

सवाल यह है कि कौनसे तरीके इख्तियार करना मुनासिब होगा कि जिससे गज का रिवाज कुल रियासत में कायम हो जावे.

लॉ मेम्बर साहब—इस सवाल के सिलसिले में मेरी अर्ज यह है कि यह सवाल भी उस कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे जो तजवीज नम्बर २ पर गौर करने के लिये मुकर्रर हुई है. आप साहबान की वाकफियत के लिये यह बयान करना जरूरी है कि सन १९०८ ई० में कॉमर्स बोर्ड की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुवा. मजमून उसका मुख्तसिर तौर पर यह था कि इलाके दरबार में वजन करने के जो बांट और नापने के जो गज मुख्तलिफ तौर के मुख्तलिफ जगहों में जारी हैं उनके इस्तेमाल का तरीका यकुम जौलाई सन १९०८ ई० से बन्द किया जाय, और चूंकि कल्दार रुपये का रिवाज हो गया है इसलिये आयन्दा से ८० रुपये का सेर और ३६ इंच का गज स्टेन्डर्ड वजन व स्टेन्डर्ड नाप माना जावे और यह करार दिया गया कि आयन्दा स्टेन्डर्ड सेर ८० रुपया कल्दार का और स्टेन्डर्ड गज ३६ इंच का समझा जावे और इस्तैमाल किया जावे. यह जिक्र सन १९०८ का है. फिर एक सरक्युलर सन १९०९ ई० में जारी हुवा जिसमें यह दिखलाया गया कि पहले एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मगर देखा जाता है तो इस वक्त तक उस पर ब्योपारियान की तरफ से अमल नहीं किया गया. इसलिये हिदायात मुन्दर्जे नोटिफिकेशन को इस तरह सख्त किया गया कि आयन्दा से सिवाय स्टेन्डर्ड वजन या नाप के, दीगर औजान से किसी चीज का तोलना या नापना कतई ममनूअ किया गया और जिस शख्स के पास और किसी किस्म के बांट बरामद हों तो उस शख्स के कब्जे में इस किस्म की चीज का बरामद होना जुर्म की तारीफ में दाखिल किया गया. यह जिक्र है सन १९०९ ई० का. ट्रेड मेम्बर साहब इसके मुतअल्लिक अपने वसीअ तजुर्बे से फरमा सकते हैं कि वह सरक्युलर जो सन १९०९ ई० से जारी है उसकी तामील खातिरख्वाह हुई या नहीं, शायद नहीं हुई. कायदा आप के यहां मुरत्तिब है उसकी तामील किस तरह कराई जावे. कमेटी इस सवाल पर इन वाकआत को मद्दे नजर रखकर अपनी रिपोर्ट में तजवीज पेश करे.

ट्रेड मेंबर साहब—लॉ मेम्बर साहब ने जैसा जिक्र किया है वह सवाल दस बारह साल से चल रहा है और वक्तन फवक्तन सरक्युलर व अहकाम जारी हुए, मगर कोई मुफीद नतीजा पैदा नहीं हुआ. हालांकि कानून मौजूद है कि जिनके पास से कम वजन के बांट बरामद हों उनके ऊपर जुर्म नम्बर ८४ कायम किया जाये और उनको सजा दी जाये. इस सरक्युलर की तामील न होने का सबब यह है कि ऐसे मुकद्दमे को कौन चलाये. मस्लन एक शख्स आया और उसने पांच सेर घी बेचा, और उस में उसे इस वजह से दो तीन आने का नुक्सान हुआ तो वह यह समझकर कि अदालत में जाने से उसे नुक्सान से ज्यादा सर्फा होगा, अदालत में नहीं जा सकता, दूसरे इस ख्याल से कि रिआया पर सख्ती न हो और जुल्म न हो जैसा कि दरबार का हमेशा ख्याल रहा है पुलिस को भी यह इख्तियार नहीं दिया गया कि वह बिला किसी फरयादी के किसी ऐसे मुकद्दमे को उठाये और चलाये. मन्डी कमेटी को खास तरीके पर इस बारे में इख्तियारात दिये गये हैं; मगर जब सवाल पेश हुवा तो यह हुआ कि हमको मुकद्दमा चलाने का क्या इख्तियार है. तीसरे शहर, गांव, मंडी और बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां वर्कशॉप के बने हुए बांट इस्तेमाल किये जाते हैं, मगर घिस जाने या दीगर वजह से तोला दो तोला कम हो जाते हैं. ऐसी सूरतों में उन बांटों में जब एक कडी और डाल दी जाती है तो उनका वजन पूरा हो जाता है.

मुरैना मन्डी ने यह तरीका करार दिया है कि ऐसे कडी डाले हुए बांटों पर अपनी मुहर लगा दे. इस मन्डी में बारह चौदह दुकानें घी की हैं, जिनका सिर्फ काम यही है कि करीब चार सौ

पांचसो मन के घी आता है और उनके आढतिया वगैरा करीब पचास के हैं, मगर उन बारह तेरह आदमियों ने कहा कि हम घी खरीद नहीं करते. मुरैना मन्डी के मेम्बरों ने एक लाख रुपया जमा करके घी खरीदना शुरू कर दिया और चार रोज तक माल को खरीद किया जब तक कि उनके हुक्म की तामील मंडी में जारी नहीं हुई.

मुरैना की मन्डी कमेटी की मैं तारीफ करूंगा कि उसने ऐसा काम किया, लेकिन दीगर मन्डियां ऐसा नहीं कर सकतीं, न हर गांव में जमींदार कर सकते हैं. कम वजनी के मुतअल्लिक इस वक्त जो तरीका है वह आपके रूबरू पेश है.

दरबार ने कमेटी को इसलिये मुकर्रर फरमाया है कि वह तजवीज करे कि वह कौनसा सिस्टम है कि जिससे कोई शख्स जिम्मेदार बनाया जावे जो मुकद्दमे को अदालत में पेश करे और पैरवी करे.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि जो कमेटी तजवीज नम्बर २ पर गौर करने के लिये कायम की गई है वही इस तजवीज पर भी गौर करके अपनी रिपोर्ट पेश करे.

तजवीज नंबर ३, फर्द नंबर १.

जमींदारी जायदाद के इंतकाल की रजिस्ट्री की कार्रवाई बदस्तूर अदालत माल से होना चाहिये या कि अदालत दीवानी से ?

लॉ मेंबर साहब.—इस सवाल की आखरी इबारत में जहां यह तहरीर है कि "रजिस्ट्री की कार्रवाई ब दस्तूर अदालत माल से होनी चाहिये" लफ्ज "बदस्तूर" से कुछ गलत फेहमी होने का अहतमाल है, इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि कैफियत मामला बयान कर दी जावे.

अपनी रियासत में रजिस्ट्री के मुतअल्लिक दो मुख्तालिफ कानून जारी हैं—एक आराजी जरई यानी जमींदारी जायदाद के तअल्लिक, दूसरा मुतअल्लिक मकानात सकूनती; मस्लन कस्बे के मकानात. इन दोनों में जो फर्क है वह मुख्तसिर तौर से यूं बयान किया जा सकता है.

फर्ज कर लीजिये कि लश्कर में एक मकान है और मालिक मकान उस मकान को सेठ लुकमान भाई के हक में बय करना चाहता है, तो इसके मुतअल्लिक मालिक मकान और लुकमान भाई के दरमियान कार्रवाई जो कुछ होगी वह यह होगी कि बय के मुतअल्लिक सब बातें तय होने के बाद एक दस्तावेज मालिक मकान की तरफ से लुकमान भाई के हक में लिखी जावेगी और वह दस्तावेज रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेश की जावेगी. रजिस्ट्रार का फर्ज होगा कि मालिक मकान से यानी दस्तावेज लिखने वाले से यह दरयाफ्त करे कि उसने उस बयनामे को लिखा है या नहीं और जो रुपया उस बयनामे में लिखा है वह उसने पाया या नहीं. अगर रजिस्ट्रार मालिक मकान से जाती तौर से वाकिफ है तो वह वैसी तस्दीक करेगा; अगर वह वाकिफ नहीं है तो दो गवाहों के जर्ये से शनाख्त करायेगा और बाद इसके दस्तावेज की रजिस्ट्री का हुक्म देगा. यह तरीका तो मकानात की रजिस्ट्री का है. जमींदारी जायदाद की रजिस्ट्री और उसके बय का कायदा इससे बहुत मुख्तलिफ है. जब कोई मौजा को जमींदार बेचना चाहे, या रहन करना चाहे तो जाब्ता यह है कि बेचने वाला या खरीदार, रहन रखने वाला या मुर्तहिन, एक दरख्वास्त पेश करेगा. वह दरख्वास्त जिले के सदर मुकाम पर डिस्ट्रिक्ट जज के इजलास में पेश की जावेगी. कानून माल में यह हुक्म है कि अगराज रजिस्ट्री के लिये डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टन्ट सूबा माल समझा जावेगा. गो दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट जज को बहैसियत असिस्टन्ट सूबा माल, पेश

की जाती है, लेकिन फिल हकीकत यही समझना चाहिये कि यह दरख्वास्त एक सिविल ऑफिसर के इजलास में पेश होती है न कि किसी ऑफिसर माल के, यानी दरख्वास्त फिल हकीकत अदालत दीवानी में ही पेश होती है न कि अदालत माल में, इसी वजह से मैंने शुरू ही में आपको आगाह किया था कि इस तजवीज की आखरी इबारत से गलत फेहमी पैदा होने का अहतमाल है.

जमींदारी जायदाद की रजिस्ट्री का मौजूदा जाब्ता समझने के लिये एक मिसाल लीजिये. फर्ज कीजिये कि एक जमींदार की जानिब से मौजे के बय के लिये दरख्वास्त पेश हुई कि वह मौजा बेचना चाहता है तो उस पर अदालत से नोटिस जारी होगा कि जिस किसी को ऐतराज हो वह फलां तारीख को आकर अपनी उज्रदारी पेश करे. उज्रदारियां इस बिना पर हो सकती हैं कि जो शख्स मौजे को बेचना चाहता है उसको कोई हक बेचने का नहीं है, यानी यह कि वह उसका मालिक नहीं है या यह कि वह पागल है या यह कि वह नाबालिग है. एक उज्रदारी इस किस्म की होती है कि उज्रदार कहता है कि मुझको हक शुफा हासिल है, मस्लन मैं गोल मौजे में बेचने वाले का शरीक हूं, थोक या पट्टी का हिस्सेदार हूं. इसलिये बजाय इसके कि दूसरा शख्स इस जायदाद को खरीदे, बयनामा मेरे हक्क में किया जावे. ऐसी उज्रदारियां होने पर उनकी तहकीकात की जाती है. तहकीकात करने के बाद अगर उजरात साबित न हों तो हुक्म दिया जाता है कि, उज्रदारी खारिज की जावे; उज्रदारी किसी बिना पर की जावे, तहकीकात के बाद अगर उजरदारी खारिज की जावे तो उज्रदार को हक है कि वह इस फैसले के खिलाफ बेंच माल में अपील करे. अब जो सवाल इस वक्त पेश है वह यह है कि जमींदारी जायदाद के इन्तकाल की हालत में मौजूदा तरीका ही जारी रखा जावे, यानी दरख्वास्त बिनाबर हुसूल इजाजत व जुम्ला कार्रवाई रजिस्ट्री, जैसा कि अब होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के इजलास में ही की जाया करे या यह कि रजिस्ट्री का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जज से न रखा जाकर इस किस्म की दस्तावेजात की रजिस्ट्री का ताल्लुक सूबे साहबान से रखा जावे. असली सवाल जिस पर आप साहबान बाद गौर अपनी राय दें यह है.

इसी सवाल के जैल में एक छोटा सवाल और पैदा होता है, वह यह है कि अगर रजिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट जज ही के ताल्लुक रखी जावे तो क्या यह बेहतर न होगा कि छोटी मालियत की जायदाद की हालत में रजिस्ट्री अदालत परगना में हुआ करे, अगर रजिस्ट्री का ताल्लुक सूबा साहब से रखा जावे तो भी यह सवाल पैदा होगा कि छोटी जमींदारी की हालत में रजिस्ट्री तहसील में हुआ करे. असली सवाल यह है कि कार्रवाई रजिस्ट्री का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जज से रखा जावे या सूबा साहब जिला से. इस सवाल पर आप इस पहलू से गौर कीजिये कि जमींदार साहबान को दरख्वास्त हाय रजिस्ट्री पेश करने में, उज्रदारियां पेश करने में और उनका तसफिया कराने में सहूलियत कहां होगी.

अब आप इस पर गौर करें कि उज्रदारियां किस किस्म की पेश होंगी. बाज इस किस्म की पेश होंगी कि जो शख्स बय करने की इजाजत चाहता है उसको बेचने का हक हासिल नहीं. शफा के मुआमलात में उज्रदारियां ज्यादातर इस किस्म की होंगी कि जायदाद की कीमत फर्जी दर्ज कर दी गई. मस्लन दरख्वास्त में १,०००) रुपया कीमत करार पाना तहरीर है, मगर यह रकम शुफा के खौफ से बहुत बढाकर लिखी गई. फिलहकीकत ३००) रुपया ही करार पाये. आप यह बात जहन में रखिये कि जो कुछ तसफिया सीगे रजिस्ट्री में हो जाता है वह फरीकैन पर काबिल पाबंदी होता है और उन उमूर के मुतअल्लिक कोई नालिश अदालत दीवानी में दायर नहीं की जा सकती. मस्लन अगर किसी शख्स की उज्रदारी पर कि सायल को (जमींदार जो अपना हिस्सा बेचना चाहता है उसको) हक इन्तकाल नहीं है और सीगे रजिस्ट्री में यह उजरदारी मंजूर हो जावे तो बाहम फरीकैन कोई नालिश अदालत दीवानी में हक कायम कराने की निस्बत दायर नहीं होगी. उस हुक्म का रेवेन्यू बेंच में अपील हो सकता है मगर नालिश दीवानी में नहीं हो सकती. जमींदारी जायदाद की रजिस्ट्री में जो यह जाब्ता रखा गया है उसकी गरज यह है कि जो कुछ झगडे आयन्दा पेश

आने को हों उनका तस्फिया सीगे रजिस्ट्री में बयनामा लिखने से पेश्तर ही कर दिया जावे और जो कुछ झगडे पेश होकर सीगे रजिस्ट्री में तय पा जावें वह फरीकैन के दरमियान नातिक हों और उनके मुतअल्लिक आयन्दा अदालत दीवानी में नालिश करके तवालत देने की नौबत न आवे. इसी तरह शुफा के मुतअल्लिक. शुफा की नालिशें आम तौर पर अदालत दीवानी में हुआ करती हैं, मगर जमींदारी जायदाद के मुतअल्लिक दीवानी में नालिश नहीं हो सकती. जिस किसी को दावा हो वह सीगे रजिस्ट्री में उज्रदारी पेश करके अपनी चाराजोई करे.

इस वक्त जो सवाल आपके सामने रक्खा गया है वह महज जमींदार साहबान की सहूलियत के लिये है, इसमें सरकार का कुछ नफा नुक्सान नहीं है. इस मुआम्ले पर आप साहबान राय दें.

बन्सीधर साहब—जो कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहां हो रही है वह ठीक है. कानूनी अमल और बरताव वह चीज है जो [illegible] लाइन में ठीक तौर से हो रहा है, इसलिये जुडीशियल में ही होना मुनासिब है.

अहमदनूरखां साहब—इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है वह ठीक है. इसी में ज्यादा सहूलियत है, मुआम्ला जल्द निबट जाता है.

लॉ मेम्बर साहब—इस वक्त सवाल तो सिर्फ यह है कि मवाजियात के बय व रहन की दरख्वास्तें कहां पेश होना चाहिये.

अहमदनूर खां साहब—जैसी अब तक होती, है यानी जुडीशियल कोर्ट में ही होना चाहिये. सूबा साहब अक्सर दौरे में तशरीफ रखते हैं उसमें बहुत देर लगेगी, अभी यह काम निहायत सहूलियत और आसानी से हो जाता है.

मथुराप्रसाद साहब—अन्नदाता! मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट जज साहबान को जमींदारान वगैरा से वाकफियत नहीं होती. अक्सर मस्तूरात की तरफ से लोगों ने रजिस्ट्रियां करा ली हैं या नालिशात वगैरा की हैं. चूंकि सूबे साहबान व तहसीलदार साहबान को पूरे तौर से वाकफियत होती है इसलिये मेरे ख्याल में सूबात में या तहसील में रजिस्ट्री का होना करार दिया जावे.

अहमदनूर खां साहब—मिसालन जैसा मथुराप्रसाद साहब ने फरमाया है मुमकिन है, कि हुआ हो; लेकिन हुक्काम जुडीशियल के हाथ में यह बात नहीं है कि वह कब्जा भी उस जायदाद पर दे दें. कब्जा हुक्काम माल के जर्ये से दिलाया जाता है, और इश्तहार उजरदारी का लगाया जाता है.

मथुराप्रसाद साहब—अक्सर व बेश्तर जमींदारान और पटवारियान शामिल हो जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज को वाकफियत भी नहीं होती कि यह जमींदार है. उसके इजहार के एतबार पर रजिस्ट्री हो जाती है और जमींदार को वाकफियत तक नहीं होती कि रजिस्ट्री हो गई, फिर उसके बाद मियाद गुजर जाती है. वाकफियत, उनकी सूरत, शक्ल और हालात के लिहाज से रजिस्ट्री सूबात से होनी चाहिये.

अहमदनूर खां साहब—यह सही है, लेकिन मौके की कार्रवाई तब होती है कि जब तहसील में हुक्म जाता है, जो उनके बच्चों बच्चों से वाकिफ होते हैं.

मथुराप्रसाद साहब—वह कब्जा भी उस वक्त हासिल करते हैं जब कि मियाद गुजर जाती है.

बन्सीधर साहब—क्या ऐसी कोई नजीर मौजूद है ?

रामराव गोपाल देशपांडे साहब—माल से होना ठीक है. जहां जड है वहां ही होना चाहिये.

जामिनअली साहब—यानी रजिस्ट्री में हुजूर जिस कदर दरख्वास्तें गुजरती हैं वह सब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां गुजरती हैं. कानून में गुंजायश हमको अच्छी है, इसलिये डिस्ट्रिक्ट जज साहब ही फैसला करें. जो कानून राइज है निहायत अच्छा है.

जमनादास झालानी साहब—अभी जो तरीका राइज है वह बहुत अच्छा है. डिस्ट्रिक्ट जजी से बाजाब्ता कार्रवाई होती है. मेरे ख्याल से कानूनन कोई मुमानियत नहीं है कि अगर उज्रदारी मंजूर हो जाये तो फरीक नाराज अदालत दीवानी में नम्बरी नालिश नहीं कर सकता है.

लॉ मेम्बर साहब—मैं आप की वाकफियत के लिये इतना और कह दूं कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से एक सरक्यूलर जारी हो चुका है जिसका खुलासा यह है कि जायदाद जमींदारी के मुतअल्लिक कोई शफा की नालिश अदालत दीवानी में दायर नहीं हो सकेगी. मुद्दई को चाहिये था कि जब दरख्वास्त इजाजत बय पेश हुई थी और नोटिस जारी हुआ था तो उस वक्त अपनी उज्रदारी करता, उस वक्त चाराजोई न करने से और कार्रवाई बय मुकम्मिल हो जाने से अब उसको मन्सब नालिश हासिल नहीं है.

नारायणदास साहब—रजिस्ट्री माल से होना ज्यादा मुफीद होगा बजाय जुडीशियल के, क्योंकि ऑफिसरान जुडीशियल को अ[illegible] से वाकफियत नहीं होती. माल के ऑफिसरों को ऐसे मुआम्लात की वाकफियत ज्यादा होती है और अगर परगने में इसकी रजिस्ट्री हो जावेगी तो सर्फे का बहुत बचाव होगा.

महादेवराव साहब—रजिस्ट्री में यह भी लिखा जाता है कि यह रजिस्ट्री किसी के हक में माने न होगी. क्या वह दीवानी से मन्सूख नहीं करा सकता है? रजिस्ट्री में तसदीक होती है कि यह रजिस्ट्री किसी के हक में माने नहीं है तो क्या फरीक सानी को मालूम होने पर वह नालिश कर सकता है या नहीं, यानी वह दीवानी कर सकेगा या नहीं?

लॉ मेम्बर साहब—दीवानी में नालिश नहीं हो सकती. मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिये कि आप जमींदार हैं और अपना मौजा मेरे हाथ बेचना चाहते हैं. लुकमानभाई ने उज्रदारी की कि उनको हक शफा है इसलिये मौजा उनके हक में बय किया जावे. अगर यह उज्रदारी मंजूर हो जावे तो मैं (ब हैसियत खरीदार) अदालत दीवानी में इस किस्म की नालिश दायर करने का मजाज नहीं हूं कि फैसला जो ब सीगे रजिस्ट्री हुआ है गलत है, लुकमानभाई को हक शफा हासिल नहीं हैं इसलिये लुकमानभाई से वह जायदाद मुझको दिलाई जाय, अगर ऐसी नालिश अदालत दीवानी में दायर की जायगी तो अदालतें इस बिना पर खारिज कर देंगी कि हुकूक शफा के मुतअल्लिक कार्रवाई सीगे माल नातिक है.

महादेवराव साहब—(लॉ मेंबर सा० से) हक शफा की बाबत, लेकिन आपने यह फरमाया था कि वह दीवानी नहीं कर सकता और अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट जजी से तय होने पर आपके उसके दरमियान नालिश दायर नहीं हो सकेगी. मसलन कोई शख्स फर्जी जमींदार बनकर बय करना चाहे तो क्या अस्ल जमींदार नालिश न कर सकेगा?

लॉ मेम्बर साहब—फर्जी शख्स की हालत में शक्ल दूसरी पैदा हो जाती है. मेरे कहने की गरज यह है कि जो कुछ कारवाई सीगे रजिस्ट्री में होती है और जो कुछ फैसला सादिर किया जाता है वह फरीकैन पर काबिल पाबंदी होता हैं, तीसरे शख्स पर काबिल पाबंदी नहीं होता. मैं अगर अपने आपको बापूराव साहब पवार जाहिर करके कोई कार्रवाई करूं, मसलन उनके नाम से जायदाद बय करूं तो मेरी कार्रवाई असली बापूराव साहब पवार पर काबिल पाबंदी न होगी. इस तजवीज के मुतअल्लिक मुबाहिसे में यह कहा गया है कि रजिस्ट्री का ताल्लुक ऑफिसरान माल से ही होना चाहिये, क्योंकि वह अपने परगने व जिले के जमींदारान को जानते हैं, पहिचानते हैं, और हालात से वाकिफ होते हैं. मगर मेरे ख्याल में किसी ऑफिसर की जाती वाकफियत से और

कार्रवाई रजिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं. अब जब कि कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट जजों के इजलास से होती हैं तो यह कार्रवाई की जाती हैं कि दरख्वास्त पेश होने पर इश्तहार जारी होता है, ऐलान किया जाता है कि जिस किसी को उज्रदारी करना मकसूद हो वह हाजिर आये, पटवारी लाजमी तौर से तलब किया ही जाता है बयनामे के तहरीर की जब नौबत आती है तो गवाहान के दस्तखत होते ही हैं. ऐसी हालत में फर्जी कार्रवाई करने का इमकान बहुत ही कम है. शायद ही कभी ऐसे मौके पेश आये होंगे. अगर यही मसलहत समझी जाय कि रजिस्ट्री का काम उन्हीं लोगों के सुपुर्द किया जावे जो जमींदारान व उज्रदारान को जानते और पहचानते हों तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि जब किसी जिले में कोई नये सूबे साहब पहुंचें या किसी परगने में नये तहसीलदार साहब पहुंचें तो चूंकि वह लोगों से वाकिफ नहीं होंगे इसलिये वह भी कार्रवाई रजिस्ट्री करने से एक अर्से के लिये बाज रखे जावें जब तक कि वह पूरी वाकफियत जिले या परगने की हासिल न कर लें.

हुजूर मुअल्ला.—सवाल यह है कि यह रजिस्ट्री का मुआम्ला डिस्ट्रिक्ट जजी में जावे या सूबे के सामने, अगर परगने का है तो तहसीलदार के सामने जाये या जुडीशियल ऑफिसर के सामने, या दूसरे अलफाज में जुडीशियल कोर्ट में पेश हो या रेवेन्यू कोर्ट में; लिहाजा अब इस मुआम्ले में वोट लिये जावें.

ठहराव—इस तजवीज के मुतअल्लिक वोट लिये जाने पर कसरत राय से यह करार पाया कि रजिस्ट्री की कार्रवाई का जो तरीका जारी है वह ठीक है.

तजवीज नंबर ४, फर्द नंबर १.

संवत १९७९ में सुपरिन्टेन्डेन्ट डिस्पेन्सरीज मालवा ने जिला शाजापुर म विलेजवार दौरा किया और बिनाबर इन्तजाम सेनीटेशन, इन्सपेक्शन फॉर्म्स सूबात में भेज. इसकी तामील के लिये परगना बोर्डों के नाम अहकाम जारी किये गये. अदम तामील की हालत में क्या किया जावे, इसकी बाबत जिला बोर्ड शाजापुर में हस्ब जैल ठहराव हुआ :—

१. सेनीटेशन की तारीफ में मुन्दर्जे जैल उमर रखे जावें :—

(१) गांव के अन्दर व आसपास कूडा कचरा व रोडी न डालना.

(२) खाद, कचरा व रोडी के वास्ते हर गांव में ब लिहाज जरूरत, उत्तर या दक्खिन में कुछ रकबा महदूद कर दिया जावे और यह रकबा मौजे से दो जरीब से करीब न हो.

(३) गांव के आसपास दो फर्लांग के अन्दर कोई शख्स हाजत रफा न करे.

(४) आबनोशी (पानी पीने) के कुवों में नहाना व कपडे धोना न चाहिये.

२. अदम तामील की सूरत में खाद जब्त किया जाकर बजर्ये नीलाम फरोख्त किया जावे और जरे नीलाम, सेनीटेशन वगैरा हमचू किस्म के कॉमन इन्टरेस्ट (Common interests) के कामों में सर्फ किया जावे.

३. हाजत रफाइ व कपडे धोना व नहाने क बारे में खिलाफ वर्जी करने वाले पर २ रुपये तक जुर्माना किया जावे और यह भी रकम मौजे के सेनीटेशन वगैरा के Common interests के काम में सफ की जावे.

४. खाद जब्त करना व जुर्माना करने का इख्तियार मौजे के सब से बडे यानी सब से ज्यादा मालगुजारी देने वाले नम्बरदार को रहे, और उसके हुक्म की अपील पंचायत बोर्ड मुतअल्लिका में अन्दर एक हफ्ता हो. फैसला पंचायत बोर्ड नातिक रहे.

५. जुर्माना व फरोख्तगी खाद वगरा का हिसाब जुर्माना करने वाले नम्बरदार को रखना चाहिये.

होम मेम्बर साहब—सेनीटेशन की तारीफ में जो उमूरात सुपरिन्टेन्डेन्ट मालवा डिस्पेन्सरीज की सिफारिश पर से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाजापुर की तरफ स रखे गये हैं कि "गांव के अन्दर व आसपास कूडा कचरा व रोडी न डालना व खाद कचरा व रोडी के वास्ते कुछ रकबा मौजे से दो जरीब के फासले पर महदूद करना, गांव के दो फरलांग के अन्दर किसी शख्स का हाजत रफा करने की रोक होना, आबनोशी के कुंवे में नहाना व कपडे न धोना" यह बिलकुल ठीक हैं. इन उमूरात की अदम तामील की सूरत में जब तक कोई सजा न रखी जाय, सिर्फ नेक मशवरे से ही काम नहीं चलेगा. यह सजा किस किस्म की और किस हद तक हो, इस बाबत मेमोरन्डम नंबर २५, सफा ४७ के नोट की पोट कलम (३) में अहकाम दरबार हैं कि जो शख्स सेनीटेशन के अहकाम के खिलाफ काम करे तो उसे लोकल पंचायत से समझायश दी जावे. अगर न माने तो सजा उसके लिये जैसी कि कौमी पंचायत में दी जाती है तजवीज की जाय. उस बमूजिब अगर लोकल पंचायत इन मुआम्लात को तय नहीं कर सकेगी तो फिर सजा की निस्बत मजलिस को सोचना मुनासिब होगा. इसी बमूजिब पटेल व जमींदार के जो फरायज मेमोरेन्डम नंबर २५, सफा ३९, पोट कलम (३) में "अपने गांव के सेनीटेशन को इम्प्रूव करें और गांव के रास्तों को ठीक हालत में रखें व पोट कलम (५) में ऐपीडेमिक का इन्तजाम करें" रखे हैं, वह सेनीटेशन व बवाई अमराज से तअल्लुक रखने वाले हैं. इन फरायज की रू से भी बहुत कुछ अच्छा काम होगा; लिहाजा हमारी राय में अदम तामील सेनीटरी उमूरात की सूरत में हस्ब तजवीज जिला बोर्ड शाजापुर, खाद जब्त करना व उसका बजर्ये नीलाम फरोख्त करना व हाजत रफाई व कपडे धोने के मुतअल्लिक जुर्माना करना वगैरा, सजाओं को देने की निस्बत डिसकस करना जरूरी नहीं है.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—यह सब बातें मेमोरेंडम नंबर २५ में आ गई हैं, इसलिये इस तजवीज पर गौर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिलाजत के दूर फिकवाये जाने और जमींदारों के sanitation के मुतअल्लिक काम करने की बाबत काफी हिदायतें मेमोरेंडम में दर्ज हैं.

अहमद नूरखां साहब—खाद नीलाम करने का जो इख्तियार दिया गया है इसके मुतअल्लिक मेरी इतनी अर्ज है कि इसकी मिकदार होना चाहिये. खाद दो दो सौ, चार चार सौ में बिकते हैं और इसका अपील पंचायत बोर्ड में रखा गया है, मेरे नजदीक तहसीलदार के यहां होना चाहिये.

बंसीधर साहब—खाद नीलाम किये जाने की निस्बत मेरी गुजारिश यह है कि जो शख्स नीलाम करेगा या जो शख्स नीलाम में खरीदेगा वह पूरी वाकफियत न रखेगा; इसलिये खाद की जब्ती न की जावे. काश्तकारों की सब कमाई का खादे पर दारोमदार है, इसलिये उसको नीलाम

की सूरत में न डाला जावे. अगर उदूल हुक्मी वाके हो तो जुर्माना सवा रुपया, जो इख्तियारी जमींदार है, काफी है. इसके अलावा हाजत रफाई के वास्ते जो यह तजवीज की गई है कि गांव से दो दो जरीब के फासले पर हो तो यह सेनीटेशन के लिहाज से अच्छी है, लेकिन बाज वक्त कोई बीमार या औरत जावे तो गांव में कोई लालटेन तक नहीं होती. यह फासला उनके वास्ते तकलीफदेह है और यह फासला जरा ज्यादा है इसलिये औरत और बीमार इस कायदे से मुस्तसना रक्खे जावें; और सब बातें मेमोरन्डम नं. २५ में आ गई हैं.

हुजूर मुअल्ला—क्या यह बेहतर न होगा कि मेमोरन्डम नं. २५ जो अभी जारी हुआ है उसको जांचा जाय कि उसकी तामील कैसी होती है ? अगर इसमें गफलत पाई जाय तो बाद को इस पर गौर किया जाना बहुत ज्यादा मुनासिब होगा.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि चीफ सेनीटरी कमिश्नर खुद और अपने मातहतों के जर्ये से जांच करके सन १९२५ ई० में रिपोर्ट करें कि मेमोरन्डम के अहकाम की तामील होती है या नहीं. अगर उनकी रिपोर्ट से यह जाहिर हो कि तामील नहीं होती तो फिर इस अम्र पर गौर किया जावे कि आयन्दा क्या किया जाये.

तजवीज़ नंबर ५, फर्द नंबर १.

बजर्ये सरक्युलर नंबर २१, सम्वत १९५८, मजर्ये चीफ सेक्रेटरियट, हुजूर दरबार (सीगे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट) चंद हिदायतें मवेशियों को दाग लगाने के मुतअल्लिक जारी की गई हैं, और उसके फायदे भी जाहिर किये गये हैं. सवाल यह है कि मवेशियों को दाग लगाने के बजाय दूसरा कौनसा तरीका इख्तियार करना मुनासिब होगा कि जिससे मवेशियों के चोरी जाने या गुम हो जाने पर उनकी पहिचान और गिरफ्तारी में आसानी हो.

लॉ मेम्बर साहब—मवेशियों के दाग लगाने के मुतअल्लिक गुजिश्ता २१ साल से दरबार से वक्तन फवक्तन अहकाम जारी किये गये हैं. इस मामले की इब्तदा इस तरह पर हुई कि मार्च सन १९०२ ई० में ऑफिसरान पुलिस की एक कॉन्फरेन्स ब मुकाम लश्कर की गई, जिसमें वारदातों की इन्सदाद और सुरागरसी के तरीके के मुतअल्लिक गौर किया गया. इस कॉन्फरेन्स में यह करार पाया कि बेड मवेशी का रोक के लिये और मवेशियों की शनाख्त आसानी से होने के लिये हर रियासत में मवेशियों को दाग लगाये जाया करें. उसके थोडे ही अर्से बाद अप्रेल सन १९०२ ई० में दरबार ग्वालियर, रियासत हाय कोटा, टोंक, दतिया और ६ चन्द दीगर ठिकानेजात की एक कॉन्फरेन्स हुई और साबिका ठहराव से इत्तफाक किया गया यानी यह करार पाया कि मवेशियों के दाग लगाये जांय.

दाग लगाना लाजमी करार नहीं दिया गया यानी यह करार नहीं दिया गया कि जो मालिकान मवेशी दाग नहीं लगायेंगे उन पर कोई जुर्म आयद किया जायगा या उनको किसी जुर्म में सजा दी जायगी, बल्कि दाग लगाना महज मालिकान की मर्जी पर छोडा गया और साथ ही साथ यह भी करार पाया कि दाग लगाने के मुतअल्लिक लोगों को फेहमायश की जाय, और उनको समझाया जाय कि इससे क्या फायदा है.

चुनांचे अप्रेल सन १९०२ ई० में एक सरक्यूलर इस ठहराव के मुताबिक अमल करने के लिये जारी किया गया. इस सरक्यूलर की दफा ६ में हिदायत है कि दाग लगाना जबरिया नहीं है

बल्कि मालिकान मवेशी की मर्जी पर मुनहसिर है मगर ऑफिसरान जिला व परगना दाग लगाने के फवायद रिआया को समझावें.

इस ख्याल से कि मवेशियों को ज्यादा तकलीफ न पहुंचे, दो हिदायतें दी गईं:—

(१) यह कि दाग ज्यादा गहरा न लगाया जाय.

(२) यह कि दो बरस से कम उमर के मवेशी को दाग न लगाया जाय.

दाग लगाने के मुतअल्लिक दरबार की जानिब से हर थाने में पूरा पूरा इन्तजाम किया गया है. एक हेड कान्स्टेबिल हर थाने के मुतअल्लिका मवाजियात में गश्त किया करता है, और उन मालिकान मवेशी के लिये जो दाग लगवाना चाहें, हर तरह की सहूलियत पैदा की गई है. पुलिस गजट जो हाल ही में जारी हुआ है और जो आपकी नजर से गुजरा होगा उस में एक मफरूर मवेशी के दाग के मुतअल्लिक एक तमसील दर्ज है. उसमें लिखा है कि एक आवारा जानवर नरवर में पाया गया, जिसका पता दरयाफ्त करने का कोई जर्या न था. मगर इस पर दाग होने की वजह से निहायत इत्मीनान से यह बात मालूम हो गई कि यह जानवर कहां का है. इन्सपेक्टर-जनरल साहब पुलिस का तजुर्बा है–वह फर्माते हैं कि "ऐसा पाया जाता है कि खुद वह लोग जो मवेशी पालते हैं और रखते हैं, मवेशी के दाग लगवाने से जी चुराते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि पुलिस के अहलकारों पर, जिनके मुतअल्लिक दाग लगाने का काम है, बेईमानी के शुबह पैदा होने की गुंजायश हो जाती है और खुद रिआया को यह तकलीफ होती है कि जब उनके मवेशी चोरी या गुम हो जाते हैं तो उनकी पहिचान व गिरफ्तारी मुश्किल हो जाती है." अहकाम मौजूद हैं गो जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, दाग का लगवाना जबरिया नहीं है. इसके फवायद जाहिर है मगर खुसूसन उन हिस्सों में जहां बेड मवेशी की शिकायत ज्यादा है वह लोग भी बखुशी तामील नहीं करते. मुमकिन है कि बाज जमींदार साहबान के ऐसे ख्यालात हों कि दाग लगाना जानवरों के साथ एक बेरहमी का बर्ताव है. अगर यह तरीका ठीक नहीं है तो और क्या करना चाहिये? इसके मुतअल्लिक आप साहबान से राय ली जाती है.

अहमद नूर खां साहब—मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता, लेकिन गर्दन पर दाग लगाने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. बजाय गर्दन के पुट्ठों पर नर्म व हलके दाग लगाये जावें.

लॉ मेम्बर साहब—जो कुछ ठहराव हुए हैं वह भी यही हैं कि गर्दन पर न लगाये जावें, और दाग नर्म हों.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—दाग लगाने का तरीका इससे जारी किया गया होगा कि गैर इलाके में मवेशी चोरी गये हुए आसानी से मिल जावें, लेकिन दाग लगी हुई मवेशी जो रियासत के बाहर जाती हैं क्या वह सब आ जाती हैं? वह नहीं आतीं; तो फिर ऐसी सूरत में शनाख्त इससे बढ़कर कोई नहीं है जो कुदरती रंग है. हर मवेशी का रंगीन दाग जैसे लाल, पीला, सफेद छींटेदार बुंदकी, सींगो की बनावट वगैरा, यही हुलिया शनाख्त के लिये काफी है, नंबरी दाग न लगाया जाय.

हुजूर मुअल्ला—महन्तजी, मुआफ कीजिये, पेशेवर चोर ऐसा करते हैं कि सींग को ज्वार या बाजरे के आटे की पुल्टिस या रोटी बांध कर तर्ज को पलट देते हैं. शायद यह मुआम्ला एक दफा मुझे पेश हुआ था कि दाग लगाने का नतीजा क्या होता है. पुलिस कॉन्फरेन्स, सन १९०२ ई. में हुई तो उस वक्त, जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने कहा, कई तजवीजें पेश की गई थीं. उसी सिलसिले

में जब बेड मवेशी का सवाल उठा तो करार पाया कि मवेशियान पर दाग लगाये जावें. इसके बाद मुझे याद पडता है कि शायद एक मुआम्ला मेरे सामने आया और जिसके मुतअल्लिक मैंने सीगे पुलिस से दरयाफ्त किया कि दाग लगाने का नतीजा क्या हुआ. जाहिर है कि दाग इसलिये लगाये जाते हैं कि वारदात की इन्सदाद हो और सुराग रसी में आसानी हो, लेकिन मेरे दरयाफ्त करने पर जो इत्तला मुझ को दी गई वह यह थी कि इस कार्रवाई का वह नतीजा नहीं हुआ जिसकी उम्मेद की गई थी. इस वक्त गहरे या छोटे दाग का सवाल नहीं है. मतलब यह है कि जिस मकसद से दाग लगाना करार पाया था वह हासिल नहीं हुआ और जब मकसद हासिल नहीं हुआ और कोई नतीजा नहीं निकला तो उस तरीके को जारी रखने और उस पर अमल करने की जरूरत नहीं रहती. इसलिये आप इस पर गौर करें कि ऐसा कौनसा दूसरा तरीका निकाला जावे कि जिससे गुम शुदा मवेशियान की सुरागरसी और गिरफ्तारी आसानी से हो सके ?

रामजीदास साहब—इसको सब-कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये

लॉ मेम्बर साहब—कुछ तो इजहार राय जमींदारान की जानिब से होना चाहिये.

जहांगीर बेहमनशा साहब—ऐसा भी हो सकता है कि दीगर रियासतों से ऐसे ठहराव किये जावें कि आपस में कोई निशानी मुकर्रर कर ली जावे; मस्लन यह कि सींगों और खुरों में एक रियासत एक तरह के सूराख या निशानियां मुकर्रर करले और दूसरी रियासत दूसरी तरह के.

लॉ मेम्बर साहब—आप साहबान की वाकफियत के लिये मैं इतना बयान कर देना और मुनासिब समझता हूं कि निशानात करार पा चुके हैं, जैसे जिले मन्दसौर में S. S. 10.

हुजूर मुअल्ला—वकील साहब, यह इतना सेहल नहीं है. सवाल मेहज यह है कि दाग लगाने का कोई नतीजा हुआ या नहीं. जैसा कि रामजी दास साहब ने कहा है मेरे नजदीक यह मुनासिब है कि इसकी बाबत एक कमेटी आर्मी मेंबर साहब की सिदारत में कायम की जावे जो इस सवाल पर गौर करके रिपोर्ट करे कि आसानी से सुरागरसी कैसे हो सकती है. राजवाडे साहब जुडीशियल डिपार्टमेन्ट की फाइल और इन्सपेक्टर-जनरल साहब पुलिस का जवाब लेकर उन पर भी गौर करलें. अगर आप साहबान इजाजत दें तो मैं कमेटी के हस्ब जैल मेंबरान तजवीज करता हूं :—

१. महन्त लक्ष्मणदास साहब.
२. ईश्वरीसिंह साहब.
३. अहमदनूर खां साहब.
४. जामिन अली साहब.
५. अष्टेवाले साहब.
६. मथुराप्रसाद साहब.

केशवराव बापूजी साहब—मजलिस में जितने जमींदार हैं वह भी शरीक किये जावें.

हुजूर मुअल्ला—मुझे कोई ऐतराज नहीं है. आप भी तो जमींदार हैं, हां इनको शरीक कर लिया जाये.

ठहराव—कसरत राय से कमेटी और कमेटी का personnel प्रेसीडेन्ट साहब की तजवीज के मुताबिक कायम किया गया.

[**नोट**—इसके बाद हुजूर मुअल्ला ने फरमाया कि आज के इजलास का काम खत्म किया जाता है. मजलिस का दूसरा इजलास परसों तारीख १४ मार्च सन १९२४ ई० को वक्त ११ बजे शुरू होगा.]

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

प्रोसीडिंग्ज़ मजलिस आम, गवालियार, सम्वत १९८०.

सेशन सोयम.

इजलास दोयम.

शुक्रवार, तारीख १४ मार्च सन १९२४ ई०, वक्त ११॥ बजे दिन, मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. श्रीमंत हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू.

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलास नारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीर खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई., मुशीर खास बहादुर, शौकतजंग, आर्मी मेम्बर.

४. मेजर सरदार मालोजीराव साहब सीतोले, ऑफिशियेटिंग होम मेम्बर.

५. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल उमरा, सी. आई. ई. रेवेन्यू मेम्बर.

६. जयगोपाल साहब अष्ठाना, ऑफिशियेटिंग फायनेन्स मेम्बर.

७. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

८. सरदार साहबजादा सुल्तान एहमद खां साहब, मुन्तजिमुद्दौला, मेम्बर फॉर अपील्स.

९. राव बहादुर बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकलचर.

१०. राय बहादुर गजपतराय साहब, मुन्तजिम बहादुर, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

११. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१२. रामराव गोपाल देशपांडे साहब, मुहम्मद खेडा (शुजालपुर).

१३. जहांगीर बहमनशा साहब वकील, बम्बई.

१४. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, लश्कर.

१५. खां साहब सेठ लुकमान भाई नजरअली साहब, उज्जैन.

१६. बन्सीधर साहब भार्गव, उज्जैन.

१७. राय बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाधीर.

१८. गणेशदत्त साहब शास्त्री, लश्कर.

१९. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.
२०. बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी, गवालियार.
२१. विश्वेश्वरसिंह साहब, मुरतरी (भिन्ड).
२२. मानिकचन्द साहब ओसवाल, भिन्ड.
२३. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
२४. महादेवराव साहब, जाउदेश्वर (श्योपुर).
२५. सदाशिवराव हरी मुळे साहब, डामरोन कलां (नरवर).
२६. राजाराम साहब, मगरौनी (नरवर).
२७. रामचंद्र साहब, झाडेरा (ईसागढ).
२८. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.
२९. जामिनअली साहब, देरखी (भेलसा).
३०. मयाराम साहब, चन्दूखेडी (उज्जैन).
३१. करमचन्दजी साहब, उज्जैन.
३२. नारायणदास साहब, मन्दसौर.
३३. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझरा).
३४. राय बहादुर प्राणनाथ साहब, सभा भूषण, लश्कर.
३५. ब्रम्हास्वरूप साहब, शिवपुरी.
३६. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, भिंड.
३७. अली जफ़र साहब, जौरा.
३८. फजल मुहम्मद साहब, श्योपुर.
३९. भगवानस्वरूप साहब, भेलसा.
४०. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
४१. अहमदनूरखां साहब, शाजापुर.
४२. निजामुद्दीन साहब. उज्जैन.
४३. केशवराव बापूजी साहब, मनावर (अमझरा).
४४. मेजर गुलाबसिंह साहब, देवगढ.
४५. रिद्धराजजी साहब, लश्कर.
४६. द्वारकादास साहब, मानपुरा (परगना आगर).
४७. जबरसिंह साहब दीक्षित, भिन्ड.
४८. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
४९. रामप्रतापजी साहब लूम्बा, उज्जैन.
५०. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, जागीरदार, बिलौनी (परगना गोहद).
५१. ठाकुर प्रहलादसिंह साहब, कालूखेडा, (परगना व जिला मन्दसौर).
५२. तुलसीरामजी साहब, लश्कर.
५३. मदनमोहनलालजी साहब, उज्जैन.
५४. जाल भरूचा साहब, लश्कर.
५५. रावजी शास्त्री वेलनकर साहब, लश्कर.
५६. जमनादास साहब झालानी, उज्जैन.
५७. हीरजीभाई साहब, भेलसा.

तजवीज नम्बर १, फर्द नम्बर २,

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जो लडके शरीक इम्तहान मिडिल होते हैं उनमें से जो लडके फेल हो जाते हैं वह दुबारा शरीक इम्तहान किये जाते हैं. गुजारिश यह है कि जिस चीज में पास हो जावे वह उससे मुस्तसना रखा जाकर जिसमें फेल हो उसी का इम्तहान लिया जावे.

फजल मुहम्मद खां साहब—जब लडका किसी एक चीज में फेल हो गया तो उस को दुबारा पूरे कोर्स की पढाई पढना पडती है. उस में बाज वक्त ऐसे भी मौके आते हैं कि जिसमें फेल हुआ था उस में पास हो जाता है और दूसरी किसी चीज में फेल हो जाता है. कुदरत ने हर एक इन्सान की अलहदा अलहदा तबियतें बनाई हैं. बाजी तबियतें ऐसी होती हैं कि वह कई बातें एक वक्त में याद नहीं कर सकतीं और अलहदा अलहदा वक्त में एक एक बात बआसानी याद कर सकती हैं. उनको दुबारा नाउम्मेद होकर बैठ रहना पडता है और वह मेहनत जो उन्हों ने की थी बेकार हो जाती है. इसलिये वह जिस चीज में फेल हुवा अगर उसमें उसका इम्तिहान लिया गया तो बआसानी मेहनत करके कामयाब हो सकता है. इस तरीक से मेरे ख्याल में ज्यादा लडकों के कामयाब होने की उम्मेद है और तादाद तुलबा भी बढ जाने की उम्मेद है.

महादेवराव साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

पंडित प्राणनाथ साहब—

१. इंग्रेजी अमलदारी से पहले इस किस्म के इम्तहानात न थे.

२. सिर्फ लिखना, पढना और कहीं कहीं इसके साथ हिसाब सिखाया जाता था.

३. हमारी जरूरियात के मुवाफिक अभी तक यह इम्तहान काफी नहीं है. इस इम्तहान में चंद विषय मिस्ल पढने और हिसाब के ज्यादा जरूरी समझे जाते हैं और कुछ मिस्ल इतिहास, भूगोल और रेखागणित के कम जरूरी समझे जाते हैं.

४. मेरे नजदीक जो लोग कम जरूरी विषयों में फेल हों उनको फिर मौका इम्तहान देने का दिया जाय.

५. हर एक विषय में जो नम्बर पास होने के वास्ते मुकर्रर हैं उन्हीं का लिहाज रखा जावे और कोई कैद रिआयत देने के वास्ते जरूरी न समझी जावे.

६. गांवों के बाशिन्दों के लिये मौजूदा मिडिल का इम्तहान ज्यादा सख्त और गैर जरूरी है.

७. गांववालों को ज्यादा जरूरत पटवारी और सहकारी कागजों के पढने और आपस में खतो किताबत की होती है, इसलिये उनके वास्ते उनकी जरूरतों के लिहाज से नीचे दरजे का इम्तहान मुकर्रर होना चाहिये और उसमें भी जो पास न हो उस को सर्टीफिकेट जरूर दिया जाय और उसमें यह दर्ज कर दिया जाय कि वह किन विषयों में पास और किन में फेल है. इसी के साथ साथ लुहार और खाती और मोची का काम भी जो सीखें उनको सिखाया जाय और गांव वालों की जरूरत के लिहाज से नमूने मिस्ल सेंधिया हल के उन के सामने रहें.

८. मौजूदा मिडिल का इम्तहान शहर वालों की जरूरत के लिहाज से ज्यादातर रखा गया है.

९. गांव के तालिबइल्मों में तालीम फैलाने के वास्ते बहुत पढे लिखे और इम्तिहान दिये हुए लोगों की जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो गांव के लडके और लडकियों के साथ हमदर्दी से हौसला अफजाई का बर्ताव करते रहें.

१०. जिस जिस गांव में सहकारी सभायें कायम हैं या आयन्दा कायम हों वहां ऐसी सभाओं को गांव की तालीमी तरक्की का जुज्व अजम समझना चाहिये और जो सभायें तालीमी मामलात में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर करें उनको इन्स्पेक्टर साहिबान की मारफत महक्मा तालीम की जानिब से खुशनूदी के परवाने अता हों और खास खास मेम्बरान सभा को हुजूर मुअल्ला की सालगिरह के मौके पर पोशाक अता होने की सिफारिश की जावे.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला, मैं इस तजवीज की ताईद करके अर्ज करता हूं कि जिस उसूल पर यह सवाल मबनी है उसको रियासत हाजा में तसलीम कर लिया गया है क्योंकि डिपार्टमेन्टल जो इम्तिहान होते हैं उनमें यह रिआयत रखी गई है कि उम्मेदवार जिस मजमून में एक मर्तबा पास करले फिर उसे दुबारा उस मजमून में इम्तहान देने की जरूरत नहीं. फिर कोई वजह मालूम नहीं होती कि जो लडके एक मर्तबा मिडिल के इम्तहान में फेल होते हैं उनके साथ भी यह रिआयत क्यों न होनी चाहिये? Educational point of view से भी कोई ऐतराज नहीं हो सकता क्योंकि सभाभूषण साहब ने भी ताईद की है; लिहाजा मजलिस इस सवाल को मंजूर फरमावे.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—यह फख्र की बात है कि पब्लिक की जानिब से तवज्जुह और दिलचस्पी तालीम के उसूल में बढती जाती है जैसे कि तजवीज जो इस वक्त मजलिस में पेश हुई है उससे भी जाहिर होता है. मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि डिपार्टमेन्ट को इस तजवीज को इख्तियार करने में बिलकुल तअम्मुल न होगा, बशर्ते कि यह तजवीज दर असल लडकों के हक में मुफीद साबित हो. इस वक्त तक जो बहस हुई उससे सिर्फ यह पता चलता है कि तजवीज महज लडकों की सहूलियत के लिये है, इसमें कोई कलाम नहीं. मगर सहूलियत के साथ में नुकसान है या फायदा, इस पर भी गौर होने की जरूरत है और उसके लिये कब्ल इसके कि कोई राय कायम की जाय हम को यह जानना चाहिये कि इस तजवीज से लडकों के हक में क्या क्या बातें पैदा होती हैं, और मिडिल के इम्तिहान में कि जिसके लिये यह तजवीज पेश की जाती है, किन किन बातों की जरूरत है. मिडिल का इम्तिहान एक इब्तदाई पब्लिक इम्तिहान है कि जिसकी बाबत डिपार्टमेन्ट से सर्टीफिकेट दिया जाता है. इस इम्तिहान को पास करने के बाद और रास्ते खुल जाते हैं. जो आला तालीम उससे आगे हासिल करना चाहते हैं उनको यह जर्या खुल जाता है और जो दीगर पेशा करने वाले हैं उनके लिये भी आजादी हो जाती है. यह मिडिल का इम्तिहान ऐसा इब्तदाई इम्तिहान है कि जिसमें ज्यादातर छोटे उम्र के लडके शरीक हुआ करते हैं. इन्सान को जिन्दगी बसर करने के लिये कम से कम एज्यूकेशन हासिल करने का जो standard अपने यहां कायम किया गया है वह मिडिल का है मिडिल के इम्तिहान के लिये ५-६ विषय यानी मजामीन रखे गये हैं. यह भी ध्यान में रखने के काबिल बात है कि इम्तिहान ५ या ६ मजमून में होता है और उनमें से चन्द लाजमी और चन्द इख्तियारी रखे गये हैं. इस इम्तिहान में मदर्से में तालीम पाने वाले लडके भी शरीक होते हैं और खानगी तौर पर पढने वाले लडके भी शरीक किये जाते हैं. मिडिल का इम्तिहान पास करने के बाद बहुत लडके तालीम को खतम कर देते हैं और उन का एक बडा हिस्सा आगे की तालीम के लिये भी तय्यार होता है और प्रीमैट्रिक क्लास में भरती हो जाता है. इसके अलावा पास हो जाना या फेल हो जाना सिर्फ

यही दो सूरतें मुमकिन हैं. फेल होने की सूरत में यह कहा जाता है कि किसी विषय में या किसी मजमून में अगर लडका फेल हो जावे तो उसका इम्तिहान सिर्फ उसी मजमून में लिया जाना चाहिये. फेल होना या पास होना क्या चीज है और इसका असर उन उम्रों के लडकों पर क्या पडेगा? लडका १०० नंबरों में से तेतीस फी सदी या ज्यादा नंबर पाने पर पास हो जाता है. नंबर कम आने या ज्यादा आने से यह मालूम होता है कि उस मजमून के बारे में लडके की वाकफियत कितनी है. अब इन तमाम बातों पर गौर करने से यह सवालात पैदा होते हैं कि अगर एक मजमून में फेल हो जावें और बाकी मजामीन में लडके पास हों तो वह आयन्दा साल उसी फेलशुदा मजमून में इम्तिहान दे सकें या अगर पासशुदा मजामीन में जितने नंबर आये हुये हों उन पर लिहाज करते हुये शरीक होने से मुस्तसना कर दिये जावें यानी वह मुस्तसना रखे जावें जिन के मुतअल्लिक यह इतमीनान हो जावे कि उनकी वाकाफियत उस मजमून में कतई तौर पर अच्छी और पायेदार है? हमको इस सवाल पर इस नजर से गौर करना है कि आया यह तरीका लडकों के हक में मुफीद होगा या नहीं. मिडिल के इम्तहान की तालीम ऐसी उमर में दी जाती है कि लडकों को उसके अभ्यास की तरफ रुचि यानी दिलचस्पी नहीं रहती है जैसे कि आला दर्जों में जाकर पैदा हो जाती है. इस वक्त उन को दबाव की जरूरत होती है. यों तो लडकों की यह ख्वाहिश रहती है कि वह इम्तहान में पास हो जावें. अगर यह कैद न रखी गई तो नतीजा यह होगा कि जिस की तवज्जुह पहले किसी एक मजमून की तरफ न होगी वह उसको पूरे तौर पर नेग्लेक्ट (neglect) करता जायगा. वह यह ख्याल कर लेगा कि उन मजामीन को फिर पास कर लूंगा. असर उसका यह होगा कि लडकों को उन मजामीन के पास करने के लिये २-३ साल तक कुल मजामीन में पास होने का इन्तजार करना पडेगा. मसलन, एक लडका पहली साल तीन subjects में पास हुआ और तीन subjects में फेल हुआ, फिर दुबारा इम्तहान दिया और उसमें दो सब्जेक्ट्स में फेल हुआ इसमें २ साल गुजरे. तीसरे साल सहबारा इम्तिहान दिया और फेल शुदा मजामीन में पास हुआ तो ३ साल गुजरने पर सर्टीफिकेट दिया जावेगा. सर्टीफिकेट उसी वक्त दिया जावेगा, जब वह कुल मजामीन में पास होवेगा. सर्टीफिकेट उसकी इस हालत को जाहिर नहीं करेगा कि पहिले वह ३ सब्जेक्ट्स में पास हुआ था, इसके बाद वह फिर ३ साल में बाकी मांदा ३ सब्जेक्ट्स में पास हुआ. आप कयास कर सकते हैं कि ३ साल हुए जब वह पास हुआ, उस वक्त उसकी उस मजमून में वाकफियत क्या होगी और इस वक्त ३ साल गुजरने पर उसी मजमून में उसकी वाकफियत क्या होगी जिस को उसने ३ साल पहिले पास किया था, खास कर जब मिडिल का इम्तिहान देने की आजादी न सिर्फ मदर्सों में तालीम पाने वालों के लिये है बल्कि खानगी तौर पर तालीम पाने वालों के लिये भी है. पासशुदा मजामीन की याद्दाश्त ताजा रहने के वास्ते मदर्सों में तालीम पाने वालों के लिये यह शर्त लगाई जा सकती है जो प्राइवेट कैन्डीडेट के लिये ना मुमकिन है कि वह महज फेलशुदा मजामीन में इम्तिहान देते रहें मगर अपनी शिरकत क्लास में दीगर मजामीन में भी बराबर कायम रखें. यह चन्द ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर होकर अगर यह पाया जावे जैसे कि यह तजवीज पेश हुई है उसी मुताबिक या तरमीम करके उसको adopt करने से लडकों के हक में बेहतरी होगी तो उसे adopt किया जावे. इतने पहलू से इस मुआम्ले पर गौर करने के लिये मेरे ख्याल से सरेदस्त अगर गौर किया जावे तो ज्यादा वक्त दरकार होगा. अगर मजलिस को और आप साहिबान को मंजूर हो तो एक सब-कमेटी कायम करदी जावे जो गौर करने के बाद अपनी मुकम्मिल तजवीज पेश कर दे.

महंत लक्ष्मणदास साहब—यह सवाल वास्तव में बहुत गौर करने के लायक है. इधर तो विद्यार्थियों की हमदर्दी और उधर मिडिल के तीन तो लाजमी विषय हैं और बाकी गैर लाजमी, उनमें

यह कठिनाई और नजर आ रही है कि ३ और २ पांच विषय; अगर यह एक एक साल एक एक विषय पास करेंगे तो ५ साल उनको मिडिल पास करने में लगते हैं और शायद है कि वह विषय भूल भी जायें; इसलिये इसके लिये एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने जो सब-कमेटी तजवीज की है उसकी रिपोर्ट आने पर अगर विचार किया जावेगा तो बेहतर होगा.

हुजूर मुअल्ला—मेम्बर साहब एज्यूकेशन ने मेम्बरान का attention draw किया ही है कि फायदे क्या है और disadvantages क्या हैं. अब जरूरत इस बात की है कि इस मुआम्ले के तय करने में उन्हों ने जो उमूर तन्कीह कायम किये हैं यानी फायदे यह हैं और नुक्सान यह हैं, आप साहिबान उनकी बाबत अपनी राय बाद गौर उन उमूर के जिन पर एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने attention draw किया है देवें कि क्या करना चाहिये, तब मैं इस का ठहराव कर सकता हूं. इसी के साथ यह अम्र भी जरूरी है कि मैं आपको जाहिर कर दूं कि शिवपुरी सीजन में एज्यूकेशन कोड को overhaul किया जावेगा और नया कोड बनाते वक्त इस मसले पर पूरा गौर कर लिया जावेगा. एक सूरत तो यह निकल सकती है. दूसरी सूरत यह है कि इसका तस्फिया आज ही किया जावे. खुलासा यह कि अगर आप इस बात को मंजूर करें कि जब यह कोड ओवरहॉल किया जावे उस वक्त इसको consider किया जावे तो आप वोट देकर तय कर लें या जो points उठाये गये हैं उन पर गौर करके अभी इस मस्ले को हल करा लिया जावे.

रामजीदास साहब.—एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने अभी एक तजवीज पेश की है कि सब-कमेटी कायम कर दी जावे जो इस सवाल पर गौर करे तो बेहतर होगा. इसलिये सब-कमेटी कायम कर दी जावे और उसकी रिपोर्ट पर गौर कर लिया जावे.

हुजूर मुअल्ला.—आप साहबान तजवीज करें कि सब-कमेटी में मेंबर कौन कौन हों.

रामजीदास साहब—एक मुजव्विज साहब खुद और जगमोहन लाल साहब, महंत लक्ष्मणदास साहब, जमनादास साहब झालानी, और पंडित प्राणनाथ साहब.

हुजूर मुअल्ला.—रामजीदास साहब भी मेम्बर रखे जाव और हस्ब जैल मेम्बरान की कमेटी ब सिदारत एजूकेशन मेंबर साहब कायम की जावे:—

महंत लक्ष्मणदास साहब, अमझरा.
मुजव्विज साहब.
पंडित प्राणनाथ साहब.
जगमोहनलाल साहब.
रामजीदास साहब.
जमनादास झालानी साहब.

अगर इन साहबान की तकर्रुरी से आप साहबान को इत्तफाक हो तो अपने वोट दें और अगर और किसी का नाम बढाना हो तो बतावें.

ठहराव.—कसरत राय से कमेटी और कमेटी का personnel प्रेसीडेंट साहब की तजवीज के मुताबिक कायम किया गया.

तजवीज नंबर २, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जहां जहां मेला मवेशियान कायम है और आयन्दा कायम हों उस मेले को ब नजर तरक्की तिजारत, अय्याम मेले में हुकूक मन्डी, जो उसके मुत्तसिल वाके हों, अता फरमाये जावें.

फजल मुहम्मद साहब.— जहां मेले मवेशियान होते हैं वहां पर भी यह कोशिश की जाती है कि इसमें तिजारत भी बढे, मगर वहां सिवाय खेरीज सामान खरीदने वालों के कोई थोक माल लेने को नहीं आता, क्योंकि अगर कोई माल थोक बंद मेले में खरीदने का इरादा भी करे तो वापसी न मिलने से दूसरे इलाके में माल ले जाने का पडता नहीं लगता. आखिर मंडियों से माल खरीद कर ले जाते हैं और वहां उनको वापसी मिलती है. अगर वही वापसी मेले में भी दी जावे तो मेले में थोक फरोशी होने लगे, और इलाके गैर के खरीदार भी मेले से माल खरीद कर ले जाने लगें तो मेले में तिजारत बढ सकती है.

हुजूर मुअल्ला—इसकी ताईद कौन करता है ?

मूंगालाल साहब बीजावर्गी—मैं ताईद करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—अगर कोई और साहब इसकी निस्बत अपना ख्याल जाहिर करना चाहते हैं तो करें.

[**नोट:**—किसी और साहब ने इसके मुताल्लिक कुछ और नहीं कहा.]

ट्रेड मेम्बर साहब—गालिबन मुजव्विज साहब को ऐसे मेलों के ताल्लुकात में पूरी जांच करने का मौका नहीं मिला इसलिये यह सवाल किया गया है. जिस कदर मेलेजात लगते हैं उनमें रियासत के ही रहने वाले व्योपारी आते हैं. उनके लिये बजुज इसके और कोई रूल नहीं है कि वह अपना महसूल चुकायें. गैर रियासत के रहने वाले जिस कदर आते हैं उनसे किसी किस्म का महसूल नहीं लिया जाता बल्कि जिस कदर माल उनके कब्जे में होता है उनसे उस माल की फेहरिस्त ली जाती है, अगर रेल के जर्ये से आते हैं तो उनके माल की फेहरिस्त नाके पर मुरत्तिब की जाकर मेले को भेजदी जाती है. बाद मेले के जब वह वापिस रवाना होते हैं तो जिस कदर माल फरोख्त हुवा है उस पर महसूल लिया जाता है और बचे हुये माल पर महसूल नहीं लिया जाता. यह तरीका बहुत सहल और आसान है बनिस्बत इसके कि पहिले उनसे कुछ माल पर महसूल ले लिया जावे और फिर उनको वापिस दिया जावे. मौजूदा सिस्टम अच्छा है उसको लोग पसन्द कर रहे हैं. अलबत्ता रियासत वाले जितने हैं उनको वापसी मिलने का इस वक्त रूल नहीं है और करीब करीब देखा जाता है तो रियासत वाले वापसी के लिये माल नहीं लाते हैं बल्कि ब कदर जरूरत माल लाते हैं. वापसी के तअल्लुकात पर किसी दीगर कानून बनाने की जरूरत नहीं है. मेलों की पहिली रिआयत यह है कि १५ रुपये तक के माल पर महसूल नहीं लिया जाता, दूसरे यह कि मवेशियों पर भी इसी किस्म की रिआयत है, यानी मन्डी से मेलों में बहुत ज्यादा रिआयत है; आप इस पर गौर करें कि क्या इस सवाल की जरूरत है? अगर हो तो बडी खुशी से आपके ख्याल के मुआफिक कानून भी बन सकता है और दूसरे तरीके भी तजवीज हो सकते हैं क्योंकि दरबार और दरबार के डिपार्टमेन्ट की यह ख्वाहिश है कि ट्रेड बढे.

फजल मुहम्मद साहब—मेरी अर्ज यह है कि जो व्योपारी इलाके गैर के माल लाते हैं उनको वापसी की रिआयत होना चाहिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—इसकी बाबत आपकी राय है कि कोई तादाद कायम हो—पैसा, दो पैसे, चार पैसे.

फजल मुहम्मद साहब—दो रुपये तक के महसूल की रिआयत मिलना चाहिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—दो रुपये की वापसी कुल को मिल सकती है. वापसी का सिस्टम यह है जो मैं आप को बताता हूं यानी, बहुतसी चीजें ऐसी हैं कि जिनकी रसीद के ऊपर वापसी

लॉ मेम्बर साहब.—इस तजवीज के मुजव्विज श्रीकिशन साहब साकिन सुखपुरा नहीं आये हैं.

हुजूर मुअल्ला.—क्या कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहते हैं ?

(**नोट:**— इस तजवीज को किसी ने पेश करने की ख्वाहिश नहीं की)

ठहराव—करार पाया कि यह तजवीज drop की जावे.

मूंगालाल साहब बीजावर्गी.—मैं ने इस तजवीज के मुतअल्लिक एक तरमीम भेजी है, मैं उसको पेश करना चाहता हूं.

हुजूर मुअल्ला.—चूंकि असल तजवीज drop की जा चुकी है, लिहाजा अब उसके मुतल्लिक तरमीम पेश नहीं की जा सकती.

तजवीज नम्बर ४, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

यह साबित हुआ है कि मालवी कपास सब से अच्छा है, लेकिन खालिस बीज के न मिलने से बीज में गडबड हो गई है. अब कोई ऐसा जरिया निकाला जाना चाहिये कि जिससे खालिस बीज कपास मालवी मिल सके. ऐसा हो जाने से व्योपार को अच्छी तरक्की होगी.

बन्सीधर साहब.—मालवी कपास सब से अच्छा है उसके बीज में गडबड हो गई है. अब कोई ऐसा जरिया निकाला जाना चाहिये जिससे मालवी कपास की काश्त में तरक्की हो. मालवी कपास जो है उसका धागा एक तो लम्बा निकलता है, दूसरे उसका धागा मजबूत, तीसरे वह चिकना होता है, चौथे उसकी कीमत भी ज्यादा आती है. बीज जो मालवी है.वह खालिस न मिलने की वजह से मिले हुए बीज का कपास मिलता है. इस मिक्चर हो जाने की वजह से जैसी मालवी कपास की कीमत आनी चाहिये, नहीं आती. इस बारे में ऐसी कोशिश होना चाहिये कि मालवी कपास का बीज मयस्सर आ सके. मैं ने गये साल में इसका तजकिरा घाटे साहब से जो उज्जैन तशरीफ लाये थे किया.

हुजूर मुअल्ला.—घाटे साहब कौन ?

पोलिटीकल मेम्बर साहब.—बॉम्बे प्रेसीडेन्सी के एग्रीकल्चरल एडवाइजर.

बन्सीधर साहब.—घाटे साहब ने यह कहा कि हम मालवी कपास का बीज देते हैं चुनांचे उनसे एक एक मन मालवी कपास का बीज लिया गया. उसमें वरारी बीज भी शामिल था. वह बोया गया उसमें कम से कम ।=) ।≡) के करीब और बीज शामिल था. उनके पौधे जब ४-४ अंगुल हो गये तो इस शनाख्त से कि मालवी कपास के पत्ते कम चौडे होते हैं बजरीये मजदूरों के उखडवा दिये गये और सिर्फ मालवी कपास ही रखा गया. चूंकि बारिश ज्यादा हुई इस वजह से वह पूरा कायम न रहकर सिर्फ एक बीघे की काश्त में ४ मन कपास हाथ लगा उस चार मन कपास को अलहदा जीन में भिजवा कर बीज निकलवाया तीन मन कपास मेरे पास मौजूद है उसका नमूना वक्त रवानगी ट्रंक में रखने से भूल गया. उसमें शाजो नादिर ही दूसरा बीज मिला होगा वर्ना खालिस मालवी बीज है. सरकारी फार्म जो हैं उन पर मालवी कपास बुवाया जावे. एक दो साल में उसकी मिकदार ज्यादा हो जायगी, तब बीज तकसीम किया जावे.

इससे लोगों को कीमत अच्छी मिलेगी और रियासत की आमदनी में तरक्की होगी. दूसरे जितना भी बीज मिल सके काश्तकारों को दिया जावे. चूंकि यह माल अच्छा है अगर सौ का बिकता होगा तो एक सौ पांच आवेंगे और वह भी कोशिश करके बोवेंगे.

महन्त लक्ष्मणदास साहब.—शुरू मजलिस आम की मीटिंग में यह तजवीज पेश हुई थी, लेकिन जनाब डाक्टर पेन्डिलटन साहब का निराशाजनक यह फरमाना था कि मालवी कॉटन का बीज खालिस नहीं मिल सकता, लेकिन जनाब खां साहब सेठ हुकमचंदजी और सेठ मानिकचंदजी साहब, और राजगढ के सेठ लालचंदजी साहब ने मालवी कपास का खालिस बीज देने की प्रतिज्ञा की थी, और जहां तक मुझे मालूम है इन साहबों ने भेजा भी था, लेकिन वह एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट में पास नहीं हुआ. इसके बाद उस बीज के मिलने का प्रयत्न भी छोड सा दिया गया लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वह मालवे का ही पौधा है, वह ऐसा एकदम अलोप नहीं हुआ होगा. इसके बारे में मैंने कई देहाती किसानों से बातचीत की तो उनका फरमाना हुआ कि मालवी कपास बरारी और कम्बोडिया कपास के मुकाबिले कम फूलता है और भाव भी एकसा ही रहता है, इसलिये कपास नींदते वक्त ज्यादेतर किसान वही पौधे रखते हैं जिनमें फूल ज्यादा बैठता है, इन बातों से आशा बंधती है कि मालवी कपास भी खेतों में होता है जरूर, लेकिन निंदाई के वक्त वह कुछ निकल जाता है और कुछ मेल-हो जाता है जो एक हानिकारक बात है; क्योंकि मालवी कपास इसी वजह से कम होता जाता है, लेकिन तो भी वह खेतों में मिला हुआ कुछ न कुछ पैदा होता है.

उसके मिलने का प्रयत्न अगर किसानों के जरिये कराया जाय तो कामयाबी हो सकती है क्योंकि किसान पौदे भी पहिचानते हैं और काटन के ढेर में से भी छांट सकते हैं. अब इसका काम अगर इस तरीके से शुरू किया जाये तो कामयाबी हासिल होने की आशा प्रतीत होती है वह यह कि खास २ मालवे के परगने यानी सोनकछ, उज्जैन, बडनगर, शाजापुर, खाचरोद व अमझेरा में इसके मुतअल्लिक एक एक कमेटी बनाई जावे, और उसमें परगने के तजुर्बेकार चार किसान और नायब तहसीलदार प्रोपेगेंडा और तहसीलदार साहब शरीक हों. नायब तहसीलदार प्रोपेगेंडा इस कमेटी के सेक्रेटरी और तहसीलदार साहब परगना इसके प्रेसीडेंट हों. इस कमेटी का संगठन जनाब सूबे साहब की जानिब से हो और यह कमेटियां मेंबर साहब एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट के अंडर में हों. इस कमेटी का काम यह हो कि निंदाई के मौसम में प्रोग्राम बनाकर कपास की पैदावार होने वाले मौजों में यह दौरा करें, अपने पहुंचने की इत्तला जमींदार मौजे को देवें, जिससे खेतों की निंदाई के मौके पर कमेटी निंदाई के काम को देखकर इत्मीनान के साथ मालवी कपास के पौदों को पहिचानें और मालिक खेत किसान को कमेटी समझायश दे कि यह पौदे मालवी कपास के हैं, इनको नीदने में मत उखाडो, ज्यादातर इनको परवरिश करके इनका कपास अलहदा चुन कर रखो. इस तरह से जो मालवी कपास कमेटी को मिल जावे उसे वह बाजार भाव से पांच रुपये कीमत ज्यादे से उन किसानों से खरीद लें. नियम में यह भी रक्खा जावे कि जो किसान व जमींदार इस तरह से कमेटी की समझायश से मालवी कपास का खालिस बीज कम से कम दस सेर देगा और वह बीज तजुर्बे से खालिस बीज पाया जावेगा, तो कमेटी एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट से ऐसे शख्स की हौसला अफजाई करावेगी. यह कमेटी दूसरा दौरा उन्हीं मौजों के नोट किये हुए खेतों में उस वक्त फिर करे कि जब कपास खेतों से चुना जाता हो, और इस तरह जैसे जैसे मालवी कपास मिलता जावे वह खरीद किया जावे. इसका स्टाक कमेटी अपने सेक्रेटरी के पास मय हिसाब के रखे. तीसरा दौरा यह कमेटी उन मुकामों पर करे जहां जिनिंग फेक्ट्री हों. इस

तीसरे दौरे में कमेटी में तीन मेम्बर और बढा दिये जावें-दो कपास के ब्योपारी व एक मालिक जिनिंग फेक्ट्री. इस दौरे में यह कमेटी मालवी कपास को जिनिंग फेक्ट्री में जमा किये हुए कपास में से अपने जानकार मजदूरों से छटवावे और माल मालिक से रजामंदी के भाव से खरीद ले. इस तरह कमेटी को तीन दौरे, यानी एक निंदाई के वक्त लगभग पंद्रह दिन श्रावण में, दूसरा कपास की चुनाई के वक्त पंद्रह या बीस दिन अगहन में, और तीसरा दौरा इसी दूसरे दौरे से जुडा हुवा उतरते अगहन लगते पूस में करीब पंद्रह दिन के जिनिंग फेक्टरियों में होना चाहिये, इस तरह कमेटियों के प्रयत्न से सफलता जरूर होगी. इस प्रयत्न से एग्रीकलचर डिपार्टमेंट को जो मालवी कपास हासिल हो वह उसे जिनिंग फेक्टरियों में जिनिंग न कराकर देसी चर्खों में निकलवावे, क्योंकि जिनिंग फेक्टरी के चरखों में ज्यादेतर बिनौले फूट कर चूरा भी हो जाते हैं जो बीज के काबिल नहीं रहते. इस तरह एग्रीकलचर डिपार्टमेंट अपने इत्मीनानी प्रयोग शालाओं में, फार्मों में या उत्साही तजुर्बेकार जमींदारों के जर्ये बीज वृद्धि के लिये मौजे में बोआवे, लेकिन प्रयोग शालाओं के बजाय जमींदारों के जर्ये इस बीज का बोआना ठीक होगा। इसकी वजह यह है कि प्रयोगशालाओं के खेत फार्म एकही होते हैं, उनमें कामयाबी होने का धोका है, और मौजों में मन चाह खेत मिल सकते हैं क्योंकि वहां आला काश्त के लिये खेत नामजद मशहूर ही होते हैं. समझायश से किसान उन अपने मशहूर खेतों में इसे बोवेंगे लेकिन यह बीज जब बोने के लिये किसान को दिया जावे उस वक्त जमींदार के समक्ष नायब तहसीलदार साहब प्रोपेगेंडा उस बीज को बोने के लिये, उस किसान को खेत पर ही तोल कर दें और बीज को अपने सामने बोआ दें, इससे उनकी काश्त में कोई शंका नहीं रहेगी इसमें खाद वगैरा वगैरा किसानों की मर्जी का ही डालें. अगर जरूरत हो तो किसान को जमींदार की जमानत से बैंक से तुर्त खर्च के लिये रुपया दिलवाया जावे. इस तरह ऐसी कमेटियों के जर्ये लगातार पांच साल कोशिश की जावे. उम्मेद है कि इस तरीक से भी कामयाबी होगी. इन कमेटियों के लोकल मेम्बर सूबा साहब की इच्छानुसार जरूरत पडने पर सालों साल तब्दील भी किये जावें. इस कमेटी में लोकल मेम्बर किसानों के शरीक होने का जिक्र है, और इनको इस काम के लिये घरेलू काम उस वक्त तक छोडना पडेगा जब तक कि यह दौरा करेंगे. इसलिये उनके सफर खर्च व भत्ते का माकूल इन्तजाम किया जाय जिससे वह अपने घर के कामों का प्रबन्ध कर सकें. इस तजवीज का भी तजुर्बा लिया जावे. उम्मेद है कि इससे कामयाबी होगी. मालवी कपास जो उम्दा कीमतदार चीज डूब रही है वह इस प्रयत्न से हाथ आ जावेगी, और यह कृषि प्रधान मुल्क है, यहां के किसान खेती के बडे शौकीन और तजुर्बेकार, सच्चे प्रॉफेसर माने गये हैं. इन लोगों ने मुल्क में न होनेवाली चीजें गुलाब, गोभी, आलू, शलजम, वगैरा विदेशों से बुलाकर यहां कसरत से कामयाबी हासिल की और मुल्क की आमदनी बढाई. आज भी यहां उनकी ही संतान है जिन्हों ने बाहर से चीजें ला लाकर यहां और भी सरसब्ज की तो क्या जो कपास एक आला चीज अच्छी रकम देने वाली हमारी ही है उसे अब क्या खो जाने दें ? आशा है कि मजलिस, दौरान बेहस इस चीज के उद्धार का जरूर कोई सुलभ मार्ग खोज निकालेगी.

हुजूर मुअल्ला—पहिले यह मालूम होना चाहिये कि इस तजवीज की ताईद कौन करता है.

द्वारकादास साहब.—मैं इस तजवीज की ताईद करते हुए यह अर्ज करता हूं कि मालवी कपास का बीज खालिस आहिस्ता आहिस्ता कैसे जाता रहा. शुरू में जब जीन जारी हुए तो लोगों ने ज्यादा मिकदार की कपास को बोना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता वह कपास मालवी कपास में शामिल होता गया और इस तरह मालवी कपास कम हो गया. जब रुई गिरने लगी तो इसकी खोज हुई और लोगों को ख्याल यह हुआ कि मालवी कपास दुबारा पैदा

किया जावे और वह किस तरह पैदा किया जावे उसकी कोशिश भी की गई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने भी कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई उसकी वजह है कि यह कपास जिसमें रुई जियादा है और जिसने मालवी कपास का बीज खराब कर दिया है इसके दरख्त करीब करीब मालवी कपास के दरख्त से मुशाबा होते हैं. दूसरे जिस वक्त यह उगता है तो दोनों दरख्तों की सूरत यकसां रहती है इस वजह से इन दोनों कपास के बीज छांटे नहीं जा सकते. अगर बीज बोने से पहिले दोनों किस्म के बीज अलहदा अलहदा कर दिये जावें तो यह नामुमकिन है क्योंकि दोनों बीज एकसां हैं. अलबत्ता बीनते वक्त अगर अलग अलग करके बीना जावे और कोशिश की जावे तो मुमकिन है, वरना कामयाबी की सूरत नहीं है. यही वजह हुई कि दो साल हुए जब सेठ मानिकचन्द और लुकमान भाई को हुक्म दिया गया था और उन्होंने बिनौले छटवाए. चूंकि उनको यह हाल मालूम न था कि बीज किस तरह अलहदा किया जाता है, इस वजह से ना कामयाबी हुई; अगर थोडीसी इमदाद दी जावे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं उनको मालवी करके बतला दूंगा.

हुजूर मुअल्ला:—अहमद नूर खां, आपको कुछ कहना है ?

अहमद नूर खां साहब.—हुजूर वाला, मालवी कपास मादूम हो जाने की वजह ज्यादातर यह है कि मौजूदा कपास में रुई ज्यादा निकलती है, इसी वजह से किसानों ने उसको खुद बोना कम कर दिया है. मालवी की शनाख्त पत्तों के जर्ये से ज्यादा होती है जैसा कि द्वारकादास साहब ने फर्माया है. सिर्फ बिनवाने के वक्त एहतियात यह की जावे कि बीनते वक्त दिसावरी और मालवी कपास का ढेर अलहदा अलहदा लगाया जावे या बाजे बाजे चरखों में या ऑइल एन्जिन के जर्ये से जिनमें थोडा काम होता है, अलहदा कर लिया जावे तो हो जावेगा, शामिल में नहीं पहिचाना जा सकता. सबके साथ शामिल होगा तो बीज की शनाख्त मुश्किल है.

हुजूर मुअल्ला.—इसकी निस्बत पिछले साल क्या कार्रवाई हुई उसके मुतअल्लिक परसों लॉ मेम्बर साहब जाहिर कर चुके हैं कि पेन्डल्टन साहब ने क्या किया. यह मसला बडा इम्पॉर्टेन्ट (important) है. इसमें कोई शक नहीं है कि इससे रिआया को फायदा होने वाला है; लिहाजा मेरी यह तजवीज है कि इसको कैसे चलाया जावे इसके मुतअल्लिक एक सब-कमेटी ब सिदारत एग्रीकल्चर मेम्बर साहब कायम की जावे और वह सब-कमेटी महन्तजी की स्कीम पर गौर करके अपनी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे. चुनांचे मैं तजवीज करता हूं कि बन्सीधर साहब, महन्त लक्ष्मणदास साहब, द्वारकादास साहब, जामिनअली साहब व एहमद नूरखां साहब इसके मेम्बर किये जावें.

ठहराव—सब कमेटी और उसका Personnel प्रेसीडेंट साहब की तजवीज के मुताबिक कसरत राय से कायम किया गया.

तजवीज नंबर ५, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बगरज तरक्की तिजारत यह तरीका इख्तियार किया जावे कि को-ऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक्स से तिजारत पेशा जमाअत को भी कर्जा दिया जाया करे, और इसके वास्ते बाद मशवरा चेंबर ऑफ कॉमर्स, डायरेक्टर साहब को-ऑपरेटिव सोसाइटीज जवाबित मुरत्तिब करें.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर वाला, जिस वक्त मैं ने यह तजवीज मजलिस आम के एजेन्डे में दर्ज करने के लिये भेजी थी उसके बाद मुझे यह मालूम हुआ कि इस तजवीज के

मुताबिक को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट से तिजारत पेशा अशखास को कर्जा दिये जाने के मुतअल्लिक इजाजत दे दी गई है बशर्ते कि रुपया surplus हो और Agricultural societies का हर्ज न हो और इस किस्म की कार्रवाई चन्द डिस्ट्रिक्ट बैंक्स में जारी हो चुकी है; लिहाजा मैं इस तजवीज को अब पेश नहीं करना चाहता और वापिस लेता हूं.

ठहराव—तजवीज वापिस लेने की इजाजत दी जाती है.

तजवीज नंबर ६, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

रियासत हाजा में नमक की पैदावार इजाफा करने की बाबत खास तौर पर कोशिश की जाय.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर वाला, निमक ऐसी चीज है कि इन्सान और हैवान दोनों के लिये निहायत जरूरी है, इसलिये उसकी पैदावार जिस कदर रियासत हाजा में जायद हो उतना ही यहां के बाशिंदगान को फायदा पहुंच सकता है. यह मुझे मालूम है कि निमक की पैदावार जितनी हम चाहें नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा गवर्नमेन्ट कैसरी के साथ ५४ हजार मन फी साल का मुआहिदा है, लेकिन मैंने जो सालाना पैदावार के ऐदाद देखे हैं वह मुआहिदे की रू से जितने ऐदाद हैं उससे बहुत कम है. मैं ने पांच साल के ऐदाद जमा किये हैं और वह यह हैं—सम्वत १९७५ में ८,४९३ मन ३३ सेर, सम्वत १९७६ में ४,०९५ मन २२ सेर, सम्वत १९७७ में ६,३११ मन, सम्वत १९७८ में ४,३३४ मन, और सम्वत १९७९ में ५,७१८ मन; गोया इन पांच सालों में निमक २८९०३ मन १५ सेर पैदा हुआ, जो एक साल की मिकदार से भी तकरीबन निस्फ है. जो मिकदार हम पैदा कर सकते हैं वह कितनी हो सकती है, इसकी मुझको ठीक वाकफियत नहीं है. जहां तक मैं ने इस मसले पर गौर किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस कमी के तीन सबब हैं—पहिला सबब यह है कि जिस जमीन में यह निमक पैदा हुआ है उस जमीन में निमक पैदा करने की कुव्वत कम हो गई है. दूसरा सबब यह है कि नमक बनाने वालों की सुस्ती की वजह से उनका शौक कम हो गया है और वह दूसरे पेशों में लग गये हैं और इस नमक के बनाने में काफी दिलचस्पी से पूरा वक्त सर्फ नहीं करते हैं और तीसरा सबब यह है कि मारकीट में जो नमक आता है वह इस कदर सस्ता है कि हमारा बना हुआ नमक उसका मुकाबिला नहीं कर सकता. अगर यह वजूहात ठीक हैं तो उनको रफा करने की कोशिश करना चाहिये. मेरा इसके मुतअल्लिक यह ख्याल है कि जिस जमीन की कुव्वत कम हो गई है उस जमीन को तब्दील कर दिया जावे. इस सजेशन को सजेस्ट करते हुए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहालत मौजूदा उन मौजों को तब्दील कर दिया जावे तो मेरे ख्याल से उस मुआहिदे की शरायत में कोई फर्क नहीं पड सकता. बरूय मुआहिदा मंजूरशुदा मौजों की तादाद २४१ है. अगर उन मौजों के नाम गवर्नमेंट कैसरी के साथ कोशिश करके तब्दील कर दिये जायें तो उन मौजों में काफी निमक पैदा हो सकता है. मसलन, मौजा मऊ में निमक की पैदावार करने का मुआहिदा है, मगर इस मौजे में अब निमक पैदा नहीं होता है और दूसरे मौजे में जहां की जमीन अच्छी है और वहां निमक पैदा हो सकता है, तो बजाय मऊ के इस दूसरे मौजे में नमक पैदा किया जावे. २४१ मौजे जो नमक की पैदावार के लिये नामजद हो चुके हैं वह मजमूई तादाद में कम न हों, बल्कि यही तादाद कायम रहे, सिर्फ नामों में तब्दीली करली जावे.

दूसरे सबब के मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि जिन लोगों में निमक का शौक कम हो गया है और वह पस्त हिम्मत हो गये हैं, अगर सरकार की तरफ से उनको रुपये की मदद दी जाकर उनको तरगीब दिलाई जावे तो कामयाबी की उम्मेद हो सकती है.

तीसरे सबब के मुतअल्लिक मेरा यह सजेशन है, अगर यह सजेशन अच्छा समझा जावे तो उस पर अमल किया जावे कि जो नमक हमारी रियासत में पैदा हो उस पर दरबार अपना कन्ट्रोल फरमावें और फिर दरबार की तरफ से वह मंडियों में लाया जावे. मेरे ख्याल से अगर कोई रास्ता इख्तियार कर लिया जावे तो नमक की पैदावार में ज्यादा इजाफा हो सकता हैं. इस उम्मेद के साथ मैं इस तजवीज को पेश करता हूं.

जहांगीर बहमनशा साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

बंसीधर साहब.—मैं भी इसकी ताईद करता हूं.

मथुरा प्रशाद साहब—मैं भी ताईद करता हूं.

जामिन अली साहब.—इसकी मैं भी ताईद करता हूं.

ट्रेड मेम्बर साहब.—यह सवाल वाकई ऐसा दिलचस्प है कि कोई शख्स रियासत गवालियार का रहने वाला ऐसा न होगा कि जिसको इस सवाल से दिलचस्पी न हो. ५४ हजार मन नमक जहां पैदा होता था वहां ५ हजार मन रह गया. ४९ हजार मन क्यों न पैदा किया जाय. मगर जब इसके ताल्लुकात पर गौर किया जावे और रोशनी डाली जावे तो जाहिर हो जायगा कि ५४ हजार मन नमक रियासत गवालियार में कभी किसी वक्त पैदा ही नहीं हुआ. उस वक्त जो ऐदाद थे, १५ या १६ या २० हजार मन के थे, उसको दुचन्द तादाद कायम करके मुआहिदा किया गया था. अगर १५ व १६ हजार मन ही पैदा हो, जैसा कि पहिले होता था, तो वही काफी है. नमक की पैदावार जिले भिन्ड में ज्यादा है. गौर करने का मौका है कि नमक जो कुछ कि देसी पैदावार का है वह २६ व २७ सेर बिकता है और बाहर का नमक १५ व १६ सेर. दूसरे देसी नमक खाने का नहीं होता बल्कि मवेशियों के इस्तेमाल के लिये खारी नमक पैदा होता है. १५, १६ व २० हजार मन उस वक्त में नमक पैदा होता था जब लेबर की कीमत -)॥ व =) थी और एक मजदूर को =) व -)॥ आना मिलते थे और गोले लोग इस काम को किया करते थे. उस वक्त में गोले लोगों की ज्यादती थी, जंगल में मट्टी पैदा होती थी, वह उसको उठाकर लाते व एक जगह पर जमा करते थे और उसको उसके तरीके के मुआफिक बनाते थे. अब उसी लेबर की तादाद कम अज कम ॥), ।॥), ।॥=) व १) हो गई है. शायद ५ फी सदी भी गोले लोग अपने काम पर अब कायम नहीं रहे. बल्कि ९५ फी सदी काश्तकारी करने लगे, दूसरी कोई कौम अभी तक इसकी तरफ मुतवज्जह नहीं है. बाज २ जमीदार इससे ताल्लुक रखते हैं और ठेकेदार भी बनते हैं और मजदूरों को लगाकर काम लेते हैं, मगर लेबर ज्यादा हो जाने की वजह से फायदा नहीं होता है, इसलिये आम दिलचस्पी नहीं है. जहां तक तजरुबा किया जाता है रोज बरोज कमी होती जाती है. जमीन के खोदने से निमक निकलता है इसका लोगों ने तजरुबा किया. गवर्नमेन्ट ने भी इसके लिये डिपार्टमेन्ट अलहिदा कायम किया, ऑफिसरान भी अलहिदा कायम किये गये और इसके लिये कोशिश भी की गई, मगर तादाद में ज्यादती नहीं हुई. तीसरी बात जो आपने फरमाई है वह वाकई काबिल गौर व काबिल कदर है. वह यह है कि जमीन की बनावट के ऊपर के हिस्से में हमेशा फर्क होता रहता है. जिन मवाजियात में निमक पैदा होता है उसमें से ५० फी सदी मौजे ऐसे हैं कि जिनमें

मट्टी पैदा नहीं होती, बजाय उसके दूसरे मौजों में मट्टी पैदा होने लगी है; चुनांचे जैसा कि वकील साहब का ख्याल है जिसको सुनकर आप लोग खुश होंगे कि इस बारे में बाहमी खतो किताबत ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के साथ हो रही है इसकी मन्जूरी आने पर जरूर गौर किया जावेगा. मगर यह ख्याल रहे कि ५४ व ९८ या १०० हजार मन कभी पैदा नहीं हो सकता. अब निमक का भाव १६ व १७ सेर के बजाय १० सेर का रह गया है. मौजूदा हालत में ठेके के जर्ये से कार्रवाई की जाती है, डिपार्टमेन्ट के जर्ये नहीं हो सकती क्योंकि उसमें ज्यादा सर्फा पड़ेगा.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर वाला, ट्रेड मेम्बर साहब की तकरीर से मालूम हुआ कि मेरे एक सजेशन पर अमल किया जा रहा है जो तमाम तजवीज के सिलसिले में निहायत जरूरी था. ऐसी हालत में इस सवाल पर मजलिस गौर न फरमाए और ब हालत मौजूदा रहने दिया जाये.

ठहराव—करार पाया कि तजवीज drop की जाय.

तजवीज नंबर ७, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अगर कोई माल ब जर्ये रेलवे रियासत हाजा के ऐसे मुकामात पर दरामद या बरामद हो जहां म्युनिसिपल कमेटी कायम हो तो वैसे माल पर मुकर्रा रेलवे महसूल में कुछ रकम इजाफा की जाकर वसूल की जाया करे और वह रकम, मिस्ल टर्मिनल टैक्स, म्युनिसिपल कमेटियों में तक्सीम कर दी जाया करे, ताकि म्युनिसिपल कमेटियों में एक माकूल आमदनी हो जावे.

जगमोहनलाल साहब—इस वक्त रियासत हाजा की म्युनिसिपेलिटियों में जैसा कारोबार चल रहा है वह काबिल इतमीनान नहीं है. इसकी बडी वजह काफी फन्डस न होने की है और आमदनी कम है जिससे कि जरूरियात पूरी नहीं हो सकती और इसी वजह से इम्प्रूवमेन्ट का काम हाथ में नहीं लिया गया है. किन किन जर्यों से आमदनी पैदा की जाये इसकी सराहत दफा ४७ म्युनिसिपल एक्ट में बताई गई है. जहां तक मुझ को इल्म है रियासत हाजा की म्युनिसिपेलिटियों में दफा ४७, की रू से करीब २ कुल टैक्सेज लगा दिये गये हैं लेकिन फिर भी आमदनी पूरी नहीं होती, इसलिये हुजूर वाला, इस तजवीज में यह इस्तदुआ की गई है कि जो माल बजर्ये रेलवे ऐसे मुकामात पर आवे या बाहर जावे जहां कि म्युनिसिपेलटियां कायम हैं तो अलावा महसूल कस्टम्स के थोडी सी रकम इजाफा कर दी जावे जैसे कि पैसेन्जरों पर terminal टैक्स लगाया गया है. इस तजवीज का मुद्दआ यह है कि बाशिन्दगान पर direct टैक्स का असर न पडते हुवे indirect टैक्स आयद हो जावे और इस तरह आमदनी में इजाफा हो. इस सवाल के खिलाफ सबसे बडी बात यह कही जा सकती है कि जिस माल पर कस्टम्स ड्यूटी लग चुकी है उस पर इस किस्म का टैक्स लगाने से डबल टैक्स हो जायगा. इस ऐतराज को मानने के लिये मैं तैयार हूं. साथ ही इसके दो बातें काबिल गौर हैं:—

अव्वल यह कि रियासत की पैदावार का जो माल ऐसे मुकामात पर दरामद या बरामद होता है जहां टैक्स लगाना मकसूद है उस पर कस्टम्स महसूल कतई नहीं होता है. ऐसे माल पर इस तजवीज से डबल टैक्स का ऐतराज नहीं होता है. दूसरी बात यह है कि डबल टैक्स बहुत खफीफ मिकदार में होगा और लोग उसको feel नहीं करेंगे.

दरबार मुअल्ला ने साल गुजिश्ता में जो म्युनिसिपल कमीशन कायम किया था उसकी रिपोर्ट के सफा नम्बर ६८ में इस किस्म के टैक्स कायम करने की सिफारिश की गई है. थोडा अर्सा हुआ कि म्युनिसपल कमेटियों को दरबार की तरफ से पांच छै साल से एक रकम बतौर ग्रान्ट के दी जाती है मगर ऐसा सुना है कि कमेटियों में एक तहरीर पहुंची है कि कमेटियां अपने आप को Self-supporting कर लें क्योंकि ग्रान्ट बाद खतम मियाद बन्द कर दी जावेगी. इस सूरत में यह सवाल और भी अहम और तसफिये का मुहताज है; इस लिये जो तजवीज पेश की गई है वह नाकाबिल अमल न ख्याल फर्माई जावे. अगर किसी वजह से तजवीज मन्जूर न हो तो निहायत अदब के साथ मेरी आखरी यह इल्तजा है कि वह दरबार की ग्रान्ट जो अर्से से अता फरमाई जा रही है और जिस से काम निहायत असलूबी से चल रहा है वह सरेदस्त बराबर कायम रखी जाय, जिस्से आमदनी में कमी वाके न होगी. इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस तजवीज को पेश करता हूं.

फजल मुहम्मद साहब—मैं इस सवाल की ताईद करता हूं.

रामजीदास साहब—हुजूर मुअल्ला, मेरे दोस्त जगमोहन लाल साहब ने जो terminal टैक्स पैसिन्जर पर लगाया जाता है उसको basis मान कर माल पर टैक्स लगाने की तजवीज पेश की है, और इसकी मैं मुखालिफत करता हूं. terminal टैक्स जो पैसिन्जरों पर लगाया जाता है वह गालिबन वार के जमाने में चन्द जगह शुरू हुवा जिसका उसूल यह था कि लोगों पर बगैर कोई बार डाले हुवे एक जर्या आमदनी का हो जाय, लिहाजा उस उसूल को कायम रखते हुवे पैसिन्जरों पर मेहसूल एक खफीफ तादाद में लगाया. मसलन जो पैसिन्जर आया उसने रेल्वे किराये के साथ २ एक खफीफ रकम अदा की मगर म्युनिसिपेलिटी की आमदनी के लिये माल पर टैक्स लगाना Systematic टैक्स नहीं कहा जा सकेगा क्योंकि इसका distribution uneven होगा. दूसरे माल मुख्तलिफ किस्म के आते हैं उन की कीमतों में इस कदर फर्क होता है कि फी मन महसूल कायम करना दुशवार है, माल कीमत के लिहाज से बराबर नहीं होता है. मसलन, एक वैगन घास के उपर एक पाई फी मन आयद किया जाय तो यह देखना चाहिये कि एक वैगन में कितनी घास भरी होगी. फर्ज किया जावे कि दस मन घास भरी हुई हो तो दस पाई आयद होंगी और उसकी कीमत ५ या ६ रुपये होगी और मनिहारी माल ५ मन हो तो उस पर ५ पाई टैक्स लगेगा और उस माल की कीमत हजार रुपये हो सकती है. इसलिये यह टैक्स ऐसा टैक्स होगा जो बे तरतीब होगा और जिससे आमदनी भी अच्छी नहीं हो सकेगी लिहाजा मैं इस तजवीज से मुखालिफत करता हूं. मेरे ख्याल से मुजव्विज साहब ने सवाल के इस पहलू पर गौर नहीं किया कि आमदनी क्या होगी और इसका असर आम लोगों पर क्या पडेगा.

मथुराप्रसाद साहब.—अन्नदाता, मेरा ख्याल यह है कि ज्यादातर इसका असर काश्तकारान पर पडेगा, इसलिये एक direct महसूल कायम करना न ठीक है न मुनासिब होगा. मेरे ख्याल से जैसा कि महसूल का तरीका G. I. P. के स्टेशनों पर है वैसा कायम कर दिया जावे.

हुजूर मुअल्ला.—आपका (जगमोहनलाल का) ख्याल डायरेक्ट से है या इन्डायरेक्ट से ?

जगमोहनलाल साहब.—इन्डायरेक्ट से.

जमनादास झालानी साहब.—मैं बाबू जगमोहनलाल साहब से इत्तफाक करता हूं, लेकिन यह जो ऐतराज किया गया है कि टैक्स लगाने में similarity नहीं रहेगी तो इसके लिये यह हो सकता है कि जैसे रेल्वे फर्स्ट क्लास, सेकिन्ड क्लास और थर्ड क्लास में फर्क है, वैसे ही इसमें भी

distinction रखा जावे. सब माल के लिये यकसां हिसाब नहीं होना चाहिये. अगर इस उसूल को मान लिया जावे तो म्युनिसिपल कमेटी की जरूरियात के लिहाज से जरूरी है कि कमेटी की आमदनी के लिये माल पर टैक्स लगा दिया जावे जैसा कि रेलवे ने पैसिन्जर पर टैक्स लगा दिया है. यह tax जरूरी है इसके लिये रेग्यूलेशन्स बना दिये जावें.

द्वारकादास साहब.—हुजूर वाला, इस पर गौर किया जावे कि आस पास की रियासतों में यह टैक्स लगा हुआ है या नहीं. अगर यह टैक्स लगाया गया तो तिजारत को उससे नुकसान पहुंचेगा, इसलिये पेश्तर से गौर कर लिया जावे.

नारायणदास साहब.—उस हालत में जब कि कस्टम का टैक्स है तो दूसरा टैक्स लगाना यह एक तरह का बार होगा और दूसरी जगह टर्मिनल टैक्स है वहां कस्टम्स टैक्स नहीं है. म्युनिसपेलिटी की आमदनी के लिये बजाय टर्मिनल टैक्स के दूसरे जराये ईजाद किये जावें. एक टैक्स होते हुये दूसरा न लगाया जावे.

महादेवराव साहब.—हुजुरवाला, गुजारिश है कि टर्मिनल टैक्स न लगाया जावे क्योंकि कस्टम्स टैक्स होते हुए अगर दूसरी ड्यूटी कायम हो गई तो इसका असर बुरा पडेगा और तिजारत में नुक्सान होगा.

ट्रेड मेम्बर साहब.—यह सवाल बहुत पुराना है और करीब २ शक्ल बदल कर कई मर्तबा मजलिस में पेश हो चुका है. टैक्स वाकई मामूली लफ्ज है, मगर तजुर्बा इस बात को बतलाता है कि महज टैक्स कायम करने से रुपया नहीं आता; अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो मेरे पास एक मिसाल है जिसको नमूने के तौर पर पेश करता हूं कि जिस वक्त म्युनिसपेलिटी का कानून बना था उसमें यह provision किया गया था कि जितने आढतिये, दलाल व वजनकश हों उनको लायसेन्स दिया जावे और उनसे फीस ली जावे. इस पर किसी साहब ने तवज्जुह नहीं की; और मेरा यह ख्याल है कि किसी म्युनिसपेलिटी या कमेटी ने अमली तरीके पर इस बारे में कुछ नहीं किया. जब कानून मन्डी बना और उसमें मन्डी का काम चलाने के लिये यह कानून पास हुआ कि दलाल और आढतियों से टैक्स लिया जावे और उससे मन्डी को, २५-२६ हजार के करीब आमदनी हुई. उस वक्त भी यह नहीं कहा गया कि यह कलम म्युनिसपेलिटी के एक्ट में आ चुकी है और यह हक हमारा है, हमको दिया जावे. अगर उस वक्त ऐसा किया गया होता तो दो, ढाई, तीन लाख की आमदनी म्युनिसपेलिटी को होती. कम से कम इस बात के कहने में मुझे दरेग नहीं है कि मेम्बरान म्युनिसिपेलिटी को जो इख्तियारात दिये गये हैं उन पर अमल करके उन्होंने अपने टैक्स बढाने या वसूल करने में पूरी कोशिश नहीं की. अगर इसके बारे में जो साहब कुछ फरमावें वह बिला ताम्मुल फरमा सकते हैं. टैक्स को महज कानून में लिख देने से काम नहीं चल सकता. इस किस्म का अगर टैक्स लगाया जावे तो वह उसूल कानून के खिलाफ और दरबार के उसूल के खिलाफ होगा; चुनांचे अगर यह टैक्स कुल आने वाले माल पर लगाया जावेगा तो २५-२६ लाख रिआया जो उसको इस्तेमाल करेगी उस पर उसका असर पडेगा और वह टैक्स महज म्युनिसिपेलिटी के रहनेवालों को दिया जावेगा. बाहर से मन्डियों में जो माल आता है उस पर अगर कोई टैक्स लगाया जावे तो उसूल taxation की रू से वह tax म्युनिसिपेलिटी का हिस्सा नहीं हो सकता. दरबार ने खास तरीके पर एक कमेटी कायम की कि किस किस चीज पर कस्टम का महसूल कम और ज्यादा हो सकता है, कमेटी ने रियासत में जाबजा दौरा करके और कुल हालत पर गौर करके एक तजवीज पेश की. इस तजवीज पर दरबार ने ऐसा टैक्स कायम किया जिसको आसानी के साथ ट्रेड और रिआया बरदाश्त कर सकती है. अब अगर उसमें कोई भी हिस्सा बढाया जावे तो ट्रेड के ऊपर बार पडेगा. कुल रियासत की ट्रेड के ऊपर बार डालना ठीक नहीं है और

महज एक म्युनिसिपेलिटी के खर्चे के लिये टैक्स कायम नहीं हो सकता. मेरे ख्याल से ऐसा टैक्स लगाना ठीक नहीं है और दरबार का कानून भी यही है कि जिस चीज पर कस्टम महसूल है उस पर दूसरा कोई महसूल कायम नहीं हो सकता. इस किस्म के टैक्स ट्रेड के लिये फायदेमन्द नहीं हैं. अगर म्युनिसिपेलिटी अपने इख्तियारात को अच्छी तरह से इस्तेमाल में लावे और गौर करे तो आमदनी खातिरख्वाह हो सकती है. दौरा शाजापुर में एक तमसील नजर में आई कि ढाई सौ रुपये में गाडी अड्डे का ठेका एक शख्स को दिया गया और चार बजे के बाद जो गाडियां निकलती थीं उन पर वह महसूल लेता था. इसके बाबत जो मुआहिदा निकाला गया तो वाकई मुआहिदे के खिलाफ अमल पाया गया, यानी मुआहिदे में सिर्फ गल्ला व नाज की गाडियों का ठेका लिखा हुआ था जो मेम्बर साहबान के सामने पेश किया गया और उनसे कहा गया कि आप गौर कर सकते हैं कि यह शख्स नाजायज फायदा उठा रहा है और वाकई मुआहिदे के खिलाफ है. उस वक्त उनके भी ख्याल में आया. म्युनिसिपेलिटी में कितना रुपया तजवीज किया गया था और उसने किस किस काम में सर्फ किया, इस पर गौर किया जावे. यह मालूम हुआ है कि तीन हजार की इनकम और सोलहसौ के नौकर हैं. १,५०० या १,६०० रुपया म्युनिसिपेलिटी के काम में आता है. यह रिमार्क या नुक्ताचीनी मैं म्युनिसिपेलिटी या उस डिपार्टमेन्ट के ऊपर नहीं करता हूं. यह मैं जरूर कहूंगा कि यह टैक्स कायम करने के बजाय जिसका असर कुल रियासत की ट्रेड पर पडेगा, और जराये आमदनी के पैदा किये जावें. दरबार से जो ग्रान्ट मिलता है कम से कम मेरी मालूमात में तो अब तक नहीं आया है कि वह बन्द होने वाला है. दरबार ने इतनी ग्रान्ट जितना कि उनके खर्चे के लिये जरूरी है करीब २ दे रखी है और दी जा रही है. इस वक्त जो कुछ आमदनी है वह इम्पोर्ट ड्यूटी की है और जो करीब १० लाख है और जिस का औसत per head ।=) आने पडता है और खर्चा जाने के बाद ।-) आने. इस वक्त २६ लाख population है उस पर जो टैक्स लगाया जावगा उसका फायदा पांच लाख रिआया म्युनिसिपेलिटी को होगा. ग्रान्ट जो लाख डेढ लाख दी जा रही है वह करीब करीब उसके बराबर है जो इम्पोर्ट ड्यूटी की आमदनी का औसत म्युनिसिपल पापूलेशन पर होता है. ऐसी हालत में अगर आप साहिबान फर्दन फर्दन ट्रेड पर बार डालना चाहें तो उसके ऊपर गौर करलें. चन्द मर्तबा यह मुआमला पेश किया गया और चन्द ही मर्तबा करार दिया गया कि यह मुआमला जायज नहीं है.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला, मैं जवाब की तौर पर चन्द बातें अर्ज करने की इजजत चाहता हूं. इस तजवीज पर सबसे पहले मेरे दोस्त लाला रामजीदास ने मुखालिफत की है. मैंने जिस कमीशन का हवाला दिया है उसमें रामजीदास साहब भी शरीक थे और अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो कमीशन ने इस टैक्स के लगाये जाने की सिफारिश की है उस में उस वक्त रामजीदास साहब ने कोई डिसेन्ट नोट भी नहीं लिखा और उस सिफारिश के मुतअल्लिक जिसका हवाला इब्तदाई तकरीर में दिया गया है कुछ जाहिर नहीं किया. उनके अलावा चन्द साहबान ने भी इस तजवीज के मुतअल्लिक मुखालिफत की है लेकिन इससे अच्छा कोई जर्या इजाफा आमदनी का नहीं बतलाया है. आम तौर पर sweeping remarks में यह कहा गया है कि यह तजवीज ठीक नहीं है क्योंकि तिजारत पर इसका बुरा असर पडेगा. जनाब ट्रेड मेम्बर साहब ने सबसे पहले यह बात फरमाई है कि दरबार मुअल्ला ने जो इख्तियारात म्युनिसिपेलिटीज को दिये हैं उनसे फायदा उठाने की म्युनिसिपेलिटीज ने कोशिश नहीं की है और उसमें तमसील यह जाहिर फरमाई है कि आढत व दल्लालों पर टैक्स म्युनिसिपेलिटीज ने कायम नहीं किया. दफा ४७ म्युनिसिपल ऐक्ट में जिन जिन जराये आमदनी की सराहत की गई है उनमें आढत दल्लालों के लिये कोई प्रोविजन नहीं है. इसकी

बाबत बाई-लॉज कमेटी बना सकती है लेकिन बाई-लॉज बिला मंजूरी दरबार मुअल्ला नहीं बन सकते. मुझको दीगर कमेटियों से वाकफियत नहीं है, भिंड म्युनिसिपेलिटी से अलबता वाकिफ हूं. वहां से बाई-लॉज तैयार होकर अर्सा हुवा है कि बगरज मंजूरी भेज दिये गये हैं.

ट्रेड मेम्बर साहब—टर्मिनल टैक्स वह टैक्स है जो वजन के ऊपर कायम किया जाता है. जैसे अगर दस हजार मन माल आया तो ५००) रुपया ले लिया. इसमें शरह नहीं की गई कि रुई के ऊपर किस कदर, चांवल के ऊपर किस कदर और घी के ऊपर किस कदर. अगर आप का मतलब यही है तो मैं जाहिर करता हूं कि शायद बहुत कम चीजें हैं कि जिन पर महसूल नहीं है; मस्लन दवा, सफेद कागज, मिर्च. इस टैक्स के कायम करने के लिये यह देखना जरूरी होगा कि इसके वास्ते क्या तरीका इख्तियार किया जावे ?

जगमोहन लाल साहब—बाहर से जो चीजें रेलवे के जर्ये से आवेंगी उनका इन्द्राज रेलवे में होता है. उनका महसूल वहां वसूल कर लिया जावे.

ट्रेड मेम्बर साहब—यह तो बतलाइये कि टर्मिनल टैक्स क्या टैक्स है ?

जगमोहन लाल साहब—जो चीजें बाहर से आवें उन पर टैक्स लिया जावे. अगर वह माल मन्डी में सर्फ न हो और वापिस जावे तो उस पर वापिसी दी जा सकती है. इस नाम से टैक्स लिया जाना तय होने पर किस पर क्या टैक्स कायम किया जावे, यह detail की बात है. पहिले उसूल तय कर लिया जावे.

रामजीदास साहब—मेरे दोस्त ने यह जवाब दिया है कि माल मन्डी में सर्फ न होगा और फिर वापिस जावेगा तो उस पर महसूल लिया जावेगा. इस तरीक से एक माल पर दो मर्तबा टैक्स लगेगा. अव्वल जब माल आया उस वक्त महसूल लगा और जब वापिस जावेगा फिर दुबारा महसूल लगेगा, जैसा कि तजवीज में दरामद बरामद के अल्फाज से जाहिर होता है.

जगमोहनलाल साहब—इस वक्त यह कहा गया है कि जिस माल पर एक मर्तबा महसूल ले लिया गया है वापसी पर दुबारा न लिया जावेगा. तजवीज की इबारत और कानूनी इबारत में बहुत फर्क हुआ करता है. तजवीज की इबारत कानूनी नहीं है.

रामजीदास साहब—चूंकि आप कानूनदां हैं इसलिये आप से अल्फाज के सही इस्तेमाल किये जाने की उम्मेद की जा सकती है.

हुजूर मुअल्ला—क्या इस सवाल पर और किसी साहब को कुछ कहना है ? (जब किसी साहब ने कुछ न कहा तो हुजूर मुअल्ला ने फर्माया कि) आप साहबान को यह तो मालूम है कि जगमोहन लाल साहब का सवाल क्या है और वह किन वजूह पर मबनी है, इस पर तो आपने गौर कर ही लिया होगा. उनका सवाल यह है कि काफी आमदनी म्युनिसिपेलिटीज की नहीं है. म्युनिसिपेलिटीज के expenditures meet करने के लिये यह जर्या आमदनी का उन्होंने बेहतर समझा है, क्योंकि उनको भिन्ड की म्युनिसिपेलिटी से खुद वाकिफयत है कि आमदनी इतनी नहीं है जो खर्च के लिये काफी हो. गालिबन उनको ब अम्र लाचारी यह suggestion करना पडा. हमको पहिले यह देखना चाहिये कि म्युनिसिपेलिटीज या टाउन कमेटीज हमने क्यों कायम की हैं. आया इनकी जरूरत थी या न थी, है या नहीं है. अगर कुल इलाके रियासत के लोगों से इसकी निस्बत राय ली जाय कि म्युनिसिपेलिटी कायम की जावे या न की जावे, शहरों में वाटर सप्लाई का इन्तजाम किया जावे या न किया जावे, Improvement व Sanitation का इन्तजाम

किया जावे या न किया जावे, तो (अगर मैं गल्ती नहीं करता हूं) उमूमन यही राय होगी कि हम को इन की कतई जरूरत नहीं है. वजह यह है कि लोग इनके फवायद से हिनोज नावाकिफ हैं और जो लोग पब्लिक के कायम मुकाम की हैसियत से इन institutions के मेम्बर होते हैं, वह इस काम में दिलचस्पी नहीं लेते. अगर वह इस काम को सरगरमी के साथ करें तो इन institutions की utility आम लोगों की समझ में बिना आये नहीं रह सकती है. यह तो खुला मसला है कि जिन लोगों ने म्युनिसिपेलिटी कायम करने का तरीका इख्तियार किया और उसके aims and objects मुकर्रर किये, उन्हों ने जरूर इसमें Public का नफा देखा होगा, रियासत हाजा ने महज उनकी नकल की है. खास रियासत की तरफ से यह ईजाद नहीं की गई है और यही आम दस्तूर है कि दुनिया में जो अच्छी २ बातें होती हैं उनको इख्तियार और जो बुरी होती हैं उनको तर्क किया जाता है. समझदार लोगों का काम है, कि वह नासमझ को समझावें और राहेरास्त पर लगावें. इस मौके पर मैं आप को झांसी के पेपर के मजमून की याद दिलाता हूं जो मैंने आपको परसों पढ कर सुनाया था. इस मजमून के लिखने वाले साहब को शायद यह मालूम नहीं है कि यहां की पब्लिक ने कितनी एडवांसमेन्ट की है और पार्क की तामीर के मुआमले में अगर Public से मशवरा लिया जाता तो वह क्या मशवरा देती! आप को मालूम है कि जयाजी चौक की पहिले क्या हालत थी और अब क्या है. अब जो शहर में Improvement किया जा रहा है उससे क्या नफा पहुंचा और न किया जाता तो क्या नफा होता? लोग इन बातों को नजर अंदाज करते हैं और popular बनने की गर्ज से जो चाहा सो ऊट पटांग अखबारों में लिख मारते हैं. हमें इसकी जरा भी परवाह नहीं करना चाहिये. हमको तो अपनी रिआया की भलाई की कोशिश करना है और सब से पहिले उनकी दौलतमन्दी, तन्दुरुस्ती और तालीम की निस्बत कोशिश करना चाहिये. तालीम भी उस हद तक होना चाहिये जिसका जितना जिस क्लास से तअल्लुक है, वरना एक जमाना ऐसा आ जावेगा कि एक कुली भी नहीं मिलेगा. हमको Sanitation के लिहाज और तन्दुरुस्ती के ख्याल से अपने यहां म्युनिसिपेलिटी और टाउन कमेटी जरूर रखना है और इनके जरिये से ही, हम लोगों में Sanitation वगैरा जरूरी बातों के मुतअल्लिक ख्यालात फैला सकते हैं. लश्कर में जो कन्जेस्टेड पार्ट (Congested part) थे वहीं एपीडेमिक (epedemic) ने अपना पांव जमाया था; अब उनको कुशादा किया गया है; अगर खुदा न ख्वास्ता कभी कोई epedemic आया तो मुझे उम्मेद है कि इन मुकामात पर उसका वह जोर न होगा जिसका पहिले तजुर्बा हो चुका है. मेरा तो यह तजुर्बा है कि बम्बई वगैरा बडे २ टाउन्स में एपीडेमिक अपना पाया कन्जेस्टेड पार्ट में ही ज्यादा जमाया करता है बमुकाबले उन पार्ट्स के जो open हैं और जहां Sanitation अच्छा है यानी open areas. अब यहां एक सवाल आमदनी का है जिसकी बाबत मैं इस बात के कहने की माफी चाहता हूं कि जगमोहनलाल साहब का तजुर्बा limited है. इस माम्ले में मुझे सम्वत १९७० से जो तजुर्बा हुआ है, (गो उस वक्त से मुझ को कुल रियासत में फिरने का मौका नहीं मिला है, ताहम चलते २ मेरे हाथ में जो मामला पड गया), उस से नतीजा निकालता हूं, जैसा कि आपने मेमोरन्डम नम्बर १९ में आगर की निस्बत देखा होगा कि जो अहकाम टैक्स लगाने के लिये जारी हुये उन की कोई तामील नहीं हुई, वह मिसल ही में दबे रक्खे रहे. जब सूबा साहब से पूछा गया तब मिसल तहसील से निकलवाई गई और देखा गया तो मालूम हुआ कि उन अहकाम की तामील में टैक्स impose नहीं किये गये, यानी टैक्स लगाने का तो जिक्र ही क्या है, टाउन कमेटी ने उस मामले को consider तक नहीं किया. फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आमदनी काफी नहीं है जिससे हम अपने expenses मीट

कर सकें. अलाहाजा चन्देरी में भी मैंने देखा तो वहां भी यही कैफियत नजर आई. अलावा इसके हेड ऑफिस ने भी सख्त गलती की. साफ बात बोलने में कोई ऐब नहीं है. अगर हमसे गलती हो जावे तो उसको कुबूल कर लेने से पब्लिक respect करेगी चुनांचे बॉईलॉज की निस्बत जो आपने कहा वह बहुत ठीक है. इन्सपेक्टर-जनरल साहब म्युनिसिपैल्टिटीज के दफ्तर में सिवाय इसके कि जो रिपोर्टें मातहतों से आई वह मिसल में रखली गईं और कोई action उन पर नहीं लिया गया. इस वजह से जो सिफारिशें म्युनिसिपेलिटियों ने पेश कीं वह न दरबार के सामने आईं न उनको मेम्बर साहब ने देखा. इन्सपेक्टर-जनरल साहब तो इस्तैफा देकर चल दिये और दूसरों को नीचा देखने की नौबत पहुंचाई. अब साल गुजिश्ता से काम पर जोर दिया गया है. मेरा ख्याल है कि बहुत से मामलात निकल गये और जो बाकी रह गये हैं वह निकल रहे हैं. लेकिन जब कि म्युनिसिपेलिटी और टाउन कमेटी ने अहकाम दरबार की तामील ही नहीं की तो हम कैसे कह सकते हैं कि मौजूदा आमदनी सर्फे को meet करने के लिये काफी है या नहीं? इस सवाल को हाथ में लेने के लिये, मेरी राय में, उस वक्त तक wait किया जावे जब तक कि बाईलॉज, जो आये हुये पडे हैं, वह तय न हो जावें. और जो अहकाम दरबार से जारी हो चुके हैं, जैसा कि आगर की मिसाल से जाहिर है, उनकी तामील न हो जावे. मेरी यह भी राय है कि इस सवाल को सन १९२७ ई० में फिर पेश किया जावे. तीन बरस के अन्दर हम देख लेंगे कि कैफियत क्या है, म्युनिसिपल्टियों की वाकई जरूरियात क्या हैं और वह कैसे meet की जा सकती हैं. अलावा इसके म्युनिसिपेल्टिटी की तवज्जुह काम की तरफ भी दिलाई जाती है. शाजापुर का एक मामला मेरे सामने आया, उसकी मैंने तफ्तीश की. इस तफ्तीश का नतीजा क्या हुआ, शायद वह छाप कर भेज दिया गया है. हालत तो यह है कि न मेम्बरान की तवज्जुह है न हाकिमान की तवज्जुह, और म्युनिसिपेल्टिटी और टाउन कमेटी का मामला लावारिस सा हो गया है. अब मुझे उसे पूरी तौर से सरपरस्ती में लेने का है, इसलिये मैं सिफारिश करता हूं कि सन १९२७ ई० में इस मसले को हाथ में लिया जावे और decide किया जावे. इस की तामील कराने में बडी गलती फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से हुई जो एक धर्मार्थ कारखाना है. वहां से एक दफा मंजूरी हो गई, फिर कौन पूछता है! जब म्युनिसिपेलिटी को ग्रान्ट दी गई तो मियाद कायम कर दी गई थी और हिदायत दी गई थी कि बाद में वह खुद अपनी आमदनी पैदा करे, लेकिन फायनेन्स डिपार्टमेन्ट ने इसको देखा ही नहीं, जिसे मुतअल्लिकीन को बताना चाहिये था कि तुम्हारी मियाद में इतना वक्त बाकी है. इन्सपेक्टर-जनरल साहब म्युनिसिपेल्टिटीज ने भी कमेटियों को नहीं जताया. चुनांचे मामला खटाई में पडा रहा और उसकी आज हालत वही है जो इब्तिदा में थी. इस मुआमले को अगर सन १९२७ में पेश किया जावेगा तो आपके पास एक data भी तैयार हो जायगा और उस वक्त तक आप कमेटियों में discipline भी शायद कायम कर सकेंगे जिसकी सख्त जरूरत है. यहां तो हालत यह है कि अपने २ फरायज को सब भूले हुये हैं, जब तक उनको आरी न लगाई जावे या जब तक उन्हें जगावें नहीं, काम नहीं चलता. Driving power की बहुत ही कमी है. अगर सब काम ठीक करें तो दरबार को इतमीनान और खुशी हो. मगर काम करने के लिये बुराई का धनी बनना जरूरी है. मेरे सिर्फ यह कहने पर ही मेम्बरान कहेंगे कि मुझे यह न कहना चाहिये था; मगर उनका point of view और है.

आखिर में, मैं सिफारिश करता हूं कि जगमोहनलाल साहब इस मामले को सन १९२७ में उठावें, उस वक्त हम उसे ठीक तौर से adjust कर सकेंगे.

ठहराव—करार पाया कि जगमोहनलाल साहब यह मामला सन १९२७ ई० में उठावें.

तजवीज नंबर ८, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

म्युनिसिपल कमेटियों को यह हक दिया जावे कि वह अपने हर किस्म के मतालबे की वसूली की कार्रवाई बाकीदारान से जेर दफा ७२, एक्ट म्युनिसिपेलिटीहाय संवत १९६८ मिस्ल बकाया टैक्स कर सकें, बशर्ते कि वैसा बकाया चार साल से जायद अर्से का न हो.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला, म्युनिसिपेलिटियों में जो मुतालबेजात होते हैं वह कई किस्म के होते हैं, पहला जायदाद के टैक्स का, दूसरा मुतालबा किसी दीगर किस्म के टैक्स का होता है. तीसरा मुतालबा यह होता है कि कमेटियों की जायदाद या मकबूजा आराजी को कोई दबा ले तो उस से दूनी कीमत वसूल की जाती है. चौथा मुतालबा यह है कि कोई लाइसेन्स जारी करते हैं जिसकी बाबत फीस वाजिबुल वसूल होती है, इन मुतालबों की वसूली के लिये इस वक्त जो दफा है वह ७२ है उसमें सिर्फ यह लिखा है कि जो टैक्स कि बकाया है उसको कमेटियां किस तरह वसूल करें, यानी वह अपने मुकामी मजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासा पेश करें दीगर किस्म के मुतालबों की बकाया के मुतअल्लिक दीवानी में नालिशात दायर करना होती हैं, दफा १४६ यही है कि जिस तरह टैक्स का बकाया वसूल किया जाता है उसी तरह पर तक्मील काम का सर्फा भी वसूल किया जा सकता है. लेकिन जो जायदाद कमेटी की किसी ने दबा ली है इस की बाबत कोई Summary Provision म्युनिसिपल एक्ट में नहीं है, जैसा कि दफा ७२ में Summary Provision रखा गया है. मुतालबेजात बहुत पडे हुए हैं. उनके पास वसूली का कोई जर्या नहीं है इसलिये कमेटी को इख्तियार दिया जावे कि वह मुकामी मजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त देकर वसूली की कार्रवाई करे जिस से कमेटी के कामों में सहूलियत हो.

द्वारका प्रसाद साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

मथुराप्रसाद साहब.—मैं भी इसकी ताईद करता हूं.

रामजीदास साहब.—मुझे इस तजवीज से मुखालिफत है. म्युनिसिपल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो खास तरीके से वसूल किया जा सकता है. बाकी रहा हुआ काबिल वसूल मुतालबा अगर किसी शख्स की गलती या किसी और वजह से वसूल होने से रह जावे तो उसको इस सख्ती के साथ वसूल करने का बार लोगों पर क्यों डाला जावे. मेरे ख्याल में म्युनिसिपेलिटीज को यह इख्तियार देना हरगिज मुनासिब न होगा. इससे लोगों की परेशानी बढेगी. हर जगह यह नहीं होता है कि लोगों की नादिहन्दी की वजह से बकाया बढे; बल्कि महकमा या उस महकमे के काम करने वालों की तरफ से लापरवाही या गलती से बकाया बढता है. म्युनिसिपेलिटियों को इस बात की तवज्जुह दिलाई जावे कि वह अपने यहां बकाया न रहने दें और वक्त पर मतालबे वसूल करने की कोशिश करें. दरबार ने जो यह हक कोर्ट्स को दिये हैं इसकी माकूल वजह है और ऐसे हक अदालत को ही होना चाहिये.

जमनादास झीलानी साहब.—मैं रामजीदास साहब से ताईद करता हूं. जो सरकारी मुतालबे करार दिये गये हैं उनकी बाजाब्ता नालिश होना ही चाहिये जैसे कि अगर हुन्डी का रुपया बाकी रह जावे तो वह सरकारी मुतालबा नहीं समझा जावेगा. दूसरे जैसा कि आप (जगमोहनलाल) ने कहा है कि म्युनिसिपेलिटी की आराजी किसी ने दबा ली तो ऐसा मुतालबा अदालत से ही वसूल कराया जावे क्योंकि इसका तस्फिया जब तक न होगा कि किस की यह आराजी है मुतालबा किस से वसूल

होगा. टैक्स वसूल करने का जो इख्तियार दफा ७२ में दिया गया है वह काफी है. ज्यादा इख्तियार देना ठीक नहीं होगा.

लॉ मेम्बर साहब—मुझे उम्मेद थी कि इस सवाल के मुतअल्लिक और मेम्बरान—खसूसन वह साहबान जो किसी म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं--भी मुबाहिसे में शरीक होंगे. इस वक्त तक सिवाय चन्द साहबान के और किसी ने अपने ख्याल का इजहार नहीं किया. मुमकिन है कि इस सवाल के मुतअल्लिक उनके जहन में पूरी बातें न हों और वह मजीद वाकफियत व मालूमात हासिल करना चाहते हों, इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि आप साहिबान पर जाहिर करदूं कि यह मामला क्या है, और मुजव्विज साहब की तजवीज क्या है, तजवीज पर अमल करने व उसके मन्जूर करने में सहूलियत क्या है, और किस किस्म की दिक्कतों का एहतमाल है.

म्युनिसिपल कानून को अगर देखा जाय तो उसमें हस्ब जैल मुतालबे कायम किये गये हैं:—

(१) हाउस टैक्स.

(२) टैक्स उन लोगों पर कि जो हुदूद म्युनिसिपेलिटीज के अन्दर पेशा या तिजारत करते हैं.

(३) गाडियों पर टैक्स.

(४) जानवरों पर टैक्स.

(५) मेहसूल चुंगी या दीगर अशिया पर टैक्स.

(६) मार्केट ड्यूज (market dues) जो कमेटी के मकान या गंज के इस्तेमाल की हालत में बतौर किराये के लिये जाते हैं, और

(७) सफाई टैक्स.

यह फेहरिस्त करीब करीब मुकम्मिल है; मुमकिन है कि इन मतालबेजात के अलावा और भी खफीफ मतालबेजात, कानून म्युनिसिपेलिटी के मुताबिक आयद किये जा सकते हों, मगर अहम मुतालबे यही हैं.

इस किस्म के मतालबेजात की वसूली का एक मुख्तसिर और सरसरी तरीका यह है कि बाकीदार के खिलाफ मजिस्ट्रेट के इजलास में म्युनिसिपेलिटी की जानिब से इस मजमून की दरख्वास्त पेश की जाती है कि फलां शख्स के जिम्मे इस कदर टैक्स बाकी है, रकम बकिया उससे वसूल कराई जावे. मजिस्ट्रेट साहबान को यह इख्तियार हासिल है कि taxes के बकाया की वसूली के लिये बाकीदार के माल को कुर्क करें व उसको नीलाम करें.

मुजव्विज साहब की तजवीज यह है कि जिस तरह टैक्स के बकाया की वसूली सरसरी तरीके पर की जाती है यानी जैसा कि अभी बयान किया गया है उसी तरह म्युनिसिपेलिटी के और बाकी मतालबेजात भी सरसरी तरीके पर वसूल किया जाया करें. मुजव्विज साहब का ख्याल है कि taxes के अलावा दीगर मतालबेजात की हालत में म्युनिसिपेलिटीज को नालिशें करनी पडती हैं और जब डिक्री हासिल होती है तो डिक्री की हकरसी की कार्रवाई की जाकर मतालबे की वसूली की नौबत आती है इसलिये हमको यह देखना चाहिये कि दीगर किस्म के मतालबे क्या क्या हैं:—

(१) एक मतालबा इस किस्म का होता है कि खास खास हालतों में म्युनिसिपेलिटीज को इख्तियार दिया गया है कि जब कोई इमारत, कुंवा, तालाब, हौज, गड्ढा, काफी मरम्मत या हिफाजत न होने की वजह से खतरनाक मालूम हो तो म्युनिसिपल कमेटी मालिक इमारत को उसकी हिफाजत के मुतअल्लिक हिदाय

करे. अगर कोई दीवार या मकान कमेटी की राय में खराब और खस्ता हालत में पाया जावे तो म्युनिसिपेलिटी को इख्तियार है कि मालिक मकान को उसकी दुरुस्ती के लिये हिदायत दे. जिन शख्सों को इस तरह हिदायत दी जावे अगर वह उस हिदायत की तामील न करें तो कमेटी को इख्तियार है कि इमारत, कुंवा, तालाब, दीवार या मकान की दुरुस्ती अपने सर्फे से कराले और मालिक मकान से वह सर्फा वसूल करे. इस किस्म के मतालबे की वसूली भी महज दरख्वास्त देने पर मजिस्ट्रेट मुतअल्लिका से बाकीदार की जायदाद में कुर्की व नीलाम से हो सकती है.

(२) दूसरे किस्म के मतालबे इस शक्ल के हो सकते हैं कि म्युनिसिपल सेक्रेटरी या हेल्थ ऑफिसर महतरों पर सफाई न रखने की हालत में जुर्माना कर सकते हैं. यह जुर्माने भी सेक्रेटरी या हेल्थ ऑफिसर के हुक्म से बजरिये कुर्की व नीलाम वसूल हो सकते हैं.

इस वक्त जिन जिन मतालबेजात का जिक्र किया गया है वह बाकी रहने की हालत में बिला दायरी नालिश महज म्युनिसिपेलिटी की दरख्वास्त पर मजिस्ट्रेट के हुक्म से बाकीदार के माल की कुर्की व नीलाम से वसूल हो सकते हैं.

इस तजवीज के मुतअल्लिक ने मुजव्विज साहब से गुफ्तगू की थी, ताकि मुझे यह मालूम हो कि उनकी तजवीज किस खास किस्म मतालबेजात के मुतअल्लिक है. नतीजा उस गुफ्तगू का यह निकला कि बाज मतालबे इस किस्म के हैं कि जो इस सरसरी तरीके से वसूल नहीं किये जाते. मस्लन गाडी अड्डे का ठेका और इसी जैल के और मुआहिदे; इनके मुतअल्लिक अदालत दीवानी में नालिश दायर की जाती है और डिक्री हासिल होने के बाद ब सीगे हकरसी म्युनिसिपेलिटी के मतालबे वसूल किये जाते हैं. मेरी राय में इस किस्म के मतालबेजात के मुतअल्लिक मौजूदा तरीका ही कायम रहना बहतर है. अलबत्ता फीस लायसेन्स के मुतअल्लिक मुझे मुजव्विज साहब से इत्तफाक है. यानी जहां फीस लायसेन्स किसी शख्स के जिम्मे बाकी हो तो बजाय इसके कि अदालत दीवानी में नालिश की जावे. मजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त देकर कार्रवाई किये जाने में अगर इन्सपेक्टर-जनरल साहब म्युनिसिपेलिटी को ऐतराज न हो, मुझे हर्ज मालूम नहीं होता.

रामजीदास साहब—चूंकि असल तजवीज में हर किस्म के मतालबे के मुतअल्लिक सवाल उठाया गया है, और आपने (लॉ मेम्बर साहब ने) इस सवाल को लाइसेन्स फी पर महदूद कर दिया है, इसलिये असल तजवीज की शक्ल बदल दी जानी मुनासिब होगी.

लॉ मेम्बर साहब.—मेरी और जगमोहनलाल साहब की, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं, गुफ्तगू हो चुकी है, और इस गुफ्तगू में जगमोहनलाल साहब ने इस बात को बाद बहस कबूल किया था कि मतालबे से उनकी मुराद लाइसेन्स फीस के मतालबे से ही है चुनांचे उसकी तरफ मैंने आप साहबान की तवज्जुह दिलाई.

बद्रीप्रसाद साहब त्यागी—म्युनिसिपल मुतालबेजात की तीन अक्साम हैं जिन में सारे मुतालबे आ जाते हैं–मस्लन म्युनिसपल टैक्स, फरोख्तगी खाद वगैरा, इसमें से मुतालबेजात म्युनिसपल टैक्स के मुकद्दमात या वसूली की कार्रवाई मजिस्ट्रेटों के सपुर्द की जाती है और वह बशक्ल हुक्मान माल मिस्ल बकाया मालगुजारी उस तरीके से वसूल होता है जैसे कि बकाया माल गुजारी वसूल की जाती है, दीगर लायसेन्स के मुतालबेजात या फरोख्तगी खाद वगैरा के मुतालबेजात

मुतअल्लिक मामलात वसूली अदालतहाय दीवानी में दायर किये जाते हैं. मेरी राय में यह मामलात भी म्युनिसिपेलटी से ही तय होना चाहिये क्योंकि म्युनिसिपल अदालतों के अपील डिस्ट्रिक्ट-जज के यहां होते हैं और म्युनिसिपेलटी में अमसाल की तकमील बाक़ायदा होती है. अगर किसी फरीक की हक़तल्फी होगी तो अपील में साफ करदी जावेगी. मुजव्विज साहब की तजवीज से ताईद करते हुए मैं यह अर्ज करता हूं कि हर किस्मी मुतालबेजात म्युनिसिपेल्टी बजयें अदालतहाय म्युनिसिपेलटी वसूल किये जाने की मन्जूरी फरमाई जावे.

भगवान स्वरूप साहब—मैं मेम्बर साहब की तजवीज से इत्तफाक करते हुए यह अर्ज करता हूं कि भेलसे में एक जमींदार जो कि मुद्दाअले बनाया गया था उसको मदयून बनाकर माल गुजारी के रुपये में बमूजिब सरक्यूलर उसकी जायदाद पर बार डाला गया, चुनांचे वह गांव नीलाम हुआ दीवानी से ठेके के मामलात अगर तय न हुए तो पूरी हकरसी न होगी लिहाजा इन मामलात में जो लैन दैन से तअल्लुक रखते हैं उनका दीवानी से ही तअल्लुक रहना चाहिये और यही कार्रवाई जारी रहना चाहिये.

मथुरा परशाद साहब—मैं इनकी (भगवान स्वरूप साहब की) राय से इख्तलाफ करके अर्ज करता हूं कि जो आराजी म्युनिसिपेलिटी की तरफ से किराये पर दी जाती है उसके मुतअल्लिक नालिशात ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी में दायर की जानी चाहिये. ऐसी हालत में जब कि सीगा अपील बाकी है तो मामले को तूल देने से क्या फायदा. जिनको इत्तफाक न होगा वह खुद अपील करके अपनी दाद ले लेवेंगे. अगर यह तरीका जायज करार नहीं दिया जावेगा तो म्युनिसिपेलिटी के इस किस्म के मुतालबे दिन बदिन बढते जावेंगे.

अहमद नूरखां साहब—इस किस्म के छोटे मतालबेजात में ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, मगर बडे २ मिकदारों के मुतालबेजात की अदालत दीवानी में ही नालिश होना चाहिये.

रामचन्द्र साहब—मैं अहमदनूरखां साहब की राय से इत्तफाक करता हूं.

एजूकेशन मेम्बर साहब—कानून म्युनिसिपेलिटी की रू से जो मतालबेजात किसी शख्स पर म्युनिसिपेलिटी आयद करने का मजाज रखती है वह मतालबे म्युनिसिपेलिटी को मजिस्ट्रेट की मारफत वसूल करने का हक है. इसके अलावा जो कुछ मतालबे म्युनिसिपेल्टिा के हों उनमें जिस तरह से कि मथुराप्रसाद साहब की राय हुई है कि यह मामलात ऑनररी मजिस्ट्रेट साहब के तहत में कर दिये जायें तो चन्दा इसमें हर्ज नहीं है चुनांचे पी. डब्ल्यू. डी. के सिलसिले में जो दावेजात होने का कायदा है उसके लिये भी खास स्पेशल बेंच कायम की गई है. बहुत बेहतर होगा अगर कोई ऐसा आसान तरीका निकल आवे कि अपील दर अपील का झगडा ही न रहे और मामला तवक्कुफ के सबब तवालत में न पडा रहे. चुनांचे तमाम मतालबेजात म्युनिसिपेलिटी अलावा टैक्स के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट साहिबान या मजिस्ट्रेटान के कोर्टस में बतौर हाउस टैक्स वसूल हुआ करें या स्पेशल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तय पाया करें. इसलिये दीवानी का जो सिल-सिला जारी है उसको बदल कर और कोई तरीका इख्तियार किया जावे तो ठीक होगा.

हुजूर पुरनूर—मेरे ख्याल में मामला इस Stage पर आ गया है कि एक सब-कमेटी कायम की जावे. मै आपकी इजाजत से हस्ब जैल मेंबरान तजवीज करता हूं:—

१. एज्यूकेशन मेंबर साहब २. जगमोहनलाल साहब, ३. झालानी साहब, ४. एहमद नूरखां साहब, ५. बन्सीधर साहब, ६. बद्रीप्रसाद साहब, ७. भगवानसरूप साहब, ८. रामजीदास साहब वैश्य ९. मथुराप्रसाद साहब.

यह सब-कमेटी बसिदारत लॉ मेम्बर साहब हो और बाद गौर मजलिस में अपनी रिपोर्ट पेश करे

रावजीदास साहब.—अन्नदाता, क्या यह रिपोर्ट आयन्दा साल पेश होगी?

हुजूर अल्ला.—नहीं, इसी साल.

ठहराव—सब कमेटी और उसका personnel प्रेसीडेन्ट साहब की तजवीज के मुताबिक कायम किया गया और करार पाया कि सब-कमेटी की रिपोर्ट इसी सेशन में पे हो.

तजवीज नंबर ९, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

अक्सर देखा जाता है कि प्राय: देहातों के तालाबों के जमींदार साहबान या आबपाशी विभाग ठेके दे देते हैं और भोई यानी कहार लोग उन तालाबों में सिंघाडा बो देते हैं जो सारे तालाब में नहाने और पानी पीने के घाटों तक फैल जाता है, जिसकी सडी पत्ती में कीडे कसरत से पड जाते हैं. नागरिक लोग मजबूरन वही पानी पीते हैं जिससे नहारू, मलेरिया, बदहजमी वगैरा वगैरा रोगों से नागरिक बेजार रहते हैं; इसलिये उन मुकामों के तालाबों में सिंघाडों का बोना बन्द करा दिया जावे कि जो पानी पीने और नहाने मात्र के लिये वह एक ही हो. इसकी तजवीज यों हो सकती है कि तहसीलदार साहबान से ऐसे जलाशयों की फेहरिस्त बनवाई जावे कि जिन जिन तालाबों का जल नागरिक लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमझरा, हाथोद वगैरा.

महन्त लक्ष्मणदास साहब.—प्रजावत्सल सरकार, कहीं कहीं गांवों में देखने में आया है कि आबनोशी के लिये तालाब ही होते हैं, और कहीं त्योहार पर्वों पर तालाबों को ही तीर्थ मान कर नागरिक लोग नहाते हैं. यह मानी हुई बात है कि पानी पीने के जलाशय तथा नहाने के जलाशय निर्मल होना चाहिये. जिस पानी में नील व पत्तियां, लता बेल वगैरा सडती हैं वह पानी मलमला हो जाता है और उस पानी में अनेक रोगों के कीडे पैदा हो जाते हैं. उनमें से जलाशयों में एक सिंघाडे का बोया जाना भी जल को भयंकर रोगी जल बनाने वाला है. सिंघाडा तालाबों में बारिश के पहले कहार लोग बो देते हैं, बारिश में वह परवरिश होता है और सारे तालाब में फैल जाता है और पानी के अन्दर इसकी लतायें बडा भयंकर जाल बना देती हैं; उसमें से तैरने वाले की ताकत नहीं कि जो एक बार उलझने पर जीता निकल आवे. कई जगह देखा गया है कि पशु भी अगर पानी पीने के लिये रात बिरात में उसमें भूल में घुस गया है फिर वह जीव उलझ जाने के सबब जीता नहीं निकला और सिंघाडों की भयंकरता असली यह है कि उसके पैदा करने वाले कहार लोग छोटी नावों में बैठकर उसकी सडी पत्तियों को उसमें से तोडते हैं और नावों में भरते जाते हैं, और वह सडी पत्तियां तालाब के किनारे पर फेंक देते हैं. इन सडी पत्तियों में छोटे छोटे कीडे होते हैं और वह सिंघाडे के पत्तों व छत्तों में कसरत से अंडे रखते हैं जो सारे तालाबों में खस-खस की तरह भर जाते हैं. सरदारपुर के मेडीकल डिपार्टमेन्ट के सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने खुर्दबीन जन्त्र से एक तालाब का पानी मुझे भी बतलाया जिसमें सुई की अध्वनी के बराबर एक पानी के बूंद में उस यंत्र से गोल और बारीक डोरे सरीखे और अनेक आकार प्रकार के कीडे मैंने देखे जो गिन्ती में नहीं आ सकते थे. उनमें उन्हों ने नाहरू के कीडे, बदहजमी के कीडे, खून को पीला बना देने वाले कीडे ऐसे अनेक तरह के रोगों के कीडे बतलाये. इसी तरह तारीख १४ फरवरी के

"जयाजीप्रताप" में एक वैद्यजी ने स्वास्थ्य रक्षा के विषय में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें आयुर्वेदि प्रमाणों से ऐसे जल का विवेचन किया है. इस बात को सुनकर कितने ही सज्जनों के हृदय में यह बात जरूर आई होगी कि फिर ऐसे पानी का इस्तेमाल क्यों किया जाय. उसके उत्तर में यही निवेदन करूंगा कि जहां इस्तेमाल के लिये काम का तालाब एक ही हो वहां भोलेभाले नागरिक मजबूरन उसका ही पानी पीने और कहीं नहाने के काम में लाते हैं. नजीरन, गांव हाथोद का तालाब– इस गांव के चौतर्फा पहाडी होने के सबब कोई कुवां गांव में नहीं है, नागरिक उसी गाव के पास के तालाब का पानी पीते हैं. और उसमें सिंघाडा बोया जाता है और नागरिक लोग कसरत से अनेक रोगों से बीमार रहते हैं. इसी तरह अमझरा मुकाम का हाल है. अमझरे का तालाब गांव से लगा हुवा पूरब में है और गांव में जितने कुवें हैं उन सभी का पानी खारा है इस वजह से नागरिक तालाब का ही पानी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह मीठा है और सारे गांव की दारू उसी तालाब के ही पानी से चुरती है. कोई कुवां मीठा है तो गांव से दूर जंगल में है. ऐसी हालत में वह तालाब का ही आश्रय लिये हुए जिन्दगी बसर कर रहे हैं. सिंघाडे बोये जाने के कारण तालाब का पानी भयंकर रोगी बन गया है और वैद्यों ने बतलाया है कि इसी वजह से अमझरा में मलेरिया मुकीम हो गया है और नागरिक फीसदी ६०-७० बीमार ही रहते हैं. इसी तरह पुरी उज्जैन जो एक तीर्थ है क्षिप्रा नदी के अलावा वहां सोलह सागर भी स्नान के तीर्थ माने जाते हैं. उनमें क्षीरसागर और महाकाल-हरसिद्धि के बीच का सरोवर जो आबादी के अन्दर हैं, सोलह सागर में वह भी तीर्थ माने जाते हैं. हरसिद्धि के सरोवर में पंचतीर्थी करने वाले यात्री या कार्तिक वगैरा स्नान वाले व पूरी तरह पुरी की यात्रा करने वाले इसमें भी नहाते हैं लेकिन सिंघाडे की काश्त की वजह से इस का भी पानी रोगिष्ट हो रहा है. नहाने वाले के बदन में तुर्त खुजली उठती है और बदन में ददौरे पड जाते हैं. इस तरह कहीं पानी पीने के लिये है कहीं स्नान के लिये है. इन जगहों के देखने से अनुमान होता है कि ऐसे तालाब रियासत में और भी कहीं तलाश करने से निकल आवेंगे, जिनकी फेहरिस्त तलब करने पर परगनों के तहसीलदार साहब भेज सकते हैं. मेरे ख्याल से तो यह साफ जाहिर है कि यह तजवीज स्टेट के सारे तालाबों में जो सिंघाडे की काश्त होती है उसकी रोक के लिये नहीं है. यह सिर्फ उन्हीं तालाबों के लिये है कि जैसे अमझरा, हाथोद व उज्जैन के हरसिद्धी के तालाबों में सिंघाडे बोये जाते हैं. अगर ऐसे मुकामों के तालाबों की तलाश कर फेहरिस्त बनाई जायगी तो बहुत काम निकलेगा, मगर उतनों की ही रोक करदी जाये, यानी ऐसे तालाबों में सिंघाडे बोने की मनाई जमींदारों और महकमे आबपाशी की तरफ से करादी जाये तो उन नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये बडा फायदा होगा और वह जो अनेक रोगों से मरीज रहते हैं उन से बचकर तन्दुरुस्त रहेंगे.

बन्सीधर साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

ईश्वरीसिंह साहब—मैं भी इस तजवीज की ताईद करता हूं.

रामराव गोपाल देशपांडे—हुजूर, इसके बारे में मैं राय नहीं दे सकता क्योंकि इस तजवीज के मुतअल्लिक राय देने में जमींदार और सरकार दोनों का नुकसान है, इसलिये गुजारिश करता हूं कि जिन गांवों में कुएं न होने की वजह से रिआया को तालाब का खराब और बीमार बनाने वाला पानी पीना पडता है मेरी राय में रिआया की परवरिश की नजर व नुक्सान से महफूज रखने के लिये लोकल बोर्ड या किसी और तरीके से कुएं तैयार करा के इस तकलीफ देह शिकायत को मौकूफ करना चाहिये जिसमें रिआया व सरकार दोनों का नुकसान न हो.

द्वारकादास साहब—मैं अर्ज कर सकता हूं और तजरुबे से पाया गया है कि ऐसे तालाब के किनारे कुएं हैं चुनांचे छावनी के करीब रिजमट के कुएं बने हुवे थे, तालाबों में सिंघाडे बोये जाने की वजह से कुवे के पानी में यह असर था कि नेहरुए निकलते थे. इस वजह से तालाबों में सिंघाडे की काश्त बन्द की गई. मुजव्विज साहब का यह मन्शा है कि जिन तालाबों का पानी खराब है उनका पानी न पीना चाहिये. जब लोगों की तन्दुरुस्ती अच्छी न होगी तो सख्त नुक्सान होगा जबकि तन्दुरुस्ती का होना जरूरी है.

जगमोहनलाल साहब—उसूलन इस तजवीज को बजाय इसके कि मुजव्विज साहब ने मजलिस में पेश किया है, मुकामी बोर्ड में पेश कर के तवज्जुह दिलाते तो बेहतर था, क्योंकि खास खास तालाबों के मुतअल्लिक यह बात मुकामी बोर्ड ही तय कर सकती है. मजलिस में पेश करने की कोई जरूरत न थी.

महादेवराव साहब—मैं मुजव्विज साहब की तजवीज से इत्तफाक करता हूं.

रेवेन्यू मेम्बर साहब—इस तजवीज के मुतअल्लिक महकमे आबपाशी व चीफ मेडीकल ऑफिसर साहब की कैफियत व राय हस्ब जैल है:—

(१) रियासत हाजा में ९ मेजर व ४१ मायनर ऐसे कुल ५० पचास तालाबों में सिंघाडे की काश्त होती है. काश्त सिंघाडे से मायनर तालाबों में पानी गंदला हो जाता है जो मरदुमान के पीने में नहीं आता. मगर इस काश्त से पानी बिगडने के बायस कोई बीमारी मरदुमान या मवेशियान में पैदा होना जहूर में नहीं आया.

मेजर तालाबों का पानी कहीं कहीं पीने में आता है मगर कोई मर्ज पैदा नहीं होता जहां सिंघाडे हों, मस्लन तालाब दिगारा वगैरा.

(२) चीफ मेडीकल ऑफिसर साहब की राय है कि पीने के पानी के अंदर, पानी से सडने वाली चीज मस्लन पत्ती, घास वगैरा का होना बहुत मुजिर है इसमें आंत व पेट की बीमारियां मस्लन दस्त, पेचिश वगैरा होने का बहुत एहतमाल है. इससे जाहिर है कि सिंघाडे की या दूसरे किस्म की जैसे कमल वगैरा की काश्त, उन तालाबों में कि जिनका पानी इन्सान के पीने के काम में आता है, नहीं होना चाहिये.

(३) सिव्हिल व्हेटरनरी ऑफिसर साहब की राय है कि मवेशी के मैदे और आंतें इन्सान के मैदे और आंतों की बराबर नाजुक और सेनसिटिव नहीं होते. इस वजह से सिंघाडे या कमल की पत्तियां जिस तालाब में हों उसका पानी जानवरों को कोई खास नुक्सान नहीं पहुंचा सकता.

सडा हुआ, बदबूदार, गंदा पानी हर जानदार को कमोबेश नुकसान पहुंचाता है उसमें इन्सान व मवेशी सब शामिल हैं.

ब लिहाज मेडिकल ओपिनियन नतीजा यह निकलता है कि जिन मवाजियात में मरदुमान की आबनोशी का बार उन तालाबों पर है जहां सिंघाडे की काश्त होती है वहां सिंघाडे की काश्त नहीं होना चाहिये. मगर जहां मरदुमान की आबनोशी के दीगर जराये मौजूद हैं वहां इस काश्त की मुमानियत करने की जरूरत मालूम नहीं होती.

चुनांचे अव्वल शक्ल के सरकारी तालाबों के मुतअल्लिक तो गवर्नमेन्ट खुद रोक कर सकती है और बखूबी करेगी व नीज जिन जमींदारी तालाबों की आमदनी सिं डि वगैरा शामिल तशखीस हुई हों उनकी भी मालगुजारी में मिनहाई देने को तैयार है लेकिन इतना करने पर भी अगर जमींदारों ने अपने तालाबों में इस किस्म की इनसान की सेहत के लिये मुजिर काश्त की तो उसकी रोक किस तरह की जावे और खिलाफवर्जी करने वाले पर पेनल्टी क्या आयद की जावे, यह सवाल बाकी रहता है; लिहाजा इस बारे में मेम्बर साहबान मजलिस तरीका बतलावें ताकि इस मुफीद तजवीज की मुराद हासिल हो और अमलगान को भी सहूलियत हो.

जमनादास साहब—मेरी राय में बावजूद हुक्म के अगर कोई खिलाफवर्जी करे तो उस पर तावान पानी साफ कराने का डाला जाये और सिंवाडे फिकवा दिये जावें और दो रुपये जुर्माना किये जावें.

अहमदनूर खां साहब—तावान आयद कर दिया जावे, सिंवाडे फिकवा दिये जावें और सफाई का सर्फा जमींदार से लिया जावे; इतना ही बोझ डालना काफी होगा.

द्वारकादास साहब—मैं अहमद नूरखां साहब की ताईद करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—इस तजवीज़ को गवर्नमेन्ट ने मंजूर कर लिया है और कसरत राय भी इसी तरफ ही है. अब सिर्फ सवाल यह है जैसा कि रेवेन्यू मेम्बर साहब ने पढ़ कर सुनाया है कि जो लोग तामील न करें उन पर क्या पेनल्टी आयद की जावे. इस पर दो साहबान ने राय ताईदी दी है. मेरे ख्याल में इसकी पेनल्टी एक बाकरीना शक्ल में लाने के लिये एक सब-कमेटी बसिदारत रेवेन्यू मेम्बर साहब कायम की जावे जिसके मेम्बरान यह होंगे —

१. ईश्वरीसिंह साहब.
२. अहमद नूरखां साहब.
३. महंत लक्ष्मणदास साहब.
४. जामिनअली साहब.

कमेटी अपनी रिपोर्ट इस पॉइन्ट की निस्बत दे कि इसकी पेनल्टी क्या हो और हमारे बाबा साहब (रामराव गोपाल देशपांडे साहब) व जगमोहनलाल साहब इसके मेम्बर और मुकर्रर किये जाते हैं.

ठहराव—मजलिस ने प्रेसीडेन्ट साहब की तजवीज से इत्तफाक जाहिर किया और प्रेसीडेन्ट साहब की तजवीज के मुताबिक सब-कमेटी कायम की गई.

तजवीज नंबर १०, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

काश्तकारान रियासत हाजा को representation का हक अता फरमाया जावे और वह भी काफी तादाद में.

लॉ मेम्बर साहब.—वाटवे साहब, जो इस तजवीज के मुजव्विज हैं, तशरीफ नहीं लाये हैं, अगर कोई साहब इस सवाल को पेश करना चाहें तो कर सकते हैं.

जमनादास साहब झालानी—इस सवाल को पेश करने की मैं इजाजत चाहता हूं.

हुजूर मुअल्ला.—ठीक है.

जमनादास साहब झालानी.—हुजूर वाला, यह काश्तकारान के representation की गुजारिश है जो मजलिस आम के मुतअल्लिक है. इसमें कोई शक नहीं कि काश्तकारान के हक जमींदारों के हुकूक से conflict करते हैं इसलिये अगर उनको यह मौका दिया जावेगा कि वह अपनी तजवीज मजलिस में पेश करें तो उनको बडी इज्जत बख्शी जायगी. इसके लिये यह एतराज किया जा सकता है कि काश्तकारान तालीम याफ्ता नहीं हैं और इस काबिल नहीं हैं कि वह रिप्रेजेन्ट कर सकें. अगर यह हक उनको अता फर्माया जावेगा तो धीरे धीरे वह तरीका सीख जावेंगे, जैसा कि हुजूर मुअल्ला ने इर्शाद फर्माया था कि वह मजलिस में शरीक होकर एक नये तरीके से काम करना सीखेंगे और यह आशा है कि वह फायदा हासिल करेंगे. बाज काश्तकारान तालीम याफ्ता भी हैं. अगर काश्तकारान को यह हक फर्माया जावे तो मुनासिब होगा.

बन्सीधर साहब.—मैं ताईद करता हूं.

रुकादास साहब.—मैं ताईद करता हूं मगर उनकी हैसियत पर गौर कर लेना चाहिये. तावक्ते कि तमाम काश्तकारान तालीम याफ्ता न हो जावें या मजलिस में बैठने के काबिल न हो जावें शरीक न किये जावें.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूरवाला, मैं भी इत्तफाक करता हूं. मगर मेरा ख्याल है कि कायम मुकामी का हक अगर ऐसे शख्स को दिया जावे जो उस हक को समझने की काबलियत न रखता हो तो बजाय फायदे के नुकसान होता है. मेरी राय में बेहतर यह है कि काश्तकारान को दरबार मुअल्ला अपनी तरफ से नामजद (nominate) करें जब तक हमारे काश्तकारान बतौर खुद रिप्रेजेन्टेशन करने के काबिल न हो जावें. लिहाजा मैं इस तजवीज की इस शर्त के साथ ताईद करता हूं कि दरबार मुअल्ला अपनी तरफ से ख्वाह एक या दो या चार हों या जो तादाद मुनासिब समझी जावे, उतने शख्स हुकूक काश्तकारान को represent करने के लिये नामजद फरमावें.

महन्त लक्ष्मणदास साहब.—मैं भी ताईद करता हूं, लेकिन काश्तकारान के वोट्स न लिये जावें क्योंकि उनके चुनने में जरा दिक्कत होगी. फिलहाल सूबा साहब जिसको चाहें चुनकर भेज दें. मैं समझता हूं कि इस तर्ज से किसान अच्छे चुने जावेंगे क्योंकि सूबे साहब उनकी चाल ढाल से वाकिफ होते हैं.

बद्री प्रसाद साहब—इस तजवीज के मुतअल्लिक हुजूरवाली, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी रियासत के काश्तकारान मजलिस आम में रिप्रेजेन्टेशन कुछ अर्से बाद करें तो मुनासिब होगा. हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तब के साहूकारान, जमींदारान व वुकलाओं में से मेम्बर लिये गये हैं. पेश्तर इसके कि वह मजलिस आम में रक्खे जावें, उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में शामिल किये जाने का मौका दिया जावे. कम अज कम चार या पांच साल के बाद यह सवाल मजलिस में पेश किया जावे.

मूंगालाल साहब—मैं भी इस सवाल की ताईद करता हूं. मेरा कुल सवाल इसके मुतअल्लिक था जिस पर मुझे बहस करने का काफी मौका न मिला ताकि मैं वह हालात व वजूहात क्या २ हैं जिनकी वजह से उनको हक अता फरमाया जावे, अर्ज करता. जब तक काश्तकारान की हालत को दुरुस्त न कर लिया जावे उस वक्त तक सरकार की जानिब से उनका नॉमिनेशन हो जैसा कि वकील साहब ने बताया है और वह बहुत दुरुस्त है.

हुजूर मुअल्ला—इस मुआमले में दो रायें पेश हुई हैं; एक राय तो यह है कि लोकल बोर्ड में काश्तकारान शरीक किये जावें और दूसरी राय यह है कि उनको इस मजलिस आम में शरीक किया

जावे. इसमें भी एक सब-हेड है. अकसर साहबान ने तो यह suggest किया है कि काश्तकारान का public selection हो लेकिन जगमोहनलाल साहब की यह तजवीज है कि उनको दरबार नामजद करें.

ठहराव—वोट लिये जाने पर कसरत राय से यह करार पाया कि सरेदस्त काश्तकारान लोकल बोर्ड में शरीक किये जावें.

[**नोट**—इसके बाद ३॥ बजे तक के लिये मजलिस adjourn की गई.]

तजवीज नम्बर ११, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

सडक आम के दोनों तरफ दरख्त आम या दूसरे किस्म के सायेदार दरख्त लगाये जाने का इन्तजाम, जमींदार देह के जर्ये हो तो मुनासिब है. मुकर्रर आंकि और हर एक मौजे की सरहद पर दो तरफा बंडी खुदाई जाकर दरख्त इमारती वगैरा लगाया जाना बहुत जरूरी व फायदेमन्द मालूम होता है और बजाय थापा, थूअर के इन बंडियों में मेंहदी वगैरा की किस्म से कोई चीज लगाई जाने में सूरत आम्दनी भी हो सकती है.

ईश्वरी सिंह साहब.—मतलब सरकार इससे यह है कि जो देहाती रास्ते हैं उनके दोनों तरफ अव्वल तो काश्तकार लोग उसको कम कर देते हैं, दूसरे बारिश में मवेशियान को जो कि खेती के लिये आती जाती हैं बहुत सख्त तकलीफ होती है. इन दरख्तों के लग जाने से फासला महदूद हो जावेगा और जब दरख्त लग जावेंगे तो उन दरख्तों से जो फायदा होगा वह सरकार को और मजलिस को छिपा हुवा नहीं है. फी जमाना जमींदारों को दूसरी मसरूफियत की वजह से फुरसत नहीं है मगर दरख्तों का लगाना रिफाह आम है. अगर लबे खेत और सडकों पर दरख्त लगा दिये जावें तो बहुत मुनासिब है. जमींदारान, काश्तकारान को तरगीब और हिदायत दें कि वह दरख्त लगाये जावें तो बहुत अच्छा हो क्योंकि एक एक मौजे की सरहद ज्यादा से ज्यादा एक मील और उसमें ज्यादातर हिस्सा बीस या पचीस काश्तकारों का होता है. एक काश्तकार के हिस्से में हिसाब से पांच दरख्त, किसी के दस दरख्त आवेंगे जिसको वह काश्तकार ब आसानी कर सकता है. मैंने अक्सर देखा है कि दरख्तों के लगाने में पानी का सवाल जरूर होता है, और वह बगैर पानी के नहीं हो सकते. इसके लिये कुए से काम निकल सकता है. जो कुए गांव के करीब में हैं उनके आस पास दरख्त लगाये जाते हैं और वह लहरा रहे हैं बल्कि काश्तकार लोग अजखुद इसकी मेंड बना देते हैं. दो दो तीन २ साल के पौधे लहराते नजर आते हैं. दरख्तों का लबे खेत और लबे रास्ता लगना ज्यादा मुशकिल नहीं मालूम होता और इससे खूबसूरती सडक मौजा, फायदा आम व फायदा खास होगा व बारिश की कमी दूर होगी. मेरा यहां तक ख्याल है कि मौसमों का ज्यादा देर तक कायम रहने का और उनका तब्दील बदल होने का दरख्त जरिया हैं. इसलिये मेरी गुजारिश है कि लबे सडक दरख्त लगाये जायें और इन दरख्तों की आमदनी काश्तकारों को दी जावे. इसमें से पांच सात बरस बाद दरख्त फलदार हो जायें तो काश्तकार जमींदारों को हर साल डाली दिया करें, यह लालच डाली का जमींदारों को रहेगा, फल का मालिक काश्तकार होगा. इन दरख्तों के लगाने से सडक का सिलसिला भी शुरू हो जायगा. लोगो को शौक पैदा हो आवेगा और इन दरख्तों की वजह से रास्ता खूबसूरत बनाने की कुछ spirit आ जायगी. सरहद पर दरख्त लगाने से मतलब यह है कि वह उफ्तादा, पडी न रहे और बारिश में ज्यादा

तकलीफ न हो. खेतों के सिलसिले एक दूसरे से मिले रहते हैं और इसी मुताबिक दरख्तों के सिलसिले भी रखे जावें. दरख्तों की हिफाजत के लिये कांटे वगैरा लगाये जाते हैं. हस्ब जरूरत थोडे पानी में बखूबी पौदों की परवरिश हो सकती है. आस पास तार लगाना शुरू कर दिया है, जैसा कि मैं ने अभी देखा है कि फार्म में तार लगे हुवे हैं ऐसे तीन २ चार २ दरख्त एक दूसरे के सिलसिले में लगाने से शहर पनाह, देहा पनाह, सरहद पनाह हो जावेगी. रामबाण या मेंहदी बगैर पानी के परवरिश हो सकती हैं. आसपास मैंने देखा है कि रामबाण और मेंहदी के दरख्त गांव में नाली खोद कर गाडे जाते हैं. गांव में आसपास मेंहदी परवरिश पा रही है इनमें पानी नहीं दिया गया है वह वैसे ही परवरिश हो जाते हैं. रामबाण में पानी की जरूरत नहीं है. इसलिये गुजारिश है कि सरहद पर दरख्त लगाने का हुक्म तहसीलों में भेजा जावे और जमींदारों व काश्तकारों से दरख्त लगवाये जावें. दरख्तों की वजह से रास्ता भी चौडा होता है, मुसाफिरों को आराम मिलता है व गांव वालों को भी आराम होता है.

जहांगीर बहमनशा साहब— ईश्वरीसिंह साहब ने जो तजवीज पेश की है उसकी मैं ताईद करता हूं, लेकिन इसमें दो तीन बातों का खुलासा करने की जरूरत है. फलदार दरख्त अच्छे मिलना बहुत मुश्किल है. इसकी निस्बत मेरा यह सजेशन है कि या तो एग्रीकलचर डिपार्टमेंट से या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से जहां डाक बंगले हैं वहां नरसरी के तौर पर मेवे के दरख्त लगा कर खरीदारों को दिये जावें. इसके अलावा जो कामीदा लकडी के दरख्त हैं यह नरसरी की तौर पर पैदा करके दिये जावें. नहर के ऊपर मैंने देखा है कि जमीन फिजूल बरबाद होती है. आबपाशी के कानून में एक यह provision है कि आबपाशी के कामों से तीस फुट के फासले के अंदर कोई चीज बो नहीं सकता, मगर इस कानून में कुछ तरमीम करके जहां नहर चलती है वहां दरख्त लगाने की इजाजत दी जावे तो वहां अच्छी तरह से दरख्त पैदा हो सकते हैं. रकम आमदनी जमींदार व डिपार्टमेंट हिस्से में बांट लेवें. थूअर और मेंहदी की निसबत जो कुछ फरमाया है इससे बहुत बडा फायदा हो सकता है. रामबाण जो नहर के करीब में लगाये जावें वह वहां से उखाड कर अगर दूसरी जगह लगाये जावें तो भी फायदा हो सकता है.

महादेव राव साहब—हुजूर वाला, मैं इस तजवीज से मुखालिफत करता हूं. इसके मुताल्लिक अर्ज यह है कि खेत के अंदर से सडक जाती है और खेत के सिरे दोनों तरफ दरख्त लगाये जावें तो न उनको काश्तकार लगा सकते हैं और न वह इस बात को जहां तक मेरा ख्याल है, मंजूर करेंगे और न यह फायदेमंद हो सकते हैं.

एहमद नूरखां साहब—दरख्तों का लगाना सडकों पर मवेशियों के लिये, जहां तक देखा गया है, रास्ते के आराम के लिये है और उनकी लकडी काम में आने के लायक है. बजाय इसके मेवेदार दरख्त लगाये जावें तो बहुत दिनों में परवरिश पावेंगे इसलिये ऐसे दरख्त न लगाना चाहिये कि जिनकी लकडी एक अर्से तक काम में न आ सके. मेवेदार दरख्त को जमीन मान नहीं कर सकती है, जैसा कि एक साहब ने मुखालिफत फरमाई है. दरख्तों से खेतों की आबादी को नुक्सान पहुंचेगा यह वाजिबी बात है, जहां खेत हैं वहां सडक के किनारे दरख्त अच्छे और फायदेमंद होते हैं और मेंहदी के बजाय रामबाण के दरख्त जल्दी परवरिश पाते हैं और फायदेमंद भी होते हैं.

मथुराप्रसाद साहब—मेरा ख्याल है कि मुजव्विज साहब ने बरवक्त तजवीज पेश करने के काश्तकारान के ताल्लुकात की तरफ गौर नहीं फरमाया. जब खेत के सिरे पर दरख्त लगाये जावेंगे तो फसल को नुक्सान वाके होगा. मेरी राय में सडकों पर दरख्त लगाना मुनासिब है. इसके मुताबिक

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कार्रवाई जारी है. अलावा इसके रामबाण का भी काम जारी है. मगर मैं इसके जरूर खिलाफ हूं. मेडों पर दरख्त लगाना मुनासिब नहीं है.

जामिनअली साहब—अन्नदाता, मगर अभी रियासत हाजा में मर्दुमशुमारी थोडी है, और मजरुआ काश्त भी बहुत कम है. तरक्की आबादी व तरक्की जमीन यह जमींदारों का लाजमी फर्ज है लेकिन अभी उनको फुरसत नहीं है. उनको तरक्की जमीन की व आबादी की ज्यादा फिक्र है. यह जरूर है कि दरख्तों से मुसाफिरों को आराम पहुंचता है, और अवध की तरफ जमींदारों ने दरख्त लगा दिये और वह उसका फल खाते हैं इसलिये वहां तो जरूरत है मगर यहां आबादी की फिक्र पडी हुई है कोरा पिछोर में एक जमींदार तीन सौ रुपया मालगुजारी देता है और उसके गांव की हद सात मील है तो वह कहां तक दरख्त लगाये, या बच्चों की परवरिश करे. दरख्त का लगाना यह सवाल जरूर है मगर इस वक्त उनको अपने मजरुआ खेत जोकि बंजर पडे हुए हैं उनकी आबादी करना लाजमी है, बाद में दरख्तों का लगाना है. कौन शख्स ऐसा होगा कि जो अपनी तरक्की न चाहेगा, लेकिन जमींदारों को फुरसत नहीं है.

रामचन्द्र साहब—हुजूर अनवर अन्नदाता, मैं मुजव्विज साहब की तजवीज के खिलाफ गुजारिश करता हूं कि जमींदार साहबान को पहिले जो चन्द हिदायतें मुतअल्लिक आबादी मिनजानिब दरबार हो चुकी हैं, उनकी तामील जब तक वह पूरे तौर से न कर लेवें तब तक दरख्तों का काम उनसे कराना नामुनासिब है. पहिले जमीन बंजर नौतोड व काश्त कपास वगैरा २ करने से फारिग न हो जावे तब तक दरख्त लगाने का सिलसिला जारी करने की कोई जरूरत नहीं पाई जाती और काश्तकारान को रामबाण व मेंहदी लगाना फरमाते हैं, लेकिन उनको काश्त के कामों से फुरसत किस मौसम में मिलेगी, ऐसा जाहिर नहीं किया. मैं अपनी नाकिस अक्ल से गुजारिश करता हूं कि जब तक नौतोड जमीन आबाद और काश्त कपास का काम जैसा कि होना चाहिये, न हो जावे तब तक जमींदारान व काश्तकारान को फुरसत मिल नहीं सकती.

महंत लक्ष्मण दास साहब.—आम सडक के दोनों तरफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट की तरफ से झाड लगाये जाते हैं, और जहां जैसी जमीन है वहां वैसे ही कामीदा दरख्त लगाये जाते हैं. दरख्तों के परवरिश करने का इन्तजाम भी उनका माकूल रहता है फिर कोई सबब मालूम नहीं होता कि जमींदार जो दरख्तों के लगाने के तरीके से ज्यादातर नावाकिफ हैं यह आला काम उनके सपुर्द किया जावे. तजवीज के इस पहिले हिस्से से मैं मुखालिफत करता हूं और आम सडकों के दोनों तरफ दरख्तों के लगाने का तरीका और जिम्मा उन्हीं की तरफ रखा जावे कि जो मौजूदा कर रहे हैं.

तजवीज के दूसरे हिस्से के मुताल्लिक यह कि सरहद्दी में खाई खोदकर जमींदार मेंहदी वगैरा लगाकर आमदनी की सूरत पैदा करें, इसके लिये दरबार से हुक्म हो चुके हैं कि गांव की सरहद्द में रामबाण वगैरा लगाया जावे. सरहद्द की शनाख्त के लिये जंगली बेर वगैरा लगाये जावें. यह जमींदार हितकारी में भी बतलाया गया है, इसलिये तजवीज का यह दूसरा हिस्सा भी बेजरूरत है.

जमींदारों पर कितना लदान लद गया है उस बोझे को वह उठाने लगे हैं यानी वह दरबार अहकाम की पाबंदी करने लगे हैं पर वह भार कितना है और साथ ही सभी काम करना है जैसे जमींदारी दफ्तर जिसमें लगभग २५।३० रजिस्टर होंगे, नमूने की गाडी आठ फुट चौडे सदर रास्तों की दुरुस्ती, रास्ते बताने वाले पत्थरों का गडाना, मीनारेजात कायम करना, रामबान बेर वगैरा सरहद्दी में लगाना, मवेशियों का रजिस्टर चरवाहे २५ मवेशी पीछे १, आबपाशी के जराये बढाना, आबादी करना, दो साल के लिये चारा गल्ला रखना, बीज भन्डार, विलेज कमेटी, जरायम

की रोक सुराग रसी में मदद, दौराओं में रसद, दौराओं की गाडी निकालना, झगडों के फसले, जमानत से किसानों को रुपये बैंक से दिलाना, पटवारी गिरदावर के साथ गश्त, स्कूल कायम कराना-इतने काम जरूरी में उसे दरबार हुक्म से करने हैं. इसके अलावे और भी अहकाम उसके सिर पर हैं. आफिसरों के दौरों के साफ काम इस जनवरी से उसे मुआयना मेमोरेंडम नं. २९ के मुताबिक कराना होगा. इतने कामों से फुरसत मिलने के बाद वह अपने घरेलू काम कर सकता है मसलन शादी वगैरा, स्वजातीय झगडे; इसके बाद वह अपनी खेती और मवेशी वगैरा की सम्हाल कर सकता है जिससे जिन्दगी का दारोमदार है. इतना बोझा लदने पर और अब ऐसी तजवीजें जमींदारों को हताश करने के लिये मजलिस में उठाई जाती हैं कि जैसे प्रिय महाशय ठाकुर साहब ठाबचाथीर ने पेश की है कि जमींदार, मौजे की सरहद्दी में दरख्त लगावें, व नई सडकें तैयार करके दरख्त लगावें. कह देना तो सहज है किन्तु जिसे करना पडता है उसकी मुश्किलातें उसी को मालूम होती हैं एक गुरुजी हिमालय बद्रीनारायण की यात्रा के लिये रवाना हुवे और साथ में एक विद्यार्थी को लिया. हिमालय की घटियां चढते चले रास्ते में कोई थके हुए सज्जन मिल गये, गुरुजी ने कहा, आपसे चला नहीं जाता है आप अपना भी झोली झंडा इस विद्यार्थी को देदो" हालां कि विद्यार्थी पहले से अपना और अपने गुरूजी का असबाब भक्तिसे लेकर खुशी से चल रहाथा लेकिन अब वह ज्यादा भार से दिलगीर हुवा, कुछ दूर जाते और कोई थके हुवे मिले. गुरुजी नें उस का भी असबाब विद्यार्थी को दिला दिया. ऐसे रास्ते में कई पथिक मिले और उन सब के झोली झंडे विद्यार्थी को उठाने पडे जो काबू से बाहर भार हो गया. कुछ दूर जाने पर वह भक्त विद्यार्थी हवा के झोके से रास्ते की कराड पर बेचारा नाले में ज्यादे बार की वजह से गिर पडा. बस सभी यात्रियों के फलबल ढीले पड गये और यात्रा रुक गई. इसलिये जमींदार सेवकों पर उतना भार दिया जाय कि जितने को वे करके बतौर नमूने के जल्दी जल्दी बतलावें और दरबार का मकसद भी पूरा हो.

बन्सीधर साहब.—अन्नदाता, जो मुजव्विज साहब की तजवीज है वह यह है कि दरख्त रास्ते पर लगाये जावें. मेरे ख्याल से मुजव्विज साहब ने गौर नहीं किया कि गांव के रास्ते इतने तंग होते हैं कि उनमें से मुश्किल से गाडी निकलती है. कायदा यह है कि, दरख्तों के साये के नीचे रब्बी की फसल बिलकुल जाती रहेगी और खरीफ में बाजरा हो सकता है और बाजरा भी बहुत कम मवाजियात में होता है. अलावा इसके यह जाहिर किया गया है कि दरख्त या तो जमींदार लगावें या काश्तकार लगावें, इसमें सबसे बडी दिक्कत पानी के इन्तजाम की होगी. फलदार दरख्त जिस कदर पुख्ता सडक के किनारे होते हैं वहां कुछ कांटे लगा लिये जाते हैं और भिश्ती नौकर रख दिये जाते हैं तो भला क्या मामूली हैसियत का जमींदार पानी डलवाने का इन्तजाम कर सकता है? आज कल यह हालत हो रही है कि जो दो आने और तीन आने में मजदूर पहले मिलता था अब वह बारह आने और पन्द्रह आने में भी नहीं मिलता है, इसलिये फिलहाल यह नामुमकिन है कि ऐसे तंग रास्ते पर दरख्त लगाये जावें. अब दूसरी बात यह है कि मेंहदी या रामबाण सरहद पर चारों तरफ लगाये जावें और दो मील चार मील बंडी खुदवाई जावे. आखिर में जाकर यह देखना चाहिये कि सर्फा कितना होगा और जमींदारों की हालत कैसी है, मजरुआ जमीन काबिल काश्त होते हुवे उसके काश्त की एक दो दफा नौबत ही नहीं पहुंचती है. ऐसी सूरत में मेरी नाकिस राय में अभी इसकी जरूरत नहीं.

लॉ मेम्बर साहब—मुमकिन है कि मुजव्विज साहब की इस तजवीज से बाज साहबान को कुछ गलत फहमी हुई हो. फिल हकीकत इस सवाल के तीन हिस्से हैं—पहला हिस्सा तो है आम सडक का, दूसरा हिस्सा पी. डब्ल्यू. डी. की सडक का, तीसरा हिस्सा गांव की सडक का. महकमे पी. डब्ल्यू. डी. से सडक के दो तरफा दरख्त लगाये जाते हैं, उनके मुतअल्लिक दरबार से

यह हुक्म है कि वह दरख्त मुकर्ररा फासले पर लगाये जावें. सन १९१३ ई० से आम सडकों के मुतअल्लिक पी. डब्ल्यू. डी. इस काम को करती है. दरबार ने होम डिपार्टमेन्ट की पॉलिसी में ऐसा ख्याल जाहिर फरमाया है कि "जिन जिन गांवों में से सडकें पास होती हैं, चाहें वह गांव खालसा के हों या जागीर के, उन गावों के जमींदारान से उनकी हद में सडक पर पेड लगवाये जायें और वह पेड उन्हीं की मिल्कियत समझे जायें तो बेहतर होगा." अब सवाल गौर तलब यह है कि दरबार की इस पॉलिसी को Carry out करने के लिये क्या अमल किया जाय ? क्या आज ही से कुछ काम पी. डब्ल्यू. डी. से लेकर जमींदारान के सुपुर्द कर दिया जावे या जमींदारान और पी. डब्ल्यू डी मिलकर किस तरह इस काम को करें कि जिससे सडक के दो तरफा दरख्त लगाने में दिक्कत न हो. पहला सवाल आम सडकों का है यानी पी. डब्ल्यू. डी. की सडकों का, बाकी सवाल कच्चे रास्तों की निस्बत है. बहर हाल ठाकुर साहब की तजवीज यह नहीं है कि दरख्तों का लगाना लाजिमी करार दिया जावे और न वह यह चाहते हैं कि किसी पर जब्र किया जावे. जमींदार साहबान अगर इस सर्फे को बरदाश्त कर सकते हों तो करें, यह गरज मुजव्विज साहब की है. अब रहा सवाल पी. डब्ल्यू. डी. की सडकों के मुतअल्लिक. मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब, पी. डब्ल्यू डी और जमींदारान मशवरा करके तय करलें कि किन शरायत के साथ दरख्तों के लगाने के मुतअल्लिक कार्रवाई Co-operation के साथ की जा सकती है.

हुजूर मुअल्ला—इस तजवीज की निस्बत जिन साहबान को मुजव्विज साहब से इत्तिफाक न हो वह अपने हाथ उठावें.

ठहराव—वोट लिये जाने पर कसरत राय से करार पाया कि यह तजवीज ड्राप (Drop) की जावे.

तजवीज नंबर १२, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

स्कूलों की शिक्षा और उपदेशकों के उपदेश के अलावा, देहातों में एक यह भी ऐलान दिया जावे तो मुनासिब होगा कि हर कौम के लोग हर मौसम में महीने में एक या दो वक्त या जैसी जरूरत समझें, अपने सरहद्दी रकबे में शिकार को इकट्ठे होकर जाया करें. यह तरीका हर कौम के लोगों को मजबूत, दिलेर व चुस्त बनाने का बहुत अच्छा और आसान हो सकता है और इसमें मफाद जिस्मानी व दिलेरी के अलावा, काश्तकारों का भी बहुत फायदा है. रफ्ता २ जंगल के तमाम जानवर भाग जा सकते हैं और हर एक की कमाई हर एक की नजर में हमेशा रहा करेगी. जो रखवाले ज्यादा उजरत देकर काश्त पर रक्खे जाते हैं उनमें बहुत कुछ कमी की सूरत हो सकती है. जंगल के आवारा व खानेबदोश लोग गिरफ्तारी में आ सकते हैं बल्कि उनका ठहरना और सरहद में आना भी मसदूद हो सकता है. इस काम के करने में आम रिआया, छोटे और बडे दिलचस्पी ले सकते हैं, ताहम इसकी निगरानी और देखभाल, शिकार में शरीक न होने वाले को किसी रजिस्टर में नोट करने का काम, पटवारी या पटेल या मुन्ताजिम मौजा ब

आसानी कर सकते हैं और इस सूरत में मौजे के नेक चलन व बद चलन लोगों की तशखीस भी हो सकती है.

इस तजवीज के सिलसिले में महन्त लक्ष्मणदास जी साहब की जानिब से हस्ब जैल तरमीम आई थी.—

इस तजवीज की underlined इबारत के बजाय हस्ब जैल इबारत कायम की जावे :—

"स्कूलों की शिक्षा और नायब तहसीलदार प्रोपेगेन्डा के उपदेशों के अलावा देहातों में एक यह भी ऐलान दिया जावे तो मुनासिब होगा कि जैनी और मर्यादी वैष्णवों के अलावा हर कौम"

ईश्वरीसिंह साहब.—यह भी सवाल करीब २ इसी मुवाफिक है, इसमें यह गुजारिश है कि अगर हुजूर मुनासिब समझें तो यह सवाल भी ड्राप (Drop) कर दिया जावे क्योंकि इसके मुतअल्लिक सरकार से कानून माल में बेड मवेशी की फौरन इत्तला देना, गांव की जमाअत को साथ ले जाकर मुजरिमों का मुहासिरा करना, पुलिस को साथ ले जाकर कोशिश करना, हिफाजत देहा कायम करना और हस्ब अहकाम उससे काम लेना ऐसा तरीका छप चुका है.

हुजूर मुअल्ला.—यह तो आपकी मरजी पर है, अगर आप चाहें तो withdraw करें.

ईश्वरीसिंह साहब.—मेरा ख्याल तो यह है कि लोग इस तजवीज से भी घबरायेंगे.

हुजूर मुअल्ला.—कौन साहब ताईद करते हैं ?

जहांगीर बहमनशा.—मैं ताईद करता हूं मगर इस सवाल के अखीर पोरशन (portion) से मुझे इत्तफाक नहीं है.

बन्सीधर साहब.—मैं मुजव्विज साहब की इस तजवीज से इख्तलाफ करता हूं. अव्वल तो शिकार का खेलना किसी मजहब की रू से जायज ही नहीं; वैश्य, ब्राह्मण, वैसे ही डर जावेंगे क्योंकि उनके बाप दादों ने कभी बन्दूक नहीं चलाई; अगर चलते हुए भी देखें तो पीछे हटते हैं. अगर दिलेरी की कुछ कार्रवाई मुजव्विज साहब ने सोची है तो उसकी निस्बत शुरू से ही तालीम का सिलसिला जारी होना चाहिये ताकि वह लोग तय्यार रहें. बच्चों को सिखाना चाहिये, बूढा बैल क्या सीखेगा. दूसरी बात यह है कि इस तजवीज में यह बतलाया गया है कि बदमाश चोर की तशखीस भी हो सकती है. हस्ब मन्शाय मेमोरेन्डन नंबर २५, चौकीदार मौजा व जमींदार का फर्ज रखा गया है कि वह मौजे में फिरें जिससे उन्हें बदमाशों की वाकफियत हो जावे. इस बात में कि वह मजदूर रखकर अपने फसल की निगरानी कराते हैं वह खुद कर लेंगे. इन बातों को ख्याल करते हुये जो कुछ मेरे भाई साहब ने तजवीज फर्माई है उससे मुझे इख्तलाफ है.

अहमदनूरखां साहब.—मैं बन्सीधर साहब की राय से इत्तफाक करता हूं. इसमें शक नहीं कि शिकार खेलने में दिलचस्पी है, मगर लोगों को कारोबार छोड कर खेल में मसरूफ करना है और उनका वक्त खराब करना है.

लॉ मेम्बर साहब.—मेरा ख्याल यह है कि यह तजवीज निहायत दूरअन्देशी के साथ की गई है. और मुजव्विज साहब ने बाद गौर कामिल इस तजवीज को इस काबिल समझा कि मजलिस आम में पेश की जाय. आप इस तजवीज के सब पहलूओं पर अच्छी तरह से गौर करें. सब से पहले यह है कि मुजव्विज साहब ने चन्द फायदे हासिल करने की गरज से यह तजवीज पेश

की है. पहले तो यह देखिये कि जो फायदे जाहिर किये गये हैं वह वाकई ऐसे फायदे हैं जिनके हासिल करने की हमको कोशिश करनी चाहिये. पहला फायदा यह बताया गया है कि आम मवाजिआत में रिआया को दिलेर और चुस्त बनाया जावे. क्या कोई साहब ऐसे भी हैं कि जो इससे इन्कार करेंगे? क्या रिआया को चुस्त न बनाया जावे, बुजदिल रक्खा जावे? आप साहबान बिल इत्तफाक यही कहेंगे कि अगर कोई तजवीज ऐसी हो सके कि जिससे ९० फी सदी आबादी दिलेर और चुस्त बनाई जा सके तो तजवीज इस काबिल है कि इख्तियार की जावे. दूसरा फायदा यह जाहिर किया गया है कि जानवरान जंगली से फसल और काश्तकारी को बचाया जाय. आपको मालूम न होता होगा कि जो मवाजियात जंगली हिस्सों के करीब हैं वहां जंगली जानवरान खेती को किस तरह बरबाद कर देते हैं, इसके मुताल्लिक गुजिश्ता जनवरी में बम्बई अहाते के Agricultural Department की Report के मुताल्लिक Times अखबार में एक मजमून निकला है; इस मजमून को पढ़कर आपकी आंखें खुल जायेंगी. उस डिपार्टमेन्ट ने सालहा साल कोशिश करके और facts & figures हासिल करके यह साबित किया है कि सत्तर लाख रुपये का हरसाल जंगली जानवरान काश्तकारी को नुक्सान पहुंचाते हैं. यह तो खेत के direct नुक्सान के मुतअल्लिक है. खेत की हिफाजत के लिये काश्तकार रात भर जागते हैं, एक दो रोज नहीं बल्कि फसल भर तक, जिससे उनकी सेहत पर और हाजमे पर क्या असर पडता है, यह सब बातें आपके काबिल गौर हैं. तीसरा फायदा यह जाहिर किया गया है कि खानाबदोश लोग जो जरायम करते हैं उनकी भी रोक मकसूद है. इससे भी आपको इन्कार नहीं हो सकता कि ऐसे खानाबदोशों की हरकतों से रिआया को बचाया जाय. अब सवाल यह है कि आया यह तीनों फायदे इस तजवीज से हासिल हो सकते हैं या नहीं? जब तक अमली तौर से साबित न किया जावे आपको इत्मीनान न होगा. मेरे ख्याल से गालिबन मुजव्विज साहब को भी इससे इत्तफाक होगा. मुजव्विज साहब खुदा के फजल से साहिबे जायदाद हैं. पेश्तर इसके कि इस तजवीज पर यहां बहस की जावे चन्द साल तक मुजव्विज साहब अपने यहां देहात में अमल करें और जैसा कि उन्हों ने अपनी तजवीज में जाहिर किया है, पटवारी के जरिये से कागजात और रजिस्टर वगैरा जारी करें और मुकम्मिल रक्खें. इस तौर पर अमल करने के लिये काफी वक्त भी होना चाहिये. इस तरीके से अगर तजरुबा किया जाय और इस तजवीज को चार पांच साल के बाद मजलिस में मय facts और figures के पेश किया जाय तो कवी उम्मीद है कि किसी साहब को इससे इख्तलाफ न होगा.

बन्सीधर साहब—पहिले ठाकुर साहब अपनी जागीर में तजवीज करके बतावें तो मुनासिब होगा.

लॉ मेम्बर साहब—मैं इतना और कहना चाहता हूं कि मुजव्विज साहब का यह मन्शा हरगिज नहीं है कि कोई कानून बना दिया जावे बल्कि जो साहब मुनासिब समझें इस पर अमल करें और जो लोग खुशी से शरीक हों और जो दिलेर बनना चाहें व जंगली जानवरों से फसल को बचाना चाहें, वह शरीक हो सकते हैं.

हुजूर मुअल्ला—मजलिस का sense यह मालूम होता है कि ठाकुर साहब अव्वल अपने इलाके में इसकी आजमायश करें और काफी वक्त तक तजुर्बा करने के बाद फिर मजलिस के रूबरू इस सवाल को लायें ताकि आयन्दा क्या किया जावे, इस बाबत गौर किया जाय. लिहाजा अगर मजलिस की यह मन्शा हो तो राय जाहिर की जाय.

ठहराव—मजलिस ने बिल इत्तफाक अपनी राय जाहिर की कि ईश्वरीसिंह साहब इस तजवीज के मुताबिक पहिले अपने इलाके मे तजरुबा करें व फिर यह तजवीज पेश करें.

तजवीज नम्बर १३, फर्द नम्बर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

हर किस्म के बीज रखने को और वक्त से पहिले हर एक मौजे में फरोख्त व तक्सीम करने को एक अच्छा ठेकेदार होना चाहिये और बीज खरीदने और काम में लाने की निगरानी पटवारी देह, पटेल व जागीरदार की हो. इस्तेमाल का उपदेश, उपदेशक द्वारा होकर तजरुबा व शौक कराया जावे.

ईश्वरी सिंह साहब.—मेरी गुजारिश है कि इसके मुतअल्लिक गुजिश्ता फरवरी में बीज भन्डार के मुतअल्लिक ऐलान सरकारी हो चुका है और वह जयाजी प्रताप में आया हो चुका है इसलिये मेरी अर्ज है कि इस सवाल को ड्रॉप किया जावे.

ठहराव—हस्ब ख्वाहिश मुजव्विज, सवाल ड्रॉप (drop) किया जावे.

तजवीज नंबर १४, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

साहूकारान मौतबिर जो इलाके गवर्नमेन्ट में हर तरह का फायदा ब्योपार से उठा रहे हैं वह बतौर ठेकेदार पुख्ता वायदे व मियाद के साथ, बीज भंडार हर गांव पर रक्खें और अच्छा बीज, खाद, जेर निगरानी ऑफिसरान सरकार, उनके पास होना चाहिये और साहूकार की सफाई वसूली का एक मुख्तसिर व आसान कानून होना चाहिये जिससे सरकारी इम्दाद की सूरत भी हो या गवर्नमेन्ट के एलाइन्स बैंक की शाख व बीज भंडार जाबज होना चाहिये.

ईश्वरी सिंह साहब.—यह सवाल तजवीज नम्बर १३ से बिल्कुल मिलता जुलता है और वह तजवीज drop हो चुकी है, लिहाजा यह सवाल भी drop फरमाया जावे.

ठहराव.—तजवीज ड्रॉप (drop) की जावे.

तजवीज नंबर १५, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बजुज मुकामी अस्पतालों के हर एक जिले व तहसील में एक गश्ती डाक्टर भी होना चाहिये जिसके इन्सपेक्शन से बच्चों की परवरिश व तन्दुरुस्ती का तरीका व सफाई की ताकीद रिआया पर ब आसानी हो सकती है और अगर मुनासिब हो तो मालगुजारी पर इसकी निस्बत कुछ फन्ड भी कायम होने में कोई हर्ज मालूम नहीं होता है.

तजवीज नंबर १६, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मवाजियात दरबार में जहां कि अस्पताल का कोई इन्तजाम नहीं है उन मुकामों के लिये एक सरकिल डाक्टर मुकर्रर होना चाहिये जो हर वक्त मय दवाई एक बारबरदारी के साथ मवाजियात में दौरा करता रहे और ब सूरत जरूरत मालगुजारी पर फी सदी टैक्स हॉस्पिटल भी लगाया जावे तो कोई हर्ज मालूम नहीं होता.

ईश्वरी सिंह साहब—(ने सवाल नम्बर १५ और १६ को पेश करके कहा) कि यह दोनों सवाल यकसां हैं.

हुजूर मुअल्ला.—सवाल १५ व १६ को शामिल कर दीजिये.

जहांगीर बहमनशा साहब.—मैं ताईद करता हूं. सवाल बिलकुल साफ है इस में कुछ कहने की जरूरत नहीं.

महन्त लक्षमण दास साहब.—प्रजा के लिये बडे हर्ष और भाग्य का अवसर है कि बच्चों के सुधार के लिये श्री जीजा महाराज बाल रक्षणीं सभा के नाम से एक संस्था कायम हो चुकी है जिस की बुनियाद गहरी और विवेचना युक्त है और जिसमें पास शुदा दयावती दाइयां संगठित की जावेंगी जो बच्चों की तन्दुरुस्ती व परवरिश का तरीका व सफाई का इन्तजाम बतलायेंगी व करायेंगी जो मुल्क के लिये एक बडी नियामत होगी. वह जिले २ व परगने २ में काम करेंगी. फिर मेरी राय में इस काम के लिये गश्ती डाक्टर और कायम कराकर खर्च बढाने का कोई अर्थ नहीं है इसलिये प्रियवर ठाकुर साहब इस तजवीज को वापिस लेलें तो हर्ज नहीं है.

हमारे आलिया दरबार से इसके मुतअल्लिक एक ऐलान हो चुका है जिसे मेडीकल डिपार्टमेन्ट ने तारीख १० जनवरी सन १९२४ के जयाजी प्रताप में शाया कर दिया है कि हर पंचायत बोर्ड के मुकाम पर एक एक यूनानी व आयुर्वेदिक दवाखाना पास शुदा वैद्यों के जर्ये से कायम किये जावेंगे और जो इम्तिहानन जिले शाजापुर वगैरा २ जिलों में अभी कायम होंगे. पहले भी कुछ वैद्य हकीम कायम किये गये हैं और यह दवाखाने ठीक चल रहे हैं. मैं ने अपने तजुर्बे से जहां तक जाना है कस्बाती और देहाती रिआया देसी दवाखाना चाहती है और ऐसे दवाखानों से उन को सहूलियत और फायदा भी होता है इसलिये जब प्रजा की भलाई के लिये दरबार से ऐसे इन्तजाम हो रहे हैं तो फिर इस तरह सरकल डाक्टरों के बढाये जाने की जरूरत मालूम नहीं होती, इसलिये मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं.

बन्सीधर साहब—महन्त लक्ष्मणदासजी ने जो कहा है मैं उसकी ताईद करता हूं.

अहमदनूर खां साहब—मै भी ताईद करता हूं.

होम मेंबर साहबः—मुजव्विज साहब की तजावीज का नतीजा यह है कि:—

१. देहात में महज सफाई व ताकीद व बच्चों की परवरिश व तन्दुरुस्ती के मुतालिक फेहमायश करने के लिये एक डाक्टर मुकर्रर किया जाय. दीगर अलफाज में वह डाक्टर इलाज मालजे का कोई काम न करते हुवे सेनीटेशन और हाईजिन का उपदेश करे.

२. दूसरे यह कि इलाज मालजे के लिये जो सरकिल डॉक्टर्स मुकर्रर किये जायें वह अपने हल्कों में गश्त करें और मरीजों का इलाज करें.

मैं पहले दूसरी तजवीज यानी तजवीज नंबर १६ के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं.

गश्ती अस्पताल तीन साल पहिले से खास खास हिस्सों में कायम हो चुके हैं और वहा की रिआया ने अस्पतालों के इलाज के फायदों को महसूस करके यह ख्वाहिश की है कि बजाय गश्ती अस्पतालों के मुस्तकिल अस्पताल उन हिस्सों में कायम किये जावें. दरबार ने भी अपनी पॉलिसी मुताल्लिक होम डिपार्टमेन्ट में सफा १० पैरा नंबर १२ में यह करार दिया है कि "मूविंग डिस्पेन्सरीज का खोलना भी बुरा नहीं है ताकि वह गांव गांव फिर कर लोगों को सेहत बख्शें लेकिन इनके लिये भी हद मुकर्रर होना चाहिये कि जिससे वह ब आसानी काम कर सकें जैसे कि पटवारी या पोस्ट वालों के लिये कायम किये गये हैं. मैं ज्यादातर मुस्तकिल डिस्पेन्सरीज को पसन्द करता हूं ब मुकाबले मूविंग डिस्पेन्सरीज के. अभी हमारे यहां काफी तादाद में दवाखाने नहीं खुले जिससे हम यह कह सकें कि एक अस्पताल काफी तौर से उतनी एरिया को कमान्ड कर सकता है कि जितने के लिये वह कायम किया गया है"

यह तो जाहिर है कि गश्ती अस्पतालों से वह फायदे हासिल नहीं हो सकते जो मुस्तकिल अस्पतालों के कायम करने से होंगे लेकिन मेडीकल रिलीफ जिले और परगने के हेड क्वार्टर्स के बाहर दूर दूर फासले के मवाजियात में रफ्ता ही रफ्ता मुस्तकिल हास्पिटल कायम करके पहुंचाई जा सकती है.

इसी सिलसिले में इस मौके पर इस अम्र का जाहिर करना भी जरूरी है कि दरबार मुअल्ला ने यह पॉलिसी भी तय फरमा दी है कि हर एक पंचायत बोर्ड के मुकामात पर एक यूनानी व आयुर्वेदिक शफाखाना कायम किया जाय और यह सिलसिला रियासत के दो जिलों में जल्द ही कायम होने वाला है उससे मेडीकल रिलीफ सब मवाजियात को ब आसानी मिलेगी.

मगर चूंकि कुछ मेडिकल रिलीफ का बहम पहुंचाना जरूरी है, इसलिये दरबार ने मूविंग डिस्पेन्सरीज कायम करने के मुतअल्लिक उसूल तय फरमाया हैं. जैसे जैसे मौके आते जावेंगे वैसे वैसे मवाजियात के हल्कों में मुस्तकिल हास्पिटल कायम किये जावेंगे. ऐसी हालत में मुजव्विज साहब को इत्मीनान हो गया होगा कि उनकी तजवीज के मुतअल्लिक दरबार मुअल्ला ने अपनी पॉलिसी में पेश्तर ही से उसूल फरमा दिया है और अब इस तजवीज पर मजीद बहस करने की गुंजायश बाकी नहीं है.

मुजव्विज साहब की दूसरी तजवीज (सवाल नंबर १५) सेनीटेशन के उपदेश के मुताल्लिक है. बजाय इसके कि दो सेट्स डाक्टरों के गश्त किया करें, एक महज इलाज के लिये और दूसरा सिर्फ लेक्चर्स के लिये, यह बेहतर मालूम होता है कि वही डॉक्टर साहब जिनके सुपुर्द मूविंग डिस्पेन्सरीज हों, मुख्तलिफ मुकामात पर सेनीटेशन के मुतअल्लिक लेक्चर्स भी दें. इसलिये मुजव्विज साहब की तजवीज इस हद तक काबिल लिहाज है कि जो डाक्टर साहब इलाज मालजे के लिये गश्त करेंगे वही मौके मौके से सफाई के फायदों को या बच्चों की सेहत के मुतअल्लिक लेक्चर्स दे दिया करेंगे. गालिबन मुजव्विज साहब को भी इससे इख्तलाफ न होगा.

ईश्वरीसिंह साहब—मैं अपनी दोनों तजावीज वापिस लेता हूं.

ठहराव—दोनों तजावीज वापिस लेने की इजाजत दी जाती है.

तजवीज नंबर १७, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जैसा कि इन्तजाम इन्सान के इलाज के लिये सरकिल डाक्टर अगर मुकर्रर हो तो वैसा ही मवेशियों का एक अस्पताल हर तहसील में मुकर्रर होकर उसकी शाखें भी सरकिल डाक्टर के जर्ये होकर मवाजियात में मय दवाई डाक्टर गश्त करे तो मुनासिब होगा.

(ईश्वरीसिंह साहब ने यह तजवीज पेश की.)

हुजूर मुअल्ला—ताईद कौन करता है ?

जहांगीर बेहमनशा साहब—मैं ताईद जरूर करता हूं, मगर इस शर्त पर कि मुजव्विज साहब अपनी तजवीज वापिस न लें.

एग्रीकलचर मेम्बर साहब—सवाल की मन्शा यह है कि हर एक परगने में मवेशियान के इलाज के लिये अस्पताल मुकर्रर होकर, एक एक सरकिल डाक्टर भी देहात में घूम कर इलाज मवेशियान का काम करे.

काश्तकारान की बहबूदी का इनहिसार व दारोमदार एक बहुत बडी हद तक मवेशियान पर है, यानी अगराज काश्तकारी के लिये काफी तादाद में मवेशियान का होना और उनकी सेहत और इलाज मुआलजे का इन्तजाम करना ऐसी मुसल्लिमा बातें हैं जिनके मुतअल्लिक तफसील से बहस करने की जरूरत नहीं.

जब तक कि मवेशी काफी तादाद में न होंगी, तब तक मवेशियान की जिस्मानी हालत अच्छी न होगी और जब तक मामूली अमराज और खुसूसन वबाई अमराज से उनके बचाने का माकूल इन्तजाम नहीं किया जायेगा, काश्तकारी में खातिर ख्वाह तरक्की मुमकिन नहीं.

चुनांचे आज से नहीं, बल्कि दस पंद्रह साल पहले से इन्हीं ख्यालात मुन्दर्जे बाला को मद्दे नजर रख कर दरबार मुअल्ला ने एक डिपार्टमेन्ट जिसका नाम व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट है, कायम किया है. इस दस पन्द्रह साल के अर्से में इस डिपार्टमेन्ट का क्या कॉन्स्टीटयूशन रहा, इसकी बाबत बयान करने की चन्दां जरूरत नहीं.

हाल ही में दरबार मुअल्ला ने महकमे वेटरनरी को महकमे एग्रीकलचर का पोर्ट-फोलियो तजवीज फरमाया है और अब उसका फैलाव इस तरह पर है कि:—

हर जिले में दो दो परगनों के लिये एक एक वेटरनरी डाक्टर वास्ते इलाज मवेशियान तैनात किया गया है जिसके पास दवाइयों का काफी स्टॉक रहता है और उसकी यह ड्यूटी है कि जिस वक्त किसी जगह से मवेशियान में बीमारी फैलने की इत्तला उसके पास पहुंचे तो वह मौके पर पहुंच कर इलाज मवेशियान करे.

इन वेटरनरी डॉक्टरान के काम की निग्रानी व उनके काम में मदद करने की गरज से गवालियार व मालवा प्रान्तों के लिए एक एक वेटरनरी इन्सपेक्टर कायम किया गया है. इन लोगों के पास भी काफी स्टॉक दवाइयों का रहता है जिसको वे जरूरत की जगह काम में लाते हैं.

इसके सिवाय शहर लश्कर, उज्जैन व गुना इन तीनों मुकामात पर इलाज मवेशियान के दवाखाने कायम किये गये हैं जहां पर गिर्दनवाह के इलाके की मवेशियान का इलाज बखूबी होता है.

गुजिश्ता दो सालों में पेश शुदा तजवीजों का स्टेटमेन्ट, जो आप साहबान के सामने मजलिस में पेश हुआ था उसमें आप साहबान ने सुना होगा कि गुजिश्ता साल इस मजलिस में एक तजवीज पेश हुई थी कि चन्द मखसूस बीमारियों के इलाज के लिए पंचायत बोर्डस में दवायें रखी जावें. इस सवाल पर यह ठहराव हुआ था कि वेटरनरी डिपार्टमेन्ट से इस बाबत स्कीम दरबार मुअल्ला की खिदमत में पेश की जावे.

चुनांचे दरबार मुअल्ला के इर्शाद की तामील में स्कीम पेश की गई और वह जेर गौर दरबार मुअल्ला है.

ऐसी हालत में मुजव्विज साहब को इस अम्र का इत्मीनान दिलाना गैर जरूरी न होगा कि दरबार और दरबार का एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट इस सवाल की एहमियत से बे खबर नहीं है और रफ्ता रफ्ता मवेशियान के इलाज मुआलजे के इन्तजामात में ऐसी तदबीरें इख्तियार की जा रही हैं कि जिनसे देहात में मेडीकल aid वक्त पर बहम पहुंचाई जा सके.

ईश्वरीसिंह साहब—मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

ठहराव—तजवीज वापिस लेने की इजाजत दी जाती है.

तजवीज नंबर १८, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मेले लगाने में जहां तक मुनासिब रिआयत की जावे मस्लहत है, और मेले की तादाद जरूर बढाना चाहिये. कम अज कम हर तहसील में दो मेले लगना चाहियें, जिनमें खरीद फरोख्त मवेशी हो और रिआया को इलाके दरबार से किसी दूसरे इलाके के मेले में न जाना पडे और एक्सपोर्ट व इम्पोर्ट की आमदनी ब्योपारियान के जर्ये से बढे.

ईश्वरीसिंह साहब—यह मुझे अभी मालूम हुवा है कि तहसील शुजालपुर की निस्बत मौसम सरमा में एक मेला व एक मौसम गरमा में लगाये जाने का इन्तजाम हो चुका है.

पोलिटिकल मेम्बर साहब— सवाल नम्बर २, जिसके मुतअल्लिक आज बहस हुई है व सवाल नंबर १८, गो यह मुख्तलिफ हैं, मगर मकसद एक ही मालूम होता है.

हुजूर मुअल्ला—(मुजव्विज से), सवाल नम्बर २ और १८ चूंकि एक है और इन्तजाम हो चुके हैं, तो क्या ऐसी हालत में आप अपनी तजवीज वापिस लेते हैं ?

ईश्वरीसिंह साहब—मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

ठहराव—तजवीज वापिस लेने की इजाजत दी जाती है.

ट्रेड मेम्बर साहब—ठाकुर साहब ने सवाल किया और वापिस भी लिया मगर मैं मुनासिब समझता हूं कि इसके मुतअल्लिक डिपार्टमेन्ट ने क्या कार्रवाई की है, उसकी कुछ कैफियत बयान कर दूं.

लॉ मेम्बर साहब—जब कि सवाल ड्रॉप हो चुका है तो आपको तकलीफ फरमाने की चन्दां जरूरत नहीं है

जहांगीर बेहमनशा साहब—पगर बेहतर होगा कि हम लोगों की वाकफियत के लिये जनाब ट्रेड मेम्बर साहब कैफियत जाहिर फरमा दें.

हुजूर मुअल्ला—ट्रेड मेम्बर साहब, इसके मुतअल्लिक कैफियत जाहिर कर दीजिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—आप साहिबान को मालूम होगा कि यह सवाल सम्वत १९७८ में पेश हुआ था. उस पर से यह बतला दिया गया था कि मेले व हाट लगाये जाने का मामला इख्तियारी ट्रेड मेम्बर साहब है चुनांचे जहां जहां से ऐसी रिपोर्ट और दरख्वास्तें आई वहां मंजूरी दी गई. अब भी मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा कि तहसीलदार साहब या सूबा साहब के तवस्सुत से ऐसी दरख्वास्तें आवें तो रिआयत बराबर दी जायगी. सम्वत १९७८ में जब यह सवाल पेश हुआ ७ नये हाट व मेले लगाये गये. संवत १९७९ में २२ और संवत १९८० में इस वक्त तक १३. मैं बहुत खुशी के साथ दरबार के कानून और उसूलों के माफिक मंजूरी देने को तय्यार हूं बशर्ते कि दूसरे हाट को नुक्सान न पहुंचता हो.

हुजूर मुअल्ला—इसमें इस कदर और रद्दोबदल किया जाय कि सूबे साहबान या तहसीलदार साहबान लोकल बोर्ड के मशवरे से मामला आगे बढाया करें.

तजवीज नंबर १९, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

बाशिन्दगान मवाजिआत को आम कच्चे रास्ते होने से खुसूसन बारिश में आमदरफ्त की सख्त दिक्कत होती है, इसलिये खास रास्ते एक मौजे से दूसरे मौजे पर जाने वाले कुछ दुरुस्त हालत में होने का इन्तजाम हर मौजे की आम रिआया के जर्ये हो तो मुनासिब है.

ईश्वरी सिंह साहब—शायद इस तजवीज के मुतअल्लिक भी इन्तजाम हो चुका है.

हुजूर मुअल्ला—मजलिस आम में यह ठहराव हुआ था कि लोकल बोर्ड नक्शा बनाकर आम रास्ते करार दे और निशानात कायम करे.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—जी हां, ऐसा हुक्म हुआ है कि लोकल बोर्ड गांव में जाने के आम रास्ते करार देकर वहां ऐसे निशानात कायम करदे कि जिनके ऐतबार पर एक गांव से दूसरे गांव को आम रास्ते का पता चले.

हुजूर मुअल्ला—ज्यादा डिस्कशन (discussion) की जरूरत नहीं है. आज तक इस मामले में जो कार्रवाई हुई है वह रेवेन्यू मेम्बर साहब आपको अभी सुनाते हैं.

रेवेन्यू मेंबर साहब.—मैं यह जरूरी समझता हूं कि खास तौर पर मुजव्विज साहब की व दीगर मेम्बर साहबान की वाकफियत के लिये इस मौके पर बयान करदूं कि देहाती कच्चे रास्तों के सुधार के बारे में मिनजानिब गवर्नमेन्ट क्या क्या कोशिशें हो चुकीं, और इस वक्त क्या कार्रवाई जारी है. देहाती कच्चे रास्ते दुरुस्त रखने का जमींदारान का फर्ज इतना अहम व आम है कि उसका इन्दराज खास खास तौर पर पट्टों में किया गया है जो वक्त बंदोबस्त जमींदारान को दिये जाते हैं. मुलाहिजा हो कलम १६ पट्टा. इसकी तामील खातिरख्वाह न होने से संवत १९६० में जर्ये सरक्यूलर नंबर ७ रेवेन्यू बोर्ड, यह तजवीज की गई कि गांव वालों को इसके फायदे समझाये जायं, उनकी कमेटियां कायम कराई जायें और यह कमेटियां इस काम के लिये चंदा इकट्ठा करें. माबाद हुजूर मुअल्ला

ने अपनी दौरा रिपोर्ट संवत १९६५ में इस काम व तजवीज मुंदर्जे सरक्यूलर की तरफ हुक्काम माल की तवज्जुह दिलाकर दौरा के काम में इस काम को भी शामिल फरमाया. इस कदर कार्रवाई होने पर भी इस मुफीद सवाल पर जमींदारान की जानिब से काफी तवज्जुह और दिलचस्पी न ली जाने से यह मामला संवत १९७७ में दूसरी शक्ल में फिर जमींदारान के सामने लाया गया. साहबान को याद होगा कि संवत १९७७ के अक्टूबर महीने में बमुकाम शिवपुरी बसिदारत हुजूर मुअल्ला जमींदारी कॉन्फ्रेन्स हुई थी, चुनांचे कॉन्फरेन्स में यह सवाल पेश किया गया कि "एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता ठीक करने का फर्ज जमींदारान का है इसकी तामील ठीक तौर से करने के लिये क्या करना चाहिये ?" इस पर कॉन्फरेन्स ने यह ठहराव किया कि "परगना बोर्ड नक्शा मुजमिली और किश्तवार को देखकर एक गांव से दूसरे गांव को एक सीधा रास्ता तजवीज करे और उसको जमींदारान अपनी अपनी हद में ठीक हालत में रक्खें. रास्ते की चौड़ाई जहां तक मुमकिन हो ८ फीट से कम न हो व हर मौजे की सरहद पर पत्थर नसब करा दिये जावें कि जिससे मालूम हो कि रास्ता किस गांव को जाता है" इस ठहराव को दरबार मुअल्ला ने मंजूर फरमाया. बाद मंजूरी इस ठहराव के रेव्हेन्यू डिपार्टमेन्ट से सरसूबे साहबान की तवज्जुह इसकी तामील परगना बोर्ड से उजलत से कराने पर दिलाई गई और उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की गई. मुताबिक इसके अजलाय में कार्रवाई तकमील जारी है और हाल में सूबे साहबान की, खास तौर पर यह काम बोर्डों से उजलत से कराने पर, तवज्जुह दिलाई गई है. बावजूद इन तमाम कार्रवाइयों के इसकी तामील जल्द होने का इनहिसार खास तौर पर जमींदारान की जाती कोशिश और दिलचस्पी पर है और अगर मुजव्विज साहब व दीगर मेंबर साहबान अपने अपने हिस्से के जमींदारान में वह पैदा कराने की कोशिश करके अमली नतीजा पैदा करें तो इस तजवीज का मकसद जल्द हासिल हो कर वे मुस्तहक शुक्रिया रिआया व दरबार होंगे.

ठहराव—तजवीज ड्राप (drop) की जावे.

तजवीज नंबर २०, फर्द नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

जिन कौमों में नात्रे का रिवाज है उनमें अक्सर मालदार लोग गरीबों की औरतों को लालच देकर नात्रे के बहाने, उनके खाविंदों के जीते जी, खाने अन्दाज कर लेते हैं और मुकद्दमा चलने के बाद उजर किया जाता है कि खाविन्द ने छोड दी थी या पंचों ने इजाजत दे दी थी वगैरा, और इस बुनियाद पर इस्तगासा खारिज हो जाता है, व गरीबों की खाना बरबादी होती है. इसलिये जीते खाविन्द की औरत का उस वक्त तक नात्रा जायज न समझा जाय जब तक फारिगखती रजिस्ट्री शुदा हासिल न करे या किसी खास वजह से अगर जौजैन में निबाह न हो तो औरत अदालत से इफ्तिराक की डिक्री हासिल न करे.

इस तजवीज को एहमद नूरखां साहब ने पेश करते हुए कहा कि यह सवाल साल गुजिश्ता में पेश हुआ था. उस पर हुजूर मुअल्ला का यह हुक्म हुआ था कि साल आयन्दा बाद हुसूल वाकफियत पेश किया जावे. चुनांचे अहकाम जारी हुए. ऐसा मालूम हुआ है कि जवाबात भी आये हैं. मैंने तरीका

अर्ज कर दिया है कि फरिग खती रजिस्ट्री शुदा हो या इफ्तराक की डिग्री हासिल की जावे या कोई मुनासिब तरीका बता दिया जावे. शास्त्र में कहीं ऐसा इरशाद नहीं है कि जीते जी खाविन्द के कोई औरत किसी दूसरे के साथ नात्रा करले, सिर्फ इतनी बात है कि जीते जी खाविन्द को छोडकर नात्रा न किया करे. हालत यह है कि इस मामले में मुख्तलिफ तौर पर फैसले होते हैं, उन फैसलों में निहायत कशाकशी होती है. कत्ल तक हो जाते हैं. बहुत से मुकद्दमात ऐसे मौजूद हैं जिनसे खाने बीरानी का सुबूत मिलता है.

लॉ मेम्बर साहब—यह सवाल साल गुजिश्ता में पेश हुआ था और करार पाया था कि रियासत के मुख्तलिफ परगनात से जिनमें नात्रा व धरीचा का रिवाज है, वाकफियत हासिल की जावे. चुनांचे इसके मुतअल्लिक चन्द सवालात कायम किये जाकर हर परगने से मारफत तहसीलदार साहब व जुडीशियल ऑफसर साहब जवाबात तलब किये गये. अब वह रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है. इस सवाल पर गौर करने के लिये इसकी जरूरत होगी कि उस रिपोर्ट को देखा जावे. यहां पर उसका डिसकस करना बाइस तवालत होगा, इसलिये एक सब-कमेटी ब सिदारत अपील मेम्बर साहब कायम करदी जावे तो मुनासिब होगा और इजाजत हो तो मैं भी उसमें हाजिर रहूं और मेरी राय यह है कि उसमें मुजव्विज साहब और कुल वुकलाय साहबान जो मजलिस में शामिल हैं या जिन साहबान को दिलचस्पी हो बिला तकल्लुफ तशरीफ ला सकते हैं.

हुजूर मुअल्ला—सब-कमेटी बसिदारत अपील मेम्बर साहब जिसके मेम्बर लॉ मेम्बर साहब, मुजव्विज साहब, बंसीधर साहब, जगमोहनलाल साहब, बद्रीप्रसाद साहब, मूंगालाल साहब व नारायणदास साहब होंगे कायम की जाती है और इसके अलावा आप साहबान जिसको तजवीज करें.

अहमद नूरखां साहब—झालानी साहब को भी शरीक किया जाय तो बेहतर है.

ठहराव—सब-कमेटी कायम की जावे.

हुजूर मुअल्ला—मिस्टर झालानी और महन्त लक्ष्मणदास साहब यह भी शरीक हों.

रिपोर्ट कमेटी मुतअल्लिक तजावीज नंबर ३८, ३९ व ४० एजेन्डा मजलिस आम संवत १९७९ (जमीमा नंबर ३).

हुजूर मुअल्ला—साल गुजिश्ता में मच्छरों के इन्तजाम की बाबत एक कमेटी कायम हुई थी उसके मुतअल्लिक लॉ मेम्बर साहब कैफियत जाहिर करेंगे.

लॉ मेम्बर साहब—(कमेटी की रिपोर्ट मेंबर साहबान को बतला कर)—आप साहबान की नजर से यह कागजात तो गुजरे होंगे. आप साहिबान की वाकफियत के लिये मामले की मुख्तसिर कैफियत यूं बयान की जा सकती है कि साल गुजिश्ता में पंडित प्राणनाथ साहब ने तीन तजवीजें पेश की थीं जिनमें पहिली तजवीज यह थी कि लश्कर में मच्छरों की तादाद साल ब साल बढती जाती है जिससे पब्लिक के आराम में बेहद खलल वाकै होता है बल्कि जो मलेरिया फैलाकर सख्त मुजिर सेहत होने का बाइस होते हैं लिहाजा इसका करार वाकई इन्सदाद बजरिये माकूल drainage system या दीगर तौर पर जिस कदर जल्द मुमकिन हो किया जाय. दूसरी तजवीज यह थी कि लश्कर में फौती की तादाद ब मुकाबले पैदायश ज्यादा है इसलिये इसके असबाब की तहकीकात बजरिये कमीशन के जिसमें मेडीकल, सेनीटरी, म्युनिसिपल व दीगर तबकों के कायम मुकाम शामिल हों कराई जाकर माकूल तजवीज अमल में लाई जावे, जिससे तादाद फौती में कमी हो और तीसरी तजवीज यह थी कि दूध देने वाले जानवरों को खीद मुताली खिलाने का रिवाज बावजूद म्युनिसिपल

रेग्यूलेशॅन्स के बराबर जारी है लिहाजा इसकी रोक कानूनन की जावे. चुनांचे इन तीनों तजावीज पर गौर करने के लिये मजलिस आम के ठहराव से एक कमेटी मुकर्रर की गई जिसमें अपील मेम्बर साहब प्रेसीडेन्ट हुये और बाकी मेम्बरान, राजकुमार साहब, रामजीदास साहब वैश्य, भगवान परशाद साहब अस्ठाना, डॉक्टर फाटक साहब और म्युनिसिपेलिटी के प्रेसीडेन्ट साहब थे. चुनांचे उस कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश की है. अगर मेम्बर साहिबान मजलिस आम ने इस रिपोर्ट को पढ लिया है तो इस वक्त दुबारा पढना बेसूद है.

(नोटः—मेम्बरान मजलिस आम ने जाहिर किया कि पढ लिया है).

लॉ मेम्बर साहब—इससे गालिबन आप को मालूम हुवा होगा कि कसरत राय यह है कि इन्हीं सवालात के मुताल्लिक म्युनिसिपल कमीशन ने जो सिफारशें की हैं उनके मुताबिक अमल किया जाय इसलिये इन सवालात के मुताल्लिक यहां गौर करने की अभी जरूरत नहीं है. यह यकीनी अम्र है कि जिस वक्त कमीशन की रिपोर्ट दरबार के सामने पेश होगी तो इस रिपोर्ट व उसके डिसेन्ट नोट्स पर गौर किया जावेगा.

(नोटः—इस पर मेम्बर साहिबान मजलिस आम में से किसी ने कुछ नहीं कहा).

लॉ मेम्बर साहब—क्या आप साहिबान की खामोशी से मैं यह समझूं कि म्युनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट के साथ इस रिपोर्ट पर गौर किया जाय और यह डिसेन्ट नोट भी उसके साथ रख लिया जावे ?

हुजूर मुअल्ला—कमीशन की रिपोर्ट के साथ गौर किया जावे. मुले साहब ! म्युनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट के साथ यह रिपोर्ट पेश कर देना.

ठहराव.—सब कमेटी की रिपोर्ट पर म्युनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट के साथ गौर किया जावे.

(नोट—इसके बाद हुजूर मुअल्ला ने फरमाया कि आज के इजलास का काम खत्म किया जाता है परसों के रोज जो तीन सब कमेटियां कायम की गई थीं उनकी, और नीज आज जो सब कमेटियां कायम हुई हैं उनकी रिपोर्टों पर तारीख १७ मार्च सन १९२४ ई० को गौर किया जावेगा. इजलास ११ बजे से शुरू होगा.)

प्रोसीडिंग्ज़ मजलिस आम, गवालियार, सम्वत १९८०.

सेशन सोयम.

इजलास सोयम.

सोमवार, तारीख १७ मार्च सन १९२४ ई०, वक्त १२॥ बजे दिन, मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. श्रीमंत हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू.

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलास नारायण साहब हक्सर, सी. आइ. ई., मुशीर खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई., मुशीर खास बहादुर, शौकतजंग, आर्मी मेम्बर.

४. मेजर सरदार मालोजीराव साहब सीतोले, ऑफिशियेटिंग होम मेम्बर.

५. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल उमरा, सी. आइ. ई. रेवेन्यू मेम्बर.

६. जयगोपाल साहब अष्ठाना, ऑफिशियेटिंग फायनेन्स मेम्बर.

७. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल-मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

८. सरदार साहबजादा सुल्तान एहमद खां साहब, मुन्तजिमुद्दौला, मेम्बर फॉर अपील्स.

९. राव बहादुर बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर

१०. राय बहादुर गजपतराय साहब, मुन्तजिम बहादुर, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

११. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१२. रामराव गोपाल देशपांडे साहब, मुहम्मद खेडा (शुजालपुर).

१३. जहांगीर बहमनशा साहब वकील, बम्बई.

१४. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, लश्कर.

१५. खां साहब सेठ लुकमान भाई नजरअली साहब, उज्जैन

१६ बन्सीधर साहब भार्गव, उज्जैन.

१७. राय बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढावलाधीर.

१८. गणेशदत्त साहब शास्त्री, लश्कर.

१९. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.
२०. बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी, गवालियार.
२१. विश्वेश्वरसिंह साहब, मुस्तरी (भिन्ड).
२२. मानिकचन्द साहब ओसवाल, भिन्ड.
२३. रामजीवनलाल साहब, मुरेना.
२४. महादेवराव साहब, जाउदेश्वर (श्योपुर).
२५. सदाशिवराव हरी मुळे साहब, डामरोन कलां (नरवर).
२६. राजाराम साहब, मगरौनी (नरवर).
२७. रामचंद्र साहब, झाडेरा (ईसागढ).
२८. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.
२९. जामिनअली साहब, देरखी (भेलसा).
३०. मयाराम साहब, चन्दूखेडी (उज्जैन).
३१. करमचन्दजी साहब, उज्जैन.
३२. नारायणदास साहब, मन्दसौर.
३३. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझरा).
३४. राय बहादुर प्राणनाथ साहब, सभाभूषण, लश्कर.
३५. ब्रम्हास्वरूप साहब, शिवपुरी.
३६. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, भिंड.
३७. अली जफ़र साहब, जौरा.
३८ फजल मुहम्मद साहब, श्योपुर.
३९. भगवानस्वरूप साहब, भेलसा.
४०. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
४१. अहमदनूरखां साहब, शाजापुर.
४२. निजामुद्दीन साहब, उज्जैन.
४३. केशवराव बापूजी साहब, मनावर (अमझरा).
४४. मेजर गुलाबसिंह साहब, देवगढ.
४५. रिद्धराजजी साहब, लश्कर.
४६. द्वारकादास साहब, मानपुरा (परगना आगर).
४७. जबरसिंह साहब दीक्षित, भिन्ड.
४८. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
४९. रामप्रतापजी साहब लूम्बा, उज्जैन.
५०. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, जागीरदार, बिलौनी (परगना गोहद).
५१. अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब, लश्कर.
५२. तुलसीरामजी साहब, लश्कर.
५३. मदनमोहनलालजी साहब, उज्जैन.
५४. रावजी शास्त्री वेलनकर साहब, लश्कर.
५५. हीरजीभाई साहब, भेलसा.

[नोट—जुम्ला तजावीज मुन्दर्जे एजेन्डा (जमीमा नम्बर १२) परसों के इजलास में तय हो चुकी थीं. आज उन सब-कमेटियों की रिपोर्टों पर गौर किया गया जो गुजिश्ता दो दिन के इजलासो में बाज तजवीजों पर गौर करने के लिये मुकर्रर की गई थीं.]

रिपोर्ट-सब कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर १, फर्द नंबर १, निस्बत रोक मुकद्दमेबाजी माबैन जमींदारान (जमीमा नंबर ४).

हुजूर मुअल्ला—जितनी सब-कमेटियां कायम की गई थीं उन सब की रिपोर्टें आज पेश हैं. नंबर १, रिपोर्ट सब-कमेटी बाबत इसके कि जमींदारान के माबैन मुकद्दमेबाजी की रोक किस तरह पर की जावे, आप साहबान की नजर से गुजरी ही होगी. इसकी बाबत राय जाहिर की जावे.

मूंगालाल साहब—हुजूर वाला, इस रिपोर्ट के देखने से तो मेरे ख्याल से माबैन जमींदारान मुकद्दमेबाजी की रोक नहीं हो सकेगी. पॉलिसी दरबार जिल्द नम्बर ७, कलम नंबर ५९, पैरा नंबर ३-५ व ६ में जो इर्शाद फरमाया गया है वह कैद अगर माबैन जमींदारान लगा दी जावे तो काफी रोक हो जावेगी.

हुजूर मुअल्ला—(बाद मुलाहिजा पॉलिसी)-इसका और उसका मुकाबला नहीं है यह और चीज है, वह और चीज.

नारायणदास साहब—कमेटी ने जो तजवीज निकाली है कि एक जवान आदमी और २५ मवेशी················

हुजूर मुअल्ला—आपने यह कहां का जवान आदमी निकाला ?

नारायणदास साहब—माफी चाहता हूं.

जहांगीर बेहमनशा साहब—मेरे ख्याल में कलम नम्बर (ब) व (स) की इबारत में मुखालिफत मालूम होती है क्योंकि (ब) में जो लफ्ज "चाहिये" इस्तेमाल किया गया है, उससे मालूम होता है कि जमींदारान के लिये यह कम्पलसरी रक्खा गया है कि वह अपना मामला बोर्ड में पेश करें और (स) में अलफाज "पेश करें" से यह जाहिर होता है कि जमींदारों के लिये लाजिमी है कि वह अपना मामला अदालत में पेश करें. यह दोनों कम्पलसरी हिदायतें एक दूसरे से मुखालिफ हैं.

लॉ मेम्बर साहब—मतलब यह है कि अदालत में दावा दायर करने से पेश्तर मामला जमींदारान के बोर्ड में पेश किया जावे. जमींदार साहबान इसमें बाहमी रजामन्दी हो जाने की कोशिश करें. बोर्ड को सिर्फ यह इख्तियार है कि वह फरीकैन को समझावे और उनको रजामंद करे, इससे जायद बोर्ड को इख्तियार नहीं है. अगर फरीकैन बोर्ड के समझाने से राजी हो जावें तो बोर्ड से फैसला कर दिया जावे. अगर बोर्ड अपनी कोशिश में कामयाब न हो तो सिवाय इसके कि अदालत में चाराजोई की जावे, और कोई तरीका नहीं हो सकता.

जहांगीर बहमनशा साहब—क्या इसके यह मानी हैं कि कम्पलसरी नहीं है ?

लॉ मेम्बर साहब—मामले का बोर्ड में पेश होना कम्पलसरी है

धुन्डीराज कृष्ण अष्टेवाले साहब.—जैसा कि जमींदार साहिबान का ख्याल है वैसी ही दरबार की भी मन्शा है कि जमींदार के हिस्सेदारों का हक्क किसी वजह से जमींदार की मौजूदगी में या उसके बाद में किसी वजह से कम न किया जाये, फिर सवाल टुकडे टुकडे न हो यह क्यों हुआ? यह इस वजह से हुवा–जमींदार सब गांव का काम करता है, सरकार दरबार का काम उसे पडता है, कोई गांव में आवे तो जमींदार की तरफ अव्वल आता है वगैरा वगैरा, तो ऐसी हालत में हिस्सों के टुकडे टुकडे होने से दीगर हिस्सेदारों के साथ वह भी निहायत तक्लीफ भुगतता है. सबों की तकलीफ रफा होना यह तो बिलकुल ही ठीक है, लेकिन यह न हो सके तो at least जमींदार की तो भी कुछ हैसियत बनी रहना जरूरी है. इसमें यह तजवीज ठीक मालूम होती है कि अगर एक सौ रुपये का उत्पन्न (net income) है तो उसमें से १० रुपये जमींदार लेले और बाकी रकम में से बराबर हिस्से हों और उस में भी जमींदार का हिस्सा हो. ऐसा करने से दीगर लोगों के हिस्से भी कायम रहेंगे, जमींदार को भी कुछ ज्यादा मिलेगा, हिस्सेदारों के हिस्से में भी ज्यादा कमी नहीं होवेगी और धर्म शास्त्र और शरा मुहम्मदी के मुवाफिक बराबर हिस्से भी रहेंगे.

हुजूर मुअल्ला.—तो फिर क्या करना ? आपका क्या कहना है, आप अपनी तजवीज का मतलब समझा दीजिये.

धुन्डीराज कृष्ण अष्टेवाले साहब.—जमींदार को चूंकि वह गांव के सब काम करता है १० रुपये सैकडा दिया जावे और उसका हिसाब उससे न लिया जावे, इससे जमींदार की हैसियत बनी रहेगी. जैसा तरीका जारी है वैसा ही जारी रहे.

द्वारकादास साहब.—इस सवाल के मुतअल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं.

हुजूर मुअल्ला.—फरमाइये.

द्वारकादास साहब.—मैं ने जहां तक इस सवाल पर गौर किया तो बडे महत्व का मालूम हुआ. इस सवाल में जो महत्व है वह यह है कि जमींदारी के टुकडे टुकडे होकर मादूम न हो जावे.

पोलिटीकल मेंबर साहब.—हुजूर मुअल्ला, मैं इस तरफ तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त सब कमेटी की रिपोर्ट पेश है उसके मुतअल्लिक ही इस वक्त गौर किया जावे. असल तजवीज के मुतअल्लिक इस वक्त बयान करना गैर मुतअल्लिक है.

हुजूर मुअल्ला.—(द्वारकादास साहब से)—इस वक्त सब-कमेटी की रिपोर्ट जेर गौर है, उसी के मुतअल्लिक बयान कीजिये.

द्वारकादास साहब.—मैंने सब-कमेटी की रिपोर्ट के मुतअल्लिक ही नोट किया है जो मैं अर्ज कर रहा हूं जैसा कि इसके आखिरी नतीजे से मालूम हो जावेगा. मुझको सब-कमेटी में डिसेन्टिंग नोट लिखने का वक्त नहीं मिला इसलिये यहां अर्ज करने की जरूरत वाके हुई.

पोलिटिकल मेम्बर साहब.—क्या कमेटी के मेम्बरान में आपका नाम था ?

द्वारकादास साहब.—था, लेकिन मुझको कमेटी की राय से इत्तफाक नहीं था.

रामजीदास साहब.—अगर यह सवाल इस वक्त फिर बहस में डाला जावेगा तो उसूल के खिलाफ होगा. असल तजवीज के मुतअल्लिक तो फैसला हो चुका है.

द्वारकादास साहब—मेरी गुजारिश यह है कि मुझको कुछ कहना है वह सुन लिया जावे.

पोलिटिकल मेम्बर साहब.—आप मेहरबानी करके कलम नंबर १ मुलाहिजा करें (जिसको साहब मौसूफ ने पढ कर सुनाया) और यह देखें कि असल सवाल के मुतअल्लिक मजीद गुफ्तगू की गुंजायश नहीं.

हुजूर मुअल्ला.—जिस दिन यह सवाल पेश हुआ था उस रोज आप (द्वारकादास साहब) बोले थे कि नहीं ?

द्वारकादास साहब.—मैं नहीं बोला था.

लॉ मेम्बर साहब.—सरकार, सुन लिया जावे जो कुछ वह फरमाते हैं.

हुजूर मुअल्ला.—कहिये, आप क्या फरमाते हैं ?

द्वारकादास साहब. —तहरीरी है.

हुजूर मुअल्ला.—अच्छा, पढिये.

द्वारकादास साहब.—मैं ने जहां तक इस सवाल पर गौर किया तो मुझे यह सवाल बडे महत्व का मालूम हुआ. इस सवाल में जो कुछ महत्व है वह यह है कि:—

१. रफ्ता २ जमींदारी के टुकडे होकर मादूम न हो जाय.

२. सिर्फ बडे लडके को जमींदारी दी जाय और दूसरों को नान नफ्का मिले. ऐसा करने से सरीहन दूसरों की हक तलफी है, क्योंकि धर्मशास्त्र की रू से सब ही औलाद का हक जायदाद पाने का होता है.

३. अगर ऐसी हकियत के झगडे पडें तो मुकद्दमेबाजी में हकियत बरबाद हो जायगी और अंदेशा है कि जमींदारी ऐसे शख्सों के कब्जे में चली जायगी कि जो मालदार जरूर हैं मगर जमींदारी के मुतल्लक काबिल नहीं, क्योंकि हुजूर मुअल्ला ने जो जमींदारी सिस्टम रक्खा है वह सिर्फ इस गरज से है कि जमींदारान गांव में अमन अमान कायम रक्खें, तरक्की काश्त करें व करावें और बदमाशों को गांव में पैदा न होने दें. अक्सर यह मालदार लोग जमींदारी इस गर्ज से खरीदते हैं कि सिर्फ उसका नफा गांव में रहकर खायें या कस्बों और शहरों में रहकर दूसरा धंदा करें और गांव में कुछ भी हो उसकी कुछ भी परवा नहीं. ऐसी सूरत में जो गरज जमींदार रखने की है वह बिलकुल हासिल नहीं होती पस सदरहू बातों पर गौर करने से मेरी समझ में यह इन्तजाम करना ठीक मालूम होता है कि हजार रुपये की मालगुजारी तक के गांव में सिर्फ एक नम्बरदार रहे और अगर जो तजवीज की जाती है उसके पहिले मौजा चंद मुख्तलिफ कौमों के जमींदारों के हिस्सों में तक्सीम हो चुका हो या एकही खानदान के चन्द पट्टीदार हो गये हों तो उनमें सब से बड़े लडके की पट्टी का जमींदार, नम्बरदार करार दिया जाय; बाकीमांदा सब जमींदार करार दिये जावें. अब जब गांव में १, २, ३ या जैसी सूरत हो नम्बरदार करार दिये गये तो इन नम्बरदारों के फरायज हस्ब जैल होंगे कि:—

यह नम्बरदार हस्ब मशवरे नायब तहसीलदार प्रोपेगेन्डा, जमींदारी दफ्तर रक्खें. इस जमींदारी दफ्तर में मासिवाय और कागजात के एक शजरा खान्दान या वंश वृक्ष खान्दान का रखना लाजिमी समझा जावे और इस शजरे की एक नकल तहसील में रक्खी जावे और एक हर एक पट्टीदार के पास. यह शजरा हर पट्टीदार की राय से तैयार किया जायगा. इस शजरे की यह गरज है कि इसकी रू से हकियत का सवाल आसानी से तय हो जायगा और हकियत के मामले में मुकद्दमेबाजी न होगी.

अब रहा यह सवाल कि बडे लडके पर इतना बार और बाकीमांदा उसका मसावी नफा खायें और मजे उडायें तो यह सवाल इस तरह से हल किया जाय कि :—

(१) इन नम्बरदारों पर अपने बडे लडके को तालीम दिलाना लाजिमी रखा जावे. बाकी मांदा पट्टीदारों पर तालीम दिलाना लाजिमी न करार दिया जाय.

(२) अमन अमान का जिम्मेदार भी यह करार दिया जाय. अमन अमान गांव में कैसे रह सकती है इसका कायम रखना मुमकिन है, मगर उसका तरीका बतलाना इस मौके पर मैं मुनासिब नहीं समझता.

(३) किसी पट्टीदार को कर्ज की जरूरत हो तो यह नम्बरदार उस पट्टी की हैसियत के मुआफिक कर्ज दिलावे.

अन्नदाता, इन कुल उमूर को मद्देनजर रखकर फैसला होना चाहिये.

हुजूर मुअल्ला.—राजा भैया, यह तो आप को पहले रोज बताना चाहिये था. पहले आप लोगों ने इस सवाल को oppose किया था. असल मतलब यह है कि मुकदमा बाजी की रोक हो. आप साहबान की बहस से मेरा ख्याल उस रोज यह हुआ कि आप इस बात को समझे नहीं, फिर उसके ऊपर यह ठहरा कि सब-कमेटी कायम की जावे, चुनाचे सब- कमेटी कायम की गई. सब-कमेटी ने जो रिपोर्ट की है उसके मुतअल्लिक न तो उज्जैन के अष्टेवाले साहब ने जवाब दिया और आप भी दूसरा गैर मुतअल्लिक जवाब देते हैं यह ठीक नहीं है. आपको यह तो मालूम है कि आपकी जमाअत में से इसको oppose किया गया था; लिहाजा इस रिपोर्ट के ऊपर अगर कुछ आपकी राय हो तो कहिये. अगर यह सवाल फिर उठाना है तो अगले साल इसको पेश कर सकते हैं.

द्वारकादास साहब—मेरा ख्याल यह है कि सब-कमेटी ने जो तजवीज पेश की है उससे रोक नहीं हो सकती. मैं अगले साल किसी के जर्ये से यह सवाल पेश कराऊंगा.

हुजूर मुअल्ला—और किसी साहब को कुछ कहना है ?

[नोटः—किसी साहब ने कुछ नहीं कहा.]

हुजूर मुअल्ला—मुझे सिर्फ एक पॉइन्ट पर आप साहबान का attention draw करना है वह यह कि रिपोर्ट सब-कमेटी की कलम नंबर २ की तहती कलम (अ) की सतर १ में "जमींदारान" के बाद लफ्ज "इन्तखाब" के बजाय लफ्ज "इलेक्शन" रक्खा जाय तो कैसा होगा ?

पोलिटिकल मेम्बर साहब—काबिल गौर बात यह है कि इलेक्शन में कुछ तवालत यह होगी कि मेंबरान का इलेक्शन मुअय्यना वक्त के बाद हमेशा हुआ करेगा और इन्तखाब एक बार होकर एक अर्से तक मेंबरान की तकर्रुरी कायम रहेगी और उसमें रद्दोबदल की भी तवालत नहीं होगी.

हुजूर मुअल्ला—मेरे ख्याल में बजाय लफ्ज "इन्तखाब" के "पब्लिक इन्तखाब (election)" ही होना चाहिये.

ठहराव—वोट लिये जाने पर कसरत राय से यह करार पाया कि रिपोर्ट सब-कमेटी मन्जूर की जाय, और बजाय लफ्ज "इन्तखाब" के लफ्ज "election" कायम किया जावे.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजावीज नंबर २ व ६, फर्द नंबर १, निस्बत कायमी स्टेन्डर्ड औजान व नाप (जमीमा नंबर ५).

केशवराव बापूजी साहब—इसमें मानी का वजन भी कायम होना चाहिये और मानी छे मन की कायम होना चाहिये. मालवे में बगैर इस तजवीज के गल्ले के बारे में दिक्कत पडेगी.

र अल्ला—यानी आपका यह कहना है कि मानी रखना चाहिये, इसकी वजह क्या है?

केशवराव बापूजी साहब—सब वजन मानी से होना चाहिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—मन से हो सकता है या नहीं?

केशवराव बापूजी साहब—सब दूर मानी से होता है, क्योंकि मालवे में आम रिवाज मानी का है.

जहांगीर बहमनशा साहब—पल्ला क्यों न रखना चाहिये, जैसा कि मालवे में वजन मानी से होता है वैसा ही ईसागढ में पल्ले से होता है इस वजह से मन ही काफी है.

बद्री प्रसाद साहब रस्तोगी—हुजूर वाला, वजन के मामले में तीन स्टेन्डर्ड रक्खे गये हैं—छटांक, सेर, मन—पांच रुपये भर की छटांक, अस्सी रुपये भर का सेर, और चालीस सेर का मन; मगर उमूमन ब्योपार जो होता है उसमें दो लफ्ज मुस्तामल होते हैं, पल्ला और मानी; इनका भी स्टेन्डर्ड वजन कायम कर दिया जावे. अब यह कहा जा सकता है कि इसके बगैर भी हो सकता है तो चूंकि मुद्दतों से दीगर दिसावरों के साथ पल्ला और मानी से [illegible]रोबार जारी है, अगर यह उडा दिये जावेंगे तो इनके रोकने से ब्योपारी पेशे के लिये दिक्कतें वाकै होगीं; इसलिये तीन मन का पल्ला और छे मन की मानी या जैसे कि दीगर मेम्बर साहबान की राय हो कायम किये जावें.

रामजीदास साहब वैश्य—गालिबन यह आप भूलरहे हैं कि वजन के स्टेडर्ड कायम होने का सवाल क्यों पैदा हो रहा है. इसकी वजह यह है कि एक ही नाम के मुख्तलिफ वजन, मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं यानी किसी जगह मानी छे मन की, किसी जगह बारह मन की और किसी जगह पांच मन की होती है. जैसा कि आपने फर्माया है, पल्ला और मानी कम करने से कुछ दिनों तक ब्योपार में दिक्कत होगी, लेकिन इस दिक्कत को दूर करने के लिये ही यह सवाल उठाया गया है क्योंकि जहां कि आज मानी बारह मन की है अगर वहां स्टेन्डर्ड छे मन का कायम कर दिया जावे तो वहां के लोगों को बहुत धोका होगा, यानी जो बारह मन की मानी खरीद रहे हैं और ऐसी हालत में छे मन की मानी का स्टेन्डर्ड कायम कर दिया गया, तो जिन लोगों को वाकफियत नहीं है उन लोगों को धोका हो सकता है और जो असली गर्ज स्टेन्डर्ड कायम करने की है वह जाती रहेगी. यही वजह है कि सब-कमेटी ने मानी को कायम नहीं रक्खा है. इसलिये जो वजन के स्टेन्डर्ड कायम किये हैं वह ठीक हैं. मन को मानी का छटा हिस्सा कहा जा सकता है.

बद्रीप्रसाद साहब रस्तोगी—हुजूर वाला, इस प्रपोजल का असली मकसद यह था कि एकही नाम के जो स्टेन्डर्ड मशहूर हैं उनकी मुख्तलिफ तोलें हैं जैसे कि कहीं १२ मन, कहीं ६ मन, कहीं पांच मन और कहीं साडे चार मन की मानी है. वाकआ यह है कि ज्यादातर शक्कर और गल्ले का ब्योपार बोरेबंदी से होता है और इसकी तोल, पल्ले और मानी में होती है, इसलिये मेरा ख्याल है कि पल्ला और मानी का नाम एक दम से उडा देने में बहुत दिक्कत होगी.

मुन्नालाल साहब बीजावर्गी—बोरी के मुतअल्लिक जो कुछ आपने फरमाया है उसका तअल्लुक मन से है, मानी या पल्ले से कोई तअल्लुक नहीं है बल्कि बोरी दो ढाई मन की होती है.

महादेवराव साहब—हुजूर वाला, सवाल यह है कि सब जगह तोल यकसां हो, इसी तरह पल्ला और मानी के वजन भी कायम रक्खे जावें क्योंकि मदरसे में लड़कों को कोष्टक में वजन सिखाये जाते हैं उसमें पल्ला और मानी हैं इसलिये पल्ला और मानी लफ्ज बढ़ाना मुनासिब है.

सोने के भावों में जो रुपये का तोला करार दिया है और माशे का आठवां हिस्सा रत्ती, तो इसमें यह दिक्कत है कि कलदार रुपया ९२ रत्ती का होता है और चूंकि रत्ती कुदरती पैदावार है और माशा आठ रत्ती का होता है तो इस हिसाब से ९६ रत्ती का तोला होना चाहिये. अगर कमेटी की राय के मुताबिक ९२ रत्ती का तोला माना जाकर उस हिसाब से माशे का आठवां हिस्सा रत्ती माना जावेगा तो हिसाब होना बहुत मुशकिल है. वजन सब जगह यकसां होना चाहिये यानी ३ मन का पल्ला, १२ मन की मानी, ४० सेर का मन रखना चाहिये. पचास रुपये जुर्माने का इख्तियार जो मंडी कमेटी को दिया गया है इसके बजाय १०) रुपये होना चाहिये.

तुलसीरामजी साहब—सब-कमेटी ने जो राय दी है, ठीक है. ब्योपाराना तरीके से जो सब-कमेटी ने राय पेश की है उससे मुझको इत्तफाक है. छटांक, सेर व मन जो बतलाये गये हैं इनसे वजन पल्ला और मानी सब बन सकते हैं. सिर्फ भाव एक कायम हो जाना चाहिये, चाहे सेरों पर, चाहे मनों पर; यानी एक रुपये का इतने सेर या ४।~) का एक मन; इस तरीक पर भाव रक्खा जाने में ठीक होगा. बाकी सब-कमेटी ने जो राय पेश की है उससे मुझको इत्तफाक है,

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर आली, इस सब-कमेटी की रिपोर्ट का जो आखिरी हिस्सा है, उससे मुझको किसी कदर इख्तलाफ है यानी जुर्म नंबर ८४ की तजवीज मन्डी कमेटी के इख्तियार में न रखी जाय. क्या मानी कि वही मुआम्ले की सुरागरसी करे और वही जुर्माना करे. जुर्म नम्बर ८४, ऐसा जुर्म है कि जो पिनल कोड का जुर्म है और यह उस वक्त से कायम है कि जिस वक्त यहां मंडी कमेटियां काइम न थीं, इसलिये ऐसी मंडी कमेटियों को ५०) के जुर्माने का इख्तियार देना ना मुनासिब है, क्योंकि ५०) जुर्माने का इख्तियार किसी पंचायत बोर्ड को भी नहीं दिया गया है. मन्डी कमेटियां ही उसका चालान करें, खुद ही तहकीकात करें और फिर जुर्माना करें, यह उसूल कानून के बिलकुल खिलाफ होगा. जिस तरह म्युनिसिपल कमेटी अपने मुकद्दमात को ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी में भेजती है उसी तरह मन्डी कमेटी को इख्तियार दिया जावे. अगर यह ख्याल है कि मन्डी कमेटी की आमदनी में नुक्सान होगा तो जिस तरह म्युनिसिपल कमेटी अपने मुकद्दमात को ऑनरेरी अदालत में भेजकर रकम जुर्माना म्युनिसिपल फन्ड में जमा करती है उसी तरह रकम जुर्माना मन्डी कमेटी के फन्ड में जमा हुआ करे.

इसी तरह पर दूसरा सजेशन यह है कि मवाजियात में जमींदार को ५) तक जुर्माना करने का इख्तियार दिया जावे, यह भी ठीक नहीं मालूम होता. मेरे ख्याल से यह इख्तियार पंचायत बोर्ड को होना चाहिये.

मथुराप्रसाद साहब.—मैं ताईद करता हूं.

फजल मुहम्मद साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

बद्रीप्रसाद साहब.—मैं भी इसकी ताईद करता हूं.

रामजीदास साहब—इसकी निस्बत सब-कमेटी ने ५०) तक के जुर्माने की सिफारिश क्यों की है इसकी गरज मैं अपने दोस्त मेम्बरान को बताना चाहता हूं. सब-कमेटी ने इस सवाल के फैसल करने में यह कोशिश की है कि अदालत का काम कम हो. यह वजन के मुआम्ले ऐसे हैं कि जो ज्यादातर मंडी में ही पैदा होंगे, और उनका ज्यादातर असर मंडीवालों पर ही होगा. अगर ऐसे मुकद्दमात मजिस्ट्रेटी में भेजे जावेंगे तो उनका चालान कौन करे और पैरवी कौन करे. वहां भी वकीलों की मारफत मुआम्लात चलाये जावेंगे. मुमकिन है कि इस तरह असली जुर्म के करने-वाले बच जावें, इसलिये सब-कमेटी का ख्याल यह था कि ५०) तक जुर्माने की सजा कमेटी से दी जावे. ५०) तक जुर्माने के यह मानी नहीं हैं कि ५०) ही जुर्माना किया जावे. मुमकिन है कि ॥) जुर्माना करें या सिर्फ हिदायत देकर छोड दें. जो शख्स कम वजनी मुतवातिर करता आ रहा है या कई मर्तबा करने के बाद पकडा गया है तो यह बात मन्डी कमेटी को ही अच्छी तरह महसूस होगी कि यह शख्स ऐसा बेईमान है, और कम बांट रखता है. ऐसे शख्स की तहकीकात मन्डी कमेटी के रूबरू होने का नतीजा यह होगा कि उन लोगों की नजर में उसकी वकअत कम हो जायगी और उसके चालचलन का हाल मन्डी कमेटी में कारोबार करने वालों को अच्छी तरह पर मालूम हो जायगा.

मेरे दोस्त वकील साहब ने यह मिसाल दी है कि म्युनिसिपेलिटी के मुकद्दमात ऑनरेरी माजिस्ट्रेटी में पेश होते हैं. मगर इस काम के लिये अलहदा म्युनिसिपल माजिस्ट्रेटान मुकर्रर हैं और इस वजह से म्युनिसिपेलिटी के मुकद्दमात उनके सामने पेश होकर जल्द तय हो जाते हैं. गालिबन उनकी दूसरी तजवीज यह होगी कि वजन के मुकद्दमात के लिये मंडी में और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट कायम किये जावें. मेरा ख्याल यह है कि अगर मन्डी कमेटी ऐसे मामलात का फैसला करेगी तो ज्यादा सहूलियत होगी बजाये इसके कि ऐसे मुकद्दमात माजिस्ट्रेटी में ले जाये जायें.

अहमदनूरखां साहब—मैं इसके मुतअल्लिक एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे मुकद्दमात का ताल्लुक ज्यादातर दो पेशेवरों से होगा—(१) व्योपारी (२) काश्तकार. मेम्बरान मन्डी कमेटी जितने होंगे गालिबन वह व्योपार पेशा में से होंगे. उनके मुकाबिले में जब जुर्म चलेगा तो वह ही मुकद्दमा पकडने वाले और वह ही सजा देने वाले होंगे. किसानों का वहां कोई भी न होगा, उसूलन यह ठीक न होगा, लिहाजा मंडी कमेटी को इतने संगीन इख्तियार देना नामुनासिब होगा. अगर सुरागरसी का काम इनके जिम्मे किया जावे तो फैसला दूसरा करें.

रामप्रताप साहब लूम्बा—हुजूर मुअल्ला, फैसला मंडी कमेटी का जो असर पडेगा वह बहुत मुअस्सर होगा वैसा कभी अदालत से नहीं पड सकता. इसलिये मेरी नाकिस राय यह है कि यह जुर्म मन्डी कमेटी के इख्तियारी ही रक्खा जावे.

रामराव गोपाल देशपांडे साहब—मेरा कहना यह है कि मन्डी कमेटी के मेम्बर गुनाह साबित करेंगे ऐसी सूरत में उनको सजा का इख्तियार न देना चहिये. यह काम दूसरों के सपुर्द किया जाये. मजिस्ट्रेट के सामने या बोर्ड के सामने ऐसे मुकद्दमात की तजवीज होकर सजा होना चाहिये.

हीरजी भाई साहब—मेरी राय में मंडी कमेटी में ही ऐसे मुकद्दमात के फैसले अच्छी तरह हो सकते हैं बमुकाबले इसके कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के सामने फैसल हों. वहां पांच मेम्बर होते हैं वह उस मुआम्ले पर अच्छी तरह से गौर करते हैं. मन्डी कमेटी अभी कायम हुई है. मन्डी कमेटी को ५० रुपये तक जुर्माने के जो इख्तियारात दिये जाना तजवीज किये गये हैं उससे मुझे इख्तलाफ नहीं है.

छटांक, सेर, पंसेरी, मन वगैरा जो स्टेन्डर्ड वेट्स कायम किये गये हैं वह ठीक हैं. अनाज का भाव ३ मन, ५ मन व ६ मन के हिसाब से होता है. अजवान का भाव मानी के हिसाब से और धनिया का मनों के हिसाब से होता है. तोल जोख का मुआम्ला दो तरीके से होता है, तौल से और नाप से. नाप से लोगों को सहूलियत पड़ती है. तोल में ५ सेर का सवा ५ सेर तुल जाता है, लेकिन नाप में एक दाना भी ज्यादा नहीं जाता. इस्तदुआ है कि दरबार की तरफ से नाप का तरीका मुकर्रर होना चाहिये, यानी नाप के कुंडे मुकर्रर कर दिये जावें और इसके मुतअल्लिक जमींदार साहिबान भी अर्ज कर सकते हैं.

अहमदनूरखां साहब—गल्ले के लिये नाप मुकर्रर करना हरगिज मुनासिब न होगा, क्योंकि एक किस्म का गेहूं वजनदार होता है, दूसरा गेहूं हल्का. इसलिये उसको एक नाप से नापना नामुनासिब है.

ट्रेड मेम्बर साहब—बहस सुनने से मेरा ख्याल होता है कि इस सवाल के मुतअल्लिक कुछ गलत फहमी हुई है. सवाल इस बुनियाद पर पेश किया गया था कि आम तरीका औजान का जारी किया जावे. इस बारे में अहकाम व सरक्युलरात भी जारी हो चुके हैं और हिदायात भी जारी हो चुकी हैं, बाईं हमां तामील नहीं हुई है. दूसरा सवाल यह था कि मुख्तलिफ मुकामात में मुख्तलिफ वजन होने से नुकसान है. अब जो कुछ यह बहस हो रही है उसमें पहले और दूसरे सवाल को मखलूत कर दिया गया है. पहला सवाल (तजवीज नम्बर २) यह है कि वाकई जुम्ला औजान जो हैं यह सब एक जगह किये जायें या अलहदा. चुनांचे आप लोगों ने एक किये जाने की बाबत राय दी है. इसमें यह तो सवाल जरूर हो सकता है कि एक किये जायें, दो किसी हालत में नहीं किये जा सकते. अक्सर ख्यालात यह पाये जाते हैं कि जो कुछ कमेटी ने गौर किया उसकी बुनियाद नुक्स पर मबनी है. किसी जगह मानी तीन मन की है, किसी जगह ४ मन की और किसी जगह ६ मन की. फर्ज किया जावे कि जहां ६ मन की है उन लोगों को आसानी होगी और जहां कि ३, ४ व ५ मन की है वहां सख्त नुक्सान है. इस वजह से स्टेन्डर्ड जो खरीद व फरोख्त का है वह मन है. सौदा जो कुछ होगा वह मन से होगा. मानी मनों से हो सकती है. मानी से आगे चलकर मनासा होगा, फिर कनासा होगा. दूसरे सवाल नम्बर ६ पर बहस हुई. सवाल नम्बर ६ इस बात का था कि इसका इन्सदाद किस तरह हो. दरबार से सरक्यूलर व अहकाम जारी हुए व हिदायतें भी हुईं, मगर किसी शख्स ने उन पर अमल नहीं किया. यह जुर्म इख्तियारी पुलिस व अदालत है. एक शख्स का माल पाव भर कम हुआ वह अदालत व पुलिस में जाने के लिये दस, बीस, पचास रुपया अपने पास रखले तब मुकद्दमा चलाये. कम वजनी आम तौर पर लोग करते हैं और फायदा उठाते हैं लेकिन कोई मुकद्दमा इस वक्त तक कोर्ट तक नहीं पहुंचता; लिहाजा पुलिस में जब मुकद्दमा चलेगा और कोर्ट में जायगा तो वहां कानून पेशा के जर्ये से मदद मिल सकती है. मन्डी कमेटी के पास इस कदर रुपया नहीं है, पुलिस के पास रुपया नहीं है, काश्तकार घर से पंसेरी नहीं लाते मुकद्दमा उन्हीं के ऊपर हो सकता है जो मन्डी में खरीद फरोख्त करते हैं. मुकद्दमा काश्तकारों पर कैसे हो सकता है ? इसलिये कि वह मन्डी के औजान से काम करते हैं. मन्डीवालों पर मुकद्दमा हो सकता है. मेरे ख्याल से मन्डी कमेटी में ही फैसला होना मुनासिब है, बमुकाबिले इसके कि मुकद्दमा कायम करके उसको सुपुर्द कोर्ट किया जावे, दोनों कोर्ट में जावें तारीखें मुकर्रर हों, वुकला का तकर्रुर हो और फिर कहीं फैसला हो. बाज साहबान का ख्याल है कि

मन्डी कमेटियों से ऐसा फैसला नहीं हो सकता, जैसा कि जस्टिस कोर्ट से हो सकता है. एक भाई मेम्बर है, एक भाई ने कम वजनी की, मुकदमा लाने वाला एक शख्स होगा, चौधरी के यहां आवेगा, तारीख मुकर्रर होगी और पांच छै मिलकर तजवीज करेंगे. मेरा ख्याल यह है कि फी सदी एक मुकदमा भी ऐसा न होगा कि जिसमें कमेटी ५०) जुर्माना करे. ।) करेगी, ॥) करेगी या एक रुपया पर टाल देगी. पहले यह भी तजवीज हुई थी कि १।) रुपया का इख्तियार दिया जावे मगर यह करार पाया कि यह इख्तियार बहुत कम होगा. जुर्म करने वाले ज्यादातर वही लोग होंगे जो माल की खरीद फरोख्त करते हैं और इस वजह से जो लोग इसी जुर्म के मुर्तकिब होते हैं उन्हीं के जर्ये से इस जुर्म का इन्सदाद हो सकता है, पुलिस से ज्यादा दिक्कत है. जैसा मैंने अर्ज किया कि औजान के स्टेन्डर्ड तीन रक्खे गये हैं इसी तरह सजा की बाबत अगर आप ५०) नहीं रखते हैं तो ५) रुपये या १) रुपया रख दीजिये, क्योंकि इस जुर्म में कैद की भी सजा है इसमें किसी किस्म का सब-कमेटी को इख्त-लाफ नहीं है. मन्डी के भी बहुत से लोग जिनका इसके जर्ये से फायदा हो रहा है मुखालफत करेंगे, ऐसी मन्डियां भी बहुत कम हैं जिनमें ऐसा नुक्स ज्यादा है.

रामप्रताप साहब लम्बा--एक मुकद्दमा भी कम औजान का ऐसा नहीं हुवा, जिसमें जुर्माने की सजा दी गई हो; इसलिये मन्डी कमेटी को हीं यह इख्तियार होना चाहिये ताकि मुआम्ला जल्द तय हो जावे.

अहमदनूरखां साहब.--काश्तकारों के मुताल्लिक अभी अर्ज किया था जिसकी ट्रेड मेम्बर साहब ने मुखालिफत फरमाई है. काश्तकार लोग अपने साथ ढैया, पसेरी नहीं लाते और मंडी वालों से ही तुलवाते हैं; इसलिये अगर पुलिस से निगरानी निकाल ली जावे तो मंडी के मेम्बरान ही सुरागरसी करनेवाले, वही मुकदमा चलाने वाले और वह खुद ही इन्साफ करने वाले होंगे और इस तरह काश्तकारों के हुकूक पामाल होंगे इसलिये काश्तकारों के मुताल्लिक मैंने यह अर्ज किया था.

जहांगीर बहमनशा साहब.—जगमोहनलाल साहब ने जो सवाल में कहा है वह उसूल के ऊपर बहुत ठीक है. फरियाद करने वाला कोई और शख्स मुकर्रर किया जावे, चालान करने वाली पुलिस या जहां जहां मंडी हो वहा मंडी या म्युनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी हों और इसके अलावा यह भी रक्खा जावे कि अपील मजिस्ट्रेटी में हो, तो गैर इन्साफ की उम्मेद न रहेगी.

अब्दुलहमीद सिद्दीकी साहब.—हुजूर मुअल्ला, मेरी गुजारिश यह है कि मजिस्ट्रेटी में मामलात दिये जाने के मुताल्लिक क्यों इस्तेजाब जाहिर किया जा रहा है. यह उम्मेद की जाती है कि अदालत में मुकद्दमे की नोइयत को अच्छी तरह समझा जायगा. ऐसे मुकदमात में वकीलों को पैरवी करने की इजाजत न दी जावे. अगर मुलजिम सजा के काबिल हो तो उसके खिलाफ मुकदमा बाकायदा चलाया जाय. वकीलों की ताकत नहीं है कि वह कानून की या अदालत की मर्जी के खिलाफ अदालत से कुछ भी करा सकें. यह खौफ होना ही नहीं चाहिये, बल्कि देखना यह है कि आया मेम्बरान मंडी में इस किस्म की सलाहियत है भी या नहीं कि वह मुकद्दमे को अच्छी तरह समझ सकें. इसमें नाइन्साफी का भी बहुत अहतमाल है; क्योंकि उसमें जातियात का दखल होता है एक दूसरे की तरफदारी करने का इमकान है; अदालत में यह बात नहीं है. मंडी कमेटी को इतना बड़ा इख्तियार कि पचास रुपये तक जुर्माना कर सके, देना ज्यादती होगी

रामप्रताप साहब लंबा.—इनको (अब्दुलहमीद सिद्दीकी साहब को) ज्यादा वाकफियत नहीं मालूम होती. इस वक्त मेम्बर साहबान मंडी कमेटी उज्जैन के मौजूद हैं. सेठ लुकमानभाई साहब, करमचंद साहब और एक मैं भी मेम्बर हूं. यह लोग बडी वाकफियत रखने वाले. हैं

महन्त लक्षमणदास साहब.—वाकई मैंने कमेटी के मेम्बरान की कोई नजीर ऐसी नहीं देखी है. बेनजीर यह बात कही गई है. मंडी में लाखों रुपया आते जाते हैं और बडा व्योपार होता है क्या उनमें ऐसी स्वस्थता नहीं है इन की बाबत ऐसी अयोग्यता जाहिर करना ठीक नहीं है

अहमदनूरखां साहब.—उज्जैन कैसी हालत आम तौर पर सब जगह नहीं है. उज्जैन के मेम्बरान तालीम याफ्ता और निहायत शायस्ता हैं, यह मैं जानता हूं. शाजापुर में मंडी कायम होने के बाद ही तीसरे रोज एक शख्स पर पच्चीस रुपये जुर्माना हुए. हर फिरके में और हर तबके में हर तरह के लोग होते हैं.

हुजूर मुअल्ला.—जहां तक मैं इस रिपोर्ट की बाबत साहबान की राय समझा हूं उससे पाता हूं कि उसमें सब-कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ दो बातें हैं:—

(१) यह कि जुर्माने की जो रकम कायम की गई है वह ज्यादा है,

(२) यह कि यह मामला मंडी कमेटी के सामने न जाकर मजिस्ट्रेट के सामने जावे.

ज्यादातर इन्हीं बातों पर जोर दिया गया है. इस मसले पर जहां तक मैंने गौर किया मेरी राय में मंडी कमेटी भी एक तरह की पंचायत है; लिहाजा उसके सामने मामला जाना ठीक है, बजाय मजिस्ट्रेट के; जुर्माने की निस्बत मेरी यह राय है कि बजाय पचास रुपये के बीस रुपये रख दिये जावें.

तीसरी एक यह बात भी कही गई है कि मानी और पल्ला रखा जावे, इसके मानी यह हैं कि पुरानी गडबड कायम रहे, इससे मुझे कतई इत्तफाक नहीं है. मैंने महज इसलिये अपना ख्याल जाहिर किया है कि आपको वोट देने में आसानी हो.

ठहराव.—वोट लिये जाने पर कसरत राय से रिपोर्ट सब-कमेटी इस तरमीम के साथ मंजूर की गई कि मंडी कमेटी को बजाय ५०) के २०) तक जुर्माना करने का इख्तियार दिया जावे.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर ५, फर्द नंबर १, निस्बत दाग मवेशियान (जमीमा नंबर ६.)

हुजूर मुअल्ला.—इस मामले की निस्बत जो राय कमेटी ने दी है उस पर आपने गौर किया होगा और रिपोर्ट आपने देखी होगी. मैंने इस तरद्दुद को दूर करने के लिये इन्सपेक्टर-जनरल साहब आर्मी से पूछा कि कोई और जरिया भी निकल सकता है या नहीं. उन्हों कहा कि और कोई जरिया नहीं निकल सकता. चुनांचे इसकी निस्बत किसी साहब को कुछ कहना है या सजेशन करना है ?

नारायणदास साहब.—हुजूर मुअल्ला, सब-कमेटी ने यह तजवीज किया है कि हर गांव में पच्चीस मवेशियों के लिये एक जवान आदमी रखा जावे; मगर हालत यह है कि गांव में गांव के काम के लिये ही आदमियों की कमी है. इस वक्त रखवाली के लिये बच्चे बीस बरस, पन्द्रह बरस व बारह बरस के रखवाली करते हैं मस्लन—एक गांव में चारसौ मवेशी हुए तो उनके लिये सोलह आदमियों की जरूरत होगी. मेरे ख्याल से इसकी पाबन्दी गांव में होना दुश्वार है. इस तादाद को न रखते हुए कोई तादाद न रखी जावे तो मुनासिब होगा.

केशवराव बापूजी साहब.—अन्नदाता, कमेटी की रिपोर्ट में यही तजवीज की गई है कि आदमी " जहां जरूरत हो " वहां रखा जावे. हर जगह न रखा जावे. फिर यह सवाल बाकी नहीं रहता.

धुंडीराज कृष्ण अष्टवाले साहब.—अन्नदाता, इस विषय की निस्बत विचार किया गया तो मेरा ख्याल यह होता है कि अगर यह सवाल मजलिस में शुरू से गौर करने के लिये

रखा जावे तो मुमकिन है कि मजलिस को दूसरा मुद्दआ (पॉइन्ट) सूझे. आम तौर पर जब किसी मामले में असल सवाल के मुतअल्लिक कोई कमेटी मुकर्रर की जाती है तो फिर जलसे आम में कमेटी की रिपोर्ट पर गौर होता है, लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि कमेटी की रिपोर्ट व सिफारिश के अलावा असल तजवीज के मुतअल्लिक भी जलसे आम में गौर हो तो बेहतर है. दूसरे यह कि जो कमेटी के मेम्बर हों उनको भी इजाजत होना चाहिये कि वह बावजूद कमेटी में बहस करने के अगर जलसे आम में भी उनको कुछ सूझे तो कह सकें क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सब-कमेटी हो जाने पर भी विचार करने के लिये वक्त मिल जाने से एखादी बात ध्यान में आती है तो ऐसी सब सूरतों के लिये अगर कमेटी के मेम्बर बाद में कुछ कहना चाहें तो उनको इजाजत होना चाहिये. यह सवाल दरबार से उठा है, सब-कमेटी भी दरबार हुक्म के मुताबिक मुकर्रर की गई है और कभी कभी मामूली बात भी इम्पार्टेन्ट हो जाती है.

हुजूर मुअल्ला.—क्या आपको भी कुछ कहना है? बाद मीटिंग के आपको कोई बात सूझी हो तो बताइये.

धुंडीराज कृष्ण अष्टेवाले साहब.—मुझे जो सूझा है वह कहता हूं.

हुजूर मुअल्ला.—कहिये.

धुंडीराज कृष्ण अष्टेवाले साहब.—इस विषय में मेम्बरान ने किस तरह से विचार किया यह बात मजलिस के सामने रखने से कभी कभी एकाधा महत्व का विचार मजलिस में किसी साहब को सूझना मुमकिन है. इसलिये और एकाधी छोटी सी बात भी कभी कभी ज्यादा महत्व की हो जाती है. इसलिये जिन २ बातों का विचार किया गया वह मैं मजलिस के सामने पेश करता हूं. विशय यह है कि मवेशियों की चोरी की रोक और सुरागरसी में सहूलियत होना; इस विशय में चार तरह से इन्तजाम हो सकता है:—

(१) आस पास की रियासतों से मिलकर किसी अच्छे इन्तजाम की सूरत पैदा करना.

(२) पुलिस के इन्तजाम में सुधारना करना.

(३) जमींदार साहबान से भी माकूल मदद पहुंचना.

(४) मवेशियान की पहिचान होने के लिये उनके जिस्म पर कुछ निशानात कायम करना.

इन चार बातों में से चौथी कलम ज्यादा महत्व की समझी गई क्योंकि असल में सवाल यह है कि दाग लगाने के बजाय दूसरा कौनसा तरीका इख्तियार करना मुनासिब होगा कि जिससे मवेशियान के चोरी जाने या गुम हो जाने पर उनकी पहिचान और गिरफ्तारी में आसानी हो. दाग लगाने के सिवाय पहिचान के लिये निशानात करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यह सोचा गया.

खुर के ऊपर निशानात करना, पक्का रंग देना और गोदना यह तीन तरीके ख्याल में आये. मिलिटरी हॉर्सेज के खुरों पर जैसा कि निशान किया जाता है वैसा ही अगर मवेशियान के खुरों पर किया जावे तो क्या हर्ज है? जवाब इसका यह है कि वे निशानात मिटाये जा सकते हैं. पक्का रंग देना या ऐसी कोई तजवीज करना कि जिससे निशानात के मुकाम पर बाल न आवे, यह ख्याल इस वजह से हुआ कि सुना था कि एक पुतले पर ऐसा रंग जमाया गया था कि वह किसी से न निकला आखिरकार किसी प्रॉफेसर साहब ने किसी कैमिकल सोल्यूशन से उसको मिटाया. लेकिन ऐसा कैमिकल सोल्यूशन मिल जाना चाहिये तब यह हो सकता है. अलबत्ता गोदने की निस्बत ऐसा ख्याल जरूर होता है कि थोडीसी कोशिश की गई तो गोदने से कामयाबी आसानी से होना मुमकिन है. इन्सान के मुलायम बदन पर इलेक्ट्रिक मशीन से तकलीफ न होते हुए सहल तौर पर साफ साफ हर्फ

या तसवीरें निकाली जाती हैं, वैसे ही मवेशियान के सख्त चमडे पर मशीन में कुछ बदल करने से गोदना impossible नहीं मालूम होता. गोदने का यह आसान experiment अगर कामयाब हुआ तो मालिक मवेशियान शनाख्त करने से इन्कार नहीं करेंगे व बेरहमी का बर्ताव किया जाता है ऐसा भी कोई नहीं कहेगा. यह तो पुलिस की रिपोर्ट से जाहिर ही है कि शनाख्त होने से गिरफ्तारी में आसानी होती है.

दीगर रियासतों के co-operation से व पुलिस के इन्तजाम से कुछ हो सकता है या नहीं, इसका भी विचार किया तो एक तरीका यह नजर में आया कि मवेशियान को बेचते व खरीद करते वक्त बेचने वालों और खरीदारों को दाखला हासिल करना चाहिये, लेकिन इसमें दीगर रियासतों के co-operation की जरूरत है, क्योंकि पुलिस ने एखादे शख्स से दाखला मांगा तो वह यह कह सकता है कि मैं दूसरी रियासत से आया हूं और वहां दाखले का रिवाज नहीं है. इसी बहाने से रियासत हाजा से भी चोर माल लेकर निकल जा सकता है. यह तरीका इख्तियार करने से गिरफ्तारी में आसानी हो सकती है.

रामराव गोपाल देशपांडे साहब.—सूचना ठीक आहे.

अहमद नूरखां साहब.—आपने फर्माया है कि कोई दूसरा निशान लगाया जावे. लेकिन हुजूर वाला, बीस साल से ज्यादा अर्सा हुआ कि दाग लगाये गये थे. लेकिन वह मवेशी जिस दाग के जरिये से शनाख्त होते थे उससे आज तक शनाख्त नहीं हुए. अगर कोई दूसरा निशान बनाया जावे तो सुरागरसी की क्या उम्मेद हो सकती है. अलबत्ता हुलिया की वजह से तो सुरागरसी हुई है. अक्सर जरायम पेशा लोग डर के मारे कि सुरागरसी न हो, मवेशियों को जाया करने में जल्दी करते हैं, इसलिये यह तरीका छोड देना मुनासिब है.

जामिनअली साहब.—अन्नदाता, आज तक इसका कुछ नतीजा न निकला. बदमाश लोग मवेशियों को जाया कर देते हैं, दूसरी रियासतों में, भूपाल वगैरा में, कोई दाग का तरीका नहीं है और गवर्नमेन्ट हिंद में भी नहीं है. अगर इस रिवाज को अच्छा समझा जाता तो गवर्नमेन्ट हिंद में जरूर होता. यहां से मवेशी बदमाश लोग लेकर चले गये, आगरा या और कहीं उन्हों ने ले जाकर कसाईयों के हाथ फरोख्त कर दीं, अगर दाग न होता तो वह जरूर अर्से तक यहीं रखते; इसलिये जो तजवीज कमेटी ने पेश की है, वह निहायत अच्छी है.

ठहराव.—वोट लिये जाने पर कसरत राय से करार पाया कि रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की जावे.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नम्बर १, फर्द नंबर २, स्टेट मिडिल के इम्तहान के फेल शुदा तुलबा को रिआयत दिये जाने बाबत (जमीमा नम्बर ७).

बन्सीधर साहब.—गरीब परवर, इसके मुतअल्लिक जो सब-कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है मैं उसकी ताईद करता हूं.

हुजूर मुअल्ला.—(कुछ अर्से तक खामोशी देखकर)—मेरा यह ख्याल है कि इसकी निस्बत किसी को कुछ कहना नहीं है.

जहांगीर बहमनशा साहब.—जो रिआयत एक साल के लिये रक्खी गई है वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है. फर्ज किया जावे कि इम्साल जो उम्मेदवार एक सबजेक्ट में फेल हो गया और दूसरे साल दूसरे सबजेक्ट में, तो तीसरे साल उसको कुछ मजामीन में इम्तहान देना पडेगा. रिआयत अगर दी जाती है तो काफी तौर पर देना चाहिये.

महन्त लक्ष्मण दास साहब.—महाशय बहमनशा साहब ने जो सब-कमेटी में यह तरमीम करना चाहा है कि मिडिल क्लास के इम्तहान में एक साल की रिआयत ठीक नहीं, ज्यादा रक्खी जावे, इसकी बाबत विचारना यह है कि ज्यादा रखने में विद्यार्थियों को लाभ है या हानि. मान लीजिये कि अगर ज्यादे साल की रिआयत कर दी गई तो फिर विद्यार्थी लोग कितने साहस को ढीला कर देंगे और एक साल के बजाय वे साल साल पास करने में उतारू होंगे जो मिडिल के पांच विषयों को पांच साल तक भी पास करते रहेंगे. इस तरह बारह वर्ष पढाई और इम्तहान में प्राय: लग जायेंगे. बिचारिये, इस तरह की रिआयत से विद्यार्थियों को लाभ है या हानि, और इस ढिलाई में जिनको आगे हायर एज्यूकेशन में जाना होगा उनका भी कुछ न कुछ समय जाया होगा व पीछे के विषय भूलते जावेंगे. मैं परीक्षा की रिआयत के बजाय उस रिआयत की मार्ग प्रतीक्षा करता हूं जो एज्यूकेशन कमीशन की रिपोर्ट के गर्भ में है. ईश्वर ने चाहा तो मिडिल कोर्स के बिषयों का भार कुछ हलका हो जावेगा, और प्यारे विद्यार्थियों की रटाई बचेगी, तब विद्यार्थी रिआयत का सुख समझेंगे. परीक्षा में इस तरह की रिआयत देना स्वयं सच्चे विद्यार्थी को पसंद न होगा क्योंकि गीता में उपदेश है कि:—

"यदग्रे विषमिव परिणामें मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विक प्रोक्तं मात्म बुध्दि प्रसादजम् "

अर्थ यह है कि, जिस काम के करने के पहिले कठिन मुसीबत होती है, यानी वह काम बिष के समान प्रतीत होता है, लेकिन पीछे उसका परिणाम अमृत समान निकलता है, वह सुख सात्विकी है, इसलिये एक साल की रिआयत ही उचित है, जो ढीले सीले विद्यार्थी ही पसंद करेंगे. जो साहसी और दिमागदार हैं वे एक साल में पास होने की कोशिश करेंगे. मैं भी विद्यार्थियों की सेवा में अपना सारा जीवन लगा रहा हूं. मुझे विद्यार्थियों की रटाई खटकती है, परीक्षा नहीं. इसलिये सब कमेटी की रिपोर्ट विद्यार्थियों की हितकारित है और एक साल ही रिआयत ठीक है.

केशवराव बापूजी साहब.—प्रायवेट तौर से शरीक होने वाले लडकों को भी यह रिआयत देना जरूर है. रिपोर्ट में यह भी शामिल कर दिया जावे.

ठहराव.—वोट लिये जाने पर रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की गई.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर ४, फर्द नंबर २, निस्बत बीज मालवी कपास (जमीमा नंबर ८.)

ठहराव—वोट लिये जाने पर कसरत राय से रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की गई.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर ८, फर्द २, निस्बत वसूली मतालबा म्युनिसिपेलिटी (जमीमा नंबर ९.)

ठहराव.—वोट लिये जाने पर कसरत राय से रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की गई.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर ९, फर्द नंबर २, बाबत रोक काश्त सिंघाडा (जमीमा नम्बर १०).

महादेवराव साहब—हुजूर वाला, मैं इस कमेटी की रिपोर्ट से इत्तफाक करता हूं और साथ ही गुजारिश करता हूं कि आबनोशी के आगे " तीर्थ स्थान " का लफ्ज बढाया जावे यानी जहां तीर्थ स्थान हो वहां भी सिंघाडा न बोया जावे.

केशवराव बापूजी साहब.—मैं भी इस की ताईद करता हूं.

नारायणदास साहब—मैं भी इसकी ताईद करता हूं.

बन्सीधर साहब—मैं भी ताईद करता हूं

हुजूर मुअल्ला—यह जो सजेशन किया गया है कि तीर्थ स्थान का लफ्ज बढाया जावे वह बिलकुल ठीक है, बढा दिया जावेगा. चूंकि नायब तहसीलदार प्रोपेगेन्डा के पास काम ज्यादा है इसलिये क्या बेहतर न होगा कि उसके बजाय कोई दूसरी Agency इस काम के लिये कायम की जावे ?

बन्सीधर साहब—अन्नदाता ! इसके बारे में कि उनके पास दर असल काम ज्यादा है, गुजारिश है कि शहरों व कस्बों में, कमेटियां कायम हैं. मवाजियात के बारे में जब एक बार यह बात करार पा जावेगी कि सिंघाडे कहां कहां न बोये जावें तो फिर आयन्दा जमीदारान के मुतअल्लिक इसकी निग्रानी रहेगी.

अहमदनूरखां साहब.—तालाब जमींदारों के होंगे, वह खुद देख भाल करेंगे या किसी से करावेंगे ?

हुजूर मुअल्ला—अहमदनूरखां, सब-कमेटी की रिपोर्ट की कलम नम्बर ३ की आखरी लाइन में " नायब तहसीलदार प्रोपेगेन्डा " लिखा है, मगर नायब तहसीलदार के पास काम ज्यादा है इसलिये अगर कोई और नाम इसके बजाय तजवीज किया जाय, तो बेहतर होगा

पोलिटीकल मेंबर साहब.—सरकार ! नायब तहसीलदार प्रोपेगेन्डा की इस मामले में महज निग्रानी रक्खी गई है और कोई खास काम उसके जिम्मे नहीं, इसलिये अगर यही नाम रहे तो हर्ज नहीं है.

हुजूर मुअल्ला—अच्छा तो सब-कमेटी की रिपोर्ट के मुतअल्लिक वोट लिये जावें.

ठहराव—वोट लिये जाने पर कसरत राय से यह बात करार पाई कि सब-कमेटी की रिपोर्ट इस तरमीम के साथ मंजूर की जावे कि आबनोशी के साथ 'तीर्थ स्थान' का लफ्ज इजाफा किया जावे.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर २०, फर्द नंबर २, निस्बत नातरा धरीचा (जमीमा नम्बर ११).

अहमदनूरखां साहब.—मेरी मुराद यह थी कि जीते खाविंद की औरत का उस वक्त तक नातरा जायज न समझा जाय जब तक फारिगखती रजिस्ट्री शुदा हासिल न करे या इफ्तराक की डिग्री हासिल न करे, क्योंकि ऐसा न करने से गरीबों की खाना बरबादी होगी.

मूंगालाल साहब.—मुख्तलिफ तरीक पर रिवाज हैं इनको कानूनी तरीके पर हल करना मुशकिल है.

जहांगीर बेहमनशा साहब.—एक जो खराब रिवाज है और जिससे बहुत से लोगों की बरबादी होती है इसको क्यों न साफ किया जाय?

मूंगालाल साहब.—कौमी रिवाज जो पडा हुआ है उसमें दस्तन्दाजी करना ठीक न होगा.

जहांगीर बहमनशा साहब.—रिवाज को साफ कर दिया जावे क्योंकि ज्यादती होती है.

मथुरा प्रसाद साहब.—इसके साफ करने की कोई जरूरत मालूम नहीं होती.

अहमदनूरखां साहब.—इसके साफ करने की जरूरत इस वजह से मालूम होती है कि जुर्माना या झगडा लेकर तस्फिया कर देते हैं, पस ऐसी हालत में साफ करने की जरूरत है.

जहांगीर बहमनशा साहब.—साफ न होने की सूरत में गैर इन्साफी का बहुत अन्देशा होता है और नतीजा यह होगा कि " Weaker must go to the well "

भगवान सरूप साहब.—जिन बिरादरियों में यह राइज है और कोई शाकी नहीं है तो उनमें अपनी तरफ से तस्फिया करना ठीक नहीं है. जब शाकी ही न होगा तो तस्फिया कौन शख्स कर सकता है.

ठहराव.—वोट लिये जाने पर कसरत राय से रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की गई.

[नोट:—सब-कमेटियों की रिपोर्ट खत्म होने पर मजलिस आम का यह तीसरा इजलास व सेशन सवा तीन बजे खत्म हुआ.]

जमीमा नम्बर. १.

नक्शा जिससे यह जाहिर होता है कि सम्वत १९७८ व १९७९ की मजलिस आम में किस कदर तजावीज पास हुई व उनके मुतअल्लिक क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई गई.

नम्बर शुमार	मिसल.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्युलर, नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
		महकमे ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.				
१	१९७८	**तजवीज नम्बर १, एजेन्डा नम्बर २.** उस रुपये को जो दूकानदारान मन्डियों में बतौर धरमादा वसूल करते हैं, मुनासिब तरीके पर सर्फ किये जाने के मुताल्लिक कवायद वजा किये जायें.	इस तजवीज पर हमराह मुसव्विदा कवायद मन्डी कमेटी, गौर किया जाकर कवायद मन्डी कमेटी पास किये जायें.	मुसव्विदा कवायद मन्डी में मुनासिब तरमीम की जाकर यह मजलिस खास में पास हो चुके हैं. इन कवायद का इजरा जल्द किया जावे.	कवायद मन्डी गवालियार गवर्नमेन्ट गजट तारीखी ४ नौम्बर सन १९२२ ई०. में शाया हो चुके हैं. और उन की दफा १४ (१० अ) में धर्मादा के मुतअल्लिक हस्ब जैल provision कर दिया गया है:— " मंडी में धर्मादा के नाम से जो हक दूकानदारान वसूल करके हस्ब राय खुद सर्फ करते हैं उसका निस्फ हिस्सा तक दूकानदारान अपनी राय से सर्फ करेंगे और बकाया निस्फ हिस्सा हस्ब राय कमेटी सर्फ किया जायगा और यह सर्फा रिफाह आम के कामों में सर्फ करना चाहिये. मस्लन तालीम, गौशाला, यतीम खाना, सेवा समिति वगैरा, या ऐसे असराफ जिनकी रू से मंडी की तरक्की मुमकिन हो.	

२	१९७८	**तजवीज नम्बर ८, एजेन्डा नम्बर २.** हर एक नई मन्डी में कस्टम्स ड्यूटी माफ होना चाहिये. जिस जगह ड्यूटी माफ है, उस जगह ब्योपार की तरक्की होती है और शहर के अन्दर जो चीज आवे उस पर ड्यूटी होना चाहिये.	इस सवाल के दो हिस्से हैं. हिस्सः अव्वल मुताल्लिक फ्री गंज है, जिसकी बाबत दरबार की *policy मजलिस को मालूम हो गई. उससे यह हिस्सा तय होता है.	फ्री गंज कायम होने की बाबत अजलाय से रिपोर्ट तलब हो.	अजला में या लश्कर में ब्योपारियान फ्री गंज बनाने को रजामन्द नहीं हैं.	*दरबार ने फ्री गंज कायम करने का कायदा बना दिया है और उज्जैन, मन्दसौर व लश्कर में फ्री गंज कायम किये जा सकते हैं.
		जो लोग हाथ का काम बनावें या कारखाना जारी करें उनके मुकाबले में जो माल बाहर से आवे, उस पर ड्यूटी लगाना चाहिये, ताकि रियासत की बनी हुई चीजों की तरक्की हो.	दूसरे हिस्से का ताल्लुक टैरिफ से है, जिसको revise करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई थी और उसकी रिपोर्ट जेर गौर दरबार है. उस रिपोर्ट के साथ इस हिस्से पर गौर किया जाये.	टैरिफ के ताल्लुकात में गल्ले के classes करार दिये जाकर automatic system पर निकासी खुलने व बन्द होने का ठहराव मजलिस खास से पास हो चुका है, चुनांचे महसूल शरह मुजव्विजा के मुताबिक sliding scale पर लिया जा रहा है. बकिया अजनास व अशियाय पर टैरिफ कमेटी की तजवीज जेर गौर है.	जदीद टैरिफ तारीख १ नाम्बर सन १९२३ ई० से नाफिज हो चुका है.	

नम्बर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्युलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
३	१९७९	**तजवीज नम्बर ९, एजेन्डा नम्बर २.** गवालियार लाइट रेलवे के इन्तजाम की खामियों व मुसाफिरों की तकलीफ की जांच करके दरबार मुअल्ला की खिदमत में मुफस्सिल रिपोर्ट मय तजवीज पेश करने के लिये, एक कमेटी मुकर्रर फरमाई जावे.	इस तजवीज से मजलिस ने इत्तफाक किया.	एक Notification इस मजमून का जारी किया जाव कि अगर public को इस बारे में कोई आम शिकायत हो, तो उनको चाहिये कि एक महीने के अन्दर अपनी शिकायतें पेश करें. अगर इन शिकायतों के देखने से कोई जरूरत मालूम होगी तो तहकीकात के लिये कोई ऑफिसर मुकर्रर किया जा सकता है.	Notification गजट ता: ९ जून सन १९२३ ई. में शाया किया गया था, मगर अवाम की जानिब से कोई शिकायती दरख्वास्त पेश नहीं हुई.	
		रेव्हेन्यू डिपार्टमेन्ट.				
	१९७९	**तजवीज नम्बर १, एजेन्डा नम्बर १.** गुजिश्ता सालों में काश्त की तरक्की के लिये रामबान कंबोडिया कपास व गेहूं का बीज जमींदारान व काश्तकारान को तक्सीम किया गया,	(१) बीज पंचायत बोर्डस के सरपंचान के पास, एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट तजुर्बे के वास्ते भेज दे.	यह तजवीज मंजूर है. डायरेक्टर साहब एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट	आला किस्म के बीज मसलन गेहूं, कम्बोडिया कपास, गन्ना, मूंगफली, तमाखू वगैरा के तजुर-	

	मगर उनकी जानिब से खातिर ख्वाह कोशिश इन अजनास को काश्त करने की नहीं हुई जिससे वह गरज हासिल नहीं हुई जिसके लिये यह बीज तक्सीम किया गया था. आयन्दा एसे अजनास के बीज फरोख्त और आला किस्म की काश्त को तरक्की देने के क्यि क्या तरीका इख्तियार किया जाय.	(२) सरंपच काश्तकारों से अपनी निगरानी में तजरुबा करावे. (३) तजरुबे के नतीजे वक्त पर और सही मिलने के लिये Agricultural Department एक Skeleton form तजवीज करे. (४) अगर किसी बीज की काश्त के मुतअल्लिक खास हिदायत की जरूरत हो तो इस हिदायत का सरक्युलर भी बीज के साथ भेजा जाय. (५) सरपंच के पास बीज अगर मौसम गुजरने के बाद पहुंचे तो वह बीज को एहतियात से रखकर Agricultural Department को फौरन इत्तला दे, ताकि आयन्दा साल तजुर्बा किया जावे.	इस तजवीज के मुताबिक इन्तजाम करे.	अात Central Experimental Farms गवालियार व उज्जैन पर जारी हैं और इन्हीं फार्म्स से तजुर्बे किये हुये बीज अजला के Demonstration Farms पर भेज जाते हैं. सेन्ट्रल फार्म्स व डिमॉन्स्ट्रेशन विलेज के तजरुबे किये हुये उम्दा बीज देहात में तक्सीम होने का इन्तजाम किया गया है. जैसी पैदाबार बढती जायगी उसी तादाद में बीज देहात में फैलाया जायगा. इस वक्त इतनी पैदावार नहीं होती जो आम तौर पर देहात में पंचायत बोर्ड्स की मार्फत तक्सीम की जाय. इसलिये कोशिश जारी है और उम्मेद है कि दो साल के अन्दर ऐसे बीज का काफी Stock होकर देहात में तक्सीम किया जा सकेगा. पूसा नंबर ४ की काश्त के मुतअल्लिक एक बुलेटिन शाया करके बीज के साथ देहात में भजी गई थी. इस बीज की पैदावार रियासत हाजा में कहीं

नंबर शुमार.	संमत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसका तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्यूलर, नोटिफिकेशन वगैरा,	कैफियत,
१	२	३	४	५	६	८
					औसत दर्जे की और कहीं आला दर्जे की हुई. सम्वत १९७९ में कम्बोडिया कपास की काश्त के मुतअल्लिक एक लीफलेट मय बीज के रियासत हाजा में कई जगह तकसीम किया गया. हाल ही में महकमे हाजा की तरफ से एक इश्तहार और बुलेटिन बाबत तरक्की काश्त कपास, छपवा कर देहात में तक्सीम की जा रही है और उम्दा बीज फराहम करने का भी इन्तजाम जारी है जो साल हाल में दहातों में तक्सीम किया जायगा.	
५	१९७८	**तजवाज नंबर २, एजेन्डा नंबर १.** अक्सर देखने में आया है कि रकबा पडत काबिल काश्त की तादाद जो पटवारी के कागजात में दर्ज होती है उसको उमूमन जमींदार मंजर नहीं करते बल्कि जमींदार हमेशा उससे कम रकबा बताते हैं.	१. मिलान खसरा में तफ्सील काबिल काश्त मौजूद है अलबत्ता सेडा अलग नहीं दिखलाया जाता पस उसके लिये अलग खाना रक्खा जावे.	मुताबिक ठहराव के correction slip जारी किया जाये. मुसव्विदा करेक्शन स्लिप मुताल्लिक तरमीम	हस्बुल हुक्म Correction Slip मुतआल्लिक सेटिलमेन्ट मेनुअल व लेन्ड रिकार्ड्स मेनुअल गवालियार गवर्नमेन्ट गजट तारीखी	

	सवाल यह है कि क्या तदबीर इख्तियार करना चाहिये कि जिससे पडती लायक काश्त की तादाद कागजात पटवारी में सही दर्ज हुआ करे जिसे जमींदार भी तस्लीम करे ?	२. बन्दोबस्त मौजा फर्द किस्म जमीन बनाई जाती है उसमें रकबा गैर मुमकिन व काबिल काश्त की जांच बखूबी होकर इन्दराज किया जाय, और उस पर जमींदार के दस्तखत इस अम्र की तस्दीक के कराये जायें कि इन्दराज हमको मंजूर है.	फॉर्म नं. १२ Land Records Manual व फॉर्म नं. १० Settlement Manual व दफा ६९ सेटिलमेन्ट मेन्ट मेनुअल जल्द पेश किया जाय. मुसब्विदे मजकूर में यह जरूर provide किया जाय कि बाबत सेहत रकबा गैर मुमकिन व काबिल काश्त पर जमींदार की तस्दीक कराली जाया करे.	१३ जनवरी सन १९२३ ई. में शाया किये गये.
६ | १९७८	**तजवीज नंबर ३, एजेन्डा नंबर १.** कॉटन कमीशन के रूबरू जो शहादत पेश हुई थी उससे जाहिर हुआ था कि मालवी कपास सबसे अच्छा है और उसका खालिस बीज मिल सकता है; मगर Agricultural Department का ख्याल है कि असली मालवी बीज नहीं मिल सकता, इसलिये खालिस मालवी बीज को इकट्ठा करने के लिये क्या इन्तजाम किया जाये.	सेठ मानिकचन्द, लुक्मान भाई व लालचंद साहब अमझेरा ने एक परगने के लिये खालिस मालवी बीज मुहय्या करने की जिम्मेदारी ली है. उसी तरह दीगर मालिकान Factories को बीज छांटकर Agricultural Department को मुहय्या करने में दिलचस्पी होने के लिये डिपार्टमेन्ट मजकूर से ऐलान कर दिया जाये कि मामूली बीज की जो कीमत हो उससे एक रुपया फी मन ज्यादा देंगे. उम्मेद है कि वह साहबान मुन्दर्जे सदर ५-५ सेर बीज बतौर नमूना Director Agriculture के पास भेज देंगे.	ठहराव मन्जूर है, डायरेक्टर साहब एग्रीकलचर इन्तजाम करें.	मालिकान जिनिंग फेक्ट्रीज (सेठ लुक्मान भाई साहब व सेठ मानिक चन्दजी साहब) ने वायदा किया था कि वह एक एक परगने के वास्ते बीज मुहय्या करने की जिम्मेदारी लेते हैं. कमेटी ने यह तय किया था कि मामूली बीज की जो कीमत होगी, उससे एक रुपया फी मन ज्यादा देने का अगर एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट से ऐलान कर दिया जाय

नाम सम्बत,	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम,	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्यूलर नोटीफिकशन वगैरा.	कैफियत.
२	३	४	५	६	७
				तो मालिकान फेक्ट्रीज दिलचस्पी लेकर खालिस बीज छांट कर मुहय्या करने को तय्यार हो जायेंगे. उस मुताबिक एक थैला जांच के लिये आया उसमें इतना मेल था कि जांच के बाद वापिस किया गया. जांबाद ग्वालियर गवर्नमेन्ट गजट तारीख २३ दिसम्बर सन १९२२ ई० व १० फरवरी सन १९२३ ई. में नोटिफिकेशन्स इस बाबत शाया किये गये, और मालिकान जिनिंग फेक्ट्रीज को लिखा गया. डाक्टर पेन्डलटन साहब खुद भी उम्दा बीज select करने के लिये उज्जैन में मालिकान जिनिंग फेक्ट्रीज के पास गये, मगर खालिस बीज न मिल सका. आखिरश बिनोद मिल से मालवी बीज select किया जिसमें २० परसेन्ट मेल पाया	

गया. मेल के निकालने के लिये यह तरकीब सोची गई कि बीज मिकदार से ज्यादा बोया जाय, और उगने पर निदाई में नाकिस पौधे निकाल दिये जायें. यह तरीका आसान भी था, और इसमें सर्फा ॥) बीघा के हिसाब से ज्यादा नहीं आता था. उज्जैन सेन्ट्रल फॉर्म पर इस किस्म का दस मन बीज बोया गया है. बीज का जर्मिनेशन (उगान) अच्छा था. बीस फी सदी मेल के पौधे निकाल दिये गये, ताहम बवजह बारिश पौधा की जसामत (बाढ) मारी गई. इस वजह से इस कपास की काश्त की पैदावार इम्साल इत्मीनान बख्श नहीं हुई ताहम जो पैदावार हुई है वह खालिस मालवी है और आयन्दा साल इस बीज को बढाया जायगा.

हरदो कारखानेदार साहबान की तरफ से खालिस मालवी बीज न मिलने से वह देहात में तकसीम नहीं किया जा सका.

नंबर शुमार.	नाम सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
७	१९७८	**तजवीज नम्बर ४, एजेन्डा नम्बर १.** बीज भन्डार से बहुत से फायदे हैं मगर इनकी कायमी में खातिरख्वाह तरक्की नहीं हुई, इसलिये क्या इन्तजाम किया जाय कि बीज भन्डार हर मौजे में कायम हो जाय ?	इसका नाम नाज भन्डार रक्खा जाय जिसमें एक खाने के काम का व दूसरा बीज के काम का गल्ला हो. फी हल ५ सेर खरीफ व ५ सेर रब्बी की फसल पर गल्ला वसूल किया जाय. इन भन्डारों की रजिस्ट्री Co-operative Department में कराई जाय जिसके लिये Byelaws मुरत्तिब किये जायें. इसकी निस्बत बतवस्सुत सूबा साहबान हर एक जमींदार की राय मांगी जाय. ऐसी रायों का खुलासा रेवेन्यु मेम्बर साहब दरबार में पेश करें.	अव्वल सूबा साहबान की मारफत जमींदारान की राय तलब की जाय, वह आने पर मामला पेश किया जावे.	सूबे साहबान की मारफत जमींदारान की राय तलब की जाकर मुनासिब हुक्म के लिये दरबार की खिदमत में पेश की गई, व हस्बुल हुक्म दरबार कमेटी से रूल्स तैयार किये गये, और जो बजर्ये सरक्युलर नंबर ८ सम्वत १९८० फायनेंस डिपार्टमेंट, हमराह ग्वालियार गवर्नमेन्ट गजट तारीखी १६ फरवरी सन १९२४ ई० जारी हो चुके हैं.	
	१९७८	**तजवीज नम्बर ५, एजेन्डा नम्बर १.** बन्दोबस्त में ५ रुपये फी सदी की रकम बाबत तनख्वाह चौकीदारान सरकारी मालगुजारी में शामिल की गई है. इस शरह से कुल रकम जो वसूल होती है, तनख्वाह चौकीदारान में देने को दरबार तैयार है. लेकिन इस हिसाब से तनख्वाह का औसत	इस वक्त ५ रुपये फी सदी रकम मालगुजारी पर चौकीदार फन्ड वसूल होता है उसमें २ रुपये फी सदी का और इजाफा होकर ७ रुपये फी सदी बाब चौकीदारी कायम की जावे. यह इजाफा जमींदार ही अदा किया करें.	(१) ठहराव मजलिस मंजूर है. मुफस्सिल Notification जारी किया जाये. (२) डायरेक्टर साहब कागजात देही व	हस्बुल हुक्म Notification ग्वालियार गवर्नमेंट गजट तारीखी १० फरवरी सन १९२३ ई० में शाया किया गया. और मालगुजारी में २ रुपये फी सदी इजाफा किस तरीक पर किया जाय इसकी	

करीब तीन रुपये माहवार फी चौकीदार आता है, मगर ६ रुपये माहवार से कम में चौकीदार नहीं मिल सकते. इसलिये क्या यह तजवीज मुनासिब होगी कि तनख्वाह के अलावा चौकीदारान को इस कदर जमीन मिनजानिब जमींदारान दी जावे कि जिसका लगान ३६ रुपये साल हो ताकि चौकीदारान को ६ रुपये माहवार का औसत साल में पड जावे.

सेटिलमेंट कमिश्नर साहब से राय ली जावे कि मालगुजारी में २ रुपये फी सदी इजाफा करने की निस्बत इस वक्त व आयन्दा बन्दोबस्त में किस तरह अमल किया जाये. यह राय लेने के बाद मुआम्ला पेश किया जावे.

निस्बत डायरेक्टर साहब कागजात देही व सेटिलमेन्ट कमिश्नर साहब की राय ली जाकर मुआम्ला दरबार की खिदमत में पेश किया गया व मुताबिक हुक्म दरबार तारीखी १२ फरवरी सन १९२३ ई०, सरक्यूलर नम्बर ५, सम्वत १९७९ गवालियर गवर्नमेन्ट गजट तारीखी २४ फरवरी सन १९२३ ई० में शाया किया गया.

तजवाज नंबर ८, एजन्डा नबर १

संवत १९७७ की जमींदारी कान्फरेन्स के ठहराव नबर ६ मुन्दर्जे मेमोरंडेम नंबर १२ पर तरक्की नस्ल अस्पान की बाबत हस्बुल हुक्म दरबार मुअल्ला जो स्कीम व्हेटरनरी ऑफिसर साहब ने पेश की है उसका खुलासा हस्ब जैल है:—

(१) नस्ल कशी घोडों के लिये २,८०,००० की पूंजी एग्रीकलचर बैंक के सरमाये में इजाफा की जाय और उस सरमाये से दस हजार रुपये हर परगने में रखकर फी परगना २० घोडियां खरीद करके जमींदारान को दी जावें.

(१) नस्लकशी के लिये घोडियां जो अज जानिब जमींदारान व काश्तकारान वगैरा खरीद की जायें उनकी तादाद किसी हालत में फी जिला २० से कम न हो.

(२) जमींदारान वगैरा को वाकिफकार बनाने के लिये ३ साल तक घोडियों की खरीदी के वक्त व्हेटरनरी ऑफिसर के साथ रखा जाय. इसके बाद घोडियां खरीदने का जो तअल्लुक ऑफिसरान से रखा गया ॆ वह किता कर दिया जावे.

राय मजलिस की कलमहाय नम्बर १, ४, ५, ६ व ७ की निस्बत मुताबिक राय मजलिस अमल किया जाय व कलमहाय नम्बर २ व ३ की निस्बत हस्ब जल अमल किया जाये:—

(१) घोडियां खरीदी के ताल्लुकात में व्हेटरनरी ऑफिसर का ताल्लुक सिर्फ इतना ही रक्खा

मुआम्ले हाजा के नोटीफिकेशन गवालियार गवर्नमेन्ट गजट तारीखी २ दिसम्बर सन १९२२ ई० में शाया किया गया और डायरेक्टर साहब एग्रीकलचर व डायरेक्टर साहब एग्रीकलचरल बैंक्स को बिनाबर तामील अहकाम जारी किये गये.

नंबर शुमार.	सरकुलर.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर, सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
		(२) घोडियां १४-२ से १५-१ तक के नाप की हों, और उन अमराज से पाक हों जो पुश्तैनी होते हैं. कीमत फी घोडी औसत ५०० रुपये होनी चाहिये. (३) मार्फत महकमा व्हेटरनरी यह मुश्तहर किया जाय कि फलां जिले के वास्ते फलां मुकाम पर इस कदर घोडियों की जरूरत है. नोटिस में रंग, कद वगैरा तहरीर किया जाया करे, और सौदागरान से टेन्डर तलब हों और किसी एक सौदागर को घोडी supply करने की कीमत फी पुश्ता तय करके ठेका दिया जाय. घोडियां पहुंचने पर हस्ब रेट तयशुदा कीमत अदा कर दी जाय	(३) कोई एक शख्स घोडियां खरीद करके लाये और बाद में ख्वाहिशमन्द जमींदारान के नाम की चिट्ठियां डाली जाकर जो घोडी जिसके नाम बरामद हो उसको दी जावे. (४) इस काम के लिये एक लाख रुपया अजला के काश्तकारी बैंक्स में हस्ब जरूरत रक्खा जावे. उससे ४ फीसदी सूद पर ९ साला अदाई की मुद्दत के लिये कर्जा दिया जाये. पहिले तीन साल तक कोई सूद न लिया जाये, बाद में लिया जावे. (५) घोडी खरीदी के बाद तजुर्बे से बच्चे कशी के लिये unfit साबित हो और वह sound अच्छी हालत में रखी गई हो तो उसे उसी कीमत में व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट, आरमी डिपार्टमेन्ट को फरोख्त करदे. (६) खरीदार को घोडियों के transfer करने के लिये व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट की इजाजत की जरूरत न होगी, सिर्फ इत्तला देना काफी है.	जाये कि वह देख लिया करें कि घोडी बाल भोंरी से साफ है व नस्ल कशी के काबिल है. (२) चिट्ठियां डालने के बजाय यह मुनासिब है कि चुनी हुई घोडियों में से जो शख्स जिस घोडी को खरीद करना चाहे, उसको वह खरीद करे. तामील के लिये डायरेक्टर साहब एग्रीकलचरल बैंक्स के नाम हुक्म जारी किये जायें और Notification भी जारी कर दिया जाये.		

(४) घोडियों की जमींदारान में तक्सीम का यह तरीका करार दिया जाय कि व्हेटरनरी ऑफिसर, व्हेटरनरी इन्सपेक्टर, सूबा साहब जिला और उन परगनात के (जिनमें घोडियां तक्सीम होनी हों) तहसीलदार साहबान व एक एक मुअज्जिज जमींदारान की एक कमेटी मुकर्रर हो और उनके रूबरू इन घोडियों की कीमत ताय्युन की जावे और ख्वाहिशमन्द जमींदारान के नाम चिट्ठियां डाली जायें. जो घोडी जिसके नाम बरामद हो उसको दी जावे.

(५) अगर कोई जमींदार अपने पास से कीमत देकर इन मंगाई हुई घोडियों में से घोडी लेना चाहे तो उसको भी बतौर खुद घोडी खरीद करने का इख्तियार न होना चाहिये बल्कि उसका नाम भी फ़ेहरिस्त में दर्ज होकर वह भी हस्ब सदर चिट्ठी में शामिल किया जावे.

(६) अगर इस तरह चिट्ठी से निकली हुई घोडियां जमींदारान आपस में ब रजामन्दी तब्दील करना चाहें तो वह कर सकते हैं. कीमत उनको उसी घोडी की अदा करनी होगी जो उनके पास रहे, और हस्ब सदर करार पाई हो. ऐसा तबादला, अगर घोडियां सरकारी सांड की भराई के रजिस्टर में

(७) गाय, बल, और भेड के सवाल पर आयन्दा साल की मजलिस आम में गौर किया जाये, उस वक्त तक काफी वाकफियत हासिल करके मेम्बरान राय देने के काबिल होंगे.

नंबर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
		दर्ज होने के बाद हो, तो बाद मंजूरी व्हेटरनरी ऑफिसर होना चाहिये.				
		(७) बैंक से जो कीमत घोडियों की अदा की जावे वह जमींदारान से हस्ब कायदा बैंक बिला सूदी क़रजे के तौर पर वसूल की जावे, और वह इस तरह पर कि जमींदारान ख्वाहिशमन्द से टीप क़र्जा पहिले से लिखा ली जावे, और चिट्ठी पढने के बाद जो घोडी जिसके नाम निकले उसकी जो कीमत कमेटी ने करार दी हो, वह उसमें दर्ज करदी जावे. जमींदार को कीमत मजकूर देना व घोडी जो चिट्ठी से निकली हो लेना लाजिमी होगा.				
		(८) जमींदार के साथ यह रिआयत रक्खी जावे कि बिलएवज कीमत घोडी, अगर वह देना चाहे तो घोडी का पहिला बच्चा तीन साल उमर का जो सरकारी सांड से पैदा हुआ हो और मिलिट्री जरूरियात के लिये व्हेटरनरी ऑफिसर साहब की राय में fit				

		हो, और हस्ब हिदायत परवरिश हुई हो, ले लिया जावे. स्कीम सदर की निस्बत आप साहबान की राय क्या है, और नीज इसके बाबत कि रुपया बिला सदी कर्ज दिया जावे या चार फी सदी सूद पर दिया जावे. यह भी राय जाहिर की जाय कि इस इतमीनान के वास्ते कि जो घोडियां जमींदारान को इस तरह दी जावेंगी उनको जमींदारान अच्छी हालत में रखकर सरकारी सांड से भरावेंगे, बच्चों की परवरिश ठीक करेंगे और यह कि उन घोडियों को किसी तरह तब्दील या फरोख्त न करेंगे, क्या तदाबीर इख्तियार करना चाहिये ?			
३०	१९७८	**तजवीज नम्बर २६, एजेन्ड नम्बर २.** इलाज मवेशियान के बारे में हस्ब जैल बीमारियों के लिये दवाइयां परगने या पंचायत बोर्डस में वास्ते फरोख्त के रखी जावें :— (१) गरदवा—जिसमें गले पर सूजन होकर मर जाता है. (२) फड सूजा. (३) खुसीटा. (४) फेफडे का रोग—जिसमें सीना सूज जाता है. (५) अतिसार—यानी दस्त होना.	अलावा तहसील व टप्पों के यह दवाइयां पंचायत बोर्डस में भी रखी जाकर वहां से फरोख्त किये जाने का प्रपोजल मुनासिब है. इसकी निस्बत व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट से तजवीज मंगा कर दरबार उस पर गौर करें.	व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट की स्कीम पेश की जाय.	तारीख १९ दिसम्बर सन १९२२ ई०. को स्कीम पेश होकर हुक्म दरबार मुअल्ला हो चुका है कि मार्च सन १९२४ ई०. में पेश की जाय. लिहाजा हस्बुल हुक्म दरबार मुअल्ला स्कीम मार्च में पेश की जायगी.

नम्बर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम,	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
११	१९७९	**तजवीज नम्बर २, एजेन्डा नम्बर १.** तरक्की नस्ल मवेशियान (गाय, बैल और भेड) के लिये क्या तदाबीर या इन्तजाम करना चाहिये?	मुतअल्लिक नस्लकशी बैल और गाय करार पाया कि अब फी जिला १ के हिसाब से ११ सांडों पर इक्तफा नहीं करना चाहिये बल्कि व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट ही अपनी तजवीज पेश करे, स्टेशन्स और बढावे व दरबार में स्कीम पेश की जाये. भेड और दीगर मवेशियों के लिये भी मुनासिब स्टेशन्स कायम किये जायें.	मजूर.	व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट से मुकम्मिल स्कीम तलब की गई. यह स्कीम तैयार की जा चुकी है, मुताबिक हुक्म दरबार मुअल्ला की खिदमत में अनकरीब पेश की जायगी.	
१२	१९७९	**तजवीज नम्बर ४, एजेन्डा नम्बर १.** काश्तकारान मौरूसी व गैर मौरूसी को आराजी काश्त की पैदावार बढाने के लिये किस तरह पर मायल किया जावे ?	जो जमींदार साहबान मजलिस आम में मौजूद हैं उनकी, हरदो सर सूबे साहबान व Agricultural Engineer की एक कमेटी बसिदारत ट्रेड मेम्बर साहब कायम की जाय. वह इस सवाल की निस्बत हर पहलू से गौर करके कुछ बातें या कुछ कलमें या कुछ दफआत वास्ते रेहनुमाई काश्तकारान	मंजूर.	बमूजिब हुक्म मीटिंग होकर हस्ब जैल उसूल जिन पर काम चलाया जाय, तय हुवे:— कसरत से इस्तेमाल होने वाली मशीनरी के सेन्टर्स कायम किये जायें. Demonstration Farms पर बजयें Demonstrators	

तैयार करे और अपनी रिपोर्ट दरबार को पेश करे.

व बीज चार जमींदार मशीनरी किराये पर चलाई जायें.

अजलाय में मशीनरी की एजेन्सियां कायम की जायें व Hiring system पर काम किया जाये.

चाहात के लिय कसरत से कर्जा दिया जाये वगैरा.

इन उसलों को मद्दे नजर रखते हुये Agricultural Engineering Manual जिसमें मशीनरी के फैलाव की बाबत बखूबी सराहत की गई है, दरबार मुअल्ला से पास हो चुकी है. इसके सिवाय एग्रीकलचरल डिपार्टमेंट के Experimental Central Farm व विलेज डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स इसी गरज से दरबार मुअल्ला ने कायम किये हैं कि काश्तकार पेशा लोग काश्त की पैदावार बढाने के लिये इन सुधरे हुए तरीकों पर अमल करें.

नंबर शुमार.	संवत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	३	५	४	५	६	७
१३	१९७९	**तजवीज नंबर ६, एजेन्डा नंबर १.** रिपोर्ट फॉरेस्ट कमेटी मंजूर शुदा दरबार में हिदायत है कि हकदार मवाजिआत के मवेशियान की फर्द जमाबन्दी चरू, जमींदारान अखीर अगस्त तक तैयार करके रेंज में दाखिल करें और रेंज से बाद जांच शुरू हफ्ते जनवरी एक में आंखी फर्द मौजेवार तहसील में बिनाबर कार्रवाई वसूल भेजी जाये. गो इसको जारी हुवे अरसा करीब दो साल का हुआ मगर अक्सर जमींदारान की तरफ से वक्त पर अफराद न पहुंचने की वजह से मुलाजमान फॉरेस्ट से बख्याल नफा नुक्सान सरकारी, अफराद तय्यार करवाना पड़ीं. बाज बाज जगह के जमींदारान नाख्वांदा होने से तय्यारी फर्द में दिक्कतें पेश आई हैं, बल्कि टप्पा बाग जिला अमझेरा में नाख्वांदा होने की वजह से मजबूरी बजयें दरख्वास्त जाहिर की है. इसका इन्तजाम किस तरीक पर होना चाहिये, ताकि सरकारी रुपया वक्त पर वसूल हो सके ?	नोटिफिकेशन होकर फिर मजलिस में पेश होना चाहिये	मंजूर.	इस तजवीज के मुतअल्लिक दरबार मुअल्ला ने यह इर्शाद सादिर फरमाया है कि अगले साल (यानी संवत १९८१ में) मजलिस आम का Agenda मजलिस खास में पेश होने से कब्ल, रेवेन्यू मेम्बर साहब देख लें कि इसकी तामील कहां तक हुई. अगर तामील न हुई हो तो वक्त पेशी एजेन्डा इस तजवीज पर गौर किया जाय कि तामील किस तौर पर होना चाहिये.	

होम डिपार्टमेन्ट.

१४	१९७८	**तजवीज नबर ७, एजेन्डा नंबर १.** गुजिश्ता सालों में फौती की तादाद देखने से मालूम हुआ कि छोटे बच्चे कसरत से जाया होते हैं. मिसाल के तौर पर सम्वत १९७६ में फौती की तादाद करीब २५,००० क थी, जिसमें से ९,००० से जायद छोटे बच्चे थे, ८,००० से जायद मर्द और ७,००० से जायद औरतें थीं. सवाल यह है कि क्या तदबीर इख्तियार की जाय कि छोटे बच्चों की फौती की तादाद में कमी हो.	सब-कमेटी ने श्रीमती जाजा महाराज बाल रक्षक सभा कायम करने के मुताल्लिक जो तजवीज पेश की थी, वह सेन्ट्रल कमेटी के हवाले की जाकर यह करार पाया कि कमेटी मजकूर इस नये organization की मुकम्मिल स्कीम पेश करे.	पुरानी दाइयों की काबिलियत की जांच करके सनद का मुसव्विदा पेश किया जाय, और Sanitation, Education, औकाफ व जमींदार हितकारणी सभा से माली इमदाद लेकर महकमे Propoganda उसका बजट बना कर पेश करे.	सनद का मुसव्विदा महकमे चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब की तरफ से पेश कर दिया गया है. बजट भी मुरत्तिब होकर अनकरीब बिनाबर मंजरी पेश होने वाला है.
१५	१९७८	**तजवीज नम्बर २८, एजेन्डा नम्बर २.** आम तौर पर जो बैंक्स काश्तकारान, सरकार से मुकर्रर हैं, उनसे रिआया जागीर को रुपया नहीं मिलता और जो जरूरतें कि रिआया सरकार को होती हैं वह जरूरतें रिआया जागीर को भी होती हैं. ऐसी सूरत में वास्ते रफा तकलीफात रिआया जागीर मुनासिब मालूम होता है कि या तो ऐसा हुक्म जारी हो कि बैंक काश्तकारान से रिआया जागीर को भी रुपया दिया जावे या	होम मेम्बर साहब के यह कहने पर कि यह तजवीज जागीरात से मुताल्लिक है, इस लिये इस पर जागीरदारान की राय लेना जितनी मुफीद होगी, उतनी मजलिस की राय फायदेमन्द न होगी और यह तजवीज कान्फरेन्स जागीरदारान में रक्खी जाये.	इस सवाल को कॉन्फरेन्स जागीरदारान में पेश किया जावे.	कॉन्फरेन्स जागीरदारान में यह सवाल पेश किया गया तो चौधरी रन्धीरसिंह साहब (मुजव्विज तजवीज) ने इस सवाल को वापिस लिया.

नंबर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकद हवाला नंबर सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैर.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
		अलहदा बैंक्स मुकर्रर होकर उनके इख्तियारात जागीरदार साहब को दिये जावें और जिम्मेदार रुपया अदाई का वही ठिकानदार करार दिया जाये. अगर रिआया से रुपया बर वक्त किस्त अदा न हो तो ठिकानेदार रुपया अदाई का जिम्मेदार समझा जाकर लिया जाये. रुपया बकद्र जरूरत ठिकानेदार के पास सरकारी रक्खा जाव.				
१६	१९७९	**तजवीज नंबर ३५, एजेन्डा नंबर २.** परगना बडनगर, जिला उज्जैन में चन्द ठिकानों के भाई बन्धान व दीगर राजपूत के लडके पढाई के लायक मौजूद हैं. मगर उनकी हालत इस कदर खराब है कि खाने पीने तक से मोहताज हैं. परगना बडनगर के कुल ठिकानेदार व उनके भाई बन्धान से चन्दा पढाई वसूल हो चुका है, चुनांचे लडकों की पढाई का इन्तजाम उज्जैन माधव कॉलेज में बतर्ज बोर्डिंग फरमाया जावे. यह गरीब लोग हैं, इनके लडकों की उम्र बिला पढाई खराब होती है.	तजवीज वापिस ली गइ, मगर यह भी तय पाया कि यह तजवीज आयन्दा कॉन्फरेन्स जागीरदारान में रखी जाय.	यह सवाल कॉन्फरेन्स जागीरदारान में पेश हो.	मुजव्विज साहब ने Conference में भी इसे वापिस लिया.	

अगर बोर्डिंग खोलने में कुछ देर हो तो इस तरीक से इन्तजाम फरमाया जावे तो बेहतर होग कि जो रुपये चन्दा पढाई के सूद पर लगाये गये हैं, उनमें से इन गरीब लडकों को कुछ माहवार खाने को मुकर्रर कर दिया जावे, ताकि इनकी पढाई का काम शुरू हो जावे. बडनगर परगने में गरीब राजपूत लडकों की ऐसी कोई ज्यादा तादाद नहीं है, सिर्फ ५-७ होगी, इसलिये गुजारिश करने में आई.

१७	१९७९	**तजवीज नंबर २४, एजेन्डा नंबर २.** मजहबी औकाफ कमेटी देहात के मेम्बर साहबान को दिलचस्पी इस कार खैर में बिलकुल नहीं है. इसकी वजह यह है कि अव्वल तो इन कमेटियों के मेम्बर नाख्वांदा हैं, दोयम एक जगह के रहने वाले नहीं, और न कोई इकट्ठे होने का मौका आता है, तीसरे कोई क्लार्क भी इनके पास काम करने वाला नहीं, और न कोई रिकार्ड है, चौथ मिस्ल परगना व जिला कमेटी के प्रेसीडेन्ट भी इन कमेटियों में ऑफिशियल नहीं कि जो हमेशा काम करने की याद दिहानी दिलाते रहें, व परगना व जिला की कमेटियों के मेम्बर साहबान की भी दिलचस्पी नहीं है, जिसकी	अन्दरी बारे एक कमेटी कायम होकर मामला जेर गौर है. सजेशन्स मुजव्विज साहबान भी मद्देनजर रखे जायें.	मंजूर.	मामला मजलिस खास में पेश होकर मजलिस खास से ब तारीख २८ अगस्ट सन १९२३ ई०, करार पाया कि देह कमेटियां उमूमन कायम न की जायें बल्कि जहां कायम हो सकें वहां की जायें वर्ना हस्ब तजवीज कमेटी नम्बरदारान का यह फर्ज रक्खा जाये. इस ठहराव क मुताबिक कानून में तरमीम अनकरीब की जावेगी.

नंबर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर, सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
		वजह से दरबार ने जिस गरज से यह महकमा कायम फरमाया है वह पूरी नहीं होती, और न मेमोरन्डम नम्बर १२ क ठहराव नम्बर ४९ की तामील हुई. इस वास्ते देहात की कमेटियां तोडी जाकर उनका काम पंचायत बोर्ड्स की निगरानी में होना चाहिये व मेम्बरान परगनात व अजलाय का कमेटियों का चुनाव अज सरेनौ ब लिहाज मेमोरेन्डम नम्बर १२ ठहराव नम्बर ४९ होकर मियाद ओहदा मेम्बरी की ५ साल रक्खी जाये व जिस मेम्बर की सालाना हाजिरी अच्छी हो उसे Certificate अता फर्माया जावे.				

डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन एन्ड म्युनिसपेलिटीज.

नंबर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर, सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१८	१९७८	**तजवीज नम्बर १९, एजेन्डा नम्बर २.** जमाने इन्फ्लूएन्जा में यूनानी इलाज ज्यादा मुअस्सिर साबित हुआ है, और दीगर अमराज वबाई में भी मखलूक को इस इलाज के साथ ज्यादा अकीदत है, लिहाजा अस्पतालों के सिवाय म्युनिसपल्टी की आम-	जब म्युनिसपेलिटियों और टाउन कमेटियों के बजट हेड ऑफिस में आवें तो इस किस्म (आयुर्वेदिक और यूनानी) के सरफे को गैर जरूरी समझकर नामंजूर न किया जाये.	ठहराव के मुताबिक इन्सपेक्टर-जनरल साहब म्युनिसिपेलटीज अमल दरामद करें.	लश्कर व उज्जैन के आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज, म्युनिसपेलिटीज से कायम हो चुकी हैं. और बडनगर में आयुर्वेदिक औषधालय	

		नी से एक एक तबीब उन मुकामात पर जहां म्युनिसिपेलिटी है, रखा जावे तो रिआया की आसाइश का बाइस होगा.	जो कि गैर जरूरी सर्फ मालूम हों, वह नामंजूर किये जा सकते हैं.		को म्युनिसपेलिटी से इमदाद दी जा रही है. इन इन्सटीट्यूशन्स (Institutions) से रिआया अच्छा फायदा हासिल कर रही है, और मरीजों की तादाद भी बढती जाती है, यानी मरीज इस तरफ ज्यादा राग़िब होते जाते हैं. दीगर म्युनिसपेलिटियों स ऐसे सर्फ बजट में दर्ज होकर अभी नही आये हैं.
१९	१९७९	**तजवीज नम्बर ३२ एजेन्डा नम्बर २.** जमींदारान के लडकों के लिये तालीम लाजिमी होना चाहिये, क्योंकि यही लोग रिआया को मशवरा देने वाले व सरकारी हुक्म की बजा आवरी करने वाले व ख्यालात दरबार को रिआया में फैलाने वाले व उसके मुताबिक रिआया की जानिब से अमल का एक जर्या है. लेकिन तालीम दिलाने पर उनके वली सरपरस्तान की तवज्जुह न होने से हुक्म दरबार के मुताबिक पूरे तौर से पाबन्दी नहीं होती इसलिये वली सरपरस्तान का मुचलका २० रुपये का व तवस्सुत हसील लिये जाने का हुक्म फरमाया जाने से इन्तजाम बखूबी हो सकता है.	एज्यूकेशन कमीशन की रिपोर्ट का इन्तजार किया जावे.	मंजूर.	एज्यूकेशन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है. अभी दरबार में पेश नहीं हुई है. दरबार का इरशाद है कि वह रिपोर्ट जून आयन्दा में पेश हो.

नम्बर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
२०	१९७८.	**तजवीज नम्बर २, एजेन्डा नम्बर २.** जब कभी गांव में डाकेजनी व चोरी होती है तब प्राय: प्रजा डर कर छिप या भाग जाती है, इसलिये तालीम में साहसी (जवांमर्दी की) शिक्षा स्कूलों में लाजिमी कर दी जाये और उपदेशकों के द्वारा भी नागरिकों को इस विषय का आवश्यकीय उपदेश दिलाया जाय, जिससे प्रजा साहसी व निडर होकर अपने अपने गांवों की जान माल की रक्षा में दिलेर हो, और पुलिस को भी साथ देने में अग्रसर हो.	इस तजवीज पर गौर करने के लिये एक सब कमेटी कायम की गई. सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मजलिस आम में पेश की. बाद बहस करार पाया कि कमेटी इसी तजवीज के मुतअल्लिक मजीद गौर करे और दरबार मुअल्ला ने कमेटी की रेहनुमाई के लिये अपने ख्यालात जाहिर फरमाये.	Propoganda work के लिये एक जदीद डिपार्टमेंट बनाये जाने की तजवीज मुरत्तिब करने के लिये एक कमेटी कायम हो चुकी है. यह कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द पेश करे.	कमेटी की तजवीज में तीन उमूर दर्ज हैं :— (१) Public व्यायाम शालाओं में ग्रांट-इन एड देना. (२) Boy Scouts movements को बिलफेल लश्कर व उज्जैन में जारी करना. कलम नम्बर १ की बाबत नोट किया गया है. दरख्वास्त आने पर कार्रवाई ग्रान्ट देने की हस्ब कायदा अमल में लाई जायगी. अभी तक कोई दरख्वास्त गुजरना पाई नहीं जाती. कलम नम्बर २ की बाबत स्कीम तैयार करने की कार्रवाई दरपेश है. Propoganda work का ताल्लुक महकमे हाजा से नहीं है.	

११	१९७८.	**तजवीज नम्बर १५, एजेन्डा नम्बर २.** तालीम का होना लाजिमी करार दिया जाय, यानी कानूनन हर एक शख्स को अपने बच्चे को कम से कम प्रायमरी तक तालीम देना चाहिये. जिस की हैसियत अपने बच्चे को तालीम देने के लायक न हो उसको शहर के मोअज्जिज अशखास चन्दा करके इमदाद दें. जो लडके तालीम पाते हैं उनका हर महीने डाक्टर से जिस्मानी हालत का मुआयना होना चाहिये. जो लडका बवजह खराब चाल चलन अपनी जिस्मानी हालत को खराब करता है उसकी हिदायत उसके वालदैन को होना चाहिये और स्कूलों में रूहानी ताकत पैदा करने की तालीम होना चाहिये. मस्लन भजन, पूजन, नमाज वगैरा. आजकल स्कूलों में रूहानी ताकत देने की कोई तालीम नहीं है, जो होना मुनासिब है. हर एक मोहल्ले में एक मोतबिर नेक चलन मेम्बर होना चाहिये, जिसका फर्ज होगा कि हर हफ्ते उस मोहल्ले के लडकों के चाल चलन की बाबत हेड मास्टर साहब को रिपोर्ट करे जिन घरों में बच्चों की नाज	एजूकेशन कमीशन के साथ इस मसले पर गौर किया जाये.	यह मुआमला एजूकेशन कमीशन के सिपुर्द किया जाये.	**नोट:**—अलावा अर्जी Sports Association के जर्ये से Olympic Games and Tournaments जारी किये गये हैं और उस के लिये माकूल Contribution दिया जा रहा है. एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है. अभी दरबार में पेश नहीं हुई है. दरबार का इरशाद है कि यह रिपोर्ट जून आयंदा में पेश हो.

नंबर शुमार.	नाम सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामाल में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर, सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कफियत.
१	२	३	४	५	६	७
		बरदारी उठाई जाती है, वह अपने बच्चों की जिद व मगरूरी में तरक्की देते हैं. बच्चों को हमेशा सादा लिबास पहनाने की आदत करवाना चाहिये.				
२२	१९७८	**तजवीज नम्बर ३६, एजेन्डा नम्बर २.** मुल्क की मौजूदा जरूरत के लिहाज से करीन मसलहत है कि स्कूल में अलावा Arts Education के Vocational Training भी दी जावे और ऐसी training देने का इन्तजाम किया जावे.	यह सवाल एजूकेशन कमीशन के सिपुर्द किया जावे.	राय मंजूर.	ऐज़न.	
२३	१९७८	**तजवीज नम्बर १८, एजेन्डा नम्बर २.** देहात में जुगराफिया पढाई वगैरा की मामूली तालीम के बजाय अगर जमींदारी कोर्स की तालीम दी जावे तो यह ज्यादा मुफीद साबित होगी.	मुजव्विज साहब ने तजवीज वापिस ली.	यह सवाल सेन्ट्रल कमेटी तरक्की तालीम जमींदारी क्लास के सुपुर्द किया जाय.	कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जुगराफिया की मामूली तालीम अपर प्रायमरी मदर्से के लिये जरूरी करार देकर कोर्सेज मुरत्तिब किये हैं और जमींदारी कोर्स में भी	

					बमौके मुनासिब बलिहाज काबिलियत तुलबा इसे शामिल किया है. यह रिपोर्ट अनकरीब दरबार में पेश होगी.
२४	१९७८	**तजवीज नम्बर ३७, एजेन्डा नम्बर २.** बडे बडे कसबात में जहां तज्जार की कसरत है मस्लन—लश्कर, भिन्ड, उज्जैन, मन्दसौर—उनमें कमर्शियल ट्रेनिंग का इन्तजाम किया जावे और इसके लिये या तो स्पेशल स्कूल्स खोले जायें या मामूली स्कूल्स में एसी तालीम दी जाने का प्रबन्ध किया जाये.	अगर लाला रामजीदास इस काम को हाथ में लेने को तय्यार हों तो यह तजवीज मंजूर की जाये.	रामजीदास से दरयाफ्त करके जल्द मामला पेश किया जावे.	लाला रामजीदास इस मामले को हाथ में लेने को तैयार हैं, मगर कब्ल इसके इस किस्म की तजवीज इकॉनॉमिक डिवलपमेन्ट बोर्ड में पेश होकर एक्सपेरीमेन्टल स्कूल (Experimental School) जारी होना करार पा चुका है, व दरबार से दो हजार रुपया नॉन रेकरिंग व २,४००) रुपया सालाना दो साल के लिये मंजूर किये गये हैं. इसकी निगरानी व control एक बोर्ड के जिम्मे करार दिया गया है, जिसमें लाला रामजीदास साहब भी मेम्बर हैं. इसमें इन्हों ने प्रॉमिनेन्ट हिस्सा लेने का वायदा किया है. बोर्ड के रूल्स वगैरा तैयार हो रहे हैं, बाद तैयारी उसके पास हो जाने पर उस पर अमल दरामद शुरू होगा.

नम्बर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
२५	१९७८	**तजवीज नंबर ४, एजेन्डा नंबर २.** म्युनिसिपेलिटीज व टाउन कमेटीज में इन्तखाब के जरिये से मेम्बर मुकर्रर किये जावें.	एज्यूकेशन मेम्बरे साहब की राय मुनासिब है. खुलासा राय जैल में दर्ज है— अगर मौजूदा म्युनिसिपेलिटीज की हालत को जुदा जुदा देखा जाय तो मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि बिला तमीज जुम्ला म्युनिसिपेलिटीज में मेम्बरान के election का हक्क बाशिन्दगान को दिया जाना मुनासिब होगा. Election के कवायद जेर तरतीब हैं. उनके तैयार हो जाने पर बाकी म्युनिसिपेलिटीज की निस्बत फर्दन फर्दन गौर किया जा सकेगा कि किन किन में यह तरीका रायज किया जा सकता है. अगर टाउन कमेटियों के नॉन-ऑफिशियल मेम्बरों को बिला लिहाज मुन्दर्जे सरक्युलर नंबर १ संवत १९७७ बजायें	राय मंजूर.	कार्रवाई तरतीब देने कवायद की जारी है और मेम्बरान म्युनिसिपेलिटियों के तकर्रुर की कार्रवाई उमूमन partly बजरिये election और partly बजायें nomination इस वक्त भी शुरू कर दी गई है.	

			इन्तखाब मुकर्रर किये जाने का तरीका कायम किया जावे तो यह उसूल से खिलाफ होगा. यह तरीका कायम किया जा सकता है कि टाउन कमेटियों के अव्वल तकर्रुर या सहसाला हर तकर्रुर के वक्त, पब्लिक जलसा करके लोगों की रायें दरियाफ्त करली जाया करें कि वह साहूकारी या जमींदारी तबके से किस शख्स का या अलावा उन तबकों के किसी और शख्स का तकर्रुर चाहते हैं.		
२६	१९७९	**तजवीज नम्बर ३८, एजेन्डा नम्बर २.** लश्कर में मच्छरों की तादाद साल ब साल बढती जाती है, जिससे न सिर्फ पब्लिक के आराम में बेहद खलल वाक होता है बल्कि जो मलेरिया (मौसमी बुखार) को फलाकर सख्त मुजिर सेहत होने का बायस होते हैं. लिहाजा इसका करार वाकई इन्सदाद बजयें माकूल Drainage system या दीगर तौर पर जिस कदर जल्द मुमकिन हो किया जावे.	इन तीनों तजवीजों (तजवीज नंबर ३८, ३९ व ४०) पर गौर करके रिपोर्ट पेश करने के लिये एक सब-कमेटी ब सिदारत अपील मेम्बर साहब कायम की जावे.	मंजूर.	कमेटी की रिपोर्ट आकर मेंबरान मजलिस आम को तकसीम की जा चुकी है. इस रिपोर्ट पर इसी सेशन में गौर किया जावेगा.

नंबर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर, सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
२७	१९७९	**तजवीज नम्बर ३९, एजेन्डा नम्बर २.** लश्कर में फौती की तादाद ब मुकाबले पैदायश ज्यादा है, इसलिये इसके असबाब की तहकीकात, बजर्ये एक कमीशन के, जिसमें मेडीकल, सेनीटरी, म्युनिसीपल व दीगर तबकों के कायम मुकाम (representatives) शामिल हों, कराई जाकर माकूल तजवीज अमल में लाई जावे जिससे तादाद फौती में कमी हो.				
२८	१९७९	**तजवीज नम्बर ४०, एजेन्डा नम्बर २.** दूध देने वाले जानवरों को लीद मुतारी खिलाने का रिवाज बावजूद म्युनिसीपल रेग्युलेशन्स क बराबर जारी है, लिहाजा इसकी रोक कानूनन की जावे.				

लेजिस्लेटिव ऍन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट.

	तजवीज			
२९ १९७८	**तजवीज नम्बर ६, एजेन्डा नम्बर १.** हलवाहों की निस्बत यह शिकायत पेश की गई है कि वह एक शख्स से हल चलाने का मुआहिदा करके रुपया और गल्ला पेशगी ले लेते हैं, और फिर दूसरे शख्स से गल्ला और रुपया पेशगी लेकर, इस दूसरे शख्स के यहां हल हांकने लगते हैं. बाजाब्ता नालिश करने में तवालत होती है और हलवाहों के पास कुछ न होने से हकरसी नहीं हो सकती है. इसकी दुरुस्ती के लिये ब जल तजवीजें पेश की गई हैं:— (१) जो शख्स यह जानकर कि हलवाहे ने किसी और शख्स से हल हांकने का वायदा किया है और गल्ला या रुपया पशगी ले लिया है, ऐसे हलवाहे को गल्ला या रुपया पेशगी दे, और हलवाहे से काम ले तो उस पर पहले गल्ले और रुपये का बार आयद किया जाय. (२) यह कि इसके मुतअल्लिक नालिशें अदालत माल में बसीगे सरसरी हुआ करें.	करार पाया कि.— (१) बहकाने वाले पर बार डाला जाय, और. (२) मुकद्दमात तहसीलदार के इजलास में पेश हों, और वह ब हैसियत एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट उन्हें फैसल करें.	एडवान्स बशकल गल्ला हो या रुपया, मुताबिक ठेहराव मजलिस (१) बहकाने वाले पर बार डाला जाय और (२) मुकद्दमात तहसीलदार के इजलास में पेश हों और वह बहैसियत एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट उन्हें फैसल करें. कानून में जरूरी तरमीम की जावे.	कानून दरबारे खिलाफ बरजी मुआहिदा मिनजानिब पेशेवरान, कारीगरान व मजदूरान सम्वत १९६८ के मुतअल्लिक करेक्शन स्लिप हमराह गवालियार गवर्नमेंट गजट तारीखी ३१ मार्च सन १९२३ ई०, जारी किया जा चुका है.
३० १९७८	**तजवीज नंबर १६, एजेन्डा नंबर २.** कानून दरबारे खिलाफवरजी मजदूरान व पेशेवरान मजरिये सम्वत १९६८ का ताल्लुक जुम्ला पेशेवरान व मजदूरान मुतअल्लिके जिराअत पेशा से भी होना मुनासिब है और उसमें काश्तकारों के बांटेदार भी जो तीसरे	सब कमेटी की हस्ब जैल रिपोर्ट मन्जूर की गई:— सवाल नम्बर १६ पर, सब-कमेटी हाजा ने गौर किया, जो मजदूर पेशगी रुपया लेकर	मंजूर.	डिपार्टमेंटल आडर नम्बर २ सम्वत १९७८ जारी हो चुका है.

नम्बर शुमार.	सम्वत.	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई की गई, उसकी तशरीह बकैद हवाला नंबर, सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७
		बांटे पर काश्तकारों के साथ अपनी जाती खिदमात का मुआहिदा करते हैं शामिल होना चाहिये और वह मुलाजमान जो पेशगी लेकर किसी मुद्दत तक मुलाजमत करने का मुआहिदा करते हैं, शामिल होना चाहिये. ऐन वक्त पर जब ऐसे लोग काम छोड देते हैं या एक काश्तकार के आदमी दूसरे के नजदीक चले जाते हैं, तो जमींदारों और काश्तकारों को निहायत मुशकिल का सामना होता है और आबादी उस्तवारी में बडी दिक्कत होती है.	मजदूरी करने का मुआहिदा करें, ख्वाह वह हलवाह हों, ख्वाह और किस्म के मजदूर हों, उन सबों से कानून दरबारे खिलाफवर्जी मजदूरान लागू होता है. कहीं कहीं गलत फेहमी हो रही है जिसके दूर करने की गरज से हस्ब ठहराव जुडीशियल कॉन्फरेन्स डिपार्टमेन्टल ऑर्डर जारी कर दिया जाय. लिहाजा कमेटी की सिफारश है कि सवाल हाजा पर मजीद गौर करने की जरूरत नहीं है.			
३१	१९७८	**तजवीज नंबर २०, एजेन्डा नंबर २.** बाज मुकामात पर मुतअल्लिक मन्दिर मसजिद एसी जायदाद है कि जिसका ताल्लुक बाकायदा सीगे औकाफ से नहीं है, और इस वजह से कि वह परस्तिशगाह किसी खास खान्दान से ताल्लुक नहीं रखती, उसपर हक मुतवल्लियत भी किसी को हासिल नहीं होता; इस वजह से उस जमाअत के लोगों में जिसकी वह परस्तिशगाह	सब कमेटी की हस्ब जैल रिपोर्ट मन्जूर की गई:— जो मामला इस कमेटी के सपुर्द हुआ है, उस की दो शकलें हो सकती हैं. १. यह कि एक शख्स मन्दिर या मसजिद या धर्मशाला या और कोई खैराती संस्था	राय मजलिस मंजूर है. कानून औकाफ व दफा ४७७, जाब्ता दीवानी में जरूरी तरमीम की जावे.	करेक्शन स्लिप्स हमराह गवालियार गवर्नमेन्ट गजट तारीखी ३१ मार्च सन १९२४ ई०, जारी किये जा चुके हैं.	

है, कभी बवजह इख्तलाफ राय तनाजआत पैदा होते हैं और कभी वह सरमाया किसी खास शख्स के जेर असर बेमहल खर्च होता है. ऐसी सूरत में मुनासिब होगा कि जिस मजहब या फिरके की वह परस्तिशगाह हो बइत्तफाक उसी जमाअत या फिरके के अजला में सूबे साहबान व परगनात में तहसीलदार साहबान, उसके इन्तजाम के लिये उसी जमाअत या फिरके से कुछ लोगों को मुन्तखिब करदें, और एक दस्तूरुल-अमल बना दिया जाय कि मुन्तखिबशुदा अशखास उसकी पाबंदी करें और मेंबरान औकाफ कमेटी खास तौर पर निगरानी करते रहें. ऐसा करने से बाहमी तनाजिआत पैदा न होंगे और सरमाया बेमहल सर्फ न होगा.

अपने सर्फे से तामीर करे आर उसके इखराजात या सर्फे के लिये सरमाया जरे नक्द या जायदाद वक्फ करे और उसके इन्तजाम के लिये ट्रस्टी मुकर्रर करे. अगर बाद में ट्रस्टीज की जानिब से कोई ऐसा अमल किया जाय कि जो वक्फ करने वाले की अगराज के खिलाफ हो, या बद इन्तजामी की जावे, या जायदाद वक्फ की आमदनी जायज अगराज में इस्तैमाल न की जावे, तो ऐसी हालत में वक्फ करने वाले की गरज किस तरीके और जर्ये से हासिल हो सकती है.

इसके मुतअल्लिक कवानीन दरबार में अहकाम मौजूद हैं, जिनका मुख्तसिर मतलब यह है कि दो या ज्यादा अशखास ब इजाजत जुडीशियल सेक्रेटरी अदालत हाइकोर्ट या जिले में नालिश कर सकते हैं और अदालत को यह इख्तियार हासिल है कि बलिहाज हालात मुकद्दमा :—

(१) मौजूदा ट्रस्टीज को अलहदा करे.

(२) बजाय उनके नये ट्रस्टीज मुकर्रर करे.

(३) जायदाद को ट्रस्टीज के हवाले करे

नंबर शुमार	सफ्हा	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई कीगई, उसकी तशरीह बकद हवाला नंबर, सरक्यूलर नोटीफिकेशन वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
			(४) जायदाद अमानती को तीसरे शख्स के कब्जे से लेकर ट्रस्टीज के सुपुर्द करे. (५) जायदाद अमानती का कुछ हिस्सा किसी खास मकसद के लिय कायम करे, या (६) उस वक्फ के इन्तजाम के मुतअल्लिक कोई स्कीम मंजूर करे. या (७) और कोई ऐसी मजीद दादरसी जो बलिहाज वाकआत जरूरी और करीन इन्साफ हो, मंजूर करे। इस किस्म के वक्फ की हालत में बद इन्तजामी या दीगर बद मामलगी पेश आने पर अदालत से चाराजोई की जा सकती है, और हमारी राय में यह काफी है. अगर ट्रस्टीज अलहदा किये जावें तो जहां अदालत को यह इख्तियार है कि नये ट्रस्टीज बजाय उनके कायम करे, वहां यह भी इख्तियार दिया जावे कि औकाफ कमेटी भी बतौर ट्रस्टीज के मुकर्रर की जा सकती है. अगर			

बाद में उस फिर्के या जमाअत कसीरुल तादाद अशखास की जानिब से यह ख्वाहिश की जाय कि उसका इन्तजाम औकाफ कमेटी से किया जाकर उसी फिर्के या जमाअत के मुन्तखिब या नामजदशुदा अशखास के सपुर्द किया जावे तो हस्ब ख्वाहिश उनके ऐसी सपुर्दगी कर दी जावे. अगर यह राय मंजूर फरमाई जावेगी, तो मजहबी औकाफ के कानून में लफ्जी तरमीम लाजिमी आती है और इसी सिलसिले में हमारी यह भी राय है कि दफा ४७७ जाब्ता दीवानी में एक नई मद इजाफा की जावे जिसकी रू से ट्रस्टीज के हिसाब लेने और उसकी जांच करने की दाद-रसी भी की जा सकती है.

२. दूसरी शक्ल यह है कि किसी एक जमाअत ने चन्दा करके पब्लिक की इमदाद से कोई परस्तिशगाह या संस्था कायम की और मुलाजमान की जानिब से बद इन्तजामी या तगल्लुब जहूर में आवे तो ऐसी हालत में असली मकासिद और अगराज हासिल करने के लिये क्या तरीका इख्तियार किया जाय.'

इसकी शक्ल भी मिस्ल शक्ल नम्बर १ के है और जिस तरह अदालत की इम्दाद से

नम्बर शुमार.	संवत	खुलासा तजवीज मजलिस आम.	खुलासा ठहराव मजलिस आम.	हुक्म दरबार मुअल्ला.	हुक्म दरबार मुअल्ला की तामील में जो कार्रवाई कीगई उसका तशरीह बकद हवाला नंबर, सरक्यूलर नोटीफिकेश वगैरा.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७
			दुरुस्ती इन्तजाम शक्क अव्वल में बतलाई गई, उसी तरह इस सूरत में भी वही तरीका इख्तियार किया जा सकता है.			
३२	१९७८	**तजवीज नम्बर ३४, एजेन्डा नम्बर २.** मन्दिर, मसजिद, कबरिस्तान, तकिये, खानकाह के इन्तकाल की मुमानिअत कानूनन की जावे.	करार पाया कि गलत फहमी दूर करने के लिये हिदायत जारी की जावे.	मंजूर.	सरक्युलर नम्बर २/७६ हमराह गवालियार गवर्नमेन्ट गजट तारीखी ३१ मार्च सन १९२३ ई. जारी किया जा चुका है.	
३३	१९७९	**तजवीज नम्बर १, एजेन्डा नम्बर १.** तरीका पनिहाई (जिस से मुराद यह है कि माल मसरूका का पता लगाने की हालत में पता लगाने वाले शख्स को कुछ रकम बतौर मुआवजा व हक्कुल खिदमत के अदा की जाती है) के खिलाफ कसरत से शिकायतें पेश आती हैं. मस्अला गौर तलब यह है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाय जिस से चोरी खुसूसन बेड मवेशी की रोक हो?	करार पाया कि जो मजमून मुसव्विदा गवालियार ताजीरात की दफा २४८ में है, वह काफी है. पनिहाई की तारीफ इस दफा के बाद बढा दी जावे और यह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी पुलिस करार दिया जावे.	,,	जदीद ताजीरात गवालियर में तशरीह दर्ज की जाकर वह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी पुलिस करार दिया गया है. ताजीरात गवालियर जेर तबा है.	

३४	१९७९	**तजवीज नम्बर ५, एजेन्डा नम्बर १.** जमाखर्च के मुतअल्लिक बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं इसलिये जमाखर्च के system को regulate करने की जरूरत मालूम होती है. इस system की इसलाह हो जाने से मुकद्दमे बाजी में कमी होने की उम्मेद है. इसी सिलसिले में यह अम्र भी काबिल गौर है कि मामलात लैन दैन में रसीदों का लेना देना जरूरी रखा जाय या नहीं.	मजलिस आम में जो असहाब तबके साहूकारान में से हैं वह, और चेम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा मुनासिब समझें. कमेटी कायम करके अपनी रिपोर्ट दरबार में पेश करें.	मंजूर.	कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है वह जेर गौर दरबार है.
		तजवीज नम्बर २८, एजेन्डा नम्बर २,			
३५	१९७९	सरक्युलर नम्बर ३ सम्वत १९७७ मजर्ये दफ्तर पेशी ऑफिसर साहब के मुताबिक Advisory committee के मेम्बरान का इन्तखाब मिनजानिब रिआया अभी तक नहा हुआ है जिसकी वजह यह है कि सरक्यूलर मजकूर में election का कोई तरीका नहीं बतलाया. मजलिस आम में हर जिले में से रिआया के हर तबके के representative मेम्बर हैं व इसके अलावा और भी कई दीगर जमाअतों के व खास शहर लश्कर व उज्जैन के भी representative मेम्बर हैं व सरक्युलर सदर में यह भी दर्ज है कि advisor मेम्बरान मजलिस आम में से भी हो सकते हैं. इस वास्ते सरक्युलर नंबर ३ संवत १९७७ क मुताबिक Advisory Committee के मेम्बरान का election मेम्बर साहबान मजलिस आम में से कराया जावे.	मजलिस आम के मेम्बरान इन्तखाब कर लें.	मंजूर.	मुंतखिब शुदा अशखास के नाम गवालियार गवर्नमेन्ट गजट तारीखी ९ जन सन १९२३ ई०, में शाया किये जा चुके हैं.

जमीमा नम्बर २.

कैफियत मिन्जानिब गवर्नमेन्ट मुतअल्लिक तजवीज मूंगालाल साहब.

१—सवालात मुतअल्लिक रेवेन्यू मेंबर साहब.

१. **रेवेन्यू मेम्बर**—मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने ९ सवाल पेश करके यह दरख्वास्त की है कि बजर्ये कमीशन इन सवालों की तफतीश कराई जाये. गवर्नमेन्ट इस तजवीज की बाबत मुजव्विज साहब की बहुत ममनून व मशकूर है ताहम मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इन उमूरात की बाबत इस वक्त तक क्या क्या हो चुका है उसको मजलिस के सामने बगरज वाकफियत जाहिर करदूं.

२. कब्ल इसके कि मैं हर एक सवाल के मुतअल्लिक जो कुछ कार्रवाई गवर्नमेन्ट ने की है जाहिर करूं, मैं इस मौके का फायदा उठाकर उस एहम ख्याल दरबार की यहां याद दिलाता हूं जिसको दरबार साबिक में जाहिर कर चुके हैं. वह ख्याल यह है कि गवर्नमेन्ट की पॉलिसी और कोशिश से रिआया को कहां तक फायदा पहुंचा और उनमें कोई दिक्कतें या नुक्स हैं तो वह क्या हैं. यह मालूम होने का जितना अच्छा मौका नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान को हासिल है उतना ऑफिशियल एजेन्सी को हासिल नहीं है; क्योंकि यह तजरुबा हो चुका है कि लोग न मालूम किस वजह से खौफजदा होकर ऑफिसरान से वह बातें नहीं जाहिर करते जो वह आपस में चर्चा करते हैं, या जिनको खुले दिल से नॉन-ऑफिशियल से कह सकते हैं. इसी वजह से आप साहबान पर भरोसा रक्खा गया है और आप को जिम्मेदार करार दिया गया है कि सही वाकेआत से महक्मे मुतअल्लिका को इत्तला दिया करें, ताकि वह बाद गौर ऐसे नुकायस को रफा कर सकें, और काम में सहूलियत पैदा हो. यह ख्याल जो ऊपर बयान किया गया, दरबार ने अपने ओपिनिंग स्पीच मजलिस आम सन १९२१ ई०, में जाहिर फरमाया था और अपने रिव्यू सालाना रिपोर्ट, संवत १९७३, में दरबार मुअल्ला ने इस जिम्मेदारी को नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान पर डाला है. मखफी न रहे कि, मकसद इस पॉलिसी दरबार का दरअस्ल यही है कि नॉन-ऑफिशियल और ऑफिशियल एजेन्सी में इत्तहाद रह कर असलूबी के साथ काम चले. रिआया और दरबार दोनों की फला हो और जो मुराद असली है उसमें पूरी तौर से कामयाबी हो.

३. दरबार मुअल्ला ने नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान को यह प्रिविलेज (privilege) भी दिया है कि जो कुछ तकालीफ रिआया की उनके इल्म में आयें तो उनको महज इस ख्याल से कि गलत फेहमी न हो या कोई बात नजर अंदाज न हो जावे उनको मुकाबला और तसदीक करने के लिये वह सेक्रेटरियट लायब्रेरी से रिकार्ड देख सकते हैं या मेम्बर मुतअल्लिका को लिख कर हाल दरयाफ्त कर सकते हैं (चुनांचे मुलाहिजा हो साल गुजिश्ता की मजलिस आम का क्लोजिंग स्पीच दरबार, सफा ११८ प्रोसीडिंग्स मजलिस आम, संवत १९७९) ताकि मुआम्ले की अस्लियत को वह जांच सकें और बाद कामिल गौर और जांच मुआम्ले को रिप्रेज़ेन्ट कर सकें जैसा कि ऊपर लिखा गया है. इस वक्त तक मिनजानिब मेम्बरान ऐसा होना पाया नहीं गया, इसलिये फिर इस्तदुआ करता हूं कि आयन्दा दरबार के इस रूलिंग को, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, मेम्बरान न भूलेंगे, वर्ना मुमकिन है कि उनको धोका हो जाय.

४. चूंकि सवालात नंबर १, ३, ६ का तअल्लुक एग्रीकल्चर मेम्बर साहब से है, उनकी निस्बत वह हाल जाहिर करेंगे. बाकी सवालात की कैफियत हस्ब जैल है;—

सवाल नम्बर २— "फिलहाल जंगलात में जो काबिल काश्त रकबा है उसमें काश्तकारी बढाने का इंतजाम हो सकता है या नहीं?"

जंगल में इस वक्त दो किस्म के रकबे हैं :—

१. रिझर्व जंगल. २. प्रोटेक्टेड जंगल.

इस गरज के हासिल करने के लिये दरबार ने कानून जंगलात में हस्ब जैल provision फरमाया है:—

निस्बत प्रोटेक्टेड जंगल.

"दफा २८ (क)—काश्त हस्ब जरूरत जंगल मजकूर में अपने साबिक काश्त के सिलसिले में बिला रोक टोक बढा सकेंगे. मुतफर्रिक छोटे २ टुकडे जंगल में काश्त करने की इजाजत न दी जावेगी जब तक मौजूदा काश्त से मिला हुआ काबिल जराअत कुल रकबा काश्त में न आ जावे. इस किस्म की मुतफर्रिक काश्त के लिये इजाजत महकमे माल से दी जावेगी".

रिझर्व जंगल के रकबे की निस्बत दरबार ने कानून जंगलात की दफा ५ में हस्ब जैल पॉलिसी काय॰ फरमाई है:—

"चूंकि हर रकबा आबादी पर उमूमन सबसे बडा आमदनी का जर्या काश्त है, इसलिये वह रकबेजात जो काबिल जराअत हों, ऐसे जंगलों में जहां तक मुमकिन हो शामिल न किये जावें. जो छोटे २ टुकडे अदना दर्जे की काश्त के ऐसे जंगलों में आ जावें, उनकी तरक्की और फैलाव को रोका जावे ताकि दो चार अदना दर्जे की फसल से जंगल कटकर फिजूल बरबाद न हो."

और कानून जंगल की दफा २१ में हस्ब जैल provision भी दरबार ने फरमाया है जिसकी रू से अगर किसी खास हिस्से जंगल को बगरज तौसीअ आबादी बवक्त जरूरत रिझर्व से निकालने की तजवीज मुनासिब ख्याल की जावे, मंजूरी दी जा सकती है:—

"**दफा २१**—दरबार आलिया किसी रिझर्व्ड जंगल को या उसके किसी खास हिस्से को बजयें इश्तहार मुन्दर्जे ग्वालियार गजट रिझर्व होने से मन्सूख कर सकते हैं और रकबा मुश्तहर शुदा तारीख इश्तहार से रिझर्व जंगल में शामिल न समझा जावेगा."

परगना ईसागढ में रामपुरा नहर के करीब का रकबा रिझर्व जंगल से आबादी के लिये दिया गया व दीगर मुकामात पर जहां काश्त की अच्छी उम्मेद थी, चक काटे गये.

रिझर्व जंगल के अन्दर फॉरेस्ट मवाजियात में हुदूद मुकर्ररा के अन्दर काश्त करने की इजाजत फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से ब पाबन्दी कानून माल दी जाती है.

कवाअद तराशी व अताय चकूक पडती काबिल काश्त संवत १९८० जो साल हाल में इजरा हुये हैं उन में भी इस बारे में हस्ब जैल provision किया गया है:—

"**दफा ३**—रिझर्व्ड फॉरेस्ट में बमश्वरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फॉरेस्ट चक तराशी होगी. इख्तलाफ राय की हालत में एग्रीकल्चर मेंबर का फर्ज होगा कि सिदूर हुक्म के लिये मुआमला दरबार की खिदमत में पेश करें. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बिला इस्तमजाज महकमे जंगलात चक तराशी की जावेगी."

"रिजर्व फॉरेस्ट में अगर चक काटने लायक जमीन मिले तो आबादी ऑफिसर का फर्ज होगा कि उसका नक्शा तैयार करके फौरन मेंबर साहब एग्रीकल्चर के पास वास्ते मंजूरी भेजें और जब मंजूरी हो जाय तो काम शुरू करदें."

"जो आराजियात ऐसी किस्म की या ऐसे मौके पर वाके हों कि बजाय काश्त के इकॉनामिक प्रोडक्शन (economic production) के लिये ज्यादा मौजूं हों तो उनमें इकॉनामिक प्रोडक्शन के लिये चक्स काटे जायें, मस्लन वास्ते शीप, घोडे, मवेशी व हाथी ब्रीडिंग, लाख प्रोपोगेशन के लिये बमोर व छोला प्लेन्टेशन, रामबान या सन प्लन्टेशन. यह चक रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में काटे

जाकर उनका रकबा २००० बीघा रखा जावेगा और उनके लिये शरायतें अलहदा तजवीज की जाकर उनकी व दीगर जगह की वाकफियत की आगाही जयें इश्तहार मुतालिङकीन को अलहदा तौर पर दी जावेगी. उम्मेद है कि इससे जो आपका ख्याल हुआ है वह रफा हो गया होगा कि दरबार ने किसी बात को मेहदूद नहीं किया है; लेकिन यहां यह याद दिलाना भी जरूरी अम्र है कि इन बातों के तय करने में दरबार को इस बात का ख्याल भी रखना पडता है कि जंगल कम न हो जाय वर्ना जलाऊ लकडी, इमारत की लकडी और लकडी वास्ते आलात काश्तकारी की पैदावार में कमी आ जाना मुमकिन है. अलावा इसके एक साइन्टीफिक (scientific) उसूल यह भी है कि जंगल जहां ज्यादा होगा वहां बारिश भी काफी होगी. "

सवाल नंबर ४.—"इर्रीगेशन वर्क्स में सरकारी रुपया लाखों सालहा साल से खर्च होता है मगर जो फायदा रिआया को व सरकार को होना बतलाया जाता है वह नहीं पहुंचता, इसकी बेहतरी के वास्ते कौनसा तरीका इख्तियार किया जावे ?"

मुजव्विज साहब ने इस सवाल में एक आम शक्ल का स्टेटमेन्ट किया है, लेकिन कोई खास खास नजीरें नहीं बतलाई कि फलां तालाब के मुतअल्लिक यह हाल है. जब तक कॉन्क्रीट इन्स्टेन्सेज (concrete instances) न बताई जावें यह कैसे मालूम हो सकता है कि फायदा क्या सोचा गया था और क्या हुआ. दोयम अगर किसी ताल की निस्बत रिआया को शिकायत है तो नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान का यह फर्ज है कि बात मालूम होने पर उसकी जांच करके डिपार्टमेंट के नोटिस में वे लावें ताकि वक्त पर ही दुरुस्ती हो सके.

इस मौके पर वास्ते वाकफियत मजलिस, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की हिस्ट्री और प्रोग्रेस मुख्तसिर अलफाज में बयान कर दूं. इस हिस्ट्री के तीन पीरियडस (periods) हैं. अव्वल period कौन्सिल ऑफ रीजेन्सी का जमाना है जब कि इर्रीगेशन कामों का सिलसिला शुरू हुआ. उस वक्त का रिकार्ड नामुकम्मिल होने से किसी बात का ठीक ठीक पता नहीं चलता. काम भी ऐसे बने जिनमें बहुत से टूट गये और आमदनी जैसी होना चाहिये थी नहीं हुई. उस जमाने में ऑफिसरान की रहनुमाई और पाबंदी के लिये कवाअद भी मुरत्तिब न थे. इस किस्म की हालत सन १८९५ ई०, तक रही और इस साल से इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री का दूसरा period शुरू हुआ. इस जमाने में डिपार्टमेंट को तरतीब देने की कोशिश की गई, कवाअद मुरत्तिब किये गये और क्वालीफाइड इन्जीनियर्स भी मुकर्रर किये गये लेकिन साथ अफसोस के यह जाहिर करना पडता है कि जिस उम्मेद और भरोसे से इन्जीनियर्स लाये गये वह पूरी नहीं हुई. मेंबर साहबान मजलिस यह बखूबी जानते हैं कि ऑफिसरान का सिलेक्शन उनके टेस्टीमोनियल्स, तजरुबा और शोहरत पर किया जाता है. वे दरअसल मुफीद साबित होंगे या क्या, यह उनको रखते वक्त कोई भी प्रिडिक्ट (predict) नहीं कर सकता और इसलिये ऑफिसर के चुनाव का मसला एक किस्म का स्पेक्युलेशन (speculation) होता है, क्योंकि मसल मशहूर है कि "घोडा, जोडा और काम करने वाला नसीब से मिलता है." देखिये जयपुर दरबार को जहां कि सर स्विन्टन जैकब ने जितने इर्रीगेशन के काम बनाये हैं वह सब ऐसे मुफीद मतलब बनाये गये हैं कि जितना रुपया जयपूर दरबार का उनमें सर्फ हुआ था सब उनकी आमदनी से वसूल हो गया और अब जयपुर दरबार को जो आमदनी उन कामों से होती है वह मुनाफा ही मुनाफा है. चुनांचे ऑफिसरान व उनके काम के मुतअल्लिक जैसा जैसा तजरुबा होता गया वैसी वैसी रद्दो बदल और इस्लाह की गई, यहां तक कि गुर्टू साहब को भी अलग किया गया. यह दूसरे period का हाल हुआ. सन १९२१ ई० से तीसरे और मौजूदा period की शुरूआत हुई है

इसमें कुल हालत पर तजरुबे की निगाह से नजरसानी की जाकर डिपार्टमेंट को रिऑर्गेनाइज (re-organize) किया गया और आबियाना वसूली के कवाअद मुरत्तिब किये गये. अब उम्मेद को गुंजायश हुई है कि इस डिपार्टमेंट का काम बेहतर तरीक पर चल निकलेगा. लेकिन चूंकि इंतजाम हाल में ही हुआ है इसलिये आज ही कोई राय कायम करना कब्ल अज वक्त होगा. मेरे ख्याल में हमें चंद साल सब्र करके देखना चाहिये कि मौजूदा इंतजाम का क्या नतीजा होता है और बाद कोई कार्रवाई करना ठीक होगा. लेकिन मैं उम्मेद करता हूं कि यह सवाल जो मुजव्विज साहब ने कायम किया है वह एक या दो नजीरों पर से ही कायम नहीं किया होगा बल्कि कुल रियासत की जनरल हालत को मद्दे नजर रख कर किया होगा, इसलिये मैं यह भी जताना करीने मस्लेहत समझता हूं कि जब कोई तजवीज कोई मुजव्विज साहब पेश किया करें तो तमाम हालत पर नजर करके अपना पूरा इत्मीनान कर लेने के बाद पेश करना चाहिये, न कि चंद बातों पर.

मुजव्विज साहब ने तजवीज में लिखा है कि जो फायदा रिआया व सरकार को होना बतलाया है वह नहीं पहुंचता. रिआया को अगर फायदा नहीं पहुंचता तो यह मुजव्विज साहब को बतलाना चाहिये था क्योंकि जैसा कि मैं इससे पेश्तर बयान कर चुका हूं कि यह जानने के जराये उनको जैसे मौजूद हैं और सही और असली हालत जितनी वे बता सकते हैं उतनी ऑफिशियल एजेन्सी नहीं बता सकती. चुनांचे खास नजीरों के साथ अगर वे मुझे इन बातों से मुत्तला फरमावेंगे तो मैं इत्मीनान दिला सकता हूं कि इसकी इस्लाह कर दी जावेगी.

सरकारी फायदे से मुराद अगर महज आमदनी के फायदे से ही समझी जावे और दीगर इनडायरेक्ट फायदे जो इर्रीगेशन से होते हैं वह नजर अन्दाज किये जावें तो यह अम्र जरूर है कि सरफा आज तक कसीर हुआ है और उसके मुकाबले में आमदनी आज तक कम हुई है, लेकिन इसके चन्द वजूह हैं जो मैं आगे चल कर बयान करूंगा. जहां तक इसका प्रोजेक्ट मंजूरी से तअल्लुक है मैं यह जाहिर कर देना मुनासिब समझता हूं कि प्रोजेक्ट ऐसे ही मंजूर किये गये जो फायदेमंद समझे गये यानी जिनमें आम तौर पर ४ से ६ फीसदी या इससे ज्यादे मुनाफे का तखमीना था वे ही मामूली सालों के लिये मंजूर किये गये और इससे कम मुनाफे के प्रोजेक्टस अय्याम कहत के लिये रिजर्व रख गये. क्योंकि अगर ऐसा न किया जाता तो उस जमाने के लिये कहतजदा लोगों को रिलीफ मिलना मुश्किल होता. आमदनी सरकार कम होने के खास वजूह दो हैं:—

(१) हालत बारिश में गैर मामूली तब्दीली—साहिबान को बखूबी मालूम है कि इर्रीगेशन प्रोजेक्टस चंद गुजिश्ता सालों के ऐदाद बारिश के ऐतबार पर मुरत्तिब किये जाते हैं लेकिन कई सालों से बारिश में इस कदर कमी हो गई है कि मुताबिक तखमीना तालाब नहीं भरते जिसका नतीजा यह होता है कि आबपाशी कम होती है और जब आबपाशी कम होती है तो आमदनी भी लाजिमी तौर पर कम होगी. दूसरे जब बारिश काफी हो जाती है तो लोग पानी कम लेते हैं बल्कि इन दलायलों से तजरुबा तो यह हुआ है कि महकमा आबपाशी यही दुआ करता है कि बारिश कम हो ताकि आमदनी में ज्यादा बाढा बता सके.

(२) दूसरी वजह यह है कि डिपार्टमेंट ने नये नये काम तो कसीर तादाद में खोल दिये लेकिन जो काम कि ना तमाम थे उन्हें कम्प्लीट करने की कोशिश नहीं की. बहुत से टैन्कस् कम्प्लीट होने पर भी चैनल तैयार न होने से उनसे आबपाशी नहीं हुई.

नतीजा यह हुआ कि incomplete टैंक्स की तादाद बढ गई और उनके जर्ये से आमदनी कुछ नहीं हुई. कौन्सिल ऑफ रिजेन्सी के जमाने से अब तक १४२ मेजर व ६७७ मायनर तालाब जुमला ८१९ मौजूद हैं और इन पर ३ करोड ४४ लाख के करीब रुपया सर्फ हुआ. इस रकम में से निस्फ रकम ऐसे कामों पर सर्फ हुई है जो मुकम्मिल नहीं हुए हैं. जमाने कहत के लिये रिझर्व किये हुए काम कम मुनाफे के होने से उनसे बहुत कलील आमदन लाजिमी तौर पर होती है; क्योंकि उनका मक्सद रिआया को रिलीफ पहुंचाने का होता है चुनांचे दरबार मुअल्ला ने हुक्म दिया है कि नये वर्क्स कतई बंद रखे जावें और पुराने इनकम्प्लीट कामों को अव्वल मुकम्मिल किया जावे. मुताबिक इसके कार्रवाई इर्रीगेशन डिपार्ट मेंट कर रहा हैं और उम्मेद है कि रफ्ता रफ्ता यह नुक्स रफा हो जायगा.

सवाल नम्बर ५–"काश्तकारान की माली हालत की तरक्की को रोकने वाले कौनसे नुकायस हैं?"

इस सिलसिले में जो जो बातें गवर्नमेंट के तजरुबे में आई हैं और उन पर से गवर्नमेंट ने जो जो अहकाम जारी किये या कवाअद या कानून बनाये या रद्दोबदल किये वह कोई पोशीदा बात नहीं है और गालिबन आप साहबान के नजर से गुजरे भी होंगे. आयंदा जो बातें मालूम होती जायेंगी या तजरुबा होगा उसके मुताबिक कार्रवाई दुरुस्ती अमल में लाई जावेगी, लेकिन ज्यादेतर बार इस सवाल के जवाब का खुद मुजव्विज साहब पर पडता है. उनको खुद बताना चाहिये कि वह कौन कौनसी बातें हैं जो काश्तकारान की तरक्की में हारिज होती हैं. लेकिन मुजव्विज साहब भी उसी वक्त बता सकते हैं जब कि वह इसके मुतअल्लिक पूरी वाकफियत हासिल कर लें; लिहाजा उम्मेद की जाती है कि मुजव्विज साहब बाद कामिल तफतीश के इस सवाल को पेश करेंगे. यहां अलबत्ता एक यह सवाल जरूर पैदा होता है कि तनहा मुजव्विज साहब इस सवाल के मुतअल्लिक, कुल रियासत में क्या कैफियत है, कैसे मालूम कर सकेंगे. इसके मुतअल्लिक मैं यह सजेस्ट (suggest) करूंगा कि करीब करीब इस मजलिस में हर जिला और कस्बा रियासत का किसी न किसी मेंबर के जर्ये से रिप्रेजेन्ट किया गया है. लिहाजा मुजव्विज साहब इन मेंबरान के जर्ये से अपनी मालूमात को पूरा मजबूत करके कि काश्तकारान की तरक्की को रोकने वाली बातें क्या क्या हैं और उनकी निस्बत हमको क्या करना चाहिये, अपनी तजवीज पेश करेंगे.

सवाल नम्बर ७—"जंगल हाय रियासत में ही वह लकडी कामीदा व फल जो बाहर से मंगाना पडते हैं मिलने के वास्ते कोई तजवीज कारगर हो सकती है या नहीं?"

इसके मुतअल्लिक दरबार ने अपनी पॉलिसी मुफस्सिल रेवेन्यू, जिल्द नंबर ५, सफा ९१, पैरा ८१ में हस्ब जैल तजवीज फरमा दी है:—

"मालूम रहे कि जंगलात से नफा होना एक देर तलब अम्र है, और वह भी उस वक्त मुमकिन है, जब कीमती लकडी हमारे जंगलों में पैदा होने लगे. रियासत हाजा में फॉरेस्ट का हिस्सा ज्यादातर ऐसी लकडी से भरा हुआ है जिसे हम सिवाय जलाने या कोयला बनाने के किसी और काम में नहीं ला सकते. कीमती लकडी का हिस्सा बहुत ही थोडा है. साबिक में इस तरफ तवज्जुह नहीं थी. इस वजह से फॉरेस्ट की देखभाल भी नहीं होती थी यानी जंगल की रखोद और फेलिंग (कटाई) का तरीका सिस्टमेटिक न था इसलिये लकडी कीमती मौजूद नहीं है जिससे ज्यादा नफा उठ सके, लिहाजा इसकी निस्बत हमारी पॉलिसी यह होना चाहिये कि जहां

अच्छी जमीन है, और कीमती लकडी पैदा हो सकती है, ऐसी एरियाज (areas) को छांट कर उनमें कीमती लकडी का प्लैन्टेशन कराया जाय, और ऐसे रकबे जिनमें महज जलाऊ लकडी पैदा होती है अलग छांट दिये जायें और उनके ब्लॉक्स कायम कर दिये जायें, ताकि वह एक सिलसिले से ... जांय और जलाऊ लकडी काटी जाकर बेची जा या उसका कोयला बनाकर बेचा जाय."

ऐसी पैदावार जंगल कि जो बाहर से इम्पोर्ट होती है, ज्यादातर कीमती लकडी है कि जो म ारत का काम, फरनीचर, व रेलवे स्लीपर्स व रेलवे गाडियों के काम आती है, जिसकी पैदावार अपने यहां कम है. खास किस्म की लकडी जो बवजह आबहवा अपने यहां पैदा नहा हो सकती, मस्लन सागौन की लकडी जो उत्तरी पहाडों में पैदा होती है, बाकी दीगर किस्मों के फल व पैदावार मस्लन महुवा, चिरोंजी, हर्ड, बहेडा, कत्था, लाख, चंदन की लकडी, बबूल की छाल, बांस कोयला, लकडी का कोयला व घास यह अपने यहां के जंगलों से निकाल कर इलाके गैर को भरती होती है जिसकी वाकफियत मुफस्सिल मय दीगर वाकफियत निस्बत पैदावार जंगल हर किस्मी ग्वालियर कमर्शियल डायरेक्टरी सन १९२३ के सफा ३६ पर शाया की गई है. कामीदा लकडी की पैदायश, अफजायश अपने यहां धीरे धीरे हो रही है लेकिन चूंकि लकडी के दरख्तों के पूरा बढने में ३० या ४० बरस लगते हैं इसलिय इसका नतीजा जल्द नुमायां नहीं हो सकता.

रोसा ग्रास की काश्त बढाने के लिये व उसका तेल निकाल कर फरोख्त करने व बाहर भेजने के लिये कत्था उम्दा ढंग से बना कर फरोख्त करने के लिये व जंगल की हर किस्म की पैदावार को मुफीद तरीक पर काम में लाने के जराये बतलाने के लिये दरबार की जानिब से एक रिसर्च लेबोरेटरी सन १९२० में कायम की गई व उसके साथ ही एक एक्सपैरीमेन्टल फैक्टरी भी कायम की गई. यह एक्सपैरीमेंटल फैक्टरी अब एक कंपनी के एहतमाम में हैं.

अलावा इसके इकॉनामिक प्लैन्टेशन के लिये कवाअद तराशी व अनाय चकूक पडती काबिल काश्त स.१९८० में जरूरी प्रॉविजन किया गया है. खुलासा मुख्तासिर यह है कि ब ख्याल आब हव हमारे यहां के जंगलात में जो कुछ होना मुमकिन है उसको डिव्हलप करने की कार्रवाई महकमा फॉरेस्ट कर रहा है.

सवाल नंबर ८ —"मौजूदा खिडक रूल्स हैं उनमें क्या तरमीम की जावे ताकि जो अभी शिकायत (खिडक ज़्यादा फासले पर होने से दूर वाले उससे फायदा नहीं उठाते व काश्तकार को जिसका नुक्सान होता है हक्करसी होने म दिक्कत है जिसकी वजह से वह उससे महरूम रहता है वगैरा) दूर हो जावे."

सरक्युलर नंबर ५ संमत १९७६ रेवेन्यू हिस्सा अव्वल के अखीर में ईमा है कि मुकामी खिडकों की तादाद में कमीबेशी करना व जगह तबदील करना वगैरा इख्त्यार भी बोर्डस को रहेंगे.

इसलिये अगर खिडक ज्यादा फासले पर होने से दूर वाले उससे फायदा नहीं उठा सकते तो मुताबिक सरक्युलर सदर लोकल बोर्डस हस्ब जरूरत मौजूदा खिडकों की जगह तबदील करके या जदीद खिडक कायम करके यह शिकायत रफा कर सकते हैं.

दूसरी शिकायत यह है कि जिस काश्तकार का नुकसान होता है उसकी हकरसी होने में दिक्कत है. जिसकी वजह से वह उससे मेहरूम रहता है मगर कानून मदाखलत बेजा मवेशी

की दफा ४७ की रू से वह अपने हरजे या नुक्सान की नालिश मुताअल्लिका पंचायत बोर्ड में करके हकरसी हासिल कर सकता है.

खुलासा यह है कि जिन दिक्कतों का इजहार किया जाता है उनका इलाज हस्ब तरीक बाला दरबार मुअल्ला फरमा चुके हैं.

सवाल नंबर ९.—" क्या वजह है कि अकसर हलवाहे लोग जमींदारान व काश्तकारान रियासत हाजा के यहां से भाग कर दीगर इलाके को चले जाते हैं ? "

हलवाहे लोग दीगर इलाके में भाग जाने के मुआम्लात का अभी तक महकमे हाजा में आना पाया नहीं जाता. अलबत्ता एक मुआम्ला इस शक्ल में बजानिब जमींदारान ईसागढ़ महकमे हाजा में पेश हुआ था कि, हलवाहे हल चलाने का मुआहिदा करके रुपया व गल्ला पेश्तर ले लेते हैं और फिर दूसरे से रुपया और गल्ला लेकर उसके हल हांकने लगते हैं. नालिश करें तो छै माह तक पैरवी मुकद्दमा में लग जाते हैं और हलवाहे के पास कुछ न होने से हकरसी नहीं होती.

यह मामला संवत १९७८ की मजलिस आम में पेश होकर हस्ब जैल ठहराव हुए—

१. बहकाने वाले पर बार डाला जाय, और.

२. मुकद्दमात तहसीलदार के इजलास में पेश हों और वह बहैसियत एक्स-ऑफिशिओ मजिस्ट्रेट उन्हें फैसल करें.

मजकूरे बाला ठहराव मजलिस आम दरबार की खिदमत में पेश होने पर हस्ब जैल हुक्म सादिर हुआ :—

एडवान्स बशक्ल गल्ला हो या रुपया, मुताबिक ठहराव मजलिस:—

१. बहकाने वाले पर बार डाला जाय, और

२. मुकद्दमात तहसीलदार के इजलास में पेश हों और वह ब हैसियत एक्स-ऑफिशिओ मजिस्ट्रेट उन्हें फैसल करे.

कानून में जरूरी तरमीम की जाय.

हुक्म दरबार की तामील में कानून दरबारे खिलाफ वर्जी मुआहिदा मिनजानिब पेशेवरान, कारीगरान व मजदूरान, सं० १९६८, के मुताबिक ग्वालियार गजट, तारीखी ३१ मार्च सन १९२३ ई., के हमराह करेक्शन स्लिप जारी किया गया.

हलवाहों का इलाके गैर में भाग जाना दाखिल फरारी है. इसकी निस्बत दरबार मुअल्ला अपने ख्यालात का इजहार दौरा रिपोर्ट, सं० १९६५, सफा १९, व दौरा रिपोर्ट, सं० १९६७, सफा १६ व १८ पर फरमा चुके हैं, जिसमें से मुंदर्जे जैल एक्स्ट्रेक्ट रिप्रोड्यूस (reproduce) किया जाता है:—

" इस वक्त आसामियों की फरारी या वापिसी की जिम्मेदारी किसी पर नहीं है. दरबार के ख्याल में उसका कुछ हिस्सा ऑफिसरान अजला पर और कुछ जमींदारान पर तक्सीम करना चाहिये, (दौरा रिपोर्ट, संवत १९६७, सफा १८, कलम ३७) जिसका तरीका यह इख्तियार करना चाहिये: कि—

१. अव्वल तो फ़रारी की रोक होनी चाहिये जैसा कि रिपोर्ट संवत १९६५ की कलम १११ में लिखा है. और यह कार्रवाई जिम्मे तहसीलदार रहनी चाहिये (दौरा रिपोर्ट, सम्वत १९६७, कलम ३७, पोट कलम १).

२. कोई आसामी अगर किसी बेगार या दीगर तकलीफ मुलाजमान सरकारी की वजह से फरार हो जावे या किसी दीगर शख्स के बरगलाने से या लालच देने से चली जावे तो उसको वापिस लाने का फर्ज ऑफिसरान अजला का समझा जावे (कलम ३७,पोट कलम २, रिपोर्ट सम्वत १९६७).

३. अगर कोई आसामी जमींदार की तक्लीफ दिही से मस्लन इजाफा लगान, बेदखली वगैरा से फरार हो जावे या उसकी अयानत से दीगर इलाके में चली जावे तो वापसी की जिम्मेदारी जमींदार की होगी (कलम ३७, पोट कलम ३, रिपोर्ट सम्वत १९६७)

वापिसी के लिये ज्यादा से ज्यादा ३ माह की मियाद मुकर्रर समझी जावे और जिम्मेदार शख्स को, ख्वाह वह ऑफिसर दरबार हो या जमींदार, उस मियाद के अंदर उसको वापिस लाना ही चाहिये. (दौरा रिपोर्ट सम्वत १९६७ सफा १८ कलम ३७ की आखिरी इबारत).

२—सवालात मुतअल्लिक़ एग्रीकलचर मेम्बर साहब.

एग्रीकलचर मेम्बर साहब—मुंगालालजी ने जो ९ सवालात पेश किये थे उनमें से ६ सवालात के जवाब रेवेन्यू मेम्बर साहब ने अभी बयान फरमाये हैं, बाकी के तीन सवालात का ताल्लुक चूंकि एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट से है, इसलिये उन तीन सवालों के निस्बत कैफियत यह है:—

सवाल नम्बर १. "मौजूदा जमाने में रकबा काबिल काश्त जो पडा हुआ है उसको मजरूआ बनाने के लिये कौनसा तरीका अमल में लाया जावे ताकि रियासत की पैदावारी और मालगुजारी व मर्दुमशुमारी में तरक्की होकर रिआयां खुशहाल हो?"

काबिल काश्त आराजी आबाद हो जाने की तरफ दरबार मुअल्ला का ख्याल शुरू से ही है; चुनांचे सम्वत १९५७ के दौरे में दरबार मुअल्ला को मालूम हुआ कि रकबा लायक काश्त की तादाद में इख्तलाफात हैं, यानी कागजात में जिस कदर रकबा काबिल काश्त बतलाया गया है उससे मौके पर मिलान किया जावे तो कम व बेश पाया जाता है, साथ ही इसके अकसर जमींदारान व काश्तकारान की यह शिकायत भी दरबार के नोटिस में आई कि काबिल काश्त रकबे में नाकाबिल काश्त रकबा शामिल हो जाने से काबिल काश्त रकबे की तादाद ज्याद नजर आती है. चुनांचे दरबार मुअल्ला ने इन इख्तलाफात को जांचने और रफा करने की गरज से मारफत महकमे कागजात देही तफतीश कराई. ऐसे रकबे को जेर काश्त लाने के लिये हर तरह की कोशिश और तदबीरें कीं. मिनजुमला उनके एक तदबीर यह की गई कि चक व ब्लॉक की तजवीज निकाल कर आबादी के वास्ते जमीन देना करार दिया. जहां आबपाशी व आबनोशी की दिक्कतें थीं उनको रफा करने की कोशिश की गई. जहां मर्दुमशुमारी की कमी थी वहां बजर्ये मशीनरी कार काश्तकारी अमल में लाने की कोशिश की गई. जमींदारों को काश्त बढाने की तरफ तरगीब दिलाने की गरज से आबादी पर १० फी सदी की छूट दी गई. इन सब तदाबीर का मजमूई नतीजा यह हुआ कि संवत १९५३ में रकबा काबिल काश्त का आंक ४३,३९,८८६ एकड था और अब संवत १९७९ में ३६,३९,१०३ एकड है यानी पिछले २६ साल में ७ लाख एकड रकबा काबिल काश्त आबाद हुआ. मालूम हो कि संमत ५७ से लेकर संवत ७७, ७८ तक कैसी कैसी मुश्किलात से दरबार को मुकाबला करना पडा. फेमिन और एपीडेमिक और वार, मेरा तो यही ख्याल है कि अगर

संवत सिलसिलेवार अच्छे मिल जाते तो इस रकबे में बहुत ही कमी नजर आती. दरबार ने हाल ही में चक ब्लॉक रूल्स को फिर रिवाइज करके ज्यादा एट्रेक्टिव (attractive) बनाया है और चकदारान के मुआमलात के तरक्किये और निगरानी की गरज से एक अलहदा महकमा एग्रीकलचर का कायम किया है जिस से उम्मेद की जाती है कि रकबा लायक काश्त में और कमी वाके होगी.

इसी रकबे पडत को जेर काश्त लाने की गरज से दरबार मुअल्ला ने ऐसे जमींदारान व काश्तकारान को जिनके पास काफी तदबा न था, इमदाद देने की गरज से बैंक काश्तकारी भी जा बजा कायम किये हैं जहां से मुलायम शरह सूद पर रुपया वास्ते बैल व बीज व मशीनरी दिया जाता है. गरज यह है कि जिस कदर तदबीरें पडत रकबे को जेर काश्त लाने की दरबार मुअल्ला के इमकान में थीं वह की गईं और आयंदा की जावेंगी, लेकिन तजरुबे से यह बात पाई गई कि जमींदारान व काश्तकारी पेशा लोग तरक्की आबादी की तरफ इस कदर मुतवज्जह नहीं हैं जितने कि दरबार हैं, और यही खास वजह है कि ज्यादती आबादी में वैसी कामयाबी अभी तक नहीं हुई जैसी कि होना चाहिये थी. दौरे में यह तजरुबा भी हुआ कि जमींदारान पट्टे की शरायत को नहीं पढते. उनको यह बतलाया गया कि पट्टेबन्दी के साल से पट्टा खत्म होने की तारीख तक जितनी नौतोड जमीन आबाद की जायगी उसकी बाबत कोई रकम मालगुजारी उनसे नहीं की जायगी और अलावा इसके आयन्दा पट्टेबन्दी में नौतोड पर १० फी सदी उनको छूट दी जावेगी. लेकिन अफसोस है कि इन रिआयतों पर भी जमींदारान कोई ख्याल नहीं करते और न उनसे कोई फायदा उठाते हैं. इसी तरह इन्हीं लोगों की सहूलियत के वास्ते जा बजा बैंक कायम किये गये हैं, लेकिन बैंक से भी उतना फायदा नहीं उठाया जाता जितना कि उठाना चाहिये. बैंक से यह लोग रुपया लेने में क्यों डरते हैं, इसकी बाबत भी कोई बात जाहिर नहीं की गई, ताकि उसकी दुरुस्ती की जाती. यह एक सीधी सी बात है कि आबादी करने का काम दर असल रिआया का है और आबादी के वास्ते सहूलियतें, रिआयतें और इमदाद देना दरबार का काम है. ऊपर के वाकेआत से आप साहबान गौर कर सकते हैं कि दरबार मुअल्ला ने किस कदर सहूलियतें और आसानियां पैदा करदी हैं. अब अगर कुछ कमी रहती है तो जमींदारान व काश्तकारान की तरफ रहती हैं कि उन्हों ने इस काम में पूरी दिलचस्पी नहीं ली और दरबार की हमदर्दी और इमदाद से पूरा फायदा नहीं उठाया. आप साहबान, खुसूसन नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान मजलिस आम, चूंकि इस क्लास के लोगों से ज्यादा तर इन टच (in touch) रहते हैं इसलिये उम्मेद की जाती है कि आप साहबान यह बातें जमींदारान व काश्तकारान को बतायेंगे और उनको समझायेंगे कि अब जो कुछ करने का काम रहा है वह तुम ही लोगों का है, दरबार ने तो हर तरह से तुमको सहूलियत दी और जो कुछ करने का काम था वह किया. मुख्तसिर यह है कि इस तरीके से अगर आप लोग जराअत पेशा लोगों को तरक्की या आबादी की तरफ माइल करेंगे तो उम्मेद है कि जरूर कुछ न कुछ नतीजा बरामद होगा. लिहाजा मेरे ख्याल में मूंगालाल साहब बीजावर्गी ने अपने सवाल में जो यह दरयाफ्त किया है कि वह कौनसा तरीका अमल में लाया जावे जिससे आबादी बढे, उसका जवाब यही हो सकता है कि '' आप लोगों की तवज्जुह''.

सवाल नम्बर २—दूसरा सवाल मूंगालालजी का यह है कि:—

''नया बीज जो महकमे एग्रीकलचर से बोने के लिये दिया जाता है या उसको खरीद कर बोने की फेहमायश दी जाती है, उसकी तामील मिन जानिब रिआया दिलचस्पी के साथ जैसी कि होना चाहिये नहीं होती, इसकी क्या वजह है ?''

इसकी वजह सही तौर पर बमुकाबले सरकारी ऑफिसर के आप साहबान ज्यादा आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अपने ओपनिंग (opening) स्पीच मजलिस आम, तारीखी १७ अक्टूबर सन १९२१ ई०, में दरबार ने फरमाया है कि:—

> "आपके फरायज वह भी हैं जो मेम्बरान मजलिस कानून के हैं और इस बाबत आप रिव्यू रिपोर्ट सालाना सन १९१२-१३ ई०, सफा २९ को मुलाहिजा करें."

रिव्यू मुन्दर्जे सदर का तर्जुमा यह है कि—"नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान ब निस्बत ऑफिशियल मेम्बर साहबान के किसी नाफिज शुदा कानून के नतीजों का बेहतर अंदाजा कर सकते हैं और मुआम्लात रियासत की असली हालत से ज्यादा वाकफियत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल मेम्बर साहबान की तवज्जुह अपने मुतालिका कामों की तरफ महदूद रहती है और वह जिस किसी चीज को देखेंगे तो उस पर दरबार के पहलू से नजर डालेंगे. इसलिये नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान को गवर्नमेंट और रिआया की दो तरह से खिदमत अदा करने का मौका हासिल है, वह इस तौर से कि एक तरफ तो गवर्नमेन्ट को कवानीन के असरात और नतायज से मुत्तिला कर सकते हैं, और दूसरी तरफ रिआया की तकलीफें गवर्नमेंट के इल्म में लाकर रिआया की इम्दाद कर सकते हैं. इस लिहाज से नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान की जिम्मेदारी और फरायज बहुत बडे हैं और दरबार को उन से यह उम्मेद है कि वह इन फरायज को वफादारी से अंजाम देंगे.

ओपिनिंग स्पीच मजलिस आम, सन १९२१ ई. में दरबार ने एक यह फिकरा भी फरमाया था कि "आप लोगों की जो पनाह ली जाती है वह महज इस नियत से कि आप उन बातों पर नजर रख कर हमेशा यह कोशिश करते रहें कि जो ऊपर बताई गई हैं"

ऐसी सूरत में दरबार उम्मेद करते हैं कि नये बीज बोने में दिलचस्पी न लेने का सही सबब जो आप बता सकते हैं कोई दूसरा नहीं बता सकता. दरबार के इल्म में इसकी वजह उस वक्त आ सकती है जब मिनजानिब जमींदारान या काश्तकारान दरबार के इल्म में यह बातें लाई जांय. चूंकि आज तक ऐसी कोई बात रिआया की जानिब से इस बारे में दरबार के नोटिस में नहीं लाई गई, इसलिये अगर यह बात सही है कि नये बीज के बोने में मिनजानिब रिआया दिलचस्पी नहीं ली जाती तो इसका सबब भी उन्हीं साहब को बताना चाहिये जो यह बात कहते हैं कि रिआया दिलचस्पी नहीं लेती.

सवाल नं. ६—तीसरा सवाल मुंगालालजी का नस्लकशी मवेशियान के मुतअल्लिक है यानी यह कि—

"नस्लकशी मवेशियान के सुधार होने का असली तौर पर कौन सा तरीका मुफीद हो सकता है?"

जो बात किसी चीज को तरक्की देने की गरज से अमल में लाई जाती है वह मुफीद ही समझ कर लाई जाती है. बाद अमल में आने के नतीजा मुफीद साबित हो या न हो, यह तजरुबे के ऊपर हसर रखता है.

अमल में लाने से पहिले यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि फलां बात या फलां तरीका मुफीद ही साबित होगा. चुनांचे इसी उसूल को मद्दे नजर रख कर वास्ते तरक्की व सुधार नस्ल मवेशियान दरबार मुअल्ला ने एक सिविल वेटेरिनरी डिपार्टमेंट कायम किया और उसके बाद दो साल हुए कि बुल ब्रीडिंग फार्म कायम किये गये हैं और साल गुजिश्ता की मजलिस आम में

इसके मुतअल्लिक काफी गौर होकर यह करार पा चुका है कि रियासत में चंद मुकामात पर सेन्टर्स कायम करके उन सेन्टर्स पर नस्लकशी के लिये अच्छी जात के सांड रक्खे जायें चुनांचे इस ठहराव के मुताबिक वेटेरिनरी डिपार्टमेंट से स्कीम पेश हुई है जो जेर गौर है. बमुलाहिजे हालत सदर मेरे ख्याल में यह सवाल कब्ल अज वक्त यानी too early है. गुजिश्ता मजलिस आम में जो करार पा चुका है उसको अमल में लाकर ता वक्ते कि देख न लिया जावे कि क्या नतीजा बरामद होता है. इस सवाल पर बहस करना गैर जरूरी मालूम होता है.

जमीमा नंबर ३.

रिपोर्ट कमेटी

मुतअल्लिक तजावीज नम्बर ३८, ३९ व ४०, एजेन्डा मजलिस आम, सम्वत १९७९, सेशन दोयम.

एजेन्डा मजलिस आम, सेशन दोयम में, हस्ब जैल तीन तजावीज राय बहादुर प्राणनाथ साहब के नाम पर दर्ज थीं:—

तजवीज नम्बर ३८.—शहर लश्कर में मच्छरों की तादाद साल ब साल बढती जाती है जिससे न सिर्फ पब्लिक के आराम में बेहद खलल वाके होता है बल्कि जो मलेरिया मौसमी बुखार को फैला कर सख्त मुजिर सेहत होने का बाइस होते हैं; लिहाजा इसका करार वाकई इन्सदाद, बजर्ये माकूल ड्रेनेज सिस्टम (Drainage System) या दीगर तौर पर, जिस कदर जल्द मुमकिन हो किया जावे.

तजवीज नम्बर ३९.—लश्कर में फौती की तादाद ब मुकाबले पैदायश ज्यादा है. इस लिये इसके असवाब की तहकीकात बजर्ये एक कमीशन के, जिसमें मेडिकल, सेनीटरी, म्युनिसिपल व दीगर तबकों के कायम मुकाम शामिल हों, कराई जाकर माकूल तजवीज अमल में लाई जावे जिससे तादाद फौती में कमी हो.

तजवीज नम्बर ४०.—दूध देनेवाले जानवरों को लीद, मुताली खिलाने का रिवाज बावजूद म्युनिसिपल रेग्युलेशन्स के बराबर जारी है; लिहाजा इसकी रोक कानूनन की जाये.

इन तजावीज में से तजवीज नम्बर ३८ को गुरुदयाल साहब ने इजलास मजलिस आम में पेश किया. उस पर हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू ने, जो कुर्सी सदर मजलिस आम पर रौनक अफरोज थे, यह हुक्म दिया कि इस मसले पर व नीज तजावीज नम्बर ३९ व ४० पर गौर करने के वास्ते मुफस्सिले जैल कमेटी कायम की जाती है:—

(१)	अपील मेम्बर साहब	प्रेसीडेन्ट.
(२)	सरदार मालोजीराव साहब सीतोले, प्रेसीडेन्ट लश्कर, म्युनिसिपल बोर्ड.	मेम्बर
(३)	डाक्टर वी. एम. फाटक साहब	,,
(४)	लाला राजकुमार साहब	
(५)	लाला रामजीदास साहब वैश्य	,,
(६)	भगवानप्रसाद साहब अष्ठाना	,,
(७)	जगमोहनलाल साहब, वकील (भिंड)	,,
(८)	अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी	,,

और दरबार मुअल्ला ने यह भी इरशाद फर्माया कि यह कमेटी म्युनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट पर भी गौर कर लेवे.

कमेटी हाजा के चंद इजलास हुए और उनमें म्युनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट पढी गई. उस रिपोर्ट को पढने के बाद कमेटी की यह राय है कि तजावीज जो मजलिस आम में पेश हुई हैं

उनके मुतअल्लिक किसी मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं हैं जिन उमूर की तरफ म्युनिसिपल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तवज्जुह दिलाई है अगर उनका इन्तजाम हो गया तो उसका नतीजा यह होगा कि मच्छर अगर बिलकुल मादूम न हो गये तो कम तो जरूर हो जावेंगे. सैनीटेशन की हालत दुरुस्त होकर फौती में कमी वाके होगी और लीद, मुताली खिलाने के तरीके की रोक हो जावेगी. इसलिये कमेटी की यह गुजारिश है कि म्युनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट को, मेम्बर साहब एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज के पास इस हिदायत से भेज दिया जाय कि जहां जहां म्युनिसिपेलिटियों में बलिहाज रुपया और आमदनी के मुमकिन हो, उन इसलाहों को उस तरीके और सिलसिले से अमल में लाया जाय, जैसा कि म्युनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है.

(Sd.) SULTAN AHMAD KHAN,
5th November 1923.
(Sd.) V. M. PHATAK,
5th November 1923.
(Sd.) M. SHITOLE.
(Sd.) RAMJI DAS VAISHYA.
(Sd.) J. M. SHRIVASTAVA.

Subject to my note attached.
(Sd.) RAJ KUMAR,
3rd December 1923.

Subject to my note attached.
(Sd.) B. P. ASHTHANA,
29th January 1924.

मुझ को बाबू भगवान प्रसाद साहब अष्ठाना की राय से इत्तफाक है.

मुहम्मद अब्दुलहमीद सिद्दीकी,
तारीख २८ जनवरी सन १९२४ ई०.

[नोट—राजकुमार साहब और भगवान प्रसाद साहब अष्ठाना ने अपनी इख्तलाफ राय के मुतअल्लिक जो नोट्स पेश किये हैं, वह जैल में दर्ज किये जाते हैं.]

नोट

इख्तलाफ राय राजकुमार साहब.

मुझे कमेटी की राय से इस हद तक इत्तफाक है कि म्युनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट में जो तजावीज पेश की गई हैं अगर वह अमल में लाई गई तो नुकायस मुन्दर्जे सदर की कुछ न कुछ दुरुस्ती और रोक जरूर होगी, लेकिन सिर्फ इतना कर देने से ही इनका करार वाकई इन्सदाद हो जावेगा, इस में मुझे शक है. मेरी नाकिस राय में हस्ब जैल तरीका इनकी रोक का इख्तियार किया जावे तो बेहतर होगा:—

१—निस्बत कमी करने तादाद मच्छर शहर लश्कर में:—

बलिहाज तादाद व इफरात मच्छर, शहर लश्कर की सब से बडी nuisance है और मेरी दानिस्त में इसका माकूल इन्तजाम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि लश्कर की Drainage System को मुकम्मिल तौर पर overhaul न किया जावे, जिसके लिये मुकम्मिल स्कीम experts के जरिये से बनवानी पडेगी. इसमें रुपया

भी काफी सर्फ होगा और वक्त भी लगेगा, मगर जब तक ऐसा न किया जावेगा, मच्छरों की तादाद में खातिर ख्वाह कमी होने की उम्मेद कम है.

२—निस्बत कमी करने तादाद फौती.

इसकी निस्बत मेरा ख्याल यह है कि मौजूदा तारीका इन्द्राज फौती व पैदायश का नाकिस है और जो अहकाम इस बारे में साबिक में जारी किये गये हैं वह नाँ काफी हैं. मेरी राय नाकिस में बेहतरीन तरीका इसकी दुरस्ती का यह ही हो सकता है कि Registration of vital statistics का एक बा कायदा Act जारी किया जावे और उसकी पाबन्दी शहरों में लाजिमी करार दी जाकर, अदम तामील की सूरत में penalties कायम की जावें. इन्द्राज फौती व पैदायश इस वक्त ज्यादातर मेहतरों के जरिये से नजदीक के पुलिस स्टेशन पर होता है जिसके लिये एक हफ्ते की मियाद मुकर्रर की गई है और म्युनिसिपल कमीशन ने बजाय एक हफ्ते के १५ योम की मियाद रखने की सिफारिश की है. मेरे ख्याल में इस मियाद को जिस कदर कम किया जावेगा उतना ही अच्छा होगा क्योंकि इन्सानी तबियत का खास्सा है कि जिस कदर देर किसी काम में होती है उतना ही वह ढीला होता जाता है और तामील हुक्म से गुरेज करता है. नीज इस कदर अर्से के बाद इन्द्राज कराने से, यह इन्द्राजात ऐसे सही नहीं हो सकेंगे जैसे कि होना चाहिये. Registration का तरीका ठीक होने पर यह मालूम हो सकेगा कि आया वाकई फौती की तादाद बमुकाबके पैदायश ज्यादा है या नहीं. अगर फिर भी ज्यादा पाई गई तो इसके खास वजूहात की तलाश करनी होगी, जिसके मालूम होने पर इसका इन्सदाद किया जा सकता है. बहुत अगलब है कि sanitation की हालत दुरुस्त होने पर तादाद फौती में खुद बखुद कमी हो जाय.

३—निस्बत मुमानियत करने खिलाना लीद मुताली दूध देने वाले जानवरों को.

अगर्चे इसकी मुमानियत जर्ये इश्तहार तारीख यकुम अप्रेल सन १९०३ ई० यानी जायद अज २० साल हो चुकी है; मगर इसमें कमी होना नजर नहीं आता. इसलिये stronger measures की जरूरत है मेरी राय में सिवाय अगराज खाद के लीद मुताली की फरोख्त कानूनन बंद की जावे, और फरोख्त करने वाले और खरीदने वाले दोनों को मुजरिम करार देकर उन पर मुकद्दमा चलाना चाहिये, तबही इसका करार वाकई इन्सदाद हो सकता है. बावजूदे कि म्युनिसिपेलिटी ने लीद मुताली खिलाने वाले की गिरफ्तारी का इनाम मुकर्रर किया हुआ है तो भी इस सख्त मुजिर सेहत तरीके की रोक नहीं हुई, इसलिये सख्ती की जरूरत है.

नोट

इख्तलाफ राय भगवानप्रसाद साहब अष्ठाना.

१. कमेटी की राय से मुझे भी इत्तफाक है, लेकिन मुझे यह कहना लाजिमी मालूम होता है कि लश्कर शहर में महज Proper drainage system हो जाने से मच्छर कम न होंगे क्योंकि मच्छरों की पैदायश ज्यादातर climatic conditions पर मुनहसिर है. यह बेशक मुमकिन है कि उम्दा drainage हो जाने से कुछ कमी हो जावे, लेकिन मच्छरों की nuisance जिसकी शिकायत है

वह नहीं जा सकेगी. कलकत्ता, बम्बई जहां का Drainage System मुकम्मिल कहा जा सकता है, वहां मच्छरों की कसरत मौजूद है, लोग आम तौर से mosquito netting इस्तेमाल करते हैं. मेरी नाक़िस राय में मच्छरों की अगर कुछ कमी हो सकती है तो हमको सबसे पहले लश्कर के House drainage के कवाअद बनाकर उनको अमल में लाना चाहिये. जब House drainage ठीक होने लगे, उस वक्त City drainage में हाथ लगाना चाहिये. शहर की कुल गंदगी मकानों से शुरू होती है अगर हमारे मकानात साफ रहेंगे तो शहर का Sanitation खुद बखुद Improve हो जावेगा. अलावा इसके मकानात की हालत आयन्दा ठीक रहे इसके वास्ते Building Rules का तैयार होना भी जरूरी है; ताकि अब जो मकानात तामीर हों उनका Drainage System व दीगर Sanitary requirements बा कायदा हों.

२. दूध देने वाले जानवरों को जो लीद मुताली खिलाई जाती है इसकी रोक के बारे में मेरी यह राय है कि घोसी लोग जो दूध बेचने का पेशा करते हैं, उनको एक जगह लाकर, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बसाया जावे तो उनकी जांच आसानी से हो सकेगी, और शहर की गिलाजत भी कम हो जावेगी व लीद मुतारी खिलाना भी कम हो जावेगा. अलावा इसके अब तक जो सजा लीद मुताली खिलाने की बाबत है वह काफी नहीं है. मौजूदा कवायद को बहुत सख्त करना चाहिये और जो जुर्माना वसूल हो उसका कुछ हिस्सा रिपोर्ट करने वाले या गिरफ्तार करने वाले को मिलना चाहिये.

३. फौती व पैदायश की बाबत मुझे लाला राजकुमार साहब की राय से इत्तफाक है

जमीमा नंबर ४.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर १, फर्द नंबर

एजेन्डा मजालिस आम.

मुकद्दमेबाजी की रोक.

तारीख १३ मार्च सन १९२४ ई०

हाजरीन.

प्रेसीडेन्ट.

लॉ मेम्बर साहब.

मेम्बरान.

१. मथुराप्रसाद साहब.
२. मयाराम साहब.
३. बन्सीधर साहब.
४. जामिनअली साहब.
५. अहमदनूरखां साहब.
६. निजामुद्दीन साहब.
७. विश्वेश्वरसिंह साहब.
८. लुकमानभाई साहब.
९. महन्त लक्ष्मणदासजी साहब.
१०. महादेवराव साहब.
११. द्वारकादास साहब.
१२. रामराव गोपाळ देशपांडे साहब.
१३. जबरसिंह साहब.
१४. केशवराव बापूजी साहब.
१५. सेठ नारायणदास साहब.
१६. रामचन्द्र साहब बोहरा.

१. सब-कमेटी हाजा के गौर के लिये यह सवाल सुपुर्द हुआ है कि जमींदारान के माबैन मुकद्दमे बाजी की रोक किस तरह पर की जाये.

२. चुनाचे आज सब-कमेटी ने इस मसले पर गौर किया और बाद मुबाहिसा कसरत राय से हस्ब जैल करार पाया:—

(अ) हर परगने में एक बोर्ड जमींदारान इन्तखाब के जर्ये से कायम किया जावे जिसमें कम से कम दस जमींदारान हों.

(ब) जब बाहम जमींदारान कोई निजा मुतअल्लिक हक्कियत जमींदारी अज किस्म बटवारा वगैरा पैदा हो तो फरीकैन मुआमला को चाहिये कि अपना मुआमला बोर्ड मजकूर के रूबरू पेश करें.

(ज) बोर्ड मजकूर को इख्तियार होगा कि फरीकैन मुतअल्लिका की जात बिरादरी के कम अज कम चार शख्सों को जहां तक मुमकिन हो फरीकैन की रजामन्दी से नामजद करके बोर्ड में शरीक करें और उस मुआमले का बाहमी तस्फिया कराने की कोशिश करें.

(द) अगर फरीकैन मुआमला, बोर्ड के समझाने पर बाहम रजामन्द हो जावें तो बाहमी रजामन्दी के मुताबिक बोर्ड उस मुआमले का तस्फिया नामा लिखेगा और उस तस्फियेनामे को कोई फरीक अदालत मजाज में पेश करके उसके मुताबिक डिक्री हासिल कर सकेगा और वैसी डिक्री हस्ब जाब्ता काबिल इजरा होगी.

ज़मीमा नम्बर ५,

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजावीज़ नम्बर २ व ६, फर्द नंबर १, एजेन्डा मजलिस आम, निस्बत कायमी स्टेन्डर्ड औज़ान व नाप.

एजेन्डा मजलिस आम, सम्वत १९८० की फर्द नंबर १ की तजावीज नम्बर २ व ६ पर गौर करके रिपोर्ट पेश करने के लिये दरबार मुअल्ला ने हस्ब जैल साहबान की एक सब-कमेटी ब सिदारत ट्रेड मेम्बर साहब मुकर्रर फरमाई:—

(१) रामजी दास साहब.
(२) सेठ लुकमान भाई साहब.
(३) रामप्रताप साहब.
(४) मदनमोहनलाल साहब.
(५) महन्त लक्ष्मण दासजी साहब.
(६) सेठ नारायण दास साहब.
(७) मुंगालालजी साहब.
(८) बन्सीधर साहब.
(९) जामिनअली साहब.
(१०) मथुरा प्रसाद साहब.

कमेटी ने सवाल नम्बर २ व ६ पर गौर किया.

यह अमर जरूरी है कि रियासत में वजन और पैमाने यकसां और एक नाप के होना चाहिये. लिहाजा हमारी राय है कि पैमाने और औजान हस्ब जैल कायम किये जावें.

हर किस्म के अजनास के वजन के लिये हस्ब जैल नाप होना चाहिये :—

(१) ४० सेर का एक मन.
(२) ८० रुपये कलदार भर का एक सेर.
(३) ५ रुपये भर की एक छटांक.

नोटः—स्टेन्डर्ड वजन वह कायम किये जावें जिन से माल की खरीद, फरोख्त और सौदा हो, बाकी २॥ सेर और ५ सेर या १० सेर या २० सेर या आधपाव या पावभर या आधसेर के बांट और बनाये जावें जो महज वजन की आसानी के लिये हैं मगर इनके ज़र्ये से निर्ख का ठहराव नहीं होगा.

चांदी, सोना या दूसरी कीमती चीजों के लिये स्टेन्डर्ड बांट तोले का रक्खा जावे जो कल्दार रुपये के बराबर होगा.

नोटः—वजन की आसानी के लिये ६ माशे, ३ माशे, २ माशे, १॥ माशा, १ माशा और रत्ती और रक्खी जावें.

रुपये का आधा ६ माशा.
रुपये का चौथाई ३ माशा.
रुपये का बारहवां हिस्सा १ माशा.
माशे का आठवां हिस्सा एक रत्ती.
यह औजान आसानी वजन के लिये होंगे, स्टेन्डर्ड बांट सिर्फ तोला होगा.

अंग्रेजी अदविआत के या बाज विलायती अशियाय के वजन और पैमाने औंस और ड्राम और ग्रेन्स, गेलन, क्वार्ट, पिन्ट में होते हैं वह औजान महज अदविआत और लिक्विड अशियाय के लिये जिनका निर्ख आम तौर पर इंग्लिश स्टेन्डर्ड पैमाने पर होता है, जायज तसव्वुर किये जावें.

नाप के लिये गज जो नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ कॉमर्स, ता: २३ जनवरी सन १९०८ ई०, में ३६ इन्च का तजवीज किया गया है वह बदस्तूर कायम रखा जावे.

लिहाजा कमेटी की राय है कि ऊपर लिखे हुए औजान तिजारत के लिये स्टेंडर्ड नाप और पैमाने करार दिये जावें और सौदा खरीद फरोख्त माल का स्टेन्डर्ड नाप और पैमाने के जर्ये से किया जावे. और वजन और नाप माल का ऊपर लिखे हुए पैमानों से किया जावे.

सवाल नम्बर ६ पर गौर करने से पाया जाता है कि गो इस बारें में एहकाम मुख्तलिफ तरीके पर हुए मगर उनकी तामील इसलिये नहीं हुई कि कोई खास शख्स उसका जिम्मेदार नहीं बनाया गया.

जुर्म नम्बर ८४ जो खिलाफ वर्जी की हालत में कायम होगा वह इख्तियारी पुलिस और अदालत है और इसी वजह से इसकी तामील अब तक जैसी कि चाहिये नहीं हुई; लिहाजा कमेटी की राय है कि मन्डियों से मन्डी कमेटी को इख्तियार दिया जावे कि:—

अव्वल फेहमायश के जर्ये से वह सब लोगों को बांट और पैमाने मुहय्या करावें और एक ऐसा भी इन्तजाम करदें कि जहां से आसानी से हर शख्स को मिल सकें;

जिन अशखास पर उनका जबानी हिदायत से असर न हो उन पर मुकद्दमा कायम करके तजवीज करें और ५०) रुपये जुरमाने तक का इख्तियार उनको दिया जावे.

मवाजियात में मेमोरेन्डम नम्बर २५ के जरिये से जो कमेटी जमींदारी ऑफिस की कायम की गई है उनको ५) रुपया तक जुरमाने का इख्तियार दिया जावे और दुबारा वकुए पर मय औजान के पुलिस में सुपुर्द करें और पुलिस जुर्म नम्बर ८४ की बाकायदा कार्रवाई करे.

मन्डी कमेटी और जमींदार कमेटी का फर्ज होगा कि १ साल के अन्दर हर जगह स्टेन्डर्ड वजन और पैमाने का रिवाज कर दें.

कमेटी की यह भी दरख्वास्त है कि ट्रस्ट की तवज्जुह दिलाई जावे कि वह मन्डी में अपनी एजेन्सी कायम करे और सही बांट और पैमाने का स्टॉक काफी मिकदार में रखे और कीमत ऐसी हो कि जो ब्रिटिश इण्डिया के बने हुए बांटों से ज्यादा न हो.

मोती महल, लश्कर,
ता: १३ मार्च सन १९२४ ई०

राय बहादुर गजपतराय,
मुंतजिम बहादुर,
मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज,
ग्वालियर गवर्नमेन्ट.

जमीमा नम्बर ६.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुताल्लिक तजवीज़ नम्बर ९, फर्द नम्बर १, एजेन्डा मजलिस आम, निस्बत दाग मवेशियान.

हाजरीन

आर्मी मेम्बर साहब	....	.... प्रेसीडेन्ट.
महंत लक्ष्मणदासजी साहब	....	.... मेम्बर.
मुहम्मद नूरखां साहब	....	.... ,,
जामिन अली साहब.	....	.... ,,
मथुरा प्रसाद साहब	....	.... ,,
केशवराव बापूजी साहब	....	.... ,,
धुंडीराज कृष्ण अंष्टेवाले साहब		.... ,,
ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाधीर		.... ,,

पुलिस डिपार्टमेन्ट की सम्वत १९७७ की सालाना रिपोर्ट पर दरबार मुअल्ला ने अपने रिव्यू (review) में दाग मवेशी की निस्बत जो हुक्म नाफिज फरमाया था उसकी तामील में अजलाय से जो जवाबात आये हैं उनसे जाहिर होता है कि दाग मवेशी से सुरागरसी में कोई फायदा नजर नहीं आता और न इन्सदाद वारदात में मदद मिलती है.

सरसूबा साहब प्रांत मालवा की जानिब से हस्ब ठहराव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उज्जैन, यह रिपोर्ट भी दाखिल हुई थी कि मवेशियान को दाग लगाने से वह कमजोर होकर उनके दूध में फर्क व नस्ल में कमजोरी वाके होती है.

पुलिस कॉन्फरेन्स सम्वत १९७९ में असिस्टन्ट इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस जिला नरवर की तरफ से यह सवाल पेश हुआ था कि मामलात चोरी मवेशी में दाग मवेशी से आजतक कोई इम्दाद नहीं मिली जिसकी वजह से यह काम दीगर रियासतों में बंद किया गया व किया जा रहा है, लिहाजा ब वजूहात सदर रियासत हाजा में भी वह बंद किया जावे. इस पर से पुलिस कॉन्फरेन्स में यह ठहराव हुआ कि दाग मवेशी से कोई मुफीद नतीजा नहीं निकला है और रिआया को परेशानी भी होती है. इलाके गैर से मवेशी दाग लगे हुवे दस्तयाब होने की नजीरें कोई खास तौर पर पेश नहीं आई हैं. लिहाजा अपने यहां भी यह काम बंद किया जावे.

चुनाचें सब कमेटी ने इन तमाम हालात पर गौर करके बाद मुबाहिसा करार दिया कि दाग लगाने से कोई नतीजा हासिल नहीं होता और न सुरागरसी में मदद मिलती है, लिहाजा दाग लगाना बंद किया जावे तो मुनासिब होगा.

सब-कमेटी की यह भी राय है कि सरक्यूलर नम्बर २, सम्वत १९७१ मुवर्रखे ११ अगस्त सन १९१४ ई० मजर्ये होम डिपार्टमेन्ट के मुताबिक फी २५ मवेशी एक मजबूत व नौजवान चरवाहा रखने बाबत जो हुक्म है उसकी तामील जहां जरूरत हो वहां बजयें पुलिस सख्ती से कराई जावे. सरक्युलर मजकूर की तामील अगर पूरी तौर से की जावेगी तो उम्मेद है कि बेढ मवेशी की वारदातों की रोक काफी तौर से हो सकेगी.

जमीमा नम्बर ७.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज़ नंबर १, फर्द नंबर २, एजेन्डा मजलिस आम संवत ९८०.

बाबत दिये जाने रिआयत तुलबा फेलशुदा इम्तहान स्टेट मिडिल को,
तारीख १५ मार्च सन १९२४ ई०.

हाजरीन.

प्रेसीडेंट.

१. मेम्बर साहब तालीम.

मेम्बर्स.

२. राय बहादुर प्राणनाथ साहब सभा-भूषण.

३. जमनादास साहब झालानी.

४. जगमोहनलाल साहब.

५. महन्त लक्ष्मण दास साहब.

६. लाला रामजी दास साहब.

७. फजल मुहम्मद साहब (मुजव्विज)

बाद बहस हस्ब जैल उमर तनकीह करार पाये:—

(१) आया स्टेट मिडिल इम्तहान के लिये कम्पार्टमेन्टल सिस्टम की रियायत जारी की जाय या नहीं.

(२) अगर जारी की जाय तो कुछ शरायत के साथ या बिला किसी कैद के.

(३) अगर कुछ कयूद के साथ जारी करना मुनासिब हो तो वह कयूद क्या रखी जायें.

कसरत राय से करार पाया कि कम्पार्टमेन्टल सिस्टम परीक्षा में किसी हद तक जारी की जाना मुफीद होगा व इससे परीक्षा में बैठने वालों को सहूलियत भी होगी. मगर यह सिस्टम हस्ब जैल कयूद के साथ जारी किया जाना मुनासिब होगा:—

(१) यह रिआयत सिर्फ उन उम्मेदवारों को दी जाय जो ज्यादा से ज्यादा दो मजामीन में नाकामयाब रहे हों.

(२) यह रिआयत सिर्फ एक ही साल के लिये दी जाय.

(३) यह रिआयत सिर्फ उन फेलशुदा उम्मेदवारों को दी जाय कि जिनका उन मजामीन के नंबरों का टोटल जिन में वे पास हुवे हों कम से कम ४० फी सदी हो मगर शर्त यह है कि मदर्से में पढने वाले उम्मेदवारान मजकूर को पासशुदा मजामीन में भी क्लास अटेन्डन्स लाजिमी होगी.

जमीमा नम्बर ८.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुताल्लिक तजवीज नं. ४ फर्द नं. २, एजेन्डा मजलिस आम, निस्बत बीज मालवी कपास.

एजेन्डा मजलिस आम संवत १९८० की फर्द नं. २ की तजवीज नंबर ४ पर गौर करके रिपोर्ट पेश करने की गरज से दरबार मुअल्ला ने हस्ब जैल साहबान की एक सब-कमेटी ब सिदारत एग्रीकलचर मेम्बर मुकर्रर फरमाई:—

महन्त लक्ष्मणाचार्य साहब.
राजा भैया साहब.
बंसीधरजी साहब.
अहमद नूर खां साहब.
सैयद जामिन अली साहब.

कमेटी ने इस सवाल पर गौर करके बाद जरूरी मुबाहिसे के जो तजावीज कायम कीं वह बतफसील जैल हैं:—

यह बात मुसल्लिमा है कि मालवे के लिए मालवी कपास की किस्म ब मुकाबले दीगर अकसाम के ज्यादा फायदेमन्द समझी गई है, लेकिन उसमें चन्द दीगर किस्मों का बीज मखलूत हो जाने के सबब से खालिस मालवी कपास का बीज दस्तयाब नहीं हो सकता, चुनाचे खालिस मालवी बीज पैदा व फराहम करना मुकद्दम काम समझा गया है लिहाजा उस के लिये कमेटी यह तरीका करार देती है कि अव्वल महकमा एग्रीकलचर खालिस मालवी बीज बोने के लिए एक मुनासिब तादाद रकबे की तजवीज करे और उस रकबे में खालिस मालवी बीज पैदा करने का तरीका इस तरह पर इख्तियार किया जावे कि मौजूदा मिक्स्ड (mixed) बीज को लेकर उसमें से जितने दीगर किस्म के कपास के बीज, मसलन अमेरिकन (American), कम्बोडिया (Combodia), रोझियम (Roseum), बनी (Bani) वगैरा मखलूत हों उनको अलग करके खालिस मालवी कपास के बीज के बिनौले जहां तक हो सके अलहदा किये जावें.

इसके बाद तजवीज किये हुए खेतों में यह चुना हुआ बीज बोया जावे और जब कि खेतों में पौदे बखूबी खडे हो जावें तब उनमें से जो पौदे कि मालवी कपास के सिवाय मालूम हों उनको उखाड कर फेंक दिया जावे, लेकिन रोजियम (Roseum) कपास का बीज व उसके पौदे मालवी कपास के बीज व पौदों से मुशाबहत रखते हैं इसलिये बीज का चुनना और पौदों का पहचानना मुशकिल है; लिहाजा जब रोझियम (Roseum) में कपास निकल आवे उस वक्त उसकी शनाख्त बखूबी हो सकती है; चुनाचे

उस वक्त रोझियम (Roseum) कपास अलग चुन कर खालिस मालवी कपास अलहदा चुनकर जमा किया जावे और इस पैदावार का बीज हाथ, चरखों, ख्वाह जिनिंग से अलहदा निकाल लिया जावे.

यह खालिस पैदा किया हुआ बीज अव्वल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स व विलेजेस के काश्तकारान व चन्द उत्साही जमींदारान को तकसीम किया जावेगा और वहां पर उसकी मिकदार बढाई जावेगी.

इस तरह काफी मिकदार खालिस बीज की हो जाने पर यह खालिस बीज देहात में तकसीम होने के लिये कमेटी के सुपुर्द किया जावेगा, जो खास प्रचार की गरज से कायम की जावेगी. यह कमेटी इस खालिस मालवी बीज को मजलिस आम की तजवीज नंबर १ एजेन्डा नंबर १ सेशन अव्वल के मुताबिक, बतवस्सुत सर पंचान पंचायत बोर्डस, फैलाने का इन्तजाम करेगी.

इस कमेटी का कॉन्स्टीट्यूशन (constitution) इस तरह पर होगा कि इसमें हर परगने के तहसीलदार साहब इसके प्रेसीडेन्ट, नायब तहसीलदारान प्रोपेगेन्डा इसके सेक्रेटरी और चार जमींदार साहबान जिनको सूबा साहब व मशवरे तहसीलदार साहब नामजद करेंगे, इसके मेम्बर होंगे. जो खालिस मालवी कपास की पैदावार होगी वह कुल पैदावार जब जिनिंग कारखानों में पहुंचेगी तो कारखानेदारान का फर्ज होगा कि इस कपास को दूसरे कपास में मखलूत न होने देते हुये उसको अलग जिनिंग करें और इसका बिनौला एहतियात से अलहदा रखें ताकि वह खालिस बीज के काम में आ सके.

इसके अलावा अगर कोई जमींदार या काश्तकार साहबान ऊपर लिख हुये तरीके से ज्यादा से ज्यादा मिकदार में खालिस मालवी कपास का बीज पैदा करके बतावेंगे तो एग्रीकलचर मेम्बर की सिफारिश पर दरबार की तरफ से उनकी इज्जत अफजाई की जावेगी.

इस तरीक पर कमेटी उम्मेद करती है कि चन्द सालों में खालिस मालवी बीज काफी मिकदार में मिलने लगेगा.

ता: १५ मार्च सन १९२४ ई०

राव बहादुर **बापूराव पवार**, केप्टिन,
मेम्बर फॉर एग्रीकलचर,
गवालियार गवर्नमेंट.

जमीमा नम्बर ९.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर ८, एजेन्डा मजलिस आम, संवत १९८०, फर्द नंबर २, निस्बत वसूली मतालबा म्युनिसिपेलिटी.

मजमून.

म्युनिसिपल कमेटियों को यह हक्क दिया जाय कि वह अपने हर किस्मी मतालबे की वसूली की कार्रवाई बाकीदारान से जेर दफा ७२ म्युनिसिपल एक्ट सम्वत १९६८, मिस्ल बकाया टैक्स कर सकें, बशर्ते कि वैसा बकाया चार साल से जायद अर्से का न हो.

ठहराव सब-कमेटी.

१. कानून म्युनिसिपेलिटी में यह साफ तौर से जाहिर कर दिया जाय कि फीस लाइसेन्स मिस्ल बकाया टैक्स के वसूल की जा सकती है.

२. इन मुआहिदों के तअल्लुकात में जो माबैन म्युनिसिपेलिटी व किसी दीगर शख्स के किये जायें, नालिश अदालत दीवानी में की जाया करे जैसा कि अब तरीका है.

जमीमा नम्बर १०.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नम्बर ९, फर्द नम्बर २, एजेन्डा मजलिस आम, सम्वत १९८०, बाबत रोक काश्त सिंघाडा.

तारीख १५ मार्च सन १९२४ ई०.

जल्सा मजलिस आम तारीख १४ मार्च सन १९२४ ई०, में मुतअल्लिक सवाल नम्बर ९ फर्द नम्बर २, एजेन्डा मजलिस आम संमत १९८० यह करार पाया कि जिन गांवों में इन्सान को आबनोशी का जर्या सिवाय उस ताल के दीगर न हो कि जिस में काश्त सिंघाडा होती है तो वहां सिंघाडे की काश्त की रोक किस तरह की जावे और खिलाफ वर्जी करने वाले पर पेनल्टी क्या आयद की जावे, इस सवाल को तय करने को एक सब-कमेटी हस्ब जैल साहिबान की ब सिदारत रेव्हेन्यू मेम्बर साहब कायम की जावे और यह सब-कमेटी अपनी रिपोर्ट मजलिस को पेश करे:—

नाम मेम्बरान.

१. राय बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाधीर.
२. महन्त लक्ष्मणदासजी साहब.
३. अहमद नूरखां साहब.
४. जामिनअली साहब.
५. रामराव गोपाल देशपांडे साहब.
६. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव.

कमेटी की राय में हस्ब जैल तरीका रोक व पेनल्टी का होना मुनासिब होगा —

१. ऐसे जमीदारी तालाबों की, जिनके सिवाय गांववालों को दीगर जर्या आबनोशी नहीं है, परगनेवार फेहरिस्त, जिसमें ताल के नाम की साफ तशरीह हो बाद समाअत व फैसले उजरात जमीदार मुताल्लिका मारफत तहसील मुरत्तिब की जावे और इस किस्म के सरकारी या म्युनिसिपेलटी के तालाबों की फेहरिस्त महकमा आबपाशी व म्युनिसिपेलटी दे.

२. इन जुमला तालाबों की फेहरिस्त ग्वालियर गजट में रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से शाया कराई जाकर इस अम्र का नोटिफिकेशन किया जावे कि तारीख नोटिफिकेशन के बाद के जौलाई महीने से इन तालाबों में काश्त सिंघाडा न की जावे. आयन्दा अगर मवाजियात मुताल्लिका में दीगर जराये आबनोशी पैदा हों तो यह रोक उठा ली जावे.

३. सरकारी व म्युनिसिपेलटी के तालाबों में यह काश्त न होने का इन्तजाम महकमा आबपाशी व म्युनिसिपेलटी करे और जमींदारी तालाबों में न होने की निग्रानी जिम्मे नायब तहसीलदार प्रोपेगेन्डा रहे.

४. अगर कोई शख्स इस की खिलाफवर्जी करे तो नायब तहसीलदार प्रोपेगेन्डा का फर्ज होगा कि इसकी इत्तला फौरन तहसीलदार को करें. ऐसी इत्तला मिलते ही तहसीलदार एक नोटिस खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स या अशखास के नाम

जारी करे कि वह इस काश्त को तारीख पहुंचने नोटिस से एक माह के अन्दर जाया करके पानी को साफ कर और इस तामील की इत्तला बाद तस्दीक नायब तहसीलदार प्रोपेगेन्डा अंदर मियाद तहसील में दाखिल करे.

५. अगर अन्दर मियाद नोटिस तामीली इत्तला खिलाफ वर्जी करने वाले की तरफ से दाखिल न हो, या कोई उजरदारी पेश न हो तो तहसीलदार को मजाज होगा कि अजखुद काश्त जाया करा कर पानी को साफ करादें और इसमें जो सर्फा हो वह मय जुरमाना, जिसकी तादाद रकम सर्फे के दुचंद तक हो सकती है, खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स से वसूल करें. रकम सर्फा वापिस जमा होगी और रकम जुर्माना सिवाय जमा की जावे. मियाद नोटिस खत्म होने बाद कार्रवाई तहसीलदार के निस्बत कोई अपील समाअत न होगा.

६. नोटिस खिलाफ वर्जी पहुंचने पर अगर खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को यह उजर हो कि वह खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार नहीं है तो ऐसा उजर दो आने के स्टाम्प के साथ तहसील में अंदर मियाद नोटिस पेश कर सकता है. ऐसा उजर पेश होने पर तहसीलदार या सेक्रेटरी टू तहसीलदार इसका फैसला बाद मुआयना मौका करे. ऐसे फैसले की अपील सूबात में तारीख मिलने हुक्म से अन्दर मियाद दो हफ्ता हो सकती है; लेकिन फैसला अपील के इन्तजार में तामील मुतअल्लिक सफाई ताल मुल्तवी नहीं की जावेगी.

७. काश्त सिंघाडा जिन तालाबों में करने की मुमानियत की जावे वहां वह की जाने पर उसके जाया किये जाने से जो नुक्सान हो उसके मुताल्लिक कोई दावा खिलाफ तहसीलदार समाअत न होगा.

प्रेसीडेन्ट.

द. आपाजीराव सीतोले.

मेम्बर्स.

द: ईश्वरीसिंह ढाबलाधीर.	द: रामराव गोपाल देशपांडे.
द: अहमदनूरखां.	द: जगमोहनलाल.
द: जामिनअली.	द: महन्त लक्ष्मणदास.

जमीमा नम्बर ११.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुताल्लिक तजवीज नंबर २०, फर्द नंबर २, एजेन्डा मजलिस आम, संमत १९८०, निस्बत नातरा धरीचा.

मजमून.

जिन कौमों में नातरे का रिवाज है उनमें बमौजूदगी शौहर औरत का नातरा उस वक्त तक जायज न समझा जाय जब तक कि फारिगखती रजिस्ट्री शुदा हासिल न करे या इफ्तराक (dissolution) की डिगरी हासिल न की जाय.

ठहराव सब-कमेटी.

किसी कानून के बनाने की जरूरत नहीं है.

नोट इत्तलाई:—यह भी करार पाया कि जिन खास खास मुकद्दमात की वजह से अहमद नूरखां साहब ने इस तजवीज को पेश किया है और जिन मुकद्दमात में उनका ख्याल है कि अदालतों ने गलती की है, उन मिसलों का पता मय एक मुख्तसिर नोट के वह अपील्स डिपार्टमेन्ट को भेज दें ताकि बाद मुआयना मिसलों के हस्ब जरूरत अहकाम जारी किये जा सकें.

जमीमा नम्बर १२.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

एजेन्डा मजालिस आम,

सम्वत १९८०.

फर्द नम्बर १—तजावीज जो बहुक्म दरबार मुअल्ला मजालिस आम में पेश हुई.

नम्बर शुमार.	तजवीज.	कैफियत.
१	२	३
१.	जमींदारों के हुकूक के फैसला करने में इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि खान्दान में जो बडा हो उसको जमींदारी दी जाकर बाकी हकदार लोगों के नान पार्चा के वास्ते जमीन उसी उसूल पर देना चाहिये जिस उसूल पर नान पार्चा दिया जाता है. मकसद इस तरीक अमल से यह है कि रफ्ता रफ्ता जमींदारी के टुकडे होकर मादूम न हो जाये.	
२.	रियासत हाजा की मुख्तलिफ जगहों में एक ही नाम के वजन के लिये मुख्तलिफ तोल रायज है जिससे खरीदार व व्योपारियों को गलत फेहमी होती है, मसलन भेलसे में ५ मन की और उज्जैन में ६ मन की मानी समझी जाती है. तजवीज यह है कि कुल रियासत के लिये वजनों की यकसां तोल मुकर्रर कर दी जावे जैसे कि सेर और गज के लिये मुकर्रर है.	
३.	जमींदारी जायदाद के इंतकाल की रजिस्ट्री की कार्रवाई बदस्तूर अदालत माल से होना चाहिये या कि अदालत दीवानी से?	
४.	संवत १९७९ में सुपरिन्टेन्डेन्ट डिस्पेन्सरीज मालवा ने जिला शाजापुर में विलेजवार दौरा किया और बिनाबर इन्तजाम सेनीटेशन, इन्सपेक्शन फॉर्म्स सूबान में भेजे इसकी तामील के लिये परगना बोर्डों के नाम अहकाम जारी किये गये. अदम तामील की हालत में क्या किया जावे, इसकी बाबत जिला बोर्ड शाजापुर में हस्ब जैल ठहराव हुआ:— १. सेनीटेशन की तारीफ में मुन्दर्जे जैल उमूर रक्खे जावें:— (१) गांव के अन्दर व आसपास कडा कचरा व रोडी न डालना.	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाजापुर में यह ठहराव हुआ कि यह तजवीज मजलिस आम में रक्खे जाने की गुजारिश की जाय. दरबार मुअल्ला ने जिला बोर्ड की इस्तदुआ मंजूर फरमाई.

नम्बर शुमार.	तजवीज.	कैफियत.
१	२	३
	(२) खाद, कचरा व रोडी के वास्ते हर गांव में ब लिहाज जरूरत, उत्तर या दक्खिन में कुछ रकबा महदूद कर दिया जावे, और यह रकबा मौजे से दो जरीब से करीब न हो.	
	(३) गांव के आसपास दो फर्लांग के अन्दर कोई शख्स हाजत रफा न करे.	
	(४) आबनोशी (पानी पीने) के कुओं में नहाना व कपडे धोना न चाहिये.	
	२. अदम तामील की सूरत में खाद जब्त किया जाकर बजर्ये नीलाम फरोख्त किया जावे और जरे नीलाम सेनीटेशन वगैरा हमचू किस्म के कॉमन इन्टरेस्ट्स (common interests) के कामों में सर्फ किया जावे.	
	३. हाजत रफाई व कपडे धोना व नहाने के बारे में खिलाफ वर्जी करने वाले पर २ रुपये तक जुर्माना किया जावे और यह भी रकम मौजे के सेनीटेशन वगैरा के common interests के काम में सर्फ की जावे.	
	४. खाद जब्त करना व जुर्माना करने का इख्तियार, मौजे के सब से बडे यानी सब से ज्यादा मालगुजारी देने वाले नम्बरदार को रहे, और उसके हुक्म की अपील पंचायत बोर्ड मुतअल्लिका में अन्दर एक हफ्ता हो. फैसला पंचायत बोर्ड नातिक रहे.	
	५. जुर्माना व फरोख्तगी खाद वगैरा का हिसाब, जुर्माना करने वाले नम्बरदार को रखना चाहिये.	
५.	बजर्ये सरक्यूलर नंबर २१, सम्वत १९५८, मजर्ये चीफ सेक्रेटरियट, हुजूर दरबार (सीगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट), चंद हिदायतें मवेशियों को दाग लगाने के मुतअल्लिक जारी की गई हैं और उसके फायदे भी जाहिर किये गये हैं. सवाल यह है कि मवेशियों को दाग लगाने के बजाय दूसरा कौनसा तरीका इख्तियार करना मुनासिब होगा कि जिससे मवेशियों के चोरी जाने या गुम हो जाने पर, उनकी पहिचान और गिरफ्तारी में आसानी हो !	
६.	सन १९०८ ई० में (नोटिफिकेशन मुन्दर्जे ग्वालियर गवर्नमेन्ट गजट, तारीख ८ फरवरी सन १९०८ ई०, के जर्ये से) गज का नाप मुकर्रर किया गया और उसी की ताईद में सरक्यूलर नंबर २, संवत १९६६, जुडीशियल सेक्रेटरियट से जारी किया गया, मगर इसकी तामील नहीं होती.	
	सवाल यह है कि कौनसे तरीके इख्तियार करना मुनासिब होगा कि जिससे गज का रिवाज कुल रियासत में कायम हो जावे.	

अब्दुल करीम खां,
मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार,

एजेन्डा मजालिस आम,

सम्वत १९८०.

फर्द नम्बर २—तजावीज जो नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान मजालिस आम की जानिब से मौसूल होकर दर्ज एजेन्डा हुई थीं और जिन पर मजालिस आम में गौर किया गया.

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
१.	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :— जो लडके शरीक इम्तहान मिडिल होते हैं उनमें से जो लडके फेल हो जाते हैं वह दुबारा शरीक इम्तहान किये जाते हैं. गुजारिश यह है कि जिस चीज में पास हो जावे वह उससे मुस्तसना रक्खा जाकर जिसमें फेल हो उसी का इम्तहान लिया जावे.	फजल मुहम्मद साहब, श्योपुर.	
२.	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :— जहां जहां मेला मवेशियान कायम है और आयन्दा कायम हो उस मेले को ब नजर तरक्की तिजारत, अय्याम मेले में हुकूक मन्डी, जो उसके मुत्तसिल वाके हों, अता फरमाये जावें.	ऐजन.	
३.	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :— लोकल खिडक से लावारिस गायें जो नस्लकशी के काबिल नहीं होतीं, दरबार आलीविकार दामइकबालहू से नीलाम न होकर जेर दफा ३३, कलम नंबर १७, दस्तूरुल अमल माल, सं. १९७६, जमींदारान व ऐसे अशखास को जो उनकी परवरिश करने के ख्वास्तगार होते हैं ब मन्जूरी तहसील परवरिश करने के लिये मुफ्त दी जाती हैं और मन्शा यह मालूम होता है कि वह उनकी बजात खास परवरिश करें और उनकी नस्ल बढावें जिससे काश्तकारी में उन्हें पूरी इम्दाद मिले; मगर लोग उनको खुद परवरिश न करते हुए फरोख्त कर देते हैं या साहूकारान को ब एवज कर्जा आंकने में दे देते हैं, ऐसा जाहिर हुआ है. यह सूरत आयन्दा के फायदे की उम्मेदों को पूरा नहीं करती और लोग दरबार आलीविकार दामइकबालहू की अताशुदा रिआयतों से पूरी तौर पर फायदा नहीं उठाते, इसलिये इल्तजा है कि ऐसे लोगों पर परवरिश का फर्ज लाजमी फरमाया जावे, ताकि वह ज्यादा फायदा उठाया करें और धर्म बढाने में मुफीद साबित हो.	श्रीकिशन साहब, मौजा सुखपुरा.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
	तरमीम. Underlined इबारत के बजाय हस्ब जैल मजमून कायम किया जावे :— "ऐसी गायें मुकामी गौशाला में जो उस खिडक के करीबतर रियासत हाजा में हो भेज दी जावें, ताकि धर्म बढ़ने में मुफीद साबित हों."	तरमीम पेश करने वाले का नाम. मुंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ़.	
४	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि— साबित हुआ है कि मालवी कपास सबसे अच्छा है, लेकिन खालिस बीज के न मिलने से बीज में गडबड हो गई है. अब कोई ऐसा जर्या निकाला जाना चाहिये कि जिससे खालिस बीज कपास मालवी मिल सके. ऐसा हो जाने से ब्योपार को अच्छी तरक्की होगी.	वंसीधर भार्गव साहब, उज्जैन.	
५	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि— बगरज तरक्की तिजारत यह तरीका इख्तियार किया जावे कि को-ऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक्स से तिजारत पेशा जमाअत को भी कर्जा दिया जाया करे, और इसके वास्ते बाद मशवरा चेंबर ऑफ कॉमर्स, डायरेक्टर साहब को-ऑपरेटिव सोसाइटीज जवाबित मुरत्तिब करें.	जगमोहनलाल साहब, भिंड.	
६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि— रियासत हाजा में नमक की पैदावार इजाफा करने की बाबत खास तौर पर कोशिश की जाय.	ऐजन.	
७.	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :— अगर कोई माल बजर्ये रेलवे रियासत हाजा के ऐसे मुकामात पर दरामद या बरामद हो जहां म्युनिसिपल कमेटी कायम हो तो वैसे माल पर मुकर्ररा रेलवे महसूल में कुछ रकम इजाफा की जाकर वसूल की जाया करे और वह रकम, मिस्ल टर्मिनल टैक्स, म्युनिसिपल कमेटियों में तकसीम कर दी जाया करे, ताकि म्युनिसिपल कमेटियों में एक माकूल आमदनी हो जावे.	ऐजन.	

नंबर शुमार.	तजवीज़.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—— म्युनिसिपल कमेटियों को यह हक दिया जावे कि वह अपने हर किस्म के मतालबे की वसूली की कार्रवाई बाकीदारान से जेर दफा ७२, एक्ट म्युनिसिपेल्टिटीहाय सम्वत १९६८ मिस्ल बकाया टैक्स कर सकें, ब शर्त कि वैसा बकाया चार साल से जायद अर्से का न हो.	जगमोहनलाल साहब, भिंड.	
९	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—— अक्सर देखा जाता है कि प्राय: देहातों के तालाबों के, जमींदार साहबान या आबपाशी विभाग, ठेके दे देते हैं और भोई यानी कहार लोग उन तालाबों में सिंघाडा बो देते हैं जो सारे तालाब में नहाने और पानी पीने के घाटों तक फैल जाता है, जिसकी सडी पत्ती में कीडे कसरत से पड जाते हैं. नागरिक लोग मजबूरन वहां पानी पीते हैं, जिससे नहारू, मलेरिया, बदहजमी वगैरा वगैरा रोगों से नागरिक बेजार रहते हैं इसलिये उन मुकामों के तालाबों में सिंघाडों का बोना बंद करा दिया जावे कि जो पानी पीने और नहाने मात्र के लिये वह एक ही हो. इसकी तजवीज यों हो सकती है कि तहसीलदार साहबान से ऐसे जलाशयों की फेहरिस्त बनवाई जावे कि जिन जिन तालाबों का जल नागरिक लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे अमझरा, हाथोद वगैरा.	महंत लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवढा.	
१०	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—— काश्तकारान रियासत हाजा को representation का हक अता फरमाया जावे और वह भी काफी तादाद में.	गोविंदराव चिंतामण साहब बाटवे, उज्जैन.	
११	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—— सडक आम के दोनों तरफ दरख्त आम या दूसरे किस्म के सायादार दरख्त लगाये जाने का इन्तजाम, जमींदार देह के जर्ये हो तो मुनासिब है. मुकर्रर आकि और हर एक मौजे की सरहद पर दुतर्फा बंडी खुदाई जाकर दरख्त इमारती वगैरा लगाया जाना बहुत जरूरी व फायदेमन्द मालूम होते हैं और बजाय थापा, थूहर के इन बांडियों में मेंहदी वगैरा की किस्म से कोई चीज लगाई जाने में सूरत आमदनी भी हो सकती है.	ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाधीर.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— स्कूलों की शिक्षा और उपदेशकों के उपदेश के अलावा, देहातों में एक यह भी ऐलान दिया जावे तो मुनासिब होगा कि हर कौम के लोग हर मौसम में महीने में एक या दो वक्त या जैसी जरूरत समझें, अपने सरहद्दी रकबे में शिकार को इकट्ठे होकर आया करें. यह तरीका हर कौम के लोगों को मजबूत, दिलेर व चुस्त बनाने का बहुत अच्छा और आसान हो सकता है और इसमें मफाद जिस्मानी व दिलेरी के अलावा, काश्तकारी का भी बहुत फायदा है. रफ्ता २ जंगल के तमाम जानवर भाग जा सकते हैं और हर एक की कमाई हर एक की नजर में हमेशा रहा करेगी. जो रखवाले ज्यादा उजरत देकर काश्त पर रक्खे जाते हैं उनमें बहुत कुछ कमी की सूरत हो सकती है. जंगल के आवारा व खानेबदोश लोग गिरफ्तारी में आ सकते हैं; बल्कि उनका ठहरना और सरहद में आना भी मसदूद हो सकता है. इस काम के करने में आम रिआया, छोटे और बड़े दिलचस्पी भी ले सकते हैं, ताहम इसकी निगरानी और देखभाल, शिकार में शरीक न होने वाले को किसी रजिस्टर में नोट करने का काम, पटवारी या पटेल या मुन्तजिम मौजा बआसानी कर सकते हैं और इस सूरत में मौजे के नेकचलन व बदचलन लोगों की तशखीस भी हो सकती है.	ईश्वरीसिंह साहब, डाबलाधीर.	३
	तरमीम. Underlined इबारत के बजाय हस्ब जेल मजमून कायम किया जावे :— "स्कूलों की शिक्षा और नायब तहसीलदार प्रोपेगेन्डा के उपदेशों के अलावा देहातों में एक यह भी ऐलान दिया जावे तो मुनासिब होगा कि जैनी और मर्यादी वैष्णवों के अलावा हर कौम."	तरमीमी तजवीज पेश करने वालेका नाम:— महंत लक्ष्मणदास साहब, साकिन नरसिंह देवला.	
१३	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— हर किस्म के बीज रखने को और वक्त से पहले हर एक मौजे में फरोख्त व तकसीम को एक अच्छा ठेकेदार होना चाहिये और बीज खरीदने और काम में लाने की निगरानी पटवारी देह व पटेल व जागीरदार की हो. इस्तेमाल का उपदेश, उपदेशक द्वारा होकर तजरुबा व शौक कराया जावे.	ईश्वरीसिंह साहब डाबलाधीर.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१४	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— साहूकारान मौतबिर जो इलाके गवर्नमेण्ट में हर तरह का फायदा ब्योपार से उठा रहे हैं, वह बतौर ठेकेदार पुख्ता वायदे व मियाद के साथ, बीज भंडार हर गांव पर रक्खें और अच्छा बीज, खाद जेर निगरानी ऑफिसरान सरकार, उनके पास होना चाहिये और साहूकार की सफाई वसूली का एक मुख्तसिर व आसान कानून होना चाहिये जिससे सरकारी इम्दाद की सूरत भी हो या गवर्नमेण्ट के अग्रीकल्चरल बैंक की शाख व बीज भंडार जाबजा होना चाहिये.	ईश्वरीसिंह साहब, ठाकुर ढाबळाधीर.	
१५	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— बजुज मुकामी अस्पतालों के हर एक जिले व तहसील में एक गश्ती डाक्टर भी होना चाहिये, जिसके इन्सपेक्शन से बच्चों की परवरिश व तन्दुरुस्ती का तरीका व सफाई की ताकीद रिआया पर ब-आसानी हो सकती है और अगर मुनासिब हो तो मालगुजारी पर इसकी निस्बत कुछ फन्ड भी कायम होने में कोई हर्ज मालूम नहीं होता है.	ऐजन.	
१६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— मवाजियात दरबार में जहां कि अस्पताल का कोई इन्तजाम नहीं है उन मुकामों के लिये एक सरकिल डाक्टर मुकर्रर होना चाहिये जो हर वक्त मय दवाई एक बारबरदारी के साथ मवाजियात में दौरा करता रहे और ब सूरत जरूरत मालगुजारी पर फी सदी टैक्स हॉस्पिटल भी लगाया जावे तो कोई हर्ज मालूम नहीं होता.	ऐजन.	
१७	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जैसा कि इन्तजाम इन्सान के इलाज के लिये सरकिल डाक्टर अगर मुकर्रर हो तो वैसा ही मवेशियों का एक अस्पताल हर तहसील में मुकर्रर होकर उँसकी शाखें भी सरकिल डाक्टर के जर्ये होकर मवाजियात में मय दवाई डाक्टर गश्त करे तो मुनासिब होगा.	ऐजन.	
१८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— मेले लगाने में जहां तक मुनासिब रिआयत की जावे मस्लहत है, और मेले की तादाद जरूर बढ़ना चाहिये. कम अज कम हर-तहसील में दो मेले लगना चाहिये, जिनमें खरीद फरोख्त मवेशी हो और रिआया को इलाके दरबार से किसी दूसरे इलाके के मेले में न जाना पड़े और एक्सपोर्ट व इम्पोर्ट की आमदनी ब्योपारियान के जर्ये से बढ़े.	ऐजन.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१९	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— बाशिंदगान मवाजियात को आम कच्चे रास्ते होने से खुसूसन बारिश में आमदरफ्त की सख्त दिक्कत होती है, इसलिये खास रास्ते एक मौजे से दूसरे मौजे पर जाने वाले कुछ दुरुस्त हालत में होने का इन्तजाम हर मौजे की आम रिआया के जर्ये हो तो मुनासिब है.	ईश्वरीसिंह साहब, छावलाधीर.	
२०	जिन कौमों में नात्रे का रिवाज है उनमें अक्सर मालदार लोग गरीबों की औरतों को लालच देकर नात्रे के बहाने, उनके खाविन्दों के जीतेजी, खाना अन्दाज कर लेते हैं और मुकद्दमा चलने के बाद उजर किया जाता है कि खाविन्द ने छोड दी थी या पंचों ने इजाजत दे दी थी वगैरा, और इस बुनियाद पर इस्तगासा खारिज हो जाता है व गरीबों की खाना बरबादी होती है. इसलिये जीते खाविन्द की औरत का उस वक्त तक नात्रा जायज न समझा जाय जब तक फारिगखती रजिस्ट्रीशुदा हासिल न करे या किसी खास वजह से अगर जौजैन में निबाह न हो तो औरत अदालत से इफ्तिराक की डिक्री हासिल न करे.	यह तजवीज पारसाल अहमद-नूरखां साहब, मेम्बर मजलिस आम की जानिब से पेश होने पर यह करार पाया था कि इस बारे में मजीद वाकफियत तलब की जाकर यह तजवीज सं. १९८० के सेशन में पेश की जाय.	

अब्दुल करीम खां,
मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

आलीजाह दरबार प्रेस,—ग्वालियर.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार, सम्वत १९८१.

सेशन चौथा.

इजलास अव्वल.

मंगलवार, तारीख २४ मार्च सन १९२५ ई०, वक्त ११-२० बजे दिन, मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. श्रीमंत हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू.

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीर खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई. मुशीर खास बहादुर, शौकतजंग, आर्मी मेम्बर.

४. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कोकसिंह साहब, बर्कजंग बहादुर, ऑफिशियेटिंग होम मेम्बर.

५. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई ई., रेवेन्यू मेम्बर.

६. जयगोपाल साहब अष्ठाना, ऑफिशियेटिंग फायनेन्स मेम्बर.

७. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल-मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

८. राव बहादुर बापूराव साहब पंवार, मेम्बर फॉर एग्रीकलचर.

९. राय बहादुर गजपतराय साहब, मुन्तजिम बहादुर, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

१०. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

११. रामराव गोपाळ देशपांडे साहब, मुहम्मद खेडा (शुजालपुर).

१२. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, वफादार दौलते सिंधिया, लश्कर.

१३. बन्सीधर साहब, भार्गव, उज्जैन.

१४. राजा रतनसिंह साहब, जागीरदार, मकसूदनगढ.

१५ मथुराप्रसाद साहब, मुरार.

१६. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुस्तरी (महगांव).

१७. मानिकचंद साहब, भिन्ड.

१८. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).

१९. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.

२०. महादेवराव साहब, जाऊदेश्वर.

२१. सुवालाल साहब, शिवपुरी.

२२. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).

२३. मुंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.

२४. बलवंतराव साहब बागरी वाले (भेलसा).

२५. जगन्नाथप्रसाद साहब, मौजा भीलवाडा (शाजापुर).

२६. बागमल साहब, आगर.

२७. करमचंदजी साहब, उज्जैन.

२८. मयाराम साहब, चंदूखेडी (उज्जैन).

२९. कचरमल साहब, मन्दसौर.

३०. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.

३१. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझेरा)

३२. लालचंद साहब, राजगढ.

३३. राय बहादुर प्राणनाथ साहब, सभा-भूषण, लश्कर.

३४. हरभानजी साहब, मुरैना.

३५. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.

३६. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.

३७. चतुर्भुजदास साहब, वकील, आगर.

३८. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.

३९. गुरुदयाल साहब, वकील, मन्दसौर.

४०. कृपा शंकर साहब, बडिया (बाकानेर)

४१. रखबदास साहब जौहरी, लश्कर.

४२. लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी, गुना.

४३. धुन्डीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.

४४. बृन्दावन साहब, भिन्ड.

४५. गुलाबचंद साहब, शिवपुरी.

४६. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, जागीरदार, बिलौनी.

४७. ठाकुर रघुनाथसिंह साहब, चिरौला.

४८. ठाकुर प्रल्हादसिंह साहब, कालूखेडा (मन्दसौर).

४९. सरदार श्रीधर गोपाल आपटे साहब, लश्कर.

५०. शंकरलाल साहब, मुरार.

५१. मुरलीधर साहब गुप्ता, वकील, लश्कर.

५२. बटुक प्रसादजी साहब, वकील, उज्जैन.

५३. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

५४. मुहम्मद अब्दुल हमीद साहब, सिद्दीकी, लश्कर.

इजलास मजलिस ११-२० पर शुरू हुआ. मजलिस आम के तीन साल खत्म हो जाने की वजह से नॉन-ऑफिशियल मेंबरान का इमसाल जदीद इन्तखाब किया गया था, इसलिये हुजूर मुअल्ला के कुर्सिए सिदारत पर रौनक अफरोज होने के बाद इन मुन्तखिब शुदा मेंबरान में जो हस्ब जैल जदीद मेंबरान हाजिर हुए थे उनसे हलफ लिये गये और उनको हस्ब कायदा मुकर्रा खिलअत अता किए गये:—

१. सरदार श्रीधर गोपाल आपटे साहब, लश्कर.
२. राजा रतनसिंह साहब, जागीरदार, मकसूदनगढ.
३. बागमल साहब, आगर.
४. वामनराव नारायण पाटनकर साहब, मौजा गहला उजाडी, (बजरंगढ)
५. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.
६. हनुमानजी साहब, मुरैना.
७. रामेश्वर शास्त्री आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.
८ चतुर्भुजदास साहब, वकील आगर.
९. कृपाशंकर साहब बडिया (बाकानेर).
१०. रखबदास साहब, लश्कर.
११. लक्ष्मीनारायण साहब, गुना.
१२. सूबालाल साहब, शिवपुरी.
१३. शंभूनाथ साहब, वर्मा, वकील, भेलसा.
१४. चौधरी बिन्दावन साहब, भिन्ड.
१५. चौधरी गुलाबचंद साहब, शिवपुरी.
१६. कचरमल साहब, मन्दसौर.
१७. बलवंतराव बागरीवाले साहब, भेलसा.
१८. शंकर लाल साहब, मुरार.
१९. मुरलीधर गुप्ता साहब, वकील, लश्कर.
२०. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा, (नूराबाद.)
२१. त्रिम्बकराव पुस्तके साहब, वकील, उज्जैन.
२२. बटुक प्रसाद साहब, वकील, उज्जैन.

हलफ की रस्म अदा होने के बाद हुजूर मुअल्ला ने जल्से का इफ्तिताह फरमाते हुए हस्ब जैल इरशाद फरमाया:—

"लाख लाख शुक्र उस परमात्मा का है कि सन १९२४ बहुत अच्छी तरह से गुजरा. इस साल में उमूरात जैल के मुतअल्लिक नतीजा अच्छा रहा:—

१. रियासत की एस्टिमेटेड आमदनी १,८९,८२,५०० रुपये थी. नक्दी वसूल २,४७,३१,८२६ रुपये हुए, चुनांचे गवर्नमेन्ट हाजा इसकी निस्बत रिआया और तजारान की बडी ममनून और मशकूर है.

२. वारदातों की हालत हस्ब जैल रहीः—

	वकूआ.	सुरागरसां.	बकाया.
डकैती	८०	५	७९
बेड मवेशी	३०	५	२५
रहजनी	८	०	८
दीगर जरायम	१९०	३१	१५९

इससे साहबान अन्दाजा कर सकते हैं कि आया नतीजा अच्छा है या बुरा मेरा तो ख्याल अब भी यही है कि अगर जमींदारान जरा सी भी तवज्जुह इस तरफ करें तो इससे और भी अच्छा नतीजा हो सकता है, क्योंकि उनको जितनी वाकफियत बदमाशान की हो सकती है उतनी किसी दूसरे को नहीं हो सकती. अगर गांव के भले मानस और शहर के बाशिंदे आपस में मुत्तफिक होकर उनके जराये बंद करदें और उनको दबोचें तो मेरा ख्याल है कि वारदातों में बहुत कुछ कमी होना मुमकिन है, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है. चूंकि इसमें अभी तक खामी है इस बजह से यह थोडी बहुत हल चल नजर आती है. जिला मन्दसौर, भिंड, गिर्द गवालियर और अम्बाह की हालत अभी काबिल इत्मीनान नहीं है. पुलिस गजट भी इसी गरज से जारी किया जाता है कि हर खासो आम को इत्तला हो जाये कि कहां कहां जरायम की क्या हालत है. यह गजट इसलिये नहीं जारी किया जाता है कि इसको पढकर एक तरफ डाल दिया जावे, बल्कि यह लोगों को इस बात के याद दिलाने का जर्या है कि किस हिस्से मुल्क में किस किस्म के जरायम ज्यादा होते हैं और उनको रोकने की क्या तदबीर करना चाहिये.

इसी तौर पर जुडीशियल डिपार्टमेन्ट से लीफलेट्स भी निकाले जाने की तजवीज की गई है जिनसे लोगों को यह मालूम होता रहेगा कि कहां कहां मुकद्दमेबाजी ज्यादा होती है और उनके इन्सिदाद का बहतर तरीका क्या है.

३. अदालतहाय जुडीशियल के काम का नतीजा यह हैः—

	दायरा.	फैसला.	बाकी.
दीवानी	१९,९८५	१४,२६८	५,७१७
फौजदारी	९,०९४	७,३२७	१,७६७
मुतफर्रिकात	७,९२०	६,९६२	१,९५८

इसकी निस्बत मेरी इस्तदुआ यही है कि अगर पब्लिक अपने मुआम्लात पंचायत से तय करा लिया करे तो उनको न तो ज्यादा तवालत उठाना पडेगी, न ज्यादा सर्फा बरदाश्त करना पडेगा; लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग इस तरफ तवज्जुह नहीं करते और फिजूल अपना पैसा खर्च करना पसन्द करते हैं.

कानून और कायदे में हर खासो आम को यह बातें बताने की कोशिश की गई है किः—

१. अगर बुरे काम करोगे तो उसका यह नतीजा होगा.

२. अगर कायदे के बमूजिब चलोगे तो यह नतीजा होगा.

हमारा काम लोगों को ठीक रास्ता बताने का है जिससे हर जगह हैपीनेस और खुशहाली नजर आने लगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो कुछ लोगों को उनके फायदे के लिये बताया जाता है उसकी पाबन्दी नहीं की जाती, जिसकी वजह से ऑफिसरान और दरबार को मुफ्त में तकलीफ उठाना पडती है. इसी तरह ऑफिसरान की गलती करने से भी दरबार को

तकलीफ उठाना पडती है. मेरी मुराद यह बताने से है कि मस्लन दीवानी के मुआम्लात को लीजिये, अगर जायदाद या रुपये के लेन देन में रसीद और लिखतम ठीक ठीक हुआ करे तो रुपये की वापसी में या जायदाद के तसफिये में कोई झगडा ही पैदा न हो. लेकिन चूंकि रसीद और लिखतम में अक्सर गडबड हो जाया करती है इसलिये लोगों को तकलीफ उठाना पड़ती है. अलावा इसके पब्लिक को इस तरफ भी ध्यान रखना चाहिये कि अगर मशवरेकार के मशवरे का नतीजा ठीक न हो तो उसकी निस्बत मुनासिब कार्रवाई करने में पहलूतिही न करें, क्योंकि बाज मौके पर मश्वरेकार की भी गलती होना मुमकिन है. और अक्सर देखने में आया है कि खुद मश्वरेकार ही ऐसा मशवरा देते हैं जिसमें इस बात का कोई लिहाज नहीं होता कि फरीक मुकद्दमा का नफा होगा या नुक्सान; बल्कि मतलब यह होता है कि उनका रोजगार तरक्की पाजाये. लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट को इस तरफ तवज्जुह देना चाहिये, यानी अगर मशवरेकार कानूनी बरसरे गलती हो तो उसकी आंखें खोल देना चाहिये.

४. कारहाय आबपाशी से जो आमदनी हुई उसका हाल जैल की कार्रवाई से मालूम होगा. गो नतीजा खातिरख्वाह नहीं है, ताहम इस तरफ रेवेन्यू मेम्बर साहब की तवज्जुह खास तौर पर दिलाई जाती है.

इरीगेशन के कुल काम जो आज तक मुकम्मिल हो चुके हैं और आबपाशी की गरज से तामीर किये गये हैं उन पर अखीर सन १९२४ ई० तक हस्ब जैल सर्फा हुआ है:—

	तादाद वर्क.	तादाद लागत.
मेजर वर्क्स	६५	७१,८५,०२१
मायनर वर्क्स	४५९	३९,२१,९१४
मीजान		१,११,०६,९३५

आमदनी जो सन १९२४ ई० में इन कारहाय आबपाशी से हुई, उसकी मजमूई तादाद १,४५,७३६ रुपये है, चुनांचे पडता १·३ फी सदी का होता है.

५. हल्का नायब कमासदारान का जो सिलसिला निकाला गया है वह महज इसलिये निकाला गया है कि यह लोग विलेज हैड मैन को याद दिलाते रहें कि उनको गांव में क्या क्या करना है और कोशिश इस बात की करें कि वह लोग आबादी को बढायें और अन-हैपीनेस की रोक करें, सेनिटेशन को तरक्की दें और जो बातें सेहत और तन्दुरुस्ती को नुक्सान पहुंचाने वाली हैं उनको रोकें. इस तजवीज से दरबार की हरगिज यह मन्शा नहीं है कि विलेज हैडमैन को किसी किस्म की तकलीफ दी जाये या किसी सख्ती का बरताव किया जाये, लेकिन इसी के साथ यह बात काबिले गौर है कि हल्का नायब कमासदारान अगर आबादी बढाने का मशवरा दें या किसी दीगर भलाई के कामों के करने का रास्ता बतायें तो उनके इस तर्जे अमल को सख्ती तसव्वुर न किया जाये कि जो किसी हालत में भी जहां तक कि गांव की बेहतरी से और जमींदार की भलाई से तअल्लुक है, सख्ती नहीं कही जा सकती.

६. मेरे ख्याल में एग्रीकलचरल मशीनरी को काम में लाने की निस्बत अब जोर देना चाहिये. चुनांचे मेरी तजवीज यह है कि जिला बोर्ड्स अपने अपने जिले की रिक्वायरमेंट्स की बाबत एक मुकम्मिल रिपोर्ट एग्रीकल्चर मेम्बर साहब को भेजें ताकि वह उसका माकूल इन्तजाम करें. जिला बोर्ड्स की रहनुमाई के लिये जो कायदे बनाये गये हैं उनकी तामील बिनजानिब बोर्ड्स नहीं होती और इसी तरह मुख्तलिफ म्युनिसिपेलटीज और टाउन कमेटीज की जानिब से भी

ठीक ठीक तामील का होना नहीं पाया गया जिसका सख्त अफसोस है. जो अहकाम मैंने बगरजे रहनुमाई इम्प्रूवमेन्ट्स और बेहबूदी हर खास व आम जारी किये हैं उनकी तामील करके तो देखें कि उनसे आया वह फायदा होता है या नहीं जिसकी उम्मीद पर वह अहकाम जारी किये गये, क्योंकि जब तक तजरुबा करके नहीं देखा जायगा, असली हाल नहीं मालूम होगा. लिहाजा मैं यह चाहता हूं कि जो कुछ मैंने अपनी रिआया की बेहबूदी और हर खासो आम के नफे की गरज से काम किये हैं उनसे किस हद तक फायदा पहुंचा है; लिहाजा जब तक लोग तामील न करेंगे मुझको एप्रीसियेशन करने में गलती करने का अंदेशा है. अलावा इसके जब तक पॉलिसी के बमूजिब काम करके न देखा जायगा उस वक्त तक उसके रद्दोबदल करने में भी मुश्किल पडेगी और प्रोग्रेस में भी रुकावट आ जायगी. मौजूदा हालत मेरे ख्याल में यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने अपना पहिला काम यह समझ रक्खा है कि सूबे साहब की मरजी साधना, तामील अहकाम दरबार से उनको कोई गरज नहीं है. दूसरे अल्फाज में इसके यह मानी होते हैं कि वह दरबार पर सूबे साहब को तरजीह देते हैं, जो बडी गलती की बात है.

७. मैंने एक नया ट्रस्ट और कायम किया है, ब नाम निहाद विलेज इम्प्रूवमट ट्रस्ट. जैसा कि कस्बात और शहरों की तरक्की के लिये टाउन इम्प्रवमेन्ट ट्रस्ट कायम किया गया था उसी तरह यह ट्रस्ट देहात की तरक्की के लिये कायम किया गया है जो एक बडा मुफीद काम है. इसके मुतअल्लिक मेरी पॉलिसी यह है कि इसका काम हम पहिले उन देहात में जारी करेंगे जहां एपीडेमिक ज्यादा होता है और ब मुकाबले पैदायश के मौतें ज्यादा होती हैं.

८. अस्पतालों की निस्बत भी अब नया इन्तजाम किया गया है और इस लाइन पर किया गया है कि जो अच्छे हकीम और वैद्य रियासत में मौजूद हों उनको नौकर रक्खा जाकर और रफ्ता रफ्ता सरकिल कायम करके, उन सरकिल्स में डिस्पेन्सरीज खोली जायें और इन डिस्पेन्सरीज में यह हकीम और वैद्य मामूली अमराज का इलाज अपने अपने हलके में करें और सख्त अमराज के केसेज जिले में भेजे जायें. चुनांचे इस ख्याल से डिस्ट्रिक्ट डिस्पेन्सरीज को तरक्की देकर एक अच्छे पैमाने पर रक्खा जाये, ताकि वहां पेचीदा अमराज का इलाज आला दर्जे के तरीके इलाज से हो.

९. साल गुजिश्ता में पोलिटिकल रिलेशन्स अव्वल दर्जे के रहे जिसकी बाबत दरबार गवर्नमेन्ट कैसरी और रेजीडेंट साहब के बडे ममनून और मशकूर हैं और जब जिन मुआम्लात में कोई तवालत पेश आई तो उनमें बहुत माकूल तरीके से दरबार की इम्दाद की गई, इसकी बाबत भी दरबार बडे मशकूर हैं.

१०. महकमे कोर्ट ऑफ वार्ड्स की हालत काबिल इत्मीनान नहीं है, जिसका मुझे सख्त अफसोस है लेकिन मैं इस महकमे को रिऑर्गेनाइज कर रहा हूं और उम्मीद है कि परमात्मा की इम्दाद से काम ठीक रास्ते पर आ जायेगा.

११. जागीरदारों की हालत, खुसूसन ऐसे जागीरदारों की हालत जो हेड कार्टर्स में नहीं हैं, यह है कि उनकी तवज्जुह काम की तरफ कम है और अभी तक उनके ख्यालात पुराने ढंग पर हैं. गो उनको रियासत में काम करने के लिये मौके दिये जा रहे हैं और आइन्दा दिये जायेंगे लेकिन अभी तक उनकी अदम तवज्जुह ही पाई गई. मेरी कोशिश तो यही है कि इन सबको रियासत की मशीनरी का एक कार आमद पुर्जा बनाया जाये और मेरे ख्याल में अगर ऐसी ही कोशिश रही तो अनकरीब जमाने में सब जागीरदार काम करने वाले नजर आने लगेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत से जागीरदार तो सिर्फ दर्शनी हुंडी हैं.

१२. महकमे एग्रीकल्चर का सिलसिला मेरे ख्याल में अब अच्छा कायम हो गया है, लेकिन अब कामयाबी हासिल करने का इनहिसार ऑफिशियल हेड्स पर है. देखें यह लोग क्या करके बताते हैं. वैसे बातें तो बडे जोर शोर की करते हैं और कागजी चमन बहुत अच्छा बताते हैं जैसा कि आम दस्तूर है, लेकिन देखना यह है कि असलियत में क्या होता है.

१३. महकमे तालीम का रीऑर्गेनायजेशन अभी जेर गौर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आयन्दा माह नवम्बर के अखीर तक इसको मैं कम्पलीट कर दूंगा. तालीम की मौजूदा हालत वैसी नहीं है जैसी कि मैं देखना चाहता हूं. तुलबा वैसे पास तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन काम करके बताने वाले बहुत ही कम नजर आते हैं

१४. इस साल मजहबी रसमियात के मौकों पर, बाहम अकवाम इख्तिलाफ की सूरत चन्द मर्तबा पैदा हुई, लेकिन खुदा के फजल से उनकी रोक होने की कोशिश की गई और उम्मीद है कि आयन्दा ऐसे इख्तलाफ पैदा न होंगे. जहां तक मैंने गौर किया, यह इख्तलाफात बिलकुल बे बुनियाद और फिजूल पाये गये, चुनांचे इनकी रोक के लिये दरबार ने एक कायदा रोड रेग्यूलेशन मुरत्तिब करके अवाम की राय के लिये शाया किया. यह कायदा मजलिस कानून के जेर गौर आकर अनकरीब जारी किया जायगा. उम्मीद की जाती है कि आइन्दा रिआया का बरताव साबित कदमी के साथ उसके मकासिद के मुताबिक रहेगा. पबलिक को मालूम होना चाहिये कि इस कायदे के जारी करने पर उन्हों ने दरबार को मजबूर किया. अगर पबलिक अपने कदीम रस्मोरिवाज पर चलती और पुराने दस्तूर की पाबन्दी करती तो इस कायदे के जारी करने की जरूरत न होती. इस से जाहिर है कि यह कुसूर पबलिक का है कि उसने इसके जारी करने पर दरबार को मजबूर किया.

१५. कुछ अर्सा हुवा कि यह सवाल मेरे सामने पेश किया गया था कि पैदावार दिन ब दिन घटता जारहा है चुनांचे इसके मुतअल्लिक जो सरसरी तफतीश मैंने की तो मालूम हुआ कि जमीन जैसी अच्छी तरह कमाई जाना चाहिये उतनी मेहनत और कोशिश के साथ कमाई नहीं जाती. अलावा इसके खाद गोहान यानी हल्के अव्वल में महज गांव की कुरबत की वजह से तो कुछ पड भी जाता है लेकिन गांव के दूसरे और तीसरे हलके में बिलकुल डाला ही नहीं जाता. और गोहान में भी जो खाद डाला जाता है वह इतना जल्दी डाला जाता है और इतने अर्से तक उसको धूप में पडा रहने दिया जाता है कि वह बेजान हो जाता है यानी कहनेको तो यह कहा जा सकता है कि खाद डाला गया लेकिन उसके बेजान होने की वजह से कोई फायदा नहीं होता. पस बाद खाद देने के उसको जमीन में पैवस्त कर देने की गरज से हल चलाने का तो जिक्र ही क्या. इसी तरह से निदाई जो फसल को कुव्वत पहुंचाने के लिये जरूरी है नहीं की जाती और जो कुछ कुदरती ताकत जमीन में नश्वोनुमा की है वह घास और दीगर खुदरौ चीजें चाट जाती हैं. ऐसी सूरत में पैदावार का कम होना लाजमी है जो बातें ऊपर बताई गई ह उन पर अगर अमल किया जायेगा तो काश्तकार और जमींदार दोनों की माली हालत बेहतर हो जायगी जिसमें रिआया और दरबार दोनों का फायदा है. अगर जिला बोर्डस अपना काम करते तो मुझे जरूरत तवज्जुह दिलाने की न होती लेकिन चूंकि जिला बोर्डस की हालत ऐसी है जैसी कि ऊपर बयान की गई, इसलिये मुझको मजबूरन यह कहना पडा.

१६. मैं इस मौके पर यह बात भी सुझाना चाहता हूं कि लोग जब अपना माल एक्स-पोर्ट किया करें तो अपनी जाती जरूरियात का अन्दाजा करके माल एक्सपोर्ट किया करें, न कि सारी पैदावार एक्सपोर्ट कर दें, क्योंकि ऐसी हालत में बिलकुल मुमकिन है कि खाद और बीज के लिये

वक्त पर गल्ला उनको किफायत और आसानी के साथ मयस्सर न आसके. वाकेआ यह है कि हमारी जराअत पेशा रिआया अपनी नाआकबत अन्देशी की वजह से बजाय सरसब्ज और मालामाल होने के तंगदस्त और जेरबार नजर आती है. इस जेरबारी की वजह से जराअत पेशा लोगों की तन्दुरुस्ती, आराम और आसाइश में भी फर्क आगया है जिसकी वजह से वह उतनी महनत बरदाश्त नहीं कर सकते जितनी कि उनके बुजुर्ग कर सकते थे. लिहाजा इस तरफ भी जमींदारान को ख्याल रखना चाहिये कि काश्तकारान जो आबादी करने का एक जर्या हैं उनकी हालत माली और जिस्मानी बिगडने न पावे.

जाहिर है कि मंहगा माल बेचने से बेचने वालों को नफा होता है लेकिन इससे दीगर बहुतसी खराबियां भी पैदा हो जाती हैं; मस्लन चीजें मंहगी मिलने से लेबर की मजदूरी बढ जाती है और इस तरह से ज्यादा कमाया हुआ नफा कार आमद साबित न होकर लेखा ड्योढा बराबर होजाता है बल्कि आम माली हालत अबतर होकर कर्जदारी तक की नौबत पहुंच जाती है. गरज यह है कि यह एक ऐसा चक्कर का इन्द्रजाल आपडा है जिसको हल करना मुश्किल होगया है; लिहाजा मैं चाहता हूं कि मजलिस इस पर गौर कर के मशवरा दे कि इस बारे में क्या करना चाहिये.

१७. दरबार ने रिआया की इमदाद के लिये एग्रीकलचरल बैंक्स के स्कोप को ज्यादा वसीअ करना तजवीज किया है चुनांचे इस बारे में स्कीम आम व खास की राय के लिये शाया भी होचुकी हैं. उम्मीद है कि पबलिक इन बैंक्स को पेट्रोनाइज करेगी और इनकी कार्रवाई का तजरुबा होने पर वक्तन फक्तन इनको इम्प्रूव्ह करने के लिये अपने सजेशन्स भेजेगी और ऐसी कोई बात न होने देगी जिससे इन बैंक्स को नुक्सान पहुंचे, क्योंकि यह काम भी हर खासो आम को बेहतरी के लिये किया गया है.

१८. ग्वालियर ट्रस्ट का अब इन्तजाम इस तरीके पर किया गया है.

यकुम जनवरी सन १९२९ से ट्रस्ट के काम की दो शाखें की गई हैं:—

१. फेक्ट्रीज जेर निगरानी इन्सपेक्टर जनरल फेक्ट्रीज.

२. बैंक्स जेर निगरानी इन्सपेक्टर जनरल बैंक्स.

मौजूदा ट्रस्ट बोर्ड तखफीफ किया जाकर जदीद बोर्ड हस्ब जैल साहबान का कायम किया गया:—

चेअरमैन.

रेवेन्यू मेंबर साहब.

मेम्बर्स.

१. ट्रेड मेंबर.

२. एग्रीकलचर मेंबर.

३. फायनेन्स मेंबर.

४. लाला रामजीदास.

५. सर एडविन जॉन.

६. जय गोपाल अष्ठाना.

७. सेठ मदन मोहन जैन.

८. सेठ अबदुल करीम भाई.

सेक्रेटरी.

९. बाबू श्रीराम

इस बोर्ड के फरायज हस्ब जैल करार दिये गये:—

१. एग्रीकलचरल जरूरियात के लिये रुपये की कमी न होना चाहिये, यानी एग्रीकलचरल जरूरियात को तरजीह देकर उनके पूरा होने के बाद जो रुपया ऐवेलेबिल हो वह तिजारत व हिरफत की इम्दाद में दिया जाये.

२. फैक्ट्रीज और बैंक्स इन हर दो शाखों में काम एहतियात के साथ और अपटूडेट रहे.

३. रुपया देने में लैतलाली न की जाये.

४. जो नई स्कीम्स पेश हों उनकी जांच परताल बोर्ड में की जाकर साउन्ड स्कीम हाथ में ली जाये लेकिन पहिले मौजूदा कारखानों की हालत दुरुस्त की जाये.

५. बैंक्स और फैक्ट्रीज दोनों शाखों में कम से कम ६ फीसदी का मुनाफा हासिल होना चाहिये.

उम्मीद की जाती है कि आप साहबान इस इन्तजाम को एप्रूव करेंगे और इस से नफा उठावेंगे, नीज अगर इस्लाह की जरूरत हो तो अपनी तजवीज पेश करेंगे. ”

[हुजूर मुअल्ला की स्पीच हो जाने के बाद एजेन्डा मजलिस आम (मुन्दर्जे जमीमा नंबर १) की तजावीज पर गौर किया गया.]

फर्द नम्बर १, तजवीज नंबर १.

जमींदारी कॉन्फरेन्स, सम्वत १९७७, में एक गांव से दूसरे गांव को जाने के रास्ते दुरुस्त किये जाने का जो ठहराव हुआ था उसकी तामील होना पाई नहीं गई; चुनांचे इस सवाल पर संवत १९८१ की रेवेन्यू कॉन्फरेन्स में फिर गौर किया गया. रेवेन्यू कॉन्फरेन्स में यह करार पाया है कि यह काम सर्फे का है और इसके लिये मवाजियात में या परगनात में कोई फंड कायम नहीं, इस वजह से तामील ठहराव नहीं होती. लिहाजा:—

(१) परगनात में लोकल फंड कायम किया जावे.

(२) यह फंड मालगुजारी पर एक आना फी रुपया के हिसाब से मालगुजारी के साथ वसूल हो.

(३) यह फंड लोकल बोर्ड की निगराना में रहे.

(४) परगना बोर्ड मन्शाय दरबार मुन्दर्जे मेमोरेन्डम नंबर ३०, मद्दे नजर रख कर, तामीर व दुरुस्ती रास्तों का प्रोग्राम तजवीज करे और मुताबिक प्रोगाम, जैसा जैसा रुपया बरामद हो, तामीर व दुरुस्ती करे.

सवाल यह है कि क्या मजकूरे बाला तरीकों के अमल में लाने से गांवों के रास्ते दुरुस्त हो जावेंगे या, दूसरे यह कि इन तरीकों के सिवाय और

कौन से तरीके इख्तियार किये जावें कि जिनसे गांव के रास्ते दुरुस्त हो जावें.

नोट:—जामिनअली साहब ने रास्तों के बनवाने के मुतअल्लिक हस्ब जैल तजवीज भेजी है, उस पर भी इस तजवीज के साथ गौर किया जावेगा :—

"रियासत हाजा व नीज खास जिला भेलसा में सडक आमद रफ्त बिलकुल मादूम है, जिससे रिआया दरबार यानी काश्तकारान और जमींदारान को सख्त नुक्सान हो रहा है, जैसे सडक न होने की वजह से काश्तकार पेशा, अपना गल्ला यकुम जून तक फरोख्त कर देते हैं जिससे उनको बहुत नुक्सान उठाना पडता है. मस्लन इमसाल जून तक गल्ले का निर्ख ३।) रुपये मन और बारिश में ४।) रुपये मन होगया. इससे इस जमाअत को बहुत नुक्सान पहुंचा; अगर सडक होती तो लोग बारिश में अपना गल्ला फरोख्त करके कीमत अच्छी हासिल करते और तिजारत में तरक्की होती और मुल्क की मर्दुमशुमारी भी जल्दी बढती; चूंकि सडक के अजहद फवायद हैं, इस लिये इस पर गवर्नमेन्ट को जल्द तवज्जुह फरमाना चाहिये. मेरी नाकिस राय में यह मुल्की व पब्लिक फायदा है, इसलिये फी रुपया तीन पाई माल-गुजारी पर और फी रुपया तीन पाई आसामियान से निकासी यानी पट्टे पर लिये जावें तो एक कसीर रकम जमा हो कर कुछ इम्दाद सरकार की तरफ से मिलाकर जल्दी काम जारी हो सकता है. मगर जो जिले से रकम वसूल होवे वह जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रक्खी जावे और सडकों की तजवीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किया करे."

रेवेन्यू मेम्बर साहब—कब्ल इसके कि इस तजवीज पर गौर करूं, साहबान की याद्दाश्त ताजा करने के लिये यह मुनासिब होगा कि मैं इसकी हिस्ट्री को मुख्तसिर बयान करूं. साहबान यह मसला दो मर्तबा जल्से आम में पेश होचुका है. अव्वल मर्तबा जमींदारी कॉन्फरेन्स सम्वत १९७७ में और दूसरी मर्तबा साल गुजिश्ता के जल्से में. सम्वत १९७७ की जमींदारी कॉन्फरेन्स में जो ठहराव पास हुआ वह मेमोरेन्डम नम्बर १२, सफा २१, पर दर्ज है. साल गुजिश्ता में राय बहादुर ईश्वरीसिंह साहब, ढावलाधीर की तजवीज पर यह मुआम्ला फिर आपके सामने आया. उस मौके पर मैंने आपकी वाकफियत के लिये, इस मुआम्ले में आज तक बजानिब गवर्नमेन्ट क्या क्या कोशिशें होचुकीं और क्या कार्रवाई जारी है, इसका मुख्तसिर हाल बयान किया था, जो प्रोसीडिंग्ज बुक सफा ७३, ७४ पर मौजूद है. अपनी कैफियत के अखीर में मैंने यह भी जाहिर किया था कि बावजूद इन तमाम कार्रवाइयों के इसकी तामील जल्द होने का इनहिसार खास तौर पर जमींदारान की जाती कोशिश और दिलचस्पी पर है और अगर मुजव्विज साहब व दीगर मेम्बर साहबान अपने अपने हिस्से के जमींदारान में यह पैदा करने की कोशिश करकें अमली नतीजा पैदा करें तो इस तजवीज का मकसद जल्द हासिल होकर वे मुस्तहक शुक्रिया रिआया व दरबार होंगे.

साहबान, जराये आमदोरफ्त से इन्सानी कारोबार में क्या सहूलियतें पैदा होती हैं और जिरा-अत व हर पेशे की तरक्की में कितनी मदद मिलती है और वे न होने से क्या दिक्कतें और नुक्सानात

वके होते हैं, इससे आप इस कदर वाकिफ हैं कि इस मौके पर मुझे विल तशरीह बयान करने की जरूरत नहीं है. आप साहबान को यह भी मालूम है कि जिन मुमालिकों ने जिराअती या तिजारती तरक्की की उन्होंने अपने जराये आमदोरफ्त में खास तौर पर सुधार किया और जैसे जैसे ये जराये बढते और दुरुस्त होते गये वैसे ही उनकी तरक्की हुई. हमारे जराये आमदोरफ्त की मौजूदा हालत क्या है. एक मौसम में वे कैसे बेकार होजाते हैं और दीगर मौसम में भी उनमें से बहुत से कैसे तकलीफदेह होते हैं, इसका आप साहबान को रोजाना तजरुबा है. चुनाचे सवाल गौर तलब यह है कि देहाती रास्ते दुरुस्त किस तरीक पर हों? दुरुस्त होने से मुराद सिर्फ मिस्ल फेअर वेदर रोड के खाम रास्ते चलतू करने से नहीं है, बल्कि ऐसी दुरुस्ती और पुख्तगी से है कि जिस बारह माह वे कारआमद हो सकें और उन पर गुजर आसानी से हो. इस मुआम्ले की एहमियत को दरबार मुअल्ला एक जमाने से महसूस फरमाते थे और चूंकि दरबार मुअल्ला की हमेशा पॉलिसी यह रही है कि फवाअद आम के काम लोगों के वॉलन्टरी (Voluntary) कोशिशों से कराये जांय, लिहाज इस मसले का हल भी जमींदार साहबान की ऐसे कोशिशों पर छोडा गया. यह सरक्यूलर नंबर , सम्वत १९६०, और नीज ठहराव जमींदारी कॉन्फरेन्स सम्वत १९७७ व आज तक की कार्रवाई से जाहिर होगा. लेकिन इसका नतीजा जैसी कि उम्मेद थी वैसा तसल्लीबख्श साबित नहीं हुआ चुनाचे साल हाल की रेवेन्यू कॉन्फरेन्स में इस मसले पर आज तक के तजरुबे की निगाह से गौर करने की जरूरत पेश आई. दो उमूर खास तौर पर कॉन्फरेन्स के पेश नजर थे. अव्वल यह कि यह काम सर्फ का है और तावक्ते कि सर्फ का इन्तजाम न हो (फिर वह चाहे जिस तरीके से हो) यह काम चल नहीं सकता. दोयम यह कि यह काम एक तरीके से सिलसिलेवार साथ इत्मीनान चलने के लिये किसी ऑरगेनाइजेशन की जरूरत है. इन उमूर को मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू कॉन्फरेन्स जिस नतीजे को पहुंची वे इस तजवीज में दर्ज किये गये हैं यानी यह कि;—

(१) परगनेवार इस काम के लिये फंड कायम किया जावे.

(२) यह फंड किसी हिसाब से कायम होना जरूरी है, इसलिये फी रुपया एक आना के हिसाब से मालगुजारी पर वसूल हो.

(३) यह फंड जिस जिले का हो उसी जिले में बोर्ड की निगरानी में रहे और खर्च हो.

(४) लोकल बोर्ड मन्शाय दरबार मुन्दर्जे मेमोरेन्डम नंबर ३० मद्देनजर रखकर तामीर व दुरुस्ती रास्तों का प्रोग्राम तजवीज करें और मुताबिक प्रोग्राम जैसा जैसा रुपया बरामद हो तामीर व दुरुस्ती करें.

मन्शाय दरबार मुन्दर्जे मेमोरेन्डम नंबर ३० क्या है, इसकी इस मौके पर सराहत कर देना मुनासिब होगा. देहाती खाम रास्ते एक गांव से दूसरे गांव को आम तौर पर जाबजा हैं और इन रास्तों को पुख्ता सडकों की शकल में लाना कसीर सर्फे व अर्से दराज का काम है. मजीदे बरां कौन से रास्तों को अव्वल हाथ में लिया जाय और कौन को बाद में, यह तय करना भी मुश्किल है. लेकिन जहां जहां इस वक्त पुख्ता रास्ते मौजूद हैं उनसे अव्वल करीबतर के मवाजियात को व बाद रफ्ता रफ्ता फासले के गांवों को पुख्ता रास्ते बनाकर मिलाना और इस तरह रेलवे स्टेशन्स व मंडियां या बडे मुकाम को आमदरफ्त का जर्या पैदा करना, मुकाबिलतन कम अर्सा व सर्फे का सवाल होकर फायदा इसमें ज्यादा है. चुनांचे यही मन्शा दरबार मुतअल्लिक रास्तेजात व उनका प्रोग्राम तजवीज करने में है.

इलाके कैसरी में भी देहाती रास्ते पुख्ता बनाना व उनकी मरम्मत करना, यह डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के कामों में दाखिल है और इसके लिये वहां मालगुजारी पर मुकर्ररा रकम देहवार वसूल

होती है और उसमें से नई सडकें बनाई जाती हैं और मौजूदा सडकों की मरम्मत की जाती है. चुनांचे इस वक्त जो तजवीज पेश की जाती है वह दर असल कोई अजीब तजवीज नहीं है बल्कि और मुकामात पर आज जो अमल जारी है और जिससे जिराअती पेशा लोग फायदा उठा रहे हैं उसी की सिफारिश की जाती है.

मुझे यह जाहिर करने में निहायत खुशी है कि एक जमींदार साहब ने, तजवीज गवर्नमेंन्ट की तकलीद में अपनी तजवीज भेजी है जिसका मैं आगे चल कर जिक्र करूंगा. मेरा ख्याल तो यह है कि मुजव्विज साहब ने इस तजवीज के जर्ये से न सिर्फ अपने जिले के लोगों की जरूरियात का बल्कि रियासत के कुल हिस्सेजात की जरूरियात का इजहार किया है और इसलिये मुझे कवी उम्मेद है कि इस तजवीज के मकसद से यह मजलिस व खास कर जमींदार साहबान एक दिल से इत्तफाक करेंगे. तजवीज जामिनअली साहब मेलसा वह है जो मैंने हाल में पढी.

मुजव्विज साहब ने पुख्ता सडकें न होने से क्या नुक्सानात होते हैं और वे कायम हो जाने से क्या फवायद हासिल होते हैं इसका मुख्तसिर तौर पर अपनी तजवीज में तजकिरा किया है, और यह तजवीज पेश की है कि सडकों के बनाने के लिये मालगुजारी पर फी रुपया तीन पाई और काश्तकारान के पट्टों की निकासी पर फी रुपया तीन पाई लिये जावें. इस तरह जो फन्ड इकट्ठा हो उसमें कुछ मदद सरकार की तरफ से दी जावे. यह कुल रकम जेर तहवील डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सडक तजवीज और तामीर करने का काम करे. चूंकि यह तजवीज जिले मेलसा के मुतअल्लिक है लिहाजा इस जिले में सडकों की हालत क्या है, यह इस मौके पर ब ऐतबार रिपोर्ट जिला, जाहिर करना मुआम्ले हाजा की एहमियत मालूम होने के लिये जरूरी है. जिला मेलसा में करीब ५, ६ महीने तिजारत व जिराअत पेशा लोगों के कारोबार करीब २ बंद से रहते हैं. खास कस्बा मेलसा के ज्यादा-तर व्योपारियान जमाने बारिश में मेलसा छोडकर अपने २ वतन चले जाते हैं, इस वजह से कि उनके लिये इस जमाने में व्योपार नहीं, और वजह यह है कि मुकस्सिलात से आमद रफ्त का रास्ता नहीं. गांव से गांव जाना दुश्वार ही नहीं बल्कि बाज औकात नामुमकिन है. रास्ते बारिश की वजह से पानी के जमाव से सख्त नाकाबिल गुजर हो जाते हैं. कई जगह घुटने २ कीचड से आदमी लदपद होता हुआ अपनी पूरी ताकत से ब मुश्किल पार होता है. मवेशियों की हालत बद से बदतर है व कीचड में खप जाती हैं और बहुत ज्यादा मौतें उनकी होती हैं. जमींदारान व काश्तकारान को अपनी पैदावार फरोख्त करने में नुकसान होता है; वह इस तरीके पर कि सावन भादौं के महीने में जब कि बारिश के आसार का फैसला हो जाया करता है और गल्ले के व्योपार में चढाव घटाव इन्हीं महीनों में ज्यादा होता है, वे अपने गल्ले को आमद रफ्त की बाइस मुश्किलों की वजह से मंडी में नहीं ला सकते और न निर्ख का फायदा उठा सकते हैं, वह अपना गल्ला तारीख १५ अप्रेल से तारीख १५ जून तक ही फरोख्त कर सकते हैं जब कि गल्ला उमूमन सस्ता होता है.

रेवेन्यू कॉन्फरेन्स ने जो तजवीज पेश की है वह और जामिनअली साहब की तजवीज करीब २ यकसां है. फर्क दो तीन बातों का है. अव्वल यह कि जहां रेवेन्यू कॉन्फरेन्स ने फी रुपया एक आना मालगुजारी पर तजवीज किया है वहां जामिनअली साहब ने तीन पाई रुपया तजवीज किया है. साथ ही जामिनअली साहब काश्तकारान पर फी रुपया पाव आना कायम करना चाहते हैं और गवर्नमेन्ट से भी कुछ इमदाद चाहते हैं. चुनांचे यह कुल उमूर यानी तजवीज रेवेन्यू कॉन्फरेन्स व जामिनअली साहब, आपके गौर करने काबिल है. और देखना यह है कि

इन तजवीजों से देहाती रास्ते दुरुस्त होने का मकसद हासिल हो जावेगा या किसी और तजवीज की जरूरत है.

मेरे ख्याल में यह बेहतर होगा कि इस तजवीज पर बाद बहस जो राय करार पाये वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भेजी जावे और हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुताबिक उसके मौजेवार वसूल करे. गवर्नमेन्ट की जानिब से यह जाहिर करने में मुझे खुशी है कि दरबार मुअल्ला ने ब निगाह रिआया परवरी यह मंजूर फरमाया है कि जिस कदर फन्ड इस तरीक पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इकठ्ठा करेंगे उतनी रकम सरकार देवेंगे. सडकें तैयार होने पर उनकी मरम्मत व मेन्टिनेन्स का सवाल पैदा होता है, लिहाजा इसके लिये जिस कदर सालाना रकम की जरूरत हो उसका इन्तजाम भी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को करना होगा.

जराये आमदोरफ्त बढने की दरबार मुअल्ला को कितनी फिक्र है इसके सबूत की चन्दां जरूरत नहीं, क्योंकि आज तक इस बारे में गवर्नमेन्ट की तरफ से जो कोशिशें हुईं वह इसका काफी सबूत है. जैसा कि मैंने साल गुजिश्ता में कहा था, इस काम की कामयाबी का इनहिसार जमींदार साहबान की कोशिश व दिलचस्पी और को-ऑपरेशन पर है. गवर्नमेन्ट ने अपनी तैयारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फन्ड के बराबर रकम कन्ट्रीब्यूट करना मंजूर करके बताई है. चुनांचे जमींदार साहबान भी अपनी रजामन्दी उनके मुतअल्लिक पार्ट अदा करके, यानी इस तजवीज को बिल इत्तफाक मंजूर करके जाहिर करेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है.

बंसीधर साहब—अन्नदाता ! रेवेन्यू मेम्बर साहब के फरमाने से मालूम हुआ कि यह रास्ते ऐसी हालत में रहना चाहिये कि बारामासी चलें तो इसमें कुछ मौसम तो बरसात का होता है जिसमें गांव में बारमाही गाडियों का चलना जरा दुश्वार है क्योंकि जंगल वहां ऐसे होते हैं कि जिनमें बैलों के चलने से और पहियों के चलने से जमीन कटती जाती है. फुट भर या ६ इंच के करीब गाडी के पहिये जमीन में चले जाते हैं और जब बैल या दीगर जानवर उस रास्ते से निकलेंगे तो बहर हाल उसमें जरूरत यह रहती है कि उनको हर साल मिट्टी डालकर बराबर कर दिया जावे. आम तौर पर घास के जम जाने से जमीन कम कटती है लेकिन हर साल मिट्टी डालने से दिक्कत वाके होगी. बहुत से मवाजियात रियासत हाजा में इस किस्म के हैं कि जहां पर पथरीली जमीन है, बहुत जगह काली है और बहुत जगह भूरी है. जहां तक ख्याल किया जाता है अगर पक्के रास्ते वहां पर सडकों की किस्म से बनाये जावें तो उसके लिये बहुत सर्फे की जरूरत है. मिसाल के तौर पर तहसील ग्वालियार को ही लिया जावे. यहां १५० गांव हैं और सालाना दो लाख की आमदनी है. पस सालाना दो लाख आमदनी पर अगर अन्नी रुपया वसूल किया जावे तो बारह या तेरह हजार रुपया वसूल होगा. अब देखना यह है कि एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिये जो रास्ते हैं मस्लन किसी गांव से सिर्फ एक गांव को, किसी से दो को और किसी से तीन या चार को रास्ते जाते हैं—मैं इसका पूरी तौर पर अन्दाजा नहीं कर सकता कि एक मील सडक बनाने के लिये किस कदर सर्फा मिट्टी व पत्थर वगैरा डालने का लगेगा. गालिबन छै या सात हजार रुपया एक मील में लगेंगे. इस हिसाब से समझ लिया जावे कि ज्यादा से ज्यादा दो या तीन मील की एक साल में दुरुस्ती हो सकती है. बहर हाल उसके देखने के लिये Engineer वगैरा की जरूरत पेश आवेगी तो ऐसी सूरत में उसका सर्फा भी गवर्नमेन्ट को बहुत बरदाश्त करना होगा, लेकिन यह जरूर है कि इस काम में एक बहुत अर्सा लगेगा. तो अब इससे यह मालूम हुआ कि बारामाही रास्ता अगर चलता रहे तो पुख्ता सडकों की जरूरत होगी और अगर यही तरीका जारी रहा तो किसी जमाने में

सडकें वगैरा हो जावेंगी. इस वक्त जमींदारान की तरफ से यह तरीका जारी है कि बरसात खतम होते ही जो गढे पड जाते हैं उनमें मिट्टी डालदी जाती है और अगर दोनों हिस्से ज्यादा नीचे हो गये तो दूसरी तरफ रास्ता कर लिया जाता है और गाडी चालू हो जाती है. बाज गांव में ऐसी नौबत आती है कि जमींदार रास्ते दुरुस्त नहीं करते हैं. अब नायब तहसीलदारान नौ आबादी मुकर्रर हो गये हैं उनको ऐसे रास्ते दुरुस्त करा लेना चाहिये, और अगर फिर भी जमींदार तामील न करें तो उन पर जुर्माना होना चाहिये. अगर हुजूर की राद कच्चे रास्ते की है तो यह सूरत है और अगर पक्के रास्ते से हुजूर की मुराद है तो एक आना फी रुपया मालगुजारी पर बढाया जावे और उसके साथ ही सरकार की भी मदद हो तो मुमकिन है कि कुछ अर्से के बाद रास्तों की हालत ठीक हो जावे—यह रकम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रखी जावेगी और जहां जरूरत होगी वहां रास्तों की दुरुस्ती कराई जावेगी. रुपया तो सब लोगों से वसूल होगा और फायदा चन्द गाव वाले उठावेंगे, दीगरान को वैसी ही दिक्कत बनी रहेगी, ऐसी सूरत में जैसा सब मजलिस का विचार हो, किया जावे. मेरी नाकिस राय में जो कुछ आया वह अर्ज कर दिया गया, एक आना रुपये का कर डालना मुनासिब न होगा.

मथुरा प्रसाद साहब—हुजूर अनवर, साबिका में तमाम हिन्दुस्तान में यह तरीका रायज था कि जिस कदर काम मुतअल्लिक मौजे के होते थे वह मौजे के पेशेवरों से लिये जाते थे और उन लोगों को आराजी मुआफी चाकराना बिल ऐवज मेहनत दी जाती थी, जो कागजात सरकारी में मुआफी चाकराना के नाम से दर्ज होती थी. चुनान्चे दुरुस्ती रास्ता भी मौजे के मुतअल्लिक है और आसायश रिआया भी है, इस वजह से अगर आराजी मुआफी चाकराना दी जाकर गैंग मौके मुनासिब पर कायम करा दिये जावें और इसकी बाबत इकरारनामेजात जमींदारान मौजे से तहसील में ले लिये जावें तो बेहतर होगा ताकि बाद बारिश लाजमी तरीके पर दुरुस्ती रास्तों की करवा दिया करें. रियासत हाजा के मवाजियात में बहुत सी आराजी अब भी गैर आबाद है. इस तरीके से बंजर आराजी भी काश्त में आ जावेगी और जमींदारान और काश्तकारान पर इसका कोई असर भी नहीं पडेगा क्योंकि कदीम से हिन्दुस्तान में जमीन हमेशा दौलत की जगह पर इस्तेमाल होती रही है—अगर हस्ब ठहराव रेवेन्यू कॉन्फरेन्स, सम्वत १९८१ एक आना फी रुपया मालगुजारी पर कायम कर दिया जावेगा तो कलम नम्बर ३ पट्टा अतिये सरकार जिसके यह अल्फाज हैं "जमीअ अबवाब मालगुजारी में शामिल कर दिये गये हैं लिहाजा रकम मालगुजारी मुन्दर्जे पट्टे के अलावा ता मियाद मजकूर और कोई रकम जायद बतौर अबवाब तुमसे न ली जावेगी" उसकी भी तरमीम होती है. लिहाजा मेरी नाकिस राय में तरीका मुन्दर्जे बाला, जो कदामत से जारी था, अगर जारी कर दिया जावेगा तो मन्शाय दरबार की तामील भी पूरी हो सकती है और रास्तों की दुरुस्ती की जो शिकायत है वह भी ब सहूलियत तमाम रफा हो सकती है. सडकें बनाना बहुत मुश्किल बात है और इसके लिये कसीर रकम की जरूरत है.

महादेवराव साहब—हुजूर वाला, एक मौजे से दूसरे मौजे को बरसात में जाने की किसी काश्तकार को जरूरत नहीं पडती. वह जमाना काश्त का होता है, चार महीने बरसात के काश्तकारों को गाडी ले जाने की जरूरत नहीं होती. अगर काश्तकार इस मौसम में जावेंगे तो काश्त का हर्जा होगा. अगर पक्की सडक बनाई गई तो उससे फायदा व्योपारी और साहूकार को होगा, काश्तकारों को कोई फायदा नहीं. कच्चे रास्ते साफ करने से ही आठ महीने वह काम दे सकते हैं, पक्की सडक सिर्फ चार महीने मौसम बरसात में काम देगी. इससे काश्तकारान को कोई नुकसान नहीं हो सकता, यह काम ट्रेड का है, ट्रेड से ही पक्की सडकें बनवाई जावें.

चतुरभुजदास साहब—हुजूर अनवर, इस मामले पर जो गौर किया जाता है तो गोया इस तजवीज में दो तन्कीहें हैं. एक तो यह कि फन्ड किस तरह से कायम किया जावे और दूसरे यह कि उसको किस तरह से dispose of किया जावे. पहली तनकीह का मतलब यह है कि यह फन्ड किस तरह कलेक्ट किया जावे. दूसरी का तअल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है, अब इसमें यह सवाल पैदा होता है कि जमींदारों से वसूली की जावे या काश्तकारों से. Facility in the means of communication का असर गल्ले के निर्ख पर पड़ता है यानी काश्तकारान की जो surplus produce है उसमें इजाफा होने से उनकी आमदनी का इजाफा होगा जिसमें कम अज कम अपने यहां जमींदार को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता क्योंकि settlement के वक्त जो तशखीस कायम करदी जाती है वह जमीन की quality के लिहाज से की जाती है. फर्ज किया जावे कि जमीन की रेटवारी दो रुपया बीघा है और वह जमीन सडक के करीब न होने की वजह से facility in the means of communication नहीं रखती. अगर उसी जमीन के करीब सडक या रेलवे वगैरा हो तो उसकी आमदनी में इजाफा होगा, जिसका फायदा काश्तकार उठायेगा न कि जमींदार; और ऐसी सूरत में इस फन्ड का बार ज्यादातर काश्तकार पर ही पड़ना चाहिये. इस वजह से जामिनअली साहब ने जो तजवीज पेश की है उसमें सिर्फ इस कदर amendment की मेरी तजवीज है कि जमींदार से एक पाई फी रुपया, और काश्तकार से ग्यारह पाई फी रुपया पट्टे के आंक पर लिया जावे. यह महज arbitratory figures हैं. अगर हुजूर अनवर मुनासिब ख्याल फर्मावें तो इसके मुतअल्लिक एक सब-कमेटी कायम करदी जावे, ताकि वह गौर करे कि जो arbitratory figures कायम कर दिये गये हैं उनमें amendment की जरूरत है या नहीं.

दूसरा सवाल यह है कि अब जो यह फंड इकट्ठा हो उसको किस तरह सर्फ किया जावे, यह मुतअल्लिक administration है, जहां तक मेरा ख्याल है इसके मुतअल्लिक P. W. D. को एक जिले की एक तहसील हर साल हाथ में लेकर प्रोग्राम बनाना चाहिये और उस प्रोग्राम के मुताबिक जिस सडक का असर करीब की आराजी या करीब के मौजे पर सब से ज्यादा पडता हो उसको अव्वल हाथ में लिया जावे; बल्कि तरतीब प्रोग्राम के वक्त यह भी ख्याल किया जावे कि सब से अव्वल किस जिले में या किस तहसील में सब से ज्यादा facility की जरूरत है.

कृपाशंकर साहब—अन्नदाता, ऐसा कहा गया है कि यह सर्फा या तो गवर्नमेन्ट से हो या जमीदार से लिया जावे; मगर मेरे ख्याल में तीसरे दरमियानी तबके वाले, जो सडक से बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, उनसे क्यों न लिया जावे ? यह लाजमी बात है कि सड़क से फायदा सब को पहुंचता है, मगर तिजारत पेशे को ज्यादा. यह अम्र भी काबिल गौर है कि जमींदारान की तरफ कितने सर्फे डाले गये हैं. मुलाहिजा हों पंज साला इन्सपेक्शन नोट के नम्बर ७३, ७७, ९१, ९२, व १०६-यानी देहाती रास्ते की सफाई व इन्तजाम मकान पटवारी वगैरा के मुतअल्लिक जब जमींदारान पर इस कदर बार पड चुका है तो अब उन पर कोई दीगर बार डालना इन्साफ का काम न होगा. इस सवाल के दो हिस्से होना चाहिये. एक तो वह हिस्सा होना चाहिये कि जिसमें रास्ता कुछ खफीफ सा खराब हो जाता है, उसको मुताबिक शर्त वाजिबुल अर्ज दुरुस्त करना; एक वह रास्ता होता है जो नाकाबिल गुजर होता है तो इस नाकाबिल गुजर का सर्फा या तो कस्टम्स डिपार्टमेन्ट दे या तिजारत पेशा दें, जमींदारों पर इसका बार न डालना चाहिये.

गुरुदयाल साहब.—हुजूर आली, पहिला सवाल यह है कि एक गांव से दूसरे गांव तक सहूलियत से गाडियां निकल जायें. यह जरूरत ज्यादातर उस गांव के करीबतर रहने वाले और उनकी गाड़ियों के लिये है. जब से दरबार आलीविकार का यह ख्याल हुआ है और उसकी बाबत

रामराव गोपाळ साहब देशपांडे—हुजूर मुअल्ला दाम इकबालहू की खिदमत में मेरी ऐसी गुजारिश है कि रेवेन्यू कॉन्फरेन्स सम्वत १९८१ में जो गौर किया गया उसके बारे में मेरी नाकिस ऐसी मारूजा है कि रास्ते जो हैं उन में लोगों को तकलीफ न होना या अफसरों को दौरे में तकलीफ न होना, इस के लिये जमींदारान रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि यह काम जल्दी का है, पक्की सडकों के बनाने में करोडों रुपया सर्फ होगा, जमींदारान कर रहे हैं और हो रहा है. हर एक गांव के लोग पक्की सडक पर, ऐसा मालूम होता है कि बारह महीना गाडी उडाते चले जायें तो यह लाखों रुपयों का काम है; चाहे रुपये में एक आना या दो आने लिये जायें तो बडी आसानी होगी और हर काम पूरा होगा ऐसा मेरी नाकिस राय में आता है.

वामनराव साहब पाटनकर—पक्के रास्ते गांववार बनाने के वास्ते जो फन्ड कायम होता है वह फन्ड ऐनमाल के कुल अबवाब होने से उसमें गुंजायश नहीं है. ऐनमाल का वसूल होना ही मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐनमाल का कुल जरिया काश्त है और काश्त की हालत फिलहाल गिरी हुई मालूम होती है. जो काश्तकार गल्ला फसल पर खरीद करते हैं वह बारिश के अय्याम में नहीं रह सकता और उस के पर जो ड्यूटी लगी है उस पर एक आना और लगना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—हुजूर मुअल्ला, पहिले गौर तलब अमर यह है कि हम को इस तजवीज की जरूरत है या नहीं. चुनांचि पक्की सडकों की तामीर कराने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इख्तिलाफ इस बात का है कि सडकें किस तरीक पर बनाई जावें और उन के बनाने का आसान तरीका क्या हो सकता है ? जो तजवीज जनाब वाला रेवेन्यू मेम्बर साहब ने फरमाई है उसमें ही कामयाबी हासिल हो सकती हैं यानी उसमें कोई झगडा नहीं है उनका मकसद इस तजवीज के पेश करने का यही है, नकि एक सब-कमेटी मुकर्रर की जाये या डिपार्टमेन्ट में रखा जावे, क्योंकि इसमें तवालतें हैं. जो मन्शा इस तजवीज के पेश किये जाने की बाबत दरबार का है वह हासिल नहीं होगा. फिलहकीकत पक्की सडकों की जरूरत है और इससे बेहतर आसान तरीका कोई नहीं है कि एक आना फी रुपया फन्ड वसूल किया जाय. जो जमींदार साहिबान इस के खिलाफ हैं उन के मुतअल्लिक यह अर्ज करूंगा कि उनको भी इस बात से इनकार नहीं है कि उनको सडकों से फायदा पहुंचेगा, इसलिये यह सर्फा और खर्चा उनको ही बरदाश्त करना होगा.

हुजूर मुअल्ला—जो कुछ बहस इस मसले पर इस वक्त तक सुनी उससे ज्यादातर ख्याल ऐसा मालूम होता है कि आपकी राय में सडक की जरूरत नहीं है, लेकिन साहिबान, यह बात भी करीब करीब वैसी ही है जिसके बारे में 'नहीं' कहने की हमारे हिन्दुस्तान की आदत पुश्तैनी चली आई है. अगर देखा जाय तो किसी चीज की भी हमको जरूरत नहीं हैं और जरूरत भी है. मुमकिन है कि आप साहिबान कहें कि रेल बनाने की क्या जरूरत है ? तार र की की क्या जरूरत है ! कपडा बुनने के कारखानों की क्या जरूरत है और तालीम की क्या जरूरत है ? पहिले पुजारी वगैरा गांव गांव पढाते ही थे, ऊनी और सूती कपडे पहनने की क्या जरूरत है ? पगडी बांधने की भी क्या जरूरत है ? क्योंकि एक जमाने में पत्तों से ही हमारे बुजुर्ग जिस्म को ढांकते थे. मतलब यह है कि अभी लोगों के ख्यालात वही हैं कि नई बातें क्यों चलाते हो, जैसा चल रहा है चलने दो. आप यह ख्याल कीजिये कि बरार के रहने वाले अगर यह कहें कि क्यों रेल बनाते हो तो उनसे पूंछा जावे कि अगर रेल न होती तो वह शुजालपुर में आकर गांव कैसे लेते और दो रोज में यहां से वहां और वहां से यहां कैसे आते जाते. सडक बनाने का

object क्या है ? अगर सडक न हो तो मोटर मन्दसौर से जावरा मिनिटों में और ४ घन्टे या ५ घन्टे के अन्दर इन्दौर कैसे पहुंचती ? Inter communication की बडी जरूरत है. वारदात वगैरा की रोक के लिये और तिजारत की तरक्की के लिये सडकें जरूरी हैं, इनसे रिआया को भी फायदा पहुंचता है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मदद मिलती है. महज दौरा ऑफिसरान के लिये सडक की जरूरत नहीं है. शायद लोगों का यह ख्याल है कि सडक के मानी यह हैं कि वह २० फुट चौडी हो. हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि गडवाहट दुरुस्त हालत में रहे. यह जो कहा जाता है कि जमींदारान कीचड को साफ कर देते हैं और बरसात के बाद रास्ते बिलकुल दुरुस्त कर देते हैं, महज गलत है. मैं सब Districts में फिरा हूं इसलिये कह सकता हूं कि जमींदारान हाथ नहीं लगाते हैं. जिसे तकलीफ होती है वह अपनी कोशिश से गाडी निकाल ले जाता है, हां, शायद यह जरूर होता है कि बडे ऑफिसर के दौरे की खबर पाकर गड्ढे भर देते हैं. मुझ सरीखे फिरने वालों के लिये, जबकि उसके दौरे की इत्तला नहीं दी जाती सडक दुरुस्त नहीं मिलती. मैं जमींदार साहिबान को साथ ले जाकर बता सकता हूं कि सडक ठीक रखी जाती है या नहीं, यह सब गलत और जाब्ते का bluffing है कि जमींदार लोग सडकें दुरुस्त रखते हैं. मैं दिखा सकता हूं कि अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में रास्ते नाकाबिल गुजर होकर गड्ढे कीचड से भरे रहते हैं. मेरी राय में बेहतर यह होगा कि इस सवाल को तय करने के लिये जैसा कि आगर के वकील साहब ने एक सब-कमेटी कायम करने की बाबत कहा है, उस मुताबिक एक कमेटी कायम की जाय और इसका अन्दाजा लगाया जाय कि किन २ गडवाहटों को सडक बनाना दुरुस्त है. मुराद यह है कि गांव से गांव तक सडक होना चाहिये, हमको एक गांव से दूसरे गांव के रास्ते को Connect करना है. जंगल या नदियों को गांव से जो गडवाहट जाती है उससे हमको कुछ मतलब नहीं. इस बारे में यह भी कहा गया था कि लोकल बोर्ड प्रोग्राम बनायें और सडकों को नामजद करें. मेरे ख्याल से इस सारेम सले को सब-कमेटी तय करे, (जामिनअली मालूम नहीं, आये हैं या नही,) इस सब-कमेटी में जामिनअली को भी शरीक करना चाहिये. मेरी राय में Inter-communication की बडी जरूरत है. काश्तकार, तिजारत पेशा, पुलिस, गवर्नमेन्ट इन सब को फायेद मन्द है. इसका बार सब पर डालना चाहिये आर इस मसले पर मुकम्मिल तजवीज बनाकर दरबार को पेश करना चाहिये. चुनांचे सब-कमेटी का चुनाव अब कर लिया जाये और बाद बहस, तजवीज दरबार को पेश की जावे.

लॉ मेम्बर साहब—मैं समझता हूं कि जो जमींदार साहिबान अभी बैठे हैं उनको व चन्द साहूकारान को शामिल कर लिया जावे.

हुजूर मुअल्ला--अगर मजलिस आम तजवीज करदे तो अच्छा है.

नोट:—ब तामील इरशाद प्रेसिडेन्ट साहब सब-कमेटी के मेम्बर हस्ब जैल साहबान मुन्तखिब किये गये:—

जामिन अली, चतुर्भुजदास, बन्सीधर, महादेवराव, मथुराप्रसाद, कृपाशंकर, मंगालाल, सूबालाल, लालचन्द, रामजीवनलाल.

ठहराव—करार पाया कि सब-कमेटी अपनी रिपोर्ट दरबार की खिदमत में पेश करे.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर २.

तजरुबे से जाहिर है कि आज कल के जमाने में बनिस्बत साबिक के जल्द जल्द कहत पडते हैं यानी करबि करीब हर तीसरे साल या इसके बाद ही कहत पडने लगा है, जिसका एक नतीजा यह होता है कि हर कहत के वाकै होने के बाद काश्तकारों की मर्दुमशुमारी वक्त पर खाद बीज न मिलने की वजह से कम होजाती है; इसलिये दरबार मुअल्ला का मकसद यह है कि गांव २ खाद बीज के लिये गल्ले का ऐसा इन्तजाम हो जिससे काश्तकार पेशा लोगों की तकलीफ रफा हो जावे और उनको वक्त पर वाजिब रेट से अनाज मिलने की वजह से उनकी आबादी में फर्क न आये.

सवाल यह है कि इस मकसद के हासिल करने के लिये क्या इन्तजाम किया जावे, जिससे कहत के असर से काश्तकारों को महफूज रखा जा सके.

रेवेन्यू मेंबर साहब—यह व उसके माबाद के दो सवाल इस वक्त जेर गौर हैं. मुनासिब मालूम होता है कि इसके मुतअल्लिक कुछ साबिका माहिती भी आप साहबान पर जाहिर करदी जावे.

यह अम्र पोशीदा नहीं है कि संवत १९७५ में रियासत हाजा में कहत पडा और दरबार आलीविकार ने अपनी प्यारी रिआया व उसके मवेशियान के बचाव के लिये एक फेमिन कमिश्नर अलहदा मुकर्रर फरमा कर रिलीफ वर्क्स खोलकर और जाबजा चारे वगैरा का स्टोर करके इन्तजाम फरमाया, जिसके खातमे पर फैमिन रिपोर्ट मिनजानिब फैमिन कमिश्नर, दरबार आलीविकार की खिदमत में पेश हुई. उस पर से जो रिमार्क्स पेशगाह दरबार से नाफिज हुए वह ग्वालियर गवर्नमेन्ट गजट मतबुआ तारीख २५ फरवरी सन १९२२ ई० में शाया हो चुके हैं और अगलब है कि उसका इल्म आप साहबान को जरूर होगा. मिनजुम्ला उसके तीन रिमार्क्स की बाबत लोकल बोर्ड्स की राय लिये जाने का ईमां था और यह तीन सवाल इन्हीं तीन रिमार्क्स के मुतअल्लिक हैं. चुनांचे जिसमें से अव्वल रिमार्क्स व उसके मुतअल्लिक राय प्रान्त बोर्ड यह है:—

रिमार्क दरबार मुअल्ला.—दरबार का मकसद यह है कि गांव गांव खाद, बीज के लिये यानी काश्तकारी पेशा लोगों के खाने और बीज के लिये गल्ले का ऐसा इन्तजाम हो कि जिससे बारह महीने ऐसे लोगों को तकलीफ न हो और एक वाजिब रेट से उनको अनाज मिले. इस मुद्दे पर लोकल बोर्ड्स की राय ली जाय. साथही यह भी जतलाया जाय कि पुराने जमाने में जहां कहत २० साल में पडता था वहां अब तीसरे साल पडने लगा है, जिसका असर मर्दुमशुमारी पर ज्यादा पडता है, मालूम रहे कि मर्दुमशुमारी कम होने को वक्त नहीं लगता, लेकिन बढने को अर्सा लगता है. चुनांचे यह सवाल बहुत अहम है और इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन (practical solution) निकालना निहायत जरूरी है. इससे मुराद यह है कि काश्तकार फाकेकशी से जाया न हों और आयन्दा काम काश्तकारी बखूबी चले, क्योंकि काश्त पर ही सब का इनहिसार है.

राय प्रान्त बोर्ड ग्वालियर.—इसका बंदोबस्त शामलात में नहीं हो सकता क्योंकि:—

(१) हर एक का बीज अलग २ रखना चाहिये.

(२) चंद अशखास के ऐसे कहने का एहतमाल है कि हमने ज्यादा गल्ला जमा किया था, हमारा कम जमा किया गया है, या हमको कम गल्ला वापिस दिया गया और ज्यादे नाम डाला गया है. गल्ले की तोल में फरेब होता है.

(३) गल्ला जितनी एहतियात से रखना चाहिये, नहीं रखा जाता.

(४) यह काम मौजे के लोग चला सकें ऐसी इलिमयत भी गांव के लोगों को नहीं होती.

गल्ला अगर सरकार की मार्फत खरीद करके रखा जावे तो उसमें बे ऐहतियाती व बेईमानी की बहुत कुछ गुंजायश है और जब कहतसाली कम होती है और अच्छी सालें ज्यादा होती हैं तो कहतसाली न होने पर कहतसाली के वास्ते जो गल्ला खरीद किया गया था वह कम भाव से बेचना पडेगा और इस कदर कोशिश करने बाद नुकसान रहने का कवी अंदेशा है. इस वास्ते सरकारी तौर पर गल्ले का खरीद रखना ठीक नहीं है.

अगर सरकार साहूकार की मार्फत गल्ला खरीद कर रखें तो बेऐहतियाती व गबन का बार सरकार पर न पडेगा, लेकिन उस हालत में साहूकार को कुछ न कुछ मुआवजा ऐसे नुकसान की बाबत देना पडेगा और कहतसाली न पडने पर वही नुक्सान सरकार को उठाना पडेगा जो खालिस इन्तजाम सरकारी में सरकार को उठाना पडता.

कहतसाली नमूदार होने पर गल्ले की निकासी बंद करना, उस पर स्लायडिंग ड्यूटी लगाना, यह चीजें बाहर से कम निर्ख से खरीद करके सस्ती दूकान लगाना, यह कार्रवाई अमल में लाना चाहिये.

राय प्रान्त बोर्ड मालवा.—नाज भंडार कायम होना चाहिये और जब तक दूसरी फसल की पैदावार का औसत अच्छी हालत का न देख लिया जाय उस वक्त तक उस साल के पैदावार की निकासी पक्के गल्ले की, मस्लन गेंहूं, चना, ज्वार वगैरा, रोक दी जावे.

चूंकि यह अहम मुआम्लात हैं इसलिये गवर्नमेन्ट यह मुनासिब समझती है कि इस पर कोई राय कायम करने के कब्ल खुले दिल से इस मजलिस के नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान के ख्यालात मालूम कर लिये जावें. मुझे उम्मीद है कि आप साहबान अपनी मुफीद रायों का इजहार फरमाकर गवर्नमेन्ट को यह सवाल हल करने में मदद करेंगे.

हुजूर मुअल्ला.—मेरे ख्याल में यह भी एक ऐसा सवाल है जिसके लिये एक सब कमेटी मुकर्रर की जावे.

लॉ मेम्बर साहब.—बहुत मुनासिब है. और जमींदार साहबान ही इस कमेटी में ज्यादातर हों.

हुजूर मुअल्ला.—मेरे ख्याल में जितने जमींदार साहबान यहां पर मौजूद हैं वह इस सब-कमेटी में नामजद किये जावें और वह इस तजवीज पर गौर करके अपनी राय इस मजलिस में पेश करें.

बन्सीधर साहब.—अन्नदाता, यह तो सवाल इस किस्म का है कि इसका असर सिर्फ काश्तकारों और जमींदारों पर ही नहीं पडता, बल्कि कहत का असर सब पर पडता है. इसलिये इस कमेटी में तिजारत पेशा और वह ऑफिसरान जिनका तजरुबा बढा हुआ है उनमें से एक दो साहब नामजद किये जावें तो बेहतर है. यह मुआम्ला बडे गौर का है.

हुजूर मुअल्ला.—जमींदार साहबान के अलावा रेवेन्यू मेम्बर साहब, एग्रीकलचर मेम्बर साहब, ट्रेड मेम्बर साहब और पोलिटिकल मेम्बर साहब भी इसमें नामजद किये जाते हैं.

ठहराव.—करार पाया कि सब-कमेटी अपनी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर ३.

अय्याम खुश्कसाली में ऐसे मुकामात पर जो घास पैदा होने की जगहों से फासले पर वाके हैं, चारा न मिलने की वजह से ऐसे जानवर जो काश्त के काम में लाये जाते हैं, जाया हो जाते हैं या काश्त के काम के काबिल नहीं रहते.

सवाल यह है कि किस तौर पर ऐसा इन्तजाम किया जावे जिससे अय्याम कहत में मुकामात मजकूर पर जानवरों के लिये घास चारा मिलता रहे, ताकि काश्तकारी के काम के जानवर जिन्दा और काम के काबिल बने रहें.

हुजूर मुअल्ला.—सवाल नंबर ३ भी सवाल नंबर २ से तअल्लुक रखता है; चुनांचे इस पर भी वही कमेटी जो तजवीज नंबर २ पर गौर करने के लिये मुकर्रर हुई है, गौर करके अपनी रिपोर्ट पेश करे.

ठहराव—मुताबिक तजवीज नम्बर २.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर ४.

ब अय्याम कहत रिआया इलाका हाजा, इलाके गैर को ऐसे मुकामात पर जहां उनकी रिश्तेदारी होती है और आसायश मिलने की उम्मेद होती है चली जाती है. बाद में उनके वापिस बुलाने की कार्रवाई मौका और वक्त के लिहाज से की जाती है; लेकिन सवाल यह बाकी रहता है कि ऐसा क्या इन्तजाम किया जावे जिससे ब जमाने कहत रिआया रियासत हाजा को इलाके गैर में जाने की जरूरत या ख्वाहिश ही पैदा न हो.

हुजूर मुअल्ला.—इस सवाल को भी सब-कमेटी मजकूरा के सुपुर्द किया जावे.

ठहराव—मुताबिक तजवीज नम्बर २.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १.

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

(१) काश्तकारान की सिर्फ दो किस्में कायम की जावें:—

(अ) काश्तकारान असली.

(ब) काश्तकारान शिकमी.

(२) काश्तकारान असली को बेदखल किये जाने का तरीका मसदूद किया जावे, सिवाय उस सूरत के जब कि उनके जिम्मे लगान बाकी हो.

(३) मौजे की शरह लगान करारदाद बन्दोबस्त की हद तक, काश्तकारान असली के लगान में इजाफा करने का इख्तियार जमींदार को दिया जावे. इससे जायद इजाफा तहसील की मार्फत हुआ करे.

(४) खाते काश्त का ज्यादा से ज्यादा (maximum) लगान क्या मुकर्रर हो सकता है, इसका तनासुब पैदावार काश्त पर कायम कर दिया जावे, ताकि इजाफा लगान के मुआम्लात में रहनुमाई हो.

लॉ मेम्बर साहब.—इस तजवीज के मुजव्विज साहब शरीक मजालिस नहीं हो सके हैं इसलिये कायदे के मुताबिक अगर और कोई साहब इस सवाल को पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं. (शंकरलाल साहब की तरफ मुखातिब होकर) क्या आप इस तजवीज को पेश करना चाहते हैं ?

शंकरलाल साहब.—मैं इस तजवीज को पेश करता हूं. तजवीज यह है कि (मजमून तजवीज पढकर सुनाया).

रेवेन्यू मेम्बर साहब.—इस तजवीज का मकसद क्या है, साफ मालूम नहीं होता.

शंकरलाल साहब.—अर्ज यह है कि असली काश्तकारान को जब बेदखल करने का मौका आता है तो उनके पट्टे में इजाफे लगान के रेट की बाबत तशरीह न होने से मुश्किलें पेश आती हैं इसलिये पट्टे में यह तशरीह होना चाहिये कि इस रेट की हद तक इजाफा लगान करने का जमींदार को इख्तियार है और इस रेट से जायद या पैदावार के लिहाज से इजाफा करने का मौका जब आवे तब अदालत के जरिये से उसके वसूली की कार्रवाई की जावे. इसकी तशरीह हो जाने से मुआम्ले के निकाल में बहुत सहूलियत पैदा होगी, इस वास्ते इसकी बहुत जरूरत है. दूसरी बात यह है कि जो शिकमी काश्तकार होते हैं उन पर दावा करने की जरूरत नहीं; उनको बेदखल करने के लिये असली काश्तकार को इख्तियार होना चाहिये कि जिसने उसको शिकमी कर दिया है या जमींदार को ही इख्तियार देना चाहिये; क्योंकि उसका हक कुछ भी नहीं है.

कृपाशंकर साहब—हुजूर मुअल्ला, काश्तकारान की अकसाम जो कानून में दर्ज हैं वह काफी है. इसमें अगर रद्दोबदल किया जावेगा तो बडी गडबड होगी.

लॉ मेम्बर साहब—(कृपाशंकर साहब की तरफ मुखातिब होकर) कायदा यह है कि किसी तजवीज के पेश होने पर जब तक कोई साहब उसकी ताईद न करें उस वक्त तक उस पर बहस नहीं की जा सकती; इसलिये पहले कोई साहब इस तजवीज की ताईद करलें तो बहस शुरू हो सकेगी.

लॉ मेम्बर साहब—(खामोशी पाकर) ऐसा समझना चाहिये कि इस सवाल की कोई साहब ताईद नहीं करते, क्योंकि कोई साहब नहीं बोलते हैं.

हुजूर मुअल्ला—चूंकि किसी साहब ने इस सवाल की ताईद नहीं की, पस यह सवाल ड्रॉप किया जावे.

ठहराव—तजवीज ड्रॉप की जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २.

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मुद्दई को कानूनन यह इख्तियार दिया जावे कि वह अगर चाहे तो तशखीस लगान के दावे में पट्टा कबूलियत का दावा भी शामिल कर सके.

चतुरभुजदास साहब—अक्सर वाकआत इस तौर पर पेश आते हैं कि मसलन एक काश्तकार किसी आराजी पर बिला इजाजत या बिला पट्टा मिनजानिब जमींदार जमीन पर काबिज है जमींदार पट्टा लेने को कहता है तो वह मुनकिर हो जाता है और दावा दायर करना लाजिम आता है. जमींदार का तो यह इम्प्रेशन होता है कि जो लगान कायम करके दावा किया गया है वह सही है और मिन-जानिब काश्तकार यह जवाब दिया जाता है कि जो लगान जमींदार चाहता है वह जायद है. ऐसी सूरत में तशखीस लगान के दावे की इजाजत चाही जाती है. नतीजा यह होता है कि अव्वल तो मुत्फर्रिकात में दावा दायर किया जाता है, बाद को नम्बरी में, और तशखीस लगान कायम होने के बाद फिर पट्टा कबूलियत का दावा सरसरी में किया जाता है, उसमें बड़ी तवालत पेश आती है. ऐसी सूरत में बजाय इसके कि दो दावे मुख्तलिफ सीगों में किये जावें एक ही दावे में पट्टा और तशखीस लगान का दावा जेर दफात १६३ व २२४, मुसव्विदा कानून माल, दायर किया जाना जायज करार दिया जावेगा तो बेहतर होगा.

मथुरापरशाद साहब.—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

बन्सीधर साहब.—मैं ताईद करता हूं.

कृपाशंकर साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

हरभान साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

रेवेन्यू मेम्बर साहब.—वकील साहब आगर ने तजवीज का जर्ये मिसाल जो मतलब जाहिर किया उससे मन्शाय तजवीज यह मालूम होती है कि जमींदार की जानिब से दावा बाबत न लेने पट्टा होने पर काश्तकार की जानिब से शरह और तादाद लगान की निस्बत अगर निजा पैदा होती है तो पट्टा कबूलियत का दावा अदम तरतीबी में खारिज कर दिया जाता है. इस बिना पर कि अव्वल लगान की कायमी व सीगे मुतफर्रिकात मुद्दई करालें और बाद को पट्टा कबूलियत का दावा किया जावे. इस दुबारा तवालत को रफा करने की गरज से तजवीज यह की गई है कि पट्टा कबूलियत के दावे में ही शरह या तादाद लगान का सवाल तय होकर दावा पट्टा कबूलियत फैसल हुआ करे.

दावा पट्टा कबूलियत दरमियान मामूली काश्तकार और जमींदार के हो सकता है. मौरूसी व साकितुल मिलकियत काश्तकारान का लगान महकमा बन्दोबस्त से तशखीस होकर पट्टेजात मुरत्तिब होते हैं; चुनांचे दावा पट्टा कबूलियत दरमियान मौरूसी या साकितुल मिलकियत काश्तकार व जमींदार पैदा नहीं हो सकता. मामूली काश्तकारान के खातों का लगान कायम करने या उसमें कमी बेशी करने का जमींदार को इख्तियार है; लिहाजा दावा पट्टा कबूलियत में अगर मामूली काश्तकार शरह या तादाद लगान की निजा होने का सवाल पैदा करे और वह समाअत की जावे तो उसका मतलब यह होगा कि जमींदार को मामूली काश्तकारों का लगान कायम करने की आजादी नहीं है. आम तौर पर कार्रवाई पट्टा कबूलियत उसी वक्त होती है जब बाहम फरीकैन लगान तय हो जाता है. अगर बाहम फरीकैन लगान तय न हो तो काश्तकारान को न जमीन मिलती है और न सवाल पट्टा कबूलियत का पैदा होता है. पट्टा कबूलियत दरअसल में मुतअल्लिक आराजी व लगान जो मुआहिदा होता है उसकी दस्तावेज है अगर मुआहिदा ही नहीं हुआ तो फिर दस्तावेज किस बात का ? मुआहिदा न होते अगर काश्तकार काश्त करे तो सूरत मदाखलत बेजा की पैदा होती है, और अगर मुआहिदा होने पर काश्तकार पट्टा न ले तो दावा पट्टा जमींदार कर सकता है.

मुजव्विज साहब ने जो मिसाल काश्तकार की दो साल बिला पट्टा काबिज रहने की दी है उसमें भी यह अम्र साफ नहीं है कि इन दो साल बाबत पट्टे का दावा तीसरे साल में अन्दर मियाद

होगा. दो साल तक जमींदार ने खामोशी इख्तियार करना जाहिरा उसकी काहिली है. अगर बिला मुआहिदा यानी बिला पट्टा कबूलियत काश्तकार ने काश्त की तो जमींदार के पास दावा मदाखलत बेजा का इलाज मौजूद है. खुलासा यह है कि मामूली काश्तकारों के और जमींदारों के दरमियान पट्टा कबूलियत के दावों में अदालत को शरह या तादाद लगान का सवाल फैसल करने की जरूरत मामूलन पैदा नहीं होती और खास हालत में अगर यह सवाल काबिल गौर भी हो तो मेरे ख्याल में कोई कानूनी हिदायत नहीं है कि ऐसे incidental सवाल का तस्फिया उसी मुकद्दमे में न करते अलहदा दावे की हिदायत दी जावे, दावेजात शरह या तादाद लगान के वह हैं जिनमें वही खास सवाल हो. जो आम हालत है वह मैंने जाहिर की है. यह सवाल ज्यादातर जाब्ता व तफ्सील का है और मुसव्विदा जदीद कानून माल इस वक्त जेर गौर दरबार है. चुनांचे अगर मुजव्विज साहब मुझे वे जुम्ला सूरतें जाहिर करें कि जिनमें पट्टा कबूलियत के दावों में शरह या तादाद लगान का तय करना लाजमी आता है तो मुसव्विदा कानून माल के रीडिंग के वक्त उस पर जरूर गौर किया जावेगा. मेरे ख्याल में ऐसे सवाल को यहां डिसकस करने के बजाय कानून माल के साथ तय करना बहतर होगा. मुझे उम्मीद है कि मजलिस को भी इससे इत्तफाक होगा.

चतुरभुज दास साहब.—हुजूर अनवर, रेवेन्यू मेम्बर साहब ने जो फर्माया उसमें जो एक मुश्किल है वह हल नहीं होती; मस्लन एक काश्तकार किसी आराजी पर सन १९२३ ई० से काबिज है और सन १९२५ ई० में जमींदार अगर लगान वसूल करना चाहे और काश्तकार देने से इन्कार करे तो सिवाय दावा करने के कोई चारा नहीं. आमूली काश्तकार के खिलाफ जो दावे किये जाते हैं उनमें कबूलियत के वास्ते या पट्टे के वास्ते नालिश करना लाजिम है और जब तक लगान की तशखीस न हो जावेगी तब तक पट्टा या कबूलियत का दावा समाअत नहीं हो सकता.

रेवेन्यू मेम्बर साहब.—जब तक पट्टा न हो तब तक काश्तकार काबिज नहीं हो सकता. इसी तरह जब तक पट्टा कबूलियत नहीं तब तक जमींदार दावा कैसे कर सकता है.

चतुरभुजदास साहब.—३ साल से अगर कोई काश्तकार बिला पट्टे के काबिज हो तो क्या किया जावे ?

रेवेन्यू मेम्बर साहब.—बे दखली का दावा करना चाहिये.

चतुरभुजदास साहब.—बाज दफा ऐसा मौका होता है कि काश्तकार दो तीन साल से काबिज होते हैं और जमीदार को इल्म ही नहीं होता.

रेवेन्यू मेम्बर साहब.—यह सुस्ती किसकी है. जमींदार की है कि उन्होंने वक्त पर नोटिस नहीं दिया, न कि काश्तकार की.

चतुर जदास साहब.—अगर काश्तकार दो तीन साल तक बगैर अदाय लगान काबिज है तो उसके लगान पाने का क्या जमींदार मुस्तहक नहीं है, उसका मुआवजा किस शकल में वसूल किया जा सकता है ?

लॉ मेम्बर साहब.—क्या मैं आपसे कुछ दरयाफ्त करलूं, लफ्ज लगान से तो वह मुआवजा मुराद है कि जो काश्तकार और जमींदार के दरमियान तय पा चुका है. जब कि बिला तय करने लगान के और बिला रजामन्दी व इजाजत जमींदार के, किसी शख्स ने आराजी पर कब्जा कर लिया हो तो फिलहकीकत उसकी हैसियत काश्तकार की न समझी जावेगी, बल्कि वह गासिब तसव्वुर किया जावेगा. आपकी तजवीज शायद यही है कि ऐसे केसेज पेश आते हैं कि लोग बिला रजामन्दी जमींदार

काबिज हो जाते हैं और जमींदारान किसी वजह से सकूत इख्तियार करते हैं. और चूंकि मौजूदा कानून माल में इस बारे में कोई प्रॉविजन नहीं है, इसलिये इसके मुतअल्लिक प्रॉविजन कर दिया जावे. गालिबन आपको यह ख्याल U. P. Tenancy Act की दफा ३२ के या उसके करीब की दफा की बिना पर हुआ है. आपको शायद मालूम है कि कानून माल का मुसव्विदा आम व खास की राय के लिये छप चुका है और रायें आगई हैं. जिस वक्त इन रायों पर मजलिस कानून में गौर होगा उस वक्त आप की इस तजवीज पर भी लिहाज किया जावेगा.

गुरदयाल साहब.—बिलकुल ठीक है.

ठहराव—करार पाया कि इस तजवीज पर मजलिस कानून में मुसव्विदे कानून माल के साथ गौर किया जावे.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ३.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बन्दोबस्त से कागजात तैयार होकर पट्टेजात जिस साल तक्सीम हों उसी साल से अमल दरामद वसूली ऐनमाल आंक बमूजिब पट्टा होना चाहिये. यानी कब्ल पट्टेबन्दी हाल, और साबिक पट्टे की मियाद खत्म होने के बाद जो मियाद गुजर गई हो यानी भुगत चुकी हो और ऐनमाल साबिक पट्टे के मुवाफिक वसूल हो चुका हो या वसूल होना मुल्की बाकी हो, वसूल किया जावे, मस्लन:—

(१) जिन मवाजियात का आंक हाल के पट्टे में कमी हुआ हो उन मवाजियात को भुगते हुए सालों का आंक मुजरा देने की जरूरत नहीं.

(२) जिन मवाजियात में बाढा हुआ हो, भुगते हुए सालों का बाढा वसूल न किया जावे.

इस्तदुआ—सदर वजूहात इसी गरज से पेश हैं कि आम रिआया के ख्याल में बे इत्मिनानी फैलने के साथ तरक्की आबादी में भी जौफ आता है, इसकी रोक होकर तरक्की आबादी व काश्त, व रियासत की सरसब्जी होगी.

इस तजवीज को वामनराव साहब ने पेश किया.

चतुरभुजदास साहब.—मुझे इस तजवीज से इत्तफाक है.

रेवेन्यू मेम्बर साहब.—मुअज्जिज साहब की वाकफियत के लिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि गवर्नमेन्ट ने इस मामले में क्या ऐक्शन लिया है, यह जाहिर करदूं. दरबार मुअल्ला के हुजूर में यह बात आई कि खास वजूह से मियाद बन्दोबस्त साबिका गुजरने के पेश्तर जदीद बन्दोबस्त के पट्टे तकसीम नहीं हुए. चुनांचे सेटिलमेन्ट डिपार्टमेन्ट को एहकाम इजरा किये जाचुके हैं कि

साबिका बन्दोबस्त की मियाद खत्म होने से पेश्तर जदीद बन्दोबस्त के मुरात्तिबा पट्टेजात तकसीम हो ही जाया करें. अगर किसी खास सूरत में किसी खास वजह से जदीद बन्दोबस्त के पट्टे साबिक बन्दोबस्त की मियाद खत्म होने से पेश्तर तकसीम न हो सकें तो ता तकसीम जदीद पट्टेजात साबिका बन्दोबस्त की शरह से मालगुजारी वसूल की जावे और इसका ऐलान कर दिया जावे. चुनाचे इन एहकाम की पाबन्दी होगी और इसकी रेवेन्यू और फायनेन्स डिपार्टमेन्ट से निग्रानी रखी जावेगी. मुझे उम्मीद है कि सदर कार्रवाई से मुजव्विज साहब की तजवीज का मकसद हासिल हो जावेगा और इस मजलिस में ठहराव करने की जरूरत मालूम न होगी.

हुजूर मुअल्ला—(वामन राव साहब से मुखातिब होकर) जो कुछ रेवेन्यू मेंबर साहब ने बयान किया आपने सुन लिया ?

वामनराव साहब—थोडीसी शंका रही है, वह यह कि ऐलान तो ऐसा हुआ कि जिस वक्त पट्टा दिया जाय उस वक्त से अमल दरामद किया जाय; लेकिन सम्वत १९७८ व १९७९ का रुपया सम्वत १९८० व १९८१ के साल में तलब होता है.

रेवेन्यू मेम्बर साहब—आयन्दा के वास्ते तो दरबार ने हुक्म दे दिया है कि जब पट्टे तक्सीम हो जावें, उस वक्त अमल दरामद हो. जब हुक्म हो चुका है फिर इस पर गौर करना गैर जरूर है.

हुजूर मुअल्ला—(वामनराव से) खुलासा यह है कि आपकी जो तजवीज आई, उस पर से मिन-जानिब दरबार हुक्म जारी कर दिये गये हैं.

गुर दयाल साहब—जब हुक्म हो चुका तो अब तजवीज की जरूरत बाकी नहीं रहती, वापिस की जावे तो बेहतर होगा.

वामनराव साहब—मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

पोलिटिकल मेम्बर साहब—पाटनकर साहब ने अपने सवाल को वापिस ले लिया, अगलबन इस वजह से कि रेवेन्यू मेम्बर साहब की तकरीर के बाद बजाहत होने पर उन्होंने इस सवाल की जरूरत नहीं समझी; लेकिन मुजव्विज साहब ने इससे कब्ल रेवेन्यू मेम्बर साहब की तकरीर सुनकर कहा था कि मुझे थोडी शंका है. मुझे खडे होने की जरूरत इस वजह से हुई कि आपकी शंका रफे करदूं. इस मजलिस में जो सवाल पेश होते हैं वह बिलउमूम उसूल के मुतअल्लिक होते हैं, यह अमर आपसे नजर अन्दाज हो रहा है. जिस उसूल से आपका सवाल मुतअल्लिक था वह यह था कि बन्दोबस्त में जब तक पट्टे तक्सीम न हों, तब तक जो आंक कायम किया जावे वह वसूल न होना चाहिये. चुनांचे गवर्नमेन्ट की जानिब से यह जाहिर किया गया कि दरबार ने इसके मुतअल्लिक एहकाम जारी कर दिये हैं; लिहाजा वह सवाल बाकी नहीं रहता. अगर थोडी देर के लिये यह मान भी लिया जावे कि सम्वत १९७६ व १९७७ के मुताबिक कार्रवाई होती है तो वह ऐसा सवाल नहीं है कि जिस पर मजलिस आम गौर करे; क्योंकि उसूल मान लिया गया है और एहकाम जारी हो चुके हैं.

नोटः—मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज वापिस ली.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ४.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अदालत से डिक्री के मतालबे में जिसमें काश्तकारान मदयून होते हैं, हस्ब निशांदेही डिक्रीदार दरख्तान मौजे के कुर्क कर लिये जाते हैं. दरख्तान पर बहुत से हुकूक जमींदारान के होते हैं और बाद को उज्रदारी वगैरा करने में बहुत दिक्कत होती है और जरिये चिट्ठी जमींदारान से दरियाफ्त हाल निस्बत उन दरख्तान के होता है. इस में ज्यादा तवालत जमींदारान को भी न हो व अदालत को भी हक्क-रसी में सहूलियत हो जाया करे, इसलिये बिला दरियाफ्त जमींदारान के कोई दरख्तान कुर्क व नीलाम न किये जावें.

लॉ मेम्बर साहब—चौधरी साहब नहीं आये हैं इसलिये अगर कोई और साहब बतौर खुद इसको पेश करें, तो मुनासिब है. (थोडे इन्तिजार के बाद) कोई साहब ब जाहिर इस को पेश करने को तय्यार नहीं हैं.

ठहराव—तजवीज. ड्रॉप की जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ५.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

हर जिले के पांच पांच कस्बों में कि जहां स्कूल है, वहां इम्तहानन एक एक लायब्रेरी कायम की जाय कि जिनमें कानूनी किताबें और लोकल बोर्डस के कवायद व मेमोरेन्डम वगैरा ही रहें.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—श्रीमन्त सरकार, इस तजवीज की यह गर्ज है कि सरकार ने अपनी पुत्रवत प्रजा पर प्यार कर उसे राज्य के काम करने का अवसर दिया है. इतना ही नहीं, बल्कि प्रजा को राज्य के कामों में लगा भी दिया है और प्रजा भी दिये हुये अधिकारों का उपभोग करने लगी है; किंतु वह अभी अच्छे समुदाययुक्त इतनी तैयार नहीं हुई है जो वह आसानी के साथ हर एक काम के नियमों को समझकर बेधडक काम करने लग जावें. परगना बोर्ड क्या है, उसमें किस तरीक से काम होता है, उसे क्या अधिकार है. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या चीज है, उसमें शामिल होकर हमको क्या करना चाहिये, औकाफ कमेटियां क्या करती हैं, पंचायत बोर्ड, विलेज कमेटी से क्या मतलब है, एक्स्ट्रा मेम्बर क्यों चुने जाते हैं, मेम्बर का चुनाव किस तरीक से चुनना चाहिये, किसको चुनना चाहिये, म्युनिसिपेलिटी में क्या काम किस तरीक से होता है, मेम्बर बनकर अपने फरायज कैसे अदा करना चाहिये, इन बातों का कहां तक बयान करूं, एक एक से उत्तम विचार हैं. सरकार ने प्रजा को उत्तम से उत्तम देशी राज्यनैतिक बनाने के लिये सरल सुपाठ्य हिन्दी साहित्य में सच्चे भारतीय, सच्चे सेवक और सच्चे कर्मनिष्ठ बनने का अनूठा हिन्दी संसार में साहित्य रच दिये हैं, जमींदार हितकारी, तिब्बे हैवानात, एक से एक उपदेशप्रद मेमोरेन्डम जिनको मैं स्वर्गीय दैवीन्याय अपने हृदय में मान रहा हूं; क्योंकि शिकायत करने वाले, तार ठोकनेवाले, राई का पर्वत बनाने वाले कितने भी बनठन कर जब सरकार के चरणारविन्दों के पास आये कि उनके सब

विकार छूटकर शुद्ध सात्विक बन गये और प्रेम में, सरकार के भावों में इतने गर्क हो गये कि नैनों से अश्रुधारा चलने लगी; क्योंकि प्रत्यक्ष परमेश्वर के सन्मुख का प्रभाव और दैवीय न्याय का असर ऐसा ही होता है. ऐसे रहस्य पूर्ण मेमोरेन्डम और बारह पॉलिसी, यह सब सरल हिन्दी साहित्य है. ग्वालियार की प्रजा के लिये ग्रहप्रबन्ध, राज्यप्रबन्ध, जीवन संयम, कर्म वीरता, धर्म वीरता, उद्योग, विवेक कृषिशास्त्र, अर्थशास्त्र, सामयिक, भूत, भविष्य, कहां तक कहूं, कहते कहते मैं भले ही चूक जाऊं, लेकिन पॉलिसियों की विवेचना करते मैं पार नहीं पा सकता हूं. अस्तु, इसी उत्साह से मैंने यह तजवीज पेश की है कि यह सरकार का रचा हुआ हिन्दी साहित्य का रसास्वाद और ज्ञान बहुत थोडे पुरुषों को हो रहा है. इस साहित्य की लायब्रेरी अभी हर जिले के अच्छे पांच पांच कस्बों में दरबार से स्थापित करदी जावें, तो अच्छा काम हो. इनका मुकाम स्कूल में ही रहे. हेड मास्टर इस लायब्रेरी का सेक्रेटरी करार दिया जावे. इस लायब्रेरी के स्टेशनरी व रोशनी खर्च के लिये हेड-मास्टर को एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से पांच रुपया माहवार अलाउन्स दिया जावे. इतने में ही इसका काम चल निकलेगा. कस्बाती स्कूलों के लडके इस लायब्रेरी की पुस्तकें पढ पढ कर ज्ञान प्राप्त करेंगे और आगे वे लोकल ऑनरेरी ऐसी संस्थाओं के लिये बने बनाये मेम्बर तैयार मिलेंगे; क्योंकि पहिले से ही अपने फरायज बहुत कुछ समझे समझाये रहेंगे और हर एक काम सुचारु रूप से चलने लगेंगे. जब इन लायब्रेरियों के सेक्रेटरी की सालाना रिपोर्ट से विदित हो जाय कि सालभर में कितने लोगों ने कितनी पुस्तकें पढीं, यदि यह काम उन्नत पाया जावे तब फिर और मुकामों पर भी वैसी लायब्रेरी स्थापित कराई जासके. यह मजलिस विचार करे कि ऐसी लायब्रेरियों की कितनी जरूरत है.

रामेश्वर शास्त्री साहब—मैं इस सवाल की ताईद करता हूं और श्रीमन्त सरकार की सेवा में प्रार्थना करता हूं कि विद्या की उन्नति के दो तरीके हैं, एक तो गुरू और दूसरा पुस्तक. यही दोनों रिआया की उन्नति के साधन हैं. लायब्रेरियों को शिक्षा-विभाग यानी Education डिपार्टमेन्ट को अपने हाथ में लेना चाहिये.

रेव्हेन्यू मेम्बर साहब.—मुजव्विज साहब की तजवीज का मकसद यह मालूम होता है कि, अजलाय में लोगों को कानूनी कुतुब, एहकाम व मेमोरेन्डम दरबार वगैरा पढने और उनसे वाकफियत हासिल करने की सहूलियत दीजावे, और इस मकसद तजवीज से गवर्नमेन्ट को इत्तफाक है. अब सवाल यह बाकी रहता है कि, यह मकसद हासिल करने का हर ख्याल से उम्दा तरीका क्या हो सकता है? मुजव्विज साहब ने स्कूल के मुकामात पर इम्तहानन लायब्रेरी कायम करने का जो तरीका तजवीज किया है वह अव्वल तो सर्फे का है और दोयम व मुकाबले सर्फे के अवाम को काफी फायदा नहीं पहुंच सकता. देहातों में उमूमन लिखे, पढे और कानूनी किताबें पढने के शौकीन लोग कम होते हैं और दीगर मवाजियात के लोग महज इस गरज से अपने २ गांवों से लायब्रेरी के मुकाम पर जावेंगे, इसका कोई इत्मीनान नहीं. बरअक्स इसके तहसील और सूबात हेडक्वार्टर्स के मुकाम ऐसे हैं कि जहां मर्दुमशुमारी ज्यादा होकर लिखे पढे लोग भी ज्यादा होते हैं और दीगर मवाजियात के लोगों की आमद रफ्त भी काफी रहती है. तहसील और सूबात की लायब्रेरियों में वह कुल कुतुब व एहकाम दरबार मौजूद रहते हैं जिनका इस तजवीज में जिक्र किया गया है. चुनाचे मेरे ख्याल में शायद यह तरीका बेहतर होगा कि अगर कोई शख्स तहसील या सूबात की लायब्रेरी में कानून या कुतुब मेमोरेन्डम वगैरा पढना चाहे तो उसे इजाजत दी जावे. इससे, बगैर किसी सर्फे के या इन्तजाम के मकसद तजवीज हासिल हो सकता है. अगर इससे मजलिस को इत्तफाक हो तो तहसील व सूबातों को इस बारे में हुक्म जारी कर दिये जावेंगे. और इस सहूलियत का लोगों को इल्म होने के लिये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जावेगा.

बन्सीधर साहब.—तहसील और सूबात में अगर अहेकाम जारी हुए तो बहुत कम लोगों को यह किताबें देखने को मिलेंगी, जैसा कि मुजव्विज साहब ने कहा है. छोटे छोटे कस्बे के लोगों को इस बात का शौक दिलाना है और आयन्दा नस्ल के लिये यह बातें बतलाना है इस में खर्च की जरूरत नहीं पडेगी. अगर जहां जहां मदरसे हैं वहां लायब्रेरीज कायम की जावें तो सिवाय रोशनी के कुछ खर्च न पडेगा. बच्चे वगैरा जो आवेंगे वह शौक से पढेंगे. मस्लन जनरल पॉलिसी दरबार, जिसमें थूकने तक की ऐहतियात बतलाई गई है, उससे वाकिफ हो जावेंगे, और किसी जमाने में अच्छे कहलावेंगे, तहसील व सूबात से अगर किताबें ली जावेंगी तो वह रजिस्टर में दस्तखत करावेंगे, बडी गडबड होगी.

रामराव गोपाल साहब देशपांडे.—मेरी इसमें गुजारिश यह है कि यह बात रिआया के बिलकुल फायदे की और होशियारी की और चालाकी की है. दुनियां में कैसे चलना चाहिये इस को प्रत्यक्ष दिखाने वाली बातें सरकार ने अपनी पॉलिसी में नमूद की हैं. इसका लाभ हर शख्स को लेना लाजिमी है. जहां जहां तहसील हैं वहां वहां तहसील में और जो बडे बडे मौजे हैं उनमें लायब्रेरी होना जरूरी है. हमारे अन्नदाता की इच्छा है कि हमारी रिआया होशियार हो.

चतुरभुजदास साहब.—रेव्हेन्यू मेम्बर साहब ने जो फरमाया, गोया आपका ख्याल है कि यह तजवीज कब्ल अज वक्त है. लेकिन मेरा यह ख्याल है कि ऐसे Organisations बराबर किये जावें, जब तक कि तमाम रिआया तमाम Public इम्प्रूवमेन्ट को Appreciate करने के काबिल न होजावे, जब तक कि तमाम रिआया मदद न करे, इम्प्रूवमेन्ट करना किसी तरीक से मुमकिन नहीं; मस्लन Library जिसका होना बहुत लाजिमी है. अब सवाल टके का है. मगर कब्ल इस के कि टके दूसरे सीगे से ज्यादती के साथ सर्फ किये जावें सब से अव्वल इस किस्म के Organisations का होना जरूरी है. जब कि इन्सान के नजदीक कोई चीज impossible नहीं है, फिर गवर्नमेन्ट के नजदीक किस तरह गैर मुम्किन है. अगर दर असल गवर्नमेन्ट चाहे तो जहां तक मेरा ख्याल है, हरगिज गैर मुम्किन नहीं हो सकती. Where there is a will there is a way. मेरी एक Amendment है वह यह कि कानूनी कुतुब और मेमोरेन्डम तक ही महदूद न करते हुए हर किस्म के Literature, बजुज उनके जिनका मुजिर असर पडता है मस्लन Agitation वगैरा के या जो proscribed papers हैं, लायब्रेरी में होना चाहिये.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—इस सवाल पर जो अब तक बहस हुई है उसके सुनने से ख्याल होता है कि किसी कदर ख्यालात में confusion होगया है. सवाल जहां तक उसके अल्फाज उसके मानी को अदा करते हैं यह है कि कानूनी कुतुब और कवायद लायब्रेरी में रिआया की मालूमात को बढाने की गरज से रक्खे जावें. जो कानून दरबार से शाया किया जाता है वह रिआया की वाकफियत के लिये तहसील वगैरा में रक्खा जाता है. बहस के सिलसिले में अलबत्ता इस सवाल ने कुछ वुसअत पाई है; चुनांचे जिस महदूद मानी में यह सवाल पेश हुआ था उसका जवाब तो रेवेन्यू मेम्बर साहब अदा कर चुके हैं. हर जिले में कम से कम चार तहसीलें रहती हैं और एक आध टप्पा भी रहता है जहां हर किस्मी कवानीन और हर एक सीगे के इन्तजाम के मुतअल्लिक Codes और Rules मुअस्सर आते हैं. इस लिहाज से इस अस्ल तजवीज का कि हर जिले के पांच कस्बों में लाइब्रेरी खोली जावे, मकसद हासिल हो जाता है; लेकिन उस तजवीज को वुसअत देकर यह ख्याल भी जाहिर किया गया है कि, इस किस्म की लायब्रेरी जहां मदरसे हों वहां रखी जाय जिससे बच्चों को ज्ञान की वृद्धि हो. मैं तो यहां तक गवर्नमेन्ट की जानिब से कहने को

तैयार हूं कि मदरसों में ही नहीं; बल्कि हर घर में लायब्रेरी रहे. वह बडी खुशी का दिन होगा जब ऐसा होगा. मेरी तमाम साहबान से और रिआया से दरख्वास्त है कि इस किस्म की कोशिश करें कि हर घर में लायब्रेरी कायम हो जावे. जहां तक शील शिक्षा वगैरा का तअल्लुक है उसकी निस्बत इतना कहना काफी होगा कि प्रायमरी तालीम के लिये शील शिक्षा वगैरा का प्रबन्ध है और जो text book committee कायम है उसका यही मक्सद है कि बच्चों की तालीम के लिये कौन कौनसी किताबें जरूरी हैं वह तजवीज करें, जो मदरसे के कोर्स में रखी जाती हैं. अलावा कोर्स के कुछ न कुछ किताबें हर मदरसे में ऐसी रखी जाती हैं कि जिनको मदरसे के लडके देखते हैं और रिआया भी उनसे फायदा उठा सकती है; लेकिन हर मदरसे में उसकी तरफ कितनी तवज्जुह दी जाती है यह आप साहबान पर जाहिर है. मुराद मेरे कहने की सिर्फ यह है कि लायब्रेरी का तालीम पर इन्हिसार है. जिस हद तक तालीम बढती जायेगी, लायब्रेरियों की तादाद आपही बढेगी. बजाय इसके कि हर जिले में, फिर परगने में और फिर घर में लायब्रेरी कायम हो. Natural evolution यह है कि पहिले घर से शुरूआत हो, फिर कस्बे में बडी लायब्रेरी हो, फिर परगने में उससे बडी और जिले में उससे भी बडी, आखिर को दारुल सल्तनत में सबसे बडी लायब्रेरी कायम की जायें, यह बहुत अच्छी बात और खुशी का मुकाम होगा.

चतुर्भुजदास साहब.—जनाब एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने जो फरमाया उससे भी जाहिर होता है कि यह सवाल कब्ल अज वक्त है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं अगर रिआया uneducated है तो उसे interest किस तरह पैदा हो. जिन स्कूलों में लायब्रेरी होगी और लडके मास्टरों को वहां बैठकर पढते हुए देखेंगे तो उनमें भी interest पैदा होगा. इस वजह से यह ख्याल करना कि पहिले education फैलाया जावे और फिर लायब्रेरी कायम की जावें, ठीक नहीं मालूम होता. लायब्रेरियां लोगों को educate करने में बहुत इम्दाद देंगी.

एज्यूकेशन मेंबर साहब.—मेम्बरान मजलिस की वाकफियत के लिये मैं इस कदर कहना जरूरी समझता हूं कि अक्सर मदरसों में छोटी बडी लायब्रेरी मौजूद हैं, सिर्फ Primary Schools में लायब्रेरी नहीं हैं.

शंकरलाल साहब—इस तजवीज की ताईद करते हुए मेरी अर्ज यह है कि अगर एक जिले में ४ तहसीलें हैं तो उनमें आजादी होना चाहिये आम लोगों को कि जो कानून देखना चाहें वह आजादी से देख सकें. यह अगर आसानी करदी जाये तो एक तो यह फायदा होगा कि जितने काम करने वाले लोग हैं उनको किताबें देखने की आसानी होगी और साथ ही इसके कवानीन, कवायद, मेमोरन्डम्स वगैरा जो दरबार से जारी होते हैं उनके मुवाफिक अमल करने में दिक्कतें वाके न होंगी. इनका देखना निहायत जरूरी है और जो किताबें हैं वह भी उसी लायब्रेरी में होना चाहिये और यह महज तहसील ही में नहीं बल्कि उन २ जगहों में होना चाहिये जहां मास्टर लोग रहते हैं. उनके पास रहने में किसी को दिक्कत न होगी और इसमें कोई सर्फा न पडेगा, अलबत्ता किताबें मुहय्या करने का सर्फा पडेगा. इसमें जितना फायदा है उतना सर्फा गिरां नहीं है हर एक मदरसे देहाती में एक लायब्रेरी साधारण तरीके की होना बहुत जरूरी है.

मुरलीधर साहब गुप्ता—मेरा यह ख्याल होता है कि बच्चों को इतनी लियाकत नहीं है कि वह कानूनी किताबों को समझ सकें. बाज साहिबान का यह कहना है कि मास्टरों को लडकों की काबिलियत का ठीक अन्दाजा हो सकता है इसलिये इस किस्म की लायब्रेरीज को जिसको वह recommend करते हैं मुहय्या करना चाहिये. यहां के Elementary education को ख्याल करते हुए

इसको मद्दे नजर रखना जरूरी है कि Law literature व मेमोरेन्डम वगैरा का मजमून ऐसा आसान नहीं है कि हर शख्स समझ सके. इसमें शक नहीं कि यह ख्याल बहुत मुफीद है मगर मेरे ख्याल से जहां महज स्कूल हों वहां यह ख्याल करना कि हर एक शख्स ऐसी किताबें पढकर उसका फायदा उठा सकेगा ठीक नहीं है. Education पा लेने के बाद जो शख्स हमारे कवानीन को देखना चाहें वह अपने लिये खरीद कर ऐसी किताबें मुहय्या कर सकते हैं. इसकी जरूरत जनरल नहीं है. पस मेरे नजदीक यह सवाल गैर जरूरी है.

कृपाशंकर साहब—मैं असली तजवीज की ताईद करता हूं.

महन्त लक्ष्मन दास साहब—देहाती और कस्बाती दो किस्म के स्कूल हैं. देहाती स्कूलों में प्राय: लडके शायद दूसरी या तीसरी किताब पढने वाले होते हैं, कस्बाती स्कूल ऐसे हैं जहां पर ऐसे लडके हैं जो जी लगा कर अपर प्राइमरी व मिडल तक पढते हैं और फिर मेमोरेन्डम, पॉलिसी वगैरा की इबारत कुछ इतनी कठिन नहीं है, वह तो बिलकुल मौलिक है न उसमें अंग्रेजी ठुसी है न फारसी भरी है, सब को उनसे प्रेम है. इस अमृत को तो मुंह फाड कर पढे हुए लडकों को पिलाया जावे, देहाती स्कूलों में तो नहीं, मगर कस्बाती स्कूलों में सौ में दस तो भी समझदार जरूर निकलेंगे, मसलन उज्जैन के परगने बडनगर खाचरोद हैं और नागदा कस्बा है, क्या वहां पर इसको नहीं पढ सकते. मसलन जिला अमझरा जिसमें मनावर परगना है और राजगढ सब से अच्छा कस्बा है वहां की प्रजा इसको समझ सकती है इसलिये देहात की जगह को छोड कर ऊंची श्रेणी के कस्बाती स्कूलों के लिये इम्तहानन ऐसा मौका दिया जावे. ५) रुपया खर्च के बहुत नहीं हैं. अगर जिले के पांच मुकामों पर ऐसी लायब्रेरी कायम की जावे तो २५) रुपया माहवार हर जिले में सर्फा होगा जो बहुत नहीं है. मैं तो समझता हूं कि इसकी बडी आवश्यकता है.

लक्ष्मी नारायण साहब—हुजूर अनवर, मैं तजवीज को थोडी सी तरमीम के साथ अर्ज करना चाहता हूं. विलेज स्कूलों में सिर्फ लायब्रेरी होना चाहिये और उसमें शील व तन्दुरुस्ती की छोटी २ कहानियों की तौर पर व राजभक्ति के व उसके प्रेम के छोटे २ किस्से हों, इससे शुरू यानी बालपन से ही बच्चों का शील, तन्दुरुस्ती वगैरा संभल जावे.

शम्भूनाथ साहब वर्मा—हुजूर अनवर, इस तजवीज के खिलाफ मुझे यह अर्ज करना है कि मौजूदा हालत में कुछ तरमीम की जरूरत है. तरमीम पर इस वक्त गौर नहीं किया जा सकता और तजवीज में सिर्फ यह चाहा जाता है कि जहां स्कूल है वहां एक लायब्रेरी कायम की जाय. मैं ख्याल करता हूं और मेरी नाकिस राय यह है कि दरबार के मेमोरन्डम और लोकल बोर्ड के कवायद मेम्बरान परगना व जिला बोर्ड के पास भेजे जाते हैं व तहसील में रहते हैं जिस से रिआया को ब आसानी देखने का मौका है. जो जमींदार तालीम याफ्ता हैं उन्होंने अपने जमींदारी दफ्तर में दरबार के मेमोरेन्डम व जरूरी कानून की किताबें रखी हैं. दरबार के स्कूल में जो लायब्रेरी है उसमें यह कवानीन नहीं हैं. इस वक्त सरेदस्त स्कूल में इन किताबों की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है. मैं जहां तक ख्याल करता हूं, रेवेन्यू मेम्बर साहब ने जैसा फरमाया है उनकी राय के मुताबिक अमल किया जाना मुनासिब है.

एजूकेशन मेम्बर साहब—इसके मुतअल्लिक थोडीसी गलत फेहमी मालूम हुई है. हर एक स्कूल में कम अज कम वी. एम. और ए. वी एम. स्कूल में एजूकेशन लायब्रेरी है; इतना नहीं बल्कि एक बुक डिपो भी है. सिर्फ प्रायमरी स्कूल में उपदेश की किताबें व दीगर अकसाम की किताबें हैं, जहां लायब्रेरी नहीं है, बाकी कोई ए. वी. एम. स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें लायब्रेरी या बुक डिपो न हो.

चतुरभुज दास साहब—मेरी अर्ज यह नहीं है कि ताजीरात हिन्द या मेमोरन्डम वगैरा ही रख दिये जावें, सिर्फ सवाल जो है वह यह है कि लायब्रेरी ऐसी कायम की जावे जिससे देहात के लड़कों में interest पैदा हो.

मुरलीधर साहब गुप्ता—हुजूर मुअल्ला, जब तक mover अपनी तजवीज के अल्फाज को न बदलें हम उन अल्फाज से कोई दूसरे मानी नहीं निकाल सकते जो उन अलफाज से पैदा न हों.

लॉ मेम्बर साहब—इस सवाल के मुतअल्लिक हुजूर वाला की इजाजत से मेम्बर साहिबान की वाकफियत के लिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कायदा यह है कि जब कोई तजवीज पेश की जावे तो सिवाय मुजव्विज के दीगर मेम्बर साहबान उस तजवीज के मुतअल्लिक सिर्फ एक मर्तबा करीर कर सकते हैं. मुजव्विज को अलबत्ता यह हक हासिल है कि वह तकरीरें सुनकर एक मर्तबा जवाब दें. दीगर मेम्बर साहबान अगर दुबारा तकरीर करना चाहें तो उनको प्रेसीडेन्ट साहब से जाजत हासिल करना चाहिये. बगैर प्रेसिडेन्ट साहब की इजाजत के कोई साहब जो मुजव्विज न हों दुबारा तकरीर नहीं कर सकते. उम्मीद है कि इसका ख्याल रखा जावेगा.

तजवीज जेर बहस के मुतअल्लिक मैं यह जताना चाहता हूं कि दरबार इस बात को Realise करते हैं कि दरबार से जो कवायद और कानून की किताबें व दीगर मुख्तलिफ पब्लीकेशन्स मसलन ''जरूरी हिदायतें'' ''नेक मशवरे'' वगैरा ग्वालियर गजट के साथ जारी हों उनका इल्म रिआया को होने के लिये ऐसा जरिया इख्तियार किया जावे जिससे उनकी वाकफियत सब को हो जावे. ऐसी वाकफियत बहम पहुंचाने के लिये आप लायब्रेरियों के वसीअ पैमाना करने की तजवीज करते हैं. यानी आप चाहते हैं कि इस काम को बडे पैमाने में शुरू कर दिया जाय. अव्वल आप मौजूदा तरीका देखिये कि क्या है. रियासत में करीब १५० पंचायत बोर्डस कायम किये गये हैं, हर कानून और जदीद कवानीन के मुसव्विदे गजट में शाया किये जाते हैं और यह गजट हर पंचायत बोर्ड में भेजा जाता है और उसके जर्ये से रिआया को कवानीन के पढने का मौका हासिल है मेमोरन्डम बाज तो खास डिपार्टमेन्ट के इन्तजाम के मुतअल्लिक होते हैं, बाज आम रिआया से तअल्लुक रखते हैं. जो रिआया से तअल्लुक रखते हैं, वह शाया किये जाते हैं और उनकी निस्बत दरबार का इरशाद है कि ऐसे मेमोरेन्डम की एक एक किताब हर जमींदार को दी जावे, चुनांचे किताबें शाया होकर हर एक जमींदार को दी गई हैं आपने रेवेन्यू मेम्बर साहब की तकरीर को सुनकर उसके उसूलों को समझ लिया होगा. मजीद वजाहत के लिये मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जो तजवीज पेश हुई है उस से दर असल रेवेन्यु मेम्बर साहब ने इत्तफाक जाहिर किया है—सिर्फ तरीका दूसरा बताया है—यानी यह बयान किया है कि सरेदस्त तहसील-व जिले के हेडक्वार्टर्स में सहूलियत दी जावे, रफ्ता २ जैसी दिलचस्पी जाहिर होगी तरक्की दा जावेगी इससे आपकी गरज भी हासिल हो जावेगी. मेरे ख्याल में रेवेन्यू मेम्बर साहब ने जो फरमाया है वह सरेदस्त काफी है. शायद मुजव्विज साहब को भी इससे इख्तिलाफ न होगा

गुरदयाल साहब—हुजूर आली, तहसील और सूबात में लायब्रेरी कायम हैं जिनको ऐसी ख्वाहिश हो उनको देखने का हक हासिल है.

हुजूर मुअल्ला—उसूलन यह तजवीज बहुत माकूल है, लेकिन practical result इसका क्या होगा, इसकी तरफ भी हमको गौर करना चाहिये. जो कुछ मेरा तजरुबा इस किस्म के मामलात में हुआ है वह यह है कि एक नाम से एक चीज कायम तो हो जाती है, लेकिन जितना पब्लिक को उससे फायदा उठाना चाहिये उतना उससे नहीं उठाया जाता—मस्लन एलजिन क्लब की अगर

लिस्ट देखी जावे तो १५० मेम्बर्स पाये जावेंगे, लेकिन वह बहुत कम फायदा उठाते हैं—सिर्फ १०, १२ आदमियों का सेट है जो फायदा उठाता है. बाज तजवीजें उसूलन अच्छी मालूम होती हैं लेकिन उनसे जितना असली फायदा समझा जाता है उतना नहीं होता. अव्वल तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन से लायब्रेरी होना चाहिये और क्यों न हो! आपको मालूम है कि जब दरबार के नोटिस में कोई मुफीद बात लाई जाती है तो दरबार मौका महल देखकर मदद करते ही हैं, इसलिये मैं तो यही सिफारिश करूंगा कि यह लायब्रेरियें पब्लिक सब्सक्रिप्शन से कायम होना चाहियें, और कुछ अर्से के बाद दरबार से बाकायदा इम्दाद की दरख्वास्त की जावे, फिर दरबार भी मदद करेंगे. लेकिन मौजूदा हालत में यह एक टेस्ट है. जैसा कि रेवेन्यू मेम्बर साहब ने तजवीज किया है, यह हुक्म जारी करना चाहिये. फिर देखना चाहिये कि इससे फायदा कितने लोग उठाते हैं और उसके बाद फिर उसका इजहार दरबार पर करना चाहिये. कई बरस हुए ट्रैवलिंग लायब्रेरी का सवाल उठा था और वह सवाल भी काबिले गौर है. अफसोस इस बात का है कि वह किस वजह से गायब गुल्ला हो गया, इसका सबब मैंने अभी हाल में दर्याफ्त किया है. अब आप देखिये कि अर्सा हुआ कि एक मिलिट्री लायब्रेरी बगैर किसी मांग के कायम की गई है, मगर लोग उससे भी फायदा नहीं उठाते हैं. ऐसी तजवीजें देखने को तो बहुत अच्छी मालूम होती हैं लेकिन practical result की तरफ नहीं देखा जाता. लायब्रेरी से फायदा उठाने का तो जिक्र ही क्या, उसकी सफाई की तरफ तक कोई ख्याल नहीं करता. यहां तक कि किताबों में दीमक लग जाती है. रेवेन्यू मेम्बर साहब की तजवीज को begining समझना चाहिये और उसका अगर नतीजा अच्छा हो तो फिर इस सवाल को उठाना चाहिये.

ठहराव.—करार पाया कि हस्ब तजवीज रेवेन्यू मेम्बर साहब तहसीलदारान और सूबे साहबान के नाम अहकाम जारी किये जावें कि अगर कोई शख्स तहसील या सूबात की लायब्रेरी में जाकर कोई किताब पढना चाहे तो उसे इजाजत दी जावे.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ६.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जिन मवाजियात की आबादी दस फी सदी हो जावे उनको जंगल सरकारी में बैलों की चरी माफ की जावे, वर्ना सरकारी नुक्सान व रिआया का बाबिस्ता है. जो चार आना बैल जंगल की चरी का महसूल वसूल किया जाता है वह न किया जावे, और रवन्ना की कैद उनके वास्ते न रखी जावे, क्योंकि बैलों की गिरानी दिन ब दिन बढती जाती है और इस मुल्क में बगैर बैल की इम्दाद के मशीनरी भी कार आमद नहीं हो सकती.

लॉ मेम्बर साहब—इस तजवीज के मुजव्विज, जामिनअली साहब नहीं आये हैं. क्या कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहते हैं?

नोट.—किसी साहब ने यह तजवीज पेश नहीं की.

ठहराव.—यह तजवीज ड्रॉप की जावे.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ७.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कानून फॉरेस्ट में हस्ब जैल तरमीम फरमाई जावे:—

हकदार मवाजियात के जमींदार काश्तकारों को वास्ते आलात काश्त व तामीर मकान (१/१० हिस्सा जंगल का कूप काट कर दिया जाये) कम कर दिया जावे यानी ब्रेकिट के अन्दर की इबारत कम करदी जावे और हस्ब जैल बढाई जावे:—

"फी हल आठ आने लिये जावें और हस्ब जरूरत हर वक्त लकडी काटने की इजाजत रहे, पास की या कूप की कैद न हो, किसी हालत में फरोख्त करने की इजाजत न रहेगी."

वामनराव साहब पाटनकर ने इस तजवीज को पेश किया—

हुजूर मुअल्ला.—इसकी ताईद कौन करता है ?

लॉ मेम्बर साहब.—(कुछ इन्तजार करने के बाद) कोई साहब इस सवाल की ताईद करने वाले मालूम नहीं होते हैं.

धुन्डीराज कृष्ण अप्टे वाले साहब.—मैं इस सवाल की ताईद करता हूं.

रेवेन्यू मेम्बर साहब—जो तजवीज पेश की गई है उसकी गरज यह है कि न सिर्फ पास की कैद हटाई जावे, बल्कि सालाना कूप की कैद भी न रखी जावे.

जरूरत इस अम्र की है कि अव्वल यह देखा जावे कि मौजूदा हालत क्या है व उन उसूलों पर कि जिन पर जंगल की रखोब का इन्तजाम है, गौर करके देखा जावे कि पास व कूप की कैद रखने की असली गरज क्या है और उनकी वाकई जरूरत है या नहीं, और क्या उन कैदों को हटा देना रखोब जंगल की तरक्की और रिआया की आसायश के लिये बेहतर होगा.

हालत मौजूदा यह है कि कानून जंगलात व अहकाम दरबार के मुआफिक हकदारी मवाजियात के जमींदार व काश्तकारों को वास्ते निस्तार या बनाने आलात काश्त व तामीर मकान दरबार ने जो (कानून जंगलात में) रिआयत बख्शी है वह हस्ब जैल है:—

१. दफा २८, कानून जंगलात के मुताबिक जमींदारान व काश्तकारान इस वक्त अपनी जरूरत के लायक लकडी अपने गांव के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से बिला किसी रोक टोक और बिला अदायगी किसी महसूल के काट सकते हैं और वह काटते हैं.

२. सरकारी रिझर्व जंगल में से भी जो सालाना कटाई का रकबा कूपों का होता है, उसका १/१० वां हिस्सा ब तामील हुक्म दरबार जो फॉरेस्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सन १९२० ई० में सादिर फरमाया गया, हर रेंज में अलहदा मार्क किया जाकर तहसीलदार साहब परगना के सुपुर्द हर साल माह अगस्त में कर दिया जाता है, और इन रकबेजात से तहसीलदार साहबान या मुकामी पंचायत बोर्ड से हकदारी मवाजियात के जमींदारान व काश्तकारान को हस्ब जरूरत लकडी के फ्री पासेज देकर उनकी जरूरियात को पूरा करते हैं.

उसूल रखोब व हिफाजत जंगल का यह है कि जंगल की कटाई बतदरीज इस तरह हो कि रकबा कटाई का बराबर कायम रहे.

इस लिहाज से कि कटाई के बाद कितने साल के अन्दर कटे हुवे रकबे में फिर अज सरे नौ काटने लायक लकडी का जंगल पैदा हो जावेगा, जो हिस्सा जंगल का एक साल की कटाई के लिये मुकर्रर किया जाता है वह कूप कहलाता है.

मसलन किसी जंगल के रखोब का रकबा २५०० एकड है और तजरुबा यह बतलाता है कि जो हिस्सा इस साल काट दिया जावे वह २५ साल के अन्दर फिर काटने के लायक जंगल हो जावेगा तो २५०० एकड के रकबे को २५ हिस्सों में तकसीम करके १०० एकड का रकबा सालाना काटा जावेगा ताकि २५ साल तक १०० एकड रकबा बराबर काटने पर १०० एकड सालाना कटाई का सिलसिला बराबर कायम रहे और जंगल की पैदावार तरक्की करती रहे व लकडी की कमी न पडे.

अब जिस रकबे को कटे हुवे पाच या सात साल हुवे हैं उसमें अगर कटाई की आजादी रखी जावे तो इस रकबे में कटाई की वजह से पैदायश नहीं हो सकती, इसलिये कटाई के बाद दस साल तक इस रकबे कूप में चराई बिल्कुल बंद रखी जाती है, और लकडी कटाई की उस वक्त तक इजाजत नहीं दी जाती जब तक वह रकबा पूरी ग्रोथ को न पहुंच जावे.

इस से जाहिर होगा कि, कूप की कैद को हटा देना गोया जंगल की पैदायश की तरक्की को रोक करना है. जंगल का रखोब व कटाई इन्हीं उसूलों पर की जाना तजरुबे से मुफीद साबित हुआ है.

जो रकबा सालाना कूप का होता है उसके बाहर कटाई की इजाजत ऊपर के वजूहात से नहीं दी जा सकती.

कूप का एक मुकर्ररा हिस्सा हकदारी मवाजियात की जरूरियात के लिये जिसमें मुआफी पास तहसील या पंचायत बोर्ड जारी करती है, अलहदा रिझर्व किया जाता है. बाकी रकबा कवायद कटाई के मुआफिक हर साल फरोख्त किया जाता है जिस से हकदारी मवाजियात के अलावा मुल्क की दीगर रिआया की जरूरियात पूरी हो सकें. पास की कैद इसलिये है कि अलावा उन अश-खास के कि जिनको हुकूक मुकर्ररा के मुआफिक लकडी काटने की इजाजत मुकर्ररा रकबे से दी गई है, कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे रकबे से लकडी काट कर जंगल बरबाद न करे.

पस इन तमाम वजूहात से जाहिर होगा कि कूप व पास की कैद को हटा देना न जंगल की तरक्की के लिये अच्छा है और न उससे रिआया को कोई आसानी व फायदा हो सकता है क्यों कि अगर रखोब के उसूलों पर जंगल का इंतजाम नहीं रखा जावे तो थोडे ही जमाने में रिआया को अपनी जरूरत के लिये लकडी का बहम पहुंचाना जंगल के बरबाद होजाने से गैर मुमकिन होगा. इसलिये आयंदा की जरूरतों का लिहाज रखते हुवे मौजूदा रोक रिआया की ही आसायश के लिये है यह कहना वाजिब होता है.

ऐसी हालत में जो तजवीज पेश की गई है उस पर अमल करना मुफीद व मसलहत नहीं है.

वामनराव साहब—१२ हजार एकड का है जो ½ से कहीं जियादातर है, इसमें करीब २ २०० एकड दरकार हैं, इतना कूप मिलता नहीं, इसलिये यह अर्ज था.

रेवेन्यू मेम्बर साहब—यह अमल एक जगह पर है या आम तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट में?

वामनराव साहब—मुझे जिला ईसागढ का तजरुबा है.

रेवेन्यू मेम्बर साहब—अगर यह हालत है तो A. O. Forest को आप दरख्वास्त पेश कर सकते हैं, मजलिस में सवाल रखने के लिये कोई वजह काफी मालूम नहीं होती.

हुजूर मुअल्ला—इसके मुतअल्लिक दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो यह कि खुद पाटनकर साहब पहिले इसके मुतअल्लिक कुल रियासत का हाल दरयाफ्त करके अपनी तजवीज पेश करें, और अगर उनका कहना खास उस जंगल की निस्बत है जिससे उनका तअल्लुक है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब फॉरेस्ट से मिलकर जो कुछ उनको तकलीफ हो उसको उनसे तय करलें; क्योंकि यह individual question है, general question नहीं हो सकता.

ठहराव—तजवीज ड्रॉप की जावे.

लॉ मेम्बर साहब—सवालात नम्बर ८, ९, १० व ११ फाइनेन्स मेम्बर साहब के मुतअल्लिक हैं, अगर यह सवालात परसों के इजलास के लिये रखे जावें तो मुस्तकिल फाइनेन्स मेम्बर साहब आ जावेंगे.

हुजूर मुअल्ला—सवालात नम्बर ८, ९, १० व ११ परसों की मजलिस के लिये रखे जावें.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १२.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अक्सर देखने में आया है कि पुलिस स्टेशनों पर रिपोर्ट वक्त पर व फरयादी के कहने के मुताबिक दर्ज नहीं की जाती; इतना ही नहीं, बल्कि कई गरीब देहाती आदमियों की रिपोर्ट किसी खास वजह से दर्ज ही नहीं होती, वे बिचारे दो चार रोज तक परेशान होकर चले जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अव्वल तो वकूआ जाहिर नहीं होता जिससे गुनहगार को तदारुक मिले, दोयम सिर्के वगैरा के मुआम्ले में अगर पता भी माल का लग गया तो मालिकान अपनी हक्करसी से महरूम रह जाते हैं.

लिहाजा एक सब-कमेटी कायम फरमाई जावे, जो इस शिकायत का इन्सदाद होने बाबत तजवीज ठहरा कर मजलिस में पेश करे.

मूंगालाल साहब—इस शिकायत की बाबत हुजूर मुअल्ला ने दरबार पॉलिसी मिलिटरी डिपार्टमेन्ट में भी इर्शाद फरमाया है, और मेरे देखने में भी कई दफा ऐसे मौके आ चुके हैं कि रिपोर्ट फरयादी के कहने के मुताबिक इस वजह से दर्ज नहीं की जाती है कि बार सुरागरसी पुलिस पर आयद होता है. इस तजवीज को दो साल गुजरे, मैंने मजलिस में पेश किया था, लेकिन उस वक्त इस सवाल पर गौर नहीं हुआ और वह शिकायत रफा नहीं हुई, अब मजबूरन फिर इस सवाल को मजलिस में पेश करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—ताईद कौन करता है?

चतुरभुजदास साहब—मैं ताईद करता हूं.

आर्मी मेम्बर साहब—कब्ल इसके कि मुजव्विज साहब ने जो तजवीज इस वक्त पेश की है उस पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी कायम की जावे, और पेश्तर इसके कि सब-कमेटी का

चुनाव हो, गवर्नमेन्ट व नीज महकमे मुतअल्लिका की जानिब से इस शिकायत की इन्सदाद के लिये क्या २ अहकाम जारी हुए, वह मैं मुजव्विज साहब को बतलाना चाहता हूं, उसके बाद अगर सब-कमेटी की जरूरत समझी जावे तो उस हालत में सब-कमेटी का चुनाव किया जाना बेहतर होगा. इसमें शक नहीं कि जो तजवीज मुजव्विज साहब ने पेश की है या कम से कम वह evil जो मुजव्विज साहब ने बताया है यकीनन किसी हद तक दुरुस्त है और मैं यह कहने की जुरअत इसी वजह से करता हूं कि साल गुजिश्ता में मैं जिस वक्त दौरे पर गया था, उस वक्त मैंने खुद इस बात की जांच की तो मालूम हुआ कि दरअसल रिपोर्ट बरवक्त लिखने में पुलिस की जानिब से कार्रवाई बमूजिब मन्शाय पुलिस मैनुअल और अहकामात इजरा शुदा इजरा नहीं होती. चुनांचे उनकी रोक के लिये पुलिस डिपार्टमेन्ट से अहकाम जारी किये गये और हुजूर मुअल्ला ने भी मेमोरेन्डम नंबर ३० में इर्शाद फरमाया है. मेरे ख्याल से अगर मुजव्विज साहब इन अहकाम को देखेंगे तो उन्हें जरूर महसूस होगा कि वाकई इस सवाल पर मजीद गौर करने की जरूरत नहीं है और वह इस वजह से कि इसी सवाल के मुतअल्लिक पुलिस मैनुअल की दफात ४१३ व ४१४ में क्या कार्रवाई करना चाहिये, यह तशरीह के साथ दर्ज है. अलावा इसके संवत १९७८ में सरक्यूलर नंबर १० जो जारी हुआ है उसमें भी इस अम्र की तशरीह की गई है. इसके बाद जब इस किस्म की बातें महकमे के नोटिस में आई तो उसकी रुकावट करने की गरज से एक सरक्यूलर नंबर ७ संवत १९८० जारी किया गया. उसके बाद इस किस्म की शिकायतें फिर आने पर संवत १९८१ में भी सरक्यूलर नंबर ९ जारी किया गया है. अगर मुजव्विज साहब इन तमाम अहकाम व सरक्यूलरात पर गौर करेंगे तो मैं यकीन करता हूं कि वह सब-कमेटी की कायमी की जरूरत नहीं समझेंगे. हमको यह भी ख्याल करना चाहिये कि इस खास मुआम्ले में जिन २ साहबान को शिकायत है उन्होंने महकमे मुतअल्लिका की तरफ कब २ तहरीरात कीं और उस पर पुलिस डिपार्टमेन्ट ने कोई ऐक्शन लिया या नहीं. अहकाम दरबार के मौजूद होते हुए अगर उनकी तामील न हो तो ऐसे शख्सों को कि जिनको यह शिकायत हो कि उनकी तामील नहीं होती तो उनका अव्वल फर्ज यह है कि वह अपनी शिकायत महकमे मुतअल्लिका में पेश करें और अगर ऐसी शिकायतें पेश करने के बाद कोई एक्शन न लिया गया हो और शिकायात किसी एक मुकाम पर महदूद न होते हुए आम तौर पर हों तो ऐसी हालत में फिर मजलिस आम में उनको पेश करना चाहिये.

गुरदयाल साहब.—हुजूर आली, इस किस्म की शिकायत और ऐसे मौके आचुके हैं जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता. इस वजह से कि, जबही मौके आये हैं उसकी इन्सदाद की कार्रवाई की गई. यह कहा जा सकता है कि यह शिकायतें अब भी होती हैं. सवाल यह नहीं है कि, इसके मुतअल्लिक एहकाम दरबार से जारी नहीं हुए बल्कि सवाल यह है कि दरबार के एहकाम होते हुए भी, शिकायतें आती हैं, तो इन शिकायतों की क्या रोक की जाती है ?

हुजूर मुअल्ला.—मैं यह मुनासिब समझता हूं कि मूंगालाल तमाम कवाइद को देखलें और फिर अपनी तजवीज के मुतअल्लिक परसों की मजलिस में गुजारिश करें.

मूंगालाल साहब.—बहुत मुनासिब है.

ठहराव.—तजवीज परसों के इजलास में पेश हो.

नोट—मुजव्विज साहब की जानिब से तारीख २७ मार्च सन १९२५ ई० के इजलास में यह तजवीज दुबारा पेश नहीं की गई. इसके मानी यह हैं कि

मौजूदा कवायद व अहकाम को देखने के बाद मुजव्विज साहब को तशफ्फी होगई और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तजवीज पेश करने की जरूरत नहीं समझी.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १३.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अक्सर देखने में आया है कि जमींदारान व काश्तकारान मवेशियान तो कसरत से पालते हैं मगर सरक्यूलर नंबर २ तारीख ११ अगस्त सन १९१४ ई० सम्वत १९७१ मजरिया होम डिपार्टमेंट की पाबन्दी नहीं करते और न खिलाफ वरजी की सूरत में बमूजिब सरक्यूलर सदर इन लोगों के साथ कानूनी अमल होता है; क्योंकि सरक्यूलर मजकूरुस्सदर में यह नहीं बतलाया गया कि खिलाफ अमल होने की सूरत में ऐसे मुकद्दमात किस की जानिब से अदालत में पेश होंगे. पस यही एक खास वजह मालूम होती है जो बेड मवेशियान में इन्सदाद नहीं होने देती. नीज ऐसी हालत में रात में भी जंगल में मवेशियान को वास्ते चरने छोड देना और भी खतरनाक है; लिहाजा एक सब कमेटी कायम फरमाई जावे जो बेड मवेशियान के इन्सदाद की बाबत तजवीज सोच कर अपनी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे, ताकि मुल्क में अमन अमान की तरक्की हो.

मूंगालाल साहब.—हुजूर मुअल्ला, इस वक्त जिले ईसागढ में बेड मवेशी इस कदर कसरत से हो रही है कि जिस की बाबत हुजूर को भी हाल रोशन होगा और उसके इन्सदाद की बाबत कार्रवाई भी जारी है, बेड मवेशी क्यों होती है इसकी वजह यह मालूम होती है कि ग्वाल जो रखे जाते हैं वह जमींदारान की जानिब से दस या ग्यारह बरस के लडके रखे जाते हैं और वह चराने को जाते हैं. और इसी तरह रात में भी बेहड में छोड दिये जाते हैं, चोर लोग जो बेड मवेशी करने वाले होते हैं वह उनको मौका पाकर बांध देते है और बेड मवेशी करले जाते हैं. इसकी बाबत सरक्यूलर भी जारी हो चुका है जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, लेकिन खिलाफ वर्जी की बाबत मुकद्दमा किसकी जानिब से चलाया जावेगा, इसका सरक्यूलर में जिक्र नहीं है और न कानूनी बरताव किया जाता है इसलिये मैंने इस तजवीज को मजलिस में पेश करने की जुर्रत की है.

हरभानजी साहब.—मैं ताईद करता हूं.

आर्मी मेंबर साहब.—इस सवाल के मुतअल्लिक मुजव्विज साहब ने यह जाहिर किया है कि ईसागढ जिले में बेड मवेशी ज्यादा होती है, और उसी के साथ साथ, उन्होंने यह भी कहा है कि इन्सदाद भी हो रहा है, इससे यह नतीजा निकलता है कि अगर वाकई इस किस्म की शिकायत है तो इसके रफेदाद का जर्या भी मौजूद है और फिल हकीकत गवर्नमेन्ट बेखबर भी नहीं है. अलावा इसके जिस सरक्यूलर का हवाला मुजव्विज साहब ने दिया है उसके बाद आर्मी डिपार्टमेन्ट का सरक्यूलर नंबर १, संवत १९७७ में जारी हुआ है. इसी तरह डिपार्टमेन्टल ऑर्डर नंबर ५

संवत १९७७ में जारी हो चुका है. फिल हकीकत बेड मवेशी न होने का इन्तजाम जमींदारान व काश्तकारान को खुद करना चाहिये. ब मुकाबले इसके कि सिर्फ गवर्नमेन्ट इन्तजाम करे, अव्वल जमींदार साहबान को ही इस तरफ तवज्जुह करना चाहिये. ऐसी हालत में हुजूर मुअल्ला की खिदमत में मैं यही अर्ज करूंगा कि जो जमींदार साहबान इस वक्त मजलिस में मौजूद हैं उन्हीं साहबान में से चंद साहबान की एक सब-कमेटी कायम की जाकर दरयाफ्त किया जावे कि इस शिकायत के इन्सदाद की क्या सूरत हो सकती है.

गुरदयाल साहब.—हुजूर आली, इस सवाल में पूंछा यह गया है कि चरवाहे छोटे और बच्चे ही रखे जाते हैं और उसको रोक नहीं की जाती जिसके मुतअल्लिक अहकाम जारी होचुके हैं और पुलिस से भी लिखा गया है. जरूरत इस बात की है कि अहकाम की खिलाफवर्जी की सूरत में मुकद्दमा कहां चलेगा, कौन चलावेगा, यह पता चल जावे. इसके मुतअल्लिक एक सब-कमेटी मुकर्रर करदी जावे जो यह बतादे कि मुकद्दमा किस अदालत में चलेगा और कौन चलावेगा.

हुजूर मुअल्ला.—वकील साहब, इस पहलू पर आप गौर करलें कि इसमें मुकद्दमे बहुत दायर होंगे. मैं अगर भूलता नहीं हूं तो मेरा यह ख्याल है कि इस सवाल को सम्वत १९७० में मैंने उठाया था, और इसकी निस्बत मुख्तलिफ अहकाम भी जारी किये थे; मसलन ढोल बजाया जावे, मुहासरा किया जावे, पीछा किया जावे, लेकिन बात यह है कि अहकाम जारी करने पर भी लोग उन पर अमल नहीं करते. इसलिये जितने जमींदार साहिबान यहां हैं वह सब मेरी राय में मुंगालालजी के सवाल पर गौर करके दरबार को यह बतायें कि अब क्या करना चाहिये, क्योंकि यह सवाल उन्हींसे तअल्लुक रखता है. जरा इस पहलू पर भी गौर कीजिये कि जो तजवीज सोची जावे वह ऐसी न हो जिसमें हर बात पर मुकद्दमाबाजी हो, यानी पानी पीने और कपडे पहनने पर भी मुकद्दमा चल उठे. इससे जमींदारान को पीछा छुडाना मुश्किल होगा, इस लिये इस सवाल पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी बनाई जावे जो दरबार में रिपोर्ट पेश करे. इस कमेटी में आर्मी मेम्बर साहब और इन्सपेक्टर जनरल पुलिस भी शरीक हों.

गुरदयाल साहब.—अन्नदाता, शिकायत जमींदारान की नहीं है.

हुजूर मअल्ला.—अगरचे जमींदारों की शिकायत नहीं है, लेकिन चूंकि इस मुआम्ले का तअल्लुक उनसे ही है, इसलिये मुंगालाल साहब इसके मुतअल्लिक जो अहकाम जारी हुए हैं वह, और मेरी दौरा रिपोर्ट वगैरा जो अहकाम हुए हैं, वह उनको सुनायें और ऐन्यूअल रिपोर्ट देखें और इनका नतीजा क्या हुआ, और आयन्दा के लिये क्या करना चाहिये, इसकी बाबत कमेटी मशवरा दे. इस मशवरे में इन्सपेक्टर-जनरल साहब पुलिस और आर्मी मेम्बर साहब भी शरीक हो जावें.

ठहराव—करार पाया कि जमींदारान की कमेटी कायम की जाये जो इस तजवीज पर गौर करके अपनी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १४.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बनजर तरक्की तिजारत व हिरफत हर जिले में ट्रेड ऐसोसिएशन्स कायम फरमाई जावें व यह जुम्ला ऐसोसिएशन्स, चेम्बर ऑफ कॉमर्स गवालियार की ब्रांच करार दी जावें.

मूंगालाल साहब—हुजूर वाला ! चेम्बर ऑफ कॉमर्स जो रियासत में कायम है वह तिजारत की तरक्की के लिये मुफीद मशवरा देने वाली जमाअत है इसलिये हर जिले में ट्रेड ऐसो-सिएशन्स कायम फरमाई जावें और उनको चेम्बर ऑफ कॉमर्स गवालियार की ब्रांचें करार दी जावें. और जो कवाअद चेम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वही इनमें लागू हो जावेंगे. अभी तक ट्रेड ऐसो-सिएशन बराय नाम है, न तो अब तक कायम हुए हैं और न रिकार्ड रखा गया है. अगर इसकी दुरुस्ती हो जावेगी तो ट्रेड को ज्यादा फायदा होगा. इस ख्याल को मद्दे नजर रखकर मैंने यह तजवीज पेश करने की जुरअत की है, उम्मेद है कि मेम्बरान मजलिस इस सवाल के पास होने की सिफारिश दरबार की खिदमत में करेंगे.

हुजूर मुअल्ला—ताईद कौन साहब करते हैं ?

रामजीदास साहब.—हुजूर मुअल्ला ! मेरे ख्याल से मूंगालाल साहब को इस मुआमले में वाकफियत नहीं है.

हुजूर मुअल्ला.—रामजीदास साहब ! क्या तुम ताईद करने को खडे हुए हो ?

हुजूर मुअल्ला.—(लॉ मेम्बर साहब की तरफ मुखातिब होकर) आप फरमाइये.

लॉ मेम्बर साहब.—इस वक्त तक तो कोई साहब इस तजवीज की ताईद करने के लिये तैयार मालूम नहीं होते हैं.

लालचन्द साहब.—मैं ताईद और अर्ज करता हूं कि हर जिले में मंडी कमेटी कायम होचुकी है वही ट्रेड ऐसोसिएशन के मेम्बर्स समझकर इस काम को भी अंजाम दिया करें और सेक्रेटरी चौधरी मन्डी हुआ करे और चेम्बर ऑफ कामर्स से इसका ताल्लुक रक्खा जावे, अलहदा इन्तखाब की जरूरत नहीं.

ट्रेड मेम्बर साहब.—१० अक्टूबर सन १९२२ ई० को दरबार ने इन तमाम वाकआत पर गौर करके मन्डी कमेटी के रूल्स बनाये और यह रूल्स वही हैं जो मौजूदा हालत में तरक्की देने वाले हो सकते हैं और उनके मुताबिक काम हर मन्डी में होरहा है. अब रहा यह अम्र कि अगर किसी जिले में मुकामी ब्योपारियान ट्रेड ऐसोसिएशन कायम करना चाहें तो कायम कर सकते हैं बशर्ते कि मन्डी के रूल्स के खिलाफ कोई बात न हो. अगर ब्योपारियान व तज्जारान तरक्की देने की गरज से ऐसी ऐसोसिएशन्स कायम करना चाहें तो दरबार को उनकी कायमी में न तो कोई मुखालिफत है और न कोई इजाजत की जरूरत है. अगर वह उम्दा तरीके से काम करेंगे तो फिर चेम्बर ऑफ कॉमर्स से जब वह चाहेंगे उनका तअल्लुक हो सकता है.

रामजीदास साहब—मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं. ट्रेड ऐसोसिशन या चेम्बर ऑफ कॉमर्स कोई गवर्नमेन्ट की तहरीक पर कायम नहीं की जाती और न गवर्नमेंन्ट उसमें इन्टरफिअरेन्स करती है, गवर्नमेंट से उसका इतना ही तअल्लुक होता है कि उसके कवाअद मुरत्तब होकर कोर्ट से उनकी रजिस्ट्री बाकायदा कराई जावे. इसलिये उसूलन इस सवाल को यहां मजलिस में लाने की जरूरत न थी. गालिबन मेम्बरान का बहुत हिस्सा यह मानने को तैयार है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स की एक शाख उसे मान ली जावे, यह कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है. जैसी कि मालवे में ट्रेड ऐसोसियेशन के नाम से कायम की गई है और गवालियार में चेम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से. उसूल जो रक्खे गये हैं उनको और उनके मकासिद को पूरा करने के लिये बेशक दरबार मुअल्ला ने अपना नेक और मुफीद मशवरा दिया है. पिछली मर्तबा यह मसला दूसरी शक्ल में मजलिस में पेश हुआ था वह यह था कि तमाम मुआम्लात जो तिजारत से तअल्लुक रखते हैं, वह चेम्बर ऑफ कॉमर्स की मार्फत आया

करें. गालिबन ऐसा करार पाया था कि मन्डी कमेटी भी चेम्बर आफ कॉमर्स की एक शाख समझ ली जावे. इसलिये बजाय इसके कि यह सवाल यहां पेश हो, पब्लिक में ही तय कर लिया जावे. मेरे ख्याल से यह सवाल मजलिस से फैसले के काबिल नहीं हैं.

ठहराव—तजवीज ड्रॉप की जावे.

[नोट—३ बजे मजलिस adjourn की गई. मेम्बर साहबान को refreshment दिये जाने के बाद मजलिस का काम ३-४० बजे शुरू हुवा.]

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १५.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जो रेलवे लाइन आगर और उज्जैन के दरमियान खोली जा रही है उसी के साथ साथ आगर से सुसनेर, सोयत व पच पहाड तक भी रेलवे लाइन खोल दी जावे और मौजा आमला से टप्पा नलखेडा व नलखेडा से सुसनेर व इसी तरह से आगर से बडौद व बडौद से चौमहला रेलवे स्टेशन तक, पक्की सडक जल्द बनवा दी जावे.

नोट:—इस तजवीज के मुतअल्लिक बाद में महन्त लक्ष्मणदास साहब ने हस्ब जैल तरमीमात का नोटिस दिया था:—

तरमीमात.

१. इस तजवीज की सतर ३ में अलफाज "रेलवे लाइन खोल दी जावे" के बाद हस्ब जैल इबारत इजाफा की जावे:—

"बडनगर से सरदारपुर और सरदारपुर से झाबुवा राज्य के बजरंगढ स्टेशन तक भी रेलवे लाइन खोल दी जावे."

२. इस तजवीज के अखीर में हस्ब जैल इबारत बढाई जावे:—

"और अमझेरा से मनावर २६ मील सडक जो अधबनी पडी हुई है वह बहुत जल्द पक्की करा दी जावे."

चतुरभुजदास साहब—जो रेलवे लाइन आगर और उज्जैन के दरमियान खोली जा रही है उसी के साथ आगर-सुसनेर, सोयत-नलखेडा सरदारपुर वगैरा में लाइन खोल दी जावे और रेलवे स्टेशन तक पक्की सडक बनवा दी जावे.

हुजूर मुअल्ला—शायद आपको मालूम होगा कि local importance के सवालात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पेश होना चाहिये.

लॉ मेम्बर साहब—यह सवाल इस मजलिस में इसलिये रख लिया गया था कि अगर इस में कोई खास बात हो, तो देख ली जाये.

हुजूर मुअल्ला—(पोलिटिकल मेंबर साहब की तरफ मुखातिब होकर) मुझे ऐसा याद पडता है कि यह तय हुआ था कि इस किस्म के सवालात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तवस्सुत से आना चाहिये.

पोलिटिकल मेम्बर साहब—जो मुआम्लात लोकल इम्पॉर्टेन्स के हैं वह लोकल बोर्ड से ही तय होना चाहिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—मैं इस कदर बतलाना जरूरी समझता हूं कि यह रेलवे बतौर नमूने के बनाई जा रही है. अगर कामयाबी हुई तो सोयत मुकाम तक या अमझेरे तक रेलवे लाइन बनाई जा सकती है, पैमायश होगई. है यह मुआम्ला अभी दरबार के जेर गौर है. इसी तरह अमझेरा से मनावर तक जो रोड है उसके लिये दरबार ने ७५ हजार रुपया मंजूर कर दिया है.

हुजूर मुअल्ला—इस से कोई तअल्लुक नहीं है.

ठहराव—तजवीज ड्रॉप की जाय.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १६.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जंगल की ऐसी पैदावार मस्लन गोंद (गाद), मोम, शहद, लाख, चिरोंजी वगैरा का ठेका मिनजानिब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिया जाता है.

यह कुल ऐसी पैदावार अक्सर बाहर ही जाती है, रियासत में इसकी खपत नहीं होती है.

बजाय ठेका के इन चीजों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी बढा दी जावे कि जितनी आमदनी ठेकों से होती है वह उस ड्यूटी बढाने से हो जावे, तो यह तिजारत को फायदेमन्द होकर उन गरीब लोगों के लिये जो यह चीजें बडी मेहनत के साथ जंगल से वास्ते फरोख्तगी लाते हैं, आजादी के साथ बेंचने का मौका हासिल हो.

मूंगा लाल साहब.—इसके मुतअल्लिक मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से कुछ वाकफियत लेना है वह अभी नहीं मिली है इसलिये परसों इस सवाल को पेश करने की इजाजत दी जावे.

हुजूर मुअल्ला.—दुरुस्त है.

ठहराव—यह तजवीज आयन्दा इजलास में पेश की जाये.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १७.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू ने ब नजर परवरिश मेमोरेन्डम नंबर २५ व ३० में जमींदार साहबान को नायब तहसीलदार मौजा का लकब अता फरमाते हुए जो उनके फरायज मन्सबी करार दिये हैं, उनकी पाबन्दी मिनजानिब जमींदारान होने की गरज से जमींदार साहबान की औलाद को तालीम

दिलाना लाजमी (एज्यूकेशन कम्पलसरी) करार दिया जावे तो बहुत ही अच्छा होगा.

मुंगा लाल साहब.—इस तजवीज की बाबत दरबार ने अपनी पॉलिसी में भी इर्शाद फरमाया है कि जमींदार साहबान की औलाद को जब तक कम्पलसरी एज्यूकेशन न दी जायगी तब तक वह इस काबिल नहीं हो सकते कि वह अपने फरायज को बखूबी अदा कर सकें. यह तजवीज मैंने बमूजिब मेमोरेन्डम नंबर २९ व ३० पेश की है.

हुजूर मुअल्ला.—ताईद कौन करता है ?

कृपा शंकर साहब.—मैं ताईद करता हूं.

सूबा लाल साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—इसके मुतअल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि जमींदारान की तालीम का महत्व जो हुजूर मुअल्ला ने खुद महसूस फरमाया है और आज तक इस बारे में वक्तन फवक्तन जो रास्ते बतलाये हैं वह मोहताज बयान नहीं हैं. पहिले तो जमींदारी इम्तिहान जारी किया गया और जमींदारान को इस तरफ मुखातिब किया गया. कहने को जितना सहल मालूम देता है उतना ही उसको अमल में लाने में मुश्किल उठाना पडती है. इस तमाम मसले पर गौर करने के लिये चन्द साल हुए एक कमेटी दरबार मुअल्ला ने कायम फरमाई थी, उसकी रिपोर्ट आने पर एज्यूकेशन कमीशन के जेर गौर रही, हाल में अब एज्यूकेशन कोड के रिवायज करने का मसला दरबार के जेर गौर है, उसके साथ ही इस पर भी गौर किया जावेगा.

ठहराव—इस तजवीज पर एज्यूकेशन कोड के revision के वक्त गौर किया जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १८.

यह मजालिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जिस system of education के introduce करने का contemplation जारी है उसको practice में लाने के कब्ल ऐसा इन्तजाम किया जावे कि अगर कोई तालिबइल्म यहां के institution को छोडकर दीगर University को भी British Government से recognise करा लिया जावे और जब तक ऐसा इंतजाम न होवे वहां तक यहां के कॉलेज और हाई स्कूल्स की किसी न किसी University से affiliated रखा जावे.

चतुर्भुज दास साहब ने इस तजवीज को पेश किया.

हुजूर मुअल्ला.—ताईद कौन करता है ?

कृपा शंकर साहब.—मैं ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—इसकी कैफियत भी उस कैफियत के मुताबिक है जो तजवीज नंबर १७ के मुतअल्लिक जाहिर की गई है.

ठहराव—इस तजवीज पर एज्यूकेशन कोड के Revision के वक्त गौर किया जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १९.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

संस्कृत विद्या की वर्तमान पाठ्य प्रणाली में परिवर्तन कर ऐसा कोर्स बनाया जावे जिससे देश के उपयोगी पंडित तैयार हो सकें और प्रति दिन प्राचीन शास्त्रों की तथा धार्मिक अवनति न हो. मालूम हुआ है कि हिन्दी, अंग्रेजी आदि वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन कर आवश्यक व उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिये एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट से सम्बद्ध एक समिति दरबार ने निर्मित की है जो यूनीवरसिटी की कायमी व शिक्षा की उन्नति के लिये विचार कर रही है. इसी प्रकार न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक, धर्मशास्त्र, आदि प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा के लिये विचार किया जाकर विश्व-विद्यालय (यूनीवरसिटी) कायम किया जावे.

नोटः—इस तजवीज के मुतअल्लिक बाद में महन्त लक्षमणदास साहब ने हस्ब जैल तरमीम का नोटिस दिया थाः—

तरमीम.

तजवीज नंबर १९ के अखीर में हस्ब जैल इबारत कायम की जावे:—

"और संस्कृतज्ञों के लिये उद्योगों का भी विचार किया जावे."

रामेश्वर शास्त्री साहब ने इस तजवीज को पेश किया.

हुजूर मुअल्ला.—ताईद कौन करता है?

महन्त लक्षमणदास साहब—मैं ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहबः—इसकी कैफियत भी उस मुताबिक है जो तजवीज नंबर १७ के मुताल्लिक जाहिर की जा चुकी है.

रामेश्वर शास्त्री साहब—मुझे मालूम हुआ है कि कमेटी की रिपोर्ट तय्यार होगई है; लेकिन कमेटी ने इस विषय पर गौर नहीं किया. पाठ्य प्रणाली में परिवर्तन किये जाने का खास मतलब है. मेरा मतलब यह नहीं है कि दूसरे विषय न पढाये जावें. दूसरे विषय भी थोडे थोडे ऐसे सिखलाये जावें जिन के जर्ये से वह मुआश पैदा कर सकें और जो हालत आज है. कि वह संस्कृत की आचार्य परीक्षा पास कर लेने पर भी उदरपोषण के लिये कुछ नहीं कर सकते, वह न रहे. यानी कम से कम वह अपना और अपने परिवार का पालन, पोषण उचित रीति से कर सकें.

हुजूर मुअल्ला—कौनसी कमेटी में?

रामेश्वर शास्त्री साहब—वह जो Education Text Books के लिये मुकर्रर हुई है.

हुजूर मुअल्ला.—मुझे साहब ! यह सवाल तब पेश किया जावे जब मैं Education Code हाथ में लूं.

ठहराव—इस तजवीज पर भी एजूकेशन कोड के revision के वक्त गौर किया जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २०.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

एक ऐसी लायब्रेरी कायम की जावे कि जिस में हिन्दी, संस्कृत, मराठी आदि सब ही भाषाओं के सब विषयों की पुस्तकें एकत्रित हों, जिसमें हर एक मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार शास्त्रीय, धार्मिक, एतिहासिक आदि सब विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सके.

नोट:—इस तजवीज के मुतअल्लिक महन्त लक्षमणदास साहब ने मुन्दर्जे जैल तरमीम का नोटिस दिया था:—

तरमीम.

तजवीज नम्बर २० के बाद हस्ब जैल पैरेग्राफ कायम किया जावे:—

" ऐसी एक लायब्रेरी उज्जैन में स्थापित की जावे ".

रामेश्वर शास्त्री साहब—इस के सम्बन्ध में मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि यह तो अभी साबित हो चुका है कि लाइब्रेरी से कितने फायदे हैं और हुजूर अनवर भी आज्ञा दे चुके हैं; साथ ही साथ यह जाहिर किया गया है कि पबलिक इस काम को हाथ में ले; लेकिन पबलिक में अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह अपना स्वयं निर्वाह कर सके. जैसे माता पिता अपने बच्चे की भलाई के लिये किया करते हैं इसी तरह से हमारे प्रजा वत्सल सरकार को बनजर परवरिश रिआया इस कार्य को शुरू कर देना चाहिये और फिर अपने बच्चों के हाथ में दे दें जिससे वह थोडी सी मेहनत से उसमें सफल हो सकें.

हुजूर मुअल्ला—ताईद कौन करता है ?

चतुर्भुजदास साहब—मैं ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेंबर साहब—हुजूर मुअल्ला, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सन १९१६ में दरबार मुअल्ला ने जो ख्यालात जाहिर फरमाये हैं उसकी तरफ मैं मजलिस की तवज्जुह दिलाता हूं. हिन्दी साहित्य सभा के सालाना जलसे के मौके पर हुजूर अनवर ने Circulating Library की तजवीज के सिलसिले में यह फरमाया था कि एक सेन्ट्रल Library यहां पर कायम की जावे जिसमें हर किस्म व जबान की किताबें रहें और म्युनिसिपेलिटी व दीगर सन्स्थायें कोशिश करके जो रकम इस काम के लिये जमा करें उस के बराबर दरबार भी इम्दाद देंगे, और उसके लिये आराजी की भी तजवीज कर देंगे; लेकिन जमाना लडाई का होने की वजह से यह मसला वैसे ही रह गया. इस मुआम्ले में फिर हिंदी साहित्य सभा को तहरीर किया गया है, उसका जवाब आने पर जो कुछ नतीजा होगा, वह जाहिर किया जावेगा.

ठहराव—तजवीज ड्रॉप की जावे.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २१.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

इलाज मवेशियान की, मवाजियात में होशियार जमींदारान के पास दवायें रक्खी जावें, और जब वेटरनरी असिस्टन्ट किसी मौजे में ठहरें तो वहां के जमींदार को इलाज मवेशी की तालीम देते रहें.

मथुरापरशाद साहब.—अर्ज यह है कि मवेशियों के इलाज के लिये Veternary Assistants मुकर्रर हैं लेकिन जब किसी मुकाम पर बीमारी शुरू होती है तो Veternary Assistants को इत्तला नहीं दी जाती और जब तक वह पहुंचते हैं बहुत सी मवेशी जाया हो जाती हैं. ऐसा तजुर्बे से जाहिर हुआ है कि जितना फायदा पहुंचना चाहिये नहीं पहुंचता. अगर Veternary ऑफिसरान की तादाद बढाई जावे तो सर्फा बहुत ज्यादा होगा, इसलिये बेहतर यह होगा कि जब किसी मौजे में Veternary Assistant जाकर ठहरें तो आस पास के जमींदारान को इकट्ठा करके उस रोज उनको तालीम दें, ताकि मवेशियों के इलाज से वह वाकिफ हो जायें; और कुछ दवायें भी उनके पास रखदें जिससे वक्त पर वह बिला इन्तजार Veternary Assistant मवेशियों का इलाज कर सकें. इस तरह पर फायदा होना मुमकिन है.

हुजूर मुअल्ला.—ताईद कौन करता है ?

बंसीधर साहब.—मैं ताईद करता हूं.

एग्रीकलचर मेम्बर साहब.—हुजूर अनवर, संवत १९७८ की मजलिस आम में एक सवाल बीमारी मवेशियान का यह पेश हुआ था कि दवायें पंचायत बोर्ड में रखी जावें. चुनाचे मजलिस से ठहराव होकर दरबार से एक स्कीम तलब हुई. चुनाचे यह स्कीम व्हेटरनरी डिपार्टमेन्ट से मुरत्तिब होकर दरबार मुअल्ला की खिदमत में पेश की गई और वह जेर गौर है. अब तजवीज यह है कि दवायें होशियार जमींदारों के पास भी रखी जावें ताकि वह वक्त पर मवेशियों का इलाज कर सकें. दूसरे यह कि व्हेटरनरी असिस्टन्ट जिस वक्त दौरा करें वहां के जमींदारों को मवेशी के इलाज के मुतअल्लिक हिदायात दें. चुनाचे जो स्कीम दरबार मुअल्ला की खिदमत में भेजी गई है उसी में अलावा पंचायत बोर्ड के, होशियार जमींदारों के पास भी दवायें रहने के मुतअल्लिक ऐडीशन कर दिया जावेगा और व्हेटरनरी असिस्टन्ट के जमीदारों को तालीम देने के बारे में भी दरबार का हुक्म हासिल करके इन्तजाम किया जावेगा.

ठहराव.—इस तजवीज के मुताबिक एग्रीकलचर मेम्बर साहब दरबार में गुजारिश करें.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २२.

यह मजालिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

दस्तूरुल अमल माल, सम्वत १९७६ में हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व परगना बोर्ड का कम्पोजीशन क्या होगा, यह बतलाया गया है, उसमें हस्ब जैल तरमीम की जावे:—

(१) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कम्पोजीशन में नम्बर १५ के आगे नम्बर १६ कायम किया जाकर यह दर्ज किया जावे:—

"१६—असिस्टन्ट साहब न्यू आबादी जिला."-इसी तरह कुल नीचे के नम्बर ठीक होकर नम्बर २६ को नम्बर २७ किया जावे.

(२) परगना बोर्ड के कम्पोजीशन में नम्बर ११ के आगे नम्बर १२ कायम किया जाकर उसके आगे यह दर्ज किया जावे:—

"१२—नायब तहसीलदार साहब प्रोपेगेन्डा"—इसी तरह कुल नीचे के नम्बरों में तरमीम होकर नम्बर २२ को नम्बर २३ किया जावे.

मूंगालाल साहब.—इस सवाल के पेश करने के पेश्तर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो सवाल मैंने भेजा है उसके भेजने के बाद मुझे मालूम हुआ है कि इसके मुताबिक अहकाम जारी हो चुके हैं और तजवीज की जरूरत नहीं रही, इसलिये मैं इस तजवीज को वापिस लेता हूं.

नोट:—तजवीज वापिस लेली गई.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २३.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

हलवाहे लोगों की हालत हमेशा तंगदस्ती व मकरूज होने की ही नजर आती है व अक्सर यह लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं, ऐसी शिकायत अक्सर जमींदार साहबान के जबानी सुनने में आया करती है.

इन सारी बातों की वजह, जहां तक मालूम हुआ है, यह पाई गई, कि यह लोग बिलकुल अनजान, बे समझ, नाख्वांदा व गरीब होते हैं, सिवाय मेहनत करने के और कुछ नहीं जानते. इन लोगों के साथ हिसाब किताब में, बरतावात में, बहुत बेजाईयत की जाती है, जिसकी वजह से यह हमेशा तंगदस्त व मकरूज रहते हैं. आजादी से दूसरी जगह मेहनत नहीं करने पाते. जब फाके कशी की नौबत आ जाती है, तो मजबूरन घरद्वार छोड, अपने बेगानों से मुंह मोड भागना पडता है, इस पर यह तुर्रा कि अगर रियासत के रियासत में ही दूसरी जगह भाग जावें तो बजरिये वारन्ट गिरफ्तार करके लाये जाते हैं जिससे फिर चूं तक नहीं कर सकते हैं. यही वजह है कि यह लोग अदालत कचहरी के नाम से बहुत डरते हैं और मजबूरन रियासत गैर में भाग कर अपना पीछा छुडाते हैं. इस तरह बहुत से आसामियान काश्तकार पेशा, मय अपने बाल बच्चों के रियासत हाजा से भाग जाते हैं, जिसकी खबर ऑफिसरान को नहीं होने पाती.

लिहाजा इसका इन्सदाद होने बाबत एक सब-कमेटी कायम फरमाई जावे जो इस मुआम्ले के मुतअल्लिक अपनी रिपोर्ट मजलिस

में पेश करे, ताकि तरक्की जराअत व नौआबादी में खरखशा न पडने पावे.

मूंगालाल साहब.—हुजूर मुअल्ला, यह शिकायत मुझे बहुत रोज से सुनने में आया करती थी मगर मैं उसको गलत समझता था. अभी चन्द रोज हुए जब मुझे इन्दौर जाने का इत्तफाक हुआ, वहां मुझे मालूम हुआ कि कुछ आसामियां रियासत गवालियार की वहां हैं; चुनांचे मैंने उनसे मिलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि करीब तीन चार सौ आदमी एक मोहल्ला बनाकर आबाद हैं और वह सब गवालियार के ही हैं. उनमें से बहुत से मेरी जान पहचान के थे और ईसागढ के ही रहने वाले हैं. यहां आकर मैंने जमींदारान से दरयाफ्त किया तो मालूम हुआ कि किसी पर ३००), किसी पर ४००) रुपया बाकी होने से वह भाग गये. इन्हीं लोगों पर काश्त की तरक्की का दारोमदार है. अगर उनके भागने का इन्सदाद कर दिया जावे तो काश्त में तरक्की होने की उम्मीद है. यह बात मुझे पहिले से मालूम है कि इनके साथ हिसाब किताब और लेन देन के मुआम्लों में कैसी बेजाइयत होती है. इस अम्र को मद्दे नजर रखकर इस तजवीज को मजलिस में पेश करने की मैंने जुरअत की है.

हुजूर मुअल्ला.—मूंगालाल जी, तुम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर हो क्या ? वहां इसको क्यों पेश नहीं करते ?

मूंगालाल साहब.—जी हुजूर, मैं वहां पेश करूंगा.

हुजूर मुअल्ला.—मेरे ख्याल में तुम इसे वहां ही पेश करो.

मूंगालाल साहब.—साथ ही साथ मुझे यह भी जाहिर करना है कि यह तजवीज जमींदार साहबान की शिकायत में है, और यहां दो चार को छोडकर ज्यादा तादाद जमींदारों की है, इसलिये इसकी ताईद की भी मुझे उम्मीद नहीं.

गुरदयाल साहब.—यह मालूम होना चाहिये कि इस तजवीज का मकसद क्या है और मुजव्विज साहब क्या इन्तजाम किया जाना चाहते हैं. आया हलवाहों को बख्श देना चाहिये या उन पर दीवानी में नालिश करना चाहिये या क्या.

हुजूर मुअल्ला.—इस तजवीज की ताईद कौन करता है ? अव्वल ताईद होना चाहिये फिर सवाल पर बहस की जा सकती है.

चतुरभुजदास साहब.—मैं ताईद करता हूं.

हरभान साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

गुरदयाल साहब.—मैं दरयाफ्त करना चाहता हूं कि इस तजवीज की गरज क्या है. फरारी अशखास के खिलाफ चाराजोई न हो या उनको बख्श दिया जावे या कर्जा न दिया जावे. इस तजवीज की जरूरत और गरज क्या है यह मैं जानना चाहता हूं.

मूंगालाल साहब.—इसकी गरज यह है कि जो यह लोग भाग जाया करते हैं इसलिये एक सब-कमेटी कायम करदी जावे जो इसकी रोक के लिये तजवीज करे और जिससे काश्तकारान व जमींदारान में इत्तफाक हो.

बंसीधर साहब—हमारे भाई मूंगालाल साहब ने हमदर्दी तो हलवाहों की बहुत की है लेकिन इसका तजुर्बा उन्हीं को होगा जो इसमें घुसा होगा. मालवे का ही जिक्र करता हूं कि एक एक हाली को दो दो तीन तीन सौ रुपये दिये जाते हैं, जमीन का धन्दा ऐसा है कि ईश्वर

की देन पर है. हलवाहों से कहा जाता है कि जमीन में जो पैदा होगा उसका आधा हिस्सा हमारा व आधा तुम्हारा. क्या आप का मतलब यह है कि बकाया उनसे वसूल न करें. अक्सर तजुर्बे से यह बात मालूम होगई है कि यह एक गांव को छोडकर दूसरे गांव में चले गये, आज इस गांव में कल उस गांव में. जमींदार या काश्तकार कोई भी मुतमव्विल हो उसकी तरफ से सख्ती हिसाब किताब में नहीं की जाती. उज्जैन और इन्दौर में फर्क नहीं है, सर्फा मैं देने को तैयार हूं, अगर मेरे भाई साहब तीन चार सौ का एक मुहल्ला गवालियार स्टेट के भागे हुए हलवाहों का बतलावें तो २५–३० को तो मैं लाने को तैयार हूं बल्कि रियासत इन्दौर के कुछ बाशिंदे एक हजार बीघा जमीन उज्जैन परगना में मांगते थे और मैंने इसके लिये कोशिश भी की, मगर चूंकि इस कदर जमीन वहां नहीं मिल सकी इसलिये वह नहीं आसके. हम सोनकछ में देने को तय्यार थे लेकिन वह नहीं आये

कृपाशंकर साहब—अन्नदाता, अच्छे और बुरे तो सब ही जगह होते हैं लेकिन आज कल हलवाहे ऐसे कमयाब हैं और मजदूरों की ऐसी किल्लत हो जाती है कि ऐन वक्त पर धोका दे जाते हैं और उनको दो दो सौ, तीन तीन सौ रुपया दिये जाते हैं, फिर भी वह भाग जाते हैं, लेकिन भागते वही हैं जो सुस्त व काहिल होते हैं.

लक्ष्मीनारायण साहब—हुजूर अनवर, मूंगालाल साहब ने जो सवाल पेश किया है वह दुरुस्त मालूम नहीं होता. कोई कारोबार वगैरा के लिये गये होंगे. वहां कारोबार ज्यादा होने से यानी वहां कारखाने वगैरा में मजदूरी अच्छी मिलती है, इसलिये गये होंगे, काश्तकार जमींदारों के जुल्म से नहीं जाते हैं.

शंकरलाल साहब—यह सवाल ऐसा है कि आम तौर से तमाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, न यह सवाल इस किस्म का है कि ऐसा कायदा या कानून बनाया जा सकता है कि जिससे रोक हो जावे. मौजूदा जो कानून है उसके मुताबिक हर एक जुल्म या जब्र जो काश्तकारों के ऊपर जमींदारों की तरफ से हो, उस की वह चाराजोई कर सकता है. मजलिस आम में तो वही सवाल पेश होना चाहिये जिसका असर तमाम बाशिंदगान पर पडता हो. जिस हिस्से का यह सवाल है उस हिस्से में यह तै हो सकता है, यह सवाल मजलिस आम में हाथ में लेने के काबिल नहीं है.

एग्रीकलचर मेंबर साहब—यह शिकायत जो हलवाहों के मुताल्लिक है संवत १९७८ में इस मजलिस आम के रूबरू आचुकी है. उस वक्त सवाल यह पेश किया गया था कि हलवाहे लोग एक शख्स से रुपया लेने के बाद दूसरे के पास चले जाते हैं और रकम का बार दूसरों पर पडता है. जो हलवाहे दूसरी जगह रुपया लेकर चले जाते हैं उनको फौजदारी जुर्म में माखूज किया जावे, ऐसे रूल्स दरबार से हो चुके हैं. अब सवाल यह है कि हलवाहे लोग सताये जाते हैं और भाग जाते हैं, इसलिये एक सब-कमेटी कायम की जावे. इस वक्त जो बहस हुई है उससे मालूम होता है कि आम तौर से इसमे मुखालिफत है, इसलिये यह मुनासिब है कि मुजव्विज इसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पेश करें.

मूंगालाल साहब—जो कुछ भी एग्रीकलचर मेम्बर साहब ने फरमाया है उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तो जरूर मैं पेश करूंगा.

फिलहाल मैं दरबार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई ऑफिसर मेरे साथ कर दिया जावे तो मैं बतला सकता हूं कि जमींदार, काश्तकारान पर किस कदर जुल्म करते हैं. इस

मजलिस में काश्तकारों का कोई representative नहीं है जो उनकी पैरवी करे. मैं इस तजवीज को वापिस लेता हूं.

पोलीटिकल मेंबर साहब—जो सवाल इस वक्त जेर गौर है उस पर काफी बहस हो चुकी. एग्रीकलचर मेंबर साहब ने यह तजवीज जाहिर की है कि अगर इस मसले को मुजव्विज साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पेश करें तो बेहतर होगा. मुजव्विज साहब ने मंजूर कर लिया कि वह अपनी यह तजवीज जरूर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पेश करेंगे. मुझे दरबार मुअल्ला की खिदमत में और मेंबरान की खिदमत में जो अर्ज करना है वह यह है कि मुजाव्विज साहब की पेश करदा तजवीज किसी उसूल पर मबनी नहीं. ऐसी तमाम मजलिसों का तरीका यह होता है कि अगर कोई resolution रक्खा जाता है तो मुजव्विज एक तजवीज अपनी जानिब से पेश करके उसका इजहार करता है और लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं. इस तौर पर ख्यालात जाहिर करदा से यह मालूम हो जाता है कि लोग तजवीज के मुवाफिक हैं या मुखालिफ; मुराद मेरी अर्ज करने की यह है कि हर तजवीज में यह बतलाया जाना चाहिये कि इसमें यह नुक्स है और उसके रफा करने की क्या तदबीर है. मसलन अगर किसी मेंबर की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा resolution पेश किया जावे कि बारिश बहुत कसरत से होती है, पेड टूट जाता है, फसल गल जाती है, इसलिये एक सब-कमेटी मुकर्रर की जाये कि वह इन सब बातों के इन्सदाद के इन्तजाम की तजवीज करे; या यह कि मालवे में बारिश कसरत से होने व कीडे के पडने से कपास को नुक्सान होता है, इसलिये एक कमेटी मुकर्रर करदी जावे, तो इस किस्म के सब आम सवालात बेमानी हैं. जिस वक्त तक मुजव्विज यह न जाहिर करदें कि फलां तरीका मुकर्रर कर दिया जाये, तजवीज ना मुकम्मिल रहती है. लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूं कि हुजूर मुअल्ला इस के मुतअल्लिक आयन्दा के वास्ते Ruling सादिर फरमा दें.

हुजूर मुअल्ला—लॉ मेम्बर साहब आपकी क्या राय है ?

लॉ मेम्बर साहब—इस किस्म के resolutions देखे गये हैं कि फलां मुआम्ले में तहकीकात करने और उसके मुतअल्लिक राय देने के लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर की जावे, बशर्ते कि मुजव्विज convince करादें और इतमीनान दिलादें कि जरूरत इस अम्र की है कि एक सब-कमेटी कायम की जावे तो ऐसी तजावीज पर गौर किया जाता है. मेरा ख्याल है कि इस किस्म की तजवीज पेश की जा सकती है कि फलां मुआम्ले में यह नकायस हैं, जिनके रफे करने के लिये एक सब-कमेटी कायम की जावे.

हुजूर मुअल्ला—साल आयन्दा से इस तरीके को इख्तियार करना बहुत अच्छा होगा कि मुश्किलात जाहिर करके यह बताया जावे कि वह मुशकिलें किस तरह रफा हो सकती हैं.

नोटः—मुजव्विज साहब ने तजवीज वापिस ली.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २४.

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

उन मुख्तालिफ हिस्सेजात रियासत हाजा में जो तहत जागीरदार साहबान रियासत हाजा हैं, और जहां पंचायत बोर्ड्स कायम नहीं हैं वहां पंचायत बोर्ड्स कायम फरमाये जावें.

मुंगालाल साहब.—जब हुजूर मुअल्ला ने ब नजर परवरिश व बहबूदी रिआया रियासत के हर हिस्से में पंचायत बोर्ड कायम फरमाये हैं, तो वह रिआया जो जागीरदार साहब के तहत में है, जहां पंचायत बोर्ड कायम नहीं है, इस फायदे से क्यों महरूम रखी जावे. जागीरों में भी पंचायत बोर्ड कायम कराये जावें, ताकि वहां की रिआया भी उनसे फायदा उठावे.

बन्सीधर साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

लॉ मेंबर साहब—मुंगालाल साहब, इस बारे में दरबार से यही अमल हो रहा है जैसा कि आप चाहते हैं. संवत १९७८ की कॉन्फरेन्स जागीरदारान में दरबार का यह हुक्म हो चुका है कि:—

(१) जागीरात में पंचायत बोर्ड्स हुक्मन कायम कराये जावें, और

(२) जिन जागीरदार साहबान को फर्स्ट क्लास या सेकिन्ड क्लास के पावर्स हैं उनके इलाके में पंचायत बोर्ड्स कायम किये जावें.

चुनांचे दफ्तर मुन्तजिम साहब जागीरदारान से अहकाम जारी हो चुके हैं. आपकी गरज यही थी जो इससे हासिल होती है.

नोट:—मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज वापिस ली.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २५.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कानून पंचायत बोर्ड की दफा ६ की जिमन (२) में इत्तफाकी जरूरत के वक्त एक्स्ट्रा मेम्बर से ब हुक्म सूबा साहब काम लेने की ईमा है, मगर एक मेम्बर के बुखार आ जाने की वजह या दीगर किसी खास वजह से कोरम पूरा होने से खामी होती हो तो वक्त के वक्त पर सूबा साहब की मंजूरी हासिल करना दुश्वार है, इसलिये एक्स्ट्रा मेम्बर को काम चलाने के लिये सरपंच ही वक्त जरूरत बुला लिया करें.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २६.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

एक्ट पंचायत बोर्ड सम्वत १९७९ में हस्ब जैल तरमीम फरमाई जावे:—

दफा ६ की पोट कलम (२) की चौथी सतर के अखीर में से "ब हुक्म सूबा साहब मुतअल्लिका" यह कम कर दिया जावे.

तजवीज नम्बर २५ को बागमल साहब ने पेश किया.

मथुराप्रसाद साहब.—मैं ताईद करता हूं.

मुंगालाल साहब—तजवीज नम्बर २५ व २६ एकही हैं. दोनों को शामिल कर लेना बेहतर होगा. दोनों की गरज एक ही है.

लॉ मेम्बर साहब—तजवीज नंबर २५ व २६ की शक्ल एकही है, इसलिये इन दोनों सवालों को शामिल किये जाने की तजवीज बहुत मुनासिब है. इन दोनों तजावीज में जो मौजूदा कानून में

तरमीम तजवीज की गई है उससे मुझे इत्तफाक है और इस मुताबिक कानून पंचायत बोर्ड में जरूरी तरमीम की जायगी. मौजूदा provision की असली गरज यह भी कि अगर कोई मेम्बर ज्यादा अर्से के लिये बाहर जाये या गैर हाजिर हो जाये तो उसकी जगह का सूबा साहब के हुक्म से इन्तजाम करा लिया जाये. उसका तअल्लुक इत्तफाकिया गैर हाजरी मेम्बर से न था. बहर हाल इन तजावीज के मुताबिक कानून पंचायत बोर्ड्स में तरमीम करदी जायगी.

ठहराव—इन तजावीज के मुताबिक कानून पंचायत बोर्ड्स में तरमीम कर दी जावे.

फर्द नम्बर २, तजवीज नंबर २७.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मालवे में ब वजह काश्त अफयून जो चाहात कसरत से खुदे हुए थे, काश्त मसदूद हो जाने से उन चाहात की सफाई व मरम्मत बहुत कम होती जाती है. अब इन चाहात को हर मौसम में साफ और आबाद रखने का एक माकूल व बडा जर्या काश्त गन्ना ही रह गया है; लेकिन जहां २ गन्ना बोया जाता है और इससे जो गुड बनता है उसकी बिक्री जरा दिक्कत से होती है. इसलिये गुजारिश है कि मुनासिब व मौजूं मुकामात पर अगर मिस्ल मिल्स कपास, शकर बनाने के कारखाने भी इम्तहानन कायम किये जावें तो खुसूसन सीगे रेवेन्यू में बहुत फायदे होने की उम्मेद हो सकती है, और प्रजा को भी बहुत आसायश व इम्दाद का जर्या है. कारखाने शकर में एक मुश्त बिक्री गुड की होने की वजह से आबपाशी भी बहुत कुछ बढना बिल्कुल मुमकिन है और काश्त गन्ने की वजह से दीगर आबपाशी की अशियाय और फलदार दरख्त भी लगाये जाकर हर मौसम में सैराब रह सकती है.

लॉ मेम्बर साहब—(हुजूर मुअल्ला की खिदमत में अर्ज करते हुवे कहा) मुझे अफसोस है कि राय बहादुर ठाकुर ईश्वरी सिंह साहब तशरीफ नही रखते हैं. शायद परसों के इजलास में तशरीफ ले आयें.

हुजूर मुअल्ला—परसों पर इस सवाल को रखो.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २८.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

कमीशन एजेन्ट जो जुवा खिलाते हैं और उस रकम का दावा करते हैं व डिक्री हो जाती है, इसकी रोक होना चाहिये.

गुरदयाल साहब—मेरे तजुरबे में दो बातें आई हैं. एक ऐसे मुआम्लात होते हैं कि जिनमें सौदे की गरज होती है दूसरी यह कि ऐसे लोग जिनकी गरज यह होती है कि लेना है न देना है न असबाब लेने वाले हैं न देने वाले हैं, एक मुकर्ररा तारीख पर हार जीत होती है, और भाव में कमी

बेशी वाके होती है. इस दूसरी सूरत में यह देखा जाता है कि बहुत से लोग तबाह हो गये हैं. बहुत से ऐसे भी हैं जो बीच में रह कर जुवा खिलाते हैं और बतौर कमीशन एजेन्ट के कमीशन हासिल करते हैं. भिंड, मन्दसौर व दीगर मुकामात के साहूकार सट्टे की बदौलत तबाह व बरबाद हो गये. कानून सट्टे की इजाजत नहीं देता है, मगर जब बीच में एक शख्स दाखिल हो जाता है और जुवा खिलाता है, यानी जो खुद कुछ कारोबार नहीं करता है, और जो फर्क वाके हो वह अदा कर देता है तो ऐसे फर्क की नालिश की जाती है, और उसकी अदालत से डिग्री हो जाती है. लिहाजा अदब के साथ मेरी गुजारिश है कि इसकी रोक होना चाहिये और कमीशन एजेन्ट को अदा की हुई रकम की अदालत से डिक्री नहीं होनी चाहिये.

बन्सीधर साहब—मैं ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब— पेशतर इसके कि इस सवाल पर कोई राय कायम करदी जावे, मैं मुनासिब समझता हूं कि रुई के काम में वाकिफकार सेठ साहिबान की एक सब-कमेटी मुकर्रर की जावे तो इस मसले के हर पहलू पर बखूबी गौर होजाय. मेरी तजवीज यह है कि सब-कमेटी के मेम्बरान मुजव्विज साहब, बन्सीधर साहब, रामजीदास साहब, लालचन्द साहब, करमचन्द साहब, नामजद किये जावें और यह भी इजाजत दी जावे कि और जो साहबान शरीक होना चाहें, हो सकें. इसका तअल्लुक ट्रेड डिपार्टमेन्ट से है इसलिये यह कमेटी जेर सिदारत ट्रेड मेम्बर साहब होना चाहिये.

रामजी दास साहब—वकील साहब ने यह सवाल पेश किया है और इसमें ज्यादा ताल्लुक लॉ डिपार्टमेन्ट से है. इसलिये सब-कमेटी जेर सिदारत लॉ मेम्बर साहब होना चाहिये.

लॉ मेम्बर साहब—अगर आप की यह मन्शा है कि मैं भी इसमें शरीक होऊं तो मैं बखुशी शरीक होऊंगा.

नोट—हुजूर मुअल्ला ने सब-कमेटी की personnel को मंजूर फरमाया. इसके बाद ट्रेड मेम्बर साहब ने तकरीर शुरू की.

रामजीदास साहब—चूंकि हुजूर मुअल्ला ने सब कमेटी कायम फरमादी है, अब इस तकरीर का मौका नहीं रहा.

ठहराव—सब-कमेटी मजकूरा इस तजवीज पर गौर करके अपनी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे.

नोटः—इसके बाद हुजूर मुअल्ला ने फरमाया कि आज के इजलास का काम खत्म किया जाता है. शुक्रवार तारीख २७ मार्च सन १९२५ ई० को मजलिस का इजलास ११-३० बजे शुरू होगा.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार, सम्वत १९८१.

सेशन चौथा.

इजलास दोयम.

शुक्रवार, तारीख २७ मार्च सन १९२५ ई०, वक्त ११-४५ बजे दिन, मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. श्रीमंत हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू.

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीर खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई. मुशीर खास बहादुर, शौकतजंग, आर्मी मेम्बर.

४. श्रीमंत सदाशिवराव खासे साहब पंवार, होम मेम्बर.

५. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई ई., रेवेन्यू मेम्बर.

६. राव बहादुर, रावजी जनार्दन साहब भिडे, मुन्तजिम बहादुर, फायनेन्स मेम्बर.

७. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल-मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

८. सरदार साहबजादा सुलतान अहमदखां साहब, मुन्तजिम-उद्दौला, मेम्बर फॉर अपील्स.

९. राव बहादुर बापूराव साहब पंवार, मेम्बर फॉर एग्रीकलचर.

१०. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, साहब, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

११. रामराव गोपाळ देशपांडे साहब, मुहम्मद खेडा (शुजालपुर).

१२. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, वफादार दौलते सिंधिया, लश्कर.

१३. बन्सीधर साहब, भार्गव, उज्जैन.

१४. राजा रतनसिंह साहब, जागीरदार, मकसूदनगढ.

१५. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.

१६. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुरतरी (महगांव).
१७. मानिकचंद साहब, भिन्ड.
१८. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).
१९. रामजीवनलाल साहब, मुरैना
२०. महादेवराव साहब, जाऊदेश्वर.
२१. सुबालाल साहब, शिवपुरी.
२२. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).
२३. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ
२४. बलवंतराव साहब बागरी वाले (भेलसा).
२५. जगन्नाथप्रसाद साहब, मौजा भीलवाडा (शाजापुर).
२६. बागमल साहब, आगर.
२७. करमचंदजी साहब, उज्जैन.
२८. मयाराम साहब, चंदूखेडी (उज्जैन).
२९. कचरमल साहब, मन्दसौर.
३०. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.
३१. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझेरा)
३२. लालचंद साहब, राजगढ.
३३. राय बहादुर प्राणनाथ साहब, सभा-भूषण, लश्कर.
३४. हरमानजी साहब, मुरैना.
३५. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.
३६. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
३७. चतुर्भुजदास साहब, वकील, आगर.
३८. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.
३९. गुरुदयाल साहब, वकील, मन्दसौर.
४०. कृपा शंकर साहब, बडिया (बाकानेर).
४१. रखबदास साहब जौहरी, लश्कर.
४२. लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी, गुना.
४३. धुन्डीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
४४. बृन्दावन साहब, भिन्ड.
४५. गुलाबचंद साहब, शिवपुरी.
४६. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, जागीरदार, बिलौनी.
४७. ठाकुर रघुनाथसिंह साहब, चिरौला.
४८. ठाकुर प्रल्हादसिंह साहब, कांल्हखेडा (मन्दसौर).
४९. सरदार श्रीधर गोपाल आपटे साहब, लश्कर.
५० शंकरलाल साहब, मुरार.
५१. मुरलीधर साहब गुप्ता, वकील, लश्कर.
५२. बटुकप्रसादजी साहब, वकील, उज्जैन.
५३. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.
५४. मुहम्मद अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी, लश्कर.

फर्द नंबर २ तजवीज नं ८

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मालगुजारी वसूल होने की अखीर तारीख ३० जून रखी गई है जिस से जमींदारान को सख्त नुकसान उठाना पडता है और तहसीलदार साहब को बडी दिक्कत होती है और जमींदारान व काश्तकार को अपना गल्ला जल्दी फरोख्त करना पडता है और साहूकार इस मालगुजारी लगने के मुन्तजिर रहते हैं. इसलिये गुजारिश है कि बजाय ३० जून के तारीख ३१ जौलाई साल अखीर रखी जावे, ताकि जमींदारान व हाकिम परगना को सहूलियत होकर मुफीद काश्तकार पेशा हो जावे.

लॉ मेम्बर साहब.—जामिनअली साहब मौजूद नहीं हैं, क्या ऐसी हालत में कोई और साहब इस सवाल को पेश करना चाहते हैं ?

गुरदयाल साहब.—मैं इस सवाल को पेश करना चाहता हूं. हुजूर आली ! फसल पैदा होजाने के बाद जितनी जल्दी काश्तकार को बेचना पडता है उसमें उसको नुक्सान होता है. फसल कटने के करीब नाज का निर्ख हमेशा सस्ता रहा करता है और जब काश्तकारान के कब्जे से माल निकल जाता है तब मंहगाई हो जाती है. उतने ही दिन और काश्तकारान के मुतअल्लिक बढा दिये जावें.

बन्सीधर साहब.—मैं ताईद करता हूं.

मथुराप्रसाद साहब.—३० जून जो मुकर्रर है वह ही ठीक है; क्योंकि चना जो है वह मार्च में कट जाता है और गेहूं १५ अप्रेल तक ढाई माह बेचने के वास्ते काफी हैं, इसलिये जो तारीख मुकर्रर है वह ठीक है.

हरभानजी साहब.—मैं इस राय की ताईद करता हूं.

कृपाशंकर साहब.—मैं इस राय से इत्तफाक करता हूं.

जगन्नाथप्रसाद साहब.—मैं इस राय से इत्तफाक करता हूं.

लक्ष्मीनारायण साहब—मैं इसकी ताईद करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—क्या आपकी राय यह है कि ३० जून ठीक है ?

महादेवराव साहब—हुजूर वाला, ३० जून जो है वही रखी जावे. क्योंकि साबिक में ३१ जौलाई थी उस में बहुत अडचन होती थी इस वजह से अब ३० जून रखी गई है.

हुजूर मुअल्ला—अब कोई और साहब कुछ कहना चाहते हैं ?

हरभानजी साहब.—३० जून ठीक है.

गुलाबचन्द साहब.—मैं भी ताईद करता हूं कि ३० जून ठीक है.

फाइनेन्स मेम्बर साहब—हुजूर मुअल्ला, इस वक्त दो किस्त हैं, एक खरीफ और दूसरी रब्बी की. यह सवाल जो जून और जौलाई का है यह दूसरी किस्त के मुतअल्लिक है. किस्त की तारीख जिस फसल पर मबनी है वह सोच समझ कर रखी गई है; वह बहुत दुरुस्त है. इस ख्याल से यह तारीख रखी गई है कि फसल कट कर माल तय्यार होने पर मन्डी में आजावे. इस में काश्तकारान को इतनी गुंजायश मिलती है कि वह इस अर्से में माल को बेचलें. तमाम जगह अकसात का इनहिसार

फसल पर रहता है. यह तजवीज तिजारती पहलू को लिये हुए है. रब्बी की फसल गेहूं, चना फागुन अखीर तक कट जाती है इसके लिये कम अज कम दो माह पूरे मिलते हैं. इसमें अब सिर्फ प्रपोजल इतना है कि एक महीना और बढाया जावे. इसके वजूह यह बताये गये हैं कि जमींदार को नुक्सान होता है और तहसीलदार को बडी दिक्कत होती है. जहां तक मेरा ख्याल है जमींदार साहबान व तहसीलदार साहबान को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि तहसीलदार को पहिले जरूर यह शिकायत थी जो पुराने जमाने की बात है. दिक्कत दो मौकों पर आती है, एक खुश्कसाली व कहतसाली पर और दूसरी नादिहन्दों के साथ आती है. पहिला मौका जो आता था उसकी दिक्कत को दरबार ने रफा कर दिया है यानी उसकी थाम (रोक) मुकर्रर कर दी है. वह यह कि कहत-साली की बकाया आयन्दा सालों में वसूल की जावे. यह एक ऐसा सीधा साधा उसूल डाल दिया गया है कि अब किसी बात की दिक्कत नहीं रही और दूसरी दिक्कत नाहिन्दगान से है, वह हर साल रहेगी; उनके लिये चाहे जौलाई की, चाहे अगस्त की, चाहे सितम्बर की तारीख रखी जावे, मगर जो नाहिन्द हैं उनकी दिक्कत मिट नहीं सकती. जल्दी और देर यह Comparative terms हैं. दो माह के लिये जो ऊपर कहा गया है तो इसके लिये अगर दो माह कम कहे जाते हैं, तो तीन माह भी कम कहे जा सकते हैं. इसमें जो मतलब की बात है वह अखीर के फिकरे में आई है जो सारी तजवीज की जड है. अगर मियाद बदल दी गई तो भी साहूकारान को मालूम होगा और वह इसके हमेशा मुन्तजिर रहेंगे कि अगस्त की मियाद होगई, वह अगस्त के वास्ते ताक लगाये रहेंगे. लेकिन जैसे बेचने वाले वहां आते हैं वैसे ही वहां खरीदार भी आते हैं, कोई मॉनोपोली नहीं. खरीदार भी दिसावर के आते हैं, और हर खरीदार चाहता है कि जितना ज्यादा ले सकूं मैं लेलूं. दूसरे अगर एक महीना बढा दिया जावे तो भी वही दिक्कत और मजबूरी होगी और यह खरीदार लोगों की मजबूरी है वह भी उसी वक्त आवेंगे. तीसरी बात इसमें यह है कि तौजी के भरने के लिये गल्ला जरूर बेचना पडता है मगर उसकी निस्बत देखना यह है कि वह कितना होता है; यानी तौजी में एक गुना देना पडता है, हालांकि गल्ला तौजी की मिकदार से तिगुनी कीमत का पैदा होता है. लिहाजा काश्तकारान व जमींदारान को चाहिये कि जितना गल्ला बेचने की तौजी के लिये जरूरत हो उतना बेच देवें और बाकी का गल्ला उस वक्त बेचें जब उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिले. मेरे पास सब फिगर्स मौजूद हैं उनके देखने से सब हाल मालूम हो सकता है. गरज यह कि यह सब तजवीज तिजारत के पहलू पर है; लिहाजा जो जमींदार तिजारत करते हैं यह उनके interest की बात है. ऐसे जमींदार व काश्तकार कितने होंगे, इस वक्त एक आद होगा, ९९ फी सदी ९५ फी सदी नहीं होंगे. जाहिर है कि एक फी सदी या ५ फी सदी के वास्ते कोई कायदा जो ९९ फी सदी या ९५ फी सदी की हालत के मुताबिक है कैसे बदल दिया जावे—यह तजवीज जो पेश की गई है इससे फायदा नहीं होगा, नुक्सान होगा, क्योंकि मोटीसी बात है कि जौलाई में बरसात शुरू होजाती है इस वक्त गल्ला फरोख्त नहीं किया जा सकता, लिहाजा यह तजवीज काबिले मंजूरी नहीं है.

लॉ मेम्बर साहब.—मुजव्विज साहब अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं.

गुरदयाल साहब.—काश्तकार व जमींदार लोग नाज बेच कर या साहूकार से रुपया उधार लेकर तौजी अदा करते हैं और साहूकार को ब्याज देते हैं. इस सहूलियत की गरज से मैंने कहा था.

रामराव देशपांडे साहब.—दरबार से मेरी यह गुजारिश है कि जब काश्तकारान की तरफ तौजी देने की पडेगी तो वह कोई से महीने में देने को तैयार हो जावेंगे.

हुजूर मुअल्ला.—(देशपांडे साहब से, जो हिन्दी में अपना मतलब अदा न कर सके) **बाबा साहब,** मराठीत बोला.

रामराव गोपाल देशपांडे साहब—जून अखेर साल अखेर आहे. सध्याची तारीख रिआयाच्या फायदा करिता ठेवलेली आहे. रिआयाचे नुक्सान न व्हावे व रिआयाला फायदा मिळावा या करितां जून अखेर जी तारीख ठरलेली ती ठीक आहे, अशा माझी खात्री आहे. ज्या ज्या वेळेला रुपया भरला जातो त्या त्या वेळेला माल बिकून रुपया तहसीलात जमा केल्या वाचून मार्ग नाहीं. तारीख वाढविण्या ची सुचना हे रोजगार करण्याचे यंत्र आहे, त्यांत कांही अर्थ नाहीं. १५ मे अखेर माल तयार होतो आणि पुढें तो विकला जातो. रुपया भरताना रिआयाला जी तवालत पडते ती तारीख वाढविल्याने ही रफा होणार नाहीं. सध्याही तहसीलदार व काश्तकारांना गडबड पडत नाहीं, जी व्यवस्था आहे ती ठीक आहे.

बिन्द्रावन साहब—मुझे इस राय से इत्तफाक है. मैं ताईद करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—चतुरभुजदास वकील, आगर ! आप भी कुछ बोलने वाले थे ?

चतुरभुजदास साहब—अगर यह तिजारत के वास्ते है और यही लिहाज रखना हो तो ३ सितम्बर रखना चाहिये; वर्ना जो फायनेन्स मेम्बर साहब ने फरमाया है उससे मुझको इत्तफाक है.

लॉ मेम्बर साहब—अब इस तजवीज के मुतअल्लिक वोट ले लिये जावें.

ठहराव—वोट लिये जाने पर कसरत राय से करार पाया कि जो तारीख अदायगी किस्त मालगुजारी इस वक्त मुकर्रर है वह मौजूं है और तजवीज ना मंजूर की जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जो रुपया आमदनी खिडकहाय से बाद खर्च बचे, वह बेकार बूढ़ी गायों की परवरिश में खर्च करने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दरबार मुअल्ला ने अता फरमाया है, मगर इसका अमल हर जिले में सिलसिलेवार व यकसां नहीं है, जिसकी वजह से वह गरज, जिसके लिये दरबार आलीविकार ने यह रुपया अता फरमाया है, हासिल नहीं होती.

बूढी व बेकार गायें अक्सर गौशालाओं में रहती हैं या कभी २ खिडक में भी ऐसी गायें आ जाया करती हैं. खिडक में जो गायें आती हैं वह मुफ्त जमींदारान या दीगर अशखास को दी जाती हैं, वह न दी जाकर खिडक में जो गायें आयें वह सब गौशालाओं में, जो करीबतर हों, भेजी जाया करें तो फिर सिवाय गौशालाओं के ऐसी गायों के परवरिश की दूसरी जगह नहीं. गौशालायें करीब करीब रियासत के हर हिस्से में मौजूद हैं.

रियासत हाजा के खिडकों से जिस कदर रुपया बचत हो वह कुल इकट्ठा करके सूद पर लगाया जावे और जो आमदनी सूद से हो वह बतवस्सुत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स गौशालाओं को दी जावे तो बहुत ही मुफीद होगा.

मूंगालाल साहब—सरकार ! खिडकहाय रियासत हाजा की आमदनी से बाद सर्फा जो बचत हो वह कुल रुपया बेकार गायों की परवरिश के लिये, मिनजानिब दरबार अता फरमाया गया है. मुलाहिजा हो सरक्यूलर नम्बर ५, सम्वत १९७१, तारीख २२ मार्च सन १९२२ ई., मजर्या रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट.

सरक्यूलर मजकूर को जारी हुए अर्सा तीन साल गुजर चुका है, मगर हिनोज उसका अमल दरामद रियासत हाजा के हर हिस्से में यकसां तरीक पर होना नहीं पाया जाता है. सम्वत १९७८-व १९७९ में जो खर्चा हुआ उसकी तफ्सील रिपोर्ट लोकल बोर्ड (मुतअल्लिक परवरिश बेकार गायें) में दर्ज है. इस तरीक पर खर्चा होना, उससे वह गरज पूरी नहीं हो सकती है जिसके लिये यह रुपया अता फरमाया गया है.

इस वक्त रियासत हाजा में ऐसी पब्लिक या सरकारी कोई institutions अलावा गौशाला नहीं जहां ऐसी गायें इकट्ठी होकर परवरिश पाती हों, अलबत्ता कभी कभी खिडक में ऐसी गायें आजाया करती हैं.

खिडक में जो बोर्ड पंचायत के under में है, जो गायें आयें, और उनको अन्दर मियाद मालिकान मवेशी न छुडायें तो वह नीलाम न होकर गऊशाला में भेज दी जावें, या किसी जमींदार को, जो उनकी परवरिश कर सकता है, सिपुर्दगी में देदी जावें, ऐसा दस्तूरुल अमल माल, सम्वत १९७६, कलम नम्बर ३३, पोट कलम नम्बर (१७) में ईमां है, मगर जहां तक मेरे देखने में आया है इस ऑर्डर की तामील भी ठीक तौर पर मिनजानिब मेम्बरान पंचायत बोर्ड्स नहीं होती. मैं खुद एक बोर्ड का मेम्बर पांच साल से हूं और अलावा इसके, इसके मुतअल्लिक कई बोर्डों का काम देखने का इत्तफाक हुआ तो यही पाया गया कि इसका फायदा वही लोग उठाते हैं जिनका सरपंच, मेम्बरान पंचायत बोर्ड्स से सरोकार व रिश्ता है, और वह भी उनकी परवरिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर गाय दूध देती हुई है तब तो उसको बांधते हैं, चारा डालते हैं, वर्ना सिपुर्दगी में लेकर फिर उसकी वक्त पर चारे पानी की खबर नहीं लेते जो अवाम की शिकायत का बायस व वजह करने नुक्सान होता है. अगर यह तरीका बंद कर दिया जाकर वह कुल गायें, जो खिडक में लावारिस करार पावें, गौशालाओं में भेजी जाया करें तो फिर सिवाय गौशाला के और कोई ऐसी संस्था नहीं रह जाती जहां बेकार गायें परवरिश पा सकें. और गौशाला एक ऐसी खैराती संस्था है जो करीब करीब रियासत के हर हिस्से में है, और हो भी रही है, और इस संस्था से सबको मदद भी है. संवत १९७८ में इस फंड की रकम बाद खर्च १६,७५२ रुपये थी व संवत १९७९ में २२,१३१।।≡) आमदनी हुई; जिसमें ८,३१९)७ खर्च हुई १३,८१२।।=)५ सिलक बची, इसी तरह संवत १९७८।७९ में कुल रुपये ३०,५६४।।=)५ की बचत हुई. संमत १९८० के फिगर्स दस्तयाब नहीं होसके व संवत १९८१ भी खत्म होने को आया. इन दो सालों का भी रुपया बचत का इतना ही और समझ लिया जावे, तो करीब साठ हजार के सिलक इस फन्ड की होती है. यह रुपया कुल सूद पर लगाया जावे. सूद फी सदी ।।) सैकडा माहवार मान लिया जावे तो करीब ३,६००) रुपये की आमदनी सालाना सूद से इस वक्त हो सकती है जो फिलहाल फी जिला करीब तीनसौ साडे तीनसौ के गौशालाओं को बेकार गायों की परवरिश के लिये, ब तवस्सुत जिला बोर्ड दी जा सकती है, और इस तरीक पर यह काम चला तो यह फन्ड दिन ब दिन बढताही जाकर उसकी आमदनी उतनी होने लगेगी जितना कि सरक्यूलर नंबर ५ में, जिसका जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूं, अन्दाजा किया गया है. बल्कि चन्द ही रोज में यह फन्ड इतना बढ जावेगा कि जिसकी आमदनी से सिर्फ बेकार गायों की ही परवरिश नहीं बल्कि और भी कोई मुफीद स्कीम इसके

मुतअल्लिक जारी हो सकेगी. और यह रकम बतौर ग्रांट दरबार की तरफ से गौशालाओं को मिलने का मौका हासिल होगा, जो हर तरह से इस वक्त इमदाद की मोहताज हैं. पस इन वजूहातों के साथ मैं इस तजवीज को मजलिस में पेश करता हूं. मेरे लायक दोस्त मेम्बरान मजलिस आम, इस तजवीज के पास होने बाबत दरबार मुअल्ला की खिदमत में सिफारिश करेंगे, ऐसी मुझे उम्मेद है.

यह तजवीज ऐसी है कि जिसका ऐलान होते ही हर एक जमींदार अपने अपने मौजे में जमींदारी दफ्तर कायम करके बमूजिब हिदायात मुन्दर्जे मेमोरेन्डम नंबर २५-३० अमल करने की कोशिश करके खिडक कायम कराने की मंजूरी हासिल करेगा, क्योंकि इसमें दोनों तरह का फायदा होता है, यानी आमदनी का भी जर्या है व थोडे से इख्तियारात भी मिलते हैं. आज कल हर एक शख्स इख्तियारात का ज्यादा ख्वास्तगार है. जो बचत हो उसमें से ¼ हिस्सा बिल एवज महनताना दिलाया जावे, ऐसी मेरी राय है.

पस इस उम्मीद पर मैं इस तजवीज को मजलिस में पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त मेम्बर साहबान मजलिस, व खास कर जमींदार साहबान, दरबार मुअल्ला की खिदमत में इसके पास होने बाबत सिफारिश करेंगे.

कृपाशंकर साहब—आपकी तजवीज की ताईद में मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि बुड्ढे बैल और नस्ल खराब करने वाले सांड भी गौशाला में रखे जावें.

गुरदयाल साहब—मैं भी इस राय से इत्तफाक करता हूं. जो जानवर बैल या गाय बेकार होजाते हैं वह कांजी हाउस में नहीं रखे जाते, गौशाला में भेज दिये जाते हैं, और गौशाला वाले भी उनकी परवरिश नहीं करते, वह आवारा बाजारों में फिरते हैं और दूकानदारों का नुक्सान करते हैं. इस आमदनी से उनकी परवरिश हो जावेगी.

हुजूर मुअल्ला—(लॉ मेंबर साहब से) यहां कितने साहबान ऐसे होंगे जिनके तअल्लुक खिडकों से है ?

लॉ मेंबर साहब.—(बाद दरियाफ्त, हुजूर मुअल्ला की खिदमत में) ग्यारह साहबान ऐसे हैं जिनका तअल्लुक खिडकहाय से है और उनके नाम यह हैं:—

१. महादेवराव साहब, २. मथुराप्रसाद साहब, ३. चतुरभुजदास साहब, ४. बन्सीधर साहब, ५. गुरुदयाल साहब, ६. शंभूनाथ साहब, ७. शंकरलाल साहब, ८. हरभान साहब, ९. छतरसिंह साहब, १० मूंगालाल साहब और ११ महादेवराव साहब.

हुजूर मुअल्ला.—आप साहबान ने, जिनका तअल्लुक खिडक से है (ख्वाह वह म्युनिसिपेलिटी की खिडक हो या गांव की) मूंगालाल साहब की तकरीर को सुन लिया. इसमें दो बातें बतलाई गई हैं, एक तो यह कि खिडकों की आमदनी के लिये फन्ड कायम किया जावे. दूसरी बात जो अस्ल नुक्स की बात है यह बतलाई गई है कि ज्यादातर खिडक से फायदा वही लोग उठाते हैं जो मैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं और वह लोग उसी वक्त तक मवेशियों को रखते हैं जब तक वह दूध देते हैं, फिर आवारा छोड देते हैं जिसकी वजह से अवाम को तकलीफ होती है. पहले मैं दूसरी बात की निस्बत यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि आया यह fact है या नहीं और आप लोगों को इससे वाकफियत है या नहीं ?

महादेव राव साहब—हुजूर वाला, शोपुर में जो खिडक है वहां अगर दस दिन के अन्दर मालिक आजाता है तो उसे मवेशी दे दी जाती है, वर्ना बाद दस रोज के इश्तहार १५ योम जारी किया जाता है व इस मुद्दत के खतम होने पर गाय गौशाला में भेज दी जाती है. गाय के दूध वगैरा का कोई पंच या सरपंच फायदा नहीं उठाता.

हुजूर मुअल्ला.—आपका (मूंगालाल साहब का) कहना तो यह है कि जब तक गायें दूध देती हैं उनका फायदा management करने वाला उठाता है और जब वह दूध नहीं देतीं अलग करदी जाती हैं जिससे अवाम का नुक्सान होता है; गोया उनका attack यह है कि सरक्यूलर नंबर ५ की पंचायत बोर्ड तामील नहीं करते. आया यह वाकया है या नहीं; यानी आपका management ठीक है या नहीं, इसका जवाब मुझको चाहिये. अगर वाकया है तो उनका कहना बिलकुल ठीक है.

महादेवराव साहब.—दूसरे जिले की मैं नहीं कह सकता, मगर शोपुर जिले में यह बात नहीं है, जब गायें गौशाला में परवरिश पाती हैं तो पंच और सरपंच किस तरह फायदा उठा सकता है, क्योंकि दूध दे या न दे, खिडक में गायें रखने की मुद्दत दस योम की रखी गई है व इश्तहार की १५ योम, इसके बाद वह गौशाला में भेजदी जाती है.

हुजूर मुअल्ला—तो आपका मतलब है कि शोपुर के मुतअल्लिक यह शिकायत ठीक नहीं है.

गुरदयाल साहब—जब से गौशाला कायम है, वहीं मवेशी भेजी जाती हैं.

हुजूर मुअल्ला—(मूंगालाल साहब से) तुम्हारी गौशाला के मुतअल्लिक कोई शिकायत है ?

मूंगालाल साहब—जी नहीं, खिडक की निस्बत शिकायत है.

गुरदयाल साहब—गौशाला की कोई शिकायत नहीं है लेकिन बात यह है कि जब तक वह तन्दुरुस्त रहती व दूध देती हैं तब ही तक वही वहां रक्खी जाती हैं.

हुजूर मुअल्ला—यानी management का जब तक फायदा होता है.

मूंगालाल साहब—जब तक गायें दूध देतीं हैं वहां रक्खी जाती हैं, दाना चारा मिलता है लेकिन बेकार होजाने पर निकाल दी जाती हैं.

गुरदयाल साहब—लेकिन जहां गौशाला नहीं हैं वहां लामुहाला जमींदार को गाय दी जावेगी और जब तक वह दूध देती है वह रखता है, फिर छोड देता है यह शिकायत गलत है.

हुजूर मुअल्ला—आप के यहां भी गौशाला है, वहां क्या हाल है ?

गुरदयाल साहब—हमारे यहां तो गौशाला है, वहां इसका सवाल ही नहीं. जहां गौशाला नहीं वहां यह बेहतर होगा कि एक ऐसा मुकाम बना दिया जावे जहां बेकार जानवर रक्खे जा सकें.

महादेवराव साहब—हुजूर वाला, जो मेम्बरान पंचायत बोर्ड हैं वह ऐसा हरगिज नहीं कर सकते. हमें तो सख्त मुमानिअत है कि नीलाम में भी मेम्बरान बोर्ड मवेशी न लें.

हुजूर मुअल्ला—(मूंगालाल की तरफ इशारा करके) आपके कहने को क्या आप गलत समझते हैं ?

महादेवराव साहब—जी. हां.

हुजूर मुअल्ला—यह आपका जाब्ते का जवाब तो ठीक है.

गुरदयाल साहब—दर अस्ल आपकी शिकायत पर गौर करने का उस वक्त मौका हो सकता है जब आप (मूंगालाल साहब) यह बतलावें कि फलां जमींदार या फलां शख्स मेम्बर था उसको गाय दी गई, जब तक वह दूध देती रही उसने उसे रक्खा, फिर निकाल दिया.

मथुराप्रसाद साहब—मेरा ख्याल है कि मुजव्विज साहब ने जो कहा है व पंचायत बोर्ड पर attack किया है यह गलत है. उसकी कानून में सख्त मुमानियत है.

हुजूर मुअल्ला—कानून में तो सख्त मुमानियत होती है लेकिन उसका इन्साफ काम करने वाले के हाथ में होता है. मसलन कानून यह कहता है कि जिसने कत्ल किया है उसे सजा दी जाय मगर वाकई कत्ल करने की सूरत में इन्साफ करने वाला फैसला करता है कि चूंकि चश्मदीद शहादत नहीं है, लिहाजा मुल्जिम बरी किया जावे. पस असली हालत में दर्याफ्त करना चाहता हूं.

मथुराप्रसाद साहब—असली बात यह नहीं है. अगर मुजव्विज साहब के पास कोई नजीर है तो बतलावें. मगर जहां तक मेरा ख्याल है यह बिल्कुल सही नहीं है. अगर कोई खिलाफ वरजी करेगा तो सजा पावेगा.

हुजूर मुअल्ला—जो आपने वजूहात व procedure बयान फरमाया है वह बिलकुल ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जाब्ते के मुताबिक ही काम होता होगा, मगर मैं ने तजकरन यह आपसे पूंछा कि यह वाकया है या नहीं ?

चतुरभुजदास साहब—मूंगालाल साहब की जो शिकायत है वह मेरी समझ में इस तौर से सही है कि मेम्बरान पंचायत बोर्ड गायों को उन लोगों के सपुर्द कर देते हैं जिनसे उनका ताल्लुक है. लाजिमी अमर यह है कि मेम्बरान पंचायत बोर्ड गाय उनके सपुर्द करेंगे जिनकी तरफ से उन्हें इत्मीनान होगा कि वह उसे कहीं फरोख्त न करेंगे बल्कि अच्छी तरह रखेंगे. जहां पर confidence का सवाल है, यह जरूरी है कि वह उनके रिश्तेदार हों या दोस्त, या कम से कम जान पहचान के, क्योंकि जब तक कुछ वास्ता न हो confidence नहा हो सकता. मेरे ख्याल में दर असल यह शिकायत नहीं है. दूसरी बात यह है कि जब तक गाय दूध देती है जिनको सुपुर्द की जाती है वह उसे हिफाजत से रखते हैं और फिर उसे अलग कर देते हैं. यह तो इन्सान का कुदरती खास्सा है कि जब तक उसे किसी चीज से फायदा होता है वह उसे हिफाजत से रखता है, वरना उसे अलग करने की कोशिश करता हैं क्योंकि हर एक का Moral character इतना जबरदस्त नहीं हो सकता कि किसी चीज से फायदा न होने पर भी उसकी हिफाजत करे.

हुजूर मुअल्ला—बहुत दुरुस्त है. आप भी rising star हैं. आपने बहुत बजा कहा, कि यह आम कायदा है कि जब तक फायदा हुआ चीज पास रखी, बाद को अलहदा कर दी. क्या उन्होंने तजकरा किया है कि शिकायत नहीं है ?

चतुरभुजदास साहब—मेरी अर्ज यह है कि अगर कोई नाजायज फायदा उठा कर मेम्बरान ऐसा करें तबतो शिकायत बजा है

हुजूर मुअल्ला—तो आपका यह कहना है कि यह शिकायत नहीं है. (मूंगालाल से) आपको शिकायत है या क्या ?

चतुरभुजदास साहब—मैं मुजव्विज साहब से तशरीह के साथ दर्याफ्त करना चाहता हूं कि क्या मेम्बरान नाजायज फायदा उठाकर सपुर्द कर देते हैं, या जान पहचान के जर्ये से. क्या आपका मतलब यह है कि वह ऐसे शख्स को सपुर्द करें जिसे वह जानते भी न हों.

हुजूर मुअल्ला—मूंगालाल साहब, आपको उमूर तन्कीह का जबाब देना चाहिये.

मूंगालाल साहब—मैं जवाब देताहूं. (चतुरभुजदास साहब से) कौन २ सी बातें आप दरियाफ्त फरमाते हैं ?

चतुरभुजदास साहब—पंचायत बोर्ड के नजदीक जब मियाद खत्म होजावे तो लामुहाला ऐसे शख्स को सपुर्द करेगा जो उसके इतमीनान का है. अब सवाल यह है कि आया वह कोई नाजायज फायदा उठा कर सपुर्द करते हैं या क्या. हां अक्सर मुकामात पर आपस में भाई बन्दी

का ऐसा मजबूत सिलसिला है कि वह दूसरे मुकामात वालों को दे ही नहीं सकते. शायद आप इसी के बारे में कहते हों, लेकिन यह कोई नाजायज फायदा लेकर नहीं होता.

मूंगालाल साहब—नाजायज फायदा नहीं उठाते, मेरा यह मतलब नहीं है. दस्तूरुल अमल की मन्शा है कि ऐसे मवेशी पहले गौशाला में भेजे जावें, अगर गौशाला न हो तो जमींदार को दी जावें, मगर ऐसा नहीं होता है; बल्कि गौशाला में न भेजते और जमींदार को न देते, अहलकारान व चपरासियान दूसरों के मार्फत से लेते हैं.

हुजूर मुअल्ला—इसकी निस्बत उनका (चतुरभुजदास का) यह कहना है कि जहां जान पहचान या इतमीनान होता है वहीं सपुर्द करते हैं और कोई नाजायज फायदा नहीं उठाते फिर आपको क्या शिकायत है?

मूंगालाल साहब—जैसा दरबार का हुक्म हो.

हुजूर मुअल्ला—दरबार हुक्म की जरूरत है तो सरक्यूलर नंबर ५ मौजूद है. आपका (चतुरभुजदास साहब का) तो यह कहना है कि नाजायज फायदा उठाकर नहीं देते; बल्कि जिन पर इतमीनान होता है उन्हीं को देते हैं.

मूंगालाल साहब—दस्तूरुल अमल माल में तशरीह है कि गौशाला या जमींदार को ही मवेशी देना चाहिये जो अच्छी तरह उनकी परवरिश कर सकें.

हुजूर मुअल्ला—उनका (चतुरभुज दास का) कहना है कि अहलकार चपरासियान को नहीं दी जातीं, बल्कि जमींदारान को ही दी जाती हैं.

मूंगालाल साहब—दो चार जगह ऐसा ही अमल नजर आया.

हुजूर मुअल्ला—आप वकील साहब से बहस कीजिये; मैं तो आपको याद, दिलाता हूं.

गुरदयाल साहब—गौशाला नहीं हैं तो बनवाई जावें.

मूंगालाल साहब—गौशाला सब जगह हैं.

गुरदयाल साहब—बतलाइये मन्दसौर में कितने खिडक हैं और कितनी गौशाला हैं ?

मूंगालाल साहब—मेरे पास इस वक्त वह फिगर्स नहीं हैं; लेकिन मैं बाद दरयाफ्त बतला सकूंगा.

गुरदयाल साहब—अगर जान पहचान के आदमियों को मवेशियान न दी जावें तो अनजान आदमियों की निस्बत यह कैसे इतमीनान किया जा सकता है कि वह अच्छी तरह उनकी परवरिश करेंगे और यह सवाल कि लोग जब तक गाय दूध देती है उसे रखते हैं और बाद में उसे आवारा छोड देते हैं, समझ में नहीं आता.

हुजूर मुअल्ला—इतना चक्कर क्यों लगाते हो. सीधी सी बात यह है कि दरबार के अहकाम इतने हैं और उनमें से किसी की तामील नहीं हुई. मेंबरान पंचायत बोर्ड अपने दोस्तों के साथ रियाअत करके गायें उन्हें दे देते हैं जो ठीक नहीं, बल्कि गौशाला को देना चाहिये. आपका कहना है कि जहां गौशाला नहीं है वहां क्या किया जावे? तो इसका यह जवाब है कि ऐसी सूरत में जमींदार को देना लाजिमी है. दरअस्ल मेम्बरान पंचायत बोर्ड ऐसा करते हैं या नहीं, इसका जवाब आप दीजिये.

गुरदयाल साहब—एक हद तक तो.................

हुजूर मुअल्ला—आपका यह कहना भी मुझे शक दिलाता है.

गुरदयाल साहब—मैं उसी हिस्से में जा रहा हूं....................

हुजूर मुअल्ला—हां आप जाइये उसी हिस्से में, लेकिन रुकावट कैसी ?

गुरदयाल साहब—इस हद तक मुझे इत्तफाक है कि जहां गौशाला हों, गौशालाओं में ही दीजावें और जहां गौशाला नहीं वहां जमींदार को; मगर जहां यह दोनों सूरतें न हों वहां क्या किया जावे ? मुजव्विज साहब का जो यह कहना है कि दीगर लोगों को अगर गाय दी जाती है तो वह जब तक गाय दूध देती हैं उसे रखते हैं, बाद में निकाल देते हैं, इसका मुझे यकीन नहीं होता और मेरे ख्याल में शायद ही ऐसी कोई नजीर मिले इसलिये मुझे इससे इत्तफाक नहीं.

हुजूर मुअल्ला—असल शिकायत यह है कि जिन पर वह मेहरबानी करना चाहते हैं उनको दे देते हैं.

मूंगालाल साहब—मैं भी पंचायत बोर्ड का मेंबर हूं और इस बात को साबित कर सकता हूं.

हुजूर मुअल्ला—आप जिला बोर्ड के भी मेंबर हैं. आपको चाहिये था कि वहां इस मुआम्ले को रखकर तय कर लेते, वहां आपने रखा था क्या ?

मूंगालाल साहब—जिला ईसागढ में ऐसा तय हो चुका है कि सूद की आमदनी गौशाला को दी जावे.

हुजूर मुअल्ला—रुपये का सवाल मैंने नहीं उठया है. आपकी जिस बारे में शिकायत है वह जिला बोर्ड में आपने रखी थी या नहीं, यह सवाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रखना चाहिये. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसलिये है कि जिले की उन्नति करना ही उसका काम है.

मूंगालाल साहब—दूसरा हिस्सा नहीं रखा.

हुजूर मुअल्ला—जिले की Prosperity को बढाना ही जिले बोर्ड का काम है वहां यह सवाल रखना चाहिये.

मूंगालाल साहब—साल गुजिश्ता में किसी मेंबर साहब ने इस किस्म की तजवीज मजलिस में पेश की थी, मगर उसकी ताईद न होने से वह ड्रॉप हुई. मैंने इस तजवीज के मुतअल्लिक तरमीम पेश की थी, मगर असल तजवीज ड्राप होजाने से मेरी तरमीमी तजवीज पर गौर नहीं हो सका. इसी बिना पर यह तजवीज यहां इमसाल पेश की है.

हुजूर मुअल्ला—(महादेवराव से) हां भैया साहब, आप क्या कहना चाहते हैं ?

महादेवराव साहब—(मूंगालाल साहब से) आप तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक मेम्बर हैं. आप इसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रख कर तय कर सकते थे. अगर मेंबरान पंचायत बोर्ड्स नाजायज फायदा उठाते हैं तो आपने उन्हें क्यों ऐसा फायदा उठाने दिया ?

हुजूर मुअल्ला—जाब्ते से आपका कहना बिल्कुल ठीक है. मुझे भी दो चार जिलों का तजरुबा है. मैं कह सकता हूं कि यह ठीक है.

महादेवराव साहब—हमारा शोपुर जिला तो ऐसा नहीं हैं.

हुजूर मुअल्ला—थोडा बहुत जिलों का हाल मुझे भी मालूम है. आपका कहना ठीक हो सकता है, हमको तसकीन होगई कि शोपुर जिला साफ है. अब हम नोट कर लेते हैं और अगर कभी कुछ ले उडे तो तुमको सलाम करेंगे. लेकिन बन्सीधर साहब आपका क्या कहना है ?

बन्सीधर साहब—उज्जैन की पंचायत बोर्ड का मैं सरपंच हूं. वहां खिडक से मेरा ताल्लुक नहीं है. यह तो मैं जरूर कह सकता हूं कि लालच आदमी के साथ लगा हुआ है. जब तक गायें

दूध देती हैं आदमी उनकी फिकर रखते हैं और जब गाय दूध नहीं देतीं तो पूरी तौर पर फिक्र नहीं करते.

कृपाशंकर साहब—जिला अमझेरा में भी पंचायत बोर्ड हैं. पंचायत बोर्ड से गायें उन्हीं को दी जाती हैं जिनकी तरफ से यह इत्मीनान हो जाता है कि परवरिश कर सकेंगे. गायें देने में बडी एहतियात की जाती है. मुझे मुजव्विज साहब से इत्तफाक नहीं.

वामनराव साहब—आपके कहने का मतलब है कि गौशाला में रखने से गायें ठीक हालत में रहेंगी. दीगर आदमियों को गायें देने से वह लोभ में जब तक दूध मिलता है, रखते हैं. गौशाला में रहने से इन्तजाम ठीक रहेगा. बाज वक्त ऐसा मौका आजाता है कि मेंबरान पंचायत बोर्ड अपने दोस्तों को गायें देते हैं, यह शिकायत भी दूर हो जावेगी.

फायनेन्स मेम्बर साहब—हुजूर वाला, मेरी नाकिस राय में यह तजवीज कुछ गलत फहमी पर मबनी है. कानून मुदाखलत बेजा मवेशियान, सम्वत १९६९ में बनाया गया बल्कि जारी हुवा और उसके जारी होने के बाद फिर सरक्यूलर नंबर ५, जारी हुवा. जिस वक्त जिला बोर्ड, कायम हुए तब खिडक पंचायत बोर्ड के सपुर्द किये गये और कुछ आमदनी के जराये भी दिये गये. इस तरह से उनको इम्दाद पहुंचाई गई और उनके लिये बजट कायम किये गये. एक काम ऐसा यानी खिडक जो कानून मुदाखलत बेजा मवेशियान के सिलसिले में उनके सुपुर्द किये गये जिसमें तरीका आमदनी कायम है और इस कायदे से ही परगना व जिला बोर्ड और पंचायत बोर्ड को इस कायदे की पाबन्दी करना चाहिये. इस कायदे के मुताबिक अमल हर जिले में सिलसिलेवार यकसां नहीं है. कायदा क्या बताता है और अमल क्या होना चाहिये. हर आवारा मवेशी को जो किसी का नुकसान करे उसको गिरफ्तार करके घर के नजदीक की खिडक में दाखिल करें. मुहाफिज खिडक से मालिक मवेशी आनकर उसको छुडा ले जाय और जो जुरमाना व खुराक हो अदा करे. अगर मालिक मवेशी न आवे तो जानवर नीलाम कर दिये जावें; लेकिन गायें नीलाम नहीं हो सकती है, बल्कि वह नीलाम से मुस्तसना है और वह जमींदार या किसी दीगर मुअज्जिज शख्स के सुपुर्द की जायेंगी. क्योंकि यह हिन्दू राज है और गायों की रक्षा करना हमारे यहां कुदरतन कायदे की बात है. बल्कि यहां के मोहम्मडन लोग भी ऐसे है जो गायों की रक्षा करते हैं. जमीदारों के पास सैकडों मवेशी रहते हैं जिनकी परवरिश करना पडती है. एक दो गायों की परवरिश उनके यहां वैसे भी हो सकती है. जो मवेशी खिडक में दाखिल होती हैं उनको मालिक मवेशी जुरमाना बतौर खर्च खुराक देकर छुडा लेगा, यह तसलीम करना चाहिये. सौ में से नव्वे पिच्चानवे गायें दूध देने वाली नहीं होती हैं, इसी वजह से वही खिडक में जाती हैं. गायें जो खिडक में आता हैं, दरबार का फर्ज है, कि उनकी भी परवरिश करें. अगर कोई प्राइवेट शख्स उनको खुशी से लेवे तो उसके सुपुर्द की जावें और सुपुर्द करते वक्त यह इतमीनान कराया जावे कि जिसके सपुर्द वह की जावे उसकी परवरिश वह करेगा या नहीं. अगर ऐसा जमींदार न मिले तो खिडक उसकी परवरिश करेगा. गौशाला की बाबत यह सवाल इसी के सिलसिले में है. इसकी बाबत मैं फिर कहूंगा. अगर कायदे से अमल नहीं होता है तो जो जो बातें कायदे के खिलाफ अमल में आ रहीं हैं उनकी बाबत मेम्बर साहब को तवज्जुह दिलाई जावे. पहले तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इख्तियार का यह काम है. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आम तरक्की के लिये गायें मागी जाती हैं. पहले ऐसे सवाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पेश हों, उनकी सिफारिश के साथ दरबार में आवें. पहिले यह तजवीज, बेहतर होता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आती, फिर यहां आती; जो गायें खिडक में बेकार आती हैं, दरबार आली विकार की यह मन्शा

है कि वह नीलाम न की जावें बल्कि उनकी परवरिश की जाय या मालिक या जमींदार के सुपुर्द की जायें और उनके मार्फत उनकी परवरिश होना चाहिय, दरबार ने यह भी फरमाया है कि खिडक की आमदनी की बचत पहिले गायों की परवरिश में लगाना चाहिये, कायदे के मुताबिक गायें खिडक में आती हैं. सरक्यूलर नंबर ५ में साफ लिखा है उस मुताबिक काम किया जावे. खिडक की आमदनी उनके सुपुर्द की जावे और कुछ सर्फा बेकार गायों में हो किया जावे और जो बचत रहे उस को दूसरे काम में सर्फ किया जाय, ऐसा प्रोसीजर में साफ लिखा है. जिले बोर्ड की जिम्मेदारी पर हर एक काम नामजद कर दिया गया है, सरक्यूलर में पांच सौ रुपये को बचत हर जिले के लिये खिडक के बाबत दर्ज की गई है और ऐसी गायों की परवरिश में यह रकम लगाई जावे और जो बाकी बचे वह दूसरे कामों में लगाई जावे. देखने में यह आया है कि बुड्ढी गायें जब हो जाती हैं तो लोग गौशाला में दाखिल करने को आया करते हैं. यह सवाल कानून मदाखलत बेजा मवेशियान के सिलसिले में नहीं है. मतलब इस मौके पर बुड्ढी और बेकार गायों से नहीं है, खास कर गौ रक्षा उनका काम समझा गया है. क्योंकि हर जगह साहूकार लोग धर्म व खैरात के काम करते हैं उनका धर्म प्राण रक्षा है, गौशाला को जब उनको जगह नहीं मिलती है तो वह कभी कभी खिडक में आ जाया करती हैं और आवारा फिरती रहती हैं. वह बहुत नुक्सान करती हैं जिसका नुकसान इनसे होता है वह खिडक में दाखिल करता है. खिडक में जो गायें आती हैं वह जमींदार को मुफ्त दी जाती हैं. दरबार ने यह उसूल रखा है कि प्रायवेट चैरिटी टाइप करने के बाद पब्लिक चैरिटी टाइप करना चाहिये. गौशाला का फन्ड गैर महदूद नहीं है. उससे आयन्दा का काम और खर्चा चलता है; लिहाजा उस फन्ड से ही काम चलाना चाहिये, इसलिये पहिले मैंने अर्ज किया है कि ९९ फी सदी गायें दूध देने वाली नहीं होतीं, एक आध गाय दूध देने वाली होती हैं. गौशाला में इनकी परवरिश होती है और गौशाला करीब करीब रियासत के हर हिस्से में मौजूद हैं. इसमें कोई शक नहीं कि जब मैं नायब दीवान था और परगना पंचायत बोर्ड भी कायम नहीं हुई थी, उस वक्त भी यह सवाल पेश आया था तो मैंने उसके हर पहलू पर गौर किया था कि ऐसी गायों का क्या किया जावे, और जहां जहां ऐसे मुकामात पर ऐसी गायें हों, उनकी खिलाई का खर्चा सरकार की तरफ से दिया जावे. इसकी मिसल दफ्तर में मौजूद होगी. जो रिपोर्ट जिलों से आई होगी वह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में मौजूद होगी, उसमें आखिर को यह नतीजा निकला कि बहुत कम मुकामात पर गौशाला थी, ज्यादा से ज्यादा मन्दसौर व उज्जैन का नाम आता था बाकी जिलों में नहीं, परगनों का तो जिक्र क्या है. गायों को गावों से गौशाला तक पहुंचाने में खर्च का सवाल पैदा होता है और ऐसा गायें जाते जाते दुबली और फौत हो जाती हैं; लिहाजा ऐसी गायें मुकाम पर रखना चाहिये और उनकी परवरिश करना चाहिये. कायदे में इसकी मुमानियत नहीं है. सरक्यूलर के आखिरी फिकरे में एक तजवीज है. वह तजवीज यह है कि गौशाला को इमदाद दी जावे. मजहबी काम ऐसे हैं कि जिनमें रिआया के लोग अपने अपने चन्दे से गौशाला बनवा दें और फिर कारगुजारी उसमें दिखलाकर दरबार से इमदाद मांगें. अगर दरबार मुनासिब ख्याल फरमावेंगे तो उसमें इमदाद करेंगे. दोनों सवालों को मखलूत करके ऐसे हीले से पेश नहीं होना चाहिये. यह कायदे के खिलाफ है. खिडक का सवाल अलग रखना चाहिये.

हुजूर मुअल्ला—कोई भी कायदा कानून हो, अगर वह एक दफा बन गया तो इसके मानी यह नहीं हैं कि कार्रवाई नातिक होगई. इम्प्रूवमेन्ट की निस्बत सजेशन्स करना या डिफेक्ट्स किस तरह रेक्टीफाई करना इसकी इजाजत हर वक्त है, लेकिन लोगों का ख्याल है कि एक दफा जो कानून बन गया उस को इम्प्रूव करने के ख्याल से हम कोई बात सजेस्ट न करें.

यह ख्याल बिलकुल गलत है. कानून बनने पर इम्प्रूवमेन्ट के लिये और डिफेक्टस को रेक्टीफाई करने के लिये हमेशा रास्ता खुला हुआ है. खिडक काँजी हाउस है. जो मवेशी लावारिस फिरती हैं उनको हांक कर उस खिडक में रखा जाता है. मालिक को जिसकी कि मवेशी है इजाजत है कि वह खुराक व जुर्माना देकर अपना जानवर छुडा लें. मेरे ख्याल में इसकी निस्बत यह तजवीज होना चाहिये कि जिस मालिक का मवेशी एक दफा, दो दफा, तीन दफा खिडक में आजावे वह छुडा ले जावे, चौथी मर्तबा छुडाने की इजाजत मालिक को न दी जावे. क्योंकि ऐसा मेरा तजरुबा हो चुका है कि बावजूद नोटिस देने के मालिक मवेशी कोई तवज्जुह नहीं देते, जिसकी दो मिसालें मैं बतला सकता हूं. एक कम्पू, दूसरी शिवपुरी की सडकों के ऊपर मवेशी बैठे रहते हैं. कानून में इस मजमून की एक कलम बढाना चाहिये कि जो मालिक मवेशी तीन दफा अपनी मवेशी छुडा लेजावे, चौथी दफा उसको नहीं देना चाहिये. यह उम्र भर का किस्सा बन गया है, हम इसकी रोक चाहते हैं.

मेरे ख्याल ही में न था बल्कि कवी उम्मेद थी कि इस किस्म के सजेशन्स पब्लिक की तरफ से पेश किये जावेंगे, लेकिन चूंकि ऐसे सजेशन्स पेश नहीं हुए, इस वजह से मैंने इस बात को साफ किया है कि एक दफा कानून बन जाने के यह मानी नहीं कि उस में इम्प्रूवमेन्ट की गुंजायश नहीं रही, बल्कि नई सजेशन्स करना और तजवीज पेश करना अपनी तरक्की के लिये जरूरी है. इसमें ultimate goal हमारा और आप का एक ही है और जब तक unity (युनिटी) के साथ हम काम नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा और न मतलब हल होगा. गवर्नमेन्ट जितने जोर से काम करती है उतने ही जोर से आपको काम करना चाहिये. मगर असल बात यह है कि इसकी आफत कौन उठाये और कौन देखे कि क्या गडबड होरही है. दूसरी बात खिडकों की निस्बत मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मवेशी खिडक में दाखिल होती हैं उनका क्लासीफिकेशन करना चाहिये, ब एतबार नस्ल के. यानी देखा जावे कि अच्छी नस्ल के कौन हैं और बुरी के कौन; जो अच्छी नस्ल के हों उनसे नस्लकशी का इन्तजाम खिडक वालों को करना चाहिये और उसके जर्ये से अच्छी नस्ल की गायें या सांड हों तो बशक्ल सांड, फ्री या कम कीमत लेकर अपने जिले में फैलाना चाहिये. मैं अपने तजरुबे की बिना पर कह सकता हूं कि अपने यहां के जानवर बहुत हल्की नस्ल के और बहुत हलके दर्जे के हैं. बाज गायें ऐसी हैं कि छटांक भर भी दूध नहीं देती हैं. हमको जरूरत इस बात की है कि गायें ऐसी पैदा की जावें जो दूध ज्यादा दें, जिससे घी ज्यादा हो और जोरदार बच्चे पैदा हों जो हल को अच्छी तरह खींच सकें. ऐसे सांडों की नस्ल इम्प्रूव करने के लिये जिले में फैलाना चाहिये. जो गायें बेकार हों यानी जिनसे improvement की कोई उम्मेद नहीं है ऐसे मवेशियों को गौशालों में भेजना चाहिये. जहां गौशाला नहीं है वहां पब्लिक सब्सक्रिपशन से कायम कराना चाहिये, और बाद कायमी दरबार को इत्तला करना चाहिये. दरबार को गुजारिश होने पर अगर दरबार मुनासिब समझेंगे तो इमदाद करेंगे. चुनांचे इसकी निस्बत जो मेरे ख्यालात हैं वह यह हैं. मैं उम्मेद करता हूं कि मेरी यह बातें सुनकर आप गौशाला व खिडक जगह बजगह कायम करेंगे, जैसा कि फाइनेन्स मेंबर साहब ने कहा है. जब गौशालाओं की कायमी की इत्तला आवेगी और इत्मीनान दरबार का हो जावेगा तो फिर दरबार इम्दाद देने की निस्बत इस पर गौर करेंगे. यह तजवीज इस तौर से इसलिये की जाती है कि कहने को लोग कह देते हैं कि हम

यह फ़ार्म बनाते हैं और वह फ़ार्म बनाते हैं लेकिन फिर वह सब डूबंत खाते चला आता है. मैं उम्मीद करता हूं कि जो तजावीज दरबार के सामने भेजी जावेंगी वह हवाई न होंगी बल्कि उनका इत्मीनान करके भेजा जावेगा ताकि दरबार को मुगालता न हो. इतना कहकर इस सवाल को खत्म करता हूं.

नोटः—तजवीज ड्रॉप की गई.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १०.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जिन २ मवाजियात में हस्ब कायदा जमींदारी दफ्तर कायम होकर बमूजिब हिदायात मुन्दर्जे मेमोरेन्डम्स नम्बर २५ व ३० मिन्जानिब नायब तहसीलदार साहबान मवाजियात मजकूरुस्सदर अमल होने लगे, वहां खिडक भी कायम किया जावे और उस खिडक का मुहाफिज वहां के नम्बरदार (नायब तहसीलदार मौजा) को ही बनाया जाकर उस आमदनी में से, जो खिडक से बाद इखराजात आबनोशी व खुराक मवेशियान मदखूला खिडक बचे, कुछ हिस्सा बिल एवज मेहनताना उसको दिया जावे..

इस तजवीज को मुंगालाल साहब ने पेश किया.

हुजूर मुअल्ला.—इस तजवीज को second कौन करता है?

लॉ मेंबर साहब.—अगर कोइ साहब ताईद करें तो फरमायें.

कृपा शंकर साहब.—मैं ताईद करता हूं और यह भी अर्ज करता हूं कि आमदनी की अशद जरूरत है, इससे जमींदार को आमदनी का एक जर्या हो जायेगा.

हुजूर मुअल्ला.—क्या आपने ताईद की है?

लॉ मेंबर साहब.—(हुजूर मुअल्ला की तरफ मुखातिब होकर) ताईद भी की है और उसीके साथ कुछ तजवीज भी की है. (बाद कुछ इंतजार के मेंबरान की तरफ मुखातिब होकर) कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं?

बन्सीधर साहब.—अगर हर मौजे में खिडक कायम हो जावेगी तो काश्तकारी का जो नुक्सान होता है उसको फायदा होगा. अक्सर मवेशी जंगल में छोड दिये जाते हैं वह आवारगी की हालत में खेतों में पहुंच जाते हैं. खिडक कायम हो जाने पर गांव का कोई शख्स आवारा हो जाने से उसको देखेगा तो जमींदार के पास या उसके हवाले करेगा, और वही तरीका इख्तियार किया जावेगा जो खिडक के मुतअल्लिक है. इससे इन्तजाम की शक्ल में जो काश्तकारी का नुक्सान हो रहा है उसकी रफाई की सूरत पैदा हो जावेगी.

रामराव गोपाल देशपांडे साहब.—यह मारूजा है कि जिन २ मौजों में जमींदारी का दफ्तर कायम हुआ है मवेशियान जो लोगों की खराबी करते हैं और उनको खिडक में पहुंचाने के लिये भी वक्त खराब करना पडता है उसमें भी कमी हो जावेगी और मवेशी जो आवारा फिरते हैं उस की भी रोक हो जावेगी.

हुजूर मुअल्ला.—रामजीदास, आप भी कुछ कहना चाहते हैं?

रामजीदास साहब.—जिनको खिडक से काम पडता है वह कह सकते हैं, मुझे तो कभी मौका नहीं आया.

फायनेन्स मेंबर साहब.—हुजूर मुअल्ला, यह तजवीज भी जरा ज्यादा सोच की मोहताज है. खिडक जो कायम करना हैं कायदे की रू से कायम करना हैं. कायदे में तरमीम व तन्सीख करना हो तो यह बात अलग है. अगर हर एक मौजे में जहां जहां नायब तहसीलदार मौजा कायम हुए हैं, खिडक कायम किये जावेंगे तो ऐसे आठ हजार मौजे हैं इसलिये आठ हजार खिडक कायम होना चाहिये हालांकि इन मवाजियात में पचीस तीस हजार जमींदारान की तादाद होगी; लेकिन आठ हजार मान करही चालिए. इतने खिडक कायम होने पर लवाजमा भी बहुत बढेगा, यानी जमा खर्च वगैरा व दीगर काम भी ज्यादा बढेंगे एक तो खिडक का मुकाम यानी जगह खिडक कैसी होना चाहिये, यानी कितनी लंबी और कितनी चौडी होना चाहिये, इसके अलावा खिडक के मुहाफिज के फरायज कायदे में कायम किये गये हैं, उसकी रू से हर एक के वास्ते रजिस्टर रखना पडेगा और इन्दराज करना पडेगा. पाई २ का जमा खर्च रखवा कर उसको भुगताना पडेगा और निगरानी भी करना पडेगी. निगरानी के लिये ऑफिसर तईनात करना पडेंगे और इसके साथ इतना लवाजमा हर एक जिला या तहसील में रखना पडेगा. इस वक्त पंचायत बोर्डों की तादाद १५० है, लेकिन कहां १५० व कहा ८,०००, पस यह सवाल मुश्किल है. मौजूदा पैमाने पर जो काम चला है उसमें चालीस गुना तादाद बढाई जावे तो फिर कितनी दिक्कत होगी? आठ हजार जगह खिडक की कायमी कायदे की रू से ठीक नहीं हो सकती और इसलिये मेरे ख्याल से यह तजवीज काबिल मंजूरी नहीं है.

हुजूर मुअल्ला—इस सवाल नंबर १० की निस्बत मुझ को कुछ शक है. प्रैक्टिकल साइड को देखा जाय तो काश्तकारों को बहुत दिक्कत उठाना पडेगी और हर एक मौके पर न तो आपमें से कोई होगा और न मैं होऊंगा. हालत को देखकर मुश्किल रफा कर सकेगा. मुझे शक है कि काश्तकारों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि यह सवाल उठाना ही नहीं चाहिये था.

नोटः—तजवीज ड्रॉप की गई.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ११.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि·—

> सरक्यूलर नंबर ८, सम्वत १९७९, फायनेन्स डिपार्टमेंट में यह तरमीम की जावे कि बडे २ मवाजियात के पटवारियान को १) रुपया तक के स्टाम्प बिक्री को रखना चाहिये.

नोटः—इस तजवीज के मुतअल्लिक मुजफ्विज साहब ने हस्ब जैल तरमीम का नोटिस दिया था.—

तरमीम

इस तजवीज की सतर ३ में अलफाज "१) रुपया तक" के बाद लफ्ज "दस्तावेजी" बढाया जावे.

बद्रीनारायण साहब—अन्नदाता! सदरहू सरक्यूलर के जर्ये गांवों में मार्फत पटवारियान स्टांप मिलने का इन्तजाम फर्माया गया है, इससे रिआया को बडा भारी आराम मिलता है और

ब्योपार में भी तरक्की हुई है. लेकिन सरक्यूलर सदर की कलम नंबर ६ के मुवाफिक किसी खरीदार को एक काम के लिये चार आने से ज्यादा स्टांप नहीं मिल सकता, न उसकी भरोत हो सकती है. और जहां ब्योपार ज्यादे है, साहूकारान रहते हैं, ऐसे मौजे में जब जमींदारान व काश्तकारान को काश्त के काम के लिये ऐन वक्त १०० रुपयों की जरूरत पडता है तो चार आने से ज्यादे स्टांप न मिलने से या तो सादी दस्तावेज लिखी जाती है, जिससे खिलाफ मन्शा दरबार अमल होता है, या हैड कार्टर तहसील पर जाकर स्टांप लाना पडता है, जिससे समय का फिजूल सर्फा होकर रिआया को अक्सर नुक्सान उठाना पडता है और ब्योपार में भी रुकावट आती है, इसलिये मेरी नाकिस राय में अगर बडे २ मवाजियात के पटवारियान के पास १) रुपया तक के दस्तावेजी स्टांप बिक्री रखी जाने बाबत हुक्म फर्माया जावेगा तो रिआया दरबार को सहूलियत होकर ब्योपार में भी तरक्की होना संभव है.

गुरदयाल साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

फाइनेन्स मेम्बर साहब.—यह तजवीज बहुत ठीक है, मुझको इससे इत्तफाक है. जहां जहां मुमकिन है इस तजवीज के मुताबिक अमल करने की कोशिश की जावेगी, अलबत्ता जिस कस्बे या जिस मौजे में प्रायवेट लायसेन्सदार है वहां ऐसा नहीं किया जासकेगा; क्योंकि लायसेन्सदारों को कमाशन दिया जाता है, और वही बेचने के हकदार होते हैं, लिहाजा जहां लायसेन्सदार हैं वहां तो तजवीज के मुताबिक इन्तजाम नहीं किया जा सकता, मगर जहां लायसेन्सदार नहीं है वहां से दरख्वास्त आने पर पटवारियान को लायसेन्स बखुशी दिये जा सकते हैं.

गुरदयाल साहब.—आपकी गरज यह है कि जो बडे कस्बे हैं और जहां पर ज्यादा झगडे फरीकैन के दरमियान बजयें दस्तावेजात के हों और जहां पर आपका लायसेन्सदार नहीं है और पटवारी हो तो वहां यह सहूलियत दे दी जावे.

मथुराप्रसाद साहब.—चंद रोज हुए जब गिर्द तहसील में पटवारियान को स्टांप तकसीम किये गये थे, लेकिन वह रजामन्द नहीं हुए और तहसीलदार साहब ने भी बहुत कोशिश की मगर उन्होंने कहा कि हम नहीं लेते. बेहतर तरीका यह होगा कि जहां साहूकार मौजूद हैं वहां उनको लायसेन्स होल्डर क्यों न बनाया जावे, पटवारियों को क्यों दिया जावे. मेरे ख्याल से साहूकारान को ही लायसैन्स दिया जावे.

कृपाशंकर साहब—मुन्शी मथुराप्रसाद साहब की ताईद में इन अल्फाज मैं करता हूं कि पटवारी हर मौजे में आबाद नहीं हैं, इसलिये साहूकारान को ही लायसेन्स होल्डर बनाना चाहिये.

फाइनेन्स मेम्बर साहब.—लायसेन्स के कवाअद तैयार हैं, जो शख्स लायसेन्स मांगेंगे उन्हें लायसेन्स दिया जावेगा.

मथुराप्रसाद साहब.—किसी पटवारी बडे मौजे या छोटे मौजे वाले ने लायसेन्स लेने से इस वजह से इन्कार किया कि हम मौजे २ में फिरते हैं इसलिये बहतर वही है जो मैं अर्ज कर चुका हूं, यानी साहूकारान को ही लायसेन्स दिया जावे,

हुजूर मुअल्ला.—मैं तो ज्यादातर इस को पसंद करूंगा कि बजाय पटवारी के कोई दूसरा शख्स हो, लिहाजा आप लोगों को चाहिये, बल्कि आपके जिला बोर्ड को चाहिये कि वह परगना बोर्ड से कहें कि जहां २ इस किस्म की जरूरत हो वहां उस गांव के जमींदार या मुखिया जो हों वह वहां के किसी लोकल आदमी को मशवरा दें कि दरख्वास्त देकर लायसेन्स होल्डर बन जावे,

इसका इनहिसार जिला व परगना बोर्ड पर है लिहाजा इसकी निस्बत ठहराव यह है कि जिला बोर्ड परगना बोर्ड से पूछें और जहां २ जरूरत हो वहां का कोई अच्छा शख्स या जमींदार या लायसेन्स लेकर स्टांम्प रख.

ठहराव—जिला बोर्ड, परगना बोर्ड के तवस्सुत से मुकामी जरूरत का और किसी अच्छे शख्स का हाल दरयाफ्त कराके शख्स मजकूर से दरख्वास्त दिलाये और जहां जहां से इस तौर पर लायसेन्स मिलने की दरख्वास्तें आवें वहां २ लायसेन्स दिये जाने की कार्रवाई की जावे,

नोटः—तजवीज नंबर १६ के मुतअल्लिक मुंगालाल साहब ने कहा कि इस तजवीज के मुतअल्लिक मुझ से और ए. ओ. साहब फॉरेस्ट से गुफ्तगू हो चुकी है, और अब इस तजवीज को मैं पेश करना नहीं चाहता और नाकाबिल अमल महसूस करके उसे वापिस लेता हूं.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २७.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मालवे में ब वजह काश्त अफयून जो चाहात कसरत से खुदे हुए थे, काश्त मसदूद हो जाने से उन चाहात की सफाई व मरम्मत बहुत कम होती है. अब इन चाहात का हर मौसम में साफ और आबाद रखने का एक माकूल ब बडा जर्या काश्तें गन्ना ही रह गया है; लेकिन जहां २ गन्ना बोया जाता है और इससे जो गुड बनता है उसकी बिक्री जरा दिक्कत से होती है. इसलिये गुजारिश है कि मुनासिब व मौजूं मुकामात पर अगर मिस्ल मिल्स कपास, शकर बनाने के कारखाने भी इम्तहानन कायम किये जावें तो खुसूसन सीगे रेवेन्यू में बहुत फायदे होने की उम्मेद हो सकती है. और प्रजा को भी बहुत आसायश व इम्दाद का जर्या है. कारखाने शकर में एक मुश्त बिक्री गुड की होने की वजह से आबपाशी भी बहुत कुछ बढना बिलकुल मुमकिन है और काश्त गन्ने की वजह से दीगर आबपाशी की अशियाय और फलदार दरख्त भी लगाये जाकर हर मौसम में सैराब रह सकती है.

लॉ मेम्बर साहब.—ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब इस तजवीज के मुजव्विज तशरीफ नहीं लाये हैं.

हुजूर मुअल्ला.—अगर कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहें तो करें.

महन्त लक्ष्मणदास साहब.—वास्तव में देखा गया है कि जिस वक्त अफयून होती थी सब कुंए आबाद थे और खूब अच्छे चरस और रेंहट चलते थे और अच्छी आबपाशी होती थी. अफयून के बन्द होने से अब यही नजर आता है कि सिवाय गन्ने के और कोई जर्या नहीं जो आबपाशी

की अच्छी रकम पैदा कर सके, मालवे में ५०-५०-४०-४० कुवें ऐसे पडे हैं जो आबाद नहीं हैं. सिवाय गन्ने के और कोई जर्या आबपाशी की तरक्की का नहीं है; मगर गुड के सस्ता होने की वजह से लोग इस तरफ तवज्जुह नहीं करते. जिस प्रकार जीनिंग फैक्टरी जगह जगह खुलती हैं उसी प्रकार अगर लोग शकर के कारखाने खोलें, तो गन्ने की काश्त की तरक्की हो, आबपाशी की आमदनी बढे और कुंवे भी साफ हों.

हुजूर मुअल्ला—इसकी ताईद कौन करता है?

कृपा शंकर साहब—मैं ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब—मुझे वाकई अफसोस है कि मुजव्विज साहब तशरीफ नहीं लाये. अगर वह होते तो वजाहत के साथ चन्द बातें दरयाफ्त की जातीं और वह खाली अज दिलचस्पी न होतीं. खैर मजबूरी है. अगर इस तजवीज की गरज यह है कि जमींदारान व काश्तकारान की तवज्जुह इस बात पर दिलाई जावे कि मवाजियात में जो चाहात बेकार हैं उनके दुरुस्ती की फिक्र की जावे और आबपाशी के जरिये इख्तियार किये जावें नीज अगर यह गरज है कि आला काश्त मस्लन् गन्ना, की तरफ तवज्जुह दिलाई जावे तो ऐसी हालत के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि दरबार मुअल्ला ने लोगों को इस तरफ तवज्जुह करने के लिये क्या तरीके मुकर्रर फरमाये हैं. गालिबन आपको मालूम है कि नायब तहसीलदारान सरकिल को इन्सपेक्शन बुक पंज साला में जो हिदायात दी गई हैं उनमें सराहत की गई है कि वह मौजेवार हालात दरयाफ्त करें और जमीदार को समझावें. मस्लन गांव में चाहात कितने हैं और वह चाहात पुख्ता हैं या खाम हैं, कितने बेकार और कितने कार-आमद हैं, बेकार चाहात व तालाबों को काम में लाने की क्या तजवीज की जा रही है. इसी तरह से आला काश्त, मस्लन कपास गन्ना वगैरा होता है या नहीं, अगर नहीं होता है तो क्यों. अगर अगराज वही हैं जो ऊपर बयान कीगई हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे इख्तिलाफ न करेंगे कि जो तरीके दरबार ने मुकर्रर फरमाये हैं जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है वह उन अगराज के हासिल करने के लिये काफी हैं. अगर इससे ज्यादा यह मतलब हो कि हुक्मन गन्ने की काश्त कराई जावे या सरकार की जानिब से शकर के कारखाने जारी हों तो खास तौर पर आपको यह बात देखनी चाहिये कि क्या वाकई आप की यह मन्शा है? अगर यही मन्शा है तो शायद यह नाकाबिल अमल होगी इसलिये बेहतर होगा कि साहबान इस पहलू पर काफी गौर करके राय कायम करें.

गुरदयाल साहब—हुजूर आली, गरज इसमें दो हैं, एक यह कि कुवें साफ हों और दूसरे गन्ने की काश्त हो, लेकिन गन्ने की काश्त में उस वक्त तक कामयाबी नहीं हो सकती जब तक वहां पर कारखाने न हों, लिहाजा दारोमदार कारखाने बनाने पर है. वैसे दरबार के अहकाम में यह शामिल है कि गन्ने की काश्त हो और कुवें भी साफ हों, लेकिन आखरी सवाल यह है कि शकर के कारखाने आजमायश के तौर पर जैसे कपास के लिये बने हुवे हैं, बनाना चाहिये और कामयाबी के असबाब हो जावें तो ठीक है.

हुजूर मुअल्ला—मेरे ख्याल से इस सवाल का तअल्लुक भी जिला बोर्ड से है. सवाल यह है कि ब वजह अफीम की काश्त कम हो जाने के जो चाहात पडे हैं उनको काम में लाया जावे, और उनसे फायदा उठाया जावे. मैं अपनी याददाश्त से कहता हूं कि दस्तूरुल अमल में जो फरायज बोर्ड के रक्खे गये हैं उनमें सबसे पहिले यह बात है कि जिले की बेहबूदी (prosperity) यानी दौलतमन्दी, जिले की तिजारत और काश्त को बढाये, चुनांचे पहिला काम बोर्ड का यह है कि वह दरियाफ्त करे कि कितने कुंवे हमारे जिले में हैं और कितने कुंवों पर आबादी होती है और कितने पर नहीं होती और अगर नहीं होती तो किस वजह से, और इस के बाद उनको यही चाहिये कि वह जमींदारान को फेहमायश क

कि इतने कुवें तुम्हारे बेकार पडे हैं, इससे फलानां काश्त करोगे तो फायदा है. अगर शकर बनाई जाने या उसका कारखाना खोला जाने की राय करार पाये तो हादी साहब की मशीन इस्तेमाल करने का मशवरा किया जावे और शकर बनाने के सेन्टर कायम किये जावें, ताकि गन्ना वहां लेजाया जाकर काम में लाया जावे शकर अगर लोकल सप्लाई के बाद बचे तो उसे बाहर फरोख्त की जावे, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं. लिहाजा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह सवाल हाथ में लेना चाहिये.

ठहराव—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह सवाल हाथ में लेना चाहिये. तजवीज ड्रॉप की जावे.

नोट:—तजवीज नम्बर २७ के तास्फिये के बाद हुजूर मुअल्ला ने हस्ब जैल तकरीर फरमाई:—

हुजूर मुअल्ला—दस्तूरुलअमल, सम्वत १९७६, में यह लिखा हुआ है कि "इंतजाम खिडक-सेन्ट्रल खिडक आयन्दा कम किये जावें और जो कार्रवाई लावारिस मवेशियों की सेन्ट्रल खिडक में होना कवाअद में दर्ज है वह आयन्दा मुकामी खिडक में हुआ करे. जहां पर पंचायत बोर्ड हो वहां तो बोर्ड की निग्रानी में मवेशी का नीलाम किया जावे और जहां पंचायत बोर्ड नहीं है वहां मुआजिज जमींदारान की एक Standing Committee (स्टेन्डिंग कमेटी) तहसीलदार ब मंजूरी सूबात कायम करें और उनकी निग्रानी में यह काम हुआ करे, ताकि मवेशी वाजबी कीमत पर फरोख्त हुआ करें. मुकामी Standing Committee को व पंचायत बोर्ड को चाहिये कि, अगर उनकी नजर में कभी ऐसी गाय, भैंस या घोडी आवे कि जो उनके ख्याल में काबिल उम्दा नस्लकशी के हो तो बाद मुन्कजी मुद्दत वापसी उसको नीलाम न करते हुए उसकी इत्तला मार्फत तहसील के वेटेरिनरी ऑफिसर को दी जावे, ताकि वेटेरिनरी ऑफिसर साहब उसका मुआयना खुद या बतवस्सुत अपने मुकामी असिस्टन्ट के कराकर सरकारी ब्रीडिंग फार्म्स में दाखिल करने की बावत तस्फिया करेंगे. ऐसे मवेशियों पर जो नस्लकशी के लायक हों उनको लेने का पहिला हक सरकारी ब्रीडिंग फार्म्स को होगा. दूसरे अल्फाज में उस हद तक मुकामी खिडक सरकारी ब्रीडिंग फार्म्स के फीडर्स (feeders) होंगे.

मुकामी खिडकों में जो गायें बेकार बचें उनको जमींदारान व दीगर अशखास जो कि उनकी परवरिश करने के काबिल हों उनके सुपुर्द ब मंजूरी तहसीलदार मुफ्त की जावें, बशर्ते कि वह लेने को रजामन्द हों.

अगर कोई गाय ऐसी रह जावे कि जो इस तौर पर लेने को कोई राजी न हो तो पास की गौशाला में यानी पिंजरा पोल में भेजी जावे जो मुनासिब मुकामात पर उमूमन कायम हैं या आयन्दा होंगे.

सरकार से तीन सेन्ट्रल ब्रीडिंग फार्म्स ब मुकाम ग्वालियर, शिवपुरी व एक मौजूं मुकाम मालवा में कायम किये जावें, जिनमें अच्छे २ खेत के सांड व गायें खरीद कर रखी जावेंगी. मुकामी खिडकों से नस्लकशी के लायक गायें आवेंगी वह ली जावें और इसी के साथ Sheep ब्रीडिंग भी चलाया जावे."

दस्तूरुलअमल की इस हिदायत की तामील के मुतअल्लिक हाल दरयाफ्त करने पर वही मजमून पाया गया जैसा कि हस्ब दस्तूर अहलकारान करते हैं. कायदे बनाये जाते हैं और जब तक हम लोगों की टेबिल पर है वह कायदे हैं और बन जाने के बाद अगर मैं उनको लावारिस कहूं तो बेजा न होगा; क्योंकि बन जाने के बाद वह अलमारी में बंद होजाते हैं और फिर कोई नहीं देखता कि उनकी पाबंदी होती है या नहीं. अलबत्ता कायदा उस वक्त देखा जाता है जब कोई अहलकार

या ऑफिसर चक्कर में आ फंसता है और उससे निकल कर भागना चाहता है, साथ पुख्ता वजूह के, ऐसे मौकों पर तो कायदा जरूर देखा जाता है कि उसके क्या मानी गढे जावें? अगर ऑफिसर साहब के समझ में न आया तो वकील से मशवरा लिया जाता है. वह काफ की जगह ऐन बताते हैं, झूट को सच बताकर बरी करा लेते हैं और फिर मूछों पर ताव देते हैं. वर्ना सरकारी या आम लोगों के नफे नुक्सान के लिये कोई कानून कायदे को नहीं देखता. यह आम सिस्टम (red-tapism) पड गया है. इसकी सरीही मिसाल यह मौजूद है कि सम्वत १९७६ में यह कायदा पास हुआ है, लेकिन अभी तक न मालवे में न शिवपुरी में इस कायदे की कलम नंबर १७ के बमूजिब कोई सेन्ट्रल ब्रीडिंग फार्म कायम हुआ. जब इसकी निस्बत पूंछा गया तो जाब्ते से बचकर निकलने की कोशिश की गई और एक खत लाकर रख दिया कि Trust की निस्बत यह हुक्म हुआ है. मालवे और शिवपुरी की निस्बत यह हुक्म कब हुआ, क्या यह कोई बता सकता है? इस जगह मुझे बताना यह है, नॉन ऑफिशियल्स और ऑफिशियल्स दोनों को, कि जो कायदा बनाया जावे उसकी तामील होना ही चाहिये. बहुत से लोग इसको भूले बैठे हैं, उनको शौक है अलमारियां किताबों से चुन लेना और papers में छपवा देना और दूसरों को बताना कि हमारे यहां यह कायदे हैं. जैसा कि कहने को रोज गुसल करते हैं लेकिन कपडे उतार के देखा जावे तो मालूम होगा कि दो महीनों से गुस्ल नहीं किया. यह मजाक की बात नहीं है बल्कि serious matter है. मैं ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों को इसके लिये insist करता हूं, यह बडे शर्म की बात है कि जो हुक्म जारी हो उसकी तामील न हो और मैं हुक्म देता हूं एग्रीकलचर मेम्बर को कि तीन महीने के अन्दर तीनों फार्म कायम हो जायें. जो हुक्म trust को भेजा है उसका इससे कोई वास्ता नहीं है, इस हुक्म की तामील होना चाहिये. कलम नं. १७ की निस्बत शायद ही किसी नॉन ऑफीशियल मेम्बर ने जो जिले बोर्ड का मेम्बर है, attention सूबे का इस तरफ draw किया हो. मैं इफ्तताही ऐड्रेस में मजलिस से कह चुका हूं कि मैं इमदाद का ख्वास्तगार हूं. नॉन ऑफिशियल एजेन्सी जिसको मैं अपना दोस्त समझता हूं उसको तवज्जुह दिलाना लाजमी था. अगर वह मेरे साथ दोस्ती का बरताव करते तो तवज्जुह दिलाते, मगर बमूजिब हुक्म कलम नंबर १७ सफा ४६ पैरा ४ अभी तक खिडक कायम नहीं हुये. चुनांचे हालत ऑफिशियल व नॉन ऑफिशियल दोनों साहबान की एकसां हो रही है और दोनों सख्त गल्ती करते हैं. मैं आप से इतना झगडता हूं उसकी गरज सिर्फ यह है कि रियासत की दौलतमन्दी हर सूरत से बढे, रियासत की नेकनामी हो और बाद को दरबार का फायदा हो. मुझे अफसोस होता है कि न तो ऑफिशियल और न नॉन ऑफिशियल अहकाम की तामील की तरफ तवज्जुह करते हैं, कोई नहीं देखता कि हुक्म की तामील हुई या नहीं हुई, बल्कि अहकाम व कवायद Waste-paper Basket में डाल दिये जाते हैं. मैंने पहिले बता दिया है कि नॉन ऑफिशियल व ऑफिशियल दोनों मुझे एकसां हैं, लेकिन जब यह हालत है तो क्या उम्मीद की जा सकती है? आज कल के लोग काम करने के लायक नहीं हैं, लिखने के और बातें बनाने के लायक हैं जो बडे अफसोस और शरम की बात है. जिस वक्त नया कानून बनाया जाता है फौरन सब राय दे देते हैं कि ऐन लिखा है यहां गैन लिखो. और इस लफ्ज के बजाय यह लफ्ज इस्तैमाल करो. जब कानून पास हो जाता है तो उसे कोई नहीं देखता. मैं एक आदमी किस किस कायदे को याद रखूं, किस किस के पीछे लठ लेकर फिरूं. जब तक mutual co-operation न होगा तब तक काम नहीं चलेगा. मुझे यह देखकर खुशी न होगी कि आज तुमने इतनी मिसलें डिस्पोज कीं, मुझे यह देखकर खुशी होगी कि जो काम जिस मतलब से किया गया है वह हासिल हुआ. तुमने चालीस मिसलें निकालदीं तो क्या, और ५ मिसलें मेज के उपर बकाया हैं तो

क्या! लेकिन क्या किया जावे कि काम पडा है पढे लिखों से ! मैं न एजूकेटेड हूं, न डिगरी होल्डर हूं, न मुझे वाकफियत है आमदनामे की न खालक बारी की, फिर मेरे कहने का असर क्या है; मगर मेरी जो धुन है वही रहेगी, लेकिन वह इस के साथ धोका खावेंगे. मैं ढील दे रहा हूं, जो मेरी उम्मीदें हैं उनको पूरी करने में मुझको मदद नहीं मिलती, सिवाय इसके कि जब तक मैं शोर न मचाऊं, तब तक कुछ नहीं करते, सिवाय मामूली कागज रगडने के. मुझको आज मजबूरन बोलना पडा. आठ बरस से चिल्ला रहा हूं, जब पूछते हैं झट बतला देते हैं कानून कायदे. मालूम होता है कि कानून कायदे महज अपनी बचत के लिये बनवाये जाते हैं, यानी अगर यह कहा जावे कि कानून कायदे फलाह रिआया और बेहतरी के लिये नहीं बनाये जाते हैं, बल्कि सिर्फ Self-protection के लिये, तो ऐसा कहना गैर वाजबी न होगा. अफसोस इस बात का है कि मेरा तरीका काम करने का बेढंगा पड गया है और वह लोगों को पसंद नहीं है. मैं real काम देखना चाहता हूं और लोगों को ऊपरी बात की आदत है, इस वजह से इख्तिलाफ दोनों में हो जाता है. मैं respectfully अर्ज करता हूं और आप से इस्तदुआ करता हूं कि काम, काम के ढंग से होना चाहिये वर्ना कानून बनाने से कुछ फायदा नहीं है. क्या यह फर्ज डिपार्टमेन्ट मुतअल्लिका का न था कि अगर यह खिडक कायम नहीं हुए तो दरबार में रिपोर्ट करता, लेकिन खुद डिपार्टमेन्ट ही गाफिल है. बडे मियां तो बडे मियां छोटे मियां सुबहान अल्ला ! जब ऑफिशियल्स की यह हालत है तो नॉन-ऑफिशियल्स से क्या उम्मेद की जावे ? आप यह जरूर कहेंगे कि मैं जरूरत से ज्यादा बोला, इस इजलास में; अगर आप यह कहेंगे कि हम को मजबूर करके पब्लिक में दबाते हैं और हम काम नहीं करेंगे, तो मैं भी देख लूंगा कि कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा. (ऐग्रीकलचर मेम्बर साहब से मुखातिब होकर) आप को तीन माह के अन्दर यह खिडक कायम कराना चाहिये.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २९.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जो लोग मदरसे में तालीम नहीं पा सकते उनकी तालीम का सहकारी सभा बहुत अच्छा वसीला है.

शुरू से इस वक्त तक इसको हर दिल अजीज बनाने में क्या कोशिश की गई, उसका संक्षेप इतिहास.

सिवाय काश्तकारों के, शहरों में ब्योपार बढाने में क्या मदद दी गई ?

ग्वालियर की आम रिआया को क्या मौके दिये गये कि वह इस काम में मदद दे सके, ताकि रफ्ता २ सरकारी तअल्लुक बिलकुल न रहे. इसके मुफीद बनाने में क्या रुकावटें हैं और इनको किस तरह कम करना चाहिये.

प्रोपेगेन्डा डिपार्टमेन्ट ने इस मुआम्ले में इस वक्त तक क्या किया है ?

प्राण नाथ साहब—मैं अर्से से हालात दर्याफ्त करने वाला था मगर मुझे जिस वक्त दर्याफ्त करने की फुरसत थी उस वक्त नहीं दर्याफ्त कर सका. अगर मुझे इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं. मेरा ख्याल यह है कि हुजूर मुअल्ला को जो शिकायत है, जितनी दिक्कतें पेश आती हैं वह अगर

तालीम अच्छी हो तो वह दूर हो जावें; बल्कि काम करने की हममें ब वजह तालीम न होने के काबिलियत नहीं है. मेरे ख्याल में को-ऑपरेटिव सोसाइटीज लडकों के वास्ते बहुत मुफीद हैं. मैंने भी दर्याफ्त किया है कि लोग इस बात की जरूरत समझते हैं और महसूस करते हैं अफसोस कि हम पढे लिखे नहीं हैं मगर बहर कैफ हमारा फर्ज है कि हम अपनी औलाद को तालीम दें. यह निहायत उम्दा बात है कि आयन्दा नस्ल जो गवालियार में पैदा हो वह कुछ करने वाली हो रियासत की खूबी और बहबूदी का इन्हिसार तालीम पर मौकूफ है ऐसी हालत में वह दरबार की बखूबी मदद कर सकेगी. महकमे तालीम की तरफ से असिस्टन्ट इन्सपेक्टर साहबान को हिदायत की जाय कि वह गांव २ जाकर इसकी तलकीन करें, मिसालें दें, काश्तकारान व जमींदारान को समझावें कि इससे बहुत फायदे हैं और उनको नजीरें बतलावें कि पहले इस गांव में इस कस्बे की यह हालत थी अब यह है. मुझे यह भी दर्याफ्त करने से मालूम हुआ है कि जहा तालीम का कतई चर्चा नहीं था वहां लडकों के मदर्सों के अलावा गर्ल्स स्कूल भी कायम होते जाते हैं यह बहुत अच्छी कामयाब बनाने वाली बात है. मुझे इससे खास दिलचस्पी है. मुझे जो तजुर्बा हुआ है इससे मैं लोगों को व नीज आयन्दा नस्लों को फायदा पहुंचाना कार खेर और सवाब और अपनी नियत के इधर एक कामयाब तमन्ना रखता हूं. मैंने जो इस वक्त अपनी इस तहरीक को पेश किया है वह एक निहायत सच्ची ख्वाहिश से बयान किया है, गालिबन इसका असर दीगर हजरात पर पडा होगा. मैं सरकार का कदीमी दुआगो हूं और मरते वक्त तक दुआ देता रहूंगा मगर मेरा अरमान है कि तालीम का ऐसा चरचा होकर बायसे तरक्की हो कि जिससे रियासत की हर तरह से इम्दाद और फलाह हो, ये मेरी खैरख्वाही दरबार और अवाम के लिये है, मैं मरते वक्त निहायत सच्ची ख्वाहिश से यह दुआ करूंगा कि दूसरा जन्म मैं इस रियासत गवालियर मैं लूं, मेरी इस अर्ज का कुछ तो असर मुअज्जिज सामईन पर पडा होगा. मैं चाहता हूं कि इस मसले पर गौर करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर फरमादी जावे, क्योंकि इस मजलिस में हर पहलू से इस सवाल पर गौर करने में ज्यादा वक्त सर्फ होगा.

हुजूर मुअल्ला—ताईद कौन करता है ?

हरभान साहब—मैं ताईद करता हूं.

कृपाशंकर साहब—मैं भी ताईद करता हूं.

हुजूर मुअल्ला—सवाल नंबर २९ पर होम मेम्बर साहब, एज्यूकेशन मेम्बर साहब, अष्ठाना साहब, प्रिंसिपल साहब (प्राणनाथ साहब) गौर करके अपनी रिपोर्ट दरबार में पेश करें.

ठहराव—करार पाया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट दरबार में पेश करे.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजावीज नंबर २, ३, व ४, फर्द नं. १, निस्बत सवालात कहत (जमीमा नंबर ३.)

हुजूर मुअल्ला—सवाल नम्बर २ की निस्बत मुझे कमेटी की राय से इत्तफाक है. सवाल नम्बर ३ की निस्बत पहले यह छांटनी कराना चाहिये कि ऐसे मुकामात कौन कौन से हैं. इसके बाद यह जो सिफारिश की गई है कि डिपोज अगर मुआफिक हों तो कायम करना चाहिये, इसकी निस्बत मेरा अनुभव यह हुआ है कि सतनवाडे में घास के बेचने के लिये इन्तजाम किया गया, लेकिन इसका नतीजा satisfactory नहीं हुआ. इससे idea यह रखा गया था कि घास काट कर पहले गंजी बनाई जावे कि जिसके जर्ये से इतना घास स्टॉक में रहे

कि कहत के वक्त सरकारी जानवरों के काम में आवे. अगले साल इस घास को बेचा जावे और नया घास जमा किया जावे, और उसके बजाय रखा जावे. इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं हुआ. अगर फर्ज कर लिया जावे कि आपने पच्चीस सेन्टर्स कायम किये, तो वहां डिपो कायम करना पड़ेंगे. अब सवाल यह है कि डिपो के पुराने घास का क्या होगा ? अलावा इसके शायद ही कोई लोग ऐसे होंगे, जो डिपो खोलने के लिये तैयार होंगे. As a language (महज अलफाज और इबारत में तो यह तजवीज बहुत अच्छी है, इससे ज्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है, लेकिन यह मुझे मालूम करने की जरूरत है कि घास का इन्तजाम कराने वाले कितने खडे होंगे; वर्ना यह रकम हमेशा बट्टे खाते में पड जावेगी. इसके लिये इसकी भी बडी जरूरत है कि जिस एरिया को यह डिपो कमांड करे उसकी requirement को देख कर private individuals कितने खडे होंगे. जो घास एक साल का पुराना हो जावेगा उसको लोकल लोग वहां के लेंगे या नहीं, इसलिये मैं इन वजूहात के साथ सवाल नम्बर ३ के मुतअल्लिक तजवीज को मंजूर नहीं करता हूं. अब रही तजवीज मुतअल्लिक सवाल नम्बर ४, सो यह भी satisfactory नहीं है.

यह सवाल बहुत इम्पॉर्टेन्ट है इसलिये सवाल नंबर ३ व ४ को मैं ख्याल करता हूं कि सब-कमेटी को, re-consider करना चाहिये. इसी तरह मैंने अपनी इफ्तताही स्पीच के पैरा नंबर १४ व १५ में जिस सवाल का तजकिरा किया है उस पर भी सब कमेटी गौर करके अपनी रिपोर्ट पेश करे.

ठहरावः—तजवीज सब-कमेटी मुतअल्लिक सवाल नंबर २ मंजूर की जावे और सवालात नंबर ३ व ४ को सब कमेटी re-consider करके अपनी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे.

रिपोर्ट सब कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर १३, फर्द नंबर २, निस्बत रोक बेड मवेशी (जमीमा नंबर ३.)

हुजूर मुअल्ला.—सब-कमेटी की राय है कि इस सवाल पर कोई ऐक्शन लेने की जरूरत नहीं है.

ठहराव.—तजवीज ड्रॉप की जावे.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर २८, फर्द नंबर २–बाबत सवाल सट्टा (जमीमा नंबर ४.)

गुर दयाल साहब.—सट्टा जायज नहीं रहना चाहिये यह मेरी तजवीज थी. सब-कमेटी के रूबरू जो कुछ वाकेआत पेश आये थे उससे मेरी तशफ्फी अब भी नहीं हुई है. मेरा सरीह लफ्जों में एतराज यह है कि जिसको सट्टा मान लिया गया है उसको कानूनन व अखलाकन हर तरह से बुरा माना गया है. लेकिन दूसरा शख्स अगर बीच में दाखिल कर लिया जाय (जिसको एजेंट कहते हैं और जो नाजायज फायदा उठाता है) उसके जरिये से सट्टा करना यह कोई उसूल नहीं है. जिस चीज के बुरे नतीजे हैं उसको किस तरह से बुरा नहीं कहा जायगा ? सब जगह यकसां कानून बना दिया गया है. कानून ऐसा नहीं है कि आड में दो शख्स मिलकर तीसरा नाजायज फायदा उठावे; और सरीह लफ्जों में मेरा सवाल यह है कि दूसरे शख्स (एजेन्ट) को आड में लेकर सट्टा करना कतई नाजायज करार दे दिया जावे.

रामजीदास साहब.—सब-कमेटी का जो ठहराव हैं उसके अलफाज यह हैं कि मौजूदा कानून में किसी रद्दोबदल की जरूरत नहीं क्या आप साबित कर सकते हैं कि सट्टे का दावा कानून के अंदर अदालत में लाया जावे तो उसकी समाअत की जाती है? कमेटी का ठहराव accept करने के काबिल है.

गुरदयाल साहब—उन्हीं लफ्जों से फैसला होता है. मैं उससे ज्यादा कुछ अर्ज करना नहीं चाहता हूं.

लॉ मेम्बर साहब—यह सवाल इस वजह से कमेटी के सुपुर्द किया गया था कि उसके दोनों पहलुओं पर (जिन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है) मेम्बरान मुबाहिसा करके राय कायम करें ताकि मजलिस आम का ज्यादा वक्त इस सवाल पर मुबाहिसा करने में सर्फ न हो. मुझको उम्मीद थी कि उस बहस से जो कमेटी में हुई, मुजव्विज साहब को इतमीनान हो जावेगा, लेकिन मुजव्विज साहब को कमेटी की राय से इख्तलाफ है; मैं मुनासिब समझता हूं कि सवाल क्या है और इस बारे में कानून क्या है, इसको वजूहत से बयान कर दिया जाय, ताकि समझने में आसानी हो. मेरे ख्याल में अगर मैं एक मिसाल बयान कर दूं तो ज्यादा तौजीह की जरूरत न होगी. फर्ज कीजिये कि मैंने रामजीदास साहब से यह मुआहिदा किया, मुआहिदे का लफ्ज गालिबन इस जगह ठीक न होगा, यूं कहिये कि यह ठहराव किया कि इस कदर वजन की रुई (उमूमन रुई के सट्टे ज्यादा होते हैं) फलां शरह से फलां तारीख को आप से खरीदूंगा और मकसद इस ठहराव का यह है कि तारीख मुकर्ररा पर रुई का जो भाव होगा उस भाव के एतबार से ठहराव के मुताबिक आपस में जो नफा नुक्सान होगा वह लिया दिया जायगा और दर असल रुई न खरीद की जायगी और न फरोख्त की जायगी इस किस्म के ठहराव को सट्टा कहते हैं. इसी मिसाल को लेकर फर्ज कीजिये कि तारीख मुकर्ररा पर भाव के एतबार से रामजीदास साहब के ६००) रुपये मेरे जिम्मे निकले. अगर यह रुपया मैंने रामजीदास साहब को दे दिया तो कोई झगडा नहीं, लेकिन अगर मैंने रुपया नहीं दिया तो कानूनी एहकाम यह हैं कि अगर रामजीदास साहब मुझ पर उस रुपये की बाबत अदालत में दावा करें तो ऐसी नालिश अदालत में समाअत न होगी. अब मैं मुजव्विज साहब की तजवीज को एक दूसरी तमसील की शक्ल में पेश करता हूं. मगर इससे कब्ल मेहज आप साहबान की वाकफियत के लिये यह जाहिर करना चाहता हूं कि उज्जैन के साहूकारान ने दरबार में ऐसी तजवीज पेश की है कि इस किस्म की नालिशें, जिनका जिक्र मैं अभी कर चुका हूं, अदालत में समाअत की जाया करें. बहर हाल मुजव्विज साहब की तजवीज की शक्ल और ही है. फर्ज कीजिये कि मैंने रामजीदास साहब से यह कहा कि आप मेरी जानिब से किसी दूसरे शख्स से सट्टे का ऐसा कारोबार या ठहराव कीजिये जिसकी तमसील अभी बयान कर चुका हूं. रामजीदास साहब ने दूसरे शख्स से ऐसा ठहराव किया. फर्ज कीजिये कि उस ठहराव की वजह से रामजीदास साहब को उस दूसरे शख्स से ६००) रुपये वसूल हुए. इस सूरत में यह रुपया दर असल मेरा होगा जो रामजीदास साहब के कब्जे में बतौर मेरे एजेन्ट या नौकर के तसव्वुर किया जायगा और जिसके पाने का मैं मुस्तहक हूंगा. दूसरी सूरत यह है कि ठहराव की वजह से रामजीदास साहब को ५००) रुपया उस दूसरे शख्स के हवाले करना पड़े, इस सूरत में फर्ज कीजिये कि रामजीदास साहब ने यह रुपया अपनी जेब से दूसरे शख्स को दे दिया चूंकि रामजीदास साहब मेरे एजेन्ट या मुलाजिम की हैसियत रखते थे इसलिये मुआम्ला सिर्फ मेरे और उनके दरमियान रह गया और जो रुपया उन्होंने मेरी जानिब से अदा किया वह मुझसे पाने के मुस्तहक होंगे अमल दरामद यह है कि अगर रामजीदास साहब इस रुपये की वसूली के लिये मुझ पर अदालत में नालिश करेंगे तो ऐसी

नालिश अदालत में समाअत होगी. मुजव्विज साहब की यह तजवीज है कि ऐसी नालिश समाअत नहीं होनी चाहिये. मुझे उम्मीद है कि इस तौजीह से इस मुआम्ले की सूरत आप साहबान के बखूबी जहन नशीन होगई होगी. अब आप साहबान इसके मुतअल्लिक गौर करके राय कायम कर सकते हैं.

चतुरभुजदास साहब—हुजूर अनवर, मुजव्विज साहब इस तजवीज को इस दलील पर सपोर्ट फरमाते हैं कि जो मुआहिदा नाजायज करार दिया गया है वही मुआहिदा मेहज इस वजह से कि तीसरा शख्स बीच में पड गया है, जायज हो जाता है मगर ऐसा नहीं है, बल्कि शक्ल यह है कि A. B. से कहे कि तुम C से सट्टा करो और मैं जेर कमीशन मुआवजे के तौर पर दूंगा. B. C. के साथ सट्टा करता है. अगर B. C. सट्टा खेलें तो B. A. से अपना मेहनताना पाने का मुस्तहक है या नहीं ?

मेरे ख्याल से ऐसा मेहनताना दिलाया जा सकता है. मुजव्विज साहब अपनी तजवीज को जिस बिना पर सपोर्ट करते हैं वह ठीक नहीं है; क्योंकि दरअसल सट्टे की मुमानियत नहीं है मस्लन कत्ल करना एक जुर्म है इसलिये अगर कोई कत्ल के महनताने की बाबत ठहराव करे तो ऐसा ठहराव नाजायज होगा, लेकिन यह सूरत सट्टे की नहीं; सट्टा करने की इजाजत है इसलिये अगर उसके मुतअल्लिक महनताने का ठेहराव हो तो वह नाजायज नहीं कहा जा सकता.

ठहराव—राय लिये जाने पर कसरत राय से सबकमेटी की रिपोर्ट मंजूर की गई और मुजव्विज की तजवीज ना मंजूर की गई.

इसके बाद सवालात मुन्दर्जा जमीमा फर्द नंबर २ एजेन्डा मजलिस आम के मुतअल्लिक गवर्नमेंट की जानिब से कैफियत जाहिर की गई.

१, **मुतअल्लिक सवाल नम्बर १.**—लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया कि चूंकि इस तजवीज के मुजव्विज फौजदार रंधीरसिंह साहब नहीं आये हैं इसलिये कैफियत के जाहिर करने की जरूरत नहीं.

२. **मुतअल्लिक सवाल नम्बर २.**—रेवेन्यू मेम्बर साहब ने फरमाया कि:—

" (१) रिझर्व जंगल के अन्दर काबिल काश्त रकबा जो आबादी के लायक हो वह दरबार के जदीद कवाअद चकूक व ब्लाक्स के मुताबिक महकमे कॉलोनाईजेशन की तहरीक पर ब इत्तफाक राय फारेस्ट डिपार्टमेन्ट जंगल से निकालकर चकूक काटे जाने के लिये इन्तजाम साल गुजिश्ता में ही दरबार ने फरमाया है और उस कायदे के मुआफिक रकबा काबिल आबादी रिझर्व जंगल से निकाला जा सकता है. रामपुर और दीगर मुकामों पर रिझर्व जंगल के रकबे में से चक काटे भी गये हैं लेकिन रिझर्व जंगल के अन्दर मुख्तलिफ काश्त करने की मुमानियत जो कानून जंगलात के हिस्सा दोयम के बाब की दफा ८ में की गई है उसकी गरज की तशरीह दरबार ने कानून जंगलात के हिस्सा अव्वल के बाब दोयम की दफा ५ में हस्ब जैल फरमा दी है:—

" जो छोटे २ टुकडे अदना दर्जे की काश्त के ऐसे रिझर्व जंगलों में आजावें उनकी तरक्की और फैलाव रोका जावे ताकि दो चार अदना दर्जे की फसल से जंगल काटकर फिजूल बरबाद न हों."

चुनाचे इस से जाहिर होगा कि मुख्तलिफ काश्त अदना दर्जे की रोकने की असली गरज यह है कि रखोब किया हुआ जंगल फिजूल बरबाद न हो.

ऐसे मुकामात जहां मजरूआ आबादी के छोटे छोटे टुकडे जंगल में या उसके बहुत से हिस्सों पर फले हुए थे और उनके दर्मियानी जमीन ज्यादातर काबिल जराअत थी या मजरूआ कुल रकबे से

१/४ से ज्यादा था, उन रकबेजात जंगल को रिझर्व जंगल में शामिल नहीं किया गया. मुलाहिजा हो, पैरा २, पोट कलम अ, दफा ८, कवाअद जेर कानून जंगलात, हिस्सा दोयम, बाब १ व नीज ऐसी काबिल काश्त जो जो किनारे पर आबाद थी वह जंगल से निकाल दी गई.

बवजूहात सदर जो तजवीज पेश की गई है उस पर अमल करने में यह दिक्कत है कि उससे जंगल की रखोब का मकसद जायल हो जावेगा और इसलिये जंगल के नुक्सान के ख्याल से इस पर अमल करने में मजबूरी है.

यह जाहिर कर देना जरूरी है कि प्रोटेक्टेड जंगल में काश्त बढाने की कोई मुमानियत नहीं है, और काश्तकारान और जमींदारान जंगल के उस रकबे में काश्त आजादी से बढा सकते हैं और आबादी की ख्वाहिश करने वाले जमींदारान काबिल काश्त रकबे भी मार्फत महकमे कॉलोनाइजेशन बशक्ल चक व ब्लॉक मुताबिक कवाअद दरबार रिझर्व जंगल में से भी हासिल कर सकते हैं.

(२) कानून जंगलात में रिझर्व जंगल की गरज दरबार ने बतलाई है वह यह है कि जो हिस्सा जंगल रिझर्व करार दिया जावे उसपर हमेशा जंगल रहे और इस जंगल की हिफाजत, निग्रानी व तरक्की होकर गिर्दनवाह के मवाजियात के रिआया की जरूरियात लकडी वगैरा की पूरी हों. दरबार को जंगल की पैदावार लकडी वगैरा से एक मुस्तकिल जर्या आमदनी का हो व मुख्तलिफ किस्म की तिजारत व हिरफत के लिये जो जो पैदावार जंगल होती हो उससे मुहैया हो.

जब यह अम्र मुसल्लिमा है कि इन्सानी जिन्दगी की जरूरियात के लिये व मुल्क की बेहबूदी व तरक्की के लिये जंगल का होना लाजमी है तो जरूरत है कि जंगलों की हिफाजत उन बेहतरीन उसूल पर की जावे कि जो जुम्ला तरक्की करते हुए मुमालिक में रायज है.

जंगल का इन्तजाम ऊपर बतलाये हुए उसूलों पर सोलह वर्ष हुए जब हाथ में लिया गया था और मई सन १९२३ ई में रिझर्व जंगल की हुदूद की तरमीम का हुक्म ग्रास एन्ड फ्यूएल कमीशन की रिपोर्ट पर दरबार ने सादिर फरमाया कि जिसकी इशाअत गवालियर गजट तारीख २६ मई सन १९२३ ई. में हो चुकी है.

इन अहकाम की तामील में:—

१. नाकाबिल रकबा रखोब जंगल से निकाला जा रहा है और रिझर्व में तीन किस्म के रकबेजात रखे गये हैं:—

(अ) कीमती लकडी के जंगल जिसमें सागोन, धौ, करधई, की लकडी होती है.

(ब) फ्यूएल रिजर्वस जिनमें ज्यादातर जलाऊ लकडी है लेकिन कामीदा लकडी शामिल है.

(स) रकबेजात घास यानी ग्रास रिजर्वस.

अक्सतन (ब) (स) के रिझर्व करने में मुलहिका शहरों व बसतियों की जरूरियात घास व लकडी सरकारी मिलिटरी व कारखाने की जरूरियात व फैमिन की जरूरियात कि जो शुमाली अजलाय में ज्यादातर होते हैं, लिहाज रखा गया है, ताकि कहत पडने पर रिआया की आसायश के लिये सिलसिले से यकेबादीगरे रकबे खोले जासकें.

जंगल जेर रखोब का रकबा जिसमें लकडी ख्वाह कामीदा या सतरूखा रोटेशन के लिहाज से हर साल काटा जाता है जिसके मानी यह हैं कि, कीमती लकडी का जो रकबा इस साल कटेगा उसमें २५ वर्ष तक कोई कटाई नहीं होगी ताकि नया जंगल पैदा होने को वक्त मिले.

सतरूखा लकडी का जंगल ब लिहाज पैदावार (ग्रोथ) दस वर्ष से लेकर २० वर्ष के रोटेशन पर काटा जाता है. अगर इस सिलसिले में कटाई न की जावे और जंगल में आम आजादी कटाई की रखी जावे तो जंगल को इम्प्रूव्ह होंने का मौका न रहेगा.

जंगलात के इन्तजाम का पहिला व मुकद्दम उसूल रकबेजात की रखोब है कि जिससे जंगल की तरक्की हो. आमदनी का दारोमदार जंगल की रखोब पर मुनहसिर है.

जो तजवीज जंगल के ऐसे रकबेजात को जमींदारों को सुपुर्द करने की पेश कीगई है उसपर इस मुल्क के दूसरे हिस्सों यानी बंगाल, पंजाब में करीब १२५ वर्ष हुए जब अमल किया गया था लेकिन बाद में उस अमल से जंगल की खराबी ऐसी वाके हुई कि उन गवर्नमेन्टों को फिर अपना इन्तजाम जमींदारों से रकबा वापिस लेकर बदलना पडा. इसलिये यह तजवीज इसी मुल्क में अबतक जो पिछला तजरुबा होचुका है, उस लिहाज से मुफीद नहीं है.

रिझर्व जंगल के बाहर अब भी यह काबिल काश्त रकबा इतना पडा है कि जमींदारान व काश्तकारान की सारी तवज्जुह उसके आबादी के तरफ दिलाने की जरूरत है. और कोई ऐसी तजवीज कि जिससे उनकी तवज्जुह पर गैर जरूरी बोझा पडकर उस आबादी के काम की तरफ से वे बेफिक्र हों कि जिसके लिये दरबार ने एक खास महक्मा आबादी का कायम किया है और दीगर रियायतें बख्शी हैं, दरबार रिआया के इन्टरेस्ट में मुफीद ख्याल नहीं करते. ”

३. **मुतअल्लिक सवाल नम्बर ३** :—फायनेन्स मेम्बर साहब ने जाहिर फरमाया कि तिजारत पेशा लोगों के लिये जिस कदर सरकारी रुपया रियासत का रियासत में लग जावे यही दरबार की ख्वाहिश है. दस साल का अर्सा हुआ दरबार ने खुद पेशकदमी करके लश्कर के साहूकारों को जमा किया और एक करोड रुपया offer किया. दरबार की ख्वाहिश यह थी कि सरकारी रुपया महफूज रहे, कमसे कम गवर्नमेन्ट securities पर जिस कदर सूद आता है उतना रुपया पैदा हो जावे, लेकिन ऐसा करने के लिये रुपये की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली इसलिये उस वक्त यह सवाल ड्रॉप हुवा. अब बैंक की नई स्कीम तैयार कीगई है और उस पर अनकरीब मजलिस कानून में गौर होगा और उसके पास होने के बाद वह इजरा हो जायगी इस scheme के जारी होने पर वह गरज जो इस तजवीज में जाहिर कीगई है पूरी हो जावेगी.

४. **मुतअल्लिक सवाल नम्बर ४**:—होम मेम्बर साहब ने जाहिर फरमाया कि—“दरबार आलीविकार ने इस जरूरत को पहिले ही महसूस फर्माकर पॉलिसी होम डिपार्टमेन्ट, जिल्द नम्बर ४, कलम नम्बर ११ व १२, में इसके बाबत अहकाम सादिर फर्माये हैं (कि अस्पताल इस हिसाब से खोले जावें कि वह एक ऐरिया को बआसानी कमान्ड कर सकें. यानी रिआया बआसानी वहां पहुंच सकें और पब्लिक की जरूरियात को पूरा कर सकें. सेन्टर के मुकामात पर तो सरजीकल डिस्पेन्सरीज कायम करदी जावें और जैसे कि पंचायत बोर्ड के सर्कल कायम कर दिये हैं वैसे ही मैडिकल डिस्पेन्सरीज कायम कर दी जावें और उसमें हकीम और वैद्य जो अच्छे मिल सकें, मुकर्रर किये जावें) चुनांचे अहकाम सदर के मुताबिक तामील शुरू हो गई है. साल रवां में जिले भिन्ड व शाजापुर के हर पंचायत बोर्ड के मुकाम पर यूनानी या आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज कायम करने की बाबत मन्जूरी सादिर हो चुकी है और यह डिस्पेन्सरीज अनकरीब कायम होंगी और रफ्ता २ मन्शाय दरबार मुन्दर्जे कलमहाय पॉलिसी मुन्दर्जे सदर के मुताबिक इन डिस्पेन्सरीज का फैलाव हो जावगा.

इन अस्पतालों का सर्फा हस्ब गुन्जायश रियासत के बजट से ही किया जाना तजवीज किया गया है, ताहम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के को-ऑपरेशन से इन अस्पतालों के जल्द फैलाव होने की उम्मेद की जाती है कि बजाय इसके कि मालगुजारी पर मजीद टक्स लगाये जावें, बहतर यह होगा कि इन यूनानी व आयुर्वेदिक अस्पतालों की इम्दाद के वास्ते लोकली चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की जावे, इस सिलसिले में एक और अम्र भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व पंचायत बोर्ड्स के ध्यान में रखने के काबिल है और वह यह है कि यह अस्पताल खैराती है और यह खैरात का फायदा सिर्फ गरीब लोगों को ही उठाना चाहिये. आसूदा लोगों को अपने इलाज की बाबत काफी मुआवजा लोकल डिस्पेन्सरीज फन्ड को देना चाहिये, इसका ठीक इन्तजाम होने से भी इन अस्पतालों को मदद पहुंचेगी.

पंचायत बोडस को यह हक दिया गया है कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक वैद्य या हकीम रखने की बाबत राय जाहिर करें; बशर्ते कि वह हकीम या वैद्य रियासत हाजा का पासयाफ्ता हो."

५. मुतअल्लिक सवाल नम्बर ५.—होम मेम्बर साहब ने जाहिर किया कि पॉलिसी होम डिपार्टमेन्ट, जिल्द नम्बर ४, कलम नम्बर १३ व १४, में दरबार आलीविकार ने देशी अदवियात के इस्तेमाल के बाबत अहकाम सादिर फर्माये हैं और देसी अदवियात को तरजीह दी है. चुनांचे मौजूदा इंग्रेजी शफाखानों में देशी अदवियात इस्तेमाल में लाने बाबत ठहराव मेडिकल कान्फरेन्स दरबार से मन्जूर हो चुका है, इसको अमल में लाने बाबत कार्रवाई दर पेश है.

जिन मुकामात पर म्युनिसिपेलिटीज हैं वहां हस्ब गुन्जायश, म्युनिसिपेलटीज, खुद यूनानी अस्पताल कायम कर सकती हैं. यह मजलिस आम, सम्वत १९७८, के सवाल नम्बर १९ में तय हो चुका है. इसका अमल शुरू होने पर म्युनिसिपेलिटीज से ऐसे दवाखाने कायम हो जावेंगे.

६. मुतअल्लिक सवाल नम्बर ६.—होम मेम्बर साहब ने जाहिर किया कि "मैन्युअल कैदियान व जेलखानेजात, सम्वत १९७३, की दफा ३५४ नोट २ में इसकी बाबत प्रॉविजन मौजूद है. चुनांचे जेलहाय में इस वक्त हर हफ्ते में एक दफे श्रीरामायण हिन्दू कैदियों को और कुरान शरीफ मुसलमान कैदियों को सुनाये जाने का तरीका जारी है और इसके वास्ते हर जेल में एक एक पंडित और एक एक मौलवी मुकर्रर है."

मुतअल्लिक सवाल नंबर ७.—आर्मी मेम्बर साहब ने जाहिर फरमाया कि "अकवाम खाने-बदोश से नेक चलनी की जमानत बमूजिब दफा १२७ (४) पुलिस मैन्युअल ली जाती है, जो बलिहाज इन्सदाद जरायम बहुत जरूरी है. दुबारा जमानत लेने की जरूरत उसी वक्त पैदा होती है जब कि जमानत साबिका की मियाद खतम हो जावे, या कि जामिन अपनी जमानत आयन्दा कायम न रखना चाहे. ऐसे लोग मवाजियात में आबाद होने की हालत में अगर जमींदारान मुतअल्लिका बिला कैद मियाद जमानत देना पसन्द करें तो हर साल दुबारा जमानत लिये जाने की जरूरत बाकी नहीं रहती. ऐसे खानेबदोश जरायम पेशा लोग छै साल तक मुसलसिल मौजे में आबाद रहने से यह नतीजा नहीं निकलता कि वह आयन्दा मुरतकिब वारदात न होंगे, क्योंकि तजुर्बा इसके खिलाफ जहूर में आया है.

मुसव्विदा मैन्युअल अकवाम जरायम पेशा जो इस वक्त जेर गौर है उसकी दफा २ में यह प्रॉविजन किया गया है कि जब गवर्नमेन्ट को यह यकीन करने की वजह हो कि कोई कौम या गिरोह या तबका अशखास एक मुसलसिल तरीके पर नाकाबिल जमानत जरायम के इर्तकाब का आदी है, तो उसको बजरये ऐलान गवालियर गवर्नमेन्ट गजट जरायम पेशा करार दे. इसी मुसव्विदे की दफा २८ में यह भी प्रॉविजन किया गया है कि जब यह इत्मीनान हो जाय कि कौम जरायम पेशा

के किसी शख्स की कामिल तौर पर इसलाह हो चुकी हो और पिछले बारह साल में उसने अपनी माश नेक जराये से हासिल की हो तो उसको इस कानून के कयूद से माफ किया जाय.

सदर कानून के अमल में आने से proclaimed जरायम पेशा के लोगों की कार्रवाई उस मुताबिक होगी और इस तरह पर इस सवाल पर मजीद गौर करने की जरूरत नहीं रहती. अलबत्ता un-proclaimed अक्वाम जरायम पेशा लोगों के देहात में आबाद होने पर जमींदारान मुतअल्लिका की जिम्मेदारी लेना गैर जरूरी नहीं कहा जा सकता है. "

मुतअल्लिक सवाल नंबर ८—लॉ मेम्बर साहब ने वामनरावजी साहब की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि "वामनरावजी, आपकी तजवीज यह है कि कानून माल का मुसव्विदा जो अवाम की राय के लिये गजट के हमराह शाया हुआ था उस पर मजलिस आम में गौर किया जावे जिस वक्त मजलिस आम के कवाअद पर गौर किया जा रहा था उस वक्त इस मसले पर काफी गौर किये जाने के बाद यह करार पाचुका है कि जदीद कानून के मुसव्विदात मजलिस कानून में पेश करना ही काफी है, क्योंकि मजलिस कानून में मजलिस आम में से मुन्तखिब किये हुए मेम्बरान भी होते हैं और उस वक्त नॉन ऑफिशियल मेम्बरान की रायें जाहिर हो सकती है."

मुतअल्लिक सवाल नम्बर ९—लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया कि "वामनराव साहब की दूसरी तजवीज यह है कि सरक्यूलर नंबर १ जो सम्वत १९७९ में जारी हुआ है, वह मंसूख किया जावे. इसके मुतअल्लिक कैफियत यह है कि पहिले यह तरीका रायज था कि सादा डिक्री की इजरा में जमींदारी जायदाद कुर्क और नीलाम नहीं होती थी. बाद को यह तजवीज पेश हुई कि जमींदारी जायदाद सादा डिक्रियात की इजरा में कुर्क व नीलाम होना चाहिये, इस तजवीज पर सम्वत १९७९ की मजलिस आम में करार पाया कि जमींदारी जायदाद कुर्क व नीलाम की जावे मगर इस नजर से कि जमींदारान बरबाद न हों, बजर्ये सरक्यूलर मजकूर सूबा साहबान को हिदायत की गई है कि जो लोग आपस में रजामन्द हों उनकी जायदाद रहन रखकर जेर डिक्री के मतालबे का इन्तजाम किया जावे और जो लोग रजामन्द न हों उनके साथ बदर्जे मजबूरी कानूनी अमल किया जावे. इसके मुतअल्लिक करेक्शन स्लिप जारी हो चुके हैं, और अब मजीद गौर करने की जरूरत मालूम नहीं होती."

मुतअल्लिक सवाल नंबर १०—लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया कि "चतुर्भुजदास साहब की तजवीज यह है कि हर जुर्म में मुलजिम से सफाई लेने के पेश्तर फर्द करारदाद जुर्म बनाकर सुनाना चाहिये. दरबार से Penal code पास हो चुकी है और अनकरीब शाया की जावेगी. जाब्ता फौजदारी का मुसव्विदा जेर तजवीज है. चूंकि यह तजवीज जाब्ता फौजदारी के मुतअल्लिक है. इसलिये इस तजवीज पर मुसव्विदा जाब्ता फौजदारी के साथ गौर कर लिया जावेगा."

मुतअल्लिक सवाल नम्बर ११.—लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया कि "हर जिले में एक एक मसालहती बोर्ड कायम किया जावे. इसके मुतअल्लिक दरबार मुअल्ला का इर्शाद होचुका है. इन्तजार इस बात का है कि पहिला बोर्ड जो लश्कर में कायम होचुका है उसकी कारगुजारी व तजुर्बे को देखकर रफ्ता २ दीगर जगह बोर्ड्स कायम किये जावें और दरबार को इस तजवीज के उसल से इत्तफाक है."

मुतअल्लिक सवाल नम्बर १२.— **लॉ मेम्बर साहब**—मथुरा प्रसाद साहब, आपका सवाल यह है कि रोक बे रेहमी हैवानात के मुतअल्लिक कानून जारी किया जावे. इसके मुतअल्लिक

कैफियत यह है कि ग्वालियर पिनल कोड में, जो पास होचुकी है और प्रेस में छपरही है बेरहमी हैवानात के मुतअल्लिक चन्द अफआल जुर्म करार दिये गये हैं और पिनल कोड मजकूर में चार दफआत इसके मुतअल्लिक रक्खी गई हैं. गालिबन इसके मुतअल्लिक आपको वाकफियत नहीं है. इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहते हैं ?

मथुराप्रसाद साहब.—बेरहमी जानवरों के वास्ते दफा १२९, मजमूआ कवानीन फौजदारी, में जुर्म रक्खा गया है कि जो इस जुर्म का मुर्तकिब होगा उसको १००) रुपये तक सजा दी जावेगी वगैरा वगैरा. यह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी पुलिस होने पर भी किसी मुकद्दमे का चलना समाअत में नहीं आया. अगर किसी अदालत में चला भी हो तो वह बमुकाबले नफी के है. इसलिये मालूम यह होता है व जाब्ते का नुक्स भी कि जिसकी वजह से बेरहमी जानवरों की रोक इस जुर्म से नह हुई, इसके मुतअल्लिक ऐसे जाब्ते के बनाने की जरूरत नहीं कि जिससे सहूलियत होकर बेरहमी जानवरों की रोक हो. और वह मेरे ख्याल से इस तरह पर हो सकती है कि इसका अलहदा कानून बनाया जाकर इख्तियारात म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट साहबान को दिये जावें, और म्युनिसिपेलिटी से निग्रानी होकर मुकद्दमात चलाये जावें. दोयम यह कि अभी तक कोई जाब्ता ऐसा मुकर्रर नहीं है कि जिसके जर्ये से कोई मजिस्ट्रेट जानवर को ट्रीटमेन्ट के लिये कहीं भेज सके, इसलिये उसके मुतअल्लिक भी जाब्ता यह होना चाहिये कि मजिस्ट्रेट साहबान को इख्तियारात दिये जावें कि जिसके जर्ये से वह जानवरान का Treatment कि जबतक वह काम के काबिल न हों, करा सकें, और उसका सर्फा मालिक मवेशी से वसूल कर सकें. जो कानून इसके मुतअल्लिक बनाया जावे उसमें इस अम्र के मुतअल्लिक दफा होना चाहिये कि कोई शख्स किसी जानवर को जो Contagious-disease में मुबतिला हो उसको आजाद सडक वगैरा पर न फिरने दें. ब्रिटिश इन्डिया में भी इसके वास्ते अलहदा कानून है.

लॉ मेम्बर साहब.—आपकी इस तजवीज के मुताबिक कि "रोक हैवानात के मुतअल्लिक कानून जारी किया जावे" जदीद पिनल कोड में Provisions कर दिये गये हैं. आपकी तजवीज के अल्फाज से आपका वह मतलब, जिसका कि इजहार अभी आपने किया है, नहीं निकलता. यह जुदागाना मजमून है. अगर इसके मुतअल्लिक आप दरबार से कोई कार्रवाई चाहते हैं तो आप इसके मुतअल्लिक महकमे हाजा में तजवीज पेश कर सकते हैं.

मथुराप्रसाद साहब.—ठीक है.

नोट १:—इसके बाद हुजूर मुअल्ला ने फर्माया कि आज के इजलास का काम खत्म किया जाता है. सोमवार को मजलिस का इजलास १ बजे से शुरू होगा.

नोट २:—इजलास का काम २-५० बजे खत्म हुआ.

[**नोटः**—तारीख ३० मार्च सन १९२५ ई० को हिज एक्सलेन्सी दी कमान्डर इन-चीफ लार्ड रॉलिन्सन साहब का इन्तकाल होने की वजह से, आम तातील रही और मजलिस आम का इजलास नहीं हुआ. इसी रोज दरबार का यह हुक्म नाफिज हुवा कि सवालात (नंबर ३ व ४ फर्द नंबर १ एजेन्डा मजलिस आम व सवाल मुन्दर्जे कलम नंबर १४ व १५ इफ्तताही स्पीच हुजूर मुअल्ला) जो कमेटी को सानी गौर के लिये रखे गये थे, अहम हैं, लिहाजा मुनासिब होगा कि अब मेम्बरान मजलिस आम अपने अपने मुकाम पर वापिस चले जावें और काफी गौर इन सवालात पर करें. ब शर्त जरूरत माह अक्टूबर या नौम्बर सन १९२५ ई० में, मजलिस आम का गैर मामूली जलसा मुनअकिद किया जाकर उन पर गौर किया जावेगा.]

के किसी शख्स की कामिल तौर पर इसलाह हो चुकी हो और पिछले बारह साल में उसने अपनी माश नेक जराये से हासिल की हो तो उसको इस कानून के कयूद से माफ किया जाय.

सदर कानून के अमल में आने से proclaimed जरायम पेशा के लोगों की कार्रवाई उस मुताबिक होगी और इस तरह पर इस सवाल पर मजीद गौर करने की जरूरत नहीं रहती. अलबत्ता un-proclaimed अकवाम जरायम पेशा लोगों के देहात में आबाद होने पर जमींदारान मुतअल्लिका की जिम्मेदारी लेना गैर जरूरी नहीं कहा जा सकता है."

मुतअल्लिक सवाल नंबर ८—लॉ मेम्बर साहब ने वामनरावजी साहब की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि "वामनरावजी, आपकी तजवीज यह है कि कानून माल का मुसव्विदा जो अवाम की राय के लिये गजट के हमराह शाया हुआ था उस पर मजलिस आम में गौर किया जावे जिस वक्त मजलिस आम के कवाअद पर गौर किया जा रहा था उस वक्त इस मसले पर काफी गौर किये जाने के बाद यह करार पाचुका है कि जदीद कानून के मुसव्विदात मजलिस कानून में पेश करना ही काफी है, क्योंकि मजलिस कानून में मजलिस आम में से मुन्तखिब किये हुए मेम्बरान भी होते हैं और उस वक्त नॉन ऑफिशियल मेम्बरान की रायें जाहिर हो सकती है."

मुतअल्लिक सवाल नम्बर ९—लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया कि "वामनराव साहब की दूसरी तजवीज यह है कि सरक्यूलर नंबर १ जो सम्वत १९७९ में जारी हुआ है, वह मंसूख किया जावे. इसके मुतअल्लिक कैफियत यह है कि पहिले यह तरीका रायज था कि सादा डिक्री की हक्करसी में जमींदारी जायदाद कुर्क और नीलाम नहीं होती थी. बाद को यह तजवीज पेश हुई कि जमींदारी जायदाद सादा डिक्रियात की हक्करसी में कुर्क व नीलाम होना चाहिये; इस तजवीज पर सम्वत १९७९ की मजलिस आम में करार पाया कि जमींदारी जायदाद कुर्क व नीलाम की जावे मगर इस नजर से कि जमींदारान बरबाद न हों, बजरिये सरक्यूलर मजकूर सूबा साहबान को हिदायत की गई है कि जो लोग आपस में रजामन्द हों उनकी जायदाद रहन रखकर जेर डिक्री के मतालबे का इन्तजाम किया जावे और जो लोग रजामन्द न हों उनके साथ बदर्जे मजबूरी कानूनी अमल किया जावे. इसके मुतअल्लिक करेक्शन स्लिप जारी हो चुके हैं, और अब मजीद गौर करने की जरूरत मालूम नहीं होती."

मुतअल्लिक सवाल नंबर १०—लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया कि "चतुर्भुजदास साहब की तजवीज यह है कि हर जुर्म में मुलजिम से सफाई लेने के पेश्तर फर्द करारदाद जुर्म बनाकर सुनाना चाहिये. दरबार से Penal code पास हो चुकी है और अनकरीब शाया की जावेगी. जाब्ता फौजदारी का मुसव्विदा जेर तजवीज है. चूंकि यह तजवीज जाब्ता फौजदारी के मुतअल्लिक है. इसलिये इस तजवीज पर मुसव्विदा जाब्ता फौजदारी के साथ गौर कर लिया जावेगा."

मुतअल्लिक सवाल नम्बर ११.—लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया कि "हर जिले में एक एक मसालहती बोर्ड कायम किया जावे. इसके मुतअल्लिक दरबार मुअल्ला का इर्शाद होचुका है, इन्तजार इस बात का है कि पहिला बोर्ड जो लश्कर में कायम होचुका है उसकी कारगुजारी व तजुर्बे को देखकर रफ्ता २ दीगर जगह बोर्ड्स कायम किये जावें और दरबार को इस तजवीज के उसूल से इत्तफाक है."

मुतअल्लिक सवाल नम्बर १२.—**लॉ मेम्बर साहब**—मथुरा प्रसाद साहब, आपका सवाल यह है कि रोक बे रेहमी हैवानात के मुतअल्लिक कानून जारी किया जावे. इसके मुतअल्लिक

कैफियत यह है कि ग्वालियर पिनल कोड में, जो पास होचुकी है और प्रेस में छपरही है बेरहमी हैवानात के मुतअल्लिक चन्द अफआल जुर्म करार दिये गये हैं और पिनल कोड मजकूर में चार दफआत इसके मुतअल्लिक रक्खी गई हैं. गालिबन इसके मुतअल्लिक आपको वाकफियत नहीं है. इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहते हैं?

मथुराप्रसाद साहब.—बेरहमी जानवरों के वास्ते दफा १२९, मजमूआ कवानीन फौजदारी, में जुर्म रक्खा गया है कि जो इस जुर्म का मुर्तकिब होगा उसको १००) रुपये तक सजा दी जावेगी वगैरा वगैरा. यह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी पुलिस होने पर भी किसी मुकद्दमे का चलना समाअत में नहीं आया. अगर किसी अदालत में चला भी हो तो वह बमुकाबले नफी के है. इसलिये मालूम यह होता है व जाब्ते का नुक्स भी कि जिसकी वजह से बेरहमी जानवरों की रोक इस जुर्म से नह हुई, इसके मुतअल्लिक ऐसे जाब्ते के बनाने की जरूरत नहीं कि जिससे सहूलियत होकर बेरहमी जानवरों की रोक हो. और वह मेरे ख्याल से इस तरह पर हो सकती है कि इसका अलहदा कानून बनाया जाकर इख्तियारात म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट साहबान को दिये जावें, और म्युनिसिपेलिटी से निग्रानी होकर मुकद्दमात चलाये जावें. दोयम यह कि अभी तक कोई जाब्ता ऐसा मुकर्रर नहीं है कि जिसके जर्ये से कोई मजिस्ट्रेट जानवर को ट्रीटमेन्ट के लिये कहीं भेज सके, इसलिये उसके मुताल्लिक भी जाब्ता यह होना चाहिये कि मजिस्ट्रेट साहबान को इख्तियारात दिये जावें कि जिसके जर्ये से वह जानवरान का Treatment कि जबतक वह काम के काबिल न हों, करा सकें, और उसका सर्फा मालिक मवेशी से वसूल कर सकें. जो कानून इसके मुतअल्लिक बनाया जावे उसमें इस अम्र के मुतअल्लिक दफा होना चाहिये कि कोई शख्स किसी जानवर को जो Contagious-disease में मुबतिला हो उसको आजाद सड़क वगैरा पर न फिरने दें. ब्रिटिश इन्डिया में भी इसके वास्ते अलहदा कानून है.

लॉ मेम्बर साहब.—आपकी इस तजवीज के मुताबिक कि "रोक हैवानात के मुतअल्लिक कानून जारी किया जावे" जदीद पिनल कोड में Provisions कर दिये गये हैं. आपकी तजवीज के अल्फाज से आपका वह मतलब, जिसका कि इजहार अभी आपने किया है, नहीं निकलता. यह जुदागाना मजमून है. अगर इसके मुतअल्लिक आप दरबार से कोई कार्रवाई चाहते हैं तो आप इसके मुतअल्लिक महकमे हाजा में तजवीज पेश कर सकते हैं.

मथुराप्रसाद साहब.—ठीक है.

नोट १:—इसके बाद हुजूर मुअल्ला ने फर्माया कि आज के इजलास का काम खत्म किया जाता है. सोमवार को मजलिस का इजलास १ बजे से शुरू होगा.

नोट २:—इजलास का काम २-५० बजे खत्म हुआ.

[**नोट:**—तारीख ३० मार्च सन १९२५ ई० को हिज एक्सलेन्सी दी कमान्डर इन-चीफ लार्ड रॉलिन्सन साहब का इन्तकाल होने की वजह से, आम तातील रही और मजलिस आम का इजलास नहीं हुआ. इसी रोज दरबार का यह हुक्म नाफिज हुवा कि सवालात (नंबर ३ व ४ फर्द नंबर १ एजेन्डा मजलिस आम व सवाल मुन्दर्जे कलम नंबर १४ व १५ इफ्तताही स्पीच हुजूर मुअल्ला) जो कमेटी को सानी गौर के लिये रखे गये थे, अहम हैं, लिहाजा मुनासिब होगा कि अब मेम्बरान मजलिस आम अपने अपने मुकाम पर वापिस चले जावें और काफी गौर इन सवालात पर करें. ब शर्त जरूरत माह अक्टूबर या नौम्बर सन १९२५ ई० में, मजलिस आम का गैर मामूली जलसा मुनअकिद किया जाकर उन पर गौर किया जावेगा.]

जमीमेजात

जमीमा नंबर १.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

एजेन्डा मजालिस आम, सम्वत १९८१.

फर्द नं० १:—तजवीज जो ब हुक्म दरबार मुअल्ला मजलिस आम में पेश हुई,

नंबर शुमार.	तजवीज	कैफियत.
१	२	३
१	जमींदारी कॉन्फरेन्स संवत १९७७ में एक गांव से दूसरे गांव को जाने के रास्ते दुरुस्त किये जाने का ठहराव हुआ था, उसकी तामील होना पाई नहीं गई. चुनांचे इस सवाल पर सम्वत १९८१ की रेवेन्यू कॉन्फरेन्स में फिर गौर किया गया, रेवेन्यू कॉन्फरेन्स में यह करार पाया है कि यह काम सर्फे का है और इसके लिये मवाजियात में या परगनात में कोई फन्ड कायम नहीं, इस वजह से तामील ठहराव नहीं होती. लिहाजा :— (१) परगनात में लोकल फन्ड कायम किया जावे. (२) यह फन्ड मालगुजारी पर एक आना फी रुपया के हिसाब से मालगुजारी के साथ वसूल हो. (३) यह फन्ड लोकल बोर्ड की निगरानी में रहे. (४) परगना बोर्ड, मन्शाय दरबार मुन्दर्जे मेमोरन्डम नंबर ३० मद्दे नजर रख कर, तामीर व दुरुस्ती रास्तों का प्रोग्राम तजवीज करे और मुताबिक प्रोग्राम, जैसा जैसा रुपया बरामद हो, तामीर व दुरुस्ती करे. सवाल यह है कि क्या मजकूर बाला तरीकों के अमल में लाने से गांवों के रास्ते दुरुस्त हो जावेंगे, या दूसरे यह कि इन तरीकों के सिवाय और कौनसे तरीके इखत्यार किये जावें कि जिनसे गांव के रास्ते दुरुस्त हो जावें. नोट:—जामिन अली साहब ने रास्तों के बनवाने के मुतअल्लिक जो हस्ब जैल तजवीज भेजी थी, उस पर भी इस तजवीज के साथ गौर किया गया :— "रियासत हाजा व नीज खास जिला भेलसा में, सडक आमद रफ्त बिल्कुल मादूम है जिससे रिआया दरबार यानी काश्तकारान	

नंबर शुमार.	तजवीज.	कैफियत.
१	२	३
*४	सवाल यह है कि किस तौर पर ऐसा इन्तजाम किया जावे जिससे अय्याम कहत में मुकामात मजकूर पर जानवरों के लिये घास चारा मिलता रहे; ताकि काश्तकारी के जानवर जिन्दा और काम के काबिल बने रहें ब अय्याम कहत रिआया इलाका हाजा, इलाके गैर को ऐसे मुकामात पर जहां उनकी रिश्तेदारी होती है और आसायश मिलने की उम्मेद होती है, चली जाती है. बाद में उनके वापिस बुलाने की कार्रवाई मौका और वक्त के लिहाज से की जाती है; लेकिन सवाल यह बाकी रहता है कि ऐसा क्या इन्तजाम किया जावे जिससे ब जमाने कहत रिआया रियासत हाजा को इलाके गैर में जाने की जरूरत या ख्वाहिश ही पैदा न हो.	

* नोट—तजावीज नंबर २, ३ व ४ बरूय जमामा मुन्दर्जा गवालियार गवर्नमेन्ट गजट, तारीख २८ फरवरी सन १९२९ ई॰ इजाफा की गई

फर्द नंबर २.—तजावीज जो नॉन ऑफिशियल मेम्बरान मजलिस आम की जानिब से मौसूल होकर दर्ज एजेन्डा हुई थीं और जिन पर मजलिस आम में गौर किया गया.

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत
१	२	३	४
१	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— (१) काश्तकारान की सिर्फ दो किस्में कायम की जावें:— (अ) काश्तकारान असली. (ब) काश्तकारान शिकमी. (२) काश्तकारान असली को बेदखल किये जाने का तरीका मसदूद किया जावे, सिवाय उस सूरत के जब कि उनके जिम्मे लगान बाकी हो. (३) मौजे की शरह लगान करारदाद बन्दोबस्त की हद तक, काश्तकारान असली के लगान में इजाफा करने का इख्तियार जमींदार को दिया जावे. इससे ज्यादा इजाफा तहसील की मार्फत हुआ करे. (४) खाते काश्त का ज्यादा से ज्यादा (maximum) लगान क्या मुकर्रर हो सकता है, इसका तनासुब पैदावार काश्त पर कायम कर दिया जावे, ताकि इजाफा लगान के मुआमलात में रहनुमाई हो.	जगमोहनलाल श्रीवास्तव, साकिन भिंड.	
२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— मुद्दई को कानूनन यह इख्तियार दिया जावे कि वह अगर चाहे तो	चतुर्भुजदास वकील, साकिन आगर.	

नंबर शुमार.	तजवीज	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	तशखीस लगान के दावे में पट्टा कबूलियत का दावा भी शामिल कर सके.		
३	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :— बन्दोबस्त से कागजात तैयार होकर पट्टेजात जिस साल तक्सीम हों उसी साल से अमल दरामद वसूली ऐनमाल आंख बमूजिब पट्टा होना चाहिये. यानी कब्ल पट्टेबन्दी हाल, और साबिक पट्टे की मियाद खत्म होने के बाद जो मियाद गुजर गई हो यानी भुगत चुकी हो और ऐनमाल साबिक पट्टे के मुवाफिक वसूल हो चुका हो या वसूल होना मुल्की बाकी हो, वसूल किया जावे. मस्लन:— (१) जिन मवाजियात का आंख हाल के पट्टे में कमी हुआ हो उन मवाजियात को भुगते हुए सालों का आंख मुजरा देने की जरूरत नहीं. (२) जिन मवाजियात में बाढा हुआ हो, भुगते हुए सालों का बाढा वसूल न किया जावे. **इस्तदुआ**—सदर वजूहात इसी गरज से पेश हैं कि आम रिआया के ख्याल में बे इत्मीनानी फैलने के साथ तरक्की आबादी में भी जौफ आता है, इसकी रोक होकर तरक्की आबादी काश्त, व रियासत की सरसब्जी होगी.	वामनराव नारायण पाटनकर, जमींदार मौजे गढला उजाडी, परगना बजरंगढ.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
४	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि — अदालत से डिक्री के मतालबे में जिसमें काश्तकारान मदयून होते हैं, हस्ब निशांदेही डिक्रीदार दरख्तान मौजे के कुर्क कर लिये जाते हैं. दरख्तान पर बहुत से हुकूक जमींदारान के होते हैं, और बाद को उजरदारी वगैरा करने में बहुत दिक्कत होती है और जरिये चिट्ठी जमींदारान से दरियाफ्त हाल निस्बत उन दरख्तान के होता है. इसमें ज्यादा तवालत जमींदारान को भी न हो व अदालत को भी हकरसी में सहूलियत हो जाया करे, इसलिये बिला दरयाफ्त जमींदारान के कोई दरख्तान कुर्क व नीलाम न किये जावें.	चौधरी फौजदार रन्धीरसिंह जागीरदार सकवारा दनौला.	
५	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :— हर जिले के पांच पांच कस्बों में कि जहां स्कूल है, वहां इम्तहानन एक एक लायब्रेरी कायम की जाय कि जिनमें कानूनी किताबें और लोकल बोर्ड्स के कवायद व मेमोरेन्डम वगैरा ही रहें.	महन्त लक्ष्मणदास, साकिन नरसिंह देवला जिला अमझरा.	
६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि — जिन मवाजियात की आबादी दस फीसदी हो जावे उनको जंगल सरकारी में बैलों की चरी माफ की जावे, वर्ना सरकारी नुक्सान	जामिन अली जमींदार, मौजा देरखी, जिला भेलसा.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	व रिआया का बाबिस्ता है. जो चार आना बैल जंगल की चरी का महसूल वसूल किया जाता है वह न किया जावे और रवन्ना की कैद उनके वास्ते न रखी जावे क्योंकि बैलों की गिरानी दिन ब दिन बढती जाती है और इस मुल्क में बगैर बैल की इमदाद के मशीनरी भी कार आमद नहीं हो सकती.		
७	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करतीहै कि — कानून फॉरेस्ट में हस्ब जैल तरमीम फरमाई जावे — हक्कदार मवाजियात के जमींदार काश्त कारों को वास्ते आलात काश्त व तामीर मकान (दो हिस्सा जंगल का कूप काट कर दिया जावे) कम कर दिया जावे यानी ब्रेकिट के अन्दर की इबारत कम करदी जावे और हस्ब जैल बढाई जावे:— "फी हल आठ आने लिये जावें और हस्ब जरूरत हर वक्त लकडी काटने की इजाजत रहे, पास की या कूप की कैद न हो, किसी हालत में फरोख्त करने की इजाजत न रहेगी."	वामनराव नारायन पाटनकर, जमींदार मौजे गढला उजाडी परगना बजरंगढ.	
८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि — मालगुजारी वसूल होने की अखीर तारीख ३० जून रखी गई है जिस से जमींदारान को सख्त नुकसान	जामिनअली जमींदार, मौजा देरखी जिला भेलसा.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम	कैफियत
१	२	३	४
	उठाना पडता है और तहसील-दार साहब को बडी दिक्कत होती है और जमींदारान काश्तकार को अपना गल्ला जल्दी फरोख्त करना पडता है और साहूकार इस माल-गुजारी लगने के मुंतजिर रहते हैं. इसलिये गुजारिश है कि बजाये ३० जून के तारीख ३१ जौलाई साल अखीर रखी जावे, ताकि जमींदारान व हाकिम परगना को सहूलियत होकर मुफीद काश्तकार पेशा हो जावे.		
९	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—	मूंगालाल बीजावर्गी, साकिन बजरंगढ	
	जो रुपया आमदनी खिडकहाय से बाद खर्च बचे, वह बेकार बूढी गायों की परवरिश में खर्च करने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दरबार मुअल्ला ने अता फरमाया है, मगर इसका अमल हर जिले में सिलसिलेवार व यकसाँ नहीं है, जिसकी वजह से वह गरज जिसके लिये दरबार आली बिकार ने यह रुपया अता फरमाया है, हासिल नहीं होती.		
	बूढी व बेकार गायें अक्सर गौशालाओं में रहती हैं या कभी कभी खिडक में भी ऐसी गायें आ जाया करती हैं. खिडक में जो गायें आती हैं वह मुफ्त जमींदारान या दीगर अशखास को दी जाती हैं, वह न दी जाकर खिडक में जो गायें आयें		

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	वह सब गौशालाओं में जो करीबतर हों भेजी जाया करें तो फिर सिवाय गौशालाओं के ऐसी गायों की परवरिश की दूसरी जगह नहीं. गाशालायें करीब करीब रियासत के हर हिस्से में मौजूद हैं. रियासत हाजा के खिडकों से जिस कदर रुपया बचत हो वह कुल इकट्ठा करके सूद पर लगाया जावे और जो आमदनी सूद से हो वह बतवस्सुत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स गौशालाओं को दी जावे, तो बहुत ही मुफीद होगा.		
१०	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जिन २ मवाजियात में हस्ब कायदा जमींदारी दफ्तर कायम होकर बमूजिब हिदायात मुन्दर्जे मेमोरेन्डम्स नंबर २५ व ३० मिनजानिब नायब तहसीलदार साहबान मवाजियात मजकूरुस्सदर अमल होने लगे वहां खिडक भी कायम किया जावे और उस खिडक का मुहाफिज वहां के लम्बरदार (नायब तहसीलदार मौजा) को ही बनाया जाकर उस आमदनी में से, जो खिडक से बाद इखराजात आबनोशी व खुराक मवेशियान मदखूला खिडक बचे, कुछ हिस्सा बिल एवज महनताना उसको दिया जावे.	मुंगालाल बीजावर्गी, साकिन बजरंगढ.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
११	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— सरक्यूलर नंबर ८, सम्बत १९७९ फायनेन्स डिपार्टमेन्ट में यह तरमीम की जावे कि "बडे २ मवाजियात के पटवारियान को १) रुपये तक के स्टाम्प बिक्री को रखना चाहिये." **नोट**:—इस तजवीज के मुतअल्लिक मुजव्विज ने बाद में हस्ब जैल तरमीम का नोटिस दिया था:— **तरमीम.** इस तजवीज की सतर ३ में अल्फाज "एक रुपये तक" के बाद लफ्ज "दस्तावेजी" बढाया जावे.	बद्रीनारायण, साकिन नाहरगढ.	
१२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— अक्सर देखने में आया है कि पुलिस स्टेशनों पर रिपोर्ट वक्त पर व फर्यादी के कहने के मुताबिक दर्ज नहीं की जाती, इतना ही नहीं, बल्कि कई गरीब देहाती आदमियों की रिपोर्ट किसी खास वजह से दर्ज ही नहीं होती, वे बिचारे दो चार रोज तक परेशान होकर चले जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अव्वल तो वकुआ जाहिर नहीं होता जिससे गुनहगार को तदारुक मिले; दोयम सिरके वगैरा के मुआम्ले में अगर पता भी माल का लग गया तो मालिकान अपनी हकरसी से महरूम रह जाते हैं.	मंगालाल बीजावर्गी, साकिन बजरंगढ.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	लिहाजा एक सब-कमेटी कायम फरमाई जावे, जो इस शिकायत का इन्सदाद होने बाबत तजवीज ठहराकर मजलिस में पेश करे.		
१३	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— अक्सर देखने में आया है कि जमींदारान व काश्तकारान मवेशियान तो कसरत से पालते हैं मगर सरक्यूलर नंबर २ तारीख ११ अगस्त सन १९१४ ई०, सम्वत १९७१ मजरिया होम डिपार्टमेन्ट की पाबन्दी नहीं करते और न खिलाफ वरजी की सूरत में बमूजिब सरक्यूलर सदर इन लोगों के साथ कानूनी अमल होता है; क्योंकि सरक्यूलर मजकूरसदर में यह नहीं बतलाया गया कि खिलाफ अमल होने की सूरत में ऐसे मुकद्दमात किस की जानिब से अदालत में पेश होंगे. पस यही एक खास वजह मालूम होती है जो बेड मवेशियान में इन्सदाद नहीं होने देती. नीज ऐसी हालत में रात में भी जंगल में मवेशियान को वास्ते चरने छोड देना और भी खतरनाक है; लिहाजा एक सब-कमेटी कायम फरमाई जावे जो बेड मवेशियान के इन्सदाद की बाबत तजवीज सोचकर अपनी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे, ताकि मुल्क में अमन अमान की तरक्की हो.	मंगालाल बीजावर्गी, साकिन बजरंगढ.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
१४	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— बनजर तरक्की तिजारत व हिरफत हर जिले में ट्रेड ऐसोसियेशन्स कायम फरमाई जावें व यह जुम्ला ऐसोसियेशन्स, चेम्बर-ऑफ-कॉमर्स गवालियार की ब्रांच करार दी जावें.	मंगालाल बीजावर्गी साकिन बजरंगढ.	
१५	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जो रेलवे लाइन आगर उज्जैन के दरमियान खोली जा रही है उसी के साथ साथ आगर से सुसनेर, सोयत व पच पहाड तक भी रेलवे लाइन खोल दी जावे और मौजा आमला से टप्पा नलखेडा, व नलखेडा से सुसनेर व इसी तरह से आगर से बडौद, व बडौद से चौमहला रेलवे स्टेशन तक, पक्की सडक जल्द बनवा दी जावे. **नोट.**—इस के मुतअल्लिक महन्त लक्षमणदास साहब ने बाद में हस्ब जैल तरमीमात का नोटिस दिया:— **तरमीमात.** (१) इस तजवीज की सतर ३ में अलफाज "रेलवे लाइन खोल दी जावे" के बाद हस्ब जैल इबारत इजाफा की जावे:— "बडनगर से सरदारपुर और सरदारपुर से झाबुआ राज्य के बजरंगढ स्टेशन तक भी रेलवे लाइन खोल दी जावे."	चतुरभुजदास वकील, साकिन आगर.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	(२) इस तजवीज के अखीर में हस्ब जैल इबारत बढाई जावे:— "और अमझरा से मनावर २६ मील सडक जो अधबनी पडी हुई है वह बहुत जल्द पक्की करादी जावे."		
१६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जंगल की ऐसी पैदावार मस्लन गोंद (गाद), मोम, शहद, लाख, चिरोंजी वगैरा का ठेका मिनजानिब फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट दिया जाता है. यह कुल ऐसी पैदावार अक्सर बाहर ही जाती है, रियासत में इसकी खपत नहीं होती है. बजाय ठेकों के इन चीजों पर एक्सपोर्ट डयूटी इतनी बढा दी जावे कि जितनी आमदनी ठेकों से होती है वह उस डयूटी बढाने से हो जावे, तो यह तिजारत को फायदेमन्द होकर उन गरीब लोगों के लिये जो यह चीजें बडी मेहनत के साथ जंगल से वास्ते फरोख्तगी लाते हैं, आजादी के साथ बेचने का मौका हासिल हो.	मुंगालाल बीजावर्गी, साकिन बजरंगढ.	
१७	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू ने बनजर परवरिश मेमोरेन्डम नंबर २५ व ३० में जमींदार साहबान को, नायब तहसीलदार मौजा का लकब अता फरमाते हुए जो उनके फरायज मन्सबी करार दिये हैं, उनकी पाबंदी मिनजानिब जमींदारान होने की गरज	ऐजन.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	से जमींदार साहबान की औलाद को तालीम दिलाना लाजमी (एज्यूकेशन कम्पलसरी) करार दिया जावे तो बहुत ही अच्छा होगा.		
१८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जिस system of education के introduce करने का contemplation जारी है उसको practice में लाने के कब्ल ऐसा इन्तजाम किया जावे कि अगर कोई तालिब-इल्म यहां के institution को छोड़-कर दीगर University को भी British Government से recognise करा लिया जावे और जब तक ऐसा इन्तजाम न होवे वहां तक यहां के कॉलेज और हाई स्कूल्स की किसी न किसी University से affiliated रखा जावे.	चतुरभुज दास वकील, साकिन आगर.	
१९	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :— संस्कृत विद्या की वर्तमान पाठ्य प्रणाली में परिवर्तन कर ऐसा कोर्स बनाया जावे जिससे देश के उपयोगी पंडित तैयार हो सकें और प्रति दिन प्राचीन शास्त्रों की तथा धार्मिक अवनति न हो. मालूम हुआ है कि हिन्दी, अंग्रेजी आदि वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन कर आवश्यक व उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिये एज्यूकेशन डिपार्टमेंट से सम्बद्ध एक समिति दरबार ने निर्मित की है	रामेश्वर शास्त्री, साकिन लश्कर.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	जो यूनिवरसिटी की कायमी व शिक्षा की उन्नति के लिये विचार कर रही है. इसी प्रकार न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक, धर्मशास्त्र आदि प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा के लिये विचार किया जाकर विश्वविद्यालय (यूनिवरसिटी) कायम किया जावे **नोट** :—इस तजवीज के मुतअल्लिक महन्त लक्ष्मणदास साहब ने बाद में हस्ब जैल तरमीम का नोटिस दिया था:— **तरमीम.** तजवीज नंबर १९ के अखीर में हस्ब जैल इबारत कायम की जावे :— " और संस्कृतज्ञों के लिये उद्योगों का भी विचार किया जावे "		
२०	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :— एक ऐसी लायब्रेरी कायम की जावे कि जिसमें हिन्दी संस्कृत, मराठी आदि सब ही भाषाओं के सब विषयों की पुस्तकें एकत्रित हों जिसमें हर एक मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार शास्त्रीय, धार्मिक, एतिहासिक आदि सब विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सके. **नोट** :—इस तजवीज के मुतअल्लिक महन्त लक्ष्मणदास साहब ने बाद में हस्ब जैल तरमीम का नोटिस दिया था :— **तरमीम.** तजवीज नंबर २० के बाद हस्ब जैल पैराग्राफ कायम किया जावे :— " ऐसी एक लायब्रेरी उज्जैन में स्थापित की जावे. "	रामेश्वर शास्त्री, साकिन लश्कर.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
२१	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— इलाज मवेशियान की मवाजयात में होशियार जमींदारान के पास दवायें रक्खी जावें और जब वेटरनरी असिस्टन्ट किसी मौजे में ठहरें तो वहां के जमींदार को इलाज मवेशी की तालीम देते रहें.	मथुरा प्रसाद, मुरार.	
२२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर के सिफारिश करती है कि:— दस्तूरुल अमल माल, सम्वत १९७६ में हर डिस्टिक्ट बोर्ड व परगना बोर्ड का कम्पोजीशन क्या होगा, यह बतलाया गया है, उसमें तरमीम की जावे:— (१) डिस्टिक्ट बोर्ड के कम्पोजीशन में नंबर १५ के आगे नम्बर १६ कायम किया जाकर यह दर्ज किया जावे:— "१६---असिस्टेन्ट साहब न्यू आबादी जिला"—इसी तरह कुल नीचे के नम्बर ठीक होकर नम्बर २६ को नम्बर २७ किया जावे. (२) परगना बोर्ड के कंपोजीशन में नम्बर ११ के आगे नम्बर १२ कायम किया जाकर उसके आगे यह दर्ज किया जावे:— "१२ नायब तहसीलदार साहब प्रोपेगेन्डा"—इसी तरह कुल नीचे के नम्बरों में तरमीम होकर नम्बर २२ को नम्बर २३ किया जावे.	मुंगालाल बीजावर्गी, बजरंगढ.	
२३	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर के सिफारिश करती है कि:— हलवाहे लोगों की हालत हमेशा तंग-	ऐजन.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	दस्ती व मजरूज होने की ही नजर आती है व अक्सर यह लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं, ऐसी शिकायत अक्सर जमींदार साहबान के जबानी सुनने में आया करती है. इन सारी बातों की वजह जहां तक मालूम हुवा है यह पाई गई, कि वह लोग बिल्कुल अनजान, बे समझ, नाख्वांदा व गरीब होते हैं, सिवाय मेहनत करने के और कुछ नहीं जानते, इन लोगों के साथ हिसाब किताब में, बरतावात में, बहुत बेजाईयत की जाती है, जिसकी वजह से यह हमेशा तंगदस्त व मकरूज रहते हैं. आबादी से दूसरी जगह मेहनत नहीं करने पाते. जब फाकेकशी की नौबत आ जाती है, तो मजबूरन घरद्वार छोड, अपने बेगानों से मुँह मोड भागना पडता है, इस पर यह तुर्रा कि अगर रियासत के रियासत में ही दूसरी जगह भाग जावें तो बजर्ये वारन्ट गिरफ्तार करके लाये जाते हैं, जिससे फिर चूं तक नहीं कर सकते हैं. यही वजह है कि यह लोग अदालत कचहरी के नाम से बहुत डरते हैं और मजबूरन रियासत गैर में भाग कर अपना पीछा छुडाते हैं. इस तरह बहुत से आसामियान काश्तकार पेशा मय अपने बाल बच्चों के रियासत हाजा से भाग जाते हैं, जिसकी खबर ऑफिसरान को नहीं होने पाती.		

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	लिहाजा इसका इन्सदाद होने बाबत एक सब-कमेटी कायम फरमाई जावे जो इस मुआम्ले के मुतअल्लिक अपनी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे, ताकि तरक्की जराअत व नौआबादी में खरखशा न पड़ने पावे.		
२४	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— उन मुतअल्लिक हिस्सेजात रियासत हाजा में जो तहत जागीरदार साहबान रियासत हाजा हैं, और जहां पंचायत बोर्ड्स कायम नहीं हैं, वहां पंचायत बोर्ड्स कायम फरमाये जावें.	मंगालाल बीजावर्गी साकिन बजरंगढ.	
२५	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— कानून पंचायत बोर्ड की दफा ६ की जिमन (२) में इत्तफाकी जरूरत के वक्त एक्स्ट्रा मेम्बर से ब हुकम सूबा साहब काम लेने की ईमां है, मगर एक मेम्बर के बुखार आ जाने की वजह या दीगर किसी खास वजह से कोरम पूरा होने से खामी होती हो तो वक्त के वक्त पर सूबा साहब की मंजूरी हासिल करना दुश्वार है, इस लिये एक्स्ट्रा मेम्बर को काम चलाने के लिये सरपंच ही वक्त जरूरत बुला लिया करें.	बागमल साहूकार, साकिन आगर.	
२६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— एक्ट पंचायत बोर्ड सम्वत १९७९ में हस्ब जैल तरमीम फरमाई जावे:— दफा ६ की पोट कलम (२) की चौथी सतर के अखीर में से " व	मंगालाल बीजावर्गी, साकिन बजरंगढ.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	हुक्म सूबा साहब मुतअल्लिका " यह कम कर दिया जावे.		
२७	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— मालवे में ब वजह काश्त अफयून जो चाहात कसरत से खुदे हुए थे, काश्त मसदूद हो जाने से उन चाहत की सफाई व मरम्मत बहुत कम होती जाती है. अब इन चाहात का हर मौसम में साफ और आबाद रखने का एक माकूल व बडा जरिया काश्त गन्ना ही रह गया है; लेकिन जहां २ गन्ना बोया जाता है और इससे जो गुड बनता है उसकी बिक्री जरा दिक्कत से होती है. इसलिये गुजारिश है कि मुनासिब व मौजूं मुकामात पर अगर मिस्ल मिल्स कपास, शकर बनाने के कारखाने भी इम्तहानन कायम किये जावें तो खुसूसन सीगे रेवेन्यू में बहुत फायदे होने की उम्मेद हो सकती है, और प्रजा को भी बहुत आसायश व इम्दाद का जर्या है. कारखाने शकर में एक मुश्त बिक्री गुड की होने की वजह से आबपाशी भी बहुत कुछ बढना बिल्कुल मुमकिन है और काश्त गन्ने की वजह से दीगर आबपाशी की अशियाय और फलदार दरख्त भी लगाये जाकर हर मौसम में सैराब रह सकती है.	राव बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह, ढाबलाधीर.	
२८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :— कमीशन एजेन्ट जो जुवा खिलाते हैं और उस रकम का दावा करते हैं	गुरुदयाल भार्गव, साकिन मन्दसौर.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	न डिग्री हो जाती है, इसकी रोक होना चाहिये.		
*२९	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जो लोग मदरसे में तालीम नहीं पा सकते उनकी तालीम का सहकारी सभा बहुत अच्छा वसीला है. शुरू से इस वक्त तक इसको हरदिल अजीज बनाने में क्या कोशिश की गई, उसका संक्षेप इतिहास. सिवाय काश्तकारी के, शहरों में व्योपार बढाने में क्या मदद दी गई. ग्वालियर की आम रिआया को क्या मौके दिये गये कि वह इस काम में मदद दे सके, ताकि रफ्ता २ सरकारी तअल्लुक बिलकुल न रहे. इसके मुफीद बनाने में क्या रुकावटें हैं और इनको किस तरह कम करना चाहिये. प्रोपेगेन्डा डिपार्टमेन्ट ने इस वक्त तक क्या किया है.	राय बहादुर प्राणनाथ सभा भूषण, साकिन लश्कर.	

* यह तजवीज बतौर जमीमा एजेन्डा मजलिस आम मजरिया लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट मुन्दर्जा ग्वालियार गवर्नमेन्ट गजट तारीख १० जनवरी सन १९२९ ई. इजाफा की गई.

जमीमा

एजेन्डा मजालिस आम, सम्वत १९८१.

(फर्द नम्बर २.)

तजावीज नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान, जिन पर हस्बुल हुक्म दरबार मुबाहिसा नहीं किया गया बल्कि उनके मुतअल्लिक कैफियत जाहिर की गई.

नंबर शुमार.	तजवीज	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
१	मवाजियात में बहुत से काश्तकारान अमदन, व बहुत से ब वजह मुफलिसी वक्त मुकर्रेरा तक लगान अदा नहीं करते हैं और जमींदारान किस्त मुकर्रेरा पर तौजी सरकारी वसूल (जमा) करने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे काश्तकारों के दावे सरसरी में तहसील में दायर करने की कानून माल में हिदायत है; मगर तहसील से भी अर्से में रुपया मिलता है इसलिये कुछ इख्तियार सरसरी के, जमींदारान नायब तहसीलदारान मौजे को ऐसे होना चाहिये कि जिनके जर्ये से वह वक्त पर रुपया काश्तकारान से वसूल कर सकें, ताकि किस्त पर सरकारी रुपया जमा करने में जमींदारान का कोई उज्र बाकी न रहे, और वक्त पर रुपया आया करे; क्योंकि जमींदारान काश्तकारान की हैसियत से भी वाकिफ होते हैं, इसमें बहुत सहूलियत हो सकती है.	चौधरी फौजदार, रन्धीरसिंह, जागीरदार सकवारा दनौला.	
२	कानून फॉरेस्ट में यह तरमीम फरमाई जावेः— (१) रिजर्व जंगल के अन्दर मुख्तलिफ काश्त करने की मुमानियत है, कम करदी जावे और हस्ब जैल इबारत बढ़ाई जावेः— "रोक न की जाय"	वामनराव नारायण पाटनकर जमींदार गढ़ला उजाड़ी परगना बजरंगढ़.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	वजूह व इस्तदुआ—क्योंकि मुख्तलिफ काश्त की रोक से राली, कुटकी कोदों, तिल्ली, की काश्त कमी होने से काश्तकारान की बरबादी है इसलिये बगैर इजाजत मुख्तलिफ काश्त सिलसिलेवार अन्दर रिझर्व काश्तकार व मवाजियात सरसब्ज नहीं हो सकते.		
२	(२) जिस ब्लॉक में कीमती लकडी सागौन, सीसौन न हो, सिर्फ सतरूखा लकडी हो और उन ब्लॉकों में सन १९१० लगायत सन १९२४ ई० , पन्द्रह साल के तजुरबे से लकडी की आमदनी हर साल या आज तक माकूल नहीं हुई हो वह ब्लॉक रिझर्व जंगल से खारिज किये जाकर रकबा मवाजियात के रकबे में शामिल किया जावे और आमदनी औसत पंजसाला ब्लॉक हस्ब हैसियत मताल्लका मवाजियातों पर बढाया जाकर साबिक के मुताबिक जमींदारों के सुपुर्द किये जावें.		
३	रियासत में जहां मन्डी कायम हैं उसमें पूरा रुपया आम तौर पर साहूकारान के पास न होने से तरक्की तिजारत में रुकावट होती है. जिन जिन मन्डियात में को-ऑपरेटिव बैंक कायम हैं उनमें सोसायटीज के दिए जाने के बाद जो रुपया सिलक में ज्यादा होता है, साहूकारान मन्डी को सूद पर दिया जाता है मगर वह रुपया इस कदर तादाद में नहीं होता कि मन्डी की तिजारत की जरूरियात को पूरा करे. इस उसूल को मद्दे नजर रखते हुवे कि रुपया हिफाजत से रहे और उन्हीं की निगरानी में रहे, मेरी यह तजवीज है कि बैंक डायरेक्टरान ज्यादातर तज्जार और वहीं के वाशिन्दे वाकिफकार होते हैं, पस उनकी जिम्मेदारी पर गवर्नमेंट से रकम बैंक को सूद	हरमान वैश्य, साकिन मुरैना.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
	पर दी जावे और बैंक डायरेक्टरान उस रुपये से बाजार में हुंडियों वगैरा का कारोबार करें. किस मन्डी को किस कदर रुपये की जरूरत होगी, इसकी फर्द डायरेक्टर साहब को-ऑपरेटिव सोसायटीज के जर्ये से मुरत्तिब कराई जावे.		
४	अक्सर देखने में आता है कि कस्बों और शहरों में सरकार की तरफ से रिआया के वास्ते इलाज का पूरा पूरा बन्दोबस्त है; मगर देहात में जो काश्तकार मजदूर पेशा लोग हैं, जहां पर डाक्टर लोग इलाज नहीं कर सकते हैं बल्कि डाक्टर लोग कहते हैं कि बगैर देखे दवा नहीं दे सकते और उन को बुलाकर दिखलाने में फीस देना पडती है गरीब मजदूर दो सेर गंदुम तो रोजाना पाते नहीं, तो दो रुपये या चार रुपये फीस देने को उनके पास कहां से आ सकती है और अंग्रेजी दवा की तरफ भी कम रुजू होते हैं. अलावा इसके अंग्रेजी इलाज बडे आदमी करा सकते हैं मगर गुरबा व मजदूर पेशा काश्तकारी पांव रगड रगड कर मर जाते हैं. इनका इन्तजाम जरूरी है. मेरी राय है कि अस्पताल फन्ड मालगुजारी पर तीन पाई लगाया जावे और यह रकम मालगुजारी के साथ वसूल होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रखी जावे, और कुछ इमदाद सरकारी दी जाकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से देहात में जर्ये हकीम या वैद्य के इलाज का इंतजाम किया जावे, ताकि वह लोग अमराज से बचें. चूंकि यह बहुत बडा कारे सवाब है, इसलिये जमींदार साहबान मेंबर मजलिस आम भी इसको पसन्द फरमावेंगे	जामिनअली जमींदार, मौजे देरखी जिला भेलसा.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
५	रियासत हाजा में जहां जहां अंग्रेजी अस्पताल हैं उन मुकामात में रफ्ता रफ्ता आयुर्वेदिक या यूनानी दवाखाने भी कायम किये जावें और जिन जिन मुकामात में म्युनिसिपेलटी है ऐसे दवाखाने म्युनिसिपेलटी की तरफ से कायम किये जाकर म्युनिसिपेलटी को गवर्नमेंट से इमदाद दी जावे.	मथुराप्रसाद, साकिन मुरार.	
६	हर एक जेल के कैदियों को कथा कीर्तन सुनने का जेल में प्रबन्ध किया जावे.	महन्त लक्ष्मणदास, साकिन नरसिंह देवला (अमझेरा)	
७	जो खाना बदोश कौमें, मिरल बंजारा कंजर वगैरा किसी मौजे में आबाद होकर उनकी नेक चलनी की जमानत एक दफा हो जावे तो हर साल दुबारा जमानत लेने की जरूरत न रखी जावे और जो लोग छे साल तक मुसलसिल आबाद रहें तो बाद को वह लोग बिला जमानत भी आबाद रहें.	चतुरभुजदास वकील साकिन आगर.	
८	कानून माल का मुसव्वदा जो ग्वालियर गजट के साथ बतलब राय आम वास्ते तरमीम व तन्सीख शाया हुवा है वह मजलिस आम में भी पेश होकर रायें ली जावें और बाद गुजरने मुद्दत गजट, आम रायों के मुकाबले से बहस की जाकर बमूजिब ठहराव कानून माल तैयार किया जावे और वास्ते अमल दरामद इजरा किया जावे.	वामनराव नारायण पाटनकर, जमींदार मौजे गढला उजाडी परगने बजरंगढ.	
९	सम्वत १९७९ की मजलिस आम में ठहराव हो चुका है कि मवाजियात जमींदारी जर कर्जे में कुर्क होकर नीलाम किये जावें. इसके आगे हस्ब जैल इबारत बढाई जावे:— "मवाजियात नीलाम न होते हुवे ता अदाय मतालबा (जरे	ऐजन.	

नंबर शुमार	तजवीज	तजवीज पेश करने वाले का नाम	**कैफियत**
१	२	३	४
	कर्जा)कर्जदार के सुपुर्द रहें या मुनाफे से निस्फ मुनाफे की किस्तबन्दी की जावे. बाद अदाय मतालबा मौजा वागुजाश्त किया जावे.		
१०	हर जुर्म में मुलजिम से सफाई लेने के पेश्तर उसको फर्द करारदाद जुर्म बना कर सुनाना चाहिये.	चतुरभुजदास वकील साकिन आगर.	
११	हर एक जिले में एक एक मसालहती बोर्ड कायम किया जावे.	मूंगालाल बीजावर्गी, साकिन बजरंगढ.	
१२	रोक बेरहमी हैवानात के मुतअल्लिक कानून जारी फरमाया जावे.	मथुराप्रसाद, साकिन मुरार.	

जमीमा नंबर २.

रिपोर्ट सब-कमेटी.

बाबत सवालात नंबर २, ३ व ४ मुन्दर्जे फर्द नंबर १, एजेन्डा मजालिस आम, संवत १९८१. तारीख २६ मार्च सन १९२५ ई०

हस्ब जैल साहबान कमेटी में शरीक थे:—

१. रेवेन्यू मेम्बर साहब.
२. पोलिटिकल मेम्बर साहब.
३. ट्रेड मेम्बर साहब.
४. एग्रीकलचर मेम्बर साहब.
५. बाबू मथुराप्रसाद साहब, मुरार.
६. विश्वेश्वरसिंह साहब, भिन्ड.
७. मयाराम साहब, उज्जैन.
८. वामनराव पाटणकर साहब, बजरंगढ.
९. चतुर्भुजदास साहब, आगर.
१०. महंत लक्ष्मणाचार्य साहब, अमझेरा.
११. बन्सीधरजी साहब, उज्जैन.
१२. कृपाशंकर साहब, बाकानेर.
१३. बागमलजी साहब, आगर.
१४. जगन्नाथप्रसाद साहब, शाजापुर.
१५. रामराव देशपांडे साहब, शाजापुर.
१६. कचरमलजी साहब, मन्दसौर.
१७. महादेवराव साहब, शोपुर.
१८. ठाकुर छतरसिंह साहब, नूराबाद.

सवाल नम्बर २—कहतसाली का मुआम्ला ऐसा है कि उसका होना न होना महज परमेश्वर की मर्जी पर है और इसमें इन्सान का दखल नहीं हो सकता. जो कुछ इन्सान कर सकता है वह यह है कि कहत के असर को जितना हो सके कम किया जावे और इस ख्याल से जो कुछ कोशिश होनी चाहिये वह कमेटी की राय में दरबार की जानिब से हुई है और उनमें वक्तन फवक्तन जैसे जैसे नुकायस जहूर में आये इस्लाह भी की गई है. अब दरबार मुअल्ला ने सरकलवार नायब तहसीलदार कायम फरमाकर पंजसाला डायरी तरक्की मौजा का इन्तजाम फरमाया है. चुनांचे इन नायब तहसीलदारान की मार्फत दीगर कामों के साथ साथ खास तौर पर बीज भंडार के काम को वुसअत दिलाना चाहिये और जराये आबपाशी बढाना चाहिये. इनमें जैसी जैसी तरक्की होगी वैसी ही इस सवाल में जो दिक्कत जाहिर की गई है, वह रफा होगी.

सवाल नंबर ३—इस सवाल के मुतअल्लिक कमेटी की राय में हस्ब जैल तजावीज अमल में लाई जावें:—

(१) पहाडी हिस्सों में जहां रास्तेजात न होने से कसीर मिकदार में घास जाया जाता है वहां रास्तों का इन्तजाम होना चाहिये, ताकि ऐसे हिस्से घास के ट्राफिक के लिये खुले हो जावें.

(२) उन मुकामात पर जहां आबादी घनी होने से बीड, चरागाह या जंगल काफी नहीं है वहां डिपोज, अगर मुमकिन हो तो, मार्फत फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट कायम होना चाहिये. वर्ना जो लोग डिपो खोलना चाहे उन्हें वह खोलने की रिआयतें व सहूलियतें दी जावें.

(३) उन मुकामात पर जहां सरकारी जराये आबपाशी मौजूद हों वहां ब जमाने खुश्कसाली जो लोग चरी या लूसर्न वगैरा काश्त करें, उन्हें आबियाने की माफी रहे.

(४) लूसर्न का बीज तक्सीम कराने का व सायलोज कायमी का इन्तजाम एग्रीकलचर महकमे से कराया जावे.

सवाल नंबर ४—इस सवाल के मुतअल्लिक कमेटी की राय में इस वक्त कोई खास तजवीज अमल में लाने की जरूरत मालूम नहीं होती. सवालात नम्बर २ व ३ के सिलसिले में जो तजावीज कमेटी ने अर्ज की हैं उनका मजमूई असर इस सवाल में जो दिक्कतें बतलाई हैं वह रफ्ता रफ्ता रफा करने में होगा.

जमीमा नंबर ३.

रिपोर्ट सब कमेटी मुतआल्लिक सवाल नम्बर १३, फर्द नंबर २, एजेन्डा मजलिस आम, सम्वत १९८१, निस्बत रोक बेड मवेशी तारीख २६ मार्च सन १९२५ ई०.

हाजरीन जलसा.

चेअरमेन.

मेजर-जनरल रावराजा गणपतराव साहब राजवाडे, आर्मी मेम्बर.

मेम्बर्स.

१. के०-क० राव बहादुर कोकसिंह साहब, इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस.
२. मूंगालाल साहब, बीजावर्गी.
३. चतुरभुजदास साहब, वकील, आगर.
४. जगन्नाथप्रसाद साहब.
५. महन्त लक्ष्मणदास साहब.
६. कृपाशंकर साहब.
७. महादेवराव साहब.
८. वामनराव साहब पाटणकर.
९. विश्वेश्वरसिंह साहब.
१०. कचरमल साहब.
११. राम जीवनलाल साहब
१२. बागमल साहब.
१३. बद्रीनारायण साहब.
१४. छतरसिंह साहब.
१५. बन्सीधर साहब.
१६. लालचन्द साहब.
१७. मथुराप्रसाद साहब.

सब-कमेटी ने इस मसले पर गौर किया और एहकाम जो बेड की रोक के लिये गवर्नमेन्ट की जानिब से आजतक इजरा हुए हैं उनको भी देखा. नीज सम्वत १९७८, १९७९, १९८० और १९८१ में जो बेड मवेशी की वारदातें हुईं उनकी तादाद, माल गारत शुदा व बाजयाफ्ता के फिगर्स देखने से मालूम हुआ कि साल बसाल इन वारदातों में कमी हो रही है, लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि इस खास जुर्म में इजाफा हो रहा है. ऐसी सूरत में किसी खास ऐक्शन लेने की कमेटी जरूरत महसूस नहीं करती.

जमीमा नंबर ४.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजवीज नंबर २८, फर्द नंबर २, एजेन्डा मजालिस आम, संवत १९८१, बाबत सवाल सट्टा.

तारीख २६ मार्च सन १९२५ ई०.

हाजरीन.

१. राय बहादुर गजपतराय साहब, ट्रेड मेंबर.
२. अब्दुल करीमखां साहब, मेंबर फॉर ला एन्ड जस्टिस.
३. बन्सीधर साहब भार्गव, उज्जैन.
४. सेठ मूंगालालजी साहब बीजावर्गी, बजरंगढ
५. सेठ बागमलजी साहब, आगर.
६. सेठ रामजीवन लालजी साहब, मुरैना
७. सेठ लालचन्दजी साहब, राजगढ.
८. सेठ करमचन्दजी साहब, उज्जैन.
९. चतुरभुजदास साहब, आगर.
१०. गुरुदयालजी साहब, मन्दसौर (मुजव्विज).

बाद मुबाहिसा व गौर करार पाया कि मौजूदा कानून में किसी रद्दो बदल की जरूरत नहीं, इसलिये इस तजवीज से इत्तफाक नहीं.

मुजव्विज साहब को राय मुन्दर्जे बाला से इख्तलाफ है.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार
सम्वत १९८२.

सेशन पांचवां.

इजलास अव्वल.

बुधवार, तारीख १७ मार्च सन १९२६ ई०, वक्त ११-३० बजे दिन,
मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

१. हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू.

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोळे, अमीरुल-उमरा, सी आई. ई, रेवेन्यू मेम्बर (वाइस-प्रेसीडेन्ट कौंसिल)

३. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई ई, मुशीर खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

४. श्रीमंत सदाशिवराव खासे साहब पंवार, होम मेम्बर.

५. राव बहादुर रावजी जनार्दन साहब भिंडे, मुन्तजिम बहादुर, फायनेन्स मेम्बर

६. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल-मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

७. राव बहादुर कैप्टिन बापूराव साहब पंवार, मेम्बर फॉर एग्रीकलचर.

८. मेजर हश्मतउल्लाखां साहब, ऑफिशियेटिंग मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

९. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१. रामराव गोपाळ साहब देशपांडे, मुहम्मद-खेडा (शुजालपुर).
२. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, वफादार दौलते सिंधिया, लश्कर.
३. राय बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाधीर.
४. राजा रतनसिंह साहब, जागीरदार, मकसूदनगढ.
५. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.
६. ओंकारनाथ साहब, मुरार.
७. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुरतरी (महगांव)
८. मानिकचन्द साहब, भिंड.
९. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).
१०. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
११. महादेवराव साहब, जाऊदेश्वर.
१२. सदाशिवराव साहब हरी मुळे, डामरौन कलां.
१३. सुआलाल साहब, शिवपुरी.
१४. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).
१५. मुंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.
१६. बलवंतराव साहब बागरी वाले, भेलसा.
१७. जगन्नाथप्रसाद साहब, मौजा भीलवाडा (शाजापुर).
१८. बागमल साहब, आगर.
१९. करमचंदजी साहब, उज्जैन.
२०. मयाराम साहब, चंदूखेडी (उज्जैन).
२१. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.
२२. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझेरा).
२३. लालचंद साहब, राजगढ.
२४. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, भिन्ड.
२५. हरभानजी साहब, मुरैना.
२६. सेठ अनन्दीलालजी साहब, श्योपुर.
२७. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.
२८. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
२९. चतुर्भुजदास साहब, वकील, आगर.
३०. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.
३१. कृपाशंकर साहब, बडिया (बाकानेर).
३२. रखबदास साहब जौहरी, लश्कर.
३३. लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी, गुना.
३४. धुन्डीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
३५. बिन्द्रावन साहब, भिन्ड.
३६. गुलाबचन्द साहब, शिवपुरी.
३७. दामोदरदास साहब, शाजापुर.
३८. चौधरी फौजदार रंधीरसिंह साहब, सकवारा दनौला.
३९. राव हरिश्चन्द्रसिंह साहब, बिलौनी.
४०. शंकरलाल साहब, मुरार.
४१. रखबदासजी साहब, उज्जैन.
४२. मुरलीधर साहब गुप्ता, वकील लश्कर.
४३. बटुकप्रसादजी साहब, उज्जैन.
४४. रामेश्वर शास्त्री साहब आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.
४५. मुहम्मद अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी, लश्कर.
४६. गोविन्दराव चिन्तामण साहब वाटवे, उज्जैन.

कार्रवाई इजलास मजलिस आम शुरू होने से कब्ल हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू ने हस्ब जैल जदीद मुन्तखिब शुदा नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान से हलफ लिया और खिलअतें अता फरमाईं :—

१. सेठ ओंकारनाथ वल्द शिवप्रशाद साहब, साहूकार, साकिन मुरार.

२. सेठ दामोदरदास वल्द भगवानदास साहब, महाजन, साकिन शाजापुर.

३. सेठ अनन्दीलाल साहब, साकिन श्योपुर.

४. सेठ रखबदास साहब, मालिक दूकान सेठ सेवाराम सावन्तराम, साकिन उज्जैन.

इसके बाद हुजूर मुअल्ला की सवारी महल में वापिस तशरीफ ले गई और बसिदारत रेवेन्यू मेम्बर साहब (वाइस-प्रेसीडेन्ट साहब कौन्सिल) मजलिस का काम शुरू हुआ.

प्रेसीडेन्ट साहब—साहिबान मजलिस! यह पहिला ही मौका है कि मैं इस मजलिस के सदर होने की हैसियत से, कब्ल इसके कि मजलिस की मुकर्ररा कार्रवाई शुरू हो, आप साहबान से कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं साहबान बखूबी समझ सकते हैं कि यह मौका क्यों कर और किस तरह पैदा हुआ, मगर इसका जो असर मेरे दिल पर हुआ है और हो रहा है उसको सिर्फ मैं या मेरा दिल ही जानता है. इस वक्त मेरी आखों में उस सीन का नक्शा फिर रहा है जो तारीख १७ अक्टूबर सन १९२१ ई०, को करीब करीब आप सब साहबान ने इसी मुकाम पर मुलाहिजा फरमाया है और जब कि इस मजलिस के बानी ने इस मजलिस के पहिले सेशन का इफ्तताह फरमाकर उन अगराज और उम्मेदों का इजहार फरमाया जो मजलिस की कायमी से मुतअल्लिक थीं. इस वक्त मेरा दिल उस मौके को याद कर रहा है जब कि इस मजलिस के प्रेसीडेंट ने अपने दिली जोश और सच्ची खुशी से अपनी रिआया के नुमायन्दों का पहिली मर्तबा खैर मुकदम किया और अपनी कीमती नसीहत से हम सबको सरफराज फरमाया. इस वक्त मेरा दिल उस शख्सियत को ढूंढ रहा है जिसने रियासत और रिआया के फायदे के लिये एक बडे काम की बुनियाद डाली और जो ५ बरस तक हमको उस राह पर चलने का ढंग बताती रही, जो कामयाब होने का सही रास्ता है अफसोस है और किस कदर अफसोस है कि आज वह हस्ती जिसने कि मजलिस की कायमी की बुनियाद डाली और वह शख्सियत जो सन १९२५ ई० तक हमारी रहनुमा रही, अब हममें नहीं. गम और कितने बडे गम की बात है कि खुदा की मर्जी ने उस शख्सियत को जिसे अब हम महाराजा साहब बैकुंठवासी के नाम से याद करते हैं, हमसे हमेशा के लिये जुदा कर दिया. तारीख ५ जून सन १९२५ ई० का रंज से भरा हुआ वाका जो बमुकाम पैरिस जुहूर में आया, सबको मालूम है और यह भी सबको मालूम है कि इस वाके ने हर कस व नाकस के दिल को, जिसका इस रियासत से जरासा भी तअल्लुक है, किस कदर सदमा पहुंचाया और हमारी ताकतों को किस कदर कमजोर कर दिया. हमारे लिये अब सिर्फ यही उम्मेद बाकी है कि परमेश्वर हम सब को सीधे रास्ते पर कायम रहने की तौफीक अता करे.

२. साहिबान, शायद मुझे तफसील के साथ बयान करने की जरूरत नहीं कि उस वाके के बाद, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है, रियासत का इन्तजाम महाराजा साहब बैकुंठवासी की मर्जी के मुताबिक और गवर्नमेन्ट कैसरी की मंजूरी से, एक कौन्सिल ऑफ रीजेन्सी के सुपुर्द हुआ है, जिसकी प्रेसीडेन्ट हुजूर बडी महारानी साहिबा हैं. इस कौन्सिल ने काम करने का जो तरीका इख्तियार किया है उसके उसूलों का इजहार कौन्सिल ने अपने ऐलान, मुवर्रखे १३ अगस्त सन १९२५ ई०, में किया है, जिसमें वाजह तौर पर बयान किया गया है कि "जो उसूल महाराजा साहब मरहूम ने कायम किये हैं उनको कौन्सिल हमेशा अपने सामने रखेगी. तरक्की व तौसीय सीगेजात तालीम, मैडिकल, सेनीटेशन, एग्रीकलचर, रेलवे व दीगर कारहाय रिफाह आम को कौन्सिल के वर्किंग प्रोग्राम में अव्वल जगह दी जावेगी. अलाहाजा ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स, मसलन पंचायत बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरा को कामयाब करने की हमेशा कोशिश करती रहेगी."

३. इसके बाद जिस अम्र का इजहार जरूरी है वह यह है कि मैं आप साहबान से कौन्सिल की जानिब से उन उम्मेदों को जाहिर करूं जो इस मजलिस की कार्रवाइयों से मुतअल्लिक हैं. अगर आपने मजलिस आम के कवाअद का मुलाहिजा किया होगा, और मेरा यकीन है कि आपने जरूर ऐसा किया होगा, तो आपको मालूम हो गया होगा कि इस मजलिस के कायम करने की गरज और मन्शा यह थी कि गवर्नमेन्ट श्रीमन्त महाराजा साहब सिंधिया को रिआया दरबार से इन्तजाम रियासत में मशवरे की इम्दाद मिले और उन तजावीज में जो पब्लिक की बहतरी के लिये

हों, अवाम को राय पेश करने का मौका दिया जाय, इसलिये सब से पहिली दरख्वास्त जो मैं नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान से, उनकी इस हैसियत में कि वह पब्लिक के नुमायन्दे हैं, यह करूंगा कि वह रिआया दरबार की जानिब से इस कौन्सिल को अपनी बेश कीमती इम्दाद देने में कमी दरेग नहीं करेंगे और हमेशा कौन्सिल को अपनी मुफीद राय से फायदा उठाने का मौका देते रहेंगे. उम्मेद है कि साहबान इस दरख्वास्त को मंजूर करके कौन्सिल को मशकूर करेंगे.

४. नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान के फरायज और जिम्मेदारियों के मुतअल्लिक कवाअद मजलिस आम में भी कुछ जिक्र है और महाराजा साहब बैकुंठवासी भी उनका इजहार मुख्तलिफ मौकों पर इस तफ्सील के साथ फरमा चुके हैं कि उनमें बजाहिर किसी इजाफे की गुन्जायश मालूम नहीं होती. मजकूरा फरायज और जिम्मेवारियों को दोहराना तवालत का बायस होगा. मेरी राय में इस कदर काफी होगा कि मैं सिर्फ चन्द खास उमूर की तरफ आपकी तवज्जुह दिलाऊं जिसके लिये मैं आपसे इजाजत चाहता हूं.

५. सबसे पहिले मैं इस मजलिस के बानी महाराजा साहब आंजहानी की यादगार स्पीच का जिक्र करना चाहता हूं जो इस मजलिस के इफ्तताह के मौके पर दी गई थी और जिसमें आपकी जिम्मेदारियों का बयान किया गया है. जिम्मेदारियों की जैल में उस हालत का भी जिक्र किया गया है जो वालिये मुल्क की नाबालिगी के जमाने से मुतअल्लिक है. परमेश्वर की कुदरत है कि वह जमाना, यानी हमारी और आपकी आजमायश का वक्त किस कदर जल्द आगया. हमारी यानी कौन्सिल की आजमायश का वक्त इसलिये है कि उस अमानत का बोझ सम्हालना, जो कौन्सिल के सुपुर्द हुई है, कोई आसान काम नहीं है और आपकी आजमायश का वक्त इसलिये है कि इस अमानत का बैरियत के साथ अदा होना मुख्तलिफ पहलुओं से आपकी इम्दाद पर मुनहसिर है. परमेश्वर से उम्मेद तो यही है कि हम और आप दोनों इस आजमायश में पूरे उतरेंगे, लेकिन मैंने इसका जिक्र यहां इस वजह से किया है कि अगर इस आजमायश का ख्याल हमारे और आपके दिल में हर वक्त रहेगा तो यही उम्मेद यकीन से बदल सकती है.

६. दूसरी बात, जो मैं आपकी इम्दाद पर भरोसा करके आपके जहन नशीन कराना चाहता हूं, यह है कि इम्दाद देने का सबसे बहतर तरीका वह है जिसका नतीजा बाहमी इत्तफाक या को-ऑपरेशन हो. इसी मजमून को कवाअद मजलिस आम की दफा ३६ में अल्फाज जैल में अदा किया गया है:—

> "दरबार मुअल्ला को कवी उम्मेद है कि ऑफिशियल और नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान एक दिल होकर रियासत की सरसब्जी और बहबूदी को अपनी मुश्तर्का गरज समझकर बाहमी इत्तफाक से काम करेंगे."

> "गरज यह है कि ऑफिशियल और नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान में मुखालफत पैदा न हो, बल्कि हरदो तबके मेम्बरान में एक मकसद होना चाहिये, यानी रियासत के इन्तजाम की इसलाह."

मैं आप साहबान से मिनजानिब कौन्सिल इससे ज्यादा ख्वाहिश का और क्या इजहार कर सकता हूं कि आप फर्दन फर्दन और बहैसियत मजमूई कौन्सिल को इमदाद के इस बेहतरीन तरीके से मशकूर करते रहेंगे.

७. दुनिया की हर चीज में एतदाल एक जरूरी चीज है. जिस तरह खाने पीने में एतदाल चाहिये, खेल कूद में एतदाल चाहिये, महनत और मशक्कत में एतदाल चाहिये, इसी तरह मैं कह

सकता हूं कि इस मजलिस की कार्रवाई में भी एतदाल जरूरी है. शायद इस अमर के बयान करने की जरूरत है कि इस एतदाल से मेरी क्या मुराद हो सकती है. मुख्तसिर तौर पर मैं यह बयान करना चाहता था कि जिन साहबान को इस मजलिस में तजवीजें पेश करने या तकरीरें करने की कवाअद की रू से इजाजत है उनके लिये यह जरूरी है कि वह तजवीज पेश करते वक्त या तकरीर करते वक्त एतदाल को मद्देनजर रखें. तजवीज का एतदाल यह है कि वह उस हद से जो कायदे में मुकर्रर है न तो आगे बढी हुई हो और न उससे गिरी हुई हो. हद से आगे बढी हुई तजवीज की मिसाल तो यह हो सकती है कि जिसके पेश करने का इख्तियार कवाअद में नॉन-ऑफिशियल मेंबर साहबान को नहीं दिया गया है. हद से गिरी हुई तजवीज से मुराद ऐसी तजवीज है जो महज मुकामी अहमियत (Local importance) की हो और जो किसी आम उसूल या आम इन्तजाम से मुतअल्लिक न हो. इस किस्म की तजवीजें मुकामी जमाअतों या मुकामी हुक्काम के जर्ये से आसानी से तय हो सकती हैं और इस मजलिस में भी उन्हीं के तवस्सुत से बशर्त जरूरत पेश की जा सकती हैं.

तकरीर का एतदाल यह है कि उसमें वाकआत की तफसील हो, मगर मुबालगा न हो; इसरार हो मगर हठधर्मी न हो; वजाहत हो मगर तूल न हो; जोश हो मगर सचाई का पहलू लिये हुये हो.

तजवीज और तकरीर दोनों का यकजाई एतदाल यह है कि मौजूदा तरीकों में अगर कोई खराबियां हों तो उनका इजहार हो, मगर इसलाह का पहलू लिये हुये हो और महज नुक्ताचीनी न हो. तजवीज और तकरीर का यह वह पहलू है जिसके मुतअल्लिक महाराजा साहब बैकुंठवासी बारहा अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं. इन ख्यालात का मुख्तसिर हवाला कवाअद मजलिस आम की दफा ३६ में इन अल्फाज में दिया गया है :—

> "नॉन-ऑफिशियल मेंबर साहबान को यह न समझना चाहिये कि वह ऑफिशियल क्लास के critic मुकर्रर हुए हैं और उनके इन्तजामात पर जा और बेजा ऐतराज करना उनके फरायज में दाखिल है. ऐबजोई करना बहुत आसान है. साहबान मजकूर की यह कोशिश होना चाहिये कि बजाय महज नुक्ताचीनी के उम्दा और बेहतरीन तजावीज पेश करें, और यह ख्याल न करें कि उनका फर्ज महज इन्तजाम की खराबी जाहिर कर देने से खत्म होगया. अगर नुक्स की तरफ तवज्जुह की जावे तो उसकी रफेदाद के वास्ते भी माकूल तजवीज पेश की जावे."

८. कौन्सिल उम्मेद करती है कि जिस तरह आप इस वक्त तक दरबार मुअल्ला को अपने मुफीद मशवरे से मदद देते रहे हैं उसी तरह इन सब उमूर पर, जो मैंने अभी आपके रूबरू बयान किये हैं, लिहाज रखते हुए कौन्सिल ऑफ रीजेन्सी को भी इमदाद देते रहेंगे. मैं आप साहबान का अब ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता. मैं अपनी तकरीर को उस दुआ पर खत्म कर सकता हूं जिस पर महाराजा साहब बैकुन्ठवासी ने अपनी इफ्तताही स्पीच को खत्म किया था यानी:—

> "अय परवर दिगार ! जिस मन्शा से यह जमाअत कायम की गई है वह मन्शा पूरी हो और रियासत सरसब्ज और खुशहाल रहे, सब को इज्जत नसीब हो, दुनिया में नाम कायम रहे और जो तअल्लुकात माबैन रियासत हाजा व गवर्नमेन्ट कैसरी कायम हैं उनमें दिन बदिन और भी पुख्तगी के साथ तरक्की होती रहे और Mutual trust और confidence हमेशा बढ़ता चला जावे".

लेकिन इसमें मैं इतना और इजाफा करना चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप भी इस दुआ में शामिल होकर कहें कि:—

" परमेश्वर हमारे हरदिल अजीज सरकार श्रीमंत महाराजा जार्ज जीवाजीराव सिंधिया, दामइकबालहू व हश्मतहू को हमेशा अपनी महरबानी के साये में रक्खे और उनको इस काबिल बनाये कि वह अपने वक्त पर अपनी उस अमानत को, जो इस वक्त कौन्सिल के सुपुर्द है, अपनी हिफाजत में वापिस लेकर रियासत की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का बायस हों. "

इस स्पीच के बाद एजेन्डा मजलिस आम (मुन्दर्जे जमीमा नं. १) के हस्ब जैल Resolutions move किये गये:—

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

यह मजलिस हरदिल अजीज व हमदर्द महाराजा साहब व प्रेसीडेन्ट मजलिस हाजा श्रीमंत सरकार सर माधवराव साहब सिंधिया, आलीजाह बहादुर, के बेवक्त वफात पुर मलाल पर इजहार अफसोस व ऐहसास नुकसान करती है और ईश्वर से दुआ करती है कि अंजामदिही फरायज मजलिस हाजा में हमारी ऐसी रहनुमाई करे कि जिससे हम उस मकसद को पूरा कर सकें जो हुजूर मरहूम ने मजलिस हाजा की कायमी के वक्त मद्देनजर रखे थे. (मुजव्विज त्रिम्बकराव साहब पुस्तके, उज्जैन).

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

इजलास मजलिस आम शुरू करने से पहिले, इस मजलिस के जन्मदाता प्रजा प्रिय कैलाशवासी महाराजा सर माधवराव साहब सिंधिया, आलीजाह बहादुर, की पवित्र आत्मा को अखण्ड शान्ति प्रदान करने के लिये तथा वर्तमान महाराजा जॉर्ज जीवाजीराव साहब सिंधिया, आलीजाह बहादुर, की उम्र व दौलत में तरक्की करने के निमित्त समस्त मेम्बरान को खडे होकर जगत पिता श्रीपरमात्मा की शरण में शुद्ध अंतःकरण पूर्वक सप्रेम सादर प्रार्थना करना चाहिये. (मुजव्विज बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ).

त्रिंबकराव साहब पुस्तके—हुजूर आली, कैलाशवासी श्रीमंत सरकार सर माधवराव साहब सेंधिया आलीजाह बहादुर के कब्ल अज वक्त पुर-मलाल वफात पर रियासत हाजा के ही नहीं बल्कि इस वसीय मुल्क के हर कोने से इजहार अफसोस किया गया है. उस पुर मलाल वाके के बाद इस मजलिस को इकट्ठा होने का यह पहिला ही मौका है. मालिक मरहूम ने मजलिस हाजा को कायम किया, वह ही उसके पहले प्रेसीडेन्ट थे और उसको तरक्की देने की उनकी दिली मन्शा थी. यह हमारी कम नसीबी है कि मालिक मरहूम की जिन्दगी इस कदर जल्द खत्म हुई कि वह अपने काम को पूरा न कर सके. उनकी जुदाई की चोट रियासत हाजा में आम रिआया पर इस कदर गहरी पंहुची है कि आज भी उसकी याद हर दिल पर ताजा है. इस मजलिस में आने पर वह सूरत हमें नजर न आने से उस पुर मलाल वाके की याद ताजा हो जाती है. ऐसे मौके पर प्यारे मालिक मरहूम के चन्द औसाफ बयान करना और परमात्मा से दुआगो होना, इसके सिवाय कोई सहल व सादा इलाज अपने दुख को ठंडा करने का नजर नहीं आता और इसी गरज से मैंने यह तजवीज पेश करने की जुरअत की और उसको पेश करना मैंने अपना फर्ज समझा.

हुजूर आली, मालिक मरहूम अपने आपको रिआया का सेवक जाहिर फरमाते थे. रिआया में से हर शख्स उनके कदमों में अपनी फर्याद पहुंचा सकता था. रिआया के दुख दर्द का ख्याल रख कर ब जात खास वह रियासत के इन्तजाम की देख भाल फरमाते थे. Hero of Hurlingham यह नाम मालिक मरहूम के समय सूचकता और बहादुरी की याद दिलाता है. श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की All India यादगार कायम करने के उनके ऊंचे ख्याल से उनके मुल्क की खैरख्वाही का सबूत मिलता है.

हुजूर आली, मालिक मरहूम के औसाफ को हम हमेशा याद रख सकें और अपने फर्ज मंसबी को अदा करने की हमें ताकत हासिल हो, और हमारे महाराज श्री जॉर्ज जीवाजीराव को उम्र दराज करने की दुआ मांगकर मैं इन चन्द अल्फाज के साथ अपनी तजवीज मजालिस हाजा में पेश करता हूं.

मूंगालाल साहब—मैं आपकी ताईद करता हूं.

बद्रीनारायण साहब—मैं भी ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब—बद्रीनारायण साहब! आप अपनी दूसरी तजवीज को पेश कर दीजिये, क्योंकि यह दोनों सवाल मिलते जुलते हुए हैं.

बद्रीनारायण साहब—यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि इजलास मजलिस आम शुरू करने के पहिले, इस मजलिस के जन्मदाता प्रजाप्रिय कैलाशवासी महाराजा सर माधवराव साहब सेंधिया, आलीजाह बहादुर, की पवित्र आत्मा को अखंड शांति प्रदान करने के लिये तथा वर्तमान महाराजा जॉर्ज जीवाजीराव साहब सिंधिया, आलीजाह बहादुर, की उम्र व दौलत में तरक्की करने के निमित्त समस्त मेम्बरान को खड़े होकर जगतपिता श्रीपरमात्मा की शरण में शुद्ध अंतःकरण पूर्वक सप्रेम सादर प्रार्थना करना चाहिये.

हे सर्वेश्वर! हे सर्वान्तरयामी! जगतपिता! परमात्मन्! आपकी महिमा अगाध व अगम्य है, आप ही अपनी सत्ता से इस जगत को उत्पन्न करते व पालते हो. "नराणांच नराधिपः" इस वाक्यानुसार आपने ही इस ग्वालियर की प्रजा का पालन करने के हेतु श्रीमान् माधव महाराज नामक विभूती धारण करके प्रजा का पुत्रवत् पालन किया. इस विभूति के समस्त सद्गुणों का वर्णन करना तो असम्भव है, किंतु इस मजलिस आम की स्थापना विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिसमें सब प्रजा को अपने प्रतिनिधि रूप में प्रजाहित के कार्यों में अनुमति देने का सौभाग्य प्रदान किया गया है, और इस मजलिस के उद्देश्य की तरफ लक्ष्य करने से प्रजा को किस तरह अपनाया व प्रेम किया, इसका पता लगेगा. इसके अलावा और भी अनेकानेक प्रजाहित के कार्य किये हैं. सब से विशेष यह बात है कि स्वयं अन्नदाता व मालिक होते हुए भी प्रजा को अन्नदाता कहने वाला महाराजा वर्तमान परिस्थिति में न हुआ और न होना संभव है. इन समस्त प्रजाहित कार्यों की तरफ लक्ष करते हुए प्रजा अत्यन्त कृतज्ञ होकर प्रत्युपकार का कोई दूसरा उपाय न होने से, हे प्रभो! आपकी पवित्र सेवा में शुद्धांतःकरणपूर्वक विनीत भाव से प्रार्थी है कि आप अपनी ही इस पवित्र विभूति की आत्मा को अपने अखण्ड आनन्द स्वरूप में समावेश कर प्रजा की इस सच्ची भावना को पूर्ण करियेगा, और साथ ही हमारे वर्तमान महाराजा जॉर्ज जीवाजीराव साहब सिंधिया, आलीजाह बहादुर के हृदयाकाश में पिता के समस्त सद्गुणों का विकाश करके इनकी आयु, श्री, कीर्ति, यश, प्रताप आदि में वृद्धि करियेगा, ताकि हम प्रजा को इनकी छत्र छाया में अनेकानेक उन्नति के मार्गों का दर्शन करने का सौभाग्य जल्दी प्राप्त होवे. बस यह ही सच्चे हृदय की भावना पवित्र चरणों में सादर समर्पण है.

रामराव गोपाल साहब देशपांडे.—श्रीमंत सरकार के वियोगजन्य दुःख के बारे में इस वक्त जहन में मेरे हुए विचार दरबार के सामने व्यक्त (जाहिर) करे बिना दिल को आराम नहीं होता; इसलिये दरबार और प्रेसीडेन्ट साहब की इजाजत लेकर बयान करता हूं.

(१) जिन महाराजाधिराज ने अदना से आला दर्जे तक की अपनी प्यारी रिआया को दिलोजान से किसी तरह से तकलीफ उठाने का मौका न आने दिया. रिआया के हमेशा अमन चैन में रहने के लिये रात और दिन किसी कदर अपने शरीर को आराम न देते प्रजा के आराम की ही फिकर में रहते थे. और इस काम के लिये करोडहा रुपया सर्फा करके तन से, मन से, और धन से प्रजा का पालन किया और जान, माल, आबरू की रक्षा की.

रिआया के दिल की हालतें खुले दिल से मालूम करके उन की तकलीफों को रफा किया है और राजशकट चलाने में जो जो मुश्किलें पैदा होती थीं उनको बडी अक्लमन्दी के साथ रफा करके राजशकट चलाया. अपनी प्रजा को राज कार्य धुरन्धर बनाने के लिये हमारे परम पूज्य श्रीमान माधवराव साहब सिंधिया ने कोई बात उठा नहीं रखी.

मंगलं भगवान विष्णुं । मंगलंगरुडध्वजं ॥
मंगलं पुंडरीकाक्षं । मंगलायतनो हरिः ॥ १ ॥
नमो ब्रम्हण्य देवाय । गौब्राम्हण हितायच ॥
जगत्हिताय कृष्णाय । गोविंदाय नमोनमः ॥ २ ॥

(२) आज मैं जो देख रहा हूं वह हमारे श्रीमान् आलीजाह बहादुर दामइकबालहू शिंदे सरकार को आला से अदना दर्जे तक जो राजनिष्ठ प्रजा है वह उनके अलौकिक नेक चलन रूप तपश्चर्या का परमेश्वर कृपा रूपी फल है. जो मेरे नजर के सामने तेजोमय तारे के मुवाफिक चमक रहा है वह हमारे सिरताज श्रीमान् जॉर्ज जीवाजीराव महाराज साहब प्रत्यक्ष माधव रूप ही भास रहे हैं. "नाविष्णुः पृथ्वीपति—नाहि भेद जिवा शिवा" जीव और शिव में भेद नहीं है ऐसा वेद, शास्त्र, पुराण, साधूसन्त, औलिया और महान् महान् ऋषि खुले दिल से बोल रहे हैं. शिव नाम कल्याण यही रूप माधव का है इस पर से व्यक्त यानी जाहिर होता है कि माधव रूप ही श्रीमान् जॉर्ज जीवाजीराव साहब हैं. गीताजी में भी माधवरूप श्रीकृष्ण परमात्मा स्पष्ट कहते हैं कि राजा मेरी विभूति है, वेद रिचा भी यही बोल रही है.

आज के दरबार को बडी धन्यता है कि जिस ऐश्वर्यशाली सोज्वल छत्र के नीचे हम बडे आनन्द के साथ विहार यानी मौजें उडाते थे, वही ऐश्वर्य देकर हम प्रजाजनों को परमेश्वर ने कृतार्थ करके धन्यता बख्शी है. जगन्नियंता परमेश्वर से सविनय यही प्रार्थना है कि दुनिया में जबतक चांद सूरज हैं तबतक ऐसा ही छत्र बना रक्खे.

हमारे श्रीमान् जॉर्ज जीवाजीराव महाराज साहब आज बालरूप रहने से सब रियासत के सूत्र सर्वगुणैश्वर्य संपन्न माधवशक्ति आदि माता महारानी श्रीमती चिनकू राजा साहिबा इनके हाथ में देने से यह दरबार के सब मेम्बर साहबान आनन्द व्यक्त करते हैं, यानी खुशी जाहिर करते हैं.

दरबार ने श्रीमान् महारानी साहिबा के राजशकट चलाने की मदद के लिये जो मंत्री मंडल मुकर्रर किया है वह बहुत ही तारीफ करने के काबिल है. सबही साहबान राजकार्यपटु, विचारशील व गादी के निसीमभक्त और अभिमान यानी इज्जत रखने वाले हैं, और सरकार के पास किये हुए ऐतबारी हैं. हमें उम्मेद है कि वह राजनिष्ट प्रजा का नीति से रक्षण करके उसे सन्तुष्ट रखेंगे. परमेश्वर इन सब साहबान को चिरायु करे. महाराज ने आम दरबार की स्थापना की और उसी में रियासत भरके हर जिले के चुनीदा साहबान को मेम्बर मुकर्रर किया.

(३) सरकार ने आला दर्जे की इलिमयत हासिल किये हुए राजकार्यपटु मेम्बर साहबान के साथ चर्चा करके, मेम्बर साहबान के निकाले हुए सवालात को जोर देकर कायम करने का तरीका जारी किया और खुले दिल से तकलीफें मिटाने का और काम करने में आसानी पैदा करने का तरीका निकाला.

इस कदर इज्जत के साथ पुत्र वात्सल्यता से बर्तने वाले परम पूज्य महाराजाधिराज **माधवराव** महाराज प्रत्यक्ष न होने से यह मजलिस अफसोस व्यक्त (जाहिर) करती है.

बलवान, धैर्यवान, दयाशील, नीतिमान, राजकार्य धुरंधर, प्रजापालक ऐसे ऐश्वर्यवान महाराजा की धर्म तत्परता की कीर्ति रूप यशोदुन्दभी दुनियां भर में भर रही है. ऐसे हमारे महाराजा की आत्मा को जगनियंता परमेश्वर शान्ति देवे. और यह प्रार्थना है कि हे जगपालक परमेश्वर हमारे श्रीमंत महाराजा जॉर्ज जीवाजीराव साहब सिंदे, आलीजाह, बहादुर दामइकबालहू, को और उनके उभयता माता साहिबान को और भगिनी साहिबा को और सब मन्त्री साहिबान को चिरायु करे, सुख से रखे, और प्रेम की यानी मुहब्बत की, और आनन्द की वृद्धि यानी बढती करे.

अब्दुल हमीद साहब.—मैं इस तजवीज की पुर जोर अल्फाज में ताईद करते हुए इस तौर से अपने इजहार ख्याल पर मजबूर हूं कि आज यह मजलिस हमारे १० माह के गुजिश्ता गम को अज सरे नौ ताजा करती है. जब कि हम देखते हैं कि इस मजलिस का बानी हमारा साई हमारी आंखों से पोशीदा है, हमारा तसव्वुर हुजूर मुअल्ला आंजहानी के तसव्वुर को हमारी आखों के सामने लाता है, और उनकी आवाज इस कमरे में गूंजती हुई मालूम होती है, जिससे हमारा गम दुबाला होता है. आपको याद होगा कि इस मजलिस के इफ्तिताह के वक्त हुजूर मुअल्ला आंजहानी ने अपनी इफ्तिताही तकरीर के इफ्तिताह पर फरमाया था कि उनको इस बात की खुशी है कि उनके वालिद बुजुर्गवार की बनाई हुई इमारत का हर गोशा अपने असली मसरफ में है, लेकिन अफसोस कि जो इस इमारत के हर गोशे को उसके अस्ली मसरफ में लाया वह आज दुनिया में नहीं है. और हम निहायत हिज्र व मलाल के साथ इस मजलिस को खुद उन की यादगार करार देते हैं.

हुजूर मम्दूह हिन्दुस्तान में व उसके बाहर मोती वाले राजा मशहूर थे, लेकिन नहीं, वह अपनी गरीब रिआया के हक में फिल हकीकत दुरे बेबहा थे और उनका वुजूद रिआया के लिये बेश कीमती था.

दुनियां का दस्तूर है कि लोग मरने वाले को नहीं रोते बल्कि अपने अगराज व मफाद का अफसोस करते हैं. इसी तरह आज हमारी आंखें उस जात को ढूंढती हैं जिसने हमारे लिये रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा, सख्त मेहनत व मशक्कत बरदाश्त करने में अपनी सेहत की भी परवाह न की. चुनांचे हम इस बात पर इजहार गम करते हैं कि खुदा ने हमारे सच्चे हमदर्द और खिहीख्वाह को हमारे दरमियान से उठा लिया.

हुजूर मुअल्ला आंजहानी के कार नुमायां की कद्र सिर्फ उनकी रिआया तक महदूद नहीं बल्कि रियासत से बाहर तमाम हिन्दुस्तान में उनकी शौहरत है और इससे भी गुजर कर सात समन्दर पार उनका नाम इज्जत से लिया जाता है और उनके वजूद के मुतअल्लिक जलीलुलकद्र असहाब ने हमको मुबारिकबाद दी है जैसा कि लार्ड हार्डिंग ने अपने ही एक Memo में लिखा है कि Gwalior is fortunate in having such a Ruler.

हुजूर मुअल्ला आंजहानी की खुसूसियात और साबिहिल इम्तियाज बातें आप सबको मालूम हैं लेकिन एक वह शख्स जिसके दिल में उनका दर्द भरा हो, बगैर उनके दोहराये हुए नहीं रह सकता.

सब से बडी सिफत, जिसके वह हामिल थे एहतराम मजहब है, और यही वजह थी जो हर मजहब के लोग उनके सनाख्वां हैं. हिंदुस्तान की एक मुअज्जज खातून ने अपने एक मजमून में लिखा है कि:—

For Scindia thinks that a monarch should protect equally all religions in his State.

और आगे चल कर यह भी फरमाया है कि:—

Under his impartial sway all religions are respected and honoured and all enjoy freedom and safety.

सियासत दानी और तदब्बुर में वह खुद अपनी मिसाल थे, जिसकी वजह से अपने हम रुतबा वालियान रियासत से खिराजे तहसीन हासिल करते थे. जैसा कि महाराजा साहब बीकानेर ने अपनी एक तहरीर में हुजूर मुअल्ला आंजहानी की निस्बत लिखा है कि:—

Who is a pillar of the Empire in the best sense of the term, a tower of strength to his brother Princes, a staunch supporter of the Chamber of Princes.

इल्मी जौक की शाहिद उनकी तसानीफ हैं जो सफे हस्ती पर हमेशा रहेंगी. बिल खुसूस पॉलिसी की बारह जिल्दें, मौजूदा व आयन्दा नस्लों के लिये सबक हैं.

हुजूर मुअल्ला आंजहानी की फैयाजी व दरया दिली से सिर्फ रिआया ही को फायदा नहीं पहुंचा बल्कि बेरून रियासत भी दस्त फैज दराज रही जिसकी जाहिर मिसालें वह इल्मी व खैराती Institutions हैं जिनको गरां कद्र अतिये दिये गये हैं.

इन्साफ पसन्दी व मादिलत गुस्तरी की बुनियाद को मुस्तहकम फरमाया और वह वह सूरतें पैदा कीं जिनको मिसालें इस तरक्कीयाफ्ता जमाने में भी कम हैं बल्कि नहीं हैं.

रिआया परवरी की अदना मिसाल यह है कि मखदूम को खादिम से बदल दिया और रिआया को अन्नदाता कह कर मुखातिब फरमाया. अदना से अदना शख्स भी बारयाबी से मुशर्रफ होकर अपना दर्द दुख अर्ज करने का मौका रखता था.

अफसोस और बहुत अफसोस है कि यह सही और सच्चे वाकिआत जो कल तक हमारी आंखों के सामने से गुजरते थे आज वह सब किस्से माजी हो गये.

लिहाजा मैं भी इस resolution की ताईद करता हूं.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला ! इस तजवीज के सिलसिले में हम लोगों के दिल रंजो गम से अजहद मायूस हो गये हैं और इस नाकाबिल तलाफी नुक्सान का ख्याल करके हमारा कलेजा मुंह को आता है. इसलिये इस तजवीज पर कुछ ज्यादा कहने की ताकत मुझ में नहीं है, मगर गम का इजहार करने से गम हलका होता है इसलिये मैं कुछ अर्ज करने की जुरअत करता हूं.

यह अम्र मखफी नहीं है कि इस मजलिस की कायमी उस आजाद पॉलिसी का नतीजा है जो जन्नतनशीन महाराज ने अपनी रिआया की बेहबूदी व तरक्की के लिये मुकर्रर फरमाई थी; इसलिये यह अम्र निहायत जरूरी था बल्कि हम लोगों की दिली आरजू थी कि यह मजलिस कुछ ज्यादा अर्से तक जेर साया आतफत हुजूर मम्दूह नश्वनुमा पाती; मगर बद किस्मती से इस

मजलिस को अपने हरदिल अजीज बानी की काबिल कद्र रहनुमाई का फायदा सिर्फ चार साल ही मिल सका. जिस spirit व दिलचस्पी के साथ हुजूर जन्नत नशीन ने बहैसियत प्रेसीडेन्ट इस मजलिस की कार्रवाई को सरअंजाम दिया वह हमको ता जिन्दगी याद रहेगा. बल्कि हम महसूस करते हैं कि मरहूम महाराजा की spirit इस वक्त इस कमरे में मौजूद है. उनके अहद हुकूमत में जो हैरतनाक तरक्की रियासत हाजा में हुई है वह मोहताज बयान नहीं. उनके अहसानात रिआया पर इस कदर जियादा हैं कि रिआया उनसे कभी सुबुकदोश नहीं हो सकती. इस मजलिस का यह फर्ज होना चाहिये कि हुजूर ममदूह की पॉलिसी को मद्देनजर रखकर उसी spirit में काम करे; क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर कोई और यादगार हुजूर मम्दूह की नहीं हो सकती और यही अम्र उनकी पाक रूह को सुरूर दायमी पहुंचाने का भी बाइस होगा.

जनाब प्रेसीडेन्ट साहब ने जिन उम्मीदों का इजहार हम लोगों के मुतअल्लिक फरमाया है उसके मुतअल्लिक मैं इस मजलिस की तरफ से अर्ज करना चाहता हूं कि जो उसूल व तरीका इस मजलिस के काम करने के मुतअल्लिक हुजूर मरहूम ने कायम फरमा दिया है उस पर हम लोग बखूबी कारबन्द रहेंगे. जिस को-ऑपरेशन की उम्मीद कौंसिल आलिया की तरफ से हम लोगों से की गई है उसकी बाबत हम यकीन दिलाते हैं कि हम लोग उसपर अमल करने की ब लिहाज अपने महदूद तजरुबे व लियाकत के दिलोजान से कोशिश करेंगे. आखिर में इस तजवीज की ताईद करते हुए मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि हम लोगों को इस काबिल बनाये कि हम लोग उन उम्मीदों को पूरा कर सकें जो कौन्सिल आलिया को हमारी तरफ से हैं, ताकि हम इस जांच की तराजू में पूरे उतरें जिसका तजकिरा जनाब प्रेसीडेंट साहब ने फरमाया है.

महन्त लक्ष्मणदास साहब.—श्रीमन्त वैकुण्ठवासी महाराजा का इस समय भिन्न भिन्न भावों से चाहे बरसों गुणों के साथ स्मरण किया जाय, वर्णन का अन्त नहीं आसकता. मैं महाराजा में अलौकिक गुण देखता रहा हूं, उनमें महान शक्ति थी, उनमें संयमी होने का गुण भरा हुआ था. वह संयमी थे और इस तरह वे विश्वप्रेम (यूनीवर्सल ब्रदरहुड) तक पहुंचे हुए थे. वे अपने ग्वालियर के केवल महाराजा ही नहीं थे बल्कि हिन्दुस्थान के लीडर थे. उनको ग्वालियर की प्रजा ही प्रेम से चाहती थी इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय देशी नरेश वैकुन्ठवासी महाराजा माधवराव साहब सिंधिया को अपनी अग्र शक्ति मानते थे. अटक से कटक तक, हिमालय से कन्या कुमारी तक जिसने उनका दुनियां से उठ जाना सुना, वहां ही वह बिना सिर धुने न रहा; यह तो भारत था लेकिन उनके अनावसर पर गुजर जाने पर एशिया और यूरोप तक शोकित हुवे थे इससे उनके महान् चरित्रवान होने का पता चलता है. वह प्रजा से कोरा प्यार नहीं करते थे. वे प्रजा को कर्मण्य बनाते थे और उनके दरिद्र भगाने का प्रयत्न करते थे. महाराज स्वेच्छा सेवक थे यानी प्राणीमात्र से प्यार का बर्ताव करते थे. वे जब यूरोप को पहिली बार गये थे उस वक्त उन्होंने घुडदौड के खेल में घोडे को बेकाबू भागते हुए देखकर उसकी पीठ पर से कूद कर गर्दन में झूमकर उसको बल पूर्वक रोका था;सामने दर्शकों की भीड पास ही थी. अगर वह ऐसा न करते तो भीड जरूर ही कुचल जाती. इस तरह आपने अपने को जोखम में डालकर यूरोप में जनता की रक्षा की. इसी तरह शिवपुरी के सागर में बोट के विहार के समय एक खल्लासी बोट से सागर में गिरपडा, उस समय उसकी जान बचाने के लिये आपभी कूद पडे. यद्यपि पास में ए. डी. सी. वगैरा और मल्लाह भी थे चाहे जिसे आज्ञा देते वही कूद पडता और उसको पकडता, मगर इतना प्रेम उस गरीब के बचाने में था और आतुरता थी कि उन्हों ने किसी से न कहते हुए आप ही कूद कर उसे बचाया,इससे वे कर्म योगी थे. कौन कौन उनके गुण गावें, उनकी

कर्म योग की शक्ति का ही प्रताप है कि मैं एकान्त बैठकर शान्त मार्ग में जीवन बिताने वाला उन की आकर्षण शक्ति में खिंचकर आज ५ साल से मजलिस में बैठकर काम करते हुए अपनी कर्म योग शक्ति को आगे बढा रहा हूं. परमात्मा अंतरिक्ष में हमारे महाराजा माधवराव साहब सिंधिया को अनन्त शान्ति दें और उनकी प्रभाव शालिनी शक्ति का हमारे वर्तमान महाराजा साहब में आविर्भाव हो और थोडे समय में ही वह शासन की डोर हाथ में लेकर अपने दायित्व को संभालें और तब तक हम भी जीवित रह कर अपने श्रीमंत महाराजा जॉर्ज जीवाजीराव साहब सिंधिया के शासन का जमाना देखें और कुछ दिन उनके साथ भी काम करें.

धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले.—हमारे सरकार की याद करना हमारा फर्ज है. हमारे लिये अपनी जान को परेशानी में डालकर हमारे सरकार ने अपनी रिआया के लिये जो कुछ किया है उसको लक्ष में रखने से हमारे मार्ग सुधरते रहेंगे. मुझ में उनके गुणों के वर्णन करने की शक्ति नहीं है तो भी उनके प्रेम के जोर से मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में सरकार के गुणों को याद करना ठीक समझता हूं. आज तक अखबारों में और अनेक मौकों पर सब तरह से उनके अनेक गुणों का वर्णन किया जा चुका है, लेकिन Philosophically या Religious point of view से उनके गुणों का विचार करना भी आवश्यक है.

हमारे शास्त्रों का, हिंदु, मुसलमान क्रिश्चियन इन सभी धर्मों का Ideal भी यही है कि परमात्मा की प्राप्ति हो. एखादे विशिष्ट विद्या में Expert होने से, जैसे कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि होने से हमारे धर्म में या सभी धर्मों में योग्यता मानी नहीं जाती, जब तक कि वे परमात्मा की प्राप्ति के जो अनेक मार्ग हैं उनमें से किसी मार्ग पर प्रवृत्त नहीं हो जावे, इसलिये औरों से साधु संत, फकीर, महात्माओं की महिमा हमारे यहां ज्यादा मानी है. परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञानयोग, भक्ति योग, राज योग, लय योग, हठ योग इत्यादि; कर्म योग के आचार्यों ने कर्म योग की अत्यंत श्रेष्टता बतलाकर उसकी बहुत तारीफ की है. अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि, कर्म योग में क्या २ बातें मुख्य हैं और वह हमारे सरकार ने किस प्रकार हासिल की थीं.

इन्द्रिय निग्रह, वैराग्य, ब्रम्हात्मैक्य ज्ञान बुद्धि अगर साम्य बुद्धि और निष्काम कर्म ये चार बातें कर्म योग में मुख्य हैं. इंद्रिय निग्रह करके अत्यन्त वैराग्य से साम्य बुद्धि पैदा करके बाद में लोक संग्रहार्थ निष्काम कर्म करते रहना यह कर्म योगीका कर्तव्य माना गया है. साहबान, यह चारों बातें सरकार में थी.

अव्वल इंद्रिय निग्रह लीजिये. सरकार में जो अनेक गुण थे उन सब में सब से ज्यादा चमकने वाला जैसे तारागणों में सूर्य चमकता है, उस मुवाफिक चमकने वाला गुण कौनसा था? सोचिये, वह गुण उद्योग शीलता था अथवा अत्यंत परिश्रम करने की आदत थी. वह अपना कर्तव्य करने में अत्यंत उद्योग शील और परिश्रमी थे, उनको अय्याशी करने की फुरसत ही कहां होती थी. बस यह एक ही बात उनके इंद्रिय निग्रह को सिद्ध करने के वास्ते बहुत है.

अब वैराग्य लीजिये. वैराग्य यह नहीं है कि भगवे कपडे पहिन लिये और जंगल में चल दिये. अपने कर्तव्य कर्म करने में विघ्न लाने वाली बातों को नहीं करना, इसका नाम वैराग्य है.

हमारे सरकार कभी भी पहाडों पर हवा खाने के लिये अपना काम छोडकर नहीं गये. हवा खोरी के साथ ही साथ पहाडों पर जाना तन्दुरुस्ती के लिये भी लाजमी है; लेकिन रिआया की आसायश की फिकरों को छोडकर उन्होंने उसको पसंद नहीं किया. यह उदाहरण उनके वैराग्य को सिद्ध करने के लिये काफी है.

दो बातें सिद्ध हो गईं; एक उनका इंद्रिय निग्रह, दूसरा उनका वैराग्य.

तीसरी बात है साम्य बुद्धि, यानी सबको एक ही प्रकार से देखना. अपने स्वार्थ के सिवाय अपने कुटुंब की तरफ देखने वाले उससे आला समझे जावेंगे और उससे आला दर्जे के वह हैं जो अपनी जाति की तरफ देखते हैं. सब Nations का कल्यान चाहने वाले Nationalist उनसे भी श्रेष्ठ हैं.

लेकिन इन सब से बढकर मानव जाती का कल्याण चाहने वाले का आदर होगा. और इन सब से श्रेष्ठ वह है जो प्राणी मात्र के स्वास्थ्य का इच्छुक हो. इतने पर ही काम पूरा नहीं होता, जड वस्तुओं को भी आत्म रूप जानकर प्राणी मात्र में और उनमें समता देखना चाहिये. तात्पर्य यह कि सब वस्तु एकही परमात्मा का रूप हैं, ऐसा जानना चाहिये. और आखरिश सब वस्तू परमात्मा के ऊपर भासती है, दर असल परमात्मा के बगैर कुछ नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है, ये जानना इसका नाम समबुद्धि है. ऐसी अवस्था का प्राप्त कर लेना यह कर्म योग का बहुत बडा काम है. अत्यंत श्रेष्ठ साम्य बुद्धि को साधने के लिये, हमारे सरकार ने कई बातों में समता बतलाई है. साम्य बुद्धि के बारे में हमारे एहले हिनूद व एहले इस्लाम सरकार को सदैव याद करते रहेंगे. हिंदू और मुसलमानों में जरासी अनबन हुई और सरकार ने इनको समता की महिमा समझा दी और वे ठिकाने आ गये.

साहबान, हमारे शास्त्र में तीन बातों की, यानी Trinity की बडी महिमा है.

सत, चित्, आनंद.

Existence, Knowledge and Bliss.

ब्रम्हा, विष्णु, महेश.

सत्व, रज, तम.

Law, Light and Love.

Law यानी कानून कभी रूखा हो जाता है. Love यानी प्रीति या मुहब्बत कभी अंधी हो जाती हैं. इन दोनों के बीच में Light यानी रोशनी यानी ज्ञान आजाने से कानून का रूखापन और मुहब्बत का अंधापन दोनों दूर हो जाते हैं; सरकार की यही नीति थी. जब Law का रूखापन देखा तो Love से काम लकर उसको दूर कर दिया. हमारे सरकार Light थे, Law का रूखापन भी मिटा देते थे और Love को भी अंधा नहीं होने देते थे, और इस तरह Equilibrium कायम रखते थे.

नया अच्छा है, पुराना बुरा है, ये भेद बुद्धि उनमें नहीं था. पुरानों में जो अच्छा पाते थे और नये में जो ठीक होता था, सब को काम में लाते थे. नई light के आदमी और पुराने लोग सभी उनसे खुश थे, इसी से हमारे सरकार की साम्य बुद्धि का परिचय मिलता है. एक ने कहा, कि खुदा निराकार है, और दूसरे ने कहा कि साकार है तो वे भले ही कहें, खुदा तो एक ही है ऐसा कह कर सरकार झगडा मिटा देते थे. इस तरह से अंतिम साध्यरूप साम्य बुद्धि को प्राप्त करने के लिये हर तरह से साम्य बुद्धि का अभ्यास व्यवहार करते समय सरकार नें किया था.

इंद्रियनिग्रह, वैराग्य और साम्य बुद्धि संपादन करके लोक संग्रहार्थ निष्काम कर्म करना, यह जो कर्म योग की चार बातें हैं उनमें से अब, निष्काम कर्म क्या है और वो हमारे सरकार ने किया था या नहीं, यह चौथा मुद्दा सिर्फ रह गया.

निष्काम कर्म करना यानी कामना रहित कर्म करना, ईश्वरी इच्छा के अनुसार कर्म करना, स्वार्थ छोडकर केवल परोपकारार्थ करना इत्यादि.

साहबान, देखिये कि हम लोगों को अपना पेट भरने के लिये काम करना पडता है. पेट भरना लाजमी होने पर भी पांच छै घंटे काम करने में ही घबरा जाते हैं, फिर हमारे सरकार तो दिन में अठारह घंटे काम करते थे और वह भी खाने पीने की कुछ कमी न होते हुये, तो अब देखिये कि पेट भरना जिनको लाजमी है वे अगर ठीक तौर पर कर्म करें, तो निष्काम कर्म करने वाले कहलाते हैं. फिर हमारे सरकार, सब तरह का ऐश्वर्य प्राप्त होकर भी, किसी काम की जरूरत न होते हुये भी रात दिन अपना कर्तव्य करने में ही मशगूल रहते थे. उन के निष्काम कर्म का क्या कहना!

आजकल वर्तमान में दीगर जगह देखिये, इतिहास पढिये, कोई इस तरह काम करने वाला नहीं दिखाई देगा. ऐसे परिश्रमी महाराजा की उद्योग शीलता को देखकर लोग जो हमेशा विश्रांती के अभिलाषी ही रहते हैं वह इस उद्योगशीलता को Race-less-ness कहेंगे लेकिन उद्योग शीलता के सूरज को Race-less-ness के बद्दलों में यानी मेघों में छिपाने की कोशिश भी की तो भी वह सूरज नहीं छिप सकता. बद्दलों में छिपे हुए सूरजनारायण की रोशनी भी इतनी जोरदार होती है कि उसके आगे सब तरह की दीगर रोशनियां फीकी हैं. अस्तु

ऐसे हमारे उद्योगशील कर्मयोगी सरकार हमको छोड गये, इसलिये हमारा हृदय उनके लिये रो रहा है.

शास्त्र के हिसाब से तो मृत्यु वक्त पर आती है लेकिन डाक्टरी हिसाब से देखा गया तो कहा जाता है कि ज्यादा परिश्रम करने से स्वास्थ बिगडता है. हमारे सरकार ने अपनी रिआया की बहबूदी के वास्ते न अपने आराम का ख्याल किया न इस बात पर ध्यान दिया कि, मेरी तबियत अच्छी नहीं रहती, इस बात की परवाह नहीं की कि मैं दुनियां से चला जाऊंगा. अहह! सरकार का परमात्मा पर कैसा विश्वास था! जनरल पॉलिसी को लिखने के आरम्भ में ही आपने लिखा है कि "वोही होता है जो मंजूर खुदा होता है" हमारे सरकार पूर्ण कर्मयोगी थे. उन को कर्मयोगी महात्मा कहना चाहिये वह हमको छोड गये. हमारे आंखों को हमेशा मजलिस में उनको देखने का अभ्यास है इसलिये आज भी ऐसा मालूम होता है कि श्रीमान सीतोले साहब को प्रेसीडेन्ट बनाके तबियत अच्छी न होने की वजह से वह कहीं तो भी इधर उधर बैठे होंगे, लेकिन हाय अफसोस, ऐसा नहीं है, वह हमको छोडकर चले गये. यह दुख हम कदापि सहन कर नहीं सकते थे अगर हमारे छोटे सरकार आज यहां न आते और हमारी तरफ खुश नजर से न देखते. बस मैं अब टूटी फूटी जबान में कही हुई तकरीर को खतम करता हूं.

कृपाशंकर साहब.—हुजूर वाला, जो कुछ कि मुझको सदमा पहुंचा है और जो कुछ कि मेरी हालत हुई है वह तकरीर से बाहर है. दरबार बडाई का ख्याल ग्वालियर की प्यारी रिआया में ही नहीं, बल्कि इसका शोर चारों तरफ हिन्दुस्तान में हिमालय से राजकुमारी और कटक से अटक तक है. जैसा कि दूर दूर के अखबारों से और दूर दूर के मुल्कों में जो मशहूर हुआ है उससे यह मालूम हुआ है कि दरबार मुअल्ला ने अपनी अजमत का सिक्का रिआया के दिलपर अटूट जमा दिया था कि हम लोग उनकी अजमत को याद कर करके अपने दिल को हमेशा रंज मलाल में ही पायेंगे; लेकिन हमारी हालत ऐसी होगई है जैसे कोई जबर्दस्त आकर हमारी दौलत, सर्वत व हश्मत सब कुछ छीन ले और हम देखा करें. लेकिन हम दरबार मुअल्ला के जानशीन सरकार आलीजाह को देखकर इस गम को कुछ हलका कर देते हैं. परमात्मा हमारे सरकार दौलत मदार अबद पायदार को दौलत, हश्मत रोज अफजूं अता करता रहे.

लॉ मेंबर साहब.—पेश्तर इसके कि आपकी जानिब से यह रेज्यूलेशन मजलिस में पास करने के लिये पेश किया जावे और पेश्तर इसके कि मेंबरान मजलिस आम अदब से खडे होकर इसको पास करें, मैं मेम्बरान कौन्सिल की जानिब से इस इजहार मलाल और अहसास नुक्सान की, जिसका जिक्र तजवीज नंबर १ में आया है, ताईद खुलूस दिल से करता हूं. अब इस मौके पर मैं जरूरी नहीं समझता कि इन बाअसर तकरीरों के बाद महाराजा साहब मरहूम के सिफात का बयान और किया जाय, क्योंकि कैलासवासी महाराजा की सिफात हद बयान से बाहर हैं, उनकी तारीफ कहां तक की जाय, उनके कारनामे तारीख ग्वालियर में आबेजर से लिखे जावेंगे.

महाराजा साहब मरहूम की जिन्दगी का बेहतरीन हिस्सा रियासत की सरसब्जी और बहबूदी और रियासत की तरक्की की कोशिशों में खत्म हुआ. उनकी सारी उम्र हर किस्म की तरक्की—तरक्की इल्म व दौलत में, तिजारत में, हुनर में व इन तरक्कियों की तदाबीर सोचने में सर्फ हुई. शबोरोज उनकी यही कोशिश थी कि ऐसा इन्तजाम किया जावे और ऐसी तदाबीर इख्तियार की जावें कि रिआया तरक्की करे और रिआया और रईस के दरमियान तअल्लुकात करीबतर होते जावें इन्हीं कोशिशों का एक नतीजा यह मजलिस आम है.

मजलिस आम के मेम्बरान से महाराजा साहब मरहूम को क्या उम्मीदें थीं, यह प्रेसीडेंट साहब की तकरीर में और नीज महाराजा साहब मरहूम की उस स्पीच में जो पहिली मजलिस आम के ओपनिंग के वक्त फरमाई गई थी, वजाहत से बयान की गई हैं. मेरा यह अकीदा है कि महाराज साहब मरहूम अब भी हमारी कार्रवाई और हमारे इन्तजाम और हमारी कोशिशों का नज्जारा कर रहे हैं. अगर खुदा ने हमारी इम्दाद की, तो हमारी और आपकी यह कोशिशें उनकी रूह को खुश करेंगी. (प्रेसीडेन्ट साहब की तरफ मुखातिब होकर) अब यह दरख्वास्त की जाती है कि रेजोल्यूशन्स को मजलिस आम में पेश किया जावे.

इसके बाद प्रेसीडेन्ट साहब ने खडे होकर हरदो resolutions पढे और कुल मेम्बरान मजलिस आम ने ताजीमन खडे होकर सुने और दुआ मांगी.

दुआ के बाद हस्ब जैल कार्रवाई शुरू हुई :—

प्रेसीडेन्ट साहब—पोलिटिकल मेम्बर साहब सवाल नंबर २ व ३ को पेश करें.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर २.

अय्याम खुश्कसाली में ऐसे मुकामात पर जो घास पैदा होने की जगहों से फासले पर वाके हैं, चारा न मिलने की वजह से ऐसे जानवर, जो काश्त के काम में लाये जाते हैं, जाया हो जाते हैं या काश्त के काम के काबिल नहीं रहते.

सवाल यह है कि किस तौर पर ऐसा इन्तजाम किया जावे जिससे अय्याम कहत में मुकामात मजकूर पर जानवरों के लिये घास चारा मिलता रहे, ताकि काश्तकारी के जानवर जिन्दा और काम के काबिल बने रहें.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर ३.

ब अय्याम कहत रिआया इलाके हाजा इलाके गैर को, ऐसे मुकामात पर जहां उनकी रिश्तेदारी होती है और आसायश मिलने की उम्मेद होती है,

चली जाती है. बाद में उनके वापिस बुलाने की कार्रवाई मौका और वक्त के लिहाज से की जाती है, लेकिन सवाल यह बाकी रहता है कि ऐसा क्या इन्तजाम किया जावे जिससे बजमाने कहत रिआया रियासत हाजा को इलाके गैर में जाने की जरूरत या ख्वाहिश ही पैदा न हो.

पोलिटीकल मेम्बर साहब—इन दोनों सवालात के मुतअल्लिक मैं पिछले हालात बयान करना चाहता हूं, ताकि सिलसिला वाकेआत आप साहबान के जहननशीन होकर आप उन पर राय दे सकें.

यह दोनों सवालात सम्वत १९८१ के जलसे मजलिस आम में पेश हुए थे और उन पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर की गई थी. सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जलसें मजकूर में पेश की; मगर मजलिस का यह ठहराव हुआ कि सब-कमेटी इन तजावीज पर दुबारा गौर कर के अपनी सानी रिपोर्ट मजलिस में पेश करे. पारसाल सब-कमेटी मुनअकिद करने की नौबत नहीं आई थी. चुनांचे इम्साल सब-कमेटी के इजलास के लिये ता: १३ मार्च मुकर्रर की जाकर एक माह पेश्तर नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान मुतअल्लिका को इत्तला दी गई, लेकिन उनमें से सिर्फ एक साहब तशरीफ लाये जिसकी वजह से कमेटी उस रोज न हो सकी. यह बात बसिलसिले वाकेआत बयान करने में आगई है, वरना इससे मेरा मकसद यह नहीं कि मैं कोई नुक्स बयान कर रहा हूं. बहरहाल सब-कमेटी की जो मीटिंग तारीख १५ माह हाल को की गई उसमें भी सिर्फ दो नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान शरीक हो सके. अलबत्ता कमेटी के सामने राय मेम्बर साहबान की इजलास के वक्त मौजूद थी जिन पर गौर किया गया. इन रायों का खुलासा मतलब यह है कि जो तजवीज सब-कमेटी कर चुकी है उसमें तरमीम की जरूरत नहीं है. अलबत्ता एक साहब ने इस तजवीज के मुतअल्लिक ऐक्शन लेना गैर जरूरी ख्याल किया है.

हर दो सवालात में से सवाल नं. २ के मुतअल्लिक हालात मेरे ख्याल में काबिल बयान हैं.

यह मसला एक अर्स से दरबार के जेर नजर रहा है और मुख्तलिफ मौकों पर दरबार ने इसके मुतअल्लिक अहकाम भी जारी फरमाये.

सम्वत १९६४ में जर्ये सरक्यूलर नंबर ३, सदर बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू, काश्तकारान व जमींदारान को मश्वरा दिया गया कि वह अपने मवेशियों के लिये साल भर की जरूरत के लिये काफी चारा रखकर जो फाजिल हो, उसको फरोख्त किया करें.

दरबार ने अपने सालाना रिव्यू सम्वत १९६९ व १९७२ में यह हुक्म फरमाया था कि जमींदारान व काश्तकारान को मजबूर किया जावे कि वह रिजर्व स्टॉक घास का रखें और अहकाम भी जारी हुए. मिनजानिब जमींदारान व काश्तकारान कैसा अमल हुआ, यह अम्र मोहताज बयान नहीं है.

सन १९१८ में यह सवाल फिर जमींदारान कॉन्फरेन्स में, जो शिवपुरी में जेर सिदारत हुजूर मुअल्ला ममदूह हुई और जिसमें परगना व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कायमी का इजहार फरमाया गया, फिर पेश होकर तसफिया हुवा, जिसकी तशरीह दरबार के मेमोरेन्डम नम्बर ६ में दी हुई है.

तजवीज यह की गई थी कि:—

(१) एक साल के लिये घास का स्टॉक रखने के लिये अव्वल जमींदारी कॉन्फरेन्स (परगना व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) में हर मौंदार से यह तय किया जाय कि वक्त ब जमाने कहत कितनी मवेशी डांग में भेज सकता है और कितनी काश्तकारी

वगैरा के काम के लिये मौजे में रखना लाजमी है. कम से कम इस तादाद मवेशी के लिये साल भर के खर्चे का घास हमेशा स्टॉक में रखना चाहिये.

(२) यह घास साल भर के लिये रहे और तिजारत के काम में हरगिज न लाया जाय, अगर कोई खिलाफवर्जी करे तो कार्रवाई मुनासिब की जाय.

(३) उन अजला में जहां डांगें नहीं हैं ऐसी चरी के बोने का तजुर्बा किया जावे जो थोडी मिकदार में ज्यादा चरी का काम दे सकती है. घास का बीज महकमे एग्रीकल्चर से मंगाया जाय. तजुर्बे से जो बीज मुफीद साबित हो उसका आयन्दा के लिये इन्तजाम किया जाय.

(४) जमींदार लोग मुकर्ररा डांगों से अक्टूबर लगायत दिसम्बर घास काटकर ले आवें और ऐसा इन्तजाम करें कि किसी मुखिया को मुकर्रर करके उसके साथ गाडियां व आदमी भेजकर घास दिसम्बर अखीर ले आवें. उनको पास अक्टूबर से पेश्तर मिल जावेंगे और **महसूल निस्फ लिया जावेगा.** यह रिआयत दिसम्बर के बाद कटाई करने की हालत में नहीं दी जायगी.

(५) ऐसा घास तिजारत के लिये नहीं मिलेगा और घास जमा शुदा की उलटा पलटी हर साल की जाया करे.

(६) सरहदी मवाजियात जिनको सरकारी जंगल की डांगें दूर पडें और करीबतर इलाके गैर से घास लाकर जमा करना पसन्द करें उनको घास की कटती का कस्टम महसूल माफ किया जावेगा बशर्ते कि घास बतलाये हुए नाकों से लाई जाय.

सन १९२२ में दरबार ने जो रिव्यू कहतसाली के इन्तजाम की निस्बत गवालियर गवर्नमेन्ट गजट तारीख २५ फरवरी सन १९२२ ई० में शाया किया उसमें भी (पैरा नंबर १० में) इस मसले के मुतअल्लिक लोकल बोर्डस की रायें तलब करने का फिर हुक्म सादिर फरमाया था चुनांचे मुकामी बोर्डस की रायें जो प्रान्त बोर्डस गवालियर और मालवे की जानिब से आईं और पब्लिक की राय का इजहार करती हैं, हस्ब जैल थीं:—

प्रान्त बोर्ड गवालियार—जिस तरह नाज का इन्तजाम हर शख्स को अपना अपना अलग करना चाहिये उसी तरह घास का इन्तजाम हर शख्स को अलग करना चाहिये. शामलात इन्तजाम या सरकारी इन्तजाम या साहूकारी इन्तजाम मुफीद न होगा.

प्रान्त बोर्ड मालवा—जमींदारान मजबूर किये जावें कि वह अपनी मवेशियान के खाने के लिये एक साल के घास का स्टॉक रक्खें.

दरबार से जो कोशिश इतने अर्से में हुई और जो तजवीज की गई और अवाम की राय क्या थी, उनका ऊपर जिक्र किया गया. अगर हस्ब हिदायत दरबार तजवीज मुन्दर्जे मेमोरेन्डम नम्बर ६ पर अमल किया जाता या अब भी किया जाय तो फिर इस सवाल के उठाने की जरूरत बाकी नहीं रहती.

इन कुल उमूर पर गौर करते हुवे, इन सवालात के मुतअल्लिक कमेटी की राय यह हुई है कि:—

मुतअल्लिक सवाल नं० २—सब कमेटी अपनी इस तजवीज की, जो साल गुजिश्ता में मजलिस आम में पेश हो चुकी है, ताईद करते हुवे मजीद सिफारिश करती है कि:—

(१) ऐसे मुकामात के लिये जो सरकारी घास की डांगों से फासले पर हैं उनके लिये

फैमिन के लिये घास किन रकबेजात जंगल से दिया जावे, उनकी फेहरिस्त मुरत्तिब करके मिनजानिब फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट तैयार कराकर बमन्जूरी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट शाया करदी जावे. घास की तादाद उन मवेशियान के लिहाज से कायम की जावेगी कि जो काश्तकारी के काम में लाई जाती हैं और जिनकी हिफाजत कहत के अय्याम में की जानी मकसूद है.

(२) इस मुकर्रा रकबेजात से घास वास्ते कायमी रिजर्व फैमिन जाने के लिये हस्ब तजवीज मुकामी बोर्डस, पासेज हर साल अक्टूबर के पेश्तर तहसीलदार साहब परगना दे दिया करें.

(३) जमींदारान व काश्तकारान इन्तजाम करें कि वह एक मुखिया अपना मुकर्रर करके गाडियां व आदमी भेजकर घास रकबेजात जंगल तजवीजशुदा से कटवाकर मंगवा लें

(४) इस घास पर कोई महसूल सरकारी नहीं लिया जावेगा. यह घास फैमिन के लिये रिझर्व स्टॉक की शकल में रखा जावेगा और इसकी तिजारत व फरोख्तगी की इजाजत न होगी, लेकिन एक साल का जमा किया हुआ घास दूसरे साल नया स्टॉक जमा कर लेने पर काम में लाया जा सकता है.

(५) ऐसे सरहद्दी मुकामात जिनको सरकारी जंगल की डांगें दूर पड़ें और करीबतर इलाका गैर से लाकर घास जमा करना पसंद करें उनके घास की कटती पर कस्टम महसूल माफ किया जायगा, बशर्ते कि घास बतलाये हुए नाकों से लाया जावे.

मुतअल्लिक सवाल नं० ३ —सब-कमेटी अपनी साबिका तजवीज पर कायम है और उसके मंजूर किये जाने की सिफारिश करती है.

मैं सब-कमेटी की इन रिपोर्टों को आप साहबान के सामने पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके मुतअल्लिक आप अपनी राय जाहिर फरमायेंगे.

प्रेसीडेन्ट साहब—इस सब-कमेटी की तजवीज के मुतअल्लिक मजलिस की क्या राय है? सब-कमेटी की तजवीज से जिन साहिबान को इत्तफाक हो, वह अपना सीधा हाथ उठावें. (कुछ ठहर कर) जिन साहिबान को इत्तफाक न हो वह अपना बायां हाथ उठावें.

अष्टेवाले साहब—दर असल इतना तो हम लोगों को बोध जरूर हो गया है कि पोलिटिकल मेम्बर साहब ने हर बात को अलग अलग और साफ २ बयान किया है, लेकिन हमको इतने थोडे वक्त में उसका सब मतलब याद करके इतनी जल्दी अपनी राय कायम करना, नामुमकिन मालूम होता है. जरा विचार करके अर्ज करने की आदत है. बातें ख्याल में आकर इस बात को कल या परसों रखा जावे तो ठीक है.

विन्द्रावन साहब—ऐसा हुकम हो चुका है कि घास और चारा व गल्ले का बीज भण्डार हर एक मौजे में बनाया जावे, ताकि अकाल के वक्त वह काम आवे.

प्रेसीडेन्ट साहब— (अष्टे वाले साहब की तरफ मुखातिब होकर) क्या गौर के वास्ते आप एक रोज की मोहलत चाहते हैं?

अष्टेवाले साहब परसों रखा जावे, ताकि आज की कार्रवाई छपकर हमारे हाथ में आ जावे तो उसको देख कर जवाब दे सकें, क्योंकि यह महत्व का विषय है.

प्रेसीडेन्ट साहब—इसके मुतअल्लिक मजलिस की क्या राय है?

लक्ष्मीनारायण साहब—मुझे इत्तफाक है.

सुआलाल साहब—मुझे भी इत्तफाक है.

ठहराव—सब-कमेटी की रिपोर्ट आयन्दा इजलास में पेश होने के लिये छपवा कर तकसीम की जावे.

नोट—इसके बाद प्रेसीडेंट साहब ने फरमाया कि आज के इजलास का काम खत्म किया जाता है, कल मजलिस का इजलास १२ बजे शुरू होगा.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार
सम्वत १९८२.

सेशन पांचवां.

इजलास दोयम.

गुरुवार, तारीख १८ मार्च सन १९२६ ई०, वक्त १२-३० बजे दिन, मुक़ाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई. ई., (वाइस-प्रेसीडेन्ट कौंसिल).

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीर खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. श्रीमंत सदाशिवराव खासे साहब पंवार, होम मेम्बर.

४. राव बहादुर रावजी जनार्दन साहब भिडे, मुन्तज़िम बहादुर, फायनेन्स मेम्बर.

५. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल-मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

६. राव बहादुर कैप्टिन बापूराव साहब पंवार, मेम्बर फॉर एग्रीकलचर.

७. मेजर हश्मतउल्लाखां साहब, ऑफिशियेटिंग मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

८. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मुहम्मद-खेडा (शुजालपुर).
२. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, वफ़ादार दौलते सिंधिया, लश्कर.
३. श्री राजा भवानीसिंह साहब, शोपुर, बडौदा.
४. राजा रतनसिंह साहब, जागीरदार, मकसूदनगढ.
५. राय बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढावलाधीर.
६. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.
७. ओंकारनाथ साहब, मुरार.
८. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुरुतरी (महगांव).
९. मानिकचन्द साहब, भिंड.
१०. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).
११. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
१२. महादेवराव साहब, जाऊदेश्वर.
१३. सदाशिवराव साहब हरी मुले, डामरौन कलां.
१४. सुआलाल साहब, शिवपुरी.
१५. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).
१६. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.
१७. बलवंतराव साहब बागरी वाले, भेलसा.
१८. जगन्नाथप्रसाद साहब, मौजा भीलवाडा (शाजापुर).
१९. बागमल साहब, आगर.
२०. करमचंदजी साहब, उज्जैन.
२१. मयाराम साहब, चंदूखेडी (उज्जैन).
२२. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.
२३. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझेरा).
२४. लालचंद साहब, राजगढ.
२५. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, भिन्ड.
२६. हरभानजी साहब, मुरैना.
२७. सेठ अनन्दीलालजी साहब, श्योपुर.
२८. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.
२९. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
३०. चतुर्भुजदास साहब, वकील, आगर.
३१. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.
३२. कृपाशंकर साहब, बडिया (बाकानेर).
३३. रखबदास साहब जौहरी, लश्कर.
३४. लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी, गुना.
३५. धुन्डीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
३६. बिन्द्रावन साहब, भिन्ड.
३७. गुलाबचन्द साहब, शिवपुरी.
३८. दामोदरदास साहब, शाजापुर.
३९. चौधरी फौजदार रघीरसिंह साहब, सकवारा दनौला.
४०. राव हरिश्चन्द्रसिंह साहब, बिलौनी.
४१. ठाकुर प्रहलादसिंह साहब, कालूखेडा, (मन्दसौर).
४२. शंकरलाल साहब, मुरार.
४३. रखबदासजी साहब, उज्जैन.
४४. मुरलीधर साहब गुप्ता, वकील लश्कर.
४५. बटुकप्रसादजी साहब, उज्जैन.
४६. रामेश्वर शास्त्री साहब आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.
४७. मुहम्मद अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी, लश्कर.
४८. गोविन्दराव चिन्तामण साहब वाटवे, उज्जैन.

मजलिस आम का काम शुरू होने से कब्ल श्रीराजा भवानीसिंह साहब, शौपुर बडौदा से हल्फ लिया गया और प्रेसीडैन्ट साहब ने उनको खिलअत अता फरमाया.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक तजावीज नंबर २-३, फेहरिस्त नं. १, (जमीमा नम्बर २).

पोलिटिकल मेम्बर साहब—सब-कमेटी की रिपोर्ट छप चुकी है, उसमें दो बातें छपने से रह गई हैं. इसलिये वह दोनों बातें आप लोगों की इत्तला के लिये जाहिर करता हूं.

(१) यह कि महकमे फॉरेस्ट से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाय कि हस्ब करार-दाद पास अक्टूबर के महीने में मिल जाया करें.

(२) यह कि उन अजला के काश्तकारान के लिये जहां जंगल नहीं है उनको जंगल के किस हिस्से से घास मिल सकती है, इसका इन्तजाम कर दिया जाय.

वाटवे साहब—हुजूर आली, सब-कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मुझे सिर्फ यह कहना है कि जो तजवीज पेश की गई है वह ठीक है. इससे बहुतसी दिक्कतें जो खुश्कसाली में होती हैं, रफा हो जायेंगी.

अलबत्ता मालवा प्रान्त बोर्ड और गवालियार प्रान्त बोर्ड ने जो नोट दिये हैं उनसे मुझे इत्तफाक नहीं है.

प्रान्त बोर्ड गवालियार का फरमाना है कि जिस तरह नाज का इन्तजाम हर शख्स अलहदा अलहदा अपना अपना करता है इसी तरह से हर शख्स को घास का इन्तजाम भी अलहदा अलहदा करना चाहिये. जमींदारान व काश्तकारान को अपना खानगी इन्तजाम करने का पूरा इख्तियार है, इसमें किसी किस्म की रोक नहीं है.

प्रांत मालवा ने तजवीज किया है कि जमींदारान व काश्तकारान मजबूर किये जायें कि वह एक साल के लिये, घास का स्टॉक मवेशियान के लिये रक्खा करें. गौर तलब यह अम्र है कि वह जिस काम के लिये मजबूर किये जाते हैं वह उनकी ताकत में है या नहीं. मजबूरी एक ऐसी चीज है कि अगर घी शकर भी दिया जाय तो वह भी ठीक मालूम न होगा और कडवा लगेगा. जमींदारान जितने अमीर ख्याल किये जाते हैं वह उतने अमीर नहीं हैं. काश्तकारी के काम में मवेशियान का पालना बहुत मुश्किल होता है. पानी अगर एक महीने भर को भी खिच जावे तब भी चारे की बहुत महंगाई होजाती है. मुझको याद है कि संवत १९७५ में एक ऐसी मजबूरी पेश आई थी कि बीना से घास लाया गया था जो महज गारा था, मगर वही खिलाना पडा. इसी तरह संवत १९८० में भी एक ऐसी ही मजबूरी आई थी. अगर इन लोगों की ताकत होती और वह अपने मवेशियों को चारा चरने का इंतजाम कर सकते तो यह गारा खिलाने की जरूरत न पडती. इसलिये प्रांत बोर्ड मालवा की मजबूर करने की जो तजवीज है उससे मुझे इत्तफाक नहीं है. बाकी तजवीज मुझे बहुत दुरुस्त मालूम होती है.

शंकरलाल साहब.—सब-कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके पहिले हिस्से में काश्तकारी काम के लिये जो मवेशियों का जिक्र है उनमें सिर्फ बैल ही शुमार न किये जाकर गायें और उनके बछडे भी शुमार किये जायें तो अच्छा होगा. कलम नंबर ३ में जहां यह बतलाया गया है कि वह अपना एक मुखिया मुकर्रर करके गाडियां व आदमी भेजकर घास कस्बेजात के

जमींदारान एक मुखिया मुकर्रर करके घांस कटाने का इंतजाम कर दिया करें. कलम नंबर ५ में यह बतलाया गया है कि जहां जंगल से दूर मवाजियात हैं और जहां रियासत गैर से घास लाकर जमा करना पड़ता है वहां ऐसी घास की कटती पर कस्टम्स महसूल माफ किया जायगा, बशर्ते कि घास बतलाये हुए नाके से लाया जावे. इसके मुतअल्लिक मैं यह तरमीम तजवीज करता हूं कि जिसको जिस नाके से सहूलियत हो, उस नाके पर से वह घास लावे. बाकी रिपोर्ट सब-कमेटी बहुत दुरुस्त है और वह पास की जावे

प्रेसीडेंट साहब.—क्या आप (अष्टेवाले साहब की तरफ मुखातिब होकर) कुछ फरमाना चाहते हैं ?

अष्टेवाले साहब.—सब-कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि घास की तादाद उन मवेशियों के लिहाज से कायम की जायगी जो काश्तकारी के काम में लाई जाती हैं और जिनकी हिफाजत कहत के अय्याम में की जाना मकसूद है. दूसरे मवेशियों का उसमें जिक्र नहीं आया है, इसकी तशरीह होना चाहिये बाकी रिपोर्ट से मुझे इत्तफाक है.

महन्त लक्ष्मणदास साहब.—सब-कमेटी की रिपोर्ट की मैं ताईद करता हूं, लेकिन इसके पैरा नम्बर १ में इतनी बात और बढ़ादी जाय कि जो ऐसे रकबे नामजद किये जावेंगे उनकी रखवाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंन्ट से की जाय और जो ऐसे मुकामात तजवीज किये जावें वहां के रास्ते फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से दुरुस्त करा दिये जावें, क्योंकि घास कसरत से पहाडों पर होता है. अगर रास्ते दुरुस्त न हुए तो काश्तकार लोग ऐसे मुकामात पर कैसे जा सकेंगे. इसलिये अक्टूबर लगायत दिसम्बर रास्ते दुरुस्त रहना चाहिये. सब-कमेटी की रिपोर्ट से मुझे इत्तफाक है.

चतुर्भुजदास साहब.—हुजूर आली ! सब-कमेटी की रिपोर्ट की कलम नम्बर १ में दर्ज है कि वह मवेशियान जो काश्तकारी के काम में लाये जाते हैं उनके घास का इन्तजाम किया जाय. इसके मुतअल्लिक अर्ज है कि हर किस्मी मवेशी इनमें शामिल होना चाहिये, क्योंकि दीगर मवेशियान से बशक्ल खाद वगैरा काश्तकारान को फायदा पहुंचता है, इसलिये वह Indirectly काश्तकारी मवेशियान का जुज है. इसलिये मेरी यह अमेन्डमेन्ट है कि महज काश्तकारी मवेशियान का ही लिहाज न रक्खा जावे, बल्कि तमाम लोकल मवेशियों के लिये भी इन्तजाम चारे का होना चाहिये.

पोलिटिकल मेम्बर साहब.—प्रेसीडेन्ट साहब ! कब्ल इसके कि इस मसले के मुतअल्लिक कोई और तकरीर हो, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तजवीज के समझने में कुछ गलत फहमी हो रही है. एक मेम्बर साहब ने प्रांत बोर्ड गवालियार व प्रांत बोर्ड मालवा की राय का तजकिरा किया है, मगर दर असल इस वक्त जो गौर करना है वह सब-कमेटी की रिपोर्ट पर, न कि प्रांत बोर्ड्स मजकूर की राय पर. दूसरे यह कि इस वक्त गौर तलब सब-कमेटी की रिपोर्ट है और किसी मेम्बर साहब को यह मजाज नहीं है कि जिस सवाल की निस्बत यह रिपोर्ट है उसमें कोई तरमीम तजवीज करें. लिहाजा आयंदा जो तकरीर की जावे वह सब-कमेटी की निस्बत होनी चाहिये.

कृपाशंकर साहब.—हुजूर वाला ! सवाल की तरमीम नहीं चाही गई है, बल्कि ख्वाहिश यह की गई है कि कुल मवेशियान का खाद हमारे काश्तकारी के काम में आता है, इसलिये कुल मवेशियान के लिये चारे का इन्तजाम किया जावे.

पोलिटिकल मेम्बर साहब.—प्रेसीडेन्ट साहब, मैं फिर अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि जो तरमीम पेश की जारही है वह सब-कमेटी की तजवीज की तरमीम नहीं है, बल्कि सवाल की तरमीम है. सवाल यह है कि किस तौर पर इन्तजाम किया जावे कि जिससे अय्याम कहत में

मुकाम कहत पर जानवरों के लिये घास चारा मिलता रहे, ताकि काश्तकारी के जानवर जिन्दा और काम के काबिल बने रहें. यह सवाल बिलकुल साफ है और इसके मुतअल्लिक अब बहस की जरूरत नहीं है, लिहाजा जिन साहब को तजवीज सब-कमेटी के मुतअल्लिक कुछ कहना हो, कह सकते हैं.

प्रेसीडेंट साहब.—मेरे ख्याल से पोलिटिकल मेम्बर साहब ने जो बयान किया वह ठीक है, और उसी मुताबिक पाबन्दी होना चाहिये. अगर किसी साहब को सब-कमेटी की रिपोर्ट में तरमीम या इजाफा करने की जरूरत हो तो वह जाहिर करें.

शंकरलाल साहब—जो तरमीम पेश की जारही है वह दरअसल तरमीम नहीं बल्कि तशरीह है. वह यह है कि काश्तकारों के काम के मवेशियान कौन कौन से हैं उनकी तशरीह करदी जाये. मुखिया के मुतअल्लिक भी तशरीह और होना चाहिये, क्योंकि मुखिया गांव का जब तक न होगा तब तक घास कटाने में दिक्कत होगी और नाके नामजद करने की कैद उठा दी जाय. मेरे ख्याल से बैल व गाय के बछडे भी काश्तकारी के काम के मवेशियान हैं, क्योंकि अगर गाय और उनके बच्चों को काश्त में शुमार न किया गया तो बैल कुछ दिनों में कम हो जावेंगे.

चतुर्भुजदास साहब—हुजूर आली, जो तरमीम लोकल मवेशी के इन्तजाम के बारे में की जारही है वह असल तजवीज में नहीं है. क्योंकि मन्शा यह है कि घास के इन्तजाम के वक्त लोकल मवेशी का भी ख्याल रखा जावे, क्योंकि लोकल मवेशी भी जिनका कि खाद काश्त के काम में आता है और उनके दूध से काश्तकारों को फायदा पहुंचता है उसी हद तक मवेशी काश्त हैं जिस हद तक कि हल के दो बैल. इसके अलावा इन मुकामी मवेशी की हिफाजत करना बराह रास्त (indirectly) हल के बैलों की हिफाजत करना है. इस वजह से अगर सब-कमेटी की रिपोर्ट में मवेशी कास्त से मतलब इन मवेशी मुकामी का भी है तो मेरे ख्याल में तजबीज सब-कमेटी में कोई तरमीम करने की जरूरत नहीं, वर्ना तरमीम की जरूरत है.

एजूकेशन मेम्बर साहब—मेरे ख्याल से अभी तक जो बहस हुई वह असली मतलब को किसी कदर छोडे हुए है. सवाल यह था कि खुश्कसाली में क्या इंतजाम हो सकता है, जिससे मवेशी मरने से बचें, इंतजाम करने के दो जरिये हैं; एक खानगी, दूसरा सरकारी—गवर्नमेन्ट को क्या मदद देनी चाहिये और रिआया अपने तौर पर क्या क्या इंतजाम कर सकती है. मालूम होता है कि बहस के वक्त जितने वाकेआत की तरफ तवज्जुह देना चाहिये नहीं दी गई, यह मैं जाती तजुर्बे से कहता हूं, जिसकी आप में से चंद मेम्बर साहबान ताईद करेंगे. दरबार मुअल्ला ने जमाने कहत में भिंड जिले की रिआया के लिये परगना पिछोर के पास जो डांग है खोल दी थी. किसी किस्म की रोक टोक इस गरज से नहीं रक्खी गई थी कि लोग इससे फायदा उठायें. मगर तजुर्बा क्या हुआ. एक गांव से बीस गाडियां घास लाने के लिये रवाना हुईं; डांग में एक बडा फासला तय करने के बाद पहुंचीं और वहां से वापिस आईं, और चूंकि ब वजह खुश्कसाली राह में कहीं घास न थी, इसी मुसाफत में बहुत बडा हिस्सा गाडियों की घास का उनके बैलों के सर्फ में आया.

जानवरों के चारे के इन्तजाम की दो सूरतें हैं; एक तो यह कि मवेशी घास के पास पहुंचाई जावें, दूसरे यह कि घास मवेशियान के पास पहुंचा दी जाय.

यह साफ जाहिर है कि घास मवेशियान के पास पहुंचा देना, अगर मुमकिन हो, जैसा कि मामूली सालों में उमूमन किया जाता है, यह सब से बहतर है और इन्तजाम चारे का कुल मवेशियान का होना चाहिये. मगर ऊपर की तमसील से जाहिर है कि अय्याम खुश्कसाली में दूसरी सूरत से इंतजाम करने में किस कदर कबाहत है. चुनांचे खुश्कसाली में दोनों सूरतें इख्तियार उस जमाने में

करना लाजिमी हो जाता है इसलिये गांव में सिर्फ वह ही मवेशी रक्खी जावें जिनका रखना काश्त के वास्ते बिलकुल जरूरी हो. दीगर मवेशी घास के पास पहुंचाई जावें, और जो मवेशी रक्खी जावें सिर्फ उनका इंतजाम जैसा कि सब-कमेटी ने तजवीज किया है सूरत आखिरुज्जिक्र से किया जावे.

महंत लक्ष्मणदास साहब—इम्साल खुश्कसाली का जमाना अमझेरा के सामने आया इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने विचार किया कि क्या किया जाय. मीटिंग होकर यह करार पाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सिक्क से चारा कटवा कर उन मुकामों पर पहुंचाया जाय जहां जरूरत हो. इस तरह १,०००) का चारा कटाकर फॉरेस्ट की मार्फत सस्ते भाव में दिया गया था. काई में जिस तरह पर इस समय जनाब एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने फरमाया है वही बात यहां भी नजर आई, मसलन:—एक काश्तकार के मकान में सौ गाय, पचास बैल, पच्चीस बैल हैं, उनके लिये चारा कितना होना चाहिये और इतना चारा कहां से लाया जाय. आखिरकार जो मवेशी बाहर जाने लायक थीं वह बाहर भेजी गईं और जो मवेशी यहां रहने लायक थीं वहां रहीं, उनके चारे का इन्तजाम बडी मुशकिल से और बडी कोशिश के साथ किया गया.

वामनराव साहब पाटनकर.—खुश्कसाली में मवेशी के चारे का इन्तजाम करना होता है. इस नजीर से यही बात ठीक मालूम होती है कि घास उतनाही संग्रह किया जाय कि जितनी मवेशी घर में खास काम की रहें. सब-कमेटी की रिपोर्ट जो पेश की गई है, उसमें यह बताया गया है कि काश्तकार घास अक्टूबर से दिसंबर तक लाते हैं. यह रब्बी का वक्त होता है, इस वजह से वह लोग नहीं जा सकते. अगर घास के लिये जाते हैं तो रब्बी नहीं हो सकती. इसलिये काश्तकारों को चाहिये कि अपनी जरूरियात का इन्डेन्ट बनाकर तारीख १५ अक्टूबर तक महकमे फॉरेस्ट में भेजदें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस कदर घास सप्लाई करे.

[वाटवे साहब ने दुबारा तकरीर करना चाहा, मगर प्रेसीडेन्ट साहब ने उनकी तवज्जुह कवायद मजलिस आम की दफा ३३ की कलम (७) की तरफ दिलाई और फरमाया कि उन्हें बिला इजाजत दुबारा तकरीर करने का हक हासिल नहीं है.]

वाटवे साहब.—हुजूर वाला, मैं तजवीज की ताईद करता हूं, मुझे इख्तलाफ नहीं है, इस मामले में सरकार की मदद पर ही हसर नहीं रखना चाहिये, रिआया को अपनी तौर पर भी कोशिश करना चाहिये. खुश्क साली उसी का नाम है जिसमें बोनी का नाम नहीं रहता है. इसलिये फसल खरीफ और रब्बी का जो जिक्र किया गया है उसको गुंजायश नहीं है. अलबत्ता रास्तों के दुरुस्ती की तजवीज ठीक है.

प्रेसीडेंट साहब.—यह तजवीज गवर्नमेंट की जानिब से इस गरज से पेश की गई थी कि उसके मुतअल्लिक मजलिस की राय मालूम होजाय. चुनांचे जो सब-कमेटी ने तजवीज पेश की है उसपर और दौरान बेहस जो ख्यालात जाहिर किये गये हैं उन पर, गवर्नमेन्ट मुनासिब गौर फरमायेगी.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर १.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

खिडकहाय में दाखिल शुदा मवेशियों के नीलाम की कार्रवाई में अगर बेकार गायों की तरह दीगर लावारसी मवेशियान को नीलाम में कोई शख्स न ले तो क्या यह तरीका इख्तियार करना बेहतर होगा कि अव्वल ऐसे

मवेशी उस शख्स को मुफ्त दिये जावें जो उनकी परवरिश करना मंजूर करे, और अगर कोई मुफ्त भी लेने पर रजामन्द न हो तो क्या उनकी परवरिश खिडक की आमदनी से की जाना मुनासिब होगा?

रेवेन्यू मेम्बर साहब—खिडकहाय में दाखिलशुदा मवेशियों के नीलाम की कार्रवाई में अगर बेकार गायों की तरह दीगर लावारसी मवेशियान को नीलाम में कोई शख्स न ले तो क्या यह तरीका इख्तियार करना बेहतर होगा कि अव्वल ऐसे मवेशी उस शख्स को मुफ्त दिये जावें जो उनकी परवरिश करना मंजूर करे, और अगर कोई मुफ्त भी लेने पर रजामंद न हो तो क्या उनकी परवरिश खिडक की आमदनी से कीजाना मुनासिब होगा?

इस सवाल पर नॉन ऑफिशियल मेम्बर साहबान को गौर करने के लिये जरूरी वाकफियत मुहय्या हो, इस गरज से मैं जरूरी समझता हूं कि यह सवाल किस तरह पैदा हुआ, इसकी हिस्ट्री अव्वल इख्तसार से बयान कर दूं.

२. मालवे के एक खिडक में एक जईफुल उम्र और लागर भैंस लावारिस होने से उसके नीलाम की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन जैसा कि ऐसी सूरत में अकसर होता है, नीलाम में उसकी बोली किसी ने नहीं लगाई. चुनांचे सरसूबा साहब मालवा के सामने यह सवाल पेश हुआ कि ऐसे मवेशी का क्या किया जावे. साहब मौसूफ ने यह राय अर्ज की कि मिस्ल गाय के दीगर मवेशी भी जिसका नीलाम न हो सके, अव्वल ऐसे शख्स को मुफ्त दे दी जावे जो उसकी परवरिश करने को तैयार हो, वर्ना खिडक में रखकर खिडक आमदनी से परवरिश कीजावे. सरसूबा साहब ग्वालियर ने भी सदर राय से इत्तफाक जाहिर किया. इसमें सवाल मुतअल्लिक तरमीम दस्तूरुल अमल माल होने से रेवेन्यू बोर्ड ने भी इसपर गौर करके यह राय करार दी कि "ऐसे मवेशी अव्वल उस शख्स को मुफ्त दिये जावें जो उनकी परवरिश करने को तैयार हो. अगर मुफ्त लेने को भी कोई रजामंद न हो तो खिडक से उनकी परवरिश की जावे"

इस पर अजलाय से दरयाफ्त किया गया कि इस तरह इन मवेशियों की खिडक से परवरिश होने को फी खिडक सालाना रकम किस कदर अन्दाजन दरकार होगी. अजलाय से इस बारे में जो तखमीने आये उनको देखते हुए १५ रुपये २० रुपये फी खिडक से लेकर ५० रुपये फी खिडक तक सालाना एस्टीमेट किया गया है. इसके यह मानी नहीं हैं कि इतना ही खर्च लगेगा, यह महज एस्टीमेट है. इसपर इस सवाल को इस मजलिस में पेश करना करार दिया गया है. इस तौर पर इस मुआम्ले की कैफियत है.

३. इस मौके पर यह बयान कर देना भी मैं जरूरी समझता हूं कि इस मजलिस के रूबरू यह सवाल रखने की गरज क्या है. हाल ही में जो कैफियत मैंने जाहिर की उससे साहबान को यह इल्म तो हो चुका है कि जिन जिन ऑफिसरान या ऑफिसरान की जमाअत ने इस सवाल पर गौर करके राय जाहिर की, उनके ख्याल से सवाल का हल इस तौर पर हो सकता है कि अव्वल ऐसी मवेशी ऐसे शख्स को मुफ्त देदी जावें जो उन्हें सम्हालने को तैयार हो और अगर यह मुमकिन न हो तो खिडक की आमदनी से उनकी परवरिश की जावे. मुमकिन है कि इस मजलिस के भी चंद मेंबर साहबान इस राय से मुत्तफिक हों, लेकिन यह सोल्यूशन अगर हम मंजूर करें तो उसके नतायज क्या होंगे इस पर भी हमें गौर कर लेना चाहिये. इसके लिये बेकार गायों के मुआम्ले पर जरा नजर डालने की जरूरत है.

४. साहबान को मालूम है कि दस्तूरुल अमल माल संवत १९७६ में बेकार गायों के लिये भी ऐसा ही प्रॉविजन किया गया था, यानी अव्वल उन्हें बगरज परवरिश किसी शख्स के सुपुर्द करना, और अगर यह मुमकिन न हो तो करीबतर की गौशाला में उन्हें भेजना. गौशाला हर जगह मौजूद न होने से मांबाद जर्ये सरक्यूलर नंबर ५, संवत १९७६ यह करार दिया गया कि बेकार गायों की परवरिश खिडक आमदनी की बचत से की जावे और उसके लिये फी जिला रुपये ५०० से १००० रुपये तक रकम कायम की गई. मुताबिक इस तजवीज के संवत १९७७ लगायत संवत १९८१ अखीर हस्ब जैल रकूमात इस काम पर सर्फ हुई हैं:—

संवत १९७७	....	रुपये	३,२१६
,, १९७८	....	,,	१०,७४७
,, १९७९	....	,,	८,३१६
,, १९८०	....	,,	१५,३७०
,, १९८१	....	,,	१४,६१३
टोटल पंजसाला.			५२,२६२

५. साहबान! यह बात गौर करने के काबिल है कि रियासत हाजा में बेकार गायों की परवरिश हमेशा से होती आई है. जब खिडक का इंतजाम न था तब भी होती थी, और खिडक का इन्तजाम होने पर भी होती है. ताहम खिडक का इंतजाम शुरू होने से गुजिश्ता पांच सालों में ५२,२६२ रुपये इस काम पर सर्फ हुए और गुजिश्ता दो साल के एदाद अगर देखे जावें तो इन्तहाई रकम जो इस काम के लिये १२,००० कायम की गई थी उससे भी ज्यादा सर्फा होने लगा है. यह सर्फा सिर्फ बेकार गायों के मुतअल्लिक है. अब अगर गायों के मुतअल्लिक तजरुबा यह है तो दीगर मवेशी मिस्ल बैल, भैंस, भैंसा, घोडा, घोडी, ऊंट, गधा, खच्चर वगैरा के मुतअल्लिक भी मिस्ल बेकार गायों के अमल किया जावे तो हमें कितना सर्फा लगेगा, यह अम्र काबिल गौर है. मेरे ख्याल में यह सर्फा बमुकाबले सर्फा बेकार गायों के कम अज कम ३ गुना लगेगा, जो शुरू में १०,००० होकर चार पांच सालों में ५०,००० रुपये तक पहुंचेगा; गोया यह तजवीज मंजूर करने में खिडकों पर इतनी कसीर रकम का बार सिर्फ बेकार मवेशियों के पालने में लगेगा जिससे दीगर मुफीद और तरक्की के कामों के लिये फंड्स की कमी होगी. यह रकम अगर हमेशा एक ही कायम रहनेवाली होती तो भी बात जुदा थी, लेकिन बेकार गायों के मुतअल्लिक जो तजरुबा है उससे यह जाहिर है कि यह सर्फा साल बसाल बढता जारहा है और बढते बढते किस हद तक पहुंचेगा इसका कोई अंदाजा नहीं. इसलिये इन तमाम बातों पर गौर करते हुए मेरे ख्याल में दीगर मवेशियों की परवरिश का बार खिडक फंड पर डालना मुनासिब न होगा. खिडकों के जिम्मे बेकार गायों की परवरिश रखी गई है वह काफी है. दीगर मवेशियों की परवरिश पब्लिक चैरिटी पर ही छोडना चाहिये. चुनांचे सवाल यह बाकी रहता है कि खिडक में अलावा गाय के दीगर मवेशी अगर ऐसी बचें कि जिन्हें नीलाम में भी कोई न खरीदे और मुफ्त लेने को भी रजामंद न हो तो उन्हें डिस्पोज किस तरह किया जावे. इसपर इस मजलिस को गौर करके रास्ता निकालना है. गौशाला अगर जाबजा कायम हो जावें तो यह मवेशी वहां रह सकती हैं, लेकिन जबतक वह सब जगह कायम नहीं होती किसी दीगर तरीके को इख्तियार करना लाजमी है. एक ऐसा तरीका यह हो सकता है कि जिन मवाजियात में चरू की आसायश हो और खिडक से ५ मील के फासले के अन्दर हो, उनकी फेहरिस्त तैयार की जावे और यह

फेहरिस्त खिडक मुतअल्लिका में रखी जावे. जब कभी बेकार मवेशी, जिनका इस सवाल में जिक्र है, डिसपोज करने की जरूरत पेश आवे तो एक एक मवेशी फी मौजा सुपुर्द नायब तहसीलदार, मौजा कर दी जावे. इस तरह बाई टर्न हर मौजे को एक एक मवेशी देना चाहिये. मकसद यह रहे कि किसी एक मौजे पर ज्यादा बार न पडे और तकसीमी तरतीब से हो. इस तरह जो मवेशी जिस मौजे के सुपुर्द हों वे नायब तहसीलदार मौजा किसी शख्स के सुपुर्द करें जो उसे लेने को रजामंद हो. अगर कोई भी रजामंद न हो तो मिस्ल लावारिस सांड बैल के उस मौजे के आम चरागाह में चरेंगी और जिस तरह लावारिस सांड बैल के मुतअल्लिक शिकायत नुकसान की नहीं की जाती उसी तरह इन मवेशियों की निस्बत भी शिकायत नहीं होना चाहिये. अगर इन मवेशियों से किसी को नुकसान की शिकायत हो तो उसे यह इख्त्यार हो कि वह उस मवेशी को अपने कब्जे में रखे. जबतक पिंजरा पोल या गौशाला का जाबजा इन्तजाम नहीं होता, तबतक यह तजवीज कारगर होसकती है. इससे इन मवेशियों का बोझा सिलसिले से आसपास के मौजों पर बट जायगा और खिडक फंड पर गैर जरूरी बार नहीं पडेगा. लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसपर गौर करके राय देंगे. मेरा किसी खास तजवीज पर जोर नहीं है, अगर इससे बेहतर तजवीज आप बतलायेंगे तो बायस खुशी का है. मेरा पॉइन्ट सिर्फ इतना ही है कि यह काम पब्लिक चैरिटी से होना चाहिये और वह होने का सबसे बहतरीन तरीका क्या हो सकता हैं यह बताना आपका काम है और इसीलिये यह सवाल आपके सामने रखा गया है.

गोविंदराव साहब वाटवे—हुजूर वाला! वाइस-प्रेसीडेंट साहब ने जो तजवीज फरमाई है उससे मुझे इत्तफाक है और उससे बेहतर तरीका मेरे ख्याल में ऐसे बेकार मवेशियों के पालने का नहीं हो सकता।

महन्त लक्ष्मणदास साहब—गौशालायें जगह जगह बनने लगी हैं और लावारिस गायें उनमें भेजी जाती हैं और भी लोग इसके लिये कोशिश कर रहे हैं, इस समय जो तजवीज लावारिस मवेशियों के लिये श्रीमान रेवेन्यू मेंबर साहब ने पेश की है उसकी मैं ताईद करता हूं. फिलहाल यहीं तरीका अमली हो सकता है.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि रेवेन्यू मेंबर साहब की तजवीज मंजूर की जावे.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर ४.

महकमे आबपाशी से जमींदारान व काश्तकारान अपनी आराजी की काश्त के लिये पानी लेते हैं. तजवीज यह है कि एक फॉर्म तजवीज किया जावे. जो पानी के ख्वास्तगार हों वह इस फॉर्म की खानापुरी करके अमीन या पतरोल को सितम्बर तक दे दिया करें. सितम्बर के बाद पानी की मांग होने की हालत में ५० फी सदी मामूली शरह से ज्यादा महसूल लिया जाकर पानी दिया जावेगा, बशर्ते कि स्टोरेज में पानी हो.

रेवेन्यू मेंबर साहब—बारिश और महावट की उम्मेद पर नहर से रिआया बरवक्त पानी नहीं लेती और जब बारिश या महावट की उम्मेद नहीं रहती या फसल मुरझाने लगती है तब एकदम एकही वक्त में हर जगह पानी की मांग होती है. वक्त थोडा होता है, ओसरेबंदी की

पाबंदी में वक्त निकल जाने के ख्याल से पानी लेने वाले बहुत गडबड करते हैं, और हर जगह इत्मीनान के साथ पानी नहीं मिल पाता और आब जाया भी बकसरत होता है. इस वजह से पैदावार कम होकर अलावा आबयाने के तावान आबयाना भी हस्ब जाब्ता आयद करना पडता है, लिहाजा डिपार्टमेन्ट की यह तजवीज है कि यह दिक्कत रफा होने के लिये दरमियान ख्वास्तगारान पानी और डिपार्टमेन्ट एग्रीमेन्ट होना चाहिये. और इस एग्रीमेन्ट के जर्ये से तादाद रकबा फसलवार, जिसके लिये पानी की जरूरत हो, ख्वास्तगारान को पेश्तर से ही डिपार्टमेन्ट को जाहिर कर देनी चाहिये.

इसको रायज करने से कहां, किस कदर जमीन में किस फसल के लिये किस कदर पानी, कब २ देना होगा, इसका प्रोग्राम ओसराबंदी से होकर हर जगह बआसानी बातरतीब पानी दिया जा सकेगा और यह हो जाना काश्तकारान के हक्क में कितना मुफीद है, यह वह लोग बखूबी समझ सकते हैं कि जिन्हें हर साल पानी के लिये आपस में लट्ठमार करना पडती है, जिसमें जोरदार लोग अक्सर नाजायज फायदा उठा लेते हैं. अलावा इसके काश्तकारान को इस एग्रीमेंट के जर्ये से इस बात का भी इत्मीनान हो जावेगा कि उनको पानी ओसराबंदी से वक्त पर मिलेगा और किसी के साथ गैर जरूरी मुकाबला करना नहीं पडेगा और इस पानी मिलने के इत्मीनान के साथ ही फसल की पुख्तगी और उम्दगी (इम्प्रूवमेंट) का भी इत्मीनान हो जावेगा.

इस तजवीज से डिपार्टमेन्ट के हक्क में सहूलियत यह होगी कि डिपार्टमेंट को अव्वल से इसका इल्म हो जावेगा कि उन्हें किस कदर रकबे के लिये इंतजाम पानी का करने का है जिससे बेहतरीन इंतजाम हो सकेगा.

दोयम डिपार्टमेंट अपना प्रोग्राम इस तरह से मुरत्तिब कर सकेगा कि जिससे सब को वक्त पर पानी मिलते हुए इस वक्त जैसा कि आब जाया होता है उसकी आयन्दा रोक हो जावेगी और वही पानी आबपाशी के काम में आ सकेगा.

अलावा अजीं इस वक्त आब जाया के लिये डिपार्टमेंट को मजबूरन तावान आयद करना पडता है जिससे काश्तकारान को ख्याल सख्ती पैदा होकर डिपार्टमेन्ट के पाप्यूलेरिटी पर उसका असर पडता है, उससे रियाया का बचाव होकर ज्यादा रकबा सैराब होगा और अन्दरून जेर आब रकबा भी बरवक्त खाली होकर आबाद हो सकेगा.

इन तमाम उमूर पर मजलिस से गौर होकर इस तजवीज को मंजूर फरमावें, यह मेरी सिफारिश है.

मथुराप्रशाद साहब—हुजूर आली, सवाल नंबर ४ के पैरा अखीर में ऐसा इरशाद फरमाया गया है कि बशर्ते कि स्टोरेज में पानी हो, इस पर गौर करते हुए यह बेहतर मालूम होता है कि पहिले महकमे को यह इल्म हो जावे कि स्टोरेज में पानी काफी है तब पास देना चाहिये, क्योंकि यह गैर मुनासिब है कि डिपार्टमेन्ट को यह इल्म ही न हो कि स्टोरेज में पानी कितना है और पास दे दिये जावें. मगर जो यह तजवीज किया गया है कि पचास फी सदी मामूली शरह से ज्यादा महसूल लिया जाकर पानी दिया जाय तो यह बहुत ज्यादा है. बजाय इसके ज्यादा से ज्यादा दस फी सदी होना मुनासिब है. अलावा इसके सितंबर में काश्तकारान को अपनी काश्त से ही फुरसत नहीं होती फिर वह वक्त पर दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं. इसलिये बजाय सितंबर के अक्तूबर रखा जाय और नौम्बर अखीर इसकी जांच हो तो मुनासिब है.

शंकरलाल साहब.—यह सवाल नंबर ४, उन आराजियात से तअल्लुक रखने वाला है कि जहां नहरों के जर्ये से पानी दिया जाता है. पानी या तो वह लोग लेते हैं जो साल

गुजिश्ता में पानी ले चुके हैं या हमेशा पानी लेते हैं या वह लोग जिनको बरसात की कमी की वजह से पानी की जरूरत हो. बरसात की कमी की वजह से जब पानी की जरूरत हो तो ऐसे वक्त में लोगों को इमदाद करने की खास जरूरत है, क्योंकि उस वक्त पानी सिवाय नहरों के और कहीं से नहीं मिलता. इसलिये यह तजवीज ऐसी सूरतों में अमल में न लाई जावे. इसी तरह जो लोग हर साल लेते हैं उनके लिये कोई कैद नहीं होना चाहिये कि फॉर्म वगैरा भरकर दें. दूसरे हमारे काश्तकार पढ़े लिखे नहीं हैं. फी सदी एक काश्तकार भी ऐसा नहीं है जो पढ़ लिख सकता हो, फॉर्म का भरना उनके लिये तवालत होगा. अलबत्ता जो लोग नहरों से पानी नहीं लिया करते और जिनकी काश्त बरसात के पानी पर भी मुनहसर नहीं, अगर वह पानी लेवें तो उनको अक्तूबर अखीर तक फॉर्म देना चाहिये. पानी उतना ही दिया जा सकता है जितना जखीरा हो, अगर नया पानी इकट्ठा किया जाय या जखीरा बढ़ाने का इंतजाम हो तो वहां तावान लगाने की जरूरत होती है. जो काश्तकार कभी पानी नहीं लेते वह अगर अक्तूबर तक दरख्वास्त न दें और फिर पानी मांगें तो दस फी सदी इजाफा किया जाकर पानी दिया जाय, जैसा मेरे दोस्त मथुराप्रसाद साहब ने कहा है; इतनी तरमीम होना चाहिये.

कृपाशंकर साहब.—हुजूर आला, मुझे इससे इत्तफाक है. सिर्फ सवाल नंबर ४ में "खानापुरी करके" इसके बाद "या करादें" और बढ़ाया जाय. इतनी तरमीम चाहता हूं.

प्रेसीडेंट साहब.—तावान के मुतअल्लिक बाबू मथुराप्रसाद साहब ने दस फी सदी तावान होना चाहिये, ऐसा जाहिर किया है और आप साहबान ने भी उससे इत्तफाक किया है. पानी ऐसी चीज है कि खुश्कसाली के वक्त पर पानी की कीमत होही नहीं सकती. अगर ऐसे वक्त में पानी बेजा तौर पर खराब कर दिया जाय और आबपाशी के काम में न आये तो उस वक्त यह दस फी सदी कोई चीज ही नहीं है. आप साहबान गौर करें कि यह पचास फीसदी सिर्फ पेनालाइज करने के लिये रखा गया है, ताकि रिआया पानी को खराब न करे, इसलिये दस फी सदी जो पेनल्टी कायम करने की सिफारिश की गई है उसपर फिर आप साहबान गौर करें और मुनासिब पेनल्टी तजवीज करें. फॉर्म के मुतअल्लिक शंकरलालजी ने कहा है कि गांव में पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, फॉर्म नहीं भरा जा सकता. लेकिन जब तक एग्रीमेन्ट नहीं होगा डिपार्टमेंट को यह नहीं मालूम हो सकता कि उसको कितना पानी देना है, इसलिये एग्रीमेंट तो होना जरूरी है. यह काम जमींदारान का है कि वह काश्तकारान को पानी की जरूरत होने पर फॉर्म की खानापुरी कराकर भेजा करें. जमींदारान का यह फर्ज होना चाहिये.

मथुराप्रशाद साहब.—हुजूर आली, जमींदारान व काश्तकारान को इल्म नहीं है कि आया कमांडिंग एरिया के कुल मवाजिआत को डिपार्टमेन्ट पानी दे सकेगा या नहीं. इसलिये अगर जमींदारान को यह बतला दिया जाय कि किस एरिया को डिपार्टमेन्ट पानी दे सकेगा तब यह मुमकिन हो सकता है. पैनल्टी के बारे में ज्यादा गौर करने की जरूरत मालूम नहीं होती, क्योंकि इस काम के लिये डिपार्टमेन्ट की तरफ से मजिस्ट्रेट साहबान मुकर्रर हैं और वह पानी खराब करने वालों को सजा दे सकते हैं. इसलिये इसमें मजीद कार्रवाई करने की जरूरत मालूम नहीं होती.

ईश्वरीसिंह साहब.—मेरी गुजारिश तो यह है कि शक्कर के सवाल से इस सवाल का तअल्लुक है.

प्रेसीडेंट साहब.—इसका तअल्लुक आप के सवाल से नहीं है. इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ से यह तजवीज पेश की गई है.

ट्रेड मेंबर साहब.—प्रेसीडेन्ट साहब! आम वाकफियत के लिये मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं. जमींदार साहबान जो यहां मौजूद हैं कह सकते हैं कि उनको आबपाशी से पानी लेने के मुतअल्लिक क्या

क्या सख्त दिक्कतें होती हैं. अमले के छोटे छोटे लोगों के खिलाफ शिकायतें पेश आती हैं और अमले के छोटे लोग बाज दफा क्या क्या गड़बड़ कर जाते हैं, इन तमाम बातों पर आप साहबान गौर करेंगे तो मालूम होगा कि इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट ने यह तजवीज एक डिसप्लेनरी मेजर के तौर पर पेश की है. इस तजवीज से बहुत फायदे मुतअल्लिक हैं. मकसद यह है कि अगर एक खास मियाद के अन्दर पानी सप्लाई न हो सके तो डिपार्टमेन्ट अच्छी तरह तहकीकात करके उनके खिलाफ जिनकी गलती हो डील कर सके. दूसरे अमीन पतरोल वगैरा छोटे छोटे लोगों पर इससे बहुत चेक होगा. तीसरे लोगों को जो यह शिकायत रहती है कि पानी वक्त पर नहीं मिलता, इस तजवीज का अमल होने से लोगों को इसका ज्यादा ख्याल रहेगा और वह वक्त की पाबन्दी करेंगे. यह भी कहा गया है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते इसलिये फॉर्म की खानापुरी में दिक्कत होगी, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जुर्म करेंगे तो क्या जुर्म की सजा से बरी हो सकते हैं ? जैसा कि प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया है, पानी बाज मौकों पर बहुत ही नायाब चीज है, अगर वह इस तरह खराब किया जाय तो दूसरे लोगों की जरूरियात पूरी नहीं हो सकतीं, इसलिये डिसिप्लिन की गरज से हर एक आदमी को कुछ न कुछ जिम्मेदारी इख्तियार करना चाहिये और जमींदारान को चाहिये कि काश्तकारों को समझा दें कि वह इस जिम्मेदारी को इख्तियार करें, क्योंकि उनके फायदे की बात है, इसलिये इसको मद्दे नजर रखना चाहिये.

चतुर्भुजदास साहब.—हुजूर बाला, इस पेनल्टी के मुतअल्लिक ट्रेड मेम्बर साहब ने फरमाया है कि कोई शख्स फलां कानून नहीं जानता, इसलिये सजा नहीं होना चाहिये यह उजर ठीक नहीं. लेकिन कानून जो बनाया जाता है उसकी निस्बत यह देख लिया जाता है कि वह प्रेक्टिकेबिल हो सके और महज स्केअर क्रो होकर कागजों में ही नहीं पड़ा रहे. जैसा कि मेरे दोस्त मथुराप्रशाद साहब ने तजवीज फरमाई है, शुरू में दस फी सदी पेनल्टी रखी जावे. अगर तर्जुबे से यह देखा जाय कि ज्यादातर केसेज में पेनल्टी आयद करने की जरूरत होती है तो इस मसले पर फिर गौर करके पचास फी सदी पेनल्टी तजवीज की जाय.

कृपाशंकर साहब.—हुजूर बाला! चतुर्भुजदास साहब ने जो तजवीज फरमाई है वह निहायत मौजूं व मुसतहसन मालूम होती है, ताकि इसका तजुर्बा हो सके.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस तजवीज से जिन साहबान को इत्तफाक हो वह अपना सीधा हाथ उठावें. अलबत्ता पेनल्टी के सवाल पर मैं बाद में पूछूंगा.

नोटः—कसरत राय से तजवीज पास हुई.

Penalty के मुतअल्लिक वोट लेने पर यह ठहराव हुआः—

ठहराव.—कसरत राय से करार पाया कि तजवीज इस तरमीम के साथ मंजूर की जाय कि बजाय ५० फी सदी के १० फी सदी ज्यादा महसूल लिया जाय.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ३.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः—

अक्सर शिकायत इस अम्र की रहती है कि पुलिस स्टेशन रपट दर्ज नहीं करता या बर वक्त या हस्ब बयान रपट कुनिन्दा रपट दर्ज नहीं होती,

ऐसी हालत में वकूआ साबित होने या हकरसी माल में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं. पस यह तजवीज पेश की जाती है कि:—

अगर स्टेशन पुलिस रपट दर्ज न करे तो रिपोर्ट कुनिन्दा फिलफौर करीब के डाकखाने से स्टेशन पुलिस को जर्ये रजिस्ट्री जवाबी अपनी तहरीरी रिपोर्ट भेज सकता है और उसी में स्टेशन पुलिस पर जाने और पुलिस के रपट न लिखने बाबत लिख सकता है. ऐसी रिपोर्ट मौसूल होने पर स्टेशन पुलिस का फर्ज रखा जावे कि वह बाद दर्ज रिपोर्ट चेक रसीद जर्ये सरविस बैरंग रपट कुनिन्दा के पास लाजमी तौर पर अन्दर २४ घंटे के भेज दे.

लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी.—हुजूर अनवर, अक्सर देखा गया है कि रपट कुनिन्दा पुलिस स्टेशन पर जाता है, मगर रपट दर्ज नहीं होती या किसी खास मकसद से टाल टूल करदी जाती है इसके लिये कई बातें ऐसी होतीं हैं कि अव्वल तो पुलिस सुराग रसानी का बार हटाने की गरज से रपट दर्ज नहीं करती. अगर वह रपट दस्तंदाजी मुकद्दमे की बाबत होती है तो उनको यह ख्याल होता है कि मुझको लाजमी तौर पर तफतीश करना पडेगी इसलिये वह दूसरे अलफाजों में रपट दर्ज कर देते हैं जिसके नतीजे यह पैदा होते हैं —

(१) अखफाये वारदात. (२) बदमाशों की हौसला अफजाई. (३) माल की सुरागरसानी नहीं होती. (४) मालकान माल हकरसी से महरूम रहते हैं. (५) मुलजिमान शक का फायदा उठाते हैं. इसलिये अगर स्टेशन पुलिस में कोई रपट करने वाला जावे और वह रपट किसी खास वजह से दर्ज न हो तो बजाय इसके कि हेड कार्टर जाकर इन्स्पेक्टर-जनरल साहब पुलिस की खिदमत में उनकी शिकायत करें या सूबा साहब से रपट करें, रपट कुनिन्दा से रिपोर्ट जर्ये रजिस्ट्री करीबतर के डाकखाने से स्टेशन पुलिस में भेजदें. इस रपट के मौसूल होने पर स्टेशन पुलिस का यह फर्ज करार दे दिया जावे कि रपट २४ घंटे में दर्ज करादे. बर वक्त रिपोर्ट दर्ज होजाने से सुरागरसी पुलिस में मदद होगी.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इसकी ताईद कौन करता है ?

मूंगालाल साहब बीजावर्गी.—मैं ताईद करता हूं.

मथुराप्रशाद साहब.—हुजूर आली ! सवाल यह है कि अगर पुलिस रपट दर्ज न करे तो रिपोर्ट डाकखाने से जर्ये रजिस्ट्री भेजदी जावे, इससे सिर्फ यह मतलब बरामद होता है कि पुलिस हुक्म कानून की तामील नहीं करती. बिल फर्ज अगर रजिस्ट्री के जर्ये से रिपोर्ट करने का तरीका जारी हो जावेगा तो कोई रिपोर्ट कुनिन्दा स्टेशन पुलिस तक पहुंचने की तकलीफ ही न करेगा, बल्कि किसी अरायज नवीस वगैरा से लिखा कर भेज दिया करेगा. ऐसा होने से वह उसूल जाता रहेगा जो दफा १४७ जाब्ता फौजदारी में बताया गया है कि बुनियाद मुकद्दमा क्या चीज है. अगर कोई शख्स पुलिस स्टेशन पर खुद जाता है तो उसको अपनी अकल से जायद बनावट का मौका नहीं मिलता. अगर रपट तहरीरी भेजेगा तो बनावट मुमकिन है. मजीद यह कि अगर कोई शख्स रपट के अलावा जबानी तहरीरी रपट जर्ये रजिस्ट्री भेजे तो कोई मुमानियत नहीं है. अगर पुलिस में रपट न की जाये और अदालत में दरख्वास्त दी जाय तो अदालत काबिल दस्तंदाजी मुआम्ले को हस्ब दफा १४६, जाब्ता फौजदारी पुलिस में भेज देगी. बसूरत गैर दस्तन्दाजी अदालत में मुकद्दमा कायम हो जावेगा. पस मेरी नाकिस राय में इस तजवीज की जरूरत मालूम नहीं होती, अलबत्ता पुलिस से सख्ती के साथ तामील कराई जावे.

महंत लक्ष्मणदास साहब.—तजवीज की तकरीर के साथ ऐसी नजीरें पेश नहीं हुई हैं कि जिनसे समस्त रियासत के लिये तजवीज की जरूरत हो मैं जहां तक समझता हूं और जिस जिले में रहता हूं वहां ऐसे वाके मेरे कान पर नहीं आये. वाकई में इस तजवीज की मजलिस में लानेकी जरूरत नहीं है

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर आली! मैं भी इस तजवीज की मुखालफत करता हूं और याद दिलाता हूं कि इस किस्म की तजवीज मेरे दोस्त मूंगालाल साहब ने साल गुजिश्ता में दूसरे अलफाज में पेश की थी, जिसपर हुजूर मुअल्ला बैकुंठवासी ने फर्माया था कि जो अहकाम इस बारे में पुलिस डिपार्टमेन्ट से जारी हुए हैं उनको देखकर इस तजवीज को पेश करें, मगर मेरे दोस्त ने इस तजवीज को उसवक्त पेश नहीं किया. और ताज्जुब यह है कि आज वह इस तजवीज की ताईद करते हैं. इस तजवीज के पेश करने की जरूरत जो बतलाई गई है उसके मुतअल्लिक दरबार के अहकाम इस कदर तशरीह के साथ सादिर हो चुके हैं कि मुहताज बयान नहीं. अब महज सवाल तामील न होने का बाकी रह जाता है मेरे दोस्त मुजव्विज साहब ने दो वजूह जाहिर किये हैं:—

(१) रिपोर्ट उन अलफाज में नहीं लिखी जाती जो रिपोर्ट कुनिन्दा बयान करता है.

(२) बार सुरागरसी पुलिस पर पड़ने की वजह से रपट का इन्दराज नहीं किया जाता.

चुनांचे इस बारे में पुलिस मैनुअल के अलफाज साफ हैं कि रपट कुनिन्दा जिन अलफाज में रपट लिखावें वही दर्ज हों. दूसरी वजह के मुताल्लिक संवत १९७८ व १९८० में महकमे पुलिस से दो डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी हो चुके हैं कि ऑफिसरान जिला इसकी निगरानी रखें अगर उनके जहूर में आवे कि तामील नहीं होती तो तदारुक करें. ऐसे अहकाम मौजूद होते हुवे मेरी राय में इस तजवीज की जरूरत मालूम नहीं होती. जिस जिले से मुजव्विज साहिब का ताल्लुक है और ताईद करने वाले साहब का जिस जिले से ताल्लुक है अगर उन अजला के मुताल्लिक यह बात सही मान ली जावे तो लोकल हुक्काम की तवज्जुह इस जानिब दिलाई जावे. जो यह बतलाया गया है कि डाकखाने के जर्ये से रपट भेज दीजावे तो यह बात भी पुलिस के इख्तियारी रहेगी कि वह जिस तरह रपट दर्ज नहीं करती उसी तरह तहरीरी रपट की भी तामील न करे. अगर पुलिस मौजूदा कानून की तामील न करे तो हुक्काम जिला को तवज्जुह दिलाना चाहिये. अलावा इसके रपट जर्ये डाक भेजने से मकसद बरारी नहीं होती. जिस वक्त रपट कुनिन्दा मोहतमिम स्टेशन के पास पहुंचता है तो पुलिस उसके चेहरे व तर्जे अमल से असलियत मुआमला मालूम करने की कोशिश करती है इसके बाद ऐक्शन लेने को तय्यार होती है. डाकखाने के जर्ये से रिपोर्ट होने में यह मौका पुलिस को नहीं मिलेगा. मेरे दोस्त ने जो इलाज बतलाया है वह काफी नहीं है, इसलिये मैं इस तजवीज से मुखालफत करता हूं.

मूंगालाल साहब बीजावर्गी—अभी बाबू जगमोहनलाल साहब ने फर्माया है कि अहकामात दरबार जो जारी हुए हैं काफी हैं और मुझेभी उनसे इत्मीनान होगया था. और आमीं मेंबर साहब ने फर्माया था कि खास तौर पर कोशिश की जावेगी उनसे भी मुझे तसल्ली हुई थी, मगर इस साल में देखता हूं तो शिकायत और भी बढ गई है. जिस जिले में मैं रहता हूं अगर वहां का कोई इन्सपेक्शन लेने को तैयार हो तो मैं ऐसे चन्द वकुऐ पेश कर सकता हूं कि रिपोर्ट में असलियत मुआम्ले के खिलाफ कुछ का कुछ दर्ज किया गया है. इसी वजह से इस तजवीज को फिर मजलिस में लाया गया है कि जिससे यह शिकायत रफा होकर रास्ता निकल आवे.

लक्ष्मीनारायन साहब चौजावर्गी—तजवीज जो पेश की गई है वह इस गरज से कि अगर पुलिस किसी वजह से रपट दर्ज न करे तो यह तरीका जारी किया जावे कि करीबतर डाकखाने में पहुंचकर जर्ये रजिस्ट्री रवाना कीजावे और उसमें यह जाहिर किया जावे कि रिपोर्ट कुनिन्दा स्टेशन पुलिस में गया था मगर पुलिस ने रपट दर्ज नहीं की, इसलिये बजर्ये डाक रवाना की जाती है

महंत लक्ष्मणदास साहब—कवाअद मजलिस देखे जावें, उसमें ऐसी बार बार बहस करने की इजाजत नहीं है. अगर इस तरह बार बार बहस की जावेगी तो काम में सख्त दिक्कत पेश आवेगी.

कृपाशंकर साहब—तजवीज जो पेश की गई है और उसके मुतआल्लिक मेरे दोस्त ने जो तदाबीर बतलाई हैं वह बिल्कुल नाकिस और नाकाबिल अमल हैं, क्योंकि यह अमर मुसल्लिमा है, कि रियासत हाजा के बाशिन्दे ज्यादातर नाख्वांदा हैं तो बहरहाल उनको रिपोर्ट किसी से लिखवाना पड़ेगी और लिखाई देना पड़ेगी और ऐसी सूरत में यह भी मुमकिन है कि कोई शख्स उसके मतलब को न समझ कर या जैसा वह चाहता है वैसा न लिखे या कोई शरीरुन्नफ्स पुलिस पर हमला करने की गरज से एक सादा कागज जर्ये रजिस्ट्री भेज दे, और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस भी ऐसा कहदे कि सादा कागज आया, रिपोर्ट नहीं आई. ता: १६ मार्च सन १९२३ ई. के डिपार्टमेंटल ऑर्डर में ईमा है कि मजिस्ट्रेट साहब ऐसे मुआमलात की बमन्शाय दफा १४६, जाता फौजदारी खुद तहकीकात कर सकते हैं और पुलिस में भी भेजकर तहकीकात करा सकते हैं. इसके अलावा जाब्ता फौजदारी की दफा ९३ जिमन (१)(२)(३) व दफा ९४ व दफा १४८ व दफा १६० में मुकद्दमात काबिल दस्तन्दाजी पुलिस व गैर दस्तन्दाजी पुलिस के बाबत साफ साफ हिदायत है. जब इतने हिफाजती इन्तजाम इसके लिये मौजूद हैं तो एक गरीब देहाती को सर्फा रजिस्ट्री चार आने व सर्फा टिकट अर्जी दो आने जरूर उठाना पड़ेगा, इसका नतीजा लाजमी यह होगा कि बजाय इसके कि उसके साथ हमदर्दी की जावे, ऐसा होने से वह भी कल अदम हो जायगी. इससे बेहतर तरीका यह है कि जनाब इन्सपेक्टर-जनरल साहब पुलिस को तवज्जुह दिलाई जावे. यह सूरत इसके इन्सदाद की हो सकती है. बसूरत खिलाफवर्जी पुलिस का तदारुक किया जावे. चूंकि यह शिकायत आम नहीं है इस वास्ते इस तजवीज के मजलिस में पेश होने की जरूरत नहीं है.

मुर्लीधर साहब गुप्ता—यह जो तजवीज पेश की गई है और उसमें यह दिक्कत बतलाई है कि पुलिस बरवक्त रपट दर्ज नहीं करती और यह वाका दरबार के नोटिस में चन्द मर्तबा लाया गया है और दरबार ने भी इसको महसूस करके डिपार्टमेन्टल ऑर्डर जारी किये हैं कि वक्त पर रपट लिखी जावे, लेकिन मुजव्विज साहब की तजवीज से मालूम होता है कि यह शिकायत आम तौर पर अभी रफा नहीं हुई है. इसकी बाबत वह इन्सदाद चाहते हैं. first information (फर्स्ट इन्फरमेशन) पर मुआमले का इनहिसार है, लेकिन जब पुलिस की जानिब से वह दर्ज न की जावेगी तो इससे बहुत से नुकसानात फरयादी को पहुंचने का एहतमाल है. कृपाशंकर साहब ने यह फर्माया कि बहुत से लोग यह करेंगे कि अपनी रिपोर्ट को किसी वकील से या मुहर्रिर से कारसाजी कराके पेश करदेंगे, अगर वह अपनी रिपोर्ट तहरीरी पेश करें और उसको पुलिस ऑफिसर न ले तो क्या किया जाये, मेरे ख्याल से तो पहिले रिपोर्ट का दर्ज होजाना आयन्दा कारसाजी को रोकता है, क्योंकि वह अपने इस्तगासे को व वाकआत को फर्स्ट इन्फरमेशन से महदूद कराता है. तजुरबे से यह भी साबित हुआ है कि जैसे वाका सरजद हुआ और वह फौरन रपट करने को गया तो सही सही

वाका बयान कर दिया गया. लेकिन बाद में वकील साहब ने जब देखा कि इसमें फुलां बात की कमी है, और असलियत मुआम्ले में खराबी पैदा होती है तो उस में कुछ न कुछ कारसाजी की जाती है. मेरे ख्याल में रिपोर्ट बजर्ये रजिस्ट्री के भेजी जावे और उसमें लिखा जावे कि हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने गये और वह नहीं लिखी गई इसलिये बजर्ये रजिस्ट्री भेजी जाती है. यह तरीका इख्तियार करने से रिपोर्ट पानेसे इनकार नहीं किया जा सकेगा और ऐसी सूरत में दरबार को भी पुलिस की गिरफ्त करने का मौका मिलेगा और जांच हो सकेगी कि इस तरह से कितनी रिपोर्टें आईं और नीज दरबार को यह भी मालूम हो जावेगा कि रिपोर्ट लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती. मैं यह अर्ज करूंगा कि शख्स रिपोर्ट कुनिन्दा पुलिस में रिपोर्ट करने जावे और रिपोर्ट न लिखी जावे तो रजिस्ट्री के जर्ये से रिपोर्ट भेजने के अलावा उसकी एक एक नकल मुकामी ऑफिसर (मॉजिस्ट्रेट) व इन्स-पेक्टर-जनरल साहब पुलिस को भी भेजी जावे कि हम रपट करने गये मगर रिपोर्ट नहीं लिखी गई.

प्रेसीडेंट साहब—इस वक्त तक जो बहस की गई है उससे पाया जाता है कि एक खास जिले के मुतअल्लिक शिकायत है, आम तौर पर शिकायत होना पाया नहीं जाता. अगर एक जिले के मुताल्लिक शिकायत है तो उसके मुताल्लिक तहकीकात की जाकर इन्तजाम किया जा सकता है.

ठहराव—कसरत राय से तजवीज नामंजूर की गई.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ४.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अपनी इस तजवीज को ज्यादातर मुल्क मालवे के लिये महदूद करता हूं. यहां पर जहां तक गौर किया गया है आबपाशी की बहुत जरूरत है, लेकिन काश्तकार लोग इस तरफ बहुत कम तवज्जुह करते हैं. अक्सर देखा गया है कि सिवाय खाकी जमीन के कुए और ओडी, जहां कि नाले और नदी भी मौजूद हैं, नहीं हैं. अगर तहसीलात मालवे में कुए और ओडी बहिसाब एक मुअय्यन तादाद फी सदी रकबा खाकी पर कायम फरमाये जाने का आर्डर फरमाया जावे तो काश्तकार निहायत खुशी के साथ रकबा जमीन खाकी के साथ कच्चे कुए और ओडी बहुत थोडे सर्फे से कन्दा कराकर आबपाशी करेंगे, जिसका सर्फा ज्यादा से ज्यादा एक कुए में १०० रुपये होगा, और ओडी में इससे भी कम. आबपाशी के फवाअद आम तौर पर मशहूर हैं. इस में खाकी जमीन जोतनेवाले को उस आबपाशी के साथ कुछ हिस्सा घास भी, अलावा उस घास के जो रकबा खाकी पर मिलता है, उससे मिलेगा. आमदनी सरकार व जमींदार बहुत बढ जावेगी और काश्तकार की पैदावार भी दर्जहा ज्यादा होगी. फसल नैशकर के अलावा तमाम अजनास आबपाशी से ज्यादा पैदा होंगे, और सब्जी आलू वगैरह भी पैदा होंगे. गांव सैराब व सरसब्ज रहेगा, इन्सान व मवेशियों को हर किस्म की चीजें हर मौसम में मयस्सर होंगी, रचका चरी वगैरा भी मवेशियों के लिये हो सकेगी जिससे दूध वगैरा का भी फायदा होगा, रफ्ता २ बरहों पर फलदार पेड बिला ज्यादा

मेहनत परवरिश हो सकेंगे, जो आबपाशी के फायदे होते हैं उनसे रिआया और सरकार अबद पायदार दोनों मुस्तफीद होंगे.

ईश्वरीसिंह साहब.—यह तजवीज मेरी गुजिश्ता साल की है और गुजिश्ता साल मैंने शक्कर अपने यहां तय्यार कराई थी और सरकार की खिदमत में भी भेजी थी; क्योंकि पारसाल में हाजिर न हो सका. वह शक्कर मैंने खुसर्न वास से जो नदी में होती है तय्यार कराई थी. एक पसेरी गुड में सवासेर डेढ सेर शक्कर तय्यार हुई थी, लेकिन ज्यादा तादाद में शक्कर तय्यार होना मुश्किल नजर आई, इसलिये मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेन्ट ग्वालियर में मिस्ल जिनिंग के शक्कर का कोई कारखाना किसी जगह पर नहीं है. कपास की पैदावार जो बढी है उसका फायदा तमाम दुनिया जानती है लेकिन बगैर जिनिंग के इसकी काश्त नहीं बढी. जब जिनिंग स्टेशन दर स्टेशन बढ गई तो लोगों ने कपास ज्यादा बोना शुरू कर दिया और दीगर चीजों का बोना बन्द कर दिया, इसलिये मेरी राय में यह आया कि अगर शक्कर का कारखाना मिस्ल दीगर शहरों, कानपुर वगैरा के खोल दिया जावेगा तो आबपाशी का जर्या बहुत बढ जावेगा. और कुंवे पुरते चले जाते हैं, कोई उनका जागा नहीं निकालता सरकार बैकुंठवासी ने लखूखा रुपया जदीद कुंवे कंदा कराने के लिये थोडे ब्याज पर काश्तकारान को दिया था, मगर लोगों ने नाजायज या बे सूद सर्फे में वह रुपया लगाया. आबपाशी का सिलसिला साबिक कुंवे आबाद रहना और जदीद कुंवे बनना गैर मुमकिन है, इस लिये मेरी गुजारिश यह है कि शक्कर का कारखाना मालवे में किसी जगह खोलने की कोशिश की जावे. जैसे सरकार ने बहुत से कारखाने खोले हैं नुक्सान भी हुवा है, फायदा भी हुवा है, इस तरफ कुछ नुक्सान भी गवर्नमेंट बरदाश्त करे तो मुझे बेजा मालूम नहीं होता. इस के जर्ये से जो घांस का मसला इस वक्त पेश हुवा था उसको भी फायदेमंद होगा और साफ और ताजा पानी भी मिलने लगेगा जो इन्सान के लिये भी सेहत बख्श होगा और जानवरों को भी हुजूर को रोशन होगा कि गर्मियों में कुवों की ओडियां तक सूख जाती हैं, खराब पानी पीते हैं इस जर्ये से तमाम कुंवे साफ रहेंगे. गन्ने को मौसम गर्मी में ही पानी की जरूरत होती है. सरकार ने मजलिस कानून में एक वक्त हुक्म दिया था कि मुझको दौरे में वहां आलू मयस्सर नहीं हुवे इसका जिक्र सरकार लाये थे और किसी जमींदार को भी इसके मुताल्लिक हिदायत दी थी कि तुम आलू की काश्त करो; लिहाजा गुजारिश है कि यह शक्कर का कारखाना तवज्जुह लेकर खोला जावे तो बिल जरूर नैशकर की काश्त इफरात के साथ करेंगे व फायदा उठावेंगे और निहायत शुद्ध और साफ शक्कर रियासत को मिलेगी और कस्टम्स को भी फायदा होगा. लोगों की बेकारी में भी इमदाद देगा.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इसकी कोई साहब ताईद करते हैं?

रामजीदास साहब—.तजवीज जिन लफ्जों में पेश है पेश्तर इसके कि मजलिस कोई राय कायम करे, मेरे ख्याल में तजवीज का मन्शा ही नहीं आता क्यों कि कहीं आलू का, कहीं नै शकर का, कहीं कुए का, कहीं साफ पानी का जिक्र किया गया है.

ईश्वरीसिंह साहब.—मालूम होता है कि आप मजाक करते हैं. तजवीज मेरी यह है कि शकर का कारखाना खोला जावे.

लॉ मेंबर साहब—(रामजीदास साहब की तरफ मुखातिब होकर) तजवीज तहरीरी जो आपके सामने है उसको देख लीजिये, उसकी चौथी सतर के अखीर लफ्ज से जो मजमून शुरू हुआ है वह है कि "तहसीलात मालवा में कुवे और ओडी ब हिसाब एक मुअय्यन तादाद फी सदी रकबे पर कायम फरमाये जाने का ऑडर फरमाया जावे," असल तजवीज यही मालूम होती है. बाकी

मुजाव्विज साहब ने जो फरमाया है उसका मतलब यह है कि उनकी इस तजवीज पर अमल किया जाए तो क्या २ फायदे होंगे; मसलन अगर कुंवें खुद गये तो नेशकर की काश्त होगी, आलू की काश्त होगी, वगैरा वगैरा.

रामजीदास साहब—मुजव्विज साहब तो अपनी तकरीर में यह जाहिर करते हैं कि शकर का कारखाना खोला जावे.

लॉ मेम्बर साहब—मुजव्विज साहब की राय में यह सब बातें लाजिमो मलजूम मालूम होती हैं यानी उनका मतलब यह है कि अगर शकर का कारखाना खोला जावेगा तो नेशकर की काश्त होने लगेगी, और काश्त होगी तो कुए भी खुद जावेंगे, इसी तरह अगर कुवे होंगे तो शकर का कारखाना भी खोला जासकता है. बहर हाल इस तजवीज की कोई साहब ताईद करते हैं क्या ?

अप्टेवाले साहब—मैं ताईद करता हूं. मालवे में ऐसे मुकामात बहुत हैं जहां कुआ खोदे जाने के वक्त चटान निकलती है, लेकिन जहां पर चटान नहीं निकलती और पानी करीब निकलता है अगर १०० या ५० रुपये में काम निकल सकता है तो ऐसी हालत में यह स्कीम ठीक है, लेकिन जहां चटान निकलती है वहां इस थोड़े से सर्फे में कुआ क्यों कर तय्यार हो सकता है और ऐसी सूरत में फायदा न होकर नुकसान अलबत्ता होगा.

अनंदीलाल साहब—जनाब वाला ! कारखाना खोला जाना मेरी समझ में ठीक नहीं है, क्योंकि पांच सेर गुड़ एक रुपया दो आने का होता है और सवा सेर शकर ॥) की; तो ऐसी सूरत में ॥।) का नुकसान हुवा.

बाटवे साहब—मैं इस तजवीज की मुखालिफत इस तौर पर करता हूं कि इस तजवीज में शकर का कारखाना खोलने के लिये सरकार से मदद मांगने की जरूरत नहीं है और तजवीज पर जोर इस बात पर दिया जाता है पस जो हमारे इम्कान में है उसको हम कर सकते हैं. इस मजलिस की इम्दाद मांगना चन्दां जरूरी नहीं है. कोई कुवा १००). के सर्फे में नहीं बन सकता. मेरा तजुर्बा मालवे के लिये यह है कि १००) सिर्फ मिट्टी निकालने के वास्ते लग जाते हैं क्योंकि मैंने उडासा फार्म पर कुवा खुदवाया था जिसमें ५००) रुपये लगे और २० फीट तक खोदा गया. जहां पर मैंने यह कुआ खुदवाया है वहां पर पानी बहुत आसानी से मिल सकता है, मगर १००) किसी हालत में काफी नहीं हो सकते. आपने जो मालवे भर की जिम्मेदारी फरमाई है यह नामुमकिन है; क्योंकि जितनी भी इनजीनियरी की किताबें हैं उनमें कहीं १००) रुपये में कुआ बनना नहीं बतलाया गया; अलबत्ता ओडी की बात अलग है.

लक्ष्मीनारायण साहब—गुजारिश यह है कि अगर जमीन वाकई अच्छी है तो जमींदारान अपने अपने मवाजियात में काश्तकारान को मशवरा देकर, अगर उनके पास रुपया है, कुवे तैयार करा सकते हैं. यह तजवीज हुक्मन नादुरुस्त है. अगर किसी के पास इस कदर रुपया न हो तो वह मजबूर नहीं किया जासकता.

रेवेन्यू मेंबर साहब—मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज मालवे के लिये महदूद की है और इस हिस्से में जरूरत आबपाशी ज्यादा होना ठीक तौर पर जाहिर किया है. तजवीज साहब मौसूफ यह है कि एक मुकर्ररा तादाद रकबा खाकी पर कुए और ओडी कायम करने का हुक्म तहसीलात मालवे में अगर फरमाया जावे तो काश्तकारान निहायत खुशी से खाकी जमीन के साथ कच्चे कुए और ओडी खोदकर आबपाशी करेंगे आखीर में ठाकुर साहब ने आबपाशी के फवायद भी बयान किये हैं.

२. जराअत में आबपाशी की अहमियत और जरूरत क्या है, इससे आप साहबान बखूबी वाकिफ हैं और इस बारे में मेरे ख्याल में दो रायें नहीं हो सकतीं. आबपाशी के फायदे भी आप साहबान बखूबी जानते हैं और शायद यह बात आप साहबान के इल्म में होगी कि गवर्नमेंट इस बारे में बेखबर नहीं है. तरक्की आबपाशी के मुतअल्लिक दरबार की जानिब से क्या कोशिशें हुई और आज तक कितना सर्फा कसीर हुआ, इसका हाल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टस व मुतअल्लिका गवर्नमेंट पब्लिकेशन से मालूम हो सकता है. इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस का हाल मैंने इसी मजलिस में एक तजवीज के जवाब के सिलसिले में जाहिर किया था, जो मुंगालाल बीजावर्गी साहब ने पेश की थी; लिहाजा जरूरत आबपाशी और फवायद आबपाशी के मुतअल्लिक मुजव्विज साहब ने जो कुछ कहा है उससे मुझे इत्तफाक है. लेकिन असली सवाल यह है कि आबपाशी में इजाफा किस तरह हो! इसका जवाब ठाकुर साहब ने यह दिया है कि मजरूवे पीछे मुकर्ररा तादाद ओडी या चाहात खोदने का काश्तकारान को हुक्म दो और ऐसा हुक्म होने पर काश्तकारान ब खुशी उसकी तामील करेंगे. इस अहम सवाल का यह बहुत ही सीधा सादा हल देखकर मुझे एक तरह बड़ी खुशी हुई और साथ ही अफसोस भी हुआ. खुशी इस बात की हुई कि कितना अच्छा हो, अगर आयन्दा महज हुक्म जारी कर देने से आबपाशी बढ जावे. मैं मुजव्विज साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर वे आबपाशी बढाने में सिर्फ हुक्म न होने की वजह से रुके हुए हों तो मैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चाहे जितने हुक्म देने को तहेदिल से तय्यार हूं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पर है कि आज तक इस बारे में सदहा हुक्म होने पर भी उनसे चाहिये वैसी आबपाशी नहीं बढी. सरकार मरहूम ने अपनी दौरा रिपोर्ट में तरक्की आबपाशी के मुतअल्लिक बहुतसी हिदायतें फरमाईं, बल्कि कुवे खोद कर आबपाशी करने वाले काश्तकारान को बिला लिहाज मुद्दत, काश्त रकबा आबपाशी पर हक्क मौरूसी अता किया गया, एग्रीकल्चरल बैंक्स से निवानों के लिये कम सूद पर कर्जा मिलने की भी सहूलियत दी गई तहसीलदार और सूबे साहबान हर साल अपने दौरे में जमींदारान को दुरुस्ती निवान, इजाफा निवान और इजाफा आबपाशी के लिये सिर्फ फहमायश या हुक्म ही नहीं देते बल्कि अगर कोई दिक्कत या रुकावट उनके सामने लाई जाती है तो उसे रफा करने की भी कोशिश करते है. बावजूद इन तमाम बातों के तरक्की आबपाशी क्या हुई? अगर मुजव्विज साहब का ख्याल दुरुस्त माना जावे तो गुजिश्ता पचीस सालों के हुक्म और कोशिशों का नतीजा लाखों बीघे आबपाशी बढने में होना चाहिये था, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, सम्वत १९७९, मुलाहिजा फरमावेंगे तो मालूम हो जायगा कि इस साल मालवे में आबपाशी के लिये करीब २३॥ हजार चाह इस्तेमाल में आये और कुल रकबा आबपाशी १ लाख ३२ हजार बीघा हुआ, जिसका पडता मजरूए पर सिर्फ तीन फीसदी है. इससे आप साहबान ख्याल फरमा सकते हैं कि हुक्म जारी कर देने से आबपाशी बढाने में कहां तक कामयाबी हो सकती है.

३. यह अम्र भी आपके गौर के काबिल है कि हालत आबादी, निवानात व आबपाशी मुख्तलिफ अजलाय में मुख्तलिफ है—मसलन मालवे में सम्वत १९७९ में मन्दसौर जिले में १०,९५३; शाजापुर में ७,६६७; उज्जैन में २,६३२; अमझेरा में १,२४० और भेलसे में सिर्फ ९३९ चाह आबपाशी के काम में आये. इसी मुताबिक रकबा आबपाशी भी मुख्तलिफ अजलाय में मुख्तलिफ है. गौर तलब सवाल मेरे ख्याल में यह है कि निवानात और आबपाशी में इजाफा क्यों नहीं होता? अगर कोई दिक्कतें या रुकावटें हैं तो उनकी रफेदाद किस तरह हो सकती है? यह सवालात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के गौर के काबिल हैं. वहां उन पर बलिहाज मुकामी हालात गौर होकर रास्ता

निकाला जाना चाहिये. इस वक्त गवर्नमेन्ट इस बारे में जो कुछ कर रही है उससे अगर कोई बेहतर तजवीज निकले तो उसे वास्ते गौर गवर्नमेन्ट भेजना चाहिये. चुनांचे मुजव्विज साहब को अगर इस मेरे जवाब से तसल्ली होती हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि वह अपनी तजवीज वापिस लेंगे, वर्ना आप साहबान और खासकर जमींदार मेंबर साहबान को यह गौर करना होगा कि वह कहां तक कार आमद हो सकती है.

ईश्वरीसिंह साहब—हुजूर के इस फरमाने से मेरी काफी तशफ्फी होती है कि सरकार ने आबपाशी की तरक्की के लिये गौर किया है, लेकिन इसके मुतअल्लिक आबपाशी की तरक्की होने का जरिया शकर का कारखाना खोलने का जिक्र जो मैंने किया है वह इस तरह से कि जैसे कपास की काश्त के लिये जिनिंग है उसी तरह से शकर की काश्त के लिये तरक्की का जरिया कारखाना हो सकता है. उसी हालत में शकर ब आसानी जैसे कपास बिकता है बिकने लगे और इसके अलावा अगर हुजूर मुनासिब समझें तो इस सवाल को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पंचायत बोर्ड में भिजवा दिया जावे. इस सवाल को पेश करना मैं ज्यादती मानता हूं मगर बसूरत खैरख्वाही यह सवाल जो मेरी नजर में आया वह मैंने पेश किया.

प्रेसीडेन्ट साहब—आप गौर कर सकते हैं कि पहिले जिनिंग होता है या कपास की काश्त.

ईश्वरीसिंह साहब—अगर हुजूर गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहां शकर का कारखाना कोई नहीं है.

प्रेसीडेन्ट साहब—यह सवाल ट्रेड के मुतअल्लिक है इसलिये ट्रेड मेम्बर साहब इस सवाल पर शायद कुछ कहना चाहें.

ईश्वरीसिंह साहब—मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

नोट—तजवीज वापिस ली गई.

नोट:—सवा दो बजे मजलिस adjourn की गई. मेम्बर साहबान को रिफ्रेशमेन्ट दिये जाने के बाद मजलिस का काम ३ बजे फिर शुरू हुआ.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ५.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अब नम्बरदारान "नायब तहसीलदार मौजा" करार दिये जा चुके हैं, इसलिये औकाफ कमेटी में से "देहा कमेटी" तोड दी जावे और नायब तहसीलदार मौजा या नम्बरदार का फर्ज लाजमी मुतअल्लिक देवस्थान रखा जाकर परस्तिशगाहों और मजहबी औकाफ की इम्दाद व निगरानी के कानून में बजाय देहा कमेटी के नायब तहसीलदार मौजा या नम्बरदार कायम किया जाकर कानून हाजा की दफआत जैल तरमीम फरमाई जावें:—

दफा १३.—**कानून** औकाफ जहां तक वह मुतअल्लिक देहा कमेटी से है खारिज फरमाई जावे.

दफा १४.—कानून मजकूर के अव्वल पैरेग्राफ में "औकाफ कमेटी देह" के बजाय नायब तहसीलदार मौजा या नंबरदार का फर्ज लाजमी रखा जावे.

दफा १७.—में से लफ्ज "देहा कमेटी" निकाल दिया जावे.

दफा १८.—में बजाय औकाफ कमेटी देह के नायब तहसीलदार मौजा या नम्बरदार कायम फरमाया जावे.

दफआत २५ व २६.—में जो मजमून मुतअल्लिक देह कमेटी है वह कम किया जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ६.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

चूंकि देवस्थान मुतअल्लिक औकाफ की बाबत कोई रिकार्ड सूबातों में यानी औकाफ कमेटियां जिला में नहीं है जिससे मेम्बरान औकाफ कमेटी जिला को उनकी बाबत वाकफियत मिल सके. पस यह तजवीज पेश की जाती है कि:—

हर सूबात (औकाफ कमेटी जिला) में एक रजिस्टर बाबत कुल देवस्थान व दरगाह वगैरा का जो उस जिले में हो, रक्खा जावे, जिसमें हस्ब जैल देवस्थान व दरगाह वगैरा का इन्दराज रहे:—

(अ) उन देवस्थानों व दरगाहों वगैरा का, जिनका तअल्लुक औकाफ से है और जिन पर आराजी या नेमनूक मुकर्रर है.

(ब) दूसरे हर देवस्थान व दरगाह का जिनको आराजी या नेमनूक मुकर्रर नहीं है.

लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी.—चूंकि कल मुझको होम डिपार्टमेन्ट की जानिब से वह कार्रवाई मालूम हो चुकी है जो डिपार्टमेन्ट मजकूर में इन सवालात के मुतअल्लिक की जा रही है इसलिये अब मुझको इन दोनों सवालात के पेश करने की जरूरत मालूम नहीं होती. लिहाजा मैं अपने इन दोनों सवालात को वापिस लेता हूं.

नोट:—तजावीज नंबर ५ व ६ मुजव्विज साहब की जानिब से वापिस ली गई.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ७.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

औकाफ कमेटियां कायम होते हुए भी अपूज्य परस्तिशगाहें देखने में आती हैं. उम्मेद है कि हस्ब जैल तरीका इख्तियार करने से जो अपूज्य परस्तिशगाहें हैं उनका इन्तिजाम पूरा हो जायगा:—

(१) पहिले हर परगने का एक रजिस्टर ऐसा मुरत्तिब कराया जावे जिससे पूरे हालात परस्तिशगाहों के मालूम हो सकें जिस पर

इन्तजाम पूजा का तरीका सोचा जाय. ऐसे रजिस्टर की तैयारी का आसान तरीका यह इख्तियार किया जाय कि वक्त दौरा हर मौजे की परस्तिशगाहों का इन्दराज मय उनकी हालत के पटवारी से मौके पर रजिस्टर में कराकर खानापुरी कराली जावे. ऐसा रजिस्टर एक साल के दौरे में मुरत्तिब हो जायगा, क्योंकि एक साल में परगने के पूरे मवाजियात का दौरा लाजमी तौर से तहसीलदार साहबान करते हैं.

(२) जब ऐसे रजिस्टर परगनेवार तैयार हो जावें, उन पर से एक रजिस्टर यकजाई सेन्ट्रल मजहबी औकाफ कमेटी तैयार कराकर छपवाले. एक २ पर्त हर परगना व जिला कमेटी में भेज दी जाय.

(३) परगना कमेटी के प्रेसीडेन्ट तहसीलदार साहब वक्त दौरा अपूज्य परस्तिशगाहों का नोट करके जिस मजहब की वह परस्तिशगाहें हों उस मजहब के मुकामी लोगों से पूजन का इन्तजाम कराने की तदबीर करें.

उस परस्तिशगाह की आमदनी अगर कुछ हो, उससे या चन्दे से या दोनों से पूजन का इन्तजाम न हो सके तो कमी सर्फे को पूरा करने की गरज से या पूरा सर्फा देने की गरज से मुआमला कमेटी में रखकर कमेटी के सरमाये से पूजन का इन्तजाम करना चाहिये.

(४) किसी मेम्बर औकाफ कमेटी को या तहसीलदार को वक्त दौरा जब यह बात मालूम हो कि कोई परस्तिशगाह मरम्मत तलब हो गई है या इन्तजाम पूजा दुरुस्त नहीं है या अपूज्य है तो परगना औकाफ कमेटी में मुआम्ला रखकर इन्तजाम करा देना चाहिये.

गुजारिश यह है कि यह तजवीज पास होजावे तो आशा की जाती है कि शिकायत अपूज्य परस्तिशगाह में सेहत हो जावेगी.

शंकरलाल साहब.—कल सेक्रेटरी साहब औकाफ ने मुझको वह कार्रवाई बताई जो महकमे औकाफ में उन उमूर के मुतअल्लिक की जा रही है जिनका इस तजवीज में जिक्र है. कागजात के देखने से जाहिर है कि इस बारे में एहकाम तो जारी हो गये हैं, लेकिन अभी इसकी जांच होना बाकी है कि इन एहकाम का क्या असर हुआ और उन पर क्या अमल हुआ है. ऐसा जाहिर हुआ है कि यह जांच अनकरीब शुरू की जावेगी. लिहाजा मैं अपनी तजवीज फिलहाल वापिस लेता हूं. अगर एक साल के अन्दर नतीजा जाहिर न हुआ तो मैं इस तजवीज को फिर पेश करूंगा

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नंबर २, तजवीज़ नंबर ८.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुज़ूर में सिफारिश करती है कि :—

एक कमीशन इस अम्र की जांच करने के वास्ते मुकर्रर फरमाया जावे कि जुम्ला काश्तकार पेशा अशखास, रियासत हाज़ा की आमदनी को वुसअत व तरक्की किस खानगी दस्तकारी (Cottage Industry) से हो सकती है, जो काश्तकार पेशा अशखास अपनी फुरसत के अय्याम में बिलउमूम इख्तियार कर सकें.

पुस्तके साहब—हुज़ूर वाला ! इस तजवीज के मुतअल्लिक दो बातें अर्ज करना हैं—अव्वल यह कि चंद साहबान को इस तजवीज के समझने में गलत फेहमी हुई है, दूसरी बात यह कि सवालात नंबर ८ व ९ करीब करीब एक सूरत के जाहिरा नजर आते हैं इसलिये चंद साहबान का ख्याल है कि एक ही नेचर के हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, हरदो सवाल अलहदा २ हैं. साहबान ! नोटिफिकेशन महक्मे इकॉनामिक डिवलपमेन्ट बोर्ड तारीख ७ मार्च सन १९२५ ई० में यह बात शाया की गई है कि काश्तकारान को पूरे साल एकसां काम नहीं रहता और सीजन के बाद अकसर बेकार रहते हैं. पिछले साल हुज़ूर मुअल्ला मरहूम ने अपनी स्पीच के आखीर हिस्से में काश्तकार पेशा अशखास के मुतअल्लिक चंद अलफाज भी फरमाये थे, वह मैं इस रिपोर्ट से पढता हूं (इसके बाद रिपोर्ट पढकर सुनाई गई), उसमें हुज़ूर मुअल्ला ने यह हिदायत फरमाई थी कि इसके मुतअल्लिक कोई तजवीज सोची जाय. इस बेकारी को दूर करना, काश्तकारान फुरसत के वक्त दूसरा पेशा कर सकें, इसका इन्तजाम करना यह एक मुश्किल और अहम काम है. यह कोई साइन्टीफिक तामील का सवाल नहीं है.

यह मानी हुई बात है कि काश्तकार पेशा लोग अपनी काश्तकारी पर ही ज्यादा भरोसा रखते हैं. उनकी बेकारी को दूर करने के लिये और आसान तरीका समझने के लिये एक कमीशन कायम किया जाय. काश्तकार पेशा लोग ज्यादा तादाद में रियासत में हैं. इस कमीशन की कायमी से एक बहुत बडे तबके की बेकारी का सवाल तय हो जायगा और सवालात जो महक्मे ट्रेड के जेर गौर हैं उनके लिये भी सहूलियत पैदा होगी. मैंने आज सरसरी तौर पर महक्मे ट्रेड के कागजात को देखा और सेक्रेटरी साहब ट्रेड ने भी मुझे समझाया. इसकी बाबत मैं उनका मशकूर हूं. ट्रेड डिपार्टमेंट में जो कार्रवाई चल रही है उसमें देर लगेगी. मैं जरासी तजवीज पेश करता हूं उसका दायरा महदूद है वह यह है कि रियासत हाजा में काश्तकार पेशा लोग ज्यादा तादाद में हैं उनके बच्चे, औरतें बगैर तालीम के कोई जरिया ऐसा पैदा करें जिससे उनकी आमदनी में वुसअत हो. उनकी माली हालत दुरुस्त होने के अलावा जिस्मानी हालात भी दुरुस्त होना लाजमी है. यह सब बातें आमदनी पर मुनहसिर हैं. जबतक आमदनी में इजाफा न होगा उनकी माली और जिस्मानी हालत दुरुस्त न होगी. कमीशन का कॉन्स्टीट्यूशन क्या हो उसको भी मैं जाहिर करता हूं और वह यह है कि महक्मे ट्रेड से इसका तअल्लुक है इसलिये एक मेम्बर ट्रेड का होना चाहिये. महक्मे तालीम का एक मेम्बर, साहूकार पेशा में से एक मेम्बर, काश्तकार और जमींदारों में से एक, और इसके अलावा एक प्रेसीडेन्ट ऐसा होना चाहिये जो इन कामों में एक्सपर्ट हो. ऐसे पांच साहबान का एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जाय जो काश्तकार पेशा अशखास अपने फुरसत के वक्त में क्या दीगर कारोबार इख्तियार कर सकते हैं और जिसका इन्तजाम रियासत की तरफ से किया जा सकता है, इसकी बाबत थोडे सर्फे में और थोडे अर्से में आलिया कौन्सिल को कीमती राय दे सकेगा.

सुवालाल साहब—मैं ताईद करता हूं.

लक्ष्मीनारायण साहब—मैं ताईद करता हूं.

कृपाशंकर साहब—मैं ताईद करता हूं. मुझे मुजव्विज साहब की उन बातों से पूरा इत्तफाक है जो उन्होंने जाहिर की हैं. डिपार्टमेन्ट में जो कार्रवाई हो रही है उसमें देर जरूर लगेगी. मुजव्विजा कमीशन से बहुत मदद मिलेगी, इससे भी ज्यादा जल्द यह मुआम्ला इस तरह भी तय हो सकता है कि लोगोंसे रायें मंगवाली जावें जिससे जाहिर हो जावेगा कि कौनसी दस्तकारी मुफीद है, और यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि बेकारी, मुफलिसी, मकरूजी, यही तीन हालतें उम्मुल जरायम व उम्मुल मसायब की हैं और अमूमन काश्तकार इन मर्जों के शिकार हो रहे हैं. न काश्तकारान रियासत ही बल्कि गवर्नमेन्ट बर्तानिया के भी इन्हीं अमराज में फसे हुए हैं, चुनांचे इस बाबत रिपोर्टों का इक्तबास सुनाता हूं. सूबे आसाम के चीफ कमिश्नर साहब की यह राय कायम हो चुकी है कि भारत में काश्तकारान की आधी आबादी को साल भर में एक वक्त का भी भोजन नसीब नहीं होता. स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोखले की तहकीकात में सात करोड काश्तकारान को पेट भर भोजन नहीं मिलता. लखनऊ यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर दयाशंकर साहब की तहकीकात है कि जितना भोजन संगीन जरायम के बदचलन कैदियों को मिलता है उसका ¾ देश के १६ करोड नौ जवानों को नहीं मिलता, वह पहिले से ज्यादे कर्जदार हैं उनके बैल मरीहत्या हो रहे है और मवेशियों की तादाद रोज ब रोज घटती चली जारही है, इसलिये दरबार आलिया की अस्सी फी सदी आबादी दरबार के फैयाजाना इमदाद की हर तरह मुस्तहक है और जल्द से जल्द जराये आमदनी मुहय्या फरमाना गवर्नमेन्ट का पहिला फर्ज है.

रामराव गोपाल साहब देशपांडे—यह सवाल जो पुस्तके साहब ने रखा है उसके मुतअल्लिक मैं अर्ज करता हूं कि काश्तकार और मजदूर वगैरा का जो दर्जा है उसमें वे आसूदा होंगे. पुस्तके साहब ने और हमारे दोस्त ने एक कमेटी कायम करने के वास्ते जो कहा है वह सही है या गलत है इसको देखना दरबार का काम है. दरबार अपने अच्छे अच्छे ऑफिसरान, मेम्बरान और रिआया में से मेम्बरान मुंतखिब करके इसका नतीजा निकाले.

वाटवे साहब—हुजूर आली! जो तजवीज आज मजलिस के सामने पेश है उसके बारे में मैं भी ताईद करके चंद बातों की इसलाह कराना चाहता हूं, वह यह कि जिन काश्तकारों को कुवा नसीब हुआ है और जो आबपाशी का काम लेते हैं उनको बेकारी का मौका बहुत कम आता है यानी १२ महीने उनको अपनी जमीन में ही इतना काम मिलता है कि वह अपनी शिकमपुरी करते हुए कुछ बचा भी सकते हैं मगर सब ऐसे नहीं. जिनको बारानी काश्त करना पडती है और आबपाशी नसीब नहीं होती, ऐसे काश्तकारों को मद्देनजर रखते हुए यह सवाल पेश किया गया है, मगर इसमें भी मेरी थोडी गुजारिश है वह यह कि काश्तकारों को तालीम इस किस्म की दी जाय कि जो एग्रीकल्चर से मुत्तल्लिक न हो, इसलिये इन जुम्ला बातों को मद्देनजर रखते हुए हुजूर की खिदमत में अर्ज करना जरूरी मालूम होता है कि इस किस्म का ट्रेनिंग दिया जावे कि जिससे काश्तकारी का नुकसान न हो. इस मोडिफिकेशन के साथ मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

महंत लक्ष्मणदास साहब.—इस तजवीज को मैं भी अच्छी समझता हूं, लेकिन जुम्ला काश्तकार पेशा के आगे अगर "और दस्तकार पेशा" इतना लफ्ज और होता तो तजवीज बहुत अच्छी हो जाती; परन्तु जो तजवीज सामने है वह बहुत मुफीद है. कमीशन का बैठना अच्छा है लेकिन कमीशन के लिये मैं भी कुछ स्मरण की बातें देना चाहता हूं. अभी मैंने देवास राज्य में कुछ प्रवास

किया और वहां के आलोट परगने के एक काम को समझा. वहां पर दस्तकार पेशा लोगों ने को-ऑपरेटिव सोसाइटी कायम करली है और उस पूंजी से वह अपने कारोबारों को करते हैं और उनके पास पूंजी भी होगई है. इसी तरह जब तक काश्तकार पेशा को-ऑपरेटिव सोसाइटी कायम करके उस पर दिलचस्पी न लेंगे वे कभी अपनी हालत दुरुस्त नहीं कर सकते; इसलिये कमीशन इसका भी ध्यान रखे. किसान लोग फुरसत के वक्त रस्सी बनाना, गाय भैंसों की मोरकी बनाना, चरस खींचने की नाडी बनाना, के काम किया करते हैं. इन कामों में और भी तरक्की हो इसकी तरफ कमीशन ध्यान रखे. उनकी स्त्रियां सूत भी कातती थीं वह फिर से जारी हो मैं भी इस तजवीज की ताईद करता हूं.

मूंगालाल साहब.—महन्त साहब ने जो कुछ कहा है उससे तजवीज की तरमीम होती है. यह कायदे के खिलाफ है, यह तरमीम उनको पहले करना चाहिये थी.

महन्त साहब.—तरमीम नहीं है.

मूंगालाल साहब.—महन्तजी ने जो तजवीज पेश की वह कवायद के खिलाफ है. आपको अगर तरमीम करना थी तो पेश्तर करते. जो तजवीज पुस्तके साहब ने की है उसकी मैं ताईद करता हूं, और मेरे ख्याल में कमीशन की जरूरत है.

वटुकप्रसाद साहब.—मैं भी इस तजवीज की ताईद करता हूं. एक कमीशन मुकर्रर किया जाये जो तहकीकात करके इस अम्र की जांच करे और यह तय करे कि आया कोई दस्तकारी ऐसी हो सकती है जो काश्तकार पेशा लोग खाली वक्त में इख्तियार करके फायदा उठा सकें और उनकी आमदनी में इजाफा हो. इस तजवीज के सिलसिले में जो दूसरे सवालात उठाये गये हैं उन पर रेजोल्यूशन की जरूरत मालूम नहीं होती. वाटवे साहब ने तालीम वगैरा के मुतअल्लिक जो फर्माया है वह बेसूद है; क्योंकि सवाल यह नहीं है कि उनको काश्तकारी से अलहदा करके कोई दूसरा जर्या माश उनके लिये बनाया जाय बल्कि सवाल सिर्फ यह है कि खाली वक्त में काश्तकारी के साथ साथ दूसरे काम करके वह अपनी आमदनी बढ़ा सकें. जो सजेशन्स इस वक्त किये गये हैं वह कब्ल अर्ज वक्त हैं इसलिये मौजूदा रेजोल्यूशन पर ही गौर होना चाहिये और वह भी उन्हीं अल्फाज में जिनको मुजव्विज साहब ने इस मजलिस के रूबरू पेश किया है; इसलिये मेरी राय है कि जिस शक्ल में यह रेजोल्यूशन पेश किया गया है उसे पास किया जाय. आयंदा मंजूरी या नामंजूरी दरबार के इख्तियार है.

दामोदरदास साहब.—हुजूर आली! मैं इस तजवीज की ताईद करते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि काश्तकार पेशा लोगों को दूसरी कोई तालीम इस किस्म की न दी जाय जिस से उनकी काश्तकारी का नुक्सान हो. बेहतर तो यह है कि जो कमीशन यहां से भेजा जाय वह पहिले इस बात की जांच करे कि ऐसी कौनसी तदाबीर हो सकती हैं जिनको इख्तियार करने से काश्तकारी में ही वह ज्यादा फायदा उठा सकें और फिर अगर काश्तकारी के करते हुए कोई दूसरा भी पेशा कर सकते हों तो करें; क्योंकि हमारे यहां काश्तकार लोग ही रहते हैं और काश्तकारी ही उनका खास पेशा है.

ट्रेड मेम्बर साहब.—प्रेसीडेन्ट साहब! जैसा कि पुस्तके साहब ने कहा है सवालात नम्बर ८ व ९ की अगराज पर गौर किया जाय तो करीब करीब उसूल दोनों सवालों का एक ही है और उसूल पर ही गौर होता है, इसलिये मैं दोनों सवालों का एक ही जवाब देता हूं.

पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं, कि गवर्नमेन्ट ने इस मुआमले में अब तक क्या किया और फिर पुस्तके साहब के रेजोल्यूशन का जवाब दूंगा. तारीख १८ अगस्ट सन १९२४ ई. को इका-

नॉमिक डिवलपमेन्ट बोर्ड की जो मीटिंग हो रही थी उसमें हुजूर मुअल्ला तशरीफ लाये थे. हुजूर मुअल्ला ने रियासत की बेहबूदी के मुतअल्लिक अपने ख्यालात जाहिर किये थे, उसमें सरकार का सजेशन यह था कि मैं यह चाहता हूं कि इकॉनामिक डिवलपमेन्ट बोर्ड सब से पहले इस बात का पता लगाये कि रियासत के नेचरल प्रोडक्ट्स कौन कौन हैं, कहां कहां और किस मिक्दार में पैदा होते हैं, और वह कहां कहां जाते हैं. दूसरे जिराअत के कौन कौन से जराये उनको तरक्की देने के लिये बेहतर तजवीज हो सकते हैं. मौजूदा छोटी या बडी इन्डस्ट्रीज में उनको किस तरह पर हम तरक्की पर ला सकते हैं. चुनांचे इसके बाद हुजूर मुअल्ला ने सर विश्वेश्वर साहब अय्यर से जो हिन्दुस्तान में इस काम के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, मशवरा किया. यह गवर्नमेन्ट की तरफ से इस कमेटी के प्रेसीडेन्ट भी मुकर्रर किये गये थे. उन्होंने कोई अपनी तजवीज पेश नहीं की, व सरकार को इस काम के लिये आदमी नहीं मिला; चुनांचे सरकार का ख्याल हुआ कि लतीफी साहब, आई. सी. एस. जो उस वक्त करनाल में थे इस काम के लिये मौजूं होंगे, क्योंकि पंजाब में उन्होंने यह काम किया है. इस बारे में उनसे खतो किताबत की गई और उनसे मशवरा लिया गया. उन्होंने एक तजवीज भेजी है जो अन्डर कन्सीडरेशन है और उम्मेद है कि जल्दी ही उसका निकाल होगा. इकॉनामिक सरवे की जो अगराज हैं उसके जैल में यह सवाल आ जाता है. उन्होंने अपनी सिफारिश को दो पार्टस में तकसीम किया है. पहला पार्ट यह है कि साइन्टीफिक एग्रीकल्चर के मुतअल्लिक तहकीकात की जाय, उसके बाद एग्रीकल्चरल बैंक्स और फिर कम्यूनिकेशन, फॉरेस्ट, इरिगेशन एज्यूकेशन, म्यूझियम, डिमॉन्स्ट्रेशन और रूरल पॉप्यूलेशन की जांच की जाय. लेबर की दिक्कतें और काश्तकारान की आयन्दा बहबूदी के लिये क्या करना है, इसकी जांच की सिफारिश की है. दूसरे पार्ट में उन्होंने यह सिफारिश की है कि दरबार, इन्डस्ट्रीज के इम्प्रूवमेन्ट के लिये क्या तजावीज अमल में लायें हैं, तीस साल के अन्दर इस में बडी व छोटी Industries शामिल हैं. छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज से मुराद यह है कि कॉटेज इन्डस्ट्री वगैरा. पुस्तके साहब ने कहा है कि जो मामला गवर्नमेन्ट के जेर गौर है उसमें टाइम बहुत लगेगा. इसके मुतअल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्कीम का बडा पार्ट जिसमें ज्यादा अर्सा लगता है वह मिनरल सर्वे के मुतअल्लिक है, जिसके मुतअल्लिक सोलह साल हुए, बहुत बडी मुकम्मिल तहकीकात हो चुकी है. America से एक Expert बुलाये गये थे और इस काम में करीब दो लाख रुपय सर्फ हुए थे. साहब बहादुर ने मुकम्मिल जांच करके अपनी तजवीज पेश की है. इस तरह जो सबजेक्ट इस कमीशन की एक्टीविटीज में आयेंगे उनका मसाला सब मौजूद है और काम अगर उसूल के साथ किया जावे, चाहे उसमें देर हो, तो नतीजा बेहतर बरामद होगा; लिहाजा किसी और कमीशन यानी खास कॉटेज इन्डस्ट्रीज के लिये कमीशन मुकर्रर करने की जरूरत मालूम नहीं होती. अलबत्ता इकानामिक सर्वे के मुतअल्लिक जो रिकमेन्डेशन्स हैं उनमें यह मामला आ सकेगा और कौन्सिल के हुजूर में पेश होने पर उम्मेद है कि जो दीगर बातें इस सिलसिले में आप साहबान की जानिब से जाहिर की गई हैं उन पर भी गौर हो सकेगा.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर वाला ! इस तजवीज की ताईद करने के कब्ल मैं ट्रेड मेम्बर साहब से यह सुनना चाहता था कि जिस कमीशन के मुतअल्लिक मेरे दोस्त मुजव्विज ने कहा था उसके बारे में क्या क्या किया गया या किया जा रहा है. अब मैंने यह सुन लिया है इसलिये कुछ अर्ज करना चाहता हूं. ट्रेड मेम्बर साहब ने जो कुछ कहा है उससे यह तजवीज और भी मजबूत हो गई है. यह तो जाहिर है कि इस बात की जरूरत महसूस करली गई. महसूस ही नहीं करली गई बल्कि उसके मुतअल्लिक बहुत कुछ कार्रवाई भी हो चुकी है. एक एक्सपर्ट ने इस

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ९.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

रियासत हाजा की Cottage (कॉटेज) और Localised industries को initiate और improve करने की गरज से एक कमेटी कायम की जावे जिसमें कि अलावा रियासत हाजा के दीगर इलाके के Experts व तजरुबे-कार भी शरीक किये जावें. यह कमेटी हर जिले की Local Condition खुसूसन raw materials व natural products को study करने की गरज से terms of reference व सवालात कायम करे और एक कमीशन कायम करके उसके सुपुर्द वह सवालात करे. यह कमीशन कम अज कम हर जिले में जाकर इन terms of reference के मुताबिक शहादत लेवे और उस पर से कमेटी मुकम्मिल रिपोर्ट मजलिस आम में पेश करे.

चतुरभुजदास साहब—हुजूर आली ! गो पोलिटिकल लिहाज से ग्वालियर स्टेट एक जुदा यूनिट (Separate unit) समझा जावे, लेकिन जहां तक कि आर्थिक परिवर्तन (Economic revolution) का ताल्लुक है, रियासत हाजा ब्रिटिश इन्डिया से मुख्तलिफ जुज नहीं कहा जा सकता,

इसके अलावा चूंकि हमको हमारे सामने के वाकआत से एक उसूल कायम करना है इस वजह से जैसा कि Inductive Logic (तर्क शास्त्र) का उसूल है, हमारी बहस का दायरा जितना वसीअ होगा उतना ही ऐसे वाकआत से जो उसूल कायम होंगे, ज्यादा मजबूत व सचाई को रखने वाले होंगे और इस वजह से मैं अपनी बहस के आधार के लिये जगह २ ब्रिटिश इन्डिया के वाकआत का हवाला देने की इजाजत चाहता हूं. जैसा कि जनाब वाला ट्रेड मेम्बर साहब ने फर्माया है कि सवाल नम्बर ८ व ९ का मकसद एक ही है, वह बिल्कुल मुनासिब है, दोनों सवालों का मकसद रिज्क (Bread problem) है.

सवाल यह है कि एक तरफ हम उन साहबान को देखते हैं जो कि बडे बडे पूंजीवाले और आमदनी वाले हैं जो कि अलावा अपनी जरूरियात के रफा करने के लाखों रुपया बचाते हैं. इस के बरअक्स वह लोग हैं जिनको कि अपनी जरूरियात का रफा करना तो दर किनार, मगर दोनों वक्त पेट भर के खाना भी मयस्सर नहीं, अर्थ शास्त्र के (economics) के लफ्जों में इसके मानी यह हैं कि जो रुपया हमारे समाज में आता है वह तमाम लोगों में यकसां तक्सीम नहीं होता (unequal distribution of wealth).

इत्तफाक से, या कहिये कि इन गरीबों की बदकिस्मती से, आज हमारी इस मजलिस में उन लोगों में से एक भी नहीं है जिस पर कि यह मुसीबत बीत रही हो, कैलाशवासी दरबार मुअल्ला सा होना तो बहुतही मुश्किल है जो कि तमाम असबाब ऐश व आराम रखते हुए भी इस सवाल को हल करने में उतने ही लगे रहते थे कि गोया यह तमाम मुसीबत उन्हीं पर बीत रही है. इन्सान का यह खास्सा है कि जिस पर जो बीत रही है वह ही उस आफत के सवाल को हल करने की फिक्र में ब मुकाबले दीगर लोगों के ज्यादा लगा रहता है और हत्तुल इमकान कोशिश भी करता है. यही वजह है कि चन्द साहबान ने यह फर्माया है कि सवाल नम्बर ८ व ९ में सिर्फ वक्त का ही फर्क है और यह भी फर्माया है कि जब कि गवर्नमेन्ट ने इस मसले को हाथ में लेलिया

है तो यह सवाल कभी न कभी हल होगा ही, लेकिन अगर यही मुसीबत इन साहबान के ऊपर बीत रही होती तो शायद इस रिज्क के सवाल को इस तौर पर हल करने की तजवीज न फरमाते. मुझे मालूम हुआ है कि Board of Economic Development ने भी इस सवाल को हाथ में लिया है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जिस spirit (रोशनी) में व जिन lines (तरीकों) पर व जिस रफ्तार के साथ यह बोर्ड काम कर रहा है उससे जाहिर होता है कि बोर्ड ने इस मसले को उतनी अहमियत नहीं दी है और न इस मसले को ठीक तौर पर समझा है, जैसा कि चाहिये.

यह रिज्क का सवाल हमारे यहां क्यों पैदा हो गया, इसकी वजूहात बहुत सी हैं, जिनका कि जाहिर करना मैं मस्लहत नहीं समझता. इतनाही जाहिर कर देना काफी होगा कि हमारे यहां जो हुनर या industries (दस्तकारी) वगैरा थीं और जिस वजह से कि तमाम लोग खुश व खुर्रम थे उनकी कुदरती मौत (natural deaths) नहीं हुई, बल्कि किसी ताकत ने ही जहर देकर अजीब तरीकों (mysterious ways) से कत्ल किया है.

इस सवाल को हल (solution) करने के वास्ते हमको inductive logic (तर्क शास्त्र) की मदद लेना होगी.

तवारीख खुसूसन दत्त साहब की Economic History of India मुलाहिजा करने से जाहिर होगा कि सन १७६७ ई० से सन १८३३ ई० तक या करीब करीब १८६७ तक यह रिज्क का सवाल लोगों के सामने नहीं था. कहा जाता है कि इसके कब्ल तो हमारे यहां के लोग और भी ज्यादा चैन से रहते थे. सन १८६७ ई० या सन १८३३ ई० से ही रिज्क का सवाल दिन ब दिन और भी सख्ती के साथ पैदा होता गया और आयन्दा हो रहा है. इन हरदो जमाने (periods) यानी सन १७६७ ई. से १८३३ ई. तक का एक जमाना, व सन १८३३ ई. से बाद का दूसरा जमाना, इन हर दो जमानों के Economic features (माली असबाबात या आर्थिक स्थिती) को जो हम बगौर देखें तो खास फर्क यह मालूम होगा कि जमाने अव्वल में हमारे यहां दस्तकारी (cottage industries) वगैरा बखूबी थीं और सन १८३३ ई. के बाद ही जब कि ईस्ट इंडिया कम्पनी (East India Company) ने अपना चारटर तजदीद कराया तो हमारे यहां की दस्तकारियों के लिये बरबादी का सामान तैयार हो चुका था और दिन ब दिन जाया हो रही थीं.

इससे हम लाजिमी तौर पर यही नतीजा अख्ज कर सकते हैं कि हमारी बहबूदी का बाइस या रिज्क के सवाल को हल करने का तरीका या कि उस सवाल के हल करने का जरिया जो कि दरबार मुअल्ला कैलाशवासी ने सम्वत १९८१ की मजलिस आम के Opening Speech में इरशाद फरमाया था या कि फर्द नंबर १ के सवाल नंबर ३ को तय करने के लिये अगर कोई तरीका है तो वह हमारे यहां की दस्तकारी (Cottage Industries) हैं.

जैसा कि मैंने अव्वल अर्ज किया है कि जिस spirit (रोशनी) में यह काम किया जाना चाहिये वह नहीं किया जाता है, उसका बाइस चंद गलत फहमियां हैं. जो कि मिस्टर मॉरीसन सरीखे बडे बडे अर्थ शास्त्री (Economists) ने बडी बडी किताबें तैयार करके और हम लोगों को मुगालता देकर पैदा कर दी हैं, जिनको कि रफा करना भी मैं मुनासिब समझता हूं.

यह ख्याल किया जाता है कि हमारे देश को कुदरत ने काश्तकारी पैदावार के लिये ही पैदा किया है, यानी उसका दारमदार काश्तकारी (Agriculture) पर है. यही वजह है कि आज चंद साहबान ने सवाल नंबर ८ के मुतअल्लिक यह जाहिर किया कि दस्तकारी के

कारखानेजात तो कायम किये जावें मगर जो लोग काश्त की तरफ रुजू हैं वह लोग कहीं दूसरे हुनर की तरफ न चले जावें. जवाबन गुजारिश है कि हमारा देश जैसा कि बना दिया गया है सिर्फ जराअती (Agricultural country) मुल्क हरगिज न था जैसा कि मिस्टर मारटिन (Mr. Martin) की शहादत सन १८४० ई. की सिलेक्ट कमेटी के सामने जो हुई थी उससे जाहिर होता है कि " India is as much a manufacturing country as an agricultural and he who seeks to reduce her to the position of an agricultural country seeks to lower her in the scale of civilisation. I do not believe that India is to become the agricultural farm of England; she is a manufacturing country; her manufactures of various descriptions have existed for ages and have never been able to be competed with by any nation whenever fair play has been given to her." सन १९६७ ई० से सन १८३३ ई० के दरमियान में की तवारीख से साबित होता है कि इन अय्याम में १६,००० तक दस्तकारी की गांठें दूसरे मुल्क में हमारे यहां की जरूरियात पूरी करके भेजी जाती थीं, और हमारे यहां की इस तिजारत को नष्ट करने की गरज से बावजूद होने पोलिटिकल इम्दाद के, दूसरे मुल्कों को ७० फी सदी से ४० फी सदी तक हमारे यहां के माल पर महसूल (protection duty) लगाना पडा था.

जबकि यह अम्र मुसल्लिमा है कि साबिक में बमुकाबले आज के आबादी कम थी और दस्तकारी वगैरा भी मौजूद थी और काश्तकारी भी की जाती थी तो वह कैसे मुमकिन था ? दर असल बात यह है कि हमारे यहां दस्तकारी न रहने की वजह से जो लोग दस्तकारी से अपना पेट भरते थे उनका दारमदार भी सिर्फ काश्त पर रह गया और अब हम लोग सिर्फ अपने यहां की जरूरियात के लिये ही काश्त की पैदावार नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों के लिये भी पैदा करके अपने यहां की जमीन पर गैर जरूरी बोझा डाल दिया है जो अर्थ शास्त्र के लिहाज से (Law of diminishing return) बहुत ही मुजिर है.

यह भी कहा जाता है कि काश्तकारों को फुरसत ही नहीं मिलती कि वह दस्तकारी का काम कर सकें. इसके मुतअल्लिक अव्वल तो यह जवाब है कि आखिर इतने लोग जराअत के उद्योग में लगें ही क्यों और अलावा हमारे यहां की जरूरियात के दूसरे मुल्क के लिये भी गल्ला पैदा क्यों करें, दोयम अगर हर खानदान काश्तकार यह अपना उसूल कायम करले कि जिस तरह से कि दीगर जरूरियात, मिस्ल रोटी पकाना, वगैरा के लिये काश्तकारी से वक्त बचाना ही पडता है, इसी तरीके से खाने के बाद जो दूसरी जरूरियात हैं यानी कपडा वगैरा, उनकी तैयारी में भी काश्तकारी के काम से वक्त बचाना लाजिमी है, तो यह सवाल ही कायम नहीं रहता. इसके अलावा बच्चे व कमजोर औरतें या वह लोग जिनके खानदान में काश्तकारी पेशा तो हैं लेकिन जिस्मानी कुव्वत इस कदर नहीं है कि वह खेत पर जाकर काम कर सकें तो ऐसे लोग भी दस्तकारी के काम व दूसरे उद्योग में ज्यादा फायदे के साथ अपना वक्त सर्फ कर सकते हैं.

अव्वल में मैं अर्ज कर चुका हूं कि इकॉनामिक बोर्ड जिन lines (तरीकों) पर काम कर रहा है वह ऐसी हैं कि उसके मकसद हासिल करने में सिर्फ देर ही नहीं लगेगी बल्कि दूसरे मुल्क के माल के साथ मुकाबला (competition) करने व उनसे बचा कर अपने यहां के माल को तरक्की देना (protection), इन हर दो सवालात को हल करना भी आसान न होगा.

मेरा मकसद यह नहीं है कि बोर्ड ने जो तरीका (lines) इख्तियार किया है वह तर्क कर दिया जावे बल्कि मेरा मकसद व सवाल नंबर ८ का मकसद खास यह है कि जो आज औसतन

५ पैसे रोज की आमदनी है या कि मिसाल के तौर पर एक मजदूर किसी बडे कारखाने में मजदूरी करके जो मुआवजा लाता है और फिर जब कपडा खरीदने जाता है तो वहीं कपडे के कारखाने का मालिक कपडे की कीमत चार्ज करने में सिर्फ इखराजात जो कि उसको कपडे बनाने में हुवे हैं शामिल नहीं करेगा, बल्कि अपना मुनाफा व अपनी मेहनत का मुआवजा भी कपडे की कीमत में शुमार करेगा और इस तरीके से वह मजदूर अपनी उस मजदूरी को ही जोकि उसी कपडे बनाने वाले के यहां से लाया था, वापिस न कर आवेगा, बल्कि उसके अलावा भी अपने पास से कपडे वाले को मुनाफा पूरा करने के लिये देना होगा. नतीजा यह है कि आमदनी कम और सर्फा ज्यादा. पस हमको फिलफौर वह तरीके इख्तियार करना चाहिये जिन से कि इस किस्म की दिक्कत रफा हो जावे और या तो पांच पैसे रोज की आमदनी का औसत बढ जावे या काश्तकारान अपनी जरूरियात को पैदा करके एक दूसरे के ग्राहक (Customers) बनकर अपने इखराजात में कमी कर सकें. इसके लिये गो मेरी तजवीज जरूर है कि इन तमाम मसलों को हल करने के लिये कमेटी कायम की जावे लेकिन यहां सिर्फ यह(suggest) इशारा करना काफी होगा कि Polytechnic system जिसकी की तशरीह ऊपर की जा चुकी है (यानी एक दूसरे के ग्राहक होना) अव्वल जारी करके लोगों की जरूरियात पूरा करके उनको खाना बहम पहुंचाकर Cottage Industries (दस्तकारी) वगैरा बडे पैमाने पर कायम हो सकती हैं. इन वजूहात के साथ मैं यह तजवीज पेश करता हूं.

कृपाशंकर साहब—हुजूर वाला ! यह तजवीज जो मजलिस के रूबरू मेरे एक मुअज्जिज दोस्त ने पेश की है उसकी मैं ताईद करता हूं. मुझे उनकी तकरीर से मालूम हो गया कि गुजिश्ता जमाने में यहां क्या क्या पैदावार होती थी. मैं अंग्रजीदां नहीं हूं चुनांचे अगर कोई गलती हो तो माफ फरमाई जावे. मेरे दोस्त ने सन १८३४ या ३५ से पहिले यहां क्या तिजारत होती थी इसका जिक्र किया है. सबसे पहिले हिन्दुस्तान ही एक ऐसा मुल्क था कि जिसने तमाम मुमालिक में अपनी सनअत व हिरफत को चमका दिया, मगर अब इसका जिक्र करने से क्या नतीजा, ब कौल कि "पिदरम सुल्तां बूद माराचे" अब जरूरत हमें यह महसूस हुई है कि हम अपनी गिरी हुई हालत को किस तरह मंजिल मकसूद तक पहुचावें. जो कुछ हम में कमजोरियां या कमी हैं उनके लिये गवर्नमेन्ट से इस्तदुआ करें और जहां तक हमारा काबू चले कोशिश करें. जो तबका अपने आप उठने की कोशिश नहीं करता वह कोई उम्दगी पैदा नहीं कर सकता, हमको अपने पैरों पर खडे होने की कोशिश करना चाहिये. हमारे दिलो दिमाग बिलकुल सुस्त हो गये हैं. यहां की ८० फी सदी रिआया जो काश्तकारी पेशा है, मुफलिसी में मुब्तला है. ब कौल कि "शबचु अक्दे नमाज बरबन्दम्—चि खुरद बामदाद फरजन्दम" पेट तो हमारा खाली है, इसलिये यह मुनासिब मालूम होता है और गवर्नमेंट से आजिजाना इस्तदुआ की जाती है कि वह हमें अपने पांव पर खडे होने की ताकत बख्शे.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला ! मेरा तो ख्याल यह था कि ट्रेड मेम्बर साहब ने जो तकरीर सवाल नम्बर ८ के सिलसिले में फरमाई है उससे मुजव्विज साहब को तसल्ली हो जावेगी, जिन बातों का इस सवाल में तजकिरा किया गया है जब कि उन बातों की बाबत हस्ब तकरीर ट्रेड मेम्बर साहब कमीशन मुकर्रर होने वाला है तो फिर इस सवाल की जरूरत नहीं रहती. मैं अपने दोस्त से इल्तजा करता हूं कि वह इस सवाल को वापिस लें. उन्होंने अपनी तकरीर व तजवीज में अंग्रेजी लफ्जों का ज्यादातर इस्तेमाल किया है. चूंकि सब ही मेम्बरान मजलिस आम अंग्रेजी दां नहीं हैं इसलिये मुझे उम्मेद है कि वह तजवीज इस तौर पर तैयार करेंगे जिसको सब साहबान समझ सकें.

वाटवे साहब—हुजूर आली ! मेरे लायक दोस्त ने जो तजवीज पेश की है उसकी ताईद में गुजारिश करते हुए चन्द गलत फेहमियों को मजलिस में पेश करता हूं. आपने जो आंकड़े पेश किये हैं उनको देखते हुए यह पाया जाता है कि किसी न किसी वजह से नुकसान तो हुआ है मगर वह नुकसान किस जरिये से है उसके देखने का यह मौका नहीं है. मुजव्विज साहब ने १५,००० गांठों का तो जिक्र किया मगर इस बारे में कोई वाकफियत नहीं दी कि उन दिनों में मजरूआ जमीन कितनी व गैर आबाद कितनी थी. आपने यह भी फरमाया है कि उन दिनों में ऐसी ऐसी बातें होती थीं जिनसे हम खुशहाल थे. अब वह बातें नहीं होतीं, इस वजह से हम पर मुसीबत आगई है. बादिउन्नजर में यह सही है कि कच्चे माल का बाहर जाना बड़ी मुसीबत है. वह मुसीबत, सवाल नम्बर ८ जो पुस्तके साहब ने हुजूर की खिदमत में पेश किया है उससे जाहिर होती है. उस तजवीज से कच्चे माल का बाहर जाना या दलालों के हाथ में पहुंचना बन्द हो जावेगा और काश्तकार पेशा लोगों की फिलहाल जो हालत गिरी हुई है वह नहीं रहेगी; लिहाजा जैसा कि जगमोहनलाल साहब ने फरमाया है, इस सवाल को सवाल नंबर ८ के साथ पैवस्ता कर दिया जाये.

जगमोहनलाल साहब—मेरी तजवीज यह नहीं है कि सवाल नम्बर ९ को सवाल नंबर ८ के साथ पैवस्ता कर दिया जावे.

प्रेसीडेंट साहब—इस मुआम्ले पर काफी बहस हो चुकी है. इस बारे में डिपार्टमेंट से क्या किया जारहा है, यह ट्रेड मेम्बर साहब ने जाहिर कर दिया है लिहाजा वोट लिये जायें.

ठहराव— वोट लिये जाने पर कसरत राय से तजवीज ना मंजूर की गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १०.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

ऐसी industries मिस्ल Cotton Ginning Factories के जो कि Law of Constant return के ताबे हैं और जिनसे छोटे Capitalist भी फायदा उठा सकते हैं इनके जारी करने में Policy of laisses fare or let alone के खिलाफ गवर्नमेंट किसी किस्म की कैद मिस्ल इजाजत लेना वगैरा आयद (impose) न करे.

चतुर्भुजदास साहब—हुजूर आली ! Law of constant return से मुराद अर्थ-शास्त्र यानी economics के उस उसूल से है कि जिसके मानी यह होते हैं कि अगर १००) रुपया सर्फ करने से ५) रुपया मुनाफा होता है तो जैसे २ पुंजी में इजाफा होता जावेगा, करीब २ उसी तनासुब से मुनाफे में भी इजाफा होता जावेगा. मिसाल के तौर पर जिनिंग फेक्टरी एक ऐसा कारखाना है जोकि ताबे इस उसूल के है. इसके बरअक्स ऐसे उद्योग (Industries) हैं जोकि ताबे इस उसूल अर्थ-शास्त्र के होते हैं कि पूंजी और पूंजी के मुनाफे का तनासुब पूंजी के साथ २ बढ़ता जाता है गो इब्तदाअन कम पूंजी लगाने से नुकसान भी हो.

किसी उद्योग (Industry) के शुरू होने के कब्ल स्टेट का उसूलन सिर्फ इतना ही फर्ज होना चाहिये कि आया जो पूंजी लगाई जा रही है वह इस कदर काफी है, कि उस शख्स

को उस खास उद्योग में नुक्सान तो न होगा. स्टेट को सिर्फ एक शख्स के फायदे को मद्दे नजर रखते हुए ऐसी कोई कैद आयद न करना चाहिये कि जिससे दीगर छोटी पुंजी वाले, जो कि छोटे कारखाने मिस्ल ऑइल एन्जिन से चलनेवाली जिनिंग फेक्टरीज कायम कर सकते हों, को नुक्सान पहुंचे.

मिसाल के तौर पर जो मौजूदा कैद जिनिंग फेक्टरीज के कायम करने में आयद की गई है उससे हस्ब जैल नुक्सान है और कैद न रहने से जो फवायद हैं वह भी जैल में अर्ज किये जाते हैं:—

(१) सिर्फ एक शख्स जिसका कि कारखाना कायम हो चुका है सिर्फ उसको फायदा होता है बकिया जो लोग और भी कारखाने कायम कर सकते हैं उन सब को नुकसान होता है और Society के Maximum good के बजाय individual maximum good कायम रहता है जो कि खिलाफ उसूल अर्थ शास्त्र के है.

(२) Unequal distribution of wealth यानी सिर्फ एक ही शख्स हमेशा के लिये मुनाफा उठाता रहे और दूसरे शख्स कारखाने के उद्योग से जो फायदा उठा सकते हैं उससे हमेशा महरूम रहें.

(३) मुख्तलिफ किस्मों के कपास की रुई को अलहदा रखकर बेचने से जमींदारों व काश्तकारों को ही सिर्फ फायदा नहीं होता बल्कि रुई की तिजारत को बहुत बडी मदद मिल सकती है और seed selection यानी अच्छे बीज कपास को खराब बीज से छांटना यह उसी वक्त मुमकिन है कि जब कि बजाय एक या दो जिनिंग फेक्टरीज के बहुत सी छोटी छोटी जिनिंग फेक्टरीज ख्वाह oil engine से ही क्यों न चलाई जावें और दो दो चार चार ही मशीन्स क्यों न हों, हर मुकाम बल्कि बडे बडे हर फार्म पर कायम किये जावें.

(४) आज कल की जिनिंग फेक्टरीज के मालिकान सिर्फ फेक्टरीज ही का काम नहीं करते बल्कि खुद भी रुई का व्योपार करते हैं और इस वजह से जिस वक्त कि रुई का भाव तेज होता है तो यही मालिकान फेक्टरीज अपने खुद का कपास पील कर तेजी निर्ख से फायदा उठा लेते हैं और दीगर व्योपारियों का माल वक्त पर न पीले जाने की वजह से उनको नुक्सान होता है.

(५) इस किस्म की छोटी छोटी फेक्टरीज कायम होजाने से दूसरे सहायक उद्योग (accessory industries) मस्लन सुतारी, लुहारी वगैरा को भी उत्तेजन मिलेगा.

(६) ऐसी बहुत सी फेक्टरीज कायम हो जाने से लोगों का ख्याल कुदरतन सूत कातने व बुनने की industries (उद्योग) की तरफ रुजू हो जावेगा.

(७) जो माल एक जिनिंग फेक्टरी या दो जिनिंग फेक्टरीज में इकट्ठा होकर अप्रेल, मई तक पयीला जाता है और मौसम का खतरा व सूत का नुक्सान व निर्ख के रद्दोबदल के खतरे व्योपारियान को बरदाश्त करना पडते हैं, अगर बहुतसी फेक्टरीज कायम होजावें तो इन ही व्योपारियान व छोटे पूंजी वाले आदमियों को यह नुक्सान बरदाश्त न करना पडे. बवजूहात सदर में हुजूर की खिदमत में यह तजवीज पेश करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब—इसकी ताईद कौन करता है?

कृपाशंकर साहब—मैं ताईद करते हुए अर्ज करता हूं कि तजवीज के अच्छे होने में कलाम नहीं, मनावर मुकाम पर ट्रेड मेम्बर साहब का यह हुक्म हुआ है कि ऐसे काम के लिये इजाजत की

जरूरत नहीं है. ऐंजिन दो किस्म के होते हैं. आयल ऐंजिन से कोई नुक्सान नहीं होता, भापके ऐंजिन से इन्सान की जान को खतरा पहुंचता है; इसलिये गवर्नमेन्ट का खास फर्ज है, कि वह उसके देख भाल के लिये किसी पासयाफ्ता शख्स को मुकर्रर करके ऐसा इन्तजाम करे कि जिससे जान इन्सान को खतरा न पहुंचे. मेरे दोस्त ने कपास की बाबत कहा है. पहिले यह तरीका था कि १२ मन कपास में चार मन रुई का बोझा बन्धता था, अब ब्योपारियों ने अपना वजन बढाने के लिये यह तरीका इख्तियार किया है कि बिनोले पीस कर रुई का वजन बढाने के लिये रुई में मिला देते हैं. चुनांचे जनाब सूबा साहब जिला को मैंने २५, २६ चरखों का माल मुलाहिजा कराया कि इसमें एक तिहाई और एक चौथाई बिनौला मिला हुआ है. जब तक इस बिनौले के पिसवाकर न मिलाये जाने बाबत इन्तजाम न होगा उस वक्त तक फायदा होना गैर मुमकिन है. छोटे छोटे हिस्से में आॅयल ऐंजिन लगाकर कार्रवाई जारी करें तो कोई कानूनी रोक नहीं है. मेरे मुअज्जिज दोस्त ने नैशकर का जिक्र किया है. हमें तो भूख लगी है, गल्ले की जरूरत है. जनाब मुहम्मद अख्तर साहब भी यहां तशरीफ रखते हैं. साहब मौसूफ ब हैसियत प्रेसीडेन्ट जमाअत काश्तकारान नैशकर लेकर गये थे, मगर नतीजे में नाकामियाबी रही. शकर हम मजे के लिये खाते हैं, हमें तो गल्ले की जरूरत है जिससे हमारा पेट भरे, इसकी कोई तदबीर बताई जावे.

ट्रेड मेम्बर साहब—मुजव्विज साहब ने कारखानों के मुतअल्लिक जो चन्द रिस्ट्रिक्शन्स बताये हैं वह तजुर्बे के बाद कायम किये गये हैं. मन्शा यह है कि इलाके की पैदावार की हालत देखकर जदीद कारखानेदारों को मंजूरी दी जावे, ताकि मौजूदा कारखानों को नुक्सान न पहुंचे. इस वास्ते जो आफिसरान इसकी मंजूरी देते हैं यानी जिनसे इसकी मंजूरी का तअल्लुक है वह दूरन्देशी की निगाह से सब उमूर को देख कर मंजूरी देते हैं. हर मामले में practical view लेना अच्छा होता है. दरबार की यह पॉलिसी है कि जहां तक हो, कारखानों को बढाना, लेकिन साथ ही इसके यह भी पॉलिसी है कि जो कारखाने मौजूद हैं उनमें competition की वजह से कोई रुकावट न हो. इस वजह से मुझे तजवीज से इत्तफाक नहीं है. कौन्सिल के जेर गौर यह बात है कि कस्टम के तअल्लुकात में जो ऐसी रुकावटें हों जिनसे तिजारत को या Factories को नुक्सान पहुंचता हो उन पर गौर करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की जावे. अगर वाकई कौन्सिल ने इस मसले पर गौर फरमाया तो मुजव्विज साहब को मैं यकीन दिलाता हूं कि उनका सवाल कमेटी में गौर करने के लिये भेज दिया जावेगा.

प्रेसीडेन्ट साहब—किस वजह से रोक रखी गई है, इसका हाल ट्रेड मेम्बर साहब ने जाहिर किया है और मुजव्विज साहब का यह कहना है कि यह रोक हटादी जावे. पस मैं आप साहबान से वोट लेना चाहता हूं कि इस वक्त जो कार्रवाई अमल में आरही है क्या उसके बदलने की जरूरत है. जिन साहबान को रोक रखे जाने से इत्तफाक है वह अपना सीधा हाथ उठावें.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि जो तरीका मुरव्विज है वह बदस्तूर कायम रहे.

नोट:—इसके बाद प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया कि आज का काम खत्म किया जाता है. परसों यानी तारीख २० मार्च सन १९२६ ई० को मजलिस का इजलास १२ बजे शुरू होगा.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार
सम्वत १९८२.

सेशन पांचवां.

इजलास सोयम.

शनिवार, तारीख २० मार्च सन १९२६ ई०, वक्त १२ बजे दिन,
मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई. ई.,
(वाइस-प्रेसीडेन्ट कौंसिल)

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीर खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. श्रीमंत सदाशिवराव खासे साहब पंवार, होम मेम्बर.

४. राव बहादुर रावजी जनार्दन साहब भिडे, मुन्तजिम बहादुर, फायनेन्स मेम्बर.

५. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल-मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

६. राव बहादुर कैप्टिन बापूराव साहब पंवार, मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर.

७. मेजर हश्मतउल्लाखां साहब, ऑफिशियेटिंग मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

८. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मुहम्मद-खेडा (शुजालपुर).
२. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, वफादार दौलते सिंधया, लश्कर.
३. श्री राजा भवानीसिंह साहब, शौपुर, बडौदा.
४. राजा रतनसिंह साहब, जागीरदार, मकसूदनगढ.
५. राय बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढावलाधीर.
६. जामिन अली साहब, भेलसा.
७. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.
८. औंकारनाथ साहब, मुरार.
९. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुश्तरी (महगांव).
१०. मानिकचन्द साहब, भिंड.
११. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).
१२. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
१३. महादेवराव साहब, जाऊदेश्वर.
१४. सदाशिवराव साहब हरी मुले, डामरौन कलां.
१५. सुन्नालाल साहब, शिवपुरी.
१६. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).
१७. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.
१८. बलवंतराव साहब बागरी वाले, भेलसा.
१९. जगन्नाथप्रसाद साहब, मौजा भीलवाडा (शाजापुर).
२०. बागमल साहब, आगर.
२१. करमचंदजी साहब, उज्जैन.
२२. मयाराम साहब, चंदूखेडी (उज्जैन).
२३. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.
२४. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझेरा).
२५. लालचंद साहब, राजगढ.
२६. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, भिन्ड
२७. हरभानजी साहब, मुरैना.
२८. सेठ अनन्दीलालजी साहब, श्योपुर.
२९. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.
३०. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना.
३१. चतुर्भुजदास साहब, वकील, आगर.
३२. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.
३३. कृपाशंकर साहब, बडिया (बाकानेर).
३४. रखबदास साहब जौहरी, लश्कर.
३५. लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी, गुना.
३६. धुन्डीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
३७. बिन्द्रावन साहब, भिन्ड.
३८. गुलाबचन्द साहब, शिवपुरी.
३९. दामोदरदास साहब, शाजापुर.
४०. चौधरी फौजदार रंधीरसिंह साहब, सकवारा दनौला.
४१. राव हरिश्चन्द्रसिंह साहब, बिलौनी.
४२. शंकरलाल साहब, मुरार.
४३. रखबदासजी साहब, उज्जैन.
४४. बटुकप्रसादजी साहब, उज्जैन.
४५. रामेश्वर शास्त्री साहब आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.
४६. गोविन्दराव चिन्तामण साहब वाटवे, उज्जैन.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ११.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

रियासत हाजा की तरक्की होने के लिये अव्वल जरिया काश्त ही है, ऐसा इस वक्त के देखने से मालूम होता है, और इस वक्त काश्त में जो हर्जा होता है उसकी वजह क्या है यह इस मूजिब जाहिर हुई, मस्लन:—

काश्तकारों के हलवाहे (हल हांकने वाले) काश्तकारान से सैकड़ों रुपये पेशगी लेते हुए मुआहिदे फिस्ख करके फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से काश्तकार कीमती व काफी काश्त करने से मजबूर होता है; इसलिये इन्तजाम हलवाहों का होना मुनासिब; लिहाजा नीचे लिखे हुए मुताबिक इन्तजाम होना चाहिये:—

(१) किसी काश्तकार का हलवाहा फरार हो या मुआहिदा फिस्ख करके काम करने से रह जावे तो वह बजर्ये वारन्ट गिरफ्तार होकर साल खत्म होने तक जमानत पर या जात मुचलके पर काश्त का काम करने के लिये काश्तकार के सुपुर्द किया जावे.

(२) बाद खत्म साल उसके जिम्मगी का रुपया जो हो, अदा करने पर हलवाहेगिरी से छुटकारा पा सकता है. अगर रुपया अदा न करे तो छुटकारा हलवाहे का नहीं हो सकता.

ऊपर लिखे मूजिब सरक्यूलर इजरा होने से इन्तजाम माकूल हो सकता है और जमींदारान व काश्तकारान का हर्जा न होकर तरक्की काश्त में इम्दाद होकर स्टेट की सरसब्जी होगी.

वामनराव साहब पाटनकर.—मुझे मालूम हुआ है कि इस तजवीज के मुतअल्लिक अहकाम जारी हो चुके हैं, लिहाजा मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

नोट:—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १२.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

दरबार आलिया से मशीनरी प्रचार के लिये जरूरी हिदायात हैं, लेकिन उमूमन इसका अमल दरामद पाया नहीं जाता. इसको अमली जामा पहनाने के लिये एक सब-कमेटी बनाई जावे.

कृपाशंकर साहब—हुजूर वाला! दुनियां में अगर कोई आला खिदमत इन्सानी कही जा सकती है, तो यकेबादीगरे नावाकफियत को हटाना या दूर कर देना ही है.

मेरा मक्सद यह है कि इस सवाल को अमली जामा पहनाने में क्या क्या रुकावटें हैं. हुजूर महाराजा साहब कैलाशवासी के उन इरशादात की, जिनकी ड्यूटी बजमाने नाबालगी मेम्बरान मजलिस

पर लाजमी है और नीज अपनी जमीर की आवाज और अपने जिले के जनाब सूबा साहब के कास्टिंग बहवट, तीनों का अहतराम करते हुए साफ साफ अर्ज कर देना है, मय उसकी इस्लाही तदाबीर के.

कल हुजूर वाला एग्रीकल्चर मेम्बर साहब ने फख बारयाबी अता फरमाया और एक सच्चे बुजुर्ग-बिहीख्वाह की हैसियत से इस सवाल की बाबत पूरी वाकफियत से भी बहैरा अन्दोज हुआ कि जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंच सका, जो मैं अर्ज करूंगा, इसलिये उनका तहेदिल से मशकूर होता हूं.

मशीनरी से मेरी यह मुराद नहीं है कि हजारों रुपये की कीमती मशीनरी गवर्नमेन्ट से अस्सी फीसदी रिआया को दिलाकर दरबार का करोड़ों रुपया बेकार करदूं; लेकिन यह भी नहीं चाहता कि कोई फर्द बशर पेशावर दरबार आली के फैज व करम से महरूम रह जाये.

यह उम्मेद हमारी उस तबका जमाअत से कि जो उलूम व फनून सीखने को मुमालिक गैर में मुद्दत से जाते आते रहे हैं और नीज उन जलीलउलकदर ओहदेदारों से कि जो उलूम व फनून के मोअज्जिज ओहदों पर मुमताज हैं, वाबस्ता है, कि जो रियासत के ऐसे कारखानों या सीगेजात में अमली काम कर रहे हैं या जो मशहूर इंजीनियर हैं, उनकी एक कमेटी बशमूल चंद जमींदारान तहकीक व तफतीश मुकामी को बनाई जाय.

मेरा अब तक यही ख्याल जमा हुआ है कि जो जमाअत मुमालिक गैर को बगरज तरबियत तालीम भेजी गई है उससे दरबार आली का यही मकसद था कि वह फारिगुल तहसील इल्म होकर बाद वापसी रियासत के आलात मुरव्विजा में अपने सीखे हुए उलूम और जाती तजुर्बे से नुमांया तब्दीली करदें, न यह कि बाद वापसी उन मुमालिक के कुल पुर्जों की खरीदारी पर कमरबस्ता होकर लाखों रुपया भिजवाया करें.

हमारे आलात काश्तकारी बहुत कम कीमत के होते हैं; पस जरूरत इसकी है कि वह अपनी कुव्वत दिमागी से दीगर मुमालिक के बने हुए आलात का जरूरी कारआमद हिस्सा रायजुल वक्त आलात के कारआमद हिस्से में वस्ल या चस्पां करदें, ताकि हर गरीब तबका उससे हस्ब हैसियत फायदा उठा सके.

यह किस तरह होगा, क्योंकर होगा, यह उन्हीं माहिरान फनून की ड्यूटी है. उनको अपनी ड्यूटी का काम हमसे लेने में भारी भूल है.

अगर मेरे कान में खुदा न ख्वास्ता यह आवाज आवे कि नहीं हो सकता, तो मैं तो कबूल करने से इन्कार करदूंगा, जैसा कि मेरे आकाय नामदार, जन्नत आरामगाह, आली जनाब नव्वाब गुलाम एहमदखां साहब एहमदी, मेम्बर सीगे तालीम ने इस तरह तलकीन फरमाई है कि—"वह कौनसा उकदा है जो वा हो नहीं सकता. हिम्मत करे इन्सान तो क्या हो नहीं सकता".

अब दूसरी ड्यूटी जो मजालिस की है वह भी अर्ज की जाती है, कि ऐसी जमाअत के लिये सर्फा और उसकी बहम रसानी के सवाल पर गौर करने को तो मजलिस तैयार है कि वह जनाब वाला फाइनेन्स मेम्बर साहब से अर्ज करे कि वह मौजूदा जरूरत की मंजूरी दें और आयन्दा बजट में काफी रकम का इन्दराज फरमायें, जब कि दूसरा हिस्सा शेर ममदूह मगफूर का बड़ाही हौसला अफजा तालीम दे रहा है.

उलुल अजमान दानिशमंद जब करने पर आते हैं, समुंदर पाटते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं. यही दो शेर मेरी जिन्दगी का दस्तूरुल अमल रहे हैं, कि जिन्होंने घनघोर घटाओं में भी मायूसी

और ना उम्मैदी से बचाया है. पस मैं कोई वजह नहीं पाता कि मेरा मारूजा नामुमकिन होगा, हां दुशवार जरूर है, मगर जरूरत हर ईजाद की मां है और गौर और खौज दुशवारियों को हमेशा से हटाता चला आ रहा है

मुझे यह भी मालूम हो चुका है कि हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग तजुर्बे में मुमालिक गैर के बाशिंदों से कमजोर नहीं हैं, फर्क इतना है कि दीगर मुमालिक के सन्नाअ, दस्तकार एक कसीर जमाने तक अपने तजुर्बे को करते रहते हैं, क्योंकि वह कूत बसरी के रोजाना तफक्कुरात से आजाद हैं, हिंदुस्तानी भाइयों को शाम से ही सुबह के लिये फिक्र पैदा हो जाती है, इसलिये मैं अपने मोहतरिम, दाना व बुजुर्ग, आली जनाब पोलीटिकल मेम्बर साहब से उनकी तदब्बुर और कुव्वते बरदाश्त पर नाज करते हुए यह अर्ज करने की जुरअत करता हूं कि अगर साहब मम्दूहउलमदह के आला ख्यालात व तजर्रुबात जाती तमाम रियासतहाय हिंदुस्तानियों से अपनी अपनी अजमत व सरवत को मद्दे नजर रखते हुए एक मुत्तहद सरमाया फराहम करादें तो यह ऐसाही होगा, जैसे हमारे महाराजा कैलाशवासी का नाम नामी चार दांग आलम में ताअबद कायम व बरकरार रहेगा, और यह तजवीज भी उसके दूसरे दर्जे पर हो सकेगी. जबकि दरबार शहन्शाह अकबर में ९ ही रत्न थे लेकिन गवालियार गवर्नमेन्ट में इस्म बा मुसम्मा खिताबी एक और एक ग्यारह रत्न चमक दमक रहे हैं और जबकि यह मसला आम है—**यही है इबादत यही दीनो ईमां–कि काम आवे दुनियां में इन्सां के इन्सां.**

प्रेसीडेन्ट साहब—ताईद कौन करता है ?

वाटवे साहब.—कमेटी मुकर्रर करने के बारे में और मशीनरी प्रचार में लाने के बारे में, मैं ताईद करता हूं. यह मशीनरी क्यों प्रचार में नहीं आती है. इसमें दिक्कत अलग अलग हैं. अव्वल सरकार की मदद की जरूरत है, दूसरे वर्क-शाप होना चाहिये, क्योंकि एक पैसे भर पुर्जा अगर टूट गया तो १०) रुपये खर्च होते हैं. मशीनरी का प्रचार न होने की वजह यह है कि वर्क-शाप नहीं है, वर्क-शाप जाबजा होना चाहिये और वर्क-शाप में जो दुरुती हो वह सस्ते रेट से होना चाहिये और ऐसे वर्क-शाप मशीनरी के करीबतर होना चाहिये.

लक्ष्मीनारायण साहब.—हुजूरे आली ! तजवीज जो पेश की गई है वह नामुकम्मिल है. तजवीज पेश करने वाले को उसके हल करने की तदबीर बताना चाहिये कि किस किस्म की मशीनरी खरीदी जाय और वह कहां से खरीदी जाय.

मंगालाल साहब ने पार साल एक तजवीज हलवाहों के बाबत पेश की थी कि जमींदार लोग हलवाहों को तंग करते हैं, और इस बारे में प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, सम्वत १९८१ के सफा नम्बर ५० में कुल हाल दर्ज है (किताब में से पढकर सुनाया गया).

चुनांचे इस तजवीज की बाबत मुजव्विज साहब ने कोई तरीका नहीं बतलाया है. साल आयन्दा, वह तजवीज उनको मुकम्मिल करके पेश करना चाहिये.

चतुर्भुजदास साहब. —हुजूरे आली ! जनाब लक्ष्मीनारायण साहब ने जो फरमाया है उससे मुझे इख्तलाफ है. यह लाजिमी नहीं कि जो साहब तजवीज पेश करें वह उसके हल करने का तरीका भी बतलावें. यह तजवीज ऐसी है जो जमींदार खुद महसूस करते हैं, और हम लोगों का काम या जिनको परमेश्वर ने इस काबिल बनाया है उनका यह काम है कि इन दिक्कतों को रफा करने की तजवीज बनावें. मुजव्विज साहब ने जो तजवीज पेश की है उससे मुझे इत्तफाक है और अमली दिक्कतें किस तरह रफा होंगी, इसके हल करने को एक सब-कमेटी मुकर्रर की जाय.

एग्रीकलचर मेम्बर साहब.—खेती के आलात व मशीनरी जो फायदेमन्द पाई जाती हैं उनको एग्रीकलचर इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट में मंगवाया जाता है और सेंट्रल फार्म पर रखा जाता है, ताकि तजरुबा उनका किया जाय. जिस वक्त मशीनरी ठीक साबित होती हैं उस वक्त देहात में प्रचार के लिये दी जाती हैं.

दरबार मुअल्ला ने यह Policy करार दी थी कि तमाम रियासत में इस मशीनरी को एकबारगी फैलाने के बजाय हर एक प्रांत में से एक एक जिला हाथ में लिया जाय और उन मशीनों में से एक एक मशीन इस्तेमाल के लिये दी जावे; चुनांचे मालवे में से भेलसा जिला और ग्वालियर प्रांत से ईसागढ और भिंड जिले, मशीनरी के काम के लिये, लिये गये. इन तीन जिलों में जो आलात कि फायदेमंद साबित हो चुके हैं वह रखे गये हैं और काम चलाने वाले लोग और वाकिफकार लोग उन जिलों में रखे गये हैं. जो लोग कीमतन मशीनरी खरीद करना चाहें उनको वहां से मिल सकती है और जो लोग नहीं खरीद कर सकते हैं उनको किराये से (हायर पर्चेज सिस्टम से) मिल सकती है. इस तरतीब से यह काम करीब दो साल से जारी है. इस वक्त तक जो काम हुआ है वह यह है कि भेलसा जिले में ट्रेक्टर के जर्ये से काम चल निकला और यह मशीन वहां मुफीद साबित हुई.

इसी तरह पर नये किस्म के हल और दुफन वगैरह का रिवाज छोटे २ जिलों में हो गया है.

ईसागढ और श्योपुर जिले में पत्थर होने के सबब से चाहात में पानी नहीं है, इस वजह से ऐसे मुकामात पर बोरिंग मशीनें रखी गई हैं और पानी निकालने की कोशिश की गई है.

एक मुकाम है कि जहां पर बोरिंग मशीन का प्रचार किया गया, जिसके सबब से पौने दो सौ फीट तक पत्थर में बोरिंग होकर इस कदर पानी निकल आया कि सारा गांव उससे पानी पी सकता है. मेरे ख्याल से इस काम को जारी हुये अभी दूसरा ही साल है, इसलिये सब-कमेटी कायमी की जरूरत नहीं है.

प्रेसीडेन्ट साहब.—एग्रीकलचर मेम्बर साहब ने इस बारे में जो वाकफियत आप साहबान को जाहिर की है उसपर से इसके मुतअल्लिक इस वक्त सब-कमेटी कायम करके कोई छानबीन की जरूरत है या नहीं, इस पर गौर करके आप साहबान राय दे सकते हैं.

मथुरापरशाद साहब—इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, महकमे से कार्रवाई जारी है.

जामिनअली साहब.—जो इन्तजाम इस वक्त है वह अच्छा और काफी है. मेरी राय में सब-कमेटी मुकर्रर करने की जरूरत नहीं.

इसके बाद वोट लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि सब-कमेटी कायम करने की कोई जरूरत नहीं है.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १३.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

खालिस मालवी कपास की काश्त भी शुरू हो गई है, लेकिन भाव खालिस मालवी कपास व दीगर में जिसमें कई तरह का शामिल है, कुछ फर्क मन्डियों में देखने में नहीं आता है; इसलिये मालवी कपास ज्यादा

तादाद में नहीं बोया जाता है. मालवी कपास अच्छा माना गया है, तो फिर बनिस्बत दीगर मिले हुए कपास के मालवी कपास की कीमत ज्यादा आना चाहिये.

इसका इन्तजाम उस वक्त मुमकिन है कि जब मालवी और मिले हुए कपास का जिनिंग अलहदा अलहदा हो और उनकी रुई भी अलहदा अलहदा गांठ बंधवाकर बेची जावे, ताकि उम्दा माल खालिस मालवी रुई ब्योपारी लोग अच्छी कीमत पर खरीद कर सकें. ऐसी सूरत में मालवी कपास की कीमत ज्यादा आवेगी और ऐसा होने से मन्डी और रियासत के ब्योपार की तरक्की व बेहबूदी होगी और तिजारत को भी फायदा होगा और खालिस मालवी कपास का बीज भी ज्यादा मिकदार में मिल सकेगा, बल्कि थोडे अर्से में मालवी कपास ही रियासत में बोया जावेगा.

लॉ मेम्बर साहब—यह सवाल बन्सीधर साहब, भार्गव, उज्जैन का है जो पेश्तर इस मजलिस के मेम्बर थे. अब वह मेम्बर नहीं रहे, इसलिये अगर इस सवाल को कोई और साहब पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं.

मथुराप्रसाद साहब—मेरी गुजारिश है कि मुजव्विज साहब इत्तफाक से इस वक्त मौजूद हैं यह बेहतर होगा कि अगर उनको इजाजत दी जावे तो वह इस सवाल को पेश करदें.

लॉ मेम्बर साहब—यह कायदे के खिलाफ होगा.

जगन्नाथप्रसाद साहब—मैं इस तजवीज को पेश करता हूं. हुजूर आली! रुई की कद्री-कीमत, उसके तन्तू की लंबाई, नरमी, मजबूती और बारीकी पर मुनहसिर है. हिन्दुस्तान में सब से अच्छी रुई भरोंच की समझी जाती है. उसका तन्तू लम्बा, बारीक और नर्म है, लेकिन जैसा मजबूत चाहिये, नहीं है. मालवी कपास का तन्तू बारीक, नर्म और मजबूत है, सिर्फ लम्बाई में भरोंच से किसी कदर कम है. इन दो किस्मों की कपास के सिवाय और कोई देशी कपास इनके मुकाबले में अच्छा नहीं है. जिस जमाने में खालिस मालवी कपास मालवे में बना तो उसकी रुई की कीमत भरोंच की रुई की कीमत के करीब करीब बराबर ही आती है. अब कुछ अर्से से मालवी कपास के बीज में कई किस्म के कपास का बीज ब्योपारियान ने शामिल कर दिया; यानी ब्योपारियान मेवाडी बंजारे और कई जगह से कपास खरीद कर लाते हैं और उसको मिक्स करके रुई निकालते हैं और उसके मिक्स करने का सबब यह है कि मालवी कपास में रुई का पडता फी सदी ३० से ज्यादा नहीं है और दूसरी किस्मों की कपास में फी सदी ४२ तक वजन रुई का बढ जाने से फायदा उठाते हैं. तय्यार शुदा रुई को पहिचानना कि यह खालिस है या मिक्स है, बहुत मुश्किल है. इसी वजह से एक खरीदार रुई ना पास करता है और दूसरा पास करके खरीद कर लेता है. अव्वल तो मालवे में खालिस मालवी कपास का बीज रहा ही नहीं और जो मिक्स मिलता है उसमें भी खराब कपास का बीज बढता हुआ चला जाता है; मासिवाय इसके बाज बाज ब्योपारियान खरीदार इस मिक्स रुई में और बंजारे व मेवाडी रुई खरीद करके मिक्स करके गांठ बंधवाते हैं. नतीजा इसका यह हुआ कि बम्बई के बाजार में यह रुई अमरा के नाम से खरीद होती है और दूसरे मुल्कों में इस रुई की बहुत कम कीमत आती है. इस वक्त काश्तकारान की खुश किस्मती से यह काम महकमा एग्रीकल्चर, अपने हाथ में लेकर खालिस मालवी कपास का बीज फराहम करके उसकी

तरक्की की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह मिक्स करने का तरीका उसमें बहुत बडी रुकावट पैदा कर रहा है जिसकी वजह से खालिस मालवी रुई मिल वालों के हाथ तक नहीं पहुंचती, कि जिससे मालवी कपास को रुई की पूरी कीमत अदा कर सकें, और यही बहुत बडे सबब हैं कि जिनकी वजह से मालवी कपास और मिक्स कपास के निर्ख में कोई फर्क नहीं रहता, बल्कि मिक्स कपास का निर्ख कुछ ज्यादा काश्तकारान को मिल जाता है क्योंकि उसमें खालिस मालवी रुई का पडता ज्यादा होता है, इसी वजह काश्तकारान उसकी काश्त की तरफ ज्यादा तवज्जुह नहीं देते, बल्कि और कम; कपास तरक्की पकड रहा है और उसका बीज ड्योढी कीमत पर काश्तकारान खरीद करते हैं, क्योंकि उसमें रुई का पडता ४२ फी सदी है जिससे कपास की कीमत आठ दस रुपये मानी काश्तकारान को ज्यादा मिलती है. ब वजूहात मुन्दर्जे सदर निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि ऐसा कोई कानून नाफिज फरमाया जावे कि जिससे व्योपारियान कपास जीन करने में और व्योपारियान खरीदारान रुई गांठ बंधवाने में, खालिस मालवी कपास व उसकी रुई में दूसरे किस्म के कपास व रुई को मिक्स न कर सकें तो इस तरह पर खालिस मालवी कपास की रुई का निर्ख ज्यादा आवेगा और रुई का निर्ख ज्यादा होने पर मालवी कपास का निर्ख कुदरती तौर पर बढ जावेगा, और कीमत बढ जाने पर काश्तकारान उसकी काश्त बिला किसी कोशिश के खुशी से करने लगेंगे और बीज भी इफरात से आसानी के साथ मयस्सर आने लगेगा और जहां रुई के मारकीट बडे हैं, मालवी रुई अपना नाम पा जावेगी कि जिससे मालवे के काश्तकारान को बहुत बडा फायदा पहुंचने की कवी उम्मीद है.

मयाराम साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

लालचन्द साहब—हुजूर आली ! मालवी कपास अगरचे क्वालिटी में अच्छा होता है, लेकिन उसमें रुई कम निकलती है, यानी फी मन १॥ सेर रुई बनिस्बत नीमाडी, मेवाडी वगैरह के कम निकलती है, इसलिये काश्तकारान का इसमें कोई फायदा नहीं है.

जिनिंग फेक्टरी में इसका इन्तजाम रखना दिक्कतों से खाली नहीं है; क्योंकि कपास मिक्स किया हुआ ही ज्यादा तादाद में आता है.

अगर हम तमाम दिक्कतों को बरदाश्त करते हुए भी दिसावर में मालवी रुई अलहदा भेजें तो निर्ख के ऐतबार से दूसरे मुकामों के पडते से मुकाबला नहीं कर सकते और अक्सर जगह के मुकामी हालात व वाकआत की बिना पर मालिकान जिनिंग फेक्टरीज व व्योपारियान को आला, अदना औसत दर्जे का व मिले हुए कपास की रुई दिसावर को भेजना पडती है. अगर इसके ऊपर कोई शर्त लगाई जावेगी तो तिजारत आजाद नहीं रहेगी और उसूलन भी ऐसी कैद तिजारत के ऊपर नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि इससे तिजारत को सख्त नुक्सान पहुंचने का अन्देशा होता है क्योंकि व्योपारियान हालात और वाकआत की बिना पर तब्दीली नहीं कर सकेंगे.

अलबत्ता अगर काश्तकारान को यह फहमायश की जावे कि वह मालवी कपास बोयें और इसमें अगर वह अपना कुछ नुक्सान न समझें तो जिनिंग फेक्टरी वालों को कोई ऐतराज नहीं हो सकता.

दूसरी बात यह है कि आसपास की रियासतों में, मसलन इन्दौर, धार, बडवानी, झाबुआ, अलीराजपुर वगैरा ने कपास के ऊपर बहुत ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी इस गरज से मुकर्रर की है कि कपास रियासत के बाहर न जाय. इसलिये काश्तकारान व व्योपारियान को कारखानों में कपास की रुई निकलवानी पडती है और रुई की गांठें बंधवाना पडती हैं, उस वक्त रुई को रियासत के बाहर ले जा सकते हैं, और यह रियासतें इस सूरत से अपने इलाके की जिनिंग व प्रेसिंग फैक्टरी को

फायदा पहुंचा कर उनको कामयाब बनाती हैं. बरखिलाफ इसके रियासत हाजा को फेक्टरियों को इस किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचता और इसलिये हम लोगों को दीगर रियासत की फेक्टरियों से मुकाबला करना दुश्वार हो रहा है और कारखानों को चलाना मुश्किल हो रहा है. ऐसी सूरत में इन पर अगर और कोई कैद लगादी गई तो कारखाने बन्द हो जावेंगे.

शंकरलाल साहब—हुजूर आली ! तिजारत के काम जितने भी हैं वह किसी मानोपॉली के साथ या रुकावट के साथ में तरक्की नहीं पा सकते. तिजारत पेशा लोगों का उसूल ही यह रहता है कि अच्छी चीज, जिसकी मारकेट में कीमत ज्यादा आती है खराब चीज के साथ न मिलायें. जिस चीज के लिये अच्छा माना गया है और जिसकी कीमत अच्छी आती है हर शख्स इस बात की कोशिश करता है कि खराब चीज के साथ वह न मिलाये, क्योंकि इससे उसकी कीमत कम हो जाती है, इस वास्ते उसको मद्देनजर रखते हुए आम तौर पर यह साबित हुआ है कि अच्छी चीज को मारकेट में बेचते वक्त उसमें कोई मिलावट न हो, मसलन घी दो तरह का होता है, एक पीला, एक सफेद. पीले घी की कीमत उतनी नहीं आ सकती जितनी सफेद की . इलाके से यानी देहात से जो घी आता है उसमें पीला घी होता है और सफेद भी, लेकिन व्योपारी या उसके खरीदार यह देख लेते हैं कि वह घी कैसा है और उसकी खपत कहां होगी. फिर दोनों को अलहदा करके जहां जैसे घी की खपत है वहां वैसा बेचते हैं. यह एक मिसाल है. इसी तरह अगर मालवी कपास अच्छा साबित हो चुका है और काश्तकारों को उसकी कीमत ज्यादा मिलती है तो काश्तकारान को यह बात मालूम हो जाने पर वह जरूर कोशिश यह करेंगे कि उसको दूसरी कपास के साथ मिलाकर मारकीट में न ले जायें और मालवी कपास अलहदा ही ले जावेंगे, क्योंकि उसकी कीमत उनको ज्यादा मिलेगी. अगर उसके साथ वह दूसरी किस्म का कपास मिला देंगे तो अच्छे कपास की असली कीमत भी उनको न मिलेगी. नतीजा यह निकला कि ज्यादा कीमत का मिलना उन्हें मजबूर करेगा कि वह अच्छा कपास अलहदा बेचें. इसी तरह पर व्योपारी लोग या जिनिंग फेक्टरीज के मालिकान, उसका जखीरा अच्छा अलहदा रखेंगे और अलहदा ही बाहर भेजेंगे तो उनको फायदा होगा. ऐसी सूरत में किसी मॉनोपाली की जरूरत मालूम नहीं होती और न किसी खास कानून बनाने की जरूरत महसूस होती है. इस बात को कानून में लाना कि फलां जिनिंग फेक्टरी पर मालवी कपास लेजाना चाहिये और फलां पर दूसरे किस्म का बेसूद है, क्योंकि काश्तकार खुद अपना नफा नुकसान देखकर इसका इन्तजाम कर लेंगे, मॉनोपाली की जरूरत नहीं है. दूसरे यह नुक्स पैदा होता है कि अगर मालवी कपास थोडी तादाद में आये तो जिनिंग फेक्टरीज अपना काम पूरी तरह पर नहीं कर सकतीं और उनके कारोबार में रुकावट होगी. दूसरा सवाल यह भी होता है कि अगर जिनिंग फेक्टरीज नामजद कर दी जायें तो दूर दराज रहने वाले काश्तकार ऐसी नामजद शुदा फेक्टरीज पर अपना माल ले जाकर बेचने में कितने जेरबार होंगे और बजाय नफा कमाने के क्या उन्हें नुकसान न उठाने पडेगा ? ऐसी सूरत में काश्तकारों की जो गरज ज्यादा कीमत मिलने की है वह पूरी नहीं, होती, क्योंकि फेक्टरी वालों को यह बात मालूम हो जाने पर वह मनमाने भाव से उसे खरीदेंगे और काश्तकारों को बजाय फायदे के नुकसान उठाना होगा. इस वजह से इस किस्म की कोई रोक न होने की जरूरत मालूम नहीं होती. मेरा तो ख्याल यह कि मुजव्विज साहब अगर इस सवाल को वापिस लेलें तो अच्छा है, वर्ना यह पास होने के किसी तरह काबिल नहीं. इस किस्म की रुकावट तिजारत को सख्त नुकसान पहुंचावेगी, इस वास्ते मेरी यह कतई राय है कि कोई मानोपॉली का कानून पास नहीं होना चाहिये.

लक्ष्मीनारायन साहब.—शंकरलाल साहब ने जो कुछ फरमाया है मुझे भी उससे इत्तफाक है. मालवी कपास के लिये अगर फेक्टरीज नामजद करदी जावेंगी तो दूर के काश्तकारों को अपनी कपास वहां पहुंचाने में कसीर रकम सर्फ करना होगी, और मालवी कपास काफी न पहुंचने से और दूसरी कपास उस फेक्टरी को न आने से फेक्टरी का काम अक्सर बन्द रहेगा, जिससे बहुत हर्जा होगा, क्योंकि कारखाना एकदम चलने में फायदा होता है.

रामजीदास साहब.—एग्रीकल्चर मेम्बर साहब की मातहती में एक कॉटन कमेटी कायम है जिसका ऑल इन्डिया कॉटन कमेटी से भी तअल्लुक है, इसलिये बजाय इसके कि इस सवाल पर इस मजलिस में बहस की जावे, मेरे ख्याल में यह बेहतर होगा कि इसको उस कॉटन कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वह इस पर गौर कर सके, यहां साहूकार और जमींदार दो तबकों के लोग ज्यादा हैं, जिनमें यह ठीक तौर पर डिसकस नहीं हो सकता.

रामराव गोपाल साहब देशपांडे—यह सवाल तिजारतपेशा लोगों के फायदे का है, मारकीट में मालवी कपास अलहदा जाने से उसकी कीमत ज्यादा आवेगी. यह जो नुक्स है कि दूसरी किस्म की कॉटन मिल जाने से उसकी कीमत पूरी नहीं आती इसलिये इस सवाल में काश्तकारान और रियासत दोनों का फायदा है. मेरे मित्र ने जो कहा है वह भी ठीक है कि कॉटन कमेटी इसके संबन्ध में क्या मत देती है, उस कमेटी का मत लेकर इस सवाल का निकाल करना ठीक होगा. लेकिन अगर ऐसा मौका आया कि मालवे की कपास अलग बेची जाय तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मालवे की कपास आला दर्जे की होती है. इस सवाल पर दरबार खास तौर से ख्याल करें क्योंकि यह सूचना बहुत ठीक है.

चतुर्भुजदास साहब—हुजूर आली ! अव्वल इस तजवीज की मुखालिफत इस बिना पर कीगई है कि बमुकाबिले दीगर किस्म की कपास के, मालवी कपास जो है उसको तरजीह नहीं दी जाती. जहां तक मेरा ख्याल है, हल तलब यह अम्र नहीं है कि आया मालवी कपास दीगर कपास से अच्छा है या नहीं. इस बात को तसलीम करते हुए और जहां तक मेरा ख्याल है जो अक्सर माहिरान की राय जाहिर की गई उससे साबित है कि मालवी कपास दीगर कपास से बेहतर है. इसकी अगर तशरीह की जाय तो वाकया यह है कि मालवी कपास अगर दूसरी कपास में मिला दी जाय तो उसकी वेल्यू कम हो जाती है. जैसे अच्छे घी में दूसरा घी मिला देने से उसको बट्टा लग जाता है. असल सवाल यह है कि कोई ऐसा तरीका सोचा जावे या इख्तियार किया जावे जिससे मालवी कपास खराब कपास में मिलने न पावे. चंद साहबान ने यह फरमाया है कि किसी किस्म की रोक करने से तिजारत में नुकसान होगा. मेरा ख्याल भी यह है कि इसके मुतअल्लिक कोई ताजीरी कवानीन जारी करना बेशक बायस नुकसान है और वह तिजारत में रुकावट पैदा करेगी, लेकिन क्या गवर्नमेन्ट के नजदीक ऐसा भी कोई तरीका है कि ताजीरी कवानीन के बगैर, इस मसले को हल किया जाय कि मालवी कपास दीगर किस्म के कपास से अलहदा रहे. इसके मुतअल्लिक रामजीदास साहब ने यह फरमाया है कि यहां यह मसला ड्रॉप किया जाकर कॉटन कमेटी में रखा जाय, लेकिन सवाल यह है कि क्या मजलिस में यह सवाल हल किये जाने के काबिल है या नहीं; इसलिये इस शक्ल में यह सवाल मजलिस में रखा जावेगा तो मुनासिब होगा कि जो सवाल है उसको हल करने की जरूरत है क्या ? और अगर है तो क्या कॉटन कमेटी उसको हल करने के लिये मौजूं होगी ?

वाटवे साहब—हुजूर वाला ! लालचंद साहब राजगढ वाले ने जो इसकी मुखालिफत की है उसकी ताईद करते हुए चंद बातों को जाहिर करना मैं मुनासिब समझता हूं. लालचंद साहब ने जो

लाइन इख्तियार की है वह मुझे पसंद नहीं, यानी तिजारत में नुकसान होगा, इसलिये कोई कानून नहीं बनाना चाहिये, यह ठीक नहीं. मेरी राय यह है कि सम्वत १९७८ में हुजूर मुअल्ला ने मालवी कपास का बीज कौन दे सकते हैं, यह दरियाफ्त किया था और चंद लोगों ने देना मंजूर भी कर लिया था लुकमान भाई साहब से उज्जैन भर को जमा करने के लिये कहा गया था और उन्होंने कबूल भी कर लिया था कि खालिस मालवी बीज दे देंगे, मगर उनके यहां से खालिस मालवी बीज देने का इन्तजाम नहीं हुआ, ऐसा अपने तजरुबे से मैं गुजारिश कर सकता हूं. इसी तरह सरकारी डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर का है उसमें भी बीज दिया जाता है लेकिन वह इस कदर नहीं है कि सारी जिनिंग फैक्टरीज के लिये उसका प्रोडयूस काफी हो. जब अपने पास माल ही उतना नहीं है तो कोई रोक करना रिआया के लिये सख्ती में दाखिल होगा. चंद साहबान ने मॉनोपॉली की बाबत जो फरमाया है तो मॉनोपाली का कोई सवाल ही नहीं रहता. जिनिंग फैक्टरीज में जहां आठ या दस चरखे चलते हैं वहां ऐसी फेक्टरीज के मालिकान मालवी कपास के लिये और एक दो चरखे अलहदा रख सकते हैं. लेकिन मेरा ख्याल यह है कि जब माल ही इतना पैदा नहीं होता तो इस किस्म के इन्तजाम की जरूरत ही नहीं है. इसलिये जैसा कि रामजीदास साहब ने तजवीज किया है कि यह सवाल कॉटन कमेटी में रक्खा जावे और वह कमेटी जांच करके यह भी जाहिर करे कि माल इतना हो सकता है या नहीं, तो निहायत मुनासिब होगा.

कृपाशंकर साहब—हुजूर वाला! इसलाह जो पेश हो रही है अगर इस इसलाह का काम सख्ती से रखा जाय तो हद से ज्यादा सख्ती भी खराबी का बायस होगी. यह एक इसलाह है, ताजीर नहीं. काश्तकार तो अलहदा अलहदा आराजी में काश्त करते हैं और अलहदा ही जमा करते हैं. बीज जो मखलूत हो जाता है वह जमींदार या काश्तकार नहीं करते, बल्कि ब्योपारी ही कर देते हैं. मालवी और दूसरे बीज में जरूर फर्क है, लेकिन जब साहूकार के यहां पहुंचता है वहां कोई फर्क नहीं रहता और फिर यही बीज साहूकारान काश्तकारान को दिया करते हैं. दूसरे एक और अर्ज है कि मैंने इस गलती को अपने जिले के सूबा साहब को माह फरवरी में मुलाहिजा करा दिया था कि खुद गर्जी इतनी बढी हुई है कि जो गठ्ठा बारह मन रुई का बंधता था अब गांठ नौ, दस मन में बीज पीसकर बांध देते हैं. जिसकी वजह से काश्तकारान को नुक्सान पहुंचता है, इसलिये कोई ताजीर जरूर होना चाहिये, ताकि वह ऐसा न करने पावें जिससे किसी को नुक्सान हो और उसको कौन्सिल मंजूर करे कि किसी को नुक्सान न पहुंचे: साहूकारान जिस भाव में चाहते हैं उनसे माल खरीद लेते हैं और फिर उन्हीं से मनमानी कीमत वसूल करते हैं और काश्तकार इसके लिये मजबूर होते हैं, इसकी भी इसके साथ ही इसलाह करना चाहिये.

शंभूनाथ साहब—हुजूर वाला! इस सवाल का नतीजा काश्तकारान के लिये ज्यादा मुफिद नहीं, तिजारत पेशा अशखास पर इसका ज्यादा असर पडेगा. भेलसे की मंडी में मैंने देखा है कि जितने काश्तकार तिजारत पेशा हैं, उन्होंने माल खुद अपने पास रक्खा है और जिनिंग कराकर बाहर भेजा है. काश्तकारान का तो इतना ही काम है कि माल जमा करके ब्योपारियान को सुपुर्द करदें. बस यहीं उनका काम खत्म हो जाता है. इसके आगे नफा हो तो ब्योपारी का और नुक्सान हो तो ब्योपारी का; क्योंकि बाजार में ब्योपारी को भी अगर मालवी कपास अलहदा रखी गई तो फायदा होगा. काश्तकारान तो जितना काम करते हैं उसका मावजा वसूल ही कर लेते हैं. दूसरी मिसाल यह होगी कि किसी फ्लोर मिल के मालिक को अगर यह कहा जावे कि वह हर किस्म के गेहूं का आटा, मसलन जलालिया का अलग, पिसिया वगैरा का अलहदा अलहदा रक्खे तो

यह ना मुमकिन है. अलबत्ता जब कोई व्योपारी आता है और गेंहू देकर पीसने को कहता है तो अपनी उजरत लेकर आटा जैसा वह कहे तैयार करके दे देता है. उसको अपने पास अलहदा अलहदा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं.

एग्रीकलचर मेम्बर साहब.—कॉटन कमीशन की रिपोर्ट व तजुर्बे से यह साबित हो चुका है कि मालवे में मालवी कपास की किस्म ब मुकाबले दीगर अकसाम के ज्यादा फायदेमन्द है, लेकिन मालवी कपास के साथ दीगर किस्म की कपास का बीज मिल जाने से खालिस मालवी कपास पैदा नहीं होती.

चुनांचे सम्वत १९८० की मजलिस आम की मीटिंग में यह करार दिया गया था कि महकमा एग्रीकलचर काफी तादाद रकबे की तजवीज करके खालिस मालवी बीज पैदा करे.

एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट ने सम्वत १९८० में इस तरफ कोशिश करना शुरू किया है. अव्वल सेन्ट्रल फार्म उज्जैन पर खालिस मालवी बीज काफी मिकदार में पैदा करके बाद को उसे डिमांस्ट्रेशन विलेजेज में ज्यादा मिकदार में बढाया, और अब यह इतनी मिकदार में हो गया है कि जिससे पांच हजार बीघे जमीन में खालिस मालवी कपास बोया जा सकता है.

आयन्दा खालिस मालवी कपास का बीज देहात में फैलाने के लिये यह इन्तजाम किया गया है कि हर परगने में चन्द बा असर लोग सीड ग्रोअर्स के नाम से कायम किये जाकर उनके तवस्सुत से देहात में खालिस मालवी कपास की काश्त बढाने की कोशिश की जावेगी और यकीन है कि पांच साल के अन्दर ही खालिस मालवी कपास कसरत से पैदा होने लगेगी जिससे काश्तकारान व तिजारत पेशा लोग बखूबी फायदा उठायेंगे.

अब यह सवाल है कि यह खालिस मालवी कपास जब जीनिंग कारखानों में पहुंचे तो वहां पर खालिस मालवी और मिले हुए कपास का जिनिंग अलहदा अलहदा हो और प्रेसेज में भी रूई की गांठें अलहदा अलहदा बांधी जावें जिससे खालिस मालवी बीज दूसरे बीज के साथ मखलूत न हो सके.

इसके मुतअल्लिक यह कार्रवाई दरपेश है कि हिंदुस्तान में कपास की काश्त व कपास के बिजिनेस के मुतअल्लिक मुआम्लात पर गौर करने के लिये "इन्डियन सेन्ट्रल कॉटन कमेटी" के नाम से एक कमेटी कायम है और उसमें हर एक बडी स्टेट की तरफ से रिप्रेजेन्टेटिव्स शरीक हैं.

इंडियन सेन्ट्रल कॉटन कमेटी की सिफारिश पर कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास हो चुका है जिसका अमल दरामद कुल प्रॉविन्सेज में होगा. गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की ऐसी सिफारिश है कि यह एक्ट रियासतों में भी जारी किया जावे.

एक्ट मजकूर में मालिकान जिंनिग व प्रेसिंग फेक्टरीज का यह फर्ज रखा गया है कि वह मुख्तलिफ अकसाम के कपास को अलहदा अलहदा जिंनिग व प्रेस करें.

इंडियन सेन्ट्रल कॉटन कमेटी के सवालात पर गौर करने के लिये बहुक्म दरबार मुअल्ला रियासत हाजा में एक कमेटी कायम है, और उसमें जमींदारान व कारखानेदारान शरीक हैं. चुनांचे यह सवाल इस कमेटी के जेर गौर है व अनकरीब एग्रीकलचरल डिपार्टमेन्ट से इसके मुतअल्लिक तजवीज कौंसिल में पेश की जावेगी.

नोट:—इसके बाद वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि इस तजवीज पर मजीद गौर करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप की जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १४.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—

बमन्शाय दफा २०, कलम नम्बर (५), एक्ट पंचायत बोर्ड्स, मुलाजिमान सरकारी के मुआम्लात बोर्ड में समाअत नहीं हो सकते हैं. इसमें दिक्कत यह है कि वक्त जरूरत तो मुलाजिमान सरकारी पब्लिक से कर्ज लेते हैं और न देने की हालत में जब उनपर पब्लिक को नालिश करने की नौबत आती है तो जिस रकम की नालिश कि पंचायत बोर्ड्स में हो सकती है उसके लिये अदालत मजाज में जाना पडता है, जिससे मन्शा कायमी पंचायत बोर्डस पूरी नहीं होती; यानी दूर मुकाम अदालत पर जाना होता है और पूरा रसूम हस्ब कायदे दीवानी देना पडता है; इसलिये मेरी राय में बोर्ड को मुलाजिमान सरकारी की निस्बत भी नालिशात दीवानी सुनने का इख्तियार होना चाहिये.

प्रेसीडेंट साहब.—इस तजवीज को कौन साहब पेश करना चाहते हैं ?

बागमल साहब.—मैं पेश करता हूं और गुजारिश करता हूं कि मेरे दोस्त बन्सीधर साहब ने जो तजवीज रखी है उससे यह फायदा भी आम लोगों को पहुंचेगा कि कर्ज देने वाले को बरवक्त नालिश जो दिक्कत व सर्फे का सवाल सामने आता है, पंचायत बोर्ड में नालिश होने की वजह से वह हल हो जायगा और महज इन दिक्कतों की वजह से सरकारी मुलाजिमान को कर्ज देने में लोगों को जो तरद्दुद पैदा हो जाता है उसका असर भी कम हो जावेगा और मुलाजिमान को कर्ज मिलने में सहूलियत मिल सकेगी.

प्रेसीडेंट साहब.—इस सवाल की ताईद कौन करता है ?

वामनराव साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

शंकरलाल साहब.—कानून पंचायत बोर्ड की दफा २० की जिमन (५) के मुताबिक अभी मुकद्दमात पंचायत बोर्ड में सरकारी मुलाजमान के खिलाफ या उनकी तरफ से समाअत नहीं किये जाते हैं इसमें छोटे छोटे मुलाजमान जैसे चपरासी, खलासी, सिपाहियान वगैरा और बीस, पच्चीस रुपये के मुलाजमान को कानूनी पेचीदगियां और बेजा सर्फा उठाना पडता है, दीगर अशखास इस किस्म के खर्चे से बचे हुए हैं. होता क्या है कि अगर वह कोई मुकद्दमा अदालत में दायर करते हैं तो कानूनी मशवरे का सर्फा बरदाश्त करना पडता है और अगर उनके खिलाफ कोई मुकद्दमा दायर हो तो भी उनको उसका जवाब देने के लिये कानूनी मुशीर की जरूरत होती है. ऐसे ही काश्तकार जो मुलाजिम पेशा हैं, और काश्त भी करते हैं उनके छोटे २ मुकद्दमे, जैसे आसामियान से लगान वगैरा के, अगर किसी की तरफ से या उनके खिलाफ पंचायत बोर्ड में आते हैं तो वापिस किये जाते हैं और उनको अदालत का सर्फा बरदाश्त करना पडता है, इसलिये मेरी तजवीज है कि अगर दफा २० की जिमन (५) कम कर दी जाय तो लोगों को इससे आराम होगा.

गुलाबचन्द साहब.—मैं ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब—इस मसले के मुतअल्लिक शायद और भी साहबान अपनी राय जाहिर करना चाहें, इसलिये मैं मुनासिब ख्याल करता हूं कि इस सवाल के मुतअल्लिक मैं आपके रूबरू

कुछ हालात बयान करदूं; ताकि यह जाहिर हो जावे कि जिमन (५) के मुताबिक कानून पंचायत बोर्ड्स में अहकाम कायम करने की नौबत क्योंकर आई. मेरी इस तकरीर का यह मंशा नहीं है कि और साहबान बहस में हिस्सा न लें; बल्कि मेरा मतलब सिर्फ यह है कि आपको यह मालूम होकर कि पंचायत बोर्डस एक्ट में यह इजाफा कैसे हुआ, आपको गौर करने में आसानी होगी. पंचायत बोर्डस का पहला कानून दरबार ने सम्वत १९६८ में जारी किया. सम्वत १९६८ के कानून में एक दफा इस मजमून की थी कि किसी शख्स की तरफ से या उसके खिलाफ बहैसियत मुलाजिम सरकारी कोई नालिश दायर पंचायत बोर्ड नहीं हो सकती. सम्वत १९७८ में जब कि यह ख्याल हुआ कि पंचायत बोर्ड्स को जो इख्तियारात दिये गये हैं उनमें इजाफा किया जाये, तो तरमीम की जरूरत महसूस हुई. चुनांचे एक नया मुसव्वदा तय्यार किया गया और अवाम की राय के लिये शाया किया गया. मौजूदा जिमन न तो मुसव्वदे में दर्ज थी और न उन रायों में उसका जिक्र था जो अवाम की जानिब से पेश हुई थीं. अवाम की रायें आजाने पर मुसव्वदा मजलिस कानून में पेश हुआ जिसमें बंसीधर साहब भी, जिन्होंने इस तजवीज को पेश किया है, शरीक थे, यानी मजलिस कानून को इनके मशवरे का फायदा हासिल था.

अब मैं वह वाकआत बयान करता हूं जिनकी वजह से यह जिमन कायम हुई. इस मुसव्वदे में एक कलम इस मजमून की दर्ज थी कि अगर पंचायत बोर्डस के मेम्बरान में से किसी एक के खिलाफ दावा दायर हो या उसकी तरफ से दावा दायर किया जावे तो वह मेम्बर उस इजलास में जिसमें उसका मुआम्ला पेश हो, शरीक न हो. इस कलम पर बहस के दौरान में इसके मुतअल्लिक एक वाके का इजहार किया गया जो तहकीकात से सही वाका मालूम हुआ. वह वाका यह था कि एक पंचायत बोर्ड में एक मेम्बर साहब की तरफ से जो लेनदेन करते थे, और जिनका नाम इस वक्त जाहिर करने की जरूरत मालूम नहीं होती, दावा दायर हुआ. बाकी मेम्बर साहबान की राय मुद्दई के खिलाफ थी लेकिन पेश्तर इसके कि वह अपनी तजवीज सादिर करें, मुद्दई को किसी तरह मालूम हो गया कि फैसला उसके खिलाफ होने वाला है. वह दीगर मेम्बर साहबान से मिला और उनसे बातचीत की, जिसका मंशा यह था कि अगर आप हमारे खिलाफ ऐसा करते हैं तो आपका मुआम्ला आने पर हम भी ऐसा ही करेंगे. चुनांचे वह तजवीज फाड डाली गई और दूसरी तजवीज जो मुद्दई के मुआफिक थी लिखी गई और वह रिकार्ड में रखी गई. दरबार मुअल्ला को यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने यह सोचा कि मुमकिन है कि दूसरे बोर्ड्स में भी ऐसे ही मुआम्लात पेश आवें. इसी ख्याल से वह दफा तरमीम करदी गई. आप यह जानते ही हैं कि हुजूर मुअल्ला इन्साफ के खिलाफ रिआयत करने को किस कदर नफरत से देखते थे. उनको यह वाकेआत मालूम होने पर उन्होंने ख्याल किया कि सरकारी मुलाजमान के खिलाफ या उनकी तरफ से अगर दावे पंचायत बोर्ड में दायर किये जावेंगे तो, गो वह उनको जाती हैसियत के क्यों न हों, फैसले पर उनका जरूर असर होगा; चुनांचे यह करार पाया कि इस किस्म के दावे पंचायत बोर्ड में समाअत न किये जावें, अदालत में ही दायर किये जावें और बदर्जे मजबूरी यह दफा इजाफा की गई. जैसा कि शंकरलाल साहब ने फरमाया है, सरकारी मुलाजमान मुख्तलिफ दर्जों के होते हैं. मेरी राय में ऑफिसरान व अहलकारान की नालिशात काबिल समाअत पंचायत बोर्डस करार देने में वही अन्देशा है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है अलबत्ता अदना तबके के मुलाजमान—मस्लन मजकूरी, चपरासी, खल्लासी वगैरा इससे मुस्तसना कर दिये जावें तो हर्ज नहीं, लेकिन अहलकारान को मुस्तसना करना शायद मुनासिब न होगा. अगलब यह है कि बहुतसी जगह मेम्बरान की दिलचस्पी व दयानतदारी पर कोई बेरूनी असर न पड सकता हो और वहां इस किस्म की मिसालें न पेश आवें, लेकिन रियासत हाजा में पंचायत बोर्ड १४४ हैं

और अकसर छोटे छोटे देहात में वाके हैं, इसलिये इस किस्म के वाकेआत पेश आने के एहतमाल का ख्याल बेजा न होगा; इस कदर बयान करके मैं चाहता हूं कि अब आप साहबान इस सवाल पर गौर करके अपनी अपनी रायों का इजहार फरमावें और बडी आजादी के साथ फरमायें. मैं यकीन दिलाता हूं कि इन रायों पर कौन्सिल गौर करेगी और जिस वक्त कौन्सिल में यह मुआम्ला पेश होगा तो मैं भी कह सकूंगा कि तबके अदना के मुलाजमान को मुस्तसना करने की जरूरत है. मैंने आप साहबान की राय पर कोई असर डालने की गरज से यह अर्ज नहीं किया है, बल्कि महज वाकेआत बतलाने की गरज से.

कृपाशंकर साहब—हुजूर वाला ! जिस वक्त पंचायत बोर्ड शुरू किया गया था उस वक्त दरबार मुअल्ला कैलाशवासी ने बनजर दूरबीनी इस तबके को मस्लहतन अलहदा कर देने की पॉलिसी इख्तयार की थी, यह मुसल्लिमा बात है कि मुअज्जिज मुलाजिमान सरकार का असर उन मेम्बरान पर क्या पड सकेगा कि जिनके कारहाय खानगी भी उनसे वाबस्ता हैं जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है; लिहाजा मेरी राय में छोटे तबके के लोग चपरासी, मजकूरी, खल्लासी से ही तअल्लुक रखा जावे, यही मुनासिब होगा. मुझको इसीसे इत्तफाक है और आगे बढना मुनासिब नहीं.

अष्टे वाले साहब—हुजूर आली ! मेम्बरान पंचायत बोर्ड पर सरकारी मुलाजिमान का बार पडना मुमकिन है, सरकारी मुलाजिमान की रिआयत पंचों की तरफ से होने का अंदेशा है, इसलिये मुद्दई की मर्जी पर छोडना चाहिये कि वह अपना मुकद्दमा पंचायत बोर्ड या अदालत में जहां वह चाहे चलावे, लेकिन सरकारी मुलाजिमान के दावे दीगर लोगों के खिलाफ पंचायत बोर्ड में न लिये जावें. पब्लिक में भय का होना, और एज्यूकेशन का कम होना पाया जाता है इसलिये ये गुजारिश है.

प्रेसीडेन्ट साहब—दफा २०, एक्ट पंचायत बोर्ड, जिमन (५) के मुतअल्लिक लीगल मेम्बर साहब ने आप साहिबान के सामने मुफस्सिल बयान फरमाया है. अब इस जिमन के निकालने की आप साहबान जरूरत समझते हैं या नहीं, या जैसे लीगल मेंबर साहब ने अदना तबके के मुलाजिमान यानी चपरासी, खल्लासी जिनके मुतअल्लिक उसमें प्रॉविजन करने की निस्बत आपने फर्माया है, क्या उस हद तक उसको मेहदूद करना आप साहबान मुनासिब समझते हैं ?

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि जिमन (५) के एहकाम से अदना दर्जे के मुलाजिमान सरकारी, मिस्ल चपरासी, खल्लासी, मजकूरी वगैरा मुस्तसना किये जावें.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १५.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

एक्ट पंचायत बोर्ड्स में ब सीगे इजराय नीलाम व कुर्की मदयून के बारे में कुछ इख्तियार नहीं दिया गया है और मन्शाय दफा २८, कलम नंबर २, एक्ट पंचायत बोर्ड्स यह है कि दरख्वास्त कुर्की व नीलाम वगैरा पेश होने पर मुकदमात अदालत परगना में भेज दिये जावें;—

(१) मदयूनान की जानिब से जायदाद तलफ कर देने व फरार हो जाने की हालत में डिक्रीदारान अपनी हकरसी से महरूम रह जाते हैं.

(२) डिक्रीदारान को अदालत परगना में, कि जो तहसील के मुकाम पर है, जाना पडता है.

(३) अदालत परगना में बमुआम्लात इख्तियारी पंचायत बोर्ड्स रसूम डिक्रीदारान को अदा करनी पडती है.

इसलिये मेरी राय में पंचायत बोर्ड्स को जायदाद मन्कूला की कुर्की व नीलाम का इख्तियार मिलना चाहिये.

बागमल साहब—मैं बन्सीधर साहब के प्रस्ताव से इस वजह से इत्तफाक करता हूं कि डिक्रीदार की हक्करसी करने में बावजूद फेहमायश के अदालत की मारफत से बहुत देर लग जाती है और डिक्रीदारान को तकलीफ उठाना पडती है. अगर पंचायत बोर्ड को मदयून की जायदाद मन्कूला की कुर्की व नीलाम का इख्तियार अता फरमा दिया जाय तो हकरसी डिक्रीदारान जल्द व सहूलियत से हो जाया करेगी. इसके अलावा क़ायमी पंचायत बोर्ड का असली मकसद पूरा हो जाने की उम्मेद है; क्योंकि अक्सर पंचायत बोर्ड में जल्द फैसला होजाने पर भी इजरा में मिसल पडी रहती है यह नुक्स भी दूर हो जावेगा और जबकि लोगों को यह इल्म हो जायगा कि पंचायत बोर्ड को कुर्की व नीलाम के इख्तियारात हासिल हो चुके हैं तो समझायश मेम्बरान ज्यादातर बा असर हो जायगी और आपस में बिला किये कुर्की व नीलाम के बहुत जल्द हक्करसी हो जाया करेगी. और इस तरह होने पर यह उम्मेद है कि लोगों को यह भी इल्म हो जायगा कि पंचायत बोर्ड में डिक्री व हक्करसी जल्द होती है तो बखौफ इसके दाविदारी आयन्दा के लिये कम हो जावेगी

प्रेसीडेन्ट साहब.—इसकी ताईद कौन करता है ?

रखबदास साहब.—मैं ताईद करता हूं.

शंकरलाल साहब.—हुजूर आली ! मैं इस तजवीज की मुखालफत करता हूं. पंचायत बोर्ड का काम जो है वह हफ्ते में एक दिन होता है. जब दायरा ज्यादा होता है तो हफ्ते में दो दिन और तीन दिन तक इजलास करना पडता है. कुर्की व नीलाम का काम पंचायत बोर्ड के सुपुर्द होजाने की हालत में उसको रोजाना इजलास करने की जरूरत पडेगी. कुर्की का काम तो क्लार्कों के जर्ये होता है. जायज तौर पर कुर्की करना और माल कुर्कशुदा को हिफाजत में रखना, और उसकी कीमत जायज तौर से वसूल करना, यह सब काम क्लार्क को करने होंगे. पस ऐसी सूरत में मेम्बरान पंचायत बोर्ड को रोजाना काम करने की जरूरत पडेगी और ऐसी हालत में उस दिन वह क्लर्क कुर्की को नहीं जा सकता है. जब पंचायत बोर्ड की तरफ से कुर्की की जरूरत हो, उस कुर्की की तामील को अदालत परगना मौजूद है. परगने से वैसी ही तामील होगी जैसी कि उनके सादिर किये हुए फैसले की. अलबत्ता इसमें एक दिक्कत होती है उसमें अगर सहूलियत कर दी जावे तो आसानी होगी, यानी जब बोर्ड की डिग्रियें अदालत में हक्करसी को जाती हैं तो कोर्ट फीस और तलबाना जो देना पडते हैं वह न लिये जावें, यह रिआयत डिक्रीदारान के साथ करदी जावे. इसका फायदा मदयूनान को पहुंचता है. जिस तरह पंचायत बोर्ड में कोर्ट फीस और तलबाना नहीं लिया जाता उसी तरह पंचायत बोर्ड के सादिर किये हुए डिक्रियों के इजराय के मुकद्दमात में कोर्ट फीस और तलबाना माफ किया जावे. कुर्की और नीलाम के इख्तियारात पंचायत बोर्ड के हाथ में दे देने से बजाय तरक्की के अबतरी पैदा हो जावेगी

लक्ष्मीनारायण साहब.—तजवीज जो पेश की गई है उसमें कुर्की व नीलाम की कार्रवाई पंचायत बोर्ड की तरफ से होना चाही जाती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है; क्योंकि दफा ५७

जिमन (५) एक्ट पंचायत बोर्ड, की तामील में डिक्रियात मसदूरा पंचायत बोर्ड वास्ते हक्करसी अदालत में भेजी जावेंगी और अदालत, पंचायत बोर्ड से अव्वल यह दरियाफ्त करेगी कि उसके क्लर्क को फुरसत है या नहीं; अगर फुरसत नहीं है तो अदालत अपने नाजिर को हुक्म देगी. इस वास्ते इस तजवीज की जरूरत नहीं है.

कृपाशंकर साहब—बाबू शंकरलाल साहब ने जो फर्माया है मुझे उससे इत्तफाक है, लेकिन कोर्ट फीस का फिकरा जो उन्होंने फर्माया है वह जायद है. जबकि वह उस दर्जे से गुजर जाता है और अदालती कार्रवाई में आजाता है तो यह काम भी अदालत में बढ जाता है और इसके लिये सर्फे की जरूरत है. पस ऐसी हालत में तलबाना न लिया जाना या उससे मुस्तसना कर दिया जाना ना मुनासिब होगा. अलबत्ता फरीकैन को बुलाकर अगर पंचायत बोर्ड बाहम तस्फिया करादें तो तलबाने की जरूरत नहीं है. यह तलबाना जो लिया जाता है वह जायज है, माफ नहीं होना चाहिये.

लॉ मेम्बर साहब.—पंचायत बोर्डों को कुर्की व नीलाम के इख्तियारात न पहिले कानून की रू से हासिल थे न मौजूदा कानून में रक्खे गये हैं. संवत १९६८ के बाद मुझको जब कभी पंचायत बोर्डस के मुआयने का इत्तफाक हुआ और पंचों से गुफ्तगू करने का मौका मिला तो उनकी जानिब से अक्सर व बेश्तर यह तजवीजें पेश हुईं कि हमको इख्तियारात नीलाम, कुर्की व गिरफ्तारी के नहीं हैं वह मिलना चाहिये, और यह भी तजवीज पेश की गई कि बाज अहले मुआम्ला हमारी हतक और तौहीन करते हैं और हमारे मुंह पर कहते हैं कि तुम कुछ समझते नहीं हो, नालायक हो, तुमको किसने मेम्बर बना दिया है इसका इन्तजाम फर्माया जावे. चुनांचे जदीद मुसव्विदा तय्यार करते वक्त यह दोनों तजवीजें डिपार्टमेन्ट के जेर नजर थीं. तौहीन की निस्बत यह राय करार पाई कि कुछ न कुछ उनको इख्तियारात ऐसे होना चाहिये कि अगर कोई शख्स उनकी तौहीन करे तो वह उसका खफीफ तदारुक कर सकें और ज्यादा तदारुक की हालत में अदालत में भेजदें. चुनांचे इस बारे में कानून में provision किया गया. दूसरे सवाल पर जो गौर किया गया तो यह करार पाया कि अभी इस किस्म के इख्तियारात देना गैर जरूरी हैं. इसके यह मानी नहीं हैं कि जमाने आयन्दा में यह इख्तियारात नहीं दिये जावेंगे. सिर्फ यह ख्याल किया गया कि अभी इसका वक्त नहीं आया है. मौजूदा पंचायत बोर्ड्स एक्ट के देखने से जाहिर होगा कि बमुकाबले साबिक के पंचायत बोर्ड्स के इख्तियारात में जाबजा जहां मुनासिब समझा गया, इजाफा किया गया है जिनको तफसील के साथ इस वक्त बयान करने की जरूरत नहीं है. अगर कुर्की और नीलाम के इख्तियारात उनको दिये जावें तो किस कदर काम का फैलाव होगा, यह आप साहबान गौर कर सकते हैं.

छोटे छोटे मुकद्दमात में मुतअल्लिकीन को दूर दराज सफर न करना पडे, गवाहान को फासले पर न जाना पडे और वक्त कम सर्फ हो, इस गरज से यह बोर्ड्स कायम किये गये हैं बोर्डस का पहिला फर्ज यह रखा गया है, कि कोशिश करके फरीकैन का बाहमी तस्फिया करादे. मुझको यह कहने में बहुत खुशी है कि करीब करीब अस्सी फी सदी मुआम्लात बाहमी फैसले से तय होते हैं कुर्की और नीलाम के इख्तियारात दिये जावें तो फैलाव ज्यादा होगा. अमले में इजाफा करना होगा, एक अहलकार से काम न चलेगा, कुर्क अमीन इजाफा किया जावेगा, मजकूरी बढाया जावेगा, मालखाने के लिये जगह मुहय्या करना होगी, रजिस्टरों की तादाद ज्यादा होगी, और ऐसे मामलात के मुतअल्लिक उजरदारियां भी होंगी, जिनमें जायदाद मकरूका, बोर्ड के माली इख्तियारात से ज्यादा कीमत की है. इन्हीं वजूहात से कुर्की के मुतअल्लिक कोई अहकाम इस जदीद मुसव्विदे में नही रखे गये. इस मुसव्वदे के मुतअल्लिक २५, ३० बोर्ड्स की जानिब से यही तजवीजें आई थीं कि कुर्की और नीलाम के इख्तियारात दिये जावें, बंसीधर साहब उस मुबाहिसे में शरीक थे, मगर इस मसले पर गौर करने पर यही राय करार पाई कि अभी यह इख्तियार

देने का वक्त नहीं आया है. लिहाजा आप साहबान जब इस मसले पर बहस करें और राय दें तो इस पर भी गौर करें. कब्ल इसके कि मैं अपनी तकरीर खतम करूं, एक वाकया महज वाकफियत के लिये पेश करता हूं यू.पी. में पंचायत बोर्ड एक्ट है और वह बहुत पुराना नहीं है, सन १९२० में बना है. शायद बहुत से साहबान को उनके देखने का इत्तफाक न हुआ हो लेकिन आप मेरे कौल को बावर कीजिये कि उसमें भी यहां से ज्यादा इख्तियारात नहीं दिये गये हैं. इजराय डिक्री के मुआम्लात में वही इख्तियारात है जो यहां के कानून में है, फर्क इतना है कि वहां पंचायत बोर्ड से सादिर की हुई डिक्री का मुतालबा मार्फत कलेक्टर जिला वसूल होता है, यहां सिर्फ मार्फत परगना ऑफिसर; आप ख्याल फरमा सकते हैं कि कलेक्टर तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी और मुआम्ले की पैरवी में क्या सर्फा होगा.

एक बात यह भी काबिल तजकिरा है कि इजराय डिक्री की दरख्वास्त पंचायत बोर्ड में पेश होती है, उसपर मदयून तलब किया जाता है और उसको मौका दिया जाता है कि अगर वह यकमुश्त रुपया अदा न कर सके तो किस्तबन्दी से अदा करे. जब पंचायत बोर्ड को कोई तरीका सिवाय कुर्की के नजर नहीं आता तब पंचायत बोर्ड से डिक्री अदालत में मुंतकिल की जाती है. दरबार की यह मंशा हरगिज नहीं है कि पंचायत बोर्डों को यह इख्तियारात नहीं दिये जायें बल्कि जैसे जैसे पंचायत बोर्ड्स तरक्की करते जावेंगे, इख्तियारात में इजाफा होगा.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस मसले पर लीगल मेम्बर साहब ने मुफस्सिल वजूह बयान किये हैं. इस पर गौर करते हुए आप साहबान क्या इस सवाल को ड्रॉप करना मुनासिब समझते हैं ?

नोटः—इसके बाद वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि यह तजवीज ड्रॉप की जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १६.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

एक्ट पंचायत बोर्ड्स में वसूली जुर्माना व तावान ब मुआम्लात फौजदारी पंचायत बोर्ड्स को वसूल करने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया है. मन्शाय दफा ४१, एक्ट पंचायत बोर्ड्स, सिर्फ यह है कि अगर हुक्म की तारीख से आठ रोज के अन्दर जुर्माना या मुआवजा अदा न हो तो बोर्ड अदालत मजाज में वसूली के बारे में रिपोर्ट करेगा. जुर्माना करने के बाद और अदालत मजाज में इत्तला देने के कब्ल, अगर मुलजिम या मुआवजेदार भाग गया या चला गया तो मतालबा सरकारी वसूल न हो सकेगा, इसलिये बोर्ड को इख्तियार वसूली जुर्माना व मुआवजा वगैरा का जायदाद मन्कूला से मिलना चाहिये.

प्रेसीडेन्ट साहब—इस सवाल को कौन साहब पेश करना चाहते हैं ?

(कुछ इंतजार के बाद)

लॉ मेम्बर साहब—सवाल नंबर १६ को कोई साहब पेश करना चाहते हों तो पेश करदें, वक्त फिजूल जाया करने से कोई फायदा नहीं. यह सवाल, सवाल नंबर १५ से मिलता जुलता है.

नोट :—चूंकि इस तजवीज को किसी ने पेश नहीं किया, इसलिये यह ड्रॉप हुई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १७.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बाहमी तनाजेआत का फैसला बजरिये पंचायत हो जाता है, लेकिन मुतअल्लिकीन निफाज फैसले सालिसी की कोशिश तहत दफा ४७४ (४), जाब्ता दीवानी दरबार नहीं करते और खिलाफवर्जी की सूरत में बरबिनाय फैसले मजकूर मुद्दई किसी दादरसी का मुस्तहक नहीं रहता, न वह उस फैसले को उस वक्त मुअस्सर करा सकता है; लिहाजा जिमन (४), दफा ४७४, जाब्ता दीवानी दरबार, खारिज की जावे.

दामोदरदास साहब झालानी—मुझे यह मालूम हुआ है कि मिनजानिब गवर्नमेन्ट इस पर गौर किया जा रहा है, लिहाजा मैं तजवीज वापिस लेता हूं.

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १८.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कारोबार तिजारती और साहूकारी में अक्सर व बेश्तर हजारहा रुपयों की दस्तावेजात के तहरीर व तकमील की नौबत पहुंचती है; मगर तहत कानून स्टाम्प ग्वालियर, सम्वत १९७०, रसूम दस्तावेजात कसीर तादाद में अदा करना पडता है और नालिशात की सूरत में अलावा रसूम के तावान अदा करना पडता है जो नाकाबिल बरदाश्त होता है और कारोबार तिजारत को नुक्सानदेह है; इसलिये रसूम और तावान की तादाद कम होने की जरूरत है, लिहाजा ब कायमी सब-कमेटी रसूम व तावान का स्केल तजवीज किया जावे.

दामोदरदास साहब झालानी—हुजूर आली ! कानून स्टाम्प, सम्वत १९७०, में दस्तावेज का जो स्केल है वह इस तरह पर है कि १० रुपये तक दो आने और दस रुपये से ५०) रुपये तक ।) और पचास रुपये से सौ रुपये तक ॥) और सौ रुपये से जायद १,०००) तक १) रुपये फी सदी, यानी हर सैकडे पर १) रुपया है. एक हजार के बाद फी ५००) रुपया पर २॥) है. ज्यादा तादाद की दस्तावेज का जब मौका आता है तो वह सादा कागज पर लिखाई जाती है और ऐसी सूरत में सरकार का नुक्सान होता है और लिखाने वाले का भी नुक्सान होता है; क्योंकि जब नालिश करने का मौका आता है तो रसूम व तावान ज्यादा तादाद में अदा करना होता है. इसकी एक मिसाल अर्ज करता हूं. जिस साहूकारी बोर्ड का मैं मेम्बर हूं उसके मुतअल्लिक एक साहूकारी दूकान है. उसका एक शख्स पर २८,०००) रुपये कर्जा लेना था. वह जोधपुर रियासत का बाशिन्दा था. बोर्ड से यह तजवीज की गई कि उस पर दावा दायर किया जावे. वह दावा यहां के कानून के मुताबिक अन्दर मियाद था और जोधपुर रियासत के कानून के मुताबिक बेरून मियाद था. चुनांचे दावा किया गया, डिक्री हुई. इसके बाद जोधपुर में दावा दायर करने का मौका आया, मगर मुआम्ले में कुछ खामी मालूम हुई, इसलिये यह तजवीज पाई कि बाहमी फैसला कराया जाय और फरीकसानी भी फैसला करने को तैयार था, जिसको बोर्ड ने मन्जूर करके ५००) रुपये साल की किश्त, ५६ साल के लिये मन्जूर की

इसकी दस्तावेज मुताबिक कानून जोधपुर के २५) सिर्फ रुपये के स्टाम्प पर मुकम्मिल कराई गई, तकमील दस्तावेज के वक्त बोर्ड को इतमीनान था कि मदयून रुपया अदा कर देगा, मगर अफसोस कि वह थोडे अर्से के बाद फौत होगया. उसके वारिसान यह चाहते हैं, कि किसी तरह रुपया अदा न किया जावे. फर्ज कीजिए उनके पास बहुत कम जायदाद है, यानी करीब दो हजार रुपये की है तो ऐसी सूरत में उतने ही की किस्तें वाजिब होने पर दावा करके रुपये वसूल किया जा सकता है मगर अगर यह किसी रियासत हाजा के किसी बाशिन्दे की तरफ लेना होता तो आप लोग सोचिये क्या नतीजा होता ? अव्वल तो २८००० की दस्तावेज के लिये रु. १५० के रसूम की जरूरत होती, मगर जब कर्जदार रुपये देने को रजामन्द होता तो जैसा कि अक्सर होता है ज्यादा रसूम के डर से बजाय स्टाम्प पर लिखवाने के सादा कागज परही दस्तावेज लिखा लिया जाता. और ऐसा होने पर बाद में जब दावा करने का मौका आता तो १५० रु. रसूम दस्तावेज और पंजगुना तावान अदा करना पडता, चाहे दावा दो किस्तों का ही किया जाता और करीब १,५०० हजार के खर्च दावे में हो जाता, मगर जब मुद्दई यह देखता है, मुद्दाअलेह के पास जायदाद ही हजार दो हजार की है तो वह बजाय नालिश करने के खामोश बैठ जाता है, कितना नुक्सान है, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हजार रुपये से ऊपर की दस्तावेजात में रसूम कम किया जावे. जैसे जैसे रुपये की तादाद ज्यादा होती जावे, वैसे वैसे स्टाम्प की कीमत कम होनी चाहिये. मसलन एक शख्स ने एक मकान ५,०००) रुपये में खरीद किया और रुपया देकर रसीद ले ली. बयनामा स्टाम्प पर बाजाब्ता तहरीर नहीं हुआ. स्टाम्प का रसूम ज्यादा होने से गवर्नमेंट का और हमारा दोनों का नुकसान है. लिहाजा एक सब-कमेटी रसूम और तावान के स्केल के लिये मुकर्रर फरमाई जावे.

प्रेसीडेन्ट साहब—ताईद कौन करता है ?

बटुकप्रसाद साहब—मैं ताईद करते हुए अर्ज करता हूं कि जिस तरह दावे की तादाद बढती जाती है, उसका रसूम कोर्ट फीस कम होता जाता है, मगर बरखिलाफ उसके दस्तावेज कर्जे की तादाद रुपया जिस कदर ज्यादा होती जाती है उसी कदर कीमत स्टाम्प ज्यादा होती जाती है. लिहाजा रसूम स्टाम्प में कमी की जावे.

कृपाशंकर साहब—मैं इस तजवीज से इख्तलाफ करता हूं; वजूहात हस्ब जैल हैं:—

मैं यह बात मानने को तैयार हूं इन्साफ की कीमत न ली जावे. लेकिन जब यह खुद ही आपस में मुकदमे बाजी करें और एक छोटे से मुआम्ले को हाईकोर्ट और मजलिस खास तक पहुंचावें और फिर यह इस्तदुआ करें कि स्टाम्प न लिया जावे तो यह कहां तक ठीक है ? मुमालिक गैर अमेरिका इंग्लैन्ड, जापान वगैरा सब में स्टाम्प का कानून लागू है. किसी मुकाम से यहां स्टाम्प जायद नहीं लगाया गया है. इसके लिये यह कहा जाता है, कि स्टाम्प की वजह से कारोबार तिजारत में रुकावट है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक तरह की हिफाजत है. यह मैं मानने को तैयार हूं कि इससे चन्द आदमियों को फायदा होगा, मगर एक कसीर जमाअत में तलातुम पैदा हो जावेगा. स्टाम्प एक ऐसी चीज है, कि जिसकी वजह से सच झूंट का इम्तियाज होकर मुजव्विज असली पॉइन्ट तक पहुंच सकता है और दस्तावेजात के खरीद फरोख्त की तारीख तन्कीह व जांच के वक्त बहुत मुआविन होती है, सच झूंट बतला देती है. अक्सर स्टाम्पी दस्तावेजात भी तसल्ली-बख्श नहीं होतीं. जब कि स्टाम्प पर लिखी हुई दस्तावेज रजिस्टरी शुदा भी फर्जी हो जाना मुमकिन है तो सादा दस्तावेजें मुरत्तब होना एक निहायत बेचैनी का मौका है. दरबार आलिया ने ऐसा

फरमाया है कि बाहमी रजामन्दी से एक लाख दो लाख के मुकद्दमात पंचायत बोर्ड में समाअत हो जावें, तो बेजा न होगा. मैं यह देखता हूं कि, मुकद्दमेबाजी रोज बरोज तरक्की पर है, लिहाजा कोर्ट फीस तावान में इजाफा किया जावे कि जिससे मुकद्दमाबाजी कम हो.

लॉ मेम्बर साहब.—अगर आपकी यह राय हो कि इस सवाल पर गौर करने के लिये सब-कमेटी मुकर्रर की जाय तो आप यह राय दे सकते हैं; मगर मैं मुनासिब समझता हूं कि इस मुआम्ले की मुफस्सिल कैफियत बयान करदूं.

मुझको इस तजवीज के आने के बाद यह ख्याल हुआ कि दीगर रियासतों से दरयाफ्त किया जावे, कि स्टाम्प व तावान के मुतअल्लिक वहां क्या Scale है. अफसोस यह है कि सिवाय इन्दौर के दीगर रियासतों से वाकफियत ना मुकम्मिल पहुंची. अब गौर कीजिये, मौजूदा हालत क्या है. मौजूदा हालत जो इस रियासत में है उसका हाल दो जगह से मुकाबला करने से बखूबी रोशन हो जायगा. एक इलाके कैसरी से, दूसरे इन्दौर से. शिकायतें दो हैं,—एक यह कि रसूम ज्यादा लिया जाता है, दूसरे यह कि तावान की तादाद कसीर है. पहिले तावान के मुतअल्लिक अर्ज करता हूं, बाद को रसूम के मुतअल्लिक अर्ज करूंगा. तावान हर हालत में नहीं लिया जाता. फर्ज कर लीजिये कि कानून के मुताबिक एक दस्तावेज ॥) के स्टाम्प पर तहरीर होना चाहिये. अगर वह दस्तावेज ॥) के स्टाम्प पर तहरीर हुई तो तावान नहीं लिया जावेगा, अगर सादे कागज पर तहरीर हुई तो तावान लिया जावेगा, या बजाय ॥) के स्टाम्प के ।) के स्टाम्प पर लिखी गई तो तावान लिया जावेगा. अब मुकाबिला कीजिये इलाका कैसरी से, वहां जिस कदर कमी होगी उसका दस गुना तावान लिया जावेगा. यहां सिर्फ पांच गुना लिया जा सकता है यानी एक दस्तावेज जो एक रुपये के स्टाम्प पर लिखी जाना चाहिये, अगर सादा कागज पर लिखी गई उसके अदालत में पेश होने पर यहां पांच रुपये और एक रुपया और लिया जावेगा; मगर इलाका कैसरी में १० रुपये और १ रुपया लिया जावेगा. यही सूरत रियासत इन्दौर में है. यह तो कैफियत हुई तावान की. अब लीजिये सवाल रसूम का. रसूम के मुतअल्लिक हिसाब या रियाजी के जर्ये से figure कायम नहीं की जा सकती-मसलन कानून मियाद में मुख्तलिफ दावों के लिये मुख्तलिफ मियादें मुकर्रर हैं. चुनांचे एक नालिश, जिसकी मियाद ३ साल करार दी गई है वह तीन ही क्यों हो, सवा तीन साल या पौने तीन साल क्यों न हो. इसी तरह रसूम के मुआम्ले में जहां ।=) मुकर्रर है वहां ॥) क्यों न हो. इसलिये इस किस्म की हुज्जतों को छोडकर यह देखना चाहिये कि अर्से से आपके यहां रसूम का क्या कायदा जारी है, और मौजूदा हालत का मुकाबला दीगर जगहों से करना चाहिये. लिहाजा आप इन कुल उसूलों पर गौर करके अपनी राय दें. मैं आप साहबान की कसरत राय को वकअत की नजर से देखूंगा. आप साहबान इस बात पर भी गौर फरमावें कि अगर यह मुआम्ला कमेटी के सुपुर्द हुआ अगर उसके ख्याल में मौजूदा स्केल कम है तो कमेटी को यह इख्तियार होगा कि वह भी तजवीज पेश करे कि मौजूदा स्केल में इजाफा किया जाय.

वाटवे साहब—हुजूर वाला ! मैं इस proposal की मुखालफत करता हूं. कानून स्टाम्प, सम्वत १९७०, को जारी हुए १२ साल हो गये हैं. इस कानून से किसी को वाकफियत न हो ऐसा मुमकिन नहीं है. स्टाम्प फरोश भी जाबजा हैं, स्टाम्प मिलने के बारे में भी किसी को दिक्कत है, ऐसी भी किसी को शिकायत नहीं हुई.

साहूकारी काम में हर्ज वाकै होता है, यह कहा जाता है, मगर यह नहीं बतलाया जाता है कि किस तरह हर्ज होता है. जो मिसाल २८ हजार की जाहिर की गई है वह इसमें लागू नहीं है.

साहूकारी काम बही खाते में होते हैं. जिस तरह से मेरे दोस्त साहबान ने इस तजवीज की मुखालफत की है उसकी ताईद करते हुए मैं इस तौर पर मुखालिफत करता हूं कि एक तो गुनाह करना और फिर रिआयत मांगना, यह ठीक नहीं है. मौजूदा कानून जो है उसमें भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब को इख्तियार है कि ५ गुना तक तावान ले सकते हैं. और मजबूरी की हालत में रिआयत भी कर सकते हैं. यह जायज बात है इसमें तरमीम की जरूरत नहीं मालूम होती.

कृपाशंकर साहब—मैं एक आध फिकरा और अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब—कहिये.

कृपाशंकर साहब—स्टाम्प की जरूरत तो लाजमी और जरूरी है ; बल्कि रजिस्ट्री होना चाहिये. स्टाम्प की कीमत बढ़ाना चाहिये, जैसा कि रियासत धार में १५-२० गुनी है जो छपाई के नाम से मशहूर है, लीजाय ताकि मुकद्दमेबाजी कम हो.

पुस्तके साहब—हुजूर वाला ! मुझे दो बातें अर्ज करना हैं, एक यह कि जनाब लॉ मेम्बर साहब ने फर्माया कि सब-कमेटी का नतीजा क्या होगा. मुझे सिर्फ यह कहना है कि तजवीज यह है कि मौजूदा स्टाम्प रसूम कम करने के लिये एक सब-कमेटी कायम की जाय; लिहाजा इस अन्देशे की कोई वजह नहीं है कि कमेटी इजाफे रसूम की सिफारिश करेगी.

दूसरे यह कि जैसा कि कोर्ट फीस के मुतअल्लिक तादाद के साथ शरह कोर्ट फीस कम होती जाती है उसी तरह मालियत दस्तावेज जैसी जैसी बढती जाय, स्टाम्प की शरह कम होनी चाहिये; लिहाजा मुजव्विज साहब की तजवीज काबिल मंजूरी है.

लक्ष्मीनारायन साहब—इस तजवीज में दो सवाल हैं. एक दस्तावेज का रसूम, दूसरा तावान. मुझको पुस्तके साहब की राय से इत्तफाक है; यानी जिस तरह कोर्ट फीस कम होता जाता है उसी तरह रसूम स्टाम्प भी कम होना चाहिये. मगर तावान की निस्बत मौजूदा कानून स्टाम्प में दफात मौजूद हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब वजूहात माकूल होने पर इस कदर तावान माफ कर सकते हैं व प्रांत जज साहब इस कदर व चीफ जस्टिस साहब कुल्लन या जुजअन माफ कर सकते हैं. पस जहां तक कि यह सवाल तावान से मुतअल्लिक है उसके लिये सब कमेटी करने व उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है. अलबत्ता बाबत रसूम दस्तावेज सब-कमेटी कायम फरमाई जावे.

प्रेसीडेन्ट साहब—इसमें दो सवाल हैं. तावान के मुतअल्लिक ज्यादातर साहबान की राय यह है कि इसके वास्ते कोई कमेटी कायम करने की जरूरत नहीं है. रसूम के मुतअल्लिक कमेटी की कायमी की ख्वाहिश की जारही है; लिहाजा जो साहबान रसूम के मुतअल्लिक कमेटी की कायमी चाहते हों वह अपना सीधा हाथ उठायें.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि रसूम के scale के मुतअल्लिक गौर करने के लिये एक कमेटी कायम की जावे.

नोट १:—इसके बाद प्रेसीडेन्ट साहब ने फर्माया कि आज के इजलास का काम खत्म किया जाता है. परसों सोमवार को मजलिस का इजलास २ बजे शुरू होगा.

नोट २:—मजलिस का इजलास खत्म होने के बाद refreshments दी गई.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार

सम्वत १९८२.

सेशन पांचवां.

इजलास चहारुम.

सोमवार, तारीख २२ मार्च सन १९२६ ई०, वक्त २-१५ बजे दिन, मुक़ाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार सर आपाजीराव साहब सीतोले, आंकलीकर, के. बी. ई., सी. आई. ई., अमीरुल-उमरा, (वाइस-प्रेसीडेन्ट कौंसिल)

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीर खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. श्रीमंत सदाशिवराव खासे साहब पंवार, होम मेम्बर.

४. राव बहादुर रावजी जनार्दन साहब भिंडे, मुन्तजिम बहादुर, फायनेन्स मेम्बर.

५. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल-मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

६. राव बहादुर कैप्टिन बापूराव साहब पंवार, मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर.

७. मेजर हश्मतउल्लाखां साहब, ऑफिशियेटिंग मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

८. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटिज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

९. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मुहम्मदखेडा (शुजालपुर).

१०. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, वफादार दौलते सिंधया, लश्कर.

११. श्री राजा भवानीसिंह साहब, शौपुर, बडौदा.

१२. राजा रतनसिंह साहब, जागीरदार, मकसूदनगढ.

१३. राव बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढावलाधीर.

१४. जामिन अली साहब, मेलसा.

१५. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.

१६. औंकारनाथ साहब, मुरार.

१७. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुस्तरी (महगांव).

१८. मानिकचन्द साहब, भिंड.

१९. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).

२०. रामजीवनलाल साहब, मुरैना

२१. महादेवराव साहब, जाऊदेश्वर.

२२. सदाशिवराव साहब हरी मुळे, डामरौन कलां.

२३. सुआलाल साहब, शिवपुरी.

२४. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).

२५. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.

२६. बलवंतराव साहब बागरी वाले, भेलसा.

२७. जगन्नाथप्रसाद साहब, मौजा भीलवाडा (शाजापुर).

२८. बागमल साहब, आगर.

२९. करमचंदजी साहब, उज्जैन.

३०. मयाराम साहब, चंदूखेडी (उज्जैन).

३१. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.

३२. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझेरा).

३३ लालचंद साहब, राजगढ.

३४. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, भिन्ड.

३५. हरमानजी साहब, मुरैना.

३६. सेठ अनन्दीलालजी साहब, श्योपुर.

३७. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.

३८. सोहराबजी साहब मोतीवाला, गुना

३९. चतुर्भुजदास साहब, वकील, आगर.

४०. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.

४१. कृपाशंकर साहब, बडिया (बाकानेर).

४२. रखबदास साहब जौहरी, लश्कर.

४३. लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी, गुना.

४४. धुन्डीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.

४५. बिन्द्रावन साहब, भिन्ड,

४६. गुलाबचन्द साहब, शिवपुरी.

४७. दामोदरदास साहब, शाजापुर.

४८. चौधरी फौजदार रंधीरसिंह साहब, सकवारा दनौला.

४९. राव हरिश्चन्द्रसिंह साहब, बिलौनी.

५०. शंकरलाल साहब, मुरार.

५१. रखबदासजी साहब, उज्जैन.

५२. मुरलीधर साहब गुप्ता, लश्कर.

५३. बटुकप्रसादजी साहब, उज्जैन.

५४. रामेश्वर शास्त्री साहब आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

५५. गोविन्दराव चिन्तामण साहब वाटवे, उज्जैन

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १९.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मजलिस कानून के लिये नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान का इन्तखाब मजलिस आम के जुम्ला नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान में से बिला लिहाज किसी मखसूस तबके या जमाअत के फरमाया जाया करे. (मुजव्विज बटुकपरशाद साहब, उज्जैन).

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २०.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मजलिस कानून में नॉन-ऑफिशियल मेम्बर्स सिर्फ साहूकारान व जमींदारान में से ही मुन्तखिब न हों, बल्कि कुल मेम्बरान मजलिस आम में से मुन्तखिब हुआ करें. (मुजव्विज चतुरभुजदास साहब, आगर.)

बटुकपरशाद साहब.—हुजूर वाला! यह रेजोल्यूशन जो मैंने मजलिस आम में पेश किया है बहुत कुछ तकरीर और वजूहात का मोहताज नहीं है. गुजिश्ता साल का मेरा तर्जुबा मजलिस हाजा का यह है कि मजलिस के आखिर रोज एक फेहरिस्त चन्द मेम्बरान के नाम की हवाले की जाकर हिदायत फरमाई गई थी कि महज इन्हीं मेम्बरान में से मजलिस कानून के लिये इन्तखाब किया जावे. फेहरिस्त मजकूर में जिन मेम्बरान के नाम थे उनकी तादाद तकरीबन १५-२० से जायद न थी और वह भी मखसूस जमाअत में से यानी साहूकारान व जमींदारान में से थे कि उन्हीं में से इन्तखाब करने की हिदायत हुई और उसी के मुताबिक इन्तखाब हुआ भी. मगर अर्ज यह है कि जब मजलिस आम एक वसीअ मुन्तखिबशुदा जमाअत तादादी ५० या ५५ मेम्बरान की है और मजलिस कानून के लिये इस मजलिस के मेम्बरान में से (कि जो पब्लिक के नुमायन्दे हैं) इन्तखाब किया जाना मकसूद है तो कोई वजह नहीं है कि कुल मेम्बरान मजलिस आम में से इन्तखाब न फरमाया जावे; बल्कि मुनासिब व मुन्सिफाना उसूल तो यही होगा कि यह इन्तखाब जुम्ला मेम्बरान मजलिस आम के लिये कुशादा हो ताकि ब वक्त इंतखाब महज एक महदूद जमाअत पर ही नजर डालकर इंतखाब की नौबत न आवे, बल्कि एक वसीअ जमाअत में से (जिसमें हर किस्म के मुंतखिबशुदा गैर सरकारी मेम्बर शामिल हैं) मजलिस कानून के लिये मुनासिब व मौजूं अशखास के इंतखाब का मौका मिले.

आली जनाब! यह अम्र पोशीदा नहीं है कि मजलिस कानून के मेम्बरान के फरायज व जिम्मेदारियां निहायत अहम हैं और उनको सरअंजाम देने के लिये मेम्बरान मुन्तखिबशुदा मजलिस मजकूर की क्या कुछ जिम्मेदारियां और फरायज होना चाहिये, इसकी तवक्को उन मेम्बरान से रखे हुए इन्तखाब करने का सवाल ब वक्त इन्तखाब दर पेश होता है. ऐसी सूरत में महज उस महदूद जमाअत में से ही उन तमाम बातों को पूरा करने वाले अशखास का इन्तखाब सही सही व दुरुस्त तौर पर हस्ब दिलख्वाह हो सके, यह अम्र निहायत दुश्वार है.

अलावा अजीं अगर यह कहा जावे कि महज उस मखसूस तबके और जमाअत को ही तमाम तकलीफ और दिक्कतें महसूस होती हैं और इसलिये वही तबका या जमाअत जो अब तक मुन्तखिब होता चला आया है, मश्वरा मुफीद मुतअल्लिक वजअ कानून देने के लिये मौजूं है तो यह भी सही

न होगा. क्या मानी कि रोजमर्रा जिन्दगी के लिहाज से हर शख्स तकलीफ और दिक्कतों का अहसास रखता है और इसलिये हर तबके और मिल्लत का शख्स (बशर्ते कि वह मजलिस कानून का मेम्बर मुन्तखिब होने के लायक व मौजूं हो) मशवरा मुफीद वजअ कानून के मुतअल्लिक दे सकता है.

इन हालात में मेरी यह गुजारिश है कि ब मंजूरी रेजोल्यूशन हाजा आयन्दा इन्तखाब पर हस्ब सिफारिश रेजोल्यूशन हाजा अमल फरमाये जाने की मंजूरी सादिर फरमाये जाने के लिये कौन्सिल आलिया की खिदमत में गुजारिश फरमाया जावे.

चतुरभुजदास साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

लॉ मेंबर साहब—शायद इस तजवीज के मुतअल्लिक ज्यादा गौर करने की या बहस करने की जरूरत इन वाकआत की वजह से, जो मैं बयान करता हूं, नहीं होगी.

साल्हाय गुजिश्ता में जो अमल होता रहा है वह यह था कि नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान मजलिस कानून की जो मियाद ३ साल मुकर्रर है उसके खत्म होने पर या उसके पेश्तर हस्ब जरूरत इंतखाब हो जाया करता था. चार पांच साल हुए कि इंतखाब का मौका पेश आने पर हुजूर मुअल्ला कैलाशवासी ने यह इर्शाद फरमाया कि मेम्बरान मजलिस आम से यह कहा जाय कि वह तबके जमींदारान व साहूकारान में से चंद नाम तजवीज किया करें. चुनांचे इसके मुताबिक उस वक्त और साल गुजिश्ता अमल किया गया. इस साल यह मसला फिर कौन्सिल के जेरगौर आया और कौन्सिल ने यह करार दिया है कि इंतखाब तो मजलिस आम ही से किया जावे, लेकिन इंतखाब को किसी खास तबकों पर महदूद न किया जाय, बल्कि मुख्तलिफ तबके के लोग जो मजलिस में शरीक हैं, मसलन वुकला साहबान, जमींदार साहबान, तिजारत पेशा साहबान, जागीरदार साहबान वगैरा, इन सब मुख्तलिफ तबकों में से मजलिस कानून के लिये नॉन-ऑफिशियल मेम्बर मुंतखिब किये जायें. इससे आपको वाजह होगा कि आपकी जो तजवीज है वह कौन्सिल से पहले ही मंजूर हो चुकी है; लिहाजा अब बटुकपरशाद साहब की तजवीज पर व इसके बाद के सवाल पर गौर करने की जरूरत माल्रम नहीं होती.

प्रेसीडेन्ट साहब—क्या दूसरा सवाल भी इसी के मुतअल्लिक है ?

लॉ मेम्बर साहब—जी हां; (चतुरभुजदास साहब की तरफ मुखातिब होकर) क्या आप कुछ फरमाना चाहते हैं ? आपका सवाल भी यही है और वह इससे तय होता है.

चतुरभुजदास साहब—मेरा सवाल भी यही था जो तय हो गया है.

बटुकपरशाद साहब—जब कौन्सिल से यह सवाल तय ही हो चुका है तो अब इस पर मजीद बहस की गुंजायश ही कहां है.

ठहराव.—हर दो सवालात में जो तजवीज है वह कौन्सिल से मंजूर हो चुकी है, लिहाजा ड्रॉप किये जावें.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २१.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

सरक्यूलर नम्बर ३०, सम्वत १९६१, महकमे चीफ सेक्रेटरियट, में इस तौर पर तरमीम की जावे कि म्युनिसिपल टाउन्स में खेल तमाशों की इजाजत देने का मजाज प्रेसीडेन्ट को दिया जावे.

चतुरभुजदास साहब—मैं इस तजवीज को कुछ तरमीम के साथ पेश करना चाहता हूं, इसलिये मैं उसको आयंदा साल पेश करूंगा; इस वक्त मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २२.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट की दफा २७ का उसूल ग्वालियर में काबिल अमल करार दिया जावे.

गुजारिश यह है कि एक मुनीम ने मालिक दूकान की तरफ से बावजूद इख्तियार न होते हुए मुदई के हक में एक हुन्डी लिख दी. हाईकोर्ट ग्वालियर ने करार दिया कि निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट की दफा २७ (जिसमें यह दर्ज है कि मुनीम के बिला इख्तियार लिखे हुए हुंडवी का जिम्मेवार मालिक न होगा, बल्कि मुनीम खुद होगा) बतौर आम उसूल ग्वालियर में यह लागू नहीं किया जा सकता. कानून मुआहिदे की दफा २३० व २३३ का उसूल आम है. इस उसूल के मुताबिक एजेन्ट के किये हुए मुआहिदे का जिम्मेदार मालिक है. हुंडवी का रुपया मालिक दूकान को भुगताना होगा. फैसला हाईकोर्ट नजीर मिस्ल कानून है. ऐसा करार दे देने से बे इख्तियार एजेन्टान को हुंडवी या रसीद लिखकर काफी रुपया हासिल करने का मौका मिलेगा.

शंकरलाल साहब— गुजारिश यह है कि मैंने इस तजवीज को मजलिस में इस गरज से रखी थी कि Government में इसके मुतआल्लिक कानून मौजूद है, उसी तरह का एक कानून यहां भी बना दिया जावे; लेकिन इसके मुतअल्लिक मुझे लॉ मेम्बर साहब से यह बात मालूम हो गई है कि इसका ड्राफ्ट बन करके तैयार होगया है और अनकरीब जारी होने वाला है, इसलिये मैं तजवीज को वापिस लेता हूं,

लॉ मेम्बर साहब—मुजव्विज साहब के इस फिकरे के मुतअल्लिक, कि मुसव्वदा अनकरीब जारी होने वाला है, मैं जाहिर करना चाहता हूं, वह यह कि ड्राफ्ट जरूर तैयार होगया है लेकिन वह हस्ब तरीका कौन्सिल में पेश होगा. मंजूर होने पर अवाम की राय के लिये शाया किया जावेगा और जो रायें आवेंगी उन पर मजलिस कानून में गौर किया जाकर और दरबार से मंजूर होने पर जारी हो सकेगा.

शंकरलाल साहब—अनकरीब जारी होने से मेरा मतलब यह नहीं है कि यह कानून फौरन ही जारी हो जायगा, बल्कि मेरा मतलब सिर्फ यह था कि इस किस्म का कानून बना दिया जावे. ऐसे कानून का मुसव्विदा तैयार हो गया है और उसके जारी करने की कार्रवाई मुरव्विजा तरीके के मुताबिक होगी; लिहाजा मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २३.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः—

यहां जो एक रस्म नात्रा या धरजना है उसकी फीस सरकारी या जमींदारी ली जाती है. चन्द वाकेआत में देखा गया है कि उस नातरे के मुआम्ले में लडकी वाला अक्सर एक से ज्यादा को जबान दे देता है और चन्द मुदई पैदा होकर फिसाद पैदा कर देते हैं. अक्सर औकात नौबत फौजदारी व वारदात की हो जाती है और गरीब देहाती लोग परेशान होते हैं. मेरी राय में इसके लिये खास कानून का होना लाजमी है. अब यह लोग फीस नात्रा बाद को या ऐन वक्त पर दाखिल करते हैं. फीस नात्रा एक किस्म की रजिस्ट्री है, इसलिये कब्ल अज वक्त फीस दाखिल करके अदालत मुत्तसिला या पंचायत बोर्ड या नायब तहसीलदार देह (जो ओहदा सरकार ने जमींदारों को बख्शा है) से रजिस्ट्री करा दिया करें तो हरचन्द मुदय्यान में फिसाद पैदा होने का एहतमाल न रहेगा और एक रसीद फॉर्म इस नातरे का तजवीज होकर सदर अदालतों में रहना चाहिये.

ईश्वरीसिंह साहब—यह सवाल मैंने इस नियत से पेश किया था कि जो हलके कौम के लोग हैं उनमें मनकूहा औरत का नात्रा होजाता है, यानी बगैर इजाजत शौहर के वह दूसरे के घर चली जाती हैं या कोई शख्स उनको ले जाकर छिपा रखता है जिससे बहुत से झगडे फिसाद होते हैं, इसकी रोक होनी चाहिये यह मेरी गुजारिश है. अगर यह तजवीज मजलिस की राय में या हुजूर आली की राय में आवे तो ठीक है. मुझे मालूम हुआ है कि इसके मुतअल्लिक एक सब-कमेटी पहले कायम हुई थी उसने जो ठहराव किया है उससे मुझे इत्तफाक है. इस ठहराव का पंचायत बोर्ड्स और जिला बोर्ड्स को ऐलान हो जाना चाहिये. सिर्फ यह अर्ज करके मैं इस सवाल को खत्म करना चाहता हूं.

लॉ मेंबर साहब—आपने जो यह फरमाया है कि सब-कमेटी कायम हुई थी, उसका ठहराव जारी हो जाना चाहिये, मेरे ख्याल में इसके मुतअल्लिक पूरे वाकआत आपके जहन नशीन नहीं हैं. जिस सवाल के मुतअल्लिक सब-कमेटी कायम हुई थी वह सवाल दूसरी शक्ल में था न कि इस शक्ल में, जैसा कि आपने पेश किया है. दो साल हुए जब नात्रे के मुतअल्लिक एक सवाल एक मेम्बर साहब मजलिस आम की जानिब से पेश हुवा था और यह तय पाया था कि अजला व परगनात से वाकफियत तलब की जाकर दूसरे साल यह सवाल पेश हो. चुनांचे कुल अजला व परगनेजात से वाकफियत तलब की गई और वाकफियत आजाने पर यह सवाल मजलिस में पेश होकर यह करार पाया कि एक सब-कमेटी इस पर गौर करने के लिये कायम हो. सब-कमेटी ने यह राय दी कि इसके लिये किसी कानून बनाने की जरूरत नहीं है. सब-कमेटी की रिपोर्ट में यह दर्ज था कि मुजव्विज साहब ने यह कहा था कि अदालतों के फैसले नाकिस और गलत होते हैं; चुनांचे उनसे यह कहा गया था कि वह एक फेहरिस्त इस किस्म के फैसलेजात की, जहां २ इस किस्म की कार्रवाई हुई हैं, अपील्स डिपार्टमेन्ट में पेश करदें, ताकि उस पर गौर हो सके; लेकिन दर्याफ्त करने पर मालूम हुआ है कि मुजव्विज साहब की जानिब से कोई फेहरिस्त अब तक पेश नहीं हुई है. कैफियत यह है; इस पर अगर आप अपनी तजवीज के सिलसिले में और कुछ जाहिर करना चाहें तो कर सकते हैं.

ईश्वरीसिंह साहब—उस सब-कमेटी ने तो अपनी राय देदी है.

लॉ मेम्बर साहब—हां, गौर होने पर यह तय पाया था कि मजीद कानून की जरूरत नहीं है.

ईश्वरीसिंह साहब—तो अब गौर करने की जरूरत नहीं है.

रामजीदास साहब—जरूरत नहीं है.

रन्धीरसिंह साहब—अभी नात्रे का रिवाज बहुत से अजला व परगनात में जारी है और उसकी रोक होना भी लाजमी है.

लॉ मेम्बर साहब—ठाकुर साहब ! अगर आप इसके बारे में कोई मजीद ख्यालात जाहिर करना चाहें तो सब साहबान शोक से सुनेंगे. अगर आप जरूरत समझें तो अपने ख्यालात जाहिर फरमायें.

ईश्वरीसिंह साहब—जब यह सवाल तय पाचुका है तो फिर अब जरूरत नहीं. मैं अपनी तजवीज को वापिस लेता हूं.

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

नोटः—१. इसके बाद प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया कि चूंकि एजेन्डा मजलिस आम की जुम्ला तजावीज खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा मजलिस आम के इस सेशन का काम खत्म किया जाता है.

नोटः—२. मजलिस का काम खत्म होने पर जुम्ला मेम्बर साहबान को refreshments दी गई. Refreshments के वक्त हुजूर मुअल्ला दाम:इकबालहू की सवारी रौनक अफरोज हुई. बाद refreshments फोटू लिया गया.

जमीमा नम्बर १.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

एजेन्डा मजलिस आम, सम्वत १९८२.

फर्द नम्बर १.—तजावीज जो गवर्नमेन्ट की जानिब से मजलिस आम में पेश होंगी.

नम्बर शुमार.	तजावीज.	कैफियत.
१	खिडकहाय में दाखिलशुदा मवेशियों के नीलाम की कार्रवाई में अगर बेकार गायों की तरह दीगर लावारसी मवेशियान को नीलाम में कोई शख्स न ले तो क्या यह तरीका इख्तियार करना बेहतर होगा कि अव्वल ऐसे मवेशी उस शख्स को मुफ्त दिये जावें जो उनकी परवरिश करना मंजूर करे, और अगर कोई मुफ्त भी लेने पर रजामन्द न हो तो क्या उनकी परवरिश खिडक की आमदनी से की जाना मुनासिब होगा ?	
२	अय्याम खुश्कसाली में ऐसे मुकामात पर जो घास पैदा होने की जगहों से फासले पर वाके हैं, चारा न मिलने की वजह से ऐसे जानवर जो काश्त के काम में लाये जाते हैं, जाया हो जाते हैं या काश्त के काम के काबिल नहीं रहते. सवाल यह है कि किस तौर पर ऐसा इन्तजाम किया जावे जिससे अय्याम कहत में मुकामात मजकूर पर जानवरों के लिये घास चारा मिलता रहे, ताकि काश्तकारी के जानवर जिन्दा और काम के काबिल बने रहें.	
३	ब अय्याम कहत रिआया इलाका हाजा इलाके गैर को, ऐसे मुकामात पर जहां उनकी रिश्तेदारी होती है और आसायश मिलने की उम्मेद होती है, चली जाती है. बाद में उनके वापिस बुलाने की कार्रवाई मौका और वक्त के लिहाज से की जाती है, लेकिन सवाल यह बाकी रहता है कि ऐसा क्या इन्तजाम किया जावे जिससे बजमाने कहत रिआया रियासत हाजा को इलाके गैर में जाने की जरूरत या ख्वाहिश ही पैदा न हो.	
४	महकमे आबपाशी से जमींदारान व काश्तकारान अपनी आराजी की काश्त के लिये पानी लेते हैं. तजवीज यह है कि एक फॉर्म तजवीज किया जावे, जो पानी के ख्वास्तगार हों वह इस फॉर्म की खानापुरी करके अमीन या पतरोल को सितम्बर तक दे दिया करें. सितम्बर के बाद पानी की मांग होने की हालत में ५० फी सदी मामूली शरह से ज्यादा महसूल लिया जाकर पानी दिया जावेगा, बशर्ते कि स्टोरेज में पानी हो.	

अब्दुल करीम खां,
मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस, हुजूर दरबार.

फर्द नम्बर २.—तजावीज जो नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान मजलिस आम की जानिब से मौसूल होकर दर्ज एजेन्डा हुई हैं, और मजलिस आम में पेश होंगी.

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है किः— यह मजलिस हरदिल अजीज व हमदर्द महाराजा साहब व प्रेसीडेन्ट मजलिस हाजा श्रीमंत सरकार **सर माधवराव साहब सेंधिया,** आलीजाह बहादुर, के बेवक्त वफात पुर मलाल पर इजहार अफसोस व एहसास नुक्सान करती है और ईश्वर से दुआ करती है कि अंजामदिही फरायज मजलिस हाजा में हमारी ऐसी रहनुमाई करे कि जिससे हम उन मकासिद को पूरा कर सकें जो हुजूर मरहूम ने मजलिस हाजा की कायमी के वक्त मद्देनजर रखे थे.	त्रिम्बकराव पुस्तके, उज्जैन.	
२	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है किः— इजलास मजलिस आम शुरू करने से पहिले इस मजलिस के जन्मदाता प्रजा प्रिय कैलाशवासी महाराजा **सर माधवराव साहब सेंधिया,** आलीजाह बहादुर, की पवित्र आत्मा को अखण्ड शान्ति प्रदान करने के लिये तथा वर्तमान महाराजा **जॉर्ज जीवाजीराव साहब सेंधिया,** आलीजाह बहादुर, की उम्र व दौलत में तरक्की करने के निमित्त समस्त मेम्बरान को खड़े होकर जगत पिता श्रीपरमात्मा की शरण में शुद्ध अंतःकरण पूर्वक सप्रेम सादर प्रार्थना करना चाहिये.	बद्री नारायण साहूकार, नाहरगढ	
३	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है किः— अक्सर शिकायत इस अम्र की रहती है कि पुलिस स्टेशन रपट दर्ज नहीं करता या बर वक्त या हस्ब बयान रपट कुनिन्दा रपट दर्ज नहीं होती. ऐसी हालत में वकूआ साबित होने या हकरसी माल में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं. पस यह तजवीज पेश की जाती है किः— अगर स्टेशन पुलिस रपट दर्ज न करे तो रिपोर्ट कुनिन्दा फिलफौर करीब के डाकखाने से स्टेशन पुलिस को जर्ये रजिस्ट्री जवाबी अपनी तहरीरी रिपोर्ट भेज सकता है और उसी में स्टेशन पुलिस पर जाने और पुलिस के रपट न लिखने बाबत लिख सकता है. ऐसी रिपोर्ट मौसूल होने पर स्टेशन पुलिस का फर्ज रखा जावे कि वह बाद दर्ज रिपोर्ट चेक रसीद जर्ये सरविस बैरंग रपट कुनिन्दा के पास लाजमी तौर पर अन्दर २४ घंटे के भेजदे.	लक्ष्मीनारायण बीजावर्गी, गुना	
४	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है किः— मैं अपनी इस तजवीज को ज्यादातर मुल्क मालवे के लिये महदूद करता हूं.	रावबहादुर ईश्वरीसिंह, ढाबलाधीर.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
	यहां पर जहां तक गौर किया गया है आबपाशी की बहुत जरूरत है, लेकिन काश्तकार लोग इस तरफ बहुत कम तवज्जुह करते हैं. अक्सर देखा गया है कि सिवाय खाकी जमीन के कुए और ओढी, जहां कि नाले और नदी भी मौजूद हैं, नहीं हैं. अगर तहसीलात मालवे में कुए और ओडी बहिसाब एक मुअय्यन तादाद फी सदी रकबा खाकी पर कायम फरमाये जाने का ऑर्डर फरमाया जावे तो काश्तकार निहायत खुशी के साथ रकबा जमीन खाकी के साथ कच्चे कुए और ओडी बहुत थोडे सर्फे से कन्दा कराकर आबपाशी करेंगे, जिसका सर्फा ज्यादा से ज्यादा एक कुए में १०० रुपये होगा, और ओडी में इससे भी कम. आबपाशी के फवाअद आम तौर पर मशहूर हैं. इसमें खाकी जमीन जोतनेवाले को उस आबपाशी के साथ कुछ हिस्सा घास भी, अलावा उस घास के जो रकबा खाकी पर मिलता है, उससे मिलेगा. आमदनी सरकार व जमींदार बहुत बढ जावेगी और काश्तकार की पैदावार भी दर्जहा ज्यादा होगी. फसल नैशकर के अलावा तमाम अजनास आबपाशी से ज्यादा पैदा होंगे, और सब्जी आलू वगैरह भी पैदा होंगे, गांव सैराब व सरसब्ज रहेगा, इन्सान व मवेशियों को हर किस्म की चीजें हर मौसम में मयस्सर होंगी. रचका चरी वगैरा भी मवेशियों के लिये हो सकेगी, जिससे दूध वगैरा का भी फायदा होगा. रफ्ता २ बरहों पर फलदार पेड बिला ज्यादा मेहनत परवरिश हो सकेंगे. जो आबपाशी के फायदे होते हैं उनसे रिआया और सरकार अबद पायदार दोनों मुस्तफीद होंगे.		
५	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** अब नम्बरदारान " नायब तहसीलदार मौजा " करार दिये जा चुके हैं, इसलिये औकाफ कमेटी में से " देहा कमेटी " तोड दी जावे और नायब तहसीलदार मौजा या नम्बरदार का फर्ज लाजमी मुतअल्लिक देवस्थान रखा जाकर परस्तिशगाहों और मजहबी औकाफ की इम्दाद व निगरानी के कानून में बजाय देहा कमेटी के नायब तहसीलदार मौजा या नम्बरदार कायम किया जाकर कानून हाजा की दफआत जैल तरमीम फरमाई जावें:— **दफा** १३.—कानून औकाफ जहां तक वह मुतअल्लिक देहा कमेटी से है खारिज फरमाई जावे. **दफा** १४.—कानून मजकूर के अव्वल पैरेग्राफ में औकाफ कमेटी देह के बजाय नायब तहसीलदार मौजा या नंबरदार का फर्ज लाजमी रखा जावे. **दफा** १७.—में से लफ्ज " देहा कमेटी " निकाल दिया जावे. **दफा** १८.—में बजाय औकाफ कमेटी देह के नायब तहसीलदार मौजा या नंबरदार कायम फरमाया जावे. **दफआत** २५ व २६—में जो मजमून मुतअल्लिक देह कमटी है वह कम किया जावे	लक्ष्मीनारायण बीजावर्गी, गुना.	
६	**यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** चूंकि देवस्थान मुतअल्लिक औकाफ की बाबत कोई रिकार्ड सूबातों में यानी औकाफ कमेटियां जिला में नहीं हैं जिससे मेम्बरान औकाफ कमेटी जिला को उनकी बाबत वाकफियत मिल सके, पस यह तजवीज पेश की जाती है कि:—	ऐजन.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत

हर सूबात (औकाफ कमेटी जिला) में एक रजिस्टर बाबत कुल देवस्थान व दरगाह वगैरा का जो उस जिले में हों, रक्खा जावे, जिसमें हस्ब जैल देवस्थान व दरगाह वगैरा का इन्दराज रहे:—

(अ) उन देवस्थानों व दरगाहों वगैरा का जिनका तअल्लुक औकाफ से है और जिन पर आराजी या नेमनूक मुकर्रर है.

(ब) दूसरे हर देवस्थान व दरगाह का जिनको आराजी या नेमनूक मुकर्रर नहीं है.

७ — **यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** — शंकरलाल, मुरार.

औकाफ कमेटियां कायम होते हुए भी अपूज्य परस्तिशगाहें देखने में आती हैं. उम्मेद है कि हस्ब जैल तरीका इख्तियार करने से जो अपूज्य परस्तिशगाहें हैं उनका इन्तजाम पूजा हो जायगा:—

(१) पहिले हर परगने का एक रजिस्टर ऐसा मुरत्तिब कराया जावे जिससे पूरे हालात परस्तिशगाह के मालूम हो सकें जिस पर इन्तजाम पूजा का तरीका सोचा जाय. ऐसे रजिस्टर की तैयारी का आसान तरीका यह इख्तियार किया जाय कि वक्त दौरा हर मौजे की परस्तिशगाहों का इंदराज मय उनकी हालत के पटवारी से मौके पर रजिस्टर में कराकर खानापुरी करा ली जावे. ऐसा रजिस्टर एक साल के दौरे में मुरत्तिब हो जायगा, क्योंकि एक साल में परगने के पूरे मवाजियात का दौरा लाजमी तौर से तहसीलदार साहबान करते हैं.

(२) जब ऐसे रजिस्टर परगनेवार तैयार हो जावें तो उन पर से एक रजिस्टर यकजाई सेंट्रल मजहबी औकाफ कमेटी तैयार कराकर छपवाले. एक एक परत हर परगना व जिला कमेटी में भेज दी जाय.

(३) परगना कमेटी के प्रेसीडेंट तहसीलदार साहब वक्त दौरा अपूज्य परस्तिशगाहों का नोट करके जिस मजहब की वह परस्तिशगाह हो उस मजहब के मुकामी लोगों से पूजन का इन्तजाम कराने की तदबीर करें.

उस परस्तिशगाह की आमदनी अगर कुछ हो, उससे या चंदे से या दोनों से पूजन का इन्तजाम न हो सके तो कमी सर्फे को पूरा करने की गरज से या पूरा सर्फा देने की गरज से मुआम्ला कमेटी में रखकर कमेटी के सरमाये से पूजन का इन्तजाम कराना चाहिये.

(४) किसी मेम्बर औकाफ कमेटी को या तहसीलदार को वक्त दौरा जब यह बात मालूम हो कि कोई परस्तिशगाह मरम्मत तलब हो गई है या इन्तजाम पूजा दुरुस्त नहीं है या अपूज्य है तो परगना औकाफ कमेटी में मुआम्ला रखकर इन्तजाम करा देना चाहिये.

गुजारिश यह है कि यह तजवीज पास हो जावे तो आशा की जाती है कि शिकायत अपूज्य परस्तिशगाह में सेहत हो जावेगी.

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
८	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** एक कमीशन इस अम्र की जांच करने के वास्ते मुकर्रर फरमाया जावे कि जुम्ला काश्तकार पेशा अशखास रियासत हाजा की आमदनी को वुसअत व तरक्की किस खानगी दस्तकारी (Cottage Industry) से हो सकती है, जो काश्तकार पेशा अशखास अपनी फुरसत के अय्याम में बिलउमूम इख्तियार कर सकें.	त्रिम्बकराव पुस्तके उज्जैन.	
९	**यह मजलिस गवर्नमट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—** रियासत हाजा की Cottage (कॉटेज) और Localised industries को initiate और improve करने की गरज से एक कमेटी कायम की जावे जिसमें कि अलावा रियासत हाजा के दीगर इलाके के experts व तजरुबेकार भी शरीक किये जावें. यह कमेटी हर जिले की Local Conditions खुसुसन raw materials व natural products को study करने की गरज से terms of reference व सवालात कायम करे और एक कमीशन कायम करके उसके सपुर्द वह सवालात करे. यह कमीशन कम अज कम हर जिले में जाकर इन terms of reference के मुताबिक शहादत लेवे और उस पर से कमेटी मुकम्मिल रिपोर्ट मजलिस आम में पेश करे.	चतुर्भुजदास, आगर.	
१०	**यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** ऐसी industries मिस्ल Cotton Ginning Factories के जो कि Law of Constant return के ताबे हैं और जिनसे छोटे Capitalist भी फायदा उठा सकते हैं इनके जारी करने में Policy of laisses fare or let alone के खिलाफ गवर्नमेंट किसी किस्म की कैद मिस्ल इजाजत लेना वगैरा आयद (impose) न करे.	ऐजन.	
११	**यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** रियासत हाजा की तरक्की होने के लिये अव्वल जर्या काश्त ही है, ऐसा इस वक्त के देखने मे मालूम होता है; और इस वक्त काश्त में जो हर्जा होता है उसकी वजह क्या है यह इस मूजिब जाहिर हुई मसलन:— काश्तकारों के हलवाहे (हल हांकने वाले) काश्तकारान से सैकडों रुपया पेशगी लेते हुए मुआहिदे फिस्ख करके फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से काश्तकार कीमती व काफी काश्त करने से मजबूर होता है; इसलिये इन्तजाम हलवाहों का होना मुनासिब; लिहाजा नीचे लिखे हुए मुताबिक इन्तजाम होना चाहिये:— (१) किसी काश्तकार का हलवाहा फरार हो या मुआहिदा फिस्ख करके काम करने से रह जावे तो वह बजर्ये वारन्ट गिरफ्तार होकर साल खत्म होने तक जमानत पर या जात मुचलके पर काश्त का काम करने के लिये काश्तकार के सपुर्द किया जावे. (२) बाद खत्म साल उसके जिम्मगी का रुपया जो हो अदा करने पर हलवाहेगिरी से छुटकारा पा सकता है. अगर रुपया अदा न करे तो छुटकारा हलवाहे का नहीं हो सकता.	वामनराव नारायण पाटनकर मौजा गढला उजाडी, परगना बजरंगढ.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
	ऊपर लिखे मूजिब सरकयूलर इजरा होने से इन्तजाम माकूल हो सकता है और जमींदारान व काश्तकारान का हर्जा न होकर तरक्की काश्त में इम्दाद होकर स्टेट की सरसब्जी होगी.		
१२	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** दरबार आलिया से मशीनरी प्रचार के लिये जरूरी हिदायात हैं, लेकिन उमूमन इसका अमल दरामद पाया नहीं जाता. इसको अमली जामा पहनाने के लिये एक सब-कमेटी बनाई जावे.	कृपाशंकर वर्मा, मौजा बडिया.	
१३	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** खालिस मालवी कपास की काश्त भी शुरू हो गई है, लेकिन मात्र खालिस मालवी कपास व दीगर में, जिसमें कई तरह की शामिल है, कुछ फर्क मन्डियों में देखने में नहीं आता है; इसलिये मालवी कपास ज्यादा तादाद में नहीं बोया जाता है. मालवी कपास अच्छा माना गया है, तो फिर बनिस्बत दीगर मिले हुए कपास के मालवी कपास की कीमत ज्यादा आना चाहिये. इसका इन्तजाम उस वक्त मुमकिन है कि जब मालवी और मिले हुए कपास का जिनिंग अलहदा अलहदा हो, और उनकी रुई भी अलहदा अलहदा गांठ बंधवाकर बेची जावे ताकि उम्दा माल खालिस मालवी रुई व्योपारी लोग अच्छी कीमत पर खरीद कर सकें. ऐसी सूरत में मालवी कपास की कीमत ज्यादा आवेगी और ऐसा होने से मंडी और रियासत के व्योपार की तरक्की व बेहबूदी होगी और तिजारत को भी फायदा होगा और खालिस मालवी कपास का बीज भी ज्यादा मिकदार में मिल सकेगा, बल्कि थोडे अर्से में मालवी कपास ही रियासत में बोया जावेगा.	बन्सीधर भार्गव, उज्जैन.	
१४	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** ब मन्शाय दफा २०, कलम नंबर (५), एक्ट पंचायत बोर्ड्स, मुलाजिमान सरकारी के मुआम्लात बोर्ड में समाअत नहीं हो सकते हैं. इसमें दिक्कत यह है कि वक्त जरूरत तो मुलाजिमान सरकारी पब्लिक से कर्ज लेते हैं और न देने की हालत में जब उन पर पब्लिक को नालिश करने की नौबत आती है तो जिस रकम की नालिश कि पंचायत बोर्ड्स में हो सकती है उसके लिये अदालत मजाज में जाना पडता है, जिससे मन्शा कायमी पंचायत बोर्ड्स पूरी नहीं होती; यानी दूर मुकाम अदालत पर जाना होता है और पूरा रसूम हस्ब कायदे दीवानी देना पडता है; इसलिये मेरी राय में बोर्ड को मुलाजिमान सरकारी की निस्बत भी नालिशात दीवानी सुनने का इख्तियार होना चाहिये.	ऐजन	
१५	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** एक्ट पंचायत बोर्डस में ब सीगे इजराय नीलाम व कुर्की मदयूनान के बारे में कुछ इख्तियार नहीं दिया गया है और मन्शाय दफा २८, कलम नंबर (२) एक्ट पंचायत बोर्ड्स, यह है कि दरख्वास्त कुर्की व नीलाम वगैरा पेश होने पर मुकद्दमात अदालत परगना में भेज दिये जावें. "(१) मदयूनान की जानिब से जायदाद तलफ कर देने व फरार हो जाने की हालत में डिक्रीदारान अपनी हकरसी से महरूम रह जाते हैं.	ऐजन	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत
	(२) डिक्रीदारान को अदालत परगना में, कि जो तहसील के मुकाम पर है, जाना पड़ता है. (३) अदालत परगना में बमुआमलात इख्तियारी पंचायत बोर्ड्स रसूम डिक्रीदारान को अदा करनी पड़ती है. इसलिये मेरी राय में पंचायत बोर्ड्स को जायदाद मन्कूला की कुर्की व नीलाम का इख्तियार मिलना चाहिये.		
१६	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—** एक्ट पंचायत बोर्ड्स में वसूली जुर्माना व तावान व मुआमलात फौजदारी पंचायत बोर्ड्स को वसूल करने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया है. मन्शाय दफा ४१, एक्ट पंचायत बोर्ड्स, सिर्फ यह है कि अगर हुक्म की तारीख से आठ रोज के अन्दर जुर्माना या मुआवजा अदा न हो तो बोर्ड अदालत मजाज में वसूली के बारे में रिपोर्ट करेगा. जुर्माना करने के बाद और अदालत मजाज में इत्तला देने के कब्ल, अगर मुलजिम या मुआवजेदार भाग गया या चला गया तो मतालबा सरकारी वसूल न हो सकेगा; इसलिये बोर्ड को इख्तियार वसूली जुर्माना व मुआवजा वगैरा का जायदाद मन्कूला से मिलना चाहिये.	बन्सीधर भार्गव, उज्जैन.	
१७	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—** बाहमी तनाजेआत का फैसला बजरिये पंचायत हो जाता है, लेकिन मुतअल्लिकीन निफाज फैसले सालिसी की कोशिश तहत दफा ४७४ (४), जाब्ता दीवानी, दरबार नहीं करते और खिलाफवर्जी की सूरत में बरबिनाय फैसले मजकूर मुद्दई किसी दादरसी का मुस्तहक नहीं रहता, न वह उस फैसले को उस वक्त मुअस्सर करा सकता है; लिहाजा जिमन (४), दफा ४७४, जाब्ता दीवानी, दरबार खारिज की जावे.	दामोदरदास झालानी, शाजापुर.	
१८	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—** कारोबार तिजारती और साहूकारी में अक्सर व बेश्तर हजारहा रुपयों की दस्तावेजात के तहरीर व तकमील की नौबत पहुंचती है, मगर तहत कानून स्टाम्प, ग्वालियर, सम्वत १९७०, रसूम दस्तावेजात कसीर तादाद में अदा करना पड़ता है और नालिशात की सूरत में अलावा रसूम के तावान अदा करना पड़ता है जो नाकाबिल बरदाश्त होता है और कारोबार तिजारत को नुकसान देह है; इसलिये रसूम और तावान की तादाद कम होने की जरूरत है; लिहाजा ब कायमी सब-कमेटी रसूम व तावान का स्केल तजवीज किया जावे.	ऐजन	
१९	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** मजलिस कानून के लिये नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान का इन्तखाब मजलिस आम के जुम्ला नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान में से बिला लिहाज किसी मखसूस तबके या जमाअत के फरमाया जाया करे.	बटुकप्रसाद मिश्र, उज्जैन.	
२०	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** मजलिस कानून में नॉन-ऑफिशियल मेम्बर्स सिर्फ साहूकारान व जमींदारान में से ही मुन्तखिब न हों बल्कि कुल मेम्बरान मजलिस आम में से मुन्तखिब हुआ करें.	चतुरभुजदास, आगर.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
२१	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—— सरक्यूलर नंबर ३०, संवत १९६१, महकमे चीफ सेक्रेटरियट में इस तौर पर तरमीम की जावे कि म्युनिसिपल टाउन्स में खेल तमाशों की इजाजत देने का मजाज प्रेसीडेन्ट को दिया जावे.	चतुरभुजदास, आगर.	
२२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—— निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट की दफा २७ का उसूल ग्वालियर में काबिल अमल करार दिया जावे. गुजारिश यह है कि एक मुनीब ने मालिक दूकान की तरफ से बावजूद इख्तियार न होते हुए मुद्दई के हक में एक हुन्डी लिख दी. हाईकोर्ट ग्वालियर ने करार दिया कि निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट की दफा २७ (जिसमें यह दर्ज है कि मुनीब के बिला इख्तियार लिखे हुए हुंडवी का जिम्मेवार मालिक न होगा, बल्कि मुनीब खुद होगा) बतौर आम उसूल ग्वालियर में यह लागू नहीं किया जा सकता. कानून मुआहिदे की दफआत २३० व २३३ का उसूल आम है. इस उसूल के मुताबिक एजेन्ट के किये हुए मुआहिदे का जिम्मेदार मालिक है. हुंडवी का रुपया मालिक दूकान को भुगताना होगा. फैसला हाईकोर्ट नजीर मिस्ल कानून है, ऐसा करार दे देने से बे इख्तियार एजेन्टान को हुंडवी या रसीद लिखकर काफी रुपया हासिल करने का मौका मिलेगा.	शंकरलाल, मुरार.	
२३	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—— यहां जो एक रस्म नात्रा या धरजना है उसकी फीस सरकारी या जमींदारी ली जाती है. चन्द वाकेआत में देखा गया है कि उस नातरे के मुआम्ले में लडकी वाला अक्सर एक से ज्यादा को जबान दे देता है और चन्द मुद्दई पैदा होकर फिसाद पैदा कर देते हैं. अक्सर औकात नौबत फौजदारी व वारदात की हो जाती है और गरीब देहाती लोग परेशान होते हैं. मेरी राय में इसके लिये खास कानून का होना लाजिमी है. अब यह लोग फीस नात्रा बाद को या ऐन वक्त पर दाखिल करते हैं. फीस नात्रा एक किस्म की रजिस्ट्री है, इसलिये कब्ल अज वक्त फीस दाखिल करके अदालत मुत्तसिला या पंचायत बोर्ड या नायब तहसीलदार देह (जो ओहदा सरकार ने जमींदारों को बख्शा है) से रजिस्ट्री करा दिया करें तो हरचन्द मुद्दैयान में फिसाद पैदा होने का एहतमाल न रहेगा और एक रसीद फॉर्म इस नातरे का तजवीज होकर सदर अदालतों में रहना चाहिये.	राय बहादुर ईश्वरीसिंह, डाबलाधीर.	

अब्दुल करीम खां,
मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस

जमीमा नम्बर २.

रिपोर्ट सब-कमेटी.

मुतअल्लिक तजावीज नं० २ व ३ मुन्दर्जे फेहरिस्त नं० १ एजेन्डा मजलिस आम, सम्वत १९८२.

मुतअल्लिक सवाल नं० २.—सब-कमेटी अपनी इस तजवीज को, जो साल गुजिश्ता में मजलिस आम में पेश हो चुकी है, ताईद करते हुये मजीद सिफारिश करती है कि:—

(१) ऐसे मुकामात के लिये जो सरकारी घास की डांगों से फासले पर है उनके लिये फैमिन के लिये घास किन रकबेजात जंगल से दिया जावे, उनकी फेहरिस्त मुरत्तिब करके मिनजानिब फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट तैयार कराकर बमन्जूरी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट शाया करदी जावे. घास की तादाद उन मवेशियान के लिहाज से कायम की जावेगी कि जो काश्तकारी के काम में लाई जाती हैं और जिनकी हिफाजत कहत के अय्याम में की जानी मकसूद है.

(२) इन मुकर्ररा रकबेजात से घास वास्ते कायमी रिजर्व फैमिन लाने के लिये हस्ब तजवीज मुकामी बोर्ड्स, पासेज हर साल अक्टूबर के पेश्तर तहसीलदार साहब परगना दे दिया करें.

(३) जमींदारान व काश्तकारान इन्तजाम करें कि वह एक मुखिया अपना मुकर्रर करके गाडियां व आदमी भेजकर घास रकबेजात जंगल तजवीजशुदा से कटवाकर मंगवा लें.

(४) इस घास पर कोई महसूल सरकारी नहीं लिया जावेगा. यह घास फैमिन के लिये रिझर्व स्टॉक की शकल में रखा जावेगा और इसकी तिजारत व फरोख्तगी की इजाजत न होगी; लेकिन एक साल का जमा किया हुआ घास दूसरे साल नया स्टॉक जमा कर लेने पर काम में लाया जा सकता है.

(५) ऐसे सरहद्दी मुकामात जिनको सरकारी जंगल की डांगें दूर पडें और करीबतर इलाका गैर से लाकर घास जमा करना पसंद करें उनके घास की कटती पर कस्टम महसूल माफ किया जायगा, बशर्ते कि घास बतलाये हुए नाकों से लाया जावे.

मुतअल्लिक सवाल नं० ३.—सब-कमेटी अपनी साबिका तजवीज पर कायम है और उसके मंजूर किये जाने की सिफारिश करती है.

नोटः—सवाल नंबर २ के मुतअल्लिक कमेटी जिस वाकाफियत की बिना पर मुन्दर्जे बाला राय पर पहुंची है उसका नोट हमरिश्ता है.

नोट.

यह मसला एक अर्से से दरबार के जेर नजर रहा है और मुख्तलिफ मौकों पर दरबार ने इसके मुतअल्लिक अहकाम भी जारी फरमाये.

सम्वत १९६४ में जर्ये सरक्यूलर नंबर ३, सदर बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू, काश्तकारान व जमींदारान को मश्वरा दिया गया कि वह अपने मवेशियों के लिये साल भर की जरूरत के लिये काफी चारा रखकर जो फाजिल हो, उसको फरोख्त किया करें.

दरबार ने अपने सालाना रिव्यू सम्वत १९६९ व १९७२ में यह हुक्म फरमाया था कि जमींदारान व काश्तकारान को मजबूर किया जावे कि वह रिजर्व स्टॉक घास का रखें और अहकाम भी जारी हुए मिनजानिब जमींदारान व काश्तकारान क्या अमल हुआ, यह अम्र मोहताज बयान नहीं है.

सन १९१८ में यह सवाल फिर जमींदारान कॉन्फरेन्स में, जो शिवपुरी में जेर सिदारत हुजूर मुअल्ला ममदूह हुई और जिसमें परगना व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कायमी का इजहार फरमाया गया, फिर पेश होकर तसफिया हुवा, जिसकी तशरीह दरबार के मेमोरेन्डम नम्बर ६ में दी हुई है.

तजवीज यह की गई थी कि:—

(१) एक साल के लिये घास का स्टॉक रखने के लिये अव्वल जमींदारी कॉन्फरेन्स (परगना व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) में हर जमींदार से यह तय किया जाय कि वह ब जमाने कहत कितनी मवेशी डांग में भेज सकता है और कितनी काश्तकारी वगैरा के काम के लिये मौजे में रखना लाजमी है. कम से कम इस तादाद मवेशी के लिये साल भर के खर्चे का घास हमेशा स्टॉक में रखना चाहिये.

(२) यह घास साल भर के लिये रहे और तिजारत के काम में हरगिज न लाया जाय, अगर कोई खिलाफवर्जी करे तो कार्रवाई मुनासिब की जाय.

(३) उन अजला में जहां डांगें नहीं हैं ऐसी चरी के बोने का तजुर्बा किया जावे जो थोडी मिकदार में ज्यादा चरी का काम दे सकती है. घास का बीज महकमे एग्रीकलचर से मंगाया जाय. तजुर्बे से जो बीज मुफीद साबित हो उसका आयन्दा के लिये इन्तजाम किया जाय.

(४) जमींदार लोग मुकर्ररा डांगों से अक्टूबर लगायत दिसम्बर घास काटकर ले आवें और ऐसा इन्तजाम करें कि किसी मुखिया को मुकर्रर करके उसके साथ गाडियां व आदमी भेजकर घास दिसम्बर अखीर ले आवें. उनको पास अक्टूबर से पेश्तर मिल जावेंगे और **महसूल निस्फ लिया जावेगा.** यह रिआयत दिसम्बर के बाद कटाई करने की हालत में नहीं दी जायगी.

(५) ऐसा घास तिजारत के लिये नहीं मिलेगा और घास जमा शुदा की उलटा पलटी हर साल की जाया करे.

(६) सरहद्दी मवाजियात जिनको सरकारी जंगल की डांगें दूर पडें और करीबतर इलाके गैर से घास लाकर जमा करना पसन्द करें उनको घास की कटती का कस्टम महसूल माफ किया जावेगा बशर्ते कि घास बतलाये हुए नाकों से लाई जाय.

सन १९२२ में दरबार ने जो रिव्यू कहतसाली के इन्तज़ाम की निस्बत गवालियार गवर्नमेंट गजट तारीख २५ फरवरी सन १९२२ ई० में शाया किया उसमें भी (पैरा नंबर १० में) इस मसले के मुतअल्लिक लोकल बोर्डस की रायें तलब करने का फिर हुक्म सादिर फरमाया था, चुनांचे मुकामी बोर्ड्स की रायें जो प्रान्त बोर्डस गवालियार और मालवे की जानिब से आईं और पब्लिक की राय का इजहार करती हैं, हस्ब जैल थीं :—

प्रान्त बोर्ड गवालियार—जिस तरह नाज का इन्तजाम हर शख्स को अपना अपना अलग करना चाहिये उसी तरह घास का इन्तजाम हर शख्स को अलग अलग करना चाहिये शामलात इन्तजाम या सरकारी इन्तजाम या साहूकारी इन्तजाम मुफीद न होगा.

प्रान्त बोर्ड मालवा—जमींदारान मजबूर किये जायें कि वह अपनी मवेशियान के खाने के लिये एक साल के घास का स्टॉक रखें.

दरबार से जो कोशिश इतने अर्से में हुई और जो तजावीज की गईं और अवाम की राय क्या थीं उनका ऊपर जिक्र किया गया. अगर हस्ब हिदायात दरबार तजवीज मुन्दर्जे मेमोरेन्डम नम्बर ६ पर अमल किया जाता या अब भी किया जाय तो फिर इस सवाल के उठाने की जरूरत बाकी नहीं रहती.

———

स्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

सीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार, सम्वत १९८३.

सेशन छटवां.

इजलास अव्वल.

सोमवार, तारीख २८ मार्च सन १९२७ ई०, वक्त १२ बजे दिन, मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

१. हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू.

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार सर आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई. ई., रेवेन्यू मेम्बर (वाइस-प्रेसीडेन्ट, कौन्सिल).

३. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीरे खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

४. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई., मुशीर-खास बहादुर, शौकतजंग, आर्मी मेम्बर.

५. श्रीमंत सदाशिवराव खासे साहब पंवार, होम मेम्बर.

६. राव बहादुर रावजी जनार्दन साहब भिडे, मुन्तजिम बहादुर, फाइनेन्स मेम्बर.

७. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुल मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

८. सरदार साहबजादा सुलतान अहमदखां साहब, मुन्तजिमउद्दौला, अपील मेम्बर.

९. राव बहादुर केप्टेन बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकलचर.

०. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर साहब मुळे, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज, व मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

१. मेजर हश्मतउल्लाखां साहब, मेम्बर फॉर पब्लिक वर्क्स.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१. राय साहब सेठ मानिकचन्दजी साहब, ताजिरुल मुल्क, उज्जैन.
२. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मोहम्मदखेडा (शुजालपुर).
३. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, वफादार दौलते सिंधिया, लश्कर
४. मीर जामिनअली साहब, मौजा देरखी (भेलसा).
५. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.
६. ओंकारनाथ साहब, मुरार.
७. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुश्तरी (महगांव).
८. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).
९. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
१०. मूबालाल साहब, शिवपुरी.
११. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).
१२. बलवंतराव साहब बागरीवाले, भेलसा.
१३. जगन्नाथप्रसाद साहब, मौजा भीलवाडा (शाजापुर)
१४. बागमल साहब, आगर.
१५. मयाराम साहब, चन्दूखेडी, (उज्जैन).
१६. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.
१७. महन्त लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझेरा).
१८. चौधरी नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.
१९. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, वकील, भिन्ड.
२०. हरमानजी साहब, मुरैना.
२१. सेठ अनंदीलालजी साहब, श्योपुर.
२२. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.
२३. चतुरभुजदास साहब, वकील, आगर.
२४. त्रिंबकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.
२५. गुरुदयाल साहब, वकील, मन्दसौर.
२६. कृपाशंकर साहब, मौजा बडिया (बाकानेर).
२७. रखबदास साहब, जौहरी, लश्कर.
२८. लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी, गुना.
२९. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
३०. बिन्द्रावन साहब, भिन्ड.
३१. दामोदरदास साहब, शाजापुर.
३२. राव हरिश्चन्द्रसिंह साहब, बिलौनी.

३३. ठाकुर रघुनाथसिंह साहब, चिरौला (परगना बडनगर).

३४. ठाकुर पहलादसिंह साहब, कालूखेडा (परगना मन्दसौर).

४०. सरदार श्रीधर गोपाळ आपटे साहब, लश्कर.

३५. शंकरलाल साहब, मुरार.

३६. मुरलीधर साहब गुप्ता, वकील, लश्कर.

३७. बटुकप्रसादजी साहब, वकील, उज्जैन.

३८. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

३९. मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी, लश्कर.

कार्रवाई इजलास मजलिस आम शुरू होने से कब्ल हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू ने चौधरी नवाब अली साहब रिप्रेझेंटेटिव (representative) म्युनिसिपल बोर्ड, लश्कर (जदीद मुन्तखिब शुदा नॉन-ऑफिशियल मेम्बर) से हलफ लिया और खिलअत अता फर्माया.

इसके बाद हुजूर मुअल्ला की सवारी महल में वापिस तशरीफ ले गई और ब सिदारत वाइस-प्रेसीडेन्ट साहब कौन्सिल, कार्रवाई मजलिस शुरू होकर एजेन्डा मजलिस आम (मुन्दर्जे जमीमा नम्बर १) की हस्ब जैल तजावीज पेश हुई:—

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर १.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जिन २ खेल तमाशों की इजाजत कानूनन दी जा सकती है उनकी इजाजत देने का इख्तियार म्युनिसिपल कस्बों में प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी को दिया जावे और इसके मुताबिक मौजूदा नोटिफिकेशन व अहकाम तरमीम व तन्सीख किये जावें.

चतुरभुजदास साहब—इस वक्त खेल तमाशों व ब अय्याम दिवाली जुओं की इजाजत देने का मजाज परगने में तहसीलदार साहब व जिले में सूबे साहबान को व जिन पर कि टिकिट मावजे के साथ लगाये जाते हैं, यानी नाटक वगैरा, उनकी इजाजत डिस्ट्रिक्ट जज को है. इनके मुतअल्लिक नोटिफिकेशन तारीख ५ जौलाई सन १९१९ ई० व सरक्यूलर नंबर ४, सम्वत १९७०, महक्मे लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट है. इस जाब्ते में हस्ब जैल खामिया हैं:—

(१) यकसां जाब्ता न होने से तमाशा करने वालों को बडी दिक्कतें पेश आती हैं. खुसूसन परगनों में अगर कोई खेल तमाशा करना हो तो यह दिक्कत बहुत ही होजाती है. बल्कि अगर कोई दीगर इलाके का यहां आवे तो वह परगने में इस ख्याल से आता है कि उसको वहां इजाजत मिल जावेगी. वहां से जाब्ता मालूम होने पर वह जिले में भागा जाता है और बाज औकात उसके आने जाने में खेल का वक्त निकल जाता है और वह जो कुछ भी सर्फा करता है वह रायगां जाकर बायस बद शोहरत रियासत हाजा की होती है. उसके बाद फिर आराजी या मुकाम वगैरा की भी म्युनिसिपेलिटी से इजाजत लेनी पडती है और दुचन्द तवालत उठानी पडती है.

(२) यह आम उसूल कानून का है कि वह हत्तुल इम्कान ऐसा यकसां व सादा हो कि उसकी पाबन्दी आसानी से होसके. मौजूदा जाब्ता इस कदर पेचीदा है कि जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसकी पाबन्दी में बडी दिक्कतें पेश आती हैं.

(३) किन खेल तमाशों की इजाजत दी जावे और किन की न दी जावे, इसके मुतअल्लिक अलावा मौजूदा कवानीन के इस बात की भी जरूरत है कि फलां खेल या तमाशे के मुतअल्लिक आम ख्याल (Public opinion) क्या है और उस public opinion (आम ख्याल) का भी लिहाज करके इजाजत देना या न देना अमल में लाना चाहिये. यह अम्र मुसल्लिमा है कि जितनी कि प्रेसीडेन्ट साहबान म्युनिसिपेलिटी को इस आम ख्याल की वाकफियत बाला २ या मार्फत म्युनिसिपल नॉन ऑफिशियल मेम्बरान के होती है या हो सकती है उतनी एक जुडीशियल ऑफिसर को नहीं हो सकती.

कृपाशंकर साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

आर्मी मेम्बर साहब.—मुजव्विज साहब ने जो तजवीज पेश की है उसके मुतअल्लिक उनके जेर नजर गालिबन वह दिक्कतें नहीं हैं जो इजाजत देने वाले ऑफिसरान को पेश आती हैं. इस वक्त तक परगनों में तहसीलदार साहबान व जिलों में सूबा साहबान और हेडक्वार्टर पर यानी लश्कर, ग्वालियर व मुरार में सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबान पुलिस खेलों की इजाजत देते हैं. इसके बजाय यह चाहा जाता है कि जहां २ म्युनिसिपेलिटी हैं वहां प्रेसीडेन्ट को इजाजत देने के लिये इख्तियार दिया जावे. इस तजवीज में बजाहिर कोई ऐसी पेचीदगी नहीं, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूं कि चंद उन उमूर को जाहिर करदूं जो दिक्कत तलब हैं. अव्वलन मैं यह जाहिर करना चाहता हूं कि इस किस्म के जितने खेल हैं उनमें फिल हकीकत यह देख लेना जरूरी है कि ऐसे खेल जुए की हद तक पहुंचते हैं या नहीं. दूसरे इस अम्र की जांच और निगरानी रखना जरूरी है कि जो लोग बाहर से आकर खेल तमाशे करते हैं वह किस किस्म के लोग हैं, उनका चाल चलन कैसा है, वगैरा २. फिल-हकीकत इस वक्त जो ऑफिसरान इजाजत देते हैं वह ऐग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं. उनका पुलिस से भी तअल्लुक है. खेल तमाशा करने वाले जो बाहर से आते हैं वह किस किस्म के होते हैं, उनका चाल चलन कैसा है, इसकी वाकफियत और खेल तमाशों की नौइयत के मुतअल्लिक वाकफियत इन ऑफिसरान के सिवाय म्युनिसिपेलिटी के लोग कहां तक रख सकेंगे, यह अम्र काबिल गौर मुजव्विज साहब है. ऐग्जीक्यूटिव ऑफिसरान जिनका ताल्लुक पुलिस से होता है तमाम हालात मालूम कर सकते हैं. यह आसानियां म्युनिसपेलिटी के ओहदेदारान को हासिल नहीं हैं. बावजूद इसके कि ऐग्जीक्यूटिव ऑफिसरान को इस बारे में बहुतसी आसानियां हैं ताहम इमकान इस बात का रहता है कि असली वाकयात बाज मर्तबा नहीं मालूम होते ऐसी हालत में प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी को इजाजत देना कहां तक ठीक है इस पर काफी गौर किया जावे.

लॉ मेम्बर साहब—चतुरभुजदास साहब ! मैं आपसे सिर्फ एक बात दरयाफ्त करना चाहता हूं क्या आपकी यह तजवीज उस नोटिफिकेशन से ताल्लुक रखती है जो जौलाई सन १९१९ ई० में महकमे लेजिस्लेटिव से जारी हुआ था ?

चतुरभुजदास साहब—उससे भी.

लॉ मेम्बर साहब—तो यूं समझना चाहिये कि आपकी तजवीज फिल हकीकत दो किस्म के खेल तमाशों से तअल्लुक रखती है. एक वह जो मेलों के मौकों पर आम तौर पर हुवा करते हैं और जिसको बाज लोग जुआ समझते हैं; दूसरे ऐसे खेल मस्लन थियेटर या नाटक जो शब को किये जाते हैं. आपकी तजवीज से यह बात जाहिर नहीं होती थी कि किस किस्म के खेल तमाशे से आपकी मुराद है. ख्याल यह हुवा कि नाटक वगैरा के तमाशों से इसका तअल्लुक नहीं है, इस वजह से आर्मी मेम्बर साहब ने जो कुछ फरमाया है उसमें उन्होंने सिर्फ ऐसे खेलों के

मुतअल्लिक हाल जाहिर किया है जो खास कर मेलों के मौकों पर किये जाते हैं और जो बाज लोग जुवे की किस्म के समझते हैं, अब चूंकि आपने यह ख्याल जाहिर किया है कि आपकी तजवीज का तअल्लुक ऐसे खेल तमाशों से भी है जो शब के वक्त तफरीह के लिये किये जाते हैं और जिनकी बाबत लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से नोटिफिकेशन मुतजिके सदर जारी हुआ है, इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि उस गरज और कैफियत को जाहिर कर दिया जावे जिसकी बिना पर दरबार मुअल्ला ने नोटिफिकेशन मजकूर जारी फरमाया था. मेरे ख्याल में शायद सब मेम्बर साहबान को यह पूरे तौर पर मालूम नहीं होगा कि उस नोटिफिकेशन का मजमून क्या है. उसको एक मर्तबा आप सुनलें ताकि आपको मालूम हो जावे कि दरबार ने उसको किस मस्लहत से जारी किया था. (इसके बाद हस्ब जैल नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया):—

"रियासत हाजा में इस वक्त तक उन खेल व तमाशों की निस्बत जो अवाम की तफरीह की गरज से किये जायें इस किस्म के कवाअद नहीं हैं कि उन खेल व तमाशों के औकात क्या होंगे और उनमें किस किस्म के अशखास शरीक हो सकेंगे और किस किस्म के उसकी शिरकत से बाज रखे गये हैं. उमूमन ऐसे जल्सों में रात का बहुतसा हिस्सा गुजर जाता है, बाज मर्तबा इस वजह से कि खेल बहुत देर से शुरू किये जाते हैं, व बाज मर्तबा इस वजह से कि खेल खुद इतने लम्बे होते हैं कि वह देर में खत्म होते हैं. ऐसे जल्सों में रात का बहुत ज्यादा हिस्सा गुजरना पब्लिक के लिये बाइस तकलीफ व नुक्सान है, शब बेदारी की तकान से खेल देखने वाले दूसरे रोज अपने कामों को अच्छी तरह से अन्जाम नहीं दे सकते. दूसरे यह कि कमसिन लडकों और लडकियों की तन्दुरुस्ती पर रात को ज्यादा देर तक जागने का मुजिर असर पडता है, इसलिये दरबार मुअल्ला हस्ब जैल अहकाम सादिर फरमाते हैं:—

(१) ऐसे खेल और तमाशे बिला इजाजत ऑफिसर मजाज नहीं किये जायेंगे.

(२) अजलाय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और शहर लश्कर, मुरार व ग्वालियार में सिटी मजिस्ट्रेट लश्कर, ऐसे खेल व तमाशों की इजाजत दे सकते हैं.

(३) इजाजत इस शर्त पर दी जायगी कि खेल व तमाशे लाजिमी तौर पर १२ बजे रात तक खत्म कर दिये जावेंगे, लेकिन जो खेल शनीचर और इतवार की दरमियानी शब में किये जायें या किसी ऐसी रात को किये जायें कि जिसके दूसरे दिन आम तातील हो तो ऐसे खेल दो बजे शब तक किये जा सकते हैं. दरबार उम्मेद करते हैं कि कमसिन लडकों और लडकियों के सरपरस्त इस अम्र की कोशिश करेंगे कि ऐसे कमसिन उन खेल व तमाशों की शिरकत से, जो रात को होते हैं, बाज रखें जायें. अलबत्ता जो खेल या तमाशे दिन को किये जायें उनमें ऐसे कमसिनों के शरीक होने में कोई हर्ज नहीं, और खेल और तमाशे करने वालों से भी यह उम्मेद की जाती है कि बाज बाज रोज अपने खेल व तमाशे दिन में किया करेंगे कि जिसमें यह लोग भी शरीक हो सकें.

इस नोटिफिकेशन का ताल्लुक उन खेल व तमाशों से है कि जो मालिकान खेल अपने जाती फायदे के लिये अवाम की तफरीह की गरज से करें, मस्लन नाटक, सरकस, म्यूजिक. ऐसे जल्से जो मजहबी ख्याल से किये जायें, मस्लन कथा, मौलूद, रास या ऐसे प्राइवेट जल्से जिनमें अवाम दाखिल नहीं हो सकते, इसके असर से मुस्तसना हैं."

इस नोटिफिकेशन से जाहिर होगा कि इजाजत की जरूरत उन खेल तमाशों के लिये है जिनको ड्रामेटिक परफॉरमेन्सेज कहा जा सकता है. ऐसी इजाजत लेना क्यों जरूरी है इसकी एक वजह तो नोटिफिकेशन में यह करार दी गई है कि खेल तमाशे इतने अर्से तक न किये जावें

कि शरीक होने वालों पर देर तक रात में जागने का असर पडे, लेकिन इसके अलावा इसमें दीगर अहम मस्लहत भी है और वह यह कि ऐसे तमाम खेल तमाशों के मुतअल्लिक यह देख लेना जरूरी है कि उनमें कोई ऐसा जुज तो नहीं है ख्वाह वह इबारत में हो, ख्वाह ऐक्ट करके दिखलाया जाय जिससे दूसरे फिर्के की दिलशिकनी हो या दूसरे मजहब की तौहीन हो, या बगावत अंगेज हो. या उसका कोई जुज फोश (obscene) या Indecent न हो. इजाजत देने में इन तमाम अमूर का लिहाज रखना जरूरी है. जिस वक्त दरबार का मन्शा इस नोटिफिकेशन के जारी करने का हुआ उस वक्त हुजूर ममदूह ने यह दरयाफ्त फरमाया कि इलाके कैसरी में भी कोई इस किस्म का कानून जारी है या नहीं. एक पुराने कानून का जो इलाके कैसरी में रायज था, मजमून दरबार के गोशगुजार किया गया. इस कानून की रू से ऐसे नाटक और Performances नहीं किये जा सकते जिनके मजमून फोहश (obscene), दिल दुखाने वाले या मजहब की तौहीन करने वाले हों. इस बिना पर यह करार पाया (अगरचे नोटिफिकेशन में यह बात जाहिर नहीं की गई) कि इन सब बातों का भी देख लेना इजाजत देने से पेश्तर जरूरी है, नीज यह ख्याल किया गया कि इस किस्म की जांच के काम को जुडीशियल ऑफिसरान अच्छी तरह कर सकते हैं. इन वाकेआत पर आप साहिबान गौर करें, बहस करें और अपनी राय दें.

रामजीदास साहब.—जैसा इस वक्त लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है इस तजवीज के दो हिस्से हैं. मैं दोनों की ताईद में अर्ज करना चाहता हूं. हिस्सा अव्वल की बाबत यानी उन खेल तमाशों की बाबत जो जुवे की किस्म के हैं, मैं यह जाहिर करना चाहता हूं कि अगरचे मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज में प्रेसीडेन्ट का लफ्ज इस्तैमाल किया है, लेकिन गालिबन उनकी मुराद म्युनिसिपेलिटी से है. इस तरह तजवीज यह है कि इन खेलों की इजाजत देने का इख्तियार म्युनिसिपेलिटी को दिया जावे. आर्मी मेम्बर साहब ने फरमाया है कि खेल तमाशे करनेवालों के चाल चलन की जो वाकफियत पुलिस को होती है वह म्युनिसिपेलिटी के लोगों को नहीं हो सकती. मेरे ख्याल में म्युनिसिपेलिटी भी बहुत आसानी से उनका चाल चलन जान सकती है. अगर आप दूसरी नजर से इसको देखेंगे तो जाहिर होगा कि ऐसे ऐसे शख्सों को ऐसे मौकों पर इजाजत दी जाती है जिससे वाकई खेल तमाशों की शकल बदल कर जुवे की शकल हो जाती है. मिसाल के तौर पर ताजिये के सामने मुहर्रम में जो खेल तमाशों की इजाजत दी जाती है उसके मुताल्लिक मैं अर्ज करता हूं कि गरीब लोग और बच्चे जो कुछ रुपया व पैसा इस गरज से लाते हैं कि कोई चीज बाजार से खरीदें, मगर यह लोग खेल तमाशे वाले उनको लालच दिलाकर बहुत थोडे अर्से में जो कुछ रकम उनके पास होती है उनसे फुसलाकर ले लेते हैं. अगर ऐसी इजाजत म्युनिसिपेलिटी के हाथ में रहेगी तो इन बातों की रोक हो सकेगी. इसलिये पहिले हिस्से के मुताल्लिक मैं जरूर ताईद करूंगा कि इसकी इजाजत म्युनिसिपेलिटी से दी होना चाहिये दूसरे हिस्से के मुताल्लिक जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है इस बात की जरूरत है कि ऐसे खेल तमाशों की रोक की जावे जो बदअमनी पैदा करने वाले हों या बगावत अंगेज हों. लिहाजा मैं इस तजवीज में प्रेसीडेन्ट से मुराद प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी समझ कर इसके दोनों हिस्सों की ताईद करता हूं.

गुरुदयाल साहब—हुजूर आली, सवाल यह है कि नाटक करने वाले या ऐसे खेल करने वाले जो जुए की शिरकत में तमाशा या खेल करते हैं उनको इजाजत दी जावे, वह कहां से दी जावे. मैं यह अर्ज करता हूं कि दोनों सूरतों में यह देखना कि रिआया पर इसका क्या असर पडेगा और जिस खेल की इजाजत दी जारही है वह जुए की सूरत में दाखिल होता है या नहीं, इसके देखने के लिये जो मजिस्ट्रेट के फरायज हैं वह ही इख्तियारात प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी को दिये जावें. यानी मौजूदा तरीके के बजाय प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी को ऐसी इजाजत देने का इख्तियार दिया जावे.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—करीब करीब मेरे वजूह भी वही हैं जो बयान किये गये हैं. इन खेल तमाशों के मुतअल्लिक निगरानी की जरूरत है. पुलिस से बाकायदा इसकी इजाजत ली जाती है. पुलिस को खेल तमाशा करने वालों के चाल चलन की पूरी मालूमात रहती है और उसके पास इसका रिकार्ड भी ठीक रहता है. अगर कोई शख्स ऐसा तमाशा करता हुआ पाया गया कि जिसको इजाजत नहीं है, रोक देती है और जिनको मिल गई है और वह खेल तमाशे बगावत अंगेज हों उनको पुलिस रोक सकती है. पुलिस इस बात को भी देखती है कि तमाशा कहां हो रहा है और वहां मौजूद रहती है. अगर म्युनिसिपेलिटी को इख्तियार दिया गया तो उसको ऐसे खेल तमाशे रोकने का इख्तियार नहीं है और न पुलिस को ही इत्तला रहेगी. लिहाजा पुलिस ही से इजाजत होना चाहिये.

अष्टेवाले साहब—प्रेसीडेन्ट जो म्युनिसिपलिटी के हैं वह कहीं (paid) पेड हैं और कहीं पब्लिक से चुने हुए हैं, और कहीं न पब्लिक से चुने हुए हैं और न पेड हैं. चन्द मुकामात पर तहसीलदार साहबान ही इजाजत देते हैं और अजला में सूबा साहबान इजाजत देते हैं और हेड क्वार्टर में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस इजाजत देते हैं. तमाशे के लिये उसूल एक होवे, इसलिये प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटीज का तकर्रुर रियासत में यकसां तरीक पर होना चाहिये, और ऐसा होने के बाद अगर यह सवाल उठाया जावे तो ठीक होगा. हिफ्ज अमन रखने की जिम्मेदारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है और ऐसे खेल तमाशों की इजाजत देना भी उन्हीं के तअल्लुक रखा गया है, लेकिन तमाशों की जांच का काम पुलिस का है और पुलिस का तअल्लुक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरान या मुकामी चीफ ऑफिसरान से होता है इसलिये इन्हीं ऑफिसरान की तरफ से खेल तमाशों की इजाजत दी जाना मुनासिब है.

चौधरी नवाबअली साहब—मुजव्विज साहब ने जो तजवीज पेश की है वह मेरे ख्याल में मुफीद है. म्युनिसिपेलिटी के पास काफी अमला होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी. मेरे ख्याल से म्युनिसिपेलिटी से इजाजत होना चाहिये. म्युनिसिपेलिटी से इजाजत देने में भी पुलिस का बार निगरानी दूर नहीं हो सकता है. वह बराबर निगरानी करेगी. ऐसी हालत में प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी को इजाजत देने में कोई दिक्कत न होगी.

जगमोहनलाल साहब—इस तजवीज के मुतअल्लिक मेरे दोस्त रामजीदास साहब ने जो ख्यालात जाहिर किये हैं उनकी मैं ताईद करता हूं. इसलिये उन वजूहात को दुहरा कर मजलिस का वक्त ज्यादा सर्फ करना नहीं चाहता मगर मुखालिफत में जो चन्द उमूर जाहिर किये गये हैं सिर्फ उनकी बाबत जवाबन अर्ज करना चाहता हूं. मेरे दोस्त सिद्दीकी साहब ने जो दिक्कत जाहिर की है वह दिक्कत महज ख्याली दिक्कत है. जिस वक्त म्युनिसिपेलिटी से इजाजत होगी उसके मुतअल्लिक पुलिस को भी इत्तला दी जावेगी. दूसरे एतराज कुनिन्दा मेरे दोस्त गुरूदयाल साहब हैं. मैं जहां तक समझ सका हूं वह इस तजवीज के खिलाफ यह चाहते हैं कि इजाजत का इख्तियार मजिस्ट्रेट साहबान को होना चाहिये. इस से तजवीज में तरमीम होती है. तजवीज में इस वक्त तरमीम करने का इख्तियार मेम्बरान मजलिस को नहीं है, पस गुरुदयाल साहब की यह तरमीमी तजवीज नजर अन्दाज करने के काबिल है. यह भी बतलाया गया है कि अगर म्युनिसिपेलिटी को इख्तियार दिया गया तो हिफ्जे अमन में नुक्स वाके होगा मगर हिफ्ज अमन में नुक्स क्या होगा यह जाहिर नहीं किया गया. इन्तजाम का बार पुलिस पर ही रहेगा. ऐसी सूरत पेश आने पर पुलिस मजिस्ट्रेट से इजाजत लेकर रोक सकती है, पस हिफ्जे अमन में कोई नुक्स पैदा नहीं हो सकता. अखीर में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अक्सर जगह टाउन कमेटी या म्युनिसिपेलिटी के प्रेसीडेन्ट तहसीलदार या सूबा साहबान ही होते हैं इसलिये इस तजवीज के

मंजूर होने पर ऑफिसर वही होगा सिर्फ उनके ऑफिस की तब्दीली हो जावेगी और फायदा यह होगा कि उस अम्र के मुतअल्लिक पब्लिक opinion मालूम होने पर राय दी जावेगी क्योंकि कमेटियों के रूबरू इजाजत का मामला पेश किया जावेगा. लश्कर व उज्जैन के मुतअल्लिक जनाब आर्मी मेम्बर साहब ने फरमाया है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब पुलिस इजाजत देते हैं, मगर वाकआ यह है कि मौजूदा हालत में पबलिक ख्यालात जानने की कतई कोशिश नहीं की जाती है. मेरी राय में प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी से ही इजाजत लिया जाना ठीक है. अब रहे दूसरे किस्म के खेल, जिनका जिक्र जनाब लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है, इनकी बाबत मेरी राय में वही तरीका कायम रहना चाहिये जो इस वक्त जायज है. इन observations के साथ मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

शम्भूनाथ साहब—हुजूर वाला, इजाजत दिये जाने के लिये कानून में तशरीह की गई है. जिन कवाअद व शरायत को मद्देनजर रखकर सूबे साहबान व तहसीलदार साहबान व मजिस्ट्रेट साहबान इख्तियारात अमल में लाते हैं उन्हीं को मद्देनजर रखकर प्रेसीडेन्ट साहब म्युनिसिपल बोर्ड भी कार्रवाई करेंगे. इससे कोई तरमीम कानून में पैदा नहीं होती, सिर्फ तरमीम इतनी होगी कि बजाय सूबे साहबान अजला के म्युनिसपल बोर्ड के ऑफिस की हैसियत से दरख्वास्त दी जाना चाहिये. पुलिस अब भी निग्रानी करती है, म्युनिसिपल बोर्ड से इजाजत दिये जाने पर भी उसी तरह निगरां रहेगी, उसमें फर्क न होगा. अगर म्युनिसिपेलिटी की तरफ मुन्तकिल हो जावेगी तो मुकामी लोगों को अर्ज करने का मौका मिल जावेगा और वहां के हालात वगैरा की जांच करके म्युनिसिपेलिटी इजाजत दे सकेगी. मेरे ख्याल से जो तजवीज पेश की गई है उसके पास करने में कोई अमर मानै नहीं है. मजीद तशरीह कानून में की जा सकती है. अगर कोई खेल न मुनासिब होगा तो पुलिस जिस तरह अब रोक करती है, फिर भी करेगी.

चतुर्भुजदास साहब—इस तजवीज के खिलाफ जो ऐतराज किये गये हैं उसके जवाबात मेरे लायक दोस्त जगमोहनलाल साहब ने बहुत ही काबलियत के साथ बयान किये हैं और जो जवाब मिनजानिब जनाब वाला लॉ मेम्बर साहब दिया गया है और जिसकी ताईद मेरे लायक दोस्त जगमोहनलाल साहब ने की है उसका जवाब मैं यह बयान करता हूं कि नोटिफिकेशन सन १९१९ की तमहीद में यह इरशाद है कि इस बात का ख्याल रखा जावे कि खेल तमाशे सनीचर व इतवार की दरमियानी रात को किये जावें और साथ ही साथ ऐसा भी इरशाद फरमाया गया है कि आम लोगों की दिलशिकनी उस खास खेल से होती है या नहीं, और उन दो वजूहात पर यह बतलाया गया है कि नोटिफिकेशन सन १९१९ की मन्शा के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जज साहब को इख्तियार है. अब जहां तक मैं ख्याल करता हूं लोगों की दिलशिकनी किसी खास खेल तमाशे से होगी या न होगी और इस खेल तमाशे से मुकामी लोगों के इखलाक पर क्या असर पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसकी जांच के लिये जितने मौजूं प्रेसीडेन्ट साहब हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब नहीं हो सकते. खुसूसन परगने में जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हैं, जांच करने का या तशखीस करने का मौका मुकामी प्रेसीडेन्ट साहब म्युनिसिपेलिटी को मिल सकता है. ऐसी सूरत में इसकी बखूबी जांच कि मुकामी अखलाक पर इसका क्या असर पड़ेगा, प्रेसीडेन्ट साहबान कर सकते हैं. नोटिफिकेशन सन १९१९ की मन्शा यह है कि जिसमें मुआवजा लिया जाता है उसके इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट जज साहबान को हैं, लेकिन मेरी यह तजवीज है कि वह भी प्रेसीडेन्ट साहबान के पास रहें.

(इसके बाद व्होट्स लिये गये).

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि:—

(१) मेले के मौकों पर खेल तमाशों की इजाजत देने का इख्तियार प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी को दिया जावे.

(२) इसी तरह नाटक व इसी किस्म के तफरीह के खेल व तमाशे करने की इजाजत देने के मुतअल्लिक भी प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी को इख्तियार दिया जावे.

फर्द नम्बर १ तजवीज २.

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बद चलन औरतों के अड्डों को, जो शहर लश्कर व दीगर मुकामात पर कायम हैं, हटाने का इन्तजाम फरमाया जावे.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला! इस सवाल को पेश करते हुए सबसे अव्वल मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस सवाल के अल्फाज "बदचलन औरतों के अड्डो" की तशरीह कर दूं, ताकि गलत फेहमी न हो और इस तजवीज की गरज क्या है, यह जाहिर हो जाय. मेरी तजवीज यह है कि अकसर बाज अशखास, मर्द हों या औरत, इस किस्म के मकानात या मुकामात कायम कर देते हैं, जिनमें पोशीदा तौर से औरतें आती हैं और बदफेली की मुर्तकिब होती हैं और उनकी आमदनी उन लोगों के गुजर औकात का जरिया होती है. शायद इस अम्र से कोई साहब इन्कार न करेंगे कि इस किस्म के अड्डे लश्कर व दीगर मुकामात पर वाके हैं. मैं मजलिस की वाकफियत के लिये जयाजी प्रताप, तारीख २७ मई सन १९२६ ई० का एक इक्तिबास पढकर सुनाता हूं.

(इसके बाद हस्ब जैल मजमून पढकर सुनाया):—

"लगभग दो माह के हुए होंगे जब एक घटना लश्कर में हुई थी, जिसमें दो स्त्रियां मोटर में से कूद पडी थीं. ये स्त्रियां किशोरी "अड्डेवाले" के साथ थीं. बालाबाई के बाजार के अड्डे की खबरें भी हमारे पास आई हैं, जिसमें कन्या पाठशालाओं से सम्बन्ध रखने वाली स्त्रियां भी अपना काला मुंह करने आती हैं. इनके अलावा और भी कई मशहूर अड्डे लश्कर में हैं, जिनसे जनता का चरित्र ही नष्ट नहीं हो रहा है बल्कि जिनकी बदौलत आतशक और सूजाक के रोग तेजी से फैल रहे हैं और जो नस्ल को खराब करने वाली बीमारियां हैं."

इससे साबित होगा कि इस किस्म के अड्डे जरूर कायम हैं. यह मानना पडेगा कि इस किस्म के अड्डों से अलावा बद अखलाकी के फैलाव होने के जहां तक सेहत आम्मा का तअल्लुक है, उस पर बुरा असर पडता है. सोसाइटी की यह बदनसीबी है कि इनको नेस्तोनाबूद करने की अब तक कोई कोशिश नहीं की गई है. मौजूदा कानून सिर्फ इस कदर है यानी म्युनिसिपल एक्ट की दफा १३७ की मन्शा यह है कि अगर कोई मकान या चकला बद अतवार शख्सों का म्युनिसिपल हुदूद के अन्दर वाके हो तो तीन या ज्यादा शख्सों की नालिश पर मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल हुक्म देगा कि वह वहां से हटाया जावे और अगर उसकी खिलाफवर्जी होगी तो वह २० रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं. लेकिन हुजूर वाला! अव्वल तो इस वक्त तक किसी म्युनिसिपेलिटी से यह

दफा मुतअल्लिक नहीं की गई क्योंकि जब तक गवर्नमेन्ट खास तौर पर मुतअल्लिक न करदे यह दफा काबिल निफाज नहीं हो सकती और दोयम ऐसे लोग मुश्किल से सामने आते हैं जो इसकी बाबत नालिश दायर करने पर आमादा हों. इसलिये इस वक्त तक इस बारे में कोई रोक नहीं हुई, और न इस वक्त तक गवर्नमेन्ट से इस बद अतवारी के रोकने का कोई इन्तजाम हुआ है, दूसरे जो रोक म्युनिसिपल एक्ट में इस खराबी की रखी गई है वह मेरी राय में बिल्कुल नाकाफी है, पस मेरी तजवीज यह है कि यह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी पुलिस करार देना चाहिये. हुजूर वाला, अगर ऐसा करने से इस बढती हुई बद अतवारी को हम रोक सकते हैं,अगर इससे हम बढते हुए अमराज का कुछ इन्सदाद कर सकते हैं और अगर ऐसा करने से हम फिरका अनास की कुदरती हया व पाकदामनी को कायम व बरकरार रख सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मजलिस मेरी इस तजवीज पर जरूर गौर फरमावेगी.

आर्मी मेम्बर साहब—सवाल नंबर २ के मुतअल्लिक जो मुजव्विज साहब ने तजवीज पेश की है वह सब ने सुनी होगी. किसी ऑफिशियल की या पब्लिक में से किसी शख्स की इस सवाल के मुतअल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं. फिलवाके इस बुराई की रोक किये जाने का सवाल पेश करना बहुत आसान है, मगर वह अमली तौर पर किस तरह से दूर की जा सकती है, इस पर जरा गौर किया जाये.

मुजव्विज साहब ने अपनी तकरीर में खुदही जाहिर किया है कि मौजूदा कानून में इस बारे में provision है मगर वह हिनोज अमल में नहीं आया है. जब कानून इस किस्म का मौजूद है तो ऐसी हालत में यह सवाल क्यों पेश किया गया, मालूम नहीं होता. अब अगर यह तजवीज है कि अड्डों का रहना ही जुर्म समझा जावे और वह काबिल दस्तन्दाजी पुलिस करार दिया जावे तो उसका नतीजा क्या होगा, इस पर मेम्बर साहबान गौर करें. पुलिस के मुतअल्लिक अवाम का क्या ख्याल है, यह आपको मालूम है, फिर ऐसी शक्ल में अगर पुलिस को गिरफ्तारी की और इजाजत दीगई तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस के ऊपर जो इलजाम इस वक्त आयद किये जाते हैं उससे बदरजहा ज्यादा कायम होने का मौका मिलेगा. सरेदस्त मेरी राय में कोई कानून तैयार करना मुनासिब न होगा. जहां पर यह कानून मौजूद है वहां पर क्या दिक्कतें पेश आती हैं, यह शायद मुजव्विज साहब को मालूम नहीं है.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं. जनाब आर्मी मेम्बर साहब ने इसकी मुखालफत में यह अम्र तसलीम कर लिया है कि इस खराबी की रोक की जरूरत है, मगर आपने अमली दिक्कतें बयान फरमाई हैं. पब्लिक की जानिब से इसकी रोक करने बाबत नालिशात इस वजह से नहीं की जातीं कि उनमें सर्फा करना पडता है और खास कर इसी वजह से रियासत में अब तक कोई नालिशात नहीं हुई हैं और न दफा १३७ के अमल दरामद के मुतअल्लिक नोटिफिकेशन जारी करने की कार्रवाई हुई. अब वह वक्त है कि गवर्नमेन्ट बतौर खुद इस किस्म के अड्डों को रोकने की गरज से कानून जारी करे और यह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी पुलिस करार दे. अगर यह सजेशन मंजूर हो जावे तो अमराज का इन्सदाद और उनकी रोक होगी और फिर्के अनासरी को पाकदामनी के साथ हमेशा बरकरार रखेगी, लिहाजा मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

मथुराप्रसाद साहब—मैं मुजव्विज साहब की तजवीज की हर्फ बहर्फ ताईद करता हूं.

लक्ष्मी नारायण साहब.—मैं भी ताईद करता हूं कि यह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी करार दे दिया जावे.

जहां कहीं ऐसी सूरतें होंगी, पुलिस अपने फरायज अंजाम देगी. आर्मी मेम्बर साहब ने फरमाया है कि पुलिस पर पब्लिक की जानिब से इलजाम आयद किये जाते हैं और इस तजवीज को फरायज पुलिस में शामिल करने से इलजामों में और इजाफा होगा. मेरे ख्याल में इस वक्त पुलिस पर जो इलजामात हैं वह डकैती, सरका वगैरा, काबिल दस्तन्दाजी जरायम उनके इख्तियार में शामिल होने से और उनके मुतअल्लिक फरायज अदा करने की वजह से आयद नहीं होते हैं बल्कि ऐसे आमाल करने से होते हैं जो कि पुलिस को नहीं करना चाहिये. मैं ख्याल करता हूं कि यह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी पुलिस करार दिया जावे.

रामेश्वर शास्त्री साहब.—जो दफा १३७, म्युनिसिपल एक्ट में मौजूद है वह लागू होने पर भी उसकी तामील इसलिये नहीं होगी. कि अड्डे के नजदीक रहने वाले जानते हुए और देखते हुए भी उन दुराचारी लोगों के डर से उस मुकाम को छोड कर दूसरे मुकाम पर चले जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते. इसलिये इस दफा के मौजूद होते हुए कोई असर नहीं होगा तावक्ते कि यह जुर्म काबिल दस्तअन्दाजी पुलिस करार न दिया जावे.

कृपा शंकर साहब.—हुजूर वाला ! यह सवाल ऐसा है कि हमारे मासूम सिफत बच्चों से तअल्लुक रखता है जो आयन्दा जमाने में हम से चार्ज लेने वाले हैं. इसमें जो दफा बतलाई गई है वह ना काफी है. कानून न तो कोई वही है न गैबी आवाज, न ऋषियों का फरमान जो तरमीम तन्सीख हो ही न सके बल्कि मुस्तनद आदमियों की मुत्तफिका राय है जो पब्लिक के लिये बनाये जाते हैं. लिहाजा अगर मौजूदा कानून काफी नहीं है तो मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसा कानून बनाया जावे जिससे यह मसला साफ हो जावे. औरतों की अस्मत बचाना यह हमारा खास फर्ज है. इसके खिलाफ सिर्फ यह ऐतराज हो सकता है कि कानून ने हर शख्स को आजादी दी है, लेकिन यह जवाब इस वजह से बे मानी हो जाता है कि बसा औकात इकदाम खुद कुशी जो सोच समझकर और बसा औकात मजबूरी कराती है, हो जाने पर गवर्नमेन्ट से सजा दी जाती है, लेकिन हद से ज्यादा आजादी हो जाने से वह आवारगी कहलाती है इसलिये औरात बदचलन को कानूनी सजा का खौफ बाइस इन्सदाद होगा.

सरदार आपटे साहब.—इस सवाल में जो खराबियां बतलाई गई हैं वह सब बहुत अहम हैं. एक मिसाल मैं बताता हूं. आज कल जो औरतों की तिजारत चली है यानी उन्हें बहकाकर ले जाना या उडा ले जाने का जो बडा ऊधम चला है इसका बडा मौका इन अड्डों में मिलता है. यह एक regular evil हो गया है. यह तजवीज ऐसी नहीं है कि बिला सोचे समझे तय करदी जावे बल्कि क्या क्या असली दिक्कतें इस तजवीज के मुतअल्लिक पेश आवेंगी उन पर कामिल गौर करना चाहिये. यह तनहा औरतों का सवाल नहीं है न तनहा मरदों का सवाल, बल्कि भलाई बुराई दोनों के वास्ते है. मेरी राय में इस सवाल पर गौर करनेके लिये experts की एक कमेटी कायम की जावे और उसमें जवान आदमी न रखे जावें बल्कि पुराने तजुर्बेकार आठ दस साहबान हों. ऐसी कमेटी इस नाजुक सवाल पर गौर करके तजवीज पेश करे कि उसे किस तरह हल किया जावे.

चतुर्भुजदास साहब.—मैं भी सरदार साहब की तजवीज से इत्तफाक करता हूं, और अर्ज करता हूं कि एक सब-कमेटी कायम कर दी जावे.

नवाबअली साहब.—तजवीज जेर बहस से किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता. सवाल यह है कि दफा १३७ म्युनिसिपल एक्ट का अमल दरामद किया जावे. इस वक्त वह सिर्फ कागज पर है. यह सवाल कस्बात की म्युनिसिपेलिटियों में नहीं बल्कि शहर लश्कर की म्युनिसिपेलिटी में जेर गौर

है. मालूम होता है कि अब हालात शहर के और कस्बात के इस काबिल होगये हैं कि दफा १३७ को जुम्ला म्युनिसिपेलिटीज से मुतअल्लिक किया जावे और उसके लिये इन्सपेक्टर-जनरल साहब म्युनिसिपेलटीज की खिदमत में गुजारिश की जावे. अब तक यह सवाल इन्सपेक्टर जनरल साहब म्युनिसिपेलिटी की खिदमत में न जा सका. इस वक्त यह करना काफी होगा कि दफा १३७ जो मौजूद है उसका तमाम म्युनीसिपेलिटीज से तअल्लुक कर दिया जावे. अलबत्ता रकम जुर्माना २०) रु० कम है इसमें इजाफा किया जावे. ऐसा करने से मेरी राय में काफी इन्सदाद हो जावेगा.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—यह सवाल मुझे जटिल मालूम होता है और यह यकायक बगैर विचार के पास नहीं होना चाहिये. सब-कमेटी मुकर्रर की जाये और आर्मी मेम्बर साहब, तथा इन्सपेक्टर-जनरल साहब म्युनिसिपल कमेटी, सरदार आपटे साहब, बाबू जगमोहनलाल साहब और जिनको मजलिस मुनासिब समझे, इस सब-कमेटी के मेम्बर बनाये जावें.

अष्टेवाले साहब—यह सवाल नाजुक होने की वजह से मेरे ख्याल से इस पर कई साहबान ने विचार किया होगा. विचार करते वक्त यह सवाल पेचदार भी मालूम हुआ होगा.

बदचलन औरतों की निस्बत ही क्यों कहां जाता है, मर्दों के लिये क्यों नहीं ? कुल्ले तवीलुन ऐहमकुन क्यूं ? कुल्ले सगीरुन फितुतुन क्यों नहीं ?

लश्कर का ही नाम मुख्य क्यों ?

अड्डे किस तरह हटाये जावें ?

कैसे इन्तजाम किया जावे ?

जिनको पेट भरना अत्यन्त मुश्किल होगा उन्हीं का ही यह काम होगा. उन पर रहम करना या कटाक्ष रखना ? रहम किया जावे ऐसा कहा जाय तो चोर डाकुओं की कॉनफरेन्स में शरीक किये जावेंगे. कटाक्ष रखा जावे तो गरीब Sex पर हमला करने का इलजाम लगेगा.

बदचलन मर्दों को उनके मिजाज के मुआफिक बदचलन औरतों से हटाना यह शायद उनको दीगर अशराफ औरतों को किसी कदर बदचलन बनाने का मौका देना तो नहीं होगा ?

ऐसे कई ख्यालात विचार के लिये दिल में आकर सवाल बहुत पेंचदार मालूम हुआ होगा. ताहम कोई उपाय तो जरूर करना ही चाहिये. यह मुनासिब है तो मेरे ख्याल में एक कमेटी मुकर्रर फरमाई जावे. कमेटी फॉर्म होगई है इतनाही सुनने से कई बदचलन लेकिन शर्मदार लोग दुरुस्त हो जाने की उम्मेदें हैं, सिवाय इस कमेटी के हाथ के नीचे जो लोग Direct action लेंगे उनको हिदायत होना चाहिये. कि वे ज्यादा सगदिल या ज्यादा दयालु न बनकर सिर्फ उतनाही काम करें कि जितना कमेटी से उनको करने के लिये कहां जाये. ख्वामख्वाह ज्यादा तौर पर दखल अन्दाजी न करें और पूज्य बुद्धि से कमेटी के आज्ञाधारक रहे.

ट्रेड मेम्बर साहब—प्रेसीडेन्ट साहब, मैं सिर्फ इस वजह से खडा हुआ हूं कि म्युनिसिपल एक्ट की दफा १३७ अबतक क्यों लागू नहीं की गई है इसकी तशरीह करदूं. एक साहब ने तो लश्कर म्युनिसिपेलिटी ने का हवाला देकर यह भी जाहिर किया है कि म्युनिसिपेलिटी ने गवर्नमेन्ट से लश्कर के लिये इस दफा को लागू करने की दरख्वास्त की है जिस पर क्या निकाल हुआ यह मालूम नहीं हुआ. म्युनिसिपल एक्ट में अलावा दफा १३७ और चंद दफात हैं जो तमाम म्युनिसिपेलिटीज को लागू नहीं की गई हैं. दफा १३७ में मजीद शर्त यह है कि उसके लागू करने से पेश्तर गवर्नमेन्ट की मंजूरी हासिल की जावे. असलियत में देखा जाय तो व्यभिचार की रोक कोई कभी नहीं कर सकता. सबसे बेहतर तरीका जो इसकी रोक का है वह marriage

की व्यवस्था है; लेकिन यह व्यवस्था होते हुए भी जो व्यभिचार की रोक नहीं होती इससे मालूम होता है कि हैवानी हालत अभी नहीं गई. जबतक पब्लिक कॉनशन्स न जागेगा इसकी रोक होना असंभव है. जब पब्लिक अपने कॉनशन्स से काम लेने लगेगी तभी इसकी रोक हो सकती है. उस वक्त जहां की म्युनिसिपेलिटी इस किस्म की सिफारिश जोरों से करेगी कि यहां पब्लिक कॉनशन्स पूरे तौर पर जागृत है और पब्लिक को आम तौर पर इस किस्म के फेलों से घृणा हो गई है तो वहां गवर्नमेन्ट को इस दफा के लागू करने में पसोपेश न होगा. कानून में इस किस्म का प्रॉविजन एक थर्मामिटर या बैरोमेटर की तरह रखा गया है जिससे यह जांच हो सके कि पब्लिक में कहां तक जागृति हुई है. बिला सोचे समझे तमाम म्युनिसिपेलिटियों को इस तरह पर कानून एक दम लागू कर देना ठीक न होगा. अगर कानूनन इसकी रोक भी की जाय तो शहरों में क्या गुंडे लोग नहीं होते, क्या वह इसकी रोक होने से अच्छे चलन की औरतों को सताने में कमी करेंगे? अगर किसी के साथ कोई दुश्मनी का ख्याल पैदा होगया और सताना ही है तो वह क्या नहीं कर सकता. नतीजा यह होगा कि नेक चलन औरतें बिला वजह सताई जायेंगी. गो बाद में मुकद्दमा चलाने से दूध का दूध, पानी का पानी हो जावेगा, लेकिन अच्छे लोगों को फिजूल परेशानी उठानी पडेगी. यह कौन नहीं जानता कि यह एक evil है और हर एक का फर्ज है कि वह यह देखता रहे कि अपनी सोसायटी में से इस evil को वह कैसे निकाल सकता है. यह भी इस सवाल का एक जुज है कि समाज को कॉनशन्स पहिले बनाने की जरूरत है फिर कानून खुद बखुद बन जावेगा. लश्कर म्युनिसिपेलिटी की दरख्वास्त का जो हवाला दिया गया है उसके संबंध में यह दरियाफ्त किया गया है कि अमली तौर पर यह दफा कैसे लागू होगी. यह सवाल अब मजलिस में पेश किया गया है और यह भी जाहिर किया गया है, कि म्युनिसिपेलिटी की तरफ से कौन्सिल में यह सवाल पहुंचा है, इसलिये मैंने इसकी इस वक्त क्या पोजीशन है यह बतला देना मुनासिब समझा.

गुरुदयाल साहब—हुजूर आली, ऐसे अड्डे रंडुवे, बेवा औरतें (स्त्री) या बदचलन औरतों के काम में लाने के लिये होते हैं. जो कुछ उनको तकलीफ होती है वह कहां जाकर अपनी तकलीफ पूरी करें. दूसरा पहलू यह है कि वहां बदमाशियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, और लोगों को तकलीफ उठाना पडती है. दोनों सूरतें देखते हुए क्या तरीका इस वक्त इख्तियार करना चाहिये, यही हमें तय करना है. मेरी राय में उसका अमल इस तरह पर किया जावे कि हर एक म्युनिसिपेलिटी अपने यहां की जरूरियात और हालात को मद्दे नजर रखते हुऐ इस बात को महसूस करे और दफा १३७ अपनी म्युनिसिपेलिटी में लागू किये जाने की सिफारिश करे और फिर उसकी तामील कराये.

अनन्दीलाल साहब—गुजारिश यह है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाय. अब आम तौर पर जाहिर होगया है कि यह फेल हो रहा है और हमसे रुकता नहीं, तभी यह दरख्वास्त कीगई. बेहतर यह होगा, जैसे धर्मशाला में जाकर पुलिसमैन या दीवानजी यह लिखता है कि कौन कहां से आया, कितने दिन ठहरेगा और कहां जावेगा, वैसेही कम से कम इन मुकामात में जाकर अड्डेदार से यह तो दरियाफ्त कर लिया जावे कि आज तुम्हारे यहां कौन कौन मर्द और कौन कौन औरतें आईं. इतनाही होता रहे तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि इससे यह तो मालूम हो जावेगा कि आज फलानी औरत फलानी जगह की वहां गई, और फिर खुद ब खुद धीरेधीरे इसकी रोक होती जायगी.

बाबा साहब—मेरी गुजारिश इस बारे में ऐसी है कि यह हमारी बडी कम नसीबी है कि हम आज यह सवाल दरबार के सामने रखते हैं. हम इतने गिर गये हैं कि हम आप कुछ नहीं कर सकते. अच्छा जो हो गया सो हो गया. इस सवाल से यह मालूम होता है कि अच्छे अच्छे लोगों के दिल पर इसका असर होकर उन्हें डर मालूम होता है, इसलिये ऐसा सवाल दरबार में पेश किया गया. उसके लिये दरबार ने कुछ ख्याल नहीं किया, कुछ दिलासा नहीं दिया तो उनके दिल जो घबराये हुए हैं वह और ज्यादा घबरायेंगे और दूसरी तरफ अड्डे ज्यादा जोश में आजावेंगे. इसलिये मेरा मारूजा यह है कि पहिले तो इस सवाल के पेश होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमारी कमनसीबी से ऐसा मौका आगया है तो मेरी यह गुजारिश है कि इसमें अब क्या करना चाहिये यह तय कर दिया जाय. अगर दरबार ने हमारी गुजारिश नहीं सुनी तो जो इसकी रोक करने की कोशिश में हैं, नाउम्मेद हो जावेंगे और जो लोग इस काम में यानी अड्डे में हैं, जोश में आ जावेंगे जिससे हक नाहक लोगों की इज्जत खराब होगी. इसलिये इतना तो होना ही चाहिये कि पुलिस ऑफिसरान इस बात में कोशिश करें, और दरबार के मेम्बर साहबान और दूसरे मेम्बर साहबान जिनमें कुछ जईफ, कुछ जवान, कुछ मझोले हों और पुलिस ऑफिसर हों, एक कमेटी बनाकर सच्ची बात क्या है इसकी दिलचस्पी और मेहनत से जांच करें. जितनी जिसकी अक्ल हो उतनी खर्च करके असल बात क्या है यह खोज निकालें. इनकी रिपोर्ट पेश होने पर कानून की जरूरत है या नहीं, इस पर विचार होकर अगर जरूरत हो, कानून बनाया जाय.

अनंदीलाल साहब—बात यह है कि यह सवाल सरकार के तअल्लुक का नहीं है, हमको अपने घर पर अपना इन्तजाम करना चाहिये.

लॉ मेम्बर साहब—(प्रेसीडेन्ट साहब से) उधर एक साहब और भी कहना चाहते थे. (शंकरलाल साहब से) शंकरलालजी आप कुछ कहना चाहते थे ?

शंकरलाल साहब—यह सवाल इतना नाजुक है कि इसको काबिल दस्तंदाजी पुलिस करार देने में फरेब होने के बडे अंदेशे हैं. इस सवाल के मुतआल्लिक सिर्फ इतनाही काफी है कि म्युनिसिपल एक्ट की दफा १३७ में इसकी रोक का इन्तजाम किया गया है. अब सवाल यह रहता है कि यह दफा अब तक किसी म्युनिसिपेलिटी में लागू नहीं हैं. लश्कर म्युनिसिपेलिटी ने इसके मुतआल्लिक सवाल उठाया है जो अभी जेर बेहस है. इस सवाल में सिर्फ इतनी तरमीम होना चाहिये कि बजाय इस फिकरे "बदचलन औरतों के अड्डे" के "बदचलनी के अड्डे" रखा जावे. और म्युनिसिपल एक्ट की दफा १३७ लागू करदी जावे. इससे कोई खराबी बाकै न होगी. बहर हाल तीन आदमी अच्छे और नेकचलन ऐसे अड्डे के कुर्ब जवार के जब तक दरख्वास्त न करेंगे, मजिस्ट्रेट जुर्म करार नहीं देगा और जब ऐसी दरख्वास्त होगी तो बाद कामिल तहकीकात मजिस्ट्रेट इस पर हुक्म देंगे. एक ऐसा मौका आ भी चुका है. इस किस्म की एक दरख्वास्त म्युनिसिपेलिटी में गुजरी, मेम्बरान ने उसको अदालत में भेजा. वहां से यह ऐतराज हुआ कि उनको कोई हक ऐसी दरख्वास्त के लेने या भेजने का नहीं था जब तक कि दफा १३७ म्युनिसिपल एक्ट लागू न की जा चुकी हो. इसके बाद उसकी तहकीकात हुई और वह सच साबित हुई, और लोगों को जिनका इससे तअल्लुक था सजायें भी दी गईं लेकिन तवालत बहुत हुई. मेम्बरान को अदालत में जाना पडा और सबूत फराहम कराना पडे. अव्वल तो इस किस्म का सवाल लेना ही नहीं था. अब जब कि सवाल हाथ में लेलिया गया है तो उसको ऐसे ही छोड देना ठीक नहीं. इसको अगर जुर्म करार देकर काबिल दस्तंदाजी पुलिस करार दे दिया जावे तो भी ठीक न होगा. पस मेरी गुजारिश तो

इतनी है कि दफा १३७ म्युनिसिपल एक्ट हर म्युनिसिपेलिटी को लागू कर दी जावे तो इस खराबी की रोक हो सकती है.

लक्ष्मीनारायण साहब—शंकरलाल साहब ने और दीगर मेम्बरान ने जो कुछ फर्माया है उससे पता चलता है कि अड्डे तो जरूर कायम हैं और ऐसे अड्डे कायम रहने की वजह से रिआया को क्या तकलीफ और नुकसान उठाना पडता है यह भी जाहिर है. अभी तो सिर्फ छोटी छोटी टोलियां हैं अगर इस तरफ तवज्जुह न फर्माई जावेगी तो वाकई छोटी छोटी टोलियां बडी हो जावेंगी और हिफ्ज अमन कायम न रहकर कत्ल तक की नौबत बाज वक्त आना मुमकिन है. इसलिये मेरी राय में इसके लिये एक सब-कमेटी कायम होकर पूरी जांच कराई जावे और इसकी रोक का इन्तजाम किया जावे.

जगमोहनलाल साहब—इस सवाल के मुतअल्लिक जो इजहार ख्याल इस वक्त तक मजलिस में किया गया है उसको में दो हिस्सों में तक्सीम करता हूं. एक तो वह साहबान हैं कि जिनके नजदीक कोई मजीद ऐक्शन की जरूरत नहीं और इसके लिये उन्होंने कोई माकूल वजूहात भी नहीं बतलाये. इसलिये इस पर मैं बेहस भी नहीं करता. दूसरा तबका ऐसा है जो इसको बुराई समझता है और इसकी रोक होना चाहिये ऐसा जाहिर करता है, लेकिन इसका क्या तरीका इख्तियार किया जाय इसकी उन्होंने कोई शकल नहीं बताई. गवर्नमेन्ट की तरफ से आर्मी मेम्बर साहब ने फर्माया है कि इसको जुर्म करार देने से पुलिस की शिकायतें बढ जावेंगी. सरेदस्त यह मामला हल नहीं हो सकता है. गवर्नमेन्ट की तरफ से यह बात सुन कर वाकई मुझे निहायत मायूसी होती है. जब कि यह बात तसलीम करली गई कि दर असल यह बुराई है तो फिर मेम्बर साहब गवर्नमेंन्ट की तरफ से इस किस्म की दलील मायूसी पैदा करने वाली है. यह जरूर है कि समाज सुधार से इसकी दुरुस्ती हो सकती है लेकिन हमारी सोसायटी में यह ताकत नहीं है, वह कमजोर है, इसलिये हमने गवर्नमेन्ट के हुजूर में दरख्वास्त की है. अगर समाज ही ठीक होता तो यही क्या, किसी भी कानून की जरूरत न थी. समाज कमजोर है, उसमें अपनी बुराई दूर करने की ताकत नहीं है, इसीलिये कानून की जरूरत पेश आई. चंद साहबान ने जो यह ऐतराज किया है कि इस सवाल को यहां पेश करने की जरूरत न थी, इसकी बाबत मेरा यह ख्याल है कि अगर अपने समाज में कोई बुराई मौजूद हो तो उसको जाहिर किये बगैर उसकी इसलाह हो ही नहीं सकती. जब समाज खुद कोई रोक नहीं कर सकता और कानूनन भी उसकी रोक का इंतजाम न होसके तो फिर ऐसी बुराई का इन्सदाद होना कैसे मुमकिन है ? इस तजवीज के अमल में लाने में प्रेक्टिकली क्या दिक्कतें पेश आयेंगी यह भी काबिल गौर हैं. अगर इसको जुर्म करार दे दिया जावे और काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनाया जावे तो रोक मुमकिन है, मगर आर्मी मेम्बर साहब ने यह फर्माया है कि अगर इसको जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस करार दिया गया तो अवाम को पुलिस की शिकायत करने का ज्यादा मौका होगा. मेरी राय में भी इसका तस्फिया सब-कमेटी से ही हो सकता है लेकिन एक साहब ने यह फर्माया है कि उस कमेटी में एक्सपर्ट मेम्बर हों. एक्सपर्ट कौन हैं यह मेरी समझ में नहीं आता. मजलिस के मेम्बर साहबान में से ही यह कमेटी बनाई जावेगी. बहरहाल इस बुराई को दूर ही करना चाहिये, वर्ना सोसाइटी पर एक बडा धब्बा कायम होगा. अगर इरादा कर लिया जावे तो इसके दूर करने का जरूर कोई रास्ता निकल आवेगा. Where there is a will there is a way. मैं उम्मेद करता हूं कि इस सवाल पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी कायम फरमाई जावे.

आपटे साहब—मुजव्विज साहब ने लफ्ज एक्सपर्ट पर ऐतराज किया है, इसलिये इसकी तशरीह की जरूरत है. "Law is perfection of common sense" इसके देखते हुए मैंने जो लफ्ज एक्सपर्ट इस्तेमाल किया है उसका मतलब यह है कि जो लोग कायदा बनाने वाले होते हैं वह यह देख लेते हैं कि कायदा कैसे बनाया जावे और उसका असर क्या होगा. मिसाल के तौर पर लॉ मेम्बर साहब हैं, इन्होंने अपनी उम्र कायदे के ध्यासंग में खर्च की. कायदा कानून बनाना Common sense के परिपूर्णता का काम है; लिहाजा अकल से इन्तजाम सोचनेवाले और वह अमल में लानेवाले और कायदा बनाने वाले समझदार लोग उसकी बुराइयां भी देखेंगे और भलाइयां भी देखेंगे, इसलिये हर एक सीगे मुताल्लिका के मेम्बर तजुर्बेकार, ख्वाह वह ऑफिशियल हों या नॉन-ऑफिशियल हों, इस कमेटी में लिये जावें, जैसे लॉ मेम्बर साहब, भिडे साहब, और पुलिस की तरफ से आर्मी मेम्बर साहब पब्लिक की तरफ से ऐसे नॉन-ऑफिशियल मेम्बर जैसे बाबा साहब वगैरा. ऐसे लोग पब्लिक का अच्छा बुरा हमेशा समझते हैं.

इसके बाद वोट्स लिये गये,

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि इस सवाल पर गौर करके तजवीज पेश करने के लिये हस्ब जैल मेम्बरान की एक सब-कमेटी ब सिदारत मुले साहब कायम की जावे. यह कमेटी इस सवाल पर गौर करे और अपनी रिपोर्ट पेश करे :—

१. रामजीदास साहब.
२. सरदार आपटे साहब.
३. जगमोहनलाल साहब.
४. चौधरी नवाबअली साहब.
५. अब्दुलहमीद सिद्दीकी साहब.
६. पुस्तके साहब.
७. शंभूनाथ साहब.
८. गुरुदयाल साहब.
९. बाबा साहब.
१०. जामिन अली साहब.
११. महन्तजी साहब.
१२. शंकरलाल साहब.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर ३.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :-

नमूने की गाडियां हर एक जमींदार मौजा को रखना लाजिमी करार दिया गया है, मगर मौजे की आमदनी के लिहाज पर गाडी बनाना लाजिमी रखा जावे, न कि आम तौर पर.

गुरुदयाल साहब—हुजूर आली ! हर गांव में गाडी रखना हर जमींदार के लिये लाजिमी करार दिया गया है और उसके लिये एक नमूना खास तौर पर बतलाया गया है; लेकिन वह गाडी लाजिमी तौर पर हर जमींदार रखे, ऐसा अमल जारी हुआ है. बाज जमींदार ऐसी गरीबी हालत में हैं कि न वह गाडी खरीद सकते हैं और न उसके लिये बैल रख सकते हैं. ऐसे जमींदारान की हालत को देखते हुए जो न गाडी रख सकते हैं और न बैल रख सकते हैं उनको इस गाडी के रखने से मुस्तसना रखना चाहिये. कम से कम ऐसे जमींदारों को जिनकी आमदनी १,०००) से कम हो मुस्तसना कर देना चाहिये.

चतुर्भुजदास साहब—मैं ताईद करता हूं.

आर्मी मेम्बर साहब—इस सवाल की निस्बत गवर्नमेण्ट की जानिब से जो कार्रवाई हुई है उस की बाबत मैं कैफियत जाहिर करना चाहता हूं. सन १९१४ ई० में जिस वक्त ग्रेट यूरोपियन वार शुरू हुई उसके बाद दो तीन साल के तजुर्बे ने दरबार को इस बात पर मजबूर किया कि वह ट्रान्सपोर्ट, ख्वाह वह आर्मी का परमानेन्ट हो या जो अजला से दस्तयाब हो सकता हो, काफी तैयार कराया जावे; लिहाजा इसी मकसद से आर्मी डिपार्टमेंट से सरक्यूलर नंबर २, तारीख २१ अप्रेल सन १९२३ ई०, को जारी हुआ था. उसके जर्ये से यह करार दिया गया है कि सेकिन्ड लाइन ट्रान्सपोर्ट के लिये जिलों में गाडियां बनाई जावें जो जरूरत के वक्त फौज के काम में लाई जा सकें और ऐसी गाडी का नमूना हर तहसील में रक्खा जावे. बादहू यह मन्शा पूरी करने की गरज से गाडी का नमूना तैयार कराया गया और हर तहसील में रक्खा गया. मकसद यह था कि जरूरत के लिहाज से एक किस्म की गाडियां तैयार कराई जावें और लाजिमी करार दिया जावे कि हर जमींदार हर मौजे में एक एक गाडी रखे. यह पहिला ख्याल था. इसके बाद यह करार दिया गया कि हर जिले में मुकर्ररा तादाद में गाडियां तैयार कराई जावें और उनकी मजमूई तादाद ४,००० कायम की गई. चुनांचे इसी हुक्म की तामील में अजला में गाडियां बनाना शुरू हुआ. बादमें सूबे साहबान की तरफ से जो रिपोर्टें आई उनसे जाहिर हुआ कि दरबार की जानिब से जो नमूना तैयार किया गया है वह नमूना इस किस्म का है कि उसमें ज्यादा सर्फा होता है और उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अजला में दस्तयाब नहीं हो सकते. उस पर से दूसरा नमूना तैयार कराके तहसीलों में दिया गया. इसके मुताबिक गाडियां सन १९२६ ई० अखीर तक १३९३ तैयार हुईं. जिला अमझेरा के लिये २०० की तादाद मुकर्रर थी जिसमें १७३ तैयार की गई. इसी तरह से शाजापुर में ४०० की तादाद करार दी गई थी जिसमें २९० तैयार हुई. इसके साथ ही सूबे साहबान की तरफ से ऐसी तहरीरात आई जिनसे यह मालूम हुआ कि उमूमन जमींदारान को इस हुक्म की तामील में दिक्कतें पेश आई, चुनांचे बमंजूरी कौन्सिल तारीख ५ मई सन १९२६ ई० को यह अहकाम जिलों में जारी कर दिये गये हैं कि इन गाडियों की तैयारी के मुतअल्लिक सख्ती न की जावे बल्कि हर शख्स की मर्जी पर छोड दिया जावे. जो चाहे गाडी बनावे जो न चाहें उन पर किसी किस्म का जब्र हरगिज न किया जावे. इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि मुजव्विज साहब अपनी तजवीज को वापिस ले लेंगे.

गुरुदयाल साहब—जिस गरज से मैंने इस सवाल को पेश किया था वह गरज इस कैफियत से पूरी होती है, लिहाजा मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

नोट:—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर ४.

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

दस्तूरुल अमल माल, सम्वत १९७६, में कलमबन्दी बाबत इलेक्शन मेम्बरान बोर्ड्स जमीमा (अ) की कलम नम्बर ४ में "हर इलेक्शन छै साल के लिये फिलहाल होगा" इसके बजाय "हर इलेक्शन तीन साल के लिये होगा" यह दुरुस्ती फरमाई जावे.

पुस्तके साहब—इस तजवीज का उसूल बहुत साफ है. चुनाव से दो अहम फायदे होते हैं. एक यह कि जिन पर लोगों का भरोसा है ऐसे लोग ही उनकी तरफ से काम कर सकें और दूसरा यह कि अवाम को अपनी तरफ से काम करने वाले लोगों पर जांच रखने की और ऐसे काम करने करने वालों की तलाश रखने की तालीम मिले. इसके साथ ही जो लोग चुने जाते हैं उनके लिये भी काफी वक्त मिलने की जरूरत है. चुनाव का उसूल जहां तक कि इस सवाल जेर गौर का तअल्लुक है कानून मुतअल्लिका में दर्ज है. लेकिन जो मियाद कि परगना व जिला बोर्ड्स के मेम्बरों के लिये कायम की गई है वह इतनी लम्बी है कि उससे उस चुनाव का असली मकसद फौत हो जाता है. म्युनिसिपल कमेटीज रियासत हाजा में चुने हुवे मेम्बरों की मियाद तीन साला है, मजलिस आम व मजलिस कानून के मेम्बरों की मियाद भी तीन साला ही है. ऐसी हालत में परगना बोर्ड्स व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेम्बरों की ही मियाद छै साल की कायम रखना बेसूद है. मजलिस आम, मजलिस कानून, म्युनिसिपल कमेटीज के मेम्बरों में और इन बोर्डों के मेम्बरों में उसूलन कोई फर्क नहीं है. तीन साल की मियाद न कम है न ज्यादा. यकसां कार्रवाई के ख्याल से भी इन बोर्डों की मेम्बरी की मियाद तीन साला ही कायम होना जरूरी है. अगर कोई मेम्बर वाकई काम करने वाला हो और लोगों का उस पर भरोसा हो तो वह दुबारा चुना जा सकता है लेकिन जिन पर लोगों का भरोसा न रहा हो या जो काम न करते हों उनको छै साल तक मेम्बरी पर कायम रहने का मौका मिलना रिआया की बहतरी के लिये मुनासिब नहीं हो सकता. इसलिये उसूलन व इन्साफन मेरी तजवीज हर तरह लायक मंजूरी के है और मुझे कवी उम्मीद है कि यह मजलिस इस तजवीज की मन्जूरी के लिये बइत्तफाक राय गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करेगी,

बटुक परशाद साहब.—हुजूर आली, मैं भी ताईद करता हूं. जो वजूहात पेश की गई हैं वह माकूल व ठीक हैं.

रेवेन्यू मेम्बर साहब.—तजवीज यह है कि मेम्बरान बोर्डस का इलेक्शन ६ साल के लिये होने के बजाय ३ साल के लिये होना करार दिया जावे और उस मुताबिक दस्तूरुल अमल माह संवत १९७६ में कलमबंदी बाबत इलेक्शन मेम्बरान बोर्डस (जमीमा अ) की कलम नम्बर ४ में तरमीम की जावे.

ब जाहिर यह तजवीज एक उसूल पर मबनी होना पाया जाता है लेकिन हर Institution की हालत यकसां नहीं है. चंद Institution के मेम्बरान को सिर्फ सलाह देना है, मसलन पंचायत बोर्डस या मजालिस आम, लेकिन परगना व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरान को सिर्फ सलाह ही देना नहीं है बल्कि रिफाहे आम के मुताल्लिक अमली काम करके बतलाना है.

अव्वल तो यह काम मेम्बरान बोर्ड के लिये बिलकुल नया है और उनको अभी इसके मुतअल्लिक पूरे तौर पर वाकफियत नहीं हुई है. एक दो साल तो उनको काम की वाकफियत हासिल करने के लिये दरकार होते हैं और उसके बाद कुछ अमली काम अंजाम पाने की उम्मीद होती है. अगर हस्ब तजवीज सदर ३ साल की मियाद ही रखी गई तो शुरू के एक दो साल काम समझने व वाकफियत हासिल करने में गुजर जायेंगे व अमली काम करने में उनको बहुत कम मौका मिलेगा. इस लिहाज से जो ६ साल की मियाद रक्खी गई है वह बिलकुल मौजूं मालूम होती है.

कृपा शंकर साहब—हुजूर वाला, हमारे महाराजा साहब कैलासवासी ने जो अपनी नाजुक ख्याली और दूर अंदेशी से छै साला मियाद कायम रखी है वह जरूरी और

लाजिमी है. वह चाहते थे कि रियासत हाजा में ऐसे आदमी पैदा हों जो मुल्क की खिदमत को खुदा की इबादत समझें. छै साल की मुद्दत इसी वास्ते मुकर्रर फरमाई थी कि उसका नतीजा इत्मीनान बख्श और तसल्ली फर्मा हो, मगर मेम्बरान की अदम दिलचस्पी से नतीजा ऐसा इत्मीनान बख्श नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिये था. इस वास्ते जो कुछ मियाद रखी गई है उसमें तरमीम की जरूरत नहीं है. बोर्ड जो हैं वह परगनात में है, वहां इन बोर्डों में साल में तीन जलसे होते हैं लेकिन म्युनिसिपेलिटी में साल में १२ जलसे होते हैं. इसी तरह चूंकि वह एक इन्तिजामी बोर्ड है उसको जल्द जल्द तब्दील कर देना ठीक न होगा.

रामजीदास साहब—जनाब वाला! मेरे ख्याल में इलेक्शन के उसूल समझने में गलत फेहमी हो रही है. यह ख्याल किया गया है कि तीन साला इलेक्शन होगा तो कुल मेम्बर तबदील कर दिये जायेंगे, दूसरा यह ख्याल है कि बोर्ड में अलहदा २ फरदन २ किसी एक मेम्बर की राय से काम होता है, ऐसा नहीं, बल्कि बोर्ड के कुल मेम्बरान के मजमूए से काम होता है. इलेक्शन का यह मतलब होता है कि जो नाकाबिल शख्स हों उनको हटाकर काबिल मेम्बर मुकर्रर किये जावें. शुरू में यह मेम्बर मुकर्रर किये जाते थे तो मुस्तकिल मुकर्रर किये जाते थे लेकिन जैसा २ जमाना तरक्की करता जायेगा काबिल लोग मिल सकेंगे. इसी तरह तरमीम की जाकर मियाद कायम की जा रही है. इसके मानी यह हरगिज नहीं होते कि उनको हटाकर काम में गडबड हो जावेगी बल्कि जो लोग मुतवातिर ऐसे पाये जावेंगे जो नाकाबिल हों, दूसरे साल उनको हटाया जाकर दूसरे रखे जावेंगे और जो काबिल शख्स होंगे उनको दुबारा इलेक्शन का मौका मिल सकेगा. यह ख्याल करते हुए छै साल के बजाय तीन साल की मियाद रखी जाना मुनासिब है.

चतुरभुजदास साहब—गवर्नमेंट की जानिब से जिस बिना पर इस तजवीज की मुखालिफत की गई है वह यह है कि मजलिस आम में और पंचायत बोर्ड में मशवरे का काम होता है इसके बरअक्स लोकल बोर्ड में अमली काम करने की जरूरत होती है. देखा जावे तो म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन की मुद्दत भी तीन साल रखी गई है और मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि ब मुकाबले लोकल बोर्ड के म्युनिसिपेलटी में काम कामयाबी से हो रहा है. मुमकिन है कि तीन साल में किसी साहब ने कोई तजवीज पेश की और तीसरे साल के बाद वह अलग होगये तो गोया जो स्कीम है वह अमल में नहीं लाई जा सकती है मगर इस बात का ख्याल कर लेना कि जो मेम्बर इलेक्ट कर दिये गये हैं वह दुबारा इलेक्ट न होंगे, कतई गलत है. जो मेम्बरान काबिल हैं, मेरा ख्याल है कि उमूमन हर इलेक्शन में वह ही आवेंगे और कम मुद्दत रखने से यह भी बडा फायदा होता है कि हर एक आदमी को काम करने और अपनी काबिलियत का इजहार करने का व समाज की सेवा करने का जल्द मौका मिलता रहेगा.

ठहराव:—कसरत राय से करार पाया कि तजवीज मंजूर की जावे.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर ५.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जमींदारान सरकारी रेट की तरफ अक्सर तवज्जुह न करते हुये, काश्तकारान गैर दखीलकारान से मनमाना लगान वसूल करते हैं, जिससे

काश्तकारान के हक्क में एक तरह की बेरहमी होती हैं. इसलिये इस बाबत कानून माल में तशरीह होना निहायत जरूरी मालूम होता है.

बद्रीनारायण साहब—हुजूर आली ! दरबार आली विकार ने जो बंदोबस्त बीस साला फर्माया है उसमें बमूजिब रेट आंक कायम करके फी सदी ३५-४० बतौर मुनाफा जमींदारान को मुजरा देकर बाकी मालगुजारी कायम करके पट्टे जमींदारान को दिये गये हैं.

इसी तरह काश्तकारान दखीलकारान को, भी महक्मे बंदोबस्त से ही बमूजिब रेट पट्टे तकसीम किये गये हैं.

अब सवाल रहा सिर्फ गैर दखीलकारान का, इनके लिये कानून माल में हस्ब रजामंदी बाहम जो लगान करार पावे उस मुताबिक पट्टे दिये जाने की तशरीह की गई है, इसलिये जमींदारान रेट की तरफ कतई ख्याल न रखते हुए मनमाना यानी रेट से दुगुना तिगुना तक लगान लेते हुए अकसर देखने में आये हैं. इसी बिना पर यह सवाल पेश करते हुए ब अदब गुजारिश करना फर्ज समझता हूं कि गैर दखीलकारान भी रिआया सरकार ही हैं, इनसे मनमाना लगान वसूल करना जरूर एक तरह की बेरहमी ही है. मेरा यह सवाल जमींदारान साहबान को जरूर अटपटा लगेगा और कहेंगे कि गैर दखीलकारान के लिये जो शर्त हमारे पट्टों में होगई है उसमें रद्दोबदल न होते हुए गैर दखीलकारान पर हमको स्वतंत्र इख्तियार रहना चाहिये; परंतु गरीब परवर सरकार ! न्याय पर दृष्टि रखते हुए इन काश्तकारान पर भी रहम होना जरूरी है. मैं यह नहीं कहता कि सरकारी मुकर्ररा रेट पर ही इन्हें पट्टे दिये जावें, लेकिन इनके लिये भी तो कोई रेट होना चाहिये.

आखिर में यह भी अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि गैर दखीलकारान के लिये रेट कायमी के लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर फर्माई जावे, जिसमें जमींदार साहबान को शरीक किया जावे, जो बाद गौर रेट कायम कर देवें और इस बाबत जैये करेक्शन स्लिप नये कानून माल में भी तशरीह फर्माई जायगी तो ऐन इन्साफ का बायस होगा.

प्रेसीडेन्ट साहब—इसकी ताईद कौन साहब करते हैं ?

दामोदरदास साहब—मैं ताईद करता हूं.

जामिनअली साहब—मुजव्विज साहब ने रेट कम करने की तजवीज की है, गोया जमींदारान, काश्तकारान से रेट ज्यादा लेते हैं. फर्ज करो कि गवर्नमेन्ट ने हमारे रेट बांध दिये कि तुम इस रेट से ज्यादा न लो, तो मैं यह गुजारिश करता हूं कि गवर्नमेन्ट कोई ऐसा जर्या बतादे जिससे वह हमारे ऊपर सेटिलमेन्ट न बढा सके. सेठजी का यह मन्शा है कि रेट न बढाया जावे, बल्कि कम कर दिया जावे, ताकि जो कुछ रकम बचे वह सेठ जी की जेब में जाये. सेठ जी से कहिये कि वह दो =) आने सैकडा सूद लिया करें ||।=) आने छोड दें, क्या सेठ जी इस बात पर रजामन्द हो जावेंगे ? हरगिज नहीं. रेट कम करना गोया गवर्नमेन्ट की मुखालिफत करना है. इससे गवर्नमेन्ट की आमदनी कम हो जावेगी तो क्या सेठजी अपनी जेब से उस कमी को पूरा करेंगे ? गवालियार गवर्नमेन्ट में रेट ज्यादा नहीं है जो कम किया जा सके, बल्कि ब मुकाबले गवर्नमेन्ट कैसरी रेट बहुत कम है, मस्लन पंजाब में ६० रुपये मानी का रेट है, और अवध में १०० रुपये मानी का रेट है लेकिन हमारे यहां रेट सिर्फ १० रुपये और १२ रुपये है, लिहाजा मैं इस तजवीज की तरदीद करता हूं.

शंकरलाल साहब—हुजूर आली, सवाल जो मुजव्विज साहब ने रखा है सिर्फ यह है कि रेट से ज्यादा लगान न लिया जावे. इसकी मुखालिफत करते हुए गुजारिश है. पहले मैं यह जाहिर करना मुनासिब समझता हूं कि रेट कहां से बंधता है. जब कोई जमीन आबाद की जाती है तो बाहम जमींदार और काश्तकार मुआहिदा होता है कि लगान क्या होगा. जब बन्दोबस्त का वक्त आता है तो यह देखा जाता है कि उस किस्म की जमीन का आसपास क्या लगान लिया जाता है. फिर इस लगान का औसत बन्दोबस्त में 'रटे' कायम हो जाता है. जब यह रेट कायम हो जाता है तो उससे ज्यादा रेट जमींदार नहीं ले सकता. अब देखा जाता है तो काश्तकार दो तरह के हैं, एक मौरूसी और दूसरे गैर मौरूसी. मौरूसी के मुतअल्लिक तो यह सवाल हो नहीं सकता, सिर्फ गैर मौरूसी की बाबत यह सवाल है. इसकी सूरत यह है कि जब कोई काश्तकार कोई जमीन आबाद करना चाहता है तो उसके और जमींदार के दरमियान जो रेट तय हो उसके मुताबिक लगान लिया जाता है. इस रेट में कमी बेशी होना दोनों सूरतें मुमकिन हैं. अगर काश्त और पैदावार अच्छी होती चली जाय तो कोई वजह नहीं कि आपस की रजामन्दी से रेट ज्यादा कर दिया जाय. अगर पैदावार में कमी होने लगे या जमीन खराब हो जावे और उसपर भी जमींदार लगान ज्यादा करना चाहे तो ऐसा करना कतई बे इंसाफी और बे रहमी होगी. गरज यह है कि जब जमीन की नौइयत तब्दील हो या पैदावार में कमी या ज्यादती वाकै हो तो रेट से लगान कम करना या ज्यादा करना बईद अज इन्साफ न होगा. ऐसी हालत में अगर रेट सिर्फ कम कर दिया जा सकता है और जायद नहीं किया जा सकता तो माल गुजारी की अदायगी में जो कमी वाकै होगी उसका बार जमींदार पर पडेगा और उसे अपनी गिरह से कमी पूरी करनी होगी. इजाफा लगान काश्तकार की रजामन्दी से होता है, बेरहमी का सवाल ही नहीं है. खुशी से काश्तकार कुबूलियत लिख देता है. अगर वह कुबूलियत न लिखदे तो काश्तकार जिस जमीन में काश्त करे उसके लगान के वास्ते जमींदार टापता रहे. जब काश्तकार अपना नफा नुकसान देख लेता है कि बीज बो देगा और पैदावार हासिल कर लेगा तो उससे भी ज्यादा उस वक्त लगान मंजूर करता है. जब यह ख्याल किया जाता है कि फायदा जमींदारान के लिये है या गवर्नमेंट के लिये तो उसका असर एक के लिये नहीं है, सबों पर पडता है, यानी जमींदार, गवर्नमेन्ट व काश्तकार सबों का फायदा होता है. गवर्नमेन्ट को यह फायदा होता है कि पहिली निकासी से निकासी बढ जावे तो मालगुजारी बढ जावेगी. जहां पैदावार बडी होगी वहां की आराजी का ज्यादा लगान लिया जावेगा. खुलासा यह कि यह तो बाहमी मुआहिदे के मुआफिक है. यह सवाल काबिल ड्रॉप करने के हैं, बहस के काबिल नहीं है. मुजव्विज साहब वापिस लेलें तो मुनासिब है.

कृपाशंकर साहब—हुजूर वाला ! मैं मुंशी जामिनअली साहब व शंकरलाल साहब की राय से इत्तफाक करके अर्ज करना चाहता हूं. यह अजहर मिनश शम्स है कि हर गिरोहों, तबकों, मजहबों खित्तों से अच्छे और बुरे सब हर किस्म के आदमी हुआ करते हैं. कुदरत ने पाचों उंगलियां बराबर नहीं बनाई हैं. कानून में मुस्तसनियात रखे हैं खुद सर, मनमाना ऐसे अल्फाज कहना भूल है. मेरे मोअज्जिज दोस्त को सवाल वापिस लेना चाहिये. शायद यह मकसद मुजव्विज साहब का हो कि वह इस्तमुरारी पट्टा देदें. एक इजाफा लगान ही वह चीज है कि अगर यह न हो तो असली लगान का गवर्नमेंट पर इजहार न होसके. अगर ज्यादा गौर से देखा जावे तो पहिले हिन्दुस्तान में सिर्फ १० करोड रुपया मालगुजारी का वसूल होता था. जमीन की हैसियत बढने से मेरा ख्याल है कि अब माल-गुजारी ३२ करोड हो गई है. मुमकिन हैकि आयंदा बंदोबस्त में जमीन की असली हैसियत बल्कि हर

एक चीज की कीमत और भी ज्यादा हो जावे तो कोई तअज्जुब नहीं है. इस पर भी काश्तकार ऐसे हैं कि कोई ४ देता है कोई ५, कोई ६ देता है. कबूलियत लिख देते हैं, एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं. यह अलफाज यानी अत्याचार वगैरा शाही दरबार में कहना नहीं चाहिये. यह अलफाज जहां चस्पा होते हैं इस तस्वीर का दूसरा रुख है जिसको मजलिस का इक्तदार इजाजत नहीं देता.

बाबा साहब—दरबार से मेरी गुजारिश यह है कि बद्रीनारायण साहब सतजुग के आदमी हैं ऐसा मालूम होता है, क्योंकि आराम से रहना, किसी को तकलीफ न देना और मोटे बनना ऐसे हमारे यह मेम्बर साहब हैं. यह अपने भाई की ऐसी कदर करते हैं यानी जमींदार का काश्तकार से लगान वसूल न करना और गवर्नमेन्ट का जमींदार से वसूल न करना. अब काश्तकारान को आबादी कैसे करना पडी, सर्फा कैसे उठाना पडता है, जमींदार को तबाह हो जाना पडा. ऐसे ही मौके आ जाते हैं. ऐसे वक्त में ही हजारों लाखों रुपया सर्फ करके जमीन की आबादी कराई होगी. आज देखिये वह मौरूसी हो गये, हमारे बराबर के जमींदार हो गये; इतनाही नहीं. हम भी मोटे हो गये. अब जमीन के मुवाफिक गैर मौरूसी काश्तकारों पर लगान नहीं बढाया जा सकता. इसके साथ में जमींदारों से काश्तकारों को खाद बीज मिलता है. यह भी होता है कि ज्वार के बजाय गेंहू लेना. यह सवाल रखते तो ठीक हो जाता. ऐसे दो चार तरह के रखते तो गौर किया जाता. अभी काश्तकार मौरूसी बन गये. जमींदार ने अपने काश्तकार को मौरूसी होने दिया, अब यह करना है कि मौरूसी काश्त में सब जमीन चली गई, जुज्वी जमीन रही है. जुज मौरूसी में अभी कुछ तो रेट बढा है उसका फायदा गवर्नमेन्ट को मिलेगा. सरकार जो बढायेंगे वह दस बरस की औसत निकाल कर कायम करें. कहतसाली की वजह से इस साल रिआया से वसूली का रुपया भी नहीं आया, यह सवाल तो वापिस लेने के काबिल है.

रामजीदास साहब—जितनी बहस हुई है वह जमींदार और साहूकार के दरमियान है, न कि काश्तकार और जमींदार के दरमियान. काश्तकारान का कोई representative इस मजलिस में नहीं है. काश्तकारान की दिक्कतें सही हैं या गलत, इसके मुतअल्लिक सच्चा हाल मालूम नहीं हो सकता. इस मजलिस के सामने जो सवाल रखा है उसके लिये हमदर्दी जाहिर करना चाहिये. बाज मुआम्ले के मुतअल्लिक बहस अलहदा २ फिर्का अपनी तरफ घसीट रहा है. जमींदार साहबान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लगान बढाया जा सकता है, मेरे ख्याल में इस तजवीज के कुछ मानी हैं तो लफ्ज मन माने से पैदा होते हैं. यानी सूरत यह जाहिर की गई है कि जहां एक रुपया लेना चाहिये वहां दस रुपये लिये जाते हैं. मुझे याद है कि जिस वक्त सूद के मुतअल्लिक मुआम्ला पेश हुआ था उस वक्त गवर्नमेन्ट ने जरूर इन्टरफीयर (interfere) किया, और गवर्नमेन्ट ने सूद की लिमिट मुकर्रर करदी और यह करार दे दिया कि अदालतों के जर्ये से सूद वसूल किया जावे. एक या दो रुपये सैकड़ा से ज्यादा न लिया जावे. मुजव्विज साहब ने यह तजवीज तन्कीह के बाद रखी होगी. जैसा सूद की बाबत ख्याल था कि usurious यानी अन्दाजे से ज्यादा था, इसी तरह इस रेट की बाबत मनमाना यानी अन्दाजे से ज्यादा होना कहा जाता है. अगर ऐसा है तो इसका इन्तजाम होना जरूरी है.

बाबा साहब—तजवीज में "मनमाना" लफ्ज रक्खा गया है. अगर मनमाना लगान लिया जावेगा तो दरबार सरकार तक पुकार आवेगी और उसकी रोक भी हो जावेगी. एक रुपये के दस रुपये कौन देवेगा, लोग नालिश नहीं करेंगे ? क्या लोग मान जावेंगे ?

सरदार आपटे साहब—इस मुआमले में जो बहस हुई है इस तरीके से बहस चलने से मकसद सवाल का पूरा नहीं होता. सवाल करने वाले साहूकार समझे गये, जमींदारों ने अपने खिलाफ समझा, दरअसल इसमें कोई पेशे साहूकारी या जमींदारी का सवाल नहीं है. मैंने अभी मुजव्विज साहब से पूछा था, उन्होंने कहा कि मैंने पेशे के लिहाज से यह सवाल पेश नहीं किया. बात यह है कि उनकी निगाह में यह दिक्कतें आई होंगी, इसलिये उन्होंने जाहिर किया है कि लगान इस सूरत से नहीं लेना चाहिये, न मैं जमींदार हूं, न साहूकार, न काश्तकार. मैं इसलिये खडा हुआ हूं कि एक रास्ता निकालूं या तरीका बताऊं, ताकि सवाल जल्द तय हो जावे, सवाल गैर दखीलकारों के मुतअल्लिक है. मुजव्विज साहब की निगाह में जो आया है वह उन्होंने सामने रक्खा है, साहूकारी निगाह से नहीं रखा है. जमींदारों के हुकूक के खिलाफ कोई बात निकली होगी तो वह वापिस लेने की है. मुजव्विज की नियत ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने की नहीं थी. जमींदार साहबान को नाराज होने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना ही देख लेना चाहिये कि सवाल का तअल्लुक गैरदखीलकार काश्तकारों से है. और बंदोबस्त का उसूल इन काश्तकारों के तअल्लुकात जमींदारों की मातहती में रखने का इस गरज से है कि आयन्दा बंदोबस्त तक जमींदारान को आराजी की हैसियत के माफिक लगान का व रेट्स का बाहा कॉम्पिटीशन से कायम करने का मौका मिले. मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत मालूम नहीं होती, लिहाजा अब इस सवाल के मुतअल्लिक यह मालूम किया जाय तो बेहतर होगा कि इससे किसको इत्तफाक है और किसको इत्तफाक नहीं है.

प्रेसीडेन्ट साहब—जो जाहिर किया गया है उससे मुजव्विज साहब अपनी तजवीज वापिस लेवेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है.

मुजव्विज साहब—हुजूर वाला! मैं जमींदार भी हूं और काश्तकार भी और साहूकार भी हूं. सब साहबान की नाराजगी की वजह से मैं अपना सवाल वापिस लेता हूं.

नोट—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर ६.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कानून माल व जाब्ता फौजदारी में मिस्ल जाब्ता दीवानी के दौरान तहकीकात मुकदमात माल व फौजदारी, हर्जा फरीकैन के दिलाये जाने का प्रॉविजन किया जावे.

चतुरभुजदास साहब—जिस कदर कानूनमाल के मुतअल्लिक यह तजवीज है, मैं इसको वापिस लेना चाहता हूं, क्योंकि जदीद कानून माल में तजवीज के मुताबिक तशरीह हो चुकी है, अब सिर्फ जाब्ता फौजदारी के मुतअल्लिक अर्ज करता हूं. ऐसे वाकआत अक्सर नोटिस में आते हैं कि जिनमें ख्वामख्वाह फरीकैन को परेशान करने के लिये तारीखें तब्दील की जाती हैं. ऐसी सूरतों में हर्जा दिलाया जाना चाहिये.

सिद्दीकी साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं, मगर इससे यह न समझ लिया जावे कि ताईद मैं महज इस वजह से करता हूं कि यह तजवीज एक वकील साहब की पेश की हुई है, और मैं भी विकालत पेशा हूं. अकसर फौजदारी मुआमलात में तारीखें बिला वजह तब्दील होती हैं, दीवानी में नहीं; क्योंकि उसमें हर्जा अदा करना

पडता है. अगर फौजदारी में भी हर्जा आयद कर दिया जावेगा तो आसानी होगी और बिला जरूरत फरीकैन तारीखें तब्दील नहीं करावेंगे.

जगमोहनलाल साहब—इस सवाल का जहांतक सीगे माल से तअल्लुक था वह वापिस ले लिया गया. जहांतक इस सवाल का सीगे फौजदारी से तअल्लुक है मुझे उससे उसूलन इख्तलाफ है. फौजदारी के मुकदमात ऐसे होते हैं कि जिनका असर इन्तजाम रियासत पर भी पडता है. इस सीगे में दादख्वाही के पहुंचने में रुकावट नहीं होना चाहिये. मुकद्दमात में मुतवातिर तारीखें तब्दील होना तजुर्बे से पाया नहीं गया. फौजदारी के मुकद्दमात का उसूल और दीवानी के मामलात के उसूल में फर्क है. सीगे फौजदारी में ऐसी नौबत बहुत कम आती है कि बिला वजह तारीखें तब्दील हों. अलबत्ता मिस्ल ब्रिटिश इंडिया के महज बेबुनियाद इस्तगासों में हर्जा बतौर compensation दिलाना बहतर होगा. मगर मुझे मालूम हुआ है कि जदीद जाब्ता फौजदारी का मुसव्वदा जेर गौर है. पस इस मुसव्विदे के साथ इसे हर्जे के सवाल पर गौर किया जावे, मेरे ख्याल में मेरे दोस्त मुजव्विज साहब इस बात पर तैयार होंगे और ज्यादा जोर न देंगे क्योंकि मुसव्वदा पब्लिक ओपिनियन के लिये शाया होगा.

शम्भूनाथ साहब—हुजूरवाला ! फौजदारी मुकद्दमात की दो सूरतें हैं. ऐसे मुकदमात में और ऐसी सूरत में फर्यादी दादरसी को पहुंचे उस पर हर्जा कायम करने से जुर्माना आयद होगा. गौर से अगर देखा जावे तो जो मामलात पुलिस की जानिब से दायर होते हैं उनमें भी ऐसा मौका पेश आजाता है. दूसरी सूरत यह है कि यह तजवीज पास हो जावेगी तो इसका बार मुलजिमान पर पडेगा. मुकद्दमात फोजदारी में बहुत से बेगुनाह आदमी फस जाते हैं और ऐसी सूरत में उनपर हर्जे का बार डाला जाना नामुनासिब होगा. अदालत के नजदीक जो उजरात काबिल पिजीराई होते हैं उनके मुतअल्लिक अदालत गौर करके तारीखें तब्दील करती हैं. तजवीज के मुतअल्लिक मौजूदा कानून में कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है.

लॉ मेम्बर साहब—जैसा जगमोहनलाल साहब ने कहा, जाब्ता फौजदारी का मुसव्विदा कैसरी के जाब्ता फौजदारी के उसूल पर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट में तरतीब दिया गया है और उसमें इल्तवाय के मुतअल्लिक मजिस्ट्रेट को इख्तियार तमीजी दिया गया है कि वह गौर करे. अगर किसी पैरवी में गफलत या लापवराही पाई जावेगी तो उसपर मजिस्ट्रेट को इल्तवा करने में ताम्मुल होगा.

चतुरभुजदास साहब—लॉ मेम्बर साहब ने जो फर्माया उसके मुताबिक मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं. जाब्ता फौजदारी में इसका लिहाज फरमा दिया जावे.

नोट—तजवीज वापिस ली गई.

[**नोट**:—तीन बजे मजलिस adjourn की गई. मेम्बर साहबान को रिफ्रेशमेन्ट दिये जाने के बाद मजलिस का काम साडे तीन बजे फिर शुरू हुआ.]

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर ७.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

बेदखली काश्त की बाबत ताबे दफा १५३ कानून माल जो कवायद जारी हुए वह इतने सख्त हैं और काश्तकार के इख्तयार को वसीअ करते हैं कि अगर काश्तकार चाहे तो अपने को बेदखल न होने दे, यानी माह अप्रेल में उसकी गैर हाजरी बेदखली से उसको बचा लेती है. लिहाजा पटवारी को मिस्ल जाब्ता दीवानी समन्स की तामील के मुताबिक करने का इख्तयार होना चाहिये.

गुरुदयाल साहब—मैंने इस सवाल को उस वक्त रखा था जब जदीद कानूनमाल जारी नहीं हुआ था क्योंकि जो कानून माल जदीद जारी हुआ है उसमें इसकी इसलाह हो चुकी है जो जौलाई से अमल में आवेगा इसलिये मैं अब इस सवाल को वापिस लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रही.

नोट—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर ८.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि—

मौजूदा कानून माल में जमींदारान को खुद काश्त की बाबत कोई हक्क हासिल नहीं है इसलिये हस्ब जैल इख्तियारात मिलना चाहिये :—

(१) सरक्यूलर नम्बर ८ सम्वत १९६० के मुताबिक जो नौतोड अपने खुद काश्त से करावे उसको वही हक्क जो काश्तकारान को है मिलना चाहिये.

(२) खुद काश्त जायद १२ साल हो उसको अगर जमींदार पट्टे पर काश्तकार को देवे तो इन्दराज खुद काश्त में होकर काश्तकार शिकमी रहना चाहिये.

बागरी वाले साहब.—हालत मौजूदा देखते हुए कि रोजाना जमींदारियां नीलाम हो रही हैं इससे जमींदारान की हालत किस कदर गिरी हुई है मालूम हो सकता है. जमींदार एक ऐसा जिम्मेदार शख्स है कि तमाम अमन व अमान और बेहतरी या बरबादी रिआया उसके सिर पर लदी हुई है. सिवाय जिम्मेदारी के और खर्चे और खराब या कम फसल के साल भी उसको भुगतना पडते हैं. यह रियासत सी. पी. का एक हिस्सा है. सी. पी. में सीर और खुद काश्त दो नहीं हैं. उसी के मुताबिक यहां भी उनको हुकूक मिलना जरूरी हैं. जदीद कानूनमाल में काश्तकारान को हक दखीलकारी आम तौर पर मिलने की सूरतें पैदा हुई हैं. ऐसी हालत में उसके बाल बच्चों की परवरिश और खराब सालों में बिगडी हुई हालत में वह इसी हक्क से अपनी जान बचा सकते हैं. रियासत की मर्दुमशुमारी को देखते हुए मजदूर पेशा लोग बहुत कम हैं. मालदार जमींदार भी अपनी सीर बढाना चाहता है. मजदूर न मिलने से मजबूर होना पडता है और जो कुछ थोडी बहुत सीर है उसको छोडकर नई आबादी नहीं कर सकता; क्योंकि अगर नई आबादी

मेरी यह मन्शा नहीं है कि गवर्नमेन्ट में जो तरीका है वही इलाके दरबार में अमल में लाया जावे, लेकिन इस कदर मैं कहने के लिये तैयार हूं कि अपने करीबतर इलाके में जो तजरुबा हासिल किया है उसका फायदा अपने को उठाना चाहिये, व इसी वास्ते जो तरीका कानून माल में अब रायज किया गया है वही काबिल पाबंदी है.

शंकरलाल साहब—मुजव्विज साहब ने जो सवाल रखा है कि खुद काश्त होने पर कोई काश्तकार उसमें काश्त करे तो सीर समझी जाय, तो जहां मवाजियात जमींदारी हैं वहां तो कोई दिक्कत नहीं. दिक्कतें वहां होगी जहां हिस्सा पट्टी वगैरा है. वह यह कि एक छोटा हिस्सेदार एक साल एक हिस्सा काश्त करेगा दूसरे साल छोड देगा,इस तरह गोया जो हिस्सेदार तदबेवाला नहीं है उसको कोई फायदा नहीं होगा और जिसके पास तदबा है वह रफ्ता रफ्ता दूसरे की हाकियत को मौरूसी बना कर उनको नुकसान पहुंचावेगा, इसलिये यह किया जावे कि अगर कोई बारह साल तक किसी हिस्से को काश्त करे और फिर छोड दे और कुछ अर्से तक काश्त न करे तो यह अमल किया जावे; वर्ना भैयाचारे में या जो गोल मौजे हैं उन पर असर होगा, यानी बेवगान व नाबालिगान को नुकसान पहुंचेगा. इसलिये जब तक सब-कमेटी कायम होकर उस पर गौर न करले इसको हाथ में लेना ठीक नहीं. इस कमेटी में हर जगह के जमींदारों का होना जरूरी है इसलिये ऐसी एक कमेटी बनाकर पहले यह देखा जावे कि यह सवाल हाथ में लेने लायक है या नहीं.

शंभूनाथ साहब—हुजूरवाला, इस सवाल का मन्शा यह है कि जमींदारान को खुद काश्त और नौतोड के मुतअल्लिक वही हकूक होना चाहिये जो काश्तकारान को हैं. काबिल गौर अम्र यह है कि पट्टा देने वाला अगर खुद वैसाही अमल करे जैसा लेने वाला करता है तो इसमें क्या हर्ज है. काश्तकारान मौरूसी के लिये जो कयूद आयद किये गये हैं वैसी ही पाबन्दियां खुद काश्त के लिये होजायें तो इसका असर रिआया की आबादी के वास्ते ज्यादा मुफीद होगा. मजलिस में इस वक्त यह गौर करने की जरूरत है कि आया इस सवाल को गवर्नमेन्ट की खिदमत में पेश किया जावे या नहीं, इसके लिये सब-कमेटी की जरूरत मालूम नहीं होती.

कृपाशंकर साहब—मैं अपने दोस्त शंभूनाथ की तकरीर की ताईद करता हूं.

जामिनअली साहब—मैं गवर्नमेन्ट आलिया की तवज्जुह दिलाता हूं कि इस फिकरे से कि जो काश्तकारान बंजर को आबाद करें वह मौरूसी करार दिये जावें, इससे मतलब बरारी नहीं होती. अक्सर काश्तकारान बंजर रकबों को भी रोक लेते हैं. अगर यह हकूक जमींदारों को दिये जावें तो ठीक होगा, क्योंकि उनकी आनेवाली नसलें भी मुस्तहक हैं, जैसे काश्तकारों की. गवर्नमेन्ट ने हमको कन्ट्रोल करने का हक्क दिया है और यह उसूल रक्खा गया है कि जो काश्तकार बंजर जमीन आबाद करले उस पर उसको हक्क मौरूसी होगा. इसी तरह जमीदारों को भी होना चाहिये. अगर हम काश्तकार को बंजर जमीन आबाद करने देते हैं तो वह उसकी हुई जाती है. हमारी भी नसल बढेगी और उसको जमीन की जरूरत होगी. अगर हम सौ बीघे में अपनी गुजर करते हैं तो उनके लिये भी कम से कम सौ बीघा जमीन रहना चाहिये. एक जमाना था कि हमने मेलसे में देखा है कि काटे साहब ने एक गांव मौजा कुल्हार तेरहसौ में खरीद किया था, अब उसी मौजे की कीमत बहत्तर सौ लग रही है. गवर्नमेन्ट हमारे साथ क्यों न इन्साफ करें. हम क्या करेंगे, जमीन आबाद करायेंगे और काश्तकार को देवेंगे, वह जोतेगा और फायदा उठावेगा. उस बंजर में से जो पडा हुआ है अगर हम काश्तकार को दे देवें तो हमारी आने वाली नसलें उससे कैसे परवरिश पायेंगी. अगर

हम उसे आबाद करके काश्तकार को देवेंगे तो वह भी सरसब्ज रहेगा, हम भी सरसब्ज रहेंगे और गवर्नमेन्ट की भी आमदनी बढेगी. अगर आज गवर्नमेन्ट हमें इजाजत दे देवेगी तो हम उसे जोतकर काश्तकारों को दे देंगे क्योंकि हमारी नस्ल भी बढेगी और उसको भी जरूरत होगी वह उससे फायदा उठावेगी. काश्तकारी दुनिया में एक ऐसी चीज है कि एक रुपये के बीस रुपये होते हैं. वह जमाना भी हमने देखा है जब जमीन की कुछ कीमत न थी, अब वही जमीन छत्तीस हजार और चालीस हजार में बय होरही है. जमींदार भी तो कुछ समझता है, इसलिये वह बंजर जमीन रोके हुए है, क्योंकि दूसरा जोतेगा तो उसकी मौरूसी हो जावेगी. इस तरह जमीन भी गैर आबाद पडी हुई है और गवर्नमेन्ट का भी नुकसान हो रहा है. इस पर गौर करते हुये जो हुकूक काश्तकारान को दिये गये हैं वही हमें भी दिये जावें, तो पैदावार भी ज्यादा हो जावेगी, गवर्नमेन्ट की आमदनी भी बढेगी और हमारी आनेवाली नसल उससे फायदा उठावेगी. सरकार इस पर गौर करके अगर मुनासिब हो तो हमें यह रियायत दें.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला, इसमें दो इस्तदुआएं की गई हैं. एक तो यह कि सरक्यूलर नंबर ६, के मुताबिक जो काश्तकारान नौतोड आबाद करते हैं उनको हक्क मौरूसी मिल जाता है तो जमींदार को क्यों न मिले. दूसरी इस्तदुआ यह है कि बारह साल तक खुद काश्त करने के बाद अगर काश्तकार को आराजी दी जावे तो वह सीर समझी जावे. आराजी खुद काश्त से जैसी कि जदीद कानून माल की दफा २, की मद ४०, में तारीफ की गई है, मुराद यह है, कि आराजी खुद काश्त ऐसी आराजी है जिसको जमींदार खुद या अपने नौकरों या मजदूरों के जर्ये से या शिराकत से काश्त करता हो, मगर खुद काश्त कदीम यानी बारह साला या जायद अज बारह साला कुल्लन या जुजअन अगर किसी दीगर शख्स से काश्त कराई जावेगी तो वह भी खुद काश्त कदीम मुतसव्विर होगी, बशर्ते कि इस तौर पर काश्त एक से जायद साल तक मुतवातिर न कराई जावे और ऐसे खुद काश्त कदीम का काश्तकार बतौर शिकमी मुतसव्विर होगा.

अगर जमींदार बेवा, नाबालिग, पागल, खब्तुल हवास या फौजी मुलाजिम गवर्नमेन्ट गवालियर हो तो ता कायम रहने ऐसी मजबूरी (disability) के शर्त सदर मुअस्सर न होगी, और उसकी खुद काश्त कदीम का काश्तकार, बिला लिहाज इसके कि वह आराजी उसकी काश्त में कितने ही साल मुतवातिर रहे, शिकमी ही मुतसव्विर होगा. और ऐसी आराजी की नौइयत खुद काश्त कदीम बदस्तूर कायम रहेगी. इस तारीफ को सामने रखते हुवे जहांतक इस सवाल की पहिली इस्तदुआ का तअल्लुक है इसमें कुछ जिक्र नहीं है. उसूलन अगर यह मुनासिब मालूम होता है कि जबकि एक काश्तकार जिसने मालिक से आराजी काश्त के लिये ली हो उसको हक्क मौरूसी दिया जाता है तो मालिक अगर वैसा ही करे तो उसे ऐसा हक्क न मिले, यह नामुनासिब है. अब सवाल यह है कि इस सवाल से जमींदारान का फायदा क्या है? मैंने चन्द जमींदारान से सवाल किये थे तो मन्शा यह मालूम हुई कि अगर जमीदारी किसी वजह से नीलाम हो तो अगर जमींदार ने बारह साल तक किसी रकबे में खुद काश्त की है तो वह साकितुल-मिलकियत हो जाता है पस वैसाही हक नौतोड आराजी में भी मिलना चाहिये. जहां तक मैं ख्याल करता हूं, गवर्नमेन्ट के नुक्ता नजर से इस इस्तदुआ के मंजूर करने में कोई नुक्सान मालूम नहीं होता है. दूसरी इस्तदुआ यह है कि बारह साल तक खुद काश्त करने के बाद अगर आराजी दूसरे को जोतने को दी जाय तो वह सीर समझी जाय. उसका मतलब मैं यह समझा हूं कि खुद काश्त की आराजी अगर कोई दूसरे से जुताए तो उसीकी मिलकियत रहेगी. यह उसूल तो मान लिया गया है कि जो जमीन खुद काश्त जायद अज बारह साल की हो तो उसको जो कोई दीगर शख्स जोते वह शिकमी काश्तकार होगा.

मगर तारीफ मजकूरे बाला के लिहाज से वह सिर्फ एक साल के लिये शिकमी समझा जावेगा, उसूलन मुझे इस दूसरी तजवीज से भी इत्तफाक है. अगर बारह साल खुद काश्त को गुजर गये और फिर किसी दूसरे से जुताया तो उसका हक्क जायल नहीं होना चाहिये. जो हक्क काश्तकारान को हैं कोई वजह नहीं कि वही हक्क जमींदारान को न दिये जायें, इसलिये मेरी राय में यह तजवीज काबिल मंजूरी है.

ट्रेड मेम्बर साहब—अब तक जो प्रस्ताव किया गया है वह मेरी समझ में नहीं आया. यह खुदकाश्त का मसला है. खुद काश्त के माने एकही हैं कि मालिक खुद जोते. मालिक यह चाहते हैं कि जिन कामों में ब हैसियत मालिक उनको फायदा हो वहां मालिक बन जावें और जहां नौकर बनकर फायदा हो वहां नौकर बन जावें, यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि नौकर भी वही और मालिक भी वही. अगर यह सवाल काश्तकारान की मजलिस में होता तो वह क्या कहते.

देखना यह है कि काश्तकारान को जो हुकूक हैं वह मालिकान को क्यों नहीं ? काश्तकारान को दूसरों से आराजी हासिल करना है और उसको सुधारना है यानी उस पर उसको सरमाया सर्फ करना है तो उसको कोई इत्मीनान भी होना चाहिये. मालिक के लिये यह सवाल नहीं होता क्योंकि आराजी उसकी मिलकियत है, उसका इम्प्रूव करना उसी के हक्क में मुफीद होगा. एक ऐसी कान्टिन-जेन्सी बतला करके कभी मौजा निकल जाये तो भी मिलकियत कायम रहे, इस प्रॉविजन का चाहा जाना कहां तक ठीक है.

मैं भी जमींदार हूं, अगर मैं ऐसा करूं कि बारह साल तक एक आराजी को काश्त करूं, फिर जोत पर छोड कर दूसरी आराजी काश्त में लाऊं तो इस तरह कुछ अर्से में कुल मौजा मेरी सीर में हो जावेगा. मालिक होकर चाकराना हुकूक चाहना abuse से खाली नहीं है, उसूल से भी अशुद्ध है. मालिक को मालिकाना हक्क रहेगा और उसके जायज हुकूक को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है. खुद काश्त के मानी ही यह हैं कि जहां तक खुद काश्त करे वहां तक खुद काश्त, वर्ना दूसरे की काश्त; हां बेवाओं वगैरा के लिये गवर्नमेन्ट ने यह प्रोटेक्शन रखा है. कि अगर वह दूसरे से काश्त करावें तो वह भी उनकी खुद काश्त मुतसव्विर होगी.

जामिन अली साहब—सेटिलमेन्ट का तरीका ब्रिटिश इंडिया से लिया गया है. सागर जिला जो हुजूर की रियासत से मुलहक है वहां देखिये कि खुद काश्त और फिर जमींदारों की खुद काश्त, बिला इजाजत चीफ कमिश्नर फरोख्त नहीं होती. खुद काश्त के जमींदारों को जब जमींदारी पर हुकूक मौरूसी हैं तो खुद काश्त पर ऐसे हुकूक न हों यह इन्साफ के मानी नहीं हैं. जमींदार की हैसियत मुनाफे में यह है कि ६५ रुपये सरकार के और ३५ रुपये जमींदार के, जमींदार की गुजर खेती ही पर है. खुद काश्त के मामले में गवर्नमेंट जो लिहाज काश्तकार का रखती है वह ही हमारे वास्ते रखा जावे. खुद काश्त में ही हम को फायदा है. लगान में मुनाफा बहुत कम है और मुनाफे पर क्या गुजर हो सकती है और जमींदार सफेद पोश कैसे रह सकता है.

मथुराप्रसाद साहब—हुजूरे आली, यह अम्र काबिल गौर है, इस को बहुत गौर से देखना चाहिये. मुजव्विज साहब ने जो सवाल रखा है उसकी ताईद में मैं अर्ज करूंगा कि इसमें गवर्नमेन्ट का कोई हर्ज नहीं है. मालिक की दी हुई जमीन पर काश्तकार काश्त करे तो वह मौरूसी हो जावे और मालिक खुद काश्त करे तो वह मौरूसी न हो, यह अम्र काबिले गौर है. जमींदार अगर खुद काश्त करना चाहे और इस्तुलइम्तान कोशिश करे तो १०० बीघे से जायद आबाद नहीं कर सकता है. हक्क मौरूसी देने में न तो गवर्नमेंट का नुक्सान है और न काश्तकार का, अगर उसको हक्क मौरूसी न दिया जावे और बेदखल कर दिया जावे तो उसके बच्चों के लिये कुछ नहीं रहता है. मेरी राय में यह तजवीज काबिल मंजूरी मालूम होती है.

चतुरभुजदास साहब—हुजूर आली, गवर्नमेंट की जानिब से इस तजवीज की मुखालिफत इस बुनियाद पर की गई है कि इस से जमींदार की हैसियत मालिक और नौकर दोनों की हो जाती है. जवाबन गुजारिश है कि वाकई में इस वक्त भी जमींदार की इसी तरह की हैसियत है. सवाल सिर्फ यह होगा कि अगर इस वक्त इस तरह की हैसियत कम रकबे पर है तो इस तजवीज के मंजूर होने पर वह इस तरह का रकबा खुद काश्त बढ़ जावेगा. यानी सवाल सिर्फ डिग्री का रहेगा न कि उसूल का. दूसरी बेहस मुखालिफत में यह की गई है जैसा कि ट्रेड मेम्बर साहब ने फरमाया है कि लॉट बाई लॉट, पचास बीघा खुद काश्त की, फिर किसी शिकमी को देदिया इस में कुल खुद काश्त होजायगी, मगर दरहकीकत जमींदार और काश्तकार का जो रिश्ता है और कॉम्पीटीशन से जो रेटवारी बाहम जमींदार व गैर दखीलकार कायम होती है उसमें कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि सप्लाय व डिमान्ड जो दो फैक्टर्स हैं वे मौजूदा सूरत ही रहेंगे. उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता. जमींदार और काश्तकार, और जमींदार और गवर्नमेंट पर नजर कीजिये, अगर जमीदार ने खुद काश्त करके शिकमी को देदी तो ऐसी सूरत में काश्तकार को कोई नुक्सान नहीं हो सकता. कॉम्पिटीशन रेट वही रहेगा जो अब है. गवर्नमेन्ट का भी कोई नुकसान नहीं है. बल्कि सवाल सिर्फ यह है कि अगर यह तजवीज मंजूर फरमाई गई तो खुदा न ख्वास्ता अगर जमींदार की मिलकियत साकित भी हो तो उसकी साकितुल मिलकियत तो कायम रहे, पस हमको सिर्फ इस नुक्ता ख्याल से इस तजवीज पर गौर करना है.

ठहराव—वोट लिये जाने पर कसरत राय से तजवीज मंजूर हुई.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर ९.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अदम अदायगी मालगुजारी की इल्लत में जो हाल में बजाय तहसील के पुलिस में जमींदारान को हिरासत में बैठाने का हुक्म जारी हुआ है वह मंसूख फरमाया जावे.

चतुर्भुजदास साहब.—हुजूर आली ! मुझे यह उम्मीद थी कि इस तजवीज के मुतअल्लिक शायद जदीद कानून माल में तरमीम होगई होगी मगर उसके देखने से जाहिर हुआ कि इसमें कोई तरमीम नहीं हुई बल्कि उसमें तशरीह करदी गई है कि जो जमींदार मालगुजारी न देगा वह मिस्ल दीवानी कैदी के हिरासत में रहेगा. जहां तक मेरा ख्याल है, दीवानी की हिरासत या मदयून जो डिक्री की इजरा में हिरासत में रखा जाता है उसके तीन खास मकसद हैं:—

(१) डिक्री की सबील न होने की वजह से डिक्रीदार की जो दिलशिकनी होती है मदयून के हिरासत में रहने से उसकी तसकीन हो जाती है.

(२) दीगर लोगों को इबरत के तौर से हिरासत में रखा जाता है.

(३) दीवानी की हिरासत के खौफ से मदयून डिक्री की सबील करदे.

अब मालगुजारी की अदम अदायगी की इल्लत में हिरासत का मकसद नं. १ ख्याल करना बिल्कुल बेसूद है. जहां तक मेरा ख्याल है, गवर्नमेन्ट को दिलशिकनी का कतई सवाल ही नहीं है. सवाल सिर्फ यह रहता है कि दीगर जमींदारान को इबरत हो. दूसरे वह हिरासत के खौफ से मालगुजारी अदा करदें. यह मेरा मकसद नहीं है कि हिरासत में रखा न जावे,

तहसील की हिरासत से भी यह मकासिद हासिल हो सकते हैं. मेरे ख्याल से किसी मौजे में मालगुजारी बाकी नहीं रही. नीज बिला वजह कायदे मुरव्विजा में तरमीम करना खिलाफ उसूल मालूम होता है. आज एक घंटा पेश्तर एक शख्स नायब तहसीलदार होता है, थोडी देर बाद वह पुलिस की हिरासत में जावे, यह इन्साफ के खिलाफ है; लिहाजा गवर्नमेन्ट की खिदमत में यह तजवीज पेश करके गुजारिश है कि यह हुक्म मंसूख फरमाया जावे.

लक्ष्मीनारायण साहब—मैं ताईद करता हूं.

सरदार आपटे साहब—यह सवाल बिलकुल सीधा और आसान है, बहस तलब नहीं है. यह महज Sentiment का सवाल है. गवर्नमेन्ट की पॉलिसी जमींदारों के खिताब देने में, ओहदा देने में क्या है, जाहिर है. पॉलिसी हमेशा कनसिस्टेंट (consistant) रहना चाहिये. ऐसी हालत में अगर उनकी जानिब थोडी मालगुजारी बकाया रह गई हो तो उसकी पादाश में मतालबे की वसूली की गरज से जमींदार को हिरासत फौजदारी में सपुर्द कर देना निहायत बेइज्जती है और जायदाद से इज्जत ज्यादा कीमती है.

कृपाशंकर साहब—हुजूर आली, इसमें इज्जत का सवाल आगया है. दरबार की मंशा यह है कि जमींदार नेकचलन रहे, ईमानदार रहे और खुशदेहन्द रहे. आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया है कि वह नादेहन्दगी की सूरत में फरार हुए हों. वह अपने भाईबन्दों के जर्ये से या किसी और जर्ये से सबील अदायगी मालगुजारी करते हैं. अगर उनको फौजदारी की हिरासत में भेजा गया तो जो मकसद नेकचलनी का रह जाता है वह मुश्तबा हो जावेगा. बदमाशों की सोहबत में रह कर मुमकिन है कि वह भी खराब हो जावें. जो तरीका इस वक्त तक तहसील में रखे जाने का है वही रहे, वर्ना उन की तबाही का बायस होगा.

रेवेन्यू मेम्बर साहब—कब्ल इसके कि तजवीज हाजा की बाबत मजीद मुबाहिसा किया जावे यह जरूरी मालूम होता है कि जिन वजूहात पर यह हुक्म दिया गया है वह आप साहबान की वाकफियत के लिये यहां पर जाहिर किये जावें.

यह अम्र मुसल्लिमा है कि अदम अदायगी मालगुजारी की सूरत में जमींदारान जेर हवालात किये जाते हैं. सवाल सिर्फ यह पेश आया था कि हवालातियान माल की हिफाजत का तरीका सब जगह यकसां नहीं है, लिहाजा इसके मुतअल्लिक क्या अमल होना चाहिये. चुनांचे सम्वत १९८१ में रेवेन्यू कॉन्फरेन्स ने इसके हर पहलू पर गौर करके यह करार दिया है कि जहां अदालत जुडीशियल के दीवानी हवालाती रक्खे जाते हैं वहीं उनको रक्खा जावे, क्योंकि कुल तहसीलात में हवालातें अभी कायम नहीं हैं.

सरेदस्त इसमें जमींदारान को पुलिस की हिरासत में बैठाने का कोई खास हुक्म नहीं हुआ है बल्कि दीवानी हवालाती व माली हवालाती की हैसियत यकसां होने से उनकी हिफाजत का तरीका यकसां कायम किया गया है.

सदर कैफियत पर गौर किया जावे तो मुझे कवी उम्मीद है कि इस तजवीज पर मजीद बहस करने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी.

गुरुदयाल साहब—हुजूर आली, यह सूरत पहिले भी कायम थी. अदम अदायगी मालगुजारी की सूरत में तहसील की हिरासत में रखे जाते थे. दूसरा कानून जारी हुआ उस वक्त वह हिरासत पुलिस में रखे जाते थे. अब जो कानून जारी हुआ है उसमें हिरासत दीवानी में रखे जाने की मंशा है. ऐसी सूरत में ब निस्बत माल की हिरासत के दीवानी की हिरासत में रखे जाने में ज्यादा बेइज्जती है. माल और दीवानी के मुकाबिले में पुलिस की हिरासत में बहुत कुछ फर्क है.

दीवानी के सिलसिले में जहां तक उसकी जायदाद होती है पहिले उससे इक्करसी हो जाती है. अब सवाल जायदाद को तलफी का पैदा होता है. जब जायदाद को तलफ ही करना है तो हिरासत की सूरत में भी जायदाद को तलफ कर सकता है या किसी दूसरे के जर्ये से बय या रहन कर सकता है, मगर हिरासत में दहशत की सूरत रहती है. गवर्नमेन्ट की यह मन्शा नहीं है कि उसकी बेइज्जती की जावे. पुलिस में रखने के वास्ते यह ख्याल होता है कि वह भाग न जावे. मौजूदा हालत में अगर उसको माल की हिरासत में रखा जावेगा तो जिस तरीक पर पहिले उसको बेइज्जती का ख्याल न था, अब भी न होगा. मालगुजारी फिर भी वसूल हो जावेगी.

चौधरी नवाबअली साहब—मुझे इस तजवीज के एक जुज से इत्तफाक है और एक जुज से इख्तलाफ है.

हवालात दीवानी और माल में फर्क है. नादिहन्द जमींदारान अब तक हिरासत माल में बैठते थे, मगर अब हवालात दीवानी के लिये ईमां है. हवालात दीवानी में कैदी हर तरह आराम से रहता है और उसको हर तरह आजादी रहती है, सिर्फ निगरानी कानूनी रहती है. जिस तरह मुल्जिमान फौजदारी के रहते हैं, वह सूरत नहीं रहती, इसलिये पुलिस की निगरानी उठाकर दीवानी की हिरासत में रखना चाहिये.

मथुराप्रसाद साहब--सरकार कैलासवासी ने जो इज्जत जमींदारों को दी है वह पोशीदा नहीं है. उनकी बेइज्जती करना, पुलिस की हिरासत में रखना, काबिल गौर है. जमींदारान ऐसे नहीं है कि वह अपनी जायदाद को तलफ करदें. सरकारी रुपया अदा न करें तो उनकी जायदाद से वसूल हो सकती है. ऐसी हालत में साबिक के मुताबिक उनको माल ही की हिरासत में रखा जाना मुनासिब है।

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला, पहिले तो मैंने ख्याल किया था कि इस तजवीज की मुखालिफत में सिर्फ खामोश वोट दे दूं, मगर इस वक्त चन्द तकरीरें सुनकर कुछ अर्ज करना चाहता हूं जो मेरे दोस्त जमींदार साहब को नागवार होगा, मगर मैं अपनी honest राय जाहिर करना अपना फर्ज समझता हूं. अव्वल तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में जमींदारान की बेइज्जती का सवाल ही पैदा नहीं होता. यह हर शख्स के हाथ में है कि वह बेइज्जती का मौका ही न दे. अलावा इसके जब ब सीगे दीवानी एक तरफ मतालबेदार को एक मतालबे के एवज में कैद किया जाता है तो कोई वजह नहीं कि सरकारी मतालबे में कैद क्यों न किया जावे. दोनों मतालबों, सरकारी व प्रायवेट में कैद होना चाहिये. प्रायवेट मतालबे में बतौर दीवानी कैदी के रहता है और इसी तरह सरकारी मतालबे में भी रक्खा जाता है. पुलिस की हिरासत जमींदार साहबान को नागवार है. कैदी दीवानी हिरासत पुलिस में रखा जाता है तो वह ही हैसियत माल के कैदी की रहेगी. इस वक्त तक अजलाय में माल या दीवानी की हिरासत अलहदा नहीं हैं, सब कैदी पुलिस में ही रहते हैं. जब तक इस किस्म की हिरासतें पुलिस से अलग न हों, यह सवाल कैसे मंजूर हो सकता है; लिहाजा मैं इसकी तरदीद करता हूं.

अनन्दीलाल साहब—अगर सरकार जमींदारी नीलाम करदें तो भी मालगुजारी वसूल हो सकती है.

कृपाशंकर साहब—इसमें दो बातें बतलाई गई हैं. दीवानी के हवालाती और माल के हवालाती इनमें दोनों में फर्क है; दीवानी के लिये जेलखाना नहीं है. जहां पुलिस के बदमाश चोर

रहते हैं वहाँ वह रखे जाते हैं और इस गरज से रखे जाते हैं कि वह फरार न हो जावें. इसकी वही हैसियत है, जो चोर और डाकू की है. इस हिरासत में जो चला जायगा वह मुल्जिम बन जावेगा. फर्क यह पडता है कि दीवानी के जो मद्यून होते हैं वह डिक्रीदार को परेशान करने की गरज से जायदाद को बय या रहन व तल्फ कर देते हैं या दिवालिया की दरख्वास्त दे देते हैं. जमींदार की मालगुजारी उस वक्त रुकती है जब कोई आसमानी सुल्तानी आजावे और गवर्नमेन्ट उसको मंजूर न करे. ऐसी हालत में कि अगर आठ आना तक भी वसूलयाबी हो तो वसूली की कारिवाई बंद कर देती है. दीवानी की हिरासत की यह हालत है कि वह कानिस्टेबल के हुक्म से ही पेशाब या पाखाने को जाते हैं तो इससे बढकर क्या बेइज्जती होगी. तहसील की जो हवालात है वह कम नहीं है, दीवानी की हवालात में रखे जाने की जरूरत नहीं.

प्रेसीडेन्ट साहब—मैं दफा ३३, कलम नम्बर ७, कवाअद मजलिस आम, की तरफ तवज्जुह दिलाता हूं. जो साहब पहले बहस कर चुके हैं उनको दूसरी मर्तबा बहस नहीं करना चाहिये. अगर बहस करना चाहें तो प्रेसीडेन्ट की इजाजत लेना चाहिये.

शम्भूनाथ साहब—हुजूर वाला! जमींदारान को हिरासत में रखने का मकसद यह है कि मतालबा सरकारी की अदायगी जल्द हो जावे. पुलिस की हिरासत में बेइज्जती होती है. तहसील की हिरासत बरायनाम जमींदार के वास्ते है. एक बडा फायदा यह है कि तहसील के जर्ये से उनको वह सहूलियत पहुंचाई जाती है जिससे वह अदाई मालगुजारी की सबील जल्द करते हैं. हिरासत पुलिस में इस किस्म की सहूलियत नहीं है, इसलिये तहसील की हिरासत ठीक है; लिहाजा मैं इस तजवीज की तर्दिद करता हूं.

ट्रेड मेम्बर साहब—मेरे नजदीक कुछ गलत फहमी सी हो रही है. जैसी हिरासत अभी तक कानून माल में थी वह अब नहीं हैं. जिसने जदीद कानून माल को पढा होगा उससे उम्मीद है कि मुखालफत न करेगा. अब जदीद कानून माल में जो हिरासत रखी गई वह दीगर तमाम जराये खत्म करने के बाद यह तजवीज की गई है कि वह हिरासत में रखा जावे. इज्जत के बारे में अगर असलियत में देखा जावे तो हिरासत जिस जुर्म में रखी गई है वह जुर्म फौजदारी है. जमींदार के लिये कानून में कोई कैद नहीं रखी गई है. जमींदार का फर्ज है कि लगान वसूल करके दरबार का हिस्सा दरबार में जमा करे. अगर लगान वसूल करके सारा हज्म कर जाये तो यह शरारत है और ऐसी हालत में हिरासत रखी गई है. अगर उसका फेल देखा जाय तो मेम्बर साहबान यह ही कहेंगे कि हिरासत फौजदारी में रखा जाय.

चतुरभुजदास साहब—हुजूर आली! मैं वजूहात के साथ इस तजवीज की जो मुखालफत की गई है उसका जवाब देना चाहता हूं. यह कहा गया है कि ब हैसियत कैदी के जो आसायश पुलिस में हो सकती है वह आसायश माल में नहीं होती. इस वक्त सवाल फिजीकल comfort (आराम) का नहीं है. सवाल सिर्फ यह है कि और लोगों के ख्याल में वह कहां तक गिर जायेगा. एक जमींदार भूखा रहकर तेहसील की हिरासत में रहना पसन्द करेगा ब मुकाबले इसके कि वह पुलिस की हिरासत में आराम से रहे. वह अपनी बे इज्जती पुलिस में जाने के लिये कहां तक चाहेगा. दूसरा सवाल यह है कि जैसा बाबू जगमोहनलाल साहब ने फरमाया था कि तहसील की हिरासत में कोई अमला या चपरासी मौजूद नहीं है, इसका प्रॉविजन किया जावे. इस वक्त कोई सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है. तजुर्बे से यह पाया जाता है कि तहसील की हिरासत में अमला काफी नहीं है, उसकी निगरानी के लिये अमला

कायम कर दिया जावे. एक बहस यह की जाती है कि एक मतालबे की शक्ल में पुलिस की हिरासत में, दूसरे मतालबे की शक्ल में माल की हिरासत में रखा जावे, यह ठीक नहीं. यह भी कहा जाता है कि यह दोनों मुआम्ले यकसां हैं, यकसां कार्रवाई होनी चाहिये. जवाबन गुजारिश है कि खानगी मतालबा और सरकारी मतालबा खुसूसन मालगुजारी में बड़ा फर्क है. मालगुजारी बतौर टैक्स के है, क्योंकि हम अपने मुनाफे का एक जुज देते हैं. खानगी मतालबा या तो हमारा लिया हुआ है या हमारे किसी कसूर का नतीजा है. यह ख्याल भी जाहिर किया गया है कि अगर जमींदार शरीर हो तो वारन्ट गिरफ्तारी जारी किया जाता है. इसे जस्टिस का नमूना समझा जावे. मैं ख्याल करता हूं कि यह मालूम करना कि कौन शरीर है, बहुत मुश्किल है. लफ्ज शरीर के मुतअल्लिक ट्रेड मेम्बर साहब की जानिब से जो तशरीह बयान की गई है कि जो सरकार का हिस्सा न दें वह शरीर हैं, यह बिल्कुल दुरुस्त और सही है लेकिन सूरत यह है कि तहसीलदार वगैरा जिसको चाहें यह लिखकर कि वह शरीर है, कैद कर सकते हैं और ऐसी सूरतों में इज्जत जाना बहुत सहल हो जाता है. इस के अलावा ताज्जुब तो यह है कि सवाल नं० १ के सिलसिले में गवर्नमेंट की जानिब से यह बताया गया था कि तेहसीलदार काबिल नहीं होते लिहाजा खेल वगैरा की जांच का काम उनके सपुर्द करना खतरनाक होगा और अब उन्हीं को इन्साफ का पुतला बनाया जाता है कि सिर्फ शरीर जमींदार ही हिरासत में रह सकेंगे.

दूसरे क्या मालगुजारी की बकाया रहने की सूरत में क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि तहसीलदार हर मौजे की जांच, गिरफ्तारी करने की गरज से करेगा कि कितना लगान बाकी रहा है और अगर लगान बाकी रहा तो क्या तहसीलदार मालगुजारी भी जमींदार की तरफ बाकी उसी तनासुब से रखेगा? हरगिज नहीं. लिहाजा इस तजवीज के मन्जूर करने के लिये दुबारा सिफारिश पेश करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब—इस तजवीज के मुतअल्लिक जिन साहबान को इत्तफाक हो वह अपना सीधा हाथ उठावें.

ठहराव—कसरत राय से तजवीज मंजूर की गई.

इसके बाद इजलास पांच बजे खत्म किया गया और प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया कि बरोज बुधवार, तारीख ३० मार्च सन १९२७ ई०, को मजलिस का इजलास १२ बजे दोपहर से शुरू होगा.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस, आम, गवालियर, सम्वत १९८३.

सेशन छटवां.

इजलास दोयम.

बुधवार तारीख ३० मार्च सन १९२७ ई०, वक्त १२ बजे दिन,
मुकाम लश्कर मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार सर आपाजीराव साहब सीतोळे, अमीरुळ-उमरा, सी. आई. ई., (वाइस-प्रेसीडेन्ट, कौन्सिल).

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीरे खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. श्रीमन्त सदाशिवराव खासे साहब पंवार, होम मेम्बर.

४. राव बहादुर रावजी जनार्दन साहब भिडे, मुन्तजिम बहादुर, फायनेन्स मेम्बर.

५. अब्दुल करीमखां साहब, उम्दतुल मुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

६. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर साहब मुळे, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज, व एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

७. मेजर हश्मतउल्लाखां साहब, मेम्बर फॉर पब्लिक वर्क्स.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मोहम्मदखेडा (शुजालपुर).

२. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुळ-मुल्क, वफादार दौलते सिंधिया, लश्कर.

३. मीर जामिन अली साहब, मौजा देरखी (भेलसा).

४ मथुराप्रसाद साहब, मुरार.

५. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुरतरी (महगांव).

६. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).
७. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
८. सूवालाल साहब, शिवपुरी.
९. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).
१०. बलवन्तराव साहब बागरीवाले, भेलसा.
११. सेठ लालचन्द साहब, (राजगढ).
१२. बागमल साहब, आगर.
१३. मयाराम साहब, चन्दूखेडी (उज्जैन).
१४. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.
१५. महन्त लक्ष्मणदास साहब नरसिंह देवला (अमझेरा)
१६. चौधरी नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.
१७. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, वकील, भिन्ड.
१८. हरभानजी साहब, मुरैना.
१९. सेठ अनंदीलालजी साहब, श्योपुर.
२०. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.
२१. चतुरभुजदास साहब, वकील, आगर.
२२. त्रिंबकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.
२३. गुरुदयाल साहब, वकील, मन्दसौर.
२४. कृपाशंकर साहब, मौजा बढिया (बाकानेर).
२५. रखबदास साहब, जौहरी, लश्कर.
२६. लक्ष्मीनारायन साहब, बीजावर्गी, गुना.
२७. धुन्डीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
२८. बिन्द्रावन साहब, भिंड.
२९. दामोदरदास साहब, शाजापुर.
३०. राव हरिश्चन्द्रसिंह साहब, बिलौनी,
३१. ठाकुर रघुनाथसिंह साहब, चिरोला (परगना बडनगर).
३२. ठाकुर पहलादसिंह साहब, कालूखेडा (परगना मन्दसौर).
३३. सरदार श्रीधर गोपाळ आपटे साहब, लश्कर.
३४. शंकरलाल साहब, मुरार.
३५. मुरलीधर साहब गुप्ता, वकील, लश्कर.
३६. बटुकप्रसादजी साहब, वकील, उज्जैन.
३७. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

फ़र्द नंबर १, तजवीज नंबर १०.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः—

जमींदारी दफ्तर हर मौजे के लिये लाजमी करार दिया गया है, यह उसूलन दुरुस्त है, मगर एक हजार मर्दुमशुमारी व ६०० सौ खाना शुमारी व १,५०० खालिस मुनाफा से कम के मवाजियात को मुस्तसना करार दिये जावें.

गुरुदयाल साहब—जमींदारी का दफ्तर हर जमींदार के यहां रहे, इसके मुतअल्लिक जो बर्ताव होरहा है उससे वह जमींदार जो गरीब हैं या नादारां हैं या जिनकी आमदनी उनकी गुजर के लिये ही काफी नहीं, निहायत सख्त है. इसलिये जो लोग खुशी से जमींदारी दफ्तर रखना चाहें या जिनको कम अज कम १,५००) रु॰ साल की बचत हो उनके लिये इस दफ्तर का रखा जाना लाजमी करार दिया जावे. जो जमींदारान गरीब हैं वह आदमी नौकर रखकर अगर जमींदारी दफ्तर रखेंगे तो जेरबार होंगे. इसलिये ऐसे जमींदारान जिनके मवाजियात की एक हजार मर्दुमशुमारी व छै सौ खाना शुमारी व १,५००) रु. खालिस मुनाफा हों, जमींदारी दफ्तर रखने से मुस्तसना फरमाये जावें.

पुस्तके साहब—मैं इसकी ताईद करता हूं.

कृपाशंकर साहब—मैं भी ताईद करता हूं.

रेवेन्यू मेम्बर साहब—तजवीज पेशकर्दा के मुतअल्लिक बहस उठाने के कब्ल मैं यह जाहिर करना चाहता हूं कि जमींदारी दफ्तर हर मौजे में कायम कराने में दरबार की सिर्फ यह गरज है कि जमींदारान पटवारी के कागजात पर मोहताज न रहें. पटवारी हर एक गांव के लिये अलहदा २ नहीं होते. उनके सुपुर्द चंद गांव होते हैं, इस सूरत में उनसे यह उम्मीद करना कि वह हर वक्त हर जमींदार के पास रहकर उनको जमींदारी कारोबार में इम्दाद देंगे, मेरे ख्याल से गैर मुमकिन है. नतीजा उसका उमूमन यह होता है कि जमींदारी कारोबार में रुकावट पैदा होकर जमींदारान को परेशानी व नुक्सान उठाना पडता है. इस परेशानी व नुक्सान से बचाने की गरज से ही दरबार ने हर मौजे में जमींदारी दफ्तर रखने का इर्शाद फरमाया है.

जमींदारान के लडकों को तालीमयाफ्ता बनाना व जमींदारी इम्तहान पास करने वाले तुलबाओं की बजर्ये अताय पोशाक कद्र अफजाई करना, यह काफी दलील इस बात की है कि जमींदारान रफ्ता २ तालीमयाफ्ता हो जावें व उनको अपने जमींदारी कारोबार में आसानी हो.

जो जमींदारान तालीमयाफ्ता हैं उनको अपने मौजे में जमींदारी दफ्तर रखना कोई दिक्कत तलब नहीं है. सवाल सिर्फ उन लोगों की बाबत है जिनको ब तकर्रुर कारिन्दा काम कराना पडता है, इसलिये बसूरत न होने जमींदारी दफ्तर के जमींदार को किस कदर परेशानी उठाना पडती है व क्या क्या नुक्सान बरदाश्त करना पडता है, इन उमूरात को मद्देनजर रखकर इस सवाल को हल करना है. मैं उम्मीद करता हूं कि इस नजर से आप साहबान इस सवाल पर गौर करेंगे और इस मस्ले पर राय देने में उस दूरन्देशी से काम लेंगे जिस दूरन्देशी से यह अमल दरबार ने जारी करना चाहा है.

शम्भूनाथ साहब—हुजूर बाला ! जमींदारी दफ्तर के फायदे पोशीदा नहीं हैं. भेलसे जिले में नुमायश के मौके पर जमींदारी दफ्तर का रिकार्ड मुरत्तिब करके जमींदारान को दिखलाया गया था जिसको सबने पसन्द किया था, अगर जमींदारी दफ्तर का रिकार्ड मुकम्मिल रहे तो जमींदारान को जो दिक्कतें हैं वह दूर हो जायेंगी. जमींदारी दफ्तर न होने की हालत में जमींदारान को पटवारी और गिरदावर वगैरा के पास वाकफियत वगैरा हासिल करने की गरज से जाना पडता है इसमें जमींदारान का वक्त फिजूल जाया होता है. चन्द ख्वांदा जमींदारान ने जमींदारी दफ्तर के काम को अपने हाथ से करना शुरू कर दिया है. जमींदारान की तवज्जुह इस तरफ होगई है. उन्होंने अपने लडकों को पढाना शुरू कर दिया है. कई जमींदारान के लडके जमींदारी इम्तहान पास कर चुके हैं और उन्होंने खुद अपने हाथ से अपने गांव में काम करना शुरू कर दिया है. अगर इस काम में अब कोई रुकावट डाली जायगी तो मुनासिब न होगा. जमींदारी दफ्तर रखने से जमींदारान का सर्फा भी ज्यादा नहीं होता है और उनका काम भी अच्छी तरह से चलता है, इसलिये जमींदारी दफ्तर का रक्खा जाना ही दुरुस्त है. ऐसी हालत में जबकि जमींदारान बमुकाबले बन्दोबस्त के ज्यादा लगान वसूल कर चुके हैं तो फिर जमींदारी दफ्तर का सर्फा कोई ऐसा सर्फा नहीं है जिसको जमींदारान बरदाश्त न कर सकें. जमींदारी दफ्तर की वजह से जमींदारान ने बहुत तरक्की की है. अगर जमींदारी दफ्तर कायम रहा तो उनको यानी जमींदारान को अपने बच्चों को तालीम दिलाने में हौसला अफजाई रहेगी. वजूहात मुन्दर्जा बाला पर गौर करते हुए इस सवाल को पास करने की जरूरत मालूम नहीं होती है.

गुरुदयाल साहब—हुजूर आली ! जो जमींदारान ख्वांदा हैं या जिनके लडके पढ रहे हैं या जिनकी काफी आमदनी है वह तो जमींदारी दफ्तर रख सकते हैं, लेकिन जो औरतें जमींदार हैं या जो नाख्वांदा हैं या जिनकी बसर औकात खुद काश्त पर है, वह मुलाजिम रखकर जमींदारी दफ्तर कैसे रख सकती हैं, सिवाय इसके कि वह कर्जदार होवें और सूद का बार उठावें. सरकार ने जिस गरज से जमींदारी दफ्तर का रखा जाना लाजमी करार दिया है वह फायदेमन्द जरूर है मगर मजबूरी की हालत में क्या किया जाय ? पटवारी के पास जिस कदर कागजात होते हैं वह करीब करीब जमींदार से ही तअल्लुक रखते हैं, लिहाजा पटवारी के पास जिस कदर रिकार्ड रहता है वह जमींदार ही का दफ्तर है. वह लोग गरीब हैं उनके साथ जरूर रिआयत होना चाहिये.

कृपाशंकर साहब—जिस जिले से मेरा तअल्लुक है उसमें ऐसे जमींदार भी हैं जिनको चार चार पांच पांच रुपये की ही माहवार बचत है. तालीमी हालत जमींदारान की निहायत रद्दी है. बाज बाज तो ऐसे हैं कि जो गिनती तक गिनना नहीं जानते. मकसद जमींदारी दफ्तर की कायमी से यह था कि उनमें तालीम बढे और जब तालीम ही नहीं है तो जमींदारी दफ्तर का रखा जाना और न रखा जाना दोनों यकसां हैं. बाज बाज जमींदारान की आमदनी २०, २०; २५, २५, रुपये सालाना है, वह इतना सरमाया नहीं रख सकते कि वह जमींदारी दफ्तर के काम के वास्ते क्लर्क रख सकें और इज्जत के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सकें, इसलिये यह सवाल सिर्फ उन्हीं जमींदारान से मुतअल्लिक रखा जावे जो तालीमयाफ्ता हैं और मालदार हैं. जो जमींदारान इम्तहान जमींदारी पास कर चुके हैं उनकी दरबार से इज्जत अफजाई होती रहे.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—जमींदारी दफ्तर का रखा जाना ठीक है. जिन लोगोंने इसको रखा है वह इसके फायदे जानते हैं. जमींदारान जो वक्त अपना पटवारी और गिरदावर के पास चक्कर लगाने में सर्फ करते हैं वह वक्त बच जाता है. रिकार्ड (Rocord) उनका उनके पास रहता है

और वह तवालत से बच जाते हैं. लेकिन राज्य में ऐसे जमींदार भी हैं कि जो एक कानिस्टेबिल का सामान अपने सर पर रखकर दूसरे गांव को पहुंचाते हैं. ऐसे किसी जमींदार को १००) की आमदनी है और किसी को ५०) की. इस सूरत में फिर वह जमींदारी दफ्तर कैसे रख सकते हैं? जिला अमझेरा को ले लिया जाये, वहां चालीस हजार भील प्रजा है. उन लोगों में जमींदार भी हैं, जिनको एक अक्षर का बोध नहीं व काम करने का सलीका नहीं; ऐसी हालत में वह दफ्तर कैसे रख सकते हैं!

जिला अमझेरा में ऐसे भीलों के लिये पांच छै स्कूल खोले गये हैं और उनमें भील जमींदारान के लडके भी तालीम पा रहे हैं यहांतक कि लडकियां भी तालीम पा रही हैं. गो कि तालीम का सिलसिला दरबार ने जारी किया है, लेकिन इसमें अभी कुछ देर है. छोटे जमींदारान जिनकी आमदनी कम है और दफ्तर का खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके वास्ते ऐसी सूरत निकाल दी जावे, ताकि वह तवालत से भी बच जावें और उन पर दफ्तर का रखना लाजिमी भी न रहे और यह अम्र कानून से भी अलहदा न रहे; लिहाजा मैं इस तजवीज के पास करने की ताईद करता हूं.

चतुरभुजदास साहब—हुजूर आली! जमींदारी दफ्तर होना जरूरी है मगर, बलिहाज आमदनी व मर्दुमशुमारी जमींदारी दफ्तर रखे जाना चाहिये. लाजमी तौर पर हर मौजे में जमींदारी दफ्तर रखा जाना करार देना कब्ल अज वक्त है. जिस मौजे में आमदनी ज्यादा हो और मर्दुमशुमारी ज्यादा हो, वहां जमींदारी दफ्तर रखा जाना चाहिये. ज्यादा मुनाफा होने की सूरत में ज्यादा तनख्वाह का क्लर्क रखा जा सकता है. जब क्लर्क को ज्यादा तनख्वाह दी जावेगी तो वह काम भी अच्छा कर सकेगा. गवर्नमेन्ट की जानिब से जिस बिना पर जमींदारी दफ्तर का रखा जाना लाजमी करार दिया गया है उसका मन्शा यह है कि जमींदार जो कि इस वक्त तालीमयाफ्ता नहीं हैं तालीम पाने के लिये मजबूर हों व पटवारियों पर ही मुनहसिर न रहें. उनके लडके तालीम हासिल करें, काम करने की काबिलियत हासिल करें और जमींदारी दफ्तर का काम खुद कर सकें और जो तवालत कागज ढूडने के लिये या किसी कागज की नकल वगैरा हासिल करने के लिये जमींदारों को पेश आती है वह दूर हो जाय और Record मुकम्मिल रहे. इस वक्त यह तरीका है कि छोटे मवाजियात की हालत में चार पांच मवाजियात के ग्रूप कायम कर दिये हैं और हर ग्रूप में एक दफ्तर रखा गया है और एक क्लर्क. वह क्लर्क जो कि कम तनख्वाह पर है पटवारी से अच्छा नहीं है और न उम्मीद की जा सकती है.

पटवारी, नाख्वांदा जमींदारान में और काश्तकारान में नाइत्तफाकी करा देते हैं. दूसरा सवाल यह है कि जहां आबादी ज्यादा होगी और मुनाफा ज्यादा होगा वहां जमींदारान के लडकों की तालीम के वास्ते थोडी कोशिश से स्कूल कायम हो सकता है. जहां आबादी ज्यादा है और मुनाफा भी ज्यादा है, सिर्फ उसी जगह के लिये जमींदारी दफ्तर रखा जाना लाजमी करार दिया जावे ताकि ज्यादा तनख्वाह का क्लर्क रखा जा सके और काबिल आदमी मिल सके.

बाबा साहब देशपांडे—जमींदारी दफ्तर रखने का तरीका जो सरकार ने जारी किया है वह बिलकुल ठीक और जरूरी है और वही तरीका चल रहा है. दरबार का मन्शा यह है कि मेरी रिआया ख्वांदा हो, होशियार हो व हर काम को आसानी से कर सके. सरकार क्या चीज है, सरकार मां बाप है. मां बाप चाहते हैं कि अपने लडके बच्चे अच्छे हों, तालीमयाफ्ता हों और हर बात से वाकिफ हों. सवाल यह है कि जमींदारी दफ्तर कहां जारी किया जाय और कहां न जारी किया जाय, किसको जमींदारी

दफ्तर रखने की ताकत है और किसको नहीं ? यह बात सरकार को मालूम ही है. जमींदारान जो गरीब हैं और नाख्वांदा हैं, अगर वह जमींदारी दफ्तर रखेंगे तो वह क्लर्क रखेंगे और तनख्वाह उसको अपना पेट काट कर देंगे और खुद भूके मरेंगे, यह ठीक नहीं है. ऐसे जमींदारान तबाह और बरबाद हो जावेंगे, यानी छोटे जमींदारान को मजबूर करके अगर दफ्तर रक्खा जावेगा तो ठीक न होगा. सख्ती नहीं होना चाहिये. मुजव्विज साहब ने जो वजूह बतलाये हैं वह दरबार के गौर के काबिल हैं. कहने का उसूल इतना है कि यह मालूम होना चाहिये कि रिआया दरबार में कितने तालीमयाफ्ता हैं और कितने बे पढे हैं, कितने लोग काम कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते. ऐसे लोग बहुत कम हैं जो ख्वांदा हैं और बहुत कम लोग हैं जो जमींदारी दफ्तर बा कायदा रख सकते हैं. जिनकी आमदनी कम हैं उनमें इतना मकदूर नहीं है कि वह तालीम पाने के लिये भी सरफा कर सकें; बल्कि जो जमींदारान महनत मजदूरी करके अपनी गुजर करते हैं और गरीब हैं और ना ख्वांदा भी हैं उनके लिये पटवारी को मजबूर किया जाय कि उनके हिसाबात ठीक रखे और उनको समझाता रहे, किसी वक्त किसी कागज की जरूरत हो तो उनको परेशान न करें.

खतौनी जो एक पुख्ता कागज है उसको मुकम्मिल रखने की हिदायत दी जावे और एक ऐसा उसूल कायम कर दिया जाय कि जिससे छोटे जमींदारान को कोई दिक्कत न हो और उनसे इसकी मजबूरी भी दूर हो जाय.

लक्ष्मीनारायण साहब—हुजूर वाला ! जहां तक जमींदारी दफ्तर का सवाल है वाकई बहुत अच्छा सवाल है. देखना यह है कि हमारी रियासत में कितने जमींदारान ऐसे हैं जो दफ्तर रख सकते हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं रख सकते. आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो मकरूज हैं, अपनी गुजर औकात भी पूरी तौर से नहीं कर सकते. अगर जमींदारी दफ्तर का रखा जाना लाजमी करार दे दिया गया तो इसके यह मानी होंगे कि जमींदारान को मजबूर किया जाता है कि वह जमींदारी दफ्तर रखें; ख्वाह उनको इनके रखने की मकदरत हो या न हो.

पहले हमको यह देखना है कि हमारे यहां विद्या का प्रचार कितना है. जब वह पढ जायें और अपने घर का हिसाब देख सकें तब उस मौजे में मुनाफे के लिहाज से दफ्तर रखे जाने का हुक्म दिया जाय तो ठीक है; वर्ना नतीजा यह होगा कि उनकी जमींदारी कुछ दिनों बाद दूसरों के हाथों में पहुंच जायगी.

इसके बाद वोट्स लिये गये.

ठहराव:—कसरत राय से करार पाया कि तजवीज मंजूर की जावे.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर ११.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

काश्तकारान को को-आपरेटिव बैंक्स से बमुकाबले एग्रीकलचर बैंक्स गिरां सूद पर कर्जा मिलता है और अलावा सूद तावान अदा करना पडता है जो सख्त व बायस जेरबारी काश्तकारान है, लिहाजा मिस्ल एग्रीकलचर बैंक्स, सूद और तावान कायम किया जाना जरूरी है.

दामोदरदास साहब झालानी—हुजूर आली ! यह बात हम लोगों को विदित ही है कि हमारे यहां तीन चौथाई से अधिक मनुष्य काश्तकारी करते हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं.

जो पढे लिखे नहीं हैं और अपना नफा नुक्सान खुद नहीं समझ सकते. और मैं कह सकता हूं कि उनके कंगाल और गरीब होने के कारणों में से मुख्य कारण यही है कि वे अपना नफा नुक्सान नहीं समझकर व्यवहार करते हैं. साथ ही साथ यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि काश्तकारों के अलावा दीगर लोगों की जीविका ज्यादातर काश्तकारों से ही चलती है. अगर फसल किसी साल खराब हो, किसानों के हाथ में पूरा पैसा नहीं आवे तो दूसरे व्यवसाय वाले अपने खाने पीने के लायक पैदा नहीं कर सकते और नुक्सान उठाते हैं. इस बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम में से प्रत्येक मनुष्य को इसका अनुभव है.

इस बात को हमारे कैलासवासी महाराजा साहब अच्छी तरह जानते थे, तभी तो उन्होंने किसानों को **अन्नदाता** कहकर सम्बोधन किया था और अपना सब जीवन किसानों को फायदा पहुंचाने में व्यतीत किया, यहां तक कि स्वर्गवासी होने के पहिले अपनी यह इच्छा प्रकट की है कि मेरी यादगार में अगर कुछ किया जावे तो ऐसा कोई काम किया जावे जिससे काश्तकारों को फायदा पहुंचे. इन बातों से उन्होंने हमें सिखाया है कि किसानों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है. जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी कमाई से हम लोग अपनी जीविका पैदा करके अच्छी तरह से खाते पीते, पहिनते, ओढते हैं उन किसानों की यदि यह हालत है कि बदन पर पूरे कपडे भी नहीं मिलते और दोनों वक्त पूरा खाने को भी नहीं मिलता तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि उनकी हालत सुधारने का उपाय करें ? किसान लोग ज्यादातर अशिक्षित होने से अपना नफा नुकसान नहीं समझते, तो हम लोगों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि उनको समझावें और उनको अपनी माली हालत के सुधारने में हर तरह से सहायता देवें.

को-ऑपरेटिव सोसायटीज की उत्पत्ति और बैंक्स की कायमी रियासत हाजा में इन्हीं बातों के लिये हुई थी. बैंक्स व सोसायटीज का पहिला फर्ज यह था कि किसानों को साहूकारी कर्जा से छुडाकर कम सूद पर रुपया देवें और धीरे धीरे उनका कर्जा कम करें, ताकि किसी दिन वह अपने आप अपने पैर पर खडे होकर अपने पास इतना धन इकट्ठा करलें कि किसी दिन उनको कर्जा लेना ही न पडे. सोसायटीज के नियम तो बहुत अच्छे हैं और उनसे सिद्धान्त रूप में तो यही मालूम पडता है कि इससे किसानों की कोई हानि न होकर उनका फायदा ही होना चाहिये, परन्तु व्यवहार में यह बात नहीं पाई गई. रियासत हाजा में सोसायटीज कायम हुए करीब सात आठ बरस हो चुके हैं तो भी कोई बेहतर नतीजा मालूम नहीं हुआ, बल्कि इतने अर्से में यहां के काश्तकारों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है. शाजापुर परगने की हालत देखते हुए मुझे यह मालूम होता है कि जिन जिन लोगों का व्यवहार बैंक से है उनमें से ९० फी सदी ऐसे हैं कि जिन पर पहिले की अपेक्षा अब अधिक कर्जा है, और इससे यह नतीजा निकलता है कि बैंक्स व सोसायटीज ने उनका कर्जा, और कर्जा लेने की आदत को कम करने के बजाय बढा दिया है. साल हाल में फसल खराब होने से कई लोग बैंक का कर्जा अदा नहीं कर सकते थे, मगर बैंक से कोई रिआयत नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनमें से कई को दूसरों से बहुत ज्यादा सूद पर कर्जा लेकर बैंक का रुपया देना पडा. शुरू साल सम्वत १९७५ में शाजापुर बैंक का रुपये ४५,००० के करीब लेना था, मगर अब करीब ४,५०,००० यानी दस गुना लोगों से रुपया लेना है. और व्यक्तिगत माली हालत में उन लोगों को, जिन पर कि यह कर्जा लेना है, पहिले की अपेक्षा बहतर नहीं है, बल्कि कई लोगों की हालत पहिले से अब खराब है. इस सब खराबी के कारण बहुत से होंगे, परन्तु मुझे एक बडा भारी कारण यह ही मालूम होता है कि सोसाइटीज कायम होने से पहिले जो एग्रीकलचरल बैंक्स से रुपया काश्तकारों को दिया जाता था वह आठ आने फी सैकडा

पर दिया जाता था, मगर अब उनको बजाय आठ आने के एक रुपया चार आने फी सैकडा सूद देना पडता है. तावान भी एग्रीकलचरल बैंक में बहुत कम था, मगर सोसाइटीज बैंक में तीन पाई फी रुपया लिया जाता है, यानी एक रुपया नौ आने फी सैकडा माहवार तावान सूद होता है. अगर बदकिस्मती से किसी के पास वक्त पर रुपया जमा करने को न हो तो उसे एक रुपया चार आने मामूली सूद व १॥-) तावानी, जुम्ला दो रुपये तेरा आने सैकडा माहवारी सूद अदा करना पडता है, जो बडा भयंकर है. इससे किसानों को सख्त नुक्सान पहुंचता है. अब नये कानून बैंक में जो भी ३ पाई फी रुपया तावान रखा है, मगर सोसाइटीज के बाईलॉज में अब भी वही तीन पाई फी रुपया तक तावान है. सूद भी शख्सी कर्जे के लिये एक रुपया नौ आने है, और सोसाइटीज के मेम्बरान से एक रुपया चार आने फी सदी है. अलावा इसके मुद्दल जमा होने बाद सूद नहीं लेते. हर साल किस्तों के साथ कुल रुपयों का सूद ले लेते हैं, जिससे काश्तकारों पर सूद दर सूद का बार पडता है. फर्ज कीजिये कि किसी ने १,०००) रुपये बैंक से उधार लिये और फी साल २५०) रुपये के हिसाब से चार साल की किस्तें कीं, तो उसको पहिले साल मय सूद ४००) रुपये, दूसरे साल ३६२) रुपये ८ आने, तीसरे साल ३२५) रुपये, चौथे साल २८७) रुपये ८ आने, जुम्ला १,३७५) रुपये अदा करना पडेंगे, यानी सूद ३७५) रुपये देना पडेगा. अब अगर पहिले, दूसरे और तीसरे साल के रुपये असल में जमा करें, और फिर सूद कट मिती से जोडें तो कुल सूद २७५) रुपये १० आने होते हैं. इस हिसाब से १००) रुपये ज्यादा देने पडते हैं. यह हिसाब १ रुपया ४ आने फी सदी का है, शख्सी कर्जे के हिसाब में और ज्यादा फर्क आवेगा; मगर ब मन्शाय जाब्ता दीवानी जो सूद आम तौर पर काश्तकारों से दीगर लोगों को दिलाया जाता है उस हिसाब से यानी १ रुपया फी सदी से और भी कम सूद यानी २२० रुपये ८ आने होगा, अर्थात् बैंक १००० रुपये पर १५५ रुपये या १०० रुपये पर चार साल की किस्तों में १५ रुपये ८ आने सूद ज्यादा लेता है. दरअसल चाहिये तो यह कि बैंक कम सूद लेकर काश्तकारों को कर्जा दे, मगर कम सूद तो एक तरफ रहा, बैंक उस सूद से भी ज्यादा सूद लेता है जो गवर्नमेन्ट काश्तकारों से और लोगों को कानूनन दिलाती है. ऐसी हालत में बैंक से यह उम्मीद कभी नहीं हो सकती कि उसके जर्ये से काश्तकारान की बहतरी हो; लिहाजा मैं आशा करता हूं कि यह मजलिस गवर्नमेन्ट की खिदमत में गुजारिश करे कि वह ऐसा इन्तजाम करे जिससे कि उसी सूद व तावान पर रुपया काश्तकारों को मिल जावे जिस सूद पर कि ऐग्रीकलचरल बैंक से दिया जाता था.

बागमल साहब.—मैं ताईद करता हूं.

लक्ष्मीनारायण साहब.—हुजूर वाला ! सरकार कैलासवासी ने ।=) व ॥) फी सदी सूद पर रुपया बैंक से कर्जा दिये जाने का तरीका तजवीज फरमाया था, मगर अब मौजूदा जमाने में जैसा कि मुजव्विज साहब ने फरमाया १।) सैकडा या १।|-) सैकडा सूद बैंक को देना पडता है. और वह किस तरह कि अगर वक्त पर रुपया न आये तो वह रुपया बतौर मालगुजारी के वसूल हो सकता है, नालिश करने की जरूरत नहीं है साहूकार बगैर किसी जमानत के १), १॥), २) सूद पर रुपया देता था, वायदा खिलाफी पर कर्ज गीरिन्दा यह कहकर कि मेरे यहां शादी है; नातरा है, बाप का नुकता है, और रुपया चाहता था. साहूकार बनजर दूरअन्देशी व तमाम बातों को देखकर पिछला रुपया बाकी होते हुए भी यह देख कर कि अगर मैं अब इतना रुपया और नहीं दूंगा तो मेरा पिछला रुपया डूब जावेगा, पहिला हिसाब करके और दस्तखत कराने के बाद और

रुपया देता था. इस रुपया के दे देने पर जब वह देखता था कि रुपया वसूल नहीं हुआ है और दो तीन साल होगये हैं, कर्जा और सूद बढता जाता है और कर्जदार अदा नहीं करता तो साहूकारान क्या करते थे कि मवेशियां गायें, भैंस वगैरा कर्जे में लेकर फैसला करते थे और कर्जदार की मन्शा के मुताबिक १० रुपये की गाय २५ रुपये में और ८० की भैंस १०० रुपये में और १०० रुपये की १२५ रुपये में अपनी तरफ लगा लेते थे. कर्जदार समझता था कि मेरे माल के अच्छे दाम लग कर कर्जे से बेबाकी होती है. साहूकार समझता था कि जो ज्यादा कीमत देना पडी वह सूद दर सूद से वसूल हो गई. अगर किसी वक्त ऐसा करने से भी कर्जा रह जाता था तो अदालत में नालिश करना पडती थी और पैरवी वगैरा करके किस्तबन्दी कर लेते थे. यहां तो तसफिये का कोई सवाल ही नहीं है. जब तक माकूल जमानत न हो, रुपया नहीं दिया जाता. साहूकार बगैर किसी जमानत के रुपया देते थे उस जमाने में काश्तकारान की क्या हालत थी व ।=) व ॥) फी सदी के सूद पर क्या हालत रही और अब मौजूदा जमाने में क्या हालत है, वह अवाम से छुपी नहीं और मेरी राय नाकिस में यह सूद बहुत गिरां है, काश्तकारान को बैंक से गिरां सूद पर रुपया कर्ज दिया जाता है. जो तजवीज मुअज्जिज साहब ने पेश की है वह मौजूं है.

कृपाशंकर साहब—हुजूर वाला ! गवर्नमेन्ट की पॉलिसी कायम करने में बहुतसी ऐसी बातें हैं जिनमें हमारी अक्ल रसाई नहीं करती. ऐसे मौकों पर दिल को यह कहकर समझा लेते हैं कि " रमूज मसलहते खेश खुसरवां दानन्द. " हमारी महदूद अक्ल उन बातों को नहीं समझ सकती है; ताहम चूंकि मैं भी परगना बाकानेर में एक बैंक का डायरेक्टर हूं और जानता हूं कि काश्तकारान के बाज ऐसे ऐतराजात हैं जो उन्हें बेचैन कर रहे हैं, इसलिये मेरी ड्यूटी है कि मैं गवर्नमेन्ट के हुजूर में उनकी असली आवाज को पहुंचाऊं. उनके ऐतराज यह हैं कि गवर्नमेन्ट जिस तरह अपने ऑफिसरान व मुलाजमान को कर्जा देती है उसकी शरह सूद ॥) फी सदी है और इसी तरह जागीरदार साहबान को भी कर्जा शरह मजकूर पर दिया जाता है. अब ऐसे तबके के लिये जो नादार और मुफलिस व मकरूज है १॥-) फी सदी सूद माहवारी यानी १८॥।) सैकडा सालाना बहुत सख्त मालूम होता है और वह तबका भी ऐसा जो तमाम मुल्क को सरसब्ज और शादाब रखने वाला है और तमाम जी रूहों की खिदमत बजा लाता है, उस फिरके के लिये न पूरा खाने के लिये है, न पीने के लिये है, न पहनने को; वह बेचैन हो रहा है. इसलिये अपनी आदिल गवर्नमेन्ट से इस्तदुआ करता है कि हमारे लिये भी वही मराआत होना चाहिये जिससे हम सरसब्ज हों सकें. हमारे सरकार कैलासवासी हुकूक मसावात में फर्क नहीं समझते थे, हर शख्स अपने हुकूक को पहुंचता था. अब वह फिरका ८० फी सदी यह समझता है कि हमारी हालत पर नजर नहीं डाली जाती. उनकी हालत काबिल रहम है. मेरा फर्ज है कि मैं उनकी तरफ से अर्ज करूं कि मौजूदा सूद के स्केल में कमी होना चाहिये और फर्क जो है वह मिटा देना चाहिये, ताकि गवर्नमेन्ट की बरकत व अजमत में और चार चांद लग जावें.

फायनेन्स मेम्बर साहब—अगर सब साहबान की तकरीर खत्म होचुकी हो तो मैं इसके मुतअल्लिक कुछ अपने ख्यालात जाहिर करूं, क्योंकि प्रोसीजर के मुताबिक मुतअल्लिका मेम्बर की तकरीर के होने के बाद कोई साहब बेहस करने के मजाज न होंगे.

रामजीदास साहब—मेरे ख्याल में अगर आप अपनी तकरीर व उसके वजूहात बतला देंगे तो हम लोगों को राय जाहिर करने में ज्यादा आसानी होगी.

चतुरभुजदास साहब—जहां तक मैं ख्याल करता हूं मजलिस की प्रैक्टिस (Practice) भी यही रही है कि यह मालूम होने पर कि गवर्नमेन्ट मुत्तफिक है या खिलाफ है यानी गवर्नमेन्ट की जानिब से ख्यालात जाहिर न किये जाने पर Non-official मेम्बरान को बहस का मौका हासिल रहे, इसलिये इस्तदुआ है कि इसके मुतअल्लिक जो राय हो उससे मजलिस को आगाह फरमावें.

फायनेन्स मेम्बर साहब—मैं इस तजवीज के खिलाफ हूं और दरख्वास्त करने वाला हूं कि मुजव्विज साहब अपनी तजवीज को वापिस ले लें, अगर वह मुनासिब समझें; मगर मैं इसरार नहीं करता हूं.

चतुरभुजदास साहब—प्रेसीडेन्ट साहब! गुजारिश है कि प्रैक्टिस हमेशा से यह रही है कि तजवीज पेश होकर उसकी ताईद होने पर मौका दिया जाता है कि डिपार्टमेन्ट मुतअल्लिका से जवाब दिये जाने पर उसकी ताईद या तरदीद या इख्तिलाफात के वजूह जाहिर किये जायें. फिर मालूम नहीं, यह नया सिलसिला क्यों कायम किया जाकर हमको मजबूर किया जाता है?

प्रेसीडेन्ट साहब—(फायनेन्स मेम्बर साहब की तरफ मुखातिब होकर) आप इसके मुतअल्लिक ख्यालात जाहिर कीजिये.

फायनेन्स मेम्बर साहब—जनाब वाला प्रेसीडेन्ट साहब! मुजव्विज साहब ने यह तजवीज पेश की, इसका को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट बड़ा ममनून व मशकूर है, क्योंकि ऐसे मौकों का फायदा लेकर डिपार्टमेन्ट मजकूर अपने ख्यालात का इजहार करके गलत फेहमियां दूर कर सकता है जो अदम वाकफियत की वजह से हुई हैं, बल्कि ऐसे मौके डिपार्टमेन्ट के प्रचार के वास्ते जर्या हो सकते हैं. इस तमहीद के साथ जो सवाल पेश हुआ है उसके मुतअल्लिक मैं अर्ज करता हूं. तजवीज का पहला जुज यह है कि साबिक के एग्रीकलचर बैंक्स के शरह सूद के मुकाबले में को-ऑपरेटिव की शरह सूद ज्यादा है, मगर आम नजर से देखा जावे तो यह शरह सूद ज्यादा नहीं है. दीगर मुमालिक में जो शरह सूद रायज है उससे ज्यादा हमारे यहां नहीं है, इस पर मुजव्विज साहब ने गौर नहीं किया है. लेकिन यह मैं जाहिर करता हूं कि दीगर मुमालिक में जो शरह हैं उनसे हमारे यहां की शरह ज्यादा नहीं है. यू. पी. का मुझे मालूम है. वहां वही शरह सूद है जो हमारे यहां है. बिहार उड़ीसा की भी यही शक्ल है. बॉम्बे प्रेसीडेन्सी के मुतअल्लिक मुझे तहकीक मालूम नहीं है. यह पर्चा मेरे हाथ में है जो १६ मार्च का इंडियन डेलीमेल का है. १५ मार्च को बॉम्बे कौन्सिल में इसी किस्म का सवाल पेश हुआ था उसके प्रोसीडिंग्ज इस पर्चे में आये हैं. आजकल सब जगह लोगों का यही ख्याल हो गया है और उनके रिप्रेजेन्टेटिव जो हर जगह मौजूद होते हैं वह यही ख्याल जाहिर करते हैं, जैसे कि यहां उठाया गया है. वहां पर हस्ब जैल तीन सवालात उठाये गये थे:—

(१) काश्तकारों को काफी रुपया नहीं मिलता.

(२) शरह सूद बहुत ज्यादा है.

(३) को-ऑपरेटिव सिस्टम में जो फायदा बतलाया जाता है वह नहीं होता.

मुजव्विज साहब की तकरीर में भी किसी हद तक ऐसा ही जिक्र आया है. वहां चुन्नीलाल साहब महता ने जो तीनों सवालों के जवाब दिये थे वही जवाब मैं देता हूं, उनके देखा देखी नहीं,

बल्कि जब यह सवाल मुजव्विज साहब की तरफ से आया था तबही मैंने जो जवाब देने का इरादा किया था वही जवाब इत्तिफाकन बम्बई क्रॉनिकल में दिया गया है. ऊपर मैंने जाहिर किया है कि दीगर मुमालिक में जो शरह है उससे ज्यादा हमारे यहां नहीं है. अब हमारे यहां की जो शरह है वह शरह क्योंकर कायम की गई, इस पर बेहस करने से पहिले एक यह बात काबिले गौर है कि बैंक का नया कायदा जिसके जर्ये से साबिक के एग्रीकलचर बैंक्स तखफीफ किये गये और एग्रीकलचर बैंक्स का पूरा कारोबार को-ऑपरेटिव में लाया गया, वह पिछले साल पास हुआ है और उसको पास हुए अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ है, या यों कहा जाय तो गैर मौजूं न होगा कि इस कायदे की रोशनाई भी अभी सूखी नहीं है. इस कायदे का ड्राफ्ट तैयार होने पर वह मजलिस खास में पेश हुआ था व उसके बाद आम व खास की राय के लिये शाया किया गया था. इस कायदे के मुतअल्लिक पब्लिक की जानिब से जो रायें आई थीं उनमें से दो तीन रायें शरह सूद के मुतअल्लिक थीं. वह रायें यह थीं कि शरह कम होना चाहिये. यह रायें आने पर मजलिस खास में और मजलिस कानून में गौर किया गया. सब मेम्बरान मजलिस कानून व खास ने रिआया के फायदे के लिये उसके हर पहलू पर गौर किया है. जिस वक्त यह कायदा पेश किया गया उस वक्त श्रीमंत महाराज माधवराव साहब सिंधिया वैकुंठवासी प्रेसीडेन्ट थे. यह कहने की जरूरत नहीं है कि माधवराव महाराज सरीखे प्रजा के हितैषी दूसरे शायद ही कोई हों. "यथा राजा तथा प्रजा" उन्हीं के ख्याल के मुताबिक हम मेम्बरान गवर्नमेन्ट भी रिआया के तरफदार हैं और उनके फायदे को देखते हैं, गो हम ऑफिशियल जरूर हैं. मजलिस कानून में जो रिआया के रिप्रेजेन्टेटिव थे उन्होंने भी अच्छी तरह से बहस की थी. जहां तक मुझे याद है उसमें लाला रामजीदास साहब, बाबा साहब देशपांडे, उज्जैन के बन्सीधर साहब और मकसूदनगढ के राजा साहब थे. चारों साहबों ने बहुत अच्छी तरह से बहस की थी कि सूद कम होना चाहिये. मुझे इस रियासत में आकर १९ बरस होते आये हैं. इस जमाने में कई कायदे पास हुए हैं. इनमें से दो कानून ऐसे हैं जिनमें जो बाल की खाल निकाली गई है वह शायद ही किसी दीगर कानून में निकाली गई हो वह (१) कानून माल व (२) कानून बैंक्स हैं. कानून माल अभी शाया हुआ है. उसके मुतअल्लिक यह कहा जा सकता है कि वह ज्यादातर सरकार के interest में है, लेकिन कानून बैंक्स में पूरी तौर से काश्तकारान का ही interest है. को-ऑपरेटिव का कानून गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने ब जमाने लॉर्ड कर्जन इजरा किया, हमने सम्वत १९७३ व १९७४ के साल में पहिला एक्ट जारी किया. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेन्ट में और हम में बडा फर्क है. ब्रिटिश गवर्नमेन्ट यह कहती है कि हम कायदा बनाकर आपको देते हैं और जिस कदर कानूनी व इन्तजामी सहारा या इम्दाद चाहिये वह हम देते हैं, बाकी कुल काम, लोगों की डिपॉजिट जमा करना, रुपया इकट्ठा करना, काश्तकारों को देना वगैरा, रुपये पैसे का जितना काम है वह तुम जानो और तुम्हारा काम जाने. बरअक्स इसके हमने कायदा पास करते हुए यह वायदा किया ह कि जितना रुपया चाहिये गवर्नमेन्ट देगी. यह जितना

बडा फायदा हमने रिआया को दिया है. बैंक का जो कायदा पास हुआ है उसके मुतअल्लिक़ अवाम को राय देने का पूरा मौका दिया गया था और जो रायें आई थीं उनपर अच्छी तरह से गौर किया जाचुका है. कायदे के जारी होते ही उसकी तोड फोड करना गौर करने की बात है. मैं कानूनदां नहीं हूं. क्या यह दुरुस्त होगा कि कायदा बनाया और जबकि वह छप रहा है साथ ही साथ करेक्शन स्लिप भी जारी किये ? जैसे हमारे यहां इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट में बिल्डिंग की हालत होती है कि दूसरी मन्जिल तय्यार हो रही है और पहिली मन्जिल की repair शुरू होती है. मैं यह आम तौर पर कहता हूं, किसी खास मुकाम की निस्बत मेरा यह रिमार्क नहीं है. अगर हम क़ानून बैंक्स में आजही तरमीम करेंगे तो जो आज इमारतों का हाल है वैसाही हमारे कानून का हो जावेगा. यह नहीं होना चाहिये कि आज कानून बना, कल उसमें तरमीम हो गई. कानूनी तरीके से मैं नहीं कहता हूं. आप और हम एक हैं विचार करने की बात है कि इतनी जल्दी तरमीम करना क़ब्ल अज वक्त तो नहीं है. इस क़ायदे के पास होने पर अब गवर्नमेन्ट रुपया उसके मुताबिक देती है और को-ऑपरेटिव सोसायटी एक Legal body यानी कम्पनी बन जाती है. छै गुना डिपॉजिट तक सरकार रुपया देती थी, अब वह भी हद हटाकर सरकारी इम्दाद को कोई लिमिट ही नहीं रखी है, मस्लन फर्ज किया कि किसी बैंक का paid up कॅपिटल इस वक्त दो लाख है, मगर बीस लाख की जरूरत है, तो हम अठारह लाख देने को तैयार हैं. सरकारी रुपये की कोई हद नहीं है, जितना रुपया चाहे उतना रुपया दिया जावेगा. सरकार छै रुपया फी सदी पर रुपया बैंक को देती है. उसमें एक पहलू यह रखा है कि कुवे, मशीनरी, नस्लकशी की घोडियां, इन तीनों मदों को रिआयती सूद पर रुपया दिया जाने का है. शरह रिआयती सूद ४।।≈है और ।।≈ खर्च के छोडकर ४ रुपये सरकार लेंगे. अब मुकाबला कीजिये कि जब एग्रीकलचर बैंक जारी था, ६।) फी सदी सूद लिया जाता था, सिवाय एक मद के यानी मशीनरी मद पर ३≈ लिया जाता था, अब बजाय ६।) के ६) लिया जाता है और मशीनरी पर ४) लिये जाते हैं; यानी बमुकाबले एग्रीकल्चर बैंक के इस वक्त सरकार कम सूद ले रही है, सरकार ने अपना सूद बढाया नहीं है बल्कि घटाया है. इस वक्त ३० लाख रुपया सरकारी बैंक में है—२७ लाख ६) फी सदी सूद पर और ३ लाख ४ रु. फी सदी पर. इस हिसाब से एक लाख चौहत्तर हजार बैंक से हमको सूद वसूल होता है. हमारे यहां को-ऑपरेटिव का खर्चा एक लाख इकतीस हजार का है और उसको कोई दूसरा काम नहीं है, वह सब खर्चा उसी के वास्ते है ताकि को-ऑपरेटिव सिस्टम चल निकले और लोगों को तरगीब दे कि को-ऑपरेटिव सिस्टम अच्छा है. इस तौर पर सरकार को ३० लाख पर ४३ हजार बचते हैं जिसका पडत १॥ रु. होता है और सरकार इसी पर इक्तिफा करती है. सोसायटी १२ रु. फी सदी पर बैंक से लेती है और अपने मेम्बरों से १५ फी सदी लेती है. यह तीन फी सदी उस सोसायटी के रिझर्व फन्ड में जमा होता है. इस रुपये को कोई हाथ नहीं लगा सकता है. यह ३ फी सदी एक किस्म का सेविंग बैंक है. इस रिझर्व में इस वक्त चार लाख अस्सी हजार रुपया जमा है. अब एक मिसाल लीजिये; एक सोसायटी को सालाना कारोबार के लिये तीन हजार रुपया लेना पडता है और उसकी पूंजी एक हजार सिलक है. और ६) फी सदी पर बैंक के पास है तो १२ फी सदी से ३६०) रु० साल का सूद देना पडेगा और ६०) रुपये उनको हजार के ऊपर मिलेंगे, यानी उनको ३०० रु० देना पडेंगे. यानी दरअसल सूद सिर्फ १० फी सदी सोसायटी को अदा करना होगा. मेरे पास नक्शा मौजूद है. इस नक्शे में ५९ सोसायटियां हैं कि जिनकी पूंजी दो हजार के ऊपर है. ४८ ऐसी हैं जिनकी पूंजी १५०० से दो हजार तक है व १३० सोसायटियां ऐसी हैं जिनकी पूंजी हजार से १५०० तक है. ५३२ सोसायटियां ऐसी हैं जिनकी पूंजी पांच सौ व हजार के

दरमियान है. १५५१ ऐसी हैं जिनकी पूंजी ५ सौ से कम है यह ढंग ऐसा डाला गया है कि एक जमाना ऐसा आवेगा कि रिआया खुद साहूकार बन जावेगी. लिहाजा १५ फी सदी सूद लिया जाता है यह कहना बे बुनियाद है वह इस वजह से कि तीन फी सदी उनका सिलक में पडता है. अब रहा बीच का हिस्सा इसमें जो रिआयती सूद की मदात हैं उनमें बैंक सोसायटियों से ४॥≡) रु. सूद लेता है और सोसाइटियां भी मेंम्बरान से ४॥≡) रु. लेती हैं उसमें से ४) रु. सरकार को देती हैं और ॥≡) खुद रखती हैं आप समझ सकते हैं कि यह सूद बहुत कम है. यह दसवां हिस्सा है और नौ हिस्से ऐसे हैं जो बीज खाद वगैरा इखराजात के लिये हैं और ज्यादा सूद की बहस इसी को लागू हो सकती है. सबसे ज्यादा हिस्सा बैंकों के लिये है. जो डायरेक्टर साहबान हैं वह अगर ऐसी दरख्वास्त करें कि हम सेल्फ सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, तभी सूद में कमी हो सकती है. इसी छै रुपये फी सदी के फर्क के तुफैल से बैंक्स बने भी हैं और चल भी रहे हैं. इसमें आठ तरह के खर्चे हैं. पहिला खर्चा बैंक के स्टाफ का है. साल गुजिश्ता में इस पर ३५००० रुपये खर्च हुआ है. यह खर्चा इसी छै फी सदी में जायगा, हेड ऑफिस स्टाफ, जैसे सेक्रेटरी, ऑडीटर, अकौन्टेन्ट वगैरा का खर्चा रखना लाजमी है क्योंकि आज २९०० सोसायटियों का कारोबार उनको चलाना पडता है. अभी यह उजर पेश हुआ था कि जमीदारी दफ्तर का काम जमींदार लोग नहीं कर सकते, फिर इसमें तो ज्यादातर देहाती लोग हैं और काम है रुपये पैसे का; बगैर स्टाफ के कैसे होगा? सोसाइटियों के इन्डीव्हिजुअल मेम्बर्स की तादाद ४२,५३६ है, उनका अकौन्ट रखना पडता है, बैंकों की तरफ से कारिंदे हैं, लिखने वाले हैं इसमें साल गुजिश्ता में ४५,००० रुपया खर्च हुआ. इस तरह ३५,००० रुपये स्टाफ पर और ४५,०० रुपये आउट साइड एजेन्सी पर, यानी कुल ८०,००० रुपये खर्च हुए. यह सब खर्चा छै फी सदी में जाता है. इस छै फी सदी पर और भी बार है. रिआया पर आउट स्टेन्डिंग रहता है. हमारे यहां पचीस फी सदी है. जहां पर एरिअर्स या आउट स्टेन्डिंग का फी सदी पन्द्रह से ज्यादा है वहां यह समझना चाहिये कि कहीं स्प्रिंग लूस हैं. एक साहब ने फरमाया है कि किश्त चूकने पर बैंक की बकाया मालगुजारी के साथ वसूल हो जावेगी. मालगुजारी ही वसूल होने में कितनी दिक्कतें होती हैं और फिर भी एरियर्स रहते हैं तो फिर बकाया रुपया मालगुजारी के साथ कहां से वसूल होगा? वसूली में कोई सख्ती नहीं की जाती. डायरेक्टर से लेकर सब-इन्सपेक्टर्स तक हर एक ताकते रहते हैं और हर एक के grievances सुनने को तैयार रहते हैं. सरकार के रुपये का और दीगरों के डिपॉझिट का सूद तो देना ही पडता है बावजूद एरियर्स के जिनका जिक्र ऊपर आया है. चौथे नंबर में बैंक से सोसाटियों को रुपया दिया जाता है. कर्जे दो तरह के होते हैं. एक लांग टर्म लोन्स, दूसरे शार्ट टर्म लोन्स. अभी बैंक से सिर्फ शार्ट टर्म लोन्स दिये जाते हैं और speculation करना बिलकुल मना है. उज्जैन में दो नजीरें हो चुकी हैं, इनमें रुपयों का नुकसान हुआ है, इसलिये सख्ती की गई है कि speculation मत करो. इस हालत में हर साल रुपया दिया जाता है, उसी साल में कुल वसूल होता है वह फिर दिया जाता है. इस दरमियान में रुपया बैंक के पास idle रहता है. उस जमाने के सूद का नुक्सान पडता है वह भी इसी छै फी सदी में जाता है. अब नंबर ५ रिझर्व फंड, इसकी हद रखी गई है कि नेट प्रॉफिट का चौथाई रिझर्व फंड में रखा जाय पिछले साल २१,००० रुपये रिझर्व फंड में गया. अब नंबर ६ बोनस डायरेक्टरान के लिये, उनका तकाजा है कि हमको बोनस मिलना चाहिये. अगर वह इस बात के लिये तैयार हों कि यह रिआया की सेवा है, हम कुछ न लेंगे, तो यह रकम कम होकर एक फी सदी सूद में कमी हो सकती है, लेकिन बोनस के मिलने पर डायरेक्टरान का इसरार है १०,५०० रुपये इसमें गये,

डिवीडेन्ड के लिये दस फी सदी मुकर्रर किया गया है. रिआया की तरफ से तकाजा है कि सूद कम होना चाहिये और बैंक एजेन्सीज का कहना है कि ज्यादा होना चाहिये. यह बिलकुल इसी तरह है जैसा कि मुझे एक किस्सा याद आया वह मैं सुनाता हूं. एक शख्स के दो लडकियां थीं, उनमें से एक बागवान को व्याही थी व दूसरी कुम्हार को. बापने लडकियों से कहा कि हम तुमारी भलाई के लिये ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, बताओ तुम क्या चाहती हो. जो लडकी बागवान को व्याही थी उसने कहा कि मेरे खाविंद ने बाग लगाया है वह पानी के बगैर सूख रहा है, ईश्वर से यह प्रार्थना कीजिये कि पानी बरसाये, जिससे बाग हरा भरा होकर हमारा फायदा हो. फिर जो लडकी कुम्हार को व्याही थी उसको बुलाकर पूंछा तो उसने कहा कि मेरे खाविंद ने अभी मट्टी के बर्तन बनाकर अवा लगाया है, अगर आप हमारा भला चाहते हैं तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कीजिये कि एक माह तक पानी न बरसे और अच्छी धूप पडे ताकि बर्तन सूख जायें, जिसमें हमारा फायदा होगा. बाप ने सोचा कि बडी मुश्किल है, एक की इच्छा दूसरे के विरुद्ध है, मैं क्या करूं, इसलिये उसने प्रार्थना की कि ऐ खुदा मेरी अक्ल काम नहीं देती, तुझे जो मंजूर हो सो कर.

बिलकुल यही हालत आज हमारी हो रही है. रिआया कहती है कि सूद कम होना चाहिये और एजेन्सीज उसमें इजाफा चाहती हैं. बेहतर तो यही है कि दोनों इस मुआम्ले का तसफिया गवर्नमेंट पर छोड दें, क्योंकि गवर्नमेन्ट दोनों की भलाई चाहती है, अगर बैंकवाले और बैंक के डायरेक्टरान इतना सेल्फ सेक्रीफाइस करने को तैयार हों कि छै या सात फी सदी डिवीडेन्ड पर संतोष करें तो शरह सूद कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता. अब के डिवीडेन्ड ५२,५०० रु. खर्च पडा. यह इसलिये कि दस फी सदी की हद्द मुकर्रर है उतना ही दिया जाता है. अगर बारह फी सदी दिया जाय तो भी लोग लेने को तैयार हैं. इसके अलावा कन्टिनजेन्सी है जिसमें सिंकिंग फन्ड यानी नाकाबिल वसूल कोई रुपया हो जावे उसका नुक्सान इससे meet होने का है. जो रुपया ऊपर के कुल खर्चेजात से बचता है वह इस फंड में जाता है. टोटल प्रॉफिट्स रुपये ३,०७,६०० हुए, इसमें से रुपये १,०२,७०० स्टेट के, बाकी सोसायटियों के.

यह सवाल अगर इस तरह रक्खा जाता तो अच्छा होता कि को-ऑपरेटिव सिस्टम एक स्वांग है यह तोड दिया जाय और पुराना तरीका जो एग्रीकलचरल बैंक्स का है वह रक्खा जाय. मतलब तो इस सवाल का यही होता है. अब देखना यह है कि जो पेड लगाया है क्या उसको उखाड दिया जाय? शास्त्र में कहा है कि "**विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयंच्छेत्तुमसांप्रतम्**" यानी अगर हमने जहरीला वृक्ष भी लगाया है तो उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है लेकिन यह तो कल्पवृक्ष है. इसका फल अमृत है जिससे कुछ दिनों में रियासत हरी भरी दिखाई देगी. हमारे को-ऑपरेटिव बैंक के शेअर्स गवर्नमेंट पेपर से भी ज्यादा पुख्ता हैं. गवर्नमेंट पेपर्स की बाजार में रोज घटा बढी होती है जो यहां नहीं है. जितना ही रिझर्व फंड बढता जावेगा उतना ही investment safe होता जायगा. अब रिझर्व फंड शेअर्स का आधा हो चुका है, इसके पुख्तगी की यह एक शनाख्त है.

दूसरी बात यह है कि अलावा रिझर्व फन्ड के हमारे पास सीक्रेट रिझर्व भी है, यानी सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल का जो डिफरेन्स है वह सीक्रेट कैपिटल रिजर्व है जिसकी तादाद इस वक्त ३,७४,५५० रुपये है. अगर खुदानख्वास्ता कोई बैंक फेल हो जाय तो कोई धक्का नहीं पहुंच सकता. इसके सिवाय स्पेक्युलेशन्स बिलकुल allowed नहीं हैं. दूसरी बात यह है कि काश्तकारान व जमींदारान को रुपया लेन्ड सिक्यूरिटी पर मिलता है. जमीन कहीं नहीं जा सकती

और अभी हमारे कानून माल में काश्तकारान को हुकूक मौरूसी यानी प्रोप्राइटरशिप के इख्तियारात देकर उनकी होल्डिंग्स की कीमत बढा दी गई है. एक बडी बात यह है कि यहां अनलिमिटेड liability है. अगर एक शख्स फेल हो जाय तो बाकी लोग जिम्मेदार होंगे. यह कैसा पक्की सिक्यूरिटी है. दूसरी बात यह है कि इसमें गवर्नमेन्ट का भी इन्टरेस्ट है यानी आधे से ज्यादा रुपया गवर्नमेन्ट का है. गवर्नमेन्ट को खुद उसकी पुख्तगी की फिकर है. एक दिन वह आयेगा कि लोग ला ला कर रुपया देंगे और हम कहेंगे कि हमारे यहां गुंजायश नहीं है. जिनके पास इन्व्हेस्ट करने को रुपया है उनके लिये सबसे अच्छी जगह को-ऑपरेटिव बैंक है और फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटीज. हमने यह बाग बडी मेहनत से तैयार किया है और कोशिश से पानी देकर उस को हरा भरा करना चाहते हैं. लोगों की यह तजवीज है कि इसको उजाड दिया जाय. अगर आप लोग इसके लिये तैयार हैं तो ठीक है.

पुस्तके साहब—बैंक में लोगों की डिपाजिट कितनी है, यह बतलाया जाय.

फाइनेन्स मेम्बर साहब:—डिपॉझिट सबही पबलिक की नहीं है, वजह यह है कि प्रॉपेगेन्डा अभी शुरू नहीं हुआ, अभी गवर्नमेन्ट डिपॉझिट है, जिसके लिये दरबार का हुकम है कि जहां से मांग आवे देते जावें. इसमें से सोसाइटी की हैसियत के मुवाफिक रकमें दी जाती हैं. बाकी डिपाझिट सोसाइटीज की है. एकजाई इनकी तादाद २७,७८,८८४ रु० है. शख्सी डिपॉझिट की रकम ५९,३२८ है बाकी डिपाझिट सेमी गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन्स की है, जैसे म्युनिसिपलिटीज, स्कूल फंड वगैरा उनकी तादाद १,३४,५९८ रिझर्व फंड्स १,७८,०५४ बिल्डिंग फंड २८,७९८ प्राविडेन्ड फंड २९,३२० शामिल है; इनके सिवाय मिसलेनियस फंड है, जिसमें चैरिटी फंड और मेडिकल फंड वगैरा हैं, उनका रुपया ७८,३९१ है. इस वक्त सब मिलाकर ४६,५८,६५५ रुपया है. अगर इसमें से सरकारी रुपया ३१,९३,७४१ निकाल दिया जाये तो १४,६४,९१४ रुपया सोसाइटीज का बाकी रहा. यह सब हमारी ही वजह से बना, क्योंकि हम सूद छै फी सदी पर इक्तफा करते हैं. अब यह काम बडी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और वह जमाना करीब है कि जल्दी ही को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट रिआया की बेहबूदी और सरसब्जी का बहुत बडा जर्या होगा. अगर दस बरस तक मैं जिंदा रहा तो बतलाऊंगा कि रियासत में कितनी सरसब्जी हुई.

अब रहा सवाल तावान का, इसके मुतअल्लिक मेरी समझ में नहीं आता कि तावान क्या चीज है. तावान कसूर की सजा है. कसूर न करो, सजा न मिलेगी. हम सौ फी सदी या हजार फी सदी तावान भी लगा देवें तो क्या हुआ? कसूर यह नहीं कि रुपया वक्त पर अदा न हो सका बल्कि कसूर यह है कि रुपया तो मौजूद है लेकिन देते नहीं. अगर किसी वजह से वक्त पर रुपया अदा न हो तो सोसाइटी को मजबूरियां बताना चाहिये. सोसाइटी मजबूरियां जाहिर करेगी और बैंक सोसाइटी को मोहलत देगी. सोसाइटी अपने मेम्बरों को उसके मुताबिक मोहलत दे सकेगी. सोसाइटी क्या है यानी जो कर्जदार है वही खुद कर्ज के देने वाले. अगर किसी पर तावान लगाया जाय तो मतलब

यह हुआ कि हम अपने पर आप तावान लगाते हैं. ऐसा कौन है जो पाव आना फी रुपया तावान चार्ज करेगा. यह तो महज रुपया जल्द अदा होने की एक सबील रखी गई है. बैंक के लिये तावानी सूद ६।) फी सदी है और यहां है ६ फी सदी. लेकिन 'तक' का लफ्ज उसमें लगा है. यानी पांच सौ तक, हजार तक और यह अपने को आपही देना है. यह ultimate liability है. वाकई में किसी से इतना ज्यादा तावान चार्ज हुआ है, ऐसी कोई मिसाल डायरेक्टर साहब के सामने नहीं आई. अगर मुअज्जिज साहब को मालूम हो तो वह बतलायें ताकि इन्तजाम हो सके. लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा मौका नहीं आया. क्योंकि हर एक को यह ख्याल रहता है कि हम सब एक ही सोसाइटी के मेम्बर हैं. अगर आज हम एक से तावान चार्ज करते हैं तो कल हमसे भी चार्ज किया जावेगा. ऐसी सूरत में घबराने की कोई बात नहीं है. ऐसा कभी नहीं हो सकता.

अब इस सवाल पर आइये कि साबिक के मुकाबले में यानी एग्रीकलचरल बैंक्स के मुकाबले में को-ऑपरेटिव में ज्यादा सूद लिया जाता है, इसमें जरा सोचने की बात है कि एग्रीकलचरल बैंक्स तोडे क्यों गये. अगर उनका तरीका अच्छा होता तो उनको तोडने का ख्याल किसी के ध्यान में नहीं आता, लेकिन वहां कई झगडे, कई खरखशे होगये थे. तहसीलदार तो एक है, वह कहां कहां देख सकता है ? नतीजा यह हुआ कि लाखों रुपये खर्च लिखे गये. वक्त आयेगा कि आहिस्ता २ खुद बखुद सूद घटता जायगा. यह तादाद बारह फी सदी से दस फी सदी पर आई. अब नौ और आठ फी सदी पर आजावेगी. एकलख्त कम करने में ठीक नहीं. यह शरह सूद हमने बाहर दूसरी जगहों के मुताबिक रखा है, दूसरे कानून अभी बना है, उसमें अभी तरमीम करने का मौका नहीं.

सूद कम करने का जर्या यही हो सकता है कि जो फर्क ६) फी सदी का बैंक के हक में रखा गया है उसमें कमी की जाय; यह करना डायरेक्टर साहबान के हाथ है. अगर डायरेक्टर यह कहें कि १०) फी सदी हमें काफी है, बोनस की जरूरत नहीं, स्टाफ वगैरा का काम हम खुद मेहनत करके करेंगे तो आसानी के साथ गुंजायश निकल सकती है. इतनी मेरी अर्ज है. मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इस पर गौर करें. इससे रिआया की सरसब्जी बहुत जल्द हो सकती है.

अनंदीलाल साहब.—इस मुआम्ले में मेरी गुजारिश यह है कि मुझे गलत फहमी हो रही है. मेरी समझ में हुजूर की तकरीर नहीं आई. हुजूर ने फरमाया कि सूद कम नहीं किया तो ज्यादा भी नहीं किया, तो फिर दो आने से आठ आने सैकडा कैसे हो गया ?

फाइनेन्स मेम्बर साहब.—एग्रीकलचर बैंक्स के इब्तदाई कवाअद के बाद सिस्टम तब्दील हो गया. हेमिल्टन साहब के जमाने के बाद से सूद सवा छै फी सदी हो गया है. उस वक्त ६–४॥–२ ऐसी शरह थी, वह बदल कर ६।<-–४॥≡–४॥≡ हो गई है, क्योंकि उसमें सूद का हिसाब ठीक नहीं पडता था. हिसाब की सहूलियत के लिये ऐसा किया गया है. बीज, खाद, और बैल के अलावा मशीनरी के लिये रुपया अलग है, लेकिन मशीनरी के लिये लोग रुपया लेते ही नहीं.

चौधरी नवाबअली साहब.—हुजूर वाला! मुझे इसके मुताल्लिक यह उज्र है कि जो सूद मुकर्रर किया गया है आया मामूली सूद की शरह से कम है या ज्यादा है. फायनेन्स मेम्बर साहब ने जो दीगर हिस्से मुमालिक के बारे में बतलाया है उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करता हूं कि यहां कानून दीवानी मुकर्रर है उसमें एक रुपया सूद दिलाना बतलाया है. जब साहूकारान को एक फी सदी दिलाया जाता है तो जो इन्स्टीट्यूशन काश्तकारान की इम्दाद के लिये कायम किया गया है उसको कम सूद लेना चाहिये. जो हालात बतलाये गये हैं उनसे इत्मीनान नहीं होता. सवाल तो सिर्फ यह है कि जो सूद यहां लिया जाता है वह दीगर महाजनान से कम है या ज्यादा, और उसमें तबाही है या नहीं. इस नुक्ते नजर से देखते हुए यह तो मानना पडेगा कि इसमें कर्ज गीरिन्दगान की तबाही है. यू. पी. से मुकाबला किया जाता है. देखना यह है कि वहां के और यहां के काश्तकारान में क्या फर्क है, वहां दस रुपये में लगान की जो आराजी है यहां वही आराजी एक रुपये में उठती है. अब यह देखना है कि जो सूद मुकर्रर किया गया है वह ज्यादा है या कम. यहां बाहर के मुकाबले में सूद रखा गया है, लेकिन क्या उसका मुकामी हालत के लिहाज से होना दुरुस्त है? सोसाइटी को सूद ज्यादा मिलेगा और उनकी हालत किसी वक्त में संभल जावेगी इसकी कोई उम्मेद नहीं, क्योंकि उनको सूद ज्यादा देना पडेगा. पैदावार काश्तकारी की हालत को देखते हुए एक फी सदी जो महाजनों को देना पडता है वही सख्त है. यह सिस्टम जो कायम किया गया है वह इस गरज से कि उन्हें उधर सूद ज्यादा देना पडता है. सवाल यह है कि सूद में कमी की जाय या नहीं. बैंक मजबूत हैं उनका सरमाया काफी है, इसलिये उनको मुस्तहकम करने के लिये इतना सूद लिया जाता है यह कहना तो ठीक नहीं. यह सवाल कि सोसाइटी ही मालिक है, वही रुपया वसूल करती है और उसी का नफा नुक्सान है, हैरत अंगेज है. सोसाइटी के मेम्बरान समझते हैं, कि सूद जो हमें देना पडता है उसमें हमारी तबाही है. वह यह जानते हैं कि यह रकम हमें जबरन अदा करना पडेगी, लेकिन फिर भी किसी के पास बैल नहीं होते, किसी के पास बीज नहीं होता, इसलिये मजबूरन उनको कर्ज लेना पडता है. अदायगी के वक्त उनके पास रुपया नहीं होता और जैसा कि हमारे एक लायक दोस्त ने बताया है कि जब बैंक के कर्जे की अदायगी के लिये सख्ती होती है उस वक्त उन्हें महाजनों से गिरां सूद पर रुपया लेना पडता है. जैसा कि मुजव्विज साहब का कहना है, सूद में कमी होने से ही काश्तकारों का फायदा होगा. जब यहां की काश्तकारी की हालत यू. पी. के मुताबिक हो जाय उस वक्त सूद में इजाफा होना चाहिये. इस तकरीर से हमारी तसल्ली नहीं होती. मजलिस का इतमीनान है कि बैंक्स मजबूत हैं, उनके पास सरमाया काफी है, यह भी मालूम है लेकिन असल सवाल सूद की कमी का है, जो इस तकरीर से हल नहीं होता. अब सवाल यह है कि कानून अभी जारी हुआ है उसमें तरमीम कैसे हो. यह इस मसले की अहमियत के सामने कोई वकअत नहीं रखता. अगर एक बडी तादाद का नफा नुकसान इस पर मुनहसिर है तो रिआया को तकलीफ होने के बजाय कानून में तरमीम होना मुनासिब है. आयन्दा का फैसला मौजूदा हालत को देखते हुए किया जाता है. यह सवाल कि किसी वक्त में यह खेती सरसब्ज हो जावेगी, समझ में नहीं आता क्योंकि उस खेती को पानी देनेवाले तो यही काश्तकार हैं जो रोज बरोज गिरते जाते हैं. जब मौजूदा हालत यह है तो अंदेशा इस बात का है कि कुछ अर्से बाद पानी देने वाले ही न रहेंगे तो खेती खुश्क होगी या सरसब्ज?

चतुरभुजदास साहब—गवर्नमेन्ट की नेट प्रॉफिट क्या है?

फायनेन्स मेम्बर साहब—१½ परसेंट.

चतुरभुजदास साहब—जनाब वाला ! फायनेन्स मेम्बर साहब ने जिन फेक्ट्स व फिगर्स (facts व figures) का हवाला दिया है, अगर वह पहिले से मालूम हो जाते तो नॉन-ऑफिशियल मेम्बर्स को वह दिक्कतें वाकै न होतीं जो फिगर्स के न मालूम होने से हुई हैं. लिहाजा मैं महज उस तकरीर के उसूल पर जवाब देना चाहता हूं जैसा कि फायनेन्स मेम्बर साहब ने अपनी तकरीर में एक उसूल कायम करके मान लिया है कि हर हालत में को-ऑपरेटिव सिस्टम कामयाब है. इसके बाद आपने इस तजवीज को ऐनेलायज (analyse) किया है यानी उसके टुकडे २ किये हैं और यह भी बतलाया है कि तजवीज के यह मानी हैं कि मिल्ल एग्रीकलचरल बैंक्स सूद और तावान कायम किया जाता जरूरी है यानी बैंकिंग सिस्टम कतई तोड दिया जावे और एग्रीकलचरल बैंक्स का सिस्टम मुकर्रर किया जावे. मुनाफे की रकम में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दिया जावे और कुछ शेअर होल्डर्स को दिया जावे. डायरेक्टरान अगर खुद कुरबानी करके बोनस और मुनाफा कम करदें तो मुमकिन है कि निर्ख सूद में कुछ कमी हो सके, जैसा कि फायनेन्स मेंबर साहब की मन्शा है. इसके बाद हर एक पॉइन्ट (point) को लेकर जवाब अर्ज करना चाहता हू. अब यह सवाल दो तरह से हल हो सकता है. अगर यह प्रोफेस (profess) किया जावे कि गवर्नमेंट दरअसल हमें इमदाद देना चाहती है तो आसान है कि गवर्नमेन्ट अपने सूद को कम करदे. दूसरे बिजीनेस पॉइन्ट (business point) से हम कुछ नहीं कर सकते. गवर्नमेन्ट फरमाती है कि हम मदद कर रहे हैं. अगर गवर्नमेन्ट १० फी सदी से मदद कर रही है तो हम २० फी सदी चाहते हैं. अव्वल तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि गवर्नमेन्ट को सिर्फ डेढ फी सदी मुनाफा है, दोयम अगर यह सही भी हो तो यह परसेन्टेज भी बढ सकता है, अलावा गवर्नमेन्ट को चाहिये कि इस ६ फी सदी में कमी करे. बॉम्बे प्रेसीडेन्सी और यू. पी. में यह सिस्टम (system) बहुत फायदेमन्द है. हमको देखना है कि वहां की जमीन की कीमत क्या है. वहां लेन्ड वेल्यू (Land value) यहां के मुकाबले में ज्यादा है और उसका असर वहां के बाशिन्दगान की माली हालत यानी वैलफेयर (welfare) पर क्या पडता है. इस वजह से यू. पी. या बम्बई का मुकाबला नहीं हो सकता. फायनेन्स मेम्बर साहब का ख्याल है कि कानून बैंक अभी जारी हुआ है. करेक्शन स्लिप (Correction slip) कैसे जारी कर दिया जाय. कानून शुरू में इस किस्म का ऐसे वसीअ अल्फाज में होना चाहिये कि उसमें फौरन ही करेक्शन स्लिप (Correction slip) जारी करने की नौबत न आये और बल्कि बगैर किसी ऐतराज के उस पर अमल किया जासके. बिला तजरुबा किये हुए इतना बंधा हुआ और सख्त कानून नहीं होना चाहिये. यू. पी. का कानून माल ऐसा बना था कि, उसके निफाज के बाद ही बहुत से करेक्शन स्लिप (Correction slips) जारी हो गये, हालांकि वह बहुत वसीअ लफ्जों में बनाया गया था. लिहाजा यह कहना कि ख्याल अखलाकी से बुरा होगा कि आज ही कानून निकला और आज ही करेक्शन स्लिप (Correction slip) जारी होगया, एक बडी खामी है. पुलिस की हिरासत का सवाल जो कल पास हुआ है उसकी सूरत यही थी कि जो कानून माल पास हुआ है उसके मुतअल्लिक हालांकि राय तलब की गई थी और नीज उसका अमल दरामद नहीं हुआ है, लेकिन मजलिस में कल ही उसके एक प्रॉविजन (provision) के तरमीम की बाबत तजवीज पास की गई है. उसके बाद हम लोगों का जो कुछ लिटरेचर (Literature) है वह वेस्टर्न कन्ट्रीज (Western countries) का है, खुसूसन जरमनी का. हमारे यहां का जो सिस्टम है उसमें कुछ जल्दी की गई है. वहां (Germany) में सब से पहिले को-ऑपरेटिव कनजम्पशन (Co-operative consumption) सोसाइटी कायम की गई थी, उसके बाद को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी (Co-operative Credit Society).

प्रेसीडेन्ट साहब—चतुरभुजदास साहब ! सात मिनट हो चुके हैं, तीन मिनट और (allow) अलाउ किये जाते हैं.

चतुरभुजदास साहब—तीन मिनट में कुछ नहीं हो सकता. बेहतर है कि मैं बैठ जाऊं. मैं तीन मिनट में हरगिज खत्म नहीं कर सकता (इसके बाद बैठ गये)

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला ! मैं इस सवाल के मुतअल्लिक इजहार ख्यालात करने के कब्ल हुजूर का शुक्रिया अदा करता हूं कि हुजूर के इसरार और इजाजत से फाइनेन्स मेम्बर साहब ने अपने ख्यालात जाहिर फरमाकर हमको मुबाहिसे का मौका दिया है जिसके लिये मैं उनका भी मशकूर हूं. को-ऑपरेटिव सिस्टम के मुतअल्लिक आम ख्याल यह है कि साहूकारी तबका इसके खिलाफ है, क्योंकि उनके पेशे पर इसका असर पडता है. मेरा तअल्लुक साहूकार तबके से नहीं है पस मेरे ख्यालात से ऐसा न समझ लिया जावे कि मैं को-ऑपरेटिव सिस्टम के खिलाफ हूं, बल्कि मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि तीन चार बरस से मेरा तअल्लुक-इन्सपेक्टर जनरल साहब बैंक्स की महरबानी से को-ऑपरेटिव से है और इस वजह से मुझको इसमें कुछ तजरुबा भी हो गया है. सवाल जो मेरे दोस्त मुअज्जिज ने उठाया है वह कमी सूद के मुतअल्लिक है. को-ऑपरेटिव सिस्टम पर जो हमला उन्हों ने किया है जो कि ग्वालियर रियासत में अभी कामयाब साबित नहीं हुआ है. उससे मुझे इख्तिलाफ है. यहां के को-ऑपरेटिव सिस्टम का मुकाबला जो एग्रीकलचरल बैंक से किया गया है यह गलती पर मबनी है. मैं इससे इख्तलाफ करता हूं. अभी मुकाबले का काफी वक्त नहीं मिला जिससे यह नतीजा निकाला जा सके कि को-ऑपरेटिव की वजह से रिआया की हालत ठीक नहीं है.

शरह सूद के मुतअल्लिक फाइनेन्स मेम्बर साहब ने वजाहत के साथ तकरीर की है उसको मैं तीन हिस्सों पर तकसीम करता हूं:—

(१) दीगर मुमालिक से शरह सूद कम है, उसका जवाब चौधरी नवाबअली साहब ने जो दिया है वह ठीक है.

(२) कानून बैंक्स संवत १९८२ में बना है उसको इतनी जल्दी क्यों तरमीम किया जाना मुनासिब नहीं ? अगर देखा जाय तो कानून रिआया की जरूरियात के रफा करने के लिये बनाया जाता है. कानून बनाने वाले की तमसील हकीम से दी जा सकती है. जब उसके पास कोई मरीज जाता है तो वह नुस्खा लिखकर दे देता है. अगर मरीज दूसरे ही दिन जाकर कहे कि मुझे उस नुस्खे से फायदा नहीं हुआ तो हकीम उस नुस्खे में रद्दो बदल कर देता है. अगर हकीम उसको यह जवाब दे दे कि कल ही मैंने नुसखा लिखकर दिया है, आज ही दवा कैसे तबदील कर दी जाय तो यह बात मरीज को तसल्ली बख्श न होगी. तसल्ली मरीज की जबही होगी जब कि हकीम उस नुसखे में तरमीम करदे. इसी तरह से अगर कानून आज ही बनाया गया है और अगर यह बात पाई जावे कि तरमीम इस कानून से किसी तबके रिआया को तकलीफ पहुंच रही है या उसमें कोई नुक्स है तो ऐसी सूरत में तरमीम कर देना बहतर होगा बनिस्बत इसके कि वह नुक्स अर्से तक कायम रहने दिया जाये जो मुमकिन है कि कुछ अर्से केबाद लाइलाज हो जावे.

(३) जो सूद कायम हुआ है वह लाजमी है इसकी बाबत मेरा यह ख्याल है कि कुदरतन जो तबका सूद अदा करता है वह कहता है कि सूद ज्यादा दिया है और जो तबका सूद लेता है वह कहता है कि सूद कम लिया है ; लेकिन शरह सूद कायम करते वक्त बिजिनेस पॉइंट ऑफ व्यू (business point of view) से देखा जाय तो हर बात को मद्दे नजर रखना पडता है, यानी सूद देने वाले की paying capacity क्या है, मारकेट में रुपये की क्या हालत है, इन्तजाम करने में खर्चा क्या पडता है वगैरा वगैरा—

लेकिन को-ऑपरेटिव बैंक्स की कायमी महज बिजिनेस पाइन्ट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि काश्तकारान की मदद के लिये है. पस महज बिजिनेस पॉइन्ट ऑफ व्यू से काम लेना मुनासिब नहीं है. ताहम रास्ता दरमियानी ऐसा इख्तियार करना जरूरी है कि बिजिनेस पॉइन्ट ऑफ व्यू का भी ख्याल रहे और माली इम्दाद भी मिले मगर इन तमाम नाजुक मसलों पर काफी गौर इस मजलिस में नहीं हो सकता और न उन figures की बाबत सही राय कायम की जा सकती है जो फायनेन्स मेम्बर साहब व नीज मुजव्विज साहब ने बतलाये हैं. लिहाजा मेरी इस तजवीज की निस्बत अर्ज यह है कि एक सब-कमेटी मुकर्रर करदी जावे और वह इस पर गौर करके मजलिस में अपनी रिपोर्ट पेश करे. सोसाइटीज और बैंक्स के सूद की हालत क्या है इस पर फायनेन्स मेम्बर साहब ने रोशनी डाली है. मगर शख्सी कर्जे पर नये कानून के मुताबिक ३ पाई फी रुपया सूद लिया जाता है जो १॥=) पडता है, जो ज्यादा मालूम होता है. इसलिये उसको भी गौर करने के वास्ते सब-कमेटी के सुपुर्द किया जावे. फायनेन्स मेम्बर साहब ने यह फरमाया है कि जो बाग तैयार किया गया है उसको उजाडना नहीं चाहिये. इसकी बाबत मेरा यह ख्याल है कि जो बाग फायनेन्स मेम्बर साहब जैसे फायनेन्शल एक्सपर्ट के जेर निग्रानी हो वह महज थोडीसी सूद की शरह कम कर देने से हरगिज उजड नहीं सकता और न यह मन्शा इस सवाल का है पस मैं एक सब-कमेटी मुकर्र किये जाने की तजवीज करता हूं.

महन्त लक्ष्मणदास साहब.—ग्वालियर राज्य के लिये यह बडे गौरव की बात है कि इस राज्य में प्रजा की भलाई के लिये बैंक कायम हो चुका है. बहुतेरे देशी राज्यों की प्रजा ऐसे बैंक के लिये तरसती है. इस समय बहस सूद के कमी ज्यादे के लिये है. जिस समय काश्तकारी बैंक थे और सूद कम था उस समय कर्जदारों की कर्ज लेने के लिये भीड लगी रहती थी क्योंकि साहूकारी सूद से काश्तकारी बैंक का सूद कम था. अर्थ शास्त्र का भी यही उसूल है कि व्यापार वृद्धि में लेने वालों का उत्साह और प्रेम, देने वाले से घनिष्ट हो जाय. ज्यादा खपत में ज्यादा सूद आता है इसलिये औसत वही पड जाता है जो दरबार की मन्शा है. वर्तमान सूद अब साहूकारी सूद के करीब करीब बराबर हो गया है और कर्जा लेने वाले भी अपना सब तरह विचार करते रहते हैं. इसलिये प्रजा का झुकाव साहूकारों की तरफ अब ज्यादा हो चला है. क्योंकि उनको साहूकारों की तरफ से रुपया फौरन मिल जाता है. गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, रात हो, शादी हो, गमी हो हर वक्त पर उनको मिल जाता है और मियाद चूकने पर एक साल के दो साल भी हो जाते हैं और बैंक की दौडा धूपी वही जानते हैं जो लाते हैं. यहां भी जने जने की मिन्नतें मनाई जाती हैं, जगह जगह लिखाया जाता है आज नहीं परसों भी होता र ता है. तिस पर भी सूद में कडाई और वसूली में कडाई है, इसलिये सूद में कुछ नरमी की ख्वाहिश प्रजा करती है. अगर सूद कुछ कम होगा तो कर्जदारों का झुकाव बैंक की तरफ और भी ज्यादा होगा और बैंक के धन की जल्दी वृद्धि होगी. बैंक का टूट जाना कोई न चाहेगा. इसका उसूल

देश की भलाई का विश्व में प्रसिद्ध है. समय समय सुधार की योजना होना अनुचित नहीं है. श्रीमान फायनेन्स मेम्बर साहब ने फरमाया है कि अगर कोई जहर का वृक्ष भी लगाता है तो उसे फिर काटता नहीं है, उसकी वह परवरिश करता है और यह तो कल्पवृक्ष है. अस्तु श्रीमान फायनेन्स मेंबर साहब के इस अमोल वाक्य का समर्थन मैं भी इस वाक्य से करता हूं कि श्रीमान अर्थ शास्त्र के परम कोविद, इस बाग के इस वृक्ष (बैंक) के माली हैं. आपके उत्साह रूपी सिंचन से यह प्रजा के लिये कल्पवृक्ष हो और प्रजा का भी इस विषय में यही ध्येय हो कि:—

सेवितव्यो महा वृक्षाच्छाया फल समन्वित. ।
यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते ॥

महा वृक्ष की सेवा करनी चाहिये कि जिस में साया और फल दोनों हों, अगर प्रारब्धवश फल प्राप्त न हुए तो साया से तो कोई नहीं हटा सकता. इसलिये एक कमेटी की जरूरत मानी जाती है जैसे बाबू जगमोहनलाल साहब ने और कई मेम्बरान ने ख्वाहिश की है.

बटुकप्रसाद साहब.—हुजूर आली ! फायनेन्स मेम्बर साहब ने जो एक सरसब्ज व शादाब बाग बतलाया है उसूलन उस बाग से किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता, मगर उसमें जो कुछ भी तरीके हैं और उसके मुतअल्लिक आज मजलिस में सवाल दरपेश है वह शरह सूद की कमी से मुतअल्लिक है. देखना यह है कि क्या उस शरह के मुतअल्लिक कुछ अमल और नरमी पैदा की जाये. यह बतलाया गया है कि १५ फी सदी अगर सूद है तो उसमें से ३ फी सदी बैंक में दाखिल होता है, ६ फी सदी ऐसा है जो गवर्नमेन्ट को सूद की बाबत देना पडता है और माबकी ६ फी सदी वह है जो मसारिफ में आता है; मसलन बोनस वगैरा में अरसे दराज से यह तजुर्बा चला आरहा है कि काश्तकारान की हालत इस वजह से बिगडी हुई है कि शरह सूद ज्यादा है. ऐसी हालत में क्या यह मुनासिब न होगा कि मौजूदा शरह सूद जो इस वक्त १५ फी सदी तक है कम होना चाहिये. ३ फी सदी जो रिजर्व फन्ड में जाता है गो आखिर में वह एक बडी रकम हो जायगी और इसमें से आयन्दा रुपया दिया जा सकेगा. यह अर्से दराज की बात है मगर ६ फी सदी शरह सूद जो गवर्नमेन्ट की जानिब से कायम की गई है, क्या उसमें कमी नहीं हो सकती? जहां गवर्नमेन्ट को अजीज रिआया के मुतअल्लिक यह ख्याल है कि हमारी रिआया सरसब्ज हो, शादाब हो और खुशहाल हों तो ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं कि अपनी रिआया की बेहबूदी मद्देनजर रखकर जो शरह सूद गवर्नमेन्ट की जानिब से ६ फी सदी रखी गई है उसमें गवर्नमेन्ट को कमी करने के लिये इस पर गौर फरमाना लाजमी है. जिन इखराजात का बार रुपया लेने वालों पर पडता है यानी स्टाफ के मुतअल्लिक, महकमे के मुतअल्लिक, उसको गवर्नमेन्ट ही बरदाश्त करे. बहतर यह होगा कि उन काश्तकारान को जिनको १५ फी सदी सूद अदा करना पडता है उसमें किस हद तक कमी हो सकती है, वह किस शरह से की जावे, इसके मुतअल्लिक जगमोहनलाल साहब की राय से इत्तफाक है यानी सब-कमेटी मुकर्रर की जाये.

जामिनअली साहब—हुजूर वाला! यह सोसाइटी सिस्टम पहिले भेलसा जिले में जारी हुआ यह सवाल तो रखा गया कि सूद कम किया जावे लेकिन अन्दरूनी बात यह है कि इस सिस्टम के सब मुखालिफ हैं. जिधर कहिये साबित करने को तैयार हूं. कमीशन मुकर्रर कर दिया जावे, मैं साथ चलता हूं. भेलसे जिले में काश्त रियासत के सब जिलों से ज्यादा होती है. हर किस्म की काश्त वहां होती है. जो लोग को-ऑपरेटिव से कर्ज लेते हैं उनकी क्या हालत है और जो साहूकारों के कर्जदार हैं उनकी क्या हालत है. जो मेम्बरान को-ऑपरेटिव सिस्टम के

मुखालिफ हैं वह मेरे साथ भेलसा चलें तो मैं साबित कर दूंगा कि को-ऑपरेटिव सिस्टम किस कद्र अच्छा है. जो लोग साहूकारान से लेन देन करते हैं उनके मौजे नीलाम हो रहे हैं. सोसाइटी में रिझर्व फंड में जो रकम जमा होती है वह इसलिये होती है कि फर्ज कीजिये कि कोई मेम्बर बिगड जाय तो उससे उसकी मदद की जावे. को-ऑपरेटिव सिस्टम जारी होने के पेश्तर काश्तकारान की हालत ऐसी खराब थी कि उनको जोतने के लिये न जमीन मिलती थी न बैल मिलते थे. जगमोहनलाल साहब ने जो कहा है कि इस सवाल पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर करदी जाय, इस सिलसिले में यह अर्ज है कि सब-कमेटी के मेम्बरान वही मुकर्रर किये जावें जो मुखालिफ हैं. वह भेलसा रवाना होकर वहां की सोसायटी का मुआयना करें तो किसी सोसाइटी की हालत खराब न पावेंगे. यह दूसरी बात है कि जब काम के करने वाले ही खराब होंगे तो काम ठीक न चलेगा, चलाने वाले ठीक होना चाहिये. रहा यह सवाल कि यू. पी. में जमीन गिरां है मगर वहां के जमींदारान की हालत अच्छी है, बैंक का कर्जा भी देदेते हैं और अपना पेट भी अच्छी तरह पाल लेते हैं. यह सवाल जरूर है कि सूद कुछ ज्यादा है. इसके मुताल्लिक यह मैं जरूर कहूंगा कि इसमें कमी हो सकती है. मुनाफा कम कर दीजिये. शेयर होल्डर्स मुनाफा ज्यादा न लें. जो रुपया रिझर्व फंड में रखा जाता है वह कम रखा जावे; इसको सोचकर अगर शरह सूद कम करदी जावे तो बेहतर होगा. अगर कोई बैंक काम खराब चलावे तो को-ऑपरेटिव जिम्मेदार नहीं है. बैंक जमींदार के वास्ते ऐसी चीज है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से नियामत है. भेलसा जिले में मैं मुलाहिजा करा सकता हूं कि वहां की सोसायटी की हालत अच्छी है. फालके साहब ने नौ सौ हिस्से खरीदे थे. मुनाफा की रकम से उसका असली रुपया तो वसूल होचुका, अब भी पांचसौ रुपया सालाना मुनाफे का चला आता है और असली रकम भी बदस्तूर कायम है. वकील साहब ने जो कमेटी कायम करने के लिये कहा है वह भेलसे में कायम की जावे.

फायनेन्स मेम्बर साहब—इस वक्त तक जितनी तकरीरें हुई हैं उनसे यह जाहिर होता है कि ज्यादातर मेम्बरान की यह राय है कि यह सवाल सब-कमेटी के जर्ये से तय किया जाये, मगर मैंने इस सवाल के तय करने के लिये एक दूसरी तजवीज सोची है जो बनिस्बत सब-कमेटी के बहुत अच्छी है. मेरी यह तजवीज है कि हमारे यहां एक Co-operative Conference मुनअकिद करने की तजवीज की जारही है उसमें यह सवाल रखा जावे. ब्रिटिश इन्डिया में Co-operative कॉन्फरेन्स होती है उसमें सब सवालात हल किये जाते हैं और कॉन्फरेन्स में डिस्कशन का काफी मौका मिलता है. हमारी रियासत में रेवेन्यू कॉन्फरेन्स व जुडीशियल कॉन्फरेन्स होती ही है और अब हमारा इरादा को-ऑपरेटिव कॉन्फरेन्स करने का भी है. सरकार के बाद ही नया एक्ट जारी हुआ है. अगर आपको पसंद हो तो हम जिस कॉन्फरेन्स की तजवीज कर रहे हैं उस में बहस हो जावेगी और नतीजा अच्छा निकलेगा.

रामजीदास साहब.—मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं. जहां तक बहस होती रही है वहां तक तो ठीक था. अब राव बहादुर भिडे साहब ने खिलाफ कवायद मजलिस आम इस सवाल को कॉन-फरेन्स में रखना तजवीज किया है. यह सवाल कॉन्फरेन्स में उस वक्त रखा जा सकता है जब मुजव्विज साहब अपनी तजवीज वापिस लेलें वर्ना सब-कमेटी कायम की जावे.

प्रेसीडेन्ट साहब.—सवाल नंबर ११ के मुतअल्लिक काफी बहस होचुकी है. ब जाहिर ज्यादातर लोगों की यह राय है कि मुजव्विज साहब ने जो तजवीज पेश की है उससे सब को इत्तफाक है. साहिबान वोट दें.

(इसके बाद वोट्स लिये गये.)

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि इस तजवीज पर गौर करके रिपोर्ट पेश करने के लिये हस्ब जैल मेम्बर साहबान की एक सब-कमेटी कायम की जावे:—

फायनेन्स मेम्बर साहब	प्रेसीडेन्ट.
जामिनअली साहब	मेम्बर.
रामजीदास साहब	,,
चतुरभुजदास साहब	,,
बाबा साहब	,,
जगमोहनलाल साहब	,,
पुस्तके साहब	,,
महन्त लक्ष्मणाचार्य साहब	,,
दामोदरदास साहब.	,,

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर १२.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कानून बैंक्स, संवत १९८२, के दस्तूरुल अमल की कलम नंबर २९, जिमन (२) में जो ३ पाई फी रुपया सूद शख्सी कर्जे पर लिये जाने का ईमा है वह शरह सूद कम किया जावे और आयन्दा इस शरह के कायम किये जाने के लिये एक सब-कमेटी कायम की जावे जोकि इस मुआम्ले पर गौर करके मजलिस हाजा में रिपोर्ट पेश करे.

चतुरभुज दास साहब.—हुजूर आली! जो सब-कमेटी सवाल नंबर ११ के लिये मुकर्रर हुई है वही इस सवाल के वास्ते मुकर्रर की जाय तो यह सवाल भी हल हो जायगा.

गुरुदयाल साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

ठहराव—यह सवाल भी सवाल नंबर ११ के साथ गौर करने के लिये सब-कमेटी के सुपुर्द किया जाय.

फर्द नंबर १ तजवीज नं० १३.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बगरज इखलाक आम्मा नाबालिगान लडकों के लिये नशैली चीजें मस्लन भांग, गांजा, अफीम व तमाखू पीने बाबत और इनके हाथ बेचने बाबत कानूनन रोक होना निहायत फायदेमन्द होगा.

बद्रीनारायण साहब—हुजूर आली ! मैं जहां तक ख्याल करता हूं नशैली चीजें आम लोगों को नुकसान देह हैं, ताहम नाबालिग बच्चों को तो अत्यंत हानिकर व उनके भविष्य की उन्नति की घातक हैं. भविष्य की तमाम आशाएं पूरी होना इन्हीं बच्चों पर निर्भर हैं और बच्चों को कुसंग दोष से ये बीमारी घेर लेती हैं और धीरे २ भयंकर रूप धारण कर लेती हैं इससे बुद्धि कमजोर होजाती है. जितनी भी नशैली चीजें हैं उनका प्रभाव गर्म होने से पहिले तो वह बुद्धि की मात्रा को बढाती हुई नजर आती हैं लेकिन अंत में बुद्धि को कमजोर व शरीर को आलसी बना देती है, यह अनुभव की बात है. जैसे बुझने वाला दीपक पहिले एकदम बढता है और पीछे धीरे २ मंद होकर बुझ जाता है, इसी प्रकार इन नशैली चीजों से बुद्धि मंद होजाती है और बालक विद्या प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं. इसी प्रकार तमाखू, बीडी पीना, जिसे आज कल न्यू पार्टी ने शानदार आदत में दाखिल कर लिया है, बच्चों के दिल पर बहुत बुरा असर करती है, यानी धुवां अंदर जाकर जम जाता है और इससे भविष्य में भयंकर बीमारियां होती हुई देखने में आई हैं. इसीलिये इस तजवीज को पेश करते हुए गुजारिश करता हूँ कि अगर नाबालिग बच्चों के हाथ इन चीजों को बेचने बाबत और इन चीजों को इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिये कानूनन रोक कर.र दी जाकर कुछ सजा का भय बतला दिया जावेगा तो अवश्य खुले आम इन चीजों को काम में लाने की रोक हो जाने से बच्चों का भविष्य सुधर सकेगा.

हमारी तमाम उन्नति इन्हीं बच्चों पर मुनहसिर होने से यह तजवीज पेश की गई है. अगर मेम्बर साहबान मजलिस को यह बातें अच्छी लगें तो गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करने की तकलीफ फर्मावें.

कृपाशंकर साहब:—मैं इसकी ताईद करता हूं और इसी के साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह सवाल उस तबके से तअल्लुक रखता है, जो आयन्दा मैदाने अमल में आने वाला है. तम्बाकू ऐसी चीज है जिस से दिमागी हालत खराब हो जाती है और आयन्दा तरक्की के लिये सद्दिराह होजाती है. बसा औकात यह देखा गया है कि मदरसे के मास्टर भी चुरट सिग्रेट का इस्तैमाल करते हैं. औकात तालीम के वक्त वह लोग ऐसे कामों से रोके जावें जिसका असर मासूम बच्चों पर पडता है और उन लडकों पर जो जेर तालीम हैं और जिन से तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं इसकी पाबन्दी होना मुनासिब है.

ट्रेड मेम्बर साहब:—प्रेसीडेन्ट साहब ! यह तो खुशी की बात है कि यह सवाल फिर मजलिस आम में पेश हुवा. यह नया सवाल नहीं है. जो मेम्बर साहिबान ३ साल पहले मजलिस आम की मेम्बरी का फख्र पा चुके हैं उनको याद होगा कि यह सवाल सन १९२० की मजलिस आम में भी पेश होकर उस पर बहुत मुबाहिसा हुआ था, जिसका लिटरेचर मजलिस आम की प्रोसीडिंग्स में मौजूद है, इसलिये मैं उसका सिर्फ हवाला देता हूं. उसके मुआफिक

व खिलाफ जो जो ख्यालात थे वह प्रोसीडिंग्स में दर्ज हैं, मैं उनके दोहराने की जरूरत नहीं समझता. जिनको जरूरत महसूस होती हो वह सन १९२० की प्रोसीडिंग्ज को मुलाहिजा करें जिसमें वजाहत के साथ जो दलीलें दर्ज हैं वह मालूम हो जायेंगी स्कीम या तजवीज कितनी भी उम्दा हो और हमारा ख्याल कितना ही अच्छा हो लेकिन उसी के साथ यह भी देख लेना जरूरी है कि वह ख्याल यानी सिर्फ ideal ही है या practical (अमली) भी है या नहीं, यानी उस स्कीम पर अमल किस हद तक हो सकता है और वह ठीक ठीक चल निकलने के काबिल होगी या नहीं. इस सवाल के दो जुज हैं—(१) नशीली चीजें पीने से रोका जावे, (२) कमसिन बच्चों को ऐसी चीजें बेचे जाने की बाबत रोक की जावे. ब जाहिर ख्याल यह होता है कि बेचने के मुतअल्लिक कानून वजा करना आसान है, अगरचे उसके अमल दरामद करने में भी दिक्कतें पेश आती हैं. जब सन १९२० ई० में यह सवाल पेश हुआ था कि नशीली चीजें कमसिन नाबालिग बच्चों के हाथ न बेचना चाहिये, तो उस वक्त भी एक दिक्कत यह पैदा हुई थी कि नाबालिग किसको माना जा सकता है. नाबालिग एक खास उम्र के शख्स को माना जाता है, लेकिन बाज औकात एक शख्स सूरत शक्ल से देखा जावे तो बालिग मालूम होता है, हालांकि असलियत में वह नाबालिग होता है. इसी तरह बालिग नाबालिग मालूम होता है. बावजूद इस किस्म की दिक्कतों के यह मान लिया जा सकता है कि बेचने के मुतअल्लिक कोई कयूद कायम कर देना आसान है, मगर पीने के मुतअल्लिक क्या हद कायम की जा सकती है, यह बात जरा गौर करने के काबिल है. पीने के मुतअल्लिक लेजिस्लेशन मुजव्विज साहब के जहन में होगा, यानी किस तरह का लेजिस्लेशन मुजव्विज साहब चाहते हैं. बेचने का तो ऐसा है कि दूकानदार से कह दिया जावे कि वह बच्चों को न बेचें. पीना मकान और दूकान पर, बाहर और भीतर हो सकता है. पीने के मुतअल्लिक अमली शक्ल क्या होगी यह समझना चाहता हूं. इस सवाल का जवाब मालूम होने पर आयन्दा बहस हो सकेगी.

कृपाशंकर साहब—हुजूरवाला, अभी मैंने इस पर गौर नहीं किया है कि पीने की निस्बत क्या क्या इन्तजाम पेश आवेंगे, इसलिये सरेदस्त जो पूछा जाता है उसका जवाब नहीं दिया जा सकता. इस वक्त जितना कि मेरा ख्याल था वह मासूम बच्चों तक महदूद है, आगे को सोचना पडेगा. फिलहाल मेरा मकसद उन बच्चों से है, जो जेर तालीम हैं और हमारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं. सहल सा इलाज है कि मदरसे के अहाते में दूकान बीडी, सिगरेट, पान वगैरा की हैं वह उठा दी जावें और उनके मास्टर जो निगरां हैं वह ऐसे कवायद और जवाबित पर पाबन्द किये जावें कि वह अय्याम तालीम में और वक्त तालीम में बीडी, सिगरेट बिल्कुल इस्तेमाल न करें. बच्चों की आदत व तबियत ऐसी होती है कि जब वह अपने मास्टरों को ऐसा करते देखते हैं तो उन पर भी उसका असर पडता है और चूंकि नशीली चीज बच्चों के दिमाग के लिये मुजिर साबित हुई है इसलिये इसकी पाबन्दी होना चाहिये.

ट्रेड मेम्बर साहब—हमारे कहने की मुराद यह थी कि दो जुजों में से एक जुज ऐसा मालूम होता है कि जिसका अमली इन्तजाम हो सकता है. दूसरे जुज के अमली इन्तजाम पर गौर किया गया तो वह दिक्कत तलब मालूम होता है. तीसरी बात जो मुजव्विज साहब ने तजवीज को पेश करते हुए जाहिर की है कि मदरसेजात में बाज दफा मुदर्रिसान व अध्यापक साहबान खुद ही बच्चों के सामने सिगरेट वगैरा इस्तैमाल करते हैं, जिसका बुरा नतीजा होता है, उसकी कानूनन रोक होना चाहिये. मैं वाकई में मुजव्विज साहब का बहुत मशकूर हूं कि वह इस अम्र को मेरे नोटिस

में लाये. ऐसा कोई वाक़ा मेरे सामने नहीं आया. अगर ऐसा होता है तो उसका इन्तजाम डिपार्टमेन्ट से बरवक्त होना मुमकिन है. जिस बात का तजकिरा किया गया है वह वाकई बहुत अहम बात है. नाबालिग और कमसिन बच्चों के सामने बुजरगों की जानिब से कोई ऐसा फेल नहीं होना चाहिये जो उनकी जिन्दगी पर बुरा असर डाले, लेकिन इस बात पर भी गौर होना जरूरी है कि बच्चे मास्टरों और अध्यापकों के पास चन्द घन्टों तक रहते हैं. अगर किसी की जानिब से खिलाफवर्जी होती होगी तो उसका इलाज हो सकता है. मगर यह हालत तो ४-५ घन्टे की है. उन २१ घंटे के लिये क्या किया जावे जिनमें बच्चे मदरसे के अलावा रहते हैं. जो बात मुदर्रिस के लिये लागू है, उससे कई गुना ज्यादा उन लोगों से लागू होना चाहिये जिनके पास २१ घंटे रहने का इत्तफाक होता है. क्या आपकी यह सिफारिश है कि जिन लोगों में बच्चों का बाकी वक्त गुजरता है उनके लिये कोई कायदा बनाया जावे, या यह सिर्फ तजकरन जिक्र किया गया है. मुझे सिर्फ इस तजवीज के मुतअल्लिक जो एक ख्याल होता है वह महज यह है कि पीने के मुतअल्लिक कायदा या कयूद कायम कर देना बहुत आसान है मगर उस पर अमल होना मुश्किल है. रहा बेचने के मुतअल्लिक, तो उसकी सूरत यह है कि एक्साइज के ठेकेजात के जो कवायद हैं उनमें यह हिदायत मौजूद है कि नाबालिग बच्चों को अशियाय मुनश्शी फरोख्त न करें. इसकी बाबत ठेके के लायसेन्स में व कानून में कैद डाल दी गई है. पीने के मुतअल्लिक उस वक्त भी जब कि यह मुआम्ला पेश्तर इस मजलिस में आया था, ऐसी राय कोई कायम न हुई जिससे यह सवाल हल होकर कोई इन्तजाम हो सकता, और न अब कोई अमली पहलू नजर आता है. इसका दारोमदार इस पर रक्खा गया है कि जो नकायस नशे से पैदा होते हैं उनकी खराबियां जनता और नेता को महसूस करना चाहिये, वह साधारण जनता में भी फैल जावेंगे. अगर दस्तन्दाजी की जावे तो उनको नागवार गुजरेगा.

चतुरभुजदास साहब—हुजूर आली ! इस तजवीज की ताईद के सिलसिले में जो खराबियां बताई गई हैं उनकी बिना पर जरूरत महसूस की जाती है कि दरअसल जिस अम्र के रोक की इस्तदुआ की गई है, ऐसी रोक करने की जरूरत है. मेरे ख्याल में ऐसी रोक करना ना मुमकिन नहीं है. हमारे पास दूसरे ताजीरी कवानीन इसी किस्म के मौजूद हैं. मस्लन जो शराब या अफयून एक्साइज की न हों उनको कब्जे में रखना या पीना जुर्म करार दिया गया है, उसकी रोक हो रही है. फलां शख्स फलां उमर तक न पी सके, जहां तक मैं ख्याल करता हूं, तजवीज के मानी यह नहीं हैं बल्कि उसकी मन्शा यह है कि ऐसे ताजीरी कवानीन जारी कर दिये जावें जैसे कि अफयून कब्जे में न रहे वगैरा २. यह ख्याल नहीं है कि कतई रोक हो जावेगी बल्कि गरज सिर्फ इस कदर है कि इस किस्म के कानून जारी होने से आहिस्ता २ रोक होगी, शुरू में खिलाफवर्जी जरूर ही होगी.

लक्ष्मी नारायण साहब—मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं और वह इस वजह से कि छोटे छोटे, नन्हे नन्हे बच्चों को बिल उमूम उनकी वाल्दा अफयून खिलाया करती हैं ताकि वह बच्चे आराम से सो सकें और उनकी मातायें काम कर सकें. गरीबों में अकसर बच्चों को अफयून दी जाती है और बच्चे सो जाया करते हैं. ऐसी सूरत में अगर बच्चों को नशीली चीजें पीना खाना जुर्म करार दिया जावेगा तो उन मां बाप का फेल जुर्म करार पावेगा. लिहाजा ऐसी रोक करना, जिसका असर बडी भारी जनता पर पडे, मैं मुनासिब नहीं समझता.

चतुरभुजदास साहब—प्रेसीडेन्ट साहब ! मैं इसकी इजाजत चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अफयून न दिये जाने की बहस गैर जरूरी है.

रामेश्वर शास्त्री साहब—जो सवाल आपने उठाया है यह उनके लिये एक दवा है, यह इस सवाल से संबन्ध नहीं रखती, महज उनको आराम के लिये दी जाती है.

चतुरभुजदास साहब—यहां दवा का सवाल नहीं है, नशे का सवाल है. जब कानून बनाया गया तो नशा खाने वालों को सजा होगी.

नवाबअली साहब.—यह बात सब को बुरी महसूस होरही है कि बच्चे जो एक पैसा अपनी वाल्दा से लाते हैं वह बीडियां और सिगरेट में सर्फ करते हैं. यह सवाल म्युनिसिपल बोर्ड लश्कर में भी उठाया गया था. बहर हाल यह जरूरत तमाम शहर में महसूस हो रही है, इसकी रोक का होना जरूरी है. कानून बनाते वक्त काफी गौर कर लिया जाता है. जुर्म के पता लगाने में और साबित कराने में क्या क्या दिक्कतें वाकै होती हैं, मेरे लायक दोस्त ने यह बताया है कि सैकडों आदमी इस्तैमाल करते हैं, सैकडों पास रखते हैं, गिरफ्तार होते हैं तो सजा होती है, उस काम में रफ्ता रफ्ता रुकावट होती है. अलानिया काम में मामूली रोक से भी फायदा होता है. अगर १० लडके इस्तैमाल करते हैं तो ५ छोड जावेंगे और बकिया जो करेंगे वह छुप कर करेंगे. मेरी राय में यह तजवीज मुनासिब है, मंजूर होना चाहिये.

अष्टे वाले साहब.—मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं. इसका यह सबब है कि बहुत से कानून बनाने के लिये मजलिस में पेश हैं. बदचलन औरतों के सवाल की सब-कमेटी मुकर्रर हुई है. अब आगे यह प्रपोजल है कि त्योहारों के दिनों में नशे की चीजें बन्द की जावें. बडे बडे नेशन्स जो जो अहम काम कर रहे हैं वह सब इस देश में गोया होगये है अब सिर्फ यह जरा जरासी बातें रह गई हैं लिहाजा इनकी निस्बत कानून बना डाला कि होगया. कानून बनाया जावे तो वह ऐसा होना चाहिये जैसे अमेरिका में शराब के रोकने के लिये बनाया गया है. पेश्तर अहम बातें हाथ में लेना चाहिये नहीं तो अभी जाहिर किये मुताबिक एक के बाद दूसरे सवाल उठाये जावेंगे तो सवालों की इज्जत कम हो जायगी. अब जो जो बातें पास होगई हैं उनका नतीजा देख लेना चाहिये. ऐसा नहीं होना चाहिये कि रोज नये कानून बना करें. मस्लन आजकल डाक्टर कहते हैं कि दिन को नहीं सोना चाहिये, अगर ऐसा ही कानून बनाना है तो इसका भी कानून बना लिया जावे, ज्यादा रोटी खाने से खराबी है लिहाजा इसका भी कानून होना चाहिये. बात बात का कानून होना चाहिये. यह प्रपोजल भी इसी किस्म का है और फिलहाल इसके लिये कानून बनाने की जरूरत नहीं है.

ट्रेड मेम्बर साहब.—जिन साहबान को इस मसले के मुतअल्लिक ख्याल जाहिर करना थे वह जाहिर कर चुके. यह सवाल सन १९२० ई० में तय हो चुका था कि दरबार की एक्साइज पॉलिसी क्या है. नशेबाजी का कहां तक सिलसिला रियासत में था और आयन्दा किन लाइन्स पर एक्साइज की पॉलिसी रहे, इसके मुतअल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है. इसी नोटिफिकेशन में दर्ज की हुई पॉलिसी साल ब साल जारी है और कुछ न कुछ कयूद इस किस्म के बढाये जा रहे हैं कि जिस से रोक हो. मेम्बर साहबान पर दरबार के कवाअद पूरे तौर पर जाहिर हैं. इस सवाल पर गौर करते वक्त एक नजर इस तरफ भी डाल ली जावे कि पॉलिसी किन लाइन्स पर है और तजवीज पेश करदा अमल में लाने में क्या क्या दिक्कतें हैं. नशीली चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम होनी चाहिये, इसी पॉलिसी पर गवर्नमेन्ट का सारा इन्तजाम है. रहा सवाल इसका कि नशे की चीजें नाबालिग के हाथ न बेची जावें तो यह बात किसी साहब के नोटिस में आवे तो हुक्काम मुकामी एक्साइज को इत्तला मिलने पर मुनासिब सजा बेचने वालों को दी जा सकती है. पीने के मुतअल्लिक लश्कर

म्युनिसिपेलटी में कोशिश की गई कि एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से इसकी रोक हो. चुनांचे म्युनिसिपेल्टिटी, पुलिस और एजूकेशन अथॉरिटीज तीनों को इख्तियार दिया गया है कि अगर नाबालिग के हाथ में ऐसी चीजें हों तो जब्त करलें.

खान्दानी बच्चों के लिये दरबार से अहकाम जारी हो चुके हैं कि ऐसा अमल होने पर दरबार के नोटिस में लावें. यह अहकाम नाफिज हैं, लेकिन कागज पर ही हैं; क्योंकि यह अहकाम ऐसे नहीं जो अमली तौर पर आसानी के साथ तामील में लाये जा सकें. एक सूरत आपके रूबरू और पेश की जाती है, वह यह है कि नाबालिग बच्चे खुद तो खाते ही नहीं हैं. उनके वालदैन उनको नक्दी पैसा अगर न देवें तो वह ऐसी चीजें नहीं खरीद सकते. बजाय नक्द पैसा देने के जरूरियात की चीजें मुहय्या कर देना चाहिये और यह इन्तजाम खुद बच्चों के सरपरस्तों के करने का है. किसी साहब ने यह जाहिर नहीं किया कि जो खराबी बतलाई जाती है वह किस मुकाम पर किस दर्जे तक जारी है कि कमसिन बच्चे नशे करने के, सिगरेट, बीडी पीने के आदी हैं. एक आद बच्चे को देख कर दीगर सब के लिये कहना कि उनकी खराबी हो रही है ठीक नहीं है. बडी खुशी की बात है कि तमाम साहबान की इस तरफ तवज्जुह होरही है. कानून की जो कैफियत थी वह बयान करदी गई है.

अष्टेवाले साहब—एक तजवीज मजलिस के सामने रखता हूं कि जो लडके १६ सालसे कम उम्र के हों उनको देख लेने पर किसी म्युनिसिपल मेम्बर के पास भेजा जावे और उनको हिदायत दिलवाना चाहिये. दूसरे जो छोटे २ बच्चे होते हैं उनके लिये इश्तहार के द्वारा हिदायत कराई जाना चाहिये कि उनके वालदैन उनको अफयून न खिलावें, माजूम वगैरा लेने की जरूरत नहीं.

गुरुदयाल साहब—हुजूर आली, यह अम्र कि बच्चे सिगरेट बीडी छोटी उम्र में पीते हैं, मान लिया गया है और इसके लिये कुछ अहकाम हिदायती जारी भी किये गये हैं. ऐसा देखा जावे तो फिल वाकई किस शख्स की ऐसी गरज होती है कि उनकी निगरानी करे. मां बाप से व उस्ताद से छिपकर पीते हैं और पाखाने में छिप छिप कर पीते हैं. छै २ सात २ बरस के बच्चे भी पीते हैं. देखना यह है कि ऐसा अमल जो जारी है क्या उसकी रोक नहीं हो सकती, जबकि यह इख्तियार दिया गया है कि बीडी देखने पर छीनली जावे. मगर जबतक कोई तदारुक न होगा रोक नहीं हो सकती है. जहां खौफ नहीं है वहां इन्तजाम नहीं है, उसकी रोक होना और उसके लिये सजा का होना एक लाजिमी अम्र है.

मथुराप्रसाद साहब—म्युनिसिपल बाउण्डरी के अन्दर तो इन्तजाम किया जावे लेकिन देहातों में जहां खुद बच्चों के बुजुर्ग बच्चों को तम्बाखू पीना सिखाते हैं, अगर कानून किया जायगा तो दिक्कत वाके होगी. जब तक एजूकेशन नहीं बढेगा, कुछ न होगा

महन्त लक्ष्मणदास साहब—इसका कानून बना बनाया है. नशों की रोक का कानून धार्मिक शिक्षा है. जिन घरों में और जिन जातियों में धर्म शिक्षा का जोर है वहां ऐसी चीजें नहीं जा सकती. जैसे श्रीरामानुज सम्प्रदाय व बल्लभ संप्रदाय व सिख संप्रदाय में यह चीजें इस्तेमाल नहीं होती. धार्मिक ग्रंथों में भी उसके इस्तेमाल की मनाई है. जहां धार्मिक शिक्षा चल रही है वहां इसकी मनाई की जरूरत ही नहीं. हां, जहां धार्मिक शिक्षा नहीं वहां कानून भी कुछ नहीं कर सकता, घर में जाकर पिता का झूंटा हुक्का गुड गुडायेंगे. जहां मातायें भी तम्बाकू पीने वाली हैं वहां इस कानून का बच्चों पर क्या असर हो सकता है. मैं समझता हूं कि जैसा श्रीमान ट्रेड मेम्बर साहब ने

कहा है, अध्यापकों का साथ सिर्फ पांच घंटे का और घर के लोगों का साथ १९ घंटे रहता है, जब जड में ही कीडा लगा है तो डगाली को कैसे बचा सकते हैं. कुछ भी कानून बनाया जाय बगैर धार्मिक शिक्षा के इसकी रोक नहीं हो सकती, इसलिये इस तजवीज की जरूरत मालूम नहीं होती.

प्रेसीडेन्ट साहब—सवाल नम्बर १३ के मुतअल्लिक ट्रेड मेम्बर साहब ने जो कुछ दिक्कतें बतलाई हैं और जो कुछ इन्तजाम इस वक्त जारी है वह सब आपके सामने जाहिर किये. इस पर से चन्द मेम्बर साहबान का ख्याल ऐसा है कि कानून की जरूरत नहीं और चन्द का यह ख्याल है कि कानून बनना चाहिये, इसलिये आप साहबान वोट दें.

(इसके बाद वोट्स लिये गये)

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि यह सवाल ड्रॉप किया जावे.

इसके बाद इजलास ३॥ बजे खत्म किया गया और प्रेसीडेन्ट साहब ने फर्माया कि ब रोज बृहस्पत तारीख ३१ मार्च सन १९२७ ई० को मजलिस का इजलास १२ बजे दोपहर से शुरू होगा.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार.

सम्वत १९८३.

सेशन छटवां.

इजलास सोयम.

गुरुवार तारीख ३१ मार्च सन १९२७ ई०, वक्त ११ बजे दिन,
मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार सर आपाजीराव साहब सीतोले, आंकलीकर के सी. ई. सी. आई ई, अमीरुल- उमरा, (वाइस- प्रेसीडेन्ट, कौन्सिल).

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट- कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीरे खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई., मुशीर-खास बहादुर, शौकतजंग, आर्मी मेम्बर.

४. श्रीमंत सदाशिवराव खासे साहब पवार, होम मेम्बर.

५. राव बहादुर रावजी जनार्दन साहब भिडे, मुन्तजिम बहादुर, फाइनेन्स मेम्बर.

६ अब्दुल करीम खां साहब, उम्तुलमुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

७. सरदार साहबजादा सुलतान अहमदखां साहब, मुन्तजिमउद्दौला, अपील मेम्बर.

८. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर साहब मुळे, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज, व मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

९. मेजर हश्मतउल्लाखां साहब, मेम्बर फॉर पब्लिक वर्क्स.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१. राय साहब सेठ मानिकचन्दजी साहब, ताजिरुल मुल्क, उज्जैन.

२. रामराव गोपाळ साहब देशपांडे, मोहम्मदखेडा (शुजालपुर),

३. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, वफादार दौलते सिंधिया, लश्कर.

४. मीर जामिनअली साहब, मौजा देरखी (भेलसा).

५. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.

६. ओंकारनाथ साहब, मुरार.
७. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुश्तरी (महगांव).
८. छतरसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).
९. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
१०. सूबालाल साहब, शिवपुरी.
११. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).
१२. बलवंतराव साहब बागरीवाले, भेलसा.
१३. सेठ लालचन्द साहब, राजगढ.
१४. बागमल साहब, आगर.
१५. मयाराम साहब, चन्दूखेडी, (उज्जैन).
१६. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.
१७. महंत लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवरा (अमझेरा).
१८. चौधरी नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.
१९. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, वकील, भिन्ड,
२०. हरभानजी साहब, मुरैना.
२१. सेठ अनंदीलालजी साहब, श्योपुर.
२२. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.
२३. चतुरभुजदास साहब, वकील, आगर.
२४. त्रिंबकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.
२५. गुरुदयाल साहब, वकील, मन्दसौर.
२६. कृपाशंकर साहब, मौजा बडिया (बाकानेर)
२७. रखबदास साहब, जौहरी, लश्कर.
२८. लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी, गुना.
२९. धुंडीराज कृष्ण साहब कष्टेवाले, उज्जैन.
३०. बिन्द्रावन साहब, भिंड.
३१. दामोदरदास साहब, शाजापुर.
३२. राव हरिश्चन्द्रसिंह साहब, बिलौनी.
३३. ठाकुर रघुनाथ सिंह साहब, चिरौला (परगना बडनगर).
३४. ठाकुर पहलादसिंह साहब, कालूखेडा (परगना मन्दसौर).
३५. शंकरलाल साहब, मुरार.
३६. मुरलीधर साहब गुप्ता, वकील, लश्कर.
३७. बटुक प्रसादजी साहब, वकील उज्जैन.
३८. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.
३९. मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी, लश्कर.

रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक फर्द नंबर १, तजवीज नंबर २, एजेन्डा मजलिस आम, बाबत हटाये जाने अड्डे (मुन्दर्जा जमीमा नंबर २).

रिपोर्ट सब-कमेटी पेश होने पर हस्ब जैल ठहराव हुवा:—

ठहराव.—कसरत राय से करार पाया कि रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की जाय और इस रिपोर्ट के मुताबिक कानून म्युनिसिपेलिटी में जो तरमीम की जावे उसकी इबारत लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से दुरुस्त करदी जावे.

एक गांव से दूसरे गांव को जाने के रास्ते दुरुस्त किये जाने के सवाल के मुतअल्लिक रिपोर्ट सब-कमेटी. (मुन्दर्जा जमीमा नंबर ३).

प्रेसीडेन्ट साहब.—रिपोर्ट सब-कमेटी मुतअल्लिक एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिये रास्ते की बाबत आप साहबान ने पढी होगी, उसके मुतअल्लिक अगर किसी साहब को कुछ कहना हो तो वह कह सकते हैं.

शंकरलाल साहब.—हुजूर आली ! एक गांव से दूसरे गांव तक रास्ता साफ होने के मुतअल्लिक जो रिपोर्ट सब-कमेटी पेश हुई है उसके अखीर में पैरा नंबर ४ में यह दर्ज है कि "नोटिस की अदम तामील की शक्ल में सेक्रेटरी व प्रेसीडेन्ट लोकल बोर्ड रास्ता दुरुस्त करादें और जो सर्फा हो वह जमींदारान मुतअल्लिका से मिस्ल मालगुजारी के वसूल किया जावे, और इस तौर पर सर्फा लोकल बोर्ड के फन्ड से तसलमात से दिया जावे. बाद वसूली के उसका जमा खर्च किया जावे." यह तजवीज पास हो जाने से ऐसे छोटे छोटे मौजे जिनकी मालगुजारी १०० रुपये से या ५०० रुपये से कम है उनके मालगुजारी से जायद सर्फा करने पर भी रास्ते दुरुस्त नहीं हो सकते. ऐसी सूरत में रास्ते अगर लोकल बोर्ड से दुरुस्त कराये जावेंगे तो या तो वसूली में दिक्कत होगी या जमींदार के ऊपर बहुत बडा बार आवेगा, जिसको वह अदा नहीं कर सकेंगे; लिहाजा इसमें इतनी तरमीम करदी जावे कि मालगुजारी की तादाद पर स्केल करार दिया जावे, यानी १०० के ऊपर कितने रुपये खर्च कर सकते हैं. मालगुजारी मौजे की आमदनी के हिसाब से कायम की जाती है, यानी ७० सरकार के, ३० जमींदार के;. इस तीस में से भी दो रुपये चौकीदारी फन्ड के निकल कर २८ रुपये रह जाते हैं. गांव के काम करने वाले लोगों को जो आराजी दी जाती है वह सेटिलमेन्ट में शामिल हो जाती है, उसका लगान मालगुजारी में शामिल हो जाता है तो गोया वह भी २८ में से मिन्हा हो जाता है. अलावा इसके और दीगर इखराजात उको २८ में से करना पडते हैं. रास्ते दुरुस्ती का इख्तियार अगर लोकल बोर्ड के सेक्रेटरी को दे दिया गया और सर्फा जो उसने किया हो वह मिस्ल मालगुजारी वसूल किया गया तो ऐसा करने में मालगुजारी में बेशी होगी; लिहाजा ऐसी हद मुकर्रर की जाय कि जिससे सर्फा आसानी से वसूल हो जावे.

जमींदारान की हालत वैसे ही खराब है, अगर ज्यादा सर्फे का बार उनके ऊपर लोकल बोर्ड के जर्ये से डाला जायगा तो तामील नहीं होगी. ज्यादती सर्फे की वजह से छोटे जमींदारान बहुतसी बातों की तामील से कासिर रहते हैं. २ रुपये सैकडा मालगुजारी से ज्यादा सर्फे का बार उनके जिम्मे न डाला जावे.

चतुरभुजदास साहब.—हुजूर आली, मैं शंकरलाल साहब की तवज्जुह सब-कमेटी की रिपोर्ट पर दिलाना चाहता हूं. यह अमर मुसल्लिमा है कि जिन रास्तों की दुरुस्ती का बार जमींदारान पर डाला जा रहा है यह उनके मुआहिदे में शामिल है जो माबैन गवर्नमेन्ट व जमींदारान करार पाया है. जिन मवाजियात में मुनाफा कम है, वहां ऐसे सर्फे का बार बाइस सख्ती होगा, इसलिये किसी खास मौजे की मालगुजारी की तशखीस के करते वक्त इन तमाम बातों का लिहाज रखना चाहिये. जो दिक्कतें शंकरलाल साहब ने बताई हैं वह दरअसल दिक्कतें हैं या नहीं, यह बरूये मुआहिदा गवर्नमेन्ट साफ कराना लाजमी है.

(इसके बाद वोट्स लिये गये).

ठहराव.—कसरत राय से रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की गई.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर १४.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

यह हुक्म सादिर फरमाया जावे कि त्योहारों के अय्याम में आशिया मुनश्शियात की दूकानात कतई बन्द रहा करें.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर वाला! इस किस्म की अशियाय के मुतअल्लिक इस मजलिस में इससे पहिले कई मरतबा बेहस हो चुकी है. गवर्नमेन्ट आलिया की तरफ से बतला दिया गया है कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट की यह पॉलिसी है कि नशे की आदत रफ्ता रफ्ता कम की जाय. इस पॉलिसी को मद्दे नजर रखते हुए यह देखना है कि वह तरीके क्या हो सकते हैं कि जिनसे लोग नशेबाजी की आदत को छोड दें. ऐसे तरीके दो हो सकते हैं-अव्वल तो अशियाय मुनश्शी की कीमत में इजाफा किया जाय, दूसरे इस किस्म के कयूद लगा दिये जावें कि जिनसे लोगों को इस किस्म की चीजें मिलने में दिक्कत हो. ऐसा करने से मेरे ख्याल में हर शख्स यह बात मानने के लिये तैयार हो जावेगा कि लोगों को ज्यादा तादाद में इस्तेमाल करने का मौका न मिलेगा. अगर त्योहार के मौकों पर अशियाय मुनश्शी की फरोख्त बंद करदी गई तो जरूर एक हद तक रोक होगी, क्योंकि आम तजुर्बा यह है कि ऐसे मौकों पर गैर मामूली तरीके पर लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

मैं मजलिस की वाकफियत के लिये अर्ज करता हूं कि सन १९२२ ई० में एक्साइज की बाबत एक सवाल मेरी तरफ से मजलिस में पेश हुआ था. जो साहबान उस वक्त उस मजलिस के मेम्बर थे उनको याद होगा कि उस सवाल के चौथे हिस्से के मुतअल्लिक ट्रेड मेम्बर साहब ने जवाब दिया था कि त्योहार के मौके पर लोग नशे की चीजों को दाखिल मजहब समझकर इस्तेमाल करते हैं. काछी, कुम्हार वगैरा को यह कहने का मौका मिलेगा कि हमारे मजहबी ताल्लुकात में दखल दिया जाता है. अमझेरा में होली के दो तीन दिन पहिले एक मेला होता था जिसमें भील जमा होकर शराब पीते थे. जो जवाब ट्रेड मेम्बर साहब ने दिया था वह सिर्फ मजहबी जजबात का लिहाज रखकर दिया था, इसके सिवाय और कोई वजह जाहिर नहीं की गई थी. लेकिन मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इस बात का लिहाज नहीं करना चाहिये, वर्ना इसलाह नहीं हो सकेगी. जईफुल ऐतकाद लोगों के जजबात का जो फिल वाकई सच्चे मजहबी उसूलों से गिरे हुए होते हैं, लिहाज करना इसलाह के लिये जरूरी नहीं होता, वर्ना सती, समाध व पाडों के जिबह करने की रोक नहीं

हो सकती थी. एक्साइज डिपार्टमेन्ट को कायम हुए अर्सा होचुका है. जिस वक्त यह सवाल पेश हुआ था उसको भी साडे चार बरस का अर्सा होचुका है, इस अर्से में कोई मजीद रोक इस्तेमाल मुनश्शियात की बाबत कायम नहीं की गई. लिहाजा मेरी इल्तिजा है कि अब साडे चार साल बाद यह रोक कायम की जाय. चूंकि गवर्नमेन्ट की पॅलिसी यह है कि रफ्ता रफ्ता नशेबाजी कम हो तो अब इस जरासी बात को मंजूर कर लेना ना मुनासिब न होगा. आखिर में मुझको यह महसूस होते हुए खुशी होती है कि आजकल एक्साइज डिपार्टमेन्ट का इन्तजाम जनाब मुले साहब के हाथ में है. राव साहब रिआया की जरूरियात व तकालीफ से बखूबी वाकिफ हैं उनके वसीअ तजुर्बा व आजाद ख्यालों से यह उम्मीद होती है कि total prohibition का उसूल जरूर इख्त्यार किया जावेगा, मगर इस दरमियानी जमाने के लिये मैं राव साहब से अपील करता हूं कि वह इसी मामूली तजवीज को मंजूर फरमा कर अपने इस नये अहदे हुकूमत के आगाज की रोशन यादगार कायम फरमावें.

पुस्तके साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं. जहां तमाम नशीली चीजों के इस्तेमाल के रोक की तजवीजें पेश होती हैं, इस जरासी तजवीज को मजलिस को मंजूर करना कोई बडी बात नहीं है. मुझे उम्मेद है कि कौन्सिल आलिया की तरफ से भी इस तजवीज को मंजूर फरमाया जावेगा.

चतुरभुजदास साहब—हुजूर आली ! मैं इस तजवीज की मुखालफत इस बिना पर करता हूं कि कल मजलिस ने कसरत राय से यह उसूल कायम कर दिया है कि नशे की रोक के लिये कानून जारी करना मस्लहतन व अमलन मुनासिब नहीं है.

कृपा शंकर साहब—हुजूर आली ! मैं ताईद करता हूं, जिस जगह तालीम और तहजीब का दौर दौरा होता है वहां इखलाकी असर हो सकता है. जहां बे इल्मी से साबिका हो वहां इखलाकी असर नहीं हो सकता; लिहाजा यह रोक होना जरूरी है.

लक्ष्मी नारायण साहब—मेरे लायक दोस्त जगमोहनलाल साहब ने जो फरमाया है मैं उससे इत्तफाक करता हूं. सवाल सिर्फ यह था कि नशे की चीजों के मिलने की बाबत रुकावटें की जावें. उसके जवाब में ट्रेड मेम्बर साहब ने यह फरमाया था कि गांजा, भंग, अफयून वगैरा लोग घरों में त्यौहार के पहले ज्यादा मिकदार में रख लेते हैं, हर जगह कहां तक कोई देखेगा. त्यौहार के मौकों पर नशे की चीजों के मिलने के बारे में ऐसी रुकावटें जरूर डालना चाहिये जिससे कि त्यौहार के मौकों पर नशेबाजी की रोक हो. त्यौहार के मौकों पर बाज लोग इस कदर शराब पीते हैं कि आपे से बाहर हो जाते हैं और कर्ज लेकर शराब पीते हैं. मुजव्विज साहब की तजवीज काबिल पास होने के है. मैं इसकी ताईद करता हूं.

रामेश्वर शास्त्री साहब—श्रीमान् ! मुझे कुछ अर्ज करना है, सवाल नंबर १३ व १४ दोनों के मुतअल्लिक रोक होनी चाहिये थी, मगर सवाल नंबर १३ इसलिये ड्रॉप होगया है. कि इसका अमल दरामद कठिन होगा. सवाल नंबर १४ की आसानी से रोक हो सकती है. अगर त्यौहार के मौकों पर नशे की दूकानात बंद रहेंगी तो वह लोग जिन में विद्या का विचार कम है और अपने नफा नुकसान को नहीं जानते, नशा वगैरा करने से बाज रहेंगे; इसलिये जगमोहनलाल साहब का सवाल काबिल पास होने के है.

महन्त साहब—यह सवाल जिस समय से मजलिस आमका जन्म हुआ है किसी न किसी रूप में हर साल आही जाता है. इससे यह प्रतीत होता है कि प्रजा को इस सवाल की जरूरत है. इस समय बाबू चतुरभुजदास साहब ने इस सवाल की मुखालफत की है. परन्तु नंबर १३ और १४ सवाल जुदे जुदे हैं. सवाल नंबर १३ गांजा, भंग, अफयून व तम्बाकू नाबालिग लडकों के हाथ न बेचने और वे इन चीजों को न इस्तेमाल करें इस विषय में था. उस सवाल में बीडी और सिगरेट नाबालिगों के हाथ न बेची जावें, इतना ही होता तो मैं सहर्ष ताईद करता. ऐसी तजवीज नामुकम्मिल कही जाती है जो बर वक्त तरमीम नियमासार नहीं हो सकती. नंबर १३ की बहुतेरी चीजें हर घर के लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे लडके बच नहीं सकते. साबिक जनाब ट्रेड मेम्बर साहब का बयान जो बाबू जी जगमोहनलाल साहब ने अभी सुनाया था उससे विदित होता है कि इस सवाल के पास करने की अब जरूरत है उदाहरण में अमझरे जिले में होली के त्योहार में भील कौम के भगूडिये होते हैं. पचीस पचास के लगभग भीलों की टोलियां बनती हैं और वह खुद ढोल कर नाचते और गाते हुए हाट बाजार और कस्बों में जाते हैं. इस भगूडिये में वे मनमानी शराब पीते हैं. इतना ही नहीं, ऐसे भगूडिये में वे पुरानी लाग डाट यानी दुश्मनी को याद रखते हैं. यदि दूसरी टोली में किसी का कोई दुश्मन है तो फिर वह तीरों से जंग मचा देते हैं और कत्ल होजाते हैं. पहले होली के भगूडियों में ऐसे वाके ज्यादातर हो जाते थे परन्तु चन्द अर्से से भगूडियों में हथियार बांधना मना हो गया है. इस सबब से कत्ल की वारदातें अब ज्यादातर नहीं होती तो भी कहीं कहीं संगीन वारदातें होही जाती हैं. अमझरे जिले से कई रियासतें लगी हुई हैं, उन सभी में भील बसते हैं. ऐसे मौके पर नशे की झोक में हाट बाजारों में भी गडबडी मच जाती है. अभी गये माह में कई अखबारों में प्रकाशित हुआ था कि मालवे के बलाई लोग अच्छी तादाद में अन्य धर्म में इसलिये जारहे थे कि होली के मस्तानों ने मन गढन्त कोई रस्म चला रहे हैं जिससे बलाइयों की तौहीन होती थी. यह वाका अन्य रियासत का मेका था लेकिन गवालियर का मालवा भी उस रस्म से खाली नहीं है, इससे कभी न कभी अंदेशा होना ही चाहिये. ऐसे त्योहारों के दिनों में शराब की दूकानें बन्द रहने से बहुत कुछ अमन अमान में मदद मिल सकती है. इस मौके पर जनाब ट्रेड मेम्बर साहब की दृष्टि शराब के ठेकेदारों पर जरूर पहुंचेगी कि उनका नुक्सान होगा, मगर मेरा निवेदन है कि ठेके देते वक्त इन बातों का ख्याल करके ही दिया जावेगा तो ठेकेदार भी खुश रहेंगे और दरबार का भी कोई नुक्सान न होगा. इसलिये ऐसे त्योहारों में शराब की दूकानें बन्द कराई जाने की मैं ताईद करता हूं.

नवाबअली साहब.—इस तकरीर का माहसल मैंने यह समझा है आर गालिबन यही मतलब है कि इसके इन्सदाद में दिक्कतों और मुश्किलों का सामना है. ट्रेड मेम्बर साहब इत्तफाक से इस वक्त ब हैसियत मेम्बर तालीम व मेम्बर म्युनिसिपेलिटी होने के हम लोगों की आदात व अखलाक के निगरां हैं व जहां तक मेरा तजरुबा है साहब मौसूफ का हमेशा ख्याल इस बात पर रहा है कि लोगों के अखलाक व आदात दुरुस्त हों और हर वक्त वह हमारी मदद व हिम्मत अफजाई करने के लिये तैयार हैं, लिहाजा यह दुरुस्त होगा कि दूकानदारान को मुमानियत की जावे कि वह त्योहारों के रोज अपनी दूकान बंद रखें. त्योहारों में अक्सर ऐसी बेउनवानियां होती हैं कि जिनसे तमाम खानदान को परेशानी होती है और त्योहार का मकसद पूरा नहीं होता. मसलन ईद का मौका है, एक खानदान का एक आदमी उस खानदान का बदनाम कुनिंदा है. वह शराब की बदमस्ती में तमाम खराबियां करता है. यहां तक कि उसको मसजिद तक नमाज को जाना मुश्किल हो जाता है. ग्यारस को हरचंद उपास होता है, जिसमें नाज तक खाना नामुनासिब समझा गया है, लेकिन वह ऐसी कार्रवाई करता है कि

नाज तो दरकिनार गांजा, भंग वगैरा इस्तैमाल करता है और झगडे फिसाद करता है. मुकदमात फौजदारी तक की नौबत आती है जिससे तमाम खानदान को परेशानी होती है. मेरे नजदीक, होली के जो फरायज हैं वह भी उनसे पूरे नहीं होते. बहालत नशा बेहोश घर में पडे रहते हैं मिलने वाले आते हैं उनसे भी नहीं मिलते या बहालत बेहोशी दूकान पर पडे नजर आते हैं. सर फोड लेते हैं, एक मजमा कसीर शराब पीने वालों का इकट्ठा करके बदमास्तियां करते हैं. अगर दावत भी करते हैं तो शराब की दावत करते हैं. अक्सर नालियों में पडे हुए नजर आते हैं. यही कैफियत भंग पीने वालों की है. गरजे कि जो खुशी हकीकी त्योहारों की होना चाहिये वह नहीं होती बल्कि पीछे से वह खुद पछताते हैं. मैंने दूसरे दिन नशा उतरने पर कहते सुना है कि हमने बुरा किया कि रुपया भी खोया और चोट भी खाई. अब चूंकि समाज में इस तरफ ख्याल गया है, उम्मीद है कि रफ्ता रफ्ता यह मुसीबत दूर होजावेगी. मैं जोर से कहने को तैयार हूं कि समाज में तरक्की होना शुरू होगई है. पब्लिक के नुमाइन्दा जो मौजूद हैं, ज्यादातर इसी बात से मुत्तफिक होगये हैं और मजलिस में कहने को तैयार हैं कि दरअसल इसकी रोक होना हमारी अखलाकी और माली हालत को दुरुस्त करना है. मैं मोअद्बाना अर्ज करना चाहता हूं कि मेम्बर साहब ट्रेड जो बहैसियत मेम्बर साहब तालीम व मेम्बर साहब म्युनिसिपेलिटी हमारे निग्रां हैं और वह जिम्मेदारी जो हम लोगों पर फर्दन फर्दन है वह मुजमिलन ट्रेड मेम्बर साहब की जात मखसूस से तअल्लुक रखती है, कुछ बातों पर गौर फरमाकर इस तजवीज की ताईद फरमावेंगे और हमारी नाचीज तजवीज को मंजूर करने की सिफारिश फरमायेंगे, ब कौलकि " **फिक्र हरकस बकद्र हिम्मत ओस्त** ". रिआया के लिये इस तजवीज के मुकाबले में दूसरी तजवीज नहीं हो सकती. एक वाका मेरी नजर से गुजरा है, जिसको नजीरन पेश करता हूं. मेरे इल्म व यकीन में कोई घोसी तालीम याफ्ता नहीं है जिनकी कमेटी में यह तजवीज पास होगई है कि शराब पीना कौमी जुर्म करार दिया जाय. एक घोसी ने इत्तफाक से शराब पीली. उसको यह खौफ था कि मेरी बिरादरी को यह हाल मालूम न होजावे, वर्ना डंड होगा. समाज उनकी निग्रानी किस तरह कर सकता है. जिस तरह एक समाज इन्तजाम कर सकता है वही तरीका गवर्नमेन्ट इख्त्यार कर सकती है इसलिये गवर्नमेन्ट से इस्तदुआ कीजाती है कि वह इस तजवीज को मंजूर फरमावें. जब यह ख्याल एक अदना तबके में जाहिल लोग महसूस करने लगे हैं तो गवर्नमेन्ट को इन्तजाम करना चाहिये, आसानी से गवर्नमेन्ट यह कर सकती है. मेरा माफी उज्जमीर सबके ख्याल में आगया होगा और ताईद करने में सब लोग इन्कार न करेंगे.

ट्रेड मेम्बर साहब.—प्रेसीडेन्ट साहब ! जो तजवीज इस वक्त पेश हुई है उससे और उसकी ताईद में जो तकरीरें हुई हैं उनसे कुछ issues का confusion होना पाया जाता है. यह बात मुसल्लिमा है कि हर शख्स चाहता है कि दुनियां से इस किस्म की evils (खराब बातें) निकल जावें यानी नशेबाजी इन्सान से बिलकुल मिट जावे, मगर पहला स्टेज यह है कि इन चीजों के जायज इस्तेमाल पर लोगों को लाना चाहिये. ज्यादती हम घृणा की नजर से देखते हैं और तमाम समाज के लोगों का ख्याल है कि ज्यादती मिट जावे, मगर साथही इसके उनका यह ख्याल है कि मुनासिब मिकदार में जो शरीर के लिये तकवियत देने वाली है अगर ली जाय तो नुकसान नहीं है. हम पैरोकार इस बात के हैं कि ज्यादती मिट जाये, अब इस बात को देखना है कि मकसूद क्या है और तजवीज उसको कहां तक हासिल करती है. मकसद यह नहीं है कि एक खास जमाने में या मखसूस दिनों में नशा करने से रोका जाये, बल्कि मकसूद यह है कि जो आदतन नशा करते हों उनमें कमी वाके हो. धर्मशास्त्र में जो प्रबंध रखे गये हैं और नियम बांध दिये गये हैं उनको देखा जाय तो किसी न किसी जमाने में कुछ न कुछ आजादी रखी गई है. खास खास

मौके रखे गये हैं कि जब अगर किसी को साधारण नशा करना हो तो वह कर सकता है तजवीज यह पेश की जाती है कि जो साधारण साल भर में एकाद रोज नशा पानी कर लेते हैं उनको भी ऐसे अय्याम में रोका जावे. इस तजवीज का यह असर होगा कि जायज से जायज तरीके पर इस्तेमाल करने वालों को दिक्कत होगी. जब लोगों को यह मालूम होगा कि दो चार रोज को दूकानें बन्द रहेंगी तो वह पेश्तर से इन्तजाम कर लेंगे और जहां चार आने की काफी होती तो वहां एक रुपये की खरीद कर रखेंगे. नशेबाजी बुरी है तो नशे की चीजें पास रखना और पेशगी खरीद कर रखना और भी बुरी बात है.

रामजीदास साहब.—मैं अपने दोस्त जगमोहन लाल की ताईद में खडा हुआ हूं. मेरे दोस्त ने जिन ख्यालात के साथ इस तजवीज की ताईद की है उससे कोई ख्याल बाकी नहीं रहता है. ट्रेड मम्बर साहब ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी चीजों की रोक की जावेगी तो दिक्कत का सामना होगा. मेरे ख्याल में यह दलील मानने के काबिल नहीं है कि त्योहार के जमाने में दूकान बंद रहने की सूरत में लोग पेश्तर खरीद करके रखेंगे; क्योंकि अगर वह इकट्ठा करके भी रखेंगे तो वह छिपा कर रखेंगे. जो शख्स पब्लिक से कुछ भी हमदर्दी रखता है वह इस बात की ताईद करेगा कि ऐसे मौकों पर दूकानें बंद करना चाहिये. ऐसे मौकों पर ऐसे शख्सों को आप बेहूदा बकते हुए पायेंगे जो शरीफ आदामियों की इन्सल्ट करते हैं. अगर वह हमारे नौकर भी हैं तो उन्हें कतई ख्याल नहीं रहता कि हमारे मालिक हैं या हमारे मालिक के मिलने वाले हैं. होली के मौके पर चपरासियान या नौकर जब होली जलाकर वापिस होते हैं, नशा शराब की हालत में यह ख्याल छोड देते हैं कि यह हमारे मालिक हैं या हम इनके नौकर हैं. शरीफ आदामियों के लिये बुरा भला कहना उनका मामूली काम होता है. दिमाग काबू में रखने की कतई ताकत नहीं रहती है. मैं ऑफिशियल मेम्बरों से इस्तदुआ करूंगा कि वह गवर्नमेंन्ट के हुजूर में अर्ज करें कि यह तजवीज निहायत मुनासिब है और अखलाकी तअल्लुकात से तअल्लुक रखती है, इसको जरूर मंजूर फरमाया जावे.

सिद्दीकी साहब.—इस तजवीज की ताईद और मुखाल्फित में जितनी तकरीरें हो चुकी हैं उनसे यही नतीजा निकलता है कि तजवीज जरूरी और लाजमी है. हुजूर वाला ट्रेड मेम्बर साहब की आखरी तकरीर से जो मैं समझा हूं, मुजव्विज साहब का यह मकसद नहीं है कि आदतन जो लोग पीते हैं उनकी रोक हो जायगी बल्कि यह ख्याल है कि त्योहारों पर जो ज्यादा पीते हैं उसकी रोक हो जायगी.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस सवाल के मुतअल्लिक बहुत कुछ बहस हुई और करीब करीब मुजव्विज साहब की तजवीज से आम तौर से इत्तफाक किया गया है; लिहाजा अब इस सवाल पर राय दी जाये.

ठहराव—कसरते राय से करार पाया कि तजवीज मंजूर की जाय.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर १५.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

महकमे कस्टम्स एन्ड एक्साइज की सालाना रिपोर्टों में शराब व दीगर अशिया मुनश्शी का खपत (Consumption) के ऐदाद सालाना दर्ज होने का इन्तजाम फरमाया जावे, जिनका दर्ज किया जाना कुछ अर्से से बंद होगया है, ताकि यह अन्दाज होसके कि अवाम में नशेबाजी की आदत कम हो रही है या नहीं.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला! इस तजवीज की गरज यह है कि मैं उसे सिलसिल को जारी कराना चाहता हूं कि जो चार पांच साल पहले जारी था. एक्साइज डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट देखने से जाहिर होगा कि ऐदाद कन्जम्पशन (consumption) सम्वत १९७७ तक एडमिनिस्ट्रशन रिपोर्टों में दर्ज हुआ करते थे. सन १९२२ ई० में मेरी एक तजवीज पेश हुई थी जिसके मुबाहिसे में ऐदाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टों से जाहिर किये थे. उस साल के बाद की जो रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी हैं उनमें मैं देखता हूं कि ऐसे ऐदाद का इन्दराज कम कर दिया गया है. इससे जाहिरा मकसद यह मालूम होता है कि पब्लिक को उसकी वाकफियत न हो. मगर मेरा यकीन है कि गवर्नमेन्ट का मकसद यह न होगा और ऐदाद के दर्ज न होने की वजह महज इत्तफाकिया होगी. यह महकमा पब्लिक की बेहबूदी के लिये है, फिर कोई वजह नहीं है कि ऐदाद consumption क्यों जाहिर न किये जावें, मेरी तजवीज मामूली है और उसके मंजूर करने में मुझे उम्मेद है कि गवर्नमेंट आलिया को कोई पसोपेश न होगा.

बटुकप्रसाद साहब—इनके शाया न होने से फिलहकीकत नुक्सान है. मैं तजवीज की ताईद करता हूं और यह अर्ज करना भी मुनासिब समझता हूं कि अगर आज ऐदाद मतलूबा मौजूद होते तो सवाल या सबक का तस्फिया करने व नतीजा निकालने में बहुत कुछ मदद मिलती और आज वह दिक्कत महसूस न होती जो हो रही है कि आया शराबनोशी की कसरत हुई है या किल्लत.

ट्रेड मेम्बर साहब—मैं नहीं समझा कि consumption के ऐदाद दर्ज नहीं होते हैं? यह कैसे कहा जा रहा है, दो साल की रिपोर्ट अभी शाया नहीं हुई हैं. बाकी हर रिपोर्ट में जो सम्वत १९८० तक शाया हो चुकी हैं ऐसे ऐदाद दर्ज हैं. मुजव्विज साहब और कौनसे ऐदाद चाहते हैं?

जगमोहनलाल साहब—मैं अर्ज करता हूं कि सम्वत १९७८ व संवत १९७९ की जो एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स मेरे पास पहुंची हैं उनमें ऐसे ऐदाद दर्ज नहीं हैं.

ट्रेड मेम्बर साहब—मकसद अगर यह है कि पब्लिक को हालात मालूम होते रहें तो ऐसे फिगर्स दरबार की जानिब से जो स्टेटिस्टिक्स शाया होते हैं उन में दिये जाते हैं. यह टेटिस्टिक्स हर

शख्स खरीद करके फायदा उठा सकता है. स्टेटिस्टिक्स में यह कुछ इनफार्मेशन दर्ज होती है और वह अलहदा छपते हैं. डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट में जो नक्शे छपते हैं उनके खाने यह हैं कि—

(१) ओपियम.

(२) लिकर शॉप.

(३) दीगर, एक्साइज एरिया वगैरा २.

गुरुदयाल साहब—सवाल यह है कि जिस उसूल पर पेश्तर सालाना रिपोर्ट में दर्ज हुआ करते थे वह किस मस्लेहत से अब दर्ज नहीं होते हैं. जो इन्दराज पहिले दर्ज होते थे तो वह अब भी होना चाहिये. मैं मुजव्विज साहब की राय से इत्तफाक करते हुए अर्ज करता हूं कि सालाना रिपोर्ट में यह ऐदाद भी शामिल कर दिये जाया करें.

ट्रेड मेम्बर साहब.—मैं तो यह समझता था कि यह मुआम्ला ज्यादे बहस का नहीं है. पहिले एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट की body में जो ऐसे ऐदाद दर्ज हुआ करते थे, अब किस वजह से बन्द किये गये, यह जिन्होंने तरमीम तन्सीख की है वह बतला सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट स्टेट का सरकारी कागज होता है. फलां बात एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में जब कभी नहीं शाया की जाती, इसके वजूहात जिन्होंने तरमीम तन्सीख की है वह बता सकते हैं; मसलन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट में पहिले १५ फॉर्म दिये जाते थे, अब इतने नहीं दिये जाते. इसी तरह एज्यूकेशन की रिपोर्ट में १० फॉर्म दिये जाते थे, अब दो फॉर्म दिये जाते हैं. अलावा एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के एक जुज सालाना रिपोर्ट बनाम Statistics शाया किया जाता है जिसमें मुफस्सिल नक्शे शाया होते हैं और वह प्रेस से कीमतन हासिल हो सकते हैं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—यह रिपोर्ट छपकर कीमतन प्रेस से पब्लिक को मिलती है, ऐसा जाहिर किया गया है तो ऐसी हालत में मुजव्विज साहब का जो मकसद है कि यह वाकफियत सबको मालूम होना चाहिये तो यह आपके कहने के मुताबिक रिपोर्ट से हासिल हो सकती है. ऐसी सूरत में अब इस सवाल को कन्सीडर करने की जरूरत है या नहीं ?

गुरुदयाल साहब.—सवाल क्या है, उसके समझने में गलत फहमी हुई है, फिर एक बार सुनना चाहते हैं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—सवाल यह है कि जिनको स्टेटिस्टिक्स की जरूरत हो वह प्रेस से हासिल कर सकते हैं, ऐसी सूरत में एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में छपने की जरूरत है या नहीं ? जब स्टेटिस्टिक्स अलहदा छपती ही हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में शाया होने की क्या जरूरत है.

(इसके बाद वोट्स लिये गये).

ठहराव.—कसरत राय से करार पाया कि यह तजवीज मंजूर की जावे.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर १६.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जो शख्स अफयून खाने वाले इलाके गैर से रियासत हाजा में आवें उनको दीगर इलाके की अफयून एक मुकर्ररा मिकदार तक अपने कब्जे में रखने की इजाजत दी जावे.

चतुरभुजदास साहब —हुजूर आली! इस तजवीज के मुतअल्लिक सरक्यूलर नंबर ५, संवत १९५९ महकमे ट्रेड, व सरक्यूलर नंबर ३, सम्वत १९७०, फाइनेन्स, जारी हो चुके हैं. जहां तक मैं ख्याल करता हूं ओपियम एक्ट से, जो बाद में जारी हुआ है, यह सरक्यूलर्स मंसूख होगए हैं. अगर मेरा ख्याल सही है तो ठीक है, वर्ना एक नया सरक्यूलर जारी फरमाया जावे और उसमें इलाके गैर से अफीम खाने वाले जो लोग रियासत हाजा में आते हैं उनके लिये अपने कब्जे में रखने की अफयून की एक मिकदार कायम कर दी जावे.

बागमल साहब —मैं ताईद करता हूं.

कृपाशंकर साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

ट्रेड मेम्बर साहब —प्रेसीडेन्ट साहब! मुझे यह ख्याल नहीं था कि कल जनाब फायनेन्स मेम्बर साहब ने जो एक किस्सा बयान किया था वह मुझे भी दोहराने की जरूरत पेश आयगी. इस सवाल के मुतअल्लिक भी वही मसला सादिक आता है कि एक शख्स की दो लडकियां थीं. एक की ख्वाहिश थी कि बारिश अच्छी हो, जिससे उसका बाग हरा भरा रहे और दूसरी की यह ख्वाहिश थी कि एक माह तक पानी बिलकुल न बरसे और धूप तेज पडे, जिससे उसके मिट्टी के बरतन जो अवे में दिये हुये थे खराब न हों. उनके पिता को इस बात का तरद्दुद हुआ कि किस लडकी की ख्वाहिश पूरी होने की ईश्वर से प्रार्थना करें, चुनांचे मजबूरन उसको ईश्वर की मर्जी पर छोडना पडा. जो सवाल इसके पेश्तर आया है उसमें जोर दिया गया है कि जो अशिआय मुनश्शी हैं उनकी फराहमी में दिक्कतें पैदा कर दी जायें और अब जो सवाल पेश है उसमें यह जोर दिया जारहा है कि इसके मुतअल्लिक सहूलियत कर दीजाय. कता नजर इसके यह मसला महज रियासत के हाथ में नहीं है. अफयून का रियासत से बाहर जाना, या रियासत में आना, यह मुताबिक उन कवाअद के है जो बाहम मुख्तलिफ गवर्नमेंट के तय पा चुके हैं. ऐसे कवाअद के वजा किये जाने के बहुत से वजूहात हैं जिनमें एक खास वजह यह है कि कोई शख्स एक इलाके से अगर दूसरे इलाके में अफीम ले जाय तो अगर दोनों जगह एक ही भाव हो, तब तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर भाव में फर्क है तो यह एक शक्ल smuggling की हो जाती है और smuggling कानूनन एक जुर्म है. जब तक मुतअल्लिका गवर्नमेन्ट से आपस में मिलकर इस पर गौर न किया जावे, इस मुआम्ले में कुछ नहीं हो सकता

शंकरलाल साहब.—हुजूर वाला! अभी तो यह बात बतलाई जारही थी कि त्योहारों पर नशीली चीजों का बिकना ही बंद कर दिया जाये और दूसरी तरफ एक तादाद अफयून की मुकर्रर किये जाने की दरख्वास्त की जा रही है. इन दोनों का आपस में विरोध है, इसलिये मैं मुजव्विज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस सवाल को वापिस लें तो ठीक है.

चतुरभुजदास साहब.—मैं इस बिना पर तो इस तजवीज को वापिस लेने को तैयार नहीं हूं कि एक तजवीज में नशीली चीजों की रोक चाही गई है और दूसरी में उसका encourage किया गया है. दरअसल यह encouragement नहीं है, बल्कि रोक का ही एक तरीका है, मगर जैसा कि ट्रेड मेम्बर साहब ने फरमाया है, अगर यह तजवीज पास हो गई तो smuggling जोर पकडेगा, दूसरे यह कि इसका तअल्लुक उस करारदाद से है जोकि बाहम रियासतहाय करार पाई है. इन वजूहात पर मैं इसे वापिस लेता हूं.

नोट—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर १७.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

उन नदियों पर, जहां उतराई का टैक्स वसूल होता है, रफ्ता २ पुख्ता पुल तैयार किये जावें, ताकि अवाम को माल के लाने व ले जाने में व नीज आमदरफ्त में सहूलियत हो.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला! रियासत में ऐसी बहुत नादियां हैं जहां लोगों से उतराई का कुछ टैक्स वसूल होता है. वहां ठेकेदार होते हैं जो मामूली कच्चा पुल बनाकर ऊपर झांकड डाल देते हैं, इससे लोगों को सख्त तकलीफ होती है. मैंने बचश्म खुद देखा है कि अगर गाडी पुल पर से पास होती है तो पहिये रेत में घुस जाते हैं. अगर दो चार गाडियें हुई तो एक गाडीबान दूसरे की मदद करके गाडियां निकाल ले जाते हैं लेकिन अगर एकही गाडी हुई तो सख्त दिक्कत होती है. इस तजवीज को पेश करने में मेरा मकसद यह नहीं है कि एकदम कुल नदियों के पुख्ता पुल बनवा दिये जायें, बल्कि उतराई की आमदनी में जैसी २ गुंजायश हो, रफ्ता २ यह काम किया जावे, लेकिन इस बारे में गवर्नमेन्ट अपनी पॉलिसी जाहिर करदे, यही इस तजवीज का मकसद है.

चौधरी ब्रिन्दावन साहब.—मुझे इस तजवीज से इत्तफाक है.

मेम्बर साहब पब्लिक वर्क्स—मुझे भी इस तजवीज से बिलकुल इत्तफाक है. फन्ड में जैसी जैसी गुंजायश होगी, पुल बनाये जावेंगे.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला! चूंकि मेम्बर साहब पब्लिक वर्क्स ने इस तजवीज को गवर्नमेन्ट की तरफ से मंजूर फरमा दिया है इसलिये अब इस पर मजीद बहस की जरूरत नहीं मालूम होती. मैं इस तजवीज को वापिस लेता हूं.

नोट:—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर १८.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

इमसाल के अनुभव से प्रत्यक्ष देखने में आरहा है कि कपास ज्याद व नाज कम बोने की वजह से इस वक्त मनुष्यों को नाज, व जानवरों को घास मिलना मुश्किल होगया है, इसलिये जर्ये सरक्यूलर प्रत्येक खातेदार को फी सदी ६० बीघे नाज बोनाही चाहिये, ऐसा कानून बना दिया जावेगा तो लोगों को व ढोरों को यह परेशानी का मौका नहीं आवेगा.

बद्रीनारायण साहब—हुजूर वाला ! जिस वक्त मैं यह तजवीज भेज रहा था उस वक्त रिआया के ढोरों की हालत बहुत नाजुक थी, यानी बेचारे गरीबों को नाज मिलना मुश्किल हो रहा था व ढोरों को नाज. मैं जहां तक ख्याल करता हूं मेरा ऐसा निश्चय होता है कि कुछ साल से कपास का भाव तेज होने से लोगों की रुचि कपास ज्यादे बोने की तरफ हो गई व नाज कम भाव का होने से कम बोने लगे. फल यह हुआ कि नाज मिलना मुश्किल हो गया, व अगर मिला भी तो बहुत तेज भाव से.

इसमें यह सवाल जरूर पैदा होना संभव है कि खातेदार की मर्जी मुताबिक फसल बोयेगा. सरकार तो ताजी लेने की जिम्मेदार है, इसमें दखल नहीं देना चाहिये. लेकिन हुजूर आली ! जरा बारीक दृष्टि से देखा जावेगा तो मालूम होगा कि नाज बोना काश्तकारों को कुछ कम फायदेमंद नहीं है, अव्वल तो खुद को खाने को साल भर तकलीफ नहीं उठाना पडती है, दूसरे ढोरों के खाने को कडबी इस कदर होती है जो साल भर तक मदद देती है. साल हाल में यही हाल हुआ. कपास ज्यादा बोया लेकिन पैदावार कम हुई, व भाव भी महा रहा इसलिये तौजी कर्जा व खाना, यह सब बार अकेले नाज पर ही आगये. मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि गल्ला से सरकारी रकम देने के बाद बहुत से काश्तकारों के घर में खाने को नाज नहीं रहा है. इन सब वजूहातों को दृष्टी गोचर रखते हुये मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि अगर सरकार फी सदी कम से कम ६० बीघे नाज बोना लाजमी करार दे देंगे तो रिआया तो बडी आसानी होगी और नाज की किल्लत कुछ साल में हमेशा के लिये निकल जावगी.

नोट:—चूंकि इस तजवीज की ताईद नहीं हुई, इसलिये यह तजवीज ड्रॉप की गई.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर १९.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कायदा टाउन कमेटी संवत १९७०, मन्सूख फरमाया जाकर जुम्ला टाउन कमेटीज, म्युनिसिपल कमेटी दर्जा सोयम करार दी जावें और एक्ट म्युनिसिपेलिटीहाय गवालियर, में इसकी बाबत जरूरी तरमीम की जावे.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर वाला ! इस सवाल को मैं वापिस लेने की इजाजत इस वजह से चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट गजट मुवर्रखे ४ अक्टूबर सन १९२६ ई०, के जर्ये कानून म्युनिसिपेलिटीज में तरमीम करदी गई है और टाउन कमेटियां थर्ड क्लास म्युनिसिपेलटियां करार देदी गई हैं, इसलिये अब इस सवाल की जरूरत नहीं रही.

नोट.—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नंबर १ तजवीज नंबर २०.

यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

दफा २० (३) म्युनिसिपल एक्ट मन्सूख की जावे और हर म्युनिसिपेलिटी में एक्स-ऑफिशियो मुस्तकिल प्रेसीडेन्ट की अदम मौजूदगी में वाइस-प्रेसीडेन्ट को प्रेसीडेन्ट का चार्ज रहने का प्रॉविजन रक्खा जावे.

चतुरभुजदास साहब.—इस तजवीज के भेजे जाने के बाद कानून म्युनिसिपेलिटीज के मुतअल्लिक करेक्शन स्लिप नंबर ४, संवत १९८३, जारी हो चुका है और उसमें पहिले दफा २० की जिमन (३) के बजाय जिमन (५) यह दर्ज की गई है कि "अगर कोई प्रेसीडेन्ट ब एतबार ओहदा मुकर्रर किया जाय तो वह शख्स जो बरवक्त ओहदे मजकूर पर मामूर हो, उस कमेटी का प्रेसीडेन्ट होगा". जहां तक इस जिमनी दफा की मन्शा मैं समझता हूं उसके मानी यह हैं कि अगर मुस्तकिल प्रेसीडेन्ट रुखसत पर हैं और चार्ज सूबा या तहसीलदार को है तो वही उस मुकाम पर Ex-officio President होगा. इसी सिलसिले में मैं हुजूर की तवज्जुह दफा २७ जिमन (जीम) की तरफ दिलाता हूं जिसके अल्फाज यह हैं कि "प्रेसीडेन्ट की तकर्रुरी या उसका जानशीन मुकर्रर होने तक या उसके रुखसत पर होने की वजह से गैर हाजरी के अय्याम में प्रेसीडेन्ट के इख्तियारात को काम में लाना और उसकी खिदमत को अंजाम देना. मौजूदा constitution जो म्युनिसिपेलिटीज का है वह इस तरीके पर है कि प्रेसीडेन्ट और उसके बाद वाइस प्रेसीडेन्ट, और अगर एक से ज्यादा वाइस प्रेसीडेन्ट हों तो सीनियर वाइस-प्रेसीडेन्ट. इस बारे में दफा २७ मौजूद है. ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में दफा २० जिमन (५) जायद है. जहां तक मुझे तजुर्बा है और दूसरों को भी तजुर्बा होगा कि जितनी दिलचस्पी म्युनिसिपेलिटी के काम में मुस्तकिल वाइस-प्रेसीडेन्ट को होती है उतनी नायब सूबा या तहसीलदार को नहीं हो सकती. इसके बाद मैं हुजूर की तवज्जुह दफा १८४ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि "कोई जज या मजिस्ट्रेट, जो मेम्बर हो, किसी मुकद्दमे की तहकीकात व तजवीज नहीं करेगा जिसमें कमेटी फरीक हो." अकसर ऐसे मौके पेश आते हैं कि न तो नायब सूबा और न नायब तहसीलदार मौजूद होते हैं, ऐसी सूरत में जिले में डिस्ट्रिक्ट जज साहबान या परगना जुडीशियल ऑफिसर साहबान इन्चार्ज होते हैं. उस वक्त अगर म्युनिसिपेलिटी को कोई मुकद्दमा चलाने की जरूरत पेश आये तो ऐसे जुडीशियल ऑफिसर साहबान को उसकी समाअत का मजाज न होगा और म्युनिसिपेलिटी को उसके काम में रुकावट पैदा होने की वजह से ख्वाहमख्वाह नुकसान होगा. म्युनिसिपेलिटीज में वाइस प्रेसीडेन्ट आम तौर पर नॉन-ऑफिशियल होते हैं इस वजह से भी दफा २७ जिमन (जीम) के मुताबिक अमल होने में सहूलियत होगी पस दफा २० जिमन (५) मन्सूख फरमाई जावे.

पुस्तके साहब.—तजवीज बिलकुल साफ है. मौजूदा constitution जो म्युनिसिपेलिटीज का है उस में प्रेसीडेन्ट अकसर ऑफिशियल और वाइस-प्रेसीडेन्ट नॉन-ऑफिशियल हैं. अब प्रेसीडेन्ट की अदम मौजूदगी में जिनकी तरफ ब लिहाज ओहदा सूबात वगैरा का चार्ज जाता है उन्हीं की तरफ म्युनिसिपेलिटी की प्रेसीडेन्टी का चार्ज भी जाता है; हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिये, बल्कि वाइस-प्रेसीडेन्ट को ही ब जमाने अदम मौजूदगी मुस्तकिल प्रेसीडेन्ट उसका चार्ज होना चाहिये मजलिस इस पर गौर फरमावे और कौन्सिल से मंजूरी हासिल की जाये.

मेम्बर साहब एज्यूकेशन एन्ड म्यूनिसपेलिटीज.—प्रेसीडेन्ट साहब ! सवाल जैसा कि बयान किया जाता है ज्यादा बहस तलब नहीं है. सवाल consistency का है. जो ओहदा ऐक्स-ऑफिशियो रहेगा उसके लिये लाजमी यह है कि जो ऐक्स-ऑफिशियो उस वक्त हो वही उस ओहदे का इन्चार्ज होगा वर्ना inconsistency पैदा होगी. अकसर ऐसा होता है कि ऐक्स-आफिशियो प्रेसीडेन्ट दौरे वगैरा पर रहने से काम अंजाम नहीं दे सकते. उसके लिये दफा २७ जिमन (जीम) का प्रॉविजन किया गया है वर्ना दफा २० जिमन (५) काफी है. जो तजवीज पेश कीगई है उसके मुताल्लिक सवाल सिर्फ inconsistency का है. अगर प्रेसीडेन्ट ऐक्स-ऑफिशियो होगा तो जो शख्स भी उस वक्त उस ओहदे का इन्चार्ज होगा वही Ipso facto प्रेसीडेन्ट होगा. अगर चार दिन के लिये भी दूसरा शख्स उस ओहदे का इन्चार्ज हुआ तो वही प्रेसीडेन्ट होगा. हां, टेम्परेरी ऐक्स-ऑफिशियो प्रेसीडेन्ट और परमानेन्ट ऐक्स-ऑफिशियो प्रेसीडेन्ट, हरदो की अदम मौजूदगी में वाइस-प्रेसीडेन्ट की तरफ चार्ज रहेगा.

चतुर्भुजदास साहब.—मैं इसके मुतअल्लिक यह दरयाफ्त करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल काम का उसूल क्या है. जिस उसूल पर कि म्युनिसिपेलिटीज का काम चलाया जा रहा है उनमें सब से बडा उसूल जहां तक मैं ख्याल करता हूं और दरबार की पॉलिसी भी यही है कि नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान को काम करने का मौका दिया जाय, तो दफा २७ में जो अलफाज हैं कि प्रेसीडेन्ट की गैर हाजिरी के अय्याम में उसके इख्तियारात वाइस-प्रेसीडेन्ट को काम में लाने का इख्तियार न होना दुरुस्त मालूम होता है. मौजूदा हालत में अगर सूबा साहब या तहसीलदार साहब मौके पर न हों तो भी वाइस-प्रेसीडेन्ट को काम करने का मौका नहीं आता. सवाल यह है कि इससे inconsistency वाके होती है तो महज लफ्जों की inconsistency को नहीं देखना चाहिये. देखना तो यह है कि jurisdiction में कोई conflict तो नहीं होती. ब अदम मौजूदगी प्रेसीडेन्ट, वाइस-प्रेसीडेन्ट को चार्ज रहे तो उससे म्युनिसिपेल्टिटी के काम में किसी किस्म का हर्ज वाके नहीं होता. अगर यह ठीक है तो तजवीज न मंजूर होने की कोई वजह मालूम नहीं होती.

ट्रेड मेम्बर साहब—मुझे तो सिर्फ यह जाहिर करना था कि यह दफात जो रखी गई हैं इस inconsistency को मद्दे नजर रखते हुए रखी गई हैं. दरबार पॉलिसी क्या है, यह आप सब जानते ही हैं. उसूल तो यही है कि अगर प्रेसीडेन्ट ऐक्स-ऑफिशियो है तो जो कोई उसके ओहदे पर होगा वही प्रेसीडेन्ट होगा.

(इसके बाद वोट्स लिये गये.)

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि तजवीज मंजूर की जावे.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर २१.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बगरज रफेदाद मजहबी अबखरात मुतअल्लिक तब्दीली मजहब एक ऐसा कानून जारी फरमाया जावे कि जिसकी रू से तब्दीली मजहब की रजिस्ट्री लाजमी रहे और नाबलिगान व औरात की तब्दीली मजहब पर काफी नजर रह सके.

पुस्तके साहब.—हुजूर आली! मजहब का तअल्लुक दिल से है, लेकिन कुछ लोग दिल की ताकत व दिल के औसाफ बढाकर अपने अपने मजहब की तरक्की करने के साथ साथ या उसके बजाय अपने अपने फिरके या मजहब के लोगों की तादाद बढाने में अपने मजहब की तरक्की होना ख्याल करते हैं. जब तक कि इस मिशनरी स्पिरिट का तअल्लुक खास लोगों तक मेहदूद रहता है उस वक्त तक इससे फिसाद का अन्देशा ज्यादातर नहीं रहता, लेकिन जब इस काम को मामूली लोग भी करने लगते हैं या इसकी तरदींद की जाती है तब उसमें उस एहतियात को काम में लाना मुमकिन नहीं रहता, जोकि ऐसे मुआम्ले में होना जरूरी है, अकसर लोग खुदगरजी से, कोताह ख्याल से या बे समझी से ऐसे काम करने लगते हैं या अपने बाप दादाओं का मजहब छोड बेठते हैं. नीज ऐसी तब्दीली मजहब को ऐसी शोहरत दीजाती है कि जिससे लोगों में जोश फैलने का अन्देशा रहता है. अक्सर ऐसा नजर में आता है कि औरात या बेवा या यतीम बच्चों या नाबालिग या कम समझ अदना कौम के लोग इस फन्दे में जल्दी फस जाते हैं. इस बदकिस्मत मुल्क में गुजिश्ता चन्द सालों से इस किस्म की शिकायतें अकसर जहूर में आई हैं और रियासत हाजा भी इससे नहीं बची है और बचना मुमकिन भी नहीं है. तीन चार साल हुए, लखनऊ में ऑल इंडिया लिबरल फिडरेशन का जलसा हुवा था. उसके प्रेसीडेन्ट डाक्टर परांजपे जो हाल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कौंसिल के मेम्बर मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने इस नुक्स को मेहसूस करके यह तजवीज जाहिर की थी कि मजहब की तब्दीली की रजिस्ट्री लाजमी रखी जावे, जिससे जो लोग भी इस काम को करेंगे उन पर काफी जांच रहेगी और लोगों में गलत खबरें न फैल पायेंगी. सन १९२५ ई० में इन लाइन्स पर रियासत कोटा में एक कानून भी जारी फरमाया गया है और हाल में ही रियासत इन्दौर में इन्हीं लाइन्स पर एक कानून का मसौदा वहां की मजलिस कानून से पास होकर वहां की कौंसिल आफ रजिन्सी के जेर गौर है. मेरी गरज यह नहीं है कि किसी के मजहब में दस्तअन्दाजी की जावे या किसी को अपने अपने अकीदे के मुआफिक वाजिब कामों से रोका जावे. मेरी गरज यह है कि जब मिशनरी वर्क मामूली लोगों के हाथ में आजाता है तब उस काम में काफी एहतियात नहीं रखी जाती है और उससे न सिर्फ ऊपर बतलाये हुए लोग अपने बाप दादाओं के मजहब को खो बैठते हैं, बल्कि उससे अमन अमान में भी फर्क आजाता है, या आने का अन्देशा रहता है Prevention is better than cure इस उसूल से इन बातों की रोक या जांच होने के लिये मजहब की तब्दीलियों की रजिस्ट्री लाजमी रखना और उसकी पाबन्दी न करने वालों के लिये सजा कायम करना जरूरी है. यह ख्याल डाक्टर परांजपे साहब का ही नहीं है या यह कोटा या इन्दौर रियासत का ही कानून नहीं, बल्कि हमारे मालिक मरहूम कैलासवासी श्रीमंत माधव महाराज अपने स्पीचेज में व पॉलिसी में यह फरमा चुके हैं कि लोगों को अपने अपने मजहब पर कायम रहना चाहिये. इस मजलिस से यह बात मखफी नहीं है कि

मालवे की तरफ खास अदना कौमों में, मसलन भील या बलाइयों में मिशनरीज क्या व किस तरीके से काम कर रहे हैं. यह किसी की समझ में नहीं आ सकता कि ऐसे अदना कौम के अनपढ लोग किसी मजहब की फजीलत की पहिचान करके अपने पुश्तैनी मजहब को छोडकर दूसरा मजहब इख्तियार कर लेते हैं. मेरे ख्याल से हुक्मरां का यह फर्ज है कि ऐसे वक्त में उनकी हिफाजत करे और इस गरज को पूरा करने के लिये तब्दीली मजहब की रजिस्ट्री लाजमी रखना, यह एक सहल व सादा उपाय है. कोई शख्स अपने पुश्तैनी मजहब को छोडना चाहे तो वह किसी मजिस्ट्रेट के सामने इस बात का इजहार करके सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है और बाद में मजहब की तब्दीली करने से किसी को किसी बात की शक व शुबह की गुंजायश नहीं रह सकती. नीज जाहिर जहूर में यह बातें होने से लोगों में गलत वाकआत नहीं फैल सकते. हुजूर आली! दफा २८८, ताजीरात गवालियार, इस गरज को पूरा करने के लिये काफी नहीं है. अव्वल तो जुर्म सरजद होने पर उस का अमल होगा, उस किस्म की हरकत की इब्तदा में ही इससे रोक नहीं हो सकती. नीज वहगैर दस्तअन्दाजी पुलिस व समन्स केस होने से और "कैद या जुर्माना" इस तरह पर सजा की तशरीह होने से उससे इबरत नहीं हो सकती और ऐसे मुआम्लात की रोक का दारोमदार मुकद्दमात पर ही नहीं रखना चाहिये, क्योंकि जहां कहीं भी इस किस्म के मुकद्दमात चलाये गये हैं या ऐसे मुकद्दमात की तफतीश भी जारी की गई है तो किस हद तक जोश फैल जाता है, इससे यह मजलिस नावाकिफ नहीं है. हुजूर आली! यह मुल्क फिर्केबाजी में बट रहा है, मुल्की ख्याल की तरक्की कि मैं हिन्दुस्तानी हूं, यही इस फिर्के बाजी को रोकने का उपाय है और इस ख्याल को तरक्की देकर बाहमी फिरकों में निफाक के मौके कम आयें, इसका इन्तजाम सोचना हमारा फर्ज है. मेरी तजवीज मंजूर होने से किसी फिर्के या मजहब के लोगों को अपने अपने अकीदे के मुआफिक काम करने की रोक नहीं हो सकती. सब फिरकों को जाहिर जहूर सीधे व सच्चे रास्ते से इस काम को करते रहने का इस्तेहकाक कायम रहेगा और कम समझ रिआया की हिफाजत होकर बेजा मजहबी जोश की रोक होगी व मुल्की ख्यालात को तरक्की पहुंचेगी. मुझे कवी उम्मीद है कि मेरी तजवीज को यह मजलिस बिल इत्तफाक मंजूर फरमावेगी व गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करेगी कि इसके लिये मुनासिब कानून वजा फरमाया जावे.

चतुरभुजदास साहब—हुजूर आली, मैं ताईद करता हूं. कब्ल इसके कि इसके मुतअल्लिक बहस की जाय नॉन-ऑफिशियल मेम्बर्स से इल्तदुआ है कि जहां तक इस तजवीज की मन्शा है एक फिरके से तअल्लुक रखने से नहीं है बल्कि एक नेशन की बहतरी की गरज से पेश की गई है. लिहाजा जो बहस की जाये वह इसी रोशनी से की जाये.

सद्दीकी साहब—जनाब वाला, मैं इस तजवीज की मुखालफत या मुआफिकत के पहिले जानना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन से मुजव्विज साहब की क्या मन्शा है. आया इसके लिये कोई मुवाखिजा होना चाहिये या नहीं. तब्दीली मजहब की रजिस्ट्री लाजमी करार दीजावे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो रजिस्ट्री न करावे उसकी बाबत क्या समझा जावेगा. क्या यह समझा जावेगा कि उस ने मजहब तब्दील नहीं किया और अपने ही आबाई मजहब पर कायम है, नीज ऐसी सूरत में यानी रजिस्ट्री न कराने की सूरत में क्या उसको सजा दी जावेगी? अगर कोई सजा मुकर्रर करने की कोई तजवीज है तो इस किस्म के कानून का बनाना बेकार है. मैं उम्मेद करता हूं कि मुजव्विज साहब इस नुकते पर तौजीह फरमावेंगे.

पुस्तके साहब—हुजूर आली, मेरी तजवीज उसूल कायम करने के मुतअल्लिक है. जिस वक्त रूलस बनाये जावें उस वक्त इसका लिहाज रखा जायेगा कि जो लोग तामील नहीं करेंगे उन पर

क्या पनिशमेन्ट होगी, जो लोग नकली सर्टिफिकेट पेश करेंगे उन पर मुकद्दमा चलाया जायगा. "लाजमी" से मतलब यह निकलता है कि जो लोग मजहब की तबदीली करना चाहें उनको अपना इजहार मजिस्ट्रेट के सामने देना होगा और सर्टिफिकेट हासिल करना होगा. मैं इस कानून की तमाम दफआत अर्ज करना नहीं चाहता, इसमें देर लगेगी, सरेदस्त कोई कानून या बिल पास होना मुमकिन नहीं. मजलिस के सामने यह उसूल पेश करना चाहता हूं और चाहता हूं कि तबदील मजहब की रजिस्ट्री लाजमी करार देने के लिये कानून बनाने के मुतअल्लिक एक सब-कमेटी मुकर्रर करदी जावे.

लॉ मेम्बर साहब—इस सवाल के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट open mind रखती है और जो तजवीज करार पावेगी, कौंसिल उसको गौर से देखेगी. सरेदस्त मैं चन्द बातें आप के इल्म में लाना चाहता हूं. पहली बात दरबार पॉलिसी के मुतअल्लिक है. मैं यह जाहिर करना चाहता हूं कि दरबार पॉलिसी इस वक्त तक क्या रही है. इस पॉलिसी का इजहार दरबार के कवानीन मजरिया से होता है. जब सम्वत १९९३ में मजमुआ कवानीन फौजदारी मुरत्तिब हुआ तो उसमें दफा ११४ इस मजमून की कायम की गई कि "जो कोई शख्स किसी के मजहबी ख्यालात में बजब्र या बराह फरेब दस्तंदाजी करे या किसी नाबालिग कम अज २१ साल के मजहब को बिला रजामन्दी वालदैन या सरपरस्त उसके तब्दील करे तो शख्स मजकूर को तीन साल तक कैद या जुर्माने की सजा दी जावेगी"— मजमुआ कवानीन फौजदारी मंसूख हो चुका है और अब ताजीरात गवालियर जारी है. उसकी दफा २८८ का भी यही मंशा है गो अल्फाज में कुछ तब्दीली है. उसके दो हिस्से हैं:—

(१) किसी शख्स का धर्म भ्रष्ट करना—जो शख्स किसी शख्स के साथ बजब्र या बराह फरेब ऐसा अमल करे जिससे उस शख्स के मजहबी अकीदे के मुताबिक उसका धर्मभ्रष्ट हो जावे, तो शख्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मियाद ३ बरस तक हो सकती है, या जुर्माने की सजा, या दोनों सजायें दी जावेंगी.

(२) किसी नाबालिग का मजहब तब्दील करना—जो शख्स:—

(अ) अठारह साल से कम उम्र के किसी नाबालिग के मजहब को, बिला रजामन्दी उसके वालदैन या वली जायज या सरपरस्त के, तब्दील करे जबकि उसके वालदैन जिन्दा हों या उसका कोई वली जायज या सरपरस्त मौजूद हो, या

(ब) ऐसे नाबालिग के मजहब को तब्दील करे जबकि उसके वालदैन जिन्दा न हों या उसका कोई वली जायज या सरपरस्त मौजूद न हो,

तो शख्स मजकूर को ३ बरस तक कैद की या जुर्माने की या दोनों सजायें दी जायेंगी.

इस दफा की मन्शा मुख्तसर अल्फाज में यह है कि नाबालिग का मजहब बिला रजामन्दी उसके वालदैन या वली जायज या सरपरस्त के तब्दील करने की हालत में कतई मुमानियत है, यानी जिस शख्स की उम्र १८ साल से कम है उसके मजहब की तबदीली बिला लिहाज इसके कि उसके वालदैन जिन्दा हैं या नहीं, जुर्म है. १८ साल से ज्यादा उम्र की हालत में फरेब या जब्र से कोई अमल करना जुर्म है. सवाल यह है कि ऐसी सूरत म जब कि दरबार पॉलिसी यह कायम है कि नाबालिग की तबदीली मजहब जुर्म है और दीगर अशखास की तब्दीली मजहब जो फरेब या जब्र के साथ हो, जुर्म है तो फिर मजीद कानून की जरूरत बाकी रहती है या नहीं ? दूसरी बात काबिले लिहाज यह है कि किसी मुल्क में किसी कानून का बनाना उस मुल्क की हालत और जरूरियात पर इनहिसार रखता है. वक्त के लिहाज से जैसी जरूरत पाई

जाती है वैसा कानून बनाया जाता है. यह बात देखने के काबिल नहीं होती कि किसी दूसरे मुल्क में वैसा ही कानून जारी है या नहीं. मसलन जब तक हमारे यहां मोटर न थे, मोटर का कानून बनाना बेकार था और जब तक हवाई जहाज न हों, हवाई जहाज का कानून बनाना गैर जरूरी है. इन्दौर और कोटा में, जैसा कि आप साहबान ने सुना, जरूर ऐसा कानून होगा, लेकिन वहां क्या हालत है, किस हालत ने कानून बनाने पर मजबूर किया, यह उमूर हमारे सामने नहीं हैं. रियासत हाजा में ऐसे कोई बेचैन करनेवाले वाकेआत पेश नहीं आये जिनसे ऐसा कानून बनाने की जरूरत समझी जाती, न ऐसे वाकआत की बाबत यह एहतमाल है कि जमाने आयन्दा में अनकरीब पेश आने वाले हैं. कम अज कम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट या दीगर महकमेजात दरबार को ऐसे वाकआत का इल्म नहीं. अगर ऐसा होता तो वाकआत मजकूर जरूर काबिल लिहाज थे. यह भी देखने की बात है कि अगर कानून बनाया जावे तो किन लाइन्स पर. मौजूदा कानून में जिस हद तक ऐसे अफआल जुर्म करार दिये गये हैं उनके मुतअल्लिक कैफियत यह है कि जरायम मजकूर काबिल दस्तअंदाजी पुलिस नहीं हैं, यानी पुलिस चालान नहीं कर सकती. मजीद कानून बनाने के बजाय अगर इन जरायम को काबिल दस्तअंदाजी करार दे दिया जावे तो क्या उनकी रोक नहीं हो सकती ? अखीर में मैं यह कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्री की जरूरत की यह वजह बताई गई है कि तब्दीली मजहब से जो मजहबी अबखरात पैदा होते हैं वह न बढ़ें. दीगर अल्फाज में यह तजवीज तसलीम करती है कि मजहबी अबखरात तब्दीली मजहब का नतीजा है, न कि बाइस. ऐसी सूरत में क्या रजिस्ट्री के लाजमी करार देने से यह उम्मीद की जा सकती है कि इस हालत में तब्दीली मजहब से अबखरात पैदा न होंगे. इन सब बातों पर साहबान गौर करके अपनी राय कायम फरमावें.

गुरुदयाल साहब.—हुजूर आली ! जो सवाल पेश किया गया है उसकी गरज यह है कि जो दिक्कतें मौजूदा कानून के मुतअल्लिक हैं वह रफा हो जावें. मौजूदा हालत यह है कि जुर्म हो जाने के बाद एक तरफ से यह कहा जा सकता है कि शख्स मुतअल्लिका ने रजामन्दी से तब्दील मजहब किया. दूसरी तरफ से यह कहा जा सकता है कि बहकाने से किया. हर फरीक अपने अपने वाकआत की ताईद के मुतअल्लिक शहादत ला सकता है, ख्वाह झूठी हो या सच्ची हो. इस हालत में यह बात कि वाकई हुआ क्या है, यानी कोई शख्स रजामंदी से मजहब तब्दील करता है या वाकई उसकी तब्दीली मजहब में गलत फहमी की जारही है, लोगों के दिलों में निहायत बेचैनी पैदा कर देती हैं. मैं इस तजवीज की ताईद करते हुए मजलिस से सिफारिश करता हूं कि इसके मुतअल्लिक जरूर कोई कानून बना दिया जावे.

लक्ष्मीनारायण साहब.—हुजूर आली ! हमेशा कानून जरूरत के लिहाज से या जमाने की रफ्तार देखकर बनाया जाता है. मुजव्विज साहब का तब्दीली मजहब के मुतअल्लिक जो सवाल है उससे यह पता चलता है कि आजकल मजहब के मुतअल्लिक ऐसी हवा चली है कि जिसकी वजह से लोगों के ख्यालात तब्दीली मजहब के मुतअल्लिक खराब होते जा रहे हैं. इसका इन्तजाम होना चाहिये वर्ना बद अमनी फैलने का अहतमाल है. रियासत के अन्दर सरकार की पॉलिसी यह रही है कि हमारी रियासत के अन्दर बदअमनी फैलने न पाये. ताजीरात गवालियार में इसके मुतअल्लिक दफात मौजूद हैं मगर उनमें पूरी तौर से तशरीह नही है, लिहाजा इस बात की जरूरत है कि जब कोई शख्स तब्दील मजहब करना चाहे तो उससे जरूरी सवालात दरयाफ्त करना कि आया वह किसी के बहकाने से या बरगलाने से तो तब्दील मजहब पर आमादा नहीं हुआ है और उससे दरयाफ्त करना कि नये मजहब में जो वह इख्तियार कर रहा है, क्या

खुबियां देखी हैं जिससे कि तब्दील मजहब पर आमादा हुआ है. इससे तब्दील मजहब की असल वजह मालूम हो जायगी; लिहाजा इसके मुतअल्लिक एक सब-कमेटी कायम की जाना मुनासिब होगा.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर वाला! जनाब लॉ मेम्बर साहब ने जाहिर फरमाया है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो मुल्की हालत और उसकी जरूरियात को देखकर बनाया जाता है इसलिये सवाल यह है कि आया इस किस्म के कानून बनाने का वक्त आगया है या नहीं. साहब ममदूह ने फरमाया है कि इस वक्त तक उनके इल्म में कोई वाकआत ऐसे नहीं आये हैं, जिनसे ऐसा कानून बनाने की जरूरत महसूस हो, मगर मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज में चन्द ऐसे वाकआत जाहिर किये हैं, इसीलिये इस तजवीज पर गौर करना जरूरी बात है. अलावा इसके यह लाजमी नहीं है कि जब कोई खास वाकआत पेश ही आजावें उसी वक्त कानून बनाया जावे. अक्सर कानून इस गरज से भी बनाया जाता है कि वाकआत जिनका अन्देशा हो, पेश आने ही न पावें. जिसकी मिसाल अपने यहां के Roads Regulations हैं. बाज औकात यह भी सूरत पेश आ सकती है कि अगर मौजदा कानून में कोई नुक्स या कमी हो तो वह नुक्स या कमी जब वह मालूम हो रफा कर दी जावे, बजाय इसके कि ऐसी तरमीम का इलतवा उस वक्त तक किया जावे जब कि उस कमी या नुक्स की वजह से कोई नागवार वाकआत पेश आजावें. इसलिये मेरी राय यह है कि जो तजवीज मेरे दोस्त ने पेश की है उस पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर की जावे. इस सब-कमेटी के रूबरू वह वाकआत मय उनके सुबूत के, जो मेरे दोस्त ने तजवीज में जाहिर किये हैं, रखे जायें. उन पर गौर करके यह सब-कमेटी तय करेगी कि किसी कानून के बनाने की जरूरत है या नहीं, और अगर जरूरत है तो यह कानून किन lines पर बनाया जावे व क्या कयूद रक्खी जावें, यह जुम्ला मरातिब भी वह कमेटी तय करे.

महन्त साहब.—ऐसी एक तजवीज प्रारंभ में ही मैंने रखी थी. सिंहस्थ के कुंभ के मेले में एक महीना घूम फिर कर देखा कि नाबालिग लडके गुसांई और नाथ ऐसे पंथ वालों ने मुंड लिये. हिन्दू जात का फिरका ऐसा है कि ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य के लडके मुंड जावें तो वह उनको जात में शरीक नहीं करते. हमारी सरकार ने मंदिर, मसजिद, गिरजा, गुरुद्वारा बनाकर बताया है कि इस रफ्तार में हमारी रिआया चले और खुशहाल रहे. यके बाद दीगरे मजहब में वह अहतराम मौजूद है कि अगर कहीं इस किस्म की बुनियाद खुदा न ख्वास्ता पाई जाती है तो दरबार से सरकोबी हो जाती है, ख्वाह किसी मजहब का हो. यह बताया गया है कि बाहरी अखबारात व हवा का असर न हो, मजहबी अहतराम के बाइस आंधियां आ रही हैं, और यही ख्याल किया जा रहा है कि कोई जहरीली हवा का झोका न आजावे; लेकिन उसी के साथ यह ख्याल किया जाता है कि वह झोंका भी आवेगा तो उसकी सरकोबी हो जावेगी. हमको अपनी रफ्तार न छोडना चाहिये. मैं किसी बात पर मुस्तहकम राय जाहिर नहीं करता हूं कि ऐसा ही हो, यह ख्याल है कि लोग खौफ से महफूज रहें. इस मजलिस का फर्ज है कि मुस्तनद आदमियों में से सब-कमेटी बनाये.

बटुकप्रसाद साहब.—हुजूर आली! मेरे ख्याल से इस मसले पर गौर अमीक की जरूरत है. जनाब वाला लॉ मेम्बर साहब ने इस से कब्ल अपने अपने जवाब में यह बतलाया है कि मौजूदा कानून से मन्शा पूरी होजाती है और यह भी जाहिर फरमाया है कि जब तक ऐसे अमूर जहूर पिंजीर न हों, मसलन मोटर एक्ट उस वक्त तक न बना जब तक मोटरें चलने नहीं लगीं, या हवाई जहाज के कानून की उस वक्त तक जरूरत नहीं है जब तक हवाई जहाज आम तौर पर न हो जावें. गरज यह कि जिस कानून बनाने की तजवीज की जाती है वह कब्ल अज वक्त है.

अम्र अव्वल की निस्बत मेरा ख्याल है कि मौजूदा कानून से मन्शा हरगिज पूरी नहीं होती. वजह यह है कि नाबालिग यतीमों की तरफ से कौन इस्तगासा करने आवेगा और मामले को सरे आम लाकर मुल्जिम को पादाश यानी सजा दिलवाने की कौन कोशिश करेगा.

अम्र दोयम की निस्बत अगर मैं यह अर्ज करूं और इस तशबीह से काम लूं तो बेजा न होगा कि अगर उज्जैन में पेश्तर से फायर ब्रिगेड मौजूद होता तो उज्जैन को वह नौबत बरबादी न देखना पडती जो उसको हाल ही में आतिशजदगी की वजह से देखना पडी है. ब अल्फाज दीगर अगर यह कहा जावे कि जब तक काफी तौर पर आतिशजदगियां न हो जावें, फायर ब्रिगेड मुहय्या करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है.

मुजव्विज ने अपने इब्तदाई हिस्से तकरीर में यह बतला दिया है कि ऐसा अमल दीगर रियासतहाय मुल्हिका, मिस्ल कोटा व इन्दौर में हो रहा है और कोटा में तो कानून भी नाफिज है और वह भी दो साल कब्ल से. ऐसी हालत में मेरे ख्याल से यह सवाल यानी रेजोलूशन मुतअल्लिक रजिस्ट्री तब्दील मजहब काबिल गौर व अमल है. मगर इसको किस तरह अमल पिजीर किया जावे और किस २ किस्म के कायदे वजा हों, इसके लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर होना चाहिये, जैसी कि तजवीज जगमोहनलाल साहब की है, मगर मुझको उनकी इस राय से इत्तफाक नहीं है कि सब-कमेटी मजकूर इस अम्र को भी तय करे कि वजा कानून की जरूरत है या नहीं, बल्कि मेरी राय में यह तो इसी वक्त करार दिया जावे कि वजा कानून की जरूरत है. सब-कमेटी सिर्फ इस अम्र के लिये मुकर्रर की जावे कि इस रेजोलूशन को अमली जामा पहनाने के लिये क्या और किस किस्म का कानून या कवाअद वजा करने की जरूरत है.

कृपा शंकर साहब.—हुजूर वाला; यह एक ऐसा सवाल आगया है कि जिससे कुछ बेचैनी की बुनियाद पडती है. बकौल शख्से सरोद ब मिस्तान याद दहानीदन का मजमून है. हमने यह देखा है कि हमारे कैलाशवासी सरकार ने यके बाद दीगरे क्या क्या आजादियां दी हैं. हमको याद रहना चाहिये कि हमने किस आब व हवा में परवरिश पाई है. देखना यह है कि आया वक्त आ गया है या नहीं कि हम जदीद कानून अलावा कानून के जो इस वक्त मौजूद है, बनाने को दरख्वास्त करें या नहीं, इससे कब्ल मुजव्विज साहब की जानिब से जरूरत इस वक्त महसूस हो रही है. मगर मैं यह अर्ज करता हूं कि फिल हकीकत ऐसे वाकआत मौजूद न भी हों ताहम बतौर हिफ्ज मातकद्दुम हमारी सरकार ने मन्दिर, मसजिद, गिर्जा, गुरुद्वारा बनाकर यह अमली तालीम देदी है कि इस रफ्तार से हमारी रिआया चले. यके बा दीगरे मजहब का एहतराम करें. अगर कहीं खुदाना ख्वास्त बरअक्स अमल पाया गया है तो बिला ख्याल मजहब व मिल्लत पूरी सरकोबी होती चली आरही है. कहा जाता है कि बेरूनजात से जर्ये अखबारात अन्धाधुन्द जहरीली आंधियां चली आ रही हैं तो उसके साथ जो नुक्सानात जान व माल व सजायाबी के हालात भी तो उनके झोंकों में आकर हमको सबक दे रहे हैं. कोटा, इन्दौर वगैरा के मुताबिक, मैं जबकि बाहमी इत्तहाद का अमल है, कानून बनाने की जरूरत नहीं पाता लेकिन बतौर हिफ्जे मातकद्दुम इन्तजामी उमूर में मुखालिफत करना भी नाजेबा है. " उमूरे मुम्लेकते खेश खुसरवांदानन्द " ही मुनासिब है.

पुस्तके साहब.—मेरी यह अर्ज है कि लीगल डिपार्टमेन्ट से ही कमेटी कायम की जाय तो अच्छा है, क्योंकि हम में से आइन्दा साल मजलिस में चन्द साहबान न आ सकेंगे. जनाब वाला लॉ मेम्बर साहब ने जो फरमाया है कि मजहबी तबदीली अबखरात को पैदा करती है यह मेरी मन्शा नहीं है. इसके मुतअल्लिक जो बातें पैदा होती हैं उनकी रोक करने के लिये इस्तदुआ है, तब्दीली

मजहब के लिये नहीं है. ऐसी मजहबी तब्दीलियों के साथ साथ जो बातें कि मौजूदा हालत में पैदा हो रही हैं उनकी रोक हो जाना चाहिये. सीधा तरीका यही है कि जो मैंने अर्ज किया है. मेरे ख्याल से जब इस किस्म की उसूल की बातें तै करना होती हैं तो ऐसी बातों को भी कि फलानी जगह फलानी बात हो रही है, आज कल किन बातों का चरचा चल रहा है, आम ख्यालात क्या हैं, महसूस करके कार्रवाई करना चाहिये. मुझे यह मालूम नहीं है कि कौन्सिल आलिया तक वाकेआत पहुंचे हैं या नहीं. मैंने एक किताब सूबा साहब उज्जैन को पेश की थी कि जिसमें शिव के बारे में भला बुरा लिखकर उसकी कई हजार कापियां क्रिश्चियन मिशनरीज ने तकसीम की हैं. इस सिलसिले में मैंने जाती तौर पर तलाश की तो जाहिर हुआ कि मवाजियात में इस किस्म की किताबें तक्सीम की जाती हैं. जो लिटरेचर आजकल इस किस्म का फैल रहा है उससे और उन वाकेआत से जो हुजूर के रोबरू पेश किये हैं उनसे जरूरत कानून बनाने की पाई जाती है. मेरे ख्याल से दरबार से सब-कमेटी मुकर्रर फरमाई जावे जो कानून का मुसव्विदा तैयार करे. जगमोहनलाल साहब ने जो फरमाया है कि वाकआत जमा करने और उन पर गौर करने के लिये सब-कमेटी मुकर्रर फरमाई जावे ताकि वह पहिले जांच करे कि इस किस्म के कानून बनाने की जरूरत है या नहीं. यह मेरा मतलब नहीं, बल्कि कानून बनाने के लिये ही सब-कमेटी मुकर्रर की जावे.

(इसके बाद वोट्स लिये गये.)

ठहराव.—कसरत राय से करार पाया कि इस तजवीज के मुताबिक कानून बनाने के लिये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से सब-कमेटी मुकर्रर की जावे.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर २२.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

ऐक्टस, कानून, कवाअद, बाईलॉज, मैनुअल्स व सरक्यूलर्स जो हिन्दी अक्षरों में जारी होते हैं उनमें इंग्लिश अक्षर मिले हुए नहीं होना चाहिये. जो शब्द ऐसे हों जिनकी हिन्दी या उर्दू जबान नहीं बन सकती, वह अंग्रेजी शब्द होते हुए भी उनका उच्चारण हिन्दी अक्षरों में लिखा जाना चाहिये और ब्रेकिटों के अन्दर इंग्लिश अक्षर भी अगर लिख दिये जावें तो खाली हिन्दी पढा हुआ शख्स भी कम से कम बोल चाल के महावरे में आनेवाले शब्दों का मतलब आसानी से समझ सकेगा.

शंकरलाल साहब.—अर्ज यह है कि दस्तूरुल अमल माल और इलेक्शन के कवाअद और सरक्यूलर हुसूल आराजी का कानून यह जो जारी हुए हैं वह हिन्दी में हैं मगर उनमें अंग्रेजी अल्फाज लिखे गये हैं. आजकल बोलचाल में अक्सर अंग्रेजी अल्फाज आते हैं और वह अंग्रेजी होते हुए भी समझ में आ जाते हैं. मगर जब वह अंग्रेजी में लिखे जाते हैं तो नहीं समझ पाते, और जो हिन्दी न पढे हों उनकी समझ में नहीं आ सकते हैं. ख्वाह सरक्यूलर हो, डिपार्टमेन्टल आर्डर हो बाईलॉज हो, कानून हों, यह तमाम हिन्दी में लिखे जायें. अंग्रेजी हरफों की हिन्दी जिस तरह पर हो उसके मानी लिखे जाना चाहिये.

चतुरभुजदास साहब—मैं इसकी ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब.—शायद इस सवाल के मुतअल्लिक ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है. मुजव्विज साहब की तजवीज मुनासिब है, इसके कबूल करने में किसी हुज्जत या दलील की जरूरत नहीं.

ठहराव—तजवीज मंजूर की गई.

फर्द नंबर १, तजवीज नंबर २३.

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

सिवाय महकमे लेजिस्लेटिव के दीगर किसी महकमे से ऐसे सरक्यूलरात व ऑर्डर्स जारी होने का सिलसिला मसदूद फरमाया जावे जिनसे किसी आम कानून की ताबीर, तशरीह या तरमीम होती हो.

जगमोहनलाल साहब:—इस तजवीज के अलफाज साफ हैं, और सिर्फ आम कानूनों के लिये महदूद है, आम कानून की तरमीम, तशरीह या ताबीर करने वाले सरक्यूलरात लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से ही जारी होना चाहिये. शायद इस तजवीज के मुतअल्लिक यह सवाल होगा कि इस किस्म के सरक्यूलरात वगैरा दीगर डिपार्टमेन्ट से जारी भी होते हैं या नहीं. इसलिये इस की मिसाल में चन्द सरक्यूलरात का हवाला पेश करता हूं:—

(१) सब से अव्वल सरक्यूलर नंबर १३, संवत १९८१, मजर्या ट्रेड डिपार्टमेन्ट का हवाला अर्ज करता हूं. इस सरक्यूलर में यह हुक्म दिया गया है कि कम वजनी वगैरा के मुकदमात की तन्कीह व तजवीज मंडी कमेटी किया करे. कम वजनी का जुर्म अजरूय कवानीन फौजदारी अदालत के इख्तियारी है और मंडी कमेटी का कायदा भी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से जारी हुआ लेकिन यह सरक्यूलर ट्रेड डिपार्टमेन्ट से जारी हुआ जिससे आम कानून की तरमीम होती है.

(२) सरक्यूलर नंबर ८, संवत १९७७, महकमे रेवेन्यू का है. इस सरक्यूलर में यह हिदायत दी गई है कि आराजी जरई के रहन के मुतअल्लिक तहसीलदार साहबान को रजिस्ट्री का इख्तियार दिया गया है. इससे कानूनमाल की तरमीम होती है जिसमें सिर्फ दो किस्म के रहन जायज रखे गये हैं मगर तहसीलदार साहबान हर किस्मी दस्तावेज की जो पेश होती है, तस्दीक कर देते हैं.

(३) सरक्यूलर नंबर १, संवत १९८०, महकमे अपील का है. इस सरक्यूलर की रू से फरयादियान को एक दर्जा अपील का हक दिया गया है, इससे जाब्ता फौजदारी की तरमीम होती है.

(४) सरक्यूलर नंबर ६, संवत १९८२, म्युनिसिपल डिपार्टमेन्ट से यह हिदायत जारी हुआ है कि चन्द जरायम फौजदारी के मुतअल्लिक मुलाजिमान म्युनिसिपेलिटी सरकारी मुलाजिम समझे जावें. इसका असर ताजीरात गवालियार पर पड़ता है.

दरबार मुअल्ला से एक कायदा संवत १९७२, में जारी हुआ जो तारीख १३ अगस्त सन १९२४ ई०, के गजट में शाया किया गया है. उसमें हिदायत है कि अगर किसी महकमे को आम कानून में तरमीम की जरूरत पेश आये तो वह लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट को तहरीर करे, वहां से अमल होगा. जो सरक्युलरात दीगर महकमे से जारी होते हैं उनसे यह अन्देशा रहता है कि शायद वह किसी कानून की Spirit के खिलाफ न हो जैसा कि सरक्युलर नंबर ८ सम्वत १९७७ महकमे रेवेन्यू की बाबत ख्याल होता है. यह महज एक जाब्ता और उसूल का सवाल है. लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट इसीलिये कायम है कि आम कानून, सरक्यूलर वगैरा वहीं से जारी होना चाहिये.

शंकरलाल साहब.—मैं ताईद करता हूं.

कृपाशंकर साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब.—इस तजवीज के मुतअल्लिक ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है आम कवानीन व उनके मुतअल्लिक करेक्शन स्लिप्स जिनसे कि ऐसे कवानीन की तरमीम या तन्सीख होती है. लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से ही जारी होते हैं. सम्वत १९७३ में दरबार से एक कलमबंदी जारी हुई जिसका नाम "कलमबन्दी पब्लिकेशन व फ़ॉर्म्स है." इस कलमबन्दी में अहकाम दर्ज हैं कि किन किन कवानीन के मुतअल्लिक करेक्शन स्लिप किस डिपार्टमेन्ट से जारी किये जावेंगे और इस कलमबन्दी के मुताबिक तामील होती है. जब किसी महकमे के मातहत आफिसरान को कोई हिदायत जारी करने की जरूरत होती है तो ऐसी हिदायात डिपार्टमेन्टल ऑर्डर या सरक्युलर के जर्ये से महकमे मुतअल्लिका की तरफ से जारी होती हैं और होना चाहिये. सरक्युलर नंबर ८ सम्वत १९७७ रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के मुतअल्लिक जो खिलाफ अमल बाज परगनात में हो रहा है उसके मुतअल्लिक तहरीरात जारी हैं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—(जगमोहनलाल की तरफ मुखातिब होकर) इस सवाल के मुतअल्लिक क्या किसी मजीद कार्रवाई की जरूरत है?

जगमोहनलाल साहब.—कोई जरूरत नहीं है.

नोट.—तजवीज ड्रॉप की गई.

फर्द नम्बर २ तजवीज नम्बर १.

रियासत हाजा में बच्चों की अमवात की तादाद बहुत ज्यादा है. जांच व तजुर्बे से यह पाया गया है कि इसकी एक अहम वजह यह है कि जच्चीदगी के वक्त दाइयों की अदम वाकफियत की वजह से वह अहतियात नहीं ली जाती जो कि ली जानी चाहिये. तजुर्बे से यह साबित है कि अगर जच्चीदगी के वक्त मुनासिब अहतियात ली जाय तो बच्चों की फौतीदगी में बहुत कमी वाकै होगी.

२. शहर लश्कर, ग्वालियर व मुरार और शहर उज्जैन में सालाना ज्यादा से ज्यादा औसत पैदायश हस्ब जैल है:—

(१) लश्कर, ग्वालियर व मुरार २,०००
(२) उज्जैन १,०००

यानी शहर लश्कर, ग्वालियर व मुरार के लिये ज्यादा से ज्यादा माहवार औसत पैदायश १६६ और उज्जैन के लिये ८३ है. इस तादाद पैदायश के लिहाज से शहर लश्कर, ग्वालियर व मुरार के वास्ते ज्यादा से ज्यादा १०० दाइयां और उज्जैन के लिये ५० दाइयां काफी होंगी. इस वक्त ट्रेन्ड दाइयों की तादाद लश्कर में ७० व उज्जैन में ४० से जायद है.

३. औसत तादाद दाइयों की जो हर साल ट्रेन की जाती हैं, लश्कर में २० और उज्जैन में १० है. मुन्दर्जा बाला तादाद के लिहाज से तीन साल में जरूरत से ५० फी सदी ज्यादा ट्रेन्ड दाइयां हो जावेंगी.

४. जिन दाइयों को ट्रेनिंग दिलाया जाता है वह उमूमन उसी क्लास की होती हैं जो दाइयों का पेशा करती आरही हैं.

५. सवाल यह है कि मुन्दर्जे बाला हालात पर नजर डालते हुए आया वक्त आगया है या नहीं कि ट्रेन्ड दाइयों के अलावा दीगर दाइयों को दाईगरी का काम करने से शुरू सन १९३१ ई० से रोका जावे ?

होम मेम्बर साहब.—प्रेसीडेन्ट साहब ! फर्द सवालात जो मेम्बर साहबान को तक्सीम हो चुके हैं उसके हिस्से नंबर १ में जितने सवाल थे खत्म हो चुके. अब कब्ल इसके कि दूसरे नंबर की फर्द के सवालात पेश किये जावें मैं यह जाहिर करना चाहता हूं कि एक सवाल होम डिपार्टमेंट से कौन्सिल की खिदमत में भेजा गया था, वह वक्त पर शामिल एजेन्डा नहीं होसका. अब बइजाजत कौन्सिल मैं उसको मजलिस में पेश करता हूं. सवाल पेश करने की गरज सिर्फ यह है कि मजमे का फायदा उठाकर आप साहबान की, जो रिआया की जानिब से Representative होकर आये हैं, इस पर राय ली जाय. यह गरज नहीं है कि कोई कानून इस के मुतअल्लिक बनाया जाये बल्कि गरज सिर्फ इतनी ही है कि आप लोगों को बहस का मौका दिया जाकर आपकी राय इसमें लीजाय, कब्ल इसके कि सन १९३१ ई. में इसका कायदा बनाया जाय. आप लोगों ने अखबारात पढे होंगे. देहली में All India Maternity Conference कुछ अर्सा हुआ, हुई थी. वहां यह सवाल जब पेश हुआ था तब हमारे यहां के चीफ मैडिकल ऑफिसर साहब वहां मौजूद थे. वही सवाल अब यहां पेश होता है, वह यह है कि जच्चीदगी के वक्त सिर्फ Trained दाइयों से काम लिया जाय. आपको यह भी याद होगा कि यह सवाल इस मजलिस के सामने पहले ही मर्तबा पेश नहीं हुआ है. सन १९२१ ई. की मजलिस आम की प्रोसीडिंग्स को अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि इस मजलिस में यह सवाल पेश होचुका है. आपकी याद ताजा करने के लिये उस वक्त इस सवाल पर क्या कार्रवाई हुई थी यह मैं मुख्तसिरन अर्ज करता हूं. वह यह कि फौतीदगी के जो हिन्दसे देखे गये तो २५ हजार अशखास में आठ हजार बच्चों की फौतीदगी की औसत होती है जिसका तनासुब लगाया जावे तो बहुत ज्यादा है. उस वक्त इस पर गौर करके कि इसकी वजह क्या है, यह ख्याल किया गया था कि कायदा ऐसा बनाया जावे कि ट्रेन्ड दाइयां ही काम करें लेकिन तै यह पाया था कि एक सब-कमेटी बनाई जावे जो अपनी तजवीज इस बारे में पेश करें. तजवीज पेश आने पर कैलाशवासी हुजूर मुअल्ला ने एक दूसरे सवाल के सिलसिले में जो प्रोपेगेन्डा डिपार्टमेन्ट कायम किया था, उसी के सुपुर्द यह सवाल हो, ऐसा तय किया. प्रोपेगेन्डा डिपार्टमेन्ट की जो हिस्ट्री हुई वह आप से मखफी नहीं है. उस वक्त जो सवाल पेश हुआ

था उसमें और इस वक्त की तजवीज में फर्क है. उस वक्त यह था कि हुक्म आम हर मुकाम के लिये हो, इस वक्त यह है कि लश्कर, मुरार, गवालियर व उज्जैन इन्हीं चन्द मुकामात के लिये यह मेहदूद रहे. देखना यह है कि सन १९२१ ई० में जब यह सवाल पेश हुआ था उस वक्त की और इस वक्त की हालत में क्या फर्क है. अगर यह कायदा करार दिया गया तो दाइयां मुहैया हो सकेंगी या नहीं. मेरे ख्याल में गुजिश्ता चार साल से maternity relief व बेबी वीक का जो सिलसिला कायम किया गया है उससे जाहिर होगा कि लोगों का ख्याल बच्चों की साल सम्हाल की तरफ ज्यादा हो गया है. पास शुदा दाइयों की तादाद अगर आप देखेंगे तो पहले की बनिसबत ज्यादा है. इसके अलावा मैडिकल डिपार्टमेंट ने जो माहिती इकट्ठी की है उस पर आप नजर डालेंगे तो मालूम होगा कि जरूरत के लिहाज से इन चार मुकामात के लिये यानी लश्कर, मुरार व गवालियार के लिये १०० व उज्जैन के लिये ५० दाइयों की जरूरत है. इस वक्त trained दाइयों की तादाद लश्कर व मुरार में ७० व उज्जैन में ४० है. हर साल जो दाइयां train की जाती हैं उसकी तादाद लश्कर में २० और उज्जैन में १० है. हमारी तजवीज यह है कि तीन साल बाद यह कायदा जारी किया जाय. उस वक्त तक इस तादाद में ५० फी सदी का इजाफा हो जायगा. चन्द साहिबान जो इस तजवीज के मुखालिफ थे उनमें से एक ने यह ऐतराज किया था कि अगर सिवाय trained दाइयों के दूसरों को इजाजत न होगी तो वह मनमाना रुपया तलब करेंगी. दूसरा ऐतराज यह था कि जो दाइयां trained नहीं और सिर्फ इसी जर्ये से अपनी मुआश हासिल करती हैं, उन्हें हुसूले मुआश में दिक्कत होगी. मेरे ख्याल से इन ऐतराजात पर अगर आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि इस बारे में कि जो अब काम कर रही हैं उनके काम में हर्ज होगा, खौफ की जरूरत नहीं. क्योंकि उनको मेडिकल डिपार्टमेन्ट से Training हासिल करने के लिये इम्दाद दी जाती है. इसके अलावा ३ साल की मोहलत है. यह सवाल ६ साल पहले पेश हुवा था और जिस वक्त इस तजवीज पर अमल दरामद किया जावेगा, ९ साल का अर्सा हो चुकेगा. उस वक्त तक ऐसी दाइयां Training हासिल करके अपना रोजगार हासिल कर सकेंगी. इस वक्त मैं यह भी जाहिर कर देना चाहता हूं कि Trained दाइयों की तादाद बढाने और उनको हर तरह से Success के साथ Delivery cases conduct करने के लिये मेडिकल डिपार्टमेन्ट से हर तरह की इमदाद दी गई है.

यह जाहिर है कि जो दाई बच्चा जनाने को जाकर उसकी रिपोर्ट करती है उसको कुछ रकम दी जाती है. इस किस्म की रकम के सर्फे का जो औसत सालाना निकाला गया है वह ५,२५०) रुपये है. लश्कर के लिये ३,५००) और उज्जैन के लिये १,७५०). इस में से आधा सर्फा मैडिकल डिपार्टमेन्ट अदा कर रहा है और इसी लिये मैडिकल डिपार्टमेन्ट इस सवाल को पेश कर रहा है कि जिस मद से यह रकम दी जारही है वह अब २ साल से ज्यादा इस बार को नहीं उठा सकती. लिहाजा आगे चलकर यह सवाल भी पेश होगा कि आयन्दा यह रकम कहां से दी जाय ? मैडीकल डिपार्टमेन्ट का ख्याल यह है कि यह रकम म्युनिसिपेलिटी से दी जाया करे. जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेन्ट इस सवाल को तै करने के लिये मजलिस से इमदाद चाहता है वैसा ही म्युनिसिपेल्टी से को-ऑपरेशन चाहता है. इस सवाल के पेश करने के तीन अगराज हैं. एक यह कि मैडिकल डिपार्टमेंट ने आज तक क्या कुछ किया है और आयन्दा के लिये क्या कर रहा है, आप लोगों की राय के साथ को तय करे. दूसरे यह कि म्युनिसिपेलिटीज आयन्दा इस काम में मैडीकल डिपार्टमेन्ट के साथ

को-ऑपरेशन करें और तीसरे यह कि महकमे मेडीकल को आयन्दा जो काम करना है उसके लिये इन्तजाम किया जावे ताकि पब्लिक को कोई तकलीफ न हो. लिहाजा मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि हमदर्दी के साथ और रिआया की बेहबूदी को मद्देनजर रखते हुए आप इस पर गौर करके अपनी राय जाहिर करें ताकि गवर्नमेन्ट इस बारे में फैसला कर सके.

शंकरलाल साहब—हुजूर आली, इस वक्त इस बात की बहुत जरूरत है कि सीखी हुई दाईयों से बच्चे जनाये जायेंगे तो इस वक्त जो बच्चों की मौतें होती हैं वह कम होंगी. सवाल यह है कि इस वक्त जो दाईयां काम कर रही हैं पासशुदा दाईयों की काफी तादाद होजाने के बाद वह अपना काम बन्द कर देंगी. विचार इस बात पर करना है कि इस वक्त जो खानगी दाईयां काम करती हैं उनको एक या सवा रुपया बच्चा होने पर फीस दी जाती है, वह भी अगर लड़का पैदा हो. अगर लड़की पैदा हुई तो सिर्फ आठ आना दिये जाते हैं. नतीजा यह होता है कि गरीब से गरीब भी बच्चा जनाने का काम इन दाईयों से ले सकते हैं. इस वक्त मुरार और लश्कर में जो सर्फा इस बारे में होता है मेरा ख्याल है कि श्रीमंत सीतोले साहब की तरफ से होता है. मुरार की हालत मुझे मालूम है कि जो दाईयां पास कराई गई हैं अगर जच्चा खाने से उनको बुलाया जाय तो अव्वल ५ रुपये फीस देना पड़ेगी और एक ही दिन वह काम करेंगी. अगर वह दस दिन रहे, जैसे कि यह दाइयां रहती हैं तो बारह आना रोज नक्द और आठ आना खुराक देना पड़ेगी. इस तरह पर साढे बारह अलावा पांच के और दिये जावें तब इन से काम लिया जा सकता है. अब रहा यह कि यह जो रुपया आता है उस का प्रयोग किस तरह पर किया जाता है. उस में से सिर्फ चौथाई दाई को मिलता है यानी उसे सवा रुपया ही मिलता है, बाकी फंड में जमा होता है. इसी तरह बारह आना में से भी चौथाई दाई को और बाकी फंड में दिया जाता है. आठ आने जो खुराक के मिलते हैं वह जरूर दाई के होते हैं. इस से फंड बढता है यह ठीक है लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम यह सर्फा बरदाश्त कर सकें. यह तो सब बातें अच्छी हैं कि अमवात कम होंगी, जच्चा और बच्चा अच्छी हालत में रहेंगे, लेकिन हमारी माली हालत को देखते हुए १७॥) रुपये दाई को देना मुश्किल होगा. लिहाजा इस सवाल को मेडिकल डिपार्टमेंट को ही हाथ में लेना चाहिये. यह सवाल पहले सन १९२१ ई. में हाथ में लिया गया था और उस वक्त बतलाया गया था कि हर जिले के हैड-क्वार्टर में यह काम शुरू कर दिया जावेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ लश्कर, मुरार व उज्जैन में शुरू किया गया है और इन मुकामात में भी दाइयों की तादाद काफी नहीं है. जिस वक्त दरबार मुअल्ला ने इस सवाल को मंजूर करके गजट के साथ शाया किया था उस वक्त यह बतलाया था कि इस काम में सेनिटरी, एज्यूकेशन औकाफ, जमींदार हितकारी वगैरा डिपार्टमेंट से इमदाद की जावेगी. अगर म्यूनिसिपेलिटी भी इस काम में इमदाद न दे तो इस तरह पर हो सकता है कि यह तमाम सर्फा इन डिपार्टमेंट से और खासकर मेडिकल से लिया जावे. अब गौर तलब अम्र यह है कि हमारा काम लश्कर में ७० और उज्जैन में ४० दाइयों से नहीं चल सकता. साल गुजिश्ता में जच्चा खाने में जो बच्चे जनाये गये उनकी तादाद ९० है और इस साल ९ महीने में तादाद ८९ है. इस में से १४ ने तो अपने मकान पर और बाकी जच्चा खाने में बच्चे जनाये, यह बात भी काबिले गौर है कि मुरार की आबादी ८००० है इस में से कितने जच्चा खाने में और कितने घरों पर बच्चे जनवाते हैं. मर्दुमशुमारी का लिहाज करते हुए और उस पर औसत लगाते हुए ३२ लाख आदमियों में ८ लाख बच्चे होंगे. इसके लिये बहुतसी दाइयों की जरूरत होगी. चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब ने लश्कर के लिये जो २००० और उज्जैन के लिये १००० लड़के बतलाये हैं इस बात का लिहाज करते हुए प्रति लाख दो हजार

बच्चे हुए. इस तरह पर हमें चौंसठ हजार बच्चों के जनाने के इन्तिजाम की जरूरत हैं. और जैसा कि बतलाया गया है दो हजार के लिये सौ दाइयों की जरूरत है. मतलब यह है कि २० के लिये एक दाई की जरूरत होगी. जब हम इनको इतनी तादाद तय्यार करलें तो सवाल यह होगा कि अब इनको ट्रेन करना बंद कर दिया जाय, और इन Trained दाइयों को साढे सत्रह रुपये फीस देना पडेगी. यह कितना बडा बार होगा जो लोग बरदाश्त नहीं कर सकेंगे. सब से पहिले हमें एक ऐसा रिकार्ड तय्यार करना है कि हमें कितनी दाइयों को Train कराना है, उस में कितना सर्फा होगा और कितना कौन डिपार्टमेंट देगा और इस सर्फे में हमारा काम चलेगा या नहीं. जब हम यह देख लें कि हमारे यहां तादाद पूरी होगई है उस वक्त दाइयों को Training देना बंद कर दिया जाय.

[इसके बाद इजलास ३॥ बजे खत्म किया गया. मेम्बर साहबान को रिफ्रेशमेन्ट दी गई और प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया कि ब रोज सनीचर तारीख २ अप्रेल सन १९२७ ई० को मजलिस का इजलास १२ बजे दोपहर से शुरू होगा.]

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार.

सम्वत १९८३.

सेशन छटवां.

इजलास चहारुम.

शनिवार तारीख २ अप्रेल सन १९२७ ई०, वक्त १२-१५ बजे दिन, मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार सर आपाजीराव साहब सीतोले, आंकलीकर के. बी. ई. सी. आई ई., अमीरुल- उमरा, (वाइस-प्रेसीडेन्ट, कौन्सिल).

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट- कर्नल कैलासनारायण साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीरे खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई., मुशीर-खास बहादुर, शौकतजंग, आर्मी मेम्बर.

४. श्रीमंत सदाशिवराव खासे साहब पवार, होम मेम्बर.

५. राव बहादुर रावजी जनार्दन साहब भिडे, मुन्तजिम बहादुर, फाइनेन्स मेम्बर.

६. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुलमुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

७. सरदार साहबजादा सुलतान अहमदखां साहब, मुन्तजिमउद्दौला, अपील मेम्बर.

८. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर साहब मुळे, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज, व मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

९. मेजर हश्मतउल्लाखां साहब, मेम्बर फॉर पब्लिक वर्क्स.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

१. राय साहब सेठ मानिकचन्दजी साहब, ताजिरुल मुल्क, उज्जैन.

२. राव साहब ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, ढाबलाधीर.

३. रामराव गोपाळ साहब देशपांडे, मोहम्मदखेडा (शुजालपुर),

४. रामजीदास साहब वैश्य, ताजिरुल-मुल्क, वफादार दौलते सिंधिया, लश्कर

५. मीर जामिनअली साहब, मौजा देरखी (भेलसा).

६. मथुराप्रसाद साहब, मुरार.
७. विश्वेश्वरसिंह साहब, मौजा मुरतरी (महगांव).
८. छत्रसिंह साहब, मौजा जारहा (नूराबाद).
९. रामजीवनलाल साहब, मुरैना.
१०. सूबालाल साहब, शिवपुरी.
११. वामनराव साहब, मौजा गढला उजाडी (बजरंगढ).
१२. बलवंतराव साहब बागरीवाले, भेलसा.
१३. सेठ लालचन्द साहब, राजगढ.
१४. बागमल साहब, आगर.
१५. मयाराम साहब, चन्दूखेडी, (उज्जैन).
१६. बद्रीनारायण साहब, नाहरगढ.
१७. महंत लक्ष्मणदास साहब, नरसिंह देवला (अमझेरा).
१८. चौधरी नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.
१९. जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, वकील, भिन्ड,
२०. हरभानजी साहब, मुरैना.
२१. सेठ अनंदीलालजी साहब, श्योपुर.
२२. शंभूनाथ साहब, वकील, भेलसा.
२३. चतुरभुजदास साहब, वकील, आगर.
२४. त्रिंबकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.
२५. गुरुदयाल साहब, वकील, मन्दसौर.
२६. कृपाशंकर साहब, मौजा बाडिया (बाकानेर).
२७. रखबदास साहब, जौहरी, लश्कर.
२८. लक्ष्मीनारायण साहब बीजावर्गी, गुना.
२९. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.
३०. बिन्द्रावन साहब, भिंड.
३१. दामोदरदास साहब, शाजापुर.
३२. राव हरिश्चन्द्रसिंह साहब, बिलौनी.
३३. ठाकुर रघुनाथ सिंह साहब, चिरोला (परगना बडनगर).
३४. ठाकुर पहलादसिंह साहब, कालूखेडा (परगना मन्दसौर).
३५. सरदार श्रीधर गोपाल आपटे साहब, लश्कर.
३६. शंकरलाल साहब, मुरार.
३७. बटुक प्रसादजी साहब, वकील उज्जैन.
३८. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

प्रेसीडेन्ट साहब.—होम मेम्बर साहब ! परसों शंकरलालजी ने जो तकरीर की थी उसके मुतअल्लिक आप कैफियत जाहिर फरमा दें ताकि दीगर साहबान को गलत फेहमी न हो, और आयंदा जो तकरीर करना चाहें उन्हें आसानी हो.

होम मेम्बर साहब.—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब ! दाइयों के मुतअल्लिक कल जो मसला पेश हुआ था उसपर शंकरलाल साहब ने कुछ बहस की थी. उनका मुद्दआ खास तौर से यह था कि अगर सन १९३१ ई० से यह कैद कायम करदी गई कि जो दाइयां उस वक्त तक training हासिल न करें उनको जच्चीदगी की इजाजत न होना चाहिये तो लोगों को तकलीफ होगी. और अपना यह अंदेशा जाहिर किया था कि बच्चों की पैदायश को मद्दे नजर रखते हुए जरूरी तादाद में trained दाइयां मयस्सर न होंगी. इसकी ताईद में उन्होंने अपने ख्याल के मुआफिक चंद हिंदसे पेश किये थे. उन्होंने जो हिन्दसे पेश किये थे वह उन्होंने किस पर से कायम किये थे, यह मालूम नहीं होता. तजवीज में जो हिन्दसे दर्ज किये हैं और जो आप लोगों को मालूम हो चुके हैं उनपर अगर आप निगाह डालेंगे तो बखूबी रोशन हो जायगा कि मर्दुमशुमारी के लिहाज से जितनी दाइयों की जरूरत होगी वह सन १९३१ ई० तक मयस्सर हो सकेंगी. इस तजवीज के जो कि आप साहबान को तकसीम की जाचुकी है उसके पैरा नंबर २ व ३ को आप बगौर देखिये, वह यह है:—

"२. शहर लश्कर, ग्वालियर व मुरार और शहर उज्जैन में सालाना ज्यादा से ज्यादा औसत पैदायश हस्ब जैल है:—

(१)	लश्कर, ग्वालियर व मुरार	२,०००
(२)	उज्जैन	१,०००

यानी शहर लश्कर, ग्वालियर व मुरार के लिये ज्यादा से ज्यादा माहवार औसत पैदायश १६६ और उज्जैन के लिये ८३ है. इस तादाद पैदायश के लिहाज से शहर लश्कर, ग्वालियर व मुरार के वास्ते ज्यादा से ज्यादा १०० दाइयां और उज्जैन के लिये ५० दाइयां काफी होंगी. इस वक्त ट्रेन्ड दाइयों की तादाद लश्कर में ७० व उज्जैन में ४० से जायद है.

३. औसत तादाद दाइयों की जो हर साल ट्रेन की जाती हैं, लश्कर में २० और उज्जैन में १० है. मुन्दर्जा बाला तादाद के लिहाज से तीन साल में जरूरत से ५० फी सदी ज्यादा ट्रेन्ड दाइयां हो जावेंगी."

इस माहिती के लिहाज से जो तरद्दुद शंकरलाल साहब ने पेश किया था कि जरूरत के लिहाज से काफी दाइयां मयस्सर नहीं हो सकेंगीं उसकी गुंजायश नहीं रहती. दूसरा तरद्दुद यह था कि जो मस्तूरात delivery के लिये maternity homes में भेजी जाती हैं उनको जो सर्फा करना पडता है वह हर मामूली शख्स बरदाश्त नहीं कर सकता. मगर इस तजवीज का maternity homes से कोई तअल्लुक नहीं है. इसके यह मानी हरगिज नहीं हो सकते कि आयन्दा जितने delivery cases होंगे वह सब maternity homes में हों बल्कि जिस तरह से आज तक गैर पास शुदा दाइयां काम करती हैं उसी तरह दाइयां आयन्दा मकान पर जाकर काम करेंगी. फर्क सिर्फ इतना है कि जो गैर पास शुदा हैं उनको पास कराया जाकर अच्छी खिदमात देने की काबलियत पैदा की जायगी. बच्चों की मौत की तादाद ज्यादा है. रिआया की बेहबूदी और public health का लिहाज करके इस मुआम्ले में कोशिश करना चाहिये.

तजुर्बे से यह साबित हुआ है कि बच्चों की मौत का बडा भारी बायस वह बेएहतियाती है जोकि जच्चीदगी के वक्त होती है. दरबार की तरफ से जो कायदा या रसूल मुकर्रर किया

जायगा उसका यह मकसद हरगिज न होगा कि फलां दाई से ही delivery होना चाहिये और इतनी रकम फीस की देना ही चाहिये. इस बात की तरफ मैं खास तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि मैडिकल डिपार्टमेन्ट ने जिन दाइयों को train किया है वह उसी तबके की हैं जो आज तक काम दाईगिरी करती आरही हैं; लिहाजा ऐसा ख्याल करना ठीक न होगा कि मौजूदा दाइयों की शिकम पुरी का आयंदा रास्ता बन्द हो जावेगा. तीन चार साल हुये जब यह सवाल सब-कमेटी के सुपुर्द हुआ था. सब-कमेटी ने अपनी यह तजवीज पेश की थी, कि हर जिले के हेड-क्वार्टर के लिये ऐसा इन्तजाम किया जावे कि वहां दाइयों को train किया जावे.

यानी मैडिकल डिपार्टमेन्ट ने जो तजवीज पेश की है उससे न तो रिआया को तकलीफ का अंदेशा है, न मौजूदा दाइयों की शिकमपुरी का जरिया जायल होने का अंदेशा है. बरअक्स इसके रिआया को फायदा होगा, बच्चों की फौती की तादाद में कमी होगी और जो दाइयां आज कल पास-याफ्ता न होने की सूरत में काम करती हैं पास होने की सूरत में लोगों की नजर में उनकी वकअत बढेगी. इसलिये मैं ख्याल करता हूं कि मेम्बरान मजलिस को इस तजवीज के पास करने में कुछ तअम्मुल न होगा.

शंकरलाल साहब—हुजूर आली ! अगर इजाजत हो तो मैं इस तजवीज के मुतअल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब—कहिये.

शंकरलाल साहब—अर्ज यह है कि मैं trained दाइयों के खिलाफ नहीं हूं. मेरा तरद्दुद यह है कि ट्रेन्ड दाइयों से जच्चीदगी कराना लाजिमी करार देने से परेशानी होने का अंदेशा है. लश्कर में इस वक्त करीब ७० के trained दाइयां हैं, उनके काम से हमको तजुर्बा हो गया है और दूसरे लोगों से भी जिनको वास्ता पडा है, मालूम हुआ है कि trained दाइयों की बनिस्बत खानगी दाइयां अच्छा काम करती हैं. trained दाईयों से काम कराने में लोगों को तकलीफ होती है, उनका मिलना और आना मुश्किल है और उनकी फीस वगैरह देना हमारी माली हालत से ज्यादा है. दाइयों का काम अदना और आला सब से मुतअल्लिक है. Maternity Home में जाने से यह भी रिआयत रक्खी गई है कि अगर कोई शख्स जच्चाखाने से अपने बच्चे को जना लाये, तो उसको फीस न देना होगी, मगर दिक्कतें उसमें यह होती हैं कि वहां घर छोडकर जाना पडता है, घर का इन्तजाम अलहदा करना पडता है. दाइयां पूरा काम नहीं करती हैं, रिश्तेदार औरतों को वहां लेजाना पडता है, उनके आने जाने का सर्फा करना पडता है. व खाने वगैरा के सर्फे का मुतहम्मिल होना पडता है. अपने घर में वह न मालूम किस तरह से गुजर कर लेते हैं और अपनी इज्जत बचाते हैं. मगर अपनी मस्तूरात को अस्पताल में ले जाने में अपने position के लिहाज से उन्हें खर्च करना पडता है. अलावा इसके एक अन्देशा यह है कि जब trained दाइयों को यह मालूम हो जायगा कि बगैर हमारे तो काम चलेगा नहीं, वह फीस ज्यादा लेंगी. बहुतसी दाइयां इस वक्त ऐसी मौजूद हैं जो trained दाइयों के मुकाबले में अच्छा काम करती हैं और मेहनत भी बनिस्बत उनके ज्यादा करती हैं. इन वजूहात पर ख्याल करते हुए गैर पास शुदा दाइयों को कतई बन्द कर दिया जाय यह ठीक नहीं है. बेहतर यह होगा कि फिलहाल untrained दाइयों को training दिलाई जाय और trained दाइयों के बुलाने के मुतअल्लिक जो फीस मुकर्रर है वह लाजमी न रखी जाय. ऐसी सूरत में लोग खुद ही घर पर trained दाइयों को बुलायेंगे और जब untrained दाइयों को यह ख्याल होगा कि उनकी शिकमपुरी का जरिया trained दाइयों की वजह से कम हो रहा है तो

वह खुद trained होने की कोशिश करेंगी. फिलहाल अगर यह तजवीज पास करदी जायगी तो पब्लिक के दिल में यह ख्याल पैदा होगा कि मेम्बरान मजलिस आम में जाकर कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और पब्लिक की तकलीफ को रफा करने की कोशिश नहीं करते. लिहाजा मजलिस की खिदमत में मैं यह गुजारिश करता हूं कि मजलिस के मेम्बरान गवर्नमेंट की खिदमत में सिफारिश करेंगे कि इस वक्त इस किस्म की रोक न की जावे.

कृपाशंकर साहब—हुजूर वाला ! यह सवाल अपनी असली हालत में ऐसा वजनदार है कि जिससे कोई भी फर्द बशर बगैर गौर किये नहीं रह सकता. दीगर मुमालिक में जब कि बच्चों की मौत में इजाफा नजर आता है तो हर मैडिकल ऑफिसर को पीछा छुडाना मुश्किल हो जाता है कि कोई ऐसा तरीका सोचना चाहिये कि जिससे गैर मामूली अमवात में कमी हो. चुनांचे यह सवाल भी उसी तरह का है और निहायत वजनदार है. मौत की दो किस्में हैं, अव्वल तबई, दूसरी गैर तबई. यह सवाल गैर तबई मौत से मुतअल्लिक है. हमारी अदम निगरानी की वजह से बच्चे फौत होजाते हैं, इसकी इन्सदाद के लिये हर फर्द बशर का काम मदद देना है. जो दाइयां गैर तालीमयाफ्ता हैं उनकी निस्बत डाक्टर साहबान को चाहिये कि वह उनको अस्पताल में तालीम दें और उनमें जो नुक्स हों उनको दूर करदें.

तालीमयाफ्ता दाइयां अगर सिर्फ लश्कर, उज्जैन व मुरार के लिये ही रखी जावेंगी तो यह हमारी बडी संगदिली होगी कि दूसरे हिस्से रियासत के इस निगरानी से महरूम किये जावेंगे. रियासत के हर हिस्से में दाइयों की तालीम का सिलसिला जारी होना चाहिये. हर जगह बच्चे पैदा होते हैं और सब को बच्चों से मुहब्बत होती है. बच्चे हर शख्स की पूंजी हैं. हर शख्स अपने बच्चों की निगरानी करता है कि यह आडे वक्त हमारे काम आवेंगे. अगर हम इस पूंजी से बेखबर रहेंगे तो बहुत कीमती चीजों को बरबाद कर देंगे. दरबार के पास ऐसे बहुत से जराये हैं जिनसे इस स्कीम की तकमील हो सकती है. मेरे मुअज्जिज दोस्त शंकरलाल साहब ने जो ऐतराज किये हैं वह भी एक हद तक वजनदार है, इनको भी नजर अन्दाज न करना चाहिये.

यह स्कीम निहायत मुबारिक स्कीम है जो गवर्नमेन्ट ने तजवीज की है. पब्लिककी तरफ से मैं मुबारिकबाद देता हूं कि गवर्नमेन्ट ने हमारे फायदे की गरज से और हमारे बच्चों की जानें बचाने की गरज से यह तजवीज पेश की है और इस खिदमत को अपने हाथ में लिया है ब मिस्दाक इस शैर के:—

करे बन्दगाने खुदा की जो खिदमत. हकीकत में बन्दा वही है खुदा का.

दरअसल यह बडी मुबारिक तजवीज है, मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

चतुरभुजदास साहब.—हुजूर आली ! जो अल्फाज इस तजवीज के हैं कि "ट्रेन्ड दाइयों के अलावा दीगर दाईयों को दाईगरी का काम करने से रोका जावे और trained दाईयों से काम लिया जावे" इसका मकसद यह हैं कि trained दाईयां के अलावा दीगर दाईयां या दीगर औरतें delivery न करने पावें, यानी सिर्फ professional trained दाईयों से ही काम लिया जाये. जिस घराने में तजुर्बेकार बडी बूढी औरतें हैं उनको बनिस्बत trained दाईयों के ज्यादा तजुरबा होता है. इस तजवीज का यह मन्शा है कि वह औरतें भी किसी किस्म का काम न कर सकें. जहां तक मैंने इस सवाल पर गौर किया है इसमें दो नुक्स हैं, अव्वल यह कि trained दाइयों को सिवाय अंग्रेजी दवाओं के हिंदुस्तानी दवाइयें नहीं बतलाई जाती हैं. अभी Baby Week में मैंने एक नर्स से दरयाफ्त किया कि अगर तुम्हारे पॉकेट से कारबोलिक लोशन या व्हेसलीन गिर जाये तो क्या करोगी? उसने

जवाब दिया कि हम फिर अस्पताल जायेंगे और लाने की कोशिश करेंगे. मैंने कहा कि अगर इस अर्से में delivery होजाय तो क्या करोगीं. इसका कुछ जवाब नहीं दिया. इस सूरत में अंग्रेजी दवाओं के साथ हिंदुस्तानी दवाओं का इस्तेमाल भी बताना चाहिये जो कि घर घर में होती हैं.

दूसरे, दाईयों से ज्यादा practice का काम और मरजों के मुताल्लिक हो रहा है. मेडिकल डिपार्टमेन्ट ने किस मस्लेहत और दूर अन्देशी से यह रोक नहीं की कि बगैर पासयाफ्ता वैद्य या डाक्टर practice न कर सकें. मर्ज के लिये sentiment का ताल्लुक है. ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनका ऐतकाद वैद्य, हकीम या हिन्दुस्तानी दवाओं पर ज्यादा होता हैं. उनको बजाय तजुर्बेकार और पासयाफ्ता डाक्टरों के इलाज के वैद्य हकीम की दवा से ज्यादा फायदा होता है.

आज कल हमारे समाज में हर एक खानदान में दो एक बडी बूढी औरतें जरूर trained होती हैं. इस मानी में नहीं जो इस तजवीज में हैं बल्कि इस सूरत में कि उनको trained दाईयों से ज्यादा तजुबा होता है. मैं इस तजवीज के खिलाफ नहीं हूं कि दाईयों को training न दिया जावे, जरूर दिया जावे, मगर untrained दाईयों के लिये practice की रोक की कैद एक दम न लगाई जावे. Train करने की हालत में दाईयों को अंग्रेजी दवाईयों के अलावा हिंदुस्तानी दवायें भी बतलाई जावें. जब trained दाईयां गली गली, घर घर में हो जायेंगी उस वक्त untraind दाईयों से कोई इम्दाद न लेगा. Artificial रोक करना उसूल के खिलाफ होगा.

अष्टेवाले साहब.—हुजूर वाला ! रेलवे के शुरू में हमारे पुराने लोग बहुत एहतियात से बैठते थे बल्कि बैठने से परहेज करते थे. कहते थे कि हमारा सोला छूट जायगा, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सोला छोड दो. मगर रफ्ता रफ्ता सोला वगैरा मिट मिटा गया और लोग रेल में बैठने लगे. फिर मोटर निकली तो तांगे आपही आप कम हो गये और लोग मोटर में बैठने लगे. कोई ऐसा तरीका क्यों नहीं निकाला जाता जिससे untrained दाइयों की खुद ब खुद रोक होजाय. Trained दाइयां हर जगह भेजी जावें व लोग उनको खुशी से बुलावें. गरीबों का धन्दा छुडा देना ठीक नहीं हैं.

दूसरे देश के लोग जो यहां आते हैं वह गरमी के मौसम में रहते हैं मगर कभी मलमल का कुरता नहीं पहनते. जो कुछ मुझे इस विषय में कहना है वह मैं मुख्तसिर तौर पर कहना चाहता हूं. मेरे दिल में किसी बगावत का ख्याल नहीं है. मैं दूसरे मुल्क के लोगों की निन्दा करना नहीं चाहता बल्कि उनके देशाभिमान का अनुकरण करने के लिये कहता हूं. योग्य कारके होते हुए भी उनको अपना पोशाख बदलने तक की इच्छा नहीं और हम हमारे लोगों के धंदों ण खिलाफ करने को तैयार—हमारे श्री माधव महाराज जो पुराने और नए दोनों ख्यालातों को माननेवाले थे. सिर्फ नए ख्यालातों को महत्व देनेवाले नहीं थे उनके रियासत में ही ऐसे ख्यालातों को मानने वाले थे, सिर्फ नये ख्यालातों को महत्व देनेवाले नहीं थे उनकी रियासत में ही ऐसे कानून की शुरूआत फिलहाल क्यों होनी चाहिये. फिलहाल ऐसा कानून नहीं होना चाहिये. Trained दाइयों की बनिसबत यह दाइयां काम भी अच्छा करती हैं, ऐसा पब्लिक का भी ख्याल है, इस वास्ते ऐसा कहना पडा.

रामजीदास साहब—जनाब वाला, मेरे चन्द दोस्तों ने, जो तजवीज मेडिकल डिपार्टमेंट ने रखी है उसकी मुखालफत की है. मुझे तअज्जुब है कि यह मुखालफत महज इस बुनियाद पर की गई है जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा है कि trained दाइयों का रखना fashion समझ लिया गया है. शिक्षा और fashion में फर्क है. Trained दाइयां fashionable होने की वजह से नहीं रखी जाती हैं. उनसे आयन्दा आने वाली नस्ल को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, इस गरज से मेडिकल डिपार्टमेन्ट ने यह तजवीज आपके सामने रखी है. उन शख्सों की तरफ से मुखालफत का किया जाना, जो दूरअन्देशी को नही समझ सकते, मामूली बात है. उन दोस्तों ने जो काफी educated हैं बल्कि अच्छे educated हैं न मालूम कौनसी बात public interest की मद्देनजर रखकर इस तजवीज से मुखालफत की है; एक बहुत ही मामूली सी बात यह कही गई कि खर्चा ज्यादा होगा जैसा शंकरलाल साहब ने कहा है कि एक बच्चे की पैदायश में साढे बारह रुपये होंगे. क्या १२॥ रुपये

एक बच्चे की जान से ज्यादा है ? १२॥ रुपया मामूली से मामूली आदमी बच्चा पैदा होने पर किसी दूसरी शक्ल में सर्फ कर देता है. Trained दाइयों से बच्चों की जानें महफूज रहती हैं और फौती की तादाद में कमी रहती है. इस बड़े public interest के सवाल को छोड़ देना वाजिब न होगा. मैडिकल डिपार्टमैंट ने अपने जाती फायदे की गरज से इस सवाल को नहीं रखा है. गवर्नमेन्ट एक माकूल रकम इसमें सर्फ कर रही है, कोई रुपया नहीं मांगा जारहा है. पहले लोग इसकदर नावाकिफ थे कि डाक्टरी इलाज नहीं करते थे. आजकल बहुत अच्छे अच्छे डाक्टर का इलाज करते हैं, यानी हास्पिटल आसिस्टन्ट भी मौजूद हैं, सिविल सरजन भी मौजूद है. अब तालीम देने के बाद रोज बरोज तरक्की होरही है. १५ या २० साल पहले यह ख्याल किया जाता था कि हमारे यहां वैद्य और हकीम काफी हैं, एम० बी० डाक्टरों की जरूरत नहीं है. यह जो ख्याल किया जा रहा है कि untrained दाइयों का रिज्क मारा जायगा, इसके मुतअल्लिक होम मेम्बर साहब ने आपको जतला दिया है कि उन्हीं दाइयों को सिखाया जा रहा है जो आजकल दाइयों का पेशा कर रहीं हैं. सीखने वाली वही होंगी जो आज कल पेशा करती हैं. दाईयां ज्यादा आसानी से सीख सकती हैं. जब untrained दाईयों को सिखाकर काबिल बनाया जा रहा है तो समझ में नहीं आता कि इस तजवीज की क्यों मुखालफत की जा रही है.

अगर एक एम० बी० डाक्टर रखा जाय और उसके साथ एक पन्द्रह रुपये का कंपाउन्डर रखा जाय तो वह कंपाउन्डर उन उसूलों से वाकिफ नहीं हो सकता है कि जिनसे एम० बी० डाक्टर वाकिफ है. इसी तरह जिन उसूलों से trained दाइयां वाकिफ हैं, untrained दाइयां वाकिफ नहीं हैं, मैं जहां तक समझता हूं इसकी मुखालफत होना ठीक नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि मेम्बरान मजलिस आम इसके खिलाफ न होंगे. दूरअंदेशी से हर एक काम देखना चाहिये, जैसा कि मेरे दोस्त शंकरलाल साहब ने कहा है, मेम्बरान मजलिस कुरसियां तोडने के वास्ते नहीं आते हैं.

मानिकचन्द साहब—जो रामजीदास साहब ने कहा, मैं उसकी ताईद करता हूं.

महन्त लक्ष्मणदास साहब—पुत्र के मुख देखने के लिये और घर में संतान हो इसलिये बहुत पुराने जमाने में ऐसी नजीरें भी मिलती हैं जिसको करोला कहा गया है. यह करोला एक पहाड की बहुत ऊंची करार है, वह टप्पे बाग के बडकेश्वर के नजदीक है, लोग मानता लेते थे कि हम करोला चढेंगे, जब उनकी मुराद पूरी हो जाती थी तब वह वहां जाया करते थे और पहाड के ऊपर खडे होकर खूब बाजा बजाते थे और जोश में आकर नीचे कूद पडते थे, हड्डी पसली चूरचूर होजाती थीं, यानी लोग संतान का मुख देखने के लिये अपनी जान भी देदेते थे. खैर यह तो पुरानी बात है. अबभी देवी देवों की लोग मानता करते हैं. कहते हैं कि हम चूल चलेंगे यानी कोयला जलाते हैं और उसके ऊपर छै २ सात २ चक्कर लगाते हैं और जात के लोगों को खाना खिलाते हैं. इससे मालूम होता है कि लोगों को संतान बहुत प्रिय है. तो ऐसी सूरत में जब कि शिशु सप्ताह हमारे सामने है और हम देखते हैं कि जच्चाखाने में कहीं थूक पडा है, कहीं मैले कपडे पडे हैं और मक्खियां भिनभिना रहीं हैं, ऐसी जगह में जब कि जच्चा एक दो दिन नहीं, बल्कि कई दिन रहेगी तो हमारी सभ्यता हमसे कितनी दूर होगी. लश्कर, मुरार, उज्जैन में जब ट्रेन्ड दाइयां तैयार होरही हैं और वह अच्छा काम करती हैं तो उनसे क्यों न फायदा उठाया जाय. जब बच्चा पैदा होता है तब बंदूकें चलती हैं, अच्छी तादाद में इतर पान के लिये मित्र आते हैं, नारियल बताशे बांटे जाते हैं. अगर ये सब रस्में कम करके दाइयों में खर्च किया जायगा तो क्या हर्ज है. मित्रों का सत्कार तो आगे चलकर ब्याह आदि के अवसर पर भी हो

सकता है. मैंने देखा है कि सरदारपुर के अस्पताल में एक दाई है, वह बडी होशियार है, लोग उसी को ज्यादातर ऐसे मौकों पर बुलाते हैं, जनता इस के फायदे को जानने लगी है फिर अगर नमूने के लिये यह खास खास मुकामों में कायम किया जाता है तो क्या हर्ज है. इसमें मुखालफत की जरूरत नहीं. जनता को इससे सुख पहुंचने की आशा है और बच्चों की मृत्यु संख्यां बहुत कुछ कम होने की संभावना है इस लिये मेरा अनुरोध है कि आप इसे अवश्य स्वीकार करें.

ठाकुर पहलादसिंह साहब.—पहले भी बच्चे होते ही थे और सब कुछ होता था. अब इसका क्या इतमीनान है कि बच्चे मरेंगे ही नहीं. फिर पुरानी दाईयों की रोक करने का क्या मतलब, अगर इस बात का इतमीनान हो जाय कि बच्चे मरेंगे ही नहीं तो ठीक है.

लक्ष्मीनारायण साहब.—एक वक्त वह था कि वेक्सीनेशन या टीका लगाना कोई जानता ही न था. जब इसका कायदा बना और टीका लगाना शुरू हुआ उस वक्त वेक्सीनेटर कहीं जाते थे तो माताएं बच्चों को छिपा लेती थीं. जब इसके फवायद मालूम हुवे तो लोग दौड दौड कर वेक्सीनेटर को बुलाने लगे और दरख्वास्त करने लगे कि अच्छा टीका लगाया जाये. अब लोग फीस देकर टीका लगाने के लिये डाक्टरों को बुलाते हैं. इसी तरह ट्रेन्ड दाईयों का सवाल है. पुरानी दाइयों को ट्रेन करके उनसे काम लिया जाय तो बहुत अच्छी बात है. जैसा कि वेक्सीनेशन के बारे में मैंने बतलाया है वैसेही इसका होने वाला है. जब इसके फवायद लोगों को मालूम होंगे वह खुद दौडेंगे. जैसे कि बहुत से साहबान ने कहा है कि बच्चा बडी प्यारी चीज है और बचा अच्छा और तनदुरुस्त हो इसलिये ट्रेन्ड दाइयों की जरूरत है. गरीबों को इतना सर्फा झेलने की दिक्कत होगी इसलिये मैडीकल डिपार्टमेन्ट कुछ खर्चे में कमी कर दे.

अनंदीलाल साहब.—अगर दाईयां ट्रेन भी होंगई और बच्चा अच्छा भी हुआ तो उसकी एक दवा और है. जब तक बालविवाह और बेजोड विवाह की रोक न होगी, इससे कुछ नहीं हो सकता.

जगमोहनलाल साहब.—जिस उसूल पर यह सवाल कायम किया गया है उस उसूल की मैं ताईद करता हूं, लेकिन इस सवाल की ताईद में वोट देने के कब्ल मैं मैडिकल डिपार्टमेन्ट से चार अम्र दरयाफ्त करना चाहता हूं. मेरे दोस्त चतुर्भुजदास का इस सवाल के स्कोप के मुतअल्लिक जो एतराज है उसके बारे में इतना ही कहना काफी है कि यह सवाल दाइयों के मुतअल्लिक है, घर की औरतों के बारे में, जो बच्चा जना लेती हैं, नहीं है. इसलिये उनका एतराज महज जहनी है. मैडीकल डिपार्टमेन्ट से जो अमूर दरयाफ्त तलब हैं उनमें से पहिला यह है कि ऐसी दाइयां (अनेट्रेन्ड दाइयां) लश्कर, मुरार, गवालियार में कितनी हैं. दूसरा यह कि जो दाइयां ट्रेन की गई हैं वह उन्हीं में की हैं या उनसे अलहदा. गो लाला रामजीदास साहब के कहने से यह मालूम होता है कि वह उन में शामिल हैं ताहम महकमे की तरफ से इस बाबत definite जवाब चाहता हूं. तीसरा यह कि इन ट्रेन्ड दाईयों ने जो डिलेवरी केसेज अटेन्ड किये हैं उनमें फौती की तादाद क्या है. चौथी यह कि इन दाईयों को देसी अदवियात भी बताई जाती हैं या नहीं.

होम मेम्बर साहब.—जगमोहनलाल साहब ने चार सवालों के मुतअल्लिक माहितीं चाही है. एक सवाल यह है कि जो तादाद ७०×४० की बतलाई गई है उसमें ऐसी दाईयों की तादाद कितनी है जो अबतक पेशा करती रही हैं और अब ट्रेन्ड हुई हैं, इसके मुतअल्लिक जो माहिती मिली है वह यह है कि इनमें ज्यादा तादाद उन्हीं की है जो पेश्तर से इस पेशे को कर रही हैं, सिर्फ तीन या चार ऐसी हैं जिन्होंने शुरू से काम सीखा है. दूसरा यह कि इनको देसी दवाईयों की माहिती होती है या नहीं तो इसका जवाब यह है कि किसी खास दवा के इस्तेमाल पर जोर नहीं दिया जाता. हां कारबोलिक ऐसिड वगैरा के साथ ऐसे देसी काढे इन्हें बतला दिये जाते हैं जो वक्त

जरूरत काम आते हैं. इस सवाल के मुतअल्लिक कि ट्रेन्ड दाईयों ने जो डिलेवरी केसेस अटेन्ड किये हैं उनमें तादाद फोतीं कितनी है, मैं figures नहीं दे सकता क्यों कि अभी यह figures collect नहीं किये गये हैं. अलबत्ता यह कहा जा सकता है कि यह तादाद कम है और यह जाहिर है कि जहां हिफाजत अच्छी न होगी और अहतियात न की जावेगी वहां गडबड होगी. चौथा सवाल (जगमोहनलाल से) क्या है ?

जगमोहनलाल साहब.—कुल तादाद अनट्रेन्ड दाईयों की कितनी है ?

होम मेम्बर साहब.—इसके मुतआल्लिक माहिती अभी नहीं दी जा सकती, स्टेटिस्टिक्स मुहय्या किये जा रहे हैं.

बाबा साहब.—मेरी इतनी गुजारिश है कि इस काम में मेडिकल डिपार्टमेन्ट से लाखो रुपया खर्च हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेन्ट और बडे छोटे देशी राजे महाराजे इस पर रुपया सर्फ कर रहे हैं. यह जो तरीका जारी हो गया है बहुत अच्छा है. ५०-६० बरस हुए जब यह हालत थी कि लोग अंग्रेजी दवा पीने और दवाखाने में जाने को मरना समझते थे, लेकिन गवर्नमेन्ट रिआया के मां बाप के मुआफिक है. उसको आराम देना, कोई तकलीफ न होना, इसलिये लाखों रुपया का खर्च मेडिकल डिपार्टमेन्ट पर हर एक गवर्नमेन्ट उठा रही है. इस वजह से धीरे २ लोग आराम पारहे हैं. अब वो जमाना आगया है कि डाक्टर का बिल भरना उन्हें मंजूर है, लेकिन हकीम की दवा नहीं लेते. मेरे जैसे जो पुराने आदमी हैं वह अलबत्ता अभी बचते हैं. आराम मालूम हो गया तो आपसे आप उसका दिल उधर जाता है. दाइयों के बारे में यह सवाल पेश है. इन्दौर में मैंने देखा है कि वहां यह तरीका जारी है कि मेडिकल डिपार्टमेन्ट की जो कार्रवाई है उसमें कितना खर्च होता है, वहां कितनी दाइयां हैं और लोगों को कितना आराम पहुंचता है, यह सब आप से आप वहां पहुंच जाते हैं और आराम पाते हैं. यहां भी गवर्नमेन्ट वहीं तरीका इखत्यार करती है. यह हम नहीं चाहते, ये कहना ठीक नहीं. जब खर्चा गवर्नमेन्ट देने को तैयार है और दाईयों को ट्रेनिंग भी देती है तो उससे फायदा न उठाना समझदारी नहीं. लोगों का यह कहना है कि यह दाईयों अच्छी पढी लिखी नहीं होंगी तो रफ्ता २ यह भी हो जावेगा.

ईश्वरीसिंह साहब.—मैं भी उन्हीं अलफाज में इस तजवीज की ताईद करता हूं जैसी कि सब ने की है. मैं तो यह कहूंगा कि ट्रेन्ड दाईयों की तादाद न सिर्फ जिले में बल्कि तहसील व परगनात में भी बढाना चाहिये. जैसा कि मैंने पहले वेटरनरी डाक्टरों के बारे में सवाल पेश किया वैसा ही इसका भी इंतजाम हो जावे जैसा कि अभी बतलाया गया है. धीरे २ इन ट्रेन्ड दाईयों का काम फैलता जायेगा और पुरानी दाईयां खुद ब खुद कम होती जावेंगी, लेकिन फिलहाल उनकी अभी बिलकुल रोक न की जावे. जब तक ट्रेन्ड दाईयों की तादाद काफी न हो जाय उस वक्त तक इनका बन्द कर देना ठीक न होगा, क्योंकि और मरजों के लिये घंटे दो घंटे डाक्टरों का इन्तजार हो सकता है लेकिन यह मर्ज ऐसा है कि इसमें एक मिनट भी इन्तजार नहीं हो सकता. अभी मैं देखता आरहा हूं कि गावों के सैकडों बच्चे मर रहे हैं इसकी वजह यह है कि तहसीलों में तो वेटरनरी डाक्टरों का इन्तजाम है लेकिन सर्किल में नहीं है. इसी हालत पर कयास करके दाईयों का भी सार्किल में इन्तजाम होना जरूरी है. सरकार ने शहरों के लिये तो इन्तजाम कर दिया है लेकिन सार्किल में भी दाइयों का इन्तजाम होना चाहिये जिनसे अतराफ की दाइयां सबक लेती रहें और वह उन्हें हिदायत कर सकें. इसलिये इनकी तादाद जरूर बढाई जावे. अभी मैं देखकर आया हूं कि वेक्सीनेटर का जो इन्तजाम हो गया है उससे बडा फायदा हो रहा है. जब चार पांच रोज घर पर

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस मसले पर बहुत बहस हुई अब मैं मुनासिब समझता हूं कि इस मसले के मुतअल्लिक रायें लेकर इसको खत्म करदूं.

(इसके बाद वोट्स लिये गये).

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि यह तजवीज मंजूर की जावे

इसके बाद सवालात मुन्दर्जा जमीमा एजेन्डा मजलिस आम के मुतअल्लिक गवर्नमेंट की जानिब से कैफियत जाहिर की गई.

सवालात नंबर १ लगायत ११ के मुतअल्लिक मुले साहब (ट्रेड मेंबर व मेंबर फॉर एजूकेशन एन्ड म्युनिसिपल्टिटीज) ने हस्ब जैल कैफियत जाहिर की:—

मुतअल्लिक सवाल नम्बर १—सवाल नंबर १ यह है कि " हालत मन्डियात देखते हुए दूकानदारान व साहूकारान की हालत ज्यादातर बिगडी हुई मालूम होती है. ऐसे वक्त में वास्ते तरक्की तिजारत खजाना सरकारी से इमदाद मिलने की सख्त जरूरत है. इसलिये क्या तरीका इख्त्यार करना चाहिये कि जिससे तिजारत को इमदाद मिलकर सरकारी रकम खरखशे में न पडे. इसके बारे में एक कमीशन मुकर्रर किया जाकर राय कायम होना चाहिये. " यह सवाल पेश होने के कब्ल गालिबन एक साल पेश्तर दरबार ने इस मसले पर गौर करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर फरमाई थी, जिसमें माहिर आफिसरान के अलावा नॉन-आफिशियल मेंबरान भी थे और चेम्बर ऑफ कॉमर्स और मंडियात से रायें भी तलब की गई थीं और मंडियात से इस किस्म का रुपया देने के कवाअद भी वजा किये गये हैं जो जेर गौर कौन्सिल हैं और उम्मीद है कि वह अनकरीब जारी किये जावेंगे.

मुतअल्लिक सवाल नंबर २—दूसरा सवाल यह है कि " नकली घी जो अन्दर रियासत हाजा बाहर से आता है उस पर कस्टम ड्यूटी सख्त आयद फरमाई जावे. " शायद आप साहबान को इल्म नहीं है कि यह सवाल ट्रेड एन्ड कस्टम डिपार्टमेंट से उठाया गया था. लेकिन दरबार से जिन वजूहात पर नामंजूर किया गया वह मैं बयान करता हूं. नकली घी के लिये ही यह सवाल क्यों रखा जाता है. किसी चीज की रोक करने के लिये उसूल यह होना चाहिये कि या तो इन्सान की सेहत पर उसका बुरा असर हो या adultration के लिये मंगाया जाता हो. जांच से यह मालूम हुआ कि सेहत पर भी उसका कोई मुजिर असर नहीं होता और न adultration के लिये ही आता है तो दरबार ने ख्याल किया कि इसमें नुक्सान की कोई बात नहीं है. अगर नकली का सवाल है तो और भी बहुत सी चीजें नकली आती हैं, जैसे जेवर, जवाहरात वगैरा, लेकिन जब तक किसी चीज से नुक्सान न हो, arbitrary तौर पर उसको रोकना मुनासिब नहीं है.

मुतअल्लिक सवाल नंबर ३—तीसरा सवाल यह है कि " किसी कारखाने मिस्ल जिनिंग फेक्टरीज, प्रेस वगैरा के कायम करने के लिये गवर्नमेंट की इजाजत की कैद आयद करना अर्थ शास्त्र के उसूल के विरुद्ध व मनुष्य को उसके हुकूक से महरूम करना और समाज की आर्थिक उन्नति में रुकावट पैदा करना है लिहाजा कारखानेजात के कायम करने की इजाजत की जो कैद है वह हटा दी जावे ". इसकी कैफियत यह है कि इस मसले पर गौर किया जाकर कौनसी पॉलिसी जिनिंग फेक्टरीज और प्रेसेज के मुतअल्लिक इख्त्यार कीजावे, इसका मसौदा तैयार होकर जेर गौर कौन्सिल है. इसके साथ ही मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इजाजत की कैद की बाबत जो वजूहात बताये गये हैं वह कहां तक मुनासिब हैं. यह कहा गया है कि रिआया की तरफ से अगर लोग फेक्टरी और प्रेस जारी करते हैं तो उसकी रोक क्यों की जावे. अगर बाहर की तरह

य भी लोग बिला इजाजत फैक्टरी और प्रेस जारी करदें तो बहुत बड़ा नुक्सान होगा, इसलिये उनकी रोक के लिये गवर्नमेंट को कुछ अपने हाथ में रखना जरूरी है. दूसरे अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अपना मुल्क इन्डस्ट्रियल डिवलपमेन्ट में ऊंचे दर्जे को पहुंच गया. अभी तो वह इब्तदाई हालत में है और इब्तदाई हालत में हर industry को protection देने की जरूरत होती है. इसकी शक्ल वैसी ही है जैसी कि विकालत के इम्तहान की हुई. जमाने साबिक में जब वकील कम मिलते थे, इम्तहान की कोई कैद न थी. बाद में इम्तहान का सिलसिला जारी किया गया. अब वकीलों की इतनी तादाद हो गई है कि लोगों का ख्याल यह हो रहा है कि अब इस काम में कोई फायदा नहीं, इसलिये इसमें बेकार वक्त सर्फ करना है. यही हाल फेक्टरीज वगैरा जारी करने का है. इस गरज से कि लोग यह न समझने लगें कि इसमें कोई फायदा नहीं और यह बेकार काम है, कुछ न कुछ रुकावट की जरूरत है.

मुतअल्लिक सवाल नम्बर ४.—सवाल यह है कि "मन्डियात जो जगह जगह कायम हैं, वहां पर टेलीग्राफ का इन्तजाम होना चाहिये, ताकि पब्लिक को आसानी हो." गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का इस बारे में रूल यह है कि जिस मुकाम पर टेलीग्राफ मतलूब हो वहां पर टेलीग्राफ आफिस कायम हो सकता है, मगर जो सर्फा हो उसकी गारन्टी होना चाहिये. मगर उसका सर्फा आमदनी से पूरा निकल आवे तो बार किसी पर नहीं पडेगा. जहां कम आमदनी होगी वहां बाशिन्दगान को कमी आमदनी का हिस्सा पूरा करना पडेगा; लिहाजा जहां जहां जरूरत telegraph office की समझी गई है कार्रवाई दर पेश है. लिस्ट मंडियात मेरे पास है. ५-६ मुकामात के सिवाय बाकी मुकामात पर किसी न किसी किस्म का इन्तजाम टेलीग्राफ का है. अब इस सवाल में अलबत्ता दो अल्फाज ऐसे आगये हैं कि जिनके मुतअल्लिक ज्यादा सराहत की जरूरत है यानी "सरमाया या सर्फा मन्डी" से क्या मुराद है, क्या ब्योपारियान उस खर्चे की रकम को जो आमदनी से कम पडे, अदा करने के लिये तय्यार हैं, या यह कि मन्डी में अबवाब के तौर पर जो वसूल वासलात होती है उससे यह सर्फा अदा किया जायगा? इसलिये बेहतर होगा कि यह सवाल पहिले मन्डी कमेटी में रखा जावे और फिर बतवस्सुत मन्डी कमेटी पेश किया जावे.

मुतअल्लिक सवाल नम्बर ५, ६, ७ व ११.—पाचवां सवाल यह है कि "रियासत की हर प्रकार की उन्नति शिक्षा पर ही अवलम्बित है, इसलिये कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य (compulsory) करार दिये जाने बाबत कानून बनाना परमावश्यक एवं भविष्य के लिये अत्यंत हितकर होगा. यह सवाल हम शक्ल सवाल नम्बर ६ है."

इन दोनों सवालों में सिर्फ फर्क इतना है कि सवाल नंबर ६ ज्यादा वसीअ है. मैं इसके साथ सवाल नंबर ७ को भी लेता हूं. सवाल नंबर ७ यह है कि "जमींदारान के लडकों को लाजमी तालीम देने के लिये सम्वत १९७७ की जमींदारी कान्फरेन्स में सवाल पैदा हुआ था. उस पर से एज्यूकेशन कमीशन ने बाद तहकीकात रिपोर्ट बाखिदमत दरबार पेश करदी, अब लाजमी तालीम का सिलसिला जारी होजाना चाहिये". इसके बाद ग्यारहवां सवाल है कि "प्राथमिक शिक्षा, कम से कम म्युनिसिपल एरिया में कम्पलसरी होना चाहिये"—

मैं अव्वल इन सवालात की बाबत जो इस तादाद में और करीब करीब मिलते जुलते पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव्ज की तरफ से मजलिस के रूबरू पेश आये हैं, मुबारिकबाद देता हूं. इनसे इस बात का पता चलता है कि जनता के ख्याल में कुछ न कुछ तब्दील बदल बहक फवायद तालीम होने लगे हैं. अब सवाल यह पेश हुआ है कि इसके लिये कानून बनाया जावे कि तालीम लाजमी यानी कम्पलसरी करार दे दी जावे. किसी कानून के बनाने के लिये जरूरत

इस अम्र के जांच भी होती है कि जनता यानी रिआया उस कानून को बरदाश्त करने को तैयार है या नहीं. आया वह वक्त आ गया है या नहीं कि कानून बनाया जावे. मैं इत्मीनान इस बात का दिलाता हूं कि यह उसूल करार दे दिया गया है कि रियासत में कोई शख्स बिला तालीम के न रह जाये. यही पॉलिसी और उसूल दरबार का है और वह एक दिन आने वाला है कि हम अपने मकसद को पहुंच जावें. जितनी कुछ तालीम के मुतअल्लिक कार्रवाई दरबार से हो रही है वह इन्हीं उसूल को मद्दे नजर रख कर की जा रही है.

इन सवालात के कायम होजाने से मुझे बड़ी उम्मेद व खुशी हो रही है कि कायम मुकामान रिआया यह इत्मीनान दिलाने को तय्यार हो जावेंगे कि वह वक्त आगया है. जो कुछ ऐदाद व रिकार्ड सीगे तालीम में मौजूद है उस पर नजर डालने से मुझको तअम्मुल हुआ. प्रेसीडेन्ट साहब से इजाजत चाहता हूं कि थोडासा वक्त मजलिस का लूं और उसके मुतअल्लिक ऐदाद वगैरा जाहिर करके कैफियत मौजूदा जाहिर करूं कि हम किस हालत में हैं. एक मोटी बात यह है कि जहां तालीम की उन्नति हमारे यहां की तालीम से ज्यादा हो गई है उन्होंने इस तरीके को क्यों इख्तियार नहीं किया. इस दर्जे पर उनकी उन्नति होते हुए भी अभी कायदा बनाने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी. शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जो गवर्नमेन्ट की दस्तअन्दाजी से तअल्लुक नहीं रखता. हर गवर्नमेन्ट इस बात को तय्यार है कि जब रिआया की तय्यारी पूरी मालूम हो जावे तो यह काम रिआया को सोंप दिया जावे. शिक्षा के तीन भाग हैं; (१) प्राथमिक शिक्षा, (२) सेकन्डरी, (३) हायर शिक्षा. अभी तक हमारे यहां जो कुछ कारवाई हुई है और तालीम में जो दरबार से सर्फ किया जारहा है वह एड-मिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट से जाहिर होगा. दो साल पेश्तर ९ लाख का बजट था. अब साढे बारह लाख का हो गया है. मन्शा यह है कि बिला तालीम के कोई भी प्रजा में न रहने पावे. आहिस्ता आहिस्ता उन्नति की कोशिश की जारही है. मैं इस साल का तजरुबा बयान करता हूं कि यह प्रबंध किया गया था कि कम से कम १०० प्रायमरी स्कूल्स इस साल खोले जावें. आपको तअज्जुब होगा कि १०० प्रायमरी स्कूल्स खुल जाना तो दरकिनार, जो मौजूद हैं उनकी कैफियत आप सुनेंगे तो आपको अचम्भा होगा. प्रायमरी शिक्षा के मुतअल्लिक ब्रिटिश इन्डिया व दीगर रियासतों में एक यह नियम है कि शिक्षक यानी मुदर्रिस कायम करने के इखराजात गवर्नमेन्ट बहुत थोडे हद तक बरदाश्त करती है. प्रायमरी यानी प्राथमिक शिक्षा लोकल बोर्ड के हाथ में रहती है. यहां प्रायमरी, सेकन्डरी व हायर शिक्षा का इन्तजाम गवर्नमेन्ट की ही तरफ से होता है. यानी तालीम के सारे सर्फे का प्रबंध गवर्नमेन्ट किये हुये है रिआया से जो मामुली टैक्स वसूल होता है वह भी उसको नागवार गुजरता है. गवर्नमेन्ट को यह शक है कि आया यहां की रिआया इस से ज्यादा टैक्स का बार उठाने की ताकत रखती है या नहीं और रिआया गवर्नमेन्ट के प्रयत्न में उनको बढा कर पूरा कर सकती है या नहीं. ब्रिटिश इंडिया में रिआया खुद इब्तदाई तालीम के स्कूल्स कायम करती है. उस मुताबिक अपने यहां भी रिआया को करना चाहिये. अपने यहां भी वही आजादी है बल्कि सरक्यूलरात के जर्ये से रिआया की तबियत मायल की गई है कि प्रायमरी मदर्से कायम करें, गवर्नमेन्ट इमदाद देने को तय्यार है. मुझे इजहार करने में अफसोस होता है कि जहां प्रायमरी शिक्षा के मदर्से कायम हैं वहां मकान तक नहीं. मिलता और मदर्से के लिये माली हुक्काम से इमदाद ली जाती है तब मदरसा जारी हो जाता है. इन सवालात को देख कर मुझे कवी उम्मेद होगई है कि जो शिकायत इस वक्त महसूस हो रही है वह आयन्दा न होगी.

पुस्तके साहब—मकान किस किस्म का होना चाहिये, मैं दरयाफ्त करना चाहता हूं.

एजूकेशन मेम्बर साहब—मकान ऐसा हो कि जिसमें मवेशी खाना न हो. देखने में आया है कि जहां लडके तालीम पाते हैं और मास्टर बैठते हैं वहां लीद मुतालों की बू आती है. मदर्से के लिये मकान साफ और सादा हो. जब कि गर्मी न हो या ज्यादा ठंड न हो तब मैदान ही काफी है. बारिश और धूप और ज्यादा ठंड में साये का इन्तजाम होना चाहिये. अफसोस यह है कि शहर व डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर तो मुदर्रिस जरूरत से ज्यादा मिलते हैं मगर देहातों में जाने को कोई तैयार नहीं होता. मैं मोटी मिसाल लेता हूं. फर्ज किया जाये कि लश्कर के लिये १००० मुदर्रिस मयस्सर हुवे तो उज्जैन के लिये ५०० और डिस्ट्रिक्ट के लिये २०० मुदर्रिस मिल सकते हैं, मगर देहात के लिये एक भी नहीं मिलता बावजूदे कि देहात की आब व हवा अच्छी होती है और हम तनख्वाह देने के लिये भी तैयार हैं. जो स्केल गवर्नमेन्ट से प्राथमिक शिक्षा के लिये मुकर्रर है हम उसके बढ़ाने के लिये तैयार हैं. अगर कोई साहब २० या २० से ज्यादा लडकों की तादाद फराहम करके प्रायमरी स्कूल जारी करें तो हम मास्टर का सर्फा देने को तैयार हैं, अलबत्ता ऐसा नहीं होना चाहिये कि किसी मौजूदा स्कूल के लडके ऐसे जदीद स्कूल में लिये जायें. मोतबिर तस्दीक होने पर हम मुदर्रिसों की पूरी तनख्वाह देने को तैयार हैं. बावजूद इतना सहारा देने के, इस शिक्षा की क्या हालत है इस पर आप गौर कीजिये. मदरसों में यानी प्रायमरी स्कूल्स में पढने के काबिल लडकों की तादाद ४ लाख ६४ हजार है, मगर मुख्तलिफ मदरसों में पारसाल सम्वत १९८२ में तुलबा की तादाद २५॥ हजार थी. इस साल सम्वत १९८३ में २७ हजार के करीब है. कहां ४ लाख ६४ हजार और कहां २७ हजार. जो लेजिस्लेशन चाहा जाता है उसका असर ४ लाख ६४ हजार पर होगा. इन्हीं २७ हजार बालकों को शिक्षा देने में किन किन मुसीबतों का सामना पडता है, यह जाहिर किया गया है. लोअर प्रायमरी तालीम देनेवाले मुदर्रिसों पर भी गौर करने की जरूरत है. लोअर प्रायमरी तालीम देनेवालों की तादाद ६५८ है और अपर प्रायमरी की ४७०; यानी कुल १,१२८ है. अगर १,१२५ शिक्षक २७ हजार बालकों के लिये दरकार हैं तो ४ लाख ६४ हजार के लिये कितने मुदर्रिसों की जरूरत है, इस पर गौर किया जावे. अगर यह कहा जाय कि यह नहीं मिलते हैं तो बाहर से बुलाये जायें मगर इसमें मसारिफ कितने बढ जायेंगे. तनासुब से देखा जाय तो फी बालक छै रुपये से आठ रुपये तक फी साल सर्फा आता है, इस हिसाब से चार लाख पर कितने सर्फे की जरूरत होगी. हालांकि पिछले सालों के मुकाबले में हमने उन्नति की है, मगर फिर भी हम दीगर जगहों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं. जब तक गवर्नमेन्ट के साथ साथ रिआया न हो जावे तब तक हम अपने मकसद को नहीं पहुंच सकते. हमारे अतराफ में जो दीगर हिस्सेजात हैं और वहां रिआया की जानिब से जो कार्रवाई व मदद जारी है, अगर वह यहां भी हो जावे तो उन्नति यहां बहुत जल्द हो सकती है. इलोक कैसरी में शिक्षा के लिये रिआया ने लाखों रुपया वक्फ कर दिया है. अगर गवर्नमेन्ट का एक प्रायमरी स्कूल है तो रिआया के दस हैं. अगर गवर्नमेन्ट का एक हाई स्कूल है तो रिआया के पांच, अगर गवर्नमेन्ट का एक कॉलेज है तो रिआया के तीन चार. अब यहां कैफियत इस बारे में क्या है, आप गौर करें. स्कूल कायम करना तो दरकिनार, बच्चों की हौसला अफजाई के लिये कोई स्कॉलरशिप भी नहीं देता है ताकि बच्चों की रगबत बढे. एक मर्तबा मैंने अपील किया था कि जो साहब ताल्लेवर हैं और ऐसे इखराजात कर सकते हैं वह इस तरफ तवज्जुह दें, मगर अब तक किसी साहब ने इस तरफ तवज्जुह नहीं दी. जो साहबान शादी वगैरह में दस हजार की रकम खर्च कर सकते हैं वह मिस्ल दीगर कामों के शादी वगैरह के मौकों पर अपने या बुजुर्गों या अजीजों के नाम से एक हजार की रकम स्कॉलरशिप के नाम से वक्फ करदें तो एजूकेशन डिपार्टमेन्ट निहायत ममनून व मशकूर होगा. रिआया में दिलचस्पी

बढने लगेगी. लेकिन आज तक इसमें कामयाबी नहीं हुई. मैं इसको अपनी ही बदकिस्मती समझता हूं. अब चूंकि रिआया ने पल्टा खाया है, मेरी बदकिस्मती भी पल्टा खायगी. यह देखने की बात है कि जहां पर प्राथमिक शिक्षा व दीगर शिक्षा कम्पलसरी करदी गई है वहां लोगों ने क्या किया और उन्होंने कौनसी बात इख्तियार की है. वहां प्रायमरी एजूकेशन लोकल बोर्ड के हाथ में है. हमारे यहां जो रिआया की taxable capacity है वह आपसे मखफी नहीं है. उन्हींकी बेहतरी व आसायश के लिये मौजूदा taxes मिस्ल रोशनी टैक्स के कायम हुए हैं. अगर वह इतना भी टैक्स अदा करने की ताकत नहीं रखते तो उनकी माली आसूदगी की क्या हालत है, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं. एक तो यह सूरत है, दूसरी तरफ हमारी मन्शा यह है कि बिला तालीम के कोई न रह जाय. शिक्षा की उन्नति आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह होगी जैसे कि माली हालत की उन्नति होगी, और एक जमाना ऐसा आयेगा कि हम अपना अन्तिम हेतु प्राप्त कर सकेंगे. अमेरिका, जर्मनी व फ्रांस व जापान वगैरा दीगर मुमालिक में तालीम कम्पलसरी है. अमेरिका ने महज कानून बना दिया कि इलाके में कोई भी बच्चा फलां उम्र तक का बिला शिक्षा के न रहे, बसूरत खिलाफवर्जी उनके वालदैन या सरपरस्त कुसूरवार करार दिये जायेंगे. यह कैफियत यहां नहीं है. यहां गवर्नमेन्ट पूरी इम्दाद देने को तैयार है. महज कानून से काम नहीं लेना चाहिये. जिन साहबान ने यह सवालात रक्खे हैं, उनकी मन्शा यह नहीं मालूम होती कि सिर्फ कानून गवर्नमेन्ट बनादे, सर्फा पब्लिक बरदाश्त करेगी और खिलाफवर्जी की सूरत में पब्लिक जुर्माना अदा करने को तैयार होगी. ऐसे कानून बनाने से और जुर्माना करने से पब्लिक की ताकत को घटाना है. जो उसूल करार दिया गया है वह मैंने जाहिर कर ही दिया है. बीस या बीस से जायद तुलबा का जो स्कूल खोला जायगा उसके लिये गवर्नमेन्ट सर्फा देने को तैयार है. आपको मालूम हो जायगा कि जो छै या आठ रुपये का सर्फा फी तुलबा पड़ता है, उसमें तीन भाग इस तरह किये जाते हैं कि एक भाग मदरसे का व दो मुदर्रिस की तनख्वाह के. इन तीन भागों में से दो भाग गवर्नमेन्ट के जिम्मे छोड दिये जायें यानी इसका प्रबन्ध गवर्नमेन्ट के हाथ में छोड दिया जावे. कम से कम प्रायमरी शिक्षा का जो भाग है वह रिआया अपने हाथ में ले ले. गवर्नमेन्ट की एज्युकेशनल पॉलिसी जो बरती जारही है उसको मद्दे नजर रखना चाहिये. आप रिआया को तैयार करें कि वह कम से कम प्रायमरी शिक्षा को अपनी तरफ करलें. गवर्नमेन्ट के मसारिफ सालाना एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में शाया होते हैं. Compulsory तालीम के लिये जदीद सर्फे का सवाल आता है, इसलिये यह अपील है कि अगर रिआया यह काम हाथ में लेवे तो शिक्षा की उन्नति में बहुत इम्दाद मिल सकती है.

मुतअल्लिक सवाल नम्बर ८.--आठवां सवाल यह है कि "रियासत हाजा के तुलबा जिनकी उम्र १२ साल से ज्यादा हो उनको जिस्मानी कसरत करना लाजमी रक्खा जावे और हर ए. व्ही. एम. स्कूल में एक वाकिफ अलहदा ऐसा मास्टर मुकर्रर फर्माया जावे कि जो कसरत और स्काउटिंग तुलबा को सिखला सके." एज्यूकेशन कोड में बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जिस्मानी वर्जिश लाजमी रक्खी गई है. जो सवाल है उसमें दो रायें होना मुमकिन नहीं है. जिस्मानी तालीम लाजमी तो रक्खी गई है मगर अमली तौर पर क्यों लाजमी नहीं है, जरा गौर तलब है. गर्मी का जमाना छोडकर स्कूल टाइम १० बजे से ४ बजे तक का है. अब अगर ४ बजे के बाद, जब कि लडके भूंखे होते हैं, यह लाजमी करार दिया जाये कि वह उसी हालत में घण्टे

दो घंटे कसरत करें तो यह कहां तक दुरुस्त होगा. मेरे ख्याल में यह बइस बेरहमी होगा. हमारे यहां जमाने साबिक में मकतब या पाठशाला पुराने तरीके पर थीं, दो वक्त मदर्से हुआ करते थे; कुछ वक्त सुबह, कुछ वक्त शाम को ३ बजे से तालीम दी जाती थी. इस तरीके से वर्जिश दिलाने में पूरी सहूलियत थी. अब वह तरीका नहीं रहा. तालीम का इन्तजाम एकही जगह में होने की वजह से एक मुकाम पर हजार पांचसौ लडकों को जमना पडता है, इस वजह से एक वक्त का मदर्सा उन्हीं के आराम के लिये किया गया है. इम्तहान के तौर पर दो दफा स्कूल का इन्तजाम मैंने भी किया था मगर अध्यापक की जानिब से शिकायत हुई तो हुई, बच्चों के वालदैन की जानिब से भी शिकायत पेश आई. चार बजे बाद अगर घन्टे दो घंटे वर्जिश के लिये रखे जावें तो बच्चों के लिये बहुत बेरहमी है और उनके भूंखे प्यासे होने से उनकी जिस्मानी हालत बिगडेगी. एज्यूकेशन कोड में वर्जिश लाजिमी होते हुये भी उसकी ढील रखना पडी. ब्रिटेन वगैरा मुमालिक में १० बजे से ४ बजे तक के दरमियान में टिफन देना लाजिमी रखा गया है. यहां के साहबान इस बार को उठाने को तैयार नहीं हैं. वहां ऐसा सर्फा सरपरस्त या वालदैन से वसूल होता है. हमारे यहां कितनी रिआयत से फीस वसूल की जाती है? अगर फीस बढाई जाती है तो कितना शोर मच जाता है. अगर सर्फा टिफन वसूल किया जायगा तो और भी दिक्कत होगी. किसी न किसी सूरत में वर्जिश कराई जाती है, मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं, ड्रिल की जाती है. अगर वर्जिश को महज कसरत के मानी में लिया जाये तो यह ऐसा सवाल है जिसे वालदैन को हाथ में लेना चाहिये और अपने मकान पर मुनासिब औकात में वर्जिश कराना चाहिये.

मुतअल्लिक सवाल नम्बर ९.—सवाल नम्बर ९ यह है कि "रियासत हाजा के मिडिल क्लास के कोर्स में मौजूदा ऐच्छिक विषयों (Optional subjects) के अलावा मुख्तलिफ हुनर मिस्ल सुआरी, कपडे सीने का काम वगैरा ऐच्छिक विषयों में रखे जावें, ताकि मुख्तलिफ हुनर वालों में तालीम का प्रचार बआसानी हो सके." यह सवाल मजलिस आम के एजेन्डा में इस वजह से रखा गया है कि आप साहबान को कम से कम यह बात तो मालूम होना चाहिये कि इसके मुतअल्लिक इन्तजाम डिपार्टमेन्ट से पारसाल से जारी है. इस साल डिपार्टमेन्ट ने इम्तहान के तौर पर चन्द मदरसों में यह सिलसिला जारी किया है कि इसका बीज जिस कदर हो सके बोया जावे. हर तबके के बालक ऐच्छिक शिक्षा सीखने के लिये आते हैं. उनके पेशे व धन्धे के मुतअल्लिक जिस कदर शिक्षा मुमकिन हो, मदद दी जावे, यानी एक ही शिक्षा न दी जावे, बल्कि दूसरी शिक्षा भी दी जावे, ताकि दस्तकारी व हुनर में प्रवीण हो जावें, अभी इम्तहान के तौर पर उसी मसले को मद्दे-नजर रखकर कोशिश की जा रही है, लिहाजा अभी कब्ल अज वक्त होगा अगर कोई राय कायम की जावे. आप साहबान में से जिन साहबान ने इस सिलसिले को देखा होगा वह क्या काम हो रहा है इसका अंदाजा कर सकते हैं. हर साल बजट में तालीम की यह शाख बढाने के लिये प्रॉविजन किया जा रहा है.

मुतअल्लिक सवाल नम्बर १०.—सवाल नंबर १० यह है कि "विद्यार्थियों की पोशाक के नमूने के मुतअल्लिक कोई खास कैद आयद करना राष्ट्रीय पोशाक (National Dress) के गौरव व गरीब विद्यार्थियों को बहुत मुजिर है; लिहाजा डिपार्टमेन्टल आर्डर नंबर १, सम्वत १९८२, महकमे तालीम, मन्सूख किया जावे."—मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस सरक्युलर के बारे में कुछ गलत फहमी हुई है. अगर किसी को नेशनल ड्रेस (National Dress) के खिलाफ

कोई बात मालूम होती है तो तजवीज यह हो सकती है थी कि उसके बजाय ऐसा दूसरा नमूना बतलाया जावे जिससे राष्ट्रीय गौरव हो. जो कोई uniform मुकर्रर किया जाता है उसकी यह गरज होती है कि अच्छा संस्कार हो, सफाई की आदत पडे, डिसिप्लिन कायम रहे वगैरा.

यूनिफार्म ड्रेस की एक खास गरज यह है कि मुख्तलिफ अकीदे के मानने वालों एक भाव पैदा करने वाला एक यह ड्रेस है. मजहब का इख्तलाफ आसानी से नहीं मिटा सकते. अगर आसानी से मिटा सकते हैं तो ड्रेस मिट सकता है. यह ऐक्य भाव पैदा करने के लिये एक ड्रेस होना चाहिये. Uniform ड्रेस से सरकारी मदरसों में जाने वाले बच्चे फौरन ही पहिचाने जा सकते हैं. यह यूनिफार्म आसानी से कम खर्चे से तैयार हो सकता है. गरीब अमीर सब के बच्चे एक यूनिफार्म में रह सकते हैं. इससे यह जाहिर होजायगा कि किसी न किसी Uniform ड्रेस का होना जरूरी है. रहा यह सवाल कि मौजूदा जो कायम किया है वह अच्छा है या कोई दीगर होना चाहिये, यह ऐसा सवाल है कि इसके मुतअल्लिक तजवीज पेश होने पर जरूर गौर किया जायगा.

लॉ मेम्बर साहब ने सवालात नम्बर १२ लगायत १७ के मुतअल्लिक कैफियत जाहिर करते हुए फरमाया कि इस जमीमे में अब ६ सवाल बाकी रह गये हैं, पांच सवाल कवाअद मजलिस आम की तरमीम से ताल्लुक रखते हैं उनकी कैफियत मुख्तसिर तौर पर यह है:—

मुतअल्लिक सवाल नम्बर १७.—यह सवाल दामोदरदास साहब झालानी का है कि प्रांत मालवा में बमुकाम उज्जैन एक हाईकोर्ट कायम किया जावे. इसके मुतअल्लिक यह जाहिर करना काफी होगा कि साबिक में हुजूर मुअल्ला ने एक कमेटी मुकर्रर करने का इरशाद इस हिदायत के साथ फरमाया था कि यह कमेटी रियासत के कुल कवानीन पर नजर डालकर अपनी तजवीज पेश करे. मिन्जुम्ला और सवालात के एक यह सवाल भी उस कमेटी के सुपुर्द किया गया था कि उज्जैन में हाईकोर्ट कायम किया जावे या नहीं. इस कमेटी में अलावा ऑफिशियल मेम्बरान के ४ नान-ऑफिशियल मेम्बरान, २ साहूकार साहबान व २ वुकलाय शरीक किये गये थे. बार ऐसोसियेशन की जानिब से बटुकप्रसाद साहब भी इसमें शरीक हैं. कमेटी ने जो राय हाईकोर्ट की कायमी की बाबत पेश की है वह कौन्सिल में दीगर तजवीज के साथ पेश की जावेगी लिहाजा इस पर मजीद गौर गैर जरूरी है.

मुतअल्लिक सवाल नम्बर १३ व १४.—बाकी ५ सवाल रहे. उसमें दो सवाल करीब करीब एक ही मजमून के हैं. उनका मतलब यह है कि तजवीज पेश करने की तारीख कवाअद में ३० जून मुकर्रर है इसमें तब्दीली की जावे. सूरत यह है कि पहिले कवाअद में मजलिस का इजलास अक्टूबर में किये जाने का हुक्म था, इस लिहाज से तजावीज पेश करने की तारीख ३० जून मुकर्रर की गई थी. बाद में जरूरत महसूस हुई कि अय्याम इनइकाद मजलिस के मुतअल्लिक कवाअद में तरमीम की जावे, चुनांचे ऐसी तरमीम करदी गई और अब मजलिस माह मार्च में होली के कुछ कब्ल या बाद की जाती है. इस बिना पर कौन्सिल ने उस तारीख के मुतअल्लिक भी जो तजावीज पेश करने के लिये मुकर्रर थी, तरमीम कर दी है और इसकी बाबत करेक्शन स्लिप भी गजट के हमराह जारी हो चुका है. अब तजावीज के आने की तारीख अखीर अक्टूबर तक रखी गई है. इस तरह यह दो सवाल तय हो गये.

मुतअल्लिक सवाल नम्बर १५.—एक सवाल इस मजमून का है कि मेम्बर साहबान की तकरीर के लिये ५ मिनट के बजाय १० मिनट कायम हों. गवर्नमेन्ट को इस बारे में तरमीम की कोई जरूरत मालूम नहीं होती क्योंकि उसी

दफा में, जिस में ५ मिनट की इजाजत है, यह भी हिदायत है कि मेम्बर साहबान बइजाजत प्रेसीडेन्ट साहब अगर जरूरत हो तो वक्त के इजाफे का फायदा उठा सकते हैं. इस प्रावीजन की गरज यह है कि तकरीर मुख्तसिर और मुताल्लिक सवाल या तजवीज जेर बहस होनी चाहिये, तूल तवील नहीं होनी चाहिये. बाज २ सवाल जिनके लिये ५ मिनट काफी न हों, प्रेसीडेन्ट साहब से अर्ज करके जायद वक्त की इजाजत ली जा सकती है और उसकी मंजूरी में प्रेसीडेन्ट साहब को क्या तकल्लुफ या ताम्मुल हो सकता है.

मुतअल्लिक सवाल नम्बर ११.—एक सवाल यह है कि जिन मुआम्लात की बाबत नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान को तजावीज पेश करने का हक हासिल है उनके मुतअल्लिक नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान को सवालात पूंछने का हक दिया जावे. एक मर्तबा यही सवाल दूसरी शक्ल में हुजूर मुअल्ला के सामने भी पेश हुआ था, और उस वक्त उसका तसफिया इस तरह पर किया गया था कि दफा २२ के मजामीन के मुतअल्लिक अगर कोई नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहब कोई वाकफियत हासिल करना चाहें तो उनको चाहिये कि वह गवर्नमेन्ट के मेम्बर साहब मुतअल्लिका को लिखें, गवर्नमेन्ट मेम्बर साहब मुतअल्लिका, तावक्ते कि कोई खास वजह उस वाकफियत के न देने की बाबत हो, वाकफियत फराहम करदें.

सवालात पूंछने की गरज यही हो सकती है कि जिन मुआम्लात के मुतअल्लिक तजावीज पेश करने की इजाजत है उनकी बाबत ऐसी मालूमात हासिल की जावें जिनसे तजावीज के पेश करने में आसानी हो. ऐसे सवालात दो तरीकों से पूंछे जा सकते हैं, लिखकर या जबानी. जैसा मैं अभी बयान कर चुका हूं, दरबार से इस अम्र की इजाजत दी जा चुकी है कि नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान तहरीर करके मालूमात हासिल करलें. अगर कोई वाकफियत आसानी से दी जा सकती हो तो इस तौर पर देने में किसी डिपार्टमेन्ट को क्या तकल्लुफ हो सकता है. इस तरीके में एक फायदा यह भी है कि जबानी सवालात पूछने में मजलिस का जो वक्त सर्फ होता है वह इस तौर से बच सकता है.

मुतअल्लिक सवाल नम्बर १२.—अब रहा आखरी सवाल, तो उसके मुतअल्लिक कैफियत यह है कि मजलिस आम में तजावीज खास खास बातों के मुतअल्लिक पेश होती हैं, जिनकी तशरीह कवाअद मजलिस आम की दफा २२ में की गई है. उन मजामीन के मुतअल्लिक जिन जिन जमाअतों की राय कुछ असर रख सकती हैं, उन जमाअतों से इंतखाब किया गया है. अगर आप साहबान गौर करें तो मेम्बरान बढाने की जरूरत नहीं है. ब ऐतबार उन मजामीन के काफी वसअत के साथ इन्तखाब किया गया है.

मिसाल के तौर पर आप उन सवालात को देखिये जो इमसाल पेश हुए हैं कि उनकी कितनी वसअत है. खेल तमाशों से लेकर चकले और अड्डों के इंतजाम के मुतअल्लिक, जमींदारों की खुद काश्त, मुनश्शी अशियाय का इस्तेमाल और उनके फिगर्स, बच्चों को सिगरेट बीडी इस्तेमाल करने की रोक, मन्डियों की तिजारत के मुतअल्लिक, तालीम के मुतअल्लिक, वगैरा वगैरा. इसके बाद यह देखिये कि जिन bodies से मेम्बर साहबान का इन्तखाब होता है वह इस किस्म के सवालात पर किस कदर रोशनी डाल सकते हैं और उनके अलावा अगर कोई जनरल मेम्बर मुकर्रर किये जावें तो वह कितनी ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे.

दफा १, कवाअद मजलिस आम की रू से हर जिला बोर्ड से एक जमींदार और एक साहूकार, हर जिले की म्युनिसिपेलिटी और टाउन कमेटी से एक एक, हर प्रांत की मजहबी औकाफ कमेटी से एक एक, सेंट्रल औकाफ कमेटी की जानिब से एक, और हर प्रांत के बोर्ड साहूकारान की तरफ से एक एक, लश्कर म्यूनिसिपल कमेटी, चेम्बर ऑफ कामर्स ग्वालियर, ट्रेड ऐसोसिएशन उज्जैन, बार ऐसोसिएशन लश्कर से एक एक, आश्रित मंडळी, अंजुमन इस्लाम से एक एक औ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की जानिब से एक. बहालत मौजूदा सवालात की नौइयत और इन्तखाब की वसअत पर नजर रखते हुए आप गौर कर सकते हैं कि किसी जनरल मेम्बर की शिरकत से ऐसा क्या फायदा होगा जो किसी मौजूदा जमाअत की शिरकत से नहीं हो सकता ! बहालत मौजूदा किसी ऐसे जनरल मेम्बर के इजाफे की जरूरत मालूम नहीं होती. आखिर में मैं यह और जिक्र करना चाहता हूं कि कवाअद मजलिस आम में यह तशरीह है कि उन जमाअतों के अलावा जिनका जिक्र अभी किया गया है, दरबार जिसको मुकर्रर करना चाहें कर सकते हैं. गवर्नमेन्ट अगर मुनासिब समझेगी तो बिला लिहाज इन जमाअतों के किसी शख्स को ख्वाह वह मुलाजिम दरबार हो या कोई दीगर शख्स हो, मुकर्रर कर सकती है.

एक जनरल मेम्बर के इन्तखाब का क्या तरीका होगा और अवाम की राय हासिल करने में किस कदर गैर जरूरी तवालत होगी, यह भी दिक्कतों से खाली न होगा.

प्रेसीडेन्ट साहब—मेम्बर साहबान मजलिस आम ! अब मजलिस का काम खत्म हो चुका है आप साहबान ने दूर दराज सफर करके मजलिस में शरीक होकर रौनक बख्शी और आप साहबान ने अपना नेक मशवरा कौन्सिल को दिया, इसका मैं कौन्सिल की तरफ से आप साहबान का शुक्रिया अदा करता हूं और मजलिस का काम खत्म करता हूं.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला ! चूंकि अब मजलिस का काम खत्म हो गया है. इसलिये मैं नॉन ऑफिशियल मेम्बरान की तरफ से हुजूर का शुक्रिया अदा करता हूं और हुजूर को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह शुक्रिया मेहज जाब्ते की खानापुरी की तौर से नहीं है, बल्कि यह शुक्रिया तेह दिल से अदा किया जाता है, बल्कि हम लोगों ने दिल से महसूस किया है कि हुजूर ने हम लोगों को मुबाहिसा करने में काफी मदद व आजादी दी है. हुजूर का हमारे शाही खानदान से खास तअल्लुक है, इसलिये हुजूर हमको अपना समझते हैं, इसकी बाबत भी हम हुजूर के अहसानमन्द हैं. प्रेसीडेन्ट मजलिस के फरायज निहायत नाजुक हैं. बसा औकात हुजूर को इस सिदारत की कुर्सी पर दो हैसियत से काम करना पडता है. बाज बाज मामलात में गवर्नमेन्ट की तरफ से ब हैसियत रेवेन्यू मेम्बर जवाब देना पडता है और बाद मुबाहिसा उन्हीं. मामलात की बाबत मजलिस का sense दरयाफ्त करना पडता है. ऐसी नाजुक position होते हुवे भी इस कुर्सी सिदारत पर बहैसियत प्रेसीडेन्ट इस ओहदे जलीला के फरायज निहायत खुश असलूबी से हुजूर ने अंजाम दिये हैं. हम मेम्बर साहबान गवर्नमेन्ट के भी मशकूर हैं कि जिन्होंने सब्र और तहम्मुल से हमारी तकरीरों को सुना, मुमकिन है कि बहुत से ऐसे अलफाज हमारी जबान से निकले होंगे, जो न निकलने चाहिये थे, कुछ गलतियां भी हुई होंगी जिनकी बाबत मिन-जानिब नॉन ऑफिशियल मेम्बरान मजलिस, मैं माजरत का इजहार करता हूं. हुजूर आली, आज इस मजलिस की जिन्दगी के छै साल खत्म होते हैं और हम लोगों के ३ साला इलेक्शन का दूसरा दौर भी खत्म होता है. बहुत मुमकिन है कि आयन्दा इलेक्शन में हम में से बहुतों को शिरकत का मौका न मिले, और इन बैंचेज पर नये चेहरे नजर आवें. इस छै साला जमाने में हम लोगों ने जो

कुछ तजावीज रिआया के लिये मुफीद समझीं, वह पेश कीं, हमारे स्वर्गवासी महाराजा साहब ने जो उसूल हम लोगों के सामने रखा था उसको मद्दे नजर रखते हुए हमने अपने फरायज को पूरा करने की हत्तुलइमकान कोशिश की. वह गरज व मकसद जिसके लिये हमारे स्वर्गवासी सरकार ने यह मजलिस कायम फरमाई वह इस छै साला जमाने में किस हद तक पूरी हुई,इसका अन्दाजा आयन्दा मुवर्रखीन करेंगे. मगर हम यह अर्ज किये वगैर नहीं रह सकते कि स्वर्गवासी सरकार के बतलाये हुये उसूलों को अपना नसबुलऐन कायम करके हम लोगों ने इस मजलिस में काम किया है और हमको उम्मीद है कि हमारे काम को उसी spirit में हमारी गवर्नमेन्ट ने receive किया होगा. इस साल मजलिस आम के सेशन में जो तजावीज पास हुईं उनपर अमल करने से, हमको यकीन है कि, रिआया की बहबूदी और तरक्की होगी. इसलिये उम्मेद है कि उनको कौन्सिल आलिया जल्द मंजूर फरमावेगी. सवाल नम्बर २१ के मुतअल्लिक जो सब-कमेटी कायम होने के लिये ठहराव हुआ है जिस में उसके उसूल से मजलिस ने इत्तफाक कर लिया है, अब उसके मेम्बरान का चुनाव होना बाकी है. हम लोगों को उम्मीद है कि यह सब-कमेटी जल्द मुकर्रर की जायगी. इसी तरह को-ऑपरेटिव बैंक के सूद के सवाल के मुतअल्लिक जो सब-कमेटी कायम हुई है उसका भी काम जल्द खत्म किया जावेगा ऐसी उम्मीद है. मैं नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान की तरफ से मेम्बर साहबान गवर्नमेन्ट का और खुसूसन प्रेसीडेन्ट साहब का फिर शुक्रिया अदा करके बैठने की इजाजत चाहता हूं.

[इसके बाद मजलिस का काम खत्म हुआ और मेम्बर साहबान को रिफ्रेशमेन्ट दी गई]

जमीमा नम्बर १.

फर्द नम्बर १.—तजावीज नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान मजलिस आम, जिन पर मजलिस आम में गौर किया गया.

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जिन जिन खेल तमाशों की इजाजत कानूनन दी जा सकती है उनकी इजाजत देने का इख्तियार म्युनिसिपल कस्बों में प्रेसीडेन्ट म्युनिसिपेलिटी को दिया जावे और इसके मुताबिक मौजूदा नोटिफिकेशन व अहकाम तरमीम व तनसीख किये जावें.	चतुरभुजदास, वकील, आगर.	
२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— बदचलन औरतों के अड्डों को, जो शहर लश्कर व दीगर मुकामात पर कायम हैं, हटाने का इन्तजाम फरमाया जावे.	जगमोहनलाल श्रीवास्तव, वकील, भिन्ड.	
३	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— नमूने की गाडियां हर एक जमींदार मौजा को रखना लाजिमी करार दिया गया है, मगर मौजे की आमदनी के लिहाज पर गाडी बनाना लाजिमी रक्खा जावे, न कि आम तौर पर.	गुरुदयाल भार्गव, वकील, मन्दसौर.	
४	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— दस्तूरुल अमल माल, संवत १९७६, में कलमबन्दी बाबत इलेक्शन मेम्बरान बोर्ड्स जमीमा (अ) की कलम नंबर ४ में "हर इलेक्शन छै साल के लिये फिलहाल होगा" इसके बजाय "हर इलेक्शन तीन साल के लिये होगा" यह दुरुस्ती फरमाई जावे.	त्रिम्बक दामोदर पुस्तके, वकील, उज्जैन.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
५	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जमींदारान सरकारी रेट की तरफ अक्सर तवज्जुह न करते हुए काश्तकारान गैर दखीलकारान से मनमाना लगान वसूल करते हैं जिससे काश्तकारान के हक्क में एक तरह की बेरहमी होती है. इसलिये इस बाबत कानून माल में तशरीह होना निहायत जरूरी मालूम होता है.	बद्रीनारायण, साहूकार, नाहरगढ.	
६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— कानून माल व जाब्ता फौजदारी में मिस्ल जाब्ता दीवानी के दौरान तहकीकात मुकद्दमात माल व फौजदारी, हर्जा फरीकैन के दिलाये जाने का प्रॉविजन किया जावे.	चतुरभुजदास, वकील, आगर.	
७	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— बेदखली काश्त की बाबत ताबे दफा १५३, कानून माल, जो कवाअद जारी हुए वह इतने सख्त हैं और काश्तकार के इख्तियार को वसीअ करते हैं कि अगर काश्तकार चाहे तो अपने को बेदखल न होने दे, यानी माह अप्रेल में उसकी गैर हाजरी बेदखली से उसको बचा लेती है; लिहाजा पटवारी को मिस्ल जाब्ता दीवानी समन्स की तामील के मुताबिक करने का इख्तियार होना चाहिये.	गुरुदयाल भार्गव, वकील, मन्दसौर.	
८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— मौजूदा कानून माल में जमींदारान को खुद काश्त की बाबत कोई हक हासिल नहीं है, इसलिये हस्ब जैल इख्तियारात मिलना चाहिये.— (१) सरक्यूलर नंबर ८, सम्वत १९६०, के मुताबिक जो नौतोड अपने खुद काश्त से करावे उसको वही हक्क जो काश्तकारान को है, मिलना चाहिये. (२) खुदकाश्त जायद १२ साल हो उसको अगर जमींदार पट्टे पर काश्तकारान को देवे तो इन्दराज खुद काश्त में होकर काश्तकार शिकमी रहना चाहिये.	बलवन्तराव बागरीवाले, भेलसा.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
९	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— अदम अदायगी मालगुजारी की इल्लत में जो हाल में बजाय तहसील के पुलिस में जमींदारान को हिरासत में बैठाने का हुक्म जारी हुआ है वह मन्सूख फरमाया जावे.	चतुरभुजदास वकील, आगर.	
१०	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि.— जमींदारी दफ्तर हर मौजे के लिये लाजमी करार दिया गया है, यह उसूलन दुरुस्त है, मगर एक हजार मर्दुमशुमारी व छै सौ खाना शुमारी व १५०० खालिस मुनाफा से कम के मवाजियात को मुस्तसना करार दिये जावें.	गुरुदयाल भार्गव, वकील, मन्दसौर.	
११	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— काश्तकारान को को-ऑपरेटिव बैंक्स से बमुकाबले एग्रीकलचर बैंक्स गिरां सूद पर कर्जा मिलता है और अलावा सूद तावान अदा करना पडता है जो सख्त व बायस जेरबारी काश्तकारान है; लिहाजा मिस्ल एग्रीकलचर बैंक्स, सूद और तावान कायम किया जाना जरूरी है.	दामोदरदास, झालानी, शाजापुर.	
१२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि: — कानून बैंक्स, संवत १९८२, के दस्तूरुल अमल की कलम नम्बर २९, जिमन (२) में जो ३ पाई फी रुपया सूद शख्सी कर्जे पर लिये जाने की ईमां है वह शरह सूद कम किया जावे और आयन्दा इस शरह के कायम किये जाने के लिये एक सब-कमेटी कायम की जावे जोकि इस मुआम्ले पर गौर करके मजलिस हाजा में रिपोर्ट पेश करे.	चतुरभुजदास वकील, आगर.	
१३	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— बनजर इखलाक आम्मा नाबालिगान लडकों के लिये नशैली चीजें मसलन भांग, गांजा, अफीम व तम्बाखू पीने बाबत और इनके हाथ बेचने बाबत कानूनन रोक होना निहायत फायदेमन्द होगा.	बद्रीनारायण, साहूकार, नाहरगढ	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१४	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— यह हुक्म सादिर फरमाया जावे कि त्योहारों के अय्याम में अशिया मुनश्शियात की दूकानात कतई बन्द रहा करें.	जगमोहनलाल श्रीवास्तव, वकील, भिंड.	
१५	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— महकमे कस्टम्स एन्ड एक्साइज की सालाना रिपोर्टों में शराब व दीगर अशिया मुनश्शी की खपत (Consumption) के ऐदाद सालाना दर्ज होने का इन्तजाम फरमाया जावे, जिनका दर्ज किया जाना कुछ अर्से से बन्द होगया है, ताकि यह अन्दाज होसके कि अवाम में नशेबाजी की आदत कम हो रही है या नहीं.	ऐजन.	
१६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जो शख्स अफयून खानेवाले इलाके गैर से रियासत हाजा में आवें उनको दीगर इलाके की अफयून एक मुकर्ररा मिकदार तक अपने कब्जे में रखने की इजाजत दी जावे.	चतुरभुजदास, वकील, आगर.	
१७	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— उन नदियों पर जहां उतराई का टैक्स वसूल होता है, रफ्ता रफ्ता पुख्ता पुल तैयार किये जावें ताकि अवाम को माल के लाने व लेजाने में व नीज आमदरफ्त में सहूलियत हो.	जगमोहनलाल श्रीवास्तव, वकील, भिंड.	
१८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— इमसाल के अनुभव से प्रत्यक्ष देखने में आरहा है कि कपास ज्यादा व नाज कम बोने की वजह से इस वक्त मनुष्यों को नाज व जानवरों को घास मिलना मुश्किल होगया है, इसलिये जर्ये सरक्यूलर प्रत्येक खातेदार को फीसदी ६० बीघे नाज बोना ही चाहिये. ऐसा कानून बना दिया जावेगा तो लोगों को व ढोरों को यह परेशानी का मौका नहीं आवेगा.	बद्रीनारायण, साहूकार, नाहरगढ.	
१९	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— कायदा टाउन कमेटी, संवत १९७०, मन्सूख फरमाया जाकर जुम्ला टाउन कमेटीज म्युनिसिपल कमेटी दर्जा सोयम करार दी जावें और एक्ट म्युनिसिपेलिटीहाय ग्वालियर में इसकी बाबत जरूरी तरमीम की जावे.	जगमोहनलाल श्रीवास्तव, वकील, भिंड.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करनेवाले का नाम.	कैफियत.
२०	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— दफा २० (३) म्युनिसिपल एक्ट, मंसूख की जावे और हर म्युनिसिपेलिटी में एक्स-ऑफिशियो मुस्तकिल प्रेसीडेन्ट की अदम मौजूदगी में वॉईस-प्रेसीडेंट को प्रेसीडेंट का चार्ज रहने का प्रॉविजन रक्खा जावे.	चतुरभुजदास, वकील, आगर.	
२१	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— बगरज रफेदाद मजहबी अबखरात मुतअल्लिक तब्दीली मजहब एक ऐसा कानून जारी फरमाया जावे कि जिसकी रू से तब्दीली मजहब की रजिस्ट्री लाजिमी रहे और नाबालिगान व औरात की तब्दीली मजहब पैर काफी नजर रह सके.	त्रिंबक दामोदर पुस्तके, वकील, उज्जैन.	
२२	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— ऐक्टस, कानून, कवाअद, बाईलॉज मैनुअल्स व सरक्यूलर्स जो हिन्दी अक्षरों में जारी होते हैं उनमें इंग्लिश अक्षर मिले हुए नहीं होना चाहिये. जो शब्द ऐसे हों जिनकी हिन्दी या उर्दू जबान नहीं बन सकती, वे अंग्रेजी शब्द होते हुए भी उनका उच्चारण हिन्दी अक्षरों में लिखा जाना चाहिये और ब्रेकिटों के अन्दर इंग्लिश अक्षर भी अगर लिख दिये जावें तो खाली हिंदी पढ़ा हुआ शख्स भी कम से कम बोलचाल के महावरे में आनेवाले शब्दों का मतलब आसानी से समझ सकेगा.	शंकरलाल, मींदार, मुरार.	
२३	यह मजलिस गवर्नमेंट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— सिवाय महकमे लेजिस्लेटिव के दीगर किसी महकमे से ऐसे सरक्यूलरात व ऑर्डर्स जारी होने का सिलसिला मसदूद फरमाया जावे जिनसे किसी आम कानून की ताबीर, तशरीह या तरमीम होती हो.	जगमोहनलाल श्रीवास्तव, वकील, भिंड.	

फर्द नम्बर २.—तजवीज जो गवर्नमेन्ट की जानिब से मजलिस आम में पेश हुई.

नम्बर शुमार.	तजवीज.	कैफियत.
१	रियासत हाजा में बच्चों की अमवात की तादाद बहुत ज्यादा है. जांच व तजुर्बे से यह पाया गया है कि इसकी एक अहम वजह यह है कि जच्चीदगी के वक्त दाइयों की अदम वाकफियत की वजह से वह अहतियात नहीं ली जाती जो कि ली जानी चाहिये. तजुर्बे से यह साबित है कि अगर जच्चीदगी के वक्त मुनासिब अहतियात ली जाय तो बच्चों की फौतीदगी में बहुत कमी वाके होगी. २. शहर लश्कर, ग्वालियर व मुरार और शहर उज्जैन में सालाना ज्यादा से ज्यादा औसत पैदायश हस्ब जैल है:— (१) लश्कर, ग्वालियर व मुरार.... .... २,००० (२) उज्जैन .... १,००८ यानी शहर लश्कर, ग्वालियर व मुरार के लिये ज्यादा से ज्यादा माहवार औसत पैदायश १६६ और उज्जैन के लिये ८३ है. इस तादाद पैदायश के लिहाज से शहर लश्कर, ग्वालियर व मुरार के वास्ते ज्यादा से ज्यादा १०० दाइयां और उज्जैन के लिये ५० दाइयां काफी होंगी. इस वक्त ट्रेन्ड दाइयों की तादाद लश्कर में ७० व उज्जैन में ४० से जायद है. ३. औसत तादाद दाइयों की जो हर साल ट्रेन की जाती हैं लश्कर में २० और उज्जैन में १० है. मुन्दर्जा बाला तादाद के लिहाज से तीन साल में जरूरत से ५० फी सदी ज्यादा ट्रेन्ड दाइयां हो जावेंगी. ४. जिन दाइयों को ट्रेनिंग दिलाया जाता है वह उमूमन उसी क्लास की होती हैं जो दाइयों का पेशा करती आरही हैं. ५. सवाल यह है कि मुन्दर्जे बाला हालात पर नजर डालते हुए आया वक्त आ गया है या नहीं कि ट्रेन्ड दाइयों के अलावा दीगर दाइयों को दाईगरी का काम करने से शुरू सन १९३१ ई० से रोका जावे ?	

फर्द नं. ३—तजावीज नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान जिन पर मुबाहिसा नहीं किया गया बल्कि जिनके मुतअल्लिक कैफियत जाहिर की गई.

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	हालत मण्डियात देखते हुए दूकानदारान व साहूकारान की हालत ज्यादतर बिगडी हुई मालूम होती है. ऐसे वक्त में वास्ते तरक्की तिजारत, खजाना सरकारी से इमदाद मिलने की सख्त जरूरत है; इसलिये क्या तरीका इख्तियार करना चाहिये कि जिससे तिजारत को इमदाद मिलकर सरकारी रकम खरखशे में न पडे. इसके बारे में एक कमीशन मुकर्रर किया जाकर राय कायम होना चाहिये.	बलवन्तराव बागरीवाले, भेलसा.	
२	नकली घी जो अन्दर रियासत हाजा बाहर से आता है उस पर कस्टम ड्यूटी सख्त आयद फरमाई जावे.	लक्ष्मीनारायण बीजावर्गी, गुना.	
३	किसी कारखाना मिल्स जिनिंग फेक्टरीज, प्रेस, वगैरा के कायम करने के लिये गवर्नमेंट की इजाजत की कैद आयद करना अर्थ शास्त्र के उसूल के विरुद्ध व मनुष्य को उसके हुकूक (civil rights) से महरूम करना और समाज की आर्थिक उन्नति में रुकावट पैदा करना है, लिहाजा कारखानेजात के कायम करने की इजाजत की जो कैद है वह हटा दी जावे.	चतुरभुजदास, वकील, आगर.	
४	जिन मुकामात पर मंडियात कायम हैं और टेलीग्राफ का इन्तजाम नहीं है उन मुकामात पर सरमाया सर्फे मंडी से टेलीग्राफ का इन्तजाम किया जावे.	दामोदरदास झालानी, शाजापुर.	
५	रियासत की हर प्रकार की उन्नति शिक्षा पर ही अवलम्बित है इसलिये कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य (compulsory) करार दिये जाने बाबत कानून बनाना परमावश्यक एवम् भविष्य के लिये अत्यंत हितकर होगा.	बद्रीनारायण, साहूकार, नाहरगढ.	
६	रियासत हाजा में लाजमी तालीम शुरू करने का इन्तजाम फरमाया जावे; क्योंकि अब एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट पेश हो चुकी है.	जगमोहनलाल श्रीवास्तव, वकील, भिन्ड.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
७	जमींदारान के लडकों को लाजमी तालीम देने के लिये संवत १९७७ की जमींदारी कॉन्फरेन्स में सवाल पैदा हुवा था, उस पर से एज्यूकेशन कमीशन ने बाद तहकीकात रिपोर्ट बखिदमत दरबार पेश करदी. अब लाजमी तालीम का सिलसिला जारी होना चाहिये.	शंकरलाल, जमींदार, मुरार.	
८	रियासत हाजा के तुलबा, जिनकी उम्र १२ बरस से ज्यादा हो, उनको जिस्मानी कसरत करना लाजमी रखा जावे और हर ए. वी. एम, स्कूल में एक वाकिफकार अलहदा ऐसा मास्टर मुकर्रर फरमाया जावे कि जो कसरत और स्काउटिंग तुलबा को सिखला सके.	त्रिम्बक दामोदर पुस्तके, वकील, उज्जैन.	
९	रियासत हाजा के मिडिल के कोर्स में मौजूदा क्लास एच्छिक विषयों (optional subjects) के अलावा मुख्तलिफ हुनर मिस्ल सुतारी, कपडे सीने का काम वगैरा एच्छिक विषय में रखे जावें ताकि मुख्तलिफ हुनर वालों में तालीम का प्रचार ब आसानी हो सके.	चतुरभुजदास, वकील, आगर.	
१०	विद्यार्थियों की पोशाक के नमूने के मुतअल्लिक कोई खास कैद आयद करना राष्ट्रीय पोशाक (National Dress) के गौरव व गरीब विद्यार्थियों को बहुत ही मुजिर है; लिहाजा डिपार्टमेन्टल ऑर्डर नंबर १, संवत १९८२, महकमे तालीम, मन्सूख किया जावे.	ऐजन.	
११	प्राथमिक शिक्षण कम से कम म्युनिसिपल एरिया में कम्पलसरी होना चाहिये.	बलवन्तराव बागरीवाले, भेलसा.	
१२	मेम्बरान मजलिस आम के इन्तखाब में सिर्फ कलम नंबर १ कवाअद मजलिस आम में तशरीहशुदा जमाअतों को ही मद्दे नजर न रखते हुए किसी सार्वजनिक सेवक एवम् राज्यभक्त व्यक्ती का "चाहे वह किसी तबके में से न हो" रिआया की तरफ से जिलेवार एक एक मेम्बर और इन्तखाब होना चाहिये क्योंकि यह मजलिस आम है.	बद्रीनारायण, साहूकार नाहरगढ.	
१३	मियाद तरसील तजावीज मिन्जानिब गैर सरकारी मेम्बरान मजलिस आम, बजाय माह जून अखीर, माह अक्टूबर अखीर कायम फरमाई जावे.	बटुकप्रसाद, वकील उज्जैन.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम,	कैफियत.
१४	चूंकि मजलिस आम का मामूली जल्सा बजाय माह अक्टूबर के माह मार्च में होता है लिहाजा दफा २७ (१), कवाअद मजलिस आम में तारीख ३० जून के बजाय ३० नवम्बर वास्ते दाखिल करने तजावीज मुकर्रर की जावे.	चतुरभुजदास वकील, आगर.	
१५	दफा ३३ (८) कवाअद मजलिस आम संवत १९७७, में बजाय ५ मिनट के १० मिनट तकरीर के लिये दिये जावें,	ऐज़न.	
१६	जिन सीगेजात की बाबत तजवीज पेश करने का हक नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान मजलिस हाजा को अता फर्माया गया है उनके मुतअल्लिक सवालात पूंछने का हक भी उनको अता फर्माया जावे.	त्रिम्बक दामोदर पुस्तके, वकील, उज्जैन.	
१७	प्रांत मालवे में बमुकाम उज्जैन हाईकोर्ट कायम किया जाय, और रेवेन्यू बैंच प्रांत मालवा हाईकोर्ट में शामिल किया जाय.	दामोदरदास झालानी, शाजापुर.	

जमीमा नं. २.

रिपोर्ट सब-कमेटी.

मुताल्लिक सवाल नंबर २, एजेन्डा मजालिस आम, बाबत हटाये जाने अड्डे.
सम्वत १९८३.

तारीख २९ मार्च सन १९२७ ई०

हाजरीनः—

१. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे साहब, प्रेसीडेन्ट.
२. सरदार श्रीधर गोपाळ आपटे साहब मेम्बर.
३. लाला रामजीदास साहब वैश्य ,,
४. बाबा साहब देशपान्डे ,,
५. महन्त लक्ष्मणाचार्य साहब ,,
६. मुन्शी जामिनअली साहब ,,
७. मुन्शी गुरदयाल साहब ,,
८. मुन्शी अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब ,,
९. मुन्शी नवाबअली साहब ,,
१०. मुन्शी शंभूनाथ साहब ,,
११. त्रिम्बक दामोदर पुस्तके साहब. ,,
१२. लाला शंकरलाल साहब ,,
१३. जगमोहनलाल साहब ,,

बाद बहस हस्ब जैल करार पाया:—

१. दफा १३७.(१) म्युनिसिपल एक्ट में हस्ब जैल तरमीम की जावे:—

(अ) अलफाज "तीन या ज्यादा बाशिंदगान म्युनिसिपेलिटी की ऐसी नालिश पर" के बजाय "किसी म्युनिसिपलटी के इल्म में यह बात आने पर या लाई जाने पर" कायम किये जावें.

(ब) अलफाज "जो उनके·······करीब है" कम कर दिये जावें.

(स) लफ्ज "अड्डा" कम कर दिया जावे.

(द) लफ्ज "मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल" के बजाय "म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट" कायम किया जावे.

२. दफा मजकूर की जिमन नम्बर (२) की इबारत कम की जाकर उसके बजाय हस्ब जैल इबारत व शक्र जिमन नम्बर (२) व (३) कायम की जावे:—

"(२) म्युनिसिपल कमेटी के इल्म में यह बात आने या लाई जाने पर कि म्युनिसिपेल्टिी की हद के अन्दर कोई मकान अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता या इस्तेमाल होने दिया जाता है यानी मिन्जानिब किसी किस्म के बद अतवार अशखास के इस तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो कि जहां औरतों को अफआल नाजायज के लिये जमा किया जाता हो या जमा होने दिया जाता हो तो म्युनिसिपल कमेटी को इख्तियार होगा कि वह अपने मेंबरान की सब-कमेटी मुकर्रर करके इस अम्र की तस्दीक करे. अगर इतमीनान होजाय कि मकान मजकूर उस तरह पर इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है तो उसको इख्तयार होगा कि उस मकान के मालिक या किरायेदार या काबिज को ऐसे इस्तेमाल के मौकूफ करने का हुक्म दे और उसकी तामील न की जावे तो म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से इस्तगासा पेश होने पर म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट या दीगर मजिस्ट्रेट मजाज को इख्तियार होगा कि जब तक खिलाफवर्जी कायम रहे, ५०) रुपये तक योमिया जुरमाना की सजा दें.

(३) जिस शख्स की बाबत यह साबित हो कि उसने ऐसा अड्डा कायम किया है या कायम होने दिया है तो म्युनिसिपल कमेटी को यह भी इख्तियार होगा मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इजलास में इस्तगासा पेश करे. वैसा मजिस्ट्रेट ऐसे शख्स को ऐसी सजा देगा जिसकी मियाद ६ माह तक कैद हो सकती है या जुर्माना ५००) रुपये तक किया जा सकता है."

जमीमा नं. ३.

एक गांव से दूसरे गांव को जाने के रास्ते दुरुस्त किये जाने के सवाल के मुतअल्लिक रिपोर्ट सब-कमेटी.

सम्वत १९८१ की मजलिस आम में एक गांव से दूसरे गांव को जाने के रास्ते दुरुस्त किये जाने का सवाल मिन्जानिब गवर्नमेन्ट पेश होने पर उस पर गौर करके रिपोर्ट पेश करने के लिये एक सब-कमेटी कायम हुई थी.

सब-कमेटी की रिपोर्ट कौन्सिल में पेश होने पर यह ठहराव हुआ है कि इस रिपोर्ट पर मजलिस आम में गौर किया जावे.

सब-कमेटी की रिपोर्ट हस्व जैल है:—

"इस मुआमले पर जो गौर किया जाता है तो दो तन्कीहात बहस तलब हैं:—

१—आया जराये आमदरफ्त को वसीअ व उनमें तरक्की करेन की जरूरत है ?

२—अगर जरूरत है तो सवाल नंबर १ को हल करने को क्या जराये इख्तियार किये जावें ?

सवाल नंबर १ के मुतअल्लिक बाद बहस करार पाया कि, रास्तों को दुरुस्त करने की जरूरत है.

सवाल नंबर २ के मुतअल्लिक बिल इत्तफाक यह करार पाया कि, जमींदारान व काश्तकारान पर किसी किस्म का बार किसी शक्ल में न डाला जावे.

बहस करने के बाद यह भी करार पाया कि जहां तक कि पुख्ता रास्तों का ताल्लुक है उनको गवर्नमेन्ट ही अपने हाथ में लेकर बिला किसी बार पब्लिक पर डाले, इस काम को पूरा करे.

अलबत्ता जो दुरुस्ती रास्तों के मुतअल्लिक जमींदारान की जानिब से उस शर्त की पाबन्दी का होना पाया नहीं जाता जिसका कि जिक्र पट्टे में है, उसके मुतअल्लिक हस्ब जैल तजवीज इम्तहान तीन साल के लिये अमल में लाई जावे:—

(१) जुम्ला ऑफिसरान दौरा जिनमें कि ऑफिशियल मेंबरान लोकल बोर्ड्स भी शामिल हैं व नॉन ऑफिशियल मेम्बरान लोकल बोर्ड का यह फर्ज रखा जावे कि तमाम मवाजियात के रास्तों की दुरुस्ती हस्ब शर्त पट्टेबन्दी होती हैं या नहीं इसकी निगरानी रखे.

(२) ऑफिसर या मेम्बर मुतअल्लिका के नोटिस में खराब रास्ता आने पर वह जमींदार मुतअल्लिका को एक मियादी नोटिस बाबत दुरुस्ती रास्ता दे और उस नोटिस तामीलशुदा को बिनाबर तामील आयन्दा, सेक्रेटरी लोकल बोर्ड के पास भेजदे.

(३) सेक्रेटरी उस नोटिस की इत्तला हल्का मेम्बर व गिरदावर को दें

(४) नोटिस की अदम तामील की शक्ल में सेक्रेटरी व प्रेसीडेन्ट लोकल बोर्ड रास्ता दुरुस्त करादें और जो सर्फा हो वह जमींदारान मुतअल्लिका से मिस्ल मालगुजारी के वसूल किया जावे, और इस तौर पर सर्फा लोकल बोर्ड के फन्ड से तक्समात से किया जावे. बाद वसूली के उसका जमा खर्च किया जावे.

बसूरत पास हो जाने व अमल मे लाये जाने इस तजवीज के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दरबार में रिपोर्ट पेश करें कि इस तरीके से इस मसले के मुतअल्लिक क्या नतीजा हुवा.

अब्दुल करीम खां,
मेंबर फॉर ला एन्ड जस्टिस.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार.

सम्वत १९८४.

सेशन सातवां.

इजलास अव्वल.

मंगलवार, तारीख २७ मार्च सन १९२८ ई०,

मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. श्रीमंत हुजूर मुअल्ला दामइकबालहू.

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई. ई., रेवेन्यू मेम्बर (वाइस-प्रेसीडेन्ट, कौन्सिल).

३. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुलमुल्क, ऑफि० पोलिटिकल मेम्बर.

४. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाड़े, सी. बी. ई., मुशीरे खास बहादुर, शौकत जंग, आर्मी मेम्बर.

५. श्रीमंत सदाशिवराव खासे साहब पवार, होम मेम्बर.

६. जयगोपाल साहब अष्ठाना, ऑफि० फाइनेन्स मेम्बर.

७. मोहनलाल साहब खोसला, ऑफि० मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

८. सरदार साहबजादा सुल्तान अहमदखां साहब, मुन्तजिमुद्दौला, अपील मेम्बर.

९. राव बहादुर बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर.

१०. मेजर हशमतुल्लाखां साहब, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

११. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुले, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेल्टिीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

(मेम्बरान मजलिस कानून).

१२. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मुहम्मदखेडा (शुजालपुर).

१३. राव बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, जागीरदार, ढावलाधीर.

(मेम्बरान मजलिस आम).

१.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ जिला बोर्ड्स

(१) जिला बोर्ड, गिर्द-ग्वालियार.

१४. देवलाल साहब वल्द लालहंस, जमींदार मौजा दोरार, परगना मस्तूरा

१५. नारायणदास साहब वल्द मुन्नालाल, साहूकार, लश्कर.

(२) जिला बोर्ड, भिन्ड.

१६. विश्वेश्वरसिंह साहब वल्द ठाकुर खरगजीतसिंह, मौजा मुख्तरी, परगना महगवां.

१७. मानिकचन्द साहब वल्द बिरदीचन्द ओसवाल, साहूकार, भिन्ड.

(३) जिला बोर्ड, तवरघार.

१८. प्यारेलाल साहब वल्द गिरवरलाल, वैश्य, मुरैना.

१९. सोहनपालसिंह साहब वल्द राजधरसिंह, ठाकुर, साकिन राजा का तोर, परगना सबलगढ़.

(४) जिला बोर्ड, श्योपुर.

२०. महादेवराव साहब गोविन्द, जमींदार, श्योपुर.

२१. कन्हैयालाल साहब वल्द बल्देव, जमींदार, साकिन कस्बा विजैपुर.

(५) जिला बोर्ड, नरवर.

२२. सूबालाल साहब वल्द जगन्नाथ, वैश्य, साहूकार, शिवपुरी.

(६) जिला बोर्ड, ईसागढ.

२३. राजा गोपालसिंह साहब वल्द राजा रणजीतसिंह साहब, ठिकानेदार, भदौरा

(७) जिला बोर्ड, भेलसा.

२४. बलवंतराव साहब वल्द जयवंतराव बागरीवाले, भेलसा.

२५ सखाराम पंत साहब वल्द घनश्यामराव निगुडकर, जमींदार.

(८) जिला बोर्ड, शाजापुर.

२६. श्यामराव साहब नारायण, मालगुजार, कालापीपल, परगना शुजालपुर.

२७. केसरीचन्द साहब वल्द जमनादास महाजन, शाजापुर.

(९) जिला बोर्ड, उज्जैन.

२८. गजाननराव साहब वल्द गोविन्दराव करवडे, जमींदार मौजा कजलाना, परगना बडनगर.

२९. छगनलाल साहब वल्द बापूजी, चौधरी, साकिन बडनगर.

(१०) जिला बोर्ड, मन्दसौर.

३०. अलीअम्सर साहब वल्द अलीअतहर, जमींदार, मौजा दमदम, जिला मन्दसौर.

३१. गणेशनारायण साहब वल्द मदनराय, साहूकार, कारखानेदार, गंगापुर, जिला मन्दसौर.

(११) जिला बोर्ड, अमझेरा.

३२. केशवराव साहब बापूजी, जमींदार, साकिन मनावर.

२.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज म्युनिसिपेलिटीज व टाउन कमेटीज.

(१) म्युनिसिपल बोर्ड, लश्कर.

३३. चौधरी नवाबअली साहब वकील, तारागंज, लश्कर.

(२) म्युनिसिपल कमेटी, शिवपुरी.

३४. सेठ टोडरमल साहब वल्द तेजमल, वैश्य, शिवपुरी.

(३) म्युनिसिपल कमेटी, भिन्ड.

३५. जगमोहनलाल साहब वल्द गोपालसहाय श्रीवास्तव, वकील, भिंड.

(४) म्युनिसिपल कमेटी, मुरैना.

३६. बन्सीधर साहब वल्द नारायणदास, वैश्य, मुरैना.

(५) म्युनिसिपल कमेटी, श्योपुर.

३७. फजलुद्दीनशाह साहब, साकिन गुलैयापाडा, श्योपुर.

(६) म्युनिसिपल कमेटी, भेलसा.

३८. लक्ष्मीप्रसाद साहब माथुर, बासौदा.

(७) म्युनिसिपल कमेटी, गुना.

३९. अनिरुद्धसहाय साहब, वकील, गुना.

(८) म्युनिसिपल कमेटी, शाजापुर.

४०. हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.

(९) म्युनिसिपल बोर्ड, उज्जैन.

४१. बटुकप्रसाद साहब, वकील, उज्जैन.

(१०) म्युनिसिपल कमेटी, सरदारपुर.

४२. सय्यद आलेअली साहब वल्द सय्यद खादिमअली, वकील, सरदारपुर.

३.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज औकाफ कमेटीज.

(१) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ग्वालियर.

४३. गोविंदप्रसाद साहब वल्द सुखवासीलाल, भिन्ड.

(२) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ईसागढ.

४४. गुलाबचन्द साहब वल्द फकीरचन्द, शिवपुरी.

(३) औकाफ कमेटीज, प्रान्त मालवा.

४५. ढुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.

४.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज बोर्ड्स साहूकारान.

(१) बोर्ड्स साहूकारान, प्रांत गवालियार.

४६. मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.

(२) बोर्ड्स साहूकारान, प्रान्त मालवा.

४७. गोरेलालजी साहब वल्द छोटूलालजी, अग्रवाल, भेलसा.

५—रिप्रेजेन्टेटिव्ज जागीरदार साहबान.

(१) जागीरदार साहबान, प्रान्त गवालियार.

४८. चौधरी फौजदार रणवीरसिंह साहब, साकिन सकवारा दनौला, परगना मुंगावली.

(२) जागीरदार साहबान, प्रान्त मालवा.

४९. ठाकुर प्रहलादसिंह साहब, इस्तमुरारदार, कालूखेडा, परगना मन्दसौर.

(३) जागीरदार साहबान, खास लश्कर.

५०. सरदार चन्द्रोजीराव सम्भाजीराव साहब आंग्रे, वजारत मुआब, सवाई सरखेल बहादुर, साकिन लश्कर.

६—रिप्रेजेन्टेटिव्ज दीगर जमाअतहाय.

(१) चेम्बर ऑफ कामर्स, उज्जैन.

५१. सेठ छोटमलजी साहब वल्द उदैचन्दजी, उज्जैन.

(२) बार ऐसोसियेशन, लश्कर.

५२. मुहम्मद अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी, वकील, लश्कर.

(३) बार ऐसोसियेशन, उज्जैन.

५३. गोविन्दराव चिन्तामण साहब बाटवे, वकील, उज्जैन.

(४) सेन्ट्रल औकाफ कमेटी.

५४. लक्ष्मणराव रघुनाथ अत्रे साहब शास्त्री, लश्कर.

(५) आश्रित मंडली.

५५. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

(६) अंजुमन इस्लाम.

५६. हाफिज एहसानउल्लाखां साहब, वकील, माधवगंज, लश्कर.

(७) रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स.

५७. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.

कार्रवाई इजलास.

इजलास मजलिस ११-५० पर शुरू हुआ.

मजलिस आम के मेम्बरान के ओहदों की ३ साला मियाद गुजिश्ता माह अप्रेल सन १९२७ ई० में खत्म हो जाने की वजह से नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान का जदीद इन्तखाब हुआ था, इसलिये हुजूर मुअल्ला के कुर्सिये सिदारत पर रौनक अफरोज होने के बाद मुन्दर्जे जैल मुन्तखिबशुदा मेम्बरान से (जो अव्वल मर्तबा मुन्तखिब हुए थे) हलफ लिये गये और उनको हस्ब कायदा मुकर्ररा खिलअत अता किये गये:—

१. सरदार चन्द्रोजीराव संभाजीराव साहब आंग्रे, वजारत मुआब, सवाई सरखेल बहादुर, लश्कर.
२. राजा गोपालसिंह साहब, भदौरा
३. लक्ष्मणराव अत्रे साहब, लश्कर.
४. देवलाल साहब, दोरार.
५. नारायणदास साहब, लश्कर.
६. प्यारेलाल साहब, मुरैना.
७. सोहनपालसिंह साहब, राजा का तोर.
८. कन्हैयालाल साहब, बिजयपुर.
९. सखारामपन्त साहब, बासौदा.
१०. श्यामराव साहब, कालापीपल.
११. गजाननराव साहब, बडनगर.
१२. छगनलाल साहब, बडनगर.
१३. गणेश नारायण साहब, गंगापुर.
१४. बंसीधर साहब, मुरैना.
१५. फजलुद्दीन अहमद साहब, श्योपुर.
१६. लक्ष्मीप्रसाद साहब, बासौदा.
१७. अनिरुद्धसहाय साहब, गुना.
१८. हीरालाल साहब, शाजापुर.
१९. गोविन्दप्रसाद साहब, भिन्ड.
२०. मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.
२१. गोरेलालजी साहब, भेलसा.
२२. सेठ छोटमलजी साहब, उज्जैन.
२३. केसरचिन्द साहब, शाजापुर.
२४. अलीअन्सर साहब, दमदम.
२५. एहसानउल्लाखां साहब, लश्कर.

हलफ की कार्रवाई खत्म हो जाने पर हुजूर मुअल्ला तशरीफ ले गये और ब सिदारत-वाइस प्रेसीडेन्ट साहब कौन्सिल कार्रवाई मजलिस शुरू हुई.

फाइनेन्स मेम्बर साहब—साल गुजिश्ता में को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट के मुतअल्लिक दो सवालात इस मजमून के मजलिस आम में पेश हुए थे कि को-ऑपरेटिव बैंक्स के कर्जे के लिये जो शरह सूद मुकर्रर है वह ज्यादा है, उसमें कमी की जावे; और इन दोनों सवालात पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी कायम की गई थी. सोचा यह गया था कि को-ऑपरेटिव सोसायटीज के मुतअल्लिक जो कॉन्फरेन्स होने वाली है उस वक्त इन सवालात पर सब-कमेटी में गौर कर लिया जावे, मगर किसी वजह से वह कॉन्फरेन्स न हो सकी और इन सवालात पर गौर करने की नौबत नहीं आई. फिर यह सोचा गया कि जिस वक्त आयन्दा मजलिस आम का इजलास होगा तो इजलास मजलिस आम से पहिले सब-कमेटी के नामजदशुदा मेम्बरान को तलब करके इन सवालात पर गौर कर लिया जावेगा. मगर ऐसा इत्तफाक हुआ कि जो मेम्बरान सब-कमेटी के लिये मुन्तखिब हुए थे उनमें से कुछ मेम्बरान इस साल के इन्तखाब में मजलिस आम के मेम्बर नहीं रहे, इस वजह से कमेटी call नहीं हो सकी है. चुनांचे इस बाबत मेरी तजवीज यह है कि ऐसे मेम्बरान के बजाय नये मेम्बरान का इन्तखाब इस मजलिस में करके कल या परसों कमेटी करली जावे ताकि यह सब-कमेटी अपनी रिपोर्ट इसी मजलिस में पेश कर सके. जो मेम्बरान पेश्तर तजवीज किये गये थे और अब मजलिस आम के मेम्बर नहीं रहे हैं उनके नाम हस्ब जैल हैं:—

१. रामजीदास साहब.
२. चतुरभुजदास साहब.
३. दामोदरदास साहब.
४. महन्त लक्ष्मणाचार्य साहब.

जरूरत इस बात की है कि इन साहिबान के बजाय चार दीगर साहबान मजलिस के मौजूदा मेम्बरों में से मुन्तखिब कर लिये जावें ताकि सब-कमेटी की जाकर वह अपनी रिपोर्ट इसी मजलिस में पेश करें.

प्रेसीडेन्ट साहब—साहबान नाम सजेस्ट करें कि नये चार मेम्बरान कौन कौन होना चाहिये.

बटुकपरशाद साहब—मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या यह मुमकिन नहीं है कि उन्हीं मेम्बर साहबान को जो पहिले मुकर्रर हो चुके हैं कायम रखा जावे और उन्हीं की राय से मामला तय कर लिया जावे ?

फायनेन्स मेम्बर साहब—वह मेम्बर साहिबान इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उनके बुलाने में वक्त दरकार होगा.

बटुकप्रसाद साहब—यह गुजारिश मैंने इस वजह से की थी कि जो साहबान सब-कमेटी में रखे गये थे उनमें इस तजवीज के मुजव्विज भी थे. अगर उनको सब-कमेटी के लिये बुलाया जावे तो यह जरूर है कि कुछ वक्त दरकार होगा, लेकिन बेहतर होगा कि उन्हीं लोगों से राय ली जावे.

फायनेन्स मेम्बर साहब—यह आप लोग गौर करलें. अगर उनकी जरूरत है तो इस मामले को पोस्टपोन (postpone) करना पडेगा. मुझे कोई उज्र नहीं है.

वाटवे साहब—हुजूर वाला ! पहिले मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह प्रपोजल जो रखा गया है कि को-ऑपरेटिव बैंक्स में १॥-) सूद लेने का तरीका है इसकी असल गरज या मन्शा क्या है. यानी काश्तकारान को जो सहूलियत दी गई है कि एक रुपया सैकडा से ज्यादा सूद नहीं लिया जावेगा तो क्या यह प्रपोजल इसलिये रखा गया है कि काश्तकारान पर ज्यादा सूद का बार डाला जावे ?

प्रेसीडेन्ट साहब—इस वक्त यह सवाल मजलिस के रूबरू पेश नहीं है जो को-ऑपरेटिव बैंक्स के सूद के मुतअल्लिक मौजूदा एजेन्डा में दर्ज है बल्कि फायनेन्स मेम्बर साहब ने जिस कमेटी का जिक्र किया है उसके मुतअल्लिक यह सवाल है कि उसके मेम्बर कौन कौन रखे जावें.

फायनेन्स मेम्बर साहब—मौजूदा बहस एजेन्डे के सवाल के मुतअल्लिक नहीं है, बल्कि उससे अलहदा है और गुजिश्ता साल की तजवीज के मुतअल्लिक है.

जगमोहनलाल साहब—जो तजवीज जनाब फायनेन्स मेम्बर साहब ने फरमाई है वह दुरुस्त है. पुराने मेम्बर साहबान के बुलाने की जो तजवीज है उसमें फिर एक साल गुजर जावेगा, इसलिये मेरी राय में उन चार मेम्बरान के बजाय हस्ब जैल मेम्बरान मुन्तखिब कर लिये जावें:—

१. बटुकप्रसाद साहब.
२. श्यामराव साहब देशमुख.
३. महादेवराव साहब.
४. छगनलाल साहब.

इन चार साहबान में साहूकार भी हैं, वकील भी हैं और जमींदार भी हैं.

बन्सीधर साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब—जगमोहनलाल साहब ने जो चार नाम तजवीज किये हैं उनसे जिन साहबान को इत्तफाक हो अपना सीधा हाथ उठावें.

ठहराव:—कसरत राय से तय पाया कि जगमोहनलाल साहब ने जो मेम्बरान सब-कमेटी के लिये तजवीज किये हैं वह कायम किये जावें.

[**नोट:**—इसके बाद एजेन्डा मजलिस आम (मुन्दर्जे जमीमा नंबर १) की तजावीज पर गौर किया गया].

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १.

प्रेसीडेन्ट साहब—बन्सीधर साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

बन्सीधर साहब—मेरी तजवीज हस्ब जैल है:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—
जनाने अस्पताल खोले जावें.

हुजूर वाला ! रियासत हाजा में मस्तूरात की तादाद १४,९८,९६६ है. अमराज औरतों और मर्दों हर दो को होते हैं. इनके अलावा कई अमराज ऐसे हैं कि जो खासकर औरतों को ही होते हैं. जबकि वह जच्चा होती हैं तब भी कई अमराज उन्हें होते हैं. बाज बाज औरतों के बच्चे अटक भी जाते हैं. मर्दाने अस्पताल में इलाज कराने में निहायत पसोपेश होता हैं और अक्सर इस वजह से मस्तूरात मआलजा से महरूम रहती हैं. बाद पैदायश छोटे छोटे बच्चों को उनका इलाज कराने के लिये मर्दाने अस्पताल में ले जाना पड़ता है लेकिन जब बच्चा मां के पास से अलहदा होता है तो उसको ज्यादा तकलीफ होती है. आदमी जब बच्चे का इलाज कराने के लिये अस्पताल में जाते हैं तो वह उसके मर्ज के मुताल्लिक ठीक तौर पर काफी वजूहात नहीं बता सकते. इसलिये जनाने अस्पताल खोले जावें.

प्रेसीडेन्ट साहब—इसको कौन सेकन्ड करता है ?

टोडरमल साहब—मैं इसकी ताईद करता हूं.

होम मेम्बर साहब—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब ! इस सवाल की इबारत से, मैं, मुजव्विज साहब ने तजवीज किस गरज से पेश की है, यह समझ नहीं सका था, मगर मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज के मुतअल्लिक अपने ख्यालात का जो इजहार किया है उससे इस सवाल को पेश करने की क्या गरज है यह अब मुझे मालूम हो गया. आपने अपनी तकरीर में गवालियार राज्य में मस्तूरात की तादाद बतलाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि मौजूदा अस्पतालों का जो इन्तजाम है वह नाकाफी है, इसलिये मस्तूरात के इलाज के लिये खास अस्पताल और खोले जावें. औरतों के अमराज की दो सूरतें जाहिर की हैं—(१) मामूली व (२) जच्चीदगी के वक्त के. सूरत नंबर (२) में मौजूदा इन्तजाम नाकाफी होने की वजह से मेडीकल डिपार्टमेन्ट से गुजिश्ता मजलिस में तजवीज पेश हुई थी और इस काम में मजलिस की इम्दाद चाही गई थी कि दाईयों को तालीम दी जाकर उनसे काम लिया जावे और untrained दाइयों को तालीमयाफ्ता दाइयों की तादाद काफी होने के बाद जच्चीदगी के काम से रोका जाये. लेकिन उस वक्त वह मसला मजलिस को पसन्द नहीं हुआ. पसन्द न होने के जो दलायल पेश किये गये थे उन पर तय पाया कि मैडिकल डिपार्टमेन्ट से ऐसा इन्तजाम किया जावे कि काफी तादाद में दाइयों को तालीम दी जावे, मगर रजिस्ट्रेशन की कैद अभी न लगाई जाये. उस जल्से के बाद आज तारीख तक इस तालीम देने के मुआमले में जो कुछ कोशिश हुई है उसके मुतअल्लिक इस जल्से में चीफ मैडिकल ऑफिसर साहब ने जो छपी हुई किताब तक्सीम की है उससे आप साहबान को हाल रोशन हो जायगा. मुमकिन है कि अभी तक आप साहबान को उसके देखने का काफी वक्त न मिला हो. जबकि आप उस पर निगाह डालेंगे आपको मालूम हो जायगा कि महकमे ने बहुत कुछ कोशिश करके जो नुक्स हमारे यहां था उसको दूर करने की जुस्तजू की है. मुजव्विज साहब की तजवीज यह है कि जुम्ला मुकामात पर जनाने अस्पताल खोले जावें. बड़े बड़े मुकामात पर यानी लश्कर व उज्जैन में खास जनाने अस्पताल मौजूद हैं. बड़ी भारी दिक्कत तो अस्पताल खोलने में यह है कि तालीमयाफ्ता

लेडी डॉक्टर्स मयस्सर नहीं होतीं. अब अगर मुजव्विज साहब की यह राय हो कि कुल मस्तूरात पर्दे में ही रहें और उनके लिये खास तौर पर अस्पताल बनाया जावे तो इसकी निस्बत अर्ज यह है कि अव्वल तो जमाने की दिन ब दिन हालत बदल रही है, दूसरे जो तनख्वाह लेडी डॉक्टर को दी जाती थी उसमें लेडी डाक्टर मयस्सर नहीं होगी, गो तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है. खास उज्जैन अस्पताल की मिसाल लीजिये. यहां के लेडी डाक्टर को जो तनख्वाह दी जाती थी वह यहां तक बढाई गई कि आदमी डाक्टर के मुकाबले में दुचन्द की गई, मगर फिर भी लेडी डाक्टर मिलने में दुश्वारी आई.

बहर हाल जैसा जैसा दरबार से फन्ड मेडिकल डिपार्टमेन्ट को मिलता जावेगा और तालीम याफ्ता लेडी डाक्टर्स मयस्सर होंगी वैसा वैसा इन्तजाम यकीनन किया जावेगा और जनाने अस्पताल खोले जावेंगे. मौजूदा हालत व दुश्वारी जाहिर करदी गई है. सरेदस्त गवर्नमेन्ट की तरफ से इससे ज्यादा होना मुमकिन नहीं है.

नोट—यह तजवीज ड्रॉप (drop) हुई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २.

प्रेसीडेन्ट साहब—मिट्ठनलाल साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

मिट्ठनलाल साहब—मेरी तजवीज यह है कि :—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जो अस्पताल कि इस वक्त अजलाय में मौजूद हैं वह जनानी जरूरतों के वास्ते काफी नहीं हैं, इसलिये एक जनाने अस्पताल की हर एक जिले में अशद जरूरत है.

जनाने अस्पताल हर जिले में कायम होने की खास जरूरत है, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां औरतों को होती हैं कि औरतें उनको मौजूदा मरदाने अस्पतालों में जाहिर नहीं कर सकतीं. ऐसी बीमारियों में औरतों की जान का खतरा हो जाता है. दरबार ने ३३ लाख रिआया के लिये एक ही बडा अस्पताल लश्कर में रखा है जो नाकाफी है. अगर बच्चा गुना में पैदा हुआ और इत्तफाक से उलझ गया तो लश्कर तक आने में बडी दिक्कत होती है; इसलिये हर जिले में जनाने अस्पताल का होना जरूरी है. मौजूदा जो दाइयां है वह औरतों के अन्दरूनी अमराज का इलाज नहीं कर सकतीं, वह सिर्फ बच्चा पैदा होने ही में इमदाद दे सकती हैं. अगर खास तौर से जनाना अस्पताल होगा तो हर किस्म का इलाज हो सकेगा और बहुत सी औरतों की जान बच सकेगी.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस तजवीज की ताईद कौन करता है ?

प्यारेलाल साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

होम मेम्बर साहब.—मेरा तो यह ख्याल हुआ था कि जो तकरीर मैंने सवाल नंबर १ के मुतअल्लिक की थी उसके सुनने के बाद इस सवाल को पेश करने की जरूरत न रहेगी. बहर हाल जो सवाल पेश किया गया है उसके मुतअल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं. मुजव्विज साहब ने जो फरमाया कि गुना में किसी के बच्चा हुआ और उस वक्त अडचन हुई तो वहां से लश्कर लाने में किस कदर तकलीफ होगी इसके मुतअल्लिक मेरा यह कहना है कि गुना में जच्चेखाने का इन्तजाम काफी किया गया है. अलावा इसके मुजव्विज साहब को शायद यह भी मालूम होगा कि बावजूद काफी इन्तजाम मेडिकल डिपार्टमेन्ट से अस्पतालों का होने पर भी बहुत से साहबान अपनी मस्तूरात को अस्पताल में बच्चा जनाने के लिये भेजना

मुनासिब नहीं समझते, लेकिन जब घर पर बच्चा पैदा होने का मौका आये तो बजाय अनट्रेन्ड दाइयों के किसी ट्रेन्ड दाई से काम लिया जा सकता है. दो साल पेश्तर इसी मजलिस में यह सवाल पेश हुआ था, लेकिन ट्रेन्ड लेडी डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं हो सकीं. सिर्फ अस्पताल खोलने से ही काम नहीं चल सकता, जिस वक्त काफी तादाद में लेडी डॉक्टर्स मिल जावेंगी और जैसी जैसी जरूरत मालूम होती जावेगी वैसा २ इन्तजाम होता जावेगा. जीजा महाराज मेटरनिटी होम के मुतअल्लिक जो काम किया जा रहा है उसका हाल आप साहबान को मालूम हो ही गया होगा, अलावा इसके उसका हाल आपको उस पैम्फ्लेट से, जोकि आजही आप साहबान को तकसीम किया गया है, मालूम होगा. हमारी मौजूदा हालत को मद्दे नजर रखते हुए और मेडिकल डिपार्टमेन्ट से इस सिलसिले में जो कोशिश की जा रही है उसको देखते हुए यह कहना नामुनासिब नहीं होगा कि रियासत हाजा में जो इन्तजाम इस वक्त है बहुत काफी है.

नोट.—यह तजवीज ड्रॉप (drop) हुई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ३.

प्रेसीडेन्ट साहब.—नवाब अली साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

नवाब अली साहब.—मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

ट्रेन्ड दाइयों के मुतअल्लिक जो तजवीज गवर्नमेन्ट की तरफ से गुजिश्ता मजलिस आम में पेश हुई थी उसके अमल में लाने के लिये साल में दो मर्तबा मुश्तहरी कराई जावे और एक फेहरिस्त उन तमाम अन-ट्रेन्ड दाइयों की मुरत्तिब कराई जाय जो लश्कर व उज्जैन में काम कर रही हैं और उन सब को ट्रेन्ड करने की कोशिश की जाय.

हुजूर वाला ! मेम्बरान मजलिस आम के सामने मैं जो यह तजवीज रखता हूं इसके दो जुज हैं. अव्वल—साल में दो बार इसकी मुश्तहरी कराई जाय. दोयम—एक फेहरिस्त अनट्रेन्ड दाईयों की तैयार कराई जाय और ट्रेन्ड किया जाय. उज्जैन व लश्कर की दाइयों की एक फेहरिस्त मुरत्तिब कराई जाये और उसके बाद यह देखा जावे कि वह काफी तादाद में हैं या नहीं. कम से कम उनको ट्रेन्ड बनाने की कोशिश की जाय. जो लोग ट्रेन्ड दाइयों के होने के बावजद भी अनट्रेन्ड दाइयों से काम लेते हैं उनकी इमदाद नहीं की जा सकती. अलबत्ता वह लोग जो ट्रेन्ड दाइयों के दस्तयाब न होने की वजह से मजबूरन अन्ट्रेन्ड दाइयों को बुलाकर बच्चा जनाने का काम लेते हैं. मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की तकालीफ को मद्दे नजर रखकर इस कार्रवाई को जारी करना चाहिये और जो लोग नीचे दर्जे के फायदा उठा सकते हैं उन्हें भी फायदा उठाने का मौका दिया जावे. तालीमयाफ्ता लोगों को गुरबा की हालत और जरूरियात पर गौर करना चाहिये कि वह तालीम हासिल करें. अन्ट्रेन्ड दाइयां इस काम को न करें. मेरा मन्शा यह है कि लश्कर और उज्जैन में जिस कदर तालीम याफ्ता दाइयां हैं उनमें रोज बरोज इजाफा होता जावे और उसमें कमी न हो.

रामेश्वर शास्त्री साहब.— मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

होम मेम्बर साहब—जो दाइयां ट्रेन्ड नहीं हैं उनके नाम की मुश्तहरी साल में दो बार की जाय, इससे मुझे इख्तलाफ नहीं है. चीफ मेडीकल ऑफिसर साहब ने इस सवाल के मुतअल्लिक

जो माहिती मुझे पेश की है उससे यह मालूम होता है कि लश्कर गवालियर व मुरार में जो औरतें दाई का पेशा करती हैं, तालीम पाई हुई हैं. ऐसी शायद ही कोई मिलेगी जो तालीम पाई हुई न हो. अगर शाजो नादिर कोई हो भी तो चीफ मैडीकल ऑफिसर साहब उसको भी तालीमयाफ्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर उनकी फेहरिस्त मुरत्तब करने में रिआया के लिये कोई सहूलियत हो सकती है तो महकमे को इसमें कोई ऐतराज नहीं है. इस वक्त यहां सवासौ, डेढसौ, तालीमयाफ्ता दाइयां मौजूद है और जो यह सवाल पहले महकमे मेडिकल से पेश हुआ था कि जो दाइयां ट्रेन्ड नहीं है उन्हें बच्चा जनाने की इजाजत नहीं होना चाहिये उसी के सिलसिले में मुझे यह कहा गया है कि ट्रेन्ड दाइयों की तरफ से यह दरख्वास्त पेश हुई है कि जो दाइयां तालीमयाफ्ता नहीं हैं वह बच्चा जनाने की इजाजत न पावें. इससे अन्दाजा किया जा सकता है कि लश्कर, गवालियार, व मुरार में अब क्या हालत होगई है. लश्कर के बाद दूसरा जो सेन्टर चीफ मैडिकल ऑफिसर साहब अपने हाथ में लेना चाहते हैं वह उज्जैन है, और चीफ मैडिकल आफिसर साहब यह उम्मेद दिलाते हैं कि दो तीन साल में यही कामयाबी वहां भी हासिल हो जावेगी. अब रहा यह सवाल कि मर्दुम शुमारी के लिहाज से इन दाइयों की तादाद काफी है या नहीं, इसके मुतअल्लिक मुजव्विज साहब मैडिकल डिपार्टमेन्ट से जो पैमफ्लेट शाया किया गया है उसके सफा नम्बर १२ लगायत १६।१७ को देखेंगे और उसी मुवाफिक सफा नम्बर ५।६।७ पर अगर निगाह डालेंगे तो जाहिर होगा कि दीगर मुमालिक से इस मामले के मुतअल्लिक जो स्टेटिसटिक्स दस्तयाब हुई हैं उनसे अगर मुकाबिला किया जाय तो वाजह होगा कि मुकाबलतन हमारे यहां का काम वहां से अच्छा है, खराब नहीं. मसलन दाइयों को कैसी और क्या तालीम दी जाती है, उनको गवर्नमेन्ट से किस किस्म की इमदाद मिलती है, तालीम जो दी जाती है वह काफी है या नहीं, इन उमूर के मुतअल्लिक सही नतीजे पर पहुंचने के लिये दीगर मुमालिक के स्टेटिसटिक्स से हमारे यहां का मुकाबला करके देखा जाय, इससे ज्यादा कोई अच्छा तरीका राय कायम करने के लिये नहीं हो सकता. मैं जहां तक आज इस पैमफ्लेट को देख सका मैंने यह नतीजा निकाला कि दूसरी जगहों के मुकाबले में हमारे यहां का काम बहुत अच्छा है. मुरत्तबी का जो सवाल है उससे महकमे को कोई ऐतराज नहीं है. हां, मर्दुम शुमारी के लिहाज से इन दाइयों की तादाद काफी है या नहीं इसको देख लिया जावे. जिन १२५।१५० दाइयों को तालीम दी गई है उनकी निग्रानी काफी की जारही है, यह इस पैमफ्लेट से जाहिर होगा. चुनाचे मैं ख्याल करता हूं कि अब मुजव्विज साहब को यकीन हो गया होगा कि महकमे की तरफ से काफी निगरानी की जारही है और इस काम को तरक्की देने की कोशिश जारी है. हां, अगर मुजव्विज साहब को कोई ऐसे वाकआत मालूम हों कि जिनमें महकमे से वक्त पर इमदाद नहीं मिली तो महकमे के नोटिस में लाये जाने पर महकमा उन पर गौर करने के लिये तैयार है.

जगमोहनलाल साहब—दाइयों के ट्रेन करने का सवाल इस मजलिस में पहले भी पेश होचुका है लेकिन इसके मुताल्लिक जो तजवीज पास हुई थी कि अनट्रेन्ड दाइयों को काम करने से रोका जाय, कौन्सिल से उस पर यह हुक्म हुवा है कि इस पर सन १९३० के बाद फिर गौर किया जाय. उसी सिलसिले में की यह तजवीज मेरे दोस्त मुजव्विज साहब की तरफ से फिर पेश हुई है. अब तक क्या काम हुवा है इसके मुताल्लिक आज ही हमें एक पैमफ्लेट मिला है जो अभी वक्त न मिलने से देखा नहीं जा सका और फिलहाल वाकेआत की अदम वाकफियत की वजह से पूरी राय नहीं दी जा सकती. कल या परसों पर यह सवाल रखा जावे ताकि पैमफ्लेट को पढकर हम कुछ राय कायम कर सकें.

प्रेसीडेन्ट साहब.—अच्छा, आयन्दा इजलास में यह सवाल ले लिया जावेगा.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ४.

प्रेसीडेन्ट साहब.—नवाबअली साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

नवाबअली साहब.—मेरी तजवीज हस्ब जैल है:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

सडकों के लिये करीब से मिट्टी लेने की वजह से गड्ढे हो जाते हैं और उनमें पानी जमा होने से गन्दगी फैलती है और मच्छर कसरत से फैलते हैं. थोडे सर्फे जायद में यह दिक्कत रफा हो सकती है.

हुजूर वाला ! यह तजवीज म्युनिसिपल अगराज के लिये बहुत जरूरी है और खासकर यह सवाल इस बिना पर कायम हुआ है कि शिवपुरी में एक खास ऑफिसर सडक व म्युनिसिपेलिटी की निगरानी के लिये रखा गया है जिसके जिम्मे श्योपुर तक की सडक है; और लश्कर के भी अकसर मुकामात पर देखा गया है कि सडकों के करीब से मिट्टी ली जाती है और रफ्ता रफ्ता काफी गहरा गड्ढा होकर उसमें बारिश का पानी भर जाता है, पत्ते वगैरा सडते हैं और गिलाजत बढकर मच्छर पैदा होते हैं और बदनुमाई भी होती है. अगर सडक से हटकर मिट्टी ली जाया करे तो बदनुमाई भी नहीं होगी और आस पास की आबादी की सेहत पर खराब असर भी नहीं पडेगा. लिहाजा मेरी इल्तजा है कि मजलिस इस सवाल पर जरूर गौर करे.

वाटवे साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

होम मेम्बर साहब.—सवाल नम्बर ४ के मुतअल्लिक महकमे पी. डब्ल्यू. डी. से संवत १९७९ में एक सरक्यूलर नम्बर १८ जारी हुआ था. उसकी मन्शा यह है कि स्टेशन के पास और आबादी के इर्द गिर्द इस किस्म के गड्ढे न किये जायें. उसमें यह भी बतलाया है कि अगर ऐसे मुकामात से मट्टी लेने की जरूरत पेश आवे तो बिदून गड्ढे किये हुए मिट्टी कुरेद कर निकाल ली जाया करे और अगर इससे मतलब बरारी न हो तो गड्ढे किये जा सकते हैं लेकिन ऐसे गड्ढों की डेप्थ (depth) दो फीट से ज्यादा न होवे और साथ ही यह भी सराहत हो कि उसको किसी नाली से कनेक्ट (connect) करा दिया जावे ताकि पानी उसमें जमा न होकर निकल जाया करे. दो ही फीट का गड्ढा अगर रहा तो तजुर्बा यह बतलाता है कि बारिश से एक ही महीने के बाद पानी सूख जाता है. सवाल सिर्फ यह है कि आबादी के करीब ऐसे गड्ढे न हों. मुजव्विज साहब ने अपने तजवीज के सिलसिले में शिवपुरी के स्टेशन ऑफिसर का जिक्र किया है तो स्टेशन ऑफिसर सडक और गड्ढे की ही निगरानी को नहीं है बल्कि उसके और भी बहुत से फरायज हैं. यह काम तो महकमे पी. डब्ल्यू. डी., रेलवे या इर्रीगेशन का है. मुजव्विज साहब ने तो सिर्फ आबादी के इर्दगिर्द ही गड्ढे न होने की मुमानियत किये जाने बाबत तजवीज पेश की है, लेकिन सरक्यूलर में तो यह ईमां है कि रेलवे लाइन के करीब भी ऐसे गड्ढे न किये जावें और इर्रीगेशन के मुतअल्लिक कहीं काम हो रहा हो और वहां मजदूर रहते हों तो वहां भी ऐसा इन्तजाम रहना चाहिये कि ऐसे गड्ढे न हों जिनमें बारिश का पानी भर जाय. अगर कहीं इस सरक्यूलर की तामील ठीक ठीक न होती हो तो वहां के मुकामी ऑफिसरान की तवज्जुह इस सरक्यूलर के हवाले से इस तरफ दिलाने पर गलती कुनिन्दा से बाजपुर्स होकर उसका तदारुक हो सकता है. दरबार की तरफ से तो इसी गरज को मद्देनजर रख कर यह सरक्यूलर जारी किया गया था. मेरे ख्याल में इन वाकेआत के मालूम हो जाने पर अब मुजव्विज साहब को इस बारे में कुछ कहना न होगा. अगर ऐसे वाकआत की इत्तला महकमे पी. डब्ल्यू. डी. को वक्त पर मिल जाया करे तो वहां से भी जरूरी कार्रवाई हो सकती है.

नवाबअली साहब.—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सवाल के समझने में कुछ गलत फेहमी हुई है. मेरा सवाल यह नहीं है कि स्टेशन ऑफिसर शिवपुरी ने या किसी और ने अपने काम में गफलत की, बल्कि मेरा मतलब तो यह है कि अगर २ फुट का गढ्ढा भी हो तो सडक से दूर हो, ताकि रिआया खतरा से महफूज रह सके. शिवपुरी के स्टेशन ऑफिसर ने गफलत की यह मेरा मतलब हरगिज नहीं है, बल्कि गरज यह है कि इस काम के लिये जो ठेके दिये जाते हैं वह ऐसे रेट्स पर दिये जावें कि ठेकेदार मिट्टी दूर से ला सकें. मेरा ऐतराज काम करने वालों की जात पर नहीं बल्कि उसूल पर है. उसूल यह है कि सडक के नजदीक से मिट्टी न ली जाया करे.

मेम्बर साहब फॉर एजूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब ! सवाल की एक मजीद तशरीह की गई है और बहस इस बात पर लाई गई है कि मिट्टी सडक पर डालने के लिये सडक के करीब से ही कम निर्ख पर मिट्टी खोदने की इजाजत न दी जावे. आम तौर पर यह उसूल चाहा जाता है या सिर्फ यह कि आबादी के करीब सडक के लिये मिट्टी खोद कर गड्ढे न किये जावें ?

नवाबअली साहब.—मेरी गरज यह है कि आबादी के करीब मिट्टी के लिये गड्ढे न किये जावें.

मेम्बर साहब फॉर एजूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.—अगर आबादी के करीब का सवाल है तो सडकों की तामीर के लिये कोई मिट्टी म्युनिसिपल लिमिट में से नहीं ली जाती. अगर कहीं ली जाती है तो वह खिलाफवर्जी की सूरत है. हां, अगर आबादी के अलावा का सवाल है तो सडकें मीलों तक बनती हैं. इसकी मैं तशरीह चाहता हूं. यह तो मुमकिन ही नहीं कि थ्रू आउट ही होल लेंग्थ सडक के किनारे से मिट्टी न ली जाये, क्योंकि इसमें एक बडा फायदा यह भी है कि सडक के किनारे किनारे ड्रेन्स बनते जाते हैं आबादी के मुतअल्लिक होम मेम्बर साहब ने अभी यह बतलाया ही है कि अगर कहीं ऐसी खिलाफवर्जी होती है तो उसकी इत्तला मिलने पर इन्तजाम हो सकता है. मुजव्विज साहब भी मेम्बर म्युनिसिपेलटी हैं, अपनी म्युनिसिपेलिटी में इस किस्म की अगर कोई खिलाफवर्जी होती हो तो वह खुद कह सकते हैं कि इसमें दर असल कानून या कायदे का कोई कुसूर नहीं बल्कि महज अदम निगरानी की वजह से ऐसा होना मुमकिन है.

नवाबअली साहब.—मेरा मतलब यह है कि दूर उफ्तादा हिस्सों में ऐसी बातें हुआ करती हैं यानी कोई ऐसा मुकाम है, जो है तो म्युनिसिपल हुदुद के अन्दर, लेकिन वहां सिर्फ दो चार मकानात हैं वहां भी इस किस्म की कार्रवाई से सारे शहर को खतरा है. लश्कर में ही देखिये, काले सय्यद की सडक पर कम्पू के आगे की सडक पर और फूलबाग दरवाजे से जो सडक ग्वालियार को जाती है उसके किनारे भी गड्ढे मौजूद हैं. जौरा में शहर के अंदर सडकों के किनारे अकसर मुकामात पर ऐसे गड्ढे बहुत हैं. खास शिवपुरी में कि जहां अच्छी सडकें हैं ऐसे गड्ढे मौजूद हैं जो बदनुमा मालूम होते हैं. यह ठहराव जो होगा उसका मतलब यह होगा कि जहां जहां भी ऐसा होता है वहां रोक की जावे. सिर्फ एक उसूल कायम हो जावे इसलिये मैं यह ठहराव चाहता हूं, क्योंकि ऐसा हो जाने से आयन्दा लोग इस खराबी से महफूज रहेंगे.

प्रेसीडेन्ट साहब.—और कोई साहब इसके मुतअल्लिक कहना चाहते हैं ?

अहसानउल्लाखां साहब.—गरीब परवर, इस वक्त मुबाहसा इस अम्र के मुतअल्लिक है कि जो मिट्टी सडकों के लिये ली जाती है वह सडक के किनारे से ली जावे या दूर से. किसी भी अम्र के मुतअल्लिक राय कायम करने के लिये पहले इस बात की जरूरत होती है कि उसके नफा नुकसान

वगैरा हर बात पर गौर कर लिया जावे. लश्कर में जो सडकें वाके हैं उनके करीब करीब दोनों तरफ या तो मकानात हैं या ऐसी आराजी है जो दीगर लोगों की मिलकियत है कि उसमें म्युनिसिपेलिटी दस्तन्दाजी नहीं कर सकती. अपनी ही मिलकियत में अलबत्ता जगह की तब्दील बदल हो सकती है. मगर जहां दूसरे की मिलकियत का सवाल पैदा हो जाता है वहां उनको मुआवजा दिया जावे और उसके तय करने के लिये कमेटी कायम की जावे व फंड निकाला जावे इसमें बहुत सर्फा है व यह दिक्कत तलब उमूर हैं. इसलिये मेरी समझ में जहां तक आता है यही मुनासिब है कि मिट्टी दूर से न ली जावे, क्योंकि करीब के मुकामात के मुतअल्लिक मिलकियत या मुआवजे का सवाल ही नहीं रहता इसलिये मैं तजवीज की ताईद नहीं करता हूं और तजवीज लायक मंजूरी नहीं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस सवाल के मुतअल्लिक होम मेम्बर साहब ने और मेम्बर साहब म्युनिसिपैलटीज ने जो एक्सप्लेन किया उस पर से अब इस मुआमले पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है या नहीं, यह सवाल है. जिन साहबान को जरूरत महसूस होती हो वह अपना हाथ उठावें.

नोट.—कसरत राय से तजवीज ड्रॉप (drop) की गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ५.

प्रेसीडेन्ट साहब.—प्यारेलाल साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

प्यारेलाल साहब.—मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

आज कल सडकों पर लॉरी मोटर कसरत से चलने लगी हैं, इसलिये गोला सडक का बजाय ८ फीट मौजूदा के १२ फीट तजवीज होना चाहिये. ८ फीट का तंग गोला है जिसकी वजह से सख्त नुक्सान जानों का मुतसव्वर है.

दो साल से जो लॉरीज और मोटरें चलने लगी हैं उनकी वजह से काश्तकारों की जो गाडियां आती हैं उनके बैल उचट जाते हैं इसलिये आठ फीट का जो गोला रखा गया है वह बारह फीट का कर दिया जावे तो उनको नुक्सान न होगा.

वाटवे साहब.—मैं ताईद करता हूं और साथ ही साथ यह गुजारिश है कि उज्जैन से आगर को जो सडक जाती है अगर एक माह पेश्तर उसका मुआइना किया जाता तो आगर से जो रुई की गाडियां आती हैं और जो ट्राफिक उज्जैन से उधर को होता है उसमें किस कदर तकलीफ होती है वह महसूस हो जाता. आज भी उसकी निशानी मौजूद है. वह सडक इतनी तंग है और एक नया फिसाद यह पैदा होगया है कि वहां रेल रोड बनाई जा रही है. मालूम नहीं कि वह कब तक चलने वाली है लेकिन फिसाद जरूर खडा होगया है. सडक बहुत कम चौडी है और वहां तांगे भी आते जाते हैं, मोटरें भी चलती हैं, गाडियां भी आती हैं और उस सडक की मरम्मत ऐसे वक्त में की जाती है कि जब ट्रैफिक ज्यादा होता है; और मैटीरियल भी ऐसा होता है कि सडक पर फैलने की दिक्कत न पडे. यह कमी रेट की वजह से है. मालूम नहीं, रेल रोड जो डाली गई है उसमें लोहे की पटरी दो इंच ऊंची है और रोडे ही डाले गये हैं उस पर से बारकशी की गाडियों को गुजरने में बडी मुश्किल होती है.

रूल्स हैं उनमें किस तरमीम की जरूरत है, इस पर गौर करने के लिये एक कमेटी दरबार से कायम हो चुकी है और आप साहबान जो ब्रिटिश इण्डिया में इस किस्म की कमेटियां होती हैं उनकी रिपोर्ट भी पढते होंगे. वहां भी ऐसा नहीं है. यह सडकें मोटर ट्रैफिक के लिये नहीं बनाई गई हैं. यह सवाल यहीं नहीं बल्कि दूसरी जगह भी पेश है. जो फिगर्स दिये गये हैं काबिल गौर हैं. बहरहाल दरबार से कमेटी कायम हो चुकी है जो इस सवाल पर गौर कर के अपनी रिपोर्ट दरबार में पेश करेगी. यह सवाल भी उसके पास भेज दिया जायगा कि दीगर मामलात के साथ इस पर भी गौर करके इसके मुतअल्लिक भी अपनी तजवीज पेश करे. उस वक्त दरबार से मुनासिब हुक्म दिया जावेगा.

बाटवे साहब—होम मेम्बर साहब ने इस तजवीज की spirit को कबूल फर्माते हुए जो मजबूरियां जाहिर की हैं वह जान व माल के खतरे के मुकाबले में देखा जाय तो वह मजबूरियां नहीं कहना चाहिये. सरकार का सर्फा जान व माल बचाने के लिये किया जावे, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता. होम मेम्बर साहब ने फरमाया है कि सडकें तीन किस्म की होती हैं, मगर इब्तदा में मोटर ट्रैफिक को सडकों का लिहाज करके परवाने नहीं दिये जाते कि जहां सडकें तंग हैं वहां मोटर चलाई जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये. मौजूदा हालत में ऐसी सडकों का सवाल जिससे कि जान माल का खतरा है कौंसिल को हाथ में लेना सबसे बहतर होगा. यह बहुत अहम सवाल है. इसकी तरफ जहां तक जल्द तवज्जुह फरमाई जाय बेहतर है.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस मस्ले के मुतअल्लिक होम मेम्बर साहब ने जो कुछ जाहिर किया है उससे आपको इतमीनान रखना चाहिये, जो कमेटी दरबार से मुकर्रर की गई है वह अनकरीब अपनी रिपोर्ट दरबार में पेश करेगी. इस वक्त इस मस्ले पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं.

नोट.—तजवीज ड्रॉप (drop) की गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ६.

प्रेसीडेन्ट साहब.—हीरालाल साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

हीरालाल साहब.—मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

हस्ब मन्शाय हुक्म दरबार (मुलाहिजा तलब नोट दफा १११ अलिफ) कवानीन फौजदारी, सम्वत १९५३, जो जर्ये करेक्शन स्लिप नंबर २, लेजिस-लेटिव डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार, गजट तारीखी १ मई सन १९२० ई०, कायम की गई) मुतबर्रिक मुकामात मुन्दर्जे तशरीह दफा मजकूर (जो बजिन्स दफा २८६, ताजीरात गवालियार, में शामिल की गई है) की हुदूद औकाफ डिपार्टमेन्ट से कायम की जावें, ताकि जो मन्शा कायमी जदीद दफा का है वह हासिल हो.

हुजूर वाला ! दरबार मुअल्ला से इन्सदाद मजहब के ख्याल से सन १९२० ई० में एक जदीद दफा १११ (अलिफ) कवानीन फौजदारी में कायम की गई थी. उसके साथ साथ दरबार का यह भी इर्शाद हुआ था कि ऐसे मुकामात की फेहरिस्त, जो किसी मजहब के नजदीक मुतबर्रक समझे जाते हैं, औकाफ डिपार्टमेन्ट से तैयार की जाय, मस्लन

परस्तिशगाह, कुंड और तालाब. उसी के साथ साथ यह भी हुक्म था कि उनकी हुदूद कायम भी करदी जायें. आठ साल का जमाना गुजरता है लेकिन इस अर्से में न तो कोई हुदूद कायम की गई और न कोई ऐलान हुआ. जिस मकसद से यह हुक्म दरबार से जारी किया गया था उस उसूल के मुतअल्लिक बहस की जरूरत नहीं, क्या मानी कि वह तय शुदा है. मेरा मकसद सिर्फ हुदूद कायमी का है कि उसकी तामील की जाय इन अल्फाज के साथ मैं यह तजवीज मजलिस के रूबरू पेश करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस सवाल की ताईद कौन साहब करते हैं ?

गोविंदप्रसाद साहब.—मैं ताईद करता हूं.

होम मेम्बर साहब.— मुजव्विज साहब ने जिस दफे की तरफ तवज्जुह दिला कर इस बात पर जोर दिया है कि दरबार की तरफ से जो हुक्म हुआ है उसकी तामील होना पाया नहीं जाता, लिहाजा वह तामील जल्द कराई जाय. यह जो मुजव्विज साहब का ख्याल है वह वाकआत से साबित नहीं है, और उससे मैं इत्तफाक नहीं करता. मैं यह जरूर तसलीम करूंगा कि हुदूद अरबा कुल मुकामात के अभी तक मुकर्रर नहीं हो सके हैं, लेकिन दरबार हुक्म की तामील नहीं हुई, यह वाकया नहीं है. कैफियत यह है कि यह दफा जब दरबार से मंजूर हुई तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से होम डिपार्टमेन्ट को इसकी इत्तला आई और होम डिपार्टमेन्ट को हुक्म हुआ कि हुदूद कायम कराई जावें. होम डिपार्टमेन्ट में हुक्म पहुंचने पर वह हुक्म महकमा औकाफ को बगरज तामील मुन्तकिल कर दिया गया, ताकि वह तामील करे. अब हमको यह देखना है कि महकमे औकाफ ने क्या तामील की. महकमे औकाफ ने इस हुक्म की नकल सेन्ट्रल कमेटी, जिला कमेटी, परगना कमेटी और देहा कमेटी में बगरज तामील भेजदी. उस पर सेन्ट्रल कमेटी ने यह हुक्म दिया कि जिले के ऑफिसरान अपने जिले के ऐसे कुल मुकामात की फर्द और उसकी माहिती मय हुदूद अरबा के तैयार करके वास्ते मंजूरी दरबार में पेश करें. उसकी तामील आज तक कुल अजलाय से जिस तौर पर कि होना चाहिये नहीं हुई. खास जिला शाजापुर की जहां के कि मुजव्विज साहब हैं, मिसल मंगाकर देखी गई तो यह हालत जाहिर हुई कि शाजापुर में चार परगने हैं. आठ व छै साल के करीब हुक्म भेजे हुए अर्सा हो चुका, अव्वल तो कई जगहों से बिलकुल तामील ही नहीं हुई और दूसरे जहां से फर्द या माहिती आई वह नामुकम्मिल आई, यानी सिर्फ दो परगनों की जानिब से अफराद पेश हुई हैं, उनमें माहिती नामुकम्मिल है यानी उनमें मामूली हुदूद अरबा भी दर्ज नहीं की हैं. ऐसी नामुकम्मिल अफराद पेश होने पर उनको वापिस करके फिर जिले से व परगने से माहिती पेश करने का हुक्म दिया गया है. आप साहबान में से जो साहबान किसी न किसी कमेटी के मेम्बर ख्वाह जिले के हों या परगना कमेटी के हों, मैं यकीन करता हूं कि वह अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि किस तरीक पर इन कमेटियों का काम चलता है. महकमे औकाफ के पास कोई अमला नहीं है जिसके जर्ये से वह तामील हुक्मन करा सके. उसके पास जो अमला है वह कमेटियां हैं. अगर कमेटियां अपना इजलास वक्त पर न करें या एक दो मेम्बर आवें और कोरम पूरा न हो और उनको वापिस जाना पडे या और कुछ दिक्कतें या अडचनें हों उससे औकाफ के मेम्बरान ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं. हुक्म जारी हुए आठ साल हुए इसकी कोई तामील नहीं हुई. इसके वजूह क्या हैं वह पेश कर दिये गये. इसके अलावा भी मैं यह जाहिर करना चाहता हूं कि डिपार्टमेन्ट खामोश नहीं रहा. गुजिश्ता छै साल की हालत देखकर कि इस कदर कसीर अर्से में दरबार हुक्म की तामील में कमेटियों की जानिब से मतलूबा वाकफियत नहीं पहुंची, यह पाया गया कि मालूमात जमा करने के जो वसाइल महकमे को हैं वह नाकाफी हैं और अगर मौजूदा तरीके पर ही काम

निकालने की कोशिश की जावे तो न मालूम कितना इन्तजार करना पडे व हर मौजूदा तरीके से वाकफियत बहम पंहुचाना और वह भी थोडे अर्से में यह अम्र नामुमकिन मालूम हुआ. इस बिना पर दरबार में एक तजवीज पेश की गई है कि यह माहिती किस तरीके से और किस मियाद मुकर्रेरा के अन्दर पहुंचाई जावे. यह तजवीज जेर गौर दरबार है मैं यह और जाहिर करना चाहता हूं कि महज इस तजवीज पर ही औकाफ डिपार्टमेण्ट ने इक्तफा नहीं किया बल्कि मजीद अहकाम का इन्तजार न करते हुए यह सिलसिला इख्तियार किया है कि जिस जिले या मुकाम से माहिती पेश आती है, वही मिसल दरबार में पेश होकर मंजूरी हासिल करली जाती है मसलन सरदारपुर से माही नदी के मुतअल्लिक हुदूर अरबा दाखिल होने पर मुआमला दरबार में पेश कर दिया गया है. मैं उम्मेद करता हूं कि मुअज्जिज साहब और दीगर साहबान को अब इतमीनान हो गया होगा कि किस वजह से हुक्म दरबार की तामील अभी तक नहीं हुई है, और यह कि महकमे ने क्या क्या कोशिशें इस बारे में की हैं. इस कैफियत को मालूम करके मैं ख्याल करता हूं कि साहबान इस मसले पर ज्यादा गौर करने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे. बहर हाल ब इजाजत प्रेसीडेन्ट जो मेम्बरान कि किसी न किसी कमेटी के मेम्बर हों मैं उनसे यह दरख्वास्त जरूर करूंगा कि जो सूरत हाल आप पर जाहिर की गई है उस पर आप गौर करें. इस कैफियत से आप लोगों को अन्दाजा हो सकता है कि औकाफ का काम जिला या परगने में किस तरीक पर हो रहा है इन कमेटियों के मुतअल्लिक इससे कब्ल वक्तन फवक्तन जो मुश्किलें मजलिस आम या दीगर जरीये से दरबार के सामने पेश हुईं वह बरवक्त रफा करदी गईं. मसलन देहा कमेटी खारिज करदी गई या जहां इजलास होने के लिये कोरम की कुछ अडचनें थीं वह नये कायदे में निकाल दी गई हैं. इसी तरह अब भी और आयन्दा हमेशा दरबार के सामने जैसी जैसी अडचनें या मुश्किलात जाहिर होती हैं या आयन्दा हों दरबार उनको रफा फरमाते हैं. चुनांचे मुआमला मौजूदा की मुश्किलात भी दरबार के जेर गौर हैं. लिहाजा मैं उम्मेद करता हूं कि साहिबान इस पर मजीद बहस की जरूरत नहीं पावेंगे.

हीरालाल साहब—मैं अपनी तजवीज वापिस लेता हूं.

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ७.

प्रेसीडेन्ट साहबः—हीरालाल साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

हीरालाल साहबः—मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः—

तहत दफा २३, कानून मोटर गाडियान, मोटर सर्विस कायमी की इजाजत देने में किसी किस्म की कैद (बइस्तसनाय मौजूदा कैद मुन्दर्जे दफा मजकूर) आयद न की जावे और न किसी मोटर सर्विस को किसी किस्म की मॉनोपोली (monopoly) दी जावे और जो मॉनोपोली इस वक्त नार्दन मोटर या दीगर कम्पनी को हासिल है वह बख्याल आसायश व बहबूदी रिआया मन्सूख की जावे.

हुजूर वाला! मोटर की मुसाफिरत से एक गूना सहूलियत और आसायश हो गई है और यह आसायश उन मुकामात पर और अच्छी मालूम होती है जहां रेलवे नहीं है. जहां रेलवे है

वहां भी लोग मोटर के जर्ये से मुसाफिरत करते हैं, लेकिन इसकी इजाजत में दो दिक्कतें पेश आती हैं. पहिली यह दिक्कत है कि कई मुकामात पर मोटर सर्विस की इजाजत से महज एक या दो services जारी होने की वजह से इन्कार कर दिया जाता है हालांकि दफा २३ कानून मोटर्स में जहां सडक इस काबिल न हो वहां इजाजत न दी जाने की कैद है. दूसरी दिक्कत यह है कि नॉर्दर्न इण्डिया मोटर सर्विस कम्पनी जहां जारी है वहां यह बतलाया जाता है कि कम्पनी के साथ मॉनोपाली हो चुकी है, इसलिये इजाजत नहीं दी जाती है यह दिक्कत सब से ज्यादा है और इस दिक्कत का मैं खास तौर पर इजहार करना चाहता हूं. बेरछा से शाजापुर ११ मील है. वहां मोटर जारी होने की वजह से तांगे बन्द होगये हैं, ट्रैफिक ज्यादा है. मोटर की वजह से रिआया को तकलीफ है, किराया भी ज्यादा देना पडता है. मोटरें ओवरलोडेड जाती हैं, तकलीफ उठाना पडती है. इसलिये मैंने यह तजवीज पेश की है कि जो मॉनोपाली कम्पनी के साथ है वह मन्सूख कर दी जाये या कम से कम दीगर सर्विस जारी करने की इजाजत ही कर दी जावे ताकि तकलीफ मिटे. इसकी बाबत जनाब सूबा साहब ने भी सिफारिश फरमाई थी कि चूंकि रिआया को तकलीफ है, दीगर मोटर की इजाजत दी जावे. जवाब यह मिला कि इस कम्पनी के होते हुए और मोटर जारी करने की इजाजत नहीं हो सकती.

केसरीचन्द साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

होम मेम्बर साहब.—मुजव्विज साहब ने अपनी तजवीज पेश करते हुए दो खास मुद्दों की तरफ तवज्जुह दिलाई. अव्वल तो सबसे बडा मुद्दआ यह है कि नॉर्दर्न इन्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को मॉनोपाली होने की वजह से दीगर मोटर चलाने की इजाजत नहीं दी जाती, इससे रिआया को तकलीफ होती है, इसलिये मॉनोपाली कायम नहीं रहना चाहिये. दूसरा मुद्दआ जो उन्होंने बतलाया है वह यह है कि उनके जहूर में ऐसी मिसालें आई हैं कि मोटर चलाने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन इजाजत देना कायदे में दर्ज है. अगर कोई खास ऐसी मिसाल हो तो वह पेश होने पर गौर होकर इन्तजाम हो सकता है. मुजव्विज साहब को यह भी मालूम होगा कि कानून मोटर्स में यह भी एक दफा है कि ऐसी इजाजत महकमा पी. डब्ल्यू. डी. से न दीगई हो तो वह बाला ऑफिसर को अपील कर सकता है अब रहा सवाल यह कि इस खास मिसाल में अपील किया गया है या नहीं. खास मिसाल हो तो उसके लिये महकमा मुतअल्लिका शिकायत सुनने के लिये तैयार है. नॉर्दर्न इंडिया ट्रान्सपोर्ट कम्पनी एक खास कम्पनी है जिसकी हिस्ट्री खास तौर से है. इस वजह से उसको खास रिआयतें दीगई हैं मैं इस वक्त इसके मुतअल्लिक इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि जो कमेटी मोटर रूल्स के गौर करने के लिये मुकर्रर की गई है वह इस तजवीज पर भी गौर करेगी और कमेटी की रिपोर्ट पेश होने पर दरबार मुनासिब गौर करेंगे. लिहाजा इस वक्त इस मसले पर ज्यादा बहस करने की जरूरत मालूम नहीं होती

पुस्तके साहब—हुजूर आली! जनाब वाला होम मेम्बर साहब ने अभी जो कैफियत जाहिर फरमाई है उससे यह इतमीनान नहीं हो सकता कि जो तकलीफ लोगों को आज कल है वह अनकरीब दूर हो जावेगी. यह वाकआ है कि जो लोग सोनकछ, आगर व शाजापुर की तरफ अक्सर आते जाते हैं उनको मालूम है कि मोटर में सफर करते हुए मस्तूरात और लोगों को किस तरह तकलीफ होती है. अगर यह जरूरी ख्याल किया गया है कि किसी खास कम्पनी को मॉनोपाली दी जावे तो यह शर्त जरूर लगा दी जावे कि रिआया को जो तकलीफें होती हैं वह न होने पावें. अगर उनके पास मोटर लॉरीज नहीं हैं तो वह मोटर ज्यादा रखें. लॉरीज की वजह से तांगे तमाम बन्द हो गये हैं. जो लोग मस्तूरात के साथ इनमें सफर करते हैं उनको सख्त तकलीफ होती है और उनमें ट्रैवल करते

हुए नागवार सा मालूम होता है. इतना ही नहीं बल्कि उनके नजदीक वह परमेश्वर के भरोसे पर सफर कर रहे हैं ऐसा ख्याल होता है और उन्हें न सिर्फ जान व माल का खतरा है, बल्कि दस पन्द्रह मील का सफर हो चुकने के बाद उनको ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी मुसीबत से नजात पा गये. इसलिये इतना ही कहना कि दरबार या कमेटी इस पर गौर कर रही है काफी न होगा. जिनको मॉनोपाली दी गई है उन पर यह फर्ज रखा जावे कि रिआया को तकलीफ न होने पावे, वर्ना उनकी मॉनोपाली मंसूख करदी जावेगी. चुनांचे इन बातों पर जरूरी गौर फरमा कर यह तजवीज मंजूर फरमाई जावे.

टोडरमल साहब.—मेरी भी यही अर्ज है कि मॉनोपाली कैन्सिल होना चाहिये बल्कि हर एक शख्स को इजाजत होना चाहिये इसमें बहुत बड़े फायदे हैं, एक तो पब्लिक का दूसरे मोटर चलाने वाले का. नॉर्दर्न इंडिया कम्पनी से सरकार का तअल्लुक हो और उससे फायदा हो, लेकिन दूसरे शख्सों के मोटर चलाने से ज्यादा फायदा है, इसलिये हर शख्स को नॉर्दर्न इंडिया कम्पनी के साथ मोटर चलाने की इजाजत होना चाहिये.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस सवाल के मुतअल्लिक होम मेम्बर साहब ने जो कुछ बयान किया है उससे यह जाहिर होगा कि इसके मुतअल्लिक कमेटी गौर करेगी. लिहाजा दर्याफ्त तलब यह अम्र है कि क्या होम मेम्बर साहब ने जो इत्मीनान दिलाया है उसके बाद भी इस सवाल को हाथ में लिये जाने की जरूरत आप समझते हैं?

नोट:—कसरत राय से यह करार पाया कि इस सवाल को मुल्तवी करने की जरूरत नहीं, इसी वक्त इस सवाल का फैसला किया जावे. चुनांचे तजवीज की निस्बत वोट लिये गये.

ठहराव:—कसरत राय से तजवीज मंजूर हुई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ८.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस तजवीज के मुजव्विज मूंगालाल साहब मजलिस में हाजिर नहीं हो सके हैं. उनकी यह तजवीज कायदे के मुताबिक और कोई साहब अगर पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं.

गोविन्दप्रसाद साहब.—मैं इस तजवीज को पेश करता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

पब्लिक संस्थाओं व परस्तिशगाहों का जो रुपया मुख्तलिफ मुकामात पर जमा रहता है उसके महफूज रहने, नीज ठीक ठीक खर्च होने के लिये कवाअद वजै फरमाये जावें.

हर मन्डी में और हर मुकामात पर पब्लिक संस्थायें होती हैं, और खास कर मन्डियों में धर्मादा के नाम से रुपया जमा होता है और जिसको पब्लिक संस्था का रुपया कहा जा सकता है. ऐसा रुपया दूकानदारों के पास रखा जाता है, मगर यह रुपया उन दूकानदारों के पास ही रहता है इसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिसका कोई हिसाब वगैरा कुछ मालूम नहीं होता. हालांकि सम्वत १९७९ में जो कवाअद मन्डी जारी हुए हैं उनकी कलम नंबर १४ पेटे कलम नंबर (१०) में यह ईमां है कि जो धरमादा का रुपया दूकानदारान वसूल करें उसका निस्फ हिस्सा दूकानदार अपनी राय से सर्फ किया करें. बकिया निस्फ हिस्सा इस्व राय मंडी कमेटी सर्फ किया जावेगा. कवाअद

मजकूर के अहकाम के मुताबिक मन्डियों में अमल होता है, लेकिन उसका कोई मुकम्मिल हिसाब दूकानदारान की तरफ से जाहिर नहीं किया जाता। इसकी निस्बत जनाब वाला ट्रेड मेम्बर साहब की तरफ से अहकाम जारी होते हैं, लेकिन कोई तामील नहीं होती. मन्डी कमेटी को खामोश रहना पडता है. इसलिये ऐसे रुपयों का हिसाब ठीक ठीक रखे जाने और नीज ऐसा रुपया ठीक तौर पर सर्फ किये जाने के लिये कवाअद मन्डीहाय में अहकाम इजाफा किये जावें या इसके मुतअल्लिक अलहदा कवाअद मुरत्तिब करने के लिये एक कमेटी कायम फरमाई जावे।

रामेश्वर शास्त्री साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—सवाल नंबर ८ का तअल्लुक मन्डी कमेटी में धर्मादा के मुतअल्लिक जो रुपया वसूल किया जाता है उससे पाया नहीं जाता।

होम मेम्बर साहब.—मुझे यह मालूम नहीं कि खास मुजव्विज साहब, जिन्होंने यह सवाल भेजा था और जोकि इस वक्त मौजूद नहीं हैं उनकी मन्शा क्या थी. यह सवाल गोविंदप्रसादजी साहब ने अपनी तरफ से पेश करना कबूल किया है और उनका कहना यह है कि मंडी कमेटीज में जो धर्मादा का रुपया जमा होता है उसके सर्फ करने की निस्बत कवाअद मुरत्तिब किये जावें. अगर परस्तिशगाह वगैरा के मुतअल्लिक जो रुपया जमा होता है उसके मुतअल्लिक यह तजवीज पेश की जा रही है तो उसकी निस्बत मैं अर्ज कर सकता हूं. लिहाजा आप इसके मुतअल्लिक जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं.

गोविन्दप्रसाद साहब.—इस तजवीज के इन अलफाज से कि "पब्लिक संस्थाओं" से यह मालूम होता है कि इस तजवीज का ताल्लुक ऐसे रुपये से भी है जो धर्मादा का मंडी कमेटी में आता है. ऐसा रुपया पब्लिक संस्था का ही समझा जावेगा, क्योंकि इससे सरकारी तअल्लुक नहीं है जैसा कि संवत १९७९ से मुताबिक कवाअद मंडी कमेटी उसका आधा हिस्सा सर्फ करने का इख्तियार मन्डी कमेटी को दिया गया है. जो रुपया बाजार में दूकानदारान के पास जमा होता है वह पब्लिक के कामों में व नीज धर्म के कामों में लगाया जाता है.

प्रेसीडेन्ट साहब.—जगमोहनलाल साहब! इसके मुतअल्लिक आपका क्या ख्याल है? क्या मन्डी कमेटी के धर्मादा के रुपये के मुतअल्लिक इस तजवीज का तअल्लुक हो सकता है?

जगमोहनलाल साहब.—मन्डी कमेटी का रुपया पब्लिक संस्थाओं का ही है. ऐसा रुपया रिफाह आम और मजहबी कामों के लिये है और जो पब्लिक के कामों में सर्फ होता है. तजवीज में जो अलफाज हैं वह वाइड सेन्स में हैं.

लॉ मेम्बर साहब—मंडी कमेटी के धर्मादाओं का तअल्लुक पब्लिक संस्था से नहीं है. ऐसी रकम पब्लिक संस्थाओं के रुपये की तारीफ में नहीं आती.

प्रेसीडेन्ट साहब.—यह नया सवाल है इसलिये इस वक्त नहीं लिया जा सकता.

नोट:—तजवीज ड्रॉप (drop) की गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ९.

प्रेसीडेन्ट साहब:—इस तजवीज के मुजव्विज माधवराव साहब पंवार का इन्तकाल हो चुका है, लिहाजा इस तजवीज को क्या कोई साहब पेश करना चाहते हैं?

बटुकप्रसाद साहब:—मैं इस तजवीज को पेश करना चाहता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

सिंधियाज आर्टिकल्स ऑफ वार की दफा ११३ में से फिकरा 'तनख्वाह या अलावन्स' कम किया जावे. ग्वालियर के ब्योपार की गिरी हालत में इस किस्म की पाबन्दी डालना ब्योपार को जौक पहुंचाने वाली है; लिहाजा इस फिकरे को कम करने से पाबन्दी कानून की होते हुए ब्योपारियान को ब्योपार करने में भी कोई खरखशा नहीं रहेगा.

हुजूर आली! यह Resolution इन अलफाज में इस मजलिस में पेश किया जाता है कि सिंधियाज आर्टिकल्स ऑफ वार की दफा ११३ में से अलफाज 'तनख्वाह या अलाउन्स' कम किये जावें. इन अलफाज को कम करने से पाबन्दी कानून की होते हुए ब्योपारियान को ब्योपार करने में भी कोई खरखशा नहीं रहेगा. इसके अलावा जो मुझे अर्ज करना है वह गुजारिश करता हूं. आम तौर पर मुलाजमान की सूरत में जाब्ता दीवानी दफा २७८ के मुताबिक तनख्वाह का एक सुलस कुर्क हो सकता है; लेकिन सिंधियाज आर्टिकल्स ऑफ वार की दफा ११३ में इसके भी कुर्क करने की मुमानियत फरमाई गई है. सिंधियाज आर्टिकल्स ऑफ वार मेरे ख्याल से सम्वत १९७३ में नाफिज फरमाये गये हैं. यह वह जमाना था कि जिस वक्त वार दरपेश थी और फौज के मुलाजिमान को महफूज रखने की सल्तनत को जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन अब वह जमाना नहीं है. यह बात भी पोशीदा नहीं है कि मुलाजिमान को वक्त पर कर्जे की जरूरत होती है और जब कि उनको कर्जा लेना पडता है और जब कि सेठ साहूकारान को भी यह बात मालूम है कि तनख्वाह मुलाजिमान फौज (यही एक जायदाद मुलाजमान भी होती है) कुर्क नहीं हो सकती तो मुलाजिमान को कर्जा मिलना बहुत दुश्वार हो जाता है.

अलावा इसके जो लोग कर्जा देते हैं उनके लिये भी कुछ न कुछ जर्या अपने कर्जे के वसूल करने के लिये होना चाहिये जैसा कि मैं पेश्तर अर्ज कर चुका हूं. इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि तनख्वाह या अलावन्स के महफूज रखने की जरूरत नहीं है.

सूवालाल साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

आर्मी मेम्बर साहब.—यह सवाल माधवराव साहब पवार ने पेश किया था. मुझे अफसोस है कि उनकी वफात के बाद मुझको उनके पेश कर्दा सवाल का जवाब देने का मौका आया.

इस वक्त यह सवाल बटुकप्रसाद साहब ने मजलिस में पेश किया है और उन्होंने यह जाहिर किया है कि सिंधियाज आर्टिकल्स ऑफ वार का कानून एक ऐसे जमाने में जारी किया गया था कि जिस वक्त वार जारी थी.

मैं मुजव्विज साहब व नीज मजलिस को यह बतलाना चाहता हूं कि फिल हकीकत यह कानूनी दफा जो इण्डियन आर्मी एक्ट की सेक्शन १२० है, और जो बऐनही सिंधियाज आर्टिकल्स ऑफ वार में बशक्ल दफा ११३ शामिल की गई है, वह जमाने वार में नहीं बल्कि बहुत पहिले से रायज थी. इससे आपको मालूम होगा कि फिल-हकीकत वार की वजह से दफा ११३ कायम करने की जरूरत पेश नहीं आई थी.

दूसरा सवाल जो मुजव्विज साहब ने पेश किया है वह यह है कि कर्ज लेने वाले व कर्ज देने वाले के लिये सहूलियत रखी जावे, और अलफाज "तनख्वाह या अलावन्स" इस सेक्शन ११३ में से निकाल दिये जावें.

इसके मुतअल्लिक मजलिस के सामने चन्द वाकआत पेश करना जरूरी है ताकि असलियत मुआमला क्या है यह आप साहबान को मालूम हो जावे इसमें कोई शुबह नहीं और मैं समझता हूं कि मुजव्विज साहब खुद इस बात को महसूस करते होंगे कि मिलिट्री के वास्ते खास तौर पर जो दफा इन्डियन आर्मी एक्ट में कायम की गई है उसकी कोई खास अहमियत जरूर है वह अहमियत क्या है, यह भी अर्ज करता हूं. फौज को जान हथेली पर रखकर हमेशा काम करना पडता है; नीज आपको अच्छी तरह से मालूम है कि फी जमाना मामूली मजदूर भी रोजाना १) या ।||) से कम में दस्तयाब नहीं होता जिसका औसत ३०) व २५) रु० माहवार का होता है. इसके मुकाबिले में देखा जाय तो फौज को जो तनख्वाह मिलती है वह जायद नहीं है. फौज की सर्विस किसी खास जमाने के लिये आर्जी न होते हुए एक मुस्तकिल सर्विस है, और फौज को मैदान जंग के लिये हमेशा तैयार रहना पडता है. ऐसी शक्ल में और उनकी तनख्वाह पर गौर करते हुए यह अम्र लाजमी मालूम होता है कि उनके साथ कुछ खास सुलूक किया जावे.

मेम्बर साहबान मजलिस आम को शायद इसकी वाकफियत नहीं है कि अपने यहां फौज में तनख्वाहें क्या मिलती हैं. कम से कम आप साहबान को फौज के मुतअल्लिक कुछ वाकफियत हो जाय तो नामुनासिब न होगा. पस इस पहलू पर गौर करते हुए मैं यह बतलाना चाहता हूं कि फौज में तीन किस्म की सर्विस हैं, यानी रिसाला, पल्टन व तोपखाना. सब से ज्यादा तनख्वाह तोपखाने में है कि जिसमें तमाम वजआत के बाद मुलाजिम को १९) माहवार मिलते हैं. यह तनख्वाह ऐसी नहीं है कि जिसमें यह कहा जासके कि दरबार ने उनके साथ कोई खास रिआयत की है.

इस से आपको बेखबर नहीं रहना चाहिये कि फौज आप से जुदा नहीं है, बल्कि आपका ही एक जुज है. साहबान ! पीस टाइम (peace time) में फौज की वकअत आम तौर पर नहीं होती. फौज किस गरज से रक्खी गई है और वह क्या कर सकती है, इसका अन्दाजा, मैदान जंग में या उस वक्त हो सकता है कि जब फौज की जरूरत बगरज कायमी अमन पेश आवे; लिहाजा फौज के मुतअल्लिक कोई सवाल पेश करते वक्त हमेशा काफी गौर कर लेना चाहिये कि हम क्या सवाल कर रहे हैं और उसका नतीजा मुलाजिमान फौज के हक में कैसा होगा.

सवाल काबिल गौर यह है कि फौज के मुलाजिमान को, जिनकी तनख्वाह २०—१९ और १६) रुपये है, जब कर्ज लेने की जरूरत पेश आती होगी तो वह कितनी रकम लेते होंगे और उस कलील रकम के लिहाज से यह कहना कि उससे ट्रेड को नुक्सान पहुंचेगा, समझ में नहीं आता. जो स्टेटिसटिक्स (statistics) मेरे पास मौजूद हैं, उनसे मैं यह साबित कर सकता हूं कि फौज में ऐसे मुलाजिमान कि जिनको साहूकारान से कर्ज लेने की जरूरत पेश आती है, उनकी तादाद का औसत १५ फी सदी से जायद नहीं है.

सन १९१३ ई० के बाद यानी उस वक्त से कि जब मैं इन्सपेक्टर-जनरल आर्मी हुआ मैंने सब से अव्वल कोशिश यह की कि जहां तक मुमकिन हो फौज के मुलाजिमान कर्ज दिहन्दगान के पंजे से छूट जावें और फौज के मुलाजिमान की बेहतरी किस तरह से हो और फौज का मुलाजिम किसी का कर्जदार न हो, ताकि जिस वक्त वह मैदान जंग में जावे उसको यह फिक्र न रहे कि मेरे ऊपर इस कदर कर्जा है जिसकी वजह से मेरे पीछे मेरे पसमांदगान का न मालूम क्या हाल होगा. जब फौज का मुलाजिम इन तफक्कुरात से बरी हो तब ही वह लड़ सकता है.

सन १९१३ ई० से पेश्तर फौज के हर एक बेडे में यह सिलसिला था कि फी कम्पनी व स्क्वाड्रन (Squadron), एक-एक बनियां मुलाजिम रखा जाता था जो अपने तौर पर कर्ज देता था.

नतीजा यह था कि उस जमाने में ६०, ७० फीसदी लोग मकरूज थे, लिहाजा उनकी इस मकरूजियत की हालत को देख कर दरबार गुअल्ला की खिदमत में अर्ज करके एक रकम बिला सूदी ली जाकर ऐसे लोगों का कर्जा अदा किया गया बाद अजां बेडों में एक एडवान्स फन्ड कायम किया गया, और उस फन्ड से कर्जा दिये जाने का सिलसिला जारी किया गया. शरह सूद एक पाई फी रुपया मुकर्रर की गई और हर एक रैंक (rank) के लिये मिकदार मुकर्रर करदी गई कि उस हद तक रुपया दिया जावे. इस तरीके से वह फन्ड उन्हीं का होता है, और सूद की रकम भी उन्हीं की हो जाती है.

सन १९२७ ई० तक वह जमाना था कि इस सवाल के मुतअल्लिक कोई representation पब्लिक की जानिब से पेश नहीं हुआ. सन १९२६ ई० में फौज का रीऑर्गेनाइजेशन (reorganisation) हुआ. फिलहकीकत जो तजवीज अब पेश की गई है वह मेरा ऐसा ख्याल है कि इस वजह से पेश हुई है कि इर्रेग्युलर फोर्सेज में जो कि नये रिऑर्गेनाइजेशन में रेग्युलर आर्मी में शरीक किये गये, ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की थी कि जिन पर साहूकारी कर्जा था, और महज इसी ख्याल से कि उस कर्जे की अदायगी में दफा ११३, सिंधियाज आर्टिकल्स ऑफ वार, हारिज न हो, यह सवाल उठाया गया.

साहबान को मालूम होना चाहिये कि फौज के किसी एक जुज के वास्ते कायदा खास किस्म का नहीं बनाया जा सकता. रेग्युलर आर्मी की तादाद ६२२३ है और इर्रेग्युलर के बेडेजात की तादाद ११३६ है जो कि हाल में रेग्युलर आर्मी में शामिल किये गये हैं, उनके लिये कोई खास कायदा नहीं बनाया जा सकता.

अगर फिलहकीकत यह सवाल कुछ वकअत रखता तो ऐसे सवाल को कई साल पेश्तर ही पेश करना चाहिये था मगर ऐसा नहीं हुआ और जो इस बात की काफी दलील है कि यह सवाल महज इर्रेग्यूलर फोर्सेज के रेग्यूलर आर्मी में शामिल किये जाने पर ही मबनी है.

कर्जे का सवाल ऐसा है कि इस की खुसूसियत सिर्फ ग्वालियर आर्मी में ही नहीं है. क्या ब्रिटिश इन्डिया और क्या इन्डियन स्टेट्स, कर्जे की जरूरत हर जगह पेश आती है. ब्रिटिश इन्डियन आर्मी की तादाद ग्वालियर आर्मी के मुकाबले में बदर्जहा ज्यादा है और वहां भी फौज के मुलाजिमान साहूकारों से कर्जे लेते हैं, इसी तरह रियासतों में जहां जहां कि फौजें हैं उनमें से चंद important States मसलन हैदराबाद, मैसूर, काश्मीर, पटियाला और बीकानेर से भी मैंने वाकफियत हासिल की तो जाहिर हुआ कि वहां भी लोगों को कर्जे लेने की जरूरत पेश आती है. गो इन तमाम जगहों पर यानी ब्रिटिश इन्डिया व नीज रियासतों में इन्डियन आर्मी एक्ट की दफा १२० के मुताबिक अमल जारी है ताहम किसी जगह की पब्लिक और खास कर ब्रिटिश इन्डिया की पब्लिक ने जब उस दफा को तरमीम करने की कोई वजह महसूस नहीं की तो समझ में नहीं आता कि ग्वालियर में ही इस के मन्सूख कराने की क्योंकर खास तौर पर जरूरत बतलाई जाती है.

मुझको यकीन है कि मुअज्जिज साहब इन कुल वाकआत पर जरूर गौर करेंगे. इन तमाम हालात के बयान कर देने के बाद मेरे ख्याल में मौजूदा कानून में किसी किस्म की तरमीम की जरूरत नजर नहीं आती.

प्रेसीडेन्ट साहब.—क्या कोई साहब इसके मुतअल्लिक कुछ कहना चाहते हैं ?

एहसानउल्लाखां साहब—गरीब परवर ! इस वक्त जो सवाल पर गौर किया जाता है और उस पर नजर डाली जाती है तो हकीकत में इसका मफहूम वही मालूम होता है कि जो जनाब आर्मी मेम्बर साहब ने फरमाया है कि बेडे थक्कान और सिलेहदारी रेग्युलर फोर्स में शामिल हो जाने की वजह से यह सवाल पैदा हुआ. आर्मी मेम्बर साहब ने इसके मुतअल्लिक मुफस्सिल कैफियत बयान करदी है. जमाने की रफ्तार और कहतसाली को मद्देनजर रखते हुए इन अलफाज का निकाला जाना गोया कर्ज दिहन्दा व कर्ज गीरिन्दा को गैर महदूद इख्तियार अता करना है यानी कर्जा जिस कदर चाहा हस्ब दिलख्वाह ले लिया और छोटी तनख्वाह होने की वजह से कर्जा अदा न कर सके, और फरार होगये. वारन्ट जारी हुए और बजाय उनके नये रंगरूट भर्ती करने की नौबत आई. गरज यह कि उसमें हर किस्म की तवालतें पैदा हैं आर्मी मेम्बर साहब ने फरमाया है कि सिलहदार और थक्कान, जो अभी शामिल हुए हैं उन पर फरारी की तमसील अलबत्ता सादिक नहीं आती क्योंकि उनका यह पुश्तहनी पेशा है. वह रियासत छोड कर कहीं नहीं जावेंगे, मगर बसूरत मफरूजियत जो उनकी हालत होती है वह देखने से तअल्लुक रखती है. आर्मी डिपार्टमेन्ट से इसके मुतअल्लिक जो कवाअद मुरत्तिब हो चुके हैं वह काफी हैं और उनमें साफ तशरीह है. नीज कर्ज गीरिन्दा के लिये फन्ड मुकर्रर है पस इसके निकालने की जरूरत नहीं है.

बटुकप्रसाद साहब.—मैं एक बात आर्मी मेम्बर साहब से दरयाफ्त करना चाहता हूं कि अगर जरूरत के वक्त सिपाही को कोई कर्जा दिया जावे तो क्या कोई ऐसा फन्ड है जिससे कर्जा दिया जाता है.

आर्मी मेम्बर साहब.—हां, ऐडवान्स फन्ड है.

बटुकप्रसाद साहब.—अब मैं इसकी जरूरत नहीं समझता और जनाब वाला आर्मी मेम्बर साहब की मुफस्सिल व मुदल्लल तकरीर सुनने के बाद सवाल वापिस लेता हूं.

नोट.—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १०.

प्रेसीडेन्ट साहब—श्यामराव साहब देशमुख, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

श्यामराव साहब देशमुख.—मैं अपनी तजवीज पेश करता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

रियासत हाजा में खांकरे के दरख्त बहुत कसरत से हैं, उनको उमूमन सिर्फ जलाऊ लकडी में ही इस्तेमाल किया जाता है और कोई फायदा नहीं उठाया जाता, हालांकि उसके दरख्त से लाख की पैदावार साल भर में दो मर्तबा हो सकती है जो कि बहुत कीमती होती है और इसके हासिल करने में मेहनत भी ज्यादा नहीं करना पडती. इसका प्रचार, बजर्ये परगना बोर्ड व तहसील व नायब तहसीलदारान मौजा, रिआया में कराया जावे.

लाख की पैदावार बंगाल की तरफ बहुत होती है. वैसेही अपनी रियासत में चन्द कस्बे हैं जहां लाख पैदा होती है. अगर आम तौर पर इसका इन्तजाम किया जावे तो रियासत हाजा में लाख की पैदावार बहुत हो सकती है.

गुलाबचन्द साहब.—मैं इस सवाल की ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—प्रेसीडेन्ट साहब! बहुत खुशी की बात है कि जिस अमल को हासिल करने के लिये महाराजा साहब मरहूम ने कोशिश की वह आज मजलिस आम के सामने मिनजानिब नुमाइन्दगान रिआया पेश है. मैं इससे बिलकुल इत्तफाक करता हूं और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की जानिब से इस बारे में जो कार्रवाई हुई है उसको जाहिर करना चाहता हूं. सूबे साहबान व तहसीलदार साहबान जो दौरा करते हैं उसमें वह साबिक में जमींदारान को इकट्ठा कर के उनकी कॉन्फरेन्स में मुफीद cottage industries की फहमायश उन्हें करते रहे हैं. जमींदारों के मुफीद हिदायात उनको यकजा दस्तयाब हो सकें इसकी जरूरत महसूस करके जमींदार हितकारी को महाराजा साहब मरहूम ने बहुत मेहनत उठाकर शाया कराया है. रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से भी वक्तन फवक्तन हमचूंकिस्म हिदायतें व मशवरे जारी हुए हैं और होते हैं. कामयाबी अलबत्ता अभी तक नहीं हुई है. वजह यह है कि रिआया को अभी तक इस तरफ काफी दिलचस्पी पैदा नहीं हुई, मगर आज मजलिस में जबकि रिआया के नुमायन्दे की तरफ से यह तजवीज पेश आती है उससे उम्मेद की जाती है कि आप साहबान की इमदाद व दिलचस्पी से कामयाबी जल्द हासिल हो जावेगी.

अहकाम जो इस बारे में जारी किये गये हैं वह सिर्फ रिआया को नहीं बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट, पंचायत बोर्ड, परगना बोर्ड वगैरा जो ऐसी जमाअतें हैं सब को ही जारी किये गये हैं. तजरुबे से वाजह है कि फी सौ दरख्तान सर्फा इस काम में करीब ५० रुपया पडता है और यह अमूर ऐसे हैं जिन पर पंचायत और परगना बोर्ड्स को गौर करना चाहिये. रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट, तो वहां तो साल बसाल लाख प्रोपेगेशन के लिये एक रकम मंजूर की जाती है और जिन साहबान ने देखा होगा उन्हें इल्म होगा कि इस काम में हर साल कुछ न कुछ तरक्की की जाती है.

अहसानउल्ला खां साहब.—गरीब परवर! इसमें तो शक नहीं कि लाख की पैदावार से मुनाफा बेहद है और इस लाख का कारोबार शुरू करने से फलाहियत भी काफी होती है, लेकिन इससे कब्ल कि कोई काम शुरू किया जाय यह देख लेना जरूरी है कि यहां की जमीन की क्या हालत हैं. मुझे जहां तक इल्म है अव्वल तो जमींदारान व काश्तकारान के कब्जे में ऐसे जंगल नहीं हैं जहां लाख पैदा हो सके बल्कि ऐसे कुल जंगल फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के कब्जे में हैं जहां जमींदारान के कब्जे में जमीन ही नहीं वहां मुजव्विज साहब की जो तजवीज है कि जमींदारान से लाख की काश्त कराई जावे मुनासिब नहीं. वह यों कि जो छोटे छोटे दरख्त हैं वह गांव वालों की जरूरियात दौना पत्तल वगैरा बनाने के लिये भी काफी नहीं हैं. मैंने देखा है कि वह उन्हें नाइयों वगैरा को जो दौना पत्तल बनाकर बेचते हैं दे देते हैं, वह उनसे नफा उठाते हैं. भोपाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से काम होता है. मुझे इससे इख्तलाफ है कि जमींदारान या काश्तकारान से यह काम कराया जावे. अगर हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से ही हो, क्योंकि अव्वल तो वह ऐसे मुतमव्विल नहीं, दूसरे इस काम की सलाहियत नहीं रखते. अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट इस तरफ अपनी तवज्जुह मबजूल करे तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है.

बलवंतराव साहब बागरीवाले—यह प्रपोजल जो रखा गया है और एजूकेशन मेम्बर साहब ने जो तरदीद की है इसके मुतअल्लिक मेरी राय यह है कि जमींदारान व काश्तकारान अशिक्षित हैं. उन लोगों को जब तक तजुर्बे लेकर नहीं बताये जावेंगे वह कोई नया काम नहीं कर सकते. जैसे भेलसे जिले में दुफन से बोनी एक दो जमींदारान ने शुरू की और ४-५ साल बाद जब वह फायदेमंद

साबित हुई तो अब आम तौर पर दुकने शुरू हुई. इसी तरह एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट या फॉरेस्ट से ऐक्सपर्ट मुकर्रर कर के उसके तजुर्बे लेकर फायदेमंद साबित होने पर बुलेटिन्स शाया करना चाहिये जिस को देख कर रिआया करने लगे. गवर्नमेन्ट के एक्सपेरीमेन्टल फार्मस हैं लेकिन अभी तक तजुर्बे शाया नहीं हुये, इसलिये मेरी राय में जब तक इसका तजुर्बा लेकर फायदा मय फिगर्स के नहीं बताया जावेगा, खाली फेहमायश से कोई नतीजा नहीं निकल सकता.

चौधरी रंधीरसिंह साहब—मेरी राय में जब यह कार्रवाई जारी है फिर मैं कोई जरूरत नहीं समझता, क्योंकि इसके लिये बडी अक्ल की जरूरत है.

श्यामराव साहब देशमुख—जिन साहब ने यह कहा कि बहुत अक्ल चाहिये, उसके मुतअल्लिक मेरा यह कहना है कि लाख के लिये बहुत अक्ल की जरूरत नहीं है. यह ऐसी चीज नहीं कि जमींदार या काश्तकार को मालूम न हो कि जहां जहां लोगों के खेतों में यह झाड हैं वह उन्हें बेचते हैं और नफा कमाते हैं. मुश्किल यह है कि गैर मौरूसी काश्त में इसका काम नहीं हो सकता, उसी जगह हो सकता है जहां मौरूसी है.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—अभी जो चन्द साहबान ने इस तजवीज से मुखालफत की है शायद मेरे अलफाज से कुछ गलत फहमी पैदा होकर ऐसा हुआ है, ऐसा समझ कर मैं तशरीफ के लिये खडा हुआ हूं. न तो मुजव्विज की यह गरज है और न दरबार का ही यह मन्शा है कि हर दरख्त से ही लाख निकाली जावे. मतलब यह है कि जैसी हैसियत हो, जैसी आब हवा हो उसके लिहाज से यह भी आमदनी बढाने का एक जरिया है. हमारा काम है रिआया को बतलाने का, यानी कितने टेम्प्रेचर में यह कीडा रहता है और कितने में मर जाता है. इसी गरज के लिये दरबार से एक लाख का ऐक्सपर्ट रखा गया है कि वह लोगों को जो मश्वरा चाहें, दे. फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से कुछ बुलेटिन भी तकसीम हुवे हैं. गरज सिर्फ यह है कि जो अपनी आमदनी इस जर्ये से बढा सकता है वह बढाये. यह नहीं कि जो ऐसा न करेगा वह काबिल सजा होगा. मा सिवाय फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट में लाख का एक ऐक्सपर्ट मौजूद है जिसका फर्ज रखा गया है कि इस बारे में जो चाहें उनको दरकारी वाकफियत व मशवरा दिया करे. सौ रुपये उससे पैदा होते हैं यह माडेस्ट से माडेस्ट ऐस्टीमेट है. जिसके पास जितने दरख्त हों उतना ही नफा होगा. यह काम हर वक्त का नहीं है. एक वक्त भी लाख के कीडों को दरख्त पर चढा देने से वह प्रॉपेगेशन करता रहता है. इसके लिये जरूरत है पब्लिक के लीडर्स को जनता को समझाने की. अगर कोशिश करें तो बहुत कुछ कामयाबी की उम्मेद है.

प्रेसीडेन्ट साहब—इस सवाल पर राव साहब मुळे साहब ने जो कुछ बयान किया है उससे आप साहबान को जाहिर हुआ होगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से इसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट व परगना बोर्ड को और फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट को अहकाम जारी हो चुके हैं. अगर डिस्ट्रिक्ट व परगना बोर्ड को मशवरे की जरूरत हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट से मिल सकता है. यह काम बहुत अच्छा है आप लोगों को चाहिये कि जिलों में जाकर जितनी कोशिश हो सके, करें. मैं समझता हूं अब इस सवाल पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है.

नोट.—वोट लिये जाने पर कसरत राय से यह तजवीज ड्राप (drop) हुई.

[सवा तीन बजे मजलिस adjourn की गई. मेम्बर साहबान को रिफ्रेशमेन्ट दिये जाने के बाद मजलिस का काम पौने चार बजे फिर शुरू हुआ.]

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ११.

प्रेसीडेन्ट साहब—मूंगालाल साहब मौजूद नहीं हैं, क्या कोई साहब इस सवाल को पेश करना चाहते हैं ?

नोट—किसी साहब ने इस सवाल को पेश नहीं किया, इसलिये ड्रॉप (drop) किया गया.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १२.

प्रेसीडेन्ट साहब—मूंगालाल साहब मौजूद नहीं हैं, क्या कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहते हैं ?

अनिरुद्धसहाय साहब—मैं इस तजवीज को पेश करता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जो रुपया आमदनी खिडकहाय से बचे वह बेकार बूढी गायों का परवरिश में खर्च करने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को फरमाया गया है. बूढी व बेकार गायें अक्सर गौशाला में ही रहती हैं और गौशालायें करीब करीब रियासत हाजा के हर हिस्से में कायम होती जा रही हैं व मौजूद हैं इस वास्ते जिस कदर इस फन्ड का रुपया हो वह सूद पर लगाया जाकर आमदनी सूद की जो हो वह गौशालाओं को बतौर इम्दाद दी जाना चाहिये.

गुजारिश है कि जब खिडक हाय से गायें गौशाला में परवरिश के लिये भेजी जाती हैं तो उनको इमदाद मिलना भी जरूरी है. दूसरे यह गौशालायें पब्लिक संस्था हैं उनका इन्तजाम ऐसा नहीं है कि वह सेल्फ सपोर्टिंग बन सकें, इसलिये उनको इमदाद की जरूरत है. दूसरी खास बात यह है कि हिन्दू उसूल के मुताबिक गौ बहुत मुतबर्रिक करार दी गई है और राजपूताना और ग्वालियर रियासत में गौ बध जुर्म करार दिया गया है. जहां गौ रक्षा का सवाल है वहां उनकी परवरिश का भी सवाल है. पहले किसी मजलिस में इस सवाल पर गौर हो चुका है, इसलिये मेरी राय में यह काबिल मंजूरी है.

पुस्तके साहब—मैं ताईद करता हूं.

लक्ष्मीप्रसाद साहब—मैं भी ताईद करता हूं.

गोविन्दप्रसाद साहब—मैं भी ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—प्रेसीडेन्ट साहब ! जो सवाल पेश हुआ है उसमें यह तस्लीम किया गया है कि गौशाला को इम्दाद देने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से जहां २ गौशाला को इम्दाद की जरूरत होती है वहां वहां दी जाती है. मुजव्विज साहब ने यह तजवीज पेश की है कि एक फन्ड सूद पर लगाया जावे और उसका सूद गौशाला को मिले. फंड कायम करने से एक मुस्तकिल जर्या आमदनी का हो जावेगा. इससे ज्यादा मुस्तकिली का जर्या क्या हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो इम्दाद दरबार से दी जाती है उसमें हर साल बजट में इसके लिये रकम मंजूर हुवा करती है. चुनांचे सम्वत १९८३ के फिगर्स अजला से तलब करके देखने पर पता चलता है कि १९०० रुपये की गौशालाओं को इम्दाद दी गई और १९०० रु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और परगना बोर्ड की गौशालाओं पर खर्च हुए. यह कारोबार सम्वत १९७६ से जारी हुआ. उस वक्त से अब तक जो इमदाद

दी गई है उसकी बचत ८०,००० रुपये सिलक है. गरज यह कि लोकल बोर्ड्स को इख्तियार दिया गया है कि गौशालाओं को इम्दाद दें और उनसे जो फिगर्स दस्तयाब हुए हैं उससे जाहिर है कि ३,८०० रुपये सालाना गौशालाओं पर खर्च होते हैं. अब तक अगर देखा जाये तो जो रकम गवर्नमेन्ट से उन्हें दी गई है उसमें से इसी हेड की बचत ८०,००० रुपये है और अगर यह रकम सूद पर लगा दी जाये तो आमदनी सालाना ३,६०० रुपये के करीब होती है कि जिससे ज्यादा इम्दाद अभी दी जारही है. गरज यह है कि जब सालाना रकम गवर्नमेन्ट से मिलने का पुख्ता इन्तजाम है तो फिर क्या इस बात की जरूरत है कि कोई रकम सूद पर लगाई जाय? यह लोकल बोर्ड्स के इख्तियारी है और अपने जुरिसडिक्शन में जिन गौशालाओं को जिस तरह इम्दाद देना वह जरूरी समझते हैं उस कदर देते हैं तो मेरे नजदीक जब कि मौजूदा पोजीशन इस कदर पायेदार है और सिलक भी इस कदर काफी मौजूद है कि जब जरूरत महसूस हो इम्दाद दे सकेंगे तो ऐसी हालत में इस मुआम्ले में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं.

प्रेसीडेन्ट साहब—और किसी साहब को इसके मुतअल्लिक कहना है?

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला! मुझे इस सवाल के सिलसिले में सिर्फ इतना अर्ज करना है कि यह अम्र तो तस्लीमशुदा है और दरबार अहकाम मौजूद हैं कि जो लोकल बोर्ड्स की बचत हो वह गायों की परवरिश पर खर्च की जाय, लेकिन इस तजवीज का मन्शा यह है कि अक्सर ऐसे वक्त आते हैं कि बचत इतनी नहीं होती कि वह गायों की परवरिश के लिये काफी हो, इसलिये जो रकम बचत में है जैसा कि म्युनिसिपल मेम्बर साहब ने फरमाया है वह सूद पर लगा दी जावे. अगर ऐसा न हुआ तो मुमकिन है कि किसी साल खिडक की आमदनी कम हो और खर्च ज्यादा हो उस वक्त वह गौशालाओं को इम्दाद न दे सकें. इसलिये चूंकि पब्लिक की इम्दाद से ही यह काम पूरे नहीं हो सकते, गवर्नमेन्ट की इम्दाद की भी इस मुआम्ले में जरूरत है, इसलिये यह अन्देशा रफा करने की गरज से यह सवाल पेश किया गया है जो काबिल मंजूरी है.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—मुझे जरा तरद्दुद पैदा हो गया है यानी यह कि लोकल बोर्ड्स को जो रकम दी जाती है वह दो तरह के कामों में खर्च होती है. एक तो खिडक यानी जहां जहां काश्तकारी होती है वहां आवारा मवेशियों के इन्तजाम के लिये उन इखराजात में जो आमदनी से ज्यादा हों. दूसरे गौशालाओं को जो पब्लिक की हैं इम्दाद देने में, यानी जब जरूरत महसूस हुई जरूरत के मुताबिक रकम दे दी गई, जो गौशालायें हैं वह किसी न किसी संस्था या जमाअतों की हैं तो उनके हक में अपने सरमाये की बचत invest कर देने बाबत लोकल बोर्ड्स को किस आधार पर मजबूर किया जावे. उनके लिये तो सिर्फ यही काफी है कि वक्त जरूरत के लिये अपने यहां प्रॉविजन रखें. अब जो बचत है उसे वह खजाने सरकारी में रहने दें या सूद पर लगावें, यह उनकी मर्जी है. इस वक्त जो सवाल गौशालाओं के मुतअल्लिक है उसके लिये तो यही कहना काफी है कि जो गौशालाएं दूसरों की हैं उनकी वक्त जरूरत इमदाद की जाया करे. लोकल बोर्ड्स के सरमाये की जो बचत है वह किस तौर पर इनवेस्ट करना यह लोकल बोर्ड के कार्य का एक जुज्व होता है.

प्रेसीडेन्ट साहब.—गौशालाओं का फन्ड कायम करने के सवाल के मुतअल्लिक राव साहब मुळे साहब ने जो बातें जाहिर कीं उनके ऊपर से यह फंड कायम करने की जरूरत है या नहीं, यह तय करना है. जिन साहबान को फन्ड की जरूरत महसूस हो वह अपना सीधा हाथ ऊंचा करें.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि गौशाला की इम्दाद के लिये फन्ड कायम किया जाय.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १३.

प्रेसीडेन्ट साहब.—नवाबअली साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

नवाबअली साहब.—मेरी तजवीज हस्ब जैल है:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

बेदखली काश्त के लिये मौजूदा कानून माल के अहकाम काफी नहीं हैं; तरमीम की जाकर इत्तला बेदखली के लिये नोटिस ब माह नवम्बर जर्ये तहसील जारी किये जायें और काश्तकार यकुम मई से बेदखल समझा जाकर जर्ये तहसील कब्जा हासिल कर लिया जाय. अगर उजरदारी तामालि से एक माह के अन्दर तहसील में दायर हो तो उसका फैसला ब अदालत तहसील होकर तमाम जाब्ता, जो मदाखलत के लिये है, बरता जावे.

इस तजवीज के पेश करने की वजह वह दिक्कतें हैं जो जमींदारान व काश्तकारान को पेश आती हैं. मुमकिन है इस तजवीज के पेश करने के वक्त बहुत से जमींदार साहबान यह ख्याल करेंगे कि इसमें उनके हकूक की तलफी है और काश्तकारान भी ऐसा ही ख्याल करेंगे, लेकिन वाकई यह दोनों ही के हुकूक के तहफ्फुज और मुकद्दमेबाजी के दायरे को तंग करने के लिये है. कानून माल और जाब्ता फौजदारी में जिस कार्रवाई का ईमां है उस पर गौर करने से उनमें इख्तलाफ पाया जाता है और कोई ठीक नतीजा नहीं निकलता. सिर्फ उसूल यह बतलाया गया है कि जमींदार काश्तकार को बेदखली का एक नोटिस दे. अब जमींदार तो समझता है कि हमने नोटिस देकर काश्तकार को बेदखल कर दिया और काश्तकार समझता है कि हम बेदखल नहीं हुए. अगर जमींदार जोरदार है तो वह जाकर आराजी पर कब्जा कर लेता है और काश्तकार मदाखलत बेजा के सिलसिले में अदालत में जाता है मगर वह जमींदार जो कब्जा नहीं पाता मदाखलत बेजा का मुकद्दमा अदालत में पेश करता है. अगर काश्तकार ने दावा किया तो वह दर्जा ब दर्जा अपील माल में जाकर पेश होता है. इसकी सरीह नजरि मौजूद है कि छै छै साल से ऐसे मदाखलत बेजा के मुकद्दमात चल रहे हैं, वह भी महज कानूनी बिना पर; इसलिये मैंने यह उसूल बयान किया है कि तहसील के जर्ये इत्तलानामा दिया जाय और तहसील से ही कब्जा दिलाया जाय, अगर किसी को उज्र हो २० दिन के अन्दर उजरदारी पेश करें और उजरदारी के सिलसिले में फैसला होकर कब्जा दिया जाय. जमींदार अगर जबरन कब्जा लेना चाहता है तो फौजदारी होती है, बलवा होता है, जुर्म नंबर ९ कायम हो जाता है और असल मुआम्ला ज्यों का त्यों रहकर दीगर फौजदारी मुकद्दमात दायर होने लगते हैं वह न होंगे. नीज मौजूदा कानून में जो वक्त मुअय्यन किया गया है उसमें तब्दीली होकर माह नवम्बर कायम होने बाबत जो मैंने गुजारिश की है उसका मतलब यह है कि काश्तकार को, अगर वह बेदखल होगया तो दूसरी जमीन हासिल करने का मौका मिल सकेगा या वह अपने आलात काश्तकारी फरोख्त करके दूसरा काम शुरू कर सकेगा. काश्तकारी के जो खास मुकामात हैं, जैसे अवध, वहां का यही उसूल है. इसके साथ ही मैं कवानीन फौजदारी की दफा १६६ पर आपकी तवज्जुह दिलाऊंगा जिसमें तरमीम होने से मदाखलत बेजा के मुकद्दमात फौजदारी में न चलते हुए जमींदार और काश्तकार का वक्त खराब होकर उनके काम का हर्ज न होगा, क्योंकि मौजूदा सूरत में जमींदार को भी सिवाय मदाखलत बेजा के मुकद्दमे चलाने के और कोई चाराकार नहीं. इधर काश्तकारानकी यह हालत है कि उसी आराजी पर मकान वगैरा बना रखा

है. मुकद्दमा चलने पर अगर उसके खिलाफ फैसला होता है तो उसकी तमाम कामनाएं छिन जाती हैं. अगर उजरदारी में फैसला हो जावेगा तो जमींदार व काश्तकार दोनों के लिये मुफीद है. इस वक्त कब्जा लेने के लिये कोई दफा कानूनी नहीं है, इसलिये कानून में तरमीम होना चाहिये.

श्यामराव साहब देशमुख—मैं ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—जो तजवीज इस वक्त पेश हुई है उस में महत्व की बात मैं यह समझता हूं कि तहसील से नोटिस दिया जाकर उजरदारी तहसीलों में समाअत हो. दूसरा जुज कब्जा कब से दिलाया जावे इस पर इस वक्त गौर करने की इस वजह से जरूरत नहीं कि आगे का सवाल इसी के मुताल्लिक है. तजवीज जो समझाई गई है वह वाकई में जाहिरा अच्छी है. यह अलफाज कि तजवीज जाहिरा बहुत अच्छी है, मैं जान बूझ कर कह रहा हूं क्योंकि इसका एक नतीजा यह बताया गया है कि इससे मुकद्दमाबाजी कम होगी, लेकिन क्या दरहकीकत तहसील की मार्फत नोटिस जारी करने का जो सिलसिला बतलाया गया है उससे मुकद्दमा बाजी की रोक हो जावेगी ? इस वक्त बाज २ मौकों पर बलवे तक की नौबत पहुंचती है. मैं तसलीम करता हूं कि उजरदारियां समाअत होने पर आयन्दा के लिये जो फौजदारी कभी कभी हो जाती है वह नहीं होने पावेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या जैसा कहा जाता है वैसा करना आसान है. मौजूदा सूरत यह है कि जब जमींदार काश्तकार पर नोटिस जारी करते हैं तो ९८ फी सदी काश्तकार कोई उज्र नहीं करते. दो फी सदी ऐसे होते हैं कि जिनको उज्र रहता है. नतीजा यह होता है कि अगर मुकद्दमा चलता है और नोटिस देने वाला व नोटिस पानेवाला दोनों जबरदस्त होते हैं तो कहीं कहीं हाता पाई की नौबत आ जाती है और इस सूरत में फौजदारी में मुकद्दमा दायर हो जाता है. अब वह सूरत लीजिये जो तजवीज से पैदा होती है, यानी अगर कुल नोटिसें तहसील से जारी हों और उसी पर से उज्रदारी समाअत हुआ करे तो तहसील के लिये बहुत काम हो जायेगा. आप अगर हर गांव के काश्तकारों की तादाद को देखेंगे और एक एक गांव के मौरूसी व गैर मौरूसी काश्तकारान का तनासुब देखेंगे तो १० फी सदी मौरूसी और ९० फी सदी गैर मौरूसी पावेंगे. यह एक गांव की कैफियत है, ऐसे चार सौ गांव तहसील में होते हैं. अगर हर गांव के नोटिस मारफत तहसील तकसीम हों और वह तहसील में उजरदारी पेश करें तो कानूनन जो काश्तकार खामोशी के साथ ९८ फी सदी मान जाते हैं वह भी उजर करने लगेंगे. इस तरह से अनबोलडी काम तहसील में हो जायेगा. आप साहबान भी इसको तसलीम करेंगे. इसके अलावा इस पहलू पर भी गौर करना जरूरी है कि किसी की जानिब से कोई मुकद्दमा या इस्तगासा तो पेश न किया गया हो और उसको तहसील समाअत करे तो क्या इस स्टेज पर उजरदारी का समाअत करना कानून के उसूल के खिलाफ न होगा ? बावजूद बयान करदा मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेन्ट को इस तजवीज के तसलीम करने में तअम्मुल होगा. आप साहबान इस पर गौर करें.

वाटवे साहब:—हुजूर आली ! इस प्रपोजल को मैं भी जैसे मेम्बर साहब ने फरमाया है वैसेही इसकी तरदीद करता हूं. जो जो प्रपोजल करने वाले साहब हैं उन्होंने फरमाया है कि बेदखली काश्त के लिये कानून माल के अहकाम काफी नहीं हैं और वह काफी किस तरह से करना चाहिये. एक तो माह नवम्बर में नोटिस दी जावे. पहिले जो संवत १९६१ का कानून बना था उसमें माह अप्रेल में नोटिस देने का ईमां था. संवत १९६१ से १९८३ तक तेईस या बाईस साल का जमाना होता है. इस अर्से में अदालतों के सामने दरबार के रूबरू किसी ने भी शिकायत पेश नहीं की होगी, अप्रेल का महीना ऐसा है कि इस महीने में नोटिस मिलने से मुझे फलां दिक्कत है, इसलिये बजाय अप्रेल के नौम्बर में लाने का कोई सुभीता नहीं है. मौजूदा कानून में अप्रेल से पहले बेदखली की

कार्रवाई की जाय ऐसा ईमा हैं. पहला जो कानून था उससे पहले भी एक महीना पहले मुकर्रर किया गया है वह इस मसलहत से है कि यकुम मार्च से ३१ मार्च तक उसको पूरा सोचने व समझने का मौका रहता है. इसके बाद अप्रेल मई, महीना दो महीना कोशिश कर सकता है. परमेश्वर के फजल से व दरबार मुअल्ला के फजल से दो तीन महीने की कोशिश से कोई काश्तकार ऐसा नहीं रह सकता जिसको काश्त के लिये जमीन न मिल जाय; इसलिये दो तीन महीने जो कानून में रखे गये हैं वह बिलकुल काफी है. आपने तीसरी बात यह फरमाई है कि जर्ये तहसील उसको बेदखल कर दिया जाय. अव्वल तो जब डिग्री हो जाती है तहसील की मार्फत ही और कब्जा भी तहसील की मार्फत ही मिलता है, यह प्रपोजल लाने से हुकूक में व सहूलियत में इजाफा नहीं होता. अब उजरदारी के मुतअल्लिक जो आपने फरमाया है कि नोटिस मिलने के एक माह के अन्दर उजरदारी करना चाहिये. नोटिस नवम्बर में मिला तो दिसम्बर के महीने में ज्यादा से ज्यादा उजरदारी कर सकता है. काम के निगाह से जैसा मेम्बर साहब ने फरमाया, देखा जाय तो यह दिन ऐन दौरे के हुआ करते हैं. तहसीलदार साहबान को जब यह काम और बढा दिया जाय तो अमला और एक आफिसर और देना पडेगा. इसका हासिल क्या होगा कुछ भी नहीं, यानी जो प्रॉविजन कानून में हैं उसको दोहराना है ऐसा मेरा ख्याल है. चौथी बात यह है कि मई से काश्तकार बेदखल समझा जाता है. मेरी गुजारिश यह है कि बारानी की वजह से मई महीने में काश्तकार को बेदखल होने में दिक्कत रहती है. बारानी खेत का माल सब खेत ही में रहता है. उसका एकन्दर तदबा घास है व बैल, ढोर वगैरा हैं. ऐसे काश्तकार के वास्ते एक मकान शहर में और एक मकान खेत में, इस तरह से दो रहना चाहिये, लेकिन उसके लिये दो दो मकान नहीं रहते हैं. धुपकाले में अप्रेल मई के महीने में चराने के लिये कम तदबा रहता है, मालवे में चराना उन दिनों में करा है वह साखा है. साखा कहते किसे हैं जहां गेहूं, ज्वार काटली गई और फिर बरसात में उनमें शाख फूट आती है वह चराई जाकर बैल और ढोरों को पालता है. इसमें से अगर एक माह कम कर दिया जाये यानी बजाय जून के मई में ही उसको बेदखल कर दिया जाय तो यह बडी मुसीबत है. इसके अलावा एक गुजारिश यह है कि मदाखलत के जो मुकद्दमात मुत्फर्रिकात के बजाय सरसरी में बेदखली की बाबत चलते हैं इसके मुतअल्लिक अक्सर देखा गया है कि इस कलील अर्से में (३-४ महीने में) फैसल नहीं हो पाते हैं. एक महीने के अन्दर तो उसकी उजरदारी हुआ करती है और फिर अपील दर अपील होता चला जाता है. काश्तकार जिस पर मुकद्दमा चलाया जाता है खतरे में रहता है तो मेरी गुजारिश करने का मतलब यह है कि मौजूदा कानून के मुताबिक पूरे तौर से पहले उसको मौका दिया जावे कि वह कैसा चलता है. इसके बाद अगर दिक्कतें हों तो नई तजवीज के लिये कौन्सिल आलिया और मजलिस को तकलीफ दी जाये. फिलहाल जो कानून है वह काफी है.

एज्युकेशन मेम्बर साहब—एक पॉइन्ट मैं कहने को भूल गया था, लेकिन तजवीज में दो बातें हैं, एक तो नोम्बर के महीने में नोटिस का दिया जाना, दूसरे मार्फत तहसील उजरदारी का समाअत होना. उजरदारी के समाअत के मुतअल्लिक सवाल को अहम जुज समझ कर नोटिस के लिये मियाद मुकर्रर कर देने के जुज को मैं फरामोश कर गया. मेरे नजदीक ऐसा करना ठीक न होगा जैसा तजवीज में बताया गया है. तमाम तजवीजें जो कानून में की जाती हैं वह सहूलियत पैदा करने की गरज से. पहले कानून में अप्रेल की मियाद थी कि अप्रेल में नोटिस भेजा जाये, उसको कानून जदीद में क्यों तब्दील किया गया ? इस पर गौर करें. नोटिस जितनी पेशगी देते बने उतना ही अच्छा है ताकि बेदखल होने वाले आसामी को किसी दूसरे से खेत हासिल करने की चाराजोई को काफी वक्त मिले. लेकिन साथ ही जमींदारों की सहूलियत को भी देखना चाहिये,

रब्बी की काश्त से फारिग होने का मौका आता है उस वक्त साल आयन्दा खेत किसको देना या कौनसा खेत काश्त को लिया जावे, वगैरा की तरफ जमींदार व काश्तकार ध्यान देते हैं. जमींदार बेदखली का नोटिस ख्वाहमख्वाह नहीं देते, वह इन्टरेस्ट (interest) को देखते हैं. गैर मौरूसी से मौरूसी होने की मियाद जब करीब आते देखते हैं तब नोटिस देते हैं या दूसरा शख्स दो रुपया ज्यादा देने की शर्त पर जब उस खेत को मांगता है तो उस वक्त बेदखली का नोटिस देते हैं. हाल के कानून में ऐसा प्रॉविजन कर दिया गया है जिससे बहुत कुछ गुंजायश निकल आई है यानी एक हद मुकर्रर करदी गई है जिसके बाद नोटिस नहीं दिया जा सकता, मगर उससे कब्ल चाहे उस वक्त दिया जा सकता है. मुख्तसर यह कि अप्रेल के बाद नोटिस नहीं दिया जा सकता. अप्रेल के बाद नोटिस दिया गया तो बे असर है. अप्रेल के पहले जिस वक्त भी बेदखल कराना हो नोटिस दे दिया जावे ताकि काश्तकार अपने लिये दूसरा खेत तलाश कर सके.

नवाब अली साहब.—इस वक्त मौजूदा कानून में बे दखली के लिये कोई प्रॉविजन नहीं. मतलब यह है कि नवम्बर में अगर नोटिस दिया गया और दिसम्बर में उजरदारी फैसल हो जावेगी तो काश्तकार को दूसरी जगह हासिल करने का काफी मौका मिलेगा, इस पर जनाब गौर फरमावें.

आले अली साहब.—कानून मौजूदा सम्वत १९८३ में यह बात करार पाई है कि साबिका कानून सम्वत १९६१ में हर्जा काश्त तिगुना था, अब दस गुना तक है. उसका सरसरी में अर्जी दावा या जवाब दावा पेश होने पर अदालत माल को इख्तियार दे दिया गया है और इसी वजह से कानून हाल में यह दफा कायम करदी गई है. हाकिम को यह गौर करना चाहिये कि वह शख्स जिसने जबरन कब्जा कर लिया है, उसका कब्जा हटाया जाकर शख्स मुस्तहक को कब्जा दिलाया जाये. ऐसी हालत में कानून मौजूदा काफी है इसमें कोई खामी नहीं है.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब :—मुजव्विज साहब ने आखिर में इस बात के जवाब में जो कुछ फरमाया है वह उसूल कानून के खिलाफ है कि जाब्ता दावा पेशी के कब्ल उजरदारी तहसील समाअत करे दरख्वास्त उजरदारी पेश होने के बाद एक माह के अन्दर, यानी वह नोटिस एक दावा माना जावे. मुजव्विज साहब का ऐसा कहना है कि नोटिस तहसील में पेश होने के बाद एक माह की मियाद उजरदारी के लिये दी जाये. इस पर अगर बहुत शांतता के साथ गौर किया जायगा तो इसके यह मानी निकलते हैं कि कुल काश्तकारान को मौरूसी समझा जाये. सवाल यह पैदा होता है कि आया काश्तकार कुल मौरूसी समझे जायेंगे या कि जैसे कि कानून ने इजाजत दी है मामूली. काश्तकारान की बाबत जमींदार को इख्तियार है कि उन्हें चाहे उस वक्त एन्गेज (engage) करे या उनको बेदखल करे. असल सवाल अगर पेश हो सकता है तो उसूल कानून का हो सकता है. कानून में जमींदार को मजाज है कि गैर मौरूसी काश्तकार को चाहे उस साल बेदखल करदे. तहसील से बेदखल कराना यह उसके बरअक्स है या तो हम उसूल बदलें तब यह तजवीज हो सकती है. उस वक्त तक यह तजवीज मंजूर करना ठीक न होगा. तहसील से उजरदारी उस वक्त तक समाअत नहीं हो सकती जब तक नोटिस को दावे के तौर पर न मानें. तहसील को क्या जरूरत है कि नोटिस को दावा मानकर मुकद्दमा समाअत करे इसका मतलब यह है कि जमींदारान को आजादी जो रखी गई है वह निकाल ली जावे यानी जमींदार को गैर मौरूसी काश्तकार को बेदखल करने का मजाज जो रखा गया है वह निकाल लिया जाये

नवाबअली साहब :—मैं अपनी तजवीज को वापिस लेता हूं.

नोट :—तजवीज वापिस ली गई.

[इसके बाद इजलास साढे चार बजे खत्म किया गया. प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया कि मजलिस का आयन्दा इजलास तारीख १० मार्च को डेढ बजे शुरू होगा].

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार.

सम्वत १९८४.

सेशन सातवां.

इजलास दोयम.

शुक्रवार, तारीख ३० मार्च सन १९२८ ई०,

मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई ई., रेवेन्यू मेम्बर (वाइस-प्रेसीडेन्ट, कौन्सिल).

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई., मुशीरे खास बहादुर, शौकत जंग, आर्मी मेम्बर.

३. जयगोपाल साहब अष्ठाना, ऑफि० फाइनेन्स मेम्बर.

४. मोहनलाल साहब खोसला, ऑफि० मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

५. राव बहादुर बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर.

६ मेजर हशमतुल्लाखां साहब, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एन्ड एक्साइज.

७. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुले, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

(मेम्बरान मजलिस कानून).

८. रामराव गोपाल साहब देशपांडे, मुहम्मदखेडा (शुजालपुर).

९. राव बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, जागीरदार, ढाबलाधीर.

१०. खां साहब सेठ लुकमान भाई नजरअली कारखानेदार, उज्जैन.

(मेम्बरान मजलिस आम).

१.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज जिला बोर्ड्स.

(१) जिला बोर्ड, गिर्द-गवालियार.

११. देवलाल साहब वल्द लालहंस, जमींदार मौजा दोरार, परगना मस्तूरा

१२. नारायणदास साहब वल्द मुन्नालाल, साहूकार, लश्कर.

(२) जिला बोर्ड, भिन्ड.

१३. विश्वेश्वरसिंह साहब वल्द ठाकुर खरगजीतसिंह, मौजा मुस्तरी, परगना महगवां.

१४. मानिकचन्द साहब वल्द बिरदीचन्द ओसवाल, साहूकार, भिन्ड.

(३) जिला बोर्ड, तवरघार.

१५. प्यारेलाल साहब वल्द गिरवरलाल, वैश्य, मुरैना.

१६. सोहनपालसिंह साहब वल्द राजधरसिंह, ठाकुर, साकिन राजा का तोर, परगना सबलगढ.

(४) जिला बोर्ड, श्योपुर.

१७ महादेवराव साहब गोविन्द, जमींदार, श्योपुर.

१८. कन्हैयालाल साहब वल्द बल्देव, जमींदार, साकिन कस्बा बिजैपुर.

(५) जिला बोर्ड, नरवर.

१९. सूबालाल साहब वल्द जगन्नाथ, वैश्य, साहूकार, शिवपुरी.

२०. लल्लूराम साहब महेला वल्द भोलाराम, जमींदार चंदनपुरा.

(६) जिला बोर्ड, ईसागढ.

२१. राजा गोपालसिंह साहब वल्द राजा रणजीतसिंह साहब, ठिकानेदार, भदौरा.

(७) जिला बोर्ड, भेलसा.

२२. बलवंतराव साहब वल्द जयवंतराव बागरीवाले, भेलसा.

२३. सखाराम पंत साहब वल्द घनश्यामराव निगुडकर, जमींदार.

(८) जिला बोर्ड, शाजापुर.

२४. श्यामराव साहब नारायण, मालगुजार, कालापीपल, परगना शुजालपुर.

२५. केसरीचन्द साहब वल्द जमनादास महाजन, शाजापुर.

(९) जिला बोर्ड, उज्जैन.

२६. गजाननराव साहब वल्द गोविन्दराव करवडे, जमींदार मौजा कजलाना, परगना बडनगर

२७. छगनलाल साहब वल्द बापूजी, चौधरी, साकिन बडनगर.

(१०) जिला बोर्ड, मन्दसौर.

२८. अलीअम्सर साहब वल्द अलीअतहर, जमींदार, मौजा दमदम, जिला मन्दसौर.

२९. गणेशनारायण साहब वल्द मदनराय, साहूकार, कारखानेदार, गंगापुर, जिला मन्दसौर

(११) जिला बोर्ड, अमझेरा.

३०. केशवराव साहब बापूजी, जमींदार, साकिन मनावर.

२ —रिप्रेजेन्टेटिव्ज म्युनिसिपेलिटीज व टाउन कमेटीज.

(१) म्युनिसिपल बोर्ड, लश्कर.

३१. चौधरी नवाबअली साहब वकील, तारागंज, लश्कर.

(२) म्युनिसिपल कमेटी, शिवपुरी.

३२. सेठ टोडरमल साहब वल्द तेजमल, वैश्य, शिवपुरी.

(३) म्युनिसिपल कमेटी, भिन्ड.

३३. जगमोहनलाल साहब वल्द गोपालसहाय श्रीवास्तव, वकील, भिंड.

(४) म्युनिसिपल कमेटी, मुरैना.

३४. बन्सीधर साहब वल्द नारायणदास, वैश्य, मुरैना.

(५) म्युनिसिपल कमेटी, श्योपुर.

३५. फजलुद्दीनशाह साहब, साकिन गुलैयापाडा, श्योपुर.

(६) म्युनिसिपल कमेटी, भेलसा.

३६. लक्ष्मीप्रसाद साहब माथुर, बासौदा.

(७) म्युनिसिपल कमेटी, गुना.

३७. अनिरुद्धसहाय साहब, वकील, गुना.

(८) म्युनिसिपल कमेटी, शाजापुर.

३८. हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.

(९) म्युनिसिपल बोर्ड, उज्जैन.

३९. बटुकप्रसाद साहब, वकील, उज्जैन.

(१०) म्युनिसिपल कमेटी, सरदारपुर.

४०. सय्यद आलेअली साहब वल्द सय्यद खादिमअली, वकील, सरदारपुर.

३.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज औकाफ कमेटीज.

(१) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ग्वालियर.

४१. गोविंदप्रसाद साहब वल्द सुखवासीलाल, भिन्ड.

(२) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ईसागढ.

४२. गुलाबचन्द साहब वल्द फकीरचन्द, शिवपुरी.

(३) औकाफ कमेटीज, प्रान्त मालवा.

४३. ढुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.

४.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज बोर्ड्स साहूकारान.

(१) बोर्ड्स साहूकारान, प्रांत ग्वालियार.

४४. मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.

(२) बोर्ड्स साहूकारान, प्रान्त मालवा.

४५. गोरेलालजी साहब वल्द छोटूलालजी, अग्रवाल, भेलसा.

५—रिप्रेजेन्टेटिव्ज जागीरदार साहबान.

(१) जागीरदार साहबान, प्रान्त गवालियार.

४६. चौधरी फौजदार रणधीरसिंह साहब, साकिन सकवारा दनौआ, परगना मुंगावली.

४७. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, बिलौनी.

(२) जागीरदार साहबान, प्रान्त मालवा.

४८. ठाकुर प्रहलादसिंह साहब, इस्तमुरारदार काल्लूखेडा, परगना मन्दसौर.

(३) जागीरदार साहबान, खास लश्कर.

४९. सरदारचन्द्रोजीराव सम्भाजीराव साहब आंग्रे, वजारत मुआब, सवाई सरखेल बहादुर, साकिन लश्कर.

६—रिप्रेजेन्टेटिव्ज दीगर जमाअतहाय.

(१) चेम्बर ऑफ कॉमर्स, उज्जैन.

५०. सेठ छोटमलजी साहब वल्द उदैचन्दजी, उज्जैन.

(२) बार ऐसोसियेशन, लश्कर.

५१. मुहम्मद अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी, वकील, लश्कर.

(३) बार ऐसोसियेशन, उज्जैन.

५२. गोविन्दराव चिन्तामण साहब वाटवे, वकील, उज्जैन.

(४) सेन्ट्रल औकाफ कमेटी.

५३. लक्ष्मणराव रघुनाथ अत्रे साहब शास्त्री, लश्कर.

(५) आश्रित मंडली.

५४. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

(६) अंजुमन इस्लाम.

५५. हाफिज एहसानउल्लाखां साहब, वकील, माधवगंज, लश्कर.

(७) रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स.

५६. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.

———

कार्रवाई इजलास.

इजलास मजलिस १२ बजे शुरू हुआ. दो जदीद मेम्बरान से जिनके नाम जैल में दर्ज हैं, हलफ लिये गये और उनको हस्ब कायदा मुकर्ररा खिलअत अता किये गये:—

१. सैयद आलेअली साहब वल्द सैयद खादिमअली, वकील, सरदारपुर.

२. छल्लूराम साहब महेला वल्द भोलाराम जमींदार, चन्दनपुरा.

नोट:—इसके बाद एजेन्डा मजलिस आम की तजावीज पर गौर करने का काम शुरू हुआ.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर १.

लॉ मेम्बर साहब:—जनाब वाला! मैं आपकी इजाजत से मिनजानिब गवर्नमेन्ट इस तजवीज को पेश करता हूं:—

सवाल यह है कि कम उम्र में शादी किये जाने की मुमानियत किये जाने के मुतअल्लिक किसी कानून के बनाने की जरूरत है या नहीं? अगर जरूरत समझी जावे तो शादी के लिये उम्र की क्या कैद लगाई जावे और ऐसे कानून के इनहिराफ की हालत में क्या अमल किया जावे?

जनाब वाला! शादी के कानून बनाने के मुतअल्लिक तीन मेम्बर साहबान मजलिस ने मुख्तलिफ तजावीज भेजी थीं जो एजेन्डे में दर्ज कर दी गई हैं. मिनजुम्ला इनके एक तजवीज ताजिरुलमुल्क लाला रामजीदास की तरफ से है. लाला रामजीदास बवजह मुलाजिमत दरबार इस मजलिस के अब मेम्बर नहीं रहे. ताजिरुलमुल्क ने कम उम्र में शादी की रोक के अलावा यह भी तजवीज किया है कि:—

(१) १८ बरस से कम उम्र की लडकी के लिये उसकी दोगुनी उम्र से ज्यादा का वर यानी खाविन्द तजवीज न किया जावे.

(२) १८ बरस से या इससे ज्यादा उम्र की कुंवारी लडकी की शादी ४५ बरस से ज्यादा उम्र वाले से न हो.

(३) सगाई हो जाने के बाद बिला किसी खास वजह के सगाई न छोडी जा सके, और

(४) लडकी वाले लडके के खानदान से सिवाय मामूली रसियात के किसी किस्म का रुपया न ले सकें.

मिट्ठनलाल साहब ने शादी की बाबत अजरूय कानून इन्तजाम न होने की खामी जाहिर करके तजवीज किया कि बच्चों और बूढों की शादी की रोक हो.

मूंगालाल साहब ने यह तजवीज किया कि कम उम्र में शादी और कन्या विक्रय (यानी रुपया लेकर लडकी की बूढे शख्स के साथ शादी) को रोका जावे.

कम उम्र में शादी के सवाल के अलावा दीगर तजावीज की बाबत मुख्तसिर तौर पर कैफियत यह है:—

१८ बरस से कम उम्र की लडकी की हालत में यह कैद लगाना कि उसकी शादी सिर्फ ऐसे शख्स से की जावे जो उससे दोगुनी उम्र से ज्यादा का न हो, शादी के दायरे को जो अहले हिनूद में caste restrictions यानी बिरादरी की पाबंदियों की वजह से महदूद है और भी कम करना है. इसी तरह १८ बरस या इससे ज्यादा उम्र वाली कुंवारी लडकी की निस्बत यह शर्त लगाना कि उसकी शादी ४५ बरस से ज्यादा उम्र वाले शख्स से न हो करीन मस्लहत न होगा. इसके यह मानी होंगे कि ४५ बरस से ज्यादा उम्र वाला अगर शादी करे तो बेवा से ही शादी कर सके.

सगाई की निस्बत यह करार देना कि वह खास हालत के सिवाय छोडी न जा सके, बमंज़िले इसके होगा कि लडकी की जबरन शादी करा दी जाया करे. खिलाफवर्जी मुआहदा सगाई का चाराकार नालिश हरजाना मौजूद है. जहां तक मुझे इल्म है जबरिया शादी के उसूल को किसी और गवर्नमेन्ट ने कबूल नहीं किया. लडकी वाले को मामूली रसमियात के अलावा दीगर रकम व मुआवजा लडकी लेने से रोकने की तजवीज देखने में अच्छी मालूम होती है, लेकिन इससे बतौर आसानी गुरेज किया जा सकता है, क्योंकि खुफिया तौर पर रुपया लिया दिया जा सकता है और इसका साबित करना मुश्किल होगा.

जनाब वाला! सवाल जिसकी निस्बत मजलिस की राय मांगी गई है सिर्फ कम उम्र में शादी की बाबत है.

मेरा इरादा था कि इस सवाल को पेश करके खामोशी इख्तियार करूं लेकिन दफा ३०, कवाअद मजलिस आम, का हुक्म मुझे मजबूर करता है कि मैं इन उमूर की निस्बत जिन पर मजलिस की राय दरकार है अपने ख्यालात और राय का इजहार करूं.

जनाब वाला! कम उम्र में शादी का रिवाज ज्यादातर हिन्दुओं में है. सिवाय उन जातों के जिनमें नातरा धरीचा का रिवाज है और वह मुकाबलतन कम तादाद में है, हिन्दुओं में बेवगान की शादी का रिवाज नहीं है. कम उम्र की शादी की वजह से बेवगान की तादाद में कसरत है और जो दिक्कत इन मासूमों को भुगतना पडती है और जो मजालिम हमारे social system ने उन पर रवा रखे हैं और असमत फरोशी के लिये जो temptations उनको होती हैं वह मोहताज बयान नहीं. कम उम्र की शादी का रिवाज दूसरे फिरकों में भी है, लेकिन कम.

आखरी मर्तबा इस रियासत की मर्दुमशुमारी जो सन १९२१ में की गई उससे जाहिर है कि:—

५ साल और इससे कम उम्र की बेवगान की तादाद ६२४, और

५ साल से ज्यादा लेकिन १० बरस से कम उम्र की बेवगान की तादाद १९०७, और

१० बरस से ज्यादा लेकिन १५ बरस से कम उम्र की बेवगान की तादाद ४,११९ थी.

५ साल और उससे कम उम्र की बेवगान की तादाद कुल जात के हिन्दुओं की ५४२ थी. मुसलमान बेवगान की ४६ और Animists यानी लामजहब की ३६ थी.

Animists भील भिलाला वगैरा लोग हैं, जो कोई खास मजहब नहीं रखते और भूत प्रेत व माद्दी चीजों की परस्तिश करते हैं.

५ साल और इससे कम उम्र वाली बेवगान में से १ साल से कम उम्र की तादाद ५४,
१ साल से ऊपर २ साल तक की तादाद ४८,
२ साल से उपर ३ साल तक की तादाद १००,
३ साल से ४ साल तक की तादाद १४४,
४ साल से ५ साल तक की तादाद २७८ थीं.

१ साल से कम उम्र की बेवगान

हिन्दुओं में	४४
मुसलमानों में	८
Animists में	२ थी
	५४

१ साल से २ साल तक की उम्र की बेवगान

हिन्दुओं में	३६
मुसलमानों में	५
Animists में	७ थीं
	४८

इसी तरह १० बरस से कम उम्र की बेवगान की तादाद को देखा जावे तो हिन्दुओं में बमुकाबले मुसलमान और Animists के तादाद ज्यादा पाई जावेगी.

१९ साल से कम उम्र वाली बेवगान की मजमूई तादाद ६,६५० थी जिनमें से:—

६११३ हिन्दू,
२१० मुसलमान,
२२७ Animists थीं,

अब अगर शादी शुदा लडकों की तादाद को देखा जावे तो ५ साल और उससे कम उम्र के लडकों की तादाद ४५६८ थी जिनमें १ बरस या उससे कम उम्र के ३७७ थे.

५ बरस से ज्यादा १० बरस तक की तादाद १०७४१,

१० बरस से ज्यादा १५ बरस तक की तादाद ३६००८ थी.

शादीशुदा लडकियों की तादाद यह जाहिर होती है:—

५ बरस से और उससे कम उम्र लडकियों की तादाद ४९३६ जिनमें १ बरस से कम उम्र की तादाद ४०४,

५ बरस से ज्यादा १० बरस तक की तादाद २६,०९३.

१० बरस से ज्यादा १५ बरस तक की तादाद ८१,७९९.

कुमार गंगानंद सिन्हा, मेम्बर, लेजिस्लेटिव एसेम्बली, ने सिगरसिनी की शादी के अमली असरात को इख्तिसार और खूबी के साथ यों बयान किया है:—

"The practical effects of child marriage, as I stated, are twofold. First it implies cohabitation at an immature age, sometimes even before puberty and practically always on the first signs of puberty, resulting in grave physical effects upon the girl and in all the evils of premature child birth; and secondly in the event of the husband dying the child wife is in the case of castes in which the remarriage of widows is prohibited, left a widow for life."

बेवगान की तादाद और कम उम्र में शादी के ऐदाद को जो सेन्सस रिपोर्ट के मुतालआ से जाहिर होती है देख कर अफसोस होता है. सच तो यह है कि हम इस अत्याचार का, जो हम अपनी मासूम औलाद से कर रहे हैं, प्रायश्चित, जिस्मानी, दिमागी और अखलाकी कमजोरी की शक्ल में जिसमें हम इन दिनों मुब्तला हैं भुगत रहे हैं. यहां की हालत इन्डिया के मुकाबले में अबतर है. सेन्सस कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ नम्बर १०२ में लिखते हैं:—

मजमूई तादाद बेवगान से ३१ फी सदी ४० साल से कम उम्र की है और २.२ फी सदी १९ साल से कम उम्र की है कि जिस उम्र में यूरोप में किसी की शादी नहीं होती. इस बारे में तमाम हिन्दुस्तान से हमारी हालत अबतर है, जहां कि ऐदाद २८ और १.३ फी हजार है.

जनाब वाला! मेरी राय में कम उम्र की शादी की रोक होना मुनासिब व जरूरी है, बअल्फाज राय साहब हरीबिलास सारडा:—

"In order to protect the inalienable rights of the innocent children and to concede to them the right to live, the life nature gives them, it is necessary that infant and child marriages must come to an end at once and that boys and girls grow up unfettered by marital ties and unburdened with family

cares which have not only immensely accelerated the death rate among the young married people, especially girls, but have dangerously lowered the vitality of the race, stunted their growth and barred their way to prosperity and happiness."

जनाब वाला! हमारी लडकियों का लडकपन का जमाना गुजरने भी नहीं पाता कि motherhood (मादरी हालत) का जमाना शुरू हो जाता है, जो अपने साथ उन तमाम मुसीबतों को लाता है जो उनकी जिस्मानी और दिमागी हालत को खराब कर देती हैं और बसा औकात उनकी जान लेकर छोडती हैं. Maidenhood यानी जवानी का जमाना तो वह जानती ही नहीं.

हाल में All-India Child Marriage Abolition League बनाई गई है जिसकी हर हाईनेस रानी साहिबा मन्डी, प्रेसीडेन्ट हैं. कम उम्र की शादी के नुकसानात को लीग ने इस तरह बयान किया है (और यह सही है):—

"Child marriage devitalises the race. By obliging girls and boys to marry at an early age you rob them of the period in which nature intends that play and study shall fit them to undertake the responsibilities of the adult life. As a result their growth is stunted, they become older before their time and lose their powers of resistance to disease. The physical consequence of child marriage is a progressive physical degeneration of the race. The evil forms an insuperable barrier to the proper education of women and lastly it is an economic waste because ultimate wealth of a nation lies in its man power that is to say in the amount of work its people can do with the least possible expenditure of time and energy.''

सामाजिक सुधार के काम के वास्ते हमें सिर्फ गवर्नमेन्ट की इमदाद पर इक्तफा नहीं करना चाहिये. हमारा फर्ज है कि इस खराबी को दूर करने के लिये public में दिलचस्पी पैदा करें और उनको तैयार करें ताकि अगर और जब कानून बन जावे तो उसकी तामील में दिक्कत न हो.

जनाब वाला! यह ठहराव कर लेना आसान है कि सिगर सिनी की शादी की रोक के लिये कानून बनाया जावे लेकिन इसकी details तय कर लेना मुशकिल है. दो उमूर का हल करना परेशानी में डालता है. एक अम्र उम्र के मुताल्लिक है, दूसरा खिलाफवर्जी की सूरत में सजा का है. किस उमर से कम लडकी व लडके की शादी न की जावे इसकी निस्बत मुख्तालिफ रायें हैं.

मिस्टर जैरामदास दौलतराम ने बम्बई लेजिस्लेटिव कौन्सिल में पेश करने के लिये जो मुसव्वदा तैयार किया है उसमें लडकियों के लिये १३ साल और लडकों के लिये १६ साल उम्र तजवीज की है.

डाक्टर मुथू लक्ष्मी रेडी ने जो मुसव्वदा कानून मद्रास लेजिस्लेटिव कौन्सिल में पेश करने के लिये ड्राफ्ट किया है उसमें लडकियों के लिये १४ साल और लडकों के लिये १८ साल उम्र दर्ज की है.

बडौदा में अजरूय कानून लडकियों के लिये १२ साल और लडकों के लिये १६ साल उम्र कायम की गई है.

राय साहब हरीबिलास सारडा ने Hindu Child Marriage Bill में जो लेजिस्लेटिव एसेम्बली में पेश है, लडकियों की उम्र १२ और लडकों के लिये १६ रखी थी. Select Committee से लडकियों के लिये १४ साल और लडकों के लिये १८ साल कायम की गई है.

All-India Women's Education Conference जो इमसाल बमाह फरवरी जेर सिदारत वालदा बेगम साहबा भोपाल बमुकाम देहली हुई उसने यह ठहराव किया कि:—

यह कॉन्फ्रेन्स तालीम पर कम उम्र की शादी का जो असर पडता है उस पर इजहार तअस्सुफ करती है और बडे जोर से इस रिवाज पर जो छोटी उम्र के लडकों और लडकियों को वालदैन बनने की इजाजत देता है इजहार मलामत करती है. यह कॉन्फ्रेन्स सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और तमाम प्रॉविन्शियल गवर्नमेन्टस से इस्तदुआ करती है कि वह इन्डियन स्टेट्स बडौदा, मैसूर, राजकोट, काश्मीर, गोंडल, इन्दौर, लिम्बडी, व बूंदी की तकलीद करें कि जिन्होंने शादी की कानूनी उम्र को बढा दिया है. यह कॉन्फ्रेन्स मतालबा करती है कि शादी की कानूनी उम्र लडकों के लिये २१ और लडकियों के लिये १६ साल रखी जावे.

इस इख्तलाफ राय की हालत में उम्र का तअय्युन करना निहायत ही गौर तलब मसला है और बहुत ऐहतियात करना वाजिब है.

कानून के इनहिराफ की सूरत में शादी पर इसका क्या असर होगा, यानी शादी कायम रहेगी या शादी फिस्ख होकर de jure widows यानी कानूनी बेवगान बनाई जावेंगी; दूल्हा दुलहिन के रिश्तेदारों और शादी में शरीक होने वालों को सजा दी जावेगी या नहीं, ऐसे उमूर हैं जिनका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता. इन पेचीदा और मुश्किल सवालों का हल इस मजलिस से इस वक्त होना दुश्वार है.

अगर यह मजलिस कम उम्र शादी का कानून बनाना तजवीज करे तो मैं यह suggest करूंगा कि इस मजलिस से नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान की एक कमेटी मुकर्रर की जावे जो इस Legislation के details पर गौर करके मुसव्वदा तैयार करके गवर्नमेन्ट की खिदमत में पेश करे.

अब्दुल हमीद साहब—हुजूर वाला, मैं इस सरकारी तजवीज की ताईद करते हुवे गवर्नमेन्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि गवर्नमेन्ट ने रिआया के मफाद और जरूरत को महसूस फरमाकर यह तजवीज एजेन्डा में दर्ज फरमाई है. हम को यह देखकर निहायत मुसर्रत होती है कि जिस तरह हुजूर मुअल्ला आंजहानी ने अपनी अजीज रिआया के फायदे की गरज से मजलिस आम कायम फरमा कर मुख्तलिफ जमाअतों को हक नुमायन्दगी अता फरमाया इसी तरह अब कौन्सिल ऑफ रीजेन्सी के वक्त में भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि रिआया के हुकूक बिला मांगे दिये जावें और हर मामले में रिआया की बहबूदी पेश नजर रखी जाती है.

दर हकीकत मैं इस तजवीज को मजलिस के लिये फाले नेक समझता हूं और उम्मीद करता हूं कि आयन्दा भी इस किस्म की मुफीद और जरूरी तजावीज पेश हुआ करेंगी.

हुजूर वाला! यह तजवीज ऐसी तजवीज है जिसकी जरूरत बहुत अर्से कब्ल से महसूस की जा रही थी और सिर्फ यहां रियासत ग्वालियार ही में नहीं बल्कि तमाम हिन्दुस्तान में इसकी जरूरत को महसूस किया गया है. यह भी एक अजीब इत्तफाक है कि इस जमाने में Legislative Assembly में भी Child Marriage Bill पेश हुआ है और अब Public Opinion के लिये दुबारा circulate होता है. चन्द दीगर हिन्दुस्तानी रियासतों में भी इसके मुतअल्लिक कवानीन वजा हो चुके हैं और All India Women's Conference के सिलसिले में All India Child Marriage Abolition League अभी कायम हो चुकी है जिसका propaganda work अमकरीब तमाम हिन्दुस्तान में

शुरू होने वाला है. हुजूर वाला ! मैं ख्याल करता हूं कि इस तजवीज की जरूरत मोहताज दलील नहीं है, क्योंकि Child Marriage के नकायस और इसके बुरे नतायज हमारे सब के पेश नजर हैं, अव्वलन सेहत जिस्मानी के लिहाज से बहुत मुजिर बल्कि मोहलिक है. मेरे इल्म में ऐसी कई मिसालें हैं कि शौहर की नातजरबेकारी से कम उम्र लडकियों की जानों का भी नुक्सान होता है. दोयम माशरती व तमुद्दनी नजर से भी Child Marriage काबिल ऐतराज व लायक अहतराज है. जाहिर है कि वह कम उम्र लडकियां जिनके वास्ते इसकी जरूरत होती है कि वह अपने मुशफिक वालदैन के घरों में रहकर तालीम व तरबियत हासिल करें, उसूल जिन्दगी सीखें, शौहर और शौहर के वास्तेदारों के साथ बरताव करने के तरीके उनको मालूम हों; वह इसके कब्ल ही ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दी जाती हैं जिनको कि मुतलकन इन उमूर का लिहाज नहीं होता है, बल्कि सितम तो यह है कि वह उनसे इन बातों को expect करते हैं जिनकी कि उन कम उम्र लडकियों से हरगिज तवक्का नहीं की जा सकती. चुनांचे इस किस्म के बेशुमार नकायस हैं जिनका कि तफसील से बयान करना खाली अज तवालत नहीं है और वक्त की कमी की वजह से मैं इसे कता नजर करता हूं. हुजूर वाला ! इस तजवीज के तीन जुज हैं. अव्वल यह कि कम उम्र में शादी किये जाने की मुमानियत किये जाने के मुतअल्लिक किसी कानून के बनाने की जरूरत है या नहीं ?

दोयम यह कि अगर जरूरत है तो उसकी क्या कैद लगाई जावे ?

सोयम यह कि, ऐसे कानून के इनहिराफ की हालत में क्या अमल किया जाय ?

कब्ल इसके कि मैं इन हर सेह उमूर के मुतअल्लिक कुछ अर्ज करूं यह तवज्जुह दिलाना अपना फर्ज समझता हूं कि इसके साथ ही साथ यह अम्र भी काबिल गौर है कि ऐसा कानून बन जाने के बाद अगर किसी कम उम्र के लडके या लडकी की शादी होगई तो फी नफसिही वह शादी भी जायज होगी या नहीं; यानी यह कि वह शादी Valid होगी या Invalid. उम्र के मुतअल्लिक बहुत तफसील बहस की जरूरत है. Legislative Assembly में जो Child Marriage Bill का मुसव्वदा Select Committee ने पेश किया है इस में १४ और १८ साल की उम्र मुकर्रर की है और इनहिराफ की सूरत में १०००) रुपये तक जुरमाना और एक माह तक कैद की सजा तजवीज की है; लेकिन लडके यानी शौहर के लिये यह रिआयत रखी है कि १८ साल से २१ साल तक उम्र के शौहरों को सजाय कैद नहीं दी जायगी और लडकियों की १४ साल की उम्र इस गरज से रखी गई है कि Sir Hari Singh Gaur ने यह बयान किया था कि मौजूदा आदाद व शुमार के मुताबिक हिन्दुस्तान में ८० फी सदी लडकियां १४ बरस की उम्र में बालिग होती हैं. बहरहाल इन उमूर के तय करने के लिये यकीनी बहस की जरूरत है और इस वक्त मजलिस में इन उमूर के मुतअल्लिक बिल तफसील बहस नहीं की जा सकती है; लिहाजा मैं जनाब वाला लॉ मेम्बर साहब की इस तजवीज से इत्तफाक करता हूं कि इन तमाम उमूर पर गौर करने के लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर फरमाई जाय और इस तजवीज में इस कदर और इजाफा करना चाहता हूं कि सब-कमेटी में अलावा इन मेम्बरान के जो मजलिस आम के Non-official मेम्बरान में से मुन्तखिब होंगे, चीफ मैडीकल ऑफिसर साहब, मुफ्ती साहब शहर और एक फाजिल पन्डित साहब को भी शरीक किया जाय. इन असहाब की शिरकत मैं इस वजह से जरूरी ख्याल करता हूं कि इस तजवीज में जहां मुख्तालिफ अकसाम के मुफीद नतायज हैं वहां एक अहम बात इसके खिलाफ भी पैदा होती है और बहुत मुमकिन है कि बाज हलकों में मजहबी दस्तन्दाजी ख्याल की जाय.

हुजूर वाला ! इसकी दलील यह है कि उसूल धर्मशास्त्र की रू से शादी संस्कार ही नहीं बल्कि Sacrament है और मजहबन यह लाजमी करार दिया गया है कि लडकियों की शादी उनके बालिग होने से पहिले होना चाहिये और शायद यही वजह है कि पन्डित मालवीय ने Child-marriage के सिलसिले में जो dissent-note लिखा है उसमें लडकियों की उम्र ११ साल मुकर्रर होना तजवीज किया गया है; चुनांचे हिन्दुस्तानियों की मजहबी नुक्ता नजर से यह अशद जरूरी है कि लडकियों की उम्र कमअजकम ऐसी मुकर्रर होना चाहिये ताकि उनके बालिग होने पर शादी होने में कानूनन कोई मुमानियत न रहे. इसी तरह मुसलमानों के नुक्तेनजर से भी एक दिक्कत पेश आती है वह यह है कि सारे इस्लाम ने नाबालिग लडके और लडकियों की शादी व विलायत उनके रिश्तेदारान के जायज रखी है. गो शरा मुहम्मदी की स्पिरिट यह मालूम होती है कि Child-marriage को discourage किया गया है और मुसलमानों में बिल उमूम Child-marriage का रिवाज भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाज exceptional cases ऐसे मुतअल्लिक हैं जबकि इसकी जरूरत पेश आती है और यही वजह है कि शरा मुहम्मदी ने इसको जायज रखा है; लिहाजा उम्र की कैद होजाने की सूरत में मुमकिन है कि बाज मुसलमानों को यह ऐतराज हो कि शरा मुहम्मदी ने नाबालिगों के निकाह के मुतअल्लिक जो आजादी अता की है वह इस कानून के बन जाने से सल्ब हो जायगी, चुनांचे इन उमूर के मुतअल्लिक मुफ्ती साहब व पन्डित साहब के मश्वरे से सब-कमेटी को अपनी राय कायम करने में बहुत मदद मिलेगी और चीफ मैडीकल ऑफिसर साहब की राय Medical point of view से मुफीद होगी; लिहाजा सब कमेटी में इन हरसेह असहाब की शिरकत भी बहुत जरूरी है और इनको भी सब-कमेटी का मेम्बर मुकर्रर फरमाया जावे.

महादेवराव साहब—हुजूर वाला ! मैं सवाल नम्बर १ की मुखालफत करते हुए गुजारिश करता हूं कि धर्मशास्त्र में कन्या विवाह के तीन काल हैं. आठ वर्ष तक उत्तम काल, १० वर्ष तक मध्यम काल, १२ वर्ष तक गौण काल; लेकिन जमाने की रफ्तार के मुताबिक १२-१४ वर्ष व इससे ज्यादे उम्र में शादियां होने लगी हैं. इस उम्र में शादी करने वालों को जात भाइयों की तरफ से कोई एतराज नहीं होता. हर एक शख्स इस बात की कोशिश करता है कि शास्त्र प्रमाण उत्तम काल में शादी हो, मगर जैसा जिसका योगायोग होता है वैसा होता है. कम उम्र में शादी होने से विधवा होना बयान किया है, क्या ज्यादा उम्र में शादी होने से वैधव्य न आवेगा, ऐसा कहा जा सकता है ? हरगिज नहीं. यह सब बातें ईश्वराधीन हैं, जैसा योगायोग होता है वैसा होकर रहता है, चाहे बाल विवाह हो या प्रौढ विवाह. ग्रहस्थाश्रम के कार्य के विषय में जबकि धर्मशास्त्र कानून परंपरा से जारी है व हर शख्स को आजादी है व किसी को मजबूर नहीं किया जाता, फिर मालूम नहीं होता कि यह सवाल कानून बनाने के लिये किस वजह से रक्खा गया है. कानून जारी होने से रिआया बहुत परेशान व मुसीबत के फेरे में फंस कर मुकद्दमेबाजी में बरबाद होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो टिप्पणी नहीं बनाते वह उम्र का सबूत किस तरीक पर दे सकेंगे. किसी भले आदमी के यहां शादी के वास्ते बरात आई व एक शख्स ने रिपोर्ट की कि लडकी १२ साल से कमउम्र की है, अब बरात रुकी रही व तहकीकात शुरू हुई, अपील दर अपील में बडा वक्त चाहिये, बरात कहां तक रुकी रहेगी. इस किस्म की मुसीबत में रिआया बडी परेशान होगी, व हर एक शख्स को अपने बाल-बच्चे पर जो आजादाना हक्क की शास्त्र मर्यादा मुताबिक शादी हो कोशिश करे महरूम रहेगा, धर्म-शास्त्र की रू से हर शख्स आजाद है, कानून बनाने की जरूरत नहीं. रुपया लेकर ज्यादा उम्र वाले को लडकी देते हैं ऐसा कहा गया है, ऐसा करने वाले फी सदी एक दो होंगे. ऐसे लोगों का जातिवालों ने प्रबन्ध करना चाहिये. जात के मुआम्लात में कानून की जरूरत नहीं. ऐसा मुझको ख्याल है कि शायद

यही सवाल मरहूम महाराजा साहब के इजलास में पेश हुआ था, उस पर मरहूम सरकार ने इर्शाद फरमाया था कि ऐसे मुआम्लात में कानून की जरूरत नहीं. मुकद्मेबाजी बढती है व कानून बनाना सहल है अमल होना बहुत दुश्वार होता है. ऐसे मुआम्लात जातवालों ने तय करना चाहिये. गवर्नमेन्टी में भी धर्मशास्त्र के मुताबिक हर शख्स को आजादी रखी है, कोई कानून जारी नहीं हुआ. इसलिये बवजूहात सदर मेरी नाकिस राय यही है कि कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है. इस सवाल का तअल्लुक ज्यादातर धर्मशास्त्र से है इसलिये यह सवाल शास्त्री साहबान की सभा में वास्ते राय भेजा जावे तो बहुत मुनासिब होगा.

लक्ष्मणराव शास्त्री साहब.—हुजूर आली ! मैं इस बारे में कुछ धर्म शास्त्र के आधार बतला कर गुजारिश करना चाहता हूं. हमारे धर्मशास्त्र में विवाह यह कन्या के वास्ते एकही विधियुक्त संस्कार माना गया है. यह संस्कार अन्य धर्मियों की मानिन्द कोई मुआहिदा नहीं है जो किसी वजह से खारिज हो सकता हो. इसके विधियुक्त हो जाने के बाद वह बदल नहीं सकता व उसका परिणाम मनुष्य के मन व शरीर पर ताबे जिन्दगी रहता है. हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसका काल बतलाते हुए कहा है कि " षडब्द मध्ये नोद्वाहया कन्या वर्षद्वयं यत: " यानी सात वर्ष के पहले कन्या का विवाह नहीं करना चाहिये. यह मुमानियत बतला कर उसका उत्तम काल "सप्त संवत्सरा दूर्ध्वं विवाह: सार्व वर्णिक: " यानी अष्टम वर्ष में कन्या का विवाह करना यह सब हिन्दू जातियों के लिये उत्तम काल है व उसकी मर्यादा बढाते हुए " त्रिंशद्वर्षो वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादश वार्षिकीम् " यानी बारह वर्ष तक रखी है, इसलिये एकन्दर शास्त्रों को देखते हुए विवाह का काल आठ वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक रखा है व इसका प्रचार भी सर्वत्र जारी है. लिहाजा इस्तदुआ है कि हमारे ऋषियों ने विवाह के बारे में जो हक हमको अनादि काल से दे रक्खे हैं वह वैसेही कायम रखे जावें, इसके वास्ते कोई मजीद कानून बनाने की जरूरत मेरी नाकिस राय से मालूम नहीं होती. जो शास्त्र इसके बारे में है उसी की पाबन्दी कराई जावे.

केशवराव साहब.—मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूं.

कन्हैयालाल साहब.—मुझे भी इत्तफाक है.

प्रहलादसिंह साहब.—१४ वर्ष की उम्र लडकी की होना चाहिये ताकि वह गृहस्थाश्रम को समझ सके इसलिये कानून बनाना जरूरी है.

राजा गोपालसिंह साहब.—मुझे भी प्रहलादसिंह साहब की राय से इत्तफाक है.

रंधीरसिंह साहब.—मैं आपकी ताईद करता हूं.

नोट:—इस मरहले पर प्रेसीडेन्ट साहब ने वोट्स लेना चाहा.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर वाला ! यह मसला ज्यादा अहम है, इसलिये कुछ साहबान को और मौका दिया जावे.

वाटवे साहब.—हुजूर वाला ! यह जो सवाल पहिले नम्बर पर दिया गया है इसकी अहमियत भी पहले नम्बर की है और जो इसमें वजूहात बतलाये गये हैं उनके मुतअल्लिक मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं. जिस पहलू में यह सवाल उठाया गया है और कानून बनाने की जरूरत बतलाई गई है उसके मुतअल्लिक लॉ मेम्बर साहब ने जो तकरीर फरमाई है उसके लिये यह मजलिस ताईद और मुखालफत करने के लिये शायद ही तैयार हो. मैं अपने पोजीशन को साफ करना चाहता हूं कि मैं खुद बचपन की शादी के खिलाफ हूं और वैसे ही वृद्ध विवाह के भी खिलाफ हूं. Point मेरी तरदीद का यह है कि यह सवाल कानून से हल होने काबिल नहीं हैं. इसमें धर्मशास्त्र और शरैमुहम्मदी के लिहाज से कई सवाल पैदा हो सकते हैं. जहां मजहब का सवाल आ जाता है वहां गवर्नमेन्ट भी दस्तन्दाजी नहीं कर सकती. चुनांचे यह सवाल बहुत पेचीदा है और इसी तरह

बहुत नाजुक भी है. हुजूर वाला, यह सवाल इस तरह पर नाजुक है कि मां बाप और उसके बाल बच्चों के जो तअल्लुकात हैं वह बहुत नाजुक होते हैं. मां बाप कुदरती तौर पर अपनी औलाद का सुख चाहते हैं. यह सवाल बहुत अहम है इसलिये इसको बहुत नाजुक दृष्टि से देखना चाहिये. हमारे लॉ मेम्बर साहब ने भी इसकी तरफ दिलचस्पी लेते हुए इस सवाल को मजलिस के रूबरू रखा जिसका मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं. इस मजलिस के बडे बडे औजार हैं लेकिन ज यह कीमती डागीना रखा हुआ है इसके बनाने के वास्ते कोई औजार है या नहीं. जो लोग अपने को समाज का लीडर या अगुआ कहते हैं उनको अपनी पुरानी रूढी से अपने असर को पब्लिक में वक्अत पैदा करने की कोशिश करना चाहिये और लोगों को समझाना चाहिये और इस बात को साबित करना चाहिये कि धर्म गुरू की तरफ इस बात को ले जाना चाहिये. अगर इस पर पब्लिक तैयार न हो तो दरबार में जाकर इस बात की शिकायत करें. वहां से कानून बनवाकर उन पर लाद दिया जावे. मेरा ख्याल यह है कि इस किस्म का कानून बनाना गोया मिस मेयो की किताब मदर इन्डिया के लिये मसाला पैदा करना है. इस खतरे से इस रियासत को बचाया जावे, इसकी निस्बत मैं मजलिस की खास तवज्जुह दिलाता हूं. सरकार आंजहानी के जमाने में इसी मजलिस आम में यह सवाल उठा था कि बच्चों को बीडी पीने से रोका जावे इसपर बहुत कुछ बहस मुबाहिसा हुआ तो सरकार मरहूम ने दरयाफ्त किया कि जनाबमन, आप अपने को इतने बडे समझते हो, क्या आपने कभी किसी बच्चे से यह कहा कि ऐ बच्चे, तुम बीडी पीते हो तुमको इसे नहीं पीना चाहिये, इसके पीने से बहुत नुकसान होता है. ऐसा कहकर उसकी बीडी छुडाई है या सिर्फ कानून ही बनवाने आये हो. बार बार दरबार में आकर कानून मांगते हो यह बात बहुत बुरी है. अगर हमारे में ताकत है तो पब्लिक को रजामन्द करना चाहिये. जो बात हम कानून से मांगते हैं वह बात धर्म शास्त्र और शरह मुहम्मदी से हमको मांगना चाहिये. और अगर दर हकीकत हमारी कोशिश अच्छी तरह पर है तो उस कोशिश को जारी रखना चाहिये. हुजूर वाला, मूंगालाल साहब इस मजलिस में हाजिर नहीं हैं. मूंगालाल साहब ने अपनी तजवीज में यह जाहिर किया है कि कवाअद वजा फरमाये जावें और बुढापे और बचपन की शादी में यह नुक्सान पैदा होते हैं इसके बारे में कानून व रूलस वजा फरमाये जावें. आपका यह ख्याल है कि कन्या विक्रय का जो प्रचार है वह मसदूद किया जावे. मेरी नाकिस राय यह है कि कम उम्र में बच्चों की शादी का रिवाज शरीफ कौमों में नहीं है. शरीफ कौमों से मेरी मुराद सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्री, वगैरा ही नहीं हैं बल्कि जिन लोगों में नात्रा व धरीचा होता है उनको भी शरीफ लोगों से गिरा हुआ न समझना चाहिये; क्योंकि धरीचा और नात्रा करने से आदमी शराफत से नहीं गिरता. शरीफ और समझदार लोगों में १७ बरस से कम उम्र वाले लडकों की शादी का रिवाज शाजोनादिर ही है. जिन कौमों में नात्रा और धरीचा की रस्म है उन्हीं लोगों में छोटे बच्चों की शादी होने का रिवाज है. अगर अवाम में बचपन की शादी की रस्म होती तो उसकी रोक के लिये कानून बनाने की जरूरत महसूस करना ना मुनासिब न होता. मगर चूंकि कम लोगों में ऐसी शादी का रिवाज पाया जाता है, इसलिये किसी मेहदूद फिर्के के लिये कानून बनाने की जरूरत नहीं है.

लॉ मेम्बर साहब.—इस वक्त जिस मसले पर तकरीर की जारही है वह irrelevant यानी गैर मुतअल्लिक है. इस वक्त गवर्नमेन्ट ने मजलिस आम में इस सवाल को पेश किया है कि कम उम्र की शादियों की रोक के लिये कानून बनाने की जरूरत है या नहीं. मेम्बर साहबान सिर्फ इसी सवाल के मुतअल्लिक राय दे सकते हैं. मूंगालाल साहब की तजवीज जेर बहस नहीं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—सवाल सिर्फ इतना है कि कम उम्र में शादी करने के मुतअल्लिक कानून बनाने की जरूरत है या नहीं?

वाटवे साहब.—मेरी राय में कानून बनाने की जरूरत नहीं है.

निगुडकर साहब.—मैं वाटवे साहब की राय से इत्तफाक करता हूं.

रामेश्वर शास्त्री साहब.—श्रीमान! इस प्रश्न के मुतअल्लिक मुझे यह निवेदन करना है कि इस प्रश्न के दो विभाग हैं. यानी एक तो सामाजिक विभाग है, दूसरा धार्मिक विभाग है. वास्तव में समाज में जो कुछ खराबी पैदा हो जाती है वह सामाजिक सुधार राजनीति के अन्दर आता है. दूसरा विषय धार्मिक है जो ऐसा विषय है कि उस विषय के विचार करते हुए प्राचीन धर्मशास्त्र से विरुद्ध हम न जांय और समाज का भी काम कर सकें, इस तरह विचारणीय दोनों बातें हैं. आज यह तय नहीं हो रहा है कि कितनी उम्र रखी जावे बल्कि सिर्फ इतना ही है कि ऐसा कानून बनाने की कोई आवश्यकता है या नहीं. इस वक्त जो कमेटी कायम होगी तो वह धर्म की तरफ भी व समाज की तरफ भी विचार करेगी इसलिये इस सम्बन्ध में कोई कमेटी मुकर्रर करदी जावे तो कोई हर्ज नहीं है परन्तु वह धर्म व समाज के विरुद्ध न जाय.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर वाला! मैं इस सवाल की ताईद करते हुए अव्वल उन पॉइन्टस् के मुतअल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं जो बाज साहबान ने कानून बनाये जाने की तजवीज की मुखालिफत में बयान किये हैं. एक बात यह बयान की गई है कि यह तजवीज सं. १९७९ की मजलिस में पेश हुई थी और सरकार मरहूम ने उस वक्त ऐसा हुक्म फरमाया था कि इसके मुतअल्लिक कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है. साल मजकूर की मजलिस का प्रोसीडिंग्स मेरे पेश नजर है उसमें कहीं दर्ज नहीं है कि हुजूर मुअल्ला ने ऐसा हुक्म फरमाया था, जैसा कि बयान किया गया है. इसके बरअक्स प्रोसीडिंग्स से यह जाहिर होता है कि कई मेम्बरान मजलिस की जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था यह राय थी कि कानून बनाने की जरूरत है, और कई की यह राय थी कि जरूरत नहीं है. सरकार मरहूम ने अपने ख्यालात का कुछ इजहार नहीं फरमाया था. अलबत्ता होम मेम्बर साहब ने इस बिना पर कि शायद पब्लिक ओपीनियन ऐसे कानून के लिये तैयार नहीं है यह ख्याल जाहिर किया था कि, सरेदस्त कानून बनाने की जरूरत नहीं है.

हुजूर वाला! यह वाकआ सं. १९७९ का है, इस चार साल में जमाने ने बहुत कुछ पलटा खाया है. यह ख्याल भी कि पब्लिक opinion ऐसे कानून के लिये तैयार नहीं है या यह कि पहले पब्लिक opinion को तैयार कर लिया जावे सही नहीं है. इस बात का काफी सुबूत मौजूद है कि पब्लिक ऐसे कानून की जरूरत को सख्त महसूस कर रही है. जिस रोज यह मजलिस शुरू हुई थी उस रोज सनातन धर्म मंडल लश्कर, सेवा समिति और अग्रवाल सभा लश्कर व मुरार की जानिब से एक हेन्डबिल तक्सीम हुआ है, जिसमें हम लोगों से दरख्वास्त की गई है कि नाबालिग बच्चों की शादी की रोक के लिये गवर्नमेन्ट से अर्ज की जावे कि इसके मुतअल्लिक कोई कानून नाफिज किया जावे. लिहाजा यह सही नहीं है कि पब्लिक की राय ऐसे कानून के बनाने के खिलाफ है. इसके बाद एक बड़ी भारी हुज्जत धर्मशास्त्र के मुतअल्लिक लाई जाती है तो पहिले इस अम्र का फैसला कर लेना चाहिये कि धर्मशास्त्र की स्पिरिट भी यही है या नहीं. हुजूर आली, मैं भी हिन्दू धर्म का पैरो हूं और सनातन धर्मी हूं जिसकी दलील वह तिलक है जो मैं अपनी पेशानी पर लगाये हुए हूं. जहां तक मैंने गौर किया है धर्मशास्त्र के अहकाम दो किस्मों में तक्सीम किये जा सकते हैं. एक किस्म के अहकाम तो वह हुआ करते हैं कि जिनका ताल्लुक रूहानी तरक्की से होता है और इस किस्म के अहकामों में हुकूमत दस्तन्दाजी नहीं कर सकती. मगर दूसरे किस्म के अहकाम ऐसे हैं कि जिनका तअल्लुक सोसाइटी से होता है. जो अहकाम सोसाइटी के लिये होते हैं वह जमाने की रफ्तार के साथ वक्तन फवक्तन जरूरत के मुताबिक तब्दील हो सकते हैं.

चूंकि यह सवाल मजहबी नहीं है बल्कि सोसाइटी से तअल्लुक रखता है, लिहाजा इसमें तब्दीली की जा सकती है. इसकी ताईद में मैं एक किताब अपने साथ लाया हूं. इस किताब के मुसन्निफ स्वामी दयानंद हैं जो भारतधर्म महामंडल के नेता हैं और इस किताब का नाम धर्म कल्पद्रुम है. इस किताब में लिखा है कि "युग युग में मनुष्यों के स्वभाव व धर्मभाव पृथक पृथक होने से सृष्टी की धारा भी भिन्न भिन्न होती है जिससे धर्म और आचार की व्यवस्था, विवाह व प्रजोत्पत्ती का नियम और वर्ण व आश्रम का अनुशासन सभी युगानुसार भिन्न भिन्न होते हैं." जमाने के लिहाज से हालत व आदत बदलती रहती है, इसलिये जरूरत है कि सामाजिक नियम में भी रद्दोबदल किया जावे." चुनांचे यह कहना कि हमारे धर्मशास्त्रों में रद्दोबदल नहीं हो सकती कोई सही दलील नहीं है. इस किस्म का रद्दोबदल हमेशा होता रहता है. पुराने जमाने में ऐसा रद्दोबदल स्मृतिकार किया करते थे जो उस वक्त के वाजआत कानून थे, और फी जमाना यह काम आजकल के वाजआत कानून को करना चाहिये. पस अगर हम इस वक्त जरूरी समझते हैं कि हमारी हालत को सम्हालने के लिये किसी मजीद कानून की जरूरत है तो जरूर कानून बनना चाहिये.

जो दर्दनाक वजूह इस कानून बनाने के मुतअल्लिक जनाब लॉ मेम्बर साहब ने बताये हैं उनको सुन कर कोई भी ऐसा नहीं है जो यह कहे कि इस कानून की जरूरत नहीं है. ख्वाह वह जाहिरा इस ख्याल से मुनकिर हो, मगर दिल में जरूर इसकी जरूरत समझता है. जो ऐदाद जनाब लॉ मेम्बर साहब ने इस वक्त फरमाये हैं उनसे यह नतीजा निकलता है कि आजकल की रस्म में तरमीम की जरूरत है. ऐदाद फौती रियासत हाजा से जाहिर है कि सन १९१७ व १९१८ में ३६,००० मौतें हुईं, इनमें से लडकों की तादाद १२०००; सन १९१८ व १९१९ में १,५३,००० इसमें लडकों की तादाद ४०,००० यह influenza का जमाना था.

सन १९२० में २५,०००, इसमें लडकों की तादाद ९,०००.

सन १९२० व १९२१ में १८,०००--इसमें लडकों की अमवात ६०००, हैं. नतीजा इससे यह निकलता है कि जिस कदर तादाद अमवात है उसमें ⅓ फौती लडकों की है और यह लडके १० या ११ बरस से कम उम्र के हैं. लडकों की फौती की ज्यादा तादाद early marriage के सबब से है. नीज डाक्टरों का भी यह ख्याल है कि जल्द शादी करने के सबब से यह तमाम वाकआत जहूर में आते हैं. उम्र का standard जो पहिले था वह अब नहीं रहा, इसकी वजह से पब्लिक हेल्थ खराब हो रही है. चूहों कैसी औलाद पैदा होती है. ५०, ६० साल की उम्र में लोगों का जनाजा निकलता है. यह सब खराबियां early marriage की वजह से पैदा हो रही हैं. मैं नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान से अर्ज करूंगा कि वह इस बात की ताईद करें कि कानून बनाया जावे और जो तजवीज गवर्नमेन्ट की जानिब से पेश हुई है उसको भी पास करेंगे. अगर कानून बना दिया जावे तो उम्र क्या रखी जावे, जैसा लॉ मेम्बर साहब ने बयान किया है यह एक पेचीदा मसला है. सनातन धर्म के मुताबिक उम्र के मुतअल्लिक बाज २ स्मृतिकारों में इख्तलाफ है. बाज का कहना है कि ८ बर्ष की उम्र में शादी होना चाहिये और बाज का ९ व बाज का कहना है कि १०, ११, १२ बरस की उम्र में. बहर हाल इस बाबत सब को इत्तफाक है कि शादी उस वक्त करना चाहिये जब लडकी बालिग हो जावे. लडकियां हर जगह की एक ही वक्त में यानी एक ही उम्र में बालिग नहीं होतीं. यह हालत डाक्टरी नुक्तेख्याल से आबहवा के लिहाज से मुख्तलिफ हुआ करती है मैं अखबार हिन्दू संसार अपने साथ लाया हूं, जिससे यह जाहिर होगा कि अखबार मजकूर ने मुख्तलिफ मुकामात की बाबत लडकियों के बालिग होने का क्या वक्त बतलाया है. आसाम से बिहार तक

११-१२ बरस के बीच में, बनारस के आस पास १२ बरस के बाद, दिल्ली के करीब के इलाके में १३ बरस के बाद और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में १५ बरस के बाद तक रजोप्रवृत्ति होती है. जिस इलाके में हम रहते हैं वह दिल्ली और बनारस के बीच का हिस्सा है, इसलिये यहां की लडकियों की शादी के लिये १२ बरस की उम्र की कैद रखी जावे तो बहतर है. ठीक तस्फिया इस सवाल का उस कमेटी से होगा कि जो जनाब लॉ मेम्बर साहब ने तजवीज की है. अगर कानून बनाया जावे तो उसके details क्या हों, इसका तस्फिया भी कमेटी के लिये छोड दिया जावे. मैं मजलिस का मजीद वक्त जाया करना नहीं चाहता हूं. मैं नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान से अपील करता हूं कि वह इस तजवीज को मंजूर करलें वरना यह कहा जावेगा कि हमारी सामाजिक खराब रस्मों को दूर करने के लिये गवर्नमेन्ट तो तैयार है मगर पब्लिक के नुमाइन्दे इस काम से गवर्नमेन्ट को पीछे हटाते हैं.

बटुक प्रसाद साहब.—हुजूर आली ! इस सवाल की मुवाफिकत में जनाब लॉ मेम्बर साहब ने तफ्तीश और तहकीकात के बाद जो नतीजा ऐदाद व हिन्दसों से जाहिर फरमाया है उससे काफी मदद मजलिस को मिलती है. बहर हाल मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनकी राय से इस अम्र के मुतअल्लिक इत्तफाक करता हूं कि इस मसले के मुतअल्लिक कानून बनाने की जरूरत है और सख्त जरूरत है. मेरे लायक दोस्त बाबू जगमोहनलाल साहब ने इसके माकूल दलायल वगैरा बयान कर दिये हैं, जिनके एआदा करने यानी repeat करने की जरूरत नहीं है; लेकिन बाज औकात रिपीटीशन की भी जरूरत होती ही है, इसलिये मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूं. ज्यादातर जोर इस बात पर दिया जाता है कि यह बात धार्मिक नुक्ते नजर से शास्त्रों के अहकाम व फरमान के खिलाफ है. मगर यह बात ख्याल रखने के लायक है कि शास्त्र एक के नहीं हैं, मुतअद्दिद ऋषि, मुनि साबिक के जमाने में गुजर चुके हैं जिनकी इसके मुतअल्लिक जुदागाना रायें हैं और यही वजह है कि मुख्तालिफ लोगों ने उस जमाने के लिहाज से ८ बरस से १२ बरस तक की उम्र तक शादी की इजाजत फरमाई है और इस नतीजे पर तो सभी पहुंचते हैं कि बालिग होने पर ही शादी जरूर होना चाहिये, और हर मुल्क के रस्मोरिवाज का ख्याल करके ही उम्र मुकर्रर की जाना चाहिये, जो कमेटी में कायम की जावेगी. दूसरी बात मुखालिफत में जो इस point पर कही गई है वह यह है कि कानून बनाने की अव्वल तो जरूरत ही क्या है और कि सल्तनत की जानिब से कानून बनवाया जावे या नहीं ? कानून बनाने के लिये यह कहा गया है कि यह गैर जरूरी बात है, कानून बनाने के बजाय बेहतर यह होगा कि propaganda किया जावे. मगर सूरत हाल यह है कि इसके मुतअल्लिक बराबर propaganda होता रहा है और Social Conference का इजलास हर साल होकर इसके मुतल्लिक रेजोल्यूशन्स पास होते रहे हैं लेकिन अब तक कोई reform न हो सका, जिसका लाजमी नतीजा यह है कि कानून बनाने की जरूरत पेश आई है. बहर हाल तजुर्बा यह है कि इसका reform नहीं हुआ. अब इस बात की जरूरत है कि कानून बनाया जावे वर्ना इसकी रोक नहीं हो सकेगी. इस अम्र के मुतअल्लिक कि अगर कानून बनाया जाना जरूरी ही है तो राज्य ही से क्यों जरूरी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि बगैर इसके कोई propaganda या कायदा effective नहीं हो सकता, इसलिये कानून राज्य ही से बनाया जाना मुनासिब है.

हीरालाल साहब.—हुजूर वाला ! पंडित बाटवे साहब ने ज्यादा जोर इस बात पर दिया है कि ऐसी बुराई समाज के जर्ये से दूर की जावे. इसके मुतअल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी बुराई समाज से जरूर दूर हो सकती है, लेकिन एक जमाने के बाद,

इसलिये जहां तक हो सके कानून सरकार से जल्द जारी होना चाहिये. इसके साथ साथ मैं महाजन समाज की हालत को भी कुछ जाहिर करना चाहता हूं. इस समाज की जो हालत है वह किसी से पोशीदा नहीं है. महेश्वरी, जैन, और दीगर साहबान के यहां यह नियम है कि कम उम्र में शादी न की जावे, लेकिन इसकी पाबन्दी कौन करता है, सिर्फ गरीब तो थोडी बहुत पाबन्दी करते हैं मगर मालदार पाबन्दी नहीं करते और इस तरह समाज में बहुत बडी गडबड रहती है. समाज के जर्ये से जो बाटवे साहब ने ऐसी बुराई के दूर करने की तजवीज पेश की है यह समाज से हरगिज मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस. समाज की तो यह हालत है, हमें अफसोस है कि जो काम हमारे करने का है उसे हम नहीं कर सकते हैं और मजबूरन गवर्नमेन्ट से यह अर्ज करना पडता है कि वह कानूनी सूरत में हमारी मदद करे. इसके साथ मैं कैलासवासी दरबार के ख्याल को भी जाहिर कर देना मुनासिब समझता हूं. नशाबाजी के सिलसिले में औरों के साथ दरबार ने यह सिफारिश की थी कि बचपन की शादी सारी खराबियों की जड है, इसको कानूनन रोका जावे जिसका इजहार प्रोसीडिंग्स के मुलाहिजे से आप सब साहबान पर पूरे तौर से हो सकेगा. अलावा अजीं, हमचूंकिस्म कानून सरकार से इससे पेश्तर बलिहाज जरूरत जारी हो चुके हैं. मिसाल के लिये पुजारियों की हालत, पास शुदा पुजारी के अलावा कोई शख्स पूजा न करने पावे. सरकार ने बगैर किसी की राय के चरस की मुमानियत कर दी. शराब पीने के उसूल को तसलीम करके ब अय्याम त्यौहार शराब बेचना मना कर दिया वगैरा वगैरा. एज्यूकेशन बोर्ड यू. पी. ने भी ऐसा कानून पास कर दिया है कि सन १९३१ से ऐसे तालिबइल्म इम्तहान में शरीक नहीं किये जा सकेंगे जिनकी शादी हो गई होगी. इस वास्ते जल्द कानून जारी होना चाहिये. समाज के नियम से फायदे की उम्मीद नहीं है.

नवाबअली साहब.—हुजूर वाला! इस तजवीज की अहमियत मुखालिफ और मुआफिक तजवीजों से साफ तौर पर जाहिर होगई होगी. इख्तलाफ करने वाले लोग मजहब के रंग में इख्तलाफ करते हैं, मगर सवाल यह है कि इस इख्तलाफ से हमारी आयन्दा नस्लों पर क्या असर होगा. हमारी जरूरत महसूस करती है कि कानून बनाया जावे. लॉ मेम्बर साहब ने जो ऐदाद दिये हैं उससे इख्तलाफ करने वाले यह चाहते हैं कि detail होना चाहिये. उनका ख्याल यह है कि बचपन की शादी होने के सबब से ही अमवात इस कदर ज्यादा तादाद में होती हैं और इस तौर पर बेवा औरतों की तादाद ज्यादा न होगी. मौत जिन्दगी इन्सान के साथ है. मगर यह लोग यह ख्याल नहीं करते कि इस कदर कम उम्र में बेवायें होंगी, मस्लन २, ४, ६ बरस तक की. मैं दावे से कह सकता हूं कि बडे से बडे घराने में कोई घर ऐसा न होगा जिसमें कम से कम एक इस उम्र की बेवा मौजूद न हो. गो मुझे शास्त्र से काफी तौर पर वकफियत नहीं है, ताहम मैंने इसके मुतअल्लिक काफी तादाद में लोगों से तबादलये ख्यालात किया है और अब मैं कह सकता हूं कि कम उम्र में शादी करना नुक्सान से खाली नहीं है. अगर यह रिवाज कदीम से न होता तो स्वयंबर की रस्म क्यों जारी की जाती. जब लडकी कम उम्र होगी तो वह कैसे अपने लिये शौहर का इन्तखाब कर सकेगी. कमसिनी की शादी में आयन्दा नसलों के लिये क्या खराबियां हैं इस पर गौर करने की जरूरत है. चंद आदमी जो इसके अहल हैं वह गवर्नमेन्ट की तजवीज की ताईद करते हैं. मगर जो लोग इसकी ताईद नहीं करते वह नाबालिग बच्चों के हुकूक का ख्याल नहीं करते, बल्कि उनकी विसातत से उनके मां बाप शादी करके खुशी मनाते हैं. ऐसी सूरत में कि जब मां बाप उनके हुकूक का ख्याल न करें गवर्नमेन्ट को मदद करना जरूरी है. लडकी को यह मालूम नहीं होता कि आज मेरी दूसरी जिन्दगी शुरू हो रही है और मुझे वहां जाना है, जहां

अपनी बकिया उम्र बसर करना है, और न लडका यह ख्याल कर सकता है कि हम दोनों को एक दूसरे का शरीके गम बनना चाहिये और मिलकर जिन्दगी बसर करना है. यह मजाहिरे रोजाना देखने में आते हैं. मैं एक तअज्जुब खेज वाका पेश करता हूं, वह यह कि एक नौ महीने की लडकी का विवाह एक साल के लडके से करार दिया गया. आम कायदा है कि लडकी जल्द बढती है और लडका देर में. कुछ अर्से बाद लडकी की उम्र ज्यादा होगई और लडके की उम्र कम रही. लडकी वालों ने जो होशियार थे दूसरी जगह शादी करदी. लडके की जानिब से दावा किया गया कि लडकी की शादी हमारे साथ करादी जाय. बचपन में शौक की वजह से यह ख्याल नहीं होता कि आयन्दा क्या खराबियां पैदा होंगी, लडका और लडकी एक साथ जवान होंगे या नहीं. सूरत यह होती है कि लडकी लडके की परवरिश करती है, कि लडका जवान होजावे तो मियां बीबी के तअल्लुकात कायम हों. अब जो औलाद पैदा होगी वह किस कदर कमजोर होगी और आयन्दा क्या असर पैदा होगा, इसके मुतअल्लिक यह अर्ज है कि मदरास लेजिस्लेटिव कमेटी में, जैसा लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है, १६ बरस और २१ बरस की कैद रखी है. मेरे ख्याल में जो कानून बनाया जाय उसमें लडकी की उम्र १२ साल और लडके की उम्र १६ साल होना चाहिये. इसमें नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान को ताईद करना चाहिये और गवर्नमेन्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिये. साथ ही इसके मैं अब्दुलहमीद साहब की तकरीर की ताईद करता हूं कि मुफ्ती साहब और शास्त्री साहब कमेटी में जरूर शरीक किये जावें, ताकि लोग यह जानें कि हमारे पेशवा इसमें शरीक हैं और हमको इस पर अमल करना चाहिये.

ईश्वरीसिंह साहब.—मैं ताईद करता हूं कि कानून बनाना चाहिये और जल्द बनाना चाहिये.

वाटवे साहब.—मैं सिर्फ यह गुजारिश करना चाहता हूं कि लॉ मेम्बर साहब ने कानून बनाने की ताईद में जो तकरीर की है वह छपकर तकसीम होने के बाद हर शख्स को राय कायम करना चाहिये और फिर शायद मैं भी मुरीद हो जाऊं. सेन्ट्रल कमेटी में भी यह बिल पेश हो रहा है उसके पास होने तक यह सवाल मुल्तवी रखा जाय.

पुस्तके साहब.—हुजूर आली! इस सवाल की कितनी अहमियत है इस बात से जाहिर होता है कि इतनी तकरीरें होने पर भी और भी लोगों को बोलने की ख्वाहिश बाकी है. इस तजवीज के मुतअल्लिक दो ऐतराज किये गये हैं. एक ऐतराज है शास्त्र के मुतअल्लिक, दूसरा ऐतराज यह है कि गवर्नमेन्ट से कानून बनाने की इमदाद न ली जावे. शास्त्र का ऐतराज, अगर जरा भी गौर किया जावेगा तो बाकी नहीं रहता. यह सबको मालूम है कि मुख्तलिफ स्मृतियों में मुख्तलिफ उम्र शादी के मुतअल्लिक दर्ज है. इसी तरह आयुर्वेद में जो उम्र शादी के लिये मुकर्रर है वह स्मृतियों से भिन्न है. स्मृतियां यह काल, देश, वर्तमान के अनुसार मुख्तलिफ मौकों पर लिखी हुई हैं, वह एक ही वक्त की नहीं हैं. आज कल जो लिटरेचर इसके मुतअल्लिक शाया हुआ है उसमें से सिर्फ एक किताब की तरफ मैं उन लोगों की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि जो शास्त्र का ऐतराज करते हैं. वह किताब है "अबलोन्नति लेखमाला" जो श्रीयुत चिन्तामणरावजी ने लिखी हुई है. इस किताब के पढने से शास्त्र का ऐतराज उठाने वालों की तसल्ली हो जायगी कि बाल विवाह की रोक के खिलाफ हमारा शास्त्र नहीं है. यह भी कहा गया है कि इसके मुतअल्लिक प्रचार करना चाहिये, लेकिन कितना प्रचार करना चाहिये यह नहीं बतलाया गया. किसी बात को सिद्ध करने के लिये तीन तरीके हैं. (१) शास्त्र, (२) महापुरुषों के वाक्य, (३) अपनी बुद्धि.

शास्त्र की बाबत मैं ऊपर कह चुका. महापुरुषों के वाक्य दो किस्म के होते हैं (१) व्यक्तिगत, (२) समूहरूपा. व्यक्तिगत महापुरुषों के वाक्य इस सम्बन्ध में क्या हैं इसको अगर देखना हो तो मैं सिर्फ दो व्यक्तियों के नाम ही लेकर बता सकता हूं. महात्मा गांधी जो आज कल हमारे राष्ट्र नेता हैं वह इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं यह सबको मालूम है. पूज्य और वृद्ध पंडित मदनमोहन मालवीयजी की बाबत अभी हाल में ही एक भाई ने यह कहा है कि उन्होंने शारदा बिल पर दस्तखत करते हुए सिर्फ उम्र की बाबत ऐतराज किया है. हमारे नेता जिनको हम अपना मालिक भी समझते हैं, कैलासवासी श्रीमन्त माधव महाराज ने भी यह कहा है कि बाल विवाह जल्द से जल्द बंद होना चाहिये. समूह रूप से भारत-धर्म-महामंडल, हिन्दू महासभा, ऑल इन्डिया सोशल कॉन्फरेन्स कई साल से यह प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि बाल विवाह बंद किया जावे. अब अपनी बुद्धि से भी देखा जावे तो भी यही बात सिद्ध होती है. कौन कह सकता है कि दो दो चार चार बरस के लडके लडकियों की शादी की जावे. मामूली अक्ल का आदमी भी इस बात को नहीं कहेगा कि बूढों के साथ छोटी छोटी लडकियों की शादी कर दी जाय. जिसमें जरा भी अक्ल हो वह यह पसंद नहीं करेगा कि लडकियों का बेचना रायज रखा जावे. इस तरह शास्त्र से, महापुरुषों के वाक्यों से और अपनी बुद्धि से यही निश्चित होता है कि बाल विवाह की प्रथा बंद होना चाहिये. अब सवाल यह रह जाता है कि क्या इस काम के लिये सरकारी इमदाद ली जावे. इस उज्र के करने वाले बाल विवाह की प्रथा को बुरा समझते हैं लेकिन सरकारी दस्तन्दाजी ऐसे मुआम्ले में नहीं होना चाहिये ऐसा उनका कहना है, लेकिन यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जब काफी प्रचार हो चुका है और जब कई कौमो में बाल विवाह बंद हो रहा है, सुशिक्षित समाज इस मुआम्ले में करीब करीब एक मत है कि बाल विवाह की प्रथा बंद होना चाहिये तब अशिक्षित भाइयों को जिस उचित प्रकार से हम इस कुरीति से बचा सकें बचाना चाहिये. खासकर दक्षिणी कौम में तो १२ वर्ष के अंदर लडकियों की शादी तो अब होती ही नहीं तब शास्त्र का हवाला लेकर या सरकारी दस्तन्दाजी का उज्र करके वह बात जो वह स्वयं बुरी समझते हैं दूसरी कौमों में जारी रहने का प्रयत्न करना कहां का शास्त्र है. इस तरह का कानून इस से पहिले भी बन चुका है. सती एक्ट, Widow Re-marriage Act, Infanticide Prohibition Act, Age of Consent Bill यह इसकी मिसाले हैं. बडौदा, मैसूर, कोटा आदि राज्यों में भी बाल विवाह, कानूनन बंद किया गया है. अंग्रेजी इलाके में भी प्रांतीय कौन्सिलों में और भारतीय धारा सभा में इसके मुतआल्लिक बिल पेश है. यूनिवर्सिटीज भी इसकी रोक के लिये कवाअद जारी कर रही हैं. ऐसी सूरत में सरकारी दस्तन्दाजी का उज्र भी दुरुस्त मालूम नहीं होता कवि कुल गुरु कालीदास ने यह कहा है कि:—

प्रजानांविनयाधानाद्रक्षणाद्भरणादपि ।
स पिता, पितरस्तासां केवलं जन्म हेतव: ॥

इस श्लोक में राजा दलीप का गुण वर्णन करते हुए राजा के कर्तव्य क्या हैं यह कालिदासजी ने बतलाया है. राजा का यह कर्तव्य है कि प्रजा का रक्षण करे. उनको विद्या पढाये, उनको मालदार बनाये, उनको शीलवान बनावे. यह बात मानी हुई है कि हमारे समाज की तन्दुरुस्ती गिरती जा रही है. जब कोई व्यक्ति नाताकत हो जाता है तो उसको तीन बातें करना होती हैं. (१) दवाई लेना, (२) कुछ कसरत करना, (३) कुछ पथ्य करना. यही बात समाज के लिये भी मुतअल्लिक है और समाज के लिये या व्यक्ति के लिये तन्दुरुस्ती खराब होने की सूरत में ब्रम्हचर्य के मुकाबले में दूसरा पथ्य क्या हो सकता है और ब्रम्हचर्य को रखने के लिये यदि कानून का सहारा लेना आवश्यक हो तो जरूर

लेना चाहिये. यह भी ऐतराज किया गया है कि कानून बनने से हमारी आजादी में फर्क आवेगा और मुकद्दमे बाजी बढेगी, जब स्वयं हम ही चाहते हैं कि यह प्रथा बंद हो तो आजादी का उज्र जाता रहता है. यह सवाल सरकार ने अपनी तरफ से ही नहीं उठाया है बल्कि कई लोगों ने इसके मुतअल्लिक तजवीजें भेजी हैं और उस पर से यह सवाल कायम किया गया है. मुकद्दमे बाजी बढने का भी उज्र ठीक नहीं है क्योंकि इसकी बाबत कानून बनाते वक्त ख्याल किया जा सकता है. यह तफसील के मुतअल्लिक बात है और यह भी ख्याल में रखना चाहिये कि जिन लोगों में पंचायतें हैं उन लोगों में ऐसे मुआम्लात में कितने झगडे हो रहे हैं वह सब इस कानून के बनने से दूर हो जावेंगे. यह भी कहा गया है कि यह कानून शरीफ कौमों के लिये नहीं चाहिये, लेकिन सवाल के अल्फाज देखने से जाहिर होगा कि यह किसी खास तबके व कौम के लिये महदूद नहीं है. हिन्दुओं के लिये, इसलामी भाइयों के लिये, इसी तरह दीगर कौमों के लिये भी यह कानून मुतअल्लिक होगा. इस लिये यह कहना कि वह किसी खास तबके या कौम के लिये है ठीक नहीं है. इसलिये इन तमाम बातों पर सब साहबान गौर करेंगे ऐसी मुझे उम्मेद है और इस सरकारी सवाल की, यानी बाल विवाह के बंद करने के लिये कानून बनाने की ताईद करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है. उम्र की बाबत जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया यह बात बहस तलब है. ऐसे मुआम्ले में जब शुरूवात की जाती है तो बहुत एहतियात की जरूरत है. मेरी तो यह राय है कि लडकियों के लिये १२ बरस की और लडकों के लिये १८ बरस की उम्र मुकर्रर की जावे. सजा की बाबत भी मेरी यह राय है कि फिलहाल सिर्फ जुर्माने की सजा वाल्दैन पर मुकर्रर की जावे लेकिन यह बातें सब-कमेटी में भी तय हो सकेंगी.

प्रेसीडेन्ट साहब.—साहबान ! इस मसले के ऊपर काफी बहस हो चुकी है. मजलिस की राय बाज साहबान को छोडकर यह जाहिर होती है कि कम उम्र में शादी की रोक के लिये कानून बनाने की जरूरत है. अब सवाल यह है कि इस मसले पर गौर करने के वास्ते एक सब-कमेटी कायम की जाय. चुनांचे आप साहबान सब-कमेटी के लिये मेम्बरान तजवीज करें.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी.—मेरी राय में (१) जगमोहनलाल साहब, (२) नवाब-अली साहब, (३) पुस्तके साहब, (४) बटुकप्रसाद साहब, मेम्बर हों और लॉ मेम्बर साहब सब-कमेटी के सदर हों.

लॉ मेम्बर साहब.—(प्रेसीडेन्ट साहब की तरफ मुखातिब होकर) मेरी राय में जुम्ला मेम्बर साहबान नॉन-ऑफिशियल होना चाहिये.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी.—अब तक जितनी सब-कमेटियां कायम हुई हैं अमल यह रहा है कि मेम्बर गवर्नमेन्ट उनके सदर रहे हैं.

लॉ मेम्बर साहब.—गवर्नमेन्ट मेम्बर सदर रहने की जरूरत नहीं है. कमेटी जो इम्दाद चाहेगी वह महकमे से दी जा सकेगी.

जगमोहनलाल साहब.—मेरे लायक दोस्त सिद्दीकी साहब ने जो नाम तजवीज किये हैं उनके अलावा रामेश्वर शास्त्री साहब और अष्टेवाले साहब भी मेम्बर कमेटी नामजद किये जावें तो मुनासिब होगा और प्रेसीडेन्ट जनाब बाबू मोहनलाल साहब खोसला हों.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि कम उम्र की शादी की रोक के लिये कानून बनाया जाय और कानून का मुसव्वदा तैयार करने और गवर्नमेन्ट की खिदमत में पेश करने के लिये हस्ब जैल साहबान की सब-कमेटी कायम की जायः—

प्रेसीडेन्ट.

१. मोहनलाल साहब खोसला.

मेम्बरान.

२. जगमोहनलाल साहब.
३. बटुकप्रसाद साहब.
४. रामेश्वर शास्त्री साहब.
५. अष्टेवाले साहब.
६. मुफ्ती साहब.
७. शास्त्री साहब.
८. अब्दुलहमीद साहब.
९. अत्रे शास्त्री साहब.
१०. ठाकुर साहब, ढाबलाधीर.
११. टोडरमल साहब.
१२. चीफ मैडिकल ऑफिसर साहब.
१३. चौधरी नवाबअली साहब.
१४. केसरीमल साहब.
१५. पुस्तके साहब.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर २.

लॉ मेम्बर साहब—जनाब वाला ! आपकी इजाजत से मिन-जानिब गवर्नमेन्ट मैं यह तजवीज मजलिस के सामने राय के लिये पेश करता हूं:—

को-ऑपरेटिव बैंक में शख्सी कर्जे को सूद १ रुपया ९ आने माहवार यानी फी सैकडा १८ रुपये १२ आने सालाना और सोसाइटी के कर्जे पर सवा रुपया फी सदी यानी १५ रुपये सालाना सूद काश्तकारान से लिया जाता है. यह अहकाम कानून सूद के खिलाफ हैं. अगर को-ऑपरेटिव में १ रुपया की शरह सूद से ज्यादा सूद वसूल किया जाता है तो साहूकारान व व्योपारियान को भी ज्यादा शरह से काश्तकारान से सूद वसूल करने की रिआयत होनी चाहिये. सवाल यह है कि कानून सूद में काश्तकार और गैर काश्तकार की जो तफरीक रखी गई है क्या वह निकाल दी जावे?

काश्तकार के खिलाफ नालिश दायर होने पर अदालत दीवानी सूद एक रुपये से ज्यादा शरह से नहीं दिलाती, ख्वाह फरीकैन के दरमियान सूद का इकरार कुछ ही क्यों न हो यह पाबन्दी काश्तकारान के protection यानी हिफाजत के लिये रखी गई है और एक अर्से से कायम है. जाब्ता दीवानी, सम्वत १९५३, में भी ऐसी शर्त

थी और इस वक्त कानून सूद में भी यही शर्त है, तजवीज यह है कि Co-operative Credit Societies अपने मेम्बरान से १।) रुपया सूद लेती हैं, और को-ऑपरेटिव बैंक शख्सी कर्जे (individual loans) की हालत में १॥-) की शरह से सूद वसूल करता है, इसलिये काश्तकारान को जो हिफाजत कानून सूद से दी गई है वह हटा ली जावे यानी Co-operative Credit Societies और Co-operative Banks की तरफ से एक रुपया से जायद शरह से सूद वसूल करने की सजा काश्तकारान को दी जावे, जो रिआयत व हिफाजत उनको आज तक दी गई है वह हटा ली जावे और अदालत दीवानी से दो रुपये तक सूद दिलाया जाया करे यानी इस शरह से भी ज्यादा सूद जो Societies और Bank चार्ज करते हैं, Co-operative Societies और Co-operative Banks की तरफ से जो सूद लिया जाता है उसकी नौइयत को देखना लाजमी है. बैंक Societies को एक रुपया शरह सूद पर कर्ज देता है, Societies मेम्बरान से १।) रुपया वसूल करती हैं, इस तरह जायद चार आने जो वसूल होते हैं वह Reserve Fund में शामिल किये जाते हैं. दूसरे अलफाज में जायद सूद Societies की पूंजी (capital) बढाने में मदद देता है और बिल आखिर मेम्बरान इससे मुस्तफीद होते हैं. Agricultural Banks को Co-operative Banks में शामिल करते वक्त शख्सी कर्जे (individual loans) देने का कायदा जारी किया गया, लेकिन उस वक्त तक के लिये कि जब तक Societies की काफी तादाद न बन जावे और जायद शरह सूद १॥-) इस गरज से रखी गई कि जमींदार काश्तकार को Co-operative Societies बनाने की तरगीब हो जैसा कि फायनेन्स डिपार्टमेन्ट के नोटिफिकेशन मतबूआ ग्वालियर गवर्नमेन्ट गजट मुवर्रखे ३० अक्टूबर सन १९२५ ई०, के इस इक्तिबास से जाहिर होगा:—

" सोसाइटीज के काफी तादाद में बनने में कुछ देर लगेगी. इस अर्से में मुमकिन है कि उन लोगों को जो सोसायटी के मेम्बर नहीं हैं, रुपये की जरूरत पडे तो उनको भी कर्जा दिया जायगा; मगर ज्यादा सूद पर यानी हर माह तीन पाई की रुपया के हिसाब से. यह सिर्फ इस ख्याल से जायज रखा गया है कि जो सोसायटी के मेम्बर नहीं हैं उनका काम न रुके; मगर उम्मीद की जाती है कि यह लोग भी जल्द सोसायटी बना लेंगे और कम सूद से फायदा उठायेंगे."

जनाब वाला! मुझे अपने मोअज्जिज दोस्त ऑफिशियेटिंग फायनेन्स मेम्बर साहब से मालूम हुआ है कि अब शख्सी कर्जे का तरीका अनकरीब बन्द किये जाने की तजवीज की जा रही है, क्योंकि सोसायटीज कसरत से कायम हो चुकी हैं. कानून सूद की रू से अदालत एक रुपये से जायद सूद नहीं दिलाती. फिल वाकई काश्तकारान से किस कदर रकम बेरून अदालत वसूल की जाती है, इस पर कानून का कोई असर नहीं है. अलबत्ता जब दावा दायर होता है तो अदालतें एक रुपये से जायद सूद नहीं दिलातीं. मेरी राय में वह हिफाजत जो काश्तकारों को मुद्दत मदीद से दी जारही है उसको हटाने के लिये कोई माकूल वजह मालूम नहीं होती.

अनिरुद्धसहाय साहब.—हुजूर वाला! सवाल यह है कि को-ऑपरेटिव बैंक्स में शख्सी कर्जे पर एक रुपया नौ आना, और सोसाइटी के कर्जे पर सूद १।) रुपया लेने का तरीका रायज है, क्या इसी किस्म की रिआयत ब्योपारियान के साथ भी होना चाहिये; मगर सवाल जिस शक्ल में पेश किया गया है वह यह है कि क्या कानून में जो तफरीक काश्तकार और गैर काश्तकार की रक्खी गई है वह निकाल दी जावे? मेरी नाकिस समझ में इसका यह मतलब आया है कि अगर यह तफरीक निकाल दी जावेगी तो साहूकारान काश्तकारान से २) रुपये तक सूद वसूल करेंगे. को-ऑपरेटिव बैंक इस वक्त १॥-) और १।) लेता है, यह तफरीक निकाल देने से २) रुपये तक सूद वसूल होगा.

को-ऑपरेटिव बैंक में यह उसूल रक्खा गया है कि १॥-) शख्सी कर्जे पर और १।) रुपया सोसाइटी कर्जे पर सूद लेते हैं.

हुजूर वाला ! दरबार मुअल्ला ने काश्तकारान के साथ जो मराआत मल्हूज रक्खे हैं वह स्पेशल हैं और उनसे काश्तकारान की बहुत कुछ तरक्की हो सकती है, जिससे आयन्दा चलकर मुल्क की तरक्की और बेहतरी मकसूद है. मेरे ख्याल में जो तरीका इस वक्त रायज है और इसके बारे में लॉ मेम्बर साहब ने भी इत्तफाक जाहिर किया है, मेरी नाकिस राय में यह शर्त निकाल देने के काबिल नहीं है. अगर दूसरा सवाल भी इसके साथ मिलाकर पढा जाय तो मेरी राय में को-ऑपरेटिव बैंक्स और सोसायटीज ने जो शरह सूद रक्खी है वह भी नाकाबिल बरदाश्त है.

गोविन्दप्रसाद साहब.—रियासत हाजा में काश्तकारान के साथ हमेशा रिआयत सूद की रही है, इसलिये जो रिआयत कि वह हमेशा से पाते रहे हैं उसमें कमी करना मुनासिब नहीं हैं, क्योंकि हर काश्तकारी पेशे का दारोमदार उसकी मेहनत पर है और वह मेहनत व जफाकशी से जो गल्ला पैदा करते हैं उससे तिजारत पेशा व साहूकारान फायदा उठाते हैं. काश्तकारान से को-ऑपरेटिव बैंक को भी सूद १) रुपया सैकडा से जायद नहीं लेना चाहिये, इसके मुतअल्लिक सवाल गुजिश्ता मजलिस आम में रक्खा गया था जिस पर से सब कमेटी मुकर्रर हो चुकी है. वह सब-कमेटी की रिपोर्ट पेश होने पर फैसल होगा. इस वक्त काश्तकारान के मफाद को मद्देनजर रखते हुए मैं इस सवाल की मुखालफत करता हूं.

बटुक प्रसाद साहब.—हुजूरआली ! इस सवाल का जुज्व अव्वल तमहीदी है, और दर असल सवाल असली जुज्व आखरी है, और वह यह है कि कानून सूद रायजुलवक्त में जो तफरीक काश्तकार व गैर काश्तकार की रखी गई है क्या वह निकाल देनी चाहिये ?

मेरा भी जवाब इस सवाल की निस्बत नफी में है यानी मेरी यह राय है कि जो तफरीक काश्तकार व गैर काश्तकार की मुतअल्लिक अदायगी सूद कानून सूद, संवत १९७४, में रखी गई है, उसके निकाल देने की जरूरत नहीं है.

यह अम्र पोशीदा नहीं है कि काश्तकारान की हालत गरीबी बहुत कुछ बढी हुई है और बावजूद इसके कि वह अपनी मेहनत शबाना रोज से पैदावार गल्ले की करते हैं, मगर फिर भी दूसरी जरूरियात जिन्दगी पेश होने और उन अशियाय के गिरां होने की वजह से उनकी पैदावार की कीमत बाद अदायगी लगान वगैरा जो बचती है वह उनकी जरूरियात के लिये नाकाफी होती है. और मजबूरन उनको मकरूज होने के सिवाय कोई दूसरा चाराकार बाकी नहीं रहता. पस जबकि ऐसी गरीब जमाअत जिसकी मर्दुमशुमारी औसतन सब से ज्यादा यानी सत्तर फी सदी से ज्यादा रियासत हाजा में है, इस हालत बेकारी में है तो उसके साथ शरह सूद में गवर्नमेन्ट की जानिब से रिआयत न किया जाना एक गैर मुनसिफाना अमल होगा, जिसको खुद गवर्नमेन्ट ने महसूस फरमाया है, और संवत १९७४, में जो कानून सूद गवर्नमेन्ट की जानिब से वजा फरमाया गया है, उसमें यह तफरीक अमदन इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर कायम की गई है और कोई वजह नजर नहीं आती कि उस तफरीक को उठा दिया जावे, खुसूसन ऐसी सूरत में जब कि इस अर्से में, जो बाद निफाज कानून सूद ता हाल गुजरा है कोई फर्क काश्तकारी पेशा लोगों की हालत में मुफलिसी पीछा छुटने का नजर नहीं आता है.

सवाल जेर बेहस के मुतअल्लिक़ गौर करते वक्त एक अम्र यह भी देखने के काबिल है कि क्या तफरीक कानून सूद न हटाने में यानी जो रिआयत काश्तकारान को दीगई है उसको वापिस लेने में मुफलिस काश्तकारान के नुक्सान के मुकाबले में साहूकारान दादसितद पेशा का कोई बड़ा नुक्सान है? इसके मुतअल्लिक भी मेरा जवाब नफी में है और मेरा यह ख्याल है कि साहूकारान दादसितद पेशा का कोई ऐसा नुक्सान नहीं है, क्योंकि उनको यह मालूम है कि हमारे लेनदैन के व्योपार में जब ही फायदा है जबकि हमारी आसामी कर्जा अदा करने के काबिल है, वर्ना चाहे उसका कर्जा असल रकम का हो, या कितने ही सूद का मिला हुआ हो उनको कुछ वसूल नहीं हो सकता है.

इसके अलावा साहूकारों को ब मुकाबले कर्जे को-ऑपरेटिव बैंक्स अपने कर्जे की वसूली में रुकावट है, क्योंकि कानून को-ऑपरेटिव बैंक्स के मुताबिक कर्जे सरकारी यानी कर्जे को-ऑपरेटिव बैंक्स को दूसरे कर्जों पर तरजीह हासिल है और इस तौर पर भी कानून सूद में की तफरीक काश्तकार व गैर काश्तकार की निकाल देने से साहूकारों को कोई फायदा नहीं है.

अलगरज नतीजा तमाम इस मेरे अर्ज करने का यह है कि मौजूदा कानून सूद से तफरीक काश्तकार व गैर काश्तकार निकाल देने की मुतलकन जरूरत नहीं है.

वाटवे साहब.—हुजूर आली! इस सवाल का जुज अव्वल तमहीदी है और दरअसल सवाल यह है कि कानून सूद रायजुल वक्त में जो तफरीक "काश्तकार" व "गैर काश्तकार" की रक्खी गई है वह निकाली जाय या नहीं. मेरा जो जवाब इस सवाल के मुतअल्लिक नफी में है यानी जो तफरीक "काश्तकार" और "गैर काश्तकार" में मुतअल्लिक अदायगी सूद, कानून सूद, सम्वत १९७४ में रक्खी गई है उसको निकालने की कतई जरूरत नहीं है. इसके मुतअल्लिक तकरीर करते हुए लॉ मेम्बर साहब ने यह मुकाबला फरमाया है कि काश्तकारान से जो सूद लिया जाता है वह गैर काश्तकारान के मुकाबले में कम है. इसके अलावा मैं एक दो बातें और अर्ज करना चाहता हूं. यह अम्र आप साहबान से पोशीदा नहीं कि काश्तकारान की हालत गरीबी बहुत कुछ बढी हुई है और बावजूद इसके कि वह शबाना रोज महनत करते हैं, बसर औकात भी उनकी अच्छी तरह नहीं होती. दीगर चीजों की कीमतें ऐसी बढती जा रही हैं कि बाद अदाय लगान जो कुछ उनके पास बच रहता है वह उनकी गुजर के लिये काफी नहीं होता और उनके लिये कोई दूसरा जर्या मआश भी नहीं. हमारे यहां ज्यादातर काश्तकारी पेशा लोग हैं और इनकी तादाद सत्तर फी सदी तक पहुंचती है. एक ऐसी बड़ी जमाअत जो इस तरह की बेकसी की हालत में है तो गवर्नमेन्ट की जानिब से उनके साथ रिआयत होना ही, इन्साफाना तरीक है. और गवर्नमेन्ट ने इस बात को महसूस करके जो कानून सूद बनाया है उसमें यह तफरीक महज इसी वजह से रक्खी गई है.

इस कानून को बना हुए आज १० साल होगये, लेकिन इस जमाने में कोई फर्क काश्तकारान की हालत में मालूम नहीं होता. अब इस किस्म का सवाल पैदा होने की जरूरत क्या है. यह तो तमहीद से जाहिर है कि गुजिश्ता साल भी यह सवाल पैदा हुआ था. इस वक्त इस अम्र के मुतअल्लिक मुकाबलतन यह देखने की जरूरत नहीं है कि यह शरह सूद कम है या ज्यादा, यह सब-कमेटी गौर करेगी. यहां तो गवर्नमेन्ट को यह देखना है कि काश्तकार और गैर काश्तकार की जो तफरीक कानून में रक्खी गई है वह निकाल दी जावे या क्या? इसका जवाब मैं ऊपर अर्ज कर चुका हूं कि जो कानून बन चुका है वह बजिन्स रक्खा जावे, उसमें किसी तरमीम की जरूरत नहीं.

साहबान ! जो लोग मकरूज हैं उनके लिये सूद एक किस्म से नुक्सान पहुंचाने वाली बात है. ऐसी हालत में यह जो रिआयत काश्तकारान को बलिहाज उनकी गरीबी के दीगई है वह निकाल लेने का सवाल आना ही नहीं चाहिये. जबकि हम उनको और किसी तरह फायदा नहीं पहुंचा सकते, दूसरे लोग सूद ज्यादा लेते हैं यह देखकर जो रिआयत इनको दरबार ने दी है वह उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ने जो सूद बढाया है उसके मुताल्लिक लॉ मेम्बर साहब ने यह पहले ही बतला दिया है कि उन्होंने अपनी पूंजी और फंड बढाने के लिये यह शरह सूद कर रक्खी है. इस किस्म का फायदा यानी पूंजी और फंड बढाने का सवाल साहूकारान के लिये पैदा ही नहीं होता. काश्तकारान की हालत गरीबी रोशन है. सवाल यह होना चाहिये था कि काश्तकारान के लिये सूद और कम कर दिया जावे या क्या ? इस सवाल के रखने से यह मतलब निकलता है कि उन पर जो मेहरबानी दरबार ने फरमाई है वह निकाल ली जावे. मेरी समझ में इस सवाल का मतलब नहीं आता. गरज मेरे कहने की यह है कि जो रिआयत दरबार ने उनको दी है वह कायम रहना चाहिये.

गोरेलाल साहब.—हुजूर वाला, को-ऑपरेटिव में सरकारी सूद १॥-) माहवार फी सदी यानी १८॥।) सालाना और सोसाइटी के कर्जे पर १।) यानी १५) रु० सालाना सूद काश्तकारान से लिया जाता है यह अहकाम कानून सूद के खिलाफ हैं तो ऐसी हालत में साहूकारान व व्योपारियान को भी काश्तकारान से सूद वसूली की रिआयत होना चाहिये. सवाल सिर्फ यह है कि कानून सूद में काश्तकार और गैर काश्तकार की जो तफरीक रखी गई है वह निकाल दी जावे. काश्तकारों की परवरिश करना हमेशा गवर्नमेन्ट का फर्ज है, इसलिये माधवराव साहब पंवार की राय से मुझे इत्तफाक है.

लक्ष्मीप्रसाद साहब.—हुजूर वाला ! सवाल यह है कि काश्तकारान और गैर काश्तकारान की क्या तफरीक रखी जावे. काश्तकारान से साहूकारान को १) रु० सूद दिलाया जाता है और बैंक को १।) दिलाया जाता है इस तरह ।) ज्यादा लिया जाता है. बजाहिर होना यह चाहिये कि शरह सूद महकमे को-ऑपरेटिव बैंक भी वही रखे जो साहूकारान के लिये कानूनन जायज रखा गया है, और चूंकि साहूकारान को १) रु० शरह सूद से जायद वसूल करने की कानूनन इजाजत नहीं है इसलिये यह ऐतराज पैदा होता है कि गवर्नमेन्ट ने अपने फायदे की गरज से शरह सूद बढा दी है. हालांकि हकीकत यह है कि को-ऑपरेटिव बैंक का उसूल यह रखा गया है कि सोसाइटीज को इब्तदा में बैंक की तरफ से १) रुपया सूद पर रुपया दिया जावे व वह अपने मेम्बर्स को १।) रु० सूद पर देवे व ।) जो जायद लिये जावेंगे वह सोसाइटी के रिजर्व फन्ड में जमा होकर उसकी पूंजी बने, और आगे चलकर उस फन्ड की रकम इकट्ठा होते होते इतनी हो जावे कि सोसाइटी खुद इस काबिल हो जावे कि अपने इसी रुपये को काश्तकारान पर बतौर कर्ज के तक्सीम कर सके और गवर्नमेन्ट के बार से सुबुकदोश हो जावे; लिहाजा जो कुछ सूद वगैरा लिया जाना ज्यादा मालूम पडता है वह सोसाइटीज ही के लिये मुफीद है. वह उन्हीं की रकम है, इसमें गवर्नमेन्ट व बैंक का कुछ नहीं है. वह सिर्फ इस शक्ल में उनसे वसूल करके जमा करदी जाती है. ऐसी सूरत में किसी तरमीम की जरूरत नहीं है, जो है वह ठीक है.

बन्सीधर साहब.—हुजूर वाला ! कानून में काश्तकारान और गैर काश्तकारान की तफरीक है. जब सरकार काश्तकार से १।) सूद वसूल करती है तो साहूकार को १।) सूद क्यों न दिलाया जावे. काश्तकार और गैर काश्तकार की तफरीक जो है वह निकाल दी जावे और कानून में से

काश्तकार का लफ्ज निकाल दिया जावे और सोसायटी में से १।) का सूद निकाल दिया जावे.

नोट:—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि कानून सूद में जो काश्तकार व गैर काश्तकार की तफरीक रखी गई है वह न निकाली जावे.

फर्द नम्बर १, तजवीज नम्बर ३.

लॉ मेम्बर साहब.—आपकी इजाजत से गवर्नमेन्ट की तरफ से यह तजवीज इस मजलिस के सामने पेश करता हूं:—

कानून माल की दफा ४३३ की रू से गल्ले पर सूद बशक्ल अजनास असल के दुचन्द (यानी मय असल के सेहचन्द) तक दिलाया जा सकता है, हालांकि जरे नक्द पर सूद उसूल दाम दुपट के मुताबिक असल रकम के बराबर तक दिलाया जा सकता है.

गल्ले पर सूद दिलाये जाने की निस्बत यह तजवीज पेश हुई है कि सूद बशक्ल अजनास की मिकदार मय असल के दुचन्द से ज्यादा न होना चाहिये.

इस अम्र के मुतअल्लिक राय दरकार है कि क्या यह तजवीज मंजूर किये जाने के काबिल है.

यही कायदा कानून दीवानी में भी मौजूद है. अगर मजलिस की राय में यह तजवीज काबिल मंजूरी होगी तो कानून सूद की दफा ९ की भी तरमीम करना लाजिम आवेगा; क्योंकि कानूनमाल व कानून दीवानी के यह एहकाम एक ही उसूल पर मबनी हैं.

जनाब वाला! जरे नक्द की सूरत में दाम दुपट का कायदा इस उसूल पर मबनी है कि असल पर सूद बन्द हो जाने से कर्जख्वाह को वसूली कर्जा की खुद फिक्र पैदा हो और वह कर्जा जल्दी वसूल करे और कर्जदार पर उसके तसाहुल या लापरवाही से सूद का बोझ न पडने पावे.

कर्जा जरे नक्द की सूरत में असल के बराबर सूद हो जाने पर और जिन्स की सूरत में असल के दुचन्द के बराबर हो जाने पर सूद बन्द हो जाता है.

गल्ले की सूरत में तिपट का कायदा अगलबन हर साल फसल की गैर मुअय्यन हालत और कर्जा देते वक्त और उसके वाजिबुल अदा होने के वक्त की कीमत का लिहाज करके रक्खा गया है. जब खाद व बीज के लिये कर्जा दिया जाता है उस वक्त गल्ले की कीमत ज्यादा होती है, बमुकाबले उसके वाजिबुल अदा होने के वक्त कम होती है. आम तौर पर कर्जख्वाह सूद बन्द हो जाने पर कर्जे की वसूली के लिये कार्रवाई करता है इसलिये अजनास की हालत में ज्यादा रिआयत रखी गई है यह रिआयत ज्यादा मकरूज के फायदे के लिये है.

मेरी राय में मुद्दत मदीद के अमल के तरमीम करने की जरूरत नहीं. अगर मजलिस की राय में यह करार पावे कि यह कायदा तरमीम होकर अजनास की हालत में दाम दुपट का उसूल मुतअल्लिक किया जावे तो मुझे उससे भी मुखालिफत न होगी, क्योंकि यह पाबन्दी मसनूई है. होशियार कर्जख्वाह या तो कर्ज नहीं देगा या सूद बन्द होने के पेश्तर वसूल कर लेगा.

हीरालाल साहब.—हुजूर वाला, जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया कि जो कानून मौजूद है वही कायम रखा जावे इससे मुझ को भी इत्तफाक है. मैं साथ ही साथ दरबार का एक हवाला पेश करता हूं. रिसाला कानून नवम्बर सन १९२४ में महाराजा साहब मरहूम ने मुफस्सिल जिक्र फरमाया है जिसका इजहार मुख्तसरन करना गैर जरूरी न होगा यानी काश्तकारान को जो कर्ज दिया जाता है उसकी security बहुत scanty and flimsy होती है ऐसी हालत में साहूकारान कुछ risk लेते हैं और increased risk की वजह से यह शरह कायम रखी गई है; लिहाजा उस पर नजर डालते हुए मुझ को भी इस प्रपोजल (proposal) से इत्तफाक नहीं है.

गोविन्दप्रसाद साहब.—हुजूर आली, यह तजवीज मेरी राय में काबिल मंजूरी नहीं है. दाम दुपट का कायदा जेर नकद के लिये है मगर गल्ले के लिये यह इस वजह से लागू नहीं हो सकता कि जब गल्ला काश्तकार कर्ज लेता है उस वक्त बोनी का जमाना होता है, और बीज के लिये ही अक्सर गल्ला कर्ज लिया जाता है और उसकी वापसी का वक्त होता है तब और फसल आजाती है. यह बात तजुर्बे से साबित है कि बोनी के जमाने में गल्ले का निर्ख गिरां होता है और फसल आजाने पर उसी गल्ले का निर्ख बोनी के वक्त से करीब २ डयोढा या उससे कुछ जायद हो जाता है. ऐसी हालत में अगर जरे नक्द का मुकाबला किया जाय तो गल्ला सेहचंद व जर नक्द दुचन्द का औसत करीब २ बराबर ही रहेगा; मस्लन १० सेर चना बोनी के लिये कर्ज लिया गया उस वक्त चने का निर्ख १० सेर फी रुपया था और जब काश्तकार की फसल आई उस वक्त अगर ब कौल दाम दुपट २० सेर चना दिलाया गया और फसल आने पर चने का भाव २० सेर है तो १ रुपये के ही चने वसूल हुवे. ऐसी हालत में सूद कुछ नहीं मिल सकता और बिला सूद के कोई शख्स गल्ला देने को तैयार नहीं होता और काश्तकारान को दिक्कतें पेश आवेंगी, इसलिये कानून माल की दफा ४३३ में मौजूदा प्रॉविजन दुरुस्त है.

केसरीचन्द साहब.—मैं भी आपकी ताईद करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस तजवीज के मुतअल्लिक यह राय मालूम होती है कि जो कानून जारी है वह ही कायम रखा जाय.

नोट:—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि मौजूदा कानून में किसी तरमीम की जरूरत नहीं है.

फर्द नंबर १, सवाल नंबर ४.

एड्यूकेशन मेम्बर साहब.—हुजूर वाला! जनाब की इजाजत से मैं रूबरू मजलिस मिन-जानिब गवर्नमेन्ट इस सवाल को पेश करना चाहता हूं. सवाल यह है कि:—

तालाबों नहरों और उनकी शाखों से अक्सर झिराव का पानी काश्तकारान के खेतों में पहुंचता है और बनिस्बत खाकी रकबे के ऐसे खेतों का पैदावार अच्छा होता है. लिहाजा सवाल यह है कि ऐसे रकबे पर आबियाना क्यों चार्ज न किया जावे, और अगर चार्ज किया जाय तो कितना ?

यह सवाल गवर्नमेन्ट की जानिब से इस वजह से पेश किया जारहा है कि सम्वत १९७७ की जो जमींदारी कॉन्फरेंस हुई थी उसमें जमींदारों की जानिब से एक उज्र पेश किया गया था कि तालाबों से पानी झिरकर खेतों में पहुंचता है, उसपर बतरीक तोड ½ आबयाना वसूल किया जाता है. कानून आबपाशी में साफ हिदायत न होते हुए यह क्यों वसूल किया जाता है. सीगे आबपाशी का कहना था कि झिराव के पानी से जमीन की हैसियत बढती है. दरबार से यह हुक्म नाफिज हुआ कि रेवेन्यू मेम्बर साहब व फायनेन्स मेम्बर साहब जांच करके रिपोर्ट पेश करें. इन दोनों साहिबान ने बाद जांच अपनी रिपोर्ट दरबार मुअल्ला की खिदमत में पेश की कि एक ही किस्म आराजी के खेत खाकी की व नीज झिराव का पानी मिलने वाले खेत की जमीन इन दोनों की हैसियत पैदावार में बहुत कुछ फर्क रहता है यहां तक कि अव्वल के मुकाबले में दूसरे में दुगनी पैदावार होती है. ऐसी हालत में ½ शरह आबयाना ऐसे खेतों पर कि जिन्हें झिराव के पानी का फायदा पहुंचे वसूल होना मुनासिब है, अलबत्ता झिराव का फायदा १,००० फीट से ज्यादा फासले पर नहीं पहुंचता. यह मालूम करने के लिये कि पब्लिक ओपीनियन अंदरीं बाब क्या है यह सवाल आपके रूबरू पेश किया गया है. अब इसके मुतअल्लिक दो रायें होना मुमकिन है यह यह हैं कि आबयाना चार्ज करना ठीक है या आबयाना चार्ज करना ठीक नहीं है. मामूली खेतों के मुकाबले में झिराव का पानी पहुंचने वाले में दूनी पैदावार होती है. अगर झिराव के पानी से हैसियत पैदावार जमीन बढती है तो उसका मुआवजा मिलना चाहिये, यानी पानी की कीमत बशक्ल आबयाना ऐसी शरह से जो मुनासिब समझी जावे जरूर वसूल होना चाहिये. अगर आबयाना की तौर पर कुछ वसूल होना करार न पावे तो उसका लाजमी नतीजा यह होगा कि बन्दोबस्त के मौके पर ऐसी जमीन दीगर जमीन के मुकाबले में आला किस्म से शुमार होगी और लगान उस पर बढ जायगा. इसमें नुकसान यह होगा कि आयन्दा बन्दोबस्त होने तक लगान वही कायम रहेगा चाहे पानी आयन्दा झिरे या न झिरे, और अगर आबयाना लगाया गया तो जब कभी पानी का झिरना बन्द हो जावेगा तो आबियाना महसूल पानी वसूल करना भी उसी वक्त बंद कर देना ना मुमकिन होगा. महकमे आबपाशी का यह कहना है कि सरकार ने लाखों रुपया लगाकर पानी को रोका है और बन्द बांधे इससे जिन काश्तकारान की जमीन को बजर्ये झिराव फायदा पहुंचता है उसके मुआवजे में आबियाना क्यों न वसूल किया जावे.

दूसरे यह सवाल भी आपके काबिल गौर है कि बन्दोबस्त में अलावा अकसाम जमीन के जुम्ला दीगर बातों का जिनका पैदावार खेत पर असर पडता हो ख्याल किया जाता है, मसलन अगर किसी खेत का पानी के झिरपने की वजह से फायदा पहुंचता हो तो लगान के कायम करने में इस वाके का लिहाज किया जायगा. बरअक्स इसके अगर पानी के जमा होने से नुकसान पहुंचता हो तो इसका भी लिहाज किया जायगा, मगर नहरों के झिरपने से जिन खेतों को फायदा पहुंचना पाया जावे उनपर जो लगान कायम किया जायगा वह आयन्दा बन्दोबस्त तक कायम रहेगा; मगर ऐसे खेतों की निस्बत अगर आबयाना कायम किया जाकर दिया जायगा तो उसमें यह फायदा है कि वह तब ही तक कायम रहेगा जब तक कि झिरप कायम रहेगा. मस्लन झिरपन इस वक्त तो मौजूद है, मगर यह नहीं कहा जा सकता कि हमेशा ऐसा ही कायम बना रहेगा. झिरपने की वजह से जमीन की कीमत बढती है और इसी तरह लगान में भी इजाफा होता है, लिहाजा मुझे उम्मेद है कि इन वाकेआत पर गौर करते हुए अपनी राय कायम फरमावेंगे.

देवलाल साहब.—हुजूर आली! इससे नुक्सान भी होता है और कभी फायदा भी होता है. कभी वक्त पर यानी जब जरूरत होती है उस वक्त पानी नहीं मिलता और जब जरूरत नहीं होती

उस वक्त पानी आता है, मस्तूरा परगने में एक फाळके साहब का ताल है जिससे कोई फायदा नहीं पहुंचता. कभी वक्त पर पानी नहीं मिलता. मेरी राय में ऐसे गैर मुस्तकिल जरीये आबपाशी पर कोई आबयाना न लिया जावे.

प्रहलाद सिंह साहब.—मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूं.

लल्लूराम साहब.—मैं आपकी ताईद करता हूं.

कन्हैयालाल साहब.—मुझे भी इत्तफाक है.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—मेरे ख्याल में इस सवाल में कुछ गलत फेहमी हो रही है जिसको मैं रफा करना चाहता हूं. जिन खेतों का ताल के झिरपने से नुक्सान होता है उनकी निस्बत यह सवाल नहीं है या जिनमें पानी जमा रहने से काबिल काश्त नहीं रहते हैं उनके मुतअल्लिक यह सवाल नहीं है. सिर्फ ऐसे लोगों के निस्बत है जिनकी पैदावार में पानी झिरपने की वजह से वाकई फायदा पहुंचा हो. सिर्फ ऐसी ही आराजी की निस्बत आवयाना लिया जाना चाहिये या नहीं और लिया जाय तो किस तरह से. आप लोगों की राय दरयाफ्त तलब है. आम तौर प रआपकी राय एक पब्लिक ओपीनियन का index मानी जा सकती है.

आनिरुद्धसहाय साहब.—हुजूर आली ! सवाल का मन्शा यह है कि इत्तफाकिया या कुदरती तौर से पानी का रुझान एक ऐसी तरफ को हो जाय जिससे काश्त को फायदा पहुंच जाय तो उससे आबियाना क्यों न चार्ज किया जावे ? फायदे का पहुंच जाना यह एक इत्तफाकिया अमर है. इत्तफाकिया तौर से फायदा पहुंच जाने पर उससे आबयाना लेने की जरूरत नहीं है. दरअसल नहरों या तालाबों को मंजिले मक़सूद तक ले जाना यह जाती फेल है. इत्तफाकिया अम्र के मुतअल्लिक किसी को फायदा पहुंच जाय और उस पर आबयाना चार्ज कर लिया जावे यह बात गैर वाजिब है. झिरपने का पानी जो कहा जाता है वह ऐसा पानी है जो कुदरती है और उसका जिस तरफ रुजहान पैदा हो जाता है उधर ही के खेतों को फायदा या नुक्सान पहुंच जाता है.

गुलाबसिंह साहब.—मैं आपकी ताईद करता हूं.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर आली ! इस सवाल की मुखालफत करता हुआ मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं. एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने बंदोबस्त के वक्त हैसियत आराजी बढ जाने से इजाफा होने की दलील पेश की है उसकी तीन शक्लें हो सकती हैं:—

पहिली शक्ल यह हो सकती है कि जिस मौजे की आराजी में इस किस्म के पानी का सवाल हो वहां सेटिलमेन्ट खत्म हो चुका और २०-२२ साल के अन्दर काश्तकार के आराजी की हैसियत में इजाफा हुआ तो पट्टों की शरायत को देखते हुए गवर्नमेन्ट को यह हक नहीं है कि मालगुजारी में कुछ इजाफा करे. दूसरी सूरत यह हो सकती है कि जहां जदीद तौर से सेटिलमेन्ट शुरू होरहा वहां हाकिमान बन्दोबस्त ने देखा कि इस काश्तकार की आराजी की हैसियत ऐसी है कि जिसमें इजाफा लगान की जरूरत है तो सेटिलमेन्ट के उसूल या नुक्ते ख्याल को मद्दे नजर रखते हुए लगान की शरह में अगर इजाफा किया जावे तो उस वक्त काश्तकारान को शिकायत का मौका नहीं हो सकता. तीसरी सूरत यह है कि आराजी का बन्दोबस्त किया गया और उस बन्दोबस्त का कुछ जमाना गुजरने के बाद अगर १०-५ साल की मुद्दत बाकी रही और आराजी मजकूर की हैसियत बवजह आब-पाशी वगैरा बढ गई तो उस थोडे जमाने में इजाफा शरह लगान का बार काश्तकार व जमींदार

पर गवर्नमेन्ट नहीं डाल सकती है. इसमें तो शक नहीं कि महकमा आबपाशी ने अपने खिसारे की वजह से व इजाफा आमदनी के लिहाज से मुआम्ला दरबार में पेश किया होगा. इसमें एक जनरल बात जो मेरी नजरों में खटक रही है वह मैं जाहिर करना चाहता हूं. हुजूर आली से मैं यह इल्तजा करूंगा कि हुजूर इस तरफ गौर फरमावें कि दरबार या कौन्सिल की नजर ऐसी छोटी बातों पर नहीं होना चाहिये. मेरा मकान एक तालाब के किनारे पर है और उस मकान में खिडकियां हैं और उन खिडकियों के जर्ये से तालाब की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आती है; तो इस वजह से मुझ पर टेक्स कायम कर दिया जावे या तालाब के करीब कुवा है और उस कुवे में तालाब का पानी झिर कर आता है तो उस पर टैक्स लिया जावे, ऐसा करना कहां तक मुनासिब होगा. इसलिये मैं हुजूर से गुजारिश करूंगा कि यह बहुत छोटीसी बात है, इसमें ज्यादा फायदा दरबार का नहीं है; लेकिन रिआया का ख्याल यह होगा कि छोटीसी बातों पर इस कदर ख्याल करके कुछ न कुछ फायदा उठाने की नजर दरबार की है. इसलिये हुजूर आली, मैं इल्तजा करता हूं कि जिस तरह हम लोग बहुत से सवालात गवर्नमेन्ट का जवाब सुनकर वापिस ले लेते हैं इसी तरह यह सवाल भी वापिस ले लिया जावे और मजीद बहस न की जावे.

मिट्ठनलाल साहब.—मैं जगमोहनलाल साहब की राय से इत्तफाक करता हूं.

केशवराव बापूजी साहब—मुझे भी इत्तफाक है.

सूवालाल साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—झिराव के रुकने पर आबयाना न लिया जावे यह मजलिस की राय मालूम होती है; लिहाजा इसके मुतअल्लिक कौन्सिल में सिफारिश की जावेगी. इस वक्त यह सवाल drop किया जाता है.

नोट:—सवाल drop किया गया.

[तीन बजे मजलिस adjourn की गई. मेम्बर साहबान को रिफरेशमेन्ट दिये जाने के बाद मजलिस का काम साडे तीन बजे फिर शुरू हुआ].

सवालात मुन्दर्जा जमीमा नम्बर १ एजेन्डा मजलिस आम के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट की जानिब से मुन्दर्जे जैल कैफियत जाहिर की गई:—

लॉ मेम्बर साहब.—एजेन्डा के जमीमा नंबर १ की तजवीज नंबर १ यह है कि "हर जिले के काश्तकारान का मुन्तखिबशुदा नुमायन्दा मजलिस आम में इजाफा किया जावे". मजलिस की वाकफियत के लिये जाहिर करता हूं कि कौन्सिल आलिया ने इस तजवीज के उसूल को तसलीम कर लिया है. इस तजवीज को अमली जामा पहनाने के लिये सरेदस्त इसकी इब्तदाई बुनियाद इस तरीक पर डालदी है कि हर परगना बोर्ड में काश्तकारों के दो दो नुमायन्दे रखे जावेंगे और उनमें से मुन्तखिब करके जिला बोर्ड में चार नुमायन्दे रखे जावेंगे. कुछ अर्से के बाद इस पर गौर किया जावेगा कि उनमें से मुन्तखिब करके मजलिस आम में कोई नुमायन्दा शामिल किया जावे. मुतअल्लिक तजवीज नंबर २ यह जाहिर किया जाता है कि कौन्सिल आलिया ने वुकला के महनताने में इजाफा कर दिया है और इसके मुतअल्लिक कानून आम में तरमीम करदी गई है जो गजट, मुवर्रखे २८ जनवरी सन १९२८ ई०, में छप चुकी है.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १४.

प्रेसीडेन्ट साहब.—श्यामराव साहब देशमुख, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

श्यामराव साहब देशमुख.—मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कानून माल, सम्वत १९८३, की दफा ३१७ में काश्तकार की बेदखली का तरीका तो बतलाया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि काश्तकार किस तारीख से आराजी से बेदखल होगा, जैसे कि साबिका कानून माल की दफा १५५ में तारीख यकुम जून दर्ज थी. चूंकि साल आयन्दा की काश्त के लिये जमीन की तैयारी का काम उमूमन माह बैसाख यानी माह अप्रेल से शुरू हो जाता है, इसलिये दफा मजकूर में यह इजाफा फरमाया जावे कि काश्तकार नोटिस की तामील में १५ अप्रेल से बेदखल होगा, क्योंकि यकुम जून से बेदखल होने पर उस आराजी की दुरुस्ती व तैयारी ठीक नहीं हो सकती.

बागरीवाले साहब—मैं ताईद करता हूं.

ईश्वरीसिंह साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

रामराव गोपाल साहब.—मैं भी ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—हुजूर वाला! यह वाकआ है कि कानून माल जदीद में दखलयाबी की कार्रवाई किस माह में होगी. इसकी साफ तशरीह नहीं की गई है, लेकिन दफा ३१७ व ३२१ को मिलाकर पढने से यह पता चलता है कि "अंदर मियाद यकुम जून" यह अलफाज जो दफा ३२१ में आये हुए हैं उनसे यही मन्शा है कि दखलयाबी की कार्रवाई ३१ मई के बाद यकुम जून तक होगी. बहरहाल इसकी तशरीह साफ तौर पर कानून में होना जरूरी है. साबिक कानून में यह तशरीह थी, जदीद कानून में यह फिकरा सहव से रह गया. अब यह तजवीज पेश की गई है कि बजाय यकुम जून के १५ अप्रेल कायम की जावे. यह सवाल ऐसा है कि काश्तकारान व जमींदारान को जिसमें सहूलियत हो उसे गवर्नमेन्ट को एडाप्ट (adopt) करने में कोई उज्र नहीं है. पहिले कानून में मई अखीर थी जो सम्वत १९६० से शुरू सम्वत १९८३ तक जारी रहा. इस जमाने में कोई तरमीम वगैरा के मुतअल्लिक न काश्तकारान न जमींदारान की जानिब से कोई सिफारिश हुई, इसकी वजह यह है कि बहुत से मुकामात पर १५ अप्रेल तक फसल दिरो नहीं होती है. रब्बी की फसल में खाकी यानी बारानी काश्त के अलावा आबपाशी की भी होती है और जायद काश्त भी हुआ करती है और फसल आबपाशी रब्बी व जायद मई के महीने में दिरो हो जाती है. इसी लिहाज से कानून में यह मियाद रखदी गई है. कानून तो ऐसा होना चाहिये जो सब के लिये सुभीते का हो, इसलिये मजलिस गौर करे कि दखलयाबी के लिये किस मियाद में जमींदारान व काश्तकारान के लिये सहूलियत है गवर्नमेन्ट को उसके इख्तियार करने में कोई ऐतराज न होगा.

बाटवे साहब.—हुजूर वाला, पहिला जो कानून सम्वत १९६१ का है उसमें यकुम जून रखी गई है वह बिलकुल मुनासिब थी. जो सहव बतलाई गई है वह इस तरह दुरुस्त हो सकती है कि

यकुम जून तारीख बेदखली कायम करदी जावे. १५ अप्रेल को काश्तकार के बेदखल करने में इनको बडी मुसीबतें हैं. मैंने जो सवाल नंबर १३ के बारे में गुजारिश किया है वह इस सवाल से भी लागू है. आबपाशी जिस जमीन में होती है वह खेत भी १५ अप्रेल तक खाली नहीं होते हैं, जैसा कि मेम्बर साहब ने फरमाया है, १५ अप्रेल को काश्तकार को बेदखल करना ठीक न होगा. १५ अप्रेल की तारीख कायम करने में काश्तकार को तकलीफ होगी, बल्कि दूसरे काश्तकार को जमीन काश्त के लिये दीगई तो उसको भी बवजह कम रहने वक्त काश्त करने में दिक्कत होगी. मालवे के तजुर्बे से मैं यह गुजारिश करता हूं कि १५ अप्रेल को अगर काश्तकार बेदखल कर दिया गया और दूसरे को काश्त के लिये जमीन दीगई तब भी उसमें काश्त नहीं हो सकती है यानी १५ मई तक उसमें काश्तकारी का ऑप्रेशन बिलकुल नहीं होता, बखर जो चलाया जाता है पानी बरसने के बाद अच्छी तरह लगता है और उसी वक्त काश्त का ऑप्रेशन शुरू होता है. मालवे में बारिश की कसरत होती है किल्लत नहीं होती है. ऐसी हालत में बखर चलना चाहिये वर्ना वह जमीन तैयार नहीं होगी. अक्षयतृतीया का मुहूर्त पहिले किया जाता है, जब ही से काश्तकारी के काम में शुरूआत की जाती है. इस मुहूर्त में महज जमीन तैयार की जाती है. १५ अप्रेल से काश्तकार को बेदखल करने से जमींदार व काश्तकार को फायदा नहीं पहुंचेगा. यकुम जून जो रखा गया है उन दिनों में हवा में पानी की नमी जरूर पैदा हो जाती है, बखर लग जाते हैं. यकुम जून जो रखा गया है वह ठीक है जैसा कि सम्वत १९६१ के कायदे में था.

निगुडकर साहब.—हुजूर आली! गरमी के दिनों में फसल काटने के बाद जो खेत की मशायत (जोत) की जाती है उसका मकसद moisture consume करने का नहीं होता, बल्कि पैरीनियल वीडस (perennial weeds) कांस, कुदा, दूब वगैरा निकालने का होता है. अगर काश्तकार एक जून को बेदखल हुआ तो hot weather cultivation से जो फायदा होना चाहिये वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि खेत जोतने के बाद कम अज कम १५ दिन पानी नहीं बरसना चाहिये, लेकिन १ जून के बाद पानी १५ दिन के अन्दर ही बरसना शुरू हो जाता है जिससे पेरिनियल वीड्स, जिसके वास्ते गरमी में खेत की जोत की जाती है, वह नहीं सूख पाते और पानी बरसते ही फिर हरिया जाते हैं. इसलिये मेरी राय में १९ अप्रेल जो मुजव्विज ने तजवीज की है वह बिलकुल ठीक है.

अनिरुद्धसहाय साहब.—हुजूर आली! सवाल जेर बहस यह है कि बेदखली की बाबत नोटिस अप्रेल में काश्तकार को दिया जावे. देखना यह है कि फसल रब्बी की कब तक आ जाती है. किसी मुकाम पर तो मार्च के महीने में, लेकिन १५ अप्रेल तक तो तमाम खलियान ही खत्म हो जाते हैं. मेरा जाती तजुर्बा यह है कि मार्च के महीने तक काश्तकार धान काटकर बखर करके जमीन जोत डालता है. १९ अप्रेल रखने में काश्तकार की हकतल्फी नहीं होती. फसल तैयार हुई, कट चुकी, कटने के बाद काश्तकार का कोई हक जमीन पर कायम नहीं रहा, इसलिये जो १५ अप्रेल बेदखली के लिये मुकर्रर है बहुत ठीक है.

देवलाल साहब—हुजूर आली! बेदखली काश्त के लिये जो मियाद कानून में १५ अप्रेल की रखी गई है वह ठीक है, क्योंकि अखीर मार्च या शुरू अप्रेल से बाडी की काश्त शुरू होजाती है.

रामराव गोपाले साहब.—मेरी गुजारिश यह है कि १ जून की बेदखली की जो मियाद है वह दुरुस्त नहीं है; क्योंकि दूसरे काश्तकार को भी जमीन नई आबाद करना मुश्किल है, इस वास्ते १५ अप्रेल की मियाद रखी जाना बेजा न होगा.

आलेअली साहब.—हुजूर आली ! सवाल यह दरपेश है कि बे दखली काश्त के लिये कोई खास तारीख मुकर्रर करदी जाये. इस वक्त कोई खास तारीख मुकर्रर नहीं है. काश्तकार को जमींदार हर वक्त नोटिस दे देता है, मगर वह नोटिस अप्रेल के पहिले पहिले होना चाहिये. अप्रेल से पहिले साल आयन्दा की काश्त शुरू नहीं होती. गरज मुजव्विज साहब की यही मालूम होती है कि काश्त में कोई खरखशा या नुक्सान न हो कानून मौजूदा में यकुम अप्रेल से पहिले नोटिस देदेना चाहिये. पहिले कानून में यकुम जून बेदखली काश्त के लिये मुकर्रर थी जो ना मुनासिब ख्याल किये जाने पर हाल के कानून में उसको १५ अप्रेल बना दिया गया है, लिहाजा यह सवाल गैर जरूरी है.

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर आली ! इस सवाल पर दो मेम्बर साहबान की तकरीरें सुनकर यह मालूम हुआ कि इस सवाल की बाबत गलत फहमी हुई है. एक तो वह साहब जो अभी हाल में बोले थे और दूसरे इसके कब्ल मेरे काबिल दोस्त अनिरुद्ध सहाय साहब ने इस सवाल पर तकरीर की है. पहिले तो मेरा इस तकरीर पर बोलने का इरादा नहीं था, मगर इन दोनों साहबों की तकरीरों से मुझे इस वक्त कुछ कहने की जरूरत पेश आई. अव्वल यह कि मियाद नोटिस व तारीख बेदखली इनदो मुख्तलिफ बातों को मखलूत किया गया है. मियाद नोटिस १ अप्रेल मुकर्रर है यानी इससे पेश्तर बेदखली के नोटिस की तामील काश्तकार पर हो जाना चाहिये. इसकी बाबत यह सवाल नहीं है. दूसरी गलत फहमी यह हुई है कि बेदखली के लिये मियाद मुकर्रर होने से यह लाजिम आवेगा कि जिस काश्तकार से मुआहदा किसी मियाद के लिये है वह उसके पेश्तर ही बेदखल हो जायेगा. मगर यह ख्याल कानूनन दुरुस्त नहीं है. जिनके साथ किसी खास जमाने के लिये काश्त का मुआहदा है वह मियाद के गुजरने के कब्ल बेदखल नहीं हो सकेंगे. अब रहा यह सवाल कि बेदखली की तारीख कौनसी मुकर्रर की जाये जिससे काश्तकारान व जमींदारान हरदो को सहूलियत होगी. रियासत में मुख्तलिफ हिस्से की मुख्तलिफ हालत है. प्रांत मालवे में आम तौर पर खेत १५ अप्रेल तक खाली हो जाते हैं, मगर प्रान्त गवालियार व ईसागढ में इस मियाद तक खेत खाली नहीं होते हैं. इसलिये कानून में तारीख ऐसी मुकर्रर होना चाहिये जो दोनों हिस्सों के लिये मुनासिब हो. एक हिस्से मुल्क का तजुर्बा दूसरे हिस्से मुल्क में नहीं चल सकता है. मेरी राय में १५ मई या ३० मई मुनासिब होगी.

देवलाल साहब.—हुजूर आली , जिला भेलसा में १५ अप्रेल तक फसल कट जाती है और जिला गिर्द में १५ मई तक फसल कटती है.

लक्ष्मीप्रसाद साहब.—हुजूर वाला, जगमोहनलाल साहब ने फरमाया है वह ठीक है. मुझे भी भेलसे जिले के तजुर्बे से साबित हुआ है कि १५ अप्रेल तक बहुत मुश्किल से खेत खाली

होते हैं, बल्कि कभी भी १५ अप्रेल से पहिले खेत खाली नहीं हुए हैं, इसलिये मेरी भी यह राय है कि बजाय १५ अप्रेल के १५ मई बेदखली काश्त के लिये तारीख मुकर्रर की जावे.

नोट—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि बेदखली के लिये तारीख १५ मई कायम की जावे.

[इसके बाद इजलास ४ बजे खत्म किया गया और प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया कि सोमवार तारीख २ अप्रेल सन १९२८ ई० को मजलिस का आयन्दा इजलास १२ बजे शुरू होगा].

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार.

सम्वत १९८४.

सेशन सातवां,

इजलास सोयम.

सोमवार, तारीख २ अप्रेल सन १९२८ ई०,

मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई ई., रेवेन्यू मेम्बर (वाइस-प्रेसीडेन्ट, कौन्सिल).

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. जयगोपाल साहब अष्ठाना, ऑफि० फाइनेन्स मेम्बर.

३. मोहनलाल साहब खोसला, ऑफि० मेम्बर फॉर लॉ एण्ड जस्टिस.

४. राव बहादुर बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर.

५. मेजर हशमतुल्लाखां साहब, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एण्ड एक्साइज.

६. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

(मेम्बरान मजलिस कानून).

७. रामराव गोपाळ साहब देशपांडे, मुहम्मदखेडा (शुजालपुर).

८. राव बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, जागीरदार, ढाबलाधीर.

९. खां साहब सेठ लुकमान भाई नजरअली कारखानेदार, उज्जैन.

(मेम्बरान मजलिस आम).

१.—रिप्रेजेन्टेटिंग्ज जिला बोर्ड्स.

(१) जिला बोर्ड, गिर्द-गवालियार.

१०. देवलाल साहब वल्द कालहंस, जमींदार मौजा दोरार, परगना मस्तूरा.

११. नारायणदास साहब वल्द मुन्नालाल, साहूकार, लश्कर.

(२) जिला बोर्ड, भिन्ड.

१२. विश्वेश्वरसिंह साहब वल्द ठाकुर खरगजीतसिंह, मौजा मुस्तरी, परगना महगवां.

१३. मानिकचन्द साहब वल्द बिरदीचन्द ओसवाल, साहूकार, भिन्ड.

(३) जिला बोर्ड, तवरघार.

१४. प्यारेलाल साहब वल्द गिरवरलाल, वैश्य, मुरैना.

१५. सोहनपालसिंह साहब वल्द राजधरसिंह, ठाकुर, साकिन राजा का तोर, परगना सबलगढ़.

(४) जिला बोर्ड, श्योपुर.

१६. महादेवराव साहब गोविन्द, जमींदार, श्योपुर.

१७. कन्हैयालाल साहब वल्द बल्देव, जमींदार, साकिन कस्बा बिजैपुर.

(५) जिला बोर्ड, नरवर.

१८. सूबालाल साहब वल्द जगन्नाथ, वैश्य, साहूकार, शिवपुरी.

१९. लल्लूराम साहब महेला वल्द भोलाराम, जमींदार चंदनपुरा.

(६) जिला बोर्ड, ईसागढ.

२०. राजा गोपालसिंह साहब वल्द राजा रणजीतसिंह साहब, ठिकानेदार, भदौरा.

(७) जिला बोर्ड, भेलसा.

२१. बलवंतराव साहब वल्द जयवंतराव बागरीवाले, भेलसा.

२२. सखाराम पंत साहब वल्द घनश्यामराव निगुडकर, जमींदार.

(८) जिला बोर्ड, शाजापुर.

२३. श्यामराव साहब नारायण, मालगुजार, कालापीपल, परगना शुजालपुर.

२४. केसरीचन्द साहब वल्द जमनादास महाजन, शाजापुर.

(९) जिला बोर्ड, उज्जैन.

२५. गजाननराव साहब वल्द गोविन्दराव करवडे, जमींदार मौजा कजलाना, परगना बडनगर.

२६. छगनलाल साहब वल्द बापूजी, चौधरी, साकिन बडनगर.

(१०) जिला बोर्ड, मन्दसौर.

२७. अलीअस्गर साहब वल्द अलीअतहर, जमींदार, मौजा दमदम, जिला मन्दसौर.

२८. गणेशनारायण साहब वल्द मदनराय, साहूकार, कारखानेदार, गंगापुर, जिला मन्दसौर.

(११) जिला बोर्ड, अमझेरा.

२९. केशवराव साहब बापूजी, जमींदार, साकिन मनावर.

२.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज म्युनिसिपेलिटीज व टाउन कमेटीज.

(१) म्युनिसिपल बोर्ड, लश्कर.

३०. चौधरी नवाबअली साहब वकील, तारागंज, लश्कर.

(२) म्युनिसिपल कमेटी, शिवपुरी.

३१. सेठ टोडरमल साहब वल्द तेजमल, वैश्य, शिवपुरी.

(३) म्युनिसिपल कमेटी, भिन्ड.

३२. जगमोहनलाल साहब वल्द गोपालसहाय श्रीवास्तव, वकील, भिंड.

(४) म्युनिसिपल कमेटी, मुरैना.

३३. बन्सीधर साहब वल्द नारायणदास, वैश्य, मुरैना.

(५) म्युनिसिपल कमेटी, श्योपुर.

३४. फजलुद्दीनशाह साहब, साकिन गुलैयापाडा, श्योपुर.

(६) म्युनिसिपल कमेटी, भेलसा.

३५. लक्ष्मीप्रसाद साहब माथुर, बासौदा.

(७) म्युनिसिपल कमेटी, गुना.

३६. अनिरुद्धसहाय साहब, वकील, गुना.

(८) म्युनिसिपल कमेटी, शाजापुर.

३७. हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.

(९) म्युनिसिपल बोर्ड, उज्जैन.

३८. बटुकप्रसाद साहब, वकील, उज्जैन.

(१०) म्युनिसिपल कमेटी, सरदारपुर.

३९. सय्यद आलेअली साहब वल्द सय्यद खादिमअली, वकील, सरदारपुर.

३.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज औकाफ कमेटीज.

(१) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ग्वालियर.

४०. गोविंदप्रसाद साहब वल्द सुखवासीलाल, भिन्ड.

(२) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ईसागढ.

४१. गुलाबचन्द साहब वल्द फकीरचन्द, शिवपुरी.

(३) औकाफ कमेटीज, प्रान्त मालवा.

४२. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.

४.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज बोर्ड्स साहूकारान.

(१) बोर्ड्स साहूकारान, प्रांत गवालियार.

४३ मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.

(२) बोर्डस साहूकारान, प्रान्त मालवा.

४४. गोरेलालजी साहब वल्द छोटूलालजी, अग्रवाल, भेलसा.

५—रिप्रेजेन्टेटिव्ज जागीरदार साहबान.

(१) जागीरदार साहबान, प्रान्त गवालियार.

४५. चौधरी फौजदार रणधीरसिंह साहब, साकिन सकवारा दनौला, परगना मुंगावली.

४६. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, बिलौनी.

(२) जागीरदार साहबान, प्रान्त मालवा.

४७. ठाकुर प्रल्हादसिंह साहब, इस्तमुरारदार, कालूखेडा, परगना मन्दसौर.

६—रिप्रेजेन्टेटिव्ज दीगर जमाअतहाय.

(१) चेम्बर ऑफ कॉमर्स, उज्जैन.

४८. सेठ छोटमलजी साहब वल्द उदैचन्दजी, उज्जैन.

(२) बार ऐसोसियेशन, लश्कर.

४९. मुहम्मद अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी, वकील, लश्कर.

(३) बार ऐसोसियेशन, उज्जैन.

५०. गोविन्दराव चिन्तामण साहब वाटवे, वकील, उज्जैन.

(४) सेन्ट्रल औकाफ कमेटी.

५१. लक्ष्मणराव रघुनाथ अत्रे साहब शास्त्री, लश्कर.

(५) आश्रित मंडली.

५२. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

(६) अंजुमन इस्लाम.

५३. हाफिज एहसानउल्लाखां साहब, वकील, माधवगंज, लश्कर.

(७) रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स.

५४. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.

कार्रवाई इजलास.

इजलास मजलिस सवा बारह बजे शुरू हुवा.

फर्द नम्बर २ तजवीज नम्बर १५.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस तजवीज के मुजव्विज साहब मौजूद नहीं हैं. क्या कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहते हैं ?

अहसानउल्लाखां साहब.—मैं इस तजवीज को मजलिस के रूबरू पेश करता हूं तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

उमूमन काश्तकारान पहिले साहूकारान से कर्जा लेकर बाद में को-ऑपरेटिव बैंक से कर्जा लेते हैं जिसकी वजह से साहूकारान अपनी रकम की वसूली से महरूम रह जाते हैं; लिहाजा बैंक से किसी शख्स को तब तक कर्जा न दिया जाय जब तक कि वह यह साबित न कर देवे कि उसको कोई कर्जा देना नहीं है या उसने अपने कर्जदारान के लिये अपनी फलां फलां जायदाद को reserve रख छोडा है.

इस सवाल के मुतअल्लिक दस्तबस्ता गुजारिश यह है कि काश्तकारान बाज मर्तबा बल्कि अक्सर उमूम साहूकारान से कर्जा ले लिया करते हैं और उसके बाद फिर बैंक काश्तकारान से कर्जा लेते हैं, जिसकी वजह से साहूकारान का कर्जा अदा नहीं होता और उनको उससे महरूम रहना पडता है. गो बैंक से जब कर्जा दिया जाता है तो उसके मुतअल्लिक एक फॉर्म उन्हें भरना पडता है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि किसी साहूकार का कर्जा तो नहीं चाहिये, जिससे यह मालूम होता है कि कानून में यह अम्र मल्हूज रक्खा गया है कि बैंक को अगर यह इल्म हो जाय कि कर्ज गीरिन्दा पर किसी साहूकार का मतालबा वाजिब है या नहीं इसकी तस्दीक करली जाय, ताकि अगर उस कर्जे की अदाई की सबील न हो तो उसको बैंक कर्जा देने से दस्तकश हो. गरज यह है कि अगर बैंक को यह इल्म हो जाय कि फलां काश्तकार पर किसी साहूकार का कर्जा है तो उसे बैंक से और कर्जा देकर मजीद जेरबार करना नहीं चाहिये. सूरत यही हो सकती है कि या तो साबिका कर्जा बैंक से अदा कर दिया जावे या बैंक उसे मजीद कर्ज देकर जेरबार न करे. इसमें काश्तकार भी जेरबारी से बचेगा और साहूकार का भी नुक्सान न होगा.

विश्वेश्वरसिंह साहब—मैं ताईद करता हूं.

गुलाबसिंह साहब—मुझे भी इस तजवीज से इत्तफाक है.

छगनलालजी साहब—मैं भी ताईद करता हूं

फाइनेन्स मेम्बर साहब—इस सवाल में दो तजवीजें पेश की गई हैं. एक तो यह कि जब कोई काश्तकार बैंक से या कोई सोसायटी का मेम्बर सोसायटी से कर्जा ले तो पहिले यह देख लिया जावे कि किसी दूसरे शख्स का कर्जा तो उस पर नहीं है और दूसरे यह कि अगर साबिक का कर्जा भी है तो कुल कर्जे की अदाई के लिये उसके पास काफी जायदाद मौजूद है या नहीं, इसके बाद कर्जा दिया जावे. ब जाहिर तो यह तजवीज काश्तकारान व साहूकारान के फायदे की है लेकिन दरअसल अगर गौर से देखा जाय तो इसमें काश्तकारान का बहुत ज्यादा नुक्सान है और यह किसी उसूल पर मबनी नहीं है. जब कोई शख्स किसी के पास कर्जा लेने

जाता है तो कर्जा देने वाला कर्जा देकर उसकी जायदाद मकफूल करा लेता है; लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि कर्जा देने वाले पर यह बार डाला जाय कि वह इस अम्र की तस्दीक करे कि किस किसका कर्जा उस पर है और उसकी अदाई की क्या सबील है. फिर को-ऑपरेटिव सोसायटीज पर ही यह बार क्यों डाला जाता है. अब मैं यह दिखलाना चाहता हूं कि ऐसी जांच करना मुमकिन भी नहीं है. कर्जे के मुतअल्लिक जैसा कि मुजव्विज साहब ने फर्माया है एक खाना फॉर्म में प्रीवियस डेट्स (Previous debts) का है, जिससे यह पता चले कि कर्ज लेने वाले पर पहिले का कर्जा किस कदर है. यह इसलिये नहीं है कि उसके पहिले के कर्जे की अदाई बैंक करे बल्कि यह महज इसलिये है कि यह देख लिया जावे कि पहिला कर्जा किस कदर है और उसके होते हुए अगर बैंक मजीद कर्जा दे तो उसकी अदाई हो सकेगी या नहीं. अगर इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की जाय कि किस साहूकार का कितना कर्जा बाकी है तो यह एक अमर मुहाल होगा, क्योंकि अव्वल तो साहूकारान सामने आकर यह बतलाना ही नहीं चाहते कि उनका किस कदर कर्जा बाकी है और इस अमल में और भी बहुतसी पेचीदगियां पडती हैं. अगर यह तजवीज की जाती है कि साहूकार का कितना कर्जा बाकी है, यह काश्तकार से पूछ लिया जाय तो नतीजा यह होगा कि अब काश्तकार जो कुछ बता देते हैं वह भी न बतायेंगे क्योंकि ऐसी हालत में फिर वह मेम्बर न हो सकेंगे; और अब जो यह तरीका है कि हम मकरूजियत की तहकीकात करके यह देख लेते हैं कि उसकी हैसियत कुल कर्जे की अदाई के काबिल है या नहीं उस वक्त यह भी नामुमकिन हो जायगा. दूसरा यह सवाल हो सकता है कि कर्जे के लिहाज से जायदाद रिज़र्व कर दी जाय तो कर्ज लेने वालों में जमींदारान की तादाद बहुत कम होती है. ज्यादातर काश्तकार लोग होते हैं जिनके पास कोई जायदाद ऐसी नहीं होती जो रिजर्व की जासके. वह तो महज जो कुछ पैदा करते हैं उससे अपना पेट बमुश्किल तमाम पालते हैं. बहर हाल जो कर्जा को-ऑपरेटिव सोसायटीज से दिया जाता है वह आंख बंद करके नहीं दिया जाता बल्कि आमदनी को देखकर दिया जाता है. अगर यह तजवीज अमल में लाई गई तो नतीजा यह होगा कि बहुत कम लोग मेम्बर हो सकेंगे और मौजूदा सोसायटीज में कमी वाके होकर आयन्दा सोसायटीज का कायम हो जाना बन्द हो जायगा. गालिबन मुजव्विज साहब ने इस तजवीज को इस नजर से नहीं देखा है. अब यह कि साबिका कर्जा जो है उसको को-ऑपरेटिव सोसायटी बिलकुल नजर अन्दाज नहीं कर देती. जब यह देख लिया जाता है कि उसकी आमदनी इस कदर काफी है कि वह कुल कर्जा अदा कर सकेगा तभी उसको कर्जा दिया जाता है. अलावा बरीं, अगर कोई महाजन को-ऑपरेटिव सोसायटी की मार्फत सहूलियत से अपने कर्जे की अदाई चाहे तो उसका भी इन्तजाम कर दिया जाता है. यह नहीं हो सकता कि पहिले साबिका कर्जा सोसायटी अदा करदे और फिर किसी को मेम्बर बनाये. सोसायटी में जो शख्स मेम्बर होने आता है उसकी जायदाद क्या है यह दरयाफ्त करके उसे मकफूल करा लिया जाता है. यह अम्र तो कानून में ही वाजह कर दिया गया है कि अगर वह जायदाद पहले कहीं मकफूल की गई है तो वैसी किफालत को फौकियत होगी, इसलिये मेरे ख्याल में अव्वल तो इस तजवीज का उसूल ही गलत है और दूसरे अमलन इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस सवाल के मुतअल्लिक और किसी साहब को कुछ कहना है?

छगनलाल साहब.—हुजूर आली! गुजारिश यह है कि अक्सर इन लोगों का साहूकारान से हजारों का लैनदैन रहता है और जब वह अदाई की सूरत नहीं देखते तो सोसायटी से कर्ज ले लेते हैं. जब साहूकारान को वसूली की नौबत आती है तो सोसाइटी की आड लेकर उसकी अदाई

रोकदी जाती है. सोसाइटीज का काम है काश्तकारान को मदद करना न कि साहूकारान को नुकसान पहुँचाना. काश्तकारान की मदद करना तो ठीक है, लेकिन साथही साहूकारान का भी ख्याल रहना चाहिये. जो शख्स हर तरह से मजबूर हो जाता है वही सोसाइटी में कर्जे के लिये जाता है; इसलिये जरूरत इस बात की है कि साहूकारान के कर्जे की अदाई का लिहाज रखा जाकर बैंक से कर्ज देने की कार्रवाई की जाया करे.

बन्सीधर साहब—जो काश्तकार साहूकार से कर्जा लेकर बैंक के कर्जदारों में शामिल होकर अपनी कुल जायदाद नक्शा हैसियत में मकफूल कर देते हैं, कोई जायदाद साहूकारान की वसूली के लिये बाकी नहीं रखते, चाहे वह जायदाद साहूकार के ही रुपया से पैदा की गई हो.

परगने नूराबाद में एक साहूकार ने सोसायटी के मेम्बर की कुर्की कराई. इन्सपेक्टर साहब बैंक ने तहरीर इस अम्र की अदालत परगने में भेज दी कि यह जायदाद बैंक में मकफूल है, जायदाद कुर्की से वागुजाश्त हो गई.

एक शख्स ने कर्जदार बैंक से एक भैंस कीमतन १०० रुपये में अर्सा एक साल हुए खरीद की. कर्जा बैंक का आसामी से न पटा तो भैंस खरीदार को मिन्जानिब बैंक नोटिस दिया गया कि यह भैंस बैंक में मकफूल है, इसलिये अन्दर मियाद दाखिल करो, वर्ना कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जायगी.

कानून बैंक सम्वत १९८२, की दफा ३० में यह इबारत शामिल है कि जो जायदाद व माल रजिस्टर हैसियत में दर्ज होगा वह बैंक के कर्जे में मकफूल समझा जायगा. अगर कोई शख्स उस जायदाद से अपना रुपया वसूल करना चाहे तो पहले बैंक का कर्जा अदा करे तो वह उस जायदाद को नीलाम करा सकता है.

हुजूर वाला ! ऐसी सूरत में सिर्फ साहूकारान को ही नुक्सान नहीं है बल्कि काश्तकारान और बैंक का भी नुक्सान है क्योंकि अगराज काश्तकारी के लिये काश्तकार को छोटे कर्जे लेने की जरूरत होती है तो लिमिट पूरा होने से या तकमील मिसल की देरी की वजह से साहूकार पर जाना पडता है. इस मकफूली की वजह से साहूकारान की हिम्मत कर्जा देने की नहीं पडती, उस वक्त काश्तकार को मुसीबत का सामना करना पडता है.

बाज वक्त फसल खराब हो जाने से और बैंक की अकसात आ जाने से काश्तकार को दीगर जगह से भी रुपया नहीं मिलता. वायदे खिलाफी होती है और ओवर ड्यू बढने की वजह से कारोबार बैंक से भी बन्द हो जाता है. बैंक का ओवर ड्यू भी बढता जाता है.

जब कि बैंक से कर्जा ब एतबार जमींदारी मुनाफ़ा और काश्तकारी लगान पर दिया जाता है दीगर जायदाद मारजिन में रहती है. ऐसी हालत में साहूकार की हकरसी दीगर जायदाद से कराई जाना मुनासिब मालूम होता है.

इसलिये दस्तबस्ता गुजारिश है कि या तो साहूकारान के कर्जे के लिये दीगर जायदाद नक्शा हैसियत से मुस्तसना रखी जावे, ताकि काश्तकारों को मिन्जानिब साहूकार कर्जा आसानी से मिले और साहूकारी कारोबार को धक्का न पहुंचे.

नोट—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि तजवीज काबिल मंजूरी नहीं.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १६.

प्रेसीडेन्ट साहब.—हीरालाल साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

हीरालाल साहब.—सरेदस्त मैं अपनी इस तजवीज को पेश करना नहीं चाहता और वापिस लेता हूं.

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर १७,

प्रेसीडेन्ट साहब.—श्यामराव साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

श्यामराव साहब.—मेरी तजवीज यह है किः—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः—

कानून माल की दफा ६१ में लफ्ज "बैंक" दर्ज है जिससे यह मालूम नहीं होता कि कौन से बैंक से मुराद है, इसलिये इसकी तशरीह के लिये अलफाज "एग्रीकलचर बैंक" या "को-ऑपरेटिव बैंक" दर्ज किये जावें.

फायनेन्स मेम्बर साहब.—जनाब वाला, इसके मुतअल्लिक यह अर्ज है कि कानून माल में बैंक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इससे को-ऑपरेटिव बैंक समझा जाय या क्या, इसकी कोई तशरीह नहीं. मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में इसके मुतअल्लिक तहरीर की है कि इसकी तशरीह की जाकर को-ऑपरेटिव बैंक का नाम साफ लिख दिया जावे.

प्रेसीडेन्ट साहब.—तो फिर यह सवाल कायम ही नहीं रहता.

फायनेन्स मेम्बर साहब.—जी हां, जो सवाल पेश है उसके मुतअल्लिक कार्रवाई हो रही है.

प्रेसीडेन्ट साहब—तो क्या ऐसी हालत में इस सवाल को वापिस समझा जावे.

श्यामराव साहब—हुजूर आली, मैं इस तजवीज को वापिस लेता हूं.

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नबर १९.

प्रेसीडेन्ट साहब.—नवाबअली साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

नवाबअली साहब.—मेरी तजवीज हस्ब जैल हैः—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः—

अजलाय, परगनात व बडे बडे कस्बात में नाइट स्कूल्स कायम किये जावें.

हुजूर आली, इस सवाल की ताईद में मेरी गुजारिश है कि ज्यादातर अजलाय में मजदूर पेशा लोगों की जमाअतें हैं और इन जमाअतों का हाल यह है कि काम सिखलाने की गरज से वह शुरू से ही अपने बच्चों को अपने पेशे के काम में लगा देते हैं और उनसे गुजर औकात के लिये भी मजदूरी कराते हैं. जो दिन के स्कूल इस वक्त जारी हैं उनमें उनके बच्चे जाकर

तालीम नहीं हासिल कर सकते. इस तरह यह मजदूर पेशा जमाअत और दीगर पेशेवर साहबान तालीम से महरूम रहते हैं. इसलिये जरूरत इस बात की है कि अजलाय व परगनात में ऐसे लोगों की तालीम के लिये नाइट स्कूल्स कायम किये जायें.

वाटवे साहब.—मैं ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—हुजूर वाला, जैसा कि पारसाल की मजलिस में मैं अर्ज कर चुका हूं, तालीम को वुसअत देने के लिये डिपार्टमेन्ट हर तरह से तैयार है, लेकिन तालीम को किस कदर वुसअत दी जाय इसका इनहिसार उससे फायदा उठाने के लिये लोग किस हद तक तैयार हैं इस पर होगा. आज जहां एक मदरसा है वहां दस मदरसे खोले जा सकते हैं, बशर्ते कि रिआया उन मदरसों के लिये काफी तादाद तालिब इल्मों की दे सके. और रिआया तैयार है या नहीं इसका अंदाजा उसकी ख्वाहिश के इजहार पर से हो सकता है. आज मजलिस में नाइट स्कूल खोले जाने की तजवीज पेश आई है, लेकिन डिपार्टमेन्ट के नोटिस में अब तक यह बात किसी तरफ से नहीं लाई गई कि अगर फलां मुकाम पर नाइट स्कूल खोला जाय तो इस कदर तादाद तुलबा तालीम के लिये इकट्ठा होगी इसलिये इन्तजाम मुदर्रिस का कर दिया जावे. अगर ऐसा होता तो महकमे की जानिब से मुदर्रिस का इन्तजाम हो सकता था. उसूल जो डिपार्टमेन्ट का ठहरा हुआ है उसके मुताबिक इस किस्म का इल्म महकमे को होने पर कार्रवाई हो सकती है. यह तजवीज मजलिस में पेश होगी, यह मालूम होने पर डिपार्टमेन्ट ने अजलाय से दरियाफ्त किया तो लश्कर, उज्जैन के अलावा सिर्फ एक जिले से इस किस्म की इत्तला पहुंची है कि अगर वहां नाइट स्कूल खोला जावे तो कुछ तुलबा जमा हो सकते हैं. अव्वल तो महज एक जिले ने महकमे के दरयाफ्त करने पर ऐसा स्कूल खोले जाने की ख्वाहिश की है, दूसरे इस जिले के मुतअल्लिक भी यह अम्र गौर तलब है कि खुद हुक्काम ने इस बारे में कितनी कोशिश की होगी कि वह ऐसी इत्तला देने के काबिल हुए. इससे अन्दाजा किया जा सकता है कि रिआया ऐसे स्कूल्स से फायदा उठाने के लिये कहां तक तैयार है. इस सवाल के मुतअल्लिक मैं पारसाल भी मजलिस में मुफस्सिल अर्ज कर चुका हूं और फिर अर्ज करता हूं कि जब यह मालूम हो जावेगा कि फलां जगह पर तालीम पाने वालों की काफी तादाद मौजूद है या मुहय्या हो सकती है तो डिपार्टमेन्ट को वहां स्कूल खोलने में कोई दरेग न होगा.

वाटवे साहब.—हुजूर वाला, यह तालीम का मजमून ऐसा है कि इसके नतायज और फायदे के समझाने की जरूरत पडती है. अगर रिआया यह समझने लगे कि तालीम से क्या फायदे हैं तो उसको गवर्नमेन्ट तक पहुंचने की जरूरत ही न होगी, वह खुद चंदा जमा करके अपने लडकों की तालीम के लिये स्कूल खोलेगी, लेकिन बदकिस्मती से जो बडे २ अजलाय बतलाये जाते हैं उनमें अभी ऐसे लोग नहीं हैं. इसलिये गुजारिश यह है कि ऐक्सपेरिमेन्ट के तौर पर कुछ मदरसे खोले जावें और फिर जहां लडकों की भी तादाद काफी न हो वह तोड दिये जावें. ऐक्सपेरिमेन्ट के तौर पर ऐसे क्लास खोले जाकर लोगों को तालीम के फायदे बतला दिये जावें तो उम्मेद है कि काफी तादाद पढने वालों की इकट्ठा हो जावेगी.

प्रेसीडेन्ट साहब.—और किसी साहब को कुछ कहना है?

नवाबअली साहब.—मेम्बर साहब तालीम ने जो कुछ फरमाया है उसका जवाब मुझे अर्ज करना है. जो उसूल जनाब ने फरमाया है वह ऐसे लोगों के लिये है जिनमें तालीम रायज है और जो तालीम हासिल किये हुए लोग हैं. एक बाप अगर पढा हुआ है तो वह अपने लडकों को

तालीम देने की गरज से दस बीस लोगों को और इकट्ठा करके स्कूल खुलवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह इस बात को जानता है कि तालीम से क्या २ फायदे हैं लेकिन यह सवाल तो उन लोगों के लिये है जो खुद यह नहीं समझ सकते कि तालीम से क्या फायदे हैं; बल्कि जिनमें अभी तालीम का प्रचार करने की जरूरत है. इब्तिदाई तालीम फैलाने की कोशिश होरही है और लोग यह कहते हैं कि जबरिया तालीम जारी की जावे. पहिले लोग भागेंगे, लेकिन इसके लिये कानून वजा किया जावे ताकि कानूनी शिकंजे के डर से वाल्दैन अपने लडकों को तालीम दिलाने से न भागें. जब हमें यह मालूम है कि हमें किन लोगों को तालीम देना है तो जरूरत इस बात की है कि उनको उभार कर तालीम के लिये आमादा किया जावे, बडे २ कस्बात व परगनात में जहां ऐसे लोगों की काफी तादाद मौजूद है अगर वहां उनकी तालीम के लिये मास्टर मुकर्रर किये जायें तो वह जरूर इस बात की कोशिश करेंगे कि वह लोगों से मिलते रहें और उनको तालीम की तरफ रागिब करें और उनके बच्चों के काम में हर्ज न होते हुए उनकी तालीम का इन्तजाम करें तो जो उसूल इसके मुतअल्लिक है उसके लिहाज से इस बात की जरूरत है कि पहले स्कूल कायम कर दिये जावें और इस तौर से लोगों को तालीम की तरफ रागिब किया जावे, न कि पहले लोगों के तैयार हो जाने का इन्तजार किया जावे और जब तक वह तैयार न हों नाइट स्कूल खोले न जावें. हम जानते हैं कि बहुत से मुकामात में लोग इलाज के तरीकों से नावाकिफ हैं और हकीम डाक्टरों के काम को नहीं समझते. वहां अगर एक डाक्टर भेज दिया जावे तो पहिले लोग उससे भागते हैं और दवा से परहेज करते हैं. लेकिन दो चार महीने में जब वह उससे मानूस हो जाते हैं तो पहिले जो दो २ चार २ महीने तकलीफ उठाकर सेहत पाते थे अब जल्द सेहत हासिल कर लेते हैं. यह सवाल इस गरज से रखा गया है कि पहिले लोगों को मानूस किया जावे और फिर उनको तालीम का शौक दिलाया जावे. चूंकि तालीम महज इब्तदाई है इसलिये इसमें ज्यादा सर्फे का सवाल भी नहीं. पस मेरी गुजारिश है कि मजलिस की तरफ से यह सवाल गवर्नमेन्ट के हुजूर में पेश कर दिया जावे.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—हुजूर वाला, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं गवर्नमेन्ट को या डिपार्टमेन्ट को इस तजवीज के ऐडॉप्ट करने में कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि अब लोगों में इस किस्म के ख्यालात पैदा होने लगे. इस वक्त चन्द मुकामात पर जो नाइट स्कूल्स हैं वह अच्छे चल रहे हैं यह भी हमें मालूम है. पस इस मुआम्ले में कोई डिफरेन्स ऑफ ओपिनियन नहीं है. डिपार्टमेन्ट इस तजवीज को खुशी के साथ कुबूल करता है.

ठहराव—तजवीज मंजूर की जाय.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २०.

प्रेसीडेन्ट साहब—इस तजवीज के मुजव्विज मुंगालाल साहब मौजूद नहीं हैं. क्या कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहते हैं ?

नोट:—यह तजवीज किसी साहब ने पेश नहीं की लिहाजा ड्रॉप (drop) की गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २२.

प्रेसीडेन्ट साहब.—नवाबअली साहब ! आप अपनी तजवीज पेश कीजिये,

नवाबअली साहबः—मैं अपनी तजवीज पेश करता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

म्युनिसिपल ऐक्ट मौजूदा काबिल तरमीम व दुरुस्ती है. एक कमेटी मुकर्रर की जाकर दुरुस्ती कराई जावे.

हुजूर वाला ! इस सवाल के पेश करने की जरूरत इसलिये वाके हुई कि मौजूदा म्युनिसिपल ऐक्ट संम्वत १९६८ में जारी हुआ था जिसको जमाना कसीर होगया है. गालिबन मौजूदा ऐक्ट पंजाब के कानून के मुताबिक मुरत्तब किया गया था, जहां तक मेरा ख्याल है म्युनिसिपेलिटी की जरूरियात उससे ज्यादा बढ गई हैं इसलिये यह एक्ट काफी नहीं है, लिहाजा मेरे ख्याल से एक कमेटी कायम की जाय जो इस अम्र पर गौर करे कि मौजूदा जरूरियात किन किन तब्दीलियों की मुकतजी हैं. अगर मजलिस इस तजवीज को मंजूर फरमायेगी कि मौजूदा ऐक्ट काबिले तरमीम है तो जो कमेटी मैंने तजवीज की है उसके मेम्बरान के नाम भी अर्ज कर सकूंगा.

लक्ष्मीप्रसाद साहब.—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं. और अर्ज करता हूं कि मौजूदा ऐक्ट में तरमीम की सख्त जरूरत है, जहां तक होसके जल्द तरमीम कराई जावे.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—हुजूर वाला, म्युनिसिपल एक्ट में तरमीम मुनासिब किये जाने का मसला शायद तीन साल हुवे पेश हुआ था, उस वक्त एक म्युनिसिपल कमीशन, म्युनिसिपल मुआम्लात पर गौर करने के लिये दरबार मुअल्ला ने कायम किया था जिसने अपनी रिपोर्ट दरबार मुअल्ला के हुजूर में बमुकाम शिवपुरी पेश की थी, जो तरमीम और तन्सीख कमीशन ने तजवीज की थी उस पर दरबार मुअल्ला का हुक्म हुआ कि फिलहाल कोई तरमीम न की जावे, आयन्दा जरूरत महसूस होने पर बलिहाज मौका व जरूरत addition, alteration और modification की कार्रवाई की जाय. अब जरूरत इस बात की महसूस हो रही है और मैं भी तसलीम करता हूं कि कानून बने हुये बहुत अर्सा हो गया है, तरमीम की जरूरत है. मुजव्विज साहब कमेटी के मेम्बरान के नाम तजवीज करें.

नवाबअली साहब.—मेरे ख्याल से ऐसे लोग जो म्युनिसिपेलिटी के काम से वाकिफ हों और ऐसे जो म्युनिसिपेलिटी का काम कर रहे हैं, इस कमेटी के मेम्बर होना चाहिये. मैं हस्ब जैल साहबान के नाम तजवीज करता हूं:—

(१) जगमोहनलाल साहब.

(२) पुस्तके साहब.

(३) प्रेसीडेन्ट साहब म्युनिसिपेलिटीज, लश्कर.

(४) प्रेसीडेन्ट साहब म्युनिसिपेलिटीज, उज्जैन.

यह चार साहिबान काफी होंगे और इसके प्रेसीडेन्ट मेम्बर साहब म्युनिसिपेलिटीज रखे जायें.

प्रेसीडेन्ट साहबः—और कोई साहब नाम तजवीज करना चाहते हैं ?

अब्दुलहमीद साहबः—मेरा यह ख्याल है कि बेहतर होगा कि नवाबअली साहब भी जो, इस तजवीज के मुज[illegible] हैं, इसमें शरीक किये जावें.

केशवराव बापूजी साहब:—हर जिले से एक एक मेम्बर मुन्तखिब किया जाय तो बेहतर होगा.

टोडरमल साहब:—मैं भी इस राय से इत्तफाक करता हूं.

गुलाबचन्द साहब:—मैं आपकी ताईद करता हूं.

प्यारेलाल साहब:—मुझे भी आपकी राय से इत्तफाक है.

प्रेसीडेन्ट साहब:—आप हर जिले के मेम्बरान के नाम तजवीज करें, किस किस को चाहते हैं.

रामेश्वर शास्त्री साहब:—मेरी राय में मेम्बरान की जिस कदर संख्या बढ जावेगी उतनी ही तवालत बढ जावेगी इसलिये थोडी संख्या में मेम्बर होना चाहिये.

नवाबअली साहब:—हुजूर वाला, मैं थोडीसी गुजारिश करूंगा उससे हर जिले के मेम्बरान का सवाल जाता रहेगा. यह कमेटी कानून मुरत्तिब करके मुश्तहर करावेगी. उस वक्त हर शख्स को तजवीज पेश करने का व ऐतराज करने का इख्तियार होगा, इसके बाद गवर्नमेन्ट की खिदमत में पेश किया जावेगा. कानून जिले के हालात के लिहाज से नहीं बनेगा बल्कि म्युनिसिपेलिटी के उसूल पर बनाया जायगा. इसलिये हर जिले के मेम्बरान के इन्तखाब की तवालत उठाने की जरूरत नहीं रहेगी और न कोई ऐतराज बाकी रहेगा.

नोट.—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि म्युनिसिपल एक्ट का रिवाइज्ड मुसव्विदा तैयार करने के लिये हस्ब जैल साहबान की कमेटी कायम की जावे:—

प्रेसीडेन्ट.

१. मेम्बर साहब म्युनिसिपेलिटीज.

मेम्बरान.

२. जगमोहनलाल साहब
३. पुस्तके साहब.
४. प्रेसीडेन्ट साहब म्युनिसिपेलिटी, लश्कर.
५. प्रेसीडेन्ट साहब म्युनिसिपेलिटी, उज्जैन.
६. नवाबअली साहब.
७. लाला रामजीदास साहब.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २३.

प्रेसीडेन्ट साहब.—नवाबअली साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

नवाबअली साहब—मेरी तजवीज हस्ब जैल है:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

घोसी, कुम्हार, चमार वगैरा पेशेवरान की आबादी के लिये हर शहर व कस्बे के लिहाज से मुकामात मखसूस कर दिये जावें.

हुजूर वाला ! इस तजवीज के पेश करने का यह मन्शा नहीं है कि इन कौमों से कोई ऐहतराज किया जाता है, और न उनके मुतअल्लिक कोई ऐसी राय है जो उनकी शान के खिलाफ हो, और या इस वजह से यह तजवीज पेश की गई है कि वह पस्त अकवाम के लोग हैं, बल्कि खुद उनके आराम और रिआया की आसायश के लिहाज से यह तजवीज पेश की गई है. दरअसल यह ऐसे पेशेवर हैं जैसे घोसी, चमार, कुम्हार वगैरा और इस तजवीज का तअल्लुक उनके पेशे के हालात से है. लश्कर म्युनिसिपेलिटी में ११ साल से यह सवाल दरपेश है कि रिआया को दूध वगैरा अच्छा और आसानी से बहम पहुंच सके. गौर के बाद म्युनिसिपेलिटी इस नतीजे पर पहुंची है कि यह लोग यानी घोसी, शहर के किसी एक हिस्से में आबाद कर दिये जायें, जिसके वास्ते म्युनिसिपेलिटी ने गवर्नमेन्ट से दरख्वास्त की थी कि कोई रकम इस गरज के लिये मंजूर फरमाई जाय, ताकि एक जगह मुअय्यन करके इन लोगों को आबाद किया जाय और हकीकत में सहूलियत भी यूंही है कि इन लोगों की आबादी एक जगह करदी जाय, ताकि आयन्दा म्युनिसिपेलिटी को इन्तजाम में दिक्कत पैदा न हो और यह लोग भी आसायश से रह सकें. फिलहाल इनकी आबादी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वाके है जिसकी वजह से म्युनिसिपेलिटी काफी निगरानी और माकूल इन्तजाम करने से कासिर है. जिस जगह यह रहते हैं, बरसात के जमाने में बावजूद कोशिश के भी सफाई नहीं रह सकती, कीचड और गोबर वगैरा से गन्दगी बढती है और मैं यह अर्ज करूंगा कि मच्छरों का ज्यादा होना महज घोसियों के आसपास रहने का नतीजा है. मैं जिस मुहल्ले में रहता हूं मुझको खासकर इसका तजुरबा है, आसपास के रहने वाले सफाई न होने की शिकायत करते हैं और घोसी सफाई रखने से माजूर हैं. इस तरह खुद घोसियों को भी आराम और इत्मीनान मयस्सर नहीं आता नीज म्युनिसिपेलिटी भी कोई माकूल इन्तजाम इस अम्र का नहीं कर सकती कि लीद वगैरा मवेशी को न खिलाई जाय. इसकी सिर्फ यही वजह है कि घोसी लोग मुख्तलिफ मुकामात पर आबाद हैं. जब म्युनिसिपेलिटी का आदमी किसी खास मुकाम पर पहुंचता है तो घोसी लोग लीद वगैरा हटा देते हैं और उसके चले जाने के बाद बराबर खिलाते हैं और उसका नतीजा यही होता है कि वही लीद का दूध अहले शहर इस्तैमाल करते हैं जो मुजिर सेहत होता है. लीद खिलाने की रोक यों हो सकती है कि इन लोगों को एक मुअय्यना मुकाम पर शहर के बाहर आबाद किया जाय, और यही हालत कुम्हारों की है कि जाडों का तो मौसम बहर हाल गुजर जाता है, लेकिन मौसम गर्मा में जब भट्टे लगते हैं तो तकरीबन २०० कदम तक के रहने वाले लोगों का गर्मी और धुँवे से दम घुटने लगता है. उनके पेशे की जरूरियात में से गधे भी हैं जिनसे गन्दगी ज्यादा होती है और अलाहाजुलकियास चमारों की भी यही हालत है. लोगों को सख्त तकलीफ होती है; लिहाजा मेरी गुजारिश मजलिस से है कि इसके दूर करने की कोई तदबीर की जाय.

वाटवे साहब:—मैं चौधरी नवाबअली साहब की तजवीज से इत्तफाक करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—हुजूर वाला ! तजवीज की निस्बत कोई इख्तलाफ राय न तो डिपार्टमेन्ट को है, न गवर्नमेन्ट को. म्युनिसिपल एक्ट की मन्शा भी यही है कि ऐसे पेशे के लोग जो अपने पेशे की वजह से गन्दगी वगैरा फैलाने पर मजबूर हैं, आबादी से बाहर किसी खास जगह पर बसाये जांय, ताकि उन्हें अपना पेशा करने में हर्ज वाकै न हो और दूसरे लोग तकलीफ और नुक्सान से महफूज रहें. इस बारे में हर म्युनिसिपेलिटी को कानूनन इख्तियार दिया गया है कि मुकामी जरूरियात के लिहाज से वह अपने

Bye Laws बनाये और उन पर अमल करे. ऐसी सूरत में मुझे तअज्जुब मालूम होता है कि ऐसी तजवीज को मजलिस में पेश करने की क्यों जरूरत वाकै हुई. जहां कानून में म्युनिसिपेलिटीज को यह इख्तियार दिया गया है कि वह ऐसे लोगों को शहर से हटा कर बाहर आबाद करें वहां यह भी शर्त कायम की है कि उनके साथ इन्साफ किया जाय. यानी अगर म्युनिसिपेलिटीज ऐसे लोगों को आबादी में से निकालना चाहती हैं तो उन्हें चाहिये कि उन लोगों के मकानात वगैरा का माकूल और मुनासिब मुआवजा देकर दीगर मुकामात पर आबाद करें. जो म्युनिसिपेलिटीज मुआवजा अदा करने की ताकत रखती हैं वह ऐसे Bye Laws तैयार कर सकती हैं. मुझे इस तजवीज से मुखालफत नहीं है. मुझे इस वक्त सिर्फ इस कदर Explain करना है कि म्युनिसिपेलिटी को अगर इन लोगों को दूसरे मुकाम पर आबाद करना है तो माकूल मुआवजा देकर उनको हटाना चाहिये और दूसरी जगह उनके रहने के लिये मकान वगैरा बनवा देना चाहिये. मैं इस मौके पर यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो म्युनिसिपल कॉन्फरेन्स बमुकाम शिवपुरी मुनअकिद हुई थी उसमें भी यह सवाल पेश किया गया था कि दूध शहर के लोगों को अच्छा मिले और लीद मुतारी वगैरा मुजिर सेहत चीजें मवेशियान को न खिलाई जाया करें. चुनांचे माकूल निगरानी की गरज से एक सरक्यूलर सरकार से मंजूर होकर जारी हो चुका है कि घोसी लीद वगैरा अपने मवेशियान को न खिलायें और आबादी से अलग बसाये जायें. इस बयान से मेरी मन्शा यह है कि गवर्नमेन्ट को इस तजवीज से मुखालिफत नहीं है, बल्कि उसने इसके मुतअल्लिक अहकाम पहिले ही से जारी कर दिये हैं.

नवाबअली साहब.—हुजूर वाला ! इस तकरीर से मुझे बहुत कुछ इत्मीनान हो गया है. इस तजवीज के पेश करने से मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि दस साल से यह मुआमला चल रहा है, इस दरमियान में बहुत से मकानात घोसियों के तामीर हुए होंगे. लिहाजा इस वक्त से एक जगह मुअय्यन करदी जाय और हुकम सादिर फरमा दिया जाय कि आयन्दा से जो मकानात ऐसे लोगों के तामीर हों वह उसी मुकाम पर हों ताकि रफ्ता रफ्ता इनकी आबादी शहर से दूर हो जाय और कोई खास दिक्कत उठाना न पडे. मेरी तजवीज मुकाम के तअय्युन के मुतअल्लिक है.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—हुजूर वाला ! मुजव्विज साहब को इस मसले के पेश करने में गलत फेहमी वाकै हुई है. मैं अर्ज कर चुका हूं कि म्युनिसिपेलिटी की हुदूद के अन्दर हर म्युनिसिपेलिटी को इख्तियार है कि ऐसा इन्तजाम करले. मौके और मुकाम मखसूस करने के लिये गवर्नमेन्ट के अहकाम की जरूरत नहीं है.

नवाबअली साहब.—मेरे ख्याल से मेम्बर साहब के इस कदर तशरीह कर देने के बाद अब इसमें कोई जरूरत बाकी नहीं रही; लिहाजा मैं यह सवाल वापिस लेता हूं.

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २४.

प्रेसीडेन्ट साहब.—मिट्ठनलाल साहब ! आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

मिट्ठनलाल साहब.—मैं अपनी तजवीज पेश करता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः—

देखा जाता है कि हाउस टैक्स बहुत सख्त मालूम होता है, म्युनि-सिपल कमेटियों की दीगर आमदनी उनके इखराज के लिये काफी है.

म्युनिसिपेलिटी दरअसल चुंगी की आमदनी से चलनी चाहिये, न कि लोगों के मकानों पर टैक्स की कायमी से. अक्सर लोगों को अपने मकानों पर टैक्स देना किस कदर दुशवार और नागवार, है गौर फरमाया जावे.

म्युनिसिपेलिटी की आमदनी चुंगी की मद्द से भी सरकार देते हैं, दूसरा सिलसिला आमदनी टरमिनल टैक्स का है: इसके भी अलावा चन्द दीगर सीगे आमदनी के हैं. टैक्स माफ हो जाने से आबादी का बढना और लोगों के मकानात महफूज रहना मुतसव्विर है.

हुजूर वाला ! २८ टैक्स म्युनिसिपेलिटीज ने हम रिआया पर कायम कर रखे हैं जिनमें से बाज की तफसील हस्ब जैल है:—

(१) हाउस टैक्स, (२) बाजार बैठक, (३) चुंगी सडक, (४) टरमिनल टैक्स, (५) गाडी अड्डा, (६) लायसेन्स गाडी, तांगा, मोटर, (७) लायसेन्स बीडी सिगरेट, (८) जिबहखाना, (९) दूकान अत्तारी, (१०) दूकान कसाई, (११) मुर्दा जानवरान, (१२) लकडी, (१३) धोबीघाट वगैरा वगैरा.

हुजूर वाला ! बहुतसे ऐसे मकानात पर टैक्स वसूल किया जाता है जिनके मालिकान बहुत गरीब हैं. मकान की मरम्मत तक कराने की हैसियत नहीं रखते और बहुतसे ऐसे मकानात पर टैक्स वसूल किया जाता है जिनमें कोई रहता नहीं है और उनके दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं, यहां तक कि झोपडों तक पर म्युनिसिपेलिटी टैक्स लगा देती है जिससे गरीब रिआया को बहुत तकलीफ और जेरबारी होती है; इसलिये मेरी गुजारिश है कि हाउस टैक्स कतई बन्द हो जाना चाहिये.

प्यारेलाल साहब—मैं इसकी ताईद करता हूं.

रन्धीरसिंह साहब—मुझे भी आपकी राय से इत्तफाक है.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—हुजूर वाला ! मुझे खुशी है कि यह सवाल आज मजलिस में पेश हुआ है और वह इसलिये कि जो गलत फहमी इस बारे में फैली हुई है मुझे उसके दूर करने का मौका मिला है. म्युनिसिपल एक्ट दफा ४७ में, जो म्युनिसिपल टैक्स की निस्बत है, म्युनिसिपेलिटीज को इख्तियार दिया गया है कि मिन-जुम्ला taxes के, जो दफा मजकूर में दर्ज हैं, कोई टैक्स कायम करे. मैं इस तजवीज को इस मानी में समझता हूं कि इस दफा में म्युनिसिपेलिटी को मकानात पर जो टैक्स लगाने का इख्तियार दिया गया है वह उसमें से निकाल दिया जावे. मुजव्विज साहब ने जो तकरीर की है उसमें उजरत, किराया और टैक्स सबको मिला दिया है, हालांकि उन्हें समझना चाहिये कि टैक्स और उजरत में क्या फर्क है. फर्ज करो कि सुनार से ठुस्सी बनवाई गई वह २) उजरत के मांगता है तो आप कहते हैं कि क्या अंधेर है कि वह ठुस्सी पर २) रुपये टैक्स के मांगता है, लेकिन दरहकीकत वह ठुस्सी पर टैक्स नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत और गढाई की उजरत है जो उसे मिलना चाहिये. टैक्स वह है जिसे गवर्नमेन्ट बतौर इस्तहकाक के वसूल करती है; जैसे हाउस tax, जिसके वसूल करने का

गवर्नमेन्ट ने इख्तियार म्युनिसिपेलिटी को तफवीज कर दिया है. बहरहाल जिन बातों का जिक्र अभी मुजव्विज साहब ने किया है वह टैक्स नहीं है. मैं साबित करने को तय्यार हूं कि गाडी अड्डा किस उसूल पर कायम होता है. अजीब बात है कि खानगी जगह पर जब गाडियां खडी होती हैं और उसके मुआवजे में उन पर किराया आयद किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं किया जाता; लेकिन अगर म्युनिसिपेलिटी की जमीन पर गाडियां ठहरतीं हैं और उन पर जो किराया आराजी लिया जाता है तो उसको टैक्स कहा जाता है. टैक्स तो वह है कि मिल्कियत दूसरे की हो और उस पर कानून के मुवाफिक गवर्नमेन्ट कुछ वसूल करे. गवर्नमेन्ट इन्तजाम के इखराजात पूरे करने की गरज से टैक्स वसूल करती है. हाउस टैक्स जो म्युनिसिपेलिटी वसूल करती है उसका सबब यह है कि मकानात के रहने वाले म्युनिसिपेलिटी के कामों से फायदा उठाते हैं, नीज टैक्स ऐसा लिया जाता है जो देने वाले की हैसियत के मुताबिक हो, जो टैक्स देने के काबिल नहीं है उससे कुछ वसूल नहीं किया जाता. अलावा अजीं देवस्थान, स्कूल इन्स्टीट्यूशन वगैरा और ५००) या २००) रुपये तक के कीमत के मकानात ऐसे टैक्स से मुस्तसना कर दिये गये हैं. यह दूसरी बात है कि किसी खास मकान की हैसियत तशखीस करने में म्युनिसिपेलिटी से गलती हो जाय तो ऐसी सूरत में वह गलती जाहिर की जा सकती है; मसलन खंडहर पर या किसी कम कीमत मकान पर हाउस टैक्स लगा दिया गया है इसकी इस्लाह हो सकती है. यह ना मुमकिन है कि म्युनिसिपेलिटी मकानात के रहने वालों के लिये जो आराम मुहय्या करती है उसके ऐवज में कोई महसूल न लिया जावे. अगर हाउस टैक्स के नाम से ऐतराज है तो उसका कोई और नाम या म्युनिसिपेलिटी टैक्स नाम रख लीजिये. मुजव्विज साहब को इसका इल्म होगा कि मन्डी कमेटी जब कोई काम रिफाहे आम के लिये करती है और जब सामाजिक तौर पर कोई काम किया जाता है तो आमदनी का सवाल पैदा होता है और वह बहरहाल अहलियाने मन्डी ही से की जाती है जिसको टैक्स कहिये, बरगनी कहिये या उसका नाम चंदा रखिये. एक सूरत मुजव्विज साहब ने यह बयान की है कि बजाय हाउस टैक्स वसूल करने के गवर्नमेन्ट को ऑक्ट्राय ड्यूटी (octroi duty) की आमदनी से काम चलाना चाहिये. इसके बारे में यह अर्ज है कि वह आमदनी मसारिफ म्युनिसिपेलिटी के लिये ना काफी है इस वजह से म्युनिसिपेलिटी ऐसा टैक्स वसूल करने पर मजबूर है. इस वक्त जो तरीका रायज है वह यह है कि Municipalities ऑक्ट्राय duties नहीं लगातीं, बजाय इसके गवर्नमेन्ट उनको एक रकम contribute करती हैं. मुमकिन है कि मुजव्विज साहब का यह suggestion हो कि अगर म्युनिसिपेलिटीज को octroi वसूल करने दिया जावे तो उसकी आमदनी माकूल होगी, लेकिन यह ख्याल सही नहीं. चुंगी की आमदनी का तनासुब आबादी के लिहाज से किस कदर है उसके मुतअल्लिक मेरा तजुरुबा है कि उन मुकामात पर जहां आबादी बहुत ज्यादा है, मसलन कैन्टोनमेन्ट एरियाज में आमदनी का औसत १) रुपया, पर हेड पडता है. दीगर मुकामात पर औसत आमदनी इससे भी कम है. इस अम्र को मद्देनजर रखते हुए कि इस आमदनी को वसूल करने के लिये Municipalities को अमले वगैरा का कितना खर्चा उठाना पडता है यह नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेन्ट जो मुआवजा देती है वह कम है. इसके अलावा इस अम्र का मलहूज रखना भी जरूरी है कि म्युनिसिपेलिटी के फरायज में क्या क्या काम हैं जिन पर Municipalities को खर्चा करना चाहिये और उनमें से वह खुद कितने करती है और कितने गवर्नमेन्ट ने अपने जिम्मे के रखे हैं.

सडकों का मेन्टीनेन्स, हिफ्जान सेहत का प्रायमरी एज्यूकेशन और मेडीकल रिलीफ वगैरा यह सब ऐसे मसारिफ हैं जिन्हें Municipalities को बरदाश्त करना चाहिये. मौजूदा सूरत यह है कि मेडीकल रिलीफ और प्रायमरी एज्यूकेशन का सर्फा बहुत ज्यादा है और गवर्नमेन्ट ने यह दो बडे मसारिफ म्युनिसिपेलिटी के जिम्मे नहीं रखे हैं. बावजूद इसके भी महज चुंगी की आमदनी अगर ली जावे तो Municipalities के दीगर खर्चों के लिये नाकाफी होगी. यह वजह है दीगर taxes लगाने की. अगर दूसरे नुक्तये नजर से देखा जावे तो Municipalities ने मकानात पर जो टेक्स लगा रखा है वह आमदनी के लिये नहीं, बल्कि हिफ्जाने सेहत को कायम रखने और दीगर रिफाह आम के कामों के लिये हैं. अगर इस मसले को इस तौर पर भी समझा जावे कि जहां Municipality सडक का इन्तजाम करती है, रोशनी कराती है, सफाई रखती है (और यह सब लोगों के आराम के लिये) वहां अगर Municipality उन लोगों से, जो इन कामों से फायदा उठाते हैं, मुआवजा (जिसका चाहे जो कुछ नाम रखा जावे) चाहे तो यकीनन वह ऐसा मुआवजा वसूल करने की मुस्तहक है. बहालात मौजूदा समझ में नहीं आता कि हाउस टैक्स उठाये जाने का सवाल क्यों पेश किया गया है.

मिट्ठनलाल साहब—हुजूर वाला! जमीन, चूना और पत्थर पर भी म्युनिसिपल टैक्स लगाया जाता है और मकानात पर महसूल अलग कायम है, गोया म्युनिसिपेलिटी से दो दो टैक्स लगाये जाते हैं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—मुझे तो ऐसा ख्याल था कि मेरी तकरीर गलत फहमी दूर करने की गरज से थी, मगर तअज्जुब की बात है कि आपने इसका मतलब गलत समझा. फर्ज कीजिये कि एक ठुस्सी बनवाना है और उसकी बनवाई दो रुपये सुनार को देना पडे, अगर मुअज्जिज साहब यह कहदें कि यह रकम जो सुनार को बनवाई के एवज में अदा की गई वह टैक्स है तो जमीन जो Municipality की जानिब से फरोख्त की जाती है और उससे जो रुपया आता है मैं यह कहूंगा कि वह भी एक टैक्स है.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला! मेरा ख्याल यह था कि मुअज्जिज साहब, मेम्बर साहब म्युनिसिपेलिटी की मुदल्लल तकरीर को सुनकर इस सवाल को वापिस लेलेंगे. मैं मुअज्जिज साहब की तवज्जुह इस अम्र की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सवाल नम्बर २२ Municipal Act की तरमीम के मुतअल्लिक अभी मजलिस से पास हो चुका है. मुअज्जिज साहब की तजवीज का मकसद यह है कि दफा ४७, एक्ट मजकूर, में तरमीम की जावे. सवाल नम्बर २२ के सिलसिले में एक सब-कमेटी मुकर्रर की जा चुकी है जो तमाम उमूर का लिहाज करते हुए Municipal Act की तरमीम की बाबत गौर करेगी. मेरे ख्याल में किसी म्युनिसिपेलिटी का कोई मेम्बर या कोई शख्स भी, जो किसी म्युनिसिपेलिटी का बाशिन्दा हो, इस सवाल को ब आसानी सब-कमेटी के रूबरू ला सकता है और यह सवाल भी उस वक्त तय हो सकता है.

मिट्ठनलाल साहब—चूंकि कमेटी कायम हो चुकी है और कमेटी के रूबरू यह सवाल पेश किया जावेगा, इसलिये मैं यह सवाल वापिस लेता हूं.

नोटः—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नंबर २, तजवीज नम्बर २८.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस तजवीज के मुजव्विज साहब मौजूद नहीं है. क्या कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहते हैं ?

गोविन्दप्रसाद साहब—मैं इस तजवीज को पेश करता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कवाअद मन्डीहाय गवालियार बिलकुल खामोश हैं, इसलिये उनमें इतनी तरमीम फरमाई जावे कि वह कुछ काम करके बतला सकें और वह गरज, जिसके लिये यह कवाअद वजै फरमाये गये हैं, पूरी हो.

हुजूर आली ! गरज व मन्शा कवाअद मन्डी बनाने की दरबार की यह है कि "मन्डीहाय इलाके दरबार तरक्की कर सकें व नीज वजनकशी व दलाली, धर्मादाय, सौदा व दीगर उमूर तिजारती के इन्तजाम में सहूलियत हो". ऐसा ही तमहीद कवाअद मन्डी से मालूम होता है, मगर कवाअद मौजूदा से उमूर तिजारती के इन्तजाम में रुकावट होती है, क्योंकि कवाअद मजकूर खामोश हैं, मसलन:—

दफा १४ की पोट कलम नंबर (१०) (अ) में मुतअल्लिक धर्मादा निस्फ रकम, हस्ब राय मन्डी कमेटी, सर्फ करने बाबत ईमां है, मगर इसका आगे कोई तरीका नहीं बताया गया कि अगर दूकानदारान रकम धर्मादा में से निस्फ हस्ब राय मन्डी कमेटी सर्फ न करें तो कमेटी क्या अमल करे. इसके न होने से रकम धर्मादा दूकानदारान के पास ही रहती है और उसके लिये कोई कार्रवाई नहीं हो सकती.

दफा १४ की पोट कलम नंबर (१५) में हिदायत है कि मन्डी में बमूजिब नमूना मुजव्विजा-दरबार दूकानात व मकानात की तैयारी की निगरानी मन्डी कमेटी को रखना चाहिये, बशर्ते कि वहां म्युनिसिपेलिटी न हो; मगर इसके आगे कोई जाब्ता नहीं बताया गया कि अगर खिलाफ नमूना बनाया जावे तो मन्डी कमेटी क्या अमल करे. अलावा इसके दूसरा सवाल इसी में यह भी है कि इसके खिलाफ ट्रेड मेम्बर साहब के अहकाम बाज २ जगह जहां नई मंडियात तैयार हुई हैं उनकी निस्बत यह हैं कि मन्डी जब तक तैयार होकर सुपुर्द म्युनिसिपेलिटी न की जावे म्युनिसिपेलिटी निस्बत तामीर मकानात व दूकानात कोई दस्तन्दाजी नहीं कर सकती. ऐसी हालत में न तो म्युनिसिपेलिटी खिलाफ नमूना तामीर करने वालों पर कुछ कर सकती है और न मन्डी कमेटी को कोई इख्तियार कवाअद मजकूर में है.

दफा १५ की पोट कलम नंबर ७ में स्टॉक गल्ला इलाके गैर का हफ्तेवार रिकार्ड रखना चौधरी मन्डी के फरायज में है. गल्ले का स्टॉक ज्यादातर पक्के आढतियान के यहां रहता है. पक्के आढतियान से दर्याफ्त करने पर अगर वह न बतायें या सही न बतायें तो क्या किया जाय, क्योंकि कवाअद मजकूर में पक्के आढतियान पर मन्डी कमेटी को कोई इख्तियार नहीं दिया गया.

कच्चे आढतियान व दलालान व वजनकशान व हम्मालान को तो मुताबिक कवाअद दफा १४, पोट कलम नंबर (६) लायसेन्स दिये जाते हैं और खिलाफवर्जी करने पर लायसेन्स के जब्त करने का इख्तियार मन्डी कमेटीज को है, इसलिये वह लोग तो अहकाम व हिदायात मन्डी कमेटीज की पाबन्दी करते हैं, मगर इन सबका तअल्लुक पक्के आढतियान से रहता है और पक्के आढतियान पर

कुछ इख्तियार न होने से वह कतई मन्डी कमेटीज के अहकाम व हिदायात की पाबन्दी नहीं करते, यहां तक कि किसी मशवरे या किसी हिदायत के लिये (जो मन्डी के लिये मुफीद हो) बुलाने पर आते तक नहीं. ऐसी हालत में मन्डी कमेटीज क्या काम करके बतला सकती हैं जब कि मन्डी का आधा जुज जो पक्के आढतियान हैं उनके मशवरे तक में शामिल न हों.

वजनकश व दल्लालान व हम्मालान पक्के आढतियों के यहां काम करते हैं और पक्के आढतियान बिला लायसेन्सदारान से काम तुलाई व हम्माली लेते हैं यहां तक कि उनके यहां जो नौकर हैं उन्हीं से यह काम लेते हैं और उनको हिदायत भी दी जाती है व समझायश भी की जाती है कि अगर आप बिला लायसेन्सदारान से काम न लेंगे तो कोई शख्स बिला लायसेन्स काम न कर सकेगा, मगर वह नहीं मानते. इसका नतीजा यह होता है कि बहुतसे बिला लायसेन्स वजनकशी व हम्माली का काम करते हैं और इन्तजाम में फर्क आता है. यह जरूर है कि किसी न किसी वक्त निगरानी होने से मन्डी कमेटी उनको गिरफ्तार करती है व जुर्माना भी हस्ब इख्तियार हासला करती है, मगर पक्के आढतिया साहबान पर उसका कुछ असर नहीं होता. अगर ऐसी हालत में उनको अदालत का मुलजिम बनाने बाबत हिदायत हो तो हरगिज ऐसा न करेंगे. इसके लिये मन्डी कमेटी भिन्ड की तरफ से साल हाल में ही ब खिदमत जनाब वाला ट्रेड मेम्बर साहब गुजारिश भी किया गया है.

मन्डी कमेटीज के नोटिसेज व इत्तलानामेजात पर बाज बाज लोग दस्तखत या इत्तलायाबी तक नहीं करते और इन्कार कर देते हैं, ऐसी हालत में क्या किया जावे ? कवाअद में कोई प्रॉविजन नहीं है. इसके लिये भी मन्डी कमेटी भिन्ड से ब खिदमत जनाब वाला ट्रेड मेम्बर साहब गुजारिश हुआ है.

बांटों की निगरानी करने का खास फर्ज मन्डी कमेटीज की दफा १४ की पोट कलम नम्बर (१३) में रखा गया है. अगर मन्डी कमेटी का कोई मेम्बर या चौधरी जांच बांटों की करना चाहे और दूकानदारान जांच न करायें तो ऐसी हालत में क्या अमल किया जावे. ऐसे कोई इख्तियारात मन्डी कमेटीज को कवाअद में नहीं दिये गये; इसलिये बाटों की जांच की मुतअल्लिक भी दिक्कत वाके होती है और मन्डी कमेटीज पूरे तौर पर इस बारे में भी अपने फरायज अदा नहीं कर सकतीं.

कवाअद मन्डी की दफा १४ की पोट कलम नम्बर (९) के नोट में ईमा है कि "मंडी में जो गाडियां माल बेचने की गरज से आयें वह बेगार में न पकडी जायें". यह भी फरायज मन्डी कमेटीज में हैं मगर इसके मुतअल्लिक कोई जाब्ता न होने से (अगर ऐसा हो तो मन्डी कमेटीज क्या अमल करें) इसकी तामील नहीं होती और ऑफिसर साहबान उन्हीं गाडियों को जबरन बेगार में लेजाते हैं, जो मन्डी में माल बेचने की गरज से आती हैं. इसके मुतअल्लिक तहसीलदार साहबान की भी तवज्जुह दिलाई जाती है, मगर कुछ नतीजा नहीं निकलता; बल्कि इसके मुतअल्लिक मैंने खुद तहसीलदार साहब भिन्ड से जबानी अर्ज किया तो साहब मौसूफ ने फरमाया कि हमारे यहां डिपार्टमेन्टल ऑर्डर मौजूद है कि अशद जरूरत के वक्त गाडी मन्डी से बेगार में पकडी जा सकती है. मैंने ऑर्डर मजकूरे बाला तलाश भी किया, मगर मुझे अभी तक दस्तयाब न हो सका. अगर वाकई ऐसा ऑर्डर है तो इसके मानी यह हैं कि ऑर्डर मजकूर की आड में हर वक्त मन्डी से ही गाडियां बेगार में पकडी जाती हैं. इसकी वजह से उन काश्तकारान को, जो मन्डी में माल बेचने के लिये लाते हैं, बडी परेशानी उठाना पडती है और कवाअद में जो नोट है उसकी पाबन्दी नहीं होती, क्योंकि उसकी खिलाफवर्जी की बाबत कोई जाब्ता नहीं है.

कवाअद मन्डी की दफा १४ की पोट कलम नंबर (५) में ईमा है कि "मन्डी में जो माल फरोख्तगी के लिये काश्तकार या दूसरी जगह के व्योपारियान लावें उनको माल की पूरी कीमत मिलती है इसकी जांच करें". मुताबिक इसके जांच से या काश्तकार या व्योपारी की शिकायत से यह मालूम हो कि उनको माल की पूरी कीमत नहीं मिली या कतअन कीमत नहीं मिली तो मन्डी कमेटीज क्या करें व किस तरह पर कीमत दिलायें, इसके लिये कोई अहकाम नहीं हैं. कवाअद खामोश हैं और अक्सर ऐसे मौके आते हैं उस वक्त समझायश से काम लिया जाता है और बाज वक्त समझायश के तरीके से कोई नतीजा नहीं निकलता तो मन्डी कमेटीज को मजबूर व खामोश रहना पडता है.

कवाअद मन्डी में ७ मेम्बरान व २ ऐक्स्ट्रा मेम्बरान रखे जाने बाबत ईमा है, मगर चेअरमैन या प्रेसीडेन्ट का ओहदा नहीं रखा गया है. बाज वक्त ऐसा मौका होता है कि हाजरीन मेम्बर साहब की तादाद में से बराबर २ रायें हो जाती हैं (तो ऐसी हालत में चेअरमैन या प्रेसीडेन्ट की जरूरत होती है), मगर चेअरमैन न होने से अगर रायें बराबर हों तो क्या अमल किया जावे, यह कवाअद में नहीं बतलाया गया. कवाअद मन्डी की दफा १८ बाबत माल के कर्दा काटने के है. इस दफा में ईमा है कि "उसके लिये कायदे मुकर्रर किये जावें" मगर उन कायदों की खिलाफवर्जी करनेवालों पर मन्डी कमेटीज को कोई इख्तियार नहीं दिया गया. ऐसी हालत में नकायस, जो मंडियात में बाबत करदा हों, उनकी रफाई होना मुश्किल होता है.

हुजूर आली ! जो बातें मैंने कानून मन्डी कमेटी की खामोशी की बताई हैं उन पर से इन तमाम बातों पर गौर करके यह राय देने के लिये कि कवाअद मन्डी में क्या तरमीम होना चाहिये एक सब-कमेटी मुकर्रर फरमाई जावे कि जो मुफस्सिल तजवीज निस्बत तरमीम पेश करे और उस सब-कमेटी में ऐसे मेम्बरान भी लिये जावें जो मन्डी कमेटीज के मेम्बर भी हों.

कयास यह हो सकता है कि महज इख्तियारात बढाने की गरज से यह उमूर जाहिर किये गये हैं, मगर नहीं, मैं हुजूर वाला को इतमीनान दिलाता हूं कि मेरी गरज यह नहीं है, बल्कि दरअसल जो दिक्कतें काम करने में पेश आती हैं बयान की गई हैं और मन्शा मेरी सिर्फ यह है कि दरबार की वह गरज जिस के लिये कवाअद वजै फरमाये गये हैं, पूरी हो.

छगनलाल साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

ट्रेड मेम्बर साहब.—प्रेसीडेन्ट साहब ! यह सवाल जिस शक्ल में हुआ था उसमें मुजव्विज साहब ने यह नहीं बतलाया था कि इसमें प्रैक्टीकल दिक्कतें क्या क्या हैं. इस वक्त उन्होंने इसके मुतअल्लिक बहुतसी बातें जाहिर की हैं, लिहाजा मुजव्विज साहब की राय से मुझे इत्तफाक है कि एक सब-कमेटी मुकर्रर की जावे जो इस बात पर गौर करे कि कवाअद मन्डी में क्या तरमीमात होनी चाहियें.

नोट.—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि हस्ब जैल मेम्बरान की एक सब-कमेटी कवाअद मन्डी को revise करने के लिये कायम की जावे:—

प्रेसीडेन्ट.

१. ट्रेड मेम्बर साहब,

मेम्बरान.

२. प्यारेलाल साहब.

३. रामजीदास साहब.

४. मिट्ठनलाल साहब.
५. टोडरमल साहब.
६. गोविंदप्रसाद साहब.
७. केसरीचन्द साहब.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २९.

प्रेसीडेन्ट साहब—प्यारेलाल साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

प्यारेलाल साहब.—कानून दिवालिया इस गरज से बनाया गया है कि अगर साहूकार को किसी तिजारत में बडा नुक्सान लग जाय और वह पूरे कर्जे अदा न कर सके तो उसे परेशानी से बचाया जाय और उसकी आबरूरेजी न हो.

लॉ मेम्बर साहब.—तजवीज तो पढिये.

प्यारेलाल साहब—मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जब से कानून दिवालिया रियासत हाजा में जारी हुआ है, कसरत से लोग दिवालिया बआसानी बनते रहते हैं और वह लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से मन्डियों के कारोबार तिजारत में सख्त नुक्सान पहुंच रहा है.

लोगों ने यह इख्तियार कर लिया है कि अपनी गैर मनकूला जायदाद को रहन रखकर या अलहदा करके और गलत उगाहीं बताकर दिवालिया की दरख्वास्त पेश करते हैं और दो गवाह अपने मेल के कराकर दिवालिया बन जाते हैं और नाजायज फायदा उठाते हैं.

दिवालिया होने की इत्तला गजट में होती है उससे बाहर के दिसावर वालों को इल्म तक नहीं होता और न यहां के हर कर्जख्वाह को इल्म होता है; इसलिये हर एक कर्जख्वाह को इत्तला होना चाहिये जिससे वह उजरात कर सके.

दिवालिया होने की दरख्वास्त पेश करते वक्त उससे एक फेहरिस्त ली जाय कि किस वक्त और किस तिजारत में नुक्सान पहुंचा उसकी तफ्सील होना जरूरी है.—

दिवालिया की दरख्वास्त के साथ बहीखाते पेश होना चाहिये और बहीखाते की जांच चेम्बर या मन्डी कमेटी से कराई जावे कि बहीखाते दुरुस्त हैं या नहीं.

इस तरह दिवालिया होने से लोगों ने एक कमाई का जरिया इख्तियार कर लिया है और लोगों से उधार कर्जा लेकर दाब लेते हैं और जाहिर कर देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और तिजारत पर भी इसका बुरा असर पडता है. ऐसे लोगों की वजह से भले आदमियों का दिसावरों में ऐतबार नहीं रहता.

दिवालिया जब तक रुपये में आठ आने न दे सके दिवालिया मंजूर नहीं किया जावे, जिससे कि दिवालिया को भी ख्याल रहे और कर्जख्वाहान को भी ज्यादा नुक्सान नहीं उठाना पडे.

छोटमल साहब.—मैं ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब.—जनाब वाला, यह तजवीज कोई तजवीज नहीं है, महज इजहार वाका है. कहा गया है कि जब से कानून दिवालिया जारी हुआ, लोग दिवालिया बनकर नाजायज फायदा उठाते हैं जिससे सख्त नुक्सान होता है. कोई तजवीज पेश नहीं की गई जिस पर गौर

किया जावे. अगर मजलिस इस सिफारिश को पास करदे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस तजवीज से कोई फायदा नहीं.

पुस्तके साहब.—हुजूर आली, जनाब लॉ मेम्बर साहब ने जो कुछ फरमाया है उससे मैं इत्तफाक करते हुए उनकी तवज्जुह कवाअद मजलिस आम की दफा २७ के क्लॉज नंबर ३ की तरफ दिलाना चाहता हूं. जब यह तजवीज आइ थी और वह कवाअद मजलिस आम की रू से नहीं ली जासकी थी या उसमें कोई नुक्स था तो उसी वक्त इस तजवीज को वापिस कर देना चाहिये था. इतना अर्ज करके मैं अपने दोस्त प्यारेलाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वह इस तजवीज को वापिस लेलें.

लॉ मेम्बर साहब.—दफा २७ में यह बतलाया गया है कि तजवीज किस शक्ल में मुरत्तिब हो. यह तजवीज मुरत्तिब करने वाले का काम है कि वह तजवीज ठीक तौर पर मुरत्तिब करे. इसकी तरमीम के मुतअल्लिक इस दफे में हिदायत नहीं है. तजवीज पेश कुनिन्दा को चाहिये कि वह तजवीज definite, यानी मुअय्यन तौर पर पेश करे. तजवीज तो देखने में दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन कानून में जो तरमीम वह कराना चाहते हैं वह जाहिर नहीं होती.

पुस्तके साहब.—मैंने जो कुछ अर्ज किया उससे मकसद मेरा यह है कि लॉ मेम्बर साहब अपनी तवज्जुह दफा २७, कवाअद मजलिस आम के क्लॉज नंबर ३ की तरफ मबजूल फरमायें, जिसमें सराहत के साथ यह बात बतलाई गई है कि अगर तजवीज का मतलब जाहिर न हो तो वह तजवीज मेम्बरान मुतअल्लिका को वास्ते इत्तलाह के वापस भेजदी जावेगी. इसलिये अगर यह मालूम नहीं हो सकता था कि इस तजवीज में क्या तरमीम चाही जाती है तो पेश्तर ही यह सवाल वापिस किया जाना चाहिये था.

लॉ मेम्बर साहब.—मैंने पहिले ही अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है. यह कोई Round Table Conference नहीं है जिसमें सवाल व जवाब किये जासकें. जनाब वाला प्रेसीडेन्ट साहब इसका फैसला फरमा दें.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस सवाल पर जो गौर किया जाता है तो मुजव्विज साहब इसमें क्या चाहते हैं वह साफ तौर पर जाहिर नहीं होता है; लिहाजा इस सवाल के मुतअल्लिक आयन्दा मजलिस होने के पेश्तर जो कुछ उनकी ख्वाहिश हो अपना definite प्रपोजल पेश करें, उस वक्त मुआम्ले पर गौर किया जावेगा.

नोट—तजवीज ड्रॉप (drop) की गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ३०.

प्रेसीडेन्ट साहब.—अली अन्सर साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

अली अन्सर साहब.—मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

दफा ६९, कानून माल, संवत १९८३, में यह इर्शाद है कि कार्रवाई रजिस्ट्री दस्तावेज रहन व बय में उज्रदारी बरबिनाय हक्क शफा काबिल समाअत होगी.

रहन कर्जे की सूरत में हर शख्स आजाद है. अपनी अगराज के पूरा करने के लिये वह अपनी जायदाद को, जहां सहूलियत और फायदा देखे, रहन रखे, मुस्तकिल इन्तकाल नहीं है; पस इन्तकाल आराजी में हक्क शफा का सवाल नहीं होना चाहिये.

करता है, इसलिये जहां तक हक्क शफा का ताल्लुक है दोनों इन्तकालात की सूरत यकसां हैं. रहन लम्बी मियाद के लिये हो सकता है. आराजी मरहूना का इनफिकाक राहिन की मरजी पर होता है यानी वह चाहे तो आराजी को रहन से छुडावे और चाहे तो अपना हक्क इनफिकाक जाइल करदे. रहन आसानी से बय में तब्दील किया जा सकता है और बय को आसानी से रहन की शक्ल दी जा सकती है इसलिये रहन पर हक्क शफा को जदीद कानून माल में तसलीम किया गया है.

कस्बात में (जहां हक्क शफा शरह मोहम्मदी के उसूल पर मबनी है) रहन पर शफा नहीं है इसलिये हक्क शफा को जायल करने के लिये लोग अक्सर लम्बी मियाद के लिये व कडी शर्तों के साथ रहन रख देते हैं और अक्सर व बेश्तर यह झगडे पैदा होते हैं कि इन्तकाल जायदाद जिसको बजाहिर रहन की शक्ल दी गई है दरअसल बय है.

जनाब वाला ! अगर रहन की सूरत में हक्क शफा को खारिज कर दिया जावेगा तो असल गरज, जिसके लिये बय पर हक्क शफा दिया गया है, हाथ से जाती रहेगी. मेरी राय में जब तक बय पर हक्क शफा कायम है रहन पर भी हक्क शफा कायम रहना चाहिये. इससे राहिन को जो नेक नियती से अमल कर रहा हो कोई नुक्सान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि शफी भी उन्हीं शर्तों का पाबन्द होगा जो नेक नियती से राहिन व मुर्तहिन के दरमियान तय पाई हों.

वाटवे साहब.—हुजूर वाला ! यह जो हक्क शफा का हक्क शरह मुहम्मदी से लिया गया है वह एक कमजोर हक है. शरह मुहम्मदी में वजह यह बतलाई गई है कि लोगों की सहूलियत में फर्क न आवे और गैर शख्स दाखिल न हो सके; मगर मुश्तरी अपने हक्क से कतई तौर पर हाथ धो बैठता है और जाय मुबय्यना दूसरे के हवाले कर देता है. मेरी गुजारिश यह है कि बय की निस्बत भी हक्क शफा का हक कमजोर है; लिहाजा इस कमजोर हक्क को रहन की सूरत में, जिसके वास्ते शरह मोहम्मदी बिलकुल इजाजत नहीं देती, लागू करना एक कमजोर हक्क को मजबूत करना है. दूसरी बात यह है कि बय की हालत में भी बहुतसी झूठी बातें लगा कर बाया और मुश्तरी, जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है, अपने बयनामे में कडी शर्तें डालते हैं और फिर उसे पेश करते हैं. मेरे कहने का यह मतलब है कि रहन में हक्क शफा न रखा जावे ताकि ऐसी झूटी बातों से रहननामा साफ रहे. अगर रहन और बय दोनों की हालत में हक्क शफा रखा गया, जैसा कि मौजूदा कानून में है, तो फायदा तो होगा मगर लोगों को झूठी कार्रवाई करने का मौका मिल जावेगा, इस वास्ते गुजारिश है कि रहन में हक्क शफा मुस्तसना रखा जावे. रहन अगर सादा है तो जायदाद मरहूना में मुर्तहिन को कोई दखल नहीं मिलता है. अगर वक्त पर रुपया न आवे तो इस जायदाद को फरोख्त करके अपना रुपया पा सकता है. इसलिये हक्क शफा देना बिलकुल ठीक नहीं है. नीति की दृष्टि से देखा जावे तो भी कमजोर हक्क को वुसअत देना मुनासिब नहीं.

अब्दुल हमीद साहब.—हुजूर वाला ! वाटवे साहब ने यह बयान फरमाया है कि शरह मोहम्मदी में शफा कमजोर हक है लेकिन अपने कौल की ताईद में कोई दलील पेश नहीं की कि किस वास्ते हक्क कमजोर है. बय की सूरत में हक शफा इस गरज से रखा गया है कि शुरका या हमसाया के मुकाबले में एक गैर शख्स जायदाद हासिल न कर सके. जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है, जब लंबी मियाद के लिये रहन किया जाता है तो उसकी शक्ल मिस्ल बय के होजाती है और कोई वजह नहीं कि ऐसी सूरत में शुरका को वह ही हक हासिल न हो जा कि बय की सूरत में होता है.

बटुकप्रसाद साहब.—हुजूर आली ! इस रेजोल्यूशन के मुतअल्लिक, जो मजलिस के रूबरू पेश है, मेरी राय मुख्तलिफ है मैं भी इसकी ताईद करता हूं कि मौजूदा कानून माल में जो हकशफा कायम फरमाया गया है उसके निकाल देने की जरूरत नहीं है. मुजव्विज साहब ने फरमाया है कि रहन की हालत में हकशफा रखने से ऐसी सूरतें लाहक हो जाती हैं कि काम जल्दी नहीं होता. इसकी तमसील में मुजव्विज साहब ने बताया है कि रहन की सूरत में हकशफा रखने से लंबी मियाद का इश्तहार देने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है जिससे रुपया मिलने में देर होती है मगर यह तमसील महज हक शफा रहने की सूरत में होने से ही मुतअल्लिक नहीं होती बल्कि हर रहन की सूरत में इस इश्तहार के इजरा की जरूरत होती है चाहे हक शफा रखा गया हो या न रखा गया हो. दूसरी बात इस सवाल के मुतअल्लिक शरह मोहम्मदी की रू से यह भी मजलिस के सामने बतलाई गई है कि चूंकि यह हक एक कमजोर हक है इसलिये बय की सूरत में जब कमजोरी महसूस होती है तो रहन की सूरत में, जो एक आर्जी तरीका इन्तकाल जायदाद का है, और भी कमजोर मालूम होगा. गो इब्तदा में हक शफा शरह मोहम्मदी की रू से शुरू हुआ, लेकिन आजकल आम तौर पर यह हक रिवाज के तौर पर माना जाता है, और रियासत हाजा में आलातरीन अदालत इन्साफ से भी यह हक बतौर रिवाज के माना गया है. इस लिहाज से भी अब यह हक कमजोर कहने की गुंजायश नहीं है. तीसरे यह बात भी बतलाई गई है कि जायदाद मरहूना में किसी शख्स का कोई हक पैदा नहीं होता, इसलिये हक शफा को उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है, मगर इससे पेश्तर यह बात भी बतलाई गई है कि रहन की शक्ल में इन्तकाल दवामी हो जाते हैं और शफा से बचने के लिये ऐसे अमल किये जाते हैं, इसलिये मेरी राय में मिस्ल बय के रहन की सूरत में भी जिन शरायत के साथ मौजूदा कानून माल में हक शफा रखा गया है वह बदस्तूर कायम रखा जावे.

जगमोहनलाल साहब.—इस सवाल से मुझको मुखालफत है. इसकी ताईद में भाटवे साहब ने जो वजूहात बयान किये हैं उनमें से एक के मुतअल्लिक मेरे दोस्त बटुकप्रसाद साहब ने बहुत काफी तरदीद करदी है. अब रही यह बात कि हकशफा अगर रहन के मुआम्लात में लागू कर दिया गया तो फर्जी कार्रवाई की गुंजायश होगी, इसमें मुझे शक है और मेरे ख्याल में यह महज सेन्टीमेन्टल दलील है, क्योंकि अगर रहन में हकशफा न रखा जाये और सिर्फ बय में रखा जाये तो लोग बय को अन्दरूनी रहन की सूरत देकर अपना मतलब हल कर सकेंगे इसलिये यह दलील महज सेन्टीमेन्टल है. दूसरे अर्ज यह है कि रहन सादा में हकशफा की कोई शक्ल ही पैदा नहीं होती, जहां बिला कब्ज रहन है वहां यह हक पैदा नहीं होता बल्कि सिर्फ रहन बिल कब्ज में पैदा होता है. इसलिये मुझे इस तजवीज से इख्तलाफ है.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब—मैं कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं. हुजूर वाला ! मैंने यह इजाजत इस वजह से मांगी है कि इसकी वजह बयान करूं कि पहिले के कानून माल में रहन की सूरत में हकशफा न था और मौजूदा कानून माल में यह हक क्यों कायम किया गया है. मैं इस सवाल पर बहस नहीं करना चाहता, महज यह बतलाना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या हुई. साबिक कानून माल में हकशफा रहन में न रखने की वजह यह थी कि रहन सिर्फ एक किस्म का जायज था. वह यह कि बीस साल होने पर रहन मिट जाता था और राहिन को उसकी जायदाद वापिस मिल जाती थी. मगर जदीद कानून ने यह इजाजत दी कि चाहे जिन शरायत पर, चाहे जिस मियाद के लिये रहन किया जावे. इसलिये लेजिस्लेचर को यह गौर करने की जरूरत पेश आई कि यह रहन कभी चलकर बय की शक्ल न इख्तियार करे. ऐसी शक्ल पेश आने की वजह से

यह लाजिम आगया कि शफा का हक रहन के लिये भी रखा जाये. साथ ही जमीन के मुतअल्लिका मुआम्लात में हकशफा एक महत्व की बात है. जो लोग एग्रीकलचरल कम्युनिटी की हालत को जानते हैं उन्हें मालूम है कि उसमें थोक के थोक होते हैं, जैसे धाकर के, कमावत के या और किसी के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं. बहरहाल जो चीज एक कम्युनिटी की है उसमें दूसरी कम्युनिटी का शरीक होना किसी हालत में ठीक नहीं होता. यह तजरुबे की बात है कि एक कम्युनिटी के इन्सटीट्यूशन में दूसरे का शरीक हो जाना मुजिर है और गवर्नमेन्ट का भी यही ख्याल है. दीगर गवर्नमेन्ट्स ने भी इस उसूल को मद्देनजर रक्खा है. चुनांचे पंजाब गवर्नमेन्ट की एक ऐसी तजवीज का हाल मुझे मालूम है. यह पता नहीं कि वह पास हुई या नहीं. वह तजवीज यह थी कि इन्तकाल का तो हक रहे, मगर अपनी ही कम्युनिटी में. जमींदारी जायदाद ऐसी है कि अगर किसी ने चाहा कि मैं मालिक हूं, जिसे चाहूं दे दूं तो अगर ऐसा करने से किसी किस्म का फॉरिन एलीमेन्ट (foreign element) आ गया तो आयन्दा झगडे और मुकद्दमेबाजी के लिये एक बीज हो जाता है, इसलिये जमीन के मुआम्लात में ऐसी आजादी नहीं रखी गई है.

नोट:—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव.—कसरत राय से करार पाया कि मौजूदा कानून में किसी तरमीम की जरूरत नहीं.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ३१.

प्रेसीडेन्ट साहब.—श्यामराव साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

श्यामराव साहब देशमुख—हुजूर आली ! मैं इस तजवीज को वापिस लेता हूं.

नोट:—तजवीज वापिस ली गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ३२.

प्रेसीडेन्ट साहब.—छगनलाल साहब आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

छगनलाल साहब.—मैं अपनी तजवीज पेश करता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जिन इस्तमुरारदार जागीरदार साहबान की माली हालत अच्छी हो उनसे उनके वालिद साहबान का कर्जा उनकी जागीर से डिक्रीदार को दिलवाना चाहिये.

हुजूर आली ! इसके मुतअल्लिक मेरी यह गुजारिश है कि उन जागीरदार साहबान व इस्तमुरारदार साहबान से जिनकी माली हालत अच्छी है उनके पिता का कर्जा जरूर दिलाना चाहिये; क्योंकि इसी में उनकी शोभा है. जो अपने पिता की हजारों और लाखों की जायदाद के वारिस हुए हैं, वह अपने पिता का कर्ज अदा करने में पीछे हटें यह कहां तक ठीक है. धर्मशास्त्र के उसूल से देखा जाय जो अनेक ऋषि मुनियों ने बनाये हैं तो मालूम होगा कि यह बात बिलकुल ठीक है. एक शास्त्र में तो यह बतलाया है कि जब तक पिता का कर्ज उसका वारिस अदा न करे वह नर्क में रहता है और शरह मुहम्मदी में बतलाया है कि पहिले कफन का इन्तजाम फिर मूरिस के कर्ज की अदाई का और तीसरे नम्बर पर दुनियवी कामों की फिक्र होना चाहिये. हर किस्म के ब्योपारी जागीरदार

साहबान से फायदा उठाते हैं, लेकिन सरकार से इसके लिये कोई बन्दिश नहीं रखी गई है,सिर्फ वह साहूकार जो दादो-सितद करते हैं उनके लिये यह बात रक्खी गई है. जागीरदार साहबान हजारों का कपड़ा खरीदते हैं, गहना बनवाते हैं, दो दो शादियां कर लेते हैं और मोटरें खरीदते हैं, लेकिन अपना कर्ज अदा नहीं करते, यह असंगत है. कहा जाता है कि अगर कर्ज का बार उन पर डाला गया तो उनकी पोजीशन में फर्क आता है यह कैसे आश्चर्य की बात है. दूसरी रियासतें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर वगैरा में अदालत से ऐसे मुआम्लात का निकाल होजाता है. या तो जागीरदार साहब से कर्जा दिलाया जाता है या रियासत से दिया जाकर उनकी जागीर की आमदनी से रफ्ता रफ्ता वसूल होता है. किसी सोसायटी को प्राकृतिक नियम से रोकना विचार के काबिल है. जागीरदार साहबान को तो कर्जा लेने से नहीं रोका जाता, साहूकारों को उसकी वसूली से रोका जाता है यह कहां तक ठीक है. चाहिये तो यह था कि जागीरदार साहबान को कहा जाता कि अगर कर्ज लेओगे तो जागीर जब्त हो जावेगी, ऐसा न होकर साहूकारों पर बार डाला जाता है. कहा जाता है कि साहूकार लोग जागीरदारों को शराब पीने और दूसरे अनुचित कामों के लिये रुपया देते हैं. यह मुमकिन है कि एकाद जगह ऐसा हुआ हो, लेकिन सब पर इसका असर डालना कहां तक ठीक है. हमारी सरकार आदिल है. यहां तक हुक्म है कि सरकार पर भी मुकद्दमा दायर किया जा सकता है. सरकार के लिये दोनों बराबर हैं. अगर दो बच्चों में एक कमजोर है तो उसको अपने हक्क से रोकना ठीक नहीं. इससे साहूकारों का कहां तक बिगाड हुआ है यह नहीं कहा जा सकता. उज्जैन का सराफा देखिये, वहां की हालत कहां तक गिर गई है, यह बात विचार के काबिल है कि ऐसे सरक्यूलर निकाल कर सराफे को बिगाड़ना क्या दुरुस्त है. इस बन्दिश से जागीरदार साहबान को कोई फायदा नहीं हो सकता, वह मन चाहे जैसा खर्च करते हैं, उनकी कोई रोक नहीं. हजार पन्द्रह सौ फिजूल खर्च कर देना उनके लिये कोई बात नहीं है; लिहाजा गुजारिश है कि इस बन्दिश को निकालकर जिनकी माली हालत अच्छी है उनसे उनके पिता के कर्ज की अदाई कराई जावे.

श्यामराव साहब देशमुख.—मुझे इस तजवीज से इत्तफाक है.

प्रहलादसिंह साहब.—हुजूर वाला! साहूकार लोग रुपया घर में रखकर दिवाला निकाल देते हैं. काश्तकार भी कमाई करके चले जाते हैं. जागीरदार कहां जाते हैं. सूद भी देते हैं, सूद दर सूद भी देते हैं यहां तक कि असल और सूद सब पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी कर्ज का कर्ज बाकी रहता है. अगर साहूकारों को नुक्सान होता है तो वह जागीरदारों को कर्ज ही क्यों देते हैं? ऐसी हालत में उन्हें कर्ज देना ही नहीं चाहिये.

राजा गोपालसिंह साहब.—मैं प्रहलादसिंह साहब की तकरीर से इत्तफाक करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब.—जनाब वाला! तजवीज यह है कि डिक्रियों की हकरसी जागीरी आमदनी से कराई जावे. यह तजवीज कानून के खिलाफ है, यानी कानून के खिलाफ होने से उस पर अमल नहीं किया जा सकता. कानून में मुमानियत होते हुए साहूकारान ने कर्जा दिया इसलिये अगर कर्ज की वसूली नहीं हुई तो उनको शिकायत नहीं होना चाहिये. जागीरदारों के कर्जा लेने और उनके कर्ज की हकरसी के मुतअल्लिक ग्वालियार गवर्नमेन्ट गजट, मुवर्रखे तारीख २८ जनवरी सन १९२२ ई० के साथ जो जदीद कवाअद जारी हो चुके हैं, उन कवाअद में तशरीह कर दी गई है कि किन हालात में जागीरदार साहबान कर्जा ले सकते हैं और किस किस्म के कर्जे के एवज जागीरी जायदाद जिम्मेदार होगी.

यह तजवीज साबिक़ा कर्जे की डिक्रियात की बाबत है. वह डिक्रियात सादा जरे नकद की बाबत हैं. कानूनन उस कर्जे का बार आमदनी जागीर पर न था इसलिये उस कर्जे की बुनियाद पर जो डिक्रियात सादिर हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी जायदाद जागीर पर नहीं हो सकती.

जनाब वाला ! सरक्यूलर नम्बर ३/६४ मजरिया चीफ सेक्रेटरियट हुजूर दरबार, के पैरा नम्बर १ में साफ अलफाज में यह हुक्म दर्ज है कि अगर कोई जागीरदार, सिवाय सरकार के किसी दीगर शख्स का मकरूज होकर फौत हो और अगर वह दीगर शख्स जरे कर्जे की डिक्री हासिल करे तो आराजी जागीर की आमदनी से हकरसी डिक्रीदार पर नहीं कराई जायगी. इस सरक्यूलर का अमल दरामद ता० २९ जनवरी सन १८९८ से जारी हुआ. सरक्यूलर मजकूर का इस उसूल पर मबनी होना पाया जाता है कि देहात जागीर व आमदनी जागीर के मुतअल्लिक जागीरदारान का इस्तहकाक महज उनकी जिन्दगी तक होता है इसलिये कोई जागीरदार मजाज नहीं है कि जो मवाजियात जागीर को या आमदनी जागीर को बाद वफात खुद बिला मंजूरी गवर्नमेन्ट अपने किसी कर्जे में किसी तरीके से मुब्तला छोड़े, ख्वाह वजह कुछ भी हो. जब तक वह सरक्यूलर जारी रहा वह उस वक्त का कानून था उसके खिलाफ कर्जे का बार जागीरी आमदनी पर नहीं डाला जा सकता.

बादहू वह सरक्यूलर दफा ९२ कवाअद जागीरदारान से मन्सूख हुआ. यह कवाअद तारीख १ जौलाई सन १९१४ से जारी हुये. कवाअद जागीरदारान की दफा ९२ की रू से यह करार दिया गया कि:—

'कोई जायदाद जागीर या वह आमदनी जो उससे होती है अदालत दीवानी या मतालबा डिक्री में कुर्क नहीं हो सकेगी'.

यह दफा तारीख २८ जनवरी सन १९२२ तक कायम रही. जबतक यह दफा नाफिज रही उसके अहकाम के खिलाफ कर्जख्वाह के कर्जे का बार जागीरी जायदाद या उसकी आमदनी पर नहीं डाला जा सकता. तारीख २८ जनवरी सन १९२२ से जदीद कवाअद जागीरदारान के कर्जे की हकरसी डिक्रियात की बाबत जारी हुये.

इसलिये legal position यानी क़ानूनी लिहाज से सूरत मुआम्ला यह है कि तारीख २५ जनवरी सन १८९८ से तारीख २८ जनवरी सन १९२२ के दरमियान जिस कदर कर्जा जागीरदारों को दिया गया है और उस कर्जे की बुनियाद पर जो डिक्रियात सादिर हुई उनका बार जागीरी जायदाद व उसकी आमदनी पर नहीं है.

इस सिलसिले में यह जाहिर कर देना मुनासिब समझता हूं कि दरबार से एक मुकदमे जुडीशियल में जो सन १९२४ में फैसल हुआ यह हुक्म दिया गया है कि ऐसी डिक्री जो जागीरदार या उसके कायम मुकाम के खिलाफ कर्जे की बुनियाद पर सादिर हुई हो, आमदनी जागीरी के सुल्स से हकरसी कराई जा सकती है. अपील्स डिपार्टमेन्ट हुजूर दरबार का यह फैसला मेमोरन्डम नंबर ४ की शक्ल में गवालियार गवर्नमेन्ट गजट, मुवर्रखे १६ फरवरी सन १९२४ के साथ आयन्दा रहनुमाई के लिये जारी हुआ है. हाईकोर्ट से इस मेमोरेन्डम की बुनियाद पर सुल्स आमदनी से डिक्रियात की हकरसी कराये जाने के लिये तहरीक की गई है; चुनांचे यह मुआम्ला दरबार में पेश होकर कौन्सिल आलिया से इस मसले पर गौर करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर हुई है. कमेटी की रिपोर्ट पर कौन्सिल आलिया से फैसला होगा कि सुल्स से हकरसी कराई जावे या नहीं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस सवाल के मुतअल्लिक लॉ मेम्बर साहब ने जो कुछ इस वक्त एक्सप्लेन किया है उसको देखते हुए आप साहबान की राय में इस वक्त मजलिस आम को इस सवाल पर गौर करने की जरूरत है या नहीं ?

बटुकप्रसाद साहब.—मैं कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—अच्छा, कहिये.

बटुकप्रसाद साहब.—हुजूर आली ! इस रिजोल्यूशन के मुतअल्लिक जो कुछ भी ऑनरेबिल मेम्बर साहब फॉर लॉ एन्ड जस्टिस ने फरमाया है उससे यह नतीजा निकलता है कि ब तामील फैसला अपील डिपार्टमेन्ट हुजूर दरबार जो मुआम्लात दरपेश हैं उनमें हक्करसी एक सुस्स आमदनी जायदाद से कराई जाय या नहीं; यह सवाल एक कमेटी के सुपुर्द है और कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है. मैं चन्द बातें जो मेरे ख्याल में है और जिनसे उम्मेद है कि कमेटी को इमदाद मिलेगी अर्ज करना चाहता हूं. सवाल जेर बहस यह है कि किसी जागीर के मूरिस का कर्जा उसके वारिस से डिक्री हो जाने पर वसूल कराया जाय या नहीं जैसा कि लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया है. सम्वत १९५४ में बजर्ये सरक्यूलर नंबर २० यह कानून हमचूं किस्म सूरत में हायल हुआ है. बाद में सम्वत १९७० में कवाअद जागीरदारान वजा हुए जिनमें सरक्यूलर नंबर २० के अल्फाज नहीं हैं बल्कि उनका इक्तबास है. इससे यह समझा गया कि यह सरक्यूलर मंसूख हो गया. इसके बाद कवाअद जागीरदारान को मंसूख करने वाला कानून हक्करसी व कर्जा सन १९२२ ई० में जारी हुआ. उसमें यह तशरीह कर दी गई कि कर्जे कितने किस्म के होंगे. उसकी दो किस्में रखी गई हैं. एक कर्जा खास और दूसरा कर्जा मामूली. कर्जा खास तो आमदनी के सुल्स से वसूल हो सकता है, लेकिन कर्जा मामूली की निस्बत यह ईमां है कि जागीरदार की जाती जायदाद से वसूल होगा. लेकिन इस कानून में यह तशरीह नहीं फरमाई गई कि जो डिक्रियात मूरिस जागीरदार पर हों वह वारिस से किस तरह वसूल हों. इस जरूरत को महसूस करते हुए सम्वत १९८० में डिपार्टमेन्टल ऑर्डर नंबर २ जारी हुआ जिसमें यह तशरीह है कि यह कायदा इस किस्म की डिक्रियात पर मुअस्सर नहीं होता; लिहाजा देखना यह है कि सरक्यूलर नंबर २०, सम्वत १९५४, या कवाअद जागीरदारान, सम्वत १९७०, का अमल इन डिक्रियात के मुतअल्लिक हो सकता है या नहीं; मगर इसका जवाब नफी में मिलता है. ऐसी सूरत में लाजिम यह आता है कि सम्वत १९५४ के पहिले की डिक्रियां, जो अब तक मतालबा वसूल आते रहने की वजह से कानून मियाद के पंजे से बची रहीं उनके मुतअल्लिक क्या कार्रवाई हो. डिपार्टमेन्टल ऑर्डर नंबर २, संवत १९८०, में भी यह बतलाया गया है कि यह कानून उन डिक्रियात से मुतअल्लिक नहीं है. तो ऐसी सूरत में इस रेजोल्यूशन के सिलसिले में हक्करसी का फैसला हो जाना चाहिये यही गुजारिश है.

लॉ मेम्बर साहब.—मेरे ख्याल में संवत १९५४ के पहिले की कोई डिक्री काबिल इजराय नहीं है, अगर कोई ऐसी डिक्री हो तो लॉ डिपार्टमेन्ट को इत्तला मिलने पर उसकी लीगल पोजीशन देखली जावेगी यानी यह देख लिया जावेगा कि उसके मुतअल्लिक किस कार्रवाई की जरूरत है.

प्रेसीडेन्ट साहब.—मेरे ख्याल में जब तक कमेटी की रिपोर्ट न आये यह सवाल ड्रॉप किया जावे क्योंकि लॉ मेम्बर साहब ने कहा है कि अगर संवत १९५४ के पहिले की कोई डिक्री हो तो उसका रिफरेन्स महकमा में किये जाने पर गौर किया जा सकेगा.

नोट—तजवीज ड्रॉप (drop) की गई.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर ३३.

प्रेसीडेन्ट साहब.—हीरालाल साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

हीरालाल साहब.—मैं अपनी तजवीज पेश करता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अहकाम दरबार मुतअल्लिक न करने जिबह भैंसे और पाडे अन्दर हुदूद म्युनिसिपल कमेटी (मुलाहिजा तलब डिपार्टमेन्टल सरक्यूलर नंबर १ संवत १९७१, व डिपार्टमेन्टल ऑर्डर नंबर २, संवत १९७१, महकमे म्युनिसिपेलिटीज, मंजूर शुदा दरबार) दफा ५२१, ताजीरात गवालियार, में शामिल किये जाकर उनको दर्जा कानूनी दिया जावे, ताकि खिलाफवर्जी की सूरत में मुलजिमान को सजा हो सके और पाबन्दी अहकाम दरबार हो.

भैंसों और पाडों का बेरून हुदूद म्युनिसिपेलिटी और अन्दर हुदूद म्युनिसिपेलिटी जिबह किया जाना बरूय अहकाम दरबार ममनूअ है और खिलाफवर्जी की सूरत में जुर्म नंबर ६६ चलाये जाने का हुक्म है. सरक्यूलर नम्बर ५, संवत १९७०, मजर्या फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट बेरून हुदूद म्युनिसिपेलिटी के मुतअल्लिक है और डिपार्टमेन्टल ऑर्डर व सरक्यूलर मजर्या महकमे म्युनिसिपेलिटी, हुदूद म्युनिसिपेलिटी के मुतअल्लिक है. ताजीरात ग्वालियर के नाफिज होने के पेश्तर सरक्यूलर फाइनेन्स की तामील में खिलाफवर्जी करने वालों पर मुकद्दमे चलाये गये और सजायें हुईं लेकिन म्युनिसिपल अहकाम की तामील में जो मुकद्दमात चलाये गये वह इस वजह से खारिज कर दिये गये कि यह अहकाम म्युनिसिपेलिटी के हैं उनकी तामील आम व खास पर वाजिब नहीं है; नीज इन अहकाम के अलफाज जुर्म नंबर ६६ चलाये जाने और सजा देने के लिये काफी नहीं हैं, गो अहकाम मंजूर शुदा दरबार हों. म्युनिसिपेलिटी ऐसे मुकद्दमात में फरीक नहीं होती है और उसे कोई हक्क अपील का भी नहीं रहता है, ऐसी हालत में जाहिर है कि म्युनिसिपेलिटी दरबार अहकाम की तामील किस तरह करे और रिआया को किस तरह पाबन्द करे. शाजापुर म्युनिसिपेलिटी की जानिब से इसके मुतअल्लिक महकमे म्युनिसिपेलिटी में अर्सा चार साल का गुजरा कि गुजारिश किया गया, लेकिन कोई हुक्म सादिर नहीं फरमाया गया, इस वजह से यह तजवीज पेश करने की जुरअत की गई है. जदीद ताजीरात गवालियर की तरतीब से जुर्म नं. ६६ ने एक खास शक्ल इख्तियार करली है और लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट से बजय सरक्यूलर रहनुमाई की गई है, इस वजह से मजकूरे बाला अहकाम की शक्ल जुर्म नं. ६६ की नहीं रहती है. लिहाजा ब लिहाज तरतीब ताजीरात ग्वालियर अहकाम दरबार मुतअल्लिक म्युनिसिपेलिटी, दफा ५२१, ताजीरात ग्वालियर, में शामिल किये जावें या दीगर दफा तरतीब दी जावे. मेरी तजवीज सिर्फ तामील व पाबन्दी दरबार के मकसद से है. उसुल पर बहस गैर जरूर है. क्या मानी कि वह तयशुदा है. इन अलफाज के साथ मैं इस तजवीज को मजलिस में पेश करता हूं.

छगनलाल साहब—मैं ताईद करता हूं.

केसरीचंद साहब—मैं भी ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब—मुझे इस तजवीज से इख्तलाफ नहीं है.

ठहराव—करार पाया कि तजवीज मंजूर की जावे.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ३४.

प्रेसीडेन्ट साहब—मिट्ठनलाल साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

मिट्ठनलाल साहब.—मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

दिवाली में जुवे की इजाजत शारे आम पर बन्द होना मुनासिब है, क्योंकि इसमें अक्सर छोटे छोटे बच्चों के ख्यालात जुवा खेलने से खराब हो जाते हैं, नीज देहाती काश्तकार लोग धोके से न समझते हुए नुकसान उठाते हैं.

हुजूर वाला! शारे आम पर दिवाली के मौके पर जुआ खेलने की इजाजत होने की वजह से जो छोटे छोटे बच्चे दो चार पैसे लेकर घरों से तमाशा देखने की गरज से निकलते हैं वह बजाय तमाशा देखने के वहां खडे हो जाते हैं और दूसरों को जुआ खेलते देख कर खुद भी खेलने लगते हैं और इस तरह उनको जुआ खेलने की चाट पड जाती है. काश्तकारान त्योहार दिवाली के मौके पर सौदा पत्ता लेने की गरज से आते हैं और एक के दो, और दो के चार की आवाज सुनकर लालच की वजह से जुआ खेलने में मसरूफ हो जाते हैं और जो कुछ गांठ में होता है खो बैठते हैं. बाल बच्चे घर पर उनकी राह देखते रहते हैं कि सौदा पत्ता लाते होंगे, इसलिये गुजारिश है कि शारे आम पर जुआ खेलने की मुमानियत की जाय और मकानों के अन्दर खेलने की इजाजत दी जावे.

लक्ष्मण शास्त्री साहब:—मैं इसकी ताईद करते हुए यह गुजारिश करता हूं कि वाकई इसकी रोक होना बहुत जरूरी है; क्योंकि गांव गले में बमौके जात्रा जबकि ऐसे जुए के स्टॉल लग जाते हैं तो बिचारे गरीब काश्तकारान ज्यादा पैसे के लालच से इसमें फँस जाते हैं और जुआ खेलना शुरू कर देते हैं और अपने पास का पैसा खो बैठते हैं जोकि उन्होंने बडी मेहनत से कमाया हुआ होता है, जब कि वह हारने लग जाते हैं उस वक्त उनको एक तरह का जोश चढ जाता है और उस जोश में आकर वह अपने घर में की कुल चीजें बेच कर जुआ खेलना शुरू कर देते हैं. जब घर में कुछ नहीं रहता है तो वह कर्ज लेकर जुआ खेलने लगते हैं. अखीर नतीजा यह होता है कि जब वह कुल हार जाते हैं उस वक्त उनको लोगों में मुँह दिखाने को भी जगह नहीं रहती, क्योंकि लोगों का देना उनके ऊपर होता है ऐसी हालत में जान पर आमादा होकर जान खो बैठते हैं. कई वारदातें ऐसी हो चुकी हैं; लिहाजा इसकी रोक होना चाहिये.

प्यारेलाल साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब.—दरबार कानून की रू से त्योहार दिवाली पर जुवा खेलना नाजायज नहीं है. इस कानून के होते हुए किसी शख्स को शारे आम पर जुवा खेलने की मुमानियत नहीं की जा सकती.

इस तजवीज की असली गरज यह है कि कानून में तरमीम की जाकर त्योहार दिवाली पर जुवा खेलने को मेहदूद (restrict) किया जावे. वह लोग जो इस त्योहार पर जुवा खेलना जरूरी समझते हैं अपने घरों, दूकानों या दीगर इमारत के अन्दर जुवा खेलकर रस्म को अदा कर सकते हैं. शारे आम पर जुवा होने से लोगों को खुले तौर पर जुवा खेलने की वाकई तरगीब होती है. इस तजवीज से म्युनिसिपल कमेटियों की आमदनी में थोडी सी कमी होगी, क्योंकि शारे आम पर जुवे के खेल का

म्युनिसिपल कमेटी इन्तजाम करती है. जुवा खेलने के लिये ठप्पे (मुकामात) मुकर्रर किये जाते हैं और जुवा खिलाने वालों से किराया वसूल होता है. चूंकि तजवीज रिआया के अखलाकी सुधार के लिये है इसलिये म्युनिसिपल कमेटियों को वह नुकसान, जो इस तजवीज की मंजूरी से होगा, खुशी से बरदाश्त करना चाहिये. इस तजवीज का मकसद नेक होने से मेरे ख्याल में यह तजवीज काबिल मंजूरी है.

नवाबअली साहब.—हुजूर वाला, मैं जनाब लॉ मेम्बर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अर्ज करता हूं और जाहिर करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कमेटी में जब यह सवाल पेश होता है तो उसके तमाम मेम्बरान इस आमदनी को नाजायज आमदनी ख्याल करते हैं. मगर चूंकि दिवाली के मौके पर जुवे की कानूनन रोक नहीं है इस वजह से म्युनिसिपेलिटी अपना नुकसान होना पसन्द नहीं करती और महसूल आयद करती है. इसलिये मेरे ख्याल में अगर जुवे की कानूनन रोक करदी जाय तो यकीनन म्युनिसिपेलिटी खुशी से इस कानून का खैर मकदम करेगी. इसमें खास किस्म के जो नुकसानात पेश आते हैं वह आम निगाहों से पोशीदा नहीं हैं. इस मौके पर बाहर के तजरुबेकार ज्वारी, जो हमेशा खेला करते हैं, शारे आम पर फड लगाते हैं, और यह तजरुबा है कि दूसरे लोग नातजरुबेकार नये ज्वारी उनके पंजे में फंस कर हार जाते हैं. अगर शारे आम पर जुआ बन्द हो जावेगा तो यकीनन लोग नुकसान से बच जावेंगे और कम से कम बाहर से आने वाले ज्वारियों की रोक हो जावेगी और जुवे में भी कमी वाके होगी. गुजरगाह पर ज्यादा लोगों की आमदरफ्त रहती है तो ख्वाहमख्वाह उन्हें जुवा खेलने की तरगीब होती है. इसलिये मैं इस तजवीज की पूरी तरह से ताईद करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस सवाल को लीगल मेम्बर साहब ने मंजूर फरमाया है इसलिये कौन्सिल में यह सवाल पेश किया जावेगा.

ठहराव.—तजवीज मंजूर की जावे.

[सवा तीन बजे मजलिस adjourn की गई. मेम्बर साहबान को रिफ्रेशमेन्ट दिये जाने के बाद मजलिस का काम चार बजे फिर शुरू हुआ].

फर्द नम्बर २ तजवीज नम्बर ३५.

प्रेसीडेन्ट साहब.—हीरालाल साहब, आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

हीरालाल साहब.—मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

जरायम नाकाबिल जमानत में मुलाजिमान को जमानत पर रिहा करने के इख्तियारात अदालत फौजदारी को अता किये जावें, बइस्तसनाय उन जरायम के जिनमें सजा हब्स दवाम या मौत दी जा सकती है.

हुजूर वाला! फौजदारी जरायम दो किस्म के होते हैं. अव्वल वह जरायम जिनमें जमानत होती है. दूसरे वह जरायम जिनमें कानूनन जमानत नहीं हो सकती. सेठ गप्पूमल का मुकदमा जो सम्वत १९८० में पैदा हुआ था, इस मसले पर ज्यादा रोशनी डालता है. इस मुआम्ले से पेश्तर अदालतें आम तौर पर ख्वाह मुआम्ला पुलिस में हो, नाकाबिल जमानत जरायम में जमानत ले लिया करती थीं. गो कानून इसके बरअक्स था और किसी किस्म की सख्ती

महसूस नहीं होती थी, लेकिन इस मुकदमे के बाद से डिपार्टमेन्टल ऑर्डर नम्बर २४, सम्वत १९८१, जारी कर दिया गया है और इस तरह पर अब रुकावटें पैदा हो गई हैं. आम तौर पर जमानत न लेने का भले आदमियों पर बहुत बुरा असर पडता है. यह अम्र मुसल्लिमा है कि जब तक मुकद्दमा फैसल होकर सजा न हो यह तसव्वुर किया जाता है कि मुल्जिम बे गुनाह है. मगर सूरत यह है कि अगर पुलिस की जानिब से मुकद्दमा नक्शे मंजूरशुदा के साथ आता है तो जमानत नहीं ली जाती. अगर पुलिस के जर्ये से गैर मंजूरशुदा नक्शे के साथ चालान आता है तो अदालतें जमानत ले लेती हैं. बाज वक्त यह मौका पेश आता है कि अदालतें जमानत लेने में कोई हर्ज नहीं समझतीं, मगर चूंकि पुलिस नक्शे मंजूरशुदा के साथ चालान करती है और जमानत लेने से किसी हद तक इजहार राय होता है इस ख्याल से अदालत मजबूर रहती है. सन १९२३ ई. से British India के कानून में दरबारे जमानत बहुत कुछ रिआयत करदी है जिसके लिये British India के कानून की दफा ४९७ में हिदायत है. अव्वल तो जिस तरह से कि ऐसे संगीन जरायम चलाये जाते हैं उनकी निस्बत इस मौके पर अर्ज करना बे मौजूं न होगा. यह भी जाहिर है कि मुआम्लात झूटे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं. जमानत का कोई असर मुकद्दमे पर नहीं पडता. बाज औकात ऐसी सूरत पेश आती है, मस्लन सिरके के मुआम्ले में एक भाई सिरका करता है और माल मसरूका में खुद सिरका करने वाले का भी हक शामिल होता है और दूसरा भाई मुकद्दमा फौजदारी उस पर चलाता है. ऐसे मुआम्ले में अक्सर पुलिस मंजूरशुदा नक्शे के जर्ये से मुकद्दमे को चालान करती है. चूंकि मुकद्दमा मंजूरशुदा नक्शे के जर्ये से चालान हुआ है अदालत जमानत लेने से मजबूर रहती है. और भी कई शक्लें जरायम की हैं, मस्लन जुर्म जरर शदीद जिसके मुतअल्लिक ताजीरात ग्वालियार की दफा ३१७ में अहकाम हैं, कि काबिल जमानत नहीं है, लेकिन साबिका कानून में जरर शदीद का जुर्म काबिल जमानत था, इसलिये तजवीज है कि अदालतों को कुल्ली इख्तियारात निस्बत जमानत दिये जावें, जिससे अदालतें आजादी के साथ जमानत के मुतअल्लिक हुक्म दे सकेंगी और मुल्जिमान परेशानी से बचेंगे. अगर अदालत जमानत पर रिहा करने की जरूरत न समझेंगी तो जमानत लेने से इन्कार कर देंगी. बहर हाल इस तजवीज के मंजूर हो जाने में कोई हर्ज नहीं है.

केसरीचन्द साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब.—जमानत के मुतअल्लिक दरबार का कानून जाब्ता फौजदारी की दफा १७४ में मौजूद है. इस दफा की रू से मुल्जिमियत जुर्म की कोई वजह कवी न पाई जावे तो अदालत उसको दौरान तहकीकात में जमानत पर रिहाई दे सकती है. दरबार का जाब्ता फौजदारी संवत १९५३ में जारी हुआ. उस वक्त ब्रिटिश इण्डिया में एक्ट १०, संवत १९८२, राइज था. गालिबन यह दफा इलाके कैसरी के उसूल पर बनाई गई थी लेकिन उस दफा की रू से जमानत लेने का दायरा बहुत ही महदूद है और उस पर अमल करने में पुलिस व अदालतों को गलत फहमी हो रही है. पुलिस का यह ख्याल है कि बदौरान तफतीश पुलिस, अदालतों को जमानत नहीं लेना चाहिये या कम अज कम जब तक कि कुल शहादत इस्तगासा खत्म न हो ले ऐसे मुकद्दमात में जमानत नहीं होना चाहिये. बाज अदालतों का ख्याल व अमल इसके बरअक्स है. ब्रिटिश इण्डिया में जमानत के मुतअल्लिक कानून की तरमीम हो चुकी है. मौजूदा कानून निहायत ही

लिबरल (आजाद सिफत) है. इस कानून की रू से अदालतों को वसीअ इख्तियार तमीजी दिया गया है कि सिवाय उन जरायम के जिनकी सजा हब्स दवाम या मौत हो मुलजिमान को जमानत पर रिहाई दें.

जनाब वाला ! किसी शख्स पर इलजाम लगा देना सहल होता है, लेकिन इलजाम की सफाई मुश्किल होती है. यह एक दानिशमन्दाना व मुसल्लिमा उसूल इन्साफ है कि हर शख्स को कि जब तक इलजाम साबित न हो बे गुनाह माना जावे; इसलिये जब तक कि यह माकूल शुबह न हो कि मुलजिम ब वक्त तहकीकात रूपोश हो जावेगा या कोई और खास वजह माने न हो तो मुलजिम को माकूल जमानत पर रिहाई देने का इख्तियार ब्रिटिश इन्डिया के कानून की तरह यहां भी होना चाहिये. अदालतहाय की रहनुमाई के लिये वह उसूल दर्ज किये जा सकते हैं कि जिनके मुताबिक अमल करने से इख्तियार तमीजी का इस्तैमाल दुरुस्त तरीक पर हो. मेरे ख्याल में तरमीम मुजव्विजा की जरूरत है और यह तजवीज मुनासिब है.

नोट:—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव.—तजवीज मंजूर की जावे.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर ३.

प्रेसीडेन्ट साहब.—मजलिस के पहिले दिन के इजलास में जो सवाल नंबर ३ नातमाम रहा है उसके मुतअल्लिक आप साहिबान की क्या राय है वह जाहिर करें.

नवाबअली साहब.—हुजूर आली ! कौन्सिल आलिया ने सन १९३० ई० तक यह सवाल मुल्तवी रखा है; लिहाजा सरेदस्त मजलिस में इस सवाल पर मजीद बहस करने की जरूरत मालूम नहीं होती.

प्रेसीडेन्ट साहब.—यानी इसका यह मतलब है कि आप सवाल व पिस लेते हैं.

नवाबअली साहब.—जी हां, वापिस लेता हूं.

नोट.—तजवीज वापिस ली गई.

जमीमा नम्बर (२) एजेन्डा मजलिस आम.

पुस्तके साहब.—हुजूर आली, मेरी एक तजवीज, जो मैंने इस मजलिस में पेश करने की गरज से जनाब वाला लॉ मेम्बर साहब की खिदमत में भेजी थी, यह है कि मजलिस आम का सेशन साल भर में दो मर्तबा मुनअकिद किया जाया करे. यह तजवीज दफा २२, कवाअद मजलिस आम, के दायरे में आती है या नहीं, इसके मुतअल्लिक मैं कवाअद की मद नम्बर २ और १३ की तरफ तवज्जुह दिलाना चाहता हूं. मुलाहिजा हो दफा २२, सफा नम्बर ८. मद नम्बर २, "आम कवानीन" के मुतअल्लिक है और मद नम्बर १३ "जमींदारी कमेटियां, कॉन्फरेंस वगैरा के मुतअल्लिक है. हुजूर आली, इनको देखने से यह मालूम होगा कि कानून की मन्शा क्या है. इस बात की ताबीर करने के लिये कि कानून की असल मन्शा क्या है, कानून के aims व objects देखना चाहिये. Aims व objects के मुतअल्लिक अर्ज करने से पहिले मैं उन नजीरों की तरफ हुजूर आली की तवज्जुह दिलाऊंगा जो वक्तन फवक्तन इस मजलिस में पेश हुई हैं. संवत १९७९ में एडवाइजरी कमेटी के मेम्बरान के इन्तखाब करने का सवाल मजलिस आम में पेश हुआ था जो सम्वत १९७९ के प्रोसीडिंग्ज के सफा नम्बर ५९ पर दर्ज है. इसी तरह से सम्वत १९७९ में एक दूसरा सवाल यह पेश हुआ था

कि मेम्बरान मजलिस आम को हक्क अता फरमाया जावे कि अगर वह किसी महकमे के मुतअल्लिक मालूमात हासिल करना चाहें तो हासिल कर सकें. यह सवाल प्रोसीडिंग्स के सफा ६३ पर दर्ज है. यह सवाल मंजूर किया गया था. सम्वत १९८० में एक सवाल यह पेश हुआ था कि काश्तकारान रियासत हाजा को रिप्रेजेन्टेशन(representation)का हक्क अता फरमाया जावे. यह सवाल प्रोसीडिंग्स के सफा ५९ पर शामिल है. इन प्रोसीडिंग्स की तरफ मैं तवज्जुह दिलाते हुए खास तौर पर बद्रीप्रसाद साहब की तकरीर सुनाता हूं. वह यह है कि हमारी रियासत के काश्तकारान मजलिस आम में रिप्रेजेन्टेशन कुछ अर्से बाद करें तो मुनासिब होगा. इस सवाल के पेश होने पर यह करार दिया गया था कि काश्तकारान को परगना बोर्ड्स में शरीक किया जावे. मजकूर वाला सवालात का वह जमाना था जब कि महाराजा साहब जन्नत नशीन मौजूद थे. अब मैं उन प्रोसीडिंग्स मजलिस आम की तरफ तवज्जुह दिलाता हूं जब कि कौन्सिल आलिया ने महाराजा साहब दामइक्कबालहू की नाबालिगी के जमाने में रियासत के इन्तजाम की बाग अपने हाथ में ली है संवत ८२ में एक सवाल पेश हुआ था जो मैं पढ़कर सुनाता हूं. सवाल यह था कि "मजलिस कानून के लिये नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान का इन्तखाब मजलिस आम के जुम्ला नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान में से बिला लिहाज किसी मखसूस तबके या जमाअत के किया जावे." इसके पेश्तर यह अमल था कि नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान मजलिस कानून तबके जमींदारान व साहूकारान में से मेम्बर मुन्तखिब किये जाते थे. यह सवाल मंजूर फरमाया गया और यह करार दिया गया कि इन्तखाब किसी खास तबकों पर महदूद नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ तबकों के लोग मस्लन वुकला, जमींदारान, साहूकारान, जागीरदारान मजलिस कानून के लिये मेम्बर मुन्तखिब हो सकते हैं. संवत १९८३ में भी चंद सवालात इसी किस्म के पेश हुए थे जिनका जिक्र प्रोसीडिंग्ज के सफा १०९ व ११० पर मौजूद है. इन सवालात पर मजलिस आम में मुबाहिसा नहीं किया गया था, बल्कि इनके मुतअल्लिक कैफियत जाहिर की गई थी. एक सवाल यह था कि कवाअद मजलिस आम में तजावीज भेजने के लिये जो मियाद तारीख ३० जून तक की रखी गई थी उसके बजाय तारीख ३१ अक्टूबर मुकर्रर की जावे. यह मियाद मंजूर हुई. दूसरा सवाल यह था कि कवाअद मजलिस आम में किसी मेम्बर की तकरीर के लिये जो मुद्दत ५ मिनिट मुकर्रर है उसके बजाय १० मिनिट कायम किये जावें. इस सिलसिले में यह कैफियत जाहिर की गई थी कि इस बारे में तरमीम की कोई जरूरत मालूम नहीं होती, क्योंकि उसी दफा में, जिसमे पांच मिनिट की इजाजत है यह भी हिदायत है कि मेम्बर साहिबान ब इजाजत प्रेसीडेन्ट साहब अगर जरूरत हो तो वक्त के इजाफे का फायदा उठा सकते हैं.

कैलासवासी महाराजा साहब ने इस मजलिस में एक स्पीच में यह फरमाया था कि मौजूदा हालत मजलिस आम की यह है लेकिन जमाने की रफ्तार से क्या शक्ल पकडे यह इस वक्त नहीं कहा जा सकता. मजलिस हाजा का मौजूदा दायरा अमल हमेशा के लिये सेटिल्ड फैक्ट नहीं समझा गया था. फिर हुजूर मुअल्ला की स्पीच के बाद सम्वत १९८२ में हुजूर आली ने बहैसियत प्रेसीडेन्ट इस मजलिस की बाबत और नीज रिआया के हुकूक की बाबत तजकिरा करते हुए यह फरमाया है कि कौन्सिल के जमाने में रिआया के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आगई है. इसी के मुतअल्लिक एक स्पीच श्रीमन्त मातोश्री बडी महारानी साहिबा की है, जो बमौके ऐड्रेस मिन जानिब म्युनिसिपेलिटी उज्जैन ब तारीख ७ जौलाई सन १९२७ ई० फरमाई थी. इस स्पीच में उन्होंने फरमाया था कि "यह अम्र मुसल्लिमा है कि रियासत किसी एक व्यक्ति की जायदाद नहीं है. वह लोगों की है और वह शासन पद्धति सब से बेहतर है जिस में राज का कारोबार लोगों के मत से व उनकी पसन्दी के प्रतिनिधियों

के द्वारा होता हो. दूसरे अल्फाज में सेल्फ गवर्नमेन्ट यानी स्वयं शासन वही उत्तम शासन है. हर वालिये मुल्क का फर्ज है कि रिआया को स्वयं शासन सीखने का मौका देना, व रिआया का फर्ज है जल्द से जल्द सीखना ".

हुजूर आली, इन स्पीचेज की तरफ और इन मिसालों की तरफ तवज्जुह दिलाने की गरज यही है कि जो अल्फाज कवाअद के हैं उनकी ताबीर किस तरह की गई और किस तरह की जाना चाहिये. हुजूर आली, बहैसियत मीर मजलिस और बहैसियत एक गाइड करने वाले मशीर के मैं एक अर्जदाश्त मिन्जानिब मेम्बरान मजलिस आम हुजूर की खिदमत में पेश करके चाहता हूं कि पहिले कौन्सिल आलिया इस पर गौर फरमावे. हम अपनी तजवीजें सरदेस्त वापिस ले रहे हैं और यह अर्ज कर रहे हैं कि इस अर्जदाश्त पर कौन्सिल आलिया में गौर फरमा लिया जावे. हुजूर आली, जो अर्जदाश्त हम पेश करना चाहते हैं उसको मजलिस में सुनाने की इजाजत चाहते हैं.

प्रेसीडेन्ट साहब.—कोई हर्ज नहीं, आप सुनाइये.

नोट:— पुस्तके साहब ने हस्ब जैल अर्जदाश्त को पढा:—

अर्जदाश्त.

यह अम्र मोहताज बयान नहीं कि मजलिस आम किसी दबाव या मांग की वजह से कायम नहीं हुई थी बल्कि यह मजलिस एक शाही अतिया है जो फराख दिल व दूरन्देश हुक्मरां ने अपनी सालगिरह के मुबारिक दिन की यादगार में अपनी अजीज रिआया को अता किया था.

कवाअद मजलिस आम की तमहीद में इस मजलिस की कायमी की गरज हस्ब जैल दर्ज फरमाई गई है:—

(१) रिआया दरबार से इन्तजाम रियासत में मशवरे की इम्दाद मिले, और

(२) उन तजवीजों में जो अवाम की बेहतरी के लिये हों अवाम को राय पेश करने का मौका दिया जावे.

पॉलिसी दरबार जिल्द नम्बर १२, के सफा नम्बर २०, पर इस मजलिस के बानी हमारे स्वर्गवासी सरकार ने यह तहरीर फरमाया है कि:—

" मजलिस आम भी इसलिये कायम की गई है ताकि आपस में रब्त जब्त बढे, आजादी के साथ तबादला ख्यालात किया जावे, और माबैन रिआया व दरबार क्या ख्यालात हैं इस से हर दो वाकिफ रहें."

महासिल यह है कि मजलिस आम की कायमी का मकसद यही है कि रिआया रियासत के कारोबार से बाखबर रहकर मुतमईन रहे और रियासत की सरसब्जी व बहबूदी हो.

स्वर्गवासी सरकार की हस्ती निहायत जबरदस्त हस्ती थी, जिसके असर व डायरेक्ट (direct) निगरानी में रियासत का इन्तजाम हर पहलू से असलूबी के साथ चल रहा था.

गो वह जबरदस्त हस्ती अब इस दुनियाय फानी में नहीं है, और बागे हुकूमत ब जमाने नाबालगी कौन्सिल आलिया के हाथ में है, मगर फिलहकीकत यह अहद ब जमाने नाबालगी निहायत नाजुक जमाना रियासत के इन्तजाम के लिये है, जिसकी वजह से अहम जिम्मेदारियां कौन्सिल आलिया व रिआया दरबार पर आयद हुई हैं. इन जिम्मेदारियों का जिक्र जनाब वाला वाइस

प्रेसीडेन्ट साहब कौन्सिल ने संवत १९८२ की मजलिस आम का इफ्तताह फरमाते हुए ब अल्फाज जैल फरमाया है:—

" मैं इस मजलिस के बानी महाराजा साहब आंजहानी की यादगार स्पीच का जिक्र करना चाहता हूं जो इस मजलिस के इफ्तताह के मौके पर दीगई थी और जिसमें आपकी जिम्मेदारियों का बयान किया गया है. जिम्मेदारियों के जैल में उस हालत का भी जिक्र किया गया है जो वालिये मुल्क की नाबालगी के जमाने के मुतअल्लिक हैं. परमेश्वर की कुदरत है कि वह जमाना यानी हमारी व आपकी आजमायश का वक्त किस कदर जल्द आगया. हमारी यानी कौन्सिल की आजमायश का वक्त इसलिये है कि उस अमानत का बोझ संभालना जो कौन्सिल के सुपुर्द हुई है कोई आसान काम नहीं है. और आपकी आजमायश का वक्त इसलिये है कि इस अमानत का खैरियत के साथ अदा होना मुख्तलिफ पहलुओं पर आपकी इमदाद पर मुनहसिर है"

पस यह अम्र मुसल्लमा हो जाता है कि अहद नाबालिगी में रिआया दरबार पर भी मजीद जिम्मेदारियां आयद होगई हैं, जिनको नेकनियती, दिलसोजी व वफादारी के साथ पूरा करना उसका मुकद्दम फर्ज है; मगर यह उसी वक्त हो सकता है जबकि कायम मुकामान रिआया से इन्तजाम मुल्की में सब्स्टैनशियल (substantial) तरीके पर इमदाद ली जाये.

तकरीर मुतजकिरे बाला को किये हुए आज ठीक दो साल का जमाना हो गया मगर इस अर्से में हम लोग कायम मुकामान रिआया से कोई इमदाद व मशवरा ऐसा नहीं लिया गया जिससे कौन्सिल आलिया को अपनी अमानत "खैरियत के साथ अदा होने" में वाकई सहूलियत हुई हो और हम लोगों को अपनी मजीद जिम्मेदारियों को पूरा करने का मौका मिला हो. इसलिये मौजूदा हालात खास को मद्देनजर रखते हुए काफी गौर के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस तवक्के व उम्मीद को पूरा करने के लिये जिसका इजहार तकरीर मजकूरे बाला में किया गया है, कवाअद मजलिस आम में तरमीम होने की जरूरत है ताकि रिआया दरबार के नुमायन्दे ज्यादा हद तक इन्तजाम मुल्की में शरीक होकर कौन्सिल आलिया का हाथ बटावें, और कौन्सिल को उनसे मिलकर तबादले ख्यालात का पूरा मौका मिले, और पब्लिक को जोरदार हिमायत कौन्सिल के काम के मुतअल्लिक हो. अगराज मजकूरे बाला हासिल करने के लिये हम लोगों की राय में जो आम उमूर कवाअद मजलिस आम में काबिल इसलाह हैं वह जैल में दर्ज किये जाते हैं:—

(१) मजलिस आम का इजलास साल में दो मर्तबा हुआ करे, क्योंकि साल में एक मर्तबा इजलास होना बिलकुल नाकाफी है और उससे वह गरज अच्छी तरह से पूरी नहीं हो सकती जिसका इजहार पॉलिसी दरबार जिल्द नंबर १२ के सफा नम्बर २० पर किया गया है.

(२) रियासत का बजट आम मुबाहिसे के लिये मजलिस हाजा में पेश किया जाया करे. वजूहात यह हैं कि फायनेन्शियल स्टेबिलिटी (Financial stability) पर रियासत की हर तरक्की का दारोमदार है. पस पब्लिक नुक्ते नजर से बजट एक अहम कागज है जिससे रिआया के नुमाइन्दों को वकफियत होना निहायत जरूरी है. मजलिस में पेश होने से वह तमाम शकूक रफा हो सकते हैं जो परदादारी की वजह से बजट के साथ वाबस्ता हो गये हैं.

(३) दफा २२, कवाअद मजलिस आम, में एक मद नंबर २६ इस्ब जैल इजाफा की जावे:—

"(२६) दीगर कोई मुआम्ला जो पब्लिक एहमियत रखता हो."

वजह यह है कि मौजूदा दफा २२ महदूद है, बहुत से मुआम्ले उसके जैल में नहीं आते जिन पर कौन्सिल की तवज्जुह दिलाना जरूरी होता है; मस्लन तबके मुलाजमत की शिकायत व तकलीफ वगैरा.

(४) उन मजामीन की बाबत जो मजलिस आम के दायरे में आते हैं मेम्बरान को सवालात पूछने की इजाजत दी जावे. वजह यह है कि सवालात दरयाफ्त करने का तरीका एक निहायत जरूरी तरीका है जो इस किस्म की मजलिसों में उमूमन रायज है. रियासत भोपाल की लेजिस्लेटिव कौन्सिल में यह तरीका रायज है. हालांकि वहां यह मजलिस हमारी मजलिस के बाद कायम हुई है, मैसूर व बड़ौदा रियासत की मजलिसों में भी यही तरीका है. यही एक बा असर जरिया है जिससे प्योरिटी ऑफ एॅडमिनिस्ट्रेशन (Purity of administration) कायम रह सकती है.

साल गुजिश्ता में इस सवाल के मुतअल्लिक कैफियत जाहिर फरमाते हुए लॉ मेम्बर साहब ने फरमाया था कि:—

"सवालात पूछने की गरज यही हो सकती है कि जिन मामलात के मुतअल्लिक तजवीज पेश करने की इजाजत है उनकी बाबत ऐसी मालूमात हासिल की जावें जिनसे तजवीज के पेश करने में आसानी हो." मगर यह गरज वाकई गरज से बहुत बईद है. सवालात के जर्ये से एडमिनिस्ट्रेशन (Administration) की गलतियां व नुकायस का इन्कशाफ हो जाता है. गवर्नमेन्ट (Government) को उनसे वाकफियत हो जाती है और आयन्दा उनका रिपीटीशन (repetition) नहीं होता.

और एक निहायत मुफीद और उम्दा बात जो सवालात के जवाबात से पैदा होती है वह यह है कि गवर्नमेन्ट की जानिब से उस वाके का इन्कशाफ हो जाता है जो वाकई में सही होता है और पब्लिक के तमाम वहम व शक नीज गलत फेहमियां (अगर कुछ हों) इन सवालात के जवाबात अदा हो जाने की शक्ल में दूर हो जाती हैं. अलावा इसके पबलिक को इस अम्र का भी इतमीनान हो जाता है कि उनकी तकलीफ व शिकायत गवर्नमेन्ट की खिदमत में उनके नुमायन्दों के जर्ये से पहुंच गई.

अलगरज इन्तजाम मुल्की को वाकई इन्फ्लूयेन्स (influence) करने के लिये सवालात पूछना उम्दा व मुफीद जरिया है.

(५) महकमेजात फायनेन्स, रेवेन्यू, तालीम, म्युनिसिपालिटी, ट्रेड व होम के लिये पांच पांच मेम्बरान मजलिस आम की स्टैन्डिंग कमेटीज (Standing Committees) मुकर्रर की जावें और इन कमेटियों के रूबरू उन महकमेजात की आम पॉलिसी के सवालात तय किये जाया करें. वजह यह है कि इस वक्त गवर्नमेन्ट की पॉलिसी को वाकई इनफ्लयूएन्स (influence) करने का मौका रिआया के नुमायन्दगान

को कतई हासिल नहीं है. सरक्यूलर नम्बर ३, संवत १९७७, महकमे दरबार पेशी ऑफिस के मुताबिक जो एडवायजरी (Advisory) कमेटी मुकर्रर हुई है वह कतई डेड बॉडी (dead body) हो चुकी है, उससे कभी मशवरा नहीं लिया जाता. इस गरज से कि रिआया के चुनीदा नुमायन्दगान को चन्द जरूरी महकमेजात के उसूल इन्तजाम से काफी वाकफियत हो और उनके एव्हरी डे (every day) एडमिनिस्ट्रेशन को वह वाकई तौर पर इन्फ्लयूएन्स (influence) कर सकें इस किस्म की स्टैंडिंग कमेटीज का कायम होना निहायत जरूरी है.

मजलिस हाजा का मौजूदा दायरा अमल हमेशा के लिये सेटिल्ड फैक्ट (settle d fact) ख्याल नहीं किया गया था. आयन्दा उसमें तबदीलियां किये जाने की जरूरत पैदा होगी यह अम्र जिन्नतनशीन महाराजा साहब के जहन में भी था, जैसा कि उनकी उस तकरीर के इक्तबास जैल से जाहिर होता है जो बमौके इफ्तताह मजलिस आम दीगई थी कि "अगरचे मौजूदा हालत में इस मजलिस की कार्रवाई का दायरा महदूद कर दिया गया है ताहम मालूम नहीं कि आयन्दा हालत क्या हो और यह मजलिस क्या शक्ल पकडे."

पस हम लोग मेम्बरान मजलिस आम अर्जदाश्त हाजा जो मजलिस हाजा के गुजिश्ता छै साल वर्किंग (Working) के तर्जुबे व मौजूदा जरूरत पर मबनी है, निहायत अदब के साथ आलिया कौन्सिल की खिदमत में पेश करके अर्ज करना चाहते हैं कि हमारा व गवर्नमेन्ट का मकसद एक ही है और trust begets trust यानी भरोसा करने से भरोसा पैदा होता है इस मसले को पेश नजर रखते हुए हमको उम्मीद कामिल है कि कौन्सिल आलिया तजवीज मुन्दर्जे अर्जदाश्त को मंजूर फरमावेगी.

---

१. दस्तखत जगमोहनलाल.
२. ,, बटुकप्रसाद मिश्र.
३. ,, सी. एस. आंग्रे.
४. ,, डी. के. अष्टेवाले.
५. ,, छगनलाल.
६. ,, एस. एन. देशमुख.
७. ,, लक्ष्मण रघुनाथ अत्रे.
८. ,, अनिरुद्धसहाय.
९. ,, अब्दुलहमीद सिद्दीकी.
१०. ,, गोरेलाल.
११. ,, रामराव गोपाळ देशपांडे.
१२. ,, छोटमल.
१३. ,, गणेशनारायण उपकारक.
१४. ,, बलवंत जयवंत बागरीवाले.
१५ ,, मानिकचंद.
१६. ,, गोविंदप्रसाद.

१७. दस्तखत केसरीचंद.

१८. ,, हीरालाल.

१९. ,, टोडरमल.

२०. ,, विश्वेश्वरसिंह.

२१. ,, महादेवराव

२२. ,, एस. जी. निगुडकर.

२३. ,, लक्ष्मी प्रसाद.

२४. ,, रामेश्वर शास्त्री

२५. ,, गजाननराव करवडे.

२६. ,, गुलाबचन्द.

२७. ,, जी. सी. वाटवे.

२८. ,, त्रिंबक दामोदर पुस्तके.

२९. ,, सूवालाल.

३०. ,, नारायनदास.

३१. ,, आलेअली.

३२. ,, (राजा) गोपालसिंह.

३३. ,, नवाबअली.

३४. ,, प्यारेलाल.

३५. ,, मिट्ठनलाल.

३६. ,, बंसीधर.

३७. ,, ईश्वरीसिंह.

नोट:—अर्जदाश्त सुनाने के बाद पुस्तके साहब ने अपनी तकरीर को जारी रखते हुये यह कहा:—

पुस्तके साहब.—हुजूर आली, मुझे यह मौका अर्जदाश्त के पढने का दिया गया इसके लिये मैं तहेदिल से मशकूर हूं और मैं अपनी जानिब से और मजलिस की जानिब से इस उम्मेद का इजहार करता हूं कि कौन्सिल आलिया इस अर्जदाश्त पर गौर फरमायेगी.

प्रेसीडेन्ट साहब.—आप साहिबान का यह अर्जदाश्त मैं बहुत खुशी के साथ कौन्सिल आलिया में विचार के वास्ते पेश करूंगा.

[इसके बाद इजलास ५ बजे खत्म किया गया और प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया कि आयन्दा इजलास तारीख ४ अप्रेल सन १९२८ ई० को होगा. इजलास का जो वक्त मुकर्रर होगा उसकी इत्तला आप साहिबान को दे दी जावेगी].

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार.

सम्वत १९८४.

सेशन सातवां,

इजलास चहारुम.

बुधवार, तारीख ४ अप्रेल सन १९२८ ई०,

मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई ई., रेवेन्यू मेम्बर (वाइस-प्रेसीडेन्ट, कौन्सिल).

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुलमुल्क, ऑफि० पोलिटिकल मेम्बर.

३. जयगोपाल साहब अष्ठाना, ऑफि० फाइनेन्स मेम्बर.

४. मोहनलाल साहब खोसला, ऑफि० मेम्बर फॉर लॉ एण्ड जस्टिस.

५. राव बहादुर बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर.

६. मेजर हशमतुल्लाखां साहब, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एण्ड एक्साइज.

७. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

(मेम्बरान मजलिस कानून).

८. रामराव गोपाळ साहब देशपांडे, मुहम्मदखेडा (शुजालपुर).

९. राव बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, जागीरदार, ढाबलाधीर.

१०. खां साहब सेठ लुकमान भाई नजरअली कारखानेदार, उज्जैन,

(मेम्बरान मजलिस आम).

१.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज जिला बोर्ड्स.

(१) जिला बोर्ड, गिर्द-ग्वालियार.

११. देवलाल साहब वल्द कालहंस, जमींदार मौजा दोरार, परगना मस्तूरा.

१२. नारायणदास साहब वल्द मुन्नालाल, साहूकार, लश्कर.

(२) जिला बोर्ड, भिन्ड.

१३. विश्वेश्वरसिंह साहब वल्द ठाकुर खरगजीतसिंह, मौजा मुस्तरी, परगना महगवां.

१४. मानिकचन्द साहब वल्द बिरदीचन्द ओसवाल, साहूकार, भिन्ड.

(३) जिला बोर्ड, तवरघार.

१५. प्यारेलाल साहब वल्द गिरवरलाल, वैश्य, मुरैना.

१६. सोहनपालसिंह साहब वल्द राजधरसिंह, ठाकुर, साकिन राजा का तोर, परगना सबलगढ.

(४) जिला बोर्ड, श्योपुर.

१७ महादेवराव साहब गोविन्द, जमींदार, श्योपुर.

१८. कन्हैयालाल साहब वल्द बल्देव, जमींदार, साकिन कस्बा विजैपुर.

(५) जिला बोर्ड, नरवर.

१९. सुन्नालाल साहब वल्द जगन्नाथ, वैश्य, साहूकार, शिवपुरी.

२०. लल्लूराम साहब महेला वल्द भोलाराम, जमींदार चंदनपुरा.

(६) जिला बोर्ड, ईसागढ.

२१. राजा गोपालसिंह साहब वल्द राजा रणजीतसिंह साहब, ठिकानेदार, भदौरा.

(७) जिला बोर्ड, भेलसा.

२२. बलवंतराव साहब वल्द जयवंतराव बागरीवाले, भेलसा.

२३. सखाराम पंत साहब वल्द घनश्यामराव निगुडकर, जमींदार.

(८) जिला बोर्ड, शाजापुर.

२४. श्यामराव साहब नारायण, मालगुजार, कालापीपल, परगना शुजालपुर.

२५. केसरीचन्द साहब वल्द जमनादास महाजन, शाजापुर.

(९) जिला बोर्ड, उज्जैन.

२६. गजाननराव साहब वल्द गोविन्दराव करवडे, जमींदार मौजा कजलाना, परगना बडनगर.

२७. छगनलाल साहब वल्द बापूजी, चौधरी, साकिन बडनगर.

(१०) जिला बोर्ड, मन्दसौर.

२८. अलीअम्सर साहब वल्द अलीअतहर, जमींदार, मौजा दमदम, जिला मन्दसौर.

२९. गणेशनारायण साहब वल्द मदनराय, साहूकार, कारखानेदार, गंगापुर, जिला मन्दसौर.

(११) जिला बोर्ड, अमझेरा.

३०. केशवराव साहब बापूजी, जमींदार, साकिन मनावर.

२.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज म्युनिसिपेलिटीज व टाउन कमेटीज.

(१) म्युनिसिपल बोर्ड, लश्कर.

३१. चौधरी नवाबअली साहब वकील, तारागंज, लश्कर.

(२) म्युनिसिपल कमेटी, शिवपुरी.

३२. सेठ टोडरमल साहब वल्द तेजमल, वैश्य, शिवपुरी.

(३) म्युनिसिपल कमेटी, भिन्ड.

३३. जगमोहनलाल साहब वल्द गोपालसहाय श्रीवास्तव, वकील, भिंड.

(४) म्युनिसिपल कमेटी, मुरैना.

३४. बन्सीधर साहब वल्द नारायणदास, वैश्य, मुरैना.

(५) म्युनिसिपल कमेटी, श्योपुर.

३५. फजलुद्दीनशाह साहब, साकिन गुलैयापाडा, श्योपुर.

(६) म्युनिसिपल कमेटी, भेलसा.

३६. लक्ष्मीप्रसाद साहब माथुर, बासौदा.

(७) म्युनिसिपल कमेटी, गुना.

३७. अनिरुद्धसहाय साहब, वकील, गुना.

(८) म्युनिसिपल कमेटी, शाजापुर.

३८. हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.

(९) म्युनिसिपल बोर्ड, उज्जैन.

३९. बटुकप्रसाद साहब, वकील, उज्जैन.

(१०) म्युनिसिपल कमेटी, सरदारपुर.

४०. सय्यद आलेअली साहब वल्द सय्यद खादिमअली, वकील, सरदारपुर.

३.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज औकाफ कमेटीज.

(१) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ग्वालियर.

४१. गोविंदप्रसाद साहब वल्द सुखवासीलाल, भिन्ड.

(२) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ईसागढ.

४२. गुलाबचन्द साहब वल्द फकीरचन्द, शिवपुरी.

(३) औकाफ कमेटीज, प्रान्त मालवा.

४३. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.

४.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज बोर्ड्स साहूकारान.

(१) बोर्ड्स साहूकारान, प्रांत गवालियार.

४४. मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.

(२) बोर्ड्स साहूकारान, प्रान्त मालवा.

४५. गोरेलालजी साहब वल्द छोटूलालजी, अग्रवाल, भेलसा.

५—रिप्रेजेन्टेटिव्ज जागीरदार साहबान.

(१) जागीरदार साहबान, प्रान्त गवालियार.

४६. चौधरी फौजदार रणबीरसिंह साहब, साकिन सकवारा दनौआ, परगना मुंगावली.
४७. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, बिलौनी.

(२) जागीरदार साहबान, प्रान्त मालवा.

४८. ठाकुर प्रह्लादसिंह साहब, इस्तमुरारदार, कालूखेडा, परगना मन्दसौर.

६—रिप्रेजेन्टेटिव्ज दीगर जमाअतहाय.

(१) चेम्बर ऑफ कॉमर्स, उज्जैन.

४९. सेठ छोटमलजी साहब वल्द उदैचन्दजी, उज्जैन.

(२) बार ऐसोसियेशन, लश्कर.

५०. मुहम्मद अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी, वकील, लश्कर.

(३) बार ऐसोसियेशन, उज्जैन.

५१. गोविन्दराव चिन्तामण साहब बाटवे, वकील, उज्जैन.

(४) सेन्ट्रल औकाफ कमेटी.

५२. लक्ष्मणराव रघुनाथ अत्रे साहब शास्त्री, लश्कर.

(५) आश्रित मंडली.

५३. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

(६) अंजुमन इस्लाम.

५४. हाफिज एहसानउल्लाखां साहब, वकील, माधवगंज, लश्कर.

(७) रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स.

५५. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.

कार्रवाई इजलास.

इजलास मजलिस चार बजे शुरू हुआ.

रिपोर्ट सब-कमेटी को-ऑपरेटिव बैंक्स व सोसायटीज के शरह सूद व तावान के सवाल के मुतअल्लिक, मुन्दर्जा जमीमा नंबर २.

प्रेसीडेन्ट साहब.—बाकीमांदा सवालात पर गौर करने से कब्ल सब-कमेटी की रिपोर्ट ली जाये.

फायनेन्स मेम्बर साहब.—हुजूर वाला! साल गुजिश्ता मजलिस में २ सवालात पेश हुये थे. अव्वल यह कि को-ऑपरेटिव सोसायटीज जो कर्जा मेम्बरान को देती हैं उसकी शरह सूद में कमी हो और दूसरे यह कि बैंक्स शख्सी कर्जे पर जो सूद लेते हैं उसमें कमी की जाय. पारसाल इन सवालात पर गौर करके रिपोर्ट पेश करने के लिये एक सब-कमेटी मुकर्रर हुई थी, मगर मजलिस आम के मेम्बरान का जदीद इन्तखाब होने से और सब-कमेटी के बाज मेम्बरान मजलिस आम के मेम्बर न रहने से सब-कमेटी मुनअकिद होने की नौबत नहीं आने पाई थी. जो मेम्बरान नहीं रहे थे उनके बजाय इस मजलिस में दूसरे मेम्बरान मुकर्रर किये गये और सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है जो आपके सामने है. लेकिन इस पर मेरा डिसेन्ट नोट है. कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा यह है कि इस वक्त शख्सी कर्जे पर जो सूद १॥-) फी सदी लिया जाता है उसमें कमी की जरूरत नहीं है. सोसायटीज काफी तादाद में बन चुकी हैं और यह कर्जा बन्द होने वाला है पस इस में रद्दोबदल की जरूरत नहीं है. रिपोर्ट का एक हिस्सा यह भी है कि तावानी सूद १॥) तक लिया जाता है वह १) रुपया कर दिया जाय. मुझे इससे इत्तफाक है मगर इसके मुताल्लिक यह बतलाना है कि तावानी सूद १॥) रुपया वाकई लिया नहीं जाता. अगर लिया जाता है तो महज उस वक्त, जब रुपया पास होते हुये भी कोई अदा न करे. वैसे कोई अगर मजबूरी जाहिर करे और मोहलत चाहे तो उसको मोहलत दी जाती है और उस हालत में तावानी सूद नहीं लिया जाता. अब तक अमलन कभी इस कदर सूद लेने का काम नहीं पडा. कमेटी की यह भी राय है कि गवर्नमेन्ट जो बैंक्स को ६) रुपये फी सदी और बैंक्स सोसायटीज को १२)रु०फी सदी और सोसायटीज अपने मेम्बरान को १५) रु०फी सदी सूद पर कर्ज देते हैं उसके बजाय गवर्नमेन्ट बैंक्स को फी सदी ४ रु०, बैंक्स सोसायटीज को फी सदी ९॥)रु० और सोसायटीज अपने मेम्बरान को फी सदी १२ रु० शरह सूद पर कर्ज दें. मुझे सिर्फ इस राय कमेटी की निस्बत इख्तिलाफ है. इस इख्तिलाफ के मुख्तसिर वजूहात मैंने अपने डिसेन्ट नोट में दर्ज किये हैं मगर मैं चाहता हूं कि यह इख्तिलाफ क्यों है यह मैं वजाहत के साथ अर्ज कर दूं. यह तो मानी हुई बात है कि काश्तकारान के साथ सब ही को हमदर्दी होगी. लिहाजा शरह सूद की कमी का मैं इस वजह से मुखालिफ नहीं हूं कि उन पर सूद का बार पडे, बल्कि मेरा इख्तिलाफ को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट के उद्देश्य को मद्दे नजर रख कर है. मैं को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट के मुताल्लिक यह बयान कर देना जरूरी समझता हूं कि यह महज रिआयती काम नहीं है बल्कि बिजिनेस इसके साथ २ है और कमेटी जो influence हुई है वह इस ख्याल से कि को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट बिजिनेस के बेसिस (basis) पर नहीं है बल्कि रिआयती है. कुछ रिआयतें जरूर दी गई हैं, लेकिन वह सिर्फ इतनी ही हैं कि उनको कोर्ट फी वगैरा नहीं देना पडती है और न मुकद्दमेबाजी का खर्चा देना पडता है. उनके जुम्ला मुआमलात डायरेक्टर खुद या बजर्ये नामजदगी पंचान तय कर देते हैं. इस मूवमेन्ट की गरज यह है कि उनकी आदात सुधरें और किफायत व इन्तजाम से काम करने की आदत पडे. मिसाल के तौर पर मैं बयान कर देना चाहता हूं कि सोसायटीज का सालाना जल्सा जौलाई या अगस्त में होता है उस वक्त काश्तकारान को अपनी साल भर की जरूरियात और अपनी आमदनी को देखकर बैंक से कितना

रुपया लेने की जरूरत होगी यह तय किया जाता है; यानी उनको यह आदत सिखलाई जाती है कि वह अपनी आमदनी को देखलें और फिर उसके मुताबिक खर्च का इन्तजाम करें. कहा जाता है कि यह मूवमेन्ट आठ दस बरस से जारी है लेकिन उससे आदात में कोई फर्क नहीं आया. यह जरूर है कि उनकी आदात ठीक नहीं हुई हैं और कब तक हो सकेंगी यह भी नहीं कहा जा सकता, ताहम कुछ न कुछ तरक्की जरूर है. इसके पेश्तर एग्रीकल्चरल बैंक से मेशिनरी के लिये तीन चार आने पर और दीगर कामों के लिये आठ आने पर रुपया दिया जाता था. बाद में यह तय हुआ कि एग्रीकल्चर बैंक्स की जरूरत नहीं है, सब जगह को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट जारी किया जावे. जब एग्रीकल्चरल बैंक्स थे उस वक्त भी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज थीं और उस वक्त भी लोग यहां से कर्जा १।) रुपया सूद पर लेते थे. इससे मालूम होता है कि इसके बारे में कोई clamour नहीं था. पहिले जो निर्ख था उसका मुकाबला बैंक के निर्ख से करने पर जाहिर होता है कि यह शरह सूद का बढना मुजिर साबित नहीं हुआ. दूसरे यह कि जितने कम सूद पर रुपया मिलता है उतने ज्यादा लोग कर्ज लेते हैं. एस economy के लिहाज से देखा जाय तो भी सूद का बढना मुफीद है. सूद का बढना या घटना circumstances पर मबनी है. को-ऑपरेटिव ने इस उसूल को कि आदमी कभी अपने पैरों पर खडा न हो सके, ठीक नहीं समझा व उसूल को-ऑपरेटिव का यह है कि आदमी self reliance सीखे जिससे कर्ज का लेना automatically बंद होता जाये. फर्ज कीजिये कि एक सोसाइटी है जिसके पांचसौ रुपया बैंक में जमा हैं और वह अपने मेम्बरान को दो हजार रुपये कर्ज दिलाती है तो उसे बैंक को २४०) रुपये सूद अदा करना पडता है मगर उसे ३०) रुपये रकम अमानत पर वापिस मिलता है पस उस सोसाइटी को दर हकीकत सिर्फ २१०) रुपये सूद देना पडता है यानी २०००) रुपये पर २१०) रुपये—जिसके मानी यह हुए कि बजाय १) रुपया सैकडा के चौदह आना सूद रह गया. पूंजी बनाने का यह फायदा है कि आपही आप सूद कम होता जावे. मकसद यह है कि सोसायटीज की पूंजी ज्यों ज्यों बढती जावेगी, सूद कम होता जायगा. लोग कहते हैं कि इसके लिये एक काफी अर्सा दरकार है लेकिन यह कोई छूमन्तर तो है नहीं कि जल्दी ही हो जाय, देर जरूर लगेगी. मेरा यह कहना है कि अगर सोसाइटीज अपने मेम्बरान को कम सूद पर रुपया देवेंगे तो इससे यह होगा कि उनका कैपिटल नहीं बनेगा. इस वक्त तक कुल सोसायटीज की पूंजी की रकम तेरह लाख के करीब जमा हो चुकी है. उम्मेद है कि सोसायटीज कुछ जमाने में अगर यही रफ्तार रही तो इन्डिपेन्डेन्ट हो जावेंगी. फिर उनको इख्तियार है कि चाहे वह आध आने सूद पर अपने मेम्बरान को रुपया देवें या उनसे बिल्कुल सूद न लेवें. अब मैं सूद कम करने में जो नुक्सानात हैं वह अर्ज करता हूं. तजवीज यह है कि गवर्नमेन्ट बजाय छै फी सदी के चार फी सदी सूद ले. यहां गवर्नमेन्ट की तरफ से सोसायटीज को काफी इम्दाद दी जाती है. बृटिश इन्डिया में ऐसा नहीं है. वहां तो अब यह सवाल पेश है कि गवर्नमेन्ट सोसायटीज को रुपया दे या नहीं. यह इस ख्याल से कि अगर गवर्नमेन्ट सोसायटीज को फाइनेन्स करती रही तो को-ऑपरेटर्स को रुपया जमा करने की फिक्र न रहेगी. यहां शेअर्स कायम किये गये हैं और अदाशुदा कैपिटल का five times गवर्नमेन्ट देती है, जिससे बैंक्स पब्लिक के हो सकें. मगर जब एग्रीकल्चरल बैंक्स बंद किये गये उस वक्त जरूरत को महसूस करके बडी तेजी के साथ सोसायटीज बनाई गई, इसलिये इस वक्त five times की limit निकाल दी गई है. आयन्दा हस्ब जरूरत लिमिट कायम कर दी जावेगी. गरज यह है कि मूवमेन्ट आखिर में पब्लिक के हाथों में चला जाय और यह उसी वक्त हो सकता है जब शेअर्स बेचकर और डिपॉजिट हासिल करके वह अपना सरमाया बनाले. अगर गवर्नमेन्ट चार फी सदी पर रुपया देने लगेगी तो उन्हें अपना कैपिटल बनाने की फिकर न रहेगी. अब जब कि छै फी सदी पर मिलता है तब भी उन्हें जैसी चाहिये वैसी फिकर नहीं है. इस वक्त शह

यह है कि शेअर होल्डर्स को दस फी सदी मुनाफा मिलता हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि हम बारह फी सदी और पन्द्रह फी सदी पैदा कर सकते हैं, फिर हम दस फी सदी पर रुपया क्यों लगायें ? लिहाजा यह तज्वीज की गई कि उनको दो फी सदी तक बतौर बोनस के दिया जावे. कहने का मतलब यह है कि हमको डिपाजिट चार फी सदी तो दूर है आठ फी सदी पर भी नहीं मिलता. अगर गवर्नमेन्ट चार फी सदी पर रुपया देने लगेगी तो और भी दिक्कतें वाके होंगी और गवर्नमेन्ट को भी पडता नहीं पडेगा. मैं इसको Business principle के point of view से कहता हूं. अब दूसरी बात यह है कि बैंक सोसायटीज को बारह फी सदी पर रुपया देता है. अब आप देखिये कि छै फी सदी का मार्जिन होने पर भी शेअर होल्डर्स को डिवीडेन्ड और डायरेक्टरान को Bonus देकर उनके पास बहुत कम बचत रहती है. अगर यह मार्जिन कम कर दिया जावेगा तो उनके पास कुछ भी न बचेगा. डिपार्टमेन्ट का काम सोसायटीज का सुपरवीजन और उनको कन्ट्रोल करने का है. बैंक्स की बचत से यह स्टाफ नहीं रक्खा जा सकता. गवर्नमेन्ट से दरख्वास्त की गई तो उन्हों ने कुछ इन्सपेक्टरान और बढा दिये और क्या कर सकते थे. ज्यों ज्यों इनका Working capital और Share capital बढता जावेगा वह खुद शरह सूद कम करते जावेंगे. बारह से नौ, नौ से छै और छै से चार तक कर सकेंगे. कमेटी का कहना है कि जिस वक्त काफी सरमाया हो जाय उस वक्त सूद बढा दिया जाय, लेकिन मेरा कहना यह है कि उस वक्त यह शरह खुद बखुद automatically कम होती जायगी, क्योंकि कैपिटल्स के बढने के साथ ही साथ शरह सूद में कमी होना एक लाजमी अम्र है. इस वक्त मेम्बरान को पंद्रह फी सदी पर रुपया दिया जाता है. सोसाइटीज तीन फी सदी अपनी सिलक में जमा करके बारह फी सदी बैंक को दे देती हैं. यह तीन फी सदी जो सोसायटीज की सिलक में रहता है उसी से आज तेरह लाख की सिलक होगई है. जो सोसायटीज अच्छा काम कर रही हैं उनका कैपिटल बढेगा. इधर उनका रुपया जो बैंक में जमा है उसका इन्टरेस्ट बैंक लेता है. चुनांचे इन जराये से जब उनका कैपिटल बढता जायेगा तो automatically सूद में कमी होती जायगी. इसके मुतअल्लिक कानून वजा किया जाकर जब वह स्वर्गवासी महाराजा साहब को पेश हुआ था उस वक्त भी यही बहस उठी थी और तय यह हुआ था कि अगर इस वक्त सूद में कमी की गई तो इस मूवमेन्ट को बडा धक्का पहुंचेगा. इसका तो यह उद्देश है कि सोसायटीज को independent बना दिया जाय. यानी लडके को हाथ पकड़कर न चलाया जाय बल्कि उसे मौका दिया जाय कि वह खुद अपने पैरों पर खडा हो सके इन वजूहात से मुझे कमेटी की रिपोर्ट से इख्तलाफ है.

जगमोहनलाल साहब—हुजूर वाला, जिस सब-कमेटी की रिपोर्ट इस वक्त पेश है मैं भी उसमें मेम्बर था इसलिये ऑफिशियेटिंग फायनेन्स मेम्बर साहब ने जो Dissent Note दिया है उसके मुतअल्लिक मुझे कुछ अर्ज करना है. अब तक मजलिस आम से बहुत सी सब-कमेटियां कायम हुई हैं लेकिन यह पहिली सब-कमेटी है जिसमें उसके प्रेसीडेन्ट की तरफ से डिसेन्ट नोट पेश हुआ है. सब-कमेटी में हम लोगों ने बखूबी इस मसले पर गौर किया मगर फिर भी हम ऐसी रिपोर्ट पेश करने पर मजबूर हुए हैं. इससे पता चलता है कि महकमे के नुकते नजर में और हमारे नुकते नजर में कितना फर्क है. सबसे पेश्तर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कमेटी ने जो तजवीज पेश की है वह हमेशा के लिये ही नहीं है बल्कि इस मूवमेन्ट के transitional जमाने के लिये है. यह तजवीज जो हमने पेश की है हमारे जाती ख्याल पर मबनी नहीं बल्कि अजलाय से जो मेम्बर साहबान मजलिस में आये हैं उनके मशवरे के बाद हमने यह तजवीज पेश की है. हर एक जिले में यह आम शिकायत है कि सूद ज्यादा लिया जाता है. कहा जाता है कि यह

को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट business basis पर है, तो इसके मुतअल्लिक अर्ज यह है कि गवर्नमेन्ट ने जो रिआयतें इसके साथ रक्खी हैं उनको देखते हुए यह business basis पर नहीं कही जा सकती. यह तो उस वक्त होता जब कि इसको दूसरी तिजारती जमाअतों की तरह कोई स्पेशल privilege न दिया जाता और उनके साथ इनका कॉम्पीटीशन होता और देखा जाता कि इसने क्या तरक्की की. दरबार ने जो रिआयतें इसके साथ रखी हैं उनको देखते हुए यह बिल्कुल साफ है कि यह movement लोगों के फायदे के लिये जारी की गई है. हम लोग फायनेन्स मेम्बर साहब को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने जो उसूल बयान फरमाया है उसके हम खिलाफ नहीं हैं; लेकिन जब हम देखते हैं कि इस movement को दस ग्यारह साल हो चुके और काश्तकारान को इससे काफी फायदा नहीं पहुंचा तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सूद में वाकई कमी की जरूरत है. कमेटी ने यह सिफारिश की है कि बैंक बजाय छे के साडे पांच ले. फायनेन्स मेम्बर साहब ने यह फरमाया है कि आठ आना फी सदी कम हो जाने से बैंक के इखराजात नहीं चलेंगे. इसके मुतअल्लिक हम यह अर्ज करना चाहते हैं कि एक काफी रकम डायरेक्टरान को बोनस के तौर पर दी जाती है. अगर यह बोनस न दिया जाय तो बैंक को कोई नुक्सान न रहेगा क्योंकि यह उसी सूद में से दिया जाता है जो काश्तकारान से आता है. इसके बन्द हो जाने से यह हुज्जत बाकी नहीं रहता है. यह अम्र भी गौर के काबिल है कि बैंक का ६) रुपये फी सदी व गवर्नमेन्ट का करीब ४।।) रुपये फी सदी खर्चा हो रहा है इससे यह जाहिर होता है कि महज इखराजात में साडे दस फी सदी खर्च पडता है जो नामुनासिब है और इसलिये उसमें कमी की जरूरत है. तमाम अजलाय के लोग शाकी हैं कि मौजूदा शरह ज्यादा है, इसलिये मैं फाइनेन्स मेम्बर साहब से सिफारिश करूंगा कि वह इस वक्त इस मुजव्विज शरह सूद को कबूल कर लें ताकि काश्तकारों को यह इतमीनान दिलाया जा सके कि तुम्हारे कहने से सूद कम कर दिया गया, अब तुमको इन सोसायटीज से फायदा उठाना चाहिये. इससे यह फायदा होगा कि सोसायटीज की तादाद बढेगी और मेम्बर भी ज्यादा होंगे. मुफस्सिल वजूहात रिपोर्ट में दर्ज हैं और हमें उम्मीद है कि मेम्बर साहबान मजालिस आम इसके नफे पर गौर करके इस तजवीज को मंजूर फरमायेंगे.

प्रेसीडेन्ट साहब.—सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की है उस पर फाइनेन्स मेम्बर साहब यानी प्रेसीडेन्ट साहब सब-कमेटी ने अपना डिसेन्ट नोट पेश किया है. उसके वजूह उन्हों ने आप साहबान पर जाहिर कर दिये हैं और जगमोहनलाल साहब ने उसको तरदीद में जो कुछ कहा वह भी आप साहबान ने सुन लिया है, पस अब इस मसले पर ज्यादा बहस की जरूरत मालूम नहीं होती.

नोट— इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव:— कसरत राय से करार पाया कि रिपोर्ट सब-कमेटी मंजूर की जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २१.

प्रेसीडेन्ट साहब—मुजव्विज साहब मौजूद नहीं हैं. अगर कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहें तो कर सकते हैं.

जगमोहनलाल साहब—मैं इस तजवीज को पेश करने की इजाजत चाहता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब—पेश कीजिये.

जगमोहनलाल साहब—तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

रियासत के पासशुदा तालिबइल्मान के मुकाबले में बाहर के बाशिन्दगान को मुलाजिमत देने की रोक की जावे. अगर किसी डिपार्टमेन्ट को किसी खास तालीमयाफ्ता की जरूरत हो तो वह भी यहां के ही तालिबइल्म को भेजकर तालीम दिलाई जाना चाहिये, ताकि तालीम का शौक लोगों के दिल में पैदा हो.

हुजूर आली ! फी जमाना हर मुहज्जिब गवर्नमेन्ट ने अपना यह उसूल कायम कर रखा है कि अपने मुल्क के बाशिन्दगान को आला से आला तालीम जहां तक मुमकिन हो दिलाई जाये. तरक्की तालीम और वुसअत तालीम के साथ मुलाजमत सरकारी का सवाल भी हमेशा के लिये वाबस्ता हो गया है. [जगमोहनलाल साहब ने यहां तक तकरीर की थी कि प्रेसीडेन्ट साहब मय ऑफिशियल मेम्बर साहिबान के महाराजा साहब बडौदा के इस्तकबाल के लिये जो मजलिस को देखने के लिये तशरीफ लाये थे मजलिस का काम मुल्तवी फरमा कर रवाना हुए और बाद चन्द मिनट के वापिस आये जिसके बाद जगमोहनलाल साहब ने फिर अपनी तकरीर शुरू की]. लोगों को कुदरती तौर पर यह दिली उमंग और दिली ख्वाहिश होती है कि वह अपने मुल्क व गवर्नमेन्ट के लिये अपनी खिदमात वक्फ करदें. उनकी रग रग में मुल्क की मोहब्बत का जोश मोजजन रहता है. जिस शख्स ने जिस मुल्क में पैदा होकर परवरिश पाई हो और तालीम हासिल की हो उसे उस जगह से जैसी मोहब्बत हो सकती है दूसरे को नहीं हो सकती. यह भी एक कुदरती अम्र है कि जो जहां का बाशिन्दा होगा वह वहां जफाकशी से और डर कर काम करेगा और नेकनामी का ख्याल रखेगा क्योंकि उसका guiding principle यह होगा कि "इस खाक से उठे हैं इसी खाक में मिलेंगे." अलावा इसके जो लोग दीगर जगह से आकर मुलाजिम होते हैं वह जिस वक्त तक कि मुलाजमत करते हैं उसी वक्त तक उनकी खिदमात से मुल्क को फायदा पहुंच सकता है और उनके चले जाने पर उनकी retired life से मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचता. इसके खिलाफ जो शख्स उसी मुल्क का बाशिन्दा होता है वह रिटायर होने के बाद भी एक अच्छा citizen बनता है और मुल्क की खिदमत करता रहता है. पस इन फवायद को मद्दे नजर रखते हुए हर गवर्नमेन्ट को यह पॉलिसी इख्तियार करना पडती है कि जहा तक हो सके अपने मुल्क के बाशिन्दे ही मुलाजमत पर लिये जायें और हमारे जिन्नतनशीन महाराजा साहब की भी यह पॉलिसी थी. जनरल व जुडीशियल पॉलिसी, दस्तूरुल अमल माल, कवाअद पुलिस व कस्टम्स ट्रेनिंग व क्लेरीकल क्लासेज में यही पॉलिसी नजर आती है. मैं इन तमाम का हवाला देकर मजलिस का वक्त जाया करना नहीं चाहता, सिर्फ एक कागज का हवाला देकर इक्तफा करता हूं जो हमारे लिये इस जमाने में आयते हदीस का दर्जा रखता है. वह है "मेमोरेन्डम ऑन मायनॉरिटी ऐडमिनिस्ट्रेशन" जिस की कलम नं० ११ में लिखा हुआ है कि:—

> "For appointments in the State service local talent should be used wherever possible, when local talent is not available, outsiders may be imported for special purposes."

हुजूर आली ! इस हिदायत में special purpose का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है. उसके मानी मैं यह समझता हूं कि किसी खास काबिलियत, किसी ऐक्सपर्ट नॉलेज की, अगर जरूरत हो तब ही बाहर से लोग लिये जायें. इस सिलसिले में कवाअद जातवारी का भी जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यह कहा जावेगा कि जातवारी के उसूल इसमें माने व हारिज

होते हैं, इसलिये उनकी तरफ भी तवज्जुह दिलाना लाजिम है. किसी कानून या कायदे की ताबीर के लिये उसके अल्फाज के साथ साथ उसकी spirit को भी देखना पडता है, यानी यह कि जिसने या जिस गवर्नमेन्ट ने उस कानून या कायदे को बनाया है वह किस spirit से actuate हुए थे. जातवारी का कायदा जनरल पॉलिसी में दर्ज है और मैं उसमें से चंद इक्तबासात पढकर सुनाता हूं जो यह बतलायेंगे कि जन्नतनशीन महाराजा साहब ने इस कायदे को किस मतलब के लिये बनाया है. जनरल पॉलिसी के सफा नंबर १९९ पर दर्ज है कि "मैं इस बात पर ज्यादा जोर देता हूं कि सब कौमों के साथ यकसां बर्ताव किया जावे. इसकी खास वजह यह है कि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि अगर आज हमारी कौम का वालिये मुल्क होता तो हमारी हालत और ही होती."

इससे यह जाहिर होता है कि यह कायदा उस मुल्क के बाशिन्दों के लिये है जिसके लिये यह कानून बनाया गया है. अगर बाहर वालों के लिये होता तो यह अल्फाज इस्तेमाल न होते. आगे चल कर लिखा है कि "Partiality के अमल का नतीजा यही होता है कि लोगों में discontent और heart-burning फैल जाती है जिसका बुरा असर रियासत के फलाह और बहबूदी पर पडना लाजमी अम्र है". आगे चलकर सफा २०२ पर यह हिदायत फरमाई है कि "सब कौमों का परसेन्टेज यकसां होना चाहिये" और सफा २०३ पर यह इर्शाद फरमाया है कि "अल्टीमेटली कोशिश यह होना चाहिये कि यह परसेन्टेज घटा बढा कर सबको बराबरी पर लाया जाय." मेरी humble submission यह है कि जो इस मुल्क के बाशिन्दे हैं उन्हीं के लिये यह कायदा है वर्ना घटाने बढाने का जिक्र न होता. जातवारी के स्केल कायमी का खास मकसद यह है कि लोगों का यह ख्याल न होने पावे कि हमारी कौम के साथ नाइन्साफी की गई या उसके हुकूक का लिहाज नहीं रखा गया. इसी सिलसिले में सफा नंबर २०४ पर यह हिदायत है कि "मुतअल्लिकीन को मालूम होना चाहिये कि जितनी कौमों पर खुदा अपने फजल से वालिये मुल्क को हुक्मरां बनाता है उतनी ही कौमों पर उसके ऑफिसरों को हुकूमत करना पडती है. अगर आम लोगों में यह feeling पैदा हो गई कि सर्विस में सब को बराबर नहीं समझा जाता और ऑफिसर अपनी कौम को तरजीह देते हैं तो discontent जरूर पैदा होगी, अगर जाहिरा नहीं तो दरपरदा." हुजूर आली! इस पैरेग्राफ में यह अल्फाज कि "जितनी कौमों पर खुदा अपने फजल से वालिये मुल्क को हुक्मरां बनाता है" बतलाते हैं कि यह कायदा उन्हीं के लिये है जो उस मुल्क में रहते हैं. आगे चल कर यह भी लिखा है कि "वालिये मुल्क और ऑफिसरान की खास ड्यूटी यह है कि इस उसूल को न छोडें और ईमानदारी के साथ इसकी पाबन्दी करें यानी सब को बराबर मौका दिया जाय और किसी को तरजीह न दी जाय". हुजूर आली! यह वह चन्द extracts हैं जो मैंने जनरल पॉलिसी में से सुनाये हैं. यह तमाम इक्तबासात को पढकर नतीजा यही निकलता है कि जो कौमें रियासत के अन्दर हैं उन्हीं को मुलाजमत में रक्खा जाय, इस कायदे की आड में बाहर के लोग न लिये जायें. इसलिये मेरा यह ख्याल है कि जो उसूल सरकार जन्नत नशीन ने करार दिये हैं कि मुलाजमान की तकर्रुरी के वक्त जातवारी का लिहाज रक्खा जाय, उससे यह उसूल कि रियासत के बाशिन्दगान ही मुलाजमत में लिये जावें ज्यादा अहमियत का है और उससे महदूद नहीं होता. जातवारी का उसूल ताबे है उस आम उसूल के कि रियासत के बाशिन्दों को सरविस में लिया जावे जो primary उसूल है और जातवारी का उसूल महज secondary है जिसकी आड में बाहर से import नहीं करना चाहिये. लिहाजा मैं मजालिस से गुजारिश करूंगा कि जातवारी का जो interpretation इस वक्त मैं ने किया है उसकी तरफ गवर्नमेन्ट की तवज्जुह दिलायें. मिसाल के तौर पर मैं यहां पर यह अर्ज करना मुनासिब समझता हूं कि अगर एक महकमे में जातवारी के लिहाज से एक ब्राह्मण की जरूरत है लेकिन चार

छै दरख्वास्तें ऐसे अशखास की पेश हुईं जो ब्राह्मण नहीं हैं लेकिन और हर तरह से काम करने के काबिल हैं तो महज इस वजह से कि उस कौम के नहीं हैं जिसकी जातवारी के लिहाज से जरूरत है, बाहर से आदमी बुला कर रखा जाय और रियासत के बाशिन्दों को महरूम रखा जाये तो यह कहां तक दुरुस्त होगा. इसलिये इस कानून की जो interpretation मैं मजलिस के रूबरू कर रहा हूं मुझे उम्मेद है कि मजलिस उसकी ताईद करेगी, क्योंकि यहां के तालीमयाफ्ता लोगों को यहां सर्विस न मिलने पर बाहर भी कामयाबी नहीं होती और न वह घर के रहते हैं और न घाट के. इस पर कौन्सिल आलिया को गौर करने की जरूरत है. अब यह सवाल, कि इस सवाल को मजलिस के रूबरू रखने की क्या जरूरत पेश आई, बाकी रहता है.

हुजूर आली! किसी खास महकमे का जिक्र न करते हुए मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जनरल तौर पर मेरी नजर में ऐसे वाकेआत आये हैं कि जातवारी की आड लेकर यहां के लोगों को मुलाजमत देने से इन्कार किया जाकर बाहर के लोग लिये गये. ऐसी चन्द सूरतें भी पेश आई हैं कि पहले आरजी तौर पर चार चार और छै छै बरस यहां के लोगों से काम लिया गया और फिर वह अलहदा कर दिये गये और बाहर के लोग उस जगह पर रखे गये. अगर जातवारी के लिहाज से वह उस जगह पर नहीं लिये जा सकते थे तो आरजी तौर पर उनको लेते वक्त क्यों उनका ख्याल नहीं किया गया. यह बडी बेइन्साफी है कि चार छै बरस काम लेने के बाद महज जातवारी की आड ली जाकर उनको अलहदा किया जाता है, यह भी देखा जाता है कि उस कौम के शख्स जिसकी जरूरत है यहां मिलते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से import करके लोगों को रखा जाता है. पब्लिक की नजर में यही खास वजूह हैं जिन पर इस सवाल को मजलिस में रखने की जरूरत पेश आई. बाज लोगों को यह कहकर इन्कार कर दिया जाता है कि यहां ग्रेडेड स्केल है, दरमियानी ओहदों पर तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन देखा गया है कि बाहर के लोगों को उन्हीं दरमियानी जगहों पर ले लिया जाता है. दूसरा हिस्सा इस सवाल का यह है कि अगर किसी डिपार्टमेन्ट को किसी खास तालीमयाफ्ता की जरूरत हो तो यहां के तालिब इल्मों को भेजकर तालीम दिलाना चाहिये, ताकि तालीम का शौक लोगों में पैदा हो. यह मुझे मालूम है कि इस किस्म की तालीम के लिये स्पेशल स्कॉलरशिप देने के कवाअद बना हो चुके हैं और ऐसे स्कॉलरशिप दिये भी जाते हैं, लेकिन इस जातवारी की रुकावट से ज्यादा तादाद नौजवानान की उससे महरूम रहती है.

हुजूर आली! हम लोगों पर जो फरायज ब हैसियत मेम्बरान मजलिस हाजा आयद हुए हैं उनको पूरा करने में हम लोग कासिर रहेंगे अगर हम इस अम्र का जिक्र जोर मगर सिद्क दिल व आजिजी से न करें कि मजकूरे बाला वाकआत से यहां के intelligent class में बदगुमानी पैदा होना शुरू हो गई, इसलिये जरूरी है कि इस मर्ज का इलाज व रोक शुरू से ही की जावे. गवर्नमेन्ट की पॉलिसी मुतअल्लिक मुलाजिमत मामूली बात नहीं है; बल्कि तालीमयाफ्ता तबके की मौत और जिन्दगी का सवाल इससे वाबस्ता है, इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करे कि इसकी बाबत मुफस्सिल तशरीह उस interpretation की बिना पर, जो मैंने इस कानून का अभी किया है, साफ अलफाज में फरमा दे कि जातवारी का सवाल सेकन्डरी है और इब्तदाई उसूल यह है कि यहा के बाशिन्दगान को अव्वल जगह दी जाय, ताकि यह मर्ज बढने न पावे और तालीम याफ्ता तबका, जिसको काबिल बनाने का credit गवर्नमेन्ट को ही है, मुतमय्यन रहे. मैं उम्मेद करता हूं कि मजलिस मुत्तफिक होकर गवर्नमेन्ट से दरख्वास्त करेगी कि वह अपनी पॉलिसी साफ तौर पर declare फरमा दे.

लक्ष्मीप्रसाद साहब. --मैं ताईद करता हूं.

ईश्वरीसिंह साहब.--मैं ताईद करता हूं.

सोहनपालसिंह साहब.--मैं भी ताईद करता हूं.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब ---हुजूर वाला! तजवीज जिन अल्फाज में पेश हुई है उसको देखते हुए मेरा यह ख्याल न था कि उसके सिलसिले में कानून जातवारी की ताबीर का सवाल पेश किया जायगा. तजवीज जो पेश की गई है वह महज इतनी है कि रियासत के पासशुदा तालिब इल्मान के मुकाबले में बाहर के बाशिन्दगान को मुलाजमत देने की रोक की जाय. अगर किसी डिपार्टमेन्ट को किसी खास तालीमयाफ्ता की जरूरत हो तो वह भी यहां के तालिब इल्म को भेजकर तालीम दिलाई जाना चाहिये, ताकि तालीम का शौक लोगों के दिलों में पैदा हो. यह तजवीज जिन अल्फाज में पेश हुई है वह ऐसी है कि गवर्नमेन्ट और खास कर सीगा तालीम कतई तौर पर उससे सहमत हैं. यह तजवीज ऐसी है कि जिसका तअल्लुक खास सीगे तालीम से है; क्योंकि तालीमयाफ्ता लोग वही होंगे जो सीगे तालीम में पढ़कर पास करेंगे. सीगा तालीम को इसके बाद भी इससे तअल्लुक रहता है और यह ख्याल होता है कि जो यहां से तालीम पाकर निकले वह यहीं मुलाजिमत में लग जाये. यह न हो कि अपनी रिआया के बच्चों की तालीम पर रियासत जो रुपया सर्फ कर रही है उसका फायदा रियासत को न मिलते हुए दूसरों को मिले; लेकिन चंद दिक्कतें अमली तौर पर पेश आती हैं. मिसाल के तौर पर जिस वक्त कोई जगह किसी डिपार्टमेन्ट में खाली होती है तो उसमें दीगर मुलाजमान भी मौजूद होते हैं. अब सवाल यह होता है कि जगह खाली होने पर जगह को जदीद आदमी लेकर पुर किया जाय या दर्जा ब दर्जा तरक्की देकर अखीर जगह पर नया उम्मेदवार लिया जाये. वह शख्स जो काम का जानने वाला है और रियासत की खिदमत में आधी से ज्यादा उम्र सर्फ कर चुका है उसको न लेते हुए अगर नया उम्मेदवार लिया जाय तो पुराने मुलाजिम को कोई मौका तरक्की का नहीं मिलेगा. जो कुछ बाईलॉज और रूल्स महकमे तालीम में इसके मुतअल्लिक जारी हैं उनके लिहाज से मैं कह सकता हूं कि सीगे तालीम ने कौन कहां तक तरक्की पा सकता है यह ठहरा दिया है; मसलन एक मैट्रिक पास ३० रुपये पाता है और कोई जगह सौ रुपये की खाली हुई तो ग्रेड के हिसाब से अस्सी वाले को सौ, सत्तर वाले को अस्सी, साठ वाले को सत्तर, और इसी तरह उस मैट्रिक पास तीस पाने वाले को चालीस की जगह मिलेगी, लेकिन अगर कोई दो सौ रुपये की जगह खाली हुई तो मैट्रिक पास जो तरक्की करते करते सौ रुपये तक पहुंचता है और जिसमें मैट्रिक की ही लियाकत होगी और जो कुछ उसने अपने तजुर्बे से हासिल किया हो उसे २००) की जगह नहीं दी जा सकेगी.

इसलिये यह ठहरा दिया है कि सौ रुपये तक तो मैट्रिक तरक्की पायेगा, आगे दूसरा नया उम्मेदवार लिया जायगा. होता क्या है कि ग्रेडेड तरक्की देने पर अखीर जगह के लिये आदमी नहीं मिलते; क्योंकि जब मदरसे से तालिबइल्म पढ़ कर निकलते हैं मौजूं जगह पर परवरिश के लिये दरख्वास्त देते हैं और अगर कोई दूसरी जगह उन्हें ऑफर की जाती है तो वह ख्याल करते हैं कि वह जगह उनकी position के लिये मौजूं नहीं है और उसे मंजूर करने से इन्कार कर देते हैं और दूसरे महकमेजात में कोशिश करते हैं और उस अखीर जगह के लिये आदमी का मिलना मुश्किल हो जाता है. ख्वाहिश तो हर एक की यही रहती है कि रियासत के तालीमयाफ्ता लोगों को ही मुलाजमत में लिया जाकर डिपार्टमेन्ट को उनकी तालीम का फायदा पहुंचायें, लेकिन इस किस्म की दिक्कतों से मजबूरी हो जाती है. अब सवाल रहता है, कास्टवारी की ताबीर का. मेरा ख्याल है

कि जैसी यह तजवीज है, कुछ तअल्लुक कास्टवारी उसमें जरूर आता है; लेकिन जिस तरीके पर तकरीर में यह सवाल उठाया गया है वैसा नहीं, बल्कि दरअसल यह एक अलहदा सवाल की शक्ल में किया जाना चाहिये था. अगर ऐसा होता तो अच्छा होता इस तजवीज के अखीर हिस्से में जाहिर किया गया है कि अगर खास तालीम की जरूरत हो तो यहां के तालिबइल्म को वजीफा देकर तालीम दिलाई जाय. मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इसके मुतअल्लिक जो स्पेशल स्कॉलरशिप रूल्स दरबार से इजरा हुए हैं उनमें एक प्रॉविजन रखा गया है जिससे यह पता चलता है कि जातवारी की स्पिरिट क्या है. जैसा कि तकरीर में कहा गया है कि जातवारी का उसूल यह है कि तमाम कौमों को दरबार की खिदमत करने का chance मिले, यह chance सबको equally मिलना चाहिये, इसलिये यह उसूल कायम किया गया है. अगर जमाने की हालत रफ्तार को देखा जाता है तो एक अर्सा लगेगा जब कि सब कौमें equal chances पासकें. स्पेशल स्कॉलरशिप रूल्स, जो उम्मेदवारान को बाहर ट्रेनिंग हासिल करने को भेजने के लिये इजरा हुए हैं उनमें ईमा है कि जब कोई खास ट्रेनिंग दिलाने की जरूरत हो और उस जगह के लिये जातवारी के लिहाज से किसी खास कौम का आदमी दरकार हो तो अगर उस साल उस कौम का आदमी न मिले तो बजाय इसके कि किसी दीगर कौम के आदमी को वजीफा दिया जाय उस साल वजीफा ही न दिया जाना चाहिये. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह उसूल बहुत कुछ सोच समझ कर इस बिना पर रखा गया है कि अगर दरकारी कौम का उम्मेदवार ट्रेनिंग के भेजे जाने को न मिले और दूसरी कौम का शख्स मिलता हो तो उसको वजीफा देने में यह उसूल फौत हो जाता है कि तमाम कौमों को equal chances मिलें. वह हालत अभी नहीं है. जरूरत इस बात की है कि तमाम कौमों में करीब करीब बराबर तालीम फैल जाय, उस वक्त यह मुमकिन हो सकता है कि जिस कौम के उम्मेदवार की जरूरत है वह ब आसानी मिल सके लिहाजा रूल्स में जो यह provision है कि अगर दरकारी कौम का मौजूं उम्मेदवार न मिलता हो तो स्कॉलरशिप न देना चाहिये, इसका साफ मतलब यह है कि यह रियासत के ही लिये है, बाहर के अशखास से इसका तअल्लुक नहीं. जिस वक्त कोई Legislation वजा किया जाता है वहां की रिआया को ही ख्याल में रखकर किया जाता है, और अगर किसी का यह ख्याल हो कि बाहर वालों के ख्याल को लेकर यह वजा किया गया है तो मेरे ख्याल में इसमें गलत फहमी हुई है यह तजवीज ऐसी है जिससे एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट पूरी तौर पर सहमत है. चूंकि इसमें जातवारी को मिलाकर कानून के ताबीर का सवाल उससे वाबस्ता किया गया है उसकी ताबीर करने के लिये मैं अपने को मौजूं नहीं समझता. लेकिन जहां तक वजीफे का तअल्लुक है मैं यह कह सकता हूं कि रियासत के लोगों को ही वजीफा दिया जाता है.

अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब.—जनाब वाला! गवर्नमेन्ट की जानिब से जो जवाब इस तजवीज के मुतअल्लिक दिया गया है वह महकमे तालीम तक ही महदूद है. मुजव्विज साहब की मन्शा किसी खास डिपार्टमेन्ट से ही इसका तअल्लुक रहने बाबत नहीं है, और मेरे मोअज्जिज दोस्त जगमोहनलाल साहब ने इसको पेश करते हुऐ इसकी ताईद में जो तकरीर की है उससे भी तरद्दुद नहीं होता कि किसी खास डिपार्टमेन्ट को मलहूज रखा गया है. मैं एज्यूकेशन मेम्बर साहब का मशकूर हूं कि रिआया मुल्क से उन्हें खास हमदर्दी है, लेकिन अर्ज यह है कि यहां सवाल हमदर्दी का नहीं है, बल्कि इस्तहकाक का है. एक मिसाल अर्ज करूंगा जोकि बहुत पुरानी है; अव्वल खेश, बादहू दरवेश,—यानी अव्वल अपनी जात का व बादहू दूसरों का ख्याल होना चाहिये. इसी तरह हर गवर्नमेन्ट का भी यह फर्ज है कि पहिले अपनी रिआया के

लिये बहबूदी के जर्ये निकाले और फिर दूसरों के लिये. हमको यह मौका न मिले कि इस रियासत के बाशिन्दे होकर हम दूसरी जगह जाकर मुलाजिमत के लिये दरख्वास्त करें और वहां यह सुनें कि तुम ग्वालियार के हो, हमारे यहां का कायदा है कि हम मुल्कियों को ही जगह देते हैं, बाहर वालों को नहीं. अगर हम या हमारी औलाद को यहां मुलाजिमत न मिले और हमारी गुजर औकात का जरिया काफी न हो और खुदा न ख्वास्ता हमें दूसरी जगह जाना पडे तो जवाब यह मिलेगा कि तुम अपनी रियासत में जाओ, यहां तुम्हें जगह नहीं मिल सकती. गो हमारी रियासत को यह फख्र हासिल है कि बाहर के लोगों को भी मौका मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको दूसरी जगह जाकर मायूस होने का मौका न मिले और दुनिया की मुतमद्दन कौमों का यह उसूल है कि पहिले अपने मुल्क वालों को और बाद में दूसरों को provide करते हैं. अगर हमको बाहर वालों पर तर्जीह दी गई तो जाहिर है कि हमारे रास्ते में जो obstacles हैं, जो रोडे हैं वह निकल जावेंगे. जैसा कि एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने फरमाया है कि हमें जरूरत के वक्त ऐसे लोग नहीं मिलते, तो मेरी गुजारिश है कि यह तो गवर्नमेन्ट का फर्ज है कि हमें अपने काम के काबिल बनाये; लिहाजा मैं मजलिस से दरख्वास्त करूंगा कि वह गवर्नमेन्ट के हुजूर में इस इल्तदुआ को पेश करे.

मिट्ठनलाल साहबः—मैं ताईद करता हूं.

वाटवे साहबः—हुजूर वाला! जगमोहनलाल साहब ने जो बातें हुजूर की खिदमत में पेश की हैं उनसे दरबार को यह बात अच्छी तरह पर रोशन हो गई होगी कि चन्द मिसालें ऐसी पेश आई हैं जिनकी बाबत पब्लिक को शिकायत है और वह भी इस वजह से कि जन्नत नशीन महाराजा साहब ने अपनी पॉलिसी में, जिसको हम Charter समझते हैं, जो हिदायात दी हैं उनकी तामील नहीं होती. जन्नत नशीन महाराजा साहब का यह मकूला था कि मैं ग्वालियर में ग्वालियर की University बनाऊंगा, जिसका यह मतलब था कि जैसी तालीम की लोगों को जरूरत है वैसी तालीम यहां दूंगा जिससे बाहर से लोगों को बुलाना न पडे. यूनिवर्सिटी में हर एक डिपार्टमेन्ट के वास्ते तजवीज करना पडती है; जैसे इन्जीनियरिंग, मैडिकल, लॉ. इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जन्नत नशीन महाराजा साहब ने यह अल्फाज फरमाये थे. दूसरी बात यह है कि अगर पब्लिक सरविस के लिये दरबार दूसरे लोगों को बाहर से बुलायेंगे तो और भी बहुतसी दिक्कतें होंगी. हर एक civilized nation का तरीका है कि खाने पीने तक की जुम्ला चीजें जहां तक हो अपने मुल्क की ही इस्तेमाल करें. इसी तरह इसकी भी जरूरत है कि पब्लिक डिपार्टमेन्ट के लिये उस मुल्क में ही आदमियों को दिमागी तालीम देकर उसके लायक बनाया जाय. इससे फायदा यह होगा कि यहां के जो बाशिन्दगान मुलाजिमत में होंगे वह दिलचस्पी के साथ काम करेंगे और economically रियासत को फायदा पहुंचायेंगे और सरकार के फायदे के साथ रिआया का भी ख्याल रखेंगे और दरबार की पॉलिसी को भी पूरे तौर से अमल में लायेंगे. हुजूर के सामने यह motto रहना चाहिये कि Gwalior for Gwaliorites. जब तक यह न होगा, गवर्नमेन्ट के जो फरायज रिआया के साथ हैं पूरे तौर पर अदा हुए, यह नहीं समझा जा सकता.

बटुकप्रसाद साहब.—हुजूर आली! इससे कब्ल इस रेजोल्यूशन की ताईद करते हुए यहं कहा गया है कि Gwalior for Gwaliorites. मेरा ख्याल है कि इस उसूल से इख्तलाफ की किसी को कोई भी वजह नहीं है. इसके पेश्तर जो तकरीरें इस अच्छे उसूल के मुतअल्लिक की गई हैं उनको सुनकर इसकी अच्छाई से फाजिल एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने इत्तफाक किया है और बतलाया है कि कोई अदना वजह भी इसके इख्तलाफ की नहीं है. जब यह उसूल इतना अच्छा है जिसको गवर्नमेन्ट भी पसन्द फरमाती है तो फिर इस

शिकायत की नौबत मजलिस हाजा में इस resolution की शक्ल में क्यों पहुंची, समझ में नहीं आता. जवाब यही हो सकता है कि इसकी अच्छाई को तो सब तसलीम करते हैं और गवर्नमेंट को भी इससे इत्तफाक है, लेकिन इसकी तामील ठीक तौर पर नहीं होती. इसी वजह से दरबार आली विकार तक उस तबके की आवाज, जिसको इसकी जरूरत है, पहुंचाना जरूरी समझा गया. मैं जरूरत नहीं समझता कि अपने अलफाज में इसकी तशरीह करने में वक्त सर्फ करूं. मैं इतने पर ही इक्तफा करता हूं कि जो इस अच्छे उसूल की तामील में गडबड है उसको रफा करके इसकी तामील लाजिमी करदी जावे.

पुस्तके साहब —मैं इस मजलिस में मिन्जानिब Graduates, representative हूं. मेरे पास ४०-४५ ग्रेजुएट्स की दस्तखती तहरीरें आई हैं जिनमें यह चाहा गया है कि मैं अपनी अदना आवाज इसकी ताईद में इस मजलिस में उठाऊं. यह तहरीरें बतलाती हैं कि इस अच्छे उसूल को दरअसल मद्दे नजर नहीं रखा जाता. अगर इस पर अमल किया जाता तो कोई वजह इस सवाल के पेश होने की न थी. हमारे जिन्नत नशीन महाराजा साहब अक्सर फरमाते थे कि हुब्बे मुल्की (patriotism) हमारे सामने ideal रहना चाहिये. यह हुब्बे मुल्की या patriotism उसी वक्त हो सकती है कि जब सबको यकसां मौका इस बात का मिले कि वह अपने मुल्क के काम में हिस्सा लें. आज कल सब जानते हैं कि मौजूदा तालीम से discontent और un-employment फैला हुआ है तो वालिये मुल्क का फर्ज हो जाता है कि उसकी रोक करे और जहां तक हो सके patriotic ख्याल को तरक्की दे. एक शख्स जो यहां पला हो उसको यहां से miagrate होने का और दूसरे को यहां आने का मौका न दिया जावे, ताकि वतन का उसे ख्याल रहे. इस miagration पॉलिसी की रोक की जरूरत है. माइनॉरिटी के जमाने में तो रिआया के हुकूक की हिफाजत की खास जरूरत है. जो लोग यहां रहते हैं और रहेंगे, वह इस उसूल को जितनी अच्छी तरह ध्यान में रख सकते हैं दूसरे नहीं रख सकते. यह सवाल है वतन का, इस पर गौर करने की खास जरूरत है. ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इन अलफाज के साथ इस तजवीज की ताईद करके अपनी तकरीर को खतम करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब—इस सवाल नंबर २१ के मुतअल्लिक जो रायें जाहिर की गई हैं वह सब ताईदी हैं. हर एक मेम्बर साहब को राय फ़र्दन फर्दन लेने में वक्त जाया होगा.

नोट—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—ब इत्तफाक राय करार पाया कि यह तजवीज मंजूर की जाय.

[छै बजे मजलिस adjourn की गई. मेम्बर साहबान को रिफ्रेशमेन्ट दिये जाने के बाद मजलिस का काम साडे छै बजे फिर शुरू हुआ].

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर १८.

प्रेसीडेन्ट साहब.—नवाबअली साहब ! आप तजवीज नम्बर १८ को पेश कीजिये.

नवाबअली साहब:—हुजूर वाला ! मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

अछूत जातियों के लिये कम से कम हर जिले में एक स्कूल कायम किया जावे.

हुजूर वाला ! इस तजवीज के पेश करने की वजह यह है कि रियासत में काफी तादाद ऐसे लोगों की है जो अछूत कहलाते हैं और उनके लिये कोई जर्या ऐसा नहीं है जिससे उनकी हालत

दुरुस्त हो सके. हर कौम की तरक्की के लिये तालीम का हासिल करना जरूरी है. इस तबके के लिये भी उसूलन बहुत जरूरी है कि तालीम दिये जाने के जराये गवर्नमेन्ट की तरफ से मुहय्या किये जायें, ताकि वह मुल्क के वास्ते ज्यादा मुफीद बन सकें. मैं चाहता था कि अपनी इस तजवीज को इन अलफाज में मजलिस के रूबरू पेश करूं कि अछूत अकवाम को भी मिस्ल दीगर अकवाम के आम तौर पर हर स्कूल में दाखिल होने की इजाजत दी जावे, मगर चूंकि मुझे मालूम हुआ है कि बहुत से लोग मेरी इस तजवीज की आम तौर पर मुखालफत करेंगे, मैंने अपनी तजवीज को इस शक्ल में पेश किया है कि वह लोग जो अछूत समझे जाते हैं उनके बच्चों की तालीम के वास्ते अलग इन्तजाम किया जावे. अब गालिबन किसी को मेरी तजवीज पर ऐतराज न होगा. इसके बाद यह अर्ज कर देना भी बेमहल न होगा कि जो लोग अखबारात का मुताला करते रहते हैं वह बखूबी जानते होंगे कि हमारी रियासत से बाहर, दीगर मुकामात पर इन अकवाम की तालीम का प्रचार किस हद तक हो चुका है और कहां तक यह लोग तरक्की हासिल कर चुके हैं, लेकिन रियासत हाजा में कोई ऐसा जर्या इख्तियार नहीं किया गया है कि यह लोग तालीमयाफ्ता हो सकें. क्या उम्दा सूरत होगी अगर आपका साईस तालीमयाफ्ता हो, और क्या अच्छी सूरत होगी कि आपका मेहतर तालीमयाफ्ता हो और आपकी खिदमत बेहतर तरीके से कर सके. उनकी तालीम इस अन्दाज से की जावे कि अपने पेशे को बतरीक एहसन अंजाम दे सकें. इस तजवीज के मंजूर हो जाने पर एक सवाल यह पैदा होगा कि ऐसे स्कूलों के लिये तालीम का निसाब क्या मुकर्रर किया जावे. मेरे ख्याल से इस अम्र के मुतअल्लिक महकमे तालीम में गौर होकर ऐसे अकवाम को तालीम मतलूबा देने के लिये कोई माकूल निसाब मुकर्रर किया जा सकता है. बहालत मौजूदा मेरा ख्याल है कि इस तजवीज से कोई साहब इख्तलाफ न फरमावेंगे बल्कि तजवीज पेश शुदा की ताईद करने में देरंग न फरमावेंगे.

प्रेसीडेन्ट साहब:—इस तजवीज की ताईद कौन साहब फरमाते हैं ?

श्यामराव नारायण साहब:—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

अष्टेवाले साहब:—हुजूर आली ! अछूत लफ्ज यह डिप्रेस्ड क्लासेस इस लफ्ज का सही भाषान्तर नहीं है. डिप्रेस्ड क्लासेस का सही भाषान्तर दलित जातियां हो सकता है. किसी वजह से कोई भी गिरी हुई हालत में आ जाता है उसे दलित कहते हैं फिर वह दरिद्र दशा में आ जाने से हो या बहुत दिनों से विद्या न पढने की वजह से, अज्ञान दशा से हो, या पुश्त दर पुश्त माली हालत खराब होने की वजह से हो इत्यादि: अछूत कह देने से मजहबी मुआम्ला हो जाता है. अछूत कहने से दलित जाति यह मतलब नहीं हो सकता. अछूतों की एक अलग जाती हिन्दुओं में नहीं है. अछूतों की एक अलग जात मानने से, एक हिन्दुओं की जात, एक मुसलमानों की जात और एक अछूतों की जात, ऐसी तीन जातियां हो जायेंगी. लेकिन अछूतों की एक अलहिदा जात मानने के लिये हम लोग तैयार नहीं हैं. छूत अछूत का हमारे हिन्दुओं में कोई मुकर्रिर तरीका नहीं है और न अछूतों को मदर्से में भर्ती करने में कोई रोक है और न इस तरह का कोई मतभेद है. अब अगर इस अछूत जातो के लिये अलहिदा स्कूल्स खोले जायेंगे तो लोगों को इस बात के कहने का मौका मिलेगा कि इनकी जात अलग है. हम इस बात को कहलाना नहीं चाहते. हमारे यहां एक जात कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की है, जिसमें बाप अपने लडके के हाथ की रोटी नहीं खाता, इस तरह से देखा जाय तो वह लडका भी अछूत ही कहलायेगा. कई ब्राह्मण जातिएं आपस में कच्ची रसोई नहीं खातीं, जात के रिवाज में सिर्फ खाने पीने की तब्दीली हो गई कि चन्द मर्तबा जात बाहर होना लगता है. कई कर्मठ लोग फलां फलां शख्स होटल में रोटी खाते हैं, सिर्फ इसी

बहाने से उन्हीं के साथ रोटी नहीं खाते. कई बूढी औरतें, कुवारियों के हाथ की रोटी नहीं खातीं. अगर ऐसा छूत, अछूत का प्रपंच विचारा जायगा तो हमारे यहां हजारों जातियां हो जायेंगी. यह तो अलग अलग स्थानों में समय समय पर मौके से बदलने वाला प्रपंच खेल के मुआफिक है. जैसे टोपी वालों की और पगडी वालों की जात नहीं हो सकती उसी मुआफिक छूत अछूत का ख्याल करने वालों की जात नहीं हो सकती. जबकि सरकारी मदरसों में अछूतों को जाने की मुमानियत नहीं है तो हमने इन बातों की फिक्र क्यूं करनी चाहिए. इस मामले की फिक्र गवर्नमेन्ट कर सकती है. मसलन एक ट्रेन एक स्टेशन पर से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिये तैयार है, एक वक्त मुकर्रर है, उस ट्रेन में बैठने के लिए सात, आठ अछूत लोग खडे हैं और सौ दोसौ लोग सोला पहने खडे हैं. अगर सोला पहने हुए लोग, अछूत ट्रेन में बैठ जाने की वजह से ट्रेन में न बैठें तो क्या वह ट्रेन अछूतों को छोड कर मुकर्ररा वक्त पर स्टार्ट नहीं होगी ? ट्रेन तो उन सात आठ अछूतों को लेकर ठीक समय पर जायेगी ही, अगर बाकी लोगों को ले जाना कम्पनी को मंजूर हो तो उनके लिए अलहिदा प्रॉविजन कम्पनी करे या न करे.

एज्यूकेशन मेम्बर साहबः—हुजूर वाला, यह सवाल इस तजवीज के जर्ये से मजलिस के सामने आया है यह बहुत खुशी का मुकाम है, क्योंकि ऐसी तजवीज पेश आने पर महकमे को मौका मिलता है कि अपने ख्यालात और असल वाकआत का इजहार करे. मुजव्विज साहब की तकरीर से और जिन साहब ने तरदीद सी की है अगर्चे वह दरअसल ताईद ही है, ताहम उनकी तरदीद से जाहिर होता है कि इस बारे में गलत फेहमी फैली हुई है. मुझे याद पडता है कि पारसाल मुझे यह जाहिर करने का मौका मिला था कि जैसे हवा, पानी और अन्न आदमी की जिन्दगी के लिये जरूरी हैं इसी तरह इन्सान को इन्सान बनने के लिये तालीम हासिल करना लाजमी है. तरदीद करते वक्त अष्टेवाले साहब ने स्कूलों में दाखिले की बाबत जो कुछ बयान किया वह वाकया है. स्कूल में कोई शख्स जाति की बिना पर दाखिले से महरूम नहीं रखा जाता. कानून में किसी जाति को तालीम देने या स्कूल में दाखिल करने की निस्बत कोई रोक नहीं है. सरकारी रूल यह है कि हर कोम और फिरके का शख्स स्कूल में दाखिल हो सकता है. मेरी समझ में नहीं आता कि इस तजवीज के पेश करने से क्या मुराद है, हालांकि जिन जातियों की तालीम की गरज से स्कूल खोलने की ख्वाहिश की गई है उन्हें कानूनन स्कूलों में दाखिल होने की आजादी हासिल है फिर क्या वजह है कि ऐसी तजवीज पेश हुई है. इसकी वजह यही हो सकती है जैसा कि मुजव्विज साहब की तजवीज से जाहिर है कि ऐसे लोग स्कूलों में दाखिल न हो सकते होंगे. ऐसा होना बहुत मुमकिन है और वह इसलिये कि बाज मुकामात पर स्कूलों में ऐसे लोगों के दाखिले पर पब्लिक की जानिब से ऐतराज पैदा होना बईद नहीं है और न इस सूरत में यह बईद है कि आम हलचल के ख्याल से ऐसे लोगों के दाखिले में रुकावट पैदा हो गई हो. बहर हाल यह सूरत डिपार्टमेन्ट के पेश नजर है और उसकी पॉलिसी और अमल यह है कि जिस मुकाम पर आम स्कूलों में ऐसे लोगों के दाखिले पर पब्लिक में हलचल पैदा होने का एहतमाल हो और उस मुकाम पर ऐसे लोगों की तादाद भी काफी हो तो वहां अलहदा क्लासेज (classes) खोले जावें. मौजूदा कैफियत जो मेरे इल्म में है वह यह है कि दो एक नहीं बल्कि ५-१० मदरसे हैं जिन में नीच जातियों के लडके काफी तादाद में तालीम पा रहे हैं, जिन मुकामात पर ऐसे लडकों को स्कूल में दाखिल करने पर पब्लिक की तरफ से ऐतराज पैदा होता हो वहां के लिये मुदर्रिसों को हिदायतें (instructions) हैं कि इस बात को जांचें और महकमे को इत्तला दें कि उस मुकाम पर ऐसी जातियों के लडके इस कदर तादाद में मौजूद हैं और तालीम हासिल करना चाहते हैं और उनके लिये एक अलग स्कूल कायम किये जाने की जरूरत है.

ऐसी इत्तला आने पर महकमे की जानिब से ऐसे लोगों के लिये अलहदा स्कूल खोला जा सकता है. अलावा इसके अगर ऐसे लोगों की तादाद इस कदर न हो कि कोई अलहदा स्कूल खोले जाने की जरूरत बाकै हो तो हेड मास्टर अपने स्कूलों में उनके लिये अलहदा क्लास कायम कर सकता है. बहर हाल महकमे की तरफ से इस कदर इन्तज़ाम किया जा सकता है. मेरे इल्म में रियासत हाजा में इस किस्म के स्कूल कायम हैं जहां ऐसी जातियों को खुसूसियत के साथ तालीम दी जाती है और महकमे की जानिब से बहैसियत aided Schools के माकूल aid दी जाती है. इसी किस्म का उज्जैन में एक स्कूल कायम है. मुरार में भी एक ऐसा स्कूल है जहां अलावा ऐसी जातियों को तालीम देने के नाइट स्कूल भी है. और भी चंद ऐसे अजला हैं जहां इस किस्म के मदरसे खुले हुये हैं, बाकी बहुतसे मुकामात पर मामूली मदरसों में सब जातियों के लडके एकही जगह तालीम पा रहे हैं. अलावा अजीं, डिपार्टमेन्ट ने तमाम मुकामात पर इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर दिये हैं कि जहां कहीं ऐसे मदरसों के खोलने की जरूरत महसूस हो फौरन महकमे को इत्तला दें और स्कूल कायम करें. महकमे से हर किस्म की जरूरी इम्दाद दी जावेगी.

फजलुद्दीन शाह साहब.—हुजूर आली! वकील साहब की मन्शा इस तजवीज के पेश करने से यह है कि वह कौमें जो मन्दिर या मसजिद में आने से रोकी जाती हैं वह अछूत हैं. जो कौमें तालीम से पीछे रह गई हैं वह नीच जात होने की वजह से या और किसी वजह से इस वक्त तक तालीम से महरूम रहीं हैं, उनके लिये आयन्दा कोई ऐसा इन्तजाम किया जाय कि वह तालीम की जरूरत समझने लगें और उसके हासिल करने में कोई रोक न रहे. चूंकि इन्सान जब तक इल्म हासिल नहीं कर लेता है उस वक्त तक वह खुदा और गवर्नमेन्ट के हुकूक को नहीं पहचान सकता. यह कौम भी चूंकि तालीम से महरूम है गवर्नमेन्ट और खुदा का हक नहीं पहिचान सकती जब तक कि तालीम हासिल न करले.

वाटवे साहब—हुजूर वाला! कल जो नम्बर १९ का सवाल था और उसकी जो शक्ल मुजव्विज साहब ने जाहिर की थी वही शक्ल इस तजवीज की है. मुजव्विज साहब की गरज इस तजवीज को पेश करने की यह है कि जिन कौमों में तालीमी दिलचस्पी नहीं हैं उनमें दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश करना चाहिये. जिन मवाजियात में ऐसे लोगों की तादाद इस कदर है कि एक अलग स्कूल खोला जा सकता है तो स्कूल खोल दिया जावे और अगर उनकी तादाद थोडी है तो अलहदा एक क्लास कायम कर दिया जावे. बहर हाल अछूत अकवाम को तरक्की देने और तालीमयाफ्ता बनाने के लिये गवर्नमेन्ट की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जाना मुनासिब है.

अब्दुल हमीद साहब—हुजूर आली! इस तजवीज में अछूत के लफ्ज से इबारत शुरू हुई है. लफ्ज अछूत के लुग्वी मानी से मैं भी नावाकिफ हूं लेकिन मैं इतना अर्ज कर सकता हूं कि कल मेरे पास एक फेहरिस्त चंदे की आई थी, जिसका हैडिंग यह था कि "अछूत जातियों के लिये लश्कर में एक मदरसा खोला जा रहा है, उसके लिये माली इम्दाद की जरूरत है." इस से यह साबित होता है कि यह तजवीज जिस फिरके की तालीम के लिये पेश की गई है उसे आम तौर पर अछूत जाति ही कहते हैं. फिल हकीकत ऐसी कौम के लिये जरूरत है कि गवर्नमेन्ट उसको तालीम देने की कोशिश करे क्योंकि अवाम में इसकी जरूरत को महसूस किया जा रहा है. चुनांचे शहर लश्कर में एक ऐसे स्कूल खोले जाने की कोशिश की जारही है. गवर्नमेन्ट को चाहिये कि इसी तरह अजलाय में भी स्कूल कायम करे और उन्हें तालीम की तरगीब दे, ताकि वह उसमें दाखिल हों, पढें और तालीम हासिल करें.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—हुजूर वाला ! एक साहब ने नाइट स्कूल्स के सवाल का हवाला दिया है जो गुजिश्ता इजलास में तय हुआ है, वह सवाल यह था कि जहां कहीं ऐसे लोग काफी तादाद में मौजूद हों जो दिन में तालीम हासिल नहीं कर सकते उन मुकामात पर Night Schools महकमे की तरफ से खोले जावें. मेरे ख्याल से मौजूदा तजवीज की शक्ल उस सवाल से अलहिदा है, इसकी उससे एनॉलाजी (anology) नहीं. तजवीज नम्बर १९ में यह सवाल था कि जहां नाइट स्कूल्स नहीं हैं वहां उनका इन्तजाम किया जावे. मौजूदा तजवीज की यह सूरत है कि मामूली मदरसों में अछूत जातियां तालीम पा सकती हैं फिर भी इनके लिये अलहिदा स्कूल्स खोलने की तजवीज पेश की जाती है. बहर हाल में सवाल नम्बर १९ के मुतअल्लिक मजीद बहस करने की कोई जरूरत नहीं समझता, चूंकि वह तय हो चुका है और उसके मुतअल्लिक कुछ कहना गोया उसको दुबारा मारजे बहस में लाना है. रहा सवाल मदारिस में अछूत जाति के तालीम पाने का, इसके मुतअल्लिक मैं पहिले भी अर्ज कर चुका हूं कि मदरसों में अछूत लोगों को दाखिल करने की कोई मुमानियत नहीं है. अलबत्ता उन मुकामात पर जहां कि पब्लिक ऐसे लोगों को स्कूल में दाखिल करने पर ऐतराज करती है और तुल्बा काफी तादाद में हैं तो महकमे की तरफ से स्कूल खोला जा सकता है. फिर समझ में नहीं आता कि इस तजवीज के पेश करने की जरूरत क्या है. मेरे पास statistics मौजूद हैं जिनसे मैं बतला सकता हूं कि ऐसे मदारिस रियासत हाजा में कम अज कम ५० की तादाद में मौजूद हैं जिनमें ऐसे लोग हत्ताकि चमार तक भी मिस्ल दीगर अकवाम के तालीम पा रहे हैं. लिहाजा जहां कहीं पब्लिक की जानिब से कोई ऐतराज इन अकवाम को स्कूल में दाखिल करने पर पैदा नहीं होता उन मुकामात पर किसी जदीद और अलग स्कूल कायम करने की तजवीज करना फिजूल है और जिन मुकामात पर पब्लिक को उनके साथ मिलकर तालीम हासिल करने पर ऐतराज है उन मुकामात से महकमे तालीम को इत्तला मिलने पर महकमे की जानिब से जदीद स्कूल खोलने की कार्रवाई की जा सकेगी.

नवाबअली साहब.—जनाब आली ! मैं इसके जवाब में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी मिसाल बतादी जावे, जहां कोई भंगी तालीम पा रहा है तो मुझे इतमीनान हो जावेगा.

एज्यूकेशन मेम्बर साहब.—हुजूर वाला, अगर मुजव्विज साहब महकमे तालीम के दफ्तर में तशरीफ लावेंगे तो उनका इतमीनान करा दिया जावेगा.

नवाब अली साहब.—हुजूर वाला, अगर सिर्फ अछूत के लफ्ज पर ऐतराज है तो उसकी जगह पर कोई मुनासिब लफ्ज रख लिया जाय. मेरी मन्शा सिर्फ इस कदर है कि वह कौमें जो तालीम हासिल नहीं करतीं या जिन से दूसरी कौमें परहेज करती हैं उनकी तालीम का गवर्नमेन्ट की तरफ से जुदागाना इन्तजाम होने की जरूरत है. मुझे इससे इन्कार नहीं है कि कानून में कोई रोक इन अकवाम को सब के साथ तालीम पाने के लिये नहीं रखी गई है, लेकिन खुद मास्टर लोग अगर किसी अछूत जाति के लडके को दाखिल होने से इन्कार करें तो महकमे को और खुद पब्लिक को इसका इल्म नहीं हो सकता. लेकिन उस सूरत में जबकि उनके लिये अलहदा स्कूल कायम हो जावेंगे तो स्कूल को जारी और आबाद रखने की जिम्मेदारी खुद स्कूल मास्टरों पर भी आयद हो जावेगी. वह महसूस करेंगे कि तुल्बा की काफी तादाद न होने की वजह से स्कूल कायम न रह सकेगा और इस तरह उनकी मुलाजिमत खतरे में रहेगी. लिहाजा ऐसे स्कूलों के मास्टर इन अकवाम के बच्चों को जमा करने और तरगीब देने की कोशिश करते रहेंगे. खुद अछूत जाति के लोग भी महसूस करेंगे कि महकमे

ने उस स्कूल को सिर्फ उन्हीं की तालीम के लिये खोला है. नतीजा यह होगा कि एक तरफ तुलबा को ऐसे स्कूलों में दाखिल होने की तरगीब होगी और दूसरी तरफ मुदर्रिसान उनकी तरगीब और तरक्की में कोशां होंगे. रफ्ता २ यह कौम भी तामील की अहमियत को समझ जायगी और फिर महकमे को किसी खास तरगीब और कोशिश की जरूरत न रहेगी. इस जगह पर मैं यू. पी. और अवध को मिसाल के तौर पर पेश करता हूं जहां के लोगों के मुकाबले में यहां के लोग फिर भी पुराने तरीकों पर ज्यादा जमे हुये हैं हालांकि उन मुकामात पर ऐसे फिरके के बच्चों को स्कूलों में दाखिल होने की कानूनी रोक नहीं है लेकिन चूंकि मास्टर लोग उनसे नफरत और परहेज करते हैं इस वजह से वह लोग स्कूलों में भरती नहीं होते. लेकिन जिन मुकामात पर मखसूस उन्हीं लोगों के लिये स्कूल खुले हुये हैं वहां यह फिरका भी आजादी और कसरत से तालीम हासिल कर रहा है. इसी तरह जब यहां इन अकवाम के लिये स्कूल जारी हो जावेंगे और महकमे की तरफ से कोशिश की जायगी तो यकीनी वह लोग भी तालीम की तरफ तवज्जुह करेंगे और तालीम हासिल करके साफ सुथरा रहना सीख जावेंगे और अपनी असलियत को समझने लगेंगे कि उनका तअल्लुक किस कौम से है. हम लोग जबान से तो इस बात का ऐतराज करते हैं कि अछूत जाति से परहेज नहीं करना चाहिये लेकिन अमल इसके बिलकुल खिलाफ है. मेरे ख्याल से हमें इसके जाहिर करने में तअम्मुल न करना चाहिये कि असल में हम उनसे परहेज करते हैं. इस मुकाम पर अछूत जातियों के साथ जो परहेज मैं देखता हूं वह देहली के नवाह में नहीं पाया जाता. रियासत ग्वालियार में एक वह जमाना था जब कि भंगिने झाडू लेकर निकलतीं थीं ताकि दीगर अकवाम से उनकी तमीज होसके, लेकिन अब वह जमाना आगया है कि यह लोग भी दीगर अकवाम की तरह साफ सुथरे होकर निकलते हैं और आम तौर पर उनकी तमीज नहीं हो सकती कि यह अछूत हैं. इसी तरह से अगर इनके लिये अलहदा स्कूल इस बुनियाद पर नहीं खोले जाते कि कानूनन वह तमाम अकवाम के साथ तालीम हासिल कर सकते हैं तो कम से कम उनको इतनी ही आजादी मिलना चाहिये जो कि हमारे बच्चों को हासिल है. मेरे ख्याल में सिर्फ लफ्जी हमदर्दी करके उनके हुकूक को पामाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये. अगर यह तजवीज इस वक्त पास न हुई तो समझना चाहिये कि हमने अपनी आंखें बन्द करली हैं और उनके हुकूक पामाल किये जा रहे हैं. यह सिर्फ मेरी तनहा राय है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है. मैं एक चश्मदीद और सच्चा वाकया इस बात को साबित करने के लिये अर्ज करता हूं कि हम लोग अन्दरूनी तौर पर इन फिरकों से नफरत और परहेज करते हैं. एक धोबी अदालत के इजलास में बयान देने के लिये हाजिर हुआ और जो चांदनी वहां पर बिछी हुई थी उसके लिये ऐतराज हुआ कि वह क्यों उस पर आकर खडा हुआ और उसको वहां से हटा दिया गया. इस से पेश्तर कि वह लोग खुद ही अपनी जबान से अपने हुकूक तलब करें उनको दे देना चाहिये, वर्ना एक जमाना आवेगा कि वह खुद ही अपनी जरूरियात को अर्ज करेंगे और हुकूक के तालिब होंगे. यकीनी उनका लेहजा मेरी इस तजवीज के लेहजे से ज्यादा मुअस्सर और मुख्तलिफ होगा; लिहाजा लोगों को निहायत फराख दिली के साथ मेरी इस तजवीज की ताईद करना चाहिये.

प्रेसीडेन्ट साहब—जिन साहिबान को मुजव्विज साहब की तजवीज से इत्तफाक हो वह अपना हाथ उठावें.

(वोट्स शुमार किये गये)

ठहराव:—कसरत राय से तजवीज नामंजूर हुई.

[इसके बाद इजलास ७॥ बजे खत्म किया गया और प्रेसीडेन्ट साहब ने फरमाया कि कल चार बजे मजलिस का इजलास होगा].

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार.

सम्वत १९८४.

सेशन सातवां,

इजलास पंजुम.

गुरुवार, तारीख ५ अप्रेल सन १९२८ ई०,

मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई. ई., रेवेन्यू मेम्बर (वाइस-प्रेसीडेन्ट, कौन्सिल).

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. अब्दुल करीम खां साहब, उम्दतुलमुल्क, ऑफि० पोलिटिकल मेम्बर.

३. जयगोपाल साहब अष्ठाना, ऑफि० फाइनेन्स मेम्बर.

४. मोहनलाल साहब खोसला, ऑफि० मेम्बर फॉर लॉ एण्ड जस्टिस.

५. राव बहादुर बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकल्चर.

६. मेजर हशमतुल्लाखां साहब, मेम्बर फॉर ट्रेड, कस्टम्स एण्ड एक्साइज.

७. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुळे, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशीयल मेम्बरान.

(मेम्बरान मजलिस कानून).

८. रामराव गोपाळ साहब देशपांडे, मुहम्मदखेडा (शुजालपुर).

९. राव बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, जागीरदार, ढाबलाधीर.

१०. खां साहब सेठ लुकमान भाई नजरअली कारखानेदार, उज्जैन.

(मेम्बरान मजलिस आम).

१.—रिप्रेजेन्टेटिंग्ज जिला बोर्ड्स.

(१) जिला बोर्ड, गिर्द-गवालियार.

११. देवलाल साहब वल्द लालहंस, जमींदार मौजा दोरार, परगना मस्तूरा.

(२) जिला बोर्ड, भिन्ड.

१२. विश्वेश्वरसिंह साहब वल्द ठाकुर खरगजीतसिंह, मौजा मुस्तरी, परगना महगवां.

१३. मानिकचन्द साहब वल्द बिरदीचन्द ओसवाल, साहूकार, भिन्ड.

(३) जिला बोर्ड, तवरघार.

१४. प्यारेलाल साहब वल्द गिरवरलाल, वैश्य, मुरैना.

१५. सोहनपालसिंह साहब वल्द राजधरसिंह, ठाकुर, साकिन राजा का तोर, परगना सबलगढ़.

(४) जिला बोर्ड, श्योपुर.

१६. महादेवराव साहब गोविन्द, जमींदार, श्योपुर.

१७. कन्हैयालाल साहब वल्द बल्देव, जमींदार, साकिन कस्बा विजैपुर.

(५) जिला बोर्ड, नरवर.

१८. सूबालाल साहब वल्द जगन्नाथ, वैश्य, साहूकार, शिवपुरी.

१९. लल्लूराम साहब महेला वल्द भोलाराम, जमींदार चंदनपुरा.

(६) जिला बोर्ड, ईसागढ.

२०. राजा गोपालसिंह साहब वल्द राजा रणजीतसिंह साहब, ठिकानेदार, भदौरा.

(७) जिला बोर्ड, भेलसा.

२१. बलवंतराव साहब वल्द जयवंतराव बागरीवाले, भेलसा.

२२. सखाराम पंत साहब वल्द घनश्यामराव निगुडकर, जमींदार.

(८) जिला बोर्ड, शाजापुर.

२३. श्यामराव साहब नारायण, मालगुजार, कालापीपल, परगना शुजालपुर.

२४. केसरीचन्द साहब वल्द जमनादास महाजन, शाजापुर.

(९) जिला बोर्ड, उज्जैन.

२५. गजाननराव साहब वल्द गोविन्दराव करवडे, जमींदार मौजा कजलाना, परगना बडनगर.

२६. छगनलाल साहब वल्द बापूजी, चौधरी, साकिन बडनगर.

(१०) जिला बोर्ड, मन्दसौर.

२७. अलीअस्गर साहब वल्द अलीअतहर, जमींदार, मौजा दमदम, जिला मन्दसौर.

२८. गणेशनारायण साहब वल्द मदनराय, साहूकार, कारखानेदार, गंगापुर, जिला मन्दसौर.

(११) जिला बोर्ड, अमझेरा.

२९. केशवराव साहब बापूजी, जमींदार, साकिन मनावर.

२.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज म्युनिसिपेलिटीज व टाउन कमेटीज.

(१) म्युनिसिपल बोर्ड, लश्कर.

३०. चौधरी नवाबअली साहब वकील, तारागंज, लश्कर.

(२) म्युनिसिपल कमेटी, शिवपुरी.

३१. सेठ टोडरमल साहब वल्द तेजमल, वैश्य, शिवपुरी.

(३) म्युनिसिपल कमेटी, भिन्ड.

३२. जगमोहनलाल साहब वल्द गोपालसहाय श्रीवास्तव, वकील, भिंड.

(४) म्युनिसिपल कमेटी, मुरैना.

३३. बन्सीधर साहब वल्द नारायणदास, वैश्य, मुरैना.

(५) म्युनिसिपल कमेटी, श्योपुर.

३४. फजलुद्दीनशाह साहब, साकिन गुलैयापाडा, श्योपुर.

(६) म्युनिसिपल कमेटी, भेलसा.

३५. लक्ष्मीप्रसाद साहब माथुर, बासौदा.

(७) म्युनिसिपल कमेटी, गुना.

३६. अनिरुद्धसहाय साहब, वकील, गुना.

(८) म्युनिसिपल कमेटी, शाजापुर.

३७. हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.

(९) म्युनिसिपल बोर्ड, उज्जैन.

३८. बटुकप्रसाद साहब, वकील, उज्जैन.

(१०) म्युनिसिपल कमेटी, सरदारपुर.

३९. सय्यद आलेअली साहब वल्द सय्यद खादिमअली, वकील, सरदारपुर.

३.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज औकाफ कमेटीज.

(१) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ग्वालियर.

४०. गोविंदप्रसाद साहब वल्द सुखवासीलाल, भिन्ड.

(२) औकाफ कमेटीज, प्रान्त ईसागढ.

४१. गुलाबचन्द साहब वल्द फकीरचन्द, शिवपुरी.

(३) औकाफ कमेटीज, प्रान्त मालवा.

४२. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.

४.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज बोर्ड्स साहूकारान.

(१) बोर्ड्स साहूकारान, प्रांत ग्वालियार

४३. मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.

(२) बोर्ड्स साहूकारान, प्रान्त मालवा.

४४. गोरेलालजी साहब वल्द छोटूलालजी, अग्रवाल, भेलसा.

५—रिप्रेजेन्टेटिव्ज जागीरदार साहबान.

(१) जागीरदार साहबान, प्रान्त गवालियार.

४५. चौधरी फौजदार रणधीरसिंह साहब, साकिन सकवारा दनौका, परगना मुंगावली.

४६. राव हरिश्चंद्रसिंह साहब, बिलौनी.

(२) जागीरदार साहबान, प्रान्त मालवा.

४७. ठाकुर प्रहलादसिंह साहब, इस्तमुरारदार, कालूखेडा, परगना मन्दसौर.

६—रिप्रेजेन्टेटिव्ज दीगर जमाअतहाय.

(१) बार ऐसोसियेशन, लश्कर.

४८. मुहम्मद अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी, वकील, लश्कर.

(२) बार ऐसोसियेशन, उज्जैन.

४९. गोविन्दराव चिन्तामण साहब वाटवे, वकील, उज्जैन.

(३) सेन्ट्रल औकाफ कमेटी.

५०. लक्ष्मणराव रघुनाथ अत्रे साहब शास्त्री, लश्कर.

(४) आश्रित मंडली.

५१. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

(५) अंजुमन इस्लाम.

५२. हाफिज एहसानउल्लाखां साहब, वकील, माधवगंज, लश्कर.

(६) रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स.

५३. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.

कार्रवाई इजलास.

[मेम्बर साहबान को रिफ्रेशमेन्ट दिये जाने के बाद इजलास मजलिस चार बजे शुरू हुवा].

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २५.

प्रेसीडेन्ट साहब.—इस तजवीज के मुजव्विज माधवराव साहब पवार का इन्तकाल हो चुका है, क्या कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहते हैं?

बागरी वाले साहब.—हुजूर आली, मैं इस तजवीज को पेश करना चाहता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

रियासत हाजा में व्योपार की हालत दिन ब दिन गिरती हुई नजर आती है और अगर हालत चन्द रोज ऐसी ही रही तो रियासत से व्योपार कतई उठ जाने का अहतमाल है; लिहाजा एक नॉन-आफिशियल मेम्बरान का कमीशन मुकर्रर किया जाकर उसको इस मुआम्ले की तफतीश करके करके आयन्दा मजलिस में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत हो, नीज तमाम दफातिर गवर्नमेन्ट से इस कमीशन को जो वाकफियत दरकार हो दी जावे, इसके लिये हुक्म हो.

जनाब वाला, व्योपार में पहली जरूरत capital की है. व्योपारियान की हालत capital के बारे में बहुत बिगड गई जिसकी वजह तिजारत में नुक्सान व invest की हुई रकम का वापिस न आना है. इन दो बातों से पूंजी खलास हो गई है. मुख्तसरन वार खत्म होने से आज तक हर एक चीज के भाव गिरते ही जा रहे हैं और किस हद तक यह हालत पंहुचेगी यह नहीं बता सकते. इससे इम्पोर्ट करने वालों को सख्त नुक्सान में उतरना पडा. ऐक्सपोर्ट करने वालों को भी कस्टम की अनिश्चित पॉलिसी से शुरू मौसम में ही ज्यादातर माल का ऐक्सपोर्ट करके दीगर जगह इसी वजह से रखा जाता है और वहां मांग न होने से नुक्सान पडता है. Food grain के लिये demand India के बाहर आज दो तीन साल में न होने से माल यहां के यहां ही रहता है और demand से स्टॉक ज्यादा होने से नुक्सान आता है. यहां ऐसी grainaries नहीं हैं कि Food grain एक साल से जायद स्टॉक में रह सके. मजबूरन कीडा लग जाने से जिस भाव से बिके बेचना ही पडता है और नुक्सान उठाना पडता है. कस्टम की अनिश्चित पॉलिसी का जो मैंने जिक्र किया है वह फिगर्स ऐक्सपोर्ट के देखने से मालूम हो सकेगा.

सम्वत १९७७ में १,५२ ४२० मन—डयूटी फी मन एक रुपया.
,, १९७८ में १०,७३,०९६ मन—डयूटी फी मन आठ आने
,, ७९ में ५,६७,५३० मन—डयूटी फी मन एक रुपया.
,, ८० में १८,२०,६९२ मन—डयूटी फी मन ८ आठ आने.
,, ८१ में २१,८९,५५१ मन—डयूटी फी मन आठ आने.

इससे जाहिर हो सकता है कि व्योपारियान को इतमीनान इस बात का नहीं है कि कब निकासी बंद होगी व कब डयूटी बढेगी. यह पॉलिसी संवत १९७१ से शुरू हुई है. इसी वजह से बाहर के खरीदार रियासत में माल खरीदने को नहीं आते और जो थोडे बहुत आते हैं तो ज्यादातर रसीद Delivery माल लेते हैं. बैंकिंग के माल की जमानत पर या हैसियत पर रकम मिलने का जरिया नहीं है. व्योपार में घर की पूंजी से ही काम नहीं चलता. कोई भी तिजारत बिला इमदाद तरक्की नहीं कर सकती. यहां ऐलायन्स बैंक के टाइम में गोदाम पर यानी माल की जमानत पर और

खुद मौतबिरी पर रकम मिलती थी. अब Imperial Bank कायम है लेकिन कोई इमदाद नहीं मिलती, गुद्दती काम बिलकुल नहीं करती. कोठी पर भी रुपया बहुत दिक्कत के साथ मिलता है. इसी तरह से नुक्सान में कुछ capital गया, बाकी capital जो invest किया वह भी डूबने के ही किनारे पर है क्योंकि जो लेनदेन साहूकारी काश्तकारान व जमींदारान से किया है वह को-ऑपरेटिव बैंक की कायमी से वह आसामियान जो हमसे कर्ज लिये हुए हैं सोसायटी के मेम्बर बन गये और वहां से कर्जा लिया. वसूली के लिये हमको जरिया एक अदालत ही रहा, लेकिन अदालत में नालिश करके डिक्री हासिल करने के बाद इजराय में कुछ भी पल्ले नहीं पडता क्योंकि सोसायटी के कानून के बमूजिब मुनफर्दन और मुश्तर्कन जिम्मेदारी में तमाम जायदाद मकफूल रहती है जिससे कोई जरिया हक्करसी का बाकी नहीं रहता, हाथ मलकर बैठना पडता है. इस तरह कुछ नुक्सान और कुछ invest की हुई वापिस न आने से हम लोगों की capital की हालत बिगड गई, इमदाद दरबार से मिलना निहायत जरूरी है. दरबार ने कानून हुंडी बनाया है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि हमारे गैर मन्कूला जायदाद के कीमत के मुकाबले में ½ या ¼ रकम की हुंडी खुद बेच सकता है या सही कर सकता है यानी ½ रकम उसके खुद के काम आ सकती है, लेकिन मुद्दत बहुत थोडी है, सरकार का करोडों रुपया रियासत के बाहर के व्योपारियान को दिया जाता है और वह लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन हम लोग लाखों रुपये की जायदाद लिये हुए बैठे होते भी मुंह ताकते हैं, कोई आसरा नहीं मिलता, यह हमारी बद किस्मती है. कौन्सिल आलिया इन पेशेवरों पर निगाह परवरिश करके इमदाद का जरिया लगावेगी तो व्योपार में तरक्की हो सकती है. रियासत के गिर्द नवाह में इलाका कैसरी और दीगर रियासत का इलाका लगा हुआ है, उसके मुकाबले में कस्टम ड्यूटी import व export पर रखना चाहिये ताकि रियासत के लोग बाहर से माल न लावें. इस वक्त रिआया जहां माल सस्ता मिले खरीद कर लाते हैं जिसमें ज्यादातर माल बिला चुकाये आता है जिससे सरकार के महसूल का नुक्सान होकर हमारी भी तिजारत नहीं चलती. Export की पॉलिसी fix होना चाहिये. अगर रियासत को बढाने की या बन्दी की जरूरत ही मालूम हो तो एक महीना पहले आगाह करना चाहिये. रियासत में हर एक डिपार्टमेन्ट को माल के supply की जरूरत होती है, लेकिन बाहर के ठेकेदारों से माल ज्यादातर लिया जाता है. यह न होते हुये रियासत के व्योपारियान को ही preference देना चाहिये ताकि व्योपारियान को मदद मिले. सडकें रियासत में बहुत कम हैं वह बढना चाहिये और जो बडी २ मंडियां रियासत में हैं उनके लिये कोई रेलवे से स्पेशल rates नहीं हैं वह दिलाये जावें. इन सब वजूहातों को मद्दे नजर रखते हुये एक कमीशन इन सब बातों की जांच करने के लिये मुकर्रर फरमाया जावे.

गोरेलाल साहब.—मैं ताईद करता हूं.

छगनलाल साहब.—हुजूर आली ! इसकी ताईद करते हुये मेरी गुजारिश है कि मुजव्विज साहब ने चंद दिक्कत, जो हायल होंगी, उनका जिक्र किया है. उनके साथ ही मेरे ख्याल में और भी चन्द दिक्कतें पेश आती हैं, जैसे सूद दर सूद, जागीरदार साहबान से रुपये का न मिलना, व्योपारियान को सुभीता न होना, वगैरा वगैरा. इन तमाम बातों को ठीक करने के लिये कमीशन की सख्त जरूरत है इसलिये कमीशन जरूर कायम होना चाहिये.

कसरीचन्द साहब.—हुजूर वाला ! इसकी ताईद मैं करता हूं और चन्द वजूहें भी बयान करता हूं जिनकी वजह से व्यापार की हालत बहुत खराब हो गई. इसमें यह भी कह देना मुनासिब

है कि हर जगह की एक वजह नहीं; कहीं पर रेल, कहीं पर सडक, कहीं पर तार न होने से हिसाब रुजू हो जाने पर भी बहीखाते देखने व सूद दर सूद की जांच का अदालत में होना, उस माल पर महसूल का होना जिस माल से रियासत में पक्का माल तैयार किया जाता है मसलन-सूत, नील रेशम वगैरा.

को-ऑपरेटिव बैंक का कानून बहुत सख्त होने से, हुजूर वाला, क्या कहें, कुछ कहने को जी चाहता है मगर मुंह खुलता नहीं. ब्योपार करने वाले न इधर के रहे न उधर के, क्योंकि वे अपने धन्दे के सिवाय कुछ नहीं पढे. चूंकि पढाने वालों का ख्याल था कि ज्यादा पढ़ाया जावेगा तो क्रिस्टान हो जावेंगे जिसकी वजह से नौकरी भी नहीं कर सकते. जो कुछ बुजुर्गों ने कमाया था वह जायदाद यानी मकान खो डाले. सोचा था कि जायदाद होगी तो काम आयेगी मगर वह जायदाद बेडी रूप हो गई. न उसको छोडकर कहीं जा सकते हैं, न कोई उसको लेता है. पुराने बरतन बेचकर ब्योपारी शरम की वजह से गुजारा करते हैं क्योंकि उधार बिना धन्दा नहीं और उधार करा तो आने जाने को कुछ नहीं.

लक्ष्मी प्रसाद साहब.—हुजूर आली, मैं मुजव्विज साहब की इस तजवीज की ताईद करते हुये अर्ज करता हूं कि रियासत हाजा में ब्योपार के गिर जाने की शिकायत एक आम शिकायत हो गई है इसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि इसमें चन्द रुकावटें इस किस्म की हैं जिन से बचना या जिनका रफा करना ब्योपारियान के काबू के बाहर है. मौजूदा जमाने में दुनिया के हर हिस्से में ब्योपार की तरक्की हो रही है. हर मुल्क में competition हो रहा है और हर गवर्नमेन्ट जहां तक मुमकिन होता है अपने यहां की हालत दुरुस्त करने व उसमें तरक्की करने के लिये जिस कदर सहूलियतें ब्योपारियान को दरकार होती हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ब्योपार एक ऐसी चीज है जिसका असर मुल्क की माली व इखलाकी दोनों हालतों पर पडता है. जहां पर ब्योपार अच्छा होता है वहां की माली हालत अच्छी होती है और इस तरह पर जहां की माली हालत अच्छी हो जाती है वहां की इखलाकी हालत अपने आप अच्छी हो जाती है. हुजूर वाला, इस वक्त मैं एक खास मुआमला अर्ज करता हूं. भेलसा जिले में ब्योपार की हालत बहुत ही मामूली हो रही है. इस जिले में हर साल लाखों मन गेहूं व चना पैदा होता है और इसका बहुतसा हिस्सा जिले के बाहर ही खर्च होता है और जिस कदर भी बाहर जाता है उसका ¼ मुश्किल से हमारे यहां के ब्योपारियान के जर्ये से जाता है और ¾ इलाके गैर की पास की मंडियों के जर्ये से जाता है और वह मंडिया फायदा उठाती हैं. हमारे यहां की मंडियों को फायदा न पहुंचने की वजह यह है कि इलाके गैर की मंडियात से मुकाबला करना पडता है और जो सहूलियतें इलाके गैर की मंडियात को हैं वह इनको नहीं हैं. तमसीलन बासौदा मंडी को बरेठ, कुरवाई बामोरा व खुरई (इलाका कैसरी) व सिरोंज, (इलाका टोंक), इन चार मंडियों से मुकाबला करना पडता है. इनमें से बामोरा में जो करीबतर मंडी है उसमें मिनजानिब गवर्नमेन्ट फ्रीगंज मौजूद है जिसकी वजह से वहां पर बहुत माल पहुंच जाता है. दूसरे बामोरा-सिरोंज रोड होने से रास्ते की भी सहूलियत पड जाती है. बरेठ व सिरोंज में भी कस्टम ड्यूटीज की सहूलियतें रहती हैं इस वजह से बहुतसा माल वहां चला जाता है.

बासौदा मंडी को बहुत थोडा माल मिल पाता है हालांकि बासौदा मंडी ऐसी जगह में कायम है कि अगर माकूल सहूलियतें दी जावें तो चारों मंडियात इसके मुकाबले में गिर जावेंगी.

हमारे कैलासवासी महाराजा साहब ने इन गैर इलाकों के मुकाबले में हमारे यहां का ब्योपार अच्छा हो जावे, इसके वास्ते सम्वत १९६९ में बासौदा में मंडी कायम किये जाने की तजवीज

फरमाई थी लेकिन मुझे अफसोस है कि आजतक उसकी कायमी की ही पूरी तकमील नहीं हो पाई है. इब्तदाअन हर जगह जहां भी मंडी कायम की जाती है, वहीं पर उसके काम को सहूलियत से चला देने की गरज से हर किस्म की रिआयतें दी जाती हैं, लेकिन इस मंडी को वह भी पूरे तौर पर अता नहीं फरमाई गई.

मेरे ख्याल से अगर बासौदा मंडी को फ्रीगंज अता फरमाया जावे व दीगर जरूरी रिआयतें व सहूलियतें दी जावें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि बासौदा के मुकाबले में इलाके गैर की मंडियां फायदा नहीं उठा सकतीं और इस तरह पर जिस कदर फायदे से हमारे यहां के व्योपारियान महरूम रह जाते हैं वह कुल उन्हीं को होगा. हुजूर आली! व्योपार की तरक्की को मंडियात के लिये कस्टम्स ड्यूटीज की खास खास रिआयतें बख्शना व खास खास मुकामात को बजरिये पक्की सडकें व रेलवेज connect करना, वक्त जरूरत फायनेन्शियली मदद करना व जो माल यहां पर पैदा हो या तैयार हो उसकी, व जो बाहर से आवे उसकी खपत का माकूल तरीकों से इन्तजाम करना, यह चार बातें ज्यादा जरूरी हैं जिनका इन्तजाम सिर्फ गवर्नमेन्ट की ही इनायत से हो सकता है.

इसवास्ते मैं गुजारिश करूंगा कि इस अम्र की तरफ तवज्जुह फरमाई जावे, व एक कमीशन ऑफिशियल व नॉन-ऑफिशयल मेम्बर साहबान का कायम किया जावे, व उसके जरिये से हर जिले के व्योपार की हालत की जांच कराई जावे व उसके मुतअल्लिक तजवीज पेश कराई जावे.

ट्रेड मेम्बर साहब—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब, सवाल नम्बर २५ के सिलसिले में मुजव्विज साहब ने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे मुझे एक हद तक हमदर्दी है, लेकिन शिकायत के मुतअल्लिक जिस पर यह सवाल मबनी है महकमे से क्या इन्तजामात हुये हैं और आयन्दा के लिये क्या तजावीज हैं, इन उमूर को मालूम करके शायद उनको यकीन हो जाय कि कमीशन की जरूरत नहीं है. तजवीज यह की गई है और वह कौन्सिल की पेशी में है कि एक टैरिफ बोर्ड कायम किया जाय जिसमें पांच नॉन-ऑफिशियल व दो ऑफिशियल मेम्बर हों. ड्यूटी के मुतअल्लिक यह टैरिफ बोर्ड ट्रेड मेम्बर को advise (एडवाइज) करेगा और उसके मशवरे से इन उमूर का इन्तजाम किया जायेगा. दूसरा सवाल है रुपये का, इसके मुतअल्लिक अब तक कोई ऐसी तजवीज पेश नहीं हुई जिस पर गौर करके कोई नतीजा निकाला जा सकता. साहूकारान उज्जैन और चेम्बर ऑफ कॉमर्स उज्जैन ने शिकायतें की हैं. उनसे दरख्वास्त की गई है कि वह अमली स्कीम मुकम्मिल पेश करें, उस वक्त इस मुआम्ले पर गौर हो सकेगा और दीगर मण्डियों से भी इसके मुतअल्लिक स्कीम तलब किये गये हैं. यह तो हुआ जवाब खास सवाल के मुतअल्लिक. एक साहब ने अपनी तकरीर में बासौदा की मन्डी के मुतअल्लिक जिक्र किया है. उनकी वाकफियत के लिये मैं बतला देना चाहता हूं कि सिरोंज से बासौदा मन्डी में माल आसके, इस गरज के लिये सडक बनाई गई है. यही नहीं बल्कि टोंक दरबार को भी इस सडक का वह हिस्सा जो टोंक में है तैयार करने पर मजबूर किया गया है और वह तैयार भी हो गई है. दूसरी शक्ल यह कि बासौदा को भेलसा से connect कर दिया गया है यानी हर तरफ से इस मन्डी के लिये रास्ते खोल दिये गये हैं. सडकों को बढाया जावे, यह कहा गया है मुझे इससे इत्तफाक है. जहां भी तरक्की हुई है सडकों और रेल के जरिये हुई है. कौन्सिल ने पहिले ही इस बात को मद्देनजर रख कर एक कमेटी मुकर्रर करदी है जिसने जमाने मायनॉरिटी में जिन सडकों की तामीर होना है उनका प्रोग्राम बना लिया है. उस लिहाज से ९ साल में सब सडकें बन जायेंगी और इस काम में करीब ५॥ लाख रुपये खर्च होंगे. जिस वक्त इसकी मन्जूरी हो जायगी मन्डियों को बहुत बडा फायदा पहुंचेगा बाकी रहा सवाल रेलवे का, इससे भी गवर्नमेन्ट

गाफिल नहीं है, उसकी भी स्कीम तैयार हो चुकी है जो कौन्सिल में पेश है. यह लाखों नहीं बल्कि करोडों के मुआम्ले हैं और इन सब स्कीमों पर कौन्सिल गौर कर रही है. उम्मेद है कि आयन्दा साल तक आप साहबान को नतीजा मालूम हो सकेगा क्योंकि यह एक दो दिन के काम नहीं हैं इनके लिये वक्त की जरूरत है.

प्रेसीडेन्ट साहब.—सवाल नंबर २५ के मुतअल्लिक ट्रेड मेम्बर साहब ने आप साहबान पर उस कार्रवाई का जो इस वक्त जारी है या शुरू है या under consideration है इजहार कर दिया है. अब सवाल यह है कि कमीशन के लिये जो सिफारिश की जारही है उसकी जरूरत बाकी रहती है या नहीं?

नोट.—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि कमीशन मुकर्रर करने की जरूरत नहीं, तजवीज ड्रॉप (drop) की जावे.

फर्द नंबर २, तजवीज नंबर २६.

प्रेसीडेन्ट साहब.—माधवराव साहब पवार, जिनका कि इन्तकाल हो चुका है, की तरफ से यह तजवीज आई थी. क्या कोई साहब इस तजवीज को पेश करना चाहते हैं?

केसरीचंद साहब.—यह तजवीज मैं पेश करता हूं. तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

ब्योपारियान रियासत के ब्योपार की ground ज्यादातर रियासत ही है, मगर आम रियासत के बाशिन्दों की economic condition ठीक न होने से, अलावा गवर्नमेन्ट के बडे बडे दफातिर व सरकार अपना दरकारी सामान बाला बाला इलाके कैसरी से मंगवाने की वजह से ब्योपार में तरक्की नहीं होती है; लिहाजा आयन्दा गवर्नमेन्ट का दरकारी सामान रियासत से ही खरीदा जाय इसका इन्तजाम फरमाया जावे.

हुजूर वाला, इस सवाल में रियासत हाजा के ब्योपार में तरक्की न होने के व ब्योपारियान की हालत खातिरख्वाह न होने के दो सबब जाहिर किये गये हैं, यानी अव्वलन बाशिन्दगान की एकानॉमिक कन्डीशन का ठीक न होना और दोयम सरकार व दफातिर गवर्नमेन्ट का बाला बाला इलाके गैर से माल का मंगवाना.

अम्र अव्वल की निस्बत किसी तशरीह की जरूरत नहीं मालूम होती क्योंकि इसका हाल सब साहबान को रोशन है व इसकी बेहतरी के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट से कमीशन मुकर्रर होकर कार्रवाई जारी है, जिसको अर्सा दो साल का हो गया मगर इस वक्त तक उसका क्या नतीजा निकला इससे हम लोगों को वाकफियत नहीं है.

अम्र दोयम के मुतअल्लिक गुजारिश है कि सरकारी व नीज दफातिर के लिये जिस सामान की जरूरत होती है उसके बाला बाला खरीदने से ब्योपारियान की हैसियत ऐसी नहीं रहती कि वह इस किस्म का सामान अपने यहां स्टॉक में रक्खें, व उसको दरबार व रिआया को फरोख्त करके उससे फायदा उठावें अगर उनको यह उम्मेद हो जावे कि दरकारी सामान उन्हीं से खरीद किया

जावेगा तो वह इस अम्र की कोशिश में रहेंगे कि हर जगह से वाकफियत मतलूबा हासिल करें और कम निर्ख पर मुहैया करने की कोशिश करें. इससे फायदा यह होगा कि व्योपारियान में एक किस्म का कम्पीटीशन व व्योपार की spirit यानी माद्दा पैदा होगा. गो यह मुमकिन है कि दरबार व महकमेजात को शुरू शुरू में इससे ज्यादा फायदा न हो, मगर बाद को जैसा जैसा तिजारती कम्पीटीशन बढता जावेगा तो दरबार को भी अच्छा फायदा होना बहुत मुमकिनात से है. दोयम ऐसी लोकल सप्लाइंग एजेन्सियां कायम हो जाने से व उनके होलसेल माल मंगाने से निहायत किफायत से पडेगा और इस वजह से सरकार को भी माल किफायत से मिल सकेगा क्योंकि यह अम्र पोशीदा नहीं हैं कि बाला बाला सरकारी महकमेजात के माल मंगाने के मुकाबले में साखबन्द दूकानात को खास तौर पर माल किफायत से मिलता है लिहाजा अगर व्योपारियान रियासत हाजा से माल खरीदने का सिलसिला कायम किया गया जैसा कि इस तजवीज का मुद्दआ है तो सरकार व महकमेजात का फायदा होकर व्योपारियान को भी उसके साथ फायदा होने की उम्मेद की जाती है, व नीज व्योपार में भी तरक्की होना लाजिम है.

गुलाबचन्द साहब—मैं ताईद करता हूं.

ट्रेड मेम्बर साहब—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब ! इस सवाल से गवर्नमेन्ट को पूरी हमदरदी है. इस सवाल के आने से पहिले गवर्नमेन्ट ने इस पर तवज्जुह की और एक कमेटी मुकर्रर करदी है और उस कमेटी की रिपोर्ट जेर गौर कौन्सिल है.

पुस्तके साहब—हुजूर आली, इस सवाल के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट की जानिब से जो अभी जवाब दिया गया है उससे यह नहीं जाहिर होता कि कमेटी किन मुआमलात पर गौर कर रही है और उसके terms of reference क्या हैं. इस सवाल में दो बातें काबिल गौर हैं. एक यह है कि economic condition कैसे ठीक हो सकती है, दूसरे यह कि जो सामान सरकारी डिपार्टमेन्टस को दरकार हो वह यहां के व्योपारियान से लिया जाय. इसमें भी दो बातें हैं. अव्वल तो यह कि यहीं का बना हुआ माल उनसे खरीदा जाय, दूसरे यह कि बाहर का माल जो वह लाकर रखते हैं वह भी उन्हीं से लिया जाय. मेरी नजर से एक सरक्यूलर सन १९११ का गुजरा है जिसमें सरकार का ईमां है कि माल जो कुछ डिपार्टमेन्ट्स सरकारी को दरकार हो लोकली खरीद किया जाया करे और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाकर दरबार को पेश हुआ करे. मालूम नहीं यह रिपोर्ट पेश होती है या नहीं लेकिन यह जरूर है कि उस सरक्यूलर की तामील जैसी होना चाहिये नहीं होती. यही वजह है कि आज यह शिकायत मजलिस के सामने आ रही है और दरबार से इस पर गौर करने के लिये दरख्वास्त की जाती है. इन उमूर से जाहिर होता है कि जो पॉलिसी दरबार से मुकर्रर हो चुकी है या तो उसकी तामील नहीं की जाती या वह consistently follow नहीं होती. पस इस इन्तजाम की जरूरत है कि जो माल यहां बनता है वह यहीं से लिया जावे और जो यहां नहीं बनता और जिसे यहां के व्योपारियान लाकर फरोख्त करते हैं वह भी उनसे लिया जाया करे और इसका एक statement जयाजीप्रताप में शाया कराया जाया करे. हुजूर वाला, इतना ही नहीं मेरे नोटिस में यह बात भी आई है कि रिआया और व्योपारियान का तो जिक्र ही क्या, सरकारी फैक्टरीज और कारखानेजात से भी जो माल वह तैयार करते हैं, डिपार्टमेन्ट्स में नहीं खरीदा जाता. मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहां जो जेल डिपार्टमेन्ट है वह मुख्तलिफ किस्म की चीजें तैयार करता है. आठ दस रोज हुये जब मुझे उसके देखने का इत्तफाक हुआ था तो मालूम हुआ कि वहां जो माल तैयार होता है वह स्टेट डिपार्टमेन्टस में नहीं

किया जाता. जब एक डिपार्टमेन्ट का जिसमें सरकारी रुपया लगा हुआ है उसका यह हाल है तो ब्योपारियान की अगर यह शिकायत है तो उस पर ताज्जुब ही क्या ! यहां के ब्योपारियान की यह भी शिकायत सुनने में आई है कि जैसा पहिले उनको patronize किया जाता था वैसा अब नहीं किया जाता. मुमकिन है कि यह individual instance हो, क्योंकि मुझे यहां के मुतअल्लिक पूरी वाकफियत नहीं है, मैं इसकी ताईद में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता. सन १९११ का सरक्यूलर हमारे सामने है और जब कि अभी वह मंसूख नहीं हुआ तो उसकी तामील हम पर वाजिब है. मुझे एक दो नजीरें इस किस्म की आपके सामने पेश करना हैं कि दूसरी गवर्नमेन्ट्स का इस सवाल के मुतअल्लिक क्या ख्याल है. हाल में अफगानिस्तान के किंग अमीर अमानुल्लाखां साहब जो बम्बई आये थे उन्होंने वहां फरमाया था कि मैं अपने मुल्क की ही बनी हुई चीजें खरीदता हूं, अच्छी हों या बुरी, मेंहगी हों या सस्ती, इसी तरह एक मौके पर Chief of Oundh ने फख्र के साथ फरमाया है कि मैं जो चीज भी इस्तेमाल करता हूं वह मेरे ही यहां की बनी हुई होती है और अब मैं ने यह अहद कर लिया है कि अपने यहां के हाथ से कते हुए सूत का बना हुआ कपडा ही इस्तेमाल करूंगा. यह मिसालें मैंने इसलिये अर्ज की हैं कि जब दूसरी गवर्नमेन्ट अपने यहां यह तरीक अमल में ला रही है तो हमारे यहां भी इस किस्म का अमल होकर उसकी रिपोर्ट शाया होना चाहिये

लुकमानभाई साहब.—मैं ताईद करता हूं.

ट्रेड मेम्बर साहब.—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब, पुस्तके साहब की तकरीर पर मुझे ताज्जुब है. इकॉनामिक कमीशन के खुद आप मेम्बर हैं और आपको वाकफियत है कि कौन्सिल ने दो बरस हुए जब इकानॉमिक सर्वे के लिये एक कमीशन मुकर्रर किया था, उसमें कहां तक काम हुआ है इसके जाहिर करने की जरूरत नहीं. जो इस सवाल का मकसद है उसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई है जिसकी रिपोर्ट जेर गौर है. हर एक बात को practical point of view से देखना चाहिये, कहां क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है इसके देखने की हमें जरूरत नहीं. दरबार ने यह पॉलिसी कायम करदी है कि local कारखानेजात को patronize किया जावे, लेकिन इसकी अमली दिक्कतों को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता. मसलन अगर यहां के किसी कारखाने के rates मुकाबलतन high हों तो लोगों को मेंहगे दामों पर उनसे चीज खरीदने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता. जिस सरक्यूलर का हवाला दिया गया है उसके मुतअल्लिक जरूरी स्टेटमेन्ट जरूर पेश होता होगा और मुनासिब ऐक्शन भी लिया जाता होगा.

जगमोहनलाल साहब.—ट्रेड मेम्बर साहब ने जिस Economic Commission का हवाला दिया है उसको कायम हुए दो साल हो गये, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ चार पांच जिले देखे हैं. उसका काम खत्म होने के लिये काफी जमाने की जरूरत है और यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी रिपोर्ट हम कब देख सकेंगे. इस सवाल में एक definite तजवीज पेश की गई है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें किसी किस्म की दिक्कत वाकै हो. पस जो वजह ट्रेड मेम्बर साहब ने इस सवाल पर गौर करने की जरूरत न होने की बयान फरमाई है वह मजलिस को appealing नहीं हो सकती; लिहाजा यह तजवीज काबिल मंजूरी है. दूसरी बात यह कही गई है कि अक्सर rates high होने की वजह से सामान को locally खरीदने में मजबूरी होती है और इसी वजह से मुकामी ब्योपारियान से सामान न लिया जाकर बाहर से मंगाया जाता है, लेकिन जहां अपने मुल्क की Industries को तरक्की देने का ख्याल हो वहां यह सवाल पीछे रह जाता है. अगर यहां के सौदागरान उसी कीमत पर माल देने को तैयार हों तो बाहर वालों के मुकाबले में उनको

तरजीह देना चाहिये. इस तजवीज में किसी नई कार्रवाई के जारी करने का इसरार नहीं है बल्कि जो एक बात तय हो चुकी है उसकी तामील कराये जाने के मुतअल्लिक यह तजवीज है इसलिये मुझे उम्मीद है कि मजलिस इसको जरूर मन्जूर फरमायेगी.

ट्रेड मेम्बर साहब.—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब! जिस कमेटी का मैंने जिक्र किया है वह कमेटी इसी गरज से मुकर्रर की गई है कि इस सरक्यूलर की तामील में जो दिक्कतें पेश आती हैं उनको रफा कराने के जराये पर गौर करे. क्या आप इससे satisfied नहीं हैं?

जगमोहनलाल साहब.—यह तजवीज भी अगर उस कमेटी के पास गौर के लिये भेज दी जाय तो क्या हर्ज है?

ट्रेड मेम्बर साहब.—लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कौन्सिल में पहुंच चुकी है.

जगमोहनलाल साहब.—उस कमेटी के terms of reference क्या है, यह मालूम नहीं और उसने क्या रिपोर्ट पेश की है इसका भी हमें कतई इल्म नहीं; ऐसी सूरत में यह सवाल मजलिस में पेश न किया जाय इस पर क्यों जोर दिया जाता है?

पोलिटिकल मेम्बर साहब.—जिस इकॉनामिक कमीशन का आपने जिक्र किया है उसके एक मेम्बर गुप्ता साहब भी हैं जिनसे मालूम हुआ है कि वह इसी जून यानी जून सन १९२८ ई. में अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे और उस पर जल्द ही गौर होकर मुनासिब कार्रवाई की जावेगी. खरीद सामान के मुतअल्लिक मुझे तअज्जुब है कि आप ट्रेड मेम्बर साहब के जवाब से satisfied नहीं हुए. इस सवाल की सूरत यह है कि एक तरफ तो व्योपारियान का और उन डिपार्टमेन्ट्स का जो किसी किस्म का माल तैयार करते हैं उनका यह कहना है कि हमारा माल लिया जावे, बाहर से न मंगाया जाय; लेकिन जिन डिपार्टमेन्ट्स में माल की ज्यादा खरीद होती है उनका यह कहना है कि यहां माल खराब और मेंहगा मिलता है. इस शिकायत पर और उसका जो जवाब दिया जाता है उस पर गौर करने के लिये एक कमेटी कायम हुई है. दरअसल सोचा गया था कि एक Stores Purchase Committee कायम की जावे और तमाम डिपार्टमेन्ट्स अपनी जरूरियात इस कमेटी को भेजें और वह जो माल यहां बनता है या मिल सकता है वह यहां से खरीद कर उन्हें supply करे. कमेटी जो मौजूदा सवाल पर गौर करने के लिये मुकर्रर की गई है उसको यह एक line बतादी गई है जिस पर कि work होना चाहिये. इन उमूर पर गौर करने से और इस बात के मालूम होने पर कि Economic Survey की report जून में पेश हो जायगी, अब शायद इस सवाल पर मजीद बहस की जरूरत न होगी.

प्रेसीडेन्ट साहब.—सवाल नम्बर २६ के मुतअल्लिक ट्रेड मेम्बर साहब ने जो बयान किया है उससे आपका इतमीनान नहीं हुआ. उस पर फिर पोलिटिकल मेम्बर साहब ने कमेटी किस किस्म की कायम की गई है और उसका मकसद क्या है यह जाहिर किया; लिहाजा अब इस सवाल पर गौर करने की जरूरत है या नहीं, यह सवाल बाकी रहता है. लिहाजा जो तजवीज पेश की गई है उसके मुताबिक अमल होने की निस्बत जिन साहबान की राय हो वह अपना सीधा हाथ उठावें.

ठहराव—कसरत राय से तजवीज मन्जूर की गई.

फर्द नम्बर २, तजवीज नम्बर २७.

प्रेसीडेन्ट साहब.—नवाबअली साहब, आप तजवीज नंबर २७ पेश कीजिये.

नवाबअली साहब.—मेरी तजवीज यह है:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

शराबखाने म्युनिसिपेलिटी के मुजव्विजा मुकामात पर कायम किये जावें.

आली जनाब ! म्युनिसिपेलिटी इस वक्त तक बेखबर है. दरअसल मुकामी ठेके नीलाम किये जाते हैं और दूकानदारान जिस जगह चाहते हैं, दूकान कायम कर लेते हैं. अक्सर शराबखाने ऐसी जगह पर हैं जहां आसपास शुरफा की आबादी है और ऐसे मुकामात पर मजमे नाजायज के होने से उन लोगों को जो तकलीफ होती है उसे वे ही जानते हैं. बाज जगह शराबखाने ऐसे गुजरगाहों पर हैं कि जो लोग वहां से गुजरते हैं और जिन्होंने यह सोच रखा है कि जो पैसे हमारे पास हैं उनसे आज बच्चों के लिये फलां चीज खरीदेंगे, लेकिन शराब का आदी होने की वजह से उसकी खुशबू से तबियत बेचैन हो जाती है और मजबूरन वह उस पैसे को वहां सर्फ कर देते हैं. मैं साफ तौर पर कहूंगा कि शराबखोरी की रोक की जावे, जिससे लोगों की तकलीफ में कमी हो, और इसीलिये मेरी यह तजवीज है कि म्युनिसिपेलिटी जिन मुकामात को तजवीज करे वहीं शराबखाने रखे जावें. जो लोग शराब के आदी हैं वह तो हर जगह जाकर अपनी जरूरत रफा कर सकेंगे, लेकिन जो लोग इस तरह पर मजबूर होकर इस इल्लत में फँस जाते हैं वह बच जायेंगे. मैं इस मौके पर एक खास वाके की तरफ आपकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं. तारागंज के पुल के करीब एक शराबखाना है जिसकी वजह से वहां दो जानें जाया हो चुकी हैं. बाबूराव एक बहुत ज्यादा शराब पीने वाला शख्स था. उसको ऐसे मौके पर शराबखाना होने से ही अपनी जान से हाथ धोना पडा. वहां जो पुल है उसके लिये लोगों का यह ख्याल है कि वहां हवा अच्छी आती है और शराब पीकर लोग वहां जाकर लेटते हैं और बेहोशी की हालत में नदी में गिर जाते हैं, इस तरह दो जानें जाया हो चुकी हैं. होश में तो वह जगह लोगों को खतरनाक मालूम होती है लेकिन न जाने उसमें क्या असर है कि शराब पीते ही लोग बे इख्तियार होकर वहां जा पहुंचते हैं. मैं यकीन करता हूं कि अगर दुकानात की तजवीज म्युनिसिपलिटीज के इख्तियार में होती तो जरूर उसको वहां से हटा देते. इसमें ऐक्साइज डिपार्टमेन्ट का कोई नुक्सान नहीं है. शराबखाने तो जितने हैं उतने ही कायम रहेंगे सिर्फ उनकी जगह बदल जायेगी.

अहसानउल्लाखां साहब:—मैं ताईद करता हूं. उसूलन जरूरत इस बात की है कि शराबखाने म्युनिसिपेलिटी के मुजव्विजा जगहों पर ही कायम हों. म्युनिसिपेलिटी अच्छी तरह देख सकती है कि कौनसी जगह इसके लिये मुनासिब होगी.

अनिरुद्धसहाय साहब:—मैं भी इसकी ताईद करता हूं.

ईश्वरीसिंह साहब.—हुजूर आली ! सन १९२२ में इस किस्म का सवाल मेरी जानिब से पेश हुआ था. मेरी गुजारिश है कि शराब एक ऐसी खराब चीज है जिसका बयान मुजव्विज साहब ने अच्छी तरह कर दिया है और इसकी वजह से जो हादसे वाके होते हैं वह भी आपने सुन लिये. मेरी अर्ज है कि शराबखाने और ठेके और बढा दिये जावें तो हर्ज नहीं, लेकिन जिस रोज देहात में

हाट खुलता है उस रोज दुकानात बन्द रहें. अगर पसन्द खातिर हो तो यह नोट करके कौन्सिल में पेश कर दिया जावे क्योंकि वहां यही वाक़या गुजरता है कि जो गरीब लोग हाट में और कामों के लिये पैसे लेकर जाते हैं एक को देख कर दूसरे इस इल्लत में फँस जाते हैं और उनके बच्चों को तकलीफ उठाना पडती है. इसकी ताईद के साथ यह और अर्ज है कि हाट के रोज शराब न फरोख्त होने का इन्तजाम जरूर फरमाया जावे. उम्मेद है कि मजलिस इस पर जरूर गौर फरमावेगी.

प्रेसीडेन्ट साहब:—और कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं ?

अहसानउल्लाखां साहब:—हुजूर आली ! शराबखाने के ठेके और उसके कायमी के वक्त चूंकि म्युनिसिपेल्टिी की राय एक्साइज डिपार्टमेन्ट की राय के साथ शामिल नहीं होती इसलिये एक्साइज डिपार्टमेन्ट ने जहां जहां जरूरत महसूस हुई शराबखाने कायम कर दिये; लेकिन अब चूंकि शहर की हालत में बहुत कुछ तगय्युर व तबद्दुल होकर जहां आबादी न थी वह मुकाम आबाद हो गये और आबाद मुकामात गैर आबाद हो गये, इसलिये पहिले के कायम कर्दा शराबखाने अब बे मौजूं हो गये हैं. बहुत से तो चुस्त सडक पर आगये हैं जिनसे महज तकलीफ ही नहीं बल्कि एक किस्म की दहशत गालिब रहती है. बहुत से सडक और गली के नुक्कड पर कायम हैं जिनकी वजह से उधर से गुजरने वाले लोग परेशान होते हैं और खुसूसन मस्तूरात का निकलना मुश्किल हो जाता है, गो वह किसी पर इरादतन कुछ ज्यादती नहीं करते लेकिन चूंकि शराब का खास्सा है कि इसके इस्तेमाल से लोगों की हालत मुतगैयर होकर वह अपने होश में नहीं रहते इसलिये उधर से निकलने वालों के लिये ऐसे अलफाज इस्तेमाल करते हैं जिनको कोई अक्ल सलीम रखने वाला बरदाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरन उसे बरदाश्त करना पडता है और इस मजबूरी को ही मद्दे नजर रखते हुये आज यह सवाल मजलिस में पेश किया गया है, और मतलब यह है कि इसका मुनासिब इन्तजाम हो जावे. अब यह अर्ज है कि इस तजवीज को अमल में लाने के लिये शायद सवाल सर्फे का होगा तो सर्फे दो किस्म के होते हैं, मुनासिब और गैर मुनासिब. अगर यह सर्फा एक्साइज डिपार्टमेन्ट को बरदाश्त करना पडे तो बहर सूरत मुनासिब है क्योंकि असर इसका लोगों के लिये निहायत मुफीद होगा और जरायम का भी इन्सदाद होगा. लिहाजा मैं इस तजवीज की बगौर ताईद करता हूं और इल्तिजा व आजिजी से गुजारिश करता हूं कि यह तजवीज मंजूर फरमाई जावे.

ट्रेड मेम्बर साहब.—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब ! मैं इस सवाल को दो हिस्सों में तक्सीम करता हूं. मुजव्विज साहब ने बहैसियत एक citizen और मेम्बर म्युनिसिपेल्टिी के इसे पेश किया है. मैंने तहकीकात कराई कि लश्कर में ऐसी शक्ल है या नहीं तो मालूम हुआ कि यहां १७ शराबखाने हैं जिनमें से ३ आम रास्ते पर हैं. इम्पूवमेन्ट का काम जारी होने से मकानात टूटकर वह सडक पर आगये हैं. एक्साइज का जो उसूल है और जिन शरायत पर ठेका दिया जाता है उनमें एक शर्त यह भी है कि शारे आम पर कोई दुकान कायम न की जावे, चुनाचे मैंने हुक्म दे दिया है कि अब जो ठेका अक्टूबर में खत्म होगा उसके बाद इन मुकामात पर दुकानें न रहें. नीज सफाई के मुतअल्लिक भी मैंने हुक्म दे दिया है कि काफी सफाई रखी जावे और इस बारे में म्युनिसिपेल्टिी के हुक्म की तामील होना चाहिये. लश्कर के मुतअल्लिक तो सवाल हल हो गया. अब रहा दूसरा सवाल यानी म्युनिसिपेल्टिी की राय से जगह तजवीज करना. एक्साइज का उसूल म्युनिसिपेल्टिी से मुख्तलिफ है. फर्ज कीजिये कि म्युनिसिपेल्टिी ने बतलाया कि फलां जगह पर दूकान कायम की जावे और वहां दूकान कायम की गई लेकिन दूसरा ठेकेदार भी वहीं आकर आबाद होता है और इससे पहिले ठेकेदार को जो कमजोर है नुक्सान उठाना पडता है. दूकानात बनाने में बहुत ज्यादा सर्फा होगा. ऐक्साइज डिपार्टमेन्ट को इस सवाल से इस कदर हमदर्दी जरूर है

कि शारे आम पर दूकान होने की इत्तला मिलने पर वहां से उसके हटाने का वह इन्तजाम कर देगा, लेकिन जगह की तजवीज म्युनिसिपेलिटी की मर्जी पर न होना चाहिये, मैं इसके खिलाफ हूं.

वाटवे साहब.—इस सवाल में उसूल का ही फर्क है. ट्रेड मेम्बर साहब ने जो फरमाया है और जिस तौर से फरमाया है उससे मालूम होता है कि म्युनिसिपेलिटी की हुदूद में भी ऐक्साइज डिपार्टमेन्ट अपनी हुकूमत चलाना चाहता है. ऐक्साइज डिपार्टमेन्ट को जहां फायदा मालूम होगा वहीं दूकानात कायम करेगा और म्युनिसिपेलिटी यह चाहती है कि यह इख्तियार उसे हो. Double Government की पॉलिसी अपने यहां नहीं होना चाहिये. म्युनिसिपेलिटी का कहना है कि एक छोटे हिस्से में जहां Local Government दी जाती है वहां अगर इस छोटे से हिस्से में वह अच्छी तरह काम करेंगे तो आगे Self Government उन्हें मिल सकेगी. म्युनिसिपेलिटी अच्छे अच्छे काम करना चाहती है जिससे रिआया को फायदा हो लेकिन गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट अपनी हुकूमत उसमें चला कर म्युनिसिपेलिटी को महरूम रखना चाहते हैं. इसलिये मेरी गुजारिश है कि म्युनिसिपेलिटी की हुदूद से यह Double Government निकाल दी जावे.

जगमोहनलाल साहब.—मेरा ख्याल यह था कि यह एक modest तजवीज है, जल्द मंजूर फरमा ली जावेगी, लेकिन इसकी भी मुखालफत हुई. ट्रेड मेम्बर साहब ने इस तजवीज को दो हिस्सों में तक्सीम किया है और यह फरमाया है कि शारे आम पर जो दूकानात हैं वह हटा दी जावेंगी. यह तो ठेके की शरायत में ही एक शर्त है, इसमें हमदर्दी की जरूरत नहीं. मसला जेर बहस यह है कि दूकानात म्युनिसिपलिटी के मुजव्विजा मुकामात पर कायम हों. दूसरी गवर्नमेन्टों ने यह उसूल कायम कर रखा है कि शराबखानों की कायमी के लिये local option से काम लिया जावे. म्युनिसिपल मेम्बरान रिआया के नुमायन्दे हैं. उनके तजवीज करदा मुकामात पर अगर शराबखाने कायम किये जायें तो इसमें क्या नुकसान है, यह समझ में नहीं आता. शराबखाने कायम करने की इजाजत और ठेका देने का इन्तजाम तो एक्साइज डिपार्टमेन्ट ही करेगा. म्युनिसिपेलटी यह नहीं तजवीज करेगी कि किसी local area में कितने शराबखाने हों या ठेका कौन दे, न इसमें किसी किस्म की दस्तन्दाजी करेगी, वह तो सिर्फ उनके लिये मुकामात तजवीज करेगा. दूसरा सवाल सरफे का है. मौजूदा जो शराबखाने हैं करीब २ वह सब किराये की दूकानात में हैं. जिस तरह पर एक जगह किराये की दूकानात हैं उसी तरह दूसरी जगह भी दूकानात किराये पर ली जा सकती हैं. इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है. अगर बिल फर्ज कुछ सर्फे की जरूरत हुई भी तो पब्लिक की आसायश का ख्याल करके ऐसा सर्फा करने में पसोपेश नहीं होना चाहिये.

नवाबअली साहब.—हुजूर वाला ! मैं ट्रेड मेम्बर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्हों ने शारे आम पर से दूकानात हटा देने का वायदा फरमा लिया है और अपनी तंग नजरी पर मुझे अफसोस है. शारे आम पर से अगर दूकानात हटादी जायें तो फिर कोई शिकायत ही बाकी न रहेगी. शारे आम की तारीफ में दाखिल है, "हर ऐसा रास्ता या सडक या कूचा या चौक या सहन या गली या रहगुजर या खुला मैदान, आम इससे कि वह गुजरगाह आम हो या न हो, जिस पर आम लोगों को हक आमद रफ्त हासिल हो, और नीज वह सडक या पगडन्डी जो किसी आम पुल या खरंजे पर से जाती हो." कोई हिस्सा शहर का इस तारीफ से बाहर नहीं है और इस तजवीज को रखते वक्त मैं ने जो शारे आम का लफ्ज रखा था उस वक्त मुझे यह ख्याल था कि इस तजवीज का पास होना मुमकिन नहीं है, इसलिये मैंने इस सवाल को दूसरे तर्ज पर पेश किया. म्युनिसिपल कमेटी

और टाउन कमेटी कितनी आजाद हैं और उनका क्या असर हो सकता है यह अम्र काबिल गौर है. इस वक्त अगर शारे आम के जो मानी मैंने बतलाये हैं उससे गवर्नमेन्ट इत्तफाक करे तो मैं अपनी तजवीज शौक से वापिस लेने के लिये तैयार हूं.

नोट.—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव.—कसरत राय से करार पाया कि तजवीज मंजूर की जाय.

प्रेसीडेन्ट साहब.—मेम्बर साहबान मजलिस आम ! इस सेशन का जो एजेन्डा मुरत्तिब किया गया था वह इस वक्त खत्म हो चुका. आप साहबान यहां पर बड़ी दूर से तकलीफ उठाकर तशरीफ लाये और अपना बेश कीमती वक्त जाया करके जो मशवरा दिया उसके लिये मैं आप साहबान का कौन्सिल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मेद करता हूं कि आयन्दा भी आप साहबान इसी तरह दिलचस्पी के सवालात भेजते रहेंगे और जो कवानीन जारी हैं उनके खिलाफ वह न होंगे. इतना कह कर मैं आप से इजाजत चाहता हूं और इस सेशन को खत्म करता हूं.

———

जमीमा नंबर १

एजेन्डा मजलिस आम,

सम्वत १९८४.

फर्द नंबर १—सवालात जोकि कौन्सिल के हुक्म से मिन्जानिब गवर्नमेन्ट मजलिस आम में पेश हुवे

नंबर शुमार.	सवाल.	रिमार्क्स.
१	सवाल यह है कि कम उम्र में शादी किये जाने की मुमानियत किये जाने के मुतअल्लिक किसी कानून के बनाने की जरूरत है या नहीं? अगर जरूरत समझी जावे तो शादी के लिये उम्र की क्या कैद लगाई जावे और ऐसे कानून के इनहिराफ की हालत में क्या अमल किया जावे? **नोट:**—इस सवाल के मुतअल्लिक, कि ऐसे कानून के बनाने की जरूरत है, नान-ऑफिशियल मेम्बर साहबान की तरफ से जो तीन तजावीज पेश की गई हैं वह जैल में दर्ज की जाती हैं:— १. **मुजव्विज—मूंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.**—मौजूदा जमाने में कम उम्र में शादी करने का व कन्या विक्रय का (रुपया लेकर ज्यादा उम्र वाले या जिसकी किसी खास वजह से शादी न होती हो उसके साथ शादी करना) प्रचार कसरत से है जो सेहत तन्दुरुस्ती इन्सान को बहुत ही मुजिर है व विधवाओं की तादाद बढाने व शरीफ कौमों में, जिनमें नात्रा नहीं होता, अत्याचार बढाने व कई दीगर खराबियां पैदा करने व आयन्दा नस्ल को कमजोर बनाने का यही खास बायस है जिसकी इन्सदाद के वास्ते, मिस्ल दीगर स्टेट्स, कवाअद वजै फरमाये जावें. २. **मुजव्विज—मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.**—रियासत हाजा में शादियों की बाबत कोई खास इन्तजाम नहीं है इसलिये बाल और वृद्ध का इन्तजाम होना मुनासिब मालूम होता है. ३. **मुजव्विज—रामजीदास साहब वैश्य, लश्कर**—हस्ब जैल तजवीज निस्बत "कानून शादी" मंजूर फरमाई जावे:— (१) बारह बरस से कम उम्र की लडकी और १६ बरस से कम उम्र के लडके का विवाह (शादी) न किया जावे. (२) १८ बरस से कम उम्र की लडकी के लिये उसकी दुचन्द उम्र से ज्यादा का वर तजवीज न किया जावे.	

नंबर शुमार.	सवाल.	रिमार्क्स.
	(३) सगाई (मंगनी) हो जाने के बाद बिला किसी खास वजह के वह न छोड़ी जावे. खास वजह में हस्ब जैल बातें हो सकती हैं:— (अ) जिस्मानी नाकाबलियत (शारीरिक अयोग्यता). (ब) लडकी या लडके में किसी छूतदार रोग का पैदा हो जाना. (स) लडकी या लडके का बदचलन हो जाना. (द) किसी लडके का ऐसी जायदाद से महरूम (वंचित) हो जाना कि जिसके भरोसे पर सगाई (मंगनी) की गई हो. (य) ऐसा जाति-भेद मालूम होने पर जो सगाई के वक्त जाहिर न हुआ हो. (४) सिवाय रस्मियात मामूली के लडकी पर वर (लडके) के खान्दान से किसी किस्म का रुपया न लिया जावे. (५) १८ बरस या उससे ज्यादा उम्र की लडकी के मां बाप या रिश्तेदार को इख्तियार होगा कि वह अपनी मर्जी से जैसे वर से चाहें विवाह (शादी) करें, मगर ऐसी हालत में भी ४५ बरस से ज्यादा उम्र का आदमी किसी कुंवारी लडकी से विवाह न कर सकेगा. (६) मुन्दर्जे बाला दफआत की खिलाफवर्जी (अवहेलना) या अयानत (सहायता) के मुकद्दमात काबिल समाअत मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल होंगे; और मजिस्ट्रेट मुलजिम को एक हजार रुपये तक जुर्माना और छै माह तक कैद महज या सख्त की सजा दे सकेगा और विवाह (शादी) को भी रोक सकेगा. (७) विवाह (शादी) की रोक या विवाह (शादी) की रोक में मदाखलत (हस्तक्षेप) न करने का हुक्म मजिस्ट्रेट काबिल अपील होगा और जब तक कि अदालत अपील से फैसला न हो जावे विवाह (शादी) रुका रहेगा. **नोट:**—इस कानून की दफआत (१), (२) व (४) उन जातियों पर लागू न होंगी जिनमें नात्रा (धरीचा) जायज है.	

नम्बर शुमार.	सवाल.	रिमार्क्स.
२	को-ऑपरेटिव बैंक में शख्सी कर्जे को सूद १ रुपया ९ आने माहवार यानी फी सैकडा १८ रुपये १२ आने सालाना और सोसाइटी के कर्जे पर सवा रुपया फी सदी यानी १५ रुपये सालाना सूद काश्तकारान से लिया जाता है. यह अहकाम कानून सूद के खिलाफ हैं. अगर को-ऑपरेटिव में १ रुपया की शरह सूद से ज्यादा सूद वसूल किया जाता है तो साहूकारान व ब्योपारियान को भी ज्यादा शरह से काश्तकारान से सूद वसूल करने की रिआयत होनी चाहिये. सवाल यह है कि कानून सूद में काश्तकार और गैर काश्तकार की जो तफरीक रखी गई है, क्या वह निकाल दी जावे ? **नोटः**—इसी मजमून की हस्ब जैल तजवीज एक नॉन-ऑफिशियल मेम्बर मजलिस आम की तरफ से पेश की गई है:— **मुजव्विज—माधवराव साहब पवार, मुरार.**—कानून सूद की दफा ५ में काश्तकारान के लिये शरह सूद १ रुपया फी सदी करार दी गई है और शरह बाजार भी तहरीर है. यह दोनों पाबन्दी मुनासिब मालूम नहीं होती. अलावा को-ऑपरेटिव बैंक की शरह सूद १ रुपया ९ आने व १ रुपया ४ आने है, लिहाजा यह पाबन्दी खारिज की जावे.	
३	कानून माल की दफा ४३३ की रू से गल्ले पर सूद बशक्ल अजनास असल के दुचन्द (यानी मय असल के सेह चन्द) तक दिलाया जा सकता है, हालांकि जरे नक्द पर सूद उसूल दाम दुपट के मुताबिक असल रकम के बराबर तक दिलाया जा सकता है. गल्ले पर सूद दिलाये जाने की निस्बत यह तजवीज पेश हुई है कि सूद बशक्ल अजनास की मिकदार मय असल के दुचन्द से ज्यादा न होना चाहिये. इस अम्र के मुतअल्लिक राय दरकार है कि क्या यह तजवीज मंजूर किये जाने के काबिल है.	
*४	तालाबों, नहरों और उनकी शाखों से अक्सर झिराव का पानी काश्तकारान के खेतों में पहुंचता है और बनिस्बत बाकी रकबे के ऐसे खेतों का पैदावार अच्छा होता है; लिहाजा सवाल यह है कि ऐसे रकबे पर आबियाना क्यों चार्ज न किया जावे, और अगर चार्ज किया जाय तो कितना ?	

* यह तजवीज बरूय सप्लीमेन्टरी एजेन्डा मतबुआ गवालियार गवर्नमेन्ट गजट तारीखी १७ मार्च सन १९२८ ई० शामिल की गई.

एजेन्डा मजलिस आम,

सम्वत १९८४.

फर्द नंबर २.—तजावीज जो नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान मजलिस आम की जानिब से मौसूल होकर दर्ज एजेन्डा की गई और मजलिस आम में पेश हुई.

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जनाने अस्पताल खोले जावें.	बंसीधर साहब, मुरैना.	
२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जो अस्पताल कि इस वक्त अजलाय में मौजूद हैं वह जनानी जरूरतों के वास्ते काफी नहीं हैं इसलिये एक जनाने अस्पताल की हर एक जिले में अशद जरूरत है.	मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.	
३	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि;— ट्रेन्ड दाइयों के मुतअल्लिक जो तजवीज गवर्नमेन्ट की तरफ से गुजिश्ता मजलिस आम में पेश हुई थी उसके अमल में लाने के लिये साल में दो मर्तबा मुश्तहरी कराई जावे और एक फेहरिस्त उन तमाम अन-ट्रेन्ड दाइयों की मुरत्तिब कराई जाय जो लश्कर व उज्जैन में काम कर रही हैं और उन सब को ट्रेन्ड करने की कोशिश की जाय.	नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.	
४	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— सडकों के लिये करीब से मिट्टी लेने की वजह से गड्ढे हो जाते हैं और उनमें पानी जमा होने से गन्दगी फैलती है और मच्छर कसरत से फैलते हैं. थोडे सर्फे जायद में यह दिक्कत रफा हो सकती है.	नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.	

नंबर शुमार.	तजवीज	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत
५	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः— आजकल सडकों पर लॉरी मोटर कसरत से चलने लगी हैं, इसलिये गोला सडक का बजाय ८ फीट मौजूदा के १२ फीट तजवीज होना चाहिये. ८ फीट का तंग गोला है जिसकी वजह से सख्त नुक्सान जानों का मुतसव्वर है.	प्यारेलाल साहब, मुरैना.	
६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः— हस्ब मन्शाय हुक्म दरबार (मुलाहिजा तलब नोट दफा १११ (अलिफ), कवानिन फौजदारी सम्वत १९५३, जो जर्ये करेक्शन स्लिप नंबर २ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार, गजट तारीखी १ मई सन १९२० ई० कायम की गई) मुतबर्रिक मुकामात मुन्दर्जे तशरीह दफा मजकूर (जो बजिन्स दफा २८६, ताजीरात गवालियार, में शामिल की गई है) की हुदूद औकाफ डिपार्टमेन्ट से कायम की जावे, ताकि जो मन्शा कायमी जदीद दफा का है वह हासिल हो.	हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.	
७	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः— तहत दफा २३, कानून मोटर गाडियान, मोटर सर्विस कायमी की इजाजत देने में किसी किस्म की कैद (बइस्तसनाय मौजूदा कैद मुन्दर्जे दफा मजकूर) आयद न की जावे और न किसी मोटर सर्विस को किसी किस्म की मॉनोपोली (monopoly) दी जावे और जो मॉनोपोली इस वक्त नॉर्दर्न मोटर या दीगर कम्पनी को हासिल है वह बख्याल आसायश व बेहबूदी रिआया मन्सूख की जावे.	हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.	
८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है किः— पब्लिक संस्थाओं व परिस्तशगाहों का जो रुपया मुख्तलिफ मुकामात पर जमा रहता है उसके महफूज रहने, नीज ठीक ठीक खर्च होने के लिये कवाअद वजै फरमाये जावें.	मंगालाल साहब, बीजावर्गी, बजरंगढ.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
९	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— सिंधियाज आर्टिकल्स ऑफ वार की दफा ११३ में से फिकरा " तनख्वाह या अलावन्स " कम किया जावे. ग्वालियार के ब्योपार की गिरी हालत में इस किस्म की पाबन्दी डालना ब्योपार को जौफ पहुंचाने वाली है, लिहाजा इस फिकरे को कम करने से पाबन्दी कानून की होते हुए ब्योपारियान को ब्योपार करने में भी कोई खरखशा नहीं रहेगा.	माधवराव साहब पंवार, मुरार	
१०	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— रियासत हाजा में खांकरे के दरख्त बहुत कसरत से हैं, उनको उमूमन सिर्फ जलाऊ लकडी में ही इस्तेमाल किया जाता है और कोई फायदा नहीं उठाया जाता, हालांकि उसके दरख्त से लाख की पैदावार साल भर में दो मर्तबा हो सकती है, जोकि बहुत कीमती होती है और इसके हासिल करने में महनत भी ज्यादा नहीं करना पडती. इसका प्रचार बजरिये परगना बोर्ड व तहसील के नायब तहसीलदारान मौजा रिआया में कराया जावे.	श्यामराव नारायण साहब देशमुख, मालगुजार, कालापीपल.	
११	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— हर जिले की आमदनी में से दो आने फी रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मिस्ल ब्रिटिश इंडिया दिया जाना चाहिये, ताकि यह लोकल बोर्ड्स कुछ अमली काम करके बता सकें.	मुंगालाल साहब बीजावर्गी, बजरंगढ.	
१२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जो रुपया आमदनी खिडकहाय से बचे वह बेकार बूढी गायों की परवरिश में खर्च करने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को फरमाया गया है. बूढी व बेकार गायें अक्सर गौशाला में ही रहती हैं और गौशालायें करीब २ रिआसत हाजा के हर हिस्से में कायम होती जा रही हैं व मौजूद हैं, इस वास्ते जिस कदर इस फ़न्ड का रुपया हो वह सूद पर लगाया जाकर आमदनी सूद की जो हो वह गौशाला को बतौर इम्दाद दी जाना चाहिये.	मुंगालाल साहब, बीजावर्गी, बंजरगढ.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत
१३	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— बेदखली काश्त के लिये मौजूदा कानून माल के अहकाम काफी नहीं हैं. तरमीम की जाकर इत्तला बेदखली के लिये नोटिस ब माह नवम्बर जर्ये तहसील जारी किये जायें और काश्तकार यकुम मई से बेदखल समझा जाकर जर्ये तहसील कब्जा हासिल कर लिया जाय. अगर उजरदारी तामील से एक माह के अन्दर तहसील में दायर हो तो उसका फैसला ब अदालत तहसील होकर तमाम जाब्ता, जो मदाखलत के लिये है, बरता जावे.	नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.	
१४	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— कानून माल, सम्वत १९८३ की दफा ३१७ में काश्तकार की बेदखली का तरीका तो बतलाया गया हैं लेकिन यह नहीं बताया गया कि काश्तकार किस तारीख से आराजी से बेदखल होगा, जैसे कि साबिका कानून माल की दफा १५५ में तारीख यकुम जून दर्ज थी. चूंकि साल आयन्दा की काश्त के लिये जमीन की तैयारी का काम उमूमन माह बैसाख यानी माह अप्रेल से शुरू हो जाता है, इसलिये दफा मजकूर में यह इजाफा फरमाया जावे कि काश्तकार नोटिस की तामील में १५ अप्रेल से बेदखल होगा, क्योंकि यकुम जून से बेदखल होने पर उस आराजी की दुरुस्ती व तैयारी ठीक नहीं हो सकती.	श्यामराव नारायण साहब देशमुख, माल गुजार कालापीपल.	
१५	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है:— उमूमन काश्तकारान पहिले साहूकारान से कर्जा लेकर बाद में को-ऑपरेटिव बैंक से कर्जा लेते हैं जिसकी वजह से साहूकारान अपनी रकम की वसूली से महरूम रह जाते हैं. लिहाजा बैंक से किसी शख्स को तब तक कर्जा न दिया जाय जब तक कि वह यह साबित न कर देवे कि उसको कोई कर्जा देना नहीं है या उसने अपने कर्जदारान के लिये अपनी फलां फलां जायदाद को reserve रख छोडा है.	माधवराव साहब पंवार, मुरार.	

नम्बर शुमार	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— मताल्बे को-ऑपरेटिव सोसायटी की वसूली में काश्तकारान के मकानात सकूनती, मवेशियान और दीगर अशियाय, मिस्ल कानून माल व जाब्ता दीवानी, किसी सूरत में काबिल कुर्की व नीलाम नहीं हैं.	हीरालाल साहब, वकील शाजापुर.	
१७	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— कानून माल की दफा ६१ में लफ्ज 'बैंक' दर्ज है जिससे यह मालूम नही होता कि कौन से बैंक से मुराद है; इसलिये इसकी तशरीह के लिये अलफाज "एग्रीकल्चर बैंक" या "को-ऑपरेटिव बैंक" दर्ज किये जावें.	श्यामराव नारायण साहब देशमुख, माल-गुजार काला पीपल.	
१८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— अछूत जातियों के लिये कम से कम हर जिले में एक स्कूल कायम किया जावे.	नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.	
१९	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— अजलाय, परगनात व बडे बडे कस्बात में नाइट स्कूल्स कायम किये जावें.	नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.	
२०	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट में तातीलात बढती जा रही हैं और छुट्टी मौसम गर्मी की भी बजाय एक माह के दो माह कर दी गई है व होली से लगाकर दिवाली तक स्कूल टाइम सुबह ६ बजे से १० या ११ बजे तक का रखा जाता है, उसमें भी शनिवार को सिर्फ ३ घन्टे, कि जिसकी वजह से तालीम का वह फायदा कि जिसके वास्ते लाखों रुपया खर्चा हो रहा है उतना नहीं मिलने पाता जितना कि मिलना चाहिये; लिहाजा हस्ब जैल तजवीज पेश की जाती है:— (१) तातीलें जो सरकारी दफ्तरों में रखी गई हैं उसी मुताबिक एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट में भी रखी जावें.	मूंगालाल साहब, बीजावर्गी, बजरंगढ.	

नम्बर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
	(२) मास्टर साहबान को रुखसत वगैरा भी सिविल सर्विस रूल्स के मुताबिक मिला करे. (३) छुट्टी मौसम गर्मी सिर्फ एक माह की रखी जावे. (४) सुबह का टाइम स्कूल का न रखा जाकर १० बजे से ४ बजे तक का रखा जावे.		
२१	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** रियासत के पास शुदा तालिब इल्मान के मुकाबले में बाहर के बाशिन्दगान के मुलाजिमत देने की रोक की जावे. अगर किसी डिपार्टमेन्ट को किसी खास तालीमयाफ्ता की जरूरत हो तो वह भी यहा के ही तालिबइल्म को भेजकर तालीम दिलाई जाना चाहिये, ताकि तालीम का शौक लोगों के दिलों में पैदा हो.	मूंगालाल साहब, बीजावर्गी, बजरंगढ.	
२२	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** म्युनिसिपल एक्ट मौजूदा काबिल तरमीम व दुरुस्ती है. एक कमेटी मुकर्रर की जाकर दुरुस्ती कराई जावे.	नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.	
२३	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** घोसी, कुम्हार, चमार वगैरा पेशेवरान की आबादी के लिये हर शहर व कस्बे के लिहाज से मुकामात मखसूस कर दिये जावें.	नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.	
२४	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** देखा जाता है कि हाउस टैक्स बहुत सख्त मालूम होता है. म्युनिसिपल कमेटियों की दीगर आमदनी उसके इखराज के लिये काफी है. म्युनिसिपेलिटी दरअसल चुंगी की आमदनी से चलना चाहिये न कि लोगों के मकानों पर टैक्स की कायमी से. अक्सर लोग अपने मकानों की मरम्मत तक नहीं करा सकते, ऐसे लोगों को टैक्स देना किस कदर दुश्वार और नागवार है, गौर फरमाया जावे.	मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
	म्युनिसिपल्टिी की आमदनी चुंगी की मद से भी सरकार देते हैं, दूसरा सिलसिला आमदनी टरमिनल टैक्स का है; इसके भी अलावा चन्द दीगर सीगे आमदनी के हैं. टैक्स माफ हो जाने से आबादी का बढना और लोगों के मकानात महफूज रहना मुतसव्विर है.		
२५	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** रियासत हाजा में व्योपार की हालत दिन ब दिन गिरती हुई नजर आती है और अगर हालत चन्द रोज ऐसी ही रही तो रियासत से व्योपार कतई उठ जाने का अहतमाल है; लिहाजा एक नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान का कमीशन मुकर्रर किया जाकर उसको इस मुआम्ले की तफतीश करके आयन्दा मजलिस में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत हो. नीज तमाम दफातिर गवर्नमेन्ट से इस कमीशन को जो वाकफियत दरकार हो दी जावे, इसके लिये हुक्म हो.	माधवराव साहब पवार, मुरार.	
२६	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** व्योपारियान रियासत के व्योपार की ground ज्यादातर रियासत ही है, मगर आम रियासत के बाशिन्दों की economic condition ठीक न होने से, अलावा गवर्नमेन्ट के बडे बडे दफातिर सरकारी अपना दरकारी सामान बाला बाला इलाके कैसरी से मंगवाने की वजह से व्योपार में तरक्की नहीं होती है; लिहाजा आयन्दा गवर्नमेन्ट का दरकारी सामान रियासत से ही खरीदा जाय, इसका इन्तजाम फरमाया जावे.	माधवराव साहब पवार, मुरार.	
२७	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—** शराबखाने म्युनिसिपेल्टिी के मुजाव्विजा मुकामात पर कायम किये जावें.	नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
२८	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— कवाअद मंडीहाय गवालियार बिलकुल खामोश हैं; इसलिये उनमें इतनी तरमीम फरमाई जावे कि वह कुछ काम करके बतला सकें और वह गरज, जिसके लिये यह कवाअद वजे फरमाये गये हैं, पूरी हो.	मूंगालाल साहब, बीजावर्गी, बजरंगढ.	
२९	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जब से कानून दिवालिया रियासत हाजा में जारी हुआ है, कसरत से लोग दिवालिया ब आसानी बनते रहते हैं और वह लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से मन्डियों के कारोबार तिजारत में सख्त नुक्सान पहुंच रहा है.	प्यारेलाल साहब, मुरैना.	
३०	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— दफा ६९, कानून माल, सम्वत १९८३, में यह इरशाद है कि कार्रवाई रजिस्ट्री दस्तावेज रहन व बय में उज्रदारी बरबिनाय हक शफा काबिल समाअत होगी. रहन कर्जे की सूरत में हर शख्स आजाद है. अपनी अगराज के पूरा करने के लिये वह अपनी जायदाद को, जहां सहूलियत और फायदा देखे, रहन रखे, मुस्तकिल इन्तकाल नहीं है. पस इन्तकाल आराजी में हक शफा का सवाल नहीं होना चाहिये.	अलीअन्सर साहब, जमींदार, दमदम, जिला मंदसौर.	
३१	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— कानून माल संवत १९८३, में जो इख्तियार तजवीज सानी अज खुद अदालत को दिया गया है उसके लिये कोई मियाद मुकर्रर नहीं है जिसका मुकर्रर होना जरूरी है, वर्ना खराबियों के पैदा होने का अहतमाल है. लिहाजा मियाद मुनासिब मुकर्रर फरमा दी जावे.	श्यामराव नारायण साहब देशमुख, मालगुजार कालापीपल.	

नम्बर शुमार	तजवीज	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
३२	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—** जिन इस्तमुरारदार जागीरदार साहबान की माली हालत अच्छी हो उनसे उनके वालिद साहबान का कर्जा, उनकी जागीर से डिक्रीदार को दिलवाना चाहिये.	चौधरी छगनलाल साहब, बड़नगर.	
३३	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—** अहकाम दरबार मुतअल्लिक न करने जिबह भैंसे और पाडे अन्दर हुदूद म्युनिसिपल कमेटी (मुलाहिजा तलब डिपार्टमेन्टल सरक्युलर नंबर १, सम्वत १९७१, व डिपार्टमेन्टल ऑर्डर नंबर २, संवत १९७१, महकमे म्युनिसिपेलिटीज, मंजूर शुदा दरबार) दफा ५२१, ताजीरात गवालियार, में शामिल किये जाकर उनको दर्जा कानूनी दिया जावे, ताकि खिलाफवर्जी की सूरत में मुलजिमान को सजा हो सके और पाबन्दी अहकाम दरबार हो.	हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.	
३४	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—** दिवाली में जुवे की इजाजत शारे आम पर बन्द होना मुनासिब है, क्योंकि इसमें अक्सर छोटे छोटे बच्चों के ख्यालात जुवा खेलने से खराब हो जाते हैं, नीज देहाती काश्तकार लोग धोके से न समझते हुए नुकसान उठाते हैं.	मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.	
३५	**यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि :—** जरायम नाकाबिल जमानत में मुलजिमान को जमानत पर रिहा करने के इख्तियारात अदालत फौजदारी को अता किये जावें, बइस्तसनाय उन जरायम के जिनमें सजा हब्स दवाम या मौत दी जा सकती है.	हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.	

जमीमा नम्बर १, एजेन्डा मजलिस आम,

संवत १९८४.

तजावीज नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान, जिन पर मुबाहिसा नहीं किया गया बल्कि उनके मुतअल्लिक कैफियत जाहिर की गई.

	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
	हर जिले के काश्तकारान का मुन्तखिबशुदा नुमायन्दा मजलिस आम में इजाफा किया जावे.	नवाबअली साहब, वकील, लश्कर.	
	बसीगे अपील अदालत जिला व अदालत प्रान्त में चहारुम महनताने पर वुकलाय पैरवी को राजी नहीं होते हैं. बदर्जे मजबूरी अहल मुकद्दमात को मुस्तजाद महनताना देना पडता है जो खर्चे में शामिल नहीं मिलता है.	प्यारेलाल साहब, मुरैना.	

जमीमा नम्बर २, एजेन्डा मजलिस आम,

संवत १९८४.

हस्ब जैल तजवीज के मुतअल्लिक, जो नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान की जानिब से पेश हुई थीं इस अम्र पर गौर किया गया कि आया वह दफा २२, कवाअद मजलिस आम, सम्वत १९७७, की रू से पेश की जा सकती हैं या नहीं.

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	मजलिस आम का सेशन साल भर में दो मर्तबा मुनअकिद किया जाया करे.	त्रिम्बक दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.	
२	जो ठहराव मजलिस आम से मंजूर हो वह मिस्ल गवर्नमेन्ट रेजोल्यूशन तसव्वुर किया जावे.	हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.	
३	तजवीज मुन्दर्जे एजेन्डा का फैसला कसरत राय से किया जावेगा. मसावी राय की सूरत में प्रेसीडेन्ट साहब कास्टिंग वोट देने के मजाज होंगे.	हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.	
४	जैसा कि हर कमेटी में से एक मेम्बर मजलिस आम के वास्ते चुनाव किया जाता है इसी तरह हर एक मन्डी कमेटी में से भी एक मेम्बर लिया जाना मुनासिब है.	प्यारेलाल साहब, मुरैना.	
५	कोई सवाल मजलिस आम में पेश न करने की या मजलिस आम से पास होने पर उसको नामंजूर फरमाने की वजूहात गवर्नमेन्ट की जानिब से जाहिर फरमा दी जाया करें.	त्रिम्बक दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.	
६	एक सब-कमेटी जेर सिदारत लॉ मेम्बर साहब मुकर्रर फरमाई जावे जो मजलिस आम के गुजिश्ता ६ साला काम (working) को मद्देनजर रखकर इस बाबत तजवीज पेश करे कि इस मजलिस को ज्यादा मुफीद बनाने के लिये कवाअद मजलिस आम में क्या तब्दीलियां करना जरूरी हैं.	जगमोहनलाल साहब श्रीवास्तव, वकील, भिन्ड.	
	जब कभी मजलिस हाजा से कोई कमीशन या कमेटी कायम किये जाने की तजवीज पास होकर गवर्नमेन्ट उसको मंजूर फरमावे तो ऐसी कमेटी या कमीशन को रिपोर्ट पेश करने के लिये गवर्नमेन्ट एक खास मुद्दत मुकर्रर फरमा दिया करे और वह रिपोर्ट मुरत्तिब हो जाने पर मजलिस हाजा में मुबाहिसे के लिये रखी जाया करे.	बटुकप्रसाद साहब मिश्र, उज्जैन.	

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
*८	मेम्बरान मजलिस आम को मुतअल्लिक बजट और एडमिनिस्ट्रेशन तजवीज पेश करने का इख्तियार दिया जावे.	हीरालाल साहब, वकील शाजापुर.	
*९	दफा २२, कवाअद मजलिस आम, में इजाफा किया जाकर दीगर मुहकमेजात गवर्नमेन्ट की बाबत भी मुआम्लात मजलिस आम में पेश करने का हक मेम्बरान मजलिस आम को अता फरमाया जावे.	त्रिम्बक दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.	

*यह तजावीज बरूय सप्लीमेन्ट्री एजेन्डा मतबुआ ग्वालियर गवर्नमेन्ट गजट तारीख १७ मार्च सन १९२८ ई० इस जमीमे में शामिल की गई.

जमीमा नंबर २.

रिपोर्ट सब-कमेटी जो इस गरज से मजलिस आम ने कायम की थी कि वह Co-operative बैंक्स व सोसाइटीज के सूद के मसले पर गौर करे.

इजलास कमेटी का तारीख २८ व ३१ मार्च को हुआ.

हाजरीन.

मेम्बरान कमेटी.

Offg. Finance Member.

2. Ram Rao Gopal Deshpande.
3. Jagmohan Lal.
4. Shyamrao Narainrao Deshmukh.
5. Batuk Parshad Misra.
6. Trimbak Damodar Pustake.
7. Chhaganlal.

रिपोर्ट सब-कमेटी.

कमेटी हाजा की राय के लिये हस्ब जैल दो सवालात सपुर्द हुए हैं:—

(१) जिस शरह से सूद को-ऑपरेटिव में इस वक्त वसूल होता है उसमें किसी कमी की जरूरत है ? अगर है, तो किस कदर ?

(२) शरह तावान में किसी कमी की जरूरत है ? अगर है तो किस कदर ?

कमेटी हाजा ने उन तमाम figures को बगौर study किया जो महकमे को-ऑपरेटिव की तरफ से बतलाई गई जिनसे को-ऑपरेटिव सोसायटीज के मौजूदा वरकिंग पर काफी रोशनी पड़ती है. बाद कामिल बहस व गौर के हम लोग हस्ब जैल नतीजे पर पहुंचे हैं:—

निस्बत शरह सूद.

कर्जा दो किस्म का दिया जाता है:—

(१) शख्सी, (२) सोसायटीज को.

निस्बत किस्म अव्वल—इस वक्त १॥~) फी सदी माहवार सूद लिया जाता है. चूंकि इस किस्म का कर्जा आम तौर पर कम दिया जाता है और उसूलन इस किस्म के कर्जे को discourage करने की जरूरत है, ताकि लोग सोसायटीज में शरीक होने के लिये रागिब हों, पस शरह मुरव्विजा में कमी करना हम जरूरी ख्याल नहीं करते. अलावा अजीं हमको यह भी मालूम हुआ है कि इस किस्म का कर्जा आयन्दा कतई न दिया जावे, इस बाबत कौन्सिल आलिया में तजवीज पेश है. अगर यह तजवीज मंजूर होगई तो इस सवाल की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी.

कर्जेजात किस्म दोयम के सूद का सवाल खाली अज दिक्कत नहीं है. हालत मौजूदा यह है कि मेम्बरान से सूद ब शरह १।) रु० फी सदी माहवार लिया जाकर १) रु० फी सदी बैंक मुतअल्लिका की आमदनी में जमा होता है और ।) फी सदी मेम्बरान के रिजर्व फंड में जमा होता है जिससे उनकी पूंजी लाजमी तौर पर बनती जाती है ऐसी पूंजी का रुपया इस वक्त कुल रियासत में तकरीबन १३ लाख जमा हो गया है. जो सरमाया मेम्बरान है उससे बैंक या गवर्नमेन्ट का कोई ताल्लुक नहीं. बैंक में जो सूद एक रुपया फी सदी माहवार आता है उसमें ॥) फी सदी माहवार (६ रु० सालाना) उस रुपये पर सूद गवर्नमेन्ट को देना पडता है जो बैंक में लगा हुआ है और बकिया ६) रु० फी सदी में से बैंक अपने इखराजात व डिव्हीडेन्ड वगैरा को मीट करती है. गवर्नमेन्ट को जिस कदर सूद ६) फी सदी से आता है उसमें से महकमे को-ऑपरेटिव के अमले के बजट सालाना की रकम मुजरा करके तकरीबन डेढ फी सदी गवर्नमेन्ट को मुनाफा बचता है. इस मुख्तसिर कैफियत से यह अम्र बखूबी रोशन होजाता है कि जिस कदर सूद काश्तकारान से वसूल होता है उससे तीन एजेन्सीज, यानी सोसायटीज, बैंक व गवर्नमेन्ट का महकमा को-ऑपरेटिव चल रहे हैं.

कहा यह जाता है कि साहूकार लोग दो रुपये फी सदी तक सूद लेते हैं, पस ब मुकाबले उसके १।) रु० शरह ज्यादा नहीं है. मगर साहूकारान कानूनन १) रुपये से ज्यादा सूद नहीं पा सकते और काश्तकारों से कर्जा वसूली में जो सहूलियतें महकमे को-ऑपरेटिव को हासिल हैं वह साहूकारान को नहीं है, और साहूकारान से कर्जा हासिल करने में जो सहूलियत व वक्त की किफायत काश्तकारान को मिलती है वह को-ऑपरेटिव से कर्जा हासिल करने में उसके जाब्ते की तामील की वजह से) नहीं मिल सकती. अलावा अजीं को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट काश्तकारों की हालत व आदात सुधारने के लिये कायम हुई है और साहूकारान के लिये कहा जाता है कि वह काश्तकारान को चूसते हैं. इन तमाम वजूहात से साहूकारी शरह से सूद से मुकाबला करना हमारी राय में वाजिब नहीं हैं.

शरह सूद कायम करने में एक और फेक्टर (factor) है जिस पर हम लोगों की तवज्जुह दिलाई गई है और वह यह है कि मारकेट में शरह सूद क्या है इसका मुकाबला किया जावे. हमारी राय में यह फैक्टर (factor) उस वक्त काबिल लिहाज होता जब कि महज बिजनेस (Business) नुक्ते नजर पर इस महकमे की बुनियाद होती और open competition में इसका कारोबार किया जाता. जबकि काश्तकारों की हालत सुधारने के लिये special privileges के साथ इस मूवमेन्ट को गवर्नमेन्ट ने हाथ में लिया है, ऐसी सूरत में बाजारी शरह से मुकाबला करना गैर जरूरी हो जाता है और उस शरह से बहुत कम शरह सूद कायम करना लाजिम आता है.

सम्वत १९८२ तक एग्रीकलचर बैंक्स जारी थे. उनसे ६) रुपये फी सदी सालाना पर कर्जा मिलता था. उसके मुकाबले में मौजूदा शरह ज्यादा है इससे इन्कार नहीं हो सकता. जब कम शरह सूद पर कर्जा देने वाली एक सरकारी एजेन्सी कायम थी तो उसको शिकस्त करके ज्यादा शरह सूद पर कर्जा देने वाली दूसरी एजेन्सी के कायम हो जाने से लोगों को चिल्लाने का मौका कुदरती तौर पर मिल गया है. खुसूसन इस वजह से कि इस मूवमेन्ट के साइड बाई साइड (side by side) कोई दूसरी एजेन्सी ऐसी नहीं रही जिससे कर्जा मिल सके क्योंकि को-ऑपरेटिव बैंक को हक तरजीह होने से साहूकारान कर्जा देना दिन ब दिन कम कर रहे हैं. इस वजह से यह मूवमेन्ट competition के दायरे से खुद ब खुद आजाद हो गई और अब काश्तकारान इसी एजेन्सी से कर्जा लेने पर रागिब होते जाते हैं. इस मूवमेन्ट से काश्तकारान की माली हालत में नुमाया फर्क पैदा हुआ हो यह यकीनी तौर पर इस वक्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस तबके की गिरी हुई हालत को मदद देने वाली ऐसी बहुतसी attending circumstances

हैं जो इस मूवमेन्ट के दायरे से बाहर हैं. ।) फी सदी से जो फन्ड बन रहा है उससे फायदा वाकई उठाने का जमाना अभी दूर है, इसलिये उस उम्मेद की झलक पर मौजूदा शरह सूद का बार कायम रखना काश्तकारान की हालत सुधारने में वाकई मदद नहीं देगा.

दरबार ने अज राह फैयाजी व काश्तकार परवरी महक्मा हाजा जारी किया है, मगर वाकयात मुन्दर्जे बाला पर नजर डालते हुये यह कहना बेजा न होगा कि जैसा चाहिये वैसा फायदा काश्तकारान को इस वक्त तक नहीं मिला है, पस हम लोग हस्ब जैल सिफारिश करने पर मजबूर हुये हैं कि: —

(अ) काश्तकारान से बजाय १५) के १२) फी सदी सालाना (१ रुपया माहवार) सूद वसूल किया जावे. उसमें से २॥) फी सदी (बजाय ३ रुपये के) रिझर्व फंड में रखा जाकर ९॥) फी सदी सूद बैंक को दिया जावे.

(ब) बैंक्स ९॥) फी सदी में से ५॥) फी सदी में अपना कुल सर्फा meet करें और ४) फी सदी सूद गवर्नमेन्ट को दिया करें. अपने रुपये पर गवर्नमेन्ट बजाय ६) के ४) फीसदी सूद लेने पर इक्तफा करे. २) फीसदी की कमी की वजह से अगर महकमे को-ऑपरेटिव के बजट का खर्चा पूरा न होता हो तो उसको गवर्नमेन्ट खुद बरदाश्त फरमावे, क्योंकि हालत काश्तकारान की सुधारने में जो रुपया गवर्नमेन्ट को लगाना पडेगा उस पर सरेदस्त गवर्नमेन्ट को कुछ मुनाफा न हो, मगर बिल आखिर गवर्नमेन्ट को बहुत फायदा पहुंचेगा. दीगर डिव्हलपमेंट डिपार्टमेन्ट, मसलन एग्रीकलचर ऐसे भी हैं जिनका सर्फा एक हद तक गवर्नमेन्ट बरदाश्त कर रही है. अलावे बरीं दरबार के यह अम्र भी गौर के काबिल है कि इस महकमे को इतना top heavy रखने की कहां तक जरूरत है, खुसूसन उस हालत में जबकि बैंकहाय इन्तजाम की बाबत ६) फीसदी खर्चा करते हैं जिसका नतीजा यह है कि ६) रु. बैंकहाय के व करीब ४॥) रु. फीसदी गवर्नमेन्ट के जुमला १०॥) रु. फीसदी इस money lending concern के इन्तजाम पर खर्च हो रहा है.

इस तरह मौजूदा तरीके में थोडी सी तरमीम कर देने से हम को उम्मीद है कि कुल काम ठीक तौर पर adjust हो जावेगा और काश्तकारान को भी कुछ substantial रिआयत मिल जावेगी. जो शरह हमने तजवीज की है वह हमेशा के लिये नहीं है बल्कि आयन्दा वक्त जरूरत उसमें रद्दो बदल किया जा सकता है. बहर हाल सरेदस्त इस पर अमल करने से सूद की शिकायत एक गूना रफे हो सकती है.

निस्बत तावान.

महक्मे से जाहिर किया गया है कि तावान लेना लाजमी नहीं है और जो शरह रखी गई है वह maximum है, उतना वसूल ही किया जावे ऐसा जरूरी नहीं है. इस बाबत एहकाम जारी हो चुके हैं और ऐसा अमल भी होता है, ताहम तावान की इन्तहाई शरह सूद भी शरह से ज्यादा नहीं होना चाहिये. पस हमारी सिफारिश है कि तावान की इन्तहाई शरह १) फीसदी माहवार रखी जावे.
तारीख १ अप्रेल सन १९२८ ई०.

दस्तखत रामराव गोपाल देशपांडे.
,, जगमोहनलाल.
,, श्यामराव नारायण देशमुख.
,, बटुकप्रसाद मिश्र.
,, त्रिम्बकराव दामोदर पुस्तके.

डिसेन्ट नोट.

कमेटी की राय निस्बत शरह सूद शख्सी कर्जा व तावानी सूद से मुझको इत्तफाक है.

कमेटी की बकिया राय से मुझे इत्तफाक नहीं है. Co-operative movement दर असल रिआयत का सीगा नहीं है बल्कि उसमें रिआयत business methods के साथ मिली हुई है, इसलिये business line को कतई नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता. गवर्नमेन्ट से ४ रुपये फीसदी पर रुपया देना ठीक न होगा. अव्वल तो परता नहीं पड सकता, दूसरे market में ६ रुपये फीसदी पर भी deposit नहीं मिल सकता. अगर कम सूद पर गवर्नमेन्ट से रुपया दिया गया तो इसके मानी यह हैं कि यह movement किसी वक्त भी public के हाथ में नहीं जा सकती. इसी तरह दूसरी जगह जो कमी बताई गई है वह भी इस वक्त मुमकिन नहीं है. गवर्नमेन्ट काफी बार उठा रही है और बमुकाबले बाजारी शरह के कम सूद पर रुपया दे रही है. Guidance के वास्ते काफी अमला रखा जाता है. अब इससे ज्यादा मदद देना यह मानी रखता है कि हमेशा के वास्ते spouse feeding policy इख्तियार करना है जिससे रिआया आप अपने पैरों पर खडी ही न हो सकेगी और यह spouse feeding सिर्फ थोडी तादाद को फायदा पहुंचायेगी, यानी उन लोगों को जो Co-operative movement में शामिल हों. ज्यादा हिस्सा जो साहूकारों से लेनदेन करेगा वह तो जैसा का तैसा रहेगा. कुल सिफारिश गलत नुकते ख्याल पर मबनी है. इस movement का जो उसूल है, यानी आयन्दा का सुधार, उसका कुछ ख्याल न करके सिर्फ मौजूदा मफाद (वह भी गलत comparison पर base करके) का ख्याल किया गया है. फायदे की बुनियाद पड गई है, पूरा फल तो देर में मिलता ही है, बेसबरी से काम नहीं चलता.

Management top heavy नहीं है, बल्कि बहुत कम अमला है. अमले की कमी की वजह से Propaganda का work suffer होता है.

बहस तो बहुत तवील है, मगर मुख्तसरन salient वजूह दर्ज कर दिये गये हैं जिन की वजह से Committee की राय से कतई इख्तिलाफ है.

(Sd) By,
जयगोपाल अस्ठाना.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार.

सेशन आठवां.

सम्वत १९८५.

Alijah Darbar Press.—Gwalior.

लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, हुजूर दरबार.

प्रोसीडिंग्ज मजलिस आम, गवालियार.

सम्वत १९८५.

सेशन आठवां.

शुक्रवार, तारीख २६ अप्रेल सन १९२९ ई०,
मुकाम लश्कर, मोतीमहल, कौन्सिल हॉल.

हाजरीन इजलास.

प्रेसीडेन्ट.

१. लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सरदार सर आपाजीराव साहब सीतोले, अमीरुल-उमरा, सी. आई. ई., रेवेन्यू मेम्बर (वाइस-प्रेसीडेन्ट कौन्सिल)

ऑफिशियल मेम्बरान.

२. पंडित कैलाशनारायन साहब हक्सर, सी. आई. ई., मुशीरे खास बहादुर, पोलिटिकल मेम्बर.

३. मेजर-जनरल सरदार रावराजा गणपतराव रघुनाथ साहब राजवाडे, सी. बी. ई., मुशीरे खास बहादुर, शौकत जंग, आर्मी मेम्बर.

४. श्रीमन्त सदाशिवराव खासे साहब पवार, होम मेम्बर.

५. राव बहादुर रावजी जनार्दन साहब भिंडे, मुन्तजिम बहादुर, फाइनेन्स मेम्बर.

६. अब्दुल करीमखां साहब, उम्दतुलमुल्क, मेम्बर फॉर लॉ एन्ड जस्टिस.

७. सरदार साहबजादा सुलतान अहमदखां साहब, मुन्तजिमुद्दौला, अपील मेम्बर.

८. राव बहादुर बापूराव साहब पवार, मेम्बर फॉर एग्रीकलचर.

९. राव साहब लक्ष्मणराव भास्कर मुले, मेम्बर फॉर एज्यूकेशन एन्ड म्युनिसिपेलिटीज.

नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान.

(मेम्बरान मजलिस कानून).

१०. राव बहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब, जागीरदार, ढाबलाधीर.

११. राजा भवानीसिंह साहब, श्योपुर बडौदा.

१२. राव माधवसिंह साहब, नरवर (उज्जैन).

१३. खां साहब सेठ लुकमान भाई, उज्जैन.

१४. शंकरराव विट्ठल कदम कतरणीकर, लश्कर.

(मेम्बरान मजलिस आम).

१.—रिप्रेजेन्टेटिंग्ज जिला बोर्ड्स.

(१) जिला बोर्ड, गिर्द-ग्वालियार.

१५. देवलाल साहब वल्द लालहंस, जमींदार मौजा दोरार, परगना मस्तूरा.

१६. नारायणदास साहब वल्द मुन्नालाल, साहूकार, लश्कर.

(२) जिला बोर्ड, भिन्ड.

१७. विश्वेश्वरसिंह साहब वल्द ठाकुर खरगजीतसिंह, मौजा मुरतरी, परगना महगवां

१८. मानिकचन्द साहब वल्द बिरदीचन्द ओसवाल , साहूकार, भिन्ड.

(३) जिला बोर्ड, तवरघार.

१९. प्यारेलाल साहब वल्द गिरवरलाल, वैश्य, मुरैना.

२०. सोहनपालसिंह साहब वल्द राजधरसिंह, ठाकुर, साकिन राजा का तोर, परगना सबलगढ

(४) जिला बोर्ड, श्योपुर

२१. महादेवराव साहब गोविन्द, जमींदार, श्योपुर.

२२. कन्हैयालाल साहब वल्द बल्देव, जमींदार, साकिन कस्बा बिजेपुर.

(५) जिला बोर्ड, नरवर.

२३. बल्लूराम साहब मेहेला, जमींदार, चंदनपुरा.

(६) जिला बोर्ड, ईसागढ.

२४. मूंगालाल साहब बीजावर्गी, साकिन बजरंगढ.

(७) जिला बोर्ड, भेलसा.

२५. बलवंतराव साहब वल्द जयवंतराव बागरीवाले, भेलसा.

२६. सखाराम पंत साहब वल्द घनश्यामराव निगुडकर, जमींदार.

(८) जिला बोर्ड, शाजापुर.

२७. श्यामराव नारायण साहब देशमुख, मालगुजार, कालापीपल, परगना शुजालपुर.

२८. केसरीचन्द साहब वल्द जमनादास महाजन, शाजापुर.

(९) जिला बोर्ड, उज्जैन.

२९. गजाननराव साहब वल्द गोविन्दराव करवडे, जमींदार मौजा कजलाना, परगना बडनगर.

३०. छगनलाल साहब वल्द बापूजी, चौधरी, साकिन बडनगर.

(१०) जिला बोर्ड, मन्दसौर.

३१. गणेशनारायण साहब साहूकार, कारखानेदार, गंगापुर, जिला मन्दसौर

(११) जिला बोर्ड, अमझेरा.

३२. केशवराव साहब बापूजी, जमींदार, साकिन मनावर.

२.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज म्युनिसिपेलिटीज व टाउन कमेटीज.

(१) म्युनिसिपल बोर्ड, लश्कर.

३३. चौधरी नवाबअली साहब वकील, तारागंज, लश्कर.

(२) म्युनिसिपल कमेटी, शिवपुरी.

३४. सेठ टोडरमल साहब वल्द तेजमल, वैश्य, शिवपुरी.

(३) म्युनिसिपल कमेटी, भिन्ड.

३५ जगमोहनलाल साहब वल्द गोपालसहाय श्रीवास्तव, वकील, भिन्ड.

(४) म्युनिसिपल कमेटी, मुरैना.

३६. बन्सीधर साहब वल्द नारायणदास, वैश्य, मुरैना.

(५) म्युनिसिपल कमेटी, भेलसा.

३७. लक्ष्मीप्रसाद साहब माथुर, बासौदा.

(६) म्युनिसिपल कमेटी, गुना.

३८. अनिरुद्धसहाय साहब, वकील, गुना.

(७) म्युनिसिपल कमेटी, शाजापुर.

३९. हीरालाल साहब, वकील, शाजापुर.

(८) म्युनिसिपल बोर्ड, उज्जैन.

४०. बटुकप्रसाद साहब, वकील, उज्जैन.

(९) म्युनिसिपल बोर्ड, मन्दसौर.

४१. गुरूदयाल साहब भार्गव, वकील, मन्दसौर.

(१०) म्युनिसिपल कमेटी, सरदारपुर.

४२. सय्यद आलेअली साहब वल्द सय्यद खादिमअली, वकील, सरदारपुर.

३.—रिप्रेजेन्टेटिव्ज औकाफ कमेटीज.

(१) औकाफ कमेटीज, प्रान्त गवालियार.

४३. गोविन्दप्रसाद साहब वल्द सुखवासीलाल, भिन्ड.

(२) औकाफ कमेटीज, प्रान्त मालवा.

४४. धुंडीराज कृष्ण साहब अष्टेवाले, उज्जैन.

४—रिप्रेजेन्टेटिव्ज बोर्ड्स साहूकारान.

(१) बोर्ड्स साहूकारान, प्रान्त गवालियार.

४५. मिट्ठनलाल साहब, मुरैना.

(२) बोर्ड्स साहूकारान, प्रान्त ईसागढ.

४६. बागमल साहब, गुना.

५—रिप्रेजेन्टेटिव्ज जागीरदार साहबान.

(१) जागीरदार साहबान, प्रान्त मालवा.

४७. ठाकुर रघुनाथसिंह साहब, इस्तमुरारदार, साकिन चिरौला, परगना बडनगर.

(२) जागीरदार साहबान, खास लश्कर.

४८. सरदार चन्द्रोजीराव सम्भाजीराव साहब आंग्रे, वजारत मुआब, सवाई सरखेल बहादुर, साकिन लश्कर.

६—रिप्रेजेन्टेटिव्ज दीगर जमाअतहाय.

(१) चेम्बर ऑफ कॉमर्स, लश्कर.

४९. हीराचन्द साहब, मालिक दूकान सदासुख हीराचन्द, लश्कर.

(२) चेम्बर ऑफ कॉमर्स, उज्जैन.

५०. सेठ छोटमलजी साहब वल्द उदैचन्दजी, उज्जैन.

(३) बार ऐसोसियेशन, लश्कर.

५१. मुहम्मद अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी, वकील, लश्कर.

(४) बार ऐसोसियेशन उज्जैन.

५२. गोविन्दराव चिन्तामण साहब वाटवे, वकील, उज्जैन.

(५) आश्रित मंडली.

५३. रामेश्वर शास्त्री साहब, आयुर्वेदाचार्य, लश्कर.

(६) अंजुमन इस्लाम.

५४. हाफिज ऐहसानउल्लाखां साहब, वकील, माधवगंज, लश्कर.

(७) रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स.

५५. त्रिम्बकराव दामोदर साहब पुस्तके, वकील, उज्जैन.

कार्रवाई इजलास.

इजलास मजलिस १२ बजे शुरू हुआ.

प्रेसीडेन्ट साहब के कुर्सिये सिदारत पर रौनक अफरोज होने के बाद मुन्दर्जे जैल मुन्तखिबशुदा मेम्बरान से हलफ लिये गये और उनको हस्ब कायदा मुकर्ररा, खिलअत अता किये गये:—

१. राव माधवसिंह साहब, जागीरदार नरवर, परगना व जिला उज्जैन, नॉन-ऑफिशियल मेम्बर मजलिस कानून.

२. शंकरराव विठ्ठल कदम कतरणीकर साहब, चक्दार लश्कर, नॉन-ऑफिशियल मेम्बर मजलिस कानून.

३. बागमल साहब, मेम्बर मजलिस आम, गुना.

४. हीराचन्द साहब, मेम्बर मजलिस आम, साकिन सराफा लश्कर.

नोट.—इसके बाद प्रेसीडेन्ट साहब की हस्ब जैल इफ्तताही स्पीच हुई:—

प्रेसीडेन्ट साहब—साहबान ! मजलिस आम का मौजूदा इजलास मजलिस की कायमी की तारीख से आठवां और कौन्सिल ऑफ् ऐडमिनिस्ट्रेशन के जमाने का चौथा इजलास है.

२. अगर्चे पिछले इजलासों की प्रोसीडिंग्स शाया हो चुकी हैं लेकिन मैं जमाने कौन्सिल की कार्रवाई पर एक मुख्तसिर review पेश करने की इजाजत चाहता हूं ताकि एक नजर में इस बात का अन्दाजा हो सके कि बाहमी इम्दाद और इत्तफाक से किस कदर मुफीद नतीजे पैदा हो सकते हैं.

३. गुजिश्ता तीन इजलासों में गवर्नमेन्ट की जानिब से ९ सवालात मजलिस के नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान की राय के इजहार के वास्ते पेश किये गये थे और नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान की पेशकर्दा ७९ तजावीज पर गौर किया गया था. इनके अलावा १९ तजवीजें नॉन ऑफिशियल मेम्बर साहबान की पेशकर्दा ऐसी थीं जिनमें मुबाहिसे की जरूरत महसूस नहीं की गई लेकिन उनके मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट की जानिब से मजलिस की इत्तला के लिये कैफियत का इजहार किया गया.

४. मिनजुम्ला ९ सवालात के जो गवर्नमेन्ट ने मजलिस के मशवरे के वास्ते पेश किये थे, सिर्फ ३ सवालात बाद हुसूल मशवरा मजलिस ऐसे पाये गये जिनमें action लिया जाना जरूरी मालूम हुआ. जिन ३ सवालात की बाबत कार्रवाई की गई वह यह हैं:—

(१) लावारिस और बेकार मवेशी की परवरिश.

(२) आबपाशी की गरज से तालाब या नहरों से पानी की मांग बेवक्त किये जाने की सूरत में आबयाने की शरह का ताय्युन.

(३) कम उम्र में शादी की मुमानियत.

५. सवालात मजकूर के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट ने मजलिस की सिफारिश के मुताबिक कार्रवाई की है यानी बेकार मवेशी की परवरिश का जो तरीका मजलिस ने मंजूर किया वही कौन्सिल से कायम रखा गया और खिलाफ वक्त पानी की मांग होने की सूरत में आबयाने की शरह का ताय्युन बजाय ५० फी सदी के, जैसा महकमे ने तजवीज किया था, १० फी सदी मुकर्रर किया, जैसी कि मजलिस ने सिफारिश की थी. तीसरे सवाल के मुतअल्लिक मजलिस ने एक कमेटी के तकर्रुर की राय दी थी. चुनांचे इस राय को कौन्सिल ने मन्जूर किया और मामला जेर गौर कमेटी है.

६. जो ६ सवाल बाकी रहे उनमें एक सवाल यह था कि untrained दाइयों के काम की रोक सन १९३१ ई० से की जाये. मजलिस ने इस तजवीज को कबूल किया था लेकिन कौन्सिल ने इस मामले को सन १९३१ ई० में फिर पेश किये जाने का हुक्म दिया है. दो सवालात महज discussion के वास्ते पेश किये गये थे और उनके मुतअल्लिक मजलिस का कोई खास या आम ठहराव नहीं था. कौन्सिल से यह दोनों सवालात बाद गौर दाखिल दफ्तर किये गये. बाकी ३ सवालात मजालिस आम ने drop कर दिये और कौन्सिल ने भी मजलिस के मशवरे के मुताबिक उनके मुतअल्लिक कोई मजीद कार्रवाई नहीं की.

७. जो कुछ मैंने अभी बयान किया है उससे जाहिर होगा कि गवर्नमेन्ट की जानिब से जितनी तजवीजें मजलिस के इजहार राय के वास्ते पेश हुई थीं उनके मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट की कुल कार्रवाई मजालिस के मशवरे पर मबनी रही है.

८. नॉन ऑफिशियल मेम्बर साहबान की उन तजावीज की तादाद, जिन पर मजलिस ने गौर किया, ७९ थी. इस तादाद में से ५१ तजवीजें या तो खुद मुजव्विज साहबान ने वापिस ले लीं या मजलिस ने नामन्जूर कीं. बाकी २८ तजवीजें ऐसी रह गई जिनकी बाबत मजलिस से ठहराव हुवे और वह गवर्नमेन्ट की खिदमत में सिदूर हुक्म के वास्ते पेश की गईं.

९. इन २८ तजवीजों में से सिर्फ ५ तजवीजों के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट को मजलिस की राय से इत्तफाक की नौबत नहीं पहुची. गवर्नमेन्ट अपनी राय की वजूह को शाया कर चुकी है. उनका इस मौके पर फिर बयान करना बायस तवालत होगा. मैं यहां तजावीज मजकूर का हवाला देना काफी समझता हूं. साहबान मजलिस उनके मजमून से ही कयास कर सकेंगे कि वह तजावीज ऐसी अहम तजावीज भी न थीं जो खास या आम तौर पर कोई अहम असर रखने वाली हों. वह तजावीज यह थीं:—

(१) खेल तमाशों की इजाजत का इख्तियार म्युनिसिपेलिटियों को दिया जावे.

(२) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों का इन्तखाब बजाय ६ साल के ३ साल में हुवा करे.

(३) जमींदारों की खुदकाश्त के हुकूक के मुतअल्लिक कानून माल में तरमीम की जाय.

(४) अजलाय की म्युनिसिपेलिटियों में प्रेसीडेन्ट की अदम मौजूदगी में व्हाइस प्रेसीडेन्ट, इख्तियार प्रेसीडेन्ट अमल में लाया करें.

(५) गौशाला की इमदाद के लिये फन्ड कायम किया जावे.

१०. बाकी २३ तजवीजों में से एक तजवीज यह थी कि सरकार में जो सामान खरीद किया जावे वह locally खरीद किया जावे. चूंकि supply of stores के मुतअल्लिक एक स्कीम दरपेश थी इसलिये इस तजवीज के मुतअल्लिक किसी मजीद हुक्म या कार्रवाई की जरूरत नहीं समझी गई. दो तजवीजों के मुतअल्लिक तहकीकात (enquiries) का हुक्म दिया गया है. तहकीकात का जो नतीजा होगा उस पर गौर किया जाकर उन तजवीजों के बारे में फैसला किया जावेगा. गोया यह दो तजवीजें हिनोज pending हैं, एक तो मोटर्स किराये पर चलाने की monopoly के मुतअल्लिक है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट बैंक्स की शरह सूद के मुतअल्लिक.

११. इस तौर से ५ और ३ जुम्ला ८ तजवीजों को अलहदा करके २० तजावीज रहती हैं और उन २० तजावीज के सिलसिले में मजलिस ने जो सिफारिशें की थीं वह सब कौन्सिल से मंजूर हुई हैं. इन मंजूरशुदा तजवीजों में से बाज की तामील हो चुकी है और बाज में कार्रवाई तकमील जारी है. मिसाल के तौर पर मैं चन्द ऐसी तजावीज का जिक्र करता हूं जिनकी अहमियत किसी सबूत की मोहताज नहीं है.

(१) Cottage industries के मुतअल्लिक कमीशन मुकर्रर कर दिया गया है.

(२) स्टाम्प ड्यूटी को revise करने के लिये कमेटी मुकर्रर की गई जिसकी रिपोर्ट जेर गौर कौन्सिल है.

(३) Brothels यानी बदचलन औरतों और मर्दों के इकट्ठा होने के अड्डे नाजायज करार दे दिये गये.

(४) तब्दील मजहब के मुतअल्लिक कानून का मुसव्विदा तरतीब पाचुका है और अनकरीब मजलिस कानून में गौर के वास्ते पेश होगा.

(५) अय्याम त्योहार में अशियाय मुनश्शी की दूकानात बंद रहने का इन्तजाम किया गया है.

(६) अय्याम दिवाली में शारे आम पर जुआ खेलना नाजायज करार दिया गया है.

(७) कवायद मन्डीहाय को revise किये जाने की हिदायत दी गई है.

(८) नाइट स्कूल्स खोलने की तजवीज पर अमल करने की कारवाई जारी है.

(९) कानून म्युनिसिपेलिटीहाय को revise किये जाने की कार्रवाई जारी कर दी गई है.

१२. इन चन्द तजवीजों का जिक्र ही इस बात के जाहिर करने के लिये काफी है कि मजलिस की activities की नौइयत और वुसअत गुजिश्ता ३ सालों में क्या रही है. साहबान! अक्सर उमूर ऐसे होते हैं कि जिनमें बगैर पब्लिक की इम्दाद के गवर्नमेन्ट का action जब्रिया मदाखलत समझा जा सकता है और वह सिर्फ पब्लिक के initiative या उनके मशवरे से तय पा सकते हैं. जो चन्द मिसालें मैंने बयान की हैं उसी किस्म के उमूर में से हैं और बहुत मुमकिन है कि अगर मजलिस के नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान उनके मुतअल्लिक अपने फरायज के सिलसिले में तहरीक न करते तो शायद गवर्नमेन्ट को उस बहबूदी और बहतरी के सामान मुहय्या करने का, जो तजावीज मुतजिक्रे सदर से मुतसव्विर हैं, अर्से तक मौका न मिलता.

१३. मैंने इस तमहीद की इस कदर तफसील के साथ इस मौके पर इस वजह से जरूरत महसूस की है कि गुजिश्ता साल की मजलिस में पेश होने के लिये चन्द तजवीजें ऐसी मौसूल हुई जिन पर मुबाहिसा मजलिस आम के मौजूदा काम और फरायज के दायरे से खारिज था और जिनके सिलसिले में ऐसे उमूर पैदा हो जाने का एहतमाल था जो इत्तफाक और यकजहती (Co-operation) के मुखालिफ असर रखते हैं.

१४. जिन उमूर का मैं अब जिक्र करता हूं वह ज्यादातर इस मजलिस के नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान के तरीक अमल से तअल्लुक रखते हैं. उम्मीद है कि साहबान तवज्जुह से सुनेंगे.

१५. मजलिस आम इस वक्त एक ऐसी जमाअत है जिसको गवर्नमेन्ट महाराजा साहब सिन्धिया ने बगरज हुसूल मशवरा कायम किया था. कौन्सिल के जमाने की रूयदाद, जहां तक इसका तअल्लुक मजलिस आम से है, मैं अभी बयान कर चुका हूं. इस रूयदाद को देखकर मालूम किया जा सकता है कि मजलिस में किस नौइयत के मुआम्लात पेश हुए या मजलिस ने अपने advisory function को किस तरीक से अंजाम दिया या कौन्सिल ने मजलिस के मशवरों से क्या फायदा उठाया. बावजूद इसके यह बात ताज्जुब से खाली नहीं कि बहुत से नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान मजलिस की ही जानिब से इस ख्याल का इजहार किया गया है कि कौन्सिल ने मजलिस से कोई ऐसी इमदाद नहीं ली जिससे कौन्सिल को अपनी अमानत अदा करने में सहूलियत हुई हो.

१६. मेरे इल्म में यह बात आई है कि इस मजलिस के नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान ने एक जमाअत कायम की है जिसके मेम्बर सिर्फ इसी मजलिस के नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान हो सकते हैं. इस जमाअत की कायमी का जिक्र मैं किसी बहस या मुबाहिसे की गरज से नहीं करता बल्कि इस जमाअत के कवायद में से एक कायदे का हवाला देकर यह जाहिर करना चाहता हूं कि बाज उमूर जाहिर में सादा मालूम होते हैं मगर हकीकत में उनका असर बाज मखसूस हालत में किसी कदर मुजिर साबित हो सकता है, वह कायदा यह है कि " कसरत राय से पास किये हुये ठहराव की पाबन्दी हर मेम्बर पर लाजिमी होगी". यह एक बहुत सादा और मुरव्विजा आम कायदा है जो आम तौर से काबिल ऐतराज नहीं समझा जा सकता, लेकिन इसको मजलिस आम की कार्रवाई स मुतअल्लिक करके देखा जाय तो जाहिर होगा कि इस कायदे से क्या खिलाफ उम्मीद नतीजे पैदा हो सकते हैं. मजलिस आम का एजेन्डा मजलिस आम के इनइकाद से कम अज कम एक माह पेश्तर शाया हो जाता है, तो इस जमाअत को मौका हासिल है कि वह तजावीज मुन्दर्जे एजेन्डा के मुतअल्लिक मजलिस के इनइकाद के पेश्तर ही कसरत राय से ठहराव करे. जब मजलिस में कोई मसला पेश होता है तो मिन्जानिब गवर्नमेन्ट और मुजव्विज, उस मसले के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट के और मुजव्विज के points of view का इजहार किया जाता है और इन points of view के सिलसिले में मेम्बर साहबान को अपने अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिलता है. लेकिन जब जमाअत मजकूर के मेम्बरान, मुजव्विज और खुसूसन गवर्नमेन्ट के points of view के सुनने से पेश्तर ही अपनी राय कायम करलें तो जाहिर है कि ऐसा तरीक अमल, आजादाना तबादला ख्यालात (free exchange of ideas) में बहुत हर्ज पैदा कर सकता है.

१७. दरबार का मकसद मुख्तालिफ जमाअतों को हक representation देने का यह भी था कि जमाअत अपने नुमायन्दों के तवस्सुत से आजादाना तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कर सके. लेकिन अगर मुख्तालिफ जमाअतों के नुमायन्दे अपने आपको इस तरह पाबन्द कर लेंगे तो दरबार की गरज किस तरह हासिल हो सकेगी? और अगर इस कायदे की पाबन्दी मेम्बर साहबान करेंगे तो यह सवाल पैदा होगा कि ऐसी हालत में बजाय मौजूदा मजलिस आम के, चन्द नुमायन्दगान हितकारिणी समिति को बुलाकर राय तलब करना काफी होगा. यह अम्र आप साहबान के खास गौर के काबिल है.

१८. साल गुजिश्ता में इस मजलिस के चन्द नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान ने कौन्सिल के हुजूर में एक अर्जदाश्त पेश की थी, जिसका मजमून इस मौके पर दोहराने की जरूरत नहीं है. यह अर्जदाश्त कौन्सिल के जेर

गौर थी और इसके फैसले की नौबत नहीं आई थी कि मुख्तलिफ मुकामात पर तहरीक होकर पब्लिक की जानिब से मीटिंग्ज कराई गई जिनमें इस अर्जदाश्त की ताईद में ठहराव पास किये गये.

१९. जिन मुकामात पर तहरीक की जाकर मीटिंग्ज की गई और ऐसी मीटिंग्ज में अर्जदाश्त को मंजूर करने के मुतअल्लिक ठहराव पास कराये गये उन मुकामात में से चन्द मुकामात के नाम यह हैं:—

बडनगर.	नीमच.	सोनकच्छ.
जावद.	सरदारपुर.	गुना.
शुजालपुर.	श्योपुर.	शाजापुर.

२०. इन मुकामात में से बहुत से मुकामात पर आम जल्से में अर्जदाश्त की ताईद में और उसके मन्जूर किये जाने के मुतअल्लिक जो ठहराव हुवे हैं वह उस जमाने में हुवे हैं जबकि टैरिफ कमीशन इन मुकामात पर पहुंच गया था. यह एक अजीब बात है और यह बजाहिर महज इत्तफाकिया नहीं मालूम होता कि इन मुकामात पर इस किस्म के जल्से उन्हीं अय्याम में हुये जबकि टैरिफ कमीशन ब सिलसिले तहकीकात उन मुकामात पर पहुंचा. ज्यादातर मीटिंग्ज उसी रोज हुई जिस रोज टैरिफ कमीशन के मेम्बर साहबान उन मुकामात पर पहुंचे. टैरिफ कमीशन खास किस्म की तहकीकात के लिये मुकर्रर किया गया था. उसके दायरे तहकीकात से और मेम्बर साहबान मजलिस आम की अर्जदाश्त से बजाहिर कोई तअल्लुक न था. एक अम्र यह जरूर जहन में आता है कि इस टैरिफ कमीशन में दो मेम्बर साहबान ऐसे थे जो अर्जदाश्त के पेश करने में शरीक थे. क्या तअज्जुब है कि इन साहबान की मौजूदगी से उन मुकामात के बाशिन्दगान को तहरीक करने का ख्याल पैदा हुवा हो. ऐसे जल्सों के ठहराव कहां तक आजादाना ख्याल और पब्लिक के असली जज्बात का नतीजा समझे जायेंगे और किस वकअत और अजमत की निगाह से देखे जायेंगे, मोहताज बयान नहीं.

२१. अलावा इसके कवायद मजलिस आम के मुताबिक मजलिस आम के लिये तारीख ३१ अक्टूबर तक तजावीज मिन्जानिब नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान आ जाना जरूरी है. चुनांचे सन १९२८ ई० में इस तारीख तक चन्द मेम्बर साहबान की तजावीज लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट में आ चुकी थीं जिनमें से खास शाजापुर के एक मेम्बर साहब की ८३ तजावीज थीं और जिला शाजापुर के एक दीगर मेम्बर साहब की १२ तजावीज थीं लेकिन बादहू ८३ तजावीज भेजने वाले मेम्बर साहब ने अपनी तहरीर तारीखी ४ दिसम्बर सन १९२८ ई० के जर्ये से यह लिखा कि हम नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान मजलिस आम ने गुजिश्ता मजलिस आम में एक अर्जदाश्त पेश की थी. इस अर्जदाश्त पर कौन्सिल आलिया से हनौज कोई

इल्तफात नहीं फरमाया गया है इसलिये भेजी हुई तजावीज मजालिस आम में पेश न की जावें. इसी तरह जिले शाजापुर के दूसरे मेम्बर साहब ने भी अपनी भेजी हुई तजावीज अपनी तहरीर तारीखी १४ दिसम्बर सन १९२८ ई० के जर्ये से यानी ५ योम बाद वापिस लीं लेकिन तजावीज वापिस लेने के मुतअल्लिक कोई वजह तहरीर नहीं की.

२२. जब यह तजावीज भेजी गई तब यकीनन तजावीज भेजने वाले मेम्बर साहबान का यह ख्याल था कि उनकी तजावीज इस अहमियत की हैं कि उन पर मजालिस आम में गौर होना चाहिये मगर समझ में नहीं आता कि वह अहमियत अर्जदाश्त पर हुक्म न होने की वजह से क्योंकर मादूम हो गई. अर्जदाश्त से और पेश की हुई तजावीज से क्या ताल्लुक था ? अर्जदाश्त के मजामीन और थे और यह तजावीज दीगर मजामीन से तअल्लुक रखँती थीं. इन तजावीज की अहमियत माह दिसम्बर में मादूम हो जाने के लिये क्या माकूल वजूह थे. दूसरे मेम्बर साहब ने तजावीज वापिस लेने की कोई वजह जाहिर नहीं की है मगर गालिबन इनके और दूसरे साहब के वजूह तजावीज वापिस लेने में ज्यादा मुख्तलिफ न थे. क्या इसकी यह वजह समझी जावे कि चूंकि अर्जदाश्त अर्से तक जेर तजवीज रही इसलिये इन साहबान ने यह तर्ज अमल इस ख्याल से इख्तियार किया कि वह भी अपने फरायज को अंजाम देने में कोताही करेंगे ? इस पर भी इक्तफा न करते हुये कौन्सिल के इल्म में यह बात मोतबिर जराये से आई है कि एजेन्डा गजट में शाया होने के बाद उन मेम्बरान को जिनकी तजावीज दर्ज एजेन्डा थीं तरगीब देने की कोशिश की गई कि वह अपनी तजावीज पेश न करें. क्या इन मेम्बर साहबान की यकजहती, यकदिली और Co-operation का यह नमूना है ? और अगर है तो आयन्दा इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है. क्या यह तर्ज अमल बैकुंठवासी महाराज की उन उम्मीदों का नतीजा है कि जिसका इजहार कवायद मजलिस आम की दफा ३६ में इस तरह पर किया गया है कि ऑफिशियल और नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान एकदिल होकर रियासत की सरसब्जी और बेहबूदी को अपनी मुश्तरका गरज समझ कर बांहमी इत्तफाक से काम करेंगे ? क्या यह साहबान भूले हैं कि उन्हों ने यह हलफ लिया है कि वह अपनी खिदमात वफादारी व ईमानदारी से अंजाम देंगे ? क्या यह तर्ज अमल इसका सबूत है कि वह साहबान अपने फरायज को वफादारी से अंजाम दे रहे हैं ? क्या तजावीज भेजकर महज इस बिना पर उनको वापिस लेना कि अर्जदाश्त का फैसला इस वक्त तक नहीं हुआ है एक वफादाराना अमल व सिलसिले अंजामदिही फरायज कहा जा सकता है ? क्या दीगर मेम्बरान मजलिस आम को इस बात की तरगीब देनी कि वह अपनी तजावीज पेश न करें और वापिस लें, जिसका

नतीजा सिर्फ यही हो सकता है कि मजलिस को एक मुर्दा जमाअत बनाया जाये, एक वफादाराना अमल है ? क्या तालीमयाफ्ता रिप्रेजेन्टेटिव्ज से यही उम्मीद की जा सकती है कि जिस जिम्मेदारी को परमेश्वर की कसम खाकर वफादारी व ईमानदारी से अंजाम देने का वायदा किया है इसी तरह पर अंजाम देंगे ? मैं इसके मुताल्लिक कुछ और ज्यादा कहना नहीं चाहता. आप ही साहबान इन्साफ से इसका फैसला करें. अगर आप को मेरी राय से इत्तफाक हो, जिसकी कि मुझे कवी उम्मीद है, तो आप साहबान अपने आपको उन लोगों से जिन्होंने तर्ज मुन्दर्जे बाला इख्तियार की है, बिला तअम्मुल disassociate करने में देर न करेंगे.

२३. इस मजलिस के constitution और फरायज और जिम्मेदारियों के मुतअल्लिक या Council of Administration के constitution और इख्तियारात और पॉलिसी के मुताल्लिक मुझे किसी वजाहत करने की जरूरत इस वक्त मालूम नहीं होती क्योंकि हाल ही में कौन्सिल की जानिब से ब सिलसिले अर्जदाश्त नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान मजलिस आम इसकी काफी तशरीह की जा चुकी है. यहां मैं ब हवाले उस तशरीह के सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ब लिहाज कौन्सिल की जिम्मेदारियों के, इस मजलिस के नॉन-ऑफिशियल मेम्बरान का ऐसा तर्ज अमल, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है, बजुज इसके कि तरक्की की मौजूदा रफ्तार में रुकावट हो जाये, और कुछ नतीजा पैदा नहीं कर सकता.

२४. आपको याद होगा कि जब ब जमाने कौन्सिल इस मजलिस का पहिला इजलास हुआ था उस वक्त मैंने कौन्सिल की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया था कि जिस आजमायश का मौका हमारे और आपके सामने पेश आया है उसको हम और आप इत्तफाक और यकदिली से गुजार देंगे. कितने अफसोस की बात होगी अगर हम में से कोई इस आजमायश में पूरा न उतरे. कौन्सिल अपनी अमानत को खैरियत के साथ अदा करने के लिये हर वक्त कोशां है और किसी ऐसे अम्र को हरगिज रवा न रखेगी जिससे उस अमानत की नौइयत या character या quality में अहम तबदीलियां वाकै होने का अहतमाल हो. कौन्सिल से यह उम्मीद रखना चाहिये कि वह अपने फरायज़ के अदा करने में किसी मुश्किलात का ख्याल नहीं करेगी यानी कौन्सिल को हर वक्त इस अम्र के लिये आमादा समझना चाहिये कि अगर वह रियासत और रिआया की तरक्की और बेहतरी के रास्ते में कोई मुश्किलें या रुकावटें देखेगी तो उनको दूर करने में कोई दरेग नहीं करेगी. इसी तरह इस मजलिस से यह उम्मीद रखना चाहिये कि जहां कहीं उसकी नजर में ऐसी बदगुमानियां और मुश्किलें पैदा होने का अहतमाल हो जो मजलिस के फरायज के अदा करने में हारिज हो तो वह उनके रफा

करने की फिक्र करेगी और ऐसे तरीक अमल से अपने को बचावेगी जिससे मुश्किलात का पैदा होना और बदगुमानियों का फैलना मुमकिन हो. हर ऐसे तर्ज अमल का नतीजा, जो मुश्किलात व बदगुमानियां पैदा करने का बायस हो, बदीही तरीक पर नाइत्तफाकी है और नाइत्तफाकी से जो खराबियां पैदा हो सकती हैं वह जाहिर हैं. क्या मैं आप साहबान से उम्मीद कर सकता हूं कि कि जिस इत्तफाक और यकजहती के साथ नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान को कवायद मजलिस आम की दफा ३६ में अपने फरायज अदा करने और काम करने के लिये उम्मीद जाहिर की गई है (जिसको मैं यहां पढ़कर आपको सुनाता हूं) उसी इत्तफाक और यकजहती से आयन्दा भी गवर्नमेन्ट को मदद देते रहेंगे ?

> " दरबार मुअल्ला को कवी उम्मीद है कि ऑफिशियल और नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान एक दिल होकर रियासत की सर-सब्जी और बेहबूदी को अपनी मुश्तरका गरज समझ कर बाहमी इत्तफाक से काम करेंगे. "

> " गरज यह है कि ऑफिशियल और नॉन-ऑफीशियल मेम्बर साहबान में मुखालिफत पैदा न हो, बल्कि हरदो तबके मेम्बरान में एक मकसद होना चाहिये, यानी रियासत के इन्तजाम की इसलाह. "

जगमोहनलाल साहब.—हुजूर आली ! हम लोगों ने हुजूर का स्पीच बगौर सुना. साल गुजिश्ता में हम लोगों ने एक अर्जदाश्त मुतअल्लिक इसलाह मजलिस हाजा कौन्सिल आलिया में पेश की थी, जिसका पेश करना नापसन्दीदा ख्याल नहीं फरमाया गया, मगर सवालात के वापिसी की कार्रवाई काबिल ऐतराज ख्याल की गई है. चूंकि मजलिस के इस इजलास के लिये तजावीज भेजने तक हमारी अर्जदाश्त पर कौन्सिल आलिया ने हुक्म सादिर नहीं फरमाया था इसलिये कौन्सिल आलिया की तवज्जुह मबजूल कराने की गरज से हम में से बाज ने अपनी भेजी हुई तजावीज वापिस लेलीं. इस अमल में इससे ज्यादा और कोई गरज न थी; मगर चूंकि यह तरीक अमल कौन्सिल आलिया ने नापसन्दीदा ख्याल फरमाया है जिसका ऐहसास हम को हुआ है. पस हम लोग इसकी बाबत इजहार अफसोस करते हैं.

लॉ मेम्बर साहब.—(बटुकप्रसाद साहब की तरफ मुखातिब होकर) देशपांडे साहब की वफात के मुतअल्लिक आप कुछ कहना चाहते हैं ?

बटुकप्रसाद साहब.—कब्ल इसके कि मजलिस आम का काम बाजाब्ता शुरू हो, मुझे दो हर दिल अजीज मेम्बर साहबान मजलिस आम के मुतअल्लिक जिनका इन्तकाल साल गुजिश्ता की मजलिस आम होने के बाद हो गया है condolence का रेज़ोल्यूशन पेश करना है और उसकी मैं इजाजत चाहता हूं और वह यह है—"यह मजलिस रामराव (बाबा साहब) देश पांडे व गोरेलाल साहब मेम्बरान मजलिस आम के इन्तकाल पुरमलाल पर इजहार अफसोस करती है और इस रंज व मिहन के मौके पर मरहूम व मगफूर के पसमांदगान के साथ इजहार हमदर्दी करती है." इस सिलसिले में दो एक बातें जो इन साहबान के मुतअल्लिक हैं अर्ज

करना गैर मौजूं न होगा, खुसूसन बाबा साहब देशपांडे के मुतअल्लिक--कि साहब मौसूफ मरहूम व मगफूर का इस मजलिस से पुराना तअल्लुक था, साहब मौसूफ मरहूम व मगफूर का तअल्लुक मजलिस कानून से भी था जहां कानून वजा करने का काम होता है. फिलहकीकत मरहूम व मगफूर बहुत सादा, दुरवेश सिफत और बहुत ही फकीराना तर्ज रखने वाले शख्स थे. उनकी वह तर्ज गुफ्तगू याद आती है कि जो वह इस मजलिस में इख्तियार फरमाते थे और जो हमेशा मानी का पहलू लिये हुए, खुशगवार और जरीफाना होती थी. अफसोस है कि ऐसे बुजुर्गवार के इन्तकाल से अब हमको मश्वरे का फायदा न मिल सकेगा. इसके बाद गोरेलाल साहब के इन्तकाल पर इजहार अफसोस करता हूं जो भेलसे के जमींदार और सरबरावुर्दा साहूकार थे और इस मजलिस के मेम्बर मिनजानिब बोर्ड साहूकारान प्रांत माळवा थे.

जगमोहनलाल साहब.—मैं इसकी ताईद करता हूं.

नोटः—इसके बाद हाजरीन इजलास ने खडे होकर बिल इत्तफाक रिजोल्यूशन पास किया.

इसके बाद एजेन्डा मजलिस आम मुन्दर्जे जमीमा की तजावीज पर गौर किया गया.

तजवीज नं० 1.

प्रेसीडेन्ट साहब.—आले अली साहब ! आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

आले अली साहब.—मेरी तजवीज हस्ब जैल है:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

दफा ४३२ कानून माल के बाद यह दफा जदीद कायम की जावे कि तजवीज डिक्री में सूद दौरान व आयन्दा दिलाने का इख्तियार अदालत माल को हासिल है.

कैफियत यह है कि कानून माल में ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि दौराने नालिश व आयन्दा का सूद दिलाया जा सकता है. कानूनी उसूल यह है कि नालिश के बाद के अय्याम का सूद दिलवाया जा सकता है. इस वास्ते मुकद्दमात माल के मुतअल्लिक ऐसा कानून बनाये जाने की बहुत जरूरत है जिस की रू से अदालतहाय माल दौरान मुकद्दमात और अय्याम आयन्दा का सूद दिलाने का इख्तियार रखती हों.

अहसानउल्ला खां साहब.—इस सवाल की मैं ताईद करता हूं.

वाटवे साहब.—मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं. इस तजवीज का तअल्लुक ज्यादातर काश्तकार पेशा लोगों से है जो एक कमजोर और गरीब तबका है और जिनकी दुनियवी हालत बिलकुल खराब है. उनके ऊपर लगान वगैरा की इल्लत में या मदाखलत बेजा वगैरा से जो हरजा वगैरा होता है उस पर सूद दिलाने के वास्ते यह तजवीज है. इन मुआम्लात के दायरी की मियाद सिर्फ तीन या छै माह होती है. इस कदर थोडे जमाने का सूद अगर न दिलवाया जावे तो साहूकारान या जमींदारान का ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन अगर दिलवाया जावे तो काश्तकारों के लिये बडा बोझ है क्योंकि वह गरीब लोग हैं और उनके साथ यह सख्ती नहीं होना चाहिये और उनके पास दीगर वसायल व जराये आमदनी के मौजूद नहीं हैं. वैसेही यह लोग तुसार, हवा वगैरा के सदमे से बहुत बेजार रहा करते हैं इसलिये सूद का बार अगर इन पर न डाला जावे तो कोई हर्ज नहीं. दीवानी मुआम्लात में ऐसा सूद दिलाये जाने की बाबत जाब्ता दीवानी में provision है लेकिन मुआम्लात माल के मुतअल्लिक लेजिसलेचर ने इसके मुतअल्लिक खामोशी इख्तियार की है इसवास्ते दरबार ने जो रिआयतें उनके साथ फरमाई हैं वह रिआयतें बदस्तूर बनी रहनी चाहिये.

आले अली साहब.—मेरी तजवीज...........................

लॉ मेम्बर साहब.—वकील साहब ! आप जरा ठहर जाइये और साहबान को भी इस सवाल के मुतअल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दीजिये. गालिबन अभी दीगर साहबान इस सवाल के मुतअल्लिक गौर कर रहे हैं. ताकि इन साहबान को राय कायम करने में कोई तकल्लुफ न हो, मैं चन्द वाकआत बयान करता हूं. वादवे साहब ने बयान किया है कि सूद के मुतअल्लिक मुकद्मात माल में लेजिस्लेचर ने खामोशी या सकूत मस्लेहतन इस वजह से इख्त्यार किया है कि काश्तकारान का तबका एक कमजोर तबका है, उस पर ज्यादा बार न डाला जावे. कैफियत यह है कि कानून माल में दफा ४३२ सूद दिलाने के मुतअल्लिक है. अहकाम इस दफा के दो हिस्सों पर शामिल हैं, पहला हिस्सा यह है कि अगर मुआहेदे में सूद का जिक्र न हो और अदालत मुनासिब समझे तो सूद दिला सकती है, अलबत्ता सूद की शरह १) से ज्यादा न होगी. दूसरा हिस्सा यह है कि अगर १) से ज्यादा सूद का मुआहिदा हो तो सिर्फ १) के हिसाब से सूद दिलाया जावेगा और किसी हालत में तादाद व रकम सूद जेरे असल से ज्यादा न होगी, ख्वाह बाद डिक्री उसमें इजाफा हो जावे. दूसरे हिस्से की आखरी इबारत से यह पता चलता है कि सूद दिलाने के मुतअल्लिक लेजिस्लेचर के जहन में यह बात थी कि दौराने नालिश व आयन्दा का सूद दिलाया जा सकता है जिसका इनहिसार अदालत के इख्तियार तमीजी पर है. पस सवाल यह है कि यह अहकाम होते हुवे क्या किसी नई दफा या नये हुक्म के जारी करने की जरूरत है ? मजमुआ जाब्ता दीवानी में साफ सराहत है कि अदालत को जमाने जेर बहस की बाबत सूद दिलाने का इख्तयार हासिल है. मुजव्विज साहब का मन्शा बजाहिर यह मालूम होता है कि जाब्ता दीवानी की तरह कानून माल में भी सराहत कर दी जावे. अगरचे कानून माल की दफा मुतजिक्रे सदर के अलफाज से कयास होता है कि मुकद्मात माल में भी ऐसा सूद दिलाया जा सकता है लेकिन इस को और साफ कर दिया जावे, ऐसा मुजव्विज साहब का मन्शा मालूम होता है. इस मजलिस में बहुत से साहबान कानून पेशा भी हैं और जमींदार व साहूकार भी हैं जो इस मसले पर गौर करके राय कायम कर सकते हैं. मैंने सिर्फ आप साहिबान की वाकफियत के लिये यह चन्द बातें जाहिर करदी हैं. मजलिस की जो राय होगी उस पर कौन्सिल गौर फरमावेगी.

आले अली साहब.—हुजूर आली, मेरे सवाल का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर जमींदार वक्त पर तौजी न दें तो सरकार सूद लेती है. अब अगर काश्तकारान से जमींदारान को लगान अदा न करने की हालत में सूद न दिलाया जायगा तो काश्तकारान लगान की अदायगी में तसाहुल करेंगे और वक्त पर रुपया अदा न हो सकेगा ऐसी सूरत में तकावी के मुतअल्लिक ही नालिश जेरे हर्जे से मेरे सवाल का तअल्लुक नहीं है. लॉ मेम्बर साहब ने भी मेरे इस हिस्से तकरीर को पसन्द फरमाया है लेकिन मैंने जो गौर किया तो यह बात निकलती है कि अदालतहाय से जो सूद दिलाया जाता है वह जमाने मुआहिदे से योम नालिश दायर करने तक का होता है. कानून में कोई ऐसी सराहत नहीं है कि डिक्री के दौरान का या उसके बाद का सूद दिलाया जावे और न कोई मिसाल मेरे पेश नजर है कि अदालत माल ने ऐसे अय्याम का सूद अदा करने का हुक्म सादिर फरमाया हो. लिहाजा कानून माल में यह साफ कर दिया जावे कि सूद दौरान नालिश व आयन्दा दिलाया जावे.

नोट.—इसके बाद वोट्स लिये गये.

ठहराव.—कसरत राय से करार पाया कि तजवीज काबिल मन्जूरी नहीं.

तजवीज नम्बर २.

प्रेसीडेन्ट साहब.—आलेअली साहब ! आप अपनी दूसरी तजवीज पेश कीजिये.

आलेअली साहब.—मेरी दूसरी तजवीज यह है :—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

कानून माल में ऐसी दफा जदीद कायम की जावे कि जिन मुआफीदार व जागीरदार साहबान को इख्तियारात माल बरूय कवायद जागीरदारान, अता हुए हों, उन मुआफीदार व जागीरदार साहबान के खिलाफ रिआया जागीर दावा करना चाहे तो वह अदालत माल खालसा में होना चाहिये.

देशमुख साहब.—मैं ताईद करता हूं.

सरदार आंग्रे साहब.—जो तरीका इस वक्त जारी है उसमें एक दो मिसाल की वजह से तरमीम की जरूरत नहीं. इस वक्त जो सवाल पेश है उसको कॉन्फ्रेन्स जागीरदारान में रखा जाना मुनासिब होगा.

ईश्वरीसिंह साहब.—मैं आपकी राय की ताईद करता हूं.

अब्दुलहमीद साहब सिद्दीकी.—मेरी राय में इस तजवीज के मुतअल्लिक इसी मजलिस में गौर होना चाहिये क्योंकि इस सवाल का तअल्लुक जागीरदार साहबान और उनकी रिआया से है. इस तजवीज में इस अम्र की तरमीम करने की जरूरत बयान की गई है कि मुआम्लात जिन लोगों से मुतअल्लिक हैं वही लोग इसका फैसला न करें. लिहाजा मुनासिब मालूम होता है कि इस मसला को कॉन्फ्रेन्स जागीरदारान से तय न किया जावे और इसी मजलिस में इस तजवीज पर गौर कर लिया जावे.

बाटवे साहब.—मैं इस तजवीज के भी खिलाफ हूं. मौजूदा कानून में दस्तन्दाजी करने के लिये कुछ ऐसे cases होना चाहिये जिनके जर्ये से मजलिस यह समझ सके कि दस्तन्दाजी करना ठीक है या नहीं. मैंने चार पांच साल से माल की अदालतों में भी काम करना शुरू कर दिया है. मालवा के जागीरदारान के यहां से अपीलें, बैंच अपील माल में आती हैं लेकिन मेरे तजुर्बे में ऐसी एक बात भी देखने में नहीं आई कि जिससे यह मालूम हो सके कि यकतर्फा फैसला करके रिआया को परेशान किया गया. जागीर के तहसीलदार साहबान मुकामी हालत के लिहाज से शायद इन्साफ में जल्दी करते हैं जिसकी वजह से कोई गलती हो जाती है वर्ना जुडीशियल ऑफिसरान इन्साफ को बिलखुसूस मद्देनजर रखते हैं. जब मामला जागीरदार साहब के पास जाता है तो वह उस पर अदालताना गौर करते हैं और मामले की तह को पहुंचकर ठीक इन्साफ करते हैं. इसलिये इसमें किसी तरमीम की जरूरत नहीं. इस वक्त मजलिस में माफीदारान व जागीरदारान कम हैं इसलिये उनकी अदम मौजूदगी में उनके खिलाफ तजवीज पास करना इन्साफ के खिलाफ है. लिहाजा यह मामला फिलहाल ड्रॉप कर दिया जाय तो बहतर है.

बटुकप्रसाद साहब.—हुजूर वाला ! इस सवाल के मुतअल्लिक जो इस वक्त तक चंद तकरीरें हुई हैं उनके दो मकसद मालूम होते हैं:—

(१)—सवाल को सरेदस्त ड्रॉप किया जावे.

(२)—इस सवाल को पास किया जावे.

मैं इस सवाल के पास करने की ताईद में कुछ अर्ज करना चाहता हूं. सवाल यह है कि क्या यह मुनासिब है कि एक मुकद्दमे में एक शख्स खुद ही मुद्दई हो और खुदही उसका मुन्सिफ भी हो.

मेरे ख्याल से एसा तर्ज अमल जारी रखना उसूल इन्साफ के खिलाफ है. इन्साफ की जांच आजादी के साथ होना चाहिये. एक जज के रूबरू वह दावे दायर नहीं हो सकते हैं जिसमें वह खुद एक फरीक हो. लिहाजा मैं ख्याल करता हूं कि अगर वाकई इस किस्म के दावे दायर होते हैं कि मामलात उनके ही खिलाफ हों और उन्हीं की अदालत में पेश हों तो यह ठीक नहीं है और यह तरीका काबिल मन्सूखी के है.

देवलाल साहब—मैं ताईद करता हूं.

लॉ मेम्बर साहब—मेरे ख्याल में, जैसा बटुक प्रसाद साहब ने कहा है, इस तजवीज में एक उसूल की बहस है. मैं नहीं कह सकता कि मुजव्विज साहब ने यह सवाल इस वजह से पेश किया हो कि वाकई जागीरदार साहबान, जिनको कि इख्तयारात हैं, फसला मुकद्दमात करने में नाजायज फायदा उठाते हैं. मुमकिन है ऐसा हो, मगर मजलिस के सामने ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि ऐसा नाजायज अमल होता है. बहर हाल यह अम्र मुसल्लमा है कि अदालतों के अहकाम पर और उनके ईमान पर लोगों को भरोसा नहीं होगा तो यह एक बडी बेइतमीनानी की हालत होगी. लेकिन इस सवाल का एक पहलू और भी है जिसको मैं मिसाल देकर समझाना चाहता हूं. दीवानी और फौजदारी मामलात में अगर किसी शख्स को ऐसा बावर करने के वजूह हों कि जज बिला रू रिआयत उसका फैसला नहीं करेगा तो इन्तकाल मुकद्दमे की दरख्वास्त की जा सकती है. इसमें मजिस्ट्रेट पर कोई हर्फ नहीं है कि वह बेईमानी करेगा, मगर ऐसा बावर करने के लिए हकीकत काफी वजूह होना चाहिये. फर्ज कीजिये कि एक जागीरदार साहब को इख्तयारात माली हासिल हैं, उनकी जानिब से उनकी अदालत में काश्तकार के खिलाफ एक मामला दायर हुआ. काश्तकार उसकी जवाबदेही करता है कि मुद्दई ने जो वाकेआत जाहिर किये हैं वह गलत हैं. ऐसी हालत में आप गौर करें कि मुद्दाअलेह के ख्यालात क्या होंगे. उसको ऐसा बावर करने की वजह है कि जागीरदार साहब के इजलास से उसको इन्साफ नहीं मिलेगा. आम उसूल यह है कि जब किसी मुकद्दमे में एक शख्स फरीक भी हो और वह मुन्सिफ यानी जज भी हो तो फरीक सानी को वजह माकूल ऐसा बावर करने की है कि उसके मुकद्दमे का फैसला इन्साफ से बिला रू व रिआयत नहीं किया जायगा. ऐसी सूरत में यह सवाल काबिल लिहाज होगा कि मौजूदा तरीक अमल से क्या वाकई कुछ खराबियां पैदा होती हैं ?

नफ्स मुआम्ले के मुतअल्लिक मुझे अपनी राय जाहिर करने की जरूरत नहीं है. ज्यादातर जरूरत इस वजह से नहीं है कि मैं इस जमाअत में मोअज्जिज जागीरदार साहबान को देखता हूं जो गालिबन इस मसले पर काफी रोशनी डाल सकते हैं कि क्या करना चाहिये. उम्मीद है कि मेरे दोस्त रायबहादुर ठाकुर ईश्वरीसिंह साहब इसके मुतअल्लिक तफ्सील फरमायेंगे.

ईश्वरीसिंह साहब—कॉन्फ्रेन्स में अगर इस सवाल को न रखा जाय तो मेरे ख्याल से मुंतजिम साहब के सुपुर्द कर दिया जाये. अपील मुंतजिम साहब के यहां हुआ करे.

लॉ मेम्बर साहब—शायद मुजव्विज साहब यह कह सकेंगे कि जागीरदार साहबान के फैसले की अपील रेवेन्यू बैंच में होती है. अपील रेवेन्यू बैंच में हो या मुंतजिम साहब के यहां; अपील का सवाल नहीं है.

ईश्वरीसिंह साहब—जागीरदार साहबान को जो इख्तियारात हैं उनका बर्तना उनका फर्ज है.

(**नोट**:—इसके बाद कोई साहब तकरीर के लिये नहीं खडे हुए.)

लॉ मेम्बर साहब—जागीरदार साहबान और सरदार साहबान व दीगर साहबान जो इस वक्त इस जलसे में हैं स त की हालत में हैं. नहीं मालूम क्यों.

आलेअली साहब—हुजूर आली, मेरी तजवीज के मुतअल्लिक यह कहा जारहा है कि वह कॉन्फ्रेन्स जागीरदारान में रखदी जाये. जागीरदारान को इसके वजूद से इन्कार नहीं है. यह देखने की जरूरत है कि इस तजवीज को कॉन्फ्रेन्स जागीरदारान में रखने से गरज हासिल होगी या नहीं अगर दरमियान जागीरदार साहबान के यह मुआम्ला होता तो कॉन्फ्रेन्स में रखा जाना मुनासिब था, मगर यहां तो रैयत और राई के दरमियान झगड़ा है.

सरदार आंग्रे साहब—इस वक्त जो तरीका और कानून यहां जारी है उससे कोई ऐसी दिक्कत पेश नहीं आती. वह मुकद्दमात जो जागीरदार साहबान की अदालत से फैसल होते हैं उनकी अपील कानून के मुताबिक की जाती है दरबार के कोर्ट्स में दरबार के खिलाफ मुकद्दमात दायर किये जाते हैं. एक दो cases के लिये इख्तियारात में तरमीम करने की जरूरत नहीं रिआया को अगर तकलीफ है तो इस सवाल को कॉन्फ्रेन्स में रखने से इसकी रोक हो सकती है. मुजव्विज साहब के पास अगर कुछ cases हैं जिनमें रिआया को तकलीफ हुई है तो कोई जागीरदार ऐसा नहीं है जो यह चाहे कि ऐसा तरीका continue रहे. इस सवाल को कॉन्फ्रेन्स में रखना मुनासिब है. अगर कॉन्फ्रेन्स में न रखा जा सके तो इसके मुतअल्लिक एक कमेटी मुकर्रर करदी जाये और उस कमेटी में एक दो जागीरदार साहबान और ले लिये जायें.

नोट:—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि यह तजवीज नामंजूर की जावे.

तजवीज नं० ३.

प्रेसीडेन्ट साहब—आलेअली साहब ! आप अपनी तीसरी तजवीज पेश कीजिये.

आलेअली साहब—मेरी तीसरी तजवीज यह है:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

दफात ३२६ व ३२७ कानून माल में यह इजाफा किया जावे कि अगर मुद्दाअलेह या जिस फरीक से अदालत मुचलका लिये जाने का हुक्म सादिर करे और वह मुचलका तहरीर या दाखिल करने से इन्कार करे तो ऐसी सूरत में वह शख्स फी योम १ रुपये के हिसाब से बलिहाज तादाद मुचलका कैद महज में रखा जावे या उस पर उदूल हुक्मी का मुकदमा चलाया जावे.

प्रेसीडेन्ट साहब—क्या इस तजवीज की कोई साहब ताईद करते हैं ?

गोविंद परशाद साहब—मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं.

प्रेसीडेन्ट साहब—इसके मुतअल्लिक और साहबान भी अपने ख्यालात जाहिर करें.

वाटवे साहब—मैं इस तजवीज से भी मुखालिफत करता हूं. मेरे इल्म में कोई भी ऐसा case नहीं हुवा कि मुचलका लेने का हुक्म हुआ और मुचलका लिखने से इनकार किया गया हो और अदालत को उदूल हुक्मी का मुकद्दमा चलाने की जरूरत महसूस हुई हो. जब जरूरत पेश नहीं आई तो उसके मुतअल्लिक कानून बनाना बेसूद है. मौजूदा हालत में संमत १९६१ से देखता हूं कि एक भी मिसाल ऐसी पेश नहीं आई जिसकी वजह से अदालत लाचार हुई हो.

गुरुदयाल साहब—मैं भी मुखाल्फित करता हूं क्योंकि उदूल हुक्मी करने की सूरत में कानून में दफा मौजूद है.

लॉ मेम्बर साहब—जगमोहनलाल साहब ! आप इसके खिलाफ या मुवाफिक तकरीर करेंगे ?

जगमोहनलाल साहब—जी नहीं.

लॉ मेम्बर साहब—जैसा कि वाटवे साहब ने कहा है, संमत १९६१ में जो कानून माल था उसमें भी मदाखलत बेजा और मजाहमत बेजा के मुतअल्लिक मुचलका लिये जाने का ईमा था लेकिन कोई मजीद हिदायत इस बारे में न थी कि अगर कोई शख्स मुचलका तहरीर न करे तो क्या किया जाय. जहां तक दरयाफ्त से मालूम हुवा है कोई इत्तसवाब भी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में इस वक्त तक नहीं हुवा की इस मामले में कानून खामोश है, मुद्दाअलेह मुचलका देने से इन्कार करता है, क्या कार्रवाई की जाय. आम तौर से यह कायदा है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो यह बात भी बताई जाती है कि उससे इनहिराफ की सूरत में क्या कार्रवाई होना चाहिये, यानी फलां शख्स ऐसा करे और अगर ऐसा न करे तो उसके तावान में उसके साथ क्या सलूक किया जाय.

मुजव्विज साहब ने दफात ३२६ व ३२७ में इजाफा करने की तजवीज पेश की है. दफा ३२७ अम्र जेर बहस से मुतअल्लिक नहीं पाई जाती. शायद मुजव्विज साहब की मुराद दफा ३२८ से है. बहर हाल कानून में यह हुक्म जरूर है कि मुचलका तहरीर कराया जाये लेकिन यह नहीं बताया गया है कि मुचलका तहरीर न करने की सूरत में अदालत क्या करेगी. लिहाजा आप साहिबान के यह बात काबिल गौर है कि यह कमी पूरी की जाय या न की जाय. अगर कोई सूरत इस वक्त तक इस किस्म की पेश नहीं आई है तो आयन्दा उसके पेश आने का इमकान है. ऐसी हिदायत उसमें जायद करने से बजाहिर कोई हर्ज मालूम नहीं होता. मुजव्विज साहब ने खिलाफवरजी का जो तदारुक तजवीज किया है वह निहायत सख्त है. तदारुक के मुतअल्लिक बहुतसी तजवीजें हो सकती हैं. एक तजवीज इस किस्म की भी हो सकती है-मसलन, एक मामले में मुचलका तावानी १० रुपये का हो तो मुचलके की पाबन्दी न होने की सूरत में १० रुपये की तादाद काबिल वसूल होगी लेकिन अगर यह सूरत पेश आये कि वह शख्स जिसको मुचलका लिख देने का हुक्म अदालत ने दिया हो, मुचलका लिखने से इन्कार करे और कब्जा भी न दे तो यह बात काबिल गौर होगी कि बसूरत अदम तामील हुक्म क्या अमल किया जाय. ऐसी सूरत में शायद यह काफी होगा कि जिस तादाद का मुचलका तहरीर करने से इन्कार किया जावे उस कदर जरे तावान वसूल कर लिया जावे.

प्रेसीडेन्ट साहब—मुजव्विज साहब ! आप कुछ और कहना चाहते हैं ?

आले अली साहब—जिन साहबान ने इस तजवीज से मुखाल्फित की है वह इस बिना पर की है कि सम्वत १९६१ के कानून में भी ऐसा ही था जैसा कि मौजूदा कानून में है. लेकिन अभी एक मुकद्दमे में यह सूरत पेश आई कि एक शख्स को फौरन हवालात कर दिया गया. इस पर यह सवाल पैदा हुआ कि अदालत उसको कब तक हवालात में रखे. ऐसी हालत में दीगर कवानीन की हिदायात से इमदाद लेनी पडती है. लिहाजा कानून माल में ही इस अम्र की सराहत करदी जाय कि ऐसी सूरत पेश आने की हालत में क्या कार्रवाई की जाय. इसके मुतअल्लिक जनाब वाला लॉ मेम्बर साहब ने जो कुछ फरमाया है वह उसकी तकमील के लिये काफी है.

नोट—इस मरहले पर वोट्स लिये गये.

ठहराव—कसरत राय से करार पाया कि मौजूदा कानून में किसी सराहत के करने की जरूरत नहीं है.

तजवीज नं० ४.

प्रेसीडेन्ट साहब—अहसानउल्लाखां साहब ! आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

अहसानउल्लाखां साहब—जी हां, मेरी तजवीज यह है कि:—

यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

मुकद्दमात नंबरी माल के बाज ब नंबर कायमी की दरख्वास्त पर रसूम मिस्ल दीवानी लिया जावे.

अहसान उल्लाखां साहब—हुजूर आली ! इससे कब्ल कि मैं अपना सवाल पेश करूं, मुझे अपनी बदनसीबी पर अफसोस है कि पहिले पहल ऐसे मौके और ऐसे मेहल पर मुझे सवाल पेश करने का इत्तफाक हुआ है, जबकि मुझे यह उम्मीद भी नजर नहीं आती कि कोई साहब भी मेरे सवाल की ताईद करें. काश इत्तफाक से किसी ने ताईद भी करदी तो कसरत राय से सवाल के पास होने की कतई उम्मीद नहीं है. लेकिन मैं अपना सवाल पेश करने को यूं मजबूर हूं कि अभी थोडा ही जमाना गुजरा है, यानी पारसाल ही मैंने इस मुकाम पर हल्फ लिया है और कसम खाई है. पारसाल का वह मंजर इस वक्त मेरे पेश नजर है. मेरा सवाल भी अहमियत रखता है इसलिये ब दिले नाख्वास्ता सवाल पेश करता हूं, ख्वाह ताईद हो या न हो, जिसको मैं यकीनन कह सकता हूं कि यह सवाल मंजूर होने के काबिल है.

हुजूर वाला ! सीगे माल के दायरी मुकद्दमात और पैरवी मुकद्दमात माल में अहालियान मुकद्दमा जमींदार या काश्तकार होते हैं. यही वजह है कि पैरवी मुकद्दमात के लिये सहूलियत मलहूज फरमाई गई है. बिला मुख्तारनामे के भी फरीक मुकद्दमा के रिश्तेदारान को पैरवी करने का मन्सब अता किया गया है और इसी तरीक पर कोर्ट फीस अकसर मुकद्दमात में माफ व बाज में कम रखा गया है. लेकिन इस मसले खास, बाज ब नम्बर कायमी मुकद्दमात नम्बरी में जो जाब्ता मुकर्रर किया गया है वह इन तमाम उमूरात के बरअक्स है बल्कि इस कदर सख्त है कि दीगर सीगेजात दीवानी और फौजदारी में इतनी सख्ती रवा नहीं रखी गई है. मौजूदा अलफाज कानून माल के जमीमा नम्बर १ मद नम्बर ९६ के यह हैं कि "दरख्वास्त खिलाफ हुक्म अदम पैरवी पर स्टाम्प मुआफिक इब्तदाई बढाया जावे."

आली जनाब ! बसा औकात ऐसे वाकयात लाहक हो जाते हैं कि अदम पैरवी में सायल का कोई कुसूर नहीं होता बल्कि अदम पैरवी इत्तफाक पर मबनी होती है. ऐसी सूरत में सिर्फ दरख्वास्त पर मिस्ल इब्तदाई ७॥) रुपया फी सदी के हिसाब से रसूम का लिया जाना उसूल सीगे माल की मनाफी है. तमसीलन फर्ज किया जाय कि ५००) रुपये का दावा अदम पैरवी में खारिज हुआ तो बाज ब नम्बर के लिये ३७॥) रुपये दरकार होते हैं. चूंकि काश्तकारान आम तौर पर गरीब होते हैं उन पर इस बार का डालना किसी तरह मुनासिब मालूम नहीं होता.

सीगे दीवानी का यह उसूल है कि अगर मुकद्दमा परगने व जिले में अदम पैरवी के सबब खारिज हो तो ॥) और प्रान्त से खारिज हो तो १) रुपया और हाईकोर्ट से खारिज हो तो २) कोर्ट फीस लिया जाता है. पस इसी तरीक पर अदालतहाय माल में दरख्वास्त बाज ब नम्बर कायमी मुकद्दमात नम्बरी में तहसील व सूबात के लिये ॥) और बैंच अपील के लिये १) और आलिया अपील डिपार्टमेन्ट के लिये २) मुकर्रर फरमाये जावें तो मुनासिब होगा.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—हुजूर वाला ! मैं इस तजवीज की ताईद करते हुवे यह अर्ज करूंगा कि पहले जो तजवीज के fail होने का हवाला मुजव्विज साहब ने दिया है और

जिसकी बिना पर उन्होंने अपनी तजवीज पेश करते वक्त खतरा जाहिर किया है वह कल्क अज वक्त हैं. उन्हें चाहिये था कि अपनी तजवीज पेश करके इन्तजार करते ताकि मजलिस सवाल की माकूलियत पर गौर करके अपने ख्यालात का इजहार करती; इसलिये मजलिस की इस वक्त की खामोशी किसी जज्बे की मातहत नहीं है बल्कि वह मेम्बरान जिन्होंने किसी खास तजवीज के मुतअल्लिक कोई राय नहीं दी तो उन्होंने इस मामले में neutral रहना पसंद किया. तजवीज के पेश होने पर उसके मुतअल्लिक debate में हिस्सा लेना हर मेम्बर की मुखालिफत या मुआफिकत पर मबनी होता है और न्यूट्रल होने की सूरत में उसके मुतअल्लिक बोलने की कोई जरूरत नहीं रहती है. अगर मुजव्विज साहब का यह ख्याल हो कि इस वक्त तक मेम्बर साहबान किसी खास जज्बे के मातहत खामोश रहे तो उनका यह ख्याल सही नहीं है. तजवीज जेर बहस के मुतअल्लिक इस कदर अर्ज कर देना काफी है कि दर हकीकत मौजूदा कानून की ताबीर गलत की जा रही है, जिसकी वजह खास तौर पर यह है कि अदालतहाय माल की नजर माली नुकसान की तरफ ज्यादा रहती है. चुनाचे यही वजह है कि दरख्वास्तहाय बाज ब नम्बर के मुतअल्लिक गलत ताबीर की जाकर पूरा कोर्ट फीस लिया जाता है. लिहाजा इस अम्र की वाकई जरूरत है कि इस मसले को साफ कर दिया जाय और जो तरीका सीगे दीवानी में राइज है उसी के मुताबिक अदालतहाय माल को भी पाबन्दी करने की हिदायत दी जावे.

वाटवे साहब.—मैं भी ताईद करता हूं और बहुत शुक्रिया के साथ यह जाहिर करता हूं कि मुजव्विज साहब की तरफ से जिस खतरे का अहतमाल जाहिर किया गया है उसकी जरूरत न थी. इस अहम सवाल के मुतअल्लिक यह गुजारिश है कि कानून दीवानी के तौर पर कानूनमाल में भी तशरीह फरमाई जावे.

नवाबअली साहब.—मैं भी इस सवाल की ताईद करता हूं बल्कि यह जाहिर करता हूं कि किसी खतरे का अंदेशा होने के बजाय, इस दरमियान में कि मुजव्विज साहब कानून माल लाने गये एक साहब ने ताईद भी करदी. इस लिहाज से मुजव्विज साहब को इस खतरे के इजहार की जरूरत न थी. सवाल बहुत मुख्तसिर है. मुजव्विज साहब की यह राय है कि वाजिबी कोर्ट फीस ली जावे. मेरी राय में मुकद्दमात जेर बहस में दीवानी के कानून के मुताबिक जेर कानून माल कोर्ट फीस ली जावे.

लॉ मेम्बर साहब.—यह सवाल रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के जेर गौर पहले से है. अजलाय से इस्तसवाब हुए हैं. गालिबन सब साहबान समझ गये होंगे कि सवाल क्या है. अदालतहाय माल में बाज मुकद्दमात बसीगे सरसरी होते हैं, उनमें बहुत कम रसूम है, यानी चन्द आने हैं. बाज मुकद्दमात सादा दायर होते हैं, बाज नंबरी ब अदाय कोर्ट फीस होते हैं. सादा किस हालत में होंगे, नम्बरी किस हालत में व सरसरी किस हालत में, इसकी सराहत की जरूरत नहीं है. नम्बरी मुकद्दमात में कोर्ट फीस एक खास शरह से यानी बहिसाब ७॥) रुपया सैकडा लिया जाता है. फर्ज कर लीजिये कि २०००) का दावा दायर हुआ. अदालत ने मुकद्दमा अदम पैरवी में खारिज किया या मुद्दाअलेह के हाजिर न होने की वजह से डिग्री एकतर्फा दी. अब मुद्दाअलेह ने दरख्वास्त दी कि मैं फलां वजह से गैर हाजिर था, लिहाजा कार्रवाई मुकद्दमा फिर मेरी मौजूदगी में की जावे. अगर ऐसी सूरत किसी मुकद्दमे दीवानी में होती तो सिर्फ ॥) आने के कोर्ट फीस पर दरख्वास्त मुद्दाअलेह की जानिब से पेश हो सकती. तजवीज यह है कि जिस तरह अदालतहाय दीवानी में ८ आने लिये जाते हैं इसी तरह माल में लिये जावें. रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में इसी सवाल पर गौर करके कुछ अहकाम सादिर करने की तजवीज है. बहर हाल अगर आप साहबान भी अपनी राय का इजहार करेंगे तो उससे कौन्सिल को बहुत इम्दाद मिलेगी.

बटुक प्रसाद साहब—हुजूर वाला ! इस सवाल के मुतअल्लिक में भी अपनी राय जाहिर करता हूं. मेरा ख्याल है कि यह महज एक ताबीर की गलती है कि जिसकी बिना पर पूरा कोर्ट फीस महकमे माल में लिया जाता है. जिस नक्शे का हवाला मुजव्विज साहब ने पेश किया है उसके शुरू के अल्फाज यह हैं—" दरख्वास्त खिलाफ हुक्म अदम पैरवी (दफा ४३०) " और दूसरे खाने की इबारत यह है—" रसूम मुवाफिक इब्तदाई ". इसका मतलब यह है कि मुकदमात नंबरी में दरख्वास्तों पर जो रसूम लिया जाता है वही रसूम बाज ब नंबर की दरख्वास्तों पर लिया जावे. इसके यह मानी नहीं हैं कि अर्जीदावे पर जो रसूम लिया जाता है उस कदर लिया जाय. इस हिदायत का मकसद सिवाय इसके जैसा कि मैंने बयान किया है और कुछ नहीं. जो ताबीर की गई है वह ऑफिसरान माल की कदरे गलती पर या गलत फेहमी पर मबनी है. लीगल मेम्बर साहब ने फरमाया है कि यह मसला जेर गौर रेवेन्यू मेम्बर साहब है. इसके मुतअल्लिक जरूर दुरुस्ती हो जावेगी. जिन लाइन्स पर सीगे दीवानी में अमल हो रहा है उसी तरीके पर सीगे माल में भी होना चाहिये. मजलिस में अब किसी मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं है.

प्रेसीडेन्ट साहब—लीगल मेम्बर साहब ने जाहिर किया है कि इसके मुतअल्लिक अजलाय से इस्तसवाब आने पर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में कार्रवाई जारी है और इसके मुतअल्लिक लीगल मेम्बर साहब की राय भी दरयाफ्त की गई है, वह आने पर लिहाज होगा. आपकी राय है कि जैसी शरह दीवानी में है वैसी ही शरह माल में कायम की जावे. इसके मुतअल्लिक गौर करके जो कुछ निकाल होगा वह किया जावेगा.

ठहराव—करार पाया कि मौजूदा हालत में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं.

तजवीज नं० ५.

प्रेसीडेन्ट साहब—आले अली साहब ! आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

आले अली साहब—हुजूर आली, मैं इस तजवीज को वापिस लेता हूं.

नोट—तजवीज वापिस ली गई.

तजवीज नं० ६.

प्रेसीडेन्ट साहब—अहसानउल्ला खां साहब ! आप अपनी तजवीज पेश कीजिये.

अहसानउल्ला खां साहब—मेरी तजवीज यह है :—

यह मजालिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:—

सीगे तालीम के मौजूदा इमदादी बजट में इजाफा फरमाया जावे.

अहसान उल्ला खां साहब—आलीजाहा ! सबसे पेश्तर इस अम्र को मैं जाहिर करना चाहता हूं कि यह सवाल पेश करने की मुझे क्यों जरूरत पेश हुई. हकीकत यह है कि हमारे वालिये मुल्क का यही मुद्दआ रहा है कि उनकी रिआया तालीम पा सके और मुल्क की तरक्की हो. तालीम का मकसूद यह है कि रिआया तालीम पाकर मुल्क के काम में मदद दे सकती है. यह अम्र मोहताज बयान नहीं है कि हमारी रियासत की जबान उर्दू है और अल्फाज हिन्दी. हकीकत यह है कि दोनों इल्म एक दूसरे से इस कदर वाबस्ता हैं कि बिलकुल एक हो गये हैं और इसका नतीजा यह हुआ है कि अगर कोई शख्स उर्दू से नावाकिफ हो या कोई शख्स महज हिन्दी से नावाकिफ हो तो काम नहीं

चल सकता. वालिये मुल्क का यह उसूल था कि तालिब इल्मों को जज्बात पैदा करने के लिये वजीफे दिये जाते थे. गो अब मौजूदा जमाने में वजीफा देने का तरीका तो नहीं है मगर अर्से ८ या ९ साल से ए. वी. एम. स्कूल्स परगनात से तोडकर वी. एम. स्कूल्स कायम किये गये हैं. इस वक्त मैं कुछ जरूरत इस के अर्ज करने की नहीं समझता हूं कि ए. वी.एम. और वी.एम. स्कूल से क्या मकसद है. लेकिन जब से वी. एम. स्कूल्स कायम किये गये हैं परगनात में तालीम उर्दू कम हो गई है. अक्सर वह बच्चे तालीम उर्दू को तरस रहे हैं कि जिनके बुजुर्ग और जिनके मूरिस इस बात के ख्वाहां हैं कि तालीम उर्दू दिलाई जावे. मैं इसी वजह से इस वक्त यह सवाल पेश करने को तैयार हुवा हूं और एक तहरीर पेश करता हूं जो मैं अपने साथ मजलिस आम के सामने लाया हूं. मैं अन्जुमन का नुमायन्दा हूं जिसमें कि अहले हिनूद और अहले इस्लाम साहबान ने एक दरख्वास्त भेजकर यह इस्तदुआ की थी कि इसको बाबत कम अज कम इम्दाद की जरूरत है क्योंकि जब से कि वी. एम स्कूल्स का सिलसिला जारी किया गया है बाज मुकाम के बाशिन्दगान ने बतौर खुद मदरसा जारी किया लेकिन चन्दा सिर्फ ८ या १० रुपये माहवार होने के सबब से काम न चल सका. चुनांचे चन्द परगनात से अन्जुमन में अहले हिनूद साहबान व अहले इसलाम साहबान की दस्तखती दरख्वास्तें बगरज इम्दाद तालीम मौसूल हुई और अंजुमन से बाद करारदाद सिर्फ एक मुकाम की दरख्वास्त जिसमें कि अलावा नाम तालिब इल्मों के उनके वालदैन के दस्तखत भी थे, इन्सपेक्टर जनरल साहब तालीम की खिदमत में इबलाग की गई. बाकी दरख्वास्तें जिनमें कायदे की कुछ खामियां थीं तकमील कार्रवाई के लिये वापिस की गईं. इन्सपेक्टर जनरल साहब की जानिब से उस दरख्वास्त पर जर्ये नंबर ४४८३ ता० २५-१०-१९-२८ ई०, यह हुक्म सादिर हुवा कि इमसाल बजट में गुंजायश नहीं. इस जवाब के आने पर बाकी दरख्वास्तें रोक दी गईं.

हुजूर आली ! इस वक्त मेरे इल्म में पांच छै परगनात, महलन गोहद, मुंगावली, चन्देरी, महगांव, जौरा ऐसे हैं जिन्होंने इम्दाद तलब की है और खास सिटी में भी ऐसी इम्दाद की जरूरत है. अजब नहीं कि और मुकाम के लोग भी इम्दाद के ख्वाहां हों. अब अगर इन मुकामात पर दरबार की जानिब से एक मास्टर रखा जावे तो कम अज कम २५ रुपये माहवार का सरफा है और इम्दाद की सूरत में १०-१० रुपये माहवार काफी हो सकते हैं. मैंने महकमे तालीम से वाकफियत हासिल की तो सरसरी तौर पर इस कदर वाकफियत जरूर मालूम हो सकी है कि मौजूदा इम्दादी बजट अपनी रियासत के लिये ९९७५) का है. यह जाहिर नहीं हो सका कि यह बजट कब से इस तादाद में मुअय्यन किया गया है. इसलिये मैं यह ख्याल कर सकता हूं कि यह बजट पेश्तर से हो मगर फी जमाना देखा जाय तो यह बजट नाकाफी मालूम होता है, इस वास्ते कि सिलक में जो बचत बतलाई गई है वह १७५) है, यानी १४।≥) माहवार की है जिसका नाकाफी होना जाहिर है. बहर हाल मेरी नाकिस राय यह है कि इस मौजूदा बजट में कम अज कम २०००) का इजाफा फरमा दिया जाय तो उसमें से ही ब हिसाब १२) फी मुकाम १६६ मुकाम की जरूरत पूरी हो सकती है और रकम भी बहुत कम है. हमारे गवर्नमेन्ट का यह उसूल रहा है कि बजट इस तरीक पर मुकर्रर कर लिया जाता है कि उसमें रद्दो बदल या तब्दीली हर वक्त हो सकती है अपनी स्टेट के लिहाज व हुस्न इन्तजाम के लिहाज से यह २०००) की रकम बिलकुल मामूली सी रकम है. इसलिये गुजारिश यह है कि मौजूदा इम्दादी बजट सीगे तालीम में इजाफा कर दिया जावे ताकि उन लोगों की मुरादें पूरी हो जायें जिनकी दरख्वास्तें अंजुमन में आई हैं.

लक्ष्मी प्रसाद साहब—मैं ताईद करता हूं.

गोविन्द प्रसाद साहब—मैं इस सवाल की ताईद करते हुवे अर्ज करना चाहता हूं कि मुजव्विज साहब ने जो २०००) इजाफा करने के लिये अपनी तकरीर में फरमाया है कि यह जरूरत

के लिहाज से होना चाहिये. इसके मुतअल्लिक सीगे तालीम से जांच की जावे और जिस कदर इजाफे की जरूरत हो इजाफा किया जावे, जिससे तमाम रियासत को फायदा पहुंचे न कि खास खास मुकाम को.

आलेअली साहब—इस कौल की मैं भी ताईद करता हूं कि तमाम रियासत को यह फायदा पहुंचाया जावे और उसके लिये कमीशन मुकर्रर किया जावे, वह हालत देखे, और उनके काम के मुताबिक फैसला किया जावे.

एजूकेशन मेम्बर साहब—जनाब प्रेसीडेन्ट साहब ! तजवीज जैसी कि एजेन्डे में छपी है उससे यह कयास नहीं हो सकता था कि और कोई भी मसला इसके साथ वाबस्ता होगा, लेकिन तजवीज के अलावा, तजवीज को पेश करते हुये जो तकरीर हुई है उसमें अलबत्ता एक खास जुबान की तालीम की निस्बत जो अम्र शामिल किया गया है वह एक अम्र जदीद होकर एक अलहदा तजवीज की शक्ल में पेश होने काबिल था. मुझे याद पड़ता है कि साबिका किसी साल में इसकी बाबत जवाब दिया जा चुका है.

जिस दरख्वास्त का मुजव्विज साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र किया है, मैं यह नहीं कह सकता कि वह किस वक्त गुजरी है. लेकिन यह अम्र करीन कयास है कि कोई दरख्वास्त बगरज इम्दाद अगर साल शुरू होकर कई माह बाद गुजरे तो उस वक्त मंजूरशुदा रकम में बचत न रहे और दरख्वास्त दिहन्दा को आयन्दा साल तक इन्तजार करना पडे. रकम इम्दाद की कैफियत यह है कि सम्वत १९७५ से सम्वत १९७८ तक इम्दाद के लिये २४००) provide होते हुए आज १४०००) की रकम मंजूरशुदा है और खुशी का मुकाम यह है कि जो रकम जिस साल provide की जाती है वह सब सर्फ हो जाती है. संवत १९८० में रकम इम्दाद ४७००), सम्वत १९८१ में ६५००), सम्वत १९८२ में ६६००), सम्वत १९८३ से १३९७५), यानी करीब १४०००) के मंजूर हुये हैं. इससे आप साहबान को वाजह होगा कि गवर्नमेन्ट की पॉलिसी है कि Grant-in-aid की रकम बढाई जाय.

पब्लिक की जानिब से स्कूल्स प्रायमरी और सेकन्ड्री एज्यूकेशन देने की गरज से कायम किये जावें और उनके लिये गवर्नमेन्ट aid मंजूर करे ताकि Higher Education के लिये ज्यादा रकम बाकी रहे क्योंकि महकमे की तरफ से कुल प्रायमरी स्कूल्स कायम करने में गवर्नमेन्ट का रुपया बहुत ज्यादा सर्फ होता है. प्रायमरी और सेकन्ड्री एजूकेशन के लिये तो Government मदद देती ही है, अगर रिआया की तरफ से कॉलेज भी कायम हों, जैसे कि दीगर मुकामात पर हैं जो Government से इम्दाद पाते हैं, तो कॉलेज एज्यूकेशन के लिये भी गवर्नमेन्ट aid देने के लिये तैयार है Aid के देने के लिये यह उसूल है कि जब किसी स्कूल के मुतअल्लिक यकीन हो जाता है कि वह एक साल तक बिला इम्दाद के चल सकता है और काम अच्छा पाया जाता है तो उसे इम्दाद दी जाती है. ऐसे स्कूलों के चलने की कोई उम्मीद नहीं समझी जा सकती जो गवर्नमेन्ट की इम्दाद के बगैर, पब्लिक के सर्फे से एक साल भी कायम न रहकर, तीन चार महीने ही चल कर बन्द हो जाते हैं. गवर्नमेन्ट के महकमेजात का बजट इस तरीके से बनाया जाता है कि मौजूदा साल में जिस कदर मांग हुई हो उसको देखते हुए, आयन्दा साल कम से कम किस रकम में काम चलाया जा सकता है, उसी कदर रकम साल आयंदा के लिये मंजूर की जाती है. यह मुमकिन है कि सन १९२८ में साल आयन्दा के लिए जो रकम aid के लिए बजट में मंजूर हुई थी वह साल आखीर के कब्ल सर्फ हो गई हो. अब महीना अप्रेल खतम होने को है, ऐसे वक्त में अगर कोई दरख्वास्त aid के लिए महकमे में आये तो उस पर यही जवाब दिया जावेगा कि बजट

में गुंजायश नहीं है. बहर हाल जिस बात को गवर्नमेन्ट encourage करना चाहती है वह यह है कि प्रायवेट तौर पर मदरसे कसरत से कायम हों. कम से कम एक मास्टर के मदरसे इस तरह कायम हो जायें. अगर निस्फ सर्फा भी लोग उठावें तो निस्फ डिपार्टमेन्ट देगा. मुजव्विज साहब ने तजवीज पेश की है कि रकम बढाई जावे. बजट में रकम २,४०० रुपया थी वह साल ब साल बढाते अब १४,००० रुपया करदी गई है. मैं इतमीनान दिलाता हूं कि रकम बढेगी और हम जिस स्केल से इम्दाद देते हैं उसमें भी तरमीम करने की जरूरत पेश आवेगी. मैं इस मौके पर यह जाहिर करना चाहता हूं कि यह मसला भी जेर गौर है और कौन्सिल आलिया से अनकरीब तय होने वाला है.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी.—इस तजवीज के सिलसिले में गवर्नमेन्ट की जानिब से जिन ख्यालात का इजहार फर्माया गया है वह बिला शुबह निहायत इतमीनानबख्श और हौसला अफजा हैं लेकिन इस वक्त सवाल बजट के गैर काफी होने का है. यह मालूम करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई है कि गवर्नमेन्ट ने बजेटेड रकम को ब तदरीज बढाकर २४,०० रुपये से लेकर १४,००० रुपये तक कर दिया है लेकिन इस वक्त इस तजवीज का मुद्दआ यह जाहिर किया गया है कि यह रकम भी नाकाफी है. वाकया यह है कि फी जमाना जिस तौर पर हर शोबे जिन्दगी रू ब तरक्की है उसी तरह तालीम की जरूरत रोज ब रोज बढती जाती है. लिहाजा इन हालात में गवर्नमेन्ट की खिदमत में इस अम्र की जरूरत है कि बजेटेड रकम में इस वक्त की जरूरियात को मद्दे नजर रखकर मोतदबा इजाफा फर्माया जावे. जनाब वाला एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने अपनी तकरीर में यह फर्माया है कि जरूरत का इल्म होने पर आयन्दा साल के बजट में लिहाज रखा जाता है लेकिन महज यह लिहाज जरूरत के पूरा करने को काफी नहीं है. हकीकतन अम्र यह है कि दरबार की रिआया की माली हालत बहुत नाजुक और इफलास की है. अगर ब दिक्कत तमाम रिआया ने कोई मदरसा कायम करके एक साल उसको चलाया और दूसरे साल गवर्नमेन्ट से इमदाद की दरख्वास्त की, जिसका जवाब यह मिला कि बजट में गुंजायश नहीं है तो यह अम्र बजाय हौसला अफजा होने के हिम्मत शिकन होता है. चुनांचे जरूरत इस अम्र की है कि बजट में इतनी माकूल गुंजायश रखी जाय कि ऐसे जवाबात की नौबत न आये जो हिम्मत शिकन हो. गो बजट के मुतअल्लिक हमको माकूल तौर पर कोई मालूमात नहीं है लेकिन फिर भी इस हद तक जनाब वाला एज्यूकेशन मेम्बर साहब ने जो इस वक्त इजहार फर्माया है उसके एतबार से मैं यह अर्ज करने की जुरअत करता हूं कि मौजूदा बजेटेड रकम बहुत ही ना काफी है जिसके सबूत में महज इस कदर अर्ज करना काफी है कि अभी हाल ही में मुसलमान बच्चों की तालीमी जरूरियात के मुतअल्लिक सरसरी अन्दाजा किया तो last सेन्सस रिपोर्ट के आदाद शुमार पर गौर करने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सिर्फ लश्कर, ग्वालियर व मुरार में ऐसे ८० मदर्सों की जरूरत है जिन पर कम अज कम ३०) रुपये माहवार फी मदर्सा सर्फ किया जा सके. चुनांचे इससे यह अन्दाजा हो सकता है कि जब सिर्फ मुसलमान बच्चों की तालीमी जरूरियात पूरा करने के लिये इस कदर रकम की जरूरत है तो दीगर अकवाम की तालीमी जरूरियात, और फिर तमाम रियासत की कुल अकवाम की तालीमी जरूरियात को मद्दे नजर रखा जाकर हिसाब किया जावे तो मालूम होगा कि यह मौजूदा रकम बहुत ही गैर मुक्तफी है. लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि इस तजवीज की अहमियत को महसूस करते हुये तमाम मजलिस whole-heartedly ताईद करेगी.

बटुकप्रसाद साहब—हुजूर वाला! इस सिलसिले में मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं. तजवीज यह है कि सीगे तालीम के इमदादी बजट में इजाफा फरमा दिया जाय. यह सवाल एजेन्डा में देखकर मुझे खुशी है कि बजट के मुतअल्लिक एक सवाल मजलिस में बहस के लिये रखा गया और इसके

ऊपर हम लोगों को इजहार राय का मौका दिया गया. मुजव्विज साहब ने इस सवाल के मुतअल्लिक तफसील के साथ बातें बताकर इसकी ख्वाहिश की है कि उर्दू की तालीम में किसी कदर कोताही नजर आती है इसलिये इमदादी रकम का इजाफा किया जाय. इसमें शक नहीं कि बतौर उसूल के कोई मुखालिफत नहीं कर सकता कि इमदादी रकम में इजाफा किया जाय. गवर्नमेन्ट की तरफ से इसके मुताल्लिक तफसील के साथ इजहार किया गया है कि तालीम के मुतअल्लिक गवर्नमेन्ट की पॉलिसी क्या है. आपने फरमाया है कि पहिले २४००) का ग्रान्ट था, अब इजाफा होते होते १४०००) रुपये तक होगया है, फिर भी ऐसा मालूम होता है कि यह रकम नाकाफी है. आज जो सवाल पेश है उसके मुतअल्लिक मेम्बर साहब ने इसका यकीन दिलाया है कि अगर जरूरत इससे भी ज्यादा होगी तो गवर्नमेन्ट की जानिब से इमदाद में दरेग न होगा. इस यकीन दिलाने के बाद ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं रहती. मजलिस का रुजहान इसके मुतअल्लिक क्या है? इजाफा किया जाय या नहीं? जो इस वक्त तक तकरीरें हुई हैं उनके सुनने के बाद मैं भी यही गुजारिश करता हूं कि मजलिस हाजा गवर्नमेन्ट की खिदमत में सिफारिश करे कि न सिर्फ उर्दू बल्कि तमाम दीगर उलूम की तरक्की के लिये बजट में काफी इजाफा कर दिया जाय ताकि सबको बराबर फायदा पहुंच सके.

आलेअली साहब—सवाल से और मुजव्विज साहब की तकरीर से दो बातें मालूम होती हैं एक इमदाद, दूसरे मास्टरों का तकर्रुर.

बहस इमदाद के मुतअल्लिक की गई है न कि मास्टर मुकर्रर किये जाने के लिये. जब तक इसकी जांच न की जाय, इसका तस्फिया मुहाल है लिहाजा मेरी राय में इसके मुतअल्लिक तहकीकात की जाना चाहिये.

प्रेसीडन्ट साहब—दूसरा सवाल इस वक्त इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, यानी मास्टर मुकर्रर करने का सवाल एजेन्डा में नहीं है इसलिये इसके मुतअल्लिक गौर करने की जरूरत नहीं है.

अहसानउल्लाखां साहब—आली जनाब! यह सही है कि मास्टरों के तकर्रुर के मुतअल्लिक एजेन्डे में कोई जिक्र नहीं है. मेरी तजवीज का भी यह मकसद न था कि मास्टर मुकर्रर किये जायें, बल्कि मैंने अपनी तकरीर में साफ तौर से यह कहा था कि इस मुआम्ले में गवर्नमेन्ट की इमदाद की जरूरत है. मैं इस वक्त तमाम मजलिस व नीज जनाब वाला एजूकेशन मेम्बर साहब का निहायत मशकूर हूं और उनके करमनवाजी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस सवाल को लफ्ज ब लफ्ज मंजूर फरमाया और तसल्लीबख्श और उम्मीद भरे अलफाज में तस्कीन दिलाई कि हस्ब जरूरत हमारी जरूरत को पूरा किया जावेगा, लेकिन जैसा कि मेरे लायक दोस्त सिद्दीकी साहब व बटुकप्रसाद साहब ने अपनी तकरीर में जाहिर फरमाया है, बजट का तअय्युन किया जाना जरूरी है.

एजूकेशन मेम्बर साहब—मुझे दो बातों की तशरीह करना जरूरी मालूम होता है. बात यह है कि हमेशा से बजट बनाने का कायदा यह है कि एक साल जिस कदर जरूरत पेश आती है वह नोट करली जाती है कि आयन्दा साल के बजट में किस कदर रकम का इन्तजाम करना होगा. क्या ग्रान्ट-इन-एड (Grant-in-aid) के मुतआल्लक, क्या गवर्नमेन्ट स्कूल्स के मुतअल्लिक, जहां जहां तुलबा की तादाद बढती है, सेक्शन बढाने पडते हैं और टीचर्स ज्यादा रखना पडते हैं. इसी के लिहाज से बजट में इजाफा कर दिया जाता है. जो जरूरियात बाकी रहती हैं उनको आयन्दा साल के लिये नोट किया जाता है.

यह तो जरूरी है कि डिपार्टमेन्ट को यह मालूम हो जावे कि आयंदा साल के लिये बजट में किस कदर प्रॉविजन होना चाहिये और हमको कितनी डिमान्ड्स मीट करना पडेंगी. इसका हिसाब साल खत्म हो जाने तक मालूम हो जाना चाहिये. इसलिये जो इमदादी स्कूल अपने तौर से

चलाय जाते हैं उनका सर्फा बहर हाल पहिले पहल रिआया ही को बरदाश्त करना पडेगा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेन्ट का यह उसूल है कि जब तक कोई शख्स एक साल तक प्राइवेट स्कूल को न चला सके, इमदाद नहीं दी जा सकती. तजुर्बा कहता है कि इसका बहुत इमकान है कि आज मदरसा जारी किया गया, दो तीन माह चला और बंद हो गया. पस एक साल अगर जारी रहता है तो बसाल आयन्दा उसके लिये बजट में प्रॉविजन कर दिया जाता ह. हम पेश्तर यह देख लेते हैं कि आया इतनी कुव्वत है या नहीं कि बिला सरकारी इम्दाद के स्कूल एक अर्से तक चल सकता है, वर्ना इत्मीनान का जर्या क्या हो सकता है ? हमारा उसूल यह है कि अगर एक साल तक इस किस्म की तालीम के लिये तुलबा मयस्सर आ सकते हैं तो Grant-in-aid देने की जरूरत महसूस की जाती है. जो खानगी मदर्से अच्छी तरह काम करते हुये नजर आते हैं उनको हस्ब गुंजायश बजट मदद दी जाती है. जब यह देखा जाता है कि इस वक्त गुंजायश नहीं है तो साल आयन्दा के लिये ऐसे मदर्से नोट कर लिये जाते हैं.

रहा सवाल जबान के मुतअल्लिक—तो उस जबान के लिये, जो मैजॉरिटी की है, हमारे यहां मर्दुमशुमारी के लिहाज से एक मौजा से लेकर दारुलसल्तनत तक, प्रायमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक उस जबान में तालीम देने का इन्तजाम है. बाकी खास खास जबानों के मुतअल्लिक कैफियत यह है कि लश्कर और उज्जैन दोनों जगह उर्दू, फारसी, मराठी, अंग्रेजी और संस्कृत जबानों की तालीम का इंतजाम है. बाकी मुकामात के लिये यह उसूल रखा गया है कि जहां किसी खास जबान की तालीम पाने के ख्वास्तगार लडके या लडकियों की तादाद पूरा एक क्लास साल बसाल चलने काबिल नजर आती है वहां पर उस जबान की तालीम का इन्तजाम डिपार्टमेन्ट से कर दिया जाता है. कमी की हालत में भी उस जबान की तालीम देने के लिये गो अलहदा इन्तजाम नहीं किया जाता क्योंकि मास्टरों की तादाद बढकर सर्फा ज्यादा होता है, ताहम मौजूदा स्टाफ में ही दो जबान जानने वाले मास्टरों के जरिये इन्तजाम की कोशिश की जाती है. अलावा इसके जहां जिस जबान में तालीम देने की ख्वाहिश रिआया की हो, वहां रिआया एक क्लास अपने तौर पर जारी करके बतलावे और गवर्नमेन्ट से इमदाद चाहे. खुलासा यह है कि जो मदर्से इमदाद पा रहे हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है. हमको यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि रिआया में रोज ब रोज तालीम की ख्वाहिश बढती जाती है और रियासत में जिस कदर प्रायमरी या सेकन्ड्री मदारिस कायम हों उतना ही हमारी खुशी का बाइस है. गवर्नमेन्ट की पॉलिसी व तर्जे अमल हस्ब मुतजिक्रे बाला होने की सूरत में तजवीज पेशशुदा का मतलब सिवाय इसके कुछ नहीं हो सकता कि रिआया तालीम की ख्वाहिशमन्द है, इसका Government को इल्म व इत्मीनान दिलाया जावे.

प्रेसीडेन्ट साहब—एज्युकेशन मेम्बर साहब ने जो हाल जाहिर किया है उससे उम्मीद है कि मुजव्विज साहब की जो ख्वाहिश है पूरी होगई होगी. लिहाजा इसके मुतअल्लिक मजीद कार्रवाई को जरूरत नहीं है. ऐसा समझ कर मैं इस सवाल को खत्म करता हूं.

अब्दुल हमीद साहब सिद्दीकी—चूंकि मजलिस का प्रोग्राम खत्म हो चुका है लिहाजा मैं मजलिस की जानिब से जी मर्तबा जनाब सदर की खिदमत में ब कमाल अदब शुक्रिया पेश करता हूं कि आपने उन सिफात के साथ जो इस मन्सब के शाया शान थीं, मजलिस के प्रोग्राम को खत्म फर्माया.

[ढाई बजे मजलिस का इजलास खत्म किया गया और इसके बाद मेम्बर साहबान को रिफरेशमेन्ट दी गई.]

जमीमा.

तजावीज जो नॉन-ऑफिशियल मेम्बर साहबान मजलिस आम की जानिब से मौसूल होकर दर्ज एजेन्डा की गई थीं और मजलिस आम में पेश हुई.

नंबर शुमार.	तजवीज.	तजवीज पेश करने वाले का नाम.	कैफियत.
१	२	३	४
१	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— दफा ४३३ कानून माल के बाद यह दफा जदीद कायम की जावे कि तजवीज डिक्री में सूद दौरान व आयन्दा दिलाने का इख्तियार अदालत माल को हासिल है.	सैयद आलेअली वकील, सरदारपुर.	
२	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— कानून माल में ऐसी दफा जदीद कायम की जावे कि जिन मुआफीदार व जागीरदार साहबान को इख्तियारात माल, बरूय कवायद जागीरदारान, अता हुए हों, उन मुआफीदार व जागीरदार साहबान के खिलाफ रिआया जागीर दावा करना चाहे तो वह अदालत माल खालसा में होना चाहिये.	ऐजन	
३	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— दफात ३२६ व ३२७ कानून माल में यह इजाफा किया जावे कि अगर मुद्दाअलेह या जिस फरीक से अदालत मुचलका लिये जाने का हुक्म सादिर करे और वह मुचलका तहरीर या दाखिल करने से इन्कार करे तो ऐसी सूरत में वह शख्स फी योम १ रुपये के हिसाब से, बलिहाज तादाद मुचलका कैद महज में रखा जावे या उस पर उदूल हुक्मी का मुकद्दमा चलाया जावे.	ऐजन	
४	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— मुकद्दमात नंबरी माल के बाज व नंबर कायमी की दरख्वास्त पर रसूम मिस्ल दीवानी लिया जावे.	ऐहसानउल्लाखां वकील, लश्कर.	
५	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— जबकि मिन्जानिब मदयून डिक्री, अपील किसी हुक्म इजराय के खिलाफ दायर किया जावे और डिक्री में शर्त सूद दौरान व आयन्दा दिलाने की न हो या अगर हो तो वह एक रुपये से कम शरह की हो तो तारीख दायरी अपील से डिक्रीदार को १ रुपया सैकडा सूद दिलाने का इख्तियार अदालत अपील को बहालत नाकामयाबी अपील दिया जावे, ताकि अपीलें सही उसूल पर दायर हों.	सैयद आलेअली वकील, सरदारपुर.	
६	यह मजलिस गवर्नमेन्ट के हुजूर में सिफारिश करती है कि:— सीगे तालीम के मौजूदा इम्दादी बजट में इजाफा फर्मांया जावें.	ऐहसानउल्लाखां वकील, लश्कर.	